...द्वारा किया गया कार्य ...री तथा सर्वनाशक सिद्ध ... मैं युवापीढ़ी का कांग्रेस ...ही हूं और प्रगतिशील ...रात्रों का घोर समर्थक होने ...साथ संगठन के अनुशासन ... भी हूं।

है कि देश की आर्थिक विषमता को दूर करने के वास्ते स्व० पं० जवाहर लाल नेहरू ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया ? जबकि उनको रोकने वाला कांग्रेस में या उसके बाहर कोई नहीं था। आपके काल में भी आपको किन व्यक्तियों ने रोका कि आप

सके। मगर आप ने ऐसा नहीं किया। आप ने स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर अपना पैतृक मकान आनन्द भवन भी नेहरू स्मारक निधि को ही देने की घोषणा की और यह सिद्ध कर दिया कि

...न्दिरा जी ! क्या आपने इस पत्र का उत्तर दिया ?

...के बैंगलोर अधिवेशन में ...एक तरीके पर संघटन ने ...द के उम्मीदवार का चयन ...का मनपसन्द व्यक्ति न ...सका। आपने उस वक्त ... प्रणाली का गला घोंट-...न को नाटकीय ढंग से ...या, जो संगठन की ...कदम विपरीत था। ...ता कि अगर किसी ... के लोगों में मतभेद ...उस बात का निर्णय ... और दूसरे किस ...ता है ? जो कुछ ... एक प्रजातंत्र पर ...ला व्यक्ति नहीं ... तानाशाह ही कर

...स कार्यकर्ताओं के ...द कर काफी आघात ...र्षों तक कांग्रेस देश ...ते कुछ न कर सकी। ...ात गलत है। अगर ...सत्य मान ली जाय ...है कि इसके वास्ते ...जिम्मेदार है ? मुझे ...भी संकोच नहीं कि ...के लम्बे काल में १६ ...ल के वास्ते स्वर्गीय श्री ...शास्त्री प्रधानमंत्री चुने ...भारत का इतिहास ...गया तो स्वर्गीय ... 'स्वर्ण अक्षरों' में ...में लिखा जायेगा।

देश में आर्थिक स्थिति में सुधार के वास्ते काम न करें। जब निकट भविष्य में मतदान होगा तो जनता इन मौलिक बातों को जानना चाहेगी कि जिस कांग्रेस में आप थीं, जब उसने २२ वर्षों तक कुछ नहीं किया तो जनता आपकी कांग्रेस को क्यों अपना मत दे ?

संगठन को बदनाम करने के लिए आज आप ने सिण्डीकेट का एक हौवा देश की भोलीभाली जनता के सामने खड़ा कर दिया। प्रश्न उठता है कि सिण्डीकेट में मौजूदा लोगों का निर्माण कैसे हुआ ? अगर कांग्रेस के इतिहास के पन्ने को उलटता हूं तो पाता हूं कि सिण्डीकेट के समर्थक जितने व्यक्ति हैं उन सब का निर्माण स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही किया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्व० सरदार बल्लभभाई पटेल के स्वर्गवास के बाद आरदणीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने, अपनी राजनैतिक स्थिति मजबूत करने के वास्ते इन लोगों का समर्थन करना आरम्भ कर दिया और ऐसे लोगों की राजनीतिक हत्या की जो देश के वास्ते त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति थे। क्या आप इस बात से इनकार कर सकती हैं कि स्व० नेहरू ने इन्हीं लोगों की मदद से राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, डा० गोपीनाथ भार्गव, आचार्य नरेन्द्रदेव, आचार्य कृपालानी, श्री पी० सी० घोष, डा० सम्पूर्णानन्द, द्वारिका-

अव्वल ह् खेशबाद ह् दवे (अंग्रेजी में—चैरिटी बीगिन्स एट होम)।

इस घोषणा को मैं एक राज-नीतिक स्टंट मानता हूं क्योंकि उस निधि की आप स्वयं ट्रस्टी हैं। अगर आप ने यह भवन स्व० लाल बहादुर शास्त्री स्मारक निधि को दान में दी होती तो आपके समाजवाद की बात कुछ समझ में आती। मगर आप ने ऐसा नहीं किया क्योंकि स्व० शास्त्री जी एक गरीब परिवार के थे। और आपके पिता ... के ... के साथ पैदा हुए थे। अगर हम आपके समाज-वाद को 'व्यक्तिवादी समाजवाद' के नाम से पुकारें तो गलत न होगा।

अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी आज स्व० नेहरू की गलत विदेश-नीति के कारण ही काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ में लटका हुआ है। तिब्बत पर चीनियों का दावा मान कर भारत की बाह्य-खिड़कियां विदेशी आक्रमण के वास्ते खुली छोड़ दी गई हैं। स्व० ... मुस्लिम सम्मेलन में जो कुछ ... अपमान को भारत ... राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं ...

मुझे उत्तर प्रदेश के ... तथा उपमुख्यमंत्री श्री ... त्रिपाठी के भाषण के वे ... याद आ जाते हैं जब ... के संविद सरकार के ... कहा था कि देश या प्रदेश ...

...हीं कभी नहीं चाह सकती
...क व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति
...नर्गा रहती है । मैं नहीं
...कि आपकी ये सर...
...ट, द्रमुक, अक...
...लीग तथा व...
...क्तियां क...

पाञ्चजन्य

...सम्पादक,
...न्य साप्ताहिक
...ल्ली ।

...की सेवा में श्रीमती इन्दिरा
... भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि
... हूं । आशा है, आप इसे
... करने की कृपा करेंगे ।

भवदीय,

(कैलाश टण्डन)

००

वाराणसी महानग...
कांग्रेसी सभासद—कै...
इन्दिरा जी के ...

...य प्रधानमंत्री जी, प्रणाम ।
...ापसे अवस्था में काफी छोटे
...भी यह पत्र आपको लिखने
... कर रहे हैं क्योंकि आपके
... ऐसे व्यक्तियों का समूह
...ो गया है जो आपको कांग्रेस
...ों की सही स्थिति की
... नहीं होने दे रहा, गुमराह
... है ।

इन २२ वर्षों तक स्वर्गीय शास्त्री जी के काल को छोड़ कर देश के सर्वोच्च पद पर आपके पिता स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू विराजमान थे, बाद में आप आयीं और आज भी विराजमान हैं । आपके कथनानुसार सम्पूर्ण दोष कांग्रेस संघटन का है जो देशभर में सिंडीकेट के नाम से पुकारा जा रहा है । मैं राजनीति-विज्ञान का छात्र रह चुका हूं और इस तर्क को मानता हूं कि संगठन अगर नीतियां निर्धारित करता है तो संगठन की वो हस्तियां, जो सत्ता में रहती हैं, उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उन पर है । ...

समाजवाद ...
वाद का अर्थ...
सकता है जब...
भी देश के अन्दर...
यह तभी हो सकत...
नेता अपने बताये हुए...
चले । मगर आपने ऐस...
कार्य नहीं किया ।

एक ओर तो आप ...
की बात करती हैं, ...
...पनी सुविधा, ...
विलास के वास्ते ...
का अपव्यय करके दि...
...नया आवास अपने ...

क व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति
लगी रहती है । मैं नहीं
कि आपकी ये सर
ट, द्रमुक, अक
लीग तथा
क्तियों का

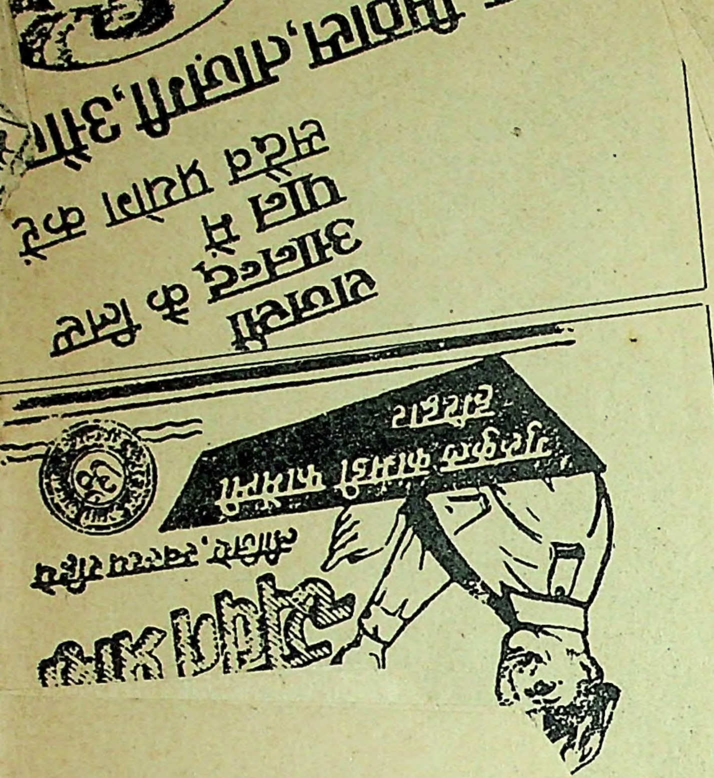

पाञ्चजन्य

सम्पादक,
न्य साप्ताहिक
ल्ली ।

की सेवा में श्रीमती इन्दिरा
भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि
हूं । आशा है, आप इसे
करने की कृपा करेंगे ।

भवदीय,

(कैलाश टण्डन)

००

वाराणसी महानग...
कांग्रेसी सभासद—कै...
इन्दिरा जी के ...

य प्रधानमंत्री जी, प्रणाम ।
ापसे अवस्था में काफी छोटे
भी यह पत्र आपको लिखने
कर रहे हैं क्योंकि आपके
ऐसे व्यक्तियों का समूह
गया है जो आपको कांग्रेस
यों की सही स्थिति की
नहीं होने दे रहा, गुमराह
है ।

इन २२ वर्षों तक स्वर्गीय शास्त्री जी के काल को छोड़ कर देश के सर्वोच्च पद पर आपके पिता स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू विराजमान थे, बाद में आप आयीं और आज भी विराजमान हैं । आपके कथनानुसार सम्पूर्ण दोष कांग्रेस संघटन का है जो देशभर में सिंडीकेट के नाम से पुकारा जा रहा है । मैं राजनीति-विज्ञान का छात्र रह चुका हूं और इस तर्क को मानता हूं कि संगठन अगर नीतियां निर्धारित करता है तो संगठन की वो हस्तियां, जो सत्ता में रहती हैं, उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उन पर है । स्वर्ग...

समाजवाद ...
वाद का अर्थ...
सकता है जब
भी देश के अन्दर
यह तभी हो सकत...
नेता अपने बताये हुए
चले । मगर आपने ऐस...
कार्य नहीं किया ।

एक ओर तो आप ...
की बात करती हैं, ...
अपनी सुविधा, ...
विलास के वास्ते स...
का अपव्यय करके दि...
नया आवास अपने ...

X
19

एव दी

तादृशी

प्रतिपादिताः सन्ति।

भवेयुः तत्र यदि केऽपि युक्तिषु

य प्रधानमंत्री जी, प्रणाम।

ापसे अवस्था में काफी छोटे
भी यह पत्र आपको लिखने
त कर रहे हैं क्योंकि आपके
ऐसे व्यक्तियों का समूह
ो गया है जो आपको कांग्रेस
ों की सही स्थिति की
नहीं होने दे रहा, गुमराह
है।

वे
विरो
सम्पूर्ण
देशभर में
जा रहा है। मैं राज
छात्र रह चुका हूं और इसे
मानता हूं कि संगठन अगर नीति
निर्धारित करता है तो संगठन की वो
हस्तियां, जो सत्ता में रहती हैं, उसे
कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उन
पर है।

॥ श्रीः ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

११

X
14

पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितः

रसगङ्गाधरः

'चन्द्रिका' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः

व्याख्याकारः

व्याकरण-न्याय-साहित्याचार्य-

पण्डित श्रीमदनमोहनझा

मुजफ्फरपुरस्थराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयस्य साहित्यप्रधानाध्यापकः

चौखम्बा विद्याभवन, ... VIDY...

VARA... SI-1

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : द्वितीय, संवत् २०२५

मूल्य—

प्रथमाननपर्यन्त प्र० भाग रु० ९-००

द्वितीयानन का उत्प्रेक्षानिरूपणान्त द्वि० भाग रु० २०-००

अतिशयोक्त्यलङ्कारादि समाप्तिपर्यन्त तृ० भाग रु० २०-००

सम्पूर्ण १-३ भाग रु० ४८-००

प्रधान कार्यालय

...खम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

...पाल मन्दिर लेन

...क्स ८, वाराणसी-१

THE

VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA

11

RASAGAṄGĀDHARA

OF

PAṆḌITARĀJA ŚRĪ JAGANNĀTHA

With

The 'Candrikā' Sanskrit-Hindi Commentary

By

PT. ŚRĪ MADANAMOHANA JHĀ,

Vyākaraṇa-Nyāya-Sāhityācarya, Head of the Dept. of Sāhitya, Govt. Sanskrit College. Muzaffarpur.

THE

CHOWKHAMBA VIDY

VARA SI-1

Second Edition

1969

© The Chowkhamba Vidyabhawan

Post Box No. 69,

Chowk, Varanasi-1 (India)

1969

Phone : 3076

Also can be had of

HAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

ers & Oriental Book-Sellers

Post Box 8, Varanasi-1 (India)

निवेदनम्

'धातुश्चतुर्मुखीकण्ठशृङ्गाटकविहारिणीम् ।
नित्यं प्रगल्भवाचालामुपतस्थे सरस्वतीम् ॥'

जनजीवने क्षणा आयान्ति यान्ति च तत्र पुण्यास्ते क्षणा यत्र जनः किमपि महत्त्वमयं कार्यमारभते, समारब्धकर्मपरिसमाप्तये सपरिकरबन्धं प्रयतते, प्रारब्धपरिसमाप्तौ परितुष्यति च ।

अहमपि निजजीवनस्य तान् क्षणानतिपुण्यमयान् जाने यत्र निखिलालङ्कारग्रन्थगर्वखर्वणनिपुणस्य श्रीजगन्नाथपण्डितराजनिबद्धस्य रसगङ्गाधराख्यस्य महानिबन्धस्य व्याख्या मयाऽऽरभ्यत, प्रत्यूहव्यूहैः साकं सङ्गरमुपक्राम्यता तत्परिसमापनाय प्रायत्यत, तत्परिसमाप्तौ च कृतकृत्यताजन्मा महान्मोदोऽन्वभूयत ।

रसगङ्गाधरव्याख्यानावसरलाभः

मैथिलब्राह्मणजातीयश्रोत्रियशाखायां लब्धजन्माऽभिनन्दनीयकविकर्मा पूजनीयः कविशेखरश्रीबदरीनाथझाशर्मा विहारप्रान्तीयमुजफ्फरपुरस्थ-राजकीय-धर्म-समाजसंस्कृतमहाविद्यालयस्थप्रधानाचार्यपदञ्चालङ्कुर्वन् 'ध्वन्यालोक-दीधिति'-'रसमञ्जरी-सुरभी'त्याद्यनेकान् व्याख्याग्रन्थान् 'राधापरिणय-प्रभृतीन् कियतो मौलिक-संस्कृतकाव्यनिबन्धांश्च निर्माय प्रकाशितान् विधाप्य च ततो लब्धदीर्घावकाशो ग्रामे धर्माचरणचणं जीवनं यापयन् वार्धक्य–प्रभाव-परवशोऽप्यहीनस्फूर्तिः रसगङ्गाधरप्रथमाननस्य चन्द्रिकाख्यां संस्कृतभाषामयीं व्याख्यां विरचय्य प्रकाशनाय चौखम्बा-विद्याभवनाभिधाने वारणसीगते ग्रन्थालये प्रायच्छत् ।

उक्तग्रन्थालयाधिपतिः श्रेष्ठिप्रवरः श्रीजयकृष्णदासगुप्तमहोदयश्च तदीयां तां व्याख्यां हिन्दीव्याख्यया सहैव प्रकाशयितुं कामयमानो हिन्दीव्याख्यामपि विधातुं तमेव लब्धप्रतिष्ठमाचार्यप्रवरं प्राक् प्रार्थयामास । परं ततो नकारात्मकमुत्तरमुपलभ्य तदनुमत्यैव मह्यं तावतो भागस्य हिन्दीव्याख्यां कर्तुं भारमार्पयत् । इतः पूर्वमेव मम 'रसगङ्गाधररहस्य'-नामकमेकं लघुपुस्तकं परीक्षार्थिच्छात्रजनानुरोध-बल-लब्ध-समुद्भवं तस्मिन् ग्रन्थालये प्रकाशितमासीत् ।

यदा तं भारं प्रदातुमुक्तप्रकाशकमहोदयो मम पुरः समुपस्थितोऽभूत् तदा प्रथमं रसगङ्गाधरस्य नव्यन्यायभाषासन्दब्धस्य हिन्दीव्याख्याया दुष्करतामिवानुध्यायन्नहं तं भारमनङ्गीकर्तुमेव मनसाऽनुमतोऽभवम् , परन्तु तदग्रिमक्षण एव दी[illegible] [illegible]प्रेरितं किमपि विलक्षणं साहसं मम मानसे समचरत् । यत्फलं मन्मुखात्पि[illegible] तादृशी[illegible]संस्तुतिः समभूत । भारो मयाङ्गीकृतः । किन्तु यदा तद्भारवहनाय स्कन्[illegible] [illegible] विधा विघ्नाः सम्मुखमापतिताः । कदाचिदनूढभारौ स्कन्धावेवान्दोल[illegible]षशो [illegible] प्रतिपादिताः सन्ति, कदाचित्समयाभावोऽनुभूयते स्म, कदाचिदस्वास्थ्यादीनि [illegible] भवेयुः तत्र यदि केऽपि युक्तिषु [illegible]

परमेतान् विघ्नान् विद्राव्य यथाकथञ्चिदहं तं महान्तं भारं वहन् व्याख्यानिर्माणसरणावग्रेऽसरम्। अस्याञ्चाग्रेसरतायां तत्साहसमेव सर्वाधिकं सहायकं समभवत्।

अन्ततस्तेऽपि दिवसाः समागता यदा रसगङ्गाधरप्रथमाननस्य हिन्दीव्याख्या सम्पूर्णा, विशाला प्रस्तावनाऽपि प्रस्तुता, प्रकाशनाय यन्त्रमारूढा च।

यदा तत्पुस्तकं यन्त्रस्थं तिष्ठत्तदा ममान्तःकरणे के के भावाः प्रादुर्भूय विनश्यन्ति स्म तान् कथं कथयामि, 'मम व्याख्यामवलोक्य विद्वांसः किं कथयिष्यन्ति ? स्तोष्यन्ति ? निन्दिष्यन्ति वा ?' इत्यादयो भयमिश्रितास्ते भावा आसन्, एतावदेव साम्प्रतं वक्तुं पारयामि। परन्तु यदा प्रकाशितं तत्पुस्तकं विदुषां करेषु स्थानमापत्तदाऽसन्तोषस्य कोऽप्यवसरो नोपस्थितः, यतो विद्वांसो मम व्याख्यायाः प्रशंसां यदि नाकुर्वन् तर्हि निन्दामपि नैव प्राकटयन्, प्रत्युत कर्णाकर्णितया तस्या व्याख्यायाः प्रशंसैव श्रुतिपथातिथ्यमयासीत्।

अथ तेनैव प्रकाशकश्रेष्ठेन श्रेष्ठिवरेण श्रीजयकृष्णदासगुप्तमहोदयेन रसगङ्गाधराग्रिमग्रन्थस्यापि पूर्वभागस्येव संस्कृत-हिन्दी-टीका-द्वयोपेतं संस्करणं प्रकाशयितुकामेन पुनः स एव विख्यातकीर्तिः प्रथमाननभागस्य संस्कृतटीकाकारो शेषभागस्याऽपि टीकाकरणायामन्त्रितः। किन्तु मादृशश्रद्धावनतासंख्यजनसौभाग्येन जीवन्नपि च वार्धक्यवशाल्लौकिकप्रपञ्चवैमुख्यवशाच्च शेषभागस्य व्याख्यां कर्तुं नैच्छत्। ततः पुनस्तदादेशेनैव श्रेष्ठिप्रवरोऽसौ रसगङ्गाधरस्यावशिष्टभागस्य संस्कृत-हिन्दी-भाषा-युगलनिबद्धां व्याख्यां विधातुं मामन्त्रयत्।

मयापि प्रथमाननगतहिन्दीटीकासाफल्यसमुत्साहितेन सहर्षं तथा विधातुं स्वीया स्वीकृतिर्वितीर्णा समारब्धा च प्रथमाननगतसंस्कृतटीकाकारविधृतचन्द्रिकाख्ययैव संस्कृतव्याख्यया सह राष्ट्रभाषाहिन्दीव्याख्यया।

वस्तुस्थितिः

भावावेशदशायां विहित एव लेखो भावकेभ्यो रोचत इति प्रायः समेषां लेखकानां तुल्योऽनुभवः। भावावेशदशासम्पत्तिश्च तदैव सम्भवति, यदि नियमतः समयापहारकं किमपि कार्यान्तरं न भवेत्, जीवनयापनोपयोगिनोऽर्थस्य कार्कश्यं न तिष्ठेत्, कोऽपि व्याधिः कायं नाक्रामेत्, आधिर्हृदयं न चुम्बेत्, लेखकजनोपयुक्तरहःप्रकोष्ठाभावो वा न भवेत्।

मम पुरस्तु व्याख्याकरणकाले पुरोदीरितनञर्थप्रतियोगिन एव नियमतोऽतिष्ठन्। यतो महाविद्यालयेऽध्यापकपदासीनस्य मम समयापहारकं महाविद्यालयसम्बन्ध्यध्यापनादिकार्यं नियमतस्तिष्ठत्येव।

अथाधिरेव विधिविधानाधीनोऽवशिष्यते। सोऽपि यादृक् प्रकृतटीकाटीकनकाले समुपस्थितो, न विर[illegible] कदाचिन्मम जीवने। यमवलोक्य नानाविधं मनोरथं कुर्वाण आसम् यो न [illegible] सम्पूर्ण[illegible]तस्य परिवारस्य प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत्, यो लघुनि निजजीवने [illegible] अनेकानि प्रमाणानि प्राकटयत्, यदीया रूपमाधुरी यदीयं स्वभाव[illegible] नात्मीयानेव, किन्तु तटस्थानपि प्राभावयन्, स सप्तवर्षीयो [illegible]कित्साया अवसरमदत्त्वैव विसूचिकारोगेण रुदतोऽ-

स्मानपहाय परमपितुः क्रोडे क्रीडितुमिव लोकान्तरमगमत्। हन्त! भगवन्! नैतादृशं दुरवसरं कस्मैचिद्देहि।

दैवदुर्विलासासादितयाऽनया दुर्घटनया तादृश आघातो हृदयेऽलगद् येन प्रक्रान्तव्याख्यापूर्त्तेः सम्भावना समाप्तप्राया समजनि। परन्तु समयः सर्वं शमयति। ममापि शोकः क्रमशः सह्यतामासादयत्। पुनरहं 'विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति' इत्याप्तजनोक्तिमनुस्मरन् व्याख्याकर्मणि संलग्नोऽभवम्।

अस्या विषमपरिस्थितेः सुनिश्चितः परिणामोऽयमभवद्यन्महाविलम्बेन व्याख्याकार्यं समपद्यत। समपद्यत, एतदेव बहु मन्तव्यम्।

'आत्यन्तिकासिद्धिविलम्बिसिद्ध्योः कार्यस्य-कार्यस्य शुभा विभाति?'

संस्कृतव्याख्या

मदीया संस्कृतव्याख्या कीदृशी सञ्जाताऽस्तीति यद्यपि न मम निर्णेयो विषयः, अपि तु सहृदयानामालोचनात्मकदृष्टिकोणं पुरो निधाय पाठकानामेव, तथापि वक्तव्यमेव मयाप्येतावद्यदस्यां व्याख्यायां ग्रन्थकारस्य हृदयं स्प्रष्टुं महान् श्रमो विहितः यत्नतः प्रतिपादनशैली सरलाकृता, सर्वत्रावतरण-ग्रन्थलापनयोरनन्तरं सारांशो लिखितः।

इयं व्याख्याशैली भवेदन्यैर्व्याख्याकारैरन्यत्र क्षुण्णा, परन्तु मया ज्ञानपुरस्सरं न कस्यापि शैली समनुहृता। सम्भवति—टीकाकरणे प्रथमप्रवृत्तस्य मम तद्विषयकाचातुर्येण बुद्धिदोषेण वा कियत्यस्त्रुटयो भवेयुरिति।

हिन्दीव्याख्या

व्याख्यानुवादयोर्महदन्तरं भवतीति सर्वानुभवसाक्षिकं वस्तु। मया यद्यपि हिन्दीभाषायामपि व्याख्यैव कृता, नानुवादस्तथापि क्वचित्क्वचिदनुवादशैली-छाया तत्र लभ्येत भावकैः। तत्र व्याख्या-शैली-समपेक्षित-द्विरुक्त्यादिदोष-प्रसृत-पङ्क्ति-वृद्धि-परिजिहीर्षैव हेतुः। सम्भवति—दुरूहस्थलीय-भावस्फोरणं कामयमानेनापि मया सर्वथा हिन्दीभाषायां न कृतं भवेदिति। इदमपि सम्भवति भाषा सर्वथा परिमार्जिता न स्यादिति। यद्यप्येवमादिभिर्दोषैर्मुक्तं निजलेखं मुक्तं रक्षितुं मया नाल्पं समवधानं स्वीकृतम् तथापि स्वतः समासादिविधिवशात् स्वल्पैरेवाक्षरैर्विशालमर्थजातं क्रोडीकुर्वत्यां, परतो नव्य-न्याय शैली-समुपबृंहितायां संस्कृतभाषायामुपनिबद्धस्य प्रौढतरस्य निबन्धस्य भाव-स्फोरणं तादृशवैशिष्ट्यविरहिते भाषान्तरे दुष्करं भवतीति ते दोषा नासम्भविनः।

प्रस्तावना

अद्यत्वे ग्रन्थगतविषयाणां संक्षेपतो दिग्दर्शनेन सहैव तेषु विषयेषु विभिन्नाचार्याणां मतानि यथा विज्ञातानि भवन्ति तादृश्यै एवालोचनात्मिकायै अत एव दी[illegible] प्रस्तावनायै स्पृहयन्ति पाठका इत्यनुभवता प्रकाशकमहाभागेनानुरुद्धोऽहमपि तादृशीं[illegible]प्रस्तावनां पुस्तकेऽस्मिन् निर्माय समयोजयम्।

प्रस्तावनायामस्यां केचन तथाविधा अपि सैद्धान्तिका विषया[illegible] प्रतिपादिताः सन्ति, येऽधुनावधि मया दृढत्वेनाङ्गीकृता अपि परेषामनभिमता भवेयुः तत्र यदि केऽपि युक्तिषु[illegible]

विरोधं विधास्यन्ति तदा तत्कालादारभ्याहमपि स्वविचारं परिवर्तयिष्यामि, तदनुसारं समुचितं संशोधनमपि भाविनि संस्करणे करिष्यामीति ।

साहाय्यम्

व्याख्याकरणकाले विख्यातकीर्तिभिः विद्वच्चूडामणिभिर्नागेशभट्टैः कृतया गुरुमर्मप्रकाशाख्यया व्याख्यया, कविवरैः श्रीमथुरानाथभट्टमहोदयैः कृतया सरलाभिधया टिप्पण्या च संयुक्तं मूलरसगङ्गाधरपुस्तकम्, विद्वद्वरैः श्रीपुरुषोत्तमशर्मचतुर्वेदिमहोदयैः लिखितं हिन्दी-रसगङ्गाधरपुस्तकञ्च ममाग्रेऽवर्तताम् । रसगङ्गाधरस्य तेभ्योऽन्यट्टीकाटिप्पण्यादिकमुपलब्धमपि नास्त्येव । अतो यदल्पं महद् वा साहाय्यं समभूत्तत एवेति स्वीकरणे न मम सङ्कोचः । भूमिकाभागे तु चतुर्वेदमहोदयानां पुस्तकेन सहैव लब्धप्रतिष्ठस्य समालोचकमूर्धन्यश्रीबलदेवोपाध्यायमहाशयानां भारतीयसाहित्यशास्त्रनामकेन पुस्तकेनापि विपुलं साहाय्यं मम कृतमिति सत्यतरं वचः ।

धन्यवादज्ञापनम्

येषां पुस्तकेभ्यो मया साहाय्यं लब्धं तेभ्यो प्रागुक्तनामधेयेभ्यो विद्वद्भ्यः शतधा-सहस्रधा वा धन्यवादानहं मनसा विदधामि । सहैव यैरत्रत्यैः सहवासिभिर्वयस्यकल्पैर्विद्वद्भिः साकं समये समये कृता व्याख्येयग्रन्थगूढस्थलविचारवार्ता मार्गदर्शिका समभूत् तानपि धन्यवादवचोभिः संवर्धयामि ।

आलोचकान् प्रति

नवप्रकाशितस्य मौलिकग्रन्थस्य व्याख्याग्रन्थस्य वा समालोचनं कर्तव्यमेव विज्ञैरालोचकैः यत आलोचनैव नव-नव-रहस्योन्मेषजननी । परन्तु समालोचकैर्दोषैकदृग्भिर्न भाव्यम् । गुणानपश्यन्तः पश्यन्तोऽपि वाऽप्रकटयन्तो दोषदृशः समालोचका व्रणमात्रगवेषिकाभिर्मक्षिकाभिरेवोपमीयन्ते । अतो गुणदोषोभयप्रकटनपरैः पक्षपातरहितैः स्वयं कृतकृतिभी राजशेखराभिनन्दितकोटिकैस्तत्त्वाभिनिवेशिभिरालोचकैर्भवितव्यम् ।

उपसंहारः

दोषमयेऽस्मिन् प्रपञ्चे न निर्दोषं किञ्चित् । लेखकाः सदोषाः, सम्पादकाः सदोषाः, प्रकाशकाः सदोषाः, प्रकाशनयन्त्रमपि सदोषमेव । एवं दोषकवलितानां समाजे स्वरूपं लभमानं पुस्तकं सर्वथा निर्दोषं स्यादिति दुराशामात्रम् । अतः प्रकाशमेष्यतोऽस्य पुस्तकस्य सम्भावितानां दोषाणां कृते क्षमासारान् सतः पाठकान् क्षमामहं याचे, प्रयाचे च दोषान् सूचयितुम् । सूचिता दोषाः कालान्तरे दूरीकर्तुं शक्या भवेयुरित्याशासे ।

अन्ते चाहम्—

‘व्याख्ये मे विदुषां प्रीतिं प्राप्नुतामिति साञ्जलिः ।
करुणाकारिणं याचे पार्वती-रमणं प्रभुम् ॥’

विर
स
प... देशमर... ना है
जानकी-विवाहपंचमी ... चं
... वै० सं० २०१४

विदुषां विधेयस्य
—मदनमोहनझा शर्मणः

प्रस्तावना

उपक्रम

'विना न साहित्यविदा परत्र गुणः कथञ्चित् प्रथते कवीनाम् ।
आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः ॥' (मङ्खक)

वस्तुतः कमनीय-कविता-कालिन्दी का एक कूल यदि कवि है तो दूसरा कूल आलोचक। कवि यदि आनन्दानुभूति की सामग्री प्रस्तुत करता है तो आलोचक आनन्दानुभावक दृष्टि प्रदान करता है। यदि साहित्यमर्मज्ञालोचकों की नानाविध आलोचनायें सामने न आतीं तो आज हम वाल्मीकि, व्यास तथा कालिदास, भवभूति आदि की कविताओं को पढ़कर एवं नाटकों को देखकर वह आनन्द प्राप्त न कर सकते, जो आज प्राप्त करते हैं।

उन्हीं आलोचकों में से एक मुकुटायमान आलोचक की आलोचनाओं का सिंहावलोकन इस प्रस्तावना द्वारा कराने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है।

पूर्वाभास

प्राचीन आलङ्कारिक आचार्यों में से कतिपय आचार्यों ने काव्य के उत्तम (ध्वनि), मध्यम (गुणीभूतव्यङ्ग्य) और अधम (व्यङ्ग्यशून्य) ये तीन भेद माने हैं। अन्य (रससम्प्रदायवादी) आचार्यों ने प्रथम दो भेदों को ही स्वीकृत किया है—रसशून्य होने के कारण तृतीय (अधम) भेद में उन्हें काव्यत्व अभीष्ट नहीं है।

प्रकृत निबन्ध-प्रणेता पण्डितराज जगन्नाथ ने तो काव्य के उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम ये चार भेद किये हैं। उत्तमोत्तम नामक प्रथम काव्य-भेद के पुनः स्थूलरूप में पाँच भेद किये गये हैं। इन भेदों का विवरण प्रकृत निबन्ध में निम्न रूप से किया गया है—

'अभिधा और लक्षणामूलध्वनि दो प्रकार की होती है। उनमें प्रथम के पुनः तीन प्रकार होते हैं—रसध्वनि, वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि। द्वितीय के भी पुनः दो प्रकार हो जाते हैं—अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य।'

इसका तात्पर्य यह है कि व्यङ्ग्य अर्थ अथवा व्यञ्जक शब्द के भेद से 'ध्वनिकाव्य' का भेद होता है और व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति तब होती है जब शब्द अभिधा अथवा लक्षणाद्वारा अपना अर्थ उपस्थित कर लेते हैं। अभिधा अथवा लक्षणाद्वारा शब्द का कोई अर्थ ज्ञात हुए विना व्यङ्ग्य अर्थ प्रकाशित नहीं हो सकता। अतः व्यङ्ग्य अर्थ सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त किये जाते हैं—एक वे जो अभिधाद्वारा शब्दार्थज्ञान होने के बाद प्रतीत होते हैं, दूसरे वे जो लक्षणाद्वारा शब्दार्थ-ज्ञानोत्तर ज्ञात होते हैं। इनमें पहले को अभिधामूलक व्यङ्ग्य और दूसरे को लक्षणामूलक व्यङ्ग्य कहते हैं। इन्हीं को काव्यप्रकाशकार आदि, क्रमशः 'विवक्षितान्यपरवाच्य' और 'अविवक्षितवाच्य' भी कहते हैं।

'रसध्वनि' नामक जो अभिधामूलक ध्वनिभेद कहा गया है उसको 'असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' और शेष भेदों को 'संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' कहते हैं।

'ध्वनि' शब्द के पाँच अर्थ होते हैं—व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जना वृत्ति, व्यङ्ग्य अर्थ, व्यङ्ग्यार्थ-प्रतीति और व्यङ्ग्यार्थ-प्रधान काव्य।[1] इन पांचों अर्थों में 'ध्वनिकार आनदवर्धन' ने 'ध्वनि' शब्द का प्रयोग स्थान-स्थान पर किया है। रसगङ्गाधरकार प्रायः व्यङ्ग्य और काव्य अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग करते हैं।

उपर्युक्त पांचों अर्थों में से अन्तिम अर्थ के अनुसार व्यङ्ग्यार्थप्रधान सर्वोत्कृष्ट (उत्तमोत्तम अथवा प्राचीन मत से उत्तम) काव्य की संज्ञा 'ध्वनि' मानी गई है जिसके पाँच भेद पहले लिखे गये हैं।

रसध्वनि के भेद व्यङ्ग्य-भेद के आधार पर न करके व्यञ्जक-भेद के आधार पर इसलिये किये गये हैं कि रसादिरूप व्यङ्ग्यों की संख्या अनन्त हो जाती है—उनकी गणना संभव नहीं। अतः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वरूप से वहां व्यङ्ग्य का एक ही भेद माना जाता है।

प्रकाशकारादि के मत से व्यञ्जक-भेद छै प्रकार के होते हैं—प्रबन्ध (पूरा ग्रन्थ), वाक्य, पद, पदैकभाग (प्रकृति-प्रत्यय), वर्ण और रचना। इन भेदों के कारण ही उक्त ध्वनिकाव्य के भी छै भेद वे लोग मानते हैं। किन्तु रसगङ्गाधरकार वर्ण तथा रचना को रस-व्यञ्जक न मानकर गुण-व्यञ्जक ही मानते हैं, अतः उनके मत से चार ही भेद होते हैं। यह बात दूसरी है कि रसगङ्गाधरकार राग आदि को भी रसव्यञ्जक मानते हैं और तदनुसार और भी भेद हो सकते हैं।

[यहां तक का विवेचन प्रथम भाग (प्रथमानन) में आ चुका है। प्रसंगवश पूर्वाभास के रूप में, उचित समझकर, यहां भी उसका दिग्दर्शन कर दिया गया है।

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक ध्वनि-भेदों के निरूपण से द्वितीय आनन आरम्भ होता है। मध्य में प्रसङ्गवश अभिधा तथा लक्षणावृत्तियों का और लक्षणानिरूपण के मध्य में ही प्रसङ्ग आ जाने से, उपमा' तथा 'रूपक' अलङ्कारों के भेदों का विशद विचार किया गया है। शेष अंश में अलङ्कारों का निरूपण है।]

विषय-विवेचन

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के भेद

वाच्यार्थ की प्रतीति होने के अनन्तर ही व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है, यह सूत्र उपक्रम में सूचित किया जा चुका है। व्यङ्ग्यार्थ दो प्रकार का हो सकता है—पहला वस्तुरूप और दूसरा अलङ्काररूप। यद्यपि अलङ्कार भी 'वस्तु' के अन्दर आ जाता है, पर यहां अलङ्कार का पृथक् ग्रहण करने से 'वस्तु' के अन्दर अलङ्कारातिरिक्त वस्तुओं का समावेश समझना चाहिये। फलतः 'वस्तु' पद से साधारण वस्तु का और 'अलङ्कार' पद से वैचित्र्य-विशिष्ट वस्तु का ग्रहण होता है। इसी रहस्य को स्पष्ट करने के लिये 'प्रकाशकार' आदि ने 'अविचित्र' और 'विचित्र' नाम से भेद किया है।

---

१. 'इह हि काव्य पुरुषावतारस्य ध्वनिकारस्य व्यवहारात्—ध्वनतीति ध्वनिः शब्दः, ध्वन्यतेऽनेनेति ध्वनिः शब्दादिशक्तिः, ध्वन्यते (यः) इति रसादिरर्थः, ध्वननं ध्वनिरिति रसादिप्रतीतिः, ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः काव्यम् इत्येवं ध्वनियोगा उपलभ्यन्ते। इति साहित्यदर्पणभूमिकायां म० म० श्रीदुर्गाप्रसादमहाभागाः।' (चतुर्वेदीजी के हिन्दी रसगङ्गाधर की भूमिका से उद्धृत)

उक्त दोनों प्रकार के व्यङ्ग्यार्थ कहीं शब्द-सामर्थ्य से और कहीं अर्थ-सामर्थ्य से प्रतीत होते हैं। शब्द-सामर्थ्य से प्रतीत होनेवाले व्यङ्ग्यार्थ शब्दशक्तिमूलक और अर्थ-सामर्थ्य से प्रतीत होनेवाले व्यङ्ग्यार्थ अर्थ-शक्तिमूलक कहलाते हैं। इस तरह संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के प्रथमतः ये ही दो भेद होते हैं। उनमें शब्दशक्तिमूलक व्यङ्ग्य के उक्त रीति से वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि ये दो ही भेद होते हैं। पर अर्थशक्तिमूलक के आठ भेद हो जाते हैं, क्योंकि जिस अर्थ के सामर्थ्य से व्यङ्ग्य-प्रतीति की बात कही गई है वह अर्थ भी साधारणतया वस्तुरूप और अलङ्काररूप भेद से दो प्रकार का होता है और काव्य-जगत् में आकर उन दोनों प्रकारों के भी पुनः दो-दो प्रकार—अर्थात् वस्तुरूप और अलङ्काररूप अर्थ भी स्वाभाविक तथा कविकल्पित दो-दो प्रकार—के हो जाते हैं। अलङ्कारशास्त्र में स्वाभाविक अर्थ को 'स्वतःसम्भवी' और कविकल्पित अर्थ को 'कविप्रौढोक्तिसिद्ध' कहते हैं।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि व्यञ्जक अर्थ चार प्रकार के होते हैं—स्वतःसम्भवी वस्तु, स्वतःसम्भवी अलङ्कार, कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु और कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार। इन चार प्रकार के व्यञ्जक अर्थों से अभिव्यक्त होनेवाला (व्यङ्ग्य) अर्थ भी वस्तुरूप तथा अलङ्काररूप—दोनों प्रकार का हो सकता है। अतः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के अर्थशक्तिमूलक भेद आठ होते हैं। फलतः पूर्वोक्त शब्दशक्तिमूलक दो भेदों को लेकर, 'पण्डितराज' के मत से संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक 'ध्वनि'-काव्य के कुल दस भेद होते हैं।

यद्यपि काव्यप्रकाशकार आदि इन भेदों के अतिरिक्त चार भेद और मानते हैं, क्योंकि उन लोगों के विचार से कविकल्पित व्यञ्जक अर्थ के समान कविकल्पित वक्ता के द्वारा कल्पित अर्थ भी व्यञ्जक हो सकता है। इस प्रकार के अर्थों की संज्ञा उन लोगों ने 'कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति-सिद्ध' रखी है। यह कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ भी वस्तु तथा अलङ्कार भेद से दो प्रकार का हो सकता है और इन दोनों अर्थों के सामर्थ्य से होनेवाले व्यङ्ग्य भी वस्तु तथा अलङ्कार दोनों रूप हो सकते हैं, अतः उनके मत से, अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के बारह भेद और शब्दशक्ति-मूलक के उक्त दो भेद (इस तरह कुल चौदह भेद) संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि के होते हैं।

पण्डितराज का तर्क यहाँ यह है कि—कविकल्पित वक्ता के द्वारा कल्पित अर्थ भी वस्तुतः कविकल्पित अर्थ ही है, अतः तत्प्रयुक्त पृथक् भेदों की गणना उचित नहीं। यदि इस तरह भेद-संख्या में वृद्धि की जायगी तो कविकल्पित वक्ता से कल्पित वक्ता आदि द्वारा कल्पित अर्थ को व्यञ्जक मानकर अनन्त भेदों की कल्पना हो जायगी।

यद्यपि व्यङ्ग्यार्थ के उल्लास में शब्द तथा अर्थ दोनों का अनुसन्धान अपेक्षित होता है, अतः सभी संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य शब्दशक्तिमूलक और अर्थशक्तिमूलक भी होते ही हैं, फिर कुछ को केवल शब्दशक्तिमूलक और कुछ को केवल अर्थशक्तिमूलक मानना आपाततः अयुक्त प्रतीत होता है, तथापि वस्तुतः वैसा मानना अयुक्त नहीं है, क्योंकि वैसा मानने का तात्पर्य है—वैसा व्यवहार करना और व्यवहार होता है प्रधानानुरोधी। जैसे सामान्य लोगों के रहने पर भी अधिक-तर पहलवान से युक्त ग्राम में 'मल्लग्राम (पहलवानों का ग्राम)' ऐसा व्यवहार होता है। इस दृष्टिकोण से सोचने पर जहाँ परिवृत्तिसह (जिनका पर्यायान्तरद्वारा परिवर्तन कर देने पर भी व्यङ्ग्य होता ही रहे ऐसे) शब्दों की प्रचुरता हो वहाँ शब्दशक्ति रह कर भी प्रधानशक्ति की अनुगामिनी अर्थशक्ति प्रधान सिद्ध होती है, अतः वैसे स्थलों में अर्थशक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार सर्वथा उचित है। इसी तरह जहाँ परिवृत्त्यसह (परिवर्तन को न सह सकने वाले) शब्दों की

अधिकता रहेगी, वहाँ शब्दशक्ति की ही प्रधानता और अर्थशक्ति की अनुगामिता सिद्ध होगी, अतः वैसे स्थलों पर शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार सुसंगत ही है।

इसी विश्लेषण से एक और साहित्यिक तथ्य उद्भूत हो जाता है कि जहाँ परिवृत्तिसह तथा परिवृत्त्यसह दोनों प्रकार के शब्द समान मात्रा में हों—किन्हीं एक प्रकार के शब्दों की प्रचुरता न हो—वहाँ शब्दार्थोभयशक्तिमूलक व्यङ्ग्य की सत्ता ही माननी पड़ेगी, अतः वैसे स्थलों में 'द्व्युत्थ (शब्द तथा अर्थ दोनों की शक्तियों से उत्थित)' ध्वनि का ही व्यवहार होगा। फलतः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का एक और भेद सिद्ध हो जाता है।

उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त लक्षणामूलक ध्वनि-भेदों का प्रसङ्ग इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है जिसका सारांश यह है कि रूढिमूला लक्षणा के स्थल में व्यङ्ग्यार्थ का कोई प्रसङ्ग ही नहीं आता। बची प्रयोजनमूला लक्षणा, उसके छै भेद होते हैं—सारोपा गौणी, साध्यवसाना गौणी, जहत्स्वार्था शुद्धा, अजहत्स्वार्था शुद्धा, सारोपा शुद्धा और साध्यवसाना शुद्धा। इन छै भेदों में से केवल जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था ये दो भेद ही ऐसे हैं जहाँ 'ध्वनिकाव्यता' संभव है, क्योंकि अन्य चार भेद अलङ्काररूप में परिणत हो जाते हैं—अर्थात् गौणी सारोपा रूपक अलङ्काररूप में, गौणी साध्यवसाना अतिशयोक्ति अलङ्काररूप में और शुद्धा सारोपा तथा साध्यवसाना शुद्धा हेतु अलङ्काररूप में परिणत हो जाती हैं। यह सर्वमत-सिद्ध सिद्धान्त है कि जहाँ अलङ्कार की प्रधानता हो जाती है वहाँ ध्वनिकाव्य का लक्षण संघटित नहीं होता। फलतः लक्षणामूलक ध्वनि के जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्थामूलक दो भेद होते हैं। प्राचीन (प्रकाशकार आदि) आचार्य इन दोनों (जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था) लक्षणाओं को उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा कहते हैं।

यहाँ पण्डितराज उक्त ध्वनिभेदों में से द्व्युत्थ ध्वनि को केवल वाक्यगत और अन्य सभी भेदों को पदगत तथा वाक्यगत मानते हैं।

इस तरह रसगङ्गाधरकार के मत में असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक ध्वनि के चार, शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के दो, अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के आठ, शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि का एक और लक्षणामूलक ध्वनि के दो, इस प्रकार कुल सत्रह ध्वनिभेद प्रथमतः होते हैं। उनमें शब्दशक्तिमूलक दो, अर्थशक्तिमूलक आठ और लक्षणामूलक दो—इन बारह भेदों के पुनः पदगत तथा वाक्यगत भेद से दो-दो भेद हो जाते हैं। फलतः उक्त सत्रह में बारह और जोड़ देने पर कुल उनतीस ध्वनिभेद होते हैं। ध्वनिभेद के विषय में पण्डितराज ने शब्दतः इतनी ही बातें कही हैं।

ध्वनिभेद के सम्बन्ध में प्रकाशकारादि के मत

यह पहले लिखा जा चुका है कि प्रकाशकार असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के छै भेद और संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेदों में से अर्थशक्तिमूलक के बारह भेद मानते हैं। साथ-साथ वे उन बारह भेदों के पदगत, वाक्यगत तथा प्रबन्धगतरूप से पुनः तीन-तीन भेद करते हैं, अतः उनके मत से अर्थशक्तिमूलक के कुल छत्तीस भेद होने पर ध्वनि के शुद्ध भेद इक्यावन होते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—असंलक्ष्यक्रम के प्रबन्धगत, वाक्यगत, पदगत, पदांशगत, वर्णगत और रचनागत छै भेद एवं संलक्ष्यक्रम में अभिधामूलक के एकतालिस भेद (शब्दशक्तिमूलक के पदगत वस्तु, पदगत अलंकार, वाक्यगत वस्तु और वाक्यगत अलंकार—चार भेद, अर्थशक्तिमूलक के उक्त रीति से छत्तीस तथा उभयशक्तिमूलक का एक भेद) और लक्षणामूलक के चार (अर्थान्तरसंक्रमित पदगत, वाक्यगत और अत्यन्ततिरस्कृत पदगत, वाक्यगत)। इस तरह उक्त इक्यावन संख्या सिद्ध होती है।

काव्यप्रकाश में इन भेदों का एक से दूसरे का मिश्रण भी चार प्रकार का माना गया है जिसमें संदेहसंकर, अङ्गाङ्गिभावसंकर तथा एकव्यञ्जकानुप्रवेशरूपसंकर, ये तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की संसृष्टि है। तदनुसार एक-एक भेद के इक्यावन भेदों को चौगुने करने पर (५१×५१×४=) १०४०४ (दस हजार चार सौ चार) मिश्रित भेद भी होते हैं। इन मिश्रित भेदों में शुद्ध भेदों (इक्यावन) को जोड़ देने पर प्रकाशकार के मत से समग्र ध्वनिभेद १०४५५ (दस हजार चार सौ पचपन) होते हैं।

साहित्यदर्पणकार का मत

मूलभूत इक्यावन भेदों को प्रकाशकार के समान दर्पणकार भी मानते हैं, पर मिश्रित भेदों की संख्या में वे प्रकाशकार का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि एक तो अपने साथ अपना कोई मिश्रण नहीं हो सकता, दूसरे जब एक भेद का संकर दूसरे के साथ लिख दिया गया तब दूसरे के साथ उस भेद का संकर भी वही वस्तु हुई—अर्थात् जब अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के साथ मिश्रण लिखा जा चुका है तब फिर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के साथ मिश्रण कोई अतिरिक्त भेद नहीं रह जाता, अतः ऐसे भेदों की गणना नहीं करनी चाहिए। फलतः उनके मत से कुल मिश्रित भेद ५३०४ (पाँच हजार तीन सौ चार) होते हैं। उनमें शुद्ध इक्यावन भेदों को जोड़ने पर समग्र ध्वनिभेद उनके मत में ५३५५ (पाँच हजार तीन सौ पचपन) होते हैं।

साहित्यदर्पणकार के मत का खण्डन

काव्यप्रकाश के सुप्रसिद्ध टीकाकार मैथिल पण्डित श्री गोविन्द ठक्कुर ने उक्त दर्पणकार के मत का खण्डन किया है। उनके कथन का सारांश यह है कि—एक ही ध्वनि यदि भिन्न-भिन्न रूपों में आवे—जैसे कि कहीं दो प्रकार की वस्तुध्वनि हो—तो उनके संकर तथा संसृष्टि मानने में कोई बाधा नहीं। अतः 'अपने साथ अपना मिश्रण नहीं हो सकता' यह दर्पणकार का कथन अयुक्त है एवं दर्पणकार का यह कथन भी ठीक नहीं है कि 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के साथ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के मिश्रण को अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के भेदों में गिन देने पर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के भेदों में वैसे भेदों को गिनना अनुचित है।' क्योंकि जैसे सभी इक्षु (ईख) रस के साधारण दृष्टि से एकरूप होने पर भी रसकोविदों की दृष्टि में पौंड़े आदि विशिष्ट ईख के रस तथा साधारण ईख के रस के स्वाद में भेद होता ही है, ऐसी अवस्था में जहाँ पौंड़े के रस की अधिकता और पौंड़े के रस की न्यूनता होगी उसे—इन दोनों मिश्रणों को—एक रूप नहीं कहा जा सकता, वैसे ही जहाँ जिस व्यङ्ग्य की प्रधानता होगी वहाँ उस व्यङ्ग्य के साथ अन्य व्यङ्ग्य का मिश्रण माना जायगा और अन्यत्र अन्य का। अतः दर्पणकार की दूसरी युक्ति भी शिथिल हो जाती है। अब यदि यहाँ शंका हो कि—जहाँ दोनों भेद समान मात्रा में मिश्रित होंगे, किसी एक की प्रधानता नहीं रहेगी, वहाँ एक भेद और मानना पड़ेगा—तो इसका समाधान यह है कि वैसी स्थिति में उस भेद का दोनों नामों में से किसी भी नाम से व्यवहार किया जा सकता है। फिर उसका तीसरा नाम रखने की कोई आवश्यकता नहीं।

पर्यवसितार्थ

इस तरह पर्यवसित यह हुआ कि प्रकाशकार आदि द्वारा माने गए मूलभूत इक्यावन भेदों में बाइस भेदों को पण्डितराज नहीं मानते। वे बाइस भेद निम्न हैं—असंलक्ष्यक्रम में

वर्णगत तथा रचनागत दो, अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम में कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धत्वमूलक चार और इस प्रकार स्वमतसिद्ध अर्थशक्तिमूलक आठ भेदों को प्रबन्धगत नहीं मानने से गुणनप्रक्रिया में घट जाने वाले सोलह। अभिप्राय यह है कि प्रकाशकार आदि व्यञ्जक अर्थ के स्वतःसंभवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध – तीन प्रकार मानते हैं और वे तीनों ही प्रकार वस्तु और अलंकारभेद से दो-दो प्रकार के होते हैं, अतः उनके मत से व्यञ्जक अर्थ छे प्रकार के हो जाते हैं और उनसे अभिव्यक्त होनेवाले अर्थ भी वस्तु एवं अलंकारभेद से दो प्रकार के होते हैं। इस तरह उनके मत से अर्थशक्तिमूलक के जो पहले बारह भेद कहे गये हैं उन बारहों के पदगत, वाक्यगत और प्रबन्धगत होने से समग्र भेद छत्तीस हो जाते हैं। पर पण्डितराज के मत में व्यञ्जक अर्थ चार ही प्रकार के सिद्ध होते हैं और उनसे वस्तु तथा अलङ्कार द्विविध अर्थ की अभिव्यक्ति होने से आठ भेद बनते हैं और उन आठ के पदगत तथा वाक्यगत होने से सोलह भेद हो जाते हैं।

अब यहाँ विचार यह करना है कि पण्डितराज के मत में यह भेदों की कमी यादृच्छिक है अथवा युक्तिपूर्ण। इस प्रसङ्ग में ध्वन्यालोक की ओर अनायास ध्यान चला जाता है, क्योंकि ध्वनिविचार में परवर्ती सभी आचार्यों के उपजीव्य ध्वन्यालोककार ही हैं। ध्वन्यालोककार वर्ण और रचना को भी असंलक्ष्यक्रम व्यञ्जक मानते हैं।[1] पण्डितराज उन दोनों को गुण-व्यञ्जक कहते हैं। पर वस्तुतः जब वे खास-खास वर्णों तथा रचनाओं को खास-खास रस के प्रति प्रतिकूल अथवा अनुकूल मानते हैं, तब उन्हें रसव्यञ्जक भी मानना ही चाहिये।

ध्वन्यालोककार ने भी कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध की चर्चा नहीं की है और तदनुसार पण्डितराज ने भी उसको नहीं माना है और न मानने में युक्ति भी दी है। यद्यपि नागेश ने पण्डितराजोक्त युक्ति का खण्डन किया है, तथापि इस विषय में पण्डितराज का ही मत सुन्दर प्रतीत होता है।

अर्थशक्तिमूलक ध्वनि को प्रबन्धगत मानने या न मानने की बात ध्वन्यालोक में भी विवादास्पद ही है। मूलध्वन्यालोक की कुछ पङ्क्तियाँ ऐसी हैं जिनसे आपाततः उक्त ध्वनि का प्रबन्धगत होना सिद्ध होता है, पर प्रसिद्ध रसवादी आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में उन पङ्क्तियों की जो व्याख्या की है उस व्याख्या के अनुसार वे पङ्क्तियाँ रसध्वनिपरक सिद्ध होती हैं। ध्वन्यालोक की 'दीधिति' टीका के रचयिता कविशेखर आचार्य बदरीनाथ झा जी ने काव्यप्रकाश आदि के स्वारस्यानुकूल उन पङ्क्तियों की व्याख्या में अर्थशक्तिमूलक ध्वनि को ही प्रबन्धगत सिद्ध किया है। पण्डितराज यहाँ अभिनवगुप्त का ही अनुसरण करते हैं। यद्यपि अर्थशक्तिमूलक ध्वनि को प्रबन्धगत न मानने में कहीं किसी ने कुछ भी युक्ति नहीं दी है, तथापि उनकी हृदयगत युक्तियों का तर्क किया जा सकता है, और वे युक्तियाँ प्रायः ये हैं—एक तो प्रबन्ध से किसी एक अर्थ अथवा अलंकार की अभिव्यक्ति नहीं होती यह अनुभवसिद्ध है, दूसरे जिस महाभारतगत गृध्र-गोमायु-संवाद को उक्त ध्वनि के उदाहरणरूप में चुना गया है उसको अनेक वाक्यों का एकवाक्यतापन्न महावाक्यरूप वाक्य भी माना जा सकता है—अर्थात् प्रबन्ध पद से किसी पूरे ग्रन्थ का ही बोध मानना उचित है और वह वैसा नहीं है।

संकर-संसृष्टि-प्रयुक्त होने वाले भेदों के विषय में भी रसगङ्गाधरकार का मत स्पष्ट नहीं है। ध्वन्यालोककार ने ध्वनि-संकर तथा ध्वनि-संसृष्टि का विस्तृत का विवेचन किया है। पण्डितराज

१. 'यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिर्वर्णपदादिषु।
वाक्ये सङ्घटनायाञ्च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥' (ध्वन्यालोक)

ध्वनिसंकर को भी नहीं मानते अथवा नहीं मानना चाहते ऐसी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उभय (शब्द-अर्थ) शक्तिमूलक ध्वनि का निरूपण करते समय 'जहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों की शक्तियाँ समानभाव से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति में काम करती हैं वहाँ शब्दशक्तिमूलक और अर्थशक्तिमूलक ध्वनियों का संकर ही मान लिया जाय—अतिरिक्त उभयशक्तिमूलक-ध्वनिभेद मानने की क्या आवश्यता ?' इस शंका के उत्तर में उन्होंने '**व्यङ्ग्यभेद एव सङ्कर-स्येष्टेः**' लिखकर ध्वनिसंकर की बात स्वीकार की है। फिर भी जो उन्होंने उन भेदों का निरूपण या खण्डन नहीं किया इसके कारणों में एक तो यह हो सकता है कि वे आगे किसी प्रसङ्ग पर उन भेदों की चर्चा करते, पर ग्रन्थ की अपूर्णता से ऐसा नहीं हो सका। दूसरे, उनकी प्रायः ऐसी ही मान्यता है कि 'वे भेद शास्त्रार्थप्रक्रिया से सिद्ध तो किए जा सकते हैं, ध्वनि की महत्ता सिद्ध करने को एकमात्र लक्ष्य मानकर ध्वनिकार ने वैसा किया भी है, पर वस्तुतः उन भेदों में परस्पर विलक्षण चमत्कार अनुभूत नहीं होता और जितने भेद माने गए हैं उन सभी के उदाहरण भी प्राप्त नहीं होते। अतः उन भेदों की गणना करना एक प्रकार व्यर्थ ही है'।

मेरे विचार से तो उभयशक्तिमूलक ध्वनि के संबन्ध में भी पण्डितराज ने अपनी एकान्त सम्मति नहीं दी है, क्योंकि उसको न माननेवाले मत का भी उन्होंने युक्तिपूर्ण उल्लेख किया है। जो भी हो, ध्वनिसंकर के संबन्ध में अधिक संभव यही है कि—अग्रिम आनन (जो दुर्भाग्यवश नहीं लिखा गया) में पण्डितराज उसका विचार करते। इस आधार पर यदि पण्डितराज के मत में ध्वनिसंकर आदि का हिसाब लगाया जाय तो मिश्रित भेद तीन हजार तीन सौ चौंसठ होंगे और उनमें शुद्ध उनतीस भेदों को जोड़ देने पर समग्र भेद तीन सौ तिरानवे हो जायँगे।

इसके बाद काव्यभेदों में गुणीभूतव्यङ्ग्य आदि का प्रसङ्ग आता है, पर इस अपूर्ण निबन्ध में वे सब प्रसङ्ग नहीं आ सके। उन प्रसङ्गों पर पण्डितराज क्या विचार करते इसकी जानकारी तो अब असंभव ही है और प्रकाशकार आदि ने इस प्रसङ्ग पर जो कुछ कहा है उसमें अधिक मतभेद किंवा जटिलता नहीं है, अतः उनकी चर्चा यहाँ नहीं की जाती। जिज्ञासुओं को उनके विषय में अपेक्षित जानकारी तत्तद्ग्रन्थों से प्राप्त हो सकती है।

शब्दशक्तिमूलक व्यङ्ग्यार्थ के विषय में शास्त्रार्थ

द्वितीयानन के प्रारम्भ में ही शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के लक्ष्य स्थिर करने के लिये एक लम्बा विवरण उपस्थित किया गया है। प्राचीनों के मत से शब्दशक्तिमूलक ध्वनि वहीं होती है जहाँ अनेकार्थ शब्द हों क्योंकि श्लेष से भिन्न स्थानों पर अनेकार्थक शब्दों का एक ही अर्थ प्रस्तुत रहता है, दूसरे अर्थ का प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता। पर ऐसी स्थिति में भी जो कहीं-कहीं दूसरा अर्थ भी अभी हमें प्रतीत हो जाता है, वह अभिधा से नहीं, अपितु व्यञ्जना से प्रतीत होता है और उसी अप्राकरणिक अर्थ को वैसी स्थिति में शब्दशक्तिमूलक व्यङ्ग्य कहते हैं। तात्पर्य यह कि यदि बहनोई आदि परिहासी कुटुम्बी जनों के भोजन के समय साले लोग कहें कि '**सैन्धवमानय** (सैन्धव लाओ)' तो उसका अर्थ अभिधा से 'नमक लाओ' होगा, क्योंकि प्रकरण (भोजन) से उसी अर्थ का सम्बन्ध है, पर वहाँ उस वाक्य का 'घोड़ा लाओ' अर्थ भी सहृदयों को ज्ञात अवश्य होता है और वह व्यञ्जना से ही होता है।

यहाँ 'अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधा से क्यों नहीं होता ?' इस प्रश्न का उत्तर देने में शास्त्रार्थ उठ खड़ा होता है। प्राचीनों ने उक्त प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से किया है, जिसका रूप नकारात्मक है अर्थात् उन दोनों ही प्रकारों में 'उक्त अर्थ का बोध अभिधा से नहीं होता'

यह सिद्ध किया गया है। पर पण्डितराज ने उन दोनों प्रकारों का प्रबल युक्तियों के आधार पर खण्डन करके सिद्ध कर दिया है कि—'अभिधा से अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध होता है'। उक्त तीनों मतों का सारांश निम्न रूप का है—

१—अनेकार्थक शब्दों का श्रवण होने पर यद्यपि प्रथमतः उस शब्द के सभी अर्थ स्मृति-पथ में आते हैं, क्योंकि कोष आदि से उस पद का संकेत समानरूप से सभी अर्थों में ज्ञात हुआ रहता है, पर प्रकरण आदि (संयोगो विप्रयोगश्च……इत्यादि, जिसका विशद वर्णन इस ग्रन्थ में इसी प्रसङ्ग पर आगे किया गया है) से वक्ता का तात्पर्य किसी एक ही अर्थ में ज्ञात होता है और इस तात्पर्यनिर्णय के होते-होते प्रथम स्मृति विलीन-सी हो जाती है, अतः पुनः पदार्थ का स्मरण होता है और यह द्वितीय बार का स्मरण केवल प्रकरणिक अर्थ का होता है। अतएव अभिधा से उक्तरीत्या स्मृत एकमात्र अप्राकरणिक अर्थ का बोध हो पाता है, अप्राकरणिक अर्थ का नहीं। ऐसी स्थिति में अप्राकरणिक अर्थ की स्मृति जब व्यञ्जना की सहायता से होती है तब उसका बोध होता है, अतः वह अप्राकरणिक अर्थ व्यङ्ग्य कहलाता है, वाच्य नहीं। यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि प्रकरण आदि व्यञ्जनाद्वारा होने वाली अप्राकरणिकार्थस्मृति को क्यों नहीं रोकते ? तो इसका समाधान यह है कि प्रकरण आदि वैज्ञानिक स्मृति को नहीं रोकते, क्योंकि व्यञ्जना का प्रादुर्भाव ऐसे ही अर्थों का स्मरण कराने के लिये हुआ है। (यह है प्रथम मत का सारांश)।

२—अनेकार्थक शब्दों से होने वाले अर्थ-बोध में वक्ता के तात्पर्य का निर्णय भी एक हेतु है, अतः कोष आदि द्वारा समानरूप से सभी अर्थों में संकेत ज्ञात होने के कारण अनेकार्थक शब्द-श्रवणोत्तर सभी अर्थों की स्मृति होने पर भी अन्वयबोध प्राकरणिक अर्थ का ही होता है, क्योंकि प्रकरण आदि द्वारा वक्ता का तात्पर्य उसी अर्थ में निर्णीत होता है। इस तरह वक्तृ-तात्पर्यविषयीभूत अर्थ का जो बोध होता है वह व्यञ्जना के सिवा अन्य किसी उपाय से साध्य नहीं है। व्यञ्जना से होने वाले बोध में वक्ता के तात्पर्य का निर्णय सर्वत्र अपेक्षित नहीं है क्योंकि जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ भी अनेक हों वहाँ वैयञ्जिक बोध में भी तात्पर्यनिर्णय हेतु है किन्तु जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ एक ही हो वहाँ वैयञ्जिक बोध में तात्पर्यनिर्णय हेतु नहीं होता। (यह है द्वितीय मत का सारांश)।

प्रथम और द्वितीय मत में अन्तर यह हुआ कि प्रथम मत में दुबारा केवल एक अर्थ का स्मरण मानना पड़ता था और प्रकरण आदि के ज्ञान से अप्राकरणिक अर्थ के स्मरण का प्रतिबन्ध (रुकावट) स्वीकार करना पड़ता था, किन्तु द्वितीय मत में ये दोनों बातें नहीं माननी पड़तीं।

३—'अनेकार्थक शब्दों के अनेक अर्थों में, प्रकरणादि के द्वारा, केवल एक अर्थ का ही स्मरण होता है, अन्य का नहीं' यह जो प्रथम मत में कहा गया है वह मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कार तथा उद्बोधक दोनों के रहने पर स्मरण का न होना असम्भव है। यदि अनेकार्थक शब्द के एक ही अर्थ का स्मरण हो, अन्य का नहीं, तो 'पय सुन्दर है' इस वाक्य के 'पय' शब्द का अर्थ जब वक्ता के तात्पर्य (दूध) के विरुद्ध कोई 'जल' कहता है तब जो प्रकरणादि समझनेवाला यह कहता सुना जाता है कि 'महाशय ! यहाँ इस शब्द का अर्थ दूध है, जल नहीं' वह नहीं बन सकता, निषेध करने वाले को प्रकरण आदि ज्ञात रहने से अप्राकरणिक (जल-रूप) अर्थ उपस्थित ही नहीं होगा, फिर उसका निषेध वह कैसे कर सकता है। अतः प्रथम मत अयुक्त है।

द्वितीय मत में वक्तृतात्पर्य-निर्णय को आभिधिक अन्वय-बोध के प्रति कारण मानकर प्राकरणिक अर्थ का ही अभिधा से बोध समर्थित हुआ है, पर वह समर्थन असंगत है, क्योंकि

आभिधिक अथवा वैयञ्जनिक—किसी भी प्रकार के अर्थ-बोध में वक्तृतात्पर्य निर्णय को कारण मानना अनुचित है। यदि ऐसा कार्यकारणभाव माना जाय, तब शुक आदि पक्षियों के द्वारा उक्त वाक्यों का अर्थबोध ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वक्ता (पक्षियों) का किसी भी अर्थ में तात्पर्य नहीं रहता। वे (पक्षी) तो किसी अर्थ का बोध कराने की इच्छा से वाक्य नहीं बोलते वरन् सुने हुए वाक्यों को बिना अर्थ समझे दुहरा भर देते हैं। इस पर यदि शंका हो कि तात्पर्य-निर्णय का क्या कहीं कुछ उपयोग है ही नहीं तो इसका समाधान यह है कि उसका उपयोग अर्थबोध में नहीं, अपितु बोद्धा की प्रवृत्ति में है अर्थात् अनेकार्थक शब्दों से अनेक अर्थों को समझ कर भी बोद्धा उसी अर्थ में प्रवृत्त होता है जिसमें उसे वक्ता का तात्पर्य निर्णीत होता है। अतः अनेकार्थक शब्द के सभी (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक) अर्थों का अभिधा से बोध मानने में कोई बाधा नहीं। यह बात तो तब हुई जब सभी अनेकार्थक शब्दों के स्थल में अप्राकरणिक अर्थ की भी नियमतः प्रतीति मानी जाय।

पर यदि वक्तृतात्पर्य के ज्ञान अथवा श्रोता की विशिष्ट बुद्धि-शक्ति को कारण मानकर यह माना जाय कि अप्राकरणिक अर्थ को समझाने वाली व्यञ्जना कहीं प्रादुर्भूत होती है और कहीं नहीं, तो यह भी संगत नहीं, क्योंकि तात्पर्यज्ञान को वैयञ्जनिक बोध-स्थल में कारण नहीं माना जाता। रहा श्रोता की बुद्धि-शक्ति, सो उसे व्यञ्जना का प्रादुर्भावक मानने की अपेक्षा प्रकरणादि के ज्ञान से दबी हुई अभिधाशक्ति को उद्बुद्ध करने वाली ही क्यों न माना जाय? वह किसी पद की अप्राकरणिकार्थोपस्थापक अभिधा को उद्बुद्ध न करके व्यञ्जना को उद्बुद्ध करे, यह मान्यता युक्तिविहीन है। इस तरह दोनों मत खण्डित हो जाते हैं।

अब यदि कहा जाय कि जहाँ अप्राकरणिक अर्थ अबाधित रहेगा वहाँ उसका बोध भले ही अभिधा से हो पर जहाँ अप्राकरणिक अर्थ जुगुप्सित अतएव वह्निकरण सेक के समान बाधित रहेगा वहाँ तो उसका बोध अभिधा से नहीं हो सकता, क्योंकि बाध-निश्चय को विद्वत्ताबुद्धि के प्रति सभी प्रतिबन्धक मानते हैं, अतः ऐसे अप्राकरणिक अर्थ के बोध के लिये व्यञ्जना की ही शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैयञ्जनिक बोध में बाधनिश्चय प्रतिबन्ध नहीं करता, तो इसका समाधान यह है कि जैसे अपह्नुति, अतिशयोक्ति आदि अलङ्कारों के स्थल में वाच्य अर्थ ही बाधित रहते हैं—अतः शाब्दज्ञान में बाध-निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता वैसे यहाँ भी बाधित अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधा से ही हो जा सकता है।

इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि अनेकार्थक शब्दस्थल में द्वितीय (अप्राकरणिक) अर्थ का बोध व्यञ्जना द्वारा नहीं, किन्तु अभिधा द्वारा ही होता है। हाँ, प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थों की उपमा अवश्य ही व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होती है।

इस प्रकार प्राचीनों की शिथिल होती हुई युक्ति को बल देने के लिये पण्डितराज ने एक ऐसा स्थल भी ढूँढ़ निकाला है जहाँ व्यञ्जना के बिना द्वितीय अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। वह स्थल है—योगरूढ शब्दों से बने पद्य।

'रूढिर्योगापहारिणी' इस नियम के अनुसार योगरूढ शब्दों के रूढ अर्थ ही अभिधाद्वारा ज्ञात हो सकते हैं। वहाँ यौगिक अर्थों का बोध व्यञ्जना से ही करना पड़ेगा। अतः वस्तुतः शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का लक्ष्य वैसा ही पद्य हो सकता है जो योगरूढ पदों से बना हो। इतना कह देने के बाद यह भी कहा जा सकता है कि जब योगरूढ-शब्द-स्थल के लिये व्यञ्जना माननी ही पड़ी तब अनेकार्थक शब्दस्थल में भी द्वितीय अर्थ का बोध व्यञ्जना से मानना ही

सरल पक्ष है। यह है तृतीय मत का सारांश। यहाँ इस सारांश-संकलन का प्रयोजन यह है कि ग्रन्थगत विशद शास्त्रार्थ को समझने में पाठकों को सुविधा हो।

शब्द-शक्ति

अब यहाँ शब्दों की उन शक्तियों के सम्बन्ध में विचार करना है जिनके आधार पर उक्त विशाल 'ध्वनि-प्रासाद' खड़ा किया गया है। उन शक्तियों के पृथक्-पृथक् विवेचन से पूर्व सामान्य ज्ञान के लिये यह समझ लेना आवश्यक है कि ये शक्तियाँ संख्या में तीन हैं—अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना। यद्यपि अन्य शास्त्रों में अभिधा और लक्षणा ये दो ही शब्द-शक्तियाँ मानी गई हैं तथापि यहाँ अलङ्कार-शास्त्र के माध्यम से ही शब्द-शक्ति के सम्बन्ध में विचार करना है और अलङ्कार-शास्त्र में उक्त तीनों ही शक्तियाँ स्वीकृत हुई हैं, अतः शक्तियों की संख्या तीन ही समझते हुए यह भी समझना चाहिए कि अलङ्कारशास्त्र के समान व्याकरणशास्त्र में भी उक्त तीन शक्तियाँ समर्थित हुई हैं। इन शक्तियों का वर्णन शास्त्रों में 'वृत्ति' शब्द से भी किया गया है, अतएव अलङ्कार-शास्त्र में 'शक्ति' शब्द का प्रयोग केवल 'अभिधा' के लिये ही हुआ है अर्थात् अलङ्कार-शास्त्र में 'शक्ति' पद का अर्थ 'अभिधा' समझना चाहिए।

अलङ्कारशास्त्र के जिन ग्रन्थों में, मुख्यरूप से इन वृत्तियों का विवेचन किया गया है, वे ग्रन्थ निम्न हैं—

अग्निपुराण, अभिधावृत्तिमातृका, शब्दव्यापारविचार, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, वृत्तिवार्तिक और रसगङ्गाधर। इनमें अग्निपुराणगत वृत्ति-निरूपण कुछ भिन्न ही प्रकार का है, अतः उसकी चर्चा यहाँ तीनों वृत्तियों का विवेचन कर लेने के बाद ही की जायगी।

अभिधावृत्तिमातृका में प्रायः मीमांसकों के मतानुसार अभिधा तथा लक्षणा को ही मान्यता दी गई है और व्यञ्जना नहीं मानी गई है। शब्दव्यापारविचार और काव्यप्रकाश के निर्माता एक ही व्यक्ति (मम्मट) हैं, अतः उनमें मतभेद की सम्भावना ही नहीं है। साहित्यदर्पण भी इस अंश में बहुत कुछ प्रकाश का ही अनुगमन करता है। और जो कुछ विशेष है उसका उल्लेख यथावसर आगे किया जायगा। वृत्तिवार्तिक के रचयिता अप्पयदीक्षित के मत का तो सर्वत्र पण्डितराज खण्डन ही करते हैं, अतः वृत्तिविचार में भी उनके मत का खण्डन ही इस ग्रन्थ में किया गया है।

अभिधा

शब्द तथा अर्थ के पारस्परिक संबन्ध-विशेष का नाम अभिधा है। यह संबन्धविशेष शब्द-शक्ति-स्वरूप एक स्वतन्त्र पदार्थ है यह कुछ लोगों (मीमांसकों) का मत है। नैयायिक लोग इस संबन्ध-विशेष अथवा अभिधा को 'इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए' इस रूप में होने वाली अथवा 'यह पद इस अर्थ को समझावे' इस रूप में होने वाली ईश्वर की इच्छा अथवा किसी तरह आधुनिक मनुष्यों की इच्छा मानते हैं। पर यहाँ प्रथम मत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि, द्वितीय मत में एक तो यह प्रतिवन्दी खड़ी हो जाती है कि यदि उक्तप्रकारक ईश्वरेच्छा को अभिधा माना जाय तब उक्तप्रकारक ईश्वर-ज्ञान को ही अभिधा क्यों नहीं माना जाय? दूसरे, यदि अभिधा को ईश्वरेच्छारूप माना जाय तो लक्षणा (और विशेषतः रूढिमूला लक्षणा) को भी ईश्वरेच्छारूप क्यों नहीं माना जाय? फलतः सिद्ध हुआ कि अभिधा का अर्थ है पद और पदार्थ का पारस्परिक संबन्ध और वह एक स्वतन्त्र पदार्थ है—एक प्रकार की शब्द-शक्ति है, इच्छा आदि रूप नहीं।

इसी प्रसङ्ग पर यह भी समझ लेना चाहिए कि उक्त अभिधा को समझने का साधन क्या है ? शास्त्र में, शक्तिग्रह (अभिधा-ज्ञान) के ये आठ साधन बतलाए गए हैं[1]। व्याकरण, उपमान, कोष, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवरण और सिद्ध पद का सान्निध्य। इन साधनों में व्यवहार को शक्तिग्राहक-शिरोमणि (सबसे मुख्य साधन) कहा गया है। अतः, उस मुख्य साधन के आधार पर ही यहाँ इस प्रसङ्ग की कुछ मीमांसा की जाती है।

देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से 'गामानय (गौ को लाओ)' मात्र कहते ही वह गौ को ले आता है। अब यदि वहाँ कोई बालक (जिसको उक्त वाक्य का अर्थज्ञान नहीं रहता) उपस्थित रहता है, तो उसे उक्त व्यवहार में उक्त वाक्य का (अन्त में उस वाक्य के अन्दर आए हुए पदों का भी) शक्ति-ग्रह होता है और वह इस प्रकार होता है कि पहले बालक प्रत्यक्ष प्रमाण से उन वस्तुओं को देखता तथा सुनता है अर्थात् वाक्य को कान से सुनता है और वक्ता के बोद्धव्य (जिसके प्रति वक्ता उक्त वाक्य कहता है) को तथा लाई जाती हुई गौ को आँखों से देखता है। इसके बाद वह बालक बोद्धव्यगत ज्ञान का अनुमान करता है अर्थात् 'इस बोद्धव्य व्यक्ति ने, उक्त वाक्य अवश्य ही गौ का लाना समझा है, क्योंकि उसकी चेष्टा उसी तरह की हो रही है—वह गौ को ला रहा है' यह समझता है। इसके बाद उस बालक के मन में स्वभावतः यह जिज्ञासा उठती है कि क्यों इसने (बोद्धव्य ने) उक्त वाक्य का वही अर्थ (गौ का लाना) समझा, दूसरा कोई अर्थ क्यों नहीं समझा, अतः अवश्य ही उस वाक्य का उस ('गामानय' का 'गौ का लानारूप अर्थ') के साथ कोई सम्बन्ध है। इस तरह, उक्त वाक्य तथा उक्त वाक्यार्थ के बीच जिस पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान तीन प्रमाणों (प्रत्यक्ष, अनुमान तथा अर्थापत्ति) की सहायता से, बालक को होता है वही अभिधा है और उस अभिधा का उक्त प्रकार से होने वाला ज्ञान ही व्यवहार द्वारा होनेवाला 'शक्ति-ग्रह' है। पर यह शक्ति-ग्रह अखण्ड वाक्य का अखण्ड वाक्यार्थ में हुआ, अर्थात् उक्त व्यवहार से बालक इतना समझ सका कि 'गामानय' यह एक अखण्ड वाक्य है जिसका 'गौ का लानारूप' अर्थ के साथ संबन्ध है। यह नहीं समझ सका कि इस वाक्य के अन्दर 'गाम्' एक पद है और उसका संबन्ध 'गौ' से है, इसी तरह 'आनय' दूसरा पद है और उसका संबन्ध 'लाने' से है। इस तरह का पद-शक्ति-ज्ञान बालक को तब होता है, जब वक्ता कहता है—'गाम् बधान (गौ को बाँध दो)' 'अश्वम् आनय (घोड़े को ले आओ)'। तात्पर्य यह कि जब उक्त वाक्य को सुन कर तदनुसार आचरण करते हुए बोद्धव्य को बालक देखता है तब उक्त प्रक्रिया से बालक को उस पद की अभिधा ज्ञात होती है। उसी का नाम 'बोध्यबोधकभाव' अथवा 'बोधजनकता' किंवा 'तादात्म्य' है।

यहाँ यह भी समझ लेना उचित है कि अभिधा-ज्ञान से शब्दार्थ का ज्ञान कैसे होता है। संबन्धियों के विषय में यह नियम है कि—एक संबन्धी का ज्ञान होने पर दूसरे संबन्धी का अपने आप स्मरण हो आता है,[2] जैसे 'मोहन' का घर देखने पर 'मोहन' का स्मरण तुरन्त हो आता है। इसी नियम के अनुसार हमें किसी भी नाम (जो एक प्रकार का शब्द है) के सुनते ही उससे संबन्ध रखनेवाली वस्तु का और किसी भी वस्तु के देखते ही उसके नाम का स्मरण हो आता है तथा इस प्रकार से स्मृतिपथ में आए हुए अर्थों का पीछे अन्वयबोध होता है। उक्त नियम के अनुसार

१. शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च ।
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥

२. एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिनं स्मारयति ।

शब्दश्रवण के अनन्तर उस शब्द से संबन्ध रखने वाले अर्थ का स्मरण उसी को होता है जो उस संबन्ध (अभिधा) को जानता रहता है। अतः किसी भी शब्द के अर्थ को समझने के लिये इस पूर्वोक्त संबन्धरूप अभिधा का ज्ञान आवश्यक है।

अभिधा के भेद

अभिधा के तीन भेद हैं—रूढ़ि, योग और योगरूढ़ि। कुछ लोग यौगिकरूढ़ि नामका एक चतुर्थ भेद भी मानते हैं। इन सबका सोदाहरण विवरण प्रकृत ग्रन्थ में ही यथास्थान विशद रूप में आया है।

वाच्य अर्थ

इस अभिधा किंवा शक्तिनामक वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसको वाच्य अर्थ कहते हैं। शब्दान्तर में इस प्रकार कह सकते हैं कि उक्त अभिधाज्ञापक साधनों से जिस अर्थ का बोध होता है उसका नाम वाच्य अर्थ है। यह वाच्य अर्थ अभिधेय, शक्य अथवा मुख्य अर्थ के नाम से भी कहा जाता है।

वाचक शब्द

अभिधाशक्ति द्वारा अर्थ का बोध कराने वाला शब्द वाचक कहलाता है।

लक्षणा

प्रायः देखा जाता है कि शब्दों का प्रयोग पूर्वोक्त मुख्य अर्थ से अन्य अर्थ में भी कभी-कभी होता है। सहृदय पुरुष अपकार करने वाले से कहता है—'तुमने बड़ा उपकार किया, तुम सौ वरस जीओ'। इन वाक्यों में क्रमशः 'उपकार' का अर्थ 'अपकार' और 'जीओ' का अर्थ 'नहीं जीओ' है। पर उक्त दोनों पदों के उक्त दोनों अर्थ हो नहीं सकते, क्योंकि उन अर्थों में उन शब्दों की अभिधा; कोष किंवा व्याकरण अथवा व्यवहार आदि से ज्ञात नहीं होती और तब तक किसी शब्द का कोई अर्थ हो नहीं सकता जब तक उस शब्द में उस अर्थ की बोधिका कोई वृत्ति न हो। ऐसी ही स्थिति में, ऐसे ही अर्थों को सिद्ध करने—समझने—के लिये 'लक्षणा' की आवश्यकता होती है।

लक्षणा का स्वरूप

विश्लेषण करने पर विदित होता है कि शब्द पहले अपने साक्षात् सम्बन्ध—अभिधा के द्वारा वाच्य अर्थ को समझाता है, पर जब वह अर्थ वक्ता के तात्पर्य से विरुद्ध पड़ता है, तब उस पद के वाच्य अर्थ से सम्बन्ध रखने वाले किसी ऐसे अर्थ को उस पद का अर्थ मानना पड़ता है जो वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल होता है। अभिप्राय यह कि ऐसा अर्थ पद और पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्धद्वारा नहीं, अपि तु पद के वाच्य अर्थ से सम्बन्ध रखने के कारण ज्ञात होता है।

स्पष्ट रूप में इस बात को यों भी कह सकते हैं कि पद दो तरह से अर्थ का प्रतिपादन करता है - एक अपने साक्षात्सम्बन्धद्वारा और दूसरे परम्परा-सम्बन्ध (अपने सम्बन्धी-वाच्य-अर्थ के सम्बन्ध) द्वारा। इनमें प्रथम सम्बन्ध को अभिधा और द्वितीय सम्बन्ध को लक्षणा कहते हैं। जब केवल प्रथम सम्बन्ध कार्यकारी नहीं होता (वक्ता के तात्पर्य के विषयीभूत अर्थ का

बोधक नहीं हो पाता) तभी द्वितीय सम्बन्ध का उपयोग किया जाता है। अतएव अभिधा प्रथम वृत्ति और लक्षणा अभिधा की पुच्छभूत वृत्ति समझी जाती है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि शक्य वाच्य (मुख्य) अर्थ के सम्बन्ध का नाम लक्षणा है। लक्षणा का यही स्वरूप (लक्षण) प्रकृत निबन्ध में स्वीकृत हुआ है। न्यायदर्शनप्रणेता आचार्यों ने भी लक्षणा के इस स्वरूप का ही समर्थन किया है।

अभिधावृत्तिमातृकाकार मुकुल भट्ट की यह उक्ति भी लक्षणा के इसी स्वरूप की ओर इङ्गित करती है। वे कहते हैं—'शब्द के व्यापार से जिसकी प्रतीति होती है वह अर्थ मुख्य कहलाता है और शब्द के अर्थ द्वारा जो अर्थ ज्ञात होता है अर्थात् जिस अर्थ के समझने में मुख्य अर्थ मध्य में पड़ता है उस अर्थ को लक्ष्य (लक्षणाद्वारा ज्ञात) समझना चाहिए।'[1]

लक्षणास्वरूप के विषय में मतान्तर

कतिपय प्राचीन विद्वान् 'वाच्य अर्थ के सम्बन्धद्वारा वाच्य अर्थ से भिन्न अर्थ के ज्ञान (स्मरण)' को लक्षणा मानते हैं।[2] काव्यप्रकाशकार मम्मटभट्ट-कृत लक्षण से भी लक्षणा का यही प्राचीन-सम्मत-स्वरूप फलित होता है क्योंकि उन्होंने काव्यप्रकाश में कहा है—'मुख्य अर्थ का बाध रहने पर रूढि अथवा प्रयोजन से जो अन्य अर्थ ज्ञात होता है वह ज्ञप्ति लक्षणा है, शब्द में यह लक्षणा आरोपित की जाती है'।[3] इस लक्षण में 'अन्य अर्थ जो लक्षित होता है वह लक्षणा है' इतना अंश स्वरूपकथन-परक है और अन्य अंश लक्षणा-हेतु-कथनपरक है। इस लक्षण से लक्षणा का उक्त प्राचीनाभिमत स्वरूप ही पर्यवसित होता है।

यद्यपि कतिपय टीकाकारों ने मम्मटीय लक्षणास्वरूपबोधक कारिका की व्याख्या अपने ढङ्ग से करके 'शक्य-सम्बन्ध लक्षणा है' ऐसा अभिप्राय निकाला है, पर वह अभिप्राय वस्तुतः मम्मट का नहीं है, क्योंकि मम्मट ने **'मुख्यार्थबाधादित्रयं हेतुः'** लिखकर स्पष्ट शब्दों में शक्य-सम्बन्ध को लक्षणा का कारण माना है और 'शक्य-सम्बन्ध'रूप लक्षणा का कारण शक्यसम्बन्ध हो नहीं सकता।

भट्टवार्तिककार कुमारिल भट्ट (मीमांसक) का लक्षण भी बहुत कुछ इसी ढङ्ग का है। उनका कथन है—'मुख्य अर्थ का स्वीकार करना यदि अन्य प्रमाण (प्रत्यक्ष आदि) से विरुद्ध पड़ता हो तब अभिधेय (वाच्य) अर्थ से सम्बद्ध अन्य अर्थ की जो प्रतीति होती है वह लक्षणा है'[4]। इन सभी मतान्तरों का सारांश एक होने से इन सब को एक मतान्तर कह सकते हैं।

कुछ लोग 'शक्यतावच्छेदकारोप' को लक्षणा कहते हैं। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि मुख्य अर्थ में रहने वाले असाधारणधर्म का मुख्यार्थ से सम्बद्ध अन्य अर्थ में आरोप करना ही लक्षणा का स्वरूप है। जैसे—'गङ्गा में घोष' इस वाक्य में गङ्गापदशक्यतावच्छेदक गङ्गात्व

---

१. शब्दव्यापारतो यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता।
अर्थावसेयस्य पुनर्लक्ष्यमाणत्वमुच्यते॥

२. 'शक्यसंबन्धेनाशक्यप्रतिपत्तिर्लक्षणा' इति प्राचां लक्षणम्।

३. मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽर्थप्रयोजनात्।
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया॥

४. 'मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्यापरिग्रहे।
अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते॥'

का गङ्गापदार्थ-प्रवाह-विशेष से सम्बद्ध तट में आरोप करना। अन्य लोग वक्ता के तात्पर्य (इच्छा-विशेष) को ही लक्षणा कहते हैं।

समीक्षा

यहाँ प्रथम मतान्तर संगत नहीं, क्योंकि शब्द से अर्थ का स्मरण होने में जिसका ज्ञान कारणरूप हो वह पदार्थ शब्द की वृत्ति अथवा शक्ति कहलाता है। वैसा पदार्थ स्मरण नहीं अपि तु सम्बन्धविशेष ही हो सकता है, क्योंकि 'पूर्वोक्त स्मरण (ज्ञान) का ज्ञान' लक्ष्य अर्थ के बोध का कारण नहीं है। सारांश यह कि ज्ञान का कारण वृत्ति है, ज्ञान ही नहीं। अतः संबन्ध को ही लक्षणा मानना उचित है, न कि स्मृति को।

यदि किसी तरह मम्मट की कारिका से शक्य-संबन्ध का लक्षणा होना सिद्ध किया जा सके, और अग्रिम तदीय-ग्रन्थ का विरोध परिहृत कर दिया जाय, तब प्रकाशगत लक्षण को ही ठीक माना जा सकता है।

इसी तरह कुमारिलभट्ट के वार्तिक की व्याख्या यदि 'अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिः' पद का 'अभिधेयसम्बन्ध अर्थ की प्रतीति हो जिससे' वह पदार्थ अर्थ मानकर की जाय तब वह लक्षण भी ठीक ही है।

शक्यतावच्छेदकारोप को लक्षणा मानना भी उचित नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर—

'कचतस्त्रस्यति वदनं वदनात् कुचकुड्मलं बिभेति।
मध्याद् बिभेति नयनं नयनादधरः समुद्विजति॥

अर्थात् केश से मुख डरता है, मुख से उत्तुंग स्तन भीत होता है, मध्यभाग (कटि) से नयन भयभीत और नयन से अधर उद्विग्न हो उठता है।'

इस पद्य में लक्षणा करने का कोई फल नहीं हो सकेगा। तात्पर्य यह कि—यह कच, वदन, कुचकुड्मल, मध्य, नयन तथा अधर शब्द, क्रमशः राहु चन्द्र, कमल, सिंह, हरिण और पल्लवरूप अर्थ में लाक्षणिक हैं। अब यदि शक्यतावच्छेदकारोप को लक्षणा माना जाय तब कचत्व आदि का राहु आदि में आरोप किया जायगा, पर उससे प्रकृत में कोई लाभ नहीं, क्योंकि उस तरह आरोप से राहु आदि भी केश आदि ही समझे जायँगे, फिर उनसे चन्द्र आदि के डरने का कोई कारण ही नहीं रह जाता।

अन्तिम मत भी अच्छा नहीं है क्योंकि आगे दिखलाया जायगा कि लक्षणा का एक कारण तात्पर्य की अनुपपत्ति है। यदि तात्पर्य ही लक्षणा हो तब पूरा कार्यस्वरूप ही कारण के पेट में समा जायगा, फिर उक्त दोनों पदार्थों का कार्यकारणभाव कैसे बन सकता है।

लक्षणा के कारण

अब यहाँ शंका यह उठती है कि—लक्षणा किन्हीं कारणों के आधार पर होती है अथवा वैसे ही? इसके उत्तर में कहना पड़ेगा कि—कारणों के आधार पर ही लक्षणा होती है क्योंकि यदि यों ही लक्षणा की जाय तब सर्वत्र सभी पदों की जिस किसी संबद्ध अर्थ में लक्षणा मान ली जा सकेगी। अब देखना यह है कि वे कारण कौन से हैं जिनके आधार पर लक्षणा होती है। प्रथम कारण वक्ता के तात्पर्य की अनुपपत्ति (असिद्धि) है, अर्थात् जब किसी पद के मुख्य अर्थ से वक्ता का तात्पर्य (जो कुछ वक्ता कहना चाहता है वह वाक्यार्थ) सिद्ध नहीं हो पाता तब उस पद की लक्षणा होती है।

कुछ लोग अन्वय की अनुपपत्ति को लक्षणा का प्रथम कारण मानते हैं। उनका अभिप्राय है कि—जब मुख्य अर्थ का अन्वय वाक्यान्तर्गत अन्य पद के अर्थ के साथ नहीं हो सके तब लक्षणा होती है। पर यह पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि यदि इसी कारण के आधार पर लक्षणा हो तब तो 'गङ्गा में घोष' ऐसा कहने पर जो नियमतः गङ्गा पद की तट में लक्षणा मानी जाती है वह आवश्यक नहीं रह जायगा—अर्थात् घोषपदार्थ में गङ्गापदार्थ का अन्वय नहीं हो सकने के कारण ही जब लक्षणा का आश्रयण करना ठहरा, तब इसकी क्या आवश्यकता कि गङ्गा पद की ही लक्षणा तट में मानी जाय। घोष पद की मीन-शैवाल आदि में लक्षणा मानकर भी 'गङ्गा में मीन अथवा शैवाल' यह अन्वित अर्थ किया जा सकता है।

इसी तरह 'कौओं से दही की रक्षा कीजिए' इस प्रसिद्ध लक्षणोदाहरण में लक्षणा का कोई प्रसङ्ग ही नहीं रह जायगा, क्योंकि यहाँ अन्वय की अनुपपत्ति नहीं है अर्थात् केवल कौओं से दही की रक्षा कर देने पर भी वाक्य अन्वितार्थक हो ही जाता है।

तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का कारण मानने वालों के मत में तो यहाँ लक्षणा का प्रसङ्ग होता है, क्योंकि वक्ता का तात्पर्य उन सभी प्राणियों से दही की रक्षा करने में है जिनसे दही की बरबादी संभव हो, फिर यदि कौओं से बचाकर भी कुत्तों से दही नष्ट करा दिया जाय तब वक्ता का तात्पर्य अनुपपन्न होता है, अतः काक पद की लक्षणा दध्युपघातक में होती है। इसी तरह अन्यत्र भी दोष हो सकते हैं। अतः तात्पर्यानुपपत्ति को ही लक्षणा का प्रथम कारण मानना चाहिए—अन्वयानुपपत्ति को नहीं।

यदि तात्पर्यानुपपत्तिरूप एक ही कारण लक्षणा का माना जाय तो वक्ता कुछ भी बोले, कुछ भी अर्थ लगावे, उसे रोका नहीं जा सकता, और ऐसी स्थिति में वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है यह समझना एकदम असंभव हो जाय, अतः लक्षणा के दो नियामक कारण और हैं रूढ़ि (प्रसिद्धि) और प्रयोजन। अतः तात्पर्यानुपपत्ति के अतिरिक्त इन दोनों में से किसी एक का होना ही लक्षणा के लिये अनिवार्य है।

इस सब का सारांश यह हुआ कि—मुख्यार्थ का वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल न होना और उस अर्थ में इस शब्द की प्रसिद्धि अथवा कोई प्रयोजन—इन दोनों में से एक—ये लक्षणा के दो कारण हैं। ये जब तक न हों तब तक कोई लक्षणा नहीं हो सकती।

लक्षणा के भेद

पण्डितराज का मत

रूढ़ि (प्रसिद्धि) तथा प्रयोजनरूप कारणों के भेद से प्रथमतः लक्षणा के दो भेद होते हैं। उनमें रूढि के कारण होनेवाली लक्षणा को रूढ़ा किंवा निरूढ़ा और प्रयोजन के कारण होनेवाली लक्षणा को प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने रूढ़ा लक्षणा के भेद नहीं माने। पण्डितराज ने भी अरुचिग्रस्त रूप में ही उनके भेद किए हैं, क्योंकि उन्होंने उक्त प्रकार से दो भेद करके कहा है कि उन दोनों (रूढ़ा तथा प्रयोजनवती) भेदों में द्वितीय (प्रयोजनवती) के पुनः दो भेद होते हैं—गौणी तथा शुद्धा। उनमें प्रथम (गौणी) के भी दो भेद होते हैं—सारोपा और साध्यवसाना। और द्वितीय (शुद्धा) के चार भेद होते हैं—जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था, सारोपा और साध्यवसाना। इतना कहकर रूढा के दो उदाहरण दिखलाए जिनमें एक जगह शक्य का संबन्ध सादृश्यरूप और दूसरी जगह सादृश्य से भिन्नरूप देखा गया, अतः रूढा लक्षण के भी गौणी और शुद्धा—दो भेद मानते हैं ऐसा लिखा, फिर प्रयोजनवती के

उदाहरणों का विचार आरम्भ किया। इस कथन-क्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि रूढ़ा लक्षणा के उक्त दो भेदों के विषय में ग्रन्थकार की पूर्ण सम्मति नहीं है। जो कुछ भी हो, इस तरह पण्डितराज के मत से प्रयोजनवती लक्षणा के गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शुद्धा जहत्स्वार्था, शुद्धा अजहत्स्वार्था, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना—ये छै भेद होते हैं। इन छै भेदों में यदि रूढ़ा के दो भेद मानकर उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाय तो कुल लक्षणाभेद आठ और यदि उसका एक ही भेद मान कर सम्मिलित कर लें तो पण्डितराज के मत से कुल लक्षणाभेद सात सिद्ध होते हैं।

जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था का नामान्तर

अन्यत्र जहत्स्वार्था को जहल्लक्षणा अथवा लक्षणलक्षणा और अजहत्स्वार्था को अजहल्लक्षणा अथवा उपादान-लक्षणा भी कहा गया है।

जहदजहत्स्वार्था भेद का निराकरण

वृत्तिवार्तिक के रचयिता अप्पयदीक्षित ने वेदान्तियों के मतानुसार प्रयोजनवती शुद्धा लक्षणा का एक जहदजहत्स्थार्वा नामक भेद और माना है। पर प्रकृत ग्रन्थ में उस भेद की कहीं चर्चा ही नहीं हुई है, अतः यह मानना पड़ता है कि पण्डितराज इस भेद को नहीं मानते क्योंकि जहाँ वाचक शब्द अन्य अर्थ के लिये अपने अर्थ (वाच्य) को अर्पित कर दे वहाँ जहत्स्वार्था लक्षणा होती है। यह बात दूसरी है कि वह अर्थ को सर्वांश में अथवा किसी अंश-विशेष में छोड़े। इस प्रकार जिस तरह सर्वांश में वाचकद्वारा अपने अर्थ को छोड़ देने की स्थिति में जहत्स्वार्था मानी जाती है, उसी तरह किसी अंश-विशेष में वाचकद्वारा अपने अर्थ को छोड़ने की स्थिति में भी जहत्स्वार्था मानी ही जा सकती है, फिर द्वितीय स्थिति में जो एक जहदजहत्स्वार्था नामक नवीन भेद कहा जाता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात् जिसको आप नवीन भेद मानना चाहते हैं वह जहत्स्वार्था नामक भेद में ही अन्तर्भूत हो जाता है। यह विचार काव्यप्रकाश की प्रदीप तथा उद्योत नामक टीकाओं में व्यक्त किया गया है। वृत्तिदीपिकाकार ने भी कुछ और शास्त्रार्थीय ढङ्ग की युक्तियों के आधार पर इसी तथ्य को पुष्ट किया है।

लक्षणा के भेदों का उपयोग

लक्षणा के आठ भेदों में निरूढा लक्षणा व्यङ्ग्यरहित होती है, अतः साहित्यशास्त्र में उसका कोई सुन्दर उपयोग नहीं होता, अर्थात् उसके आधार पर न तो कोई ध्वनिकाव्य होता है, न अलंकार। प्रयोजनवती के भेदों में से गौणी सारोपा का रूपक अलंकार में, गौणी साध्यवसाना का अतिशयोक्ति अलंकार में और शुद्धा सारोपा तथा शुद्धा साध्यवसाना (दोनों) का हेतुअलंकार में उपयोग होता है। यह बात प्रसङ्गवश पहले भी लिखी जा चुकी है। रहे दो भेद, उनमें से शुद्धा जहत्स्वार्था को मूल मानकर 'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य' और शुद्धा अजहत्स्वार्था को मूल मानकर 'अर्थान्तरसंक्रमितावच्य' नामक दो ध्वनिभेद होते हैं।

मम्मट का मत

मम्मटभट्ट ने अपने काव्यप्रकाश में लक्षणा के भेद इस प्रकार किए हैं—लक्षणा प्रथमतः दो प्रकार की होती है—रूढ़िमूला तथा प्रयोजनमूला। उनमें प्रयोजनमूला के प्रथमतः दो भेद होते हैं—शुद्धा और गौणी। उनमें प्रथम भेद (शुद्धा) के चार भेद हो जाते हैं—शुद्धा उपादान-लक्षणा सारोपा, शुद्धा उपादानलक्षणा साध्यवसाना, शुद्धा लक्षणलक्षणा सारोपा और शुद्धा

लक्षणलक्षणा साध्यवसाना। गौणी के दो भेद होते हैं—सारोपा और साध्यवसाना। इस तरह प्रयोजनमूला के छै भेद होते हैं। इन छै भेदों के पुनः दो-दो भेद हो जाते हैं, क्योंकि प्रयोजन-रूप व्यङ्ग्य गूढ़ (सहृदयमात्रवेद्य) तथा अगूढ़ (सर्वजनवेद्य) भेद से दो प्रकार का हो सकता है। फलतः मम्मटभट्ट के मत से, रूढिमूला का एक और प्रयोजनमूला के बारह—इस तरह समग्र लक्षणाभेद तेरह सिद्ध होते हैं।

यद्यपि अन्य कतिपय आलोचकों ने रूढ़िमूला के भी गौणी शुद्धा भेद मान कर मम्मट के मत से कुल चौदह लक्षणा-भेद माने हैं, पर काव्यप्रकाश में रूढ़िमूला लक्षणा के दो भेदों की कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती, अतः मम्मट के मत से उक्त भेद-संख्या संगत नहीं हो सकती। काव्यप्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार वामनाचार्य ने भी अपनी टीका में तेरह भेद ही माने हैं।[1]

विश्वनाथ का मत

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज लक्षणा के प्रथमतः दो भेद करते हैं—रूढ़िमूला और प्रयोजनमूला। इन दोनों भेदों के भी उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा-भेद से पुनः दो-दो भेद मानते हैं। इस तरह सिद्ध किए गए चार भेदों के पुनः सारोपा तथा साध्यवसाना-भेद से दो दो भेद कर देते हैं। इस तरह लक्षणा के आठ भेद-सिद्ध किए जाते हैं। ये आठों भेद पुनः गौणी-शुद्धा-भेद से दो-दो प्रकार के माने जाते हैं। इस प्रकार लक्षणा के प्रधान भेद सोलह सिद्ध किये जाते हैं। इस तरह उनके मत से, १—रूढ़िमूला उपादानलक्षणा सारोपा शुद्धा, २—रूढ़िमूला उपादानलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा, ३—रूढ़िमूला लक्षणलक्षणा सारोपा शुद्धा, ४—रूढ़िमूला लक्षणलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा, ५—रूढ़िमूला उपादानलक्षणा सारोपा गौणी, ६—रूढ़िमूला उपादानलक्षणा साध्यवसाना गौणी, ७—रूढ़िमूला लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी और ८—रूढ़िमूला लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौणी—ये आठ रूढ़िमूला लक्षणा के और इसी तरह इन्हीं नामों वाले आठ प्रयोजनमूला लक्षणा के भेद होते हैं। इनमें रूढ़िमूला के उक्त आठ ही भेद रह जाते हैं, पर प्रयोजनमूला लक्षणा के उक्त आठों भेदों के पुनः प्रयोजनरूप व्यङ्ग्य के गूढ़ागूढ़भेद से दो दो भेद कर दिए जाते हैं। इस तरह प्रयोजनमूला के सोलह भेद सिद्ध होते हैं और ये सोलहों भेद पुनः फल (प्रयोजन) के धर्मी तथा धर्मगत होने से दो-दो प्रकार के बन कर बत्तीस हो जाते हैं। इस तरह प्रयोजनमूला के बत्तीस और रूढ़िमूला के आठ—कुल चालीस भेद लक्षणा के कर दिए जाते हैं। किन्तु इतने पर भी दर्पणकार को सन्तोष नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह वैयाकरण लोग अर्धमात्रा-लाघव से पुत्रोत्सव मानते हैं[2], उसी तरह आलंकारिक लोग भेद वर्धन से अपनी कृतकृत्यता मानते हैं। फलतः उक्त चालीस भेदों को भी पदगत और वाक्यगत मान कर विश्वनाथ कविराज लक्षणा-भेदों को अस्सी तक खींच ले गए हैं।

विभिन्न मतों की समीक्षा

पाठक कृपया इस सूत्र का ध्यान रक्खें कि प्रकृतोपयोग तथा चरम बिन्दु तक पदार्थ का सूक्ष्मतम विश्लेषण, इन दो दृष्टिकोणों से लक्षणा के विषय में—किसी भी पदार्थ के विषय में—विचार किया

---

१. 'तथा च व्यङ्ग्यरहिता रूढ़िलक्षणा एकविधा, उक्तषड्विधा प्रयोजनलक्षणा गूढ़व्यङ्ग्या-गूढ़व्यङ्ग्यत्वेन द्विविधा, मिलित्वा लक्षणा त्रयोदशविधा बोध्या।

२. अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः।

जा सकता है। यह जो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ में भिन्न-भिन्न प्रकार का लक्षणा-निरूपण दृष्टिगोचर होता है उसका रहस्य बहुत कुछ उक्त दृष्टिकोण-विभिन्नता में ही निहित है। अभिप्राय यह कि—रसगङ्गाधर का लक्षणा-विचार सर्वथा अलंकारशास्त्र में उसके उपयोग को दृष्टि में रखकर किया गया है। काव्यप्रकाश का लक्षणा-विचार भी यद्यपि उसी दृष्टिकोण को मुख्य मान कर हुआ है तथापि उसमें कुछ-कुछ दूसरा दृष्टिकोण भी झलकता है। सहित्यदर्पण का लक्षणा-विचार विशुद्ध पदार्थविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से किया गया प्रतीत होता है।

अलंकारशास्त्र में होने वाले उपयोग को दृष्टि में रख कर यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः निरूढालक्षणा का भेद दिखलाना ही नहीं, एक तरह से उसकी चर्चा ही निरर्थक है क्योंकि निरूढालक्षणा तो फलतः अभिधा ही है। चिरप्रसिद्धि के कारण जब कोई शब्द अपने योगार्थ को छोड़ कर सदा के लिये अन्य अर्थ में रूढ हो जाता है तब उसमें वाचक शब्द से कुछ अन्तर नहीं रह जाता। जैसे—आज 'लावण्य, शब्द के योगबललभ्य 'नमकीन' रूप अर्थ की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, बिना अवान्तर शक्य-संबन्धादि ज्ञान के उस पद से सौन्दय विशेष की प्रतीति आपामर को होती है। फिर ऐसे निरूढ़लाक्षणिक शब्दों में 'यहाँ शक्य का संबन्ध क्या है' इत्यादि बातों की छानबीन करना भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। अलंकारशास्त्रोपयोगिता की दृष्टि से तो सर्वथा उक्त छानबीन निरर्थक है, क्योंकि अलंकारशास्त्र में शब्द के उपयोगानुपयोग का विचार व्यङ्ग्य अर्थ के आधार पर ही किया जाता है, स्पष्ट शब्दों में ध्वनिमार्गप्रस्थापक परमाचार्य आनन्दवर्धन ने महाकवियों को यत्नपूर्वक व्यङ्ग्य अर्थ और व्यञ्जक शब्दों को ही पहचानने की सलाह दी है[1]। और उक्त निरूढ़लाक्षणिक शब्दों के स्थल में व्यङ्ग्यार्थ रहता नहीं है।

ऐसी स्थिति में कम में कम साहित्यिकों के लिये इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि—लक्षणा का एक निरूढा भेद भी होता है—इससे अधिक की उन्हें आवश्यकता नहीं है। इसी दृष्टिकोण से प्राचीनों ने और मम्मटभट्ट ने भी निरूढालक्षणा के भेद करना उचित नहीं समझा और पण्डितराज ने भी परकीय मत के रूप में—सादृश्य तथा सादृश्यातिरिक्तसंबन्धमूलक गौणी-शुद्धा—दो भेद उसके लिख कर मौन साध लिया।

पर साहित्यदर्पणकार का दृष्टिकोण दूसरा था—वे लक्षणा का निरूपण शुद्ध पदार्थ-विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से करना चाहते थे, अलंकारशास्त्रोपयोगिता की दृष्टि से नहीं, अतः उन्होंने निरूढालक्षणा के भी आठ भेद खोज निकाले जो उचित हैं, क्योंकि उन्होंने उन आठों भेदों के जो उदाहरण उपस्थित किए हैं वे सर्वथा उपयुक्त हैं, तथा उन्हीं के आधार पर वे भेद माने जा सकते हैं। विस्तार-भय से यहाँ उन उदाहरणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

रसगङ्गाधरकार तथा काव्यप्रकाशकार ने प्रयोजनवती गौणीलक्षणा के जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था-भेद नहीं किए क्योंकि उन भेदों का प्रकृत शास्त्र में उपयोग नहीं है और उन आचार्यों की दृष्टि पदार्थविश्लेषण की अपेक्षा प्रकृतोपयोग पर अधिक थी। यद्यपि काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने उक्त भेदों को असंभव भी ठहराया है—कतिपय आलोचकों ने भी उक्त टीकाकारों की युक्तियों को उद्धृत कर दर्पणकार को गलत कहा है, पर वह एक शास्त्रार्थ की शैली है, उस शैली से दर्पणकार के मत को भी ठीक किया जा सकता है। जैसे—

---

१. सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगीशब्दश्च कश्चन।
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवि॥ (ध्वन्यालोक)

उक्त टीककारों ने उक्त भेदों की असंभविता में युक्ति दी है कि—'जहाँ प्रयोजनवती गौणीलक्षणा के जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था भेद कहे जाते हैं वहाँ लक्षणा का बीजभूत (प्राचीन मत से) लक्षणारूप (नवीन मत से) संबन्ध सादृश्य है अथवा अन्य ? यदि सादृश्य है तब वहाँ अजहत्स्वार्थाभेद नहीं हो सकता, क्योंकि वह भेद तभी होता है जब लक्ष्य अर्थ के अन्दर मुख्य अर्थ भी रहे—उसका त्याग न होता हो और सादृश्य को संबन्ध मानने पर लक्ष्य के अन्दर मुख्य का रहना संभव नहीं, क्योंकि अपने में अपना सादृश्य नहीं हो सकता—अर्थात सादृश्य भेदघटित पदार्थ है, अतः वह दूसरे में दूसरे का ही हो सकता है। यदि सादृश्य से अन्य कोई संबन्ध वहाँ माना जाय तब उस भेद को गौणी नहीं कह सकते, क्योंकि सादृश्यसंबन्ध-मूलक लक्षणा को ही गौणी मानते हैं।' यही है उनकी युक्ति और काव्यप्रकाश का समर्थन करने के लिये वह ठीक भी है, पर साहित्यदर्पण के समर्थन में यह भी तो कहा जा सकता है कि यहाँ सादृश्य पदार्थ को भेदाघटित ही मानते हैं—रूपकालंकार में भेदाघटित सादृश्य का ही प्रवेश अधिकारियों ने माना है, अतः अपना सादृश्य अपने में ही हो सकता और तदनुसार प्रयोजनवती गौणी का अजहत्स्वार्थाभेद मानने में कोई बाधा नहीं। काव्यप्रकाश में जहाँ उक्त विरोधि युक्ति है वहीं प्रसिद्ध विद्वान् नागेश ने अपने 'उद्योत' में इस (मेरे द्वारा उपस्थित की गई) युक्ति का उल्लेख किया है।

व्यङ्ग्य के गूढ़ागूढ़त्व भेद से होने वाले लक्षणा भेदों का रसगङ्गाधरकार उल्लेख नहीं करते। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि—पण्डितराज व्यङ्ग्य की भिन्नरूपता के आधार पर लक्षणा का प्रभेद करना उचित नहीं समझते, क्योंकि व्यङ्ग्य की भिन्नता शक्यसंबन्धात्मक लक्षणास्वरूप में किसी तरह की भिन्नता नहीं होती। काव्य के भेद करते समय अवश्य व्यङ्ग्य भेद का मूल्य होता है।

काव्यप्रकाशकार ने व्यङ्ग्य के गूढ़ागूढ़त्व के आधार पर लक्षणा के भेद माने हैं। इस अंश में 'लक्षणा में एक यह भी वैचित्र्य होता है' इस बात को प्रकट करना ही उनका सही अभिप्राय हो सकता है। वस्तुतः व्यङ्ग्यभेद लक्षणा के भेदक नहीं हो सकते।

दर्पणकार ने तो व्यङ्ग्य के गूढ़ागूढ़त्व के आधार पर जो भेद किए वह किए ही, फल को धर्मी तथा धर्मगत मानकर भी भेद माने; पदगतत्व और वाक्यगतत्व के आधार पर भी भेद किए। इस भेदपुञ्ज का रहस्य लक्षणास्थलीय विविध वैचित्र्य का विश्लेषण द्वारा प्रकटन ही है। प्रकृतोपयोग की दृष्टि से देखने पर इन भेदों की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कथन अभ्रान्त सत्य है। किसी आलोचक का यह कथन कि 'लक्षणा वस्तुतः अर्थ का संबन्ध है, अतः उसका पद अथवा वाक्य में रहना नहीं बन सकता', कुछ अर्थ नहीं रखता, क्योंकि आखिर लक्षणा को पदनिष्ठ वृत्ति तो सभी मानते ही हैं और आरोप अथवा परम्परासंबन्ध के आधार पर ही ऐसा मानते हैं, फिर उस रीति से वाक्य में भी उसको क्यों नहीं रक्खा जा सकता ? वाक्यलक्षणावादी भी कुछ आचार्य हैं ही। जाति-गुण-क्रिया आदि के आधार पर लक्षणा के भेद नहीं किए गए, अतः जो भेद किए गए वे असंगत हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लक्षणा का सूक्ष्म विश्लेषण करते समय यदि वैसे भेद भी किए जाँय तो उसको असंगत नहीं कहा जा सकता। किन्तु अलंकारशास्त्र में वैसे भेदों का कोई खास उपयोग नहीं है, यह आरम्भ में ही लिखा जा चुका है।

तात्पर्य यह है कि—शुद्ध पदार्थविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से विचार करने के कारण दर्पणकार के कहे हुए भेद भी अपनी जगह पर ठीक हैं और प्रकृतोपयोग के दृष्टिकोण से विचार करने के कारण रसगङ्गाधरकार तथा काव्यप्रकाशकार के भेद भी सुसङ्गत हैं।

लक्ष्य अर्थ तथा लाक्षणिक शब्द

लक्षणा द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ लक्ष्य, औपचारिक, लाक्षणिक, अमुख्य आदि नामों से अभिहित किये जाते हैं। इस तरह लक्षणा द्वारा किसी अर्थ के बोधक शब्द को लक्षण किंवा लाक्षणिक कहते हैं।

व्यञ्जना

वृत्ति-विवेचन-प्रसङ्ग में अब व्यञ्जना का पर्याय प्राप्त है। यद्यपि इस असम्पूर्ण रसगंगाधर निबन्ध में व्यञ्जना-निरूपण-प्रकरण नहीं आ सका, तथापि साहित्यशास्त्र में सर्वाधिक महत्त्व रखने वाली इस व्यञ्जना वृत्ति के विवेचन से विरहित यह प्रसङ्ग अधूरा न रहे, इसलिये ग्रन्थान्तर के आधार पर यहाँ व्यञ्जना का विचार प्रस्तुत किया जाता है।

सामान्य परिचय

शब्द में अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त एक अन्य वृत्ति भी रहती है। उदाहरण रूप में 'चन्द्र-मण्डल उदित हुआ' इस वाक्य को यदि कोई विरहिणी सखी के समक्ष कहती है तो सखी को नायिका का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि 'यह अब अपने जीवन को असम्भव मान रही है,' यदि दूती अभिसारिका से कहती है तो वह (अभिसारिका) समझती है कि 'अभिसार की तैयारी करनी चाहिए', यदि अभिसारिका ही दूती से कहती है तो वह (दूती) समझती है कि 'चाँदनी में पहचाने जाने के भय से यह अभिसार का निषेध कर रही है' इत्यादि।

उक्त वाक्य के ये अर्थ किसी कोष में नहीं लिखे हैं इस वाक्य के द्वारा ये और ऐसे ही अन्य अर्थ कैसे ज्ञात होते हैं? इस वाक्य से ये अर्थ ज्ञात होते ही नहीं ऐसी बात तो कोई अनुभव-शक्ति-सम्पन्न जन कह नहीं सकता। अतः मानना पड़ेगा कि इन अर्थों को समझाने की शक्ति भी इस वाक्य में अवश्य है।

पर इस शक्ति को 'अभिधा' नहीं कह सकते, क्योंकि इस वाक्य में रहनेवाली 'अभिधा' को कोष आदि की सहायता से पूर्णरूपेण जानने वाला भी सहृदयता आदि के अभाव में उन अर्थों को नहीं समझ पाता। 'लक्षणा' भी इस शक्ति को नहीं मान सकते, क्योंकि मुख्यार्थबाध और रूढि-प्रयोजनान्यतररूप कारणों के अभाव में 'लक्षणा' का प्रसङ्ग ही नहीं आता— और यहाँ न मुख्य अर्थ का बाध है, न रूढि है, न प्रयोजन, अतः यहाँ 'लक्षणा' नहीं मानी जा सकती। फलतः उक्त वाक्य में उक्त अर्थों को समझाने वाली जो एक तीसरी वृत्ति माननी पड़ेगी उसी का नाम 'व्यञ्जना' है।

लक्षण

व्यञ्जना का जो सामान्य परिचय ऊपर दिया जा चुका है, उसी के आधार पर साहित्यदर्पण-कारादि प्रायः सभी आलंकारिक व्यञ्जना का लक्षण इस प्रकार करते हैं—'अभिधा आदि वृत्तियों के विरत हो जाने पर (अपने-अपने अर्थों का बोध कराकर क्षीण हो जाने पर) जिससे अन्य (वाच्य तथा लक्ष्य से भिन्न) अर्थ का बोध होता है उस वृत्ति को व्यञ्जना कहते हैं'[1]।'

---

१. 'विरतास्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः।
सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम..............॥' (साहित्यदर्पण)

नागेशभट्ट ने व्याकरणग्रन्थ में व्यञ्जना का लक्षण इस प्रकार किया है—'उस संस्कार-विशेष का नाम व्यञ्जना है जो विना मुख्यार्थबाध की अपेक्षा किये अर्थ का बोध कराता हो, जो मुख्य अर्थ से संबद्ध तथा असंबद्ध—दोनों तरह के अर्थों का बोधक होता हो, जो प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध–दोनों ही प्रकार के अर्थों को अपना विषय बनाता हो और जो वक्ता आदि की विलक्षणता के ज्ञान तथा प्रतिभा आदि से उद्‌बुद्ध होता हो'[१]।'

सारांश यह कि—अभिधा केवल प्रसिद्ध (संकेतित) अर्थों को ही समझा सकती है, अप्रसिद्ध अर्थों को नहीं, और लक्षणा मुख्य अर्थ से संबद्ध अर्थ को ही समझा सकती है और वह भी तब, जब मुख्य अर्थ बाधित हो, किन्तु व्यञ्जना के लिये ऐसी किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र अप्रतिहत रूप से अपना स्थान बनाती है। अतएव 'चन्द्रमण्डल उदित हुआ' इस वाक्य के पूर्वोक्त अर्थ करने में न तो व्याकरण तथा कोष में उन अर्थों के लिखे रहने की ही आवश्यकता पड़ती है और न मुख्य अर्थ के बाधित होने की।

अन्य वृत्तियों की अपेक्षा व्यञ्जना की एक खास विलक्षणता

अभिधा तथा लक्षणा ये दोनों वृत्तियाँ शब्द में ही रहती हैं, उनका क्षेत्र शब्द तक ही सीमित है, पर व्यञ्जना का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यह वृत्ति शब्द (वाक्य, पद, पदैकदेश = प्रकृति तथा प्रत्यय, वर्ण, प्रकरण, प्रबन्ध), अर्थ (वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्य) और चेष्टा आदि में समान रूप से रहती है। सारांश यह कि व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति जिस तरह किसी शब्द-विशेष से होती है उसी तरह उक्त सभी व्यञ्जकों (व्यञ्जना के आश्रयों) से होती है।

व्यञ्जक

व्यञ्जना द्वारा अर्थ-प्रतिपादक, शब्द अर्थ आदि सभी व्यञ्जक कहलाते हैं। 'ध्वनि' शब्द के जो अनेक अर्थ पहले लिखे जा चुके हैं उनमें एक के अनुसार व्यञ्जक को 'ध्वनि' भी कहते हैं।

व्यङ्ग्य अर्थ

व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यङ्ग्य कहते हैं। उक्त अनेक अर्थों में से एक के अनुसार उसे 'ध्वनि' भी कहते हैं।

व्यञ्जना के विरुद्ध मत

संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में 'व्यञ्जनावाद' एक ऐसा विषय है जिसके विरोध में भिन्न-भिन्न संप्रदाय के आचार्यों द्वारा बहुतेरे आक्षेप किए गए हैं जिनमें से कतिपय प्रमुख आक्षेपों की चर्चा यहाँ की जाती है—

(१) अभिधावादी आचार्यों का कथन है कि 'व्यञ्जना' 'अभिधा' में ही गतार्थ है अर्थात् अभिधा से अतिरिक्त व्यञ्जना नाम की कोई वृत्ति नहीं है। तात्पर्य यह कि जिन अर्थों को लोग व्यङ्ग्य कहना चाहते हैं वे अभिधेय (वाच्य) अर्थ ही हैं, उनका बोध भी अभिधा से ही होता है।

---

१. 'मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनको मुख्यार्थसंबन्धासंबन्धसाधारणः प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयको वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाद्युद्‌बुद्धः संस्कारविशेषो व्यञ्जना।' (परमलघुमञ्जूषा)

(२) लक्षणावादी आचार्यों की मान्यता है कि-- लक्ष्य से अन्य व्यङ्ग्य कोई वस्तु नहीं है, अतः व्यञ्जना भी लक्षणा से अतिरिक्त वृत्ति नहीं है।

(३) अनुमानवादी आचार्यों का कहना है कि—अभिधा और लक्षणा ये दो ही वृत्तियाँ हैं। अब यदि कुछ ऐसे अर्थ हैं जिनका बोध उक्त दोनों में से किसी भी वृत्ति से नहीं हो पाता तो उस स्थिति में भी उन अर्थों को बोध करने के लिये किसी नवीन वृत्ति (व्यञ्जना) की आवश्यकता नहीं है, अपितु उस तरह के अर्थों का बोध अनुमान से होता है यही मानना चाहिए।

(४) कुछ लोगों का कथन है कि—व्यञ्जनावृत्ति की बात असंगत है, क्योंकि व्यञ्जना मानने के बाद भी प्रश्न उठेगा कि यह व्यञ्जना स्वरूपसती (अज्ञात रूप से रहनेवाली) बोधक है अथवा ज्ञाता ? दोनों ही पक्ष दोषग्रस्त हैं क्योंकि स्वरूपसती व्यञ्जना को बोधक मानने पर व्यञ्जक पद से सदा सभी को व्यङ्ग्य अर्थ का बोध होना चाहिए जो होता नहीं, ज्ञाता व्यञ्जना को बोधक मानना बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह अभिधा-ज्ञापक कोष-व्याकरण आदि हैं उस तरह व्यञ्जनाज्ञापक ही कोई नहीं है, फिर व्यञ्जना ज्ञाता हो ही नहीं सकती। अतः व्यङ्ग्य अर्थों को मानस बोध ही मानना चाहिए।

(५) कुछ लोग कहते हैं कि—'अर्थापत्ति-प्रमाण' से व्यङ्ग्य कहे जाने वाले अर्थों का बोध होता है, अतः व्यञ्जना मानने की आवश्यकता नहीं।

(६) अन्य कतिपय विद्वान् कहते हैं कि वे अर्थ 'सूचनबुद्धिवेद्य' ही हैं जिनको आप व्यङ्ग्य कहते हैं।

उपर्युक्त सभी आक्षेपों के मूल में रहस्यभूत वस्तु एक यही है कि ध्वनिस्थापक आनन्दवर्धन से पूर्व स्वतन्त्र व्यङ्ग्य अर्थ की सत्ता से प्रायः विद्वन्मण्डली अपरिचित ही थी, अतः जब उक्त ध्वनिस्थापक आचार्य ने 'ध्वन्यालोक' नामक विलक्षण निबन्ध बना कर व्यङ्ग्य और व्यञ्जना की स्थापना ही नहीं, अपितु साहित्यशास्त्र में प्रमुखता भी सिद्ध कर दी तब विद्वन्मण्डली में एक तूफान-सा उठ पड़ा। पुरानी लीक पर आँख मूँद कर चलने वाले विद्वानों ने व्यञ्जना का विरोध किया, व्यञ्जना के विरोध में युक्तियाँ खोजी जाने लगीं, निबन्ध बनने लगे। इस तरह ध्वनिकार के बाद में और पहले भी उक्त व्यञ्जनाविरोधी मतों की सृष्टि हुई। पर ध्वन्यालोक के निष्पक्ष अध्येता आलंकारिकों ने और महावैयाकरण नागेश भट्ट ने अपने निबन्धों में उक्त आक्षेपों का सुन्दर तथा प्रबल युक्तियों के आधार पर खण्डन कर ध्वनि (व्यञ्जना) का स्थापन किया और आचार्य आनन्दवर्धन को अलंकारशास्त्र का सर्वश्रेष्ठ मौलिक आलोचक सिद्ध कर दिया।

यद्यपि आनन्दवर्धन को 'ध्वनि' के विषय में व्याकरण के मूलभूत सिद्धान्त (ध्वनि व्यङ्ग्य स्फोटात्मक शब्द) से प्रेरणा अवश्य मिली थी, इससे उनकी मौलिकता पर आँच नहीं आती। क्योंकि 'ध्वनि' शब्द की चर्चा रहने पर भी नागेश से प्राचीन व्याकरणशास्त्रीय निबन्धप्रणेता किसी आचार्य ने पृथक् रूप से व्यञ्जनावृत्ति का निरूपण अपने निबन्धों में नहीं किया। अस्तु, उक्त आक्षेपों का समाधान संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया है।

प्रथम आक्षेप का खण्डन

व्यञ्जना अभिधा में गतार्थ तभी हो सकती है जब व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ में गतार्थ हो जाय—अर्थात् व्यङ्ग्य तथा वाच्य अर्थों की एकरूपता सिद्ध हो सके। किन्तु वस्तुस्थिति उन दोनों अर्थों की एकरूपता सिद्ध नहीं होने देती, क्योंकि वाच्य अर्थ का बोद्धा पद-पदार्थ-ज्ञान वाला कोरा

वैयाकरण भी होता है और व्यङ्ग्य अर्थ का ज्ञाता सहृदय ही होता है, वाच्य जहाँ विधिरूप रहता है वहीं व्यङ्ग्य निषेधरूप हो जाता है, वाच्य जिस पद का एक रहता है उससे होने वाले व्यङ्ग्य अनेक हो जाते हैं, वाच्य का ज्ञान पहले होता है, व्यङ्ग्य का पीछे, वाच्य का विषय दूसरा रहता है व्यङ्ग्य का दूसरा और वाच्य का आश्रय शब्द मात्र होता है व्यङ्ग्य का आश्रय शब्द, शब्द का एकदेश, अर्थसंघटना आदि सभी होते हैं, इतने भेदों के रहने पर व्यङ्ग्य वाच्य नहीं हो सकता और जब वाच्य से भिन्न व्यङ्ग्य अर्थ सिद्ध है तब वाच्यार्थबोधक वृत्ति से भिन्न व्यङ्ग्यार्थबोधक वृत्ति भी माननी ही पड़ेगी, नाम उस वृत्ति का व्यञ्जना रक्खें अथवा और कुछ।

अभिधा की गति अधिक से अधिक वाक्यार्थ तक होती है (वस्तुतः पदार्थ तक ही) और व्यङ्ग्य अर्थ वाक्यार्थज्ञान के बाद विदित होता है फिर वहाँ तक अभिधा की गति सम्भव भी नहीं है। और भी बहुत सी युक्तियाँ इस प्रसङ्ग पर ग्रन्थों में दी गई हैं, पर यहाँ उन सबका उल्लेख संभव नहीं।

द्वितीय आक्षेप का खण्डन

लक्षणा में व्यञ्जना गतार्थ तब हो सकती जब नियमतः व्यङ्ग्य अर्थ का बोध मुख्य अर्थ के बाधित रहने पर ही होता, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ भी व्यङ्ग्य अर्थ का बोध होते देखा जाता है जहाँ मुख्य अर्थ बाधित नहीं रहता। दूसरे, लक्षणा वृत्ति नियमतः अभिधा की अपेक्षा करती है—अभिधा जब तक अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर लेती तब तक लक्षणा का प्रसङ्ग ही नहीं आता, पर व्यञ्जना में ऐसा नियम नहीं है, वह तो चेष्टा (इशारे) आदि में भी रहती है, फिर उसे अभिधा की अपेक्षा क्या? लक्षणा द्वारा नियमतः मुख्य अर्थ से सम्बद्ध अर्थ ही ज्ञात होता है, पर व्यञ्जना द्वारा कहीं मुख्यार्थ से संबद्ध, कहीं असंबद्ध और कहीं असंबद्ध-संबद्ध सभी तरह के अर्थ ज्ञात होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यञ्जना को लक्षणा से गतार्थ कहना दुराग्रह मात्र है।

तृतीय आक्षेप का खण्डन

अनुमान में हेतु का निर्दोष होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, अतः अनुमान से व्यङ्ग्य अर्थ नहीं समझे जा सकते। न्यायग्रन्थों में जिन पाँच दोषों का निरूपण किया गया है उनमें से यदि एक भी दोष हेतु में रहेगा तो उस हेतु से अनुमिति नहीं हो सकती। पर व्यञ्जना में यह बात नहीं होती, वहाँ हेतु (व्यञ्जक) दुष्ट हो अथवा अशुद्ध, उससे व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति होती ही है और काव्य में कल्पनामूलक हेतुओं में दोष का रहना निश्चितप्राय है। दूसरी बात यह कि शब्दस्थल में किसी तरह अनुमिति के कारण जुटाए भी जाँय तो चेष्टा आदि से होने वाले व्यङ्ग्य-बोध-स्थल में उनका जुटना सर्वथा असम्भव है, अतः व्यञ्जना अनुमान में भी अन्तर्भूत नहीं हो सकती।

चतुर्थ आक्षेप का खण्डन

चतुर्थ आक्षेप में व्यङ्ग्यों का मानस बोध मानने की बात कही गई है जो संगत नहीं है क्योंकि मानस बोध से वैयञ्जनिक बोध में विलक्षणता उपलब्ध होती है। हम यदि भावना द्वारा दुष्यन्त-शकुन्तला आदि के वृत्तान्तों को अपने अन्दर लाकर उनका मानस बोध करते हैं तब वैसा आनन्द नहीं आता, जैसा उन्हीं वृत्तान्तों का काव्यशब्द द्वारा वैयञ्जनिक बोध करने पर

आता है, अतः मानना पड़ता है कि वैयञ्जनिक बोध मानस बोध से भिन्न वस्तु है। अब रहा इस आक्षेप का वह अंश जिसमें व्यञ्जना का स्वरूपसती अथवा ज्ञाता किसी भी रूप में बोधक न हो सकने की बात कही गई है, पर उस गुत्थी को भी बड़े सुन्दर ढङ्ग से आलङ्कारिकों ने सुलझाया है। उन्होंने कहा है कि—व्यञ्जना स्वरूपसती ही बोधक होती है—अर्थात् व्यञ्जना को रहना भर चाहिए, उसका ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। यदि यह शङ्का की जाय कि—तब सभी को सदा व्यञ्जना से अर्थबोध क्यों नहीं होता? तो इसका समाधान यह है कि—व्यङ्ग्य बोध के प्रति वासना (प्राक्तन और इदानींतन संस्कारविशेष) कारण है, अतः जिसमें वह वासना नहीं रहती अथवा रह कर भी प्रसुप्त रहती है, उसको व्यङ्ग्य बोध नहीं होता।

पञ्चम आक्षेप का खण्डन

पञ्चम आक्षेप में 'अर्थापत्ति' से व्यङ्ग्य बोध की बात कही गई है जो समुचित नहीं है क्योंकि अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न वस्तु नहीं है, क्योंकि जिस तरह अनुमान व्याप्ति रहने पर होता है उसी तरह अर्थापत्ति भी व्याप्ति के रहने पर ही बोधक होती है। 'जीवति चात्र गोष्ठयाम् अविद्यमानश्चैत्रः अर्थात् इस गोष्ठी में अनुपस्थित चैत्र जीता है' ऐसा कहने पर जो चैत्र का बाहर कहीं रहना ज्ञात होता है उसी को अर्थापत्ति का उदाहरण माना जाता है, पर वस्तुतः यह अनुमान का ही उदाहरण है—अर्थात् 'जो जीता है वह कहीं न कहीं अवश्य रहता है' इस तरह की व्याप्ति निश्चित रहने पर ही उक्त वाक्य से चैत्र का बाहर रहना ज्ञात होता है, फलतः यहाँ अनुमान का ही यह प्रकार हुआ कि—'चैत्र बाहर कहीं अवश्य है, क्योंकि यहाँ नहीं है और जीवित है।'

इस तरह जब अर्थापत्ति अनुमानरूप सिद्ध हुई, तब उससे व्यङ्ग्यबोध की बात चल ही नहीं सकती क्योंकि अनुमान से व्यङ्ग्य-बोध न हो सकने की बात पहले कही जा चुकी है।

षष्ठ आक्षेप का खण्डन

'सूचन बुद्धि' भी अनुमान का ही एक प्रकार है, क्योंकि विक्रेता अँगुली के इशारे से जो अपने सहायकों को मूल्य आदि की बात समझा देता है, वहीं 'सूचन बुद्धि' का उपयोग माना जाता है और वहाँ विक्रेता के इशारे से उनके सहायकों को उस वस्तु का ज्ञान इसलिये हो जाता है कि पहले उसे यह व्याप्ति ज्ञात करा दी गई रहती है कि मैं यदि एक अँगुली दिखाऊँ तो तुम उसका अर्थ २० समझ लेना, फलतः वह अनुमान ही हुआ और अनुमान से व्यञ्जना की अगतार्थता की बात दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

एक चतुर्थ वृत्ति भी है

शास्त्रों में उक्त तीन वृत्तियों से भिन्न एक चतुर्थ वृत्ति (तात्पर्य) का भी उल्लेख हुआ है। यह वाक्य की वृत्ति मानी जाती है अर्थात् यह वृत्ति पद में नहीं, अपितु पद-समूहात्मक वाक्य में ही रहती है। इस वृत्ति से पदार्थों के सम्बन्ध का बोध होता है। इस वृत्ति को मानने में युक्ति यह दी जाती है कि—वाक्यान्तर्गत पदों में रहने वाली अभिधा अपने अर्थों का बोध कराकर विरत (क्षीण) हो जाती है, अतः उस वृत्ति से एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता—अर्थात् दो पदार्थों का सम्बन्ध उस वृत्ति से ज्ञात नहीं हो सकता, अतः उस सम्बन्ध का बोध कराने के लिये तात्पर्यवृत्ति की आवश्यकता मानी जाती है। इस युक्ति के आवि-

स्मारक आचार्य 'अभिहितान्वयवादी' कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है अभिहित = अभिधा द्वारा बोधित अर्थों का अन्वय = संबन्ध, अन्य पदार्थों के साथ होता है ऐसा कहने वाले। दूसरे आचार्य ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अन्वित अर्थ का ही अभिधा से बोध होता है—अर्थात् अन्वयांश का भी बोध अभिधा से ही हो जाता है, उसके लिये किसी अन्य वृत्ति का मानना आवश्यक नहीं। ऐसे आचार्य 'अन्विताभिधानवादी' कहलाते हैं।

नैयायिक लोग सम्बन्धांश की आकांक्षा-भास्य मानते हैं—अर्थात् 'राजा का पुरुष' ऐसा कहने पर राजा और पुरुष का बोध तो उन दोनों पदों की अभिधा से होता है, पर सम्बन्ध (स्वस्वामि-भाव) का बोध अपने आप हो जाता है, क्योंकि राजा पुरुष अंश में और पुरुष राजा अंश में साकांक्ष हैं, अतः सम्बन्धांश-बोधक वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती।

सारांश यह हुआ कि यह वृत्ति एकदेशीय है, गौण है। अतएव पहले उक्त तीन वृत्तियों के साथ इसकी चर्चा नहीं की गई।

अग्निपुराणगत वृत्ति-विचार

पहले लिखा जा चुका है कि—वृत्ति विचार के अन्त में अग्निपुराणगत वृत्ति-विचार प्रस्तुत किया जायगा, अतः अब अग्निपुराण का वह अंश हिन्दी रसगङ्गाधरकार श्रीमान् आचार्य पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी जी की भूमिका से उद्धृत किया जाता है—

'साहित्यशास्त्र में सर्वप्रथम वृत्तियों का विचार अग्निपुराण में ही किया गया है। अग्निपुराण में तीन प्रकार के अलङ्कारों का वर्णन है—शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार और शब्दार्थालङ्कार। इनमें शब्दार्थालङ्कारों के वर्णन में ही वृत्तियों का भी विचार है। वहाँ 'अभिव्यक्ति' नाम से एक शब्दार्थालङ्कार माना गया है, जिसका विवरण करते हुए अग्निपुराणकार ने लिखा है—'शब्द से अर्थ के प्रकट होने को अभिव्यक्ति कहते हैं। उसके दो भेद हैं—श्रुति (अभिधा-लक्षणा) तथा आक्षेप (व्यञ्जना)। उनमें शब्द का अपने अर्थ को अर्पित करना श्रुति कहलाता है। श्रुति दो प्रकार की है—नैमित्तिकी (किसी निमित्त = प्रयोजन को मानकर होने वाली) और पारिभाषिकी (किसी परिभाषा को मानकर होनेवाली—अर्थात् रूढ़ि)। विना किसी निमित्त के किए गए संकेत को परिभाषा कहते हैं, उनके द्वारा होनेवाली श्रुति पारिभाषिकी कहलाती है। नैमित्तिकी और पारिभाषिकी दोनों ही श्रुतियाँ मुख्या (अभिधा) और औपचारिकी (लक्षणा) इस प्रकार दो तरह की होती हैं। जिस श्रुति के द्वारा, अपने वाच्य में जिसकी स्थिति स्खलित हो रही है ऐसा अर्थात् वाच्य अर्थ को ठीक-ठीक प्रतिपादन न करने वाला शब्द किसी निमित्त (प्रयोजन अथवा रूढि) के कारण मुख्य से भिन्न अर्थ का वाचक हो जाता है वह श्रुति औपचारिकी मानी जाती है और उसे ही लाक्षणिकी (रूढलक्षणारूप) कहते हैं। गौणी लक्षणा गुणों के योग (अर्थात् सादृश्य) के कारण होती है। वाच्य अर्थ से सम्बद्ध अर्थ की प्रतीति को लक्षणा कहते हैं।

वाच्य अर्थ के साथ साधारण) सम्बन्ध द्वारा, समीपता द्वारा, समवाय द्वारा, विपरीतता द्वारा और क्रिया के योग द्वारा लक्षणा पाँच प्रकार की मानी गई है। गौणी लक्षणा गुणों के अनन्त होने के कारण अनन्त प्रकार की होती है। जहाँ लोक-मर्यादा का उल्लङ्घन न करते हुए (अर्थात्—पारम्परिक समय को न तोड़ते हुए) व्यक्ति के द्वारा 'गौणी' के कथन की इच्छा से अन्य वस्तु का धर्म अन्य वस्तु में आरोपित किया जाता है उसे इस शास्त्र में समाधि कहते हैं।

श्रुति (अभिधा-लक्षणा) द्वारा न प्राप्त होने वाला अर्थ जिस वृत्ति के द्वारा सहृदयों को प्रतीत होता है, वह वृत्ति 'आक्षेप' कहलाती है और वही ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि के द्वारा वहाँ

शब्द और अर्थ अपने को गौण बनाकर अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं एवं जहाँ किसी विशेष को बताने की इच्छा से निषेध सा होता है उसे भी आक्षेप कहते हैं।'[1]

उपमा और रूपक में भेद

'मुखं चन्द्रः—अर्थात् मुख चन्द्र है' यह जो रूपक का प्रसिद्ध उदाहरण है वही गौणी सारोपा लक्षणा का भी उदाहरण होता है। तात्पर्य यह कि रूपकस्थल में सर्वत्र नियमतः सारोपा गौणी लक्षणा रहती ही है। लक्षणा यहाँ चन्द्रपद की चन्द्रसदृश अर्थ में होती है, चन्द्रसादृश्यरूप धर्म में नहीं, क्योंकि वैसा करने पर चन्द्रपदार्थ (चन्द्रसादृश्य) का मुखपदार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा, क्योंकि दो नामार्थों में अभेद से अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता यह नियम है और यहाँ चन्द्रसादृश्य का मुख के साथ अभेद बाधित है। फलतः ऐसे स्थलों में चन्द्र आदि पदों की स्वसदृश अर्थों में ही लक्षणा माननी पड़ती है और तदनुसार 'चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख' इत्यादि रीति से ही बोध मानना पड़ता है।

अब प्रश्न उठता है कि—जब 'मुखं चन्द्रः' इस रूपकस्थल में 'चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख' ऐसा बोध होता है तब 'चन्द्रसदृशम् मुखम् चन्द्र इव मुखम्' इस उपमा से उक्त रूपक में भेद क्या रहा—अर्थात् ये दो अलङ्कार कैसे हुए, क्योंकि इन उपमावाक्यों से भी 'चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख' ऐसा ही बोध होता है। प्राचीन आचार्य तीन प्रकार से इसका समाधान करते हैं।

(१) प्रथम समाधान का सारांश यह है कि—श्लेषस्थल के समान उक्तरूपकस्थल में चन्द्र तथा तत्सदृश अर्थ की उपस्थिति एक चन्द्रपद से ही होती है, अतः यहाँ एकपदोपादानरूप युक्ति के बल से व्यञ्जना का उत्थान होता है जिससे उक्त सामान्यबोध के बाद मुख में चन्द्र का ताद्रूप्य प्रतीत होता है और उक्त उपमास्थल में चन्द्र तथा तत्सदृश अर्थ की उपस्थिति एक पद से नहीं, अपितु दो पदों (चन्द्र और सदृश अथवा इव) से होती है, अतः एकपदोपादानरूप युक्ति के अभाव में व्यञ्जना का उत्थान नहीं होता, फलतः वहाँ चन्द्रताद्रूप्य की प्रतीति मुख में नहीं होती। इस तरह से सिद्ध यह हुआ कि उपमा और रूपक के स्वरूप में यद्यपि कोई भेद नहीं होता, तथापि फलांश (लक्षणा के फल अंश) में भेद होने से दोनों अलङ्कारों में भेद हो जाता है।

(२) द्वितीय समाधान का सारांश यह है कि—रूपकस्थल में लाक्षणिक चन्द्रपद से यद्यपि चन्द्रसदृश रूप में ही अर्थ की उपस्थिति होती है, तथापि मुख के साथ अन्वयबोध होता है चन्द्ररूप में ही—अर्थात् रूपकस्थल में 'चन्द्राभिन्न मुख' ऐसा ही बोध होता है। क्योंकि उन-उन पदों

---

१. 'प्रकटत्वमभिव्यक्तिः, श्रुतिराक्षेप इत्यपि। तस्या भेदौ श्रुतिस्तत्र शाब्दं स्वार्थसमर्पणम् ॥ भवेन्नैमित्तिकी परिभाषिकी द्विविधैव सा। संकेतः परिभाषेति ततः स्यात्पारिभाषिकी ॥ मुख्यौपचारिका चेति सा च सा च द्विधा द्विधा ॥ सा(स्वा)भिधेयस्खलद्वृत्तिरमुख्यार्थस्य वाचकः। यथा शब्दो निमित्तेन केनचित्सौपचारिकी ॥ सा च लाक्षणिकी गौणी लक्षणा गुणयोगतः। अभिधेया विनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते ॥ अभिधेयेन सम्बन्धात् सामीप्यात् समवायतः। वैपरीत्यात् क्रियायोगात् लक्षणा पञ्चधा मता ॥ गौणी गुणानामानन्त्यादनन्ता, तद्विवक्षया। अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना। सम्यगाधीयते यत्र स समाधिरिह स्मृतः ॥ श्रुतेरलभ्यमानोऽर्थो यस्माद्भाति सचेतसाम्। स आक्षेपो ध्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः ॥ शब्देनार्थेन यत्रार्थः कृत्वा स्वयमुपार्जनम्। प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ तमाक्षेपं ब्रुवन्त्यत्र…………॥'

(अग्निपुराण, अध्याय ३४५, श्लो० ७ – १५)

की लक्षणा के ज्ञान को—उन उन पदों के शक्यतावच्छेदक (चन्द्रत्व आदि) जिसमें प्रकार हों और लक्ष्य (मुख आदि) जिसमें विशेष्य हों ऐसे—बोध के प्रति हेतु मानते हैं। यहाँ यदि कहें कि पदार्थ की उपस्थिति और पदार्थ के शाब्दबोध में जो समानाकारता का नियम है – अर्थात् यह जो नियम है कि जिस रूप से पदार्थ की उपस्थिति हो, शाब्दबोध भी उसी रूप से हो, उसका क्या होगा ? अभिप्राय यह कि आप जिस तरह बोध करते हैं उसमें उक्त नियम का विरोध होता है—अर्थात् चन्द्रसदृश रूप में पदार्थोपस्थिति और चन्द्ररूप में पदार्थबोध मानने में उक्त नियम का अतिक्रमण होता है, तो इसका उत्तर यह है कि लाक्षणिक पदों से होनेवाले बोधों में इस तरह की विलक्षणता होती है यह अनुभव से ही सिद्ध है, अतः उक्त समानाकारकतानियम को लाक्षणिक-बोध से अन्यस्थलपरक मानना चाहिए। इस तरह उपमा से रूपक का स्वरूपज्ञानकृत तथा फल-ज्ञानकृत दोनों ही प्रकार का भेद स्पष्ट है।

(३) तृतीय समाधान का अभिप्राय यह है कि—सादृश्य दो तरह का होता है, एक में भेद का प्रवेश माना जाता है और दूसरे में नहीं—अर्थात् एक मत से 'तद्भिन्न में तद्गत अधिकतर धर्मों का रहना' सादृश्य है और दूसरे मत से 'तद्गत अधिकतर धर्मों का रहना' मात्र सादृश्य है, उन दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इन दो तरह के सादृश्यों में से प्रथम—अर्थात् भेदघटितसादृश्य उपमा का नियामक है और द्वितीय—अर्थात् भेदाघटितसादृश्य गौणी सारोपा लक्षणा का। अतः उपमास्थल में चन्द्र का भेद मुख में ज्ञात होता है और रूपकस्थल में उसका उसमें अभेद। इस तरह दोनों के स्वरूप-ज्ञान में ही भेद सिद्ध हो जाता है, फिर फलज्ञानकृत भेद तक जाना व्यर्थ ही है।

उपर्युक्त तीन प्रकार के समाधान प्राचीनों के हैं। नवीन विद्वान् (अप्पयदीक्षित आदि) तो उक्त तीनों प्रकारों से भिन्न एक चतुर्थ प्रकार से ही उक्त प्रश्न का उत्तर करते हैं। उनके कथन का सारांश यह है कि रूपकस्थल में लक्षणा होती ही नहीं, लक्षणा के विना ही 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि स्थलों में मुख तथा चन्द्र का अभेदान्वय होता है। "–'मुख चन्द्र नहीं है' इस तरह के बाधनिश्चय की विद्यमानतादशा में 'चन्द्राभिन्न मुख' यह अभेदान्वयबोध कैसे हो सकता है" इस प्रश्न का उत्तर वे यह देते हैं कि—जैसे आहार्यबोध को बाधनिश्चय नहीं रोकते, वैसे शब्दजन्य बोध को भी नहीं रोकते ऐसा मानना चाहिए। अतएव 'अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि—अर्थात् जो अर्थ (आकाशपुष्प आदि) वस्तुतः दुनिया में नहीं भी रहते, उनका भी ज्ञान शब्द करा ही देता है' यह प्राचीनों का कथन भी संगत होता है।

अथवा रूपकस्थल में आहार्य शाब्दबोध ही मानना चाहिए और आहार्यबोध को बाधनिश्चय नहीं रोकते यह सर्वमतसिद्ध सिद्धान्त है। 'प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही आहार्य होता है' यह एक नियम है, फिर परोक्षात्मक शाब्दज्ञान आहार्य कैसे हो सकता है ? इसके उत्तर में उनका कहना है कि—उक्त नियम में कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात् प्रत्यक्ष-परोक्ष सभी ज्ञान आहार्य हो सकते हैं। इस मत के अनुसार रूपकस्थल में सादृश्य का बोध होता ही नहीं और उपमास्थल में वह होता है, अतः दोनों में भेद स्वतःसिद्ध है।

उपर्युक्त नवीन मत का खण्डन पण्डितराज ने किया है और खण्डन में युक्ति यह दी है कि—चमत्कारी साधारणधर्म जब-तक उपस्थित नहीं होता तब-तक उपमा के समान रूपक की भी सिद्धि नहीं होती यह बात सभी सहृदयों के अनुभव से सिद्ध है, अन्यथा 'यह नगर चन्द्रमण्डल है' इतने वाक्य को सुन लेने पर भी जो रूपक ज्ञात नहीं होता, वही रूपक, उक्त वाक्य में नगर का

'सकलकल' विशेषण कह देने पर जो ज्ञात होने लगता है वह नहीं संगत होगा। तात्पर्य यह कि 'कलकलशब्दसहित' और 'सकलकलायुक्त' इन दो अर्थों वाले उक्त श्लिष्ट विशेषण के श्रवण होने पर एक विशेषणविशिष्टत्वरूप साधारणधर्म की उपस्थिति होने से रूपक ज्ञात होता है, अन्यथा नहीं। यह बात 'मुखचन्द्र' आदि प्रसिद्ध रूपकस्थल में भी है, अर्थात वहाँ भी आह्लादकत्व आदि साधारणधर्म की उपस्थिति होने पर ही रूपक ज्ञात होता है। अन्तर इतना ही है कि अप्रसिद्ध साधारणधर्मबोधक पद के उच्चारण की अपेक्षा होती है, अन्यथा उसकी उपस्थिति नहीं हो पाती और प्रसिद्ध साधारणधर्मबोधक पद के उच्चारण की अपेक्षा नहीं होती, उसके बिना भी उसकी उपस्थिति हो जाती है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि रूपकस्थल में भी साधारणधर्मोपस्थिति आवश्यक है। अब आप सोचें कि—यदि साधारणधर्मवत्त्वरूप सादृश्य का प्रवेश रूपक में नहीं माना जाय तब जो साधारणधर्म की अनुपस्थितिदशा में रूपक सिद्ध नहीं होता, चमत्कार की प्रतीति नहीं होती, सो क्यों ? आहार्य अभेदबुद्धि तो साधारणधर्म की अनुपस्थिति-दशा में भी हो सकती थी। फलतः रूपकस्थल में लक्षणा अवश्य होती है और फिर भी जो उपमा तथा रूपक दो अलंकार माने जाते हैं उसका कारण प्राचीन मतों में कथित रूपकस्थलीय ताद्रूप्यप्रतीति ही है।

अलङ्कारों का उद्गम

अलंकारों का उदय प्रायः वाङ्मय के साथ ही हुआ, क्योंकि संस्कृतवाङ्मय के प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद की ऋचाओं में अलंकार का प्रयोग प्राप्त होता है। यद्यपि वैदिक साहित्य में अलंकारशास्त्र का निर्देश नहीं मिलता, तथापि मूलभूत अलंकार—उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण हमें वैदिक संहिताओं और उपनिषदों में उपलब्ध होते हैं। अलंकारों में उपमा अत्यन्त प्राचीन है। इसका संबन्ध कविता के प्रथम आविर्भाव से ही है। इसीलिये कतिपय आचार्य उपमा को अन्य सभी अर्थालंकारों की जननी मानते हैं[१] और राजशेखर उपमा को कवि-माता कहते हैं[२]। इस उपमा का तो उदाहरण ऋग्वेद में प्राप्त होता ही है साथ-साथ अन्य अलंकारों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। उषाविषयक एक ऋचा में एक साथ चार उपमाओं का प्रयोग किया गया है—

> 'अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची, गर्तारुगिव सनये धनानाम् ।
> जायेव पत्य उशती सुवासा, उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः ॥' (ऋ. वे. १।१२४।७)

अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है—

> 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
> तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥' (ऋ. वे. १।१६४।२०)

रूपकालंकार का सुन्दर प्रयोग कठोपनिषद् के एक मन्त्र में किया गया है—

> 'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
> बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च ॥' (कठोपनिषद् १।३।३)

---

१. उपमैषा शैलूषी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान् ।
रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥

२. उपमा कविवंशस्य मातैवेति मतिर्मम ।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वैदिक मन्त्रों में अलंकारों की सत्ता स्पष्टतः विद्यमान है। यही क्यों ? उपमाशब्द भी ऋग्वेद (५।३४।९, १।३१।१५) में उपलब्ध होता है जिसका अर्थ सायण ने किया है—उपमान या दृष्टान्त। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इतने प्राचीन काल में उपमा का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया गया था। यह सामान्य निर्देश मात्र है।

इसके बाद निरुक्त तथा निघण्टु में उपमा अलंकार का विवेचन शास्त्रीय ढङ्ग पर उपलब्ध होता है। निघण्टु में वैदिक उपमा के द्योतक बारह निपातों (अव्ययों) का उल्लेख मिलता है। इसी प्रसङ्ग में यास्क ने उपमा के अनेक भेद तथा गार्ग्य नामक वैयाकरण द्वारा रचित उपमा लक्षण का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है। गार्ग्य निरुक्तकार यास्क से भी प्राचीन आचार्य हैं। उनका उपमा-लक्षण इस प्रकार है—'उपमा वहाँ होती है जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होते हुए भी उसी के सदृश हो।' साथ-साथ गार्ग्य ने यह भी कहा है कि—'उपमान सामान्यतः उपमेय की अपेक्षा अधिकगुणयुक्त होता है, पर कहीं-कहीं न्यूनगुण-युक्त उपमान से भी अधिक-गुणयुक्त उपमेय की तुलना की जाती है[1]।' यह उपमालक्षण मम्मट के उपमा-लक्षण[2] से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

यास्क ने अपने ग्रन्थ में पाँच प्रकार की उपमा का वर्णन किया है। उपमाद्योतक निपात-इव, यथा, न, चित्, तु और आ हैं। इन वाचक पदों का प्रयोग रहने पर यास्क के अनुसार 'कर्मोपमा' होती है। **'भ्राजन्तो अग्नयो यथा'** (ऋ. वे. १।५०।३) = 'अग्नि के समान चमकते हुए' यह कर्मोपमा का उदाहरण है। 'भूतोपमा' वहाँ होती है जहाँ उपमेय स्वयम् उपमान बन जाता है। 'रूपोपमा वहाँ होती है जहाँ उपमेय उपमान के साथ स्वरूप के विषय में समता रखता है। 'सिद्धोपमा' में उपमान स्वतःसिद्ध रहता है और एक विशिष्ट गुण या कर्म के द्वारा अन्य वस्तुओं से बढ़कर रहता है। 'वत्' प्रत्यय के जोड़ने पर यह उपमा निष्पन्न होती है, जैसे—'ब्राह्मणवत्', 'वृषलवत्'। अन्तिम भेद 'अर्थोपमा' है जिसका दूसरा नाम 'लुप्तोपमा' है। यह पश्चात्कालिक आलङ्कारिक का रूपकालङ्कार है।

इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि यास्क के समय में अलङ्कार का शास्त्रीय विवेचन आरब्ध हो चुका था।

इसके अनन्तर पाणिनि के समय में उपमा की यह शास्त्रीय कल्पना सर्वत्र स्वीकृत हो चुकी थी यह स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपमा, उपमान, उपमित तथा सामान्य जैसे अलङ्कारशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है।[3]

इसके बाद भगवान् पतञ्जलि ने भी पणिनि के द्वारा प्रयुक्त 'उपमान'पद की व्याख्या महाभाष्य (२।१।५५) में की है। उनका कथन है कि—मान उस वस्तु की संज्ञा है जो किसी अज्ञात वस्तु के निर्धारण के लिये प्रयुक्त की जाती है। 'उपमान' मान के समान होता है और वह किसी वस्तु का अत्यन्त रूप से नहीं प्रत्युत सामान्य रूप से निर्देश करता है, जैसे—'गौरिव गवयः' = गाय के

---

१. उपमा यत् अतत् तत्सदृशमिति गार्ग्यः। तदासां कर्म ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वा प्रख्यातं वोपमीयते, अथापि कनीयसा ज्यायांसम्। (निरुक्त ३।१३)

२. सादृश्यमुपमाभेदे। (काव्यप्रकाश)

३. तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्। (२।३।७२)
उपमानानि सामान्यवचनैः। (२।१।५५)
उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे। (२।१।५६)

समान नीलगाय होती है[1]। यद्यपि काव्यपद्धति से चमत्कार-विहीन होने के कारण 'गौरिव गवयः' उपमालङ्कार का उदाहरण नहीं हो सकता, तथापि शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक दृष्टि से पतञ्जलि का यह उपमानिरूपण महत्त्व रखता है। अलङ्कारों के सम्बन्ध में अब तक जिन बातों का निर्देश किया गया है वे अलंकारशास्त्र के प्रारम्भिक युग की कही जा सकती हैं—अर्थात् अलंकारशास्त्र का इतिहास जब से आरम्भ होता है उससे पहले की वे बातें हैं, क्योंकि अलंकारशास्त्र का इतिहास भरत के नाट्यशास्त्र से ही आरम्भ होता है।

यद्यपि कुछ विद्वान् अग्निपुराण को नाट्यशास्त्र से भी प्राचीन मानते हैं और तदनुसार अलंकारशास्त्रीय इतिहास का आरम्भ नाट्यशास्त्र से न मानकर अग्निपुराण से मानते हैं; पर नवीनतम अन्वेषणों से निश्चित रूप में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि अग्निपुराण का वह भाग—जिसमें अलंकार शास्त्रीय विषयों का वर्णन प्राप्त होता है—उतना प्राचीन नहीं है, अपितु उसका काल भोजराज तथा विश्वनाथ कविराज के मध्य का है, अतः अलंकारों के विकास का मूल खोजने के लिये, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतञ्जलि के महाभाष्य के बाद भरत के नाट्यशास्त्र की ओर ही अग्रसर होना पड़ता है।

भरत का नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र का आदिग्रन्थ ही नहीं, अपितु अलंकारशास्त्र का विश्वकोष है। इसमें नाट्योत्पत्ति, नाट्यगृह, अलंकार, छन्द, नृत्यकला, रस, अभिनय, सङ्गीत आदि का सुन्दर और साङ्गोपाङ्ग वर्णन उपलब्ध होता है। भरत के पहले यद्यपि राजशेखर के द्वारा काव्यमीमांसा में वर्णित इतिहास के अनुसार अलंकारशास्त्र की उत्पत्ति हो चुकी थी, तथापि आज उन ग्रन्थों की उपलब्धि न होने के कारण अलंकार तथा रस के सर्वप्रथम विवेचन का श्रेय भरत को ही प्राप्त है।

नाट्यशास्त्र के सत्रहवें अध्याय में वाचिक अभिनय-निरूपण-प्रसङ्ग पर अलंकारों का भी निरूपण किया गया है। पर अलंकारनिरूपण होने के बावजूद भी इस महानिबन्ध का नाम नाट्यशास्त्र ही हुआ और 'अलंकारशास्त्र' यह नाम प्रागभाव रूप में उसके अन्दर समाविष्ट रहा।

'अलंकारशास्त्र' यह नाम संसार में तब प्रकट हुआ जब आचार्य भामह का आविर्भाव इस धराधाम में हुआ। यद्यपि भरत और भामह के मध्य का लंबा काल अलंकारशास्त्रीय विवेचनों से सर्वथा शून्य ही रहा हो यह संभव नहीं है—भामह ने अपने ग्रन्थ में मेधावी रुद्र नामक किसी एक अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थप्रणेता आचार्य और उनके कतिपय सिद्धान्तों का उल्लेख किया भी है, पर उनका ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं होता। फलतः भामह ही स्वतन्त्र अलंकारशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं।

भामह का 'काव्यालंकार' ही अलंकारशास्त्र का प्रथम ग्रन्थ है। भामह ने यद्यपि रसवादी आचार्य भरत से ही प्रेरणा प्राप्त की है, पर ये भरत के समान रसवादी न रह कर अलंकारवादी बन गए। इसका कारण यह हुआ कि भामह श्रव्यकाव्य के विविध उपादानों का विवेचन करने के लिये प्रवृत्त हुए थे और उन्हें श्रव्यकाव्यों में रस की प्रधानता अभीष्ट नहीं थी—दृश्यकाव्यों में ही रस की मुख्यता उन्हें मान्य थी। अतः भामह ने अपने काव्यालंकार में मुख्यतया अलंकारों का ही विवेचन किया। यह बात दूसरी है कि काव्यस्वरूप दोष, गुण आदि अन्य काव्यतत्त्वों का भी वर्णन उनके ग्रन्थ में उपलब्ध होता है, उद्देश्य उनका अलंकारों की व्यवस्था करना ही था। उनके लिये ऐसा करना उचित भी था क्योंकि वे अलंकार को ही काव्य में मुख्य मानते थे।

---

१. मानं हि नाम अनिर्ज्ञातार्थमुपादीयते अनिर्ज्ञातमर्थं ज्ञास्यामीति। तत्समीपे यत् नात्यन्ताय मिमीते तद् उपमानम् गौरिव गवय इति। (पाणिनि पर महाभाष्य २।१।५५)

भामह ने जब अलंकारशास्त्र का स्वतन्त्र अस्तित्व कायम कर दिया तब इस शास्त्र को विकसित करने वाले बहुतेरे आचार्य हुए जिन्होंने इस शास्त्र के भिन्न-भिन्न अङ्गों का विश्लेषण सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में करके इस शास्त्र को चरम विकास की अवस्था में पहुंचा दिया। इन अलंकारशास्त्र-विकासक आचार्यों में भामह के बाद दण्डी, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, कुन्तक, भोजराज, मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ, वाग्भट, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ आदि प्रमुख हैं।

ये आचार्य 'काव्य में मुख्यता किस तत्त्व की है' इस प्रश्न के उत्तर में यद्यपि भिन्न-भिन्न मत रखते हैं, तथापि अलंकारतत्त्व का अपलाप किसी ने नहीं किया और प्रधान अथवा गौण रूप में अलंकारों का विवेचन सभी ने अपने ग्रन्थ में सुन्दर ढङ्ग से किया है।

इस तरह सुदीर्घ काल में भिन्न-भिन्न आचार्यों के द्वारा जो अलंकारतत्त्व का विश्लेषण हुआ उसमें दृष्टिकोण से मतभेद का होना स्वाभाविक ही था, वह मतभेद भी एक अंश में नहीं, प्रत्युत अनेक अंशों में हुआ है, जैसे —अलंकारों के मूलभूत तत्त्व के विषय में, अलंकारों के स्वरूप के विषय में, अलंकारों से अलंकृत होनेवाले काव्यतत्त्व के विषय में और अलंकारों की संख्या के विषय में मतभेद दृष्टिगोचर होता है।

अलंकारशास्त्र के आदि आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को समस्त अर्थालंकारों मूल माना है[1]। अतिशयोक्ति ही भामह की वक्रोक्ति है क्योंकि वक्रोक्ति का लक्षण भामह ने नहीं किया और अतिशयोक्ति का लक्षण 'निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्—अर्थात् वह उक्ति जिसमें लोक (साधारण जन) के कथन का अतिक्रमण (उल्लङ्घन) किया गया हो।' इस तरह से करके उसके साथ वक्रोक्ति की समता दिखलाई है। वक्रोक्ति से भिन्न उक्ति को भामह 'वार्ता' कहते हैं[2]।

आनन्दवर्धन भी इस विषय में भामह के अनुयायी प्रतीत होते है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 'सभी अलंकारों में मूलतत्त्व के रूप में अतिशयोक्ति रक्खी जा सकती है। अतिशयोक्ति जिस अलंकार में अन्दर विराजती रहती है उसी में कविप्रतिभाहेतुक चारुत्वातिशय का योग रहता है, फलतः वैसा अलंकार ही वस्तुतः अलंकार है, इससे भिन्न तरह के अलंकार तो केवल नाम भर के अलंकार हैं, अतः अलंकरणयोग्यतासंपादक होने के कारण अतिशयोक्ति ही सकल-अलंकाररूप है[3]।'

दण्डी 'स्वभावोक्ति' को आदिअलंकार कहते हैं। उपमादि अलंकार का मूल उनकी दृष्टि में भी वक्रोक्ति ही है[4]।

---

१. 'सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना॥'

२. 'गतोऽस्तमर्कः भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः।
इत्येवमादि किं काव्यम् ? वार्तामेनां प्रचक्षते॥'

३. 'अतिशयोक्तिगर्भता सर्वालंकारेषु शक्यक्रिया। तत्रातिशयोक्तिर्यमलंकारमधितिष्ठति कवि-प्रतिभावशात्तस्य चारुत्वातिशययोगोऽन्यस्य त्वलंकारमात्रतैवेति सर्वालंकारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वे-नाभेदोपचारात्सैव सर्वालंकाररूपा।'

४. 'श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्।

रुद्रट औपम्य, वास्तव, अतिशय और श्लेष को अलंकारमूल मानते हैं। एकावलीकार विद्याधर औपम्य, विरोध, तर्क आदि को अलंकारमूल कहते हैं। अलंकारों के स्वरूप में भी भेद प्राप्त होता है। भामह के विचार से जो वक्रोक्ति 'लोकातिक्रान्त-गोचर वचन' रूप सिद्ध होकर सभी अलंकारों का मूलभूत सामान्य अलंकार था, वह वामन के विचार से 'सादृश्यात् लक्षणा वक्रोक्तिः' होकर अर्थालंकारविशेष हो गया, और रुद्रट के विचार से वही वक्रोक्ति अपह्नव-मूलक शब्दालंकाररूप हो गया।

वामन ने आक्षेपनामक एक अलंकार मानकर उसके दो भेद किए हैं, पर मम्मट ने उनमें से एक भेद को प्रतीप अलंकार का और दूसरे को समासोक्ति अलंकार का रूप दे दिया। यह तो एक दिग्दर्शनमात्र है, सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन करने पर भिन्न-भिन्न आलंकारिकों के मत से अनेक अलंकारों के स्वरूप भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो परवर्ती आचार्यों ने जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा किए गये तत्तत् अलंकारों के लक्षणों का खण्डन करके नवीन-नवीन लक्षण प्रस्तुत किए हैं वह कैसे संभव हो पाता ? आखिर एक लक्षण का खण्डन कर अन्य लक्षण का निर्माण करना लक्षणीय वस्तु के स्वरूप को भिन्न सिद्ध करना ही तो है।

अलंकार्य कहे जाने वाले काव्यतत्त्व के विषय में भी प्रचुर मतभेद उपलब्ध होता है। अलंकार-सम्प्रदायवादी आचार्य शब्द और मुख्य वाच्यार्थ को ही अलंकारों से अलंकृत होनेवाले काव्यतत्त्व के रूप में स्वीकार करेंगे, दूसरा रास्ता ही नहीं है; क्योंकि वे रस आदि प्रतीयमान काव्यतत्त्व को काव्य में मुख्य मानते ही नहीं हैं। वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने वस्तुस्वभाव को ही अलंकार्य कहा है[1]। ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वन्यमान अर्थ (वस्तु-अलंकार-रसादिरूप त्रिविध व्यङ्ग्य) को अलंकार्य माना है। रसवादी आचार्यों ने केवल असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यनाम से व्यवहृत होने वाले रस आदि व्यङ्ग्यों को अलंकार्य कोटि में रखा है। रसगङ्गाधरकार ने तो कवितात्पर्य-विषयीभूत मुख्य वाक्यार्थ (ऐसा अर्थ उनके विचार से कहीं रसादि, कहीं तद्भिन्न व्यङ्ग्य, कहीं रमणीय वाच्यार्थ भी हो सकता है) को अलंकारों से उपस्कृत होने वाला कहा है[2]।

अलंकारों की संख्या के विषय में तो सबसे अधिक मतभेद है। प्रायः किन्हीं दो आलंकारिकों के मत इस विषय में समान नहीं हैं।

नाट्यशास्त्र में अनुप्रास, उपमा, रूपक और दीपक इन चार ही अलंकारों का नाम-निर्देश मिलता है, अतः मानना पड़ेगा कि मूलभूत अलंकार ये ही चार हैं जिनमें एक (अनुप्रास) शब्दालंकार है और तीन अर्थालंकार। इन्हीं चार अलंकारों से विकसित तथा परिवर्धित होकर कुवलयानन्द में अलंकारों की संख्या १२५ तक पहुँच गई है, जो प्रायः अलंकारों के संबन्ध में

द्विधाभिन्नं स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ॥' (काव्यादर्श)
'स्वभावोक्तिराद्यालंकारः। वक्रोक्तिशब्देन उपमादयः संकीर्णपर्यन्ता अलंकारा उच्यन्ते।'
(हृदयंगमा टीका)

१. 'अलङ्कारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलंकृतिः।
अलङ्कार्यतया तेषां किमन्यदवतिष्ठते ॥
शरीरं चेदलंकारः किमलंकुरुतेऽपरम्।
आत्मैव नात्मनः स्कन्धं क्वचिदप्यधिरोहति ।'

२. 'इयं चैवंभेदोपमा वस्त्वलङ्काररसरूपाणां प्रधानव्यङ्ग्यानां वस्त्वलङ्कारयोर्वाच्ययोश्चोप-स्कारकतया पञ्चधा।' (भट्ट मथुरानाथ कृत संस्करण, पृष्ठ २२५)

सबसे बड़ी संख्या है। अन्य आलंकारिक इन्हीं दो संख्याओं के मध्य की भिन्न-भिन्न संख्या अलंकारों की मानते हैं, जैसे—काव्यादर्शकार दण्डी अलंकारों की संख्या ३५ मानते हैं। अलंकारसारसंग्रह-प्रणेता उद्भट भट्ट अलंकारों की संख्या ४१ बतलाते हैं। सरस्वतीकण्ठाभरण रचयिता भोजराज शब्दालंकार २४, अर्थालंकार २४ और उभयालंकार भी २४—कुल अलंकार संख्या ७२ कहते हैं। काव्यानुशासनकार हेमचन्द्र शब्दालंकार ६ और अर्थालंकार २९—कुल अलंकार संख्या ३५ मानते हैं। वाग्भटालंकार वाग्भट शब्दालंकार ४ और अर्थालंकार ३५—कुल ३९ अलंकार-संख्या लिखते हैं। काव्यानुशासनकार वाग्भट द्वितीय ६३ अर्थालंकार और ६ शब्दालंकार—कुल ६९ अलंकारों की गणना करते हैं।

काव्यप्रकाशकार मम्मट्ट कुल अलंकारसंख्या ६७ मानते हैं जिसमें शब्दालंकारों की संख्या ६ और अर्थालंकारों की संख्या ६१ है। मम्मट भट्ट ने काव्यप्रकाश में निम्नलिखित अलंकारों का खण्डन अथवा स्वसम्मत अलंकारों में अन्तर्भाव दिखलाया है—१-अत्युक्ति, २-अनुगुण, ३-अनुज्ञा, ४-अनुपलब्धि, ५-अनुमान, ६-अर्थापत्ति, ७-अल्प, ८-अवज्ञा, ९-असंभव, १०-असम, ११-उदाहरण, १२-उन्मीलित, १३-उपमान, १४-उल्लास, १५-उल्लेख, १६-ऊर्जस्वि, १७-ऐतिह्य, १८-गूढोक्ति, १९-छेकोक्ति, २०-जाति, २१-निरुक्ति, २२-परिकर, २३-परिणाम, २४-पिहित, २५-पूर्वरूप, २६-प्रत्यक्ष, २७-प्रस्तुताङ्कुर, २८-प्रहर्षण, २९-प्रेयः, ३०-प्रौढोक्ति, ३१-भाषा, ३२-मिथ्याध्यवसिति, ३३-मुद्रा, ३४-युक्ति, ३५-रत्नावली, ३६-रसवत्, ३७-ललित, ३८-लेश, ३९-लोकोक्ति, ४०-वर्धमान, ४१-वाक्यार्थरूपक, ४२-विकल्प, ४३-विकस्वर, ४४-विचित्र, ४५-वितर्क, ४६-विधि, ४७-विवृतोक्ति, ४८-विशेष, ४९-विषाद, ५०-शब्द, ५१-संभव, ५२-समाहित और ५३-हेतु।

इनमें कतिपय अलंकारों का पण्डितराज ने अपने रसगंगाधर में सयुक्तिक पुनःस्थापन किया है।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज ६ शब्दालंकार और ७२ अर्थालङ्कार—कुल ७८ अलङ्कार मानते हैं। इसी तरह भामह, रुद्रट, वामन, आदि आलङ्कारिकों का भी अलंकार-संख्या-विषयक मत समान नहीं है।

अलङ्कारों की संख्या के विषय में दृष्टिगोचर होनेवाला यह मतभेद कोई आश्चर्य में डालनेवाली बात नहीं है क्योंकि उक्ति की विचित्रता ही अलङ्काररूप में परिणत होती है और उक्तिवैचित्र्य की कोई इयत्ता नहीं है—वह अनन्त है—'**अनन्ता वाङ्मयस्यास्य गेयस्येव विचित्रता**' यह सिद्धान्त बहुत ही प्राचीन है। अतः जिस आचार्य को जितने प्रकार के उक्ति-वैचित्र्य प्रतिभासित हुए उसने उतने प्रकार के अलङ्कारों की कल्पना कर ली।

अब तक जितने प्रकार के अलङ्कारों की कल्पना की जा चुकी है, भविष्य में उनसे और अधिक प्रकार के अलंकारों की कल्पना की जा सकती है।

अलङ्कार की सामान्य परिभाषा

'काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते' (काव्यादर्श)

इस परिभाषा के द्वारा आचार्य दण्डी को सभी काव्यतत्त्वों का संग्रह अभीष्ट है जो काव्य में चमत्कारोत्पादक हैं। इस तरह उनके हिसाब से प्रसाद, माधुर्य आदि गुण ही नहीं, प्रत्युत नाट्य के शोभाविधायक अङ्ग—सन्धि, सन्ध्यङ्ग, वृत्ति आदि भी अलङ्कार शब्द के अर्थ हैं। उन्होंने

स्पष्ट रूप में लिखा है कि 'शास्त्रान्तर में जो तत्त्व सन्ध्यङ्ग, वृत्यङ्ग, लक्षण आदि पदों से अभिहित हुए हैं वे सभी मुझे अलङ्काररूप से ही इष्ट हैं'[१]।

इस व्यापकता को हटाने के लिये कतिपय आचार्यों ने कहा—

'काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः'।

अर्थात् काव्य में शोभा उत्पन्न करनेवाले तत्त्व गुण हैं और गुण के द्वारा उत्पन्न शोभा को अतिशयित करनेवाले तत्त्व अलङ्कार हैं।

पर इन उल्लेखों से वस्तुस्थिति सर्वथा स्पष्ट हुई नहीं, अतः भिन्न-भिन्न आलङ्कारिकों के फुटकर उल्लेखों के आधार पर प्रस्तुत अलंकारतत्त्व की कुछ और छान-बीन करना आवश्यक है।

आनन्दवर्धन ने अलङ्कार की मूल भावना का निर्देश इन शब्दों में किया है—'अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः—अर्थात् अलङ्कार काव्य में चारुता के कारणरूप से प्रसिद्ध तत्त्व है।' अभिनव गुप्त ने अलंकार को सदा ही विच्छित्ति-प्रकार स्वीकार किया है। कुन्तक ने अलङ्कार-स्वरूप में दो बातों पर विशेष जोर दिया है—वैचित्र्य और कविप्रतिभानिर्वर्तितत्त्व। यद्यपि ये दोनों लक्षणा काव्य की ही मूल कल्पना के साथ सम्बद्ध हैं, तथापि अलंकार में भी इनका अस्तित्व अवश्य रहता है।

अलंकार को विचित्र और चारुत्वसम्पन्न होना ही चाहिए और इसके लिये आवश्यक है कि वह कवि की प्रतिभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाय। इसीलिये भिन्न आलङ्कारिकों ने अपने ग्रन्थों में अलङ्कार के प्रसङ्ग में विच्छित्ति, चारु, सुन्दर आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। अतः यह सिद्ध हुआ कि विच्छित्तिविशेष का सामान्य अभिधान अलङ्कार है—'वैचित्र्यमलङ्कारः।' कुन्तक की इस अलङ्कारत्वमीमांसा का प्रभाव अवान्तरकालीन आलंकारिकों पर विशेषरूप से पड़ा है। मम्मट भी अलङ्कार को वैचित्र्यरूप ही मानते हैं। वही अलङ्कार काव्य का शोभाधायक हो सकता है जो विचित्रता या रुचिरता उत्पन्न करे। वे अलङ्कार के साथ रसजन्य चमत्कार के भी पक्षपाती हैं, परन्तु रस के अभाव में अलङ्कार के ही कारण उक्ति की विचित्रता में किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। मम्मट की स्पष्ट उक्ति है—'यत्र तु नास्ति रसः तत्र उक्तिवैचित्र्यमात्र-पर्यवसायिनः।

'हेतु' को अलंकार की श्रेणी में स्थान न देने का कारण मम्मट ने स्पष्टतः वैचित्र्य का अभाव कहा है—'वैचित्र्याभावात्तु हेतुर्नालङ्कारः।' रुय्यक भी इस विषय में कुन्तक से प्रभावित हैं। वे भी अलङ्कार को कविप्रतिभोत्थित मानते हैं। संदेहालङ्कार के विषय में उनका कहना है—'कविप्रतिभोत्थिते संदेहे संदेहालङ्कारः।' 'भ्रान्ति' अलङ्कार के विषय में भी कविप्रतिभोत्थित भ्रान्ति को ही उन्होंने अलङ्कार कहा है।

इन विवेचनों से कुन्तक की दृष्टि में अलंकार का सामान्य स्वरूप होगा—'कविप्रतिभोत्थितः विच्छित्तिविशेषः अलंकारः' अर्थात्—कवि की प्रतिभा से उत्थापित विच्छित्ति-विशेष चमत्कार का एक प्रकार ही अलंकार है। पर यह परिभाषा भी व्यापक हो जाती है और काव्यत्व-नियामक सभी तत्त्वों को अपने अन्दर समेट लेती है, अतः यदि उक्त परिभाषा में कथित 'प्रतिभोत्थित विच्छित्तिविशेष का संबन्ध शब्द अथवा अर्थ के साथ जोड़ दें, अर्थात् यह कहें कि 'शब्द अथवा अर्थ

---

१. 'यच्च सन्ध्यङ्ग-वृत्त्यङ्ग-लक्षणाद्यागमान्तरे।
व्यावर्णितमिदं चेष्टमलङ्कारतयैव नः॥' (काव्यादर्श)

में रहने वाले कविप्रतिभोत्थित विच्छित्ति-विशेष, का नाम अलंकार है' तो अलंकार की सही-सही सामान्य परिभाषा बन जाती है ।

'शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः ।
रसादीनुपकुर्वन्तो तेऽलंकाराः अङ्गदादिवत् ॥'

अर्थात् शब्द-अर्थ के अनियत शोभातिशायी और रस आदि के उपकारक धर्मों का नाम अलंकार है। यह नाम लौकिक अङ्गद आदि अलंकारों की समता के कारण प्रचलित है। इस परिभाषा में दो विशेषणों पर ध्यान देना है—एक 'अस्थिराः' और दूसरा 'रसादीनुपकुर्वन्तः'। इनमें से प्रथम विशेषण गुणों को अलंकार-श्रेणी से पृथक् करने के लिये कहा गया है। गुणों में भी सभी अन्य अलंकारत्व-नियामक तत्त्व विद्यमान रहते हैं, पर वे काव्य के स्थिर (नियत) धर्म हैं और अलंकार हैं अस्थिर (अनियत)। दूसरा विशेषण अलंकार के कर्तव्य की ओर इङ्गित करता है, अर्थात् काव्यवाक्य के मुख्य अर्थ को उपकृत करना—पुष्ट बनाना ही अलंकारों का कर्तव्य है, उस कर्तव्य से विमुख तत्त्व अलंकार पद से अभिहित हो ही नहीं सकते।

यहाँ पण्डितराज अलंकार निरूपण के आरम्भ में अवतरणरूप से लिखते हैं कि—'अथास्य प्रागभिहितलक्षणस्य काव्यात्मनो व्यङ्ग्यस्य रमणीयताप्रयोजका अलंकारा निरूप्यन्ते।' इस अवतरणग्रन्थ में 'रसादेः' न लिख कर 'व्यङ्ग्यस्य' जो लिखा गया है उससे पण्डितराज का यह अभिमत निकाला जाता है कि—'पण्डितराज त्रिविधि (वस्तु, अलङ्कार तथा रसादि) व्यङ्ग्यों को काव्यात्मा मानते हैं।' किन्तु उपमानिरूपण प्रकरण में एक स्थल पर पण्डितराज लिखते हैं—'इयं चैवमेषोपमा वस्त्वलंकाररसरूपाणां प्रधानव्यङ्ग्यानाम् वस्त्वलङ्कारयोश्चोपस्कारकतया पञ्चधा।' प्रसङ्गवश पहले भी यह पङ्क्ति टिप्पणी में उद्धृत की जा चुकी है। इसका अर्थ है—'उपमा पाँच प्रकार की होती है क्योंकि वह (उपमा) कहीं वस्तुरूप प्रधानव्यङ्ग्य को, कहीं अलंकाररूप प्रधानव्यङ्ग्य को, कहीं रसादिरूप प्रधानव्यङ्ग्य को—इस तरह त्रिविध व्यङ्ग्य को—और कहीं प्रधान वाच्यवस्तु को तथा कहीं प्रधानवाच्य अलंकार को अलंकृत करती है।' इस उल्लेख से तो पण्डितराज की काव्यात्मत्वविषयक धारणा कुछ भिन्न ही प्रतीत होती है, क्योंकि यह निश्चित है कि जिस तत्त्व को जो काव्यात्मा माना है वह उसी तत्त्व को अलंकार्य बतलाता है। इस हिसाब से यदि पण्डितराज त्रिविध व्यङ्ग्य मात्र को काव्यात्मा मानते होते तब वाच्यवस्तु (अलंकार) को अलंकार्य (उपस्कार्य) नहीं कहते। ऐसा लगता है कि पण्डितराज सभी प्रकार के रमणीय अर्थों को काव्यात्मा मानने वाले हैं। इस धारणा की पुष्टि पण्डितराज की अन्य उक्ति से भी होती है। उपमालक्षण में सादृश्य का विशेषण 'वाक्यार्थोपस्कारकम्' कहा गया है, 'व्यङ्ग्यार्थोपस्कारकम्' नहीं। इससे स्पष्ट है कि पण्डितराज केवल रमणीय वाच्यार्थ के रहने पर भी अर्थात् रमणीय व्यङ्ग्य अर्थ के नहीं रहने पर भी, वाक्य को काव्य मानते हैं। विचार करने की बात है कि—काव्यात्मभूत तत्त्व के अभाव में भी क्या काव्यत्व माना जा सकता है? नहीं। अतः माना जाता है कि पण्डितराज आलंकारिक जगत् में ध्वनिवादी होते हुए भी रमणीयतावादी हैं।

उक्त अवतरण के बाद उपमानिरूपण से अलंकारनिरूपण प्रकरण आरब्ध होता है। अलंकार-सामान्य की परिभाषा—जो विशेषविषयक जिज्ञासा के प्रति सामान्य ज्ञान को कारण मानने वालों के मत से आवश्यक समझी जाती है—नहीं दी गई है।

यद्यपि नागेश ने उक्त अवतरणग्रन्थ में ही अलंकारसामान्यलक्षण, खोज निकाला है। अर्थात्

नागेश की दृष्टि में उक्त अवतरण का '**व्यङ्ग्यस्य रमणीयताप्रयोजकाः**' यह अंश अलंकारसामान्य का लक्षण है। फलतः नागेश के कथनानुसार पण्डितराज का अलंकारसामान्यलक्षण हुआ 'व्यङ्ग्य-रमणीयताप्रयोजककाव्यधर्मत्व'। पर यह संगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि ऊपर दिखलाया जा चुका है कि पण्डितराज अलंकार को केवल व्यङ्ग्य अर्थ की रमणीयता का प्रयोजक नहीं मानते हैं। वस्तुतः स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर भी पण्डितराज के मत से अलंकारसामान्य का लक्षण—'**कविप्रतिभानिर्वर्तितमुख्यवाक्यार्थोपस्कारकसुन्दरशब्दार्थधर्मत्व**' समझा जा सकता है, क्योंकि स्मरणालंकारनिरूपण में एक जगह पण्डितराज ने लिखा है—'**प्रधानव्यङ्ग्यव्यावृत्त्यर्थं पुनरुपस्कारकत्वं सर्वेषु अलंकारलक्षणेषु देयम्**', ससंदेहालंकारगत रमणीय विशेषण की व्याख्या—'**चमत्कारिणीत्यर्थः**' इन शब्दों में करके कहा - '**एतच्च विशेषणं सामान्यालंकार-लक्षणप्राप्तमेव। एवमुपस्कारकत्वमपि बोध्यम्**'। इसी तरह भ्रान्तिमान् अलंकार के लक्षण का विवरण करते हुए कहा है—'**चमत्कारीति। कविप्रतिभानिर्वर्तित इत्यर्थः।**' इन लक्षणों से उक्त अलंकारसामान्यलक्षण ही फलित होता है, जो बहुत कुछ पूर्वोक्त कुन्तक के विचार से प्रभावित है।

रसगंगाधर ग्रन्थ में निम्न ७० अलंकारों का निरूपण किया गया है—

१. उपमा, २. उपमेयोपमा, ३. अनन्वय, ४. असम, ५. उदाहरण, ६. स्मरण, ७. रूपक, ८. परिणाम, ९. ससन्देह, १०. भ्रान्तिमान्, ११. उल्लेख, १२. अपह्नुति, १३. उत्प्रेक्षा, १४. अतिशयोक्ति, १५. तुल्ययोगिता, १६. दीपक, १७. प्रतिवस्तूपमा, १८. दृष्टान्त, १९. निदर्शना, २०. व्यतिरेक, २१. सहोक्ति, २२. विनोक्ति, २३. समासोक्ति, २४. परिकर, २५. श्लेष, २६. अप्रस्तुतप्रशंसा, २७. पर्यायोक्ति, २८. व्याजस्तुति, २९. आक्षेप, ३०. विरोध, ३१. विभावना, ३२. विशेषोक्ति, ३३. असंगति, ३४ विषम, ३५. सम, ३६. विचित्र, ३७. अधिक, ३८. अन्योन्य, ३९. विशेष, ४०. व्याघात, ४१. कारणमाला, ४२. एकावली, ४३. सार, ४४. काव्यलिङ्ग, ४५. अर्थान्तरन्यास, ४६. अनुमान, ४७. यथासंख्य, ४८. पर्याय, ४९. परिवृत्ति, ५०. परिसंख्या, ५१. अर्थापत्ति, ५२. विकल्प, ५३. समुच्चय, ५४. समाधि, ५५. प्रत्यनीक, ५६. प्रतीप, ५७. प्रौढोक्ति, ५८. ललित, ५९. प्रहर्षण, ६०. विषादन, ६१. उल्लास, ६२. अवज्ञा, ६३. अनुज्ञा, ६४. तिरस्कार, ६५. लेश, ६६. तद्गुण, ६७. अतद्गुण, ६८. मीलित ६९. सामान्य और ७०. उत्तर। यहाँ अन्तिम उत्तरालंकारनिरूपण में ही अकस्मात् ग्रन्थ खण्डित होकर समाप्त हो गया है। इस प्रकार समाप्ति होने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो लिखते समय ही लेखक की अकस्मात् मृत्यु हो जाना और दूसरा किसी कारणवश अग्रिम अंश का पण्डितराज-लिखित मूल प्रति से नष्ट हो जाना। जो भी हो, इस स्थिति में आज यद्यपि पण्डितराजाभिमत अलंकारों की संख्या बतलाना असंभव है तथापि इतना निश्चित है कि पण्डितराज अलंकार-निरूपण में चन्द्रालोकीय अर्थालंकारानुक्रमणिका से ही आधार मानकर चले हैं, क्योंकि उक्त सत्तर अलंकारों में केवल उदाहरण, सार, अनुमान और तिरस्कार ये चार ही अलंकार ऐसे हैं जो चन्द्रालोकीय अर्थालंकारानुक्रमणिका से बहिर्भूत हैं। चन्द्रालोककार पीयूषवर्ष जयदेव ने अपनी अनुक्रमणिका में सौ अलंकारों का निर्देश किया है। जिसमें उत्तरालंकारपर्यन्त अलंकारों में से आवृत्ति, दीपक, परिकराङ्कुर, प्रस्तुताङ्कुर, व्याजनिन्दन, असंभव, अल्प, मालादीपक, साधक, कारकदीपक, विकस्वर, संभावन, मिथ्याध्यवसिति, रत्नावली, पूर्वरूप, उन्मीलित और निमीलित इन सोलह अलंकारों की चर्चा पण्डितराज ने स्वतन्त्र अलंकार के रूप में न करके अन्य अलंकारों में ही उनका अन्तर्भाव दिखलाया है। फलतः उत्तर के आगे चन्द्रलोकगत सूक्ष्मपिहित,

व्याजोक्ति, गूढोक्ति, विवृतोक्ति, युक्ति, स्तोकोक्ति, छेकोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, उदात्त, अत्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेध, विधि और हेतु ये सोलह अलंकार बच जाते हैं। इन सोलहों के संबन्ध में पण्डितराज क्या लिखते, इन्हें स्वतन्त्र अलंकार मानते अथवा नहीं, यह आज नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पण्डितराजाभिमत अलंकारों की संख्या भी प्रायः सौ के लगभग ही होती।

(१) उपमा

आरम्भ में अति उपयुक्त उपमा-लक्षण कहा गया है। तदनन्तर लक्षण में निविष्ट पदों के फल स्पष्ट किए गए हैं। इसके बाद कल्पितोपमा—जिसमें उपमान कल्पित पदार्थ रहता है, अतः जिसे प्राचीन आलंकारिक अलंकारान्तर की संज्ञा प्रदान करते हैं—को उपमा के अन्दर सयुक्तिक संगृहीत किया गया है। इसके अनन्तर साधारणधर्म के विषय में विचार करते हुए 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव' तथा 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव' का इतना सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया गया है जैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। इसके बाद एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया गया है। इसके अनन्तर प्राचीन आचार्यों के द्वारा रचित उपमालक्षणों की अलोचना की गई है जिसमें अप्पयदीक्षित, विद्यानाथ, मम्मट, अलंकारसर्वस्वकार, अलंकाररत्नाकरकार आदि के लक्षणों का सयुक्तिक खण्डन किया गया है। इसके अनन्तर प्राचीनोक्त पचीस भेदों को गिनाकर उनके उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद **'इहान्यानपि भेदानन्ये निगदन्ति'**—से आरम्भ करके कतिपय प्राचीनमतसिद्ध अन्य भेदों की चर्चा की गई है और उनमें से कुछ का खण्डन किया गया है। इस प्रसङ्ग में यत्र-तत्र अप्पयदीक्षित के मत का भी खण्डन किया गया है। इसके बाद उपस्कार्यभेद से उपमा के पाँच भेद करके उनके उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रसङ्ग में अलंकार से अलंकार भी उपस्कार्य कैसे हो सकता है इस बात की सुन्दर मीमांसा की गई है जो अन्यत्र अप्राप्य ही है। इस तरह पचीस भेद मानने वाले प्राचीनों के मत से प्रत्येक के पञ्चविध हो जाने से एक सौ पचीस और बत्तीस भेद मानने वाले प्राचीनों के मत में एक सौ साठ भेद हो सकते हैं यह बात कही है। इसके बाद पण्डितराजने अपनी प्रतिभा के बल से और बहुत भेदों की उद्भावना की है। साधारण-धर्म के अनुगामी, केवल, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न, उभय, वस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बित बिम्बप्रतिबिम्ब-भावापन्न, उपचरित और केवल शब्दात्मक भेद मानकर उपमा के भेद किए गए हैं और सभी भेदों के सटीक उदाहरण भी उपस्थित किए गए हैं। इसके बाद भी **'प्रकारान्तरं च सुधीभिः स्वयमुन्नेतुं शक्यम्'** कह कर एक विलक्षण भेद और दिखलाया गया है जिसमें उपमा को ही उपमा का साधारणधर्म सिद्ध किया गया है। उदाहरण भी इस भेद का देखने योग्य दिया गया[1] है। अन्त में भेदों के सम्बन्ध में **'इयमेवंभेदा प्राचीनैर्भेदैर्गुणने वाग्गोचरं भूमानं भजमाना नेयत्तामर्हति'** लिख कर ही ग्रन्थकार ने सन्तोष किया है। इसके बाद शाब्दबोध का विचार विशद रूप से किया गया है जो अलंकारशास्त्र को न्याय आदि शास्त्रों के समान प्रौढ़ि प्रदान करता है। अन्ततः यह निश्चित है कि उपमा का जैसा मर्मस्पर्शी तथा विशद विचार इस ग्रन्थ में हुआ है वैसा किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं हुआ है।

---

१. 'यथा लतायाः स्तबकानतायाः स्तनावनम्रे नितरां समासि।
तथा लता पल्लविनी सगर्वे शोणाधरायाः सदृशी तवापि ॥'

(२) उपमेयोपमा

उपमेयोपमा को यद्यपि पण्डितराज उपमा का ही प्रभेद मानते हैं,[1] तथापि इसका निरूपण उन्होंने स्वतन्त्र अलंकार के रूप में किया है और लक्षण, उदाहरण आदि सब कुछ अलग लिखे हैं। उनका उल्लेख है कि इसके भी उपमा की तरह अनन्त भेद हो सकते हैं[2]। उपमेयोपमा-निरूपण में भी अप्पयदीक्षित, अलंकारसर्वस्वकार तथा विमर्शिनीकार के मतों का खण्डन किया गया है।

(३) अनन्वय

अनन्वय-निरूपण में लक्षण, उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण दिखलाने के बाद भेदकथन है। उपमा के समान अनन्वय का भी पहले पूर्णलुप्त भेद माना गया है, फिर पूर्णभेद के पूर्णोपमा की तरह छै भेद हो सकने की बात कही गई है। लुप्तभेद में धर्मलुप्त के पुनः पाँच भेद मान कर वाचकलुप्त भेद भी दिखलाया गया है। धर्मवाचकोभयलुप्तभेद भी स्वीकृत हुआ है। असुन्दर होने के कारण इसके उपमानलुप्तादि भेद नहीं हो सकते इस कथन से भेदविवरण समाप्त किया गया है। इसके बाद रत्नाकर के त्रिविध अनन्वयलक्षण तथा उदाहरणों का उल्लेख करके खण्डन किया गया है और अलंकारसर्वस्वकार तथा अप्पयदीक्षित की उक्तियों का भी खण्डन किया गया है।

(४) असम

अलंकार-संसार में अल्प-मत-समर्थित 'असम' अलंकार को मान कर अलंकार का निरूपण करते समय लक्षणोल्लेख के बाद सर्वप्रथम पण्डितराज कहते हैं कि 'यद्यपि असम-पदार्थ अनन्वय में नियमतः व्यङ्ग्य होता है, तथापि वहां वह अलंकार-पदव्यवहार्य होने योग्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ वह अनन्वय के चमत्कार का ही पोषक रहता है, इसीलिये रूपक-दीपक आदि में नियमतः अभिव्यक्त होने पर भी उपमा अलंकारपद से व्यवहृत नहीं होती। जहाँ 'असम' वाच्य रहता है वहाँ वह स्वतन्त्र चमत्कार का उत्पादक होता है, और तब उसको स्वतन्त्र अलंकार भी मानना ही चाहिए।' रत्नाकर के मत का खण्डन यहाँ भी हुआ है। यह शङ्का भी की गयी है कि— 'असमालंकार' ध्वनन से ही चमत्कार उत्पन्न होता है ऐसा मानकर 'अनन्वय' का अस्वीकार क्यों नहीं कर दिया जाय? उत्तर में कहा गया है कि उपमा ध्वनन से कृतार्थता मान कर दीपकादि का भी अपलाप क्यों नहीं कर देते? इत्यादि। अन्त में यह भी कह दिया गया है कि प्राचीन इस अलङ्कार को नहीं मानते।

(५) उदाहरण

यह अलंकार भी अलंकारजगत् के आचार्यों का बहुमत नहीं प्राप्त कर सका है। पर पण्डितराज का समर्थन इसे प्राप्त है। 'सामान्य-विशेष का वाच्य अवयवावयविभाव' इसका संक्षिप्त

---

१. 'मुखमिव चन्द्र इति प्रतीपे, चन्द्र इव मुखं मुखमिव चन्द्र इत्युपमेयोपमायां च सादृश्यस्य चमत्कारित्वान्नातिप्रसङ्गः शङ्कनीयः तयोः संग्राह्यत्वात्।' (उपमानिरूपणे)

'अथास्या एव भेद उपमेयोपमा निरूप्यते—' (उपमेयोपमानिरूपणस्यावतरणग्रन्थः)

२. 'एवं पूर्णालुप्तादयोऽप्यस्याः (उपमेयोपमायाः) उपमाया इव प्रायशः सर्वेऽपि भेदाः सम्भवन्ति।'

स्वरूप है। इव, यथा, निदर्शन, दृष्टान्त आदि शब्दों को इस अलंकार का बोधक माना गया है। इव और यथा शब्द सादृश्य-वाचक हैं, सामान्यविशेषभाव के बोधक ये कैसे हो सकते हैं इस शंका के समाधान में कहा गया है कि—अभिधावृत्तिद्वारा भले ही इव और यथा पद सामान्य-विशेषभाव के बोधक नहीं हों, पर लक्षणावृत्ति द्वारा तो हो ही सकते हैं। अन्यथा उत्प्रेक्षा-बोधक भी ये पद नहीं हो सकेंगे। 'अनन्तरत्नप्रभवस्य'—इस कालिदासीय प्रसिद्ध पद्य में पण्डितराज यही (उदाहरण) अलंकार मानते हैं। 'अर्थान्तरन्यास' से इसमें वैलक्षण्य यह माना गया है कि—इसमें अवयवावयविभावबोधक इवादि पद प्रयुक्त होते हैं और सामान्य विशेष दोनों अर्थों का अन्वय एक ही विधेय (क्रिया) के साथ होता है, अर्थान्तरन्यास में ये दोनों बातें नहीं होतीं। सामान्य-विशेषात्मक दो पदार्थों में सादृश्य उल्लसित ही नहीं हो सकता, अतः उपमा में भी इसकी गतार्थता संभव नहीं। अन्त में यह भी कह दिया गया है कि प्राचीन इस अलंकार को उपमा में ही गतार्थ मानते हैं और 'सामान्य' विशेष से अतिरिक्त नहीं होता—अतः सादृश्योल्लास की व्यवस्था दे देते हैं?

(६) स्मरण

पण्डितराजकृत स्मरणालंकार के लक्षण में बहुत कुछ नवीनता है। अलंकारसर्वस्व, रत्नाकर आदि में 'सदृशपदार्थानुभवजन्य स्मृति' को स्मरणालंकार माना गया है। अन्यत्र भी स्मरण-पदार्थ का स्वरूप अनुभवजन्यत्वघटित ही प्रायः माना गया है। पर पण्डितराज का कथन है कि—यदि सदृशानुभवजन्य स्मरण को ही अलंकार माना जाय तब जहाँ सदृशपदार्थ के स्मरण से संस्कारोद्बोधक्रमेण स्मरण उत्पन्न होता है वहाँ स्मरणालंकार नहीं हो सकेगा। उदाहरण भी वैसा (स्मरणप्रयोज्य स्मरण का) सुन्दरतम उपस्थित किया गया है। अतः पण्डितराज ने 'सादृश्यज्ञान से उद्बुद्ध जो संस्कार उससे साक्षात् अथवा परम्परया सम्पन्न होनेवाले स्मरण' को स्मरणालङ्कार माना है। यह लक्षण उक्त सभी स्मरणों में संघटित होता है।

(७) रूपक

पण्डितराजकृत रूपक-विचार भी अतलस्पर्शी और विशद है। लक्षण ही पहले विलक्षण है। विलक्षणता नवीनपदार्थ-निर्वचनांश में नहीं है, अपितु परम्परागत रूपकपदार्थ के स्फुटीकरणांश में है। परमत की समीक्षा भी सुन्दर ढङ्ग से की गई है। रत्नाकर ने उपमान-उपमेय के अभेद की तरह कार्य-कारण के अभेद को भी रूपक माना है, पर पण्डितराज ने उसका सयुक्तिक खण्डन करके सादृश्यमूलक—फलतः उपमानोपमेय के—तादात्म्य को ही रूपक कहे जाने का प्रमाण-पत्र दिया है। अप्पयदीक्षित का खण्डन करना तो पण्डितराज के आवश्यक कर्तव्यों में था अतः उस कर्तव्य की पूर्ति रूपकनिरूपण में भी खूब की गई है। रूपक के प्रभेदों के विषय में भी पण्डितराज ने अपनी मौलिक प्रतिभा का चमत्कार परिपूर्ण मात्रा में दिखलाया है।

आरम्भ में प्रकाशकारादिसम्मत आठ भेदों की साङ्गोपाङ्ग चर्चा की गई है। इसी प्रसङ्ग में परम्परितरूपकत्वनियामक आरोपद्वय का उपायोपेयभाव कैसे संभव है? 'शशिपुण्डरीक' आदि में पुण्डरीकरूपक का व्यवहार कैसे होता है क्योंकि पुण्डरीक-तादात्म्य की प्रतीति नहीं होती, प्रतीति होती है शशितादात्म्य की, तदनुसार शशिरूपक का व्यवहार होना चाहिए, इत्यादि शङ्काओं का विलक्षण समाधान उपस्थित किया गया है जो सर्वथा नवीन प्रतीत होता है। तदनन्तर पण्डितराज ने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि से अनेक नवीन भेदों की कल्पना की है, जिसमें वाक्यार्थरूपक की कल्पना सर्वथा नवीन ज्ञात होती है। इसी अवसर पर 'रूपक में बिम्ब-प्रति-

विम्बभाव नहीं होता' इस प्राचीन मत का प्रबल युक्तियों के आधार पर खण्डन किया गया है। अन्त में नव्यन्याय की शैली से शाब्दबोध का विचार करके अलङ्कारशास्त्रीय आलोचना-पद्धति को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया गया है।

(८) परिणाम

'उपमान जहाँ उपमेयरूप से ही प्रकृत कार्य में उपयुक्त होता हो, स्वतन्त्रतया नहीं, वहाँ परिणाम होता है' यह लक्षण पहले किया गया है। फिर 'परिणाम में विषय का अभेद विषयी में उपयोगी सिद्ध होता है, रूपक में ऐसा नहीं होता' यह परिणाम तथा रूपक में परस्पर भेद बतलाया गया है। इसके बाद समानाधिकरण परिणाम के वाक्यगत समासगत दो भेद और व्यधिकरण परिणाम का एक भेद इस तरह कुल तीन भेद करके उन भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं और दीक्षितोक्त व्यधिकरण परिणामोदाहरण का खण्डन किया गया है, सर्वस्वकारकृत लक्षण उदाहरण दोनों का सयुक्तिक खण्डन किया गया है और 'केचित्तु' कह कर उन प्राचीनों का मत उपस्थित किया गया है जो परिणाम को रूपक से भिन्न अलंकार नहीं मानते और कहते हैं कि— कहीं केवल उपमेय अपने रूप में प्रकृतकार्य में उपयुक्त नहीं सिद्ध होता, अतः आरोप्यमाण (उपमान) से अभिन्न रूप में स्थित होकर उपयुक्त होता है ऐसी जगह आरोप्यमाण परिणाम होता है। कहीं आरोप्यमाण (उपमान) अपने रूप से उपयुक्त न हो सकने के कारण उपमेय से अभिन्न होकर उपयोग (लाभ) करता है वहाँ विषयपरिणाम होता है, पर वस्तुतः ये दोनों ही प्रकार रूपक के ही हैं, क्योंकि उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक में से किसी एक को आगे रख कर निश्चित किया जाने वाला उपमान अथवा उपमेय ही रूपक का स्वरूप है। अन्त में परिणामवाक्य के शाब्दबोध का विचार किया गया है।

(९) ससन्देह

वैसे तो अलङ्कार आदि सभी काव्यतत्त्वों के निरूपण में पण्डितराज ने अपनी विलक्षण विद्वत्ता का परिचय दिया है, पर ससन्देहालङ्कार के निरूपण में तो आपकी प्रतिभा दर्शनीय है। विलक्षण लक्षण, पवित्र पदकृत्य-कथन-प्रणाली, उदाहरणों की अनुपम अनुरूपता। कहाँ तक कहा जाय। अस्तु, एक लक्षण लिख लेने के बाद 'यद्वा' कहकर दूसरा भी लक्षण किया गया है। लक्षण के बाद पहले प्राचीनों के हिसाब से शुद्ध, निश्चयगर्भ और निश्चयान्त इन तीन भेदों का उल्लेख करके उन भेदों के उदाहरण दिए गये हैं। उन उदाहरणों में वर्णित संशय में पिटारी में बन्द कटक-कुण्डलादि की तरह अलङ्कार-व्यवहार माना गया है, अर्थात् स्वयं-प्रधान वाक्यार्थरूप वे संशय उपस्कारकता के अभाव से केवल स्वरूपयोग्यता के कारण अलङ्कारपद से व्यवहृत होते हैं। सादृश्यमूलक संशय ही अलंकाररूप होता है, इस सिद्धान्त के समर्थन में प्रत्युदाहरणरूप से विचित्र हृदयग्राही तत्कालरचित वाक्य उपस्थित किया गया है। 'अद्भुत धैर्य, वीर्य और गाम्भीर्य से युक्त तथा एक क्षण के लिये भी प्राणप्रिया सीता को समीप से हटाने में अक्षम भगवान् रामचन्द्र को जो पहले देख चुका था, वह उनको दीन तथा प्रियावि-रहकातर देखकर 'यह राम हैं अथवा नहीं' इस संशय में पड़ गया।' भाव माधुर्य तो इस व्याख्या से परख में आ गया, अब पदमाधुरी भी देखें—

'तं दृष्टवान् प्रथममद्भुतधैर्यवीर्य-गाम्भीर्यमक्षणविमुक्तसमीपजानिम्।
वीक्ष्याथ दीनमबलाविरहव्यथार्तं रामो न वायमिति संशयमाप लोकः॥' (पृ० ५६४)

कैसी सीधी-सादी पर कितना गहरा असर डालने वाली भाषा है। 'अबला' पद की ध्वनि कितनी मार्मिक है। अपने लिये भगवान् राम को उतना दुःख नहीं, जितना उस 'अबला' के लिए है। सन्देहालङ्कार आरोपमूलक होता है, पर विमर्शिनीकार उसको अध्यवसानमूलक भी मानते हैं, उदाहरण भी यथासाध्य उपयुक्त उपस्थित करते हैं। किन्तु पण्डितराज की कसौटी पर कसे जाने के बाद वह उदाहरण भी आरोपमूलक ही ठहरता है। संशयालङ्कार-निरूपण में अनेक बार भिन्न-भिन्न प्रसङ्ग पर दीक्षितमत की आलोचना की गई है और सभी आलोचनाओं का निष्कर्ष दीक्षित के विरुद्ध ही निकला है। अभिनव भेद भी बहुतेरे किए गए हैं। ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन का स्मरण विशद रूप में अत्यादर के साथ यहाँ किया गया है।

(१०) भ्रान्तिमान्

लक्षण-कथन के बाद सर्वप्रथम यह कहा गया है कि अलङ्कार का नाम वस्तुतः भ्रान्ति है भ्रान्तिमान् नहीं, भ्रान्तिमान् तो वह वाक्सन्दर्भ कहला सकता है, जिसमे यत्किंचिद्गत भ्रान्ति का अनुवाद किया जाता है। इस अलङ्कार के मूल में भी सादृश्य का रहना पण्डितराज आवश्यक मानते हैं। भ्रमात्मक एक ही निश्चय को अलङ्कार सिद्ध करने के लिये पण्डितराज ने लक्षण में 'निश्चयः' ऐसा एकवचनान्त प्रयोग किया है ताकि भ्रान्तिसमूहात्मक उल्लेखालङ्कार में भ्रान्ति-लक्षण-प्राप्ति का निरास हो। दीक्षितोक्त लक्षण का खण्डन करते समय उनके द्वारा उत्तरोत्तर भ्रान्ति के उदाहरणरूप में उद्धृत निम्न पद्य की आलोचना की गई है—

> 'शिञ्जानैर्मञ्जरीति स्तनकलशयुगं चुम्बितं चञ्चरीकैः,
> तत्रासोल्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदष्टाः।
> 'तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकै-
> रित्थं चौलेन्द्रसिंह त्वदरिमृगदृशां नाप्यरण्यं शरण्यम् ॥' (पृ. ५९७)

चोल-नरेश की यह स्तुति है। कवि कहता है – 'राजन्! तुम्हारे शत्रुओं की कामिनियों के लिये अरण्य भी शरण-दायक नहीं हो सका, क्योंकि चञ्चरीकों ने उनके स्तनकलशयुगल को मञ्जरी-भ्रम से चूम लिया, उनके भय से उल्लसित ललित लीलाओं वाले करों को कीरों ने किसलय-भ्रान्ति से काट खाया, और उनके वारणार्थ अनाप-शनाप बकती हुई उन कामिनियों को कौओं ने कोकिल-कलरव-भ्रम से ताड़ना दी।'

कितना अच्छा पद्य है। पण्डितराज की आलोचना के पूर्व प्रायः इस पद्य में किसी को कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ा था—दीक्षित जैसे मर्मज्ञ विद्वान् ने अपने ग्रन्थ में इस पद्य को आदर के साथ स्थान दिया। पर पण्डितराजीय आलोचना के बाद वही पद्य दोष का आकर बन गया। पण्डितराज इस पद्य को उद्धृत करके प्रकृत निबन्ध में लिखते हैं—

"तत्र विचार्यते स्तनकलशयुगे हि न तावन्मञ्जरीसादृश्यं कविसमयसिद्धम्, येन तन्मूला चञ्चरीकाणां भ्रान्तिरुपनिबध्येत। दोषान्तरमूला तु सा नालङ्कारः। अपि च धर्मिणि कलशरूपकानुवादेन मञ्जरीभ्रान्तिरूपलङ्कारान्तरमुपनिबध्यमानमुद्वेजकमेव सहृदयानाम्। न हि सादृश्यमूलैकालङ्कारावच्छिन्ने सादृश्यमूलमलङ्कारान्तरं शोभते······। प्रत्युत कलशरूपकेण मञ्जरीसादृश्यतिरस्काराच्च। 'तत्रासोल्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदष्टाः' इत्यत्र विधेयाविमर्शाद्विधेयान्तरमाकाङ्क्षितम्। कीरैर्दष्टा इति तु भाव्यम्। जाता इत्यध्याहारेऽपि विवक्षितस्याविधेयत्वमविवक्षितस्य च विधेयत्वं प्रसज्येत। एवं 'तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकैः' इत्यत्र न तावत्पिकनिनदा-

स्ताडनयोग्याः काकानाम् येन तद्धिया आलपन्त्यस्तैस्ताड्येरन्। नापि पिकनिनदभ्रम आलपन्तीषु सम्भवति। सम्भवन् वा न सादृश्यमूलः। पिकनिकरधियेति तु साध्वम्।··· इत्यादि।" (पृ. ५९७)

अन्त में सर्वस्वकारकृत भ्रान्ति-लक्षण को भी पण्डितराज ने कुलक्षण सिद्ध कर दिया है।

(११) उल्लेख

लक्षण (तदीय पदकृत्य) कथन के बाद शुद्ध (अलङ्कारान्तर से अमिश्रित) उल्लेख का एक उदाहरण दिया गया है। ईदृशोदाहरण-दान-प्रयास उन आलङ्कारिकों के मुखमुद्रणार्थ किया गया है जो उल्लेखालङ्कार को नियमतः अलङ्कारान्तर से मिश्रित ही मानते हैं। इसके बाद संकीर्ण भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रसङ्ग में दीक्षितमत का खण्डन किया गया है। दीक्षितजी ने अपह्नुतिसंकीर्ण उल्लेख में अतिव्याप्तिनिराकरणार्थ उल्लेखलक्षण में 'निषेधास्पृष्ट' विशेषण जोड़ने की जो बात कही है उसका खण्डन पण्डितराज ने यह कह कर किया है कि यदि संकीर्ण उल्लेख आपको मान्य नहीं हो तब तो उक्त विशेषण से निर्वाह नहीं होगा क्योंकि भ्रान्ति आदि अन्य अलङ्कारों से संकीर्णतास्थल में अतिव्याप्ति रह ही जायगी। यदि उल्लेख के संकीर्णभेद भी आपके अभिमत हों तब उक्त विशेषण की आवश्यकता ही क्या है? अपह्नुतिसंकीर्ण उल्लेख मानने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्वरूपोल्लेख, फलोल्लेख आदि भेदों को मानकर उन भेदों के उदाहरण दिए गए हैं और एक भिन्न प्रकार के उल्लेख का लक्षण आदि प्रस्तुत किया गया है। अनन्तर द्विविध उल्लेखों में भेदक तत्त्वों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि एक प्रकार में ज्ञानांश चमत्कारी रहता है और द्वितीय प्रकार में केवल प्रकारांश। इसके बाद एकरूपेण दोनों लक्षणों का अनुगम करने का प्रयास किया गया है। अन्त में उल्लेखध्वनियाँ उदाहृत हुई हैं।

(१२) अपह्नुति

सर्वप्रथम लक्षण किया गया है। तदुत्तर रूपक से इसमें भेद दिखलाते हुए कहा गया है कि अपह्नुति में उपमेयतावच्छेदक का निषेध किया जाता है जिससे उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक (उपमेय उपमान में रहने वाले खास-खास धर्मों) का विरोध अभिव्यक्त होता है और रूपक में वह विरोध निवृत्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक का सामानाधिकरण्य रहता है। इसके बाद अपह्नुति के सावयव-निरवयव आदि भेद उदाहरण द्वारा दिखलाये गए हैं। हेत्वपह्नुति भी उन्हीं उदाहरणों में कही गयी है। इसके अनन्तर यह स्पष्टीकरण किया गया है कि अपह्नुति में कहीं वाक्यभेद होता है और कहीं वाक्यैक्य। जहाँ नञ् आदि द्वारा साक्षात् अथवा परमतसिद्धता की चर्चा करके—अर्थात् दूसरे ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, इस तरह से—उपमेय का निषेध होता है वहाँ वाक्यभेद हो जाता है, पर जहाँ मिष, छल आदि पदों द्वारा उपमेय का निषेध किया जाता है वहाँ वाक्य-भेद नहीं होता। इसके बाद इस बात की चर्चा की गई है कि अपह्नुति में कहीं पहले निषेध होता है बाद में आरोप, कहीं पहले आरोप ही कर लिया जाता है फिर निषेध, कहीं निषेध और आरोप दोनों शब्दतः कथित होते हैं, कहीं इन दोनों में से कोई एक ही शब्दतः उक्त होता है और कहीं दोनों के दोनों अनुक्त रहकर भी अर्थतः ज्ञात होते हैं। कहीं अपह्नुति विधेय होती है और कहीं अनुवाद्य। इस तरह अनेक प्रकार अपह्नुति के हो सकते हैं, पर इनमें सभी प्रकारों को अलङ्कार-कोटि में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि सर्वत्र वैचित्र्य नहीं उपलब्ध होता और वैचित्र्य ही

अलङ्कार है। अन्ततः सिद्ध यह हुआ कि जहाँ-जहाँ वैचित्र्य प्रतीत हो वहाँ-वहाँ अलङ्कारता मान्य होगी, अन्यत्र नहीं।

अपह्नुति-निरूपण में कुवलयानन्दकार दीक्षित के मत को बहुत विशद रूप में उद्धृत किया गया है और खण्डन भी उतने ही विस्तृत रूप में किया गया है, जिसका सारांश यह है कि दीक्षित के मत से अपह्नुति का एक पर्यस्तापह्नुति नाम का भी भेद होता है, जिसका उदाहरण **'नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्'** यह वाक्य है, पर पण्डितराज के विचार से यह भेद अपह्नुति का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अपह्नुतिसामान्यलक्षण ही संघटित नहीं होता अतः उक्त वाक्य को दृढ़ारोप रूपक का ही उदाहरण मानना चाहिये। अपह्नुतिध्वनि के दीक्षितोक्त उदाहरण का भी खण्डन किया गया है।

(१३) उत्प्रेक्षा

प्रस्तुत निबन्ध में उत्प्रेक्षा-निरूपण भी अति विस्तृतरूप से किया गया है। प्रायः सभी आलङ्कारिक उत्प्रेक्षालङ्कार के मूलतः दो भेद मानते हैं, एक धर्म्युत्प्रेक्षा और दूसरा धर्मोत्प्रेक्षा। पर इसके आगे आलङ्कारिकों में दो मत हो जाते हैं अथवा यह समझिए कि पण्डितराज ही मतभेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनसे पूर्व के अतिप्राचीन तथा मध्यकालीन आचार्य इस अंश में प्रायः एकमत ही थे। मतभेद का विषय यह है कि—प्राचीन एकधर्मी में दूसरे धर्मी की संभावना को धर्म्युत्प्रेक्षा कहते हैं और एक धर्म में दूसरे धर्म की संभावना को धर्मोत्प्रेक्षा, फलतः उनके विचार से दोनों ही स्थलों पर संबन्ध तादात्म्य ही होता है और पण्डितराज धर्म्युत्प्रेक्षाके संबन्ध में उक्त प्राचीनों के कथन से सहमत होते हुए भी धर्मोत्प्रेक्षा के संबन्ध में भिन्न मत रखते हैं। उनका कथन है कि धर्मोत्प्रेक्षा वहाँ होती है जहाँ एक धर्मी में अन्य धर्मिगत धर्म की संभावना की गई होती है। फलतः पण्डितराज के मत से दोनों स्थलों पर संबन्ध दो हो जाते हैं—अर्थात् प्रथमस्थल में ठीक तादात्म्यसंबन्ध होता है पर द्वितीय स्थल में तादात्म्य नहीं, अपितु तदितर समवायादि-संबन्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि पण्डितराज के मत में उत्प्रेक्षा का लक्षण दो प्रकार का होगा—एक तादात्म्यसंबन्धघटित-अर्थात् भेदघटित और दूसरा संबन्धान्तरघटित अर्थात् अत्यन्ताभावघटित। इन दोनों प्रकार के लक्षणों का उल्लेख पण्डितराज ने एक ही वाक्य द्वारा आरम्भ में किया है। लक्षण में प्रविष्ट पदों के फल बड़े सुन्दर ढङ्ग से दिखलाए गए हैं। इसके बाद उत्प्रेक्षा के प्रधान दो भेदों (वाच्य, प्रतीयमान) की व्यवस्था की गई है। प्राचीनों ने भी यह व्यवस्था ठीक इसी रूप में दी है। पर इन दोनों भेदों की स्थिति कब कैसे होती है इसका स्पष्टीकरण पण्डितराज जैसा प्राचीनों ने नहीं किया। पण्डितराज का स्पष्टीकरण इस विषय में यह है कि, इव, नूनम् , मन्ये, जाने, अवैमि, ऊहे तर्कयामि, शङ्के, उत्प्रेक्षे इत्यादि वाचक पद हों और उत्प्रेक्षा की सामग्री (रमणीय संभाव्यधर्म संबन्धादिरूप) भी, तब वाच्या, और उक्त वाचक पदों के अभाव में उक्त सामग्री के रहने पर प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा होती है।

जहाँ सामग्री के अभाव में केवल वाचक पद हों वहां सम्भावना मात्र है उत्प्रेक्षा नहीं—अर्थात् अलङ्काररूप नहीं। फिर स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा नाम से उक्त दोनों भेदों के तीन-तीन भेद किए गए हैं। प्राचीनों ने भी ये भेद किए हैं। पर प्राचीनों ने इन तीनों ही भेदों के और बहुत से भेद किए हैं। जैसे—जाति की जाति में, गुण की गुण में, क्रिया की क्रिया में और द्रव्य की द्रव्य में उत्प्रेक्षा, और वह भी कहीं जाति को निमित्त बनाकर, कहीं गुण को

निमित्त बनाकर, कहीं क्रिया को निमित्त मानकर और कहीं द्रव्य को निमित्त ठहरा कर, उसमें भी कहीं एक को निमित्त मानकर, कहीं अनेक को, इत्यादि। इन भेदों का वर्णन यद्यपि पण्डितराज ने भी साङ्गोपाङ्ग (उदाहरणादिसहित) किया है, पर अन्त में लिख दिया है कि प्राचीनों के अनुरोध से ये सब भेद उदाहृत हुए हैं। वस्तुतः इन सभी भेदों में अनुभूत होने वाले चमत्कारों में कोई परस्पर विलक्षणता अनुभूत नहीं होती, अतः ये सब भेद उदाहरणीय नहीं हैं। हाँ, हेतु, फल और स्वरूप की उत्प्रेक्षाओं में विलक्षण-विलक्षण चमत्कार अवश्य अनुभूत होता है, अतः वे भेद उदाहरण के योग्य हैं।

इसके बाद पूर्वोक्त प्राचीन-नवीन के मतभेदों की बात विशद रूप में कही गई है। इसी के मध्य में प्रसङ्गवश व्याकरणशास्त्रीय विवाद (आख्यात क्या है ? उसका अर्थ क्या है ? शाब्दबोध में प्रधानता किसकी होती है ? **'भावप्रधानमाख्यातम्, सत्त्वप्रधानानि नामानि'** इत्यादि वाक्यों के क्या तात्पर्य हैं ? इत्यादि) उठाया गया है। इसी क्रम में दीक्षितोक्त का भी खण्डन किया गया है। अलङ्कारसर्वस्वकारकृत उत्प्रेक्षाविचार की समीक्षा भी की गई है। अन्त में अपना विशिष्ट मत दिखलाया गया है। अपना मत लिख लेने के बाद 'इत्यलं स्वगोष्ठकलहेन' कहकर इस प्रसङ्ग को समाप्त किया गया है। इसके अनन्तर उत्प्रेक्षा-लक्षण-निविष्ट धर्म का विश्लेषण अपने ढङ्ग से अतिसुन्दर किया गया है जिसमें कहा गया है कि धर्म कोई स्वतःसाधारण (उपमानोपमेयोपमवृत्ती) होता है और कोई उपाय द्वारा साधारण बनाया जाता है। साधारण बनाने के उपाय स्थलभेद से रूपक, श्लेष, अपह्नुति, बिम्बप्रतिबिम्बभाव, उपचार, और अभेदाध्यवसाय हो सकते हैं। इन सभी उपायों का स्पष्टीकरण उदाहरण द्वारा किया गया है।

काव्यात्मा

अब यद्यपि इस द्वितीयानन के उत्प्रेक्षालङ्कारान्त द्वितीय भाग के प्रतिपाद्य विषयों का विवेचन समाप्त है और इसके साथ ही प्रस्तुत प्रस्तावना की भी समाप्ति होनी चाहिए। पर आरम्भ-भाग में कृत प्रतिज्ञा के अनुसार एक अति आवश्यक अथ च व्यापक विषय (जो इस ग्रन्थ में प्रातिस्विकरूपेण विवेचित नहीं हो सका है) का विवेचन अवशिष्ट रह गया है। वह विषय है काव्यात्मा।

काव्याङ्गभूत अनेक तत्त्वों में यह कौन-सा तत्त्व है जो सबसे प्रधान है—जिसे आत्म पद प्रदान किया जाय—जिसके बिना काव्यत्व सत्तारूढ नहीं हो सके, इस प्रश्न का समाधान देना अलङ्कारशास्त्रियों के लिये परमावश्यक था। पर इस प्रश्न का समाधान देने में अलङ्कारशास्त्रप्रवर्तक आचार्य एकमत नहीं हो सके। यह ऐकमत्य का अभाव कुछ तो क्रमिक विकासवाद-सिद्धान्त की सत्यता के कारण हुआ है, कुछ दृष्टिकोणभेद के कारण भी। अस्तु उक्त प्रश्न का सबसे प्राचीन समाधान 'रस' शब्द से किया गया है—यह सर्वसम्मत कथा है, क्योंकि आज परिचित अलंकार-शास्त्रियों में भरत अथवा अग्निपुराणकार ही सर्वपुरातन आचार्य हैं। जो रसवादी हैं, वे काव्य में सबसे मुख्य तत्त्व 'रस' को मानते हैं, अतः उनके हिसाब से 'रस' ही काव्य की आत्मा ठहरता है। यद्यपि अग्निपुराण की इतनी प्राचीनता विवादग्रस्त है, तथापि भरतकृत नाट्यशास्त्र की परम प्राचीनता सकलालोचक-स्वीकृत-वस्तु है। दूसरा उत्तर उक्त प्रश्न का 'अलंकार' शब्द से किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि भरत के बाद सबसे पहले आचार्य भामह का ही नाम हम इतिहास में पाते हैं जो अलङ्कारवादी हैं। भामह अलङ्कार को ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रधान काव्य-तत्त्व अङ्गीकार करते हैं।

यद्यपि यह कुछ विचित्र सा लगता है कि 'रस' जैसे सूक्ष्मतत्त्व पर पहुँच कर फिर 'अलंकार' जैसे तत्त्व पर कैसे साहित्यसंसार लौट आया, पर मनन करने पर यह विचित्रता उतनी आश्चर्यजनक नहीं रह जाती क्योंकि प्राचीन रससिद्धान्त नाट्य तक सीमित सा था, भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य का ही विचार किया है, करना अभीष्ट भी था, जो 'नाट्यशास्त्र' इस नाम से भी सूचित होता है। श्रव्यकाव्य की चर्चा भी भरत ने नहीं की है। ऐसा लगता है जैसे उस समय तक श्रव्यकाव्य की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। यद्यपि राजशेखर ने जो अपनी 'काव्य-मीमांसा' में साहित्यशास्त्र के विकास का इतिहास दिया है, उससे ऐसा प्रतीत अवश्य होता है कि भरत से पूर्व भी अथवा उनके समकाल में ही नाट्यातिरिक्त काव्यों के निर्माता भी हो गए थे, श्रव्यकाव्यादि भेदों से लोगों का परिचय हो चुका था, पर आज उनके बनाए ग्रन्थ उपलब्ध नहीं, नाम भी उन आचार्यों के डूब से गए, राजशेखर से अन्य ग्रन्थकार उनका स्मरण भी प्रायः नहीं करते।

भरत के बाद कई शताब्दियों तक का इतिहास अन्धकारपूर्ण है। उनके बाद के सर्वप्रथम आचार्य भामह उनसे अनेक शताब्दियों का अन्तराल रखते हैं। ऐसा लगता है कि बीच में किसी अज्ञात कारणवश भरत के द्वारा आरब्ध आलोचनापद्धति की परम्परा नष्ट हो गई हो। अतः भामह के युग में प्रायः रस का संबन्ध नाट्य के साथ ही मान लिया गया। नए सिरे से श्रव्यकाव्य को माध्यम बनाकर आलोचना शुरू हुई। श्रव्य-काव्य को नाट्य से सर्वथा पृथक् वस्तु समझा गया और श्रव्यकाव्य में शब्दार्थ की ओर—उसकी विलक्षणताओं की ओर—अधिक ध्यान दिया गया। यह कुछ अंश में उचित भी था, क्योंकि दृश्यकाव्यों के दर्शक अब श्रव्य-काव्य के पाठक बन गए थे। दृश्यकाव्य में जहाँ सहृदय नेत्रों के द्वारा आनन्दजनक सामग्री को प्राप्त करते थे वहाँ श्रव्यकाव्य में वे कानों के द्वारा उक्त सामग्री को प्राप्त करने लगे। फलतः शब्द-अर्थ की ओर आकृष्ट आलोचक भी शब्दार्थधर्म अलंकार को काव्य में मुख्य तत्त्व मानने लगे। अतः उस युग में 'अलंकार' काव्यात्मक पद पर आसीन हुआ।

इतनी बात कही जा सकती है कि इस युग में प्रायः काव्य पद से श्रव्यकाव्य ही अभीप्सित रहता था। अभिप्राय यह कि काव्य-पद प्रवृत्ति-निमित्त 'श्रव्य' तक ही सीमित हो गया था। उनका दृष्टिकोण प्रायः यह था कि कविकृतित्व की प्रधानता 'श्रव्य' में ही है, दृश्य में तो अभिनेतृ-कृतित्व की प्रधानता है। दृश्य को प्रायः काव्य समझा ही नहीं जाता था, उसको नाट्य समझा जाता था जो नट से संबन्ध जोड़े हुए है। श्रव्य अवश्य ही काव्य है और कवि से संबन्ध जोड़े हुए है। इस युग के व्यापक प्रभाव के कारण ही आज तक 'नाट्य-काव्य' ऐसा दो समानान्तर तत्त्वों के लिये प्रयोग किया जाता है। फलतः अलंकारशास्त्र का प्रथम अध्याय भामह से ही आरम्भ होता है, उससे पूर्व नाट्यशास्त्र था। अलंकारसर्वस्वकार ने भी अलंकारशास्त्रीय सिद्धान्त-विकास की समीक्षा भामह के अलंकारप्राधान्य-परक युग से ही शुरू की है।

अलंकारतत्त्व की प्रधानता इस युग में किस हद तक मानी गई इसका स्पष्ट आभास हमें परवर्ती अलंकारसम्प्रदायानुयायी आचार्य चन्द्रालोककार जयदेव की उस उक्ति से मिलता है जिसमें उन्होंने कहा है कि 'जो अलंकाररहित शब्द-अर्थ को काव्य मानने के पक्षपाती हैं वे विद्वज्जन अनुष्ण पदार्थ को अग्नि क्यों नहीं मानते[1] ?' भला अग्नि की उष्णता के समान अलंकारात्मक-काव्यतत्त्व के सामने अन्य किस काव्यतत्त्व को आत्म-पद दिया जा सकता था।

---

१. 'अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥

अलंकारतत्व को काव्यात्मा माननेवाले प्रधान आचार्य भामह, उद्भट, रुद्रट, जयदेव आदि हैं। इन्हें रसतत्त्व भी अपरिचित नहीं था, होता भी कैसे, जब कि इनसे पूर्व भरत का रसवाद पूर्ण प्रचार प्राप्त कर चुका था, पर उस रसतत्त्व को भी ये लोग अलंकारतत्त्व के अन्दर ही काव्यक्षेत्र में समाविष्ट समझते थे। रसवदादि अलंकार इसी युग में कल्पित हुए हैं। प्रतीयमान अर्थ—जिसका विश्लेषण बहुत बाद में आनन्दवर्धन ने व्यापक रूप से किया—का भी पता अलंकारप्राधान्यवादी आचार्यों को अवश्य था, क्योंकि प्रतीयमान अर्थ के आधार पर ही समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा आदि अलंकारों की कल्पना की गई है। अलंकारयुग का महत्त्व इस शास्त्र के इतिहास में सर्वाधिक है, क्योंकि अलंकारों के गम्भीर मनन-चिन्तन से ही परवर्ती ध्वनि-युग, वक्रोक्तियुग आदि का आविर्भाव संभव हो सका है। काव्यक्षेत्र में स्वतन्त्र रसयुग का उदय भी अलंकारयुग के मथन का ही परिणाम है। इस युग का प्रभाव बाद के युग में अवतीर्ण होने वाले आचार्यों पर इतना गहरा पड़ा कि प्रधानता काव्य में अलंकारेतर तत्त्व की मानकर भी ये लोग अलंकारतत्त्व के निरूपण में अलंकारप्राधान्यवादियों से भी आगे बढ़ गए। यद्यपि 'अलंकार काव्य की आत्मा है' ऐसा कहीं स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ नहीं उपलब्ध होता, पर उसकी सर्वाधिक महत्ता मानने का ही अर्थ हो जाता है कि उस युग में अलंकार ही काव्यात्मभूत तत्त्व माना जाता था।

इसके बाद उक्त प्रश्न का समाधान 'रीति' शब्द से किया गया—अर्थात् वामन ने रीति को काव्य में सर्वातिशायी तत्त्व स्वीकार किया, अतः उन्होंने घोषणा की—'रीतिरात्मा काव्यस्य' और रीति है विशिष्ट रचना। रचना में यह विशिष्टता गुणों के कारण उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलंबित रहती है। इसलिए 'रीतिमत' 'गुणसंप्रदाय' के नाम से पुकारा जाता है। रीतियों के स्पष्ट विभाजन का श्रेय आचार्य दण्डी को है। गुण और अलंकार के भेद को वामन ने पहली बार स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। वामन का कथन है कि काव्य-शोभा के करनेवाले धर्म गुण हैं और उसके अतिशय करनेवाले धर्म अलंकार हैं। रीति-काव्यात्मतावादी आचार्य वामन भी रसतत्त्व किंवा ध्वनितत्त्व से अपरिचित नहीं थे, अपितु अलंकारकाव्यात्मतावादी आचार्यों की अपेक्षा, उनका परिचय उन तत्त्वों से गहरा ही था, क्योंकि अलंकारप्राधान्यवादियों ने रस को अलंकार मानकर उसे काव्य का बहिरङ्ग साधन ही स्वीकार किया है, परन्तु वामन ने कान्तिनामक गुण के अन्दर रस का अन्तर्भाव मान कर काव्य में रस की महत्ता पर अधिक ध्यान दिया है। ध्वनितत्त्व का अन्तर्भाव वामन ने सादृश्यमूलक लक्षणा से अभिन्न वक्रोक्ति में किया है। पर काव्य की आत्मा उन्होंने रीति को ही माना। उनका दृष्टिकोण प्रायः यह था कि विशिष्ट ढंग से पदों की योजना करने से ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है।

इसके अनन्तर उक्त प्रश्न का उत्तर अलङ्कारजगत् में युगान्तरकार आनन्दवर्धन ने 'ध्वनि' शब्द से किया। अलङ्कारशास्त्र के इतिहास में आनन्दवर्धन का नाम सदा अजर-अमर रहेगा। व्याकरणशास्त्र में जो स्थान पाणिनि को प्राप्त है तथा अद्वैत वेदान्त में जो स्थान शंकराचार्य को मिला है, अलङ्कारशास्त्र में वही स्थान आनन्दवर्धन का है। आलोचनाशास्त्र को एक नवीन दिशा में ले जाने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। पण्डितराज जगन्नाथ का यह कथन यथार्थ है कि—ध्वन्यालोककार (आनन्दवर्धन) ने आलङ्कारिकों का मार्ग सदा के लिए व्यवस्थित कर दिया। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' वस्तुतः युगान्तरकारी ग्रंथ है।

आनन्दवर्धन ने प्राक्तन आचार्यों के द्वारा उद्भावित अलङ्कारतत्त्व के गम्भीर चिन्तन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि काव्य में शरीरस्थानीय शब्द-अर्थ दोनों ही गौण हैं, उनके

धर्म अलङ्कार आदि भी गौण हैं। मुख्य तो हैं प्रतीयमान अर्थ, क्योंकि उन्हीं अर्थों के ज्ञान से सहृदयों को आनन्दविशेष प्राप्त होता है, अतः इन्होंने स्थिर किया कि **'काव्यस्यात्मा ध्वनिः'** अर्थात् ध्वनि (प्रतीयमान अर्थ) ही काव्य की आत्मा है। प्रतीयमान अर्थ के प्रधानतः उन्होंने तीन भेद किए—रस आदि, वस्तु और अलङ्कार। इन तीनों में यद्यपि रस आदि की मुख्यता ध्वनिकार को भी अभिमत है, पर ऐसी बात नहीं है कि वे रस आदि के रहने पर ही काव्यता स्वीकार करते हों, चमत्कारी वस्तुव्यङ्ग्य तथा अलङ्कारव्यङ्ग्य के रहने पर भी काव्यत्व उन्हें मान्य है, अतः सामान्यतः ध्वनि (त्रिविध व्यङ्ग्य) ही उनके मत से काव्य की आत्मा है, रसादि ध्वनिमात्र नहीं। इसी युग में दृश्य तथा श्रव्य दोनों को स्पष्टरूप से काव्यात्मक एक तरु की दो शाखायें माना गया और दोनों ही शाखाओं में काव्यत्वनियामक तत्व एक ही प्रतीयमान को माना गया और उसी आत्मभूत तत्त्व के पोषक अन्य अलङ्कार, गुण, रीति आदि काव्यतत्त्वों को स्थिर किया गया। इस मत के अनुयायी सबसे अधिक हैं। मम्मट आदि प्रसिद्ध आचार्य इसी मत के समर्थक हैं।

इसके बाद आचार्य कुन्तक ने उक्त प्रश्न का उत्तर 'वक्रोक्ति' शब्द से दिया—अर्थात् उन्होंने कहा—**'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्** (वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है)' और वक्रोक्ति का लक्षण उन्होंने किया **'वैदग्ध्यभङ्गीभणितिः वक्रोक्तिः'**—अर्थात् किसी वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्न, अलौकिक ढंग से कथन। यह मत आनन्दवर्धन के ध्वनिसिद्धान्त की प्रतिक्रियारूप में उत्पन्न हुआ। अभिप्राय यह कि—अलङ्कारसिद्धान्त पर मुग्ध कुन्तक के हृदय में ध्वनिसिद्धान्त की जानकारी होने पर बड़ी झुँझलाहट पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि—क्या अलङ्कारसिद्धान्त में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है जो ध्वनि के समकक्ष होकर खड़ा हो सके ? आखिर उन्होंने ध्वनि के समकक्ष तत्त्व वक्रोक्ति को खोज निकाला। इस खोज में उन्हें प्राक्तन अलङ्कारवादी आचार्यों के विभिन्न विचारों से प्रभूत प्रेरणा प्राप्त हुई।

वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीनकाल से संस्कृत वाङ्मय में चला आ रहा है और यह शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत होता है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इस पद का प्रयोग अनेक बार किया है। उन्होंने चन्द्रापीड़ की राजधानी का वर्णन करते हुए वहाँ के विलासीजनों को वक्रोक्तिनिपुण बतलाया है—**'वक्रोक्तिनिपुणेन विलासिजनेन।'** अन्यत्र शुक के द्वारा शारिका के लिये कहा गया है—**'एषापि लुब्धत एव एतावतीः वक्रोक्तीः।'** यहां वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग क्रीडा-कलाप अथवा परिहास-कथा के अर्थ में किया गया है। अमरुशतक में भी इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में दीख पड़ता है। 'वक्रोक्ति' का अर्थ ही है वक्र उक्ति—अर्थात् टेढ़ा कथन। प्राचीनकाल से आलङ्कारिकों ने काव्य में किसी अतिशय कथन की सत्ता मानी है। साधारण बोल-चाल में शब्दों का जिन अर्थों में व्यवहार होता है क्या उन्हीं अर्थों को लेकर कमनीय काव्य की रचना हो सकती है ? कदापि नहीं। इसके लिये किसी न किसी प्रकार की विचित्र उक्ति की आवश्यकता होती है। काव्य में व्यापार की ही तो प्रधानता रहती है। साधारण लोगों के कथन-प्रकार से भिन्न तथा अधिक चमत्कृत कथन-प्रकार वक्रोक्ति के नाम से अभिहित होता है। अलङ्कारजगत में वक्रोक्ति की कल्पना भामह से आरम्भ होती है। भामह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का ही नामान्तर मानते हैं और इसे काव्य का मूल तत्त्व स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में उनका यह श्लोक प्रसिद्ध ही है—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना॥

(भामह—काव्यालङ्कार)

अभिनवगुप्त ने भामह के **'वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृतिः।'** इस पद्य को उद्धृत करके वक्रोक्ति का लक्षण यह दिया है—**'शब्दस्य हि वक्रता, अभिधेयस्य च वक्रता, लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानम्'** (लोचन)। शब्द तथा अर्थ की वक्रता क्या है ? इनकी लोकोत्तर रूप से स्थिति। भावार्थ यह है कि लोक में जिस शब्द तथा अर्थ का व्यवहार जिस रूप से होता है उस रूप में न हो कर उससे विलक्षण रूप में होना वक्रोक्ति कहलाता है। जैसे 'वह मर गया' ऐसा न कह कर 'वह कीर्तिशेष हो गया' कहना वक्रोक्ति के भीतर आता है।

आचार्य दण्डी ने समग्र वाङ्मय को दो भागों में बाँटा है—(१) स्वभावोक्ति तथा (२) वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति के भीतर उन स्थानों का अन्तर्भाव किया जाता है जिनमें वस्तुओं का यथार्थ कथन विद्यमान हो। स्वभावोक्ति ही 'काव्यादर्श' में जाति नामक आद्य अलङ्कार के रूप में गृहीत हुई है। स्वभावकथन से भिन्न होने के कारण वक्रोक्ति में 'अतिशय-कथन' का समावेश किया गया है। इस प्रकार उपमा आदि अर्थालङ्कार तथा रसवत्, प्रेय आदि रससम्बद्ध अलंकार वक्रोक्ति के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार दण्डी ने भामह की वक्रोक्ति-कल्पना को स्वीकार किया है। भामह में वक्रोक्ति सब अलङ्कारों का मूल थी। परन्तु दण्डी ने स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति के क्षेत्र से पृथक् कर दिया है क्योंकि इस अलङ्कार के लिये वे अतिशय कथन को आवश्यक नहीं मानते।

वामन में भी वक्रोक्ति का वर्णन है परन्तु उसका रूप भामह प्रदर्शित वक्रोक्ति से सर्वथा भिन्न है। जहाँ भामह ने वक्रोक्ति को अलङ्कारों का सामान्य मूलभूत आधार माना था, वहां वामन उसे अर्थालङ्कारों में परिगणित करते हैं। वक्रोक्ति उनकी दृष्टि से सादृश्य के ऊपर आश्रित होने वाली लक्षणा ही है।

रुद्रट के समय में आकर वक्रोक्ति एक शब्दालङ्कार बन जाता है। परन्तु कुन्तक की वक्रोक्ति इन सबसे विलक्षण है। कुन्तक ने उक्त विचारों से प्रेरणा ग्रहण करके भी अपनी मौलिक प्रतिभा से वक्रोक्ति के स्वरूप को अतिव्यापक बना दिया। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का मूल तत्त्व स्वीकार किया। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन–आत्मा–मानने के कारण ही कुन्तक का ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित' कहलाता है। कुन्तक बड़े ही प्रौढ़ तथा मार्मिक आलोचक थे। उनकी मौलिकता के कारण यदि उन्हें आनन्दवर्धन के समकक्ष माना जाय तो अनुचित नहीं होगा। वे रस ध्वनि आदि समस्त उपादेय तत्त्वों का समावेश वक्रोक्ति में ही करते हैं। प्रधानतया वक्रोक्ति के छै भेद—१. वर्ण-वक्रता, २. पदपूर्वार्धवक्रता, ३. पदोत्तरार्धवक्रता, ४. वाक्यवक्रता, ५. प्रकरणवक्रता और ६. प्रबन्धवक्रता नाम से उन्होंने किए हैं। इन भेदों के अवान्तर भेद भी बहुत हैं। उपचार-वक्रता नामक भेद में ध्वनि के प्रचुर भेदों को गतार्थ किया गया है। खेद है कि इस मत के अनुयायी बाद के आचार्य नहीं हुए और इस सिद्धान्त को किसी ने अग्रसर नहीं किया। साहित्य-दर्पण आदि में जो **'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्'** का खण्डन किया गया वह सर्वथा वक्रोक्तिजीवित-कार के अभिप्राय को नहीं समझ कर। ऐसा लगता है कि जैसे 'वक्रोक्तिजीवित' ग्रन्थ को खण्डनकर्ताओं ने नहीं देखा, केवल **'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्'** इस एक पङ्क्ति को कहीं से सुन लिया और वक्रोक्ति का स्वरूप वही समझ लिया जो रुद्रट ने लिखा था।

इसके अनन्तर आलङ्कारिक समय ने पलटा खाया और साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ आदि आचार्यों ने असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहे जाने वाले रस, भाव आदि को काव्य की आत्मा कहना आरम्भ किया। इस मत के प्रवर्तक आचार्योंमें सबसे प्रधान लोचनकार अभिनवगुप्त हैं। अभिनव-

गुप्त आलङ्कारिक होने के साथ बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। 'शैवागम' के प्रधान ग्रन्थकार आप ही हैं। आधुनिक रसवाद पर शैवागम का प्रभाव आपके सम्बन्ध से ही विद्वज्जन मानते हैं। आप भरतकृत नाट्यशास्त्र के ऊपर एक मात्र उपलब्ध टीका अभिनव भारती के रचयिता हैं। अतः भरत के रसवाद का ग्रहण आपने सर्वात्मना किया है। इतना कहा जा सकता है कि भरत के समय में प्रायः 'रस' शब्द का अर्थ शृङ्गार, वीर आदि नवविध रस ही था, पर अभिनवगुप्त के आलोचनाकाल में 'रस्यते = आस्वाद्यते' इस व्युत्पत्ति के बल पर उसका अर्थ समस्त असंलक्ष्य-क्रमव्यङ्ग्य हो गया जिसको मानकर विश्वनाथ आदि ने **'रसात्मकं वाक्यम् काव्यम्'** यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया।

यहाँ आकर अग्निपुराणकार से भी एकवाक्यता हो गई, क्योंकि उन्होंने भी **'वाग्वैदग्ध्य-प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्'** कहा है। ध्वनिविरोधी आचार्य महिमभट्ट ने भी इसी मत में अपनी आस्था प्रकट की है, क्योंकि उनका भी **'काव्यस्यात्मनि रसादिरूपे न कस्यचिद् विमतिः'** ऐसा कथन है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने रसबोध के लिए व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं मानी और अनुमान से रस का बोध माना। इस सिद्धान्त के अनुयायियों का तर्क है कि वस्तु अलङ्कार आदि विविध व्यङ्ग्यों के रहने पर भी रसानुभव का भूखा सहृदयों का हृदय रसानुभव से ही सन्तुष्ट हो पाता है। रस आनन्दरूप है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। जो वस्तु संसार में भय, शोक आदि को भी उत्पन्न करती है अथवा क्रोध का कारण बनती है वह भी काव्य में वर्णित होते ही अलौकिक रूप धारण कर लेती है और इसीलिये वह आनन्द का उद्बोधन करती है।

साहित्य में रस मत की महत्ता अवश्य है। लौकिक संस्कृत का प्रथम पद्य, जो क्रौञ्चवध से मर्माहत महर्षि वाल्मीकि के मुख से उद्‌गत हुआ था, रसमय ही था। इस सिद्धान्त का मूलभूत सूत्र है—**'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः'** अर्थात् विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखने में यह सूत्र छोटा-सा प्रतीत होने पर भी परमसारगर्भित है। भरत ने इस सूत्र पर जो भाष्य लिखा है वह बड़ा ही सरल तथा सुबोध है। परन्तु पीछे के टीकाकारों ने इस सीधे तथा सरल सूत्र की व्याख्या करने में अपना सारा बुद्धि-वैभव खर्च कर दिया है। किसी कमनीय काव्य के पढ़ने से तथा रमणीय नाट्य के देखने से चित्त में जो अलौकिक आनन्द हुआ करता है वही रस है। इसकी व्यवस्था करने में भरत के टीकाकारों ने अपनी विशिष्ट दृष्टि से इसका विभिन्न प्रकार से अर्थ किया है। वैसे तो पण्डितराज ने रस के विषय में ग्यारह मतों का उल्लेख करके उनमें से आठ मतों में उक्त सूत्र को संघटित किया है, पर इस विषय में चार मत अतीव सुप्रसिद्ध हैं। इन मतों के व्यवस्थापक आलङ्कारिकों के नाम ये हैं—(१) भट्ट लोल्लट, (२) भट्ट शङ्कुक, (३) भट्ट नायक तथा (४) अभिनवगुप्ताचार्य। इनके मतों का सारांश-सङ्कलन पूर्वभाग की भूमिका में किया जा चुका है। यहाँ इतना भर कहना है कि—भट्टनायक का मत विलक्षण है और विलक्षणता यह है कि इन्होंने रसबोध के लिये व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं मानी, और काव्य में व्यापारों की प्रधानता स्वीकार की। इनके मत से अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व इन तीन व्यापारों की सहायता से रस ज्ञात होता है। भावकत्व का अर्थ है साधारणीकरण। इस व्यापार के बल पर नाट्य में अभिनीत व्यक्ति अपने ऐतिहासिक तथा व्यक्तिगत निर्देश को छोड़ कर सामान्य पुरुषरूप में ही गृहीत होता है। इस साधारणीकरण की चर्चा अभिनवगुप्त के मत में भी की गई है और यह तथ्य भी है कि रसानुभव से पूर्वक्षण में विभाव, अनुभाव आदि सभी पदार्थों का अनुभव सामान्य

रूप से ही होता है, व्यक्तिविशेष के सम्बन्धी रूप में नहीं। इस तरह सामान्यरूप से गृहीत विभावादिकों से ही रस की अभिव्यञ्जना होती है।

ललित वस्तुओं के गुणग्रहण के अवसर पर प्रत्येक पदार्थ साधारणरूप से ही तथा संबन्ध-रहित होकर ही स्वीकृत होता है। किसी वाटिका में लगे हुए गुलाब के फूल की शोभा देखते हुए जब आपका चित्त आह्लादित होता है तब उसके प्रति कैसी भावना होती है, उसे यदि आप अपना समझते तो उसे तोड़ने के लिये आगे बढ़ते, शत्रु का समझते तो उससे द्वेष उत्पन्न होता, यदि किसी तटस्थ व्यक्ति का समझते तो उससे विरक्ति उत्पन्न होती। फलतः यह गुलाब का सुन्दर फूल न तो आपका है, न तो आप के शत्रु का है, और न किसी उदासीन का है।[1]

इस विषय में संबन्ध के ग्रहण तथा परित्याग की कोई बात ही नहीं उठती। गुलाब एक सुन्दर फूल है। वह सुन्दर वस्तु का प्रतिनिधि है। ललितकला के विषय में साधारणीकरण का यही भाव सर्वत्र जागरूक रहता है। रसमीमांसा के अवसर पर भी इस सामान्य नियम का प्रयोग भट्टनायक और अभिनवगुप्त दोनों आचार्यों ने किया है। पर अभिनवगुप्त जहाँ रस पदार्थ की प्रधानता स्वीकार कर उसको काव्य की आत्मा कहते हैं, वहाँ भट्टनायक पदार्थ की नहीं, अपितु उसको समझाने वाले व्यापार की प्रधानता मानते हैं, और वही है उनका तीसरा व्यापार भोजकत्व अथवा भोग किंवा भुक्ति। इस तरह यद्यपि भट्टनायक के मत से यह भोग-व्यापार ही काव्य की आत्मा है तथापि इस मत को रसमत में ही अन्तर्भूत समझना चाहिए। इस तरह काव्यात्मा के विषय में निम्नलिखित छै मत पर्यवसित होते हैं—

(१) अलङ्कार काव्य की आत्मा है। (भामह, उद्भट, रुद्रट आदि)

(२) रीति काव्य की आत्मा है। (वामन)

(३) ध्वनि = त्रिविध (वस्तु अलङ्कार रसादि) व्यङ्गय काव्य की आत्मा है।

(आनन्दवर्धन-आदि)

(४) वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। (कुन्तक)

(५) रस (असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय) काव्य की आत्मा है। (अभिनवगुप्त विश्वनाथ आदि)

(६) भोग काव्य की आत्मा है। (भट्टनायक)

काव्यात्मतत्त्व के विषय में मतभेद होने के कारण ही अलङ्कारशास्त्र में सम्प्रदायों की सृष्टि हुई। वे सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं—

(१) अलङ्कारसम्प्रदाय।

(२) गुण अथवा रीति-सम्प्रदाय।

(३) वक्रोक्तिसम्प्रदाय।

(४) ध्वनिसम्प्रदाय।

(५) रससम्प्रदाय (भट्टनायक के भोगवाद को इसी में अन्तर्भूत समझना चाहिए)

इस विषय का स्पष्टीकरण अलङ्कारसर्वस्व के टीकाकार समुद्रबन्ध ने बड़े अच्छे ढङ्ग से किया है। उनका कथन है कि विशिष्ट शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य होते हैं। शब्द अर्थ की यह विशिष्टता तीन प्रकार से संभव हो सकती है—

१.—परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च।
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥ (साहित्यदर्पण)

(१) धर्म से, (२) व्यापार से, (३) व्यङ्ग्य से।

धर्म दो प्रकार के होते हैं—नित्य और अनित्य। अनित्य धर्म की सत्ता काव्य में उतनी अपेक्षित नहीं रहती जितनी नित्य धर्म की। अनित्य धर्म है अलङ्कार और नित्य धर्म का नाम है गुण। इस प्रकार धर्ममूलक वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करने वाले दो संप्रदाय हुए—(१) अलङ्कार-संप्रदाय (२) गुण या रीतिसंप्रदाय। व्यापारमूलक वैशिष्ट्य भी दो प्रकार का है—भणिति-वैचित्र्य (वक्रोक्ति) तथा भोगकृत्त्व। इस प्रकार व्यापारमूलक वैशिष्ट्यप्रतिपादक भी दो संप्रदाय होने चाहिएँ - (१) वक्रोक्ति-सम्प्रदाय और (२) भोगसंप्रदाय। पर भोगसंप्रदाय स्वतन्त्र नहीं हो सका, क्योंकि आखिर भट्टनायक ने रस की निष्पत्ति समझाने के लिये ही इस व्यापार की कल्पना की थी, अतः यह रस संप्रदाय के ही अन्दर समाविष्ट समझा जाता है। यद्यपि समुद्रबन्ध ने स्वतन्त्र रससंप्रदाय का भी उल्लेख नहीं किया है क्योंकि ध्वन्यालोकीय सिद्धान्त का विवरण करने वाले मूल सर्वस्वकार के आधार पर ही अपनी व्याख्या उन्हें प्रस्तुत करनी थी और ध्वन्यालोक में त्रिविध व्यङ्ग्य को एक कोटि में ही रक्खा गया है जिसका विवरण समुद्रबन्ध व्यङ्ग्यमूलक वैशिष्ट्य कह कर करते हैं[1] तथापि भरत, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ आदि के मतानुसार स्वतन्त्र रससंप्रदाय भी पूर्ण सम्मानित है।

समुद्रबन्ध के उक्त विवरण में औचित्यसंप्रदाय भी असंगृहीत है। इस संप्रदाय का संग्रह समुद्रबन्ध के विवरण में इसलिये नहीं हो सका है कि उनसे अर्वाचीन हैं औचित्यसंप्रदाय-प्रवर्तक आचार्य क्षेमेन्द्र। क्षेमेन्द्र ने अपनी औचित्यविचारचर्चा में औचित्य का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है तथा औचित्य को ही काव्य में सबसे मुख्य तत्त्व अतएव आत्मपदप्राप्तियोग्य ठहराया है। इस प्रकार काव्यात्मा के विषय में पूर्वोक्त छै मतों के अतिरिक्त एक सातवाँ मत भी है। **(औचित्यमात्मा काव्यस्य)** ऐसा समझना चाहिए।

औचित्य साहित्यशास्त्र का व्यापकतम सिद्धान्त है। इसे काव्य की आत्मा मानने का श्रेय यद्यपि क्षेमेन्द्र को प्राप्त है, तथापि औचित्य की कल्पना साहित्यसंसार में बहुत ही प्राचीन काल से चली आती थी। भरत के नाट्यशास्त्र में ही सिद्धान्तरूप में तो नहीं परन्तु व्यवहार-रूप में औचित्य का विधान पाया जाता है। भरत का कहना है कि—लोक ही नाट्य का प्रमाण है। लोक में जो वस्तु जिस रूप में, जिस वेश में, जिस देश में व्यवहृत होती है उस देश के नायक-नायिकाओं का चित्रण उसी रूप में करना चाहिए। इस प्रसङ्ग में भरत का वह श्लोक अतिसारगर्भित है—

> **'अदेशजो हि वेशस्तु न शोभां जनयिष्यति।**
> **मेखलोरसिबन्धे च हास्यायैव प्रजायते॥'** (नाट्यशास्त्र)

जिस देश का जो वेश है, जो आभूषण जिस अङ्ग में पहना जाता है उससे भिन्न देश में उसका विधान करने पर वह शोभा नहीं पाता। यदि कोई मेखला को छाती पर पहन ले तो वह हास्यास्पद ही होगा। इस पद्य से सिद्ध है कि आद्य आलोचक भरत को ललितकला में

---

१. 'इह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम्। तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन व्यापारमुखेन व्यङ्ग्यमुखेन वेति त्रयः पक्षाः। आद्येऽपि अलंकारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम्। द्वितीयेऽपि भणितिवैचित्र्येण भोगकृत्त्वेन वेति द्वैधम्। इति पञ्चसु पक्षेषु आद्य उद्भटादिभिरङ्गीकृतः द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थो भट्टनायकेन पञ्चम आनन्दवर्धनेन।'

औचित्य का सिद्धान्त मान्य था। आनन्दवर्धन ने भी औचित्य को व्यापक काव्य तत्त्व स्वीकार किया है। रसभंग की व्याख्या के अवसर पर उन्होंने कहा है—

'अनौचित्याद् ऋते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्।
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा॥' (ध्वन्यालोक)

अनौचित्य ही रसभंग का प्रधान कारण है। अनुचित वस्तु के सन्निवेश से रस का परिपाक काव्य में उत्पन्न नहीं होता। रस के उन्मेष का मुख्य रहस्य है औचित्य के द्वारा किसी वस्तु का उपनिबन्धन, काव्य में कल्पना और विधान। इसके अलावे अन्य प्राचीन अलंकारग्रन्थप्रणेता आचार्यों ने भी औचित्यतत्त्व को स्वीकार किया है। पर औचित्य को व्यापक काव्यतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है आचार्य क्षेमेन्द्र ने ही। औचित्य किसे कहते हैं? उचित का भाव औचित्य कहलाता है और जो वस्तु जिसके सदृश हो, जिससे जिसका मेल मिले उसे कहते हैं 'उचित'।

'उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्।
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते॥' (औचित्यविचारचर्चा)

यह औचित्य ही रस का जीवितभूत है, प्राण है तथा काव्य में चमत्कारकारी है।

औचित्यस्य चमत्कारिणश्चारु चर्वणे।
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना॥' (औचित्यविचारचर्चा)

क्षेमेन्द्र ने इस औचित्य के अनेक भेद किए हैं। पद, वाक्य, अर्थ, रस, कारक, लिङ्ग, वचन आदि अनेक स्थलों पर औचित्य का विधान दिखाकर तथा इसके अभाव को अन्यत्र बतलाकर क्षेमेन्द्र ने साहित्यरसिकों का बड़ा उपकार किया है। इस प्रकार क्षेमेन्द्र ने औचित्य को साहित्यशास्त्र में व्यवस्थित रूप दिया है। पर उन्हें ही इस तत्त्व का उद्भावक नहीं कहा जा सकता। ऊपर दिखलाया जा चुका है कि क्षेमेन्द्र ने औचित्य के विषय में भरत तथा आनन्दवर्धन से प्रेरणा प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, क्षेमेन्द्र का औचित्यविषयक निम्ननिर्दिष्ट पद्य भी पूर्वोक्त भारतीय पक्ष का परिष्कृत रूपान्तर मात्र प्रतीत होता है।

'कण्ठे मेखलया, नितम्बफलके तारेण हारेण वा
पाणौ नूपुरबन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा।
शौर्येण प्रणते, रिपौ करुणया नायान्तिके हास्यतां
औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणा॥'

यह तो हुआ प्राक्तन आचार्यों के मतों का संकलन। अब यहाँ यह विचार कर लेना भी उचित होगा कि पण्डितराज का काव्यात्मा के सम्बन्ध में क्या मत है? पण्डितराज उक्त सम्प्रदायों में से किस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं[1]? वैसे तो पण्डितराज अथवा उनके ग्रन्थों की अब तक बहुत थोड़ी आलोचना हो सकी है, पर जो भी आलोचना हुई है, उसमें पण्डितराज को ध्वनिसम्प्रदायानुयायी सिद्ध किया गया है, तदनुसार पण्डितराज के मत से ध्वनि (त्रिविध व्यङ्ग्य) को काव्यात्मा ठहराया गया है। वस्तुतः पण्डितराज जगन्नाथ विश्वनाथ आदि के समान रसवादी नहीं हैं—अर्थात् वे केवल रस (असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य) को काव्य की आत्मा नहीं मानते, क्योंकि ऐसी मान्यता का परिणाम यह होता कि चमत्कारी वस्तुव्यङ्ग्य

---

१. यद्यपि पहले भी प्रसङ्गवश यह विचार किया जा चुका है, तथापि यहाँ कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक था।

तथा चमत्कारी अलंकारव्यङ्ग्य की प्रतीति होते रहने पर भी रस-प्रतीति के अभाव में किसी गद्य अथवा पद्य को वे काव्य नहीं मानते, किन्तु उनके ग्रन्थ (रसगङ्गाधर) में एक नहीं, अनेक ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर सबल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे रसाव्यञ्जक होने पर भी रमणीय वस्तुअलंकाराभिव्यञ्जक पद्य को काव्य अवश्य मानते हैं।

त्रिविध व्यङ्ग्यों को अलङ्कारोपस्कार्य मानना भी पण्डितराज को ध्वनिवादी ही सूचित करता है, रसमात्रवादी नहीं। ऐसी स्थिति में पण्डितराज को मम्मट, अप्पयदीक्षित आदि के समान ध्वनिसंप्रदायानुयायी मानना समुचित ही है। परन्तु रसगङ्गाधर के मनन से ऐसा भास होता है कि—पण्डितराज ध्वनिवादी होते हुए भी अन्य ध्वनिवादियों से कुछ अधिक प्रगतिशील थे। जिस तरह रसवादी रस की, ध्वनिवादी त्रिविध व्यङ्ग्यों में से किसी एक व्यङ्ग्य की सत्ता को काव्यत्व के लिये आवश्यकतम मानते हैं, उस तरह पण्डितराज नहीं मानते। वे तो रमणीय अर्थ (वह अर्थ चाहे रस हो अथवा वस्तु तथा अलंकारव्यङ्ग्य हो, किं वा वाच्य तथा लक्ष्य ही हो) की सत्ता को काव्यत्व के लिये अपेक्षित समझते हैं, इसीलिये वे **'रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्'** इस काव्य-लक्षण में 'व्यञ्जक' पद नहीं कह कर वाचक, लक्षक, व्यञ्जक तीनों प्रकार के शब्दों के संग्रहार्थ सामान्य 'प्रतिपादक' शब्द कहते हैं। इतना ही नहीं व्यङ्ग्य अर्थों के साथ-साथ वाच्य अर्थविशेष—को भी पण्डितराज अलङ्कारों से अलंकृत होने वाला कहते हैं[1]। ऐसी स्थिति में अकामेनापि यह मानना पड़ेगा कि—किसी तरह का चमत्कारी व्यङ्ग्य न हो और रमणीय वाच्यार्थ हो तब भी पण्डितराज को काव्यत्व इष्ट है। अब यदि पण्डितराज केवल व्यङ्ग्य अर्थ (ध्वनि) को काव्यात्मा मानते होते, तब उसके अभाव में उन्हें काव्यत्व कैसे इष्ट हो सकता था? आत्मभूत तत्त्व के अभाव में तो किसी भी संप्रदाय के आचार्यों को काव्यत्व इष्ट नहीं होता। अतः वाच्य अथवा लक्ष्य किंवा व्यङ्ग्य कोई भी अर्थ रहे पर यदि वह रमणीय हो लोकोत्तर आह्लादजनक हो—तो उसे पण्डितराज काव्य की आत्मा मानने के पक्ष में थे, **'रमणीयोऽर्थः काव्यस्यात्मा'** यही पण्डितराज का मत है फलतः पण्डितराज का संप्रदाय साहित्यजगत में अभिनव ही है। यदि उस संप्रदाय का नामकरण किया जाय तो मेरे विचार से उसका नाम **'रामणीयक-संप्रदाय'** होना चाहिये।

उपसंहार

जो स्वयं उच्चकोटि का कवि नहीं, उसे उच्च कोटि की कविता की परख कैसे हो सकती है? काव्य-शास्त्र का सच्चा आलोचक वही हो सकता है जो स्वयं उच्च कोटि का कवि हो। आचार्यों का यह कथन सत्य ही है—**'कविर्भावयति भावकश्च कविः'**—कवि ही भावना करता है और भावक ही काव्य सृष्टि करता है। भावक (आलोचक) कवि कभी अधम दशा प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी प्रतिष्ठा सार्वत्रिक तथा सार्वकालिक होती है—

> **'प्रतिभातारतम्येन, प्रतिष्ठा भुवि भूरिधा।**
> **भावकस्तु कविः प्रायो, न भजत्यधमां दशाम् ॥'** (काव्यमीमांसा)

बात यह है कि कारयित्री तथा भावयित्री दोनों तरह की प्रतिभाओं की स्थिति एकत्र असंभव नहीं, तो दुर्लभ अवश्य है।

---

१. देखिए—रसगङ्गाधर का उपमालक्षण तथा उपमानिरूपण का वह अग्रिम भाग जो पीछे अलंकारविवेचन के अवसर पर उद्धृत भी किया जा चुका है।

इसीलिये तो काव्यमीमांसाकार राजशेखर को भी कहना पड़ा—

'नह्येकस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुणानाम् ।
एकः सूते कनकमुपलस्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः ॥'

पर, इसके साथ ही, इसी पद्य के प्रथम दो चरणों के रूप में ही, यह भी कहना पड़ा—

'कश्चिद् वाचां रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्ताम् ।
कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति ॥'

पण्डितराज जगन्नाथ की सर्जक और आलोचक उभयविध प्रतिभा विज्ञ पाठकों को विस्मय में डाल देती है। भाग्यवान् हैं वे सुधीजन जिन्हें पण्डितराजीय प्रतिभा से विस्मित होने का सुअवसर प्राप्त होता है। अन्त में रसधाम घनश्याम से मेरी प्रार्थना है कि वे विद्वन्मण्डल के मन में रसगङ्गाधराध्ययन द्वारा उक्त विस्मय-सरोवरावगाहन की प्रेरणा प्रदान करें।

ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः ।

विनीत—

मदनमोहन झा

रसगङ्गाधरे प्रमापकाः

अप्पयदीक्षितः
अभिनवगुप्ताचार्यपादाः
अलङ्काररत्नाकरः
अलङ्कारभाष्यकाराः
आख्यातवादशिरोमणिव्याख्यातारः
आलङ्कारिकाः
आनन्दवर्धनाचार्यः
उत्तरमीमांसा
करुणालहरी
कालिदासः
काव्यप्रकाशः
काव्यप्रकाशटीकाकाराः
कुवलयानन्दः
कैयटः
गीतगोविन्दम्
गीता
चित्रमीमांसा
जयदेवः
ध्वनिकारादयः
नैयायिकाः
पञ्चलहर्यः
बादरायणचरणाः
ब्रह्मसूत्रम्
भट्टनायकः
भरतमुनिः
भागवतम्
मम्मटभट्टः
महाकवि (माघ आदि)
महाभारतम्
महाभाष्यम्
यमुनावर्णनम्
योगवासिष्ठम्
रत्नावली
रामायणम्
विद्याधरः
विद्यानाथः
विमर्शिनीकारः
वृत्तिवार्तिकम्
वैयाकरणाः
व्यक्तिविवेकः
शार्ङ्गदेवः
श्रीवत्सलाञ्छनः
सङ्गीतरत्नाकरः
साहित्यदर्पणः

विषय-सूची

(द्वितीयाननस्योत्प्रेक्षान्तो भागः)

विषयाः	पृष्ठा०
संलक्ष्यक्रमध्वनिः	१
शब्दशक्तिमूलकध्वनौ मम्मटमतम्	२
,, ,, ध्वनिकारमतम्	९
,, ,, स्वमतम्	१४
नानार्थे शक्तिनियामकनिरूपणम्	
संयोगः	४२
विप्रयोगः	४४
साहचर्यम्	४५
विरोधिता	५०
अर्थः	५८
प्रकरणम्	६१
लिङ्गम्	,,
शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः	६२
सामर्थ्यम्	६६
औचिती	६९
देशः	७०
कालः	७२
व्यक्तिः	,,
स्वरः	७३
शब्दशक्तिमूलको ध्वनिः	
शब्दशक्तिमूलाऽलङ्कारध्वनिः	७५
शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनिः	९४
अर्थशक्तिमूलको ध्वनिः	
स्वतःसम्भविना वस्तुना वस्तुध्वनिः	१०१
,, ,, अलङ्कारध्वनिः	१०६
,, अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः	११४
,, ,, अलङ्कारध्वनिः	११७
कविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तुना वस्तुध्वनिः	११८
,, अलङ्कारेण ,,	१२१

विषयाः	पृष्ठा०
कविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तुना अलङ्कारध्वनिः	१२४
,, अलङ्कारेण ,,	१२२
उभयशक्तिमूलको ध्वनिः	१२६
अथ लक्षणामूला	
जहत्स्वार्थामूलको ध्वनिः	१३०
अजहत्स्वार्थामूलको ध्वनिः	१३१
अभिधानिरूपणम्	१३३
वाचकशब्दनिरूपणम्	१४९
लक्षणाशक्तिनिरूपणम्	१६१
लाक्षणिकवाक्यानां शाब्दबोधनिरूपणम्	१६८
अलङ्कारनिरूपणम्	
उपमालक्षणम्	२११
प्राचीनोक्तोपमाभेदलक्षणम्	२३४
,, भेदालोचनम्	२६५
उपमास्थलीयशाब्दबोधविचारः	३३५
सादृश्यस्य समानधर्मरूपत्वे बोधः	३६२
उपमादोषाः	३६७
उपमेयोपमा	३८५
अनन्वयः	४११
असमः	४३३
उदाहरणम्	४४४
स्मरणम्	४५५
रूपकम्	४८३
परिणाम	५७५
ससन्देहः	६११
भ्रान्तिमान्	६३९
उल्लेखः	६५३
अपह्नुतिः	६७७
उत्प्रेक्षा	६९६

श्रीः

रसगङ्गाधरः

'चन्द्रिका'-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः

द्वितीयमाननम्

अथ संलक्ष्यक्रमध्वनिर्निरूप्यते—

शङ्कर-मुख सरसीरुह नृत्यन्नयनाम्बुजद्वन्द्वा ।
गौरी गौरिव वत्से प्रणत-जने वत्सला जयति ॥
जयति जगज्जन-पालन दक्षो, दक्षाध्वरध्वंसी ।
मन्मथ-मथन-प्रथितो गिरिजा-कामाङ्कुरः शम्भुः ॥
गुरु-करुणामृत-बिन्दुः पुण्यैः प्राप्तश्चिरं जयति ।
यः पीतो मुग्धानामुक्तिषु वैदग्ध्यमातनुते ॥
पित्रोर्जयत्यहेतुः स्नेहोत्कर्षः सदा मुदा सुलभः ।
सिक्ता सन्तति-लतिका येनोदय-शाखिनं श्रयते ॥
सहृदयजनातिहृद्या निरवद्या 'चन्द्रिका' जयतात् ।
रसगङ्गाधरसंगात्सर्वाङ्गावाप्त-लावण्या ॥

अथ प्रथमानने रसादिरूपासंलक्ष्यक्रमध्वनिनिरूपणानन्तरं द्वितीयमाननमारभमाणः प्रथमं संलक्ष्यक्रमध्वनिनिरूपणं प्रतिजानीते—अथेत्यादिना ।

अथ शब्दोऽयमानन्तर्यार्थकः । तथा चासंलक्ष्यक्रमध्वनिनिरूपणानन्तरमिति तात्पर्यार्थः । संलक्ष्यः-सम्यक् प्रतीतिपथमवतरन् क्रमः कार्यकारणयोः पौर्वापर्यम्, यत्र स ध्वनिः व्यङ्ग्यविशेषः, निरूप्यते शब्दप्रयोगात्मक-व्यापार-प्रयोज्य-ज्ञान-विषयो विधीयते इति तदर्थः । मया ग्रन्थकारेणेति शेषः ।

अचपल-चपला-सङ्ग से, अङ्ग-अङ्ग छवि-धाम ।
मेरे मानस में बसें, नवल विमल घन-श्याम ॥

प्रथम आनन में रस आदि असंलक्ष्यक्रमध्वनि के निरूपण कर लेने के बाद अब द्वितीय आनन के आरम्भ में संलक्ष्यक्रमध्वनि निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—अथ इत्यादि से। अथ शब्द यहाँ आनन्तर्यार्थक है। संलक्ष्यक्रम का तात्पर्य यह है कि जिस ध्वनि में

कार्य (ध्वनि) और कारण (विभाव आदि का ज्ञान) का क्रम-पौर्वापर्य अर्थात्—अग्र पश्चाद्भाव लक्षित होता हो। निरूपण शब्द का अर्थ होता है, वह शब्द प्रयोगात्मकव्यापार, जिससे जिज्ञास्यपदार्थ का ज्ञान हो सके। इस प्रकरण में ध्वनिशब्द व्यङ्ग्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार मूल का अनुवाद यह होता है कि असंलक्ष्यक्रमध्वनि-निरूपण के बाद संलक्ष्यक्रमध्वनि का निरूपण किया जाता है।

संलक्ष्यक्रमध्वनिं विभजते—

स च तावद् द्विविधः शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्च। तत्राद्यो द्विविधः, व्यङ्ग्यस्य वस्तुत्वालंकारत्वाभ्यां द्वैविध्यात्। द्वितीयोऽपि वस्त्वलंकारात्मना लोकसिद्धेन, तथाभूतेनैव प्रतिभा-मात्र-निर्वर्तितेन च व्यञ्जकेनार्थेन चतुर्विधेन वस्त्वलंकारात्मनो द्विविधस्य व्यङ्ग्यस्य प्रत्येकं व्यञ्जनादष्टमूर्तिः।

तावद् आदौ स्थूलतयेति तात्पर्यार्थः। स संलक्ष्यक्रमध्वनिः द्वे विधे प्रकारौ यस्यासौ द्विप्रकारक इत्यर्थः। तत्र प्रथमः, शब्दशक्तिः शब्दनिष्ठा व्यञ्जना मूलं कारणं यस्य सः। द्वितीयोऽर्थशक्तिः अर्थनिष्ठा व्यञ्जनामूलं कारणं यस्य सः। शाब्दव्यञ्जनाबोध्य आर्थव्यञ्जना-बोध्यश्चेत्यर्थः। तत्र तयोर्मध्ये, आद्यः शब्दशक्तिमूलः पुनर्द्विप्रकारकः, यतो व्यङ्ग्यं वस्तुरूप-मलंकाररूपञ्चेति द्विविधं भवति। द्वितीयः अर्थशक्तिमूलः पुनरष्टविधः यतो व्यञ्जकोऽर्थो द्विविधः—वस्तुरूपः, अलंकाररूपश्च। द्विविधोऽप्यसौ लोकसिद्धत्वेन, प्रतिभामात्रनिर्वर्तितत्वेन च रूपेण पुनर्द्विविधः। अर्थात् वस्तुत्वालंकारत्वभेदेन द्विविधोऽपि व्यञ्जकोऽर्थः क्वचित् लोके संभावना-विषयतया लोकसिद्धो भवति, क्वचिच्च केवलं कविकल्पनाप्रसूततया कल्पितो भवति। एवञ्च व्यञ्जकस्यार्थस्य चत्वारो भेदा जायन्ते। चतुर्विधैस्तैः पृथक् पृथक् वस्तुरूपोऽलंकाररूपश्चार्थो व्यज्यते इति सिद्धमस्याष्टविधत्वम्।

संलक्ष्यक्रमध्वनि के भेद दिखलाते हैं—स च इत्यादि से। संलक्ष्यक्रमध्वनि के प्रथमतः दो भेद होते हैं—पहला शब्दमूल अर्थात् जिसके मूल में शब्दनिष्ठव्यञ्जनावृत्ति काम करती रहती हो और दूसरा अर्थशक्तिमूल अर्थात् जिसके मूल में अर्थनिष्ठव्यञ्जना काम करती हो। उनमें प्रथम—शब्दशक्तिमूलध्वनि के पुनः दो भेद होते हैं। क्योंकि वस्तु और अलंकारभेद से व्यङ्ग्य दो प्रकार के होते हैं। फलतः—१-शब्दशक्तिमूल वस्तुध्वनि और २-शब्दशक्तिमूल अलंकारध्वनि, ये दो प्रकार प्रथम भेद के सिद्ध हुए। द्वितीय—अर्थशक्तिमूलध्वनि के आठ भेद होते हैं, क्योंकि व्यञ्जक अर्थ प्रथमतः दो प्रकार के हो सकते हैं—पहला वस्तुरूप और दूसरा अलंकाररूप, फिर इन दोनों ही प्रकार के दो दो प्रकार हो सकते हैं—लोकसिद्ध (लोक में हो सकनेवाला) वस्तु और कवि-कल्पनामात्रप्रसूत (जो लोक में सम्भव विषय नहीं हैं, फिर भी कवियों की कल्पना से सिद्ध किए गए हैं) वस्तु। इसी तरह अलंकार भी उक्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस तरह से व्यञ्जक अर्थ के चार भेद हो जाते हैं। इन चारों में प्रत्येक से कहीं वस्तु और कहीं अलंकार ध्वनित होते हैं। इन आठों भेदों के नाम पाठकों की सुविधा के लिए नीचे दिए जाते हैं :-स्वतःसंभवि-वस्तु से वस्तुध्वनि, २-स्वतःसंभवि-वस्तु से अलंकारध्वनि, ३-स्वतःसंभवि-अलंकार से वस्तुध्वनि, ४-स्वत-संभवि-अलंकार से अलंकारध्वनि, ५-कवि-प्रौढोक्तिसिद्धवस्तु से वस्तुध्वनि, ६-कविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तु से अलंकारध्वनि, ७-कवि-प्रौढोक्तिसिद्ध-अलंकार से वस्तुध्वनि, ८-कविप्रौढोक्तिसिद्ध-अलंकार से अलंकारध्वनि।

ननु अर्थशक्तिमूलध्वनेरष्टविधत्वोक्तिरसंगता, मम्मटादिभिः लोकसिद्धकविप्रतिभामात्रनिर्वर्तिताविव कविकल्पितवक्तृप्रतिभानिर्वर्तिताभिधानमप्येकं व्यञ्जकार्थस्य भेदमङ्गीकृत्य तस्य द्वादशविधत्वप्रतिपादनादित्यत आह—

प्रतिभानिर्वर्तितत्वाविशेषाच्च कवितदुम्भितवक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्नयोरर्थयोर्न पृथग्भावेन गणनोचिता, उम्भितोम्भितादेरपि भेदान्तरप्रयोजकतापत्तेः। न च तस्यापि कव्युम्भितत्वानपायात्तत्प्रयोज्यभेदान्तर्गतत्वमेवेति वाच्यम्, प्रथमोम्भितस्यापि लोकोत्तरवर्णनानिपुणत्वलक्षणकवित्वानपायात्पृथग्भेदप्रयोजकतानुपपत्तेः।

प्रतिभानिर्वर्तितेति प्रतिभासम्पादितेत्यर्थः। तदुम्भितेति तन्निबद्धेत्यर्थः। तस्यापि उम्भितोम्भितादेरपीत्यर्थः। अयंभावः—यथा स्वतःसंभविना व्यञ्जकार्थेन भिन्नः कविप्रौढोक्तिसिद्धो व्यञ्जकोऽर्थोऽङ्गीक्रियते, तथा यत्र कविः कमपि वक्तारं कल्पयित्वा तन्मुखेन किमपि वर्णयति तत्र कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धोऽप्येको व्यञ्जकोऽर्थः स्वीकार्यः। सोऽपि वस्त्वलंकारभेदेन द्विविधो भवेत्, ताभ्यां व्यज्यमानस्यापि वस्तुत्वालंकारत्वाभ्यां द्वैविध्यमिति अर्थशक्तिमूलध्वनेश्चत्वारोऽपरेऽपि भेदा न्यायसिद्धा इति काव्यप्रकाशकारादयो व्यवस्थापयामासुः। पण्डितराजस्तु कविप्रौढोक्तिनिष्पन्नेऽर्थे यथाकविप्रतिभानिर्वर्तितत्वम्, तथैव कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्नेऽर्थेऽपीति अविशेषात्, पृथग्भेदत्वेन तद्गणनाया अनौचित्यमेव मनुते। अन्यथा कविनिबद्धवक्तुरिव कविनिबद्धनिबद्धवक्त्रादेरपि पृथग्भेदनियामकत्वं प्रसज्येत। नचेति। अयमभिप्रायः—कवि-निबद्धस्येव कविनिबद्धनिबद्धादेरुपादानमिह नोचितम्, तस्यापि कविनिबद्धत्वाविशेषेण प्रथमनिबद्धान्तर्गतत्वात्। इति शङ्का। समाधानं तु प्रतिबन्दिरूपमिदं यत्—प्रथमोऽपि कविनिबद्धो वक्ता कविरेव, लोकोत्तरवर्णनानिपुणत्वरूपस्य कवित्वस्य तस्मिन् सत्त्वात् इति न कविप्रौढोक्तिसिद्धात् भिन्नः कश्चन कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धः। 'वृद्धोक्तिविषयाच्छिशूक्तिविषय इव कव्युक्तिविषयात् कविनिबद्धोक्तिविषये चमत्काराधिक्यस्यानुभविकत्वात् पृथगुक्तिः। ततः परं च प्रणिधानसाध्यप्रतीतिकतया चमत्कारस्यगनान्नोम्भितोम्भितादेः पृथग्गणनेति नव्याः' इति नागेशः।

मम्मट आदि प्राचीन आलंकारिकों ने अर्थशक्तिमूलध्वनि के द्वादश भेद माने हैं, उनका खण्डन करते हैं—प्रतिभा इत्यादि से। मम्मट आदि आचार्यों ने अर्थशक्तिमूलध्वनि के ऊपर कहे गये आठ भेदों से भिन्न चार भेद और माने हैं। उन लोगों के कथन का अभिप्राय यह है कि जिस तरह कवि-कल्पित अर्थ को व्यञ्जक माना जाता है, उसी तरह कवि के द्वारा काव्य में वर्णित वक्ताओं की कल्पना से सिद्ध अर्थ को भी व्यञ्जक मानना चाहिये। उस तरह के अर्थों के भी दो भेद हो सकते हैं—पहला वस्तुरूप और दूसरा अलंकाररूप। उन दोनों व्यञ्जक अर्थों से वस्तु और अलंकार दोनों अभिव्यक्त हो सकते हैं, अतः कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि, कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से अलंकारध्वनि, कविनिबद्धवक्तृ प्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से वस्तुध्वनि और कविनिबद्धवक्तृ प्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से अलंकारध्वनि ये चार भेद और स्वीकरणीय हैं। पर पण्डितराज जगन्नाथ कहते हैं कि कवि-कल्पित और कवि-वर्णित वक्ताओं से कल्पित—दोनों ही—अर्थ प्रतिभा-प्रसूत हैं, उन दोनों में परस्पर कोई विशेष अन्तर नहीं है, फिर उन दोनों

को पृथक्-पृथक् व्यञ्जक अर्थों की श्रेणी में गिनना उचित नहीं और तत्प्रयुक्त अन्य पूर्वोक्त चार भेदों का मानना भी ठीक नहीं, यदि इस तरह से भेद बढ़ाये जायँ, तब कविवर्णित वक्ताओं के द्वारा वर्णित वक्ताओं से कल्पित अर्थ को व्यञ्जक मानकर तत्प्रयुक्त ध्वनि भेद भी मानने पड़ेंगे। यदि आप यह तर्क उपस्थित करें कि कविवर्णित वक्ताओं के द्वारा वर्णित वक्ता भी तो कविवर्णित वक्ता ही हुआ, अतः तन्मूलक पृथक् भेद मानना समुचित नहीं होगा, तो इसका उत्तर यह है कि कविवर्णित प्रथमवक्ता भी लोकोत्तर वर्णन करने में निपुण होने के कारण कवि ही हुआ, अतः तत्कल्पित अर्थ भी कविकल्पित व्यञ्जक अर्थों में ही अन्तर्भूत हैं, फिर जैसे आप द्वितीयवक्ता से कल्पित अर्थ को व्यञ्जक मानकर तन्मूलक भेद नहीं मानना चाहते, वैसे ही प्रथमवक्ता से कल्पित अर्थ को व्यञ्जक मानकर तत्प्रयुक्त भेद भी नहीं मानना चाहिये। वस्तुतः कविवर्णित वक्ता कवि से भिन्न कोई रहता नहीं—उसके द्वारा कवि ही अपनी कल्पना को रूप देता है। अतः पण्डितराज का कथन उपयुक्त है। प्राचीन मत के समर्थन में आग्रह रखनेवाले नागेश महोदय ने अपनी टीका में—जैसे वृद्धों की उक्तियों से बच्चों की उक्तियों में अधिक लालित्य होता है, उसी तरह कवि की उक्ति से कविवर्णित वक्ता की उक्ति में अधिक चमत्कार अनुभूत होता है, अतः तन्मूलक पृथक् भेद समुचित ही है। उसके आगे (कविवर्णित वक्तृवर्णित वक्ता की उक्ति) की प्रतीति प्रणिधान द्वारा ही हो सकती है अन्यथा नहीं, अतः उसमें चमत्कार नहीं रह जाता, इसीलिए उन सबों की पृथक् गणना नहीं की जा सकती—इत्यादि कहकर प्रचीन मत की पुष्टि की है।

उपसंहरति—

एवं साकल्येन दशभेदोऽयम्।

पूर्वोक्तरीत्या संलक्ष्यक्रमध्वनेः दशभेदाः बोध्याः।

इस प्रकार संलक्ष्यक्रमध्वनि के कुल भेद दस होते हैं। अर्थात् शब्दशक्ति मूलध्वनि के दो और अर्थशक्तिमूलध्वनि के आठ भेद हैं।

नानार्थकशब्दस्थले संयोगादिभिरेकस्मिन्नर्थेऽभिधायां नियन्त्रितायां द्वितीयोऽर्थो व्यञ्जनया बोध्यते, स एव शब्दशक्तिमूलध्वनिलक्ष्यस्थल इति प्राचीनाभिमतं सिद्धान्तं मतभेदेन समालोचयितुमुपक्रमते—

तत्र केचिदाहुः—नानार्थस्य शब्दस्य सर्वेष्वर्थेषु संकेतग्रहस्य तुल्यत्वाच्छ्रुतमात्र एव तस्मिन् सकलानामर्थानामुपस्थितौ, शब्दस्यास्य कस्मिन्नर्थे तात्पर्यमिति संदेहे च सति, प्रकरणादिकं तात्पर्यनिर्णायकं पर्यालोचयतः पुरुषस्य सति तन्निर्णये, तदात्मकपदज्ञानजाया एकार्थमात्रविषयायाः पुनः पदार्थोपस्थितेरनन्तरमन्वयबोध इति नये द्वितीयायाः पदार्थोपस्थितेः प्राथमिक्या इव न कुतो नानार्थगोचरतेति प्रकरणादिज्ञानस्य तदधीनतात्पर्यनिर्णयस्य वा पदार्थोपस्थितौ प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्, अन्यथा शाब्दबुद्धेरपि नानार्थविषयत्वापत्तिः।

नानार्थकशब्दस्थले केषांचिदभिमतोऽन्वयबोधप्रकारः प्रदर्श्यते—नानार्थस्येत्यादिना। अयमाशयः—नानार्थकशब्दश्रवणानन्तरं प्रथमं सर्वेषामर्थानामुपस्थितिः (स्मृतिः) जायते, तत्तत्सकलार्थनिरूपितसंकेतस्य तस्मिन् शब्दे समानरूपेण गृहीतत्वात्। ततः 'अत्र कस्मिन् अर्थे वक्तुस्तात्पर्य'मिति सन्देह उत्पद्यते श्रोतुः। अथ श्रोता सन्देहनिवृत्त्यर्थं तात्पर्यनिर्णा-

यकं प्रकरणादिकं पर्यालोचयति । पर्यालोचनेन च तेन तात्पर्य-निर्णयो जायते । तदनन्तरं पुनरेकार्थमात्रविषयकोपस्थितिद्वारोपस्थितार्थविषयकान्वयबोधो भवतीति क्रमः । ननु हेतुभूतस्य पदज्ञानस्य क्षणिकतया विनष्टत्वेन कथमेकार्थविषयिणी पुनः पदार्थोपस्थितिरित्यत आह-तदात्मकेति । तात्पर्यज्ञानात्मकेति तदर्थः । 'पयो रमणीयम्' इत्यादौ सन्देहनिवर्तनाय क्रियमाणे 'अत्रत्यं पयःपदं दुग्धतात्पर्येणोच्चारितम्' इत्याकारके तात्पर्यनिर्णये पय आदिकं पदं भासते इति तत्तात्पर्यज्ञानमेव पदज्ञानात्मकं सम्पद्यते इति तात्पर्यम् ।

ननु कथमियं द्वितीयोपस्थितिरेकार्थमात्रविषया ? प्राथमिक्यमिव तत्रापि सर्वेऽर्थाः कुतो न भासेरन् इत्यत आह—प्रकरणादिज्ञानस्येति । इदमत्र रहस्यम्-द्वितयस्यामुपस्थितौ प्रकरणादिनिर्णीततात्पर्यविषयीभूत एक एवार्थो भासते नान्यः, प्रकरणादिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वस्वीकारात् । ननु व्यवहिततयोपस्थितिकाले नष्टस्य तस्य प्रतिबन्धकत्वन्न सम्भवतीत्यत आह-तदधीनेति । प्रकरणज्ञानस्य नष्टत्वेऽपि तज्जन्यतात्पर्यनिर्णयस्योपस्थितिकालीनस्य प्रतिबन्धकत्वं सम्भवतीति भावः । नानार्थकपदजन्यबोधेऽतदन्यार्थविषयकोपस्थितिं प्रति तदर्थविषयकस्तात्पर्यनिर्णयः प्रतिबन्धक इत्याकारकः प्रतिबध्य-प्रतिबन्धकभाव आस्थेय इति सरलार्थः । अन्यथेति । उक्तप्रतिबध्य-प्रतिबन्धकभावास्वीकारे इत्यर्थः । उपस्थितेरप्रतिबन्ध उपस्थितानामर्थानां शाब्दबोधे भाननियमेन नानार्थस्थले शाब्दबोधोऽपि नानार्थविषयक आपतेत् , अनुभवसिद्धश्च तत्र तात्पर्यविषयैकार्थमात्रविषयकशाब्दबोधः, अत उक्तप्रतिबध्य-प्रतिबन्धकभावोऽवश्यमङ्गीकार्य इति तात्पर्यम् ।

अब शब्दशक्तिमूलध्वनि के विषय में विचार करते हैं—तत्र केचित् इत्यादि से । सम्मट आदि प्राचीन आलंकारिकों का मत है कि शब्दशक्तिमूलध्वनि का उदाहरण वहाँ ही होता है, जहाँ अनेकार्थकशब्दों की अभिधाशक्ति प्रकरण आदि के द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है—अर्थात् वैसे स्थलों में अप्राकरणिक अर्थ वाच्य न होकर शब्दनिष्ठव्यञ्जनावृत्ति से व्यङ्ग्य होता है, उसी को शब्दशक्तिमूलध्वनि कहते हैं। इस मत का मूलभूत आधार क्या है ? इसी का विचार इस प्रकरण में मतभेद सहित किया गया है । इस प्रसंग पर सर्वप्रथम नानार्थकशब्दों से होने वाले बोध की रीतियाँ दिखलाई गई हैं । नानार्थकशब्दों में समानरूप से सभी अर्थों की शक्ति ज्ञात रहती है—अर्थात् हम जानते रहते हैं कि हरिशब्द विष्णु, सूर्य, अश्व, सिंह आदि सभी अर्थों का वाचक है । अतः उस तरह के शब्दों के श्रवण होने पर उन सभी अर्थों का स्मरण एक साथ हो आता है । फिर यह सन्देह उत्पन्न होता है कि वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है । अर्थात् वक्ता ने किस अर्थ का बोध कराने के लिये यहाँ इस नानार्थक शब्द का प्रयोग किया है । इस सन्देह की निवृत्ति के लिये श्रोता वक्ता के तात्पर्य को निर्णीत करनेवाले प्रकरण आदि की पर्यालोचना करता है, जिससे उक्त सन्देह की निवृत्ति हो जाती है । अर्थात् यह निश्चितरूप से ज्ञात हो जाता है कि वक्ता ने यहाँ अमुक नानार्थक पद का प्रयोग अमुक अर्थ का बोध कराने के लिये ही किया है । इसके बाद उस एकमात्र अर्थ की—जो प्रकरण पर्यालोचन से वक्तृविवक्षित ज्ञात हो चुका रहता है—पुनः उपस्थिति (स्मृति) होती है । यदि आप यहाँ यह शंका करें कि किसी अर्थ की स्मृति में उस अर्थ के बोधक पद का ज्ञान कारण होने के नाते अपेक्षित होता है, और यहाँ जो पद का ज्ञान (श्रवण) हुआ था, वह मध्य में बहुत समय के व्यवधान हो जाने से नष्ट हो जायगा, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सभी ज्ञान दो क्षण मात्र

रहकर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सर्वसम्मत सिद्धान्त है। ऐसी स्थिति में पुनः अर्थ स्मरण की बात कैसे कहते हैं ? तो इसका समाधान यह है कि मध्य में जो 'अमुक पद को अमुक अर्थ का बोधक कराने के लिये वक्ता बोला है' इत्याकारक तात्पर्य निर्णय हुआ है, उसमें वह नानार्थक पद भी भासित होता है, अतः वह निर्णय ही पदज्ञानरूप सिद्ध हो जाता है, फिर पुनः उस अर्थ के स्मरण होने में कोई बाधा नहीं होगी। इस तरह से पुनः उस एकमात्र अर्थ के स्मरण होने के अनन्तर उस एक मात्र अर्थ का अन्वयबोध होता है, यह नानार्थक शब्दस्थल में शाब्दबोध की एक रीति है। यद्यपि इस रीति में यह एक शंका की जा सकती है कि जैसे नानार्थक शब्द के श्रवण के अव्यवहितोत्तरक्षण में होने-वाले प्रथम पदार्थ स्मरण में उस पद के सभी (प्राकरणिक अप्राकरणिक) अर्थ विषय होते हैं अर्थात् वह स्मरण सर्वार्थविषयक होता है, वैसे तात्पर्यनिर्णयोत्तरकालिक द्वितीय पदार्थस्मरण में भी वे सभी अर्थ विषय क्यों नहीं होते ? तो इसका उत्तर यह है कि प्रकरण आदि का ज्ञान अथवा (यदि कहें कि दो क्षणमात्र रहने वाला प्रकरण आदि का ज्ञान तो नष्ट हो चुका रहेगा, तब) तत्प्रयुक्त होनेवाला तात्पर्य निर्णय—जो उस द्वितीय स्मरण की पीठ पर वर्तमान रहेगा—उन अप्राकरणिक अर्थों के स्मरण में प्रतिबन्धक हो जायगा, अतः द्वितीय स्मरण प्राकरणिक अर्थमात्रविषयक ही होगा, अप्राकरणिकार्थ-विषयक नहीं। यदि ऐसा प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव नहीं माना जाय तो शाब्दबोध भी उन सभी (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक) अर्थों का मानना पड़ेगा, जो सर्वथा अनुभव-विरुद्ध है।

उक्तान्वयबोधक्रमानुसारेण 'संयोगो विप्रयोगश्चे' त्यादिकारिकांशं संगमयति—

अत एवोक्तम्—'अनवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः' इति। अनवच्छेदे तात्पर्य-संदेहे। विशेषस्मृतिरेकार्थमात्रविषया स्मृतिः।

अत एवेति। नानार्थस्थले शाब्दबोधक्रमस्योक्तरीत्योपपादनीयत्वादेवेत्यर्थः। उक्त-मिति। 'संयोगो विप्रयोगश्चे'त्यादिहरिकारिकायामिति शेषः। अनवच्छेदशब्दार्थमाह—तात्पर्य-सन्देह इति। विशेषस्मृतिपदार्थं स्फोटयति-एकार्थेति। अयं भावः-उक्तरीत्या नानार्थक-शब्दस्थले संकेतितसकलार्थोपस्थित्यनन्तरं सति तात्पर्यसंदेहे, संयोगादयः स्वज्ञानाधीन-तात्पर्यनिर्णयद्वारा तात्पर्यविषयार्थातिरिक्तसंकेतितार्थविषयकोपस्थितेः प्रतिबन्धकरणेनैकार्थ-मात्रविषयकोपस्थितेः कारणानि भवन्ति।

पूर्वोक्त अन्वय बोध की रीति को प्रमाणित करने के लिये प्राचीनोक्त कारिका की तदनुसार व्याख्या करते हैं—अत एव इत्यादि से। नानार्थक पदस्थल में उक्तरीति से शाब्दबोध होने के कारण ही कहा गया है कि—वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है, इस तरह के सन्देह होने पर संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, प्रयोजन, प्रकरण आदि एक अर्थमात्रविषयक द्वितीय स्मरण के कारण होते हैं—अर्थात् नानार्थक शब्दों के श्रवण से, सभी संकेतित अर्थों की उपस्थिति होने के बाद, तात्पर्य सन्देह होने पर, संयोग आदि, ज्ञात होकर, तात्पर्य-निर्णय द्वारा, अप्राकरणिक अर्थों की उपस्थिति को रोक कर, एक प्राकरणिक अर्थमात्र की, पुनः उपस्थिति के कारण होते हैं।

उक्तविचारसरणेः प्रकृतोपयोगित्वं दर्शयति—

इत्थञ्च सुरभि मांसं भक्षयतीत्यादेर्वाक्याज्जायमाना द्वितीया प्रतीतिर्गवाद्युप-स्थितेरभावात् कथं स्यादिति तदुपस्थित्यर्थं व्यञ्जनाव्यापारोऽभ्युपेयः।

इत्थञ्चेति । उक्तरीत्या नानार्थकशब्दस्थले तात्पर्यविषयीभूतैकार्थमात्रविषयकोपस्थितौ समर्थितायाम् । द्वितीयेति गवादिविषयिकेत्यर्थः । कथं स्यादिति । तात्पर्यज्ञानस्य प्रतिबन्धकस्य सत्त्वादिति भावः। अयमाशयः—यदा सुगन्धिमांसं भक्षयत्यावुत्तादौ शालकादिः 'सुरभिमांसं भक्षयती'ति वाक्यं प्रयुङ्क्ते, तदा तत्र तस्य वाक्यस्य 'सौरभमयं मांसम्, सुरभेः (गोः) मांसम्' इति द्वावप्यर्थौ वक्तुरभिप्रेतौ तिष्ठतः, बोधोऽपि द्वयोरर्थयोर्जायते, अत एव विदग्धस्य श्रोतुरावुत्तादेर्जायमाना जुगुप्सा समुत्पद्यते, इति वस्तुस्थितिः। परन्तु तत्राश्लीलार्थविषयकोपस्थितिः भोजनरूपप्रकरणज्ञानजन्यतात्पर्यनिर्णये न प्रतिबद्धेति तदविषयको बोधोऽभिधया न शक्यते सम्पादयितुमिति तदर्थं व्यञ्जनाव्यापार–स्वीकार आवश्यकः । एवमादिरेव शब्दशक्तिमूलध्वनेर्लक्ष्यस्थल इति प्रोक्तप्रकरणस्य चरमं विवक्षितमवसेयम् ।

उक्त विचार से निकलने वाले प्रकृतोपयोगी निष्कर्ष का निर्देश करते हैं—इत्थञ्च इत्यादि से । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जब शाले आदि ऐसे—जो गाली देने के अधिकारी रहते हैं, 'व्यक्ति—बहनोई आदि' ऐसे व्यक्ति; जिन्हें गाली दी जा सकती है—के प्रति 'सुरभि मांस खाता है' इत्यादि वाक्य का प्रयोग करते हैं, तब वक्ता का 'गाय का मांस खाता है' इस अर्थ का बोध कराना भी अभीष्ट रहता है । परन्तु अभिधावृत्ति से उस अर्थ का बोध हो नहीं सकता, क्योंकि उक्त रीति से द्वितीय सुगन्धित मांसरूप अर्थ की उपस्थिति ही होगी, गोमांस की नहीं, और जिस अर्थ की उपस्थिति नहीं होगी, उसका अन्वयबोध हो नहीं सकता, क्योंकि अन्वयबोध के प्रति उपस्थिति को कारण माना गया है । अतः वहाँ उस स्थिति में गोमांसरूप अर्थ की उपस्थिति के लिये व्यञ्जना व्यापार मानना पड़ेगा अर्थात् वहां गोमांसरूप अर्थ शब्दशक्तिमूलकध्वनि (व्यङ्ग्य) कहलायगा ।

ननु नानार्थकशब्देषु नानार्थनिरूपिता एकैव शक्तिरिति पक्षाङ्गीकारे भवदुक्तरीत्या व्यञ्जनावृत्तेरावश्यकत्वमास्ताम्, अथ यदि नानार्थनिरूपिता नानाशक्तिर्नानार्थकेषु स्वीक्रियेत, तर्हि तु सम्भवत्यभिधयैव निर्वाह इति शंकते समाधत्ते च—

अथैकया शक्त्या प्राकरणिकार्थोपस्थितेरनन्तरं द्वितीयया शक्त्या द्वितीयार्थोपथितिस्तथापि स्यादिति चेत् ? न स्यादेव, प्रकरणादिज्ञानस्य प्रतिबन्धकस्यानुपरमात् । अन्यथा प्राकरणिकार्थोपस्थितावेवाप्राकरणिकस्याप्यर्थस्य विषयत्वं स्यात् ।

तथापीति । प्रतिबन्धकसत्त्वेऽपीत्यर्थः । तस्य पूर्वशक्त्या पुनरनुपस्थितौ कृतार्थत्वादिति भावः। प्रकरणादिज्ञानस्येति तात्पर्यनिर्णयस्याप्युपलक्षणम् । अनुपरमादिति । अनाशादित्यर्थः । सत्त्वादिति यावत् । अथ नानार्थकशब्दस्थले नानाशक्तिः स्वीक्रियते, तथा च 'सुरभिमांस'मित्यादौ तात्पर्यनिर्णयेनाप्राकरणिकाश्लीलार्थविषयकोपस्थितेः प्रतिबन्धात् एकया शक्त्या प्राकरणिकसौरभमयमांसरूपार्थमात्रोपस्थितावपि द्वितीययाऽभिधाशक्त्यैवाप्राकरणिकाश्लीलार्थविषयकस्मृतिर्भवेत् तत्र चोक्तप्रतिबन्धकज्ञानमकिञ्चित्करमेव, तस्य प्रथम प्रतिबन्धेन क्षीणसामर्थ्यात् तथा च व्यञ्जनाव्यापारो निष्फल इति शंकायां समाधानमाह— न स्यादेवेति । अयंभावः-प्रतिबन्धकज्ञानं यावत्तिष्ठति, तावत्प्रतिबन्धं करोत्येव, न तस्य प्रथमप्रवृत्त्या कृतार्थता, क्षीणसामर्थ्यता वा भवतीति द्वितीययाभिधाशक्त्या चिकीर्ष्यमाणामपि

अप्राकरणिकाश्लीलार्थविषयकस्मृतिं प्रतिबध्नीयादेव तावत्कालपर्यन्तं वर्तमानः प्रतिबन्धकीभूतस्तात्पर्यनिर्णयः। अन्यथा प्रतिबद्धेतरार्थाया प्रथमशक्तिजन्या प्राकरणिकार्थोपस्थितिस्तस्यामेव द्वितीयावृत्तौ प्रथमशक्त्यैवाप्राकरणिकोऽश्लीलोऽप्यर्थः किमिति न विषयो भवेत्? तथात्वे च द्वितीयशक्तिस्वीकार एव किमर्थः? एवञ्च प्रतिबन्धकज्ञाने विद्यमाने प्रतिबन्धोऽभ्युपेय एवेति द्वितीयशक्त्यापि नेष्टसिद्धिसंभावना। तथा च शक्तेर्नानात्वमप्रामाणिकम्, प्रमाणिकत्वे वा तस्य, संकुचितस्थलविषयकत्वमेवेति भावः।

नानार्थक शब्दों में उन सभी अर्थों—जिनका उन शब्दों से बोध होता हो—की एकशक्ति है, इस मत के अनुसार ऊपर कही गई व्यञ्जनावृत्ति की आवश्यकतावाली बात ठीक हो सकती है, पर यदि उन अर्थों की पृथक्-पृथक् अनेक शक्ति नानार्थक पदों में है, यह मत माना जाय, तब तो अभिधावृत्ति से ही निर्वाह हो जाने से व्यञ्जना की आवश्यकता वहाँ नहीं होगी, इस तरह की शङ्का और उसका समाधान अब करते हैं—अथ इत्यादि से। तात्पर्य यह है कि नानार्थक शब्दों में अनेक अर्थनिरूपित अनेक अभिधाशक्ति को मान लेने पर 'सुरभि मांस खाता है' इत्यादि स्थल में तात्पर्य निर्णय से अप्राकरणिक गोमांसरूप अर्थ की उपस्थिति का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण, एक अभिधाशक्ति से प्राकरणिक सुगन्धित मांसरूप अर्थमात्र की उपस्थिति भले ही हो, पर उसके बाद द्वितीय अभिधाशक्ति से ही उस अप्राकरणिक गोमांसरूप अर्थ की उपस्थिति होगी, उक्त प्रतिबन्धक तो प्रथम उपस्थिति में उसे भासित होने से रोक कर कृतार्थ हो चुका अब उसमें प्रतिबन्ध का सामर्थ्य कहाँ? यह है शंका करनेवालों का अभिप्राय। उत्तर देनेवालों का आशय यह है कि—ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस द्वितीय शक्तिजन्य उपस्थितिकाल में भी उक्त प्रतिबन्ध जब वर्तमान है, तब वह प्रतिबन्ध अवश्य करेगा, द्वितीयशक्ति से भी अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति नहीं होने देगा। यह बात निर्मूलक है कि—एक बार प्रतिबन्ध कर लेने पर प्रतिबन्धक कृतार्थ हो जाता है अथवा उसका सामर्थ्य नष्ट हो जाता है, वस्तुतः प्रतिबन्धक जब तक रहता है, तब तक बार-बार प्रतिबन्ध करता ही रहता है। अन्यथा उक्त द्वितीय शक्ति की कल्पना की आवश्यकता ही क्या थी? प्रथम शक्ति से ही जो प्रथम प्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति होती है, उसी में द्वितीय बार अप्राकरणिक अर्थ भी क्यों नहीं भासित हो जायगा? प्रतिबन्ध तो आप के हिसाब से एक बार प्रतिबन्ध कर चुकने के कारण अपना सामर्थ्य खो चुका रहेगा। अतः प्रतिबन्धक के रहने पर प्रतिबन्ध मानना ही पड़ेगा, जिससे द्वितीय शक्ति से भी इष्टसिद्धि नहीं हो सकती, फिर यह द्वितीय शक्ति की कल्पना ही अप्रामाणिक है। यदि प्रामाणिक भी हो, तो यही कहना पड़ेगा कि यह कुछ विशेष स्थलों पर ही मान्य है, सर्वत्र नहीं।

ननूक्तप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावाङ्गीकारे व्यञ्जनिकाप्राकरणिकार्थविषयकोपस्थितेरपि कुतो न प्रतिबन्ध इत्याशङ्क्य समाधत्ते—

न च प्रकरणादिज्ञानस्य तादृशपदजन्यार्थोपस्थितिसामान्य एव प्रतिबन्धकत्वाद् व्यक्त्याऽपि कथमर्थान्तरोपस्थितिरिति वाच्यम्, धर्मिग्राहकमानेनाप्राकरणिकोपस्थापकतयैव तादृशव्यक्तेरुल्लासात्तज्जन्योपस्थितिं प्रत्येव प्रकरणादिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनात्। व्यक्तिज्ञानस्योत्तेजकत्वकल्पनाद्वा।

तादृशेति प्राकरणिकादिभिन्नेत्यर्थः। अर्थपदार्थान्वय्यर्थकं पदमेतत्। व्यक्त्येति व्यञ्जनयेत्यर्थः। अर्थान्तरेति अभिधावृत्त्यनुपस्थाप्यार्थेत्यर्थः। धर्मिग्राहकमानेनेति। धर्मी व्यञ्जना तद्ग्राहकं मानम् अनुभवसिद्धनानार्थस्थलीयाप्राकरणिकार्थविषयकोपस्थितिः, तद्रूपेण प्रमाणेनेत्यर्थः। तादृशेति अर्थान्तरोपस्थापकेत्यर्थः। तदजन्येति व्यञ्जनावृत्त्यजन्येत्यर्थः। विनिगमकाभावादाह—व्यक्तिज्ञानस्येत्यादि।

सामान्यतो नानार्थकपदजन्याप्राकरणिकार्थविषयकोपस्थितिं प्रति प्रकरणादिज्ञानस्य तज्जन्यतात्पर्यनिर्णयस्य वा प्रतिबन्धकत्वे व्यञ्जनयापि अप्राकरणिकार्थविषयकोपस्थितिर्न स्यादिति शङ्कायाः, धर्मिग्राहकमानेनोक्तप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावघटकप्रतिबध्यदले व्यञ्जनावृत्त्यजन्येति निवेशेन न वैयञ्जनिकोपस्थितिप्रतिबन्ध इति समाधानं बोध्यम्।

अथवा अस्तु सामान्य एव प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावः, मास्तु च व्यञ्जनावृत्त्यजन्यत्वनिवेशः, तथापीष्टसिद्धिः सम्भवतीत्याह—व्यक्तिज्ञानस्येत्यादि। अयं भावः—नानार्थकपदजन्याप्राकरणिकार्थोपस्थितिं प्रति तदर्थनिरूपितनानार्थकपदनिष्ठव्यञ्जनाज्ञानस्योत्तेजकत्वमङ्गीकृत्य तादृशोत्तेजकाभावविशिष्टोक्तप्रकरणादिज्ञानस्योक्तोपस्थितिं प्रति प्रतिबन्धकत्वं कल्पनीयम् इति।

अब उक्त प्रतिबन्धक, व्यञ्जनावृत्ति से होनेवाले अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति का प्रतिबन्ध क्यों नहीं करता इस शंका का समाधान करते हैं—न च इत्यादि से। यदि आप कहें कि प्रकरण आदि का ज्ञान अथवा तज्जन्य तात्पर्यनिर्णय, नानार्थक पद के प्राकरणिक से भिन्न सभी प्रकार के अर्थों की (अभिधाजन्य अथवा व्यञ्जनाजन्य) उपस्थितियों का प्रतिबन्धक है, फिर व्यञ्जना से भी उक्त अप्राकरणिक गोमांस आदि अर्थों की उपस्थिति कैसे होगी? तो, इसका उत्तर यह है कि जब वैसे स्थलों पर अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति कराने के लिये ही व्यञ्जनावृत्ति का उत्थान माना गया है, तब भी यदि व्यञ्जना से होनेवाली उपस्थिति को उक्त प्रतिबन्धक रोक ही दे, फिर तो व्यञ्जना का उत्थान ही व्यर्थ हो जाय, अतः व्यञ्जनावृत्ति से भिन्न वृत्ति (अभिधा आदि) के द्वारा होनेवाली अप्राकरणिकार्थविषयक उपस्थिति के प्रति ही प्रकरण आदि के ज्ञान आदि को प्रतिबन्धक मानना चाहिए। अथवा यदि आप सामान्यतः अप्राकरणिकार्थविषयक उपस्थिति मात्र के प्रति प्रकरणादिज्ञान को प्रतिबन्धक मानना चाहें, तो मानिये, पर व्यञ्जना ज्ञान को उत्तेजक मान लीजिये अर्थात् जैसे चन्द्रकान्तमणिरूप प्रतिबन्धक के रहने पर भी सूर्यकान्तमणिरूप उत्तेजक के बल से दाहरूप कार्य नहीं रुकता, उसी तरह उक्त प्रतिबन्धक के विद्यमान रहने पर भी व्यञ्जनाज्ञानरूप उत्तेजक की महिमा से अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति हो ही जायगी, रुकेगी नहीं। स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ कि उत्तेजकाभावविशिष्ट प्रकरणादिज्ञान को ही प्रतिबन्धक माना जायगा, जिससे व्यञ्जनाज्ञान के रहने पर उक्त अभाव-घटित प्रतिबन्धक का स्वरूप ही उपलब्ध नहीं होगा, फिर उपस्थिति को रोके कौन?

मम्मटस्योक्तविचारानुसारित्वं दर्शयति—

एतदेव सर्वमभिसन्धायोक्तम्—

'अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते।
संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिरञ्जनम्॥'

यन्त्रणमपरार्थोपस्थापनप्रतिबन्ध इति।

उक्तमिति । काव्यप्रकाशे मम्मटभट्टेनेति शेषः ।

अनेकार्थकस्य शब्दस्याभिधायां संयोगाद्यैर्नियन्त्रितायामन्यत्र वाच्यस्याप्यत्रावाच्यस्याप्राकरणिकार्थस्य धीः बोधः तत्कारकः व्यापारः अञ्जनम् व्यञ्जनेत्यर्थः । अनेकार्थकपदनिष्ठाभिधायाः संयोगादिकर्तृकनियन्त्रणञ्चात्रान्यार्थोपस्थापकत्वप्रतिबन्धरूपमवगन्तव्यम् ।

काव्यप्रकाशकार मम्मट ने जो अभिधामूलक व्यञ्जना का लक्षण किया है उसका आधार भी उक्त विचार ही है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनकी कारिका को उद्धृत करते हैं—एतदेव इत्यादि से । मम्मट ने काव्यप्रकाश में अभिधामूलक व्यञ्जना का लक्षण किया है 'संयोग आदि से अनेकार्थशब्दों की अभिधा (वाचकता) शक्ति के नियन्त्रित हो जाने पर, अन्यत्र वाच्य होने पर भी नियन्त्रण स्थल में अवाच्य बने हुए अर्थों की प्रतीति करानेवाले शब्दव्यापार का नाम अञ्जन (व्यञ्जना) है ।' नियन्त्रण का अर्थ यहाँ अप्राकरणिक अर्थों के उपस्थितीकरण का रुक जाना है । अर्थात् 'सुरभि मांस को खाता है' इत्यादि स्थल में प्रकरणज्ञान आदि प्रतिबन्धक जब गोमांसरूप अर्थ की उपस्थिति को रोक देता है, तब सुगन्धित मांसरूप अर्थ ही अभिधा से उपस्थित होकर अन्वयबोध का विषय होता है, अतः वही अर्थवाच्य कहलाता है, गोमांसरूप अर्थ तो पीछे व्यञ्जना से उपस्थित होकर बोध-विषय होता है, अतः वह शब्दशक्तिमूल व्यङ्ग्य कहलाता है और उसको उपस्थित करनेवाली शब्दशक्ति अभिधामूलक व्यञ्जना कहलाती है । इस तरह स्पष्ट है कि मम्मट ने उक्त सभी बातों का अनुसन्धान करके ही यह लक्षण बनाया है ।

नानार्थस्थलीयपदार्थोपस्थितिशाब्दबोधक्रमसंबंधिमतान्तरमाह—

अपरे त्वाहुः—नानार्थशब्दजशाब्दबुद्धौ तात्पर्यनिर्णयहेतुताया अवश्यकल्प्यत्वात् प्रथमं नानार्थशब्दादनेकार्थोपस्थानेऽपि प्रकरणादिभिस्तात्पर्यनिर्णयहेतुभिरुत्पादिते तस्मिन् यत्र तात्पर्यनिर्णयस्तस्यैवार्थस्यान्वयबुद्धिर्जायते, नान्यस्येति सरणावाश्रीयमाणायां नैकमात्रगोचरस्मृत्यपेक्षा, नाप्यपरार्थोपस्थानप्रतिबन्धकत्वकल्पनम् ।

प्रथममिति । तात्पर्यनिर्णयात्प्रागित्यर्थः । तस्मिन् इति । तात्पर्यनिर्णये । अयमत्र विशदार्थः—नानार्थकशब्दजन्यबोधं प्रति तात्पर्यनिर्णयस्य हेतुत्वमवश्यं कल्पनीयम्, अन्यथा 'हरि'रित्यादौ विष्णुविषयकबोधेच्छयोच्चरितत्वाभावज्ञाने अन्य (सिंहादि) बोधेच्छयोच्चरितत्वज्ञाने वा विष्णुविषयकबोधापत्तिः । न चेष्टोऽसौ बोध इति वाच्यम्, अनुभवविरोधात् । न च तत्र तादृशबोधवारणायोक्तज्ञानयोः प्रतिबन्धकत्वं कल्प्यमिति वाच्यम् , तदपेक्षया हरिपदजन्यविष्णुविषयकबोधं प्रति—'इदं हरिपदं विष्णुबोधेच्छयोच्चरितम्' इत्याकारकतात्पर्यग्रहस्य हेतुत्वकल्पने एव लाघवात् । एवं सिद्धे तात्पर्यनिर्णयस्य शाब्दबोधहेतुत्वे नानार्थकशब्दश्रवणानन्तरं संकेतज्ञस्य पुरुषस्य प्रथमं सर्वेऽर्था उपतिष्ठन्ते, ततस्तात्पर्यसंदेहो जायते ततश्च प्रकरणादिभिस्तात्पर्यनिर्णयकारणैस्तात्पर्यनिर्णयः समुत्पाद्यते, तदनन्तरं तात्पर्यविषयस्यैवार्थस्यान्वयबोधो भवति नान्यस्य, इत्थञ्च तात्पर्यविषयीभूतस्यैवार्थस्यान्वयबोधोपपत्त्यर्थं पूर्वकल्पे समाश्रिताया एकमात्रविषयस्मृतेर्नापेक्षा, नापि द्वितीयोपस्थितौ तात्पर्यविषयेतरार्थभानवारणाय तात्पर्यनिर्णयस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनापेक्षा इति ।

अब नानार्थक शब्दों से होनेवाले शाब्दबोध की रीति के सम्बन्ध में द्वितीय मत को उपस्थित करते हैं—अपरे तु इत्यादि से। अभिप्राय यह है कि कम से कम नानार्थक शब्द से होनेवाले शाब्दबोध के प्रति स्वतन्त्ररूप से तात्पर्य-निश्चय को कारण मानना आवश्यक है, अन्यथा जब श्रोता जानता रहता है कि वक्ता ने विष्णु का बोध कराने के लिए हरिपद का प्रयोग नहीं किया है, अथवा यही जानता रहता है कि वक्ता सिंह आदि (विष्णु से भिन्न) का बोध कराने की इच्छा से हरिपद बोला है, तब भी हरिपद श्रवण के बाद उस श्रोता को विष्णु का बोध हो जाना चाहिये, क्योकि शक्तिज्ञान आदि सभी (शाब्दबोध के) कारण जुटे ही हुए हैं। यदि आप कहें कि कौन कहता है कि उस स्थिति में विष्णु का बोध नहीं होता ?—होता ही है, तो यह तर्क मान्य होने योग्य नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में विष्णु का बोध नहीं होता ऐसा ही लोगों का अनुभव है, विष्णुविषयक बोध के प्रति 'यह हरिपद विष्णु का बोध कराने के लिए वक्ता से बोला गया है' इत्याकारक तात्पर्यनिश्चय को कारण मानने पर तो उक्त स्थिति में विष्णुविषयक बोध का न होना ठीक बनता है, क्योंकि अन्य कारणों के रहने पर भी उक्त तात्पर्य-निर्णयरूप कारण का उपस्थिति में अभाव है। इस तरह तात्पर्यनिश्चय की शाब्दबोध-हेतुता सिद्ध हो जाने पर पूर्व मत में जो प्राकरणिक अर्थमात्र की द्वितीय बार स्मृति मानी गई है, उसकी अपेक्षा नहीं रह जाती और न रहती है आवश्यकता, अप्राकरणिक अर्थों की उपस्थिति में प्रकरणादिज्ञान के प्रतिबन्धकत्व-कल्पना की, क्योंकि नानार्थक-शब्द-श्रवण के बाद उन सभी प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक, अर्थों—जिनकी शक्ति नानार्थक-शब्द में गृहीत है—की उपस्थिति (स्मृति) होगी, (यहाँ तक पूर्वमत में भी मान्य है) पर अन्वयबोध होगा उन उपस्थित अर्थों में केवल प्राकरणिक का ही, क्योंकि शाब्दबोध के कारणों में अन्यतम तात्पर्यनिर्णय उसीके अनुकूल है और यह अनुकूलता इसलिए है कि प्रकरणज्ञान ही तात्पर्य का निर्णायक होता है और प्रकरणज्ञान 'सुरभिमांस' इत्यादि स्थान पर सुगन्धित मांस के समान किसी एक ही अर्थ के विषय में रहता है यह तो स्पष्ट ही है। इस मत में पूर्वमत की अपेक्षा लाघव है क्योंकि अभिधाजन्य अप्राकरणिकार्थविषयक बोध-वारण के लिए पूर्व मत में प्रकरणज्ञान में अप्राकरणिकार्थोपस्थिति की प्रतिबन्धकता माननी पड़ती थी और प्राकरणिकार्थमात्रविषयक द्वितीय स्मृति स्वीकृत करनी पड़ती थी, इस मत में शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिश्चय को कारण मान लेने से उक्त बोध-वारण अन्यथा ही सिद्ध है, अतः उन दोनों में एक भी नहीं माननी पड़ती।

एतद्रीत्या शाब्दबोधोपपादनेऽपि व्यञ्जनावृत्तेरावश्यकत्वं दर्शयति—

एवं च प्रागुपदर्शितनानार्थस्थले प्रकरणादिज्ञानाधीनात्तात्पर्यनिर्णयात्प्राकरणिकार्थशाब्दबुद्धौ जातायामतात्पर्यविषयाऽपि शाब्दबुद्धिस्तस्मादेव शब्दाज्जायमाना कस्य व्यापारस्य साध्यतामवलम्बताम्, ऋते व्यञ्जनात्।

एवंचेति। प्रागुक्तरीत्या प्रथमं नानार्थशब्दादनेकार्थोपस्थानेऽपि तात्पर्यविषयार्थस्यैव शाब्दबोधविषयतासिद्धौ चेत्यर्थः।

प्रागुपदर्शितेत्यादि। 'सुरभिमांसं भक्षयती'त्यादावित्यर्थः। ऋते इति विनेत्यर्थः। तात्पर्यनिर्णयस्य शाब्दबोधे कारणत्वेन भोजनप्रकरणे शालकायुचरितात् 'सुरभिमांसं भक्षयती'ति वाक्यात् सौरभमयमांसभक्षणरूपस्यैवार्थस्य शक्त्यान्वयबोधः। चिकारयिषितश्च

तत्र वक्तुर्गोमांसभक्षणरूपार्थविषयको बोधोऽपि । स च शब्दशक्तिमूलव्यञ्जनाङ्गीकारमन्तरेण न साधयितुं शक्य इति भावः ।

इस द्वितीयमत के अनुसार भी व्यञ्जना की आवश्यकता दिखलाते हैं—एवं च इत्यादि से। इस तरह शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मान लेने पर 'सुरभि मांस को खाता है' इत्यादि नानार्थक शब्दस्थल में भोजनरूप प्रकरण के ज्ञान से 'यहाँ वक्ता ने सुगन्धित मांस का बोध कराने की इच्छा से सुरभिमांस पद का प्रयोग किया है' इत्याकारक वक्तृतात्पर्य के निर्णय हो जाने के बाद उस तात्पर्यविषयीभूत अर्थ का ही शाब्दबोध अभिधावृत्ति से होता है, अप्राकरणिक गोमांस का नहीं, और अनुभव कहता है कि वहाँ उस सुरभिमांस शब्द से ही अप्राकरणिक गोमांस का भी बोध होता है, फिर उसके बोध को सिद्ध करने के लिये व्यञ्जना के अतिरिक्त उपाय ही क्या है ? अर्थात् शाब्दबोध की इस द्वितीय रीति में भी नानार्थस्थल का अप्राकरणिक अर्थ शब्दशक्तिमूल व्यङ्ग्य का उदाहरण होता है ।

'सुरभिमांस'मित्यादौ गोमांसभक्षणरूपार्थविषयकबोधस्य शक्तिसाध्यत्वमर्थान्निरस्तमपि शब्दतो निरस्यति—

न च शक्तिसाध्या सेति वाच्यम्, तदधीनबोधं प्रति तात्पर्यनिर्णयस्य हेतुत्वात् ।

सेति । नानार्थकशब्दजन्यातात्पर्यविषयार्थबुद्धिरित्यर्थः । अन्यदत्रापेक्षितं वक्तव्यं पूर्वमुक्तमेव ।

नानार्थस्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधाशक्ति से नहीं हो सकता, यह बात अर्थतः पहले भी कही जा चुकी है, पर अब उसी बात को शब्दतः कहते हैं—न च इत्यादि से। नानार्थक शब्द से होनेवाला अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधावृत्ति से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभिधाजन्य बोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मान लिया गया है।

ननु व्यञ्जनयापि कथमतात्पर्यविषयार्थबोधः, वैयञ्जनिकबोधं प्रत्यपि तात्पर्यनिर्णयस्य हेतुताकल्पनादित्यत आह—

व्यक्त्यधीनबोधस्तु नावश्यं तात्पर्यज्ञानमपेक्षते ।

नावश्यमिति । नियमेन नेत्यर्थः । यत्रानेकव्यङ्ग्यसंभावना, तत्र तु वैयञ्जनिकबोधेऽपि तात्पर्यनिर्णयः कारणत्वेनापेक्षित एवेति भावः । अतात्पर्यार्थबोधसाधकतयैव धर्मिग्राहकमानसिद्धा व्यञ्जनेति तदधीनबोधसामान्ये तात्पर्यनिर्णयस्य हेतुत्वकल्पनं बाधपराहतमिति भावः बोधविशेषे तत्सम्भवतीत्यन्यदेतत् ।

यदि आप कहें कि नानार्थक स्थल में जब अप्राकरणिक अर्थ, वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं रहता, तब व्यञ्जना से उसका बोध कैसे सिद्ध किया जा सकता ? इसका उत्तर यह है कि हाँ, व्यञ्जना से उसका बोध सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि वैयञ्जनिक बोध के प्रति नियमतः तात्पर्यनिर्णय कारण नहीं है। नियमतः से मेरा मतलब यह है कि जहाँ अनेक व्यङ्ग्यों की सम्भावना हो, उनके बोध में भी तात्पर्य निर्णय को कारण माना जा सकता है। आप यहाँ यह भी पूछ सकते हैं कि सभी वैयञ्जनिक बोधों के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण क्यों नहीं माना जा सकता ? इसके उत्तर में मैं कहूँगा कि

जब उक्त स्थल में अतात्पर्यविषयीभूत अप्राकरणिक अर्थ के बोध कराने के लिये ही व्यञ्जना की कल्पना की गई है, तब उस तरह के बोध में तात्पर्यनिर्णय को कारण कैसे माना जा सकता है ?

अनुपदोक्तव्याख्याने 'संयोगो विप्रयोगश्चे'ति हरिकारिकायाः, 'अनेकार्थस्ये'ति मम्मटकारिकायाश्चासंगतिमापाद्य निराकरोति—

नन्वेकमात्रगोचरस्मृतेस्तच्छाब्दबुद्धावनपेक्षितत्वे 'विशेषस्मृतिहेतवः' इति प्राचां ग्रन्थः कथं संगच्छते ? कथं वा प्रकरणादिज्ञानस्यापरार्थोपस्थानप्रतिबन्धकत्वविरहे संयोगाद्यैरनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकताया नियन्त्रणोक्तिश्चेति चेत् ? इत्थम्—स्मृतिशब्दस्य निश्चयपरतया विशेषस्मृतिशब्देन विशेषविषयस्तात्पर्यनिर्णयो गृह्यते। संयोगाद्यैर्वाचकताया नियन्त्रणं चैकार्थमात्रविषयकतात्पर्यनिर्णयजननद्वारा शाब्दबोधानुकूलत्वम्। अवाच्यार्थोऽतात्पर्यार्थः। एवं च न ग्रन्थासंगतिरित्यपि वदन्ति।

उक्तिश्चेत्यस्य 'कथं संगच्छते' इत्यत्रानुषङ्गः। वदन्तीति। अन्ये इति भावः। पूर्वस्मिन कल्पे प्राकरणिकार्थमात्रविषयिणी द्वितीया स्मृतिः स्वीकृतेति तत्र 'विशेषस्मृतिहेतवः' इति हरिकारिकाग्रन्थः स्वरसतोऽनुकूलः। एवं तत्र कल्पे प्रकरणादिज्ञानस्यान्यार्थोपस्थितिप्रतिबन्धकत्वमास्थीयते इति तत्कल्पव्याख्यावसरे प्रदर्शितया रीत्या संयोगादिकर्तृकानेकार्थकशब्दनिष्ठवाचकतानियन्त्रणपरको मम्मटग्रन्थोऽपि सगतो भवति, परमस्मिन् द्वितीयकल्पे एकार्थमात्रविषयकस्मृतेरावश्यकता निरस्ता प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावोऽपि प्रत्याख्यात इति तयोर्ग्रन्थयोरेतद्रीत्या योजनं सम्भवतीति शङ्काशयः। अस्मिन् कल्पे हरिकारिकास्थस्मृतिशब्दस्य निश्चयपरत्वं व्याख्याय 'तात्पर्यसन्देहे संयोगादयः विशेषविषयकतात्पर्यनिर्णयहेतवो भवन्ति' इति। एवं 'संयोगाद्यैर्वाचकताया नियन्त्रण'मित्यस्य एकार्थमात्रविषयकतात्पर्यनिर्णयकरणेन शाब्दबोधानुकूलत्वमित्यर्थं विधाय तयोर्ग्रन्थयोर्योजनं सुखेन संभवतीति च समाधानाशयो बोध्यः।

अब उक्त द्वितीय मत में 'संयोगो विप्रयोगश्च' इत्यादि हरिकारिका तथा 'अनेकार्थस्य' इत्यादि सम्मटकारिका असंगत हो जायगी, इस पूर्वपक्ष का खण्डन करते हैं—ननु इत्यादि से। अभिप्राय यह है कि 'संयोगो विप्रयोगश्च' इत्यादि हरिकारिका का वह अंश—जिसमें कहा गया है कि ये सब (संयोग आदि) स्मृति विशेष के कारण होते हैं—प्रथम मत में संगत होता है, क्योंकि उस मत में प्राकरणिकार्थमात्रविषयक द्वितीय स्मृति मानी गई है। इसी तरह 'अनेकार्थस्य शब्दस्य' इत्यादि मम्मटोक्त कारिका में वर्णित वाचकता-नियन्त्रणवाली बात भी उस मत में ठीक जँचती है, क्योंकि उस मत में प्रकरणादि-ज्ञान को प्रतिबन्धक मानकर अप्राकरणिक अर्थ-स्मरण के रुकने की पद्धति अपनाई गई है। पर इस द्वितीय मत में तो उन दोनों कारिकाओं के वे अंश असंगत ही हो जायगें, क्योंकि इस मत में न एकार्थमात्रविषयक द्वितीय स्मरण माना गया है और न उक्त प्रतिबध्य-प्रतिबन्धकभाव की ही आवश्यकता समझी गई है। इस पूर्व पक्ष के खण्डन में यह बात कही गई है कि उक्त हरिकारिका में पठित 'स्मृति' शब्द का अर्थ है 'निश्चय' जिससे 'विशेपस्मृतिहेतवः' का अर्थ होता है—विशेषविषयक-तात्पर्यनिर्णय के कारण। अब द्वितीयमत में भी इस अंश की असंगति नहीं, होती, क्योंकि संयोग आदि के द्वारा

तात्पर्यनिर्णय की बात इस मत में भी मानी ही गई है। इसी तरह मम्मट की उक्त कारिका में आई हुई वाचकता-नियन्त्रणवाली बात का अभिप्राय है कि संयोगादिज्ञान से केवल एक अर्थविषयक तात्पर्यनिर्णय द्वारा अनेकार्थक शब्दनिष्ठवाचकताशक्ति का एकार्थमात्रविषयक शाब्दबोध के अनुकूल हो जाना। अब इस अर्थ की भी असंगति द्वितीय मत में नहीं होती, क्योंकि अभिधाजन्य शाब्दबोध को एकार्थमात्रविषयक मानलेने से इस मत में भी उक्त अनुकूलता की रक्षा हो जाती है। द्वितीयमत के अनुसार मम्मटोक्त कारिकाघटक 'अवाच्यार्थधी' में अवाच्यार्थ का अभिप्राय अतात्पर्यार्थ है,जो सर्वथा उपयुक्त है। क्योंकि, नानार्थस्थल में व्यङ्ग्य होनेवाला अप्राकरणिक अर्थ तात्पर्यविषय रहता ही नहीं है।

ननु वैयञ्जनिकबोधेऽपि पदज्ञानस्य कारणत्वेन शक्तिसाध्यप्राकरणिकार्थबोधानन्तरं तात्पर्यज्ञानात्मकपदज्ञानस्य नष्टत्वात् कथं व्यञ्जनयापि अप्राकरणिकार्थबोध इत्याशंक्य समाधत्ते—

अथ प्राकरणिकार्थबोधानन्तरं तादृशपदज्ञानस्योपरमात् कथं व्यक्तिवादिनाप्यर्थान्तरधीः सूपपादेति चेत्? नैवम्, प्रथमार्थप्रतीतेर्व्यापारस्य सत्त्वाददोष इत्येके। अर्थप्रतीतौ शक्यतावच्छेदकस्येव पदस्यापि विशेषणतया भानात्प्राथमिकशक्यार्थबोधस्यैव पदज्ञानत्वादित्यपरे। आवृत्त्या पदज्ञानं सुलभमित्यपि कश्चित्।

तादृशेति। तात्पर्यज्ञानात्मकेत्यर्थः। तस्यैव सन्निहितत्वादिति भावः। शंकादलस्याशयोऽवतरण एव स्फुटीकृतः। उत्तरदलाशयस्त्वेवमवगन्तव्यः—तात्पर्यज्ञानोत्तरं प्रथमं प्राकरणिकार्थस्य शक्त्या बोधस्ततो व्यञ्जनयाऽप्राकरणिकार्थस्येति क्रमे यद्यपि तृतीयक्षणभाविवैयञ्जनिकबोधावसरे क्षणिकं तात्पर्यज्ञानात्मकं पदज्ञानं विनष्टमिति सत्यम्, तथापि द्वितीयक्षणभावी शक्यार्थबोधरूपस्तदीयो व्यापारस्तृतीयक्षणे तिष्ठतीति तद्व्यापारात्मकसंबन्धेन तस्य सत्त्वान्न दोषावकाशः। इति एके प्रधाना इत्यर्थः। अथवा 'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥' इति हर्युक्तदिशा पदजन्यार्थबोधे शक्यतावच्छेदकमिव पदमपि विशेषणतया भासते। तथा च व्यङ्ग्यार्थबोधात् पूर्वक्षणे यः शक्यार्थबोधो भवेत्, तस्मिन् पदमपि भासेत इति अयत्नसिद्धं पदज्ञानमिति भावः। इति अपरे मतान्तरवादिन इत्यर्थः। कश्चित् नानार्थकं पदमावर्त्य पदज्ञानमुपपादयति। परस्मिन् 'कश्चिदि'त्यनेनारुचिः सूचिता। तद्बीजं तु कार्यस्यान्यथाप्युपपत्तौ व्यर्थमावृत्त्यात्मकं गौरवमिति बोध्यम्।

पदज्ञान को जिस तरह अभिधाजन्य बोध के प्रति कारण माना जाता है, उसी तरह व्यञ्जनाजन्य बोध के प्रति भी, फिर इस द्वितीय मत में व्यञ्जना से अप्राकरणिक अर्थ का बोध कैसे होगा, क्योंकि पदज्ञानरूप कारण नहीं है? इसका समाधान करते हैं— अथ इत्यादि से। इस द्वितीय मत में, सर्वप्रथम पद का श्रवणात्मकज्ञान, तदनन्तर पदार्थोपस्थिति, तदुत्तर तात्पर्यनिर्णय, तदुत्तर अभिधाजन्य प्राकरणिक अर्थ का शाब्दबोध, तदनन्तर व्यञ्जनावृत्तिजन्य अप्राकरणिक अर्थ का बोध होता है यही तो क्रम है। इस क्रम में शङ्का होती है कि प्रथम पदज्ञान दो क्षण तक रह कर तृतीय तात्पर्यनिर्णयक्षण में विनष्ट हो जायगा, एवं पदज्ञानरूप मान लिया गया तात्पर्यनिर्णय भी अभिधाजन्य

प्राकरणिकार्थबोधोत्तर क्षण में विरत हो जायगा, फिर वैयञ्जनिक बोधक्षण में पदज्ञान नहीं रह सकता, अतः व्यञ्जना से भी अप्राकरणिक अर्थ का बोध कैसे होगा? इसका प्रधानाचार्यों के मत से समाधान यह है कि तात्पर्यनिर्णय के जिस तृतीयक्षण में वैयञ्जनिक बोध होता है, उस क्षण में यद्यपि सीधे तरीके से तात्पर्यनिर्णय नहीं हो पाता, यह बात ठीक है, तथापि द्वितीय क्षण में जो अभिधाजन्यबोध होता है, वह अन्त में तात्पर्यनिर्णय का व्यापार होता है और वह व्यापार तृतीय वैयञ्जनिक बोधक्षण में भी रहता है, जिस (संबन्ध) के द्वारा उक्त तात्पर्यनिर्णय भी तृतीयक्षण में रहेगा, अतः उक्त आपत्ति नहीं दी जासकती है। अन्य विद्वानों का मत है कि शाब्दबोध में जिस तरह शक्यतावच्छेदक (अर्थगतधर्म) भासित होता है, उसी तरह शक्यांश के विशेषणरूप से पद भी भासित होते हैं, अत एव भर्तृहरि ने कहा है—'न सोऽस्ति···' इत्यादि । (पूरी कारिका संस्कृत टीका में देखिये) अर्थात्—'ऐसा कोई अर्थबोध जगत में नहीं है, जिसके पीछे शब्द नहीं है। प्रायः सभी अर्थबोध शब्दों से मिश्रित ही होते हैं।' अतः वैयञ्जनिक बोध से पूर्वक्षण में होनेवाला अभिधाजन्य बोध ही पदज्ञानरूप होता है। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि नानार्थक पद की आवृत्ति द्वारा पदज्ञान को सुकर बना लिया जायगा।

प्राचीनमतमुपसंहरति—

तदित्थं नानार्थस्थलेऽनुरणनीयं व्यञ्जनं शब्दशक्तिमूलम् , शब्दस्य परिवृत्त्यसहत्वादिति ध्वनिकारानुयायिनो वर्णयन्ति।

तदिति। तत् तस्मात् पूर्वोक्तव्याख्यानादित्यर्थः। इत्थम् पूर्वोक्तप्रकारेण। अनुरणनीयम् संलक्ष्यक्रमम्। व्यञ्जनम् ध्वनिम्। शब्दस्य परिवृत्त्यसहत्वादिति शब्दशक्तिमूलत्वे हेतुः। पर्यायान्तरेणाऽबोधनादिति तदर्थः। ध्वनिकारः आनन्दवर्धनो ध्वन्यालोकप्रणेता, तदनुयायिनो मम्मटभट्टादयः। शब्दशक्तिमूलस्य संलक्ष्यक्रमभेदस्य ध्वनेर्लक्ष्यं नानार्थस्थलीयाप्राकरणिकार्थ इति सारांशः।

अब प्राचीन मत का उपसंहार करते हैं—तदित्थम् इत्यादि से। इस तरह नानार्थकशब्द स्थल में जो अप्राकरणिक अर्थ व्यङ्ग्य होता है, वह अनुरणनीय और शब्दशक्तिमूलक कहा जाता है। अनुरणनीय उसे इसलिये कहा जाता है कि किस तरह मन्दिर आदि में एक बार किसी वाद्य के शब्द होने पर बाद में भी उस शब्द की प्रतिध्वनि होती रहती है और उस ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के मध्य में रहनेवाला अन्तराल स्पष्ट लक्षित होता है, उसी तरह कारणरूप वाच्यार्थज्ञान के बाद जिस वस्तु एवम् अलंकाररूप व्यङ्ग्य का ज्ञान होता है, उन दोनों के बीच का व्यवधान स्पष्ट प्रतीत होता है। इस प्रकार के व्यङ्ग्य को संलक्ष्य क्रम भी कहा जाता है। शब्दशक्तिमूलक उसे इसलिए कहते हैं कि उसके मूल में काम करने वाली व्यञ्जना शब्दनिष्ठ है। यहाँ शब्दशक्ति से अभिधा का ग्रहण उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि यहाँ शक्ति का अर्थ अभिधा किया जाय तो 'अर्थशक्तिमूल' जहाँ कहा जाता है, वहाँ शक्ति का अर्थ क्या करेंगे? अतः मेरे विचार से इन दोनों जगहों पर शक्ति का अर्थ व्यञ्जना ही करना चाहिये। यदि आप कहें कि जहाँ शाब्दी व्यञ्जना मानी जाती है, वहाँ अर्थ भी तो रहता ही है, फिर उस व्यञ्जना को अर्थनिष्ठ ही क्यों नहीं माना जाय? इसका उत्तर यह है कि ऐसे स्थलों पर शब्द ऐसे रहते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता अर्थात् 'सुरभिमांस' इत्यादि

स्थल में सुरभि आदि शब्दों के स्थान में तत्पर्याय सुगन्धि अथवा 'गो' पद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वे दोनों पद नानार्थक नहीं हैं, अतः मानना पड़ेगा कि शब्द की महिमा से ही वहाँ व्यङ्ग्य हुआ है। जहाँ ऐसे व्यङ्ग्य रहते हैं, जो व्यञ्जक पद के स्थान में पर्यायान्तर के प्रयोग करने पर भी हो सकें, वहाँ मानना पड़ता है कि अर्थ की महिमा व्यङ्ग्य करने में सहायक है, अतः वैसे स्थलों में व्यञ्जना को अर्थनिष्ठ मानकर अर्थशक्ति-मूल का व्यवहार होता है। इस प्रकरण में ऊपर दिखाये गये विचार ध्वनिकार आनन्दवर्धन के अनुयायी मम्मट आदि के हैं।

अस्मिन् प्रसङ्गे ग्रन्थकारः स्वमतमुपदर्शयितुं पूर्वोक्तं मतद्वयं खण्डयति—

अन्ये त्वत्र प्रत्यवतिष्ठन्ते। यत्तावदुक्तमेकार्थमात्रविषया पदार्थोपस्थिति-स्तदन्वयबोधेऽपेक्ष्यत इति तदसारम्। नानार्थादर्थद्वयोपस्थितावपि प्रकरणादि-ज्ञानाधीनतात्पर्यमहिम्नैव विवक्षितार्थशाब्दबोधोपपत्तेः, एकार्थमात्रोपस्थित्य-पेक्षायां मानाभावात् अपरार्थोपस्थापकसामग्र्याः पदज्ञानस्य सत्त्वेन तदुप-स्थितेरप्यौचित्याच्च।

अत्रेति। अनुपदोक्तमतद्वये इत्यर्थः। प्रत्यवतिष्ठन्ते इति। विरुद्धं प्रतिपादयन्तीति तात्पर्यम्। तत्राद्यमते आह—यत्तावदिति। अयं भावः—नानार्थकपदाच्छक्त्या प्राकरणि-कार्थस्यैवान्वयबोधो भवति नान्यस्येत्यनुभवसिद्धं वस्तु। तत्रान्यस्यान्वयबोधः कुतो न भवतीति जिज्ञासायां 'तत्र केचिदाहुः' इत्यादिनोक्ते प्रथममते तात्पर्यनिर्णयोत्तरमेकार्थमात्रवि-षयिणी द्वितीयोपस्थितिर्भवतीत्युक्तम्। तथा चान्यार्थस्यानुपस्थितत्वान्न तदन्वयबोध इति तदभिप्रायः। परमेतन्न युक्तम्, अनेकार्थोपस्थितावपि शाब्दबोधकारणीभूतेन प्रकरणादिज्ञान-जन्यतात्पर्यनिर्णयेनैवाभीष्टैकार्थमात्रविषयकशाब्दबोधोपपत्तौ एकार्थमात्रविषयकद्वितीयोपस्थिते-रनावश्यकत्वात् इति। ननु द्वितीयोपस्थितावेव तात्पर्यज्ञानस्योपयोग इति द्वितीयोपस्थितिः एकार्थमात्रविषयावश्यकीत्यत आह—अपरेति। तदुपस्थितेरपीति। अपरार्थोपस्थितेर-पीत्यर्थः। द्वितीयोपस्थितिस्तुष्यद्दुर्जनन्यायेनास्थितापि संकेतितनानार्थविषयिकैव स्यात्, नैकार्थमात्रविषया सकलार्थोपस्थापकसामग्रीभूतस्य पदज्ञानस्य विद्यमानत्वादिति भावः।

अब ग्रन्थकार प्रकृतप्रसङ्ग में अपना मत बतलाने के लिये पहले पूर्वोक्त दोनों मतों का खण्डन करते हैं—अन्ये तु इत्यादि से। प्रथम मत में कहा गया है कि नानार्थस्थल में प्राकरणिक अर्थ के बोध को सिद्ध करने के लिये तदर्थमात्र की उपस्थिति अपेक्षित है, अतः प्रथम बार सकल अर्थों की उपस्थिति होने पर भी द्वितीय बार पृथक् प्राकरणिक अर्थमात्र की उपस्थिति माननी चाहिये। परन्तु यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य—प्राकरणिक अर्थमात्र का अन्वय बोध हो, अप्राकरणिक अर्थ का नहीं—की सिद्धि के लिये आपका वह प्रयास है, उसकी पूर्त्ति नानार्थकशब्दजन्य शाब्दबोध के प्रति प्रकरणादि-ज्ञानाधीन तात्पर्यनिर्णय को कारण मान लेने से हो जाती है, अर्थात् प्रकरण आदि के ज्ञान से होने वाला तात्पर्यनिर्णय प्राकरणिक अर्थबोध को ही उत्पन्न करेगा, अप्राकरणिक अर्थबोध को नहीं, फिर इसके लिये एक अर्थमात्रविषयक द्वितीय उपस्थिति की अपेक्षा करने में कोई प्रमाण नहीं रह जाता। दूसरी बात यह है कि यदि आपके सन्तोष के लिये द्वितीय उपस्थिति मान ली जाय, तब भी वह द्वितीय उपस्थिति एक अर्थ-विषयक ही होगी सकल अर्थ-विषयक नहीं किन्तु यह असंभव है, क्योंकि सकल

अर्थ की उपस्थिति करानेवाली पदज्ञान आदि सामग्री वर्तमान है। ऐसी स्थिति में द्वितीय उपस्थिति को स्वीकृत कर लेने पर भी अप्राकरणिक अर्थ का अन्वयबोध तभी रुकेगा, जब तात्पर्यनिर्णय को नानार्थक पदजन्यशब्दबोध के प्रति कारण माना जायगा। फिर तो द्वितीय उपस्थितिवाली बात निस्सार ही सिद्ध होती है।

सामग्रीविघटनमाशंक्य समाधत्ते—

न च प्रकरणादिज्ञानं तदधीनतात्पर्यज्ञानं वा परार्थोपस्थाने प्रतिबन्धकमिति शक्यं वक्तुम्। संस्कारतदुद्बोधकयोः सत्त्वे स्मृतेः प्रतिबन्धस्य क्वाप्यदृष्टत्वात्।

पदज्ञानात्मकसामग्र्याः सत्त्वेन द्वितीयोपस्थितिरपि नानार्थविषयिकैव स्यादिति यदुक्तम्, तन्न, सामग्रीघटकप्रतिबन्धकाभावरूपसामान्यकारणविरहात्, किमत्र प्रतिबन्धकमिति चेत्? प्रकरणादिज्ञानम्, तदधीनतात्पर्यज्ञानं वा वस्तुतस्तात्पर्यज्ञानमेवेति शंकायां समाधानमाह—संस्कारेति। अनुभवजन्यः संस्कारस्तदुद्बोधकश्चेत्येतद्द्वये विद्यमाने स्मृतिर्भवत्येव, तादृशस्थितौ तत्प्रतिबन्धः सकलतन्त्रविरुद्धः। एवञ्च प्रकृते प्राकरणिकार्थस्येवाप्राकरणिकार्थस्यापि संकेतग्रहसमयेऽनुभवो जात एव, तज्जन्यः संस्कारश्च समान एव प्राकरणिकाप्राकणिकयोरर्थयोः सुरक्षितः श्रोतुरात्मनि सम्प्रति पदज्ञानमुद्बोधकमपि तुल्यमेवेति प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरुपस्थितिर्दुर्वारैवेति भावः।

यदि आप कहें कि नानार्थकस्थल में अप्राकरणिक अर्थ के अन्वयबोधन होने में तात्पर्यनिर्णय का नानार्थकशब्दजन्य शाब्दबोध के प्रति कारण होना हेतु नहीं है, किन्तु एकार्थमात्रविषयक द्वितीय पदार्थस्मरण ही है, अर्थात् द्वितीय पदार्थस्मरण, प्राकरणिकार्थमात्र विषयक ही होता है, अतएव अनुपस्थित अप्राकरणिक अर्थ का अन्वयबोध नहीं होता, और द्वितीय पदार्थस्मरण में पदज्ञान आदि सामग्री के रहने पर भी अप्राकरणिक अर्थों का विषय नहीं होने का रहस्य यह है कि प्रकरण आदि का ज्ञान अथवा तदधीन तात्पर्यनिर्णय, अप्राकरणिक अर्थविषयकस्मरण में प्रतिबन्धक है। किन्तु, यह कथन भी संगत नहीं, क्योंकि अनुभवजन्य संस्कार और उस संस्कार के उद्बोधक सामग्री के रहने पर भी स्मरण रुक गया हो, ऐसी बात कहीं देखी नहीं गई। अर्थात् जब शक्तिज्ञान के अवसर पर प्राकरणिक अप्राकरणिक सभी अर्थों का अनुभव हो चुका है, तज्जन्यसंस्कार आत्मा में सुरक्षित है, तब पदज्ञानरूप उद्बोधक के जुटने पर उन सभी अर्थों का स्मरण नहीं हो, किन्तु एक ही अर्थ का स्मरण हो यह कैसे संभव है? कहने का सारांश यह है कि अपेक्षित कारण के समवधान में स्मरण नहीं रुकता है, उक्त प्रतिबन्धक की बात भ्रामक है।

अन्यत्रादृष्टस्यापि स्मृतिप्रतिबन्धस्यात्रैवाङ्गीकारे का बाधेत्याक्षिप्य निरस्यति—

अत्रैव स्मृतावयं प्रतिबध्य-प्रतिबन्धकभावः कल्प्यते, न स्मृत्यन्तरे इत्यप्यहृदयङ्गमम्, तादृशकल्पनाया निष्फलत्वात्, अनुभवविरुद्धत्वाच्च।

अयं भावः—सफला चेन्नवीनापि कल्पना संभवति, परमियं स्मृत्यन्तरे अदृष्टा केवलं नानार्थकस्मृतौ क्रियमाणा नूतना प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावकल्पना तु निष्फलेति न संभवत्येव सा। कुत अस्याः कल्पनाया निष्फलत्वमिति चेत्? तत्कल्पनाद्वारा साधनीयस्य प्राकरणिकार्थमात्रविषयकबोधस्य तां विनापि शाब्दबोधतात्पर्यनिर्णययोर्नियतेन कार्यकारणभावेनैव

सिद्धत्वादिति बोध्यम् । उपायस्योपायान्तरादूषकत्वात् सा कल्पनापि नानुचितेत्यत आह—अनुभवेति । इयं कल्पना अनुभवविरुद्धापीति भावः ।

यदि आप कहें कि अन्यत्र स्मरण का प्रतिबन्ध नहीं देखा गया है, तो भले ही न देखा गया हो, हम नानार्थक शब्दस्थलीय स्मरण के विषय में ही उक्त प्रतिबन्धक की कल्पना करते हैं? परन्तु यह भी मन में प्रतीत होने योग्य बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कल्पना करने में कोई खास फल नहीं है, अर्थात् इस कल्पना के द्वारा आप नानार्थक पद से प्राकरणिक अर्थमात्र का बोध हो, यही तो सिद्ध करना चाहते हैं, किन्तु वह नानार्थक पदजन्य शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय का कारण अवश्य मानना पड़ेगा, अन्यथा निर्वाह है ही नहीं यह कह कर पहले उसके बिना भी सिद्ध किया जा चुका है । दूसरा कारण यह है कि स्मृति-प्रतिबन्धवाली बात अनुभव से भी विरुद्ध है ।

अनुभवविरोधं दर्शयति—

तथा हि नानार्थशक्तिविषयकदृढसंस्कारशालिनां प्रकरणज्ञानवतामपि पयो-रमणीयमित्यादेर्वाक्यात्प्रथममर्थद्वयोपस्थितिरनुभवसिद्धा । अत एव पयोरमणीयमित्यादिवाक्यमकस्मादाकर्णितवद्भिः प्रकरणाद्यभिज्ञैरप्रकरणज्ञाः पांसुरपादा वक्तुस्तात्पर्यं बोध्यन्ते, नूनमस्य दुग्धे तात्पर्यं शब्दस्य, न तु जल इति । यदि च प्रकरणादिज्ञानं नानार्थशब्दाज्जायमानामप्राकरणिकार्थोपस्थितिं प्रति बध्नीयात्तत्कथमेते तदानीमनुपस्थितजलाः प्रकरणज्ञा जलतात्पर्यं निषेधेयुरित्यहृदयङ्गम एवायमप्राकरणिकार्थोपस्थापनप्रतिबन्धकभावः प्रकरणादिज्ञानस्य ।

दृढसंस्कार इति । संस्कारे दृढत्वञ्च परिपक्वानुभवजन्यत्वम् , तेनापरिपक्वानुभवजन्यादृढसंस्कारवतां पयोरमणीयमित्यादिवाक्यात्कस्यचिदेकस्यैवार्थस्योपस्थितावपि न क्षतिः । अत एवेति । नानार्थशब्दात्प्रकरणज्ञानमपि अर्थद्वयोपस्थितेरनुभवसिद्धत्वादेवेत्यर्थः । विपक्षे बाधकमुपदर्शयति—यदि चेति । अनुपस्थितजला इति हेतुगर्भं विशेषणम् । तदुपस्थितेरभावादिति भावः । अहृदयंगम इति अमनोरम इत्यर्थः, अनुचित इति भावः । अयमिह सारांशः—पय आदिनानार्थके शब्दे दुग्धजलोभयार्थनिरूपितः साधीयान् शक्तिग्रहो येषां जातः, तेषामात्मनि तच्छक्तिविषयः संस्कारोऽपि सुदृढः समुत्पन्नः, अतस्ते पयोरमणीयमिति वाक्यमाकर्ण्य नूनमेव दुग्धजलात्मकमुभयं वाच्यार्थं स्मरन्ति दुग्धप्रकरणज्ञाने विद्यमानेऽपि । अन्यथा श्रुतोक्तवाक्येन दुग्धप्रकरणज्ञानशालिना केनापि विदग्धेन कृतः, उक्तवाक्यं शृण्वतस्तत्कालागतान् अत एवाप्रकरणज्ञान् प्रति 'पयः-पदस्यात्र दुग्धे तात्पर्यं न तु जले' इति वक्तृतात्पर्यबोधनावसरे, जलतात्पर्यनिषेधोऽसंगतो भवेत् , भवन्मतानुसारं दुग्धप्रकरणज्ञानेन जलोपस्थिते प्रतिबन्धे प्रकरणज्ञस्य निषेद्धुरात्मनि जलस्यानुपस्थितत्वात् अप्राप्तस्य च निषेधासंभवात् । मन्मते तु सर्वं समञ्जसम् , सकलार्थोपस्थितेः समर्थितत्वात् ।

उक्त अनुभव विरोध का स्पष्टीकरण करते हैं—तथाहि इत्यादि से । जिनको नानार्थक स्थल में विविध अर्थनिरूपित शक्तिज्ञान ही कुछ ऐसा अधूरा हुआ है कि संस्कार दृढ़ नहीं हो सका, उनको यदि नानार्थक पद श्रवण के बाद सभी अर्थों का स्मरण नहीं होता, तो यह दूसरी बात हुई, पर जिनको नाना अर्थ (जल दूध रूप)

निरूपित शक्ति का ठोस ज्ञान हुआ है, एवं उस शक्ति का संस्कार भी सुदृढ़ है, उनके सामने जब कोई 'पय रमणीय है' ऐसा वाक्य बोलता है, तब उन्हें प्रकरणज्ञान रहने पर भी उक्त वाक्य से दूध और जल दोनों अर्थों का स्मरण होता है, यह एक अनुभव-सिद्ध विषय है। अतएव अकस्मात् उक्त वाक्य को सुननेवाले नवागत अप्रकरणज्ञ व्यक्तियों को वे प्रकरणज्ञ स्थायी श्रोता, वक्ता के तात्पर्य को समझाते हुए कहते हैं कि 'पय' पद का प्रयोग करनेवाले वक्ता का तात्पर्य दूध में है, जल में नहीं। यदि आप के कथनानुसार प्रकरणज्ञान नानार्थक शब्द से होनेवाले अप्राकरणिक कार्यविषयक स्मरण को रोक दे, तो उक्त स्थायी श्रोता को स्वयं जल का स्मरण नहीं होगा, फिर दूसरे को समझाते समय वह 'जल में वक्ता का तात्पर्य नहीं है, यह निषेध भी कैसे करेगा? अर्थात् अप्राप्त का निषेध नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरणादिज्ञान को अप्राकरणिकार्थोपस्थिति का प्रतिबन्धक मानना उचित नहीं।

तात्पर्यनिर्णयशाब्दबोधयोः कार्यकारणभावस्य समर्थकं द्वितीयं मतमनूद्य खण्डयति—

यदप्युच्यते प्रकरणादिज्ञानात्प्राकरणिकेऽर्थे तात्पर्यविषयतया निर्णीते तदीयशाब्दबोधानन्तरमतात्पर्यविषयीभूतार्थबोधो जायमानो व्यञ्जनव्यापारसाध्य इति। तत्र किमयं नानार्थस्थले सर्वत्रैव व्यञ्जनोल्लासः, आहोस्वित्क्वचिदेवेति सम्मतम्? नाद्यः। प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोः शाब्दबुद्धौ सर्वत्राभ्युपगम्यमानायां तात्पर्यज्ञानकारणतायाः कल्पनस्य नैरर्थक्यापत्तेः।

तदर्थविषयकशाब्दबोधं प्रति तदर्थविषयकतात्पर्यनिर्णयस्य हेतुत्वेन 'सैन्धवमानये'-त्यादिनानार्थस्थले प्रकरणज्ञानेन सैन्धवपदस्य लवणरूपार्थे तात्पर्यनिर्णयात् तस्यैवार्थस्य शक्त्या शाब्दबोधो नाश्वस्य। एवञ्च यदि क्वचित् अश्वबोधोऽप्यभिप्रेतोऽनुभवसिद्धश्च, तदा तत्र स बोधोऽन्यथाऽनुपपन्न इति तदर्थं व्यञ्जनाव्यापारस्वीकार इति यदुक्तं प्राक्, तत्र विचार्यते—तत्र किमयमित्यादिना। अयंभावः—भवदुक्तेऽस्मिन् प्रकारे द्वौ कल्पौ संभवतः, नानार्थकस्थले सर्वत्र व्यञ्जनावृत्तिस्वीकार इत्येकः, क्वचिदेव तत्स्वीकार इति द्वितीयः, तयोर्मध्ये प्रथमो न युक्तः, सर्वत्र व्यञ्जनाङ्गीकारे प्राकरणिकस्य शक्त्या, अप्राकरणिकस्य चार्थस्य व्यञ्जनया सर्वत्रैव बोधोऽङ्गीकृतः स्यात्, तथात्वे च शाब्दबोधे तात्पर्यनिर्णयस्य कारणताकल्पनं व्यर्थमेव भवेत्, तद्धि नानार्थकस्थलेऽप्राकरणिकार्थबोधवारणाय स्वीक्रियते, एवञ्च वैयञ्जनिकाप्राकरणिकार्थबोधस्य सार्वत्रिकत्वे तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव।

अब द्वितीय मत का खण्डन करते हैं—यदप्युच्यते इत्यादि से। द्वितीय मत में जो यह कहा गया है कि प्रकरण आदि के ज्ञान से प्राकरणिक अर्थ में वक्ता के तात्पर्य का निर्णय होता है, तदनन्तर तात्पर्यनिर्णयरूप कारण की सहायता से अभिधाजन्य अन्वयबोध केवल प्राकरणिक अर्थ का होता है, उसके बाद होनेवाला अप्राकरणिक अर्थ व्यञ्जना से होता है। उसमें प्रश्न यह होता है कि नानार्थकस्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध कराने के लिए सर्वत्र व्यञ्जना का प्रादुर्भाव मानते हैं, या कतिपय स्थानविशेष में ही? प्रथम पक्ष संगत नहीं हो सकता, क्यों कि जब व्यञ्जना से सर्वत्र नानार्थक शब्दस्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध आप मान ही लेते हैं, तब तात्पर्यनिर्णय को नानार्थक शब्दजन्य अभिधा द्वारा अन्वयबोध के प्रति कारण मानना व्यर्थ हो जाता है। अर्थात् पहले तात्पर्य निर्णय को कारण मानकर अभिधा से अप्राकरणिक अर्थ के बोध को रोक देते हैं, और पीछे फिर सर्वत्र व्यञ्जना से उसी अप्राकरणिक अर्थ का बोध मान लेते हैं, इसमें कौन

सी बुद्धिमत्ता सिद्ध होती है ? इससे तो कहीं अच्छा है कि तात्पर्यनिर्णय को कारण न माने और अभिधा से ही अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध मान लें।

शाब्दबोधे तात्पर्यनिर्णयकारणतायाः सार्थक्यमाशंक्यते—

न च शक्तिजबोधे सा कल्प्यते, व्यक्तिजबोधस्तु तात्पर्यज्ञानं विनापि भवतीति तत्स्थाने शक्तिजबोधवारणाय तत्कल्पनमिति वाच्यम्;

शक्तिजबोधः अभिधाजन्यशाब्दबोधः। नानार्थस्थले इति शेषः। व्यक्तिजबोधः व्यञ्जनावृत्तिजन्यशाब्दबोधः। तत्स्थाने व्यञ्जनावृत्तिजन्यबोधस्थाने। तत्कल्पनम् तात्पर्यज्ञान कारणताकल्पनम्। शक्तिजन्यबोधे तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वं कल्प्यते। एवञ्च नानार्थकशब्द-स्थले शक्त्या अप्राकरणिकार्थबोधो न जायत इति सफलं तत्कल्पनम्, व्यञ्जनाजन्यबोधे तन्न कल्प्यत इति व्यञ्जनया स जायत एवेत्यन्यदेतत् इति शङ्काशयः।

शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मानने में पूर्वपक्षीय युक्ति का अनुवाद करते हैं—'नच' इत्यादि से। यदि आप कहें कि अभिधाजन्य बोध के प्रति तात्पर्य निर्णय को कारण मानते हैं, और व्यञ्जनाजन्य बोध के प्रति तो नहीं, ऐसी स्थिति में नानार्थक-शब्द से अप्राकरणिक अर्थ का अभिधा द्वारा बोध न हो, किन्तु वैयञ्जनिक तो होगा ही, इसलिए तात्पर्यनिर्णय को कारण मानना चाहिए।

समाधत्ते—

अतात्पर्यार्थबोधस्य सार्वत्रिकत्वे तस्य शक्तिजतायामपि बाधकाभावात्।

अप्राकरणिकार्थबोधनिरोध एव तात्पर्यज्ञानकारणताकल्पनस्योद्देश्यम्। एवञ्च यदि क्वचिदपि प्राकरणिकार्थबोधो नाभविष्यत्, तदैव तत्कल्पनं सार्थकमभविष्यत्, व्यञ्जनया सर्वत्र तद्बोधाङ्गीकारे तु मुधैव तत। अर्थात् अप्राकरणिकार्थबोधश्चेत् सर्वत्र जायत एव, तर्हि स शक्त्या जायताम्, व्यञ्जनया वा, न कोऽपि विशेष इति शक्तिजन्यतद्बोध एव सर्वत्राङ्गी-क्रियताम्, तथाङ्गीकारे च तात्पर्यज्ञानकारणतायाः व्यञ्जनायाश्चानावश्यकतया तदकल्पन-प्रयुक्तलाघवं करतलामलकायितमेवेति समाधानस्याभिप्रायो विज्ञेयः।

अब उक्त युक्ति का खण्डन करते हैं—अतात्पर्य इत्यादि से। उक्त युक्ति भी आप की सङ्गत नहीं है, क्योंकि जब आप तात्पर्यार्थ से भिन्न अप्राकरणिकार्थ का भी सर्वत्र बोध मानते ही हैं, तब उसको अभिधाजन्य ही मान लेने में क्या आपत्ति है? अर्थात् नानार्थक-स्थल में जब सर्वत्र अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध आपको अभिमत ही है, तब वह अभिधा से हो अथवा व्यञ्जना से हो दोनों बराबर हैं।

पुनः प्रकारान्तरेण तात्पर्यज्ञानकारणताकल्पनायाः साफल्यमाशंक्यते—

अथ नानार्थशब्दादर्थद्वयोपस्थितौ सत्यां प्रकरणादिना सत्येकस्मिन्नर्थे तात्पर्यनिर्णये तस्यैवार्थस्य प्रथमं शाब्दबुद्धिर्जायते, नापरार्थस्येति नियम-रक्षणाय शक्तिजतदर्थशाब्दबुद्धौ तदर्थतात्पर्यज्ञानं हेतुरिष्यते। अन्यथा तात्पर्य-विषयतयानिर्णीतस्यार्थस्येवातथाभूतस्यापरस्याप्यर्थस्य प्रथमं शाब्दधीः स्यात्। अनन्तरं तु तात्पर्यविषयार्थबोधादतात्पर्यविषयार्थविषयापि शाब्दधीरिष्यत इति तज्जन्यतावच्छेदककोटौ शक्तिजत्वं निवेश्यत इति चेत्?

नानार्थशब्दादिति । सुरभि-सैन्धवादिपदादित्यर्थः । अर्थद्वयोपस्थितौ इति । प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोः स्मृतौ इत्यर्थः । तस्यैवेति । प्राकरणिकस्यैवेत्यर्थः । अपरार्थस्येति । अप्राकरणिकार्थस्येति यावत् । शक्तिजतदर्थशाब्दबुद्धौ इति । अभिधावृत्तिजन्यनानार्थकपदार्थविषयकशाब्दबोधे इति भावः । अन्यथेति । कार्यकारणभावास्वीकारे इत्यर्थः । अतथाभूतस्येति । अतात्पर्यविषयस्येत्यर्थः । प्रथममिति । प्राकरणिकार्थबोधक्षणे इत्यर्थः । अनन्तरमित्यस्याग्रिमेण 'बोधादि'ति पञ्चम्यन्तेनान्वयः । इष्यते इत्यत्र व्यञ्जनयेति शेषो बोध्यः । तज्जन्यतेति । तात्पर्यनिश्चयजन्यतेत्यर्थः । अत्रेदमाकूतम्—नानार्थस्थले सर्वत्रैव व्यञ्जनोल्लासे नानार्थशब्दजन्यबोधं प्रत्यास्थितस्य तात्पर्यनिश्चयहेतुत्वस्य वैयर्थ्यं यदापादितं तन्न समीचीनम्, नानार्थकपदादर्थद्वयोपस्थित्यनन्तरं प्रकरणादिना वक्तुस्तात्पर्ये निश्चिते प्राकरणिकस्यैवार्थस्य प्रथमं बोधो भवतीति अनुभवबललब्धः सकलजनाङ्गीकृतो नियमः, स चोक्तकार्यकारणभावाभावे न संगच्छेत्, अप्राकरणिकार्थस्यापि बोधप्रसंगात् एवञ्च तादृशनियमरक्षणायैव सकार्यकारणभावोऽङ्गीकार्यः । ननूक्तकार्यकारणभावे स्वीकृते पश्चादप्यप्राकरणिकार्थबोधः कथं स्यादित्यत आह—अनन्तरमित्यादि । अनुभवसिद्धपश्चात्कालभाव्यप्राकरणिकार्थबोधसिद्ध्यर्थं तात्पर्यनिर्णयकार्यतावच्छेदककुक्षौ शक्तिजत्वं निवेशनीयम्, अर्थात् 'शक्तिजन्वतदर्थविषयकबोधं प्रति तदर्थविषयकस्तात्पर्यनिर्णयो हेतु'रित्याकारकः कार्यकारणभावोऽङ्गीक्रियते; तथा च व्यञ्जनाजन्याप्राकरणिकार्थबोधे न काऽपि बाधेतिभावः । एवञ्चोक्तनियमरक्षणमेव तादृशकार्यकारणभावाङ्गीकारफलमिति सारांशः ।

अब फिर प्रकारान्तर से अभिधाद्वारा बोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय की कारणता का समर्थन करने का प्रयास करते हैं—अर्थ इत्यादि से । यहाँ पूर्वपक्षवालों का अभिप्राय यह है कि—नानार्थक शब्द से अर्थद्वय (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक) की उपस्थिति होने के बाद जब प्रकरण आदि के ज्ञान से एक (प्राकरणिक) अर्थ में तात्पर्य का निर्णय हो जाता है, तब उसी (प्राकरणिक) अर्थ का पहले शाब्दबोध होता है अन्य (अप्राकरणिक) का नहीं यह एक अनुभवसिद्ध नियम है, उसी की रक्षा करने के लिये नानार्थक शब्दजन्य अभिधाद्वारा बोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मानना आवश्यक हो जाता है । अन्यथा प्राकरणिक तात्पर्यार्थ के समान ही अप्राकरणिक अतात्पर्यार्थ का भी पहले ही शाब्दबोध हो जायगा । तात्पर्यार्थबोध के बाद तो अतात्पर्यार्थ का भी शाब्दबोध अनुभव सिद्ध होने के कारण इष्ट है, अतः तात्पर्यनिर्णयरूप कारण का कार्य अभिधाजन्यबोध को ही मानते हैं । अर्थात् यदि सामान्यतः नानार्थक शब्दजन्यबोधमात्र के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मान लेंगे, तो व्यञ्जना से जो पीछे अप्राकरणिक अतात्पर्यार्थ का बोध होता है वह भी न हो सकेगा और उसका अनुभव सिद्ध होना तो निश्चित ही है, अतः अभिधाजन्यबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मानना ही उचित है । वहाँ भी उसको कारण न मानें यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभिधा से अप्राकरणिक अतात्पर्यार्थ का बोध नहीं होता यह भी अनुभव सिद्ध है ।

खण्डयति—

मैवम् । 'सोऽव्यादिष्टभुजङ्गहारवलयस्त्वां सर्वदोमाधवः' इत्यादौ श्लेषकाव्य इव प्रकृतेऽपि प्रकृताप्रकृतयोरर्थयोर्बोधस्य स्वीकारे बाधकाभावात् ।

'मैवमि'ति । प्राक्तनमूलग्रन्थेनोत्थापितायाः शङ्कायाः खण्डनार्थकं पदद्वयम् । 'सोऽव्यादि'त्यादिपञ्चम्यन्तो ग्रन्थश्च तत्र हेतूपन्यासपरः । इष्टे = अभिमते, भुजङ्गस्य = सर्पस्य, हारश्च वलयश्च, ते = माल्यकंकणे (भूषणविशेषौ) यस्य, तादृशः सः = प्रसिद्धः उमाधवः = मृडानीपतिः शिवः त्वां सर्वदा पायादिति शिवपक्षेऽर्थः । कृष्णपक्षे तु—इष्टः भुजङ्गस्य हारः–हरणं यस्य तादृशं यद्बलम् (बवयोः श्लेषस्थले ऐक्यस्वीकारादित्यमर्थः) तेन = गरुडेनेत्यर्थः, याति = संचरतीति तादृशः सर्वदः -सकलपदार्थप्रदाता माधवः=लक्ष्मीपतिस्त्वां पायादित्यर्थो बोध्यः । एष प्रकृतोपयोगी वक्तव्यार्थः—नानार्थस्थलेऽप्राकरणिकार्थबोधाय व्यञ्जनोल्लासो नावश्यकः, 'सोऽव्यादि'त्यादौ श्लेषकाव्यस्थले यथा शिवविष्णुरूपौ द्वावप्यर्थौ अभिधाशक्त्यैवावगम्येते, तथा तत्रापि द्वयोरपि प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोरभिधयैव बोधस्य सम्भवात् ।

अब उक्त प्रकारान्तर का भी खण्डन करते हैं—मैवम् इत्यादि से । अभिप्राय यह है कि अभिधा से प्राकरणिक अर्थ का ही बोध होता है, अप्राकरणिक का नहीं, इस विषय को सिद्धान्त-सा मानकर जो आपने पूर्वोक्त विविध प्रपञ्चों की रचना की है वह ठीक नहीं है, क्योंकि 'सोऽव्यात्'''' इत्यादि श्लेष-काव्यस्थल में जैसे दो अर्थ वाच्य (अभिधा से ज्ञात होनेवाले) होते हैं, वैसे नानार्थक शब्दस्थल में प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक दोनों अर्थों का अभिधा से ही बोध मान लेने में कोई बाधा नहीं है । सोऽव्यात्'''इत्यादि श्लेषकाव्य के दो अर्थ ये हैं—'जिनको सर्पों से बने हार और कंकड़ प्रिय हैं, वे उमाधव (शिव) सदा तुम्हारी रक्षा करें,' और 'जिसके बल को सर्पों का हरण (संहार) इष्ट है उस (गरुड़) के द्वारा जाने आनेवाले तथा सब कुछ देनेवाले माधव (लक्ष्मीपति) तुम्हारी रक्षा करें ।

दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैषम्यं शङ्कते—

न च दृष्टान्तेऽर्थद्वयेऽपि प्रकरणसाम्यात्तात्पर्यज्ञानमस्तीति युगपद्द्वयोर्बोध उपपद्यते । दार्ष्टान्तिके त्वेकत्रैव प्रकरणादिवशात्तदिति न युगपदर्थद्वयबोधोपपत्तिरिति वाच्यम् ।

दृष्टान्ते इति । 'सोऽव्यादि'त्यादौ श्लेषकाव्ये इत्यर्थः । युगपदिति । एकस्मिन्नेव क्षणे इत्यर्थः । तदिति । तात्पर्यज्ञानमित्यर्थः । अयं भावः—'सोऽव्यादि'त्येतद्दृष्टान्तेन नानार्थकस्थले यत् प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोर्युगपद्बोध उपपाद्यते, स न सम्भवति, यतः दृष्टान्तभूते तत्र श्लेषकाव्ये उमाधव-माधवयोः समयोरपि प्रकरणप्राप्ततया द्वयोरपि तात्पर्यज्ञानमस्ति, अतस्तयोर्युगपद्बोधः (समूहालम्बनरूपः, ज्ञानयौगपद्यस्य सिद्धान्तविरुद्धत्वात्) भवितुमर्हति, दार्ष्टान्तिके 'सुरभि मांसमित्यादौ' तु सुगन्धिरूपार्थ एव भोजनरूपप्रकरणप्राप्त इति तत्रैव तात्पर्यज्ञानम् , अतस्तेन तात्पर्यज्ञानविषयीभूतेन 'सुगन्धि'रूपार्थेन सहैकस्मिन् क्षणे अतात्पर्यविषयस्य गोरूपार्थस्य बोधः समूहालम्बनरूपोऽपि न सम्भवति ।

दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिक में विषमता की शंका करते हैं—न च इत्यादि से । यदि आप कहें कि—श्लेषस्थल का दृष्टान्त देकर नानार्थस्थल में प्राकरणिक, अप्राकरणिक दोनों का अभिधा से ही बोध मान लेनेवाली बात समुचित नहीं, क्योंकि दृष्टान्तभूत श्लेषस्थल में दोनों ही अर्थ प्रकरणप्राप्त रहते हैं, अतः दोनों अर्थों में समानरूप से तात्पर्यनिर्णय होता है, अतएव साथ-साथ दोनों अर्थों का अभिधाद्वारा बोध भी समुचित है,

तो दार्ष्टान्तिक नानार्थकस्थल में वैसी स्थिति नहीं है अर्थात् वहाँ एक ही अर्थ प्राकरणिक रहता है और जो अर्थ प्राकरणिक रहता है उसी में तात्पर्य निर्णय होता है अतः उसी का बोध अभिधा से होना उचित है अप्राकरणिक का नहीं।

समाधत्ते—

तात्पर्यज्ञानकारणताया एवासिद्धत्वेन युगपदर्थद्वयबोधानुपपत्तिवाचोयुक्तेररमणीयत्वात्। तादृशज्ञानहेतुतासिद्धौ तु शक्येतापीत्थं वक्तुम्।

वाचोयुक्तेरिति। युगपदर्थद्वयबोधानुपपत्तिरूपवचनप्रयोगस्येत्यर्थः। षष्ठीसमासे कृते 'वाक्दिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेषु' इति वार्तिकेन षष्ठ्या अलुक्।

नानार्थस्थलीयव्यञ्जनोल्लासस्य सार्वत्रिकत्वे निष्फलत्वेन तात्पर्यनिश्चयस्य शाब्दबोधहेतुता प्रागेव निरस्ता, अतस्तद्बलेन नानार्थस्थले युगपत् शक्तिजन्यार्थद्वयबोधासम्भवत्वाभिधानमसन्तोषकरमेव। यदि कश्चित् शाब्दबोधम्प्रति तात्पर्यज्ञानस्य हेतुतामसाधयिष्यत् तदैव तथा वक्तुमशक्ष्यत, न चेत् साधयति, तर्हि तथाकथनमशोभनमेवेति समाधानाशयो विज्ञेयः।

उक्त शंका का समाधान करते हैं—तात्पर्य इत्यादि से। ऊपर जो श्लेषस्थल का दृष्टान्त दिया गया है, उससे मेरा अभिप्राय केवल यह दिखलाना है कि श्लेषस्थल में दो अर्थों का एक अभिधा से बोध होता है, ऐसा होना कोई अप्रसिद्ध बात नहीं है। तदनुसार नानार्थक स्थल में भी प्राकरणिक-अप्राकरणिक दोनों अर्थों का एक साथ अभिधा से ही बोध माना जा सकता है। तब रही बात यह कि श्लेषस्थल में दोनों अर्थ प्राकरणिक होने के कारण तात्पर्य-विषय रहते हैं और नानार्थकस्थल में प्राकरणिक एक अर्थ ही तात्पर्य-विषय रहता है, पर इससे उक्त दोनों स्थलों में अन्तर तब होता, यदि तात्पर्यनिर्णय का अभिधाजन्य बोध के प्रति कारण होना सिद्ध रहता, किन्तु वही सिद्ध नहीं है अर्थात् तात्पर्यनिर्णय को उक्त बोध के प्रति कारण मानना मैं आवश्यक नहीं समझता फिर प्राकरणिक-अप्राकरणिक होने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। दोनों ही एक साथ वाच्य हो सकते हैं।

एवं सति तात्पर्यज्ञानस्यानुपयोगमाशङ्क्य निरस्यति—

तर्हि तात्पर्यज्ञानस्य कुत्रोपयोग इति चेत्? अस्मिन्नर्थेऽयं शब्दः प्रमाणमयमर्थः प्रमाणवेद्य इत्यादिनिर्णये प्रवृत्त्याद्युपयोगिनीति गृहाण।

ननूक्तरीत्या तात्पर्यज्ञानस्य शाब्दबोधकारणत्वे निरस्ते तस्य निरुपयोगित्वमेवापततीति शंकायामाह-अस्मिन्नित्यादि। अयमभिप्रायः—नानार्थस्थले शब्दश्रवणानन्तरं नानाविधमर्थं शाब्दयन् श्रोता कस्मिन्नर्थे वक्तुरत्र तात्पर्यमिति सन्दिहीत, सन्दिग्धश्च क्वापि कार्ये न प्रवर्तेत, प्रवृत्त्यर्थमेव च कार्यबोधकं वाक्यं प्रयुज्यते, अतस्तादृशस्थितौ श्रोता तात्पर्यज्ञानसहकारेण नानार्थकस्य पदस्यार्थविशेषे प्रमाणत्वं निर्णीयते, अर्थविशेषस्य च प्रमाणवेद्यत्वम्, तेन वक्तुरभिमते कार्ये तस्य प्रवृत्तिर्भवतीति तात्पर्यज्ञानस्योपयोगः सिद्ध्यति।

यदि आप कहें कि उक्त रीति से जब तात्पर्यज्ञान को शाब्दबोध के प्रति कारण नहीं माना जायगा, तब उसका उपयोग ही क्या होगा? इसका उत्तर यह है कि इस अर्थ में यह शब्द प्रमाणभूत है और इस शब्द का यही अर्थ प्रामाणिक है इत्यादि बातों के

निर्णय—जो प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में उपयोगी होता है—में तात्पर्यज्ञान का उपयोग है। अर्थात् नानार्थक शब्दश्रवण के बाद अनेक अर्थों को समझनेवाला श्रोता यह सन्देह अवश्य करेगा कि वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है? और उस सन्देह की दशा में उसकी प्रवृत्ति किसी कार्य में नहीं हो सकती, और कार्यबोधक वाक्य का प्रयोग किया जाता है किसी कार्यविशेष में व्यक्तिविशेष की प्रवृत्ति कराने के लिये ही। अतः वैसी स्थिति में श्रोता तात्पर्यज्ञान की सहायता से यह निर्णय करता है कि यहाँ अमुक नानार्थकशब्द अमुक अर्थ में ही प्रमाण है, अमुक अर्थ ही प्रामाणिक है। इस निर्णय से श्रोता वक्ता के अभिमत अर्थ में प्रवृत्त होता है।

नानार्थस्थले सर्वत्र व्यञ्जनोल्लासः, क्वचिदेवेति कल्पद्वये प्रथमकल्पीयं वक्तव्यमुपसंहरति—

इत्थं च नानार्थस्थलेऽपि तात्पर्यधियः कारणतायां शिथिलीभवन्त्यामतात्पर्यार्थविषयशाब्दबुद्धिसम्पादनाय व्यक्तिस्वीकारोऽनुचित एव शक्त्यैव बोधद्वयोपपत्तेः।

नानार्थस्थलेऽपीत्यत्रापि पदेनैकार्थस्थले तात्पर्यज्ञानकारणतायाः सुतरां शैथिल्यं सूचयति। इदमत्र रहस्यम्—शुकादिवाक्यात्, देवताप्रसादेन पूर्वजन्मसंस्कारेण वा मूर्खबालककृतोत्तमकाव्याच्च वक्तृतात्पर्याभावनिश्चयेऽपि बोधोदयेन तस्य शाब्दबोधे हेतुत्वं न संभवति। वक्तृतात्पर्याभावनिश्चयश्च वक्तुस्ततस्तदर्थाबोधात्। किञ्च अस्मात् पदात् अर्थद्वयविषयको बोधो जायते तात्पर्यं तु क्वेति न जानीमः, इति सकलजनानुभवविरोधात् न तस्य हेतुत्वम्। अत एव 'पय आनय' इत्युक्ते अप्रकरणज्ञस्य दुग्धं जलं वाऽऽनेयमिति प्रश्नः संगच्छते। न चैवं 'हरि' रित्यादौ विष्णुविषयकबोधेच्छयोच्चरितत्वाभावज्ञाने तदन्यसिंहादिविषयकबोधेच्छयोच्चरितत्वज्ञाने वा विष्णुविषयकबोधापत्तेः पूर्वोक्तायाः का गतिरिति वाच्यम्, बोधो भवत्येव किन्तु तयोः ज्ञानयोस्तत्र बोधेऽप्रामाण्यग्रहजनकतया प्रवृत्त्यादिर्न भवतीतिस्वीकारात्। एतेन तयोः ज्ञानयोस्तादृशबोधं प्रति प्रतिबन्धकत्वमिति परास्तम्। तात्पर्यधियः इति। तात्पर्यज्ञानस्येत्यर्थः। उक्तरीत्या तात्पर्यज्ञानस्य कारणता यदा निरस्ता, तदा नानार्थकपदात् शक्त्यैवातात्पर्यविषयस्यापि अप्राकरणिकार्थस्य बोधः स्यादेवेति तदर्थं तत्र व्यञ्जनावृत्तिस्वीकारो नावश्यक इति भावः।

अब नानार्थकस्थल में भी सर्वत्र व्यञ्जना का प्रादुर्भाव होता है, इस पक्ष के खण्डन संबन्धी वक्तव्य का उपसंहार करते हैं—इत्थञ्च इत्यादि से। एकार्थकस्थल की तो बात ही क्या? उक्त रीति से जब नानार्थकस्थल में भी शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय की हेतुता समाप्त कर दी गई, तब तात्पर्यार्थ से भिन्न अप्राकरणिक अर्थ के बोध के लिये व्यञ्जना का स्वीकार करना अनुचित ही है। क्योंकि अभिधा से ही प्राकरणिक और अप्राकरणिक दोनों अर्थों का बोध हो जायगा यह बात पहले भी सिद्ध की जा चुकी है। शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय क्यों नहीं कारण हो सकता इसके विषय में कुछ विशेष युक्तियाँ नीचे दी जाती हैं—शुक आदि कतिपय पक्षियों के वाक्य से शाब्दबोध होता है। शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय कारण होता है। यह कह नहीं सकते क्योंकि जब पक्षियों को अर्थबोध नहीं होता है तब उसका तात्पर्य किसी अर्थ में हो यह कैसे हो सकता है? दूसरी युक्ति यह है कि नानार्थकस्थल में सब लोगों का ऐसा अनुभव है कि 'इस पद से दो अर्थों का बोध होता है, पर वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है, यह नहीं ज्ञात होता'। यदि तात्पर्यनिर्णय के बिना शाब्दबोध ही नहीं हो, तो उक्त प्रकार का अनुभव कैसे होता

है ? तीसरी युक्ति यह है कि अप्रकरणज्ञ किसी व्यक्ति के प्रति जब 'पय लाओ' ऐसा वाक्य कहा जाता है, तब वह वक्ता से पूछता है कि दूध अथवा जल लाऊँ ? अब बतलाइए कि यदि तात्पर्यनिर्णय के बिना शाब्दबोध ही नहीं होता है, तो श्रोता का उक्त प्रश्न कैसे संभव हो सकता है ? एक बात आप और पूछ सकते हैं कि पहले जो यह कहा गया है कि जहाँ श्रोता को यह निश्चय रहता है कि वक्ता ने विष्णुविषयक बोध की इच्छा से हरिपद का प्रयोग नहीं किया है, अथवा यही निश्चय रहता है कि सिंह आदि (विष्णु से भिन्न) अर्थ के बोध की इच्छा से हरिपद प्रयुक्त हुआ है, वहाँ भी विष्णुविषयक बोध न हो जाय इसलिये तात्पर्यनिर्णय को नानार्थकपदजन्यबोध के प्रति कारण मानना चाहिये, उसका क्या होगा ? इसका उत्तर यह है कि मैं वहाँ भी विष्णु का बोध मानता ही हूँ, केवल उक्त दोनों विरुद्धनिश्चय से विष्णुविषयकबोध में अप्रामाण्यज्ञान हो जाता है, अतः विष्णुरूप अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है।

नानार्थस्थले क्वचिदेव व्यञ्जनोल्लास इति द्वितीयं कल्पमालोचयितुं प्रक्रमते—

नापि द्वितीयः, हेतोरभावात् । व्यङ्ग्यार्थविषयककवितात्पर्यज्ञानं तथेति चेत् ? न, व्यक्तिजबोधे तात्पर्यज्ञानकारणतायास्त्वयानभ्युपगमात् , यत्राश्लीलं दोषस्तत्राप्राकरणिकेऽर्थे सकलानुभवसिद्धे कवितात्पर्यस्य विरहात् तज्ज्ञानस्य तादृशबुद्धिहेतुताया व्यभिचारदूषितत्वाच्च ।

द्वितीय इति । नानार्थस्थले क्वचिदेव व्यञ्जनोल्लास इति कल्प इत्यर्थः। हेतुमाशङ्कते—व्यङ्ग्येति । तथेति । हेतुरित्यर्थः । अयमाशयः—नानार्थस्थले क्वचिदेव व्यञ्जनोल्लास इति द्वितीये पक्षे यद्यपि प्रथमपक्षोक्तदोषस्यावकाशो नास्ति, परन्तु स पक्षः सम्भवदुक्तिक एव न वर्तते, व्यञ्जनोल्लासस्य क्वाचित्कत्वनियामकहेतोरेवाभावात् । 'इदं पदं व्यङ्ग्यार्थबोधेच्छया कविना प्रयुक्त'मित्याकारकस्य वक्तृतात्पर्यस्य ज्ञानं तत्र हेतुरिति न शक्यं वक्तुम् , व्यञ्जनाजन्यबोधे त्वया (नानार्थस्थलेऽप्राकरणिकार्थबोधाय व्यञ्जनाऽऽवश्यकतावादिना) तात्पर्यज्ञानकारणताया अनङ्गीकारात् इति । नन्वेवमपि फलबलात् स्वीक्रियतेऽत आह—यत्रेति । व्यञ्जनाजन्यबोधे तात्पर्यज्ञानस्य कारणता न संभवत्येव व्यतिरेकव्यभिचारात् । क्व व्यभिचार इति चेत् ? यत्र प्रससार शनैर्वायुर्विनाशे तन्वि ते तदा'इत्यादौ काव्येऽश्लीलता दोषस्तत्रेति बोध्यम् । कथमिति चेदित्थम्—तत्राश्लीलत्वदोषनिदानभूतनायिकामरणापान-पवन-निस्सरणरूपा प्राकरणिकार्थप्रतीतिर्व्यञ्जनाजन्या सर्वानुभवसिद्धा, कवितात्पर्यञ्च तत्रार्थे कथमपि स्वीकर्तुं नोचितम् इति भावः ।

अब नानार्थकस्थल में कहीं-कहीं व्यञ्जना का आविर्भाव होता है सर्वत्र नहीं, इस पूर्वोक्त द्वितीयपक्ष की आलोचना करते हैं—नापि इत्यादि से । 'स्थलविशेष में ही व्यञ्जना का प्रादुर्भाव होता है सर्वत्र नहीं, अतः 'सर्वत्र व्यञ्जना के प्रादुर्भाव मानने पर जो अभिधा से उसकी गतार्थता सिद्ध की गई है उसका अवसर नहीं आयगा' यह कथन भी आपका संगत नहीं हो सकता, क्योंकि स्थलविशेष में ही व्यञ्जना का प्रादुर्भाव होगा इसका कोई कारण नहीं है । यदि आप कहें कि 'अमुक पद व्यङ्ग्य का बोध कराने के लिये वक्ता से प्रयुक्त हुआ है' इस तरह के वक्तृतात्पर्य का ज्ञान ही व्यञ्जना की क्वाचित्कता का कारण है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि आप व्यञ्जनाजन्यबोध के प्रति तात्पर्यज्ञान को कारण मानते ही नहीं फिर उस प्रकार कैसे कह सकते हैं ? दूसरी बात यह है कि यदि

आप व्यञ्जनाजन्यबोध के प्रति तात्पर्यज्ञान को कारण मानना भी चाहें तो यह भी नहीं मान सकते, क्योंकि उस तरह का कार्यकारण-भाव व्यतिरेकव्यभिचार से दूषित होने के कारण असंभव है। अर्थात् जिस अर्थ में वक्ता का तात्पर्य नहीं रहता उसका भी व्यञ्जना से बोध होता है जैसे 'प्रससार शनैर्वायुः विनाशे तन्वि ते तदा' (हे कृशाङ्गि ! तुम्हारे वियोगकाल में मन्द-मन्द हवा वही) इत्यादि स्थल में अप्राकरणिक अपान-पवन-निस्सरण और नायिका-मरणरूप अर्थ की प्रतीति सभी सहृदयों की व्यञ्जना से होती है, अतएव ऐसे स्थलों में अश्लीलता नामक काव्यदोष माना गया है। क्या उस अश्लील अर्थ में कवि का तात्पर्य माना जा सकता है? कभी नहीं। कौन ऐसा कवि होगा, जो जानबूझकर अपनी कविता को अश्लीलता दोष का लक्ष्य बनायेगा ?

व्यञ्जनोल्लासस्य क्वाचित्कत्वनियामकमपरं हेतुमाशंक्य खण्डयति—

अथ श्रोतुः शक्तिविशेषो व्यक्तेरुल्लासे हेतुः, स च फलबलाच्चमत्कारिण्येवार्थे व्यक्तिमुल्लासयति नाचमत्कारिणीति सिद्धं व्यञ्जनोल्लासस्य क्वाचित्कत्वमिति चेत् ? न, हन्तैवं स नियन्त्रितशक्तेरेव वोल्लासकोऽस्त्विति कृतं नानार्थस्थले व्यक्तिकल्पनया।

शक्तिविशेष इति। बुद्धिशक्तिविशेष इत्यर्थः। सः शक्तिविशेषः। नियन्त्रितेत्यस्य प्रकरणादिनेत्यादिः। अयमभिप्रायः—बुद्धिः व्यक्तिभेदेन नानाविधा भवति, कस्यचन बुद्धिः स्थूलमप्यर्थं न गृह्णाति, कस्यचित् स्थूलं गृह्णाति अपि सूक्ष्मं न गृह्णाति, कस्यचित्पुनः सूक्ष्ममपि। एवञ्च यत्र सूक्ष्मार्थग्रहणप्रवणबुद्धिविशिष्टः श्रोता, तत्र तस्य बुद्धिः नानार्थस्थले व्यञ्जनामुल्लासयति, यत्र न स तादृशस्तत्र तस्य बुद्धिर्नोल्लासयति ताम्। यत्राप्युल्लासयति तत्रापि चमत्काराधायक एवार्थे, तत्रैव तदुल्लासस्य साफल्यसंभवात्। एवञ्च तस्य क्वाचित्कत्वेन हेतुविरह इति शंका। समाधानं तु 'तथा सति श्रोतुः सा बुद्धिशक्तिस्तत्र तत्र स्थलविशेषे नानार्थकस्य शब्दस्य संयोगादिभिर्नियन्त्रितामभिधाशक्तिमेवोल्लासयतु, तावतैवेष्टसिद्धेरिति मुधैवायं व्यञ्जनाकल्पनायास इत्याकारकं वेदितव्यम्।

व्यञ्जना की क्वाचित्कता में एक अन्य कारण की आशंका करके खण्डन करते हैं—'*अथ श्रोतुः*' इत्यादि से। श्रोता का बुद्धिशक्ति-विशेष व्यञ्जना की क्वाचित्कता का कारण है, अर्थात् बुद्धि व्यक्तिभेद से भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। किसी की बुद्धि स्थूल वस्तु को भी नहीं समझ पाती, किसी की बुद्धि स्थूल वस्तु को समझती हुई भी सूक्ष्म को नहीं समझ सकती, किसी की बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी समझ लेती है, यह एक प्राकृतिक स्थिति है। ऐसी स्थिति में जहाँ सूक्ष्मार्थग्रहण समर्थ बुद्धिवाला श्रोता रहता है, वहाँ उसकी बुद्धि नानार्थकस्थल में व्यञ्जना को उद्भूत करती है और जहाँ उस तरह का श्रोता नहीं रहता, वहाँ उसकी बुद्धि व्यञ्जना को उद्भूत नहीं कर पाती। एवं जहाँ व्यञ्जना उद्भूत होती है वहाँ भी चमत्कारी अर्थ के विषय में ही, अचमत्कारी अर्थ के विषय में नहीं, क्योंकि चमत्कारी अर्थ में ही व्यञ्जना की सफलता संभव है। इस तरह से व्यञ्जनोद्भव की क्वाचित्कता सिद्ध हो जाती है' यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि जब श्रोता का बुद्धि-विशेष ही स्थलविशेष में व्यञ्जना का उद्भावक होगा, तब उससे कहीं अच्छा हो कि हम उस विशिष्ट प्रकार के श्रोता के उस बुद्धिशक्तिविशेष को प्रकरण आदि के द्वारा नियन्त्रित अभिधाशक्ति का ही उद्भावक मान लें—अर्थात् हम ऐसा मानें कि प्रकरण आदि का ज्ञान, नानार्थकशब्द की जिस अभिधाशक्ति

को नियन्त्रित करके अप्राकरणिक अर्थ के विषय में सफल नहीं होने देता, उस व्यर्थ बनी हुई शक्ति को कहीं-कहीं विशिष्ट श्रोता की विशिष्टबुद्धि उत्तेजित कर देती है अर्थात् सफल बना देती हैं, जिससे नानार्थकशब्द की अभिधाशक्ति ही स्थल-विशेष में अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध करा देती है, और जहाँ उद्भावक बुद्धिविशेष नहीं प्राप्त होता, वहाँ वह नियन्त्रित अभिधाशक्ति नियन्त्रित ही रह जाती है। अतः वैसे स्थलों पर अप्राकरणिक अर्थ का बोध नहीं होता। इसी तरह मान लेने से जब काम चल जाता है, तब नानार्थकस्थल में एक अभिनव व्यञ्जनावृत्ति की कल्पना व्यर्थ है।

अभ्युपेतेऽपि व्यञ्जनोल्लासस्य काचित्कत्वे नानार्थस्थलेऽप्राकरणिकार्थबोधो व्यञ्जनयेति पक्षो न युक्तोऽनिष्टापत्तेरित्याह—

किंच 'उल्लास्यकालकरवालमहाम्बुवाहम्' इत्यादिनानार्थव्यञ्जकस्थलेऽग्रहीतद्वितीयार्थशक्तिकस्य गृहीतविस्मृतद्वितीयार्थशक्तिकस्य वा पुंसः सर्वथैव व्यञ्जनया द्वितीयार्थबोधानुदयात्तत्र तया तदापत्तिस्तव दुर्वारा।

उल्लस्येति।'·····देवेन येन जरठोर्जितमर्जितेन निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणां, धाराजलैस्त्रिजगति ज्वलितः प्रतापः ॥' इति चरणत्रयशेषो बोध्यः। अयमस्य वाच्योऽर्थः— जठरम् = कठोरम्, उर्जितं=बलवच्च गर्जितम्=सिंहनादो यस्य तेन येन देवेन=राज्ञा, कालः =यमराजरूपः प्राणहरत्वात् रिपूणामिति भावः, करवालः=खड्गः एव अम्बुवाहः=मेघः तम्, उल्लास्य=विस्तार्य रणे = युद्धे, धाराजलैः = खड्गधारात्मकसलिलैः, रिपूणाम् = शत्रूणाम्, सकल एव=सर्वोऽपि त्रिजगति=त्रिलोक्यां, ज्वलितः=प्रसिद्धः, प्रतापः=प्रभावः, निर्वापितः = शमितः, विकटासिधारया यो रणेऽरीन् जघानेतिभावार्थः। व्यङ्ग्योऽर्थस्तु येन देवेन = देवेन्द्रेण, जरठेन = कठोरेण, ऊर्जितेन बलवता च गर्जितेन युक्तमिति शेषः कालकरं = श्यामलकिरणं बालं = नवीनम् अम्बुवाहम् = जलधरम्, उल्लास्य=प्रकटय्य, धाराजलैः = धारासारैः वर्षणैः, रिपूणाम्=अग्नीनामिति भावः। त्रिजगति ज्वलितः=त्रिलोकीप्रदीप्तः, प्रतापः=प्रकृष्टः तापः निर्वापित इति। नानार्थ इत्यादि। नानार्थकः शब्दः व्यञ्जको यत्र, तादृशे स्थले इत्यर्थः। अगृहीतेति। अगृहीता=न ज्ञाता द्वितीयार्थस्य=अप्राकरणिकार्थस्य तन्निरूपितेति भावः, शक्तिः अभिधात्मिकेत्यर्थः येन तस्येत्यर्थः। विनिगमकाभावादाह— गृहीतेति। पूर्वं गृहीता, पश्चाद्विस्मृता द्वितीयार्थनिरूपिता शक्तिर्येनेति भावः। सर्वथा= सर्वप्रकारेणैव। सिद्धान्ते इत्यादिः। द्वितीयेति। अप्राकरणिकेत्यर्थः। तया = व्यञ्जनया। तदापत्तिः = द्वितीयार्थबोधापत्तिः। तवेति। नानार्थस्थले व्यञ्जनयाऽप्राकरणिकार्थबोधवादिन इत्यर्थः। अयमभिप्रायः— उल्लास्येत्यादौ इन्द्रपक्षीयाप्राकरणिकार्थनिरूपिताऽभिधाशक्तिर्येन न गृहीता, गृहीताऽपि वा पश्चात् सुदृढसंस्काराभावेन विस्मृता, तस्य तदर्थबोधो न भवतीति वस्तुस्थितिः। परमिदानीं श्रोतृबुद्धिशक्त्या चमत्कारिण्यर्थे व्यञ्जनोल्लासस्वीकारे प्रकृतेऽपि इन्द्रपक्षीये चमत्कारिणि अर्थे व्यञ्जनोल्लासस्य समुचिततया तव पक्षे व्यञ्जनया तदर्थबोधो दुर्वारतामासादयेत्, मम मते तु नैतद्दोषावकाशः, यतो मम नानार्थस्थले प्राकरणिकार्थबोधोऽपि अभिधाशक्त्यैवाभिमतः सा च शक्तिः प्रकृते यस्य अगृहीता विस्मृता वा, न तस्य तदर्थबोधप्रसंगः।

व्यञ्जनोल्लास की काचित्कता को मान लेने पर भी, नानार्थकस्थल में अप्राकरणिक

अर्थ का बोध व्यञ्जना से होता है, इस मत को असंगत सिद्ध करते हैं—किंच इत्यादि से। 'उल्लास्यकालकरवाल…' इत्यादि पूरा पद्य संस्कृत टीका में उद्धृत है। जिसके दो अर्थ होते हैं। एक वाच्य और दूसरा व्यङ्ग्य। वाच्य अर्थ यह है कि कठोर और बलवान् सिंहनादवाले जिस राजा ने शत्रुओं के प्राणहर होने से यमराजस्वरूप खडग के धाररूपी जल के फैलाव को बढाकर, संग्राम में उस धाररूपी जल के द्वारा, तीनों लोक में प्रसिद्ध शत्रुओं का समग्रप्रभाव शान्त कर दिया। और व्यङ्ग्य अर्थ यह है कि—जिस देव (इन्द्र) ने कठोर और सबल गर्जन से युक्त तथा काली कान्तिवाले नवीन घनघटा को प्रकट करके, धारावाहिक जलवृष्टि से शत्रुभूत अग्नियों का त्रिलोकी विख्यात ताप को सर्वथा शान्त कर दिया। उक्त श्लोक प्राचीनों के मत से अनेक अर्थों का व्यञ्जकस्थल है। पर यहाँ यह अनुभव सिद्ध वस्तु है कि व्यञ्जना से उसी को अप्राकरणिक अर्थ का बोध होता है, जिसको उक्त श्लोकवाक्य में अप्राकरणिक अर्थ की भी अभिधा ज्ञात रहती है और उस अभिधा का विस्मरण नहीं हुआ रहता है। उसको नहीं होता, जिसको अप्राकरणिक अर्थ के द्वारा शक्तिज्ञान नहीं हुआ है अथवा ज्ञान होने पर भी किसी कारण से शक्ति का विस्मरण हो गया है। परन्तु अब आपके मत से वैसे (अज्ञातशक्ति अथवा विस्मृतशक्ति) व्यक्ति को भी व्यञ्जना से इन्द्र पक्षीय अप्राकरणिक अर्थ का बोध हो जाना चाहिये, क्यों कि वह अर्थ चमत्कारी है, अतः श्रोता की बुद्धिशक्ति उस अर्थ के बोध के लिये व्यञ्जना को उत्पन्न कर देगी। मेरे मत में तो यह दोष नहीं हो सकता, क्यों कि मैं नानार्थस्थल में व्यञ्जना नहीं मानता, अभिधा से ही दोनों अर्थों का बोध हो जाता है ऐसा मानता हूँ, और अभिधा से भी वहाँ बोध नहीं मानता हुँ, जहाँ वह ज्ञात हो, अविस्मृत हो। फिर जिसको उक्त श्लोक में इन्द्रपक्षीय अर्थ की अभिधा ज्ञात ही नहीं, अथवा ज्ञान होने पर भी विस्मृत हो चुकी है, उसको उस अर्थ का बोध कैसे प्रसक्त हो सकता है ?

एतद्दोषोद्धारायाशंकते—

न च येन शब्देन योऽर्थो व्यज्यते तस्य शब्दस्य तदर्थगतशक्तिज्ञानं तदर्थव्यक्तेरुल्लासे हेतुरिति वाच्यम् , 'निःशेषच्युत–' इत्यादौ रमणव्यक्त्यनापत्तेः। न ह्यधमपदस्य कस्यचिद्रमणे शक्तिग्रहोऽस्ति। सति वा तस्मिंस्तेनैवोपपत्तौ व्यक्तिकल्पनवैयर्थ्यापत्तेश्च।

रमणेति। नायककर्तृकसंभोगेत्यर्थः। तस्मिन्निति। अधमपदे रमणार्थनिरूपितशक्तिग्रहे इत्यर्थः। तेनैवोपपत्तौ इति शक्तिग्रहेणैव रमणरूपार्थस्य बोधोपपत्तौ इत्यर्थः। अत्र, 'येन शब्देने'त्यादिमूलोक्तकार्यकारणभावाङ्गीकारे 'उल्लास्ये'त्यादौ प्रागुक्तदोषो नापतेत् , अग्रहीतद्वितीयार्थशक्तिकस्य विस्मृतद्वितीयार्थशक्तिकस्य वा पुरुषस्य इन्द्रपक्षीयार्थनिरूपितशक्तिग्रहस्य तच्छ्लोकवाक्येऽसत्त्वेन तदर्थनिरूपितव्यञ्जनावृत्तेस्तत्रानुल्लासात् इति शंकादलस्याशयः। 'निःशेषे'त्यादौ रमणार्थनिरूपितशक्तिग्रहस्याधमपदेऽभावेन तत्पदनिष्ठतदर्थनिरूपितव्यञ्जनाया उक्तकारणाभावानुल्लासेन सर्वानुभूतरमणरूपार्थाभिव्यक्तेस्तत्रानापत्तिः। रमणार्थनिरूपितशक्तिग्रहोऽधमपदेऽस्तीति दुराग्रहे शक्त्यैव रमणप्रतीतौ तत्र व्यञ्जनावृत्तिकल्पनस्य सर्वसम्मतस्य वैयर्थ्यापत्तिरतस्तादृशकार्यकारणभावाश्रयणमसम्भवमित्युत्तरदलाशयः।

पूर्वोक्त दोष के उद्धार के लिये पूर्वपक्षियों के द्वारा दी गई एक युक्ति का उल्लेख करके खण्डन करते हैं—न च येन इत्यादि से। यदि 'उल्लास्य…' इत्यादि श्लोक में दिखलाये गए

दोष के उद्धारार्थ यह कहें कि जिस शब्द से जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, उस शब्द की उस अर्थ में शक्ति का ज्ञान ही उस अप्राकरणिक अर्थ की व्यञ्जना के आविर्भाव का कारण है—अर्थात् शक्ति ज्ञान होने पर ही व्यञ्जना का उद्भव होता है, अन्यथा नहीं। अतः उल्लास्य···' इत्यादि नानार्थस्थल में जिस श्रोता को इन्द्रपक्षीय अर्थ में श्लोकवाक्य की अभिधाशक्ति गृहीत नहीं हुई है, अथवा गृहीत होकर भी विस्मृत हो गई है, उसको उस अर्थ की व्यञ्जना आविर्भूत न होगी और न उस अर्थ का बोध ही होगा। किन्तु यह कहना भी असंगत होगा, क्योंकि इस तरह मानने पर 'निःशेषच्युत···' इत्यादि श्लोक में 'अधम' पद से होने वाली सर्वसम्मत 'रमण' अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होगी, क्योंकि 'अधम'पद की रमण अर्थ में अभिधाशक्ति का ज्ञान किसी को नहीं है—संसार में अधमपद का रमण अर्थ कोई नहीं समझता। इतने पर भी यदि आप दुराग्रह करें कि अधमपद की शक्ति का ज्ञान रमण अर्थ में है—कम से कम नायक को अवश्य है, क्योंकि उससे अधम कहते ही रमणवाली बात झलक जाती है—तब मैं कहूँगा कि ठीक है, रहे आपकी ही बात, किन्तु ऐसा होने पर उस अभिधाशक्ति से ही रमण का बोध हो ही जायगा, फिर वहाँ व्यञ्जना की कल्पना करना ही व्यर्थ है।

उक्तकार्यकारणभावस्य संकुचितविषयकत्वकल्पनेन 'निःशेष' इत्यादौ दोषनिरासमाशंक्य निरस्यति—

न च नानार्थव्यञ्जनस्थल एवैवंजातीयकः कार्यकारणभावः कल्प्यते, तत्र च शक्तेर्नियन्त्रितत्वेन तद्ग्रहस्याप्रयोजकतया व्यक्तिकल्पनौचित्यादिति वाच्यम्, नवीनकार्यकारणभावकल्पने गौरवप्रसङ्गात्। नियन्त्रणस्य पूर्वमेव दूषितत्वेन तद्धेतोरेवेति न्यायावताराच्च।

येन शब्देन योऽर्थो व्यज्यते तस्य शब्दस्य तदर्थगतशक्तिज्ञानं तदर्थव्यक्तेरुल्लासे हेतुरित्याकारकस्य कार्यकारणभावस्य नानार्थव्यञ्जकस्थले 'सुरभिमांसं भक्षयती'त्यादावेव कल्पनम्, न तु 'निःशेषे'त्यादावेकार्थव्यञ्जकस्थले, तेन तत्र तत्कारणमन्तरापि व्यञ्जनाया उल्लासे न क्षतिः। न च नानार्थस्थले व्यक्त्युल्लासहेतुभूतस्य शक्तिग्रहस्य स्वीकारे तेनैव द्वितीयार्थबोधोऽपि कुतो नाङ्गीक्रियते इत्यत आह—तत्र चेति। अयं भावः—तत्र शक्तिग्रहस्य जातत्वेऽपि न तस्य कार्यकारित्वम्, संयोगादिभिः शक्तेर्नियन्त्रितत्वात्, अतस्तत्र व्यञ्जनाकल्पनस्यौचित्यम्। एवञ्चोल्लास्येत्यादौ उक्तकार्यकारणभावघटककार्यतावच्छेदकाक्रान्ते, तत्कारणविरहात् न व्यक्तेरुल्लास इति तत्र नोक्तदोषावकाशः। परमेतन्न युक्तम्, तादृशाभिनवकार्यकारणभावाश्रयणे गौरवात्। नन्वन्यथानुपपत्त्या गौरवं सुसहमित्यपि न, व्यक्त्युल्लासहेतोस्तदर्थगतशक्तिज्ञानस्यैव तदर्थबोधजनकत्वस्वीकारेण सामञ्जस्ये व्यक्त्युल्लासजनकत्वकल्पनस्य व्यर्थत्वात्। ननु शक्तिनियन्त्रणं कथं विस्मर्यते? न विस्मर्यते, किन्तु तत्पूर्वमेव दूषितम् इति नास्थीयते एतदेवाह—तद्धेतोरिति, 'तद्धेतोरेव तदस्तु किं तत्कथनया' इति हि न्यायस्वरूपम्। द्वितीयार्थबोधहेतुभूतव्यञ्जनोल्लासकारणेन शक्तिग्रहेणैव द्वितीयार्थबोधो भवतु, व्यक्त्युल्लासकल्पना वृथेति प्रकृते तन्न्यायसंयोजनप्रकारः।

उक्त कार्यकारणभाव में संकोच करके 'निःशेषच्युत···' इत्यादि पद्य में दिखलाए गए दोष के निराकरणार्थ पूर्वपक्षियों की शंका का समाधान करते हैं—न च इत्यादि से। अभिप्राय यह है कि शक्ति ज्ञान को व्यञ्जनोल्लास का कारण नानार्थक व्यञ्जक-

स्थल में ही मान्य है, एकार्थव्यञ्जकस्थल—'निःशेष···' इत्यादि में नहीं, अतः वहाँ रमण अर्थ में अधमपद का शक्तिज्ञान नहीं रहने पर भी व्यञ्जना का प्रादुर्भाव हो जायगा। किन्तु नानार्थस्थल में व्यञ्जना के उल्लासक अभिधाशक्ति के ज्ञान से ही अप्राकरणिक अर्थ का बोध क्यों नहीं मान लेते, व्यर्थ व्यञ्जनोल्लास की कल्पना क्यों करते हो? इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि यहां इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि नानार्थकस्थल में शक्ति का ज्ञान भले ही अप्राकरणिक अर्थ में भी रहे, पर वह उसका बोध नहीं करा सकता, क्योंकि वह शक्ति प्रकरण आदि के ज्ञान से नियन्त्रित हो चुकी है—अप्राकरणिक अर्थ के विषय में बेकार कर दी गई है, अतः व्यञ्जना की कल्पना वहाँ आवश्यक है, उसके उल्लासक के रूप में नियन्त्रित होने पर भी अप्राकरणिकार्थ निरूपित शक्ति ज्ञान कार्य करेगा यह बात दूसरी है। इस उपपादन के द्वारा पूर्व पक्षियों ने यह सिद्ध किया कि—'उल्लास्य···' इत्यादि पद्य नानार्थक व्यञ्जक वाला स्थल है, अतः वहाँ व्यञ्जना का प्रादुर्भाव तब होता यदि अप्राकरणिक अर्थ में शक्ति का ज्ञान रहता, जब वह ज्ञान है ही नहीं तो व्यञ्जना का प्रादुर्भाव नहीं होगा। पर पूर्वपक्षियों का उक्त कथन भी उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि व्यञ्जनोल्लास में शक्तिज्ञान को कारण मानने पर व्यर्थ का गौरव उठाना पड़ता है। यदि आप यह कहें कि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिस शक्ति-ज्ञान को आप व्यञ्जना का उल्लासक मानते हैं, उसी से अप्राकरणिक अर्थ के बोध को सिद्ध किया जा चुका है। यदि आप कहें कि नियन्त्रणवाली बात को आप क्यों भूलते हैं? तो मैं कहूँगा कि मैं भूलता नहीं हूँ, किन्तु उसका खण्डन पहले ही कर दिया गया है, अतः उसको मानता नहीं हूँ। यही बात 'तद्धेतोरेव' इत्यादि न्याय के द्वारा ग्रन्थकार ने व्यक्त की है। न्याय का पूरा स्वरूप 'तद्धेतोरेव तदस्तु किं तत्कल्पनया' यह है। अर्थात् यदि कारण के कारण से ही काम चल सकता है तो बीच में एक और कारण की कल्पना व्यर्थ है। उत्तरपक्ष का सारांश यह हुआ कि ऐसी जगह व्यञ्जना की कल्पना निरर्थक है।

अथान्यथा शंकते—

अथास्त्वप्राकरणिकोऽप्यर्थः शक्तिवेद्य एवान्वयधीगोचरः परंतु यत्र न बाधितः स्यात्। यत्र तु बाधितस्तत्र 'जैमिनीयमलं धत्ते रसनायामयं द्विजः' इत्यादौ जुगुप्सितोऽर्थो वह्निना सिञ्चतीत्यादौ वह्निकरणकसेक इवाबोधोपहत एव स्यात्। बाधनिश्चयस्य तद्वत्ताज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकतायाः सर्वजनसिद्धत्वात्। व्यक्तेस्तु बाधितार्थबोधकत्वं धर्मिग्राहकमानसिद्धमिति व्यक्तिवादिनामदोष इति।

'जैमनीय'मित्यादिवाक्यस्य क्रमशः अयं द्विजः जिह्वायां जैमनीयम् = मीमांसा-शास्त्रम् अलम् अत्यर्थं धारयति इति' 'ब्राह्मणोऽयं जिह्वायां जैमिनि-विष्ठां धारयतीति' च वाच्यव्यङ्ग्यार्थाववसेयौ। इदमिह वक्तव्यरहस्यम्—तदभाववत्तानिश्चयात्मकस्य बाध-निश्चयस्य तद्वत्ताज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकत्वं सर्वानुमतम्, अत एव 'वह्निना सिञ्चती'ति वाक्यात् 'सेकः वह्निकरणकत्ववान्' इति बोधो न भवति सेको वह्निकरणकत्वाभाववान्' इत्याकारकस्य बाधनिश्चयस्य वर्तमानत्वात् अत एव चाबोधोपहतार्थकं तादृशं वाक्यन्नैव प्रयुज्यते, एवञ्च तादृशबाधनिश्चयाभावस्थले 'सुरभिमांसं भक्षयती'त्यादौ अभिधावेद्यस्या-प्राकरणिकार्थस्यान्वयबोधे सम्पन्नेऽपि 'जैमनीयमल'मित्यादौ अप्राकरणिकार्थस्य शक्त्यऽ-न्वयबोधो न सम्पत्तुमर्हति बाधनिश्चयप्रतिबद्धत्वादिति तदर्थं व्यञ्जनाऽवश्यकी। ननु बाध-

निश्चयसत्त्वे व्यञ्जनयापि कथमन्वयबोध इत्यत आह—व्यक्तेस्तु इति । धर्मिग्राहकमानेन व्यञ्जनाया बाधितार्थबोधकत्वं स्वीक्रियत एवेति भावः । बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककुक्षौ वैयञ्जनिकबोधेतरबोधस्यैव निवेश इति तत्त्वम् ।

अब नानार्थकस्थल में व्यञ्जना मानने वाले पूर्वपक्षी अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए कुछ नयी युक्ति देते हैं—अथास्तु इत्यादि से । पूर्वपक्षवालों का कहना है कि अच्छा रहे आपके कथनानुसार अप्राकरणिक अर्थ भी अभिधा से बोध्य होकर ही अन्वयबोध का विषय अर्थात् अप्राकरणिक अर्थ का बोध भी अभिधा से ही हो जाय, पर वहाँ ही ऐसा हो जहाँ वह (अप्राकरणिक अर्थ) बाधित नहीं हो । पर जहाँ वह बाधित है, जैसे 'जैमिनीय...' इत्यादि में । मूलोक्त वाक्य का 'यह ब्राह्मण अपनी जिह्वा पर अत्यधिक जैमिनि मुनि प्रतिपादित मीमांसाशास्त्र का धारण करता है' इस अर्थ के अतिरिक्त 'यह ब्राह्मण अपनी जिह्वा पर जैमिनी के मल (विष्ठा) का धारण करता है' यह घृणित अर्थ, 'अग्नि से सींचता है' इस वाक्य के सेचन की तरह बाध-पराहत है अर्थात् जैसे अग्नि से सींचा नहीं जा सकता, वैसे ही ब्राह्मण की जिह्वा पर विष्ठा-धारण की बात नहीं हो सकती, अतः जिस तरह अग्निकरणक सेक का बोध अभिधा से नहीं होता, उसी तरह ब्राह्मण की जिह्वा पर विष्ठा-धारण का बोध भी अभिधा से नहीं होगा, क्योंकि—सभी विद्वानों के मत से तदभाववत्तारूपबाधनिश्चय, तद्वत्ताज्ञान के प्रति प्रतिबन्धक है । व्यञ्जनावादियों के मत में तो बाधित अर्थ का भी व्यञ्जना से बोध हो सकता है, होता भी है, क्योंकि वैसे स्थलों पर व्यञ्जना की कल्पना ही उसी के लिए होगी, अतः उससे होने वाले बोध को बाधनिश्चय नहीं रोक सकता अर्थात् वैयञ्जनिक बोधातिरिक्त बोध के प्रति ही बाधनिश्चय को प्रतिबन्धक माना जायगा । सारांश यह हुआ कि 'सुरभि मांस खाता है' इत्यादि स्थल में अबाधित गोमांस का बोध अभिधा से हो भी जाय, पर 'जैमिनीयमलम्...' इत्यादि स्थल में जिह्वा पर विष्ठाधारणरूप बाधित अर्थ का बोध अभिधा से किसी प्रकार भी नहीं हो सकता । अतः उसके बोध के लिये व्यञ्जना माननी ही पड़ेगी ।

उक्तशङ्कायाः समाधानमाह—

मैवम्, 'गामवतीर्णासत्यं सरस्वतीयं पतञ्जलिव्याजात्,' 'सौधानां नगरस्यास्य मिलन्त्यर्केण मौलयः ।' इत्यादौ वाच्यार्थान्वयोपपादनायानुसरणीयेन यत्नेन नानार्थस्थलेऽपि बाधितार्थबोधस्योपपत्तिः स्यात्, अन्यथा प्रायशः सर्वेष्वप्यलंकारेषु वाच्यार्थबोधोपपत्तये व्यञ्जनाङ्गीकरणीया स्यात् ।

मैवमिति । पूर्वमुक्तः प्रकारो न संभवतीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह—'गामवतीर्णे'त्यादिना अस्य यत इत्यादिर्बोध्यः गामिति सौधानामिति च भिन्नपद्यार्धे । तयोः प्रथमस्य 'इयं, पतञ्जलिमिषेण सरस्वती पृथिव्यां समागता' इति, द्वितीयस्य च 'अस्य नगरस्य प्रासादानां शिखराणि सूर्येण सह मिलन्ती'ति वाच्यार्थौ भवतः । अत्र क्रमशः पतञ्जलेः शारदावदवदातविद्याशालित्वम्, प्रासादानामत्युन्नतत्वञ्चाभिव्यज्यते । अनयोः पद्यार्धयोः वाच्यार्थावेव बाधितौ इति तदन्वयबोधोपपादनायायं यत्नोऽनुस्रियते, यत्—अनाहार्यत्वस्येव शब्दान्यत्वस्यापि बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककोटौ निवेशः, आहार्ययोग्यताज्ञानस्वीकारश्च । अधिकं रूपकनिरूपणे मूलकार एव स्फुटीकरिष्यति । एवञ्चानया रीत्या यथा

बाधितस्यैकार्थस्थलीयवाच्यस्यान्वयबोध उपपाद्यते तथा तयैव रीत्या बाधितस्य नानार्थस्थलीयाप्राकरणिकार्थस्य वाच्यत्वस्वीकारेऽपि अन्वयबोधः समुपपादयितुं शक्यः। अन्यथेति। उक्तयत्नानुसरणविरहे इत्यर्थः। गामित्यत्र कैतवापह्नुताविव सौधानामित्यत्र संबन्धातिशयोक्ताविव सकलेष्वलंकारेषु वाच्यार्थानां प्रायशो बाधिततया तदन्वयबोधाय व्यञ्जनासमाश्रयणीया भवेत्, न च समाश्रीयते केनापि।

पूर्वपक्षवालों की उक्त युक्ति का खण्डन करते हैं—मैवम् इत्यादि से। अभिप्राय यह है कि नानार्थकस्थल में बाधित अप्राकरणिक अर्थ के बोध के लिए भी व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 'यह, पतञ्जलि के छल से सचमुच सरस्वती पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई है' और 'इस नगर के प्रासादों के शिखर सूर्य से मिलते हैं।' एतदर्थक मूल में उद्धृत वाक्यों के 'सरस्वती के पृथ्वी पर अवतीर्ण होना' और 'प्रासादों के शिखरों का सूर्य से मिलना' रूप अर्थ बाधित हैं, अर्थात् ऐसा हो नहीं सकता। अतः ऐसे स्थलों पर वाच्य अर्थों का अभिधा से बोध सिद्ध करने के लिए जिस उपाय का अवलम्बन करना पड़ता है, उसी से नानार्थकस्थलों में भी बाधित अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधा के द्वारा ही सिद्ध हो सकेगा। अन्यथा उस उपाय का अवलंबन नहीं करने पर—प्रायः सभी अलंकारों में वाच्य अर्थों का बोध सिद्ध करने के लिये व्यञ्जना का स्वीकार करना पड़ेगा। सारांश यह हुआ कि अलंकारप्रधान काव्यों के अधिकांश अर्थ प्रायः बाधित ही रहते हैं, पर बाधित होने पर भी उन अर्थों का बोध सब लोग अभिधा से ही मानते हैं और आप भी मानते हैं, तब फिर नानार्थकस्थल में ही बाधित अप्राकरणिक अर्थ के बोध के लिए व्यञ्जना का आश्रयण क्यों किया जाय? तब रही बात यह कि कहीं बाधित अर्थ का बोध अभिधा से कैसे होता है? बाधनिश्चय उसमें प्रतिबन्ध क्यों नहीं करता? इसका उत्तर मूलकारने रूपक पर विचार करते हुए, स्वयं लक्षणा प्रकरण में दिया है। जिसका सारांश यह है कि बाधनिश्चय को शब्दजन्यबोध से अन्य बोध के प्रति ही प्रतिबन्धक मानना चाहिये, और आहार्य योग्यताज्ञान मान लेना चाहिये। फिर बाधित अर्थ का भी अभिधा से बोध होने में कोई बाधा नहीं।

तस्मान्नानार्थस्याप्राकरणिकेऽर्थे व्यञ्जनेति प्राचां सिद्धान्तः शिथिल एव।

'तस्मादि'ति प्रागुक्त-युक्ति-कलापोपसंग्राहकम्। 'नानार्थस्ये'त्यत्र नाना अर्था यस्येति बहुव्रीहिणा नानार्थकं पदमुच्यते। पूर्वोक्तयुक्तिभिः नानार्थकपदस्थलेऽप्राकरणिकस्यात एव वक्तुस्तात्पर्यविषयस्याप्यर्थस्य शक्त्यैवान्वयबोध उपपादिते तदर्थं तत्र व्यञ्जनावश्यकीति तादृश एवाभिधामूलव्यञ्जनोदाहरणस्थल इति प्राचीनानां मम्मटादीनां सिद्धान्तो निर्युक्तिकत्वादसंगत इति भावः।

अब प्राचीन मतों का उपसंहार करते हैं—तस्मात् इत्यादि से। उक्त विचारों से यह सिद्ध हुआ कि नानार्थकस्थल में अप्राकरणिक अर्थों का बोध व्यञ्जना से होता है—यह प्राचीनों का सिद्धान्त कमजोर ही है। अर्थात् नानार्थक शब्दस्थल का अप्राकरणिक अर्थ ही शब्द-शक्ति मूलध्वनि का लक्ष्य है—इस प्राचीनोक्ति में कोई युक्ति नहीं है, अतः वह असंगत ही है।

प्राचीनमतस्यांशिकरूपेण युक्तिसंगतत्वं कथञ्चित् स्वीकरोति—

प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोरुपमायां तु सा कदाचित्स्यादपीत्यत्रास्माकं प्रतिभाति।

'उपमायां तु' इत्यत्र 'तुना' अप्राकरणिकार्थे सा व्यवच्छिद्यते। सा व्यञ्जना। अयं भावः—

'दुर्गालंघितविग्रहो मनसिजं सम्मीलयंस्तेजसा,
प्रोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा विष्वग्वृतो भोगिभिः।
नक्षत्रेशकृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन्,
गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनू राजत्युमावल्लभः॥'

इत्यादौ 'उमावल्लभ' पदस्य, उमानामिकाया राज्ञ्या वल्लभः पतिः भानुदेवनामा नृपतिः, उमायाः पार्वत्या वल्लभः शिवश्चेति द्वावर्थौ, तयोः प्रथमः प्राकरणिको द्वितीयश्चाप्राकरणिकः। एवञ्च प्राकरणिकेऽर्थे प्रकरणेन तत्पदाभिधायां नियन्त्रितायामप्राकरणिकः पार्वतीवल्लभरूपोऽर्थो न वाच्योऽपि तु व्यङ्ग्यः, तथाऽप्राकरणिकार्थबोधनप्रयोज्यमसंबद्धार्थाभिधायित्वं पद्यस्य मा प्रसांक्षीदिति प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः नृपशिवयोः रुपमालंकारोऽपि व्यङ्ग्य इति प्राञ्च आमनन्ति। पण्डितराजस्तु उक्तरीत्याऽप्राकरणिकार्थस्यापि वाच्यत्वं व्यवस्थाप्योपमालंकारमात्रस्य व्यङ्ग्यत्वमङ्गीकुरुते। परमत्रापि न पण्डितराजस्य सर्वथा निर्भरः, तत्सूचनायैवात्र ग्रन्थे 'कदाचिदिति' स्यादपीत्यत्रत्यापिशब्दञ्च संदिग्धार्थकं प्रयुङ्क्ते। तदबीजञ्च तादृशाप्राकरणिकार्थमादाय वाक्यस्यासंबद्धार्थकत्वं माभूदिति कल्प्यमानोपमाया अर्थापत्तिवेद्यत्वस्यापि संभव इति बोध्यम्। उक्तश्लोके विशेषणपदानां द्वयोः पक्षयोर्जायमानाः पृथक् पृथगर्था विस्तारभयेनात्र न लिखिता इति साहित्यदर्पणतो जिज्ञासुभिस्ते विज्ञेयाः।

प्राचीन मत के कुछ अंश में युक्तिसंगत होने के नाते पण्डितराज अपनी सम्मति दिखलाते हैं—प्राकारणिक। इत्यादि से। आशय यह है कि 'संस्कृतटीका में उद्धृत 'दुर्गालंघित····' इत्यादि श्लोक में 'उमावल्लभ' पद के दो अर्थ हैं, एक—उमा नाम की रानी का वल्लभ प्रियपति भानुदेव नाम का राजा, और दूसरा—उमा पार्वती का वल्लभ शिव। उन दोनों अर्थों में प्रथम प्राकरणिक, दूसरा अप्राकरणिक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण से प्राकरणिक राजारूप अर्थ में उमावल्लभ पद की अभिधा नियन्त्रित हो जायगी, अतः वाच्य अर्थ वही होगा। अप्राकरणिक शिवरूप अर्थ होगा व्यङ्ग्य और अप्राकरणिक अर्थ का बोध अप्रासङ्गिक न समझा जाय, इसलिए 'उमावल्लभ शिव—जैसा उमावल्लभ राजा,' इत्याकारक प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक अर्थ का उपमालंकार भी व्यङ्ग्य है—यह प्राचीनों का मत है। पर पण्डितराज उक्त रीति से अप्राकरणिक अर्थ को भी वाच्य ही मानते हैं, अतः उनके मत से केवल उक्त उपमा अलङ्कार ही व्यङ्ग्य है।

स्वाभिमतं शब्दशक्तिमूलव्यञ्जनोदाहरणस्थलं दर्शयितुमुपक्रममातनोति—

एवमपि योगरूढिस्थले रूढिज्ञानेन योगापहरणस्य सकलतन्त्रसिद्धतया रूढ्यनधिकरणस्य योगार्थालिङ्गितस्यार्थान्तरस्य व्यक्तिं विना प्रतीतिर्दुरुपपादा।

एवमपीति। नानार्थकस्थले शब्दशक्तिमूलव्यञ्जनोदाहरणासंभवेऽपीत्यर्थः। योगरूढिस्थल इति। योगरूढिर्नामाभिधाशक्तिविशेषः, स च शास्त्रकल्पितावयवार्थान्वितविशेष्यभूतार्थनिरूपितसमुदायबोधकत्वरूपः, तस्याः स्थले लक्ष्ये पङ्कजपदादावित्यर्थः। अभिधाभे-

दनिरूपणमभिधानिरूपणप्रकरणे स्वयमेव ग्रन्थकारो विस्तरतो विधास्यति। योगापहरणस्येत्यत्रापहरणं बाधः। रूढ्यनधिकरणेति। निरूपकतासंबन्धावच्छिन्नरूढिशक्तिनिरूपिताधिकरणताशून्यस्येत्यर्थः, रूढिशक्त्यनिरूपकस्येति यावत्। योगार्थेति। योगशक्तीत्यर्थः, अन्यथाऽर्थान्तरपदेनाग्रिमेण योगार्थस्यैव विवक्षिततया 'योगार्थालिङ्गितस्य योगार्थस्येति' प्रतीतावसंगत्यापत्तेः। अयमभिप्रायः—योगरूढिविशिष्टात् पदात् रूढ्यर्थस्यैव वाच्यवृत्त्या बोधो भवति, न योगार्थस्य 'रूढिर्योगापहारिणी'ति न्यायात्। परन्तु क्वचित् स्थलविशेषे (यमनुपदमेवाग्रे ग्रन्थकारो दर्शयिष्यति) एकस्मादेव पदात् रूढ्यर्थप्रतीत्युत्तरं योगार्थस्यापि प्रतीतिर्जायते, सा च व्यञ्जनयैवोपपादयितुं शक्येति तादृशस्थल एव शब्दशक्तिव्यञ्जनाया लक्ष्यसम्भवः इति।

अब ग्रन्थकार शब्दशक्तिमूलध्वनि के सम्बन्ध में स्वकीय मत उपस्थित करते हैं—एवमपि। इत्यादि से। उक्त रीति से प्राचीन मत के शिथिल हो जाने पर भी अन्यत्र शब्दशक्तिमूलकध्वनि का लक्ष्य मिल सकता है। जैसे—अभिधा का एक भेद है योगरूढि, जो शास्त्रकल्पित अवयवार्थमिश्रित समुदायार्थबोधकतारूप मानी जाती है, जिसका उदाहरण 'पङ्कज' आदि पद होता है, वहाँ रूढि-शक्तिज्ञान से योगशक्ति का बोध होता है, यह बात सभी मतों में मान्य है। अतएव 'पङ्कज' पद से पङ्क से जन्म ग्रहण करनेवाले शैवाल आदि का बोध न होकर केवल तादृश कमलरूप रूढ्यर्थ का ही बोध होता है। परन्तु कहीं-कहीं एक ही योगरूढ पद से रूढ्यर्थ के बोध हो जाने के बाद योगार्थ की भी प्रतीति देखी जाती है। (वैसे स्थल तुरत मूल में ही आगे दिखलाये जायेंगे) वह प्रतीति अभिधा से तो हो नहीं सकती, क्योंकि उस प्रतीति में सहायक योगशक्ति का रूढिशक्ति से बाध हो गया रहता है। अतः अगत्या उस प्रतीति को उत्पन्न करने के लिये व्यञ्जनावृत्ति का ही अवलंबन करना पड़ेगा अर्थात् वही शब्दशक्तिमूलकध्वनि का स्थान है।

उदाहरति—

यथा—

> 'अबलानां श्रियं हृत्वा वारिवाहैः सहानिशम्।
> तिष्ठन्ति चपला यत्र स कालः समुपस्थितः॥'

अत्राशक्तानां द्रव्यमपहृत्य जलवाहकैः पुरुषैः सह पुंश्चल्यो रमन्त इत्यर्थान्तरं न तावदबला-वारिवाह-चपलाशब्दैर्योगरूढ्या शक्यते बोधयितुम्, मेघत्वविद्युत्त्वाद्यघटितस्यैव तस्यार्थस्य प्रतीतेः। अन्यथा चमत्कारो न स्यात्। अतएव न योगशक्त्यापि केवलया। रूढ्यर्थासंवलितार्थबोधकत्वस्य तस्या रूढिसमानाधिकरणाया असंगतेः। पुंश्चलीत्वादेः सर्वथैव तदविषयत्वात्।

अबलेति। चपलाः = विद्युतो वारिवाहैः = मेघैः सह अबलानां = नायिकानां श्रियं = शोभां हृत्वा = अपहृत्य यत्र = यस्मिन्, काले इति यावत् अनिशम् = सततम् तिष्ठन्ति = वर्तन्ते, स कालः = वर्षासमयः, समुपस्थितः = समागतः इति वाच्योऽर्थः। अत्र 'अशक्ताना'मित्यादिमूलोक्तार्थोऽपि प्रतीयते, तस्याश्च प्रतीतेः अबला-वारिवाह-चपलापदेभ्यो योगरूढशक्त्या न संभवः, अशक्तत्वमेघत्वविद्युत्त्वघटितस्य अशक्तमेघविद्युद्रूप-

स्यैवेति यावत् , अर्थस्य तत्पदनिष्ठयोगरूढिशक्तिविषयत्वात , प्रतीयमानस्य मूलोक्तार्थस्य च अशक्तत्वमेघत्वविद्युत्त्वाद्यघटितत्वात् । अन्यथेति । मूलोक्तार्थस्याप्रतीतौ, अशक्तत्वमेघत्वविद्युत्वादिघटितस्यैव तस्य प्रतीतौ वेत्यर्थः । अयमाशयः—अत्र मूलोक्तार्थप्रतीतेरपलापे वाच्यार्थमात्रस्याचमत्कारित्वेन प्रकृतपद्यस्य काव्यत्वमेव न स्यात् , काव्यत्वस्य चमत्काराधीनत्वात् । तदर्थप्रतीतिस्वीकारेऽपि तत्र मेघत्वादिवाच्यधर्मभानसंमाने पुनः स एव चमत्काराभावनिबन्धनो दोष इति मूलोक्तरूपेणैव तदर्थप्रतीतिः स्वीकर्तव्या भवेदगत्या साहित्यरसिकानाम् । ननु योगरूढिशक्त्या मूलोक्तार्थप्रतीत्यसम्भवेऽपि केवलयोगशक्त्या वारिवाहादिपदनिष्ठया, तत्प्रतीतिः सम्भवतीत्यपि न युक्तमित्याह—अत एवेति ! वक्ष्यमाणयुक्तेरित्यर्थः । तामेव युक्तिमाह—रूढ्यर्थासंवलितेति । रूढयर्थेन असंवलितः अघटितः अमिश्रित इति यावत् योऽर्थः, तद्बोधकत्वस्येति भावः । तस्याः योगशक्तेः । रूढिसमानाधिकरणाया इति, रूढया शक्त्येति यावत् समानम् एकम् अधिकरणम् पदरूपः स्थितिप्रदेशो यस्या' तस्याः रूढिशक्तिसंकीर्णाया इति यावत् । एतत्पदार्थस्य 'तस्याः' इति षष्ठ्यन्तार्थेऽन्वयः । असंगतेरिति पूर्वोक्त 'बोधकत्वस्ये'त्यनेनान्वितम् । अयमाशयः—योगरूढाः अबलावारिवाहचपलाप्रभृतयः शब्दा वाच्यवृत्त्या न केवलं योगार्थं बोधयितुं क्षमन्ते इति ।

ननु फलबलात् तथा कल्प्यत इत्यत आह—पुंश्चलीति । आदिना पुरुषत्व-रतित्व-परिग्रहः । तदविषयत्वादिति । योगशक्त्यविषयत्वादित्यर्थः । योगरूढपदेभ्यो वारिवाहादिभ्यः केवलयोगार्थबोधस्वीकारेऽपि न प्रकृते इष्टसिद्धिः, योगबलेनापि पुंश्चलीत्वादेरलाभादिति भावः । एवञ्चैतादृशेषु स्थलेषु शब्दशक्तिमूलव्यञ्जनास्वीकार आवश्यकः, अन्यथा अनिस्तारादिति ग्रन्थकारस्य हृदयम् ।

अब ग्रन्थकार अपने मत के अनुसार शब्दशक्तिमूलध्वनि का उदाहरण दिखलाते हैं—अवलानाम् इत्यादि से । इस पद्य का प्राकरणिक अर्थात् 'योगरूढि' द्वारा होने वाला–वाच्य अर्थ यह है—जिस समय में विद्युल्लतायें रमणियों की कान्ति का अपहरण करके रात दिन मेघों के साथ रहा करती हैं, वह वर्षा समय उपस्थित हो गया । परन्तु यहाँ एक अन्य अर्थ भी अवगत होता है । वह यह है कि—जिस समय में कुलटायें निर्बल पुरुषों का धन अपहरण करके जल ढोनेवाले अर्थात् नीच पुरुषों के साथ रमण किया करती हैं, वह समय (घोर कलियुग) आगया । इस द्वितीय अर्थ का बोध 'अवला', 'वारिवाह', और 'चपला' शब्दों की योगरूढिशक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि 'मेघत्व', और 'विद्युत्व' आदि धर्मों से युक्त अर्थ ही उक्त पदों की योगरूढिशक्ति के विषय हुए हैं और उक्त द्वितीय अर्थ उन धर्मों से कतई संबन्ध नहीं रखता । यदि कोई यह दुराग्रह करे कि उक्त द्वितीय अर्थ में भी उन धर्मों का संबन्ध है, अथवा उक्त द्वितीय अर्थ का यहाँ बोध नहीं होता, तो यह बन नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में प्रकृत पद्य में कोई चमत्कार ही नहीं रहेगा, फिर तो इस पद्य को काव्य कहना भी कठिन हो जायगा, क्योंकि काव्यत्व का व्यवहार चमत्कार के ही अधीन है । यदि आप कहें कि योगरूढिशक्ति से उक्त द्वितीय अर्थ का बोध नहीं हो सकता है तो न हो, केवल योगशक्ति से हो सकता है, किन्तु यह भी संगत नहीं होगा, क्योंकि 'अवला', 'वारिवाह' 'चपला' प्रभृति शब्द जब योगरूढ हैं, तब वे केवल योगशक्ति से किसी अर्थ का बोधक

हो ही नहीं सकते। यदि आप इतने पर भी यह हठ करें कि जब यहाँ उक्त द्वितीय अर्थ की भी प्रतीति अनुभवसिद्ध है, तब हम अगत्या योगरूढ होने पर भी इन शब्दों से केवल योगार्थ का भी बोध मान लेंगे, दूसरा उपाय ही क्या है ? ऐसा कहना भी न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि उन पदों की योगशक्ति के अन्दर भी तो कुलटा, पुरुष और रमणरूप अर्थ नहीं आते। अतः ऐसे स्थलों में अगत्या उस द्वितीय अर्थ के बोध के लिये शाब्दी व्यञ्जनारूप अन्य उपाय का आश्रयण करना ही पड़ेगा। इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकृत पद्य का उक्त द्वितीय अर्थ शब्दशक्तिमूलक व्यङ्ग्य है।

योगरूढेरन्यत्राप्येकत्रैषा स्थितिरिति दर्शयति—

एवं यौगिकरूढिस्थलेऽपि बोध्यम्।

अभिधाया यौगिकरूढिनामकोऽप्येको भेदः कैश्चिदङ्गीकृतः यच्चर्चा ग्रन्थकृताऽग्रे विधास्यते। मण्डपादिपदानि तस्य शक्तिभेदस्याश्रयीभूतानि। तत्परघटितकाव्येष्वपि वाच्यभिन्नार्थबोधाय व्यञ्जनाया अपेक्षेति सारांशः।

इसी तरह यौगिकरूढिस्थल में भी समझिए। अर्थात् अभिधा का यौगिकरूढिनामक एक भेद—जिसकी चर्चा ग्रन्थकार ने आगे की है—कुछ लोगों ने माना है, जिसके उदाहरण मण्डप आदि पद होते हैं, उन पदों से रचित काव्य में भी वाच्य से भिन्न अर्थ का बोध व्यञ्जना से ही होगा, अतः वैसा स्थल भी शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का उदाहरण हो सकता है।

योगरूढिस्थलीयमेवोदाहरणान्तरमाह—

यथा वा—

'चाञ्चल्ययोगिनयनं तव जलजानां श्रियं हरतु।
विपिनेऽतिचञ्चलानामपि च मृगाणां कथं हरति॥'

अत्र नैवाश्चर्यकारी चाञ्चल्यगुणरहितानां कमलानां चाञ्चल्यगुणाधिकेन तव लोचनेन शोभायास्तिरस्कारः, आश्चर्यकृत्तु हरिणानां तद्गुणयुक्तानां तस्याः स इति वाच्यार्थे पर्यवसन्नेऽपि रूढिनिर्मुक्तकेवलयोगमर्यादया मूर्खपुत्राणामतएव प्रमत्तानां नेतृभिश्चोराद्यैः, श्रियो धनस्य हरणं सुशकम्, न तु गवेषकाणामत एवाप्रमत्तानामिति जलजनयनमृगशब्देभ्यः प्रतीयमानोऽर्थः कथं नाम व्यञ्जनाव्यापारं विनोपपादयितुं शक्यते।

जलजनयनमृगेति। काव्ये डलयोरैक्यात् मूर्खरूपस्य नयतीति नयनमिति व्युत्पत्त्या नेतृत्वेन चौररूपस्य, मृगयन्तीति मृगा इति व्युत्पत्त्या गवेषकरूपस्य चार्थस्य लाभः। 'मृग अन्वेषणे' इत्यदन्ताच्चुरादिधातोः पचाद्यच्। तथा च योगरूढिशक्त्याऽस्य पद्यस्यायमर्थः—कमलेषु चञ्चलतागुणोनास्तीति तदपेक्षया समधिकतद्गुणशालिना तव नेत्रेण तेषां कमलानां शोभायास्तिरस्कारः समुचित इति नाश्चर्यकारी। परन्तु सामान्यतश्चञ्चलं तव नेत्रं वनवासिनामतिचञ्चलानां मृगाणाम् शोभायास्तिरस्कारं यत्करोति तदाश्चर्यकारि इति।

एतद्वाच्यार्थावगत्यनन्तरमपि जलजनयनमृगपदानां रूढिरहितकेवलयोगशक्त्या योऽयमर्थः प्रतीयते—नेतृभिश्चोराद्यैर्मूर्खतनयानामतएव प्रमादकारिणां धनापहरणं

भवितुमर्हति, परन्तु ये गवेषका अतएव सावधाना गुप्तस्थानवासिनश्च तेषां धनापहरणं चौरैर्न शक्यते विधातुमिति, तस्यार्थस्य प्रतीतिरियं न व्यञ्जनावृत्तिसहकारमन्तरा कर्तुं शक्या 'रूढिर्योगापहारिणी'तिन्यायमूलोक्तयुक्तेरिति सारांशः।

अब 'यथा वा' कहकर योगरूढि स्थल का ही एक और उदाहरण दिखलाया जाता है—चाञ्चल्य इत्यादि से। योगरूढिशक्ति से इस पद्य का अर्थ होता है कि साधारण चञ्चलतारूपगुण से युक्त तेरा नेत्र, सर्वथा उस (चञ्चलता) गुण से हीन कमलों की शोभा का तिरस्कार करे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर अत्यधिक अर्थात् तुम्हारी आँखों से भी अधिक, चञ्चलता गुणशाली मृगों की शोभा का भी जो तेरा नेत्र तिरस्कार करता है, वह अत्यन्त आश्चर्य की बात है। इस वाच्यार्थ की प्रतीति हो जाने के अनन्तर रूढिरहित केवल योगशक्ति के बल से एक और अर्थ यहाँ प्रतीत होता है। वह यह है—मूर्खों के पुत्र अतएव असावधान रहनेवालों के धन का अपहरण, (चोरी) आदि कर सकते हैं, पर गवेषक अर्थात् हर बात की खोज रखनेवाले अतएव पूर्ण सावधानता बरतनेवालों के धन का नहीं। सारांश यह है कि—काव्य में 'ड' और 'ल' एक को माना गया है, अतः 'जलज' पद का जड़द—मूर्खपुत्र, 'नयति-ले जो जाय' इस व्युत्पत्ति से 'नयन' पद का नेता चोर और 'मृगयन्ति-जो खोज करे' इस व्युत्पत्ति से 'मृग' पद का गवेषक-सदा सावधान, अर्थ भी केवल योगशक्ति की रीति से होता है, जिनके अन्वय से उक्त द्वितीय वाक्यार्थ तैयार होता है। इस द्वितीय अर्थ का बोध व्यञ्जनावृत्ति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि योगरूढपद रूढिशक्ति से अमिश्रित केवल योगशक्ति से अर्थ के बोध कराने में सर्वथा अक्षम होते हैं। अतः यह भी शब्दशक्तिमूलध्वनि का लक्ष्य है।

योगरूढिस्थले केवलयोगशक्त्या नार्थान्तरप्रतीतिरिति स्वाभिमतं सिद्धान्तम् अन्याचार्यमतैः संवादयति—

अतएव पङ्कजादिपदेभ्यः पङ्कजनिकर्तृत्वेन कुमुदाद्युपस्थितिर्लक्षणयैवेति नैयायिका मन्यन्ते। अतएव च 'ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः' इति वेदान्तवाक्ये किमैश्वर्यविशिष्टः कश्चिज्जीवोऽत्र प्रतिपाद्यते उतेश्वर इति संशये, जीव एवेति पूर्वपक्षे च 'शब्दादेव प्रमितः' इति सूत्रितमुत्तरमीमांसाकारैर्बादरायणचरणैः (ब्रह्मसूत्रे १।३।२४)।

अत एवेति। योगार्थमात्रस्य योगरूढपदादलाभादेवेत्यर्थः। अयं भावः—यतः योगरूढिशक्तिविशिष्टं पङ्कजपदं पङ्कजनिकर्तृत्वविशिष्टं कमलमेव वाच्यवृत्त्या समुपस्थापयितुं क्षमते, न केवलयोगमर्यादया पङ्कजनिकर्तृकुमुदादि, अतस्तदुपस्थितिः चिकीर्षिता चेत्तत्रार्थे पङ्कजपदस्य लक्षणा समाश्रयणीयेति नैयायिकानां मन्तव्यम्। न केवलं नैयायिकैरेव समर्थितोऽयं सिद्धान्तः, अपि तु वेदान्तिभिरपीति दर्शयितुमाह—अत एव चेति। उक्त एवार्थः। ईशान इत्यस्य 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः' इत्यादिग्रन्थः। कठवल्लीस्थमिदम् (चतुर्थवल्ली। १२)। अथ वर्तमानकाले स एव अङ्गुष्ठमात्र इत्यादिविशेषणविशिष्टः भूतभव्यस्य ईशानः अस्ति। श्वो भविष्यत्काले स एव भवितेत्यर्थः। अस्मिन् वेदान्तवाक्ये ऐश्वर्यविशिष्टस्य कस्यचन जीवस्य प्रतिपादनमुत ईश्वरस्येति संशयः। जीव एव, अङ्गुष्ठपरिमाणस्य लिङ्गस्य ब्रह्मण्यसंभवात् इति पूर्वः पक्षः। ततः सिद्धान्तार्थं भगवान् बादरायणः 'शब्दा-

देवे’ति सूत्रमरचयत , तस्यायमाशयः—परमात्मैवात्र प्रतिपाद्य इति प्रमितम् , कुतः, शब्दादेव, ईशानशब्दादिति तदर्थः। ईशानशब्दः परमात्मनि योगरूढः, अतः केवलयोग-मर्यादया ऐश्वर्यविशिष्टजीवस्य ततो बोधो न स्यात् , रूढेर्योगापहारित्वात् । ननु अङ्गुष्ठ-मात्र इति लिङ्गस्य परमात्मनि विरोध इति चेत् ? सत्यम् , जीवे ईशान इति श्रुतिरेव विरुद्धा । लिङ्गश्रुत्योर्विरोधे च श्रुतेरेव प्राबल्यम् , ‘श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षादिति’ जैमिनिसूत्रात् । अङ्गुष्ठमात्रजीवानुवादेन ब्रह्माभेदप्रतिपादन-परतया अङ्गुष्ठमात्रत्वलिङ्गस्यानुपपत्तिरपि परिहर्तुं सुशका इति ।

अब ग्रन्थकार ‘योगरूढ़पद, केवल योगशक्ति से किसी अर्थ का बोध नहीं कराता है’ इस स्वसम्मत सिद्धान्त में अन्य आचार्यों की सम्मति दिखलाते हैं—अतएव इत्यादि से । योगरूढिशक्तिवाला ‘पङ्कज’ पद, जिस लिये पङ्क से जन्म ग्रहण करनेवाले कमल का ही अभिधा द्वारा बोधक होता है, केवल योगशक्ति द्वारा पङ्क से जन्म ग्रहण करनेवाले कुमुद आदि का नहीं, अतएव यदि कहीं पङ्कजपद से कुमुद आदि का बोध कराना अभीष्ट रहता है, तो उसके लिये पङ्कजपद में कुमुद आदि अर्थ की लक्षणा नैयायिक लोग मानते हैं। इसी तरह वेदान्ती विद्वान् भी योगरूढ़पद से केवल योगार्थ का बोध नहीं मानते हैं। देखिए—कठवल्ली नामक शाखा में ‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो-ज्योतिरिवाधूमकः’ अर्थात् निर्धूम अग्नि-ज्योति के समान अंगुष्ठप्रमाण एक पुरुष है’ इत्यादिरूप से आरम्भ करके ‘ईशानो भूतभव्यस्य’……’इत्यादि मूलोक्त वाक्य कहा गया है। जिसका अर्थ यह है कि आज—वर्तमानकाल में अङ्गुष्ठमात्र प्रमाणवाला वह पुरुष ही भूत और भावी का ईशान अर्थात् मालिक है और भविष्यत्काल में भी वही मालिक रहेगा। यहाँ यह सन्देह होता है कि यह ऐश्वर्यशाली किसी जीव का वर्णन है अथवा परब्रह्म परमेश्वर का ? इसके उत्तर में पहले यह कहा गया कि जीव का, क्योंकि अङ्गुष्ठ प्रमाणरूपचिह्न परब्रह्म में नहीं हो सकता। तदनन्तर उक्त सन्देह का निराकरण करने के लिये उत्तरमीमांसा (ब्रह्मसूत्र) कार भगवान् वेदव्यास ने सिद्धान्तभूत ‘शब्दादेव प्रमितः’ यह सूत्र बनाया। जिसका अर्थ यह है—कि उक्त उपनिषद् वाक्य में परब्रह्म का ही वर्णन किया गया है जीव का नहीं, यह बात ‘ईशान’शब्द से ही प्रमित—यथार्थरूप में निश्चित है। सूत्रकार का आशय है कि ईशानशब्द परब्रह्मरूप अर्थ में योगरूढ़ है, अतः केवल योगमर्यादा से ऐश्वर्यशाली जीव का बोधक वह नहीं हो सकता है। यहाँ यदि कोई यह आक्षेप करे कि भगवान् वेदव्यास का उक्त फैसला कैसे संगत हुआ, क्योंकि ईशानपद का परब्रह्म अर्थ करने पर ‘अङ्गुष्ठमात्र प्रमाण’ यह लिङ्ग विरुद्ध हो जाता है ? इसका समाधान यह है कि परब्रह्म अर्थ करने पर लिङ्ग विरोध होता है, पर जीव अर्थ करने पर तो ‘ईशान’ यह श्रुति ही विरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में श्रुति का अनुरोध करना ही उचित है लिङ्ग का नहीं, क्योंकि—सूत्रकार जैमिनि ने श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण आदि में उत्तरोत्तर को दुर्बल माना है।

उपसंहरति—

तस्मादर्थान्तरमिह न शक्तिवेद्यम् अपि तु व्यक्तिवेद्यमेव ।

तस्मादिति । रूढेर्योगापहारित्वादेवेत्यर्थः । अर्थान्तरम् केवलयोगमर्यादाप्राप्तम् । इह अबलानामित्यादौ । शक्तिवेद्यमिति । शक्त्या योगरूढिशक्त्या वेद्यं ज्ञेयमित्यर्थः । व्यक्तिवेद्यमिति । व्यक्त्या शब्दशक्तिमूलव्यञ्जनया ज्ञातव्यमिति भावः ।

प्रकृत प्रसङ्ग पर स्वमत का उपसंहार करते हैं—तस्मात् इत्यादि से। उक्त विवरणों से यह सिद्ध होता है कि 'अबलानाम्......' और 'चाञ्चल्य......' इत्यादि, योगरूढ़-पदरचित पद्यों में जो दूसरे—अप्राकरणिक अर्थ प्रतीत होते हैं, वे अभिधा के द्वारा नहीं, अपि तु व्यञ्जना के द्वारा ज्ञात होते हैं।

ननु शक्त्यवेद्यत्वेऽपि लक्षणावेद्यत्वमेवास्तु किं व्यञ्जनयेत्यत आह—

यथाश्रुतार्थस्यैवोपपत्तेर्बाधाभावेन लक्ष्यमित्यपि न शक्यं वक्तुम्। तात्पर्यार्थबोधस्तु तदर्थबोधोत्तरं बोध्यः। स एव तु कथं स्यादित्युपायोऽयं विचिन्त्यते। नह्यपहर्तृ-व्यवहारो वक्त्रा विवक्षित इति श्रोतुर्बोधे कश्चिदुपायोऽस्ति ऋते सहृदयहृदयोन्मिषितादस्माद्व्यापारात्

यथाश्रुतार्थस्येति। श्रुतं शब्दमिति यावत् अनतिक्रम्य प्रवर्तते इति तादृशो योऽर्थः तस्येत्यर्थः। श्रुतशब्दस्वारस्यसिद्धार्थस्येति यावत्। वाच्यार्थस्येति परमार्थः। उपपत्तेरिति। अन्वयबोधसिद्धेरिति भावः। बाधाभावेनेति। अन्वयायोग्यत्वविरहेणेत्यर्थः। अयंभावः—'अबलानां श्रियम्' इत्यादौ 'नायिकानां शोभां हृत्वा विद्युतो मेघैः सह रमन्ते' इति रीत्या तत्तत्पदार्थस्यान्वयसंभवे, मुख्यार्थबाधतद्योग-रूढिप्रयोजनान्यतररूपलक्षणाकारणघटक-मुख्यार्थबाधात्मककारणविरहेण तत्र 'अशक्तानां धनमपहृत्य वारिवाहकैः पुरुषैः सह पुंश्चल्यो रमन्ते' इति प्रतीयमानार्थादौ तद्वाक्यस्य तद्वाक्यघटकपदानां वा लक्षणा न संभवतीति।

ननु अन्वयानुपपत्तिर्न लक्षणाबीजम् 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्' इत्यादौ लक्षणानापत्तेरिति तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजमकामेनाऽप्यङ्गीकार्यम्। तथा च प्रकृतेऽपि वक्तुर्द्वितीयार्थविषयकतात्पर्यस्यानुपपत्तिरस्तीति संभवति तत्र लक्षणेत्यत आह—तात्पर्यार्थेति। द्वितीयार्थेति तदर्थः। तदर्थेति। योगरूढिलभ्यार्थेत्यर्थः। स इति। द्वितीयार्थबोध इत्यर्थः। अयमिति। व्यञ्जनाङ्गीकाररूप इत्यर्थः। अपहर्तृव्यवहारः 'चाञ्चल्ययोगि' इति पद्ये चौरव्यवहारः। ऋते विना। सहृदयेति। सहृदयानां काव्यार्थ-भावनापरिपक्वबुद्धीनां सचेतसहृदयेभ्यः उन्मिषितात् उत्थितात् इत्यर्थः। सहृदयगृहीतादिति यावत्। अस्माद् व्यञ्जनारूपात्। चाञ्चल्ययोगीत्यादौ प्रथमार्थप्रतीतिवेलायां यदि 'अपहर्तृव्यवहारोऽत्र वक्त्रा विवक्षित' इति तात्पर्यं श्रोतुर्विदितमभविष्यत्, तदा तदनुपपत्तिमूलिकां लक्षणां तत्रार्थे कर्तुं श्रोताऽपारयिष्यत्, परन्तु तत्तात्पर्यार्थज्ञानार्थमेव व्यञ्जनाव्यापारस्वीकारः इति सिद्धमिह व्यञ्जनाया आवश्यकत्वम्। अपरस्तु तद्ज्ञानसाधकः उपायो नास्त्येवेति भावः।

अब लक्षणा से भी उक्त स्थलों में अप्राकरणिक अर्थ का बोध नहीं हो सकता, यह दिखलाते हैं—यथाश्रुत इत्यादि से। अभिप्राय यह है कि नैयायिकों की तरह लक्षणा से ही योगरूढि स्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध मान लेने की बात भी संगत नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्य अर्थ का बाध रहने पर ही लक्षणा होती है और वहाँ मुख्य अर्थ का बाध नहीं रहता, अर्थात् 'अबलानां श्रियम्...' इत्यादि पूर्वोक्त पद्यों में 'नायिकाओं की शोभा का अपहरण करके बिजलियाँ मेघों के साथ रहती हैं' इत्यादि रीति से जब वाच्य अर्थ का अन्वय हो ही जाता है, तब लक्षणा का प्रसंग ही वहाँ कैसे उठ सकता है? क्योंकि लक्षणा के कारणों में एक मुख्य अर्थ का अन्वय न हो सकना (बाध) भी है।

यदि आप कहें कि 'काकों से दही की रक्षा कीजिए' इत्यादि स्थलों पर अन्वय की अनुपपत्ति न रहने पर भी लक्षणा होती है अतः तात्पर्य की अनुपपत्ति ही लक्षणा का कारण है अन्वय की अनुपपत्ति नहीं, फिर तो उक्त योगरूढिस्थलों में लक्षणा हो ही सकती है, क्योंकि 'दुर्बल पुरुषों के धन का अपहरण करके कुलटायें जल ढोनेवालों के साथ रमण करती हैं' इस अप्राकरणिक अर्थ में—जिसमें वक्ता का तात्पर्य है—अनुपपत्ति स्पष्ट है। इस प्रकार यह कथन भी आपका अज्ञानमूलक ही कहा जा सकता है, क्योंकि वक्ता का तात्पर्य उक्त अप्राकरणिक अर्थ में है, इसका ज्ञान ही श्रोता को पहले कैसे होगा? उसी ज्ञान के लिये तो मैं व्यञ्जना मानने को सम्मति दे रहा हूँ और आप उसी व्यञ्जना का खण्डन करने के लिये लक्षणा की बात चला रहे हैं यह कैसे हो सकता है? अर्थात् 'चाञ्चल्ययोगि...' इत्यादि स्थलों में प्रथम अर्थ की प्रतीति के समय में 'चोरवाली बात भी वक्ता का विवक्षित है' इस तरह का तात्पर्य श्रोता को यदि ज्ञात रहता, तो वह उस अर्थ की अनुपपत्ति से उस अर्थ में उक्त पद्यघटक एक वा अनेक पदों की लक्षणा कर भी सकता था, पर वह तात्पर्य ही श्रोता को प्रथमार्थ-ज्ञानकाल में ज्ञात नहीं रहता। यदि उक्त तात्पर्यज्ञान के लिये उपाय का अन्वेषण करना चाहेंगे, तो व्यञ्जना की शरण लेनी पड़ेगी दूसरा कोई उपाय मिलेगा ही नहीं। और जब व्यञ्जना मान लेंगे तब लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी व्यञ्जना से ही उस अर्थ का बोध सिद्ध हो जायगा।

पूर्वोक्तरीतिरेवान्यत्रापि तादृशस्थलेषु समाश्रयणीयेत्याह—

एवमन्यत्राप्यूह्यम्।

प्रागुपदर्शितां सरणिमाश्रित्य अन्यत्रापि योगरूढिस्थले काव्यघटकं स्वयमेवोहो विधेयः काव्यमर्मज्ञैरिति भावः।

इस तरह योगरूढ पदों के द्वारा रचित अन्य काव्यस्थलों में भी चाहिए।

योगरूढपदनिबद्धेषु 'अबलानाम्' इत्यादिषु द्वितीयार्थप्रतीत्यपलापं दूरीकरोति—

तादृशार्थप्रतिपत्तिरेव नास्तीति तु गाढतरशब्दार्थव्युत्पत्तिमसृणीकृतान्तःकरणैर्न शक्यते वक्तुम्।

तादृशेति। द्वितीयेत्यर्थः। गाढतरेति। गाढतरया अनन्यसाधारणया तलस्पर्शिन्येति यावत् शब्दार्थयोः व्युत्पत्त्या ज्ञानेन मसृणीकृतानि चिक्कणीकृतानि व्यङ्ग्यार्थबोधक्षमतामापादितानीति यावत् अन्तःकरणानि हृदयानि हृदयावच्छिन्नात्मान इति परमार्थः, येषां तैरित्यर्थः। 'अबलाना'मित्यादौ द्वितीयार्थप्रतीतिरेव नेति त एव वक्तुं प्रभवन्ति ये अल्पज्ञा वाच्यार्थमात्रबोधनिपुणाः, ये तु काव्यमर्मज्ञा बहुज्ञा व्यङ्ग्यार्थबोधकुशलास्ते न तथा कथयेयुरिति भावः।

उक्त पद्यों से उक्त अप्राकरणिक अर्थों की प्रतीति होती ही नहीं है, ऐसा तो वे ही सज्जन कह सकते हैं जो अल्पज्ञ होंगे—वाच्यार्थमात्र को समझने की शक्ति रखते होंगे, अर्थात् जिन लोगों के हृदय शब्द और अर्थों की गाढ़ी व्युत्पत्ति से मँजे होंगे, वे कभी भी उक्त व्यङ्ग्य अर्थों का अपलाप नहीं कर सकते।

इदानीम् 'अनेकार्थस्य शब्दस्य' इत्यादिमम्मटोक्तशब्दशक्तिमूलव्यञ्जनासंग्राहककारिकास्थाने भिन्नविधैव संग्रहकारिका कर्तव्येत्याह—

तथा चेत्थं संग्रहः—

'योगरूढस्य शब्दस्य योगे रूढ्या नियन्त्रिते ।
धियं योगस्पृशोऽर्थस्य या सूते व्यञ्जनैव सा ॥'

योगरूढिशक्तिविशिष्टस्य पदस्य योगशक्तौ रूढिशक्त्या नियन्त्रितायां या वृत्तिर्योगशक्तिलभ्यस्यार्थस्य बोधं जनयति, सैव शब्दशक्तिमूला व्यञ्जनेत्यर्थः । योगशक्तेर्नियन्त्रणञ्चात्र 'रूढिर्योगापहारिणी'तिन्यायेन कार्याक्षमत्वविधानमिति बोध्यम् ।

अब स्वमतानुसार शाब्दी (अभिधामूल) व्यञ्जना का लक्षण करते हैं—तथा च इत्यादि से। योगरूढ़ पद की योगशक्ति जब रूढ़िशक्ति से 'रूढिर्योगापहारिणी' के अनुसार नियन्त्रित कर दी जाती है—कार्याक्षम बना दी जाती है, तब योगशक्ति के द्वारा लाभ करने योग्य अर्थ का बोध जिस वृत्ति से होता है, उसी का नाम है 'व्यञ्जना' अर्थात् शब्दशक्तिमूलाव्यञ्जना वही कहलाती है। अब ऐसा ही संग्रह करना चाहिए, न कि 'अनेकार्थस्य शब्दस्य…' इत्यादि मम्मटोक्त जैसा।

मम्मटादिप्राचीनाचार्याणां हृदयं स्फोरयति—

एवं स्थिते नानार्थस्थलेऽप्युपमायाः प्राकरणिकाप्राकरणिकार्थगतायाः प्रतिपत्तयेऽवश्यं वाच्यया व्यञ्जनयैवाप्राकरणिकस्याप्यर्थस्य प्रतिपत्तावलं क्लिष्टकल्पनयेत्याशयेन प्राचीनैरुक्तं नानार्थव्यञ्जकत्वमपि न दुष्यति ।

अवश्यं वाच्ययेति । अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वस्य सिद्धान्तेऽस्वीकारादिति भावः । क्लिष्टेति । नानार्थस्थलीयाप्राकरणिकार्थबोधाय प्राक् प्रतिपादितयेत्यर्थः । यद्यप्युक्तरीत्या नानार्थस्थले व्यञ्जनां विनाप्यप्राकरणिकार्थबोधनिर्वाहः सम्भवति, तथापि नानार्थस्थलेऽपि प्राकरणिकाप्राकरणिकार्थवर्तिन्या उपमाया बोधाय साऽवश्यमङ्गीकर्तव्या स्यादप्राकरणिकार्थस्य वाच्यत्वं व्यवस्थापयद्भिरपीति तयैवाप्राकरणिकार्थबोधोऽपि स्वीक्रियताम्, तदर्थं पूर्वोक्ता क्लेशबहुला कल्पना वृथैवेति प्राचामभिप्रायो वर्णनीयः ।

अब मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों के प्रकृत प्रसंग पर प्रतिपादित मतों का जो मूलभूत सत्य रहस्य है उसका विश्लेषण करते हैं—एवं स्थिते इत्यादि से। नानार्थक स्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध व्यञ्जना से होता है यह प्राचीनों का मत है। उसकी जो स्थिति विश्लेषण करने पर होती है वह पूर्व सन्दर्भों में स्पष्ट हो चुकी है। अर्थात् युक्तिरूपी कसौटी पर परीक्षित होने से वह मत उज्ज्वल नहीं सिद्ध हो सका। तथापि एक बात उसमें सर्वथा सत्य है जो सबको मान्य होने योग्य है। वह यह है कि नानार्थकस्थल में अर्थद्वय का बोध अभिधा से सिद्ध हो जाने पर भी उन दोनों (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक) अर्थों की उपमा अभिधा से ज्ञात नहीं होती, किन्तु व्यञ्जना से ही। ऐसी स्थिति में जब कि वहाँ व्यञ्जना की कल्पना किसी न किसी तरह करनी ही पड़ी, तब उस व्यञ्जना से ही अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध हो ही जायगा इस प्रकार व्यर्थ क्लेशप्रद अनेक कल्पनायें नहीं करनी पड़तीं, यह प्राचीनों का अभिप्राय नानार्थ व्यञ्जनास्थल में भी दोषावह नहीं कहा जा सकता।

प्राचीनोक्तनानार्थशक्तिनियामकान् संयोगादीन् निरूपयितुमुपक्रमते—

तत्र नानार्थशक्तिनियमनाय तैः संयोगादयो निरूपिताः—

'संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ।।
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः ।
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ।।'

तत्रेति । निरूपितायां व्यञ्जनायामित्यर्थः । तैः प्राचीनैः । भर्तृहरिनिर्मितवाक्यपदीयग्रन्थस्थेयं कारिका । एते संयोगादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे सन्देहे तदुच्छेदद्वारेण विशेषस्मृतिहेतवो निर्णयहेतव इत्यर्थः । उपस्थितानामनेकेषामेकतरमात्रार्थतात्पर्यनिर्णयद्वारा तन्मात्रार्थविषयकान्वयबोधजनका इति भावः ।

अब ग्रन्थकार नानार्थक शब्दों की शक्तियों के नियमन करनेवाले प्राचीनाभिमत संयोग आदि के निरूपण करने का उपक्रम करते हैं—तत्र इत्यादि से । अप्राकरणिक अर्थ की अभिव्यक्ति-स्थलों में अनेक अर्थों की अभिधाशक्ति को रोकने के लिये—अर्थात् अभिधाशक्ति को केवल अप्राकरणिक अर्थ का बोधक सिद्ध करने के लिये—प्राचीन आचार्यों ने जिन 'संयोग' आदि (१५ प्रतिबन्धकों) का निरूपण किया है वे इस प्रकार हैं—१. संयोग, २. वियोग, ३. साहचर्य, ४. विरोध, ५. अर्थ, ६. प्रकरण, ७. लिङ्ग, ८. अन्य शब्दसन्निधि, ९. सामर्थ्य, १०. औचित्य, ११. देश, १२. काल, १३. व्यक्ति, १४. स्वर, और १५. आदिपदग्राह्य चेष्टा । ये सब 'इस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है' इस तरह के सन्देह होने पर निर्णय के कारण होते हैं । अर्थात् इन सबों के द्वारा श्रोता 'वक्ता का कौन सा अर्थ अभिमत है' इस बात का निर्णय करने में समर्थ होता है ।

हरिकारिकोक्तान् संयोगादीनेकैकशो व्याचिख्यासुरादौ प्रथमोक्तं संयोगं व्याचष्टे—

तत्र—

संयोगो नानार्थशब्दशक्यान्तरवृत्तितया अप्रसिद्धत्वे सति तच्छक्यवृत्तितया प्रसिद्धः संबन्धः ।

यथा—'सशङ्खचक्रो हरिः' इत्यत्र शङ्खचक्रयोः संयोगो भगवन्मात्रनिष्ठतया प्रसिद्धो भगवति हरिशब्दस्याभिधाया नियमेनावस्थापकः, न त्वायुधत्वेनायुधसामान्यसंयोगः पाशाङ्कुशादिसंयोगो वा दलद्वयाभावात् । न चासौ लिङ्गान्तर्गत इति मन्तव्यम् , शक्यान्तरे नियमेनावृत्तेरेव प्रकृते लिङ्गत्वात् । शङ्खचक्रयोस्त्विन्द्रादिनापि कदाचिद्धारणसंभवात् ।

तत्र संयोगादीनां मध्ये । नानार्थस्य शब्दस्य हर्यादेः शक्यान्तरेषु विष्णुभिन्नशक्येषु इन्द्रादिषु वृत्तितया वर्तमानतया पदप्रसिद्धत्वम् , तदविशिष्टः अथ च तस्मिन् विष्णवादिरूपे शक्ये वर्तमानतया प्रसिद्धः संबन्धः संबन्धसामान्यं संयोग इति लक्षणार्थः । यत्किञ्चिदर्थप्रतियोगिको यः कश्चित् संबन्धो नानार्थपदवाच्ययदर्थनिरूपिताभिधा नियन्त्रणीया तस्मिन् वर्तमानतया न लोकविख्यातो विख्यातश्चानियन्त्रणीयाभिधा निरूपकार्थवृत्तितया, स संबन्धोऽत्र संयोगपदवाच्य इति परमार्थः । स च स्थलभेदेन जन्यजनकभावादिरूपः सर्वोऽपि ।

उदाहरति—यथेति । 'सशङ्खचक्रो हरि'रित्यत्र हरिशब्दो नानार्थकः, परमिह शङ्खचक्रयोः संयोगः हरिपदशक्येन्द्रादिनिष्ठतया अप्रसिद्धः प्रसिद्धश्च भगवन्निष्ठतयेति स तत्पदाभिधां भगवति नियन्त्रयति तेनात्र वाच्यवृत्त्या हरिपदात् भगवत एव बोधो नेन्द्रादेः ।

लक्षणघटकविशेषणदलस्य व्यावर्त्यमाह— न त्वायुधेति । सायुधो हरिरित्यत्रायुधसंयोगेन न हरिपदाभिधाया नियमनम् , शक्यान्तरे इन्द्रादौ आयुधसंयोगस्याप्रसिद्धिर्नास्ति, तस्य तत्र वर्तमानत्वादिति विशेषणदलनिवेशेन तस्य व्यावृत्तिः । विशेष्यदलस्य व्यावर्त्यमाह—पाशाङ्कुशादीति । स पाशाङ्कुशो हरिरित्युक्तौ पाशाङ्कुशसंयोगेन न हरिपदाभिधानियन्त्रणम्, तस्य संयोगस्य भगवति प्रसिद्धत्वविरहेण विशेष्यदलेन व्यावृत्तेः । दलद्वयाभावादिति । पूर्वोक्ते स्थलद्वये पूर्वस्मिन् प्रथमदलस्य द्वितीयस्मिन् द्वितीयदलस्याभावादित्यर्थः । नन्वेवं लिङ्गरूपनियामकान्तर्भाव एवास्य संयोगस्य, नेत्याह—नचासाविति । असौ संयोगः । नियमेनावृत्तेरिति । कालत्रयावच्छिन्नवृत्तिशून्यत्वस्येत्यर्थः । प्रकृते अभिधानियामकोक्तकारिकायाम् । लिङ्गत्वादिति । तत्त्वेन ग्रहणादित्यर्थः । शक्यान्तरे यस्य स्थितिः कदापि न संभाविता तदेवात्र लिङ्गं विवक्षितम् , शङ्खचक्रसंयोगस्तु न तथा तस्य इन्द्रादावप्रसिद्धत्वेऽपि कादाचित्कसंभावनाविषयत्वात् ।

अब उक्त शक्तिनियामक संयोग आदि की व्याख्या करने के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम संयोग की व्याख्या करते हैं—तत्र संयोगो इत्यादि से । संयोग उस संबन्धविशेष को कहते हैं जो नानार्थक पद के किसी एक अर्थ में प्रसिद्ध हो, और उसी पद के अन्य अर्थों में अप्रसिद्ध हो । अर्थात् नानार्थक पद के जिस अर्थ के बोध को रोकना हो, उस अर्थ में जिसकी स्थिति लोकविख्यात नहीं हो और नानार्थक शब्द के जिस अर्थ के बोध को रोकना नहीं हो उस अर्थ में जिसकी स्थिति लोकप्रसिद्ध हो, ऐसे सभी (संयोग, जन्यजनकभाव आदि) संबन्धों को यहाँ संयोग कहा जाता है, केवल काणाददर्शन-प्रसिद्ध संयोग को ही नहीं । उदाहरण देखिए—'शङ्ख-चक्र-सहित हरि' इस वाक्य में 'हरि' शब्द नानार्थक है—अर्थात् उसके विष्णु, इन्द्र, सूर्य आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं । परन्तु यहाँ हरि पद का अर्थ विष्णु ही होता है इन्द्र आदि नहीं, क्योंकि शङ्ख-चक्र का संबन्ध (संयोग)—जिसकी स्थिति केवल विष्णु में ही प्रसिद्ध है, इन्द्र आदि में नहीं—हरिपद की अभिधाशक्ति को नियमतः विष्णुरूप अर्थ में ही केन्द्रित कर देता है । 'आयुध-सहित हरि' इस वाक्य में हरिपद की अभिधा विष्णुरूप अर्थ में नियन्त्रित नहीं होगी क्योंकि, आयुध का संयोग विष्णु से भिन्न इन्द्र आदि अर्थ में भी अप्रसिद्ध नहीं है—अर्थात् इन्द्र आदि भी किसी न किसी आयुध (अस्त्र) का धारण करते ही हैं । इसी तरह 'पाश-अङ्कुश सहित हरि' इस वाक्य में भी विष्णु-अर्थ में हरि पद की अभिधा नियमित नहीं रोगी, क्योंकि पाशाङ्कुश का संयोग विष्णु में प्रसिद्ध नहीं है । अर्थात् इन दोनों वाक्यों में हरि पद से इन्द्र आदि का भी बोध होता है । यहाँ यदि कोई यह शंका करे कि लिङ्ग नामक जो एक नियामक गिनाया गया है उसी में यह संयोग भी अन्तर्भूत हो जायगा यतः शङ्ख-चक्र भी एक तरह से भगवान् विष्णु का चिह्न ही है ? तो यह युक्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिङ्ग से ऐसा चिह्न विशेष लिया जाता है जो—जिसका चिह्न बनाया हो—उससे अन्य में कभी (कालत्रय में) संभावित नहीं हो । शङ्खचक्र-संयोग तो ऐसी चीज नहीं है, जो कभी विष्णु से भिन्न इन्द्र आदि में संभावित नहीं हो । शङ्ख-चक्र-संयोग तो ऐसी चीज नहीं है, जो कभी विष्णु से भिन्न इन्द्र आदि में संभावित नहीं हो—अर्थात् शङ्ख-चक्र का संयोग इन्द्र आदि में प्रसिद्ध भले ही न हो, पर इन्द्र आदि यदि उनका धारण कर लें तो उन्हें उससे कोई रोकेगा नहीं, अतः उन दोनों चीजों के संयोग की संभावना तो इन्द्र आदि में की ही जा सकती है ।

विप्रयोगं व्याचष्टे—

विप्रयोगो विश्लेषः ।

यथा—'अशङ्खचक्रो हरिः' इत्यत्र तयोरेव विश्लेषस्तथा। अत्र हि विश्लेषनियतपूर्ववर्तिनः संश्लेषस्य प्रागुक्तदलद्वयाक्रान्तत्वमपेक्ष्यते । तेनायुधसामान्यविभागः, पाशांकुशादिविभागो वा न तथा। यद्यप्यत्र गुणतया वर्तमानस्तादृशसंयोग एवाभिधानियमनायालम्, तथापि गुणप्रधानयोः संनिपाते प्रधानानुरोध एव न्याय्य इत्याशयेन विप्रयोगस्य नियामकत्वमुक्तम्। यद्वा संयोगस्यैव केवलत्वेन विश्लेषगुणीभूतत्वेन च द्वैविध्यप्रदर्शनाय तथोक्तम्।

विश्लेष इति । विभाग इत्यर्थः । उदाहरति—यथेति । तयोरेवेति । शङ्खचक्रयोरित्यर्थः । तथेति । हरिपदाभिधानियामक इत्यर्थ । विभागस्य संयोगपूर्वकत्वान् शङ्खचक्रयोः संयोगस्य विष्णौ प्रसिद्धौ तद्विभागस्यापि तत्रैव प्रसिद्धया 'अशङ्खचक्रो हरि'रित्यत्र तयोर्विभागः भगवति विष्णौ हरिपदस्याभिधां नियमयतीति भावः ।

अतिप्रसङ्गनिवृत्त्यै कथयति—अत्र हीति । विश्लेषमात्रं विप्रयोगलक्षणम्, विश्लेषश्च नियमतः संश्लेषपूर्वक एव भवति । संश्लेषश्च स प्रकृते न नैयायिकनयप्रसिद्धः संयोगः, अपि तु प्राक्परिभाषित एव विवक्षितः । तेन नानार्थेत्यादिपरिभाषितसंबन्धात्मकसंयोगनाशकस्य विभागस्य विप्रयोगलक्षणत्वं फलितम् । अत एव अनायुधो हरिः अपाशाङ्कुशो हरिरित्यादौ आयुधसामान्यविभागः, पाशाङ्कुशादिविभागो वा न हरिपदाभिधानियमनाय प्रभवति, पूर्वोक्तरीत्या तयोः संयोगयोरेव संयोगलक्षणघटकदलद्वयेन निरासे तन्नाशकविभागस्यापि विप्रयोगलक्षणानाक्रान्तत्वादिति भावः । विप्रयोगस्य पृथक् नियामकत्वाभावमाशङ्क्य निरस्यति—यद्यपीति । अत्र विप्रयोगशरीरे । गुणतया प्रकारतया । तादृश इति । दलद्वयाक्रान्तेत्यर्थः । अलं समर्थः । अयंभावः—संयोगनाशकगुणात्मकविभागपदार्थे सर्वत्र प्रकारतया संयोगो वर्ततेवेति 'अशङ्खचक्रो हरि'रित्यादौ संयोग एवाभिधां नियमयेत्, किं पृथक् विभागस्य नियामकत्वेन इति । उत्तरयति—तथापीति । अयमाशयः—विभागकुक्षौ वर्तमानोऽपि संयोगो गौणः, विभागश्च प्रधानः । इत्थञ्च गुणीभूतस्य संयोगस्य नियामकत्वस्वीकारापेक्षया प्रधानीभूतस्य विभागस्यैव तत्स्वीकारो न्यायसंगत इति । विभागस्य नियामकत्वकल्पनप्रयुक्तगौरवात् कल्पान्तरमाह—यद्वेति । अस्तु अशङ्खचक्रो हरिरित्यादावपि संयोगस्यैवाभिधानियामकत्वम्, तथापि अभिधाननियामकेषु विभागस्य पृथगुपादानं नासंगतम्, क्वचित् केवलस्य संयोगस्याभिधानियामकत्वं क्वचिच्च विभागगुणीभूतत्वेनेति द्वैविध्यप्रदर्शनाय तस्य सार्थकत्वादित्यभिप्रायः ।

अब 'विप्रयोग' की व्याख्या करते हैं—विप्र इत्यादि से। विभाग अर्थात् एक से दूसरे का पृथक् को 'विप्रयोग' कहते हैं । जैसे 'शङ्ख-चक्र से रहित हरि' इस वाक्य में शङ्ख-चक्र का विभाग हरि पद की अभिधाशक्ति को विष्णु अर्थ में नियन्त्रित करता है—अर्थात् यहाँ भी हरि पद से केवल विष्णु का ही बोध होता है, इन्द्र आदि का नहीं। यहाँ एक बात समझने की यह है कि विभाग से पूर्व संयोग का रहना निश्चित है—अर्थात् जिसका जिसके साथ कभी संयोग रहता है, उसी का उसी से कभी विभाग भी हो सकता है, अतः इस 'विप्रयोग' के लक्षण में भी संयोग का समावेश हो ही जायगा और वह

संयोग भी सामान्य संयोग नहीं, अपि तु वही संबन्धविशेष है जिसकी स्थिति नानार्थक शब्दों के किसी एक अर्थ में प्रसिद्ध रहेगी और अन्य अर्थ में अप्रसिद्ध। इस विवरण से लाभ यह होता है कि 'आयुधरहित हरि' अथवा 'पाश-अङ्कुश से रहित हरि' इन वाक्यों में आयुध का पार्थक्य तथा पाशाङ्कुश का पार्थक्य हरिपद की अभिधा को विष्णु में नियन्त्रित नहीं कर सकता, क्योंकि जब उक्त संबन्धात्मक पारिभाषिक संयोग ही आयुध का अथवा पाशाङ्कुश का नहीं बन पाता, तब तादृश-संयोग-पूर्वक यह पारिभाषिक विभाग भी वहाँ नहीं बन सकेगा। यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब इस 'विप्रयोग' के पीछे, गौणरूप से वैसा—जिसको प्रथम नियामक माना जा चुका है—संयोग लगा ही रहेगा, तब 'शङ्ख-चक्र-रहित हरि' इस वाक्य में भी उस गौण संयोग को ही अभिधानियामक माना जा सकता है, तथापि गौण और प्रधान दोनों की उपस्थिति में प्रधान का अनुरोध करना ही न्यायतः संगत है, अतएव विभाग को पृथक् नियामक माना गया। अर्थात् विभाग पदार्थ के पेट में संयोग यद्यपि आ जाता है, तथापि प्रधान वहाँ विभाग ही रहेगा अतः विभाग को नियामक मानना ही उचित है। अथवा—मानिए 'शङ्ख-चक्र-रहित हरि' इस वाक्य में भी संयोग को ही अभिधा-नियामक, तथापि अभिधानियामकों की श्रेणी में पृथक् विभाग का ग्रहण यह दिखलाने के लिये किया गया है कि संयोग दो प्रकार से अभिधा का नियामक होता है—एक केवल संयोग के रूप में और दूसरा 'विप्रयोग' का विशेषण बनकर। वस्तुतः विप्रयोग पृथक् नियामक नहीं है।

साहचर्यं व्याकरोति—

साहचर्यमेकस्मिन् कार्ये परस्परापेक्षित्वम्।

यथा—'रामलक्ष्मणौ' इत्यत्र लक्ष्मणसाहचर्यं रामशब्दस्य।

कश्चिदेकलः कमपि कार्यविशेषं सम्पादयितुं न प्रभवति, किन्तु कमप्यपरमपेक्ष्यैवेत्याकारिका तयोर्द्वयोः परस्परापेक्षैव साहचर्यमित्यर्थः।

उदाहरति—यथेति। रामशब्दस्येत्यस्याग्रेऽभिधानियामकमिति शेषो बोध्यः। किमपि युद्धादि कार्यं रामो लक्ष्मणो वा मिथोऽपेक्षयैव कर्तुं शक्नोतीति तयोः परस्परापेक्षात्मकं साहचर्यं यद्यप्युभयत्र विश्राम्यति तथापि रामशब्द एव नानार्थको न लक्ष्मणशब्द इति 'रामलक्ष्मणौ' इत्यत्र लक्ष्मणसाहचर्यं रामपदस्याभिधां दशरथापत्ये नियमयति, तेन तत्र रामपदान्न परशुरामादेर्बोध इति भावः।

अब 'साहचर्य' की व्याख्या करते हैं—साहचर्य इत्यादि। किसी एक कार्य में दो व्यक्तियों की परस्पर अपेक्षा का नाम 'साहचर्य है। जैसे—'राम और लक्ष्मण' इस वाक्य में 'राम' पद के—रघुनाथ, परशुराम, बलराम आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं। परन्तु लक्ष्मण का साहचर्य (साथ-साथ युद्ध आदि करना) राम पद की अभिधा को रघुनाथ (दशरथ पुत्र) रूप अर्थ में नियन्त्रित कर देता है, अतः यहाँ 'राम' पद का अर्थ रघुनाथ ही होता है, परशुराम आदि नहीं। यद्यपि साहचर्य दोनों ओर से ही होता है—अर्थात् जैसे लक्ष्मण का साहचर्य राम में है, वैसे राम का साहचर्य भी लक्ष्मण में तथापि लक्ष्मण का साहचर्य ही नियामक हुआ क्योंकि राम शब्द ही यहाँ नानार्थक है, लक्ष्मण शब्द का अर्थ निश्चित ही है।

शङ्कते—

अथ किमिदं परस्परापेक्षित्वं यत्किञ्चित्कार्ये, सर्वेषु कार्येषु वा ? नाद्यः, घटाद्यव्यावर्तनाद्घटसाहचर्यस्यापि रामपदशक्तिनियामकतापत्तेः। न द्वितीयः, लक्ष्मणसाहचर्यस्यापि निवारणापत्तेः। पक्षद्वयेऽपि रामायोध्ये रघुरामावित्यत्रानियमापत्तेश्च।

परस्परापेक्षित्वन्नाम द्विविधं सम्भवति, यत्किञ्चित्कार्याधिकरणकं सकलकार्याधिकरणकञ्च। तयोः कीदृशमिह तदभिप्रेतमिति अथेत्यादिग्रन्थेनाशंक्य समाधत्ते—नाद्य इति। यत्किञ्चित्कार्याधिकरणकं परस्परापेक्षित्वमत्र नाभिप्रैतुं शक्यमित्यर्थः। कुत इति चेत्तत्राह—घटादीति। रामेण सह यत्किञ्चित्कार्याधिकरणकं साहचर्यं घटस्यापि संभवतीति तस्यापि रामघटौ इत्यत्र रामपदाभिधानियामकत्वं सर्वजनानाभिप्रेतं प्रसज्येत इत्यर्थः। सकलकार्याधिकरणकमपि परस्परापेक्षित्वं न विवक्षितुमर्हमित्याह—न द्वितीय इति। तस्यानर्हत्वे हेतुमाह—लक्ष्मणेति। सकलकार्याधिकरणकं तल्लक्ष्मणस्यापि रामेण सह नास्ति, एकलेनापि रामेण कियतां कार्याणां करणादिति लक्ष्मणसाहचर्यस्याप्यसंग्रहे रामलक्ष्मणौ इत्यत्र लक्ष्मणसाहचर्यस्यापि रामपदाभिधानियामकतानापत्तेरित्यर्थः।

पक्षद्वयसाधारणं दोषमाह—पक्षद्वयेऽपीति। अयोध्याया निर्जीवतया रघोश्च रामजीवनकालेऽवर्तमानतया तयोः रामेण सहैककारित्वगर्भपरस्परापेक्षित्वस्यासंभवेन 'रामायोध्ये' 'रघुरामौ' इत्यादौ रामपदस्याभिधाया अनियमनापत्तेरित्यर्थः।

साहचर्य के संबन्ध में कुछ शंकायें उठाते हैं—अथ इत्यादि से। साहचर्य के स्वरूप-निर्णय में जो परस्पर अपेक्षा की बात कही गई है उसका अभिप्राय—किसी एक कार्य में दो व्यक्ति परस्पर अपेक्षा रखते हों, अथवा सभी कार्यों में दो व्यक्ति परस्पर अपेक्षा रखते हों इन दोनों में क्या है ? अर्थात् जो दो व्यक्ति किसी एक कार्य को साथ-साथ करते हों, उन दोनों में साहचर्य समझा जायगा अथवा जो दो व्यक्ति सभी कार्यों को साथ ही करते हों—कभी अलग होकर किसी कार्य को नहीं करते हों, उनमें साहचर्य कहा जायगा ? उत्तर—यहां एक भी पक्ष ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्रथमपक्ष मानने पर घट आदि के साहचर्य को भी रामपद की अभिधा के नियमन से रोका नही जा सकेगा—अर्थात् 'राम और घट' ऐसे वाक्य में भी घट का साहचर्य राम पद की अभिधा को नियन्त्रित करने लगेगा—राम पद से किसी एक ही राम का बोध होने लगेगा, क्योंकि किसी एक कार्य—जल भरने आदि—में राम और घट की भी परस्पर अपेक्षा रहती ही है। द्वितीय पक्ष को स्वीकृत करने पर लक्ष्मण का साहचर्य भी राम पद की अभिधा का नियामक नहीं हो सकेगा—अर्थात् 'राम और लक्ष्मण' इस वाक्य से जो दशरथपुत्र राम का ही बोध होता है वह नहीं बन सकेगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण के भी सभी कार्य साथ-साथ नहीं होते, पृथक्-पृथक् भी वे दोनों कुछ कार्यों को करते ही हैं अतः उन दोनों में भी साहचर्य सिद्ध नहीं हो सकेगा और दोनों ही पक्षों में 'राम और अयोध्या' एवम् 'रघु और राम' इन वाक्यों में राम पद की अभिधा नियन्त्रित नहीं हो सकेगी अर्थात् इन वाक्यों में भी रामपद से जो दशरथतनय का ही बोध होता है वह नहीं बन सकेगा, क्योंकि अयोध्या तथा रघु का राम के साथ उक्त प्रकार का साहचर्य असंभव है, अर्थात् साहचर्य जब साथ-साथ किसी एक कार्य को अथवा सभी कार्यों को करने से माना

गया है, तब निर्जीव अयोध्या और दिवंगत रघु के साथ वह राम का हो नहीं सकता है। इस तरह से सारांश यह निकला कि साहचर्य का यह लक्षण असंगत ही है।

साहचर्यस्य स्वरूपान्तरमाशंक्य निरस्यति—

नच नानार्थपदसमभिव्याहृतपदान्तरार्थस्य प्रसिद्धः संबन्धस्तत्। स चैकजन्यत्व-दांपत्य-जन्यजनकभाव-स्वामिभृत्यभाव-स्वस्वामिभावादिरनेकविधः, तेन रामलक्ष्मणौ, सीतारामौ, रामदशरथौ, रामहनूमन्तौ, रामायोध्ये, इत्यादौ साहचर्यं नियामकमिति वाच्यम्; लक्ष्मणादिसंबन्धापेक्षया चक्रादिसंबन्धस्याविशिष्टतया सशङ्खचक्र इत्यत्रापि साहचर्यस्यैव नियामकतापत्तेः।

प्रसिद्ध इति। नानार्थपदार्थे इति शेषः। तत् साहचर्यम्। नानार्थेन पदेन समभिव्याहृतम् (तस्य पूर्वं परतो वा स्थितम्) यत्पदान्तरं तदर्थस्य नानार्थपदार्थे प्रसिद्धः संबन्धः साहचर्यमित्यर्थः। स संबन्धः। एकजन्यत्वेति। सौदर्य इत्यर्थः। अन्यत् स्पष्टम्। उक्तसंबन्धानां क्रमेणोदाहरणान्याह—तेनेति। रामलक्ष्मणौ इत्यत्र एकजन्यत्वम्, सीतारामौ इत्यत्र दाम्पत्यम्, रामदशरथौ इत्यत्र जन्यजनकभावः, रामहनूमन्तौ इत्यत्र स्वामिभृत्यभावः, रामायोध्ये इत्यत्र स्वस्वामिभावः सम्बन्धो बोध्यः। ते च संबन्धाः नानार्थेन रामपदेन समभिव्याहृतानां क्रमशो लक्ष्मण-सीता-दशरथ-हनूमदयोध्यारूपाणां पदान्तराणां तस्य तस्यार्थस्य रामे प्रसिद्धा; साहचर्यात्मकाः रामपदस्य दशरथापत्येऽभिधां नियमन्तीति भावः। उत्तरमाह—लक्ष्मणादीति। रामलक्ष्मणौ इत्यत्र रामपदसमभिव्याहृतलक्ष्मणपदार्थस्यैकजन्यत्वरूपः संबन्धो यथा रामे प्रसिद्धस्तथैव सशङ्खचक्रो हरिरित्यत्रापि नानार्थहरिपदसमभिव्याहृतशङ्खचक्रपदार्थयोः संयोगरूपः संबन्धो हरौ प्रसिद्ध इति तयोः संबन्धयोर्न किमपि वैलक्षण्यम्, एवञ्च सशङ्खचक्रो हरिरित्यत्रापि साहचर्यस्यैव नियामकत्वे संभवति पृथक् संयोगस्योपादानं व्यर्थमित्यभिप्रायः।

अब साहचर्य का दूसरा लक्षण करके उसका भी खण्डन करते हैं—न च—इत्यादि से। यदि यह कहा जाय कि 'साहचर्य' का वह लक्षण नहीं बन पाता तो न सही, यह लक्षण हो सकेगा—नानार्थक पद के आगे या पीछे उच्चरित पद के अर्थ का नानार्थक पद के किसी एक अर्थ के साथ जो प्रसिद्ध संबन्ध वही 'साहचर्य' है। और वह सम्बन्ध—एक माता-पिता से जन्म ग्रहण करना, पति-पत्नी होना, पिता-पुत्र होना, स्वामी-सेवक होना, तथा माल-मालिक होना, प्रभृति स्थान-भेद से अनेक प्रकार का होता है। अतः राम और लक्ष्मण, सीता और राम, राम और दशरथ, राम और हनूमान्, एवम् राम और अयोध्या इत्यादि सभी स्थानों में 'साहचर्य' राम पद का अभिधा-नियामक हो सकता है (इन स्थानों में क्रमशः उक्त सम्बन्ध 'साहचर्य'-रूप होते हैं, यह समझना चाहिए)। परन्तु यह लक्षण भी संगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह (नानार्थक पद और उसके निकटस्थित पद दोनों के अर्थों के प्रसिद्ध) सम्बन्ध को आप 'साहचर्य' मानते हैं, उसके अनुसार लक्ष्मण आदि का जो राम के साथ सम्बन्ध है उसकी अपेक्षा शङ्ख-चक्र का जो राम के साथ संयोग-सम्बन्ध है उसमें कोई भेद नहीं है, अतः वह संयोग-सम्बन्ध भी इसके अनुसार साहचर्य कहला सकता है फिर 'शङ्ख-चक्र-सहित राम' इत्यादि स्थल में भी साहचर्य से ही रामपद की अभिधा का नियमन हो जाने के कारण 'संयोग' को पृथक् नियामक मानने से अव्यवस्था हो जायगी।

उक्त-साहचर्यस्वरूपस्वीकारेऽपि साहचर्यसंयोगयोर्विषय-विभागः संभवतीत्याशंक्य निराकुरुते—

न च सशङ्खचक्र इत्यादौ यत्र संबन्धः संयोगरूपस्तत्राद्यस्य यत्र च संबन्धान्तरं तत्र तृतीयस्यावकाश इति वाच्यम्, संयोगस्यैव पृथक्कारे बीजाभावात्।

आद्यस्य संयोगस्य। यत्र च रामलक्ष्मणौ इत्यादौ। संबन्धान्तरमेकजन्यत्वादिकम्। तृतीयस्य साहचर्यस्य। उक्तरीत्या सर्वेषु सम्बन्धेषु साहचर्यपदार्थतया वर्णितेषु, तत्र संयोगोऽप्यन्तर्भुक्त इति यद्यपि सत्यम्, तथापि संयोगस्थले सशङ्खचक्र इत्यादौ संयोगो नियामकः, संबन्धान्तरस्थले रामलक्ष्मणौ इत्यादौ च साहचर्यं तथेत्येवं विभजने संयोगसाहचर्ययोरुभयोः कृतार्थता सम्भवतीति शंकादलस्याशयः। सर्वेषां संबन्धानां समानतया साहचर्यपदार्थान्तर्भावे प्रसक्ते किमिति संयोग एव पृथक् नियामकतया परिगण्यते? संबन्धान्तरमेव कुतो न पृथक् क्रियते इत्यत्र कारणं नास्तीत्ययुक्तमेवं विभजनमित्युत्तरपक्षाभिप्रायो बोध्यः।

यदि आप कहें कि जहाँ नानार्थक पद के अर्थ के समीपवर्ती पद के अर्थ के साथ संयोग सम्बन्ध रहेगा वहाँ—'शङ्खचक्रसहित राम' इत्यादि स्थल में प्रथम नियामक (संयोग) का लक्ष्य मानेंगे और जहाँ उस तरह का सम्बन्ध संयोग से भिन्न होगा वहाँ—'राम और लक्ष्मण' इत्यादि स्थल में तृतीय नियामक (साहचर्य) का उदाहरण कहेंगे, तो यह भी समुचित नहीं क्योंकि जब सभी सम्बन्ध समान हैं, तब 'संयोग' सम्बन्ध को ही पृथक् नियामक मानने में कोई हेतु नहीं दृष्टिगोचर होता अर्थात् निर्हेतुक पृथक्करण की रीति से किसी भी सम्बन्ध का पृथक्करण किया ही जा सकता है।

संयोगस्यैव पृथक्कारे बीजमुद्भाव्य खण्डयति—

नच यत्र संयोगः शब्दोपात्तस्तत्र स एव नियामकः, यत्र तु सम्बन्धिमात्रं न तु सम्बन्धस्तत्र साहचर्यम्, अत एव सशङ्खचक्र इति संयोगस्य, रामलक्ष्मणाविति च साहचर्यस्योदाहरणमिति वाच्यम्; सलक्ष्मणो रामो विलक्ष्मणो राम इत्यत्र संयोगविभागयोर्गुणयोरप्रतीत्या साहचर्योदाहरणतायां प्रसक्तायां सशङ्खचक्र इत्यादेरपि तदुदाहरणताया एवौचित्यात्।

संबन्धिमात्रमित्यस्याग्रे शब्दोपात्तमित्यनुषज्यते। मात्रपदव्यावर्त्यमाह—न त्विति। अत एवेति। तथा विभागकरणादेवेत्यर्थः। संयोगात्मकस्य संबन्धस्य शब्दोपात्तत्वे तस्य नियामकत्वम्'तस्य शब्दानुपात्तत्वे सम्बन्धिमात्रस्य तथात्वे च साहचर्यस्य नियामकत्वम्, यथा सशङ्खचक्र इत्यत्र सहार्थकेन 'स' इति पदेन संयोग उपात्तः। रामलक्ष्मणावित्यत्रैकजन्यत्वात्मकः सम्बन्धो न केनापि पदेनोपात्तः। एवञ्च शब्दोपात्तत्वं संयोगस्यैव पृथक्कारे बीजमिति भावः। उत्तरयति—सलक्ष्मण इत्यादि। अयं भावः—संयोगविभागौ न्यायनयप्रसिद्धौ गुणौ, तयोश्च सलक्ष्मणो रामो विलक्ष्मणो राम इत्यत्र न प्रतीतिः, परस्परमसंश्लिष्टयोरपि एकदेशस्थितयोः रामलक्ष्मणयोः सलक्ष्मणो राम इति प्रयोगदर्शनेन लक्ष्मणप्रतियोगिकसंयोगवान् राम इति प्रतीतेरसम्भवात्, एवं तत्र संयोगाप्रतीतौ विलक्ष्मणो राम इत्यतः लक्ष्मणावधिकविभागवान् राम इति प्रतीतेरपि तथात्वाच्च, विभागस्य संयोगपूर्व-

कत्वात्। साहित्यतदभावमात्रस्यैव ताभ्यां प्रयोगाभ्यां प्रतीतिरिति तत्त्वम्। एवञ्च तदुदाहरणद्वयं साहचर्यस्य न संयोगस्येति सर्वैः स्वीकरणीयमेव। तथा च सशङ्खचक्र इत्यादेरपि साहचर्योदाहरणत्वस्वीकार एव समुचितः। अत्रापि संयोगप्रतीतिर्न भवतीति सारांशः। इति। अत्र 'संयोगविभागयोर्गुणयोरप्रतीत्या' इति मूलं विवृण्वती 'सरला' पण्डितराजनागेशयोर्मूलकारटीकाकारयोः स्वारस्येन विरुद्धा न वेति सरलामालोक्य निश्चेयं विज्ञैः।

अब 'संयोग' को ही पृथक् करने में बीज का उद्भावन करके खण्डन करते हैं—न च यत्र इत्यादि से। यदि आप कहें कि जहाँ शब्द से संयोग सम्बन्ध कहा गया हो वहाँ संयोग को नियामक मानना चाहिए और जहां केवल संवन्धी ही शब्द से कहा गया हो वहाँ साहचर्य को नियामक समझना चाहिए। अत एव 'सशङ्खचक्रो हरिः' इस संस्कृत वाक्य में सहार्थक 'स' पद से और 'शङ्ख-चक्र सहित हरि' इस हिन्दी वाक्य में सहित पद से संयोग संवन्ध के कहे जाने का कारण 'संयोग' नियामक होगा और 'राम और लक्ष्मण' इस वाक्य में केवल संवन्धी (राम-लक्ष्मण) के शब्दतः कहे जाने के कारण—अर्थात् 'एकजन्यत्व' संबन्ध के शब्दतः नहीं कहे जाने के कारण—'साहचर्य' नियामक होगा—तो यह भी अयुक्त ही है, क्योंकि संयोग और विभाग न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध एक प्रकार के गुण हैं[1]। जिनकी प्रतीति 'सलक्ष्मणो रामः' 'विलक्ष्मणो रामः'—अर्थात् 'लक्ष्मण-सहित राम' 'लक्ष्मण-रहित राम' इन वाक्यों में नहीं होती, क्योंकि परस्पर सटे नहीं रहने पर भी एकदेश-स्थित राम-लक्ष्मण में 'लक्ष्मणसहित राम' ऐसा व्यवहार होता है और इस तरह से जब संयोग की प्रतीति यहां नहीं होती, यह बात सिद्ध हो गई, तब 'लक्ष्मणरहित राम' यहाँ विभाग की भी प्रतीति नहीं होती यह बात माननी पड़ेगी, क्योंकि संयोग नाशक गुण का ही नाम विभाग है। ऐसी स्थिति में इन दोनों स्थानों में साहचर्य को नियामक मानना पड़ेगा फिर 'शङ्ख-चक्र-सहित राम' यहां भी साहचर्य को ही नियामक मानना उचित होगा—अर्थात् ऐसे व्यवहार के लिये शङ्ख और चक्र का राम के अङ्गों से संयुक्त रहना आवश्यक नहीं है अलग रहने पर भी वैसा व्यवहार किया जा सकता है, अतः यहाँ भी संयोगगुण को प्रतीति नहीं ही होती है यही कहना पड़ेगा, क्योंकि संयोग की प्रतीति वहीं मानी जाती है जहाँ दो चीजें परस्पर संयुक्त रहती हैं।

शङ्कापक्षमुपसंहरति—

इति चेत्?

इतीति पूर्वोक्तसंग्राहकः। साहचर्यस्य काऽपि व्याख्या सामञ्जस्यकरी नाभूत्, अथ का गतिरित्याशयः।

इस तरह से जब साहचर्य का एक भी लक्षण ठीक नहीं हो सका, तब—

सिद्धान्तयति—

उच्यते—संयोगशब्दस्य सम्बन्धसामान्यपरतया यत्र शब्दोपात्तं प्रसिद्धं सम्बन्धसामान्यं शक्तिनियामकं तदाद्यस्य, यत्र तु द्वन्द्वादिगतः सम्बन्ध्येव केवलस्तदा तत्साहचर्यस्योदाहरणमिति प्राचामाशयात्। इत्थं च सगाण्डीवोऽर्जुनः इति संयोगस्य, गाण्डीवार्जुनाविति साहचर्यस्योदाहरणम्।

उच्यते इत्यस्य वक्ष्यमाणवाक्यार्थः कर्म। आद्यस्य संयोगस्य। द्वन्द्वादिगत इति। द्वन्द्वादिसमासघटक इत्यर्थः। केवल इति। शब्दोपात्त इति शेषः। अयमभिप्रायः—

---

१. देखिए - न्यायमुक्तावली का 'संयोगश्च विभागश्च…' इत्यादि प्रकरण।

शक्तिनियामकेषु कथितः संयोगशब्दः संबन्धसामान्यपरः। एवञ्च कोऽपि सम्बन्धो यत्र शब्दतो बोधितः प्रसिद्धश्च सन् शक्तिं नियमयति तत् संयोगस्योदाहरणम्, यथा सगाण्डीवोऽर्जुन इति। अत्र गाण्डीवस्य संयोगाख्यः सम्बन्धः स शब्देन बोधितः सन् सहस्र-बाहु-श्वेतगुण-तरुविशेषयुधिष्ठिरानुजाद्यनेकार्थकस्यार्जुनशब्दस्याभिधां युधिष्ठिरभ्रातरि नियमयति। यत्र तु द्वन्द्वादिसमासघटकः प्रसिद्धः सम्बन्ध्येव शब्दोपात्तः, न सम्बन्धः तत्साहचर्यस्योदाहरणम्, यथा गाण्डीवार्जुनौ इति। अत्र द्वन्द्वघटकतया प्रसिद्धः गाण्डीवार्जुनरूपः संबन्धी एव, अतो गाण्डीवसाहचर्यम् अर्जुनपदशक्तिनियामकमिति। अत्र 'प्राचामाशय' इत्युक्त्या स्वाशयं निषेधति ग्रन्थकारः। अथैवं सलक्ष्मणो रामो विलक्ष्मणो राम इत्यादौ किं नियामकमिति चेत्? साहचर्यमेव बोद्धव्यम्। प्रथमस्थले कस्यापि सम्बन्धस्य शब्दानुपात्तत्वेन द्वितीयस्थले च विभागस्याप्रतीत्या संयोगविप्रयोगोदाहरणताया असम्भवात्। 'रामलक्ष्मणौ इत्यत्र साहचर्येणोभयोर्युगपदेव नियमनमिति नान्योन्याश्रयः। साहचर्यं-सादृश्यं सदृशयोरेव सहप्रयोगनियमात्' इति वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषायां नागेशः।

अब 'साहचर्य' के विषय में सिद्धान्तभूत बातों का प्रतिपादन करते हैं—उच्यते इत्यादि से। अभिप्राय यह है कि नियामकों की परिगणनवाली कारिका में संयोग का अर्थ न्यायप्रसिद्ध गुण नहीं है किन्तु सम्बन्ध-सामान्य अर्थात् सभी संबन्ध। ऐसी स्थिति में यदि आप कहें कि तब तो और विचित्र बात हो गई, क्योंकि साहचर्य का भी अर्थ आपने सम्बन्ध-सामान्य ही किया है, अब संयोग का अर्थ भी सम्बन्ध-सामान्य कर रहे हैं फिर संयोग और साहचर्य के पृथक्करण में कौन सा कारण होगा? तो मैं कहूँगा—हाँ, है तो संयोग तथा साहचर्य दोनों का अर्थ संबन्ध-सामान्य ही, तथापि विभाग में भेद है और वह यह है कि—जहाँ कोई भी सम्बन्ध शब्द द्वारा प्रतिपादित होकर शक्ति का नियामक होता है वहाँ प्रथम अर्थात् संयोग का उदाहरण समझना चाहिए और जहाँ द्वन्द्व आदि समास के द्वारा केवल संबन्धी कहा गया रहता है वहाँ साहचर्य का उदाहरण समझना चाहिए यही प्राचीनों का आशय है। इस तरह से 'गाण्डीव-सहित अर्जुन' ऐसा कहने पर संयोग और 'गाण्डीव और अर्जुन' ऐसा कहने पर साहचर्य, अर्जुन पद की अभिधा का नियामक होगा अर्थात् इन दोनों स्थलों में क्रमशः संयोग और साहचर्य के सहयोग से अर्जुन पद का अर्थ पाण्डुपुत्र ही होगा कार्तवीर्य अर्जुन आदि नहीं।

विरोधितां निर्वक्ति—

विरोधिता प्रसिद्धं वैरम्, सहानवस्थानञ्च। तत्राद्यस्य 'रामार्जुनौ' इत्युदाहरणं प्राञ्चो वदन्ति।

विरोधिता नाम विरोध एव 'प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतो धर्मो भावप्रत्ययार्थ' इति सिद्धान्तात्। स च प्रकृते द्विविधः—प्रसिद्धो वैरभावः, सहानवस्थानरूपश्च अप्रसिद्धस्य वैरस्य शक्तिनियामकत्वेऽतिप्रसङ्ग इत्यत उक्तं प्रसिद्धमिति। सहानवस्थानञ्च एककालावच्छेदेनैकत्र देशे वृत्त्यसम्भव इति बोध्यम्। प्राञ्चः काव्यप्रकाशकृदादयः। वस्तुतस्तु रामार्जुनगतिस्तयोः' इत्याकारकं प्राचामुदाहरणं न तु 'रामार्जुनौ' इत्याकारकम्, उपलब्धकाव्यप्रकाशपुस्तकेषु तथैव दर्शनात्, अनुपदमग्रे ग्रन्थकृताऽपि तथैवोद्धरणाच्च। ननु न कोऽपि भेदस्तयोराकारयोर्वैलक्षण्याधायक इति चेन्न, वैलक्षण्यस्याग्रे वक्ष्यमाणत्वात्।

अब 'विरोधिता' की व्याख्या करते हैं—विरोधिता इत्यादि से। 'ता' प्रत्यय जिस प्रकृति के आगे जुड़ा रहता है उस प्रकृति से होनेवाले बोध में विशेषणीभूत धर्म ही उस भावबोधक 'ता' प्रत्यय का अर्थ होता है अतः 'विरोधिता' का शब्दार्थ विरोध होता है, और विरोध यहाँ दो प्रकार के विवक्षित हैं—एक प्रसिद्ध वैरभाव, दूसरा एक साथ न रहना। उन दोनों में प्रथम अर्थात् 'प्रसिद्ध वैर' का उदाहरण 'राम और अर्जुन' यह वाक्य है ऐसा प्राचीन आचार्यगण कहते हैं। वस्तुतः प्राचीन मम्मट आदि के ग्रन्थों में 'विरोधिता' के उदाहरण का आकार 'रामार्जुनगतिस्तयोः' अर्थात् 'उन दोनों की गति (दशा) राम-अर्जुन की सी है' ऐसा ही उपलब्ध होता है। ग्रन्थकार ने भी आगे स्वयम् वैसा ही आकार उद्धृत किया है। इन दोनों आकारों में जो आर्थिक अन्तर पड़ता है उसका स्पष्टीकरण आगे किया जायगा।

अथ दीक्षितोक्तं खण्डयितुं प्रथमं तदनुवदति—

यत्त्वप्पय्यदीक्षितो वृत्तिवार्तिके प्राचामुदाहरणं निराकुर्वन्नाह—रामार्जुनपदयोर्वध्यघातकभावविरोधाद्भार्गवकार्तवीर्ययोरभिधा नियम्यत इति तदयुक्तम्। रामपदस्याभिधानियमने सति तद्विरोधप्रतिसंधानेनार्जुनपदस्य कार्तवीर्येऽभिधानियमनम्, तस्मिंश्च सति तद्विरोधप्रतिसंधानेन रामपदस्येत्यन्योन्याश्रयापत्तेः, तस्मादन्यतरपदस्य व्यवस्थितार्थत्व एव स्मृततद्विरोधप्रतिसंधानान्नानार्थपदस्याभिधानियमनमिति रामरावणयोरित्युदाहरणं भवितुमर्हति' इति।

आहेति क्रियायाः 'भवितुमर्हति' इत्येतावत्पर्यन्तवाक्यार्थः कर्म। भावेति। भावरूपविरोधादित्यर्थः। तद्विरोधेति। परशुरामविरोधेत्यर्थः। तस्मिंश्च सतीति। कार्तवीर्येऽभिधानियमने सतीत्यर्थः। रामपदस्येति। परशुरामेऽभिधानियमनमिति शेषः। तस्मादिति। अन्योन्याश्रयग्रासेन प्राचीनोक्तोदाहरणस्यासंगतत्वादित्यर्थः। अन्यतरपदस्येति। नियम्याभिधाभिधानियामकपदयोर्मध्ये एकतरस्य शब्दस्येत्यर्थः। व्यवस्थिते निश्चितेत्यर्थः। अयं भावः—दशरथापत्यपरशुरामादिबहुविधार्थाभिधायित्वेन रामपदमनेकार्थकम्, एवं कौन्तेयकार्तवीर्यादिबहुतरार्थाभिधायितयाऽर्जुनपदमपि तथाभूतमिति 'रामार्जुनगतिस्तयोरि'त्यत्र—

रामार्जुनपदे दशरथापत्यकौन्तेयतात्पर्येणोच्चरिते, उताहो परशुरामकार्तवीर्यतात्पर्येणेति सन्देहे वध्यघातकभावात्मकं प्रसिद्धं वैरं तयोः पदयोरभिधां परशुरामकार्तवीर्यरूपयोरर्थयोर्नियमयतीति मम्मटादयः प्राहुः। दीक्षितस्तु—'तदुदाहरणं न भवितुमर्हति, अन्योन्याश्रयापत्तेः। तथाहि—अन्योन्याश्रयो द्विविधो ज्ञानाश्रयः उत्पत्त्याश्रयश्च, प्रकृतेऽर्जुनपदाभिधानियमने भार्गवरूपरामपदार्थनिश्चयः समपेक्षितः, एवं रामपदाभिधानियमने कार्तवीर्यरूपार्जुनपदार्थ-निश्चय आवश्यकः, अन्यथा विरोधप्रतिसन्धानविरहात् तौ निश्चयौ च तयोः पदयोरभिधानियमाधीनाविति ज्ञानाश्रयोऽन्योन्याश्रयोऽत्र दुर्वारः, अतो यत्रैकं पदं निश्चितार्थकमपरञ्च नानार्थकतया सन्दिग्धार्थकं तत्रैव विरोधिताप्रथमप्रभेदस्योदाहरणत्वं युक्तम्, यथा 'रामरावणौ' इत्यत्र रावणपदस्यार्थो निश्चित इति स्मृततद्विरोधप्रतिसंधानेन नानार्थकस्य रामपदस्याभिधाया दशरथपुत्रे नियमनमि'त्याचष्टे।

अब इस प्रसङ्ग पर खण्डन करने के लिये अप्पयदीक्षित के मत का अनुवाद करते

हैं—यत्तु इत्यादि से। दीक्षितजी अपने वृत्तिवार्तिक नामक ग्रन्थ में प्राचीनोक्त उदाहरण का खण्डन करते हुए कहते हैं कि—'राम (परशुराम) और अर्जुन (सहस्रबाहु) में बध्यघातकभाव (मारनेवाला और मरनेवाला होना) रूप विरोध है, अतः राम-अर्जुन का सहप्रयोग रहने पर एक दूसरे की अभिधा का नियामक होता है अर्थात् राम से परशुराम का ही बोध होता है दशरथपुत्र आदि का नहीं, इसी तरह अर्जुन से सहस्रबाहु का ही बोध होता हैं पाण्डुपुत्र आदि का नहीं यह जो प्राचीनों का कथन है वह ठीक नहीं, क्योंकि जब रामपद की अभिधा परशुराम में नियन्त्रित हो जायगी, तब उसके विरोध का अनुसन्धान होने पर अर्जुनपद की अभिधा का नियमन सहस्रबाहु में होगा और अर्जुनपद की अभिधा का सहस्रबाहु में नियमन हो जाने पर उसके विरोध के अनुसन्धान से रामपद की अभिधा का नियमन परशुराम में हो सकेगा, इस तरह से एक पद की अभिधा के नियमन में द्वितीय पद की अभिधा के नियमन की अपेक्षा होने के कारण 'अन्योन्याश्रय' दोष का प्रसङ्ग आ जाता है, अतः विरोधिता का वह प्राचीनोक्त उदाहरण असंगत है। अतः ऐसा समझना चाहिए कि जहाँ एकपद निश्चित अर्थवाला हो अर्थात् अनेकार्थक नहीं हो और दूसरा पद अनेकार्थक होने से अनिश्चित अर्थवाला हो; वहीं निश्चितार्थक पद के अर्थज्ञान होने पर उसके विरोध में स्मरण से नानार्थक पद की अभिधा का जो नियमन होगा वही विरोधिता का उदाहरण है, जैसे—'राम और रावण'। अर्थात् यहाँ रावण पद का अर्थ निश्चित है, उसके विरोध के अनुसन्धान से राम पद की अभिधा दशरथ-पुत्ररूप अर्थ में नियन्त्रित होती है।

दीक्षितोक्तं निराचष्टे—

तत्र तावद्रामरावणयोरिति व्यवस्थितार्थान्यतरपदकमुदाहरणं विरोधिताया नियामकत्वस्य न युक्तम्। रामलक्ष्मणयोरित्यत्रेवात्रापि साहचर्यस्यैव नियामकत्वात्।

तत्रेति। दीक्षितोक्तावित्यर्थः। तावत् आदौ। अनुपदमग्रे दोषान्तरमपि प्रदीयत इति भावः। व्यवस्थितार्थान्यतरपदकमिति। व्यवस्थितो निश्चितः अर्थो यस्य तादृशमन्यतरत् द्वयोरेकं पदं यत्र तथाभूतमित्यर्थः। नियामकत्वस्यो स्योदाहरणमित्यत्रान्वयो बोध्यः, 'रामरावणौ'इति विरोधिताया नियामकत्वस्योदाहरणमसंगतम्, 'रामलक्ष्मणा'-वित्यत्र यथा साहचर्यं नियामकं तथैव प्रकृतेऽपि तदेव नियामकं संभवतीति पृथक् प्रसिद्धवैरात्मकविरोधिताया नियामकेषु गणनाया वैयर्थ्यात् इत्याशयः।

अब दीक्षितमत का खण्डन करते है—तत्र इत्यादि से। दीक्षित का उक्त मत अयुक्त है, क्योंकि पहले उन्होंने प्रसिद्ध वैररूप विरोधिता का जो 'राम और रावण' यह उदाहरण दिखलाया है वही ठीक नहीं होता क्योंकि 'राम और लक्ष्मण' यहाँ जैसे साहचर्य नियामक होता है वैसे वहाँ भी साहचर्य ही नियामक हो सकता है।

दृष्टान्ते दार्ष्टान्तिकापेक्षया वैषम्यमाशंक्य निरस्यति—

न च लक्ष्मणसाहचर्यं रामस्य प्रसिद्धम्, न तु रावणसाहचर्यमिति वाच्यम्, प्रसिद्धतत्सम्बन्धकत्वस्यैव तत्साहचार्यपदार्थकत्वात्। पितृ-भ्रातृ-जायापत्य-भृत्य-नगरीणां संबन्धस्येव रिपोः संबन्धस्यापि लोकप्रसिद्धत्वात्।

रामलक्ष्मणौ सहचरत इति रामनिष्ठं लक्ष्मणसाहचर्यं प्रसिद्धम्, रामरावणौ तु न

क्वापि सहचरत इति रावणसाहचर्यं रामे न तथा। तथा च कथं तद्दृष्टान्तेन प्रकृते साहचर्योदाहरणत्वस्याशंकेति शंकायामाह—प्रसिद्धेति।

प्रसिद्धः तत्संबन्धः (तेन सह संबन्धः) यस्य तत्त्वस्येत्यर्थः। अन्येन सहापरस्य प्रसिद्धः यः कश्चन संबन्ध एव प्रकृतनियामकमध्यप्रविष्टसाहचर्यपदार्थ इति प्रागुपदर्शितमेव। एवञ्च यथा जन्यजनकभावसोदरत्वदाम्पत्यस्वस्वामिभावादिः पितृभ्रातृपत्नीभृत्यादेः संबन्धः प्रसिद्ध इति साहचर्यान्तर्भूतस्तथैव वध्यघातकभावात्मकः शत्रोः संबन्धोऽपि प्रसिद्ध इति तस्यापि साहचर्यान्तर्भावः समुचित एवेति भावः।

दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में विषमता की आशंका करके उसका निरास करते हैं—न च इत्यादि। यदि आप कहें कि राम और लक्ष्मण साथ-साथ चलते-फिरते थे, अतः राम में लक्ष्मण का साहचर्य (साथ-साथ चलना) प्रसिद्ध है, पर राम और रावण तो कभी कहीं भी साथ-साथ विचरण किए नहीं, अतः उन दोनों का साहचर्य सर्वथा अप्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में राम-लक्ष्मण के दृष्टान्त से राम-रावण में साहचर्य को नियामक बतलाना उचित नहीं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ साहचर्य का अर्थ सहचरण आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ साहचर्य का अर्थ दो व्यक्तियों का प्रसिद्ध जिस किसी तरह का संबन्ध ही है, न कि सहचरण यह पहले बतलाया जा चुका है, तदनुसार जैसे, पिता, भ्राता, स्त्री, पुत्र, सेवक और नगर का संबन्ध प्रसिद्ध होने के कारण साहचर्य कहलाता है, उसी तरह शत्रु का भी संबन्ध (वध्यघातक भाव) प्रसिद्ध होने से, साहचर्य कहला सकता है।

साहचर्यान्तर्भावयोग्याया अपि प्रसिद्धवैरात्मकविरोधितायाः साहचर्यान्तरापेक्षया यत्किञ्चिद् वैलक्षण्यमादाय पृथग्गणने का क्षतिरित्यत आह—

एवं स्थितेऽपि विरोधितायाः पृथग्गणने मित्रत्वादेरपि तथा गणनापत्तेः।

एवं स्थितेऽपीति। साहचर्यस्य नियामकत्वसंभवेऽपीत्यर्थः। मित्रत्वादेरित्यत्र गुरुशिष्यभावादिरादिपदग्राह्यः। तथेति। पृथगित्यर्थः। साहचर्येणैव संग्रहसंभवेऽपि विरोधितायाः पृथङ्नियामकत्वाङ्गीकारे मित्रत्वादेरपि पृथगेव नियामकताऽङ्गीकरणीया स्यात्, न चाङ्गीक्रियते, इति तद्वद् विरोधिताया अपि पृथग्गणनं व्यर्थमेव भवेत्त्वद्रीत्येति भावः।

उक्त स्थिति में भी यदि प्रसिद्ध वैररूप विरोध की साहचर्य से पृथक् गणना की जाय, तब मित्रत्व आदि की भी पृथक् अभिधानियामकों में गणना करनी पड़ेगी।

उपसंहरति—

तस्मात्प्राचीनोदाहरणमिव त्वदुक्तमुदाहरणमप्यशुद्धमेव।

तस्मादिति उक्तहेतोरित्यर्थः। त्वदुक्तमपीति अप्पय्यदीक्षितोक्तमित्यर्थः। 'रामार्जुनगतिस्तयो'रितिप्राचीनोक्तमुदाहरणं यथाऽऽसंगतम्, तथा त्वदुक्तं 'रामरावणौ' इत्युदाहरणमप्यसमीचीनमेवेत्याशयः।

अतः यही कहना पड़ता है कि जैसे प्राचीनों के द्वारा दिया गया विरोधिता का उदाहरण (राम-अर्जुन-सी उन दोनों की गति है) असंगत है, वैसे आपके द्वारा दिखलाया गया विरोधिता का उदाहरण (राम और रावण) भी असंगत ही है।

दीक्षितोक्तमुदाहरणं निरस्य सम्प्रति तत्सिद्धान्तमपि खण्डयति—

'अन्यतरपदस्य व्यवस्थितार्थत्व एव' इत्याद्यप्यसंगतमेव। हरिनागस्ये-

त्यादावुभयोरव्यवस्थितार्थत्वेऽप्येकवद्भावाभिव्यक्तेन विरोधेन धर्मिविशेषाविशेषितेनापि युगपद्धर्मिविशेषद्वयेऽभिधाया नियन्तुं शक्यत्वात् ।

हरीति । हरिश्च नागश्चेति समाहारद्वन्द्वे 'येषां च विरोधः शाश्वतिकः' इत्येकवद्भावः । अत एवाह–एकवद्भावेति । धर्मिविशेषाविशेषितेनेति । धर्मिविशेषेण=(विरोधस्य) आश्रयीभूतेन केनापि प्राणिना अविशेषितेन अविशिष्टीकृतेनेत्यर्थः, अविशेषित इत्यत्र स्वार्थणिजन्तात् क्त इति भावः । अथवा धर्मिविशेषेण संजातो विशेषो यस्य तेनेत्यर्थः, तारकादित्वादितजिति भावः । उभयथाऽपि यस्य विरोधस्य धर्मी विशेषरूपेण नोक्तस्तादृशेन विरोधेनेति तात्पर्यम् । युगपत् एकदैव, न तु क्रमशः । अयमभिप्रायः—यत्रैकं पदमेकार्थकतया निश्चितार्थकमपरञ्च नानार्थकतया सन्दिग्धार्थकम् (यथा रामरावणौ इत्यत्र) तत्रैव विरोधिताप्रथमभेदस्योदाहरणं संभवतीति यदुक्तं दीक्षितेन, तन्न विचारसहम् , हरिनागस्य (यत्र पदद्वयमपि नानार्थकम्) इत्यत्र विरोधितया हरिनागपदयोरभिधाद्वयस्य क्रमशः सिंहगजरूपार्थयोरेकदैव नियमनदर्शनात् । नन्वेवमन्योन्याश्रयापातः कुतो नेति चेन्न, तृतीयस्य विरोधव्यञ्जकस्यैकवद्भावस्य वर्तमानतया अन्योन्याश्रयविरहात् । एतदेवाह—एकवद्भावाभिव्यक्तेत्यादिना । एकवद्भावश्च द्वयोः समानतयैव विरोधं प्रत्याययति, न तु 'अयं विरोधकर्ता अयञ्च विरोद्धव्य' इति विशेषरूपेण । तदेव सूचयति—धर्मिविशेषेत्यादिना । इति ।

दीक्षितोक्त उदाहरण का खण्डन करके अब उनके सिद्धान्त का भी खण्डन करते हैं—अन्यतर इत्यादि । दूसरे, आपने जो यह कहा है कि 'दो पदों में कोई एक पद जब निश्चित अर्थवाला अर्थात् एकार्थक रहेगा, तभी प्रसिद्ध वैररूप विरोधिता से अभिधा का नियमन होगा' यह भी अयुक्त ही है, क्योंकि 'हरिनागस्य' इत्यादि स्थल—जहाँ, दोनों पद अनिश्चितार्थक ही हैं—अर्थात् हरिपद के भी सिंह, विष्णु, अश्व आदि अनेक अर्थ संभावित हैं, और नागपद के भी गज, सर्प आदि विविध अर्थ हो सकते हैं—में, प्रसिद्ध वैररूप विरोधिता से हरि और नाग पद की अभिधा क्रमशः सिंह तथा गजरूप अर्थों में एक ही बार नियन्त्रित होती है । यदि आप कहें कि अन्योन्याश्रय क्यों नहीं होता ? तो इसका उत्तर यह है कि क्रमशः दोनों पदों की अभिधा का नियन्त्रण करने पर अन्योन्याश्रय का अवसर हो सकता था, पर यहाँ एक ही बार दोनों पदों की अभिधा नियन्त्रित होती है, फिर अन्योन्याश्रय का अवसर ही कहां है ? दूसरी बात यह है कि दो के रहने पर ही अन्योन्याश्रय होता है, यहां तो विरोध को अभिव्यक्त करनेवाला तीसरा एक वचन ('हरिनागस्य' में षष्ठी विभक्ति का एक वचन) भी है अर्थात् 'येषां च विरोधः शाश्वतिकः' इस पाणिनि सूत्र से उक्त प्रयोग में द्वन्द्वसमासोत्तर एकवद्भाव हुआ है, जिससे हरि और नाग पद के अर्थों में शाश्वतिक विरोध अभिव्यक्त होता है और वह विरोध भी एकवद्भाव से दोनों में समानरूप से ही व्यक्त होता है, 'यह विरोध करनेवाला है और इसका विरोध किया जाता है' इस विशेषरूप से नहीं । यही बात मूल की 'धर्मिविशेषाविशेषिता' इस पङ्क्ति के द्वारा प्रतिपादित हुई है ।

दीक्षितोक्तमेवांशान्तरं दूषयति—

यदपि 'रामार्जुनगतिस्तयो'रिति शब्दान्तरसन्निधेरुदाहरणम् , इति स एवाह । तदप्यसत् । त्वया निरूपिते शब्दान्तरसन्निधेरुदाहरणे 'निषधं पश्य

भूभृतम् ', 'नागो दानेन राजते', इत्यत्र चाभिधाया नियतविषयतां विनान्वयस्यैवानुपपत्त्या प्रकृते च 'रामार्जुनगतिस्तयो'रित्यत्रार्थान्तरविषयत्वेऽप्यन्वयानुपपत्तेरभावान्महति वैलक्षण्ये शब्दान्तरसंनिध्युदाहरणत्वायोगात् ।

स एवेति । अप्पय्यदीक्षित एवेत्यर्थः । असत् असमीचीनम् , असमीचीनत्वे हेतुं दर्शयति—त्वयेत्यादिना । निषधमिति । अत्र जनपदविशेषसाधारणस्य निषधपदस्याभिधा पर्वतवाचिभूभृत्पदसंनिधानात्पर्वतविशेषे नियम्यते । राजसाधारणस्य भूभृत्पदस्याभिधा च पर्वतविशेषवाचिनिषधपदसंनिधिना पर्वते । नाग इति । सर्पसाधारणस्य नागपदस्यागजवाचकनागपदसंनिधानेन दुष्टगजे नियम्यते । त्यागसाधारणस्य दानपदस्य च गजवाचकनागपदसंनिधानेन मदजले । सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्याभ्यां स्थलभेदप्रदर्शनायोदाहरणद्वयम् । अधिकं वृत्तिवार्त्तिके द्रष्टव्यम् । नियतविषयेति । नियमनमिति यावत् । अर्थान्तरविषयत्वेऽपीति । रामार्जुनवत्पराक्रमशालित्वमित्याद्यर्थान्तरमितिभावः ।

'रामार्जुनगतिस्तयो' रिति विरोधिताया उदाहरणं प्राञ्च ऊचुः । दीक्षितस्तत्रान्योन्याश्रयदोषमापाद्य तस्य शब्दान्तरसंनिधेरुदाहरणत्वं प्रतिपादयति । तत्खण्डनप्रसङ्गे पण्डितराजो वृत्तिवार्तिकोक्तदीक्षिताभिमतशब्दान्तरसंनिध्युदाहरणापेक्षया रामार्जुनेत्युदाहरणे वैलक्षण्यं प्रदर्शयति—'निषधं', 'नागो', इत्युदाहरणद्वयं वृत्तिवार्तिकोक्तं शब्दान्तरसंनिधेरुचितम् । तत्र निषध-भूभृद्-नाग-दानपदानां पर्वतविशेष-पर्वतसामान्य-गज-मदजलरूपार्थेष्वभिधानियमनात्प्राक् येषां पदानां क्रमशो देशविशेष-राज-सर्पत्यागरूपार्थेषु शक्तिसंचारेणान्वयानुपपत्तेः, तेषामर्थानां मिथोऽन्वयायोग्यत्वात् । रामार्जुनेत्युदाहरणे तु 'तयोः रामार्जुनवद् गतिः' = पराक्रमशालित्वमित्यर्थान्तरकरणेऽपि नान्वयानुपपत्तिः, तथान्वयस्य संभवविषयत्वात् । एवञ्च शब्दान्तरसंनिधेस्तादृशमुदाहरणं ब्रुवतो दीक्षितस्य तदपेक्षयातिवैलक्षण्यशालिनि रामार्जुनेत्यत्र शब्दान्तरसंनिध्युदाहरणत्वस्वीकारोऽयुक्त इति भावः ।

दीक्षित की ही एक दूसरी उक्ति का खण्डन करते हैं—यदपि इत्यादि । अभिप्राय यह है कि प्राचीनों ने विरोधिता के प्रथम भेद-प्रसिद्ध वैर-का उदाहरण 'राम-अर्जुन की सी उन दोनों की गति' एतदर्थक 'रामार्जुनगतिस्तयोः' इस वाक्य को माना है । पर दीक्षित ने अन्योन्याश्रय दोष बतला कर उस वाक्य को विरोधिता का उदाहरण होने में आपत्ति की है, और उस वाक्य को 'शब्दान्तरसन्निधि' का उदाहरण माना है । अब पण्डितराज दीक्षित के कथन का खण्डन करते हुए कहते हैं कि—आपने (दीक्षित ने) 'निषधं पश्य भूभृतम्' अर्थात् 'निषध नामक पर्वत को देखो' इस समानाधिकरण (समान विभक्तिक) वाक्य को, एवम् 'नागो दानेन राजते' अर्थात् 'मदवारि से मतवाला हाथी शोभित होता है' इस व्यधिकरण (विभिन्न विभक्तिक) वाक्य को भी 'शब्दान्तरसन्निधि का उदाहरण माना है अर्थात् पर्वतवाचक 'भूभृत्' पद के सन्निधान से देशविशेष तथा पर्वतविशेष इन दोनों अर्थों के वाचक 'निषध' पद की अभिधा पर्वतविशेषरूप अर्थ में और पर्वतविशेषवाचक 'निषध' पद के सन्निधान से राजा तथा पर्वतसामान्य इन दोनों अर्थों के वाचक 'भूभृत्' पद की अभिधा पर्वतसामान्यरूप अर्थ में नियन्त्रित होती है, इसी तरह मदवाचक 'दान' पद के सन्निधान से सर्प तथा गज इन दोनों अर्थों के वाचक 'नाग' पद की अभिधा, गजरूप अर्थ में और गजवाचक 'नाग' पद के सन्निधान से—त्याग तथा दानवारि इन दोनों अर्थों के वाचक 'दान' पद

की अभिधा मदजलरूप अर्थ में नियन्त्रित होती है, यह बात स्वीकृत की है—जो ठीक भी है, क्योंकि उक्त नियन्त्रण के बिना उक्त वाक्यगत पदार्थों का परस्पर अन्वय ही नहीं बन सकता है अर्थात् उक्त वाक्यों में 'निषध' का राजा और 'भूभृत्' का पर्वत, अथवा 'निषध' का ही पर्वतविशेष और 'भूभृत्' का राजा, इसी तरह 'नाग' का सर्प और दान का त्याग, अर्थ समझ लिया जाय, तब उन अर्थों की परस्पर संगति ही नहीं बैठेगी। परन्तु 'रामार्जुनगतिस्तयोः' इस वाक्य का यदि 'उन दोनों वर्णनीय व्यक्तियों की राम और अर्जुन जैसी वीरता है' यह अन्य अर्थ भी कर लिया जाय, तथापि अन्वय हो ही जाता है, फिर इस वाक्य को शब्दान्तरसन्निधि का उदाहरण आपने कैसे कह दिया ? अर्थात् परशुरामवाचक 'राम' पद के सन्निधान से 'अर्जुन' पद की सहस्रबाहु में और सहस्रबाहुवाचक 'अर्जुन' पद के सन्निधान से 'राम पद की अभिधा परशुराम में नियमित होती है यह आपका तात्पर्य तब संगत होता, यदि आपके निजसम्मत शब्दान्तर-सन्निधि के उक्त उदाहरणों से मिलती-जुलती स्थिति यहाँ भी होती, ऐसी स्थिति तो है नहीं, एक जगह नियन्त्रण के बिना अन्वय अनुपपन्न है, और दूसरी जगह उसके बिना भी वह उत्पन्न है, इस विलक्षणता के रहते दोनों जगह समानरूप से शब्दान्तर सन्निधि को ही नियामक मानना सर्वथा अनुचित है।

अथापि प्रतीयमानां 'रामार्जुनगतिस्तयो' रितिविरोधितोदाहरणस्यासंगतिमुद्भाव्य निरस्यति—

एवमपि काव्यप्रकाशगतस्य 'रामार्जुनगतिस्तयो'रिति विरोधितोदाहरण-स्यासंगतिः स्थितैवेति चेत् ? न, तयोः कयोश्चित्प्रसिद्धविरोधयो रामार्जुनगती रामार्जुनसदृशी गतिराचरणमिति तदर्थवर्णने विरोधेन प्रस्तावशात्प्रतीतेन युगपद्भार्गवकार्तवीर्ययो रामार्जुनशब्दाभिधाया नियमनस्योपपत्तेः।

एवमपीति। दीक्षितोक्तेरसंगतावपीत्यर्थः। स्थितैवेति। अन्योन्याश्रयदोषस्य दीक्षितो-क्तस्यानिरासादिति भावः। तदर्थेति। उदाहरणार्थेत्यर्थः। प्रस्तावः प्रकरणम्। युगपदिति। तथा च नान्योन्याश्रय इति भावः।

'रामार्जुनगतिस्तयो' रित्यत्र दीक्षितोक्तान्योन्याश्रयदोषस्तदा संभवति, यदि विरोधो-पस्थापकं किमपि तृतीयं वस्तु न भवेत्, अपि च रामपदस्यार्थे भार्गवरूपे निर्णीते स्मृत-वद्विरोधप्रतिसंधानेनार्जुनपदस्य, एवम् अर्जुनपदस्य कार्तवीर्यरूपार्थे निश्चिते तद्विरोधप्र-तिसंधानेन रामपदस्य अभिधायाः क्रमशो नियमनमभिप्रेतं स्यात्। इह तु तन्नास्ति, किन्तु मूलोक्तार्थानुसारेण 'तयो'रितिपदप्राप्तं प्रकरणं तृतीयमेव वस्तु विरोधमुपस्थापयति, तेन च युगपदेव भार्गवकार्तवीर्यरूपयोरर्थयो रामार्जुनपदाभिधानियमनमिति नान्योन्याश्रयापात-प्रयुक्ताऽऽसंगतिरित्याशयः।

उक्त खण्डन-मण्डन के बाद भी विरोधिता के 'रामार्जुनगतिस्तयोः' इस उदाहरण में असंगति रहती ही है, इस शंका का उद्भावन करके उत्तर देते हैं—एवमित्यादि। यदि कोई कहे कि उक्तरीति से दीक्षित के मत का खण्डन हो जाने पर भी काव्यप्रकाश में उक्त विरोधिता का 'रामार्जुनगतिस्तयोः' यह उदाहरण तो संगत नहीं होगा अर्थात् दीक्षित ने जो वहाँ अन्योन्याश्रय दोष लगाया था, वह अभी भी वर्तमान नहीं है ? तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यहां अन्योन्याश्रय दोष तब होता यदि विरोध को उपस्थित करनेवाली कोई तृतीय वस्तु नहीं होती, और राम पद का परशु-

रामरूप अर्थ निर्णित हो जाने पर उसके विरोध की स्मृति से अर्जुन पद की, एवम् सहस्रबाहुरूप अर्थ निर्णित हो जाने पर उसके विरोध की स्मृति से रामपद की अभिधा का क्रमशः नियन्त्रण अभिमत होता, परन्तु यहां ऐसी बात है नहीं, क्योंकि उक्त वाक्य का अर्थ यहां यह है कि 'तयोः अर्थात् उन दोनों प्रसिद्ध-वैरभाव वाले व्यक्तियों का रामार्जुनगतिः अर्थात् राम-अर्जुन के समान आचरण है।' इस तरह से 'तयोः' पद से ज्ञात होनेवाला प्रकरण (तृतीय वस्तु) यहां विरोध को उपस्थित करता है, जिससे एक बार ही राम तथा अर्जुन पद की अभिधा परशुराम एवम् सहस्रबाहुरूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है। अतः अन्योन्याश्रय का कोई प्रसङ्ग नहीं रह जाता।

इत्थं व्याख्याने प्रकरणरूपनियामक एवान्तर्भावसम्भवात् पुनः पृथग्विरोधिता प्रथमप्रकरणस्य परिगणनं व्यर्थमित्याशंक्य समाधत्ते—

न च प्रकरणादविशेषः ? विरोधस्य प्रक्रान्तत्वेऽपि भार्गवकार्तवीर्ययोः शक्तिनियमाधिकरणयोरप्रक्रान्तत्वात्।

प्रकरणादिति। शक्तिनियामकसंग्राहककारिकोक्तप्रकरणरूपनियामकादित्यर्थः। अविशेष इति। विशेषो भेदस्तद्भिन्न इत्यर्थः, अभेद इति यावत्। प्रसिद्धवैररूपविरोधिताया इति शेषः। रामार्जुन इत्यत्र प्रकरणस्य विरोधप्रत्यायकत्वाङ्गीकारे शक्तिनियामकत्वमपि तस्यैवाङ्गीक्रियताम्, कृतमत्र नियामकान्तरान्वेषणेनेति न शंकनीयम्। शक्तिनियामकस्य विरोधस्य प्रकरणप्राप्तत्वेऽपि शक्तिनियमाश्रययोर्भार्गवकार्तवीर्ययोः प्रकरणाप्राप्तत्वात्। एवञ्च शक्तिनियमाश्रयस्य प्रक्रान्तत्व एव प्रकरणं नियामकमिति भावः।

इदमत्र विचारणीयम्—मूले पण्डितराजेनोद्धृतं 'रामार्जुनौ' इति प्राचीनोक्तमुदाहरणं कथं सगच्छेत ? तत्र विरोधप्रत्यायकस्य तृतीयस्य कस्यचिदभावेनान्योन्याश्रयस्य दुर्वारत्वात्। वस्तुतस्तु प्राचीनैस्तदुदाहरणं नैव दत्तमिति पूर्वं मयोक्तमेव। पण्डितराजस्य तथोद्धरणं चिन्त्यमेव। तत्तु पण्डितराजोक्तरीत्या साहचर्यस्यैव कथञ्चिदुदाहरणं संभवतीति मम प्रतिभाति। रामार्जुनावित्यस्य रामार्जुनगतिस्तयोरित्येतदुपलक्षणत्वस्वीकारे तु सर्वं सुस्थमेवे'त्यपि बोध्यम्।

उक्त व्याख्या के अनुसार 'प्रकरण' में ही 'विरोधिता प्रथम भेद' का अन्तर्भाव क्यों नहीं मान लिया जाय ? इस शंका का अब समाधान करते हैं—नच इत्यादि। 'रामार्जुनगतिस्तयोः' इस स्थल में उक्तरीति से जब प्रकरण को ही आप विरोधोपस्थापक मानते हैं, तब उस 'प्रकरण' को ही अभिधानियामक भी क्यों नहीं मान लेते ? व्यर्थ नियामकान्तर (विरोधिता) के अन्वेषण से क्या लाभ ? ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए—क्योंकि, उस तरह से विरोध भले ही प्रकरण प्राप्त हो जाय, परन्तु जिन दोनों अर्थों में शक्ति यहाँ नियमित होती है वे परशुराम और सहस्रबाहु प्रकरणप्राप्त नहीं हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 'प्रकरण' वहाँ अभिधा-नियामक होता है, जहाँ नियमतः अर्थ प्राकरणिक हों, यहाँ वह नहीं है अतः 'प्रकरण' नियामक नहीं हो सकता। अगत्या प्रसिद्धवैररूप 'विरोधिता' ही यहाँ अभिधानियामक होती है, यह बात सर्वसम्मत्या माननी ही पड़ेगी। यहाँ एक बात विचारणीय यह है कि मूलग्रन्थ में प्राचीनोक्त उदाहरण को उद्धृत करते हुए पण्डितराज ने जो 'रामार्जुनौ' यह विरोधितोदाहरण का आकार लिखा, वह कैसे संगत हो सकता है ? क्योंकि उस आकार में विरोध को

उपस्थित करनेवाली कोई तृतीय वस्तु जब नहीं है, तब अन्योन्याश्रय दोष दुर्वार ही होगा। वस्तुतः प्राचीनोक्त उदाहरण का आकार वैसा नहीं है यह बात पहले लिखी जा चुकी है। पण्डितराज का वैसा उदाहरण गलत ही है। पण्डितराज की रीति से वह किसी तरह से साहचर्य का ही उदाहरण हो सकता है। 'रामार्जुनौ' इस वाक्य को यदि 'रामार्जुनगतिस्तयोः' इस वाक्य का उपलक्षण मान लिया जाय तो सबका सामञ्जस्य है ही।

विरोधिताया द्वितीयं प्रकारमुदाहरति—

सहानवस्थानलक्षणाविरोधिता तु छायातपावित्यादौ बोध्या।

'छायातपौ' इत्यत्र छायाशब्दस्य सूर्यपत्नी-कान्ति-प्रतिबिंबातपाभावरूपा अनेके अर्थाः संभवन्ति। परन्तु आतपपदार्थेन सह सहानवस्थानरूपा विरोधिता आतपभावरूप-छायापदार्थस्यैवेति तया विरोधितया छायापदस्याभिधा आतपाभावरूपेऽर्थे नियम्यते इति भावः।

अब 'विरोधिता' के द्वितीय भेद का उदाहरण दिखलाते हैं—सहान इत्यादि 'छाया' और 'आतप' इस वाक्य में छाया शब्द के सूर्य-पत्नी, कान्ति, प्रतिबिंब और आतप का अभाव आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं, परन्तु 'आतप' पद का जो निश्चित अर्थ धूप है, उसके साथ 'सहानवस्थान' (साथ-साथ नहीं रह सकना) रूप विरोध, आतपाभाव-रूप छाया पदार्थ को ही है, अतः उस विरोध से 'छाया' पद की अभिधा आतपाभाव-रूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है।

अर्थं निरूपयति—

अर्थः प्रयोजनं चतुर्थ्याद्यभिधेयम्।

चतुर्थ्यादीति। अत्र तुमुनादि आदिपदग्राह्यम्। चतुर्थ्यादिप्रतिपाद्यं प्रयोजनमर्थ-पदार्थ इत्यर्थः।

'अर्थ' की व्याख्या करते हैं—अर्थः इत्यादि। चतुर्थी विभक्ति आदि के द्वारा अभि-हित होनेवाले 'प्रयोजन' को 'अर्थ' कहते हैं।

उदाहरति—

यथा—'स्थाणुं भज भवच्छिदे' इत्यादौ भवच्छेदनादि स्थाणुपदस्य भवे।

संसारयात्रानिवृत्त्यर्थं शिवमुपास्वेत्युदाहरणार्थः। छेदनादीत्यस्य प्रयोजनमिति शेषः। भवे। अभिधानियामकमिति शेषः।

स्थाणुं भजेत्युदाहरणे 'भवच्छिदे' इत्यत्रत्य-चतुर्थीप्रतिपाद्यं भवच्छेदनरूपं प्रयोजनं निश्शाखतरुशिवादिनानार्थकस्य स्थाणुपदस्याभिधां शिवे नियमयति, निश्शाखतरुभजनेन भवच्छेदरूपप्रयोजनासिद्धेरितिभावः।

उदाहरण देखिए—जैसे 'स्थाणुं भज भवच्छिदे—अर्थात् संसार से छुटकारा पाने के लिए स्थाणु का भजन करो' इस वाक्य में 'स्थाणु' पद के शिव तथा शुष्क तरु दोनों अर्थ हो सकते हैं, परन्तु वक्ता का अभिलषित 'भवच्छेद'रूप प्रयोजन की सिद्धि शिव से ही संभव है शुष्कतरु से नहीं, अतः उक्त प्रयोजन से 'स्थाणु' पद की अभिधा शिव-रूप अर्थ में नियन्त्रित होती है।

शङ्कते—

नन्वर्थस्य लिङ्गात्को भेदः ? न च लिङ्गमनन्यसाधारणस्तद्धर्मः, अर्थस्तु तद्भजनादेः कार्यम्, न तु तद्गतो धर्म इति स्फुट एव भेद इति वाच्यम्, भवच्छेदजनकभजनकर्मत्वस्य काष्ठावृत्तिभवधर्मत्वादिति चेत् ?

अनन्यसाधारण इति । अन्यस्मिन् विवक्षितादेकस्मादतिरिक्ते साधारणो यो न भवति—एकमात्रवृत्तिरिति यावत् ।

'अर्थ'निरूपणप्रकरणोक्ताः सर्वेऽपि तच्छब्दाः शिवबोधकाः । कार्यमिति फलमित्यर्थः । भवच्छेदजनकेति । भवच्छेदकजनिका या भजनक्रिया, तत्कर्मत्वस्य तज्जन्यफलाश्रयत्वस्येत्यर्थः । काष्ठावृत्तीति । अनेनानन्यसाधारणत्वं सूचितम् ।

भवच्छेदस्य शिववृत्त्यसाधारणधर्मत्वाभावेऽपि भवच्छेदजनकभजनकर्मतायाः काष्ठावृत्तितया शिवासाधारणधर्मत्वेन 'अनन्यसाधारणः शिवधर्मः शिवस्य लिङ्गम्, भवच्छेदकरूप प्रयोजनं तु शिवभजनस्य फलं न तु शिववृत्तिर्धर्म' इति प्रकृतोदाहरणे लिङ्गार्थयोर्भेद इत्यस्य वक्तुमशक्यत्वेन कोऽत्र लिङ्गार्थयोर्भेद इति शंकाशयो बोध्यः ।

शंका कहते हैं—नन्वर्थ इत्यादि । यहाँ शंका होती है कि 'लिंग' रूप नियामक से इस 'अर्थ' रूप नियामक में भेद क्या है ? 'शिव से भिन्न किसी व्यक्ति में जो नहीं रहता हो, ऐसे धर्म विशेष को शिव का लिंग कह सकते हैं, और यह 'भवच्छेद' रूप अर्थ (प्रयोजन) तो शिव के भजन का कार्य (फल) है, न कि शिव में रहनेवाला धर्म' यह भेद मानने योग्य है नहीं, क्योंकि भवच्छेद भले ही शिव-भजन का फल हो, पर उस फल को उत्पन्न करनेवाली भजन क्रिया का कर्म होना—जो शुष्कतरु में नहीं रह सकता है—तो शिव का लिंग अवश्य है । अभिप्राय यह हुआ कि भवच्छेद-साधक-भजनक्रिया-कर्मत्व, जब, शिव मात्र में, रहनेवाला धर्म है, काष्ठ आदि में वह नहीं रह सकता है, तब उस धर्म को शिव का लिंग माना जा सकता है, और जब उसको लिंग मान लेगें, तब उसी से प्रकृत वाक्य में स्थाणु पद की अभिधा नियन्त्रित हो ही जायगी, फिर 'अर्थ' को पृथक् नियामक मानने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तरयति—

अत्राहुः—उक्तस्य विशिष्टधर्मस्य शाब्दबोधोत्तरभाविमानसबोधविषयत्वेन प्रकृतशाब्दबोधाविषयत्वाल्लिङ्गतो वैलक्षण्योपपत्तिरिति ।

उक्तस्येति । भवच्छेदजनकभजनकर्मत्वस्येत्यर्थः । प्रकृतशाब्दबोधाविषयत्वादिति भवच्छेदफलकं चैत्रायभिन्नकर्तृकं स्थाणुकर्मकं भजनमित्याकारकस्य प्रकृतशाब्दबोधस्य विषयत्वविरहादित्यर्थः ।

अयं भावः—'स्थाणुं भज भवच्छिदे' इति वाक्यात् 'भवच्छेदफलकेत्याद्यनुपदोक्त एव बोधो जायते, व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधस्यैव शाब्दिकसिद्धान्तसिद्धत्वात् । स्थाणुनिष्ठभवच्छेदजनकभजनकर्मत्वरूपो विशिष्टो धर्मस्तु पश्चात्कालभाविनि मानसबोधे भासते । तथा च प्रकृतोदाहरणे भवच्छेदरूपं प्रयोजनम् (अर्थात्मकं नियामकम्) शब्दजन्यबोधस्य विषयः, भवच्छेदजनकभजनकर्मत्वरूपं लिङ्गं मानसबोधस्य विषय इति तयोर्भेद इति । अथैवं भेदे सिद्धेऽपि लिङ्गस्य वर्तमानत्वे तस्यैव नियामकता प्रकृते कुतो नेति चेन्न, प्रथ-

मोपस्थितत्वेनान्तरङ्गस्यार्थस्य नियामकत्वसंभवे पश्चादुपस्थितत्वेन बहिरङ्गस्य लिङ्गस्य नियामकताया अयुक्तत्वात् ।

अब उक्त शंका का उत्तर देते हैं—अथाहुः इत्यादि। आशय यह है कि वैयाकरण शाब्दबोध में क्रिया को प्रधान मानते हैं, तदनुसार 'स्थाणुं भज भवच्छिदे' इस वाक्य से 'भवच्छेदरूप-फलवाली, चैत्रादिरूप-कर्तावाली, स्थाणुरूप-कर्मवाली, प्रेरणा का विषय भजन-क्रिया' यह बोध होगा। नैयायिक शाब्दबोध में प्रथमान्तपद के अर्थ को मुख्य मानते हैं, तदनुसार उक्त वाक्य से 'भवच्छेदरूप फलवाली, स्थाणुरूप कर्मवाली प्रेरणा-विषयीभूत भजन-क्रिया कर्ता चैत्र आदि' यह बोध होगा। दोनों ही मतों में 'भवच्छेदजनक-भजन-कर्मत्व' रूप धर्म शाब्दबोध में नहीं आता, अर्थात् शब्द से वह धर्म अवगत नहीं होता। हाँ, उस बोध के बाद जो एक मानस बोध होता है, उसमें वह धर्म विषय हो सकता है, अर्थात् उक्त शाब्दिक बोध के अनन्तर मन से उस धर्म का ज्ञान किया जा सकता है। इस स्थिति में लिंग से अर्थ में विलक्षणता सिद्ध हो जाती है—अर्थात् यह प्रक्रान्त अभिधा-नियमनवाली बात शाब्दबोध के उपायरूप में ही कही जा रही है, अतः यह नियमन शाब्दिकबोध से पूर्व ही करना चाहिये, अतः उक्त वाक्य में स्थाणुपद की अभिधा को नियमित करने के लिए शाब्दबोध से पूर्व ज्ञात होनेवाला कोई नियामक चाहिए, जो उक्त धर्मरूप 'लिंग' कथमपि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान शाब्दिकबोध के बाद में हो सकेगा अतः 'अर्थ' को पृथक् नियामक मानना आवश्यक है।

प्राचीनाभिमतं लिङ्गार्थयोर्वैलक्षण्यं प्रदर्शयति—

लिङ्गं त्वेकपदार्थः कोपादिः, अनन्वित एव यः पदार्थान्तरेण प्रकृतशक्यधर्मतां शक्यान्तरव्यावृत्ततां च भजते, उक्तधर्मस्तु न तथेत्यपि केचित्।

एकपदार्थ इत्यस्यैव विवरणं पदार्थान्तरेणानन्वित इत्यादि। कोपादिरिति। कुपितो मकरध्वज इत्यादाविति भावः। उक्त इति। भवच्छेदजनकभजनकर्मत्वरूप इत्यर्थः। न तथेति। पदार्थान्तरेणानन्वितः प्रकृतशक्यधर्मो नेत्यर्थः। नानार्थस्थले येन केनापि पदार्थान्तरेणानन्वितः सन् अभिमतशक्यवृत्तिरभिमतेतरशक्याव्रुत्तिश्च-अर्थात् एकस्यैव पदस्यार्थभूतः असमस्ताखण्डैकपदार्थ इति यावत् यो धर्मः स लिङ्गम्, यथा कुपितो मकरध्वज इत्यत्र कोपः। भवच्छेदजनकभजनकर्मत्वरूपो धर्मस्तु असमस्ताखण्डैकपदार्थो न परस्परान्वयवशेनैव तस्य तादृशाकारसम्पत्तेरिति न तल्लिङ्गमिति तयोर्भेदं केचिदाचक्षत इति भावः। अत्र 'केचिदि'त्यनेनारुचिः सूच्यते, सा च तथाङ्गीकारे 'देवस्य त्रिपुराराते'रित्यत्र-देवपदाभिधानियमनानापत्तिप्रसङ्गरूपा बोध्या, त्रिपुरारातित्वस्याखण्डैकपदार्थत्वविरहेण लिङ्गत्वाभावात्। न च शब्दान्तरसन्निधेरुदाहरणमेतद्भवतीति वाच्यम्, पदद्वयस्य नानार्थकत्वाभावेन 'नानार्थपदैकार्थमात्रसंसर्ग्यर्थान्तरवाचकपदसमभिव्याहार'रूपायाः अन्यशब्दसन्निधेरिहाप्रसंगात्। न च 'नियतार्थकशब्दसामानाधिकरण्यं शब्दान्तरसन्निधिरिति प्राचीनमतानुसारेण निस्तारः, 'करेण राजते नागः' इत्यादावव्याप्त्या 'कुपितो मकरध्वज' इत्यादावतिव्याप्त्या च तादृशान्यशब्दसन्निधेर्निर्वक्तुमशक्यत्वात्। पण्डितराजमते तु लिङ्गोदाहरणं तद्भवतीति तल्लक्षणानुसन्धानेन विज्ञेयम्।

अब लिंग और अर्थ में प्राचीनाभिमत वैलक्षण्य का उल्लेख करते हैं—लिंगं तु इत्यादि। प्राचीन विद्वान् उक्त आशंका का समाधान इस प्रकार देते हैं—लिंग उसको कहते हैं जो एक पद का अर्थ हो,—अर्थात् जो किसी अन्य पद के अर्थ से अन्वित न होकर ही नानार्थक शब्द के अभिमत अर्थ में रहता हो और अनभिमत अर्थ में नहीं रहता हो। जैसे—'कुपितो मकरध्वजः' इत्यादि स्थल में कोप आदि, क्योंकि 'कोप' कुपितरूप एक पद का अर्थ है, और मकरध्वजपद के अभिप्रेत कामदेवरूप अर्थ में रहता है, तथा उस पद के अनभिप्रेत अर्थ मकराकारध्वजारूप अर्थ में नहीं रहता है। पूर्वोक्त अवच्छेदजनक भजन कर्मत्वरूपधर्म तो किसी एक पद का अर्थ नहीं है अपि तु अनेक पदों के अर्थों का मिलितरूप है, अतः वह लिंग नहीं कहा जा सकता।

प्रकरणं निरूपयति—

प्रकरणं वक्तृश्रोतृबुद्धिस्थता।

वक्ता च श्रोता चेतिद्वन्द्वः, तयोः बुद्धयोः तिष्ठति यत्, तदभाव इत्यर्थः, वक्तृश्रोतृज्ञान-विषयतेतियावत्। प्रकरणं प्रस्ताव इत्यनर्थान्तरम्।

अब 'प्रकरण' की व्याख्या करते हैं—प्रकरण इत्यादि वक्ता और श्रोता दोनों की बुद्धि में किसी वस्तु का रहना प्रकरण कहलाता है। प्रकरण का दूसरा पर्यायवाची शब्द प्रस्ताव है।

उदाहरति—

यथा—राजानं संबोध्य केनचिद्भृत्येनोक्ते 'सर्वं जानाति देवः' इति वाक्ये देवपदस्य युष्मदर्थे।

युष्मदर्थे इति। संबोध्ये राजनि इत्यर्थः, संबोध्यस्यैव युष्मदर्थत्वात्। इतः अग्रे अभिधानियमनमिति शेषः। प्रकरणं देवपदस्याभिधां युष्मदर्थे नियमयतीति भावः।

उदाहरण देते हैं—यथा इत्यादि। कोई सेवक जब राजा को संबोधन करके 'सर्वं जानाति देवः—अर्थात् आप सब कुछ जानते हैं' ऐसा वाक्य कहता है, तब उस वाक्य में 'देव' पद के 'देवता' और 'आप' आदि विविध अर्थ होने पर भी 'आप' अर्थ में ही अभिधा का नियमन हो जाता है, क्योंकि वहाँ 'आप' का ही प्रकरण है 'देवता' का नहीं।

लिङ्गं निरूपयति—

लिङ्गं नानार्थपदशक्यान्तरावृत्तिरेकशक्यगतः साक्षाच्छब्दवेद्यो धर्मः।

नानार्थपदस्य प्रकृतशक्यादन्यस्मिन् शक्येऽवर्तमानः प्रकृतिशक्ये च वर्तमानः शब्देन साक्षात् बोध्यो न त्वर्थाल्लब्धो धर्मविशेषो लिङ्गमित्यर्थः।

अब 'लिङ्ग' की व्याख्या करते हैं—लिङ्गम् इत्यादि। उस धर्म विशेष को 'लिङ्ग' कहते हैं जो नानार्थक पद के अभिप्रेत अर्थ में रहता हो और अनभिप्रेत कार्यों में नहीं रहता हो। एवं जो साक्षात् शब्द से ही बोधित होता है—अर्थात् पूर्वोक्त 'भजनकर्मत्व' की तरह मन आदि से ज्ञात न होता हो।

उदाहरति—

यथा—'कुपितो मकरध्वजः' इत्यत्र कोपो मकरध्वजपदस्य।

मकरध्वजपदस्य। अभिधां नियमयतीति शेषः। अत्र कामसमुद्रद्वयार्थकस्य मकरध्वजपदस्य कामरूपात् प्रकृतशक्यादन्यस्मिन् शक्ये समुद्रेऽवर्तमानः प्रकृतशक्ये

कामे वर्तमानश्च कुपितपदेन साक्षात् बोध्यः कोपः (लिङ्गम्) मकरध्वजपदस्य शक्तिं कामरूपार्थे नियमयतीति भावः ।

उदाहरण दिखलाते हैं—यथा इत्यादि । यद्यपि 'मकरध्वज' पद की शक्ति कामदेव, समुद्र आदि अनेक अर्थों में है तथापि 'कुपितो मकरध्वजः—अर्थात् मकरध्वज कुपित हो गया' इस वाक्य में 'कोपरूप लिङ्ग' से मकरध्वज पद की शक्ति कामदेवरूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है, क्योंकि मकरध्वज पद के समुद्र आदि अचेतन अर्थों में नहीं रहने वाला, कामदेव में रहनेवाला और 'कुपित' इस एक पद से ज्ञात होनेवाला 'कोप' कामदेव का 'लिङ्ग' (चिह्नविशेष) हो जाता है । अतः उक्त वाक्य में मकरध्वज पद से कामदेव का ही बोध होता है, अन्य का नहीं ।

अन्यशब्दसन्निधिं निर्वक्ति—

शब्दस्यान्यस्य सन्निधिर्नानार्थपदैकार्थमात्रसंसर्ग्यर्थान्तरवाचकपदसमभिव्याहारः ।

नानार्थपदस्यानेकार्थानां मध्ये एकार्थमात्रप्रतियोगिकसंबन्धविशिष्टेन अर्थान्तरवाचकेन नानार्थकेनेति यावत् पदेन समभिव्याहारः पूर्वत्वपरत्वान्यतरसंबन्धेन तद्विशिष्टता नानार्थकपदगता शब्दस्यान्यस्य सन्निधिरित्यर्थः । अत्रैकार्थमात्रप्रतियोगिकसंबन्धविशिष्टत्वमर्थान्तरवाचके पदे पदद्वारकमवगन्तव्यम् ।

अब 'अन्यशब्द की सन्निधि' की व्याख्या करते हैं—शब्दस्य इत्यादि । नानार्थक पद के केवल एक अर्थ से संबन्ध रखनेवाले अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ के भी वाचक पद का निकट स्थित होना—अर्थात् ऐसे दो अनेकार्थक पदों का पास-पास रहना जिनका कोई एक अर्थ ही परस्पर सम्बन्ध रखता हो—'अन्यशब्द-सन्निधि' कहलाता है ।

उदाहरति—

यथा—'करेण राजते नागः' इत्यत्र करपदस्य नागपदमादाय नागपदस्य च करपदमादाय शुण्डायां गजे च ।

गजे चेत्यस्याग्रेऽभिधानियमनमिति शेषो बोध्यः । करपदस्य पाणिशुण्डादण्डकिरणा अर्थाः । नागपदस्य गजसर्पौ वाच्यौ । अतस्तत्पदद्वयमपि नानार्थकम् । अत्र करपदस्य शुण्डातिरिक्ते नागपदस्य च गजातिरिक्तेऽर्थे स्वीकृते परस्परमन्वयासंभवेन वाक्यार्थासंपत्तिरिति उक्तरूपो नागपदसमभिव्याहारः करपदस्य तादृशकरपदसमभिव्याहारश्च नागपदस्य क्रमशः शुण्डादण्डे गजे चाभिधां नियमयतीति सारांशः ।

उदाहरण दिखलाते हैं—यथा इत्यादि । पाणि, हाथी का सूंड़ और किरण इन तीनों अर्थों में समानरूप से 'कर' पद की अभिधा ज्ञात होती है । इसी तरह 'नाग' पद की अभिधा भी हाथी और सर्प इन दोनों ही अर्थों में एक ही तरह विदित होती है, अतः 'करेण राजते नागः अर्थात् नाग कर से शोभित होता है' इस वाक्य में 'कर' और 'नाग' दोनों ही पद अनेकार्थक हैं । अब यहाँ यदि 'कर' पद के 'सूंड़' से अन्य हाथ या किरण आदि अर्थ किये जाँय, इसी तरह 'नाग' पद का हाथी से अन्य सर्प अर्थ लिया जाय, तब उन अर्थों में परस्पर अन्वय नहीं बन सकेगा, जिससे वाक्य का कुछ अर्थ ही सम्पन्न नहीं होगा, अतः 'नाग' पद की सन्निधि से 'कर' पद की 'सूंड़' में और 'कर' पद की

सन्निधि से 'नाग पद की 'हाथी' में अभिधा नियमित हो जाती है। इसी से उक्त वाक्य का यहाँ 'सूंड़ से हाथी शोभित होता है' ऐसा ही अर्थ अवगत होता है।

अत्रापाततो जायमानामन्योन्याश्रयभ्रान्तिं निराकरोति—

नचात्रैकशब्दशक्तिनियमनमपरशब्दशक्तिनियमोऽपेक्षते येनान्योन्याश्रयः स्यात्, किंतु करनागशब्दयोरर्थान्तरग्रहणेऽन्वयानुपपत्त्या युगपदेव शक्तिर्नियम्यते।

नचेति। नहीत्यर्थः। अर्थान्तरेति। हस्तसर्पेत्यर्थः। 'करेण राजते नागः' इत्यत्र 'रामार्जुना'वित्यत्रेव करशब्दशक्तिनियमो नागशब्दशक्तिनियमनं नागशब्दशक्तिनियमो वा करशब्दशक्तिनियमनं नापेक्षते अपि तु करनागशब्दयोर्हस्तसर्पादिरूपेऽर्थे गृह्यमाणे प्रसज्यमानयाऽऽन्वयानुपपत्त्या युगपदेवोभयोः पदयोः शक्तिर्नियम्यत इति नान्योन्याश्रयावसर इति भावः। वृत्तिवार्त्तिकेऽप्पयदीक्षितस्तु "न ह्यत्र समभिव्याहृतशब्देन तदर्थप्रतिपादनमभिधानियमनायापेक्ष्यते, किंतु स्वार्थेन गृहीतसंसर्गे व्युत्पन्नो यः शब्दः तत्समभिव्याहारमात्रम्। तथा च यथा संबन्धिदर्शनात् संबन्ध्यन्तरस्मृतिस्थले गृहीतसंबन्धस्य संबन्धिनो दर्शनमात्रं संबन्ध्यन्तरस्मरणायापेक्ष्यते, न तु तद्दर्शनान्तरं तत्संबन्धस्मरणमपीति नान्योन्याश्रयः, तथेहापी" त्यादिरमणीयमाख्यत्।

'अब, यहाँ आपाततः प्रतीत होनेवाली अन्योन्याश्रय-दोष-भ्रान्ति का निराकरण करते हैं—न च इत्यादि। 'अन्यशब्द-सन्निधि' का जो उदाहरण पूर्व में दिखलाया गया है, उसमें 'कर' शब्द की अभिधा के नियमन में 'नाग' शब्द की अभिधा का नियमन अपेक्षित नहीं है और न 'नाग' शब्द की अभिधा के नियमन में 'कर' शब्द की अभिधा का नियमन अपेक्षित है; क्योंकि 'कर' और 'नाग' पद के क्रमशः 'सूंड़' और 'हाथी' के अन्य अर्थ (किरण तथा सर्प आदि) ज्ञात हो जाने पर परस्पर अन्वय के ही असंभव हो जाने से एक साथ ही दोनों शब्दों की अभिधा नियमित होती है, अत एव यहाँ अन्योन्याश्रय दोष का कोई प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकता है।

प्राचीनोक्तं खण्डयति—

देवस्य पुरारातेरिति प्राचामुदाहरणे सुरत्वभूपत्वाभ्यां देवपदान्नगरारित्वासुरविशेषारित्वाभ्यां पुरारातिपदाच्चोपस्थितेरुभयोरपि नानार्थत्वादर्थान्तरस्वीकारेऽप्यन्वयोपपत्तेश्च कथं शक्तेर्नियमः स्यात्?

अर्थान्तरेति। भूपनगरारिरूपेत्यर्थः। अयं भावः—प्राचीनाः काव्यप्रकाशकारादयः 'देवस्य पुरारातेरि'त्यन्यशब्दसन्निधेरुदाहरणमाचख्युः, तदसंगतम्, विचारासहत्वात्। तथाहि—अत्र देवपदात् सुरत्वेन भूपत्वेन च रूपेण सुरस्य भूपस्य चोपस्थितिः, पुरारातिपदाच्च नगरारातित्वेन, असुरविशेषारित्वेन च रूपेण यत्किञ्चिन्नगरशत्रुभूतस्य कस्यापि राज्ञः, त्रिपुरासुरवैरिणो महादेवस्य चोपस्थितिरिति पदद्वयस्य नानार्थत्वं सिद्ध्यति, परन्तु तयोः पदयोः क्रमशः भूपनगरारिरूपार्थस्वीकारेऽपि अन्वयः उपपद्यत एव। तथा च नात्र शक्तिनियमनस्यापेक्षा संभवो वा इति।

अब प्राचीनोक्त उदाहरणों पर विचार करते हैं—देवस्य इत्यादि। अभिप्राय यह है कि मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों ने 'देवस्य पुरारातेः—अर्थात् पुरके शत्रुभूत देव का'

यह 'अन्यशब्द-सन्निधि' का उदाहरण दिखलाया है। उनका आशय यह है कि शिव-वाचक 'पुरारातिपद' के सान्निध्य से 'देव' पद की अभिधा देवतारूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है, अतः 'देव' पद का यहाँ राजा अर्थ नहीं होता। परन्तु प्राचीनों का वह उदाहरण संगत नहीं है, क्योंकि उक्त वाक्य में केवल 'देव' पद ही अनेकार्थक नहीं है, अपि तु 'पुराराति' पद भी अनेकार्थक ही है, जैसे 'देव' से देवता और राजा इन दो अर्थों की उपस्थिति हो सकती है, वैसे 'पुराराति' पद से भी किसी साधारण नगर शत्रु की और त्रिपुरासुर-शत्रु-शिव की (दोनों की) उपस्थिति हो सकती है। परन्तु 'देव और पुराराति' पद से क्रमशः यदि राजा और साधारण नगरशत्रु का भी बोध हो, तथापि अन्वय बन सकता है अर्थात् किसी नगरशत्रु राजा के लिये भी उक्त वाक्य प्रयुक्त हो सकता है, फिर यहाँ अभिधानियमन की आवश्यकता ही क्या है? अथवा वक्ता के तात्पर्य के अनुरोध से आवश्यकता होने पर भी वह (अभिधानियमन) हो कैसे सकता है? क्योंकि 'अन्यशब्दसन्निधि' से अभिधा का नियमन वहीं होता है जहाँ उस (अभिधानियमन) के विना अन्वय अनुपपन्न होता रहता है, जैसा पहले 'करेण राजते नागः' यहाँ दिखलाया जा चुका है।

तदुदाहरणसंगतिसाधकं प्राचामाशयमुपपाद्यावद्यति—

न च पुरारातिपदं योगरूढम्, तथा च रूढेर्योगापहारितया शिवत्वेनैव तस्य बोधकत्वाद्देवपदशक्तिनियामकतेति वाच्यम्; पुरारातिपदस्य रूढौ मानाभावात्।

तस्येति। पुरारातिपदस्येत्यर्थः। पुरारातिपदं शिवे योगरूढम्, तथा च तत्पदं शिवत्वेनैव रूपेण बोधं जनयेन्न नगरारित्वेन रूपेण 'रूढिर्योगापहारिणी'ति न्यायात्। एवञ्च पुरारातिपदं न नानार्थकमिति तत्सन्निधिः देवपदस्य सुरे शक्तिं नियन्तुं शक्नोति अन्यथाऽन्वयानुपपत्तेरिति शंकादलस्याभिप्रायः। उत्तरदलाभिप्रायस्तु 'नैतद्युक्तम्' पुरारातिपदस्य शिवे योगरूढत्वप्रमापकस्य कोशादेरभावात् इति बोद्धव्यः।

अब उक्त उदाहरण को संगत बनानेवाले प्राचीनाशय का उपपादन करके खण्डन करते हैं—न च इत्यादि। यदि कहा जाय कि प्राचीन आचार्य, 'पुराराति' पद को शिव में योगरूढ़ मानते हैं अतः उस पद से केवल शिव की ही उपस्थिति होती है किसी साधारण नगर-शत्रु की नहीं, क्योंकि 'रूढ़िर्योगापहारिणी अर्थात् रूढ़िशक्ति योगशक्ति का अपहरण कर लेती है।' इस तरह से जब 'पुराराति' पद का अर्थ (शिव) निश्चित है, तब उसके सान्निध्य से 'देव' पद की अभिधा देवतारूप अर्थ में नियन्त्रित की जायगी, अन्यथा अन्वय अनुपपन्न हो जाता है—अर्थात् राजा और शिव का परस्पर अन्वय नहीं हो सकता है। तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'पुराराति' पद को योगरूढ़ मानने में कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात् कोश आदि में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि 'पुराराति' पद शिवरूप अर्थ में योगरूढ है।

पाठान्तरमाश्रित्योदाहरणसंगतिं कुर्वतः प्रदीपकारादेर्मतमवतार्य निरस्यति—

अथ 'देवस्य त्रिपुराराते:' इति पाठस्तथापि पदान्तरोपस्थापितस्य त्रिपुरासुरवैरित्वस्य लिङ्गतया लिङ्गोदाहरणत्वमेवास्य स्यात्, न तु शब्दान्तरसन्निध्युदाहरणत्वमिति वदन्ति।

पदान्तरेति। त्रिपुरारातेरितीत्यर्थः। अस्येति। देवस्य त्रिपुरारातेरितिवाक्यस्येत्यर्थः। वदन्तीति। वृत्तिवार्तिकादौ दीक्षितादय इति भावः। अयमाशयः—यद्यपि मूलकाव्यप्रकाशग्रन्थे 'देवस्य पुरारातें'रित्येव पाठः तथापि गोविन्दठक्कुरः स्वकीये प्रदीपाभिधाने काव्यप्रकाशव्याख्याने देवस्य त्रिपुरारातेरितिपाठमेव प्रतीकतया धृतवान्। तथापाठे त्रिपुरारातिपदस्य शिवे रूढेः सर्वसम्मततया कोशादिसमर्थिततया च पूर्वोल्लिखितमूलग्रन्थप्रतिपादितरीत्या तद्वाक्यस्य शब्दान्तरसंन्निध्युदाहरणत्वं संभवतीति तत्तात्पर्यम्। दीक्षितादन्यस्तादृशपाठविशिष्टस्यापि तद्वाक्यस्य तदुदाहरणत्वं खण्डयन्तीत्यनुवदति ग्रन्थकारः तथापीत्यादिना। तच्च निगदव्याख्यातमेवेति नेह प्रतन्यते।

अब पाठान्तर मानकर उक्त उदाहरण को संगत बनानेवाले 'प्रदीपकार' आदि के मत का खण्डन करते हैं—अथ इत्यादि। आशय यह है कि यद्यपि काव्यप्रकाश के मूल में 'देवस्य पुरारातेः' ऐसा ही पाठ है, परन्तु 'गोविन्द ठक्कुर' ने स्वकृत 'प्रदीप' नामक 'प्रकाश' की टीका में 'देवस्य त्रिपुरारातेः' ऐसा ही पाठ माना है, तदनुसार उक्त उदाहरण हो सकता है, क्योंकि 'त्रिपुराराति' पद, सबके मत से शिवरूप अर्थ में योगरूढ है, कोश आदि से भी उस पद की योगरूढता समर्थित है अतः पूर्वोक्त रीति से उस पद का सान्निध्य 'देव' पद की अभिधा का नियमन 'देवता' में कर सकता है, यह है, प्रदीपकार का तात्पर्य। परन्तु अप्पय्य दीक्षित आदि उसका भी खण्डन करते हैं। उनका कथन है कि यदि 'त्रिपुरारातेः' ऐसा पाठ मानते हैं तब तो 'त्रिपुराराति' पद से उपस्थित होने वाला त्रिपुरासुरवैरित्वरूप धर्म अनन्यसाधारण होने से शिव का लिङ्ग ही हो जाता है, अतः उक्त वाक्य 'लिङ्ग'रूपनियामक का उदाहरण होगा, 'शब्दान्तरसन्निधि' का नहीं।

पूर्वग्रन्थे वदन्तीत्यनेन सूचितामरुचिं स्फोरयति—

तत्रैकपदार्थः कोपादिः पदार्थान्तरेणानन्वित एव यः प्रकृतशक्यधर्मतां शक्यान्तरव्यावृत्ततां च भजते स लिङ्गपदेनात्रोक्त इति प्राचामाशये तु नोक्तदोषः।

तत्रेति। 'देवस्य त्रिपुरारातेः' इति पाठे इत्यर्थः। कोपादिरिति दृष्टान्तोक्तिः। नोक्तदोष इति। उक्तवाक्ये लिङ्गोदाहरणत्वप्रसंगरूपो दोषो नेत्यर्थः। तथा च संभवति तस्य शब्दान्तरसंनिध्युदाहरणत्वमिति भावः। अर्थनिरूपणप्रस्तावे व्याख्यातोऽयं प्राचामाशयः। तदनुसारमिह वैरित्वं न लिङ्गं त्रिपुरासुररूपपदार्थान्तरान्विततयैव तस्य शक्यान्तरव्यावृत्तत्वात्। इत्थमिदानीं समर्थितमपि प्राचामुदाहरणं ग्रन्थकारानभिमतमेवेति अर्थनिरूपण एव 'केचित्तु' इत्यनेन सूचिताया अरुचेरुपपादनावसरे प्रपञ्चितम्।

अब दीक्षितद्वेषी पण्डितराज दीक्षितमत का खण्डन करने के लिये वस्तुतः अनभिमत रहने पर भी प्राचीन मत का मण्डन करते हैं—तत्रैक इत्यादि। यदि प्राचीनों का अभिप्राय इस प्रकार से वर्णित हो कि लिङ्ग उस धर्मविशेष का नाम है, जो अखण्ड एक पद का अर्थ होकर—अर्थात् अन्य पद के अर्थ से अमिश्रितरूप से ही नानार्थक पद के अभिप्रेत अर्थ में रहता हो और अनभिप्रेत अर्थ में नहीं रहता हो जैसे 'कुपितः मकरध्वजः' इस वाक्य में कोप आदि, तब तो दीक्षित के द्वारा 'देवस्य त्रिपुरारातेः' इस वाक्य का लिङ्गोदाहरणत्वकथन ठीक नहीं ही है, क्योंकि उक्त अभिप्रायवर्णन के अनुसार 'वैरित्व' धर्म शिव का लिङ्ग नहीं हो सकता, क्योंकि, त्रिपुरासुर पदार्थ के अन्वय करने पर ही,

वह, 'देव' पद के अनभिप्रेत राजारूप अर्थ से व्यावृत्त होता है अर्थात् केवल वैरित्व तो राजा में भी रह ही सकता है, त्रिपुरासुरवैरित्व राजा में नहीं रहता, पर उस धर्म का रूप अन्वय से तैयार होता है, और लिङ्ग का यहाँ अर्थ है अनन्वित धर्म, अतः प्राचीनों का 'देवस्य त्रिपुराराते:' इस वाक्य को शब्दान्तरसन्निधि का उदाहरण मानना उचित ही है।

काव्यप्रकाशटीकाकारैर्गोविन्दठक्कुरादिभिरुक्तं शब्दान्तरसन्निधेः स्वरूपमनूद्य दूषयति—

यत्तु शब्दस्याव्यभिचरितस्य सन्निधिः सामानाधिकरण्यम् इति काव्यप्रकाशटीकाकारैरुक्तम्, तत्तु 'करेण राजते नागः' इत्यादावव्यापनात्तन्नियामकान्तरस्य गवेषणे गौरवात् 'कुपितो मकरध्वजः' इति तन्मूलोक्ते लिङ्गोदाहरणेऽतिव्यापनाच्चोपेक्ष्यम्।

अव्यभिचरितस्येति। अर्थान्तराप्रत्यायकस्येत्यर्थः। नियतार्थकस्येति यावत्। प्रदीपकारादिभिः नियतार्थकशब्दसामानाधिकरण्यं शब्दान्तरसन्निधिरित्युक्तम्। तन्न युक्तम्। 'करेण राजते नाग' इति शब्दान्तरसन्निध्युदाहरणेऽव्याप्त्यापत्तेः, तत्र करनागपदयोरेकतरस्यापि नियतार्थकत्वविरहात्। न च तत्र नियामकान्तरमन्वेष्टव्यमिति वाच्यम्, गौरवात्। कथञ्चित् गौरवाङ्गीकारेऽपि 'कुपितो मकरध्वज' इत्यत्र लिङ्गोदाहरणतया काव्यप्रकाशकारेणोक्तेऽतिव्याप्त्या तल्लक्षणस्य दूषितत्वाच्चेति भावः।

काव्यप्रकाश के टीकाकारों के द्वारा की गई 'अन्यशब्दसन्निधि' की व्याख्या का खण्डन करते हैं—यत्तु इत्यादि। 'काव्यप्रकाश' के टीकाकार 'गोविन्दठक्कुर' आदि ने जो यह कहा कि निश्चितार्थक शब्द के सामानाधिकरण्य (समानविभक्तिक होने) का नाम 'अन्यशब्द सन्निधि' है, वह ठीक नहीं, क्योंकि यह लक्षण 'शब्दान्तरसन्निधि' के 'करेण राजते नागः' इस पूर्वोक्त उदाहरण में संघटित नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ एक भी पद निश्चितार्थक नहीं है—अर्थात् कर और नाग दोनों ही पद नानार्थक होने से अनिश्चित अर्थवाले ही हैं। यदि कहें कि वहाँ दूसरे नियामक का अन्वेषण कर लिया जायगा—अर्थात् 'करेण राजते नागः' यह किसी अन्य नियामक का ही लक्ष्य माना जायगा, अन्यशब्दसन्निधि का नहीं, तो वह भी समुचित नहीं होगा, क्योंकि जब मेरी रीति से वह 'शब्दान्तरसन्निधि' का ही उदाहरण हो सकता है, तब व्यर्थ उसके लिये अन्य नियामक के अन्वेषण का गौरव क्यों उठाया जाय। दूसरी बात यह कि उक्त लक्षण अतिव्याप्तिदोषग्रस्त भी है अर्थात् 'कुपितो मकरध्वजः' इस वाक्य—जो आप के हिसाब से लिङ्ग का उदाहरण है—में भी उक्त लक्षण संघटित हो जायगा, क्योंकि यहाँ भी 'कुपित' पद निश्चितार्थक है और उसका सामानाधिकरण्य भी मकरध्वज पद के साथ है ही। अतः टीकाकारों की उक्त व्याख्या उपेक्षा के ही योग्य है।

सामर्थ्यं निरूपयति—

सामर्थ्यं कारणता।

कारणता च कार्याव्यवहितप्राक्क्षणावच्छेदेन कार्याधिकरणवृत्तित्वमिति बोध्यम्।

अब 'सामर्थ्य' की व्याख्या करते हैं—सामर्थ्यं इत्यादि। कारण होने का नाम 'सामर्थ्य' है। कारण उसको कहते हैं, जो कार्य के अव्यवहितपूर्वक्षण में कार्यदेश में नियमतः रहता है।

उदाहरति—

यथा—'मधुना मत्तः कोकिलः' इत्यत्र कोकिलमदजनकता मधुशब्दस्य वसन्ते।

वसन्ते इति। अभिधां नियमयतीति शेषः। अर्थान्तरेऽवर्तमाना कोकिलमदकारणता 'मधु क्षौद्रे जले क्षीरं मद्ये पुष्परसे मधुः। दैत्ये चैत्रे वसन्ते च जीवाशोके मधुद्रुमे' इति विश्वकोशादनेकार्थकस्य मधुशब्दस्य शक्तिं वसन्तरूपार्थे नियमयतीति भावः।

उदाहरण दिखलाते हैं—यथा इत्यादि। मधुशब्द के मद्य, वसन्त आदि अनेक अर्थ होते हैं। परन्तु 'मधुना मत्तः कोकिलः अर्थात् कोयल मधु से मत्त हो रही है' इस वाक्य में 'मधु' पद की अभिधा, कोकिलमद-कारणता से वसन्तरूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है—अर्थात् कोकिलों में मदोत्पत्ति का कारण वसन्त ही हो सकता है, मद्य आदि नहीं। अतः यहाँ 'मधु' पद से वसन्त का ही बोध होता है, मद्य आदि का नहीं।

खण्डनाय परकीयोक्तिमनुवदति—

'अत्र कोकिलमादने मधोरेव शक्तिर्न तु मधुनः। मादकत्वं मधुन्यपीति न लिङ्गम्' इति वदन्ति।

मधोः वसन्तस्य। मधुनो मद्यस्य। मादकत्वं सामान्यतो मदकारणत्वम्। मधुन्यपीति मद्येऽपीत्यर्थः। वदन्तीत्यस्य काव्यप्रकाशव्याख्यातार इति शेषः। अनेनात्रारुचिः सूचिता। अस्याभिप्रायं स्वयमग्रे विशदयेत् ग्रन्थकृदिति नेह व्याख्यापेक्षा।

खण्डन करने के लिये अन्य आचार्य की उक्ति का अनुवाद करते हैं—अत्र इत्यादि। 'मधुना मत्तः कोकिलः' इसको 'लिङ्ग' का ही उदाहरण क्यों नहीं माना जाय? इस शंका के उत्तर में कुछ लोग कहते हैं कि साधारणतया मद का कारण मद्य भी है, पर कोकिल के मद का कारण वसन्त ही है, अतः मादकत्व वसन्त का लिङ्ग नहीं हो सकता।

पूर्वसूचितामरुचिमाह—

तत्र सामर्थ्यं लिङ्गान्तर्गतमेव कुतो न स्यात्, इति शङ्कायाः कथमेतदुत्तरं संगच्छते?

तत्रेति। मधुनेत्युदाहरणविषयीभूतमित्यर्थः। अस्याः शङ्कायास्तदुत्तरं न भवितुमर्हतीति भावः।

पूर्वोक्त उत्तर में 'वदन्ति' पद से सूचित अरुचि का स्पष्टीकरण करते हैं-यत्र इत्यादि। "सामर्थ्य" 'लिङ्ग'के अन्तर्गत क्यों नहीं हो जाता—इसको उससे भिन्न क्यों माना जाता है?' इस शंका का उक्त उत्तर कैसे हो सकता है?

पराभिमतमुत्तरसंगतिप्रकारमुपपाद्य खण्डयति—

न च मादनसामर्थ्यस्य सुरावृत्तितया नासाधारणधर्मतारूपं लिङ्गत्वमिति वाच्यम्, मादनसामर्थ्यस्य सुरावृत्तित्वेऽपि कोकिलमादनसामर्थ्यस्य वसन्तासाधारणतया लिङ्गत्वस्य दुर्वारत्वात्।

मादनेतिकरणल्युडन्तम्। लिङ्गन्नामासाधारणो वस्तुधर्मः। मादनसामर्थ्यं तु सुरावसन्तयोः साधारणम्, अतो न तद्वसन्तस्य लिङ्गम्। एवञ्चोक्तशङ्कायाः तदुत्तरं संगत-

मेवेति शङ्काशयः। सामान्यस्य मादनसामर्थ्यस्य मद्येऽपि वर्तमानतया वसन्तासाधारण-धर्मत्वासंभवेऽपि कोकिलकर्मकमादनसामर्थ्यस्य वसन्तमात्रवृत्तितया तदसाधारणधर्मत्वेन लिङ्गत्वे स्थितेन तस्योत्तरस्य संगतिरिति तु समाधानाशयो वेदितव्यः।

उक्त उत्तर को संगत बनाने के लिये प्रतिपक्षियों के द्वारा दी गई युक्ति का उपपादन करके खण्डन करते हैं—न च इत्यादि। यदि आप कहें कि 'लिङ्ग' उस वस्तु-धर्म को कहा जाता है, जो असाधरण हो—अर्थात् उसी वस्तु में रहता हो, अन्य में नहीं। मादकत्व तो मद्य और वसन्त दोनों में रहनेवाला साधारण धर्म है, अतः वह वसन्त का लिङ्ग नहीं हो सकता, यही मेरे उत्तर का आशय है, फिर वह संगत क्यों नहीं होगा? तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि केवल मादकत्व भले ही साधारण धर्म हो, पर कोकिलमादकत्व तो साधारण नहीं है—वह केवल वसन्त में ही रहनेवाला धर्म है, अतः उसको वसन्त का 'लिङ्ग' मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, फिर उक्त उत्तर असंगत ही ठहरता है।

कथंचित् कोकिलमादनसामर्थ्यस्य साधारणत्वस्थिरीकरणेऽपि न तदोक्तेः संगति-रित्याह—

न च प्राणिमात्रमादनसामर्थ्यस्य मधुनः कोकिलमादनसामर्थ्यमप्यस्तीति वाच्यम्, एवं सति सामर्थ्यस्य वाचकता नियामकत्वसंगतं स्यात्, न तु मधुन इति स्वोक्तिविरोधश्च भवेत्।

प्राणिमात्रमादनसामर्थ्यस्येत्यत्र प्राणिमात्रमादनस्य सामर्थ्यं यस्मिन् तस्येति व्यधिकरणपदो बहुव्रीहिः। प्राणिमात्रमादनसमर्थस्येति तु पाठः साधीयान्, मधुनः मद्यस्य। एवं सतीति। मद्यस्यापि कोकिलमादनसामर्थ्यसमर्थने इत्यर्थः। वाचकतेति। अभिधा शक्तीत्यर्थः। असाधारणत्वाभावादिति भावः। स्वोक्तिविरोध इति। 'अत्र कोकिलमादने' इत्यादिप्रागनुदितग्रन्थघटकस्वकथनविरोध इत्यर्थः। मद्यस्य प्राणिमात्र-मादनसामर्थ्यशालितया कोकिलमादनसामर्थ्यस्यापि तत्राङ्गीकारे 'मधुना मत्तः कोकिलः' इत्यत्र मधुपदस्य मद्यरूपार्थग्रहणेऽपि अन्वयोपपत्तौ शक्तिनियमनमनावश्यकमेव। तत्रेष्टापत्तावपि 'कोकिलमादने मधोरेव शक्तिर्न मधुनः' इति स्वोक्तिविरोधो दुरुद्धर एवेति भावः।

यदि आप कहें कि कोकिल-मादकत्व भी वसन्त का लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी असाधारण धर्म नहीं है—अर्थात् मद्य एक ऐसी वस्तु है, जिसमें प्राणिमात्र को मत्त बना देने की शक्ति है—वह (मद्य) कोकिल को भी मत्त कर दे सकता है, अतः कोकिल-मादकत्व भी मद्य और वसन्त दोनों में रहनेवाला साधारण धर्म ही है, तो यह कथन भी समुचित नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में 'सामर्थ्य' को अभिधानियामक मानना ही असंगत हो जायगा—अर्थात् जब कोकिल के मद का कारण मद्य और वसन्त दोनों हैं, तब 'मधुना मत्तः कोकिलः' इस वाक्य में मधुपद का मद्य अर्थ करने पर भी अन्वय बैठ ही जायगा, फिर अभिधानियमन की अपेक्षा ही नहीं रहेगी अतः सामर्थ्य को अभिधानियामक मानना व्यर्थ होगा। दूसरी बात यह है कि—जब आप पूर्व में 'न तु मधुनः' ऐसा लिखकर मद्य में कोकिलमादन-सामर्थ्य का निरास कर चुके हैं, तब अब उसी मद्य में कोकिलमादन-सामर्थ्य का स्वीकार कैसे करते हैं? यह तो आपकी परस्पर-विरुद्ध बात हो रही है।

अथ सामर्थ्यस्य नियामकत्वे प्रसिद्ध्यनुरोध इत्यपि न युक्तिमित्याचष्टे—

प्रसिद्ध्याश्रये पुनर्लिङ्गत्वमप्रच्युतम् ।

सामान्यतः कोकिलमादनसामर्थ्यमपि मद्ये तिष्ठतु, प्रसिद्धं तु तत् वसन्त एवेति प्रसिद्धसामर्थ्यस्य प्रकृतोदाहरणघटकमधुशब्दशक्तिनियामकता युक्तेति कथनेऽपि न निस्तारः प्रसिद्धकोकिलमादनसामर्थ्यस्यासाधारणत्वेन वसन्तलिङ्गत्वं प्रसक्तमेवेति 'सामर्थ्यस्य लिङ्गान्तर्भावः कुतो नेति शङ्कायास्तदवस्थत्वादित्याशयः।

प्रसिद्धि के अनुरोध करने पर भी निस्तार नहीं हो सकता, इस बात का उल्लेख करते हैं—प्रसिद्ध्या इत्यादि। यदि आप कहें कि सामान्यतः कोकिल-मादन-सामर्थ्य भी मद्य में रहता है, तो रहे, पर प्रसिद्धि तो वह वसन्त में ही है—अर्थात् लोक में यही प्रसिद्ध है कि कोयल वसन्त से मत्त हुआ करती है, अतः प्रसिद्ध मादनसामर्थ्य को उक्त वाक्य में मधुपद की अभिधा का नियामक माना जा सकता है, तो यह भी अनुचित ही है, क्योंकि प्रसिद्ध-मादन-सामर्थ्य, वसन्त का असाधारण धर्म ही हो जाता है, फिर तो वह लिंग के अन्तर्गत ही आ जायगा।

स्वसम्मतं लिङ्गसामर्थ्ययोर्भेदमाह—

शाब्दत्वाशाब्दत्वाभ्यामेकानेकपदार्थत्वाभ्यां वा विशेषस्तु स्यात् ।

विशेषो भेदः। लिङ्गं शब्दजन्यबोधस्य विषयो भवति। यथा कुपितो मकरध्वज इत्यत्र कोपाश्रयाभिन्नः काम इति बोधस्य कोपो विषयो भवति। सामर्थ्यं तु न शाब्दबोधविषयः, अपि तु शाब्दबोधानन्तरं मानसबोधस्य विषयः। यथा—'मधुना मत्तः कोकिल' इत्यत्र मधुकरणकमदाश्रयः पिक इति शब्दजन्यबोधे कोकिलमादनकारणतारूपं सामर्थ्यं न विषयः। पश्चात् मानसबोधे तद्भासते इत्यन्यदेतत्। एवञ्च सिद्धो लिङ्गसामर्थ्ययोर्भेदः। ईदृशभेदस्य पूर्वमनुक्तत्वात् कोपसाधनस्य तत्राप्युल्लेखसंभवाच्च भेदान्तरमाह—एकानेकेति। लिङ्गमेकपदार्थरूपम्। यथा—कोपः कुपितपदार्थः। कोकिलमदकारणतात्मकं सामर्थ्यं तु कोकिलमत्ततृतीयाविभक्तिरूपानेकपदार्थ इति द्वयोर्भेद इति तात्पर्यम्।

अब लिंग और सामर्थ्य में स्व-सम्मत भेद का उल्लेख करते हैं—शाब्द इत्यादि। 'लिंग' शब्दजन्य-बोध का विषय होता है। जैसे—'कुपितो मकरध्वजः' इस वाक्य से होनेवाले 'कोपाश्रय से अभिन्न काम' इस बोध में 'कोप' (लिंग) विषय होता है। 'सामर्थ्य' तो शब्द-जन्य-बोध का विषय नहीं होता है, जैसे 'मधुना मत्तः कोकिलः' इस वाक्य से होनेवाले 'मधुकरणकमद का आश्रय पिक' इस बोध में कोकिल-मद-कारणता, विषय नहीं होती। पीछे मानस-बोध का विषय वह भी होता है, यह बात दूसरी है। इस तरह से लिंग और सामर्थ्य में भेद किया जा सकता है। अथवा 'लिंग' एक पद का अर्थ रहता है, जैसे—कुपितपद का कोप और 'सामर्थ्य' अनेक पदों का मिश्रित अर्थ होता है, जैसे—कोकिल-मद-कारणता उक्त वाक्य में कोकिल, मत्त और तृतीया-विभक्ति इन सबों का सम्मिलित अर्थ है। इस तरह से भी उन दोनों नियामकों में परस्पर भेद सिद्ध किया जा सकता है।

औचितीं निर्वक्ति—

औचिती योग्यता।

योग्यता च संबन्धविशेषाश्रयत्वसंभावनेति मन्तव्यम् ।

अब 'औचिती' की व्याख्या करते हैं—औचिती इत्यादि । योग्यता को 'औचिती' कहते हैं ।

उदाहरति—

यथा—'पातु वो दयितामुखम्' इत्यत्र दयितामुखकर्तृकरक्षणकर्मत्वाक्षिप्त-कामार्तानां संबोध्यपुरुषाणां त्राणं हि तस्याः सांमुख्येनैव भवति, न तु मुखमात्रेण, वैमुख्ये तेन त्राणायोगात् । अतस्त्राणार्हत्वं वदन-सांमुख्योभयप्रत्यायकस्य मुखशब्दस्य ।

मुखशब्दस्येत्यस्याग्रे साम्मुख्ये शक्तिं नियमयतीति शेषः । पातु वो दयितेति वाक्ये दयितामुखकर्तृकरक्षणक्रियाकर्मत्वेन कामार्ताः संबोध्यपुरुषाः आक्षिप्यन्ते । एवञ्च तेषां रक्षणं दयितायाः सांमुख्येनैव संभवति तथासत्येव कामार्तिशमननिदानभूतनिधुवनविनोदादिप्रवृत्तेः, न तु मुखमात्रेण, वैमुख्ये तस्याकिञ्चित्करत्वात् । तथा च रक्षणसंबन्धाश्रयत्वसंभावनारूपा योग्यता मुखपदाभिधां सांमुख्ये नियमयतीति सारांशः । अत्र 'कर्मत्वाक्षिप्तकामार्तानां संबोध्यपुरुषाणामि'ति पाठो न समीचीनः प्रतिभाति, तथा पाठे संबोध्यपुरुषैः सहाक्षिप्तपदार्थस्यानन्वयेन विवक्षितार्थाप्रतीतेः । अतः कर्मत्वाक्षिप्तकामार्तसंबोध्यपुरुषाणामिति सर्वत्र समस्तः, कर्मत्वाक्षिप्तानां कामार्तानां संबोध्यपुरुषाणामिति सर्वत्र व्यस्त एव वा पाठः कल्पनीयः ।

उदाहरण देखिए—जैसे—"पातु वो दयितामुखम् अर्थात् प्रियतमा का 'मुख' आपकी रक्षा करे" इस वाक्य में रक्षण-क्रिया के कर्मरूप से 'वः' पद-बोध्य कामार्त पुरुषों का आक्षेप होता है । ऐसी स्थिति में उन कामार्त पुरुषों की रक्षा, प्रियतमा के सांमुख्य (अनुकूलता) से ही सम्भव है, क्योंकि उसकी अनुकूलता-दशा में ही कामार्ति को शान्त करनेवाले संभोग आदि की प्रवृत्ति हो सकेगी, मुखमात्र से कामार्त की रक्षा सम्भव नहीं, क्योंकि प्रतिकूल रहने पर प्रियतमा का मुख अकिञ्चित्कर ही सिद्ध होता है । अतः साम्मुख्य और मुख इन दोनों अर्थों के वाचक 'मुख' पद की अभिधा, उक्त रक्षणयोग्यतारूप 'औचिती' से साम्मुख्य अर्थ में नियन्त्रित की जाती है ।

देशं निरूपयति—

देशो नगरादिः ।

अत्रादिपदेन ग्राम-गृहोद्यानादिपरिग्रहः ।

अब 'देश' की व्याख्या करते हैं—देश इत्यादि । नगर, ग्राम, पुष्पवाटिका आदि को 'देश' कहते हैं ।

उदाहरति—

यथा—'भात्यत्र परमेश्वरः' इत्यादौ परमेश्वरादिशब्दस्य राजादौ । तस्य नगरादिसंबन्धतदभावयोः सम्भवेनाभावव्यावृत्त्यर्थमधिकरणकीर्तनस्य सार्थक्यात् । परमात्मनस्तु सर्वगतस्य व्यावर्त्याभावात्तदुक्तिवैयर्थ्यापत्तेः ।

राजादौ अभिधानियमनमिति शेषः । तस्येति । राजादेरित्यर्थः । अधिकरणकीर्तनस्येति । अत्रेत्यनेनेति भावः । सर्वगतस्येति । व्यापकस्येत्यर्थः । सकलदेशस्थितस्येति

यावत्। व्यावर्त्याभावादिति । तदनधिकरणीभूतदेशाप्रसिद्धेरिति भावः । तदुक्तीति । अत्रेत्यधिकरणोक्तावित्यर्थः । परमेश्वरपदं यद्यपि राजपरमात्मोभयवाचकम्, तथापि 'भात्यत्र परमेश्वरः' इति वाक्ये परमेश्वरपदस्य राजादिरेवार्थो न तु परमात्मा, अत्रेत्यव्ययवाच्येन नगरादिरूपाधिकरणेन तत्पदशक्ते राजादौ नियमनात्। ननु परमात्मपक्षेऽधिकरणकीर्तनं किं न संभवति, यत्तस्यार्थान्तरेऽभिधानियामकत्वमास्थीयते इति चेन्न, अत्र पदवाच्ये नगरादावधिकरणे राजादिः कदाचित्तिष्ठति, कदाचिन्नेति नगरादौ तदीयस्थित्यभाववारणाय राजपक्षेऽधिकरणोक्तिसार्थक्येऽपि सदा सर्वत्र तिष्ठतः परमात्मनः क्वापि स्थितिविरहो न प्राप्त इति तद्वारणायाधिकरणोक्तेरनर्थकत्वात्।

अब उदाहरण दिखलाते हैं—यथा इत्यादि। 'परमेश्वर' पद के यद्यपि राजा और परमात्मा दोनों अर्थ होते हैं, तथापि 'भात्यत्र परमेश्वरः अर्थात् परमेश्वर यहाँ सुशोभित हो रहा है' इस वाक्य में 'परमेश्वर' पद का राजा ही अर्थ होता है, परमात्मा नहीं, क्योंकि 'अत्र' पद से कहा जाता हुआ नगर आदि देश, उक्त पद की अभिधा को राजा रूप अर्थ में नियन्त्रित कर देता है। अभिप्राय यह है कि उक्त पद का राजा अर्थ करने पर ही 'देश-विशेष-वाचक 'अत्र' पद सार्थक होता है, क्योंकि राजा का नगर आदि देश के साथ सम्बन्ध रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता अतः नगर आदि के साथ संभावित, राजा-संबंधाभाव के वारणार्थ-अर्थात् 'राजा, नगर आदि विवक्षित देश में है ही' इस बात की सूचना के लिए उसकी सार्थकता होती है। परमात्मा अर्थ करने पर तो वह व्यर्थ ही हो जायगा, क्योंकि परमात्मा तो सदा सर्वत्र रहता ही है—व्यापक है, फिर उसके लिए 'यहाँ है' ऐसा कहना व्यर्थ है—अर्थात् उसका कहीं भी न रहना जब संभावित ही नहीं है, तब देशविशेष की चर्चा किसका वारण करेगी?

उदाहरणान्तरं प्रदर्शयति—

एवं 'वैकुण्ठे हरिर्वसति' इत्यत्रापि बोध्यम्।

वैकुण्ठरूपो देशो नानार्थकस्य परिपदस्य शक्तिं विष्णौ नियमयतीति भावः।

'देश' का एक दूसरा भी उदाहरण दिखलाया जाता है—एवम् इत्यादि। 'वैकुण्ठ में हरि वास करते हैं' इस वाक्य में 'वैकुण्ठ रूप देश' से विष्णु, अश्व, सिंह आदि अनेक अर्थों के वाचक 'हरि' पद की अभिधा, विष्णुरूप अर्थ में नियन्त्रित होती है।

उभयोरुदाहरणयोः प्रदर्शने हेतुभूतं विशेषमाह—

एकत्रार्थान्तरोपग्रहेऽधिकरणोक्तिवैयर्थ्यम्, अपरत्र तु तदधिकरणत्वाप्रसिद्धिरिति विशेषः।

एकत्र आद्ये। अर्थान्तरेति। परमात्मवानरादावित्यर्थः, अपरत्र अन्तिमे। भात्यत्रेति वाक्ये परमेश्वरपदस्य परमात्मरूपार्थग्रहणे अत्रेत्यधिकरणकीर्तनवैफल्यम्, वैकुण्ठे हरिरिति वाक्ये तु हरिपदस्य वानरादिरूपार्थ-बोधं तस्यार्थस्य वैकुण्ठरूपाधिकरणाप्रसिद्ध्याऽसंगतिरिति भेदप्रकटनार्थमेवोदाहरणद्वयदानमिति भावः।

उक्त दोनों उदाहरणों में जो भेद है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं—एकत्र इत्यादि। 'यहाँ परमेश्वर सुशोभित हो रहा है' इस वाक्य में परमेश्वर पद का परमात्मा अर्थ समझ लेने पर 'यहाँ' इस अधिकरण का उल्लेख व्यर्थ हो जाता है और 'हरि वैकुण्ठ में निवास करते हैं' इस वाक्य में हरि पद का अश्व, सिंह आदि अर्थ समझ लेने पर वाक्य ही

असंगत हो जायगा, क्योंकि, 'उन अर्थों (अश्व, सिंह आदि) का वैकुण्ठ में रहना अप्रसिद्ध है।' यही दोनों उदाहरणों में भेद है।

कालं निरूपयति—

कालो दिवसादिः।

आदिपदेन रात्र्यादिपरिग्रहः। दिनरात्र्याद्यात्मकः खण्डकालः सूर्यादिक्रियारूपः, तावत्कालस्थायी वस्तुविशेषरूपो वेति सिद्धान्तिनः।

अब 'काल' की व्याख्या करते हैं—काल इत्यादि। दिन, रात्रि आदि को 'काल' कहा जाता है।

उदाहरति—

'चित्रभानुर्दिने भाति' इत्यादौ चित्रभान्वादिपदानां सूर्यादिषु, एवं 'चातुर्मास्ये हरिः शेते' इत्यस्य।

इत्यादाविस्यत्रादिपदं 'चित्रभानू रात्रौ भाती'त्यादिवाक्यसंग्राहकम्। 'सूर्यादिषु' इत्यत्रत्यमादिपदं वह्न्यादिपरम्। सूर्यादिषु अभिधानियमनमिति शेषः। दिनरूपकालः चित्रभानुपदस्य सूर्येऽभिधां नियमयति, दिने चित्रभानुपदार्थान्तरस्य वह्न्यादेर्बाधात, उदाहरणान्तरमाह—एवमिति। चातुर्मास्यात्मकः कालः–हरिपदस्य शक्तिं विष्णौ नियमयति चातुर्मास्यव्यापकशयनस्य विष्णुकर्तृकस्यैव प्रसिद्धत्वादिति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—चित्र इत्यादि। 'दिन में चित्रभानु शोभित होता है' इस वाक्य में 'दिनरूप काल' से, सूर्य और अग्नि दोनों अर्थों के वाचक 'चित्रभानु' पद की अभिधा, सूर्य मात्र में नियमित होती है अर्थात् दिन में सूर्य का शोभित होना ही प्रसिद्ध है, अग्नि का नहीं। इसी तरह 'हरि चौमासे में सोते हैं' इस वाक्य में, 'चौमासे रूप काल' से नानार्थक हरि पद की अभिधा विष्णुमात्र में नियमित होती है अर्थात् लगातार चौमासे में सोते ही रहना विष्णु के विषय में ही प्रसिद्ध है, हरिपद के अन्य अर्थ के विषय में नहीं।

व्यक्तिं निरूपयति—

व्यक्तिः स्त्रीपुंनपुंसकलिङ्गानि।

स्त्रीपुंनपुंसकलिङ्गानि व्यक्तिपदार्थतया बोध्यानीति भावः।

अब 'व्यक्ति' की व्याख्या करते हैं—व्यक्ति इत्यादि। पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गों का नाम 'व्यक्ति' है।

उदाहरति—

यथा—'मित्रो भाति'-'मित्रं भाति' इत्यत्र मित्रशब्दस्य पुंनपुंसके सुहृत्सूर्ययोः। एवं 'नभो भाति' 'नभा-भाति' इत्यत्रापि।

पुंनपुंसके इति। पुंस्त्वनपुंसकत्वे इत्यर्थः। सुहृत्सूर्ययोरिति। सूर्यसुहृदोरिति क्रमो बोध्यः। अथवा तादृश एव पाठोऽङ्गीकार्यः। शक्तिं नियमयतः इति शेषः। एवमग्रेऽपि। मित्रो भातीत्यत्र पुंस्त्वव्यक्त्या मित्रपदस्य सूर्ये, मित्रं भातीत्यत्र नपुंसकत्वव्यक्त्या सुहृदि, नभःपदस्य वियति नभा भातीत्यत्र च पुंस्त्वव्यक्त्या श्रावणे नभःपदस्य शक्तिनियम इति स्पष्टार्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—यथा इत्यादि। जैसे—'मित्रो भाति' और 'मित्रं भाति' इन दोनों स्थानों पर एक ही 'मित्र' पद की अभिधा, एक जगह पुँल्लिङ्ग के कारण 'सूर्य' रूप अर्थ में और दूसरी जगह नपुंसक व्यक्ति के कारण 'सुहृत्' रूप अर्थ में नियमित हो जाती है। इसी तरह 'नभो भाति' इस वाक्य में नपुंसकलिंग के कारण, 'नभ' पद की अभिधा, आकाश-रूप अर्थ में और 'नभा भाति' इस वाक्य में पुँल्लिङ्ग के कारण 'नभ' पद की अभिधा श्रावणमासरूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है।

स्वरं विवृणोति—

स्वर उदात्तादिः।

अत्रादिपदेन नानुदात्तस्वरितयोः संग्रहः। स्वरो वेद एव विशेषप्रतीतिकृन्न काव्य इत्यभियुक्ताः। ननु भरतमुनिपाठानुसारेण स स्वरोऽपि रसविशेषं प्रत्याययतीति कथं तस्य काव्ये विशेषप्रत्यायकत्वन्निरस्यत इति चेन्न, तद्रीत्या व्यङ्ग्यविशेषप्रत्यायकत्वेऽपि प्रक्रान्तानेकार्थकं पदशक्तिनियमनरूपविशेषाप्रत्यायकत्वादिति साहित्यदर्पणे विश्वनाथः।

अब 'स्वर' की व्याख्या करते हैं—स्वर इत्यादि। 'उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को 'स्वर' कहते हैं।

उदाहरति—

यथा—'इन्द्रशत्रुः' इत्यत्र समासान्तोदात्तत्वमिन्द्रशत्रुशब्दस्येन्द्रस्य शत्रौ। पूर्व-पद-प्रकृति-स्वर-प्राप्तमाद्युदात्तत्वं त्विन्द्रशत्रुके।

इन्द्रस्य शत्रौ इति। अभिधानियामकमिति शेषः। एवमग्रेऽपि बोध्यम्। इन्द्रशत्रुरित्यत्रान्तोदात्तत्वग्रहः इन्द्रस्य शत्रुरिति षष्ठीतत्पुरुषसमासं ग्राहयति तत्रैवान्तोदात्तत्वविधानात्। एवञ्चान्तोदात्तत्वस्येन्द्रकर्मकशातनकर्तरि इन्द्रशत्रुपदशक्तिनियामकत्वम्। आद्युदात्तत्वग्रहश्च इन्द्रः शत्रुः शातयिता यस्येति बहुव्रीहिसमासं ग्राहयति तत्रैव तदनुशासनात्। तथाचाद्युदात्तत्वमिन्द्रशत्रुपदस्य इन्द्रशत्रुके इन्द्रकर्तृकशातनकर्मणि शक्तिं नियमयतीति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—तथा इत्यादि। 'इन्द्रशत्रुः' इस वैदिक शब्द को यदि अन्तोदात्त के रूप में पढ़ा जाय, तब उस पद में षष्ठीतत्पुरुषसमास समझा जायगा, क्योंकि षष्ठीतत्पुरुष समास करने पर ही अन्तोदात्तत्व का विधान व्याकरण में किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में उस स्वर के बल से उक्त पद का अर्थ होगा—इन्द्र को सतानेवाला। और—यदि उक्त शब्द को आदि उदात्त के रूप में पढ़ा जाय, तब वहाँ बहुव्रीहिसमास माना जायगा, क्योंकि बहुव्रीहिसमास में ही पूर्वपद में प्रकृति-स्वर-विधान के द्वारा आद्युदात्तत्व होता है, ऐसी स्थिति में उस आद्युदात्त स्वर के बल से 'इन्द्रशत्रुः' पद का अर्थ होगा—इन्द्र से सताया गया कोई राक्षस आदि।

संयोगो विप्रयोगश्चेति कारिकायां 'कालो व्यक्तिः स्वरादयः' इत्यत्रत्यादिपदसंग्राह्यं स्फोरयति—

आदिनाभिनयादिपरिग्रहः।

अभिनयादिरपि विशेषप्रतीतिकृद् भवतीति भावः।

अब 'संयोगो विप्रयोगश्च'…' इत्यादि कारिका के 'स्वरादयः' इस अंश में जो आदि पद है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं—आदिना इत्यादि। अभिधानियामकों की गणना करनेवाली 'संयोगो……' इत्यादि कारिका में जो आदि पद आया है, उससे अभिनय (चेष्टा आदि) का संग्रह किया गया है, अर्थात् अभिनय आदि से भी विशिष्ट अर्थ के शक्तिग्रह में सहायता मिलती है।

उदाहरति—

यथा—'एद्दहमेत्तत्थणिआ' इत्यादौ।

एद्दहेति। 'एद्दहमेत्तत्थणिआ एद्दहमेत्तेहिँ अच्छिवत्तेहिँ। एद्दहमेत्तावत्था एद्दहमेत्तेहिँ दिअएहिँ ॥' इति संपूर्णा गाथा। 'एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्रैरक्षिपत्रैः। एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैर्दिवसैः ॥' [इतिच्छाया] अत्रैतावदित्यादिपदाभिव्यक्तेन हस्तचेष्टाविशेषरूपेणाङ्गिकेनाभिनयेन स्तनादीनां कमलकोरकाद्याकारत्वप्रतीतिरिति भावः।

जैसे—'एद्दहमेत्तत्थणिआ……इत्यादि—जो संस्कृत टीका में उद्धृत है—अर्थात्—'इतने बड़े स्तनोंवाली इत्यादि' गाथा में 'इतने बड़े' इस शब्द के अर्थ 'सुपारी से लेकर घट तक के सब आकार हो सकते हैं'—उस पद का कोई एक अर्थ नहीं। उनमें से वक्ता के हाथ का अभिनय जैसा होगा—जैसी मुद्रा उसने दिखायी होगी—उसी के अनुसार उस शब्द की अभिधा, कमलकली आदि के आकार में नियन्त्रित हो जाती है।

प्रकरणमेतदुपसंहरन् संयोगादीनां नियामकानां परस्परभेदैः पर्यालोचयति—

इहार्थसामर्थ्यौचितीनामुदाहरणेषु चतुर्थ्याद्यैस्तृतीयाद्यैरर्थसामर्थ्येन च बोध्यमानकार्यकारणभाव एव नियामकः, न तु वस्त्वन्तरम्। बोधकवैचित्र्याच्च नियामकस्य वैचित्र्येणोक्तिः प्राचाम्। वस्तुतस्तु संयोगादीनामर्थान्तरसाधारणत्वे नानार्थशब्दस्यार्थविशेषे सक्तेः संकोच एव न संभवति, नियामकानामसंकुचितत्वात्। अथ प्रसिद्धत्वादिना तेषामसाधारणताबुद्धिर्यथाकथंचिदुपपाद्यते, तदा प्रायशो लिङ्गभेदा एवैते, न तु सर्वथैव ततः स्वतन्त्रा इति बोध्यम्।

उदाहरणेष्विति। 'स्थाणुं भज भवच्छिदे', 'मधुना मत्तः कोकिलः', 'पातु वो दयितामुखम्' इत्येतेष्वित्यर्थः। चतुर्थ्याद्यैरिति। चतुर्थ्यादिविभक्तिभिरित्यर्थः। तृतीयाद्यैरिति। तृतीयादिविभक्तिभिरित्यर्थः। अर्थसामर्थ्येनेति। अर्थयोग्यतयेत्यर्थः। बोधकवैचित्र्यादिति। कार्यकारणभावबोधकानां चतुर्थ्यादिविभक्तियोग्यत्वादीनां भेदादित्यर्थः। वैचित्र्येण भेदेन। प्राचामित्यनेनारुचिः सूच्यते। अरुचिबीजं दर्शयति—वस्तुतस्तु इत्यादिना। साधारणत्वे सतीति शेषः। स्वारसिकत्वाभावादाह—यथाकथंचिदिति। प्रागुक्तरीत्यार्थादीनामसंग्रहादाह—प्रायश इति। तेषामपि कथंचिदन्तर्भावसंभवादाह—सर्वथैवेति। ततः लिङ्गात्। अयं भावः—उक्तेषु अर्थसामर्थ्यौचितीनामुदाहरणेषु क्रमशश्चतुर्थी, तृतीया, योग्यता च कार्यकारणभावमेव बोधयन्ति, ततश्च तैः प्रतीयमानः कार्यकारणभाव एवैकस्तेषु नियामकः स्वीकर्तुमुचितः, तथापि कार्यकारणभावबोधकानां तेषां मिथो भेदेन नियामकेष्वपि मिथो भेदः सिद्ध इति पृथक् पृथक् तेषां नियामकत्वोक्तिः हरिकारिकायामिति

प्राचीनाः प्रतिपादयन्ति। परमार्थतः संयोगादयो लिङ्गान्तर्गता एव तस्यैव ते प्रपञ्चाः। कथमिति चेदित्थम्—संयोगादयो ये शक्तिनियामका हरिणोक्तास्ते नानार्थपदप्रतिपाद्यसर्वार्थेषु साधारणतया वर्तमाना भवितुमर्हन्ति, तथा च तैः शक्तिसंकोच एवासंभवदुक्तिकः नियामकानामसंकुचितत्वात् (अतिव्याप्तत्वात्)। यदि संयोगादीनां सामान्यतः साधारणत्वेऽपि यत्र ते यस्य प्रसिद्धास्तत्र ते असाधारणा एव यथा शङ्खचक्रसंयोगः विष्णौ प्रसिद्धः, इति रीत्याऽसाधारणत्वं संपाद्येत, तर्हि तेषां सर्वेषामपि लिङ्गपदार्थ एवान्तर्भावो भवेत्, असाधारणधर्मस्यैव लिङ्गपदार्थत्वात् इति पण्डितराजः। नागेशस्तु लघुमञ्जूषाभिधाने शब्दशास्त्रशिरोमणिभूते स्वकीये ग्रन्थे 'अत्र सामर्थ्यमेवैकं मुख्यं नियामकं संयोगादयस्तद्व्यञ्जकप्रपञ्चः तैः सामर्थ्यस्यैवाभिव्यक्तेरिति परे' इत्यप्याहेति बोध्यम्।

अब इस अभिधा-नियामक-परिगणन-प्रकरण के उपसंहार में उक्त नियामकों में जो परस्पर भेद हो सकता है उसकी पर्यालोचना करते हैं—इह इत्यादि। अभिप्राय यह है कि इस प्रकरण में 'अर्थ, सामर्थ्य और औचिती' के क्रमशः 'स्थाणुं भज भवच्छिदे', 'मधुना मत्तः कोकिलः', 'पातु वो दयितामुखम्' ये जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति और योग्यता से एक प्रकार का कार्यकारणभाव ही ज्ञात कराया जाता है, अतः उन स्थलों में उन सबों के द्वारा ज्ञात होने वाले एक कार्यकारणभाव को ही अभिधानियामक मानना उचित था, पर उस कार्यकारणभाव के बोधक उन चतुर्थी विभक्ति आदि के परस्पर भिन्न होने से, नियामकों की श्रेणी में भी, पृथक्-पृथक् नियामकों के रूप में, प्राचीनों ने गणना की है। वस्तुतः तो उक्त सभी नियामक 'लिंग' के अन्तर्गत ही आ जाते हैं—अर्थात् सर्वत्र 'लिंग' ही अभिधा का नियमन करता है, क्योंकि संयोग आदि जितने नियामक, हरिकारिका में, गिनाए गये हैं, वे सभी नानार्थक शब्द के स्थलों में सर्वत्र रहते ही हैं, अतः उन असंकुचित (सर्वसाधारण) नियामकों से शक्ति का संकोच असंभव ही है। यदि प्रसिद्धि के आधार पर उन नियामकों (संयोग आदि) को संकुचित बनाया जाय अर्थात् यह कहा जाय कि ये नियामक सामान्यतः नानार्थकस्थल में सर्वत्र भले ही रहते हों पर प्रसिद्ध कहीं कोई एक ही रहेगा, जैसे - 'शंखचक्र-संयोग' की संभावना विष्णु से भिन्न—इन्द्र आदि में भी की जा सकती है, किन्तु प्रसिद्ध है वह विष्णु में ही, अतः प्रसिद्ध के आधार पर वे पृथक्-पृथक् नियामक हो सकते हैं, तो, वैसी स्थिति में वे सब नानार्थक शब्द के अभिप्रेत अर्थों के 'लिंग' ही हो जाते हैं अर्थात् असाधारण धर्म को ही जब 'लिंग' कहा जाता है, तब प्रसिद्धि के आधार पर असाधारण बनाए गये वे संयोग आदि भी 'लिंग' ही सिद्ध हो जाते हैं, यह है पण्डितराज का मत। महावैयाकरण नागेश ने तो अपने लघुमंजूषा नामक प्रसिद्धतम व्याकरणग्रन्थ में कहा है कि 'सामर्थ्य' अर्थात् कार्यकारणभाव ही एक मुख्य अभिधा-नियामक है, संयोग आदि' उसी के अभिव्यञ्जक होते हैं।

अथ संलक्ष्यक्रमध्वन्युदाहरणप्रदर्शनप्रसंगे प्रथमं शब्दशक्तिमूलालंकारध्वनिमुदाहरन्ति—

तत्र शब्दशक्तिमूलालंकारस्य ध्वनिर्यथा—

'करतलनिर्गलदविरलदानजलोल्लासितावनीवलयः।
धनदाग्रमहितमूर्तिर्जयतितरां सार्वभौमोऽयम् ॥'

तत्रेति। दशविधसंलक्ष्यक्रमध्वनिमध्य इत्यर्थः। अलंकारस्येत्यस्योपमेत्यादिः प्राचां मतेन। ग्रन्थकारमते तु रूपकेत्यादिस्तस्य बोध्यः। कश्चित् कविः कमपि राजानं

स्तौति करतलेत्यादि । करतलात् पाणिपुटकात्, निर्गलता स्यन्दमानेन, अविरलं सततम्, दानस्य दीनोद्देश्यकत्यागस्य, जलेन वारिणा, उल्लासितः आनन्दितः, अवनीवलयः भूमण्डलो येन सः, तथा धनदानां धनदानपराणाम्, अग्रे आदौ, महिता पूजिता स्तुतेति यावत्, मूर्तिः स्वरूपं यस्य सः, अयं वर्णनीयः, सार्वभौमः चक्रवर्ती राजा, जयतितराम् अतिशयेन सर्वोत्कृष्ट इति वाच्योऽर्थः। ध्वन्यर्थस्तु करतलात् शुण्डादण्डात्, निर्गलता, अविरलं, दानजलेन मदवारिणा उल्लासितः अवनीवलयो येन सः तथा धनदस्य कुबेरस्य, अग्रे पुरः, महिता प्रशंसिता, मूर्तिर्यस्य, सः अयं सार्वभौमः दिग्गजो, जयतितरामिति बोध्यः । नागेशस्तु ध्वन्यर्थमिन्द्रपरकमाह । तत्र पक्षे करतलेति विशेषणवाक्यस्य करतलनिर्गलदविरलदानजलेन ऐरावतेन, इति क्रमेणार्थः। सार्वभौमः इन्द्रः । अन्यत् सर्वं समानमेव ।

अथ शब्दशक्तिमूलक ध्वनियों के उदाहरण दिखलाये जाते हैं—तत्र इत्यादि । पूर्वोक्त दशविध संलक्ष्यक्रमध्वनियों में शब्दशक्तिमूलक अलंकारध्वनि जैसे—'करतल' इत्यादि। कोई कवि किसी राजा को स्तुति करता है—हाथ से गिरते हुए सतत 'दान'-संकल्प-के जल से समस्त भूमण्डल को आनन्दमग्न कर देनेवाला तथा धन-दायकों में सर्वप्रथम पूजितमूर्तिवाला, यह चक्रवर्ती राजा सबसे उत्कृष्ट है, यह वाच्य अर्थ है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक व्यङ्ग्य अर्थ भी है, जैसे—सूँड़ से निरन्तर चूते हुए मद-जल से पृथिवीमण्डल को आनन्दित कर देनेवाला तथा धनद-कुबेर के आगे प्रशंसितस्वरूप वाला यह सार्वभौम (दिग्गज) सर्वोत्कृष्ट है । नागेश ने व्यङ्ग्यार्थ पक्ष में सार्वभौम पद का अर्थ इन्द्र किया है, तदनुसार 'करतल···' इत्यादि विशेषणवाक्य का अर्थ ऐरावत किया है, यह भी समझ लेना चाहिये ।

उपपादयति—

अत्र राजप्रकरणे कर-दान-धनद-सार्वभौमशब्दानां शक्तौ संकोचितायामपि तन्मूलकेन ध्वननेन प्रतीयमानस्यार्थान्तरस्याप्रस्तुतस्याभिधानं मा भूदिति प्रकृताप्रकृतयोरुपमानोपमेयभावः प्रधानवाक्यार्थतया कथ्यत इत्युपमालंकारध्वनिः ।

अत्र उक्त पद्ये । घटकत्वं सप्तम्यर्थः । तस्य च शब्दानामिति षष्ठी प्रकृत्यर्थेऽन्वयः । राजप्रकरणे विद्यमाने इति शेषः । संकोचितायामिति । प्रकरणरूपनियामकेन हस्तवितरणदातृजनभूपरूपार्थेष्विति भावः । अर्थान्तरेति । गजवृत्तान्तेत्यर्थः । इन्द्रवृत्तान्तेत्यर्थो वा । प्रकृताप्रकृतयोरिति । नृपदिग्गजयोः नृपमहेन्द्रयोर्वा इत्यर्थः । उपमानोपमेयभाव इति । अयं सार्वभौमः (चक्रवर्ती) सार्वभौमः (दिग्गजः इन्द्रो वा) इवेत्याकारक इत्यर्थः । प्रधानवाक्यार्थतयेति । वाच्यार्थापेक्षया प्राधान्येनेत्यर्थः । अयमेव ध्वनिव्यपदेशहेतुः । राजप्रकरणोक्तेऽस्मिन् पद्ये वर्तमानानां द्व्यर्थकानां करदानादिपदानां शक्तिः हस्तवितरणाद्यर्थेषु प्रकरणेन नियम्यते, तथा च गजादिवृत्तान्तरूपोऽप्रक्रान्तोऽर्थोऽभिधामूलव्यञ्जनया प्रतीयते । ननु कथमिहाप्रक्रान्तार्थप्रतीतिरङ्गीक्रियत इति चेन्न, द्व्यर्थकानि पदानि प्रयुञ्जानस्य कवेस्तदर्थप्रतीतेरप्यभिमतत्वात् । अथाप्रक्रान्तस्य तस्यार्थस्य प्रत्यायनमनुचितमसंबद्धार्थप्रतिपादनस्योन्मत्तप्रलापतुल्यत्वादित्यपि न, प्रक्रान्ताप्रक्रान्तयोरर्थयोरुपमानोपमेयभावस्य कविविवक्षाविषयत्वेन तस्यापि सुसंबद्धत्वात् । इत्थञ्चात्र स उपमा-

लंकार एव चमत्कारितया कवेर्विवक्षित इति तन्मूलको ध्वनिव्यवहारोऽत्र भवतीति भावः।

उक्त श्लोक में प्रकृतोपयोगी विषयों का उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य राजा के प्रकरण में कहा गया है, अतः उसमें उक्त कर, दान, धनद और सार्वभौम पदों की अभिधा, क्रमशः हाथ, वितरण, दाता और चक्रवर्ती राजारूप अर्थों में, प्रकरण के द्वारा नियन्त्रित हो जाती है, जिससे राजपक्षीय अर्थ ही वाच्य होता है। परन्तु वाच्यार्थबोध के बाद शब्दशक्तिमूलक व्यञ्जना से पूर्वोक्त दिग्गज अथवा इन्द्र-पक्ष का अर्थ भी ज्ञात होता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अप्रासंगिक गजपक्षीय अर्थ की प्रतीति (व्यञ्जना से ही सही) क्यों मानी जाय? इसका समाधान यह है कि 'चक्रवर्ती राजा, दिग्गज अथवा इन्द्र जैसा' इस तरह से प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक अर्थों में उपमानोपमेयभाव की प्रतीति कराने के लिए। अतएव कवि ने जानबूझकर दो-दो अर्थ वाले पदों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि उक्त उपमालंकार की प्रतीति कराना ही कवि का मुख्य उद्देश्य है, अतएव चमत्कार भी उसकी प्रतीति में ही है। इन सब कारणों से यह पद्य उपमालंकारध्वनि का उदाहरण होता है।

मतान्तरमवतारयति—

अथ श्लिष्टविशेषणायां समासोक्तौ व्यङ्ग्यस्याप्रकृतव्यवहारस्य प्रकृतधर्मिण्यारोप्यमाणस्य प्रकृतोपस्कारकतया यथा गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमेवमिहाऽप्युचितम्।

श्लिष्टेति। 'अयमैन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः' इत्यादौ। अप्रकृतव्यवहारस्येति। मुखचुम्बनादिरूपस्येत्यर्थः। आरोप्यमाणेति। अन्यथा असंबद्धाभिधानं स्यादिति भावः। इहापीति। करतलेत्याद्युपदोक्ते पद्येऽपीत्यर्थः। 'अयमैन्द्री'त्यादौ रक्तमुखादिविशेषणानि श्लिष्टानि अनुरागयुक्तरक्तकान्तिविशिष्टादिवाचकानि, तन्मूलव्यञ्जनया कामिनीमुखचुम्बनादिरूपाप्रकृतव्यवहारो व्यङ्ग्यः। स चासंबद्धो मा भूदिति प्रकृतधर्मिणि चन्द्रादौ समारोप्यते, तेन 'आरोपितनायकव्यवहारश्चन्द्र आरोपितनायिकाव्यवहाराया ऐन्द्रया दिशो मुखम् (प्राग्भागमाननञ्च) चुम्बति' इति वाक्यार्थः सम्पद्यते। अत इदं पद्यं 'समासोक्तिः समैर्यत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः।' इत्यादिलक्षणलक्षितायाः समासोक्तेरुदाहरणं भवति। प्रकृते पुनरिदं वक्तव्यम्—यथा तत्र व्यङ्ग्योऽपि मुखचुम्बनादिव्यवहारो वाच्यार्थपोषकतयाऽल्पचमत्कारवत्तया च गुणीभूत इति ध्वनिकाव्यव्यवहारस्याहेतुः हेतुश्च गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यव्यवहारस्य तथैव 'करतले'त्यादिपद्येऽपि व्यङ्ग्यो दिग्गजवृत्तान्तस्तन्मूलिकोपमा वा वाच्य-नृप-वृत्तान्तशोभाजनकतया गुणीभूत एवेति तस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यव्यवहारप्रयोजकत्वमेव युक्तम्, न तु ध्वनिकाव्यव्यवहारप्रयोजकत्वमिति भावः।

अब उक्त स्थल पर ध्वनि के विषय में मतान्तर की अवतारणा करते हैं—अथ इत्यादि। 'अयमैन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः'—अर्थात् यह देखो–रक्त चन्द्र ऐन्द्री (पूर्व) दिशा का मुख चूम रहा है' इस काव्यांश वाक्य में रक्त, मुख और चूम रहा है, ये तीनों विशेषणवाचक पद श्लिष्ट हैं, अतः उनसे अनुरागयुक्त तथा लाल कान्तिवाला, आनन तथा अग्रभाग, एवम् चुम्बन तथा स्पर्श ये दो-दो अर्थ वाच्य होते हैं। उस श्लेष के आधार पर ही कामिनी मुखचुम्बनरूप अप्रस्तुत व्यवहार व्यङ्ग्य होता है। वह

व्यङ्ग्य अर्थ असम्बद्ध न होवे इसलिये प्रस्तुत चन्द्र और दिशा के व्यवहार में नायक तथा नायिका का व्यवहार आरोपित होता है, जिससे 'आरोपित नायक व्यवहारवाला चन्द्र आरोपित नायिका व्यवहारवाली पूर्वदिशा का मुख (पूर्वभाग तथा आनन) को चूमता है' ऐसा वाक्यार्थ सम्पन्न होता है। अतः उक्त पद्यांश, संस्कृतटीका में उद्धृत लक्षण के अनुसार समासोक्ति अलंकार का उदाहरण कहलाता है। प्रकृत में अब कहना यह है कि जैसे उक्त स्थल पर कामिनीमुखचुम्बनादि व्यवहार व्यङ्ग्य होकर भी, वाच्य अर्थ के पोषक तथा अल्प चमत्कार युक्त होने के कारण, गौण हो जाने से ध्वनिकाव्यव्यवहार का हेतु नहीं होता, अपितु गुणीभूतव्यङ्ग्य नामक मध्यम काव्यव्यवहार का ही हेतु होता है, उसी तरह 'करतल······' इत्यादि प्रकृत पद्य में भी, दिग्गज-वृत्तान्त अथवा तन्मूलक उपमा अलंकार, व्यङ्ग्य होकर भी, वाच्य राजवृत्तान्त के पोषक होने के कारण गौण ही रहेगा, अतः उस व्यङ्ग्य को लेकर उक्त पद्य को ध्वनिकाव्य का उदाहरण बतलाना ठीक नहीं है, हाँ–गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्य का उदाहरण वह हो सकता है।

पूर्वग्रन्थप्रतिकूलमाशंक्य निरस्यति—

न चोपमा प्रकृतार्थोपस्कारिका न भवतीति शक्यं वदितुम्, 'उल्लासस्य कालकरवालमहाम्बुवाहम्', 'भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोः' इत्यादौ प्राचीनानां पद्ये 'करतल'—इत्यादि प्रागुदाहृतपद्ये च व्यङ्ग्योपमया प्रकृतस्य राज्ञः प्रकर्षस्य सकलानुभवसिद्धत्वात्। अनुभवापलापे तु समासोक्तावप्यप्रकृतव्यवहारस्य प्रकृतोपस्कारकत्वं नेति सुवचत्वात्।

प्रकृतार्थोपस्कारकेति। वाच्यार्थशोभासंपादिकेत्यर्थः। वाच्यार्थोपस्कार्यैव सेति भावः। उल्लास्येति। इदं पद्यं प्राक्········ टीकायामुद्धृतं व्याख्यातञ्च। भद्रात्मनोरिति। '······विशालवंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य। यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्।' इत्यवशिष्टः पद्यांशः। भद्रात्मनः कल्याणमूर्तेः, दुरधिरोहतनोः दुःखेन अधिरोहः आक्रमणं यस्मिन्, तादृशी तनुः शरीरं यस्य तस्य विशालवंशोन्नतेः विशाला महती, वंशस्य कुलस्य, उन्नतिः समृद्धिर्यस्य तस्य, कृतशिलीमुखसंग्रहस्य कृतः शिलीमुखानां बाणानां संग्रहः सञ्चयो येन तस्य, अनुपप्लुतगतेः अबाधितबोधप्रसरस्य, तथापरवारणस्य रिपुरोधसमर्थस्य, यस्य राज्ञः, करः पाणिः, सततं सर्वदा दानाम्बुसेकसुभगः त्यागोद्देश्यकसलिलस्यन्दसुन्दरः, अभूत् इति प्रस्तुतोऽर्थः। दुरधिरोहतनोः कष्टारोहणीयशरीरस्य कृतशिलीमुखसंग्रहस्य कृतमदलोभिभ्रमरनिकरसञ्चयस्य, विशालवंशोन्नतेः महामेरुदण्डस्य, अनुपप्लुतगतेः मन्दगमनस्य, यस्य भद्रजातीयस्य परवारणस्य उत्कृष्टगजस्य, करः शुण्डादण्डः सततं, दानाम्बुनः मदजलस्य सेकेन सुभगः अभूत् इति चाप्रस्तुतार्थो बोध्यः। उल्लासस्य, भद्रात्मनः, करतलेत्यादिपद्येषु व्यवहारसमारोपाभावान्न समासोक्तिः, अपि तु अप्रस्तुतार्थस्यासंबद्धाभिधानतावारणाय प्रस्तुताप्रस्तुतयोरुपमा व्यङ्ग्याऽऽस्थीयते, तथाच व्यङ्ग्यभूतयोपमया प्रस्तुतस्य राज्ञः प्रकर्षः सकलानुभवसिद्धः। तथा च व्यङ्ग्यभूतोपमा प्रस्तुतवाच्यार्थोपकारिका न भवतीति वक्तुमयोग्यम्, अनुभवसिद्धस्यापि व्यङ्ग्योपमानिष्ठस्य प्रकृतोपस्कारकत्वस्यापलापे वादिसम्मतस्य समासोक्तिस्थलीयाप्रस्तुतार्थवृत्तिप्रस्तुतार्थोपस्कारकत्वस्याप्यपलापः कृतो भवेदिति भावः।

पूर्व ग्रन्थ के प्रतिकूल आशंका करके उसका समाधान करते हैं—न च इत्यादि। यदि आप कहें कि 'करतल···' इत्यादि पद्य में व्यङ्ग्य होनेवाला उपमा अलंकार वाच्यार्थ का पोषक नहीं है—अर्थात् गौण नहीं है—प्रधान है, तो यह असंगत होगा, क्योंकि 'उल्लास्य···', 'भद्रात्मनो···' और 'करतल···' इत्यादि प्रकृत पद्य में व्यङ्ग्य उपमा से वाच्य राजा का प्रकर्ष सिद्ध होता है, यह बात सर्वानुभव-सिद्ध है। उक्त तीनों पद्यों में प्रथम पद्य पूर्व में उद्धृत और व्याख्यात हो चुका है। तृतीय पद्य इस प्रकरण के प्रारम्भ में मूलकार ने ही लिखा है, जिसकी व्याख्या भी की जा चुकी है। द्वितीय पद्य इस स्थल की संस्कृत टीका में उद्धृत है। इसका अर्थ इस प्रकार है—कष्ट से आक्रमण करने योग्य शरीरवाले, महान् कुल में उन्नति प्राप्त करनेवाले, अच्छे-अच्छे बाणों का संग्रह करनेवाले, अबाधित ज्ञानशक्तिवाले और शत्रुओं को रोकनेवाले, जिस कल्याणमूर्ति राजा का हाथ सदा दान जल के सेक से सुन्दर रहता था। यह है प्रस्तुत अर्थ। इसके अतिरिक्त अप्रस्तुत अर्थ यह है कि—कष्ट से चढ़नेयोग्य विशाल शरीरवाले, मदलोभी भ्रमरों के समूह को इकट्ठा करनेवाले, ऊँचे मेरुदण्डवाले और मन्द-मन्द चलनेवाले जिस भद्रजातीय गजराज की सूँड़ सदा मद-जल के सेक से सुभग-सुन्दर रहता था। यदि आप अनुभवसिद्ध वस्तु का भी अपलाप करेंगे—अर्थात् कहेंगे कि उक्त पद्यों में व्यङ्ग्य होनेवाली उपमाओं से वर्णनीय राजा का प्रकर्ष सिद्ध नहीं होता, तब तो समासोक्ति अलंकार के स्थान में भी व्यङ्ग्य अप्रस्तुतवृत्तान्त से प्रस्तुत वाच्य अर्थ का पोषण नहीं होता है, ऐसा भी कहा जा सकेगा।

समासोक्तावप्रकृतस्य प्रकृतोपस्कारकत्वं सम्भवति, व्यङ्ग्योपमायां तु नेति मिथो विशेषप्रदर्शनेनाशंक्य समाधत्ते—

ननु समासोक्तावत्र चास्ति विशेषः—यत्तत्र व्यवहारिणो नानार्थशब्दानुपस्थाप्यत्वम्, इह तु तदुपस्थाप्यत्वमिति चेत्? किं चातो न हि व्यवहारिणो नानार्थशब्दोपस्थाप्यतामात्रेणाप्रकृतधर्मिनिरूपिताया उपमायाः प्रकृतधर्म्युपस्कारकत्वं वार्यते, येन गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं न स्यात्।

व्यवहारिण इति। प्रकृतव्यवहारनिर्वाहकस्य धर्मिण इत्यर्थः। राजादेरिति तु स्पष्टोऽर्थः। समासोक्तौ-अयमैन्द्रीत्यादौ व्यवहारी चन्द्रो न नानार्थशब्दोपस्थाप्यः, अपि तु एकार्थकचन्द्रमस्पदोपस्थाप्य एव। करतलेत्यादिव्यङ्ग्योपमास्थले च व्यवहारी नृपः सार्वभौमरूपनानार्थपदोपस्थाप्य एव—अर्थात् समासोक्तिस्थले विशेष्यवाचकः शब्दो नानार्थको न भवति, इह च स तादृश एव भवतीति द्वयोः स्थलयोः भेदः स्पष्टं परिलक्ष्यते, तत्कथं समानरूपेण द्वयोः स्थलयोर्विचारो विधीयत इति शंकायां समाधानमाह—किं चातः इत्यादिना। अयं भावः—समासोक्तिस्थले व्यङ्ग्यस्य गुणीभूतत्वं भवतोऽप्यभिमतमेव. व्यङ्ग्योपमास्थले पुनस्तस्य तत्त्वे भवतो विरोधः, तत्र च व्यवहारिणो नानार्थकपदोपस्थाप्यता हेतुत्वेनोपस्थाप्यते भवता, परमेतन्न समीचीनम्, गजरूपाप्रकृतधर्मिनिरूपिताया उपमायाः नृपरूपप्रकृतधर्मिपोषकत्वस्य, नृपरूपव्यवहारिणः सार्वभौमस्वरूपनानार्थकपदोपस्थाप्यतामात्रेणावारणात्, अवारिते च तस्मिन् गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकमध्यमकाव्यताप्रसङ्गो दुर्वार एवेति।

समासोक्ति और व्यङ्ग्य उपमा में परस्पर वैलक्षण्य दिखलाकर, प्रतिवादी जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि समासोक्ति स्थल में अप्रस्तुत अर्थ प्रस्तुत का उपकारक होने से

गौण हो जाता है, पर व्यङ्ग्य उपमा वाच्यार्थ की उपकारिका नहीं होती, अतः गौण भी नहीं होती, उसका खण्डन करते हैं—ननु इत्यादि। 'अयमैन्द्री······' इत्यादि समासोक्ति-स्थल में व्यवहारी अर्थात् जिसमें अप्रस्तुत नायक का व्यवहार आरोपित होता है, वह—चन्द्र अनेकार्थक शब्द से उपस्थित नहीं कराया गया है, अपितु एकार्थ चन्द्रमस् शब्द से ही और 'करतल······' इत्यादि व्यङ्ग्योपमास्थल में व्यवहारी (प्राकरणिक) राजा, अनेकार्थक सार्वभौम पद से उपस्थित कराया गया है। तात्पर्य कहने का यह कि समासोक्तिस्थल में विशेष्य-वाचक शब्द अनेकार्थक नहीं रहता है और व्यङ्ग्योपमा-स्थल में विशेष्य-वाचक शब्द अनेकार्थक रहता है, इस तरह से दोनों स्थलों में स्पष्ट अन्तर के रहने पर भी आप एक ही प्रकार का विचार क्यों करते हैं? इस शंका के उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है कि उक्त अन्तर रहने से विवेच्य विषय में तो कोई अन्तर होता नहीं, फिर उसके रहने या न रहने से क्या? अर्थात्—व्यङ्ग्योपमा स्थल में व्यवहारी (प्राकरणिक राजा आदि) अनेकार्थक शब्द से बोधित हुआ रहता है, इससे अप्राकरणिक दिग्गज आदि की उपमा में जो प्राकरणिक नृप आदि अर्थ के प्रति उपकारभाव है, वह क्या रुद्ध हो जायगा? कथमपि नहीं, उसको रोकनेवाला वह कौन होता है? और जब उपमा की उपकारकता नहीं रुकेगी, तब उसकी गौणता निश्चित है, तथा तत्प्रयुक्त गुणीभूतव्यङ्ग्यता भी उस पद्य की अनिवार्य ही है।

व्यङ्ग्योपमा येन गुणीभूता न भवति, तादृशं युक्त्यन्तरमुद्भाव्य खण्डयति—

नचात्रोपमादीनामलंकाराणां स्वभावतः सुन्दरत्वात्काव्यप्रवृत्त्युद्देश्यतया च वस्तुमात्रे गुणीभावो न संभवति, यथा वस्तुमात्रेणाभिव्यक्तानामलंकाराणाम्, तुल्यन्यायत्वात्। अप्रकृतव्यवहारस्य तु समासोक्त्यवयवस्य निरलंकारतया वस्तुन्युपस्कारकत्वं समासोक्तावविरुद्धमिति वाच्यम्, एवमपि 'बाधेऽदृढेऽन्यसाम्यात्किं दृढेऽन्यदपि बाध्यताम्' इति न्यायेनोक्तयुक्तेः शिथिलत्वात्, अपराङ्गताया दुरपह्नवत्वात्।

सुन्दरत्वादित्यस्य वस्त्वपेक्षयेत्यादिर्बोध्यः। स्वभावतः सुन्दरस्यापि शृंगारादेः क्वचिद् गौणतादर्शनादाह—काव्यप्रवृत्त्युद्देश्यतया चेति। अन्यथा नानार्थकपदकदम्बकरम्बितपद्यनिर्मितिरूपकविप्रयासवैफल्यापत्तिरिति भावः। वस्तुमात्र इति। प्रकृतार्थ इत्यर्थः। यथा वस्तुमात्रेति। 'निशितशरधियार्पयत्यनङ्गो, दृशि सुदृशः स्वबलं वयस्यराले। दिशि निपतति सा च यत्र तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यवस्थाः॥' इत्यादाविति भावः। तुल्येति। उक्तहेतोस्तुल्यत्वादिति भावः। समासोक्त्यवयवस्येति। अवयवत्वं निरलङ्कारत्वे हेतुरिति भावः। उक्तयुक्तेरिति। दृष्टान्तप्रदर्शनरूपयुक्तेरित्यर्थः। वाच्या व्यङ्ग्या वा उपमाद्यलङ्काराः स्वभावतो रमणीया अन्यथा तेषामलङ्कारत्वमेव भज्येत। अपि च करतलेत्यादिविविधकाव्यनिर्माणे कविप्रवृत्तेरुद्देश्यमपि व्यङ्ग्यालङ्कारप्रत्यायनमेव, अन्यथा तादृशद्व्यर्थकपदघटितकाव्यनिर्माणवैयर्थ्यम्। एवञ्च यथा निशितशरेत्यादिप्रागुक्तपद्ये वस्तुमात्रव्यङ्ग्यविरोधालङ्कारस्य वस्त्वपेक्षया न गुणत्वम्, तथाऽत्रापि नोपमाया व्यङ्ग्याया गुणत्वम्। अत एव 'व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालंकृतयस्तदा। ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्॥' इत्युक्तं ध्वनिकृता प्रकाशकृता च समुद्धृतम्। नन्वेवं समासोक्तौ कथमप्रकृतव्यवहारस्य गौणत्वमङ्गीक्रियते इति चेत्तत्राह—अप्रकृतव्यवहारस्य तु इत्यादि। तत्राप्रकृतव्यवहारः समासोक्त्य-

वयव इति नालङ्कारता तस्य, अलङ्कारस्यैव च स्वतःसुन्दरत्वं मयाऽऽस्थितम्। तथा च समासोक्तावप्रकृतव्यवहारस्य व्यङ्ग्यस्यापि प्रकृतोपकारकत्वं तन्मूलकं गुणत्वञ्च युक्तमिति शङ्कादलस्याशयः। शङ्कादलोक्तमलंकाराणां स्वभावसुन्दरत्वादिकं सत्यम्, परं तु करतले-त्यादौ तादृशेऽन्यकाव्ये वा अप्रकृतार्थानिरूपितोपमाया व्यञ्जनाबोध्यायाः प्रकृतार्थपोषकत्वं यद्यनुमासिद्धतयाऽपलापानर्हम्, तर्हि तस्या व्यङ्ग्योपमाया अपराङ्गता तत्प्रयुक्तगुणता च केन वार्येत ? 'यथा वस्तुमात्राभिव्यक्ते'त्यादिना प्रदर्शितो दृष्टान्तस्तु अकिञ्चित्कर एव, तत्राप्युक्त-युक्त्या व्यङ्ग्यालङ्काराणां गुणत्वमेव न ध्वन्यङ्गत्वमिति मदभिप्रायात्। एतदर्थबोधक एव प्रकृते 'बाधेऽदृढे···' इति न्यायः। बाधे बाधकयुक्तौ, अदृढे अप्रबले खण्डनार्हे इति यावत्, अन्यसाम्यात् किम् ? बाधनीयार्थसमर्थनाय वादिना दृष्टान्तप्रदर्शनमनुचितमेव, खण्डनार्ह-बाधकयुक्तेरेव खण्डयितुमुचितत्वात्। दृढे प्रबलायां खण्डनानर्हायां बाधकयुक्तौ, पुनस्तथैव दृष्टान्तप्रदर्शनमसंगतम्, दृढतरबाधकयुक्त्या दृष्टान्तभूतार्थस्यापि बाधादिति न्यायार्थः।

व्यङ्ग्य-उपमा, जिससे गौण नहीं कही जाय, ऐसे युक्त्यन्तर की उद्भावना करके उसका खण्डन करते हैं—न च इत्यादि। वाच्य हो अथवा व्यङ्ग्य, अलंकार स्वभावतः सुन्दर होते हैं, अन्यथा उन्हें अलंकार कहा ही नहीं जा सकता और 'करतल···' इत्यादि काव्य में कवि का मुख्य उद्देश्य भी व्यङ्ग्य अलंकार का बोध कराना ही रहता है, अन्यथा अनेकार्थक पदों के द्वारा काव्य की रचना करना ही व्यर्थ हो जाय। ऐसी स्थिति में जैसे 'निशितशरधिया······' इस संस्कृत टीका में उद्धृत पद्य आदि—जहाँ वस्तु से विरोधाभास आदि अलंकार व्यङ्ग्य होते हैं—में व्यङ्ग्य अलङ्कार, वाच्य वस्तु की अपेक्षा गौण नहीं होता—प्रधान ही रहता है, वैसे यहाँ ('करतल···'इत्यादि में) भी व्यङ्ग्य उपमा, वाच्य प्रस्तुत अर्थ की अपेक्षा गौण नहीं होगी—प्रधान ही मानी जायगी। अतएव ध्वनिकार ने भी कहा है—'वस्तुमात्र से जब अलङ्कार अभिव्यक्त किये जाते हैं, तब वे निश्चित रूप से ध्वनि के अङ्ग होते हैं अर्थात् ध्वनि नामक उत्तम काव्य-व्यवहार के कारण होते हैं।' (मूल पङ्क्ति संस्कृत टीका में देखिये) रही बात समासोक्ति की सो वहाँ व्यङ्ग्य अप्रस्तुत व्यवहार समासोक्ति का अङ्गभूत रहता है, अर्थात् व्यङ्ग्य अप्रस्तुत व्यवहार और वाच्य प्रस्तुत व्यवहार के मिश्रित रूप का ही नाम समासोक्ति अलङ्कार होता है, अतः अप्रस्तुत व्यवहार स्वतः कोई अलङ्कार रूप नहीं रहता और स्वभावतः सुन्दर होने की बात कही गई है अलङ्कार के लिये, अतः वह बात यहाँ संघटित नहीं होगी, फिर वहाँ (समा-सोक्ति में) उसका (अप्रस्तुत व्यवहार का) प्रस्तुत के प्रति उपकारक होना तथा तत्प्रयुक्त तदपेक्षया गौण होना समुचित ही है। परन्तु ग्रन्थकार का कथन है कि उक्त युक्ति भी आप की ठीक नहीं है, क्योंकि एक न्याय है—'बाधेऽदृढे······इत्यादि, अर्थात् किसी सिद्धान्त की बाधक युक्ति, यदि अदृढ हो-शिथिल हो (प्रबल नहीं हो), तब दूसरे की समानता से-केवल दृष्टान्त से-क्या हो सकता है ? अभिप्राय यह कि शिथिल युक्ति का खण्डन करना ही उचित है, बाधनीय सिद्धान्त के तुल्य दृष्टान्त का प्रदर्शन नहीं और यदि बाधक युक्ति दृढ़ है प्रबल है, आप से खण्डन करने योग्य नहीं है, तब भी दृष्टान्त-प्रदर्शन व्यर्थ है, क्योंकि उस स्थिति में वह प्रबल बाधक युक्ति उस दृष्टान्तभूत अर्थ को भी बाधित कर देगी।' कहने का सारांश यह कि 'जिस तरह वस्तुमात्र से अभिव्यक्त होने वाले अलङ्कार वस्तु की अपेक्षा गौण नहीं होते, उसी तरह यहाँ भी व्यङ्ग्य उपमा अलङ्कार राजा के वर्णन की अपेक्षा गौण नहीं हो सकता' यह आप का कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने जिस बाधक युक्ति को उपस्थित किया, उसका खण्डन आपने किया

नहीं—आप यह नहीं समझा सके कि उपस्कारक होने पर भी अलङ्कारों को उपस्कार्य की अपेक्षा गौण क्यों नहीं माना जाय ? अतः यह सिद्ध होता है कि मेरी बाधक युक्ति प्रबल है। यदि ऐसा है, तब दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक दोनों उससे बाधित हो जायेंगे—अर्थात् वस्तुमात्र से व्यङ्ग्य अलंकार की प्रधानतावाला सिद्धान्त भी खण्डित हो जायगा, इस प्रकार से आप की युक्ति शिथिल है, अतः 'करतल······' इत्यादि पद्य में व्यङ्ग्य होने वाली उपमा अवश्य अपराङ्ग व्यङ्ग्य ही सिद्ध होगी।

करतलेत्यादौ गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वसाधिकाया युक्तेरपराङ्गताया असिद्धिमापाद्य निरस्यति—

अथोच्येत—उपमानमुपमेयं साधारणो धर्म इति ह्युपमाशरीरघटकम्, न तु ततः पृथग्भूतम्, तैर्विना तस्या अनिष्पत्तेः। इत्थं चोपमेयस्य सादृश्यांशेनोपस्कारेऽप्युपमाया नापराङ्गत्वम्, उपमेयस्यापरत्वाभावात्। यथा समासोक्तावप्रकृतव्यवहारेण प्रकृतस्योपस्करणेऽपि न समासोक्तेरपराङ्गत्वम्, प्रकृताप्रकृतघटितत्वात्, एवमिहापि स्यादिति। तथापि समासोक्तेरिवास्यापि प्रभेदस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वापत्तेः, अस्येव वा समासोक्तेरपि ध्वनिव्यपदेश्यत्वापत्तेः।

उपमाशरीरघटकमिति। उपमाशरीरसंपादकसामग्र्यन्तर्गतमित्यर्थः। ततः उपमातः। तैः उपमानोपमेयसाधारणधर्मैः। तस्या उपमायाः। इत्थञ्चेति। उपमानोपमेयसाधारणधर्माणां मिलितानामेवोपमापदार्थत्वे चेत्यर्थः। उपस्कारे इति। परिष्कारे इत्यर्थः। पोषणे इति यावत्। अपरत्वाभावादिति। उपमापदार्थभिन्नपदार्थत्वविरहादित्यर्थः। गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वापत्तेरिति। विशिष्टस्योपमाशरीरत्वेऽपि उपमेयांशस्य राजादेर्न व्यङ्ग्यत्वम्, शक्यैव तल्लाभात्। एवञ्चोपमाशरीरघटकव्यङ्ग्यांशस्य दिग्गजादेरुपमानस्योपमाशरीरघटकवाच्यांशस्योपमेयस्यापेक्षयाऽऽधिकचमत्कारित्वविरहेण गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वस्य दुर्वारत्वादिति भावः। अस्येव उपमाप्रभेदस्येव। प्रकृतं वाच्यम् अप्रकृतं व्यङ्ग्यमित्युभयविधमङ्गमादाय समासोक्तिः सम्पद्यते। तत्र व्यङ्ग्यमप्रकृतम् वाच्यस्य प्रकृतस्य यद्यप्युपस्कारकं नियमतस्तिष्ठति, तथापि यथा समासोक्तिरपराङ्गमिति न व्यपदिश्यते, अपरपदेन विवक्षितस्य प्रकृतस्य समासोक्तिशरीरान्तर्गततया वस्तुतोऽपरत्वाभावात्, तथैव करतलेत्यादौ दिग्गजादिरूपं व्यङ्ग्यमुपमानम्, राजादिरूपं वाच्यमुपमेयम्, करतलेत्यादिसमानविशेषणविशिष्टत्वरूपं साधारणधर्मं च त्रिविधमङ्गमादायोपमा सम्पद्यते। तत्र साधारणधर्मांशेन (सादृश्यांशेन) वाच्यस्य राजादेरुपमेयस्योपस्कारेऽपि नोपमाया अपराङ्गत्वम् अपरत्वेनाभिमतस्योपमेयस्योपमाशरीरघटकतया वस्तुतोऽपरत्वाभावादिति शंकादलाशयः। एवमपराङ्गत्वासिद्धावपि समासोक्तिसाम्यनिश्चये तत्रेवात्रापि गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमुचितम्, समासोक्तिस्थलीयव्यङ्ग्यस्य वाच्यानतिशायित्ववत् प्रकृतोपमास्थलीयव्यङ्ग्यस्यापि वाच्यानतिशायित्वात्। भवदुक्तरीत्या प्रकृतोपमाया इव समासोक्तेरपि ध्वनिव्यवहारविषयत्वं वा समुचितमिति च समाधानदलाशयो बोध्यः। 'अलंकाराणामुद्दीपनविधया रसाद्युपयोगित्वेनालम्बनापेक्षयोद्दीपनेऽधिकचमत्कारित्वस्य सर्वानुभवसिद्धतया करतलेतिपदवाच्यालंबनविभावापेक्षयातिशायित्वाद् ध्वनित्वमव्याहतमेव। रसाद्यपेक्षया गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं त्विष्टमेव। समासोक्तौ तु 'आगत्य सम्प्रति वियोगविसंष्ठुलाङ्गीम्' इति सखीशिक्षावाक्येऽप्रकृतनायकवृत्तान्ताध्यारोपं विना तदनुपपत्तेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं स्पष्टमेव। यत्र तु तस्यापि रसाद्युपकारकतया वाच्या-

दतिशायित्वम्, प्रागुक्तरीत्या तत्रास्तु नाम ध्वनित्वं तस्याः। न चैवमप्युपमाकृतोत्कर्षमादायास्तु ध्वनित्वम् , अलंकारध्वनिरिति तु कथमिति वाच्यम् , 'अलंकारकृतोत्कर्षध्वनादेवालङ्कारध्वनिरिति व्यवहारात्' इति नागेशोऽत्र रुचिरमालोचयदित्यवगन्तव्यम् ।

अब 'करतल······'इत्यादि पद को गुणीभूतव्यङ्ग्य सिद्ध करने में जो व्यंग्य उपमा की अपराङ्गतारूप युक्ति दी जाती है, उसकी प्रसिद्धि की आशंका करके खण्डन करते हैं—अथ इत्यादि । प्रस्तुत वाच्य और अप्रस्तुत व्यंग्य इन दोनों अंगों को लेकर समासोक्ति अलंकार सम्पन्न होता है । उसमें अप्रस्तुत व्यंग्य यद्यपि नियमतः वाच्य प्रस्तुत का पोषक रहता है, तथापि समासोक्ति अपरांग नहीं मानी जाती है। क्योंकि अपराङ्ग शब्दगत अपर पद से विवक्षित प्रस्तुत, समासोक्ति-शरीर-प्रविष्ट होने के कारण वस्तुतः अपर-अन्य-नहीं होता । उसी तरह 'करतलः···'इत्यादि पद्य में दिग्गज आदि व्यंग्य उपमान, राजादिरूप वाच्य उपमेय और 'करतल' इत्यादि समानविशेषण—विशिष्टत्वरूप साधारण धर्म इन तीनों अगों को लेकर उपमा अलंकार सम्पन्न होता है, उसमें सादृश्य (साधारण धर्म) अंश से वाच्य राजारूप उपमेय के पोषण होने पर भी उपमा अपराङ्ग नहीं कहला सकती। क्योंकि अपर रूप में आपका अभिमत-उपमेय उपमाशरीरघटक होने के कारण वस्तुतः अपर नहीं होगा। ऐसा यदि आप कहें, तो वह भी आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह समासोक्ति की समता सिद्ध करने पर यह कहा जा सकता है कि जैसे समासोक्तिवाला स्थल गुणीभूतव्यंग्य कहलाता है, वैसे यह व्यंग्य उपमावाला (करतल···इत्यादि) स्थल भी गुणीभूतव्यंग्य ही कहलायगा। अथवा आपके अनुसार जैसे यह व्यंग्य उपमावाला स्थल ध्वनि कहलाता है, वैसे समासोक्तिवाला स्थल भी ध्वनि ही कहलायगा—अर्थात् दोनों स्थलों की स्थिति जब एक सी है, तब एक को ध्वनि और दूसरे को गुणीभूतव्यंग्य कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। पण्डितप्रकाण्ड नागेश का यहाँ कुछ भिन्न ही विचार है और वह बहुत ही हृदयग्राही है, अतः उसका उल्लेख किया जाता है। उनका कहना है कि अलंकार उद्दीपनरूप से रस आदि के उपकारक होते हैं और आलम्बन की अपेक्षा उद्दीपन में अधिक चमत्कार का होना सर्वानुभव-सिद्ध है । अतः 'करतल···' इत्यादि पद्य में वाच्य आलम्बन विभाव की अपेक्षा अधिक चमत्कारी, उद्दीपन, व्यंग्य उपमा अलंकार को लेकर ध्वनि का व्यवहार समुचित ही है। रस आदि की अपेक्षा गुणीभूतव्यंग्यता तो इष्ट ही है । समासोक्ति में तो अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप जब तक प्रस्तुत में नहीं किया जाता है तब तक वाक्यार्थ ही नहीं बन सकता है, अतः वहाँ व्यंग्य प्रस्तुत व्यवहार का गुणीभूत हो जाना और तत्प्रयुक्त गुणीभूत-व्यंग्य नामक मध्यम काव्य का व्यवहार होना असंगत नहीं है । यदि कहीं रसादि के उपकारक होने से समासोक्ति स्थल का व्यंग्य भी वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी रहेगा, तो वहाँ भी उसको ध्वनि माना जा सकता है। यदि आप कहें कि इस तरह से उपमाकृत उत्कर्ष को लेकर 'करतल···' इत्यादि पद को ध्वनि कहते हैं, तो कहिये, परन्तु अलंकार ध्वनि का व्यवहार वहाँ कैसे करते हैं ? क्योंकि उपमा (उक्त तीनों अंगों से युक्त) व्यंग्य नहीं है—वाच्य है । तो इसका उत्तर यह है कि जहाँ अलंकार से ध्वनि में उत्कर्ष सिद्ध हुआ रहता है, वहाँ अलंकार ध्वनि का व्यवहार होता है ।

'उल्लासय', भद्रात्मनो', 'करतल' इत्येतेषु उपमालङ्कारस्य व्यङ्ग्यत्वं न, अपि तु रूपकालङ्कारस्यैवेत्याह—

अन्यच्च—श्लेषे हि श्लेषभित्तिकमभेदाध्यवसानं द्वयोरर्थयोरिति सकलालं

कारिकनिबद्धम् , अनुभवसिद्धञ्च । तत्र मूलान्वेषणे विधीयमाने एकपदोपात्तत्वान्न शक्यते मूलमन्यन्निर्वक्तुम् । एकपदोपात्तो ह्यनेकोऽप्यर्थोऽभिन्नतयैव भासते । इत्थञ्च-'उल्लास्य कालकरवाल'- इत्यादावप्येकपदोपात्ततया द्वयोरर्थयोरभेदाध्यवसानस्य युक्तत्वेनाभेदस्यैव व्यङ्ग्यत्वमुचितम् , नोपमायाः ।

अन्यच्चेति । किं चेत्यर्थः । श्लेषभित्तिकमिति । श्लेषमूलकमित्यर्थः । विधीयमाने इति । क्रियमाणे इत्यर्थः । एकपदोपात्तत्वादिति पञ्चम्यन्तस्य अन्यदित्यत्रान्वयः । एकपदोपात्त इति । एकपदबोधित इत्यर्थः । 'हि'इति यत इति हेत्वर्थकः । उल्लास्य''इत्यादाविति । 'भद्रात्मनो' 'करतले'त्यादिपद्यमात्रादिपदग्राह्यम् । अभेदस्यैवेति । तन्मूलकरूपकालङ्कारस्येति भावः । 'विद्वन्मानसहंस' इत्यादौ श्लिष्टमानसपदादुपस्थितयोश्चित्तसरोरूपयोरर्थयोरभेदारोपः सर्वानुभवसिद्धः, सकलैरालङ्कारिकैर्निबद्धश्च । तत्र तयोरत्यन्तविसदृशयोरर्थयोरभेदारोपे किं मूलमिति जिज्ञासायां मानसेत्येकपदबोधितत्वमेव मूलं विज्ञातं भवति, नान्यत् । समुचितञ्चैतत् , यतः 'एकपदोपात्तोऽनेकोऽप्यर्थः अभिन्नतयैव भासत' इति सिद्धान्तः । एवञ्च 'उल्लास्य', 'भद्रात्मनो,' करतलेत्येतेषु, एवंविधेष्वन्येषु च पद्येषु, प्रकृताप्रकृतयोर्वाच्यव्यङ्ग्ययोरेकपदबोधिततया अभेदारोपो युक्तस्तथा च तन्मूलकरूपकालङ्कारस्य व्यङ्ग्यता समर्थयितुमुचिता नोपमालंकारस्य । रूपकालङ्कार एवैदृशेषु स्थलेषु व्यङ्ग्यो नोपमालङ्कार इति भावः ।

'उल्लास्य……', 'भद्रात्मनो……', और 'करतल……' इत्यादि पद्यों में 'रूपक' अलंकार ही व्यंग्य होता है, 'उपमा' अलंकार नहीं, इस स्व-सिद्धान्त का अब प्रतिपादन करते हैं—अन्यच्च इत्यादि । अभिप्राय यह है कि 'विद्वन्मानसहंस…' इत्यादि श्लेष-काव्य-स्थल में श्लिष्ट मानसपद से बोधित चित्त और सरोवर रूप अर्थ-द्वय में अभेद का आरोप होता है, यह बात सबों के अनुभव से सिद्ध है, तथा सभी आलंकारिक विद्वानों को मान्य भी है । वहाँ जब यह विचार करते हैं कि अत्यन्त भिन्न प्रकार के उन दोनों अर्थों में अभेद का आरोप क्यों होता है—उसका मूल क्या है ? तब मानस रूप एक पद से बोधित होने के अतिरिक्त कोई मूल नहीं मिलता है अर्थात् एक पद से उपस्थित होने के कारण ही सर्वथा भिन्न होने पर भी वे दोनों अर्थ एक जैसे (अभिन्न जैसे) प्रतीत होते हैं । यह अभिन्न जैसा प्रतीत होना अनुचित है । कारण, 'एक पद से उपस्थापित अनेक अर्थ भी एक जैसे ही भासित होते हैं' यह सर्व-मान्य सिद्धान्त है । इस स्थिति में 'उल्लास्य……', 'भद्रात्मनो……', और 'करतल……' इत्यादि पद्यों में तथा इसी तरह के अन्य पद्यों में भी जब प्रस्तुत वाच्य और अप्रस्तुत व्यंग्य अर्थों की उपस्थिति एक ही पद से होती है, तब उन अर्थों में अभेद का आरोप अनुचित है, तथा अभेदारोप मूलक रूपक अलंकार का व्यंग्य होना ही मानने योग्य है । उन सब पद्यों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों में उपमानोपमेय भाव को व्यंग्य मानना असंगत है । तात्पर्य यह हुआ कि वे पद्य रूपकालंकार-ध्वनि के उदाहरण कहे जा सकते हैं, उपमा अलंकार-ध्वनि के नहीं ।

'उल्लास्य''इत्यादिषु अभेदाध्यवसाननिरसनसमीहया श्लेषस्थलाद् वैलक्षण्यं प्राचामभिमतमुपपाद्य तस्याकिञ्चित्करतामाह—

श्लेषे द्वयोरर्थयोर्वाच्यत्वम् एककालत्वं च । इह त्वेकस्य वाच्यत्वम् , अपरस्य व्यङ्ग्यत्वं भिन्नकालत्वं चेति । एतावन्मात्रेणैवैकपदोपात्तत्वप्रयुक्तमभे-

दाध्यवसानं न शक्यं त्यक्तुम्, व्यङ्ग्यतया भिन्नकालत्वस्य चाभेदप्रतिपत्तावबाधकत्वात्।

इह तु 'उल्लास्य'-इत्यादौ तु। इतिः पूर्वग्रन्थसमाप्तौ। प्रतिपत्तौ ज्ञाने। यत्र द्व्यर्थकपदघटितकाव्यस्थले प्रकरणादयोऽभिधानियामका न तिष्ठन्ति, अत एव द्वावप्यर्थौ वाच्यवृत्त्यैव प्रतीयेते, तत्रैव श्लेषः। एवञ्च श्लेषस्थले द्वयोरर्थयोर्वाच्यत्वं समकालीनज्ञानविषयत्वं च निश्चितम्। 'उल्लास्य'- इत्यादौ तु अभिधानियामकस्य प्रकरणस्य सत्त्वेन राजरूपार्थेऽभिधाया नियमनात् प्रकृतार्थस्यैव वाच्यत्वम्, अप्रकृतस्येन्द्रादिरूपार्थस्य व्यङ्ग्यत्वमेव। अत एव तयोर्भिन्नकालज्ञानविषयत्वमपि निर्णीतम्, तथा च कथं श्लेषस्थलदृष्टान्तेनात्र प्रकृताप्रकृतयोरभेदाध्यवसानमित्याक्षेपः। प्रकृताप्रकृतयोरभेदज्ञाने एककालीनत्वं वाच्यत्वं वा न नियामकम्, न वा व्यङ्ग्यत्वं भिन्नकालत्वं वा प्रतिबन्धकम् इति श्लेषस्थलात् तादृशवैलक्षण्यं वर्तमानमपि न किञ्चित्करम्, एकपदबोधितत्वप्रयुक्तमभेदाध्यवसानमत्रापि भवेदेवेति च समाधानम्।

श्लेष-स्थल से व्यंग्योपमा-स्थल में वैलक्षण्य दिखलाकर उसकी अकिञ्चित्करता का वर्णन करते हैं—श्लेषे इत्यादि। अनेकार्थक पदों से निर्मित जिस काव्य के स्थल में अभिधा को नियन्त्रित करने वाले प्रकरणादि नहीं रहते हैं, अत एव दो अर्थ वाच्य-वृत्ति (अभिधा) से ही प्रतीत होते हैं, वहीं श्लेष होता है। इस स्थिति में यह निश्चित है कि श्लेष-काव्य स्थल में दोनों अर्थ वाच्य रहेंगे और एक काल में प्रतीयमान। और 'उल्लास्य……'इत्यादि स्थल—जहाँ अभिधा को नियन्त्रित करने वाला प्रकरण ज्ञान होता रहता है—में प्रकरण ज्ञान से अभिधा के नियमन हो जाने के कारण, राजारूप प्राकरणिक अर्थ ही वाच्य होता है, और अप्राकरणिक इन्द्रादिरूपार्थ होता है व्यंग्य अतएव उन दोनों अर्थों का भिन्न-काल में ज्ञात होना भी निश्चित है। अब सोचिये कि श्लेषस्थल के दृष्टान्त से व्यंग्योपमा-स्थल में प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थों में अभेदारोप का स्वीकार करना कहाँ तक उचित है? अर्थात् नहीं उचित है, क्योंकि दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में नितान्त भिन्नता है। पर पूर्वपक्षियों का यह तर्क भी शिथिल ही है, क्योंकि दो पदार्थों को अभिन्न समझने में उन दोनों का वाच्य ही होना अथवा एककालिक होना, कोई नियामक नहीं है, और न है एक का व्यंग्य होना किंवा भिन्नकालिक होना प्रतिबन्धक, अर्थात् एक के वाच्य और दूसरे के व्यंग्य होने पर भी तथा भिन्नकालिक होने पर भी एकशब्द-बोध्य अर्थ-द्वय में अभेदारोप हो सकता है।

काव्यप्रकाशटीकाकारोक्तं खण्डयति—

एतेन—'रूपकस्योपमाज्ञानाधीनज्ञानत्वेन प्रथमोपस्थिततया तस्या एव संबन्धत्वं कल्प्यम्' इति काव्यप्रकाशटीकाकारैरुक्तं नातीव श्रद्धेयमिति।

एतेनेति। पूर्वोक्तयुक्त्येति भावः। उल्लास्येत्यादौ प्रकृताप्रकृतयोरर्थयोः प्रतीतिर्भवतीति सर्वसम्मतम्। तत्रासंबद्धस्याप्रकृतार्थस्य ज्ञानं किमर्थमिति प्रश्ने तयोरर्थयोः संबन्धः कल्प्यः। स च अभेदाध्यवसानमूलकरूपकात्मकः सादृश्यमात्रमूलकोपमात्मको वेति सन्देहे केचन प्रकाशव्याख्यातारः 'उपमाया एव संबन्धत्वकल्पनं युक्तम्, सादृश्यमात्रमूलिकायास्तस्याः प्रथमोपस्थितत्वात्। रूपकस्य ज्ञानं तु उपमाज्ञानाधीनम्, सादृश्यप्रतीत्यनन्तरमेव तन्मू-

लकाभेदाध्यवसानरूपरूपकज्ञानसंभवात्' इति व्याचक्षते, तन्न युक्तम्, प्रागुपदर्शितरीत्या एकशब्दोपात्तत्वप्रयुक्ताभेदाध्यवसानस्य सादृश्यज्ञानमन्तरापि संभवेन रूपकस्यैव प्रथमोपस्थितत्वादिति भावः ।

'काव्यप्रकाश' के टीकाकारों की उक्ति का खण्डन करते हैं—एतेन इत्यादि । 'उल्लास्य...' इत्यादि पद्यों में प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक दोनों तरह के अर्थों की प्रतीति किसी न किसी तरह होती है, यह सर्व-सम्मत है । वहाँ अप्राकरणिक अतएव असंबद्ध अर्थ की प्रतीति क्यों मानी जाय ? इस शंका के समाधान के लिये उन दोनों अर्थों में परस्पर किसी तरह के संबन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी । वह सम्बन्ध अभेदारोपमूलक रूपक हो अथवा सादृश्य-मात्र-मूलक उपमा हो, इस विकल्प में, काव्यप्रकाश के कुछ टीकाकारों ने कहा कि उपमा को सम्बन्ध मानना उचित होगा, क्योंकि उसकी सिद्धि में केवल सादृश्यज्ञान की अपेक्षा होती है, अतः उसकी उपस्थिति पहले होगी, रूपक का ज्ञान तो उपमा-ज्ञान के अधीन है, क्योंकि सादृश्य-प्रतीति के बाद ही तन्मूलक अभेदारोप-रूप रूपक का ज्ञान होना सम्भव है, अतः उसकी उपस्थिति पश्चात् होगी। परन्तु टीकाकारों का उक्त कथन असंगत है । क्योंकि पूर्वोक्त रीति से सादृश्य-ज्ञान के विना भी एक शब्दोपात्तत्व-रूप युक्ति से प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक अर्थों में अभेदारोप संभव है, अतः रूपक ही पहले उपस्थित होगा । सारांश यह कि रूपक को ही सम्बन्ध रूप में मानना समुचित है ।

विच्छिन्नप्रायं प्रसंगं पुनरवतारयति—

प्रकृतमनुसरामः ।

ध्वन्युदाहरणप्रदर्शनात्मकं प्रकृतमनुसृत्यैवाग्रे विचारं प्रवर्तयाम इत्यर्थः ।

विच्छिन्न-प्राय प्रसङ्ग की पुनः अवतारणा करते हैं—प्रकृत इत्यादि । अब पुनः प्रकृत प्रसङ्ग पर हम आते हैं ।

अलङ्कारान्तरस्यापि शब्दशक्युद्भवसंलक्ष्यक्रमध्वनित्वं प्रतिजानीते—

एवमलंकारान्तरमपि शब्दशक्तिमूलानुरणनस्य विषयः ।

उपमाद्यतिरिक्ता अपि अलङ्काराः संलक्ष्यक्रमनामकशब्दशक्युद्भवध्वनेर्लक्ष्यभावं भजन्ते इत्यर्थः ।

इसी तरह अन्य अलंकार भी शब्द-शक्ति-मूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि में लक्ष्य हो सकते हैं ।

विरोधाभासालङ्कारध्वनिमुदाहरति—

यथा यमुनावर्णने—'रविकुलप्रीतिमावहन्ती नरविकुलप्रीतिमावहति । अवारितप्रवाहा सुवारितप्रवाहा ।'

रवेः सूर्यस्य, कुले वंशे प्रीतिं प्रेमाणमावहन्ती भजमाना, नराणां मनुष्याणां, वीनां पक्षिणां च कुले समूहे प्रीति भजते । यमुनेति प्रक्रान्तं कर्तृपदं बोध्यम् । अवारितः अप्रतिबद्धः, प्रवाहो यस्याः सा, शोभनं वार्जलं, तत्संजातं यस्येति सुवारितम्, तादृशः प्रवाहो यस्याः सा इति पारमार्थिको विवक्षितोऽर्थः ।

अब 'विरोधाभास'-अलंकार-ध्वनि का उदाहरण दिखलाया जाता है—यथा इत्यादि। 'रविकुल……' इत्यादि मूलोल्लिखित गद्यांश 'यमुना-वर्णन' के प्रसङ्ग में लिखा गया है, जिसका वास्तविक अर्थ यह है कि 'सूर्यनन्दिनी-यमुना' सूर्य-कुल में प्रेम रखती हुई मनुष्यों और पक्षियों के समुदाय में प्रेम रखती है, और अप्रतिरुद्ध-धारावाली तथा सुस्वादु सलिल से युक्त प्रवाहवाली है।

उपपादयति—

इह नराणां वीनां च कुलस्य प्रीतिमावहतीति प्रकृतेऽर्थे सिद्धे रविकुलप्रीतिं नावहतीति द्वितीयोऽप्रकृतोऽर्थः विरोधश्च। एवमन्यत्रापि।

विरोधश्चेति। अलङ्कारो ध्वन्यते इति शेषः अन्यत्रापीति। 'अवारितप्रवाहा सुवारितप्रवाहा' इत्यत्रेत्यर्थः। अभिधावृत्त्या पूर्वोल्लिखितप्रकृतार्थबोधानन्तरम्, अभिधामूलव्यञ्जनया 'न रविकुलप्रीतिमावहति', 'सुवारितप्रवाहा' इत्येताभ्यां विशेषणाभ्यां क्रमशः 'सूर्यकुलप्रीतिं नावहति', 'साधुप्रतिबद्धप्रवाहा' इति प्रथमविशेषणद्वयार्थविरुद्धोऽप्रकृतोऽर्थः प्रतीयत इति भवतीदं विरोधाभासालङ्कारध्वनेरुदाहरणमिति भावः।

उक्त गद्यांश में प्रकृतोपयोगी वक्तव्यों का उपपादन करते हैं—इह इत्यादि। उक्त गद्यांश में अभिधावृत्ति से जब पूर्वोक्त प्रस्तुत अर्थ का बोध हो जाता है, तब शब्दशक्तिमूला व्यञ्जना से, 'न रविकुलप्रीतिमावहन्ती' और 'सुवारित-प्रवाहा' ये दोनों विशेषण, अपने पूर्वोक्त अर्थ से भिन्न और 'रविकुल-प्रीतिमावहन्ती' तथा 'अवारित-प्रवाहा' इन दोनों विशेषणों के उक्त अर्थ के विरुद्ध अर्थों (सूर्यकुल में प्रेम नहीं रखती तथा सुन्दर ढङ्ग से अवरुद्ध धारावाली) को अभिव्यक्त करते हैं। उन विरुद्ध अर्थों में विरोध अलंकार भी अभिव्यक्त होता है। इस तरह यह गद्यांश, विरोधाभासालंकार-ध्वनि का उदाहरण सम्पन्न होता है।

अपिपदाभाव एव विरोधाभासस्य व्यङ्ग्यत्वम्, तत्पदसत्त्वे तु तस्य वाच्यत्वमेवेत्याह—

यदि तु रविकुलप्रीतिमावहन्त्यपि न रविकुलप्रीतिमावहति। अवारितप्रवाहापि सुवारितप्रवाहा इत्यपिरन्तर्भाव्यते तदा विरोधांशस्यापिनोक्तत्वाद् द्वितीयार्थस्य च तदाक्षिप्तत्वान्न ध्वनित्वम्।

अपिपदं विरोधवाचकमिति नये रविकुलेत्यादियमुनावर्णनपरे गद्ये मूलोक्तरीत्याऽपिपदप्रक्षेपे विरोधो वाच्यः। स च विरोधः पूर्वोक्तमप्रकृतं विरुद्धार्थं विनाऽनुपपन्न इति तेन विरोधेन सः अप्रकृतोऽर्थः आक्षिप्यते। एवञ्च विरोधो विरोधाधारभूतोऽप्रकृतोऽर्थश्च व्यङ्ग्यो न भवितुमर्हति, अनन्यलभ्यस्यैवार्थस्य व्यञ्जनाबोध्यत्वमिति सिद्धान्तात्। तथात्वे च नेदं ध्वनिविषय इति सारांशः।

उक्त वाक्य-कदम्ब के मध्य में यदि दो जगह दो 'अपि' पद रख दिये जाँय, तब यह गद्यांश ध्वनिकाव्य नहीं कहला सकता है, क्यों? इसका स्पष्टीकरण करते हैं—यदि तु इत्यादि। जैसे हर एक अर्थ का अपना अपना वाचक शब्द होता है उसी तरह 'विरोध' रूप अर्थ का वाचक है 'अपिशब्द'। और जब साक्षात् 'अपि' से विरोध उक्त होगा (अभिधावृत्ति से ज्ञात हो जायगा) तब जिन दो अर्थों का वह 'विरोध' वाच्य हुआ रहेगा, वे विरुद्ध दोनों अर्थ, 'आक्षेप' द्वारा ही समझ में आ जायेंगे, फिर तो व्यञ्जना से किसी अर्थ का ज्ञान यहाँ हुआ ही नहीं, यह गद्यध्वनि कहलावे तो कैसे?

ननु 'निपाता द्योतका न तु वाचका' इति नये समाश्रीयमाणे विरोधस्य अपिपदवाच्यताविरहेण पूर्वोक्तमसंगतम् , नेत्याह—

निपातानां द्योतकतानयेऽपि स्फुटद्योतितस्य तदाक्षिप्तस्य च वाच्यकल्पत्वान्न तथात्वम् ।

तथात्वम् ध्वनित्वम् । निपाता द्योतका इति सिद्धान्ते स्वीकृतेऽपि निपातेनापिना विरोधस्तथा स्फुटं द्योत्यते, यथा सविरोधो वाच्यायमान एव संपद्यते, विरोधाक्षिप्तोऽप्रकृतार्थोऽपि वाच्यायमान एवेति न तत्प्रतीतिर्ध्वनिव्यपदेशहेतुः गूढव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वात् । अत एव 'अगूढमपरस्याङ्ग'मित्यादिना अगूढव्यङ्ग्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकमध्यमकाव्यत्वप्रयोजकत्वमन्यत्रोक्तं संगच्छत इति भावः ।

यदि कहें कि 'निपात' तो सभी द्योतक ही होते हैं, वाचक नहीं । 'अपि' भी एक निपात ही है, अतः उससे 'विरोध' द्योत्य हो सकता है, वाच्य नहीं, फिर तो आप की उक्त कथा असंगत ? नहीं, क्यों ? इसका कारण कहते हैं—निपातना इत्यादि । द्योतकों को भी दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है । कुछ द्योतक ऐसे होते हैं, जो अपने अर्थों को नितान्त स्पष्ट रूप में द्योतित करते हैं, अतः वे अर्थ-वाच्य से हो जाते हैं । और कुछ द्योतक ऐसे होते हैं, जो अपने अर्थों को कुछ गूढ़ रूप से द्योतित करते हैं, अतः वे अर्थ वाच्य जैसे स्पष्ट नहीं होते, कुछ छिपे से रहते हैं । इस द्वितीय कोटि के गूढ़द्योत्य अर्थ व्यङ्ग कहे जा सकते हैं, पूर्वकोटि के वाच्यायमान द्योत्य नहीं । 'अपि' द्योतक होकर भी प्रथम कोटि का ही द्योतक हो सकता है, अतः उससे होनेवाला स्फुट-द्योत्य, 'विरोध' वाच्यायमान हो जाने से व्यङ्ग्य-पद को नहीं पा सकता फिर वह किसी काव्य को 'ध्वनि' पद देने में भी समर्थ नहीं हो सकता ।

प्राचीनोदाहरणे शङ्कते—

ननु 'मृणालवलयादिदवदहनराशिः' इत्यत्र विरोधाभासस्य कथं वाच्यालंकारत्वम् , विरोधांशस्य शब्दवाच्यताविरहेण व्यङ्ग्यताया एवाभ्युपगन्तव्यत्वात् ।

'अभिनवनलिनीकिसलयमृणालवलयादिदवदहनराशिः ।
सुभग ! कुरङ्गदृशोऽस्या विधिवशतस्त्वद्वियोगपविपाते ॥'

इति सम्पूर्णं काव्यप्रकाशोक्तं पद्यं काचिद् दूती नायकं वक्ति-हे सुभग ! (सुभगत्वञ्चात्र नायिकानुरागातिशयपात्रत्वमूलकं बोध्यम्) विधिवशतः दैवयोगात , त्वद्वियोगरूपस्य, पवेर्वज्रस्य (वियोगे प्राणहरणसामर्थ्यसाम्यात वज्राभेदारोपः), पाते सति, अस्या वर्णनीयनायिकायाः कुरङ्गदृशः मृगनयनायाः (कृते इति शेषः) अभिनवाः नवीनाः, नलिन्याः कमलिन्याः, किसलयाः दलानि, मृणालनिर्मितकंकणादि च दवदहनस्य वनाग्नेः, राशिः समूहः भवतीति शेषः । अत्र नलिनीत्वादिजातीनां दहनत्वजात्या विरोधस्य विरहोद्दीपकतया दहनत्वोपचारेण परिहारात्तदाभासालङ्कारः । इदं पद्यं वाच्यविरोधाभासालङ्कारोदाहरणतया काव्यप्रकाशकृता लिखितम् । तत्र शंकते—ननु इत्यादि । अयं भावः—अत्रापिशब्दो विरोधोपस्थापको नास्ति, अतो विरोधाश्रयीभूतयोर्नलिनीत्वदवदहनत्वयोर्वाच्यत्वेऽपि विरोधांशस्य व्यङ्ग्यत्वमेव स्वीकर्तव्यं भवेत् , तथा च कथमिह वाच्यविरोधाभासोऽलङ्कार इति ।

विरोध के प्रसङ्ग में प्राचीनों के द्वारा उद्धृत एक उदाहरण के कुछ शंका उपस्थित करते हैं—ननु इत्यादि। 'मृणालवलयादि' इत्यादि वाक्यांश, जिस पद्य का है, वह सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में उद्धृत है। नायिका के पक्ष की एक दूती, नायक से कहती है—हे सुभग! (जो कभी सुधि न ले, पर नायिका उसके विरह में मरने पर उद्यत होवे, उसको भाग्यशाली क्यों नहीं कहा जाय?) (यद्यपि जानबूझकर अपनी इच्छा से, तुम वियुक्त नहीं हुए थे, तथापि) दैव-योग से होनेवाले तेरे 'वियोग-वज्र' के आपतन के बाद से (समान रूप से प्राणहर होने के कारण वियोग को वज्र कहा गया है) इस मृगाक्षी के लिये कमलिनी के कोमल किसलय और मृणाल के बने कङ्कण, वन के वह्नि-पुञ्ज हो गए थे। यहाँ, विरहोद्दीपक होने के कारण वह्नि-भाव के आरोप से पश्चात् विरोध की शान्ति होने पर भी पहले आपाततः कमलजाति और वह्निजाति में विरोध सा प्रतीत होता है, अतः यहाँ 'विरोधाभास' नाम का अलंकार माना जाता है। इस पद्य को वाच्य अलंकार के प्रकरण में प्राचीनों ने उदाहृत किया है। अब शंका होती है कि जब यहां 'अपि शब्द' नहीं है, तब 'विरोध' वाच्य तो होगा नहीं, आखिर उसे व्यङ्ग्य ही मानना पड़ेगा, फिर यह पद्य वाच्य-विरोधाभास का उदाहरण होगा, तो कैसे? (एक बात यहाँ समझने की है—जिन दो अर्थों में यहाँ विरोध प्रतीत होते हैं, वे मृणालवलय और वनवह्नि यद्यपि वाच्य हैं, पर उन दोनों का विरोध वाच्य नहीं है, व्यङ्ग्य है, अतः ऐसी शंका की गई है)।

शङ्कितस्यार्थस्यापातसुभगं समाधानमुक्त्वा खण्डयति—

न च विरोधविशिष्टाभेदस्य संसर्गत्वाद्वाच्यार्थबोधविषयतया विरोधस्य वाच्यत्वमिति वाच्यम्, विरोधाभेदयोः परस्परविरुद्धत्वेनैककालावच्छेदेनैकसंसर्गत्वस्यानुपपत्तेः। नामार्थयोरभेदस्यैव संसर्गतया विरोधस्यापि संसर्गत्वे मानाभावाच्च, पर्यन्ते दवदहनराशिपदस्य सदृशलाक्षणिकतया विरोधांशस्य तिरोधानाच्च।

विरोधविशिष्टाभेदस्येति। अभेदे विरोधवैशिष्ट्यं सामानाधिकरण्यसंबन्धेनेति भावः। वाच्यार्थबोधविषयतयेति। अन्विताभिधानवादिमतेनेदम्। तन्मतेऽन्वयांशेऽपि शक्तिस्वीकारादिति भावः। यद्यप्यभिहितान्वयवादेऽपि तात्पर्यवृत्त्युपस्थापितस्यान्वयांशस्य वाक्यार्थबोधविषयत्वम् संभवति तथापि तावता तस्य वाच्यत्वं न संभवति, अपि तु तात्पर्यार्थत्वमिति बोध्यम्। मृणालवलयादिपदार्थस्य दवदहनराशिपदार्थस्य च मिथोऽभेदसंसर्गेणान्वयः, निपातातिरिक्तसमानाधिकरणनामार्थयोरभेदातिरिक्तसंबन्धोऽव्युत्पन्न इति सिद्धान्तात्। स चाभेदः प्रकृते न केवलः संसर्गतया विवक्षितोऽपि तु विरोधविशिष्टः। तथाचोक्तपदार्थद्वयविषयकबोधे स सम्बन्धोऽपि भासेत इति विरोधो वाच्यो जात इति शंका। उत्तरयति—विरोधाभेदयोरिति। विरोधोऽभेदश्चेति परस्परविरोधिपदार्थद्वयम्, अतः एकस्मिन् काले तयोर्द्वयोर्मिश्रणेनैकसंबन्धत्वं न युक्तमित्यर्थः। ननु भेदाभेदघटिततादात्म्यवदुपपत्तिः स्यादित्यत आह—नामार्थयोरिति। नामार्थद्वयस्य संसर्गरूपेण शुद्धोऽभेद एव प्रसिद्ध इति विरोधविशिष्टस्य तस्य संसर्गत्वमप्रामाणिकमिति भावः। तादात्म्यस्य संसर्गत्वं तु तन्त्रान्तरे प्रसिद्धमितितात्पर्यम्। ननु प्रतीत्यन्यथानुपपत्तिरेव मानमित्यत आह—पर्यन्ते इति। पर्यवसान इत्यर्थः। काव्यत्वोपयोगिवाक्यार्थबोधानन्तरं मृणालवलयादि न

दवदहनराशिरिति बन्धप्रतिसन्धाने दवदहनराशिपदस्य तत्सदृशे लक्षणाऽवश्यमेषितव्या तथा च दवदहनराशिसदृशं मृणालवलयादिति पार्ष्णिकबोधे जाते विरोधोऽत्र भासेतापि न, तथा च कथं तस्य संबन्धघटकत्वमिति भावः। इत्थञ्च मध्योक्तं समाधानमसंगतमिति नन्वित्यादिना समुत्थापिता शंका स्थिरेति बोद्धव्यम्।

पूर्व शङ्कित अर्थ का एक असिद्धान्तीय समाधान कहकर उसका खण्डन करते हैं—न च इत्यादि। 'मृणालवलयादिदव-दहनराशिः' यहाँ मृणाल वलय पदार्थ का दवदहनराशि पदार्थ के साथ अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है। क्योंकि निपात से अतिरिक्त दो प्रातिपदिकार्थों में अभेद से अन्य सम्बन्ध अयुक्त माना जाता है। वह यहाँ केवल अभेद के रूप में नहीं, किन्तु विरोध से युक्त होकर उक्तपदार्थ-द्वय का सम्बन्ध बनता है। और अन्विताभिधानवादियों के मतानुसार, वाक्य से होनेवाले वाच्यार्थ-बोध में, सम्बन्ध भी भासित होता है अन्यथा असंबद्ध अर्थों का अन्वय ही नहीं बन सकेगा। अतः विरोध को वाच्य माना गया है—अर्थात् वाच्य अर्थ के बोध में जो भासित होता है, उसी को तो वाच्य कहा जाता है, और यहाँ उक्त रीति से विरोध भी सम्बन्धगत होकर वाच्यार्थ-बोध में भासित हुआ है, अतः वह भी वाच्य कहा जायगा। परन्तु यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि विरोध और अभेद ये दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, अतः वे दोनों एक ही काल में सम्मिलित रूप से एकसम्बन्ध रूप नहीं हो सकते—अर्थात् विरोधयुक्त अभेद को एक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। सारांश यह कि—जिन दो पदार्थों में विरोध होता है उनमें अभेद नहीं हो सकता और जिन दो पदार्थों में अभेद होता है उनमें विरोध नहीं हो सकता, अतः किसी भी हालत में साथ नहीं रह सकनेवाले विरोध और अभेद को मिलाकर एक सम्बन्ध मानना असङ्गत है। यदि आप कहें कि भेद और अभेद को मिलाकर जैसे तादात्म्य नाम का एक सम्बन्ध माना जाता है, वैसे ही विरोध और अभेद को मिलाकर एक सम्बन्ध क्यों नहीं माना जा सकता? हाँ, माना जा सकता था, यदि तादात्म्य के समान यह 'विरोधयुक्त अभेद' भी कहीं सम्बन्ध रूप से प्रसिद्ध होता, वह तो है नहीं, सर्वत्र दो प्रातिपदिकार्थों के सम्बन्धरूप में शुद्ध अभेद ही प्रसिद्ध है, अतः 'विरोधयुक्त अभेद' का सम्बन्धरूप होना अप्रामाणिक है। यदि आप कहें कि विरोध की प्रतीति होती है और वह प्रतीति तबतक नहीं बन सकती, जबतक 'विरोधयुक्त अभेद' को सम्बन्ध न माना जाय, अतः (इस अनुपपत्तिरूप प्रमाण से) वैसा माना जायगा। तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि अन्त में 'दव-दहन-राशि' पद को स्वसदृश अर्थ में लाक्षणिक ही मानना पड़ता है, अतः विरोध अंश तिरोहित हो जाता है—अर्थात् लक्षणा के बाद सादृश्य सम्बन्ध की ही प्रतीति होती है, विरोध की प्रतीति होती ही नहीं। फिर उसकी अनुपपत्ति के बल पर 'विरोधयुक्त अभेद' को आप सम्बन्ध कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तात्पर्य है कि यद्यपि 'मृणाल-वलय आदि' के 'दावानलसमूहरूप' होने में विरोध है, तथापि विरहिणी के लिये तापकर होने से उनको उसके समान मानने में कोई विरोध नहीं है। इस तरह से यह बीच का समाधान बन नहीं सकता, अतः यह शंका बनी रही कि 'उक्त पद्य वाच्य विरोधाभास' का उदाहरण कैसे होगा?

नन्वित्यादिना कृतामाशंकां समाधत्ते—

मैवम्।

उक्तशंका न युक्तेति भावः।

अब उक्त शंका का खण्डन करते हैं—'मैवम्' इति। अर्थात् उक्त शंका उचित नहीं है।

शंकाया अयुक्तत्वे हेतुमाह—

उक्तपद्यस्य विरोधोदाहरणतामात्रे तात्पर्यात्, व्यङ्ग्यत्वेऽपि तथात्वस्यानपायात्। वाच्यविरोधोदाहरणतायां त्वपिरन्तर्भाव्यः।

उक्तपद्यस्येति। अभिनवनलिनीत्यादिपद्यस्येत्यर्थः। उदाहरणतामात्रेति। मात्रपदेन वाच्यत्वनिरासः। तथात्वस्य विरोधत्वस्य। अनपायादिति। अनाशादित्यर्थः। अभिनवनलिनीति पद्येऽपि पदाभावेन विरोधो वाच्यो न भवति चेत्, न भवतु, तावता न किञ्चिदसामञ्जस्यम्, व्यङ्ग्यविरोधमादायापि प्रकाशकारस्याभिमतसिद्धेः। तस्य विरोधोदाहरणप्रदर्शन एव तात्पर्यम्, न तु विरोधस्य वाच्यत्वे इति भावः। यदि तु वाच्यविरोधोदाहरणमेवैतत्पद्यमित्याग्रहः, तदा मृणालवलयाद्यपि दवदहनराशिरिति रीत्या अपिपदान्तर्भावो विधेय एव।

उक्त शंका क्यों उचित नहीं, इसका हेतु अब कहते हैं—'उक्त' इत्यादि। काव्यप्रकाशकार का उद्देश्य केवल विरोध का उदाहरण दिखलाना है, वह विरोध वाच्य हो अथवा व्यङ्ग्य इससे उन्हें प्रयोजन नहीं। अतः यदि उक्त पद्य में 'अपि पद' के न रहने से विरोध वाच्य न भी होता—व्यङ्ग्य ही होता है, तथापि प्रकाशकार की अभीष्ट-सिद्धि हो ही जाती है। फिर वहाँ किसी तरह की असङ्गति की आशंका निर्मूल है। वाच्य-विरोधाभासालंकार का उदाहरण दिखलाना यदि अभीष्ट होगा, तब 'अपि' पद का पाठ करना ही पड़ेगा अर्थात् वैसा ही उदाहरण खोजना होगा, जहाँ अपि पद से विरोध वाच्य होता हो।

उक्तकाव्यप्रकाशग्रन्थसंगतिसाधकं मतान्तरमाह—

केचित्तु—'विरोधस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि विरोधिद्वयस्य वाच्यतामात्रेण विरोधाभासस्य वाच्यालङ्कारव्यपदेशोपपत्तिः। इत्थमेव चांशान्तरस्य व्यङ्ग्यत्वेऽप्येकांशमादाय समासोक्त्यादीनामपि वाच्यालङ्कारव्यपदेशः' इत्याहुः।

'मृणालवलयादिदवदहनराशिः' इति प्रकाशग्रन्थे अपिपदस्यासत्त्वेन विरोधांशस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि मृणालवलयादिदवदहनराशिरूपं विरोधिद्वयं वाच्यमेव, तावतैव 'अत्र विरोधाभासालङ्कारो वाच्यः' इति व्यवहारो भवति, यतो विरोधांशो विरोधिद्वयांशश्च मिलित्वैव विरोधाभासशरीरम्। तत्रैकस्यांशस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि अन्यस्यांशस्य वाच्यत्वेन विरोधाभासस्य वाच्यत्वं सुस्थम्। यथा समासोक्त्याद्यलंकारस्य प्रकृताप्रकृतघटितस्य, अप्रकृतांशस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि वाच्यत्वव्यवहार इति भावः। अत्र 'केचित्तु' इत्यनेनारुचिः सूच्यते। तद्बीजं च समासोक्त्यादिषु गत्यन्तराभावेन तथा स्वीकारेऽपि विरोधाभासस्थले पूर्वोक्तरीत्या वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वयोः स्फुटभेदे संभवति तादृशक्लिष्टकल्पना वृथेत्यादि बोध्यम्।

उक्त 'प्रकाश-ग्रन्थ' को संगत सिद्ध करने के लिये अन्य विद्वानों के द्वारा कहे गये एक भिन्न प्रकार का उल्लेख करते हैं—'केचित्त' इत्यादि। कुछ लोगों का कथन है कि 'मृणाल-वलयादिदव-दहन-राशिः' इत्यादि स्थल में 'अपि पद' के न रहने से 'विरोध' व्यङ्ग्य है, वाच्य नहीं, यह बात यद्यपि सत्य है, तथापि जिनका विरोध व्यङ्ग्य होता है, वे विरोधिद्वय—अर्थात् मृणालवलय आदि और दवदहनराशि तो वाच्य हैं,—तावतैव यहाँ विरोधाभास अलंकार वाच्य कहलायगा। तात्पर्य यह कि विरोध अंश और विरोधि-द्वय अंश ये दोनों अंश मिलकर ही तो विरोधाभास अलंकार का शरीर बनते हैं, उनमें एक अंश (विरोध) के व्यङ्ग्य होने पर भी और अंश के वाच्य होने से विरोधाभास अलंकार में

वाच्यत्व का व्यवहार होगा, जैसे—प्रस्तुत वाच्य और अप्रस्तुत व्यङ्ग्य इन दोनों अंशों को मिलकर बनने वाले समासोक्ति अलंकार में एक अंश के व्यङ्ग्य रहने पर भी वाच्यत्व व्यवहार होता है। यहाँ 'केचित्तु' से कुछ अरुचि सूचित होती है, जिसका बीज यह है कि समासोक्ति आदि में निरुपाय होकर वैसा मान लेते हैं, पर यहाँ तो ऐसी बात नहीं है—अर्थात् यहाँ 'अपि' पद के रहने पर विरोधाभास वाच्य और उसके नहीं रहने पर वह व्यङ्ग्य, इस तरह से जब स्पष्ट भेद संभव है, तब क्यों उस तरह की कष्ट-कल्पन की जाय ?

शब्दशक्तिमूलव्यतिरेकालङ्कारध्वनिमुदाहरति—

यथा वा—

'कृष्णपक्षाधिकरुचिः सदासम्पूर्णमण्डलः।
भूपोऽयं निष्कलङ्कात्मा मोदते वसुधातले ॥'

कृष्णस्य भगवतः, पक्षे अंशे (न तु सांसारिकविषयांशे इति भावः) अधिका रुचिः प्रीतिर्यस्य सः, सद्भिः सज्जनैः, आपूर्णं व्याप्तं, मण्डलं राष्ट्रं यस्य सः, निष्कलङ्कः पवित्रः, आत्मा यस्य सः, अयं कश्चन वर्णनीयः, भूपः राजा वसुधातले, मोदते, प्रसीदतीति प्रकृतोऽर्थः। कृष्णपक्षेऽसितपक्षे, अधिकरुचिः विशदकान्तिः, सदा सर्वदा, सम्पूर्णमण्डलः पूर्णबिम्बः; (न तु कदापि चन्द्रवत्खण्डितबिम्ब इति भावः) निष्कलङ्कात्मा कलङ्कशून्य-स्वरूपः इति राजविशेषणीभूत एव चन्द्रवैधर्म्यबोधकोऽप्रकृतोऽर्थः।

अब शब्दशक्ति-मूलक 'व्यतिरेक अलंकार' ध्वनि का उदाहरण देते हैं—यथा वा इत्यादि। जिसकी कृष्ण भगवान् के पक्ष (अंश) में (न कि सांसारिक विषय के अंश में) अधिक रुचि है, जिसका राष्ट्र-मण्डल सज्जनों से परिपूर्ण है, जिसकी आत्मा निष्कलंक है, ऐसा यह राजा, भूतल पर मोद पा रहा है। यह है प्राकरणिक अर्थ, और इसके अतिरिक्त अप्राकरणिक अर्थ भी है, जिसके द्वारा राजा में चन्द्र से वैधर्म्य दिखलाकर आधिक्य सिद्ध किया जाता है, जैसे चन्द्र कृष्णपक्ष में कान्तिहीन हो जाता है, पर यह राजा कृष्णपक्ष में भी अधिक कान्तिशाली है, चन्द्रमण्डल सदा पूर्ण नहीं रहता और यह राजा सदा पूर्णमण्डल रहता है, चन्द्र कलंकी है, यह निष्कलङ्क है।

उपपादयति—

अत्र भगवत्पक्षाधिकप्रीत्यादिलक्षणे प्रकृतभूपोपयोगित्वात्प्रकृतेऽर्थे शक्त्या प्रतीतिपथमवतीर्णे द्वितीयोऽर्थोऽप्रकृतो वैधर्म्यात्मा तत्प्रयुक्तो व्यतिरेकश्च।

भगवत्पक्षाधिकप्रीत्यादिलक्षणो योऽर्थोऽनुपदमुक्तः, स एव कुतः प्रकृत इत्यत आह—प्रकृतभूपोपयोगित्वादिति। प्रतीतिपथमवतीर्णे इति। बोधविषये जात इत्यर्थः। द्वितीय इति। पूर्वोल्लिखितचन्द्रवैधर्म्यबोधक इत्यर्थः। वैधर्म्यात्मा इति। वैधर्म्यस्वरूप इत्यर्थः। व्यतिरेकश्च इति। ध्वन्यत इति शेषः। भूपोऽत्र प्रकृतः, तदुपयोगित्वात् भगवत्पक्षाधिक-रुचिलक्षण उक्तार्थोऽपि प्रकृतः इति तस्मिन्नर्थे प्रकरणेनाभिधा नियम्यते, अतः स एवार्थो वाच्यः। असितपक्षेऽधिककान्तिरित्यादिचन्द्रवैधर्म्यात्मा अर्थस्तु अप्रकृतत्वात् न वाच्यः, अपि तु व्यङ्ग्यः, तत्प्रयुक्तो व्यतिरेकालंकारोऽपि व्यङ्ग्यः। तथा च शब्दानां परिवृत्त्यसह-त्वेन भवतीदं पदं शब्दशक्तिमूलव्यतिरेकालङ्कारध्वनेर्लक्ष्यमिति भावः।

उक्त श्लोक में प्रकृतोपयोगी विषयों का उपपादन करते हैं-'अत्र' इत्यादि। उक्त पद्य, राजा के प्रकरण में कहा गया है, अतः राजा प्राकरणिक अर्थ है, और तदुपयोगी होने से 'भगवत् पक्ष में अधिक रुचि रखने वाला' इत्यादि पूर्वोक्त अर्थ भी प्राकरणिक है, अतः प्रकरण से, उक्त प्राकरणिक अर्थों में पदवाक्य के अन्तर्गत पदों की अभिधाशक्ति नियन्त्रित हो जाती है-वे ही अर्थ वाच्य-कोटि में आते हैं और 'कृष्णपक्ष में अधिककान्तिशाली' इत्यादि चन्द्र-वैधर्म्य अप्राकरणिक अर्थ तो उक्त वाच्य अर्थ की प्रतीति हो जाने के बाद व्यञ्जना से ज्ञात होते हैं—व्यङ्ग्य कोटि में आते हैं, इसी व्यङ्ग्य अर्थ के आधार पर उपमान चन्द्र से उपमेय राजा में आधिक्य-प्रतिपादनरूप 'व्यतिरेकालंकार' भी व्यङ्ग्य होता है। यहाँ के शब्द बदले नहीं जा सकते हैं अतः यह पद्य शब्द-शक्तिमूलक व्यतिरेकालंकार-ध्वनि का उदाहरण सिद्ध होता है।

अत्र व्यज्यमानस्य व्यतिरेकस्य गुणीभूतत्वमाशंक्य निरस्यति—

न चात्र व्यतिरेकस्य कविगतराजविषयकरतिभावोत्कर्षकतया गुणीभूतस्य कथं ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वं, प्रधानस्यैव ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वादिति वाच्यम्, उदासीने वक्तरि तत्त्वार्थकथनपरस्यास्य पद्यस्य वक्तृगतरतिव्यञ्जकत्वासंगतेः, गुणीभूतस्याप्यर्थस्य वाच्यार्थापेक्षया प्रधानतया ध्वनिव्यपदेशहेतुतायाः प्राचीनैः स्वीकाराच्च। अन्यथा—

'निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते ।
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने ॥'

इत्यत्र व्यतिरेकध्वनित्वं तैरुक्तमसंगतं स्यात्। व्यतिरेकस्य भगवद्विषयकरतिभावाङ्गताया अनुभवसिद्धत्वात्।

कविगतेति। कविगतः कविहृदयवर्त्ती, यो राजविषयकः वर्णनीयनृपोद्देश्यकः, इति भावः। भक्त्यपरपर्यायः प्रेमभावः, तस्य उत्कर्षकतया पोषकतयेत्यर्थः। अयञ्च व्यतिरेकस्य गुणीभूतत्वे हेतुः। उदासीन इति। रतिरोषभयानाविष्ट इत्यर्थः। अत्र सतीति शेषः। तत्त्वार्थेति। यथास्थितार्थेत्यर्थः। वक्तुः रतिभावाविष्टत्वे पद्यस्यास्य राजस्तुतिपरकत्वेन व्यतिरेकस्य गुणीभूतत्वेऽपि ध्वनित्वं स्थापयति—गुणीभूतस्यापीत्यादिना। अन्यथेति। तथानङ्गीकार इत्यर्थः। निरुपादानेति। उपादानसंभारः सामग्रीसमूहः तूलिकादिकं तद्रहितं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्। अभित्तावेव शून्य एव, चित्रं जगत् नानाविधं विश्वम्, तन्वते विस्तारयते, सृजते इति यावत्, तस्मै अनिर्वचनीयस्वरूपाय, कलया चन्द्रषोडशभागेन, श्लाघ्याय स्पृहणीयाय शूलिने शिवाय नमः इत्यर्थः। पक्षे चित्रमालेख्यम्। कला आलेख्यक्रियाकौशलम्। तैः प्राचीनैः। रतिभावाङ्गताया इति। रतिभावपोषकत्वेनाङ्गत्वम् इति भावः। कृष्णपक्षेतिपद्यं राज्ञः स्तुतौ केनापि कविना प्रयुक्तम्। तथा च कविनिष्ठराजविषयकरतिभाव एवात्र प्रधानव्यङ्ग्यः। व्यतिरेकस्तु व्यज्यमानोऽपि तत्पोषकतया गुणीभूतो न ध्वनिव्यवहारहेतुः प्रधानव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनित्वप्रयोजकतास्वीकारात् इति शङ्का। नेदं पद्यं राज्ञः स्तुतौ प्रयुक्तम्, वक्तुरुदासीनत्वात्। अपि तु वास्तविकार्थवर्णनपरमेव पद्यमेतत्। तथा च नास्मात्पद्यात् कविनिष्ठराजविषयकरतेरभिव्यक्तिः। तदनभिव्यक्तौ च

न व्यङ्ग्यस्य व्यतिरेकस्योत्कर्षकत्वं गुणत्वं वेति चोत्तरम्। अथवा आस्तामिदं पद्यं राजस्तुतिपरमेव, भवतु च कविगतराजविषयकरतिभावपोषकतया व्यतिरेकस्य गुणीभावः, तथापि व्यतिरेकध्वनित्वमिह सुस्थमेव, पार्यन्तिकव्यङ्ग्यरतिभावापेक्षया गुणत्वेऽपि वाच्यापेक्षया व्यतिरेकस्य प्राधान्यसत्त्वात्, 'इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथितः' इति ध्वनिलक्षणं कुर्वता प्राचीनेन वाच्यमात्रापेक्षया प्रधानस्यैव व्यङ्ग्यस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुना सूचनात्। अतएव—'निरुपादानसंभार—' इति पद्ये भगवद्विषयकरतिभावपोषकतयाऽनुभवसिद्धस्यापि व्यङ्ग्यस्य व्यतिरेकालंकारस्य ध्वनित्वव्यपदेशहेतुत्वं प्राचीनैः प्रदर्शितं संगच्छत इति भावः।

उक्त पद्य में 'व्यतिरेक' व्यङ्ग्य होने पर भी गौण है, अतः वह ध्वनि-व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता, इस तरह की आशंका और उसका खण्डन अब करते हैं—न चात्र इत्यादि। 'कृष्णपक्षाधिकरुचिः······' इत्यादि पद्य में कविने किसी राजा की स्तुति की है, अतः इस पद्य से वर्णनीय राजा के प्रति कवि-हृदय-गत प्रेमभाव ही प्रधान रूप से अभिव्यक्त होता है। यद्यपि उक्त रीति से व्यतिरेक अलंकार भी यहाँ व्यङ्ग्य होता है, पर वह प्रधानव्यङ्ग्य-कविगत-रतिभाव का पोषक होने के कारण गुणीभूत है, अतः वह ध्वनि-व्यवहार के हेतु होने योग्य नहीं है फिर कैसे इस पद्य को व्यतिरेक ध्वनि का उदाहरण मानते हैं? इस तरह की आशङ्का नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक तो यह कि उक्त पद्य का वक्ता, राजा की चापलूसी करने वाला नहीं है, वह एक उदासीन व्यक्ति है, अतः उसने इस पद्य में जो कुछ कहा है, वह वास्तविक स्थिति का वर्णन है-झूठी प्रशंसा नहीं, फिर इस पद्य से राजा के प्रति वक्ता का प्रेमभाव कैसे व्यक्त हो सकता है? वह तो वहीं होता है, जहाँ वक्ता झूठमूठ की प्रशंसा करता हो। और जब यहाँ उक्त प्रेमभाव व्यक्त नहीं होगा, तब उक्त व्यतिरेकरूप व्यङ्ग्य की प्रधानता मानी ही जायगी। दूसरा कारण यह भी है कि—जो व्यङ्ग्य किसी दूसरे व्यङ्ग्य की अपेक्षा गौण भी हो, पर वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रधान हो, तो उस व्यङ्ग्य को भी ध्वनिव्यवहार का नियामक प्राचीनों ने माना है, अत एव ध्वनिकाव्य का लक्षण, 'इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथितः' अर्थात् वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी व्यङ्ग्य अर्थ के रहने पर 'ध्वनि' नामक उत्तम काव्य कहा जाता है' ऐसा उन्होंने बताया है। यदि ऐसी बात नहीं होती, तब 'निरुपादान······इत्यादि अर्थात् बिना सामग्री के अभित्ति—निराधार-में ही संसार-चित्र को बनाने वाले अतएव प्रशंसनीय कला-कौशलवाले शिव जी को मेरा नमस्कार है' इस पद्य को व्यतिरेकालंकार ध्वनि का उदाहरण, प्राचीन आचार्य कैसे मानते? तात्पर्य यह कि इस पद्य से भी सर्व-प्रधानरूप में कविगत भगवद्विषयक प्रेमभाव ही व्यक्त होता है और व्यतिरेक उस प्रेमभाव के अङ्ग (पोषक) रूप में ही व्यङ्ग्य होता है, ऐसा यद्यपि सबों का अनुभव है, तथापि जैसे भावध्वनि की अपेक्षा गौण होने पर भी वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रधान होने के कारण, यहाँ व्यतिरेक को ध्वनिव्यवहार का नियामक मानते हैं, उसी तरह पूर्वोक्त प्रकृत पद्य में व्यतिरेक ध्वनि का व्यवहार करने में कोई बाधा नहीं है।

शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनिमुदाहरति—

शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनिर्यथा—

'राज्ञो मत्प्रतिकूलान्मे महद्भयमुपस्थितम्।
बाले! वारय पान्थस्य वासदानविधानतः॥'

पान्थः कामपि नवयौवनां वक्ति—

हे बाले ! त्वम् , मत्प्रतिकूलात् मद्विरुद्धव्यापारप्रवणात् राज्ञः नृपात , उपस्थितं प्राप्तं पान्थस्य पथिकस्य, मे मम, महत् प्राणोपघातकं भयं वासस्य निवासस्थानस्य दानस्य, विधानतः करणात् , वारय इत्यापाततो वाच्योऽर्थः प्रतीयते । मत्प्रतिकूलात् वियोगिनो ममैवोद्वेजकतया क्लेशप्रदात (अन्येषां तु सुखकर एव स इति भावः) राज्ञश्चन्द्रात उपस्थितं, पान्थस्य वियोगिनः । (एतेनोत्कण्ठातिशयं व्यज्यते) मम महत् प्राणहरम् , भयम् कामार्तिरूपम् , वासस्य निवासस्थानस्य दानस्य संभोगात्मकस्य, विधानतः वारय दूरीकुरु, अर्थात्—चिरात्कान्ता-विरहकातरतया परमोत्कण्ठितं मामयमुदीयमानश्चन्द्रो नितरामुद्वेजयति अत उपभोगं देहि इति च व्यङ्ग्योऽर्थः ।

अब शब्दशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि का उदाहरण दिखलाते हैं—शब्द इत्यादि । शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि का उदाहरण 'राज्ञो मत्प्रतिकूलात्……' इत्यादि पद्य होता है । यह पद्य, पथिक के द्वारा किसी युवती के प्रति कहा गया है । इस पद्य से पहले आपाततः वाच्य रूप में यह अर्थ प्रतीत होता है कि बाले—युवावस्था के प्रथम सोपान पर पग रखने वाली सुन्दरि ! राजा मुझ से सर्वथा विरुद्ध है, अतः उससे महान् (प्राणहानि-कर) भय उपस्थित हो गया है, मैं एक पथिक हूँ, यहाँ मेरा कोई रक्षक नहीं, अतः तुम अपने यहाँ जगह देकर उस भय से मुझे बचाओ । पर, अभिधामूला व्यञ्जना से यहाँ यह अर्थ विदित होता है कि मैं पथिक हूँ—चिरकाल से बाहर-बाहर ही घूमता रहा हूँ, अतः प्रेयसी-समागम-सुख से वञ्चित हूँ । चित्त उत्कण्ठित हो रहा है, अब तक तो किसी किसी तरह उस उत्कण्ठा का दमन करता रहा, पर अब दमन संभव नहीं । यह आकाश में चमकने वाला राजा (चन्द्र) मेरे विरुद्ध खड्गहस्त होकर खड़ा हो गया है, यह मेरे प्राण लेकर ही छोड़ेगा, अतः हे सुन्दरि ! वास और दान (स्थान और संभोग) के विधान से अर्थात् अपने पास रखकर संभोग की सुविधा से मेरे प्राणों की रक्षा कर । संक्षेप में व्यङ्ग्यार्थ का अभिप्राय यह हुआ कि यह चन्द्र, चिरविरही अत एव नितान्त उत्कण्ठित मुझको उद्विग्न कर रहा है, अतः संभोग का अवसर दो । यह व्यङ्ग्य अर्थ उक्त वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कारी है अतः प्रधान है, अत एव इस व्यङ्ग्य के आधार पर यह पद्य 'ध्वनि' कहलाने योग्य है ।

उपपादयति—

अत्रोपभोगं देहीति वस्तु राजपदशक्तिमूलानुरणनविषयः । राजपदाच्चन्द्रोपस्थितावेव चन्द्रजनितभयवारणकारणत्वेनोपभोगस्याभिव्यक्तेः ।

राजपदेति । राजपदनिष्ठा या शक्तिरभिधात्मिका तन्मूलकं यदनुरणनं व्यञ्जना, तस्य तज्जन्यबोधस्य विषयः इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह—राजपदाच्चेत्यादिना । चन्द्रेति । चन्द्रजनितं चन्द्रोदयप्रयोज्यमित्यर्थः । यत् भयं कामपीडाधिक्यसंभावनात्मकम् , तस्य वारणं शान्तिः, तत्कारणत्वेनेत्यर्थः । अत्र पूर्वोक्तो द्वितीयोऽर्थः राजपदनिष्ठाभिधामूलव्यञ्जनयैव बोध्यते, राजपदजन्यचन्द्ररूपोद्दीपकप्रतीत्यनन्तरमेव चन्द्रजन्योद्वेगशमनहेतुतया उपभोगरूपार्थप्रतीतेः । एवञ्चाभिव्यञ्जकस्य राजपदस्य परिवृत्त्यसहतया शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनेरुदाहरणमेतत् पद्यं भवतीति भावः ।

पूर्वोक्त उदाहरण में अपेक्षित विषयों का प्रतिपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। यहाँ उपभोग-प्रदान की याचनारूप वस्तु (बात), राजपद की शक्ति जिसका मूल है, उस अनुरणन (व्यञ्जना) का विषय है अर्थात् राजपदनिष्ठ अभिधामूलक व्यञ्जनावृत्ति से वह वस्तु अवगत होती है, क्योंकि राज पद से 'चन्द्ररूप' अर्थ की उपस्थिति होने पर ही चन्द्रोदय से उत्पन्न कामपीडात्मक भय की निवृत्ति के कारणरूप में, उपभोग की अभिव्यक्ति होती है—यदि 'राजा' पद का अर्थ 'चन्द्र' न हो तो इस श्लोक से संभोगवाली बात निकल ही न सके। अतः इस व्यञ्जना का मूल 'राजा' पद की अभिधा ही है।

अलंकारध्वनित्वमस्य पद्यस्याशंक्य निराकरोति—

न चात्र नृपचन्द्रयोरुपमानोपमेयभावः भेदापोहरूपं रूपकं वा तथास्त्विति वाच्यम्, इह नृपरूपस्यार्थस्य चन्द्ररूपार्थगोपनमात्रार्थमुपात्तत्वेन युगपदुल्लसितोपमानोपमेयकयोरुपमारूपकयोस्तात्पर्यविषयताया अयोगात्।

भेदापोहेति। अभेदेत्यर्थः। तथास्त्विति। अनुरणनविषयोऽस्त्वित्यर्थः। युगपदिति। युगपत् एककालावच्छेदेन, उल्लसिते प्रतीतिपथमवतीर्णे, उपमानोपमेये ययोस्तयोरित्यर्थः। अयोगात् अयुक्तत्वात्। करतलनिर्गलदित्यादाविव प्रकृतेऽपि वर्णनीयो नृपश्चन्द्र इवेत्युपमालंकारः नृपश्चन्द्र इति रूपकालंकारो वा प्रत्येतुं शक्यते, तथा चालंकारध्वनेरेवेदमुदाहरणं न वस्तुध्वनेरिति शङ्का। द्व्यर्थकं राजपदं प्रयुज्य चन्द्ररूपविवक्षितार्थगोपनायैव वक्ता नृपरूपोऽर्थ इहोपात्तः। तथा चात्रोपमा रूपकं वा वक्तुस्तात्पर्यविषयो न भवितुमर्हति यतः उपमारूपकयोः स्थले एकस्मिन् क्षण एव द्वयोरुपमानोपमेययोः प्रतीतिर्जायते, इह तु गोपनकारणस्य नृपरूपार्थस्य प्रथमं प्रतीतिः, गोपनीयस्य चन्द्ररूपार्थस्य च पश्चात्। अतो नात्रालंकारध्वनिसंभावनेति च समाधानम्।

उक्त पद्य को अलंकार-ध्वनि का उदाहरण क्यों नहीं माना जाय, यह शंका तथा उसका उत्तर अब कहते हैं—न चात्र इत्यादि। 'करतल……' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में जिस तरह 'सार्वभौमः सार्वभौम इव-अर्थात् राजा दिग्गज के समान' यह उपमा अलंकार व्यङ्ग्य माना जाता है, उसी तरह 'राज्ञो मत्……' इत्यादि प्रकृत पद्य में भी 'राजा (नृप) राजा (चन्द्र) के समान' यह उपमा व्यङ्ग्य मानी जा सकती है अथवा उपमान तथा उपमेय का अभेदरूप रूपक व्यङ्ग्य माना जा सकता है, अतः इस पद्य को अलंकारध्वनि का उदाहरण मानना उचित है, वस्तु-ध्वनि का नहीं, यह शंका यहाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ 'राज' शब्द का 'राजा'-अर्थ केवल 'चन्द्र' रूप अर्थ का गोपन करने के लिये गृहीत हुआ है, अर्थात् कवि ने अपने अभिप्राय को गुप्त रखने के लिये ही दो अर्थ वाले पद का प्रयोग किया है—उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं। अतः 'चन्द्र' रूप अर्थ की प्रतीति हो जाने के बाद 'राजा' रूप अर्थ की प्रतीति रहेगी नहीं और उपमा अथवा रूपक तब होते हैं, जब उपमान और उपमेय की प्रतीति एक साथ हो अन्यथा सादृश्य अथवा अभेद होगा किन दोनों का? तात्पर्य यह है कि—जब तक 'राज' पद का 'राजा' अर्थ प्रतीत होता रहेगा, तब तक 'चन्द्र' अर्थ नहीं ज्ञात होगा और जब 'चन्द्र' अर्थ ज्ञात हो जायगा, तब 'राजा' रूप अर्थ का भूत-पूर्व ज्ञान भ्रम (झूठ) सिद्ध हो जायगा। अतः उपमा अथवा रूपक यहाँ वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं है—वक्ता को यह अभीष्ट नहीं है कि यहाँ अलंकार व्यङ्ग्य हो।

अथैवं वाक्यभेदापत्तिर्नेत्याह—

न चासंसृष्टार्थद्वयबोधने वाक्यभेद इति वाच्यम्, तुल्यकक्षतया द्वयोरसंसृष्टयोरर्थयोः प्रतिपिपादयिषितत्व एव तस्याभ्युपगमात्। इह त्वाच्छादकप्रतीतिसमये आच्छाद्याऽप्रतीतिः; आच्छाद्यप्रतीतौ चाच्छादकन्यग्भाव एवेति नास्ति तुल्यकक्षता।

असंसृष्टेति। असंबद्धेत्यर्थः। वाक्यभेद इति। वाक्यद्वयकल्पनाप्रसङ्ग इति भावः। तुल्यकक्षतयेति। समानावस्थकतयेत्यर्थः। प्रतिपिपादयिषितत्व इति। प्रतिपादयितुमिष्ट इत्यर्थे प्रत्युपसर्गकात् ण्यन्तपद्धातोरिच्छार्थे सनि तदन्तात् क्तप्रत्यये प्रतिपिपादयिषितेति तस्य भाव इत्यर्थः। तस्य वाक्यभेदस्य। आच्छादकेति। नृपरूपार्थेत्यर्थः। आच्छाद्येति चन्द्ररूपार्थेत्यर्थः। न्यग्भावस्तिरोधानम्। राज्ञो मत्प्रतिकूलेति पद्ये प्रतीयमानयोर्नृपचन्द्ररूपयोरर्थयोर्मिथः उपमानोपमेयभावात्मकस्य अभेदात्मकस्य वा संबन्धस्यास्वीकारे तयोरर्थयोर्बोधाय वाक्यद्वयं कल्पनीयं स्यात्, 'सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थं गमयती'ति रीत्या एकस्मात् वाक्यादर्थद्वयविषयकबोधस्य सिद्धान्तविरुद्धत्वात् इति शङ्कापक्षीयाभिप्रायः। यत्र शब्दश्लेषादिस्थले समकक्षौ परस्परमसंबद्धौ द्वावर्थौ वक्तुः प्रतिपादयितुमिष्टौ, तत्रैव वाक्यद्वयकल्पनावश्यकता। इह तु आच्छादकस्य (गोपनहेतोः) नृपरूपार्थस्य प्रतीतिकाले आच्छाद्यस्य (गोप्यस्य) चन्द्ररूपार्थस्य प्रतीतिरेव न, एवम् आच्छाद्यस्य चन्द्ररूपार्थस्य प्रतीतिसमये आच्छादकस्य नृपरूपार्थस्य न प्रतीतिः। अर्थात्—नृपरूपार्थस्याभिधया पूर्वम् प्रतीतिः, चन्द्ररूपार्थस्य च व्यञ्जनया पश्चात्प्रत्यय इति न तयोस्तुल्यकक्षता. अतो न वाक्यद्वयकल्पनावसरः, अन्यथा व्यङ्ग्यस्थले सर्वत्रैव तथा कल्पना प्रसज्येतेति समाधान–पक्षाभिप्रायो बोध्यः। नागेशस्तु बाले इति संबोधनेनात्र व्यङ्ग्यस्य वाच्यायमानताकरणाच्च ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वमित्याचष्टे।

यदि आप कहें कि इस तरह से जब आप प्रकृत पद्य में नृप और चन्द्र इन दोनों अर्थों में सादृश्य अथवा अभेद—उपमा अथवा रूपक-संबन्ध नहीं मानते और दोनों ही अर्थों की प्रतीति मानते हैं, तब तो उन दो अर्थों के बोधार्थ दो वाक्य भी मानने पड़ेंगे, क्योंकि 'एक बार उच्चारित पद एक ही अर्थ का बोधक हो सकता है' इस नियम के अनुसार असंबद्ध दो अर्थों का बोध एक वाक्य से नहीं किया जा सकता। तो यह तर्क भी आपका संगत नहीं है, क्योंकि वाक्यभेद वहाँ होता है जहाँ शब्दश्लेष आदि के स्थल में—समान कक्षा (अवस्था) वाले दो अर्थों का प्रतिपादन करना, वक्ता का अभीष्ट रहता है। पर यहाँ तो दोनों अर्थ समकक्ष नहीं हैं। एक (नृपरूप) है, गोपन करने वाला और दूसरा (चन्द्ररूप) है, गुप्त होने वाला। अतः गोपक अर्थ की प्रतीति के समय में गोप्य अर्थ की प्रतीति नहीं रहती और गोप्य अर्थ की प्रतीति हो जाने पर गोपक अर्थ तिरोहित हो जाता है। यहाँ नागेश महोदय का कहना है कि 'बाले' इस संबोधन पद से गोपनीय (व्यङ्ग्य) अर्थ स्पष्ट झलकता है—वाच्य अर्थ के समान हो जाता है अतः उसके आधार पर इस पद्य को 'ध्वनिकाव्य' नहीं कहा जा सकता।

काव्यप्रकाशोक्तं शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनेरुदाहरणं परीक्षते—

काव्यप्रकाशे तु—'शनिरशनिश्च तमुच्चैः' इत्यादिकमुदाहृत्य 'अत्र विरुद्धौ द्वावपि त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्यं कुरुत इति ध्वन्यत' इत्युक्तम्। तच्च 'द्वौ शन्य-

शनी उदारानुदारौ चैकं कार्यं हननं भानं च' इति व्याख्यातृभिर्व्याख्यातम्, तत्र शन्यशन्योर्हननक्रियाकर्तृत्वान्वयेऽप्युदारानुदारयोर्भानकर्तृतत्पदार्थविशेषणयोस्तत्प्रकारविशेषणयोर्वा साक्षाद्भानकर्तृत्वान्वयाभावात् कथमेककार्यकारित्वं संगतं स्यात्।

शनिरिति। 'शनिरशनिश्च तमुच्चैर्निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र ! यस्मै त्वम्। यत्र प्रसीदसि पुनः स भात्युदारोऽनुदारश्च।' इति पूर्णम् पद्यम्। हे नरेन्द्र ! यस्मै त्वं कुप्यसि, तम्—शनिर्ग्रहविशेषः अशनिः शनिविरोधी वस्तुतो वज्रम्, उच्चैरतिशयेन, निहन्ति। यत्र पुनः—पुनः शब्दस्त्वर्थे, सप्तम्यर्थो विषयत्वम्, तथा च यत्पुरुषविषये तु इत्यर्थः। प्रसीदसि प्रसन्नो भवसि, स पुरुषो देवदत्तादिः उदारो दाता महान् वा, अनुदारः उदारविरोधी वस्तुतोऽनुगतदारः नृपदत्तैश्वर्येणाप्रवासात, सन् भातीत्यर्थः। हननं भानञ्चेति। कुरुतः इत्यनुषङ्गः। कर्तृत्वान्वये इति। कर्तृत्वस्य अन्वये संबन्धे इत्यर्थः। उदारानुदारयोरिति। तत्पदार्थयोरिति भावः। भानकर्त्रिति। भानक्रियायाः कर्ता यः पद्यस्थतत्पदस्य अर्थः बुद्धिस्थः, तस्य विशेषणयोरित्यर्थः। तत्प्रकारेति। तस्य भानकर्तृतत्पदार्थस्योद्देश्यतया विशेष्यभूतस्य, प्रकारः विशेषणीभूतो यः विधेयरूपो देवदत्तादिः, तस्य विशेषणयोरित्यर्थः। वा शब्दस्योत्तरपक्षदाढर्यसूचकतयाऽऽयमेव पक्षो युक्त इति बोध्यम्। कर्तृत्वान्वयाभावादिति। कर्तृत्वसंबन्धाभावादित्यर्थः। एवञ्च 'उदारानुदारयोरि'ति सप्तम्यन्तम् न तु षष्ठयन्तमिति भावः। पूर्वत्र शन्यशन्योरित्यपि तथैवेति बोध्यम्। मूलोद्धृतं प्रकाशग्रन्थव्याख्यानं न युक्तम्, यतस्ततो व्याख्यानात्। 'उदारानुदारौ भानरूपमेकं कार्यं कुरुतः' इत्यस्यापि वस्तुव्यङ्ग्यरूपता सिद्ध्यति, तच्च न संभवति, विचारासहत्वात्। तथाहि—शनिरशनिरित्यादिपद्ये भातीति क्रियायाः कर्ता स इति उक्तः, तस्य विशेषणम् उदारोऽनुदारश्चेति, अथवा स इत्युद्देश्यस्य साक्षात् विशेषणं देवदत्तादिर्विधेयः, तस्य विशेषणमुदारादिः. उभयथापि भानक्रियाकर्तृत्वस्य उदारानुदारपदार्थयोर्न साक्षात् संबन्धः। शन्यशन्योस्तु हननक्रियाकर्तृत्वस्य संबन्धोऽस्तीति तदंशमादाय 'विरुद्धौ द्वावपी'त्यादिप्रकाशग्रन्थस्य संगतावपि व्याख्याग्रन्थोऽसंगत एवेति भावः।

अब काव्यप्रकाशोक्त, शब्दशक्तिमूलध्वनि के उदाहरण पर विचार करते हैं—काव्य इत्यादि। काव्यप्रकाश में 'शनिरशनिश्च······' इत्यादि—जो संस्कृत टीका में उद्धृत है—पद्य शब्दशक्तिमूलक वस्तु-ध्वनि का उदाहरण कहा गया है। कवि का कथन है—हे राजन्! आप जिसके ऊपर क्रुद्ध होते हैं, उसको शनि (ग्रहविशेष) और 'अशनि' (शनि का विरोधी वस्तुतः वज्र) दोनों मारते हैं। और आप जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं वह उदार (दानशील) तथा अनुदार (उदार से भिन्न, वस्तुतः अनु=अनुगत दारा=पत्नी वाला) शोभित होता है अर्थात् आपके दान से धनी होकर प्रवासी नहीं होता अतः उसे वियोगजन्य कष्ट कभी नहीं सहना पड़ता। इस उदाहरण का उल्लेख करके काव्यप्रकाश में कहा गया है कि—"इस श्लोक में 'विरोधी भी दोनों तुम्हारी अनुवृत्ति के लिये एक कार्य करते हैं' यह बात व्यक्त होती है।" और व्याख्याकारों ने इसकी यह व्याख्या की है—'दोनों शनि और अशनि एवम् उदार और अनुदार। एक-कार्य=मारना और सुशोभित होना।' अब यहाँ पण्डितराज का कथन है कि उक्त व्याख्या ग्रन्थसंगत नहीं प्रतीत होती, कारण, उससे जो यह अभिप्राय निकलता है कि

'उदार तथा अनुदार शोभारूप एक कार्य को करते हैं' यह वस्तु भी यहाँ व्यङ्ग्य होती है, वह अनुचित है, क्योंकि शनि और अशनि में मारना क्रिया के कर्तृत्व का संबन्ध है, अतः उन दोनों का 'मारना' रूप एक कार्य यद्यपि हो सकता है, तथापि दूसरी क्रिया 'सुशोभित होना' का कर्ता 'वह' है, उदार और अनुदार नहीं, उदार और अनुदार तो 'वह' पद के अर्थ (बुद्धिस्थ) के, अथवा उसके अर्थ के विशेषण (देवदत्त आदि तत्पदार्थ के विधेय) के विशेषण हैं। अतः उनका 'सुशोभित होना' रूप क्रिया के साथ साक्षात् संबन्ध न हो सकने के कारण 'एक कार्य करने वाला होना' नहीं बन सकता अर्थात् 'उदार' और 'अनुदार' जब 'सुशोभित होना' क्रिया के कर्ता ही नहीं हैं, किन्तु कर्ता के विशेषण अथवा उसके विशेषण के विशेषण हैं, तब 'शोभित होना' उनका कार्य नहीं हो सकता।

प्रकाशग्रन्थस्याशयं स्पष्टीकरोति—

अतो विरुद्धौ द्वावित्यादि प्रथमार्धविषयम्। द्वितीयार्धे तु विरोधाभास एव।

अयं भावः—उक्तपद्ये 'शनिरशनिरि'त्यंशे विरोधाभासालंकारो न संभवति, एकधर्मिगतत्वेन विरुद्धनिर्देश एव तथास्वीकारात्। चशब्दः समुच्चयार्थक एव। एवञ्च पद्यप्रथमार्धभागस्य 'विरुद्धौ द्वौ (शन्यशनी) त्वदनुवर्तनार्थम् हननरूपमेकं कार्यं कुरुतः' इति वस्तुव्यञ्जकत्वं संभवति। उत्तरार्धभागे तु न वस्तुध्वनिसंभावना, तत्र पूर्वोक्तरीत्यैककार्यकरणाप्रतीतेः। किं तु उदारः अनुदारस्तस्मिन्न इत्येवं विरोधालंकारध्वनिरेव। चकारस्य समुच्चयार्थकत्वात्। अप्यर्थकत्वे तु विरोधस्य वाच्यतैव। विरोधपरिहारस्तु अनुगतदार इत्यर्थकरणेन इति।

प्रकाशग्रन्थ के आशय को स्पष्ट करते हैं—अतः इत्यादि। उक्त अनुपपत्ति से यह मानना पड़ता है कि प्रकाशकार ने जो उक्त पद्य में 'विरोधी भी दो पदार्थ आपके अनुसरण के लिये एक कार्य करते हैं' इस तरह के व्यङ्ग्य की बात कही है, वह पद्य के पूर्वार्ध के विषय में ही, उत्तरार्ध के विषय में नहीं अर्थात् उक्त पद्य के 'शनिरशनि······' इत्यादि पूर्वार्ध में विरोधाभास अलंकार व्यङ्ग्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि एक धर्मी में दो विरुद्ध पदार्थों के निर्देश करने पर ही वह होता है—जो यहाँ नहीं है। 'च' शब्द यहाँ समुच्चयार्थक है, विरोधार्थक नहीं। इस स्थिति में उस अंश से उक्त वस्तु का व्यङ्ग्य होना मानने योग्य होता है। पर पद्य के उत्तरार्ध भाग में वस्तुध्वनि की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उस अंश में 'उदार तथा अनुदार' का एककार्यकारित्व प्रतीत नहीं हो सकता, यह पहले कहा जा चुका है। अतः उत्तरार्ध में 'विरोधाभास अलंकार' ही व्यक्त होता है, ऐसा मानना चाहिए अर्थात् 'उदार अनुदार है' यह विरोध—जिसका पीछे 'अनुगतदारावाला' अर्थ से परिहार हो जाता है—पहले प्रतीत होता है, अतः विरोधाभास अलंकार की अभिव्यक्ति मानी जायगी। पर यह बात भी 'च' पद को समुच्चयार्थक मानने पर ही उचित होगी, यदि 'च' को 'अपि' के तुल्य मानकर विरोध को वाच्य बना दिया जाय, तब विरोधाभास व्यङ्ग्य नहीं, वाच्य होगा। सारांश यह हुआ कि उक्त व्याख्या-ग्रन्थ असंगत ही है।

उक्तव्याख्याग्रन्थस्यापि संगतिं कुर्वन् तैरनुक्तं तत्रत्यं विशेषं प्रदर्शयति—

कर्तृत्वभेदेनान्वयमात्रेण कुरुत इत्यस्योपपत्तिश्चेत् ? अस्तु द्वितीयार्धेऽपि विरुद्धौ द्वावित्यादि वस्तु व्यङ्ग्यम्। परं त्वर्धद्वयेऽपि विरोधाभासालंकारशबलितमेव। शत्रुविरुद्धस्य शत्रुत्वासंभवादेकस्य शन्यशनिकर्तृकहननकर्म-

त्वायोगेनाद्यार्धे उदारत्वानुदारत्वयोरेकाधिकरणवृत्तित्वायोगाद् द्वितीयार्धे च विरोधस्य स्फुटत्वात्।

कर्तरीति। तत्पदार्थे इत्यर्थः। अन्वयेति। उदारानुदारपदार्थयोरिति भावः, उपपत्तिः संगतिः। अर्धद्वयेति। पूर्वार्धे उत्तरार्धे चेत्यर्थः। शबलितम् मिलितम्। उक्तवस्तुव्यङ्ग्य-मित्यनुषङ्गः। शत्रुविरुद्धस्येत्यादि। शत्रुविरोधी शत्रुर्न भवति, अपितु मित्रमेवेति भावः। भानक्रियाकर्तरि तत्पदार्थेऽभेदसंबन्धेनान्वितयोरुदारानुदारपदार्थयोरपि भानक्रियायाम-न्वयलाभे उक्तपद्यस्योत्तरार्धेऽपि वस्तुध्वनिः संभवति। एवञ्च प्रागुक्तप्रकाशग्रन्थो न पूर्वार्धमात्रविषयकोऽपि तूत्तरार्धविषयकोऽपि। एवं तद्व्याख्याग्रन्थोऽपि पूर्वोद्धृतः संगत एवेति चेत्? सत्यम्। परन्तु अर्धद्वयेऽपि विरोधाभासालंकारमिश्रितवस्तुध्वनिरेव न केवलवस्तुध्वनिः। एवञ्च वस्तुध्वनिमात्रमुल्लिखन् प्रकाशकारः, विरोधाभासालंकारमिश्रण-मव्याचक्षाणः, पूर्वार्धे विरोधाभासालंकारसंभावनाविरहं प्रतिपादयन् वा व्याख्याता स्थूल-दृष्टिरेव। अथ कथं पूर्वार्धे विरोधाभासः, अलंकारत्वमूलयुक्तिस्वरूपैकधर्मिकविरुद्धनिर्देशा-भावस्योक्तत्वादिति चेन्न, शन्यशन्योर्विरोधस्यालंकारत्वासंभवेऽपि विरोधिशत्रोर्विरोध्यन्तर-मित्रत्वादेकस्य विरोधिद्वयकर्तृकहननकर्मत्वायोगेन तमिति पदवाच्ये एकस्मिन् शनिकर्तृकहन-नकर्मत्वस्य, शनिविरोध्यशनिकर्तृकहननकर्मत्वस्य च विरोधस्य तथाभूततयाऽऽलंकारत्वात्। शन्यशन्योर्विरोध एव कथं प्रतीयेतेति न वाच्यम्, अशनिरित्यत्र नञो विरुद्धार्थकत्वात्। न चैवं विरोधस्य वाच्यतैवेति शंक्यम्, शन्यशन्योर्विरोधस्य वाच्यत्वेऽपि तन्मूलकहननक-र्मत्वयोर्विरोधस्य व्यङ्ग्यत्वात्। व्यङ्ग्यविरोधपरिहारस्तु राज्ञः अप्रतिहताज्ञत्वज्ञानप्रयुक्त इति बोध्यम्। केचित्तु विरोधिनोरपि एकशत्रुसंभवान्न तादृशहननकर्मत्वयोर्विरोध इत्याहुः। उदारत्वानुदारत्वयोर्विरोधः तत्परिहारश्चानुपदं पूर्वप्रकरणे दर्शित एवेति तत एव ज्ञेयम्।

अब उक्त व्याख्या ग्रन्थ को भी संगत सिद्ध करते हुए इस प्रसंग पर प्राचीनों से अकथित कुछ विशिष्ट बातों को कहते हैं—कर्तृ इत्यादि। 'शोभित होना' रूप क्रिया का कर्ता है तत्पद का अर्थ और उसमें अभेद संबन्ध से अन्वित होते हैं 'उदार तथा अनुदार' पद के अर्थ, इस तरह से 'उदार' और 'अनुदार' पद के अर्थों का भी शोभित होना रूप एक क्रिया का करना बन सकता है अतः उक्त व्याख्याग्रन्थ भी ठीक है तथा 'विरोधी भी दोनों······' इत्यादि मूलग्रन्थ भी पूर्वार्धमात्रविषयक न होकर उत्तरार्ध-विषयक भी हो सकता है अर्थात् उत्तरार्ध में भी 'विरोधी दो पदार्थ आपके अनुवर्तनार्थ एक कार्य करते हैं' यह वस्तु व्यङ्ग्य माना जा सकता है, ऐसा यदि कहा जाय, तो ग्रन्थकार उसको स्वीकृत करते हैं। उनका कथन है कि पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों भागों से उक्त वस्तु व्यङ्ग्य होती है अवश्य, परन्तु विरोधाभास अलंकार से मिश्रित वस्तु व्यङ्ग्य होती है, शुद्ध वस्तु व्यङ्ग्य नहीं। अतः केवल वस्तुध्वनि की बात लिखनेवाले प्रकाशकार तथा विरोधाभास के मिश्रण वाली बात की व्याख्या नहीं करने वाले अथवा पूर्वार्ध में विरोधाभास की संभावना नहीं है ऐसा कहनेवाले व्याख्याकार दोनों ही स्थूल दृष्टि वाले हैं। यदि कहा जाय कि पूर्वार्ध में विरोधाभास अलंकार की बात आप कैसे कहते हैं? क्योंकि एक धर्मी में दो विरुद्ध बातों का निर्देश रहने पर वह होता है यह पहले कहा जा चुका है, तो मैं कहूँगा, ठीक है, इस नियम के अनुसार शनि और अशनि का विरोध अलंकाररूप नहीं हो सकता, क्योंकि शनित्व और अशनित्व का निर्देश एक-

धर्मी में नहीं किया गया है। परन्तु शत्रु का विरोधी शत्रु नहीं हो सकता अर्थात् जिन दो व्यक्तियों में विरोध रहता है, उन दोनों में से किसी एक का जो तृतीय विरोधी होगा, वह अन्य का मित्र ही हो सकता है शत्रु नहीं। इस स्थिति में परस्पर विरोधी दो का एक कोई वध्य नहीं हो सकता, अतः 'तम्' पद के अर्थ में जो शनिकर्तृकहननकर्मता और शनिभिन्न (अशनि) कर्तृक-हनन कर्मता यहाँ वर्णित है, वह विरुद्ध है, साथ साथ यह विरोध एकधर्मिक भी है अतः उस विरोध के आधार पर पूर्वार्ध में भी विरोधाभास अलंकार मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। यदि आप कहें कि यह विरोध (जिसको अलंकाररूप मानते हैं) तब सिद्ध हो सकता है, यदि पहले शनि और अशनि में विरोध सिद्ध हो जाय, पर वह प्रथम विरोध ही कैसे सिद्ध होगा? तो इसका उत्तर है कि अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि 'न शनिः = अशनिः' यहाँ नञ् विरोधार्थक है। यदि आप कहें कि तब तो विरोध वाच्य ही हो गया, आप उसको व्यङ्ग्य बतला रहे हैं, वह कैसे? तो मैं कहूँगा नहीं जी, उस विरोध को मैं व्यङ्ग्य नहीं बतलाता, वह तो वाच्य है ही, परन्तु तन्मूलक उक्त हनन-कर्मता के विरोध को मैं व्यङ्ग्य बतला रहा हूँ, जो सर्वथा उपयुक्त है। राजा अप्रतिहत आज्ञा वाला है अतः उसके भय से दो परस्पर विरोधी व्यक्ति भी एक तृतीय का हनन कर सकते हैं, इस बात के ज्ञान से उक्त व्यङ्ग्यविरोध का परिहार होता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 'दो परस्पर विरोधी का भी एक तीसरा शत्रु हो सकता है अतः उक्त हनन-कर्मता-द्वय में कोई विरोध नहीं है'। उदार और अनुदार में जो विरोध है तथा उसका जिस तरह से परिहार होता है, वे सब बातें पूर्वप्रतीक की व्याख्या में लिखी जा चुकी हैं।

अर्थशक्तिमूलध्वन्युदाहरणप्रसङ्गे प्रथमं स्वतःसंभविना वस्तुना वस्तुध्वनिमुदाहरति—

अर्थशक्तिमूलानुरणनं यथा—

'गुञ्जन्ति मञ्जु परितो गत्वा धावन्ति संमुखम्।
आवर्तन्ते विवर्तन्ते सरसीषु मधुव्रताः॥

कश्चन नायकः काञ्चिन्नायिकां कथयति—मधुव्रता मधु एव व्रतयन्ति स्वभोज्यत्वेन प्रतिजानन्तीति ते भ्रमरा इत्यर्थः, एतेन भ्रमराणां वर्तमानमध्वलाभजन्यवैकल्यं, भावितल्लाभसंभावनजन्यहर्षातिरेकश्च ध्वन्यते। परितः चतुर्दिक्षु, अनेन मधुव्रतानां मधुगवेषणव्यग्रता व्यज्यते। मञ्जु मनोहरम्, गुञ्जन्ति, गत्वा दूरमुपेत्येति भावः, भ्रमरस्वभावोक्तिरियम्। संमुखं सरस्या इति भावः, धावन्ति वेगेनापतन्तीति भावः। (एवंरीत्या) सरसीषु सरोवरेषु आवर्तन्ते आगच्छन्ति, विवर्तन्ते परावर्तनं कुर्वन्ति चेत्यर्थः।

अब अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के उदाहरण-प्रदर्शन के प्रसङ्ग में पहले स्वतःसंभवी वस्तु से वस्तु-ध्वनि का उदाहरण दिखलाया जा रहा है—अर्थ इत्यादि। कोई नायक किसी नायिका से कहता है—मधुव्रत-जिन्होंने केवल मधु-पान करने का व्रत ले रक्खा है—अर्थात् भ्रमर, (यहाँ मधुव्रत पद से कवि को यह व्यक्त करना है कि—सम्प्रति मधु के लाभ नहीं होने से वे विकल हैं, और भावी मधुलाभ की आशा से प्रसन्न भी हैं) चारों तरफ (इससे मधुव्रतों की मधुगवेषणाजन्य व्यग्रता सूचित होती है) मनोहर गुञ्जन कर रहे हैं, दूर जाकर फिर उसी तरफ दौड़ रहे हैं, इस तरह बार बार सरोवरों में आते और जाते हैं।

उपपादयति—

अत्र मधुव्रतकर्तृकमञ्जुगुञ्जनाद्यैर्वस्तुभिः कविकल्पितत्वविरहेण स्वतःसंभविभिरासन्नसरसिजोत्पत्तिध्वननद्वारा शरदागमनैकट्यरूपं वस्तु व्यज्यते ।

गुञ्जन्तीति पद्ये वाच्यवृत्त्या वर्णितानि मधुव्रतकर्तृकमञ्जुगुञ्जनादीनि वस्तूनि स्वतःसंभवीनि न तु कविकल्पितानि, तैश्च प्रथमं सरसि सरोजानामुत्पत्तिरासन्नेति व्यज्यते तद्द्वारा च शरदृतोरागमो निकट इति ध्वन्यते, तथा च भवतीदं पद्यं स्वतःसंभविना वस्तुना वस्तुध्वनेरुदाहरणमिति भावः ।

उक्त पद्य में प्रकृतोपयोगी विषयों का प्रतिपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में वाच्यवृत्ति (अभिधा) के द्वारा जो भ्रमरों के गुञ्जन आदि वर्णित हुए हैं, वे सबके सब स्वतःसंभवी—संसार में स्वाभाविक रूप से होने वाले—हैं अर्थात् कवि-कल्पित नहीं हैं। उन वस्तुओं से पहले यह व्यक्त होता है कि 'अब सरोवरों में कमलों की उत्पत्ति होने ही वाली है—निकट है, और इस व्यङ्ग्य के द्वारा बाद में यह ध्वनित होता है कि शरद् ऋतु का आगमन अब सन्निहित (नजदीक) है ।

काव्यप्रकाशोक्तं स्वतःसम्भविना वस्तुना वस्तुध्वनेरुदाहरणमालोचयति—

काव्यप्रकाशे तु—'अलससिरोमणिधुत्ताणं अग्गिम—' इत्याद्युदाहृत्य 'ममैवोपभोगयोग्य इति वस्तु व्यज्यते' इत्युक्तम् । तत्र केन वस्तुनेदं वस्तु व्यज्यते ? न तावदलसशिरोमणित्वादिकान्तविशेषणैः, तेषां धात्र्यादिवृद्धस्त्रीनिरूपितत्वेन तवैवोपभोगयोग्य इत्यादिरूपेणैव व्यङ्ग्यस्य वक्तव्यतापत्तेः । विशेषणानां कामिनीनिरूपितत्वे तु ममैवेत्यादिव्यङ्ग्याकारः स्यात् । नापि परिफुल्लविलोचनत्वेन, तस्य हर्षभावानुभावत्वेन हर्षव्यञ्जकताया एव क्लृप्तत्वात् । मदुपभोगयोग्यत्वं हि हर्षभावस्य विभावः । न ह्यनुभावैर्विभावो व्यज्यत इति तद्विभावव्यञ्जनं शक्यं वक्तुम् । केवलस्य परिफुल्लविलोचनत्वस्य ममैवेत्यादिव्यङ्ग्यव्यञ्जने सामर्थ्याभावात् । पुत्रागमनधनप्राप्त्यादिविभावकेऽपि हर्षभावे परिफुल्लविलोचनताया अनैकान्तिकत्वादिति ।

अलससिरोमणिधुत्ताणमग्गिमो पुत्ति धणसमिद्धिमओ ।
इअ भणिएण णअङ्गी पप्फुल्लविलोअणा जाआ ॥ इति पूर्णा गाथा ।
अलसशिरोमणिर्धूर्तानामग्रणीः पुत्रि धनसमृद्धिमयः ।
इति भणितेन नताङ्गी परिफुल्लविलोचना जाता ॥ इति तच्छाया ।

अलसशिरोमणिरिति । पतिंवरां प्रति धात्र्याः प्ररोचनोक्तिः पूर्वार्धम्, उत्तरार्धं तु कवेः । प्रकरणाच्चायमित्यध्याहारः । 'हे पुत्रि ! अनेन स्वस्य तदीयहितचिन्तकत्वं ध्वन्यते । अयं वरोऽलसानां निरुद्योगानां, शिरोमणिः श्रेष्ठः, धूर्तानां शठानाम् , अग्रणीः प्रधानः, धनसमृद्धिमयः धनसमृद्धिप्रचुरः'इति भणितेन भाषणेन, नताङ्गी काचन कुमारी, परिफुल्ले हर्षविकसिते विशिष्टे लोचने यस्याः, तादृशी जाता अभूदित्यर्थः । अत्रालसत्वेनान्यत्र गमनाभावः, धूर्तत्वेन संभोगे गुणानादरः, अतृप्तत्वं वा, धनसमृद्धिमयत्वेन कृपणतया परस्मै अदातृत्वम्, स्वस्यै दातृत्वं वा धनोपार्जनहेतुकप्रवासाभावो वा, व्यज्यते । एतद्व्यङ्ग्यज्ञानेन नायिकाया हर्षोऽभूत् , तत्सूचनायैव परिफुल्लविलोचनेति नायिकाविशेषणम् । अत्र 'ममैवोपभोगयोग्य-

इति वस्तु व्यज्यते' इति यदुक्तं काव्यप्रकाशकृता तत्र विचार्यते—तत्र केनेत्यादिना । तत्पद्यप्रतिपादितेन केन वस्तुनेत्यर्थः । धात्र्यादीति । पुत्रीत्यामन्त्रणेन तेषां तन्निरूपितत्वमिति भावः । कामिनीनिरूपितत्वे इति । पुत्रिभणितेनेत्यनयोः पदयोः पद्येऽप्रवेशे तथा संभवः । तस्येति । परिफुल्लविलोचनात्वस्येत्यर्थः । हर्षभावानुभावत्वेनेति । हर्षाख्यव्यभिचारिभावकार्यत्वेनेत्यर्थः । विभावः कारणम् । तत्सत्त्व एव हर्षोदयात् । नहीत्यस्य वक्तुं शक्यमित्यत्रान्वयः । तद्विभावेति । हर्षादिभावविभावेत्यर्थः । हिपदसूचितमशक्यत्वे हेतुमाह—केवलस्येति । विशिष्टस्य तत्त्वं तु सिद्धान्तसिद्धमिति भावः । विलोचनताया इति । सत्त्वेन तस्या इति शेषः । अनैकान्तिकत्वाद् व्यभिचारित्वात । यदि प्रकृतपद्ये पुत्रीत्यामन्त्रणं भणितेनेति कव्युक्तित्वसाधकञ्च पदद्वयन्नाभविष्यत्, तदा कामिन्याः स्वगतोक्तिरेव पद्यमेतदभविष्यत् । तथात्वे चालसशिरोमणिरित्यादिकान्तविशेषणानि कामिनीनिरूपितानि स्युः । तदैव च तेभ्यो विशेषणेभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्ग्यस्य ममैवेत्यादिप्रकाशोक्त आकारो भवेत् । तयोः पदयोः सत्त्वे तु प्रकृतपद्यघटककान्तविशेषणानि धात्रीनिरूपितानि, एवञ्च तेभ्यः ज्ञायमानस्य व्यङ्ग्यस्य तवैवोपभोगयोग्य इत्येवाकारो भवेन्न तु ममैवेति । अथ कामिनीनिष्ठेन प्रफुल्लविलोचनत्वेन व्यङ्ग्यावगतौ स्वीक्रियमाणायां व्यङ्ग्यस्य तदाकारता संभवति, नेत्याह—नापीति । प्रफुल्ललोचनत्वन्नाम हर्षस्य कार्यम्, मदुपभोगयोग्यत्वञ्च हर्षस्य कारणम् । एवञ्च प्रफुल्लविलोचनत्वेन कार्येण स्वकारणस्य हर्षस्याभिव्यक्तिसंभवेऽपि स्वकारणकारणस्य मदुपभोगयोग्यत्वस्याभिव्यक्तिर्न संभवति । कथमिति चेत् ? श्रूयताम्—हर्षं विनाऽऽनुपपद्यमाने प्रफुल्लविलोचनत्वं हर्षं व्यङ्क्तुं शक्नोति, न तु मदुपभोगयोग्यत्वं वस्तु, व्यञ्जकव्यङ्ग्ययोर्द्वारभूतस्य हर्षस्य मदुपभोगयोग्यत्वातिरिक्तपुत्रागमनादिनापि संभवेन प्रफुल्ललोचनतायाः मदुपभोगयोग्यत्ववस्तुव्यञ्जनेऽसामर्थ्यादिति भावः ।

अब 'काव्यप्रकाश' में कथित, अर्थशक्तिमूलक स्वतःसंभवि वस्तु से वस्तुध्वनि के उदाहरण की पर्यालोचना करते हैं—काव्यप्रकाशे तु इत्यादि । काव्यप्रकाश में 'अलस शिरोमणि······' इत्यादि पद्य—जो संस्कृत टीका में उद्धृत है—को स्वतःसंभवी वस्तु से वस्तुध्वनि का उदाहरण कहा गया है । यह पद्य, स्वयंवर के समय में, विवाह के इच्छुक उपस्थित युवकों का परिचय करानेवाली धाय (उपमाता) के द्वारा, वरण करनेवाली कन्या के प्रति, कहा गया है । धाय, कन्या से कहती है कि—'हे पुत्रि ! (इस संबोधन से कन्या के प्रति धाय की 'हितेच्छुता अभिव्यक्त होती है) यह (वर) आलसियों का शिरोमणि, धूर्तों में प्रधान और धन-समृद्धि से परिपूर्ण है ।' बस धाय का इतना कहना था कि उस नताङ्गी की आँखें खिल उठीं । (यह उत्तरार्ध कवि का कथन है) यहाँ 'अलसशिरोमणि' इस विशेषण से नायक का अन्यत्र गमनाभाव, 'धूर्ताग्रगण्य' से संभोग में गुणों का ध्यान न रखना अथवा संभोग से तृप्ति का अनुभव न करना, 'धन-समृद्धिमय' से कृपणता तथा तद्द्वारा दूसरे को कुछ न देना अथवा अपने को यथेच्छ चीजों का देना किंवा धन-उपार्जन के लिये विशेष-वास की आवश्यकता का न होना व्यक्त होते हैं । इन व्यङ्ग्यों का ज्ञान होने से कन्या को हर्ष हुआ, जिसकी सूचना नायिका के नयन-विकास के वर्णन से मिलती है । इस उदाहरण पर प्रकाशकार कहते हैं—'इस पद्य से 'यह वर' मेरा ही उपभोग्य है, यह 'वस्तु' ध्वनित होती है ।' यहाँ काव्यप्रकाशकार से यह प्रष्टव्य है कि उक्त वस्तु किस वस्तु से ध्वनित होती है ? 'आलसियों के

शिरोमणि' इत्यादि नायक के विशेषणों से तो यह वस्तु ध्वनित हो नहीं सकती। क्योंकि वे विशेषण धाय आदि किसी वृद्धा स्त्री के द्वारा कहे गए हैं, अतः यदि उन विशेषणों से ध्वनित होता तो व्यङ्ग्य का आकार 'तेरा ही उपभोग-योग्य है' ऐसा होता, 'मेरा इत्यादि' नहीं। यह आकार तो व्यङ्ग्य का तब होता, यदि वे विशेषण नायिका के द्वारा कहे गए होते अर्थात् इस पद्य में यदि 'पुत्रि' और 'भणितेन' ये दोनों पद न होते, तब यह पद्य नायिका की स्वगत उक्ति के रूप में समझा जाता और उस स्थिति में 'अलसशिरोमणि' इत्यादि विशेषण नायिका के द्वारा कहे गए समझे जाते। पर जब वे दोनों पद हैं, तब तो वे विशेषण नायिका से अन्य किसी के द्वारा कहे गए ही समझे जा सकते हैं। यदि आप कहें कि नायिका का जो 'परिफुल्लविलोचना' यह विशेषण दिया गया है, उससे अर्थात् नायिका के नयन-विकास के वर्णन से अभिव्यक्ति मानने पर व्यङ्ग्य का वह आकार हो सकता है, तो यह भी उचित नहीं। क्योंकि नयन-विकास, हर्ष का कार्य है अतः नयन-विकास-रूप कार्य से हर्षरूप-कारण का ही ध्वनित होना निश्चित है, अन्य वस्तु का नहीं। यदि आप यह कहना चाहें कि नयन-विकास का कारण हर्ष है, और हर्ष का कारण 'मदुपभोगयोग्यत्व' है, फिर जिस तरह नयन-विकास से उसके कारण हर्ष की अभिव्यक्ति मानते हैं, उसी तरह उस कारण के कारण 'मदुपभोगयोग्यत्व' का भी अभिव्यक्ति मान लेने में क्या आपत्ति है? तो मैं कहूँगा कि और कोई आपत्ति तो नहीं है, परन्तु नयन-विकास में, अपने कारण (हर्ष) के कारण (उपभोग) की अभिव्यक्ति करने की सामर्थ्य नहीं है, अतः वह हो नहीं सकती, यही आपत्ति है। सामर्थ्य क्यों नहीं है इस शंका का उत्तर तो स्पष्ट है कि नयन-विकास उपभोग का व्यभिचारी है अर्थात् नयन-विकास हर्ष से होता है यह निश्चित है, पर यह निश्चित नहीं है कि वह हर्ष उपभोग योग्यता के ज्ञान से ही हुआ हो — पुत्र के आगमन, धन की प्राप्ति आदि अनेक कारण हैं, जितने उत्पन्न हर्ष की अवस्था में नयन विकास हो सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि नयन-विकास हर्ष के बिना नहीं होता अतः उससे हर्ष की अभिव्यक्ति होती है, पर उस हर्ष के कारण—जब कि वे अनेक हो सकते हैं—की निश्चित रूप से, अभिव्यक्ति, नयन-विकास से, नहीं हो सकती है।

उक्तशंकाया युक्ततामाह—

सत्यम्।

उक्ता शंका समुचितेति भावः।

उक्त आशंका सर्वथा समुचित है।

उक्तशंकायाः समुचितत्वेऽपि प्रकाशग्रन्थस्य सुसंगतमभिप्रायं प्रकटयति—

'इअ भणिएण' इत्याद्यर्थवशप्रापितालसशिरोमणित्वादिविशेषणश्रवणविशिष्टप्रफुल्लविलोचनत्वेन मदुपभोगयोग्यत्वलक्षणविभावाभिव्यक्तिद्वारा हर्षभावोऽभिव्यज्यते। तत्र द्वारीभूतविभावाभिव्यक्तिमादाय काव्यप्रकाशग्रन्थसंगतिः।

इअ भणीति। इति भणितेनेत्यादिपद्योत्तरार्धगतपदानां योऽर्थस्तद्वशेन तद्बलेन प्रापितं साधितं यत् अलसशिरोमणिरित्यादिकान्तविशेषणानां नताङ्गीकर्तृकं श्रवणं, तद्विशिष्टप्रफुल्लविलोचनत्वधर्मेणेति भावः। वैशिष्ट्यञ्चात्र सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन बोध्यम्। विभावेति। हर्षाख्यभावकारणेत्यर्थः। द्वारीभूत इति। मध्यगत इत्यर्थः। अयमाशयः—केवलेन प्रफुल्लविलोचनत्वेन हर्षस्यैवाभिव्यक्तिः संभवति, न तु मदुपभोगयोग्यत्वस्य, परमत्र

न केवलं प्रफुल्लविलोचनत्वं व्यञ्जकम्, अपि तु अलसशिरोमणित्वादिकान्तविशेषणश्रवणसहकृतमेव। ननु किमिह पद्ये तादृशश्रवणसहकारप्रापकमिति चेन्न, इति भणितेनेत्युक्त्या तद्विशेषणश्रवणानन्तरमेव नायिकाया विलोचने प्रफुल्ले इत्यर्थप्रतीतेः। तथा च तादृशेन विशिष्टेन धर्मेण प्रथमं हर्षस्य कारणीभूतं मदुपभोगयोग्यत्वमेव व्यज्येत, तद्व्यञ्जनद्वारा च पश्चात् हर्षभावोऽप्यभिव्यज्येत। केवलस्य प्रफुल्लविलोचनत्वस्य पुत्रागमनादिविभावके हर्षभावेऽपि सत्त्वेन मदुपभोगयोग्यत्वापेक्षया व्यभिचरितत्वेऽपि विशिष्टस्य तस्य न तदपेक्षया व्यभिचरितत्वमिति सारांशः। इत्थञ्च हर्षभावस्य चरमव्यङ्ग्यत्वेऽपि मध्यगतस्य द्वारभूतस्य मदुपभोगयोग्यत्वरूपस्य व्यङ्ग्यस्याश्रयणं विधाय प्रकाशग्रन्थसंगतिर्विधेयेति।

अब प्रकाशग्रन्थ के सुसंगत अभिप्राय का वर्णन करते हैं—इअ इत्यादि। अभिप्राय यह है कि केवल नयन-विकास से 'हर्ष' की ही अभिव्यक्ति हो सकती है, मदुपभोग-योग्यत्व की नहीं, यह सर्वथा सत्य है। परन्तु यहाँ केवल नयन-विकास व्यञ्जक नहीं है अपि तु 'अलसशिरोमणि' इत्यादि जो कान्त के विशेषण हैं, उनके श्रवण से सहकृत नयन-विकास व्यञ्जक है और उस श्रवण को सहकारी रूप में उपस्थित करता है, पद्य में आया हुआ 'इति भणितेन-धाय का इतना कहना था कि'—यह पद। इस तरह श्रवण से विशिष्ट नयन-विकास से पहले हर्ष का विभाव (कारण) 'मदुपभोगयोग्यत्व' (मेरा उपभोग्य है) व्यक्त होता है, तदुत्तर उस कारण की अभिव्यक्ति के द्वारा उसका अनुभाव (कार्य) 'हर्ष' अभिव्यक्त होता है। उनमें से हर्षरूप व्यभिचारी भाव की अभिव्यक्ति में द्वारभूत विभाव (हर्षभाव का कारण मदुपभोगयोग्यत्व) की अभिव्यक्ति को लेकर काव्यप्रकाशग्रन्थ संगत हो जाता है। अर्थात् काव्यप्रकाशकार का आशय है कि धाय के कहे हुए 'अलसशिरोमणि' इत्यादि नायक के विशेषणों के सुनने के साथ नेत्र के खिल उठने से प्रथमतः नायिका का यह अभिप्राय ध्वनित होता है कि 'यह मेरे ही उपभोग के योग्य है' और उसके बाद हर्षभाव। काव्यप्रकाशकार के इस आशय को समझ लेने के बाद कोई आपत्ति नहीं रह जाती अर्थात् व्यञ्जक में व्यभिचार-दोष जो दिया जाता था, वह अब नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध नयन-विकास, पुत्र आदि के आगम प्रभृति कारणों से उत्पन्न हर्ष की दशा में भी होता है, अतः वह मदुपभोग-योग्यत्व का व्यभिचारी भले ही हो, पर उन नायक-विशेषणों के सुनने के साथ होने वाला नयन-विकास तो अन्य कारणजन्य हर्ष की दशा में नहीं होता—अपि तु 'यह मेरा उपभोग्य है' इस तरह के ज्ञान से उत्पन्न हर्ष की स्थिति में ही होता है, अतः वह विशिष्ट-नयन-विकास उसका व्यभिचारी नहीं—समनियत है।

पूर्वोक्तरीत्याऽभिव्यक्त्याश्रवणे संभवन्तीं भावध्वनेः संलक्ष्यक्रमत्वापत्तिमिष्टापत्त्या परिहरति—

न च भावध्वनेः संलक्ष्यक्रमत्वापत्तिः, द्वारस्य संलक्ष्यक्रमत्वादिति वाच्यम्; इष्टापत्तेः। न चापसिद्धान्तः, तस्य प्रागेवोद्धारात्।

भावध्वनेरिति। हर्षभावध्वनेरित्यर्थः। द्वारस्येति। हर्षकारणमदुपभोगयोग्यत्वाभिव्यक्तिरूपस्येत्यर्थः। अपसिद्धान्तः सिद्धान्तविरोधः। तस्येति। अपसिद्धान्तत्वस्येत्यर्थः। तथा च सिद्धान्त एवायमिति भावः। मदुपभोगयोग्यत्वलक्षणविभावाभिव्यक्तिद्वारा प्रफुल्लविलोचनत्वेन हर्षभावाभिव्यक्तौ स्वीकृतायाम् 'भावशान्त्यादिरक्रमः' इति सिद्धान्तविरोधः,

क्रमस्य लक्ष्यत्वादिति यद्यपि सत्यम् , तथापि क्वचित् संलक्ष्यक्रमोऽपि रसादिर्भवतीति प्रथमाननान्तभागोक्तस्वसिद्धान्तेन तस्य सिद्धान्तस्य संकुचितविषयत्वबोधनेन किञ्चिद्-समञ्जसमिति भावः । एतद्विषयको विशदो विचारो मत्कृतप्रथमानन हिन्दीटीकायां द्रष्टव्यः ।

उक्त रीति से अभिव्यक्ति मानने पर 'भावध्वनि' भी संलक्ष्यक्रम हो जायगी, इस आपत्ति को आपत्ति नहीं मानकर इष्ट मान लेने की बात कहते हैं—न च इत्यादि । उक्त विशिष्ट प्रकार के नयन-विकास से मदुपभोगयोग्यत्वरूप विभाव की अभिव्यक्ति के द्वारा हर्षभाव की अभिव्यक्ति मानने पर 'भाव आदि की ध्वनि अलक्ष्यक्रम ही होती है' इस प्राचीनसिद्धान्त का विरोध होता है, यह बात यद्यपि सत्य है, तथापि स्थितिविशेष—जिसका विश्लेषण प्रथम आनन के अन्त भाग में किया गया है—में रस-भाव आदि की ध्वनि भी संलक्ष्यक्रम होती है, यह जो पण्डितराज का सिद्धान्त है, उसके अनुसार कोई विरोध नहीं होता । इस प्रसंग का विशद विचार, प्रथमानन की मेरी हिन्दी टीका में देखना चाहिए ।

स्वतःसंभविना वस्तुनाऽलंकारध्वनिमुदाहरति—

'मृद्वीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः,
स्वर्यातेन सुधाऽप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः ।
तत्त्वं ब्रूहि मदीयजीव ! भवता भूयो भवे भ्राम्यता
कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः ॥'

कश्चन भक्तः स्वात्मानं पृच्छति—हे मदीयजीव आत्मन् ! भूयः पुनः पुनः, भवे संसारे भ्राम्यता भ्रमणशीलेन, (अत्र कृतेन पुण्यविशेषेण स्वर्गं प्राप्तः, पुनः क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकमुपाश्रितः, एवंरीत्या पुनः पुनः स्वर्गादागमनमत्र भूयो भवभ्रमणम्) (अत्र लोके) मृद्वीका द्राक्षा, रसिता आस्वादिता सिता खण्डशर्करा, समशिता सम्यक् भक्षिता, स्फीतं विशुद्धं, पयः दुग्धम् , निपीतं विशेषेण पानकर्मीकृतम् , स्वर्यातेन स्वर्गं गतेन (कर्तृ-विशेषणमेतद्) सुधा पीयूषम्, अधायि (धेट् पाने इत्यस्य कर्मणि वाच्ये लुङि रूपम्) अपायीत्यर्थः । कतिधा कतिभिः प्रकारैः रम्भायाः तन्नामकाप्सरसः, अधरः, खण्डितः दष्टः आस्वादित इति भावः । एवञ्च नानाविधमधुरपदार्थरसास्वादोऽनुभूतस्त्वया, इदानीञ्च कृष्णनाममाधुरी अपि आस्वाद्यते, अतस्त्वामहं पृच्छामि, यत् कृष्णेति द्वयोरक्षरयोर्यादृशो मधुरिमोद्गारः माधुर्योद्रेकोऽस्ति, तादृशस्तेषु पूर्वोक्तेषु पदार्थेषु क्वचित् एकत्रापि लक्षितः अनुभूतः ? एतदुत्तरप्रसंगे सत्यमेव त्वया वक्तव्यम् , अन्यथा निर्धारणीयस्य निर्धारणं न संभवेत् , कृष्णनाममाधुर्यसदृशं माधुर्यं क्वापि नानुभूतं भवेदिति वक्तुस्तात्पर्यम् ।

अब स्वतःसंभवी वस्तु से अलंकार-ध्वनि का उदाहरण देते हैं—मृद्वीका इत्यादि । कोई भक्त अपनी आत्मा से पूछता है—हे मेरे जीव ! तू ने बार-बार स्वर्ग से इहलोक तक का चक्कर लगाया है – अर्थात् इस लोक में पुण्य-विशेष का उपार्जन कर मरणोत्तर स्वर्ग गया और पुण्य के क्षीण हो जाने पर 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' के अनुसार पुनः संसार में जन्म ग्रहण किया, तेरा यह गमनागमन अनेकों बार हो चुका है । इस भ्रमण के प्रसङ्ग में तू ने अनेक आस्वाद्य पदार्थों के आस्वादन किए—इस लोक में दाख को चक्खा, चीनी की चासनी ली, दूध का यथेच्छ पान किया, और स्वर्ग जाकर पीयूष का

पान भी किया एवम् अनेक प्रकार से रम्भा (एक अप्सरा) के अधरों को भी काटा। अब कृष्णनाम की माधुरी का भी तू आस्वादन कर रहा है, इसलिये मैं तुझ से पूछता हूँ, सच सच बतलाना—'कृष्ण' इन दो अक्षरों में जैसा माधुर्योद्गार है, वैसा माधुर्योद्गार कहीं अन्यत्र ज्ञात हुआ?—मेरा विश्वास है कि वह माधुरी तुझे अन्यत्र कहीं नहीं मिली होगी।

उपपादयति—

अत्र निष्कृष्टजीवसंबोध्यक-परिदृश्यमानस्थूलदेहेन्द्रियादिचेतनाचेतनसंघातात्मकास्मत्पदबोध्यकर्तृकप्रश्नविषयेणार्थेन वस्तुना तथाभूतेन भगवन्नाम्नोऽनेकजन्मवृत्तान्ताध्यक्षीकरणकारणयोगसिद्धिविशेषतादात्म्याध्यवसायरूपातिशयोक्तिर्व्यज्यते।

निष्कृष्टेति। निष्कृष्टः परिदृश्यमानैतच्छरीरपृथक्कृतः, जीवः आत्मा, संबोध्यो यस्मिन्, परिदृश्यमानः, स्थूलदेहेन्द्रियादिचेतनाचेतनसंघातात्मकः अस्मत्पदबोध्यः कर्ता यस्मिन्, तादृशेन, प्रश्नविषयेण ब्रूहीतिपदजिज्ञासितेन, अर्थेन मधुरिमोद्गारेत्यादिरूपेणेत्यर्थः। तथाभूतेनेति। स्वतःसंभविनेत्यर्थः। नाम्न इति षष्ठ्यन्तस्य तादात्म्याध्यवसायेत्यत्रान्वयः। अनेकेति। नानाजन्मसंबन्धिनिजसमाचारप्रत्यक्षीकरणे कारणभूतो यो योगाभ्यासजन्यसिद्धिविशेषः तस्मिन्नित्यर्थः। भगवन्नाम्नः उपमानस्य योगसिद्धिविशेषे उपमेये तादात्म्याध्यवसाय इति भावः। एतेन भगवन्नाम उपमेयतया विषयस्तेन उपमानतया विषयिणः योगसिद्धिविशेषस्य निगरणे कथमतिशयोक्तिः, विषयनिगरणे तत्प्रसंगादिति परास्तम्। अयं भावः—आत्मा द्विविधः, एकः शरीरादितः पृथग्भूतो निरवच्छिन्नः, द्वितीयश्च शरीराद्यवच्छिन्नः, अस्मच्छब्दबोध्यः। तयोः प्रथमः संबोध्यत्वेन, द्वितीयश्च, प्रश्नकर्तृत्वेनात्र वर्णितः। प्रश्नविषयीभूतश्च मधुरिमोद्गारादिरूपं स्वतःसंभविवस्तुव्यञ्जकम्। व्यङ्ग्यश्चातिशयोक्त्यलंकारः। भगवन्नामरूपेणोपमानेनानेकजन्मवृत्तान्तप्रत्यक्षीकरणकारणयोगसिद्धिविशेषस्योपमेयस्य निगीर्य कथनमत्रातिशयोक्तिस्वरूपम्। अतीतजन्मवृत्तान्तज्ञानसाधकयोगजसिद्धिलब्धसर्वज्ञत्वविहीनं प्रति अतीतजन्मवृत्तान्तज्ञानविषयकप्रश्नस्यान्यथानुपपत्तिश्च तदलंकाराभिव्यक्तौ बीजमिति।

अब उक्त पद्य में प्रकृतोपयोगी विषयों का उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। शास्त्रों में आत्मा दो प्रकार की मानी गई है—एक शरीर आदि से पृथग्भूत-निरवच्छिन्न और दूसरी देह-इन्द्रिय आदि से मिश्रित-शरीराद्यवच्छिन्न जो 'मैं' पद से समझा जाता है। उन दोनों में प्रथम अर्थात् निरवच्छिन्न आत्मा का संबोध्य रूप में और द्वितीय अर्थात् शरीराद्यवच्छिन्न आत्मा का प्रश्नकर्ता के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है। प्रश्न का जो विषय है—वैसी माधुरी कहीं देखी ? आदि—वही यहाँ स्वतःसंभवी-सत्य कविकल्पित नहीं व्यञ्जक अर्थ है और व्यङ्ग्य है अतिशयोक्ति अलंकार। भगवन्नामरूप उपमान के द्वारा, अनेक जन्म की बातों के प्रत्यक्षीकरण में कारणरूप योग-सिद्धि-विशेषात्मक उपमेय का निगरण करके वर्णन करना ही यहाँ अतिशयोक्ति का स्वरूप है। इस अतिशयोक्ति की अभिव्यक्ति में मूलभूत रहस्य यह है कि जो सर्वज्ञ नहीं है उससे अनेक जन्म की बातों का पूछना बनता नहीं है और सर्वज्ञता प्राप्त होती है योग-सिद्धि से, जो यहाँ साक्षात् वर्णित नहीं है, अतः यह कल्पना करनी पड़ती है कि प्रश्नकर्ता ने भगव-

नाम को योगसिद्धि से अभिन्न समझकर योगसिद्धि के स्थान में भगवन्नाम का वर्णन किया है। हिन्दी रसगंगाधरकार चतुर्वेदीजी का यहाँ एक आक्षेप यह है कि उपमान से उपमेय के निगरण होने पर अतिशयोक्ति होती है और यहाँ उपमेय से ही उपमान का निगरण हुआ है—अर्थात् भगवन्नाम उपमेय है तथा योगसिद्धि-विशेष उपमान, अतः अतिशयोक्ति की अभिव्यक्ति यहाँ नहीं होगी। परन्तु मुझे 'पण्डितराज से इस तरह की मोटी गलती होगी' यह बात संगत नहीं जँचती। अतः मैं कहता हूँ कि उपमानोपमेय भाव तो विवक्षाधीन ही होता है, फिर भगवन्नाम को ही उपमान और योगसिद्धि-विशेष को ही उपमेय क्यों नहीं मान लिया जाय? योगसिद्धिविशेष के प्रसंग पर भी ऐसा पद्य कहा जा सकता है। मेरी समझ से यही पण्डितराज का आशय है।

शंकते—

अथ प्रश्नविषयस्यात्र नानाजन्मगतवृत्तान्तरूपतया तज्ज्ञं प्रत्येव प्रष्टुमौचित्येनानभिज्ञं स्वजीवं प्रति प्रष्टुमयोग्यत्वात्प्रश्नान्यथानुपपत्त्या आक्षिप्ता, वाच्यसिद्ध्यङ्गत्वेन गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपा वा; प्रागुक्तातिशयोक्तिरिह कथं ध्वनिव्यपदेशहेतुः स्यात्?

तज्ज्ञमिति। नानाजन्मवृत्तान्तज्ञमित्यर्थः। प्रश्नान्यथानुपपत्त्येति। अतिशयोक्तिकल्पनमन्तरा तादृशप्रश्नस्यासंभवदुक्तिकतयेत्यर्थः। अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वविरहादाह—वाच्येति। यो यज्जानाति तं प्रत्येव तद्विषयकः प्रश्नः क्रियते इति साधारणे नियमे वर्तमाने, 'मृद्वीके'तिपद्ये अतीतानागतज्ञानसाधकयोगजसिद्धिहीनतया नानाजन्मवृत्तान्तानभिज्ञं स्वजीवं प्रति, कृतः 'मृद्वीकादिपदार्थेषु कृष्णनाम्नीव मधुरताऽनुभूता किमि'त्यादिनानाजन्मवृत्तान्तविषयकः प्रश्नोऽनुपपन्नः सन् स्वोपपादिकां कृष्णनाम-योगजसिद्धिविशषयोस्तादात्म्याध्यवसायरूपाम् अतिशयोक्तिमवश्यमाक्षिपेत्। एवञ्चार्थापत्तिप्रमाणवेद्य एवातिशयोक्त्यलंकारोऽत्र न व्यञ्जनाबोध्यः, 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इति सिद्धान्तात्। अर्थापत्तिर्न मानान्तरमपि तु व्यञ्जनाफलीभूतमेवेति स्वीकारे यद्यपि प्रकृते उक्तातिशयोक्त्यलंकारस्य व्यङ्ग्यत्वं समर्थयितुं शक्यम्, तथापि तद्व्यङ्ग्यं गुणीभूतमेव वाच्योक्तप्रश्नविषयीभूतार्थोपपादकतया वाच्यसिद्ध्यङ्गत्वात्। तथा च तस्यालंकारस्य व्यङ्ग्यत्वे ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वं न युक्तमिति भावः।

अब उक्त विषय के सम्बन्ध में एक शंका करते हैं—अथ इत्यादि। 'जो जिस विषय को जानता रहता है, उसीसे उस विषय का प्रश्न किया जाता है' यह एक साधारण नियम है। तदनुसार यहाँ योगसिद्धि से रहित अतएव अनेक जन्म की बातों को नहीं समझ सकनेवाले अपने जीव से उक्त अनेक जन्मविषयक बातों का पूछना तब तक नहीं बन सकता, जब तक कृष्ण नाम और योगसिद्धि में परस्पर अभेद (जो अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है) न समझ लिया जाय। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि प्रश्न के अन्यथा न बन सकने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति का आक्षेप होगा और इस तरह के आक्षेप को ही अर्थापत्ति (प्रमाण) कहते हैं, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार अर्थापत्तिप्रमाण से समझने योग्य माना जायगा, व्यञ्जना से समझने योग्य नहीं। क्योंकि 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः—अर्थात् जो अर्थ अन्य किसी प्रमाण से ज्ञात न हो सके, उसी को शब्दशक्ति से ज्ञात होने योग्य समझना चाहिए'। यदि कहा जाय कि 'अर्थापत्ति' कोई नवीन प्रमाण नहीं है, व्यञ्जना फलीभूत ही है अतः यहाँ अति-

शयोक्ति अलंकार व्यङ्ग्य माना जा सकता है, तो मैं कहूँगा, ठीक है, इस दृष्टिकोण से देखने पर अतिशयोक्ति का यहाँ व्यङ्ग्य होना सिद्ध हो सकता है, परन्तु व्यङ्ग्य होकर भी वह अलंकार यहाँ गौण ही होगा, क्योंकि उक्त प्रष्टव्य विषय—जो वाच्य है—की संगति उस व्यङ्ग्य के द्वारा ही होती है, अतः वह वाच्यसिद्धि का अङ्ग है और वाच्यसिद्धि के अङ्गभूत व्यङ्ग्य, 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' नामक मध्यम काव्य के व्यवहार का साधक होता है, 'ध्वनि' नामक उत्तम काव्य-व्यवहार का नहीं।

प्राचीनैरुक्ते स्वतःसंभावना वस्तुनाऽलंकारध्वनेरुदाहरणेऽपीयं शंका समानैवेति दर्शयति—

इत्थमेव च 'तदप्राप्तिमहादुःख'—इत्यत्राप्यतिशयोक्तेरर्थापत्तिविषयत्वं गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं वा युक्तम्। अनेकजन्मोपभोग्यदुःखसुखराशिभ्यां तदप्राप्तिमहादुःखतच्चिन्ताविपुलाह्लादयोर्निगरणेऽशेषपापपुण्यपुञ्जनाशकताया अनुपपत्तेः। तद्दुःखसुखानां स्वस्वफलोपहितपापपुण्यनाशकताया एवान्यत्र क्लृप्तत्वात्। निगरणे तु तयोस्तन्नाशकताबुद्ध्युपपत्तिः।

तदिति। 'तदप्राप्तिमहादुःखविलीनाशेषपातका। तच्चिन्ताविपुलाह्लादक्षीणपुण्यचया तथा॥ चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परब्रह्मस्वरूपिणम्। निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गताऽन्या गोपकन्यका॥' इति श्लोकद्वयं विष्णुपुराणे पञ्चमांशे त्रयोदशाध्याये (२१।२२) वर्तते, उदाहृतञ्च काव्यप्रकाशे चतुर्थोल्लासे। भगवतो व्रजवल्लभस्य रासलीलायां सर्वा गोपालबालिकाः संमिलिताः परन्तु काचनैका गोपकन्या पत्यादिभिः संरक्षकैर्निरुद्धा तत्र संगन्तुं नापारयत्। सा च भगवत्संगमालाभेन महादुःखमापत, तेन दुःखेन तस्याः सर्वाणि पातकानि विनष्टानि, अपि च कृष्णचन्द्रचिन्तनजन्याधिकतरानन्देन तस्याः सकलपुण्यक्षयोऽपि जातः। एवं रीत्या जगदुत्पत्तिकारणं परब्रह्मस्वरूपं कृष्णं चिन्तयन्ती सा निरुच्छ्वासावस्थामाधाय मोक्षमलभत इति प्रसंगसङ्गतिपुरस्सरस्तदर्थो बोध्यः। मुक्तिसमये निरुच्छ्वासता च 'नास्य प्राणाः समुत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते' इति श्रुतिसिद्धाऽस्ति। स्वस्वफलोपहितेति। तत्तद्दुःखसुखरूपफलजनकेत्यर्थः। अत्र कृष्णाप्राप्तिजन्यमहादुःखस्याशेषपापनाशकत्वमेवं कृष्णचिन्तनजन्यानन्दसन्दोहस्य पुण्यपुञ्जनाशकत्वं यद्वाच्यवृत्त्या वर्णितम्, तदवश्यमनेकजन्मोपभोग्यदुःखसुखसमूहाभ्याम् तदप्राप्तिमहादुःखतच्चिन्ताविपुलाह्लादयोर्निगरणे सूचयति—अर्थात् कृष्णाप्राप्तिमहादुःखेन सह नानाजन्मभोग्यदुःखस्य तथा कृष्णचिन्ताप्रयुक्तानन्देन सह नानाजन्मभोग्यसुखस्य ताद्रूप्यमाक्षिपति, अन्यथा तदप्राप्तिमहादुःखतच्चिन्ताविपुलाह्लादयोरशेषपापपुण्यनाशकत्वं वाच्यवृत्त्या वर्ण्यमानमसंगतं स्यात्, यत्पापपुण्यजन्ये ये दुःखसुखे तद्दुःखसुखयोरेव तत्पापपुण्यनाशकताया अन्यत्र निश्चितत्वेन प्रकृतकृष्णाप्राप्तिजन्यदुःखतच्चिन्तनजन्यसुखयोरनेकजन्मकृतपापपुण्यनाशकताया असम्भवात्। पूर्वोक्तताद्रूप्याक्षेपे तु तत्सम्भवति एवञ्च 'मृद्वीके'त्यादाविव 'तदप्राप्ती'त्यत्रापि कृष्णाप्राप्तिजन्यदुःखतच्चिन्ताजन्यानन्दाभ्यां सहानेकजन्मभोग्यदुःखसुखयोस्तादात्म्यारोपरूपातिशयोक्तिरर्थापत्तिवेद्यतया व्यङ्ग्यतामेव न भजते, अर्थापत्तेर्मानान्तरत्वास्वीकारे च व्यङ्ग्यतां भजमानापि वाच्यसिद्ध्यङ्गतया गुणीभूता न ध्वनिव्यवहारहेतुरिति भावः।

प्राचीनों ने स्वतःसंभवी वस्तु से वस्तु-ध्वनि का जो उदाहरण दिया है, उसमें भी

उक्त आशङ्का समानरूप से उपस्थित होती है यही बात अब कही जा रही है—इत्यमेव च इत्यादि। 'तदप्राप्ति······' इत्यादि दोनों पद्य-जो संस्कृत टीका में उद्धृत हैं—विष्णुपुराण (पञ्चम अंश, त्रयोदश अध्याय २१।२२) के हैं, काव्यप्रकाश के चतुर्थ उल्लास में-उदाहृत हुए हैं। भगवान् ब्रज-वल्लभ की रासलीला में सभी गोप-कन्यायें सम्मिलित होती थीं, परन्तु कोई एक गोप-बाला, पति आदि संरक्षकों द्वारा रोक दिये जाने के कारण उस (रासलीला) में सम्मिलित नहीं हो सकी, जिससे उसको नितान्त दुःख हुआ, पर उसी दुःख में उसके सभी पाप नष्ट हो गए (पाप के फल दुःख को भोग लेने से पाप नष्ट होते हैं) और घनश्याम के निरन्तर-चिन्तन से उसे असीम आनन्द भी हुआ, जिससे उसके सम्पूर्ण पुण्य भी क्षीण हो गए (पुण्य का फल सुख है अतः उसके भोग से पुण्य समाप्त हो जाता है।) इस तरह संसार-कारण-परब्रह्म-स्वरूप-कृष्णचन्द्र की चिन्ता करती हुई वह, निरुच्छ्वास अवस्था को पाकर मुक्त हो गई। प्रकरण के अनुसार यही उन दोनों पद्यों का अर्थ है। यहाँ 'भगवान् के न मिलने के कारण उत्पन्न महादुःख' से सकल पापों के नष्ट हो जाने की बात तथा 'भगवान् के स्मरण से उत्पन्न आनन्द' से पुण्य-समूह के नष्ट होने की बात जो वाच्यरूप में वर्णित है, वह तब तक संगत नहीं हो सकती, जब तक उन दोनों (दुःख और आनन्द) का क्रमशः अनेक जन्मों में भोगे जानेवाले, दुःखों और सुखों के साथ तादात्म्य न समझा जाय। क्योंकि शास्त्रों में जो दुःख जिन पापों के फल हैं और जो सुख जिन पुण्यों के फल हैं उन्हें ही उन पापों और उन पुण्यों का नाशक माना जाता है और ये कृष्ण-वियोग-दुःख और कृष्ण-स्मरण-सुख तो उन लौकिक पाप-पुण्यों के फल हैं नहीं। अतः 'उन पाप-पुण्यों के फल-रूप सुख-दुखों के साथ इन वियोग-दुःख और स्मरण-सुख का तादात्म्य'—जो अतिशयोक्तिरूप है—मानना पड़ेगा—तभी वे सुख-दुःख उन पुण्य-पापों के नाशक हो सकेंगे। इस स्थिति में यहाँ भी अतिशयोक्ति, पूर्वोक्त युक्ति से अर्थापत्ति—वेद्य होकर व्यङ्ग्य ही नहीं होगी, अथवा वाच्यसिद्धि का अंग बन कर, मध्यम-काव्य-व्यवहार के हेतु होगी—ध्वनिकाव्यता का नियामक नहीं हो सकती।

आशंक्य समाप्यते—

न च वस्तुमात्राभिव्यक्तस्यालंकारस्य न गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्—

'व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालंकृतयस्तदा।
ध्रुवं ध्वन्यंगता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्॥'

इति सिद्धान्तादिति वाच्यम्, बाधे दृढे सिद्धान्तमात्रेणात्र ध्वनित्वस्य स्थापयितुमशक्यत्वादिति चेत्?

व्यज्यन्ते इति। ध्वन्यालोकस्येयं कारिका। वाच्येन वस्तुमात्रेण न तु सालंकारेणापि, अलंकृतयोऽलंकारा, यदा व्यज्यन्ते, तदा व्यङ्ग्यत्वकालं तासामलंकृतीनां ध्रुवं नियमेन, ध्वन्यङ्गता ध्वनिरूपता वाच्यवस्त्वपेक्षयाऽलङ्कारत्वेनैवातिशायितया ध्वनित्वनिर्वाहकतेति यावत्, भवतीति शेषः। कुत इति चेत्?—काव्यस्य कविव्यापारस्य वृत्तेः प्रवृत्तेः सव्यङ्ग्योऽर्थ आश्रय उद्देश्यतयाऽऽलंबनं यस्याः सा तदाश्रया तस्या भावस्तदाश्रयत्वम्, तदुद्देश्यकत्वम्, तस्मादित्यर्थः। इह तदाश्रयादिति भावप्रधानो निर्देशः। व्यज्यन्ते इति ध्वनिकारोक्तसिद्धान्तानुसारेण 'मृद्वीका' 'तदप्राप्ती'त्यादौ वस्तुना व्यज्यमानाया अतिशयोक्तेर्ध्वनिव्यवहारप्रयोजकता समुचितेति शङ्का। वाच्यसिद्ध्यङ्गत्वहेतुकगौणतात्मिकायां

ध्वनित्वबाधकयुक्तौ विद्यमानायां ध्वनिकृदुक्तसिद्धान्तमात्रेण ध्वनित्वस्थापनं नोचितमिति समाधानम् ।

उक्त आशंका के उत्तर के रूप में एक आशंका करके उसका समाधान करते हैं—न च इत्यादि । यदि आप कहें कि अलंकार-शून्य-केवल, वस्तु से ध्वनित होने वाले अलंकार गुणीभूत व्यङ्ग्य नहीं हो सकते, कारण, यह सिद्धान्त है कि—'व्यज्यन्ते······ इत्यादि अर्थात् जब केवल (अलंकार-शून्य) वस्तु से अलंकार ध्वनित होते हैं तब वे निश्चित रूप से काव्य को ध्वनि (उत्तमोत्तम) बनाते हैं, क्योंकि ऐसे पद्यों में काव्य का व्यवहार उन्हीं अलंकारों के आधार पर होता है—उनमें वे अलंकार ही चमत्कार-विशेष के जनक होते हैं।' तो यह ठीक नहीं। कारण, जब एक सुदृढ बाधक युक्ति उपस्थित की जा चुकी है—अतिशयोक्ति को वाच्य-सिद्धि का अङ्ग बतलाया जा चुका है, तब केवल सिद्धान्त के बल पर—ध्वन्यालोक की कारिका के आधार पर—इन पद्यों को ध्वनि नहीं सिद्ध किया जा सकता।

अथ प्रश्नविषयस्येत्यादिना समुत्थापितामाशङ्कामुपसंहरति—

सत्यम् ,

'मृद्वीका', 'तदप्राप्ती'त्यादौ व्यज्यमानाया अतिशयोक्तेर्गुणीभूततया ध्वनित्वप्रयोजकता न संभवतीति शंका युक्तेति भावः ।

अब उक्त आशंका-ग्रन्थ का उपसंहार करते हैं 'सत्यम्' इति । आपका कथन सत्य है—'मृद्वीका' 'तदप्राप्ति' इत्यादि पद्यों में अतिशयोक्ति जब वाच्यसिद्धि का अङ्ग हो जाती है, तब वह उन पद्यों को 'ध्वनि' नहीं बना सकती । परन्तु—

समाधत्ते—

यादृशव्यङ्ग्यप्रतिपत्तिं विना यत्र वाच्यस्य सर्वथाप्यनुपपत्तिस्तत्र तद् वाच्यसिद्ध्यङ्गम् । यत्र प्रकारान्तरेणापि तस्योपपत्तिः शक्या कर्तुम् न तत्र तथा ।

प्रतिपत्तिमिति । ज्ञानमित्यर्थः । अनुपपत्तिरिति । असंगतिरित्यर्थः । तदिति । व्यङ्ग्यमित्यर्थः । प्रकारान्तरेणेति । व्यङ्ग्यज्ञानातिरिक्तेन प्रकारेणेत्यर्थः । तथा वाच्यसिद्ध्यङ्गम् । यत्र व्यङ्ग्यमेव केवलं न तु वाच्यादिकं, वाच्यार्थं सोपपत्तिकं कर्तुं प्रभवति, तत्रैव तद्व्यङ्ग्यं वाच्यसिद्ध्यङ्गं स्वीकर्तुं योग्यम् । यथा—'भ्रमिमरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूर्च्छां तमः शरीरसादम् । मरणञ्च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्' ॥ इत्यादौ विषपद-व्यङ्ग्यं हालाहलमेव केवलं जलदभुजगेति वाच्यस्य रूपकस्य सिद्धिकृत् । अन्यथा जलदस्य भुजगत्वायोगेन, भुजग इव जलद इति पूर्वपदार्थप्रधानोपमितसमासाश्रयणेनोपमालङ्कारापत्तेः । व्यङ्ग्याभिन्नत्वेनाध्यवसिते तु जले भुजगत्वोपपत्तेरुत्तरपदार्थप्रधानरूपकसिद्धिः । यत्र पुनः व्यङ्ग्यार्थेन साधयितुं योग्यस्य वाच्यस्य तदतिरिक्तम् (व्यङ्ग्यातिरिक्तम्) अपि साधकं संभवति, तत्र व्यङ्ग्यं न गुणीभूतमङ्गीक्रियत इति भावः ।

अब सिद्धान्तभूत समाधान उपस्थित करते हैं—यादृश इत्यादि । उत्तर का अभिप्राय यह है कि उक्त पद्यों में अतिशयोक्ति यदि वाच्यसिद्धि का अङ्ग हो तब न वह गुणीभूत होगी, वस्तुतः वाच्य-सिद्धि का अङ्ग वह नहीं है । कारण, वह व्यङ्ग्य वहाँ वाच्यसिद्धि का अङ्ग होता है, जिसके ज्ञान के बिना, जहाँ वाच्य की सिद्धि सर्वथा नहीं होती, अर्थात् व्यङ्ग्य-ज्ञान के अतिरिक्त कोई उपाय जहाँ वाच्यार्थ का साधक नहीं रहता वहीं

व्यङ्ग्य वाच्य-सिद्धि का अंग कहलाता है और जहाँ वाच्य, किसी दूसरी तरह से भी सिद्ध किया जा सके, वहाँ व्यङ्ग्य वाच्य-सिद्धि का अङ्ग नहीं होता।

पूर्वोक्तसिद्धान्तास्वीकारेऽनुपपत्तिं दर्शयति—

अन्यथा हि 'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम्' इत्यत्राधमत्वासिद्ध्यङ्गत्वाद् दूतीरमणस्य वाच्यसिद्ध्यङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्यत्वापत्तेः ।

वाच्येति । वाच्यसिद्ध्यङ्गरूपं यद्गुणीभूतव्यङ्ग्यं तत्त्वापत्तेरित्यर्थः । व्यङ्ग्येन वाच्यसिद्धेः संभवमात्रेण तस्य गुणीभावाङ्गीकारे 'निःशेषे'त्यादौ दूतीसंभोगरूपस्य मध्यमकाव्यत्वं च प्रसज्येतेति भावः । उक्तसिद्धान्तस्वीकारे तु नानुपपत्तिः, परवेदनानभिज्ञतया दुःखदातृत्वेनाप्यर्थेनाधमत्वस्य सिद्धौ संभवन्त्यां दूतीसंभोगस्य व्यङ्ग्यस्यानन्यसाधारणवाच्यसाधकत्वविरहात् ।

पूर्वोक्त नियम को न मानने पर होने वाली अनुपपत्ति का उल्लेख करते हैं—अन्यथा इत्यादि। यदि उक्त नियम न माना जाय, तब तो प्रथमानन में उदाहृत 'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम्.........' इत्यादि ध्वनि के उदाहरण में भी 'दूती-रमण' रूप व्यङ्ग्य वाच्य-सिद्धि का अङ्ग हो जायगा, क्योंकि वाच्य-नायक की अधमता को वह सिद्ध करता है। उक्त नियम के मानने पर यह आपत्ति नहीं होती। कारण, वाच्य-अधमता की सिद्धि प्रकारान्तर से भी वहाँ हो जाती है अर्थात् नायिका के दुःख-दर्द को न समझ कर बराबर उसे दुःख-दान से भी नायक की अधमता सिद्ध हो जाती है।

उक्तसिद्धान्तानुसारेण 'मृद्वीके'ति पद्ये व्यज्यमानातिशयोक्तिर्न वाच्यसिद्ध्यङ्गमित्युपपादयति—

प्रकृते च भगवन्नाम्नि योगसिद्धितादात्म्याध्यवसायरूपामतिशयोक्तिं विनापि भगवन्नामोच्चारणमाहात्म्यप्राप्तसार्वज्ञ्यबुद्ध्याऽपि प्रश्नोपपत्तेर्न गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम् ।

प्रकृते मृद्वीकेति पद्ये । भगवन्नामेति । भगवन्नाम्नः उच्चारणस्य माहात्म्येन प्राप्तं यत् सार्वज्ञ्यम् तस्य बुद्ध्या ज्ञानेनेत्यर्थः । अयमभिप्रायः—मृद्वीकेति पद्ये वक्ता स्वकीयं जीवं भगवन्नामोच्चारणबललब्धसर्वज्ञताकं बुध्वाऽपि 'मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः' इत्यादिनाजन्मवृत्तान्तविषयकं प्रश्नं कर्तुं शक्नोतीति तादृशप्रश्नात्मकस्य वाच्यस्य सिद्धिर्न नियमतो भगवन्नामयोगसिद्धिविषययोस्तादात्म्याध्यवसायरूपां व्यज्यमानामतिशयोक्तिमपेक्षते । एवञ्च न तदतिशयोक्तिरूपं व्यङ्ग्यं वाच्यसिद्धेरङ्गमिति । 'तदप्राप्ती'ति प्रकाशोदाहरणे सा आपत्तिरस्तीत्यन्यदेतत् ।

उक्त नियम के अनुसार 'मृद्वीका......' इत्यादि पद्य में अभिव्यक्त होने वाली अतिशयोक्ति वाच्य-सिद्धि का अंग नहीं होती, इस बात का अब उपपादन करते हैं—प्रकृते इत्यादि। अभिप्राय यह है कि 'मृद्वीका......' इत्यादि पद्य में वक्ता अपनी आत्मा को भगवन्नाम की महिमा से सर्वज्ञ बनी हुई जान कर भी उससे जन्मान्तर-वृत्तान्त-विषयक प्रश्न कर सकता है अर्थात् जन्मान्तर-वृत्तान्त-विषयक प्रश्न—जो वाच्य है—उसकी सिद्धि आत्मा के विषय में भगवन्नाम-माहात्म्य-मूलक सर्वज्ञता-ज्ञान से भी हो जाती है, अतः उस प्रश्न को सिद्ध करने के लिये भगवन्नाम में योगसिद्धि के तादात्म्य का आरोप—जिसको अतिशयोक्ति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं—अपेक्षित नहीं है। अतः यहाँ व्यङ्ग्य

होनेवाली अतिशयोक्ति गुणीभूत नहीं है। तात्पर्य यह कि वह व्यङ्ग्य उस पद्य को ध्वनि-काव्य की श्रेणी में अवश्य ला सकता है।

भगवन्नामोच्चारणमाहात्म्येत्याद्यनुपदोक्तरीतेरनुसरणेऽपि उक्तापत्तिसजातीयामेवापत्ति-माशंक्य निरस्यति—

एतेनासंबन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिर्नामोच्चारणमाहात्म्यप्रभवसार्वज्ञ्या-ध्यवसायेऽपि स्थितेति स दोषस्तदवस्थ इति परास्तम्। भगवन्नामोच्चारणस्या-चिन्त्यमाहात्म्यतायाः पुराणप्रसिद्धत्वात्।

एतेनेति। वक्ष्यमाणहेतुनेत्यर्थः। स्वात्मनि भगवन्नामोच्चारणमाहात्म्यप्राप्तसार्वज्ञ्य-बुद्ध्या तथा प्रश्न इति कथनेऽपि असंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिर्विद्यत एव, भगवन्नामो-च्चारणे सर्वज्ञतासंबन्धविरहिणि तादृशसंबन्धकल्पनात्, तथा चातिशयोक्तिद्वयमपि वाच्यसिद्ध्यङ्गतया गुणीभूतमेवेति कथनं न सम्यक्, वेदपुराणादौ भगवन्नामोच्चारण-माहात्म्यस्य सकलाभीष्टार्थसाधकतायाः प्रसिद्धत्वात्। तथा च वस्तुत एव भगवन्नामो-च्चारणे सर्वज्ञतायाः संबन्धः न तु कल्पितः स इत्यसंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिर्नात्रेति बोध्यम्। एवञ्च मृद्वीकेति पद्यं स्वतःसंभविना वस्तुनाऽलङ्कारध्वनेरुदाहरणं संभवतीति भावः।

उक्त रीति के अनुसरण करने पर भी उसी प्रकार की आपत्ति दिखलाकर पुनः खण्डन करते हैं--एतेन इत्यादि। यदि आप कहें कि भगवन्नाम की महिमा से जीव को सर्वज्ञ समझना भी एक प्रकार की (असंबन्ध में संबन्धरूप) अतिशयोक्ति ही है अर्थात् भगव[illegible]ण का सर्वज्ञता के साथ कोई संबन्ध वस्तुतः है नहीं, [illegible]म्बन्ध माना जायगा वह अतिशयोक्ति का ही एक प्रकार होगा और इस स्थिति में उक्त द[illegible]ष पुनः उसी तरह वर्तमान रहेगा अर्थात् दोनों ही अतिशयो[illegible]क्तियाँ वाच्य-सिद्ध्यङ्ग होकर [illegible]णीभूत हो जायँगी, तो यह तर्क आप का समुचित नहीं, कारण, भगवन्नामोच्चारण का माहात्म्य अचिन्त्य है अर्थात् उससे सब कुछ हो सकता है, यह बात पुराणों में जब प्रसिद्ध है, तब भगन्नामोच्चारण का सर्वज्ञता से संबन्ध सिद्ध है, अतः यहाँ असंबन्ध में संबन्ध-रूप अतिशयोक्ति का कोई प्रसंग ही नहीं आता।

मृद्वीकेति पद्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमभ्युपेत्योदाहरणान्तरमवतारयति—

अथवा मास्तु प्रागुक्तमुदाहरणं वस्तुनोऽलङ्कारव्यञ्जकतायाः, इदं तु भविष्यति—

'न मनागपि राहुरोधशंका न कलङ्काधिगमो न पाण्डुभावः।
उपचीयत एव कापि शोभा परितो भामिनि ! ते मुखस्य नित्यम्॥'

सखी नायिकां कथयति—अयि भामिनि कामिनि! ते तव, मुखस्य आननस्य, कापि अनिर्वचनीया शोभा, परितः सर्वतोभावेन, उपचीयते वर्धत एव। (अत्र) मनागपि ईषदपि राहुरोधशङ्का राहोः रोधस्य आक्रमणस्य, शङ्का भयं, नास्ति न वा कलङ्काधिगमः कलङ्कसंबन्धो वर्तते, पाण्डुभावः पाण्डुताऽपि नास्त्येव। राहुग्रासत्रासमुक्तस्य, निष्कलंकस्य, सुवर्णवर्णस्य तवाननस्य सुषमा सर्वतोभावेन सदा वर्धमानैव विद्यते न तु कदापि चन्द्रवत् क्षीयत इति भावः।

'मृद्वीका······' इत्यादि पद्य को गुणीभूत व्यङ्ग्य मान कर स्वतःसंभवी वस्तु से अलंकार-ध्वनि का दूसरा उदाहरण उपस्थित करते हैं—अथवा इत्यादि। स्वतःसंभवी वस्तु जहाँ अलंकार की व्यञ्जिका होती है, वैसा उदाहरण यदि पूर्वोक्त पद्य (मृद्वीका··· इत्यादि) नहीं हो सकता है, तो न होवे 'न मनागपि···' इत्यादि पद्य तो होगा। यह पद्य सखी के द्वारा नायिका के प्रति कहा गया है। सखी कहती है कि हे सुन्दरि! तेरे मुख की कोई (अनिर्वचनीय) शोभा सब तरह से सदा बढ़ती ही रहती है। इस मुख में, न तो राहु के आक्रमण का थोड़ा भी भय है, न कलङ्क का संबन्ध है और न पाण्डुरता (सफेदी) है।

उपपादयति—

अत्र राहुरोधशङ्काभावादिभिर्निरपेक्षैर्वस्तुभिर्व्यतिरेकालङ्कारो व्यज्यते।

अत्रेति। न मनागपीत्यादिपद्य इत्यर्थः। राहुरोधेति। कलंकाधिगमाभावपाण्डुत्वाभावावादिपदग्राह्यौ। निरपेक्षैरिति। व्यङ्ग्यव्यतिरेकोदासीनैरित्यर्थः। अत्र राहुरोधशङ्काभावादीनि वस्तूनि वाच्यवृत्त्या वर्ण्यमानानि तादृशानि सन्ति, येषां साधनाय व्यङ्ग्यस्यापेक्षा नास्ति अतस्तादृशैस्तैर्वस्तुभिः स्वतःसंभविभिः उपमानादिन्दोरपेक्षया उपमेयस्य मुखस्याधिक्यरूपो व्यतिरेकालंकारो ध्वन्यत इति पद्यमेतद्ध्वनेरुदाहरणं सम्पद्यत इति भावः।

प्रकृतोपयोगी विषयों का उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में 'राहु के आक्रमण का भय न होना' आदि ऐसी ऐसी उदासीन वस्तुएँ हैं जिनकी सिद्धि में व्यङ्ग्य (व्यतिरेकालंकार) की अपेक्षा नहीं होती, अतः उन वस्तुओं के द्वारा जो व्यतिरेकालंकार (उपमान चन्द्र से उपमेय मुख में आधिक्य) ध्वनित होता है, वह इस पद्य में ध्वनि-काव्य-व्यवहार—का कारण होता है।

स्वतःसंभविनाऽलङ्कारेण वस्तुध्वनिमुदाहरति—

'नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजिव्रजाः,
पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे वन्दिनः।
इदं तदवधि प्रभो! यदवधि प्रवृद्धा न ते,
युगान्तदहनोपमा नयनकोणशोणद्युतिः॥'

कविः किमपि नृपविशेषं वक्ति—हे प्रभो सर्वसमर्थ! अहितमन्दिरे त्वदीयशत्रुभवने, मददन्तिनः मदशालिनो गजाः, मदपदे अर्श आद्यजिति भावः। नदन्ति चीत्कुर्वन्ति. वाजिव्रजाः तुरगततयः, परिलसन्ति शोभन्ते, वन्दिनः स्तुतिपाठकाः, विरुदावलीं स्तुतिपरम्परां, पठन्ति गायन्ति। परमिदं सर्वं मदमत्तदन्तिनादादिकं तदवधि तावत्कालपर्यन्तं भवतीति शेषः, यदवधि यावत्कालपर्यन्तम्, युगान्तदहनोपमा प्रलयकालिकाग्नितुल्या, ते तव, नयनकोणशोणद्युतिः नेत्रकोणारुणकान्तिः, न प्रवृद्धा समुपचितेत्यर्थः।

अब स्वतःसंभवी अलंकार से वस्तुध्वनि का उदाहरण दिखलाते हैं—नदन्तीत्यादि। कोई कवि राजा से कहता है—हे प्रभो! आपके शत्रुओं के भवन में मदमत्त गज चीत्कार करते हैं, अश्वोंकी श्रेणियाँ शोभित होती हैं, और बंदीजन विरुदावली (स्तुति) पढ़ते हैं। परन्तु ये सब तब तक हैं, जब तक प्रलयकालिक अग्नि-शिखा के समान, आपके नेत्र-कोण की अरुण आभा नहीं बढ़ी है।

उपपादयति—

अत्र युगान्तदहनोपमया यदैव तव कोपोदयस्तदैव रिपूणां सम्पदो भस्मसाद्भविष्यन्तीति वस्तु व्यज्यमानं राजविषयकरतिभावेऽङ्गमपि वाच्यापेक्षया सुन्दरत्वाद् ध्वनिव्यपदेशहेतुः।

मदन्तीतिपद्ये युगान्तदहन उपमानम्, नयनकान्तिरुपमेयभूता, तयोरुपमा च, वाच्यानि, तया चोपमया तव कोपोदयाव्यवहितोत्तरक्षण एव शत्रुसम्पत्तयो भस्मसात् भविष्यन्तीति वस्तु व्यज्यते, तच्च व्यङ्ग्यं यद्यपि प्रधानव्यङ्ग्ये कविनिष्ठराजविषयकरतिभावे पोषकत्वादङ्गम्, तथापि वाच्यार्थापेक्षयाऽऽधिकचमत्कारशालित्वात्प्रधानमिति ध्वनिव्यवहारनिदानं संपद्यत इति भावः। 'वाच्यातिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्' इति प्राचीनाभिमतध्वनिलक्षणानुरोधिवचनमिदं पण्डितराजस्य। 'शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम्' इति स्वकृतध्वनिलक्षणे तु 'गुणीभावितात्मानौ' इति विशेषणेनापराङ्गव्यङ्ग्यस्य निरास एव। 'कृष्णपक्षाधिकरुचिः' इति शब्दशक्तिमूलालंकारध्वन्युदाहरणोपपादनावसरे स्फुटमेतत्।

उक्त पद्य में अपेक्षित विषयों का उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। इस पद्य में 'प्रलयकालिक अग्नि-शिखा के समान नेत्रकोण की अरुण आभा' यह जो वाच्य उपमा अलंकार है, उससे यह वस्तु व्यङ्ग्य होती है कि 'जभी आपके हृदय में क्रोध का उदय होगा, तभी शत्रुओं की सारी सम्पत्तियाँ भस्म हो जायँगी।' यद्यपि यह व्यङ्ग्य कविगत राज-विषयक प्रेमभाव-जो इस पद्य से प्रधान रूप में अभिव्यक्त होता है-का अङ्ग-पोषक है, अतः उसकी अपेक्षा गौण है, तथापि वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी होने के कारण प्रधान है, अत एव इस पद्य में ध्वनि (उत्तमोत्तम) काव्य के व्यवहार करने का कारण होता है।

गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमस्याशंक्य निरस्यति—

न च भस्मीकरणपटुत्वरूपस्य साधारणधर्मस्योपमानिष्पादकत्वाद् व्यङ्ग्यस्य वाच्यसिद्ध्यङ्गत्वं शङ्क्यम्, उपात्तशोणत्वरूपसाधारणधर्मेणापि तन्निष्पत्तेः संभवात्। उपमेयीभूतशोणद्युतिगतस्य भस्मीकरणपटुत्वरूपसाधारणधर्मस्योपमानिष्पादकत्वेऽप्युपमेयव्यङ्ग्यकोपगतभस्मीकरणपटुत्वस्यातथात्वाच्च।

व्यङ्ग्यस्येति। व्यङ्ग्यशरीरघटकतया तस्य व्यङ्ग्यत्वं बोध्यम्। तन्निष्पत्तेरिति। उपमानिष्पत्तेरित्यर्थः। विनिगमनाविरहेऽप्याह—उपमेयीभूतेति। उपमेयव्यङ्ग्यकोपेति। उपमेयेन नयनकोणद्युत्या, व्यङ्ग्यो यः कोपस्तद्गतेत्यर्थः, अतथात्वादिति। उपमाया अनिष्पादकत्वादित्यर्थः। उपमानोपमेययोः युगान्तदहननयनकोणद्युत्योः साधारणो धर्मो भस्मीकरणपटुत्वम्, तच्च न वाच्यम्, अपि तु 'रिपुसंपदो भस्मसाद्भविष्यती'ति व्यङ्ग्यवस्तुशरीरप्रविष्टतया व्यङ्ग्यं सदेव वाच्यामुपमां निष्पादयति, तथा च वाच्यसिद्धेरङ्गभूतं तद्व्यङ्ग्यं कथं ध्वनिव्यपदेशहेतुरितिशङ्कादलाशयः। भस्मीकरणपटुत्वमिह न तयोः साधारणो धर्मः, अपि तु वाच्यं शोणत्वमेव, यथा युगान्तदहनः शोणस्तथा नयनकोणद्युतिरित्यभिप्रायात्। तथा च तद्व्यङ्ग्यं भस्मीकरणपटुत्वं न वाच्यसिद्धिकरमिति ध्वनिव्यपदेशहेतुर्भवि-

तुमर्हतीति च समाधानाशयः । ननु भस्मीकरणपटुत्वशोणत्वयोरुभयोः साधारणधर्मत्वसंभवे विनिगमनाविरहेण भस्मीकरणपटुत्वस्यैव साधारणधर्मता कुतो न ? तथा च पुनर्गुणीभूतत्वशंका तदवस्थैवेति चेन्न । भस्मीकरणपटुत्वं यथोपमेयभूताया नयनकोणद्युतेर्धर्मस्तथैव तेनोपमेयेन व्यङ्ग्यो यः कोपस्तस्यापि स साधारणधर्मः । एवञ्च नयनकोणद्युतिनिष्ठं भस्मीकरणपटुत्वमेवोपमानिर्वर्तकम् , न तु तद्व्यङ्ग्यकोपनिष्ठम् , तस्य तस्मिन् क्षणेऽनुपस्थितेः । तथा च कोपगतभस्मीकरणपटुत्वात्मकं व्यङ्ग्यमादाय ध्वनित्वेन बाधेत्याशयादिति द्वितीयस्योत्तरस्याभिप्रायः ।

यदि आप कहें कि यहाँ प्रलयकालिक अग्निरूप उपमान और नयन-कोण की अरुण-कान्ति रूप उपमेय में साधारण धर्म (उपमालंकार का एक अंश) 'भस्म करने की क्षमता' है, जो वाच्य नहीं है, अपि तु व्यङ्ग्य है और व्यङ्ग्य होकर ही उपमा अलंकार का संपादक होता है। ऐसी स्थिति में वाच्य (उपमा) की सिद्धि में अङ्गभूत-अत एव गौण वह व्यङ्ग्यध्वनि कहे जाने का कारण कैसे होगा? तो यह उचित नहीं। कारण, 'भस्म करने की क्षमता' को यहाँ मैं साधारण मानता ही नहीं। मैं वाच्य अरुणता को ही साधारण धर्म मानता हूँ अर्थात् 'जिस तरह प्रलयकालिक अग्नि अरुण होती है, उसी तरह नयन-कोण की कान्ति अरुण है' ;यही कवि का अभिप्राय है। ऐसी स्थिति में 'भस्म करने की क्षमता' रूप व्यङ्ग्य वाच्य-सिद्धि का अङ्ग नहीं होता अतः ध्वनि कहे जाने का हेतु होगा। इतने पर भी यदि आप कहें कि जब दोनों (भस्म करने की क्षमता और अरुणता) धर्म साधारण हो सकते हैं, तब 'भस्म करने की क्षमता' को ही क्यों न साधारण धर्म माना जाय ? तो मैं कहूँगा-मानिए उसी को साधारण धर्म, तथापि कोई क्षति नहीं। कारण, यहाँ दो तरह की 'भस्म करने की क्षमता' है—एक उपमेय नयन-कोण-कान्तिगत और दूसरी, उस उपमेय से व्यङ्ग्य-कोपगत। उन दोनों में उपमेयगत उक्त धर्म भले ही उपमासंपादक होने के कारण वाच्य-सिद्धि का अङ्ग होवे पर व्यङ्ग्य-कोपगत वह धर्म किसी का अङ्ग नहीं है, क्योंकि उपमासम्पादनक्षण में उसकी उपस्थिति ही नहीं रहती, अतः उस कोपगत-'भस्मीकरणपटुत्व'रूप प्रधान व्यङ्ग्य के आधार पर इस पद्य को ध्वनिकाव्य कहने में कोई बाधा नहीं होती।

उदाहरणान्तरमाह—

'निर्भिद्य क्ष्मारुहाणामतिघनमुदरं येषु गोत्रां गतेषु
द्राघिष्ठस्वर्णदण्डभ्रमभृतमनसो हन्त धित्सन्ति पादान् ।
यैः संभिन्ने दलाग्रप्रचलहिमकणे दाडिमीबीजबुद्ध्या
चञ्चूचाञ्चल्यमञ्चन्ति च शुकशिशवस्तेऽशवः पान्तु भानोः ॥'

कविः सूर्यकिरणान् स्तौति—क्ष्मारुहाणां तरूणाम् , अतिघनम् निबिडतरम्, उदरं मध्यभागं, निर्भिद्य विदार्य, गोत्रां भूमिं, गतेषु प्राप्तेषु, येषु किरणेषु, द्राघिष्ठस्य अतिदीर्घस्य स्वर्णदण्डस्य सुवर्णरचितदण्डस्य, भ्रमेण भ्रान्त्या भृतं पूर्णं मनोऽन्तःकरणं येषां तादृशाः सन्तः शुकशिशवः शुकशावकाः, हन्त आश्चर्यम् , पादान् स्वचरणान् धित्सन्ति स्थापयितुमिच्छन्ति । सघनपल्लवशालितरुविवरमार्गेण भुवमवतीर्णेषु तिर्यक् प्रसृतस्वर्णदण्डभ्रान्त्या तिर्यक्प्रसृतशाखासु स्थित्यभ्यासिनः शुकशिशवश्चरणान् स्थापयितुमिच्छन्तीति भावः । किञ्च

(ते एव शुकशिशवः) यैः किरणैः संभिन्ने मिश्रिते (अत एवारुणवर्णे) दलानां पत्राणाम् , अग्रे पुरोभागे, यः प्रचलश्चपलो, हिमकणः तस्मिन्, दाडिमीबीजवुद्धया दाडिमफलबीजभ्रमेण, चञ्चूचाञ्चल्यम् चञ्चुचपलताम् , अञ्चन्ति कुर्वन्ति, ते भानोः सूर्यस्य, अंशवः किरणाः, पान्तु रक्षन्तु । अस्मान् युष्मान् वेति शेषः । नागेशस्तु द्राघिष्ठेत्यस्य जनविशेषणत्वमास्थाय 'पादान् धित्सन्ती'त्यस्य सूर्यकिरणान् ग्रहीतुमिच्छन्तीति व्याचख्यौ । अत्र वाच्यो भ्रान्तिमदलंकारः ।

स्वतःसंभवी अलंकार से वस्तुध्वनि का एक दूसरा भी उदाहरण देते हैं—निर्भिद्य इत्यादि । कवि सूर्य-किरणों की स्तुति करता है—तरुओं के अति घने मध्य-भाग को भेद कर जिनके भूतल पर आ जाने के बाद, शुकों के बच्चे विशाल-सुवर्ण-दण्ड के भ्रम से परिपूर्ण मनवाले होकर-अर्थात् 'ये सुवर्ण के दण्ड हैं' इस तरह के मानसिक भ्रम के कारण-पैर रखने लगते हैं, और (वे शुक के बच्चे ही) जिनसे मिश्रित पत्तों के अग्रभाग में स्थित चञ्चल हिमबिन्दुओं पर अनार के दाने समझ कर चोंच चलाने लगते हैं वे सूर्य-किरणें (हमारी अथवा तुम्हारी) रक्षा करें ।

उपपादयति—

अत्र भ्रान्तिभृतां तिरश्चामप्येवमानन्दं जनयतीति जगदानन्दहेतुर्भगवानिति व्यज्यते । एवंरूपाया भ्रान्तेर्लोकेऽपि संभवात्स्वतःसंभवित्वम् ।

भ्रान्तिभृतामिति । भ्रान्तानामित्यर्थः । तिरश्चामपीति । अपिपदेन 'का कथा मनुष्याणाम्' इत्यर्थो द्योत्यते । अत्र वाच्येन भ्रान्तिमदलङ्कारेण 'तिरश्चामप' त्यादि मूलोक्तं वस्तु व्यज्यते, एतादृशी भ्रान्तिर्लोकेऽपि संभवतीति तस्याः स्वतःसंभवित्वं विज्ञेयम् । एवञ्च स्वतःसंभविनाऽलङ्कारेण वस्तुध्वनेरुदाहरणमेतदिति भावः ।

अब उक्त पद्य में प्रकृतोपयोगी विषयों का उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । यहाँ यह व्यङ्ग्य होता है कि जब भगवान् सूर्य भ्रान्त पक्षियों को भी इतना आनन्द देते हैं, तब वे (सूर्य) अवश्य ही संसार के सुखों के निदान हैं । इस तरह का भ्रम लोक में भी सम्भावित है—अर्थात् काल्पनिक नहीं है—अतः यह वाच्य 'भ्रान्तिमत्' अलंकार स्वतःसम्भवी है । सारांश यह कि भ्रान्तिमत् अलंकार से उक्त वस्तु की अभिव्यक्ति होने के कारण यह पद्य स्वतःसंभवी अलंकार से वस्तुध्वनि का उदाहरण होता है ।

स्वतःसंभविनाऽलङ्कारेणालङ्कारध्वनिमुदाहरति—

'उदितं मण्डलमिन्दो रुदितं सद्यो वियोगिवर्गेण ।
मुदितं च सकलललनाचूडामणिशासनेन मदनेन ॥'

कविश्चन्द्रोदयं वर्णयति—इन्दोश्चन्द्रमसो मण्डलम् गोलकम् , उदितम्—नभसि दृष्टिगोचरमभवत् । उदितमित्यत्र कर्तरि क्तः । वियोगिनाम् वियोगिनश्च वियोगिन्यश्चेति 'पुमान् स्त्रिये'त्येकशेष, तेषां, वर्गेण समूहेन, सद्यः उदयसमकालमेवेति यावत्, रुदितम्, नपुंसके भावे क्तः । च पुनः सकलानां सर्वासां, ललनानां स्त्रीणाम् , चूडामणिः शिरोधार्यमिति यावत् , शासनं यस्य तेन, मदनेन कामदेवेन, मुदितम् मोदोऽनुभूत इत्यर्थः ।

अब स्वतःसंभवी अलंकार से अलंकार-ध्वनि का उदाहरण उपस्थित करते हैं—उदित इत्यादि । कवि चन्द्रोदय का वर्णन करता है—ज्यों ही चन्द्रमण्डल का उदय हुआ,

त्योंही विरही और विरहिणियों का दल रो उठा तथा सभी कामिनियों पर शासन करने वाला कामदेव खिल उठा—उसने प्रसन्नता का अनुभव किया।

उपपादयति—

अत्र समुच्चयेन क्रियायौगपद्यात्मना कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययात्मिकातिशयोक्तिः।

अत्र 'उदितम्' इति पद्ये। कार्यकारणेति। कार्यकारणयोर्यत्पौर्वापर्यम्-पूर्वपश्चाद्भावस्तस्य विपर्ययो वैपरीत्यम् प्रकृते समकालीनत्वमिति यावत्, आत्मा स्वरूपं यस्याः सेत्यर्थः। अतिशयोक्तिरित्यस्य व्यज्यते इति शेषः। अत्र 'उदितम्', 'रुदितम्', 'मुदितम्' इति क्रियात्रयस्य वाच्यं यौगपद्यम् (समकालीनत्वम्) समुच्चयालङ्कारः, स्वतःसंभवी, तेनेन्दुमण्डलोदयस्य कारणतया पूर्वभाविनः; रोदनमोदयोश्च कार्यतया पश्चाद्भाविनोः समकालिकत्वकथनात्मकोऽतिशयोक्त्यलङ्कारो ध्वन्यत इति स्वतःसंभविनाऽलङ्कारेणालङ्कारध्वनिरत्र सम्पद्यते इति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में 'उदित होना, रोना और मुदित होना' इन तीन क्रियाओं का एक साथ होना समुच्चयालंकार कहलाता है। जो स्वतः-सम्भवी वाच्य है, उससे कार्य-कारण-पौर्वापर्य-विपर्ययरूप अतिशयोक्ति अलंकार व्यङ्ग्य होता है—अर्थात् यहाँ जो पदार्थ वर्णित हैं, उनमें चन्द्रोदय कारण है और रोना आदि कार्य, अतः चन्द्रोदय की प्रथमता और रोदन आदि की पश्चाद्भाविता निश्चित है, परन्तु यहाँ उन सबों के साथ-साथ होने का वर्णन किया गया है—यह एक प्रकार की अतिशयोक्ति है।

एषु स्वतः संभवी व्यञ्जकः।

व्यञ्जक इत्यत्र जात्यभिप्रायेणैकवचनम्। पूर्वोक्तेषूदाहरणेषु व्यञ्जका अर्था बहिरपि सम्भाव्यमानत्वात्स्वतःसंभविनः सन्तीति भावः।

पूर्वोक्त उदाहरणों में व्यञ्जक अर्थ ऐसे हैं, जो बाह्य जगत् में भी हो सकते हैं अतः वे स्वतःसम्भवी (व्यञ्जक) कहे जाते हैं।

कविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तुना वस्तुध्वनिमुदाहरति—

'तदवधि कुशली पुराणशास्त्रस्मृतिशतचारुविचारजो विवेकः।
यदवधि न पदं दधाति चित्ते हरिणकिशोरदृशो दृशोर्विलासः॥'

कविर्विमृशति—पुराणानां शास्त्राणां स्मृतीनाञ्च शतस्य यश्चारु रमणीयो विचारस्तज्जन्यो विवेकः संसारपरमात्मनोर्भेदज्ञानम्, तदवधि तावत्कालपर्यन्तम्, कुशली अक्षुण्णस्तिष्ठतीति यावत्। यदवधि यावत्कालपर्यन्तम्, हरिणकिशोरस्य मृगशावकस्य, दृगिव दृक् यस्यास्तस्या मृगनयनाया इति यावत्, दृशोः नयनयोः, विलासः कटाक्षादिः, चित्ते हृदये, पदं चरणं, न दधाति स्थापयतीत्यर्थः। रमणीकटाक्षापहृतचेतसः पुंसो विवेको नश्यतीति भावः।

अब कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु-ध्वनि का उदाहरण दिखलाते हैं— 'तदवधि' इत्यादि। कवि कहता है—सैकड़ों पुराणों, शास्त्रों तथा स्मृतियों के सुन्दर विचारों से

उत्पन्न विवेक (संसार और परब्रह्म में भेद-ज्ञान) तभी तक सकुशल-अक्षुण्ण रहता है: जब तक मृग-शावक-नयना नायिका के नयनों का विलास (कटाक्ष आदि) हृदय में स्थान ग्रहण नहीं करता।

उपपादयति—

अत्र कामिनीदृग्विलासे चेतसि पदमर्पितवती विवेकस्य नास्ति कुशलमिति वस्तुना दृग्विलासकर्तृकपदार्पणस्य लोकसिद्धत्वाभावात्कविप्रौढोक्तिनिष्पन्नेन सुनिषण्णे तस्मिन् का कुशलचर्चा विवेकस्येति वस्तु व्यज्यते।

सुनिषण्णे सुस्थिते। अत्र कामिनीदृग्विलासो यदा हृदये पदं निधत्ते तदा विवेकस्य कुशलम् (निष्प्रत्यूहा स्थितिः) नास्तीति वस्तु वाच्यम्, तच्च कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्धम्, अचेतनदृग्विलासे पदार्पणकर्तृत्वस्य लोकेऽप्रसिद्धत्वात्। तथा च तादृशेन तेन वस्तुना 'नायिकानयनविलासस्य हृदये पदार्पणमात्रे यदि विवेकनाशस्तर्हि सुस्थिते तस्मिन् विवेकसत्तायाश्चैव के'ति वस्तु व्यज्यमानं सत् भवत्यस्य पद्यस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुरिति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'कामिनी का नयन-विलास जब हृदय में पैर रखता है, तब विवेक का कुशल नहीं', यह जो वस्तु यहाँ वाच्य है, वह कवि-कल्पना-मात्र-प्रसूत है वास्तविक नहीं, क्योंकि अचेतन-नयन-विलास का हृदय में पैर रखना लोकरीति से असम्भव है। इस तरह कविप्रौढोक्तिसिद्ध उस अर्थ से यह वस्तु व्यक्त होती है कि—'जब नायिका-नयन-विलास के हृदय में पदार्पणमात्र से विवेक का अकुशल होने लगता है, तब उसके वहाँ सुस्थिर हो जाने पर विवेक की कुशल-चर्चा ही क्या की जा सकती है ?'

शिष्यबुद्धिवैशद्यायोदाहरणाभासमस्य प्रदर्श्य निरस्यति—

'कस्मै हन्त फलाय सज्जन ! गुणग्रामार्जने सज्जसि,
स्वात्मोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं समाकर्णय।
ये भावा हृदयं हरन्ति नितरां शोभाभरैः सम्भृता-
स्तैरेवास्य कलेः कलेवरपुषो दैनंदिनं वर्तनम्॥'

कविः कमपि पृच्छति—हे सज्जन! कस्मै फलाय गुणग्रामार्जने गुणसमूहोपार्जने, सज्जसि तत्परोऽसि। हन्त इति खेदसूचकम्। स्वात्मोपस्करणाय स्वात्मानं भूषयितुं, चेत् यदि, गुणग्रामार्जने सज्जसीति शेषः, तदा पथ्यं हितकरम्, मम मदीयं, वचः वचनम्, समाकर्णय शृणु। किं तत् श्रोतव्यमित्याह—ये भावा इति। शोभाभरैः सौन्दर्यसमुदयैः, संभृताः परिपूर्णाः, ये भावाः पदार्थाः, नितरामत्यन्तम्, हृदयं मनः, हरन्ति वशीकुर्वन्ति, तैरेव, गुणपदव्यपदेश्यैः पदार्थैः न तु कुरूपैरगुणैरित्यर्थः, कलेवरपुषः देहपोषकस्य, उदरंभरेरिति यावत्, अस्य वर्तमानस्य, कलेः कलियुगस्य, दैनंदिनम् प्रात्यहिकम्, वर्तनम् वृत्तिः, भवतीति शेषः। हे सज्जन! निजात्मोत्कृष्टतासम्पादनाय गुणगणवरणे तव प्रबला प्रवृत्तिर्न केवलं विफला, अपि तु अनिष्टकरी, यतः दुष्टशिरोमणिरयं कलिः हृदयहारिणो गुणानेव जग्ध्वा स्वकीयं वपुः पुष्यति, अर्थात् कलियुगावताराणां दुर्जनानामाक्रमणं गुणिनामेवोपरि प्रथमं भवति अतोऽकाल एव प्रायो गुणिनां मरणं जायत इति भावः। नागेश-

स्त्वत्र 'सज्जनगुणग्रामार्जने' इति समस्तं पदं मत्वा सज्जनानां गुणग्रामस्य अर्जने इति व्याख्यामकार्षीत ।

अब यहाँ एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जाता है, जिसमें आपाततः कवि-प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः वह है नहीं—कस्मै इत्यादि । कवि किसी से पूछता है—हे सज्जन ! तू किस फल के लिये गुण-गण के उपार्जन में संलग्न हो रहा है—अर्थात् अन्य आवश्यक कार्यों से भी विमुख होकर रात-दिन गुण-प्राप्ति के लिये ही जो तू तत्पर रहा करता है, वह किसलिये ? क्या इसलिये कि गुणों से आत्मा शोभित होती है अर्थात् अपनी आत्मा को अलंकृत करने के लिए गुणों का उपार्जन करता है ? यदि यही बात हो तो मैं तेरे ही हित के लिए एक बात कहता हूँ, उसे सुन । वह यह है कि जो वस्तुएँ शोभा-समूह से परिपूर्ण होने के कारण हृदय-हारिणी होती हैं—जिन वस्तुओं के दर्शन से मानव-मन मुग्ध हो जाया करता है, उन्हीं वस्तुओं से शरीर पोषक—पेटू—इस कलियुग का दैनिक आहार सम्पन्न हुआ करता है । तात्पर्य यह हुआ कि आत्म-शोभा-वर्धक गुणों के उपार्जन में किसी की प्रवृत्ति केवल व्यर्थ ही नहीं होती, अपि तु अनिष्टकारिणी भी होती है, क्योंकि यह दुष्टराज-कलियुग मनोरम गुणों को ही खा-खाकर जीता है अर्थात् कलियुगावतार दुर्जनों का आक्रमण पहले गुणियों के ऊपर ही होता है, अतएव गुणियों का मरण प्रायः असमय में ही हुआ करता है, अतः हे सज्जन ! इस गुण-ग्रहण-प्रवृत्ति को छोड़ दो । नागेश यहाँ 'सज्जन पद' को सम्बोधन नहीं मानते । वे 'सज्जन-गुण-ग्रामार्जने' इस पद को समस्त मानकर 'सज्जनों के गुण-गणों के उपार्जन में' ऐसा अर्थ करते हैं । वह अर्थ भी असंगत नहीं है ।

उपपादयति—

इह यद्यपि रमणीयाः पदार्थाः कलेर्नित्यमदनीया इति वस्तुना प्रौढोक्तिसिद्धेन मर्तुं कामयसे चेद् गुणप्राप्तौ यतस्वेति वस्तु व्यज्यते, तथापि तस्य पर्यायोक्तात्मनो वाच्यापेक्षया सुन्दरताविरहाद् गुणीभूतत्वमेव । अलंकारा हि वाच्यसौन्दर्यसाराः प्रायशः स्वान्तर्गतं प्रतीयमानं पृष्ठतः कुर्वन्ति ।

'कस्मै हन्त' इति पद्ये रमणीयाः पदार्थाः गुणपदव्यपदेशिनः कलेर्भोज्या इति कवि-प्रौढोक्तिसिद्धं वस्तु वाच्यम् , तदेव च 'मर्तुं कामयसे चेद् गुणप्राप्तौ यतस्व' इत्याकारेण भङ्ग्यन्तरेण व्यङ्ग्यम् , अतस्तद्व्यङ्ग्यं पर्यायोक्तालंकाररूपम् , 'पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः' इति तल्लक्षणात् । एवञ्च वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वोभयदशावत एकस्यैव वस्तुनः केन रूपेणाधिकचमत्कारित्वम् इति विचारे क्रियमाणे वाच्यत्वेनैवेति निर्णयोऽनुभवसाक्षिको जायते । यतो वाच्यार्थसौन्दर्यप्रधाना अलंकाराः स्वमध्यपतितं व्यङ्ग्यं चमत्कारांशे पश्चात्पदं कुर्वन्ति । तथा चात्र वर्तमानमपि व्यङ्ग्यं गुणीभूतमेवेति गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वेनैव व्यवहारो युक्तो न तु ध्वनित्वेनेति भावः ।

उपपादन करते हैं—इह इत्यादि । उक्त पद्य में 'गुण कहे जानेवाले रम्य पदार्थ कलियुग के खाद्य हैं' यह कवि-प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु वाच्य है और वही वस्तु 'मारना चाहते हो तो गुणों की प्राप्ति के लिये यत्न करो' इस तरह की भिन्न भंगी से व्यंग्य भी है । अतः वह व्यंग्य 'पर्यायोक्त अलंकार' रूप हो जाता है, क्योंकि 'वाच्य-वाचकभाव से अन्य भंगी के द्वारा किए गए वस्तुवर्णन' को ही 'पर्यायोक्त अलंकार' कहते हैं। ऐसी स्थिति में

जब एक ही अर्थ वाच्य तथा व्यङ्ग्य दोनों रूपों में अवगत हो तब—उन दोनों में से किस रूप में वह अर्थ अधिक चमत्कारी है, यह विचार जब प्रस्तुत होगा, तब यही कहा जायगा कि वाच्यरूप में कारण, अलंकारों में वाच्यार्थकृत चमत्कार ही प्रधान रहता है, अतः वे (अलंकार) अपने मध्य में टपके हुए व्यंग्य के चमत्कार को प्रायः दबा देते हैं। सारांश यह है कि यहाँ का व्यंग्य गुणीभूत है, अतः उसके बल पर इस पद्य को गुणीभूत-व्यंग्य नामक मध्यम काव्य ही कहा जा सकता है, ध्वनि नामक उत्तम काव्य नहीं।

कविप्रौढोक्तिसिद्धेनालंकारेण वस्तुध्वनेरुदाहरणमाह—

'देवाः के पूर्वदेवाः समिति मम नरः सन्ति के वा पुरस्ता-
देवं जल्पन्ति तावत्प्रतिभटपृतनावर्तिनः क्षत्रवीराः।
यावन्नायाति राजन्नयनविषयतामन्तकत्रासिमूर्ते !
मुग्धारिप्राणदुग्धाशनमसृणरुचिस्त्वत्कृपाणो भुजङ्गः ॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—हे अन्तकत्रासिमूर्ते ! अन्तकवत् यमवत्, त्रासिनी भयोत्पादिका मूर्तिः स्वरूपं यस्य, तादृश, अथवा अन्तकस्यापि त्रासिनी मूर्तिर्यस्येत्यर्थः। राजन् ! प्रतिभटपृतनावर्तिनः भवदीयशत्रुसेनास्थायिनः, क्षत्रवीराः क्षत्रियवीराः, 'समिति युद्धे, मम, पुरस्तात् अग्रे, देवाः सुराः, के, पूर्वदेवाः असुराः के, नरः नृशब्दस्य जसन्तं रूपम्, मनुष्या इत्यर्थः, च के सन्ति, देव-दानव-मानवा, ममाग्रे तुच्छा इति भावः, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण, तावत् तावत्कालपर्यन्तम्, जल्पन्ति वदन्ति, यावत्, मुग्धानाम्—मोहग्रस्तानाम्, अरीणां शत्रूणां, प्राणा एव दुग्धम् सुखपेयत्वात्, तस्य अशनेन भक्षणेन, मसृणा स्निग्धा, रुचिः कान्तिः यस्य सः, त्वत्कृपाणः भवदीयखड्गः, भुजङ्गः सर्पः, व्यस्तरूपकमिदम्, नयनविषयताम् नेत्रगोचरताम्, न आयाति प्राप्नोति। पूर्वतो निजशौर्यकथां कुर्वन्तोऽपि शत्रुसैनिकवीरास्तव करालकरवालमालोक्य सहसा मौनमालंबन्त इति भावः।

अब कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से वस्तुध्वनि का उदाहरण कहते हैं—देवा इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे यम के समान भयोत्पादक मूर्ति वाले राजन् ! आपके शत्रु की सेना में रहने वाले क्षत्रिय-वीर 'युद्ध में मेरे सामने देव तथा दानव कौन होते हैं और ये मानव तो नितान्त ही तुच्छ हैं' इस तरह की बहकी हुई बातें तभी तक बनाते हैं, जब तक मोहग्रस्त शत्रु के प्राणरूप दुग्ध के पीने से चिकनी कान्तिवाला आपका खड्ग-भुजङ्ग, उनकी आँखों के समक्ष उपस्थित नहीं होता। सारांश यह कि समरभूमि में पहले से अपनी वीरता की प्रशंसा करते हुए भी शत्रुपक्षीय वीरगण आपकी तलवार को देखकर सहसा चुप्पी साध लेते हैं।

उपपादयति—

अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन रूपकेण त्वय्युद्यतकरवाले सति का परेषां जीवनस्याशेति वस्तु व्यज्यते।

वाच्येन कृपाणभुजङ्गयो रूपकालंकारेण वस्तुतः कृपाणस्य भुजङ्गरूपताया असंभवात् कविकल्पितेन, 'त्वय्युद्यते'त्यादिमूलोक्तवस्तुव्यञ्जनात् कविप्रौढोक्तिसिद्धालंकारेण वस्तुध्वनेरुदाहरणमिदं पद्यं सम्पद्यत इति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में वस्तुतः कृपाण का भुजङ्गरूप नहीं हो सकने के कारण, कविकल्पित कृपाण तथा भुजङ्ग के वाच्यरूपक (अलंकार) से 'जब आप तलवार उठा लें तब शत्रुओं के जीने की क्या आशा है' यह वस्तु ध्वनित होती है।

कविप्रौढोक्तिनिष्पन्नवस्तुनाऽऽलंकारध्वनेरुदाहरणं दर्शयति—

'साहङ्कारसुरासुरावलिकराकृष्टभ्रमन्मन्दर—
क्षुभ्यत्क्षीरधिवल्गुवीचिवलयश्रीगर्वसर्वंकषाः।
तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिता
भूमीभूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोगं भवत्कीर्तयः ॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—हे भूमीभूषण धराशोभाकर ! अहंकारेण गर्वेण, सहिता ये सुरा देवा असुरा दैत्याश्च तेषाम्, आवलेः समूहस्य, करैः पाणिभिः, आकृष्टेन, अत एव भ्रमता मन्दरेण मन्दराचलेन, क्षुभ्यतः क्षोभविशिष्टस्य, क्षीरधेः समुद्रस्य वीचिवलयस्य तरङ्गपरम्परायाः, या श्रीः शोभा तस्याः, गर्वस्य सर्वंकषाः समूलनाशिकाः, तथा तृष्णया पिपासया, ताम्यतां व्याकुलीभवताम्, अमन्दानां बहूनाम्, तापसानां तपस्विनाम्, कुलैः समूहैः, सानन्दं तृषानिवृत्तिसाधनत्वबुद्धिजन्यानन्दसहितं यथा स्यात्तथा क्रियाविशेषणमिदम्, आलोकिताः दृष्टाः, भवत्कीर्तयः भवदीययशांसि, भुवनाभोगं संसार-परिसरं, भूषयन्ति अलंकुर्वन्तीत्यर्थः।

अब कविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तु से अलंकारध्वनि का उदाहरण दिखलाते हैं—साहंकार इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे पृथिवीभूषण ! गर्वयुक्त देव-दानवों की पंक्ति के हाथों से खींचे हुए अतएव घूमते हुए मन्दर पर्वत से क्षुब्ध किए जा रहे दुग्ध-सागर के सुन्दर तरङ्ग-समूह की शोभा के गर्व को समूल नष्ट कर देनेवाली—अर्थात् उससे भी सुन्दर और तृष्णा से घबराए हुए अनेक तपस्वि-समूहों के द्वारा (तृष्णा-शान्ति का साधन समझकर) सहर्ष देखी गई आपकी कीर्तियाँ समस्त संसार को सुशोभित कर रही हैं।

उपपादयति—

अत्र कीर्तेः सानन्दालोकनेन वस्तुना कविकल्पितेन दुग्धभ्रान्तिस्तापस-गता व्यज्यते।

साहंकारेति पद्ये बहिःसंभाव्यमानताविरहात् कविप्रौढोक्तिसिद्धम्, तृष्णाऽऽतुरतापस-समुदायकर्तृककीर्तिकर्मकसानन्दावलोकनात्मकं वस्तु वाच्यवृत्त्या वर्णितम्। तेन तापसात्म-समवेतकीर्त्यधिकरणकदुग्धभ्रमस्य भ्रान्तिमदलंकाररूपस्य ध्वननेन कविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तु-मूलकालंकारध्वनेरुदाहरणतां प्रतिपद्यते प्रकृतपद्यमिति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में तृषातुर तपस्वियों के द्वारा कीर्ति का सहर्ष अवलोकनरूप कविकल्पितवस्तु वाच्यरूप में वर्णित हुई है, जिससे तपस्वियों के हृदय में होने वाली दुग्धभ्रान्ति ध्वनित होती है।

शङ्कते—

न च सानन्दालोकनस्यैव चाक्षुषभ्रान्तिरूपतया व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोरविवेको व्यङ्ग्यत्वानुपपत्तिश्चेति वाच्यम्,

अविवेक इति। अभेद इत्यर्थः। व्यङ्ग्यत्वमभ्युपेत्येदम्, वस्तुतस्तदेव नेत्याह—व्यङ्ग्यत्वेति। तस्य वाच्यत्वादिति भावः। प्रकृते व्यङ्ग्यत्वेनाभिमता तापसगता दुग्धभ्रान्तिः दुग्धत्वाभाववत्यां कीर्तौ दुग्धत्वप्रकारकचाक्षुषज्ञानरूपैव पर्यवस्यति, चाक्षुषज्ञानमेव च सानन्दालोकनपदार्थो व्यञ्जकत्वेनाभिमतः। तथा च चाक्षुषभ्रमस्यैव व्यङ्ग्यत्वम्, तस्यैव व्यञ्जकत्वञ्च सिद्ध्यति, तच्च न युक्तम्, व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोर्भेदस्य सकलतन्त्रसिद्धत्वात्, व्यञ्जकस्य वाच्यत्वे तदभिन्नस्य व्यङ्ग्यत्वेनाभिमतस्यापि वाच्यत्वेन व्यङ्ग्यत्वासंभवाच्चेत्याशयः।

इस प्रसङ्ग पर एक शंका की जाती है—न च इत्यादि। उक्त पद्य में तपस्वि-हृदय-गत जिस दुग्ध-भ्रान्ति को व्यङ्ग्य माना जाता है, वह वस्तुतः दुग्ध से भिन्न पदार्थ में दुग्धत्वप्रकारक चाक्षुषज्ञानरूप ही पर्यवसित होता है और चाक्षुष ज्ञानरूप सहर्ष अवलोकन पदार्थ को ही व्यंजक भी कहा जाता है। इस स्थिति में चाक्षुष भ्रम ही व्यङ्ग्य तथा व्यञ्जक दोनों सिद्ध होता है, जो समुचिन नहीं है। क्योंकि सभी शास्त्रों में व्यङ्ग्य और व्यञ्जक को भिन्न—दो वस्तु माना गया है। दूसरी बात यह कि वाच्य व्यञ्जक से अभिन्न व्यङ्ग्य भी वाच्य ही हो गया अतः वह व्यङ्ग्य हो भी नहीं सकता।

समाधत्ते—

वस्तुन एकत्वेऽपि कीर्तिरूपविशेष्यावृत्तिदुग्धत्वप्रकारकत्वात्मकभ्रान्तित्वेन सानन्दावलोकनत्वेन च व्यङ्ग्यव्यञ्जकविवेकस्य व्यङ्ग्यतावच्छेदकरूपेण वाच्यताया अभावात् व्यङ्ग्यत्वस्य चोपपत्तेः।

उक्तरीत्या यद्यपि व्यङ्ग्यं व्यञ्जकञ्च चाक्षुषज्ञानविशेषरूपमेकमेव वस्तु, तथापि तयोर्भेदो विद्यते, भ्रमात्मकज्ञाने विशेष्यभूता या कीर्तिः तत्राविद्यमानं यद् दुग्धत्वम्, तत्प्रकारकज्ञानत्वरूपभ्रमत्वेन रूपेण चाक्षुषज्ञानविशेषस्य व्यङ्ग्यत्वात सानन्दावलोकनत्वेन रूपेण च तस्य व्यञ्जकत्वात। वाच्यव्यङ्ग्ययोरैक्येऽपि वाच्यतावच्छेदकव्यङ्ग्यतावच्छेदकयोर्भेदेन उक्तभ्रमस्य व्यङ्ग्यत्वमप्युपपन्नमेव। कीर्तिरूपविशेष्यावृत्तिदुग्धत्वप्रकारकभ्रान्तित्वसानन्दावलोकनत्वयोः क्रमशो व्यङ्ग्यतावच्छेदकवाच्यतावच्छेदकयोर्भेदः स्पष्ट एव। एकस्यापि वस्तुनो भिन्नरूपेण वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वयोर्न विरोध इति भावः।

उक्त शंका का उत्तर दिया जाता है—वस्तुन इत्यादि। यद्यपि उक्त रीति से व्यङ्ग्य तथा व्यञ्जक दोनों ही चाक्षुषज्ञानरूप एक वस्तु सिद्ध होते हैं, तथापि उन दोनों (व्यङ्ग्य तथा व्यञ्जक) में भेद है—कीर्ति को दूध समझना ही तो भ्रम है, अतः उस भ्रम में विशेष्य है कीर्ति और प्रकार है दुग्धत्व। इस तरह से व्यङ्ग्य चाक्षुषभ्रम का आकार होता है 'कीर्ति को दूध समझना'। और व्यञ्जक चाक्षुषज्ञान का आकार होता है 'कीर्ति को सहर्ष देखना'। अब देखिए कि इन दोनों में भेद है अथवा नहीं? आपको भी कहना पड़ेगा कि 'है'। अब रही दूसरी बात वह यह कि वाच्य, व्यङ्ग्य कैसे हो सकता है? उसका उत्तर यह है कि एक भी पदार्थ अवच्छेदक-भेद से वाच्य और व्यङ्ग्य हो सकता है अर्थात् जिस रूप में वाच्य होता हो, उससे भिन्नरूप में वही पदार्थ व्यङ्ग्य भी हो सकता है, अतः यहाँ चाक्षुषज्ञानरूप एक पदार्थ भी रूपभेद से वाच्य तथा व्यङ्ग्य होता है अर्थात् वाच्य होता है 'सहर्ष अवलोकन' के रूप में और व्यङ्ग्य होता है 'दूध समझने' के रूप में।

उक्तार्थे प्राचां सम्मतिं दर्शयति—

तथा चाहुः—'यदेवोच्यते तदेव व्यङ्ग्यम्, यथा तु व्यङ्ग्यं न तथोच्यते' इति ।

आहुरिति । मम्मटभट्टा इति शेषः । यदेवेति । यद्वस्तु उच्यते वाच्यवृत्त्या वर्ण्यते, तदेव वस्तु व्यङ्ग्यमपि, परन्तु यथा येन प्रकारेण, व्यञ्जनावृत्तिगम्यत्वम्, तथा तेन प्रकारेण न उच्यते अभिधावृत्तिबोध्यत्वन्नेत्यर्थः । पर्यायोक्तालंकारनिरूपणे मम्मटभट्टस्य काव्यप्रकाशग्रन्थगतेयं पंक्तिः । रूपभेदे एकस्यापि वस्तुनो वाच्यता व्यङ्ग्यता च सम्भवतीति तदर्थः ।

उक्त अर्थ में प्राचीनों की सम्मति दिखलाई जाती है—तथा चाहुः इत्यादि । मम्मट ने काव्यप्रकाश के अलंकार प्रकरण में पर्यायोक्त-अलंकार-निरूपण के प्रसङ्ग पर 'यदेवोच्यते…' इत्यादि पङ्क्ति लिखी है, जिसका अभिप्राय यह है कि—'जो कहा जाता है-जो वाच्य है-वही व्यङ्ग्य है-वस्तुतः दोनों एक हैं, तथापि जिस रूप में व्यङ्ग्य है उस रूप में वाच्य नहीं है ।' तात्पर्य यह कि कहने की शैली जब बदल दी जाती है, तब एक ही वस्तु दूसरी हो जाती है, अतः रूपभेद हो जाने पर एक ही वस्तु वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों हो सकती है, इस सिद्धान्त का समर्थन मम्मट ने भी किया है ।

कविप्रौढोक्तिसिद्धालंकारेणालंकारध्वनिमुदाहरति—

'दयिते रदनत्विषां मिषादयि, तेऽमी विलसन्ति केसराः ।
अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृहयालवोऽलयः ॥'

नायको नायिकां वक्ति—अयि दयिते प्रिये ! ते तव, रदनत्विषां दन्तकान्तीनाम्, मिषात् व्याजात्, अमी प्रत्यक्षदृश्यमानाः, केसराः किंजल्काः, विलसन्ति विशेषेण शोभन्ते । अपि च अलकवेषधारिणः केशस्वरूपतामापन्नाः, इमे, मकरन्दस्पृहयालवः परागलोभिनः, अलयः भ्रमराः, विलसन्तीत्यर्थः । नैता रदनकान्तयः किन्तु केसराः, एवं नैते अलकाः परन्तु भ्रमरा इति भावः ।

अब कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से अलंकारध्वनि का उदाहरण देते हैं—दयिते इत्यादि । नायक नायिका से कहता है—हे प्रिये ! तेरे दशन-किरण-व्याज से ये केसर शोभित हो रहे हैं और कच-कलाप का वेष धारण किए हुए ये पराग के लोभी भ्रमर हैं ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वोत्तरार्धवर्तिनीभ्यामपह्नुतिभ्यां न त्वं नारी किं तु नलिनीति तृतीयापह्नुतिर्व्यज्यते ।

'दयिते' इति श्लोके द्वावपह्नुत्यलंकारौ वाच्यौ, तयोरेकः रदनत्विट्रूपमुपमेयं निषिध्य केसररूपोपमानस्थापनरूपः । द्वितीयश्चालकरूपमुपमेयं निषिध्यालिरूपोपमानस्थापनरूपः । ताभ्यां नारीरूपोपमेयनिषेधेन कमलिनीरूपोपमानस्थापनरूपायास्तृतीयापह्नुतेर्ध्वननात् अलंकारेणालंकारध्वनेरुदाहरणमिदं भवतीति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में दशन-किरणरूप उपमेय का निषेध करके केसररूप उपमान का स्थापनस्वरूप एक और कच-कलापरूप उपमेय का निषेध

करके भ्रमररूप उपमान का स्थापनस्वरूप द्वितीय अपह्नुति अलंकार वाच्य है। उन दोनों अपह्नुति अलंकारों से नारीरूप उपमेय का निषेध करके कमलिनीरूप उपमान का स्थापनस्वरूप तृतीय अपह्नुति अलंकार ध्वनित होता है अर्थात् 'ये दन्तों की किरणें नहीं अपि तु केसर हैं, और ये केश नहीं अपि तु भ्रमर हैं' इन वर्णनों से यह अभिव्यक्त होता है कि यह नारी नहीं, अपि तु नलिनी है।

एषु प्रौढोक्तिनिष्पन्नो व्यञ्जकः।

पूर्वोक्तेषु उदाहरणेषु व्यञ्जकत्वेनाभिप्रेतो वाच्यार्थः बहिःसंभाव्यमानताविरहेण कविकल्पित इति भावः।

उक्त उदाहरणों में व्यञ्जक अर्थ प्रौढोक्तिसिद्ध हैं अर्थात् उक्त उदाहरण पद्यों के वाच्य अर्थ ऐसे हैं, जो बाह्य जगत् में संभावित नहीं हैं, अतः कवि-कल्पित हैं।

स्थलभेदेन ध्वनेः शब्दशक्त्यर्थशक्तिमूलकत्वव्यपदेशयोर्बीजमुपन्यस्यति —

यद्यपि शब्दशक्तिमूलकत्वमर्थशक्तिमूलकत्वं चेत्युभयमपि सकलव्यङ्ग्यसाधारणम्, शब्दार्थयोरनुसन्धानं विना व्यङ्ग्यस्यैवानुल्लासात्, तथापि परिवृत्त्यसहिष्णूनां शब्दानां प्राचुर्ये तत्प्रयुक्तात्प्राधान्यात्सत्या अप्यर्थशक्तेरप्राधान्याच्च व्यङ्ग्यस्य शब्दशक्तिमूलकत्वेनैव व्यपदेशः। परिवृत्तिसहिष्णूनां तु प्राचुर्येऽर्थशक्तेरेव प्राधान्यात्सत्या अपि शब्दशक्तेः प्रधानानुगुण्यार्थतया मल्लग्रामादिवत्प्रधानेनैव व्यपदेशः।

अनुसन्धानं ज्ञानम्। अनुल्लासादिति। अनभिव्यक्तेरित्यर्थः। सत्या इति वर्तमानाया इत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। प्रधानानुगुण्यार्थतयेति। प्रधानस्य यदानुगुण्यमानुकूल्यं तदर्थतया तत्सम्पादकतयेत्यर्थः, प्रधानोपकारकतयेति यावत्। सर्वत्र ध्वनिकाव्यस्थले व्यङ्ग्यप्रतिपत्त्यर्थं शब्दस्यार्थस्य च ज्ञानमावश्यकम्, अन्यथा व्यङ्ग्यप्रतिपत्तिरेव न स्यात्, शब्दार्थयोरेकस्यापि व्यञ्जकत्वेऽपरस्य नियमतः सहायकत्वात्, अतः शब्दशक्तिमूलकत्वमर्थशक्तिमूलकत्वञ्च सर्वेषु व्यङ्ग्येषु तिष्ठत्येव. एवञ्च क्वचित् व्यङ्ग्ये शब्दशक्तिमूलकत्वव्यवहारः क्वचिच्चार्थशक्तिमूलकत्वव्यवहारः कथमिति चेदित्थं बोद्धव्यम्—व्यङ्ग्यार्थप्रधानेषु काव्येषु द्विविधाः शब्दास्तिष्ठन्ति, केचन परिवृत्त्यसहा येषां परिवर्तने व्यङ्ग्यप्रतीतिर्न भवति, केचन पुनः परिवृत्तिसहा येषां परिवर्तनेऽपि व्यङ्ग्यप्रतीतिर्भवत्येव। तयोः परिवृत्त्यसहिष्णूनां शब्दानामाधिक्यं यत्र तिष्ठति, तत्र शब्दशक्तेः प्राधान्यम् अर्थशक्तेश्च वर्तमानाया अपि सहायकत्वमात्रम्, एवं यत्र परिवृत्तिसहिष्णूनामेव शब्दानामाधिक्यम्, तत्रार्थशक्तेरेव प्रधानता शब्दशक्तेश्च विद्यमानाया अपि प्रधानोपकारकतैव। तथा च 'प्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति मल्लग्रामादिवत्' इति रीत्या प्रथमस्थलीयध्वनौ शब्दशक्तिमूलकत्वव्यपदेशः, द्वितीयस्थलीयध्वनौ चार्थशक्तिमूलकत्वव्यपदेश इति भावः।

ध्वनि कहीं शब्द-शक्तिमूलक कही जाती है और कहीं अर्थशक्तिमूलक, क्यों? इसका बीज अब दिखलाया जाता है—यद्यपि इत्यादि। ध्वनिकाव्य के स्थल में सर्वत्र व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति के लिये पहले शब्द तथा वाच्य अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा व्यङ्ग्य अर्थ का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द और अर्थ इन दोनों में से

एक के व्यञ्जक होने पर भी दूसरा नियमतः सहायकरूप में अपेक्षित रहता है, अतः शब्द-शक्तिमूलकता और अर्थशक्तिमूलकता ये दोनों ही सब व्यङ्ग्यों में यद्यपि साधारण रूप से रहती हैं, तथापि जहाँ ऐसे शब्दों की बहुलता हो जिनका परिवर्तन न किया जा सके अर्थात् जिन्हें बदल देने पर व्यङ्ग्य की प्रतीति न हो सके, वहाँ शब्द-शक्ति की प्रधानता समझी जाती है और अर्थशक्ति (रहने पर भी) की गौणता मानी जाती है, अतः वैसे स्थल के व्यङ्ग्यों को शब्दशक्तिमूलक ही कहा जाता है। परन्तु जहाँ ऐसे शब्दों की अधिकता हो जिनका परिवर्तन किया जा सके अर्थात् जिनके बदले में पर्यायवाची अन्य शब्दों का निवेश करने पर भी व्यङ्ग्य की प्रतीति हो सके, वहाँ अर्थशक्ति की मुख्यता मानी जाती है और शब्दशक्ति रह कर भी अर्थ-शक्ति की सहायिका ही रहती है, अतः वैसे स्थल के व्यङ्ग्यों को अर्थशक्तिमूलक ही कहा जाता है। जैसे किसी ग्राम में मल्लों (पहलवानों) की अधिकता रहने पर उस ग्राम को मल्लग्राम कहा जाता है, पर उसका यह अर्थ नहीं होता कि उस ग्राम में पहलवान के अतिरिक्त लोग रहते ही नहीं। बस वही रीति यहाँ भी समझनी चाहिए। सारांश यह निकलता है कि परिवर्तित न होने योग्य शब्दों की अधिकता में शब्दशक्तिमूलक और परिवर्तित होने योग्य शब्दों की अधिकता में अर्थशक्तिमूलक, व्यङ्ग्य का व्यवहार होता है।

ध्वनेः शब्दार्थोभयशक्तिमूलकत्वव्यवहारे कारणं प्रदर्शयति—

यत्र तु काव्ये परिवृत्तिं सहमानानामसहमानानां च शब्दानां नैकजातीय-प्राचुर्यम्, अपि तु साम्यमेव, तत्र शब्दार्थोभयशक्तिमूलकस्य व्यङ्ग्यस्य स्थिति-रिति द्व्युत्थो ध्वनिः।

शब्दानामिति। निर्धारणे षष्ठी। तादृशशब्दानां मध्ये इति तात्पर्यार्थः। यस्मिन् काव्ये परिवृत्त्यसहाः परिवृत्तिसहाश्च शब्दाः समसंख्या एव, नैकजातीया अधिकास्तस्मिन् काव्ये व्यङ्ग्यस्य शब्दार्थोभयशक्तिमूलकत्वेन द्व्युत्थध्वनित्वव्यवहारः प्रवर्तत इति भावः।

अब जो कहीं-कहीं शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि कही जाती है, वह क्यों? इसका कारण बतलाते हैं—यत्र तु इत्यादि। जिस काव्य में परिवर्त्तित होने योग्य और परिवर्त्तित न होने योग्य दोनों प्रकार के शब्द समान मात्रा में ही हों—किसी एक तरह के शब्दों की अधिकता न हो, तो वैसे काव्य में होने वाले व्यङ्ग्यों का मूल, शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियाँ होती हैं, अतः उन व्यङ्ग्यों को द्व्युत्थ अर्थात् शब्दार्थोभयशक्तिमूलक कहा जाता है।

द्व्युत्थध्वनेरन्यत्रगतार्थतामाशंक्य निरस्यति—

न चायं शब्दशक्तिमूलकतयैवार्थशक्तिमूलकतयैव वा व्यपदेष्टुं शक्यः, विनि-गमकाभावात्। नापि शब्दशक्तिमूलकार्थशक्तिमूलकयोः संकरेण गतार्थयितुम्, व्यङ्ग्यभेद एव संकरस्येष्टेः। इह तु व्यङ्ग्यस्यैक्येन तस्यानुत्थानात्।

अयं शब्दार्थोभयशक्तिमूलकतया व्यपदिष्टो ध्वनिः शब्दशक्तिमूलकतया अर्थशक्तिमूल-कतया वा कुतो न व्यपदिश्यते इत्युक्तिर्न सम्भवति, तयोरेकतरव्यपदेशनियामिकाया युक्ते-रभावात्। ननु विनिगमकाभावे द्वयोः संकर एवाश्रीयतां किं नवीनभेदकल्पनयेत्यपि न समीचीनम्, शब्दशक्त्या एकोऽर्थशक्त्या च कश्चिदपरो व्यङ्ग्यो यत्र प्रतीयते, तत्रैव ध्वनि-संकरस्येष्टत्वात्। अत्र व्यङ्ग्यस्य शब्दार्थोभयशक्तिमूलस्यैक्येन तस्याप्रसंगादिति भावः।

एक शंका—न च इत्यादि। पूर्वोक्त प्रकार का अर्थात् उभय-शक्तिमूलक व्यङ्ग्य न केवल शब्दशक्तिमूलक कहा जा सकता है और न केवल अर्थशक्ति-मूलक, क्योंकि जहाँ दोनों (शब्द और अर्थ) की शक्ति समानरूप से काम करती हो, वहाँ किसी एक ही शक्ति को मूल मान कर तदनुकूल व्यवहार करने में युक्ति नहीं है। यह भी आप नहीं कह सकते कि ऐसे व्यङ्ग्यों को शब्दशक्तिमूलक और अर्थशक्तिमूलक व्यङ्ग्यों का संकर-स्वरूप मान लिया जाय, क्योंकि जहाँ दोनों शक्तियों से भिन्न-भिन्न व्यङ्ग्य अभिव्यक्त होते हों वहीं संकर माना जाता है। यहाँ तो दोनों शक्तियों से एक ही व्यङ्ग्य ज्ञात होता है, अतः संकर का यहाँ प्रसंग नहीं है।

उदाहरणम्—

द्व्युत्थध्वनेरिति भावः।

अब उभयशक्त्युद्भव—ध्वनि का उदाहरण देखिए।

कविः परामृशति—

'रम्यहासा रसोल्लासा रसिकालिनिषेविता।
सर्वाङ्गशोभासंभारा पद्मिनी कस्य न प्रिया॥'

रम्यः सुन्दरः, हासः हास्यं विकासो वा यस्याः सा, रसस्य शृङ्गारस्य मकरन्दस्य वा उल्लासः अभिवृद्धिर्यस्यां सा, रसिकानां रसज्ञानां जनानाम्, आलिभिः समूहैः रसिकैरलिभिर्भ्रमरैर्वा निषेविता समाश्रिता, तथा सर्वेषु अङ्गेषु शोभायाः संभारो समूहो यस्याः सा पद्मिनी विशिष्टलक्षणलक्षिता नायिका कमलिनी वा, कस्य सहृदयस्य, प्रिया प्रीतिपात्रं न भवतीति शेषः। तादृशी कामिनी कमलिनी च सर्वजनप्रियेति भावः। अत्र कमलिनीकामिन्योरुपमानोपमेयभावो व्यङ्ग्यः, स च शब्दार्थोभयशक्तिमूलः, हास-रसालिपद्मिनीशब्दानां परिवृत्त्यसहत्वात्, शब्दान्तराणां तत्सहत्वाच्च।

कवि अपने मन में सोचता है—जिसका 'हास' (हँसी, अन्यत्र विकास) सुन्दर है, जिसमें 'रस' (शृङ्गार, अन्यत्र पराग) भरा है, जो 'रसिकालि' (रसिक जनों की पङ्क्ति, अन्यत्र रसिक भ्रमर) से सेवित है और जिसके सब अङ्ग शोभामय हैं, वह 'पद्मिनी' (एक विशिष्ट लक्षणवाली नायिका, अन्यत्र कमलिनी) किसे प्रिय नहीं अर्थात् सर्वप्रिय होती है।

द्व्युत्थध्वनिसंबन्धिविशेषमाह—

अयं च वाक्यमात्रे। पदसमूहश्च वाक्यम्। तेनास्य नानार्थानानार्थघटितसमासविषयत्वेऽपि न विरोधः। न तु शुद्धैकपदे, तस्मिन्नानार्थानानार्थयोरसमावेशात्।

तेनेति। पदसमूहात्मकवाक्यनिष्ठत्वेनेत्यर्थः। अस्य द्व्युत्थध्वनेः। न विरोध इति। तस्याप्यवान्तरपदान्यादाय पदसमूहत्वादिति भावः। मात्रपदव्यावर्त्यमाह—न त्विति। अयं शब्दार्थोभयशक्त्युद्भवो ध्वनिः वाक्य एव भवति, अनेकार्थैकार्थकोभयविधशब्दघटितत्वस्य द्व्युत्थध्वनित्वप्रयोजकस्य तत्रैव संभवात्। नन्वेवं समस्ते पदे द्व्युत्थध्वनेः संभवो न भवेदिति चेन्न, तस्य समस्तपदस्यानेकार्थकैकार्थकपदघटितत्वे तत्र तत्संभवे विरोधाभावात्। न च पदस्य वाक्यत्वं कथमिति वाच्यम्, पदसमूहस्यैव वाक्यत्वेनावान्तरपदान्या-

दाय समस्तपदस्य वाक्यत्वात् । एवञ्चासमस्ते एकस्मिन् पदे द्व्युत्थो ध्वनिर्न संभवतीति फलितम्, तत्रानेकार्थकैकार्थकद्विविधशब्दयोः समावेशासंभवादित्यभिप्रायः ।

उभयशक्त्युद्भव-ध्वनि के संबन्ध में कुछ विशिष्ट बातें कही जा रही हैं—अयं च इत्यादि । यह शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि केवल वाक्य में होती है, क्योंकि एकार्थक और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्दों का रहना—जो उभयशक्तिमूलक ध्वनि का हेतु है—वाक्य में ही संभव है । ऐसी स्थिति में यह ध्वनि समस्त पद में नहीं हो सकेगी यह तर्क नहीं उपस्थित किया जा सकता, क्योंकि पदसमूह का ही नाम वाक्य होता है अतः अवान्तर पदों को लेकर समस्त एक पद भी वाक्य कहा जा सकता है अर्थात् समस्त एक पद भी यदि एकार्थक और अनेकार्थक पदों से युक्त हो, तो उसमें भी यह ध्वनि हो सकती है—इससे उभयशक्तिमूलक ध्वनि को वाक्यमात्रगत मानने में कोई विरोध नहीं होता । हाँ, शुद्ध (असमस्त) एक पद में यह ध्वनि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एकार्थक और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्दों का समावेश असंभव है ।

द्व्युत्थध्वनिसंबन्धिमतान्तरमाह—

अन्ये तु—'अर्थशक्तिमूलकत्वव्यपदेशो नानार्थप्रकाशकशब्दशक्त्युल्लास्यत्व-सामान्यशून्यत्वं तन्त्रम्, विषयप्राचुर्यात् । शब्दशक्तिमूलकत्वव्यपदेशे तु नार्थ-शक्त्युल्लास्यत्वसामान्यशून्यत्वं तथा, विषयदौर्लभ्यापत्तेः । न हि नानार्थशब्द-मात्रघटितं पद्यं प्रचुरविषयम्, अतः शब्दशक्तिमूलकत्वेनैवायं शक्यव्यपदेशो ध्वनिः' इत्यप्याहुः ।

उल्लास्यत्वेति । जन्यत्वेत्यर्थः । सामान्यशून्यत्वमिति । सामान्याभाव इत्यर्थः । तन्त्रं नियामकम्, कारणमिति यावत् । अत इति । शब्दशक्तिमूलकत्वव्यपदेशेऽर्थशक्त्यु-ल्लास्यत्वसामान्यशून्यत्वस्यातन्त्रत्वादेवेत्यर्थः । अयमिति । द्व्युत्थो ध्वनिरित्यर्थः । यत्र व्यङ्ग्यार्थोपस्थापका अनेकार्थकाः शब्दाः सर्वथा न स्युस्तत्रैवार्थशक्तिमूलकध्वनिव्यवहार-स्तथाचार्थशक्तिमूलकध्वनित्वव्यवहारे नानार्थकशब्दशक्त्युल्लास्यत्वसामान्याभावो हेतुः । ईदृशानि बहूनि अर्थशक्त्युद्भवव्यङ्ग्यप्रधानानि काव्यानि मिलेयुर्यत्रैकस्यापि नानार्थकशब्दस्य प्रयोगो न भवेत् । शब्दशक्तिमूलकध्वनित्वव्यवहारे तु अर्थशक्त्युल्लास्यत्वसामान्याभावो न हेतुः । अर्थात् तत्रैव शब्दशक्तिमूलकध्वनित्वव्यपदेशो भवेत् यत्र काव्ये सर्वाणि पदानि नानार्थोपस्थापकान्येव स्युः, एकमपि पदमेकार्थकं न भवेदिति नाङ्गीकर्तुं शक्यम्—व्यङ्ग्यार्थोपस्थापककेवलानेकार्थकशब्दघटितकाव्यस्यात्यल्पमुपलब्धेः । तथा च शब्दशक्ति-मूलकध्वनिकाव्ये अनेकार्थका एवार्थकाश्चोभयविधाः शब्दा भवेयुरिति सिद्धम् । एवञ्च 'रम्यहासा' इत्यादि शब्दार्थोभयशक्तिमूलकत्वेनाभिमतं काव्यं शब्दशक्तिमूलकत्वेनैव व्यव-हर्तुं शक्यमिति पृथक् तस्य गणना मुधेति सारांशः । 'अन्ये तु' इत्यनेनात्रारुचिः सूचिता, तद्बीजञ्चैतत्—प्राचीनोक्तरीत्या तृतीयभेदसंभवे तत्त्यागे कारणाभावः । कुत्रापि भेदे लक्ष्याल्पता तद्भेदपरित्यागाय नालम्, अपि तु लक्ष्यासंभव इति तत्त्वम् ।

अब उभयशक्तिमूलकध्वनि के विषय में मतान्तर का उल्लेख करते हैं-अन्ये इत्यादि । जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ को उपस्थित करने वाले शब्दों में एक भी अनेकार्थक न हो, वहीं अर्थ-

शक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के व्यवहार में व्यङ्ग्य का अनेकार्थक शब्द की शक्ति से सर्वथा आविर्भूत न हुआ रहना कारण है। और इस तरह का कार्य-कारण-भाव इसलिये मान्य हो सकता है कि ऐसे बहुतेरे अर्थशक्तिमूलक ध्वनिकाव्य मिल सकते हैं, जहाँ एक भी शब्द अनेकार्थक न हो। परन्तु शब्दशक्तिमूलकध्वनि के व्यवहार में व्यङ्ग्य का अर्थशक्ति से सर्वथा आविर्भूत न हुआ रहना नियामक नहीं माना जा सकता अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि जहां सब पद अनेकार्थक ही हों, एक भी पद एकार्थक नहीं हो वहीं शब्द-शक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा काव्य बहुत ही कम उपलब्ध होगा, जहाँ एक भी शब्द एकार्थक न हो अर्थात् केवल अनेकार्थक शब्दों के द्वारा ही बना हुआ काव्य दुर्लभ है। इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि जहाँ अनेकार्थक शब्द अधिक हों और एकार्थक शब्द कम, वहीं शब्द-शक्तिमूलकध्वनि का व्यवहार किया जायगा। ऐसी स्थिति में 'रम्यहासा...' इत्यादि पद्य में भी—जहाँ आप उभयशक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार करते हैं—शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि 'उभय-शक्तिमूलक' एक पृथक् भेद मानना व्यर्थ है। यह कुछ अन्य विद्वानों का मत है। इस मत के मानने में अरुचि यह है कि जब प्राचीन आचार्यों के कथनानुसार उक्त तृतीय भेद संभव है, तब उसका त्याग क्यों किया जाय? अल्प लक्ष्य होने से किसी भेद का त्याग करना उचित नहीं है। हाँ, यदि एक भी लक्ष्य न मिले, तब किसी भेद का त्याग किया जा सकता है, पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। केवल अनेकार्थक शब्दों से रचा गया काव्य—अल्प मात्रा में ही सही—मिल सकता है।

प्रकृतप्रकरणमुपसंहरति—

इत्थमभिधामूलस्त्रिविधोऽपि संक्षेपेण निरूपितो ध्वनिः। निरूपयिष्यते चांशतो यथावसरम्।

पूर्वोपदर्शितरीत्या शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलः उभयशक्तिमूलश्चेति त्रिप्रकारकोऽभिधामूलध्वनिप्रभेदो निरूपितः। अग्रेऽपि अवसरमासाद्यांशिकरूपेण तस्य निरूपणं विधास्यत इति भावः।

प्रकृत प्रकरण का उपसंहार करते हैं—इत्थमित्यादि। इस प्रकार अभिधामूलक तीनों प्रकार की ध्वनियों (शब्दशक्तिमूलक, अर्थशक्तिमूलक और उभयशक्तिमूलक) का निरूपण संक्षेप से किया जा चुका, और आगे भी यथावसर निरूपण किया जायगा।

लक्षणामूलध्वनिनिरूपणं प्रतिजानीते—

लक्षणामूलस्तु निरूप्यते—

लक्षणामूलध्वनिविषयकज्ञानानुकूलशब्दप्रयोगः क्रियत इत्यर्थः।

अब लक्षणामूलध्वनि-निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—लक्षणा इत्यादि। अब लक्षणा-मूल-ध्वनि का निरूपण किया जाता है।

पूर्वोक्तं निरूपणं प्रारभते—

तत्र वक्ष्यमाणलक्षणायां लक्षणायां प्रयोजनवत्याः षड्विधायाः सारोपसाध्यवसानाभ्यां गौणीशुद्धाभ्यां च विभक्तानां भेदानां चतुर्णामलंकारात्मना परिणतत्वाद् द्वौ भेदौ ध्वन्याश्रयतया स्थितौ, जहत्स्वार्थो अजहत्स्वार्थो चेति। तन्मूलौ च द्वौ ध्वनेः प्रभेदौ।

तत्रेति । निरूपणीये लक्षणामूलध्वनावित्यर्थः । वक्ष्यमाणेति । वक्ष्यमाणं लक्षणं यस्यास्तस्यामित्यर्थः । सत्यामिति शेषः । अलंकारात्मनेति । रूपकातिशयोक्तिहेत्वलंकारात्मनेत्यर्थः । जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था चेति । अनयोरेवोपादानलक्षणालक्षणलक्षणाशब्देन प्राचीनैर्व्यवहारः कृतः । यस्या लक्षणाया लक्षणमग्रे विधास्यते, तस्या द्वौ भेदौ, रूढिमूला प्रयोजनमूला च । तत्र रूढिमूलायां व्यङ्ग्यस्य सद्भाव एव नेति प्रयोजनमूलामेव चर्च्यते । प्रयोजनमूला च पुनः षड्विधा, गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शुद्धा सारोपा, शुद्धा साध्यवसाना, तथा जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था च । तासु आद्याश्चत्वारो भेदाः क्रमशो रूपकातिशयोक्तिहेत्वलंकाररूपे परिणमन्ते । फलतो जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्थेति द्वावेव भेदौ ध्वन्याधारतां प्रतिपद्येते इति लक्षणामूलौ द्वौ ध्वनिकाव्यस्य प्रभेदौ सम्पद्येत इति भावः ।

अब लक्षणामूलध्वनि के निरूपण का प्रारम्भ किया जाता है—तत्र इत्यादि । लक्षणा (जिसका लक्षण आगे कहा जायगा) के दो भेद होते हैं-एक रूढिमूलक और दूसरा प्रयोजनमूलक । उन दोनों में रूढिमूलक लक्षणा का व्यङ्ग्य से कोई संबन्ध ही नहीं रहता, अतः यहाँ ध्वनि के प्रसङ्ग में प्रयोजनमूलक लक्षणा की ही चर्चा की जाती है । प्रयोजनमूलक लक्षणा छः प्रकार की होती है—गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शुद्धा सारोपा, शुद्धा साध्यवसाना तथा जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था । इन छहों प्रकारों में आदि के चार प्रकार रूपक, अतिशयोक्ति, हेतु आदि अलंकारों के रूप में परिणत हो जाते हैं—अर्थात् उन सब भेदों में व्यङ्ग्य की प्रधानता नहीं रहती है । फलतः जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था ये दोनों भेद ध्वनि के आधार होते हैं—अर्थात् इन दोनों भेदों में व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता रहती है, अतः लक्षणामूलक ध्वनि-काव्य के दो भेद सम्पन्न होते हैं ।

जहत्स्वार्थामूलं ध्वनिमुदाहर्तुं प्रतिजानीते—

तयोर्जहत्स्वार्थामूलो यथा—

लक्षणामूलयोर्द्वयोर्ध्वन्योर्मध्ये जहत्स्वार्थामूलध्वनेरुदाहरणं नीचैर्निर्दिष्टं बोध्यमिति भावः ।

उन दोनों में जहत्स्वार्था-मूलक ध्वनि का उदाहरण नीचे दिखलाया जाता है—

‘कृतं त्वयोन्नतं कृत्यमर्जितं चामलं यशः ।
यावज्जीवं सखे ! तुभ्यं दास्यामो विपुलाशिषः ॥’

हे सखे ! त्वया उन्नतं महत् प्रशंसनीयमिति यावत् कृत्यं कार्यम् , कृतं विहितम् । च पुनः अमलं निर्मलम् , यशः कीर्तिः, अर्जितं प्राप्तम् (वयं) यावज्जीवं जीवनपर्यन्तम् , विपुलाशिषः बहून् आशीर्वादान् , तुभ्यं दास्यामः वितरिष्याम इत्यर्थः ।

हे सखे ! तूने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और विमल यश प्राप्त किया है । हम जब तक जीते रहेंगे तब तक तुझे भूरि-भूरि आशीर्वाद देंगे ।

उपपादयति—

इयं कस्यचिदपकारिणं प्रत्युक्तिः । त्वया कृतेऽप्यपकारे परमखेदहेतौ मधुरमेव यो भाषेत, न परुषं तस्मिन्नेवंजातीयके मयि पापमाचरतस्तव पापिष्ठत्वं कथं शक्यते वक्तुमिति व्यङ्ग्यम् ।

प्रत्युक्तिरिति । प्रकृते लक्षणाश्रयणनिदानकथनमेतत् । व्यङ्ग्याकारमाह—त्वयेत्यादिना । कृतमित्यादिपद्यं कश्चित् कमप्यपकारकं जनं प्रति ब्रूते, अतः उन्नतादिपदानां

मुख्यार्था बाधितास्तेन तेषां पदानां हीनादौ लक्षणाः। तथा च 'त्वया हीनं कृत्यं कृतम्, मलिनं दुर्यशोऽर्जितम् अतो वयं तुभ्यं यावज्जीवनं शापान् दास्याम' इति वाक्यार्थो निष्पद्यते। अस्मिन्नर्थे उन्नतादिपदवाच्यार्थानामसंबन्धात् लक्षणाया जहत्स्वार्थात्वम्। तेन वाक्यार्थेन 'त्वया कृते' इत्यादि मूलोक्ताकारं वस्तु व्यज्यते। तदेव व्यङ्ग्यं लक्षणायाः प्रयोजनमिति भावः।

उपपादन करते हैं—इयमित्यादि। उक्त पद्य, किसी अपकार करने वाले मित्र के प्रति, अपर मित्र के द्वारा कहा गया है, अतः उन्नत आदि पद के मुख्य (वाच्य) अर्थ बाधित हैं—अर्थात् अपकारक के प्रति कोई यह नहीं कहता कि 'तूने बड़ा अच्छा काम किया है'। अतः उन पदों की 'हीन' आदि अर्थ में लक्षणा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उक्त पद्य-वाक्य का अर्थ यह हो जाता है कि 'तूने परम हीन कर्म किया है और गन्दा अयश कमाया है, अतः हम यावज्जीवन तुझे शापते रहेंगे।' इस अर्थ में उन्नत आदि, पद्योक्त पदों के वाच्य अर्थों का सम्बन्ध बिलकुल नहीं है, अतः यह लक्षणा जहत्स्वार्था कहलाती है। इस लक्षणामूलक वाक्यार्थ से यहाँ यह ध्वनित होता है कि 'तेरे द्वारा अत्यन्त खेदकर अपकार किए जाने पर भी जो मधुर वाणी का ही प्रयोग करता है—'परुष कथा नहीं कहना चाहता, ऐसे मुझ मित्र के ऊपर पापाचरण करने वाले तेरे पापों का वर्णन कैसे किया जा सकता है? अर्थात् तेरे पाप अवर्णनीय हैं—तू संसार में सबसे नीच है।' यही व्यङ्ग्य यहाँ लक्षणा का प्रयोजन है, यह भी समझना चाहिए।

अजहत्स्वार्थामूलं ध्वनिमुदाहरति—

अपरामूलो यथा—

'बधान द्रागेव द्रढिमरमणीयं परिकरं
　　किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगगणैः।
न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणधिया
　　जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धारसमयः॥'

जगन्नाथो गंगां स्तौति—अयि सुरधुनि! देवनदि! एतेन 'एतावत्कालपर्यन्तं देवैरेव सह तव संबन्ध आसीत्, न मादृशेन पापिना सहे'ति व्यज्यते। जगन्नाथस्य एतन्नामकस्य मम, अयं, समुद्धारसमयः समुद्धरणकालः, अस्तीति शेषः। निषिद्धस्याप्यात्मनामोच्चारणस्य करणेन वक्तुरातुरतातिशयो व्यज्यते। ननु अस्तु तवोद्धारकालः मया किं कर्तव्यमित्याकाङ्क्षायामाह-बधानेति। त्वं द्रढिम्ना दृढत्वेन रमणीयं सुन्दरम्, दृढमत एव रमणीयमिति यावत्। परिकरं कटिं, द्राक् शीघ्रं, बधान। ममोद्धाराय शीघ्रं कटिबन्धं कुर्विति भावः। पुनस्त्वं किरीटे मुकुटे, बालेन्दुं कलात्मकं चन्द्रं, पन्नगगणैः सर्पसमूहैः, नियमय बधान। अन्यथा संभ्रमे भालेन्दुः किरीटाच्च्यवेत। लोकेऽपि कश्चन समर्थो जनो व्याघ्रादिगृहीतं जनमुद्धर्तुं प्रवर्तमानः कटिबन्धशिरोभूषणादिकं दृढं विधत्ते। पुनस्त्वम् इतरजनसाधारणी या धीः बुद्धिस्तया, हेलाम् अवहेलनाम्, न कुर्याः मा कुरु। त्वद्भक्तिभरपूर्णहृदये मयि 'अन्यजनतुल्योऽयम्' इति बुद्धया उदासीनतां न भजस्वेति भावः।

यह पद्य जगन्नाथकृत 'गंगालहरी' नामक स्तोत्र-ग्रन्थ का है। पण्डितराज गंगा की स्तुति करते हैं—हे सुरनदि! (ऐसा कह कर कवि यह अभिव्यक्त करना चाहते हैं—कि 'अब तक तुम्हारा सम्बन्ध पुण्यात्मा देवताओं से ही था, मुझ जैसे पापियों से नहीं'।)

अन्य साधारण मनुष्यों के समान समझ कर मेरी अवहेलना न करना, यह जगन्नाथ के उद्धार का समय है, अतः दृढता के कारण सुन्दर-अर्थात् दृढतर तथा रम्य परिकर शीघ्र बाँध लो-मेरे उद्धार के लिये कमर कस लो और किरीट-वासी बालचन्द्र को सर्पसमूहों से पुनः स्थिर कर लो, अन्यथा कदाचित् वह हड़बड़ी में किरीट से दूर न जा पड़े। लोक में भी कोई सामर्थ्य-शाली मनुष्य व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं से ग्रस्त प्राणी का उद्धार करते समय, पहले कटिबन्ध और पगड़ी आदि शिरोभूषण को दृढ कर लेता है।

उपपादयति—

अत्र जगन्नाथस्येत्यनेन शक्य एवानेकपापविशिष्टत्वेन लक्ष्यते। पापानां पदान्तरेणानिर्वाच्यत्वं व्यङ्ग्यम्।

जगन्नाथपदस्य शक्यार्थो यो व्यक्तिविशेषस्तन्मात्रज्ञापनेन न तदीयोद्धारस्यावश्यकता काचित्सिद्ध्यति, अतस्तदर्थबाधे नानाविधपापकारिणि जगन्नाथे जगन्नाथपदस्य लक्षणा। लक्ष्यार्थे च विविधपापविशिष्टजगन्नाथात्मकव्यक्तिविशेषे मुख्यार्थस्याप्युपादानादजहत्स्वार्थात्वम्। लक्षणाप्रयोजनभूतम् पदान्तराप्रतिपाद्यपापकत्वम् व्यङ्ग्यम्।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'जगन्नाथ' पद का वाच्य अर्थ जो एक व्यक्ति-विशेष होता है, उसका बोध यदि केवल व्यक्ति विशेष के रूप में ही जगन्नाथ पद से हो, तो उसके उद्धार की कोई अवश्यकर्तव्यता सिद्ध नहीं हो सकती-अर्थात् यदि एक व्यक्ति-मात्र की हैसियत से किसी का उद्धार आवश्यक समझा जाय, तब जगन्नाथ का ही क्यों? किसी अन्य का भी समझा जा सकता है। अतः मानना पड़ता है कि यहाँ जगन्नाथ पद का वाच्य अर्थ शुद्ध रूप में बाधित है, जिससे विविध-पापकारी जगन्नाथात्मक व्यक्ति-विशेषरूप अर्थ में जगन्नाथ पद की लक्षणा होती है और वह लक्षणा अजहत्स्वार्था कहलाती है, क्योंकि उक्त लक्ष्य अर्थ में जगन्नाथरूप मुख्य अर्थ का त्याग नहीं हुआ है। इस तरह की लक्षणा को प्राचीन विद्वान् 'उपादानलक्षणा' कहते हैं। पापों का अन्य किसी पद से प्रतिपादन न किया जा सकना-अर्थात् जगन्नाथ के पास ऐसे हैं जिनका प्रतिपादन शब्दान्तर से हो ही नहीं सकता, इस अर्थ का बोध करना उक्त लक्षणा का प्रयोजन है, और इस प्रयोजन का बोध होता है व्यञ्जना से, अतः यह पद्य अहजत्स्वार्था लक्षणामूलध्वनि का उदाहरण होता है।

प्राचीनोक्तमजहत्स्वार्थोदाहरणं समीक्षते—

कुन्ताः प्रविशन्तीत्यादौ तु वाच्यगततैक्ष्ण्यादि लक्ष्यम्।

कुन्ताः प्रविशन्तीति अजहत्स्वार्थलक्षणायाः प्रसिद्धमुदाहरणम्, अचेतनतया प्रवेशक्रियान्वयासंभवेन बाधितार्थकस्य कुन्तपदस्य उपात्तमुख्यार्थे कुन्तधारिपुरुषे लक्षणाया आश्रयणीयत्वात्। कुन्तधारिषु कुन्तपदवाच्यार्थगततीक्ष्णताप्रतीतिः प्रयोजनम्। तच्च व्यञ्जनावाच्यम् 'वाच्यगततैक्ष्ण्यादि लक्ष्यम्' इति मूलपङ्क्तिलापनं त्वेवंविधेयम्—तैक्ष्ण्यादि लक्ष्यम् प्रत्येयमित्यर्थः। अथवा लक्ष्यपदं लक्ष्यवृत्तितया व्यङ्ग्यमित्यर्थे लाक्षणिकम्। पूर्वोदाहरणे पापानामनिर्वाच्यत्वात्मकं व्यङ्ग्यं न वाच्यार्थवृत्ति, अत्रोदाहरणे तु तैक्ष्ण्यादि तथाभूतमिति भेदप्रदर्शनायायं ग्रन्थः।

अजहत्स्वार्था लक्षणा के प्राचीनोक्त उदाहरण की समीक्षा करते हैं—कुन्ता इत्यादि। प्राचीनों ने अजहत्स्वार्था लक्षणा का उदाहरण दिया है 'कुन्ताः प्रविशन्ति—अर्थात्

भाले घुस रहे हैं'। यहाँ अचेतन भालों का स्वतःप्रवेशक्रिया में अन्वय बाधित है, अतः कुन्त पद की स्वार्थसंयुक्तपुरुष अर्थात् कुन्तधारी में लक्षणा होती है। कुन्तगततीक्ष्णता की कुन्तधारी में प्रतीति करना लक्षणा का प्रयोजन है, जिसकी सिद्धि व्यञ्जना से होती है। 'वाच्यगततैक्ष्ण्यादिलक्ष्यम्' इस मूलपङ्क्ति में 'लक्ष्यम्' का अर्थ है 'प्रत्येयम्' अर्थात् प्रतीयमान। इस ग्रन्थ के द्वारा उक्त स्वाभिमत उदाहरण से प्राचीनोक्त उदाहरण में भेद दिखलाया गया है अर्थात् उक्त उदाहरण में पापों की अनिर्वाच्यतारूप व्यङ्ग्य जगन्नाथ पद के वाच्य अर्थ में रहने वाला धर्म नहीं है, और प्राचीनों के उदाहरण में तीक्ष्णतारूप व्यङ्ग्य कुन्त पद के वाच्य अर्थ-भालों में रहनेवाला धर्म है—इस भेद का दिखलाना ही प्रकृत ग्रन्थ का उद्देश्य है।

पदध्वनिवाक्यध्वन्योर्विभाजकं विशेषं वर्णयति—

तदेवमेते प्रागुक्ता द्व्युत्थातिरिक्ताः सर्वेऽपि ध्वनय एकस्मिन् वाच्ये यद्येकपदमात्रगतास्तदा पदध्वनितया व्यपदिश्यन्ते। नानापदगततायां तु वाक्यध्वनितयेति।

एकस्मिन वाच्ये यद्येकपदमात्रगता इति। एकपदार्थगता इति पिण्डार्थः। नानापदगततायामिति। ध्वनीनामिति शेषः। पूर्वोक्तो द्व्युत्थो ध्वनिः वाक्य एव भवति न पदे इति प्रागप्युक्तमेव। तदितरे प्रागुक्ताः सर्वे ध्वनयः पदे वाक्ये च भवन्ति। तत्र यदा कस्यचिदेकस्यैव पदस्य वाच्यात् व्यङ्ग्यम् प्रतीयते तदा तस्मिन् काव्ये पदगतध्वनिव्यवहारः। यदा तु अनेकपदानां वाच्येभ्यो व्यङ्ग्यप्रतीतिस्तदा तत्र वाच्यध्वनिव्यपदेश इति भावः।

अब पद-ध्वनि और वाक्य ध्वनि की पहचान के लिये दोनों में रहनेवाले अन्तर का उल्लेख किया जाता है—तदेव इत्यादि। शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि केवल वाक्य में होती है, पद में नहीं और तदतिरिक्त सभी ध्वनियाँ पदगत तथा वाक्यगत दोनों तरह की होती हैं। जहाँ एक ही पद के वाच्यार्थ से व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति होती हो, वहाँ पदगत और जहाँ अनेक पदों के वाच्यार्थों से उसकी प्रतीति हो, वहाँ वाक्यगतध्वनि का व्यवहार होता है।

अभिधानिरूपणमवतारयति—

अथ केयमभिधा नाम यन्मूलः प्रथमं निरूपितोऽयं ध्वनिप्रपञ्चः।

यन्मूलो ध्वनिप्रभेदः प्रथमं निरूपितस्तदभिधापदार्थः क इति जिज्ञासितमिति भावः।

अब अभिधा-निरूपण की अवतारणा की जाती है—अथ इत्यादि। यहाँ अब यह जिज्ञासा उठती है कि जिसको मूल मानकर, सर्वप्रथम, ध्वनि के अनेक भेदों का निरूपण किया गया है, वह 'अभिधा' क्या चीज है? अर्थात् 'अभिधामूलकध्वनि' इस संज्ञा के अन्तर्गत 'अभिधा' की क्या परिभाषा है यह यहां की एक स्वाभाविक जिज्ञासा है।

जिज्ञासाशान्तिं प्रतिजानीते—

उच्यते—

अभिधापदार्थः कथ्यत इति भावः।

उक्त जिज्ञासा की शान्ति के लिये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब 'अभिधा' पदार्थ कहा जा रहा है।

अभिधां लक्षयति—

शक्त्याख्योऽर्थस्य शब्दगतः, शब्दस्यार्थगतो वा संबन्धविशेषोऽभिधा।

शक्त्याख्य इति। शक्तिः आख्या पर्यायान्तरं यस्य स इत्यर्थः। विनिगमनाविरहादाह—शब्दस्येति। शब्दार्थयोः संबन्धविशेषो बोध्यबोधकभावरूपोऽभिधापदार्थः। स च संबन्धविशेषोऽर्थप्रतियोगिकः शब्दानुयोगिकः, शब्दप्रतियोगिकोऽर्थानुयोगिको वेत्यत्रैकतरपक्षपातियुक्तिरूपा विनिगमना नास्तीत्युभयविधोऽपि तादृशः संबन्धः अभिधापदार्थतयाऽभिमतः। तमेव संबन्धविशेषं शक्तिपदेनापि प्रतिपादयन्ति सुधिय इति भावः।

अभिधा का लक्षण करते हैं—शक्त्याख्य इत्यादि। शब्द और अर्थ के परस्पर संबन्ध को 'अभिधा' कहते हैं। उस सम्बन्ध को, शब्द का मानकर अर्थ में रहनेवाला और अर्थ का मानकर शब्द में रहनेवाला भी कहा जा सकता है—इन दोनों में से किसी एक पक्ष को मान लेने के लिये कोई प्रबल युक्ति नहीं है। उस संबन्ध-विशेष को विद्वज्जन 'शक्ति' नाम से भी पुकारते हैं।

अभिधाविषयकाणि मतान्तराणि प्रदर्शयति—

सा च पदार्थान्तरमिति केचित्। 'अस्माच्छब्दादयमर्थोऽवगन्तव्य' इत्याकारेश्वरेच्छैवाभिधा। तस्याश्च विषयतया सर्वत्र सत्त्वात्पटादीनामपि घटादिपदवाच्यता स्यात्। अतो व्यक्तिविशेषोपधानेन घटादिपदाभिधात्वं वाच्यम्' इत्यपरे। 'एवमपीश्वरज्ञानादिना विनिगमनाविरहः स्यात्, अतः प्रथममतमेव न्यायः' इत्यपि वदन्ति।

केचिदिति, वैयाकरणमीमांसकादयः। अपर इति, नैयायिकाः। एवमपीति। उक्तरीत्याऽतिप्रसङ्गवारणेऽपीत्यर्थः। सा चाभिधा संकेतापरपर्याया ईश्वरेच्छारूपा न, अपितु तदतिरिक्ता एव बोध्य-बोधकभावरूपा, बोधकतारूपा, बोध्यतारूपा, (शब्दार्थयोः) तादात्म्यरूपा वेति वैयाकरणमीमांसकादय आमनन्ति। नैयायिकास्तु— अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्यः' इत्याकारिका शब्दप्रकारिकाऽर्थविशेष्यिका, 'इदं पदममुमर्थं बोधयतु' इत्याकारिकाऽर्थप्रकारिका शब्दविशेष्यिका वा या ईश्वरेच्छा, तद्रूपः संकेत एवाभिधापदार्थः, न पदार्थान्तरमिति स्वीकुर्वन्ति। ईश्वरीयेच्छाया एकत्वान्नित्यत्वाच्च घटपदाभिधात्वेन विवक्षिता सा (ईश्वरेच्छा) घट इव पटेऽपि विषयतासंबन्धेन तिष्ठतीति पटस्यापि घटपदवाच्यताप्रसङ्गः, अतः 'घटपदजन्यबोधविषयतावान् घटो भवतु', 'पटपदजन्यबोधविषयतावान् पटो भवतु' इत्यादिरीत्या घटादिरूपं वस्तुविशेषमुपाधीकृत्येश्वरेच्छायास्तत्पदाभिधात्वं स्वीकर्तव्यम्, अर्थात् एकाऽपीश्वरेच्छा उपाधिभेदेन भिद्यत इति घटोपहिता ईश्वरेच्छा घटमात्रे पटोपहिता च पट एव विषयतया तिष्ठेत् तथा च पटादीनां घटादिपदवाच्यताप्रसंगो नेति स्वमतव्याख्याश्च कुर्वन्ति। अन्ये पुनः 'यथा ईश्वरेच्छा सर्वविषयिणी नित्या, एका च, तथैव ईश्वरज्ञानमपि सर्वविषयकं नित्यमेकञ्चेति तस्यैवाभिधात्वम् कुतो नेति विप्रतिपत्तौ जागरितायां विनिगमनाविरहादुभयोरपि (ईश्वरीयेच्छेश्वरीयज्ञानयोः) अभिधात्वमकामेनापि स्वीकरणीयं स्यात तथा च गौरवापत्तिः, अतः 'पदार्थान्तरमेवाभिधा' इति वैयाकरणमीमांसकानां मतमेव सम्यक् इति व्याचक्षते। 'संकेतात् शक्तिग्रहः' इति वदन्तो वैयाकरणादयोऽपि उक्तेश्वरेच्छां शक्तिग्रहप्रयोजिकां मन्यन्त इत्यन्यदेतत्।

अब 'अभिधा' के विषय में भिन्न-भिन्न शास्त्रकारों के भिन्न-भिन्न मतों का उल्लेख करते हैं—सा च इत्यादि। उक्त 'अभिधा' संकेत अर्थात् ईश्वरीय इच्छा-रूप नहीं है, अपितु उससे भिन्न—बोध्य-बोधकभावरूप, बोधकतारूप, बोध्यतारूप अथवा (शब्दार्थ के) तादात्म्यरूप—ही है। यह है वैयाकरण, मीमांसक आदि का कथन। नैयायिकों का कथन है कि 'अभिधा' कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं, अपितु ईश्वरीय-इच्छा-स्वरूप ही है। और 'अभिधा' के रूप में स्वीकृत ईश्वरीय इच्छा के दो आकार हो सकते हैं—एक 'अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध करना चाहिए' और दूसरा—'अमुक पद अमुक अर्थ का बोध करावे'। यद्यपि उक्त दोनों प्रकारों से तात्पर्य एक ही निकलता है, तथापि पण्डितगण, विशेषण-विशेष्य-भाव के भेद से उक्त दोनों आकारों में अन्तर मानते हैं अर्थात् प्रथम आकार में 'पद' होता है विशेषण और अर्थ होता है विशेष्य, अतः वह अर्थविशेष्यक इच्छा कही जाती है। और द्वितीय आकार में अर्थ ही हो जाता है विशेषण और पद हो जाता है विशेष्य, अतः वह पदविशेष्यक इच्छा कही जाती है। इस तरह की ईश्वरीय इच्छा को ही 'संकेत' भी कहते हैं। परन्तु नैयायिकों के इस मत में एक दोष उपस्थित होता है कि ईश्वरीय इच्छा एक होती है तथा नित्य होती है अतः ईश्वर की एक इच्छा भी सर्वविषयक होती है अर्थात् घट पद के लिये जो इच्छा उनकी होगी उसका विषय जैसे घड़ा होगा, वैसे कपड़ा भी। सारांश यह कि ईश्वरीय इच्छा विषयतासंबन्ध से घट और पट दोनों में रह जायगी। इस स्थिति में गड़बड़ी यह हो सकती है कि घट पद का वाच्य अर्थ पट भी कहलाने लगेगा। इस दोष के निराकरणार्थ उन्हें यह कहना पड़ेगा कि घट-पट आदि वस्तु-विशेष को उपाधि बनाकर भिन्न-भिन्न पदों की भिन्न-भिन्न तरह की ही अभिधा माननी चाहिए अर्थात् ईश्वरीय इच्छा के एक होने पर भी उपाधिभेद से वह भिन्न हो जायगी—विषयतासंबन्ध से घटोपहित ईश्वरेच्छा केवल घट में और पटोपहित ईश्वरेच्छा केवल पट में रहेगी, अतः पट आदि घटादि पद के वाच्य नहीं हो सकेंगे। तात्पर्य यह कि 'घड़ा घट-पद-जन्य-बोध का विषय होवे', 'कपड़ा पट-पद-जन्य-बोध का विषय होवे' इत्यादि रीति से घट आदि वस्तु-विशेषरूप उपाधि से उपहित ईश्वरीय इच्छा को उन-उन पदों की अभिधा कहेंगे। किन्तु इतने पर भी अन्य विद्वानों का इस मत पर यह आक्षेप होता है कि यदि ईश्वरीय इच्छा को अभिधा माना जाय, तब ईश्वरीय ज्ञान अथवा यत्न को अभिधा क्यों नहीं माना जाय? अर्थात् ईश्वरीय इच्छा से तदीय ज्ञान अथवा यत्न में कोई अन्तर नहीं है—जैसे इच्छा एक है, नित्य है और सर्वविषयक है उसी तरह ज्ञान और यत्न भी। उनकी इच्छा का जो विषय होगा, वह उनके ज्ञान तथा यत्न का भी विषय होगा ही। फलतः किसी विशिष्ट युक्ति के अभाव में उन तीनों को ही अभिधा मानना पड़ेगा। अतः प्रथम मत अर्थात् अभिधा को भिन्न पदार्थ मानना ही उत्तम है।

दीक्षितोक्तं खण्डयति—

यत्तु वृत्तिवार्तिके 'शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधा' इत्यप्पयदीक्षितैरुक्तम् तत्तुच्छम्, उपपत्तिविरोधात्। तथा हि—इह शब्दाज्जायमानायामर्थोपस्थितौ कारणीभूतं यदीयज्ञानं सा शब्दवृत्तिरभिधाख्या लक्ष्यतया प्रस्तुता। प्रतिपादकत्वस्य च प्रतिपत्तिहेतुत्वरूपस्य शब्दगतस्य न ज्ञानं प्रतिपत्तौ कारणम्। अतः कथं नाम प्रतिपादकत्वमभिधेत्युच्यते? अथ प्रतिपादकत्वं प्रतिपत्त्यनुकूलव्यापाररूपं ज्ञानं सदेवोपयुज्यते प्रतिपत्तावित्युच्यते एवमपि शक्त्येत्यनेन शब्दगतार्थगता

वा काचिच्छक्तिः प्रतिपत्तिहेतुतया विवक्षिता, सैवाभिधेति 'अभिधया प्रतिपादकत्वमभिधा इति लक्षणं पर्यवसन्नम्'। तथा च स्फुटैवासंगतिरात्माश्रयश्च। न चाभिधातः शक्तिरतिरिक्ता शब्दजन्यप्रतिपत्तिप्रयोजिका काचिदस्तीत्यत्र प्रमाणमस्ति।

उपपत्तिविरोधादिति। युक्तिविरोधादित्यर्थः। युक्तिविरोधमेव प्रकटयति—तथाहीति। विवक्षितेति। शक्त्येति तृतीयाश्रयणादिति भावः। स्वज्ञाने स्वज्ञानस्यापेक्षिततयाऽऽत्माश्रयस्य स्पष्टत्वादसंगतिमुपपादयति न चेति। न हीत्यर्थः। वृत्तिवार्तिकाख्ये स्वकीयग्रन्थेऽप्पयदीक्षितेन 'शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधे'ति लक्षणं कृतम्, परन्तु तन्न युक्तम्, यज्ज्ञानं शब्दजन्यार्थोपस्थितौ कारणम्, तस्या अभिधानामिकायाः शब्दनिष्ठाया वृत्तेर्लक्षणकरणप्रसङ्गे 'एतत्पदनिष्ठं प्रतिपादकत्वमस्ती'त्येतज्ज्ञानमात्रेणार्थज्ञानानुदयात् अर्थज्ञाननिरूपितकारणताविरहिज्ञानविषयस्य, शब्दनिष्ठस्य प्रतिपत्ति(ज्ञान)हेतुत्वरूपस्य प्रतिपादकत्वस्याभिधात्वासंभवेन तस्या लक्षणत्वात्। प्रतिपादकत्वन्नाम प्रतिपत्त्यनुकूलो व्यापारः, स च ज्ञातः सन्नेव प्रतिपत्तावुपयुक्तो भवति, तथा च प्रतिपत्तिकारणीभूतज्ञानविषयः शब्दनिष्ठो व्यापारविशेषः अभिधेत्यर्थकमुक्तलक्षणं समीचीनमिति यदि कथ्यते, तथापि न निस्तारः यतः शक्त्येतिलक्षणघटकतृतीयान्तपदेन शब्दगताया अर्थगताया वा कस्याश्चिच्छक्तेः प्रतिपत्तिहेतुता दीक्षितस्य विवक्षितेति प्रतीयते, प्रतिपत्तिहेतुभूता शक्तिरेव चाभिधा, तथा च 'अभिधया प्रतिपादकत्वमभिधे'ति पर्यवसन्ने लक्षणे आत्माश्रयापातः, अभिधाज्ञानेऽभिधाज्ञानापेक्षणात्, शब्दजन्यबोधप्रयोजिकाया अभिधातो भिन्नायाः कस्याश्चन शक्तेः प्रमाणसिद्धत्वेन असंगतिश्चेति भावः। नागेशस्तु धान्येन धनवान् इत्यत्रेव शक्त्येत्यत्राभेदार्थिकां तृतीयामास्थाय दीक्षितमतं समर्थयति कथंचिदित्यपि बोध्यम्।

अब अभिधा के संबन्ध में अप्पयदीक्षित के द्वारा स्वीकृत मत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि। 'वृत्तिवार्तिक' नामक अपने ग्रन्थ में 'अभिधा' का लक्षण करते हुए दीक्षितजी ने लिखा कि—'शब्द में रहनेवाली शक्तिद्वारकप्रतिपादकता का नाम 'अभिधा' है।' परन्तु युक्तविरुद्ध होने के कारण उनका उक्त लक्षण असंगत है। युक्तिविरोध देखिए—जिसका ज्ञान, शब्द से होनेवाली अर्थोपस्थिति में कारण होता है, उस शब्द-निष्ठ 'अभिधा' नामक वृत्ति का लक्षण यहां बनाना है। अब हम विचार करें कि उस 'अभिधा' का लक्षण 'दीक्षित' से बन सका? 'प्रतिपादकता' शब्द का अर्थ होता है प्रतिपत्ति (ज्ञान) के कारण में रहनेवाला धर्म अर्थात् अर्थप्रतिपादक शब्द में रहनेवाला विशेष, परन्तु उस धर्म का ज्ञान शब्दजन्य अर्थोपस्थिति में कारण होता नहीं अर्थात् 'अमुक शब्द-प्रतिपादक है' इस तरह के ज्ञान से किसी अर्थ का स्मरण नहीं होता, अतः 'प्रतिपादकत्व' को 'अभिधा' का लक्षण कैसे कहा जा सकता है? यदि आप कहें कि 'प्रतिपादकता' का अर्थ उक्त धर्म नहीं है, अपितु ज्ञानजनक व्यापार अर्थात् शब्द में रहने वाली वह क्रिया, जिससे अर्थ का ज्ञान होता हो। अब उक्त लक्षण बन सकता है, क्योंकि उक्त क्रिया स्वयं ज्ञात होकर ही अर्थोपस्थिति का कारण होती है, अतः उक्त दीक्षित-वाक्य का सार यह होगा कि अर्थोपस्थिति का कारण जो ज्ञान 'उसका विषय जो शब्दगत-व्यापार (क्रिया) विशेष, वह अभिधा है। तो उस रीति से भी उक्त लक्षण संगत नहीं होता, कारण, आपने जो लक्षण में 'शक्त्या अर्थात् शक्तिद्वारक' यह विशेषण जोड़ा है उससे अर्थोपस्थिति में कारणीभूत शब्दगत अथवा अर्थगत कोई शक्ति ही आप की

विवक्षित जान पड़ती है और वही शक्ति 'अभिधा' है, अतः आपके कथनानुसार उक्त लक्षण वाक्य का पर्यवसित रूप यह होता है कि 'अभिधा के द्वारा प्रतिपादन करने का नाम अभिधा है' और इस पर्यवसित रूप में दो-दोष स्पष्ट दीख पड़ते हैं, एक असंगति और दूसरा आत्माश्रय। अर्थात् शब्दजन्य अर्थ-बोध में जो कारण हो, ऐसी अभिधा से भिन्न कोई शक्ति जब प्रमाण-सिद्ध है नहीं, तब उक्त लक्षण नहीं बन सकता है और उस शक्ति को अभिधा से अभिन्न मान लेने पर अभिधा के लक्षण में अभिधा का प्रवेश हो जाने से आत्माश्रय स्पष्ट ही है अर्थात् अभिधा के ज्ञान करने में अभिधा ज्ञान का अपेक्षित हो जाना ही यहाँ 'आत्माश्रय' दोष है। नागेश यहाँ 'धान्येन धनवान्' की तरह 'शक्त्या' इस तृतीया विभक्ति का अभेद अर्थ मानकर दीक्षितमत का समर्थन करते हैं। हिन्दी रस-गंगाधरकार चतुर्वेदीजी नागेशकृत समाधान को असंगत बतलाते हुए कहते हैं कि धान्य और धन में सामान्य-विशेषभाव होने से अभेदान्वय हो सकता है, पर शक्ति और अभिधा दोनों विशेष ही हैं, अतः यहाँ अभेदान्वय नहीं बन सकता। बात उनकी ठीक है। परन्तु मुझे वृत्तिवार्तिक के स्वारस्य से ऐसा प्रतीत होता है कि दीक्षित ने यहां शक्ति पद का प्रयोग वृत्ति अर्थ में ही किया है। अतः नागेश का समाधान हो सकता है।

अभिधां विभजते—

सेयमभिधा त्रिविधा—केवलसमुदायशक्तिः, केवलावयवशक्तिः, समुदायावयवशक्तिसंकरश्चेति।

अवयवार्था प्रतिभासिका शक्तिः केवलसमुदायशक्तिः, अवयवार्थमात्रप्रतिभासिका शक्तिः केवलावयवशक्तिः, अवयवार्थप्रतिभासद्वारा समुदायार्थप्रतिभासिका शक्तिः समुदायावयवशक्तिसंकर इति भावः।

अब अभिधा का विभाग करते हैं—सेयमित्यादि। पूर्वोक्त अभिधा तीन प्रकार की होती है—केवल समुदायशक्ति अर्थात् जो अवयवार्थ को भासित न करे, केवल अवयव-शक्ति अर्थात् जो समुदायार्थको भासित न करे, और समुदाय तथा अवयवों की शक्ति का मिश्रण अर्थात् जो अवयवार्थ के भानद्वारा समुदायार्थको भासित करे।

उपपादनपूर्वकमभिधाभेदानुदाहरति—

आद्याया डित्थादिकमुदाहरणम्, तत्रावयवशक्तेरभावात्। द्वितीयायास्तु पाचकपाठकादिः, तत्र धातुप्रत्ययशक्तिबोध्ययोरर्थयोरन्वयेनोल्लसितात्पाककर्तृरूपादर्थादृतेऽर्थान्तरस्यानवभासेन समुदायशक्तेरभावात्। तृतीयायाः पङ्कजादिः। इह धातूपपदप्रत्ययरूपावयवशक्तिवेद्यानां पङ्कजाननकर्तृणामाकाङ्क्षादिवशादन्वये प्रकाशमानात् पङ्कजनिकर्तृरूपादर्थादतिरिक्तस्य पद्मत्वविशिष्टस्य प्रत्ययेन तदर्थं समुदायशक्तेरपि कल्पनादुभयोः संकरः।

आद्याया इति। केवल समुदायशक्तेरित्यर्थः। तत्र डित्थादिशब्दे। द्वितीयाया इति। केवलावयवशक्तेरित्यर्थः। तत्र पाचकपाठकपदादौ। ऋते विना। तृतीयाया इति, समुदायावयवमिश्रितशक्तेरित्यर्थः। उभयोः समुदायावयवशक्त्योः। डित्थादिरव्युत्पन्नप्रातिपादिकम् केवलसमुदायशक्तेरुदाहरणम्, तत्र प्रकृतिप्रत्ययादिरूपावयवस्यैवाभावेन तच्छक्तेरप्यभावात्। पाचकपाठकादिपदानि केवलावयवशक्तेरुदाहरणभूतानि, यतस्तत्र पच् आदि धातोः ण्वुल्प्रत्ययस्य चावयवभूतस्य शक्त्याऽवगम्यमानयोः पाककर्तृरूपयोरर्थयोः परस्पर-

मन्वये सति प्रतीयमानो यः विक्लित्तिजनकव्यापाराश्रयरूपोऽर्थस्तदितरो न कोऽप्यर्थः प्रतिभासत इति समुदायशक्तिर्न कल्प्यते। पङ्कजादिपदम् समुदायावयवशक्तिसंकरस्योदाहरणम्, यतस्तत्र जनधातु-पङ्करूपोपपद-डप्रत्ययात्मकावयवशक्तिलभ्यात् पङ्कावधिक-जन्मकर्तृरूपादर्थान्न निर्वाहस्तेनानमितस्य शैवालादेरपि क्रोडीकरणात्, अतः पद्मत्वविशिष्टरूपार्थभासिका समुदायशक्तिरपि कल्प्यत इति भावः।

अत्र पूर्वोक्त अभिधा-प्रकारों के उदाहरण उपपादनपूर्वक दिखलाते हैं—आद्याया इत्यादि। केवल समुदायशक्ति के उदाहरण 'डित्थ' आदि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होते हैं, क्योंकि उनमें प्रकृति-प्रत्यय आदि अवयव रहते ही नहीं, अतः अवयवशक्ति का वहाँ प्रसङ्ग ही नहीं आता। केवल अवयवशक्ति के उदाहरण होते हैं 'वाचक', 'पाठक' आदि पद। क्योंकि उनमें धातु 'पच्' आदि और प्रत्यय-ण्वुल् = अक आदि की शक्ति से अवगत होने वाले दो अर्थों (धातु के अर्थ 'पाक' और प्रत्ययार्थ 'करनेवाला') के अन्वय से प्रकाशित होनेवाले 'पाक करने वाला'—इस अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती, अतः यहाँ समुदाय-शक्ति का अभाव है। समुदाय तथा अवयवों की शक्ति के मिश्रण के उदाहरण होते हैं 'पङ्कज' आदि पद। उपपद पङ्क, धातु जन्, प्रत्यय ड, इन तीन अवयवों के योग से पङ्कज पद बना है। उनमें से उपपद का अर्थ 'कीचड़' धातु का अर्थ 'उत्पन्न होना' और प्रत्यय का अर्थ 'वाला' है। परस्पर साकाङ्क्ष रहने के कारण जब उन सब अर्थों का अन्वय होता है, तब 'कीचड़ से उत्पन्न होनेवाला' यह अर्थ प्रकाशित होता है। किन्तु 'पङ्कज' पद से केवल इतना ही अर्थ प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में कीचड़ से उत्पन्न होने वाले शैवाल आदि सभी पदार्थ पङ्कज कहलाने लगेंगे। अतः यह मानना पड़ता है कि उक्त अवयवों की शक्ति से भिन्न एक समुदायशक्ति भी यहाँ है, जिसके द्वारा 'कमलत्व' जाति से युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है। वह कमलत्वजाति-युक्त पदार्थ भी पङ्क से उत्पन्न होनेवाला ही है अतः अवयव और समुदाय दोनों की शक्तियों का मिश्रण यहाँ समझा जाता है।

अमीषामभिधाप्रभेदानां प्राचीनैः प्रयुक्तानि पर्यायान्तराणि दर्शयति—

एता एव विधा रूढि-योग-योगरूढिशब्दैर्व्यपदिश्यन्ते।

विधाः प्रकाराः। अभिधायाः प्रागुक्तानां केवलसमुदायशक्ति-केवलावयवशक्ति-समुदायावयवशक्ति-संकरात्मक-प्रभेदानामेव क्रमशो रूढि-योग-योगरूढिशब्दैर्व्यवहारः प्राचीनैः क्रियत इति भावः।

प्राचीन आचार्यों के द्वारा उक्त अभिधा-प्रभेदों का व्यवहार भिन्न नाम से किया है, इसी बात का उल्लेख करते हैं—एता इत्यादि। प्राचीन आलङ्कारिक केवल समुदायशक्ति का रूढि शब्द से, केवल अवयवशक्ति का योग शब्द से और समुदायावयवशक्तिसंकर का योगरूढि शब्द से व्यवहार करते हैं।

दीक्षितोक्तौ पूर्वोक्तदूषणान्यतिदिशति—

यत्तु—'अखण्डशक्तिमात्रेणैकार्थप्रतिपादकत्वं रूढिः। अवयवशक्तिमात्रसापेक्षं पदस्यैकार्थप्रतिपादकत्वं योगः। उभयशक्तिसापेक्षमेकार्थप्रतिपादकत्वं योगरूढिः।' इति वृत्तिवार्तिकेऽप्पयदीक्षितैरुक्तम्, तन्न। अभिधालक्षणोक्तदूषणानामिहापि दुर्वारत्वात्।

दूषणानामिति। प्रतिपादकत्वनिष्ठतत्त्वासंभवासंगत्यात्माश्रयाणामित्यर्थः। अखण्डा—अवयवविभागरहितकेवलसमुदायनिष्ठा या शक्तिः, तया या पदनिष्ठैकार्थप्रतिपादकता सा रूढिः, केवलावयवशक्तिसापेक्षा या पदनिष्ठैकार्थप्रतिपादकता सा योगः, एवम् समुदायावयवोभयशक्तिसापेक्षा या पदनिष्ठैकार्थप्रतिपादकता सा योगरूढिरित्यर्थकानि यानि मूलोक्तानि रूढि-योग-योगरूढीनां लक्षणानि वृत्तिवार्तिकाभिधाने निबन्धे दीक्षितमहाभागेन कृतानि, तानि न सम्यञ्चि, प्रतिपत्तिहेतुत्वरूपशब्दगतप्रतिपादकत्वज्ञानस्यार्थ-प्रतिपत्तिं प्रत्यहेतुत्वादसंभवः, अभिधातः शक्तेरन्यत्वाभावादसंगतिः, स्वज्ञाने स्वज्ञानापेक्षणादात्माश्रय इत्येषामभिधालक्षणोक्तदूषणानामत्रापि दुर्वारत्वादिति भावः।

अब इस प्रसङ्ग पर भी दीक्षित के मत का खण्डन करते हैं—यत्तु इत्यादि। 'अखण्ड-अर्थात् अवयव-विभाग-रहित केवल समुदायनिष्ठ-शक्ति से पद में रहनेवाली एक अर्थ की प्रतिपादकता का नाम 'रूढि' है। केवल अवयवशक्ति की अपेक्षा करनेवाली-पदनिष्ठ-प्रतिपादकता का नाम 'योग' है और समुदायशक्ति तथा अवयव शक्ति दोनों की अपेक्षा करनेवाली प्रतिपादकता का नाम 'योगरूढि' है। ये लक्षण क्रमशः रूढि, योग और योग रूढि के अप्पयदीक्षित ने अपने वृत्तिवार्तिक नामक निबन्ध में किये हैं, परन्तु वे लक्षण ठीक नहीं हैं, क्योंकि उनके अभिधा-लक्षण में जो सब दोष दिखलाये गए हैं, वे सभी दोष यहाँ भी हो सकते हैं और उन दोषों का वारण भी नहीं किया जा सकता—अर्थात् शब्दगत प्रतिपादकता का अर्थ, प्रतीति का हेतु होना ही होता है और उस प्रतिपादकता का ज्ञान अर्थ की प्रतीति में कारण नहीं होता, अतः उक्त लक्षणों में असंभव दोष हो जायगा, शक्ति से भिन्न रूढि आदि कोई वस्तु होती नहीं अतः असंगति दोष भी होगा, एवम् शक्ति के ज्ञान में शक्ति-ज्ञान की अपेक्षा हो जाने से आत्माश्रय दोष का अवसर भी आ जायगा।

अथेदानीमश्वगन्धादिकतिपयविशिष्टशब्दानां शक्तिरुक्तेषु अभिधाभेदेषु कुत्रान्तर्भवतीति विचारयितुमुपक्रमते—

अथ अश्वगन्धा-अश्वकर्ण-मण्डप-निशान्त-कुवलयादिशब्देषु का शक्तिरिति।

मूलोक्ता अश्वगन्धादयः शब्दाः सर्वे द्व्यर्थकाः, तत्रैकस्यार्थस्य समुदायशक्त्या (रूढ्या) द्वितीयस्यावयवशक्त्या (योगेन) सर्वेभ्यः शब्देभ्यः प्रतीतिर्भवति, अतस्तेषु शब्देषु का शक्तिः? केवलसमुदायशक्तिः केवलावयवशक्तिः समुदायावयवशक्तिसंकरो वेति विचारणीयमिति भावः।

अब अश्वगन्धा आदि कतिपय शब्दों की शक्ति, उक्त अभिधा-प्रभेदों में अन्तर्भूत हो सकती है अथवा नहीं इत्यादि विचार का आरम्भ करते हैं—अथ इत्यादि। यहाँ अब विचारणीय यह है कि अश्वगन्धा, अश्वकर्ण, मण्डप, निशान्त और कुवलय आदि पदों में उक्त तीनों भेदों में से कौन-सी शक्ति है? इस तरह का विचार यहाँ इसलिये उठता है कि पूर्वोक्त सभी शब्दों के दो-दो अर्थ हैं अर्थात् अश्वगन्धा शब्द के एक प्रकार का औषध, असगन्ध और घोड़ों के गन्धवाली, अश्वकर्ण शब्द के एक औषध और घोड़े का कान, मण्डप शब्द के मँड़वा (गृह विशेष) और भात का माँड़ पीनेवाला, निशान्त शब्द के गृह और रात्रि का अन्त (प्रभात) तथा कुवलय पद के रात्रि में विकसित होने वाला कमल और पृथ्वीमण्डल अर्थ होते हैं। इन अर्थों में प्रथम-प्रथम अर्थ समुदाय श क्ति

(रूढि) द्वारा और द्वितीय-द्वितीय अर्थ अवयवशक्ति (योग) द्वारा प्रतीत होते हैं। अतः यहाँ किसी एक शक्ति से कार्य नहीं बन सकता।

पूर्वजिज्ञासितां शक्तिं मतभेदेन ज्ञापयिष्यन् तावत्प्रथममतमाह—

अत्र केचित्—'अश्वगन्धारसं पिबेत्' इत्यादिषु विषयविशेषे केवलसमुदायशक्तिः। अश्वगन्धा, वाजिशाला, इत्यादिषु तु केवलयोगशक्तिः। समुदायावयवशक्त्योरुभयोरेकशब्दाश्रयत्वे कथं केवलत्वविशेषितयोराद्यद्वितीयभेदयोः प्रसक्तिरिति तु न शङ्क्यम्। समुदायावयवशक्तिवेद्ययोरर्थयोरनन्वयेन तादृशशक्त्योः कैवल्यस्य साम्राज्यात्। इदमेव हि केवलत्वमिह विवक्षितम्, यदन्वया-योग्यार्थबोधकत्वम्। संकरस्त्वन्वययोग्यार्थबोधकयोरेवेति न तस्यात्र प्रसक्तिः' इत्याहुः।

अश्वगन्धादिशब्दे क्वचित् केवलसमुदायशक्तिः, क्वचित् केवलयोगशक्तिः, यथा—'अश्वगन्धारसं पिबेत्' इत्यादौ औषधतात्पर्येण प्रयुक्ते प्रथमा, 'अश्वगन्धा वाजिशाला' इत्यादौ अश्वस्य गन्धो यस्यामित्यर्थतात्पर्येण प्रयुक्ते द्वितीया। यद्यपीह कथं तादृशशक्तिद्वयसमावेश एकस्मिन् शब्दे, अवयवशक्तेरपि सद्भावेन केवलसमुदायशक्तेः, समुदायशक्तेरपि सत्त्वेन केवलावयवशक्तेश्चासत्त्वादिति शङ्का आपाततः समुदेति, तथापि अवयवशक्तिबोध्यार्थान्वयायोग्यार्थबोधकत्वरूपस्य केवलत्वस्य समुदायशक्तौ, समुदायशक्तिबोध्यार्थान्वययोग्यार्थबोधकत्वरूपस्य केवलत्वस्यावयवशक्तौ विवक्षणेन सामञ्जस्ये तादृशशङ्काया नोत्थानम्। योगरूढ्यपरपर्यायः संकरस्तु नैतादृशस्थले सम्भवति, परस्परान्वययोग्यार्थद्वयबोधकभेदयोरेव तत्स्वीकारात्। प्रकृते चाश्वसंबन्धिगन्धविशिष्टौषधिरूपयोरर्थयोः मिथोऽन्वययोग्यत्वविरहात् इति भावः।

अब पूर्व जिज्ञासा की शान्ति के लिए मतभेद से उत्तर करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों का कथन है कि—'अश्वगन्धारसं पिबेत्—अर्थात् असगन्ध का रस पीवे' इत्यादि स्थल-विशेष—जहाँ औषधरूप अर्थ में अश्वगन्धा पद प्रयुक्त हुआ हो—में केवल समुदायशक्ति (रूढि) माननी चाहिए। और 'अश्वगन्धा वाजिशाला—अर्थात् घोड़ों के गन्ध वाली घुड़साल' इत्यादि स्थलविशेष—जहाँ वाजिशालारूप अर्थ में अश्वगन्धा पद प्रयुक्त हुआ हो—में केवल अवयवशक्ति (योग) माननी चाहिए। यद्यपि यहाँ यह शंका की जा सकती है कि जब समुदायशक्ति (रूढि) और अवयवशक्ति (योग) दोनों के लक्षणों में 'केवल' विशेषण लगाया गया है, अर्थात् जब समुदायार्थमात्र-बोधक पद में रूढिशक्ति और अवयवार्थ मात्र बोधक पद में योगशक्ति मानी गई है, तब अश्वगन्धा इस एक पद में ही दोनों शक्तियाँ कैसे मानी जा सकती हैं अर्थात् यहाँ रूढि शक्ति मानी नहीं जा सकती, क्योंकि यह पद अवयवार्थ का भी बोधक, स्थान-विशेष में होता है, योगशक्ति भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्थानविशेष में यह पद समुदायार्थ का भी बोधक होता है; तथापि यह कहा जा सकता है कि 'केवल' विशेषण का अभिप्राय यहाँ अन्य अर्थ का बोधक नहीं होना नहीं है, अपितु अन्य अर्थ के साथ अन्वित न हो सकनेवाले अर्थ का बोधक होना है अर्थात् जहाँ समुदायार्थ ऐसा रहेगा, जिसका अन्वय अवयवार्थ के साथ नहीं बन सकेगा, वहाँ केवल समुदायशक्ति मानी जायगी और जहाँ अवयवार्थ ऐसा होगा, जिसका अन्वय समुदायार्थ के साथ नहीं बन सकेगा, वहाँ केवल अवयवशक्ति मानी जायगी। अब आप सोचिये कि अश्वगन्धा पद में ये दोनों केवल विशेषण-

विशिष्ट शक्तियाँ रह सकती हैं या नहीं ? मैं कहूँगा कि अवश्य रह सकती हैं, क्योंकि अश्वगन्धा पद का औषधरूप समुदायार्थ ऐसा है ही, जिसका वाजिशालारूप अवयवार्थ के साथ अन्वय नहीं होता, इसी तरह घोड़े की गन्धवाली घुड़सालरूप अवयवार्थ भी ऐसा ही है, जिसका उक्त समुदायार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकता। आप कहेंगे—इस स्थिति में दोनों शक्तियों के मिश्रग-रूप अभिधा के तृतीय भेद (योगरूढि) से इसमें क्या अन्तर रहा ? तो इसका उत्तर यह है कि मिश्रण वहाँ माना जाता है, जहां ऐसे दो अर्थों का बोध होता हो, जो परस्पर अन्वित हो सकें, जैसे पङ्कज पद के स्थल में कमलरूप समुदायार्थ और कीचड़ से उत्पन्न होनेवाला रूप अवयवार्थ परस्पर अन्वित होने योग्य हैं अर्थात् कमल भी कीचड़ से ही उत्पन्न होता है अतः 'कीचड़ से उत्पन्न होनेवाला कमल' ऐसा अन्वित अर्थ ज्ञात होता है। अश्वगन्धा पद के दोनों अर्थ ऐसे नहीं हैं जो परस्पर अन्वित हो सकें, अतः यहाँ शक्ति-द्वय-मिश्रण का प्रसङ्ग ही नहीं आता।

तादृशकैवल्यविवक्षायां मानाभावात् मतान्तरमाह—

अन्ये तु—'अश्वकर्णादिशब्देषु नाभिधायाः प्रथमद्वितीययोर्विधयोः प्रसक्तिः, कैवल्यविरहात्। परन्तु संकरस्य द्वौ भेदौ—योगरूढिर्यौगिकरूढिश्चेति। तत्राद्यस्योदाहरणं पङ्कजादिशब्दाः। द्वितीयस्य त्वश्वकर्णादयः' इत्याहुः।

अश्वगन्धा अश्वकर्णादिशब्देषु कैवल्यविशेषितयोः प्रथमद्वितीयभेदयोरप्रसक्त्या तत्संप्रहाय संकरस्य यौगिकरूढिनामकोऽप्येको भेदः स्वीकार्य इति भावः।

'केवल' विशेषण का जो अर्थ पूर्व मत में किया गया है, उसमें कोई प्रमाण नहीं, अतः मतान्तर का उल्लेख करते हैं—अन्ये तु इत्यादि। अन्य विद्वानों का कथन है कि अश्वगन्धा, अश्वकर्ण आदि पदों में अभिधा के प्रथम अथवा द्वितीय अर्थात् रूढि किंवा योग-भेद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां एक ही पद में दोनों तरह की शक्तियों के रहने के कारण केवलत्व नहीं होता। अतः संकरात्मक तृतीय अभिधा-भेद के पुनः दो भेद मानने चाहिए, एक योगरूढि और दूसरा यौगिकरूढि। उनमें से प्रथम भेद का उदाहरण है पङ्कज आदि पद और द्वितीय भेद का अश्वगन्धा, अश्वकर्ण आदि पद।

संकरस्य योगरूढिशब्देनैव प्रसिद्धेर्मतान्तरमाह—

'चतुर्थ एवायमभिधाया भेदः' इत्यप्यन्ये।

अभिधापदसंबद्धेनैवकारेण संकरभेदनिरासः। यौगिकरूढिनामकं भेदान्तरं न संकरस्य, अपि तु अभिधाया एव। तथा चाभिधायाश्चत्वारो भेदा इति भावः।

योगरूढि से भिन्न संकर का भेद कहीं प्रसिद्ध नहीं, अतः तृतीय मत दिखलाते हैं—चतुर्थ इति। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि यह यौगिकरूढि नामक संकरात्मक तृतीय अभिधा-भेद का उपभेद नहीं है, अपितु स्वतन्त्ररूप से अभिधा का ही एक भेद है अर्थात् अभिधा के चार (रूढि, योग, योगरूढि और यौगिकरूढि) भेद हैं, तीन ही नहीं।

सिद्धान्तमाह—

'अखण्डा एव हि शब्दाः। तत्र समासेषु पदानाम् 'कृत्तद्धिततिङन्तेषु च प्रकृतिप्रत्ययानां विभागः काल्पनिक एवेति कुत्रास्ति योगशक्तिः ? विशिष्टस्य विशिष्टार्थे रूढेरेवाभ्युपगमात्' इत्यपि वदन्ति।

द्विस्त्वर्थे । तत्रेति । अखण्डानां शब्दानां मध्य इत्यर्थः । पदानि द्विविधानि, समस्तान्यसमस्तानि च । द्विविधान्यपि अखण्डानि-निरवयवानि । लघूपायेन शब्दज्ञानाय शाब्दिकैः स्वशास्त्रप्रक्रियानिर्वाहार्थम् समासे पदानां कृदन्ते तद्धितान्ते तिङन्ते च प्रकृतिप्रत्ययानां काल्पनिको विभागः स्वीकृतः। एषा च शाब्दिकानां सिद्धान्तभूता सरणिः। तथा च तेषामुक्तिः—'पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। वाक्ये पदानामत्यन्तं प्रविभागो न विद्यते ॥' इत्यादि। एवञ्च योगशक्तेरवसर एव नास्ति। विशिष्टपदवाक्यादेर्विशिष्टार्थे रूढिरेवेति भावः। अभिधाया रूढ्याख्य एक एव भेद इति तात्पर्यम्।

अब अभिधा के संबन्ध में सिद्धान्तभूत मत का उल्लेख करते हैं—अखण्डा इति। पद दो प्रकार के होते हैं, एक समास करके बनाए गए और दूसरे समासरहित। दोनों ही प्रकार के पद अखण्ड हैं—निरवयव हैं। केवल लघु उपाय से शब्द-ज्ञान कराने के लिये वैयाकरणों ने अपने शास्त्र की प्रक्रिया के निर्वाहार्थ समास में भिन्न-भिन्न पदों का और कृदन्त, तद्धितान्त तथा तिङन्त पदों में प्रकृति-प्रत्ययों का काल्पनिक विभाग मान लिया है अर्थात् वस्तुतः ये सब विभाग हैं नहीं। अत एव उन्होंने कहा है—'पदेन वर्णा विद्यन्ते ...इत्यादि अर्थात् पदों में वर्ण नहीं, वर्णों में अवयव नहीं और वाक्यों में पदों का विभाग भी नहीं है।' इस युक्ति के अनुसार योगशक्ति का कहीं प्रसङ्ग आ ही नहीं सकता। अतः यह मानना चाहिए कि अखण्ड पद की अखण्ड पदार्थ में और अखण्ड वाक्य की अखण्ड वाक्यार्थ में केवल रूढि ही शक्ति है। तात्पर्य यह हुआ कि अभिधा का रूढि नामक एक ही भेद है, तीन अथवा चार नहीं।

शङ्कते—

अथ—

'गीष्पतिरप्याङ्गिरसो गदितुं ते गुणगणान् सगर्वो न।
इन्द्रः सहस्रनयनोऽप्यद्भुतरूपं परिच्छेत्तुम् ॥'

इत्यादौ रूढ्यर्थमादाय पुनरुक्त्यापत्तिः।

अथेति। अभिधाया उक्तस्य भेदत्रयरूपभेदचतुष्टयस्य वा स्वीकृतेरुत्तरमित्यर्थः। गीष्पतिरिति। राजवर्णनमिदम्—हे राजन्! गीष्पतिः वाचः स्वामी अपि, आङ्गिरसः बृहस्पतिः, ते तव, गुणगणान् पराक्रमौदार्यादिगुणसमूहान्, गदितुं वक्तुम्, सगर्वः साहंकारो न भवतीति शेषः। तथा सहस्रनयनोऽपि नेत्रसहस्रसहितोऽपि, इन्द्रः, ते, अद्भुतरूपम् आश्चर्यकरं स्वरूपं, परिच्छेत्तुम् अर्थात् इयत्तया निश्चेतुम्, सगर्वो नेत्यर्थः। राजन्! त्वयि इयन्तो गुणाः सन्ति, यान् अपरिमितवाक्शक्तिर्बृहस्पतिरपि वर्णयितुं न प्रभुः, एवम् तव रूपे वर्तमानाया आश्चर्यकारिताया इयत्तां निश्चेतुं नयनसहस्रशाली इन्द्रोऽपि न समर्थः, अस्माकं स्वल्पवाक्शक्तीनां नेत्रद्वयशालिनां तु कथैव का? सर्वथा अवर्णनीया तव गुणाः, इयत्तारहितश्च रूपमिति भावः। अत्राङ्गिरसेन्द्रशब्दौ रूढिशक्त्या बृहस्पतिदेवराजौ बोधयतः। गीष्पतिसहस्रनयनशब्दौ च योगरूढिशक्त्या तावेवाभिधत्तः। एवञ्च गीष्पतिसहस्रनयनपदयो रूढ्यर्थमादाय पुनरुक्तिदोषापातः स्पष्ट एवेति भावः।

इस प्रसङ्ग पर एक शंका का उल्लेख करते हैं—अथ इत्यादि। आप कहेंगे कि इतना सब होने पर भी—'गीष्पतिरपि...अर्थात् (हे राजन्!) 'गीष्पति'—वाणी के अधिपति

भी–आङ्गिरस–बृहस्पति आपके पराक्रम, औदार्य आदि गुण-गणों का यथावत् वर्णन करने का गर्व नहीं कर सकते और सहस्र–नयन–हजार चक्षुवाले भी इन्द्र आपके आश्चर्यजनक रूप की इयत्ता को बतलाने का घमंड नहीं कर सकते।' तात्पर्य यह कि 'आप में इतने गुण हैं, जिनको वाचस्पति भी नहीं कह सकते, एवम्—आपका रूप आश्चर्यजनक है, जिसका माप कर सकना हजार नेत्रवाले इन्द्र के लिये भी संभव नहीं है, फिर हम अल्प वाक्शक्तिवालों तथा दो नयनवालों की बात ही क्या? सारांश यह कि आपके गुण सर्वथा अवर्णनीय हैं और रूप इयत्ता–रहित है।' इत्यादि पद्य में रूढ्यर्थ को लेकर पुनरुक्ति-दोष होने लगेगा अर्थात्—'गीष्पति' और 'सहस्रनयन' पद योगरूढ हैं, अतः उन दोनों पदों से ही योग तथा रूढि दोनों शक्तियों के मिश्रण से क्रमशः 'वाणी का अधिपति आङ्गिरस' और 'हजार नेत्रवाला इन्द्र' इन अर्थों का बोध हो ही जाता है, फिर 'आङ्गिरस' और 'इन्द्र' पदों का प्रयोग पुनरुक्तिदोषग्रस्त है।

उक्तापत्तेः समाधानाभासमुपपाद्य खण्डयति—

न चैवंविधपदद्वयसमभिव्याहारस्थले योगरूढपदस्यावयवार्थमात्रबोधकत्वम्, तावन्मात्रस्यैव प्रकृतोपयोग्यातिशयविशेषसमर्पकत्वात् इति वाच्यम्। एवमपि योगरूढपदस्य रूढिशक्तेरनियन्त्रणेन योगार्थमात्रप्रतिपादकताया अनुपादानादुक्तदोषस्यानुवृत्तेः। एकेनैव पदेन योगार्थरूढ्यर्थयोरुभयोरप्यावश्यकयोरर्थयोरुपस्थितिसंभवेन द्वितीयपदप्रयोगस्य नैरर्थक्यापत्तेश्च, इति चेत्।

अतिशयेति। राजनिष्ठगुणाद्यतिशयेत्यर्थः। अनियन्त्रणेन असंकोचेन। शक्तिसंकोचकानां प्रकरणादीनामभावादिति भावः। अनुपादानादिति। अग्रहणादित्यर्थः। अज्ञानादिति यावत्। शक्तिनियामकप्रकरणादिसत्त्वेऽप्याह—एकेनैवेति। आवश्यकयोरिति। पदद्वयोल्लेखबलेनोक्तातिशयव्यञ्जनार्थमिति भावः। उक्तपुनरुक्त्यापत्तिः तदैव संभवति, यदि गीष्पतिसहस्रनयनपदे योगार्थेन सह रूढ्यर्थमपि बोधयेताम् परन्तु तदेव नास्ति, ईदृशरूढयोगरूढोभयविधशब्दप्रयोगस्थले योगरूढपदस्य योगार्थमात्रबोधकत्वस्वीकारेण तयोः पदयोर्वागधिपति-नेत्रसहस्रविशिष्टमात्रबोधकत्वात्। कुत ईदृशस्थले योगरूढपदस्य योगार्थमात्रबोधकत्वमिति चेत् तावन्मात्रस्यैव राजादिगतगुणरूपयोरवर्णनीयत्वलक्षणातिशयव्यञ्जकत्वेनावश्यकत्वात्, रूढ्यर्थस्य पदान्तरेण बोधनाच्चेति समाधानमापाततः संभाव्यमानमपि न युक्तम्, शक्तिनियामकस्य प्रकरणादेरसत्त्वेन गीष्पतिसहस्रनयनरूपयोर्योगरूढपदयोः रूढिशक्तेरनियमनेन योगार्थमात्रबोधकताया अज्ञानात् रूढ्यर्थबोधे अवारिते पुनरुक्त्यापत्तेस्तादवस्थ्यात्। प्रकरणादिनियामकसत्त्वाङ्गीकारे पुनस्तथा संभवेऽपि आङ्गिरसेन्द्रादिरूपद्वितीयपदप्रयोगनैरर्थक्यापातदोषस्य दुर्वारत्वाच्च। कथं तन्नैरर्थक्यमिति चेदित्थम्—योगरूढं रूढञ्च पदं प्रयुज्य पुनरुक्तिभिया प्रकरणादिना योगरूढपदस्य रूढशक्तेर्नियमनं व्यर्थम्। यतः तथाकरणे एकेन पदेन रूढ्यर्थस्य द्वितीयेन योगार्थस्य च बोध एव तु उद्देश्यम्। तस्योद्देशस्य पूर्तिः एकेन योगरूढपदेनापि संभवति। न च प्रकरणादिना संकोचे कथं द्वयोरर्थयोर्लाभ एकस्मात् पदादिति वाच्यम्, अभिधानियामकप्रकरणोक्तत्वसिद्धान्तानुसारेण सत्यावश्यकत्वे द्वयोरर्थयोर्बोधस्योत्पत्तौ बाधकाभावादिति भावः।

उस शंका के आपाततः एक समाधान का उल्लेख कर उसका खण्डन करते हैं—न

चैव इत्यादि। यदि कोई कहे कि इस तरह जहाँ रूढ और योगरूढ दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वहाँ गीष्पति आदि योगरूढ पद केवल अवयवार्थ (योगार्थ) के बोधक होते हैं, समुदायार्थ (रूढ्यर्थ) के नहीं, क्योंकि ऐसे स्थानों में अवयवार्थ ही प्रस्तुत विषय के उपयोगी विशिष्ट प्रकार के अतिशय को उपस्थित करनेवाला रहता है अर्थात् वर्णनीय राजा के गुण-रूपों को अवर्णनीय सिद्ध करने में गीष्पति तथा सहस्र-नयन पद के योगार्थ ही सहायक होते हैं रूढ्यर्थ नहीं। तात्पर्य यह कि इस तरह से योगरूढ पद को केवल योगार्थोपस्थापक मान लेने पर पुनरुक्ति नहीं होगी, परन्तु यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक तो यह कि जब प्रकरण आदि कोई नियामक है नहीं, तब योगरूढ (गीष्पति आदि) पद की रूढिशक्ति नियन्त्रित नहीं हो सकेगी और अनियन्त्रण की स्थिति में वह पद योगार्थमात्र का प्रतिपादक है, ऐसा निश्चय ही नहीं हो सकता, अर्थात् योगरूढ पद रूढ्यर्थ का भी बोध कराएगा ही, किसी के कथन मात्र से वह रुकेगा नहीं, अतः उक्त दोष (पुनरुक्ति) बना ही रहा, हटा नहीं। दूसरा यह कि यदि किसी तरह नियामक (प्रकरणादि) को खोजकर उक्त योगरूढ पदों को ईदृश स्थल में योगार्थमात्र के बोधक बना भी देंगे, तब भी यह आपत्ति तो बनी ही रहेगी कि जब योगरूढ (गीष्पति-सहस्रनयन) पद से ही योगार्थ और रूढ्यर्थ दोनों के बोध हो सकते हैं, तब पृथक् रूढपद (आङ्गिरस और इन्द्र) के प्रयोग क्यों किये जायँ, अर्थात् वे पद व्यर्थ हो जाते हैं। सारांश यह कि प्रकरण आदि को नियामक मानकर द्वितीय-पद-प्रयोग को सार्थक बनाना समुचित नहीं। अभिधानियामक-प्रकरणोक्त स्व-सिद्धान्त के अनुसार आवश्यकता होने पर दो अर्थों का बोध एक पद से माना जा सकता है। अतः पुनरुक्ति दोषवाली शंका पूर्ववत् बनी रह जाती है।

सिद्धान्तभूतं समाधानमाह—

अत्राहुः—एकपदोपात्तत्वादन्तरङ्गाकाङ्क्षावशेन प्रथमं योगार्थरूढ्यर्थयोरन्वये सति समुल्लसितस्य विशिष्टार्थस्यैव पदान्तरार्थेनान्वयः, न तु तयोरेव विशकलितयोरिति यद्यपि न्यायसिद्धोऽर्थः तथापि शक्त्याऽर्थस्य प्रतिपादने स्यादेवम्। लक्षणायां तु योगरूढेन योगार्थमात्रप्रतिपादनेन न किञ्चिद्बाधकमस्ति। नापि द्वितीयपदप्रयोगस्य नैरर्थक्यम्। तथा सति रूढ्यर्थबोधनेन गतार्थेन योगरूढशब्देन प्रतिपाद्यमानस्य योगार्थस्य पङ्कजाक्षीत्यादाविव नान्तरीयकत्वशङ्कया कुर्वद्रूपताया अपहतौ प्रकृतोपयोग्यातिशयविशेषव्यञ्जनस्य पाक्षिकत्वापत्तेः। द्वितीयपदयोगे तु तेनैव रूढ्यर्थप्रतिपादने सिद्धे योगरूढपदप्रतिपाद्यस्य योगार्थस्य नान्तरीयकत्वशङ्काया अयोगात्कुर्वद्रूपत्वेन व्यङ्ग्यविशेषव्यञ्जकत्वं नियमेन सिद्ध्यति।

एकपदोपात्तेति। अन्तरङ्गत्वे हेतुरयम्। समुल्लसितस्य सम्पन्नस्य। विशिष्टार्थस्येति। वाक्स्वाम्यभिन्नाङ्गिरसस्य, सहस्रनयनाभिन्नेन्द्रस्य चेत्यर्थः। पदान्तरेति। आङ्गिरसेन्द्रपदार्थाभ्यामिति भावः। तयोः योगार्थरूढ्यर्थयोः। विशकलितेति। पदान्तरार्थेनान्वय इत्यस्यानुषङ्गः। गीष्पति-सहस्रनयनपदलभ्ययोगार्थरूढ्यर्थयोः परस्परमनन्वितयोः आङ्गिरसेन्द्रपदार्थाभ्यां सहान्वयो नेति भावः। योगार्थमात्रबोधकत्वानुपादानप्रयुक्तपुनरुक्तिरूपमाद्यदोषमुद्धृत्य रूढपदप्रयोगनैरर्थक्यरूपं द्वितीयं दोषमुद्धरति—नापीति। तथा सति रूढ्यर्थमात्रबोधकद्वितीयपदानुपादाने सति। नान्तरीयकत्वेति। मुख्यतात्पर्या-

विषयत्वेत्यर्थः। पाक्षिकेति। नान्तरीयकत्वशङ्काया अभावे इष्टसिद्धिः संभवत्यपीत्यर्थः। अत एवाग्रे नियमेनेति वक्ष्यति। कुर्वद्रूपत्वेनेति। कार्यजननोन्मुखत्वेनेत्यर्थः। योगशक्तिरूढिशक्तिभ्यां गीष्पतिपदेनाभिहितयोः वाक्पत्याङ्गिरसरूपयोरेवं सहस्रनयनपदेनाभिहितयोर्नेत्रसहस्रवदिन्द्ररूपयोरर्थयोः प्रथममभेदान्वयः, श्रोतृसमवेततद्विषयकान्वयजिज्ञासात्मकाकांक्षाया एकपदोपात्तत्वज्ञानमूलकान्तरङ्गत्वेन प्रागुदयात् ततस्तथाऽन्वितस्य गीष्पतिपदार्थस्याङ्गिरसपदार्थेन, एवमन्वितस्य सहस्रनयनपदार्थस्येन्द्रपदार्थेन सहाभेदान्वयः, न तु अनन्वितस्य गीष्पतिपदवाच्ययोगार्थरूढ्यर्थसमुदायस्याङ्गिरसपदार्थेन, एवं सहस्रनयनपदवाच्ययोगार्थरूढ्यर्थसमुदायस्येन्द्रपदार्थेन, तदन्वयजिज्ञासात्मिकाया आकांक्षाया भिन्नपदोपात्तत्वज्ञानमूलकबहिरङ्गत्वेन पश्चादुदयात्। तथा च 'आङ्गिरसः वाक्पत्यभिन्न आङ्गिरसः, इन्द्रः सहस्रनयनाभिन्न इन्द्रः' इत्याकारकान्वयबोधः सम्पद्यते, स च नासंगतः, 'घटो नीलघटो न वा दण्डवान् रक्तदण्डवान्न वा' इत्यादिसंशयनिवर्तकस्य तत्समानाकारस्य 'घटो नीलघटः दण्डवान् रक्तदण्डवान्' इत्याकारकस्य विधेयकोटावधिकावगाहिनोऽन्वयबोधस्य नवीनैः स्वीकारात्। परमियं रीतिः गीष्पतिसहस्रनयनादिपदस्य वाचकत्वं स्वीकृत्य शक्त्याऽर्थप्रतिपादने बोध्या। तादृशस्य योगरूढपदस्य लाक्षणिकत्वमङ्गीकृत्य लक्षणया योगार्थमात्रप्रतिपादने गीष्पत्यादियोगरूढपदलक्ष्ययोगार्थस्याङ्गिरसादिरूढपदार्थेनान्वये तु काऽपि बाधा नास्तीति सुगमोऽयं पन्थाः। इत्थञ्च पूर्वोक्तः पुनरुक्तिदोषः परिहृतोऽभूत्। आङ्गिरसेन्द्रादिरूढपदाप्रयोगे गीष्पतिसहस्रनयनादियोगरूढपदं रूढ्यर्थबोधनेन गतार्थमिति तादृशपदेन प्रतिपाद्यमानोऽपि योगार्थः पङ्कजाक्षीत्यादौ पङ्कजनिकर्तृरूपार्थवत् तात्पर्याविषयः इति शङ्कया तस्य योगार्थस्य कुर्वद्रूपता (कार्यकारिता) नश्येत, तथा चाङ्गिरसो वाक्पतित्वे वर्तमानेऽपि तव गुणान् वक्तुमसमर्थः, इन्द्रः सहस्रनयनत्वेऽपि तव रूपं परिच्छेत्तुमक्षम इत्यर्थबोधनद्वारा राजगतावर्णनीयगुणरूपशालितात्मकातिशयव्यञ्जनं न स्यात्, उक्तशंकाया अनुत्थानेऽङ्गीकृते च तदतिशयव्यञ्जनं स्यादपीति वैकल्पिकं तदतिशयव्यञ्जनं भवेत्। गीष्पतिसहस्रनयनादियोगरूढपदप्रयोगे सत्यपि आङ्गिरसेन्द्रादिरूपरूढपदस्य प्रयोगे पुनः आङ्गिरसादिपदेनैव रूढ्यर्थप्रतिपादने जाते गीष्पत्यादिपदप्रतिपाद्यस्य योगार्थस्य तात्पर्याविषयत्वशंका न भवितुमर्हति, तन्नाभार्थमेव पृथक् योगरूढपदप्रयोगात्। तथा च तस्य योगार्थस्य कुर्वद्रूपताऽक्षुण्णा तिष्ठति, तेनोक्तातिशयव्यञ्जनं नियमतो जायते, न वैकल्पिकम्। एवञ्च द्वितीयपदप्रयोगनैरर्थक्यापत्तिरपि प्रागुक्ता समाहितेति भावः।

अब उक्त शंका का सिद्धान्तभूत समाधान करते हैं—अत्राहुः इत्यादि। 'गीष्पतिः आङ्गिरसः' यहां योगरूढशक्ति के द्वारा 'गीष्पति' का अर्थ होता है वाणी का पति बृहस्पति और रूढशक्ति के द्वारा 'आङ्गिरस' पद का अर्थ होता है केवल बृहस्पति। इस स्थिति में इन दोनों पदोंके अर्थों का अन्वय किस तरह से हो, इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जायगा कि 'गीष्पति' पद से जो दो (योगार्थ तथा रूढ्यर्थ—वाणी का पति एवं बृहस्पति) अर्थ उपस्थित हैं, उन्हीं दोनों में परस्पर अन्वय होगा, क्योंकि 'वे दोनों अर्थ एक पद से उपस्थित हुए हैं' इस ज्ञान से श्रोता की अन्वयविषयक जिज्ञासारूप आकाङ्क्षा उन्हीं दोनों अर्थों के विषय में पहले उदित होगी, अतः वही आकाङ्क्षा अन्तरङ्ग होगा। उन एकपदोपस्थापित दो अर्थों का परस्पर अन्वय जब तक नहीं हो जायगा, तब तक उन

दोनों अर्थों का अन्वय आङ्गिरस पद के रूढ्यर्थ (बृहस्पति) के साथ नहीं हो सकता क्योंकि 'दो पदों से वे अर्थ उपस्थित हुए हैं' इस ज्ञान के कारण उन दोनों अर्थों के विषय में अन्वय-जिज्ञासारूप आकाङ्क्षा पश्चात् उदित होगी, अत एव बहिरङ्ग होगी। इस निर्णय के अनुसार पहले 'वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति, इस प्रकार से 'गीष्पति' पदोपस्थापित अर्थों का अन्वय हो चुकने के बाद उस अन्वित अर्थ का 'आङ्गिरस'पदोपस्थापित रूढ्यर्थ (बृहस्पति) के साथ 'बृहस्पति वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति' इस प्रकार से अन्वय होगा और इस तरह से अन्वय करने में कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि 'घट नील घट है कि नहीं, दण्डवाला रक्त दण्डवाला है कि नहीं' इस सन्देह की निवृत्ति के लिये 'घटो नीलघटः अर्थात् घट नील घट है' और 'दण्डवान् रक्तदण्डवान् अर्थात् दण्डवाला रक्त दण्डवाला है' इस तरह के विधेय अंश में अधिक (उद्देश्य अंश से कुछ अधिक) अर्थ को विषय बनानेवाले शाब्दबोध को नवीन विद्वानों ने स्वीकृत किया है। उक्त सन्देह की निवृत्ति 'नीलो घटः अर्थात् घट नील है' इस बोध (निश्चय) से नहीं हो सकता, क्योंकि समान आकारवाले निश्चय को ही समान आकारवाले सन्देह का निवर्तक माना जाता है। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'घटो घटः अर्थात् घट घट है' 'दण्डवान् दण्डवान् अर्थात् दण्डवाला दण्डवाला है' इत्यादि बोध के न हो सकने पर भी 'घटो नीलघटः अर्थात् घट नीलघट है,' 'दण्डवान् रक्तदण्डवान् अर्थात् दण्डवाला रक्तदण्डवाला है' इत्यादि बोध होते हैं, उसी तरह 'बृहस्पति बृहस्पति' इस तरह के बोध के न हो सकने पर भी बृहस्पति वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति है इस तरह का बोध हो ही सकता है। यही रीति 'इन्द्रः सहस्रनयनः' इत्यादि में भी समझ लेनी चाहिए। अब उक्त स्थल पर पुनरुक्ति दोष की शंका वारित हो गई अर्थात 'बृहस्पति बृहस्पति' इस तरह के बोध में ही पुनरुक्ति लगती है, 'बृहस्पति वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति' इस तरह के बोध में नहीं। परन्तु इस तरह से पुनरुक्ति दोष का उद्धार तब किया जाना चाहिए, जब गीष्पति और आङ्गिरस दोनों पदों को वाचक ही माना जाय और दोनों पदों के शक्य अर्थ का ही अन्वय करना अभीष्ट हो। यदि गीष्पति आदि योगरूढ पद को लाक्षणिक मान लिया जाय अर्थात् उस पद से लक्षणया वाणीपतिरूप योगार्थमात्र की उपस्थिति मानी जाय, तब तो उस योगार्थ का आङ्गिरस के रूढ्यर्थ बृहस्पति के साथ अन्वय होने में कोई बाधा ही नहीं रह जाती अर्थात् गीष्पति—वाणी का पति, आङ्गिरस—बृहस्पति इस तरह का अन्वयबोध सर्वसम्मत ही है। तात्पर्य यह हुआ कि इस रीति से भी वहाँ पुनरुक्ति का उद्धार किया जा सकता है और यह रीति उक्त रीति से सरल भी पड़ती है। अब रह जाती है आपकी वह शंका, जिसमें कहा गया है कि गीष्पति आदि योगरूढ पद से ही योगार्थ (वाणीपति) और रूढ्यर्थ (बृहस्पति) दोनों अर्थों का बोध हो ही जायगा, फिर पृथक् रूढ पद (आङ्गिरस आदि) का प्रयोग व्यर्थ है। परन्तु वह शंका भी उचित नहीं, क्योंकि योगरूढ पद से पृथक् यदि रूढ पद का प्रयोग नहीं किया जायगा, तब योगरूढ (गीष्पति आदि) पद रूढ्यर्थ का बोध कराकर कृतार्थ हो जायगा, अतः उससे योगार्थ का प्रतिपादन होने पर भी, वह (योगार्थ) नान्तरीयक समझा जायगा अर्थात् यह समझा जायगा कि वक्ता का प्रतिपाद्य अर्थ है रूढ्यर्थ ही, परन्तु उसके लिये उसने प्रयोग कर दिया है योगरूढ पद का, अतः अनिवार्य होने के कारण उस पद से योगार्थ का भी बोध हो जाता है, किन्तु वह (योगार्थ) वक्ता का अभिप्रेत नहीं है। आप कहेंगे ऐसे नान्तरीयक अर्थ का बोध कहीं दिखलाया जा सकता है ? तो ग्रन्थकार कहते हैं—हाँ, देखिए—पङ्कजाक्षी पद का प्रयोग करनेवाले वक्ता का 'कमलसदृशनेत्रवाली' यही अर्थ अभिप्रेत रहता है, 'कीचड़ से उत्पन्न

होनेवाले कमल के समान नेत्रवाली, यह अर्थ नहीं, और पङ्कजाक्षी पद के अन्तर्गत जो पङ्कज अंश है उससे उस अर्थ की भी प्रतीति तो अवश्य होती है क्योंकि वह पद योगरूढ है। अतः जैसे यहां प्रतीयमान होने पर भी 'कीचड़ से उत्पन्न' यह अंश नान्तरीयक समझा जाता है—वक्ता का तात्पर्य विषय नहीं समझा जाता, वैसे ही उक्त स्थल में भी समझा जायगा। आप पूछेंगे कि इससे क्या हुआ? अर्थात् गीष्पति आदि योगरूढ पद से नान्तरीयकरूप में ही सही, योगार्थ का भी बोध होगा तो? तव बिगड़ा क्या? किसी रूप में उसका बोध कराना ही तो अभीष्ट है। इस पर ग्रन्थकार का कथन है कि नान्तरीयकरूप में योगार्थ का बोध यहाँ हुआ है ऐसी शंका यदि श्रोताओं को हो जायगी तब उस योगार्थ (वाणीपति आदि) में कुर्वद्रूपता नष्ट हो जायगी अर्थात् वह अर्थ कार्यकारी (कारगर) नहीं समझा जायगा और जब वह अर्थ कार्यकारी नहीं समझा जायगा, तब प्रकृतोपयोगी जो एक प्रकार का विशिष्ट अतिशय उस अर्थ के द्वारा व्यक्त होता था, वह नहीं होगा अर्थात् उस अर्थ से जो राजा की अवर्णनीय गुणशालिता आदि व्यक्त होती थी वह नहीं होगी। यदि किसी कारण से किसी को उक्त स्थिति में भी उक्त योगार्थ में नान्तरीयकत्व की शंका नहीं होगी, तब उसको उस अर्थ से उक्त अतिशय की अभिव्यक्ति यद्यपि होगी, तथापि इस तरह से वह अभिव्यक्ति पाक्षिक हो जायगी अर्थात् एक पक्ष (नान्तरीयकत्वशंका के अभाव) में होगी और एक पक्ष (नान्तरीयकत्व शंका के हो जाने पर) में नहीं होगी। और जब योगरूढ (गीष्पति आदि) से पृथक् रूढ (आङ्गिरस आदि) का भी प्रयोग किया जाता है, तब योगरूढ पद से प्रतिपादित होनेवाला योगार्थ नान्तरीयक नहीं समझा जा सकता, क्योंकि रूढ पदका पृथक् प्रयोग कर लेने के बाद भी जो वक्ता ने पृथक् योगरूढ पद का भी प्रयोग किया है, उससे उसका यही अभिप्राय समझा जायगा कि योगार्थ का बोध कराना वक्ता का परम अभिप्रेत है और जब ऐसा समझा जायगा तब उस योगार्थ में कुर्वद्रूपता (कार्यकारिता) रहेगी, जिससे उक्त विशिष्ट अतिशय की अभिव्यक्ति नियमतः होगी, पूर्वोक्तरीति से पाक्षिक नहीं।

उपसंहरति—

एषा पदद्वयोपादानस्थले गतिरुक्ता।

यत्र रूढ—योगरूढोभयविधपदप्रयोगस्तत्र प्रागुपदर्शिता निर्वाहरीतिः कथितेति भावः।

'गीष्पतिरथाङ्गिरसः····' इत्यादि प्रकरण का उपसंहार करते हैं—एषा इत्यादि। ऊपर जो रीति दिखलाई गई है, वह वहां के लिये, जहाँ एक ही अर्थ के बोधक योगरूढ और रूढ दोनों प्रकार के पद प्रयुक्त हों।

नन्वेवं यत्र केवलं योगरूढं पदं प्रयुज्य रूढ्यर्थस्य योगार्थप्रतीतिद्वारकविशेषस्य च प्रत्यायनं क्रियते तत्र कुर्वद्रूपताया अपहतिः कुतो नेत्याह—

यत्र तु 'पुष्पधन्वा विजयते जगत्त्वत्करुणावशात्' इत्यादावेकेनैव पदेन रूढ्यर्थोपस्थितिर्योगार्थद्वारा निःसारत्वाद्यवगमश्च भवति, तत्र कविकृतमन्मथ-रूढपदान्तरानुपादानपूर्वकपुष्पधन्वपदोपादानप्रतिसंधानेन तदीययोगार्थे कुर्वद्रूपताधानं बोध्यम्।

'कामदेवः, त्वत्करुणावशात् त्वदीयदयाकारणात्, जगत् संसारम्, विजयते' इत्यर्थके मूलोक्तवाक्ये यद्यपि पुष्पधन्वेति योगरूढमेव पदं केवलम् प्रयुक्तम्, तथा च तत्र कामदेव-

रूपरूढ्यर्थमात्रबोधनेन गतार्थेन तेन पदेन प्रतिपाद्यमानस्य पुष्पात्मकधनुर्धारिरूपस्य योगार्थस्य नान्तरीयकत्वशंकया कुर्वद्रूपताया अपहतौ योगार्थद्वारकनिःसारत्वव्यञ्जनं कथं भवेदिति शंका सम्भवति तथापि वर्तमानेषु कामदेवार्थकेषु बहुषु रूढपदेषु किमिति कविः पुष्पधन्वरूपं योगरूढमेव पदं प्रायुङ्क्त, तदवश्यमत्र कवेः योगार्थप्रत्यायनद्वारा कस्यचनातिशयस्याभिव्यक्तिरभिलषितेति प्रतिसंधानेन रूढ्यर्थबोधनगतार्थेनापि पुष्पधन्वरूपयोगरूढपदेन प्रतिपाद्यमाने योगार्थे नान्तरीयकत्वशंकानुत्थानपूर्वककुर्वद्रूपताज्ञानं भवतीति नोक्तशङ्कायाः संभव इति भावः ।

जब आपने यह सिद्धान्त-सा मान लिया कि जहाँ केवल योगरूढ पद का प्रयोग रहता है, वहाँ उस पद से प्रतिपादित होनेवाला योगार्थ नान्तरीयक-कुर्वद्‌रूपतारहित (कार्याक्षम) हो जाता है, अतः उससे किसी विशिष्ट अतिशय की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तब जहाँ केवल योगरूढ पद का प्रयोग है और उसी से रूढ्यर्थ तथा योगार्थ की प्रतीति के द्वारा किसी अतिशय की भी प्रतीति होती है, वह कैसे ? अर्थात् वहाँ कुर्वद्‌रूपता की हानि क्यों नहीं होती ? इस शंका का समाधान अब करते हैं—यत्र तु इत्यादि । 'पुष्पधन्वा'''इत्यादि अर्थात् हे भगवन् ! पुष्पधन्वा (कामदेव) तेरी दया से ही संसार का विजय करता है' इत्यादि स्थानों में जहाँ 'पुष्पधन्वा' आदि एक योगरूढ पद से ही कामदेवरूप रूढ्यर्थ और 'फूलों के धनुषवाला' इस योगार्थ के द्वारा कामदेव की निस्सारता (दुर्बलता) दोनों अर्थ ज्ञात होते हैं—वहाँ यद्यपि उक्त रीति से योगार्थ में कुर्वद्‌रूपता (कार्यकारिता) का विनाश हो जाना चाहिए परन्तु होता नहीं है, क्यों ? इसलिये कि श्रोता जब यह सोचते हैं कि कामदेव के वाचक बहुतेरे रूढ पदों के उपस्थित रहने पर भी उन सबों को छोड़कर 'पुष्पधन्वा' इस योगरूढ पद का ही प्रयोग वक्ता (कवि) ने क्यों किया है ? अवश्य कवि को योगार्थ के द्वारा किसी विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करनी है, तब केवल 'पुष्पधन्वा' इस योगरूढ पद से भी प्रतिपादित योगार्थ में नान्तरीयकत्व की शंका नहीं होती, अतः कुर्वद्‌रूपता का विनाश नहीं होता ।

उपसंहरति—

तदित्थं द्वितीयपदस्योपादानेऽनुपादाने वा न क्षतिः ।

पूर्वोक्तरीत्या सर्वत्र सामञ्जस्यसम्भवेन योगरूढपदप्रयोगे सति पृथग्रूढपदस्य प्रयोगेऽप्रयोगे वा न काप्यनुपपत्तिरिति भावः ।

उपसंहार करते हैं—तदित्थम् इत्यादि । उक्त विवरणों से यह सिद्ध हुआ कि योगरूढ और रूढ दोनों तरह के पदों का प्रयोग किया जाय अथवा केवल योगरूढ पद का ही—दोनों स्थितियों में कोई आपत्ति नहीं, अर्थात् दोनों रीतियाँ चल सकती हैं ।

स्थलान्तरेऽपि पूर्वोक्तां रीतिमतिदिशति—

एवं जात्यन्तरविशिष्टवाचकपदसमभिव्याहारेऽपि ।

कस्यचित् प्रयुक्तस्य योगरूढस्य शब्दस्य समीपे यदि तदीयरूढ्यर्थगतजातिभिन्नजातिविशिष्टार्थवाचकं पदान्तरं प्रयुज्यते, तदा तद्योगरूढं पदं तत्र लक्षणया योगार्थमात्रप्रतिपादकं भवतीति भावः ।

कतिपय भिन्न स्थानों में भी उक्त रीति का ही अनुसरण करना पड़ता है इसका उल्लेख करते हैं—एवम् इत्यादि । जहाँ किसी ऐसे योगरूढ पद का प्रयोग हो जिसके समीप ही उस योगरूढ पद के रूढ्यर्थ से भिन्न-जातीय अर्थ का वाचक दूसरा पद भी

प्रयुक्त हो, वहाँ भी उक्त रीति से योगरूढ पद को लक्षणया केवल योगार्थ का बोधक मानना पड़ेगा।

तादृशं वाक्यमुदाहरति—

'दिशि दिशि जलजानि सन्ति कुमुदानि' इत्यत्रापि जलजादिपदानां लक्षणया योगार्थमात्रबोधकत्वम्, योगशक्त्युल्लासितस्य तु तादृशार्थस्य रूढ्यर्थोपश्लिष्टत्वेन स्वातन्त्र्येण कुमुदादावन्वयायोगात्।

'प्रतिदिशं जलोत्पन्नानि कुमुदानि वर्तन्ते' इत्यर्थके मूलोक्तवाक्ये जलजेति योगरूढं पदं लक्षणया जलावधिकोत्पत्तिशालिरूपयोगार्थमात्रप्रतिपादकम्, तत्पदवाच्यरूढ्यर्थकमलगतकमलत्वजातिभिन्नकुमुदत्वजातिविशिष्टार्थवाचककुमुदपदसमभिव्याहारात्। ननु किमर्थमिह लक्षणायासः, जलजपदनिष्ठयोगशक्त्यैव लक्षणालभ्यार्थस्य लाभादित्यत आह—योगशक्त्युल्लासितस्येत्यादि। अयं भावः-यद्यपि जलजपदनिष्ठयोगशक्त्यापि जलावधिकोत्पत्तिशालिरूपोऽर्थो बोध्यते, परन्तु स योगार्थः तत्पदनिष्ठरूढशक्तिबोध्यकमलत्वजातिविशिष्टार्थमिलित एव प्रतीतिविषयस्तथा च भिन्नजातिविशिष्टमिलितस्य तस्य योगार्थस्य भिन्नजातिविशिष्टार्थे कुमुदपदवाच्येऽन्वयो न भवितुमर्हतीति लक्षणया योगार्थमात्रबोधकत्वं जलजादिपदानामावश्यकमिति।

उक्त प्रकार के वाक्यों का निर्देश करते हैं—दिशि दिशि इत्यादि। 'सभी दिशाओं में जल से उत्पन्न होनेवाले कुमुद हैं' एतदर्थक मूल वाक्य में 'जलज' पद यद्यपि कमलरूप अर्थ में योगरूढ है, तथापि यहाँ कमलत्व जाति से भिन्न कुमुदत्व जाति से विशिष्ट (कुमुद) अर्थ के वाचक कुमुद पद के साथ प्रयुक्त होने पर (जलज) पद की 'जल से उत्पन्न होनेवाला' इस योगार्थ में लक्षणा समझनी चाहिए, अन्यथा जलज पदार्थ का कुमुदपदार्थ के साथ अभेदेन अन्वय नहीं हो सकेगा। यदि कोई कहे कि 'जल से उत्पन्न होनेवाला' इस अर्थ में जलज पद की लक्षणा करने की क्या आवश्यकता है, वह अर्थ तो उस पद की योगशक्ति से अभिहित होता ही है? तो ग्रन्थकार कहते हैं—हाँ, होता तो ठीक है, पर कमलरूप रूढ्यर्थ से मिश्रितरूप में, अतः कमल से मिश्रित उस योगार्थ का कमल से भिन्नजातीय कुमुद अर्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा, अतः जलज पद को ऐसे स्थलों पर लाक्षणिक मानना ही पड़ेगा, जिससे वह पद योगार्थ का ही प्रतिपादन करे, कुमुद से विरुद्ध कमल का नहीं।

उपसंहरति—

इत्थमभिधा निरूपिता।

उक्तप्रकारकमभिधाया निरूपणमवसितमिति भावः।

उपसंहार—उक्त रीति से आरब्ध अभिधा-निरूपण अब यहाँ समाप्त हुआ।

वाचकवाच्ययोः परिचयं कारयति—

अनया यः शब्दो यमर्थं बोधयति स तस्य वाचकः। इयं च यस्य शब्दस्य यस्मिन्नर्थेऽस्ति तस्य सोऽर्थोऽभिधेयः।

पूर्वोक्तत्रिप्रकारकाभिधावृत्त्यन्यतमद्वारा यः शब्दो यस्यार्थस्य बोधकः स शब्दस्तस्यार्थस्य वाचकः कथ्यते। एवम् यस्य पदस्य अभिधा निरूपकतासंबन्धेन यस्मिन्नर्थे तिष्ठति, सोऽर्थस्तस्य पदस्य अभिधेयो वाच्यो वा व्यवह्रियत इति भावः।

अब वाचक तथा वाच्य का परिचय कराते हैं—अनया इत्यादि। पूर्व में जो अभिधा के भेद दिखलाये गये हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा जो शब्द जिस अर्थ का बोधक होता है, वह उसका वाचक कहलाता है और जिस शब्द की यह अभिधाशक्ति जिस अर्थ में रहती है, वह अर्थ उस शब्द का अभिधेय-वाच्य समझा जाता है। शब्द की शक्ति अर्थ में 'निरूपकता' संबन्ध से रहती है यह भी समझना चाहिए।

इदानीमुपाधीनामेवाभिधेयत्वं न व्यक्तीनामित्युपपादयति—

स च जातिगुणक्रियायादृच्छिकात्मकः। तत्र जातिर्गोत्वादिः संस्थानविशेषाभिव्यङ्ग्या प्रत्यक्षसिद्धा गवादिपदानामभिधेया। अनुमानसिद्धा च घ्राणरसनत्वादिर्घ्राणरसनादिपदानाम्, आनन्त्यात्, व्यभिचाराच्च व्यक्तीनामभिधेयताया अकल्पनात्।

स इति। अभिधेय इत्यर्थः। जातिगुणेति। जातिर्गोत्वादिर्जातिवाचकशब्दानाम्, गुणः शुक्लादिर्गुणवाचकपदानाम्, क्रिया पाकादिः क्रियावाचकशब्दानाम्, तथा यादृच्छिकः यदृच्छया निष्पन्नः देवदत्तादिः, संज्ञाशब्दः संज्ञाशब्दानामभिधेय इत्यर्थः। जातेर्विविधत्वेन-विशेषतस्तां विवृणोति—तत्रेति। चतुर्विधेषु अभिधेयेषु इत्यर्थः। संस्थानविशेषेण आकृति-विशेषेण अवयवसंघटनेनेति यावत्, अभिव्यङ्ग्या, आश्रयस्य गवादेः प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष-सिद्धा गोत्वादिजातिः। घ्राणादीनामतीन्द्रियत्वेन तन्निष्ठा जातिरपि तथेति घ्राणत्वरसनत्वा-दिजातिरनुमानेन सिद्धा न प्रत्यक्षप्रमाणेनेति भावः। ननु व्यक्तीनामेवाभिधेयता कुतो नाङ्गी-क्रियत इत्यत आह—आनन्त्यादिति। व्यक्तिषु शक्तिस्वीकारे व्यक्तीनामानन्त्येन शक्त्या-नन्त्यम् तत्प्रयुक्तं गौरवम्, वस्तुतस्तु सकलव्यक्तीनां शक्तिग्रहकालेनोपस्थितिसंभवः उप-स्थापकाभावात्, तथा चोपस्थितासु कियतीषु व्यक्तिष्वेव शक्तिग्रहो भवेत्, न सर्वासु व्यक्तिषु। तथात्वे च अगृहीतशक्तीनामपि व्यक्तीनां तस्मात् पदात् बोधस्यानुभविकत्वेन व्यभिचार एवेति न व्यक्तिषु शक्तिरिति भावः। उपाधिशक्तिवादपक्षे तु न शक्त्यानन्त्यम्, गोत्वादिजातेरेकत्वात्, न वा व्यभिचारः तस्या जात्यादेरुपाधेः सकलव्यक्तिषु सत्त्वात्।

अब जाति आदि उपाधि ही शब्द का वाच्य है, व्यक्ति नहीं; इसी बात का उपपादन युक्तिपूर्वक करते हैं—स च इत्यादि। वाच्य अथवा अभिधेय अर्थ चार प्रकार के हैं—जाति, गुण, क्रिया और यादृच्छिक। उनमें गोत्व सब गौओं = गाय बैलों में रहने वाला सामान्य धर्म जिसके कारण उन्हें 'गौ' कहा जाता है—आदि धर्म जाति कहा जाता है। वह जाति अवयवों के विशिष्ट-प्रकारक-गठन से अभिव्यक्त होती है (क्योंकि गाय-बैलों के अवयव-गठन जिस तरह के होते हैं, वैसे अन्य प्राणियों के नहीं—सभी प्राणियों के अवयव-गठन [अङ्गरचना] भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं) और आश्रय (गाय-बैल) के प्रत्यक्षसिद्ध होने से प्रत्यक्षसिद्ध है। वही जाति 'गौ' आदि शब्दों का वाच्य-अर्थ है। जो आश्रय प्रत्यक्षसिद्ध नहीं रहता, उसमें रहनेवाली जाति भी प्रत्यक्षसिद्ध नहीं होती, अतः उस तरह की जाति अनुमान से सिद्ध होती है, जैसे घ्राण (नासिकेन्द्रियवाची) रसन (जिह्वेन्द्रियवाची) शब्दों का वाच्य अर्थ 'घ्राणत्व', रसनत्व' आदि जातियाँ। ये जातियाँ अनुमान से सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष से नहीं क्योंकि इन जातियों के आश्रय जो घ्राणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रिय हैं उनका प्रत्यक्ष किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता—ये इन्द्रिय अतीन्द्रिय हैं, अतः तद्गत जातियाँ भी अतीन्द्रिय हैं। एक बात

यहां ध्यान में रख लेनी चाहिये कि प्रत्यक्ष दीख पड़ने वाले हड्डी या चमड़े इन्द्रिय नहीं हैं, अपितु उनके भीतर काम करने वाला तत्त्व जिसका प्रत्यक्ष हमको किसी तरह नहीं होता है। यहाँ, प्रवृत्ति-निवृत्ति के योग्य होने के कारण गौ आदि व्यक्तियों को ही गो आदि शब्दों का अभिधेय अर्थ क्यों नहीं माना जाय, इस तरह की आशंका नहीं करनी चाहिये, कारण, आनन्त्य और व्यभिचार दोष के प्रसङ्ग से व्यक्तियों को पदवाच्य नहीं माना जा सकता है। अभिप्राय यह है कि गाय-बैलों की संख्या संसार में अनन्त है, अतः यदि उन व्यक्तियों में गोपद की शक्ति मानी जाय, तब वह शक्ति भी अनन्त होगी जिससे व्यर्थ का गौरव होगा। वस्तुतः तो गोपद का शक्तिग्रह जिस क्षण में किसी को होगा, उस क्षण में उसके सामने सभी गाय-बैल उपस्थित रहेंगे नहीं, अतः जो उपस्थित रहेंगे उन्हीं में गोपद की शक्ति ज्ञात होगी, फिर अनुपस्थित गाय-बैलों का भी बोध जो होता है—अनुभवसिद्ध है—वह तो शक्तिज्ञानरूप कारण के विना ही होगा। अतः व्यभिचार दोष लगता है।

उक्तं व्यभिचारदोषं वारयितुमाशङ्कते—

न च ज्ञातगोत्वादिरूपया गोत्वादिज्ञानरूपया वा प्रत्यासत्त्या प्रत्यक्षेण परिकलितासु सकलतदीयव्यक्तिष्वभिधायाः कल्पने नास्ति दोष इति वाच्यम्।

ज्ञायमानं सामान्यं प्रत्यासत्तिरिति मतेनाह—ज्ञातगोत्वादीति। सामान्यज्ञानं प्रत्यासत्तिरिति मतेनाह—गोत्वादिज्ञानेति। प्रत्यक्षेणेति। अलौकिकेनेति भावः। अयमभिप्रायः-प्रत्यक्षो द्विविधो लौकिकोऽलौकिकश्च। तत्र लौकिकप्रत्यक्षहेतुभूतो लौकिकः सन्निकर्षः षड्विधः, अलौकिकप्रत्यक्षकारणीभूतोऽलौकिकः सन्निकर्षस्त्रिविधस्तेषु सामान्यलक्षणानामक एकः, तस्य लक्षणपदस्य स्वरूपपरतया सामान्यं लक्षणं स्वरूपं यस्येति व्युत्पत्त्या सामान्यरूपा प्रत्यासत्तिरित्यर्थः, तथा च चक्षुरादीन्द्रियसंयुक्तो गवादिस्तद्विशेष्यकं गौरिति ज्ञानं यत्र जातं, तत्र ज्ञाने गोत्वं प्रकारस्तत्र तेन गोत्वरूपेण सन्निकर्षेण गाव इति सकलगोविषयकं ज्ञानं जायते। परन्तु सामान्यपदेनात्र न गोत्वादिजातिरेव विवक्षिता अपि तु—समानानां भाव इति योगार्थानुसारेण गवाद्यपि सामान्यम्। तेन च गोरूपेण सामान्येन सन्निकर्षेण संयोगेन क्वचिद्भूतले गवादिज्ञाने जाते सकलगोमद्भूतलविषयकं गोमन्ति भूतलानीत्याकारकं ज्ञानं जायते। एवञ्च यत्र तद्गवादिनाशानन्तरं तद्गवादिमतो भूतलस्य स्मरणं जातं, तत्र गवाद्यात्मकसामान्यलक्षणया सर्वेषां तद्गवादिमतां भूतलानां ज्ञानं न स्यात्, सामान्यस्य तद्गवादेस्तत्र तदानीमभावात्, अतः सामान्यज्ञानं प्रत्यासत्तिः, लक्षणशब्दस्य च विषयोऽर्थः, तेन सामान्यं लक्षणं विषयो यस्य तादृशस्य ज्ञानस्य प्रत्यासत्तित्वमिति न्यायनयसिद्धः सिद्धान्तः। प्रकृते च पक्षद्वयानुसारमपि सामान्यलक्षणात्मकालौकिकसन्निकर्षेण सकलगोव्यक्तीनामुपस्थितत्वात् तत्र गोपदशक्तिग्रहणस्य सुलभतया व्यक्तिशक्तिवादेऽपि व्यभिचारदोषावकाशो नास्तीति।

उक्त व्यभिचारदोष को हटाने के लिये एक आशंका करते हैं—न च 'इत्यादि। अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। उनमें लौकिक प्रत्यक्ष के कारणीभूत लौकिक सन्निकर्ष ६ प्रकार के होते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष के कारणीभूत अलौकिक सन्निकर्ष ३ प्रकार के होते हैं। उनमें एक है सामान्य लक्षणा। 'सामान्य (धर्मविशेष) है लक्षण (स्वरूप) जिसका' इस व्युत्पत्ति के अनु-

-सार सामान्यरूप प्रत्यासत्ति (सन्निकर्ष=सम्बन्ध) उसका अर्थ होता है। इस अलौकिक सन्निकर्ष के बल से अर्थात् चक्षुःसंयुक्त गोविशेष्यक 'गौः' इत्याकारक ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान में जो प्रकार हुआ है—गोत्व, उस गोत्वरूप अलौकिक सम्बन्ध से सकल गोविषयक 'गावः' इत्याकारक ज्ञान होता है। परन्तु सामान्य पद से इस सन्निकर्ष में गोत्व आदि जाति ही विवक्षित नहीं है, अपितु 'समानानां भावः' इस योग के अनुसार गो आदि व्यक्ति भी सामान्य कहलाता है, अतः संयोग सम्बन्ध से किसी भूतल में 'गोमद् भूतलम्' इत्याकारक ज्ञान के बाद गोरूप सामान्य (सन्निकर्ष) से सकलभूतलविषयक 'गोमन्ति भूतलानि' इत्याकारक ज्ञान होता है। इस स्थिति में जहाँ चक्षुःसंयुक्त गो का नाश हो गया है, वहाँ जब उस गो से संयुक्त भूतल का 'गोमद् भूतलम्' इस तरह का स्मरण होगा, तब भी जो सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से सकलभूतलविषयक 'गोमन्ति भूतलानि' इत्याकारक स्मरण होता है, वह अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि सामान्यरूप से ग्रहण करने योग्य चक्षुःसंयुक्त गो का विनाश हो चुका है, अतः वह सम्बन्ध नहीं बन सकता। अतः ज्ञातसामान्य को प्रत्यासत्ति न मानकर सामान्य ज्ञान को प्रत्यासत्ति मानना चाहिये। अब उक्त स्थल में भी दोष नहीं होगा, क्योंकि सामान्य (गो) के विनष्ट हो जाने पर भी उसका ज्ञान रहता है और वही सम्बन्धरूप होता है। इस पक्ष के अनुसार सामान्य-लक्षणा शब्द में लक्षण पद का अर्थ विषय मानकर सामान्य है लक्षण = विषय जिसका, ऐसा ज्ञान प्रत्यासत्ति है यह अर्थ समझना चाहिए। (इस विषय में अधिक जिज्ञासा रखने वालों को सिद्धान्तमुक्तावली आदि पदार्थशास्त्र-ग्रन्थ का अवलोकन करना चाहिये।) प्रकृत में व्यक्तिशक्तिवादी नैयायिकों का कथन है कि उक्त सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से सभी गो व्यक्ति शक्तिग्रह काल में उपस्थित रहेंगे, अतः उन सभी व्यक्तियों में गो पद की अभिधा गृहीत होगी, फिर उक्त व्यभिचार दोष होगा ही नहीं, अतः व्यक्ति में ही शक्ति माननी चाहिये, उपाधि में नहीं।

समाधत्ते—

सामान्यप्रत्यासत्तेर्निराकरणात्।

अयं भावः—सामान्यलक्षणास्वीकारो व्यर्थः, तदस्वीकारेऽपि एकत्र गोत्वाद्याश्रये चक्षुःसंयोगात् देशान्तरस्थगवादेरपि बोधसंभवात् एवं व्यतीतगवादेरपि बुद्ध्या विषयीकृत्य गोत्वाद्याश्रयत्वेन ज्ञानसत्त्वात्, व्यक्तिशक्तिवादेऽपि व्यवहारेण प्रथमतः समुपस्थितव्यक्तौ शक्तिग्रहे पश्चात् आवापोद्वापन्यायेन पुरुषान्तरात् गामानयेत्येतच्छ्रवणानन्तरमेव व्यक्त्यन्तराण्यानयतो मध्यमवृद्धान् दृष्ट्वा व्यक्तिविशेषे गृहीताया अपि शक्तेस्तज्जात्याश्रयमात्रे बालैरवधारणाच्च। यत्तु पर्वतीयधूमे सामान्यलक्षणामन्तरा व्याप्तिग्रहो न स्यादिति, तन्न, धूमत्वेनैव रूपेण महानसीयधूमे व्याप्तिग्रहात्। ननु प्रसिद्धधूमे व्याप्तिरेव गृहीता अप्रसिद्धस्य चानुपस्थित्या 'धूमो वह्निव्याप्यो न वा' इति संशयो न स्यादिति चेन्न, प्रसिद्धधूमे तत्तद्धूमत्वेन व्याप्तिनिश्चयेऽपि धूमत्वेन तत्संशयसंभवात्। एवञ्च सामान्यलक्षणाया अनुपयोगः सिद्धः। किञ्च सामान्यस्य संबन्धत्वम् असंभवदुक्तिकमेव, तत्तदनुयोगिताप्रतियोगिताऽविशिष्टसंबन्धस्य कदाप्यननुभवात्, संबन्धस्य द्विष्ठत्वस्वरूपतया तत्तदनुयोगित्वादिरहितसम्बन्धमानस्यायुक्तत्वात्, संबन्धस्य विशिष्टबुद्धिनियामकत्वध्रौव्येण तदनियामकस्य सामान्यस्य संबन्धत्वासंभवाच्च। इत्थञ्च सामान्यलक्षणा नास्त्येवेति तद्बलेनोक्तव्यभिचारवारणं न संभवतीति।

अब उक्त आशंका का समाधान करते हैं-सामान्य इत्यादि। उक्त रीति से व्यभिचार-वारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति के बल पर ही तो उक्त वारण किया जाता है पर सामान्यलक्षणा नामक अलौकिक सन्निकर्ष का खण्डन कर दिया गया है। अभिप्राय यह कि सामान्यलक्षणा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको न मानने पर भी गोत्व के आश्रय एक गो में चक्षुःसंयोग होने पर 'स्वसंयुक्त-समवेत समवाय'रूप लौकिक सन्निकर्ष से ही देशान्तरस्थ गायों का ज्ञान किया जा सकता है। इसी तरह अतीत अनागत गायों को भी बुद्धि-विषय बनाकर उक्त संबन्ध से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। सामान्यलक्षणा के बिना भी महानसीय धूम में धूमत्वरूप से ही व्याप्तिनिश्चय मानकर पर्वतीय धूम में भी उसी व्याप्तिनिश्चय की विषयता मानी जा सकती है। दूसरी बात यह कि सभी संबन्ध यत्किञ्चित्प्रतियोगिक और यत्किञ्चिदनु-योगिक होते हैं और इस सामान्यरूप आपके संबन्ध में अनुयोगिता प्रतियोगिता की प्रतीति होती नहीं, अतः वह संबन्धरूप नहीं माना जा सकता। तीसरी बात यह कि सभी संबन्ध विशिष्ट बुद्धि के नियामक होते हैं और यह सामान्य विशिष्ट बुद्धिनियामक है नहीं, अतः उसको संबन्ध कहना असंभव है।

तुष्यतु दुर्जनन्यायेन सामान्यलक्षणास्वीकारेऽप्याह—

गौरवदोषस्यानुद्धारात्।

सामान्यलक्षणया सकलगोव्यक्तिषु शक्तिग्रहस्य संभवं व्याख्याय व्यभिचारवारणेऽपि व्यक्त्यानन्त्यप्रयुक्तानन्तशक्तिकल्पनजगौरवं व्यक्तिशक्तिवादे दुर्वारमेवेति भावः।

यदि 'तुष्यतु दुर्जन' न्याय से सामान्यलक्षणा मान भी ली जाय, तथापि व्यक्तिशक्ति-वाद पक्ष सङ्गत नहीं यही बात अब बतलाते हैं—गौरव इत्यादि। सामान्यलक्षणा के बल से सकल गो व्यक्ति में गोपद-शक्ति-ग्रह को संभव बनाने पर भी व्यक्ति की अनन्तता के कारण शक्ति की अनन्तता से होनेवाला गौरवदोष व्यक्तिशक्तिवाद पक्ष में बना ही रह जाता है।

प्रकारान्तरेणोक्तव्यभिचारवारणपरं परकीयमतं गौरवदोषानुवृत्तिप्रतिपादनेन दूषयति—

एतेन शक्तिग्रहपदार्थोपस्थितिशाब्दबोधानां समानप्रकारकतयैव हेतुहेतु-मद्भावादगृहीतसंकेतानामपि व्यक्तिविशेषाणामन्वयबोधविषयताया उपपाद-नेऽपि न निस्तारः।

एतेनेति। गौरवदोषानुद्धारेणेत्यर्थः। समानप्रकारकतयैवेत्यत्रैवकारेण समानविशेष्य-कत्वादिव्यवच्छेदः। शक्तिग्रहपदार्थोपस्थितिशाब्दबोधेषु पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रति हेतुता। सा च समानप्रकारकतया न तु समानविशेष्यकतया। अर्थात् तत्प्रकारकोपस्थितिं प्रति तत्प्रकारकः शक्तिग्रहः, एवम् तत्प्रकारकशाब्दबोधं प्रति तत्प्रकारिकोपस्थितिर्हेतुरिति रीत्यैव कार्यकारणभावः, न तु तत्प्रकारकतद्विशेष्यकोपस्थितिं प्रति तत्प्रकारकतद्विशेष्य-कशक्तिग्रहः, एवं तत्प्रकारकतद्विशेष्यकशाब्दबोधं प्रति तत्प्रकारकतद्विशेष्यकोपस्थितिर्हेतु-रिति रीत्या। एवञ्च गोव्यक्तिविशेषे जातस्यापि शक्तिग्रहस्य गोत्वप्रकारकतया तेन शक्ति-ग्रहेणैव गोत्वप्रकारकागृहीतव्यक्तिविशेष्यिकाप्युपस्थितिः स्यात्, एवम् गोत्वप्रकारिकया तयोपस्थित्यैव गोत्वप्रकारकागृहीतव्यक्तिविशेष्यकशाब्दबोधोऽपि भवेत्। इत्थञ्च सकल-व्यक्तिषु शक्तिग्रहाभावेऽप्युक्तव्यभिचारो न प्रसजतीति यद्यपि वक्तुं सुशकम्, तथापि

व्यक्तिशक्तिवादो नाङ्गीकर्तुं योग्यः, उक्तगौरवदोषस्य तादवस्थ्यादिति भावः। वस्तुतस्तु समानप्रकारकतयैव कार्यकारणभावः शक्तिग्रहपदार्थोपस्थितिशाब्दबोधानां न संगतः, तथा सति गोत्वप्रकारकशक्तिग्रहेणाश्वविशेष्यकोपस्थितेरेवं गोत्वप्रकारकोपस्थित्या गोत्वप्रकारकाश्वविशेष्यकशाब्दबोधस्य च प्रसंगादिति विभावनीयम्।

अस्य ग्रन्थस्य व्याख्यायां भट्टमहोदयैरुल्लिखिता—'..........अर्थात् यत्प्रकारको यद्विशेष्यकश्च शक्तिग्रहः स तत्प्रकारकतद्विशेष्यकपदार्थोपस्थितिं प्रति हेतुः, एवं यत्प्रकारिका यद्विशेष्यिका च पदार्थोपस्थितिः सा तत्प्रकारकतद्विशेष्यकशाब्दबोधं प्रति हेतुः। तथा च व्यक्तीनामनन्ततया येषु व्यक्तिविशेषेषु शक्तिग्रहो न जातस्तद्विषयकशाब्दबोधस्य पूर्वोक्तरीत्या (गोत्वेन प्रकारेण) सिद्धिः स्यात्। इत्येवं समर्थनेऽपि न दोषमुक्तिः, व्यभिचारवारणेऽपि अनन्तशक्तिकल्पनगौरवस्य असमाहितत्वात्' इति सरला (टीका) समीचीना न वेति निश्चिन्वन्तु विद्वांसः।

अब उक्त व्यभिचार दोष के वारणार्थ अन्य विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित होनेवाली एक भिन्न रीति का भी खण्डन उक्त गौरव दोष के अवारित रह जाने के कारण से ही करते हैं—एतेन इत्यादि। शक्तिग्रह, पदार्थोपस्थिति और शाब्दबोध इन तीनों में अग्रिम-अग्रिम के प्रति पूर्व-पूर्व कारण है और वह कार्यकारणभाव समानप्रकारकतया माना जाता है, समानविशेष्यकतया नहीं; अर्थात् तत्प्रकारक उपस्थिति के प्रति तत्प्रकारक शक्तिग्रह और तत्प्रकारक शाब्दबोध के प्रति तत्प्रकारक उपस्थिति को कारण कहा जाता है, न कि तत्प्रकारक तद्विशेष्यक उपस्थिति के प्रति तत्प्रकारक तद्विशेष्यक शक्तिग्रह और तत्प्रकारक तद्विशेष्यक शाब्दबोध के प्रति तत्प्रकारक तद्विशेष्यक उपस्थिति को। इस तरह से कार्यकारणभाव मान लेने पर यदि गो आदि पदों की शक्ति सकल गो व्यक्ति में गृहीत न भी हो अर्थात् उपस्थित कतिपय व्यक्ति में ही गो पद की शक्ति ज्ञात हो, तथापि उक्त व्यभिचार दोष नहीं लग सकता, क्योंकि उपस्थित गोव्यक्ति में जो शक्ति-ज्ञान होगा, उसमें भी प्रकार गोत्व ही रहेगा, अतः वह शक्तिज्ञान गोत्वप्रकारक कहलायगा, और उससे गोत्वप्रकारक उपस्थिति होगी, एवम् उस उपस्थिति से उन गो व्यक्तियों का अवगाहन करनेवाला बोध भी होगा, जिन व्यक्तियों में शक्ति ज्ञात नहीं हुई थी, कारण, वे बोध भी गोत्वप्रकारक ही होंगे। तात्पर्य यह कि जब कार्यकारणभाव में विशेष्यरूप से व्यक्ति को नहीं रक्खा गया, तब विशेष्य कोई हो, उससे कोई प्रयोजन रहता नहीं, केवल गोत्वप्रकारक हो जाने से सभी व्यक्तियों का बोध हो जा सकता है। परन्तु यह रीति भी इसलिये असंगत मानी जाती है कि शक्ति की अनन्तता इस रीति के अवलम्बन करने से भी बनी रह जाती है अर्थात् शक्तिग्रहकाल में उपस्थित होनेवाली गोव्यक्तियों की भी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती, अतः अनन्त गोव्यक्ति में शक्ति माननी ही पड़ेगी और तब शक्त्यानन्त्य दोष हो ही जायगा। वस्तुतः तो ऊपर लिखी गई समानप्रकारकतया कार्यकारणभाव स्वीकार करनेवाली बात बन भी नहीं सकती, कारण उस तरह से कार्यकारणभाव स्वीकृत करने पर गोत्व-प्रकारक शक्तिग्रह से अश्वविशेष्यक उपस्थिति एवम् गोत्वप्रकारक उपस्थिति से अश्व-विशेष्यक बोध भी होने लगेंगे।

पूर्वोक्तरीत्या व्यक्तिशक्तिवादपक्षं निरस्य जात्याद्युपाधिशक्तिवादपक्षः स्थापितः, परमस्मिन् पक्षे व्यक्तेरवाच्यतया बोधो न स्यात्, तथात्वे च लौकिकव्यवहारो न सिद्ध्येदिति शंकां मनसि कृत्वा उपाधिशक्तिवादपक्षे व्यक्तिबोधोपायमाह—

व्यक्तीनां प्रत्ययस्त्वाक्षेपाल्लक्षणया वेत्यन्यदेतत् ।

व्यक्तिं विना जात्यादि अनुपपन्नमिति अनुपपन्नेन जात्यादिना व्यक्तेराक्षेपः । आक्षेपश्चार्थापत्तिप्रमाणमेव । न्यायनये चानुमानमेव तत् । अथवा जातेरन्वयानुपपत्त्या जातिवाचकस्य पदस्य व्यक्तौ लक्षणा । एवञ्चोपाधिशक्तिवादपक्षेऽपि व्यक्तेर्बोधो न दुष्कर इति भावः । तदर्थविषयकशाब्दबोधं प्रति तदर्थविषयकवृत्तिज्ञानाधीनोपस्थितेर्हेतुत्वेनाक्षेपलब्धार्थस्य शाब्दबोधविषयता न स्यादिति लक्षणापक्ष एव श्रेयान् इति परे ।

उक्त रीति से व्यक्तिशक्तिवाद का खण्डन करके उपाधिशक्तिवाद का स्थापन किया गया परन्तु इस वाद में भी एक नई शंका यह उपस्थित हो जाती है कि जब जाति, गुण आदि उपाधियाँ ही पद-वाच्य हुईं तब व्यक्ति का बोध पद से कैसे होगा ? और यदि व्यक्ति का बोध नहीं होगा, तब सांसारिक व्यवहार कैसे चलेंगे ? क्योंकि व्यवहार में व्यक्तियों का ही उपयोग हो सकता है, उपाधियों का नहीं, इसी शंका को मन में लाकर उपाधिशक्तिपक्ष में व्यक्ति के बोध का उपाय अब दिखलाते हैं—व्यक्तीनाम् इत्यादि । जाति, गुण, क्रिया आदि उपाधियाँ व्यक्ति के विना रह नहीं सकतीं, अतः पद से अवगत होने पर भी ये उपाधियाँ तब तक अनुपपन्न ही रहेंगी, जब तक व्यक्ति का आक्षेप न होगा, अतः आक्षेप से व्यक्ति का भी बोध हो जायगा, जैसे—'पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते' अर्थात् मोटा-ताजा यह देवदत्त दिन में नहीं खाता, इस वाक्य का 'रात्रि-भोजन' अर्थ शक्ति से यद्यपि ज्ञात नहीं होता, तथापि भोजन के विना 'मोटा-ताजा रहना' असंभव है, अतः उससे रात्रिभोजन का आक्षेप हो जाता है । यह आक्षेप वेदान्तियों के मत से अर्थापत्ति और नैयायिकों के मत से अनुमान-प्रमाण के अन्तर्गत है यह भी समझ लेना चाहिए । अथवा जाति आदि उपाधियों का अन्वय वाक्यघटक अपर पदार्थ के साथ बाधित है, अतः जाति आदि उपाधिवाचक पदों की सर्वत्र व्यक्ति में लक्षणा होगी, अभिप्राय यह कि उपाधिशक्तिवादपक्षमें व्यक्ति का बोध लक्षणा से होगा । यहाँ दूसरा (लक्षणावाला) पक्ष ही ठीक है, प्रथम (आक्षेपवाला) नहीं, ऐसा अन्य विद्वानों का कथन है, क्योंकि किसी अर्थ के शाब्दबोध में जब वृत्ति-ज्ञान के द्वारा उस अर्थ की उपस्थिति को कारण माना गया है, तब आक्षेप से उपस्थित अर्थ शाब्दबोध के विषय नहीं हो सकते । कुछ लोग व्यक्ति का बोध सर्वत्र व्यञ्जना से ही मानते हैं ।

जातेर्महत्त्वमुपपादयन् वक्रगत्या जातिशक्तिवादपक्षं पुष्णाति—

अयं च जातिरूपः शब्दार्थः प्राणद इत्युच्यते । प्राणं व्यवहारयोग्यतां ददाति सम्पादयतीति व्युत्पत्तेः ।

अयं जातिरूपोपाधिः पदार्थस्य प्राणप्रदः । ननु किन्नाम जातेः प्राणप्रदत्वमित्याह—प्राणमित्यादि । प्राणपदार्थमेव विवृणोति—व्यवहारयोग्यतामिति । दाधात्वर्थम् स्फोरयति—सम्पादयतीति । व्यवहारयोग्यतासम्पादनमेव जातेः प्राणदत्वमिति भावः ।

अब जातिरूप उपाधि का महत्त्व दिखलाते हुए उपाधिशक्तिवाद पक्ष की पुष्टि करते हैं—अयं च इत्यादि । यह जातिरूप अर्थ शब्द को प्राण देनेवाला कहा जाता है, क्योंकि शब्द में व्यवहारयोग्यता का सम्पादन यह जाति ही करती है । तात्पर्य यह कि यहाँ व्यवहारयोग्यता-सम्पादन ही प्राण-प्रदान के समान महत्त्व रखता है ।

जातेः व्यवहारयोग्यतासम्पादकत्वे युक्तियुक्तामाप्तजनसम्मतिं दर्शयति—

तदुक्तम्—'गौः स्वरूपेण न गौर्नाप्यगौः, गोत्वाभिसंबन्धात्तु गौः' इति ।

तदुक्तमिति । प्रकाशकृतेति शेषः । वाक्यपदीयनामकस्य प्रसिद्धनिबन्धस्येदं वाक्यम् , प्रकाशकृता च तत्काव्यप्रकाशे उद्धृतम् ।

जाति की प्राणप्रदता में आप्तजन की सम्मति दिखलाते हैं—तदुक्तम् इत्यादि । 'गौः स्वरूपेण न गौः····' इत्यादि पङ्क्ति वाक्यपदीय की है, जिसको मम्मटभट्ट ने अपने काव्य-प्रकाश नामक निबन्ध में उद्धृत किया है ।

उक्तवाक्यस्य व्याख्यां कुरुते—

अस्यार्थः—गौः सास्नादिमान् धर्मी स्वरूपेण अज्ञातगोत्वकेन धर्मिस्वरूपमात्रेण न गौः न गोव्यवहारनिर्वाहकः। नाप्यगौः नापि गोभिन्न इति व्यवहारस्य निर्वाहकः । तथा सति दूरादनभिव्यक्तसंस्थानतया गोत्वाग्रहदशायां गवि गौरिति गोभिन्न इति वा व्यवहारः स्यात् । स्वरूपस्याविशेषाद् घटे गौरिति गवि चागौरिति वा व्यवहारः स्यादिति भावः । गोत्वाभिसंबन्धाद्गोत्ववत्तया ज्ञानात् गौर्गौशब्दव्यवहार्य इति ।

गौरिति मूलवाक्यस्थपदस्य व्याख्यामाह—सास्नादीति । स्वरूपेणेति मूलस्थपदव्याख्या-अज्ञातगोत्वेनेत्यादि । न गौरिति मूलवाक्यांशस्य तात्पर्यमाह—न गोव्यवहारेति । नाप्यगौरिति तदंशस्याशयमाह—गोभिन्न इतीति । तथा सतीति । धर्मिस्वरूपमात्रेण व्यवहारनिर्वाहकत्वाङ्गीकारे सतीत्यर्थः । गौरिति व्यवहारे इष्टापत्त्या आह—गोभिन्न इतीति । अविशेषादिति । व्यक्तिस्वरूपाणां स्वतोऽव्यावृत्तत्वादिति भावः । सास्नादिमद्धर्मिमात्रज्ञानेन गौः गोभिन्न इति वा व्यवहारो न भवितुमर्हति, दूरत्वदोषेण जातिव्यञ्जिकाया आकृतेरनभिव्यक्त्या गोत्वाज्ञाने सास्नादिमति धर्मिणि गौः गोभिन्न इति वा व्यवहारस्याननुभवात् । अपि च धर्मिस्वरूपज्ञानमात्रस्य व्यवहारप्रयोजकत्वे व्यक्तिस्वरूपस्य स्वतोऽव्यावृत्ततया गोभिन्ने घटादावपि गौरिति गवि चागौरिति व्यवहारः प्रवर्तेत । अतः गोत्वादिजातिमत्ताज्ञानमेव गौरित्यादिव्यवहारप्रवर्तकमिति सारांशः । ननु 'गौः स्वरूपेण न गौः' इत्येतावतैव विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानं कारणमिति सिद्धान्तानुसारम् गौरिति विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानविधया गोत्वज्ञानस्योपयोगे सिद्धे पुनः 'नाप्यगौः' इत्यंशः किमर्थ इति चेन्न, व्यवहारमात्रस्य धर्मज्ञानसाध्यतासूचनाय तदुल्लेखात् । तथा चाभावज्ञानेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकज्ञानस्य हेतुत्वेन गोत्वज्ञानमन्तरा गोभिन्न इति ज्ञानमपि न संभवति ।

अब उक्त वाक्यपदीय-वाक्य की व्याख्या करते हैं—अस्यार्थ इत्यादि । उक्त वाक्यपदीय-वाक्य का अर्थ यह है कि गाय अर्थात् सास्नादिमान्—गले में चमड़ी लटकनेवाला—प्राणी, स्वरूपतः ज्ञात होने पर भी तब तक गोनामक प्राणी के व्यवहार का निर्वाहक नहीं हो सकता, जब तक उस प्राणी में रहनेवाली 'गोत्व' जाति ज्ञात न हो जाय । इसी तरह उक्त जाति के ज्ञान होने से पूर्व जग तक स्वरूपतः ज्ञात होकर भी उक्त प्राणी 'यह गोभिन्न है' इस व्यवहार का भी निर्वाहक नहीं हो सकता । स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि स्वरूप किसी का स्वतः व्यावर्तक नहीं होता अर्थात् कोई न कोई स्वरूप सभी चीजों में रहता ही है, अतः एक चीज से दूसरी चीजों को पृथक् करनेवाला उनका स्वरूप नहीं, अपितु उन चीजों में रहनेवाला खास-खास धर्म (जाति आदि) होता है । ऐसी स्थिति में स्वरूपतः ज्ञात होकर भी कोई वस्तु उस व्यावर्तक-धर्म-ज्ञान से पूर्व न 'यह अमुक वस्तु है' इस व्यवहारका और न 'यह अमुक वस्तु से भिन्न है' इसी व्यवहार

का निर्वाहक हो सकती है। यदि उक्त व्यावर्तक धर्म के ज्ञान से पूर्व भी कोई पदार्थ व्यवहारनिर्वाहक हो, तब तो उस अवस्था में भी गाय में 'यह गाय है' अथवा 'यह गाय से भिन्न है' ऐसा व्यवहार होने लगे, जिस अवस्था में दूर से दिखाई पड़ने पर गाय की वह आकृति जो जाति को अभिव्यक्त करती है—ज्ञात नहीं होती, केवल इतना ज्ञात होता है कि यह कोई एक चीज है। एवं जाति-ज्ञान के बिना पदार्थ को विशिष्ट-व्यवहारनिर्वाहक मानने पर गो से भिन्न पदार्थ-घट आदि में भी गाय का, और गाय में भी गोभिन्न का व्यवहार होने लगेगा, क्योंकि यह पहले भी कहा जा चुका है कि केवल स्वरूप-भेदक नहीं होता। इस तरह से सिद्ध हुआ कि 'इसमें गोत्व जाति है' इस प्रकार से जातिविशिष्टरूप में ज्ञात होने पर ही गाय, गो शब्द से व्यवहार करने योग्य होती है।

गुणक्रियादिरूपाभिधेयसंबद्धं विचारमुत्थापयति—

गुणः शुक्लादिः शुक्लादिपदानामभिधेयः। क्रिया चलनादिशब्दानाम्।

शुक्लनीलपीतादिपदानां शुक्लनीलपीतादिगुणे शक्तिरतस्ते गुणास्तेषां पदानां वाच्याः। चलनपाकादिपदानाम् उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारादिरूपक्रियासु शक्तिरतस्तेषां शब्दानां ताः क्रिया वाच्या इत्यर्थः।

अब गुण और क्रियारूप वाच्य उपाधि के संबन्ध में विचार करते हैं—गुणः इत्यादि। शुक्ल, नील, पीत आदि पदों की शक्ति उजला, हरा, पीला आदि गुणों में है, अतः वे गुण उन पदों के वाच्यार्थ कहलाते हैं। इसी तरह चलन, पचन आदि पदों की शक्ति उत्तरदेशसंयोगानुकूल, एवम् विक्लित्यनुकूल व्यापारों में है, अतः वे व्यापार (क्रियायें) उन पदों के वाच्यार्थ होते हैं।

अत्राशंक्य समाधत्ते—

शुक्लादीनां चलनादीनां च प्रतिव्यक्तिभेददर्शनादानन्त्यव्यभिचाराभ्यां व्यक्तिशक्तिवाददोषाभ्यामिहापि कलुषीकरणमिति चेत्, तेषां लाघवात्प्रत्यभिज्ञाबलाच्चैकताया अभ्युपगमात्।

इहापीति। गुणक्रिययोरभिधेयत्वेऽपीत्यर्थः। चेदित्यस्याग्रे तत्रेति शेषो बोध्यः। बकादितिर्यग्गतपटादिगतयोश्च शुक्लगुणयोर्भेदोऽनुभूयते, एवं गुडतण्डुलगतयोः पाकक्रिययोरपि भेदो दृश्यते, तेन गुणक्रिययोरनेकत्वं सिद्ध्यति, तथा च व्यक्तिशक्तिवादे यावानन्त्यव्यभिचारदोषौ समभूताम्, तावत्रापि समापतेतामिति शंका न युक्ता, नानात्वे गौरवात्, लाघवात् गुणक्रिययोरेकताया एव स्वीकारात्। ननु लाघवं नानुभवविरुद्धमङ्गीकारयितुं प्रभवतीति चेन्न, सर्वेषु शुक्लादिगुणेषु सर्वासु चलनादिक्रियासु च 'स एवायं शुक्लो गुणः, सैवेयं चलनक्रिया' इत्याकारिकायाः प्रत्यभिज्ञायाः लाघवसहकृताया गुणक्रियायेकतानियामकत्वात्।

अब यहाँ एक शंका और उसका समाधान करते हैं—शुक्लादीनाम् इत्यादि। 'बक आदि पक्षियों की तथा वस्त्र आदि पदार्थों की शुक्लता में भेद का अनुभव होता है। इसी तरह गुड़ की तथा चावल की पाक-क्रियाओं में भी भेद दिखाई पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शुक्ल गुण अनेक है और पाक-क्रिया भी अनेक है। इस स्थिति में व्यक्तिशक्तिवाद पक्ष में जो आनन्त्य और व्यभिचार दोष उपस्थित होते थे, वे दोनों

दोष यहाँ (उपाधिशक्तिवाद पक्ष में) भी लगेंगे' ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुक्ल आदि गुणों तथा पाक आदि क्रियाओं को अनेक मानने में गौरव है, अतः उनको एक ही मानते हैं। यदि आप कहेंगे कि लाघव के बल पर अनुभव-विरुद्ध वस्तु नहीं मानी जा सकती तो यह ठीक नहीं, क्योंकि सभी शुक्ल गुणों में 'यह वही शुक्ल गुण है' और सभी पाक-क्रियाओं में 'यह वही पाक-क्रिया है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा लाघवमूलक होती है, वे प्रत्यभिज्ञायें ही उक्त गुणों और क्रियाओं को एक सिद्ध करती हैं।

अत्रार्थे प्राचीनोक्तिं प्रमाणयति—

तदुक्तम्—'गुणक्रियायदृच्छानां वस्तुत एकरूपाणामाश्रयभेदाद्भेद इव लक्ष्यते' इति ।

उक्तमिति । प्रकाशकृता मम्मटेनेति शेषः । यथा प्रतिबिम्बाधाराणाम् कृपाणमुकुरतैलादीनां भेदादेकमप्याननं नानारूपतया भासते, तथैव गुणक्रियाद्यपि आश्रयभेदेनैव भिन्नतया प्रतीयते, न तु वस्तुतस्तेषु भेद इति भावः ।

प्राचीनों की उक्ति को उद्धृत करके उक्त बात को प्रमाणित करते हैं—तदुक्तम् इत्यादि । मूलोक्त वाक्य काव्यप्रकाशकार मम्मट का है, जिसका अभिप्राय यह है कि जसे—प्रतिबिम्ब के आधार तलवार, दर्पण, तैल आदि के भेद से एक भी मुख अनेक प्रकार के ज्ञात होते हैं, उसी तरह एकजातीय गुण और क्रियाओं में भी आश्रय के भेद से ही भेद सा लक्षित होता है, वस्तुतः उनमें भेद रहता नहीं ।

मम्मटोक्तिफलितमाह—

तथा च भेदप्रतीतिर्भ्रम एवेति भावः। इदमुपलक्षणम् । उत्पत्तिविनाशप्रतीतिरपि तथैव, वर्णनित्यतावादे गकाराद्युत्पत्तिविनाशप्रतीतेर्भ्रमत्वस्य स्वीकारात् ।

तथा चेति । गुणानां क्रियाणाञ्च मिथो भिन्नत्वेन भानस्याश्रयभेदप्रयुक्तत्वस्वीकारेण वस्तुतोऽभेदाङ्गीकारे चेत्यर्थः । भ्रम इति । बकशौक्ल्यात् पटशौक्ल्यं भिन्नमित्यादयः प्रतीतयः भ्रान्तिरूपा एव न प्रमारूपा इत्यर्थः । प्रकाशोक्त्या यद्यपि भेदप्रतीतेरेव भ्रमत्वं सिद्ध्यति, तथापि तस्या उपलक्षणत्वेन गुणक्रियादिषु उत्पत्तिविनाशप्रतीतीनामपि भ्रमत्वं बोध्यमित्याह—इदमुपलक्षणमित्यादिना । एतेन गुणानां क्रियाणां च नित्यता एकता च साधिता । नन्वेतादृशभ्रमत्वस्वीकारोऽभिनव एव न प्राचीनसम्मतो नेत्याह—वर्णेति । वर्णनित्यतावादिनो वैयाकरणा गकारादिषु वर्णेषु जायमानामुत्पत्तिविनाशप्रतीतिं भ्रमरूपां स्वीकुर्वन्ति, तद्वदिहापीति न काचन नवीनतेति भावः ।

अब उक्त मम्मटोक्ति का फलितार्थ दिखलाया जाता है—तथा च इत्यादि । एकजातीय गुण और क्रियाओं में परिलक्षित होनेवाला परस्पर का भेद जब आश्रय-भेद-मूलक सिद्ध कर दिया गया, तब 'बक के उजलेपन से वस्त्र का उजलापन भिन्न है' इत्यादि तरह की भेद-प्रतीतियाँ भ्रान्तिरूप ही हैं, प्रमारूप नहीं, ऐसा समझना चाहिए। इतना ही नहीं, गुण और क्रियाओं में उत्पत्ति तथा विनाश की जो प्रतीति होती है वह भी भ्रम है। तात्पर्य यह कि एकजातीय गुण तथा एकजातीय क्रियायें एक हैं और नित्य । इस तरह की प्रतीतियों की भ्रमरूपता वैयाकरणों को भी अभिमत हैं, क्योंकि वे वर्ण-

नित्यतावाद पक्ष में 'गकार उत्पन्न हुआ, गकार विनष्ट हुआ' इत्यादि प्रतीतियों को भ्रम-रूप मानते हैं।

यादृच्छिकात्मकमभिधेयं स्फोटयति—

यादृच्छिकस्तु वक्त्रा स्वेच्छया डित्थादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तत्वे संनिवेशितो धर्मः।

डित्थादिपदानां प्रवृत्तिनिमित्तभूतः वक्त्रा स्वेच्छया कल्पितः धर्मविशेषो यादृच्छिकात्मको वाच्य इति भावः।

अब यादृच्छिक उपाधि के विषय में स्पष्टीकरण करते हैं—यादृच्छिकस्तु इत्यादि। वक्ता के द्वारा अपने इच्छानुसार 'डित्थ' आदि पदों के प्रवृत्ति-निमित्त रूप में मान लिया गया धर्म 'यादृच्छिक' कहलाता है।

कोऽसौ धर्म इति मतभेदेनाह—

स च 'परम्परया व्यक्तिगतश्चरमवर्णाभिव्यङ्ग्योऽखण्डः स्फोटः' इत्येके। 'आनुपूर्व्यवच्छिन्नो वर्णसमुदायः' इत्यपरे। 'केवला व्यक्तिरेव' इतीतरे।

डित्थादिसंज्ञाशब्दानां वाच्यो यादृच्छिको धर्मः अखण्डस्फोट एव, यः पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसहकृतेन चरमवर्णेनाभिव्यज्यते। वर्णसमुदायेन तदभिव्यक्तिस्तु असम्भवैव, आशुविनाशिनां वर्णानां समुदायस्य सिद्धेः। ननु स स्फोटोऽर्थनिष्ठः कथमिति चेत्तत्राह-परम्परयेति। साक्षात्सम्बन्धेन यद्यपि स स्फोटः आकाशे तिष्ठति, शब्दानामाकाशदेशत्वात्, तथापि मातृपित्रादिसंकेतसम्बन्धेन सः अर्थव्यक्तौ तिष्ठेदिति केषांचिन्मतस्य भावः। अतिरिक्तस्फोटाङ्गीकारे फलाभावादाह—आनुपूर्व्येति। डकारोत्तरत्वविशिष्टेकारोत्तरत्वविशिष्टतकारोत्तरत्वविशिष्टथकारोत्तरत्वविशिष्टाकारत्वरूपानुपूर्व्या अवच्छिन्नः परिमितः वर्णसमुदाय एव स धर्म इत्यपरेषां मतम्। वर्णानां जन्यत्वेन समुदायासंभवादाह—केवलेति। तत्तन्नामकव्यक्तिरेव डित्थादिपदानामर्थ इतीतरेषां मतम्।

वह धर्म कौन-सा है, इसका निर्णय मतभेद से करते हैं—स च इत्यादि। अखण्ड स्फोट (शब्दब्रह्म) ही डित्थ आदि संज्ञा शब्दों का वाच्य यादृच्छिक धर्म है। वह स्फोटरूप धर्म, पूर्व-पूर्व वर्णों के अनुभव से उत्पन्न संस्कार की सहायता से अन्तिम वर्ण के द्वारा अभिव्यक्त होता है। वर्णसमुदाय से उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि केवल एक क्षण रहकर विनष्ट हो जानेवाले वर्णों का समुदाय बन ही नहीं सकता। वह स्फोट यद्यपि साक्षात् (समवाय) सम्बन्ध से आकाश में ही रहता है क्योंकि शब्दों का देश आकाश ही माना जाता है, तथापि परम्परा अर्थात् माता-पिता के संकेतरूप सम्बन्ध से संज्ञी में रहता है। यह एक (प्रधान वैयाकरण) विद्वान् कहते हैं। अतिरिक्त स्फोट मानने में कोई फल नहीं, अतः ड्, इ, त्, थ्, अत्व (डित्थत्व) रूप आनुपूर्वी से अवच्छिन्न-परिमित-(नपा-तुला) वर्णसमुदाय ही यादृच्छिक धर्म है, यह अपर विद्वानों का मत है। आशुविनाशी वर्णों का समुदाय बन ही नहीं सकता, अतः संज्ञी (वह व्यक्तिविशेष जिसकी यह संज्ञा मानी गई है) ही वह धर्म है और संज्ञा शब्दों का वाच्य है, यह अन्य पण्डितों का कथन है।

उक्तमतत्रये वैलक्षण्यं दर्शयति—

तत्राद्यमतद्वये विशेषणज्ञानाद् विशिष्टप्रत्ययः। तृतीयमते च निर्विकल्पकात्मकः प्रत्ययः।

उक्ते मतत्रये प्रथमयोर्द्वयोर्मतयोः स्फोटः, वर्णसमुदायो वा धर्मः डित्थादिपदानामभिधेयः साधितः, एवञ्च डित्थादिपदात्प्रथमं तद्धर्मज्ञानं जायते, ततस्तदाक्षिप्तव्यक्तिज्ञानम्, ततश्च विशेषणविशेष्यभावावगाहि तद्धर्मविशिष्टव्यक्तिज्ञानं सविकल्पकात्मकं समुत्पद्यते। तृतीयमते तु व्यक्तिरेव केवला डित्थादिपदाभिधेया सिद्धेति तन्मते डित्थादिपदात् व्यक्तिमात्रस्य प्रकारताविशेषताशून्यं निर्विकल्पकात्मकमेव ज्ञानं जायत इति भावः।

उक्त तीनों मतों में जो वैलक्षण्य है, उसका निर्देश करते हैं—तत्र इत्यादि। उक्त तीनों मतों में प्रथम तथा द्वितीय मत के अनुसार क्रमशः स्फोट और वर्ण-समुदायरूप यादृच्छिक धर्म डित्थ आदि संज्ञाशब्दों के वाच्य सिद्ध किए गए, अतः उन दोनों मतों में पहले डित्थ आदि पदों से उस धर्म (स्फोट अथवा वर्णसमुदाय) का ज्ञान होता है, उसके बाद उस धर्म से आक्षेप के द्वारा व्यक्ति (संज्ञी) का ज्ञान होता है, तदनन्तर विशेषण-विशेष्यभावापन्न, उस धर्म से विशिष्ट व्यक्ति का सविकल्पक ज्ञान होता है। तृतीय मत में तो केवल व्यक्तिविशेष डित्थ आदि पद का वाच्य सिद्ध हुआ, अतः उस मत में डित्थ आदि पद से व्यक्तिमात्र का प्रकारता-विशेष्यता से शून्य-निर्विकल्पात्मक—ज्ञान होता है।

उपाधिशक्तिवादफलितार्थमाह—

तदित्थं चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति दर्शनं व्यवस्थितम्।

उक्तोपाधिशक्तिवादप्रघट्टकेनेदं फलितम्, यत्—चतुर्विधं शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तम्, जातिरूपं, गुणरूपम्, क्रियारूपम्, यादृच्छिकरूपञ्च। अत्रार्थे व्याकरणमहाभाष्यकारस्य भगवतः पतञ्जलेरपि सम्मतिः—'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः, जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः यदृच्छाशब्दाश्चतुर्थाः' इति तदुल्लेखात्। दर्शनम् मतम्।

अब उपसंहारके रूप में उपाधिशक्तिवादपक्ष का फलितार्थ बतलाते हैं—तदित्थम् इत्यादि। उक्त उपाधिशक्तिवादपरक प्रकरण से यह फलित हुआ कि—शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्त चार प्रकार के होते हैं—जाति, गुण, क्रिया और यादृच्छिक। इस पक्ष को व्याकरण महाभाष्यकार भगवान् पतञ्जलि भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि 'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः, जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः, यदृच्छाशब्दाश्चतुर्थाः' ऐसा उन्होंने लिखा है।

उपाधिशक्तिवादे मतान्तरमाह—

सर्वेषां शब्दानां जातिरेवार्थः। गुणक्रियाशब्दानां गुणक्रियागतायाः, यदृच्छाशब्दानां च बालवृद्धशुकाद्युदीरिततत्तच्छब्दवृत्तेस्तत्तत्समयभिन्नार्थवृत्तेर्वा जातेरेवाभिधेयता संभवात्। इति जातिशक्तिदर्शनम्।

सर्वेषामिति। जातिगुणक्रियायदृच्छाशब्दानामित्यर्थः। शब्दनिष्ठजातेः परम्परयाऽर्थवृत्तित्वकल्पने गौरवादाह—तत्तत्समयेति। बालत्वयुवत्ववृद्धत्वरूपेत्यर्थः। उपाधिचतुष्टये शक्तिकल्पनापेक्षया जातिरूपोपाधावेव सर्वत्र शक्तिः। सर्वेषु शुक्लादिगुणेषु शुक्लः-शुक्लः इत्यभिन्नाकारानुगतप्रतीत्या गुणत्वव्याप्यशुक्लत्वादिजातेः, एवम् गुडतण्डुलादिगतासु भिन्नासु पाकादिक्रियासु यद्वशात्पाकः पाकः इत्यनुगतप्रतीतिः तस्याः क्रियात्वव्याप्यपाकत्वादिजातेः स्वीकारात्। नन्वेवं शुक्लत्वपाकत्वादिजातिसिद्धौ तत्र गुणवाचकानां

क्रियावाचकानाञ्च शब्दानां शक्तिर्भवतु, यदृच्छाशब्दानां कथं जातौ शक्तिः, तेषामेकव्यक्तिवाचकत्वेन जातिवाचकत्वासंभवात् इति चेन्न, बालवृद्धशुकाद्युदीरितानां डित्थादिपदानां मिथो भिन्नतया तेषु आनुपूर्वीव्याप्याया: डित्थत्वादिजातेरङ्गीकारात्, न च शब्दनिष्ठायास्तस्या जातेरर्थे परम्परासम्बन्धेनैव स्थितेः कल्पनीयतया गौरवेण नेयं रीतिरुचितेति वाच्यम्, 'बाल्ये दृष्टोऽयं देवदत्तो यौवनेऽन्यः संवृत्तः' इत्याद्यनुभवबलात् बाल्य-यौवन-वार्धक्यरूपावस्थाभेदेन डित्थादिव्यक्तेरपि भिन्नतया तासु व्यक्तिषु डित्थत्वादिजातिसिद्ध्या तत्रैव यदृच्छाशब्दानां शक्तिरित्याशयादिति भावः।

अब उपाधिशक्तिवाद के ही दूसरे मत का उल्लेख करते हैं—सर्वेषाम्र इत्यादि। जाति, गुण, क्रिया और यादृच्छिक इन चार उपाधियों में शक्ति मानने की अपेक्षा केवल जातिरूप उपाधि में सर्वत्र शक्ति मानने में लाघव है, अतः ऐसा मानना ही समुचित है। तात्पर्य यह कि सभी शुक्ल आदि गुणों में 'शुक्ल-शुक्ल' इस तरह की एकाकार अनुगत प्रतीति से गुणत्व-व्याप्य अर्थात् गुणत्व से अल्पदेशवृत्ति शुक्लत्व आदि जाति मान ली जायगी, और गुड-तण्डुल आदि में रहनेवाली भिन्न-भिन्न क्रियाओं में जिसके चलते 'पाक-पाक' ऐसा एक प्रकार का ज्ञान होता है, उस क्रियात्व-व्याप्य पाकत्व आदि जाति का स्वीकार कर लिया जायगा। यदि आप कहें कि हाँ, इस तरह से गुणवाचक तथा क्रियावाचक शब्दों को जातिवाचक माना जा सकता है, परन्तु यदृच्छा शब्दों को कैसे जातिवाचक माना जा सकता है, क्योंकि उन शब्दों का वाच्य एक एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्तिमात्र में रहने वाला धर्म जातिरूप हो नहीं सकता, तो इसका उत्तर यह है कि बाल, वृद्ध, शुक आदि से उच्चरित होकर एक भी डित्थ आदि पद अनेक हो जाते हैं, अतः उन सभी डित्थ शब्दों में रहनेवाली आनुपूर्वीव्याप्य डित्थत्व जाति मानी जा सकती है, अथवा बचपन, यौवन तथा वार्धक्यरूप अवस्थाभेद से एक भी व्यक्ति अनेक हो जाता है, अतएव 'बचपन में देखा गया देवदत्त युवावस्था में दूसरा हो गया' ऐसी प्रतीति हुआ करती है। इस स्थिति में अर्थवृत्ति डित्थत्व जाति भी सिद्ध की जा सकती है। अतः सर्वत्र जातिरूप उपाधि में ही शक्ति की कल्पना करनी चाहिये।

लक्षणामूलध्वनिनिरूपणानन्तरं लक्षणानिरूपणे संगतिं दर्शयितुमाह—

अथ केयं लक्षणा, यन्मूलश्चरमं निरूपितो ध्वनिः।

जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थाभेदेन द्विविधः, अभिधामूलध्वन्यपेक्षयाऽन्तिमो यन्मूलो ध्वनिः प्राङ्निरूपितः, सा लक्षणा केति जिज्ञासितमिति भावः। एतेन चरमध्वनिनिरूपणलक्षणानिरूपणयोः प्रकृतोपपादकत्वरूपोपोद्घातसंगतिर्दर्शिता।

लक्षणामूलक ध्वनियों के निरूपण के बाद लक्षणा-निरूपण करने में संगति दिखलाने के लिये कहते हैं—अथ इत्यादि। जिसको मूल मानकर आपने अन्तिम (अभिधामूलक-ध्वनियों के बादवाली) जहत्स्वार्था तथा अजहत्स्वार्था-भेद से द्विविध ध्वनियों का निरूपण किया है, वह लक्षणा क्या वस्तु है? अर्थात् अब लक्षणा पदार्थ की जिज्ञासा है। इस कथन से लक्षणामूलकध्वनिनिरूपण तथा लक्षणानिरूपण में प्रकृतोपपादकत्वरूप उपोद्घात नामक सङ्गति दिखलाई गई।

उक्तजिज्ञासाशमनं प्रतिजानीते—

उच्यते—

लक्षणापदार्थ इति शेषः ।

उक्त जिज्ञासा-शान्ति की प्रतिज्ञा करते हैं—उच्यते इति। अब लक्षणापदार्थ कहा जाता है।

लक्षणाया लक्षणमाह—

शक्यसम्बन्धो लक्षणा ।

यत्किञ्चिच्छक्यार्थप्रतियोगिको यत्किंचिदर्थानुयोगिकः संबन्धविशेषो लक्षणापदार्थ इति भावः। स च संबन्धविशेषः स्थलभेदेन नानाविध इति स्वयं मूलकृतैवानुपदं स्फुटीकरिष्यते। शब्दवृत्तिरूपस्यास्य लक्षणापदार्थस्य स्वप्रतियोगिवाचकसंबन्धेन पदनिष्ठत्वं बोध्यम् तार्किकमतानुसार्येतल्लक्षणालक्षणम् । मीमांसकास्तु 'शक्यादशक्योपस्थितिर्लक्षणे'-त्याह । 'शक्यतावच्छेदकारोपो लक्षणा' इत्यपि केचित् । अन्वयाद्यनुपपत्तिज्ञानपूर्वकशक्यत्वेन गृहीतार्थसम्बन्धज्ञानेनोद्बुद्धशक्तिसंस्कारबोधे लक्षणेति व्यवहारः । वस्तुतो भगवदिच्छायाः सन्मात्रविषयत्वात्तीरादावपि गंगादिपदस्य शक्तिरेवेति तु वैयाकरणाः ।

अब लक्षणा का लक्षण करते हैं—शक्य इत्यादि। जिस किसी पद के शक्यार्थ (अभिधावृत्ति द्वारा बोध्य अर्थ) का जिस किसी पदार्थ के साथ जो सम्बन्ध, उसको लक्षणा कहते हैं। वह सम्बन्ध भिन्न-भिन्न स्थान पर भिन्न-भिन्न प्रकार का हो सकता है यह बात ग्रन्थकार स्वयं स्पष्ट रूप से मूल में ही कहेंगे। यद्यपि यह सम्बन्ध अर्थ में रहेगा, तथापि स्व-(सम्बन्ध) प्रतियोगी-(शक्य अर्थ) वाचकत्व सम्बन्ध से पद में रहने के कारण उक्त सम्बन्धरूप लक्षणा पदनिष्ठवृत्ति समझनी चाहिये । यह लक्षणा का लक्षण तार्किक मत के अनुसार किया गया है। मीमांसक लोग शक्य अर्थ से अशक्य अर्थ की उपस्थिति को लक्षणा मानते हैं। कुछ लोग शक्यतावच्छेदक धर्म (प्रवाहत्व आदि) के आरोप को लक्षणा कहते हैं। वैयाकरण लोग लक्षणा को अतिरिक्त वृत्ति मानते ही नहीं, वे शक्ति के ही दो भेद करते हैं—एक प्रधान और दूसरा गौण-और उक्त गौणशक्ति में लक्षणा का व्यवहार होता है, ऐसा कहते हैं।

लक्षणाबीजं निश्चेतुं रुचिरं विचारं प्रचारयति—

तस्याश्चार्थोपस्थापकत्वे मुख्यार्थतावच्छेदके तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदकताया अभावो न तन्त्रम् । शक्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमाणस्य स्वीकारात् । किं तु तात्पर्यविषयान्वये मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण मुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावो रूढिप्रयोजनयोरन्यतरच्च तन्त्रम् । मुख्यार्थान्वयानुपपत्तेः तन्त्रत्वे तु 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्यत्र लक्षणोत्थानं न स्यात् ।

तस्या इति । लक्षणाया इत्यर्थः । अर्थोपस्थापकत्व इति । लक्ष्यार्थविषयकस्मरणजनने इत्यर्थः । मुख्यार्थतावच्छेदक इति । शक्यतावच्छेदक इत्यर्थः । प्रवाहत्वादाविति यावत् । तात्पर्येति । तात्पर्यविषयीभूतो योऽन्वयः संबन्धः—तद्विशिष्टतावच्छेदकताया इत्यर्थः । तन्त्रमिति कारणमित्यर्थः । शक्यतेति । प्रवाहत्वेन रूपेणेत्यर्थः । लक्ष्येति । तटादीत्यर्थः । तात्पर्यविषयान्वय इति । तात्पर्यविषयीभूते संबन्धविशेषे इत्यर्थः । 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्यादौ तात्पर्यविषये अनभ्यवधिमज्जाधादौ संबन्धे दध्युपघातकत्वेन रूपेण काकादिरूपमुख्यार्थप्रतियोगिकतायाः सत्त्वादाह—मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेणेति । तथा चोक्तसंबन्धे काकत्वेन रूपेण काकप्रतियोगिताया अभावोऽक्षत इति भावः । लक्षणोत्थानं न

स्यादिति। 'काकावधिकदधिरक्षणम्' इत्याकारकस्यान्वयस्योपपन्नत्वेन मुख्यार्थान्वयानुपपत्तिरूपकारणस्य विरहादिति भावः। अयमत्र निर्गलितार्थः—अन्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्तिर्वा लक्षणाबीजमिति मतद्वैधे प्राप्ते प्रथमं मतम् न युक्तं, तथा सति 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्', 'नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्' इत्यादौ लक्षणानापत्तेः, 'काकावधिकदधिरक्षणम्', 'नक्षत्रदर्शनोत्तरकालिकं वाग्विसर्जनम्' इत्यादिरीत्याऽन्वयस्योपपन्नत्वात्। तात्पर्यानुपपत्तेर्लक्षणाबीजत्वे स्वीकृतेऽपि 'मुख्यार्थतावच्छेदकाधिकरणकस्तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदकताया अभावः', 'तात्पर्यविषयान्वयाधिकरणको मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण मुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावो वा तात्पर्यानुपपत्तिपदार्थ इति मतद्वैधे संभाविते प्रथममतमसंगतमेव, 'गंगायां घोषः' इत्यादौ प्रसिद्धे लक्षणोदाहरणे शैत्यत्वपावनत्वादिफलव्यञ्जनसौविध्याय गंगात्वेनैव रूपेण तटबोधस्यालंकारिकैः स्वीकारेण लक्षणाविरहप्रसंगात्। तत्र तात्पर्यविषयीभूतः संबन्धः तटघोषयोः आधाराधेयभावः, तन्नियामकः संयोगो वा तद्विशिष्टता तटे। एवञ्च तटनिष्ठायास्तादृशान्वयिताया अवच्छेदकता मुख्यार्थतावच्छेदके गंगात्वे एवेति न तदभावः कारणत्वेनाभिमतः स्यादिति भावः। अतो द्वितीयं मतमेव सम्यक् तथा च तत्र गंगात्वेन रूपेण तटभानेऽपि तात्पर्यविषयीभूतस्य उक्ताधाराधेयभावात्मकस्यान्वयस्य गंगात्वेन रूपेण तटप्रतियोगिकताया तस्मिन्नन्वये गंगारूपमुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावस्य वर्तमानतया रूढिप्रयोजनयोरन्यतरस्य शैत्यत्वपावनत्वादेश्च सत्त्वेन लक्षणा भवतीति। इदमत्र विचारणीयम्—शक्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमाणस्वीकारकथा ग्रन्थोक्ता कथं संगतेति। यतः 'कचतस्त्रस्यति वदनं, वदनात् कुचकुड्मलं बिभेति। मध्याद्बिभेति नयनं नयनादधरः समुद्विजति'॥ इत्यत्र क्रमशः कचवदनकुचमध्यनयनाधरपदानां राहुचन्द्रकमलसिंहमृगपल्लवरूपार्थेषु लक्षणायाम् कचत्वादिरूपशक्यतावच्छेदकरूपेण राह्वादिलक्ष्यमाणस्वीकारे त्रासादेरनुपपत्तिः। किञ्च 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणायाम् काकत्वरूपशक्यतावच्छेदकरूपेण दध्युपघातकात्मकलक्ष्यमाणाङ्गीकारे तत्रत्यतात्पर्यविषयान्वयेऽवध्यवधिमद्भावे काकत्वरूपमुख्यार्थतावच्छेदकरूपेणैव काकात्मकमुख्यार्थप्रतियोगिकतायाः सत्त्वेन तदभावरूपस्य ग्रन्थकृदभिमतस्य लक्षणाकारणस्यासंघटनमेवापद्येत। पर्याप्तिनिवेशेन 'मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण मुख्यार्थमात्रप्रतियोगिकताया अभावस्तन्त्रम्' इत्याशयोपवर्णनेन यद्यपि नैष दोषः उक्तावध्यवधिमद्भावे काकत्वेन रूपेण बिडालादिसकलदध्युपघातकप्रतियोगिकत्वस्यैव सत्त्वेन काकरूपमुख्यार्थमात्रप्रतियोगिकताया अभावस्य साम्राज्यात्, तथापि प्रथमदोषो दुरुद्धर एव।

अब लक्षणा का कारण क्या है, इस विषय में कुछ विलक्षण विचार उपस्थित किया जाता है—तस्याश्च इत्यादि। इस प्रतीक का स्पष्ट अर्थ यह है कि—लक्षणा के कारण के संबन्ध में दो मत हैं, एक मत के अनुसार अन्वय की अनुपपत्ति लक्षणा का कारण है—अर्थात् उस पद की लक्षणा किसी अर्थ में होती है, जिसके शक्य अर्थ का अन्वय, वाक्यघटक अन्य पदार्थ के साथ नहीं हो सकता हो। परन्तु यह मत संगत नहीं है क्योंकि 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्', 'नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्' अर्थात् 'कौवों से दही की रक्षा करें', 'तारे देखकर बोलना चाहिए' इत्यादि जो लक्षणा के प्रसिद्ध उदाहरण हैं (इन दोनों वाक्यों में क्रमशः काक तथा नक्षत्र पद की दध्युपघातकमात्र और रात्रि में लक्षणा होती है, क्योंकि

वक्ता का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि कौवों से दही की रक्षा की जाय और कुत्ते आदि से नहीं, इसी तरह द्वितीय वाक्य का यह अभिप्राय नहीं हो सकता कि यदि आकाश के मेघाच्छन्न रहने से तारे नहीं दीख पड़े, तब बोला ही न जाय, अतः 'दही पर जिन-जिन प्राणियों से उपद्रव होने की संभावना हो, उन सबों से दही की रक्षा की जाय, एवम् रात में बोले, इन वक्त्रभिप्रेत अर्थों की सिद्धि के लिए उक्त लक्षणा आवश्यक होती है) वहाँ अब लक्षणा नहीं हो सकेगी, क्योंकि उक्त कारण (अन्वय की अनुपपत्ति) का वहाँ अभाव है अर्थात् 'कौवों से दही की रक्षा करें', 'जब तारे दीख पड़ें तब बोलें' इस तरह से काक और नक्षत्र पद के शक्यार्थों का भी रक्षा करने और बोलने के साथ अन्वय हो ही सकता है। द्वितीय मत के अनुसार तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा का कारण कहा जाता है, जो ठीक है, क्योंकि इस मत के अनुसार उक्त उदाहरणों में तथा अन्य उदाहरणों में भी काम बन जाता है। परन्तु इस मत में भी यह विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है कि तात्पर्यानुपपत्ति का क्या आशय? क्या मुख्यार्थतावच्छेदक—अर्थात् मुख्य अर्थ में रहनेवाले और अन्य किसी में न रहनेवाले धर्म (जैसे गंगा में गंगात्व) में तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता अर्थात्—जिस अन्वय में वक्ता का तात्पर्य हो, उस अन्वय के अन्वयी—उस अन्वय से विशिष्ट वस्तु में रहनेवाला जो धर्म तत्ता का अभाव रहे, तब लक्षणा हो, यह आशय है? कहने का अभिप्राय कि तात्पर्यानुपपत्ति से क्या आपका यह आशय है कि मुख्यार्थतावच्छेदक और तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदक धर्म यदि दो रहें, एक नहीं, तभी लक्षणा हो? अथवा—क्या वक्ता के अभिमत अन्वय में मुख्यार्थतावच्छेदक (उक्त गंगात्व आदि जैसे धर्म) रूप से मुख्यार्थप्रतियोगिकता अर्थात्—मुख्यार्थीय होने का अभाव रहे, तब लक्षणा हो, यह आशय है? सारांश यह कि तात्पर्यानुपपत्ति से क्या यह कहना है कि वक्ता का जिस अन्वय में तात्पर्य हो, वह अन्वय अपने रूप में मुख्य अर्थ का न रहे? इन दोनों में प्रथम आशय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस आशय के मान्य होने पर 'गंगायां घोषः अर्थात् गंगा में गोष्ठ' इस प्रसिद्ध लक्षणा के उदाहरण में लक्षणा नहीं की जा सकेगी क्योंकि यहाँ शैत्यत्व-पावनत्व की अभिव्यक्ति के अनुरोध से आलंकारिक विद्वान् शक्यतावच्छेदक (गंगात्व) रूप से ही लक्ष्य (तट) का भान मानते हैं, अतः यहाँ गंगात्वरूप मुख्यार्थतावच्छेदक में तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदकता का अभाव नहीं रहेगा अर्थात् यहाँ तात्पर्यविषयीभूत अन्वय है—तट और घोष का संयोगमूलक आधाराधेयभाव, उस अन्वय का अन्वयी होगा तट, अन्वयिता रहेगी तट में और उस अन्वयिता का अवच्छेदक होगा वही गंगात्व, क्योंकि उसी रूप से तट का अन्वय अभीष्ट है, अन्यथा शैत्यत्व-पावनत्व व्यङ्ग्य नहीं हो सकेगा। इस तरह से मुख्यार्थतावच्छेदक गंगात्व में तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदकता ही रह गई फिर उसका अभाव वहाँ नहीं रहेगा। अब परिशेषात् द्वितीय आशय ठीक समझना चाहिए क्योंकि उस आशय के अनुसार 'गंगायां घोषः' में लक्षणा हो सकती है क्योंकि गंगात्वरूपेण आखिर भान तो तट का ही होता है, अतः उक्त आधाराधेयभाव-सम्बन्ध का प्रतियोगी तट होगा न कि गंगा, इसलिये उस अन्वय (सम्बन्ध) में मुख्यार्थ-(गंगा)-प्रतियोगिकता का अभाव अक्षुण्ण है। रूढि और प्रयोजन इन दोनों में से किसी एक का रहना भी पृथक् लक्षणा का कारण है। उक्त उदाहरण में शैत्यत्वपावनत्व-प्रतीतिरूप प्रयोजन है ही।

लक्षणापदार्थतयाभिमतस्य शक्यसंबन्धस्य स्थलभेदेन भेदं दर्शयति—

'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र सामीप्यम्, 'मुखचन्द्रः' इत्यादौ सादृश्यम्, व्यतिरे-

कलक्षणायां विरोधः 'आयुर्घृतम्' इत्यादौ कारणत्वादयश्च संबन्धा यथायोगं, लक्षणाशरीराणि।

व्यतिरेकलक्षणेति। 'उपकृतं बहु नाम—' इत्यादौ। यथायोगम् यथासम्भवम्। लक्षणाशरीराणीति। लक्षणायाः स्वरूपाणीत्यर्थः। अत्र नागेशः—'लक्षणाज्ञानकार्यतावच्छेदकं च तादृशशक्यसंबन्धप्रकारकलक्ष्यविशेष्यकशाब्दबुद्धित्वमिति प्राचीनालंकारिकमतम्। तदनन्तरश्च व्यञ्जनया तादृशशक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यबोध इति च।' एतेन शक्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमाणं मूलोक्तम् कटाक्षितम्।

अब शक्य-सम्बन्धरूप लक्षणा का स्वरूप स्थलभेद से भिन्न-भिन्न होता है इस स्पष्टीकरण के लिये तादृश स्थलों का उल्लेख करते हैं—गंगायाम् इत्यादि—'गंगायां घोषः' में गंगा और घोष का संबन्ध-सामीप्य, 'मुखचन्द्रः' में मुख और चन्द्र का सम्बन्ध-सादृश्य, अपकारी के प्रति कथित 'आप ने बड़ा उपकार किया' इत्यादि विपरीत लक्षणा में अपकारी और अपकार्य का संबन्ध-विरोध, 'आयुर्घृतम्' में आयु और घृत का संबन्ध कार्यकारणभाव आदि यथायथ लक्षणारूप होते हैं।

लक्षणाया भेदान् दर्शयति—

इयं तावद् द्विविधा, निरूढा प्रयोजनवती च। तत्रापि द्वितीया द्विविधा, गौणी शुद्धा च। तत्राद्या सारोपा, साध्यवसाना चेति द्विविधा। अन्त्या चतुर्विधा—जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था, सारोपा, साध्यवसाना चेति प्रयोजनवती षड्विधा सम्पद्यते।

इयमिति। लक्षणेत्यर्थः। तावत् आदौ। अन्यत् स्पष्टम्।

अब लक्षणा के भेद लिखे जाते हैं—इयमित्यादि। प्रथमतः लक्षणा के दो प्रकार होते हैं—एक निरूढा और दूसरा प्रयोजनवती। उनमें से भी द्वितीया (प्रयोजनवती) के दो प्रभेद होते हैं—गौणी और शुद्धा। इन दो प्रभेदों में से गौणी के पुनः दो उपभेद होते हैं—सारोपा और साध्यवसाना और शुद्धा के चार उपभेद—जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था, सारोपा तथा साध्यवसाना। इस तरह से प्रयोजनवती लक्षणा के छः भेद बनते हैं (दो गौणी के, चार शुद्धा के)।

निरूढलक्षणाया उदाहरणानि प्रदर्शयति—

तत्र निरूढलक्षणाया अनुकूलप्रतिकूलानुलोमप्रतिलोमलावण्यादय उदाहरणम् नीलादयश्च।

लावण्यादय इत्यत्रादिपदेनालेख्यगतगजादिबोधकगजादिपदानां संग्रहो बोध्यः। नीलादय इत्यत्रादिपदेन सर्वेऽपि गुणिपरा गुणवाचकाः कृष्णपीतादयः शब्दाः संगृह्यन्ते।

अब निरूढा लक्षणा के उदाहरण दिखलाये जाते हैं—तत्र इत्यादि। उक्त लक्षणाप्रभेदों में से निरूढ लक्षणा के उदाहरण होते हैं—अनुकूल, प्रतिकूल, अनुलोम, प्रतिलोम और लावण्य आदि तथा नील आदि। यहां मूल के प्रथम आदि पद से चित्रगत गज आदि के बोधक गज प्रभृति पद संगृहीत होते हैं. एवम् द्वितीय आदि पद से सभी (नील, पीत, कृष्ण आदि) गुणवाचक वे पद लिए जाते हैं, जो गुणी के बोध कराने के उद्देश्य से बोले जाते हैं।

उपपादयति—

'धर्मस्यायमनुकूलः' इत्यादौ मुख्यार्थस्य कूलानुगतत्वादेर्बाधात् अनादिप्रयोगप्रवाहवशादेकवस्तुप्रवणत्वात्मना कूलानुगतादिरूपशक्यस्य सादृश्येन संबन्धेनानुकूलादिशब्दैरनुगुणादयो लक्ष्यन्ते। एवं नीलादिपदानां लाघवाद्गुणगतजातेरेव शक्यतावच्छेदकतया गुणद्रव्ययोः 'नीलो घटः' इत्यदौ सामानाधिकरण्येनान्वयस्यानुपपत्तेः समवायात्मना गुणरूपशक्यस्य संबन्धेन नीलादिशब्दैर्गुणिनो लक्ष्यन्ते।

अनुकूलपदस्य 'कूलमनुगतः' इति व्युत्पत्तियोगात् कूलानुगतत्वविशिष्टो मुख्यः (वाच्यः) अर्थः। तस्य चार्थस्य 'धर्मस्यायमनुकूलः' इत्यादौ बाधः, एवञ्च तत्र एकवस्तुप्रवणत्व-(तदेकसंसक्तत्व) रूपेण कूलानुगतात्मकानुकूलपदशक्यस्य संबन्धेनानुकूलपदमनुगुणरूपमर्थं लक्षयति, अस्याञ्च लक्षणायाम् तादृशार्थे तस्य पदस्यानादिप्रयोगप्रवाहरूपा रूढिः कारणम्। एवं प्रतिकूलपदस्य 'कूलं प्रतिगतः' इति व्युत्पत्त्या कूलविरुद्धरूपोऽर्थः शक्यः, स च 'धर्मस्यायं प्रतिकूलः' इत्यादौ बाधित इति तस्य पदस्य विरुद्धत्वात्मकेन सादृश्यसंबन्धेन विमुखरूपार्थे रूढिमूला लक्षणा। अनुलोमशब्दस्य 'लोम अनुगतम्' इति व्युत्पत्त्या आनुपूर्व्येण स्थितः कचो वाच्यः। तस्य चार्थस्य 'अनुलोमजातिसंकरः' इत्यादौ बाध इति आनुपूर्व्यात्मकेन सादृश्यसंबन्धेन तादृशव्यक्तिविशेषे लक्षणा। एवं प्रतिलोम-
बाध इति आनुपूर्व्यात्मकेन सादृश्यसंबन्धेन तादृशव्यक्तिविशेषे लक्षणा। एवं प्रतिलोमपदस्य विरुद्धक्रमजातिविशेषवति व्यक्तिविशेषे लक्षणा बोध्या। लवणभाववाचकस्य लावण्यपदस्य च हृदयंगमत्वरूपसादृश्यसम्बन्धेन सुषमाविशेषे लक्षणा ज्ञेया। एवं नीलादिपदानामिति। अयं भावः-'नीलो घटः','नीलं रूपम्', इत्युभयविधव्यवहारस्यानुभविकतया नीलादिपदानां गुणे गुणिनि वा शक्तिरिति विप्रतिपत्तौ गुण एव शक्तिरङ्गीकार्या, आश्रयभेदेन भिन्नानां नीलादिगुणानां शक्यतावच्छेदकत्वस्वीकारापेक्षया गुणगतनीलत्वादिजातेः शक्यतावच्छेदकत्वाङ्गीकारे लाघवात्। एवञ्च गुणवाचकानां नीलादिपदानां द्रव्यवाचकानां घटादिपदानाञ्च 'नीलो घटः' इत्यादौ सहप्रयोगे गुणद्रव्ययोः सामानाधिकरण्यनियामकाभेदेनान्वयस्यानुपपत्तेः समवायरूपेण गुणरूपशक्यस्य सम्बन्धेन नालादिपदानां तद्गुणविशिष्टेषु रूढिमूला लक्षणा भवतीति।

उक्त उदाहरणों में प्रकृतोपयोगी बातों का उपपादन करते हैं—धर्मस्य इत्यादि। 'अनुकूल' पद का मुख्य अर्थ है 'कूल—नदी तट का अनुगत—अनुगामी'। परन्तु यह धर्म का अनुकूल है' इस तरह के वाक्यों में जब हम अनुकूल पद का प्रयोग करते हैं, तब उस पद का उक्त मुख्य अर्थ बाधित प्रतीत होता है क्योंकि नदी-तट का कोई प्रसंग ही वहाँ नहीं है, अतः 'एकवस्तुप्रवणत्व—एक वस्तु की तरफ झुकना' रूप (अनुकूल पद के शक्यार्थ के) सादृश्य-संबन्ध से अनुकूल पद की अनुगुण अर्थ में लक्षणा होती है। प्रतिकूल पद का मुख्य अर्थ है कूलविरुद्ध। परन्तु 'धर्म का प्रतिकूल' इस वाक्य में वह अर्थ बाधित है, अतः विरुद्धत्वरूप सादृश्यसंबन्ध से उक्त पद की विमुख अर्थ में लक्षणा समझी जाती है। अनुलोम पद का मुख्य अर्थ है आनुपूर्व्येण (क्रम से) स्थितकेश। परन्तु 'अनुलोम जाति संकर' इत्यादि स्थल में उक्त अर्थ के बाधित होने से उक्त पद की आनुपूर्व्यात्मक सादृश्यसंबन्धमूलक संकरजातीय व्यक्तिविशेष में लक्षणा होती है।

प्रतिकूल पद की विरुद्धक्रमजातीय व्यक्ति विशेष में लक्षणा होती है। इसी तरह लवण-भाव (नमकीन) अर्थ के वाचक लावण्य पद की हृदयंगमत्व सादृश्यसंबन्ध से सौन्दर्य विशेषमें लक्षणा होती है। ये सभी उदाहरण सादृश्यसंबन्ध-मूलक हैं। अन्यसंबन्ध-मूलक लक्षणा के उदाहरण नील, पीत दिखलाये गये हैं। अभिप्राय यह है कि 'नील घड़े' और 'नील रूप' दोनों तरह के व्यवहार होते हैं। इस स्थिति में उन पदों की शक्ति गुणी (धर्मी—द्रव्य) में मानी जाय अथवा गुण (धर्म) में, यह विचार जब उठता है, तब निष्कर्ष यही निकलता है कि गुण में ही शक्ति मानी जानी चाहिए, क्योंकि गुण को शक्य मानने पर गुणगत-नीलत्व आदि अनुगत जाति को शक्यतावच्छेदक होने से लाघव होता है। गुणी में शक्ति मानने पर तो अननुगत गुणों को शक्यतावच्छेदक हो जाने से गौरव होगा। अब जहां—'नील घड़े' इत्यादि स्थानों पर गुणवाचक (नील आदि) तथा द्रव्यवाचक (घड़े आदि) शब्दों का साथ साथ प्रयोग पाया जाता है, वहाँ सामानाधिकरण्य नियामक अभेद संबन्ध से गुण-द्रव्यों का परस्पर अन्वय नहीं हो सकता, अतः गुणरूप शक्य के समवायात्मक संबन्ध से नील आदि पदों की उन गुणों से युक्त घट आदि द्रव्यों में लक्षणा होती है। उक्त सभी उदाहरणों में लक्षणा का कारण रूढि (अनादि परम्परा) है—अतः ये लक्षणायें रूढिमूला कहलाती हैं।

उक्तेषु निरूढलक्षणोदाहरणेषु विशेषमाह—

तत्राद्यवर्गे सादृश्यसम्बन्धेन द्वितीयवर्गे च तदितरसम्बन्धेन लक्षणायाः प्रवृत्तेर्निरूढायामपि गौणीत्वशुद्धत्वाभ्यां द्वैविध्यमामनन्ति।

आद्यवर्गे—अनुकूलप्रतिकूलादिषु। द्वितीयवर्गे इति। नीलादिष्वित्यर्थः। सादृश्यसम्बन्धमूलिका गौणी, तदितरमूलिका च शुद्धा, लक्षणेति सिद्धान्तः। तथा च अनुकूलप्रतिकूलानुलोमप्रतिलोमलावण्यादिषु पदेषु स्वीकृताया निरूढलक्षणायाः सादृश्यसम्बन्धमूलकत्वेन गौणीत्वम्, नीलपीतादिषु शब्देषु स्वीकृताया लक्षणायाः समवायसम्बन्धमूलकत्वेन शुद्धात्वञ्च प्रसक्तमिति निरूढलक्षणाया अपि गौणीत्वशुद्धात्वभेदेन भेदद्वयं भवतीति भावः। यद्यपि संयोगे सति, 'दण्डी देवदत्तः' इतिवत् सत्यपि सादृश्ये 'सिंहवान् देवदत्तः' इति विशिष्टबुद्धेरदर्शनात् सादृश्यं न सम्बन्धः, विशिष्टधीयोग्यस्यैव सम्बन्धत्वात्, तथा च गौणी न लक्षणाप्रभेद इति केचिदाक्षिपन्ति तथापि चक्षुरादेर्घटनैल्यादिषु संयुक्तसमवायादिवत् विशिष्टबुद्ध्ययोग्यस्यापि तत्सदृशनिष्ठस्य तन्निरूपितसादृश्याधिकरणत्वरूपपरम्परासम्बन्धस्य सम्बन्धत्वाङ्गीकारे बाधकाभावात्, 'उपकृतं बहु तत्रे'त्यादिव्यतिरेकलक्षणास्थले तन्निरूपितविरोधाधिकरणत्वरूपपरम्परासम्बन्धमात्रेण लक्षणाक्लृप्त्या 'साक्षात्सम्बन्धे विशिष्टबुद्धियोग्यसम्बन्धेनासत्येव लक्षणा' इति नियमाभावाच्च, नासावाक्षेपः समुचित इति बोध्यम्। इदं त्वत्रावधारणीयम्—प्राक् सामान्येन निरूढलक्षणामुक्त्वा पश्चात् 'गौणीत्वशुद्धात्वाभ्यां द्वैविध्यमामनन्ती'त्युल्लिखन् मूलकारः पण्डितराजः निरूढलक्षणाया गौणीत्वे स्वकीयामसम्मतिमिव प्रकटयति, तत्र किं बीजमिति।

रूढिमूलक लक्षणा के उक्त दो श्रेणी के उदाहरणों में विशेष दिखलाकर मतभेद का उत्थान करते हैं—तत्राद्यवर्गे इत्यादि। सादृश्यसंबन्धमूलक लक्षणा गौणी और सादृश्य से अन्यसंबन्ध-मूलक लक्षणा शुद्धा कही जाती है, यही जब सिद्धान्त है, तब रूढि-मूलक लक्षणा के भी दो भेद होने चाहिएँ, क्योंकि रूढि-मूलक लक्षणा के जो उदाहरण ऊपर दिखलाये गये हैं, उनमें भी दो श्रेणी के उदाहरण हैं, एक श्रेणी (अनुकूल, प्रतिकूल,

अनुलोम, प्रतिलोम और लावण्य आदि) में लक्षणा का मूल सादृश्य संबन्ध है और दूसरी श्रेणी (नील, पीत आदि) में सादृश्य से अन्य समवायसंबन्ध लक्षणा के मूल हैं। अतः रूढि-मूलक लक्षणा के भी दो भेद (गौणी और शुद्धा) कुछ विद्वान् मानते हैं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि पहले सामान्य रूप से निरूढ लक्षणा का उल्लेख करके पीछे 'कुछ लोग गौणी शुद्धा भेद से निरूढ लक्षणा के भी दो प्रकार मानते हैं' इस तरह लिखते हुए मूलकार ने निरूढ लक्षणा के गौणी भेद में अपनी असम्मति सूचित की है, वह क्यों ?

सारोपसाध्यवसानपदयोरर्थं विवृणोति—

विषयविषयिणोः पृथङ्निर्दिष्टयोरभेद आरोपः। अपृथङ्निर्दिष्टे विषये विषय्यभेदोऽध्यवसानम्। तत्राद्येन सहिता सारोपा। द्वितीयेन तु साध्यवसाना।

विषयविषयिणोरिति। यत्रारोप्यते स विषयः यथा मुखादिः। यः आरोप्यते स विषयी यथा चन्द्रादिः। पृथङ्निर्दिष्टयोरिति। पृथगुच्चरितयोरित्यर्थः, अपृथङ्निर्दिष्टे इति। विषयिणा निगीर्णे इत्यर्थः। आद्येन आरोपेण। द्वितीयेन अध्यवसानेन।

प्रयोजनवती लक्षणा के छः भेद पूर्व में प्रतिपादित हो चुके हैं। उनमें से 'शुद्धा प्रयोजनवती' के दो भेदों—जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था—के उदाहरण तो ध्वनि प्रकरण में दिए जा चुके हैं। रहे चार भेद—गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना। इनके विषय में इतनी बात तो ऊपर के ग्रन्थ से विदित हो ही जाती है कि—लक्षणा जब सादृश्य संबन्ध के रूप में प्रवृत्त होती है, तब गौणी कहलाती है और जब अन्य किसी संबन्ध के रूप में प्रवृत्त होती है तब शुद्धा। अतः अवशिष्ट सारोपा और साध्यवसाना पदों का अर्थ अब बतलाते हैं—विषयविषयिणोः इति। विषय—जिसमें आरोप किया जाता है वह, जैसे मुख आदि—और विषयी—जिसका आरोप किया जाता है वह, जैसे चन्द्र आदि—दोनों का अलग-अलग निर्देश करके किया जानेवाला अभेद 'आरोप' कहलाता है और विषय का अलग निर्देश न करके उसके साथ न किया जाने वाला विषयी का अभेद 'अध्यवसान' कहलाता है। उन दोनों में आरोपसहित लक्षणा सारोपा और अध्यवसान से युक्त लक्षणा साध्यवसाना कही जाती है।

गौण्योः सारोपसाध्यवसानलक्षणयोरुदाहरणे दर्शयति—

उदाहृणानि च 'मुखं चन्द्रः' इत्यादीनि गौण्याः सारोपायाः। 'पुरेऽस्मिन् सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते' इत्यादीनि च तस्याः साध्यवसानायाः।

'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ चन्द्रपदस्य स्वसदृशी लक्षणा, तत्पदशक्यार्थस्येन्दोर्मुखे न सहाभेदान्वयस्य बाधितत्वात्। सा च लक्षणा गौणी, सादृश्यसम्बन्धमूलकत्वात्, सारोपा च, विषयविषयिणोर्मुखचन्द्रयोरुभयोर्निर्देशात्। इयमेव लक्षणा रूपकालंकारस्य बीजम्। पुरेऽस्मिन्निति। अस्मिन् कस्मिंश्चिद् वर्णनीये, पुरे नगरे सौधशिखरे प्रासादोपरिभागे, चन्द्रराजिः इन्दुश्रेणी, चन्द्रराजित्वेनाध्यवसिता कमनीयकामिनीमुखपङ्क्तिरिति यावत्, विराजते विशेषेण शोभते इत्यर्थः। तस्या इति गौण्या इत्यर्थः। अत्रापि चन्द्रशब्दस्य स्वसदृशे (मुखे) लक्षणा, सौधशिखरे चन्द्रस्थितेर्बाधितत्वात्। सा च लक्षणा सादृश्यसम्बन्धमूलकतया गौणी, विषयस्य मुखस्यानिर्देशेन साध्यवसानेति भावः। इयमेव लक्षणा अतिशयोक्त्यलंकारविशेषस्य हेतुः।

अब गौणी सारोपा तथा साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण दिखलाते हैं—उदाहरणानि च इत्यादि। 'मुखचन्द्र' इत्यादि स्थल में चन्द्रपद की स्वसदृश में लक्षणा

होती है, क्योंकि चन्द्रपद के मुख्य अर्थ—इन्दु—का मुख के साथ अभेदान्वय बाधित है। यह लक्षणा सादृश्यसंबन्धमूलक होने से गौणी और विषय मुख तथा विषयी चन्द्र दोनों के पृथक् निर्दिष्ट रहने से सारोपा कही जाती है। यही लक्षणा रूपक अलंकार का बीज है। 'पुरेऽस्मिन्'.........इत्यादि अर्थात् इस नगर में अट्टालिकाओं के शिखरों पर चन्द्रमा की श्रेणी वस्तुतः कामिनी की सुन्दर चमचमाती हुई मुख-पङ्क्ति शोभित होती है' यहाँ भी चन्द्र पद की मुख में सादृश्यसंबन्धरूप लक्षणा है क्योंकि कोठों पर चन्द्रपङ्क्ति की स्थिति बाधित है। परन्तु यहाँ विषय मुख का पृथक् निर्देश नहीं किया गया है—'चन्द्रराजी' पद से ही उसका भी बोध कराया गया है, अतः यह साध्यवसाना कही जाती है। यही लक्षणा अतिशयोक्ति का एक प्रकार का बीज है।

उक्तसारोपास्थलेऽन्वयप्रकारमुपदर्शयति—

अत्राद्यायां विषयिप्रतिपादकैश्चन्द्रादिशब्दैर्लक्षणयोपस्थापितानां चन्द्रादिसदृशानामभेदेन संसर्गेण मुखादिशब्दोपस्थापितैर्मुखत्वादिविशिष्टैर्मुखादिभिरन्वयः।

आद्यायामिति। 'मुखं चन्द्रः' इत्यादिस्थलीयसारोपलक्षणायामित्यर्थः। विषयिप्रतिपादकैरिति। उपमानबोधकैरित्यर्थः। 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ उपमानबोधकैश्चन्द्रादिपदैर्लक्षणया चन्द्रसदृशा उपस्थाप्यन्ते। उपमेयबोधकैर्मुखादिशब्दैश्चाभिधया मुखत्वादिविशिष्टा मुखादयः उपस्थाप्यन्ते। ततश्चोपमानोपमेयबोधकपदोपस्थापितलक्ष्यार्थवाच्यार्थयोरभेदान्वयः सम्पद्यते। तेन 'चन्द्रसदृशाभिन्नं मुखम्' इति शाब्दबोधः फलितः।

गौणी सारोपा लक्षणा के स्थल में शाब्द-बोध—प्रकार का वर्णन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'मुखं चन्द्र' इत्यादि स्थल में विषयिप्रतिपादक—उपमान-बोधक—चन्द्र आदि पदों से लक्षणा के द्वारा सदृश की उपस्थिति होती है और विषय-प्रतिपादक—उपमेयबोधक—मुख आदि पदों से अभिधा के द्वारा मुख आदि की उपस्थिति होती है। उपस्थिति के बाद उन लक्ष्य और वाच्य अर्थों में परस्पर अभेद संबन्ध से अन्वय होता है, अतः 'चन्द्र सदृश से अभिन्न मुख' ऐसा बोध फलित होता है।

ननु सदृशरूपधर्मिलक्षणायां गौरवात् सादृश्यरूपधर्मलक्षणैव कुतो नाङ्गीक्रियत इत्यत आह—

सादृश्यरूपधर्मलक्षणायां तु तेन सह मुखादीनामन्वयो न स्यात्, नामार्थयोरभेदातिरिक्तसंसर्गेण विशेष्यविशेषणभावस्यानुपपत्तेः।

तेनेति। सादृश्यात्मक—लक्ष्यार्थेनेत्यर्थः। अयमाशयः—'मुखं चन्द्रः' इत्यादि गौणसारोपलक्षणोदाहरणे विषयिवाचकस्य चन्द्रादिपदस्य स्वसदृशधर्मादिलक्षणाश्रयणे गौरवापत्तिरिति सादृश्ये धर्म एव लक्षणाऽऽश्रयणीयेति कथनं न युक्तम्, तथा सति चन्द्रपदोपस्थाप्य चन्द्रसादृश्य रूपलक्ष्यार्थस्य मुखपदोपस्थाप्यमुखत्वविशिष्टरूपवाच्यार्थेन सहान्वयाभावप्रसङ्गात्। न च स्वरूपसम्बन्धेनान्वयः सम्भवतीति वाच्यम्, 'नामार्थयोरभेदातिरिक्तः सम्बन्धो व्युत्पन्न' इति नियमस्य जागरूकत्वात्। अभेदान्वय एव भवत्विति तु न वक्तुं शक्यम्, सादृश्यमुखयोरभेदस्य बाधितत्वात्। अतः धर्मिलक्षणैव स्वीकर्तव्येति।

सदृशरूप धर्मी में लक्षणा मानने की अपेक्षा सादृश्यरूप धर्म में लक्षणा मानने पर लाघव है अतः वही क्यों नहीं मानी जाय इस शङ्का का समाधान अब करते हैं—सादृश्य

इत्यादि। 'मुखचन्द्र, इत्यादि स्थल में चन्द्र आदि पद की लक्षणा सदृश-धर्मों में न मानकर सादृश्यरूप धर्ममात्र में मान ली जाय यदि, चन्द्र पद के लक्ष्य अर्थ चन्द्रसादृश्य का मुख पदार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा। यदि आप कहें कि स्वरूप सम्बन्ध से अन्वय हो सकता है, तो वह ठीक नहीं कारण, दो नामार्थों (प्रातिपदिकार्थों) में परस्पर अभेद सम्बन्ध से ही अन्वय होता है अन्य सम्बन्ध से नहीं, ऐसा नियम सर्व-सम्मत है। अभेदान्वय ही हो यह तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सादृश्य और मुख अभिन्न हो नहीं सकता। अतः, सदृशरूप धर्मी में ही चन्द्र आदि उपमान-वाचक पदों की लक्षणा माननी चाहिए।

शङ्कते—

नन्वेवं सति बोधावैलक्षण्याच्चन्द्रसदृशं मुखमित्युपमानो मुखं चन्द्र इति रूपकस्य कथं भेदः। न च सदृशविशेषणचन्द्रसंबन्धासंबन्धाभ्यामिति वाच्यम्। बोधस्य वैलक्षण्यमात्रेण पृथगलङ्कारताया असिद्धेः। अन्यथा मुखं चन्द्र इवेत्यत्र चन्द्रसदृशमित्येतद्गतात्पृथगलङ्कारतापत्तिरिति चेत् ?

एवं सतीति। धर्मिलक्षणयाऽभेदेनान्वयाङ्गीकारे सतीत्यर्थः। धर्मलक्षणया 'नामार्थयो'रिति व्युत्पत्तौ लक्ष्यार्थातिरिक्तनामार्थविषयकत्वेन संकोचमङ्गीकृत्य भेदान्वये तु बोधवैलक्षण्यं संभवतीति भावः। बोधावैलक्षण्येति। उपमायामपि अभेदेनैव बोधादिति भावः। उपमारूपकयोर्भेदसिद्ध्यर्थं बोधवैलक्षण्यं दर्शयति—न चेति। सदृशविशेषणेत्यादि। सदृशे विशेषणीभूतो यश्चन्द्रस्तत्संबन्धतदसंबन्धाभ्याम् संसर्गतया भासमानाभ्यामित्यर्थः। बोधवैलक्षण्यमिति शेषः। बोधवैलक्षण्यमात्रेणालङ्कारभेदं खण्डयति—बोधस्य वैलक्षण्यमात्रेणेति। अन्यथेति। बोधवैलक्षण्यमात्रेणालंकारभेदाङ्गीकारे इत्यर्थः। अयं भावः—गौणसारोपलक्षणास्थले धर्मिलक्षणयाऽभेदान्वयाङ्गीकारे 'मुखं चन्द्रः' इति तादृशलक्षणामूलके रूपके, 'चन्द्रसदृशम् मुख'मित्युपमायाञ्च 'चन्द्रसदृशाभिन्नं मुखम्' इति समानाकारकस्यैव बोधस्य जायमानतया रूपकोपमयोः को भेद इति शङ्का जागर्ति। 'भिन्नपदोपस्थाप्ययोरेवार्थयोः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते' इति नियमेन 'चन्द्रसदृशं मुखम्' इत्युपमास्थले चन्द्रपदात् चन्द्ररूपार्थस्योपस्थितौ, सदृशपदाच्च लक्षणया चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्याश्रयरूपार्थस्योपस्थितौ तयोरभेदः संसर्गमर्यादया भासेत भिन्नपदोपस्थाप्यत्वात्, तथा च 'चन्द्राभिन्नं यत्सदृशं तदभिन्नम् मुखम्' इति बोधः। 'मुखं चन्द्रः' इति रूपकस्थले च चन्द्रपदस्य तत्सदृशे लाक्षणिकतया तस्यैकपदार्थत्वात् संसर्गस्यापि लक्ष्यघटकतया चन्द्रसदृशयोः संबन्धस्य संसर्गविधया न भानमिति तत्र 'चन्द्रसदृशाभिन्नं मुखम्' इति बोधः। एवञ्च रूपकोपमयोर्बोधवैलक्षण्यसिद्ध्या भेदः सिद्ध्येदिति तु न समीचीनम्, बोधवैलक्षण्यमात्रेणालंकारभेदे 'मुखं चन्द्र इव' 'चन्द्रसदृशं मुखम्' इत्युपमालक्ष्यत्वेन सर्वसम्मतयोरपि स्थलयोरलंकारभेदस्याङ्गीकरणीयतापत्तेः, यतः—इवेति निपातस्य द्योतकत्वेन 'चन्द्र इवे'त्यत्र रूपकरीत्या चन्द्रसदृशयोः संबन्धस्य संसर्गमर्यादया न भानमिति प्रागुक्तरूपकस्थलीय एव बोधाकारः। 'चन्द्रसदृशम्' इत्यत्र च पूर्वोपदर्शितो भिन्नाकारो बोध इति तयोः स्थलयोरपि बोधवैलक्षण्यसिद्धिः। 'निपाता वाचकाः' इति पक्षेऽपि इवशब्दः सादृश्यवाचकः सदृशवाचको वेति पक्षद्वयं संभवति परन्तु पक्षद्वयेऽपि

'चन्द्रसदृशम्' इत्यतो बोधवैलक्षण्यं तत्र दुष्परिहरमेव यतः इवपदस्य सादृश्यवाचकत्वपक्षे प्रतियोगित्वस्य संसर्गविधया भानेन 'चन्द्रप्रतियोगिकं सादृश्यम्···' इत्यादिबोधाकारः, 'चन्द्रसदृशम्···' इत्यत्र तु पूर्वोक्त एव। तस्य सदृशवाचकत्वपक्षे 'चन्द्र इव' इत्यत्र स्वप्रतियोगिकाश्रयत्वस्य संसर्गत्वेन भाने 'चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्याश्रयाभिन्नं मुखम्' इति बोधाकारः। 'चन्द्रसदृशम्' इत्यत्र पुनः स एव। इत्थञ्च बोधवैलक्षण्यमात्रेणालंकारभेदाङ्गीकरणकल्पे शिथिलीभूते पूर्वोक्तो 'रूपकोपमयोः कथं भेदः' इति पूर्वः पक्षो यथास्थित इति।

अब एक आशंका उपस्थित की जाती है—नन्वेवम् इत्यादि। अभिप्राय यह है कि—जब आप गौण-सारोपा-लक्षणा के स्थल में चन्द्र आदि पद की धर्मी में लक्षणा मानकर मुख के साथ अभेदान्वय ही मानते हैं, तब 'मुखचन्द्र' इस रूपक तथा 'चन्द्र के समान मुख' इस उपमा—दोनों में 'चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख' यह एक प्रकार का ही बोध होगा, फिर इन दोनों अलंकारों में भेद क्या रहा? अर्थात् इन दोनों स्थलों पर दो भिन्न अलंकार क्यों और कैसे मानते हैं? एक ही क्यों नहीं मान लेते? यदि कोई कहे कि उक्त दोनों स्थलों के बोध में विलक्षणता हो सकती है। कारण, 'भिन्न-भिन्न पदों से उपस्थित होनेवाले दो अर्थों का संबन्ध ही संसर्ग-मर्यादा-संबन्ध-रूप-से भासित होता है' इस नियम के अनुसार 'चन्द्रसदृशमुख' इस उपमा-स्थल में चन्द्र तथा सदृशरूप अर्थों की क्रमशः चन्द्र तथा सदृश पद से उपस्थिति होने से उन दोनों का अभेद, संबन्धरूप से भासित होता है—अर्थात् वहाँ 'चन्द्र से अभिन्न जो सदृश उससे अभिन्न मुख' ऐसा बोध होता है। परन्तु 'मुखचन्द्र' इस रूपकस्थल में चन्द्र पद से ही लक्षणावृत्ति के द्वारा चन्द्र तथा सदृश पदार्थ की उपस्थिति होती है, अतः उन दोनों अर्थों का संबन्ध संबन्धरूप से भासित नहीं होता अर्थात् वहाँ 'चन्द्र सदृश से अभिन्न मुख' यही बोध होता है। इस तरह बोध में वैलक्षण्य सिद्ध हो जाने पर उन अलंकारों में भी भेद सिद्ध होगा। परन्तु यह कथन संगत नहीं है क्योंकि यदि बोध में विलक्षणता होने से अलंकार में भेद सिद्ध किया जाय, तब 'चन्द्र इव मुखम्–चाँद सा मुख और चन्द्रसदृशं मुखम्–चन्द्रतुल्य मुख' इन दोनों स्थानों–जो सर्वसम्मति से उपमा के ही लक्ष्य हैं—में भी दो अलंकार मानने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर भी बोध में विलक्षणता हो जाती है। देखिए—'इव यह निपात है, अतः द्योतक है, इस दृष्टिकोण से विचार करने पर उक्त रूपक स्थलीय रीति से 'चन्द्र इव मुखम्' में—चन्द्र और सदृश पदार्थ का संसर्ग भासित नहीं होगा, फिर तो वैसा ही बोध होगा, जैसा ऊपर रूपकस्थल में दिखलाया गया है और 'चन्द्रसदृशम् मुखम्' में चन्द्र तथा सदृश पदार्थ का संबन्ध (अभेद) भासित होगा, अतः वहाँ का बोध भिन्न तरह का होगा। 'निपात वाचक हैं' अतः 'इव भी वाचक है' इस दृष्टिकोण से भी विचार करने पर बोध में विलक्षणता बनी ही रहती है, जैसे—'इव' सादृश्यवाचक है अथवा सदृशवाचक' यह विकल्प उठता है परन्तु दोनों पक्षों में यहाँ कोई खास लाभदायक अन्तर नहीं होता क्योंकि इव का अर्थ सादृश्य मानने पर उसके साथ चन्द्र का संबन्ध होगा प्रतियोगित्व, जिससे 'चन्द्र इव···' में 'चन्द्रप्रतियोगिक सादृश्य···' इत्यादि रीति से बोध होगा और 'चन्द्र सदृश' इत्यादि में वही बोध रहेगा, जो पहले कहा जा चुका है। 'इव' का अर्थ सदृश करने पर 'चन्द्र इव···' में 'स्वप्रतियोगिकाश्रयत्व' का संबन्धरूप से भान होगा, जिससे बोध होगा 'चन्द्रप्रतियोगिक सादृश्याश्रय से अभिन्न मुख' और 'चन्द्रसदृश···'

में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। इस तरह बोधवैलक्षण्य से अलंकारभेदवाला सिद्धान्त जब शिथिल है तब वह शंका बनी रही कि रूपक और उपमा में क्या भेद है ?

उक्ताशङ्कायाः प्राचामभिमतं मतभेदेन समाधानत्रयं प्रतिपादयिष्यन् तावत् प्रथममतमाह—

अत्र केचित्—'रूपकस्योपमातः स्वरूपसंवेदनांशमादायावैलक्षण्येऽपि लक्षणाफलीभूतताद्रूप्यसंवेदनमादाय वैलक्षण्यं निर्बाधम्। ताद्रूप्यसंवेदनं च विषये मुखादौ विषयितावच्छेदकस्य चन्द्रत्वादेः संप्रत्ययः। ननु लक्षणाप्रयोज्यादपि तत्सदृशबोधात्कथं नाम ताद्रूप्यप्रत्ययः स्यात्, उपायस्याभावाद् भेदज्ञानेन प्रतिबन्धाच्च। अन्यथा चन्द्रसदृशं मुखमित्यत्रापि ताद्रूप्यप्रत्ययप्रसङ्ग इति चेत्, मैवम्। श्लेषस्थल इवात्राप्येकशब्दोपादानोत्थस्य व्यञ्जनस्योपायत्वाद्वैयञ्जनिकबोधस्य बाधबुद्ध्यप्रतिबध्यत्वाच्च। अथ चन्द्रतत्सदृशयोरेवैकपदोपात्तत्वाच्चन्द्रसदृशे चन्द्रताद्रूप्यस्य प्रत्ययो यथाकथञ्चिदस्तु, न तु मुखत्वविशिष्टे मुखे। अनुभवसिद्धश्च सर्वेषां 'वक्त्रे चन्द्रमसि स्थिते किमपरः शीतांशुरुज्जृम्भते' इत्यादौ विषये विषयिताद्रूप्यस्य प्रत्यय इति सत्यम्। स्वताद्रूप्यवदभेदबुद्ध्या स्वताद्रूप्यस्य सुबोधतया तस्मिन्नपि तस्य सिद्धेः' इत्याहुः।

अत्रेति। उक्ताशंकायामित्यर्थः। 'केचित्' इत्यस्य अग्रिमेण 'आहुः' इत्यनेन संबन्धः। स्वरूपसंवेदनेति। शाब्दबोधेत्यर्थः। ताद्रूप्यसंवेदनम् ताद्रूप्यप्रतीतिः। अत्र 'ताद्रूप्यमात्रसंवेदनमित्यर्थः। एतेन भेदाभेदोभयप्रधानोपमा असाधारणरूपेणोपमानोपमेययोर्भेदः, साधारणरूपेण त्वभेद इत्यलंकारसर्वस्वकृद्ग्रन्थविरोध इत्यपास्तम्' इति नागेशः। ताद्रूप्यसंवेदनघटकताद्रूप्यपदार्थं स्फोरयितुमाह—ताद्रूप्यसंवेदनं चेति। शङ्कते—नन्वित्यादि। उपायस्येति। शक्तिलक्षणान्यतररूपस्येत्यर्थः। तत्रापि लक्षणास्वीकारे का बाधेत्यत आह—भेदेति। अन्यथेति। भेदज्ञानस्याप्रतिबन्धकत्वे इत्यर्थः। इत्यत्रापीति। उपमायामपीत्यर्थः। ताद्रूप्येति। ताद्रूप्यमात्रेत्यर्थः। उपायं दर्शयति—श्लेषस्थल इवेत्यादि। प्रतिबन्धकं निरस्यति—वैयञ्जनिकेत्यादि। तत्सदृशयोरेवेति। अत्रैवपदेन मुखत्वविशिष्टमुखव्यवच्छेदः। तदेवाह—न त्विति। सदृशत्वेन रूपेण मुखोपस्थितेः सत्त्वादाह–मुखत्वेति। इष्टापत्तिं परिहरति—अनुभवेति। स्वताद्रूप्यवदिति। चन्द्रताद्रूप्यवान् यः सदृशस्तदभेदबुद्ध्येत्यर्थः। तस्मिन् विषये। तस्य ताद्रूप्यप्रत्ययस्य। अयमभिसन्धिः—'मुखं चन्द्रः' इति रूपके, 'चन्द्रसदृशं मुखम्' इत्युपमायाश्च यद्यपि क्रमशो लक्षणाप्रयोज्यः, अभिधाप्रयोज्यश्चोक्ताकारकः समान एव प्राथमिको बोध इति तदंशमादाय तयोर्न किञ्चिद् वैलक्षण्यम्, तथापि रूपके लक्षणायाः प्रयोजनमूलकतया उक्तप्रथमबोधानन्तरं प्रयोजनभूतः उपमेये मुखे उपमानतावच्छेदकस्य चन्द्रत्वस्य प्रत्ययो व्यञ्जनया जायते, उपमायां तु न तथेति वैलक्षण्यं सिद्ध्यति। रूपकस्थले लक्षणया चन्द्रसदृशस्यैव बोधात् उक्तः प्रयोजनभूतः, प्रत्ययो न भवितुं शक्नोति, तथा प्रत्यये कारणत्वेन संभावितयोः शक्तिलक्षणयोरेकतरस्याप्यभावात्, 'मुखं न चन्द्रः' इति बाधनिश्चयस्य मुखाधिकरणकचन्द्रत्वप्रतीतौ प्रतिबन्धकत्वाच्च। कारणविरहेऽपि प्रतिबन्धकसत्त्वेऽपि च

यदि तत्र तथाप्रतीतिरनुमन्यते तर्हि उक्तोपमायामपि सा स्वीकरणीया स्यात्, तुल्यत्वात्, इति तु न वक्तुं योग्यम्, श्लेषस्थले यथा एकशब्दोपादानोत्था व्यञ्जना श्लेषाधारभूतयोरर्थयोस्ताद्रूप्यबोधे हेतुः, तथा रूपकेऽपि चन्द्रतत्सदृशयोरेकेनैव चन्द्रपदेन लक्षणया उपस्थापनादुत्थिताया व्यञ्जनायाः शक्तिलक्षणयोः समकक्षाया वृत्तेः तयोरेकपदोपस्थितयोरर्थयोस्ताद्रूप्यप्रतीतौ कारणत्वात्, बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककुक्षौ वैयञ्जनिकबोधातिरिक्तत्वनिवेशेन तादृशप्रतीतेरप्रतिबन्धाच्च। उपमायां तु उत्थापकविरहेण व्यञ्जनाया अनुत्थानात्। ननु एकपदोपादान-युक्ति-समुत्था व्यञ्जना यदर्थद्वयबोधकैकपदप्रयुक्ता तदर्थयोरेव ताद्रूप्यं गमयेत्, तथा च प्रकृते चन्द्रसदृशे एव चन्द्रताद्रूप्यस्य प्रतीतिर्व्यञ्जनया, न मुखत्वविशिष्टे मुखे। न च तावतैव सामञ्जस्येनेष्टापत्तिरिति वाच्यम्, 'मुखरूपे चन्द्रे वर्तमाने द्वितीयोऽयं चन्द्रः किमर्थमुदयते' इत्यर्थके 'वक्त्रे चन्द्रमसी'त्यादौ आरोपविषये उपमेये मुखे आरोपविषयिणः उपमानस्य चन्द्रस्य ताद्रूप्यस्य प्रतीतेरनुभवसिद्धत्वादिति चेन्न, चन्द्रताद्रूप्यवान् यः सदृशस्तदभेदस्य मुखे बोधे चन्द्रताद्रूप्यस्यापि तत्र सुबोधत्वात् तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमात् इति। अत्र केचिदित्यनेनारुचिः सूचिता। तद्बीजं तु स्वरूपसंवेदनकृतवैलक्षण्यसंभवेन फलकृतवैलक्षण्यपर्यन्तानुधावनं व्यर्थमिति।

उक्त आशङ्का के समाधान प्राचीनों ने तीन प्रकार से किये हैं। उनमें प्रथम प्रकार पहले दिखलाते हैं—अत्र केचित् इत्यादि। उक्त शङ्का के विषय में कुछ लोगों का कथन है—यद्यपि 'मुखचन्द्र' इस रूपक से 'चन्द्रसदृश मुख' इस उपमा में स्वरूप-संवेदन-प्राथमिक बोध—भिन्न तरह का नहीं होता-अर्थात् रूपकस्थल में लक्षणा मानने पर जैसा बोध होता है, उपमास्थल में लक्षणा नहीं मानने पर भी वैसा ही बोध होता है, अतः उस (प्राथमिक शाब्दबोध) अंश को लेकर उन दोनों स्थानों (रूपक तथा उपमा) में कोई विलक्षणता नहीं होती, तथापि रूपकस्थल में लक्षणा प्रयोजनमूला ही हुई रहती है, अतः प्राथमिक बोध के बाद लक्षणा का प्रयोजन-रूप जो ताद्रूप्य-संवेदन होता है, उस अंश को लेकर होनेवाली विलक्षणता में किसी प्रकार की बाधा नहीं। और 'ताद्रूप्य-संवेदन' से यहाँ अभिप्राय है कि मुख आदि के विषय में विषयितावच्छेदक अर्थात् चन्द्रत्व आदि की सम्यक् प्रतीति। (सारांश यह कि रूपक और उपमा दोनों स्थानों पर यद्यपि पहले 'चन्द्र सदृश मुख' यह एक प्रकार का ही बोध होता है, तथापि रूपक में सादृश्य की उपस्थिति लाक्षणिक चन्द्र आदि पद के द्वारा होती है और उपमा में इव आदि वाचक पद के द्वारा। और रूपकस्थलीय लक्षणा, रूढि के न रहने के कारण प्रयोजनमूलक ही सिद्ध होती है, तदनुसार रूपक में लक्षणा का प्रयोजन होता है चन्द्र तथा मुख में 'अभेद का बोध' और उपमा में लक्षणा नहीं होती, अतः वहाँ प्रयोजन का प्रसङ्ग ही नहीं आता फिर 'अभेद का बोध' भी नहीं होता। फलतः उपमा में केवल सादृश्य का ही बोध होता है और रूपक में लक्षणा के प्रयोजन (अभेद) का भी व्यञ्जना से बोध होता है। यही उक्त दोनों स्थानों में रूपक और उपमा नाम से भिन्न-भिन्न दो अलंकार मानने में युक्ति है।) रूपक-स्थल में लक्षणा के द्वारा चन्द्र आदि पद से चन्द्र सदृश आदि का बोध होता है, तो होवे, परन्तु—उस (चन्द्र सदृश बोध) से ताद्रूप्य (मुख आदि में चन्द्र आदि के अभेद) की प्रतीति कैसे होगी? क्योंकि एक तो उक्त अभेद-बोध को सिद्ध करनेवाला कोई उपाय नहीं है अर्थात् किसी अर्थ के बोध में शक्ति अथवा लक्षणा ही तो कारण

होती है, और यहाँ अभेद अंश में न किसी पद की शक्ति है न लक्षणा, अतः अभेद का बोध नहीं होगा। दूसरा यह कि 'चन्द्रसदृश मुख' यह जो ज्ञान होता है, उसके साथ ही 'मुख चन्द्र नहीं है' इस तरह के भेद का ज्ञान भी होगा ही क्योंकि भेद-ज्ञान, सादृश्यज्ञान का व्यापक है-अर्थात् सादृश्यज्ञान-स्थल में भेदज्ञान रहता ही है और जिन दो पदार्थों में भेद का ज्ञान रहता है, उनमें अभेद का ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि बाधनिश्चय को सभी लोग प्रतिबन्धक मानते हैं। यदि उपाय के अभाव और प्रतिबन्धक की सत्ता में भी उस तरह का अभेद-बोध हो, तब उपमास्थल में भी 'चन्द्रशदृश मुख' इस बोध के बाद उक्त अभेदबोध का प्रसङ्ग होने लगेगा। यह आशङ्का यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे श्लेष-स्थल में अनेक अर्थों के बोध के लिये एक पद का ग्रहण रहने के कारण उठी हुई व्यञ्जना उन दो अर्थों के अभेदज्ञान का उपाय मानी जाती है, उसी तरह यहाँ भी चन्द्र तथा तत्सदृश रूप दो अर्थों के बोध के लिये एक लाक्षणिक चन्द्र पद के ग्रहण द्वारा उत्थित व्यञ्जना (जो अभिधा और लक्षणा के समान ही बोधनियामक वृत्ति है) को उन दोनों अर्थों में अभेदज्ञान का उपाय माना जा सकता है। अब बात रही बाधनिश्चय से प्रतिबन्ध होने की, सो वैयञ्जनिक बोध में बाधनिश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता क्योंकि वैयञ्जनिक बोधातिरिक्त बोध के प्रति ही उसको प्रतिबन्धक माना जाता है। उपमा-स्थल में एक पद का ग्रहण नहीं रहता अपितु दो पदों का, अतः वहाँ व्यञ्जना का उत्थान नहीं होता, यह ध्यान रखना चाहिये। यदि आप कहें कि एकपदोपादानरूप युक्ति से उत्थित व्यञ्जना उस एक पद से अवगत होनेवाले दो अर्थों में ही अभेदबोध करा सकती है, तदनुसार चन्द्ररूप एक पद से अवगत होनेवाले चन्द्रमा तथा तत्सदृश में व्यञ्जना के द्वारा अभेद हो, परन्तु मुखत्व से युक्त मुख में चन्द्र का अभेद कैसे प्रतीत होगा, क्योंकि मुख की उपस्थिति तो उस चन्द्र पद से नहीं होती, और अनुभव से सिद्ध है 'वक्त्रे चन्द्रमसि······इत्यादि अर्थात् मुखरूप चन्द्र की वर्तमानता में यह दूसरा चन्द्र किसलिये उदित होता है' में विषय–उपमेय–मुख में विषयी–उपमान–चन्द्र के अभेद की प्रतीति। तात्पर्य यह कि व्यञ्जना के बल पर चन्द्र तथा चन्द्रसदृश का अभेद ज्ञात होने पर भी चन्द्र तथा मुख का अभेद ज्ञात नहीं हो सकता। तो इसका समाधान यह है कि— कहना आपका यद्यपि सच है, तथापि व्यञ्जना से जब चन्द्र-सदृश में चन्द्र का अभेद ज्ञात हो जायगा, तब जिस मुख को चन्द्रसदृश से अभिन्न समझा जा चुका है, उस मुख में भी चन्द्र का अभेद ज्ञात हो ही जायगा, क्योंकि 'जो जिसके अभिन्न से अभिन्न होता है वह उससे भी अभिन्न होता है' यह एक न्याय-सम्मत बात है। अतः रूपक-स्थल में विषयी का अभेद विषय में अवश्य प्रतीत होता है।

उक्तारुचेर्द्वितीयं मतमुपदर्शयति—

अन्ये तु—'चन्द्रादिपदेभ्यो लक्षणया चन्द्रसदृशत्वेनापि रूपेणोपस्थितानां मुखादीनां चन्द्रत्वेन रूपेणैव मुखादिपदोपस्थापितैः सहाभेदान्वयबोधो जायते। तत्तत्पदलक्षणाज्ञानस्य तत्तत्पदशक्यतावच्छेदकप्रकारकलदयान्वयबोधत्वावच्छिन्नं प्रति हेतुतायाः, पदार्थोपस्थितिशाब्दबोधयोः समानाकारत्वस्यानुभवसाक्षिकवैलक्षण्यकलाक्षणिकबोधातिरिक्तविषयतायाश्च कल्पनात्। अत एव गङ्गायां घोष इत्यत्र तटत्वेनाप्युपस्थितस्य तटस्य गङ्गात्वेनान्वयबोधस्तत्प्रयोज्यः शैत्यपावनत्वादिप्रत्ययश्च संगच्छते। प्रकृते तु विषयिचन्द्रादि-

निष्ठासाधारणगुणवत्त्वप्रत्ययः फलम्। न हि चन्द्रत्वप्रतीतिं विना मुखे चन्द्रत्व-नियतगुणवत्त्वधीः शक्योपपादयितुम्। ताद्रूप्यपदेन तदसाधारणगुणवत्त्वमेव प्राचीनैरुक्तम्। इत्थं च स्वरूपसंवित्तिकृतः फलीभूतसंवित्तिकृतश्चोपमातो रूपकस्य भेदः स्फुट एव' इति वदन्ति।

'अन्ये' इत्यस्याग्रिमेण 'वदन्ति' इत्यनेनान्वयः। चन्द्रादिपदेभ्यः इति। उपमान-वाचकेभ्य इति भावः। लक्षणया इति। गौण्या सारोपया इति भावः, चन्द्रसदृशत्वेनेति। लक्ष्यतावच्छेदकेनेति भावः। चन्द्रत्वेनेति। शक्यतावच्छेदकेनेति भावः। उपस्थापितै-रिति। मुखादिभिरुपमेयैरिति शेषः। ननु प्राचीनाः शक्यसंबन्धप्रकारकलक्ष्यविशेष्यक-शाब्दबुद्धित्वं लक्षणाज्ञानकार्यतावच्छेदकमङ्गीकुर्वन्तीति कथमित्थं बोध इत्यत आह—तत्तत्पदेति। 'तत्तत्पदानां—चन्द्रादीनाम्—या लक्षणा—चन्द्रादिपदनिष्ठा या शक्य-संबन्धरूपा लक्षणा वृत्तिरित्यर्थः, तस्या यद् ज्ञानम् चन्द्रादिपदं तत्सदृशे लाक्षणिकमित्या-कारकम्, तत्, तत्तत्पदशक्यतावच्छेदकः—चन्द्रादिपदशक्यतावच्छेदकः चन्द्रत्वादि-रित्यर्थः प्रकारो यस्मिन् तादृशो यः लक्ष्यान्वयबोधत्वावच्छिन्नः—मुखादिविशेष्यकाः सर्वे बोधाः—तम् प्रति कारणम्' इत्याकारककार्यकारणभावस्येत्यर्थः। एतद् विवृण्वती 'सरला' न समीचीनेति द्रष्टव्यं विज्ञैः। नन्वेवमपि उपस्थितिशाब्दबोधयोः समानाका-रत्वनियमो भज्येत इत्यत आह—पदार्थेति। अनुभवसाक्षिकं वैलक्षण्यं यत्र तादृशो यो लाक्षणिकबोधः तदतिरिक्तविषयताया इत्यर्थः। उक्तकल्पनाया आवश्यकतामाह—अत एवेति। शक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यबोधादेवेत्यर्थः। तटत्वेनापीत्यत्रापिना समीपत्व-समुच्चयः। ननु प्रकृते फलाभाव इत्यत आह—प्रकृते त्विति। असाधारणगुणवत्त्वेति। विजातीयाह्लादकत्वादीत्यर्थः। चन्द्रत्वनियतेति। चन्द्रत्वसमनियतेत्यर्थः। चन्द्रत्वानधि-करणावृत्तीति यावत्। नन्वेवं प्राचीनाभिमतसिद्धान्तविरोधः, ताद्रूप्यसंवेदनस्य तैः फलत्वे-नोक्तत्वादित्यत आह–ताद्रूप्यपदेनेति। इत्थं चेति। रूपकस्थले तादृशे बोधे तथाविधे फले चाङ्गीक्रियमाणे चेत्यर्थः। उपमातो रूपकस्येति। उपमायां तथाबोधाभावात् साधारणस्यैव गुणस्य प्रतीतेश्चेति भावः। अत्रायं विशदोऽर्थः–चन्द्रादिपदनिष्ठलक्षणाज्ञानस्य चन्द्रादिपद-शक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यार्थविशेष्यकबोधं प्रति कारणत्वं कल्प्यते एवम् यत्प्रकारिका यद्वि-शेष्यिकोपस्थितिर्यत्र तत्र तत्प्रकारकः तद्विशेष्यक एव बोध इति नियमस्य लक्षणाजन्यबोधाति-रिक्तविषयकत्वञ्च स्वीक्रियते, लक्षणाजन्योपस्थिति-तज्जन्यबोधयोर्भिन्नाकारत्वस्यानुभवसिद्ध-त्वात्। तेन मुखचन्द्रः इति रूपकस्थले गौणसारोपलक्षणया चन्द्रपदात् चन्द्रसदृशत्वेन रूपेण मुखस्योपस्थितावपि तस्य मुखपदोपस्थापितमुखेन सहान्वयबोधः, चन्द्राभिन्नं मुखमित्याकारकश्चन्द्रत्वेनैव रूपेण भवति। लक्षणास्थले च तादृशः कार्यकारणभावः उपस्थितिशाब्दबोधयोर्भिन्नाकारत्वञ्चाकामेनापि स्वीकरणीयमेव, अन्यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र शैत्यपावनत्वप्रतीतिर्न स्यात्। तत्स्वीकारे तु तटत्वेनाप्युपस्थितस्य तटस्य गङ्गा-त्वेन रूपेणान्वयबोधे तत्प्रयुक्ता तथाविधप्रतीतिरुपपद्येत। ननु तत्र तथाविधप्रतीतिरूप-फलसिद्ध्यर्थं तथाङ्गीकारस्य युक्तत्वेऽपि मुखचन्द्र इत्यादौ तत्स्वीकारे किं फलमिति चेन्न, प्राचीनैस्ताद्रूप्यपदेन विवक्षितस्य विजातीयाह्लादकत्वरूपचन्द्रनिष्ठासाधारणगुणवत्त्वस्य मुखे

प्रतीतेः फलत्वात् । न च मुखे चन्द्रनिष्ठा साधारणगुणवत्त्वप्रतीतिसंपादने तत्र चन्द्राभेद-प्रतीतेः कथमपेक्षेति वाच्यम् , चन्द्रत्वसमनियतगुणवत्त्वप्रतीतेश्चन्द्रत्वप्रतीतिमन्तरोपपाद-यितुमशक्यत्वात् । समनियतवस्तुद्वयमध्यगतमेकं नापरव्यतिरेकेण स्थातुं प्रभवति । एव-ञ्चोपमापेक्षया रूपके न केवलं फलात्मकप्रतीतिकृत एव भेदः अपि तु प्राथमिकस्वरूपप्रती-तिकृतोऽपीति । अत्रापि मते ग्रन्थकृतोऽरुचिः प्रतीयते । तद्बीजं तु प्रसिद्धिविरुद्धस्योक्त-कार्यकारणभावस्य उपस्थितिशाब्दबोधयोर्भिन्नाकारत्वस्य चास्वीकारेऽपि सामञ्जस्यं सम्भव-तीति बोध्यम् ।

पूर्वमत में लक्षणा के फलरूप से प्रतीत होनेवाले विशेष के आधार पर उपमा रूपक में विलक्षणता दिखलाई गई है, परन्तु शाब्दबोध में भी जब वैलक्षण्य हो सकता है, तब फलकृत वैलक्षण्यपर्यन्त अनुधावन व्यर्थ है, इस अरुचि को ध्यान में रखकर द्वितीय मत का उल्लेख करते हैं—अन्ये तु इत्यादि । अन्य विद्वान् उपमा से रूपक में भेद दिखलाने के लिये निम्नलिखित बातें कहते हैं। रूपकस्थल (मुखचन्द्र) में चन्द्र आदि पद की चन्द्रसदृशरूप अर्थ में गौणी सारोपा लक्षणा हुई रहती है, अतः चन्द्र पद से-मुख आदि की ही सही-परन्तु 'चन्द्र-सदृशत्व' रूप से प्रतीति होती है अर्थात् लक्षणा के द्वारा चन्द्रसदृश का ही ज्ञान होता है, केवल चन्द्र किंवा मुख का नहीं, यह बात यद्यपि सत्य है, तथापि उक्त रूपकस्थल में मुख आदि पदों से मुखत्वविशिष्ट रूप में उपस्थित मुख आदि अर्थों के साथ चन्द्र पदार्थ का चन्द्रत्वरूप से ही अभेदान्वय होता है, चन्द्रसदृशत्वरूप से नहीं। तात्पर्य यह कि 'मुखचन्द्र' इत्यादि वाक्य से अर्थ की उपस्थिति 'चन्द्र सदृश मुख' इस रूप में होती है, परन्तु अन्वयज्ञान 'चन्द्र से अभिन्न मुख' इसी रूप में होता है अर्थात् ऐसे स्थानों पर अर्थ की उपस्थिति अन्य रूप से और अन्वयबोध अन्य रूप से होते हैं। यदि कोई कहे कि यह कैसे हो सकता है ? अर्थात् मुखचन्द्र इत्यादि रूपकस्थल में उपस्थिति 'चन्द्रसदृश मुख' की और अन्वयबोध 'चन्द्राभिन्न मुख' का कैसे बन सकते हैं ? क्योंकि प्राचीन आचार्यों ने लक्षणाज्ञान को शक्यसंबन्धप्रकारक लक्ष्यविशेष्यक बोध के प्रति ही कारण माना है, तदनुसार उक्त स्थान पर 'चन्द्र सदृश से अभिन्न मुख' इस एक रूप में ही अर्थ की उपस्थिति तथा अन्वयबोध दोनों होने चाहिएँ। साथ-साथ प्राचीनों ने उपस्थिति और शाब्दबोध में समानरूपता का सिद्धान्त माना है अर्थात् किसी पद से जिस रूप में जिस अर्थ की उपस्थिति होती है, उसी रूप में उस अर्थ का अन्वयबोध भी होता है, ऐसा सिद्धान्त स्वीकार किया है। तदनुसार भी उक्तस्थल में पदार्थोपस्थिति तथा शाब्दबोध में एकरूपता ही होनी चाहिए, आपके कथनानुसार विभिन्न-रूपता नहीं। तो इसका समाधान यह है कि लक्षणा-ज्ञान को लाक्षणिक पद-शक्यता-वच्छेदक अर्थात् चन्द्रत्व आदिप्रकारक और लक्ष्य अर्थात् मुख-आदिविशेष्यक बोध के प्रति कारण मानते हैं और उपस्थितिशाब्दबोध की समानरूपतावाले सिद्धान्त को लाक्षणिक पदजन्य बोध से अतिरिक्त विषय में ही स्वीकार करते हैं अर्थात् सामान्य नियम यद्यपि ऐसा है कि उपस्थिति और शाब्दबोध एकरूप हो, तथापि लक्षणा के स्थान पर उन दोनों में भिन्नरूपता भी हो सकती है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा इसलिये मानते हैं कि लक्षणास्थल पर उपस्थिति तथा शाब्दबोध में भिन्नरूपता अनुभव से सिद्ध है। इस तरह की हमारी मान्यता के आधार पर ही 'गङ्गा में घोष (बथान-गाँव)' इस प्रसिद्ध लक्षणा के उदाहरण में लाक्षणिक गङ्गा पद से उपस्थिति तटत्वरूप से अथवा सामीप्यरूप

से तट की होती है और घोष पदार्थ के साथ अन्वयबोध गङ्गात्वरूप से होता है, जिससे शीतलता तथा पावनता की अभिव्यक्ति होती है' यह विश्लेषण संगत होता है। अन्यथा (लक्षणाज्ञान को शक्यसंबन्धप्रकारक अन्वय-बोध के प्रति कारण तथा उपस्थिति-शाब्द-बोध में एकरूपतावाले सिद्धान्त को मान लेने पर) उक्त विश्लेषण की असंगति स्पष्ट है। यदि आप कहें कि वहाँ तो शीतलता आदि की अभिव्यक्ति एक फल है, अतः वैसा माना जा सकता है, परन्तु प्रकृत में तो कुछ फल है नहीं, फिर वैसा क्यों माना जाय? तो इसके उत्तर में प्रकृत पक्षवालों का विनम्र कथन है कि यहाँ भी विषयी अर्थात् उपमान-चन्द्र आदि में रहनेवाले असाधारण गुण (विजातीय आह्लादकत्व आदि) की मुख में प्रतीति होना फल है। यदि आप कहें कि इस फल के लिये मुख में चन्द्रत्व की प्रतीति कराने का क्या प्रयोजन है? चन्द्रसादृश्य की प्रतीति होने पर भी उक्त फल की सिद्धि क्यों नहीं होगी? तो इसका उत्तर यह है कि जो गुण चन्द्रत्व के समनियत हैं अर्थात् चन्द्रत्व के साथ ही जो गुण रह सकते हैं, उसके बिना नहीं, उन गुणों की प्रतीति मुख में तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसमें चन्द्रत्व की प्रतीति न हो जाय। तात्पर्य यह कि मुख में चन्द्रगत आह्लादकत्व आदि गुणों की प्रतीति सिद्ध करने के लिये पहले उसमें चन्द्रत्व की प्रतीति को सिद्ध करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। पूर्वमत में ताद्रूप्यप्रतीति को जो प्रयोजन कहा गया है, उसमें ताद्रूप्य पद से असाधारण गुण ही विवक्षित हैं। इस तरह उपमा से रूपक में स्वरूपसंवित्ति (प्राथमिक शाब्दबोध) और फलीभूत संवित्ति (लक्षणाप्रयोजन की प्रतीति) दोनों ही विलक्षण होते हैं, अतः दोनों में भेद स्पष्ट है।

उक्तसामञ्जस्यसाधकं तृतीयं मतमाह—

अपरे तु—'भेदकरम्बितं सादृश्यमुपमाजीवातुभूतम्, भेदाकरम्बितं च गणसारोपलक्षणाया इति स्फुटे भेदे कृतं फलकृतवैलक्षण्यपर्यन्तानुधावनेन। पक्षेऽस्मिन्भेदगर्भसादृश्यप्रतिपत्तेस्ताद्रूप्यप्रतीतिः कथं नाम फलं भवितुमीष्टे इत्यनुपपत्तिं परिहर्तुमायासोऽपि नापततीत्यपरमनुकूलम्' इत्यप्याहुः।

करम्बितं विशिष्टम्। सादृश्यस्य धर्मरूपत्वेऽतिरिक्तत्वे च भेदागर्भत्वादिति भावः, जीवातुर्जीवनौषधम्। उपमाप्रयोजकमिति पिण्डार्थः। स्फुटे भेदे इति। उपमायां चन्द्राभिन्नं चन्द्रसदृशमिति बोधः। रूपके तु चन्द्रसदृशमित्येवेति भावः। पक्षेऽस्मिन्निति। अस्य अपरमनुकूलमित्यत्र संबन्धः। तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम् सादृश्यमित्येकः पक्षः। तन्मतानुसारेणोपमायाः प्रयोजकं सादृश्यं भेदाभेदघटितमिति तत्रत्यबोधे भेदो भासते। सादृश्यं नोक्ताकारम् अपि तु धर्मान्तरमेवाखण्डमिति द्वितीयः पक्षः। तद्रीत्या रूपकस्य प्रयोजकं सादृश्यं न भेदघटितमिति तत्रत्यबोधे भेदो न भासते। एवञ्चोपमारूपकयोः स्वरूप एव भेदः सिद्ध्यतीति पश्चात्कालिकवैयञ्जनिकबोधविषयीभूतफलवैलक्षण्यमादाय तयोः भेदसाधनायासो विफल एव। एतद्रीत्यनुसरणेऽयमपि लाभो यत् मुखचन्द्रः इत्यादिरूपके लक्षणायाः प्रयोजनमूलकतया, व्यञ्जनया मुखे चन्द्रताद्रूप्यप्रतीतिरिति प्रयोजनं यदुक्तम्, तत्र विषये पूर्वमतयोः 'व्यञ्जनयाऽपि मुखे चन्द्रताद्रूप्यप्रतीतिः कथं स्यात्? लक्षणया भेदघटितसादृश्यभानेन तस्या बाधितत्वात्' इति शंकायां जागरितायां तत्समाधानाय बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककुक्षौ वैयञ्जनिकबोधातिरिक्तविषयत्वनिवेशः कर्तव्यो भवति यथा, तथा नास्मिन्

मते भेदाघटितस्यैव सादृश्यस्यात्र कल्पे स्वीकारेणोक्तनिवेशं विनापि ताद्रूप्यप्रतीतेः सम्भवाद् इति भावः ।

अनुपदोक्त द्वितीय मत में भी ग्रन्थकार की अरुचि-सी प्रतीति होती है जिसका कारण यह ज्ञात होता है कि अप्रसिद्ध कार्यकारणभाव तथा उपस्थिति-शाब्द-बोध की भिन्नरूपता को अस्वीकृत करने पर भी जब निर्वाह हो सकता है, तब व्यर्थ उन दोनों बातों का स्वीकार क्यों किया जाय ? अत एव अब तृतीय मत का उल्लेख करते हैं—अपरे तु इत्यादि । कतिपय विद्वानों का कथन है कि जब सादृश्य पदार्थ के स्वरूप के विषय में दो मत मान्य हैं जिनमें एक के अनुसार 'उससे भिन्न होकर उसमें रहनेवाले अधिकतर धर्मों से युक्त होना' ही सादृश्य पदार्थ है और दूसरे के अनुसार सादृश्य एक अखण्ड भिन्न धर्म ही है । तब क्यों नहीं इन दोनों मतों के अनुसार उपमा और रूपक को विभक्त कर दिया जाय ? अर्थात् प्रथम-मत-सिद्ध भेद तथा अभेद दोनों में सम्मिलित सादृश्य पदार्थ को उपमा का प्रयोजक मान लिया जाय और द्वितीय-मत-सिद्ध भेदांशरहित सादृश्य पदार्थ को रूपक का नियामक समझा जाय । तदनुसार 'चन्द्रसदृश मुख' इत्यादि उपमा-स्थल में 'चन्द्र से भिन्न होकर भी 'चन्द्रवृत्तिगुणयुक्त मुख' और 'मुखचन्द्र' इत्यादि रूपक-स्थल में केवल 'चन्द्रवृत्तिगुणयुक्त मुख' ये दो प्रकार के बोध होंगे । इस तरह से जब स्वरूप संवेदन-प्रयुक्त भेद ही दोनों स्थलों पर स्पष्ट हो जाता है, तब फल-प्रयुक्त भेद का अनुसरण निरर्थक है । 'लक्षणा से जब भेदघटित सादृश्य की प्रतीति पहले हो जाती है, तब पीछे व्यञ्जना से भी ताद्रूप्य (अभेद) की प्रतीति कैसे होगी' इस आशंका के उत्तर में पूर्व के दोनों मत वालों को जो यह कहना पड़ता था कि 'वैयञ्जनिक बोध में बाध-निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता' वह भी इस मत में नहीं कहना पड़ता, क्योंकि इसके अनुसार भेद से अमिश्रित सादृश्य का ही बोध रूपकस्थल में लक्षणा से माना जाता है ।

प्राचीनमतवर्णनसमाप्तिं सूचयन्नाह—

तदित्थं प्राचामाशयो मतभेदेन वर्णितः ।

इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण । आशयः अभिप्रायः । मतभेदेनेति । 'केचित्', 'अन्ये', 'अपरे' इति त्रिभिः प्रतीकैः प्रतिपादितेन मतत्रयेणेत्यर्थः ।

अब प्राचीन तीन मत की व्याख्या को समाप्त करने की सूचना देते हैं—तदित्थमित्यादि । 'केचित्', 'अन्ये' और 'अपरे' इन तीनों प्रतीकों के द्वारा प्राचीन आचार्यों के अभिप्रायों का वर्णन किया जा चुका ।

खण्डयितुं नवीनमतं प्रपञ्चयति—

नव्यास्तु—'मुखं चन्द्रः, वाहीको गौः' इत्यादौ चन्द्रादीनां मुखादिभिः सह संभवति लक्षणां विनैवाभेदेन संसर्गेणान्वयबोधः । बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककोटावनाहार्यत्वस्येव शाब्दान्यत्वस्यापि निवेश्यत्वात् । अत एव 'अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि' इति प्राचां प्रवादोऽपि संगच्छते न च 'वह्निना सिञ्चति' इत्यतो वाक्यादपि शाब्दबोधापत्तिः । योग्यताज्ञानविरहात् । मुखं चन्द्रः, गौर्वाहीकः, इत्यादौ त्विष्टचमत्कारप्रयोजकताज्ञानाधीनाया इच्छायाः सत्त्वादाहार्ययोग्यताज्ञानसाम्राज्यम् । अत एव शाब्दबोधे योग्यताज्ञानस्य कारणत्वोक्तिः प्राचां संगच्छते ।

नव्या इति। अप्पयदीक्षितादय इत्यर्थः। अस्य दूरस्थेन 'आहुः' इति क्रियापदेनान्वयः। ननु मुखं न चन्द्र इत्यादिबाधज्ञानसत्त्वेन कथं तथाबोध इत्यत आह—बाधेति। अनाहार्येति। बाधज्ञानसत्त्वेऽपि इच्छारूपोत्तेजकवशादाहार्यस्य जायमानत्वादिति भावः। इदमिन्द्रियसन्निकर्षाजन्यत्वदोषविशेषाजन्यत्वयोरप्युपलक्षणम्। अत एवेति। तथानिवेशादेवेत्यर्थः। अत्यन्तासत्यपीति। पदार्थे सर्वथाऽऽवर्तमानेऽपि शब्दात्तदर्थविषयको बोधो भवत्येवेति तदर्थः। अत एव 'शशशृङ्गं पश्य' इत्यादिवाक्यश्रवणोत्तरं लोकानां दर्शनोन्मुखी प्रवृत्तिः संगच्छते। प्रसिद्धे शृङ्गपदार्थे शशीयत्वभ्रमेण तादृशी प्रवृत्तिरिति केचित्। बाह्यार्थे बाधितेऽपि बौद्धार्थस्याबाधितस्य सत्त्वात्तथेत्यपि बहवः। न चेत्यस्यैवमिति शेषः। शाब्दान्यत्वनिवेशे इति तदर्थः। योग्यताज्ञानविरहादिति। योग्यता च परस्परसंबन्धे बाधाभावः। 'पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता।' इत्यन्ये। एकपदार्थेऽपरपदार्थसंबन्धो योग्यतेति तदर्थः। नन्वेवं प्रकृतेऽपि योग्यताज्ञानाभावात्कथं बोधोऽत आह—मुखमिति। इष्टेति। इष्टः अभिलषितः यः चमत्कारः लोकोत्तराह्लाद इत्यर्थः। ज्ञानेति। 'चन्द्राभिन्नं मुखमित्यादिबोधश्चमत्कारप्रयोजकः' इत्याद्याकारकेत्यर्थः। इच्छाया इति। चन्द्रप्रतियोगिकाभेदसंबन्धवन्मुखमिति बोधो मे जायताम्' इत्याकारिकाया इत्यर्थः। आहार्येति। बाधकालीनेच्छाजन्येत्यर्थः। योग्यताज्ञानेति। 'चन्द्रप्रतियोगिकाभेदसम्बन्धवन्मुखम्' इत्याद्याकारकेत्यर्थः। अत एवेति। बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वनिवेशादेवेत्यर्थः। शाब्दबोधे शाब्दबोधत्वावच्छिन्ने। अयमभिप्रायः—'मुखं चन्द्रः' इत्यादीनि यानि गौणसारोपालक्षणोदाहरणत्वेन प्राचामभिमतानि तेषु लक्षणा नावश्यकी, ननु लक्षणां विना 'मुखं न चन्द्रः' इत्यादिबाधनिश्चये वर्तमाने चन्द्रमुखादिपदवाच्यार्थयोः कथमभेदान्वयबोधः, तद्वत्ताबुद्धिं प्रति तदभाववत्तात्मकबाधनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वादिति चेन्न, बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदकदले यथा अनाहार्यत्वादिकं निवेश्यते, तथा शाब्दान्यत्वस्यापि निवेशनीयत्वात्—अर्थात् 'लौकिकसंनिकर्षाजन्यदोषविशेषाजन्यानाहार्यशाब्दान्यबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति बाधनिश्चयः प्रतिबन्धकः' इत्याकारकस्यैव प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावस्य स्वीकारात्। तथा च बाधितार्थविषयकोऽपि शाब्दबोध उक्ताकारकः स्यादेव। 'अत्यन्ता सत्यपि' इति प्राचीनोक्तिरपि अत एव संगता भवति। शाब्दबोधस्यापि बोधनिश्चयेन प्रतिबन्धे तदसंगतिः स्पष्टैव। न चैवं रीत्या 'वह्निना सिञ्चति' इति वाक्यादपि 'वह्निकरणकः सेकः' इत्याकारको बाधितार्थविषयकः शाब्दबोध आपद्येत इति वाच्यम्, शाब्दबोधकारणेष्वन्यतमस्य योग्यताज्ञानस्य विरहेण तथाबोधापत्तेरभावात्। 'करणक्रियाभावसंबन्धेन वह्निमान् सेकः' इत्याकारकं योग्यताज्ञानं नास्तीति तात्पर्यम्, अथ मुखं चन्द्र इत्यादावपि योग्यताज्ञानं नास्त्येवेति कथं तत्र तादृशो बोध उपपाद्यते इति तु नाशङ्क्यम्' स्वाभाविकयोग्यताज्ञानासत्त्वेऽपि आहार्ययोग्यताज्ञानस्य सत्त्वात् वह्निना सिञ्चतीत्यत्र तु नाहार्ययोग्यताज्ञानस्यापि संभवः, तज्जनकेच्छाया विरहात् निष्प्रयोजनेच्छाया अदर्शनात्। मुखं चन्द्र इत्यादौ तु जायते योग्यता ज्ञानेच्छा, इष्टचमत्कारप्रयोजकज्ञानप्रयोज्यत्वेन तस्यास्तत्र सप्रयोजनत्वात्। 'शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्ने

योग्यताज्ञानं कारणम्' इति कार्यकारणभावः प्राचीनाभिमतः, बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वनिवेशस्वीकारादेव संगन्तुमीष्टे । अन्यथा तु तादृशकार्यकारणभावारणीयस्य शाब्दबोधस्य बाधनिश्चयरूपप्रतिबन्धकेनैव वारणे तदसंगतिरेवापतेद् इति ।

अप्पयदीक्षित आदि नवीन विद्वान, उक्त उपमा और रूपक में भेद सिद्ध करने के लिये कुछ नवीन ही युक्ति बतलाते हैं जिसका खण्डन यद्यपि आगे ग्रन्थकार को करना है तथापि खण्डन करने के लिये ही पहले उनके मत का उपपादन करते हैं--नव्यास्तु इत्यादि। नवीन विद्वानों का कथन है कि 'मुख चन्द्र है' 'वाहीक (बैल का चरवाहा) गो (बैल) है' इत्यादि जो गौण सारोपलक्षणा के प्राचीनाभिमत उदाहरण हैं, उनमें लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहें कि 'वह है' इत्यादि बोध के प्रति 'वह नहीं है' इत्यादि बाधनिश्चय प्रतिबन्धक होता है, इस नियम के अनुसार 'मुख चन्द्र नहीं है', 'वाहीक गो नहीं है' इत्यादि बाध-निश्चय-दशा में लक्षणा के बिना (लक्षणा के द्वारा चन्द्र आदि पदों का तत्सदृश अर्थ नहीं करने पर) 'मुख चन्द्र से अभिन्न है', 'वाहीक गो से अभिन्न है' इत्यादि तरह के अभेदान्वयबोध कैसे हो सकते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि बाध-निश्चय से प्रतिबद्ध होनेवाले ज्ञान के पीछे जिस तरह अनाहार्य आदि विशेषण जोड़े जाते हैं, उसी तरह शाब्दबोध से अन्य यह एक और विशेषण जोड़ना चाहिए। तात्पर्य यह है कि 'शुक्ति रजत नहीं है' इस बाधनिश्चय के रहने पर भी 'मुझे इस शुक्ति में रजत की बुद्धि होवे' इस इच्छा के बल से जो शुक्ति के विषय में 'यह रजत है' इस तरह का ज्ञान होता है, उसी को आहार्य ज्ञान कहते हैं, वह बाध-निश्चय से नहीं रुकता, अतः बाधनिश्चय-प्रतिबध्यतावच्छेदक-कोटि में अनाहार्यत्व का निवेश किया जाता है। उसी तरह जब उक्त कोटि में शाब्दान्यत्व का भी निवेश कर दिया जायगा, तब बाधितार्थविषयक भी शाब्दज्ञान होगा। अतएव प्राचीनों ने जो यह कहा है कि 'अर्थ की अत्यन्त अवर्तमानता अवस्था में भी शब्द अपना कार्य करता ही है—अपने अर्थ का ज्ञान कराता ही है'-वह भी संगत होता है। यदि बाध-निश्चय से शाब्दज्ञान भी रुकता, तब तो उक्त कथन असंगत ही होता, क्योंकि जो अर्थ (जैसे वन्ध्या का पुत्र) संसार में है ही नहीं, वह तो सर्वथा बाधित है, फिर शब्द से उसके ज्ञान की बात कैसे कही जा सकती है ? यदि कहा जाय कि बाधित अर्थ का भी शाब्दबोध मानने पर 'आग से सींचता है' इस वाक्य से भी 'अग्निकरणक सेचन' यह शाब्दबोध होने लगेगा। तो इसका समाधान यह है कि शब्द-बोध के अनेक कारणों में से एक जो बाधाभावरूप योग्यता का ज्ञान है, उसके नहीं रहने से उक्त शाब्दबोध नहीं होगा-अर्थात् सेचन किसी तरल वस्तु से ही हो सकता है, आग से नहीं इस तरह का बाध-निश्चय रहने पर बाधाभावरूप योग्यता का ज्ञान—जो शाब्दबोध के कारणों में से एक है—हो नहीं सकता, अतः उक्त बोध की आपत्ति नहीं दी जा सकती। इस पर आप कह सकते हैं कि 'मुख चन्द्र है' इत्यादि स्थल में भी तो बाधनिश्चय है अतः बाधाभावरूप योग्यता का ज्ञान होगा नहीं, फिर कैसे वहाँ लक्षणा के बिना अभेदबोध की बात करते हैं ? तो मैं कहूँगा कि कहना आपका सत्य है, परन्तु यहाँ आहार्य (बाधकालिक इच्छाजन्य) योग्यता-ज्ञान हो जाता है। यदि आप कहें कि यह तो आपने ऐसी बात कही, जिसके अनुसार पुनः 'आग से सींचता है' यहाँ भी बाधित अर्थ का बोध प्राप्त हो जायगा अर्थात् आहार्य योग्यता-ज्ञान वहाँ भी मान लिया जा सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि नहीं भाई, वहाँ आहार्य योग्यता-ज्ञान भी नहीं हो सकता। कारण, बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान को

ही तो आहार्य कहते हैं, और किसी वस्तु की इच्छा निष्प्रयोजन होती नहीं, अतः वहाँ जननी इच्छा का अभाव रहता है। आप कहेंगे कि–'मुख चन्द्र है' इत्यादि स्थल में कौन सा प्रयोजन है, जो बाधकालिक ज्ञान की जननी इच्छा को उत्पन्न करता है ? तो मैं कहूँगा-'हाँ' वहाँ यह ज्ञान है कि 'मुख चन्द्र से अभिन्न है' इत्याकारक ज्ञान, चमत्कार (अलौकिक आनन्द) का प्रयोजक (परम्परया कारण) है।' अतः 'चन्द्र से अभिन्न मुख'—इस तरह का ज्ञान मुझे होवे यह इच्छा होती है। बाधनिश्चय से रुकनेवाले ज्ञान के पीछे शाब्दान्य विशेषण जोड़ने की बात मान लेने पर ही 'योग्यताज्ञान, शाब्दबोध में कारण है' यह प्राचीनों की उक्ति संगत होती है। अभिप्राय यह है कि बाधनिश्चय रहने पर शाब्दबोध न होवे इसलिये बाधाभाव-रूपयोग्यता-ज्ञान को शाब्द-बोध के प्रति कारण माना जाता है। अब आप सोचिये कि यदि बाध-निश्चय-प्रतिबध्यतावच्छेदक कोटि में शाब्दान्यत्व निवेश नहीं किया जाता अर्थात् शाब्दज्ञान भी बाधनिश्चय से रोका जाता, तब तो उसीसे वह रुक ही जाता फिर उसको रोकने के लिये योग्यताज्ञान को कारण मानना व्यर्थ हो जाता।

मुखं चन्द्र इत्यादौ लक्षणां विनैवाभेदान्वयबोधोपपादकं प्रकारान्तरमाह—

आहार्य एव वाऽभेदान्वयबोधोऽस्तु। मास्तु बाध-बुद्धि-प्रतिबध्यताव-च्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वम्। मा चास्तु शाब्दबुद्धौ योग्यताज्ञानस्य कारणत्वम्। आहार्यं प्रात्यक्षिकमेवेति नियमश्च।

नियमश्चेति। अस्य 'मा चास्तु' इति पूर्वतनेन क्रियापदेनान्वयः। अयं भावः—आहार्ययोग्यताज्ञानकल्पनेन मुखं चन्द्र इत्यादौ वाच्यार्थयोरभेदान्वयबोधोपपादने गौर-वञ्चेदुद्भाव्यते, तर्हि तत्र वाच्यार्थयोरभेदान्वयबोध एवाहार्योऽङ्गीकार्यः। अर्थात् मुखं न चन्द्रः इति बाधनिश्चयदशायामपि 'चन्द्राभिन्नं मुखम्' इति बोधो जायताम् इतीच्छया तादृशः शाब्दबोधो भवतु। बाधनिश्चयस्तु न तं बोधं प्रतिबध्नीयात्, तदीयप्रतिबध्यता-वच्छेदककुक्षौ अनाहार्यत्वस्य निविष्टत्वात्। एवञ्च बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वनिवेशोऽपि न कर्त्तव्यो भवतीति द्वितीयं लाघवम्। अथ च अनाहार्यस्य बाधितार्थविषयकस्य शाब्दबोधस्य बाधनिश्चयेनैव प्रतिबन्धे, आहार्यस्य च तस्येष्टत्वे, योग्यताज्ञानस्य शाब्दबोधे कारणत्वमपि नाश्रयणीयं भवतीति तृतीयं लाघवम्। ननु प्रत्यक्षजन्यमेव ज्ञानमाहार्यं भवतीति नियमव्याकोपोऽत्र बाधक इति चेन्न, तस्य नियमस्य स्वीकारात्, अतिशयोक्त्यादिषु बहुषु अलंकारेषु आहार्यशाब्दबोधस्यानुभवसिद्धत्वाद् इति।

सारोपा लक्षणा के स्थल में अर्थात् 'मुखचन्द्र' इत्यादि रूपक में लक्षणा के बिना भी अभेदान्वय हो सकता है, इस बात को सिद्ध करने के लिये नवीन विद्वानों के द्वारा दी गई एक दूसरी युक्ति का उल्लेख करते हैं—आहार्य एव इत्यादि। आहार्य योग्यता-ज्ञान मान कर रूपक स्थल में लक्षणा के बिना वाच्य दो अर्थों के ही अभेदान्वय को उपपन्न करने में यदि आप गौरव की उद्भावना करें, तो छोड़िये उस बात को। वहाँ दो बाधित वाच्य अर्थों के अभेदान्वय-बोध को ही आहार्य मान लीजिये। अर्थात् 'मुख चन्द्र नहीं है' इस तरह के बाधनिश्चय की दशा में भी 'चन्द्र से अभिन्न मुख' इत्याकारक बोध मुझे होवे, इस इच्छा से वैसा शाब्दबोध हो जाय। बाधनिश्चय तो उस बोध को रोक नहीं सकता, क्योंकि बाधनिश्चय से रुकने वाले ज्ञान के पीछे 'अनाहार्य' विशेषण जुड़ा हुआ है। इस रीति को अङ्गीकृत करने पर बाध-

निश्चय से रुकनेवाले ज्ञान के पीछे 'शाब्दज्ञान से अन्य' यह विशेषण भी नहीं जोड़ना पड़ता यह दूसरा लाघव है। और बाधित अर्थविषयक अनाहार्य शाब्दबोध, अब बाध-निश्चय की प्रतिबन्धकता से ही रुक जायगा, तथा बाधित अर्थविषयक भी आहार्य शाब्दबोध इष्ट हो गया, अतः शाब्दबोध के प्रति योग्यताज्ञान को कारण मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, यह तृतीय लाघव है। यदि कोई कहे कि 'प्रत्यक्ष-ज्ञान ही आहार्य होता है, शाब्दबोध आदि परोक्ष ज्ञान नहीं' यह जो एक नियम है शाब्दबोध को आहार्य मानने पर उसका विरोध होगा, तो इसके उत्तर में कहना है कि उस नियम को मैं नहीं मानता अर्थात् परोक्ष ज्ञान को भी मैं आहार्य मानता हूँ, अतिशयोक्ति आदि कतिपय अलंकारों में आहार्य शाब्दबोध अनुभव-सिद्ध है।

उक्तार्थं द्रढयितुमाह—

अवश्यं मुखचन्द्र इत्यादौ पराभिमतसारोपलक्षणोदाहरणे वाच्यार्थयोरेवाभेदान्वयोऽभ्युपगन्तव्यः, न तु वाच्य-लक्ष्ययोः। अन्यथा 'राजनारायणं लक्ष्मीस्त्वामालिङ्गति निर्भरम्' 'पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः' इत्यादौ क्रमेणोपमारूपकयोरुपमितविशेषणसमासाधीनयोर्लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनमञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्वयोरनुपपत्तिनिर्णायिका रूपकोपमयोः प्राचीनैस्तत्र तत्र निबद्धा विरुद्धा स्यात्। आद्यपद्ये उपमाया इव रूपकस्यापि स्वीकारे बाधकस्य तुल्यतया तन्निर्णायकताया असंगतेः। द्वितीयपद्ये रूपकस्यापि स्वीकारे बाधकाभावेन तन्निवर्तकताया अयोगात्।

पराभिमतेति। एतेन लक्षणायाः स्वाभिमतत्वं निरस्यति, वाच्यार्थयोरेवाभेदान्वयाङ्गीकाराद्। अभेदान्वय इति। आहार्याभेदान्वय इति भावः। एवकारव्यवच्छेद्यमाह—न त्विति। अन्यथेति। वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरभेदान्वयाङ्गीकारे इत्यर्थः। अस्य विरुद्धेत्यत्रान्वयः उपमितविशेषणसमासेति। क्रमशः 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे', 'मयूरव्यंसकादयश्चे'ति सूत्रद्वयविहितेत्यर्थः। तत्र तयोरङ्गीकारे या अनुपपत्तिः सा वैपरीत्ये निर्णायिकेत्यखण्डार्थः। बाधकस्येति। तत्कर्तृकालिङ्गनासंभवस्येत्यर्थः। बाधकाभावेनेति। तादृशमनोहरत्वासंभवाभावेनेत्यर्थः। 'राजनारायणम्' इत्यत्र यदि राजा नारायण इवेति विगृह्य 'उपमितं व्याघ्रादिभि'रित्यनेन समासे उपमालंकारः स्वीक्रियेत, तदा नारायणसदृशो राजेति बोधे लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनस्य पद्योक्तस्यानुपपत्तिः सत्कुलोत्पन्नाभिः साध्वीभिः रमणीभिः पतिसदृशबुद्ध्या कस्यापि पुंसः आलिङ्गनासंभवात्, अतस्तत्र राजा चासौ नारायण इति विगृह्य मयूरव्यंसकादयश्चेति समासे रूपकालंकारोऽङ्गीकार्यः, तथा च राजाभिन्नो नारायण इति बोधे लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनमुपपद्यते। एवं 'पादाम्बुजम्' इति पद्ये यदि पादरूपमम्बुजमिति विगृह्य मयूरव्यंसकादित्वात्समासे रूपकालंकारः स्वीक्रियेत, तदा पादाभिन्नमम्बुजमिति बोधेऽम्बुजस्य प्राधान्येन तत्र मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्वस्य श्लोकप्रतिपादितस्यानुपपत्तिः, अम्बुजे तस्यासंभवात्, अतस्तत्र पादः अम्बुजमिव इति विगृह्य 'उपमितं व्याघ्रादिभि'रिति समासे उपमालंकारोऽङ्गीकर्तव्यः, तथा च अम्बुजसदृशपाद इति बोधे प्रधानीभूते पादे उक्तमनोहरत्वमुपपद्यते। इति प्राचीनैरुक्तम्, तच्च तदैव संगतं भवेत्, यदि रूपकस्थले लक्षणामस्वीकृत्य वाच्यार्थयोरेवाहार्याभेदान्वयमनुमन्यते लक्षणां कृत्वा

वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरभेदान्वये तु राजनारायण इत्यत्र उपमारूपकयोरुभयोरपि नारायणसदृशो राजा इत्याकारके एव बोधे उपमायामिव रूपकेऽपि लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनस्यानुपपत्त्या उपमायां तदनुपपत्ते रूपकसाधकत्वं प्राचोक्तमसंगतमेव। एवं पादाम्बुजम् इत्यत्रापि उपमारूपकयोरुभयोरपि वाच्यलक्ष्ययोर्बोधे आश्रिते अम्बुजसदृशपादः इत्येव बोधे उपमायामिव रूपकेऽपि मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्वस्य सम्भवतया तदनुपपत्तेः। रूपकबाधकत्वं प्राचीनोक्तमसंगतं स्यात्। अतः मुखं चन्द्रः इत्यादौ सर्वत्र वाच्यार्थयोरेवाहार्याभेदान्वयः स्वीकरणीय इति भावः।

उक्त नवीन मत को दृढ़ करने के लिये कहा जाता है—अवश्यम् इत्यादि। ऊपर नवीनों के मत में जो यह कहा गया है कि 'मुखचन्द्र' इत्यादि प्राचीनाभिमत सारोप लक्षणा के उदाहरणों में—अर्थात् रूपक स्थल में—दो वाच्यार्थों (मुख और चन्द्र) का ही अभेदान्वय होता है, वाच्य (मुख) और लक्ष्य (चन्द्रसदृश) का नहीं, वह विचारदृष्टि से अवश्य मानने योग्य है। अन्यथा प्राचीनों की ही निम्नोद्धृत उक्ति असंगत हो जायगी। प्राचीनों ने कहा है कि-'राजनारायणम्'......अर्थात् लक्ष्मी आप (राजनारायण) का दृढ़ आलिङ्गन कर रही है—वह आपका त्याग कभी नहीं करती' यहाँ यदि 'राजा नारायण इव' ऐसा विग्रहवाक्य मानकर 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस पाणिनिसूत्र से समास हुआ माना जाय और तदनुसार अलंकार उपमा स्वीकृत किया जाय, तब 'नारायणसदृश राजा' ऐसा बोध होगा, जिससे पद्य में वर्णित लक्ष्मीकर्तृक आलिङ्गन की अनुपपत्ति हो जायगी, क्योंकि सत्कुलोत्पन्न साध्वी रमणियों के द्वारा पति के समान समझ कर किसी पुरुष का आलिङ्गन असम्भव है। अतः वहाँ 'राजा चासौ नारायणः' ऐसा विग्रहवाक्य मानकर 'मयूरव्यंसकादयश्च' इस पाणिनिसूत्र से समास हुआ है, ऐसा समझना चाहिए और तदनुसार अलंकार रूपक मानना चाहिए। ऐसा मानने पर 'राजा से अभिन्न नारायण' यह बोध होगा, जिससे लक्ष्मी का आलिङ्गन उपपन्न होता है। इसी तरह 'पादाम्बुजम्'...अर्थात् नूपुरों के सुन्दर शब्द से चित्त को चुरा लेनेवाले अम्बिका के चरण-युगल, आप लोगों के विजय के लिये हों—आप सब को विजय-प्रदान करें' इस पद्य में यदि 'पादरूपम् अम्बुजम्' ऐसा विग्रहवाक्य मानकर 'मयूरव्यंसकादयश्च' इस सूत्र से समास करके रूपकालंकार स्वीकृत हो, तब 'चरण से अभिन्न कमल' ऐसा बोध होगा, जिसमें प्रधानता रहेगी कमल को, अतः श्लोक में प्रतिपादित 'मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्व' अनुपपन्न हो जायगा, क्योंकि कमल में उसकी संभावना नहीं है, इसलिये वहाँ 'पादः अम्बुजमिव' ऐसा विग्रहवाक्य मानकर उपमित समास तथा तन्मूलक उपमा अलंकार स्वीकृत करना चाहिए। इस रीति से होनेवाले 'कमलसदृश चरण' इस बोध में प्रधानीभूत चरण में उक्त विशेषण उपपन्न होता है (यही है प्राचीनों की उक्ति)। अब सोचिए कि रूपकस्थल में यदि वाच्य और लक्ष्य का अभेदान्वय हो, तब उक्त कथन संगत होगा? नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर तो 'राजनारायणम्....' में उपमा मानें या रूपक, दोनों ही स्थितियों में बोध होगा 'नारायणसदृश राजा' एक यही, अतः उपमा के समान रूपक में भी लक्ष्मीकर्तृक आलिङ्गन उक्त युक्ति से अनुपपन्न ही रहेगा। इसी तरह 'पादाम्बुजम्....' में भी रूपक मानें अथवा उपमा, दोनों ही अवस्थाओं में बोध होगा 'अम्बुजसदृश पाद' एक यही। अतः पाद की प्रधानता दोनों ही अलंकारों में समान रूप से बनी रहेगी, फिर रूपक में मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्व की

अनुपपत्ति नहीं होगी। रूपकस्थल में दो वाच्यार्थों में ही अभेदान्वय मानने पर उक्त कथन संगत हो सकता है, क्योंकि उस मान्यता के अनुसार दोनों अलंकारों में बोध भिन्न तरह का हो जाता है। सारांश यह कि 'मुखचन्द्र' आदि जितने सारोप लक्षणा के उदाहरण प्राचीनों ने माने हैं, उन सभी स्थानों पर लक्षणा वस्तुतः नहीं होती, वाच्य-वाचक का ही आहार्य अभेदान्वयबोध होता है।

व्यस्तरूपकस्थले लक्षणाया निर्बाधत्वमाशङ्क्य खण्डयति—

न च मुखचन्द्रादौ समासे क्वचिदस्तु नाम प्रागुक्तरीत्या लक्षणां विनापि बोधोपपत्तिः, व्यासे तु लक्षणाया नास्ति बाधकमिति वाच्यम्। 'कृपया सुधया सिञ्च हरे मां तापमूर्च्छितम्' इत्यादौ व्यासेऽप्यनुपपत्तेः।

प्रागुक्तरीत्येति। नवीनोक्ताहार्यशाब्दबोधोपपादनन्यायेनेत्यर्थः। अस्य प्रतीकस्य 'प्राचीनोक्तेत्यर्थः' इति नागेशटीका भ्रामिकैव। नास्ति बाधकमिति। प्राचीनोक्तानुपपत्ति-रूपं बाधकं नास्ति, तस्य राजनारायण इत्यादिसमासस्थल एव दर्शितत्वादिति भावः। कृपयेति। हे हरे भवतापेन मूर्च्छामापन्नं मां स्वकृपारूपपीयूषधारया सिञ्च येन भवतापजनिता मूर्च्छा मे निवर्तेत इत्यर्थः। अनुपपत्तेरिति। व्यस्तरूपकस्थलेऽपि वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरभेदान्वयसमर्थने वाक्यार्थान्वयानुपपत्तेरिति भावः। इदमाकूतम्— 'रूपकस्थले लक्षणा न भवति, किन्तु वाच्ययोरेवोपमानोपमेययोः बाधितोऽपि अभेदान्वयबोधः स्वीकार्य आहार्यरूपः' इत्यस्य सिद्धान्तस्य दृढीकरणे या प्राचीनोक्त्यनुपपत्तिर्युक्तित्वेन प्ररस्कृता नवीनैः, सा राजनारायण इत्यादि समासस्थल एव, ततश्च तद्दृष्टान्तेन समासस्थले रूपके त्यज्यतां लक्षणा, स्वीक्रियताञ्च वाच्यार्थयोरेवाहार्याभेदबोधः, व्यासस्थले लक्षणया वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरभेदान्वयबोधाङ्गीकारे न क्षतिरिति पूर्वपक्षे, 'कृपया सुधया' इत्यादौ उपमानवाचकस्य सुधापदस्य स्वसदृशे लक्षणायां सुधासदृशया कृपया इति बोधे वाक्यार्थो नोपपद्येत, सुधातुल्यायां कृपायां सेचनकरणताया असंभवित्वात्, अतो व्यस्तरूपकस्थलेऽपि सुधाऽभिन्नया कृपया इत्यादि रीत्या वाच्यार्थयोरेवाहार्याभेदान्वयबोध आस्थेयः। तथा च न वाक्यार्थानुपपत्तिः सुधया अभिन्नायां कृपायां सेकक्रियाकरणत्वस्य संभवित्वाद् इति समाधानं नवीनस्येति।

व्यस्त रूपकस्थल में लक्षणा मानी जा सकती है, इस आशङ्का का समाधान अब करते हैं—न च इत्यादि। यदि कोई कहे कि रूपकस्थल में लक्षणा नहीं होती—दो वाच्यार्थों का आहार्य अभेदान्वय-बोध होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिये नवीनों ने जो दृष्टान्त दिया है वह समास-स्थल में ही, अतः उस (राजनारायण तथा पादाम्बुज) दृष्टान्त से समास के स्थल में कहीं लक्षणा के विना भी भले ही अभेदान्वय-बोध सिद्ध हो जाय, परन्तु व्यासस्थल में (जहाँ समास के न रहने पर भी रूपक होता है) लक्षणा मानने में कोई बाधा नहीं है। तो इसका उत्तर है कि 'कृपया सुधया'''अर्थात् हे हरे! ताप (सांसारिक पीड़ा) से मूर्च्छित मुझको कृपारूप सुधा से सींचिए।' इत्यादि व्यस्त रूपकस्थल में भी लक्षणा मानने पर वाक्यार्थ की अनुपपत्ति हो जाती है अर्थात् 'कृपया सुधया' में जो रूपक है, वहाँ यदि विषयी—उपमानवाचक (सुधा) पद की स्वसदृश में लक्षणा मानी जाय, तब 'सुधासदृश कृपा' ऐसा बोध होगा, जो अनुपपन्न है, क्योंकि कृपा से सेचन नहीं हो सकता, अतः मानना पड़ेगा कि यहाँ भी लक्षणा नहीं होती, अपि

तु सुधा और कृपा पदों के वाच्य अर्थों का ही आहार्य अभेदान्वय-बोध होता है, तदनुसार सिद्ध होनेवाले 'सुधा से अभिन्न कृपा' इस बोध में कोई अनुपपत्ति नहीं होती, क्योंकि सुधा से कृपा को अभिन्न समझ लेने पर सुधागत सेचन-योग्यता, कृपा में भी प्राप्त हो जाती है।

व्यासेऽनुपपत्तिपरिहारमाशङ्क्य समाधत्ते—

न च सिञ्चतेरपि विषयीकरणे लक्षणया नानुपपत्तिः। उत्प्रेक्षाद्यतिरिक्तातिशयोक्त्यपह्नवादिष्वाहार्यज्ञानेनैवोपपत्तौ लक्षणायां बीजाभावादनुभवविरोधाच्च।

सिञ्चतेरपीति। अत्रापिना सुधापदस्य लक्षणाविषयत्वं समुच्चीयते। अत्र 'अपिरेवार्थः' इति विवृण्वतो नागेशस्याभिप्रायो दुर्ज्ञेय एव। विषयीकरणे। लक्ष्यीकरणे। लक्षणयेति। अस्य पदस्य 'विषयीकरणे' इति पूर्वतनेन पदेन संबन्धः। नानुपपत्तिरिति। वाक्यार्थान्वयानुपपत्तिर्नेत्यर्थः। उत्प्रेक्षादीति। अत्रादिपदेन भेदप्रधानानां दृष्टान्तादीनां ग्रहणं बोध्यम्। अपह्नवादीति। अत्रादिपदेनाभेदप्रधानानां परिणामादीनां संग्रहः। बीजाभावादिति। समर्थकयुक्तिविरहादित्यर्थः। अतिशयोक्त्यादिरीतिरेवानुसर्तव्या नोत्प्रेक्षादिरीतिरित्यत्र विनिगमकाभावादाह—अनुभवेति। अभेदप्रधानेष्वलंकारेषु वाच्ययोराहार्याभेदबोधस्यैवानुभवसिद्धत्वादिति भावः। इदमत्र तत्त्वम्—'कृपया सुधया' इत्यादिकाव्यवाक्ये प्रकृततया कृपोपमेयभूता सुधा चाप्रकृततयोपमानरूपा, तथा चोपमानवाचकस्य सुधापदस्य स्वसदृशे लक्षणेति प्राचीनसिद्धान्तस्वीकारे सुधासदृशकृपाकरणकः सेकः इति बोधस्य जायमानस्यानुपपत्तिरिति सुधापदवाच्यार्थस्यैव कृपापदार्थेन सहाहार्याभेदान्वयबोध इति यदुपपादितं नवीनैस्तद् व्यर्थम्, सिञ्चेति क्रियापदस्यापि योजनरूपार्थे लक्षणामङ्गीकृत्य सुधासदृशकृपाकरणिकायोजनक्रियेति वाक्यार्थनिष्पत्तौ अनुपपत्तिविरहेण व्यस्तरूपकस्थले लक्षणायां बाधकं नास्तीति प्राचीनमतसमर्थिका शंका। उत्प्रेक्षादौ भेदप्रधानेऽलंकारे भेदबोधपुरस्सरस्यैव वैयञ्जिकाभेदबोधस्य चमत्कारित्वमिति तत्राहार्योऽप्यभेदबोधोऽचमत्कारितया काव्यमर्मज्ञैः सहृदयैर्नाङ्गीकर्तुं योग्यः, किञ्च तत्र 'मन्ये' 'शङ्के' 'इवा'दिपदानां भेदसूचकानां सत्त्वेन अभेदबोधो विरुद्ध एव भवेत् अत एवोत्प्रेक्षायां संभावनाया अपि आहार्यत्वं स्वीक्रियते अभेदबोधस्तु दूरापास्त इति तदर्थः। एवञ्च तत्र भवतु उपमानवाचकानां पदानां स्वसदृशे लक्षणा। किन्तु अतिशयोक्त्यादावभेदप्रधानेऽलंकारेऽभेदबोध एव चमत्कारकः भेदबोधस्तत्र भवत्येव नेति तत्र यथा वाच्यार्थयोरेवाहार्याभेदान्वयबोधः स्वीक्रियते, न तु लक्षणया लक्ष्यार्थवाच्यार्थयोस्तथैव रूपकेऽपि (समस्ते व्यस्ते च) अभेदप्रधाने वाच्ययोरेवाहार्याभेदान्वयबोधस्वीकारेण सामञ्जस्ये तस्यैवौचित्ये च लक्षणाश्रयणे युक्तिविरहः, अनुभवविरोधश्चेति समाधानमिति। अत्र 'न च सिञ्चतेरपि विषयीकरणे' इति प्रतीकमुपादाय 'अतिशयोक्तौ विषयिणः (उपमानस्य), एव यथा विषयीकरणम् (उपमेयतया स्थापनम्) तथाऽत्रापि 'कुरु' इत्यस्य (विषयस्य) स्थाने सिञ्चेति विषयिणः प्रयोगः। अतिशयोक्तिसंवलने चायमर्थः—'तापमूर्च्छितस्य ममोपरि सुधासेचनसदृशीं कृपां कुरु' इती'त्यादि, 'सरला' नितान्तमसंगतैव, कृपयेतितृतीयान्त-मामितिद्वितीयान्त-पदघटितोक्तवाक्यात्तादृशार्थप्रतिपत्तेरसम्भवात्।

अब व्यासस्थल में पूर्वोक्त अनुपपत्ति के परिहार की आशङ्का करके समाधान करते हैं-न च इत्यादि। यदि आप कहें कि 'कृपया सुधया...' इत्यादि तरह के स्थानों में केवल उपमानवाचक सुधा पद ही लाक्षणिक नहीं है, अपि तु 'सिञ्च' यह क्रियापद भी योजन-रूप अर्थ में लाक्षणिक है, अतः यहाँ बोध होता है कि 'सुधासदृश कृपा से मुझे युक्त बनाओ।' इस बोध में कोई खास अनुपपत्ति नहीं है अतः प्राचीनों के कथनानुसार व्यासस्थल में लक्षणा मानी जा सकती है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अतिशयोक्ति, अपह्नव, परिणाम आदि अलंकारों-जो अभेद प्रधान हैं, अतः अभेद का बोध ही चमत्कारी होता है, अर्थात् जहाँ भेद का बोध होता ही नहीं—में जैसे लक्षणा के बिना ही आहार्य अभेदान्वय बोध मानकर सब कार्य सिद्ध कर लेते हैं, वैसे ही अभेदबोध के चमत्कारी होने के कारण रूपक (चाहे वह समस्त हो अथवा व्यस्त) में भी आहार्य अभेदान्वय बोध मानकर जब सब ठीक हो जाते हैं, तब लक्षणा मानने में कोई बीज नहीं दीखता। हाँ, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त आदि जिन अलंकारों में भेद की ही प्रधानता रहती है, अतः पीछे भी व्यञ्जना के द्वारा भेदज्ञानपूर्वक अभेदबोध ही होता है, चमत्कार भी उसी तरह के बोध में अनुभूत होता है, वहां आहार्य-अभेद-बोध भी सहृदय-जन-मनोविरुद्ध है, दूसरी बात यह कि उत्प्रेक्षा में 'मन्ये, शङ्के, इव' आदि पद भेदसूचक रहते हैं, अतः अभेद का बोध विरुद्ध भी पड़ता है, इसीलिये उत्प्रेक्षा में संभावना को भी आहार्य माना गया है, अभेद बोध तो दूर की बात ठहरी। वहाँ उपमानवाचक पदों को स्वसदृश अर्थ में लाक्षणिक मानना युक्तिसंगत हो सकता है। यदि आप कहें कि जब दोनों प्रकार के अलंकार होते हैं—अतिशयोक्ति आदि अभेदप्रधान और उत्प्रेक्षा आदि भेदप्रधान, तब रूपक को द्वितीय कोटि के अलङ्कारों की श्रेणी में ही क्यों न रक्खा जाय अर्थात् रूपक को भी भेदप्रधान मानकर लक्षणावाली बात को संगत क्यों नहीं माना जाय? तो इसका उत्तर यह है कि आखिर अनुभव के आधार पर ही तो काव्यशास्त्र की यह विशाल भित्ति खड़ी है, अतः उस अनुभव का अपलाप किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह कि रूपक में अभेदबोध का ही चमत्कार अनुभव से सिद्ध है, अतः उसको भेदप्रधान अलंकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

उक्तानुभवविरोधस्य विसंवादग्रस्तत्वाद् रूपकस्थले वाच्यार्थयोराहार्यभेदान्वयबोधसाधकं युक्त्यन्तरमाह—

अपि चोपमानवाचकस्य चन्द्रादिपदस्य रूपके उपमानसदृशे लक्षणा इति हि प्राचां समयः। तत्र च लक्ष्यतावच्छेदकं सादृश्यम्। तच्च समानधर्मरूपम्। स च लक्ष्यांशे सुन्दरत्वादिना विशेषरूपेण प्रतीयते, उताहो सामान्यरूपेण? नाद्यः। सुन्दरं मुख चन्द्र इत्यादौ पौनरुक्त्यापत्तेः। न चैवमादावुपात्तधर्मके रूपके तद्धर्मातिरिक्तो धर्म एव लक्ष्यतावच्छेदकीभूतसादृश्यरूप इति वाच्यम्। अनुभवविरोधात्।

'अङ्कितान्यक्षसंघातैः सरोगाणि सदैव हि।
शरीरिणां शरीराणि कमलानि न संशयः॥'

इत्यादौ श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसितधर्मं विना धर्मान्तरस्य सर्वथैवास्फूर्तेश्च।

समयः सिद्धान्तः। तत्र रूपकस्थले। समानधर्मरूपमिति। तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वस्यैव सादृश्यपदार्थत्वादिति भावः। स च समानधर्मश्च। सामान्यरूपेणेति।

सादृश्यत्वेन रूपेणेत्यर्थः । सुन्दरत्वादिना विशेषरूपेणेति प्रथमकल्पं दूषयति—नाद्य इति । तत्र हेतुमाह—सुन्दरं मुखमित्यादि । पौनरुक्त्यापत्तिं निराकर्तुमाशङ्कते—न चेति । एवमादौ इति । इत्यादावित्यर्थः । अत्रादिपदस्य प्रकारार्थत्वात्तत्प्रयोजकधर्ममाह—उपात्तेति । तद्धर्मेति । उपात्तधर्मान्याह्लादकत्वादिरित्यर्थः । समाधत्ते—अनुभवविरोधादिति । तादृशस्थले उपात्तस्य सुन्दरत्वादिधर्मस्यैव लक्ष्यतावच्छेदकतयाऽनुभवादिति भावः । तथानुभवे मतभेदस्यापि संभवादाह—अङ्कितानीति । अक्षाणाम् इन्द्रियाणाम्, पद्माक्षाणाञ्च, संघातैः समूहैः, अङ्कितानि व्याप्तानि, सरोगाणि रोगैः सहितानि सरोवरगतानि च, शरीरिणां प्राणिनां, शरीराणि देहाः कमलानि कमलरूपाः सन्तीत्यत्र सन्देहो नास्तीत्यर्थः । श्लेषेति—शब्दश्लेषनिमित्तको यो विशेषणार्थयोरभेदाध्यवसायस्तद्विषयीभूतो योऽक्षसंघातव्याप्तत्वसरोगत्वरूपो धर्मस्तमित्यर्थः । धर्मान्तरस्येति । शरीरकमलोभयसाधारणस्येति भावः । अस्फूर्तेरिति । ध्यानपथानारूढत्वादित्यर्थः । रूपकस्थले उपमानवाचकपदस्य स्वसदृशे लक्षणेति प्राचां सिद्धान्ते लक्ष्यतावच्छेदकसादृश्यस्य समानधर्मरूपस्य लक्ष्यांशे = उपमेये, सुन्दरत्वादिना विशेषरूपेण प्रतीतिर्न संभवति, तथा सति 'सुन्दरं मुखं चन्द्रः' इत्यादिरूपकस्थले 'मुखं चन्द्रः' इत्येतावतो वाक्यादेव चन्द्रसदृशं सुन्दरं मुखमित्यर्थप्रतीत्या सुन्दरपदस्य पुनरुक्तत्वापातात् । तादृशोक्तधर्मकरूपकस्थले सुन्दरत्वेतर एवाह्लादकत्वादिधर्मः सादृश्यरूपो विवक्ष्येत इति तु न शक्यं स्वीकर्तुम्, तत्र तस्याननुभवात् । तादृशानुभवसमर्थकदुराग्रहे च तत्र कथञ्चिन्निर्वाहेऽपि 'अङ्कितानि....' इत्यादिपद्ये पुनरुक्त्यापत्तिर्दुरुद्धरैव, तत्रोक्तात् अक्षसंघाताङ्कितत्व-सरोगत्वेत्येतद्द्वितयरूपात् श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसितधर्मात् अपरस्य उपमानोपमेयसाधारणस्य धर्मस्य बुद्धिपथानारोहात् तस्यैव धर्मद्वयस्य लक्ष्यतावच्छेदकतयोपमेयांशे प्रतीतिसमर्थने च पुनरुक्त्यापत्तेः स्पष्टत्वादिति भावः ।

ऊपर जो अनुभवविरोध की बात कही गई है, उसमें मतभेद हो सकता है अर्थात् कुछ लोग ऐसा भी दुराग्रह दिखला सकते हैं कि रूपकस्थल में भेद का अनुभव होता है, अतः अब रूपकस्थल में वाच्यार्थद्वय के ही आहार्याभेदान्वय को सिद्ध करनेवाली दूसरी युक्ति देते हैं—अपि च इत्यादि । रूपक-स्थल में उपमानवाचक चन्द्रादि पदों की स्वसदृश अर्थ में लक्षणा होती है, यह प्राचीनों का सिद्धान्त है तदनुसार लक्ष्यतावच्छेदक (लक्ष्य-सदृश अर्थ में रहने वाला धर्म) होगा सादृश्य और सादृश्य का विश्लिष्ट रूप होता है समान धर्म । दोनों (उपमान तथा उपमेय) में रहनेवाला कोई एक धर्म, वह एक धर्म भी दो प्रकार का हो सकता है—एक विशेष और दूसरा सामान्य । अब हम और आप विचार करें कि वह समानधर्म रूपक-स्थल में लक्ष्य–उपमेय (मुख आदि)–अंश में विशेष रूप से अन्वित होता है अथवा सामान्यरूप से ? यदि आप कहेंगे—विशेषरूप से, तो वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में 'सुन्दर मुखचन्द्र' इत्यादि व्यवहार में आनेवाला रूपक नहीं बन सकेगा । कारण, जब चन्द्र का सादृश्य मुखरूप लक्ष्य अंश में सुन्दरत्वात्मक विशेषरूप से अन्वित होगा, तब तो 'मुखचन्द्र' इतने से ही 'चन्द्र के समान सुन्दर मुख' यह अर्थ हो ही जायगा, फिर 'सुन्दर' पद की योजना पुनरुक्तिदोषग्रस्त हो जायगी । यदि आप कहना चाहेंगे कि ऐसे स्थलों–जहाँ कोई एक साधारण धर्म उक्त हो—में उस उक्त धर्म से अन्य धर्म-विशेष को ही लक्ष्य में रहनेवाले धर्म-सादृश्य का रूप दिया जायगा, अर्थात् 'सुन्दर मुखचन्द्र' इत्यादि स्थानों में चन्द्रसादृश्य का अन्वय मुख में

सुन्दरत्वरूप से न मान कर अन्य गौरत्व आदि रूप से ही माना जायगा, फिर तो पुनरुक्ति नहीं होगी, तो यह कथन भी आपका समुचित नहीं हो सकेगा, क्योंकि सुन्दरत्व आदि पूर्वोक्त रूप से अन्य गौरत्व आदिरूप से सादृश्य का अन्वय अनुभव में नहीं आता यदि आप ऐसा दुराग्रह करेंगे कि वह अनुभव में आता है, तो उस दुराग्रह के बल पर कर लीजिए किसी तरह वहाँ निर्वाह। परन्तु 'अङ्कितान्यक्षसंघातैः······अर्थात् इस में कुछ सन्देह नहीं कि देहधारियों की देह कमल हैं, क्योंकि ये दोनों (देह और कमल) ही 'अक्षों' (देह में इन्द्रियों और कमल में कमलगट्टों) के समूह से चिह्नित हैं और दोनों ही 'सरोग' (एक जगह रोगयुक्त, दूसरी जगह सरोवर में रहनेवाले) हैं' इत्यादि श्लेषमूलक रूपक-स्थल में पुनरुक्ति हो ही जायगी, क्योंकि यहाँ देह और कमल दोनों में रहनेवाले 'अक्षसंघात' से चिह्नित होने और सरोग होने से अन्य किसी धर्म की स्फूर्ति होती नहीं अतः लक्ष्यतावच्छेदक सादृश्य का अन्वय विशेषरूप से मानने पर उन्हीं दोनों रूपों से कमल का सादृश्य देह में अन्वित होगा. फिर तो 'अङ्कितान्यक्षसंघातैः' और 'सरोगाणि' ये दोनों विशेषण पुनरुक्त हो ही जायेंगे। यद्यपि वस्तुतः कमल और देह में रहनेवाला कोई एक धर्म नहीं है क्योंकि उक्त दोनों विशेषणों के दोनों पक्षों में भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं, तथापि श्लेष के बल से उन दोनों अर्थों में अभेद का अध्यवसाय (आरोप) कर लिया जाता है, अतः 'सरोगत्व' आदि रूप से उसको एक धर्म मान लिया जाता है।

उपमानपदलक्ष्यतावच्छेदकस्य समानधर्मात्मकस्य सादृश्यस्य लक्ष्यांशे सामान्यरूपेण प्रतीतिरिति द्वितीयकल्पं दूषयितुमाह—

नान्त्यः। सादृश्यस्य शब्दोपात्तत्वेनोपमात्वापत्तेः। न च सादृश्यस्य वाच्यतायामेवोपमाव्यपदेशः। 'नलिनप्रतिपक्षमाननम्' इत्यादौ तदभावापत्तेः।

नान्त्य इति। सामान्यरूपेणोपमानपदलक्ष्यतावच्छेदकं लक्ष्यांशे प्रतीयते इति पक्षो न युक्त इत्यर्थः। तत्र हेतुं दर्शयति—सादृश्यस्येति। शब्दोपात्तेति। लक्षणयेति भावः। उपमात्वापत्तिपरिहारायाशंकते—न चेति। अत्र तु सादृश्यस्य लक्ष्यतेति भावः। उक्तामाशंकां निरस्यति—नलिनेति। आननं मुखम्, नलिनप्रतिपक्षम् कमलाऽमित्रम् इत्यर्थः। तदभावेति। उपमात्वाभावेत्यर्थः। प्रतिपक्षपदस्य सादृश्ये न शक्तिरपि तु लक्षणेति तात्पर्यम्। मुखं चन्द्र इत्यादिरूपकस्थले चन्द्रपदस्य स्वसदृशे लक्षणायां लक्ष्यतावच्छेदकस्य सादृश्यस्य मुखरूपलक्ष्यांशे सादृश्यत्वात्मकसामान्यरूपेण प्रतीतौ चन्द्रसदृशं मुखमित्यत्रेव सादृश्यस्य लक्षणया शब्दोपात्ततया तत्रापि उपमालंकारप्रसक्तौ रूपकोच्छेदापत्तिः। सादृश्यस्याभिधाबोध्यत्वे एवोपमा, रूपके तु तस्य लक्षणाबोध्यत्वमिति न तत्रोपमाप्रसक्तिरिति तु युक्तम्, नलिनप्रतिपक्षमाननमित्यादौ सादृश्यस्य प्रतिपक्षपदलक्ष्यत्वेऽपि उपमादर्शनात्। तथा च रूपकस्थले लक्षणेति प्राचां पक्षो नोचितः, किन्तु वाच्ययोरेव तत्राहार्याभेदान्वयबोध इति नवीनाभिमतकल्प एव श्रेयानिति भावः।

अब द्वितीय प्रकार—उपमानवाचक पद के लक्ष्यतावच्छेदक समानधर्मात्मक सादृश्य का सामान्य (सादृश्यत्व) रूप से लक्ष्य (उपमेय) अंश में भान पक्ष का खण्डन करते हैं—नान्त्य इत्यादि। 'मुखचन्द्र' इत्यादि रूपक स्थल में चन्द्र पद की स्वसदृशरूप अर्थ में लक्षणा है इस प्राचीनाभिमत पक्ष में यदि आप कहें कि लक्ष्यतावच्छेदक सादृश्य का मुखरूप लक्ष्य अंश में सामान्य (सादृश्य) रूप से अन्वय होता है तो वह भी संगत नहीं। कारण, उस स्थिति में जैसे 'चन्द्रसदृशं मुखम्' इस स्थल पर सादृश्य शब्द से उक्त रहता

है, उसी तरह 'मुखचन्द्र' इस स्थल पर भी सादृश्य चन्द्र शब्द से लक्षणा के द्वारा उक्त हो गया, अतः प्रथम स्थल के समान द्वितीय स्थल में भी उपमा अलंकार ही होने लगेगा। सादृश्य के वाच्य होने पर ही उपमा होती है यह दुराग्रह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि 'नलिनप्रतिपक्षमाननम् अर्थात् मुख कमल का प्रतिद्वन्द्वी (शत्रु) है' इत्यादि स्थानों पर भी उपमा नहीं हो सकेगी। कारण, यहाँ भी 'प्रतिपक्ष' पद का सादृश्य वाच्य नहीं—अपितु लक्ष्य ही है। यदि सादृश्य के लक्ष्य होने पर भी यहाँ उपमा मान्य होती है, तब सभी रूपक-स्थलों में सादृश्य की लक्ष्यता दशा में उपमा ही हो जायगी, फिर तो रूपक का उच्छेद ही हो जायगा, अतः रूपकस्थल में लक्षणा होती ही नहीं, दो वाच्यार्थों का ही आहार्य अभेदान्वय-बोध होता है यह नवीनों की रीति ही ठीक है।

'नलिनप्रतिपक्षमाननम्' इत्यादौ उपमात्वाभावस्येष्टत्वेऽपि नवीनमतसमर्थकं युक्त्यन्तरमुपदर्शयति—

किं च 'विद्वन्मानसहंस—' इत्यादौ श्लिष्टपरम्परितरूपके श्लेषनिष्पत्तौ श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसानेन मानसवासित्वरूपे भूपहंसयोः सादृश्ये सिद्धे सदृशलक्षणामूलस्य भूपे हंसरूपकस्य सिद्धिः। तस्यां च सत्यां सरोमनोरूपार्थद्वयाभिधानलक्षणस्य श्लेषस्य निष्पत्तिरिति परस्पराश्रयः। न हि रूपकास्फूर्तौ सरोरूपेऽर्थे मानसशब्दस्य तात्पर्यं वेदयितुं किंचित्प्रमाणमवतरति। स्फुरिते तु रूपके तद्घटकसादृश्यान्यथानुपपत्तिरूपेण प्रमाणेनार्थद्वयाभेदबोधफलकस्य तदुभयप्रतिपादनात्मनः श्लेषस्य निष्पत्तिः।

विद्वदिति। विदुषां मानसं हृदयमेव मानसाख्यं सरः इति श्लिष्टरूपकम्, तत्र हंस! जलचरपक्षिविशेषस्वरूप! तत्र विहारकारकेति तात्पर्यम्, वैरिणाम् शत्रूणां, कमलाया लक्ष्म्याः, संकोचः विनाश एव कमलानां पद्मानाम्, असंकोचः विकाशः, तत्र दीप्तद्युते! सूर्य! दुर्गाणाम् युद्धकालिकसुरक्षासमर्थस्थानविशेषाणाम्, अमार्गणम् अगवेषणम् अप्रतिमपराक्रमितया सम्मुखयुद्धप्रियत्वादिति भावः, एव, दुर्गायाः पार्वत्याः, मार्गणम् गवेषणम्, तत्र नीललोहित शिवरूप! समितः युद्धस्य, स्वीकार एव समिधां काष्ठानां स्वीकारः तत्र वैश्वानर अग्ने!, सत्ये तथ्ये, प्रीतेः प्रणयस्य, निधानमेव, सत्यां शिवप्रथमपत्न्यां, अप्रीतेः रोषस्य, विधानम्, तत्र दक्षप्रजापते!, विजयस्य शत्रुपराजयस्य, प्रागभावः प्रथमसत्ता एव विजयस्य अर्जुनस्य, प्रागभावः पूर्वोत्पत्तिः, तत्र भीम भीमसेनस्वरूप!, प्रभो वरवीर वीरश्रेष्ठ राजन्! त्वम् वैरश्चम् ब्रह्मणः संबन्धि, वत्सरशतम् शतं वर्षाणि यावत् स्वकीयं साम्राज्यम्, उच्चैः उन्नतं, क्रियाः विदध्याः इत्यर्थके 'विद्वन्मानसहंस, वैरिकमलासंकोचदीप्तद्युते, दुर्गामार्गणनीललोहित, समित्स्वीकारवैश्वानर, सत्यप्रीतिविधानदक्ष, विजयप्राग्भावभीम, प्रभो. साम्राज्यं वरवीर, वत्सरशतं वैरश्चमुच्चैः क्रियाः॥' इत्यादावित्यर्थः। श्लेषेति। श्लेषमूलकम् यत् अभेदारोपणम् तेनेत्यर्थः। तस्याम् रूपकसिद्धौ। तद्घटकेति। लक्ष्यतावच्छेदकेत्यर्थः। अर्थद्वयेति। सरोमनोरूपेत्यादिः। अभेदबोधेति। अभेदबोध एव फलं यस्य तस्येत्यर्थः। उभयार्थप्रतिपादनरूपस्य श्लेषस्याभेदबोध एव फलमिति भावः। अयं तात्पर्यार्थः—रूपकस्थले लक्षणाङ्गीकारे विद्वन्मानसहंसेत्यादिपद्येऽन्योन्याश्रयापत्त्या परम्परितरूपकसिद्धिर्न स्यात्, ननु कथं तत्रान्योन्याश्रय इति चेत्? तथा हि—प्राचामनुसारेण सदृशलक्षणामूलकं रूपकं सादृश्यप्रतीतिमन्तरा न भवितुमर्हति, सादृश्यप्रतीतिश्च प्रकृते श्लेषनिष्पत्त्यनन्तरम्, यतः श्लेषनिष्पत्त्युत्तरमेव

नास्ति लक्षणेति । अत्र नागेशः—'मास्तु लक्षणा । नामार्थयोश्चाभेदान्वय एवास्तु, न च बाधज्ञानं प्रतिबन्धकम् । सादृश्यज्ञानरूपदोषस्योत्तेजकत्वात् । एतज्ज्ञानं च प्रसिद्ध-सादृश्यकस्थले साधारणधर्मानुपादाने एकसंबन्धिज्ञानादपरसंबन्धिस्मरणन्यायेन । साधा-रणधर्मस्मृतौ दोषविशेषसहकारेण शब्दादभेदप्रत्ययः । शङ्खे पीतत्वाभाव·निश्चये काचकाम-लादिदोषेण तत्पीतत्वप्रत्यक्षवत् । रूपके आहार्यबुद्धिरिति प्राचीनव्यवहारे बाधबुद्धिकालि-कत्वमात्रे आहार्यपदं लाक्षणिकम् । इवशब्दादिसमभिव्याहारे तु तेन भेदगर्भसादृश्य-स्यैवोपस्थापनान्नाभेदप्रतीतिरिति मम प्रतिभाति ।' इति । शास्त्रार्थकुशलो नागेशस्तादृशीं रुचिरां शास्त्रार्थपद्धतिं प्रादुरभावयत् यत्र पण्डितराजस्य नवीनमतखण्डनयुक्तिः कवली-कृतेव प्रतिभातीत्यत्र न मनागपि सन्देहः, परन्तु तथ्यांशस्तत्राल्पीयानेव, यतः सादृश्य-ज्ञानस्य दोषता न क्वापि प्रसिद्धा । किञ्च अभेदबोधे सादृश्यज्ञानस्योत्तेजकत्वमपि अस-मञ्जसमिव प्रतीयते, भेदगर्भत्वे सादृश्यस्याभेदविरोधित्वात् तदगर्भत्वे पुनस्तेनैव कृतार्थ-तायामभेदबोधस्य मुधात्वापत्तेः । सदृशलक्षणाकल्पनापेक्षया सादृश्यज्ञानस्योत्तेजकत्व-कल्पने लाघवमपि नास्त्येवेति मदीयो दृष्टिकोणः । नास्ति लक्षणेत्यन्तेन नवीनमतमनूद्य तत्र दोषं दर्शयितुमाह—तत्रेत्यादिना । चमत्कारी यः साधारणधर्मस्तदनुपस्थितेरर्थः । नास्ति निष्पत्तिश्चमत्कारो वेति । यतो न चमत्कारस्ततो न निष्पत्तिः, अलंकारस्य चम-त्कारप्राणत्वादित्यर्थः । भारतमिति । भारतम् महाभारताभिधो ग्रन्थः, नाकमण्डलम् स्वर्गमण्डलरूप इत्यर्थः । नगरमिति । नगरं वर्णनीयः कश्चन स्थानविशेषः, विधुमण्डलम् चन्द्रमण्डलरूप इत्यर्थः । अनुन्मिषन्त्या रूपकप्रतिपत्तेरिति । अनुदीयमानस्य रूपकज्ञान-स्येत्यर्थः । सुपर्वालंकृत इति । 'सुपर्वालंकृतं भारतं नाकमण्डलम् ।' इति पूर्णवाक्यश्रवणो-त्तरमिति भावः । 'स्यात् सुपर्वा देवसभा' इति कोशेन देवसभाशोभितं स्वर्णमण्डलम्, आदिपर्व·विराटपर्वेत्यादिरीत्या कृतैः भागविशेषैः शोभितम् भारतमिति च तदर्थः । सकलकलेति 'सकलकलं नगरं विधुमण्डलम्' इति पूर्णवाक्यम् । सकला कला चन्द्रिका यस्मिन् इति विधुपक्षे, कलकलैः सहितमिति च नगरपक्षेऽर्थः । समुन्मेष इति । अस्य रूपकप्रतिपत्तेरिति प्राक्तनेन संबन्धः । सर्वेषाम् सहृदयविदुषाम् । मुखं चन्द्र इत्यादि प्रसिद्धरूपके न तथेति भ्रान्तिनिरासायाह—इत्थमेवेति । ननु कथमयमित्थंकारः प्रसिद्धोदाहरणे साधारणधर्मबोधकपदविरहेऽपि रूपकप्रतिपत्तेर्जायमानत्वादित्यत आह—इयानिति । एकत्र मुखं चन्द्र इत्यादि प्रसिद्धरूपकोदाहरणे । इतरत्र 'भारतं नाकमण्डलम्' इत्याद्यप्रसिद्धतदुदाहरणे । तथेति । स्वबोधकश्रुतिमपेक्षत इत्यर्थः । कथमिवेति । केन कारणेनेति तात्पर्यम् । कथमिवेत्यस्य कथमपीति नागेशटीका तु वाक्यार्थविरुद्धैव । अन-न्यापेक्षेति । अन्यत् साधारणधर्मादिकं नापेक्षत इत्यनन्यापेक्षम्, तादृशं पर्यवसानम् चरमं स्वरूपं यस्यास्तस्या इत्यर्थः । सदृशलक्षणायास्तु साधारणधर्मापेक्षं पर्यवसान-मिति भावः । अत्रापि 'रूपकस्य तु' इति नागेशविवरणमसमञ्जसमेव, आहार्याभेदबोध-कल्पस्यापि रूपकपरतयैवोपस्थापिततया पूर्वसंबन्धविच्छेदकस्य 'तु'पदस्यासंगतेः । अय-मत्र पिण्डार्थः—'नगरं विधुमण्डलम्', 'भारतं नाकमण्डलम्' इत्येतावदुक्तावपि आहार्या-भेदबोधो नवीनमतप्रदर्शितरीत्या संभवतीति तावद् वाक्यश्रवणानन्तरम् तत्र रूपकालंकार-

बुद्ध्या स्फुरणीयम्, स्फूर्यते तु न, तावता सिद्ध्यति, यत्—साधारणधर्मानुपस्थितिदशायाम् उपमालंकार इव रूपकालंकारोऽपि न भवति, चमत्कारकारणस्य साधारणधर्मस्याप्रतीतेः अत एव सकलकल-सुपर्वालंकृतेति शब्दश्रवणोत्तरं पूर्वोक्तवाक्ययोः रूपकालंकारबुद्धिः स्फुरति। न चाप्रसिद्धोदाहरण एवैषा स्थितिः मुखं चन्द्र इत्यादिप्रसिद्धोदाहरणे तु साधारणधर्मानुपस्थितिदशायामपि रूपकबुद्धिः स्फुरत्येवेति भ्रमितव्यम्, तत्रापि साधारणधर्मोपस्थितिदशायामेव रूपकोन्मेषात्। तत्र साधारणधर्मस्य सुन्दरत्वादेः प्रसिद्धतया तद्बोधकशब्दश्रवणस्य नापेक्षा, अप्रसिद्धसाधारणधर्मस्थले तु तस्यापेक्षेत्यन्यदेतत्। एवञ्च रूपकस्थले साधारणधर्मात्मकस्य सादृश्यस्य गर्भीकरणायोपमानवाचकस्य स्वसदृशे लक्षणेति प्राचां पक्षः निष्प्रतिपक्ष एवेति।

अब ग्रन्थकार नवीनों के मत का खण्डन आरम्भ करते हैं–अत्रेदं विचार्यते इत्यादि। उक्त नवीन विद्वानों के मत के विषय में यह विचार किया जाता है—उन्होंने जो सर्वप्रथम यह कहा कि 'दो नामार्थों (दो पदों के वाच्यार्थों) के आहार्य अभेदान्वय बोध से ही निर्वाह हो जाता है, अतः रूपक के स्थल में लक्षणा नहीं होती' वह दार्शनिकों की दृष्टि से भले ही ठीक जंचे, पर सहृदय साहित्यिकों की दृष्टि से समुचित नहीं प्रतीत होता। कारण, अलंकारों की कल्पना चमत्कार के आधार पर की गई है। जब तक चमत्कार का अनुभव न हो तब तक कोई अलंकार नहीं माना जा सकता, अतएव 'गौरिव गवयः अर्थात् गाय के सदृश गवय' इस वाक्य में उपमा नहीं मानी जाती और 'चन्द्र इव मुखम् अर्थात् चाँद-सा मुख' इसमें वह मानी जाती है। इस स्थिति में यह बात सभी सहृदयों के हृदय में आने योग्य होगी कि जिस तरह चमत्कारजनक किसी साधारण (उपमान तथा उपमेय दोनों में रहनेवाले आह्लादकता आदि) धर्म की अनुपस्थिति अवस्था में उपमा अलंकार नहीं माना जाता, उसी तरह चमत्कारक साधारण धर्म के अभाव में रूपक अलंकार भी नहीं बन सकता, क्योंकि चमत्कार का कारण उस साधारण धर्म का ज्ञान ही होता है और जब वही नहीं रहेगा, तब चमत्कारप्राण अलंकार हो तो कैसे? यदि ऐसी बात न होती, तो जो 'भारतं नाकमण्डलम् अर्थात् भारत (महाभारत ग्रन्थ अथवा भारतवर्ष) स्वर्गप्रदेश है' और 'नगरं विधुमण्डलम् अर्थात् नगर चन्द्र-बिम्ब है' केवल इन वाक्यांशों को सुन लेने के बाद सहृदयों के हृदय में रूपक अलंकार का अनुभव नहीं होता और उन्हीं वाक्यों के साथ क्रमशः 'सुपर्वालंकृत अर्थात् स्वर्गपक्ष में देव-सभा-सुशोभित और ग्रन्थपक्ष में सुन्दर पर्व-सभा, वन, विराट आदि से और भारतवर्षपक्ष में सुन्दर पर्वों-त्योहारों से सुशोभित' और 'सकलकल अर्थात् चन्द्रपक्ष में सब कलाओं चन्द्रिकाओं से, नगरपक्ष में कलकल शब्दों से युक्त' इन दोनों विशेषणों को सुन लेने पर सब के मन में रूपक की प्रतीति उदित हो जाती है, वह क्यों? दोनों अवस्थाओं में अन्तर तो केवल यही होता है कि पहले साधारण धर्म का ज्ञान नहीं होता और पीछे उक्त दोनों विशेषणों के सुन लेने पर वह हो जाता है। यह स्थिति रूपक के अप्रसिद्ध उदाहरणों में ही होती है, यह बात नहीं, 'मुखचन्द्र' इत्यादि प्रसिद्ध रूपकोदाहरणों में भी साधारण धर्मज्ञान होने पर ही रूपक की बुद्धि जागती है। हाँ, अप्रसिद्ध और प्रसिद्ध उदाहरणों में इतना अन्तर अवश्य है कि अप्रसिद्ध स्थल में साधारण धर्म का ज्ञान होने के लिये नियमतः साधारण धर्म-बोधक पद-श्रवण की अपेक्षा होती है और प्रसिद्ध स्थल में उसके लिये नियमतः बोधक-पद-श्रवण की अपेक्षा नहीं होती अर्थात् 'मुख और चन्द्र का साधारण

धर्म आह्लादकत्व आदि इतना प्रसिद्ध है कि बोधकपद के अभाव में भी 'मुखचन्द्र' कहने पर आप से आप ज्ञात हो जाता है, परन्तु 'नगरं विधुमण्डलम्' इत्यादि अप्रसिद्ध स्थल में वह साधारण धर्म (सकलकलत्व आदि) तब तक ज्ञात नहीं होता, जब तक उसके बोधक पदों का श्रवण न हो जाय। सारांश यह कि साधारण धर्म का ज्ञान (चाहे वह प्रसिद्धि के कारण आप से आप हो अथवा बोधक पद के द्वारा हो) हो जाने पर ही रूपकालंकार का भी बोध होता है, यह निर्विवाद सत्य है। इस प्रसंग में यह भी सोचने योग्य है कि यदि रूपक के मध्य में सादृश्य (जिसका निष्कृष्ट-स्वरूप साधारण धर्म होता है) का प्रवेश नहीं हुआ रहता, तब 'भारतम्···,नगरम्···' इत्यादि उक्त स्थानों पर साधारण धर्म की अनुपस्थितिदशा में भी रूपक क्यों नहीं पर्यवसित होता? तथा चमत्कार की ही उत्पत्ति क्यों नहीं होती? नवीन मत के अनुसार तो उन दोनों बातों को होना ही चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से रूपक का नियामक जो आहार्य अभेद-बुद्धि है, वह उस दशा में भी हो ही सकती है। कारण, आहार्याभेद-बुद्धि के होने में सादृश्य आदि किसी अन्य बात की अपेक्षा नहीं है—वह अनन्यापेक्षपर्यवसान है।

साधारणधर्मानुपस्थितिदशायामाहार्याभेदबुद्धेरप्यभाव इत्येतदुपपादिकां युक्तिमाशंक्य निरस्यति—

न चाहार्योपदार्थद्वयाभेदबुद्धौ तच्चमत्कारे वा साधारणधर्मविशेषज्ञानं प्रयोजकमिति शक्यं वक्तुम्।

'यद्यनुष्णो भवेद्वह्निर्यद्यशीतं भवेज्जलम्।
मन्ये दृढव्रतो रामस्तदा स्यादप्यसत्यवाक्॥'

इत्यादौ साधारणधर्मस्याप्रत्ययेऽपि वह्न्यनुष्णत्वादीनामभेदप्रत्ययोपगतेः। न चोपमानोपमेयस्थल एवायं नवीनो विशेष इति वाच्यम्। ईदृशविशेषकल्पने मानाभावात्। साधारणधर्मानुपस्थितिदशायामपि 'मुखं यदि चन्द्रः स्यात् तदा भून्यवस्थितं न स्यात्' इत्यादौ तादृशप्रतीत्युपगमाच्च।

विशेषज्ञानमिति। तथा च तदभावादभेदबुद्धिरपि न स्यादिति भावः। यद्यनुष्ण इति। वह्निर्यदि अनुष्णो भवेत, जलम् यदि शैत्यहीनं स्यात, तदा दृढव्रतः स्थिर-सत्यवादित्वप्रतिज्ञः, रामः, असत्यवागपि मिथ्यावक्ताऽपि स्यात्—अर्थात्—यथाऽनल-सलिलयोरनुष्णत्वाशीतलत्वे असंभविनी, तथा दृढव्रतस्य रामस्यासत्यवादित्वमप्यसंभवी-त्यर्थः। साधारणधर्मेति। वह्न्यनुष्णत्वाद्यसत्यवाक्त्वयोरित्यादि। वह्न्यनुष्णेति। वह्न्य-नुष्णत्वादीनामसत्यवाक्त्वेन सहाभेदप्रत्ययोपगतेरिति भावः। अत्र 'वह्न्यादावनुष्णाद्य-भेदप्रतीतेरित्यर्थः' इति नागेशटीका तु 'वह्न्यनुष्णत्वादीनामभेदप्रत्ययोपगतेः' इति मूला-क्षरस्वारस्यप्रतिच्छलैव। नागेशानुयायिनी सरलापि तथैव। मदुक्तरीत्या ग्रन्थलापनसंभवे तादृशप्रतिकूलव्याख्याकरणस्य प्रयोजनमपि नास्त्येव। न चोपमेति। वह्न्यनुष्णत्वाद्यस-त्यवाक्त्वयोस्तु नोपमानोपमेयत्वं विवक्षितम्। अत एव तत्र रूपकादिकं न। अभेदबुद्धिस्तु तत्रास्तीति भावः। नन्वन्यथानुपपत्तिरेव मानमिति चेत् तत्राह—साधारणेति। मुखं यदीति। मुखं यदि चन्द्राभिन्नं भवेत, तदा धरास्थितं न भवेत्, चन्द्रस्य धरागत-

त्वासंभवादित्यर्थः । तादृशेति । अत्र नवीनमते चन्द्रमुखयोरुपमानोपमेयभावविवक्षाधीन-रूपकसत्त्वेनाभेदप्रतीत्युपगमादित्यर्थः । प्राचीनमतेऽभेदबुद्धावपि सादृश्याप्रतीतेर्न रूपकमिति भावः । आहार्याभेदबोधे साधारणधर्मज्ञानस्य प्रयोजकतया तदभावे तादृशाभेद-बोधस्याप्यभावेन साधारणधर्मानुपस्थितिदशायां रूपकानुन्मेषस्य रूपकस्थलीयसदृशलक्षणा-पक्षसाधकत्वं न युक्तमिति कथनं नोचितम्—यद्यनुष्ण इत्यादिपद्ये साधारणधर्मानुपस्थितावपि अभेदबुद्धेरुदयात् तत्र पद्य उपमानोपमेयभावो नास्ति, उपमानोपमेयभावस्थले एव च साधारणधर्मस्याभेदबुद्धिप्रयोजकता कल्प्यत इत्यपि न सम्यक् 'मुखं यदि चन्द्रः स्यात्…' इत्यादावुपमानोपमेयभावस्थलेऽपि साधारणधर्मानुपस्थितौ अभेदप्रतीतेर्जायमानत्वात् । तस्मादभेदबुद्धौ साधारणधर्मज्ञानस्य प्रयोजकताया दुर्वचतया साधारणधर्मानुपस्थिति-दशायामप्यभेदबुद्धेर्निर्बाधतया तादृशदशायामापततो रूपकानुन्मेषस्य रूपकस्थले सदृश-लक्षणासाधकतया प्राचां पक्ष एव समीचीनो न नवीनानामिति भावः ।

साधारण धर्म की अनुपस्थिति में आहार्य अभेद बुद्धि भी नहीं होगी इस बात को सिद्ध करने के लिये शंका करके खण्डन करते हैं—न च इत्यादि । यदि आप कहें कि दो पदार्थों के आहार्य अभेद ज्ञान का अथवा उसके चमत्कार का प्रयोजक है साधारण धर्म का ज्ञान, अतः साधारण धर्म का ज्ञान नहीं रहने पर वे दोनों बातें नहीं होतीं, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि—'यद्यनुष्णो……अर्थात् यदि आग अनुष्ण हो जाय और जल अशीतल हो जाय, तब यह भी संभावना की जा सकती है कि दृढव्रत (सत्य-प्रतिज्ञ) राम मिथ्याभाषी भी हो जायँ' इत्यादि स्थानों में वह्नि की अनुष्णता आदि तथा असत्यवादिता इन दोनों पदार्थों में किसी प्रकार के साधारण धर्म का ज्ञान नहीं रहने पर भी अभेद-प्रतीति मानी गई है । यदि आप कहेंगे कि उपमानोपमेय भाव जहाँ रहता है, वहीं इस तरह के नवीन विशेष (साधारण धर्म की अनुपस्थिति में अभेद बोध भी नहीं होता) की कल्पना करेंगे अर्थात् उक्त पद्य में वह्नि की अनुष्णता आदि तथा असत्यवक्तृत्व में उपमानोपमेय भाव की विवक्षा नहीं है, अतएव रूपक आदि भी यहाँ नहीं माना जाता, और साधारण धर्म की अनुपस्थिति में अभेदबोध नहीं होने की बात हम उपमानोपमेयभावस्थल में ही कहते हैं, अतः वह बात यहाँ लागू नहीं होगी—साधारण धर्म की अनुपस्थिति में भी अभेदबोध होगा; तो यह कथन भी आपका संगत नहीं होगा क्योंकि एक तो उपमानोपमेयभावस्थल में ही उक्त कल्पना की स्वीकृति में कोई प्रमाण नहीं है । दूसरे मुखं यदि………अर्थात् मुख यदि चन्द्र होता तो भूमि पर स्थित नहीं होता इत्यादि में उपमानोपमेय भाव के रहने पर भी साधारण धर्म की अनुपस्थिति में अभेदबोध माना जाता है ।

सदृशलक्षणापक्षेऽसंगतिमाशङ्क्य समाधत्ते—

ननु रूपकप्रतीतेरुपमानाभेदविषयत्वविरहे 'सिंहेन सदृशो नायं किन्तु सिंहो नराधिपः' इत्यादौ निषेध्यविधेययोरसङ्गतिरिति चेत्, न । अनुपदमेव प्राचीन-मतद्वयेऽपि रूपके तादृूप्यप्रतिपत्तेः स्वीकारस्य प्रतिपादनात् ।

रूपकप्रतीतेरिति । रूपकालंकारबुद्धौ उपमानस्याभेदो विषयो न भवतीति स्वीकारे इत्यर्थः । रूपकस्थले वाच्ययोराहार्याभेदबोधो न भवति किन्तु सदृशलक्षणा भवतीति प्राचीनपक्षाश्रयणे इति यावत् । सिंहेन सदृश…इति । अयं वर्णनीयः कश्चन नराधिपः

राजा, सिंहेन सदृशः सिंहतुल्यो न, अपितु सिंह एवेत्यर्थः। निषेध्येति। सिंहसदृशाभेदेत्यर्थः। विधेयेति। सिंहाभेदेत्यर्थः। मतद्वय इति। 'अन्ये तु, अपरे तु' इति प्रतीकाभ्यामुपदर्शितयोर्द्वयोर्मतयोरित्यर्थः। रूपकस्थले वाच्ययोरुपमानोपमेययोराहार्याभेदबोधो न भवति अपि तु उपमानवाचकस्य सदृशलक्षणयोपमानसदृशाभेदस्यैव बोधो भवति चेत्? तर्हि सिंहेन...इति काव्यवाक्ये सिंहसदृशाभेदस्य निषेधः सिंहाभेदस्य विधानञ्च यत्क्रियते तत्र संगच्छेत् भवद्रीत्या सिंहो नराधिपः' इत्यंशेऽपि सिंहपदस्य सदृशलाक्षणिकतया सिंहसदृशाभेदस्यैव विधेयताऽवगमात् तद्विधेयताऽवगमे च सिंहेन सदृशो न इत्यंशेन तस्यैव निषेधानुपपत्तेः इति शंका नोचिता, सदृशलक्षणोपपादकप्राचीनमतद्वयेऽपि रूपकस्थले उपमानोपमेययोरभेदबोधस्योपपादितत्वात्। एकस्मिन् मते चन्द्रादिपदेभ्यो लक्षणया चन्द्रसदृशत्वेनापि रूपेणोपस्थितानां मुखादीनां चन्द्रत्वेनैव रूपेण मुखादिपदोपस्थापितैः सहाभेदान्वयबोधः समर्थितः। तद्युक्तिस्तत्रैव द्रष्टव्या। अपरत्र मते भेदाकरम्बितं सादृश्यं रूपकजीवातुभूतमङ्गीकृत्य तादृशबोध उपपादितः। इति।

अब 'रूपक-स्थल में विषयिवाचक पद की स्वसदृश में लक्षणा होती है' इस प्राचीन-पक्ष में असंगति की आशंका करके खण्डन करते हैं—ननु इत्यादि। 'सिंहेन सदृश...... इत्यादि अर्थात् यह (कोई वर्णनीय) राजा सिंह के समान नहीं, परन्तु सिंह है' इत्यादि स्थानों पर सिंहसदृशाभेद का निषेध और सिंहाभेद का विधान किया गया है। अब सोचिये कि यदि रूपक की प्रतीति में उपमान का अभेदविषय नहीं होता रहता अर्थात् उपमेय में उपमान के अभेद-ज्ञान के विना भी रूपक सिद्ध हो जाता, तो उक्त निषेध और विधान दोनों ही असंगत हो जाते, क्योंकि प्राचीनों के मतानुसार 'सिंहो नराधिपः' इस रूपक में भी सिंह पद सदृशलाक्षणिक ही माना जायगा और तदनुसार उसका अर्थ होगा 'सिंहसदृश से अभिन्न राजा'। इस स्थिति में सिंहसदृशाभेद की विधेयता प्रतीत होगी, और जब उत्तर अंश से उसकी विधेयता विदित होगी, तब पूर्व (सिंहेन सदृशो नायम्) अंश से उसी का निषेध बन नहीं सकता। यह है शंका। उत्तर है कि–अभी थोड़ा पहले प्राचीनों के भी अन्तिम ('अन्ये तु' 'अपरे तु' इन दो प्रतीकों के द्वारा वर्णित) दो मतों में इस बात का प्रतिपादन किया जा चुका है कि रूपक में सदृशलक्षणा के बाद भी ताद्रूप्य (अभेद) का बोध होता है (देखिये-उन दोनों मतों की व्याख्या)।

प्राचीनमते पुनरपरामसंगतिमाशङ्क्य निरस्यति—

अथ विधेयकोटौ प्राचां मते सादृश्यापि प्रविष्टतया तन्निषेधानुपपत्तिस्तथापि स्थितैवेति चेत्, भेदघटितसादृश्यरूपाया उपमाया एव निषेध्यत्वात् तिरोभूतभेदसादृश्यलक्षणस्य रूपकस्य विधेयत्वाच्च नानुपपत्तिः।

विधेयकोटाविति। 'सिंहो नराधिपः' इत्यंश इत्यर्थः। प्रविष्टतयेति। उपमानवाचकस्य सदृशलाक्षणिकत्वादिति भावः। तथापीति। ताद्रूप्यप्रतिपत्त्यङ्गीकारेऽपीत्यर्थः। उपमाया एवेति। अत्रैवपदेन सादृश्यस्य विधिनिषेधयोर्व्यावृत्तिः। तिरोभूतभेदेति। तिरोभूतो भेदो यस्मिन् सादृश्ये इति बहुव्रीहिः। भेदाघटितेति तदर्थः। पूर्वोक्ते प्राचीनमतद्वये उपमानोपमेययोस्ताद्रूप्यप्रतीतेरुपपादनेऽपि सदृशलक्षणाबललब्धस्योपमानसादृश्यस्यापि प्रतीतिरुपमेये स्यादेव तथा च 'सिंहेन सदृशो...' इत्यादौ सादृश्यनिषेधासंगतिर्भवेदेवेति शंका,

नात्र सादृश्यं निषेध्यं विधेयं वा, अपि तु भेदघटितसादृश्यात्मिकोपमा निषेध्या भेदाघटित-सादृश्यात्मकं रूपकञ्च विधेयम् इति तात्पर्यवर्णनम् समाधानमिति भावः।

प्राचीनों के मत में एक अन्य तरह की असंगति की आशंका करके खण्डन करते हैं—अथ इत्यादि। यदि आप कहें कि प्राचीनों के उक्त दोनों मतों में उपमान तथा उपमेय के अभेद का प्रतिपादन भले ही किया गया हो, तथापि सदृश लक्षणा के बल से उपमान के सादृश्य की भी प्रतीति उपमेय में होगी ही और जब उसकी प्रतीति होगी, तब फिर 'सिंहेन सदृशो नायम्' इस भाग के द्वारा उसी का निषेध तो अनुपपन्न होता ही रहेगा, तो यह कहना उचित नहीं, कारण, सादृश्य जब दो प्रकार के माने जाते हैं—एक भेदघटित—जो उपमा का मूल होता है और दूसरा भेदाघटित अर्थात् जिसमें भेद अंश तिरोहित-छिपा हुआ हो-जो रूपक का मूल होता है, तब सादृश्य का ही निषेध और उसी का विधान दोनों एक साथ बन सकते हैं। सारांश यह कि भेद-घटित-सादृश्य-मूलक उपमा का निषेध और भेदरहित-सादृश्य-मूलक रूपक का विधान ही यहाँ विवक्षित है।

प्राचीनमते दर्शितामनुपपत्तिं परिहर्तुमाह—

यदप्युक्तं रूपके लक्षणास्वीकारे 'राजनारायणम्' इत्यत्र 'पादाम्बुजम्' इत्यत्र चोपमारूपकयोर्बाधकतया रूपकोपमयोर्निर्णायकतया च लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गन-मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितत्वयोरनुपपत्तिः प्राचीनैरुक्ता विरुद्धा स्यादित्यादि, तदपि न। रूपके उपमानतावच्छेदकरूपेण तत्सदृशप्रत्ययस्योपपादितत्वेन 'राजनाराय-णम्' इत्यादौ विशेषणसमासायत्तस्य रूपकस्य स्वीकारे प्रधानीभूतोत्तरपदार्थस्य नारायणसदृशस्यापि नारायणत्वेनैव प्रतीतेर्लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनकर्मताया अनु-पपत्तेरभावात्। उपमाया उपमितिसमासायत्तायाः स्वीकारे तु प्रधानीभूतपूर्व-पदार्थस्य राज्ञो राजत्वेनैव प्रत्ययात्तादृशकर्मताया अनुपपत्तेः। 'पादाम्बुजम्' इत्यादावपि रूपकस्य स्वीकारे प्रधानीभूतोत्तरपदस्यास्याम्बुजसदृशस्याम्बुज-त्वेनैव प्रतीतेर्मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरताया अनुपपत्तेः। उपमितिसमासा-यत्तोपमायां तु प्रधानस्य पादस्य पादत्वेनैव प्रतीतस्य नास्ति तस्या अनुपपत्ति-रिति न कोऽपि दोषः।

उपमारूपकयोर्बाधकतया इत्यादि। राजनारायणमित्यत्रोपमाया बाधकतया रूपकस्य निर्णायकतया च लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनस्यानुपपत्तिः, पादाम्बुजमित्यत्र रूपकस्य बाधकतया उपमाया निर्णायकतया च मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितत्वस्यानुपपत्तिरित्यर्थः। उपमानतावच्छेद-केति। चन्द्रत्वादिनेत्यर्थः। विशेषणसमासेति। मयूरव्यंसक इति समासेत्यर्थः। उपमिति-समासेति। 'उपमितं व्याघ्रादिभिः—' इति समासेत्यर्थः। तादृशेति। लक्ष्मीकर्तृकालिङ्ग-नेत्यर्थः। तस्या इति। मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरताया इत्यर्थः। अन्यत् निगदव्याख्यात-मिति नेह प्रतन्यते।

अब प्राचीनों के मत में जो दोष नवीनों ने लगाया था, उसका उद्धार करते हैं—यदप्युक्तम् इत्यादि। नवीनों ने सर्वप्रथम यह दोष लगाया है कि रूपक में लक्षणा मानने पर प्राचीनों का 'राजनारायणम्' में 'लक्ष्मीकर्तृक आलिङ्गन' को उपमा का बाधक और रूपक का निर्णायक मानना, तथा 'पादाम्बुजम्' में 'मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्व'

को रूपक का बाधक और उपमा का साधक मानना, विरुद्ध हो जायगा। परन्तु वस्तुतः वह प्राचीनों के मत में भी विरुद्ध होता नहीं। कारण, वह विरुद्ध तब होता यदि 'राजनारायणम्' में रूपक मानने पर भी 'लक्ष्मीकर्तृक आलिङ्गन' अनुपपन्न होता, इसी तरह 'पादाम्बुजम्' में उपमा मानने पर भी 'मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्व' उपपन्न नहीं हो सकता परन्तु वह होता नहीं, क्योंकि प्राचीनों के द्वितीय मत में यह कहा जा चुका है कि रूपकस्थल में चन्द्र आदि उपमानवाचक पद से लक्षणा के द्वारा तत्सदृश अर्थ की उपस्थिति होने पर भी अन्वयबोध उस उपस्थित अर्थ का उपमानतावच्छेदक–चन्द्रत्व आदि–रूप से ही होता है। अतः 'राजनारायणम्' में 'मयूरव्यंसकादयश्च' इस पाणिनि सूत्र से विशेषणसमास मान कर रूपक स्वीकार करने पर प्रधान माने जाने वाले नारायणसदृशरूप उत्तरपदार्थ की भी प्रतीति अन्वयबोध में नारायणत्व रूप से ही होगी और जब नारायण से अभिन्न राजा को समझ लिया जायगा, तब उसका लक्ष्मी के द्वारा किये जानेवाले आलिङ्गन का कर्म होना अनुपपन्न नहीं होगा–उचित ही होगा। और 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस पाणिनि सूत्र से उपमित समास मानकर उपमा मानने पर तो प्रधान माने जानेवाले राजारूप पूर्वपदार्थ का राजारूप में ही बोध होगा-नारायणसदृशरूप उत्तरपदार्थ विशेषणरूप में यथावत् पड़ा रहेगा और जब राजा राजा मात्र समझा जायगा–नारायण से अभिन्न नहीं, तब उक्त आलिङ्गन अनुपपन्न होगा। इसी तरह 'पादाम्बुजम्' में रूपक मानने पर प्रधान माने जानेवाले 'अम्बुजसदृश'रूप उत्तरपदार्थ की प्रतीति अन्वय-बोध में अम्बुजत्वरूप से ही होगी और जब अम्बुज प्रधान तथा चरण अभेदेन उसका विशेषण समझ लिया जायगा तब उक्त 'मनोहरत्व' उपपन्न—उचित नहीं होगा। उपमित समास मानकर उपमा मानने पर तो प्रधान होनेवाले 'चरण' रूप पूर्वपदार्थ की प्रतीति अन्वयबोध में चरणरूप से ही होगी–अम्बुज सदृशरूप उत्तरपदार्थ अभेदेन विशेषण बन कर गौण रूप में पड़ा रहेगा, और जब पाद की प्रधानता समझी जायगी, तब उक्त मनोहरत्व उपपन्न होगा। सारांश यह है कि प्राचीन मत के अनुसार भी उक्त स्थलों पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती, अतः उनका मत ठीक है।

'पादाम्बुजम्' इत्यत्रोक्तरीतेरसम्भवमाशङ्क्य समाधत्ते—

न चोपमितसमासे पूर्वपदार्थस्योपमेयस्योपमेयतावच्छेदकतयैव प्रतीतिरिति न युक्तम्। 'वक्त्रे चन्द्रमसि' इति प्रागुक्तरूपक इवोपमानताद्रूप्यवदभेदबुद्ध्या तत्ताद्रूप्यस्यात्रापि प्रतिपत्तुं शक्यत्वाल्लक्षणायास्तुल्यत्वादिति वाच्यम्। उपमितिसमासे भेदघटितसादृश्यस्य लक्ष्यकोटिप्रविष्टतया वैलक्षण्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्।

उपमानताद्रूप्येति। उपमानसदृशयोरेकपदोपात्तत्वेनोपमानताद्रूप्यवत्सदृशाभेदबुद्ध्या उपमेये उपमानताद्रूप्यस्योपमायामपि ज्ञातुं शक्यत्वादित्यर्थः। तत्र हेतुमाह—लक्षणेति। रूपक इवोपमितसमासेऽपि सादृश्यवाचकेवशब्दाभावेन लक्षणायाः सत्त्वेन तस्यास्तुल्यत्वादिति भावः। वक्ष्यमाणत्वादिति अथोपमितसमासे'''इत्यादिनाऽस्मिन्नेव प्रकरणे इति भावः। 'पादाम्बुजम्' इत्यत्रोपमितसमासे पूर्वपदार्थस्य पादरूपस्योपमेयस्योपमेयतावच्छेदकपादत्वेनैव प्रतीतिरिति यदुक्तं तन्न युक्तम् 'वक्त्रे चन्द्रमसि' इति पूर्वोक्तरूपकस्थले यथा लक्षणया चन्द्रसदृशस्य चन्द्रस्य चैकपदोपस्थाप्यत्वप्रयुक्ताभेदाध्यवसानेन ताद्रूप्ये

चन्द्रताद्रूप्यवता सदृशपदार्थेनाभेदात् मुखेऽपि चन्द्रत्वं प्रतीयते, तथैव प्रकृते उपमायामपि इवशब्दाभावात् उपमानवाचकस्याम्बुजपदस्य स्वसदृशे लक्षणाया अकामेनाप्यङ्गीकर्तव्यतया अम्बुजताद्रूप्यवत्सदृशपदार्थाभेदात् पादेऽम्बुजत्वप्रतीतेरिति शंका, उपमितसमासे भेदघटितं सादृश्यं लक्ष्यकोटिप्रविष्टं, विशेषणसमासे तु तदघटितं सादृश्यं तथेति लक्षणायास्तुल्यत्वेऽपि, उपमारूपकयोर्वैलक्षण्यस्याग्रे प्रतिपादनात् उपमितसमासे· पादाम्बुजमित्यत्र भेदघटितसादृश्यस्य प्रतीत्या पादेऽम्बुजताद्रूप्यप्रतीतेरभाव इति समाधानमिति भावः ।

'पादाम्बुजम्' में उक्त रीति की असंभावना की शङ्का करके खण्डन करते हैं—न चेत्यादि । 'उपमित समास' में पूर्वपद के अर्थ पाद आदि उपमेय की प्रतीति उपमेयतावच्छेदक–पादत्व–आदि के रूप में नहीं हो सकती । कारण, 'पादाम्बुजम्' में इव आदि सादृश्यवाचक पद तो है नहीं, अतः उपमित समास मानने पर भी 'अम्बुज' रूप उत्तरपद की जब सदृशअर्थ में लक्षणा ही माननी पड़ेगी, तब जैसे 'वक्त्रे चन्द्रमसि स्थिते किमपरः शीतांशुरुज्जृम्भते' पूर्वोक्त रूपक में, 'चन्द्रसदृश' में 'चन्द्र' का ताद्रूप्य मान लेने पर, 'चन्द्रसदृश' के साथ मुख का अभेदान्वय होने के कारण, मुख में भी चन्द्र का ताद्रूप्य आप मान चुके हैं, उसी तरह यहाँ भी 'अम्बुजसदृश' में 'पाद' का अभेदान्वय होने के कारण 'पाद' में भी 'अम्बुजताद्रूप्य' की प्रतीति हो जानी चाहिए । और ऐसी स्थिति में उक्त अनुपपत्ति यहाँ बनी रहेगी । यह है यहाँ शंका । उत्तर यह है कि उपमितसमास में भेद-घटित सादृश्य, लक्ष्यमध्य में प्रविष्ट रहता है और विशेषणसमास में भेद-रहित सादृश्य लक्ष्यमध्य में प्रविष्ट रहता है, अतः दोनों स्थलों पर समान रूप से लक्षणा के रहने पर भी उपमा तथा रूपक में विलक्षण-विलक्षण बोध होता है (यह बात आगे कही जानेवाली है)। सारांश यह है कि 'पादाम्बुजम्' में उपमित समास मानने पर लक्षणा द्वारा भी भेदघटित सादृश्य की ही प्रतीति होगी, अतः 'पाद' में 'अम्बुज'–ताद्रूप्य की प्रतीति नहीं होगी ।

प्राचीनमते नवीनैरारोपितमनुपपत्त्यन्तरमनूद्य समाधत्ते—

यदप्युक्तं सादृश्यस्य शब्देनोपादानादुपमात्वापत्तिरिति तदपि न । भेदाकरम्बितसादृश्यविशिष्टस्य रूपके लक्ष्यत्वादुपमाव्यपदेशस्याप्रसक्तेः 'सादृश्यमुपमाभेदे' इति तत्सिद्धान्तात् ।

भेदाकरम्बितेति भेदाघटितेत्यर्थः । प्राचीनमते रूपकस्थले उपमानवाचकस्य स्वसदृशे लक्षणायाम् लक्ष्यतावच्छेदकस्य सादृश्यस्य लक्ष्यांशे सादृश्यत्वात्मकसामान्यरूपेण प्रतीतौ सादृश्यस्य लाक्षणिकोपमानवाचकपदेनोपादानात् उपमात्वापत्तिरिति दोषो यदुक्तो नवीनैः, तत्प्राचीनाशयाज्ञानविलसितम् , 'भेदे सति सादृश्यम् उपमा' इत्युपमालक्षणं कुर्वतां प्राचां मते रूपके उपमात्वाप्राप्तेः, तत्र भेदाघटितस्यैव सादृश्यस्य लक्ष्यतावच्छेदकतया तैरुपपादनात् इति भावः ।

प्राचीन मत में नवीनों के द्वारा आरोपित एक दूसरी अनुपपत्ति का अनुवाद करके समाधान करते हैं—यदप्युक्तम् इत्यादि । रूपक-स्थल में उपमान-वाचक पद की स्वसदृश में लक्षणा होती है इस प्राचीन मत में, लक्ष्यतावच्छेदक-सादृश्य की लक्ष्य (उपमेय) अंश में सामान्य (सादृश्य) रूप से प्रतीति मानने पर सादृश्य का शब्द-द्वारा ग्रहण होने के कारण ऐसे स्थानों में उपमा अलंकार होने लगेगा, रूपक

श्लेषमूलकाभेदाध्यवसानेन भूपहंसयोः मानसवासित्वरूपस्य सादृश्यस्य स्फुरणं भवति। एवञ्च रूपकस्योत्पत्तौ श्लेषस्यापेक्षा सिद्धा श्लेषस्योत्पत्तौ रूपकापेक्षाऽपि वर्तते, यतः रूपकसिद्ध्यनन्तरमेव सरोमनोरूपार्थद्वयाभिधानात्मनः श्लेषस्य स्फुरणं भवति। ननु श्लेषस्फुरणे रूपकापेक्षायां किं बीजमिति चेदित्थम्—रूपकसिद्धिदशायाम् मानसपदस्य सरोवररूपार्थे तात्पर्यावगमकं प्रमाणं नास्ति। रूपकस्फुरणोत्तरम् तु रूपकशरीरप्रविष्ट-सादृश्यस्य श्लेषं विना अनुपपत्तिरिति तदनुपपत्तिरूपेण प्रमाणेन श्लेषस्य स्फुरणम् जायते, येन सरोमनोरूपार्थद्वयस्याभेदबोधः फलति। इति।

'नलिनप्रतिपक्षमाननम्' इत्यादि में उपमा है ही नहीं, ऐसा मान लेने पर भी नवीन विद्वान् अपने मत के समर्थन में अन्य युक्ति बतलाते हैं—किं च इत्यादि। 'विद्वन्मानसहंस' इत्यादि सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में उद्धृत है। अर्थ है—'हे विद्वानों के हृदयरूप मानसरोवर के हंसरूप अर्थात् सर्वदा उसमें विहार करनेवाले, हे शत्रुओं की लक्ष्मी के संकोच (न्यूनता) रूप कमल-विकास के लिये सूर्यरूप, हे (युद्ध के लिये) किला न ढूँढ़नेरूप पार्वती के ढूँढ़ने में शिवरूप, हे युद्धरूप समिधा (लकड़ी) के स्वीकार करने में अग्निरूप, हे सत्य-प्रेमरूप सती (महादेव की प्रथम पत्नी) की अप्रीति करने के लिये दक्षरूप, हे शत्रुओं के पराजयरूप अर्जुन से पूर्व उत्पन्न होने में भीमरूप, वीरश्रेष्ठ राजन्! आप ब्रह्माजी के सौ वर्षों तक साम्राज्य को उन्नत करते रहें।' प्रकृत में कहना यह है कि यदि रूपकस्थल में लक्षणा मानी जाय, तब उक्त (विद्वन्मानस''इत्यादि) पद्य में अन्योन्याश्रय दोष आने लगेगा, जिससे परम्परित रूपक की सिद्धि नहीं होगी। अन्योन्याश्रय दोष कैसे होने लगेगा इसका उत्तर सुनिये—प्राचीनों के अनुसार सारोप-लक्षणामूलक रूपकालंकार सादृश्य की प्रतीति के विना हो नहीं सकता और प्रकृत पद्य में सादृश्य की प्रतीति श्लेष की प्रतीति के बाद में हो सकती है, क्योंकि मानस आदि पद में श्लेष की प्रतीति हो जाने के बाद ही श्लेषमूलक अभेदारोप से उपमान हंस और उपमेय भूप दोनों में रहनेवाले मानसवासित्वरूप साधारणधर्मात्मक सादृश्य की प्रतीति होती है। इस तरह रूपक की उत्पत्ति में श्लेष की अपेक्षा सिद्ध हो गई। इसी तरह श्लेष की उत्पत्ति में रूपक की अपेक्षा भी है, क्योंकि राजा को हंस समझनेरूप रूपक की प्रतीति हो जाने के बाद ही सरोवर और मन इन दो अर्थों के प्रतिपादनरूप श्लेष की ओर ध्यान जाता है। यदि कोई कहे कि श्लेष की प्रतीति में रूपक की अपेक्षा होने का कारण क्या है? तो समझिए—जब तक रूपक की प्रतीति नहीं हो जाती—राजा को हंस नहीं समझ लिया जाता—तब तक मानस पद कहने से वक्ता का सरोवर में भी तात्पर्य है, इस बात का ज्ञान करानेवाला कोई प्रमाण ही नहीं है। हाँ, रूपक की प्रतीति हो जाने के अनन्तर रूपक के पेट में प्रविष्ट सादृश्य की अन्यथा अनुपपत्ति-रूप प्रमाण से श्लेष की प्रतीति होने लगती है अर्थात् जब राजा को हंस समझ लिया जाता है तब यह जिज्ञासा स्वभावतः उठती है कि राजा और हंस में कौन-सा ऐसा साधारण धर्म है—सादृश्य है, जिसके आधार पर राजा को हंस से अभिन्न समझा गया है? तब विचार करने पर पता चलता है कि-और तो कोई साधारण धर्म इन दोनों में है नहीं, अतः अवश्यमेव मानस पद में श्लेष है, अर्थात् इस एक पद से वक्ता मन और सरोवर दोनों का बोध कराना चाहता है। जब वक्ता का उक्त तात्पर्य अवगत हो जाता है, तब अनायास ही 'मानसवासित्व'रूप साधारण धर्म का ज्ञान हो जाता है और उस श्लेष (एक पद से दो अर्थों के प्रतिपादन) से उन दोनों (मन तथा सर) अर्थों में अभेद की प्रतीति फलित होती है।

उपसंहरति—

अतो नामार्थयोरभेदान्वयसरणिरेव रूपकस्थले रमणीया ।

उक्तानेकविधानुपपत्तिवारणानुरोधेन रूपकस्थले वाच्यार्थयोरेवाहार्याभेदान्वयबोधः न तु लक्ष्यवाच्ययोरिति नवीनाभिमतमार्ग एव ज्यायान् इति भावः । वाच्यार्थयोरभेदे स्वीकृते विद्वन्मानसहंस इत्यादावपि न काचिदनुपपत्तिरिति बोध्यम् ।

अब नवीन-मत का उपसंहार करते हैं—अतो इत्यादि । उक्त सभी युक्तियों के आधार पर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि रूपकस्थल में नवीनों की बात (दो वाच्य अर्थों का ही आहार्य अभेदान्वय बोध होता है) ही उत्तम है—उनका मार्ग ही सुन्दर है, प्राचीनों का नहीं अर्थात् रूपकस्थल में लक्षणा रहती है यह प्राचीनों का कथन उचित नहीं है ।

प्राचीनाभिमतमन्यदपि दूषयति—

'सदृशलक्षणायाः फलं रूपके ताद्रूप्यप्रत्यय इत्यपि न हृदयङ्गमम् । तत्सदृश इति शब्दात्सादृश्यप्रत्यये सत्यपि ताद्रूप्यप्रत्ययापत्तेः' इत्याहुः ।

रूपकस्थले उपमानवाचकपदस्य स्वसदृशे यल्लक्षणा समाश्रीयते, तस्य फलम् उपमेये उपमानताद्रूप्यप्रतीतिरिति यदुक्तं प्राचीनैस्तदपि न हृदयग्राहकम्, ययोः सादृश्यं प्रतीयते तयोस्ताद्रूप्यं पश्चात् प्रतीयते इति प्राचीनोक्तिनिष्कर्षे निर्गलिते चन्द्रसदृश इत्यादिपदात् सादृश्यप्रतीतिस्थलेऽपि चन्द्रताद्रूप्यप्रतीतिप्रसंगात् । अतो नितान्तमयुक्तः प्राचां पक्ष इति भावः ।

प्राचीनों के द्वारा प्रतिपादित एक अन्य युक्ति का भी नवीन विद्वान् खण्डन करते हैं—सदृश इत्यादि । प्राचीनों ने जो यह कहा कि रूपकस्थल में विषयिवाचक पद की स्वसदृश में लक्षणा होती है और उसका फल होता है विषय में विषयी के ताद्रूप्य की प्रतीति, वह भी हृदयग्राही नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो, तब 'तत्सदृश' (उसके सदृश) इस शब्द से सादृश्य का बोध होने पर भी ताद्रूप्य की प्रतीति होने लगेगी । अतः प्राचीनों का मत असंगत ही है ।

नवीनमतखण्डनोपक्रमं कुरुते—

अत्रेदं विचार्यते—यत्तावदुच्यते नामार्थयोरभेदान्वयबोधेनैवोपपत्तौ रूपके नास्ति लक्षणेति, तत्र चमत्कारिसाधारणधर्मानुपस्थितिदशायामुपमालङ्कारस्येव रूपकालङ्कारस्यापि नास्ति निष्पत्तिश्चमत्कारो वेति सकलहृदयसिद्धम् । कथमन्यथा 'भारतं नाकमण्डलम्', 'नगरं विधुमण्डलम्' इत्यादिवाक्यश्रवणानन्तरमनुन्मिषन्त्या रूपकप्रतिपत्तेः सुपर्वालङ्कृत-सकलकलादिशब्दश्रवणोत्तरमेव समुन्मेषः सर्वेषाम् । इत्थमेव च मुखं चन्द्र इत्यादिप्रसिद्धोदाहरणेऽपि, इयांस्तु विशेषः—यदेकत्र साधारणो धर्मः प्रसिद्धतया नियमतः स्वबोधकश्रुतिं नापेक्षते । इतरत्र त्वप्रसिद्धतया तथा । एवं स्थिते साधारणधर्मवत्त्वरूपं सादृश्यं यदि रूपकमध्यं न प्रविशेत्तदा कथमिव धर्मविशेषानुपस्थितिदशायां रूपकं न पर्यवस्येत् । चमत्कारं वा न जनयेत् । उपमानोपमेययोराहार्याभेदबुद्धेरनन्यापेक्षपर्यवसानायाः साम्राज्यात् ।

व्यक्रम व्यङ्ग्य रस पद के अर्थ हो सकते हैं। इस स्थिति में यहाँ कोई न्यूनता नहीं दीख पड़ती अर्थात् भाव आदि को उपस्कृत करनेवाली उपमाओं का भी समावेश रसोपस्कारिकाओं में ही हो जाता है।

'भावाद्युपस्कारिका' इत्यत्रादिपदग्राह्ययोः रसाभासभावाभासयोरुपस्कारिकाया उपमाया उदाहरणभूतं पूर्वोक्तपद्यद्वयं स्मारयति—

यथा—'नैवापयाति हृदयादधिदेवतेव', 'वन्यकुरङ्गीव वेपते नितराम्' इत्यादिषु प्रागुदाहृतेषु।

'नैवापयाति···' इति पद्यम् भावाभासोदाहरणप्रदर्शनावसरे, 'वन्यकुरङ्गीव···' इति च रसाभासोदाहरणप्रदर्शनकाले प्रथमानने समुल्लिखितम् तत्रैव द्रष्टव्यम्। तत्र प्रथमपद्यस्याधिदेवतोपमाऽनुचिततया भावाभासरूपां गुरुकन्याविषयिणीं स्मृतिमुपस्करोति, एवं द्वितीयपद्यस्य बालकुरङ्ग्युपमा, रतेर्नववध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभयनिष्ठत्वेनाभासरूपं शृङ्गाररसमुपस्करोतीति भावः।

'भावाद्युपस्कारिका' इस मूलोक्त पङ्क्ति के आदि पद से संगृहीत होनेवाले रसाभास तथा भावाभास को शोभित करनेवाली उपमाओं के उदाहरणभूत पूर्वोल्लिखित दो पद्यखण्डों का स्मरण दिलाते हैं—यथा इत्यादि। 'नैवापयाति···' इत्यादि पद्य भावाभास के उदाहरण लिखते समय और 'वन्यकुरङ्गीव···' इत्यादि पद्य रसाभास के उदाहरण लिखते समय प्रथम आनन में दिखलाये गये हैं, अतः सम्पूर्ण पद्य वहीं देखे जा सकते हैं। उन दोनों में से प्रथम पद्य की 'अधिदेवतेव' यह उपमा, अनुचित होने के कारण भावाभासरूप गुरुकन्याविषयक प्रधान स्मृतिभाव को सुशोभित करती है। इसी तरह द्वितीय पद्य की 'बालकुरङ्गीव' यह उपमा, नववधू में रति की सर्वथा अवर्तमानता से अनुभयनिष्ठ (केवल नायकनिष्ठ) होने के कारण आभासरूप शृङ्गाररस को सुशोभित करती है।

चतुर्थं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

वाच्यवस्तूपस्कारिका यथा—

व्याख्या तु प्राग्वत्।

वाच्य वस्तु को सुशोभित करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अमृतद्रवमाधुरीभृतः सुखयन्ति श्रवसी सखे गिरः।
नयने शिशिरीकरोतु मे शरदिन्दुप्रतिमं मुखं तव॥'

कश्चन स्वसखायं ब्रूते—हे सखे मित्र!, अमृतद्रवस्य पीयूषरसस्य, या माधुरी मधुरता, तत्समाना या माधुरी, तां, बिभ्रति धारयन्तीति तादृशाः, तव, गिरः वचनानि, मे, श्रवसी श्रोत्रे, सुखयन्ति आनन्दयन्ति। सम्प्रति, शरदिन्दुप्रतिमं शरच्चन्द्रतुल्यं, तव, मुखम्, मे, नयने नेत्रे, अपि, शिशिरीकरोतु शीतलयतु। सुधोपमत्वदीयवचनश्रवणेन कर्णौ मम तृप्तौ, परन्तु शरच्चन्द्रनिभम् तवाननं न पश्यदत एवातृप्तं मम नेत्रद्वयं त्वन्मुखविलोकनेन तृप्तिमभिलष्यतीति तदपि त्वया पूरणीयमित्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अमृतद्रव इत्यादि। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है—हे सखे! अमृतरस की मधुरता के समान मधुरता को धारण करनेवाले तेरे वचन

मेरे कानों को सुखी कर रहे हैं, पर तेरे मुखदर्शन की प्यासी मेरी आँखें तरस ही रही हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि शरच्चन्द्र के तुल्य तेरा मुख मेरी आँखों को शीतल करे।

उपपादयति—

अत्र नयनशिशिरीकरणरूपे वस्तुनि वाच्ये मुखस्य शरदिन्दूपमोपस्कारिका।

अमृतद्रवेति पद्ये यद्यपि रसादिर्व्यङ्ग्यो नास्ति, तथापि वाच्यार्थस्य चमत्कारित्वेन पण्डितराजकृतलक्षणानुसारेण काव्यत्वम्। तत्र चमत्कारजनकं नयनशिशिरीकरणरूपं वाच्यं वस्तु मुखोपमेयिका शरच्चन्द्रोपमानिकोपमा शोभयतीति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में 'आंखों को शीतल करना' जो वाच्य वस्तु है, उसको मुख में दी गई शरच्चन्द्र की उपमा शोभित करती है-पुष्ट करती है।

पञ्चमं भेदमुदाहर्तुमाह—

वाच्यालङ्कारोपस्कारिका यथा—

प्राग्वत् व्याख्येयम्।

वाच्य अलङ्कार को शोभित करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'शिशिरेण यथा सरोरुहं दिवसेनामृतरश्मिमण्डलम्।
न मनागपि तन्वि शोभते तव रोषेण तथेदमाननम्॥'

नायकस्य नायकदूत्या वा नायिकां प्रत्युक्तिः—सरोरुहं कमलम्, यथा, शिशिरेण शिशिरर्तुना तदागमेनेति लक्ष्यार्थः, शैत्येन वा, हेतौ तृतीया तथाग्रेऽपि' अमृतरश्मिमण्डलम् चन्द्रमण्डलम्, यथा, दिवसेन दिनेन, मनागपि ईषदपि न, शोभते, तथा; हे तन्वि! इदम्, तव, आननम् मुखम् (अपि) रोषेण क्रोधेन, ईषदपि न शोभते। रोषाकुलं तव मुखम्, शैत्यगलितम् कमलमिव, दिवसम्लानम् चन्द्रमण्डलमिव च, शोभाविहीनं भवतीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—शिशिरेण इत्यादि। नायक की अथवा उसकी दूती की नायिका के प्रति उक्ति है कि—जैसे शिशिर ऋतु के आगमन से कमल और दिन से चन्द्रमण्डल थोड़ा भी शोभित नहीं हो पाता, उसी प्रकार, तेरा यह मुख, रोष से थोड़ा भी शोभित नहीं होता—ऐसा सुन्दर मुख क्रोध के कारण फीका-फीका सा दृष्टिगोचर होता है।

उपपादयति—

अत्र वाच्यस्य दीपकस्योपमोपस्कारिका।

'शिशिरेण…' इति पद्येऽप्रस्तुतयोः कमलचन्द्रमण्डलयोः प्रस्तुतस्य मुखस्य च शोभाभावरूपे एकस्मिन् धर्मेऽभिसम्बन्धाद्दीपकालङ्कारो वाच्यः। स एव च प्रधानः प्रकृतपद्यस्य काव्यत्वनियामकः। यथातथापदबोध्यः उपमालङ्कारश्च वाच्योऽपि तस्य दीपकस्य पोषक एवेति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'शिशिरेण…' इत्यादि पद्य में अप्राकरणिक कमल तथा चन्द्रमण्डल का और प्राकरणिक नायिकामुख का शोभित न होने रूप एक

नहीं हो सकेगा, यह जो दोष नवीनों ने दिया है, वह भी समुचित नहीं है। कारण, रूपक-स्थल में भेदरहित सादृश्य लक्ष्यमध्य में प्रविष्ट है, अतः उपमा का कोई प्रसङ्ग ही वहाँ नहीं उठ सकता, क्योंकि 'सादृश्यमुपमाभेदे—अर्थात् भेदविशिष्ट सादृश्य को उपमा कहते हैं' इस लक्षण के अनुसार उपमाव्यवहार के लिये भेद का प्रतीयमान होना आवश्यक माना गया है।

पुनरन्यथा नवीनाभिमतां शंकामुत्थाप्य खण्डयति—

ननु यत्र भेदघटितसादृश्यवति वक्त्रा लक्षणया मुखं चन्द्र इति प्रयुक्तम् तत्र तथाप्युपमालङ्कारापत्तिः स्थितैवेति चेत्, भेदघटितसादृश्यप्रतिपिपादयिषाकाले लक्षणया तद्वति शब्दप्रयोगस्य विरुद्धत्वात्। लक्षणायास्ताद्रूप्यप्रतिपिपादयिषाधीनत्वात्। न हि प्रयोजनमनुद्दिश्य रूढिव्यतिरिक्तया लक्षणयाऽर्थं प्रतिपादयन्त्यार्याः। भेदताद्रूप्ययोर्विप्रतिषिद्धत्वेन युगपत्प्रतिपत्तृबुद्ध्युपारोहासंभवाच्च।

तद्वति भेदघटितसादृश्यवति मुखादावित्यर्थः। शब्दप्रयोगस्येति। लाक्षणिकचन्द्रादिपदप्रयोगस्येत्यर्थः। समासगतोपमास्थले भेदघटितं रूपकस्थले तदघटितञ्च सादृश्यं लक्षणया बोध्यत इति भवदभिमतम्, तथा च सादृश्यप्रयोगस्य वक्तुरिच्छाधीनत्वात् भेदघटितं सादृश्यं मनसि कृत्वा वक्त्रा यत्र 'मुखं चन्द्रः' इति प्रयुज्यते, तत्र भेदघटितसादृश्यस्य शब्दोपात्ततया पूर्वोक्तोपमात्वापत्तिः स्थितैवेति शङ्का, प्रयोजनमूलायाः लक्षणायास्तादृशस्थले ताद्रूप्यप्रतिपादनेच्छाधीनतया भेदघटितसादृश्यप्रतिपादनेच्छाकाले लाक्षणिकशब्दप्रयोगस्यानुचितत्वम्, भेदताद्रूप्ययोः परस्परविरुद्धतया एककालावच्छेदेन बुद्धिविषयत्वासंभवात्। रूढिमूला लक्षणा तु तत्र संभवत्येव न तादृशप्रयोगस्य परम्परागतत्वविरहादिति समाधानमिति भावः।

अब पुनः नवीनों के द्वारा प्राचीनों के मत में उठाई गई एक आशंका का समाधान करते हैं—ननु इत्यादि। नवीन विद्वान् यदि कहें कि समासगत उपमा के स्थल में भेदयुक्त और रूपक के स्थल में भेद से अयुक्त सादृश्यलक्षणा द्वारा बोधित होता है, यही तो प्राचीनों का अभिमत है अर्थात् सादृश्य के दोनों प्रकार (भेदयुक्त तथा तदयुक्त) उन्हें इष्ट हैं, फिर तो उन दोनों प्रकारों में से किसका प्रयोग कहाँ किया जाय, यह बात वक्ता के ही अधीन रही, अतः जहाँ वक्ता 'मुखचन्द्र' इस वाक्य में 'चन्द्र' शब्द का प्रयोग 'भेदयुक्त सादृश्यविशिष्ट' अर्थ में करे, वहाँ 'मुखचन्द्र' में उपमा की आपत्ति हो ही जायगी, तो इसका उत्तर यह है कि वक्ता जिस समय में भेदघटित सादृश्य के प्रतिपादन की इच्छा करेगा, उस समय में वह सदृशलाक्षणिक पद का प्रयोग कर ही नहीं सकता, क्योंकि लक्षणा ताद्रूप्य के प्रतिपादन की इच्छा के अधीन है—अर्थात् ताद्रूप्य का जब प्रतिपादन करना हो, तभी लक्षणा की जा सकत है, अन्यथा नहीं। कारण, शिष्टजन रूढिव्यतिरिक्त लक्षणा के द्वारा निष्प्रयोजन अर्थप्रतिपादन नहीं करते। अर्थात् रूढिमूलक लक्षणा से अन्य लक्षणाओं में प्रयोजन का होना आवश्यक है और यहाँ ताद्रूप्य के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन हो नहीं सकता, अतः भेदप्रतिपिपादयिषाकाल में सदृशलाक्षणिक पद का प्रयोग विरुद्ध है। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि भेद और अभेद दोनों की प्रतीति हो, क्योंकि

भेद और अभेद दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, वे एक साथ ज्ञाता की बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो सकते, अतः ऐसा कथन असंगत है।

प्राचीनमते दोषदानाय पुनरन्यथा शङ्कते—

अथोपमितसमासे पुरुषव्याघ्र इत्यादावुत्तरपदस्य स्वार्थसदृशे लक्षणैवोपगन्तव्या। अन्यथा बोधकाभावेन समासे सादृश्यप्रत्ययो न स्यात्। न च व्याघ्र इवेतीवशब्दस्तद्बोधक इति वाच्यम्, तस्य समासे संबन्धाभावात्। सति च संबन्धे तन्निवृत्तेरयोगात्, निवर्तकशास्त्रस्याभावात्। विग्रहवाक्यगतस्त्विवशब्दः स्वघटितवाक्यस्योपमाप्रतिपादकत्वं सम्पादयितुमीष्टे, न वाक्यान्तरस्य। तस्य विवरणत्वानुपपत्तेश्च। न हि विवरणीयवाक्यगतशब्दाप्रतिपाद्यस्यार्थस्य विवरणं युज्यते। इत्थञ्च लक्षणाया एवाभ्युपगम्यतया सत्यां च तत्प्रयोजनीभूततादूप्यप्रतिपत्तौ कथमुपमा द्विलुप्ता तत्र प्राचीनैरुक्तेति चेत्।

स्वार्थसदृशे इति। व्याघ्रसदृशे इत्यर्थः। अन्यथेति। लक्षणानभ्युपगमे इत्यर्थः। बोधकसत्तामाशंकते—न चेति। तस्य इवशब्दस्य। तन्निवृत्तेरिति। इवशब्दनिवृत्तेरित्यर्थः। तत्र हेतुमाह—निवर्तकेति। शास्त्रेति। सूत्रेत्यर्थः। ननु विग्रहवाक्यगत इवशब्दः समासे सादृश्यं बोधयेदिति चेत्तत्राह—विग्रहवाक्यगतस्त्विवति। वाक्यान्तरस्य समासवाक्यस्य। समासे मास्तु सादृश्यप्रतीतिरित्यत आह—तस्येति। विग्रहवाक्यस्येत्यर्थः। तामेवानुपपत्तिं स्फुटीकरोति—न हीत्यादिना। इत्थञ्चेति। उक्तानुपपत्तौ चेत्यर्थः। तदिति। लक्षणेत्यर्थः। कथमुपमेति। तादूप्यप्रतीत्या रूपकस्यैव प्रसङ्गादिति भावः। द्विलुप्तेति। वस्तुस्थितिकथनमेतत्, न तु तत्र शङ्काविषयता। उपमाया एव शंकाविषयत्वे तद्गतद्विलुप्तत्वादेः स्वतः शंकाविषयतेति तु अन्यत्। अत्र 'उक्तरीत्या धर्मवाचकयोः सत्त्वेन कथं धर्मवाचकलुप्तोक्तेत्यर्थः' इति नागेशव्याख्याऽशोभनैव, यतस्तद्रीत्या उपमायां न शङ्कनीयता, किन्तु तस्या द्विलुप्तात्वे इति प्रतिभाति, तच्च न, साधारणधर्मवाचकस्य 'शूरः' इत्यादेर्लोपस्य स्पष्टत्वात्, सादृश्यवाचकलोपस्योक्तशंकाक्रान्तत्वसंभवेऽपि न ग्रन्थकृदभिमतत्वम्, 'अत्रोच्यते' इत्यादिना दीयमानस्योत्तरस्य तदनुपयुक्तत्वात्। अत एव 'वाचकलोपस्तु' इत्यादिना पृथगुपपादनं संगच्छते। अतः 'उपमा कथम्' इत्येव ग्रन्थाशयः। तुष्यद्दुर्जनन्यायेनोपमाऽभ्युपगमेऽपि तस्याः साधारणधर्मलुप्तात्वमेव संभवति, न वाचकलुप्तात्वम्, एवञ्च द्विलुप्ता कथम् इति वा ग्रन्थाभिप्रायः। साधारणधर्मलोपांशे न काऽपि शंकेति सारांशः। नागेशस्तु तस्यापि शंकनीयतामभिप्रैति। स प्रायः तादूप्यमेव साधारणधर्मम् बुध्यते, अत एवाग्रेऽपि 'नन्वेवमपि तादूप्यप्रतीत्या कथं धर्मलुप्तत्वम्' इति विवृणुते। (कश्चिट्टीकाकारस्त्वत्र सर्वत्र नागेशच्छिद्रगवेषणपरोऽत्रायुक्तामपि नागेशोक्तिमनुवदन् शोच्य एव।) अन्यत् सुगमम्।

प्राचीन मत में एक नवीन दोष की आशंका करते हैं—अथोपमित इत्यादि। 'पुरुषव्याघ्र' इत्यादि उपमितसमास में व्याघ्र आदि उत्तरपद की स्वार्थसदृश (अर्थात् व्याघ्रसदृश आदि) अर्थ में लक्षणा ही माननी पड़ेगी, अन्यथा समास में सादृश्य-बोधक शब्द न रहने के कारण सादृश्य का बोध नहीं हो सकेगा। 'व्याघ्र इव पुरुषः' इस विग्रहवाक्य में आए हुए 'इव' शब्द को तो सादृश्य का बोधक कहा नहीं जा सकता,

क्योंकि समास में (पुरुषव्याघ्र इस पद में) उस 'इव' शब्द का सम्बन्ध नहीं है। यदि समास में उसका संबन्ध रहता, तो उसकी निवृत्ति नहीं होती—अर्थात् उसका श्रवण अवश्य होता, क्योंकि उसको निवृत्त करनेवाला कोई सूत्र व्याकरण में नहीं है। समास में 'इव' शब्द का संबन्ध रहे अथवा न रहे, विग्रहवाक्य में तो अवश्य है, वही समास में भी सादृश्य का बोधक होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। कारण, जिस वाक्य में 'इव' रहेगा, उसीके अर्थबोध में वह सादृश्य का भान करा सकता है अतः वह 'इव' शब्द उसी वाक्य को उपमाप्रतिपादक बना सकता है, दूसरे वाक्य को नहीं—अर्थात 'व्याघ्र इव पुरुषः' इस विग्रहवाक्य में आए हुए 'इव' शब्द के बल पर इसी वाक्य में उपमा मानी जा सकती है, 'पुरुषव्याघ्र' इस समस्त वाक्य में नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि समास में सादृश्य का बोध होता ही नहीं, क्योंकि यदि 'पुरुषव्याघ्र' इस समासवाक्य से सादृश्य का बोध नहीं होवे, तब 'पुरुषः व्याघ्र इव' इस वाक्य के द्वारा उस समासवाक्य का निवारण करना असंगत हो जाय। कारण, जिस वाक्य का विवरण किया जाता है, उसमें आए हुए शब्दों से जो अर्थ प्रतिपादित नहीं होते, उन अर्थों का विवरण करना उचित नहीं अर्थात् मूल में जो अर्थ है हीं नहीं वह व्याख्या में आ नहीं सकता है। अतः 'पुरुषव्याघ्र' इत्यादि स्थान में उत्तरपद की स्वार्थसदृश में लक्षणा माननी ही पड़ेगी। अब यदि कहा जाय कि जब लक्षणा मानी जायगी, तब तो उक्त युक्ति से लक्षणा का प्रयोजन ताद्रूप्य (अभेद) भी मानना ही पड़ेगा। फिर प्राचीनों ने 'पुरुषव्याघ्र' आदि में रूपक मान कर द्विलुप्ता—(धर्मवाचक लुप्ता) उपमा कैसे मान ली ?

समाधत्ते—

अत्रोच्यते—उपमितसमासस्य भेदघटितोपमानसादृश्यविशिष्टोपमेये शक्तेस्तद्घटकीभूतोपमानशब्दस्य भेदघटितसादृश्यविशिष्टे निरूढलक्षणाया वा स्वीकाराददोषः।

शक्तेरिति। 'समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्' इति शाब्दिकाः। विशिष्टशक्तौ गौरवमागूरयतो नैयायिकस्य रीत्या आह—तद्घटकीभूतेति। समासगतेति तदर्थः। अयं भावः—पुरुषव्याघ्र इत्यादि समासगोपमास्थले नोपमानवाचकस्य व्याघ्रादिपदस्य स्वार्थसदृशे लक्षणा, पुरुषव्याघ्र इति समस्तसमुदायस्य भेदघटितव्याघ्रसादृश्यविशिष्टपुरुषरूपार्थे भिन्ना शक्तिरेव, अथवा पुरुषव्याघ्र इति समुदायघटकव्याघ्रपदस्य भेदघटितस्वार्थसादृश्यविशिष्टे निरूढैव लक्षणा, उभयथापि ताद्रूप्याप्रतीतौ रूपकाप्रसंगेणोपमात्वं सुस्थम्। वाचकलुप्तात्वसमर्थनं परमवशिष्यते, तदग्रे विधास्यतेऽनुपदम् इति।

अब उक्त आशंका का समाधान करते हैं—अत्रोच्यत इत्यादि। उक्त आशंका का उत्तर यह है कि 'पुरुषव्याघ्र' इत्यादि समासगत उपमा-स्थल में उपमानवाचक व्याघ्र आदि पदों की स्वार्थसदृश में प्रयोजनमूला लक्षणा है ही नहीं, अपि तु 'पुरुषव्याघ्र' इस समस्त समुदाय की भेदघटित व्याघ्रसादृश्यविशिष्ट पुरुषरूप अर्थ में एक भिन्न शक्ति ही है। इसी तरह की शक्ति को वैयाकरण लोग 'समासशक्ति' कहते हैं। उन्होंने कहा भी है—'समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् अर्थात् 'पङ्कज' पद की योगशक्ति से यद्यपि कीचड़ से उत्पन्न होनेवाले शैवाल आदि अनेक वस्तुओं का बोध प्राप्त था, तथापि समुदायशक्ति से केवल कमल का ही बोध होता है, उसी तरह

सभी सामासिक पदों में एक भिन्न शक्ति रहती है ।' अथवा उक्त-समुदाय-घटक 'व्याघ्र' पद की भेदघटित स्वार्थ-सादृश्य विशिष्ट में निरूढ लक्षणा ही मान लेनी चाहिए। दोनों ही प्रकारों से यहाँ ताद्रूप्य की प्रतीति नहीं होगी, अतः रूपक का कोई प्रसङ्ग ही नहीं रहेगा, फिर उपमा अपनी जगह पर सुस्थिर रहेगी। यद्यपि इतना कहने पर भी यह शंका बनी ही रही कि–द्विलुप्ता उपमा कैसे हुई, क्योंकि साधारण धर्म का अभाव रहने पर भी सादृश्यवाचक का अभाव नहीं है। कारण, उक्त रीति से समासशक्ति द्वारा 'पुरुषव्याघ्र' यह समुदाय अथवा निरूढ लक्षणा द्वारा 'व्याघ्र' पद, सादृश्य का बोधक हो ही जाता है। तथापि इसका उत्तर ग्रन्थकार तुरत आगे देंगे, ऐसा समझना चाहिए।

स्थलान्तरेऽपि उक्तरीतेः स्वीकरणीयतामतिदिशति—

इयमेव निपातानामिवादीनां द्योतकतानये मुखं चन्द्र इवेत्यादौ, वाचकलुप्तायामुपमायां च गतिरनुसरणीया।

इयमेवेति। अस्य 'गति'रित्यत्रान्वयः। उपमानशब्दस्य भेदघटितसादृश्यविशिष्टे निरूढलक्षणारूपेति तदर्थः। निपातानामिति। एतच्चेवादीनां द्योतकत्वे युक्तिप्रदर्शनम्। 'निपाता द्योतकाः' इति कियतां शाब्दिकानां सिद्धान्तः। द्योतकतानये इति। एतेन सिद्धान्तसिद्धनिपातवाचकतानये न तादृशगत्यनुसरणस्यापेक्षेति सूच्यते। वाचकलुप्तायामिति। तडिद्गौरीत्यादावित्यर्थः। पुरुषव्याघ्र इत्यत्र यथा व्याघ्ररूपोपमानवाचकपदस्य भेदघटितसादृश्यविशिष्टे निरूढा लक्षणा स्वीक्रियते, तथैवेवादीनां निपातानां द्योतकत्वमिति नीतावाश्रीयमाणायां 'मुखं चन्द्र इव' इत्यादावपि चन्द्रपदस्य सादृश्यविशिष्टे लक्षणा स्वीकर्तव्या अन्यथा वाचकविरहेण द्योतकस्येवपदस्य वाचकसत्त्व एव कार्यकारित्वेन च सादृश्यप्रत्ययो न स्यात्, तदभावे उपमात्वमपि नैव भवेत्। तडिद्गौरीत्यादौ वाचकलुप्तोपमालंकारस्थलेऽपि पुरुषव्याघ्र इत्यत्र दर्शिता रीतिरेवाश्रयणीया विशेषाभावादिति भावः।

कतिपय अन्य स्थानों में भी उक्त रीति का अनुसरण करना पड़ता है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं—इयमेव इत्यादि। 'पुरुष-व्याघ्र' में जैसे व्याघ्ररूप उत्तरपद की भेदघटित सादृश्यविशिष्ट अर्थ में निरूढ लक्षणा माननी पड़ी है, उसी तरह, जिनके मत में निपात (इव आदि) द्योतक हैं वाचक नहीं, उनके हिसाब से 'मुखं चन्द्र इव' इत्यादि स्थानों में भी 'चन्द्र' आदि पद की सादृश्य-विशिष्ट अर्थ में निरूढ लक्षणा माननी पड़ेगी। अन्यथा वाचक के अभाव में सादृश्य की प्रतीति ही नहीं होगी, अत एव उपमा भी नहीं होगी। द्योतक (इव आदि) तो रह कर भी कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि द्योतक वाचक की सत्ता में ही अपने अर्थ को द्योतित कर सकता है। 'तडिद्गौरी' इत्यादि वाचकलुप्तोपमा-स्थल में भी उसी रीति का आश्रयण करना चाहिए, जिस का आश्रयण 'पुरुषव्याघ्र' में किया गया है। अन्तर केवल इतना होगा कि 'तडिद्गौरी' में पूर्वपद की लक्षणा होगी, और 'पुरुषव्याघ्र' में उत्तरपद की लक्षणा होती है। 'तडिद्गौरी' में उपमेय नायिका आक्षिप्त है, साधारण धर्म गौरत्व उक्त है और 'पुरुष-व्याघ्र' में उपमेय पुरुष कहा हुआ है, तथा साधारण धर्म नहीं कहा हुआ है। वाचक का अभाव दोनों स्थानों पर समान है।

ननु 'पुरुषव्याघ्रः', 'तडिद्गौरी'त्यादौ कथं वाचकलुप्तता, उपमानवाचकपदानामेव लक्षणया सादृश्यप्रतिपादकत्वादित्यत आह—

वाचकलोपस्तूपमानाद्यकरम्बितसादृश्यतद्विशिष्टान्यतरप्रतिपादकशब्दशून्यत्वादुपपादनीयः।

उपमानाद्यकरम्बित इति। उपमानादिवाचकपदानुपस्थाप्य इति तात्पर्यार्थः। वाक्ये इवानुपादाने वाचकलुप्तत्वायाह—सादृश्येति। समसदृशाद्यप्रयोगे तत्त्वायाह—तद्विशिष्टेति। सादृश्यविशिष्टेति तदर्थः। तडिद्गौरीत्यादौ यद्यपि सादृश्यस्य लक्षकं तडित्पदं विद्यते, तथापि न तावता वाचकलुप्तात्वहानिः, तदर्थम् पृथक् इव सम-सदृशादिपदानां प्रयोगोऽपेक्षितः। तदप्रयोगे सादृश्यलक्षकोपमानवाचकपदसत्त्वेऽपि वाचकलुप्तात्वमक्षतमेवेति भावः।

'पुरुषव्याघ्र' 'तडिद्गौरी' इत्यादि स्थानों में जब उपमानवाचक 'व्याघ्र' 'तडित्' आदि पद की स्वार्थ-सदृश में निरूढ लक्षणा मान ली गई तब वे ही पद सादृश्य के प्रतिपादक समझे जायँगे, अतः उन स्थलों में 'वाचकलुप्ता' उपमा का व्यवहार कैसे किया जाता है, इसका उत्तर अब देते हैं—वाचकलोपस्तु इत्यादि। उक्त शंका का उत्तर यह है कि उपमान आदि से विशिष्ट सादृश्य के प्रतिपादक पदों के रहने पर भी शुद्ध सादृश्य अथवा सादृश्यविशिष्ट-अर्थात् सदृश अर्थ के प्रतिपादक पदों के नहीं रहने के कारण वाचकलोप का व्यवहार किया जा सकता है—अर्थात् पृथक् 'इव' 'सम' 'सदृश' आदि पदों के रहने पर ही वाचक की सत्ता समझी जाती है, और पृथक् उनके नहीं रहने पर उपमानवाचक पद से लक्षणा के द्वारा अथवा समासशक्ति के द्वारा सादृश्य का प्रतिपादन होने पर भी सादृश्य-वाचक का लोप ही माना जाता है।

प्राचीनमतदूषकं नव्यमतोक्तं युक्त्यन्तरं निराकर्तुमाह—

यच्च 'विद्वन्मानस' इत्यत्र दूषणमभिहितं तद्रूपकप्रकरणे परिहरिष्यते।

दूषणमिति। रूपकस्थले सदृशलक्षणापक्षे प्राचीनाभिमते विद्वन्मानस इत्यादौ परस्पराश्रयः, श्लेषरूपकयोः सिद्धयोः परस्परसिद्ध्यपेक्षत्वात्। इति परिहरिष्यते इति। तत्रायं परिहारः—परम्परितेऽन्योन्याश्रयो नाशङ्कनीयः सकलसिद्धेः कल्पनामयत्वेन कल्पनायाश्च स्वप्रतिभाधीनत्वात्। शिल्पिभिः परस्परावष्टम्भमात्राधीनस्थितिकाभिः शिलेष्टकाभिर्गृहविशेषनिर्माणाच्च। इति।

प्राचीनों के मत को दूषित सिद्ध करने के लिये नवीनों के द्वारा प्रदर्शित एक अन्य युक्ति का निराकरण करते हैं—यच्च इत्यादि। 'विद्वन्मानस' इत्यादि में अन्योन्याश्रय दोष की बात जो कही गई है, उसका परिहार ग्रन्थकार रूपक अलंकार के प्रकरण में करेंगे। रूपकप्रकरणोक्त परिहार का स्वरूप निम्नलिखित समझना चाहिए—'परम्परित रूपक में अन्योन्याश्रय की आशंका नहीं करनी चाहिए। कारण, काव्य-जगत् की सभी बातें कल्पनामय होती हैं और कल्पना, कल्पक—कवि की प्रतिभा के अधीन की वस्तु है। कहने का अभिप्राय यह है कि अन्योन्याश्रय आदि दोष ठोस जगत् में ही बाधक हो सकते हैं, काल्पनिक जगत् में नहीं। अथवा ठोस जगत् में भी अन्योन्याश्रयग्रस्त सी कतिपय कार्य होते ही हैं। जैसे—शिल्पीजन, केवल एक दूसरे के आधार पर स्थित रहने वाले ईंटों तथा शिलाखण्डों से विशिष्ट भवनों का निर्माण कर ही लेते हैं। वृक्ष तथा बीज के अन्योन्याश्रय का बाधक न होना प्रसिद्ध ही है।'

दूषणान्तरमपि परिहरति—

यदप्युक्तम् रूपके सदृशलक्षणायाः फलं ताद्रूप्यप्रत्ययो न युज्यते। तत्सदृश इति शब्दबोधानन्तरमपि तथा प्रत्ययापत्तेरिति, तन्न। तत्सदृश इत्यत्र लक्षणाया अभावेन ताद्रूप्यप्रत्ययस्यापादनायोगात्। ताद्रूप्यप्रत्ययो लक्षणायाः फलमिति प्राचां समयः। महाभाष्यादिग्रन्थानामस्मिन्नेवानुकूलत्वाच्च। नव्यनये तु तेषामाकुलीभावः स्यादिति दिक्।

तथेति। ताद्रूप्येत्यर्थः। तत्सदृश इत्याकारकशब्दजन्यबोधादपि ताद्रूप्यप्रतीत्यापत्त्या रूपके सदृशलक्षणायास्ताद्रूप्यप्रतीतिफलत्वकथनं प्राचां न युक्तमिति नव्यमतोक्त आक्षेप; अकिञ्चित्कर एव, लक्षणाफलत्वेनैव ताद्रूप्यप्रतीतेः प्राचीनैः सिद्धान्तिततया तत्सदृश इत्यत्र लक्षणाविरहेण तदापत्तेरयोगात। एवञ्च रूपके लक्षणाऽवश्यमङ्गीकरणीयेति भावः। रूपके लक्षणा भवतीत्यत्र युक्त्यन्तरमाह—महाभाष्यादीति। तथा च 'पुंयोगादाख्यायाम्' इति सूत्रे भाष्यम्—'भिन्नानामभेदाभावात्, कथं पुनरतस्मिन् स इत्येतद्भवति। चतुर्भिः प्रकारैस्ताद्रूप्यमारोप्यते, न तु मुख्यम्। तात्स्थ्यात, ताद्धर्म्यात, तत्सामीप्यात, तत्साहचर्यात्, इति। तात्स्थ्याद्यथा 'मञ्चा हसन्ति'। ताद्धर्म्याद्यथा—'जटी ब्रह्मदत्तः'। तत्सामीप्याद्यथा—'गङ्गायां घोषः'। तत्साहचर्याद्यथा—'कुन्तान्प्रवेशय' इति। भाष्येणानेन गम्यते यद्रूपके सदृशलक्षणा भवतीति। नव्यमते तु वाच्ययोरेवाहार्याभेदे 'चतुर्भिः प्रकारैस्ताद्रूप्यमारोप्यते न तु मुख्यम्'। इत्यादेरसंगतिः स्पष्टैवेति सारांशः।

नवीनों के द्वारा प्राचीन मत में लगाए गए अन्य दोष का परिहार करते हैं—यदप्युक्तम् इत्यादि। नवीनों ने जो यह दोष दिया है कि—रूपकस्थल में सदृशलक्षणा का फल ताद्रूप्य-प्रतीति को मानना समुचित नहीं, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तब 'तत्सदृश' इस शब्द से उत्पन्न बोध के बाद भी ताद्रूप्य की प्रतीति होने लगेगी, सो यह दोष अकिञ्चित्कर है। कारण, 'तत्सदृश' इस पद में लक्षणा नहीं है, अतः ताद्रूप्य-प्रतीति की आपत्ति वहाँ नहीं दी जा सकती। 'ताद्रूप्य-प्रतीति लक्षणा का प्रयोजन-फल है' यह प्राचीनों का सिद्धान्त है, न कि 'सादृश्य-ज्ञान का प्रयोजन है' यह। अतः नवीनों का यह दोष देना व्यर्थ है। 'रूपकस्थल में लक्षणा होती है' इस प्राचीन सिद्धान्त का समर्थन व्याकरण के महाभाष्य आदि सर्वमान्य ग्रन्थों से भी होता है। 'पुंयोगादाख्यायाम्' इस सूत्र के भाष्य में—'दो भिन्न पदार्थों में अभेद जब नहीं हो सकता, तब फिर 'अतस्मिन् स अर्थात् जो, जो नहीं है, उसमें यह वह है' इस तरह का व्यवहार कैसे होता है, यह शंका करके उत्तर दिया गया है कि-ऐसे स्थलों पर चार तरह से भिन्न पदार्थ में भिन्न पदार्थ का ताद्रूप्य (अभेद) आरोपित होता है, मुख्य ताद्रूप्य नहीं रहता यह बात सत्य है। चार प्रकार ये गिनाये गए हैं—तात्स्थ्य से, यथा—'मञ्चा हसन्ति' अर्थात् मञ्च हँसते हैं। यहां मञ्चस्थ पुरुषों में मञ्च का ताद्रूप्य आरोपित है। ताद्धर्म्य से, यथा—'जटी ब्रह्मदत्तः अर्थात् जटावाला ब्रह्मदत्त।' यहाँ केशरूप मुख्य जटी का ताद्रूप्य, केशरूप धर्मवाले ब्रह्मदत्त में आरोपित हुआ है। तत्सामीप्य से, यथा—'गंगायां घोषः अर्थात् गंगा-प्रवाह में स्थान (गोष्ठ)।' यहाँ प्रवाह का ताद्रूप्य तट में आरोपित होता है। तत्साहचर्य से, यथा—'कुन्तान् प्रवेशय अर्थात् कुन्तों (बरछों) को प्रविष्ट कराओ।' यहां कुन्तधर पुरुषों में कुन्त-ताद्रूप्य आरोपित है।'

भाष्यग्रन्थ के इन प्रश्नोत्तरों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'मुखचन्द्र' इत्यादि रूपक स्थल में भी चन्द्रतादूप्य मुख में आरोपित होता है और मुख में चन्द्रतादूप्यारोप का प्राञ्जल प्रकार सदृशलक्षणा ही है। नवीनों के मतानुसार 'मञ्चा हसन्ति' आदि में दो वाच्यार्थों का आहार्य अभेदान्वय-बोध ही होगा, फिर तो उक्त भाष्यग्रन्थ की असंगति स्पष्ट ही है।

साध्यवसानलक्षणास्थले बोधं विचारयति—

'साध्यवसानायाञ्च 'चन्द्रराजी विराजते' इत्यादौ चन्द्रादिशब्दैर्लक्षणया मुखत्वेनोपस्थितस्यापि मुखादेः शाब्दबोधश्चन्द्रत्वादिना भवति, लक्षणाज्ञानस्यैव माहात्म्यात्' इत्येके।

चन्द्रराजीत्यत्र विषयिणा चन्द्रराजिपदबोध्येनोपमानेन विषयस्योपमेयस्य मुखस्य निगरणात् साध्यवसानलक्षणा, तेनात्रातिशयोक्त्यलंकारः। अत्र चन्द्रपदनिष्ठलक्षणावृत्त्या मुखस्य मुखत्वेनोपस्थितिर्भवति, तथापि बोधो मुखस्य चन्द्रत्वेन जायते। ननु कथमेतत्, उपस्थितिशाब्दबोधयोः समानाकारत्वनियमादिति चेन्न, तस्य नियमस्यानुभवसाक्षिकवैलक्षण्यकलाक्षणिकबोधान्यबोधविषयकत्वस्य प्रागुपपादितत्वात् तदेतदाह लक्षणाज्ञानस्यैवेति।

अब साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में शाब्दबोध का विचार करते हैं—साध्यवसानायाञ्च इत्यादि। 'पुरेऽस्मिन् सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते' अर्थात् इस नगर में प्रासादों की छत पर चन्द्रों की श्रेणी शोभित हो रही है।' यहां 'चन्द्रराजि' पद से अवगत होनेवाले चन्द्ररूप उपमान (विषयी) से उपमेय (विषय) मुख का निगरण हो गया है—अर्थात् 'चन्द्रराजि' पद से ही लक्षणावृत्ति के द्वारा मुख का भी बोध कर लिया गया है, अतः पृथक् मुख पद का उल्लेख नहीं किया गया। अतएव यहाँ अतिशयोक्ति अलकार होता है। यहाँ 'चन्द्र' पद की मुख में साध्यवसाना लक्षणा है, अतः चन्द्र पद से यद्यपि मुखत्वविशिष्ट मुख की उपस्थिति लक्षणा के द्वारा होती है तथापि शाब्दबोध चन्द्रत्वेनैव रूपेण होता है अर्थात् मुख को चन्द्ररूप में ही समझा जाता है, मुखरूप में नहीं। आप कह सकते हैं कि जब उपस्थिति और शाब्दबोध में समानरूपता का नियम है, तब ऐसा क्यों और कैसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि लक्षणा के ज्ञान की महिमा से ऐसी बात होगी अर्थात् साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में मुखत्वरूप से उपस्थिति होने पर भी चन्द्रत्वरूप से शाब्दबोध का होना अनुभवसिद्ध है, अतः उपस्थिति-शाब्दबोध में समानरूपता सिद्ध करनेवाले नियम में लाक्षणिक बोध से अन्य बोधविषयकत्व का निवेश कर दिया जायगा। यह बात प्रसङ्गवश पहले भी कही जा चुकी है। यह कुछ प्रधान विद्वानों का मत है।

उपस्थितिशाब्दबोधयोः समानाकारत्वनियमे उक्तसंकोचास्वीकर्तृमतेनाह—

'लक्षणया मुखत्वेन मुखादेः शाब्दबोधे वृत्ते व्यञ्जनयैकशब्दोपात्तत्वप्रादुर्भूतया चन्द्रत्वेन बोधः' इत्यपरे।

चन्द्रपदस्य वाच्योऽर्थश्चन्द्रः, लक्ष्योऽर्थस्तु मुखम्। तथा च चन्द्रपदनिष्ठलक्षणावृत्त्या मुखस्य मुखत्वेनैव रूपेणोपस्थितिः शाब्दबोधश्च तेनोपस्थितिशाब्दबोधयोः समानाकारत्वनियमो रक्षितः। पश्चात् चन्द्रपदनिष्ठया व्यञ्जनावृत्त्या मुखस्य चन्द्रत्वेन बोधः प्रकृतोपयोगी सम्पद्यते। ननु कुतोऽत्र व्यञ्जनाप्रादुर्भाव इत्याह—एकशब्दोपात्तत्वेति। चन्द्रतुल्य-

मुखबोधनाय चन्द्रमुखेतिपदद्वयप्रयोगमकृत्वा केवलचन्द्रपदं यत्प्रयुक्तं, तेन सा व्यञ्जना प्रादुर्भाव्यते इति भावः ।

उपस्थिति और शाब्दबोध में समानाकारत्ववाले नियम को सार्वत्रिक माननेवाले अन्य विद्वानों के मतानुसार साध्यवसाना स्थल में बोध का विचार करते हैं—लक्षणया इत्यादि । अन्य विद्वानों का मत है कि 'चन्द्रराजी विराजते' इत्यादि स्थलों में चन्द्रपद में रहनेवाली लक्षणावृत्ति से मुख की मुखत्वरूप से उपस्थिति होती है और शाब्दबोध भी उसी रूप से होता है अर्थात् लक्षणा के ज्ञान से भी चन्द्र पद द्वारा मुखरूप में ही मुख पहले समझा जाता है । अनन्तर व्यञ्जना के द्वारा मुख का चन्द्रत्व रूप से बोध होता है, और यहाँ व्यञ्जना के उत्थान का कारण है एकशब्दोपात्तत्व अर्थात् 'चन्द्र' इस एक ही पद के द्वारा चन्द्र और मुख दोनों का बोध कराना । सारांश यह कि चन्द्रतुल्य मुख का बोध कराने के लिये वक्ता को चन्द्र और मुख इन दोनों पदों का प्रयोग करना चाहिये था, परन्तु वैसा न करके केवल चन्द्र पद का जो प्रयोग वक्ता ने किया है, उसी से यहाँ व्यञ्जना का प्रादुर्भाव होता है, जिसके बल से पहले मुखरूप समझ लिये गये पदार्थ को भी पीछे चन्द्ररूप समझ लिया जाता है ।

उक्तमतद्वये शाब्दबोधे पदार्थभानरीतिं मतभेदेन दर्शयति—

मतद्वयेऽप्यस्मिन् मुखादौ चन्द्रत्वभानसामग्र्या मुखत्वादेः स्वधर्मस्य भानं न निवार्यते । इत्थं चैकस्मिन्धर्मिणि चन्द्रत्वादीनां मुखत्वादीनां च साक्षाद् भानमेव सारोपातोऽस्या विच्छेदकम् । अपरे तु 'निवार्यत एव विरुद्धभानसामग्र्या स्वधर्मस्य भानम् । रजतत्वभानसामग्र्या शुक्तित्वस्याभानात्' इति वदन्ति । मतेऽस्मिन् विषयतावच्छेदकास्फूर्तिस्तथा ।

न निवार्यत इति । अनुभवसिद्धविरुद्धधर्मद्वयभानानुरोधेन विरुद्धभानसामग्र्याः प्रतिबन्धकतावच्छेदककुक्षौ लक्षणावृत्त्यनुपस्थाप्यत्वनिवेशादिति भावः । मुखत्वादीनां चेति । एकपदोपस्थाप्यानामिति बोध्यम् । साक्षादिति । सारोपायां तु चन्द्रत्वस्य चन्द्रसदृशे भानद्वारा तत्र भानमिति परम्परया तद्भानमिति भावः । अस्या विच्छेदकमिति । साध्यवसानाया भेदकमित्यर्थः । एकधर्म्यधिकरणकोभयभानं तु समानमिति भावः । लक्षणाज्ञानमाहात्म्यात् मुखादेः प्राथमिकः शाब्दबोध एव चन्द्रत्वादिना भवतु, व्यञ्जनया वा द्वितीयस्तादृशो बोधो भवतु, उभयथापि प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावे उक्तसंकोचेन मुखादौ मुखत्वादेः स्वधर्मस्य भाने चन्द्रत्वभानसामग्री प्रतिबन्धिका न भवति । तथा च चन्द्रराजीत्याद्युक्तसाध्यवसानलक्षणास्थले 'चन्द्रत्ववान् मुखत्ववाँश्च मुखपदार्थः' इत्याकारो बोधो जायत इति फलितम् । एतद्रीत्यनुसरणे च साध्यवसानलक्षणायां पूर्वोक्तरीत्या मुखपदार्थे चन्द्रत्वस्य मुखत्वस्य च साक्षादेव भानम्, सारोपलक्षणायां मुखं चन्द्र इत्यादौ तु चन्द्रपदस्य स्वसदृशे लाक्षणिकतया चन्द्रत्वस्य प्रथमम् सदृशपदार्थे भानम् सदृशपदार्थस्य मुखे भानमिति परम्परया चन्द्रत्वस्य मुखे भानमित्येवोभयोर्लक्षणयोर्भेद इति भावः । साध्यवसानलक्षणास्थले विरुद्धधर्मद्वयभानं नानुभवसिद्धम्, तथा च विरुद्धभानसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वे नोक्तविधः संकोचः प्रामाणिक इति येषां मतं, तदनुसारेणाह—अपरे त्वित्यादि । स्वधर्मस्येति । मुखत्वादेरित्यर्थः । दृष्टान्तविधयाऽऽह-रजतत्वेति, दूरत्वचाक-

चिक्यादिदोषविशेषसहकृतचक्षुःसन्निकर्षादिसामग्र्या शुक्तौ रजतत्वभानस्थले यथा शुक्तित्वस्य भानं न भवति, विरुद्धरजतत्वभानसामग्र्या प्रतिबन्धकत्वात्, तथैव चन्द्रराजीत्याद्युक्तसाध्यवसानलक्षणास्थले मुखे चन्द्रत्वभानसामग्र्या प्रतिबन्धेन चन्द्रत्वविरुद्धमुखत्वस्य भानं नैव भवति। तथा चैतद्रीत्या तत्र चन्द्रत्ववान् मुखपदार्थ इत्येव बोधाकार इति भावः। नन्वस्मिन् मते सारोपातः साध्यवसानायाः किम् भेदकमित्यत आह-मतेऽस्मिन्निति। विषयतावच्छेदकेति। लक्ष्यतावच्छेदकेत्यर्थः। मुखत्वे यावत्। तथेति। सारोपातोऽस्या विच्छेदकमित्यर्थः। सारोपायां मुखे मुखत्वस्य भानं भवति, साध्यवसानायां तु उक्तरीत्या तस्य भानं न भवतीत्येव द्वयोर्विशेष इति भावः। सारोपायां मुखादिषु लक्ष्यतावच्छेदकस्य-आह्लादकत्वादेः साधारणधर्मस्य भानं भवति। साध्यवसानायां तु मुखे चन्द्रत्वस्यैव भानं न तु आह्लादकत्वादेरिति ग्रन्थाशयं वर्णयन् नागेशस्तदनुयायी सरलाकारश्च स्थूलदृगेव, चन्द्रत्वभाने तत्राह्लादकत्वभानस्य निश्चितत्वात्, यत्र यत्र चन्द्रत्वं तत्र तत्राह्लादकत्वमिति व्याप्तेः।

उक्त दोनों मतों के अनुसार उक्तस्थलीय शाब्दबोध में पदार्थों का भान किस तरह से होता है—इस बात का वर्णन मतभेद से यहाँ करते हैं- मतद्वये इत्यादि। सारांश यह है कि-विरुद्ध धर्म के भान के प्रति विरुद्ध धर्म के भान की सामग्री प्रतिबन्धक होती है यह यद्यपि सामान्य नियम है, तथापि अनुभव के आधार पर उस नियम में 'लक्षणा वृत्ति के द्वारा जो उपस्थित नहीं होता हो, उस विरुद्ध धर्म के भान के प्रति' ऐसा संकोच कर दिया जाता है। अतः प्रकृत में प्रथम मत के अनुसार लक्षणाज्ञान की महिमा से मुख का पहला ही शब्दजन्य बोध चन्द्रत्वरूप से होवे, अथवा द्वितीय मत के अनुसार व्यञ्जना से द्वितीय बोध उस रूप से होवे, दोनों ही मतों में चन्द्रत्वरूप विरुद्ध धर्म के भान की सामग्री से मुख में मुखत्वरूप निजी धर्म का भान रोका नहीं जाता। अर्थात्—'चन्द्रत्व और मुखत्व दोनों धर्मों से युक्त मुख पदार्थ' इस रूप में दोनों धर्मों का मुख में साक्षात् ही भान होता है और इन (चन्द्रत्व और मुखत्व) दो धर्मों का साक्षात् भान होना ही सारोपा लक्षणा से साध्यवसाना लक्षणा को भिन्न बनाता है, क्योंकि सारोपा (मुखचन्द्र) में भी यद्यपि उक्त दोनों धर्मों का मुख में भान होता है, तथापि साक्षात् नहीं, परम्परा से। अर्थात्—वहाँ चन्द्र पद की लक्षणा स्वार्थसदृश में होती है, अतः पहले चन्द्रत्व का भान सदृश अंश में होता है, पीछे जब सदृश का भान मुख में हो जाता है, तब परम्परया चन्द्रत्व का भी मुख में भान सिद्ध होता है। यह है कुछ लोगों का मत। परन्तु अन्य लोगों का मत इससे भिन्न है। उनका कहना है कि साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में दो विरुद्ध धर्मों का एक पदार्थ में भासित होना अनुभव से सिद्ध नहीं, अतः उक्त सामान्य नियम में उक्त प्रकार का संकोच नहीं किया जा सकता और जब उक्त संकोच नहीं किया जायगा, तब जहाँ दूरत्व, चकचकी आदि दोषों से सीपी में चाँदी का भ्रम होता है, वहाँ जैसे सीपी को भासित करनेवाली सामग्री चाँदी के भान को रोक देती है, वैसे ही यहाँ भी मुख में चन्द्रत्व को भासित करनेवाली सामग्री (कारण) उसमें मुखत्व के भान को अवश्य रोक देगी। अर्थात् साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में 'चन्द्रत्व से युक्त मुख पदार्थ' इस रूप से एक ही धर्म (चन्द्रत्व) भासित होगा, मुखत्व नहीं। इस मत के अनुसार केवल चन्द्रत्व का भान होना ही साध्यवसाना को सारोपा से पृथक् करता-

है अर्थात् साध्यवसाना स्थल में केवल चन्द्रत्व का ही मुख में भान होता है और सारोपा में चन्द्रत्व का भान तो होता ही है, साथ-साथ मुखत्व का भी भान होता है।

उक्ताशयमेव विशदयति—

वस्तुतस्तु साध्यवसानायां विषयतावच्छेदकधर्मभानं यदि सहृदयहृदयप्रमाणकम्, तदा तद्वारणाय कारणकल्पनाऽनुचितैव। शुक्तिरजतभानस्थले तु शुक्तित्वेन भाने पुरोवर्तिनि रजतत्वभानं सर्वथैव विरुद्धत्वाद्रजतत्वभानसमये शुक्तित्वभाननिवारणमावश्यकम्। न चेहापि तथा, अनुभवविरुद्धत्वात्। यदि तु तन्न प्रामाणिकं तदा सोचितैव।

विषयतावच्छेदकधर्मेति। मुखत्वादीत्यर्थः। सहृदयेति। सहृदयानुभवसिद्धमित्यर्थः। कारणेति। विरुद्धभानं प्रति विरुद्धभानसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वरूपेत्यर्थः। अनुचितेति। अनुभवसिद्धस्यापलापे सर्वत्र तथा प्रसङ्ग इति ह्यनौचित्यमिति भावः। सर्वथैव विरुद्धत्वादिति। तथाननुभवादिति भावः। 'चन्द्रराजी विराजते' इत्यादि साध्यवसानलक्षणास्थले सहृदया यदि चन्द्रत्वमुखत्वोभयधर्मवान् मुखपदार्थ इत्याकारकमनुभवं कुर्वन्ति, तर्हि मुखे मुखत्वभाननिरासाय विरुद्धभानसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वकल्पनं व्यर्थम्। कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पना, कार्यं चेदनुभवसिद्धं, तदा तत्प्रतिबन्धकनिर्वचनमनुचितमेवेति तात्पर्यम्। यदि तु तादृशमनुभवं सहृदया न कुर्वन्ति, अपि तु चन्द्रत्ववान् मुखपदार्थः इत्याकारकमेवानुभवं कुर्वन्ति, तर्हि मुखे मुखत्वभानवारणायोक्तप्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावः कल्पनीय एव। शुक्तौ रजतभानस्थले तु रजतत्वभानदशायां शुक्तित्वभानं न भवतीति सर्वानुभवसिद्धतया निर्णीतम् अतस्तत्र रजतत्वभानसामग्र्याः शुक्तित्वभानं प्रति प्रतिबन्धकत्वं सर्वसम्मत्या कल्पनीयमेवेति भावः।

उक्त ग्रन्थ के आशय का ही स्पष्टीकरण करते हैं—वस्तुतस्तु इत्यादि। वास्तविक बात तो यह है कि कार्य के अनुसार कारण की कल्पना की जाती है, अतः किसी कारण की कल्पना करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि वह कार्य अनुभवरूप प्रमाण से सिद्ध है अथवा नहीं, यदि कार्य अनुभवसिद्ध होवे, तब तदनुसार उसके कारण की कल्पना करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति में 'चन्द्रराजी विराजते' इत्यादि साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में विषयतावच्छेदक अर्थात् मुखत्व के भान का अभावरूप कार्य यदि सहृदयजनों के अनुभव से सिद्ध हो, तब तो उसके लिये चन्द्रत्व के भान की सामग्री को प्रतिबन्धक कारण के रूप में कल्पित करना ही चाहिए, जैसे उक्त भ्रमस्थल में रजतत्व-भासक सामग्री में शुक्तित्व-भान-प्रतिबन्धकता की कल्पना की जाती है। और यदि उक्त अभावरूप कार्य सहृदय-हृदय-प्रमाण से सिद्ध नहीं हो अर्थात् यदि सहृदयजन उक्त साध्यवसाना-स्थल में चन्द्रत्व तथा मुखत्व दोनों का मुख में अनुभव करते हों, तब तो उक्त प्रतिबन्धक कारण की कल्पना नहीं ही करनी चाहिए, ऐसी निराधार कल्पना की भी नहीं जा सकती है। ग्रन्थकार का स्वरस यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वे साध्यवसाना-स्थल में चन्द्रत्व तथा मुखत्व दोनों के भान का अनुभवसिद्ध मानते हैं, अतः वे उक्त प्रतिबन्धक की कल्पना के पक्ष में नहीं हैं। ठीक भी है। सामूहिक रूप से एक कार्यकारणभाव अथवा प्रतिबन्ध्य-प्रतिबन्धकभाव तो बन नहीं सकता। कारण, उस स्थिति में व्यभिचारादि अनेक दोषों के प्रसङ्ग उठ खड़े होंगे,

अतः लक्ष्यभेद से भिन्न-भिन्न ही वे कल्पित होंगे। इस स्थिति में जब उक्तस्थल पर चन्द्रत्व और मुखत्व दोनों के भान का अनुमोदन सहृदय-हृदय करते हैं, तब मुखत्व के भान को रोकने के लिये प्रतिबन्धक की कल्पना होगी ही नहीं, क्योंकि प्रतिबन्ध्य ही अप्रसिद्ध है। शुक्ति-रजत-भान-स्थल की बात भिन्न है, अर्थात् वहाँ दूर में चकचक करता हुआ सीपी का टुकड़ा पड़ा रहता है, द्रष्टा को दूरत्व तथा चाकचिक्यादि दोषों से युक्त चक्षुःसन्निकर्षरूप सामग्री से उस सीपी के टुकड़े में रजत का भ्रम हो जाता है अर्थात् द्रष्टा उस आगे में पड़े हुए टुकड़े को चाँदी समझ लेता है और जब वह उसको चाँदी समझ लेता है तब फिर उसको सीपी कैसे समझ सकता है अर्थात् उस स्थिति में वास्तविक होने पर भी शुक्तित्व का भान सर्वथा विरुद्ध पड़ता है, अतः वहाँ रजतत्वभान-सामग्री को शुक्तित्वभान के प्रति प्रतिबन्धक मानना आवश्यक हो जाता है। एक बात और रसगङ्गाधर के आधुनिक टीकाकारों ने यहाँ नागेशकृत संस्कृत टिप्पणी को आधार बनाकर कहा है कि 'अह्लादकत्व' आदि साधारण धर्म का भान मुख में साध्यवसाना के स्थल पर नहीं होता, यही 'विषयतावच्छेदकास्फूर्तिस्तथा' इस ग्रन्थ का आशय है, अग्रिम ग्रन्थ की व्याख्या भी इसी आशय के अनुसार उन्होंने की है। परन्तु लाख विचार करने पर भी मेरे मन में यह बात जँचती नहीं, क्योंकि आह्लादत्व आदि साधारण धर्म विषयता-वच्छेदक अथवा लक्ष्यतावच्छेदक नहीं हो सकता। देखिए—मुख में चन्द्रत्व का आरोप होता है, उस आरोप का विषयी होता है चन्द्र और विषय मुख, अथवा यों समझिए—चन्द्र पद की मुख में लक्षणा होती है, अतः मुख लक्ष्य होता है, और मुख में रहनेवाला धर्म होगा विषयता अथवा लक्ष्यता का अवच्छेदक, फिर वह मुखत्व न होकर आह्लाद-कत्व आदि साधारण धर्म कैसे हो जायगा? अवच्छेदक होता है—अन्यून और अनति-प्रसक्त धर्म, और आह्लादकत्व को आप स्वयं साधारण धर्म बतलाते हैं—मानते हैं। दूसरी बात चन्द्रत्व का भान मुख में होता है यह आपका, मेरा और सब का सिद्धान्त है और जहाँ चन्द्रत्व भासित होगा, वहाँ आह्लादकत्व अवश्य भासित होगा, क्योंकि चन्द्रत्व का व्यापक धर्म आह्लादकत्व है और व्याप्य की सत्ता में व्यापक की सत्ता निश्चित रहती है, यदि चन्द्रत्व का भान होने पर भी आह्लादकत्व का भान नहीं हो, तब चन्द्रत्व-भान का अर्थ ही क्या हुआ? अतः मेरे विचार से नागेश की टिप्पणी (यहाँ की) असंगत है।

लक्षणानिरूपणानन्तरमिदानीमलंकारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथास्य प्रागभिहितलक्षणस्य काव्यात्मनो व्यङ्ग्यस्य रमणीयताप्रयोजका अलङ्कारा निरूप्यन्ते—

अथेति। लक्षणानिरूपणानन्तरमित्यर्थः। अभिहितलक्षणस्येति। उक्तस्वरूपस्येत्यर्थः। काव्यात्मन इति। काव्यप्रमाणभूतस्येत्यर्थः। काव्यजगति सर्वतो मुख्यस्येति यावत्। अत्र काव्यात्मन इति। काव्यप्राणभूतस्येत्यर्थः। काव्यजगति सर्वतो मुख्यस्येति यावत्। अत्र 'भेदे षष्ठीयम्। काव्यात्मनो यद् व्यङ्ग्यं तस्येत्यर्थः। यद्वा काव्यात्मन इत्यलङ्कारा इत्यनेनान्वेति।' इति नागेशविवरणं संगतं न वेति सुधीभिराकलनीयम्। व्यङ्ग्यस्येति। रसादेरित्यर्थः। रमणीयताप्रयोजका इति। शोभासम्पादका इत्यर्थः। अलङ्कारा निरूप्यन्त इति। अलङ्कारविषयकज्ञानानुकूलाः शब्दाः प्रयुज्यन्त इत्यर्थः।

अब अलंकारनिरूण का उपक्रम करते हैं—अथेत्यादि। लक्षणा के निरूपण के बाद

अब जिसका लक्षण पहले कहा जा चुका है, और जो काव्य की आत्मा है, उस रसादिरूप व्यङ्ग्य की शोभा के सम्पादक अलङ्कारों का निरूपण किया जाता है।

अलङ्कारेषु सर्वतः प्रथममुपमालङ्कारविचारः सयुक्तिकमवतार्यते—

तत्रापि विपुलालङ्कारान्तर्वर्तिन्युपमा तावद्विचार्यते—

तत्रापीति। तेष्वलङ्कारेष्वपीत्यर्थः। विपुलेत्यादि। बह्वलङ्कारमध्यप्रविष्टेत्यर्थः। एतच्चोपमाविचारस्य प्राथम्ये हेतूपन्यासपरं विशेषणम्। तावत् आदौ। सादृश्यमूलकेषु बहुष्वलङ्कारेषु उपमोपजीव्यभूतेति प्राक् तद्विचारः प्रस्तूयत इति भावः।

उपमा अलङ्कार का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है—तत्रापीत्यादि। उपमा अलङ्कार बहुतेरे अलङ्कारों के अन्दर वर्तमान रहता है—अर्थात् सादृश्यमूलक जितने अलङ्कार हैं, उन सभी अलङ्कारों का उपजीव्य उपमा ही है, अतः अलङ्कारों में भी सर्वप्रथम उपमा का विचार किया जाता है।

उपमालङ्कारस्य लक्षणं लिख्यते—

सादृश्यं सुन्दरं वाक्यार्थोपस्कारमुपमालङ्कृतिः।

वाक्यार्थोपस्कारकमिति। वाक्यार्थशोभावर्धकमित्यर्थः। यस्मिन् रमणीये सादृश्येऽभिहिते सति वाक्यार्थः स्फुटतया कामप्युज्ज्वलतामाधत्ते, तादृशं सादृश्यमेवोपमालङ्कारतया व्यपदिश्यत इति भावः।

उपमा अलङ्कार का लक्षण करते हैं—सादृश्यमित्यादि। वाक्यार्थ को शोभित करने वाले सुन्दर सादृश्य का नाम 'उपमालङ्कार' है।

लक्षणघटकं 'सुन्दर'पदं स्वयं व्याचष्टे—

सौन्दर्यं च चमत्कृत्याधायकत्वम्। चमत्कृतिरानन्दविशेषः सहृदयहृदयप्रमाणकः।

चमत्कृत्येत्यादि। चमत्कृतेः आधायकत्वम्, सम्पादकत्वमित्यर्थः। चमत्कृतिपदार्थम् स्फोरयति-चमत्कृतिरित्यादि। आनन्दविशेष इति। विलक्षणानन्द इत्यर्थः। अलौकिकाह्लाद इति यावत्। सोऽपि न साधारणजनानुभवसिद्ध इत्याह—सहृदयेत्यादि। सचेतसामनुभवेन सिद्ध इति भावः। इत्थञ्च 'येन सादृश्येन प्रतिपादितेन सहृदयहृदयेषु कोऽप्यनिर्वचनीयः आनन्दः पदं निदध्यात्, तादृशं सादृश्यं यदि वाक्यार्थस्योज्ज्वलतासम्पादकं स्यात्, तदा तत् सादृश्यमुपमालङ्कारः कथ्यत' इति लक्षणतात्पर्यं वेदितव्यम्।

लक्षणवाक्य में आए हुए 'सुन्दर' पद की व्याख्या करते हैं—सौन्दर्यमित्यादि। लक्षण में 'सुन्दर' पद का अर्थ है सौन्दर्यविशिष्ट और सौन्दर्य का अभिप्राय यहाँ 'चमत्कारजनक होना' है। 'चमत्कार' का अर्थ है 'वह विलक्षण आनन्द, जिसको सहृदयों का हृदय प्रमाणित करता है।' इस तरह लक्षणवाक्य का फलित अर्थ यह होता है कि—'वाक्यार्थ को शोभित करनेवाले जिस सादृश्य से सहृदयों के हृदय में एक विलक्षण आनन्द उत्पन्न हो, उस (सादृश्य) को उपमालङ्कार कहते हैं।'

पदकृत्यं दर्शयति—

अनन्वये च 'गगनं गगनाकारम्' इत्यादौ सादृश्यस्य द्वितीयसब्रह्मचारिनिवर्तनमात्रार्थमुपात्तत्वेन स्वयमप्रतिष्ठानादचमत्कारितैव। अत एव

तस्यान्वयाभावादनन्वयं तमाहुः। व्यतिरेके 'तवाननस्य तुलनां दधातु जलजं कथम्' इत्यादौ चमत्कारिणो निषेधस्य निरूपणाय प्रतियोगिनः सादृश्यस्य निरूपणमचमत्कारकमेव। एवमभेदप्रधानेष्वपि रूपकापह्नुतिपरिणामभ्रान्तिमदुल्लेखादिषु, भेदप्रधानेषु दृष्टान्तप्रतिवस्तूपमादीपकतुल्ययोगितादिषु चमत्कारिषु तत्तन्निष्पादकतयावस्थितस्यापि सादृश्यस्य चमत्कारिताविरहेण नास्त्युपमालङ्कृतित्वम्।

सब्रह्मचारीति। सदृशेत्यर्थः। स्वयमिति स्वस्यापर्यवसानादित्यर्थः। अत एवेति। सादृश्यस्य तात्पर्यविषयताविरहादेवेत्यर्थः। तस्येति। सादृश्यस्येत्यर्थः। 'आहुः' इति क्रियापदस्याकांक्षापूरकम् 'आलङ्कारिकाः' इति कर्तृपदमध्याहार्यम्। लक्षणे 'सुन्दर'-मित्यस्य निवेशेन 'गगनम्……' इत्याद्यनन्वयालङ्कारोदाहरणे नातिव्याप्तिः, तत्र सादृश्यस्याचमत्कारित्वात्। ननु कथं तस्याचमत्कारित्वमिति चेत्? इत्थम्—अनन्वयालङ्कारे वर्णनीयस्य सदृशान्तरं नास्तीति बोधनार्थमेव केवलं स्वसादृश्यमुपादीयते, अतो वर्णितमपि सादृश्यं तत्र तात्पर्यविषयतां नालंबते। अनन्वय इति नामकरणमपि तात्पर्याविषयतया तस्य सादृश्यस्यान्वयाभावादेव संगच्छते। एवञ्च तस्याचमत्कारित्वं स्पष्टमेव। स्थलान्तरेऽपि सुन्दरेति विशेषणबलेनातिव्याप्तिवारणं दर्शयति—व्यतिरेके इत्यादिना। 'तवाननस्य……' इत्यादिव्यतिरेकालङ्कारोदाहरणे यद्यपि सादृश्यस्य वर्णनं तिष्ठति, तथापि तच्चमत्कारकं न भवति, यतो निषेधोऽत्र प्रधानश्चमत्कारी। सादृश्यं तु तन्निषेधप्रतियोगितयोपात्तमपि अप्रधानं सदचमत्कार्येवेति भावः। अन्यत्रापि समासेन तद्विशेषणव्यावर्त्यतामुट्टंकयति—एवमभेद इत्यादिना। अभेदप्रधानेषु इति। चमत्कारितया प्रतीयमानाभेदेष्वित्यर्थः। भेदप्रधानेषु इति। भेदबोधप्रयुक्तचमत्कारशालिष्वित्यर्थः। तत्तन्निष्पादकतयेति। रूपकादीनां दृष्टान्तादीनाञ्चालङ्काराणां सम्पादकतयेति भावः। अयं भावः—उपजीव्यतया वर्तमानं सादृश्यमेव रूपकादीन् दृष्टान्तादींश्चालङ्कारान् निष्पादयति, तत्र प्रथमवर्गेऽभेदगर्भं सादृश्यं नियामकम्, द्वितीयवर्गे च भेदगर्भं तत् तथा, अतः उभयत्र वर्गे 'वाक्यार्थोपस्कारकसादृश्यात्मकं' सामान्यमुपमालक्षणं प्रसक्तम्। परन्तु सादृश्य-विशेषणतया लक्षणे प्रविष्टं चमत्कारार्थकं सौन्दर्यम् तत्प्रसक्तिं वारयति, तत्र रूपणदृष्टान्तीकरणादीनां विभिन्नजातीयचमत्कारविधायित्वेऽपि सादृश्यस्याचमत्कारित्वात् इति।

लक्षण में 'सुन्दर सादृश्य' इस विशेषणविशिष्ट कथन का फल दिखलाते हैं—अनन्वये च इत्यादि। 'गगनम्……अर्थात् आकाश आकाश ही जैसा है' इत्यादि अनन्वयालङ्कार में भी यद्यपि सादृश्य वर्णित रहता है, तथापि वह सुन्दर-चमत्कारी नहीं होता, क्योंकि उसका वर्णन 'वर्णनीय आकाश आदि का अन्य कोई पदार्थ सदृश नहीं है' इस बात को सिद्ध करने मात्र के लिये किया गया रहता है, अतः वर्णित होकर भी वह सादृश्य वक्ता का तात्पर्यविषयीभूत नहीं रहता, तात्पर्यविषय नहीं होने के कारण ही उसका वाक्यार्थ में अन्वय भी नहीं होता, इसी आधार पर 'अनन्वय' यह नामकरण भी हुआ है। तात्पर्य यह कि विवक्षित पदार्थ ही चमत्कारी होता है, और अनन्वयस्थल में सादृश्य विवक्षित नहीं रहता, अतः चमत्कारी भी नहीं होता। 'तवाननस्य……अर्थात् जलज-(डलयोः साम्यात् जडजात, फलतः

स्वयं भी जड)-कमल, तुम्हारे मुख की तुलना का धारण कैसे करे ?' इत्यादि व्यतिरेकालङ्कार में सादृश्य का निषेध चमत्कारजनक होता है, अतः उस निषेध के प्रतियोगी (जिसका निषेध किया जा रहा है उस) सादृश्य का वर्णन नान्तरीयक होने से किये जाने पर भी चमत्कारशून्य ही होता है। इसी तरह अभेदप्रधान रूपक, अपह्नुति, परिणाम, भ्रान्तिमान् तथा उल्लेख आदि अलङ्कारों में और भेदप्रधान दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा, दीपक एवं तुल्ययोगिता आदि चमत्कारी अलङ्कारों में यद्यपि उन अलङ्कारों को सिद्ध करने के लिये सादृश्य रहता है, तथापि वह चमत्कारी नहीं होता। अभिप्राय यह है कि रूपक आदि (दो भागों में विभक्त कर कथित) सभी अलङ्कार सादृश्यमूलक हैं—सादृश्य के बिना उन अलङ्कारों की सिद्धि नहीं हो सकती और सादृश्य भी दोनों भागों में दो प्रकार के रहते हैं। प्रथम (रूपक आदि) भाग में अभेदघटित और द्वितीय (दृष्टान्त आदि) भाग में भेदघटित, अतएव प्रथम भाग के अलङ्कारों में प्रधानतया अभेद की प्रतीति होती है और द्वितीय भाग के अलङ्कारों में प्रधानतया भेद की प्रतीति होती है। परन्तु किसी तरह का सादृश्य वर्णित रहने पर 'वाक्यार्थोपस्कारकसादृश्य' यह सामान्य उपमालक्षण यद्यपि उन अलङ्कारों में प्रसक्त हो सकता था क्योंकि 'सादृश्यमुपमाभेदे' इस मम्मटकृत लक्षण में जिस तरह से 'भेद' का निवेश किया गया है, उस तरह से पण्डितराज के उक्तलक्षण में नहीं, तथापि पण्डितराज के अनुसार सादृश्य में 'सुन्दर' विशेषण लगाने से इन अलङ्कारों की व्यावृत्ति हो जाती है। कारण, इन अलङ्कारों में रूपण आदि ही, भिन्न-भिन्न तरह के चमत्कारों के जनक होते हैं, अतएव भिन्न-भिन्न अलङ्कार भी माने जाते हैं। सादृश्य, मूलरूप में रहकर भी इन सब जगहों पर चमत्कारशून्य ही रहता है। सारांश यह कि 'सुन्दर' इस विशेषण के निवेश से अपह्नुति, व्यतिरेक और रूपक आदि अलङ्कारों में उपमालक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती।

प्रतीपे उपमेयोपमायाञ्चातिव्याप्तिमाशंक्येष्टापत्त्या परिहरति—

मुखमिव चन्द्र इति प्रतीपे, चन्द्र इव मुखं मुखमिव चन्द्र इत्युपमेयोपमायां च सादृश्यस्य चमत्कारित्वान्नातिप्रसङ्गः शङ्कनीयः तयोः सङ्ग्राह्यत्वात्।

तयोस्तादृशप्रतीपोपमेयोपमयोः। संग्राह्यत्वादिति। चित्रमीमांसोक्तोपमालक्षणदूषणावसरे इति भावः। अयमाशयः—प्रतीपे (मूलोक्तप्रकारके) उपमेयोपमायां च यद्यपि सादृश्यं चमत्कारकं तिष्ठति, अतस्तयोरुक्तोपमालक्षणस्यातिव्याप्तिः स्यादिति शङ्का नोचिता, पण्डितराजमतानुसारं तयोरुपमात्वस्यैवेष्टत्वात् इति। प्रतीपेत्यादिनामकरणं प्राचीनमतानुसारेण। वस्तुतस्तु तत्रोपमैवेति सारांशः। अत्र "नव्यास्तु-'यत्र चन्द्राद्युपमानप्रतियोगिकसादृश्यानुयोगित्वबुद्धिकृतश्चमत्कारस्तत्रोपमालङ्कारत्वम्। अनन्वये तु न स्वसादृश्यबुद्धिकृतः सः, किंतु निरुपमत्वबुद्धिकृत इति नोपमात्वम्। उपमेयोपमायामपि न परस्परसादृश्यबुद्धिकृतः सः किन्त्वनयोरेव साम्यं न तृतीय एतत्सदृश इति बुद्धिकृत इति तस्यामपि न तत्त्वम्। मुखमिव चन्द्र इति प्रतीपेऽपि मुखादौ सादृश्यबुद्धिकृत एव सः, तदनुयोगित्वबुद्धिकृत इति तत्रापि न तत्त्वम्। 'अहमेव गुरुः' इति प्रतीपेऽपि उपमानतिरस्कृतत्वकृत एव सः न तु सादृश्यबुद्धिकृत इति न तत्रापि तत्त्वम्। अलङ्कारभेदे च चमत्कारनिदानभेद एव निदानम्। रूपकोत्प्रेक्षादौ तथा क्लृप्तत्वात्, सहृदयानुभवसाक्षिकत्वाच्च। एतेन सादृश्यस्या-

प्रतिष्ठानं यदि सादृश्याप्रतीतिस्तर्ह्यनुभवविरोधः । यदि भेदगर्भे तदप्रतीतिस्तदा भेदांशनिवेशेन तद्विवरणे किं फलम् । उपमेयोपमावत्तस्याप्यस्तूपमात्वमित्यपास्तम्' इत्याहुः" इति नागेशः ।

अब प्रतीप तथा उपमेयोपमा अलङ्कार में अतिव्याप्ति की आशङ्का करके इष्टापत्ति द्वारा उसका निराकरण करते हैं—मुखमिव इत्यादि । 'मुख सा चाँद' इस प्रतीपालङ्कार में तथा 'चाँद सा मुख और मुख सा चाँद' इस उपमेयोपमा अलङ्कार में सादृश्य चमत्कारी रहता है, अतः उन दोनों में उपमा का लक्षण अतिव्याप्त होगा, ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिये । कारण, उन दोनों स्थलों में उपमालक्षण का प्रसङ्ग ही मुझे इष्ट है अर्थात् मैं उन दोनों को उपमा से भिन्न अलङ्कार मानता ही नहीं हूँ, अपि तु उपमा के अवान्तरभेद के रूप में ही उन दोनों को संगृहीत करना चाहता हूँ ।

उक्तोपमालक्षणस्याव्याप्तिमाशंक्य निरस्यति—

ननु 'त्वयि कोपो ममाभाति सुधांशाविव पावकः' इत्यादावुपमानस्यात्यन्तमसम्भावितत्वात्सादृश्यमेव न तावत्प्रतिपत्तुं शक्यम्, चमत्कारस्तु पुनः केन स्यादिति चेत्, कविना हि खण्डशः पदार्थोपस्थितिमता स्वेच्छया सम्भावितत्वेनाकारेण चन्द्राधिकरणकमनलं प्रकल्प्य तेन सह साम्यस्यापि कल्पने बाधकाभावात् । कल्पितमसत्सादृश्यं कथं चमत्कारजनकमिति तु न वाच्यम्, परमसुकुमारीभवत्कनकनिर्मिताङ्ग्या मणिमयदशनकान्तिनिर्वासितध्वान्तायाः कान्ताया भावनया पुरोऽवस्थापिताया आलिङ्गनस्याह्लादजनकत्वदर्शनात् । उपमानोपमेययोः सत्यत्वस्य लक्षणे प्रवेशाभावान्नात्र दोषलेशोऽपि ।

त्वयि कोप इति । त्वयि=वर्णनीयायां कस्यांचन सुन्दर्याम्, वर्तमानः, क्रोधः चन्द्रे विद्यमानो वह्निरिव मम प्रतिभाति = मया प्रतीयत इत्यर्थः । उपमानस्येति । चन्द्राधिकरणकवह्नेरित्यर्थः । प्रतिपत्तुम् ज्ञातुम् । उत्तरयति—कविना हीत्यादिना । खण्डश इति । प्रतिपदं पृथक् पृथक् इत्यर्थः । स्वेच्छया संभावितत्वेनेति । स्वेच्छानुसारम् 'यद्येवं स्यात्' इति सम्भावनाविषयीभूतेनेत्यर्थः । अत्र 'स्वेच्छया असम्भावितत्वेन न तु सत्येन रूपेण' इति नागेशो विवृणुते, तन्नातीव शोभनं प्रतिभाति । अयं भावः—'त्वयि कोपः' इत्यादौ उपमानतया वर्णितश्चन्द्राधिकरणकोऽनलो नितान्तमसंभवः, चन्द्रेऽनलस्य कदाप्युपलंभाभावात् । एवञ्च तत्प्रतियोगिकं सादृश्यं ज्ञातुमयोग्यम्, अप्रसिद्धपदार्थप्रतियोगिकसादृश्यस्याप्यसंभवात् । अज्ञाते च सादृश्ये चमत्कार एव न भवितुमर्हति, चमत्कारस्य सादृश्यज्ञानाधीनत्वात् । तथा च कथमत्रोपमेति शङ्कायाम् इदमुत्तरं यत्—चन्द्रः प्रसिद्धः, अनलोऽपि प्रसिद्धः, एवञ्च तयोः पृथक् पृथक् स्मरणं कवेरात्मनि भवेत् । तयोपस्थितेः परं पुनः कविः स्वेच्छानुसारं यद्येवं स्यादिति संभावनाविषयीभूतेन रूपेण चन्द्रवर्तिनो वह्नेः कल्पनां कुर्यात्, तथा कल्पनानन्तरञ्च कल्पितेन तेन चन्द्राधिकरणकेन वह्निना सह नायिकानिष्ठकोपस्य सादृश्यकल्पना संभवति बाधकाभावात् इति । अथापि शङ्कते—कल्पितमित्यादिना । यतः कल्पितमत एवासदित्यर्थः । समाधत्ते—परमेत्यादि । परमसुकुमारीभवता अतिकोमलीकृतेन, कनकेन—सुवर्णेन, निर्मितानि अङ्गानि यस्यास्तस्या इत्यर्थः । सुवर्णवर्णाया इति यावत्, मणिमयेति । मणिमयानां मणिरचिता-

नाम् दशनानाम् , कान्तिभिः किरणैः, निर्वासितं दूरीकृतम् , ध्वान्तमन्धकारो यया तस्या इत्यर्थः। काल्पनिकतया वस्तुतोऽवर्तमानस्य सादृश्यस्य चमत्कारित्वमनुपपन्नम् ? नानुपपन्नम् , दृश्यते हि कनकमयाङ्गीं विकिरन्मणिदन्तकान्ति कामिनीं पुरो विद्यमानां भावयतो भावुकस्य तदालिङ्गनभावने आनन्दः। काल्पनिकमपि वस्तु भावुकानानन्दयतीति भावः। नन्वेवं भवतु कल्पितस्यापि सादृश्यस्य चमत्कारजनकता, तथापि लक्षणे उपमानोपमेययोर्निवेशेन तयोः सत्यत्वस्यापेक्षिततया कथमुक्तस्थले निर्वाहोऽत आह—उपमानोपमेयेति। लक्षणे उपमानोपमेययोर्निवेशेऽपि तयोः सत्यत्वं न निविष्टमिति न कश्चिद्दोषः। काल्पनिकतयाऽसत्येऽपि उपमानोपमेये समादाय संभवत्युपमालङ्कार इति परमार्थः।

स्थलविशेष में उक्त उपमालक्षण की अव्याप्ति की आशङ्का करके समाधान करते हैं—ननु इत्यादि। 'त्वयि कोपो···अर्थात् तेरे अन्दर का क्रोध मुझे चन्द्रवर्ती आग के समान प्रतीत होता है इत्यादि स्थल में जो उपमान है 'चन्द्रवर्ती आग'आदि, वह सर्वथा असंभव वस्तु है। ऐसी स्थिति में उस वस्तु का सादृश्य समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जब कोई वस्तु हो, तब तो उसका सादृश्य समझ में आवे—जो वस्तु है ही नहीं, उसका सादृश्य कैसा? और जब सादृश्य ही समझ में नहीं आयगा, तब चमत्कार होगा किससे? कारण, उपमा में चमत्कार, सादृश्यज्ञान के अधीन है यह सर्वसम्मत बात है, अतः ऐसे स्थलों पर उपमा का उक्त लक्षण संघटित नहीं हो सकता' यह शङ्का नहीं करनी चाहिए। कारण, ऐसे स्थलों पर 'चन्द्र में आग' इस सम्मिलित पदार्थ की अप्रसिद्धि होने से उपस्थिति की संभावना नहीं रहने पर भी कवि को खण्डशः चन्द्र और आग की उपस्थिति हो सकती है, क्योंकि पृथक्-पृथक् वे दोनों ही पदार्थ प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार खंडशः पदार्थों की उपस्थिति हो जाने के बाद, कवि अपनी इच्छा के अनुसार संभावित रूप से-अर्थात् 'यदि चन्द्र में आग हो' इस रूप से चन्द्र में आग की कल्पना करता है और जब कल्पना के आधार पर 'चन्द्रवर्ती आग' यह सम्मिलित पदार्थ तैयार हो चुकेगा, तब उसके सादृश्य की भी कल्पना कर लेने में कोई बाधक नहीं। यदि कोई कहे कि-कल्पित सादृश्य तो असत् (मिथ्या) हुआ फिर उससे चमत्कार की उत्पत्ति कैसे होगी-मिथ्या वर्णन के श्रवण से क्या आनन्द प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर यह है कि आनन्द सत्य वस्तु से ही प्राप्त हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जब भावुक जन भावना के द्वारा, किसी ऐसी कामिनी, जिसके अङ्ग, कोमल बने कनक से बने हों तथा जिसने मणिमय दन्तकिरणों से अन्धकार को दूर कर दिया हो-को अपने पुरोभाग में उपस्थित कर उसका आलिङ्गन करते हैं, तब उस मिथ्या आलिङ्गन से भी अमन्द आनन्द की उत्पत्ति होती हुई देखी जाती है। बात रही लक्षण की, सो उसमें उपमान-उपमेय के सत्य होने का निवेश किया नहीं गया है। अतः उपमान के कल्पित होने पर भी 'उपमा' मानने में दोष का लेश भी नहीं है।

कल्पितोपमानोपमेयभावविशिष्टं स्थलान्तरमपि दर्शयति—

अत एव

'स्तनाभोगे पतन्भाति कपोलात्कुटिलोऽलकः।
शशाङ्कबिम्बतो मेरौ लम्बमान इवोरगः॥'

इत्यादावपि नानुपपत्तिः।

अत एवेति। उपमानोपमेययोः सत्यत्वस्य लक्षणेऽनिवेशादेवेत्यर्थः। स्तनाभोगे

इति । चन्द्रबिम्बवन्मसृणवर्तुलदीप्तिशालिनो नायिकायाः कपोलदेशात् तदीये मेरुव-त्कठोरोन्नते कुचप्रदेशे पतन्, कुटिलः, केशः, चन्द्रबिम्बात् , मेरुशिखरे लम्बमानः कृष्णसर्प इव शोभत इत्यर्थः । नानुपपत्तिरिति । उपमालक्षणव्याप्तिरूपा अनुपपत्तिर्ने-त्यर्थः । अत्रापि यद्यपि चन्द्रबिम्बावधिकमेरुशिखराधिकरणकलम्बमानोरगरूपमुपमानं, तस्य सादृश्यञ्च स्वतोऽसंभवित्वात्काल्पनिकमेव, तथापि पूर्वप्रतिपादितदिशोपमास्वीकारे बाधकं नास्तीति भावः ।

कल्पित उपमान वाला एक अन्य उदाहरण भी दिखलाया जाता है—अत एव इत्यादि। लक्षण से उपमानोपमेय की सत्यता का निवेश नहीं करने के कारण ही—'स्तनाभोगे······अर्थात् भरे-पूरे, ऊँचे स्तनों पर कपोलतट से गिरता हुआ कुटिल केश, चन्द्रमण्डल से सुमेरु पर्वत के शिखर पर लटकते हुए काले नाग-सा प्रतीत होता है' इत्यादि में भी उपमा अलङ्कार स्वीकार करने में किसी तरह की अनुपपत्ति नहीं होती। अर्थात् यहाँ भी 'चन्द्रमण्डल से मेरु पर लटकता हुआ सांप' यह जो उपमान है वह भी स्वतः असंभव होने से कल्पित, अतएव असत्य ही होगा, अतः 'उपमा' कैसे होगी, यह शङ्का हो सकती थी, परन्तु जिन युक्तियों से 'त्वयि कोपः···' इत्यादि में 'उपमा' मान ली गई है, उन्हीं उक्तियों से यहां भी उपमा मानी जा सकती है।

एतादृशस्थलेऽन्यत्र वर्णितं मतान्तरमुल्लिख्य खण्डयति—

परे तु अस्याः कल्पितोपमाया उपमानान्तराभावफलकत्वेनालङ्कारान्त-रतामाहुः । तन्न । सादृश्यस्य चमत्कारितयोपमान्तर्भावस्यैवोचितत्वात्, सन्निरूपितत्वस्य लक्षणे प्रवेशाभावात् । उपमानान्तराभावफलकत्वं ह्युपमा-विशेषत्वे साधकम् , न तूपमाबहिर्भावे ।

उपमानान्तराभावफलकत्वेनेति । उपमानान्तरम् अन्यदुपमानम् , तस्य, अभावः—अयोग्यता, फलं यस्यास्तादृशत्वेनेत्यर्थः । अलङ्कारान्तरताम् अन्यालङ्कारत्वम् । सन्नि-रूपितत्वेति । सता सत्येन, उपमानेन, निरूपितं सादृश्यं स्यात् इत्यस्येत्यर्थः । उपमा-विशेषत्वे उपमाया विलक्षणभेदत्वे । उपमाबहिर्भावे उपमान्यालङ्कारत्वस्वीकारे । अत्र—नैतादृशं वस्त्वन्तरं संसारे समुपलभ्यते, यत् कपोलात् स्तनपरिसरे पततः कुञ्चित-कचस्योपमेयस्योपमानभावं भजेतेति कवेस्तात्पर्येण उपमायां पर्यवसानाभावादलङ्का-रान्तरमेवेति शंकायाः, चमत्कृतिकरस्य सादृश्यस्य स्पष्टं प्रतीतेः 'सुन्दरं (चमत्कार-जनकम्) सादृश्यमुपमा' इति लक्षणानुसारम् उपमायाः स्वीकारे बाधकन्नास्ति । सत्ये-नोपमानेन निरूपितं सादृश्यं भवेदिति तु प्रकृतलक्षणे न निविष्टम् । उपमानान्तरं नास्तीति प्रतीतिरिह फलभूतेत्येतावताऽपि उपमात्वनिरासो न भवति, प्रत्युत विशिष्टोपमात्वमेव सिद्ध्यतीति च समाधानस्याशयो बोध्यः ।

ईदृश स्थलों में कुछ विद्वानों के द्वारा माने गए मतान्तर का उल्लेख करके खण्डन करते हैं—परे तु इत्यादि। अन्य विद्वानों का कथन है कि—"स्तनाभोगे··· इत्यादि काव्यों में कल्पित उपमा का फल है 'अन्य किसी उपमान का न होना'—अर्थात् कवि ऐसी उपमा द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि संसार में ऐसी वस्तु है ही नहीं, जिसके साथ, कपोल से स्तन पर गिरते हुए केशरूप उपमेय की समानता कही जाय, अतः

यहाँ 'उपमा' न मानकर कोई दूसरा ही अलङ्कार माना जाना चाहिए।" परन्तु उनका यह कथन समुचित नहीं है। कारण, ऐसे काव्यों में चमत्कारी सादृश्य की स्पष्ट प्रतीति होने के कारण इसका उपमा अलङ्कार में ही अन्तर्भाव करना उचित है, क्योंकि सादृश्य का 'सत् पदार्थ से निरूपित होना' प्रकृत उपमालक्षण में निविष्ट नहीं है—अर्थात् उपमान सत्य रहे ऐसी बात लक्षण में नहीं कही गई है। रही आपकी यह बात कि—'इस कल्पित उपमा का फल अन्य उपमान का न होना है', सो यह बात तो इसको एक विलक्षण प्रकार की उपमा सिद्ध करती है, इससे, इसका उपमा से बहिष्कार नहीं सिद्ध होता।

शङ्कते—

अथ

'विलसत्याननं तस्या नासाग्रस्थितमौक्तिकम्।
आलक्षितबुधाश्लेषं राकेन्दोरिव मण्डलम्॥'

इत्यादौ साधारणधर्मस्याभावात् कथमुपमानिष्पत्तिः ? बुधमौक्तिकयोरेकैकमात्रवृत्तित्वात्।

अथेतिपदं प्रक्रान्तविषयभिन्नविषयारम्भसूचकम्। विलसतीति। नासाग्रे, स्थितं, मौक्तिकम् मुक्ताभूषणम्, यस्मिन्, तत्, तस्या वर्णनीयनायिकायाः, आननम् मुखम्, आलक्षितः दृष्टिगोचरीभूतः, बुधस्य तन्नामकस्य नक्षत्रविशेषस्य, आश्लेषः सम्बन्धः (संयोगः) यस्मिन्, तादृशम्, आश्लिष्टबुधमिति यावत्, तथा पाठस्तु साधीयान् बुधमौक्तिकयोरित्यग्रिमग्रन्थानुरोधात्, राकेन्दोः पूर्णिमाचन्द्रस्य, मण्डलम्, इव, विलसति सुशोभत इत्यर्थः। अत्र बुधः तदाश्लेषो वा राकेन्दुमण्डलमात्रवृत्तिधर्मः, आनने तदसंभवात्। एवम् मौक्तिकम् आननमात्रवृत्तिधर्मः, चन्द्रमण्डले तस्यावर्तमानत्वात्। तथा च नैकोऽपि धर्मस्तथाविधो यः उपमानोपमेययोः चन्द्रमण्डलाननयोरुभयोः साधारणः स्यात्। साधारणधर्माभावे च कथमुपमालङ्कारत्वम् साधारणधर्मोपस्थितेरुपमाकारणत्वस्य लक्षणानिरूपणे स्थिरीकृतत्वात् इति शङ्का।

अब एक भिन्न तरह की आशङ्का करते हैं—'अथ इत्यादि। 'विलसत्याननम्'··· इत्यादि अर्थात् नायिका के अग्रभाग में वर्तमान है मुक्ताभूषण जिसमें, ऐसा, उस-वर्णनीय नायिका-का मुख, बुध-तारा-के संयोग से युक्त पूर्णिमा-चन्द्र के मण्डल सा सुशोभित हो रहा है।' इत्यादिक में साधारण धर्म के न होने के कारण उपमा अलङ्कार किस तरह सिद्ध हो सकता है? क्योंकि साधारण धर्म की उपस्थिति को ही उपमा का कारण माना गया है, उसके बिना उपमा हो ही नहीं सकती। 'बुध'-अथवा 'मोती' तो साधारण धर्म हो नहीं सकता। कारण, वे दोनों एक-एक में ही रहनेवाले धर्म हैं—अर्थात् 'बुध' केवल उपमान (चन्द्रमण्डल) में रहनेवाला है, उपमेय (मुख) में उसकी संभावना ही नहीं। इसी तरह 'मोती' केवल उपमेय (मुख) में रहनेवाला है, उपमान (चन्द्रमण्डल) में नहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ उपमा का न होना ही उचित होगा' यह है शङ्का।

उक्ताशङ्काया असत्समाधानद्वयं तावत् प्रतिपाद्य खण्डयति—

न चात्र यदि नासाग्रस्थितमौक्तिकं तस्या आननमालक्षितबुधाश्लेषं

राकेन्दोर्मण्डलमिव विलसतीति तादृशराकेन्दुमण्डलनिरूपितसादृश्यप्रयोजकविलासाश्रयस्तादृशमाननमिति तात्पर्यम् तदा विपूर्वकलसत्यर्थशोभाविशेष एव समानो धर्मः। यदि च तादृशमिन्दुमण्डलमिव यत्तादृशमाननं तद् विलसतीति तादृशसादृश्यतावच्छिन्नमाननमुद्दिश्य विलासाश्रयत्वं विधेयतया विवक्ष्यते तदास्या लुप्तोपमात्वात्पद्ममिव मुखमित्यादाविवाह्लादकत्वादिधर्म उन्नेय इति वाच्यम्। उपमानोपमेयशोभयोरपि वस्तुतोऽसाधारणत्वात्।

'कोमलातपशोणाभ्रसन्ध्याकालसहोदरः।
कषायवसनो याति कुङ्कुमालेपनो यतिः॥'

इत्यादौ धर्मान्तरस्याप्रतिभानादसुन्दरत्वाच्च कोमलातपादीनामसाधारणत्वात्कथमुपमेति चेत्,

तादृशराकेन्दुमण्डलेति। बुधाश्लेषविशिष्टराकेन्द्वित्यर्थः। एवमग्रेऽपि। प्रथमोत्तरे दूषणमाह—उपमानोपमेयेति। द्वितीयोत्तररीत्योक्तप्रसिद्धोदाहरणे निर्वाहेऽप्यप्रसिद्धोदाहरणे दोषमाद्यसाधारणमाह—कोमलेति। कोमलातपत्वम् शोणाभ्रत्वं च सन्ध्याकालविशेषणम्, बहुव्रीहेः। अत एव कोमलातपादीनामिति वक्ष्यति। एवञ्च कोमलः अनुद्वेगकरः, आतपो यस्मिन्। तथा शोणम् रक्तवर्णम् अभ्रम् मेघो, यस्मिन्, तादृशो यः सन्ध्याकालः, तस्य, सहोदरः सदृशः, कषायम् कषायद्रव्यद्रवरञ्जितम्, वसनं यस्य तादृशः तथा कुङ्कुमालेपनः कृतकुङ्कुमलेपो यतिः यातीत्यर्थः। 'विलसत्याननम्…' इत्यत्र साधारणधर्माभावात् कथमुपमेति शंकायाः 'नासामौक्तिकशोभितं तन्नायिकाननं, बुधाश्लेषविशिष्टेन्दुमण्डलमिव विलसतीति रीत्यान्वयोपपादने बुधाश्लेषविशिष्टं यत् राकेन्दुमण्डलम्, तन्निरूपितं यत् सादृश्यं, तत्प्रयोजको यो विलासः, तस्याश्रयो नासाग्रमौक्तिकविशिष्टं मुखमिति कवेस्तात्पर्यावगमेन विपूर्वकलस्धात्वर्थशोभाविशेष एव साधारणधर्मः' इत्युत्तरं न संभवति, उपमानेन्दुमण्डलगतशोभायाः, उपमेयानननिष्ठशोभायाश्च मिथो भिन्नत्वेन साधारणधर्मत्वासंभवात्। बुधाश्लेषविशिष्टचन्द्रमण्डलसदृशं यन्नासामौक्तिकशोभितं मुखं, तत् विलसतीति रीत्यान्वयकरणेन तादृशसादृश्यानुयोग्याननमुद्दिश्य विलासाश्रयत्वं विधीयत इति कवेस्तात्पर्यवर्णने 'पद्ममिव मुखम्' इत्यादिवत् साधारणधर्मलोपोपमैव-अर्थात् आह्लादकत्वादिरूपः साधारणधर्मः ऊहनीय इत्यपि न तस्याः शंकायाः समुचितं समाधानम्, तेन समाधानेन प्रसिद्धसाधारणधर्मके चन्द्रमुखादौ निर्वाहेऽपि 'कोमलातप…' इत्यादिलक्ष्येषु निर्वाहासंभवात्। तथाहि—अत्र कोमलातपत्वं शोणाभ्रत्वं च संध्याकालात्मकोपमानमात्रगतधर्मद्वयम्। कषायवसनत्वम् कुङ्कुमालेपनत्वं च यतिरूपोपमेयमात्रवर्तिधर्मयुगलम्। अतस्तेषु नैकोऽपि धर्म उपमानोपमेयोभयसाधारणः। यातीति क्रियायाः पूर्वरीत्या विधेयत्वेन पूर्वसिद्धत्वाभावे न साधारणधर्मता संभविनी। लुप्तोपमात्वमङ्गीकृत्य साधारणधर्मोन्नयनरीतिरपि न भवितुमर्हति पूर्वोक्तेभ्यो धर्मेभ्योऽन्यस्य कस्यचन धर्मस्य ध्यानपथानागमनात्, बलात्तदागमने कारिते तस्याचमत्कारित्वात्। एवञ्च 'विलसती'त्यादौ साधारणधर्माभावे कथमुपमेति शङ्का यथास्थितेति भावः।

तब तक उक्त आशङ्का का एक असिद्धान्ती समाधान कहकर खण्डन करते हैं—न च इत्यादि। स्पष्ट अभिप्राय यह है कि—'विलसति···' इत्यादिक में साधारण धर्म के अभाव में उपमा कैसे होगी, इस आशङ्का के दो समाधान हो सकते हैं—(१) 'नासिका के अग्रभाग में मुक्ताभूषण धारण करनेवाला उसका मुख बुधालिङ्गित चन्द्रमण्डल के समान सुशोभित हो रहा है' इसका तात्पर्य यदि यह हो कि 'पूर्वोक्त विशेषणविशिष्ट मुख पूर्वोक्त विशेषणयुक्त चन्द्रमण्डल द्वारा निरूपित सादृश्य को सिद्ध करनेवाली शोभा का आश्रय है' तब तो वह शोभा विशेष ही साधारण धर्म हो जाता है। और—(२) यदि यह अभिप्राय हो कि 'उक्त विशेषणविशिष्ट पूर्णिमाचन्द्र के सदृश उक्त विशेषण युक्त मुख, सुशोभित हो रहा है (विलास का आश्रय बन रहा है)' और इस रीति से इस श्लोक में उस तरह के चन्द्रमण्डल से निरूपित सादृश्य के अनुयोगी मुख को उद्देश्य मानकर विलासाश्रयत्व (शोभा के आश्रय होने) को विधेय बनाना इष्ट हो, तब यह लुप्तोपमा (साधारणधर्मलोपोपमा) होगी, अतः जिस तरह 'कमल-सदृश मुख' इत्यादि में 'आह्लादकत्व' आदि साधारण धर्म का ऊह कर लिया जाता है, उसी तरह किसी साधारण धर्म का ऊह कर लेना चाहिए। अतः यहाँ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं। सारांश यह कि पूर्वोक्त श्लोक में यदि 'विलसति' इस क्रियापद के अर्थ शोभा-विशेष को सादृश्य का प्रयोजक (कारण) माना जाय तब तो वह शोभा-विशेष ही साधारणधर्मरूप हो जाता है और यदि वैसा न मानकर उस शोभा-विशेष को केवल विधेय माना जाय तब विधेय के अपूर्व (पूर्व सिद्ध नहीं) होने के कारण वह साधारण धर्म नहीं हो सकता, अतः यहाँ लुप्तोपमा हो जाने से चन्द्र और मुख के किसी अन्य साधारण धर्म (सुन्दरत्व आदि) की कल्पना कर ली जानी चाहिए। ऐसा यदि आप कहें-तो यह सङ्गत नहीं हो सकता। कारण, परमार्थतः उपमेय और उपमान की शोभा भी अपने-अपने में रहनेवाली असाधारण ही होती है। अर्थात् सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर मुख की और चन्द्र की शोभा भी भिन्न-भिन्न सिद्ध होती है एक नहीं, अतः उसको साधारण धर्म ठहरानेवाला प्रथम उत्तर नहीं बनता और द्वितीय उत्तर से 'चन्द्र सा मुख' इत्यादि प्रसिद्ध उदाहरणों में काम चल जाने पर भी—'कोमलातप··· इत्यादि अर्थात् कोमल (अनुद्वेगकर) धूप और लाल-लाल बादल वाले सायंकाल का सहोदर (समान), कषायवस्त्रधारी तथा केसर के लेप वाला संन्यासी जा रहा है।' इत्यादि स्थलों में काम नहीं चल सकता, क्योंकि, यहाँ लुप्तोपमा मानकर साधारण धर्म का ऊह कर लेनेवाली युक्ति बन नहीं सकती। कारण, यहाँ कोई ऐसा धर्म ध्यान में आता ही नहीं, जो साधारण हो सके, यदि खींच-खाँचकर किसी वैसे धर्म को लाया भी जाय, तो वह असुन्दर होगा-चमत्कार (आह्लाद) से शून्य होगा। अर्थात् चन्द्र और मुख का साधारण धर्म आह्लादकत्व आदि प्रसिद्ध है, अतः वाचक पद के अभाव में भी वह ध्यान में आ जाता है, परन्तु प्रकृत में सायंकाल और यति का कोई वैसा धर्म प्रसिद्ध नहीं है, अतः विना कहे वह ध्यान में नहीं आता, बलात् किसी धर्म को ध्यान में लाने पर भी वह आनन्ददायक नहीं होता। रहे पद्य में कथित कोमलातपत्व, शोणाभ्रत्व, कषायवसनत्व और केसरलेप धर्म, सो वे साधारण नहीं असाधारण हैं अर्थात्-इन चारों में प्रथम दो केवल उपमान-सायंकाल-में रहनेवाले धर्म हैं और अग्रिम दो केवल उपमेय-संन्यासी में रहनेवाले। फलतः ऐसे स्थानों-जहाँ कोई साधारण धर्म नहीं रहता-में उपमा कैसे होती है यह आशङ्का जैसी की तैसी बनी रही।

इदानीं सिद्धान्तभूतं समाधानं लिख्यते—

अत्राहुः—उपमेयगतानामुपमानगतानां चासाधारणानामपि धर्माणां सादृश्यमूलेनाभेदाध्यवसायेन साधारणत्वकल्पनादुपमासिद्धिः।

अभेदाध्यवसायेनेति। अभेदारोपेणेति भावः। अत्र नागेशः—"न चैकधर्मवत्त्वमिवोपमानवृत्तिधर्मसदृशधर्मवत्त्वमप्युपमाप्रयोजकमस्तु किममुनाऽभेदाध्यवसायेनेति वाच्यम्। साधारणधर्मेणोपमानोपमेययोरभेदप्रतीतिकृतचमत्कारस्योपमायामिष्टस्य धर्मयोरभेदाध्यवसानं विनानुपपत्तेः। तथा चोक्तमलङ्कारसर्वस्वकृता—'भेदाभेदप्रधानोपमे'ति बोध्यम्" इत्याचष्टे। अयं भावः—उक्तोदाहरणेषु केचन उपमेयमात्रगताः केचन उपमानमात्रगता एव धर्मा बुध-मौक्तिक-कोमलातपादयः, अत एव ते न साधारणा इति यद्यपि सत्यम्, तथापि असाधारणानामपि तेषां धर्माणां मिथः सादृश्यमस्तीति नापलापार्हम्। एवञ्च तत्सादृश्यमेव मूलं भूत्वा तेषु असाधारणेष्वपि धर्मेषु अभेदम्–ऐक्यम्–आरोपयति अर्थात् तेषु धर्मेषु सादृश्यं विदन्तो जनास्तन्मूलकं तेष्वभेदमपि विदन्ति। तथा च भवन्ति ते असाधारणा अपि धर्माः साधारणाः। अत एव तेषु स्थलेषु उपमा-सिद्धौ न काचित् बाधाऽवतिष्ठत इति।

अब उक्त आशङ्का का सिद्धान्ती समाधान करते हैं—अत्राहुः इत्यादि। उक्त आशङ्का का सिद्धान्तभूत समाधान यहाँ यह कहा जाता है कि—ऐसे स्थानों पर केवल उपमान और उपमेय में रहनेवाले धर्मों के असाधारण होने पर भी, उन धर्मों में रहनेवाले परस्पर सादृश्य के कारण, उन धर्मों में अभेद का आरोप करके उनको साधारण मान लिया जाता है। अर्थात्–'बुध' तथा 'मौक्तिक' और 'कोमल धूप' तथा 'केसर के लेप' आदि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनमें जो क्रमशः शुक्लता तथा अरुणता आदि गुणमूलक समानता है, उसके द्वारा उन्हें अभिन्न मानकर 'बुध से अभिन्न मोती' और 'कषायवस्त्र से अभिन्न केसरलेप' आदि को साधारण धर्म मान लिया जाता है। अतः उन स्थलों में असाधारण धर्म के भी साधारण हो जाने से उपमा सिद्ध हो जाती है।

पुनरुक्तस्थलेषु उपमाया असिद्धिमन्यप्रकारेणाशंक्य समाधत्ते—

न च भ्रमात्मकेनाहार्याभेदबोधेन कथं नाम कुङ्कुमालेपकोमलातपादीनां वस्तुतो भिन्नानां साधारणत्वसिद्धयेऽत्यन्तमसन्नभेदः सेद्धुं शक्नुयात्, भ्रमेणार्थसिद्धेरभावादिति वाच्यम्। प्रागुक्तेऽपि 'त्वयि कोपो ममाभाति सुधांशाविव पावकः' इत्यादावुपमानोपमेययोरत्यन्तासत्त्वेऽपि कल्पनामात्रतो यथा निष्पत्तिस्तथैव प्रकृते साधारणधर्मस्यापीति व्यक्तमुपपादयिष्यामः।

भ्रमात्मकेनाहार्याभेदबोधेनेति। आहार्याभेदबोधस्य तदभाववति तद्वत्तावगाहित्वाद् भ्रमत्वं बोध्यम्। अत्यन्तमसन्निति। सर्वथा मिथ्याभूत इत्यर्थः। सेद्धुम् सिद्धो भवितुम्। भ्रमेणार्थसिद्धेरिति। न हि रज्जौ सर्पभ्रमेऽपि सर्पस्तत्रोपलभ्यत इति भावः। प्रागुक्त इति। यत इत्यादि। 'त्वयि···'इत्यादावुपमानोपमेययोरिति। यद्यपि चन्द्राधिकरणकानलरूपोपमानवत् नायिकाधिकरणककोपरूपोपमेयं न सर्वथा मिथ्याभूतम्, तथापि उपमान-

सादृश्ययोरुभयोर्मिथ्यात्वे तस्योपमेयत्वमपि मिथ्यैव, उपमानोपमेयत्वयोर्मिथः सापेक्षत्वादिति बोध्यम्। बुधमौक्तिकयोः कुङ्कुमालेपकोमलातपयोश्च वस्तुतो भेद एवानुभवसिद्धः इति तयोर्द्वयोर्द्वयोः स्वतः साधारणत्वं न भवितुं योग्यम्, अतस्तयोः साधारणत्वसिद्धये सादृश्यमूलकोऽभेद आरोप्यते। एवञ्च तत्रत्याभेदबोधस्य आहार्यत्वम् फलितम्, आहार्यञ्च ज्ञानं सर्वत्र भ्रमात्मकमेव भवति। तथा च 'भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधि'रिति न्यायस्यैत्रावतारो जातः। अर्थात् भ्रमेण भ्रमविषयीभूतोऽर्थो न सिद्ध्यति। एवञ्चाहार्याभेदज्ञानेनापि पूर्वोक्तयोर्वस्तुतो भिन्नयोर्नाभेदः सिद्ध्येदित्यत्र शङ्का। 'त्वयि कोपो…'इत्यादिपूर्वोक्तस्थले उपमानोपमेये एव सर्वथाऽसती यद्यपि, तथापि यथा कल्पनामात्रतस्तत्रोपमानोपमेयभावो भवति, तथैव प्रकृते उक्तधर्मयोरसतोऽपि साधारणत्वस्य कल्पनया सत्त्वं भवेदिति च समाधानम्। एतत्समाधानगतपदार्थस्य स्पष्टमुपपादनं ग्रन्थकृता स्वयमग्रे विधास्यते।

फिर उक्त स्थलों में अन्य युक्ति से उपमा की असिद्धि की आशङ्का करके खण्डन करते हैं—न च इत्यादि। यदि आप कहेंगे कि-'यह जो आहार्य (अपनी इच्छा से कल्पित) अभेद का ज्ञान है, वह भ्रमरूप है—सर्वथा मिथ्या है, अतः उसके द्वारा 'बुधमौक्तिक' तथा 'कुङ्कुमलेप कोमलातप' आदि वस्तुतः सर्वथा भिन्न धर्मों का, उन्हें साधारण बनाने के लिये किया जानेवाला सर्वथा अवर्तमान अभेद कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि भ्रम से किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं होती—रस्सी को भ्रम से साँप समझ लेने पर भी वह साँप नहीं हो जाता', तो इसका समाधान यह है कि 'त्वयि कोपो ममाभाति…' इत्यादि में जैसे उपमान तथा उपमेय के सर्वथा मिथ्या होने पर भी केवल कल्पना के आधार पर उपमा की सिद्धि की जाती है, वैसे ही प्रकृत उदाहरण में साधारण धर्मों को भी कल्पना से सिद्धि की जा सकती है—इस विषय का स्पष्टतया उपपादन हम आगे करेंगे। यहाँ एक बात यह समझ लेने योग्य है कि 'त्वयि कोपो…' इस पद्य में 'चन्द्र में आग' जिस तरह से अप्रसिद्ध अतएव मिथ्या है, उस तरह से यद्यपि 'नायिका में कोप' अप्रसिद्ध अतएव मिथ्या नहीं है, तथापि उपमान-चन्द्र में आग तथा उसका सादृश्य ये दोनों जब मिथ्या हैं, तब 'नायिका में कोप' इसका उपमेय होना भी मिथ्या हो ही जायगा, क्योंकि उपमान उपमेय ये परस्पर सापेक्ष पदार्थ हैं—एक के सिद्ध होने पर ही दूसरा सिद्ध हो सकता है, अतः यहाँ 'उपमानोपमेययोरत्यन्तासत्त्वेऽपि' ऐसा लिखा गया है।

विशेषमाह—

अयमेव बिम्बप्रतिबिम्बभाव इति प्राचीनैरभिधीयते।

अयमेवेति। सादृश्यमूलाभेदाध्यवसाय एवेत्यर्थः। वस्तुतो भिन्नयोरपि वस्तुनोर्यः सादृश्यज्ञानमूलक आहार्याभेदबोधः स एव प्राचीनैरालङ्कारिकैः 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव'पदेन प्रतिपाद्यत इति भावः।

एक विशिष्ट बात कहते हैं—अयमेव इत्यादि। वस्तुतः भिन्न होने पर भी दो वस्तुओं में जो सादृश्यमूलक अभेदारोप होता है, उसीको प्राचीन आलङ्कारिक लोग 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव' कहते हैं।

प्रागुक्तरीत्योदाहरणान्तरेऽप्युपमासिद्धिं दर्शयति—

एवम्

'भुजो भगवतो भाति चञ्चच्चाणूरचूर्णने ।
जगन्मण्डलसंहारे वेगवानिव धूर्जटिः ॥'

अत्र धूर्जटिभगवद्भुजयोराकारेण सादृश्याभावात्प्रकारनिर्मुक्तस्य केवलभानस्याप्रयोजकतया चाणूरचूर्णननिमित्तकचाञ्चल्यवत्त्वजगन्मण्डलसंहारनिमित्तकवेगवत्त्वयोरभेदाध्यवसानेनाभिन्नधर्मप्रकारकभानविशेष्यत्वस्य साधारणधर्मस्य सिद्धेरुपमासिद्धिः ।

एवमिति । उक्तोदाहरणे उपमासिद्धिवदित्यर्थः । 'भुजो···' इत्यादि । भगवतः कृष्णस्य, चाणूरस्य तन्नामकस्य दैत्यविशेषस्य, चूर्णने दलने, चञ्चन् धातूनामनेकार्थत्वाच्चाञ्चल्ययुक्तः, भुजो बाहुः, जगन्मण्डलस्य ब्रह्माण्डस्य, संहारे विनाशने, वेगवान् रयशाली, धूर्जटिः शिवः, इव, भाति शोभते इत्यर्थः । अत्र प्रकृतपद्ये । वृत्तित्वं सप्तम्यर्थः, तस्य च दूरस्थोपमासिद्धिपदार्थैकदेशे उपमायामन्वयः । अथवा प्रतिपाद्यत्वं तदर्थः । तथा च प्रकृतपद्यप्रतिपाद्ययोर्धूर्जटिभगवद्भुजयोरित्यर्थः । प्रकारनिर्मुक्तस्येति । निष्प्रकारकस्येत्यर्थः । निर्विषयस्येति यावत् । तदर्थस्यैव स्पष्टीकरणायाह—केवलेति । अप्रयोजकतयेति । सादृश्यानियामकतयेति भावः । चाणूरचूर्णनेत्यादि । चाणूरचूर्णनं निमित्तं यस्य, तादृशं यत् चाञ्चल्यम्, तद्वत्त्वं च, जगन्मण्डलस्य संहारो निमित्तं यस्य, तादृशो यो वेगस्तद्वत्त्वं चेद् द्वन्द्वः, तयोरित्यर्थः । अभेदाध्यवसानेनेति । आहार्याभेदज्ञानेनेत्यर्थः । अभिन्नधर्मप्रकारकेति । अभिन्नः एकः, धर्मः उक्तविशेषणविशिष्टचाञ्चल्यवत्त्ववेगवत्त्वरूपो विषयः, प्रकारो विशेषणं यस्मिन्, तादृशं यत् भानम्, तद्विशेष्यत्वस्येत्यर्थः । प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधवादिनां नैयायिकानां मतेनेदृशोक्तिः । ननु 'भुजो भगवतो भाती'ति पद्ये कथमुपमायाः सिद्धिः ? तत्सिद्धौ समपेक्षितस्य साधारणधर्मप्रत्ययस्याभावात्, न च शिवकृष्णभुजयोरुपमानोपमेयतया विवक्षितयोराकार एव तथेति वाच्यम्, तयोराकारसाम्यस्य विरहात् । न च भातीति क्रियापदबोध्यं भानमेव साधारणधर्मोऽस्त्विति शंक्यम्, प्रकारतया विषयाविशेषितस्य भानमात्रस्य सादृश्याप्रयोजकतया तत्त्वासंभवादिति चेन्न, अभिन्नधर्मप्रकारकभानविशेष्यत्वस्य साधारणधर्मत्वात् । कथमेतदिति चेत् ? इत्थम्—'चाणूरचूर्णने' 'जगन्मण्डलसंहारे' इत्यनयोः सप्तम्योर्निमित्तत्वमर्थः, तस्य च चाञ्चल्यवेगवत्त्वयोरन्वयः । तथा च चाणूरचूर्णननिमित्तकचाञ्चल्यवत्त्वम्, जगन्मण्डलसंहारनिमित्तकवेगवत्त्वं चेति धर्मद्वयं फलितम् । तयोश्च सादृश्यमूलकाभेद आरोप्यते । एवमभिन्नतामापन्नं वस्तुतो भिन्नमपि तद्धर्मद्वयमेकं सम्पद्यते, तथा सम्पन्नश्च स धर्मः प्रकारतया भानेऽन्वेति, तादृशभानविशेष्यत्वं च धूर्जटिभगवद्भुजयोरुपमानोपमेययोर्वर्तमानं सत् साधारणधर्मतां भजत इति भावः ।

उक्त रीति से ही अन्य लक्ष्य में भी उपमा की सिद्धि दिखलाते हैं—एवम् इत्यादि । इसी तरह 'भुजो भगवतो भाति'···अर्थात् चाणूर नामक दैत्य को चूर्ण करने में चञ्चलतायुक्त भगवान्—श्रीकृष्ण—की भुजा, संसार के संहार करने में वेगयुक्त शिव जी के समान

प्रतीत होती है' इत्यादि पद्यों में भी समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि-यहाँ 'शिवजी' और 'भगवान् की भुजा' में आकार की समता है ही नहीं और केवल-अर्थात् विषय-रूप विशेषण से शून्य भान (क्रिया) सादृश्य का प्रयोजक हो नहीं सकता-अर्थात् 'प्रतीत होते हैं' केवल इतना कहने से किन्हीं दो पदार्थों में सादृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः 'चाणूर को चूर्ण करना' जिसका निमित्त है उस चाञ्चल्ययुक्तारूप और 'संसार का सहार' जिसका निमित्त है उस 'वेगयुक्तता'रूप भानक्रिया के विशेषणों में अभेद मान लेने से यह सिद्ध हुआ कि-यहाँ उक्त अभिन्न धर्म जिसके विषयरूप से विशेषण हैं उस 'भान' क्रिया का विशेष्य होना (जो कि शिव और भुजा दोनों में रहता है) साधारण धर्म हुआ और तब उपमा की सिद्धि हुई। यहाँ एक बात यह समझ लेने योग्य है कि-शाब्दबोध में प्रथमान्त पद के अर्थ को मुख्य विशेष्य माननेवाले नैयायिकों के मतानुसार उक्त साधारण धर्म की सिद्धि होती है, वैयाकरणों के मतानुसार नहीं। कारण, उनके मत से शाब्दबोध में क्रिया, मुख्य विशेष्य होती है, अतः उनके मतानुसार 'भानक्रिया' ही मुख्य विशेष्य होगी, फिर तो 'भान-विशेष्यत्व का आश्रय शिव और भगवद्भुज' इस तरह का अन्वय ही नहीं बन सकेगा।

अत्र विशेषमाह—

तत्र चाणूरजगन्मण्डलयोर्वस्तुतो भिन्नयोर्महाकायत्वादिना सादृश्याद्-बिम्बप्रतिबिम्बभावः। चूर्णनसंहारयोश्चाञ्चल्यवेगवत्त्वयोस्त्वाश्रयभेदाद्भिन्नयो-रपि वस्तुत एकरूपतैवेति वस्तुप्रतिवस्तुभावः।

तत्रेति। धर्मयोर्मध्ये इत्यर्थः। तौ धर्मावेव क्रमशो निर्दिशति—चाणूरेत्यादिना। अयं भावः—अत्र शब्दतः प्रतीयमानस्य धूर्जटिभगवद्भुजयोः सादृश्यस्योदरे चाणूरजग-न्मण्डलयोः, चूर्णनसंहारयोः, चाञ्चल्यवेगत्त्वयोश्च सादृश्यानि शब्दमन्तरापि प्रतीयन्त एव। तत्र चाणूरो जगन्मण्डलञ्च वस्तुतो भिन्नौ पदार्थौ, परन्तु तावुभावपि महा-कायौ विशालौ अतस्तयोर्महाकायत्वादिना समानधर्मेण सादृश्यमस्तीति प्राक् परिभाषितो बिम्बप्रतिबिम्बभावस्तयोः। चूर्णनसंहारौ चाञ्चल्यवेगवत्त्वे च वस्तुतः एकौ एव पदार्थौ, भेदमानं तु तयोराश्रयभेदमूलकम् शब्दभेदमूलकञ्च, अतस्तयोर्न बिम्बप्रतिबिम्बभावः अपि तु वस्तुप्रतिवस्तुभाव इति। एवञ्च 'वस्तुतो भिन्नयोरपि ययोर्द्वयोः पदार्थयोः समान-धर्मप्रयुक्तसादृश्यमूलकमभेदाध्यवसानं, तयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः, एवं यौ द्वौ पदार्थौ वस्तुतो न भिन्नौ, किन्तु आश्रयभेदेन शब्दभेदेन च भिन्नाविव प्रतीयेते, तयोर्यत्राभेदाध्य-वसानम्, तत्र तयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभाव इति तयोर्भावयोर्भेदो बोध्यः।

अब यहाँ का विशेष बतलाया जाता है—तत्र इत्यादि। तात्पर्य यह है कि—यहाँ शिव और भगवद्भुज में साक्षात् तथा परम्परा से रहनेवाले छः धर्म हैं, चाणूर और जग-न्मण्डल (जो पदार्थ, किसी भी सम्बन्ध से किसी पदार्थमें रहनेवाला होता है, उसको धर्म माना जाता है), चूर्णन और संहार एवं चाञ्चल्य और वेग। इन धर्मों में चाणूर और जगन्मण्डल, वस्तुतः भिन्न पदार्थ हैं परन्तु उन दोनों में महाकाय—विशाल होने से समानता है, अतः इन दोनों धर्मों में पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार 'बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव' है और 'चूर्णन तथा संहार' एवं 'चाञ्चल्य तथा वेग' वस्तुतः भिन्न पदार्थ नहीं हैं, अपितु एक हैं, भेद तो इन सब में केवल आश्रय (आधार) के भेदप्रयुक्त भासित होते हैं, अतः इन दोनों में वस्तु-प्रतिवस्तुभाव है। सारांश यह हुआ कि-जहाँ

वस्तुतः भिन्न दो पदार्थों में समानधर्मप्रयुक्त सादृश्य की प्रतीति होने के कारण अभेद माना जाय वहां 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव' होता है और जो दो पदार्थ वस्तुतः भिन्न नहीं हों, पर भिन्न-भिन्न आश्रय में रहने के कारण तथा भिन्न-भिन्न शब्दों से प्रतिपादित होने के कारण भिन्न से लक्षित हों, उन दो पदार्थों का जहाँ (भिन्न से प्रतीत होने के समय में भी) अभेद माना जाय, वहाँ उनका 'वस्तु-प्रतिवस्तुभाव' होता है।

लक्षणनिरूपणमुपसंहरति—

इत्येवं निरूपितमुपमालक्षणम्।

उक्तप्रकारेण क्रियमाणमुपमालङ्कारस्य निरूपणमवसितमिति भावः।

लक्षणनिरूपण का उपसंहार करते हैं—इत्येवम् इत्यादि। उक्त रीति से किया जाने वाला उपमा का निरूपण समाप्त हुआ।

उदाहरणनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथेयमुदाह्रियते—

अथेति। लक्षणनिरूपणानन्तरमित्यर्थः। इयम् उपमा। लक्षणनिरूपणात्परमिदानीमुपमाया उदाहरणं दीयत इति भावः।

उदाहरणनिरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—अथेत्यादि। लक्षणनिरूपण के बाद अब उपमा का उदाहरण दिया जाता है।

उदाहरणं प्रदर्शयति—

'गुरुजनभयमद्विलोकनान्तः-समुदयदाकुलभावमावहन्त्याः।
दलदरविन्दसुन्दरं हा हरिणदृशो नयनं न विस्मरामि॥'

नायकः स्वसखायं प्रति कथयति—'हा' इति खेदसूचकम्। वर्ण्यमानेयं स्थितिर्नितान्तं खेदावहा ममेति भावः। गुरुजनानाम् वयोवृद्धानां श्वश्र्वादीनाम् भयम् तत्समक्षे निर्लज्जताचरणप्रयुक्ता भीतिः, मद्विलोकनम् चेति द्वन्द्वः। तयोः, अन्तर्मध्ये, समुदयन्तम् प्रादुर्भवन्तम्, आकुलभावम् क्षणिकनयनविकासक्षणिकतन्मुद्रणात्मिकां व्यग्रताम्, आवहन्त्या धारयन्त्याः हरिणदृशः मृगनयनायाः दलत् विकसत्, अरविन्दम् कमलम् इव, सुन्दरं रमणीयम् नयनं नेत्रम्, एकवचनेनैकनयनकरणककटाक्षवीक्षणं व्यज्यते। न विस्मरामि पुनः पुनः स्मरामीति भावः।

अब उपमा का उदाहरण दिखलाया जाता है—गुरुजन इत्यादि। नायक अपने सखा से कहता है—आह! एक तरफ, सास आदि गुरुजनों का भय और दूसरी-तरफ मेरा अवलोकन, इन दोनों के बीच उत्पन्न होनेवाली घबराहट को धारण करनेवाली मृगाक्षी की ईषत्विकसित होते कमल सी सुन्दर आँखों को मैं नहीं भूल पाता—आज भी उस आँख की याद बराबर आती ही रहती है।

उपपादयति—

अत्र दलदरविन्दशब्दस्योपमानवाचकस्य सुन्दरशब्देन सामान्यवचनेन समासे प्रतीयमानोपमा सकलवाक्यार्थस्य विप्रलम्भशृङ्गारस्य स्मृत्युपस्करणद्वारोपस्कारकतयालङ्कारः।

अत्रेति। उक्तपद्ये इत्यर्थः। घटकत्वं सप्तम्यर्थः, तस्य च शब्दस्येति षष्ठ्यन्तार्थेन सहान्वयः। तथा च एतत्पद्यघटकदलदरविन्दशब्दस्येत्यर्थः फलितः। सामान्यवचनेनेति। साधारणधर्मवाचकेनेत्यर्थः। समासे इति। 'उपमानानि' इत्यादि सूत्रेणेति भावः। अत एव न श्रौतीत्याह—प्रतीयमानेति। आर्थीति भावः। सकलवाक्यार्थस्येति। सकलवाक्यतात्पर्यविषयीभूतस्येत्यर्थः। सम्पूर्णपद्यव्यङ्ग्यस्येति यावत्। शृङ्गारस्येत्यस्योपस्कारकतयेत्यत्रान्वयः। उपस्कारकतया शोभाधायकतया। एवञ्च 'अलंक्रियते मुख्यवाक्यार्थो रसादिरनेने'ति व्युत्पत्तिलब्धस्यालङ्कारत्वयोग्यत्वस्य सम्पत्तेः सूचकम्। अयं भावः—अत्र पद्ये 'दलदरविन्द'पदबोध्यमुपमानम्, 'सुन्दर'पदबोध्यः साधारणधर्मः, 'नयन'-पदबोध्यमुपमेयं समासशक्त्या उपमानवाचकस्य लक्षणया वा बोध्यम् सादृश्यम् च मिलित्वा उपमालङ्कारः सम्पद्यते, वाच्यस्य स्मरणस्य शोभाजननद्वारा व्यङ्ग्यस्य मुख्यवाक्यार्थस्य विप्रलम्भशृङ्गाररसस्य शोभाकरणात्। सा चोपमा न श्रौती, इवादेरभावात्, अपि तु समासगता आर्थी इति।

प्रकृतोपयोगी बातों का उपपादन करते हैं—अत्रेत्यादि। यहाँ उपमानवाचक 'दलदरविन्द' पद का साधारणधर्मवाचक सुन्दर पद के साथ 'उपमानानि सामान्यवचनैः' इस पाणिनिसूत्र से समास होने पर जिस उपमा (सादृश्य) की प्रतीति होती है, वह इसलिये उपमाअलङ्काररूप होती है कि उससे वाच्य स्मृति के शोभासम्पादन द्वारा सम्पूर्ण पद्य से मुख्यतया अभिव्यक्त होनेवाले विप्रलम्भशृङ्गार का शोभासम्पादन होता है।

आशंक्य समाधत्ते—

न चात्र स्मृतिः प्रधानतया ध्वन्यत इति वक्तुं शक्यम्, न विस्मरामीति स्मृत्यभावनिषेधमुखेन स्फुटम्मवेदनात्। नापि पूर्वार्धगतत्रासौत्सुक्ययोः परस्पराभिभवकामयोः संधिः प्रधानम्, तस्य नायिकागतत्वेनानुवाद्यत्वात्, उत्तरार्धगतस्मृत्यङ्गत्वाच्च।

स्मृतिः स्मृतिभावः, तथा च भावध्वनेरिदमुदाहरणं न रसध्वनेरिति भावः। पुनरन्यदाशंक्यते—नापीति। त्रासेति। गुरुजनभयमद्विलोकनपदबोध्ययोर्गुरुजनभयमद्विलोकनयोर्मध्ये व्याकुलत्वोदयेन द्वयोरपि तुल्यकक्षत्वम्, अत आह—परस्परेति। परस्परम् अन्योन्यम्, अभिभवे दलने, कामः इच्छा ययोस्तयोरित्यर्थः। तस्य संधेः। स्मृत्यङ्गत्वादिति। परम्परया भयत्राससंधेरपि स्मृतिविषयत्वादिति भावः। इदमाकूतम्—'गुरुजने'तिपद्ये 'न विस्मरामी'त्यनेन विस्मरणस्य—स्मृत्यभावस्य निषेधोऽभिधीयते, तेन च स्मृतिरभिव्यज्यते इति स्मृतिभावध्वनिरेवात्र कुतो नाङ्गीक्रियत इति शङ्काया इदमुत्तरं यत्, सत्यमत्र स्मृतिरभिव्यज्यते, परन्तु सा अभिव्यक्तिरतिस्फुटेति वाच्यायमाना स्मृतिर्ध्वनिकाव्यताप्रयोजिका न भवितुमर्हतीति। एवम् पूर्वार्धगताभ्याम् भयविलोकनाभ्यामभिव्यज्यमानाऽपि त्रासौत्सुक्ययोर्भावयोः संधिः प्रकृतपद्यस्य भावसंधिध्वनिलक्ष्यतां संपादयितुं न क्षमते, तस्य नायिकागततयाऽनुवाद्यत्वेन उत्तरार्धगतस्मृत्यङ्गत्वेन चाप्राधान्यात् अप्रधानानुसारिकाव्यत्वव्यवहारस्यानुचितत्वात्। इति।

आशङ्का करके समाधान करते हैं—न चेत्यादि। आप कहेंगे कि—'स्मृतिभाव' ही यहाँ प्रधान व्यङ्ग्य क्यों नहीं माना जाय अर्थात् जब वहाँ विप्रलम्भशृङ्गार भी अभिव्यक्त होता है और स्मृतिभाव भी, तब जो विप्रलम्भध्वनि ही यहाँ मानते हैं, स्मृतिभावध्वनि नहीं, ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि स्मृति यहाँ 'न विस्मरामि (मुझे विस्मृत नहीं होता)' इस पद से स्मृति के अभाव के निषेधरूप में स्पष्ट ही सूचित कर दी गई है—वाच्य जैसी बना दी गई है, अतः उसके बल पर इस पद्य को ध्वनि नहीं कहा जा सकता। इसी तरह पूर्वार्ध के 'भय और विलोकन' से अभिव्यक्त होनेवाले समकक्ष अतएव एक दूसरे को दबाने की कामना करनेवाले त्रास और औत्सुक्य-भावों की संधि, प्रधान व्यङ्ग्य नहीं हो सकती क्योंकि यह भाव संधिवाक्यार्थ में उद्देश्यभूत नायिका के विशेषणों से अभिव्यक्त होती है, अतः वह भी अनुवाद्य ही होगी और उत्तरार्ध में वर्णित स्मरण का अङ्ग भी है, इन दोनों ही कारणों से भावसंधि प्रधान नहीं हो सकती।

निष्कृष्टार्थमाह—

तस्माद् भावसन्ध्युपमालङ्काराभ्यामुपस्कृता स्मृतिर्हापदगम्यः सन्तापोऽनुभावश्च विप्रलम्भमेवोपस्कुरुत इति तस्यैवात्र प्राधान्यम्।

तस्मादिति। स्मृति-त्रासौत्सुक्यसन्ध्योः प्रधानव्यङ्ग्यत्वविरहादित्यर्थः। विप्रलम्भशृङ्गारोऽत्र प्रधानव्यङ्ग्यः, स्मृतिभावः हापदद्योत्यः संतापरूपोऽनुभावश्च तस्य पोषकौ। स्मृतिभावस्य च त्रासौत्सुक्ययोः संधिः उपमालङ्कारश्च पोषकौ इति भावः।

उक्त शङ्कासमाधान के बाद निकलने वाले सारांश का अब निर्देश करते हैं—तस्मात् इत्यादि। तस्मात् यह सिद्ध हुआ कि इस पद्य में विप्रलम्भशृङ्गार ही प्रधान व्यङ्ग्य है और स्मृतिभाव तथा 'हा' पद से अवगत होने वाला संतापरूप अनुभाव, उस (विप्रलम्भ शृङ्गार) के पोषक हैं। एवं 'त्रास तथा उत्सुकता' इन दोनों भावों की संधि और 'उपमा' 'स्मृतिभाव' को पुष्ट करते हैं।

प्राचीनालङ्कारिकोक्तोपमालक्षणान्यालोचयितुमुपक्रममाणस्तावद्दीक्षितकृतलक्षणमालोचयति—

अप्पयदीक्षिताः पुनश्चित्रमीमांसायाम्—'उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्सादृश्यवर्णनमदुष्टमव्यङ्ग्यमुपमालङ्कारः। स्वनिषेधापर्यवसायि सादृश्यवर्णनं वा तथाभूतम् तथा' इति लक्षणद्वयमाहुः। तच्चिन्त्यम्। वर्णनस्य विलक्षणशब्दात्मकस्य विलक्षणज्ञानात्मकस्य वा शब्दवाच्यताविरहेणार्थालङ्कारताया बाधात्। तस्य सर्वथैवाव्यङ्ग्यत्वादव्यङ्ग्यत्वविशेषणवैयर्थ्याच्च।

'दीक्षिता' इत्यस्य, 'आहुः' इत्यत्र सम्बन्धः। 'चित्रमीमांसा' तत्कृतालङ्कारनिरूपणपरो ग्रन्थः। खण्डयति—तच्चिन्त्यमिति। चिन्त्यत्वे हेतुमाह—वर्णनस्येत्यादिना, शब्दोऽपि शब्दवाच्य इति मते नायं दोषोऽत आह—विलक्षणज्ञानेति। अव्यङ्ग्यत्वाद् व्यङ्ग्यत्वाभावात्। 'येन सादृश्येन उपमितिक्रियायाः-तुलनायाः सिद्धिर्भवेत्, तादृशं, दोषरहितं, व्यङ्ग्यताविहीनञ्च, सादृश्यमुपमा' इति दीक्षितकृतप्रथमलक्षणस्य स्वस्य (उपमायाः) निषेधे यस्य पर्यवसानं न भवेत्, तादृशमदोषत्वाव्यङ्ग्यत्वविशेषणविशिष्टं सादृश्यस्य वर्णनम् उपमेति च द्वितीयलक्षणस्य—स्वरूपं पर्यवस्यति। परन्तु तन्न युक्तम्, विचारा-

सहत्वात् । तथाहि-वर्णनन्नाम विलक्षणः शब्दराशिः विलक्षणः ज्ञानसन्दोहो वा, उभयथापि न तस्य शब्दवाच्यता सम्भवति, तत्र शब्दशक्तेरभिधाया अग्रहणात् । एवं स्थितौ, तस्य (वर्णनस्य) अर्थालङ्कारिता बाधितैव । शब्दोऽपि शब्दानां शक्य इति मते वर्णनस्य शब्दात्मकत्वकल्पे कथंचिददोषेऽपि ज्ञानात्मकत्वे तस्यैष दोषो दुर्वार एव । किञ्च तादृशं वर्णनं न कदापि व्यङ्ग्यं स्यादिति लक्षणेऽव्यङ्ग्यत्वविशेषणस्य व्यावर्त्यालाभात् वैयर्थ्यम् स्पष्टम् इति भावः ।

प्राचीन आचार्यों के द्वारा किए गये लक्षणों की आलोचना के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम अप्पयदीक्षितकृत लक्षण की आलोचना करते हैं—अप्पयदीक्षिता इत्यादि । अप्पयदीक्षित ने 'चित्रमीमांसा' नामक अपने अलङ्कारशास्त्रीय निबन्ध में दो प्रकार के उपमा-लक्षण बनाए हैं। जिनमें एक का अभिप्राय है कि-'उस सादृश्यवर्णन को उपमा अलङ्कार कहते हैं, जिसमें कोई दोष न हो, जो व्यङ्ग्य न हो अर्थात् वाच्य हो, और जिससे उपमिति क्रिया-तुलना-की सिद्धि होती हो ।' तथा द्वितीय का आशय यह है कि 'उपमा के निषेध में जिसका पर्यवसान न होता हो—अर्थात् जिससे अन्ततोगत्वा उपमा का निषेध सिद्ध न होता हो—ऐसे दोषहीन अथवा अव्यङ्ग्य सादृश्य-वर्णन को उपमा कहते हैं ।' परन्तु ये दोनों ही लक्षण असङ्गत हैं। कारण, इन दोनों लक्षणों में 'सादृश्यवर्णन' को उपमालङ्कार माना गया है, और वर्णन होता है शब्दात्मक अथवा ज्ञानात्मक-अर्थात् वर्णन की ये दो रीतियाँ हो सकती हैं, एक बाह्य और दूसरी मानस, उन दोनों में बाह्यवर्णन शब्द के रूप में होता है और मानसवर्णन ज्ञान के रूप में । ऐसी स्थिति में शब्दों के शब्दवाच्य न होने के कारण, और यदि किसी तरह शब्दों को शब्द-वाच्य मान भी लिया जाय, तथापि ज्ञान के तो सर्वथा शब्दवाच्य न होने के कारण, वर्णन का अर्थालङ्कार होना बाधित हो जाता है। सारांश यह कि जिस वस्तु में शब्द की अभिधाशक्ति रहती है, वह वस्तु वाच्य होती है. उसे ही अर्थ कहा जाता है, और वही वाच्य वस्तु जब साक्षात् अथवा परम्परा से रस आदि को सुशोभित करती है, तब वह अर्थालङ्कार कहलाती है। ऐसी परिस्थिति में जिसमें शब्द की अभिधा नहीं-जो शब्दवाच्य नहीं-उसे (अर्थात् वर्णन को) अर्थालङ्कार मानना नितान्त अनुचित है। दूसरे, शब्दात्मक अथवा ज्ञानात्मक वर्णन, किसी भी दशा में व्यङ्ग्य हो ही नहीं सकता, अतः 'सादृश्यवर्णन' में 'अव्यङ्ग्य' विशेषण भी व्यर्थ है ।

दीक्षितलक्षणस्य सङ्गतिमाशंक्य निराचष्टे—

अथ यदि वर्णनविषयीभूतं तादृशसादृश्यमुपमेत्युच्यते, तदा यथा गौस्तथा गवय इत्यत्रोपमालङ्कारापत्तेः। एवं 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इत्यादावपि। अशिष्यत्वादिना प्रधानप्रत्ययार्थवचनसादृश्यस्यात्रापि प्रतिपादनात् ।

तादृशमिति । अदुष्टाव्यङ्ग्येत्यादिविशेषणविशिष्टमित्यर्थः । कालोपसर्जन इति पाणिनेः सिद्धान्तकौमुदीस्थम् सूत्रमेतत् । इत्यादावपीति । उपमालङ्कारापत्तिरित्यस्यानुषङ्गः । अत्रादिपदग्राह्यं किमिति चिन्तनीयम् । अत्रापीति । कालोपसर्जनयोरपीत्यर्थः । अयं भावः—सादृश्यवर्णनस्योपमालङ्कारत्वे यौ दोषौ उक्तौ, तौ, यद्यपि 'वर्णनविषयीभूतस्य तादृशसादृश्यस्य तत्त्वे तात्पर्यविषयतया विवक्षिते न प्रसजतः; तथापि दोषान्तरापातो

दुर्वार एव । तथाहि—'यथा गौस्तथा गवयः' इत्यस्मिन् वाक्येऽपि गो-गवययोः तुलना-साधकं दोषहीनं वाच्यं सादृश्यमस्तीति उपमालङ्कारः प्रसजेत् । एवम् 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इति पाणिनीयसूत्रवाक्येऽपि तदापत्तिरापतेत् । कथमिति चेदित्थम्–'प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्' इति सूत्रम्, 'प्रत्ययार्थः प्रधानं भवती'त्येवं रूपं वचनमशिष्यम् (शास्त्रद्वारा नानुशासनीयम्) । अस्यार्थस्य अन्यप्रमाणत्वात्—'प्रत्ययार्थप्राधान्यस्य लोकसिद्धत्वात्'–इत्यर्थकम् उक्त्वा 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इति सूत्रमुक्तम् । तस्यायमाशयः–'अतीताया रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितः कालः (दिवसः) अद्यतनः । 'विशेषणमुपसर्जनम्' इत्यादि यत् प्राक्तनैराचार्यैरनुविहितम्, तत्रापि अशिष्यत्वम् तुल्यम्, लोकत एव सिद्धेः । अर्थात् प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्यादि वचनम् यथा अशिष्यम्, तथा अद्यतनोऽयं कालः, विशेषणं हि उपसर्जनं भवतीत्यादिकमपि अशिष्यम् । अत्र प्रधानप्रत्ययार्थवचनस्य कालोपसर्जनयोश्च अशिष्यत्वरूपसामान्यधर्मेण सादृश्यं प्रतिपाद्यते, ततश्चात्रापि उपमा स्यात् इति ।

दीक्षितकृत लक्षण को सङ्गत सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष करके खण्डन करते हैं—अथ इत्यादि । यदि आप कहें कि–वर्णन के विषय–अर्थात् वर्णन में आनेवाले उक्त विशेषणों से युक्त सादृश्य उपमा है (यही दीक्षित का तात्पर्य है) अतः उक्त दोष नहीं हो सकते, तब मैं कहूँगा कि–ठीक है, वे दोष नहीं हो सकते, परन्तु दूसरे दोष तब भी होंगे । जैसे–उक्त लक्षण के अनुसार 'जैसा बैल होता है वैसा ही गवय (नील गाय) होता है' इस वाक्य में उपमालङ्कार हो जायगा, क्योंकि दोषरहित वाच्यसादृश्य यहाँ है । इसी तरह 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' (पाणिनिसूत्र १।२।५७) इत्यादि में भी उपमालङ्कार की आपत्ति हो जायगी । कारण, यहां भी 'अशिष्यत्व–अनुशासन न करने योग्य होने–' रूप सामान्य धर्म से काल और उपसर्जन का 'प्रधान प्रत्ययार्थवचन'रूप उपमान के साथ सादृश्य का प्रतिपादन है । इस द्वितीय दोष का स्पष्ट विवरण इस प्रकार है—'प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्' यह है प्रथम सूत्र, जिसका आशय है कि 'प्रत्यय का अर्थ प्रधान हो', इस तरह का वचन बनाना व्यर्थ है–नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह बात लोक से ही सिद्ध है । इसके बाद में—'कालोपसर्जने च तुल्यम्' यह सूत्र है, जिसका अभिप्राय है कि जैसे प्रत्ययार्थ की प्रधानता का नियामक वचन, लोकसिद्ध होने के कारण, नहीं बनाना चाहिए, वैसे ही 'विगत रात्रि के उत्तरार्ध से लेकर आगामिनी रात्रि के पूर्वार्ध तक का काल अद्यतन है' इस तरह का कालविधायक वचन तथा 'विशेषण उपसर्जन है' इस प्रकार का उपसर्जनत्वनियामक वचन भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें भी लोक से ही सिद्ध हैं । अब आप प्रधानप्रत्ययार्थ वचन का सादृश्य काल तथा उपसर्जन में देख सकते हैं ।

द्वितीयदोषवारणमाशंक्य निराकरोति—

न चात्र वचनभेदस्य दोषस्य सत्त्वाददुष्टत्वविशेषणेन वारणं भविष्यतीति वाच्यम् । एतद्वाक्योपप्लुतवाक्यान्तरप्रतिपादितैकोपमेयके सादृश्ये तथाप्यतिप्रसङ्गात् ।

अत्रेति । 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इत्यत्रेत्यर्थः । उपप्लुतेति । कल्पितेत्यर्थः । वाक्यान्तरेति । 'कालः प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुल्यः', 'उपसर्जनम् प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन

तुल्यम्' इत्याकारकेत्यर्थः। 'कालोपसर्जने' इत्यस्य द्विवचनान्ततया 'तुल्यम्' इत्यस्यैकवचनान्ततया वचनभेदरूपदोषस्य विद्यमानत्वेन नात्रोपमालङ्कारापत्तिः, लक्षणेऽदुष्टत्वविशेषणस्य तद्वारकस्य प्रवेशादिति शङ्का, संग्राहकमेतदेकं वाक्यं भङ्क्त्वा कल्पितयोरेकोपमेयघटितयोः पूर्वोक्तयोर्वाक्ययोः प्रत्येकस्मिन् तदापत्तिस्तथापि, तद्दोषस्याभावादिति च समाधानं बोध्यम्।

द्वितीय दोष नहीं हो सकता इस तरह की आशङ्का करके पुनः उस दोष को स्थिर करते हैं—न चात्र इत्यादि। यदि कोई कहे कि लक्षण में 'अदुष्टत्व' विशेषण जुड़ा हुआ है और यहाँ 'कालोपसर्जने' इस उद्देश्य अंश के द्विवचनान्त तथा 'तुल्यम्' इस विधेय अंश के एकवचनान्त होने से 'वचनभेद'रूप दोष वर्तमान है, अतः यहां उपमा की आपत्ति नहीं हो सकती, तो यह कथन आपका सत्य है, परन्तु 'कालोपसर्जने···' यह एक संग्राहक वाक्य है, अतः जब इस वाक्य को तोड़कर 'कालः प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुल्यः', 'उपसर्जनं प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुल्यम्' इस तरह के दो वाक्यों की कल्पना कर ली जायगी, जिसमें क्रमशः 'काल' और 'उपसर्जन'रूप एक-एक उपमेय रहेगा, तब उन दोनों वाक्यों से प्रतिपादित होनेवाले 'सादृश्य' में उक्त दोष तथापि लग ही जायगा, क्योंकि उस तरह के वाक्यों में 'वचन-भेद'रूप दोष नहीं रह जाता।

दीक्षितोक्तलक्षणसङ्गतिसम्पादनाय, प्रोक्तप्रकलदोषनिरासमुपपाद्य पुनरन्यदोषं दृढीकरोति—

न चात्रोपमितिक्रियाया निष्पत्तावपि न सादृश्यवर्णनम्, विषयस्याचमत्कारित्वात्, चमत्कारविषयककविव्यापारस्यैव वर्णनपदार्थत्वादिति वाच्यम्। एवं हि चमत्कारित्वस्य लक्षणेऽवश्यं निवेश्यत्वेनोपमितिक्रियानिष्पत्तिविशेषणस्य वैयर्थ्यात्। न ह्यनिष्पन्नमापाततः प्रतीयमानं सादृश्यं चमत्कृतिमाधत्ते। एवं द्वितीयलक्षणेऽपि निषेधापर्यवसायित्वं निरर्थकम्। व्यतिरेके कमलादिसादृश्यनिषेधस्यानन्वये च सर्वथा सादृश्यनिषेधस्य चमत्कारितया तदर्थं सादृश्यस्य निरूपणमिति प्रागेवाभिधानात्।

अत्रेति। यथा गौरित्यादिपूर्वोक्तनिखिलदोषस्थलेष्वित्यर्थः। व्यतिरेके इति। 'तवाननस्य तुलनाम्···' इत्यादावित्यर्थः। कमलादिसादृश्येति। कमलादिनिष्ठसादृश्येत्यर्थः। चमत्कारो यथा भवेत्तादृशं कविकर्मैव वर्णनपदार्थः, एवञ्च 'यथा गौस्तथा गवयः', 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इत्यादौ व्यवहारमात्रोपयोगिवक्तृव्यापारसिद्धे सादृश्ये चमत्कारो न भवतीति यद्यनुभवसिद्धं तर्हि तत्र केवलतुलनासिद्धावपि सादृश्यवर्णनं नास्तीति मन्तव्यमेव, तथा च न तेषु स्थलेषु उपमाप्रसङ्गः, सादृश्यवर्णनस्योपमालक्षणत्वोक्तेरिति चेत्? सत्यम्, परन्तु, तथा सति वर्णनपदार्थघटकतया चमत्कारित्वस्य लक्षणकुक्षिप्रविष्टताया-मभिमतायां तावतैव सामञ्जस्येन प्रथमलक्षणे उपमितिक्रियानिष्पत्तिविशेषणवैयर्थ्यापातः, अनिष्पन्नस्य आपाततः प्रतीयमानस्य सादृश्यस्य चमत्कृतिजनकताविगमात्। एवमेव द्वितीयलक्षणे निषेधापर्यवसायित्वविशेषणवैयर्थ्यप्रसङ्गः, तद्व्यावर्त्यतयाभिमतयोः व्यतिरेकानन्वयस्थलीयसादृश्ययोश्चमत्कारित्वनिवेशेनैव व्यावर्तनात्, तयोः स्थलयोः ('तवाननस्य तुलनां दधातु जलजं कथम्', 'मुखं मुखमिवाभाति' इत्यादिकयोः) क्रमशः 'तव मुखस्य

सादृश्यं कमले नास्ति' इत्याकारकस्य कमलादिनिष्ठसादृश्याभावस्य 'मुखसदृशं किमपि वस्तु जगति नास्ति' इत्याकारकस्य निरवच्छिन्नानुयोगिताकसादृश्याभावस्य चमत्कृतिजनकता, न प्रतियोगिविधया निरूप्यमाणस्यापि सादृश्यस्येति पूर्वमुपपादितत्वादिति भावः।

दीक्षितकृत लक्षण को सङ्गत सिद्ध करने के लिए पूर्वोक्त सभी दोषों के निरास की आशङ्का करके पुनः अन्य दोष दिखलाकर उनके लक्षण में असङ्गति दिखलाते हैं—न चात्रेत्यादि। 'जिससे चमत्कार उत्पन्न हो-जो सहृदयों के हृदय में आनन्द पैदा कर सके-ऐसी कविक्रिया को 'वर्णन' कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा कि उक्त-दोष-स्थलों ('यथा गौस्तथा गवयः' 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इत्यादि) में केवल लौकिक व्यवहार को सिद्ध करने के लिये वक्ता के द्वारा कथित सादृश्य से उपमिति क्रिया की निष्पत्ति (तुलनामात्र की सिद्धि) भले ही हो जाय, पर उस सादृश्य-कथन को 'सादृश्य-वर्णन' नहीं कहा जा सकता क्योंकि उससे चमत्कार की सृष्टि नहीं होती, और जब उन स्थलों में 'सादृश्य-वर्णन' है ही नहीं, तब उपमा की आपत्ति उन स्थलों पर नहीं दी जा सकती' ऐसा यदि आप कहें, तो मैं कहूँगा कि-यह युक्ति आप की सर्वथा ठीक है, परन्तु इस युक्ति का अवलम्बन करने पर लक्षण में चमत्कारित्व (चमत्कारी सादृश्य) का प्रवेश 'वर्णन' पदार्थ के रूप में जब मानना पड़ा, तब प्रथम लक्षण में 'उपमितिक्रियानिष्पत्ति'-विशेषण का लगाना व्यर्थ हो जाता है। कारण, अनिष्पन्न-ऊपर ही ऊपर प्रतीत होनेवाला-सादृश्य चमत्कारजनक हो ही नहीं सकता, फिर तो अनिष्पन्न सादृश्य को उपमा की श्रेणी से बाहर कर देने के लिये 'सादृश्य' में 'चमत्कारी' विशेषण ही पूर्ण समर्थ है। इसी तरह अब द्वितीय लक्षण में 'निषेधापर्यवसायित्व अर्थात् जो सादृश्य आखिर में अपने निषेध के रूप में परिणत नहीं होता हो' यह विशेषण भी जोड़ना निरर्थक हो जाता है; क्योंकि 'तवाननस्य तुलनां दधातु जलजं कथम् अर्थात् कमल तेरे मुख की तुलना कैसे प्राप्त करे' इत्यादि व्यतिरेक में, तथा 'मुखं मुखमिवाभाति अर्थात् मुख, मुख जैसा ही शोभित होता है' इत्यादि अनन्वय में, अन्ततः अपने निषेध के रूप में पर्यवसित हो जानेवाले सादृश्य में उपमात्व का निराकरण करना जो उस विशेषण का फल था, वह 'चमत्कारी सादृश्य' कह देने से ही सिद्ध हो जाता है। कारण, उन दोनों अलंकारों में क्रमशः 'कमल में मुख का सादृश्य नहीं है' इस तरह का कमलनिष्ठ सादृश्य का अभाव और 'मुख का सादृश्य कहीं नहीं है' इस तरह का सर्वथा सादृश्य का अभाव ही चमत्कार-जनक होता है, अभाव के प्रतियोगीरूप में नान्तरीयक होने के कारण कथित सादृश्य नहीं यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

ननु 'उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्' 'स्वनिषेधापर्यवसायी'ति विशेषणद्वयं न लक्षणशरीरघटकम्, अपि तु 'अत्रत्यवर्णनपदस्य 'चमत्कारजनकज्ञानविषयीभूतानुयोगिकं सादृश्यं लक्षणप्रविष्ट'मित्यर्थे तात्पर्यग्राहकम्, तथा च न तद्वैयर्थ्यमापाद्यतामर्हतीत्यतो दोषान्तरमाह—

किञ्च

'स्तनाभोगे पतन्भाति कपोलात् कुटिलोऽलकः।
शशाङ्कबिम्बतो मेरौ लम्बमान इवोरगः॥'

इत्यादौ मुख्यवाक्यार्थत्वेनानलङ्कारभूतायामुपमायामतिव्याप्तिः। उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्सादृश्यवर्णनस्यादुष्टाव्यङ्ग्यत्वस्य चात्रापि सत्त्वात्। न चेय-

-मप्युपमा लक्ष्येति वाच्यम्। ध्वन्यमानोपमानिवारणप्रयासस्य वैयर्थ्यापत्तेः। न ह्यत्राभेदप्रधानोत्प्रेक्षा शक्या वक्तुम्। कल्पितोपमाया निर्विषयत्वप्रसङ्गात्।

'व्यापार उपमानाख्यो भवेद्यदि विवक्षितः।
क्रियानिष्पत्तिपर्यन्तमुपमालङ्कृतिस्तु सा॥'

इति स्वकृतसूत्रेऽलङ्कारभूतोपमाया एव लक्ष्यत्वेनाभिधानात्। अलङ्कारभूतोपमालक्षणत्वे तदेवादुष्टाव्यङ्ग्यत्वविशेषितमिति तत्रैव पुनरभिधानाच्च। न ह्यत्रोपमानोपमेयसादृश्यादुपमास्वरूपादस्ति कश्चिदतिरिक्तो वाक्यार्थः, येनोपमा तमलङ्कुर्यात्।

स्तनाभोगे इति। व्याख्यातमिदं पुरस्तात्। मुख्यवाक्यार्थत्वेनेति। तथा च न वाक्यार्थोपस्कारकत्वमिति भावः। एतच्च 'अलङ्करोती'ति योगलब्धम्। तत्फलितमाह—अलङ्कारेति। अतिव्याप्तौ हेतूपन्यासमुखेन लक्षणार्थं संघटयति—उपमितिक्रियेति। सङ्ग्राह्यत्वमाशङ्कयते—न चेति। प्रतिवन्द्या तदुत्तरमाह—ध्वन्यमानेति। अलङ्कारान्तरमुद्भाव्य सादृश्याप्रतीतियुक्तिकं लक्षणाप्रसङ्गमाशङ्कयते—न ह्यत्रेति। समाधानमाह—कल्पितेति। अनलङ्कारभूतोपमाया अपि लक्षणमिदमिति मनसि कृत्वा तद्विरुद्धं दीक्षितवचनमुद्धरति—व्यापार इति। उपमानाख्यः तुलनात्मकः, व्यापारः क्रिया, उपमितिक्रियानिष्पत्तिपर्यन्तम् तुलनासिद्धिं यावत्, यदि, विवक्षितः वक्तुरभिप्रेतः, तर्हि, सा, उपमालङ्कृतिरिति तदर्थः। वक्तव्यम् स्फुटीकर्तुम् दीक्षितोक्तमन्यदप्युद्धरति—अलङ्कारभूतोपमालक्षणत्वे इति। अत्रत्योपमाया अनलङ्कारत्वं स्फुटयितुमाह—न ह्यत्रोपमेति। अयं भावः—उपमितिक्रियानिष्पत्तीत्यादिविशेषणस्योक्तार्थे तात्पर्यग्राहकत्वस्वीकारे यद्यपि प्रागभिहितो विशेषणवैयर्थ्यरूपो दोषो नापतेत्, तथापि 'स्तनाभोगे...' इत्यादौ अतिव्याप्तिरूपो लक्षणस्य दोष आपतेदेव, उपमितिक्रियानिष्पत्तीत्यादिविशेषणविशिष्टप्रकृतलक्षणार्थस्यात्रापि सङ्घटमानत्वात्। ननु नेयमतिव्याप्तिः, अलक्ष्ये लक्षणगमनस्य तत्त्वेनाङ्गीकारात्, प्रकृते च सादृश्यरूपोपमायाः प्रतीत्या लक्ष्यत्वस्यैव निर्णयात् इति चेत्? सत्यम्, परन्तु अलङ्करोतीति योगार्थस्वारस्यानुसारं मुख्यवाक्यार्थोपस्कारकः स्वयंगुणीभूतो वाच्यार्थ एव वस्तुतो निखिलालङ्कारलक्षणलक्ष्यभूतः, इह च वाच्यतामवगाहमानाप्युपमा मुख्यार्थरूपैव, उपमानोपमेयसादृश्यात्मकत्वात् तत्स्वरूपादन्यस्य कस्यचन वाक्यार्थस्य विरहात्। एवञ्चेयमुपमा अनलङ्कारभूता न लक्ष्यतामालम्बते। लक्षणे वाक्यार्थोपस्कारकत्वस्याप्रवेशादत्र तत्प्रसक्तिरतिव्याप्तिरेवेति ग्रन्थस्याशयः। अनलङ्कारभूताऽप्युपमा प्रकृतलक्षणस्य लक्ष्यत्वेनाभिमतेति तु न वक्तुं योग्यम्, लक्षणे 'अव्यङ्ग्यम्' इति विशेषणनिवेशेन ध्वन्यमानोपमानिराकरणप्रयासो व्यर्थ इति प्रतिवन्द्या आपतनात्। अनलङ्कारत्वस्य तुल्यत्वे तस्या अपि संग्राह्यतैव तथात्वे समुचितेति सारांशः। उरगालकयोः सादृश्यं नात्र प्राधान्येन विवक्षितम्, अभेद एव तयोरत्र तथात्वेनाभिमतः, अतोऽत्रोत्प्रेक्षैवालङ्कारः। एवञ्च प्रकृतलक्षणस्य सादृश्यघटितस्य प्रसङ्गो नास्त्येवेत्यपि न वक्तुं शक्यम्, एवं सति कल्पितोपमायाश्चित्रमीमांसादौ स्वनिबन्धे दीक्षितेनापि स्वीकृताया विषयविलोपापातात्।

अलङ्कारभूतोपमैव दीक्षितस्य लक्ष्यत्वेनाभिमतेति कुतोऽवगम्यत इति चेत् ? 'व्यापार उपमानाख्यो…' इत्यादि तदीयसूत्रस्य 'अलङ्कारभूतोपमालक्षणत्वे…' इत्यादि तदुक्तेश्च स्वरसादिति मन्तव्यम् इति ।

'उपमितिक्रियानिष्पत्ति' इत्यादि जिन विशेषणों का वैयर्थ्यापातदोष आपने पूर्व में दिखलाया है, उनको 'वर्णनपदसादृश्य में चमत्कारित्वविशेषण का बोधक है' इस अर्थ में तात्पर्यग्राहक मान लेने पर उक्त वैयर्थ्य दोष नहीं होगा, क्योंकि अब वे विशेषण, लक्षण में एक तरह से रहे ही नहीं, अतः अन्य दोष दिखलाते हैं—किञ्च इत्यादि । उक्त दोष के न होने पर भी 'स्तनाभोगे…' इत्यादि पद्य—जिसका अर्थ पहले लिखा जा चुका है—में दीक्षितकृत उपमालक्षण की अतिव्याप्ति (दोष) हो ही जायगी । अभिप्राय है कि इस पद्य में उपमा (सादृश्य) यद्यपि है, तथापि वह वस्तुतः अलङ्काररूप नहीं हो सकती । कारण, वह स्वयं मुख्य वाक्यार्थ है, और 'अलङ्करोति' अर्थात् 'किसी को सुशोभित जो करे' इस व्युत्पत्ति के अनुसार अलङ्कारसामान्य (सभी अलङ्कारों) का लक्ष्य वही हो सकता है, जो स्वयं गौण होकर किसी दूसरे मुख्य अर्थ को सुशोभित करे । परन्तु यहाँ उपमान, उपमेय और सादृश्य इन तीनों का मिश्रणरूप उपमा से भिन्न कोई अर्थ है ही नहीं फिर यह उपमा शोभित करे तो किसको ? इस तरह से यह सिद्ध है कि यह उपमा अलङ्कार का लक्ष्य नहीं है, अतः इसका वारण करने के लिए लक्षण में 'वाक्यार्थोपस्कारक' आदि कोई विशेषण अवश्य जोड़ना चाहिये था, किन्तु दीक्षित जी ने वैसा कोई विशेषण जोड़ा नहीं और 'उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्, अदुष्ट तथा अव्यङ्ग्यसादृश्य का वर्णन' इत्यादि जो कुछ उन्होंने लक्षण में कहा, वे सभी बातें यहाँ भी वर्तमान हैं, अतः यह लक्षण इस अलक्ष्य में घट जाने से अतिव्याप्तिदोषग्रस्त है । यह तो आप कह नहीं सकते कि मुझे अनलङ्कारभूत (जो अलङ्काररूप नहीं होती उस) उपमा का भी इस लक्षण से संग्रह करना इष्ट है—अर्थात् यह उपमा भी इस लक्षण का लक्ष्य ही है, क्योंकि वैसा कहने पर व्यङ्ग्य उपमा के निराकरण करने के लिये जो 'अव्यङ्ग्य' विशेषण लक्षण में जोड़ा गया है, वह व्यर्थ हो जायगा—अर्थात् व्यङ्ग्य उपमा भी तो उपमा है ही, विलक्षणता तो उसमें केवल इतनी रहती है कि वह आप के मत से अलंकाररूप नहीं है, ऐसी स्थिति में जब आप को अनलङ्काररूप किसी उपमा का संग्रह करना अभीष्ट हो गया, तब व्यङ्ग्य अतएव अलङ्काररूप न होनेवाली उपमा का भी संग्रह करना ही उचित था, फिर व्यर्थ उसके वारण का प्रयास क्यों ? आप कहेंगे-यहाँ किसी तरह की उपमा है ही कहाँ ? क्योंकि उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और यहाँ प्रधानता है साँप तथा केशों के अभेद की, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा है, फिर उक्त आपत्ति कैसे आपने दे डाली ? किन्तु यह कथन आपका सङ्गत नहीं, ऐसा मानने से कल्पितोपमा, निर्विषय हो जायगी—उसका कहीं लक्ष्य ही नहीं रह जायगा । यह तो आप कह नहीं सकते कि मैं 'कल्पितोपमा' नहीं मानता, कारण, 'चित्रमीमांसा'नामक निबन्ध में आपने इसे स्वीकृत किया है । अलङ्काररूप होनेवाली-अर्थात् किसी अपने से भिन्न मुख्य अर्थ को सुशोभित करने वाली उपमा का ही आपने यह लक्षण बनाया है अनलङ्कार रूप उपमा का नहीं, यह बात आपकी अन्य उक्तियों से भी सिद्ध होती है, क्योंकि आपने, 'व्यापार उपमानाख्यो…अर्थात् जब उपमान नामक क्रिया (तुलना) का क्रिया की सिद्धि पर्यन्त कहना अभीष्ट हो, तब उपमा अलङ्कार होता है' इस सूत्र में अलङ्काररूप उपमा को ही लक्ष्य कहा है । इतना ही नहीं, वहीं पर आपने पुनः कहा है कि "अलङ्काररूप उपमा के लक्षण में 'अदुष्ट और अव्यङ्ग्य' ये दो विशेषण और जोड़ देने

चाहिएँ।' एक बात पर ध्यान दीजिये—'स्तनाभोगे' इस पद्य के विषय में जो पण्डितराज ने यह कहा है कि यहाँ उपमा के स्वरूप (उपमान, उपमेय और सादृश्य) से भिन्न कोई वाक्यार्थ है ही नहीं, फिर यहाँ की उपमा अलङ्कृत करे तो किसको? अतः यह उपमा अलङ्काररूप नहीं होती, वह कैसे सङ्गत होगा, क्योंकि वस्तुतः यदि बात है अर्थात् उपमास्वरूप से अन्य वाक्यार्थ नहीं है, तब पण्डितराज ने स्वयं जो इस पद्य में उपमालङ्कार माना है, वह कैसे? कारण, उनके लक्षण में साफ-साफ सादृश्य का वाक्यार्थोपस्कारक होना अपेक्षित माना गया है, अतः उनके लक्षण के अनुसार यहाँ उपमालङ्कार नहीं होना चाहिए। यदि उक्त श्लोकवाक्य से शृङ्गार को अभिव्यक्त मान कर उसको मुख्य वाक्यार्थ माना जाय, और उसको उपस्कृत करने के कारण यहाँ की उपमा को अर्थालङ्कार कहा जाय, तब दीक्षित के मत में भी मेरे विचार से कोई दोष नहीं होता।

ननु अलङ्करोतीति योगबोधितोपस्कारकत्वस्यालङ्कारसामान्यस्वरूपत्वेन विशेषलक्षणेषु तदनिवेशेऽपि क्षत्यभाव—अर्थात् अलङ्कारपदयोगार्थशून्ये लक्ष्ये पूर्वोक्तातिव्याप्तिर्न संभवदुक्तिकेत्यत आह—

अपि च लक्षणे सादृश्यविशेषणं निरर्थकम्। 'उपमितिक्रियानिष्पत्तिमद्वर्णनमुपमा' इत्येतावतैव स्वाभीष्टार्थलाभात्।

सादृश्यस्यैव वर्णनम्, उपमितिक्रियानिष्पत्तिकरम्-अर्थात् सादृश्यादन्यस्य कस्यचिद्वर्णने तुलनायाः सिद्धिर्नैव भवितुमर्हति, तथा च 'उपमितिक्रियानिष्पत्तिवर्णनमुपमा' इत्येतदत एव लक्षणत्वे दीक्षिताभिप्रेतप्राप्तौ 'सादृश्योक्तिः' लक्षणे निरर्थिकैव। एवञ्च दीक्षितकृतमुपमालक्षणं न समीचीनमि'ति भावः।

अलङ्कार पद का योगार्थ ही दूसरे को सुशोभित करनेवाला होता है-शोभाजनक हुए विना कोई पदार्थ, अलङ्कार, हो ही नहीं सकता, फिर यदि अलङ्कारों के विशेष लक्षण में उस तरह का वाक्यार्थोपस्कार आदि विशेषण नहीं भी जोड़ा जाय, तथापि हानि नहीं हो सकती अर्थात् पूर्व में जो आपने लक्षण की अतिव्याप्ति दिखलाई है, वह वस्तुतः होती नहीं, क्योंकि अलङ्कार इस नामपद से ही उसका वारण, हो जायगा, अतः अन्य दोष दिखलाया जाता है—अपि च इत्यादि। उक्त दोनों लक्षणों में वर्णन के साथ जो 'सादृश्य का' यह विशेषण जोड़ा गया है, वह निरर्थक है, क्योंकि 'उपमिति क्रिया (तुलना) को सिद्ध करनेवाला वर्णन उपमा अलङ्कार कहलाता है' इतना कहने से ही आपकी इष्ट-सिद्धि हो जाती है। कारण, सादृश्य से भिन्न किसी अर्थ के वर्णन से 'उपमिति क्रिया की सिद्धि' हो ही नहीं सकती, अतः 'सादृश्य' पद के न रहने पर भी 'वर्णन' से 'सादृश्य का ही वर्णन' लिया जायगा। सारांश यह कि दीक्षितजी का उपमालक्षण ठीक नहीं है।

विद्यानाथोक्तमुपमालक्षणमालोचयति—

एवम्—

'स्वतःसिद्धेन भिन्नेन सम्मतेन च धर्मतः।
साम्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं चेदेकदोपमा॥'

इति विद्यानाथोक्तं लक्षणमपास्तम्। व्यतिरेके निषेधप्रतियोगिनि सादृश्येऽतिव्याप्तेः।

एवमिति । दीक्षितोक्तलक्षणवदित्यर्थः । अस्य च 'अपास्तम्' इति दूरस्थेनान्वयः । स्वतःसिद्धेनेति, स्वतःसिद्धेन अकल्पितेनेति भावः, भिन्नेन उपमेयादतिरिक्तेन, च पुनः सम्मतेन कविसमयप्रसिद्धेन, लिङ्गभेदादिदोषरहितेनेति यावत्, अन्येन अप्रस्तुतेन, वस्तुना, वर्ण्यस्य वर्णनीयस्य प्रस्तुतस्य वस्तुनः, धर्मतः समानधर्मप्रयुक्तमिति भावः, एकदा वारमेकं, साम्यं सादृश्यं, चेद् वाच्यम् अभिधाव्यापारबोध्यम्, अव्यङ्ग्यमिति यावत् तदा तदुपमालङ्कार इत्यर्थः अपास्तम् खण्डितम् । तत्र हेतुमाह-व्यतिरेकेति । 'तवाननस्य....'इत्यादाविरत्यर्थः । निषेधप्रतियोगिनीति । यस्य निषेधः फलति तस्मिन्नित्यर्थः । 'उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्....' इत्यादिदीक्षितोक्तं लक्षणं यथा न सङ्गतम्, तथैव 'स्वतःसिद्धेन....' इत्यादि, विद्यानाथाभिधेन केनचिदालङ्कारिकेण 'प्रतापरुद्रीये' निबन्धे कथितं लक्षणमपि असङ्गतमेव, 'तवाननस्य तुलनां दधातु जलजं कथम्' इत्यादौ व्यतिरेकालङ्कारोदाहरणेऽतिव्याप्तत्वात्, निषेधप्रतियोगितया तत्रापि सादृश्यस्य प्रतीयमानत्वात् । पण्डितराजकृतं लक्षणं तु चमत्कारहीनतया तस्मिन् सादृश्ये न प्रसजतीति भावः ।

अब 'विद्यानाथ' नामक प्राचीन आलङ्कारिक के द्वारा 'प्रतापरुद्रीय' नामक निबन्ध में कहे गये उपमालक्षण का खण्डन करते हैं—एवम्-स्वतःसिद्धेन इत्यादि । 'स्वतःसिद्धेन...अर्थात् स्वतःसिद्ध-कवि के द्वारा कल्पित नहीं-तथा उपमेय से भिन्न और सम्मत कविसमयप्रसिद्ध-अर्थात् लिङ्गभेद, वचनभेद आदि दोषों से मुक्त, अन्य-अप्रस्तुत वस्तु से, वर्णनीय-प्रस्तुत वस्तु का समान धर्म के कारण एक बार, सादृश्य, यदि वाच्य हो, तो वह उपमालङ्कार कहलाता है ।' यह लक्षण भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'कमल तेरे मुख की तुलना का धारण कैसे करे' इत्यादि व्यतिरेकालङ्कार में अन्ततः होने वाले निषेध के प्रतियोगी रूप से प्रतीत होनेवाले सादृश्य में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है ।

अन्यदपि प्राचीनोक्तं लक्षणं पर्यालोचयति—

एवम्—

'उपमानोपमेयत्वयोग्ययोरर्थयोर्द्वयोः ।
हृद्यं साधर्म्यमुपमेत्युच्यते काव्यवेदिभिः ॥'

इति प्राचामपि लक्षणं प्रत्युक्तम् । हृद्यतामात्रेण निर्वाहे विशेषणान्तरवैयर्थ्यात् ।

उपमानोपमेयत्वेति । उपमानोपमेयभावयोग्ययोर्द्वयोः पदार्थयोः वर्ण्यमानं सुन्दरं चमत्कृतिकरमिति यावत्, साधर्म्यम् सादृश्यम्, काव्यज्ञैर्जनैरुपमा इति कथ्यते इत्यर्थः । इदमपि लक्षणं न सम्यक् 'हृद्यं साधर्म्यम्' इत्येतावत एव लक्षणत्वे संभवति अन्यविशेषणानां लक्षणोक्तानां निरर्थकत्वादिति भावः ।

प्राचीनों के एक अन्य लक्षण की भी आलोचना करते हैं—एवम् उपमानोपमेय इत्यादि । जिस तरह पूर्वोक्त लक्षण सब असङ्गत सिद्ध हुए हैं, उसी तरह प्राचीनों का 'उपमानोपमेयत्व...इत्यादि अर्थात् उपमानोपमेयभाव के योग्य दो वस्तुओं के सुन्दर सादृश्य को काव्यज्ञ जन उपमा कहते हैं' लक्षण भी असङ्गत ही है, क्योंकि यह लक्षण व्यर्थ विशेषणों से युक्त अर्थात्-साधर्म्य के साथ केवल हृद्य-सुन्दर-विशेषण का जोड़ना ही उपमालक्षण में काफ़ी है, फिर जो इस लक्षण में अन्य विशेषण जोड़े गये हैं, वे सब के सब व्यर्थ ही हैं ।

मम्मटोक्तं लक्षणं परीक्षते—

एवं काव्यप्रकाशोक्तमपि 'साधर्म्यमुपमाभेदे' इति लक्षणं नातीव रमणीयम्। व्यतिरेके निषेधप्रतियोगिनि सादृश्येऽतिव्यापनात्। न च पर्यवसितत्वेन साधर्म्यं विशेषणीयमिति वाच्यम्। अनन्वयस्थसादृश्यस्यापर्यवसायित्वेनैव वारणे भेदविशेषणवैयर्थ्यापत्तेः। काव्यालङ्कारप्रस्तावे लौकिकालौकिकप्रधानवाच्यव्यङ्ग्योपमासामान्यलक्षणकरणानौचित्याच्च।

अरमणीयत्वे हेतुमाह—व्यतिरेक इति। घटकत्वं सप्तम्यर्थः। तथा च व्यतिरेकघटकसादृश्ये इति तात्पर्यार्थः। अतिव्याप्तिनिरासाय शंकते—न चेति। उत्तरयति—अनन्वयेति। भेदपदस्य पर्यवसितत्वार्थे तात्पर्यग्राहकत्वाङ्गीकारे तद्दोषाभावाद्दोषान्तरमाह—काव्यालङ्कारेति। काव्यप्रकाशाभिधाने परमप्रसिद्धे निबन्धे मम्मटेन 'सादृश्यमुपमाभेदे' इति उपमाया लक्षणं कृतम्। उपमानोपमेययोः भेदे सति, भिन्नपदार्थयोः उपमानोपमेयभावे सतीति यावत् सादृश्यमुपमेति तदर्थः। परमिदमपि लक्षणं न समीचीनम्, पूर्वोक्ते निषेधप्रतियोगिनि व्यतिरेकालङ्कारघटके सादृश्ये तस्याप्यतिव्याप्तेः। पर्यवसितत्वेन साधर्म्यं विशेषिते—अर्थात् यस्य निषेधे पर्यवसानं न भवेत् तादृशे—स्वरूपेऽवतिष्ठमाने इति यावत्—सादृश्ये लक्षणघटकतया विवक्षितेऽपि न निस्तारः, तथा सति तेनैव विशेषणेन निषेधपर्यवसायिनोऽनन्वयालङ्कारस्थस्यापि सादृश्यस्य वारणे सिद्धे तद्वारकस्य 'भेदे' इति विशेषणस्य वैयर्थ्यापत्तेः। न च भेदपदस्य तादृशार्थ एव तात्पर्यग्राहकतया लक्षणं निर्दुष्टमिति वाच्यम्, काव्यशास्त्रप्रसिद्धालङ्कारलक्षणनिर्माणप्रकरणे लौकिकीमलौकिकीं प्रधानाम्, वाच्याम्, व्यङ्ग्यां च—सर्वविधामिति यावत्-उपमां संगृह्णतः लक्षणस्य निर्मातुमनौचित्यात् इति भावः।

अब मम्मट भट्ट के लक्षण की पर्यालोचना करते हैं-एवं काव्य इत्यादि। अन्य लक्षणों के समान ही 'काव्यप्रकाश' में मम्मट के द्वारा लिखा गया 'साधर्म्यमुपमाभेदे अर्थात् भेद रहने पर अर्थात् उपमान उपमेय के दो रहने पर सादृश्य का नाम उपमा है।' यह लक्षण भी अधिक सुन्दर नहीं है। कारण, इसकी भी पूर्वोक्त, व्यतिरेकालङ्कारस्थ निषेधप्रतियोगी सादृश्य में अतिव्याप्ति हो जाती है। 'साधर्म्य' में पर्यवसित अर्थात् जो सादृश्य अपने रूप में ही पर्यवसित होता हो-अन्त तक अपने रूप में रहे, तात्पर्य यह कि निषेध रूप में जो परिणत न होता हो ऐसा, यह विशेषण लगाने से भी लक्षण को निर्दुष्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उस विशेषण के लगाने पर जिस तरह व्यतिरेकस्थलीय निषेध में पर्यवसित होनेवाले सादृश्य का वारण होगा, उसी तरह उसी विशेषण से अनन्वयस्थलीय निषेधरूप में परिणत होनेवाले सादृश्य का भी वारण हो ही जायगा, फिर 'भेदे अर्थात् भेद रहने पर' यह विशेषण निरर्थक हो जायगा—अर्थात् अनन्वय में एक ही वस्तु उपमान तथा उपमेय दोनों रहती है, अतः उपमान-उपमेय दो रहे एतदर्थक 'भेदे' विशेषण उपमा-लक्षण में लगाते थे, जिससे अनन्वय में उसकी प्राप्ति न हो, परन्तु अब-जब कि आप सादृश्य में पर्यवसित विशेषण लगा देते हैं—वह विशेषण व्यर्थ हो जाता है, कारण, व्यतिरेक की तरह अनन्वय में भी उसी विशेषण से काम चलनेवाला है। यदि आप कहें कि-'भेदे' विशेषण की व्यर्थता नहीं हो सकती, मैं लक्षणा आदि के द्वारा उसी का अर्थ 'पर्यवसित' मान लूँगा। पर इतने पर भी निस्तार नहीं। कारण, इस तरह विशेषणवैयर्थ्यदोष से मुक्ति

मिल जाने पर भी लक्षण में दूसरा दोष आ ही जाता है और वह, यह कि काव्योपयोगी अलङ्कारों के लक्षण बनाते समय लौकिक, अलौकिक, प्रधान, वाच्य और व्यङ्ग्य सभी तरह की उपमाओं को संगृहीत कर लेनेवाले साधारण उपमा-लक्षण का बनाना अनुचित है। तात्पर्य यह कि 'चमत्कारित्व' विशेषण जब सादृश्य में नहीं लगाया जाता, तब यह (साधर्म्यमुपमाभेदे) ऐसा सामान्य लक्षण हो जाता है, जिससे 'जैसी गाय, वैसा गवय' इत्यादि सभी तरह की उपमायें पकड़ी जा सकती हैं परन्तु यह बात उचित नहीं होती, क्योंकि काव्यालङ्कार का लक्षण निर्माण करने चले हैं, अतः उचित होता कि उसी तरह का लक्षण बनाते, जिससे केवल काव्य में उपयुक्त होनेवाली चमत्कारिणी उपमाओं का संग्रह होता, गोगवय आदि की अचमत्कारिणी उपमाओं का नहीं।

उक्तयुक्त्यैवालङ्कारसर्वस्वोक्तं लक्षणं खण्डयति—

अत एव 'भेदाभेदतुल्यत्वे साधर्म्यमुपमा' इत्यलङ्कारसर्वस्वोक्तमपि लक्षणं तथैव।

अत एवेति। प्रकाशलक्षणोक्तदोषसमूहादेवेत्यर्थः। तथैवेति नातीव रमणीयमित्यर्थः। भेदस्य अभेदस्य च समानरूपेण भासमानत्वे सति सादृश्यम् उपमा इत्यर्थकं 'भेदाभेदतुल्यत्वे साधर्म्यमुपमे'ति अलङ्कारसर्वस्वग्रन्थोक्तं लक्षणमपि न भव्यम्, काव्यप्रकाशलक्षणोक्तदूषणानामत्रापि वर्तमानत्वादिति भावः।

अलङ्कारसर्वस्वकारकृत लक्षण की पर्यालोचना करते हैं—अतएव इत्यादि। 'भेद तथा अभेद दोनों के समानरूप से भासित होते रहने पर जो सादृश्य हो, उसे उपमा कहते हैं' यह अलंकारसर्वस्व में लिखित लक्षण भी वैसा ही है—अर्थात् काव्यप्रकाश-लक्षण के समान अधिक सुन्दर नहीं है, क्योंकि उनके लक्षणों में जो दोष दिये गये हैं, वे इस लक्षण में भी हो जाते हैं।

अपरमपि लक्षणं पर्यालोचयति—

एवं 'प्रसिद्धगुणेनोपमानेनाप्रसिद्धगुणस्योपमेयस्य सादृश्यमुपमा' इत्यलङ्काररत्नाकरोक्तमपि न भव्यम्। श्लेषमूलकोपमायां तादृशशब्दात्मकस्य धर्मस्य कविनैव कल्पनात् तेन रूपेणोपमानस्याप्रसिद्धेश्च।

एवमिति। व्यतिरेकेऽतिव्यापनादित्यर्थः। प्रसिद्धगुणेनेति। प्रसिद्धाः ख्याताः-कल्पिता नेति यावत्—गुणाः गुणक्रियारूपधर्माः, यस्य तादृशेन, उपमानेन, सह, अप्रसिद्धगुणस्य तादृशधर्मवत्तया न प्रसिद्धस्य, उपमेयस्य, सादृश्यमुपमा कथ्यते इत्यर्थः। ननु पर्यवसितत्वेन विशेषणान्न दोष इत्यत आह—श्लेषमूलकेति। दोषान्तरमाह—तेन रूपेणेति। अलङ्काररत्नाकरोल्लिखितमिदं लक्षणमपि न युक्तम्, व्यतिरेकस्थलीयसादृश्ये पर्यवसाने निषेधरूपेण परिणंस्यमानेऽतिव्याप्तेः। न च पर्यवसितेतिविशेषणदानेन तद्दोषनिरासे लक्षणं सम्यगिति वाच्यम्, श्लेषमूलकोपमास्थले श्लिष्टशब्दस्य साधारणधर्मतया विवक्षितस्य कविकल्पिततया उपमानगुणत्वेनाप्रसिद्धेस्तत्राव्याप्तेः, प्रसिद्धगुणत्वेन रूपेणोपमानस्य क्वापि प्रसिद्धिविरहेण लक्षणेऽप्रसिद्धदोषावताराच्चेति भावः।

एक दूसरे लक्षण का भी खण्डन करते हैं—एवम् इत्यादि। 'प्रसिद्धगुणेन'''अर्थात् गुण-धर्म (गुण-क्रिया आदि) जिनके प्रसिद्ध हों अर्थात् कविकल्पित न हों ऐसे उपमान के साथ, जिनके धर्म प्रसिद्ध न हो, ऐसे उपमेय का जो सादृश्य उसको

उपमा कहते हैं। यह अलङ्काररत्नाकर का लक्षण भी ठीक नहीं है। कारण, अन्ततः निषेधरूप परिणत हो जानेवाले व्यतिरेकस्थलीय सादृश्य में इसकी भी अतिव्याप्ति हो जाती है। यदि आप 'अपने रूप में पर्यवसित होनेवाले' ऐसा विशेषण सादृश्य में लगाकर लक्षण को ठीक बनाना चाहेंगे, तो भी वह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्थिति में श्लेषमूलक उपमा के स्थल में लक्षण की अव्याप्ति ही हो जायगी अर्थात् श्लिष्ट शब्द जो उपमान का धर्म माना जाता है, प्रसिद्ध नहीं होता अतः वहाँ यह लक्षण सङ्घटित नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं, वस्तुतः यह लक्षण अप्रसिद्ध ही है अर्थात् कहीं भी सङ्घटित नहीं हो सकता कारण, ऐसा उपमान कहीं मिल ही नहीं सकता, जो प्रसिद्ध गुण वाले के रूप में प्रसिद्ध हो। सारांश यह कि चन्द्र आदि उपमान भी चन्द्ररूप में ही प्रसिद्ध रहता है, 'आह्लादकत्व वाला चन्द्र' इस रूप में नहीं।

परकीयलक्षणपर्यालोचनसमाप्तिं सूचयति—

इत्यलं परकीयदूषणगवेषणया।

परेषां दूषणान्वेषणं व्यर्थमिति तत्परिह्रीयत इति भावः।

अब परकीयलक्षणसमाप्ति की सूचना देते हैं—इत्यलम् इत्यादि। दूसरों का दोषान्वेषण करना निरर्थक है, अतः अब उसको समाप्त करते हैं।

पुनः प्रकृतानुसरणं सूचयति—

प्रकृतमनुसरामः।

पुनः प्रक्रान्तमुपमाविचारं प्रवर्तयाम इति भावः।

अब पुनः प्रस्तुत विषय पर आने की सूचना देते हैं—प्रकृतेत्यादि। अब अन्य बातों को छोड़कर पुनः प्रसङ्गप्राप्त उपमा के सम्बन्ध में विचार करते हैं।

प्राचीनाभिमतोपमाभेदानामुदाहरणप्रदर्शनं प्रतिजानीते—

अस्याश्चोपमायाः प्राचामनुसारेण केचिद् भेदा उदाह्रियन्ते।

प्राचां प्रकाशकारादीनाम्। अन्यत् स्पष्टम्।

इस उपमा के प्राचीनमतसिद्ध कुछ भेदों के उदाहरण दिखलाए जाते हैं।

उपमाभेदान् प्राचीनाभिमतान् प्रदर्शयति—

तथा हि—उपमा द्विविधा, पूर्णा लुप्ता च। पूर्णा तत्र—श्रौती आर्थी चेति द्विधा भवन्ती वाक्य-समास-तद्धितगामितया षोढा। लुप्ता च—उपमानलुप्ता, धर्मलुप्ता, वाचकलुप्ता, धर्मोपमानलुप्ता, वाचकधर्मलुप्ता, वाचकोपमेयलुप्ता, धर्मोपमानवाचकलुप्तेति तावत्सप्तविधा, तत्रोपमानलुप्ता—वाक्यगा समासगा चेति द्विविधा। धर्मलुप्ता समासगता-श्रौती, आर्थी। वाक्यगता-श्रौती, आर्थी। तद्धितगता च-आर्थ्येव, न श्रौती। इति पञ्चविधा। वाचकलुप्ता—समासगता, कर्मक्यङ्गता, आधारक्यङ्गता, क्यङ्गता, कर्मणमुल्गता, कर्तृणमुल्गता चेति षड्विधा। धर्मोपमानलुप्ता—वाक्यगता, समासगता चेति द्विविधा। वाचकधर्मलुप्ता क्विब्गता समासगता चेति द्विविधैव। वाचकोपमेयलुप्ता त्वेकविधा। धर्मोपमानवाचकलुप्ता तु समासगतैकविधा। इति।

तत्र पूर्णलुप्तयोर्मध्ये। तत्र तासां सप्तानां मध्ये। इतरन्निगदव्याख्यातमिति नेह प्रतन्यते।

उपमाभेदों का निर्देश करते हैं—तथा हि इत्यादि। उपमा दो प्रकार की है—पूर्णा तथा लुप्ता। उनमें से पूर्णा उपमा श्रौती एवं आर्थीभेद से दो तरह की होती है, और उन दोनों भेदों में से प्रत्येक भेद वाक्यगामी, समासगामी और तद्धितगामी-इस तरह तीन प्रकार के होते हैं, अतः पूर्णोपमा छः प्रकार की होती है। सारांश यह कि पूर्णोपमा छः प्रकार की है—श्रौती वाक्यगता, आर्थी वाक्यगता, श्रौती समासगता, आर्थी समासगता, श्रौती तद्धितगता और आर्थी तद्धितगता। रही अब लुप्ता। उसके पहले सात भेद होते हैं-उपमानलुप्ता, धर्मलुप्ता, वाचकलुप्ता, धर्मोपमानलुप्ता, वाचकधर्मलुप्ता, वाचकोपमेयलुप्ता और धर्मोपमानवाचकलुप्ता। उन सातों भेदों में से पुनः, उपमानलुप्ता के दो भेद-वाक्यगत और समासगत। धर्मलुप्ता के पाँच भेद-श्रौत समासगत, आर्थ समासगत, श्रौत वाक्यगत, आर्थ वाक्यगत और तद्धितगत केवल आर्थ। तद्धितगत का श्रौतभेद नहीं होता। वाचकलुप्ता के छः भेद—समासगत, कर्मार्थकक्यङ्गत, आधारार्थकक्यङ्गत, क्यङ्गत, कर्मार्थकणमुल्गत और कर्त्रर्थकणमुल्गत। धर्मोपमानलुप्ता के दो भेद-वाक्यगत और समासगत। वाचकधर्मलुप्ता के भी दो भेद-क्विप्प्रत्ययगत और समासगत। वाचकोपमेयलुप्ता का एक भेद-क्यच्प्रत्ययगत। धर्मोपमानवाचकलुप्ता का भी एक भेद समासगत। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और सादृश्य-वाचक ये चार उपमा के अङ्ग हैं। ये चारों अङ्ग जहाँ शब्दद्वारा स्पष्ट कथित रहते हैं, वहाँ पूर्णोपमा और इन अङ्गों में से कहीं एक का, कहीं दो का और कहीं तीन का अभाव जहाँ रहता है, वहाँ लुप्तोपमा होती है। श्रौती तथा आर्थी भेद का रहस्य यह है कि-शब्दशक्तिस्वभाववैचित्र्य के कारण जहाँ 'यथा', 'इव' इवार्थक 'वा' तथा इवार्थक 'वति प्रत्यय' सादृश्य के वाचक रहते हैं, वहाँ शब्दश्रवणानन्तर तुरत उपमानोपमेय का परस्पर सादृश्य ज्ञात हो जाता है, अतः वहाँ श्रौती, उपमा कहलाती है और 'तुल्य', 'सदृश', 'सम' और 'तुल्यार्थक वतिप्रत्यय' आदि जहाँ सादृश्य के वाचक रहते हैं, वहाँ शब्दश्रवणोत्तर उपमानोपमेय में से किसी एक का ही दूसरे में सादृश्य ज्ञात होता है, पश्चात् अर्थतः परस्पर सादृश्य की प्रतीति होती है, अतः वहाँ आर्थी उपमा कही जाती है।

प्राचीनाभिमतभेदसंख्यासङ्कलनं कुरुते—

एवं साकल्येनैकोनविंशतिर्लुप्ताभेदाः पूर्णाभेदैः सह पञ्चविंशतिः क्रमेणोदाह्रियन्ते।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण। स्फुटमन्यत्।

पूर्वोक्त प्रकार से सब मिलाकर लुप्ता के उन्नीस भेद होते हैं। पूर्णा के छः भेदों को इनमें जोड़ देने से सब पच्चीस भेद सिद्ध हुए। अब क्रमशः इन भेदों के उदाहरण दिखाए जाते हैं।

वाक्यगतां श्रौतीं पूर्णोपमामुदाहरति—

तत्र पूर्णा श्रौती वाक्यगता यथा—

'ग्रीष्मचण्डकरमण्डलभीष्मज्वालसंसरणतापितमूर्तेः।
प्रावृषेण्य इव वारिधरो मे वेदनां हरतु वृष्णिवरेण्यः॥'

तत्रेति। पञ्चविंशतेर्मध्ये इत्यर्थः। अत्र 'पञ्चविंशतीनां मध्ये' इति व्याचक्षाणो वैयाकरणशिरोमणिर्नागेशः 'विंशत्याद्याः सदैकत्वे' इति नियमं कुतो नास्मरदिति न विभावयन्नपि निर्णेतुं शक्नोमि। ग्रीष्मेति। भक्तः प्रार्थयते—प्रावृषेण्यः वर्षर्तुसमुद्भवः, वारिधरः जलधरः, यथा, ग्रीष्मस्य निदाघस्य चण्डकरमण्डलस्य सूर्यमण्डलस्य, भीष्मा भयङ्करी, ज्वाला तापो, यत्र, तादृशे देशे संसरणेन गमनेन, तापिता, मूर्तिः शरीरं, यस्य, तादृशस्य मनुष्यस्य, वेदना संतापपीडां, हरति तथा वृष्णिवरेण्यः नवनीरदाभो मुरारिः ग्रीष्मचण्डकरमण्डलवत् निदाघकालीनसूर्यमण्डलवत्, भीष्मा ज्वाला यस्य, तादृशेन, संसरणेन संसारेण, जन्ममरणाभ्यामिति यावत् तापिता मूर्तिर्यस्य तादृशस्य, मे मम, वेदनां भवतापपीडां, हरतु दूरीकरोत्वित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाने का उपक्रम करते हैं—तत्र इत्यादि। पूर्वोक्त पचीस उपमाप्रभेदों में से पूर्णा श्रौती वाक्यगता जैसे–'ग्रीष्मच···।' भक्त भगवान् से याचना करता है—वर्षा-ऋतु का जलधर (मेघ), जिसतरह, ग्रीष्म-ऋतु के सूर्यमण्डल की भयङ्कर ज्वालावाले प्रदेश में सञ्चरण करने से संतप्त-शरीरवाले मनुष्य की वेदना को दूर कर देता है, उसी तरह यादवश्रेष्ठ-घनश्याम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र-ग्रीष्मकालीन सूर्यमण्डल की भयङ्कर ज्वाला के समान ज्वाला वाले संसार (जन्म-मरण) से संतप्त शरीरवाले मेरी वेदना का हरण करें।

उपपादयति—

अत्र प्रावृषेण्य इत्यनेन वारिधरविशेषणेन नैराकाङ्क्ष्यात्, इवेन समास इत्येव पाठान्नित्यत्वाभावाद् वारिधरेणापि नेवस्य समासः। एषा चोपमानोपमेययोर्वारिधरभगवतोर्वेदनाहरणकर्तृत्वस्य साधारणधर्मस्य सादृश्यबोधकस्येवशब्दस्य चाभिधानात्पूर्णा सादृश्यस्य श्रुत्या बोधनाच्छ्रौती।

वाक्यगतत्वं स्फुटयति—अत्रेति। उक्तपद्ये प्रावृषेण्य इति वारिधरस्य विशेषणम् इति तस्मिन्नेव साकाङ्क्षम्, न इवार्थे, अतः प्रावृषेण्यशब्दस्य इवशब्देन सह समासो न प्राप्तः। वारिधरस्य विशेष्यस्य इवार्थे साकाङ्क्षत्वेऽपि 'सुप्सुपे'त्यनित्यशास्त्रप्रपञ्चभूतस्य 'इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च' इत्यस्याप्यनित्यत्वेन वैवक्षिकः स न भवतीति वाक्यगतत्वमस्या उपमाया बोध्यम्। पूर्णात्वं विविनक्ति—एषा चेति। उपमानोपमेयसाधारणधर्मसादृश्यानामुपमाङ्गानां चतुर्णां शब्दैरुपादानात् पूर्णात्वमुपमाया इति भावः। श्रौतीत्वमाह—सादृश्यस्येति। परस्परनिरूपितस्येति शेषः। श्रुत्या श्रवणोत्तरमेवेत्यर्थः। इवशब्दशक्तिस्वाभाव्यात् स्वश्रवणानन्तरमविलम्बेनैवोपमानोपमेययोः परस्परं सादृश्यं प्रतीयते, न तत्र वाक्यार्थज्ञानापेक्षा भवतीति श्रौतीयं भवति, इति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। यहाँ 'प्रावृषेण्य' पद के साथ 'इव' शब्द का समास प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि प्रावृषेण्य पदार्थ, वारिधर पदार्थ का विशेषण है, अतः वह उसी अंश में साकांक्ष है इवार्थ अंश में नहीं और समास होता है परस्परसाकांक्षार्थवाचक पदों में। वारिधर यह विशेष्यभूत पदार्थ यद्यपि इवार्थ में साकांक्ष है, अतः वारिधर पद के साथ इव पद का समास प्राप्त है, तथापि वह नहीं किया जायगा। कारण,-'इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च' यह समासविधायक वचन, 'सुप्सुपा' इस

वैकल्पिकशास्त्र के प्रपञ्चभूत होने से वैकल्पिक है और वैकल्पिकशास्त्रों की प्रवृत्ति वक्ता के अधीन हुआ करती है। अतः यह उपमा वाक्यगत कहलाती है। पूर्णोपमा यह इस लिये कहलाती है कि उपमा के चारों अङ्ग (उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और सादृश्य) यहाँ शब्दतः उक्त हैं-अर्थात् मेघरूप उपमान, कृष्णरूप उपमेय, वेदना का हरण करना रूप साधारण धर्म तथा इवार्थ-सादृश्य-इन चारों उपमाङ्गों के शब्दतः उक्त रहने के कारण यह उपमा पूर्णा कहलाती है। इसी तरह पूर्वोक्त विचार के अनुसार 'इव' पद से सादृश्य के बोध होने के कारण यह उपमा श्रौती समझी जाती है।

वाक्यगतामार्थी पूर्णोपमामुदाहर्तुमाह—

पूर्णा आर्थी वाक्यगता यथा—

यत्प्रकारिकोपमा वाक्यगता आर्थी पूर्णा च भवति, स प्रकारो निम्ननिर्दिष्टो द्रष्टव्य इति भावः।

वाक्यगत आर्थी पूर्णोपमा जैसे—

उदाहरति—

'प्राणापहरणेनासि तुल्यो हालाहलेन मे।
शशाङ्क केन मुग्धेन सुधांशुरिति भाषितः ॥'

काचन विरहिणी चन्द्रं प्रति वक्ति—अयि शशाङ्क ! मृगाङ्क ! कलङ्किन् ! चन्द्र इति यावत् त्वं प्राणस्य, अपहरणेन, हेतुना, मे मत्कृते, हालाहलेन उग्रेण विषेण, तुल्यः सदृशः, असि भवसि। केन अज्ञातनामगोत्रेण, मुग्धेन मोहाच्छन्नेन जडेनेति यावत्, सुधांशुः पीयूषकिरणः, इति पदेनेति शेषः, भाषितः त्वं कथितः इत्यर्थः। प्राणहरणकारित्वेन विषकल्पस्य तव सुधांशुपदेन व्यवहारो मोहग्रस्तस्यैव कार्यम् न विवेकिन इति भावः। अत्र हालाहलस्योपमानस्य, शशाङ्कस्योपमेयस्य, प्राणहरणकारित्वस्य साधारणधर्मस्य सादृश्यस्य च शब्दतः उपादानात् पूर्णात्वम्, तुल्यपदेन सादृश्यस्य प्रतिपादनादार्थीत्वम् 'हालाहलेन तुल्य' इति व्यस्तप्रयोगात् वाक्यगतत्वम् च बोध्यम्।

उदाहरण दिखलाया जाता है—प्राणापहरणेन इत्यादि। चन्द्रमा के प्रति किसी विरहिणी नायिका की उक्ति है—हे शशाङ्क-कलङ्कमय चन्द्र प्राणापहारी होने के कारण, तुम, मेरे लिये, गरल के समान हो। न जाने, किस मूढ ने तुम्हें 'सुधांशु' कह दिया। सारांश यह कि जो प्राणहरण करनेवाला है, उसे, विष नहीं, तो विषतुल्य, अवश्य कहना चाहिए, सो न कहकर उसे अमृतकिरण कह देना मुग्धता के अतिरिक्त क्या हो सकता है ? यहाँ हालाहलरूप उपमान, शशाङ्करूप उपमेय, प्राणहरणरूप साधारण धर्म और सादृश्य—इन चारों अङ्गों का शब्द द्वारा प्रतिपादन होने के कारण उपमा पूर्णा कहलाती है। 'तुल्य' पद से सादृश्य का बोध होने के कारण वह आर्थी कही जाती है। 'हालाहलेन तुल्यः' यहाँ समास न करने के कारण वाक्यगत उपमा समझनी चाहिए।

समासगतां श्रौतीं पूर्णोपमामुदाहर्तुमाह—

पूर्णा श्रौती समासगा यथा—

यत्प्रकारिकोपमा समासगता पूर्णा श्रौती व्यपदिश्यते, स प्रकारोऽधो निर्दिश्यते इति भावः।

समागत श्रौती पूर्णोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिशति—

'हरिचरणकमलनखगणकिरणश्रेणीव निर्मला नितराम् ।
शिशिरयतु लोचनं मे देवव्रतपुत्रिणी देवी ॥'

भक्तः गङ्गां प्रार्थयते—हरेः विष्णोः, चरणौ कमलौ इवेत्युपमितसमासः, न तु रूपकसमासः, तत्र 'नखगण'प्रतिपादनस्योपमायाः साधकत्वात् रूपकस्य बाधकत्वाच्च, तेन कमलतुल्यौ चरणाविति पर्यवसितार्थः, तत्र यो नखगणः नखसमूहः' तस्य किरणश्रेणी प्रभापुञ्जमिव, नितरामत्यन्तं, निर्मला स्वच्छा, देवव्रतेन भीष्मेण, पुत्रिणी पुत्रवती भीष्मजननीति यावत्, देवी ऐश्वर्यमयी, गङ्गा, मे मम, लोचनं नयनं, शिशिरयतु शीतलयतु इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—हरिचरण इत्यादि। भक्त कामना करता है—भगवान् विष्णु के चरणकमलों के नखसमूह की किरणों की पङ्क्ति के समान अत्यन्त निर्मल, भीष्म की माता, गङ्गादेवी मेरे नयनों को शीतल करे—गङ्गाजी के दर्शन से मेरी आंखें आनन्द प्राप्त करें ।

उपपादयति—

अत्रेवेन समासः ।

'किरणश्रेणीव' इत्यत्र किरणश्रेणीशब्दस्य इवशब्देन सह समास आश्रीयते, तेनोपमायाः समासगतत्वम्, हरिपादनखप्रभारूपस्योपमानस्य, गङ्गारूपस्योपमेयस्य, निर्मलत्वरूपस्य साधारणधर्मस्य सादृश्यस्य चोपादानात्पूर्णत्वम्, 'इव'पदेन सादृश्यप्रतिपादनात् श्रौतीत्वञ्चावगन्तव्यम् ।

उपपादन देखिए—अत्रेत्यादि। 'हरिचरण···' इस पद्य में 'इव' शब्द के साथ 'किरणश्रेणी' शब्द का समास हुआ है, अतः यह उपमा समासगत होती है। पूर्णा और श्रौती होने की युक्ति पूर्ववत् समझनी चाहिए।

समासगामार्थी पूर्णोपमामुदाहर्तुमाह—

पूर्णा आर्थी समासगा यथा—

व्याख्या पूर्ववत् ।

समासगत आर्थी पूर्णोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'आनन्दनेन लोकानामातापहरणेन च ।
कलाधरतया चापि राजन्निन्दूपमो भवान् ॥'

कविः राजानं स्तौति—राजन्! भवान्, लोकानां जनानाम्, आनन्दनेन सुखविशेषविधायित्वेन, आतापस्य सन्तापस्य, अपहरणेन दूरीकरणेन, कलाधरतया कलानां चतुःषष्टिकलानाम्, ज्योत्स्नायाश्च धारकत्वेन च हेतुना इन्दूपमः चन्द्रतुल्यः वर्तत इत्यर्थः। उक्तानां चतुर्णामङ्गानां शब्दतः प्रतिपादनात्पूर्णत्वम्, 'इन्दूपम' इति समस्तप्रयोगात् समासगतत्वम्, तुल्यार्थकेनोपमापदेन सादृश्याख्यानात् आर्थीत्वञ्चात्रोपमाया वेदितव्यम् ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—आनन्दनेन इत्यादि। कवि राजा की स्तुति करता है—हे राजन्! आप मनुष्यों को आनन्दित करने से तथा उनका सन्ताप हरण करने से और कलाओं के धारण करने से चन्द्र के समान हैं। यहाँ की उपमा, उक्त चारो अङ्गों के शब्दतः उपात्त रहने से पूर्णा, सादृश्यवाचक तुल्यार्थक उपमा शब्द के रहने से आर्थी और 'इन्दूपम' पद में समास होने से समासगत होती है।

श्रौतीमार्थीञ्च तद्धितगतां पूर्णोपमामुदाहर्तुमाह—

पूर्णा श्रौती आर्थी च तद्धितगा यथा—

व्याख्यात्रापि प्राग्वदवगन्तव्या।

श्रौती तथा आर्थी—दोनों प्रकार की तद्धितगता पूर्णोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'निखिलजगन्महनीया यस्याभा नवपयोधरवत्।
अम्बुजवद्विपुलतरे नयने तद्ब्रह्म संश्रये सगुणम्॥'

भक्तो वक्ति—निखिलेन समग्रेण, जगता संसारेण, महनीया पूज्या, यस्य सगुणस्य ब्रह्मणः, आभा कान्तिः नवपयोधरवत् नूतनजलधरस्येव, विद्यत इति शेषः। एवम् यस्य ब्रह्मणो, नयने नेत्रे, अम्बुजवत् कमलतुल्ये, विपुलतरे सुविशाले, वर्तेते इति शेषः तत् सगुणं सस्वरूपम् मायाविग्रहधारीति यावत्, ब्रह्म भगवन्तं कृष्णम्, संश्रये आश्रये तस्य शरणगतो भवामीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—निखिलेति। किसी भक्त का कथन है—जिसकी प्रभा, नूतन घनघटा के समान सम्पूर्ण संसार से पूज्य है तथा जिसके नेत्र, वारिज की तरह बहुत बड़े-बड़े हैं, उस सगुण-अपनी माया से शरीर धारण करने वाले-ब्रह्म - भगवान् कृष्ण—का आश्रयण करता हूँ, उसके शरणागत होता हूँ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे वतेः 'तत्र तस्येवं' इति सादृश्ये विधानाच्छ्रौती उत्तरार्धे 'तेन तुल्यम्' इति विधानात्सादृश्यवदर्थकतया आर्थी।

'निखिल···' इति पद्ये 'नवपयोधरवत्' इत्यत्र 'तत्र तस्येव' इति पाणिनिसूत्रेण इवार्थे सादृश्ये वतिप्रत्ययो विहित इति तदंशे श्रौत्युपमा। 'अम्बुजवत्' इत्यत्र 'तेन तुल्यं क्रिया चेद् वतिः' इति पाणिनिसूत्रेण तुल्यार्थे सादृश्यविशिष्टार्थे सप्रत्ययः कृत इति तदंशे आर्थी सेति भावः। पूर्णात्वं पूर्ववत् स्वयमनुसन्धेयम्। तद्धितगामित्वं तु स्पष्टमेव।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'नवपयोधरवत्' इस पद में 'वतिप्रत्यय' का विधान, 'तत्र तस्येव' इस पाणिनिसूत्र से 'इव' के अर्थ (सादृश्य) में हुआ है, अतः उस अंश में श्रौती और 'अम्बुजवत्' इस पद में उसका विधान 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' इस पाणिनिसूत्र से 'तुल्य' के अर्थ—'सादृश्ययुक्त' में हुआ है, अतः उस अंश में आर्थी उपमा मानी जाती है। पूर्णात्व का अनुसन्धान पूर्वोक्त रीति से स्वयं कर लेना चाहिए।

पूर्णोपमोदाहरणप्रदर्शनानन्तरमिदानीं लुप्तोपमोदाहरणप्रदर्शनप्रसङ्गे प्रथमं वाक्यगतामुपमानलुप्तोपमादाहर्तुमाह—

उपमानलुप्ता वाक्यगा यथा—

यत्प्रकारिकोपमा उपमानलुप्ता भवति, स प्रकारो निर्दिश्यत इति भावः।

वाक्यगत उपमानलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'यस्य तुलामधिरोहसि लोकोत्तरवर्णपरिमलोद्गारैः ।
कुसुमकुलतिलक चम्पक न वयं तं जातु जानीमः ॥'

कविः कथयति—अयि, कुसुमकुलतिलक पुष्पमण्डलश्रेष्ठ चम्पक लोकोत्तरस्य अलौकिकस्य, वर्णस्य रूपस्य, तादृशस्य परिमलस्य गन्धस्य, च उद्गारैः उद्गिरणैः प्रकाशनैरिति यावत् , यस्य, पदार्थस्य, तुलाम् समताम् , अधिरोहसि प्राप्नोसि, त्वमिति कर्तृपदमध्याहार्यम् । तं त्वन्निष्ठतुलाप्रतियोगिभूतं पदार्थम्, वयं, जातु कदाचिदपि, न जानीमः नानुसन्दध्म इत्यर्थः । चम्पकस्योपमेयस्योपमानमिह न प्रतिपादितमिति लुप्तोपमानत्वम् , 'यस्य तुला' इत्यत्र समासाभावाद् वाक्यगतत्वञ्चात्र बोध्यम् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—यस्य तुला इत्यादि । कवि का कथन है—हे पुष्पों के सिरताज चम्पक ! अलौकिक रूप और सुगन्ध के प्रकाशन से तुम, जिस चीज की समता को पाते हो, उसको हम कभी नहीं जान पाते । सारांश यह कि तुम्हारा सादृश्य किसी पुष्प में नहीं है—पुष्पों में तुम बेजोड़ हो । चम्पक का उपमान, यहाँ लुप्त है—नहीं प्रतिपादित है, अतः यह उपमानलुप्ता हुई । 'यस्य तुला' यहाँ पर समास नहीं किया गया है, अतः वाक्यगत उपमा होती है ।

अल्पव्यत्यासेन इदमेव पद्यं समासगताया अपि तस्या उदाहरणं सम्भवतीति प्रतिपादयति—

यत्तुलनामधिरोहसीत्याद्यचरणनिर्माणे इयमेव समासगा ।

'यस्य तुलामधिरोहसि' इति प्रथमचरणस्थाने 'यत्तुलनामधिरोहसि' इति समासघटितपाठकल्पने इदमेव पद्यं समासगाया उपमानलुप्ताया उदाहरणं भवेदिति भावः ।

इसी श्लोक के प्रथम चरण को यदि 'यत्तुलनामधिरोहसि' के रूप में बदल दिया जाय, अर्थात् 'यस्य' को पृथक् न रखकर उसका 'तुलना' शब्द के साथ समास कर दिया जाय, तब यही श्लोक समासगत उपमानलुप्तोपमा का उदाहरण होगा ।

अत्रालङ्कारान्तरत्वमाशंक्य निरस्यति—

उपमानाभावेन सादृश्याभावस्य पर्यवसानात्सादृश्यपर्यवसानस्य चोपमाजीवितत्वादलङ्कारान्तरमेवात्र नोपमानलुप्तेति नाशङ्कनीयम् । यस्य तुलामारोहसि न तं वयं जानीम इत्युक्त्या अस्माकमसर्वज्ञत्वादस्मदगोचरः कोऽपि तत्रोपमानं भविष्यतीति सादृश्यपर्यवसानमस्तीत्युपमानलुप्तैवेयमुपमा नालङ्कारान्तरम् ।

उपमानाभावेनेति सादृश्याभावपर्यवसाने हेतूक्तिः । उपमानस्य सादृश्यनिरूपकतया, निरूपकाभावे निरूप्यस्याभावः पर्यवस्यतीति भावः । यस्येति । यत इत्यादिः । इत्युक्त्येति । अन्यथा स नास्तीत्युक्तिः स्यादिति भावः । 'यस्य तुला…' इत्यत्रोपमानं नास्तीति तन्निरूपितं सादृश्यमपि नास्तीति पर्यवसाने नात्रोपमा संभवति, तस्याः सादृश्यपर्यवसानप्राणत्वादिति शङ्का नोचिता । यतः 'यत्सदृशस्त्वमसि, तं न जानीमः'

इति कथनेन 'तवोपमानभूतः कश्चन पदार्थो विद्यतेऽवश्यम्, परन्तु सर्वज्ञताविरहादस्माकमसौ न प्रत्यक्षः' इति प्रतीयते। एवञ्च सादृश्यपर्यवसानं नास्तीति वक्तुं न शक्यम्, अतः उपमानलुप्तोपमाऽत्र निराबाधेति भावः।

'यस्य तुला...' इस पद्य में उपमा नहीं हो सकती, कोई दूसरा ही अलङ्कार मानना पड़ेगा, इस तरह की आशङ्का करके उसका खण्डन करते हैं—उपमानाभावेन इत्यादि। 'यस्य तुला...' इस पद्य में उपमान का अभाव है-उपमेयभूत चम्पक के उपमान का निषेध किया गया है। ऐसा करने से अन्ततः सादृश्य का भी अभाव सिद्ध हो जाता है। अर्थात् यह सिद्ध हो जाता है कि चम्पक का किसी पदार्थ के साथ सादृश्य नहीं है और ऐसी स्थिति में यहाँ उपमानलुप्तोपमालङ्कार नहीं हो सकता। कारण, उपमा का जीवन है अन्त तक सादृश्य का प्रतीत होते रहना, जो यहाँ नहीं है अर्थात् यहाँ वाक्यार्थ की समाप्ति सादृश्य के निषेध में होती है सादृश्य में नहीं, अतः यहाँ कोई दूसरा ही अलङ्कार है, ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए। कारण, यहाँ जो यह कहा गया है कि-'तुम जिसकी समता को पाते हो, उसको हम नहीं जानते', उससे चम्पक का कहीं सादृश्य नहीं-यह सिद्ध नहीं होता, अपितु यह सिद्ध होता है कि 'सर्वज्ञ नहीं होने के कारण हम जिस पदार्थ को नहीं जान पाते, ऐसा कोई पदार्थ चम्पक का उपमान है' इस तरह सादृश्य में ही पर्यवसान होता है। अतः यहाँ अलङ्कारान्तर नहीं, उपमानलुप्ता उपमा ही है।

प्राचीनोक्तिं खण्डयति—

एतेन

'ढुंढुंणंतो हि मरीहसि कंटककलिआइं केअइवणाइं।
मालइकुसुमसरिच्छं भमर भमंतो न पावहिसि॥'

इत्यत्रासमालङ्कारोऽयमुपमातिरिक्त इति वदन्तोऽलङ्काररत्नाकरादयः परास्ताः।

एतेनेति। उक्तरीत्या सादृश्यपर्यवसानेनेत्यर्थः। अत्रापि तत्प्राप्तिस्तव दुर्लभेत्युक्तं न तु नास्तीति भावः। ढुंढुंणंतो इति। 'ढुं ढुं कृत्वा हि मरिष्यसि कण्टककलितानि केतकीवनानि। मालतीकुसुमसदृक्षं भ्रमर भ्रमन्न प्राप्स्यसि' इति छाया। हे भ्रमर! केतकीवनानि, कण्टककलितानि कण्टकमयानि, अतस्तत्र, त्वं, ढुं ढुं कृत्वा एतच्च वैकल्यकालिकभ्रमररवानुकरणम्, मरिष्यसि मरणमेव लप्स्यसे नानन्दम्। सत्यं जानीहि, भ्रमन्नपि रसमयं परिमलप्रचुरं पुष्पान्तरं गवेषयितुमितस्ततः सर्वत्र सञ्चरन्नपि, मालतीकुसुमसदृक्षं मालतीपुष्पसमानं पुष्पान्तरं, न प्राप्स्यसि नासादयिष्यसीति तदर्थः। एषा च स्वसौभाग्यं सूचयन्त्याः कस्याश्चन नायिकायाः स्वप्रियतमसमीपे भ्रमरं प्रत्युक्तिः। तेन—मुधैव त्वं नायिकान्तरमन्विष्यन् कष्टमनुभवसि, मादृशी नापरा प्राप्तुं शक्येति प्रियतमं प्रति नायिकया व्यज्यते। अत्रापि 'मालतीकुसुमसदृक्षं न प्राप्स्यसी'त्युक्त्या न मालतीकुसुमस्योपमानाभावः पर्यवस्यति, अपि तु अस्मदगोचरः कश्चन पदार्थस्तवोपमानभूत इत्येव। तथा च पर्यवसितसादृश्यमुपमाजीवातुभूतमस्तीति उपमास्वीकारेऽत्र न काचिद् बाधा। एवञ्चात्रासमनामकमुपमातिरिक्तमलङ्कारं समर्थयन्तोऽलङ्काररत्नाकरादयो न युक्ताभिधायिन इति भावः।

प्राचीनोक्ति का खण्डन करते हैं—एतेन इत्यादि। 'ढुंढुंणंतो...' अर्थात् हे भ्रमर! तुम, काटों से भरे हुए केतकी (केवड़ा) के वनों में ढूँढ़ूँ करते हुए मरोगे, पर फिरते-फिरते भी मालती के फूल के समान दूसरे फूल को नहीं पा सकोगे। यह अपने सौभाग्यातिशय की सूचना देती हुई किसी नायिका की प्रियतम के समीप भ्रमर के प्रति उक्ति है। अतः प्रियतम के प्रति नायिका का यह अभिप्राय इस पद्य से व्यक्त होता है कि हे मेरे लालची प्रियतम ! व्यर्थ, तुम, विलक्षण सुन्दरी की खोज में इधर-उधर क्या भटक रहे हो-कष्ट उठा रहे हो, विश्वास रक्खो, लाख घूमने पर भी मुझ जैसी सुन्दरी रमणी तुझे नहीं मिल सकेगी। इस पद्य में 'असम' नाम का एक दूसरा ही अलङ्कार है, उपमा नहीं ऐसा 'अलङ्काररत्नाकर' आदि का कथन है। परन्तु पूर्वोक्त विचार के अनुसार उनका यह कथन खण्डित हो जाता है-अर्थात् 'यस्य तुला...' इस पद्य के समान यहाँ भी यह कहा गया है कि 'मालतीफूल के तुल्य दूसरे फूल का मिलना कठिन है' न कि 'मालती फूल के समान कोई नहीं है' यह, अतः इस उक्ति से उपमान का निषेध पर्यवसित नहीं होता, अपितु हम लोगों से अज्ञात कोई तेरा उपमान होगा यही फलित होता है। इस स्थिति में पर्यवसान में सादृश्य के वर्तमान रहने के कारण यहाँ उपमा निर्बाध रूप से मानी जा सकती है, फिर 'असम' नामक अलङ्कारान्तर की कल्पना व्यर्थ एवं निराधार है।

श्रौतीं वाक्यगतां धर्मलुप्तोपमामुदाहर्तुमाह—

धर्मलुप्ता श्रौती वाक्यगता यथा—

वाक्यगतायाः श्रौत्या धर्मलुप्तोपमाया यः प्रकारः स प्रदर्श्यत इति भावः।

वाक्यगत श्रौती धर्मलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'कलाधरस्येव कलावशिष्टां विलूनमूला लवलीलतेव।
अशोकमूलं परिपूर्णशोका सा रामयोषा चिरमध्युवास ॥'

लवलीलता 'हरफारेवडी' इति भाषया प्रसिद्धा। अशोकमूलमिति। 'उपान्व—' इति सूत्रेणाधारस्य कर्मसंज्ञा। कविः रावणापहृतां लङ्कागतां सीतां वर्णयति—कलाधरस्य चन्द्रमसः, अवशिष्टा क्षयानन्तरमपि शेषभूता, कला ज्योत्स्ना, इव, विलूनं छिन्नं, मूलं यस्यास्तादृशी, लवलीलता लताविशेषः, इव, परिपूर्णः यथात्वविवृद्धः, शोको यस्याः तादृशी, सा धैर्यपातिव्रत्यादिगुणवत्तया प्रसिद्धा, रामस्य, योषा पत्नी, सीता, चिरं चिरकालपर्यन्तम्, अशोकमूलम् अशोकतरोर्मूले, अध्युवास निवासं चक्रे इत्यर्थः। अत्राशोकमूले निवसन्ती परिपूर्णशोकेति विरोधो व्यज्यते। एवम् सीतेत्यनुक्त्वा 'रामयोषे'तिकथनेन 'निग्रहानुग्रहसमर्थस्य भगवतो रामचन्द्रस्यापि प्रियतमा चेदीदृशीं विपत्तिमापत्, तर्हि बलवद् दुर्विधेर्विलसितम्' इत्याद्यर्थोऽभिव्यज्यते। उपमाद्वयेन सीतायाः क्षीणता पाण्डुता तथापि कान्तिमत्ता च प्रतीयन्ते। अत्र सीतानिष्ठस्य कलाधरकलालवलीलतयोः सादृश्यस्य नियामकः साधारणधर्मः क्षीणत्वपाण्डुरत्वादिर्नोक्त इति धर्मलुप्तता बोध्या।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—कलाधर इत्यादि। कवि का कथन है कि—क्षीण होने पर भी बची हुई चन्द्र की कला-सी और जड़ कटी हुई हरफारेवड़ी-सी, शोक से भरी हुई, वह रामचन्द्र की धर्मपत्नी-भगवती सीता, चिरकाल तक, अशोकतरु की जड़ में निवास करती रही। यहाँ 'अशोकमूल में बसती हुई शोक से भरी' इस उक्ति से विरोधा-

भास अलङ्कार व्यक्त होता है। सीता न कहकर 'रामयोषा' कहने से यह अभिव्यक्त होता है कि 'जब सब कुछ कर सकने में समर्थ भगवान् रामचन्द्र की प्रेयसी भी इस तरह की विपत्ति में आ फँसी, तब दुर्दैव का दुर्विलास ही बलवान् है।' जिस धर्म के कारण सीता में कलाधरकला और लवलीलता का सादृश्य कहा गया है, वह साधारण धर्म यहाँ उक्त नहीं है, अतः धर्मलुप्ता होती है।

धर्मलुप्तामधिकृत्य विचारमेकं प्रस्तौति—

'ग्रीष्मचण्डकरमण्डल' इति प्रागुदाहृते पूर्णाया उदाहरणे प्रावृषेण्यो वारिधर इव यो वृष्णिवरेण्यः स मे वेदनां हरत्विति वृष्णिवरेण्यमात्रगतत्वेन वेदनाहरणकर्तृत्वं विवक्षितम्, वारिधरसादृश्यं च श्यामत्वादिना यदि, तदा तत्राप्येषा बोध्या।

श्यामत्वादिनेति। विवक्षितमित्यनुषङ्गः। तत्रापि 'ग्रीष्मचण्ड-' इति पद्येऽपि। एषा धर्मलुप्तोपमा। ग्रीष्मचण्डेति पद्ये 'मेघो यथा सन्तप्तस्य वेदनां हरति, तथा यादवश्रेष्ठो हरिः मे वेदनां हरतु' इति वक्तृतात्पर्यावधारणेन वेदनाहरणकर्तृत्वात्मकमुक्तं साधारणधर्ममादाय प्राक् पूर्णात्वमुक्तम्, इदानीं च 'मेघ इव यो हरिः स मे वेदनां हरतु' इति तात्पर्यावधारणे वेदनाहरणकर्तृत्वं हरिमात्रान्वयि न साधारणधर्मः, एवञ्च मेघहर्योः सादृश्यं श्यामत्वादिनाऽनुक्तेनैव धर्मेण वक्तव्यं स्यात्, अतस्तथात्वे तत्रापि धर्मलुप्तोपमैव न पूर्णोपमेत्युच्यते इति भावः।

धर्मलुप्ता के आधार पर एक विचार किया जाता है—ग्रीष्म इत्यादि। 'ग्रीष्मचण्ड—' यह पद्य पहले पूर्णोपमा के उदाहरणरूप में लिखा जा चुका है अर्थात् 'जैसे वर्षाकालिक मेघसंतप्त जन की वेदना का हरण करता है, वैसे यादवों में श्रेष्ठ-हरि, मेरी वेदना का हरण करें' ऐसा अभिप्राय वक्ता का माना गया है। तदनुसार, वेदनाहरणकर्तृत्वरूप साधारण (मेघ और हरि दोनों में रहने वाले) धर्म के उक्त रहने से पूर्णोपमा ठीक थी। परन्तु 'मेघ के समान जो हरि, वह, मुझ सन्तप्त की वेदना का हरण करें' ऐसा अभिप्राय यदि वक्ता का माना जाय, तब तो 'वेदनाहरणकर्तृत्व' साधारण धर्म हो नहीं सकता, क्योंकि इस अभिप्राय के अनुसार, वह केवल हरि में अन्वित होता है—मेघ में उसका सम्बन्ध रह नहीं जाता, अतः अगत्या मेघ और हरि का सादृश्य 'श्यामत्व आदि' धर्म—जो उक्त नहीं है-से ही कहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वह पद्य भी धर्मलुप्तोपमा का ही उदाहरण होगा, पूर्णोपमा का नहीं।

तत्र पूर्णोपमास्वीकारे लुप्तोपमास्वीकारे च यो विशेषस्तं दर्शयति—

इयांस्तु विशेषः—यत्पूर्णायां वृष्णिवरेण्यमात्रमुद्दिश्य प्रावृषेण्यवारिधरसादृश्यप्रयोजकं तादृशवारिधरसादृश्याभिन्नं वा वेदनाहरणकर्तृत्वं विधेयमित्युपमाविधेयिका धीः। धर्मलुप्तायां तु वारिधरसादृश्यावच्छिन्नवृष्णिवरेण्यमुद्दिश्य वेदनाहरणकर्तृत्वमात्रं विधेयमित्युपमोद्देश्यतावच्छेदिका।

सादृश्यमतिरिक्तः पदार्थ इति मतमनुसृत्याह—प्रावृषेण्य इति। सादृश्यं धर्मरूपमेव नातिरिक्तः पदार्थ इति मतमनुसृत्याह—तादृशेति। प्रावृषेण्येत्यर्थः। अवच्छेदिकेत्यस्येतीति शेषो बोध्यः। अयं भावः—'ग्रीष्मचण्ड-' इति पद्ये पूर्णोपमायामङ्गीक्रियमाणायां 'मेघसादृश्यप्रयोजकं मेघसादृश्याभिन्नं वा यत् वेदनाहरणकर्तृत्वम्, तद्वान्, हरिः इति

नैयायिकरीत्या, प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यको बोधो भवति। तत्र च बोधे केवलो न तु विशेषणविशिष्टः हरिरुद्देश्यतया, भासते, 'सादृश्यमतिरिक्तः पदार्थ' इति मते मेघसादृश्य-प्रयोजकम्, 'सदृशस्य भावः सादृश्यं धर्मरूपम् नातिरिक्तः पदार्थ' इति मते च मेघसादृश्याभिन्नं वेदनाहरणकर्तृत्वम् (वेदनाहरणम्) च लोडर्थविधेयतया भासते। सादृश्यमेव चोपमा अत एव उपमा विधेया यस्मिन् तादृशः स शाब्दबोधो व्यपदिश्यते। तत्र पुनः लुप्तोपमायां स्वीक्रियमाणायां 'मेघसदृशो हरिः, वेदनाहरणकर्तृतावान्' इति नैयायिकाभिमतो बोधः। तत्र च बोधे हरिरुद्देश्यभूतः इति तद्विशेषणीभूतम् उपमापर्यवसायि सादृश्यमुद्देश्यतावच्छेदकतया भासते, अतः उपमा उद्देश्यतावच्छेदिका कथ्यते इति।

उक्त पद्य में पूर्णोपमा मानने पर तथा लुप्तोपमा मानने पर जो अन्तर होता है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं—इयांस्तु विशेष इत्यादि। उक्त रीति से उक्त पद्य में पूर्णोपमा मानने पर, पद्यवाक्य से 'हरि, मेघ के समान वेदनाहरणकर्ता होवे' ऐसा बोध होता है। इस बोध में केवल निर्विशेषण हरि होता है उद्देश्य और वेदनाहरणकर्तृत्व (वेदनाहरण) विधेय। यह विधेयभूत वेदनाहरणकर्तृत्व, एक (सादृश्य एक अतिरिक्त पदार्थ है, इस) मत के अनुसार मेघ के सादृश्य का प्रयोजक-सम्पादक-है, और दूसरे (सदृश का भाव-धर्म-है सादृश्य, अतिरिक्त पदार्थ नहीं, इस) मत के अनुसार सादृश्यरूप ही है। उभयथा-उक्त बोध में सादृश्य, विधेय होता है। और सादृश्य ही उपमा है। अतः यह बोध उपमाविधेयक कहा जायगा। लुप्तोपमा मानने पर तो उक्त श्लोकवाक्य से होनेवाला बोध उपमाविधेयक नहीं कहा जा सकेगा। कारण, उस दशा में जो 'मेघसदृश हरि, मेरी वेदना का हरणकर्ता होवे' यह बोध होगा, उसमें मेघ के सादृश्य से विशिष्ट हरि होगा उद्देश्य और केवल वेदनाहरणकर्तृत्व विधेय, अतः सादृश्य-अर्थात् उपमा, उद्देश्यता का अवच्छेदक होगी विधेय नहीं। तात्पर्य यह कि लुप्तोपमा की रीति से होनेवाले वाक्यार्थबोध में उपमा उद्देश्यभाग में आ जायगी, विधेयभाग में नहीं।

वाक्यगतामार्थीं धर्मलुप्तोपमामुदाहर्तुमाह—

धर्मलुप्ता आर्थी वाक्यगता यथा—

व्याख्या प्राग्वत्।

वाक्यगत आर्थी धर्मलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरणं निदिश्यते—

'कोपेऽपि वदनं तन्वि तुल्यं कोकनदेन ते।
उत्तमानां विकारेऽपि नापैति रमणीयता॥'

नायको मानिनीं ब्रूते—तन्वि! दुर्बलाङ्गि! ते तव, वदनं मुखम्, कोपेऽपि क्रोधावस्थायामपि, स्वस्थावस्थायां तु वक्तव्यमेव किमिति भावः, कोकनदेन रक्तकमलेन, तुल्यम् समानं, वर्तत इति शेषः। सामान्येनोक्तमर्थविशेषं समर्थयति—उत्तमानाम् इति। विकारेऽपि कुतश्चन कारणात् विकृतिप्राप्तावपि, उत्तमानां स्वभावतः सुन्दराणां पदार्थानां, रमणीयता सौन्दर्यं, नापैति न दूरं गच्छतीत्यर्थः। अत्र वदनकोकनदयोः सादृश्यप्रयोजकसाधारणधर्मस्यानुक्तत्वाद्धर्मलुप्तत्वम्, तुल्यपदेन सादृश्याभिधानादार्थीत्वम्, समासाभावाद् वाक्यगतत्वञ्चोपमाया बोद्धव्यम्।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—कोपेऽपि इत्यादि। नायक, मानिनी नायिका से कहता है—हे दुर्बल अङ्गोंवाली! तेरा मुख क्रोधावस्था में भी रक्तकमल के समान है। ऐसा होना समुचित भी है। कारण, विकृत होने पर भी उत्तम पदार्थों का सहज सौन्दर्य नष्ट नहीं होता। यहां उपमा तथा अर्थान्तरन्यास इन दोनों अलङ्कारों की संसृष्टि है। रक्त-कमल तथा मुख को तुल्य सिद्ध करनेवाले रक्तता-कोमलता आदि धर्म उक्त नहीं हैं, अतः यहाँ की उपमा धर्मलुप्ता कही जाती है। इसी तरह 'तुल्य' पद से सादृश्य का प्रतिपादन होने से वह आर्थी तथा असमस्त वाक्य में रहने से वाक्यगत भी मानी जाती है।

एकस्मिन्नेव पद्ये समासगतां श्रौतीम् आर्थीम्, तद्धितगतामार्थीञ्च धर्मलुप्तोपमामुदाहर्तुमाह—

धर्मलुप्ता समासगा श्रौत्यार्थी तद्धितगार्थी च यथा—

श्रौत्या आर्थ्याः समासगतायाश्च आर्थ्यास्तद्धितगताया धर्मलुप्तोपमायाः प्रकारोऽभिधीयत इति भावः।

समासगत श्रौती-आर्थी और तद्धितगत आर्थी धर्मलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'सुधेव वाणी वसुधेव मूर्त्तिः सुधाकरश्रीसदृशी च कीर्तिः।
पयोधिकल्पा मतिरासफेन्दोर्महीतलेऽन्यस्य नहीति मन्ये॥'

कविः कथयति—सुधा अमृतम्, इव, वाणी वाक्, वसुधा पृथ्वी, इव, मूर्तिः स्वरूपम्, सुधाकरस्य चन्द्रस्य, श्रिया कान्त्या, सदृशी समाना, कीर्तिः यशः, पयोधिकल्पा समुद्रतुल्या, मतिः बुद्धिश्च महीतले यदि कस्यचिदस्ति तर्हि, आसफेन्दोः आसफखाननाम्ना प्रसिद्धस्य नव्वावस्यैव, अन्यस्य, न, इति मन्ये सम्भावयामीत्यर्थः। अस्मिन् पद्ये सुधेव वसुधेवेत्युभयत्र समासगता श्रौती धर्मलुप्तोपमा, 'इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च' इति समासाश्रयणात्, 'इव'पदेन सादृश्याभिधानात्, माधुर्यगाम्भीर्यादेः साधारणधर्मस्यानुक्तत्वाच्च। 'सुधाकरश्रीसदृशी'त्यत्र च समासगता आर्थी धर्मलुप्तोपमा, श्रिया सदृशीति तृतीयासमासात, सदृशपदेन सादृश्यप्रतिपादनात्, निर्मलत्वादेः समानधर्मस्यानभिधानाच्च। 'पयोधिकल्पे'त्यत्र तद्धितगता आर्थी धर्मलुप्तोपमा, तुल्यार्थककल्पप्रूपतद्धितप्रत्ययेन सादृश्यस्य बोधात् धीरत्वादेः समानधर्मस्याकथनाच्चेति भावः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—सुधेव इत्यादि। कवि का कथन है कि इस धरातल पर, अमृत-सी वाणी, पृथिवी-सी मूर्ति, चन्द्रकान्ति-सी कीर्ति और समुद्र-सी बुद्धि यदि किसी की है, तो नवाब आसफखान की ही, दूसरे की नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। इस पद्य में 'सुधा इव तथा वसुधा इव' इन दोनों अंशों में 'इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च' इस वार्तिक से समास होने के कारण, समासगत, 'इव' पद से सादृश्य का प्रतिपादन रहने से श्रौती और माधुर्य, गाम्भीर्य आदि साधारण धर्म की उक्ति न रहने से धर्मलुप्ता उपमा होती है। 'सुधाकरश्रीसदृशी' इस अंश में 'श्री' पद का 'सदृशी' पद के साथ तृतीयासमास होने से समासगत, 'सदृश' पद से सादृश्य-कथन के कारण आर्थी और निर्मलत्व आदि धर्म के अकथन से धर्मलुप्ता उपमा मानी जाती है। 'पयोधि-

कल्पा' इस अंश में कल्पप्रूप तद्धितप्रत्यय से सादृश्य के बोध होने से तद्धितगत तथा आर्थी और धैर्य आदि धर्म की अनुक्ति से धर्मलुप्ता उपमा कही जाती है।

ननु कल्पप्प्रत्ययस्येषदसमाप्त्यर्थे विधानात् कथं 'पयोधिकल्पे'त्यंशे उपमा, सादृश्यस्य तत्स्वरूपत्वादित्यत आह—

ईषदसमाप्तिरपि भङ्ग्यन्तरेण सादृश्यमेव।

भङ्ग्यन्तरेणेति। शैलीभेदेनेत्यर्थः। पयोधिकल्पेत्यत्र कल्पप्प्रत्ययः ईषदसमाप्त्यर्थे विहितस्तथा च 'मतिः पयोधेरीषन्न्यूने'ति शब्दार्थो बुध्यत इति यद्यपि सत्यम्, तथापि ईषन्न्यूनत्वं सादृश्य एव पर्यवस्यतीति भावः।

कल्पप्प्रत्यय का विधान, 'ईषत् असमाप्ति अर्थात् थोड़ा कम होना' अर्थ में होता है, अतः उससे सादृश्य का बोध होगा नहीं फिर 'पयोधिकल्पा' इस अंश में उपमा कैसे मानी जा सकती है? इस शङ्का का उत्तर देते हैं—ईषदसमाप्ति इत्यादि। उक्त शङ्का आपकी ठीक नहीं है। कारण, 'थोड़ा कम होना' भी दूसरे ढङ्ग से सादृश्य ही है। तात्पर्य यह कि जहाँ लोग 'कमल के समान मुख' ऐसा बोलते हैं, वहाँ ऐसा भी कहा जा सकता है कि 'मुख, कमल से थोड़ा ही कम है।' अर्थात् दोनों वाक्यों से समानता का ही बोध होता है, केवल कहने की शैली भिन्न है।

समासगतां वाचकलुप्तोपमां दर्शयति—

वाचकलुप्ता समासगा—'दलदरविन्दसुन्दरम्' इति प्रागुदाहृते पद्ये।

समामान्यत उपमालङ्कारोदाहरणप्रदर्शनावसरे 'गुरुजनभय···' इति पद्यमुल्लिखितम्, तच्च भेदविशेषविचारे समासगतवाचकलुप्तोपमाया एवोदाहरणं भवितुमर्हति, 'दलदरविन्दसुन्दर'मित्यत्र सादृश्यप्रतीतावपि तद्वाचकविरहात्।

समासगत वाचकलुप्तोपमा का उदाहरण है पूर्व में उल्लिखित 'गुरुजनभय···' इत्यादि पद्य का 'दलदरविन्दसुन्दरम् अर्थात् कुछ विकसित होनेवाले कमल क समान सुन्दर' यह अंश। तात्पर्य यह कि यहाँ वाचक-'इव-तुल्य' आदि के विना ही समास की महिमा से सादृश्य की प्रतीति होती है, अतः यहां की उपमा वाचकलुप्ता मानी जायगी।

वाचकलुप्ताया भेदान्तराण्युदाहर्तुमाह—

कर्माधारक्यच्गता क्यङ्गता च यथा—

कर्मार्थकक्यच्गतायाः आधारार्थकक्यच्गतायाः क्यङ्गतायाश्च वाचकलुप्तोपमायाः प्रकारः प्रदर्श्यत इति भावः।

कर्मार्थक तथा आधारार्थक क्यच्प्रत्यय और क्यङ्प्रत्यय के द्वारा सम्पन्न होनेवाली वाचकलुप्तोपमा का प्रकार दिखलाया जाता है—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'मलयानिलमनलीयति मणिभवने काननीयति क्षणतः।
विरहेण विकलहृदया निर्जलमीनायते महिला॥'

दूती नायकनिकटे विरहिण्या दशां वर्णयति—(सा) महिला नायिका, मलयानिलम् मलयाचलपवनम् दक्षिणानिलमिति यावत, अनलीयति अनलम् = अग्निम् इव आचरति, अग्निसदृशं तस्मिन् चेष्टते इति भावः, मणिभवने मणिमयप्रासादे, काननीयति

कानने = वने इव आचरति, वनमध्यगतेव तत्र व्यवहरतीति भावः (फलतः) क्षणतः विरहेण क्षणिकप्रियवियोगेन, विकलहृदया = व्याकुलचित्ता, सा, निर्जलमीनायते निर्जले = जलशून्यप्रदेशे स्थितो यः मीनः = मत्स्यः स इवाचरतीत्यर्थः। अथवा कविकृतं सामान्यविरहिणीवर्णनमिदम्। अत्र कल्पे 'सा' इति नाध्याहार्यम्।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—मलयानिल इत्यादि। दूती, नायक से, विरहिणी नायिका की दशा का वर्णन करती है—क्षणिक प्रियविरह से व्याकुलहृदयवाली (वह) नायिका, मलयपवन के साथ अग्नि का सा आचरण करती है—दक्षिण दिशा से आने वाली हवा को अग्नितुल्य समझती है और मणिनिर्मित प्रासाद में वैसा ही आचरण करती है जैसा वन में किया जाता है—मणिभवन में रहना वन में रहने के समान उसे प्रतीत होता है। फलतः यही कहना पड़ता है कि वह जलरहित स्थान में पड़ी हुई मछली के समान, सभी आचरण करती है—बेतरह छटपटा रही है। अथवा सामान्य विरहिणी के विरहदशावर्णन-प्रसङ्ग में कवि की यह उक्ति है। इस पक्ष में 'वह' इस, किसी खास नायिका के बोधक पद का अध्याहार नहीं करना पड़ेगा। पद्य का स्वारस्य ऐसा ही प्रतीत होता है, अतएव कवि ने पद्य में कहीं 'सा' नहीं कहा है।

उपपादयति—

अत्रानलमिवाचरतीत्यर्थेऽनलशब्दात् 'उपमानादाचारे' इति सूत्रेण, कानन इवाचरतीत्यर्थे काननशब्दाच्च तत्सूत्रस्थेन 'अधिकरणाच्च' इति वार्तिकेन क्यच्। निर्जलमीनशब्दाच्च 'कर्तुः क्यङ् सलोपश्च' इति क्यङ्।

अत्रेति। 'मलयानिल···' इत्यादिपद्ये इत्यर्थः। अन्यत् निगदव्याख्यातमेव। एवञ्च 'अनलीयती'ति कर्मक्यज्गतायाः, 'काननीयती'त्याधारक्यज्गतायाः, 'निर्जलमीनायते' इति च क्यङ्गताया वाचकलुप्तोपमाया उदाहरणानि भवन्तीति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्रानल इत्यादि। यहाँ 'अग्नि के समान आचरण करती है' इस अर्थ में अनल शब्द से और 'वन में जैसा आचरण किया जाता है वैसा व्यवहार करती है' इस अर्थ में, सप्तम्यन्त होने के कारण अधिकरणार्थक कानन शब्द से 'क्यच्' प्रत्यय होता है। दोनों जगहों पर क्यच्प्रत्ययविधायक क्रमशः 'उपमानादाचारे' यह सूत्र और उसी सूत्र का 'अधिकरणाच्च' यह वार्तिक है। निर्जलमीन शब्द से 'निर्जल स्थान में रहनेवाले मत्स्य का सा आचरण करती है' इस अर्थ में 'क्यङ्'प्रत्यय होता है। प्रत्ययविधायक सूत्र है 'कर्तुः क्यङ् सलोपश्च'। सारांश यह कि 'अनलीयति' यह कर्मक्यज्गत, 'काननीयति' यह आधारक्यज्गत और 'निर्जलमीनायते' यह क्यङ्गत, वाचकलुप्तोपमा के उदाहरण होते हैं।

ननु कथमिह वाचकलुप्तात्वम्, क्यच्क्यङ्प्रत्यययोर्वाचकयोर्वर्तमानत्वादित्यत आह—

आचारमात्रार्थकतया क्यच्क्यङोः प्रकृत्यैव लक्षणया स्वस्वार्थसादृश्यप्रतिपत्तिरिति नये सादृश्यवाचकाभावाद् वाचकलुप्ता। अनलीयतीत्यादिसमुदायस्यैवानलादिसादृश्यप्रयोजकाचरणकर्तृशक्तत्वमिति नयेऽपि सादृश्यसादृश्यविशिष्टमात्रवाचकाभावाद्वाचकलुप्ता।

क्यच्क्यङ्प्रत्ययावाचारमात्रस्य वाचकौ न सादृश्यस्य। न चैवं कथं तत्प्रत्ययस्थले सदृशाचारप्रतीतिरिति वाच्यम्, तत्प्रत्ययप्रकृतीनां स्वार्थसदृशे लाक्षणिकत्वात्। अर्थात्

'अनलीयती'त्यादौ प्रत्ययभागतः केवलाचारस्यैव बोधः, प्रकृतिभागतश्च अनलसदृशादेरर्थस्य । तथा चात्र सादृश्यलक्षकस्य स्थितावपि सादृश्यवाचकस्य स्थितिर्नास्त्येवेति वाचकलुप्तता सुस्थेति भावः । ननु नेदं युक्तम् , अत्र मते इवादीनां द्योतकतानये सर्वत्रैव वाचकाभावाद्वाचकलुप्तात्वापत्तेः, 'चन्द्रप्रतिपक्षमाननम्' इत्यत्रापि तदापत्तेश्च, प्रतिपक्षपदेन सादृश्यस्य लक्ष्यत्वादित्यतः समाधानान्तरमाह—अनलीयतीत्यादीति । अयं भावः उपमाङ्गभूत 'वाचक' पदेन यथाकथंचित् सादृश्यप्रतिपादका एव गृह्यन्ते, अत एव द्योतकानामिवादीनां लक्षकाणां प्रतिपक्षादिपदानां च सत्त्वेन वाचकलोपव्यवहारः तथा च प्रकृते क्यच्क्यङ्प्रकृतिभ्यां लक्षणयाऽपि सादृश्यप्रतिपत्तौ वाचकलोपव्यवहारः कथमिति शङ्का यद्यपि युक्ता, तथापि 'वाचक' इति शब्देन सादृश्य-सादृश्यविशिष्टान्यतरमात्रबोधका एव विवक्षिताः । क्यच्क्यङ्प्रकृतयस्तु स्वार्थसादृश्यविशिष्टलक्षका इति न तावन्मात्रबोधकाः, अतस्तत्सत्त्वेऽपि वाचकलोपव्यवहारः । एवञ्च उक्तान्यतरमात्रबोधकाभाव एव वाचकलोप इति तत्त्वम् , अत एव च 'अनलीयति' इत्यादौ न प्रकृतिप्रत्यययोः पृथक् पृथक् अर्थे शक्तिर्लक्षणा वा, अपि तु प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्यैव अनलादिसदृशाचरणकर्तृरूपार्थे शक्तिरिति मतेऽपि न दोषः, आचारादिरूपाधिकस्याप्यर्थस्य बोधकतया उक्तान्यतरमात्रबोधकाभावरूपवाचकलोपस्य साम्राज्यात् इति ।

वाचकलुप्ता यहाँ कैसे हुई इस आशङ्का का समाधान करते हैं—आचार इत्यादि । तात्पर्य यह है कि 'अनलीयति' इत्यादिकों में जब 'अनल के समान आचरण करनेवाला' इस अर्थ में क्यच्प्रत्यय होता है, तब तो सादृश्य का वाचक वह क्यच्प्रत्यय ही हो गया फिर वहाँ 'वाचकलुप्ता' कैसे इस आशङ्का के दो उत्तर हो सकते हैं । एक यह कि 'क्यच् अथवा क्यङ् प्रत्यय, केवल आचार अर्थ के वाचक हैं, सादृश्य की प्रतीति, उन प्रत्ययों के प्रकृतियों (अनल आदि शब्दों) की स्वार्थ-(अनल आदि)-सदृश अर्थ में लक्षणा होने के कारण होती है' इस नैयायिकों के मत में सादृश्य का वाचक कोई नहीं हुआ अर्थात् प्रकृतिभाग भी सादृश्य का लक्षक ही हुआ, वाचक (अभिधावृत्ति के द्वारा बोधक) नहीं, अतः इन प्रत्ययों के रहने पर वाचकलुप्तता का व्यवहार समुचित ही है । दूसरा यह कि केवल सादृश्य अथवा केवल सादृश्यविशिष्ट अर्थ के बोधक पद का न रहना ही यहाँ 'वाचकलोप' कहा जाता है अर्थात् सादृश्य अथवा सादृश्यविशिष्ट (सदृश) का बोधक पद यदि साथ-साथ किसी अन्य अर्थ का भी बोधक हो, तब उसके रहने पर भी सादृश्यवाचक का अभाव ही समझा जायगा, तदनुसार उक्त मत में प्रकृतिभाग के लक्षणा द्वारा सादृश्यबोधक होने पर भी उसके साथ-साथ अनल आदि स्वार्थ का भी बोधक हो जाने से वाचकलुप्तता हो जाती है । वस्तुतः यही उत्तर ठीक है,-पहला नहीं, क्योंकि यदि वाचक का अर्थ अभिधाशक्ति द्वारा सादृश्यप्रतिपादक किया जाय और तदनुसार सादृश्यलक्षक पद के रहने पर वाचकलोप माना जाय, तब तो 'नलिनप्रतिपक्षमाननम्' अर्थात् कमल के प्रतिद्वन्द्वी मुख' इत्यादि में भी वाचकलुप्ता उपमा मानी जानी चाहिये, क्योंकि 'प्रतिपक्ष पद सादृश्य का वाचक नहीं लक्षक है और निपातद्योतक है' इस मत में इव आदि के रहने पर भी वाचकलुप्ता का व्यवहार होने लगेगा । अतः 'वाचक' का अर्थ किसी भी तरह सादृश्य का प्रतिपादक होता है, केवल अभिधा द्वारा प्रतिपादक नहीं, अतः उक्त स्थानों में वाचकलुप्ता नहीं हो सकती । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि तभी कोई पद सादृश्य का वाचक माना जायगा, जब

वह केवल सादृश्य अथवा सदृश का बोधक रहेगा। अत एव 'अनलीयति' इत्यादि प्रयोगों में 'प्रकृति-प्रत्ययसमुदाय की ही 'अनल आदि के सदृश आचरण कर्ता'रूप अर्थ में अभिधाशक्ति है, प्रकृतिप्रत्यय, पृथक् पृथक् अर्थ के वाचक अथवा लक्षक नहीं हैं' इस वैयाकरणाभिमत पक्ष में भी आपत्ति नहीं होती अर्थात् इस मत के अनुसार भी यहाँ वाचकलुप्तता ठीक हो जाती है। कारण, इस मत के अनुसार उक्त प्रकृतिप्रत्यय-समुदाय, केवल सादृश्य किंवा सदृश का बोधक नहीं होता, अपितु उससे अधिक आचार आदि का भी बोधक होता है।

वाचकलुप्तोपमाया एव भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

कर्तृकर्मणमुल्गता यथा—

कर्त्रर्थकणमुल्प्रत्ययप्रतिपाद्यायाः कर्मार्थकणमुल्प्रत्ययप्रतिपाद्यायाश्च वाचकलुप्तोपमायाः प्रकारः प्रदर्श्यत इति भावः।

कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य णमुल्प्रत्ययों के द्वारा सिद्ध होनेवाली वाचकलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'निरपायं सुधापायं पयस्तव पिबन्ति ये।
जह्नुजे निर्जरावासं वसन्ति भुवि ते नराः ॥'

जह्नुजे! गङ्गे! ये नराः, निरपायं निष्प्रत्यूहं निरन्तरमिति यावत्, क्रियाविशेषण-मेतत्, तव गङ्गायाः, पयः जलम्, सुधापायम् सुधामिव, पिबन्ति, ते, नराः, भुवि भूलोक एव, निर्जरावासम् निर्जरा देवास्ते इव, वसन्ति सुखेन निवासं कुर्वन्तीत्यर्थः।

किसी भक्त की उक्ति है—हे गङ्गे! जो मनुष्य अमृत के समान तेरे जल का निर्विघ्न पान करते हैं, वे धरातल पर, देवताओं की तरह, वास करते हैं।

उपपादयति—

अत्र सुधापायमिति सुधामिव, निर्जरावासमिति निर्जरा इवेति 'उपमानात् कर्मणि च' इति कर्मणि चकारात्कर्तर्युपममाने उपपदे णमुल्।

अत्र 'निरपायम्……' इति पद्ये। सुधापायमितीति। इत्यत्रेत्यर्थः। सुधामिवेति अस्य 'कर्मणि उपपदे' इत्यत्रान्वयः। अग्रेऽप्येवमेव। सुधामिवेति कर्मणि उपमाने उपपदे सुधापायमित्यत्र, निर्जरा इवेति कर्तरि उपमाने उपपदे निर्जरावासमित्यत्र च क्रमशः पाधातोः वस्धातोश्च 'उपमानात् कर्मणि च' इति पाणिनिसूत्रेण णमुलप्रत्ययो भवति। तथा च पूर्ववत् णमुलः सादृश्यतद्विशिष्टान्यतरवाचकत्वविरहात् वाचकलुप्तेति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। यहाँ 'सुधापायम्' में सुधारूप कर्म उपमान के उपपद (समीपवर्ती पद) रहते और 'निर्जरावासम्' में निर्जररूप कर्ता उपमान के उपपद रहते 'उपमानात् कर्मणि च' इस पाणिनिसूत्र से णमुल् प्रत्यय हुआ है। यद्यपि उक्त सूत्र में 'कर्ता' का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि 'च' से उसका संग्रह होता है। अतः 'सुधापायम्' का सुधा की तरह और 'निर्जरावासम्' का निर्जर-देवता की तरह अर्थ होता है। इस तरह सादृश्य अथवा सदृशमात्र का वाचक णमुल् हुआ नहीं, अतः इस उपमा को वाचकलुप्ता कहते हैं।

एवमेकलुप्तामुदाहृत्य द्विलुप्तामुदाहर्तुमाह—

धर्मोपमानलुप्ता वाक्यगा समासगा च यथा—

धर्मः उपमानञ्च यत्र लुप्ते तिष्ठतः, तादृश्या वाक्यगतायाः समासगतायाश्चोपमायाः प्रकारः प्रदर्श्यत इति भावः ।

धर्मोपमानलुप्ता—अर्थात् जिसमें साधारण धर्म तथा उपमान दोनों लुप्त रहते हैं ऐसी—वाक्यगत और समासगत उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'गाहितमखिलं विपिनं परितो दृष्टाश्च विटपिनः सर्वे ।
सहकार न प्रपेदे मधुपेन तथापि ते समं जगति ॥'

कविराचष्टे—हे सहकार सुगन्धिरसाल ! मधुपेन भ्रमरेण, यद्यपीत्यध्याहारलब्धम् , अखिलम् सम्पूर्णम् , विपिनम् वनम् , गाहितमालोडितम् , परितः चतुर्दिक्षु, सर्वे विटपिनस्तरवः, दृष्टा अवलोकिताश्च, तथापि, जगति संसारे, ते तव, समं समानं वस्तु, न प्रपेदे नोपलब्धम् इत्यर्थः । अप्रस्तुतप्रशंसेयम् , अप्रस्तुतात् भ्रमराम्रवृत्तान्तात् प्रस्तुतस्य गुणितद्गवेषकयोः वृत्तान्तस्य प्रतीतेः । अत्र 'ते समं न प्रपेदे' इत्युक्त्या 'तव सदृशः कश्चित्पदार्थो भ्रमरागोचरे स्थलेऽस्त्यवश्यम्' इत्यर्थप्रतीत्या उपमा, सा च धर्मलुप्ता, अगोचरोपमानप्रतियोगिकोपमेयसहकारानुयोगिकसादृश्यप्रयोजकसाधारणधर्मस्यानुपादानात् उपमानलुप्ता च, उपमानस्य स्पष्टमनुल्लेखात् । तथा चाप्रस्तुतप्रशंसोपमयोः सङ्कर इति भावः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—गाहित इत्यादि । कवि का कथन है—हे सहकार-सुगन्धित आम ! भ्रमरों ने सम्पूर्ण कानन छान डाला और चारों तरफ सभी तरु देख डाले, तथापि, संसार में, तेरे जैसा एक पदार्थ भी नहीं पाया । यह है 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' क्योंकि अप्रस्तुत भ्रमर तथा आम के वृत्तान्त से, प्रस्तुत गुणी तथा उसके अन्वेषक का वृत्तान्त ज्ञात होता है । और उस अप्रस्तुतप्रशंसा का पोषक है 'समम्' पद से वाच्य उपमा, जिसमें उपमान और उसका वह धर्म–जो उपमेय-आम-में भी रहनेवाला हो–लुप्त है, अतः यह धर्मोपमानलुप्ता हुई ।

उक्ताकारके 'गाहितम्‌···' इत्यादिपद्ये उपमाया वाक्यगतत्वमेव । तथा च अवतरणे 'समासगा चे'ति कथनं विरुद्धम् , अतः पाठान्तरेण समासगतत्वमुपपादयति—

'तथापि ते समम्' इति हित्वा 'भवत्समम्' इति यद्यार्या शुद्धैव विधीयते तदेदमेवोदाहरणं समासगायाः ।

शुद्धैवेति । प्रथमपाठे गीतिः, आर्याविकृतिरूपा परिवर्तितपाठे च शुद्धा आर्या इति भावः । 'तथापि ते समम्' इत्यस्य स्थाने 'भवत्समम्'इति पाठाश्रयणे समासगतधर्मोपमानलुप्तोपमाया उदाहरणं बोध्यमिति भावः ।

'गाहित' इत्यादि पद्य को ही पाठभेद के द्वारा समासगत धर्मोपमानलुप्तोपमा का उदाहरण बनाते हैं—तथापि इत्यादि । उक्त पद्य में 'तथापि ते समम्' की जगह पर यदि 'भवत्समम्' पाठ कर दिया जाय, तब यह पद्य ही समासगत धर्मोपमानलुप्तोपमा का

उदाहरण हो जायगा। छन्दःशास्त्र की दृष्टि से दोनों पाठ ठीक होंगे, क्योंकि प्रथम पाठ के अनुसार 'गीति' छन्द होता है जो आर्या का विकृतरूप है और द्वितीय पाठ के अनुसार शुद्ध 'आर्या छन्द' हो जाता है।

वाचकधर्मलुप्तोपमामुदाहर्तुमाह—

वाचकधर्मलुप्ता क्विब्गता यथा—

वाचकः—सादृश्यप्रतिपादकः इवादिः, साधारणधर्मश्च लुप्तौ यत्र, तादृशोपमायाः क्विब्गतायाः प्रकार उच्यते इति भावः।

क्विप्प्रत्ययगत वाचकधर्मलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'कुचकलशेष्वबलानामलकायामथ पयोनिधेः पुलिने।
क्षितिपाल कीर्तयस्ते हारन्ति हरन्ति हीरन्ति॥'

कविः राजानं स्तौति—हे क्षितिपाल राजन्! ते तव, कीर्तयः यशांसि, अबलानां कामिनीनां, कुचकलशेषु कलशाकारेषु कुचेषु, हारन्ति हारवदाचरन्ति, अलकायाम् अलकानगर्याम्, हरन्ति हरवदाचरन्ति, एवम्, पयोनिधेः समुद्रस्य, पुलिने तटे, हीरन्ति हीरकवदाचरन्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—कुच इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे धराधीश! आप की कीर्तियाँ कामिनियों के कलशाकार कुचों पर हार (मोती की माला) के समान आचरण करती हैं, अलकापुरी में शिवजी के सदृश आचरण करती हैं और समुद्र के तट पर हीरों के तुल्य आचरण करती हैं।

उपपादयति—

अत्र हारहरहीरशब्दा आचारार्थके क्विपि लुप्ते धातवः। तत्र हारादिशब्दा लक्षणया हारादिसादृश्यं बोधयन्ति। लुप्तोऽपि स्मृतः क्विबाचारमिति पक्षे वाचकधर्मलोपः स्पष्ट एव। हारादिशब्दा एव लक्षणया तादृशसादृश्याभिन्नमाचारमिति पक्षे सादृश्यस्येव धर्मस्यापि तन्मात्रबोधकाभावाल्लोप एव।

अत्र 'कुच…' इत्यादि पद्ये। क्विपीति। 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः' इति। नामधातुस्थवार्तिकविहिते इत्यादिः। धातव इति। तथा च हारन्तीत्यादिप्रयोगसिद्धिरिति भावः। तत्र उक्तप्रयोगेषु। आचारमिति। बोधयतीति शेषः। तादृशेति। हारादीत्यर्थः। तदित्युचितम्।' अभिन्नमिति। सादृश्यस्य धर्मरूपत्वादिति भावः। हारहरहीरशब्देभ्यः आचारार्थकेषु क्विप्प्रत्ययेषु विहितेषु तेषां सर्वापहारलोपे 'सनाद्यन्ता धातवः' इति धातुत्वे हारहरहीरधातुभ्यः लडादौ हारन्ति, हरन्ति, हीरन्तीति च प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। तेषु प्रयोगेषु क्विप्प्रत्ययप्रकृतिभूता हारादिशब्दाः स्वार्थसादृश्ये लाक्षणिकाः, अतः हारादिसदृशमाचरणं कुर्वन्तीति तेषामर्था भवन्ति। एवञ्चात्र सादृश्यप्रतिपादकानां हारादिशब्दानां स्वार्थरूपसादृश्येतरार्थवाचकत्वेन केवलसादृश्यप्रतिपादकत्वाभावात् वाचकलोपः, आचाररूपसाधारणधर्मवाचकक्विप्लोपस्तु स्पष्ट एवेति उपमायाः वाचकधर्मोभयलुप्तता सिद्धा। ननु लुप्तोऽपि पुनः स्मृतः क्विप्प्रत्यय एव आचाररूपमर्थं बोधयतीति पक्षे तथा

वक्तुं शक्यत्वेऽपि 'यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी'ति रीत्या हारादिपदान्येव लक्षणया स्वार्थसादृश्यस्य प्रयोजकम् अभिन्नं वा आचारमपि बोधयन्तीति पक्षे न तथा वक्तुं शक्यम्, एतत्पक्षानुसारं साधारणधर्मरूपाचारबोधकानां हारादिपदानां वर्तमानतया धर्मलोपाभावादिति चेन्न, सादृश्यमात्रबोधका एव यथा प्रकृतशास्त्रे 'वाचकाः' कथ्यन्ते, तथैव धर्ममात्रबोधका एव धर्मवाचका विवक्षितास्तथा च हारादिशब्दा 'अधिकस्यापि प्रतिपादकतया न सादृश्यवाचका न वा धर्मवाचकाः अतो धर्मवाचकयोर्लोप इति विवक्षणीयत्वादिति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। यहाँ हार, हर और हीर शब्द से पहले आचार अर्थ में 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः' इस वार्तिक से क्विप् प्रत्यय होता है, जिसका पीछे लोप हो जाता है। इस तरह से वे शब्द 'सनाद्यन्ता धातवः' इस पाणिनिसूत्र से धातु संज्ञा हो जाने के कारण धातु बन जाते हैं। उन्हीं धातुओं से लट्–तिप् या तिङ्प्रक्रिया करके 'हारन्ति' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब यहाँ दो पक्ष हो सकते हैं जिनमें एक के अनुसार हार आदि शब्द लक्षणा के द्वारा हार आदि के सादृश्य के केवल बोधक होते हैं अर्थात् हार आदि शब्द से हारादिसादृश्य का बोध होता है, और 'आचार' का बोध लुप्त क्विप्प्रत्यय से ही स्मरण द्वारा होता है–अर्थात् लोप हो जाने के बाद भी स्मृत होकर क्विप्प्रत्यय ही 'आचार' का बोधक होता है। इस पक्ष में धर्म (आचार) का लोप स्पष्ट ही है–अर्थात् आचार का बोधक क्विप् का लोप हो चुका है। रहा वाचक-सादृश्यप्रतिपादक–का लोप, सो वह भी है ही क्योंकि केवल उसी (सादृश्य) का बोधक पद कोई नहीं है अर्थात् हार आदि शब्द लक्षणा के द्वारा केवल सादृश्य का बोध नहीं कराते अपितु हार आदि का भी। दूसरे पक्ष के अनुसार 'क्विप्' जब चला गया, तब उससे किसी अर्थ का बोध कैसा? फलतः हार आदि शब्द ही लक्षणा के बल से सादृश्य और आचार दोनों के अर्थात् हार आदि के सादृश्य से अभिन्न आचार के बोधक होते हैं। इस पक्ष में यद्यपि सामान्यतः आचार के बोधक हार आदि शब्द वर्तमान हैं, तथापि उनका लोप ही समझा जाता है। इस पक्ष में हम यह कहेंगे कि जिस तरह अन्य किसी अर्थ के साथ-साथ सादृश्य का भी बोधक पद के रहने पर भी केवल सादृश्य-बोधक पद के नहीं रहने से 'सादृश्य' का लोप समझा जाता है, उसी तरह अन्य अर्थ के साथ साधारण धर्म के बोधक पद के रहने पर भी केवल साधारणधर्मबोधक पद के नहीं रहने पर साधारण धर्म का लोप ही समझना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रकृत में हार आदि शब्द केवल आचार के बोधक नहीं हैं, अतः उनका लोप समझा जा सकता है।

वाचकधर्मलुप्तोपमाया भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

वाचकधर्मलुप्ता समासगा यथा—

समासगताया वाचकधर्मलुप्तोपमायाः प्रकारः प्रदर्श्यत इति भावः।

समासगत वाचकधर्म(उभय)लुप्ता यथा—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'शोणाधरांशुसंभिन्नास्तन्वि ते वदनाम्बुजे।
केसरा इव काशन्ते कान्तदन्तालिकान्तयः॥'

नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः—हे तन्वि! ते, वदनाम्बुजे कमलतुल्ये मुखे शोणस्य

रक्तवर्णस्य, अधरस्य निम्नरदनच्छदस्य, अंशुभिः किरणैः, सम्भिन्ना मिश्राः, कान्तानाम् कमनीयानां, दन्तानां दशनानाम्, आलेः पङ्क्तेः, कान्तयः प्रभाः, केसराः, इव काशन्ते।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—शोणा इत्यादि। नायक का कथन है—हे तन्वि ! कमलसदृश तेरे मुख में अरुणवर्ण अधर (निम्नोष्ठ) की कान्ति से मिश्रित कमनीय दन्तपङ्क्ति की कान्तियाँ केसरों की तरह प्रकाशित हो रही हैं।

उपपादयति—

अत्र वदनाम्बुजयोरभेदविवक्षया विशेषणसमासे दन्तालिकान्तीनां केसरसादृश्योक्तिरसङ्गता स्यात्। यतो ह्यम्बुजतादात्म्यसाधकं दन्तालिकान्तीनां केसरतादात्म्यं न तु केसरसादृश्यम्। उपमितसमासे तु वदनाम्बुजयोर्धर्मिणोरौपम्ये केसरदन्तालिकान्तीनामपि तद्धर्माणामौपम्योक्तिरुचितैव। अतोऽधिकरणतावच्छेदकोपमामादाय वाचकधर्मलुप्तोदाहृता। विधेयतावच्छेदिका तु पूर्णैव।

विशेषणसमास इति। मयूरव्यंसकेत्यादिसूत्रेणेति भावः। अधिकरणेति। वदनाम्बुजेत्यत्रत्यामित्यर्थः। अवच्छेदिका त्विति। उपमेति शेषः, कान्तयः केसरा इव काशन्ते इत्यत्रत्येति भावः। अयं भावः—'वदनाम्बुजे' रूपकमुपमा चेत्यलङ्कारद्वयं संभवति, वदनाम्बुजयोरभेदप्रतिपादनेच्छायां 'मयूरव्यंसकादयश्चे'ति विशेषणसमासकरणेन रूपकस्य, तयोः सादृश्यप्रतिपादनेच्छाया'मुपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इत्युपमितसमासविधानेन उपमायाश्च प्राप्तत्वात्। परन्तु उपमितसमासेनोपमैव स्वीकर्तुमुचिता, दन्तकान्तिकेसरयोरुपमायाः पद्योत्तरार्धोक्तायाः तत्रैव सङ्गतेः, रूपकाश्रयणे तु सा असङ्गतैव भवेत्। यतः रूपके मुखकमलयोस्तादात्म्यं प्रतीयेत, तथा चाग्रेऽपि दन्तकान्तिकेसरयोस्तादात्म्यरूपस्य मुखकमलतादात्म्यसाधकस्य रूपकस्यैवोक्तिरुचिता न चेत्तत्र रूपकमुक्तं कविना, तर्हि तत्रापि रूपकं नाश्रयणीयम्। फलतः वदनाम्बुजयोर्धर्मिणोरुपमितसमासाधीनोपमैव स्वीकरणीया, तथात्वे च तद्धर्माणां केसरदन्तालिकान्तीनाम् उपमानिबन्धः समुचित एव। एवञ्चात्रोपमाद्वयं सम्पद्यते, तत्र दन्तकान्त्यादेरधिकरणत्वेन उक्ते वदनाम्बुजपदार्थे विशेषणतया भासमाना (अधिकरणतावच्छेदिका) या उपमा, तामादाय पद्यमिदं वाचकधर्मलुप्तोपमाया उदाहरणम्, तत्र वाचकस्य इवादेः धर्मस्य सुन्दरत्वादेश्चानुपादानात्। विधेयकोटौ भासमाना दन्तकान्तिकेसरयोरुपमा तु पूर्णैव, उपमानभूतस्य केसरपदार्थस्य उपमेयभूतस्य दन्तकान्तिपदार्थस्य, सादृश्यस्य काशनरूपसाधारणधर्मस्य चोक्तेः। इति।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। स्पष्ट अभिप्राय यह है कि—इस पद्य में दो उपमायें हैं, एक वदनाम्बुज पद में, जो अधिकरणतावच्छेदक होती है, क्योंकि दन्तकान्ति और केसररूप धर्मों का आधार है वदन और अम्बुजरूप धर्मी, और उन धर्मियों की विशेषणकोटि में ही पड़ जाती है वह सादृश्यरूपा उपमा। दूसरी उपमा है 'दन्तकान्तियाँ केसर के समान प्रकाशित होती हैं' इस अंश में, जो विधेयतावच्छेदक होती है। कारण, उक्त धर्मीरूप उद्देश्य में विहित होनेवाले (विधीयमान) उक्त धर्म के विशेषणभाग में इस उपमा की स्थिति है। इन दोनों उपमाओं में द्वितीय तो

पूर्णा ही है अर्थात्-उपमान केसर, उपमेय दन्तावलीकान्ति, इवार्थ सादृश्य और प्रकाशित होना रूप साधारण धर्म इन चारों अङ्गों की उक्ति इस उपमा में है। फलतः यह उपमा, प्रकृत में (लुप्तोपमा का) उदाहरण नहीं हो सकती। अतः प्रथम अधिकरणतावच्छेदकीभूत उपमा को लेकर यहाँ वाचकधर्मलुप्ता का उदाहरण दिया गया है ऐसा समझना चाहिए। यदि आप कहें कि वदनाम्बुज में निश्चितरूप से उपमा मानी ही कैसे जा सकती है? कारण, वहाँ यदि मुख और कमल का तादात्म्य (अभेद) वक्ता का विवक्षित माना जाय, तब तो विशेषण अर्थात 'मयूरव्यंसकादयश्च' से समास मान कर मुखरूप कमल ऐसा रूपक भी माना जा सकता है, तो इसका समाधान है कि- नहीं, रूपक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तब दन्तकान्तियों में जो केसरसादृश्य का कथन है अर्थात् पद्य के उत्तरार्ध द्वारा जो केसर और दन्तकान्ति का सादृश्यमूलक उपमानोपमेयभाव वर्णित हुआ है, वह असङ्गत हो जायगा, क्योंकि मुख में अम्बुजतादात्म्य को अर्थात् तन्मूलक रूपक अलङ्कार को सिद्ध करनेवाला हो सकता है, दन्तकान्तियों में केसर का तादात्म्य अर्थात् तादात्म्यमूलक केसरदन्तकान्ति का रूपकात्मक वर्णन, न कि दन्तकान्ति में केसर का सादृश्य अर्थात् सादृश्यमूलक उन दोनों की उपमा, और है यहाँ उन दोनों की उपमा ही 'केसरा इव कान्तयः काशन्ते' इन शब्दों में वर्णित है। अतः यह सिद्ध होता है कि वदनाम्बुज में भी 'अम्बुज सा मुख' इस विग्रह से उपमित समास (उपमितं व्याघ्रादिभिः...सूत्र से समास) मानकर उपमा ही माननी चाहिये अर्थात् वदन में अम्बुज का सादृश्य ही कविविवक्षित वस्तु स्वीकृत होनी चाहिए, अम्बुजतादात्म्य नहीं और इस मान्यता के अनुसार कोई असङ्गति भी नहीं होती, क्योंकि वदनाम्बुजरूप धर्मी अंश में जब उपमा मान लेते हैं, तब उनके धर्म केसर तथा दन्तकान्ति में भी उपमा का वर्णन समुचित ही है। सारांश यह कि जब तक धर्म में तादात्म्य ज्ञात नहीं होता, तब तक धर्मी में वह ज्ञात नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में धर्मरूप केसर और दन्तकान्ति में जब स्पष्ट कथित रहने के कारण सादृश्य ही ज्ञात होता है तादात्म्य नहीं, तब उन धर्मों के धर्मी वदन और अम्बुज में भी सादृश्य ही समझना पड़ेगा, तादात्म्य नहीं।

भेदान्तराण्युदाहर्तुमाह—

वाचकोपमेयलुप्ता क्यङ्गता धर्मोपमानवाचकलुप्ता समासगा च यथा—

वाचकमुपमेयञ्च यत्र लुप्ते तिष्ठतः तादृश्याः क्यच्प्रत्ययगतायाः एवं धर्मः उपमानम् वाचकश्च यत्र लुप्तास्तिष्ठन्ति, तादृश्याः समासगतायाश्चोपमायाः प्रकारः प्रदर्श्यते इति भावः।

वाचक तथा उपमेय इन दो के लोपवाली क्यङ्गत उपमा का और धर्म, उपमान एवं वाचक इन तीनों के लोपवाली समासगत उपमा का प्रकार दिखलाया जाता है।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'तया तिलोत्तमीयन्त्या मृगशावकचक्षुषा।
ममायं मानुषो लोको नाकलोक इवाभवत्॥'

नायकः स्वसखायं प्रति वक्ति—तिलोत्तमीयन्त्या तिलोत्तमाभिधाना काचित्स्वर्गीया रमणी तयेवाचरन्त्या, मृगशावकस्य हरिणशिशोः चक्षुषी इव चक्षुषी यस्यास्तया, वक्तुर्म-

नोगतया कयाचन कामिन्या, हेतुना (हेतावत्र तृतीयेति भावः) अयं, मम, मानुषो, लोकः, नाकलोकः स्वर्गलोक, इव, अभवत्–मनुष्यलोक एव मया स्वर्भोगभाग्यमुपलब्ध-मित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—तया इत्यादि । नायक अपने सखा से कहता है—तिलोत्तमा (स्वर्गीय अप्सरा) के समान आचरण करती हुई इस मृगाक्षी के कारण मेरा यह मनुष्यलोक स्वर्गलोक-सा हो गया—इस लोक में ही स्वर्गीय सुख भोगने का सौभाग्य मुझे मिल गया ।

उपपादयति—

तिलोत्तमीयन्त्येति तिलोत्तमामिवात्मानमाचरन्त्येत्याचारार्थके क्यचि तिलोत्तमापदस्य तिलोत्तमासादृश्ये लाक्षणिकतया वाचकस्य, स्फुटत्वेन प्रतीयमानतया आत्मन उपमेयस्य चानुपादानाल्लोपः । स्वयं तु सा नोपमेया । आचारकर्मण उपमानस्य तिलोत्तमारूपस्य तत्कर्त्र्यामुपमेयायामुपमानत्वासङ्गतेः । अत आत्मैवात्रोपमेयतयोन्नेयः । मृगशावकचक्षुषेति मृगशावकस्य चक्षुषी इव चक्षुषी अस्या इति 'सप्तम्युपमानपूर्वस्य' इति समासोत्तरपदलोपौ । मृगशावकपदस्य मृगशावकचक्षुःसदृशलाक्षणिकत्वपक्षे वृत्तेर्विशिष्टार्थवाचकतापक्षेऽपि स्वस्वमात्रबोधकपदाभावात्त्रयाणां लोपः ।

वाचकस्येति । इवशब्दस्येत्यर्थः । उपमेयानुपादाने हेतुमाह–स्फुटत्वेनेति । स्वयं त्विति, तिलोत्तमीयन्तीति पदबोध्यनायिकेत्यर्थः । तत्कर्त्र्यामिति । आचारकर्त्र्यामित्यर्थः । उपमानत्वासंगतेरिति । उपमानोपमेययोः समानरूपत्वस्योपमायां नियामकत्वादिति भावः । तिलोत्तमामिवात्मानमाचरतीति विग्रहे तिलोत्तमाशब्दात् 'उपमानादाचारे' इति सूत्रेणाचारार्थकक्यच्प्रत्यये आकारस्येत्वे दीर्घे धातुत्वे तिलोत्तमीयधातोः शतृप्रत्यये तत्प्रयुक्तकार्येषु च कृतेषु 'तिलोत्तमीयन्ती'ति सिद्ध्यति, तस्य तृतीयान्तं रूपमत्र निर्दिष्टम् । अत्र चारुसादृश्यप्रतीतेरुपमा, सा च वाचकोपमेयलुप्ता, उपमानोपमेयसादृश्यसाधारणधर्माणां चतुर्णामुपमाङ्गानां मध्ये तिलोत्तमारूपोपमानाचाररूपसाधारणधर्मयोः तिलोत्तमापद क्यच्प्रत्ययाभ्यामुल्लेखेऽपि सादृश्यवर्णनीयनायिकात्मरूपोपमेययोरनुल्लेखात् । न न्वेवं सादृश्योपमेययोः प्रतीतिरेवात्र कथम् ? तदप्रतीतौ च कथमत्रोपमा इति न वाच्यम् तिलोत्तमापदस्य स्वसदृशे लाक्षणिकतया सादृश्यस्य, स्फुटतया आक्षेपेणात्मरूपोपमेयस्य च प्रतीतेः । न चैवम् तिलोत्तमापदस्यैव सादृश्यवाचकत्वेन वाचकलोपो मास्त्विति शङ्कयम् , तिलोत्तमापदस्य सादृश्यमात्रबाचकत्वाभावेन पूर्वोक्तदिशा वाचकलोपव्यवहारस्याक्षतत्वात् , न च कथमत्र वर्णनीयनायिकाया–आत्मा उपमेयतया स्वीक्रियते नायिकाया एवोपमेयत्वं कुतो न ? स्वीकृते च तथात्वे कथमुपमेयलोपः तद्वाचकस्य 'तया' इत्यस्य सत्त्वादिति वक्तव्यम् , उपमानोपमेययोः समानरूपतया उपमायां तन्त्रतया नायिकाया उपमेयत्वासंभवात् , उपमानतयाऽभिमतायास्तिलोत्तमाया आचारकर्मत्वेन उपमेयतया शङ्कयमानाया नायिकाया आचारकर्तृत्वेन समानरूपताया विरहात । आचारकर्तृत्वशालिन्यां वर्णनीयनायिकायामुपमेयतया स्वीकृतायाम् आचारकर्मभूतायास्तिलोत्तमाया उपमानता असङ्गता स्यात् उपमानता च

तस्याः न त्यक्तुं शक्या उपमानान्तराप्रतीतेरेवब तदुपमानतानुरोधेन तदुपमानरूपस्य आचारकर्मणो वर्णनीयनायिकाया आत्मन एवोपमेयतोन्नेयेति भावः । मृगशावकच-क्षुषेत्यत्र मृगशावकस्य चक्षुषी इव चक्षुषी यस्या इति विग्रहे समासोत्तरपदलोपयोः कृतयोः मृगशावकचक्षुरिति प्रयोगो निष्पद्यते, तस्य तृतीयान्तं रूपमत्रोल्लिखितम् मृग-शावकचक्षुषेति । अत्रापि रमणीयसादृश्यप्रतीत्या समासगोपमालङ्कारः, स च धर्मोपमान-वाचकलुप्तः, उक्तानां चतुर्णामुपमाङ्गानां मध्ये वर्णनीयनायिकाचक्षूरूपोपमेयस्य चक्षुः-पदेनोपादानेऽपि मृगशावकचक्षूरूपस्योपमानस्य, विशालत्वादेः साधारणधर्मस्य सादृ-श्यस्य च प्रतिपादकविरहेऽनुपादानात् । न च प्रतिपादकासत्त्वे तेषां लुप्तत्वेनाभिमंस्य-मानानां त्रयाणामङ्गानां प्रतीतिरेव न स्यात्, तदप्रतीतौ चोपमालङ्कारो न भवेदिति सर्वं विवक्षितं व्याकुलं स्यादिति वाच्यम्, नैयायिकरीत्या मृगशावकपदस्य मृगशावक-चक्षुःसदृशे लाक्षणिकतया उपमानसादृश्ययोराक्षेपेण विशालत्वादेः साधारणधर्मस्य च प्रतीतेः । अतिरिक्तसमासशक्तिमङ्गीकुर्वतां शाब्दिकानां रीत्या मृगशावकचक्षुरिति समुदाय-स्यैव मृगशावकचक्षुःसदृशचक्षुर्विशिष्टरूपार्थे शक्तत्वेन उपमानसादृश्ययोः प्रतीतेः । अथा-नयोर्लोप एव कथमित्थं स्थितौ व्यवहर्तुं योग्य इति नापादयितुं शक्यम्, तन्मात्रवाचक-त्वविरहेण तथा संभव इति पूर्वमुक्तत्वादिति भावः ।

उपपादन करते हैं—तिलोत्तमी इत्यादि । यहाँ 'तिलोत्तमामिवात्मानमाचरति अर्थात् अपने में तिलोत्तमा (एक स्वर्गीय अप्सरा) के समान आचरण करती है' इस अर्थ में तिलोत्तमा पद से 'आचारार्थक क्यच् प्रत्यय' करने से 'तिलोत्तमीय' धातु बन जाती है, उससे 'शतृ' प्रत्यय करने से 'तिलोत्तमीयन्ती' यह रूप स्त्रीलिङ्ग में तैयार होता है, उसीका तृतीयान्त रूप तिलोत्तमीयन्त्या यहाँ प्रयुक्त हुआ है। इस पद में उपमालङ्कार है, क्योंकि तिलोत्तमारूप उपमान का सुन्दर सादृश्य आत्मरूप उपमेय में प्रतीत होता है। साधारण धर्म है आचार। आप कहेंगे-'तिलोत्तमीयन्त्या' में न 'इव' आदि है, न 'आत्म' शब्द है फिर 'सादृश्य' और उपमेय (आत्मा) की प्रतीति कैसे होगी और जब इन दोनों उपमाङ्गों की प्रतीति नहीं होगी, तब उपमा होगी कैसे ? इसका उत्तर यह है कि 'तिलोत्तमा पद' स्वार्थसदृश में लाक्षणिक है अतः सादृश्य की प्रतीति तो अवश्य होगी, परन्तु वह (सादृश्य) लुप्त समझा जायगा, क्योंकि उसका बोधक तिलोत्तमा पद केवल उसीका बोधक नहीं है। आत्मारूप उपमेय अत्यन्त स्पष्ट है, अतः वाचक पद के अभाव में भी आक्षेप से उसका बोध हो जायगा। इस तरह से अब यह समझने में कठिनता नहीं होनी चाहिए कि यहाँ उपमाङ्गों में से तिलोत्तमा पद से एक स्वर्गीय नायिकारूप उपमान और क्यच् प्रत्यय से आचरण-रूप धर्म उक्त हैं, और सादृश्य तथा उपमेय (वर्णनीय नायिका की आत्मा) लुप्त हैं, अतः यह उपमा वाचकोपमेयलुप्ता का उदाहरण होती है। यदि आप कहें कि-वर्णनीय नायिका की आत्मा यहाँ उपमेय है यह बात जँचती नहीं, क्योंकि तिलोत्तमारूप उपमान का उसके समान आचरण करनेवाली वर्णनीय नायिका ही उपमेय मालूम पड़ती है और उसको उपमेय मान लेने पर उपमेय का लोप यहाँ नहीं कहा जा सकता। कारण, उस नायिकारूप उपमेय का बोधक पद इस पद्य में वर्त्तमान है 'तया', तो इसके समाधान में मेरा कथन है कि-हाँ जी, ऊपर-ऊपर से देखने पर वर्णनीय नायिका

उपमेय प्रतीत होती है, परन्तु वह उपमेय हो नहीं सकती, क्योंकि उसको उपमेय मान लेने पर तिलोत्तमा का उपमान होना ही असङ्गत हो जायगा और उसका उपमान होना तो यहाँ इतना प्रकट सत्य है कि उसका परित्याग किया ही नहीं जा सकता। तात्पर्य यह कि तिलोत्तमा से अतिरिक्त उपमान होने योग्य कोई पदार्थ यहाँ है ही नहीं, यहाँ विच्छित्ति के लिये कवि का प्रमुख प्रयास, तिलोत्तमा को उपमानरूप में चुनना ही है। आप घबड़ाते होंगे कि यह कौन सी पहेली बतलाई जा रही है—वर्णनीय नायिका के उपमेय होने पर तिलोत्तमा उपमान नहीं हो सकती और उसीकी आत्मा को उपमेय मानने पर तिलोत्तमा का उपमान होना बन जाता है? समझिए-ऐसा क्यों होता है, किन्हीं दो पदार्थों का उपमानोपमेय होना उन दोनों के अधिक से अधिक समानरूप होने पर निर्भर है-किसी तरह की विरूपता रहने पर उपमानोपमेय-भाव बनता ही नहीं, ऐसी स्थिति में वर्णनीय नायिका–जो 'आचरण क्रिया' की कर्त्री है—यदि, उपमेय हो जाती है, तब तिलोत्तमा जो आचरणक्रिया का कर्म है--उपमान कैसे हो सकेगी? एक कर्ता और दूसरा कर्म इन दोनों में समानरूपता कैसी? अतः 'तिलोत्तमीयन्त्या' इस सिद्ध रूप में वाचक पद के न रहने पर भी उपमेयरूप में वर्णनीय नायिका की 'आत्मा' का तर्क आवश्यक है क्योंकि वह (आत्मा) भी आचरण क्रिया का कर्म है। इस बात को स्पष्ट समझने के लिए उस पद के विग्रहवाक्य पर ध्यान दीजिए—'तिलोत्तमामिव आत्मानम् आचरन्त्या' इसमें 'आत्मानं' कर्म है न? और 'तिलोत्तमाम्' भी? अतः वह आत्मा ही उपमेय है, पर उसका बोधक पद, पद्य में है नहीं, अतः उपमेय का लोपपद्य नितान्त अनवद्य है—हृद्य है। इसी पद्य का 'मृगशावकचक्षुषा' यह अंश धर्मोपमानवाचकलुप्ता का उदाहरण होता है। कारण, इस पद का अर्थ है—मृगछौने की आँखों के समान आँखें हों जिसकी ऐसी नायिका। यहाँ उक्त अर्थ वाले 'मृगशावकस्य चक्षुषी इव चक्षुषी यस्याः' इस विग्रह में 'सप्तम्युपमानपूर्वस्य' इस 'अनेकमन्यपदार्थे' सूत्र के भाष्यवार्तिक से समास हुआ है और उत्तर पद (उपमानवाचक चक्षुष् पद) का लोप हुआ है। इस समस्त पद से उक्त अर्थ निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक नैयायिकों का यह तरीका है कि 'मृगशावक-चक्षुषा' पद के 'मृगशावक' पद की 'मृगशिशु के नेत्रों के सदृश' इतने अर्थ में लक्षणा मान ली जाय। दूसरा तरीका वैयाकरणों का यह है कि पदों की शक्ति से भिन्न एक समासशक्ति माननी चाहिए अर्थात् जिन पदों की शक्ति से जो अर्थ निकलता है, उन्हीं पदों में समास कर देने के बाद समासशक्ति के द्वारा, उससे कुछ अधिक अर्थ निकाल लेना चाहिए। लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं। इस रीति के अनुसार 'मृगशावकचक्षुषा' इस समस्त पदसमुदाय का ही उक्त अर्थ हो जाता है, दोनों ही पक्षों में यहाँ धर्म, उपमान और वाचक ये तीनों उपमाङ्ग लुप्त समझे जाते हैं क्योंकि यहाँ जो उपमान—मृगशावक-चक्षु, धर्म—विशालता, चपलता आदि तथा वाचक—सादृश्यबोधक इव आदि होते हैं, उनमें से केवल एक-एक का बोधक पद यहाँ नहीं है अर्थात् सम्मिलित रूप से इन अर्थों के साथ अन्य अर्थों का भी बोधक समस्त पद अथवा लक्षणा द्वारा पूर्वपद अवश्य होता है परन्तु एक-एक अर्थ का बोधक एक-एक पद नहीं है। ध्यान रहे कि उपमा के अङ्ग तभी उक्त अर्थात् अलुप्त समझे जाते हैं, जब पृथक् पृथक् उनके वाचक पद हों, अन्य अर्थ के वाचक पदों से किसी तरह इन अर्थों के बोध होने पर भी ये लुप्त ही समझे जाते हैं।

प्राचीनाभिमतोपमाभेदानां सङ्कलनं कुरुते—

इति पञ्चविंशतिरुपमाभेदाः।

इति इत्थम् पूर्वोक्तप्रकारेण उपमायाः पञ्चविंशतिर्भेदाः प्राचीनैरुक्ता इति भावः ।
इस तरह उपमा के पचीस भेद प्राचीनों के द्वारा कहे गए, समाप्त हुए ।

उक्त पञ्चविंशतिभेदेभ्योऽन्यानपि भेदान् अन्यैरुक्तान् प्रदर्शयति—

इहान्यानपि भेदानन्ये निगदन्ति—वाचकलुप्ता षड्विधोपवर्णिता । 'कर्तर्युपमाने' इति णिनौ सप्तम्यपि दृश्यते । कोकिल इवालपति कोकिलालापिनीति । तथाष्टम्यपि–'इवे प्रतिकृतौ' इति कनि 'लुम्मनुष्ये' इति लुपि चञ्चेवेत्यर्थे 'चञ्चा पुरुषः सोऽयं यः स्वहितं नैव जानीते' इत्यत्र । नवम्यपि–आचारक्विपि पदान्तरेण प्रतिपादिते समाने धर्मे दृश्यते । 'आह्लादि वदनं तस्याः शरद्राकामृगाङ्कति' इत्यादौ ।

अन्यैरालङ्कारिकैरन्येऽपि उपमाया भेदाः कथ्यन्ते, तेषु तावत् वाचकलुप्ताया भेदान्तरमभिधातुं वक्ति—वाचकेत्यादि । समासकर्मक्यच्-आधारक्यच्-क्यङ्-कर्मणमुल्-कर्तृणमुल्गताः वाचकलुप्तोपमायाः षड्भेदाः प्राक् प्रतिपादिताः, परन्तु तस्याः सप्तमोऽष्टमो नवमश्च भेदा भवितुमर्हन्ति । कोकिल इवालपतीत्यर्थे 'कर्तर्युपमाने (३।२।७९)' इति पाणिनिसूत्रेण 'णिनिप्रत्यये' कृते निष्पद्यमाने 'कोकिलालापिनी'त्यत्र सप्तमो भेदः । अत्रोपमा वर्तते, परन्तु वाचकः 'इवादि'र्लुप्त इति भावः । 'चञ्चा पुरुषः''' अर्थात् यः पुरुषः स्वकीयं हितं कल्याण न वेत्ति, स चञ्चा तृणनिर्मितपुरुषप्रतिकृतिरिव' इत्यत्राष्टमो भेदः । 'इवे प्रतिकृतौ (५।३।९)' इति सूत्रेण तृणार्थकात् चञ्चाशब्दात् इवार्थयुक्ते प्रतिकृतावर्थे कन्प्रत्यये 'लुम्मनुष्ये (५।३।९८)' इति सूत्रेण कनो लोपे चञ्चा इति रूपं निष्पद्यते । चञ्चा तृणनिर्मितप्रतिकृतिरिवेति तस्यार्थः । एवं चात्राप्युपमालङ्कारो भवति । किन्तु इवादिर्वाचको लुप्त इति भावः । एवम् 'आह्लादि''' इत्यादि अर्थात् आह्लादि आनन्ददायकम् , तस्या नायिकाविशेषस्य, वदनम् मुखम् , शरदः शरत्कालीना, या राका पूर्णिमा, तस्याः, मृगाङ्कः चन्द्रः, इव, आचरति' इत्यत्र नवमो भेदः । शरद्राकामृगाङ्कशब्दात् आचारार्थे क्विप्प्रत्यये तस्य लोपे, धातुत्वे तत्प्रयुक्ततिबादिकार्येषु सत्सु 'शरद्राकामृगाङ्कती'ति प्रयोगः सिद्ध्यति । शरद्राकामृगाङ्क इवाचरतीति तदर्थः, अतोऽत्रोपमा स्पष्टा, परन्तु वाचको लुप्त एव । नन्वयं भेदः धर्मवाचकोभयलोपे उक्त इति चेन्न, यत्र धर्मो नोक्तस्तत्र तद्भेदप्रसङ्गः, इह तु 'आह्लादि' इति भिन्नविशेषद्वारा स उक्त एवेति तस्य भेदस्याप्रसङ्गादिति भावः ।

प्राचीनों ने जो पचीस भेद कहे हैं, उनसे अन्य भी कुछ उपमा के भेद अन्य लोग कहते हैं । उन्हीं भेदों का विवरण किया जाता है—इहान्यानपि इत्यादि । समासगत, कर्मक्यच्गत, आधारक्यच्गत, क्यङ्गत, कर्मणमुल्गत और कर्तृणमुल्गत ये छः भेद वाचकलुप्तोपमा के प्राचीनों के द्वारा कहे गए हैं, परन्तु 'कोकिल इवालपति अर्थात् कोयल के समान आलाप करती है' इस अर्थ में 'कर्तर्युपमाने (३ । २ । ७९)' इस पाणिनिसूत्र से 'णिनि प्रत्यय' करके बनाए जाने वाले 'कोकिलालापिनी' इस पद में उसका सातवाँ भेद भी देखा जाता है—अर्थात् यहाँ भी सुन्दर सादृश्यरूप उपमा है और इवादि के न रहने के कारण वह वाचकलुप्ता है । 'इवे प्रतिकृतौ (५।३।९९)' इस सूत्र से 'कन्' प्रत्यय करके 'लुम्मनुष्ये (५।३।९८)' इस सूत्र से उसका लुप् (लोप) कर देने पर चञ्चा शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है तृण (घास) से बनी हुई प्रतिकृति के समान' क्योंकि शुद्ध

चञ्चा शब्द का अर्थ है 'घास' और तद्धितप्रत्यय (लुप्त कन्) का अर्थ है 'बनी हुई प्रतिकृति के समान'। अब, इस तरह से बने हुये इस 'चञ्चा' शब्द का प्रयोग जब 'चञ्चा-पुरुषः'''अर्थात् वह पुरुष घास से बनी प्रतिकृति के समान है जो अपने हित को नहीं समझता' इत्यादि काव्य में किया जाता है, तब वहाँ उपमा होती है और वह भी वाचक-लुप्ता। कारण, वाचक इवादि का यहाँ लोप है, अतः यह वाचकलुप्तोपमा का आठवाँ भेद भी देखा जाता है। इसी तरह वाचकलुप्ता का नवाँ भेद भी दृष्टिगोचर होता है। जैसे—'आह्लादि'''अर्थात् उस (नायिकाविशेष) का आनन्ददायक सुख शरत्पूर्णिमा के चन्द्र के तुल्य आचरण करता है' इत्यादि वाक्य में, क्योंकि 'शरत्पूर्णिमा चन्द्र के समान आचरण करता है' इस अर्थ में 'शरद्राकामृगाङ्क' पद से आचारार्थक क्विप्प्रत्यय करने पर 'शर-द्राकामृगाङ्कति' प्रयोग बनता है, जिसमें उपमा स्पष्ट है और सादृश्यवाचक 'इव' आदि नहीं है। आचारार्थक क्विप्गत धर्मवाचकलुप्ता नामक जो एक भेद माना गया है उसमें तो यह आ नहीं सकता। कारण, यहाँ दूसरे पद (आह्लादि अथवा आनन्ददायक) से धर्म उक्त है।

उपमानलुप्तोपमाया भेदान्तरं दर्शयति—

उपमानलुप्ता वाक्यसमासयोर्द्विविधोपवर्णिता, तृतीयापि दृश्यते—

'यच्चोराणामस्य च समागमो यच्च तैर्वधोऽस्य कृतः।
उपनतमेतदकस्मादासीत्तत्काकतालीयम् ॥'

इत्यत्र काकतालशब्दयोर्लक्षणया काकागमनतालपतनबोधकयोरिवार्थे 'समासाच्च तद्विषयात्' इति ज्ञापकात्समासे काक इव ताल इव काकतालमिति काकताल-समासगमसदृशश्चोराणामस्य च समागम इत्यर्थः। ततः काकतालमिवेति द्वितीय इवार्थे पूर्वोक्तेनैव सूत्रेण छप्रत्यये तालपतनजन्यकाकवधसदृशश्चोरकर्तृको देवदत्तवध इत्येवं स्थिते प्रत्ययार्थोपमायामुपमानस्य तालपतनजन्यकाकवधस्या-नुपादानादुपमानलुप्ता।

वाक्य-समासगतत्वेन उपमानलुप्तोपमाया द्वावेव भेदौ प्रागुपपादितौ, परन्तु 'चोरा-णाम् लुण्ठकानाम्, अस्य देवदत्तादिव्यक्तिविशेषस्य, च, समागमः सम्मिलनम् यत्, अभूत्, तैः चोरैः, अस्य पूर्वोक्तव्यक्तिविशेषस्य, वधश्च, यत्, कृतः, एतत्, अकस्मात् उपनतम्—इयं दुर्घटना आकस्मिकी सम्पन्ना, अतः तत् तस्या घटनाया आकस्मिका-भिगमनम्, काकतालीयम्, आसीत् अभूत्' इत्यर्थके पथिकजनदुर्दशावर्णनपरे 'यच्चोरा-णाम्'''' इत्यादिपद्ये तृतीयोऽपि तस्या भेदो दृश्यते। अस्य पद्यस्य कस्मिन्नंशे उपमेति चेत्? काकतालीयम् इत्यंशे सा बोध्या। कथमिति चेत्? इत्थम्—काकतालशब्दावत्र लक्षणया काकागमनतालपतनयोर्बोधकौ। तयोश्च 'काक इव ताल इव' इत्यर्थे 'समासाच्च तद्विषयात्' इति ज्ञापकेन समासे कृते 'काकतालम्' इति रूपं सम्पद्यते। 'काकागमन-तालपतनयोः सादृश्यम्' इति तस्य सार्वत्रिकोऽर्थः। प्राकरणिकश्च 'काकतालसमागमसदृश-श्चोराणामस्य देवदत्तादेर्व्यक्तिविशेषस्य च समागमः' इत्यर्थः। तदनन्तरम् 'काकतालमिव' इति विग्रहे द्वितीय इवार्थे तेनैव सूत्रेण छप्रत्यये तस्येयादेशे 'काकतालीयम्' इति प्रयोगः सिद्ध्यति, ततश्च 'तालपतनजन्यो यादृशः काकस्य वधस्तादृश एव चोरैः कृतो देवदत्ता-

देर्व्यक्तिविशेषस्य वधः' इत्यर्थः प्रकरणसहकारेण बुध्यते। अतोऽत्र द्वे उपमे भवतः। एका समासार्थरूपा, द्वितीया च प्रत्ययार्थरूपा। तत्र द्वितीया प्रत्ययार्थरूपा उपमा प्रकृते उदाहरणभूता। यतस्तस्यामुपमायां तालपतनजन्यकाकवधरूपं यदुपमानम् तस्य 'काकतालीय'मित्यत्र लोपोऽस्ति तदर्थबोधकं पदं तत्र नास्तीति भावः।

उपमान लुप्तोपमा के अन्य भेद दिखलाये जाते हैं—उपमान इत्यादि। उपमानलुप्तोपमा के दो भेद-वाक्यगत और समासगत-पहले वर्णित हो चुके हैं, परन्तु उसका तीसरा भेद भी देखा जाता है। जैसे—'यच्चोराणाम्...अर्थात् चोरों का और इस (देवदत्त आदि व्यक्तिविशेष) का जो समागम हुआ उन चोरों ने इसका वध जो किया-यह दुर्घटना अचानक हो गई, अतः वह 'काकतालीय' हुई।' यह किसी पथिक की दुर्दशा का वर्णन है। यहाँ 'काकतालीय' पद के 'काक' और 'ताल' शब्द से, लक्षणाद्वारा, काक (कौए) के आगमन और ताल (ताड़) के पतन का बोध होता है। इन दोनों लाक्षणिक पदों का 'इव (=सा)' के अर्थ में 'समासाच्च तद्विषयात् (५।३।१०६)' इस ज्ञापक से समास हो जाता है, जिससे 'काकतालम्' रूप बनता है। इस समस्त शब्द का अर्थ होता है 'कौए के आने के समान और ताड़ के गिरने के समान।' 'काक इव ताल इव काकतालम्' इस विग्रहवाक्य के अनुसार ऐसा ही अर्थ उचित भी है। परन्तु प्रकृत में पद्य के अन्य पदों के सहयोग से 'काकतालम्' का अर्थ किया जाता है-'कौए और ताड़ के समागम (एक के आगमन के साथ दूसरे का पतन) के समान चोरों का और इस (व्यक्तिविशेष) का समागम। इस काकताल शब्द से दूसरे इव के अर्थ में-अर्थात् 'काकतालमिव' इस अर्थ में-उसी (समासाच्च तद्विषयात्) सूत्र से 'छ=ईय' प्रत्यय करने से 'काकतालीय' पद सिद्ध होता है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार 'काकतालीय' पद का अर्थ हुआ—चोरों के द्वारा किया गया उस (देवदत्त आदि व्यक्तिविशेष) का वध, तालपतन से होने वाले काकवध के समान है। अब यहाँ दो उपमायें होती हैं। एक समासार्थरूप—अर्थात्-काकतालशब्दगत और दूसरी प्रत्ययार्थरूप-अर्थात्-काकतालीय पद के प्रत्यय (ईय) अंशगत। इन दोनों उपमाओं में से द्वितीय अर्थात् प्रत्ययार्थरूप उपमा 'उपमानलुप्ता' का उदाहरण होती है, क्योंकि इस उपमा में तालपतन से होने वाला काकवधरूप उपमान लुप्त है—अर्थात्-'काकतालीय' पद में उसका बोधक अंश नहीं है। वाचकलुप्ता इसको नहीं कह सकते हैं। कारण, 'ईय' प्रत्यय ही यहाँ सादृश्य का वाचक है। यह भेद तद्धितगत हुआ, अतः पूर्वोक्त वाक्यगत और समासगत भेदों से भिन्न हुआ।

प्राचीनैरनुक्तमेकं भेदं प्रदर्शयति—

वाचकोपमानलुप्ता तु नाम्नैव न निर्दिष्टा। साप्यत्र प्रकृत्यर्थे दृश्यते—

वाचकोपमानलुप्तात्मको भेदः प्राचीनैर्नामतोऽपि नोक्तः, उदाहरणास्फुरणमेव तत्र प्रायो हेतुः। परन्तु 'काकतालीयम्' इत्यत्रैव छप्रत्ययप्रकृतिभागस्य 'काकतालम्' इति समासस्यार्थभूतोपमा, तद्भेदोदाहरणतया पुरः स्थापयितुं शक्या, 'काकतालसमागमसमानश्चोराणामस्य च समागमः' इति तत्रत्योपमाशरीरघटककाकतालसमागमरूपोपमानसादृश्ययोः 'काकतालम्' इत्यत्र लुप्तत्वात्, तन्मात्रवाचकविरहादिति भावः।

प्राचीनों से अनुक्त एक नवीन उपमाभेद की चर्चा करते हैं—वाचक इत्यादि। वाचकोपमानलुप्ता नामक भेद का तो प्राचीनों ने नाम भी नहीं लिया। क्यों नहीं

लिया इसका कारण प्रायः उन लोगों के सामने उदाहरण की अनुपलब्धि ही रही होगी, परन्तु 'काकतालीयम्' में जो छ प्रत्यय हुआ है उसके प्रकृति अर्थात् 'काकतालम्' के अर्थ में उसका उदाहरण मिल सकता है। क्योंकि यहाँ जो 'समासार्थउपमा' शब्द से उपमा दिखलाई गई है, उसमें उपमान है 'काकतालसमागम' जिसका वाचक यहाँ कोई शब्द नहीं और न सादृश्य का ही प्रतिपादक कोई शब्द है।

भेदान्तरं प्रकटयति—

धर्मोपमानलुप्ता वाक्यसमासयोर्द्विविधैवोक्ता। सा चात्रापि तृतीयचरणोक्तधर्मनिरासे प्रत्ययार्थे दृष्टा।

तृतीयचरणोक्तेति। 'उपनतमेतदकस्मात्' इत्यस्य स्थाने चरणान्तरनिर्माण इत्यर्थः। वाक्यसमासगामितया द्वौ भेदौ धर्मोपमानलुप्तोपमायाः प्रागुक्तौ। किन्तु तद्धितगामितया तृतीयोऽपि तस्या भेदः संभवति। स यथा—'यच्चोराणाम्...'इत्यस्मिन्नेव पद्ये तृतीयचरणं प्रकारान्तरेण परिवर्त्य विरच्येत, तदा काकतालीयशब्दघटकप्रत्ययार्थोपमायाम्। तत्रोपमानलोपः प्रागुपपादित एव। धर्मलोपश्च धर्मबोधकतृतीयचरणपरिवर्तनवार्तायां स्पष्टीकृतः।

धर्मोपमानलुप्तोपमा के दो भेद-वाक्यगत तथा समासगत-पहले कहे जा चुके हैं, पर उसका 'तद्धितगत' एक तीसरा भेद भी हो सकता है। जैसे—यदि 'यच्चोराणाम्...' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य के तृतीय चरण (उपनतमेतदकस्मात्) जो धर्मबोधक है-को हिन्दी अनुवादकार चतुर्वेदीजी के शब्दों में यों बदल दिया जाय कि-'किमिति ब्रूमो वयमिदमासीद्वत काकतालीयम्' तब प्रत्ययार्थ (छ = ईय से बोध्य) उपमा धर्मोपमानलुप्ता हो जाती है।

भेदान्तरं प्रतिपादयति—

वाचकधर्मलुप्ता क्विप्समासयोर्द्वयोरेव कथिता। सापि 'चञ्चा पुरुष सोऽयं योऽत्यन्तं विषयवासनाधीनः' इत्यत्र स्वहिताकरणरूपस्य धर्मस्यानुपादाने कनो लोपे विलोक्यते।

क्विप्समासगतत्वेन द्वौ भेदौ वाचकधर्मलुप्ताया उपमायाः पूर्वं प्रतिपादितौ। परन्तु 'यो नितरां संसारजालकवलीकृतस्वान्तः परलोकनिमित्तं न चेष्टते, स, पुरुषः, चञ्चा तृणरचितप्रतिकृतिसमानः' इत्यर्थक-'चञ्चापुरुषः सोयम्...' इति मूलोक्तवाक्यघटकचञ्चाशब्दार्थे तद्धितगाम्यपि तृतीयो भेदो भवितुं शक्नोति। 'चञ्चा'शब्दे यथोपमा भवति, तथा प्राक् प्रतिपादितमेव। किन्तु तत्र 'स्वहितं नैव जानीते' इत्यंशेन स्वहितज्ञानाकरणरूपधर्म आसीत्। इदानीं तदंशपरिवर्तने धर्मलुप्तताऽपि तत्र सञ्जायत इति भावः।

क्विप् और समास में होनेवाले दो भेद वाचकधर्मलुप्तोपमा के प्राचीनों ने कहे हैं, परन्तु तद्धित में भी एक तृतीय भेद उसका देखा जाता है। जैसे पूर्वोक्त पद्य के 'चञ्चापुरुषः सोऽयम्' इस अंश के आगे, 'अपना हित नहीं करना' रूप बोधकधर्म 'यः स्वहितं नैव जानीते' इस भाग को 'योऽत्यन्तं विषयवासनाधीनः अर्थात् जो अत्यन्त ही सांसारिक धनपुत्रादिविषयविषयक संस्कार का वशीभूत है' इस रूप में बदल देने पर 'कन्' प्रत्यय के लोप की जगह में।

उपसंहरति—

एवं च द्वात्रिंशद् भेदाः ।

निगदव्याख्यातमिदम् ।

इस तरह से अब उपमा के बत्तीस भेद हो गये अर्थात् प्राचीनों ने पहले पचीस भेद कहे और पीछे अन्य विद्वानों के मतानुसार सात भेद और अधिक अभी बतलाये गये, दोनों का योग बत्तीस हुआ।

प्राचीनोक्तभेदानालोचयति—

अत्रेदमवधेयम्—कर्माधारक्यचि क्यङि च वाचकलुप्तोदाहरणं प्राचामसङ्गतमिव प्रतीयते धर्मलोपस्यापि तत्र संभवात्। न च क्यजाद्यर्थ आचार एव साधारणधर्मोऽस्तीति वक्तव्यम्। धर्ममात्ररूपस्याचारस्योपमाप्रयोजकत्वाभावात्। 'नारीयते सपत्नसेना' इत्यादौ वृत्त्यन्तरनिवेदितैः कातरत्वादिभिरभिन्नतयाध्यवसितस्याचारस्योपमानिष्पादकत्वात्। यदि च क्यङर्थ आचारमात्रमुपमानिष्पादकं स्यात्तदा 'त्रिविष्टपं तत्खलु भारतायते' इत्यादौ सुप्रसिद्धत्वादिरूपाचारोपस्थितावप्युपमालङ्कृतेरनिष्पत्तेः, तस्यैव च 'सुपर्वभिः शोभितमन्तराश्रितैः' इति चरणान्तरनिर्माणे तस्या निष्पत्तेः क्यङाद्यर्थः साधारणोऽपि नोपमां प्रयोजयति। उपमाप्रयोजकतावच्छेदकरूपेण साधारणधर्मवाचकशून्यत्वस्यैव धर्मलोपशब्देनाभिधानात्। अन्यथा 'मुखरूपमिदं वस्तु प्रफुल्लमिव पङ्कजम्' इत्यादौ पूर्णोपमापत्तेरिति दिक्।

धर्मलोपस्यापीति। अत्र नागेशः—'उपमानादाचारे' इत्यत्रोपमानमाचारनिरूपितमेव गृह्यते। उदाहरणे च पुत्रपदस्य पुत्रकर्मकाचारसदृशे लक्षणेति वैयाकरणमते च सुतरां धर्मलोपः। न चैतन्मते 'त्रिविष्टपं तत्खलु भारतायते' इत्यत्र क्यचोऽनुपपत्तिः। भारताचारसदृशाचारस्य त्रिविष्टपवृत्तेरप्रसिद्धेः। 'सुपर्वभिः शोभितम्' इत्यस्य श्लेषेणाभेदाध्यवसाय एव, न सादृश्याध्यवसाय इति वाच्यम्। एकशब्दोपात्तत्वेनाभेदबुद्धेरिव शब्दरूपसाधर्म्येण सादृश्यबुद्धेरप्युपपत्तेः इत्याहुरिति। ननु नारीयते इत्यादौ आचारस्य साधारणधर्मत्वमस्तीत्यत आह—नारीति। वृत्त्यन्तरेति। व्यञ्जनेत्यर्थः। आचारमात्रमिति। मात्रपदेन किञ्चिदभिन्नतयाध्यवसितत्वव्यवच्छेदः। तस्यैव पद्यस्य। तस्याः उपमालंकृतेः। साधारणोऽपि। उभयनिष्ठोऽपि। ननु क्यङाद्यर्थाचारमात्रस्योपमाप्रयोजकत्वाभावेऽपि साधारणत्वेनोभयधर्मत्वात्तत्त्वाच्च कथं तल्लोपसम्भवोऽत आह—उपमेति। 'अनलीयति, काननीयति, निर्जलमीनायते' इत्यादौ क्रमशः कर्मार्थकक्यजाधारार्थकक्यच्कर्त्रर्थकक्यङ्प्रत्ययान्ते प्रयोगे यथा सादृश्यस्य वाचकं पदन्नास्ति, तथा साधारणधर्मस्यापि वाचकं पदं नास्त्येवेति तत्प्रयोगघटितम् 'मलयानिलमनलीयति···' इत्यादि प्रागुक्तपद्यम् वाचकधर्मलुप्तोपमाया एवोदाहरणं भवितुमर्हति, न केवलवाचकलुप्तोपमायाः। तथा च कर्माधारक्यच्क्यङ्गतत्वेन वाचकलुप्ताया भेदत्रयं प्राचीनैरङ्गीकृतमसङ्गतमेव। उपमानोपमेयोभयवृत्तितयाऽऽचार एव साधारणो धर्मस्तद्वाचकश्च क्यच्क्यङादिरत्रास्तीति तु न वक्तुं योग्यम्, अन्यसाधारणपदार्थाभेदाध्यवसायरहितस्याचारस्योपमाप्रयोजकत्व-

विरहात्। अत एव 'सुप्रसिद्धः स्वर्गो महाभारतग्रन्थ इवाचरती'त्यर्थके 'त्रिविष्टपं तत्खलु भारतायते' इत्यादौ सुप्रसिद्धत्वरूपाचारप्रतीतावपि तावदुपमालङ्कारो न निष्पद्यते, यावत् 'मध्यभागस्थितैः देवैः पक्षे तथाविधैः आदिसभाप्रभृतिग्रन्थाध्यायैः शोभितम्' इत्यर्थकं 'सुपर्वभिः शोभितमन्तराश्रितैः' इति श्लिष्टं चरणान्तरं तत्र न योज्यते। ननु 'नारीयते सपत्नसेना' इत्यादौ शत्रुसेना नारीवाचरतीत्यर्थके वाक्ये केवलाचारमेव साधारणधर्ममाश्रित्योपमानिष्पत्तिः कथं भवतीति चेन्न, व्यञ्जनावृत्तिबोध्यकातरत्वादिपदार्थाभिन्नतयाऽध्यवसितमाचारं साधारणधर्मतया विदित्वैव तत्रोपमानिष्पत्तेः। केवलाचारमादाय तत्रापि नोपमानिष्पत्तिरिति सारांशः। एवञ्चोभयनिष्ठोऽपि क्यच्क्यङर्थ आचार उपमाप्रयोजको नेति समुदितार्थः। अथ मास्ताम् केवलस्याचारस्योपमाप्रयोजकत्वम्, किन्तु तावता तस्योभयनिष्ठत्वेन प्राप्ता साधारणधर्मपदव्यवहार्यता तु न निवारिता स्यात्। अनिवारितायां च तस्याम्, कथमिह धर्मलोपव्यवहारस्तद्वाचकस्य क्यजादेः सत्त्वादित्यपि न मनोरमम्, यादृशो धर्म उपमां प्रयोजयति तादृशधर्मवाचकवदशून्यतायामेव धर्मलोपव्यपदेशात्। अत एव 'मुखरूपमिदं वस्तु प्रफुल्लमिव पङ्कजम्' इत्यादौ वस्तुत्वरूपसाधारणधर्मस्य सत्त्वेऽपि धर्मलुप्तोपमैव व्यवह्रियते न पूर्णोपमा। इत्थं च प्रकृते उपमाप्रयोजकरूपरहितस्य केवलाचारस्य क्यजादिवाच्यत्वेऽपि धर्मलोपव्यवहार एव न्याय्य इति भावः।

प्राचीनोक्त भेदों की आलोचना करते हैं—अत्रेदमवधेयम् इत्यादि। प्राचीनों ने जो उपमा के पचीस भेद दिखलाये हैं, उनमें एक बात ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि—'मलयानिलमनलीयति···' इस पूर्वोक्त पद्य में 'अनलीयति, काननीयति और निर्जलमीनायते' इन अंशों को क्रमशः कर्मार्थक क्यच्, आधारार्थक क्यच् तथा क्यङन्त वाचकलुप्ता का उदाहरण बतलाना उनका सङ्गत-सा नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ धर्मलोपव्यवहार भी सम्भावित है। सारांश यह कि वे भेद, वाचक और धर्म दोनों के लोप में आ सकते हैं, केवल वाचक के लोप में नहीं। यदि आप कहना चाहें कि उपमान और उपमेय दोनों में रहनेवाला 'आचार' ही साधारण धर्म है और उसका वाचक क्यच् आदि यहाँ वर्तमान ही है फिर धर्मलोप की सम्भावना कैसे की जा सकती है, तो यह भी ठीक नहीं। कारण, केवल आचार अर्थात् जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है वह उभयनिष्ठ होकर भी उपमा का प्रयोजक नहीं होता अर्थात् वैसे आचार को साधारण धर्म मानकर उपमा अलङ्कार नहीं बन पाता। अतएव 'त्रिविष्टपं तत्खलु भारतायते-अर्थात् सुप्रसिद्ध स्वर्ग, भारत (महाभारत) सा आचरण करता है' इत्यादि स्थानों में सुप्रसिद्धत्वरूप उभय(स्वर्ग और महाभारत ग्रन्थ)निष्ठ आचार की उपस्थिति रहने पर भी तब तक उपमालङ्कार नहीं निष्पन्न होता, जब तक 'सुपर्वभिः शोभितमन्तराश्रितैः अर्थात् मध्य में रहनेवाले सुपर्वों (एकत्र देवताओं, अन्यत्र आदि, सभा प्रभृति पर्वों) से शोभित' यह श्लिष्ट विशेषण, उसमें नहीं जोड़ा जाता है। तात्पर्य यह है कि 'एक विशेषण से युक्त होना' यह शब्दात्मक साधारण धर्म की प्रतीति होने पर ही उपमा बन पाती है, उससे पहले आचार की प्रतीति होने पर भी नहीं, इससे सिद्ध होता है कि केवल आचार उपमाप्रयोजक नहीं होता। आप कहेंगे—यदि ऐसी बात होती, तब 'नारीयते सपत्नसेना अर्थात् शत्रुओं की सेना नारी—स्त्री सा आचरण करती है' इत्यादि स्थानों में उपमा कैसे होती है? अर्थात् यहाँ 'आचार' से भिन्न कोई साधारण धर्म है नहीं, फिर उपमा कैसे मानी जाती है? तो, इसका उत्तर है

कि केवल 'आचार' को साधारण धर्म मानकर यहाँ उपमा नहीं मानी जाती, अपितु व्यञ्जना से जब कातरता आदि की प्रतीति होती है और उस कातरता आदि के साथ क्यङ्प्रत्यय के अर्थ आचार का अभेद समझ लिया जाता है, तब उपमा बन पाती है अर्थात्-जब यह समझ में आता है कि जैसे नारियाँ कातर होती हैं वैसे शत्रुओं की सेना कातर है, तब उपमा का बोध होता है। सारांश यह कि इस दृष्टान्त से भी आप केवल आचार को उपमाप्रयोजक नहीं सिद्ध कर सकते। यदि आप कहें कि अच्छा, आप ही की बात रहे-केवल 'आचार' उपमा का साधक नहीं होवे, पर उपमान तथा उपमेय दोनों में रहने के कारण वह साधारण धर्म तो जरूर है, फिर उसके वाचक क्यच् आदि में रहने पर धर्मलोप का व्यवहार कैसे किया जा सकता है? तो, मैं कहूँगा— अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि किसी तरह के साधारण धर्म के रहने पर साधारण धर्म की सत्ता नहीं समझी जाती, अपितु जो धर्म, उपमाप्रयोजकतावच्छेदकरूप से युक्त हो अर्थात् जिस तरह के धर्म के रहने पर उपमा की सिद्धि हो, उस तरह के धर्म की उपस्थिति कराने वाले पद की सत्ता में ही साधारण धर्म की सत्ता समझी जाती है। अतएव 'मुखरूपमिदम् वस्तु'''इत्यादि अर्थात् मुखरूप यह वस्तु विकसित कमल सी है' इत्यादि स्थानों में पूर्णोपमा नहीं होती, आप के हिसाब से तो पूर्णोपमा ही यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वस्तुत्व—जो मुख और कमल दोनों में रहता है—रूप धर्म यहाँ उक्त हो है। मेरे हिसाब से यह भी धर्मलुप्तोपमा होगी। कारण, वस्तुत्व एक ऐसा सामान्य धर्म है जो सभी चीजों में रहता ही है, अतः वह उपमाप्रयोजक हो ही नहीं सकता और दूसरा कोई साधारण धर्म उक्त नहीं है। अन्ततः यह सिद्ध हुआ कि उपमाप्रयोजक साधारण धर्म के न रहने पर धर्मलोप का ही व्यवहार होना समुचित है, चाहे उपमा का अप्रयोजक कोई उभयनिष्ठ धर्म उक्त ही क्यों न हो। इस स्थिति में उक्त-स्थल पर केवल आचार अर्थात्-उपमा के अप्रयोजक आचार-के क्यजादि के द्वारा उक्त होने पर भी 'धर्मलोप' का व्यवहार होगा।

दीक्षितोक्तं खण्डयति—

यच्चाप्पयदीक्षितैरस्मिन्नेव प्रस्तावे 'धर्मलुप्ता वाक्यसमासतद्धितेषु दर्शिता द्विर्भावेऽपि दृश्यते। 'पटुपटुर्देवदत्तः' इत्यत्र 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति सादृश्ये द्विर्भावविधानात्' इति निगदितं तत्तुच्छम्। अत्र च वाचकस्याप्यनुदानाद्वाचकधर्मलुप्तायामेतदाधिक्यमुद्भावयितुमुचितम्, न धर्मलुप्तायाम्। धर्ममात्रलुप्ताया एव धर्मलुप्ताशब्देन तैर्विवक्षणात्। अन्यथा एकलुप्तास्वेव द्विलुप्तानां त्रिलुप्तायाश्च ग्रहणात्पृथगुपादानमसम्बद्धमेव स्यात्। न चात्र वाचकस्य द्विर्भावस्यैव सत्त्वान्नास्ति लोपः; अपि तु धर्ममात्रस्येति वक्तुं शक्यम्। द्विर्भावस्य सादृश्यवाचकत्वोक्तेर्भाष्यकैयटादिविरुद्धत्वात्। तदुक्तं कैयटेन 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति सूत्रे सिद्धं त्विति प्रतीकमुपादाय—'द्विर्वचनस्य प्रकृतिः स्थानी इति तदर्थो विशेष्यते न तु प्रकारः। तत्र सर्वस्य गुणवचनत्वाद् व्यभिचाराभावात्। तद्ग्रहणाद् गुणवचनो यः शब्दो निर्ज्ञातस्तस्य सादृश्ये द्योत्ये द्वे भवत इति सूत्रार्थः' इति।

'प्रकारे गुणवचनस्य' इति सूत्रेण सादृश्यार्थे द्वित्वस्य विधीयमानतया 'पटुसदृशो देवदत्तः' इत्यर्थके 'पटुपटुर्देवदत्त' इत्यत्रापि वाक्यसमासतद्धितगामितया प्राचीनैरुप-

दर्शितायां धर्मलुप्तोपमाया एकः प्रकारो दृष्टिगोचरीभवतीति यदुक्तं दीक्षितैस्तन्न समीचीनम्, सादृश्यवाचकस्याप्यत्रानुक्ततया, वाचकधर्मोभयलुप्तोपमाप्रभेदेषु प्रकारस्यास्य गणयितुमौचित्यात्। ननु उभयलुप्तात्वेऽपि धर्मलुप्तात्वस्यानपायाद्दीक्षितोक्तिर्नासमीचीनेति चेन्न, धर्ममात्रलुप्ताया एव धर्मलुप्तापदेन दीक्षितैर्विवक्षितत्वात्। यदि द्विलुप्तादावपि एकलुप्तापदप्रयोगोऽभिमतोऽभविष्यत्, तर्हि एकलुप्ताप्रभेदेष्वेव द्विलुप्तत्रिलुप्तादीनामपि ग्रहणे पृथक् तेषां भेदानां ग्रहणमसम्बद्धमेवाभविष्यत्। द्विर्भावोऽत्र सादृश्यवाचको वर्तत एवेति न तल्लोप इति तु न वक्तुमर्हम्, द्विर्भावस्य सादृश्यवाचकताया भाष्यकैयटादितोऽसिद्धत्वात्। मूलोद्धृतायाः कैयटोक्तेरयं सारः—'प्रकारे गुणवचनस्ये'ति सूत्रे गुणवचनत्वं प्रकारस्य विशेषणं द्विर्भावस्यानिनः पटुशब्दादेर्वेति विकल्पे, प्रकारस्य सादृश्यस्य सर्वत्र गुणवाचित्वनियमात् व्यभिचारवारकस्य तद्विशेषणस्य वैयर्थ्यापत्त्या तद् विशेषणबलात् 'गुणवाचकात् शब्दात् सादृश्ये द्योत्ये द्वित्वं भवती'ति सूत्रस्यार्थः सम्पद्यते इति। अस्मिन् कैयटग्रन्थे द्विर्भावस्य सादृश्यद्योतकत्वमेव कण्ठरवेणोक्तम् न तद्वाचकत्वम्। एवञ्च सादृश्यवाचकविरहात् धर्मवाचकलुप्तोदाहरणमेवेदं द्वित्वम् न धर्ममात्रलुप्ताया इति भावः। अत्र—'द्विर्भावस्य सादृश्यद्योतकत्वेऽपि शक्तत्वरूपवाचकत्वाभावाद् वाचकलोप' इति तव (पण्डितराजस्य) हृदयम्। तत्तु इवादेर्द्योतकतानये चन्द्र इव मुखमित्यत्र, चन्द्रसुहृन्मुखमित्यत्र च वाचकलुप्ताव्यवहाराभावाय सादृश्यतद्विशिष्टान्यतरबोधकाभावस्यैव वाचकलुप्ताव्यवहारप्रयोजकत्वस्य वाच्यत्वेन द्योतकस्यापि बोधकत्वानपायेन नास्ति वाचकलोप इति तदाशयात् अबोधमूलकमिति चिन्त्यमिदम्।' इति नागेशो रुचिरमाख्यत्।

दीक्षितोक्ति का खण्डन करते हैं—यच्च इत्यादि। 'धर्मलुप्तोपमा के वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत ये तीन प्रकार, प्राचीनों के द्वारा दिखलाये गये हैं, परन्तु उसका चौथा प्रकार भी 'पटुपटुर्देवदत्तः' इत्यादि द्विर्भावस्थल में दीख पड़ता है, क्योंकि यहाँ 'प्रकारे गुणवचनस्य (८।१।१२)' इस सूत्र से सादृश्य अर्थ में पटुशब्द को द्वित्व हुआ है, जिसके अनुसार उसका अर्थ होता है-'पटु(चतुर)सदृश देवदत्त' अर्थात् यहाँ सादृश्य की प्रतीति, 'पटुपटुः' इस द्विर्भाव से, होती है, अतः यहाँ उपमा है इसमें किसी को आपत्ति नहीं, साथ साथ सादृश्यनियामक धर्म के ग्रहण न होने से इस उपमा के धर्मलुप्ता होने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अतः धर्मलुप्ता का यह चौथा प्रकार भी होता है' यह कथा, इसी प्रसङ्ग पर अप्पय दीक्षित ने कही है जो समुचित नहीं, कारण यहाँ जैसे धर्मवाचक पद का उपादान नहीं है, उसी तरह सादृश्यवाचक पद का भी उपादान नहीं है, ऐसी स्थिति में धर्म और वाचक दोनों के लोप वाले भेद अर्थात् धर्मवाचकलुप्तोपमा के भेद में इस उपमा का उल्लेख करना उचित था, न कि केवल धर्मलुप्ता के प्रभेद में। धर्मवाचकोभयलुप्ता होने पर भी धर्मलुप्ता तो यह उपमा हुई ही, अतः उन्होंने ऐसा कहा, यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि धर्मलुप्ता शब्द से केवल धर्मलुप्ता का ही ग्रहण करना उनका अभीष्ट मालूम पड़ता है। यदि ऐसा न होता-अर्थात् धर्मलुप्ता शब्द से धर्मवाचकोभयलुप्ता का भी ग्रहण करना उनका अभिमत होता, तब तो एकलुप्ता के प्रभेदों में ही द्विलुप्ता और त्रिलुप्ता के भेद भी संगृहीत हो ही जाते, फिर पृथक् द्विलुप्ता और त्रिलुप्ता के भेदों को गिनाना व्यर्थ ही होता। द्विर्भाव ही यहाँ सादृश्य का वाचक है, अतः वाचकलोप का व्यवहार यहाँ नहीं किया जा सकता, यह कहना भी सङ्गत नहीं हो

सकता; क्योंकि द्विर्भाव, सादृश्य का वाचक है, यह कथा भाष्य और कैयट आदि ग्रंथों से विरुद्ध पड़ती है। अर्थात् भाष्यकैयटादि ग्रन्थों से द्विर्भाव का सादृश्यद्योतक होना ही सिद्ध होता है सादृश्यवाचक होना नहीं। देखिए, 'प्रकारे गुणवचनस्य' इस सूत्र में 'सिद्धं तु' इस प्रतीक को लेकर कैयटकार क्या कहते हैं। उनके कथन का भाव है कि 'प्रकार' अर्थात् सादृश्य, सदा सर्वत्र गुणवाचक ही होता है, जाति अथवा क्रिया का वाचक नहीं, ऐसी स्थिति में 'गुणवचन' यह विशेषण, 'प्रकार' में लगाया नहीं जा सकता अर्थात् 'गुणवाची सादृश्य में' ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत् अर्थात् कोई विशेषण किसी भी विशेष्य में तभी सार्थक होता है, जब उस विशेषण के अर्थ की, उस विशेष्य में कहीं सम्भावना हो और कहीं उस विशेषणार्थ का व्यभिचार भी हो' ऐसा सिद्धान्त है। तात्पर्य यह कि गुणवाचकत्व का कहीं भी व्यभिचार (अभाव) न रहने के कारण 'प्रकार' में 'गुण-वचन विशेषण' नहीं जोड़ा जा सकता। परिशेषात् वह स्थानी (जिसको द्वित्व करना अभीष्ट हो उस पटु आदि शब्द) का विशेषण होता है। अतः तदनुसार उक्त सूत्र का यह अर्थ होना है कि 'सादृश्य द्योतित करना हो, तो उस शब्द को द्वित्व कर देना चाहिए, जो निश्चितरूप से गुणवाची ज्ञात हो।' इससे सारांश यह सिद्ध हुआ कि द्विर्भाव सादृश्य का द्योतक है वाचक नहीं, अतः 'पटुपटुर्देवदत्तः' यह वाचकधर्मलुप्ता का उदाहरण है केवल धर्मलुप्ता का नहीं। नागेश यहाँ दीक्षितमत के समर्थन में कहते हैं कि 'इस प्रकरण में 'वाचक' शब्द का अर्थ 'अभिधावृत्ति के द्वारा सादृश्य का बोधक' नहीं है, अपितु 'किसी भी युक्ति से सादृश्य अथवा सादृश्ययुक्त अर्थ का बोधक है, और ऐसे किसी शब्द के न होने पर वाचक का लोप माना जाता है। अन्यथा 'इव' आदि को द्योतक मानने वालों के मत में 'चन्द्र इव मुखम्' इस स्थल पर और उसको वाचक माननेवालों के मत में भी 'चन्द्रसुहृन्मुखम्' इस स्थल पर वाचकलुप्ताका व्यवहार होने लगेगा जो होता नहीं, अतः द्योतक द्विर्भाव को भी सादृश्यबोधक होने से वाचक कहलाने में बाधा नहीं रहने के कारण दीक्षित ने यहाँ धर्मलुप्ता मानी है। नागेश की यह मीमांसा सुन्दर है-युक्तियुक्त है, अतः दीक्षित-मत के खण्डन में ग्रन्थकार का यहां दुराग्रह ही झलकता है।

दीक्षितोक्तमन्यदपि निरस्यति—

इदं चान्यत्तस्मिन्नेव प्रस्तावे चित्रमीमांसाकृद्भिरभ्यधीयत—

'नृणां यं सेवमानानां संसारोऽप्यपवर्गति।
तं जगत्यभजन्मर्त्यश्चञ्चा चन्द्रकलाधरम्॥'

अत्र क्विप्कनोर्लोपे प्रत्येकं वाचकधर्मलोप उभयत्रापि तदरमणीयमेव। कनो वाचकस्य लोपेऽपि तं चन्द्रकलाधरमभजन्निति चन्द्रकलाधरभजनराहित्य-रूपस्य धर्मस्य चञ्चामर्त्यसाधारणस्योक्तत्वात्कथं तावद्धर्मस्य लोपः।

इदं चान्यदिति। वक्ष्यमाणमन्यच्चेत्यर्थः। क्विब्लोपे तयोक्तेर्युक्तत्वेऽपि कन्लोपे न युक्तत्वमित्याह—कन इति। 'यं शिवं, सेवमानानाम् भजताम्, नृणाम् मनुष्याणाम्, संसारोऽपि जगदपि, अपवर्गति अपवर्गो मोक्षः स इवाचरति-मोक्षतुल्यो भवति, तं, चन्द्रकलाधरम् शिवम्, अभजन् असेवमानो, मर्त्यः संसारी पुरुषः, जगति, 'चञ्चा तृणर-चितपुत्तलिकेव' इत्यर्थके 'नृणाम्.....'इत्यादि मूलोक्तपद्ये क्विप्गताम् कन्गताञ्च वाचकधर्म-

लुप्तोपमा यदुदाजहार चित्रमीमांसाकारो दीक्षितः, तन्न मनोरमम्, 'अपवर्गति' इत्यत्र वाचकस्य क्विपः साधारणधर्मस्य सुखमयत्वादेश्च वस्तुतो लुप्ततया क्विबंशे तदुक्तेर्युक्तत्वेऽपि 'चञ्चा' इत्यत्र वाचकस्य कनो लुप्तत्वेऽपि शिवभजनराहित्यात्मकस्य चञ्चामर्त्योभयवृत्तेः साधारणधर्मस्य 'तं चन्द्रकलाधरमभजन्' इत्यनेनोक्ततया धर्मलोपाभावे कनंशे तदुक्तेरयुक्तत्वात्। कनंशे केवलवाचकलुप्तैव न धर्मलुप्तेति भावः।

दीक्षित की दूसरी उक्ति का भी खण्डन करते हैं—इदं चान्य इत्यादि। इसी प्रसङ्ग पर चित्रमीमांसाकार अप्पयदीक्षित ने एक दूसरी बात भी कही है और वह यह कि 'नृणाम्'''अर्थात् जिसे सेवते हुए मनुष्यों का संसार भी मोक्ष सा आचरण करने लगता है—मोक्षतुल्य हो जाता है, उस चन्द्रकलाधर (शिव) को न भजने वाला संसारी पुरुष, संसार में चञ्चा है—तृणनिर्मित पुतले के समान है' इस श्लोक में 'अपवर्गति' पद में 'क्विप्' प्रत्यय का और 'चञ्चा' पद में 'कन्' प्रत्यय का लोप है, अतः इन दोनों पदों में प्रत्यय से वाच्य होने वाली उपमा वाचकलुप्ता तो हुई है, क्योंकि सादृश्य-वाचक क्विप् और कन् प्रत्यय लुप्त हैं, साथ-साथ धर्मलुप्ता भी है परन्तु सर्वांश में उनका यह कथन ठीक नहीं है। कारण, क्विप्भाग में संसार तथा मोक्ष दोनों को समान बनाने वाले 'सुखमयत्व' आदि साधारणधर्म के लोप की बात सत्य होने पर भी कन् भाग में तृणरचित पुतले तथा मनुष्यों को तुल्य सिद्ध करने वाला 'शिव के भजन से रहित होना' रूप साधारण धर्म, 'तं चन्द्रकलाधरमभजन्' पद से उक्त ही है, अतः उसके लोप की बात असत्य हो जाती है।

दीक्षितमतसमर्थकमवान्तरपूर्वपक्षं कृत्वा खण्डयति—

न चोपमेयमर्त्यविशेषणतयोपात्तस्य चन्द्रकलाधरभजनराहित्यस्य सादृश्योपसर्जने चञ्चायामनन्वयान्न साधारण्यमिति वाच्यम्।

'यद्भक्तानां सुखमयः संसारोऽप्यपवर्गति।
तं शम्भुमभजन् मर्त्यश्चञ्चैवात्महिताकृतेः॥

इति पाठे धर्मश्रवणमप्युभयत्रापि संभवति' इति स्वोक्तेरसङ्गतत्वापत्तेः। इहाप्युपमेयसंसारविशेषणतयोपात्तस्य सुखमयत्वस्य सादृश्योपसर्जनेऽपवर्गेऽन्वयाभावात्कथङ्कारं धर्मस्य साधारण्यम्।

यद्भक्तानामिति। यस्य शम्भोः, भक्तानाम् सेवकानाम्, संसारोऽपि जगदपि सुखमयः सन्, अपवर्गति मोक्षतुल्यो भवति, तं शम्भुम्, अभजन्, मर्त्यः संसारी, आत्मनः स्वस्य, हितस्य कल्याणस्य, अकृतेः अकरणाद्धेतोः चञ्चैव तृणरचितपुत्तलिकातुल्य एवेत्यर्थः। असंगतिमुपपादयति—इहापीति। कथंकारमिति, कथं कृत्वेत्यर्थः 'नृणाम्'''इत्यादि प्रागुक्तपद्ये 'अभजन्' इति उपमेयभूतस्य मर्त्यस्य विशेषणरूपेण कथितम् अतस्तदर्थस्य मर्त्यपदार्थ एवान्वयो भवेत, नोपमानभूतचञ्चापदार्थे, तस्य स्वार्थसादृश्यविशेषणतया पदार्थैकदेशत्वात्। तथा च शिवभजनराहित्यं न साधारणो धर्मः, यश्च साधारणो धर्मः स्वहिताकरणादिः सः अनुक्त एवेति तत्र धर्मवाचकोभयलुप्तात्वकथनं दीक्षितस्य सम्यगेवेति शंकायाः तत्र तथाङ्गीकार्ये 'यद्भक्तानाम्''' इत्यत्रापि उपमेयभूतस्य संसारस्य विशेषणरूपेण कथितस्य सुखमयत्वधर्मस्य, अपवर्गपदलक्ष्यार्थसादृश्यविशेषणत्वेन गुणीभूते पदा-

थैंकदेशे च अपवर्गपदार्थेऽन्वयासंभवेन साधारणत्वाभाव एव प्रसक्ते 'यद्भक्तानाम्...'इत्यत्र तदेव सुखमयत्वमादाय उभयत्रापि (क्षिपूकनभागयोः) साधारणधर्मश्रवणकथनं तदीयमेव विरुद्धयेत् इति च समाधानस्याभिप्रायो बोध्यः।

दीक्षितमत को सङ्गत सिद्ध करने के लिये मध्य में एक पूर्वपक्ष कर के उसका खण्डन करते हैं—न च इत्यादि। अभिप्राय है कि-"आप-जो 'शिवजी के भजन से रहित होने' को साधारण धर्म बतलाकर दीक्षितोक्ति का खण्डन करते हैं, वह तो ठीक नहीं है, क्योंकि 'शिवजी के भजन से रहित होना' साधारण (उपमान तथा उपमेय दोनों में रहने वाला) धर्म हो ही नहीं सकता, हो भी कैसे, जब कि 'अभजन्' यह विशेषण, उपमेय-संसारी पुरुष-के लिये पद्य में आया है अर्थात्-उस 'अभजन्' पदार्थ-भजनराहित्य-का अन्वय उपमेय-मर्त्य-में ही हो सकता है, उपमान चञ्चा-तृणरचित पुतला-का नहीं, क्योंकि चञ्चा पदार्थ स्वयं सादृश्य का विशेषण है—गौण है-पदार्थ का एकदेश है, पदार्थ नहीं" यह एक पूर्वपक्ष मात्र है, सिद्धान्त नहीं, क्योंकि इसका समाधान यों दिया जा सकता है कि—यदि इस तरह से 'शिवभजनराहित्य' को आप साधारण धर्म नहीं बनने देते हैं, तब 'पूर्वोक्त 'नृणाम्' इत्यादि पद्य को ही कुछ काट-छाँट कर 'यद्भक्तानाम्...अर्थात् जिसके भक्तों का संसार भी सुखमय होकर मोक्षतुल्य हो जाता है, उस शम्भु का भजन नहीं करनेवाला मनुष्य, अपना हित न करने के कारण तृणरचित पुतले के समान ही है।' ऐसे पाठ में दोनों तरफ (अपवर्गति और चञ्चा) साधारण धर्म के श्रवण की भी संभावना हो सकती है अर्थात् इस परिवर्तित पद्य में दोनों स्थल पर केवल वाचकलुप्ता ही होगी धर्मलुप्ता नहीं, क्योंकि धर्म श्रुत ही है लुप्त नहीं' इन शब्दों में जो दीक्षितजी ने स्वयं 'सुखमयत्व' को साधारण धर्म सिद्ध करने की चेष्टा की है, वह असङ्गत हो जायगी क्योंकि 'सुखमयत्व भी, सुखमयः संसारः' रूप में उपमेय-संसार-का विशेषण है उपमान-अपवर्ग-का नहीं। कारण अपवर्ग स्वयम् सादृश्य का विशेषण है-गौण है-पदार्थ का एकदेश है, उसी तरह जिस तरह उक्त 'शिव-भजनराहित्य' है।

पुनः दीक्षितमतसमर्थकं पूर्वपक्षमुल्लिख्य निराकरोति—

उपमेयगतत्वेनोपमानगतत्वेन वोपात्तस्य धर्मस्य शाब्द उभयान्वयेऽसत्यपि वस्तुत उभयवृत्तित्वज्ञानमेव साधारणताया नियामकमिति चेत्, चन्द्रकलाधर-भजनराहित्येऽपि दीयतामेवमेव दृष्टिः।

यदन्वयितया यः पदार्थ उच्यते, तस्य तत्रैव शाब्दः अन्वयो भवतीति सिद्धान्तः। तथा चोपमेयान्वयितयोक्तस्य धर्मस्योपमेय एव, उपमानान्वयितयोक्तस्य च धर्मस्योपमान एव शाब्दः अन्वयो भवेत् नोभयत्रेत्यपि सत्यम्, तथापि यस्मिन् धर्मे वस्तुगत्योपमेयोप-मानोभयवृत्तित्वज्ञानं भवति, स धर्मः साधारण इति चेत् 'यद्भक्तानामि'त्यादिपद्ये शाब्द-सरण्योपमेये संसारमात्रेऽन्वीयमानस्यापि वस्तुगत्यापि संसारमोक्षोभयवृत्तित्वेन ज्ञायमानस्य सुखमयत्वस्य साधारणत्वसम्पत्तये निरुच्येत, तदा 'नृणाम्' इत्यादि पूर्वोक्तपद्ये चन्द्रकला-धरभजनराहित्यस्यापि साधारणत्वं स्वीकरणीयमेव तुल्यन्यायात्, यथा सुखमयत्वम् उप-मेयान्वयितयोक्तमपि वस्तुगत्योपमेयोपमानोभयवृत्ति, तथा चन्द्रकलाधरभजनराहित्यमपि उपमेयमात्रान्वयितया कथितमपि वस्तुगत्योपमेयोपमानोभयवृत्तीति भावः।

पुनः प्रकारान्तर से दीक्षितमतसमर्थनप्रयास का निराकरण करते हैं—उपमेय इत्यादि। यदि आप कहें कि केवल उपमेय के विशेषणरूप में अथवा केवल उपमान के विशेषणरूप में कहे गये धर्मों का अन्वय शाब्दबोध में उसी पदार्थ के साथ होगा, जिसके विशेषणरूप में वह कहा गया रहेगा यह बात सत्य है, तथापि 'यद्भक्तानाम्'''' इस पद्य में 'सुखमयत्व' साधारण धर्म माना जा सकता है, क्योंकि किसी धर्म को साधारण बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका शाब्द अन्वय दोनों (उपमेय तथा उपमान) के साथ होता हो, अपितु यह आवश्यक है कि वस्तुतः वह धर्म दोनों में रहता हो-रहनेवाला समझा जाता हो, सुखमयत्व ऐसा है अर्थात् उपमेय संसार तथा उपमान अपवर्ग दोनों में वस्तुतः रहता है, तो मैं कहूँगा कि आपका कथन सर्वथा सत्य है, परन्तु इसी दृष्टिकोण से 'नृणाम्'''' इत्यादि पद्य के चन्द्रकलाधरभजन-राहित्य को भी क्यों नहीं देखते ? अर्थात् इस दृष्टि से विचार करने पर वह भी साधारण धर्म माना जा सकता है, क्योंकि सुखमयत्व के समान वह भी वस्तुगत्या उपमेय मर्त्य पुरुष और उपमान चक्षु दोनों में रहता ही है। तात्पर्य यह कि इस तरह की समान स्थिति में एक को साधारण धर्म आप मानियेगा और दूसरे को नहीं, यह हो नहीं सकता, फलतः दोनों को साधारण धर्म मानना पड़ेगा।

दीक्षितमतसमर्थिकां युक्तिमेकां कथंचिदङ्गीकुरुते—

यदि चोपमेयतावच्छेदकतयैव चन्द्रकलाधरभजनराहित्यं मम विवक्षितम्, साधारणधर्मश्च स्वात्महिताकरणरूपः स चात्र लुप्त एवेति शपथेन स्वाभिप्रायः प्रकाश्यते तदा निवारितोऽयं दोषः। तुष्यतु भवान्।

उपमेयतावच्छेदकतयेति। उपमेयान्वयिविशेषणतयेति भावः। शपथेनेत्यादि। मौखिकशपथेन हृदयनिहितसत्यस्यापलापोऽयम्, तावता भवत एव तुष्टिर्न मम तथापि शपथमर्यादारक्षणाय प्रसङ्गेऽस्मिन् मौनमेवावलम्बेऽहमिति भावः। यदि भवान् शपथपूर्वकमिदं वक्तुं पारयेद्यत् 'नृणाम्' इति प्रथमपद्ये चन्द्रकलाधरभजनराहित्यं मर्त्यजनरूपोपमेयगामितयैव वक्तुरभिप्रेतम्, अतः स साधारणधर्मो न भवितुमर्हति, यश्च स्वहिताकरणरूपो धर्मः साधारणतया वक्तुरभिमतः स लुप्त एवेति तत्र वाचकधर्मलुप्तात्वकथनं सुसङ्गतमेव। 'यद्भक्तानाम्' इति द्वितीयपद्ये च सुखमयत्वं साधारणतया विवक्षितं वक्तुरतस्तत्र तस्योपादाने न धर्मलुप्तात्वमिति, तदा न कश्चिदत्र दोष इति सारांशः।

दीक्षितमत के समर्थन में दी गई एक दूसरी युक्ति को (अनिच्छा से ही सही परन्तु) स्वीकार करते हैं—यदि इत्यादि। यदि आप शपथ खाकर अपना अभिप्राय इस रूप में प्रकट करें कि—'नृणाम्'''' इत्यादि पद्य में जो धर्म-महादेवभजनराहित्य उक्त है, वह उपमेय संसारी जीव के विशेषणरूप में ही वक्ता का विवक्षित है, अतः साधारण नहीं कहा जा सकता और आत्महिताकरण (अपना हित न करना) जो वक्ता का साधारण धर्म के रूप में अभिप्रेत है' वह लुप्त है ही, इसलिए 'वहाँ वाचक-धर्मलुप्ता है' इस तरह का दीक्षितजी का कथन सङ्गत है, और 'यद्भक्तानाम्'''' इत्यादि द्वितीय पद्य में 'सुखमयत्व' उक्त है, उसकी विवक्षा वक्ता ने साधारण धर्म के रूप में ही की है, अतः 'वहाँ साधारण धर्म का श्रवण है' यह कथन भी दीक्षितजी का अनुचित नहीं। तो मैं भी आपकी शपथ-मर्यादा की रक्षा की भावना से इस स्थल को निर्दोष मान लेता हूँ। परन्तु है यह मौखिक शपथ के द्वारा हृदयस्थित सत्य का अप-

लाप ही। इससे मादृश जन की मनस्तुष्टि नहीं हो सकती, आप भले ही सन्तोष का अनुभव कर लें।

अन्यदपि दीक्षितोक्तमालोचयन् तत्र व्याकरणाशुद्धिं प्रकाशयति—

इदमप्यन्यत्तैरेव वाचकोपमेयलुप्तायामुदाहरणं निरमीयत—

'रूपयौवनलावण्यस्पृहणीयतराकृतिः ।
पुरतो हरिणाक्षीणामेष पुष्पायुधीयति ॥'

इदं च पद्यमपशब्ददुष्टमवैयाकरणतां कर्तुः प्रकाशयति। तथाहि पुरत इति नगरवाचिनः पुरशब्दात्तसिलि हरिणाक्षीणां नगरादित्यर्थस्यासङ्गतेः। नहि पूर्ववाचकः पुरशब्दः क्वापि श्रूयते। पूर्वशब्दात्तु 'पूर्वाधरावराणामसिपुरधवश्चैषाम्' इत्यसौ पुरादेशे च पुर इति भाव्यम्, न तु पुरत इति। अत एव 'अमुं पुरः पश्यसि देवदारुम्' इति प्रायुङ्क्त महाकविः। एवमेव 'मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः—इत्यप्रस्तुतप्रशंसा' इति द्वितीयप्रकरणारम्भेऽप्यपशब्दितं तैः। तथा चाहुर्वैयाकरणाः–"पत्या पुरतः परतः', 'आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि', 'पुरतः सुदती समागतं माम्' इत्यादयः सर्वेऽपि व्याकरणाज्ञानमूला अपशब्दाः" इति।

रूपयौवनेति। रूपेण गौरत्वादिना, यौवनेन युवावस्थया, लावण्येन मुक्ताफलेषुच्छायायाः...' इत्यादिपरिभाषिताभ्यन्तरधर्मविशेषेण, च, स्पृहणीयतरा अतिशयेन कामनाविषयीभूता, आकृतिः आकारो यस्य तादृशः एषः वर्णनीयः पुरुषविशेषः, हरिणाक्षीणाम् मृगनयनानाम्, पुरतः अग्रे, पुष्पायुधीयति पुष्पायुधः कामः स इवाचरतीत्यर्थः। कर्तुः दीक्षितस्य। तन्निलीति। अत्र इदं चिन्त्यम्। तदप्राप्तेः। आद्यादित्वात्तसावित्युचितम्।' इति नागेशः। महाकविः कालिदासः। तैः अप्पयदीक्षितैः। पुनरत्र नागेशः—"इदं चिन्त्यम्। 'पुरत' इति निपाताङ्गीकारात्। अत एव 'इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना' इति कालिदासः, 'पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्चात्' इति भवभूतिश्च सङ्गच्छते' इति केचित्। अन्ये तु 'दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्' इत्यत्रातसुचैव पुंवद्भावेन सिद्धेऽतसुज्विधानमन्यस्मादपीति ज्ञापनाय। तेन पचाद्यजन्तात्पुरशब्दात्तस्मिन्निष्टसिद्धिः। इत्याहुः। वस्तुतस्तु—'पुर अग्रगमने' इति चौरादिकाण्णिजभावे इगुपधलक्षणे के 'सार्वविभक्तिकस्तसिः' इति बोध्यम्" इति समुचितं दीक्षितमतेन सह कविसम्प्रदायमपि समर्थितवान्। वैयाकरणा इति। प्राञ्च इत्यादिः। रूपयौवनेति पद्ये 'पुरतः' इति प्रयोगो व्याकरणदिशाऽशुद्धः, कविविवक्षितार्थे 'पुरः' इति प्रयोगस्यैव शब्दानुशासनसिद्धत्वादिति सारांशः। अन्यत् सुगमम्।

दीक्षितजी की एक अन्य उक्ति में आलोचना द्वारा व्याकरणाशुद्धि दिखलाते हैं— इदमप्य इत्यादि। दीक्षितजी ने ही वाचकोपमेयलुप्तोपमा के उदाहरण में यह दूसरा पद्य भी बनाया है-'रूपयौवन इत्यादि अर्थात् जिसका आकार रूप (वर्ण) युवावस्था और लावण्य से स्पृहणीय है ऐसा यह नायक, मृगाक्षियों के आगे कामदेव का सा आचरण करता है।' यह पद्य अपशब्द (अशुद्ध शब्द) रूप दोष से दुष्ट है, अतः

रचयिता का वैयाकरण न होना इससे सूचित होता है। देखिए—'पुरतः' शब्द की सिद्धि, यदि नगरवाची पुर शब्द से, तसिल् (वस्तुतः 'तसि' कहना चाहिए, क्योंकि 'तसिल्' की प्राप्ति यहाँ नहीं होती) प्रत्यय करके, की जायगी, तब उसका अर्थ यहाँ होगा 'मृगाक्षी के नगर से' जो प्रकृत में सङ्गत नहीं होगा। पूर्व (आगे) अर्थ का वाचक 'पुर' शब्द कहीं (कोश आदि में) सुना नहीं जाता-देखा नहीं जाता, अतः पूर्ववाची पुर शब्द से 'तसि' प्रत्यय करके उक्त प्रयोग को सिद्ध करने की बात चलायी ही नहीं जा सकती। रहा पूर्व शब्द, सो उससे 'पूर्वाधरा···' इत्यादि मूलोक्त सूत्र से 'असि' प्रत्यय करने पर 'पुर' आदेश द्वारा 'पुरः' प्रयोग बनता है, 'पुरतः' नहीं। अत एव महाकवि कालिदास ने 'अमुं पुरः पश्यसि देवदारुम्' यह प्रयोग किया है। एक जगह की बात नहीं, इसी तरह दूसरी जगह—चित्रमीमांसा के द्वितीय प्रकरण के आरम्भ में भी दीक्षितजी ने 'मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः' इत्यादि लिखकर वही गलती की है। 'पुरतः' शब्द के अशुद्ध होने के कारण ही तो वैयाकरण लोग कहते हैं—'पत्या पुरतः परतः', 'आत्मीयं चरणं दधाति पुरतः' 'पुरतः सुदती समागतम्' इत्यादि सभी शब्द अशुद्ध हैं और इन अशुद्धियों के होने में मूल है निर्माताओं का व्याकरणविषयक अज्ञान। नागेश का यहाँ कथन है कि 'पुरतः' शब्द अशुद्ध नहीं है, तीन तरह से उस पद की सिद्धि की जा सकती है। एक निपात मानकर, दूसरा पचादित्वात् अच्प्रत्ययान्त पुर शब्द से ज्ञापक द्वारा 'अतसुच्' प्रत्यय करके और तीसरा 'पुर अग्रगमने' धातु से चौरादिक णिच् नहीं करने पर 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः' इस सूत्र से 'क' प्रत्यय करके बनाए गए 'पुर' शब्द से सार्वविभक्तिक 'तसि' प्रत्यय करके। इन तीनों प्रकारों में तृतीय प्रकार सर्वोत्तम है। इस तरह से यह प्रयोग केवल शुद्ध है इतना ही नहीं, महाकवि लोगों ने इसका प्रयोग भी बहुत जगह किया है। जैसे कुमारसम्भव में कालिदास ने 'इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना' कहा है। भवभूति ने उत्तररामचरित में 'पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्चात्' लिखा है। इस तरह के महाकविप्रयुक्त पदों को लेकर जो पण्डितराज, दीक्षितजी पर कटाक्ष करते हैं, उससे दीक्षितजी के प्रति पण्डितराज का हार्दिक विद्वेष ही अधिक व्यक्त होता है।

पूर्वोक्तभेदाया उपमायाः पुनः प्रकारान्तरेण भेदान् वक्ति—

इयं चैव भेदोपमा वस्त्वलङ्काररसरूपाणां प्रधानव्यङ्ग्यानां वस्त्वलङ्कारयोर्वाच्ययोश्चोपस्कारकतया पञ्चधा।

पूर्वोक्तभेदाया उपमाया अलङ्कार्यभेदेन पुनः पञ्च प्रकारा भवन्ति, वस्त्वलङ्काररसभेदेन त्रिविधानां प्रधानव्यङ्ग्यानां वस्त्वलङ्कारभेदेन द्विविधयोर्वाच्ययोश्च स्थलभेदेनालङ्कार्यत्वात्। एवञ्च प्राधान्येन व्यङ्ग्यभूतवस्तूपकारिका एका, प्राधान्येन व्यङ्ग्यभूतालङ्कारोपकारिका द्वितीया, प्राधान्येन व्यङ्ग्यभूतरसाद्यलक्ष्यक्रमोपकारिका तृतीया, प्राधान्येन वाच्यवस्तूपकारिका चतुर्थी, प्राधान्येन वाच्यालङ्कारोपकारिका च पञ्चमी उपमा भवतीति भावः।

अब पुनः प्रकारान्तर से उपमा के भेद करते हैं—इयं चैव इत्यादि। अभी-अभी जो उपमा के भेद दिखलाये जा चुके हैं, उन सभी भेदों के पुनः पांच-पांच भेद होते हैं, क्योंकि किसी दूसरे अर्थ को अलंकृत करने के कारण ही तो उपमा अलङ्काररूप होती है और अलंकृत होने वाले अर्थ पांच प्रकार के होते हैं। जैसे—१-वस्तुरूप प्रधान व्यङ्ग्य, २-अलङ्काररूप प्रधान व्यङ्ग्य, ३-रसादिरूप प्रधान व्यङ्ग्य, ४-वस्तुरूप प्रधान वाच्य,

और ५-अलङ्काररूप प्रधान वाच्य। उपमा, स्थलभेद से इन पांचो अर्थों की उपस्कारिका-उपकारिका अर्थात्-शोभिका होती है।

एषु पञ्चसु प्रकारेषु प्रथमं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

तत्र व्यङ्ग्यवस्तूपस्कारिका यथा—

तत्रेति। उक्तपञ्चभेदमध्य इत्यर्थः। उपमाया येन प्रकारेण व्यङ्ग्यवस्तूपस्करणं भवति, स प्रकारो निर्दिश्यत इति भावः।

उक्त पांच भेदों में से व्यङ्ग्य वस्तु को शोभित करने वाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अविरतपरोपकरणव्यग्रीभवदमलचेतसां महताम्।
आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि भेषजानीव॥'

अविरतम् निर्विरामम् सततमिति यावत्, परोपकरणेषु परकीयोपकारसम्पादनेषु, व्यग्रीभवन्ति अव्यग्राणि व्यग्राणि भवन्तीत्यभूततद्भावे च्विः विषयान्तरे कदापि व्यग्रतां नानुभवन्त्यपि परोपकारविषये व्यग्रतामनुभवन्तीति भावः, अमलानि विशुद्धानि रागद्वेषादिशून्यानीति यावत्, चेतांसि हृदयानि, येषां, तेषाम्, महताम् महापुरुषाणाम् आपातकाटवानि प्रागनुभूयमानकटुत्वकानि, वचनानि, भेषजानि औषधानीव, स्फुरन्ति प्रकटीभवन्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अविरत इत्यादि। कवि का कथन है—जिनके विशुद्ध-रागद्वेषादिशून्य-हृदय, सतत परोपकार में व्यग्र रहते हैं अर्थात् जिनके मन में अन्य प्रकार की व्यग्रता न रहने पर भी परोपकार करने की व्यग्रता सदा बनी रहती है, उन महापुरुषों के, पहले कटु प्रतीत होने वाले वचन औषधों के समान स्फुरित-प्रकट-होते हैं।

उपपादयति—

अत्र तादृंशि वचनान्यर्थद्वारा सेवमानस्य मनागप्यक्षुभ्यतः परिणामे परमं सुखं भवतीति प्राधान्येन व्यङ्ग्यस्य वस्तुन उपस्कारिका भेषजोपमा।

तादृंशीति। आपातकाटवानीत्यर्थः। अर्थद्वारा सेवमानस्येति। अर्थज्ञानपुरस्सरं तथा चरत इत्यर्थः। मनागपि ईषदपि। अक्षुभ्यत इति। प्रारम्भिककटुत्वभयेन संभाव्यमानं वैमुख्यं नासादयत इत्यर्थः। अत्र 'तादृंशि'...' इत्यादिमूलोक्तं वस्तु 'आपातकाटवानि' इति पदेन, प्रधानतया व्यज्यते। इदमेव वस्तुव्यङ्ग्यमत्र काव्यजीवातुभूतम्, न रसादिरिति तात्पर्यम्। व्यङ्ग्यमेनमर्थम् भेषजानीवेति पूर्णा भेषजोपमा, भूषयति-प्रतिपाद्यमानेन प्रारम्भकटोरपि परिणामसुखदस्य भेषजस्य सादृश्येन परिपुष्टोऽसौ व्यङ्ग्योऽर्थः चमत्कृतिमधिकां जनयतीति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। यहाँ 'जो मानव ऐसे वचनों का सेवन अर्थतः करता है अर्थात् अर्थ समझकर इन वचनों के अनुसार व्यवहार करता है और कटुता के भय से जरा भी विक्षुब्ध नहीं होता-वचनसेवन से पराङ्मुख नहीं होता, उसे परिणाम में परम सुख प्राप्त होता है' यह अर्थ, 'आपातकाटवानि' पद से व्यङ्ग्य होता है। यही व्यङ्ग्य, इस पद्य में, प्रधान है-काव्यव्यवहार का कारण है और इस व्यङ्ग्य को

शोभित करती है 'भेषजानीव' पद से वाच्य होने वाली औषध की पूर्णोपमा। सारांश यह कि औषध-सादृश्य से परिपुष्ट हो कर वह अर्थ और अधिक चमत्कार को उत्पन्न करता है।

द्वितीयं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

व्यङ्ग्यालङ्कारोपस्कारिका यथा—

प्राग्वत् व्याख्या।

व्यङ्ग्यअलङ्कार को शोभित करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अङ्कायमानमलिके मृगनाभिपङ्कम्,
पङ्केरुहाक्षिवदनं तव वीक्ष्य बिभ्रत्।
उल्लासपल्लवितकोमलपक्ष्ममूला-
श्चञ्चूपुटं चपलयन्ति चकोरपोताः॥'

नायको नायिकानिकटे चाटुकारितां कुरुते—हे पङ्केरुहाक्षि कमललोचने! अलिके भालदेशे, अङ्कायमानम् चिह्नायमानम् चन्द्रगतश्यामचिह्नसदृशमिति यावत्, मृगनाभिपङ्कम् कस्तूरिकाद्रवम्, बिभ्रत् दधानम्, तव, वदनं मुखम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, उल्लासेन आह्लादेन, पल्लवितानि विकसितानि, कोमलानि पक्ष्माणां मूलानि आरम्भभागा येषां तादृशाः, चकोरपोताः चकोराणां शिशवः चञ्चूपुटम्, चपलयन्ति चञ्चलं कुर्वन्तीत्यर्थः। कलङ्कतुल्यकस्तूरीद्रवबिन्दुवन्दितललाटतटे तवानने चन्द्रभ्रमेण चकोरकिशोरकाः, आनन्देन कोमलानि पक्ष्ममूलानि पल्लवयन्तश्चन्द्रिकापानकामनया चञ्चूपुटं चपलं विदधतीति तद्भावः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अङ्कायमान इत्यादि। नायिका के प्रति नायक की चाटूक्ति है—हे कमललोचने! भालदेश में कलङ्क (चन्द्रगत चिह्नविशेष) के समान कस्तूरीद्रव को धारण करते हुए तुम्हारे मुख को देखकर, आनन्दातिरेक से जिनकी आँखों की जड़ें विकसित हो गई हैं ऐसे चकोरों के बच्चे, अपने चोंच को चपल बना रहे हैं—अर्थात् चन्द्रभ्रम से तेरे मुख की चांदनी को चखने के लिए आतुर हो रहे हैं।

उपपादयति—

अत्र प्राधान्येन व्यङ्ग्ये आरोप्यमाणचन्द्रके भ्रान्तिमत्यलङ्कारे उपपादकस्य भालस्थमृगमदपङ्कविषयकस्याङ्काभेदारोपस्याङ्कसादृश्यरूपदोषमूलकत्वादुपमात्रालङ्कारः।

नन्वत्रोपमालङ्कारो नैवात आह—अत्र प्राधान्येनेत्यादि। व्यङ्ग्ये इति वाक्यव्यङ्ग्ये इत्यर्थः। अलङ्कारे इति। सतीति शेषः। उपपादकस्येत्यस्य तस्येत्यादिः। अत्रालङ्कार इति। तथा च तदुपस्कारकत्वमस्याः स्पष्टमिति भावः। अङ्कायमानमिति पद्ये समग्रवाक्यतः स भ्रान्तिमानलङ्कारो व्यज्यते, यत्र चकोरकिशोरकर्तृकचञ्चूपुटचपलतान्यथानुपपत्त्या मुखे चन्द्राभेदारोपो भवति। स चारोपो न तावत् सेद्धुं शक्नोति, यावत् ललाटदेशस्थकस्तूरीद्रवे, कलङ्काभेदारोपो न भवेत्, अतः सोऽप्यारोपो विधीयते। नन्वेवमङ्कायमानमित्यनेनाङ्काभेद एव बोध्येत, तथा चात्रोपमाया अवसर एव नास्तीति चेन्न, अङ्काभेदारोपस्याङ्कसादृश्यरूपदोषाऽमूलकतयाऽऽवश्यकस्य तत्सादृश्यस्यैवाङ्कायमान इत्यनेन

बोधनात् सादृश्यस्यैव चोपमात्वात्। कस्तूरीद्रवेऽङ्कसादृश्यबोधः शाब्दः, तस्मिन् तदभेद-बोधस्तु आर्थ इति रहस्यम्। एवञ्च व्यङ्ग्यभ्रान्तिमदलङ्कारोपस्कारकत्वमुपमायाः स्पष्टमिति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र प्राधान्येन इत्यादि। 'अङ्कायमान-' इत्यादि पद्य में सम्पूर्ण वाक्य से प्रधानरूप में 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार अभिव्यक्त होता है अर्थात् नायिका के मुख को चकोर के बच्चे चन्द्र समझते हैं, अत एव चन्द्रिकापान की कामना से वे बार-बार अपने चोंचों को चञ्चल करते हैं, फलतः यह सिद्ध हुआ कि यहाँ 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार में चन्द्र का आरोप मुख में किया जाता है और इस आरोप का साधक है ललाटदेश में लगे कस्तूरी-द्रव में कलङ्क के अभेद का आरोप और इस द्वितीय आरोप का मूल है कस्तूरीद्रव में रहने वाले अङ्क (कलङ्क) के सादृश्यरूप दोष का ज्ञान। सादृश्य ही उपमा है, जो यहाँ 'अङ्कायमान' पद में 'क्यङ्' प्रत्यय का वाच्य अर्थ है। तात्पर्य यह कि 'अङ्कायमान' पद से अङ्क का अभेद बोधित नहीं होता, अपितु अङ्क का सादृश्य ही, पीछे इस सादृश्य के ज्ञान से कस्तूरीद्रव में अङ्क का अभेद अर्थतः विदित होता है। यहाँ उपमा (सादृश्य), व्यङ्ग्य भ्रान्तिमान् अलङ्कार का उपस्कारक है—पोषक है, क्योंकि उस सादृश्य के ज्ञान से कस्तूरी द्रव में अङ्काभेद का ज्ञान और इस अभेदज्ञान से मुख में चन्द्राभेदरूप भ्रान्तिमान् का ज्ञान होता है।

तृतीयप्रकारोदाहरणं पूर्वोल्लिखितं स्मारयति—

रसोपस्कारिका तु 'दलदरविन्द—' इत्यत्र प्रागेवोदाहृता।

उपमासामान्योदाहरणत्वेन प्रागुल्लिखितस्य 'गुरुजन···' इत्यादिपद्यस्य 'दलदरविन्दसुन्दरम्' इत्यंशे वर्त्तमाना समासगतोपमा सकलवाक्यार्थभूतस्य विप्रलम्भशृङ्गारस्य शोभिकेति भावः।

तृतीय प्रकार के उदाहरण का—जो पहले ही लिखा जा चुका है—स्मरण कराते हैं—रसोपस्कारिका इत्यादि। 'गुरुजन···' इत्यादि पद्य, पहले (सामान्य उपमा का उदाहरण दिखलाने के समय में) लिखा जा चुका है। उस पद्य के 'दलदरविन्दसुन्दरम्' अंश में जो उपमा है, वह रसोपस्कारिका कही जा सकती है, क्योंकि उस उपमा से उस पद्य का प्रधान व्यङ्ग्य विप्रलम्भशृङ्गार (रस) शोभित हो रहा है।

भेदपरिगणने न्यूनताभ्रमं निराकुरुते—

रसपदेनासंलक्ष्यक्रमस्योपलक्षणाद्भावाद्युपस्कारिकाप्यत्रैवान्तर्भाव्या।

रस्यते = आस्वाद्यते इति व्युत्पत्तियोगादत्र शास्त्रे प्रायोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यमात्रे रस-पदप्रयोगः क्रियते, अत एव 'वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति' विश्वनाथः, एवञ्च प्रकृते 'वस्त्वलङ्काररसरूपाणाम्' इति परिगणनपरे वाक्यांशे रसपदेन भावादीनां संग्रहोऽभीष्टः। तेन भावाद्युपस्कारिका अपि उपमाः संगृहीता एवेति न कापि न्यूनतेति भावः।

यहाँ अलङ्कार्यभेद से जो उपमा के भेद किये गये हैं, उनमें रस की चर्चा है, पर भाव आदि की नहीं, अतः जो न्यूनता का भ्रम उत्पन्न हो सकता था, उसकी निवृत्ति के लिये लिखते हैं—रसपदेन इत्यादि। इस साहित्यशास्त्र में प्रायः सभी अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यों के लिये 'रस' पद प्रयुक्त होता है, क्योंकि 'रस्यते = आस्वाद्यते इति रसः अर्थात् जो आस्वादित हो उसे रस कहा जाता है' इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाव आदि सभी अल-

व्यक्रम व्यङ्ग्य रस पद के अर्थ हो सकते हैं। इस स्थिति में यहाँ कोई न्यूनता नहीं दीख पड़ती अर्थात् भाव आदि को उपस्कृत करनेवाली उपमाओं का भी समावेश रसोपस्कारिकाओं में ही हो जाता है।

'भावाद्युपस्कारिका' इत्यत्रादिपदग्राह्ययोः रसाभासभावाभासयोरुपस्कारिकाया उपमाया उदाहरणभूतं पूर्वोक्तपद्यद्वयं स्मारयति—

यथा—'नैवापयाति हृदयादधिदेवतेव', 'वन्यकुरङ्गीव वेपते नितराम्' इत्यादिषु प्रागुदाहृतेषु।

'नैवापयाति···' इति पद्यम् भावाभासोदाहरणप्रदर्शनावसरे, 'वन्यकुरङ्गीव···' इति च रसाभासोदाहरणप्रदर्शनकाले प्रथमानने समुल्लिखितम् तत्रैव द्रष्टव्यम्। तत्र प्रथमपद्यस्याधिदेवतोपमाऽनुचिततया भावाभासरूपां गुरुकन्याविषयिणीं स्मृतिमुपस्करोति, एवं द्वितीयपद्यस्य बालकुरङ्ग्युपमा, रतेर्नववध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभयनिष्ठत्वेनाभासरूपं शृङ्गाररसमुपस्करोतीति भावः।

'भावाद्युपस्कारिका' इस मूलोक्त पङ्क्ति के आदि पद से संगृहीत होनेवाले रसाभास तथा भावाभास को शोभित करनेवाली उपमाओं के उदाहरणभूत पूर्वोल्लिखित दो पद्यखण्डों का स्मरण दिलाते हैं—यथा इत्यादि। 'नैवापयाति···' इत्यादि पद्य भावाभास के उदाहरण लिखते समय और 'वन्यकुरङ्गीव···' इत्यादि पद्य रसाभास के उदाहरण लिखते समय प्रथम आनन में दिखलाये गये हैं, अतः सम्पूर्ण पद्य वहीं देखे जा सकते हैं। उन दोनों में से प्रथम पद्य की 'अधिदेवतेव' यह उपमा, अनुचित होने के कारण भावाभासरूप गुरुकन्याविषयक प्रधान स्मृतिभाव को सुशोभित करती है। इसी तरह द्वितीय पद्य की 'बालकुरङ्गीव' यह उपमा, नववधू में रति की सर्वथा अवर्तमानता से अनुभयनिष्ठ (केवल नायकनिष्ठ) होने के कारण आभासरूप शृङ्गाररस को सुशोभित करती है।

चतुर्थं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

वाच्यवस्तूपस्कारिका यथा—

व्याख्या तु प्राग्वत्।

वाच्य वस्तु को सुशोभित करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अमृतद्रवमाधुरीभृतः सुखयन्ति श्रवसी सखे गिरः।
नयने शिशिरीकरोतु मे शरदिन्दुप्रतिमं मुखं तव॥'

कश्चन स्वसखायं ब्रूते—हे सखे मित्र!, अमृतद्रवस्य पीयूषरसस्य, या माधुरी मधुरता, तत्समाना या माधुरी, तां, बिभ्रति धारयन्तीति तादृशाः, तव, गिरः वचनानि, मे, श्रवसी श्रोत्रे, सुखयन्ति आनन्दयन्ति। सम्प्रति, शरदिन्दुप्रतिमं शरच्चन्द्रतुल्यं, तव, मुखम्, मे, नयने नेत्रे, अपि, शिशिरीकरोतु शीतलयतु। सुधोपमत्वदीयवचनश्रवणेन कर्णौ मम तृप्तौ, परन्तु शरच्चन्द्रनिभम् तवाननं न पश्यदत एवातृप्तं मम नेत्रद्वयं त्वन्मुखविलोकनेन तृप्तिमभिलष्यतीति तदपि त्वया पूरणीयमित्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अमृतद्रव इत्यादि। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है—हे सखे! अमृतरस की मधुरता के समान मधुरता को धारण करनेवाले तेरे वचन

मेरे कानों को सुखी कर रहे हैं, पर तेरे मुखदर्शन की प्यासी मेरी आँखें तरस ही रही हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि शरच्चन्द्र के तुल्य तेरा मुख मेरी आँखों को शीतल करे।

उपपादयति—

अत्र नयनशिशिरीकरणरूपे वस्तुनि वाच्ये मुखस्य शरदिन्दूपमोपस्कारिका।

अमृतद्रवेति पद्ये यद्यपि रसादिर्व्यङ्ग्यो नास्ति, तथापि वाच्यार्थस्य चमत्कारित्वेन पण्डितराजकृतलक्षणानुसारेण काव्यत्वम्। तत्र चमत्कारजनकं नयनशिशिरीकरणरूपं वाच्यं वस्तु मुखोपमेयिका शरच्चन्द्रोपमानिकोपमा शोभयतीति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में 'आंखों को शीतल करना' जो वाच्य वस्तु है, उसको मुख में दी गई शरच्चन्द्र की उपमा शोभित करती है-पुष्ट करती है।

पञ्चमं भेदमुदाहर्तुमाह—

वाच्यालङ्कारोपस्कारिका यथा—

प्राग्वत् व्याख्येयम्।

वाच्य अलङ्कार को शोभित करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'शिशिरेण यथा सरोरुहं दिवसेनामृतरश्मिमण्डलम्।
न मनागपि तन्वि शोभते तव रोषेण तथेदमाननम्॥'

नायकस्य नायकदूत्या वा नायिकां प्रत्युक्तिः—सरोरुहं कमलम्, यथा, शिशिरेण शिशिरर्तुना तदागमेनेति लक्ष्यार्थः, शैत्येन वा, हेतौ तृतीया तथाग्रेऽपि' अमृतरश्मिमण्डलम् चन्द्रमण्डलम्, यथा, दिवसेन दिनेन, मनागपि ईषदपि न, शोभते, तथा; हे तन्वि! इदम्, तव, आननम् मुखम् (अपि) रोषेण क्रोधेन, ईषदपि न शोभते। रोषाकुलं तव मुखम्, शैत्यगलितम् कमलमिव, दिवसम्लानम् चन्द्रमण्डलमिव च, शोभाविहीनं भवतीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—शिशिरेण इत्यादि। नायक की अथवा उसकी दूती की नायिका के प्रति उक्ति है कि—जैसे शिशिर ऋतु के आगमन से कमल और दिन से चन्द्रमण्डल थोड़ा भी शोभित नहीं हो पाता, उसी प्रकार, तेरा यह मुख, रोष से थोड़ा भी शोभित नहीं होता—ऐसा सुन्दर मुख क्रोध के कारण फीका-फीका सा दृष्टिगोचर होता है।

उपपादयति—

अत्र वाच्यस्य दीपकस्योपमोपस्कारिका।

'शिशिरेण…' इति पद्येऽप्रस्तुतयोः कमलचन्द्रमण्डलयोः प्रस्तुतस्य मुखस्य च शोभाभावरूपे एकस्मिन् धर्मेऽभिसम्बन्धाद्दीपकालङ्कारो वाच्यः। स एव च प्रधानः प्रकृतपद्यस्य काव्यत्वनियामकः। यथातथापदबोध्यः उपमालङ्कारश्च वाच्योऽपि तस्य दीपकस्य पोषक एवेति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'शिशिरेण…' इत्यादि पद्य में अप्राकरणिक कमल तथा चन्द्रमण्डल का और प्राकरणिक नायिकामुख का शोभित न होने रूप एक

धर्म के साथ सम्बन्ध वर्णित होने के कारण दीपकालङ्कार वाच्य है, अधिक चमत्कारी होने के कारण वही प्रधान है-प्रकृत पद्य को काव्य सिद्ध करनेवाला है और 'यथा-तथा' पद से अवगत होनेवाला उपमालङ्कार वाच्य होकर भी न्यून चमत्कारी होने के कारण गौण है—उस दीपक का ही शोभाधायक है-पोषक है।

ननु वस्त्वलङ्कारयोरिव रसस्यापि वाच्यत्वेन षोढा वक्तुमुचितेयमत आह—

रसादिस्तु न वाच्य इति प्रागेवाभिहितम्।

असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वेनाभिमता रसरसाभासभावाभासादयो व्यङ्ग्या एव भवन्ति न वाच्या इति पूर्वमुक्तम्, अतः पञ्चधैव न षोढा इति भावः।

रस आदि जो अलक्ष्यक्रम कहे जाते हैं—व्यङ्ग्य ही होते हैं, वाच्य नहीं, यह बात पहले ही कही जा चुकी है, अतः अलङ्कार्यभेद से उपमा के पाँच ही भेद कहे गये, 'वाच्यरसोपस्कारिका' नामक छठा भेद नहीं।

आशङ्क्य समाधत्ते—

अथ कथमलङ्कारस्यालङ्कारान्तरोपस्कार्यत्वमुच्यते। प्रधानस्यैवालङ्कार्यत्वादिति चेत् मैवम्, अलङ्कारस्योपमादेर्ध्वन्यमानतायां प्राधान्याद्रसादिवदलङ्कारान्तरोपस्कार्यत्वे न कोऽपि तावदस्ति विरोधः। एवमेव मुख्यतया वाच्यतायामपि। यथा ह्यापणादौ विक्रीयमाणतायां कनकताटङ्कस्य रत्नाद्यलङ्कारान्तरोपस्कार्यत्वे तस्यैव च कामिनीकर्णालङ्कारतायां पुनः प्रधानान्तरसांनिध्यात्ताटङ्कस्य तद्गतरत्नानां च साक्षात्परम्परया च कर्णादिशोभोपस्कारकतया यथा तदलङ्कारत्वम्, एवमेव रसादिसांनिध्ये रूपकादेस्तदुपस्कारकस्यालङ्कारान्तरस्य च रसाद्यलङ्कारतेति।

प्रधानस्यैवेति। अलङ्कारस्त्वप्रधानमेवेति भावः। वाच्यतायामपीत्यत्र न विरोध इत्यनुषङ्गः। दृष्टान्तविधयाऽऽह—यथा इत्यादि। प्रधानान्तरेति। प्रथमप्रधानताटङ्कापेक्षयाऽन्यस्य कामिनीकर्णरूपप्रधानस्येत्यर्थः। तदलङ्कारत्वम् कर्णालङ्कारत्वम्। रसाद्यलङ्कारतेति। रसादिरूपालङ्कार्यनिरूपितालङ्कारतेत्यर्थः। यः प्रधानः सः अलङ्कार्यो भवति, यश्च गौणः सः अलङ्कार इति वस्तुस्थितिः। तथा चोपमाया वाच्यालङ्कारोपस्कारकत्वमूलको भेदो न सम्भवति, उक्तयुक्त्या वाच्यालङ्कारस्योपस्कार्यत्वासम्भवादिति शङ्का, यत्रोपमादिरलङ्कारो व्यङ्ग्यः, अत एव प्रधानस्तत्र सोऽपि रसादिवत् अन्येनालङ्कारेणोपस्क्रियत इत्यत्र न कस्यापि विमतिः। एवञ्च यत्र वाच्योऽपि कश्चिदलङ्कारः रसादिराहित्येन स्वयं काव्यजीवातुभूतो मुख्यो भवेत् (यथा 'शिशिरेण···' इत्यादिपद्ये दीपकालङ्कारः) तत्र, तस्य, भिन्नेन तदपेक्षयाऽल्पचमत्कारित्वाद् गुणीभूतेनालङ्कारेण उपस्करणं सम्भवत्येव, विरोधाभावात्। रसव्यञ्जककाव्ये तु साक्षात् रसोपस्कारकाः ये अलङ्कारा ये वा रसोपस्कारकालङ्कारोपस्कारका अलङ्काराः ते सर्वेऽपि साक्षात्परम्परया वा रसोपस्कारका एव व्यवह्रियेरन्। रीतिरियं लौकिकालङ्कारदृष्टान्तसिद्धैव, विपणिगतकनकनिर्मितताटङ्काद्यलङ्कारे कर्णाद्यसन्निधानेन स्वयं प्रधानीभूते रत्नाद्यलङ्कारान्तरोपस्कार्यत्वव्यवहारस्य, कर्णगते पुनस्तस्मिन् सर्वप्रधानस्य कर्णस्यैवोपस्कार्यत्वेन तयोर्द्वयोरप्यलङ्कारयोरुपस्कारकत्वमात्रव्यवहारस्य च दर्शनादिति भावः।

क्या अलङ्कार भी अलङ्कार को शोभित करता है ? इस शङ्का का समाधान करते हैं–अथ इत्यादि। यदि कोई कहे कि यह पाँचवा भेद तो ठीक नहीं हुआ अर्थात् एक अलङ्कार दूसरे अलङ्कार से उपस्कृत–शोभित–नहीं हो सकता, क्योंकि उपस्कार्य-अलङ्कार्य-कोई प्रधान होता है और अलङ्कार तो स्वयं गौण होता है अतएव अलङ्कार कहलाता है–दूसरे को शोभित करने वाला समझा जाता है, फिर वह अलङ्कार्य कैसे होगा ? तो इसका समाधान यह है कि जहाँ अलङ्कार-उपमा आदि-प्रधानरूप में ध्वनित होता रहता है, वहाँ वह उसी तरह दूसरे वाच्य अलङ्कारों से शोभित होने वाला माना जाता है, जिस तरह कोई रस आदि, यह सिद्धान्त सर्वमतसिद्ध है। फिर जहाँ–'शिशिरेण…' इत्यादि तरह के काव्यों में—अलङ्कार वाच्य होकर भी रस आदि प्रधानान्तर के न रहने के कारण स्वयं प्रधान है—चमत्कारी है अतएव काव्य का प्राणभूत है, वहाँ वह भी रस आदि के समान अथवा ध्वनिभूत अलङ्कार के समान, अन्य अल्पचमत्कारी अतएव गौण अलङ्कार से शोभित होने का सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकता ? अवश्य कर सकता है। तात्पर्य यह कि प्रधानता ही तो अलङ्कार्यता का मूल है, फिर जहाँ रस आदि न हों और कोई वाच्य अलङ्कार ही अपने उज्ज्वल चमत्कार से पदावली को काव्य कहलाने का सौभाग्य प्रदान करे, वहाँ तो उस अलङ्कार को ही मुख्यता की पगड़ी मिलेगी, अतः वैसी स्थिति में पोषकरूप में वर्णित यदि कोई दूसरा अलङ्कार रहेगा, तब उससे वह (प्रधान अलङ्कार) अलंकृत हो सकता है। हाँ, जहाँ रस आदि सर्वप्रधान की सत्ता रहेगी, वहाँ सभी अलङ्कार उसी को अलंकृत करेंगे—आपस में उन अलंकारों का अलंकार्यालंकारकभाव नहीं होगा। यह रीति लौकिक अलंकारों में भी देखी जाती है—जब सोने का बना ताटङ्क (कर्णाभरण) दूकान में बिकता रहता है, तब वही प्रधान रहता है, अतः उस काल में रत्न आदि दूसरे अलङ्कारों से वह शोभित होता है अर्थात् ताटङ्क अलङ्कार्य और रत्न आदि अलंकृत करने वाला समझा जाता है, पर जब वही ताटङ्क कामिनी के कानों में झूलता हुआ रहता है, तब वह प्रधान नहीं रह जाता-उस स्थिति में कामिनी के कान ही प्रधान हो जाते हैं, अतः ताटङ्क अलङ्कार्य नहीं कहलाता, ताटङ्क तथा रत्न आदि सभी कान के अलङ्कार कहे जाते हैं।

भेदाः सङ्कल्यन्ते—

एवं च प्राचां मते पञ्चविंशतिभेदायाः पुनः पञ्चविधतायां सपादशतं भेदाः। द्वात्रिंशद्भेदवादिनां तु षष्ट्युत्तरं शतम्।

एवं चेति। अलङ्कार्यभेदेनालङ्कारभेदस्वीकारे चेत्यर्थः। पूर्णायाः षट् लुप्तायाश्चैकोनविंशतिरिति ये पञ्चविंशतिर्भेदा उपमायाः प्राचीनतमैरुक्तास्तेषां प्रत्येकस्य पुनरलङ्कार्यभेदेनानुपदं पञ्चविधत्वप्रतिपादने जाते साकल्येन पञ्चविंशत्यधिकशतं भेदा उपमाया निष्पद्यन्ते। मध्यकालिकैश्च कैश्चिदाचार्यैर्लुप्ताया एकोनविंशत्यधिकाः सप्त अन्येऽपि भेदाः कथिताः। तन्मतानुसारं द्वात्रिंशद्भेदानां पुनः पञ्चविधत्वे षष्ट्यधिकशतभेदा उपमाया जायन्त इति भावः।

भेदों का सङ्कलन किया जाता है—एवं च इत्यादि। इस प्रकार से जिन प्राचीनों के मत में पहले उपमा के पचीस भेद हुए थे, उनके मत में अब एक सौ पचीस भेद हो गये, क्योंकि पूर्वोक्त पचीस भेदों में से प्रत्येक के और पाँच-पाँच भेद अब दिखाये गये हैं और

जिन प्राचीनों के मत में पहले बत्तीस भेद हुए थे, उनके मत में अब प्रत्येक के पाँच-पाँच हो जाने के कारण एक सौ साठ भेद हुए।

उपमाभेदान्तराणामपि संभावनां सूचयति—

इतश्चान्येऽपि प्रभेदाः कुशाग्रीयधिषणैः स्वयमुद्भावनीयाः।

इतः इति। उक्तेभ्यो भेदेभ्य इत्यर्थः। प्रभेदा इति। उपमाया इति भावः। कुशाग्रीयधिषणैरिति। कुशाग्रीया कुशाग्रसंबन्धिनी कुशाग्रतुल्येति यावत धिषणा बुद्धिर्येषां तैः तीक्ष्णबुद्धिभिरिति भावः। स्वयमिति। प्राचीनोक्तिसाहाय्यविरहेऽपि इति तात्पर्यम्, उद्भावनीया ऊह्याः।

उपमा के जितने प्रभेद ऊपर दिखलाये जा चुके हैं, उन सबों से भिन्न और-और भेद भी हो सकते हैं, जिनका ऊह तीक्ष्णबुद्धियों को स्वयं कर लेना चाहिए।

स्वयमुद्भावनीयत्वेनोक्तान् उपमायाः प्रभेदान् निर्दिदिक्षुः प्रथमम् समानधर्मवैलक्षण्यमूलान् तान् निर्दिशति—

तत्र क्वचिदनुगाम्येव धर्मः। क्वचिच्च केवलं बिम्ब-प्रतिबिम्बभावमापन्नः। क्वचिदुभयम्। क्वचिद्वस्तुप्रतिवस्तुभावेन करम्बितं बिम्ब-प्रतिबिम्बभावम्। क्वचिदसन्नप्युपचरितः। क्वचिच्च केवलशब्दात्मकः।

तत्रेति। उद्भावनीयेषु भेदेष्वित्यर्थः। क्वचिदिति। कस्यांचनोपमायामित्यर्थः। एवमग्रेऽपि। अनुगामीति। सकृन्निर्दिष्टोऽपि एकेन रूपेणोपमानोपमेययोरुभयोरनुगमनकर्ता इत्यर्थः। अत्रैवकारेण धर्मस्य बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नत्वं व्यवच्छिद्यते। धर्मः उपमानोपमेयोभयसाधारणो गुणक्रियादिः। केवलमिति। अनुगामित्वरहितमित्यर्थः। बिम्बप्रतिबिम्बभावमिति। पृथग्निर्दिष्टत्वे सति वस्तुतो भिन्नत्वे च सति सादृश्यमूलकभेदमित्यर्थः। आपन्न इति। प्राप्त इत्यर्थः। अत्र 'धर्मः' इत्यनुषज्यते। उभयमिति अनुगामित्वं बिम्ब-प्रतिबिम्बभावं चेत्यर्थः। अत्र 'आपन्नः धर्मः' इत्यस्यानुषङ्गो बोध्यः। अयं च नातिरिक्तो भेदः, अत एवाग्रिमा 'तृतीयोऽपि त्रिविधः' इति 'षष्ठो धर्मः' इति चोक्तिः सङ्गच्छते। तस्यातिरिक्तभेदत्वे तु 'चतुर्थः' 'सप्तमः' इति चोक्तिः स्यात्। वस्तुप्रतिवस्तुभावेनेति। एकत्वेऽपि आश्रयभेदप्रयुक्तभेदेनेत्यर्थः। करम्बितम् मिश्रितम्। बिम्बप्रतिबिम्बभावमित्यस्याग्रे 'आपन्नो धर्म' इति पूर्वोक्तस्यानुषङ्गो वेद्यः। असन्नपीति। मिथ्याभूतोऽपीत्यर्थः। उपचरितः आरोपितः। अत्रापि 'धर्मः' इत्यस्यानुषङ्गः। केवलशब्दात्मक इति। गुणक्रियादिरूपो न किन्तु समानशब्दरूपः धर्म इत्यर्थः। एतेन पुनः पञ्चधोपमा विभक्तेति बोद्धव्यम्।

उद्भावनीय भेदों में से तब तक समानधर्म की विलक्षणता से होनेवाले भेदों का उल्लेख स्वयं ग्रन्थकार करते हैं—तत्र इत्यादि। १—किसी किसी उपमा में समानधर्म केवल अनुगामी अर्थात् एक बार निर्दिष्ट होकर एक ही रूप से उपमान तथा उपमेय दोनों में सङ्घटित होनेवाला रहता है। २—किसी-किसी उपमा में समान धर्म केवल बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न होता है अर्थात् उपमान तथा उपमेय के धर्म वस्तुतः दो रहते हैं, अतः पृथक्-पृथक् निर्दिष्ट भी रहते हैं, पर सादृश्यमूलक, उन दोनों धर्मों में अभेद माना गया रहता है अथवा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न और अनुगामी दोनों एक

साथ होते हैं। ३—किसी-किसी उपमा में बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म वस्तुप्रतिवस्तु-भाव से मिश्रित रहता है अर्थात् बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म के विशेषणरूप में एक ऐसा धर्म वहाँ रहता है जो वस्तुतः एक ही होता है पर उसका निर्देश भिन्न शब्दों के द्वारा दो आश्रय में दो बार किया गया होता है। ४—किसी उपमा में समानधर्म मिथ्या होकर भी आरोपित रहता है। ५—और किसी उपमा में समानधर्म केवल शब्दरूप होता है गुणक्रियादिरूप नहीं।

तत्रानुगामिधर्मयुक्तामुपमामुदाहर्तुमाह—

तत्राद्यो यथा—

स्पष्टम्।

उपमा के उन धर्ममूलक भेदों में पहला-अर्थात् अनुगामि धर्मवाला भेद जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'शरदिन्दुरिवाह्लादजनको रघुनन्दनः।
वनस्रजा विभाति स्म सेन्द्रचाप इवाम्बुदः॥'

शरदिन्दुः शरत्कालीनश्चन्द्रः (अत्र शरद्विशेषणेन धूलिधूसरतादिदोषमुक्ताकाश-सूचनद्वारा चन्द्रमसश्चन्द्रिकातिशयशालित्वमावेद्यते तेन चाह्लादजननेऽप्याधिक्यं प्रतीयते, तदुपमानत्ववर्णनेनोपमेये रघुनन्दनेऽपि तत्सूच्यते) इव, आह्लादस्य आनन्दविशेषस्य, जनकः सम्पादकः, रघुनन्दनः राघवो रामः, वनस्रजा वनमालया आपादतलम्बिमालयेति यावत्। इन्द्रचापेन विद्युता, सहितः, अम्बुदो मेघ इव, विभाति स्म विशेषेणाशोभत इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—शरदिन्दु इत्यादि। कवि का कथन है कि-शरत्काल के चन्द्रमा के समान आनन्ददायक भगवान् रामचन्द्र वनमाला से इन्द्रधनुष (विद्युत्) से युक्त मेघ के समान शोभित हो रहे थे।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे सकृन्निर्देशाद्धर्मोऽनुगामी।

'शरदिन्दुः····' इति पद्यस्य पूर्वार्धभागे आह्लादजनकत्वरूपो धर्मः 'आह्लादजनक' इति पदेनैकवारमेव निर्दिष्टः एकेनैव रूपेण उपमानोपमेययोश्चन्द्ररामचन्द्रयोरन्वेतीति तस्यानुगामित्वं बोध्यम्।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'शरदिन्दु····' इत्यादि श्लोक के पूर्वार्ध भाग में 'आनन्दजनकः' इस शब्द के द्वारा 'आनन्ददायकता' धर्म एक ही बार उक्त होकर एक रूप से ही उपमान और उपमेय-चन्द्र तथा रामचन्द्र-दोनों में अन्वित हो जाता है, अतः यह धर्म अनुगामी कहा जाता है।

द्वितीयभेदस्योदाहरणभूतं पूर्वोक्तपद्यं स्मारयति—

केवलबिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नः 'कोमलातपशोणाभ्र—' इत्यत्र बोध्यः।

'कोमलातप—' इत्यादि पद्यं पूर्वमुपमाप्रकरणप्रारम्भे समुल्लिखितम्। तत्र कोमला-तपकुङ्कुमालेपनयोः क्रमशः सन्ध्याकालरूपोपमानयतिरूपोपमेयमात्रनिष्ठयोः सादृश्यमूल-

काभेदाध्यवसाय इति तस्य धर्मस्य बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नत्वम् इति भावः। अधिकं तत्रैव विवेचितं जिज्ञासुभिरवलोकनीयम्।

केवल बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्म वाली उपमा का उदाहरण होता है 'कोमलातप-' इत्यादि पूर्वोल्लिखित पद्य। यहाँ 'कोमलातपत्व' केवल उपमान सन्ध्याकाल में रहने वाला है और 'कुङ्कुमालेपन' केवल उपमेय यति में रहने वाला, अतः उन दोनों में से एक भी उपमानोपमेय का साधारण धर्म होने योग्य यद्यपि नहीं है, तथापि समान होने के कारण उन दोनों धर्मों में अभेद का आरोप कर लिया जाता है, जिससे उन दोनों धर्मों को एक समझ कर उपमा की सिद्धि होती है। यह भिन्न धर्मों का आरोपित अभेद ही बिम्बप्रतिबिम्बभाव है, यह बात पहले लिखी जा चुकी है।

उभयविधधर्मयुक्तामुपमां प्रकटयति—

द्वितीयार्धे तूभयम्।

'शरदिन्दु—' इति पद्यस्योत्तरार्धभागेऽम्बुदोपमानिका रघुनन्दनोपमेयिका या उपमा वर्तते, तत्र द्वौ धर्मौ साधारणौ–एकः 'विभाति स्म' इति पदबोध्यो भानक्रियारूपः, स चानुगामी, सकृन्निर्दिष्टत्वात् एकरूपेणोपमानोपमेययोरन्वितत्वाच्च, द्वितीयः वनस्रगिन्द्रचाप-रूपः, स च बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नः, वस्तुतो भिन्नत्वात् सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसायाच्चेति भावः। अत्र 'द्वितीयार्धे' इत्यस्य 'कषायवसनो याति इत्यादौ' इति टीकां कुर्वाणो नागेशो नोचितभाषी, तत्र द्वितीयोपमाया एवाभावात्। या चैकोपमा तत्रास्ति, तस्यां धर्मस्य केवलबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वस्य व्यवस्थापनात् अनुगामिधर्मस्य विरहात् इत्याकलनीयम्।

जिस उपमा में साधारण धर्म अनुगामी तथा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न दोनों तरह के होते हैं, उसका उदाहरण 'शरदिन्दु–' इत्यादि पद्य का ही उत्तरार्ध–'वनस्रजा विभाति स्म सेन्द्रचाप इवाम्बुदः' होता है, क्योंकि यहाँ 'विभाति स्म' पदबोध्य शोभनक्रियारूप धर्म उक्त युक्ति से अनुगामी है और वनमाला तथा इन्द्रचापरूप धर्म उक्त रीति से है बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्न।

तृतीयो भेदः पुनस्त्रिधा विभज्यते—

तृतीयोऽपि त्रिविधः–विशेषणमात्रयोर्विशेष्यमात्रयोस्तद्युगलयोर्वा वस्तुप्रति-वस्तुभावेन करम्बितः।

वस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बितबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्ममूलको यो भेद उक्तस्तस्य पुनस्त्रयो भेदाः सम्भवन्ति वस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बणस्य त्रिधा सम्भवात्। तथाहि–विशेषण-मात्रगतवस्तुप्रतिवस्तुभावेन करम्बणम्, विशेष्यमात्रगतवस्तुप्रतिवस्तुभावेन करम्बणम्, विशेषणविशेष्योभयगतवस्तुप्रतिवस्तुभावेन करम्बणञ्च। वस्तुप्रतिवस्तुभावपरिचयः प्रागेव दत्तः, अग्रेऽप्युदाहरणेषु दीयेतेति भावः।

तृतीय भेद के पुनः तीन अवान्तर भेद करते हैं—तृतीयोऽपि इत्यादि। वस्तुप्रति-वस्तुभाव से मिश्रित बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न समान धर्म के भी तीन प्रकार हो सकते हैं—एक केवल विशेषणों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित, द्वितीय केवल विशेष्यों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित और तृतीय विशेषण-विशेष्य दोनों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित।

तेषु विशेषणमात्रगतवस्तुप्रतिवस्तुभावेन करम्बणमुदाहर्तुमाह—

तत्राद्यो यथा—

स्पष्टम् ।

केवल विशेषणों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'चलद्भृङ्गमिवाम्भोजमधीरनयनं मुखम् ।
तदीयं यदि दृश्येत कामः क्रुद्धोऽस्तु किं ततः ॥'

चलन्तः सञ्चरन्तो, भृङ्गा भ्रमरा, यत्र, तादृशम्, अम्भोजम् कमलम्, इव, अधीरे चपले, नयने नेत्रे, यस्मिन्, तादृशं, तदीयं वर्णनीयनायिकासम्बन्धि, मुखम्, यदि, दृश्येत अवलोक्येत, (सम्भावनेयम्), तदा, कामः कामदेवः, क्रुद्धः कुपितः, अस्तु भवतु, ततः तस्मात्तत्कोपात्, किम् ? न किमपीति यावत् । भ्रमद्भ्रमराम्भोजतुल्यप्रेयसीमुखविलोकनौषधे वर्तमाने कामकोपरोगो न दुस्साध्य इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—चलद्भृङ्ग इत्यादि । जिसके मध्यभाग में भ्रमर सञ्चरण कर रहे हों, उस कमल के तुल्य चपल नेत्रों वाला उसका मुख यदि दृष्टिगोचर होवे, तब कामदेव, क्रुद्ध होता रहे, उससे क्या ?

उपपादयति—

अत्र चलनाधीरत्वयोर्विशेषणयोर्वस्तुत एकरूपयोरपि शब्दद्वयेनोपादानाद्वस्तुप्रतिवस्तुभावः । तद्विशेषणकयोश्च भृङ्गनयनयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः । इति तत्करम्बितोऽयमुच्यते ।

'चलद्भृङ्ग—' इति पद्येऽम्भोजमुपमानम् मुखञ्चोपमेयम्, तयोः साधारणधर्मः पूर्वोक्तदिशा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः चलद्भृङ्गाधीरनयनत्वरूपः, तत्र विशेषणीभूतयोश्चलनाधीरत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावः, वस्तुत एकरूपत्वेऽपि शब्दद्वयेनोल्लेखादिति विशेषणमात्रगतवस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बितबिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नधर्ममूलकत्वमस्या उपमाया उपपद्यत इति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । यहाँ 'चलन' और 'अधीरत्व' ये दोनों विशेषण वस्तुतः एकरूप हैं-अर्थात् इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, तथापि उस एक ही अर्थ का प्रतिपादन दो भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा किया गया है, अतः उनका वस्तुप्रतिवस्तुभाव है और वे जिनके विशेषण हैं उन विशेष्यों 'भ्रमर' तथा 'नेत्र' का बिम्बप्रतिबिम्बभाव है, क्योंकि वस्तुतः भिन्न होने पर भी समान होने के कारण उन्हें अभिन्न माना गया है, अतः यह बिम्बप्रतिबिम्बभाव वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित कहलाता है ।

केवलविशेष्यगतवस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बणमुदाहर्तुमाह—

तत्र द्वितीयो यथा—

स्पष्टम् ।

केवल विशेष्यों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'आलिङ्गितो जलधिकन्यकया सलीलं,
लग्नः प्रियङ्गुलतयेव तरुस्तमालः ।

देहावसानसमये हृदये मदीये,
देवश्चकास्तु भगवानरविन्दनाभः ॥'

भक्तः कामयते—प्रियङ्गुलतया तन्नामकसुवर्णवर्णलताविशेषेण लग्नः संसक्तः तमालस्तरुः तमालाभिधश्यामच्छविविटपिविशेषः, इव, जलधिकन्यकया लक्ष्म्या, सलीलम् सविलासम्, आलिङ्गितः आश्लिष्टः, भगवान् अणिमाद्यैश्वर्यशाली, अरविन्दनाभो देवः विष्णुदेवः, देहावसानसमये मृत्युकाले, मदीये हृदये चकास्तु भासतामित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—आलिङ्गित इति । किसी भक्त की अभिलाषा है—प्रियङ्गुलतासे सटे हुए तमालवृक्ष के समान, लक्ष्मी से लीलापूर्वक आलिङ्गित भगवान् पद्मनाभ देव (विष्णु) मरणसमय में मेरे हृदय में भासित होवें ।

उपपादयति—

अत्रालिङ्गितत्वलग्नत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावः । तद्विशेष्यकयोश्च जलधिकन्याप्रियङ्गुलतयोर्बिम्ब-प्रतिबिम्बभावः । इत्ययमपि तत्करम्बित एव ।

'आलिङ्गित—' इति श्लोके प्रियङ्गुलतालग्नतमालतरुः जलधिकन्यालिङ्गितविष्णुरूपस्योपमेयस्योपमानम्, तत्रालिङ्गितलग्नपदार्थयोर्विशेषणविधया वर्णितौ जलधिकन्याप्रियङ्गुलतापदार्थौ सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसायशालितया बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नौ साधारणधर्मतया व्यवस्थितौ विशेष्यभूतालिङ्गितत्वलग्नत्वे च वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्ने एकस्यैव वस्तुनः शब्दभेदेनाश्रयभेदेन च प्रतिपादनादिति सिद्धं बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य वस्तुप्रतिवस्तुभावेन करम्बणम् इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्रालिङ्गितत्व इत्यादि । 'आलिङ्गितः—' इस पद्य में 'आलिङ्गित होना' और 'सटना' ये जो विशेष्यभूत पदार्थ हैं, वे वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हैं, क्योंकि वास्तविकरूप में वे दोनों एक ही चीज हैं, केवल भिन्न-भिन्न आश्रय में रहने के कारण और भिन्न-भिन्न शब्दों से उक्त होने के कारण भिन्न से प्रतीत होते हैं। और उन विशेष्यों के विशेषणरूप में वर्णित जलधिकन्या (लक्ष्मी) तथा प्रियङ्गुलता में बिम्बप्रतिबिम्बभाव है, क्योंकि ये दो वस्तुतः दो हैं किन्तु समानता के कारण आरोपित अभेद को लेकर एक समझे जाते हैं । अतः यहां का बिम्बप्रतिबिम्बभाव भी वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित है ।

तृतीयभेदस्य तृतीयमुपभेदमुदाहर्तुमाह—

तत्र तृतीयो यथा—

स्पष्टम् ।

विशेषण-विशेष्य दोनों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित जसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'दशाननेन दृप्तेन नीयमाना बभौ सती ।
द्विरदेन मदान्धेन कृष्यमाणेव पद्मिनी ॥'

कविर्वक्ति—दृप्तेन गर्विणा, दशाननेन रावणेन, नीयमाना अपह्रियमाणा, सती पतिव्रता सीता, मदान्धेन मदमत्तेन, द्विरदेन गजेन, कृष्यमाणा नीयमाना, पद्मिनी कमलिनी इव बभौ शुशुभे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—दशाननेन इत्यादि। कवि की उक्ति है—दृप्त—गर्वीले दशानन—रावण से अपहृत की जाती हुई सती सीता, मदमत्त हाथी से खींची जाती हुई कमलिनी सी, शोभित हुई।

उपपादयति—

अत्र विशेषणयोर्दृप्तत्वमदान्धत्वयोर्विशेष्ययोश्च नीयमानत्वकृष्यमाणत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावेनोभयतः सम्पुटितो दशाननद्विरदयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः। इत्ययमपि तत्करम्बितः।

'दशाननेने'ति पद्ये मदान्धद्विरदकर्तृककर्षणकर्मभूता कमलिनी उपमानम्, दृप्तदशाननकर्तृकनयनकर्मभूता सीता चोपमेया। तत्र सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसायविशिष्टौ द्विरददशाननौ बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नौ साधारणधर्मतां गाहतः, तयोर्विशेषणभूते दृप्तत्वमदान्धत्वे, विशेष्यभूते नीयमानत्वकृष्यमाणत्वे च वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नानि, एकत्वेऽपि पृथङ्निर्दिष्टत्वादिति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'दशाननेन—' इस पद्य में 'दृप्तता' और 'मदमत्तता' ये दोनों विशेषण, वस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न हैं, क्योंकि ये दोनों पदार्थ वस्तुतः दो नहीं हैं एक हैं, पर भिन्न-भिन्न आश्रय में रहने के कारण और भिन्न-भिन्न शब्दों से अभिहित होने के कारण भिन्न जैसे प्रतीत होते हैं। इसी तरह 'नीयमाना अर्थात् अपहृत की जाती हुई' और 'कृष्यमाणा अर्थात् खींची जाती हुई' ये दोनों विशेष्य भी वस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न हैं, क्योंकि ये दोनों भी आश्रय तथा शब्दभेद के कारण ही भिन्न हैं अन्यथा एक ही हैं। और इन दोनों वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न पदार्थ के मध्य में हैं बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न 'दशानन तथा द्विरद', ये बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न इसलिए हैं कि वस्तुतः दो पदार्थ हैं, पर सादृश्यमूलक अभेद का आरोप हो जाने से एक समझे जाते हैं, अतः यह बिम्बप्रतिबिम्बभाव, दोनों तरफ से वस्तुप्रतिवस्तुभाव द्वारा सम्पुटित कहा जाता है।

साधारणधर्मवैचित्र्यमूलका उपमायाः पञ्च भेदाः परिगणिताः, इदानीं तस्यास्तन्मूलक एवारुचिग्रस्तः षष्ठो भेद उच्यते—

'विमलं वदनं तस्या निष्कलङ्कमृगाङ्कति' इत्यत्र वैमल्यनिष्कलङ्कत्वयोर्वस्तुत एकरूपयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावनिर्मुक्तं वस्तुप्रतिवस्तुभावमापन्नयोरुपमानिष्पादकत्वं यद्यस्ति तदा शुद्धं वस्तुप्रतिवस्तुभावमापन्नोऽप्येष षष्ठो धर्मः।

निर्मलं तन्नायिकाननम् निर्मलचन्द्रवदाचरतीत्यर्थके 'विमलम्—' इत्यादिमूलोक्तकाव्यवाक्ये उपमालङ्कारोऽस्ति, तत्र च वैमल्यनिष्कलङ्कत्वयोः साधारणधर्मता स्वीकार्या, तयोश्च धर्मयोर्न बिम्बप्रतिबिम्बभावः, वस्तुतो भिन्नत्वाभावात्, अपि तु वस्तुप्रतिवस्तुभाव एव, वस्तुत एकत्वेऽपि शब्दाश्रययोर्भेदेन भेदात् पुनः सादृश्यमूलकाभेदाच्च। तथा च बिम्बप्रतिबिम्बभावशून्यशुद्धवस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नोऽपि साधारणधर्मो भवतीति सिद्धम्। तादृशश्च धर्म उक्तपञ्चविधभेदेभ्यो भिन्न इति षष्ठो भेदस्तन्मूलकश्चोपमाया अप्येकोऽधिको भेदो भवेदिति भावः। परमीदृशधर्मस्योपमाप्रयोजकत्वं युक्तं न वेति मतभेदग्रस्तमतो मूले 'यद्यस्ति' इति यदिपदं प्रयुक्तं ग्रन्थकृता तेनेदृशधर्मस्योपमाप्रयोजकत्वेऽरुचिः सूच्यते, तद्बीजञ्चाह

नागेशः स्वटीकायाम्—"एकोऽप्यर्थो भिन्नशब्देनोपात्तो भिन्न इव प्रतीयते। अत एव 'उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च' इत्यादौ 'रक्त एवास्तमेति च' इति पाठे दुष्टतेति प्राञ्चः। प्रकृते संबन्धिभेदादपि भेदप्रत्ययस्तयोः। भिन्नरूपेण प्रतीयमानस्य च न साधारणता। साधारणीकरणस्य च न कश्चिदुपायः विना बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नैकधर्मसम्बन्धित्वम्। तथा च शब्दाद्भेदेन प्रत्यये, सम्बन्धिभेदाच्च भेदप्रत्यये, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नैकधर्मसम्बन्धित्वेन तयोरभेदाध्यवसाये साधारणत्वमस्येति कथं शुद्धस्योपमानिष्पादकत्वम्। अत एव प्राञ्चः बिम्बप्रतिबिम्बभावकरम्बित एवायमित्याहुरिति" इति।

साधारण धर्म की विविधरूपता के कारण अभी-अभी उपमा के पाँच भेद गिनाये गए हैं, अब पुनः साधारण धर्म की ही एक खास विलक्षणता के कारण छठा भेद भी उपमा का दिखलाते हैं—विमलम् इत्यादि। 'विमल—इत्यादि अर्थात् उस नायिका का निर्मल मुख कलङ्करहित चन्द्रमा के समान आचरण करता है।' यहाँ 'निर्मलता और निष्कलङ्कता' में वस्तुतः कोई भेद नहीं है-एक हैं, पर शब्दभेद तथा आश्रयभेद के कारण भिन्न सा मानकर पीछे उन दोनों में सादृश्यमूलक अभेद मानते हैं, अतः यह वस्तुप्रतिवस्तुभाव हुआ, बिम्बप्रतिबिम्बभाव नहीं, क्योंकि वह वस्तुतः भिन्न पदार्थों में सादृश्यमूलक अभेद मानने पर होता है। ऐसी स्थिति में यदि इस तरह के बिम्बप्रतिबिम्बभाव से रहित शुद्ध वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्म को भी उपमा का साधक माना जाय, तब यह साधारण धर्म का छठा प्रकार होगा। परन्तु यहाँ 'यदि माना जाय' ऐसा कहकर ग्रन्थकार इस तरह के धर्म को उपमासाधक मानने में अपनी अरुचि सूचित करते हैं। उसका कारण, नागेशभट्ट ने अपनी टीका में स्पष्ट किया है, जिसका आशय यह है कि—भिन्न-भिन्न शब्दों से कहा गया एक अर्थ भी भिन्न-सा प्रतीत होता है। अतएव 'उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च—अर्थात् सूर्य ताम्रवर्ण (लाल) उदित होता है और ताम्रवर्ण ही अस्त होता है। यहाँ द्वितीय वाक्य यदि 'रक्त एवास्तमेति च' ऐसा कर दिया जाय, तब दोष हो जाने की बात प्राचीनों ने लिखी है। और प्रस्तुत स्थल में तो निर्मलत्व तथा निष्कलङ्कत्व धर्म के सम्बन्धी मुख तथा चन्द्र भी भिन्न हैं, इस कारण भी उन दोनों में भेद माना जाना चाहिये। अतः इस तरह से भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले धर्म को तब तक साधारण नहीं माना जा सकता, जब तक किसी बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न एक धर्म से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जायगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि-वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्म, शब्दभेद और सम्बन्धी—आश्रय—भेद के कारण भिन्न ही प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में केवल वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्म को उपमा का साधक कैसे माना जा सकता है? अतएव प्राचीनों का कथन है कि वस्तुप्रतिवस्तुभाव, बिम्बप्रतिबिम्बभाव से मिश्रित ही रहता है।

'विमलं वदनम्—' इत्यादौ वस्तुप्रतिवस्तुभावाङ्गीकारस्यावश्यकतैव नास्तीत्याशङ्क्य समाधत्ते—

न च 'कोमलातपशोणाभ्रसन्ध्याकालसहोदरः' इत्यादौ यतिसन्ध्याकालयोरुपमायां धर्मान्तरस्यानवगमात् कुङ्कुमालेपकषायवसनयोः कोमलातपशोणाभ्रयोश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावो यथावश्यमभ्युपेयः, प्रकृते तु न तथा वस्तुप्रतिवस्तुभावः। वदनमृगाङ्कयोः सौन्दर्यरूपसाधारणधर्मस्य प्रतीयमानत्वेन धर्मान्तरानपेक्षणादिति वाच्यम्। एवं तर्हि 'यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमाननं तदावृत्तवृन्तशत-

पत्रनिभं वहन्त्या' इति भवभूतिपद्येऽपि प्रतीयमानेन सौन्दर्येणैव सामान्येन निर्वाहे कन्धरावृन्तयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य वलितत्वावृत्तत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावस्य च सकलैरालङ्कारिकैः स्वीकारो विरुद्धः स्यात्। अतो यथास्थितमेव साधु।

उपमासिद्धौ समपेक्षितस्यान्यथाऽसम्पद्यमानस्य साधारणधर्मस्य सिद्धयर्थम् द्वयोर्धर्मयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावो वस्तुप्रतिवस्तुभावो वा कल्प्यत इति वस्तुस्थितिः। एवञ्च 'कोमलातप...' इत्यादि प्रागुदाहृते पद्ये निबध्यमानायां यत्युपमेयिकायां सन्ध्याकालोपमानिकायामुपमायाम् कोऽप्यपरः साधारणधर्मो न स्फुरतीत्यगत्योपमेयवृत्तिकुङ्कुमालेपादेरुपमानवृत्तिकोमलातपादेश्च बिम्ब-प्रतिबिम्बभावमाश्रित्य साधारणत्वं कल्प्यते। 'विमलं वदनम्—' इत्यादि प्रकृतकाव्ये तु वदनचन्द्रयोरुपमायाः साधकः सौन्दर्यरूपः साधारणधर्मः अनुक्तोऽपि प्रसिद्धतया प्रतीतिपथमवतरतीति धर्मान्तरस्यापेक्षैव नास्ति। सौन्दर्यस्य साधारणधर्मत्वेनाङ्गीकारे लुप्तोपमात्वं स्यात् परन्तु तावता काऽपि हानिर्नास्तीति वैमल्यनिष्कलङ्कत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावकल्पना नावश्यकी, तथा च तन्मूलको भेदोऽसङ्गत इति शंकाया इदं समाधानं यत् 'भुग्नवृन्तविशिष्टशतदलकमलतुल्यं वारं वारं भुग्नशिरोग्रीवं मुखं धारयन्त्या वारं वारं परावृत्य पश्यन्त्येति यावत्, गच्छन्त्या पक्ष्मलनयनया मालत्या, मम हृदये, पीयूषगरलाभ्यां व्याप्तः कटाक्षः गाढं निखात इव' इत्यर्थके मालतीप्रथमदर्शनानन्तरं माधवेन स्वसुहृदं मकरन्दं प्रति कथिते 'यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमाननं तदावृत्तवृन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या। दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या, गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः' इति भवभूतिपद्ये स्वतः प्रतीतिपथमुपेयुषा सौन्दर्यरूपसाधारणधर्मेणोपमायाः सिद्धिसम्भवेऽपि कन्धरावृत्तयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः वलितत्वावृत्तत्वयोः वस्तुप्रतिवस्तुभावश्च कल्प्यते, तथा प्रकृतेऽपि सौन्दर्यस्य साधारणधर्मतासम्भवेऽपि वैमल्यनिष्कलङ्कत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावः कल्पनीय एव। इदमत्र रहस्यम्—यदि सौन्दर्यादेः साधारणत्वं कविविवक्षितमभविष्यत्, तदा वैमल्यादेरुपादानं निष्प्रयोजनमापत्स्यत्, अतो वस्तुप्रतिवस्तुभावो बिम्बप्रतिबिम्बभावो वा यथासम्भवमेतादृशस्थले कवेरभिमतो बुध्यते, अत एव चमत्कारोऽप्यतिशयितो भवति, अन्यथा तु स मन्थर एव स्यादिति भावः।

'विमलम्—' इत्यादि पद्य में वस्तुप्रतिवस्तुभाव की आवश्यकता ही नहीं है इस आशंका का उपपादन तथा समाधान करते हैं—न च इत्यादि। आप कहेंगे—उपमा की सिद्धि के लिये किसी साधारण धर्म का प्रतीयमान होना आवश्यक है, अतः जहाँ किसी साधारण धर्म की स्वभावतः प्रतीति नहीं होती, वहाँ उपमान और उपमेय में रहने वाले भिन्न-भिन्न धर्मों का बिम्बप्रतिबिम्बभाव अथवा वस्तुप्रतिवस्तुभाव कल्पित होता है, जिससे वह साधारण बन जाता है यही तो वस्तुस्थिति है, अतः कोमलातप— इत्यादि पूर्वोदाहृत पद्य में यति और संध्याकाल की उपमा को सिद्ध करने के लिये कुङ्कुमलेप आदि और कोमल आतप आदि के बिम्बप्रतिबिम्ब भाव की कल्पना भले ही आवश्यक समझी जाय, क्योंकि वहाँ किसी साधारण धर्म की स्वभावतः प्रतीति नहीं होती, परन्तु 'विमलं वदनम्—' इत्यादि स्थल में विमलता तथा निष्कलङ्कता के वस्तुप्रतिवस्तुभाव की कल्पना आवश्यक नहीं समझी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ

उपमान चन्द्र और उपमेय मुख दोनों में रहने वाले परमप्रसिद्ध सौन्दर्यरूप स्वाभाविक साधारण धर्म की प्रतीति कहे बिना भी हो रही है, उसीको लेकर उपमा सिद्ध हो जायगी। किन्तु यह कथन आपका समुचित नहीं, कारण, यदि ऐसी बात हो, तब 'यान्त्या मुहुः—इत्यादि (सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में देखना चाहिए)—अर्थात् झुके डंठल वाले कमल के तुल्य बार-बार तिरछी गरदन वाले मुख को धारण करती हुई बार बार लौटकर देखती हुई—उस सघन पक्ष्मवाले नयनों से युक्त नायिका (मालती) ने, जाते हुए, अमृत और विष दोनों से सना हुआ एक कटाक्ष, कसकर, मेरे हृदय में मार-सा दिया।' इस, मालती के प्रथम दर्शन के बाद माधव के द्वारा अपने मित्र मकरन्द के प्रति कहे गए भवभूतिरचित पद्य में कमलमुख के साधारण सौन्दर्य से ही उपमा की सिद्धि हो सकती थी, फिर जो सभी आलंकारिकों ने वहीं 'गरदन' और 'वृन्त' में बिम्बप्रतिबिम्बभाव तथा 'झुकने' और 'तिरछे होने' वस्तुप्रतिवस्तुभाव माना है—वह विरुद्ध हो जायगा, क्योंकि आपके हिसाब से वहाँ भी ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं थी। अतः जैसा मैंने माना है, वही ठीक है—अर्थात् 'विमलं वदनम्—' में विमलता और निष्कलङ्कता के शुद्ध वस्तुप्रतिवस्तुभाव अथवा बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव से मिश्रित वस्तु-प्रतिवस्तुभाव की कल्पना करनी ही चाहिए। तात्पर्य यह कि-ऐसे स्थलों में सौन्दर्य आदि प्रसिद्ध धर्म को साधारण मानकर उपमा बाँधने पर कोई खास चमत्कार नहीं हो सकता—पुरानी कल्पना को दुहराने में कोई आनन्द नहीं आता, इसलिये तो कवि ने विमल और निष्कलङ्क तथा तिरछी गरदन और टेढ़े डंठल का पद्य में वर्णन किया है, अन्यथा उसकी आवश्यकता ही क्या थी?

चतुर्थं भेदमुदाहर्तुमाह—

उपचरितो यथा—

यस्यामुपमायां साधारणधर्मः उपचरितः (आरोपितः) भवति, सोपमा प्रदर्श्यत इति भावः।

उपचरित-अर्थात्-आरोपित समान धर्म वाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'शतकोटिकठिनचित्तः सोऽहं तस्याः सुधैकमयमूर्तेः।
येनाकारिषि मित्रं विकलहृदयो विधिर्वाच्यः॥'

येन विधात्रा, शतकोटिवत् वज्रवत्, कठिनं कठोरं चित्तं मनः यस्य तादृशः सः सीतानिर्वासनादिविविधानर्थकारी, अहं रामचन्द्रः, सुधैकमयमूर्तेः केवलामृतनिर्मिताङ्गयाः, तस्याः सीतायाः, मित्रं पतिरिति यावत्, अकारिषि (कृधातोः कर्मणि लुङि उत्तमपुरुषैकवचने रूपम्) कृत इति तदर्थः, स, विकलहृदयः, हृदयहीनः, सति हृदये नैतादृशं कुर्यादिति भावः, विधिः, विधाता, वाच्यः निन्दनीयः। सीतानिर्वासनकर्मणा मम निन्दा नोचिता, अपि तु सर्वज्ञतामाप्तवतोऽपि मादृशेन कठोरचेतसा सह तां योजयते। विधेरेव सा योग्येत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—शतकोटि इत्यादि। जिस विधाता ने, वज्र के समान कठोर चित्तवाले उस मुझको केवल अमृत से बनी हुई मूर्ति वाली उस (सीता) का मित्र (पति) बना दिया, उस हृदयहीन विधाता की निन्दा होनी चाहिए। अर्थात्

सीतापरित्याग से लोग जो मुझे कलङ्कित करते हैं, वह उचित नहीं, निन्दा तो होनी चाहिए उस विधाता की, जिसने जान-बूझकर इस तरह का अनमेल सम्बन्ध कराया।

प्रकरणं बोध्यते—

एषा सीतां विवासितवतः स्वात्मगता रामस्योक्तिः।

शतकोटीति गाथार्थः जनापवादभयेन प्राणेभ्योऽपि प्रियां सीतां निर्वासितवतो रामचन्द्रस्य मनोभावरूप इति भावः।

प्रसङ्ग बतलाया जाता है—एषा इत्यादि। 'शतकोटि-' यह पद्य उन रामचन्द्र की स्वगत उक्ति है, जो सीता को वन में निकाल चुके थे।

उपपादयति—

अत्र काठिन्यं पार्थिवो धर्मश्चित्ते उपचरितः।

शतकोटीति श्लोके शतकोटिचित्तयोरुपमायां साधारणधर्मतया निविष्टं काठिन्यम् वस्तुतो न साधारणम्, पृथिवीवर्तिनस्तस्य धर्मस्य पृथिवीविकारभूते शतकोटौ सत्त्वसम्भवेऽपि अमूर्ते चित्ते सत्त्वासम्भवात्, तथापि आरोपेण तस्य चित्तवृत्तिता स्वीक्रियत इति सधर्म उपचरित उच्यते।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'शतकोटि-' इस पद्य में वज्र और चित्त की जो उपमा है, उसमें साधारण धर्म होता है 'कठिनता', पर वह वस्तुतः चित्त में है नहीं, क्योंकि 'कठिनता' एक प्रकार का पृथिवीधर्म है, अतः पृथिवी के विकारभूत वज्र में रह सकता है, अमूर्त चित्त में नहीं, अतएव चित्त में वह आरोपित होकर ही रहेगा।

पञ्चमं प्रभेदमुदाहर्तुमाह—

केवलशब्दात्मको यथा—

उपमाया यस्मिन् प्रकारे साधारणधर्मः केवलशब्दात्मको भवति, स प्रकारः प्रकाश्यत इति भावः।

केवल शब्दरूप समान धर्म को लेकर होनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'यत्र वसन्ति सुमनसि मनुजपशौ च शीलवन्तः सर्वत्र समाना मन्त्रिणो मुनय इव।'

यत्र राज्ये, शीलवन्तः सदाचारिणो, मन्त्रिणः सचिवाः, सुमनसि पण्डिते, मनुजपशौ महामूर्खे, च सर्वत्र, समानाः एकत्र समानादरकारिणः, अपरत्र समदृष्टयः अत एव मुनय, इव, वसन्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—यत्र इत्यादि। किसी राज्य का वर्णन है कि-जहाँ सदाचारी सचिव लोग मुनियों के समान रहते हैं क्योंकि वे विद्वान् और महामूर्खों में समान हैं अर्थात् मुनि सब में समदृष्टि हैं और मन्त्री सब में समान आदर करने वाले हैं।

उपपादयति—

अत्रोपमानोपमेयगतस्यार्थस्यैकस्याभावाच्छब्द एव धर्मः।

'यत्र वसन्ति—' इत्यादिं काव्ये मुनिमन्त्रिणोरुपमायां न कश्चिदार्थिकः साधारणधर्मः, धर्मवाचकतयोपात्तस्य 'समान'पदस्य उपमानोपमेययोर्भिन्नार्थत्वात्, तथा च स शब्द एवोभयत्र स्वनिष्ठवाचकतानिरूपितवाच्यतासम्बन्धेन विशेषणीभवन् समानधर्मरूपतां प्रतिपद्यत इति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्रोपमानोपमेय इत्यादि। 'यत्र वसन्ति—' इस काव्य में मुनि और मन्त्री की जो उपमा है, उसमें कोई ऐसा अर्थरूप साधारण धर्म नहीं, जो उपमान तथा उपमेय दोनों में रहनेवाला हो। तात्पर्य यह कि साधारणधर्म का बोधक पद है यहाँ 'समानाः', पर इस पद का मुनि और मन्त्री पक्ष में एक अर्थ नहीं होता, अतः यह मानना चाहिए कि-वह शब्द ही यहाँ साधारणधर्मरूप है। इसी उपमा को अन्यत्र शाब्दी उपमा कहा गया है।

धर्मवैचित्र्यमूलकभेदान्तराणामपि सम्भावनां प्रकटयति—

एवमेतेषां धर्माणां व्यामिश्रणं च सम्भवति।

पूर्वोक्तानां पञ्चविधानां साधारणधर्माणां परस्परसङ्करोऽपि भवितुमर्हति। तथा च तत्प्रयुक्तोपमाप्रभेदसंख्याऽपि भूयो वर्धेतेति भावः।

धर्म की विविधरूपता के कारण होनेवाले उपमाप्रभेदों में और अधिक भेदों की संभावना करते हैं—एवमेतेषामित्यादि। जिस तरह शुद्धरूप से साधारण धर्म के पाँच भेद किए गये हैं, उसी तरह परस्पर मिश्रण से उनके और अधिक भेद किए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि उक्त पञ्चविध धर्मों के मिश्रण से उपमा के धर्ममूलक भेद और अधिक बढ़ सकते हैं।

धर्ममिश्रणप्रयुक्तसम्भावितोपमाप्रभेदोदाहरणं प्रतिज्ञापुरस्सरं निर्दिश्यते—

यथा—

'श्यामलेनाङ्कितं भाले बाले केनापि लक्ष्मणा।
मुखं तवान्तरा सुप्तभृङ्गफुल्लाम्बुजायते॥'

नायकः कथयति—अयि बाले! केनापि, श्यामलेन श्यामवर्णेन, लक्ष्मणा चिह्नेन कस्तूरीतिलकादिनेति यावत्, भाले ललाटे अङ्कितं चिह्नितं, तव, मुखम्, अन्तरा मध्ये, सुप्ताः निश्चलतया स्थिताः, भृङ्गा भ्रमराः, यत्र, तादृशं, यत्, फुल्लं विकसितम्, अम्बुजं कमलं, तदिव, आचरतीत्यर्थः।

धर्ममिश्रण का उदाहरण दिखलाते हैं—यथा इत्यादि। जैसे—श्यामलेन इत्यादि अर्थात्—हे बालिके! किसी काले चिह्न (कस्तूरी-तिलक आदि) से कपाल पर चिह्नित तेरा मुख, जिसके मध्य में भ्रमर सोए हुए हों ऐसे विकसित कमल के समान आचरण करता है।

उपपादयति—

अत्र भालगताङ्कप्रसुप्तभृङ्गौ बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नौ क्यङर्थे आचारेऽनुगामिन्यभेदमापद्य स्थितौ।

'श्यामलेन—' इति पद्येऽम्बुजमुखयोरुपमोपनिबद्धा, तत्र 'अम्बुजायते' इति प्रयोगघटकक्यङ्प्रत्ययार्थ आचार उपमाने अम्बुजे उपमेये मुखे चैकरूपेणान्वीयमानोऽनुगामी

साधारणधर्मः। मुखस्याम्बुजवदाचरणं च विम्बप्रतिविम्बभावापन्नयोः—सादृश्यबलारोपिताभेदयोः—भालगताङ्कान्तरासुप्तभृङ्गयोः सम्बन्धित्वासादनमेव। एवञ्चात्र विम्बप्रतिविम्बभावापन्नस्यानुगामिनश्च धर्मस्य मिश्रणं जातमिति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'श्यामलेन—' इस पद्य में कमल तथा मुख की उपमा वर्णित हुई है, उसमें 'ललाटतट का काला चिह्न' और 'मध्य में सोए हुए भ्रमर' ये दोनों बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं, और वे 'अम्बुजायते' पद में जो 'क्यङ्' प्रत्यय है उसके अर्थ आचाररूप अनुगामी धर्म से अभिन्न होकर स्थित हैं। अभिप्राय यह कि कमल और मुख की उपमा में आचरण एकरूप से उपमानोपमेय में अन्वित होने के कारण अनुगामी धर्म है और मुख का कमल के समान आचरण, यहाँ, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न (सादृश्यमूलक अभेद से युक्त) ललाटगत चिह्न और मध्यसुप्त भृङ्ग से सम्बन्ध रखना ही है अतः यहाँ विम्बप्रतिबिम्बभावापन्न तथा अनुगामी धर्मों का मिश्रण है।

तथाविधमुदाहरणान्तरमपि दर्शयति—

यथा वा—

'सिन्दूरारुणवपुषो देवस्य रदाङ्कुरो गणाधिपतेः।
सन्ध्याशोणाम्बरगतनवेन्दुलेखायितः पातु ॥'

सिन्दूरेण रञ्जकद्रव्यविशेषेण, अरुणं रक्तं, वपुः शरीरं, यस्य, तस्य, गणाधिपतेः गणेशस्य, देवस्य, सन्ध्यायाः सायङ्कालस्य, शोणे रक्ते, अम्बरे आकाशे, गता स्थिता, या, नवस्य नूतनस्य, इन्दोः चन्द्रस्य, लेखा कला, सा इव आचरितः, रदाङ्कुरः दन्ताङ्कुरः, पातु रक्षतु, युष्मान् अस्मान् वेति शेषः इत्यर्थः।

अथवा जैसे—सिन्दूर से अर्थात् सिन्दूर के लेप से अरुण वर्ण शरीर वाले गणेश देव का, सायंकाल के लाल आकाश में स्थित चन्द्रकला के समान आचरण करनेवाला, दन्ताङ्कुर, आपकी अथवा मेरी रक्षा करे।

उपपादयति—

अत्र सिन्दूरसन्ध्याभ्यां गणाधिपगगनाभ्यां च बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नाभ्यां [धर्माभ्यां] सम्पादिताभेदेन विशिष्टधर्मेणाभेदेनावस्थितः क्यङर्थोऽनुगामी।

अयमाशयः—'सिन्दूरारुण—' इति पद्येऽरुणत्वशोणत्वे शब्दाश्रययोर्भेदेन भिन्ने अपि परमार्थत एकरूप इति वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्ने तदन्विते सिन्दूरसन्ध्ये वस्तुतो भिन्ने अपि सादृश्यमूलकाभेदारोपविशिष्ट इति विम्बप्रतिबिम्बभावापन्ने तदन्विते गणपतिगगने अपि पुनः तथाविधतया बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न एव। एवञ्च वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नारुणत्वशोणत्वविशिष्टबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नसिन्दूरसन्ध्याऽभेदबुद्धिविषयीकृतगणपतिगगनरूपः। बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो विशिष्ट एको धर्मः सम्पद्यते, तदभिन्नश्च लेखायितपदगतक्यङ्प्रत्ययार्थरूप आचारोऽनुगामी धर्मः यद्बलात् दन्ताङ्कुरचन्द्रलेखयोरुपमा सिध्यति। यद्यपि प्रसिद्धौ अल्पशोभाविशेषरूपनामाश्रित्यापि आचारस्यानुगामित्वं सम्भवति, तथापि तादृशगणपतिगगनरूपतामादायैवाचारस्यानुगामित्वम् कवितात्पर्यविषयीभूतम्, अन्यथा तदुल्लेख एव निष्फलः स्यादिति।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'सिन्दूरारुण-' इस पद्य में 'सायङ्काल के लाल आकाश की चन्द्रकला के साथ 'सिन्दूर से अरुण वर्ण शरीर वाले गणेशजी के दन्ताङ्कुर' की तुलना की गई है-इन दोनों पदार्थों की उपमा बाँधी गयी है, और इस उपमा का साधक है 'लेखायित' पद में आए हुए क्यङ् प्रत्यय का अर्थ 'आचार'रूप समान धर्म, जो अनुगामी है, परन्तु केवल विषयोल्लेखरहित आचार उपमा का प्रयोजक होता नहीं, अतः 'गणपति तथा आकाश' के साथ उस आचार का अभेद कल्पित होता है-अर्थात् 'दन्ताङ्कुर' और 'चन्द्रकला' का समान आचार यही माना जाता है कि एक गणेश का है और दूसरा आकाश का। आपके मन में शङ्का होगी कि जब गणेश और आकाश ही एक वस्तु नहीं तब उन दोनों का सम्बन्धी आचार कैसे एक होगा ? शङ्का ठीक है, पर आप को समझना चाहिये कि कल्पना के द्वारा गणेशजी और आकाश को भी एक कर लिया जाता है अर्थात् इन दोनों में बिम्बप्रतिबिम्बभाव भिन्न होने पर भी सादृश्यमूलक अभेद-माना जाता है। आप पुनः शङ्का करेंगे कि-इन दोनों में सादृश्य ही कौन सा है, यन्मूलक अभेद माना जायगा ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि एक (गणेशजी) सिन्दूर से अरुणवर्ण शरीर वाले हैं और दूसरा (गगन) सन्ध्या से लाल है यही सादृश्य है। यदि इस पर भी आप पूछेंगे कि यह कौन सादृश्य हुआ ? एक का सम्बन्ध सिन्दूर से है और दूसरे का सन्ध्या से, फिर सादृश्य कैसा ? यह प्रश्न भी आपका असङ्गत नहीं, परन्तु उत्तर भी बहुत उपयुक्त है कि इन दोनों में भी-अर्थात् सिन्दूर और सन्ध्या में भी-बिम्बप्रतिबिम्बभाव माना जाता है-भिन्न होने पर भी सादृश्यमूलक अभेद स्वीकृत होता है। और इन दोनों के सादृश्य का मूल है अरुणत्व और शोणत्व। आप कहेंगे कि ये दोनों भी तो एक-जैसे नहीं ज्ञात होते, तो मैं कहूँगा कि-हैं तो ये दोनों एक ही वस्तु, परन्तु शब्द तथा आश्रय (जिनमें ये रहते हैं उन पदार्थ) के भेद से भिन्न जैसे भासित होते हैं। आप कहेंगे कि-हुआ न-किसी तरह जब भेद भासित हो गया, तब अभेद कैसे भासित होगा ? उत्तर है कि-भेद भासित होने के बाद पुनः अभेद की कल्पना की जाती है। वस्तुतः अभिन्न में किसी कारण से भेद भासित होने के बाद जो अभेद कल्पित होता है उसीको तो 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव' कहते हैं। फलतः यहाँ 'अरुणत्व और शोणत्व' वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हैं, 'सिन्दूर-सन्ध्या' और 'गणेश-आकाश' बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं और 'आचार' अनुगामी है। अतः यहाँ धर्मों का मिश्रण समझा जाता है।

धर्ममिश्रणस्य प्रकारान्तरं दर्शयति—

क्वचिद्धेतुहेतुमद्भावेन।

हेतुहेतुमद्भावेनेत्यस्याग्रे धर्मस्य व्यामिश्रणमिति शेषो बोध्यः। 'श्यामलेन—' 'सिन्दूरारुण—' इत्यनयोर्यथा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्माणाम् अभेदेनानुगामिन्याचारे व्यामिश्रणम्, तथा क्वचित् हेतुहेतुमद्भावेन तथाविधधर्मस्यानुगामिनि व्यामिश्रणमिति भावः।

धर्ममिश्रण का दूसरा प्रकार दिखलाया जाता है—क्वचित् इत्यादि। अर्थात्-जैसे उक्त उदाहरणों में अभेद सम्बन्ध से बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मों का अनुगामी धर्मों में मिश्रण हुआ है, उसी तरह कहीं हेतुहेतुमद्भावसम्बन्ध से भी उक्त धर्मों का मिश्रण हो सकता है।

उदाहरणं निर्देष्टुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ।

जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'खलः कापट्यदोषेण दूरेणैव विसृज्यते ।
अपायशङ्किभिर्लोकैर्विषेणाशीविषो यथा ॥'

कविः कथयति—अपायं विनाशं, शङ्कन्ते, ये, तथाविधैः निजविनाशशङ्काकुलैरिति यावत् , लोकैः, विषेण विषरूपदोषेण, आशीविषः सर्पः, यथा, दूरेण दूरतः, एव, विसृज्यते त्यज्यते, तथैव, खलः नीचाशयो जनः, कापट्यदोषेण कपटतारूपदूषणेन, दूरतः परिहियत इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—खलः इत्यादि । कवि का कथन है—जिस तरह, विषरूप दोष के कारण, सर्प, दूरतः परिहृत होता है—लोग उसके पास फटकते तक नहीं, उसी तरह, कपटरूप दोष के कारण अपने विनाश की आशङ्का करनेवाले लोगों से खल-नीचाशय मनुष्य-दूर ही छोड़ दिया जाता है ।

उपपादयति—

अत्र कापट्यं विषं चबिम्ब प्रतिबिम्बतां गतं दूरतो विसर्जनेऽनुगामिनि हेतुः ।

'खलः कापट्यं—' इति पद्ये सर्पखलयोरुपमायां 'दूरतो विसर्जनम्' अनुगामी—एकरूपेण द्वयोरन्वयी—साधारणो धर्मः, तत्र च 'विषकपटता'रूपो बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः—भेदेऽपि सादृश्यमूलकाभेदविशिष्टः—धर्मो हेतुरिति—अनुगामिबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोर्धर्मयोः कार्यकारणभावेन मिश्रणं जातम् । तयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावं विना भिन्नप्रकरणत्वेन दूरविसर्जने भेदप्रतीत्याऽनुगामित्वमेव न स्यादिति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'खलः—' इस श्लोक में 'खल' की उपमा 'सर्प' के साथ दी गई है, जिसमें 'दूर से छोड़ देना' अनुगामी साधारण धर्म है और उसके कारण हैं 'विष' और 'कपट'रूप बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म । अर्थात् जब तक विष और कपट में बिम्बप्रतिबिम्बभाव—सादृश्यमूलक अभेद—नहीं मान लिया जायगा, तब तक भिन्न प्रकरण के होने से 'दूर से छोड़ देने' में भी भेद प्रतीत होता रहेगा, फिर वह अनुगामी—एकरूपेण अन्वित होने वाला—धर्म हो ही नहीं सकता । अतः यहाँ अनुगामी और बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मों का मिश्रण कार्य-कारणरूप होने से हुआ है ।

हेतुहेतुमद्भावेन धर्मयोर्मिश्रणस्योदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथवा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'रूपवत्यपि च क्रूरा कामिनी दुःखदायिनी ।
अन्तःकाटवसम्पूर्णा सुपक्वेवेन्द्रवारुणी ॥'

रूपवती बाह्यसौन्दर्यशालिनी, अपि, अन्तःकाटवेन अन्तर्गतकटुत्वेन, सम्पूर्णा सर्वतोभावेन युक्ता, सुपक्वा अतिपरिपाकावस्थां गता (एतच्च बाह्यसौन्दर्यसम्पत्तिसूचनाय)

इन्द्रवारुणी फलविशेषः (नारुन इति भाषायां प्रसिद्धः) इव, रूपवत्यपि, क्रूरा कठोरहृदया, कामिनी नायिका, दुःखदायिनी क्लेशप्रदा, भवतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—रूपवत्यपि इत्यादि । रूपवती (बाह्य सौन्दर्य से युक्त) होकर भी क्रूरहृदय वाली नायिका, अन्दर कटुएपन से भरी हुई परिपक्व इन्द्रवारुणी (नारुन) की तरह, दुःख देने वाली होती है।

उपपादयति—

अत्र रूपवत्त्वदुःखदायित्वयोर्द्वयोरनुगामिनोर्मध्ये क्रौर्यकाटवे बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्ने दुःखदायित्वेन सह हेतुहेतुमद्भावेन मिश्रिते, अपरेण तु शुद्धसामानाधिकरण्येन ।

अपरेण रूपवत्वेन शुद्धसामानाधिकरण्येनेति । एतेन दुःखदायित्वेनापि क्रौर्यकाटवयोः सामानाधिकरण्यमस्त्येव, परन्तु न शुद्धम्, अपि तु हेतुहेतुमद्भावविशिष्टमित्यर्थः फलितः । अयं भावः—इन्द्रवारुणीकामिन्योरुपमायां 'रूपवत्यपि—' इति पद्योपनिबद्धायाम्, रूपवत्त्वदुःखदायित्वरूपौ द्वावनुगामिसाधारणधर्मौ क्रौर्यकटुत्वात्मकौ च द्वौ बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नौ तथाविधौ धर्मौ तत्र दुःखदायित्वम्प्रति क्रौर्यकाटवे कारणे—अर्थात् नायिकानिष्ठदुःखदायित्वं प्रति क्रौर्यं कारणम् तथा इन्द्रवारुणीनिष्ठदुःखदायित्वं प्रति काटवं कारणम् । एवञ्च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोः क्रौर्यकाटवयोः दुःखदायित्वस्य चानुगामिनः हेतुहेतुमद्भावविशिष्टसामानाधिकरण्येन मिश्रणम्, तथाविधयोस्तयोरनुगामिनो रूपवत्त्वस्य च शुद्धसामानाधिकरण्येन मिश्रणमिति ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'रूपवत्यपि—' इस उदाहरण में इन्द्रवारुणी और कामिनी की उपमा के साधक, दो—'रूपवती होना' और 'दुःख देने वाली होना'—अनुगामी साधारण धर्म हैं । उन दोनों धर्मों में से एक—दुःखदायित्व'रूप अनुगामी धर्म के साथ 'क्रूरता' और 'कटुता'रूप बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म कार्यकारणभावविशिष्ट सामानाधिकरण्यसंबन्ध से मिश्रित है, क्योंकि कामिनी में 'क्रूरता' दुःख देने का कारण है और इन्द्रवारुणी में 'कटुता', इसी तरह दुःखदायित्व और 'क्रूरता—कटुता' एक आधार (कामिनी—इन्द्रावारुणी) में रहते भी हैं । 'रूपवत्त्व' के साथ 'क्रूरता' और 'कटुता' का मिश्रण शुद्ध हेतुहेतुमद्भावरहित सामानाधिकरण्यसंबन्ध से होता है ।

उपसंहरति—

एवमन्यैरपि व्यामिश्रणं बोध्यम् ।

एवम् उक्तरीत्या । अन्यैः = अनुगामिधर्मातिरिक्तैः, पूर्वोक्तपञ्चविधसाधारणधर्मान्तर्गतैर्धर्मैः ।

उपसंहार करते हैं—एवम् इत्यादि । इसी तरह (पूर्वोक्त रीति से ही) अन्य धर्मों से भी मिश्रण समझ लेना चाहिए ।

उपमाया उक्तेभ्यो भेदेभ्योऽन्येऽपि भेदाः संभवन्तीति सूचयितुमाह—

प्रकारान्तरं च लक्ष्यानुसारेण सुधीभिः स्वयमुन्नेतुं शक्यम् ।

लक्ष्यदर्शनेन सुधयः उपमायाः प्रकारान्तराणि स्वयमूहितुं पारयन्तीति भावः ।

विद्वज्जन, उदाहरणों के आधार पर, उपमा के अन्य भेदों का भी ऊह, स्वयं कर ले सकते हैं।

स्वयमुन्नेयत्वेनोक्तं प्रकारान्तरमुपमाया दर्शयितुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'यथा लतायाः स्तबकानतायाः स्तनावनम्रे नितरां समाऽसि।
तथा लता पल्लविनी सगर्वे शोणाधरायाः सदृशी तवापि॥'

नायको नायिकां कथयति—स्तनावनम्रे कुचभारविनते। (एतच्च स्तबकानतलतासाम्यसिद्धयर्थम्) त्वम् , स्तबकैः पुष्पगुच्छैः, आनताया नम्रीभूतायाः, लताया वल्लर्याः, यथा येन प्रकारेण, नितराम् अत्यन्तम् , समा सदृशी, असि वर्तसे, तथैव हे सगर्वे लतोपमानत्वलाभजन्यगौरवयुक्ते! पल्लविनी रक्तवर्णनवकिसलयवती (एतच्च शोणाधरनायिकासादृश्यसिद्धिकरम्), लता, अपि, शोणाधराया अरुणरदनच्छदायाः, तव सदृशी तुल्या वर्तते इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—यथा लताया इत्यादि। नायक की नायिका के प्रति उक्ति है—हे स्तनों से झुकी हुई! जिस तरह तू फूलों के गुच्छों से नमी हुई लता के अत्यन्त समान है, उसी तरह, हे सगर्वे-अपने को लता का उपमान समझकर गर्व करने वाली!—पल्लवों से युक्त लता भी लाल अधर वाली तेरे समान है।

उपपादयति—

अत्र स्तनावनम्राहं स्तबकानताया लताया उपमानमस्मीति गर्वं मा विदध्याः। यतः शोणाधराया उपमेयायास्तवापि पल्लविनी लतोपमानं भवतीति वाक्यार्थे यथातथापदप्रतिपाद्या कान्तोपमानिका लतोपमेयिकोपमा निष्पादिका। अस्यां चोपमायां निरूपकतासम्बन्धेनोपमानोपमेयगते द्वे उपमे समसदृशशब्दाभ्यां प्रतिपादिते बिम्ब-प्रतिबिम्बभावमापन्ने साधारणधर्मतया स्थिते। तत्र निरूपकतासम्बन्धेन प्रधानीभूतोपमोपमानकान्तागतायामुपमायां प्रतिबिम्बभूतायां गुच्छस्तनयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्ननमननम्रीभवनविशेषणयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नयोः साधारणधर्मत्वम्। एवं तेनैव सम्बन्धेन लतारूपोपमेयगतायां बिम्बभूतायामुपमायामधरपल्लवयोः।

उपमानिष्पादिकेति। एवं च वाक्यार्थोपस्कारिकेयमुपमेति भावः। बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्ने इति। अत्र 'यद्यपि समसदृशशब्दाभ्यां प्रतिपादितोपमयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभाव एव, तथापि तद्विशेषणयोः शोणाधरनायिकास्तबकावनम्रलतयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभाव आवश्यक इति भावः' इति नागेशः। उपमानोपमेयसाधारणधर्मसादृश्यानि समष्टिरूपेणैवोपमा, न सादृश्यमात्रमिति उपमाया बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वोक्तिरुचितैवेति तु मम प्रतिभाति। तत्रेति। तयोरुपमयोर्मध्य इत्यर्थः। निरूपकतेति। प्रतियोगितेत्यर्थ इति नागेशः। प्रधानी-

भूतोपमेति। यथातथापदप्रतिपाद्येत्यर्थः। उपमानेति। कान्तेत्यर्थः। उपमायां प्रतिबिम्बभूतायामिति। समशब्दप्रतिपाद्यायामित्यर्थः। तेनैव सम्बन्धेनेति। निरूपकतासम्बन्धेनेत्यर्थः। बिम्बभूतायामुपमायामिति। सदृशशब्दप्रतिपाद्यायामित्यर्थः। अधरपल्लवयोरिति। कान्तालताविशेषणयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नयोः साधारणधर्मत्वमिति शेषः। अयं भावः—'यथा लताया—' इति पद्ये तिस्र उपमाः सन्ति तासु 'यथा त्वं लतासदृशी, तथा, लता तव सदृशी' इत्याकारिका यथा-तथापदप्रतिपाद्या उपमा प्रधानम्, "स्तनभारावनताऽहं पुष्पगुच्छभारावनम्राया लताया उपमानभूतास्मि—तथाविधां वल्लरीमवलोकयद्भिः सहृदयैः 'स्तनभाराभङ्गुरा कामिनी वेयं वल्लरी'त्येवं रूपेण तस्यास्तुलना मया सह विधीयत—इति गर्वो न करणीयः। अरुणाधरशालिन्या उपमेयभूतायास्तवापि नवकिसलयकोमलाया लताया उपमानत्वात्—रक्तरदनच्छदां त्वामनुपश्यद्भिः सचेतोभिः 'नूतनारुणदलकोमलवल्लरीवेयं ललना इत्येवंरीत्या लतया सहापि तव तुलनात" इति व्यङ्ग्यभूतप्रधानवाक्यार्थस्य निष्पादकत्वात् अलङ्करणाच्च। अस्यां प्रधानभूतायामुपमायां कान्ता उपमानभूता लता उपमेयभूता यथा-तथापदप्रतिपाद्यं सादृश्यं चेति त्रीण्यङ्गानि स्पष्टानि। साधारणधर्मश्च विचारवेद्यः। विचारे च। 'स्तनावनम्रा त्वं, स्तवकानतलतायाः समा, पल्लविनी लता, शोणाधरायास्तव सदृशी' इति द्वे उपमे एव साधारणधर्मरूपे अवगम्येते। ननु उपमानोपमेयवृत्तित्वे एव कस्यापि पदार्थस्य साधारणधर्मता भवति, इमे उपमे तु नोक्तोपमानोपमेयवर्तिनी वृत्तितानियामकसम्बन्धस्यास्फुरणादिति चेन्न, निरूपकतायाः तन्नियामकप्रतियोगिताया वा संबन्धरूपायाः स्फुरणात्। उक्तधर्मरूपोपमाद्वयमध्ये प्रथमासमशब्दप्रतिपाद्या उपमा, निरूपकतासम्बन्धेन स्वोपमाने प्रधानीभूतोपमोपमाने च कान्तायाम्, द्वितीया—सदृशपदप्रतिपाद्या—उपमा च, तेनैव सम्बन्धेन स्वोपमाने प्रधानीभूतोपमोपमेये च लतायां वर्तते इति सारांशः। न चैवमपि तयोरुपमयोरेकैकमात्रवृत्तित्वेन साधारणत्वं कथमिति वाच्यम्, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वेनैक्यात्। तत्र, प्रथमोपमा, अचिरस्थायिसौन्दर्यशालिपुष्पगुच्छस्तनात्मकसाधारणधर्ममूलकत्वात्प्रतिबिम्बरूपा, द्वितीयोपमा च तदपेक्षया चिरस्थायिशोभाधाराधरपल्लवात्मकसाधारणधर्ममूलकत्वाद्बिम्बरूपेति विवेकः। अथानयोः प्रधानोपमायां साधारणधर्मरूपयोरुपमयोः कः कीदृशश्च साधारणधर्म इति चेत्? प्रधानाया उपमाया उपमानभूतायां कान्तायां निरूपकतासम्बन्धेन वर्तमाना या 'सम'-शब्दप्रतिपाद्योपमा प्रतिबिम्बभूता तत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नतयैकीभूतौ गुच्छस्तनौ साधारणो धर्मः। तौ च गुच्छस्तनौ, 'स्तबकानतायाः', 'स्तनावनम्रे' इति पदद्वयबोध्ययोर्नमननम्रीभवनयोः वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नयोर्विशेषणीभूताविति वस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बितबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नोऽत्र साधारणधर्मः। प्रधानाया उपमाया उपमेयभूतायां लतायां निरूपकतासम्बन्धेन तिष्ठन्ती या 'सदृश'पदप्रतिपाद्या बिम्बभूता द्वितीयोपमा, तत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नतयैकीभूतावधरपल्लवौ तथा। वस्तुप्रतिवस्तुभावशून्यतया शुद्धबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न इह सधर्म इति बोध्यम्। पूर्वमुदाहृतासूपमासु अन्यविधाः साधारणधर्मा उक्ताः, अत्र तु उपमाद्वयमेवोपमायाः साधारणो धर्म इति वैचित्र्यमिति।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'यथा लतायाः-' इत्यादि पद्य से तात्पर्यार्थ निकलता है कि-"हे सुन्दरि! 'स्तन-भार से झुकी हुई मैं, पुष्प के गुच्छों से लदी हुई अतएव नमी हुई लता, का उपमान हूँ—किसी पुष्पगुच्छावनत लता को देखकर कविगण, 'यह लता, स्तनभार से झुकी हुई कामिनी के समान है' इस रूप में मुझसे लता की तुलना करते हैं, मेरी तुलना लता से नहीं' यह अभिमान न करो, क्योंकि जब लाल अधर वाली तू उपमेय होती है-अर्थात् लाल अधर को लेकर तेरी तुलना करनी होती है, तब पल्लवयुक्त लता तेरा उपमान होती है-अर्थात् लाल अधरवाली तुझ तन्वी को देख कर कवि लोगों के द्वारा 'यह कामिनी पल्लवशोभित लता के समान है' इस रूप में, तेरी भी तुलना लता से की जाती है।" इस तात्पर्यार्थ (वाक्यार्थ) को सिद्ध करता है 'यथा और तथा' पदों से प्रतिपादित होनेवाली वह उपमा, जिसमें सुन्दरी नायिका (तू) उपमान है और लता उपमेय। अतः यह (यथा-तथा-पद-प्रतिपाद्य) उपमा प्रधान है। इस प्रधान उपमा के तीन आवश्यक अङ्ग-उपमान सुन्दरी (तू), उपमेय लता और यथा-तथा पदों से अवगत होनेवाला साहश्य—स्पष्ट हैं, पर चौथा अङ्ग—साधारण धर्म—उतना स्पष्ट नहीं है, वह गम्भीर विचार से विदित होता है और विदित यह होता है कि-इस प्रधान उपमा का साधारण धर्म भी दो उपमायें ही हैं—एक 'तू लता के समान है' यह पूर्वार्धगत 'सम' शब्द के द्वारा प्रतिपादित होने वाली और दूसरी 'लता तेरे सदृश है' यह उत्तरार्धगत 'सदृश' शब्द के द्वारा प्रतिपादित होने वाली। आप शंका कर सकते हैं कि-उपमायें कैसे उपमा के साधारण धर्म होंगी, क्योंकि साधारण धर्म वह पदार्थ होता है जो उपमान और उपमेय में रहे और ये उपमायें तो उस (प्रधा-न) उपमा के उपमान अथवा उपमेय में रहने वाले पदार्थ हैं नहीं, तो, इसका समा-धान यह है कि—'निरूपकता' संवन्ध से ये दोनों उपमायें क्रमशः प्रधान उपमा के उपमान और उपमेय में रहने वाले धर्म होते हैं-अर्थात् उपमा का निरूपक होता है उप-मान और आश्रय उपमेय, अतः पूर्वार्धगत, समशब्दप्रतिपाद्य (तू लता के समान है यह) उपमा अपने उपमान 'तू' में निरूपकता संवन्ध से रहती है और वही 'तू' प्रधान (यथातथापदबोध्य) उपमा में भी उपमान है, फलतः यह उपमा, प्रधान उपमा के उपमान में रहने वाली वस्तु सिद्ध हुई, इसी तरह, उत्तरार्धगत, 'सदृश'पदप्रतिपाद्य (लता तेरे समान है, यह) उपमा अपने उपमान लता में उक्त सम्बन्ध से रहती है और वही लता प्रधान उपमा में उपमेय है, फलतः यह उपमा प्रधान उपमा के उपमेय में रहने वाली वस्तु सिद्ध हो गई। आप कहेंगे-इस विवरण के बाद भी यह समझ में नहीं आता कि-ये उपमायें साधारण कैसे होंगी, क्योंकि ये दोनों उपमायें दोनों (उपमान तथा उपमेय) में रहने वाली नहीं हैं-एक केवल उपमान में और दूसरी केवल उपमेय में रहती है, तो इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि-इन दोनों उपमाओं को बिम्बप्रति-बिम्बभावापन्न होने के कारण एक मानकर दोनों में रहनेवाली समझ लिया जाता है। तात्पर्य यह कि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न होकर ये दोनों उपमायें प्रधान उपमा में साधारण-रूप होती हैं। धर्मरूप इन दोनों उपमाओं में से प्रधान उपमा के उपमान 'कान्ता' में निरूपकता-सम्बन्ध से रहनेवाली-अर्थात् 'तू लता के समान है'-यह उपमा प्रतिबिम्ब-रूप है। कारण, इस उपमा को सिद्ध करनेवाला साधारण धर्म-'स्तन और गुच्छ'-अपेक्षाकृत अचिरस्थायी है अतः यह उपमा भी अचिरस्थायिनी होगी। और प्रधान उपमा के उपमेय 'लता' में उक्त सम्बन्ध से रहनेवाली-अर्थात् 'लता तेरे सदृश है' यह-उपमा है बिम्बरूप। कारण, इस उपमा को सिद्ध करनेवाला साधारण धर्म-'लाल अधर और लाल पल्लव' अपेक्षाकृत चिरस्थायी है, अतः यह उपमा भी चिरस्थायिनी मानी जायगी।

स्पष्ट तात्पर्य यह कि बिम्ब चिरस्थायी होता है जैसे-मुख और प्रतिबिम्ब अचिरस्थायी जैसे दर्पण में पड़ी मुख की छाया। इनमें से प्रतिबिम्बरूप उपमा में, वे 'स्तन' और 'फूलों के गुच्छे' बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न होकर साधारणधर्मरूप हैं, जो वस्तुप्रतिवस्तु-भावापन्न 'नमन और 'नम्रीभवन' (झुकना और नमना) के विशेषणरूप में स्थित हैं और इसी तरह बिम्बरूप उपमा में 'अधर' और 'पल्लव' बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न होकर साधारणधर्मरूप हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रतिबिम्बरूप उपमा में साधारण धर्म, वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से मिश्रित बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नरूप है, और बिम्बरूप उपमा में केवल बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नरूप-यहाँ वस्तुप्रतिवस्तुभाव का मिश्रण नहीं है। इन सबका सारांश यह हुआ कि प्रकृत पद्य में तीन उपमायें हैं जिनमें एक प्रधान है और दो बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्न होकर उस प्रधान उपमा को सिद्ध करनेवाली साधारणधर्मरूप। और साधारणधर्मरूप होनेवाली दो उपमाओं में से प्रथम उपमा का साधारणधर्म है वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न तथा द्वितीय उपमा का है केवल बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न। दो उपमाओं का ही तृतीय उपमा में समानधर्म होना इस उदाहरण की विचित्रता है, अतएव इस तरह की उपमा को नवीन उपमाप्रभेद के रूप में गिना जाना समुचित ही है।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न च तेन सदृश इत्यादौ तन्निरूपितसादृश्याश्रयस्योपमेयस्य, तस्य सदृश इत्यादौ च तत्सम्बन्धिसादृश्याश्रयस्योपमानस्य प्रतीतेः सिद्धत्वात्प्रकृते च सदृ-शीतिशब्दान्निवेद्यमानेऽप्युपमानभावे कथं नाम लताया उपमेयतेति वाच्यम्। सदृशशब्दप्रतिपाद्यधर्मभूतोपमायामुपमानत्वेऽपि यथातथाशब्दवेद्योपमायां लता-या उपमेयभावे बाधकाभावात्।

तन्निरूपितेति। तत्प्रतियोगिकेत्यर्थः। सादृश्याश्रयस्येति। सादृश्यानुयोगिन इत्यर्थः। तत्सम्बन्धिसादृश्याश्रयस्येति। तदनुयोगिकसादृश्यप्रतियोगिन इत्यर्थः। 'चन्द्रेण सदृशम्' इत्युक्तौ चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्यानुयोगिनो मुखादेरुपमेयस्य प्रतीतिः, 'मुखस्य सदृशः, इत्युक्तौ पुनः मुखानुयोगिकसादृश्यप्रतियोगिनश्चन्द्रादेरुपमानस्य प्रतीतिर्भवतीति सिद्धं वस्तु। एवञ्च प्रकृते 'लता तव सदृशी' इत्युत्तरार्धगतोक्त्या त्वदनुयोगिकसादृश्यप्रतियोगिलता-यामुपमानत्वस्य प्रतीतौ तस्याः (लतायाः) उपमेयत्वं मूलोक्तमसङ्गतमिति शङ्कायाः समा-धानं यत्—तदुक्त्या लतायामुपमानता प्रतीयत इति नासत्या कथा, परन्तु सा उपमानता सदृशपदप्रतिपाद्यधर्मभूतोपमा कृता। मूलोक्तं लताया उपमेयत्वं पुनर्यथातथापदप्रतिपाद्य-प्रधानोपमाकृतमिति न कोऽपि विरोध इति। एकस्मिन् पद्ये सतीष्वनेकासूपमासु एक एव पदार्थः कस्याञ्चनोपमायामुपमानरूपः कस्याश्चित् पुनरुपमेयरूपो भवितुमर्हति विरोधाभा-वादिति भावः। अत्र 'चन्द्रस्य सदृशम् अर्थात् चन्द्रस्य सादृश्यं वहति इत्युक्तौ साद-श्यं चन्द्रस्य सम्बन्धि भवति तदाधारश्चोपमानं भवति [चन्द्रसम्बन्धि सादृश्यं गृह्यते तस्याधारः चन्द्र एव स्यात] सादृश्यस्य (उपमायाः) निरूपकं च उपमेयं भवति' इति सरलाकरकृतं विवरणं युक्तमयुक्तं वेति साहित्यमर्मज्ञैरेव निश्चेयम्।

एक शङ्का और उसका समाधान लिखते हैं—न च इत्यादि। 'उससे सदृश है' ऐसा कहने पर 'उससे' का अर्थ चन्द्र आदि का उपमान होना और 'सदृश'पद का अर्थ मुख

आदि का उपमेय होना प्रतीत होता है, क्योंकि 'उससे' इस तृतीयान्त से उपमा के निरूपक का बोध होता है और उपमा का निरूपक होता है उपमान। इसी तरह 'उसका सदृश' ऐसा कहने पर 'उसका' अर्थ सादृश्य का सम्बन्धी—आश्रय-मुख आदि का उपमेय होना और 'सदृश' पद का अर्थ-उपमानिरूपक-चन्द्र आदि का उपमान होना विदित होता है। इस स्थिति में 'लता तव सदृशी, अर्थात् लता तेरे सदृश है' इस शब्द से साफ 'तेरे' का अर्थ नायिका का उपमेय होना और लता का उपमान होना ज्ञात होगा फिर मूल में लता को उपमेय बतलाना असङ्गत है इस शङ्का का उत्तर यह है कि—हाँ, उक्त धर्मभूत उपमा में लता की उपमानता जो प्रतीत होती है वह सर्वथा ठीक है, किन्तु साथ ही 'यथा-तथा' पद से प्रतिपादित होने वाली प्रधान उपमा में उसकी (लता की) उपमेयता भी ठीक ही है। सारांश यह कि मूल में प्रधान उपमा के हिसाब से लता को उपमेय कहा गया है, अतः वह ठीक है और आपने जो लता में उपमेय होने की बात कही है, वह धर्मभूत गौण उपमा के हिसाब से, अतः वह भी ठीक ही है। तात्पर्य यह कि एक भी वस्तु, एक ही जगह अनेक उपमाओं के रहने पर किसी उपमा का उपमान और किसी उपमा का उपमेय हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं होता।

पुनः प्रकारान्तरं सूचयति—

एवमन्येऽपि प्रकाराः।

पूर्वोक्तप्रकारवत् प्रकारान्तरमपि सम्भवतीति भावः।

जिस तरह पूर्व के अभिनव प्रकार सब उपमा के हुए हैं, उसी तरह और भी नवीन प्रकार उसके हो सकते हैं।

तत्प्रकारान्तरमेवोदाहरणप्रदर्शनेन स्पष्टयति—

'यथा तवाननं चन्द्रस्तथा हासोऽपि चन्द्रिका।
यथा चन्द्रसमश्चन्द्रस्तथा त्वं सदृशी तव॥'

यथा तव मुखं चन्द्राभिन्नम्, तथा तव हासोऽपि ज्योत्स्नाऽभिन्न एव। अपि च यथा चन्द्रतुल्यश्चन्द्र एव नापरस्तथा त्वत्सदृशी त्वमेव नान्येत्यर्थः। अत्र पूर्वार्धे द्वयो रूपकयोरुत्तरार्धे च द्वयोरनन्वययोरुपमा। एवञ्च विलक्षण एवायमलङ्कारेणालङ्कारस्योपमायाः प्रभेद इति भावः।

पूर्वसंभावित उपमा के प्रकारान्तर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं—यथा इत्यादि। कोई नायक नायिका से कहता है—(हे प्रिये) जैसे तेरा मुख चन्द्रमा है वैसे तेरी हँसी भी चाँदनी है, और जैसे चन्द्रमा चन्द्रमा के समान है–अर्थात् उसका कोई दूसरा उपमान नहीं है, वैसे तू तेरे सदृश है—अपने जैसी आप ही है—अर्थात् तेरी भी तुलना किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकती। यहाँ पूर्वार्ध में दो रूपकों की उपमा है और उत्तरार्ध में दो अनन्वयों की। अतः अलङ्कारों में परस्पर उपमानोपमेय भाव वाला यह एक विलक्षण ही उपमा का प्रभेद सिद्ध होता है।

उपसंहरति—

एभिर्भेदैः प्रागुक्तानां सधर्माणां भेदानां यथासम्भवं गुणने बहुतरा भेदा भवन्ति।

अनुपदं ये भेदा उक्ता ये च धर्मवैलक्षण्यमूलाः प्रागुक्ताः ये च प्राचीनाभिमता पूर्णा-लुप्तादयः प्रभेदा दर्शितास्तेषां सर्वेषां परस्परं गुणनेऽतिप्रभूता उपमाभेदा जायन्त इति भावः ।

अभी जो कुछ भेद दिखलाये गये हैं, तथा धर्मवैलक्षण्यमूलक कुछ भेद पहले जो कहे गए हैं और पूर्णा-लुप्ताभेद से प्राचीनों के अभिमत जितने भेद गिनाए गये हैं, उन सबों को गुणित करने पर उपमा के बहुतेरे भेद हो जाते हैं ।

पुनः प्रकारान्तरेण उपमाया भेदं कुरुते—

तथा धर्माणां वाच्यतायां वाच्यधर्मा बहुधोक्ता । व्यङ्ग्यत्वे व्यङ्ग्यधर्मा धर्मलोपे गदितैव । लक्ष्यतायां यथा—

अयं भावः—उपमायामपेक्षिताः साधारणधर्माः क्वचिद् वाच्याः, कुत्रचित् लक्ष्याः, कुत्रचिच्च व्यङ्ग्या भवितुमर्हन्ति, तदनुसारमुपमा वाच्यधर्मा, लक्ष्यधर्मा, व्यङ्ग्यधर्मा चेति त्रिविधा भवति, तत्र वाच्यधर्माया उपमाया अनेकान्युदाहरणानि प्रागुल्लिखितानि, व्यङ्ग्य-धर्माया अपि धर्मलोपोदाहरणप्रदर्शनावसरे कथितान्येवोदाहरणानि, लक्ष्यधर्माया उदा-हरणदानं परमवशिष्यते, अतस्तदुपक्रममारचयतीति ।

पुनः प्रकारान्तर से उपमा के भेद दिखलाने के लिये लिखते हैं—तथा इत्यादि । उपमा का एक आवश्यक अङ्ग साधारणधर्म तीन प्रकार का हो सकता है-एक वाच्य, दूसरा लक्ष्य और तीसरा व्यङ्ग्य । तदनुसार उपमा भी तीन प्रकार की कही जा सकती है-एक वाच्यधर्मा-जहाँ धर्म वाच्य अर्थात् अभिधावृत्तिबोध्य हो, दूसरी लक्ष्यधर्मा-जहाँ धर्म लक्षणा से विदित होता हो और तीसरी व्यङ्ग्यधर्मा-जहाँ धर्म की प्रतीति व्यञ्जना से होती हो । उनमें प्रथम (वाच्यधर्मा) के बहुतेरे उदाहरण पहले ही दिए जा चुके हैं और तृतीय (व्यङ्ग्यधर्मा) के उदाहरण भी धर्मलुप्तोपमा के प्रकरण में कह दिये गये हैं, अतः द्वितीय (लक्ष्यधर्मा) का उदाहरण दिखलाना अवशिष्ट है, वह जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'सर्प इव शान्तमूर्तिः श्वेवायं मानपरिपूर्णः ।
क्षीब इव सावधानो मर्कट इव निष्क्रियो नितराम् ॥'

कश्चिदाक्षिपन् वक्ति—अयम् आक्षेप्तव्यः कश्चित् पुरुषविशेषः, सर्प इव शान्तमूर्तिः शान्तिमयकायः, श्वा कुक्कुरः, इव, मानेन संमानेन, परिपूर्णः सर्वतोभावेन संयुक्तः, क्षीबः उन्मत्तः, इव, सावधानः सतर्कः, मर्कटः वानरः, इव, नितराम् सर्वथा, निष्क्रियः निश्चेष्टः । वर्तत इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—सर्प इत्यादि । कोई किसी पर आक्षेप करता हुआ कहता है—यह साँप की तरह शान्तमूर्ति है, कुत्ते की तरह सम्मानपूर्ण है, पागल की तरह सावधान है, और बन्दर की तरह अत्यन्त निश्चेष्ट है—चुपचाप बैठा रहता है ।

उपपादयति—

इत्यत्रोपमानमहिम्ना शान्तमूर्त्यादिशब्दैर्विरुद्धा धर्मा लक्ष्यन्ते ।

उपमानमहिम्नेति । उपमानेषु सर्पादिषु शान्तमूर्तित्वादेरभावादिति भावः । धर्मा लक्ष्यन्ते इति । लक्ष्यतावच्छेदकेऽपि लक्षणेति मतेनेदम् । सर्पादयोऽत्रोपमानभूताः

पदार्थास्तादृशाः सन्ति, यत्र शान्तमूर्तित्वादिकं नास्ति, प्रत्युत तद्विरुद्धमशान्तमूर्तित्वादिकमेवास्ति, अतस्तादृशोपमानप्रभावेण उपमेयेऽपि इदंपदार्थे लक्षणया शान्तमूर्तित्वादिविरुद्धा एव धर्माः प्रतीयन्ते, तथा च अशान्तमूर्तित्व-तिरस्कारपात्रत्व-प्रमत्तत्व-चपलत्वानि, क्रमशः शान्तमूर्तिमानपरिपूर्णसावधाननिष्क्रियपदानां लक्ष्यार्थभूतानि, अत्र सर्पादेरिदं पदार्थस्य चोपमायां साधारणधर्मभूतानीति भावः।

उपपादन करते हैं—इत्यत्र इत्यादि। 'सर्प इव—' इस पद्य में सर्प आदि ऐसे उपमान कहे गये हैं, जिनमें शान्तिमूर्तित्व आदि वर्णित धर्म तो नहीं ही रहते, प्रत्युत उसके विरुद्ध अशान्तमूर्तित्व आदि ही रहते हैं. अतः ऐसे उपमानों के बल से शान्तमूर्ति, मानपरिपूर्ण, सावधान और निष्क्रिय पदों की क्रमशः अपने विरुद्ध धर्म—अशान्तमूर्तित्व, तिरस्कृतत्व, असावधानत्व और चञ्चलत्व में लक्षणा करनी पड़ती है, जिससे यह अर्थ सिद्ध होता है कि यह सर्प के समान अशान्त, कुत्ते के समान तिरस्कृत, पागल के समान असावधान और बन्दर के समान चपल है। इस तरह यहाँ सर्प आदि के साथ एक पुरुषविशेष की जो उपमा दी गई है उसमें अशान्तमूर्तित्व आदि लक्ष्य धर्म साधारण होते हैं।

उपमाया उपस्कारकत्वं पर्यालोचयितुमाह—

इयं चोपमा मुख्यार्थस्य क्वचित्साक्षादुपस्कारिणी क्वचिच्चोपस्कारकान्तरोपस्करणद्वारा। तत्र साक्षादुपस्कारिणी प्राग् बहुधोदीरिता।

'सुन्दरं वाक्यार्थोपस्कारकं सादृश्यमुपमा' इति प्रकृतोपमालक्षणम्। तथा चोपमाया उपस्कारकत्वं नियतम्। तच्चोपस्कारकत्वं द्विधा सम्भवति साक्षात् परम्परया च। तत्र साक्षादुपस्कारकत्वं प्रागुदाहृतेषु पद्येषु विदितपूर्वमेवेति न पुनरिह तदुदाहरणप्रदर्शनमपेक्षितमिति भावः।

उपमा की उपस्कारकता की पर्यालोचना करने के लिये कहते हैं—इयं च इत्यादि। प्रकृत उपमालक्षण में खास कर उपमा का उपस्कारक होना बतलाया गया है-अर्थात् उपमा मुख्य अर्थ को उपस्कृत (शोभित) करती है यह बात निश्चित है, अतः इसके विषय में यह एक समझ लेने की बात है कि उपमा कहीं साक्षात् मुख्य अर्थ को उपस्कृत करती है और कहीं परम्परा से अर्थात् मुख्य अर्थ को उपस्कृत करनेवाले किन्हीं दूसरे पदार्थ (वस्तु अथवा अलङ्कार) को उपस्कृत करने के द्वारा। उनमें साक्षात् उपस्कारक उपमा के अनेक उदाहरण पहले दिखलाये जा चुके हैं।

परम्परयोपस्कारिकामुपमामुदाहर्तुमाह—

परम्परया यथा—

मुख्यार्थोपस्कारकान्यपदार्थोपस्करणद्वारा मुख्यार्थोपस्कारकोपमायाः प्रकारोऽभिधीयत इति भावः।

परम्परया मुख्य अर्थ को उपस्कृत करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजिव्रजाः
पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे बन्दिनः।

इदं तदवधि प्रभो यदवधि प्रवृद्धा न ते
युगान्तदहनोपमा नयनकोणशोणद्युतिः ॥'

कविर्नरपतिं स्तौति—हे प्रभो ! अहितानां तव शत्रूणां, मन्दिरे भवने, मददन्तिनः मदमत्ता गजाः नदन्ति चीत्कारं कुर्वन्ति, वाजिव्रजाः अश्वगणाः, परिलसन्ति शोभन्ते, एवम् , वन्दिनः स्तुतिपाठकाः पुरुषाः, विरुदावलीम् कीर्तिगाथाम् , पठन्ति उच्चारयन्ति । परमिदं सर्वम् , तदवधि तावत्कालपर्यन्तम् , यदवधि यावत्कालपर्यन्तम् , युगान्तदहनोपमा प्रलयकालिकानलतुल्या, ते तव, नयनयोः नेत्रयोः, कोणयोः कोणभागयोः, शोणा अरुणा, द्युतिः कान्तिः, न, प्रवृद्धा अधिका, अभूत् इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—नदन्ति इत्यादि । किसी राजा की स्तुति कवि करता है—हे प्रभो ! आपके मन्दिर (घर) मदमत्त हाथी तुमुल नाद करते हैं, अश्वों के समूह शोभित होते हैं और बन्दीजन विरुदावली (यशोगाथा) पढ़ते हैं । परन्तु ये सब तब तक हैं, जब तक कि प्रलयकालिक अग्नि के समान आपके नेत्रकोण की अरुण आभा बढ़ी नहीं है ।

उपपादयति—

अत्र मुख्यार्थस्य राजविषयायाः कविरतेरुपस्कारकस्य यदैव तव कोपोदयस्तदैव रिपूणां सम्पदो भस्मसाद् भविष्यन्तीति वस्तुन उपस्कारिका नयनकोणशोणद्युतेर्युगान्तदहनोपमा ।

नदन्तीति पद्ये कविनिष्ठा राजविषयिणी रतिः (भावः) प्रधानतयाऽभिव्यज्यते इति स एव मुख्यार्थः, तस्य च 'शत्रुसम्पदो नयनकोणशोणद्युतिप्रवृद्धयवधिकत्वकथनेन' व्यज्यमानम् 'तव कोपोदये क्षणेनैव शत्रूणां सम्पत्तयो भस्मीभूता भवेयुः' इति वस्तूपस्कारकम् , तस्य चोपस्कारिका नयनकोणशोणद्युत्युपमेयिका प्रलयकालिकाग्न्युपमानिकोपमा एवञ्चोपमाया अस्याः परम्परया मुख्यार्थीभूतभावोपस्कारकत्वं सिद्धमिति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'नदन्ति—' इस पद्य से प्रधानतया भाव (कवि का राजा के विषय में प्रेम) अभिव्यक्त होता है, अतः वही (भाव ही) यहाँ मुख्य वाक्यार्थ समझा जायगा । इस मुख्य वाक्यार्थ को शोभित करता है 'जभी तेरा क्रोध उदित होगा, तभी शत्रुओं की सभी सम्पत्तियाँ भस्मीभूत हो जायँगी' यह वस्तुव्यङ्ग्य, जो 'हाथी आदि शत्रुसमृद्धि तब तक है जब तक आपकी आँखों की लाल कान्ति नहीं बढ़ी' इस वर्णन से विदित होता है और इस वस्तुव्यङ्ग्य को शोभित करनेवाली है नयनकान्ति में दी गई प्रलयकालिक अग्नि की उपमा । अन्ततः इस उपमा का परम्परया मुख्य अर्थ (उक्तभाव) का उपस्कारक होना सिद्ध हो गया ।

भेदान्तरप्रतिपादनाय स्पष्टीकुरुते—

इयं चेवयथावादिशब्दैर्वाचकैः प्रतिपादिता वाच्यालङ्कारः । लक्ष्यापि चालङ्कुर्वाणा दृश्यते ।

इयमुपमा यदा सादृश्यवाचकैः इव यथा-वाप्रभृतिभिः शब्दैः प्रतिपाद्यते, तदा वाच्यालङ्कारः कथ्यते । यदा पुनः लक्षणया प्रतिपाद्यते-लाक्षणिकशब्दैर्यदा सादृश्यप्रतीतिर्भवति, तदापि अलङ्काररूपा स्वीक्रियत इति भावः ।

भेदान्तर सिद्ध करने के लिये एक स्पष्टीकरण करते हैं—इयं चेव इत्यादि। यह उपमा, जब सादृश्यवाचक शब्द इव, यथा, वा आदि के द्वारा वर्णित होती है, तब वाच्य अलङ्कार कहलाती है। परन्तु यह उपमा लक्ष्य होकर भी अलङ्काररूप होती हुई दीख पड़ती है-अर्थात् लाक्षणिक शब्दों के द्वारा सादृश्य की लक्ष्यरूप में उपस्थिति होने पर भी उपमा, अलङ्कार होती है।

वाच्योपमाया उदाहरणानि पूर्वोदाहृतानि सर्वाणि पद्यानि। लक्ष्योपमाया उदाहरण-प्रदर्शनायाह—

यथा—

लक्ष्योपमा-प्रकारोऽभिधीयत इति भावः।

वाच्य उपमा के उदाहरण वे सभी पद्य होते हैं, जो पहले उदाहृत हो चुके हैं, लक्ष्य उपमा का उदाहरण जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'नीवीं नियम्य शिथिलामुषसि प्रकाश-
मालोक्य वारिजदृशः शयनं जिहासोः।
नैवावरोहति कदापि च मानसान्मे
नाभेर्निभा सरसिजोदरसोदरायाः॥'

नायको निजसुहृदं प्रति प्रतिपादयति—उषसि प्रभातसमये, प्रकाशम् सूर्यागमसूचिकामुज्ज्वलताम्, आलोक्य दृष्ट्वा, रात्रिसमाप्तिसूचकप्रकाशदर्शनानन्तरमिति यावत् नीवीम् कटिप्रदेशशस्थिताधोवस्त्रग्रन्थिम्, नियम्य बद्ध्वा, शयनं शय्यां, जिहासोः हातुमिच्छोः वारिजदृशः कमलनयनायाः, नायिकायाः, सरसिजोदरसोदरायाः कमलगर्भसमानायाः, नाभेः उदरगतगर्तविशेषस्य, निभा शोभा, कदापि कस्मिंश्चिदपि क्षणे, मे मम, मानसात् हृदयात, नैव, अवरोहति अपयाति इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—नीवीम् इत्यादि। नायक अपने मित्र से कहता है—रात बीत चुकी थी। प्रभातकालिक प्रकाश फैलता आ रहा था। कमलतुल्य लोचन वाली वह कामिनी, रात के रतिसम्मर्द से, शिथिलित नीवी (वस्त्रग्रन्थि) को नियमित (बाँध) कर शय्या छोड़ना चाहती थी। उस काल में, कमलगर्भ की सगी बहन, उस की नाभि की जो शोभा दीख पड़ी, वह मेरे हृदय से, कभी उतरती ही नहीं।

उपपादयति—

अत्रैकोदरप्रभवत्वरूपस्य मुख्यार्थस्य बाधात्तदीयशोभालक्षणसमानांशहरत्वस्य प्रयोजनस्य सत्त्वात्सोदरपदेन सदृशो लक्ष्यते। आर्थी च तत्रोपमा प्रतीयमाना। अवरोहतिलक्ष्यस्य विषयतया स्मृतिशून्यीभवनस्य निषेधेन प्रतीयमानायाः स्मृतेरुपस्कारिका।

अत्रेति। 'नीवीम्-' इति पद्य इत्यर्थः। मुख्यार्थस्येति। सोदरपदेत्यादिः। शोभालक्षणेति। शोभारूपो यः समानः अंशः = भागः तद्धरत्वस्येत्यर्थः। तत्र नाभौ। प्रतीयमानेति। अस्तीति शेषः। अवरोहति लक्ष्यस्येति। तत्पदलक्ष्यार्थस्येत्यर्थः। विषयतया स्मृतिशून्यीभवनस्येति। विषयतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्मृत्यभावस्येत्यर्थः। 'नीवीं-

नियम्य–' इति पद्ये सोदरपदस्यैकोदरजन्यत्वं वाच्योऽर्थः, स च प्रकृते बाधितः, नाभौ तत्त्वस्यासंभवात् , अतस्तत् (सोदर) पदं सदृशरूपार्थे लाक्षणिकमङ्गीक्रियते। लक्षणा चेयं प्रयोजनमूला। प्रयोजनञ्च सरसिजोदरशोभात्मकसमानभागहारित्वम्। यथा सोदरः विधातुः समीपात् अपरस्य सोदरस्य समानभागहारी भूत्वा समागच्छति, तथैवेयं वर्णनीयनायिकानाभिः कमलोदरशोभासमानभाग् भूत्वा समागतेति लक्षणायाः प्रयोजनरूपेण प्रतीयत इति तात्पर्यम्। एवञ्च–लक्षणया सोदरपदात्सादृश्योपस्थितौ–कमलोदरनाभ्योरुपमाऽवगता भवति। तत्र समानशोभाशालित्वमर्थभूतं साधारणो धर्मः, अत एवेयमुपमा आर्थी। उपस्कारिका च सा पद्यप्रधानव्यङ्ग्यस्य स्मृतिभावस्य। ननु स्मृतिरत्र कथं प्रतीयेतेति चेन्न, बाधितावरणात्मकमुख्यार्थस्य 'अवरोहति' इति क्रियापदस्य विषयतया स्मृतिशून्यीभवनरूपार्थे लक्षणाऽकामेनाप्यङ्गीकरणीयैव। तथा च तत्पदबोध्यस्य स्मृतिविषयत्वाभावरूपतात्पर्यार्थस्य 'न' इति निषेधेन स्मृतेः सुप्रतीयमानत्वादिति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'नीवीं नियम्य—'इस पद्य में नाभि का विशेषण दिया गया है–सरसिजोदरसोदर–कमलगर्भ की सगी बहन, जिसका मुख्य (अभिधावृत्तिबोध्य–वाच्य) अर्थ होता है–'एक पेट से उत्पन्न होनेवाली।' परन्तु यह मुख्य अर्थ यहाँ बाधित–अनन्वित–है, अतः इस पदकी 'समान' अर्थ में प्रयोजनमूला लक्षणा करनी पड़ेगी और प्रयोजन है–शोभा में समान भाग ग्रहण करना–अर्थात् विधाता के यहाँ से शोभा के वितरणकाल में दोनों को उसका बराबर हिस्सा मिलना। इस तरह जब सोदर पद की लक्षणा से 'सादृश्य' की उपस्थिति होती है, तब यहाँ आर्थी—अर्थमूलक उपमा की सिद्धि होती है। यह लक्ष्य उपमा सम्पूर्ण पद्य से प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले स्मृतिभाव की उपस्कारिका–पोषिका–है। स्मृति यहाँ कैसे अवगत होगी? यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 'उतरना'रूप मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण 'अवरोहति' पद की लक्षण करनी पड़ती है 'विषयतया स्मृतिशून्यीभवन-नाभिकान्ति के विषय में विस्मरण होने-में, और उसके साथ 'न' के योग से अर्थात् 'विस्मृत होने' के निषेध से स्मृति अभिव्यक्त होती है।

लक्ष्योपमाबोधशब्दान्तराणि निर्दिश्यन्ते—

एवं प्रतिभटप्रतिमल्लादिशब्दानां तदीयन्यग्भवनतदीयशोभारूपसर्वस्वापहरणादेः प्रयोजनस्य सत्त्वात्सादृश्यवति लक्षणैव, न व्यञ्जना। मुख्यार्थस्य बाधात्। प्रयोजने पुनर्व्यञ्जनैवेति।

यथोक्तस्थले सोदरपदस्य सदृशे लक्षणा, तथैव 'चन्द्रप्रतिभटं मुखम्', 'चन्द्रप्रतिमल्लं मुखम्' इत्यादौ प्रतिभटप्रतिमल्लादिपदानामपि सादृश्यविशिष्टे लक्षणा प्रथमस्थले चन्द्राधःकरणप्रतीतेः द्वितीयस्थले चन्द्रशोभासर्वस्वापहरणप्रतीतेः प्रयोजनत्वात् , केचित् एतादृशस्थले प्रतिभटप्रतिमल्लादिपदेभ्यो व्यञ्जनया सादृश्यविशिष्टार्थप्रतीतिं प्रतिपादयन्ति, तन्न युक्तम् , तेषां शब्दानां मुख्यार्थेषु बाधितेषु समुल्लसति सादृश्यविशिष्टार्थे लक्षणायाः प्रसङ्गेन व्यञ्जनाया अयोगात्। प्रयोजने व्यञ्जनाऽस्तीत्यत्र न केषामपि विमतिः। तथा चैतादृशपदघटितकाव्येष्वपि लक्ष्यभूतोपमा भवतीति भावः।

सोदर पद की तरह अन्य उपमालक्षक शब्दों का निर्देश करते हैं–एवम् इत्यादि। सोदर पद की तरह 'प्रतिभट' 'प्रतिमल्ल' आदि पदों की भी स्थलविशेष में 'उसे नीचा कर देना

'उसकी शोभारूप सम्पत्ति का हरण कर लेना' आदि प्रयोजन की प्रतीति के लिये 'सदृश' अर्थ में लक्षण की जाती है। तात्पर्य यह कि-'चन्द्र का प्रतिभट मुख', 'चन्द्र का प्रतिमल्ल मुख' इत्यादि स्थान में भी लक्षणा के द्वारा ही प्रतिभट, प्रतिमल्ल आदि पदों से (चन्द्र) सदृश का बोध होता है। अतः किसी का यह कथन कि ऐसे स्थलों में उक्त पदों से व्यञ्जना के द्वारा सदृश का बोध होता है सर्वथा असङ्गत है, क्योंकि ऐसे स्थल पर उक्त पदों का मुख्य अर्थ बाधित रहता है और बाधित अर्थ में पद की लक्षणा ही होती है व्यञ्जना नहीं, व्यञ्जना तो अन्य सभी वृत्तियों से अवगत नहीं हो सकने वाले अर्थ में ही मानी जाती है। हाँ, उक्त प्रयोजन की प्रतीति व्यञ्जना से ही होती है इसमें किसी का भी मतभेद नहीं हो सकता। सारांश यह हुआ कि उक्त (चन्द्रप्रतिभट मुख आदि) स्थल में भी लक्ष्य उपमा होती है।

व्यङ्ग्यत्वेऽप्युपमाया अलङ्कारत्वं समर्थयति—

क्वचिद् व्यङ्ग्यापि चेयमुपमालङ्कारः।

स्थलविशेषे व्यञ्जनावृत्तिबोध्याऽपि इयमुपमा मुख्यार्थोपस्कारकत्वादलङ्काररूपा भवतीति भावः।

व्यङ्ग्य होने पर भी उपमा अलङ्काररूप होती है, इस बात का समर्थन करते हैं—क्वचित् इत्यादि। कहीं स्थलविशेष में (जहाँ मुख्य अर्थ कोई दूसरा रहता है वहाँ) व्यङ्ग्य होकर भी उपमा, दूसरे को अलंकृत करने के कारण, अलङ्काररूप होती है।

उदाहरणं निर्देष्टुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अद्वितीयं रुचात्मानं मत्वा किं चन्द्र हृष्यसि।
भूमण्डलमिदं मूढ केन वा विनिभालितम्॥'

अयि चन्द्र! त्वं, रुचा कान्त्या, आत्मानम् स्वम्, अद्वितीयम् अनुपमम्, मत्वा स्वीकृत्य, किं हृष्यसि हर्षमनुभवसि? अनुचितोऽयं तव हर्षानुभव इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह—मूढ वस्तुतत्त्वानभिज्ञ! केन जनेन, इदं निखिलं, भूमण्डलम् जगत्, विनिभालितम् विशेषेण दृष्टम्? न केनापीति भावः। अज्ञातेऽत्र भूमण्डलस्य क्वापि प्रदेशे तवोपमानभूतः पदार्थः सम्भवतीति तदर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अद्वितीयमिति। हे चन्द्र! तू अपने को कान्ति से अद्वितीय समझ कर क्या हृष्ट हो रहा है—क्यों इतना इतरा रहा है? अरे मूर्ख! इस विस्तृत जगत् को किसने खोज देखा है—न जाने कहाँ क्या मिल जाय!

प्रसङ्गमवगमयति—

कस्यचिद्विदेशस्थितस्य किरणैरात्मानं सन्तापयन्तं चन्द्रं प्रत्येषोक्तिः।

विदेशस्थितो (विरही) नायकः सन्तापकत्वेनानुभूयमानं चन्द्रमुद्दिश्य 'अद्वितीयम्—' इति पद्यं वक्तीति भावः।

प्रसङ्ग का ज्ञान कराते हैं—कस्यचित् इत्यादि। 'अद्वितीयम्-' यह पद्य, किसी विदेशवासी-अर्थात् विरही नायक का, किरणों से अपने को संतप्त करते हुए चन्द्रमा के प्रति कथन है।

उपपादयति—

अत्र च अस्ति मम प्रियायाः कदापि बहिरनिर्गतायाः, अत एव त्वयाप्यदृष्टाया आननं त्वत्सदृशमिति प्रतीयमाना उपमा मूढपदेन ध्वन्यमानायां चन्द्रविषयायां वक्तृगतायामसूयायामलङ्कारः।

अत्र चेति। प्रतीयमानेत्यत्रास्थान्वयः। प्रतीयमाना उपमेति। अत्र अत्रोपमानस्योपमेयत्वकल्पनात्मकप्रतीपस्यैव व्यङ्ग्यत्वम् मूढपदस्वारस्यात्। चमत्कारातिशयाच्च, 'किं हृष्यसि' इत्येतत्स्वारस्याच्चेति केचित्' इति नागेशः। 'अद्वितीयम्—' इति पद्ये उत्तरार्धेनोपमा व्यज्यते। या मम प्रेयसी दूरस्थिता कदापि भवनात् बहिः पदं न दधाना त्वया न दृष्टा, तस्या मुखं तव समानमिति तस्या उपमाया आकारः। एवं रीत्या व्यङ्ग्यापीयमुपमा अलङ्काररूपा, मूढपदाभिव्यज्यमानचन्द्रविषयकवक्तृपुरुषनिष्ठासूयाभावस्य मुख्यवाक्यार्थस्योपस्करणादिति।

उपपादन करते हैं—अत्र च इत्यादि। 'अद्वितीयम्—'इस पद्य में उत्तरार्ध से उपमा अभिव्यक्त होती है—अर्थात् यह अभिव्यक्त होता है कि मेरी प्रियतमा, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली अतएव जिसे तू भी देख नहीं पाया, उसका मुख तेरे समान है। इस तरह व्यङ्ग्य होकर भी यह उपमा इसलिये अलङ्काररूप होती है कि-वह, मूढपद से ध्वनित होने वाली चन्द्रमा के विषय में वक्ता की 'असूया' (भाव)—जो इस पद्य का मुख्य वाक्यार्थ है—को उपस्कृत-अलंकृत-करती है।

दीक्षितमतं समीक्षते—

एतेनाप्पयदीक्षितैरुपमालक्षणे दत्तमव्यङ्ग्यत्वविशेषणमयुक्तमेव। नहि व्यङ्ग्यत्वालङ्कारत्वयोरस्ति कश्चिद्विरोधः। प्राधान्येन व्यङ्ग्यतायां तु प्रधानत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधादलङ्कारलक्षणं तत्र मातिप्रसाङ्क्षीदित्युपस्कारकत्वेन पुनर्विशेषणीयम्, न त्वव्यङ्ग्यत्वेन, प्रागुक्तायामसूयालङ्कारोपमायामव्याप्त्यापत्तेः। विशिष्टोपमादिस्थले विशेषणाद्युपमानां वाच्यसिद्ध्यङ्गतया गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्, सिद्धार्थस्योपस्करणाभावात्तु नालङ्कारत्वमिति न काप्यसङ्गतिः।

एतेनेति। एतेनापीत्यर्थः। अपिना प्रागुक्तदूषणसमुच्चयः। प्राधान्येन व्यङ्ग्यतायामिति। अलङ्कारस्यैव प्राधान्येन व्यङ्ग्यतायामित्यर्थः। मातिप्रसाङ्क्षीदिति। नातिप्रसक्तं स्यादित्यर्थः। यद्यव्यङ्ग्यस्यैव सादृश्यस्योपमात्वं स्वीकृतं स्यात्तदा 'अद्वितीयम्—' इति पद्यस्थितासूयापोषिकायाः व्यङ्ग्योपमायाः संग्रहो न स्यात्, अतः उपमालक्षणघटकसादृश्यविशेषणतया दीक्षितैः कृतोऽव्यङ्ग्यत्वनिवेशोऽनुचितः। युक्तं चैतत्, यतो व्यङ्ग्यत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधो नास्ति, तयोर्विरोधे वाच्यत्वालङ्कारत्वयोरपि विरोधः कुतो न भवेत् विशेषाभावात्? सत्यं त्वेतत्, यत् प्रधानत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधोऽस्ति, प्रधानस्यालङ्कार्यत्वेनालङ्कारत्वासम्भवात्, अतो यत्र प्रधानतयाऽलङ्कार एवाभिव्यज्यते, तत्र तादृशोपमादाव

लङ्कारलक्षणप्रसक्तिनिरासाय सर्वेष्वलङ्कारलक्षणेषु वाक्यार्थोपस्कारकत्वं निवेशनीयम्। ननु बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नसाधारणधर्मादिमूलिका या उपमाः प्रागुक्तास्तत्र बिम्बप्रतिबिम्बभूतयोर्विशेषणयोरपि उपमा भवत्येव, परन्तु सा व्यङ्ग्या, एवञ्च तद्वारणाय लक्षणेऽव्यङ्ग्यत्वविशेषणं दीक्षितोक्तं युक्तमिति चेन्न, एवंविधोपमायाः वाच्यप्रधानीभूतोपमासाधकतया वाच्यसिद्ध्यङ्गत्वेन गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमिति पूर्वसिद्धार्थशोभाधायकत्वविरहेण तत्रालङ्कारत्वस्यैवासत्त्वात्। सिद्धार्थालङ्करणादेवालङ्कारत्वं भवति, तादृश्यवान्तरोपमा तु साध्यमानप्रधानोपमापोषिका न सिद्धार्थोपस्कारिकेति भावः।

अप्पयदीक्षित के मत की समीक्षा करते हैं—एतेन इत्यादि। 'अद्वितीयम्-' इत्यादि, व्यङ्ग्य उपमा के लक्ष्य प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि-अप्पयदीक्षित ने अलङ्काररूप उपमा के लक्षण में 'अव्यङ्ग्यत्व' विशेषण जो लगाया है अर्थात् उन्होंने जो यह सिद्ध किया है कि व्यङ्ग्य न होने पर ही 'सादृश्य' 'उपमा' है, वह सर्वथा अनुचित है क्योंकि व्यङ्ग्यता अलङ्कारता में कोई विरोध नहीं है विरोध यदि है तो प्रधानता और अलङ्कारता में-अर्थात् प्रधान अर्थ अलङ्कार नहीं हो सकता। फलतः प्रधान व्यङ्ग्य अलङ्कार नहीं हो सकता यही वास्तविक बात हुई, अतः प्रधान व्यङ्ग्य में अलङ्कार का लक्षण सङ्घटित नहीं हो इसके लिए उपाय करना आवश्यक है, सो, उसके लिए क्या उपमा क्या अन्य अलङ्कार सभी अलङ्कारों के लक्षणों में 'वाक्यार्थोपस्कारक'-अर्थात् 'मुख्य वाक्यार्थ को शोभित करने वाला-विशेषण जोड़ना चाहिए, 'अव्यङ्ग्य—'व्यङ्ग्य न रहना' यह विशेषण नहीं, क्योंकि यदि 'वाक्यार्थोपस्कारक' की जगह 'अव्यङ्ग्य, यह विशेषण जोड़ा जायगा, तब उक्त 'असूया' को अलंकृत करने वाली व्यङ्ग्य उपमा में उपमालक्षण की अव्याप्ति हो जायगी-अर्थात् 'अद्वितीयम्' इस पद्य में जो व्यङ्ग्य होकर भी प्रधान नहीं है और प्रधान 'असूया' को अलंकृत भी करती है, उस उपमा का अलङ्काररूप में संग्रह नहीं हो सकेगा। 'वाक्यार्थोपस्कारक' विशेषण से तो दोनों बातें बन जाती हैं—अर्थात् जो उपमा प्रधान रूप में अभिव्यक्त होगी, उसका निराकरण भी होगा क्योंकि उस तरह की उपमा वाक्यार्थोपस्कारक नहीं होगी-स्वयं वाक्यार्थरूप रहेगी, और उक्त असूयोपस्कारक उपमा का संग्रह भी होगा, क्योंकि यहाँ 'असूया' प्रधान वाक्यार्थ है और उसको अलंकृत करने वाली उपमा व्यङ्ग्य होकर भी अप्रधान ही है। आप कहेंगे-यदि 'अव्यङ्ग्य' के बदले 'वाक्यार्थोपस्कारक' विशेषण उपमालक्षण में जोड़ा जायगा, तब विशिष्टोपमा-अर्थात् बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न साधारण धर्म से बनने वाली उपमा आदि अलङ्कारों के स्थल पर बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न विशेषों की परस्पर होने वाली व्यङ्ग्य उपमा के वारण के लिये 'अव्यङ्ग्य' विशेषण लगाना ही उचित है, क्योंकि प्रधान उपमा के उपस्कारक होने के कारण 'वाक्यार्थोपस्कारक' विशेषण से उसका वारण नहीं हो सकता, तो यह कथन अकिञ्चित्कर है, क्योंकि वैसे स्थलों पर यह विशेषणों की उपमा, वाच्य प्रधान उपमा के साधक होने से वाच्यसिद्धि का अङ्ग होती है, अतएव उसको गुणीभूत व्यङ्ग्य मानना पड़ेगा और इस स्थिति में वह अलङ्काररूप हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी पूर्वसिद्ध अर्थ को अलंकृत करने के कारण ही कोई अर्थ अलङ्काररूप होता है और यह विशेषणों की उपमा (सादृश्य) किसी पूर्वसिद्ध अर्थ को अलंकृत करती नहीं, अर्थात् यह जिस प्रधान उपमा को अलंकृत करती है, वह पूर्व सिद्ध अर्थ नहीं है, अपितु स्वयं साध्यरूप है। फलतः 'अलङ्कार' इस नामकरण से ही उस उपमा का वारण हो ही जायगा, उसके लिये 'अव्यङ्ग्य' विशेषण की लक्षण में आवश्यकता नहीं है।

पुनरन्यामप्पयदीक्षितोक्तिं समीक्षते—

यच्चापि "सेयमुपमा संक्षेपतस्त्रिविधा—क्वचित्स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता। यथा 'सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः' इत्यादौ। क्वचिदुक्तार्थोपपादनपरा। यथ 'अनन्तरत्नप्रभवस्य' इत्यादौ। क्वचिद् व्यङ्ग्यप्रधाना सा" इति तैरेव द्रविडशिरोमणिभिरभ्यधीयत। तदप्यहृद्यमेव। 'नयने शिशिरीकरोतु मे शरदिन्दुप्रतिमं मुखं तव' इति वाच्यवस्तूपस्कारिकायाः शरदिन्दूपमाया अङ्गीकरणात्। अलङ्कारभूतोपमासु स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ताया उपमायाः सङ्ग्रहे को नाम ध्वन्यमानायास्तस्या निरासायाव्यङ्ग्यत्वविशेषणदानदुराग्रहः ? अहो महदेवेदमन्याय्यम्-यदलक्षणीयायाः सङ्ग्रहः, लक्षणीयायाश्चासङ्ग्रह इति। प्राचीनानां तूपमासामान्यं लक्षयतां ध्वन्यमानया इवास्या अपिसङ्ग्रहो नानुचितः। न तु स्वस्य यत्नेन ध्वन्यमानोपमां निरस्य कण्ठरवेणालङ्कारभूतोपमालक्षकस्य। यदि च प्रबन्धव्यङ्ग्योपस्कारकत्वेनेयं सङ्गृह्यत इत्युच्यते, तदा 'स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता' इति स्वोक्तिर्विरुद्धा स्यात्। 'अनन्तरत्नप्रभवस्य' इत्यत्र गुणसमूहसमानाधिकरण एको दोषो दोषत्वेन न स्फुरतीत्यस्यार्थस्य पूर्वार्धप्रतिपादितार्थसमर्थनात्मकस्य सामान्यरूपस्य विशेषरूपोदाहरणप्रदर्शनमन्तरेण सम्यगनाकलनादिन्दुकिरणसमानाधिकरणोऽङ्क उदाहृतः, न तूपमानतया निर्दिष्टः, सामान्याद्विशेषस्य भेदाभावेनोपमितिक्रियाया अनिष्पत्त्या उपमालङ्कृतेरत्रानवताराटुदाहरणालङ्कारोऽयमतिरिक्तः। यथा 'इको यणचि' इति वाक्यार्थस्य सामान्यस्य विज्ञानायोदकोकारे दधीकारस्य य इति वाक्यान्तरेण तद्विशेष उदाह्रियते तद्वदत्रापीति तत्प्रसङ्गे विवेचयिष्यामः।

सच्छिन्नमूल इति। 'सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः। अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाऽवभासे'। इति सम्पूर्णम्। (रघुवंशे सप्तमसर्गे) अजस्य रणवर्णनमिदं कविः कथयति—क्षतजेन रुधिरेण, छिन्नमूलः कृतमूलदेशविच्छेदः, तस्य रुधिरस्य, उपरिष्टात् उपरिभागे, पवनावधूतः, वायुप्रेरितः सः अश्वखुरपुटोत्थितः, रेणुः धूलिः, अङ्गारशेषस्य अङ्गारमात्रावस्थया स्थितस्य, हुताशनस्य अग्नेः, पूर्वोत्थितः अङ्गारावस्थातः प्राक् धूमावस्थायां प्रसृतः, धूमः, इव, अवबभासे शुशुभे। इति तदर्थः। अनन्तरत्नेति। 'अनन्तरत्नप्रभवस्य तस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः॥' इति सम्पूर्णः श्लोकः। (कुमारसंभवे हिमालयवर्णनमिदम्—हिमं प्रालेयम्, अनन्तरत्नप्रभवस्य अगणनीयरत्नोत्पत्तिस्थानभूतस्य, यस्य हिमालयस्य, सौभाग्यविलोपि सौन्दर्यनाशकं, न, जातम् अभूत, हि यतः, गुणसन्निपाते गुणसमूहे, एको, दोषः, इन्दोः चन्द्रमसः, किरणेषु ज्योत्स्नासु, अङ्कः कलङ्कः, इव, निमज्जति विलीयत इति तदर्थः)। तैरेवेति। अप्पयदीक्षितैरेवेत्यर्थः। द्रविडशिरोमणिभिरिति। द्रविडदेशीयजनमुख्यैरित्यर्थः। एतेन तस्य तद्देशीयत्वं प्रतीयते। स्वस्येति। तवेत्यर्थः। नानुचित इत्यस्यानुषङ्गः। तथा च नानुचितो न—अनुचित एवेति भावः। इयमिति। स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्तेत्यर्थः। विरुद्धा स्यादिति। अत्र "वस्तु-

तस्तु उपमासामान्यलक्षणस्यापि प्रकृतत्वेनोपमासामान्यस्यैवायं विभागः। उपमानोपमेयतावच्छेदकयोर्भेदाच्चास्त्येवोपमितिनिष्पत्तिः। अत एव सेयमुपमैस्येवोक्तम्, न त्वलङ्कार इति। 'नयने शिशिरीकरोतु मे शरदिन्दुप्रतिमं मुखं तव' इत्यत्र तु उक्तार्थोपपादनपरैव सुखकर्तृकनयनकर्मकशिशिरीकरणस्य कथ्युक्तस्येन्दूपमयैवोपपत्तेः। उक्तार्थोपपादनेत्यस्य चोक्तार्थस्योपपादनमुक्तार्थे वोपपादनमित्यर्थद्वयम् विनिगमनाविरहात् इति न दोष इति चिन्त्यमिदमिति बोध्यम्।" इति नागेशः। उक्तार्थोपपादनपरोपमायास्तदुक्तमुदाहरणं दूषयति—अनन्तेति। स्फुरतीत्यस्यार्थस्येति। तृतीयचरणप्रतिपाद्यस्येत्यर्थः। उपमानत्वेनानिर्दिष्टत्वे हेतुमाह—सामान्येति। अनवतारादिति। अस्याग्रे तथा चेति शेषः। अलङ्कारोऽयमतिरिक्त इति। अत्र 'अदत्त्वा मादृशो माभूर्दत्त्वा त्वं त्वादृशो भव' इत्यभिन्नधर्मिकोपमायामुपमानतावच्छेदकोपमेयतावच्छेदकभेदेनोपमितिक्रियानिष्पत्तेरुपमालङ्कारव्यवहारस्य च सर्वसम्मतत्वेन तद्वदिहापि सामान्यधर्मविशेषधर्मयोस्तयोर्भेदेन तन्निष्पत्तेः संभवादुदाहरणालङ्कारो मास्त्वतिरिक्त इति तदाशयाच्चिन्त्यमेतत्। इति नागेशः। उदकोकारे दधीकारस्य य इति। अत्र यद्यपि मूले 'उकारे दध्युदकेकारस्येवे'ति पाठो दृश्यते, तथापि सुसंगततया नागेशाभिमत एव पाठो मया मूले समावेशितः। तत्प्रसङ्ग इति। उदाहरणालङ्कारप्रसंग इत्यर्थः। स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्तत्वेन, उक्तार्थोपपादनपरत्वेन, व्यङ्ग्यप्रधानत्वेन चोपाधिना यदुपमायाः संक्षेपतस्त्रैविध्यमुक्तं दीक्षितेन, तन्न युक्तम्, 'नयने शिशिरीकरोतु—' इति प्रागुक्तवाच्यवस्तूपस्कारकशरच्चन्द्रोपमाया असंग्रहात्। सोपमा न स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता, वाच्यवस्तूपस्करणात्, नोक्तार्थोपपादनपरा, उक्तार्थस्यान्यथाऽप्युपपत्तेः, न वा व्यङ्ग्यप्रधाना चमत्कारिणो व्यङ्ग्यार्थस्य तत्राभावादिति तात्पर्यम्। अपरश्चैतदयुक्तत्वं तदुक्तौ यत् अन्यशोभासम्पादकत्वविरहेणानलङ्कारभूता या स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता 'सच्छिन्नमूलः—' इत्यादिस्थलीया उपमा (सादृश्यमात्रम् न तु अलङ्कारः) तस्या अलङ्कारभूतोपमाभेदकथनावसरे संग्रहः क्रियते, या तु अन्यशोभाकरत्वेनालङ्कारभूता अत एव लक्षयितुं योग्या व्यङ्ग्यभूतोपमा, तस्याः, लक्षणेऽव्यङ्ग्यत्वनिवेशेन निराकरणं विधीयते इति। ननु प्राचीनैरपि स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्तोपमायाः संग्रहो विहित इति नैतन्ममापि दोषायेति चेन्न, उपमासामान्यलक्षणं कुर्वताम् प्राचां तत्सङ्ग्रहस्य दोषानाधायकत्वेऽपि अलङ्कारभूतोपमालक्षणं रचयतस्तव कृते तत्सङ्ग्रहस्य दोषाधायकत्वध्रौव्यात्। न च प्रबन्धव्यङ्ग्यस्य रसादेरुपस्कारकतया 'सच्छिन्नमूलः—' इत्यत्रत्यायाः तथाविधाया अन्यस्या अपि उपमायाः संग्रह उचित एवेति वाच्यम्, तथा सति तथाविधोपमायाः स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्तत्वकथनस्य विरुद्धत्वापत्तेः। अन्यार्थोपस्कारिकोपमा स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता न भवितुमर्हतीति तत्त्वम्। मयापि सामान्योपमाया एव लक्षणं कृतं नालङ्कारभूतोपमाया इति तु भवता वक्तुमयोग्यम्, तथा सति व्यङ्ग्योपमानिरसनायासस्य वैयर्थ्यापातात्। 'अनन्तरत्न—' इति पद्ये उक्तार्थोपपादनपरोपमा इति यदुक्तं तेनैव, तदपि नोचितम्, तत्रोपमाया एवासत्त्वात्। तथा हि—'विविधरत्नोत्पादकस्य हिमालयस्य सौन्दर्यं दूरीकर्तुं प्रालेयं न प्रभवतीति तत्पद्यपूर्वार्धार्थस्य' समर्थनाय, 'गुणसमूहसमानाधिकरणः (गुणगणयुक्ते वस्तुनि विद्यमानः) एको दोषः

लोकदृशौ दोषरूपेण न प्रतिभासते' इत्यर्थो वर्णितः कविना, स च तावत् स्पष्टो न भवति, यावत् तादृशमुदाहरणं दृष्टिपथं नावतरति, अतस्तादृशोदाहरणप्रदर्शनाय कविना गुणगणगरिष्ठेन्दुकिरणगतः अङ्कः उपन्यस्तः, नतु उपमानभावेन। ननूपमानभावेनैव तन्निर्देशस्वीकारे का क्षतिः? क्षतिस्तु कापि न, परन्तु तत्र तस्योपमानत्वं सम्भवत्येव नेत्यसमञ्जसम्। कुतो न तत्र तस्योपमानत्वं सम्भवतीति चेत्? जातन्तु—भिन्नयोरेव पदार्थयोरुपमानोपमेयभावो भवतीति सर्वसम्मता प्रसिद्धिः, इह तु गुणसमूहगतैकदोषस्य चन्द्रकिरणगतकलङ्कस्य च सामान्यविशेषभावमापन्नस्य 'नहि निर्विशेषं सामान्यं भवति' इति सिद्धान्तेन मिथोभेदाभावात् उपमानोपमेयभावो न भवितुमर्हति। एवञ्चात्रोपमालङ्कारो नास्ति, अपि तु उदाहरणालङ्कार एवोपमानो भिन्नः। स चालङ्कारस्तत्र भवति, यत्र सामान्यरूपं किञ्चिदुक्त्वा तद्विशेषः वाक्यान्तरद्वारा प्रतिपाद्यते, यथा 'इको यणचि' (इकः स्थाने यण् स्यादचि) इति सामान्यकथनानन्तरं स्फुटं तत्प्रतिपत्तये (दध्युदकम् इत्यत्र) 'उकारे परे दधिशब्दघटकेकारस्य यः' इति विशेषः प्रतिपाद्यते स च विशेषः उदाहरणशब्देन शाब्दिकैर्व्यवह्रियते। अस्यालङ्कारस्य विषये विशदमग्रे ग्रन्थकृता विवेचनं विधीयेत, अतोऽत्र नाधिकं तद्विषये कथ्यते इति भावः।

पुनः अप्पयदीक्षित की ही एक अन्य उक्ति की समीक्षा करते हैं—यच्चापि इत्यादि। अप्पयदीक्षित ने ही जो यह कहा कि—संक्षेप में यह उपमा तीन प्रकार की है—१-कहीं अपनी विचित्रता में ही पूर्ण हो जानेवाली अर्थात् दूसरे किसी को अलङ्कृत नहीं करने वाली, जैसे—'सच्छिन्नमूलः—(सम्पूर्ण पद्य संस्कृतटीका में देखिये।) (रघुवंश ७ सर्ग) (अज का युद्धवर्णन है। कवि की उक्ति है—घोड़े-हाथी आदि के पैरों से उठी हुई जिस धूलि की जड़ रुधिर ने काट दी अर्थात् रुधिर से आर्द्र हो जाने के कारण जिस धूलि का संबन्ध धरातल से विच्छिन्न हो गया, वायु के द्वारा रुधिर से ऊपर उड़ा दी गई वह धूलि, अङ्गारे-मात्र-बची हुई आग के पहले से ऊपर उठे, धूएँ के समान शोभित हो रही थी।)' इत्यादि में। (यहाँ सम्पूर्ण पद्य का अर्थ उपमारूप है, उससे अन्य अर्थ की पुष्टि नहीं होती, अतः यह उपमा अपने आप में पूर्ण है।) २—कहीं उक्त अर्थ को सिद्ध करने वाली, जैसे—'अनन्तरत्नप्रभवस्य—(सम्पूर्ण श्लोक संस्कृतटीका में देखिये) (कुमारसम्भव में हिमालय का वर्णन है—अगणित रत्नों के उत्पत्ति-स्थान हिमालय के सौभाग्य को, हिम (पाला) नष्ट नहीं कर पाया—हिम के कारण हिमालय की सुन्दरता में कोई अन्तर नहीं हुआ। कारण, एक दोष, गुणों के समूह में विलीन हो जाता है—उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जैसे चन्द्रमा की किरणों में कलङ्क।)' इत्यादि में। (यहाँ कलङ्क की उपमा, हिम से हिमालय के सौभाग्य नष्ट न हो सकनेरूप उक्त अर्थ को सिद्ध करती है।) और ३—कहीं ऐसी उपमा होती है, जिससे व्यङ्ग्य (रस आदि) प्रधान अर्थ उपस्कृत होता रहता है। वह भी सुन्दर नहीं, क्योंकि 'नयने शिशिरीकरोतु—अर्थात् शरत्कालिक चन्द्र के तुल्य तेरा मुख, मेरी आंखों को शीतल करे' यहाँ जो वाच्य अर्थ को सुशोभित करनेवाली शरच्चन्द्र की उपमा है, उसका उक्त तीनों प्रकारों में से किसी में भी समावेश नहीं हो सका। इस वर्गीकरण को देखकर पुनः उपमा के लक्षण में आप के द्वारा निवेशित 'अव्यङ्ग्यत्व' विशेषण, स्मृतिपथ में, आ जाता है। अर्थात्—जब आपने अलङ्कारभूत उपमा का वर्गीकरण करते समय, 'अपनी ही विचित्रता में पूर्ण हो जाने वाली उपमा' का भी संग्रह किया है,—तब व्यङ्ग्य उपमा को उपमा की

श्रेणी से हटाने के लिये लक्षण में 'व्यङ्ग्य न हो' यह विशेषण देने का दुराग्रह आपको क्यों है यह समझ में नहीं आता। ओह! यह बड़े अन्याय की बात है कि—जिसका लक्षण नहीं बनाना है (जो अलङ्काररूप है ही नहीं) उसका संग्रह किया गया है और जिसका लक्षण बनाना उचित है (जो अलङ्काररूप है) उसका संग्रह नहीं किया है—उसको छोड़ दिया गया है। तात्पर्य यह कि स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्त उपमा-जो वस्तुतः उपमा नहीं है--को आपने उपमा की श्रेणी में गिना है और व्यङ्ग्य उपमा-जो वस्तुतः उपमा है--को उपमा की श्रेणी से निकाल बाहर किया है, यह बात सर्वथा न्याय-विरुद्ध है। प्राचीनों ने भी, 'अपनी विचित्रता में ही पूर्ण हो जाने वाली उपमा' को उपमा की श्रेणी से बहिष्कृत करने का कोई प्रयास नहीं किया है-अर्थात् उन्होंने भी उपमा का ऐसा ही लक्षण बनाया है, जिससे उक्तविध उपमा का भी संग्रह होता है, अतः यह अनौचित्य-यदि वस्तुतः अनौचित्य है-तो उनमें भी है, यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि प्राचीनों ने व्यङ्ग्य उपमा के वारण के लिये भी कोई यत्न नहीं लिया है, अतः यह सिद्ध है कि उन्होंने सामान्यतः उपमा-पदार्थ का लक्षण बनाया है-अलङ्कारभूत उपमा का नहीं। ऐसी स्थिति में उनके लिये 'स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्त उपमा' का भी संग्रह करना अनुचित नहीं कहा जा सकता, पर आपने तो उपमालक्षण में 'अव्यङ्ग्य'-विशेषण के द्वारा व्यङ्ग्य उपमा--जो आपके हिसाब से अलङ्कारभूत नहीं होती--को बहिष्कृत करके स्पष्ट शब्दों में यह सिद्ध कर दिया है कि मैंने (आपने) अलङ्कारभूत उपमा का ही लक्षण किया है, ऐसी स्थिति में आपको 'अपने आप में परिपूर्ण होने वाली' वस्तुतः अनलङ्कार-भूत उपमा की गणना उपमा की श्रेणी में नहीं करनी चाहिए थी, किन्तु आपने गणना की है, अतः आप अपने को 'अनुचितकारिता' दोष से मुक्त नहीं कर सकते। यह भी आप नहीं कह सकते हैं कि 'सच्छिन्नमूलः--आदि पद्यों में जिस तरह की उपमा है उसका संग्रह इसलिए किया गया है कि वह समग्र ग्रन्थ से अभिव्यक्त होने वाले वीर रस आदि की उपस्कारिका रहती है', क्योंकि यदि वह उपमा किसी व्यङ्ग्य को उपस्कृत करती है, तब वह 'स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्त' नहीं कही जा सकती और आपने उसको वैसा ही कहा है अतः आपकी उक्ति अपनी ही उक्ति से विरुद्ध हो जायगी। इसी तरह आपने जो 'अनन्तरत्नप्रभवस्य--' इस पद्य की चर्चा उक्तार्थोपपादक उपमा के उदाहणरूप में की है, वह भी गलत है। काण, वस्तुतः उस पद्य में उपमा अलङ्कार है ही नहीं, क्योंकि 'कलङ्क' का निर्देश वहाँ उपमान के रूप में नहीं हुआ है, हो भी कैसे, जब कि वह (चन्द्रकिरण का कलङ्क) एक विशेषरूप है और 'गुणसमूहगत एक दोष' उसीका सामान्यरूप, जिनमें कोई भेद नहीं होता और उपमा दी जाती है किसी भिन्न पदार्थ से ही। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य-विशेषभाव वाले दो पदार्थों में वस्तुतः भेद नहीं होता, अतएव 'न हि निर्विशेषं सामान्यं भवति—अर्थात् विशेष से भिन्न सामान्य कोई चीज नहीं होती' ऐसा सिद्धान्त माना गया है, ऐसी स्थिति में विशेषरूप चन्द्रकिरणगत कलङ्क के साथ सामान्यरूप गुणसमूहगत एक दोष की तुलना नहीं की जा सकती है। अतः ऐसा मानना चाहिए कि उक्त पद्य के पूर्वार्ध में कथित बात के समर्थन में उत्तरार्ध के द्वारा यह एक सामान्य बात कही गई है कि—'गुणसमूह के साथ रहने वाला एक दोष दोषरूप से ध्यान में नहीं आता।' यह सामान्य बात, जब तक कोई विशेष उदाहरण नहीं दिया जाय, तब तक अच्छी तरह समझ में नहीं आती, इसलिए 'चन्द्रमा की किरणों के साथ रहने वाले कलङ्क' का उदाहरण दिया गया है, अतएव यह 'उदाहरण' नाम का उपमा से एक अन्य ही अलङ्कार है। वह (उदाहरणा-लङ्कार) वहाँ होता है, जहाँ एक वाक्य के द्वारा किसी सामान्य बात के कथन के बाद,

दूसरे वाक्य द्वारा विशेष बात कहकर उक्त सामान्य बात का स्पष्ट ज्ञान कराया जाय। जैसे 'इको यणचि (अर्थात् किसी स्वर के आगे रहने पर पीछे रहने वाले इ, उ, ऋ, लृ इन वर्णों के स्थान में क्रमशः य, व, र, ल, ये चार वर्ण हो जाते हैं)' इस सामान्य बात को समझाने के लिए यह कहा जाता है कि "जैसे--'दध्युदकम्' इस प्रयोग में उदक पद के उकार के परे दधि पद के इकार को यकार हो गया।" व्याकरणशास्त्र में यह उदाहरण नाम से प्रसिद्ध भी है, उसी तरह काव्य में चमत्कारजनक ऐसी स्थिति में उदाहरणालङ्कार होता है, जैसे 'अनन्तरत्न—' इस पद्य में हुआ है। आगे जब उदाहरणालङ्कार का प्रकरण आवेगा, तब और अधिक इसके विषय में विचार किया जायगा।

पुनः दीक्षितोक्तिमेवालोचयति—

यच्चाप्पयदीक्षितैः 'लुप्तायां तु नैवं भेदाः। तस्यां साधारणधर्मस्यानुगामितानियमात्' इत्युक्तम्, तन्न। 'मलय इव जगति पाण्डुर्वल्मीक इवाधिधरणि धृतराष्ट्रः' इत्यत्रानुगामिधर्मस्याप्रत्ययाच्चन्दनानां पाण्डवानाम्, सर्पाणां दुर्योधनादीनां च बिम्बप्रतिबिम्बभावस्यैव प्रतिपत्तेः।

मलय इवेति। जगति संसारे, पाण्डुः तन्नामको महाभारतख्यातो राजा, पाण्डवानां जनक इति यावत्, मलयः मलयाचलः, इव, (येन चन्दनकल्पाः सुखदायकाः पाण्डवा जनिताः) धृतराष्ट्रः स्वनामप्रसिद्धो नृपः, कौरवाणां पितेति यावत्, च अधिधरणि (अधीत्यव्ययेन धरणिशब्दस्याव्ययीभावसमासः) तेन धरण्यामित्यर्थः, वल्मीकः वामलूरविवरम्, इव, (येन सर्पवद्दुःखदायकाः कौरवा उत्पादिताः) इत्यर्थः। लुप्तोपमायां साधारणधर्मो नियमतोऽनुगाम्येव भवतीति तत्र धर्मवैचित्र्यमूलाः प्रागुक्ताः प्रभेदा न जायन्त इति यत्कथितं दीक्षितमहाभागेन, तदपि न समीचीनम्. 'मलय इव' इति काव्ये मलयपाण्ड्वोः वल्मीकधृतराष्ट्रयोश्चोपमाद्वये लुप्तसाधारणधर्मे, अनुगामिसाधायणधर्मस्याप्रतीत्या प्रथमोपमायां बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोश्चन्दनपाण्डवयोः, द्वितीयोपमायां तथाविधयोः सर्पकौरवयोश्च साधारणधर्मतया स्वीकरणीयत्वात्। तथा च लुप्तोपमायामपि यथासम्भवं धर्मवैचित्र्यप्रयुक्ताः भेदा भवन्त्येवेति भावः।

पुनः दीक्षित के कथन की आलोचना करते हैं—यच्च इत्यादि। अप्पयदीक्षित ने जो यह कहा है कि--'लुप्तोपमा में तो इस तरह के (साधारणधर्म की विचित्रता के कारण होने वाले) भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें साधारणधर्म का अनुगामी होना निश्चित है अर्थात् लुप्तोपमा में साधारणधर्म अनुगामी ही होना है, अन्य किसी प्रकार का नहीं' वह भी सङ्गत नहीं। कारण, 'मलय इव--अर्थात् जगत् में पाण्डु--पाण्डवों का पिता, मलयाचल के तुल्य है (जिसने चन्दन के समान सुखदायक पाण्डवों को उत्पन्न किया) और धृतराष्ट्र--कौरवों का पिता, इस पृथ्वी पर, वल्मीक (दीवड़े का भिण्डा) के समान है (जिसने साँपों के समान दुखदायी कौरवों को उत्पन्न किया)।' इस धर्मलुप्ता में कोई अनुगामी समान धर्म विदित नहीं होता, अतः समान धर्म की पूर्ति के लिये चन्दनों और पाण्डवों का तथा सर्पों और दुर्योधन आदि कौरवों का बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव ही मानना पड़ेगा।

अत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावस्यासम्भवमाशंक्य समाधत्ते—

न च शब्देनोपात्तत्वं बिम्बप्रतिबिम्बभावे तन्त्रमित्याग्रहो विदुषामुचितः।

श्रौतत्वार्थत्वाभ्यां बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य द्वैविध्यौचित्यात्। अत एवाप्रस्तुतप्रशंसादौ प्रकृताप्रकृतवाक्यार्थयोरौपम्यमवयव-बिम्बप्रतिबिम्बभावमूलं सङ्गच्छते।

शब्देनोपात्तत्वमिति। बिम्बप्रतिबिम्बभावाधारतया विवक्षितयोः पदार्थयोरिति भावः। तन्त्रम् नियामकम्। बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य द्वैविध्ये प्रमाणमुपन्यस्यति—अत एवेति। तस्य द्वैविध्यादेवेति तदर्थः। तयोरेव पदार्थयोः बिम्बप्रतिबिम्बभावो भवति यौ शब्देनोपात्तौ तिष्ठतः। एवञ्च पूर्वोक्तस्थले चन्दनपाण्डवानाम्, सर्पदुर्योधनादीनाञ्च बिम्बप्रतिबिम्बभावो न भवेत्, तेषां शब्देनात्रानुपादानादिति शङ्काशयः। तादृशनियमे मानाभावः, अतः शब्देनोपादानस्थले श्रौतः तेनानुपादानस्थलेऽपि अर्थतः प्रतीतौ पुनः आर्थ इति द्विविधो बिम्बप्रतिबिम्बभावः। आर्थस्यापि तस्याङ्गीकारादेवाप्रस्तुतप्रशंसाद्यलङ्कारे प्रस्तुतवाक्यार्थबोधकपदविरहेऽपि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नावान्तरार्थद्वयरूपसाधारणधर्मबलेन प्रकृताप्रकृतवाक्यार्थयोरुपमाप्रतीयमाना सङ्गतिमासादयति अतो 'मलय—'इति पद्ये उपमासिद्ध्यर्थं शब्देनानुपात्तानामपि चन्दनादीनां बिम्बप्रतिबिम्बभावो भवितुमर्हतीति च समाधानाशयः।

एक शंका और उसका समाधान करते हैं—न च इत्यादि। 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव के लिये उन पदार्थों का—जिनका बिम्बप्रतिबिम्बभाव अभीष्ट हो-शब्द के द्वारा उपात्त होना अपेक्षित है' यह आग्रह कम से कम विद्वानों के लिये उचित नहीं, कारण, औचित्य इसीमें है कि शब्द से उपादानस्थल में श्रौत और शब्दतः उपादान नहीं रहने पर भी अर्थतः प्रतीत होने पर आर्थ–इस तरह से दो प्रकार का बिम्बप्रतिबिम्बभाव माना जाय अत एव तो अप्रस्तुतप्रशंसा आदि अलङ्कारों में अप्रस्तुत और प्रस्तुत वाक्यार्थों से सादृश्य सङ्गत होता है, जिसका मूल रहता है उन वाक्यार्थों के अवयवों का बिम्बप्रतिबिम्बभाव। यदि आर्थ बिम्बप्रतिबिम्बभाव नहीं माना जाय, तब प्रस्तुत वाक्यार्थ के साथ अप्रस्तुत वाक्यार्थ का सादृश्य कैसे बन सकता है? क्योंकि वहाँ प्रस्तुत वाक्यार्थ का प्रतिपादक एक भी शब्द उल्लिखित नहीं रहता। यहाँ चतुर्वेदीजी कृत हिन्दी अनुवाद में लिखा गया है कि—'वहाँ (अप्रस्तुतप्रशंसा में) अप्रस्तुत वाक्यार्थ का प्रतिपादन करने के लिये कोई शब्द नहीं होता।' पर यहाँ मुझे अनुवादक का प्रमाद प्रतीत होता है, क्योंकि अप्रस्तुत अर्थ ही शब्दतः कहा गया रहता है, जिससे प्रस्तुत अर्थ गम्यमान होता रहता है।

पुनः प्रकारान्तरेणोपमाया अष्टौ भेदान् प्रदर्शयति—

इयमपि रूपकवत्केवलनिरवयवा, मालारूपनिरवयवा, समस्तवस्तुविषयसावयवा, एकदेशविवर्तिसावयवा, केवलश्लिष्टपरम्परिता, मालारूपश्लिष्टपरम्परिता, केवलशुद्धपरम्परिता, मालारूपशुद्धपरम्परिता चेत्यष्टधा।

इयमपि उपमापि। यथा रूपके केवलनिरवयवादयोऽष्टौ भेदा भवन्ति, तथोपमायामपि ते भेदाः सम्भवन्तीति भावः। अन्यत् सुगमम्।

उपमा के अन्य आठ भेद दिखलाते हैं-इयमपि इत्यादि। यह उपमा भी रूपक की तरह केवल निरवयवा, मालारूप निरवयवा, समस्तवस्तुविषया सावयवा, एकदेशविवर्ति सावयवा, केवल श्लिष्टपरम्परिता, मालारूप श्लिष्टपरम्परिता केवल शुद्धपरम्परिता और मालारूप शुद्धपरम्परिता—इस तरह आठ प्रकार की होती है।

एतद्भेदाष्टकगतं केवलत्वं निरवयवत्वञ्च विवृणुते—

तत्रोपमायां केवलत्वं मालानन्तर्गतत्वं निरवयवत्वं चोपमान्तरनिरपेक्षत्वम्।

तत्रेति तासां मध्य इत्यर्थः। एकस्योपमेयस्य यत्रानेकान्युपमानानि निर्दिष्टानि भवन्ति, तत्रोपमाया मालारूपत्वम्, तादृशमालारूपता यत्र न भवति, तत्र तस्याः केवलत्वम्, एवम् यत्र कस्याश्चिदुपमाया अन्योपमानैरपेक्ष्येण सम्पत्तिस्तत्र तथाविधायास्तस्या उपमाया निरवयवत्वं भवतीति भावः।

इन भेदों में प्रयुक्त 'केवल' तथा 'निरवयव' पदों का अर्थ करते हैं--तत्र इत्यादि। जहाँ एक ही उपमेय के अनेक उपमान कहे जाते हैं, वहाँ उपमा मालारूप मानी जाती है और जहाँ एक उपमा दूसरी उपमा की अपेक्षा करती हो वहाँ उपमा सावयवा कही जाती है, अतः केवल निरवयवा में 'केवल होने' का अर्थ है--किसी मालारूपा उपमा के अन्तर्गत न होना और 'निरवयव होने' का अर्थ है--किसी अन्य उपमा की अपेक्षा न करना।

अन्यभेदोदाहरणप्रदर्शनायास्य भेदस्योदाहृतत्वं प्रकटयति—

इयं च शतशः प्रागेवोदाहृता।

इयं च केवलनिरवयवा च। केवलनिरवयवाया उपमाया उदाहरणानि प्राग् बहुशः प्रदर्शितानीति न पुनस्तदुदाहरणप्रदर्शनमावश्यकमिति भावः।

इस-केवल निरवयवा-के सैकड़ों उदाहरण पहले दिखाये जा चुके हैं, अतः पुनः इस भेद का उदाहरण दिखलाना आवश्यक नहीं है।

द्वितीयभेदमुदाहर्तुमाह—

मालारूपनिरवयवा यथा—

स्पष्टम्।

मालारूपनिरवयवा यथा—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'आह्लादिनी नयनयो रुचिरैन्दवीव
कण्ठे कृतातिशिशिराम्बुजमालिकेव।
आनन्दिनी हृदि गता रसभावनेव
सा नैव विस्मृतिपथं मम जातु याति॥'

नायकस्य सुहृदं प्रत्युक्तिः—नयनयोः नेत्रयुगलावच्छेदेन, आह्लादिनी सुखविशेषविधायिनी, ऐन्दवी चान्द्री, रुचिः कान्तिः, इव, कण्ठे ग्रीवायां, कृता धृता अतिशिशिरा अत्यधिकशीतला, अम्बुजमालिका कमलस्रक्, इव हृदि हृदये, गता प्रादुर्भूता, आनन्दिनी, आनन्ददायिका, रसभावना रसास्वादः, इव, सा तव पूर्वपरिचिता, प्रेयसी, जातु कदाचिदपि, मम विस्मृतिपथम् विस्मरणमार्गम्, नैव याति गच्छति। सदैव सा मम स्मृतिविषय एव तिष्ठतीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—आह्लादिनी इत्यादि। प्रेमी नायक अपने मित्र से कहता है—नेत्रों में आह्लाद भरने वाली चन्द्रकला की तरह, कण्ठ में पहनी गई अतिशीतल कमलमाला की तरह हृदयस्थ आनन्ददायक रसास्वाद की तरह, वह प्रेयसी कभी भी मेरे विस्मृति के मार्ग में नहीं जाती—उसको मैं कभी भूल नहीं पाता।

द्वितीयभेदस्यैवोदाहरणान्तरं निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'कलेव सूर्यादमला नवेन्दोः कृशानुपुञ्जात्प्रतिमेव हैमी ।
विनिर्गता यातुनिवासमध्यादध्याबभौ राघवधर्मपत्नी ॥'

कवेरुक्तिः—(अमाया अनन्तरम्) सूर्यात् रविबिम्बात् विनिर्गता बहिरागता (अमायां सूर्यबिम्बे चन्द्रमसस्तिरोधानादेवमुक्तिः) इन्दोः चन्द्रस्य, नवा नूतना, अमला निर्मला, कला ज्योत्स्ना, इव, कृशानुपुञ्जात् अग्निसमूहात्, विनिर्गता, हैमी सुवर्णमयी, प्रतिमा प्रतिकृतिः, इव च, यातुनिवासमध्यात् राक्षसावासगर्भात्, विनिर्गता, राघवस्य रामचन्द्रस्य, धर्मपत्नी सीता, अध्याबभौ अधिकं शुशुभे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—कलेव इत्यादि । कवि का कथन है—(अमावास्या तिथि के बाद) सूर्य से निकली हुई (अमावास्यातिथि में चन्द्रमा सूर्यबिम्ब में समा जाता है—इस शास्त्रीय प्रसिद्धि के अनुसार ऐसा कथन है) निर्मल नवीन कला की तरह और अग्निसमूह से निकली हुई सोने की प्रतिमा की तरह, राक्षसों के आवास (लङ्का) के मध्य से निकली हुई रामचन्द्र की धर्मपत्नी-भगवती सीता-अधिक सुशोभित होने लगीं ।

उभयोः पद्ययोर्वक्तव्यमुपपादयति—

पूर्वमनुगामिना धर्मेण भिन्नदेशकालावच्छेदेन, अत्र तु बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नेनैकदेशकालावच्छेदेनेति विशेषः । अत्राधिकदीप्तिरूपे वाक्यार्थे उपमे उपस्कारिके । आत्यन्तिकविनाशहेतुत्वेन देदीप्यमानत्वेन च साधारण्येन सूर्यमण्डलस्य, निष्कलङ्कताभिव्यञ्जकत्वेन भस्मीभवनहेतुत्वेन कृशानुपुञ्जस्य च लङ्काप्रतिबिम्बता । मालारूपत्वं चात्रैकोपमेयकानेकोपमासामानाधिकरण्यात् ।

पूर्वमिति । 'आह्लादिनी—' इति पद्ये इत्यर्थः । धर्मेणेति । आह्लादित्वादिनेत्यर्थः । हेतौ तृतीया । अवच्छेदेनेति । वर्त्तमानेनेति शेषः, तस्य च 'धर्मेण' इत्यत्रान्वयः, भिन्नदेशकालावच्छिन्नेन अनुगामिना धर्मेणेति तात्पर्यम् । उपमेति शेषः । तथा च पूर्वत्र पद्ये तादृशार्थहेतुकोपमेति पर्यवसितार्थः । एवमग्रेऽपि । अत्रेति । 'कलेव—' इति द्वितीयपद्ये इत्यर्थः । विशेषो भेदः । सूर्यमण्डलस्येति । अस्य लङ्काप्रतिबिम्बतेत्यत्रान्वयः । सामानाधिकरण्यादिति । उपमान्तरनिरपेक्षत्वान्निरवयवत्वमित्यपि बोध्यम् । अयं भावः—'आह्लादिनी—' 'कलेव—' इति पद्यद्वयमपि मालारूपनिरवयवोपमोदाहरणम्, उभयत्रोपमेयस्यैकत्वेनोपमानानाञ्च बहुत्वेन मालात्वात् उपमान्तरापेक्षाराहित्येन निरवयवत्वाच्च । परन्तु प्रथमपद्ये उपमासम्पादकः साधारणो धर्मः आह्लादकत्वादिः अनुगामी, एकरूपेणोपमानोपमेययोरन्वितत्वात्, भिन्नदेशकालावच्छिन्नश्च, उपमानोपमेययोः—चन्द्रकलादिनायिकयोर्भिन्नदेशकालस्थायित्वेन तद्धर्माणामपि तत्त्वात् । द्वितीयपद्ये चोपमासाधकः साधारणो धर्मः सूर्ययातुधानावासमध्येत्युभयावधिकविनिर्गतत्वम् एवम् अग्निपुञ्जयातुधानावासेत्युभयावधिकविनिर्गतत्वञ्च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः, सूर्यावधिकविनिर्गतत्व-यातुनिवासावधिकविनिर्गतत्वयोरेवं वह्निपुञ्जावधि-

कविनिर्गतत्वयातुधानावासावधिकविनिर्गतत्वयोर्वस्तुतो भिन्नत्वेऽपि आत्यन्तिकविनाशहेतु- त्वदेदीप्यमानत्वाभ्याम् सूर्य-लङ्कारूपयातुनिवासयोः सादृश्येनाभेदारोपात् एवम् निष्कल- ङ्कताभिव्यञ्जकत्वभस्मीभवनहेतुत्वाभ्याम् अग्निपुञ्जलङ्कात्मकयातुनिवासयोश्च सादृश्येन तत्त्वा- रोपात, यथा चन्द्रकलाविनाशहेतुर्देदीप्यमानश्च सूर्यः तथा लङ्कारूपयातुनिवासोऽपि सीता- सम्भावितविनाशहेतुः सुवर्णमयतया देदीप्यमानश्च, एवम् यथा अग्निपुञ्जम् सुवर्णप्रतिमाया निष्कलङ्कताभिव्यञ्जकम् भस्मीभावकारणञ्च, तथैव लङ्काऽवासोऽपि सीताया निष्कलङ्कता- भिव्यञ्जकः सम्भावितभस्मीभावहेतुश्चेति तात्पर्यम्, अभिन्नदेशकालावच्छिन्नश्च स धर्मः, प्रतिपदि सूर्याच्चन्द्रस्य, अमायां रावणवधे प्रतिपद्येव लङ्कातः सोतायाश्च विनिर्गमेण कालैक्यात, देशैक्यं तु आकाशरूपव्यापकदेशमादाय, नान्या गतिः, अग्निपुञ्जावधिकसुवर्ण- प्रतिमाविनिर्गम-लङ्कावधिकसीताविनिर्गमयोर्देशकालैक्यं तु अग्निपुञ्जलङ्कयोर्बिम्बप्रतिबिम्ब- भावे तत्सम्बन्धिसकलपदार्थानाम् एकत्वेन भानाद् बोध्यम्, एवञ्च धर्मवैलक्षण्यकृत एव द्वयोरुदाहरणयोर्विशेषः। प्रथमपद्यगताः तिस्रः उपमाः व्यङ्ग्यस्मृतिभावोपस्करणादलङ्कार- रूपाः, द्वितीयपद्ये द्वे उपमे वाच्याधिकशोभारूपमुख्यार्थोपस्करणात्तथाभूते, इति।

उक्त दोनों पद्यों में प्रासङ्गिक वक्तव्य का उपपादन करते हैं—पूर्वम् इत्यादि। 'आह्लादिनी—' और 'कलेव–' ये दोनों ही श्लोक, मालारूप निरवयवोपमा के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इन दोनों श्लोकों में एक-एक उपमेय की तुलना अनेक अनेक उपमानों से कर के उपमा की माला (समूह) तैयार कर दी गई है, और दोनों पद्यों की उपमायें ऐसी हैं जो अपने अवयवभूत किसी पदार्थ की उपमा की अपेक्षा नहीं करती हैं। फिर भी दोनों पद्यों की उपमाओं में पूर्ण अन्तर है और वह अन्तर यह है कि प्रथम पद्य की उपमा को सम्पन्न करने वाला साधारण धर्म 'आह्लादकत्व आदि' अनुगामी है- अर्थात् एकरूप से उपमान तथा उपमेय दोनों में अन्वित हो जाने वाला है और है भिन्न- देशकालावच्छिन्न—अर्थात् उपमान चन्द्रमरीचि आदि और उपमेय नायिका के देश और काल भिन्न हैं—एक आकाश की चीज और दूसरी धरा की वस्तु, इसी तरह एक सदा की चीज एवं दूसरी वर्तमानमात्र की वस्तु, ऐसी स्थिति में उन भिन्नकालिक- भिन्नदेशिक पदार्थों के धर्म भी भिन्नकालिक और भिन्नदेशिक ही हो सकते हैं। द्वितीय पद्य की उपमा का साधक साधारणधर्म 'सूर्य से और राक्षसों के आवास—लङ्का—से निकला हुआ होना' एवम् 'अग्निपुञ्ज से और लङ्का से निकला हुआ होना'रूप बिम्ब- प्रतिबिम्बभावतापन्न—अर्थात् सूर्य और राक्षसनिवास-लङ्का एवम् अग्निपुञ्ज और लङ्का यद्यपि वस्तुतः दो पदार्थ हैं तथापि सादृश्यमूलक इन दोनों में अभेद का आरोप कर लिया जाता है जिससे ये दोनों पदार्थ एक से होकर साधारण धर्म बन जाते हैं, इन दोनों में से सूर्य और लङ्का में सादृश्य यह है कि एक चन्द्रकला के विनाश का कारण है और दीप्तिशाली, और दूसरा भी सीता के विनाश का कारण है (क्योंकि यदि सीता और कुछ दिनों तक लङ्का में रहती, तो, उसका विनाश अवश्य हो जाता) और सुवर्ण- मय होने से दीप्तिशाली है, इसी तरह अग्निपुञ्ज और लङ्का में यह सादृश्य है कि एक सुवर्णप्रतिमा की विशुद्धता का हेतु है और दूसरा सीता की विशुद्धता का कारण (क्योंकि सीता कैसी विशुद्धचरिता है इसका परिचय संसार को उसके लङ्कानिवास से ही प्राप्त हुआ) और दोनों-दोनों के भस्म हो जाने के निमित्त भी हैं (तात्पर्य यह कि आग वर्ण को जलाती है और लङ्का सीता को जला सकती थी) इस तरह से बिम्बप्रतिबिम्ब-

भावापन्न होने के कारण ही यह धर्म एकदेशकालावच्छिन्न भी है—अर्थात् उक्त धर्मों में बिम्बप्रतिबिम्बभाव-सादृश्यमूलक अभेद-जब मान लिया गया, तब इसके सम्बन्धी सभी पदार्थ-देश-काल आदि-एक ही माने जायँगे, चन्द्रकला और सीता का सामान धर्म तो इसलिये भी एक देश और एक काल का समझा जा सकता है कि चन्द्रकला अमावस के बाद प्रतिपत् तिथि को सूर्य से निकलती है और सीता भी अमावस में रावण-वध के बाद शुक्लप्रतिपत में लङ्का से निकली थी, देश दोनों का व्यापक आकाश माना जा सकता है। उक्त दोनों श्लोकों में प्रथम श्लोक की तीन उपमायें स्मृतिभाव को अलंकृत करने के कारण और द्वितीय श्लोक की दो उपमायें वाच्य अधिक शोभा को अलंकृत करने के कारण अलङ्काररूप होती हैं।

तृतीयभेदमुदाहर्तुमाह—

समस्तवस्तुविषया सावयवा यथा—

स्पष्टम्।

समस्तवस्तुविषया सावयवा उपमा जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

> 'कमलति वदनं यस्यामलयन्त्यलका मृणालतो बाहू।
> शैवालति रोमावलिरद्भुतसरसीव सा बाला॥'

कवेरुक्तिः—यस्याम् बालायाम्, वदनं मुखम्, कमलति कमलमिवाचरति, अलकाः केशाः, अलयन्ति अलयः-भ्रमराः-इवाचरन्ति, बाहू भुजौ, मृणालतः मृणाले इवाचरतः, रोमावलिः रोमराजिः, शैवालति शैवाल इवाचरति, सा बाला, अद्भुतसरसी कौतुकावहसरोवरम्, इव, प्रतीयत इति शेषः। अत्र चतुर्षु उपमानादाचारेऽर्थे 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः' इति क्विप्।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—कमलति इत्यादि। कवि का कथन है—जिसमें मुख कमल के तुल्य, अलक भ्रमरों के तुल्य, भुजाएँ मृणालों के तुल्य और रोमावली सेवाल के तुल्य आचरण करती है, वह बाला एक अद्भुत सरसी-सी प्रतीत होती है। यहाँ किसी किसी ने 'यस्याम् अलयन्ति' ऐसा विभाग न मानकर 'यस्याः मलयन्ति' ऐसा विभाग माना है और तदनुसार 'केश मल-सर्प-के समान आचरण करते हैं' ऐसा अर्थ किया है, परन्तु 'मल' पद का 'सर्प' अर्थ यदि कोश में किया भी गया हो तो प्रसिद्ध नहीं है। दूसरी बात यह कि जब इस क्लिष्टकल्पना के विना भी संगत अर्थ जो मैंने लिखा है—किया जा सकता है, तब यह विडम्बना व्यर्थ ही है।

तस्यैव प्रभेदस्योदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा जैसे—

उदाहरणान्तरं निर्दिश्यते—

> 'ज्योत्स्नाभस्मञ्जुहसिता सकलकलाकान्तकान्तवदनश्रीः।
> राकेव रम्यरूपा राघवरमणी विराजते नितराम्॥'

कविः कथयति—ज्योत्स्नाभम् चन्द्रिकासदृशम्, मञ्जु मनोहरं, हसितम् हासो, यस्याः, सा, तथा, सकलः पूर्णकलः, कलाकान्तः चन्द्रः, इव, कान्ता कमनीया, वदनश्रीः मुखच्छविर्यस्याः सा, राघवस्य रामस्य, रमणी सीता, रम्यं रूपं यस्यास्तादृशी, राका पूर्णिमा, इव, नितराम् अत्यन्तम्, राजते शोभत इत्यर्थः।

उदाहरण (द्वितीय) का निर्देश करते हैं—ज्योत्स्ना इत्यादि। कवि कहता है—जिसका हास चाँदनी के समान सुन्दर है, जिसकी मुखकान्ति पूर्णचन्द्र के समान कमनीय है, वह राघव (रामचन्द्र) की रमणी—सीता—रमणीयरूपवाली राका-पूर्णिमा के समान, अत्यन्त शोभित हो रही है।

पद्यद्वयेऽपि समासेन वक्तव्यं विवृणोति—

अत्र सर्वेषामुपमानानां शब्दैरेवाभिधानात् समस्तवस्तुविषया, अङ्गोपमाभिनिष्पाद्यमानत्वाच्च साङ्गा भवति।

उक्तोदाहरणद्वये सर्वेषामवयवरूपाणाम् अवयविरूपाणाञ्च उपमानानाम् (प्रथमपद्ये कमलभ्रमरमृणालशैवालसरसीनाम्, द्वितीयपद्ये ज्योत्स्नाचन्द्रराकानाम् इति यावत्) (अत्र सरसीराके अवयविरूपे उपमाने अन्यान्यवयवरूपाण्युपमानानीति विवेकः) शब्दतः प्रतिपादनात् उपमायाः समस्तवस्तुविषयत्वं बोध्यम्। तथा च सकलोपमानानां शब्दाभिधेयत्वमेव समस्तवस्तुविषयत्वमिति भावः। अङ्गभूताभिः-कमलवदनयोः, अलयलकयोः, मृणालबाह्वोः, शैवालरोमावल्योश्च प्रथमपद्ये ज्योत्स्नाहासयोः, चन्द्रवदनश्रियोश्च द्वितीयपद्ये उपमाभिः प्रधानयोः—सरसीबालयोः राकाराघवरमण्योश्चोपमयोः सम्पाद्यमानतया उपमाया अत्र सावयवत्वमवगन्तव्यमिति भावः।

उक्त दोनों उदाहरणों में प्रकृतोपयोगी बातों का विश्लेषण करते हैं-अत्र इत्यादि। उक्त दोनों पद्यों में से प्रथम में चार उपमायें—मुख की कमल के साथ, अलकों की भ्रमरों के साथ, भुजाओं की मृणालों के साथ और रोमावली की सेवाल के साथ-अङ्गभूत हैं, ये अङ्गभूत उपमायें, प्रधान-अङ्गीभूत-उपमा-बाला की सरसी के साथ को सम्पन्न करती हैं—अर्थात् उन अङ्गभूत उपमाओं के विना यह पाँचवी उपमा हो ही नहीं सकती थी, अतः यह मुख्य उपमा 'सावयवा' कही जाती है, इसी तरह द्वितीय पद्य में दो उपमायें—एक हास की ज्योत्स्ना के साथ और दूसरी वदनश्री की पूर्णचन्द्र के साथ वाली—अङ्गभूत हैं और तीसरी राघवरमणी की राका के साथ वाली उपमा अङ्गीभूत है और यहाँ भी अङ्गभूत उपमायें अङ्गीभूत उपमा की साधिकायें हैं; अतः यहाँ की भी मुख्य उपमा सावयवा है। दोनों ही श्लोकों में जितनी उपमाएँ हैं, उन सभी के उपमान शब्दतः कथित हैं, उनमें एक भी उपमान ऐसा नहीं है जिसका अर्थतः आक्षेप करना पड़ता हो अतः इन दोनों पद्यों की उपमायें 'समस्तवस्तुविषया' कही जाती हैं। फलतः सिद्ध हुआ कि सभी उपमानों का शाब्द वर्णन ही 'समस्तवस्तुविषय' पद का अर्थ है।

चतुर्थं भेदमुदाहर्तुमाह—

एकदेशविवर्तिनी सावयवा यथा—

स्पष्टम्।

एकदेशविवर्तिनी सावयवा उपमा जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'मकरप्रतिमैर्महाभटैः कविभी रत्नसमैः समन्वितः।
कविताऽमृतकीर्तिचन्द्रयोस्त्वमिहोर्वीरमणासि कारणम् ॥'

कविः कमपि नृपं स्तौति—हे उर्वीरमण राजन्!, मकरप्रतिमैः ग्राहतुल्यैः, महाभटैः रणशूरैः सैनिकैः, रत्नसमैः रत्नतुल्यैः, कविभिः कवित्वकलासमन्वितैर्विद्वद्भिः, समन्वितः युक्तः, त्वम्, इह संसारे, कविताऽमृतकीर्तिचन्द्रयोः अमृतकल्पकवितायाः चन्द्रसदृशकीर्तेश्च, कारणम् हेतुः उत्पादक इति यावत्, असि वर्तसे इत्यर्थः।

उदाहरण का निदश करते हैं—मकर इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे राजन्! मकरों-ग्राहों-के समान बड़े-बड़े योद्धाओं से तथा रत्नों के तुल्य कवियों से युक्त तू, इस संसार में, अमृततुल्य कविता और चन्द्रतुल्य कीर्ति के कारण हो-अर्थात् अमृत जैसी कविता और चन्द्रमा के समान यश को उत्पन्न करते हो।

उपपादयति—

अत्रोत्तरार्धे उपमितसमास एव, विशेषणसमासवेद्यस्य तादात्म्यस्य प्रकृतेऽनुपयोगात्। राज्ञो जलधेरुपमाशब्देनानभिहिताऽप्यङ्गोपमाभिराक्षिप्ता प्रतीयते, इत्येकदेशविवर्तनादेकदेशविवर्तिनी।

उपमितसमास इति। 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इति सूत्रकृतः समास इत्यर्थः। विशेषणसमास इति। 'मयूरव्यंसकादयश्च' इति सूत्रविहितः समास इत्यर्थः। एकदेशविवर्तनादिति। एकदेशे (अवयवे) विवर्तनात्-स्वरूपगोपनेन अन्यथात्वेन वर्तनात्, अथवा एकदेशे विशेषेण-स्फुटतया वर्तनादित्यर्थः। अधिकं रूपके स्फुटीभविष्यति। 'मकर—' इति पद्योत्तरार्धघटकयोः 'कविताऽमृत-कीर्तिचन्द्रपदयोः' 'कविता एव अमृतं', 'कीर्तिरेव चन्द्रः' इति विगृह्य विशेषणसमासोऽपि सम्भवति, परन्तु तथासमासे कविताऽमृतयोः कीर्तिचन्द्रयोश्च यत्तादात्म्यम् (अभेदः) प्रतीयेत, तस्य प्रकृते उपयोगो नास्ति, राजनि समुद्रतादात्म्यस्याविवक्षितत्वात्, अतः 'कविता अमृतमिव', 'कीर्तिः चन्द्र इव' इत्येवं विगृह्योपमितसमास एव तत्राश्रयणीयः। तथा च तयोस्तयोः पदार्थयोरुपमायां प्रतीतायां प्रथमार्धे स्पष्टयोश्च द्वयोरुपमयोः तद्बलात् राजसमुद्रयोरशाब्दोऽप्युपमालङ्कारः आक्षिप्तः सन् अवगम्यत इत्युपयोगसिद्धिः। अत एव—अंशविशेषे शब्दतः कथितत्वात् अंशविशेषे च अर्थतः प्रतीयमानत्वादेकदेशविवर्तिनीयमुपमा, अङ्गाङ्गिनोरुभयोरुपमाविधानात् सावयवा चेति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्रोत्तरार्धे इत्यादि। 'मकर—' इस पद्य के उत्तरार्धगत 'कविताऽमृत' और 'कीर्तिचन्द्र' पदों में विशेषणसमास ('मयूरव्यंसकादयश्च' इस पाणिनिसूत्र-कृत समास को विशेषणसमास कहते हैं) भी हो सकता था, यदनुसार कविता और अमृत में तथा कीर्ति और चन्द्र में तादात्म्य (अभेद)—अर्थात् रूपकालङ्कार-प्रतीत होता, परन्तु उन पदार्थों के तादात्म्य का प्रस्तुत प्रसङ्ग में—अर्थात् कवि-विवक्षित राज-समुद्रोपमासिद्धि में—कोई उपयोग नहीं, प्रत्युत बाधकत्व ही सम्भव है, अतः उपमित-समास ('उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस पाणिनिसूत्र से होने वाले समास को उपमितसमास कहते हैं) ही मानना चाहिए-जिसका उक्त कवि-उद्देश्य की सिद्धि

में उपयोग है। यहाँ राजा और समुद्र की उपमा, यद्यपि शब्दतः उक्त नहीं है, तथापि महाभटों की मकरों के साथ, कवियों की रत्नों के साथ, कविता की सुधा के साथ और कीर्ति की चन्द्र के साथ दी गई अङ्गभूत उपमाओं से आक्षिप्त होकर वह प्रतीत होती है, अतः एक देश (एक भाग) में अन्यथारूप से—अर्थात् गुप्तरूप से—प्रतीत होने के कारण यह एकदेशविवर्तिनी उपमा कही जाती है। साथ-साथ सावयवा भी यह उपमा कही जाती है, क्योंकि अवयव और अवयवी अर्थात्-अङ्ग और अङ्गी-दोनों की उपमा यहाँ की गई है।

पञ्चमं भेदमुदाहर्तुमाह—

केवलश्लिष्टपरम्परिता यथा—

स्पष्टम्।

केवल श्लिष्टपरम्परित उपमा, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'नगरान्तर्महीन्द्रस्य महेन्द्रमहितश्रियः।
सुरालये खलु क्षीबा देवा इव विरेजिरे॥'

कविः कथयति—महेन्द्रवत् इन्द्रवत्, महिता पूजिता, श्रीः सम्पत्तिर्यस्य, तस्य, महीन्द्रस्य राज्ञः, नगरान्तः नगरमध्ये, सुरालये सुरायाः मद्यस्य, आलये गृहे, सुराणाम् देवानाम्, आलये सुमेरौ च क्षीबाः मत्ताः, देवाः, इव, खलु निश्चयेन, विरेजिरे शुशुभिरे इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—नगरा इत्यादि। कवि का कथन है—जिसकी सम्पत्ति इन्द्रसम्पत्ति की तरह सुपूजित है, उस महीपति के नगर के अन्तर्गत, 'सुरालय' (मदिरालय तथा देवों के आलय-सुमेरु) में, नशेबाज लोग, देवताओं की तरह शोभित होते थे।

उपपादयति—

अत्र श्लेषोपस्थापितेन सुमेरुणा मदिरागारस्योपमा क्षीबानां देवोपमाया उपाय इति श्लिष्टपरम्परिता, अन्योन्योपायतारूपस्यैव परम्परितत्वस्येह परिभाषणात्। मालारूपताविरहाच्च केवला।

मदिरागारस्योपमेति। सुरालये इति भावः। नन्वेवं श्लिष्टत्वेऽपि कथं परम्परितत्वमत आह—अन्योन्योपायतारूपस्यैवेति। परस्परोपायभावस्येति तदर्थः। अत्र 'सावयवानां परस्परसमर्थकत्वेऽपि नोपायता। ज्योत्स्नायां हसितत्वारोपं विनापि औज्ज्वल्यादिना सीतायां राकासाम्यसिद्धेः। इह तु मदिरागारेषु सुमेरूपमां विना क्षीवेषु देवोपमायां न किञ्चित्साधर्म्यम्। तस्मिंश्च तादृशसादृश्यप्रतीतिमूलाभेदमापन्नं सुरालयवृत्तित्वमेव तथा मदिरागारेषु सुमेरूपमायां च क्षीवेषु देवोपमां विना न साधारणधर्म इत्यन्योन्योपायता। अन्योन्याश्रयपरिहारस्तु रूपकप्रकरणे वक्ष्यते' इति नागेशः। 'सकलसिद्धेः कल्पनामयत्वेन, कल्पनायाश्च स्वप्रतिभाधीनत्वात् शिल्पिभिः परस्परावष्टम्भमात्रस्थितिकाभिः शिलेष्टकाभिर्गृहविशेषनिर्माणाच्च नान्योन्याश्रयदोष' इति रूपकप्रकरणोक्तं समाधानं बोध्यम्। 'नगरान्तर्मही—' इति श्लोके निबद्धाया उपमायाः श्लिष्टपरम्परितत्वं

नागेशविवरणेनैव स्पष्टम्, केवलस्वत्र एकस्योपमेयस्यानेकोपमाननिर्देशात्मकमालारूपत्वाभावात् अवगन्तव्यम् ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'नगरान्त—' इस पद्य में आये हुए 'सुरालय' पद का प्रासङ्गिक अर्थ है 'मद्यगृह'। परन्तु श्लेष के द्वारा उसी पद से 'सुरों का आलय-सुमेरु' अर्थ की भी उपस्थिति हो जाती है, अतः 'सुमेरु के समान मद्यगृह' इस तरह की श्लेषमूलक उपमा यहाँ भी सिद्ध होती है और यह उपमा ही प्रधान-नशेबाजों में देवताओं की उपमा का उपाय है—अर्थात् विना उस उपमा के नशेबाजों के साथ देवताओं की उपमा बन ही नहीं सकती। अतः इस उपमा को श्लिष्टपरम्परिता कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि-जहाँ श्लिष्टशब्दप्रतिपाद्य अर्थों की उपमा मुख्य उपमा की साधिका हो, वहाँ 'श्लिष्टपरम्परिता उपमा' होती है। यहाँ 'परम्परित' शब्द का परिभाषित अर्थ है 'एक दूसरे की उपमा का उपाय होना'—एक उपमा के विना दूसरी उपमा का न बन सकना। यहाँ नागेशजी ने अपनी ओर से कुछ सुन्दर विचार किया है, जिसका सारांश यह है—"यद्यपि 'सावयवा' उपमा में भी समर्थ्य-समर्थकभाव रहता है—अर्थात् अङ्गभूत उपमायें मुख्य उपमा की और मुख्य उपमा अङ्गभूत उपमाओं की समर्थिका होती हैं, पर वहाँ उपायोपेयभाव नहीं होता—अर्थात् एक के विना भी दूसरी उपमा हो सकती है। जैसे—पूर्वोक्त 'ज्योत्स्नाभमञ्जुहसिता—' पद्य में हास की तुलना चन्द्रिका से न करने पर भी 'उज्ज्वलता' आदि प्रसिद्ध समान धर्म को लेकर सीता में पूर्णिमा की उपमा सिद्ध हो सकती है। परन्तु परम्परित उपमा में ऐसा नहीं हो सकता—वहाँ एक उपमा के विना दूसरी उपमा नहीं बन सकती। जैसे प्रकृत पद्य-'नगरान्तर्मही—' में मद्यगृह की तुलना सुमेरु से न करने पर नशेबाजों में देवताओं की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि नशेबाजों और देवताओं में कोई समान धर्म दृष्टिपथ में नहीं आता और जब श्लेष के बल से मद्यगृह तथा सुमेरु में उपमा मान ली जाती है, तब उस एक में रहना ही देवताओं और नशेबाजों का समानधर्म हो जाता है, इसी तरह मद्यगृह और सुमेरु का साधारण धर्म होता है देवताओं और नशेबाजों की उपमा। इस तरह से ये दोनों उपमायें परस्परापेक्ष हैं। यद्यपि इस स्थिति में अन्योन्याश्रय दोष की शङ्का हो जाती है, पर उसका परिहार रूपकालङ्कार के प्रकरण में स्वयं ग्रन्थकार करेंगे।" रूपकप्रकरण में अन्योन्याश्रयपरिहार के लिये कहा गया है कि-काव्यजगत् की सभी बातें काल्पनिक हुआ करती हैं और कल्पना कवि के अधीन है। तात्पर्य यह कि ठोस जगत में भी अन्योन्याश्रय दोष है काल्पनिक जगत् में नहीं। दूसरी बात यह कि-ठोस जगत् में भी कहीं-कहीं अन्योन्याश्रय कुछ बिगाड़ नहीं पाता—जैसे अन्योन्याश्रित—केवल एक दूसरे पर अवलम्बित—होकर भी ईंटे और पत्थर के टुकड़े बड़े-बड़े भवन तैयार कर देते हैं।

षष्ठं भेदमुदाहर्तुमाह—

मालारूपश्लिष्टपरम्परिता यथा—

स्पष्टम् ।

मालारूप श्लिष्टपरम्परित उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'महीभृतां खलु गणे रत्नसानुरिव स्थितः ।
त्वं काव्ये वसुधाधीश वृषपर्वेव राजसे ॥'

कविः कथयति—हे वसुधाधीश राजन् ! महीभृतां पर्वततुल्यानां राज्ञां, गणे समूहे, खलु निश्चयेन, रत्नसानुः सुमेरुः, इव, स्थितः वर्तमानः, त्वं, काव्ये शुक्राचार्यकल्पकवित्व-विषये, वृषपर्वा दैत्यराजः, इव, राजसे शोभसे इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—महीभृताम् इत्यादि। कवि की उक्ति है—हे राजन्! 'महीभृतों'—पर्वत के तुल्य राजाओं—के समुदाय में सुमेरु की तरह स्थित आप, 'काव्य'—शुक्राचार्य के तुल्य कवित्व—के विषय में वृषपर्वा—दानवों का एक प्रसिद्ध राजा—के समान शोभित होते हैं।

उपपादयति—

अत्र श्लेषोपस्थिताभ्यां पर्वतशुक्राभ्यां राजकाव्ययोरुपमे मेरुवृषपर्वभ्यां राज्ञ उपमयोरुपायः।

महीभृताम्—इति पद्ये 'राजानः पर्वता इव', 'त्वं सुमेरुरिव', 'कवित्वं शुक्राचार्य इव' पुनः 'त्वं दैत्यराज इव' इति चतसृणामुपमानां माला, तत्र नृपकवित्ववाचकमहीभृत्-काव्य-पदगतामङ्गशब्दश्लेषोपस्थापितपर्वतशुक्ररूपार्थाभ्यां सह राजकवित्वयोः ये द्वे उपमे प्रतीयेते, ते सुमेरुदैत्यराजाभ्यां सह वर्णनीयस्य राज्ञः उपमयोः स्वष्टमुपवर्णितयोरुपायभूते, श्लेषमूलकोपमाभ्यां विना साधारणधर्मास्फुरणेन सुमेरुदैत्यराजोपमयोरात्मलाभासम्भवात्। एवञ्चात्रत्योपमाया मालारूपश्लिष्टपरम्परितत्वं स्पष्टमिति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'महीभृताम्—' इस पद्य में 'महीभृत्' और 'काव्य' पद श्लिष्ट हैं, श्लेष के द्वारा अप्रक्रान्त पर्वत और शुक्राचार्य की उपस्थिति होती है, ऐसी स्थिति में श्लेषोपस्थापित वे अप्रक्रान्त अर्थ असम्बद्ध न हो जायँ, इसलिये 'राजा पर्वत के समान' और 'कवित्व शुक्राचार्य के समान' इस तरह की दो उपमायें मानी जाती हैं, ये दोनों उपमायें सुमेरु और दैत्यराज के साथ दी गई राजा की दो उपमाओं को सिद्ध करने वाला उपाय है, क्योंकि उन दोनों उपमाओं के बिना साधारण धर्म की अनुपस्थिति में ये दोनों उपमायें बन नहीं सकतीं। अतः यह उपमा 'श्लिष्ट-परम्परिता' कही जाती है, और एक से अधिक (दो) होने से 'मालारूप'।

आशङ्क्य समाधत्ते—

नन्वत्र पर्वतानामिव राज्ञां शुक्र इव कवित्वे इत्येवंरूपा उपमा कथं प्रत्येतुं शक्या। उपमानोपमेयशब्दयोः पार्थक्याभावादिति चेत्, श्लेषे ह्येकशब्दोपात्तत्वेन रूपेणाभेदाध्यवसानस्येव तेनैव साधर्म्येण सादृश्याध्यवसानस्यापि सुवचत्वात्, तस्यैव च प्रकृते प्रयोज्योपमानुकूलत्वात्।

अप्रत्यये हेतुमाह—उपमानोपमेयशब्दयोरिति। उत्तरयति—श्लेषे इति। तेनैवेति। एकशब्दोपात्तत्वेनेत्यर्थः। अभेदाध्यवसानमेव कुतो नाङ्गीक्रियत इत्यत आह—तस्यैव च इति उपमानोपमेययोः पृथक्पृथक्शब्दाभ्यामुपस्थितावेवोपमा प्रतीयते। 'महीभृताम्—' इत्यत्र तु 'महीभृताम्' 'काव्ये' इति च श्लिष्टः एक एक एव शब्दः श्रूयते, तथा च पर्वतराज्ञोः शुक्रकवित्वयोश्चोपमा प्रत्येतुमशक्या, रूपकञ्च प्रत्येतुं शक्यम्, इति शङ्कादलस्याशयः। श्लेषस्थले एकशब्दोपात्तत्वयुक्त्या यथा श्लिष्टयोरर्थयोरभेदोऽध्यवसीयते, तथैव एकशब्दोपात्तत्वेनैव साधर्म्येण श्लेषविषयीभूतयोरर्थयोः सादृश्यमपि अध्यवसितुं योग्यम्। ततश्चैकशब्दोपात्तत्वात्मकसमानधर्मेण महीभृताम् (पर्वतानां राज्ञां च)

काव्यस्य (शुक्रस्य कवितायाश्च) परस्परमुपमा प्रत्येतुं शक्या। प्रसिद्ध्यनुरोधेन श्लिष्टयोरर्थयोरभेदमध्यवसायरूपकमेव कुतो नाङ्गीक्रियत इति तु न शक्यं वक्तुम्, रूपकस्य 'रत्नसानुरिव' 'वृषपर्वेव' इति प्रधानोपमाप्रतिकूलत्वात्, उपमायाश्च तदनुकूलत्वात्। इत्थञ्च यत्र रूपकमङ्गिभूतम् तत्राङ्गभूतेषु श्लिष्टार्थेषु अभेदाध्यवसायः, यत्र पुनरुपमाऽङ्गिभूता तत्राङ्गभूतेषु श्लिष्टार्थेषु सादृश्याध्यवसाय एवेति च समाधानाशयः।

एक शङ्का और उसका समाधान करते हैं—नन्वत्र इत्यादि। आप कहेंगे कि—'महीभृताम्—' इस पद्य में 'पर्वतों के समान राजे' और 'शुक्र के समान कवित्व' ये दोनों उपमायें नहीं बन सकतीं, क्योंकि वहीं उपमा बनती है, जहाँ उपमान और उपमेय के बोधक पद पृथक्-पृथक् उपात्त हों, यहाँ तो 'महीभृत्' और 'काव्य' ये एक-एक शब्द ही क्रमशः पर्वत और राजा तथा शुक्र और कवित्व के बोधक हैं, अतः यहाँ इन श्लिष्ट अर्थों में परस्पर अभेद ही समझा जायगा और तदनुसार अलङ्कार बनेगा रूपक, न कि उपमा। तो इस आशङ्का का समाधान यह है कि जैसे एकशब्दोपात्तत्व(एक शब्द से ज्ञात होने)रूप युक्ति से श्लिष्ट अर्थों में अभेद आरोपित होता है, वैसे ही एकशब्दोपात्तत्वरूप समान धर्म के बल से उन (श्लिष्ट) अर्थों में परस्पर सादृश्य भी समझा जा सकता है, अतः 'महीभृत्' इस एक पद से उपात्त पर्वत और राजा में तथा 'काव्य' इस एक पद से अवगत शुक्र और कवित्व में सादृश्य (उपमा) मानने में कोई आपत्ति नहीं है, उन अर्थों में अभेद भी जब समझा जा सकता है, तब वही क्यों नहीं समझा जाय—अर्थात् रूपक ही क्यों नहीं माना जाय यह तर्क तो उपस्थित किया नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जो 'राजा (वर्णनीय नृपति), सुमेरु और वृषपर्वा (दैत्यराज) के समान' ये दो मुख्य उपमायें स्पष्ट शब्दों में वर्णित हैं, उनके अनुकूल 'राजे पर्वतों के समान और कवित्व शुक्र के समान' ये उपमायें ही होती हैं 'राजारूप पर्वत और कवित्वरूप शुक्र' ये रूपक नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ अङ्गी (प्रधान) अलङ्कार भी रूपक ही हो, वहीं अङ्गभूत श्लिष्ट अर्थों में भी अभेदारोप करके रूपक माना जाना चाहिये और जहाँ अङ्गी अलङ्कार उपमा हो, वहाँ अङ्गभूत श्लिष्ट अर्थों में एकशब्दोपात्तत्वरूप साधारण धर्म के कारण उपमा ही मानी जाय यही उचित है।

सप्तमं भेदमुदाहर्तुमाह—

केवलशुद्धपरम्परिता यथा—

केवला न तु मालारूपा, शुद्धा न तु श्लिष्टा, परम्परिता—उपायोपेयभावयुक्ता उपमा यथेति भावः।

केवलशुद्धपरम्परित उपमा जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'राजा युधिष्ठिरो नाम्ना सर्वधर्मसमाश्रयः।
द्रुमाणामिव लोकानां मधुमास इवाभवत्॥'

कविः कथयति—सर्वेषाम्, धर्माणाम्, समाश्रयः रक्षक इति यावत्, नाम्ना युधिष्ठिरः युधिष्ठिरनामक इति भावः, राजा प्रजारञ्जको महाभारतप्रसिद्धो भूपतिः, द्रुमाणाम् तरूणाम्, इव, तरुसदृशानामिति यावत्, लोकानाम्, जनानाम् कृते इति शेषः, मधुमासः चैत्रमासः, इव, अभवत्। यथा चैत्रे तरवः पुष्पिताः फलिताश्च भवन्ति, तथा तद्राज्ये

जनता सदा समृद्धिमयी अतिष्ठदित्यर्थः। अत्र मालारूपताविरहात् केवलत्वम् , श्लेषाभावाच्छुद्धत्वम् , अन्योन्योपायतारूपत्वात्परम्परितत्वमिति बोध्यम् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—राजा इत्यादि। कवि का कथन है—सब धर्मों का आश्रय (रक्षक) युधिष्ठिर-नामधारी राजा, लोगों के लिये ऐसा था, जैसा तरुओं के लिये चैत्रमास—अर्थात् चैत्रमास के वृक्षों के समान उसके राज्य में सब लोग खूब फूलते-फलते (सुखसमृद्धिमय) थे। यहाँ 'चैत्रमास' और 'युधिष्ठिर' की उपमा के विना 'तरुओं' और 'लोगों' की उपमा सिद्ध नहीं हो सकती, और न 'तरुओं और लोगों' की उपमा के विना 'चैत्र' और 'युधिष्ठिर' की उपमा सिद्ध हो सकती है, अतः यह उपमा परम्परिता है, श्लेषरहित है, अतः शुद्धा है और उपमानों की माला नहीं है-एक ही उपमान है, अतः केवल है।

अष्टमं भेदमुदाहर्तुमाह—

मालारूपशुद्धपरम्परिता यथा--

स्पष्टम् ।

मालारूप शुद्धपरम्परित उपमा जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'मृगतां हरयन्मध्ये वृक्षतां च पटीरयन् ।
ऋक्षतां सर्वभूतानां त्वमिन्दवसि भूतले ॥'

कविः कथयति—हे राजन् ! मृगतां मृगवदाचरतां, सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां, मध्ये, हरयन् हरिः सिंहः तद्वदाचरन्, वृक्षतां वृक्षवदाचरतां, सर्वभूतानां, मध्ये, पटीरयन् पटीरं चन्दनं तद्वदाचरन् , त्वम् , ऋक्षताम् ऋक्षाणि ताराः तद्वदाचरतां, सर्वभूतानां, मध्ये, भूतले इन्दवसि इन्दुरिवाचरसि इत्यर्थः। सर्वत्राचारे क्विप्। अत्रैकस्य राजरूपस्योपमेयस्य कृते बहूपमाननिर्देशान्मालात्वम् , श्लेषाभावाच्छुद्धत्वम् , परस्परोपायोपेयभावाच्च परम्परितत्वमित्यवगन्तव्यम् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—मृगताम् इत्यादि। कवि कहता है—हे राजन् ! इस संसार में यदि सब प्राणी मृगसदृश आचरण करते हैं तो आप उनमें सिंह के समान आचरण करते हैं, यदि वे वृक्ष के तुल्य आचरण करते हैं तो आप उनमें चन्दन के समान आचरण करते हैं, और यदि वे तारों के समान आचरण करते हैं तो आप उनमें चन्द्र के समान आचरण करते हैं। यहाँ राजारूप उपमेय के लिये अनेक उपमानों का निर्देश किया गया है, अतः यह उपमा मालारूपा है, श्लेष न रहने के कारण शुद्धा है और परस्पर एक दूसरे की उपायभूत होने के कारण परम्परिता है।

विशेषमाह—

उपमानयोः परस्परमुपमेययोश्चानुकूल्ये उपमयोरेषोपायता निरूपिता।

पूर्वोक्तासु यासु परम्परितोपमासु परस्परोपायता प्रदर्शिता, तत्रोपमाद्वयाङ्गभूतमुपमानद्वयमुपमेयद्वयञ्चाविरोधि, परन्तु तयोर्विरुद्धत्वेऽपि उपमाद्वयस्योपायता मिथः संभवतीति भावः।

एक विशेष की चर्चा करते हैं--उपमानयोः इत्यादि। पूर्वोक्त जिन परम्परित उपमाओं में दो उपमाओं के परस्पर उपायभूत होने की बात कही गई है उनमें दोनों

उपमाओं के उपमान-उपमेय अनुकूल थे--अविरोधी थे, पर उनके परस्परविरोधी रहने पर भी उपमाओं में एक दूसरे का उपाय होना बन सकता है, अतः वैसी स्थिति में भी परम्परित उपमा हो सकती है।

तथाविधमुदाहरणं प्रदर्शयितुमाह—

प्रातिकूल्ये उपायता यथा--

उपमानोपमेययोः परस्परं विरुद्धत्वेऽपि उपमाद्वयस्य मिथः उपायता यत्र भवति तादृशमुदाहरणं प्रदर्श्यत इति भावः।

उपमान और उपमेय में परस्पर विरोध होने पर दो उपमाओं में जहाँ उपायोपेय-भाव होता है, वैसा उदाहरण दिखलाया जाता है।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'राजा दुर्योधनो नाम्ना सर्वसत्त्वभयङ्करः।
दीपानामिव साधूनां झञ्झावात इवाभवत् ॥'

नाम्ना दुर्योधनः दुर्योधननामा, सर्वसत्त्वभयङ्करः सकलप्राणिभयजनकः राजा, साधूनाम् सज्जनानां, कृते तथा अभवत्, यथा दीपानां, कृते, झञ्झावातः वृष्टिविकटो महावायुः, भवतीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—राजा इत्यादि। कवि कहता है—सब प्राणियों के लिये भयङ्कर दुर्योधन नामक राजा, सज्जनों के लिये वैसा ही था, जैसा प्रदीपों के लिये वृष्टि-मिश्रित विशकल वायु।

उपपादयति—

अत्रोपमानयोर्दीपझञ्झावातयोरन्योन्यमुपमेययोश्च साधुदुर्योधनयोः प्रातिकूल्येऽप्युपमयोः परस्परमानुकूल्यादुपायतैव।

'राजा दुर्योधनो—' इत्यस्मिन् पद्ये द्वे उपमे—दीपसाध्वोरेका, झञ्झावातदुर्योधनयोश्च द्वितीया, तत्र द्वितीया मुख्या, प्रथमाऽङ्गभूता यद्यपि अनयोरुपमयोरुपमानभूतौ, दीपझञ्झावातौ एवम् उपमेयभूतौ साधुदुर्योधनौ परस्परं विरुद्धौ, तथापि तत्तदुपमानोपमेयकोपमाद्वयस्य परस्परमुपायता भवति, विरोधिद्वय-वर्गद्वयस्य सादृश्ययोः विरोधाभावादिति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्रोपमान इत्यादि। 'राजा दुर्योधनो—' इस पद्य में दो उपमायें हैं—एक साधुओं की दीपों के साथ और दूसरी दुर्योधन की झञ्झावात के साथ। इन दोनों उपमाओं के उपमान—दीप और झञ्झावात, एवम् उपमेय'—साधु और दुर्योधन यद्यपि परस्पर प्रतिकूल हैं--विरोधी हैं, तथापि इन विरोधी तत्त्वों को लेकर बनाई गई उक्त दोनों उपमाओं में अङ्गाङ्गिभाव और उपायोपेयभाव-अर्थात् एक दूसरे का उपाय होना-हो सकता है-होता भी है, क्योंकि उपमाओं में परस्पर विरोध नहीं है, प्रत्युत अनुकूलता ही है। तात्पर्य यह कि 'जैसे मोहन, सोहन का विरोधी है, वैसे राघव, माधव का विरोधी है' ऐसा कहने पर उन सादृश्य वाले पदार्थों में भले ही विरोध प्रतीत हो, पर उन दोनों सादृश्यों में तो कोई विरोध दीख पड़ता नहीं, प्रत्युत आधार की समानता के कारण अनुकूलता ही झलकती है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए।

प्रागुदाहृता प्रातिकूल्ये केवलपरम्परितोपमा इदानीं मालारूपा सा प्रातिकूल्ये उदाह्रियते—

एवम्—

'सरोजतामथ सतां शिशिरर्तवताधुना।
दर्भतां सर्वधर्माणां राज्ञानेन विदर्भितम् ॥'

इत्यादौ मालारूपतायामपि।

एवमिति। पूर्वोक्तरीत्यैवेत्यर्थः। अस्य च 'मालारूपतायामपि' इत्यस्याग्रे शेषभूते 'प्रातिकूल्ये उपायता' इत्यत्रान्वयः। सरोजतामिति। कमलवदाचरतां सतां मध्ये शिशिरर्तुवदाचरतानेन राज्ञा दर्भवदाचरतां सर्वधर्माणां मध्ये विदर्भदेशवदाचरितमित्यर्थः। विदर्भे यथा दर्भा न प्ररोहन्ति तथास्मिन् राज्ञि धर्मा न प्ररोहन्तीति भावः। अत्रैकस्य राज्ञः उपमेयस्य स्वभावस्पष्टीकरणायोपमानद्वयनिर्देशात् मालारूपत्वमुपमायाः, सरोजशिशिरयोः सज्जननृपयोश्च प्रातिकूल्येऽपि उपायतासत्त्वात् परम्परितत्वम्, श्लेषाभावात् शुद्धत्वञ्चेति बोध्यम्।

प्रातिकूल्य में भी परस्पर उपायोपेयभाव वाली मालारूप शुद्धपरम्परितोपमा का उदाहरण दिखला रहे हैं—एवम् इति। 'राजा दुर्योधने—' इस पद्य में जैसे उपमान से उपमान की और उपमेय से उपमेय की प्रतिकूलता रहने पर भी परम्परित उपमा मानी गई है, उसी तरह 'सरोजताम्—' अर्थात् कमलों के समान आचरण करनेवाले सज्जनों के मध्य में शिशिरऋतु के तुल्य आचरण करनेवाले इस राजा ने, इस समय, दर्भ (कुश) के समान आचरण करने वाले सब धर्मों के मध्य में, विदर्भ देश (जहाँ दर्भ नहीं अङ्कुरित होते) के समान आचरण किया है। इत्यादिक मालारूप उपमाओं में भी वही बात-उपमान से उपमान की और उपमेय से उपमेय की प्रतिकूलता है। तात्पर्य यह कि प्रतिकूलता में पहला उदाहरण शुद्ध केवल परम्परिता का है और दूसरा मालारूप शुद्धपरम्परिता का।

उपमाया भेदान्तरं विवृणोति—

उपमेयानां स्वस्वोपमानानुपमानानामुपमानतायां रशनोपमा।

स्वस्वोपमानानुपमानानामिति। एतच्चोपमेयोपमायामतिव्याप्तिनिरासाय। तत्रोपमेयं स्वोपमानस्यैवोपमानं भवतीति स्वोपमानानुपमानत्वघटितस्यास्य लक्षणवाक्यस्य नातिव्याप्तिः। यत्र किञ्चिदुपमेयं स्वोपमानभिन्नस्य कस्यचित् पदार्थस्योपमानं भवति, तत्र रशनोपमा। नायं भिन्नोऽलङ्कारः, सामान्यलक्षणाक्रान्ततयोपमाया एव प्रभेद इति भावः।

उपमा का ही एक अभिनव प्रभेद दिखलाने के लिये पहले उस प्रभेद के योग्य स्थिति का स्पष्टीकरण करते हैं—उपमेयानाम् इत्यादि। जब कोई उपमेय अपने उपमान से भिन्न किसी पदार्थ का उपमान बन जाय, तब उस उपमा को 'रशनोपमा' कहते हैं। यहाँ 'अपने उपमान से भिन्न किसी पदार्थ का' ऐसा कथन 'उपमेयोपमा' में अतिव्याप्ति दोष के निराकरणार्थ है, क्योंकि उपमेयोपमा में भी उपमेय, उपमान बनता है, पर अपने उपमान का ही, यह समझना चाहिए।

रशनोपमामुदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ।

रशनोपमा जैसे ।

उदाहरणान्तरं निर्दिश्यते—

'वागिव मधुरा मूर्तिर्मूर्तिरिवात्यन्तनिर्मला कीर्तिः ।
कीर्तिरिव जगति सर्वस्तवनीया मतिरमुष्य विभोः ॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—अमुष्य अस्य, विभोः राज्ञः, मूर्तिः शरीरं, वागिव वाणीवत्, मधुरा, वाचि माधुर्यं सरसत्वम्, मूर्तौ च तत् सौन्दर्यमिति विवेकः, कीर्तिः यशः, मूर्तिरिव, अत्यन्तनिर्मला नितान्तविमला, जगति संसारे, सर्वैः स्तवनीया स्तुत्या प्रशंसनीयेति यावत्, मतिः बुद्धिः, कीर्तिरिव, वर्तत इति शेषः । अस्य राज्ञो वाङ्मूर्ति-कीर्तिमतिषु उत्तरमुत्तरं प्रति पूर्वं पूर्वमुपमानभूतमिति भावः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—वागिव इत्यादि । किसी राजा की प्रशंसा में कवि का कथन है—इस राजा की जैसी मधुर वाणी है वैसी ही मधुर मूर्ति (शरीर), और जैसी निर्मल मूर्ति है वैसी ही निर्मल कीर्ति, एवं जैसी संसार में सर्वस्तुत्य इसकी कीर्ति है वैसी ही इसकी बुद्धि भी सर्वस्तुत्य है ।

पूर्वोदाहरणगतं विशेषमाह—

इयं धर्मभेदे ।

उक्तरशनोपमोदाहरणे माधुर्यनिर्मलत्वादयः साधारणधर्मा मिथो भिन्नाः इति भावः ।

भिन्न-भिन्न साधारण धर्म के रहने पर उक्त उदाहरण में रशनोपमा हुई है ।

धर्मैक्ये रशनोपमामुदाहर्तुमाह—

धर्मैक्ये तु—

सप्तम्यर्थस्याप्रिमपद्येन सम्बन्धः । तुना पूर्वव्यवच्छेदः ।

साधारण धर्म के एक रहने पर तो ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'भूधरा इव मत्तेभा मत्तेभा इव सूनवः ।
सुता इव भटास्तस्य परमोन्नतविग्रहाः ॥'

कविः स्वाभिमतं कमपि नरपतिं स्तौति—तस्य राज्ञः, भूधराः पर्वता इव, मत्तेभाः मदमत्ता गजाः, मत्तेभाः, इव, सूनवः पुत्राः, सुताः पुत्राः, इव, भटाः योद्धारः, परमोन्नत-विग्रहाः अतिविशालदेहाः सन्तीत्यर्थः । अत्र परमोन्नतविग्रहत्वमेक एव तिसृषु उपमासु साधारणो धर्मः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—भूधरा इव इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—उस राजा के पर्वतों के समान मदमत्त हाथी, मदमत्त हाथियों के समान पुत्र और पुत्रों के समान योद्धागण, अति विशाल काय वाले हैं । यहाँ एक 'विशाल काय होना' ही तीनों उपमाओं में साधारण धर्म है ।

रशनोपमां धर्मलुप्तामुदाहर्तुमाह—

धर्मलोपे तु तस्येत्यस्यानन्तरम् 'भटा इव युधि प्रजाः' इति बोध्यम् ।

'भूधरा इव—' इति पद्ये 'तस्य' इत्यस्याग्रे 'योद्धार इव युद्धे प्रजाः—जनताः—सन्ती'-त्यर्थके 'भटा इव युधि प्रजाः' इति पाठे समाश्रिते तदेव पद्यं धर्मलुप्ताया रशनोपमाया उदाहरणं सम्पद्यत इति भावः।

धर्मलुप्ता रशनोपमा के उदाहरण दिखलाने के लिये कहते हैं—धर्मलोपे इत्यादि। 'भूधरा इव—' इसी पद्य में 'तस्य के आगे यदि 'भटा इव युधि प्रजाः—अर्थात् योद्धाओं के ही समान युद्ध में प्रजाएं हैं' ऐसा पाठ कर दिया जाय तो वही पद्य धर्मलुप्ता रशनोपमा का उदाहरण समझा जायगा।

उपसंहरति—

इयमेवंभेदा प्राचीनैर्भेदैर्गुणने वागगोचरं भूमानं भजमाना नेयत्तामर्हतीति दिक्।

इयमिति। उपमेत्यर्थः। वागगोचरं वाचा प्रतिपादयितुमनर्हम्। भूमानम् अतिशयम् भजमाना आसादयन्ती। मदुक्तानामभिनवानां भेदानां प्राचीनोक्तैर्भेदैः सह गुणने उपमाया इयन्तो भेदा भवेयुर्येषामियत्तया परिच्छेदः कर्तुमशक्य इति भावः।

उपसंहार करते हैं—इयम् इत्यादि। इस तरह इन अभिनव भेदों का प्राचीन भेदों के साथ गुणा करने पर उपमा के इतने अधिक भेद हो जाते हैं कि—उनको कहा नहीं जा सकता. अत एव उनकी इयत्ता—निश्चितसंख्या—असंभव है।

उपमाया ध्वनित्वमाह—

एषैव च यदा सकलेन वाक्येन प्राधान्येन ध्वन्यते तदा परिहृतालङ्कारभावा ध्वनिव्यपदेशहेतुः।

एषैव उपमैव। प्राधान्येनेति : एतेन गौणतया ध्वनने न ध्वनिव्यपदेशहेतुरपि तु व्यङ्ग्यालङ्कार एवेति सूचितम्। यदेयमुपमा सम्पूर्णवाक्यस्य प्रधानभूतो व्यङ्ग्यार्थो भवति, तदाऽलङ्कारत्वं तत्र न तिष्ठति, प्रधानत्वेन तस्य स्वयमलङ्कार्यत्वात्। अपि च प्रधानतया यस्मिन् काव्ये ध्वन्यते सा, तत्काव्यं तामेव ध्वन्यमानामुपमामाधाय ध्वनिनामकोत्तमोत्तमकाव्यत्वेन व्यपदिश्यत इति भावः।

अब उपमा-ध्वनि का विचार करते हैं—एषैव च इत्यादि। यही उपमा जब सम्पूर्ण वाक्य से प्रधानरूप में ध्वनित होती है तब उसकी अलङ्कारता नष्ट हो जाती है—अर्थात् वह अलङ्कार नहीं रह जाता है और काव्य के 'ध्वनि' (उत्तमोत्तम) कहे जाने का कारण हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि उपमा जब वाच्य रहती है तब वह वाच्यालङ्कार कहलाती है और जब उपमा गौणरूप में व्यङ्ग्य होती है तब व्यङ्ग्य अलङ्कार कहलाती है, साथ-साथ वह काव्य—जिसमें इन दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार की उपमा रहती है—'चित्र-काव्य' कहलाता है। परन्तु जब प्रधानरूप में सम्पूर्ण वाक्य से उपमा ध्वनित होती है, तब उसको अलङ्कार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलङ्कार का मतलब होता है दूसरे (प्रधान) को अलंकृत करने वाला स्वयं गौण, और इस तरह की उपमा से युक्त काव्य 'चित्र' न कहलाकर 'ध्वनि' कहलाता है, उसी उपमा के बल पर, चाहे अन्य कोई वस्तु या रस आदि न भी ध्वनित होता हो।

ननु ध्वन्यमानायामपि उपमायाम् 'अलङ्कारध्वनिः' इति रीत्याऽलङ्कारव्यवहारो भवति सोऽधुना कथं सङ्गच्छतामित्यत आह—

अस्यां चालङ्कारव्यपदेशः कदाप्यलङ्कारभावमप्राप्तेषु मञ्जूषादिगतेषु कटकादिष्विवालङ्कार्यगतधर्ममात्रसंस्पर्शनिबन्धनः ।

धर्ममात्रेति । उपमात्वेत्यर्थः । मात्रपदेनालङ्कारत्वव्यवच्छेदः । यानि कटकादीनि कदापि कामिनीकायश्लेषसौभाग्यं नापुः–विक्रेयतया वणिङ्मञ्जूषायामेव सुरक्षितानि, तेष्वलङ्करणक्रियाशून्येष्वपि कटकादिषु यथा कामिनीकायगतालङ्करणक्रियाविशिष्टकटकादिवर्तिकटकत्वधर्मस्य सत्त्वेनालङ्कारव्यवहारस्तथैव या उपमा प्राधान्येन ध्वन्यमानैव, अत एवालङ्कृतिकरणताशून्या, तस्यामपि, अलङ्कृतिकरणताविशिष्टवाच्योपमागतोपमात्वधर्मविशिष्टत्वेन स्वरूपयोग्यतया कथंचिदलङ्कारव्यवहार इति भावः । प्राचीनास्त्वत्र 'ब्राह्मणश्रमणन्यायेनालङ्कारव्यपदेशं' साधयामासुः परन्तु तदुचितं न प्रतिभाति, स्थलभेदेनोपमादेर्भिन्नतया प्राधान्येन ध्वन्यमानस्योपमादेः प्रागप्यलङ्कारत्वाभावात् तन्न्यायस्याप्रसक्तेः ।

प्रधानरूप में ध्वनित होनेवाले उपमा आदि में 'अलङ्कार' शब्द से व्यवहार होने का कारण बतलाते हैं—अस्यां च इत्यादि । प्रधानरूप में ध्वनित होनेवाले उपमादिक, किसी को अलंकृत नहीं करते, अतः वैसे उपमादिकों को अलङ्कार कहना—'अलङ्कारध्वनि' शब्द से उनका व्यवहार करना-यद्यपि उचित नहीं है, तथापि जैसे कभी आभूषण के काम में नहीं लाये गये-केवल सम्पत्ति के रूप में अथवा वेचने के लिये तिजोरी में बन्द करके रक्खे गये 'कड़े' आदि में—वस्तुतः आभूषण के रूप में धारण किये गये 'कड़े' आदि के धर्म (कड़ा का आकार-प्रकार) से युक्त होने के कारण—'कड़ा' का व्यवहार होता है, उसी तरह कभी किसी को अलंकृत नहीं करने वाले उपमादिकों में भी, वस्तुतः अलंकृत करनेवाले उपमादिकों के धर्म (उपमात्व) से युक्त होने के कारण अलङ्कार का व्यवहार होता है । प्राचीनों ने तो ऐसी स्थिति में 'ब्राह्मणश्रमणन्याय' से अलङ्कारव्यवहार को सिद्ध किया है जिसका अभिप्राय यह है कि-जैसे श्रमण (संन्यासी) की कोई जाति नहीं होती, फिर भी ब्राह्मणकुल से संन्यास ग्रहण करने के कारण पूर्वकालिक ब्राह्मणत्व को लेकर उसको 'ब्राह्मणश्रमण' कहा जाता है, उसी तरह प्राधान्येन ध्वन्यमानतादशा में अलङ्कार न होने पर भी पूर्वकालिक अलङ्कारभाव को लेकर उस दशा में भी उपमा आदि को अलङ्कार कहा जाता है, परन्तु यह बात सङ्गत नहीं प्रतीत होती, क्योंकि कभी (पूर्व में) ब्राह्मण रहने पर ही संन्यासावस्था में भी उसको ब्राह्मण कहा जाता है, यहाँ तो वैसी बात नहीं है—अर्थात् जब स्थल के भेद से उपमा (सादृश्य) आदि भिन्न-भिन्न माना जाता है—तब जो उपमा आदि प्रधानरूप में ध्वनित होता है, वह कभी अलङ्कार नहीं रहा-पहले भी किसी को अलंकृत नहीं किया-फिर यहाँ 'ब्राह्मणश्रमण' वाला न्याय प्राप्त ही कहाँ होता है ?

उपमाध्वनिं विभजते—

क्वचिदसौ शब्दशक्तिमूलानुध्वननविषयः । क्वचिदर्थशक्तिमूलानुध्वननविषयः ।

उपमाध्वनिर्द्विविधः–शब्दशक्तिमूलानुरणनरूप एकः, अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपश्च द्वितीयः । अनुरणनरूपत्वकथनेनास्य ध्वनेः संलक्ष्यक्रमता प्रतिपाद्यते । शब्दशक्तिमूलत्वञ्च शब्दानां परिवृत्त्यसहत्वात्, अर्थशक्तिमूलत्वञ्च तेषां तत्सहत्वादिति भावः ।

उपमाध्वनि का विभाग करते हैं—क्वचित् इत्यादि । उपमा की ध्वनि दो प्रकार की होती है—एक शब्दशक्तिमूलक और दूसरी अर्थशक्तिमूलक—अर्थात् जहाँ शब्द ऐसे हों,

जिनके स्थान पर पर्यायवाची दूसरे शब्दों का निवेश कर देने पर उपमा की ध्वनि न हो सके, वहाँ शब्दशक्तिमूलक और जहाँ शब्दों को पर्यायवाची अन्य शब्दों से परिवर्तित कर देने पर भी उपमा ध्वनित हो सके वहाँ अर्थशक्तिमूलक उपमाध्वनि होती है। ये दोनों ही ध्वनियाँ अनुध्वनन-अनुरणनरूप कही जाती हैं, क्योंकि इन ध्वनियों में व्यङ्ग्यव्यञ्जक का क्रम उसी तरह लक्षित होता रहता है जिस तरह ध्वनि प्रतिध्वनि का अतएव इस तरह की ध्वनियों को संलक्ष्यक्रम भी कहते हैं।

प्रथमं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

आद्यो यथा—

शब्दशक्तिमूलकोपमाध्वनिर्यथेति भावः।

पहली—शब्दशक्तिमूलक—उपमा-ध्वनि, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अविरलविगलद्दानोदकधारासारसिक्तधरणितलः।
धनदाग्रमहितमूर्तिर्जयतितरां सार्वभौमोऽयम्॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—अविरलं सततम्, विगलता पतता, दानोदकस्य दानोद्देश्यकसङ्कल्पजलस्य, धारायाः, आसारेण वर्षणेन, ('धारासम्पात आसारः' इति कोशानुसारमासारपदेनैव गतार्थतया 'धारा'पदमनर्थकमिति केचित्, 'सति विशेषणवाचकपदसमवधाने विशिष्टवाचकपदानां विशेष्यमात्रपरत्वम्' इति न्यायेन 'चक्रीचकैः—' इति कालिदासप्रयोगवत् धारापदं सार्थकमित्यन्ये) सिक्तमार्द्रीकृतं, धरणितलम् धरातलं येन तादृशः, तथा धनदानां धनदायकानां धनिकजनानाम्, अग्रे, महिता पूजिता—सर्वाधिकदातृत्वेन प्रशंसिता—मूर्तिः स्वरूपं यस्य, तथाविधश्च, अयं कविमनोगतः, सार्वभौमः सर्वभूमीश्वरः चक्रवर्तीति यावत्, जयतितराम् नितान्तं सर्वोत्कर्षेण वर्तत इति प्राकरणिकोऽर्थः। अविरलं गलता, दानोदकधारासारेण मदजलवृष्ट्या, सिक्तं धरणितलं येन, तादृशः तथा धनदस्य कुबेरस्य, अग्रे महिता मूर्तिर्यस्य, तादृशश्च, अयं सार्वभौमः उदग्दिग्गजः, जयतितराम्, इति चाप्राकरणिकोऽर्थः। अत्रानेकार्थकानां दान-धनद-सार्वभौमादिपदानामभिधा यद्यपि प्रकरणेन राजपक्षीयार्थेषु नियन्त्रिता, अतो दिग्गजपक्षीयोऽर्थो न वाच्यः, तथापि व्यञ्जनया सोऽर्थो भवत्येवावगतः। एवञ्चाप्राकृतोऽर्थोऽसम्बद्धो मा भूदिति राजदिग्गजयोरुपमा कल्प्यत इति शब्दशक्तिमूलोपमाध्वनिरत्र सिध्यतीति भावः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अविरल इत्यादि। कवि का कथन है—जिसने निरन्तर गिरते हुए दानजल (सङ्कल्प के जल) की धारावाहिक वृष्टि से धरातल को सिक्त कर दिया है और जिसका स्वरूप धनदायकों के आगे पूजित है—प्रशस्त है—ऐसा यह सार्वभौम (समग्र पृथ्वी का अधिपति) सर्वोत्कृष्ट है और—जिसने सतत गिरते हुए मद-जल (दानवारि) की धारावाहिक वृष्टि से पृथ्वीतल को आर्द्र कर दिया है तथा जिसकी मूर्ति (स्वरूप) कुबेर के आगे पूजा-प्रशंसा-पाती है, ऐसा यह सार्वभौम (उत्तर दिशा का दिग्गज) सबसे परमोत्कृष्ट है। यहाँ 'प्रकरण' (एक अभिधानियामक) से 'दान-धनद-सार्वभौम'-आदि पदों की शक्ति राजपक्षीय अर्थों में नियन्त्रित हो गई है, अतः प्रथम (राजपक्षीय) अर्थ ही वाच्य होता है परन्तु दूसरा (दिग्गजपक्षीय) अर्थ भी शाब्दी व्यञ्जना से ज्ञात होता है। इस स्थिति में द्वितीय असंबद्ध अर्थ का बोधक

पद्य नहीं समझा जाय, इसलिये 'दिग्गज के समान राजा' यह उपमा अलङ्कार भी व्यञ्जना से अवगत होने वाला माना जाता है। इस तरह से शब्दशक्तिमूलक उपमाध्वनि का यह पद्य उदाहरण होता है।

उपमाध्वनेरुदाहरणान्तरं निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

उपमाध्वनेरुदाहरणान्तरं यथेत्यर्थः।

अथवा जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'विमलतरमतिगभीरं सुपवित्रं सतत्त्ववत्सुरसम्।
हंसावासस्थानं मानसमिह शोभते नितराम्॥'

कविः कथयति—विमलतरम् कामक्रोधादिराहित्येनातिस्वच्छम्, अतिगभीरम् प्रबलधैर्यसंयुक्तम्, सुपवित्रम् कुवासनाहीनम्, सतत्त्ववत् बलवत्, सुरसम् शृङ्गारादिनवविधरसपेशलम्, हंसावासस्थानम् परमात्मस्थितिस्थानम्, मानसम् मनः, इह जगति, नितरां सर्वथा, शोभते शोभामधिगच्छतीति प्राकरणिकोऽर्थः। विमलतरम् पङ्कादिरहितम्, अतिगभीरम् पातालतलचुम्बि, सुपवित्रम् बाह्यविकाररहीनम्, सतत्त्ववत् जलजन्तुभिः सहितम्, सुरसम् शोभनसलिलम्, हंसावासस्थानम् नानाविधराजहंसाश्रयीभूतम्, मानसम् तन्नामकं सरः, इह जगति, नितरामत्यन्तम्, शोभत इति चाप्राकरणिकोऽर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—विमल इत्यादि। कवि का कथन है—अत्यन्त निर्मल (क्रोध आदि से शून्य), अत्यन्त गंभीर (धैर्ययुक्त) अतिपवित्र, बलशाली, रसिक और परमात्मा का निवासस्थान मन, इस संसार में अत्यन्त शोभित होता है—यह प्राकरणिक अर्थ और—अत्यन्त निर्मल (पङ्क आदि से रहित) अत्यन्त गहरे, अत्यंत पवित्र, प्राणियों (जलजन्तुओं) से युक्त, सुन्दर जल वाले और राजहंसों का निवासस्थान मानससरोवर इस संसार में अत्यन्त शोभित होता है—यह है अप्राकरणिक अर्थ।

उपपादयति—

अत्रानेकार्थानामपि शब्दानां प्रकरणेन कृतेऽपि शक्तिसङ्कोचे तन्मूलकेन ध्वननेन प्रतीयमानस्य, सरोवररूपस्यार्थान्तरस्याप्रस्तुतस्याभिधानं मा भूदिति प्रकृताप्रकृतयोरुपमानोपमेयभावः प्रधानवाक्यार्थतया कल्प्यते।

अत्रेति। विमलतरमित्यादिपद्ये इत्यर्थः। अत्र 'उदाहरणद्वये' इति नागेशटीका न सङ्गता, अग्रे 'सरोवररूपस्यार्थान्तरस्य' इति स्पष्टमभिधानात्। 'विमलतरम्—' इति पद्ये क्रियापदमपहाय सर्वे शब्दा द्व्यर्थकाः। परन्तु मनोवर्णनप्रकरणे पद्यमिदमुक्तम्, अतस्तदनुकूलेष्वर्थेषु तेषां शब्दानां वाचकताशक्तिः प्रकरणबलान्नियम्येत। तथा च तत्पक्षीय एवार्थो वाच्यः सरोवरपक्षीयश्चार्थः शब्दशक्तिमूलव्यञ्जनया बोध्यः। असम्बद्धतया तद्बोधोऽसङ्गतो न भवतु इति सरोवरमनसोरुपमा व्यज्यत इति शब्दशक्तिमूलकोपमाध्वनिरत्रेति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'विमलतरम्—' इस पद्य के सभी पद प्रायः अनेकार्थक हैं, पर प्रकरण है यहाँ मन का, अतः मनःपक्षीय अर्थ में, उन पदों की शक्ति,

प्रकरण के द्वारा, नियन्त्रित हो जाती है, जिससे वाच्यवृत्ति के द्वारा मनःपक्षीय अर्थ ही अवगत होता है, किन्तु शाब्दी व्यञ्जना से सरोवरपक्षीय अर्थ का ज्ञान भी होता है—वह भी रोका नहीं जा सकता। इस स्थिति में सरोवरपक्षीय अर्थ के बोधक होने के कारण यह पद्य असम्बद्ध अर्थ का प्रतिपादक नहीं समझा जाय इस भय से उन दोनों (सरोवर और मन) अर्थों में उपमान-उपमेय-भाव की कल्पना की जाती है, अतः यह भी पद्य शब्दशक्तिमूलक उपमा-ध्वनि का उदाहरण होता है।

द्वितीयं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

द्वितीयो यथा—

अर्थशक्तिमूलकोपमाध्वनिर्यथेत्यर्थः।

अर्थशक्तिमूलक उपमाध्वनि, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अद्वितीयं रुचात्मानं दृष्ट्वा किं चन्द्र दृप्यसि।
भूमण्डलमिदं सर्वं केन वा परिशोधितम्॥'

अन्तःपुरमात्रसञ्चारिण्याः सुषमाशालिन्या निजप्रेयस्या मुखमालोक्य बहिरागतस्य कस्यचित् पुंसः चन्द्रमसं प्रत्युक्तिः—चन्द्र! रुचा कान्त्या, अद्वितीयं निरुपमम्, आत्मानं, दृष्ट्वा ज्ञात्वा (ज्ञानसामान्यार्थकोऽत्र दृशिः), किं, दृप्यसि गर्वमनुभवसि? नायं तव गर्वानुभवः समुचित इति भावः। तत्र हेतुमाह—भूमण्डलमित्यादिना। केन जनेन, (वाशब्दो हेतुपरः) इदं, सर्वम्, भूमण्डलम्, परिशोधितम् गवेषितम्? न केनापीति भावः। तथा च सकलप्राण्यपरिशोधितेऽत्र संसारे तथाविधमपि वस्तु लब्धुं शक्यम्, यत्तवोपमानतां भजेतेति भावः। अत्रैवान्तःपुरे वर्तमानायाः मम प्रियतमाया आननं तव तुलां बिभर्तीति तात्पर्यम्।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अद्वितीयम् इत्यादि। सदा अन्तःपुर में ही रहने वाली अपनी परमसुन्दरी प्रेयसी के मुख को देखकर बाहर निकले हुए किसी पुरुष की चन्द्रमा के प्रति उक्ति है कि—हे चन्द्र! तुम कान्ति के कारण अपने को अद्वितीय समझ कर क्या गर्व कर रहे हो? किसने इस समग्र पृथ्वीमण्डल को ढूँढ़ा है?—इस अनन्त पृथ्वीमण्डल में एक से एक सुन्दर वस्तु है, कहीं तुम से सुन्दर वस्तु मिल सकती है। तात्पर्य यह कि यहीं अन्तःपुर में रहने वाली मेरी प्रियतमा का मुख तुम से कहीं बढ़कर सुन्दर है।

उपपादयति—

अत्र मूढादिपदाप्रयोगादसूयादेरप्रत्ययान्मुख्यतयोपमैव व्यङ्ग्या।

अत्रेति। 'अद्वितीयम्—' इति मूढादिपदाघटिते पद्ये इत्यर्थः। असूयादेरप्रत्ययादिति। असूयादिभावानभिव्यक्तेरित्यर्थः। अत्र 'अत्र मूढादिपदाप्रयोगेऽपि किं चन्द्र दृप्यसीत्याक्षेपेणासूया व्यङ्ग्या न वेति सहृदयैर्विभाव्यम्' इति नागेशः। विरहिण उक्तौ मूढादिपदाप्रयोगेऽपि असूयाऽभिव्यक्तुम् शक्या, उद्दीपकं चन्द्रं प्रति विरहिणोऽसूयासम्भवात्। परमिदं पद्यं न विरहिण उक्तिरपि तु कान्तासङ्गतस्येति कथमिहासूयाभिव्यक्तिसम्भावना? तस्मात् नायिकानने चन्द्रोपमानभाव एवात्र वक्तुरभिप्रेतः तथा चोपमैवात्र प्रधानव्यङ्ग्येति युक्तमुत्पश्यामि। प्रागपि पद्यमिदमस्मिन्नेव प्रकरणे उदाहृतम्, परन्तु तत्र मूढपदं

प्रयुक्तम् । विरहिणश्चोक्तिरुपपादिता, अतस्तत्रासूया प्रधानव्यङ्ग्या, उपमा चाभिव्यज्यमानापि असूयोपस्कारिका अलङ्काररूपा । अत्र तु मूढपदं न प्रयुक्तम् संयोगिनश्चोक्तिः स्वीकृता, अतो नात्रासूयाऽभिव्यक्तिः, किन्तु उपमैव प्रधानव्यङ्ग्या । तेन पद्यमिदमर्थशक्तिमूलकोपमाध्वनेरुदाहरणं सम्पद्यत इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । इसी प्रकरण में यह पद्य पहले भी उदाहृत हो चुका है, पर वहाँ 'मूढ' पद का प्रयोग हुआ है और विरही की उक्ति मानी गई है, अतः वहाँ 'असूया' मुख्य व्यङ्ग्य होती है जिसको व्यङ्ग्य उपमा अलंकृत करती है, अतएव वह पद्य व्यङ्ग्य उपमा अलंकार का उदाहरण कहा गया है । किन्तु यहाँ इस पद्य में 'मूढ' पद का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे यह विरही की उक्ति नहीं कही जा सकती, प्रत्युत संयोगी की उक्ति है, अतः असूया यहाँ अभिव्यक्त नहीं होती अपितु मुख्यरूप में उपमा ही अभिव्यक्त होती है, अतएव यह पद्य अर्थशक्तिमूलक उपमाध्वनि का उदाहरण होता है । यहाँ नागेश का कथन है कि "इस पद्य में 'मूढ' पद का प्रयोग न होने पर भी 'हे चन्द्र ! तू गर्व क्यों करता है' इस उक्ति से आक्षेप के द्वारा 'असूया' अभिव्यक्त होती है अथवा नहीं, इसका विचार सहृदयों को करना चाहिये ।" इस कथन से, नागेश यहाँ असूया की अभिव्यक्ति मानते हैं' ऐसा भासित होता है पर मुझे नागेश का दृष्टिकोण उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उद्दीपक चन्द्र के प्रति विरही के हृदय में असूया होती है, अतः पूर्व पद्य-जो विरही की उक्ति है—में असूया की अभिव्यक्ति ठीक है, पर यहाँ तो यह पद्य विरही की उक्ति है नहीं-एक पत्नी के साथ रहनेवाले की उक्ति है, फिर उसके लिये चन्द्रमा सुखद ही है कष्टदायक नहीं, ऐसी स्थिति में यहाँ भी असूया की अभिव्यक्ति मानना कहाँ तक सङ्गत है इस बात का भी विचार सहृदय जन ही करेंगे ।

इदानीमुपमास्थलीयशाब्दबोधविचारमारभते—

अथात्र सादृश्यस्य पदार्थान्तरत्वे बोधो विचार्यते—अरविन्दसुन्दरमित्यत्रारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकं लक्ष्यते । तच्च सुन्दरपदार्थैकदेशेन सौन्दर्येणाभेदसंसर्गेणान्वेति । तेनारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकाभिन्नसौन्दर्यवदभिन्नमिति धीः । निपातातिरिक्तनामार्थयोर्भेदान्वयस्याव्युत्पन्नत्वादभेदानुसरणम् । एकदेशान्वयस्तु देवदत्तस्य नप्तेत्यादाविवात्राप्यभ्युपेयः । 'समासस्यैव विशिष्टार्थे शक्तिः' इत्येके । 'अरविन्दपदमेव लक्षणया सर्वार्थबोधकं सुन्दरपदं तु तात्पर्यग्राहकम्' इत्यपरे ।

अत्रेति । उपमाप्रकरणे इत्यर्थः । सादृश्यस्य पदार्थान्तरत्वे इति । 'चन्द्र इव सुन्दरं मुखम्' इत्यादौ चन्द्रमुखोभयवृत्तिसौन्दर्यात्मकसमानधर्म एव सादृश्यम् नातिरिक्तमिति नैयायिकाः, मीमांसकास्तु स धर्मः सादृश्यस्य साधकः सादृश्यं तु पदार्थान्तरमेवेति मन्यन्ते तयोरन्तिमे पक्षे इति भावः । लक्ष्यत इति । अरविन्दपदेनेति शेषः । अभेदानुसरणमिति । प्रयोजकसौन्दर्ययोरिति भावः । 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति न पदार्थैकदेशेन' इति न्यायविरोधे प्राप्ते आह—एकदेशान्वयस्तु इति । ननु नित्यसाकाङ्क्षस्थले तथाङ्गीकारेऽपि अत्र न तथेति चेदत एव मतान्तरमाह—समासेति । अत्र मते गौरवान्मतान्तरमाह-अरविन्दपदमेवेति । सादृश्यमतिरिक्तः पदार्थः न समानधर्मरूप इति मीमांस-

काभिमते पक्षे तत्तदुपमाप्रतिपादकवाक्येभ्यः कीदृशः कीदृशो बोधो जायते ? कथं च तादृशो बोधो जायते इति विचारः सम्प्रति प्रक्रान्तस्तत्र प्रथम 'मरविन्दसुन्दरम्' इति समासगतोपमाप्रतिपादकवाक्याज्जायमानस्य बोधस्य विषये विचारः क्रियते, तत्रापि पूर्वम् पदार्थनिरूपणमपेक्षितम्, पदार्थज्ञानमन्तरा वाक्यार्थज्ञानासम्पत्तेरिति पदार्थो निरूप्यते—निपातातिरिक्तनामार्थयोरभेदान्वय एवेति अरविन्दपदार्थसुन्दरपदार्थयोरभेदान्वयः करणीयः, स चारविन्दपदवाच्यार्थपुरस्कारे न संभवति, तादृशवाक्यस्थले अरविन्दाभिन्नं सुन्दरमिति बोधस्य तादृशबोधेच्छाकालिकसुन्दरपदपूर्वप्रयोगनियमज्ञानाधीनबाधग्रस्तत्वात्, अतोऽरविन्दपदस्य स्वनिरूपितसादृश्यप्रयोजके लक्षणा, तथा चारविन्दपदस्यारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकं लक्ष्योऽर्थः। सुन्दरपदस्य च सौन्दर्यवदित्यर्थः। एवञ्चारविन्दपदलक्ष्यार्थस्याभेदसंसर्गेण सुन्दरपदार्थैकदेशे सौन्दर्येऽन्वयः। ननु कथं प्रयोजकपर्यन्तमरविन्दपदस्य लक्षणा क्रियते ? स्वनिरूपितसादृश्ये एव क्रियतां लक्षणा, तस्य च लक्ष्यार्थस्य प्रयोजकतासंबन्धेन सौन्दर्येऽन्वयो विधीयताम् इति चेन्न तथा सति पुनः नामार्थयोरभेदातिरिक्तः संबन्धोऽव्युत्पन्न इति नियमव्याकोपप्रसङ्गात्। प्रयोजकान्ते तादृशेऽर्थे लक्षणायां तु लक्ष्यार्थस्य प्रयोजकान्तस्याभेदेनैवान्वय इति न तद्व्याकोपः। न चैवं तन्नियमरक्षणेऽपि 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति न पदार्थैकदेशेन' इति नियमव्याकोपः प्रसक्त एव। सुन्दरपदार्थैकदेशे सौन्दर्येऽन्वयकरणादिति वाच्यम्, 'देवदत्तस्य नप्ता' इत्यत्र देवदत्तपदार्थस्य पुत्रपुत्रकन्यापुत्रान्यतरात्मकनप्तृपदार्थैकदेशीभूतप्रथमपुत्रकन्यान्यतरयोर्यथाऽन्वयः क्रियमाणः सह्यो भवति, तथाऽत्रापि स सह्य इत्याशयात्। इत्थञ्चारविन्दसुन्दरमिति वाक्यात् अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकाभिन्नं यत् सौन्दर्यम्, तद्वदभिन्नम् (मुखादि) इति बोधः सम्पद्यते। वैयाकरणास्तु 'समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्' इत्युक्त्या समासे शक्तिविशेषं स्वीकुर्वन्ति, तथा च तन्मतानुसारं न 'अरविन्दसुन्दरम्' इति पदात् खण्डशः पदार्थोपस्थितिः अपि तु समस्तात् तस्मात् सम्पूर्णात् पदात् पूर्वोक्तपर्यवसितबोधविषयत्वेनोक्तो विशिष्ट एवार्थ उपस्थितो भवति शाब्दबोधविषयश्च भवति। अस्मिन् मते न लक्षणा, न वा कस्यापि नियमस्य व्याकोपः तद्रक्षणायासो वा एकदेशान्वयप्रसङ्गो वा भवतीति सुगमोऽयं पन्थाः। केचित्तु अरविन्दपदस्यैव स्वनिरूपितसादृश्यप्रयोजकाभिन्नसौन्दर्यवदभिन्नमित्येतावदर्थे लक्षणा, सुन्दरपदं पुनः 'अरविन्दपदमत्र एतादृशे (उक्ताकारे) अर्थे लाक्षणिकम्' इत्यर्थे तात्पर्यग्राहकम्, यथा 'गभीरायां नद्यां घोषः' इत्यादौ तीरपदस्य गभीरनदीतटलक्षकत्वे गभीरपदं तात्पर्यग्राहकमङ्गीक्रियते। तात्पर्यग्राहकत्वन्नाम स्वसमाभिव्याहृतपदशक्तिबोधकत्वम्। अस्मिन्नपि पक्षे अन्वयादिक्लेशो नास्ति इति भावः।

अब उपमाप्रतिपादक वाक्यों से होने वाले शाब्दबोध के विषय में विचार करते हैं—अथात्र इत्यादि। इस प्रकरण को समझने के लिये आवश्यक है कि पहले 'शाब्दबोध' क्या वस्तु है यह समझ लिया जाय अतः संक्षेप में शाब्दबोधपदार्थ का विश्लेषण कर दिया जाता है। [शाब्दबोध पद का सीधा सा अर्थ होता है शब्द से होनेवाला (अर्थ का) ज्ञान। इसके दो विभाग किये जा सकते हैं, एक-किसी एक शब्द से होने वाला (अर्थ-) ज्ञान और दूसरा अनेक शब्दों के समूह (वाक्य) से होने वाला (अर्थ-)

ज्ञान। इन दोनों में प्रथम-अर्थात एकशब्द-जन्य-अर्थ-ज्ञान सरल है, उसमें अधिक बखेड़ा नहीं होता। मान लीजिए कि-आपने किसी के मुख से 'चन्द्रः' ऐसा शब्द सुना, सुन लेने के वाद—यदि आपको चन्द्र पद की शक्ति ज्ञात है तो आपको उस पद से चन्द्रत्व धर्म से युक्त चन्द्रमा का ज्ञान होगा, आपका वह (चन्द्रत्वविशिष्ट चन्द्र इस तरह का) ज्ञान ही चन्द्र पद से होने वाला शाब्दबोध कहलायगा। पर द्वितीय अर्थात् पदसमूहात्मक वाक्य से होने वाला ज्ञान अपेक्षया उससे कुछ कठिन है-उसमें बहुतेरे बखेड़े खड़े होते हैं। कारण, एक वाक्य में अनेक पद होते हैं और जिस वाक्य में जितने पद होते हैं, उनमें से प्रत्येक पद के पृथक् पृथक् अर्थ ज्ञात हो जाने के बाद उन अर्थों के अन्वयों-पारस्परिक सम्बन्धों—का ज्ञान करना पड़ता है, सम्बन्धज्ञान हो जाने पर परस्परसम्बद्धरूप में उन पदों का सामूहिक अर्थ - वाक्यार्थविषयक - ज्ञान जो होता है उसी को द्वितीय विभागीय शाब्दबोध कहा जाता है, इस प्रकार के शाब्दबोध को 'वाक्यार्थज्ञान', 'अन्वयबोध' आदि नामों से भी विद्वज्जन अभिहित करते हैं। कल्पना कीजिए कि-आपने 'रामो ग्रामं गच्छति' ऐसा वाक्य किसी से सुना, सुन लेने के बाद यदि आप, उक्त वाक्य के अन्तर्गत 'रामः' 'ग्रामम्' और 'गच्छति' इन तीनों पदों के अर्थ जानते रहेंगे, और साथ-साथ उन अर्थों के पारस्परिक सम्बन्ध से भी परिचित रहेंगे, तो उस वाक्य से 'रामाभिन्नाश्रयवृत्ति, ग्रामरूपोत्तरदेशनिष्ठसंयोगानुकूलः, वर्तमानकालिकः व्यापारः अर्थात्-राम से अभिन्न-रामरूप-आश्रय में रहने वाला ग्रामरूप अग्रिम प्रदेश के साथ होने वाले संयोग का उत्पादक और वर्तमान काल में होने वाला व्यापार (क्रिया-चरणसंचालन)' ऐसा वाक्यार्थबोध आप को होगा। क्योंकि—उक्त वाक्य में 'रामः' और 'ग्रामम्' इन संज्ञावाचक पदों का अर्थ व्यक्तिविशेष और स्थानविशेष समझ लेना कठिन नहीं, रहा 'गच्छति' यह क्रिया-पद, उसमें दो अंश हैं एक-'गम्' (जिसको गच्छ् आदेश-विकार-हो जाता है) धातुरूप प्रकृति और दूसरा-'ति' प्रत्यय, उनमें प्रकृति-धातु-का अर्थ है (उत्तरदेश-) संयोगानुकूलव्यापार-अर्थात् आगे के प्रदेश से संयुक्त करा देने वाली कर्ता की क्रिया जो पादविक्षेप (पैर का उठाना बैठाना) रूप है और ति प्रत्यय के अर्थ होते हैं आश्रय, वर्तमान काल, एवम् एकत्व संख्या। अब इन अर्थों के अन्वयसम्बन्ध को समझिये-राम का प्रत्ययार्थ आश्रय के साथ अभेदसम्बन्ध है, एवम् उस आश्रय का और काल का क्रिया के साथ वृत्तित्वसम्बन्ध है और संख्या का तिङर्थ आश्रय (कर्ता) के साथ समवायसम्बन्ध है। इसी तरह ग्राम का उक्त धात्वर्थ के एक अंश-संयोग-के साथ निष्ठत्वसम्बन्ध है। स्पष्ट अभिप्राय हुआ कि-धात्वर्थ में दो अंश रहते हैं, एक फलअंश और दूसरा क्रियाअंश, उन दोनों में से प्रथम अंश में कर्म का अन्वय होता है और द्वितीय अंश में तिङर्थ का। एवम् कर्म से अन्वित प्रथम धात्वर्थांश का भी अन्त में द्वितीय धात्वर्थांश में ही अन्वय हो जाता है, फलतः धात्वर्थ-क्रिया, शाब्दबोध में मुख्य विशेष्य होती है। (ऊपर लिखे गये वाक्यार्थबोध में इन सब बातों को मिलाकर देखिये।) शाब्दबोध की यह शैली (जिसके हिसाब से क्रिया मुख्य विशेष्य होती है) वैयाकरणों की है। नैयायिकों की शाब्दबोधशैली इससे भिन्न है। वे प्रथमान्त पद के अर्थ को ही शाब्दबोध में मुख्य विशेष्य बनाते हैं। विस्तार के भय से उस शैली की विशद चर्चा यहाँ नहीं की जाती है। जिज्ञासुओं को इसके लिये मुक्तावली के शब्दखण्ड आदि देखने चाहिए। वाक्य के अर्थ को स्पष्टरूप में समझने और समझाने के लिये शाब्दबोध की उक्त शैली से परिचित होना अत्यन्त आवश्यक है, अतः इस प्रकरण में यह समझाया गया है कि-उपमा, कितने प्रकार के वाक्यों से वर्णित हो सकती है और उन वाक्यों से कैसा-कैसा शाब्द-

बोध होता है ।] उपमावाक्यों के शाब्दबोध समझने से पूर्व एक बात और समझ लेने योग्य है । उपमा के लक्षण से यह बात विदित हो चुकी है कि-'सादृश्य' का ही नाम उपमा है । परन्तु वह सादृश्य क्या वस्तु है इस विषय में दो मत हैं । मीमांसक आदि का मत है कि-'सादृश्य' एक अतिरिक्त पदार्थ है-उसे किसी अन्य पदार्थ के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता परन्तु नैयायिकों का मत इससे भिन्न है । वे कहते हैं कि-सादृश्य कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, दो वस्तुओं में परस्पर जो एक से धर्म रहते हैं उन्हें ही सादृश्य कहा जाता है । उदाहरण के द्वारा इस मतभेद को स्पष्ट समझ लीजिए-किसी ने कहा-'उसका मुख चन्द्र-सदृश है, क्योंकि वे दोनों सुन्दर हैं' यहाँ मीमांसकों के मतानुसार 'सुन्दरता' और 'सादृश्य' भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, सुन्दरता सादृश्य को सिद्ध करने वाली है, किन्तु स्वयं सादृश्यरूप नहीं है । नैयायिकों के मतानुसार तो सुन्दरता ही सादृश्य है, उससे भिन्न सादृश्य कोई वस्तु नहीं । तात्पर्य यह निकला कि मीमांसक आदि के कथनानुसार सादृश्य एक स्वतन्त्र पदार्थ है और नैयायिकों के कथनानुसार समानधर्मरूप । अब यहाँ पहले सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानकर शाब्दबोध का विचार किया जा रहा है—पहले 'अरविन्दसुन्दरम्-अर्थात् कमल-सुन्दर' इस समासगत उपमाप्रतिपादक समस्त वाक्य को लीजिए । इस वाक्य में दो पद हैं—एक अरविन्द, दूसरा सुन्दर । इन दोनों पदों में से 'अरविन्द' पद का वाच्य अर्थ यद्यपि कमल है, तथापि वह अर्थ यहाँ बाधित है-अर्थात् सुन्दर पदार्थ के साथ शुद्ध कमलरूप वाच्य अर्थ का अन्वय नहीं हो सकता, अतः लक्षणा के द्वारा, उस (अरविन्द) पद का अर्थ यहाँ अरविन्दनिरूपित सादृश्यप्रयोजक इतना बड़ा करना पड़ता है । तात्पर्य यह कि 'सादृश्य' ही मध्य में आकर अरविन्द पदार्थ और सुन्दर पदार्थ को जोड़ता है, उसके बिना वे दोनों पदार्थ जुट ही नहीं सकते—अन्वित नहीं हो सकते । फलतः अब 'अरविन्द-सुन्दरम्' का अर्थ हो जाता है 'अरविन्दमिव सुन्दरम्'-अर्थात् कमल सा सुन्दर । 'इव (सा)' का अर्थ सादृश्य है, और उस सादृश्य का निरूपक होता है उपमान-अरविन्द, अतः 'सादृश्य' 'अरविन्द' से निरूपित कहलाता है । अभिप्राय यह कि-अरविन्द और सादृश्य के सम्बन्धरूप से मध्य में 'निरूपित' शब्द जोड़ना पड़ता है । अब इस 'अरविन्दनिरूपित सादृश्य' का अन्वय 'सुन्दर' पद के अर्थ-'सौन्दर्ययुक्त' के साथ करना है । 'सुन्दर' पद के इस समग्र अर्थ के साथ उक्त सादृश्य का कोई सम्बन्ध बन नहीं पाता, अतः उसके एक देश-एक भाग-सौन्दर्य के साथ 'सादृश्य' का अन्वय करना पड़ता है । सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानने वालों के हिसाब से 'सौन्दर्य' सादृश्य का प्रयोजक-साधक-होता है, अतः अरविन्द पद के लक्ष्य अर्थ में 'प्रयोजक' को भी समेट लेना पड़ता है । इस तरह से 'अरविन्दनिरूपित सादृश्यप्रयोजक' इस अरविन्द पद के लक्ष्य अर्थ का 'सुन्दर' पद के अर्थ-'सौन्दर्ययुक्त'-के एक भाग 'सौन्दर्य' के साथ अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है अतः इन दोनों अर्थों के मध्य में 'अभिन्न' शब्द जोड़ना पड़ता है । इस प्रकार से अब 'अरविन्दसुन्दर' का अर्थ होता है 'अरविन्द से निरूपित सादृश्य के प्रयोजक से अभिन्न सौन्दर्य से युक्त' । इस अर्थ का भी मुख आदि विशेष्य के साथ अभेदसम्बन्ध से अन्वय होता है, अतः 'अरविन्दसुन्दर' पद का शाब्दबोध होता है 'अरविन्द से निरूपित सादृश्य के प्रयोजक से अभिन्न सौन्दर्य से युक्त से अभिन्न ।' आप कह सकते हैं कि-अरविन्द पद की लक्षणा, 'प्रयोजक'पर्यन्त में करना व्यर्थ है, सादृश्यपर्यन्त में ही लक्षणा करनी चाहिये-अर्थात् 'अरविन्दनिरूपित सादृश्य' इतना ही अरविन्द पद का लक्ष्य अर्थ मानना चाहिए और उसका अन्वय,

'सौन्दर्य' के साथ 'प्रयोजकता' सम्बन्ध से कर लेना चाहिए। इस तरह करने पर शाब्द-बोध में 'प्रयोजक' के आगे जो 'अभिन्न' शब्द (सम्बन्धसूचक) जोड़ना पड़ता था वह नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब 'प्रयोजक' यह शब्द ही सम्बन्धबोधक के रूप में जोड़ा गया है। इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 'निपातों (च, वै, तु, हि आदि) से अन्य दो प्रातिपदिकों के अर्थों का भेद से-अर्थात् अभेदातिरिक्त सम्बन्ध से परस्पर अन्वय उस स्थिति में नहीं होता, यदि वे दोनों प्रातिपदिक समान विभक्ति वाले हों' ऐसा नियम है। इस नियम के अनुसार 'सादृश्य' का 'सौन्दर्य' के साथ 'प्रयोजकता'सम्बन्ध से अन्वय नहीं हो सकता। कारण, 'सादृश्य और सौन्दर्य' दोनों ही, क्रमशः 'अरविन्द और सुन्दर' इन दो प्रातिपदिकों के ही अर्थ हैं। अतः लक्षणा के द्वारा अरविन्द पद का प्रयोजकपर्यन्त अर्थ मानकर उसका सौन्दर्य के साथ अभेदसम्बन्ध से अन्वय करना पड़ता है। अब रही आशङ्का एक यह कि अरविन्द पद के लक्ष्य अर्थ-प्रयोजकपर्यन्त का अन्वय जो आपने सुन्दर पदार्थ के एकदेश सौन्दर्य के साथ किया है, वह कैसे ? क्योंकि 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैक-देशेन—अर्थात् पदार्थ दूसरे किसी पूरे पदार्थ के साथ ही अन्वित होता है, पदार्थ के एक भाग के साथ नहीं' ऐसा नियम है, इस नियम के अनुसार अरविन्दपदार्थ (प्रयोजकान्त) का अन्वय पूरे सुन्दर पदार्थ (सौन्दर्ययुक्त) के साथ होना चाहिए, पदार्थ के एक भाग (सौन्दर्य) के साथ नहीं। इसके समाधान में यह कहा जाता है कि-बात आपने सर्वथा ठीक कही है, पर कहीं-कहीं, अगत्या एक देश (एक भाग) के साथ भी अन्वय करना पड़ता है। जैसे - 'देवदत्तस्य नप्ता अर्थात् देवदत्त का नाती' यहाँ पर 'देवदत्त पदार्थ' का अन्वय, 'नाती पदार्थ' के एक हिस्से के साथ किया जाता है। तात्पर्य यह है कि—'नप्ता-नाती' पद का अर्थ होता है 'पुत्र का पुत्र' अथवा 'कन्या का पुत्र'। दोनों ही अर्थों में देवदत्त का सम्बन्ध, प्रथम पुत्र अथवा कन्या के साथ हो सकता है, पुत्र-पुत्र अथवा कन्या-पुत्र के साथ नहीं। उसी तरह यहाँ भी अरविन्द पद के लक्ष्यार्थ का अन्वय, सुन्दर पदार्थ के एक हिस्से-सौन्दर्य के साथ कर लिया जाता है। कुछ लोग (वैयाकरण), 'अरविन्दसुन्दर' इस समस्त पद में पद-शक्ति के अतिरिक्त एक समास-शक्ति मानते हैं, अतः वे उस समास-शक्ति के द्वारा ही 'अरविन्दसुन्दर' पद का 'अरविन्दनिरूपित सादृश्यप्रयोजक सौन्दर्ययुक्त' इतना बड़ा अखण्ड अर्थ कर लेते हैं। इस मत में 'अरविन्द और सुन्दर' इन दो पदों का खण्ड-खण्ड अर्थ कुछ होता ही नहीं है, फिर अन्वय आदि का झमेला उठे तो कैसे ? और जब अन्वय का झमेला ही समाप्त, तब एकदेशान्वय का कोई प्रसङ्ग हो नहीं आता। अन्य लोग (नैयायिक-मतानुयायी) अतिरिक्त समास-शक्ति मानने में गौरवदोष बतलाकर लक्षणापक्ष को ही ठीक मानते हैं, पर अरविन्द पद की लक्षणा मानते हैं 'अरविन्दनिरूपित सादृश्य-प्रयोजक सौन्दर्ययुक्त' इतने अर्थ में। अब बात रही यह कि—यदि 'अरविन्द' पद की लक्षणा ही उतने अर्थों में मान ली जाती है, तब 'सुन्दर' पद किस रोग की औषध है ? अर्थात् उक्त वाक्य में उसका प्रयोग व्यर्थ हो जाता है, तो इसके उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि—'सुन्दर' पद तात्पर्यग्राहक है—अर्थात् उतने अर्थों के बोध कराने के लिये वक्ता ने यहाँ 'अरविन्द' पद का प्रयोग किया है, इस बात का ज्ञान श्रोताओं को कराने के लिये 'सुन्दर' पद का प्रयोग किया गया है। ऐसी लक्षणा कहीं-कहीं अनिवार्यतः करनी पड़ती है। जैसे-'गभीरायां नद्यां घोषः अर्थात् गहिरी नदी के तट में वथान' यहाँ पर नदी पद की लक्षणा 'गभीरनदी-तट' में की जाती है और 'गभीर' पद को तात्पर्यग्राहक माना जाता है, अन्यथा (अर्थात् यदि नदी पद की

लक्षणा केवल नदीतट में की जाय-गभीर नदीतट में नहीं, तब) गभीर पदार्थ का अन्वय, नदी पदार्थ के साथ न बन सके, क्योंकि नदी पद का लक्षणया जो नदीतट अर्थ हुआ है उसमें गभीरता संभव नहीं है। इस पक्ष में भी एक पद का ही उतना बड़ा अर्थ हो जाने के कारण न अन्वय करने का झमेला उठता है, न एकदेश के साथ अन्वय-करणरूप दोष का प्रसंग ही आता है।

शाब्दबोधप्रदर्शनपुरस्सरं द्वितीयमुपमाप्रतिपादकं वाक्यमुल्लिखति—

तथा अरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रेवार्थे सादृश्येऽरविन्दस्य निरूपितत्व-संसर्गेणान्वयः। तस्य च प्रयोजकतासंसर्गेण सौन्दर्ये। एवं चारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकसौन्दर्यवदभिन्नमिति।

वदभिन्नमितीति। बोध इति शेषः। एवमग्रेऽपि। 'अरविन्दमिव सुन्दरम्' इति व्यस्तं वाक्यम्, तेनात्र वाक्यगतोपमा। सादृश्यमत्रेवपदेन वाच्यम्, तत्रोपमानभूतस्यारविन्द-पदार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेनान्वयो भवति। सादृश्यस्य च सुन्दरपदार्थैकदेशे सौन्दर्ये प्रयोजकतासम्बन्धेनान्वयो जायते। सुन्दरपदार्थस्य सौन्दर्यवतो मुखादावभेदसम्बन्धेन सः। तथा च अरविन्दनिरूपितं यत्सादृश्यं, तत्प्रयोजकं यत्सौन्दर्यं, तद्वता अभिन्नं मुखादीति वाक्यार्थबोधः सम्पद्यत इति भावः।

शाब्दबोध का विचार करने के लिये अब उपमा-प्रतिपादक द्वितीय वाक्य का उल्लेख करते हैं—तथा इत्यादि। 'अरविन्दमिव सुन्दरम् (कमल सा सुन्दर)' यह समासरहित उपमाप्रतिपादक वाक्य है, यहाँ 'इव' शब्द उक्त हुआ है, अतः इस वाक्य से अवगत होनेवाली उपमा वाक्यगता कहलायगी। 'इव' का वाच्य अर्थ है 'सादृश्य' उसमें अरविन्द-कमल-इस उपमान का अन्वय 'निरूपितत्व'सम्बन्ध से होता है और सादृश्य का अन्वय सुन्दर पदार्थ-सौन्दर्ययुक्त-के एकदेश-सौन्दर्य के साथ 'प्रयोजकता'-संबन्ध से किया जाता है। सुन्दर पद के अर्थ का मुख आदि अनुक्त विशेष्य के साथ अभेदसंबन्ध से अन्वय होता है यह निश्चित ही है, अतः शाब्दबोध में 'अरविन्द' और 'सादृश्य' शब्द के बीच 'निरूपित' शब्द 'सादृश्य' और 'सौन्दर्य' के बीच 'प्रयोजक'-शब्द एवम् 'सौन्दर्ययुक्त' के आगे 'अभिन्न'पद जोड़ दिये जाते हैं जिससे उक्त वाक्य का शाब्दबोध होता है 'कमल' से निरूपित सादृश्य के प्रयोजक सौन्दर्य से युक्त अभिन्न (मुख आदि)।

तदर्थं तथाविधं तृतीयं वाक्यमुल्लिखति—

अरविन्दमिवेत्यत्र त्वरविन्दनिरूपितसादृश्यवदिति।

'अरविन्दमिव' इति तृतीये उपमाप्रतिपादकवाक्ये साधारणधर्मबोधकं सुन्दरादिपदं नोक्तम्, अतोऽत्र वाक्यगता धर्मलुप्तोपमा। अत्रोपमानस्यारविन्दपदार्थस्य 'निरूपितत्व'-सम्बन्धेन इवार्थे सादृश्येऽन्वयः, सादृश्यस्य च स्वरूपसम्बन्धेनोपमेये मुखादौ तथ चारविन्दनिरूपितं यत्सादृश्यं, तद्वन्मुखादीति बोधो भवतीति भावः।

अब उपमा-प्रतिपादक तृतीय वाक्य का उल्लेख शाब्दबोध दिखलाने के लिये करते हैं—अरविन्दमिव इत्यादि। 'अरविन्दमिव (कमल सा)' इस तृतीय वाक्य में समान धर्मबोधक 'सुन्दर' आदि पद उक्त नहीं हैं, अतः यहाँ वाक्यगत धर्मलुप्तोपमा कही जाती है। यहाँ भी अरविन्द (उपमान), 'इव' पद के अर्थ-सादृश्य-में 'निरूपितत्व'-

संबन्ध से अन्वित होता है और 'सादृश्य, मुख आदि अनुक्त उपमेय में 'स्वरूप'-संबन्ध से, अतएव इस वाक्य से 'अरविन्द' से निरूपित सादृश्यवाला (मुखं) इस तरह का शाब्दबोध होता है।

आशंकामेकां मनसिकृत्य समाधत्ते—

निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यता निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्यविशेष्यतान्यतरभिन्नविशेष्यतासंसर्गेण नामार्थप्रकारकबोध एव विशेष्यतया विभक्तिजन्योपस्थितेर्हेतुत्वादिवार्थस्य नञर्थस्यैव भेदसंसर्गेण नामार्थविशेष्यत्वे विशेषणत्वे च न दोषः।

निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्यप्रकारतेति। निपातार्थनिष्ठप्रकारतेति भावः। निरूपितविशेष्यतेति। निपातार्थातिरिक्तनिष्ठविशेष्यतेति भावः। निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्यविशेष्यतेति। निपातार्थनिष्ठविशेष्यतेति भावः। इवार्थस्येति। सादृश्यस्येत्यर्थः। नञर्थस्येति। भेदादेरित्यर्थः। भेदसंसर्गेणेति। भेदसंसर्गशब्दः अभेदेतरसम्बन्धेषु परिभाषितः, तथा चाभेदातिरिक्तसंसर्गेणेति तदर्थः। नामार्थविशेष्यत्व इति। नामार्थनिरूपितविशेष्यत्वे इत्यर्थः। नामार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतायामिति यावत्। 'इवार्थस्य' इति प्राक्तनेनास्य सम्बन्धः। विशेषणत्व इति। नामार्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायामित्यर्थः। न दोष इति। कार्यकारणभावविरोधरूपो दोषो नेत्यर्थः। अयमत्र विशदोऽर्थः—शाब्दबोधस्य विषये द्वे मते प्रतिष्ठिते। आत्मनिष्ठप्रत्यासत्त्या बोध इत्येकं मतम्, विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या बोध इति च द्वितीयम्। तत्र द्वितीयमते आकाङ्क्षायोग्यताज्ञानादिरूपेतरसामग्रीसमवधानेऽपि 'राजा पुरुषः' इत्यादौ स्वत्वादिसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्धेन राजादिप्रकारकपुरुषबोधस्यानुभवविरुद्धस्य वारणाय भेदसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्धेन नामार्थप्रकारबोधे विशेष्यतया विभक्तिजन्योपस्थितेर्हेतुत्वम् वाच्यम्। तथा च पूर्वोक्तयोः स्थलयोः प्रथमस्थलेऽरविन्दस्य निरूपितत्वसम्बन्धेनेवार्थे सादृश्ये, सादृश्यस्य च प्रयोजकत्वसम्बन्धेन सुन्दरपदार्थैकदेशे सौन्दर्ये एवम् द्वितीयस्थलेऽरविन्दस्य तेनैव सम्बन्धेन तत्रैव सादृश्ये सादृश्यस्य च स्वरूपसम्बन्धेन मुखादौ कृताः अन्वयाः कथमुपपद्यन्ताम्, तेषामन्वयबोधानां निरूपितत्व–प्रयोजकत्व–स्वरूपात्मकभेदसंसर्गावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्धेन अरविन्देव रूपनामार्थप्रकारकतया उक्तकार्यकारणभावघटककार्यतावच्छेदकदलाक्रान्तत्वेऽपि सादृश्य-सौन्दर्य-मुखपदार्थानाम् विशेष्यतयोपस्थितेः क्रमशः इव-सुन्दर–मुखरूपनामजन्यतया कारणतावच्छेदकदलानाक्रान्तत्वादिति चेदत्राहुः—पूर्वोक्तकार्यकारणभावशरीरे कार्यतावच्छेदकसम्बन्धविधया न भेदसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासामान्यं निवेश्यते, अपि तु निपातार्थनिष्ठोपस्थितीयप्रकारतानिरूपितयत्किञ्चिदर्थनिष्ठविशेष्यता—निपातार्थनिष्ठोपस्थितीयविशेष्यतान्यतरभिन्नत्वेन सङ्कुचितैव विशेष्यता तथात्वेन प्रवेश्यते। एवञ्च प्रकृते निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्धेनारविन्दप्रकारकसादृश्यबोधः, प्रयोजकत्वसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्धेन तादृशसादृश्यप्रकारकसौन्दर्यबोधः, एवं स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्धेन सादृश्यप्रकारकमुखादिबोधश्च नोक्तकार्यकारणभावघटककार्यतावच्छेदककुक्षिपतिता भवन्ति, एषु त्रिषु बोधेषु प्रविष्टायाः प्रथमविशेष्यतायाः स्वरूप-

निपातार्थनिष्ठतया द्वितीय-तृतीययोश्च विशेष्यतयोः इवरूपनिपातार्थनिष्ठोपस्थितीयप्रकारतानिरूपिततया कार्यतावच्छेदककोटिप्रविष्टविशेष्यतान्यतरभिन्नत्वाभावात् । अत एव 'घटो न पटः' इत्यादौ पटस्य प्रतियोगितासम्बन्धेन नञर्थे भेदे भेदस्य च स्वरूपसम्बन्धेन घटेऽन्वयेन 'पटप्रतियोगिकभेदवान् घटः' इत्याकारको बोधः सर्वसम्मतः समुपपद्यते। कार्यकारणभावस्य सङ्कुचितविषयतया नञर्थो यथा प्रातिपदिकार्थं प्रति विशेष्यो विशेषणञ्च भवति तथा इवार्थोऽपीति सारांश इति ।

अब हृदयस्थित एक शङ्का का समाधान करते हैं—निपात इत्यादि । अभिप्राय यह है कि शाब्दबोध के दो तरीके हैं, एक के अनुसार कार्य (बोध) और कारण (पदार्थोपस्थिति आदि) को श्रोता की आत्मा में इकट्ठा किया जाता है । इस तरीके को शास्त्रीय भाषा में 'आत्मनिष्ठप्रत्यासत्ति से बोध' कहा जाता है । दूसरे तरीके के अनुसार कार्यकारण को विषय (प्रकार, विशेष्य आदि) पर जुटाया जाता है, शास्त्रीय भाषा में इसको 'विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या बोध' कहते हैं । सारांश यह है कि-बोध आदि सम्बन्धविशेष के द्वारा आत्मा में लाया जा सकता है और सम्बन्धविशेष के द्वारा विषय में भी लाया जा सकता है। वे सम्बन्धविशेष क्रमशः समवाय और विशेष्यता आदि होते हैं। विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या बोध-पक्ष में यह नियम माना जाता है कि 'भेदसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यता(अभेद से अन्यसम्बन्धमूलक विशेष्यभाव)सम्बन्ध से शाब्दबोध (किसी प्रातिपदिक के अर्थ का अन्वयबोध) उसी विशेष्य पर होगा जिस (विशेष्यभूत अर्थ) की उपस्थिति, विभक्ति (सु-औ-जस् आदि) के द्वारा हुई होगी—अर्थात् भेदेन किसी प्रातिपदिकार्थ का अन्वय विभक्त्यर्थ में ही होगा प्रातिपदिकार्थ में नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रातिपदिकार्थ में जब अन्वय होगा तब अभेदसम्बन्ध से ही। ऐसा नियम इसलिये माना जाता है कि 'राजा पुरुषः' इत्यादि वाक्यों से स्वस्वामिभावसंसर्गावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्ध से राजप्रकारक पुरुषबोध-अर्थात् 'राजा का पुरुष' ऐसा बोध—अनुभवविरुद्ध है। तात्पर्य यह कि यदि वैसा नियम न माना जाय, तब यहाँ ऐसा बोध भी होने लगेगा। अब आइये प्रकृत में—उपर्युक्त दो वाक्यों से जो आपने क्रमशः 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकसौन्दर्ययुक्त से अभिन्न मुख' और 'अरविन्दनिरूपित सादृश्यवाला मुख' ये दो शाब्दबोध किये हैं, वे कैसे ? क्योंकि उक्त नियम के अनुसार ये शाब्दबोध नहीं हो सकते हैं। कारण प्रथम वाक्य में अरविन्द, इव और सुन्दर तथा द्वितीय वाक्य में अरविन्द, इव और मुख आदि सभी प्रातिपदिक हैं, अतः इन सबों के अर्थों का परस्पर अन्वय अभेदसम्बन्ध से ही होना चाहिए, फिर जो 'निरूपितत्व'सम्बन्ध से 'अरविन्द' का इवार्थ-सादृश्य में, 'प्रयोजकत्व'सम्बन्ध से 'सादृश्य' का 'सौन्दर्य' में एवम् द्वितीय वाक्य में 'सादृश्य' का 'स्वरूप'(वाला)सम्बन्ध से मुख आदि में अन्वय किया गया है, वह अनुचित है। यह है हृदयस्थित शङ्का। इसके समाधान में ग्रन्थकार कहते हैं कि-उक्त नियम में 'भेदसम्बन्धावच्छिन्न विशेष्यतासम्बन्ध से' यहाँ जो विशेष्यता प्रविष्ट की जाती है वह सामान्यतः-सब विशेष्यतायें-नहीं, अपितु निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यता—अर्थात् निपात (इव, नञ आदि) के अर्थों को प्रकार (विशेषण) बनाकर विशेष्यीभूत किसी अन्य (प्रातिपदिकार्थ, धात्वर्थ आदि) में रहनेवाली विशेष्यता और निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्य विशेष्यता-अर्थात् किसी अन्य अर्थ को प्रकार बनाकर निपातार्थ में रहनेवाली विशेष्यता-इन दोनों में से किसी एक विशेष्यता से भिन्न विशेष्यता ही। तात्पर्य यह

कि 'भेदेन किसी प्रातिपदिकार्थ का अन्वय, विभक्त्यर्थ में ही होगा, प्रातिपदिकार्थ में नहीं' यह नियम निपात से भिन्न प्रातिपदिक के अर्थ में ही लागू होता है–अर्थात् निपातरूप प्रातिपदिक का अर्थ, प्रातिपदिक के अर्थों के साथ और किसी भी प्रातिपदिक का अर्थ, निपातरूपप्रातिपदिकार्थ के साथ भेदसम्बन्ध से भी अन्वित हो सकता है। सारांश यह निकला कि निपातार्थ, अभेदातिरिक्त से भी प्रातिपदिकार्थ में और अन्यप्रातिपदिकार्थ भी, अभेदातिरिक्तसम्बन्ध से निपातार्थ में विशेषण हो सकते हैं। अब इस सङ्कुचित कार्यकारण-भाव के अनुसार प्रकृत में कोई अनौचित्य नहीं रहा, क्योंकि इव' निपात है, अतः उसके अर्थ-सादृश्य में अरविन्दपदार्थ का निरूपितत्व सम्बन्ध से विशेषण होना और उसी निपातार्थ का 'प्रयोजकत्व' सम्बन्ध से सौन्दर्य में विशेषण होना बन सकता है। इसी तरह द्वितीय वाक्य में भी समझना चाहिये। नञ्-निपात के स्थल में भी यही बात होती है–अर्थात् 'घटो न पटः (घड़ा कपड़ा नहीं है)' यहाँ उक्त सामान्य नियम के अनुसार पट का भेदसम्बन्ध (प्रतियोगिता) से नञर्थ में और नञर्थ (भेद) का स्वरूपसम्बन्ध से घट में अन्वय नहीं होना चाहिये था, परन्तु सङ्कुचित नियम के अनुसार वैसा होता है, अतः इस वाक्य से 'पटप्रतियोगिकभेदवान् घटः अर्थात् पट के भेद से युक्त घट' ऐसा शाब्दबोध बनता है। नञ्निपात का स्थल शाब्दबोध के विचार में प्रसिद्ध है, अतः प्रकृत में दृष्टान्तरूप से 'नञर्थस्येव' ऐसा मूल में कहा गया है।

तथाविधं चतुर्थं वाक्यं समुल्लिखति—

अरविन्दमिव भातीत्यत्रारविन्दनिरूपितसादृश्यस्य प्रकारतासम्बन्धेन धात्वर्थेऽन्वयादरविन्दसादृश्यप्रकारकधीविशेष्य इति।

इतीति बोध इति शेषः। धात्वर्थमाह—धीति। 'अरविन्दमिव भाति' इति वाक्ये भातीति क्रियापदादतिरिक्तोऽशः प्राग्वदेव, अतस्तावतोऽशस्य 'अरविन्दनिरूपितं सादृश्यम्' इति बोधोऽपि पूर्ववदेव। अवशिष्टं भातीति क्रियापदम्। तत्र भाधातोः ज्ञानमर्थः, तत्रेवार्थस्य सादृश्यस्य 'प्रकारता'सम्बन्धेनान्वयः, तस्य (ज्ञानस्य) च विशेष्यतासम्बन्धेन कर्तरि मुखादावन्वयः। तिङर्थोऽविवक्षितः। अथवा कृतिवाचकस्य तस्य विशेष्ये लक्षणा, अस्मिन् कल्पे न विशेष्यतासम्बन्धः। तथा च अरविन्दनिरूपितं सादृश्यं प्रकारो यस्यां, तादृशी या धीः (ज्ञानम्) तद्विशेष्यभूतम् मुखादीति बोधः पर्यवस्यति। इयं नैयायिकानां शैली, वैयाकरणशैलीसमाश्रयणे तु 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रकारकं मुखादिविशेष्यकं ज्ञानमि'ति बोधो भवेदिति भावः।

उपमा-प्रतिपादक चतुर्थ वाक्य का उल्लेख करते हैं—अरविन्द इत्यादि। 'अरविन्दमिव भाति (कमल सा ज्ञान होता है)' इस वाक्य में 'अरविन्दमिव' इतना अंश तो पहले जैसा ही है, अतः उससे होनेवाला बोध—'अरविन्द से निरूपित सादृश्य'—भी परिचित ही है। रहा 'भाति' यह क्रियापद, उसमें प्रकृतिभाग-भाधातु-का अर्थ 'ज्ञान' है, उस (ज्ञान) के साथ उक्त सादृश्य का 'प्रकारता' सम्बन्ध से अन्वय होता है और ज्ञान का मुख आदि के साथ 'विशेष्यतासम्बन्ध से, अतः इस वाक्य का शाब्दबोध–'अरविन्दनिरूपित सादृश्य जिसका प्रकार है ऐसे ज्ञान का विशेष्य (मुख आदि)' ऐसा होता है। इस शाब्दबोध में धात्वर्थज्ञान के आगे जो 'विशेष्य' जोड़ा गया है, वह नैयायिकों की शाब्दबोधशैली के अनुसार, क्योंकि वे शाब्दबोध में प्रथमान्तपद के

अर्थ को मुख्य (विशेष्य) बनाते हैं। पर वैयाकरण वैसा नहीं करते, वे धातु के अर्थ को ही शाब्दबोध में सब से मुख्य बनाते हैं। उनके अनुसार यहाँ 'अरविन्द से निरूपित सादृश्य जिसमें प्रकार है तथा सुख जिसमें विशेष्य है ऐसा ज्ञान' यह बोध होगा।

पञ्चमं तथाविधं वाक्यमुपदर्शयति—

तत्रैव सौन्दर्येणेति धर्मोपादाने तृतीयार्थः प्रयोज्यत्वं धात्वर्थे भाने इवार्थे सादृश्ये वान्वेति। तेन सौन्दर्यप्रजोज्यारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रकारकधीविशेष्य इति।

तत्रैवेति। अरविन्दमिव भातीति वाक्य एवेत्यर्थः। तृतीयार्थाभिन्नं प्रयोज्यत्वम् अन्वये कर्तृ। भानस्य सौन्दर्यप्रयोज्यत्वे विसंवादादाह—इवार्थ इति। इतीति बोध इति शेषः। 'सौन्दर्येणारविन्दमिव भाति' इति वाक्ये साधारणधर्मवाचकसौन्दर्यपदोत्तरतृतीयाविभक्तेः प्रयोज्यत्वम् वाच्यम्, तस्य भाधात्वर्थज्ञाने इवार्थसादृश्ये वाऽभेदेनान्वयः। वाशब्दस्योत्तरपक्षदाढर्यसूचकतया सादृश्य एवान्वयो ग्रन्थकाराभिमत इति बोध्यम्। तथा च तस्माद् वाक्यात् 'सौन्दर्यप्रयोज्यं यदरविन्दनिरूपितसादृश्यं, तत्प्रकारिका या धीः तद्विशेष्यभूतं मुखादी'ति बोधो निष्पद्यत इति भावः।

उपमा-प्रतिपादक पञ्चम वाक्य का उल्लेख करते हैं—तत्रैव इत्यादि। यदि पूर्वोक्त वाक्य (अरविन्दमिव भाति) में ही 'सौन्दर्येण' यह साधारणधर्मबोधक अंश भी जोड़ दिया जाय, तब उपमा-प्रतिपादक पाँचवाँ वाक्य होगा 'सौन्दर्येणारविन्दमिव भाति (सुन्दरता के कारण कमल-सा ज्ञात होता है)' यह। यहाँ 'सौन्दर्येण' पद में जो तृतीया विभक्ति है उसका अर्थ है 'प्रयोज्यत्व (साध्यता)' और उसका अन्वय होता है 'भा' धातु के अर्थज्ञान में अथवा इव के अर्थसादृश्य में वस्तुतः सादृश्य में ही समझना चाहिये। अन्य अंशों के अन्वय कहाँ तथा कैसे होते हैं यह पूर्ववाक्य के विवरण में बतलाया जा चुका है, अतः तदनुसार अब इस वाक्य का शाब्दबोध होता है कि—'सौन्दर्य-प्रयोज्य—अर्थात् सौन्दर्य से सिद्ध करने योग्य—जो अरविन्दनिरूपित सादृश्य, वह जिसमें प्रकार है ऐसे ज्ञान का विशेष्य मुख आदि'।

तथाविधं षष्ठं वाक्यमुपदर्शयति—

तथा गज इव गच्छति, पिक इव रौतीत्यादावुपमानपदानां तत्कर्तृकक्रियायां लक्षणया गजादिगमनादिसदृशगमनाद्यनुकूलकृतिमानिति।

'गज इव गच्छति' इति वाक्ये गजपदस्य स्वकर्तृकक्रियायां लक्षणा, तेन गजपदस्य गजगमनं लक्ष्योऽर्थः, इवार्थः सादृश्यम्, गम्धात्वर्थो गमनम् (संयोगानुकूलो व्यापारः) तिङर्थो नैयायिकरीत्या कृतिः (यत्नः). एवम् 'पिक इव रौति' इति वाक्ये पिकपदस्योपमानबोधकस्य स्वकर्तृकरवणक्रियायां लक्षणा, तेन, तस्य पदस्य 'पिकरवणमर्थः', इवार्थः सादृश्यम्, रुधात्वर्थो रवणक्रिया, तिङर्थः कृतिः, एषामर्थानां परस्परमन्वये कृते च प्रथमान्तपदार्थेऽनुक्ते देवदत्तादौ स्वरूपेणान्वये क्रमशः 'गजगमनसदृशगमनानुकूलकृतिमान्' एवम् 'पिकरवणसदृशरवणानुकूलकृतिमान् देवदत्तादिः' इति बोधौ पर्यवस्यत इति भावः।

उपमाप्रतिपादक छठे वाक्य का उल्लेख करते हैं—तथा इत्यादि। 'गज इव गच्छति (हाथी सा चलता है)' और 'पिक इव रौति (कोयल सा बोलता है)' इत्यादि वाक्यों में 'गज-पिक' आदि उपमानबोधक पदों की स्वस्वकर्तृक क्रिया में

लक्षणा होती है-अर्थात् ऐसे स्थलों में गज तथा पिक पद का अर्थ लक्षणा के द्वारा क्रमशः गज का गमन और पिक का रवण (बोलना) होता है, 'इव' का अर्थ सादृश्य है यह अनेक बार कहा जा चुका है, 'गम्ऌ (गच्छ्)' और 'रू' धातु के अर्थ हैं-क्रमशः गमन (आगे के देश से संयुक्त करा देने वाला क्रियाविशेष) और रवण (बोलना), 'ति'-प्रत्यय का अर्थ होता है नैयायिकों के हिसाब से 'कृति' (यत्न), इसका अन्वय प्रथमान्त पद के अर्थ-देवदत्त आदि के साथ होता है। इस तरह के इन अर्थों का परस्पर अन्वय करने पर वाक्यार्थ बोध होता है-'हाथी के गमन के समान गमन के अनुकूल यत्न करने वाला' और 'कोयल की बोली के समान बोली के अनुकूल यत्न करने वाला'।

आशङ्कते—

ननु घटो न पश्यतीत्यत्र घटान्विताभावस्य दर्शने कर्मतासंसर्गेणान्वय-वारणाय धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेण शाब्दबोधं प्रति विशेष्यतया विभक्त्यर्थोपस्थितेर्हेतुत्वम्। एवं च गज इव गच्छति, पिक इव रौतीत्यादौ नेवाद्यर्थस्य सादृश्यस्य धात्वर्थेऽन्वयः सम्भवति। तस्माद्गजादि-सादृश्यस्य गमनादिकर्तर्येवान्वयः स्वगमनादिसदृशगमनादिकर्तृत्वेन समान-धर्मेण। इत्थमेव चाख्यातवादशिरोमणिव्याख्यातृभिरपि सिद्धान्तितमिति चेत्।

कर्तर्येवेति। एवेन लक्षणादिव्यवच्छेदः। समानधर्मेणेति। अस्य पूर्वत्रान्वयः। आख्यातवादशिरोमणीति। आख्यातवादनामको न्यायग्रन्थः, तस्य व्याख्यानभूतो मूल-प्रायः शिरोमणिग्रन्थः, तस्य व्याख्यातृभिरित्यर्थः। 'घटो न पश्यति' इति वाक्यात् 'घटप्रतियोगिकाभावकर्मकदर्शनानुकूलकृतिमान्' इत्याकारकान्वयबोधोऽनुभवविरुद्धोऽपि प्रसक्त इति तद्वारणार्थम् 'धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वा-वच्छिन्नं प्रति विशेष्यतासम्बन्धेन विभक्तिजन्योपस्थितिः कारणम्' इत्याकारककार्यकारण-भावोऽवश्यमास्थेयः। एतादृशकार्यकारणभावाङ्गीकारे तादृशान्वयबोधप्रसक्तिर्न भवति, अभावस्य विशेष्यतया नञुपस्थाप्यत्वेन दर्शननिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेणाभाव-बोधं प्रति कारणत्वेन समपेक्षिताया विभक्त्यर्थोपस्थितेरभावात्। एवञ्च गज इव गच्छ-तीत्यादौ इवार्थसादृश्यस्य धात्वर्थगमनादावन्वयोऽसम्भवः, पूर्ववत् अत्रापि सादृश्यस्य विशेष्यतया इवरूपनिपातादुपस्थितत्वेन गमनादिनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेण सादृश्यबोधं प्रति समपेक्षिताया विभक्त्यर्थोपस्थितेरभावात्। अतो गज इव गच्छतीत्यादि-वाक्यात गमनकर्ता देवदत्तादिः, गजसदृशः (गजकर्तृकगमनसदृशगमनकर्ता) इत्याद्या-कारक एव बोधः समुचितः।

एक आशङ्का की जाती है— ननु इत्यादि। 'घटो न पश्यति (घट नहीं देखता)' इस वाक्य में 'न' का अर्थ अभाव है, उसमें घट का प्रतियोगितासम्बन्ध से अन्वय करने पर अर्थ होता है घटप्रतियोगिक(घट का)अभाव। अब उस अभाव का कर्मता-सम्बन्ध से 'पश्य'धातु के अर्थ-दर्शन में अन्वय नहीं होता-अर्थात् उक्त वाक्य का 'घटा-भावं पश्यति (घटाभाव को देखता है' ऐसा अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि धातु के अर्थ को विशेष्य बनाकर विशेषणतासम्बन्ध से होने वाले शाब्दबोध के प्रति, विशेष्यरूप से, विभक्ति के अर्थ का स्मरण, कारण माना जाता है, तात्पर्य यह कि धात्वर्थ का विशेषण, किसी विभक्ति का ही अर्थ हो सकता है प्रातिपदिक का अर्थ नहीं। इस कार्यकारणभाव

के अनुसार उक्त वाक्य में, घटाभाव का दर्शन में 'कार्यता' सम्बन्ध से, अन्वय, वारित हो जाता है। कारण, अभाव का स्मरण (उपस्थिति), 'न' इस निपातसे होता है, किसी विभक्ति से नहीं। अब प्रकृत में आशङ्का उपस्थित हो जाती है कि उक्त नियम (कार्यकारणभाव) के अनुसार 'गज इव गच्छति' इत्यादि पूर्वोक्त स्थल में भी 'इव' के अर्थ-'सादृश्य' का अन्वय जो धात्वर्थ-गमन-के साथ किया गया है वह नहीं बन सकता, क्योंकि सादृश्य की भी उपस्थिति विभक्ति से नहीं अपितु 'इव-निपात' से हुई है। अतः गज आदि के सादृश्य का अन्वय, गमन आदि क्रियाओं के कर्ता के साथ होना चाहिए, क्रिया के साथ नहीं और सादृश्य को सिद्ध करने वाला समानधर्म मानना चाहिए 'गज आदि के गमन के समान गमन आदि का कर्ता होने' को। अभिप्राय यह कि-'गज इव गच्छति' और 'पिक इव रौति' इन वाक्यों से क्रमशः 'गमनकर्ता (देवदत्त आदि) हाथी के समान है' और 'बोलने वाला कोयल के समान है' ऐसे ही शाब्दबोध होने चाहिएँ, न कि पूर्वोक्त आकार के। 'आख्यातवाद' की 'शिरोमणि' के व्याख्याकारों ने भी ऐसा ही सिद्धान्त किया है।

समाधत्ते—

नैवम्, गज इव गच्छतीत्यत्र सादृश्यस्य विधेयतया प्रतीतेरपलापापत्तेः। गज इव यः पुरुषः स गच्छति, पुरुषो यः स गज इव गच्छतीति वाक्याभ्यां भिन्नप्रतीत्योरानुभविकत्वात्। एवं वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छतीत्यादौ वनादेः सर्वथैवानन्वयापत्तेश्च। एवं बिम्बप्रतिबिम्बभूतस्य कारकमात्रस्यानन्वयो बोध्यः। तस्माद्गजनिरूपितसादृश्यप्रयोजकगमनाश्रय इत्येव गज इव गच्छतीत्यत्र धीः। कारकोपादाने तूपमानपदानां तत्कर्तृकक्रियायां लक्षणेत्येव साधु।

पूर्वोक्तशङ्काग्रन्थाशयं निषेधति—नैवम् इति। एवम्—पूर्वोक्तोऽर्थः न युक्त इति भावः। तत्र हेतुमाह—गज इव गच्छतीत्यत्रेत्यादिना। अनन्वयो बोध्य इति। अत्र नागेशः—'वस्तुतस्तु वनं गज इव रणभूमिं शूरो गच्छतीत्यादौ वनकर्मकगमनानुकूलकृतिमद्गजसदृशः समरभूमिकर्मकगमनानुकूलकृतिमाञ्शूर इत्यादि बोधः। इवशब्देन च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवनसमरभूमिविशेषणकगमनमेव धर्मत्वेन बोध्यते। इवादयश्च धर्मत्वेनैव बोधका इति सर्वसम्मतम्। गज इव यः पुरुषः स गच्छतीत्यत्र चेवेन गमनान्वित एव शूरत्वादिधर्मत्वेन बोध्यते। पुरुषो यः स गच्छतीत्यत्र तु गमनमेव तथेति तयोर्विशेषोऽप्युपपद्यत एव। उपमाया विधेयत्वं चैतदेव यद्विधेयस्यैव धर्मत्वेनोपमाबोधकबोध्यत्वम् इति चिन्त्यमिदम्। वैयाकरणनये तु क्रिययोरेवोपमानोपमेयभावः। गच्छतीत्यस्य चावृत्त्योभयत्रान्वयः। गजादिपदानां स्वकर्तृकक्रियायां लक्षणा वेति दिक्' इति। कारकोपादाने इति। बिम्बप्रतिबिम्बभावेन कर्मादिकारकग्रहणे इत्यर्थः। अयं भावः—'गज इव गच्छति' इत्यादिवाक्यस्य शिरोमणिव्याख्यातृसिद्धान्तितो बोधो नोचितः, विचारासहत्वात्। तथाहि—तादृशवाक्यात् सादृश्यस्य विधेयगमनविशेषणरूपेण प्रतीतिर्भवतीत्यनुभवसिद्धम्, शिरोमणिव्याख्यातसिद्धान्तितबोधे तु तस्योद्देश्यगमनकर्तृदेवदत्तादिविशेषणरूपेण भानं भवतीति अनुभवापलापप्रसङ्गः। ननु कथं सादृश्यस्य विधेयतया प्रतीतेरनुभवसिद्धत्वम् इति चेन्न, गज इव यः पुरुषः स गच्छति, पुरुषो यः स गज इव गच्छतीति वाक्यद्वयात्

भिन्नविधप्रतीत्योरनुभवस्य मूलान्वेषणे सादृश्यस्याविधेयत्व-विधेयत्वयोरन्यस्यानुपलम्भात्। किञ्च शिरोमणिव्याख्यातृसिद्धान्तितबोधाङ्गीकारे 'वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छति' इति बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवन-गृहरूपकर्मबोधकपदघटितवाक्यस्थले वनादिरूपस्य कर्मणः सर्वथाऽनन्वयापातः, तद्रीत्याऽत्रापि 'गमनकर्ता देवदत्तो गजसदृशः' इत्येव बोधात्। तद्रीत्यनुसरणेन कर्मकारकस्यैवैषा स्थितिः, अपि तु बिम्बप्रतिबिम्बभूतस्य कारकमात्रस्य वृक्षात् कपिरिव प्रासादान्मनुष्योऽवतरतीत्यादौ वृक्षप्रासादादेरप्यनन्वयापत्तिरिति तात्पर्यम्। अतो गज इव गच्छतीत्यादौ गजनिरूपितं यत्सादृश्यम् तत्प्रयोजकं यद् गमनम्, तदाश्रयः तदनुकूलकृतिमान् इत्याकारक एव बोधोऽङ्गीकार्यः। यद्यप्ययं बोधः प्रागुक्तलक्षणामूलकस्वाभिमतबोधाद् भिन्नाकार एव, तथापि सादृश्यस्य विधेयतेति स्वाभिमतमत्रापि रक्षितम्, लक्षणा च गौरवावहा नाश्रितेति ग्रन्थकर्तुरभिप्रायः। परमार्थतस्तु लक्षणाप्याश्रयणीयैव स्यात्, तत्र तथा निर्वाहेऽपि कारकोपादानस्थले (वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छतीत्यादौ) लक्षणां विना निर्वाहाभावात्। 'वनं गज इव...' इत्यादौ गजपदस्य स्वकर्तृकगमने लक्षणां कृत्वा 'वनकर्मकगजकर्तृकगमनसदृशगृहकर्मकगमनानुकूलकृतिमान् देवदत्तः' इत्याकारक एव बोधोऽभ्युपेयः, अन्यथा सादृश्यस्य विधेयतया प्रतीतिर्न स्यात् कर्मणोऽनन्वयश्च प्रसज्येत इति।

उक्त आशङ्का का समाधान करते हैं—नैवम् इत्यादि। 'गज इव गच्छति' इत्यादि स्थल में आख्यातवाद-शिरोमणि के व्याख्याकारों ने जो बोध दिखलाया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त वाक्य से सादृश्य की प्रतीति, विधेय (विधेय-गमन के विशेषण) के रूप में होती है—अर्थात् उस वाक्य के सुनने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि—वक्ता, हाथी और किसी व्यक्तिविशेष की गति में समानता बतलाना चाहता है। पर आपके शाब्दबोध में इस अनुभव का अपलाप हो जाता है—अर्थात् उस बोध में सादृश्य विधेय कोटि में नहीं आकर उद्देश्य कोटि में आ जाता है। आप पूछेंगे कि—उक्त वाक्य से सादृश्य की प्रतीति विधेयरूप में होती है इसमें क्या प्रमाण? तो इसका उत्तर यह है कि-'हाथी के समान जो पुरुष है वह जा रहा है' और 'जो पुरुष है वह हाथी के समान जा रहा है' इन दोनों वाक्यों से दो तरह की प्रतीति होती है इस बात को प्रायः सभी स्वीकार करेंगे-आप भी स्वीकार करेंगे, अब आप बतलाइये कि-इन दोनों वाक्यों से दो तरह की प्रतीति क्यों होती है? इन प्रतीतियों को दो तरह की मानने में क्या भूल है? अगत्या आपको कहना पड़ेगा कि प्रथम वाक्य के बोध में सादृश्य उद्देश्यरूप में भासित होता है और द्वितीय वाक्य के बोध में वह विधेयरूप में ज्ञात होता है यही अन्तर है ऐसी स्थिति में यहाँ ('गज इव गच्छति' में) उक्त द्वितीय वाक्य के समान बोध होना चाहिए परन्तु आपके हिसाब से प्रथम वाक्य का सा बोध हो जाता है। अतः प्रकृत में मेरे कथनानुसार ही बोध उचित है, आपके कथनानुसार नहीं। दूसरी बात यह है कि आपके कथनानुसार बोध मानने पर 'वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छति-अर्थात् जैसे हाथी वन को जाता है वैसे देवदत्त घर को जाता है' इत्यादि वाक्यों में 'वन' और 'गृह' इन कर्मकारकों का सर्वथा अन्वय नहीं हो सकेगा। तात्पर्य यह कि आपके कथनानुसार यहाँ भी हाथी और देवदत्त का ही सादृश्य समझा जायगा और उसको समझने में वन अथवा गृह का कोई उपयोग है नहीं, अतः वे अलग पड़े रह जायँगे—वाक्यार्थबोध में नहीं आ सकेंगे। कर्मकारक की ही ऐसी स्थिति होगी, सो नहीं,

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न सभी कारकों की यही दशा होगी—अर्थात् 'वृक्षात् कपिरिव प्रासादान्मनुष्योऽवतरति—अर्थात् जैसे बन्दर वृक्ष से उतरता है वैसे मनुष्य कोठे से उतरता है' इत्यादि वाक्यों में वृक्ष और प्रासाद इन अपादानकारकों के भी वाक्यार्थ में अन्वय नहीं हो सकेगा। इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि—जहाँ केवल 'गज इव गच्छति' और 'पिक इव रौति' ऐसे वाक्य हों, वहाँ क्रमशः 'गज से निरूपित सादृश्य का प्रयोजक (साधक) जो गमन उसका आश्रय' और 'पिक से निरूपित सादृश्य का प्रयोजक जो रवण (बोली) उसका आश्रय' ऐसे शाब्दबोध होते हैं। (यद्यपि पहले ग्रन्थकार ने इन वाक्यों के भी बोध, लक्षणा के द्वारा, भिन्न तरह के दिखलाये हैं, अतः ग्रन्थकार के अपने मत में भी विरोध सा दीख पड़ता है, तथापि लक्षणा न मानकर भी यहाँ सादृश्य की विधेयता की रक्षा की जा सकती है और अन्य कारकों का ग्रहण नहीं रहने से अनन्वय का प्रश्न भी यहाँ नहीं उठता, ऐसा ग्रन्थकार का अभिप्राय समझना चाहिए।) जहाँ इन वाक्यों में बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न अन्य कारक भी जुड़े हों, वहाँ उपमानवाचक गज आदि पदों की स्वकर्तृक क्रिया में लक्षणा करनी ही पड़ेगी—अर्थात् 'वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छति' इत्यादि वाक्यों में लक्षणा के बिना गुजारा नहीं है। यहाँ नागेश का कुछ अपना विचार है जो बहुत ही सुन्दर-युक्तिपूर्ण है अतः विज्ञ पाठकों के मनोविनोदार्थ उस विचार का सार यहाँ उद्धृत किया जाता है। नागेश कहते हैं कि आख्यातवाद-शिरोमणि व्याख्याकार का कथन अनुचित नहीं है। कारण, 'वनं गज इव रणभूमिं शूरो गच्छति' इत्यादि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न समानधर्म वाले वाक्यों से 'वन जिसका कर्म है उस गमनक्रिया के अनुकूल यत्न से युक्त हाथी के सदृश है वह वीर जो, रणभूमि जिसका कर्म है उस गमनक्रिया के अनुकूल यत्न से युक्त है' ऐसा ही बोध होता है। तात्पर्य यह कि ऐसे वाक्यों में वर्तमान 'इव शब्द' बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न वन और रणभूमिरूप विशेषणों से युक्त गमनक्रिया को ही समानधर्मरूप बतलाता है। 'इव' आदि शब्द, धर्म के रूप में किसी वस्तु का बोध कराने के लिये ही लाये जाते हैं यह बात सर्वसम्मत है। इस तरह से अन्वय करने पर कारकों का अनन्वय वाला दोष नहीं आता, बात रही 'गज इव यः पुरुषः स 'गच्छति' और 'यः पुरुषः स गज इव गच्छति' इन वाक्यों से भिन्न तरह की प्रतीतियों के होने की, सो वह भी ठीक बन जाती है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में से प्रथम में, 'इव' शब्द, शूरता आदि' का समानधर्म होना बतलाता है और द्वितीय में 'गमन' का ही समानधर्म होना। तात्पर्य यह कि समानधर्म के भिन्न-भिन्न होने के कारण ही इन दोनों वाक्यों की प्रतीतियों में अन्तर होता है, सादृश्य के अविधेय और विधेय होने के कारण नहीं। रही सादृश्य के विधेय होने की बात, सो उसका अभिप्राय यही है कि—जहाँ 'इव' आदि उपमाबोधक पदों के द्वारा वाक्य का 'विधेय' अंश समानधर्म के रूप में बताया जाय वहाँ उपमा (सादृश्य) विधेय होती है, इस अभिप्राय के अनुसार शिरोमणि-व्याख्याता के मत में 'गज इव गच्छति' 'पिक इव रौति' और 'वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छति' इन सभी वाक्यों से यदि गज आदि और देवदत्त आदि के सादृश्य का भी बोध माना जाय, तथापि 'सादृश्य' विधेय है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इन वाक्यों के इव शब्दों से समानधर्म के रूप में विधेय (गमन-रवण) का ही बोध होता है। सारांश यह हुआ कि नैयायिक लोग, क्रियाओं की तुलना, उक्त वाक्यों में नहीं मानते, पण्डितराज, निरर्थक, उनके मतानुसार होने वाले शाब्दबोधों में क्रिया की तुलना वाली बात कहते हैं। हाँ, वैयाकरणों के मतानुसार अवश्य ही ऐसे वाक्यों

में क्रियाओं की तुलना होती है—अर्थात् क्रियायें ही उपमान और उपमेय होती हैं। तात्पर्य यह कि-'वनं गज इव रणभूमिं शूरो गच्छति' इस वाक्य से वैयाकरणों के मतानुसार 'जिसका हाथी कर्ता और वन कर्म है उस गमनक्रिया के तुल्य वह गमन-क्रिया है जिसका शूर कर्ता और रणभूमि कर्म है' ऐसा शाब्दबोध होगा। इस बोध में दो गमन-क्रियाओं का उपमानोपमेयभाव स्पष्ट है। यदि कोई इस मत में यह शङ्का उठावे कि 'गच्छति' पद जब एक ही है तब उस (गमनक्रिया) के साथ उपमान—गज और उपमेय—शूर दोनों का अन्वय कैसे होगा, क्योंकि 'सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थं गमयति-अर्थात् एक बार उक्त पद एक ही बार अर्थबोध कराता है' ऐसा सिद्धान्त है, तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि-'गच्छति' पद की आवृत्ति मान ली जायगी-अर्थात् दो 'गच्छति' पद मान लिये जायँगे, अथवा पण्डितराज के कथनानुसार ऐसे वाक्यों में उपमानबोधक (गज आदि) पदों की स्वकर्तृक गमन-क्रिया में लक्षणा मान ली जायगी। सारभाग यह हुआ कि पण्डितराज का मत, वैयाकरणों के हिसाब से ठीक हो सकता है, पर उन्होंने नैयायिकों का मत मानकर जो वैसी बात लिखी है, वह ठीक नहीं है। यदि पण्डितराज को उक्त वाक्यों में क्रिया के साथ क्रिया की तुलना ही अभीष्ट थी, तो उन्हें उसके लिये वैयाकरणों के मत का अनुसरण करना चाहिये था—अर्थात् वैयाकरणों के मत के अनुसार ही शाब्दबोध लिखना उचित था।

पुनः पूर्वोक्तशङ्कासमाधानावान्तरशङ्कासमाधाने आह—

न च प्रागुक्तकार्यकारणभावस्य धात्वर्थनिष्ठेत्यादेर्व्यभिचारः, तस्यानङ्गीकारात्। अङ्गीकारे च तूष्णीमारात्पृथगित्याद्यर्थानां धात्वर्थान्वयोऽनुभवसिद्धोऽपलपनीयः स्यात्।

तस्य कार्यकारणभावस्य। अङ्गीकारे इति। तस्य कार्यकारणभावस्य स्वीकारे इत्यर्थः। इत्याद्यर्थानामिति। एषां पदानां येऽर्थास्तेषामित्यर्थः। धात्वर्थान्वय इति। धात्वर्थे अन्वय इत्यर्थः। अपलपनीयः स्यादिति। तथान्वयो न भवतीति वक्तव्यं स्यादित्यर्थः। यदि 'गज इव गच्छति' इत्यादौ इवार्थस्य सादृश्यस्य धात्वर्थे गमनादावन्वयो ग्रन्थकाराभिमतः स्वीक्रियते, तदा 'धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेण शाब्दबोधं प्रति विशेष्यतया विभक्त्यर्थोपस्थितिर्हेतुः' इति पूर्वोक्तस्य कार्यकारणभावस्य का गतिरिति चेन्न, तस्य कार्यकारणभावस्यास्वीकारात्, अत एव 'तूष्णीं भुङ्क्ते', 'आरादुपविशति', 'पृथक् शेते' इत्यादौ तूष्णीमारात्पृथक्पदार्थानाम् तत्र तत्र धात्वर्थेऽन्वयो भवति। तेषां धात्वर्थेऽन्वयो नैव भवतीति तु न शक्यं वक्तुं, तथान्वयानामनुभवसिद्धत्वादनुभवसिद्धस्य च वस्तुनोऽपलापानर्हत्वादिति भावः।

उक्त शङ्का और समाधान के अन्तर्गत एक दूसरा शङ्का-समाधान करते हैं—न च इत्यादि। यदि आप कहें कि—ग्रन्थकार की रीति से 'गज इव गच्छति' इत्यादि वाक्यों में 'इव' के अर्थ-सादृश्य-का अन्वय धात्वर्थ के साथ मानने पर, पूर्वोक्त 'धातु के अर्थ को विशेष्य बताकर प्रकारतासंबन्ध से होनेवाले शाब्दबोध के प्रति विशेष्यरूप में विभक्ति के अर्थ की उपस्थिति कारण है' यह कार्यकारणभाव व्यभिचरित हो जायगा—अर्थात् 'धात्वर्थ में विभक्ति का अर्थ ही विशेषण हो सकता है अन्य नहीं' यह नियम टूट जायगा, क्योंकि यहाँ विभक्ति से भिन्न-इव-प्रातिपदिक-का अर्थ, धात्वर्थ का विशेषण बनाया गया है। तो इसका समाधान यह है कि—हम उस कार्यकारणभाव

को—उस नियम को—नहीं मानते। कारण, यदि उसको माना जाय तब 'तूष्णीम् (चुप)' 'आरात् (दूर अथवा समीप)' और 'पृथक्' इत्यादि निपातों के अर्थों का अन्वय धातु के अर्थ में अनुभवसिद्ध है, उसका अपलाप करना पड़ेगा—अर्थात् अनुभव करते रहने पर भी बलात् उस अन्वय के विषय में नकरात्मक उत्तर देना पड़ेगा। अभिप्राय यह कि—'चुपचाप खाता है', 'नजदीक अथवा दूर बैठता है' और अलग सोता है' इत्यादि स्थानों में क्रमशः उक्त निपातों के अर्थों के अन्वय साक्षात् धातु के अर्थों के साथ अनुभूत होते हैं, अतः उक्त नियम को न मानना ही अच्छा है।

पुनरवान्तरशङ्कासमाधान एव तन्यते—

कथं तर्हि घटो न पश्यतीत्यादौ घटाभावं पश्यतीति नान्वयबोधः। धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेणान्वयबोधं प्रति नञ्जन्योपस्थितिमात्रस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनात्। धात्वर्थस्य नामार्थभिन्नत्वेन विशेषणं तु द्वयोस्तुल्यम्। तेन पाको न याग इत्यादौ न व्यभिचारः। इत्यलमप्रसक्तविचारेण।

ननु नञ्जन्योपस्थितेस्तादृशबोधं प्रति प्रतिबन्धकत्वकल्पने 'पाको न यागः' इत्यादौ यागप्रतियोगिकभेदवान् पाकः (यागभिन्नः पाकः) इति बोधो न स्यादित्यत आह—धात्वर्थस्येति। इति उक्तरूपेण। अप्रसक्तविचारेणेत्यत्रान्वयः। अप्रसक्त इति अप्रासङ्गिकेत्यर्थः। धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेणान्वयबोधे विभक्तिजन्योपस्थितेः कारणत्वानङ्गीकारे 'घटो न पश्यति' इत्यादौ प्रतियोगितासम्बन्धेन घटान्वितस्य नञर्थस्याभावस्य कर्मतासंसर्गेण दर्शनेऽन्वयं विधाय 'घटप्रतियोगिकाभावकर्मकदर्शनानुकूलकृतिमान्' इत्याकारकोऽन्वयबोधः कथं वारितः स्यदिति चेन्न, नञ्पदजन्योपस्थितेः तादृशान्वयबोधं प्रति प्रतिबन्धकत्वकल्पनेन तद्वारणात्। तादृशकार्यकारणभावमस्वीकृत्यैतादृशप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावकल्पनस्य, नञर्थातिरिक्तनिपातार्थस्य धात्वर्थे प्रकारतासिद्धिः फलमित्यवगन्तव्यम्। न चैवंविधप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावाङ्गीकारे 'पाको न यागः' इत्यादावपि नञर्थ-भेद-प्रकारकपाकबोधो न स्यादिति शङ्क्यम्, उक्तप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावघटकधात्वर्थे नामार्थभिन्नत्वेन सङ्कोचात्। तथा च प्रकृते पाकादेः, पाकादिरूपनामार्थतया न प्रतिबन्धः। न चायं नामार्थभिन्ननिवेशः प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावकल्पेऽधिक इति वाच्यम्, कार्यकारणभावकल्पेऽपि तन्निवेशस्यावश्यं कर्तव्यत्वात्, अन्यथा तत्कल्पेऽपि 'पाको न यागः' व्यभिचारः प्रसज्येतैवेति भावः।

पुनः एक अवान्तर शंका-समाधान करते हैं—कथम् इत्यादि। उक्त प्रसंग में अब केवल एक शंका यह रह जाती है कि-यदि धात्वर्थ को विशेष्य बनाकर प्रकारतासंबन्ध से होने वाले शाब्दबोधों में विशेष्यरूप से विभक्ति के अर्थ की उपस्थिति को कारण नहीं मानते, तब फिर 'घटो न पश्यति' इत्यादि वाक्यों से 'घटाभाव को देखता है' ऐसा बोध क्यों नहीं होता? अर्थात् कर्मतासंबन्ध से 'नञ्' के अर्थ-उस अभाव-जिसमें प्रतियोगिता संबन्ध से घट अन्वित हो चुका है—का धात्वर्थ-दर्शन में अन्वय हो जायगा, तो इसका उत्तर यह है कि—इस तरह के अन्वय-बोध को रोकने के लिये केवल नञ् के अर्थ के स्मरण को धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपित-प्रकारतासंबन्ध से होने वाले शाब्दबोध के प्रति प्रतिबन्धक मान लीजिए। तात्पर्य यह कि इस तरह की गड़बड़ी केवल 'नञ' का प्रयोग होने पर ही उपस्थित होती है, अतः उक्त प्रतिबन्धक मान लेने से ही निर्वाह

जब हो जाता है तब सब निपातों को समेट कर पूर्वोक्त कार्य-कारणभाव मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती और उलटे उस तरह का कार्य-कारणभाव मानने पर दोष भी हो जाते हैं जो पूर्व में दिखलाये जा चुके हैं। नञर्थ भी उस धात्वर्थ में प्रकार होता ही है जो नाम (प्रातिपदिक) के अर्थरूप में उपस्थित होता है, अतः आपको उक्त कार्य-कारण-भाव में और मुझको उक्त प्रतिबध्य-प्रतिबन्धकभाव में 'धात्वर्थ के विशेषणरूप से नामार्थ से भिन्न इतना और जोड़ना पड़ेगा, जिससे 'पाको न यागः—अर्थात् पकाना यज्ञ नहीं है' इत्यादि स्थानों में दोष नहीं होगा। अभिप्राय यह कि—यहाँ 'यागप्रतियोगिकभेदवान् पाकः' इस अन्वयबोध में याग नञर्थ भेद का और भेद पाक का विशेषण होता है, क्योंकि पाकक्रिया (जो अन्यत्र धातु का अर्थ होता है) यहाँ पाक प्रातिपदिक के अर्थ के रूप में उपस्थित हुआ है। फलतः इस अंश में हम और आप दोनों बराबर हैं - किसी के मत में दूसरे मत की अपेक्षा गौरव नहीं है। इस तरह अप्रासंगिक विचार अब यहाँ समाप्त किया जाता है।

तथाविधं सप्तमं वाक्यं निर्दिशति—

अथारविन्दतुल्यो भातीत्यत्र कथं धीः। तुल्यपदार्थस्य निपातभिन्ननामार्थत्वेन धात्वर्थे भेदेनान्वयायोगात्। तादृशतुल्यत्वादेर्भानोद्देश्यतावच्छेदकत्वे भानमात्रविधेयतायां विवक्षितार्थाप्रतीतिः। न च तुल्यपदेन तुल्यत्वप्रकारको लक्षणयोपस्थापितो ह्यभेदेन धात्वर्थेऽन्वेष्यतीति वाच्यम्। क्रियाविशेषणत्वेनारविन्दतुल्यशब्दस्य नपुंसकत्वापत्तेरिति चेत्, व्याकरणस्य सिद्धानुवादकत्वेन स्तोकं पचतीत्यादिमात्रविषयत्वेन क्रियाव्ययविशेषणानां क्लीबतेष्यते इत्यस्योपपत्तेः। धातोरेव लक्षणया सकलार्थबोधकत्वमितरस्य तात्पर्यग्राहकतेत्यपि केचित्।

कथमिति। अभेदेन भेदेन वेत्यर्थः। तत्र नाद्य इत्याह—तुल्येति। एतेन 'धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपित-निपातार्थातिरिक्तवृत्ति-भेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतासंसर्गेणान्वयबोधं प्रति विशेष्यतया विभक्त्यर्थोपस्थितिर्हेतुः' इत्याकारकः कार्यकारणभावः सूचितः। अत्र 'उक्तव्युत्पत्तेः' इति नागेशकृतविवरणं तु नोपयुक्तं, मदुक्ताकारकव्युत्पत्तेः पूर्वमनुक्तत्वात्। या व्युत्पत्तिः प्रागुक्ता सा न प्रकृतोक्त्यनुकूला तत्र प्रकारतावच्छेदकसम्बन्धविधया भेदाभेदयोरनिवेशात, निपातार्थातिरिक्तवृत्तित्वेन प्रकारतायामसङ्कोचात, नञन्योपस्थितिमात्रस्य प्रतिबन्धकत्वमङ्गीकृत्य तस्या व्युत्पत्तेरनङ्गीकरणोक्तेश्च, मदुक्ताकाराया व्युत्पत्तेरावश्यकता ग्रन्थकृता कथमनुभूतेति तु अन्यत् विबुधैर्विचारणीयम्। नाप्यभेदेनेत्याह—न चेति। धात्वर्थे भानरूपे। उपपत्तेरिति। तथा चाभेदेनैव पूर्वोक्तरीत्याऽन्वय इति भावः। मतान्तरमाह—धातोरेवेति। इत्यपि केचिदिति। अत्र नागेशः 'वस्तुतस्तु उपमाविधेयकबोधे तात्पर्ये अरविन्दतुल्यमित्येव साधु, न तुल्य इति। यदि तु विधेयस्य धर्मत्वेनोपमाबोधकबोध्यत्वमेव विधेयत्वमुपमाया इति विभाव्यते तर्हि अरविन्दतुल्यविषयकं भानम् भानविषयोऽरविन्दतुल्य इति वा बोधेऽपि भानस्य धर्मत्वेन भानादुपमाया अविधेयत्वमेव। धर्मान्तरस्य तथा भाने तु अरविन्दतुल्य इत्येव प्रयोगः सर्वसम्मतः। उपमाया उद्देश्यतावच्छेदकत्वं चेति ध्येयम्।' इति। अयं भावः—'अरविन्दतुल्यो भाति' इत्यत्रारविन्द-

पदार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन तुल्यपदार्थे सादृश्ये तस्य च प्रकारतासम्बन्धेन धात्वर्थे ज्ञानेऽन्वयं विधाय 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रकारकज्ञानविशेष्यः' इत्याकारको बोधो न भवितुमर्हति, निपातार्थस्य भेदेन धात्वर्थेऽन्वयेऽपि तदतिरिक्तस्य नामार्थस्य भेदेन तत्रान्वयस्यानुपदोक्तकार्यकारणभावविरुद्धत्वेन तुल्यपदार्थस्य सादृश्यस्य प्रकारतासम्बन्धेन धात्वर्थज्ञानेऽन्वयस्यासम्भवात् । तुल्यपदोत्तरप्रथमाविभक्तिजन्योपस्थितेः सत्त्वान्नोक्तकार्यकारणभावविरोध इति तु न वक्तुं योग्यम्, प्रथमाविभक्तेः प्रातिपदिकार्थेऽनुशिष्टत्वेनानुवादकतया ततः पृथगर्थोपस्थितेरभावात् । न च मास्तु तुल्यपदार्थस्य सादृश्यस्य धात्वर्थे ज्ञानेऽन्वयः तस्यावश्यकताऽपि नास्ति, 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यविशिष्टं विशेष्यतासम्बन्धेन ज्ञानवत्' इति बोधमास्थाय सादृश्यस्य उद्देश्यतावच्छेदकत्वं ज्ञानमात्रस्य च विधेयत्वं स्वीक्रियताम्, इति वक्तव्यम् तथाबोधस्य विवक्षितार्थाविषयकत्वात् । सादृश्यस्य विधेयघटकतया भानमिह वक्तुरभिप्रेतम्, न च तत्तथाविधे बोधे सिद्ध्यतीति तात्पर्यम् । एवं स्थितावेष सिद्धान्तः—तुल्यपदस्य तुल्यत्वप्रकारके लक्षणा लक्ष्यार्थस्य च तुल्यत्वप्रकारकस्य धात्वर्थे ज्ञानेऽभेदेनैवान्वयः, तथा च 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रकारकाभिन्नज्ञानविशेष्यः' इति बोधे न कश्चिद्दोषः । न चैवं सति 'क्रियाऽव्ययविशेषणानां क्लीबतेष्यते' इति नियमविरोधो दोषः, नियमानुरोधे च क्रियाविशेषणत्वेनारविन्दतुल्यपदस्य नपुंसकत्वापत्तिरिति वाच्यम्, सिद्धानुवादकस्य 'क्रियाऽव्ययविशेषणानां क्लीबतेष्यते' इति व्याकरणानुशासनस्य 'स्तोकं पचति' इत्यादिमात्रविषयकत्वकल्पनेन सामञ्जस्यात् । भाधातोरेव लक्षणया 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रकारकज्ञानविशेष्यः' इति सम्पूर्णोऽर्थः, 'अरविन्दतुल्यः' इत्यंशस्तात्पर्यग्राहकः इति पक्षान्तरमपि कियन्तोऽङ्गीकुर्वन्ति । अस्मिन् पक्षे एकपदार्थतयाऽन्वयादेरपेक्षैव नास्तीति न व्युत्पत्तिविरोधादेः प्रसङ्ग इति ।

अब उपमाप्रतिपादक सप्तम वाक्य का उल्लेख करते हैं—अथारविन्द इत्यादि । अब 'अरविन्दतुल्यो भाति (अरविन्द के समान प्रतीत होता है)' इस वाक्य में यह विचार करना है कि—यहाँ तुल्यपद के अर्थ-सादृश्य-का धात्वर्थ—ज्ञान—में भेदसम्बन्ध से अन्वय होगा अथवा अभेदसम्बन्ध से? भेदसम्बन्ध से अन्वय नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'निपात से अन्य प्रातिपदिक के अर्थ का भेदसंबन्ध से धात्वर्थ में अन्वय नहीं होता' ऐसा नियम है। तात्पर्य यह कि अरविन्द पदार्थ का तुल्यपदार्थ-सादृश्य—के साथ निरूपितत्वसंबन्ध से और उस सादृश्य का प्रकारतासंबन्ध से धात्वर्थ-ज्ञान-के साथ अन्वय मानकर 'अरविन्द-निरूपित-सादृश्य-प्रकारकज्ञान विशेष्य' ऐसा शाब्दबोध नहीं किया जा सकता। कारण, 'तुल्य' यह निपात से अन्य प्रातिपदिक है, अतः उसके अर्थ का प्रकारतारूप भेदसंबन्ध से धात्वर्थ-ज्ञान-में अन्वय हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे कि—यहाँ तुल्य पदार्थ का धात्वर्थ के साथ अन्वय किया ही क्यों जाय ? उसकी कोई खास आवश्यकता तो है नहीं। रहा शाब्दबोध, सो वह तो तुल्य पदार्थ—सादृश्य—को उद्देश्य का विशेषण और शुद्ध धात्वर्थ—ज्ञान—को विधेय मान कर भी किया जा सकता है—अर्थात् उक्त वाक्य से 'अरविन्दसदृश-वस्तु (मुख आदि), विशेष्यतासंबन्ध से ज्ञानवाला है—ज्ञान में वह विशेष्य होता है' इसी तरह का शाब्दबोध होगा। (इस बोध में अरविन्दसदृश वस्तु उद्देश्य है और सादृश्य उद्देश्यता का अवच्छेदक अर्थात् विशेषण)। परन्तु यह कथन आपका

संगत नहीं हो सकता, क्योंकि इस रीति से और सब बातें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन वक्ता को उक्त वाक्य-द्वारा जिस अर्थ का बोध कराना अभीष्ट है उस अर्थ का बोध ही नहीं हो पाता—अर्थात् सादृश्य का बोध, वक्ता विधेय (विधेय-विशेषण) के रूप में कराना चाहता है और उक्त बोध में वह हो जाता है उद्देश्य (उद्देश्य-विशेषण) यही गड़बड़ी हो जाती है। अब रही अभेदसंबन्ध से तुल्यपदार्थ-सादृश्य का धात्वर्थ के साथ अन्वय होने की बात, सो वह वैसे बन नहीं सकती, अतः 'तुल्य' पद की 'तुल्यत्वप्रकारक' इतने अर्थ में लक्षणा माननी चाहिए और तब उस लक्ष्य अर्थ का 'भा' धातु के अर्थ-ज्ञान-के साथ अभेदसंबन्ध से अन्वय करके 'अरविन्द से निरूपित जो तुल्यत्व (सादृश्य) तत्प्रकारक से अभिन्न-ज्ञान का विशेष्य' इस तरह का शाब्दबोध स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि इस लक्षणवाली रीति में भी यह आशंका होती है कि इस तरह से 'अरविन्दतुल्य' पद का अर्थ, क्रिया का विशेषण हो जाता है, अतः 'क्रियाव्ययविशेषणानां क्लीबतेष्यते—अर्थात् क्रिया और अव्यय के विशेषणरूप में आये हुए शब्दों का नपुंसकलिङ्ग होना इष्ट है' इस नियम के अनुसार उस पद से नपुंसकलिङ्ग आना चाहिए, पुंल्लिङ्ग नहीं—अर्थात् 'अरविन्दतुल्यं भाति' ऐसा वाक्य होना उचित है न कि 'अरविन्दतुल्यो भाति' ऐसा। परन्तु यह आशंका कुछ है नहीं। कारण, उक्त नियम व्याकरणशास्त्र का है और व्याकरण, केवल सिद्ध प्रयोगों का अनुवादक है विधायक नहीं—अर्थात् परम्परा से लोग जिस तरह के प्रयोग करते आते हैं उनको सिद्ध करने की प्रक्रिया केवल व्याकरण में बतला दी गई है, लोकप्रयोग के विरुद्ध किसी प्रकार का नियम बनाने का स्वतन्त्र अधिकार उसे नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त नियम 'स्तोकं पचति (थोड़ा पकाता है)' इत्यादि स्थलों पर ही लागू होगा, क्योंकि परम्परा से ऐसा प्रयोग होता आ रहा है, न कि 'अरविन्दतुल्यो भाति' इत्यादि स्थलों पर, क्योंकि परम्परा से ऐसी जगहों पर पुंल्लिङ्ग का ही प्रयोग होता आया है। कुछ लोगों का कथन है कि पूर्वोक्त समग्र अर्थ, लक्षणा द्वारा, धातु (भा) से ही उपस्थित हो जाता है 'अरविन्दतुल्यः' यह अंश, तो वक्ता के उक्तलक्षणावाले तात्पर्य का बोधकमात्र है, उसका अपना कुछ खास अर्थ नहीं है। इस मत के हिसाब से उक्त पूरा अर्थ जब एकही पद का हो गया, तब अन्वय और उसके साथ उठने वाले व्युत्पत्तिविरोध आदि के बखेड़े नहीं होते। यहाँ प्रथम पक्ष के संबन्ध में नागेश का कथन है कि यदि शाब्दबोध में उपमा को विधेय बनाना अभीष्ट हो, तब 'अरविन्दतुल्यं भाति' ऐसा ही वाक्य शुद्ध है 'अरविन्दतुल्यः' यह नहीं। कारण, क्रियाविशेषणों का नपुंसकलिङ्ग होना आपके उक्त दलीलों से रुक नहीं सकता। यदि 'विधेय का उपमाबोधक (इव आदि) के द्वारा समान धर्म के रूप में उपस्थित किया जाना ही उपमा का विधेय होना है' यह मेरी युक्ति अपनाई जाय, तब भी मूलकार की अभीष्टसिद्धि होती नहीं दीख पड़ती, क्योंकि 'अरविन्दतुल्यो भाति' इस वाक्य का शाब्दबोध, वैयाकरणों के हिसाब से 'अरविन्दसदृश (मुख, कर, चरण आदि) जिसका विषय है वह ज्ञान' और नैयायिकों के हिसाब से 'ज्ञान का विषय अरविन्दसदृश' इन्हीं दो प्रकारों से हो सकता है, पर इन दोनों ही प्रकारों में 'ज्ञान' ही समानधर्म के रूप में उपस्थित होता है और वह उपमाबोधक-तुल्य-पद से बोधित होता नहीं, क्योंकि 'तुल्य' पद उक्त शाब्दबोध के अनुसार 'ज्ञान के विषय' का बोधक होता है, 'ज्ञान' का नहीं। अतः उपमा को विधेय बनाने की इच्छा करने पर 'अरविन्दतुल्यं भाति' ऐसा ही वाक्य बोलना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। हाँ यदि ज्ञान को साधारण धर्म न मानकर 'सौन्दर्य आदि' अनुक्त वस्तु को मान लिया जाय,

तब 'अरविन्दतुल्यः' ऐसा वाक्य हो सकता है, किन्तु उस हालत में भी उपमा उद्देश्यतावच्छेदक (उद्देश्यविशेषण) ही रहेगी, विधेय नहीं। इसी बात को सर्वसम्मत समझना चाहिए। यहाँ चतुर्वेदीजीकृत हिन्दी रसगंगाधर की टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए सम्पादक लिखते हैं कि—"-'निर्मितिमादधती' इस काव्यप्रकाशके पद्य में 'निर्मिति' पद क्रियाविशेषण होने पर भी स्त्रीलिङ्ग है। अतः 'क्रियाविशेषण नपुंसकलिङ्ग ही होता है' यह नियम सार्वत्रिक नहीं है। इत्यादि।" पर यह टिप्पणी उनकी असङ्गत सी प्रतीत होती है। कारण, उक्त काव्यप्रकाश के पद्य में 'निर्मिति' पद क्रियाविशेषण है ही नहीं, उस पद को क्रियाविशेषण मानने की आवश्यकता भी नहीं है। वह तो शुद्ध कर्मपद है, उसका 'निर्मीयते' इस कर्मव्युत्पत्ति से 'जगत्' अर्थ है और 'आदधती' का अर्थ 'प्रकाशयन्ती'। यही बात काव्यप्रकाश के सभी मान्य व्याख्याकारों ने लिखी है। यदि किसी टीका में 'निर्मिति' को क्रियाविशेषण मान कर व्याख्या लिखी भी गई हो, तो वह स्वतन्त्र विचार रखनेवाले विद्वज्जनों से आदृत नहीं हो सकती।

तथाविधमष्टमं वाक्यं निर्दिशति—

अरविन्दवत्सुन्दरमित्यत्र वतेः 'तेन तुल्यम्—' इति विहितस्य सादृश्यवदर्थकस्य सादृश्ये लक्षणा। तस्य च सुन्दरपदार्थैकदेशेन सुन्दरत्वेनान्वयादरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रेव बोधः। एकत्र शक्त्याऽपरत्र लक्षणया च सादृश्यप्रतिपादनाच्छ्रौत्यार्थी च।

अरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रेवेति। अत्र "वस्तुतस्तु क्रियायास्तुल्यत्वे एव 'तेन तुल्यम्—' इति वतिविधानादरविन्दमिव सुन्दरमित्यादिवत्कथं बोध इति चिन्त्यमिदम्। अत एव ब्राह्मणवदधीते इत्यत्र ब्राह्मणकर्तृकाध्ययने ब्राह्मणपदस्य लक्षणेति महाभाष्यकारादयः। 'अरविन्दवत्सुन्दरम् मुखम्' इत्यत्र च भवतिक्रियाध्याहार्या। अरविन्दपदेन च सुन्दरारविन्दभवनं लक्ष्यते। तथा च सुन्दरारविन्दभवनसदृशं सुन्दरमुखभवनमिति शाब्दे बोधे वृत्ते अरविन्दमुखयोः सौन्दर्यधर्मकृतसादृश्यं व्यञ्जनया बुध्यते। एवमरविन्दवन्मुखमित्यत्रापि अरविन्दभवनसदृशं मुखभवनमित्येव बोधो युक्त इति बोध्यम्।" इति नागेशः। एकत्र अरविन्दमिवेत्यत्र। अपरत्र अरविन्दवदित्यत्र। अरविन्दवत्सुन्दरमित्यत्र 'तत्र तस्येव' इति सूत्रेण वतिप्रत्ययो न प्राप्तः, तस्य षष्ठ्यर्थे विधानात्, षष्ठ्यर्थस्य च (अरविन्दस्येव) सुन्दरमित्यत्रान्वयासम्भवात्, अतः 'तेन तुल्यम्—' इति सूत्रेण वतिप्रत्ययो विधेयः। स च सादृश्यवदर्थकः। सादृश्यवद्रूपस्य च मुख्यार्थस्य प्रकृते बाधः, अतस्तस्य-वतेः-प्रकृते सादृश्यमात्रे लक्षणा। लक्ष्यार्थस्य च सादृश्यस्य सुन्दरपदार्थैकदेशेन सुन्दरत्वेन सह प्रयोजकत्वसम्बन्धेनान्वयः। तेन अरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रेव 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकसौन्दर्यवदभिन्नम्' इति शाब्दबोधो भवति। नन्वेवं कस्तयोर्वाक्ययोर्भेद इति चेन्न, अरविन्दमिवेत्यत्र इवशब्दनिष्ठयाऽभिधया सादृश्योपस्थितौ परस्परसादृश्यात्मिकाया उपमायाः शब्दश्रवणमात्रादवगमेन तस्य वाक्यस्य शाब्दोपमाबोधकत्वम्, अरविन्दवदित्यत्र च वत्प्रत्ययनिष्ठया लक्षणया सादृश्योपस्थितौ परस्परसादृश्यात्मिकाया उपमाया आर्थसमाजग्रस्तत्वात् पश्चादवगमेन तस्य वाक्यस्यार्थोपमाबोधकत्वमिति भेदादिति भावः।

उपमाप्रतिपादक अष्टम वाक्य का उल्लेख करते हैं–अरविन्दवत् इत्यादि। 'अरविन्दवत्सुन्दरम् (अरविन्द के समान सुन्दर)' इस वाक्य में 'तत्र तस्येव' इस सूत्र से वति प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि वह षष्ठ्यर्थ में होता है और यहाँ 'अरविन्द का सुन्दर' यह षष्ठ्यर्थ वाला अन्वय बैठता नहीं, वह तब बैठता यदि 'सौन्दर्यम्' यह धर्मप्रधान शब्द कहा रहता, अतः उक्त वाक्य में वति प्रत्यय का विधान 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' (५।१।११५)' इस पाणिनिसूत्र से मानना पड़ता है। और उस 'वति' प्रत्यय का वाच्य अर्थ होता है 'सादृश्यवान्-अर्थात् सादृश्य से युक्त', जो यहाँ बाधित है–अर्थात् 'सादृश्ययुक्त' अर्थ का अन्वय 'सुन्दर पदार्थ' के साथ बनता नहीं अतः उसकी (वत् प्रत्यय की) केवल सादृश्य में यहाँ लक्षणा की जाती है और उस (लक्ष्यार्थ) सादृश्य का 'प्रयोजकता' सम्बन्ध से सुन्दर पदार्थ के एक भाग–सौन्दर्य–के साथ अन्वय होता है, अतः इस वाक्य का शाब्दबोध उसी तरह का होता है, जिस तरह का 'अरविन्दमिव सुन्दरम्' इसका होता है–अर्थात् यहाँ भी 'अरविन्द से निरूपित जो सादृश्य उसका प्रयोजक (साधक) जो सौन्दर्य, उससे युक्त से अभिन्न मुख आदि' ऐसा ही बोध होता है। इस तरह शाब्दबोध समान होने पर भी दोनों वाक्यों में अन्तर यह है कि एक जगह (अरविन्दमिव, यहाँ) सादृश्य की उपस्थिति 'इव' पद की शक्ति (अभिधा) से होती है, अतः शब्द या शक्ति के स्वभाव से वहाँ परस्पर सादृश्यरूप उपमा की प्रतीति शब्दश्रवण के बाद तुरत हो जाती है, अत एव यहाँ की उपमा श्रौती कहलाती है और दूसरी जगह (अरविन्दवत्, यहाँ) सादृश्य की उपस्थिति 'वत्' की लक्षणा से होती है, अतः शब्दस्वभाव से उपमा की प्रतीति अर्थज्ञानोत्तर होने के कारण यहाँ की उपमा आर्थी समझी जाती है। नागेश का कथन इस प्रसङ्ग पर भी कुछ विलक्षण तथा तथ्य-सा है जिसका सारांश यह कि–"–'तेन तुल्यम्–' इस सूत्र से वत् प्रत्यय वहीं होता है जहाँ क्रिया की समानता बतलानी रहती है, अतः 'अरविन्दवत्सुन्दरम्' और 'अरविन्दमिव सुन्दरम्' इन दोनों वाक्यों का शाब्दबोध समान कैसे हो सकता है ?—अर्थात् 'वत्' वाले वाक्य से क्रियाओं की तुल्यता प्रतीत होती है और 'इव' वाले वाक्य से वस्तुओं की। अतः पण्डितराज का कथन विचारणीय है। अतएव तो 'महाभाष्यकार' आदि ने 'ब्राह्मणवदधीते' इत्यादि में ब्राह्मण पद की उसके द्वारा की जाने वाली अध्ययन क्रिया में लक्षणा मानी है। अतः 'अरविन्दवत्सुन्दरम्' इस वाक्य में 'भवति (होता है)' इस क्रिया का अध्याहार करना चाहिए और 'अरविन्द' पद का अर्थ, लक्षणा द्वारा, 'सुन्दर अरविन्दका होना' इतना करना चाहिए। तब उक्त वाक्य से 'सुन्दर अरविन्द के होने के समान सुन्दर मुख आदि का होना' ऐसा शाब्दबोध होगा। इस तरह से बोध हो जाने के बाद व्यञ्जना के द्वारा, सौन्दर्यरूप धर्ममूलक, अरविन्द और मुख में सादृश्य की प्रतीति होगी। इसी तरह 'अरविन्दवन्मुखम्' इस वाक्य का भी 'अरविन्द के होने के समान मुख का होना' यही शाब्दबोध उचित है।" यहाँ हिन्दी रसगङ्गाधर में टिप्पणी करते हुए सम्पादक कहते हैं कि–"–'अरविन्दवत् सुन्दरम्' में जो मूलकार ने आर्थी उपमा कही है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि आर्थी उपमा वहाँ होती है, जहाँ सादृश्य-विशिष्ट अर्थ हो, अर्थात् सादृश्य की प्रतीति विशेषणरूप से होती हो। यहाँ तो वति प्रत्यय की सादृश्य में लक्षणा होने से यह विशेष्यरूप से प्रतीत हो रहा है। यह बात 'निखिलजगन्महनीया' इस उदाहरण में स्पष्ट है।" यहाँ मेरा कथन यह है कि–जिन्होंने 'निखिलजगन्महनीया' इस उदाहरण में 'वति' का सादृश्ययुक्त अ होने के कारण उपमा को आर्थी कहा है, वे ही पण्डितराज, यहाँ 'वति' का सादृश्य

मात्र अर्थ होने पर भी उपमा को आर्थी कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन परस्पर विरुद्ध-से प्रतीत होनेवाले लेखों का रहस्य क्या है ? मैं इसका रहस्य यह समझता हूँ कि-इव, यथा आदि पदों का कुछ ऐसा स्वभाव है, जिससे उनके रहने पर षष्ठीविभक्ति के समान शब्दश्रवणमात्र से परस्पर का सम्बन्ध (सादृश्य) ज्ञात होता है, अतः उन शब्दों के रहने पर तथा इवार्थक वति प्रत्यय के रहने पर श्रौती उपमा होती है। और तुल्य आदि पदों का स्वभाव ऐसा है, जिससे उनके रहने पर एक-तरफा सम्बन्ध का बोध होता है, जैसे 'उसके तुल्य' ऐसा कहने पर उपमेय में ही तुल्यता की प्रतीति होती है उपमेय की तुल्यता उपमान में नहीं, अतः अर्थज्ञानोत्तर विचार करने पर परस्पर सादृश्य का बोध होता है और परस्पर का सादृश्य ही तो उपमा है एक-तरफा सादृश्य नहीं, अतः इन शब्दों के तथा तुल्यार्थक 'वति' प्रत्यय के रहने पर आर्थी उपमा होती है। इस विवेचन के अनुसार 'अरविन्दवत्सुन्दरम्' में तुल्यार्थक वति प्रत्यय रहने के कारण उपमा का आर्थी होना समुचित ही है। लक्षणा से यहाँ 'तुल्य' नहीं 'तुल्यत्व' उसका अर्थ हो गया है, पर उससे क्या ? शब्दस्वभाव को कौन रोक सकता है ? पण्डितराज के कथन का भी कुछ ऐसा ही अभिप्राय हो सकता है।

तथाविधं नवमं वाक्यं निर्दिशति—

अरविन्दवन्मुखमित्यत्र त्वरविन्दनिरूपितसादृश्यवदभिन्नमिति।

सादृश्यवदभिन्नमिति। बोध इत्यस्यानुषङ्गः लक्षणा नेति भावः। अत एव तुः प्रयुक्तः। अरविन्दवन्मुखमित्यत्र वतिप्रत्ययस्तुल्यार्थे, तदेकदेशे तुल्यत्वे (सादृश्ये) अरविन्दपदार्थस्य निरूपितत्वेनान्वयः, वत्प्रत्ययार्थस्य तुल्यस्य (सादृश्यवतः) अभेदेन मुखेऽन्वयः। तथा च अरविन्दनिरूपितं यत्सादृश्यं, तद्वदभिन्नं मुखमिति शाब्दबोध इति भावः।

उपमाप्रतिपादक नवम वाक्य का उल्लेख करते हैं—अरविन्द इत्यादि। 'अरविन्द-वन्मुखम् (अरविन्द के समान मुख)' इस वाक्य में पूर्ववत् 'वति' प्रत्यय की सादृश्य में लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका वाच्य अर्थ सादृश्यवान् (सादृश्य-से युक्त) ही ठीक रह जाता है। तात्पर्य यह कि-अरविन्द पदार्थ का निरूपितत्वसम्बन्ध से 'वति' प्रत्ययार्थ के एक भाग सादृश्य के साथ और सम्पूर्ण 'वति' प्रत्ययार्थ सादृश्य-युक्त का मुख के साथ अभेदसम्बन्ध से अन्वय करके, उक्त वाक्य का 'अरविन्द से निरूपित सादृश्य से युक्त से अभिन्न मुख' ऐसा शाब्दबोध होता है।

तथाविधं दशमं वाक्यं समुल्लिखति—

अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्येत्यत्रारविन्दशब्दस्यारविन्दसौन्दर्यलाक्षणिकतयाऽर-विन्दसौन्दर्यनिरूपितसादृश्याधिकरणमेतत्सम्बन्धि सौन्दर्यमिति मुखारविन्द-सौन्दर्ययोः सादृश्यबोधे शाब्दे, तयोरभेदाध्यवसायादभिन्नधर्ममूला पश्चान्मुखा-रविन्दयोरपि सादृश्यधीः।

सौन्दर्यलाक्षणिकतयेति। अत्र 'तत्र तस्येवे'ति वतेरिवार्थे विहितत्वेन सादृश्यार्थकस्य प्रयोजके लक्षणयाऽरविन्दसादृश्यप्रयोजकमेतत्सम्बन्धि सौन्दर्यमिति बोधे उपपन्ने अरविन्द-पदस्यारविन्दसौन्दर्यलक्षणा किंफला किंप्रमाणा चेति चिन्त्यमिदम्' इति नागेशः। भट्ट-महोदयस्तु नागेशोक्तिं कटाक्षयन् "अस्मिन् (मूलोक्ते) शाब्दबोधे सौन्दर्यरूपसाधारण-

धर्मस्य अस्य इत्युपमेये अरविन्दे इत्युपमाने च सम्बन्धः सुस्पष्टं प्रतीयते। अरविन्द-सादृश्यप्रयोजकम् एतत्सम्बन्धि सौन्दर्यमिति नागेशोपपादिते शाब्दबोधे तु उपमेयमात्रे सौन्दर्यस्यान्वयः प्रतीयते। अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्येत्युक्तौ स्वारसिकश्च सौन्दर्यस्योभयत्रान्वयः। एवं सत्यपि 'अरविन्दसौन्दर्यलक्षणा किंफला' इत्यादिना मुधैव खण्डयन् नागेशमहोदयस्तु स्थूलदश्चैव" इत्याह। परमयं कटाक्षो न समीचीनः, नागेशोपपादितेऽपि बोधे सौन्दर्यस्योभयत्र प्रतीयमानत्वात, अन्यथा तस्य साधारणधर्मतैव न स्यात्। एतादृशबोधे सौन्दर्यस्योभयत्राप्रतीतौ स्वीक्रियमाणायां 'अरविन्दसुन्दरम्' इत्यादौ 'अरविन्द-निरूपितसादृश्यप्रयोजकाभिन्नसौन्दर्यवदभिन्नम्' इत्यादयो बोधाः मूलकृता प्रागुक्ताः सर्वं एवासमञ्जसाः स्युः। वस्तुतस्तु—उभाभ्यां (मूलकारनागेशाभ्याम्) लक्षणा स्वीक्रियत एव किन्तु मूलकारः अरविन्दमुखादिगतयोः सौन्दर्ययोः सादृश्यं शब्दतः प्राक् प्रतिपाद्य पश्चात् व्यञ्जनया अरविन्दमुखादिकयोः सादृश्यं प्रतिपादयति, नागेशस्तु प्रथममेवारविन्द-मुखादिकयोरेव तदुपपादयति इत्येव तयोर्विशेषः तत्र मूलकाराश्रिता सरणिरेव श्रेष्ठा, परमार्थतः अरविन्दमुखादिगतयोः सौन्दर्ययोरपि भिन्नतया तयोः सादृश्यसिद्धिं विना तदाधारयोः सादृश्यस्यासिद्धेः। किञ्च 'अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्य' इत्युक्तौ उपमानोपमेय-गतसौन्दर्ययोरेव सादृश्यं स्वरतः प्रतीयते। अरविन्दमुखादिकयोरुपमा व्यञ्ज्या न वाच्येत्येतावता क्षतिर्नास्तीति दिक्। शाब्दे इति। जाते इति शेषः। तयोरिति। मुखारविन्द-सौन्दर्ययोरित्यर्थः। अभेदेत्यस्य सादृश्यमूलेत्यादिः। अभिन्नधर्मेति। सौन्दर्यरूपेत्यर्थः। 'अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्य' इति वाक्ये 'तत्र तस्येव' इति विहितस्य वतेः सादृश्यमर्थः, अरविन्दपदस्य च लक्षणया अरविन्दसमवेतसौन्दर्यम्, अस्येत्यस्य मुखादिरुपमेयभूतो वाच्यः। तथा च 'अरविन्दसमवेतं यत् सौन्दर्यम्, तन्निरूपितं यत् सादृश्यम्, तदधिकरणम् (तदाश्रयः) एतत्सम्बन्धि सौन्दर्यम्' इत्यन्वयबोधः। अरविन्दपदलक्ष्यार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन वतिप्रत्ययार्थे, तस्य च इदं पदार्थोपमेयसम्बद्धसौन्दर्येऽधिकरणता-सम्बन्धेनान्वय इति तात्पर्यम्। नन्वेवं बोधे सत्यपि उपमानोपमेययोः अरविन्दमुखादि-कयोः सादृश्यात्मिका विवक्षितोपमा न सिद्धेति चेन्मैवम्, तत्र बोधे सौन्दर्ययोः सादृश्ये प्रतीते तयोः सादृश्यमूलाकाभेदाध्यवसायेन पश्चात् अरविन्दमुखादिकयोः अभिन्नधर्ममूलकस्य सादृश्यस्य विवक्षितोपमारूपस्य व्यञ्जनया प्रतीतेरिति भावः।

उपमाप्रतिपादक दशम वाक्य का निर्देश करते हैं—अरविन्द इत्यादि। 'अरविन्दवत् सौन्दर्यमस्य (इसकी सुन्दरता अरविन्द की सुन्दरता के समान है)' इस वाक्य में 'अरविन्द' पद की 'अरविन्द की सुन्दरता' में लक्षणा है, अतः उस पद का लक्ष्य अर्थ होता है 'अरविन्दसमवेत सौन्दर्य' और 'वति' का अर्थ यहाँ सादृश्य है, क्योंकि 'इव' के अर्थ में यह 'वति' प्रत्यय 'तत्र तस्येव' इति पाणिनिसूत्र से हुआ है। इन दोनों अर्थों में निरूप्य-निरूपकभाव'सम्बन्ध है—अर्थात् अरविन्द पद के उक्त लक्ष्य अर्थ का उक्त 'वति'प्रत्ययार्थ के साथ 'निरूपितत्व' संबन्ध से अन्वय किया जाता है। इसी तरह अरविन्द पदार्थ से अन्वित वतिप्रत्ययार्थ का उस सौन्दर्य के साथ 'अधिकरणता-आश्रयता-' संबन्ध से अन्वय किया जाता है, जिसमें 'अस्य' पद का अर्थ अन्वित होता है। इस तरह से उक्त वाक्य का शाब्दबोध-'अरविन्द सुन्दरता से निरूपित सादृश्य का अधिकरण (आश्रय) है इस (मुख आदि) की सुन्दरता' ऐसा होता है।

आप कहेंगे—इस प्रकार से तो सौन्दर्य-सौन्दर्य में सादृश्य सिद्ध हुआ, अरविन्द और मुख आदि में नहीं, फिर इन दोनों की उपमा (जो कवि की विवक्षित है) कैसे सिद्ध हुई ? तो इसका उत्तर यह है कि-उक्त प्रकार से जब दोनों सौन्दर्यों में सादृश्य सिद्ध हो जायगा, तब सादृश्यमूलक अभेद का आरोप होगा उन दोनों सौन्दर्यों में। इस तरह से जब वे दोनों सौन्दर्य एक-अभिन्न-समझ लिये जायेंगे, तब उस एक धर्म को निमित्त मानकर अरविन्द और मुख आदि में भी सादृश्य, व्यञ्जना से, समझ में आ जायगा। यहाँ नागेश कहते हैं कि-"-'अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्य' इस वाक्य में 'इव' के अर्थ में 'तत्र तस्येव' इस सूत्र से किये गये 'वति' प्रत्यय का अर्थ 'सादृश्य' है—तुल्यार्थक 'वति' के समान 'सादृश्यवत्' नहीं, अतः उस सादृश्यार्थक 'वति' प्रत्यय की 'सादृश्य-प्रयोजक' में लक्षणा करके 'अरविन्द से निरूपित जो सादृश्य उसका प्रयोजक इसका (मुख आदि का) सौन्दर्य' यह शाब्दबोध जब हो सकता है, तब 'अरविन्द' पद की 'अरविन्द की सुन्दरता' में जो मूलकार ने लक्षणा मानी है, उसका क्या फल उन्होंने देखा तथा इस तरह की लक्षणा करने में प्रमाण ही कौन-सा उनको प्राप्त हुआ यह विचारणीय प्रश्न है।" नागेश का अभिप्राय यह हुआ कि शब्दतः पहले सौन्दर्य-सौन्दर्य में सादृश्य समझकर पीछे व्यञ्जना से अरविन्द और मुख आदि में सादृश्य को समझना व्यर्थ है, सीधे अरविन्द और मुख आदि में ही, मेरी रीति से, सौन्दर्यरूप साधारणधर्ममूलक सादृश्य समझ लेना चाहिये। मेरी समझ से मूलकार की रीति ही अच्छी है, क्योंकि लक्षणा तो दोनों (मूलकार और नागेश) को माननी ही पड़ती है, तब यदि मूलकार (पण्डितराज जगन्नाथ) अरविन्द और मुख आदि की सुन्दरता की समानता समझ कर तद्द्वारा उनमें (अरविन्द और मुख आदि में) समानता समझते हैं तो कोई क्षति नहीं, प्रत्युत सीधे अरविन्द और मुख आदि में समानता समझ लेने की अपेक्षा उचित है। कारण, वस्तुतः उन दोनों के सौन्दर्य भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं, अतः उन दोनों में सादृश्य और तन्मूलक अभिन्नता समझे विना वह साधारण धर्म हो भी नहीं सकता। और 'अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्य' इस वाक्य से स्वाभाविकरूप में सौन्दर्य-सौन्दर्य की ही समानता प्रतीत भी होती है।

तथाविधमेकादशवाक्यं विवेचयति—

अरविन्देन तुल्यमित्यत्र तृतीयार्थो निरूपितत्वम्। तस्य च सादृश्येऽन्वयादरविन्दनिरूपितसादृश्याश्रयाभिन्नमिति।

सादृश्ये इति। तुल्यपदार्थैकदेशे इत्यर्थः। अभिन्नमितीत्यस्य बोध इति शेषः। 'अरविन्देन तुल्यम्' इति वाक्ये अरविन्दपदोत्तरतृतीयाविभक्तेर्निरूपितत्वमर्थः। तुल्यपदस्य च सादृश्यवानर्थः। तत्र विभक्त्यर्थस्य निरूपितत्वस्य तुल्यपदार्थैकदेशे सादृश्येऽन्वयः। तथा च 'अरविन्दनिरूपितं यत् सादृश्यम् तदाश्रयाभिन्नम् मुखादिक'मिति बोध इति भावः।

उपमाप्रतिपादक ग्यारहवें वाक्य का विवेचन करते हैं-अरविन्देन इत्यादि। 'अरविन्देन तुल्यम् (अरविन्द के समान)' इस वाक्य में 'अरविन्द' पद के आगे आई हुई तृतीया विभक्ति का अर्थ है 'निरूपितत्व', उसका अन्वय, तुल्यपदार्थ-सादृश्य-युक्त के एक भाग 'सादृश्य' में किया जाता है और तुल्यपदार्थ का 'अभेद' सम्बन्ध से मुख आदि में, अतः इस वाक्य का शाब्दबोध 'अरविन्द से निरूपित सादृश्य के आश्रय (सादृश्ययुक्त) से अभिन्न मुख आदि' यह होता है।

तादृशं द्वादशवाक्यं विवेचयितुमवतारयति—

तत्रैव सौन्दर्येणेति धर्मनिर्देशे तृतीयार्थः प्रयोज्यत्वम्। तेनारविन्दनिरूपित-सौन्दर्यप्रयोज्यसादृश्यवदभिन्नमिति।

तत्रैवेति। 'अरविन्देन तुल्यम्' इति वाक्य एवेत्यर्थः। धर्मनिर्देशे इति। 'सौन्दर्येणारविन्देन तुल्यम्' इति वाक्ये इति यावत्। अरविन्दनिरूपितेत्यादि। अरविन्दनिरूपितं सौन्दर्यप्रयोज्यञ्च यत् सादृश्यं तद्वदभिन्नमित्यर्थः। अन्यत् सुगमम्।

उपमाप्रतिपादक बारहवें वाक्य का विवेचन करते हैं—तत्रैव इत्यादि। उक्त वाक्य में यदि 'सौन्दर्येण' इस धर्मबोधक पद का भी निर्देश कर दिया जाय-अर्थात् 'सौन्दर्येणा, रविन्देन तुल्यम् (सुन्दरता से कमल के समान)' ऐसा वाक्य माना जाय, तब इस वाक्य में सौन्दर्य पद के आगेवाली तृतीया विभक्ति का अर्थ 'प्रयोज्यता'-अर्थात् 'साध्यता' होता है। अरविन्द पद के आगेवाली तृतीया का अर्थ 'निरूपितत्व' पहले ही कहा जा चुका है। अतः इस वाक्य का शाब्दबोध-'अरविन्द से निरूपित तथा सौन्दर्य से सिद्ध होने योग्य सादृश्य से युक्त से अभिन्न' यह होता है।

तथाविधं त्रयोदशवाक्यं विवेचयति—

अरविन्दमाननं च सममित्यत्र प्रथमं शब्दात्सादृश्यवदभिन्नमिति बोधे पश्चान्मानसी वैयञ्जनिकी वा परस्परनिरूपितसादृश्यस्य प्रतीतिः प्रसिद्धनिरूपितसादृश्यस्य वा।

अभिन्नमिति। अरविन्दमाननञ्चेति शेषः। परस्परेति। मुखसादृश्यस्य कमले, कमलसादृश्यस्य मुखे इत्यर्थः। विनिगमनाभावादिति भावः। प्रसिद्धेर्विनिगमकत्वादाह—प्रसिद्धेति। अरविन्देत्यर्थः। सादृश्यस्य वेति। प्रतीतिरित्यस्यानुषङ्गः। 'अरविन्दमाननं च समम्' इति वाक्ये 'सम'शब्दार्थस्य अरविन्दपदार्थेन आननपदार्थेन च सहाभेदान्वयः, 'निपातातिरिक्तनामार्थयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धोऽव्युत्पन्नः' इति पूर्वमेवोक्तत्वात्। अतोऽस्माद् वाक्यात् प्रथमम् 'सादृश्यवदभिन्नमरविन्दमाननञ्च' इति शाब्दबोधो जायते। पश्चात् व्यञ्जनयाऽरविन्दनिरूपितसादृश्यस्य मुखे, मुखनिरूपितसादृश्यस्यारविन्दे च प्रतीतिर्भवति। व्यञ्जनामनङ्गीकुर्वाणा नैयायिकादयस्तु मानसमेव परस्परनिरूपितसादृश्यबोधं पश्चान्मन्यन्ते। एकतरनिरूपितसादृश्यबोधस्तु न सम्भवति,' विनिगमकाभावात्। तथा चैवंविधवाक्यस्थले क्रमशो द्वयोरुपमानतोपमेयता चेति तात्पर्यम्। प्रसिद्धेर्विनिगमकत्वाङ्गीकारे पुनः अरविन्दनिरूपितसादृश्यस्यैव मुखे पश्चाद् वैयञ्जनिकी मानसी वा प्रतीतिः। तथा चारविन्दमुपमानमाननञ्चोपमेयमिति भावः।

अब उपमाप्रतिपादक तेरहवें वाक्य का विवेचन करते हैं—अरविन्दमाननञ्च इत्यादि। 'अरविन्दमाननञ्च समम् (कमल और मुख समान है)' इस वाक्य में 'सम' शब्द के अर्थ का 'अरविन्द' और 'आनन' दोनों पदों के अर्थों के साथ 'अभेद'संबन्ध से अन्वय होता है, क्योंकि 'दो प्रातिपदिकों—यदि निपात से अन्य हों—के अर्थों में परस्पर 'अभेद के अतिरिक्त कोई संबन्ध नहीं होता' यह नियम पहले लिखा जा चुका है। अतः प्रथमतः इस वाक्य का शाब्दबोध 'सादृश्य-युक्त से अभिन्न मुख और कमल' ऐसा होता है। और तदनन्तर, साहित्यिकों के हिसाब से व्यञ्जना द्वारा, तथा नैयायिकों

के हिसाब से मन द्वारा, परस्परनिरूपित सादृश्य—अर्थात् अरविन्दनिरूपित सादृश्य की मुख में और मुखनिरूपित सादृश्य की अरविन्द में—प्रतीति होती है। तात्पर्य यह कि ऐसे स्थलों पर पर्यायक्रम से दोनों को उपमान और दोनों को उपमेय माना जा सकता है, क्योंकि निश्चितरूप में किसी एक से निरूपित सादृश्य दूसरे में मानने का कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु यदि प्रसिद्धि को प्रमाण माना जाय—अर्थात् यह कहा जाय कि सादृश्य का प्रसिद्ध पदार्थ के द्वारा निरूपित होना अनुभवसिद्ध है, तब उक्त वाक्य में सुन्दरता आदि धर्म के लिये जो प्रसिद्ध हो, उससे निरूपित सादृश्य दूसरे में समझना चाहिए—अर्थात् पीछे होनेवाले वैयञ्जनिक अथवा मानसबोध में, सुन्दरता आदि के लिये चिरप्रसिद्ध अरविन्द से निरूपित सादृश्य का भान मुख में होगा ऐसा मानना चाहिए। इस स्थिति में निश्चितरूप से अरविन्द उपमान और मुख उपमेय समझा जायगा।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मकं चतुर्दशवाक्यं विवेचयितुमाह—

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्ने तु—

आपन्नेत्विति तदापन्नधर्मके त्वित्यर्थः। बिम्बप्रतिबिम्बभावपदार्थः प्रागुक्तः।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मवाले वाक्य में तो—

तादृशं वाक्यं निर्दिश्य विवेचयति—

'कोमलातपशोणाभ्रसन्ध्याकालसहोदरः।
कुङ्कुमालेपनो याति काषायवसनो यतिः॥'

इत्यादौ कुङ्कुमालेपनादिविशिष्टो यतिः कोमलातपादिविशिष्टसन्ध्याकालसदृशाभिन्न इति शक्त्या बोधे पश्चात्सादृश्यप्रयोजकधर्माकाङ्क्षायां श्रुतानां कोमलातपादीनामुपमानोपमेयविशेषणानां सादृश्यमूले तादात्म्याध्यवसाने साधारणत्वनिष्पत्तिः।

सहोदरशब्दार्थमाह—सदृशेति। तादात्म्येति। अभेदेत्यर्थः। अयं भावः—'कोमलेन आतपेन रक्तवर्णेन मेघेन च विशिष्टस्य सायंसमयस्य सहोदरः (लक्षणया तत्सदृश इत्यर्थः) कुङ्कुमलेपकाषायद्रवरञ्जितवस्त्राभ्यां युक्तः संन्यासी गच्छती'त्यर्थके 'कोमलातप···' इत्यादिवाक्ये सहोदरपदं सदृशे लाक्षणिकम्। तथा च प्रथमम् 'कुङ्कुमालेप-काषायवसनविशिष्टो यतिः, कोमलातपशोणाभ्रविशिष्टसन्ध्याकालसदृशाभिन्नः' इत्यभिधाजन्यो बोधः सम्पद्यते। ततः सन्ध्याकालसंन्यासिनोः कथं सादृश्यं?—कः सादृश्यप्रयोजको धर्मः?—इति जिज्ञासायां समुत्थितायां कोमलातपशोणाभ्रपदार्थौ उपमानविशेषणतयोक्तौ, कुङ्कुमालेपकाषायवसने चोपमेयविशेषणतयोक्ते, भिन्ना अपि सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसानरूपबिम्बप्रतिबिम्बभावविशिष्टाः सन्तः सादृश्यप्रयोजकसाधारणधर्मतां भजन्ते इति ज्ञानं जायत इति।

तादृश वाक्य का निर्देश करके अपेक्षित विवेचन करते हैं—कोमलातप इत्यादि। 'मृदु धूप और लाल मेघ वाले संध्यासमय का सगा भाई, केसर के लेप और कषाय वर्ण के वस्त्र से युक्त संन्यासी जा रहा है' इत्यादि अर्थ वाले 'कोमलातप···' इत्यादि वाक्यों के स्थल में, अभिधा के द्वारा यह शाब्दबोध होता है कि—'केसर के लेप आदि विशेषणों से

युक्त संन्यासी, कोमल धूप आदि विशेषणों से युक्त संध्यासमय के सदृश से अभिन्न है (अर्थात् सदृश है)।' उक्त शाब्दबोध के हो जाने पर श्रोताओं के हृदयों में यह आकांक्षा उठती है कि इस—संध्याकाल और संन्यासी की—उपमा में सादृश्य को सिद्ध करने वाला समान धर्म क्या है ? और तब धर्म के अभिन्न होने के लिये उक्त वाक्य में सुने गए 'कोमल आतप' और 'कुङ्कुमलेप' आदि उपमान तथा उपमेय के विशेषणों का, परस्पर सादृश्य के कारण, तादात्म्य (अभेद) मान लिया जाता है, और इस प्रकार से एकरूप माने हुए वे विशेषण समानधर्मरूप बन जाते हैं। अभिप्राय यह कि—जहाँ बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्ममूलक उपमा होती है, वहाँ शाब्दबोध तो उक्त रीति से हो जाता है—अर्थात् 'इव' आदि शब्दों के रहने पर उनके अर्थ 'सादृश्य' का 'आश्रयता'संबन्ध से और 'सहोदर' आदि लक्षणा से 'सदृश' अर्थ वाले पदों के रहने पर उनके अर्थों का 'अभेद'संबन्ध से उपमेय में अन्वय हो जाता है। पर समान धर्म का ज्ञान बाद में होता है, जो उपमान और उपमेय के विशेषणरूप में यद्यपि कहा रहता है, तथापि साधारणधर्मरूप वह तब तक नहीं हो पाता, जब तक सादृश्यमूलक अभेद का आरोप उनमें नहीं किया जाता।

पाठभेदेन बोधवैचित्र्यं दर्शयितुमाह—

कुङ्कुमालेपकाषायवसनाभ्यामयं यतिरित्यत्र कुङ्कुमालेपवसनयोरसाधारणयोरपि साधारणत्वज्ञानजननद्वारा कल्पनीयसादृश्यनिष्पत्तिप्रयोजकत्वात्प्रयोज्यत्वेन सादृश्येऽन्वयः। एकदेशान्वयः पुनरेषु पक्षेष्वगतिकतयाश्रीयत इत्युक्तमेव।

'कुङ्कुमालेप''' यतिः' इति पूर्वोक्तपद्योत्तरार्धस्थाने परिवर्तितः पाठः। साधारणत्वेति। सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसानेनेत्यादिः। अयं भावः—यदि मूलोक्तपद्योत्तरार्धस्थाने 'कुङ्कुमालेपकाषायवसनाभ्यामयं यतिः' इति पाठो भवेत्, तदा 'प्रयोज्यत्वं' तृतीयाविभक्तेरर्थं स्वीकृत्य 'कुङ्कुमालेपकाषायवसनप्रयोज्यम् यत् कोमलातपशोणाभ्रसंध्याकालप्रतियोगिकं सादृश्यम् तद्वदभिन्नो यतिः' इत्याकारकः शाब्दबोधः करणीयः। ननु असाधारणे कुङ्कुमालेपवसने कथं सादृश्यस्य प्रयोजके भवेतामिति चेन्न, कोमलातपशोणाभ्राभ्याम् सह सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसाने साधारणत्वेन ज्ञायमानयोस्तयोः सादृश्यप्रयोजकतायां विवादाभावात्। यद्यपीत्थंबोधे सहोदरपदलक्ष्यार्थैकदेशे सादृश्ये तृतीयार्थान्वयेन 'एकदेशान्वयदोषो जातस्तथापि स दोषः सह्य एवे'ति प्रागुक्तम्। इति।

'कोमलातप—' इस पद्य में ही पाठभेद कर देने पर बोध में कुछ विचित्रता हो जाती है, इस बात को स्पष्ट करने के लिये कहते हैं—कुङ्कुमा इत्यादि। 'कोमलातप—' इस पद्य के उत्तरार्थ को बदल कर यदि 'कुङ्कुमालेपकाषायवसनाभ्यामयं यतिः अर्थात्—यह संन्यासी, केसर के लेप और गेरुआ वस्त्र के कारण''' ऐसा कर दें, तब 'कुङ्कुमालेपकाषायवसन' पद के आगे जो तृतीया का द्विवचन-(भ्याम्) विभक्ति है, उसका अर्थ 'प्रयोज्यता' होगा उसका अन्वय 'सहोदर' पद के लक्ष्य अर्थ 'सदृश' के एकदेश-'सादृश्य' के साथ किया जायगा। तदनुसार उक्त परिवर्तित पाठ वाले वाक्य का शाब्दबोध होगा 'केसर और गेरुआ वस्त्र से प्रयोज्य-अर्थात् सिद्ध किया जाता हुआ—जो कोमल आतप तथा लाल मेघ से युक्त संध्या-समय का सादृश्य, उससे युक्त से अभिन्न यह संन्यासी है।' आप कहेंगे—केसर और गैरिक वस्त्र तो असाधारण पदार्थ हैं—अर्थात् केवल संन्यासी में रहने वाले धर्म हैं, फिर उनसे प्रयोज्य (साध्य) संध्या का सादृश्य

कैसे होगा? ऐसा तो तब होता यदि वे धर्म साधारण होते—अर्थात् संन्यासी और संध्यासमय दोनों में रहने वाले होते, पर ऐसा नहीं है, तो इसका उत्तर यह है कि—जब समान होने के कारण कोमल आतप और लाल मेघ का अभेद, केसरलेप तथा गैरिक वस्त्र में आरोपित हो जाता है, तब तो केसरलेप तथा गैरिक वस्त्र साधारण समझे जाते हैं, अतः उस हालत में उनसे उक्त सादृश्य का प्रयोज्य होना भी अयुक्त नहीं समझा जा सकता। अब बात रही एक यह कि उक्त तृतीयाविभक्त्यर्थ का अन्वय सहोदर पद के लक्ष्यार्थ-सदृश-के एकदेश-सादृश्य-के साथ करना पड़ता है, सो यह एकदेशान्वय दोष तो इन पद्यों में अगत्या सहना पड़ता है यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

सादृश्यस्यातिरिक्तत्वे दिग्दर्शनविधया चतुर्दशोपमाप्रतिपादकवाक्यानां बोधा आलोचिताः, सम्प्रति तस्य सामानधर्मरूपत्वे कियतां वाक्यानां बोधानालोचयितुमुपक्रमते—

सादृश्यस्य समानधर्मरूपत्वे तु अरविन्दसुन्दरं वदनमित्यत्र लक्षणयाऽरविन्दवृत्तिसमानधर्मः प्रतीयते। तस्य चाभेदेन सुन्दरपदार्थैकदेशेन सुन्दरत्वेनान्वयः।

लक्षणयेति। अस्यारविन्दपदस्येत्यादिः। अन्वय इति। तथा च 'अरविन्दवृत्तिसमानधर्माभिन्नसौन्दर्यवदभिन्नं वदनमि'ति बोध इति भावः।

पहले सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानने वालों के हिसाब से दिग्दर्शन कराने के लिये भिन्न तरह के चौदह उपमाबोधक वाक्यों के शाब्दबोध बतलाये गये हैं, अब, सादृश्य को समानधर्मरूप मानने वालों के हिसाब से कुछ वाक्यों के अन्वयबोध बतलाये जाते हैं— सादृश्यस्य इत्यादि। सादृश्य को जब समानधर्मरूप माना जाता है, तब, 'अरविन्दसुन्दरं वदनम् (कमलसुन्दर मुख)' इस वाक्य में 'अरविन्द' पद का लक्षणा द्वारा, 'अरविन्द में रहनेवाला समान धर्म' अर्थ होता है और उस लक्ष्य अर्थ का अन्वय 'अभेद'सम्बन्ध से सुन्दर पद के अर्थ सौन्दर्यविशिष्ट के एक भाग—सौन्दर्य के साथ होता है। सुन्दर पदार्थ का मुख आदि के साथ अभेदान्वय होना प्रसिद्ध ही है, अतः उक्त वाक्य का शाब्दबोध—'अरविन्द में रहनेवाले समान धर्म से अभिन्न सौन्दर्य से युक्त से अभिन्न मुख' ऐसा होगा।

तथाविधं द्वितीयवाक्यं प्रदर्शयति—

अरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रारविन्दपदार्थ आधेयतया संसर्गेण इवपदार्थेन समानधर्मेणान्वेति। शेषं प्राग्वत्।

आधेयतयेति। निष्ठत्वेनेत्यर्थः। शेषमिति। तस्य चाभेदेनेत्यादीत्यर्थः। तथा च 'अरविन्दनिष्ठसमानधर्माभिन्नसौन्दर्यवदभिन्नमि'ति बोध इति भावः।

द्वितीय वाक्य दिखलाते हैं—अरविन्द इत्यादि। 'अरविन्दमिव सुन्दरम् (अरविन्द सा सुन्दर)' इस वाक्य में 'अरविन्द' पद के अर्थ का अन्वय, 'इव' पद के अर्थ-समान धर्म—के साथ, आधेयता-निष्ठत्व-अर्थात् 'रहने रूप'सम्बन्ध से होता है और अवशिष्ट बातें पहले की तरह-अर्थात् 'इव' के अर्थ समान धर्म का अन्वय, सुन्दर पदार्थ के एकदेश-सुन्दरत्व—के साथ, अभेद'सम्बन्ध से होता है इत्यादि। इस तरह से उक्त वाक्य का शाब्दबोध-'अरविन्द में रहनेवाला जो समान धर्म, उससे अभिन्न जो सुन्दरता, तद्युक्त से अभिन्न मुख आदि' यह होता है।

तृतीयं तादृशं वाक्यं समुल्लिखति—

सौन्दर्येणारविन्देन सममित्यत्र सौन्दर्योत्तरतृतीयया धान्येन धनीत्यत्रेव अभेदार्थिकया अन्यया च निरूपितत्वार्थिकया सौन्दर्याभिन्नमरविन्दनिरूपितं यत्सादृश्यं तद्वदभिन्नमिति धीः।

'सौन्दर्येणारविन्देन समम्' इति वाक्ये सौन्दर्यपदोत्तरवर्तिनी तृतीयाविभक्तिरभेदार्थिका 'धान्येन धनी' इतिवत्। अरविन्दपदोत्तरतृतीयाविभक्तिश्च निरूपितत्वार्थिका। तयोश्च तृतीयार्थयोः समपदार्थैकदेशे सादृश्येऽन्वयः। तथा च मूलोक्ताकारः शाब्दबोधस्तस्मात् वाक्याद् भवतीति भावः।

तृतीय वाक्य का उल्लेख करते हैं—सौन्दर्येण इत्यादि। 'सौन्दर्येणारविन्देन समम् (सौन्दर्य के कारण अरविन्द के समान)' इस वाक्य में-'सौन्दर्य' पद के आगेवाली तृतीया विभक्ति का अर्थ 'अभेद' उसी तरह से होती है जैसे 'धान्येन धनी' इस वाक्य में 'धान्य' पद के आगेवाली तृतीया-का। तात्पर्य यह कि 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्' इस वार्तिक से जहाँ तृतीया विभक्ति होती है, वहाँ उसका अर्थ अभेद होता है, अतएव 'धान्येन धनी' का अर्थ 'धान्य से अभिन्न धनवाला' होता है, उसी तरह यहाँ भी हुआ है। 'अरविन्द' पद के आगेवाली तृतीया का अर्थ 'निरूपितत्व' है, और इन दोनों तृतीयार्थों का अन्वय 'अभेद'संबन्ध से 'सम' शब्द के अर्थ-सदृश-के एकदेश—सादृश्य—के साथ होता है। इस तरह से उक्त वाक्य का शाब्दबोध—सौन्दर्य से अभिन्न—अर्थात् सौन्दर्यरूप, और अरविन्द से निरूपित जो सादृश्य तदाश्रय से अभिन्न मुख आदि' यह होता है।

लुप्तोपमास्थले बोधं विचारयति—

क्यङर्थाचारो धर्ममात्रम्। तस्य चोपमानपदेन लक्षणयोपस्थितं तन्निरूपितसादृश्यं प्रयोजकतासंसर्गेणाभेदेन वा विशेषणम्। विशेष्यं चाश्रयतयोपमेयम्।

धर्ममात्रमिति। समानधर्मरूप एव क्यङर्थाचारो न तु क्रियादिरूप इति भावः। सादृश्यस्यातिरिक्तत्वे आह—प्रयोजकतेति। धर्मरूपत्वे आह—अभेदेति। विशेष्यमिति अस्य चेत्यादिः। अयं भावः—लुप्तोपमाः समासगता, तद्धितगता, नामधातुगता, कृदन्तगता च भवन्ति, तत्र समासगतलुप्तोपमाप्रतिपादकस्य 'अरविन्दसुन्दरमि'त्यस्य बोधः प्रागुक्तः। तद्धितकृदन्तगतलुप्तोपमाप्रतिपादकवाक्यजबोधे न किञ्चिद् वैचित्र्यमिति नामधातुगतलुप्तोपमाप्रतिपादकवाक्यस्थले बोधोऽधुना विचारणीयः तत्रापि क्यङ्प्रत्ययस्थले प्रथममत्राह। 'कर्तुः क्यङ् सलोपश्च' इति सूत्रानुशिष्टस्य क्यङ्प्रत्ययस्याचारो वाच्यः स च समानधर्मरूपः, तत्र च उपमानपदलक्ष्यार्थस्य स्वनिरूपितसादृश्यस्यान्वयो भवति, अन्वयश्च सः सादृश्यस्यातिरिक्तपदार्थत्वे 'प्रयोजकता'सम्बन्धेन तस्य समानधर्मरूपत्वे पुनः 'अभेद'सबन्धेन। प्रत्ययार्थस्य चाश्रयतासम्बन्धेनोपमेयेऽन्वयो जायते। तथा च 'निर्जलमीनायते महिला' इत्यादौ 'निर्जलमीननिरूपितसादृश्यप्रयोजकसमानधर्माश्रयीभूता नायिका' इति बोधः सादृश्यस्यातिरिक्तत्वे भवति, तस्य समानधर्मरूपत्वे पुनः 'निर्जलमीननिरूपित-

सादृश्याभिन्नसमानधर्माश्रयीभूता कामिनी' इति। अनयोर्बोधयोः प्रत्ययार्थो विशेषणम्। उपमेयपदार्थश्च विशेष्य इति।

लुप्तोपमास्थल में बोध का विचार करते हैं—क्यङर्था इत्यादि। समास, तद्धित, नामधातु और कृदन्त इन चार स्थलों में लुप्तोपमा का अवसर आता है। उनमें से समासस्थलीय लुप्तोपमा का शाब्दबोध 'अरविन्दसुन्दरम्' में दिखलाया जा चुका है। तद्धित और कृदन्तगत लुप्तोपमा के बोधों में कोई खास विचित्रता नहीं होती, अतः नामधातुगत लुप्तोपमा के बोध का ही विचार किया जाता है। नामधातु में भी उपमाबोधक दो प्रत्यय होते हैं एक 'क्यङ्' और दूसरा'क्यच्' उनमें से पहले 'क्यङ्' को लीजिए—' क्यङ्'प्रत्यय का अर्थ होता है 'आचार' जो समानधर्मरूप माना जाता है, क्यजर्थ—आचार—के समान अनुरूप क्रिया आदि रूप नहीं। उसका विशेषण होता है उसके प्रकृतिभूत उपमानबोधक पद से, लक्षणाद्वारा, उपस्थित उपमाननिरूपित सादृश्य-अर्थात् 'क्यङ् प्रत्यय' जिससे होता है, वह उपमानबोधक शब्द रहता है क्योंकि 'कर्तुः क्यङ् सलोपश्च' इस पाणिनिसूत्र से उपमानबोधक शब्द के आगे ही 'क्यङ्' प्रत्यय आता है और वह उपमानबोधक पद वहाँ नियमतः 'स्वनिरूपित सादृश्य' रूप अर्थ में लाक्षणिक रहता है। इस प्रकृत्यर्थ का उक्त प्रत्ययार्थ से अन्वय होता है। यह अन्वय, अतिरिक्तसादृश्यपदार्थवादी के मत में 'प्रयोजकता' सम्बन्ध से और समानधर्मरूपसादृश्यपदार्थवादी के मत में 'अभेद' सम्बन्ध से होता है। प्रत्ययार्थ—समानधर्म-उपमेय का विशेषण होता है अर्थात् 'क्यङ्' प्रत्यय वाले वाक्य के बोध में उपमेय सबसे विशेष्य होता है। तात्पर्य यह कि प्रत्ययार्थ का 'आश्रयता' सम्बन्ध से उपमेय में अन्वय किया जाता है। इस तरह से 'निर्जलमीनायते महिला (नायिका जलरहित प्रदेश की मछली के समान आचरण करती है)' इत्यादि 'क्यङ्' प्रत्यय वाले वाक्य से शाब्दबोध होता है कि-'जलशून्य देश की मछली से निरूपित सादृश्य के प्रयोजक (अतिरिक्त सादृश्यमत में) अथवा उक्त सादृश्य से अभिन्न (समानधर्म-रूप सादृश्यमत में) समानधर्म का आश्रय नायिका।'

क्यच्प्रत्ययविषये विचारयति—

क्यजर्थाचारश्चानुरूपक्रियादिः।

अनुरूपक्रियादिरिति। अत्रानुरूपत्वं सदृशत्वं तच्चोपलक्षणम्, न तु वाच्यकुक्षिप्रविष्टम्। क्यजर्थाचारस्य क्रियात्वेन विशेषरूपेण भानमिति भावः। अन्यत् पूर्ववत्। तथा च 'मलयानिलमनलीयति महिला' इत्यादिवाक्येभ्यः 'अनलनिरूपितसादृश्यप्रयोजिका तादृशसादृश्याभिन्ना वा या मलयानिलकर्मिका क्रिया तदनुकूलकृतिमती नायिका' इत्यादिरीत्या बोधो भवति। 'तिलोत्तमीयन्ती' इत्यादितस्तु 'तिलोत्तमानिरूपितसादृश्यप्रयोजिका तादृशसादृश्याभिन्ना वा या आत्मकर्मिका क्रिया तदनुकूलकृतिमती' इत्यादिरीत्या बोधः। शब्दशक्तिप्रकाशिकाकारो जगदीशस्तु "आचारसदृश आचारः क्यजर्थः तद्विशेषणीभूते आचारे प्रकृत्यर्थस्य विशेष्यीभूते च माणवकादेः च कर्मत्वेनान्वयस्तथा च 'पुत्रीयति माणवकं देवदत्तः' इत्यादौ 'पुत्रकर्मकाचरणसदृशं यन्माणवककर्मकाचरणं तदनुकूलकृतिमान् देवदत्तः' इत्यादिबोधः" इत्याचष्टे।

'क्यच्' प्रत्यय के विषय में विचार करते हैं—क्यजर्था इत्यादि। 'क्यच्' प्रत्यय का भी अर्थ 'आचार' है, पर यहाँ यह आचार 'क्रिया' के रूप में भासित होता है, उस

क्रिया के उपमेय का क्रिया के समान होना आवश्यक है। अतः-'महिलामलयानिलमनलीयति (विरहिणी नायिका मलयपवन में अग्नि के तुल्य आचरण करती है)' इत्यादि वाक्य का शाब्दबोध, उक्त रीति से यह होता है कि 'अग्नि से निरूपित सादृश्य का प्रयोजक अथवा अग्निनिरूपितसादृश्य से अभिन्न जो मलयपवनकर्मक क्रिया, तदनुकूल कृति (यत्न) वाली नायिका।' 'तिलोत्तमीयन्ती-तिलोत्तमामिव आत्मानम् आचरन्ती-अर्थात् अपने में तिलोत्तमा सा आचरण करती हुई' इस वाक्य में भी वही 'क्यच्' प्रत्यय होता है पर यहाँ कर्म है 'आत्मा' अतः इस वाक्य का बोध 'तिलोत्तमा से निरूपित सादृश्य का प्रयोजक अथवा उससे निरूपित सादृश्य से अभिन्न जो आत्मकर्मक क्रिया, तदनुकूल कृतिवाली कोई नायिका' यह होता है। शब्दशक्तिप्रकाशिकाकार जगदीश भट्टाचार्य ने तो 'क्यच्' प्रत्यय का अर्थ 'आचारसदृश आचार' माना है और उन दोनों में से प्रथम 'आचार' में क्यच् प्रत्यय की प्रकृति के अर्थ का तथा दूसरे 'आचार' में वाक्योक्त कर्मपदार्थ का अन्वय स्वीकार किया है। तदनुसार 'मलयानिलमनलीयति' का शाब्दबोध-'अग्निकर्मक आचारसदृश जो मलयपवनकर्मक आचार तदनुकूल यत्न वाला' ऐसा होगा यह भी समझ लेना चाहिए।

उपसंहरति—

इति दिक्।

पूर्वोक्तविचारो दिग्दर्शनम्, अनयैव दिशाऽन्यत्राप्यवगन्तव्यमिति भावः।

उपसंहार करते हैं—इति इत्यादि। इति-अर्थात् पूर्वोक्त विचारसमूह, दिक्-अर्थात् दिशाप्रदर्शनमात्र है। तात्पर्य यह कि-पूर्वोक्त से अन्य उपमाप्रतिपादक वाक्यों के शाब्दबोध भी इसी रीति से समझ लेने चाहिएँ।

इवादिरव्ययः सादृश्यद्योतको वाचको वेति विमृशति—

तत्रेवादीनां द्योतकत्वमेव न वाचकत्वम्, निपातत्वादुपसर्गवत्। द्योतकत्वं च स्वसमभिव्याहृतपदान्तरेण शक्त्या लक्षणया वा तादृशार्थबोधेन तात्पर्यग्राहकत्वेनोपयोगित्वमिति वैयाकरणाः। उपसर्गाणां द्योतकत्वमावश्यकम्। अन्यथा उपास्यते गुरुः, अनुभूयते सुखम्, गुर्वादेर्लेनाभिधानं न स्यात्। धात्वर्थकर्मताविरहात्। इवादीनां तु वाचकत्वम्, बाधकाभावात्। प्रागुक्तहेतुस्त्वप्रयोजकत्वान्न साधकः। अन्यथा अव्ययत्वादिति हेतुना अव्ययमात्रस्यैव द्योतकतापत्तिरिति नैयायिकाः।

तत्रेति। सादृश्ये इत्यर्थः। निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः, तस्य द्योतकत्वे वाचकत्वे वाऽन्वयः, तथा च सादृश्यरूपार्थनिरूपितद्योतकत्वमेवेवादीनां न वाचकत्वमिति भावः। तत्र हेतुमाह—निपात इति। दृष्टान्तमाह—उपसर्ग इति। अत्र द्योतकत्वं न साध्यम् निपातत्ववत्सु अनर्थकनिपातेषु द्योतकत्वाभावेन व्यभिचारात्, किन्तु वाचकत्वाभाव एव साध्यः, अत एव 'न' वाचकत्वम्' इत्यंशोक्तिः सङ्गच्छते। तथा च 'इवादयो वाचकत्वाभाववन्तः निपातत्वात्, उपसर्गवत्' इत्यनुमितेराकारः सिद्ध्यतीति बोध्यम्। नानार्थभिन्नस्थले शक्त्या बोधने तात्पर्यग्राहकानपेक्षणादाह—लक्षणयेति। लेनेति। लकारेणेत्यर्थः। अप्रयोजकत्वादिति। अत्र "-साक्षात्क्रियते दयिता' इत्यादौ लेन दयितादेरभिधानसिद्धये

निपातत्वे द्योतकतावच्छेदकता कल्प्यते इति चिन्त्यमेतत् ।" इति नागेशः। द्योतकतापत्तिरिति । न चेष्टापत्तिः इवादीनां स्वातन्त्र्येण प्रयोगानापत्तेरिति भावः। उपसर्गाणां द्योतकत्वं सर्वैरास्थीयते, तद्दृष्टान्तेन वैयाकरणा निपातानाम् इवादीनामपि द्योतकत्वमेव स्वीकुर्वन्ति, स्व(द्योतक)समभिव्याहृतेन (पूर्वं पश्चाद् वा स्थितेन) अन्येन पदेन शक्तिप्रयोज्ये लक्षणाप्रयोज्ये वा विलक्षणे बोधे जनयितव्ये तात्पर्यग्राहकतयोपयोगित्वञ्च द्योतकत्वमभिवाञ्छन्ति । तथा च पूर्वोक्तेषु सर्वेषु निपातघटितेषु उपमालङ्कारोदाहरणेषु उपमानबोधकाः शब्दा एव सादृश्यस्यापि वाचकाः । इवादयस्तु तैः शब्दैः सादृश्यबोधने तात्पर्यग्राहकतया समुपयुज्यन्ते । नैयायिकास्तु 'उपास्यते गुरुः अनुभूयते सुखम्' इत्यादौ उपानुरूपणामुपसर्गाणामुपासनानुभवाद्यर्थवाचकत्वे तेषामर्थानां धातुवाच्यताविरहेण गुरुसुखयोर्धात्वर्थव्यापारप्रयोज्यफलाश्रयत्वरूपकर्मत्वाभावे कर्मवाचकेन लकारेण तयोरनुक्ततया-प्रथमाद्यनापत्तिरिति तत्र धातूनामेवोपासनाद्यर्थवाचकत्वमङ्गीकार्यम् , तथा चोपसर्गाणामगत्या द्योतकत्वेऽङ्गीकृतेऽपि निपातानामिवादीनां वाचकत्वमेव स्वीकार्यम् , तावतापि निपातघटितप्रयोगस्थले तादृशानुपपत्तेरप्रसङ्गात् न च निपातत्वरूपेण हेतुना इवादीनां द्योतकत्वमनुमितं भवतीति वाच्यम् , तस्य हेतोरप्रयोजकतयोक्तानुमितेरेवासिद्धेः । अन्यथा अव्ययत्वेन हेतुना सर्वेषामेवाव्ययानां द्योतकत्वं किमिति नानुमीयते इति कथयन्ति । तथा च नैयायिकरीत्या पूर्वोक्तेषूदाहरणेषु उपमानबोधकानि पदानि केवलमुपमानवाचकान्येव, सादृश्यवाचकास्तु इवादयो निपाता एवेति भावः ।

'इव' आदि अव्यय, सादृश्य के द्योतक हैं अथवा वाचक इस बात का विचार अब करते हैं—तत्र इत्यादि । उपसर्ग—प्र, परा, अनु अव आदि—अर्थविशेष के द्योतक होते हैं वाचक नहीं, यह बात सभी (वैयाकरण तथा नैयायिक आदि) को मान्य है, पर निपात—इव, यथा आदि—के विषय में मतभेद है । वैयाकरणों का कथन है कि-निपात भी उपसर्ग के समान अर्थविशेष के द्योतक ही हैं वाचक नहीं, और द्योतक उनको कहा जाता है जो अपने अगल-बगल के अन्य पदों से शक्ति द्वारा अथवा लक्षणा द्वारा होने वाले अर्थ-विशेष के बोध में तात्पर्यग्राहकरूप से उपयोगी होते हों । वैयाकरणों के इस सिद्धान्त के अनुसार 'इव' आदि निपात सादृश्य के द्योतकमात्र हैं, वाचक तो उसके भी उपमानबोधक पद ही होते हैं । नैयायिकों का कथन इससे भिन्न है । वे कहते हैं कि-'उपास्यते गुरुः (गुरु सेवित होते हैं)' और 'अनुभूयते सुखम् (सुख अनुभूत होता है)' इत्यादि वाक्यों में यदि 'सेवन' और 'अनुभव' क्रमशः 'उप' और 'अनु' रूप उपसर्गों के अर्थ माने जायँ-अर्थात् उन अर्थों का वाचक इन उपसर्गों को कहा जाय, तब 'गुरु' और 'सुख' आदि कर्म नहीं होंगे, क्योंकि कर्म वे ही कहलाते हैं जो धातु के अर्थ—व्यापार से होनेवाले फल के आश्रय हों और अब उक्त रीति से 'सेवन' तथा 'अनुभव' धातु के अर्थ हुए नहीं, इस तरह जब वे कर्म नहीं हो सकेंगे, तब लकार-अर्थात् कर्मवाच्य-'ते' प्रत्यय से वे उक्त भी नहीं होंगे और उस हालत में उन (गुरु तथा सुख पद) से प्रथमाविभक्ति नहीं हो सकेगी, अतः अगत्या उपसर्गों को भले ही द्योतक माना जाय, (उपसर्ग के द्योतक होने पर 'आस्' और 'भू' धातु ही, 'सेवन एवं 'अनुभव' के वाचक होते हैं और तब उक्त सभी आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं)। पर निपात—इव आदि—को वाचक मानना ही समुचित है, क्योंकि उन्हें वाचक मानने पर भी कोई उस तरह की आपत्ति नहीं होती । तब रही बात उनके निपात होने की, सो

वह कुछ नहीं–अर्थात् निपात होनारूप हेतु उनको द्योतक सिद्ध करने में अप्रयोजक—असमर्थ—है। यदि ऐसा हेतु लिया जाय, तब 'अव्ययत्व'रूप हेतु से–अर्थात् अव्यय होने के कारण सभी अव्ययों को द्योतक क्यों नहीं मान लिया जाय? यह तो आप कह नहीं सकते कि–हम सभी अव्ययों को द्योतक मानते हैं, क्योंकि यदि सभी अव्यय अपने-अपने अर्थ के केवल द्योतक ही हों, वाचक नहीं, तब स्वर्ग के अर्थ में जो केवल 'स्वः' इस अव्यय का स्वतन्त्ररूप से प्रयोग किया जाता है, वह नहीं हो सकेगा। फलतः नैयायिक लोग निपात को वाचक ही मानते हैं। तदनुसार 'इव' आदि निपात सादृश्यरूप अर्थ के स्वतन्त्र वाचक हैं, उपमानवाचक पद केवल उपमान के बोधक होते हैं। वैयाकरणशिरोमणि नागेश, यहाँ वैयाकरणों के मत के समर्थन में लिखते हैं कि–जिस तरह 'उपास्यते गुरुः', 'अनुभूयते सुखम्' इत्यादि प्रयोगों के अनुरोध से उपसर्गों को द्योतक माना जाता है उसी तरह 'साक्षात्क्रियते दयिता' इत्यादि प्रयोगों के अनुरोध से निपातों को भी द्योतक मानना ही चाहिए। तात्पर्य यह कि–यदि निपात को द्योतक न मानकर वाचक माना जायगा, तब उक्त प्रयोग में 'साक्षात्कार' अर्थ 'साक्षात्' इस निपात का ही किया जायगा, 'कृ' धातु का नहीं, फिर तो वे सब आपत्तियाँ यहाँ भी टपक पड़ेंगी, जो उपसर्गों को द्योतक न मानने पर 'उपास्यते गुरुः' इत्यादिक में हुई थीं। अतः उपसर्ग तथा निपात द्योतक हैं और इन दोनों से अन्य अव्ययवाचक हैं ऐसा ही मानना उचित है।

उपमादोषानाख्यातुं प्रक्रमते—

अथास्याश्चमत्कारस्यापकर्षकं यावत्तत्सर्वमपि दोषः। कविसमयप्रसिद्धिराहित्यम्, उपमानोपमेययोर्जात्या प्रमाणेन लिङ्गसंख्याभ्यां चाननुरूप्यम्, बिम्बप्रतिबिम्बभावे धर्माणामुपमानोपमेयगतानां न्यूनाधिकत्वम्, अनुगामितायामनुपपद्यमानकालपुरुषविध्याद्यर्थकत्वम्, एवमादि।

अथेति अनन्तरमित्यर्थः। सामान्यत आह—अस्याश्चमत्कारस्येति। एतेन 'उपमाचमत्कारापकर्षकत्वम्' इति उपमादोषसामान्यलक्षणं फलितम्। विशेषत आह—कविसमयेत्यादिना। समयः सङ्केतः। आननुरूप्यमिति। नञ्समासोत्तरं भावप्रत्ययः। कालो भूतादिः। पुरुषः प्रथमादिः। चमत्कारापकर्षकत्वं दोषसामान्यलक्षणम्। एवञ्चोपमाचमत्कारापकर्षकाणि यावन्ति वस्तूनि तानि सर्वाण्युपमादोषत्वेनाभिमतानि। तादृशानि च वस्तून्यनेकानि सम्भवन्ति, यथा कविसङ्केतविरुद्धत्वं प्रथमं तादृशं वस्तु, उपमानस्योपमेयस्य च मिथोऽननुरूपता द्वितीयं तथाविधं वस्तु, अननुरूपता चेयं पुनरनेकधा सम्भवति, क्वचित्तयोर्जातिभेदेन कुत्रचित् प्रमाणभेदेन, कुत्रचित् लिङ्गभेदेन कुत्रचित् संख्याभेदेन च, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मकोपमास्थले उपमानगततादृशधर्मापेक्षया उपमेयगततादृशधर्माणां न्यूनताऽधिकता च तथाविधे वस्तुनी, अनुगामिधर्मकोपमास्थलेनुगामिधर्म(क्रिया)गताः कालपुरुषविधयस्तादृशाः समपेक्षिता येषामुपमानोपमेयोभयांशे उपपत्तिर्भवेत, तद्विरुद्धत्वं तेषां पुनस्तथाविधम् (चमत्कारापकर्षकम्) एव वस्त्विति भावः।

अब उपमादोष का निरूपण किया जाता है—अथ इत्यादि। चमत्कार (आनन्दजनकता) का अपकर्षक (घटानेवाला) होना सामान्यतः दोष माना जाता है, अतः जितनी वस्तुएँ उपमा के चमत्कार को अपकृष्ट करनेवाली होंगी, वे सभी उपमा के दोष

हैं। उस तरह की अनेक वस्तुएँ हो सकती हैं, जैसे—सर्वप्रथम-कवियों के सिद्धान्तों में जो वस्तु जिस रूप में प्रसिद्ध नहीं है उसका उस रूप में उल्लेख, दूसरी-उपमान तथा उपमेय का जाति, प्रमाण, लिङ्ग और संख्या (वचन) द्वारा परस्पर अनुरूप न होना, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मों में उपमान तथा उपमेय के धर्मों का न्यूनाधिक होना, और साधारण धर्म के अनुगामी होने पर काल, पुरुष और विधि आदि अर्थों का उपपन्न न होना—अर्थात् ऐसी क्रिया का अनुगामी धर्म होना, जिसके काल-पुरुष आदि उपमान अथवा उपमेय अंश में सङ्गत न हो सकें। ये सभी चमत्कारापकर्षक होने से उपमा के दोष हैं।

उपमादोषानुदाहर्तुमाह—

क्रमेण यथा—

स्पष्टम्।

क्रमशः जैसे।

कविसमयप्रसिद्धिराहित्यस्योदाहरणं निर्दिश्यते—

'प्रफुल्लकह्लारनिभा मुखश्री रदच्छदः कुङ्कुमरम्यरागः।
नितान्तशुद्धा तव तन्वि वाणी विभाति कर्पूरपरम्परेव॥'

नायकस्य नायिकां प्रत्युक्तिः—हे तन्वि कृशाङ्गि! तव, मुखश्रीः मुखकान्तिः, प्रफुल्लकह्लारनिभा विकसितरक्तकमलतुल्या, रदच्छदः अधरोष्ठयुगलम्, कुङ्कुमरागरम्यः केसरवत् रागेण रक्तिम्ना रमणीयः, नितान्तशुद्धा परमपवित्रा, वाणी वाक् च कर्पूरस्य घनसारस्य परम्परा समूह, इव, विभाति भासत इत्यर्थः। अत्र कह्लारमुखयोः कुङ्कुमाधरयोः, कर्पूरवाण्योश्चोपमानोपमेयभावः कविसमयाप्रसिद्ध इति भावः।

कविसमयप्रसिद्धिराहित्यदोष का उदाहरण दिखलाया जाता है—प्रफुल्ल इत्यादि। किसी नायिका के प्रति किसी नायक की उक्ति है—हे कृशाङ्गि! तेरे मुख की कान्ति विकसित कह्लारपुष्प (रक्तकमल) के समान, तेरे अधरोष्ठ-केसर की सी लाली से रमणीय और तेरी अतिपवित्र वाणी कपूर की श्रेणी के तुल्य भासित होती है। यहाँ मुख और कह्लार, केसर और अधरोष्ठ एवं कपूर और वाणी के उपमानोपमेयभाव, कवियों के व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं हैं।

उपमानोपमेययोर्जात्याऽननुरूपत्वस्योदाहरणं निर्दिश्यते—

'मुनिः श्ववदयं भाति सततं पर्यटन् महीम्।
विनिवृत्तक्रियाजातः श्वापि लोके शुकायते॥'

कविः कथयति—सततं निरन्तरम्, महीम् पृथ्वीम्, पर्यटन् भ्रमन्, अयं कविहृदयस्थः, मुनिः, श्ववत् कुक्कुरवत्, भाति भासते। विशेषेण निवृत्तं दूरीभूतम्, क्रियाजातम् व्यापारसमूहो यस्य तादृशः, श्वा कुक्कुरः, अपि, लोके संसारे, शुकायते शुकदेवमुनिवदाचरतीत्यर्थः। अत्र श्वमुन्योः शुकदेवशुनोश्च जात्याननुरूपत्वम् इति भावः।

उपमान और उपमेय में जाति द्वारा अननुरूपता का उदाहरण दिखलाया जाता है—मुनिः इत्यादि। कवि का कथन है—निरन्तर पृथ्वी में चक्कर लगाने वाला यह

मुनि कुत्ते के समान प्रतीत होता है। सभी कामों से मुख मोड़ लेने वाला कुत्ता भी शुकदेव मुनि के समान भासित होता है। यहाँ पूर्वार्ध में कुत्ते के साथ मुनि की और उत्तरार्ध में शुकदेव के साथ कुत्ते की जो उपमा दी गई है, वह जात्या अनुरूप नहीं है अर्थात् कुत्ते की जाति सहस्र उपाय से भी मुनि के सदृश नहीं हो सकती।

उपमानोपमेययोः प्रमाणेनाननुरूपत्वस्योदाहरणं निर्दिश्यते—

'सरसि प्लवदाभाति जम्बीरं सुपचेलिमम्।
आदिकारणतोयौघ इव ब्रह्माण्डमण्डलम्॥'

कवेरुक्तिः—सरसि सरोवरे प्लवत् तरत् सुपचेलिमम् सुपक्वम् एतच्च प्लवनयोग्यतासम्पादनार्थम्, आमफलस्य तदयोगात् जम्बीरम्, आदिकारणस्य 'अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्' इति श्रुतेः सृष्टिप्रथमकारणस्य तोयस्य जलतत्त्वस्य, ओघे समूहे, प्लवत्, ब्रह्माण्डस्य, संसारस्य मण्डलम् चक्रम्, इव आभाति भासत इत्यर्थः अत्र सरोवरादिकारणीभूतजलसमूहयोः तथा जम्बीरब्रह्माण्डमण्डलयोश्च प्रमाणेनाननुरूप्यम्, प्रथमयोर्न्यूनपरिमाणत्वात् द्वितीययोश्च महापरिमाणत्वात् इति भावः।

उपमान तथा उपमेय में प्रमाण (परिमाण) के द्वारा रहनेवाली अननुरूपता का उदाहरण दिखलाया जाता है—सरसि इत्यादि। कवि का कथन है—सरोवर में तैरता हुआ अत्यन्त पका नीबू, 'अत एव ससर्जादौ...' इत्यादि श्रुति के अनुसार आदिकारणरूप जलसमूह में तैरता हुआ ब्रह्माण्डमण्डल-सा प्रतीत होता है। यहाँ उपमान और उपमेय का प्रमाण (लम्बाई चौड़ाई आदि) अनुरूप नहीं है। कहाँ छोटा-सा नीबू और कहाँ महाविशाल ब्रह्माण्डमण्डल! एवम् कहीं थोड़ी दूरी में फैला सरोवर और कहाँ समग्र भुवन को आत्मसात् कर लेनेवाला वह जलसमूह।

उक्तपद्ये ब्रह्माण्डमण्डलमुपमानं जम्बीरमुपमेयम्, किन्तु तयोः परिवर्तनेऽपि स दोषस्तदवस्थ एवेति प्रतिपादयति—

एतस्यैव किञ्चित्पदव्यत्यासे ब्रह्माण्डस्योपमेयतायां चायमेव दोषः।

'सरसीव समाभाति जम्बीरं सुपचेलिमम्। आदिकारणतोयौघे 'प्लवद् ब्रह्माण्डमण्डलम्' इतीत्थं परिवर्त्य यदि पूर्वपद्यं पठ्यते, तदा ब्रह्माण्डमुपमेयं जायते। परन्तु प्रमाणतोऽननुरूपताख्यो दोषस्तदवस्थ एव तथापीति सुबोधमेव।

उक्त पद्य में कुछ पदों को इधर से उधर करके यदि ब्रह्माण्डमण्डल को उपमेय बना दिया जाय—अर्थात् पद्य का आकार 'सरसीव समाभाति जम्बीरं सुपचेलिमम्। आदिकारणतोयौघे प्लवद्ब्रह्माण्डमण्डलम्।' ऐसा कर दिया जाय, तब भी यही (प्रमाणतः अननुरूपता) दोष होगा।

उपमानोपमेययोः लिङ्गसङ्ख्याभ्यामननुरूपताया उदाहरणं निर्दिश्यते—

'द्राक्षेव मधुरं वाक्यं चरितं कौमुदी यथा।
सदैवार्द्राणि चेतांसि सुधेव सुमहात्मनाम्॥'

कविर्वक्ति—सुमहात्मनाम् महामाहात्म्यशालिनाम्, वाक्यं, द्राक्षा, इव, मधुरम्, चरितम् चरित्रम्, कौमुदी चन्द्रिका, यथा इव, चेतांसि हृदयानि, सुधा पीयूषम्, इव आर्द्राणि भवन्तीत्यर्थः। अत्र द्राक्षावाक्ययोः तथा कौमुदीचरितयोः पूर्वार्धोक्तयोः लिङ्ग-

तोऽननुरूपता, उपमानयोः स्त्रीलिङ्गत्वात् उपमेययोश्च नपुंसकत्वात्। उत्तरार्धोक्तयोः सुधाचेतसोः लिङ्गसङ्ख्योभयतोऽननुरूपता, उपमानस्य स्त्रीलिङ्गत्वादेकत्वसंख्याविशिष्टत्वाच्च उपमेयस्य नपुंसकत्वात् बहुत्वसङ्ख्याविशिष्टत्वाच्चेति भावः।

उपमान तथा उपमेय में लिङ्ग एवं संख्या के भेद से होनेवाली अननुरूपता का उदाहरण दिखलाया जाता है—द्राक्षेव इत्यादि। कवि का कथन है—अच्छे महात्माओं का वाक्य दाख-सा मीठा, चरित्र चाँदनी-सा (निर्मल) और चित्त सुधा की तरह सर्वदा आर्द्र (पिघला) रहता है। यहाँ उपमान—दाख, चाँदनी और सुधा—स्त्रीलिङ्ग हैं और उपमेय-वाक्य, चरित और चित्त-नपुंसकलिंग, अतः लिङ्ग के द्वारा, और—'चेतांसि (चित्त)' बहुवचन है और 'सुधा' एकवचन, अतः संख्या के द्वारा इस उपमा में अननुरूपता दोष होता है।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मस्य न्यूनताया उदाहरणं निर्दिश्यते—

'वामाकल्पितवामाङ्गो भासते भाललोचनः।
शम्पया सम्परिष्वक्तो जीमूत इव शारदः॥'

कविः शिवं वर्णयति—वामया पत्न्या-पार्वत्या कल्पितं रचितं, वामं दक्षिणेतरम्, अङ्गं येन, तादृशः (अर्धनारीश्वर इति यावत) भाललोचनः त्रिनेत्रः शिवः, शम्पया विद्युल्लतया, सम्परिष्वक्तः संश्लिष्टः, शारदः शरत्कालीनः (एतद् विशेषणं गौरवर्णशिवसादृश्यसिद्धयर्थमिति बोध्यम्) जीमूतो मेघः, इव, भासते प्रतीयत इत्यर्थः।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म की न्यूनता का उदाहरण दिखलाया जाता है—वामा इत्यादि। कवि शिवजी का वर्णन करता है—वामा-नारी (पार्वती) से वाम अङ्ग बनाए हुए (अर्थात् अर्धनारीश्वर) ललाट पर लोचन वाले भगवान् शिव, बिजली से आलिङ्गित शरद् ऋतु के मेघ के समान प्रतीत होते हैं।

उपपादयति—

अत्र जीमूतगतो भालस्थलोचनप्रतिबिम्बो नोपात्त इति न्यूनत्वम्।

उक्तपद्ये उपमेयशिवगतवामाकल्पितवामाङ्गत्वप्रतिबिम्बभूतमुपमाने मेघे शम्पासम्परिष्वक्तत्वं यथोपात्तम्, तथोपमानशिवगतभालवर्तिलोचनप्रतिबिम्बभूतं किमपि वस्तु उपमाने मेघे नोपात्तम् इति उपमाने धर्मस्य न्यूनतेति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में जिस तरह उपमेय-शिव-में कहे गए पार्वतीसंश्लेष के प्रतिबिम्बभूत वस्तु—बिजली का संश्लेष, उपमान-मेघ-में कहा गया है, उस तरह, उपमेय-शिव-में कहे गए भालस्थित नेत्र का प्रतिबिम्बभूत कोई पदार्थ उपमान-मेघ-में नहीं कहा गया है, अतः यहाँ उपमान में धर्म की न्यूनता हो जाती है।

दोषपरिहारोपायमाह—

'भगवान् भवः' इति कृते तु बिम्बस्यैवाभावान्न प्रतिबिम्बापेक्षेति साधु।

उक्तपद्यस्थस्य 'भाललोचनः' इत्यस्य स्थाने 'भगवान्भवः' इति पाठो यदि क्रियते तदोपमेये शिवे बिम्बभूतं भाललोचनत्वमेव न तिष्ठतीति उपमाने मेघे तत्प्रतिबिम्बापेक्षा न जागर्तीति तादृशे पाठे निर्दोषोपमा स्यादिति भावः।

दोषपरिहार का उपाय बतलाया जाता है—भगवान् इत्यादि। उक्त पद्य में जो 'भाललोचनः' पद है, उसके स्थान में यदि 'भगवान् भवः' ऐसा पाठ मान लिया जाय, तब उक्त दोष दूर हो जाता है, क्योंकि इस पाठ के अनुसार उपमेय-शिव-में ही बिम्बभूत पदार्थ (भाललोचनत्व) नहीं रहता, अतः उपमान-मेघ-में उसके प्रतिबिम्ब की अपेक्षा ही नहीं होती। तात्पर्य यह कि इस परिवर्तित पाठ में मेघ और शिव की उपमा निर्दोष होती है।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वयोग्यस्य धर्मस्याधिकताया उदाहरणं निर्दिश्यते—

'विष्णुवक्षःस्थितो भाति नितरां कौस्तुभो मणिः।
अङ्गारक इवानेकतारके गगनाङ्गणे ॥'

कविः हरिहृदयस्थलस्थितं कौस्तुभमणिं वर्णयति—विष्णोः हरेः, वक्षसि उरःप्रदेशे, स्थितो वर्तमानः, कौस्तुभाख्यो, मणिः, अनेकतारके नानाविधनक्षत्रभूषिते, गगनाङ्गणे नभोरूपे प्राङ्गणे, वर्तमान इति शेषः, अङ्गारकः मङ्गलाख्यनक्षत्रविशेषः, इव, नितरामत्यन्तम्, भाति भासत इत्यर्थः।

बिम्बप्रतिबिम्बभावयोग्य धर्म की अधिकता का उदाहरण दिखलाया जाता है—विष्णु इत्यादि। कवि भगवान् के वक्ष पर लटकते हुए कौस्तुभमणि का वर्णन करता है—विष्णु भगवान् के उरःस्थल पर वर्तमान कौस्तुभमणि, अनेक तारों से युक्त आकाशमण्डल में स्थित मङ्गल नामक तारे की तरह अत्यन्त शोभित होता है।

उपपादयति—

अत्र तारकाणां बिम्बाभावादाधिक्यम्।

उक्तपद्ये उपमेयवाक्यार्थे तादृशं किमपि वस्तु नोपात्तम्, यदुपमानवाक्यार्थोपात्ततारकबिम्बभावं भजेत, अतः उपमानवाक्यार्थेऽनेकतारकरूपस्य धर्मस्याधिक्यमित्ययमुपमादोष इति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'विष्णुवक्षः—' इस पद्य में उपमेय-कौस्तुभ-मणि के विशेषणरूप से कोई ऐसी चीज नहीं कही गई है जो उपमान—मङ्गल के विशेषणरूप से कहे गये तारों का बिम्बभूत हो, अतः उपमान अंश में 'अनेकतारक' यह धर्म अधिक है।

दोषोद्धारप्रकारमाह—

'विष्णोर्वक्षसि मुक्तालिभासुरे भाति कौस्तुभः' इत्यर्थे तु न दोषः।

उपमेयवाक्यार्थे 'मौक्तिकपङ्क्तिसमुज्ज्वले' इत्यर्थकस्य 'मुक्तालिभासुरे' इति विशेषणस्योपादाने उपमानवाक्यार्थगतानेकतारकबिम्बलाभान्नाधिक्यमिति न दोष इति भावः।

दोषोद्धार का प्रकार दिखलाया जाता है—विष्णो इत्यादि। 'मोतियों की पङ्क्ति से चमकते हुए विष्णु के वक्षःस्थल में कौस्तुभमणि शोभित हो रहा है' इस अर्थ का बोधक मूलोक्त पाठ मानने पर उपमानवाक्यगत 'अनेक तारों से युक्त' इस प्रतिबिम्बभूत धर्म का बिम्बभूत धर्म 'मोतियों की पङ्क्ति से चमकते हुए' यह उपमेयवाक्य में आ जाता है, अतः उपमान-अंश में धर्म की अधिकतारूप दोष नहीं होता।

परिवर्तितपाठे उपमासिद्धिरीतिं स्फोरयति—

अत्र विशेषणविशेषणयोर्मुक्तालितारकागणयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावेन वक्षोगगनाङ्गणयोर्विशेषणयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः, तन्मूला चोपमा।

परिवर्तितपाठविशिष्टोक्तपद्ये प्रधानविशेष्यकौस्तुभाङ्गारकविशेषणीभूतवक्षोगगनाङ्गणविशेषणयोर्मुक्तालितारकागणयोः प्रथमं बिम्बप्रतिबिम्बभावः, ततस्तन्मात्रसादृश्येन मुख्यविशेष्यसाक्षाद्विशेषणयोर्वक्षोगगनाङ्गणयोः सः ततस्तदात्मकसादृश्यमूला अङ्गारककौस्तुभयोरुपमा सिद्ध्यतीति भावः।

उक्त परिवर्तित पाठ में उपमासिद्धि की रीति बतलायी जाती है—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में जब मूलोक्त रीति से पाठ बदल दिया जाता है तब पहले मुख्य विशेष्य (कौस्तुभ और मङ्गल) के विशेषण (वक्ष तथा आकाश) के विशेषण-मोतियों की पङ्क्ति और तारकागण में चमचमीरूप सादृश्यमूलक बिम्बप्रतिबिम्बभाव होता है और पीछे उक्त बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न समानधर्म के बल से उक्त मुख्य विशेष्य के साक्षात् विशेषण—वक्षःस्थल और आकाश - में बिम्बप्रतिबिम्बभाव होता है, तदनन्तर तदात्मक सादृश्यमूलक मङ्गल और कौस्तुभ की उपमा सिद्ध होती है।

अनुगामिधर्मस्थले कालानुपपत्तेरुदाहरणं प्रदर्शयति—

'रराज राजराजस्य राजहंसः करस्थितः।
हस्तनक्षत्रसंसक्त इव पूर्णो निशाकरः॥'

कवेरियमुक्तिः—राजराजस्य कस्यचिद् वर्णनीयस्य महाराजस्य कुबेरस्य वा करे हस्ते, स्थितो वर्तमानः राजहंसः पक्षिविशेषः, हस्ताख्येन नक्षत्रेण, संसक्तः सम्मिश्रितः, पूर्णः पूर्णिमातिथिगतः, निशाकरः चन्द्रः, इव, रराज शुशुभे इत्यर्थः।

अनुगामिधर्मस्थल में काल की अनुपपत्ति का उदाहरण दिखलाते हैं रराज इत्यादि। कवि का कथन है—राजाधिराज (कुबेर अथवा किसी विशिष्ट राजा) के हाथ पर बैठा हुआ राजहंस, हस्तनक्षत्र से मिलित पूर्णचन्द्र के समान शोभित हुआ।

उपपादयति—

अत्र रराजेति प्रतिपाद्ये भूतकालावच्छिन्नक्रियाविशेषे राजहंसस्यान्वय इव न निशाकरस्येत्यनुपपद्यमानकालघटितत्वं धर्मस्य।

'रराज—' इति पद्ये 'रराज' इति पदं भूतकालेन अवच्छिन्नं विशिष्टं भूतकालिकमिति यावत् क्रियाविशेषम् शोभनरूपं बोधयति, तद्बोध्ये च तादृशे तस्मिन् क्रियाविशेषे राजहंसस्योपमेयस्यान्वयो घटते, चन्द्रस्य तु न, तस्याकल्पस्थायित्वेन तदीयक्रियाविशेषस्य वर्तमानकालावच्छिन्नतया भूतकालानवच्छिन्नत्वात् एवञ्चानुगामिसाधारणधर्मतयोपात्तः शोभनात्मकः क्रियाविशेषोऽनुपपद्यमानकालविशिष्टतया दोषावह इति भावः।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में 'रराज' इस पद से भूतकालिक क्रिया कही जाती है, अतः उसके साथ जिस तरह उपमेय 'राजहंस' का अन्वय सङ्घटित होता है, उस तरह उपमान—चन्द्र का नहीं, क्योंकि चन्द्र, कल्पान्तपर्यन्त स्थायी पदार्थ है, अतः उसकी क्रिया वर्तमानकालिक होगी भूतकालिक नहीं। तात्पर्य यह कि राजहंस के विषय में 'शोभित होता था' ऐसा कहना ठीक हो सकता है, पर चन्द्र के विषय में

नहीं, उसके विषय में तो यह कहना ठीक हो सकता है कि 'शोभित होता है'। ऐसी स्थिति में यहाँ का 'रराज'पदबोध्य क्रियाविशेषरूप अनुगामी साधारणधर्म भूतकालरूप उपपन्न न हो सकनेवाली वस्तु से युक्त है।

अनुगामिनः क्रियारूपस्य साधारणधर्मस्यानुपपद्यमानकालघटितत्वमेव पुनरुदाहरति—

'रणाङ्गणे रावणवैरिणो विभोः शराः समन्ताद् वलिता विरेजिरे।
निदाघमध्यं दिनवर्तिनोऽम्बरे सहस्रभानोः प्रखराः करा इव॥'

कविः कथयति—रावणवैरिणो रावणशत्रोः, विभोः व्यापकस्य रामचन्द्रस्य, रणाङ्गणे युद्धभूमिरूपे प्राङ्गणे, (अनेन रूपकेण प्रभोः समरभूमौ निर्भयभ्रमणमावेद्यते) समन्तात् चतुर्दिक्षु, वलिताः प्रसृताः, शराः बाणाः, अम्बरे आकाशे, प्रसृताः, निदाघमध्यंदिनवर्तिनः ग्रीष्मर्तुमध्याह्नकालिकस्य, सहस्रभानोः सहस्रकिरणस्य सूर्यस्य, प्रखराः सुतीक्ष्णाः, कराः किरणाः, इव, विरेजिरे शुशुभिरे इत्यर्थः। अत्रापि पूर्ववत् भूतकालावच्छिन्नस्य विराजनक्रियारूपसाधारणधर्मस्य उपमेयान्वितत्वमिव नोपमानान्वितत्वम्, तदीयविराजनस्य वर्तमानत्वादिति भावः।

पुनः अनुगामी धर्म में काल की अनुपपत्ति का ही दूसरा उदाहरण दिया जाता है—रणाङ्गणे इत्यादि। कवि का कथन है—रावण के वैरी विभु-व्यापक-रामचन्द्रजी के, रणभूमि में चारों तरफ फैले हुए, बाण, आकाश में फैले हुए ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न-कालिक सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के समान, सुशोभित हुए। यहाँ भी 'विरेजिरे' यह भूत-कालिक क्रियारूप समानधर्म, उपमेय-बाण-अंश में सङ्घटित होने पर भी, उपमान—सूर्यकिरण—अंश में सङ्घटित नहीं हो सकता क्योंकि सूर्यकिरणों की क्रिया (शोभित होना) वर्तमानकालिक है।

पुनस्तदेवोदाहर्तुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'आगतः पतिरितीरितं जनैः शृण्वती चकितमेत्य देहलीम्।
कौमुदीव शिशिरीकरिष्यते लोचने मम कदा मृगेक्षणा॥'

प्रवासगतो नायकश्चिन्तयति—'(तव) पतिः रक्षकः प्रियः, आगतः समायातः' इति जनैः स्वजनैः, ईरितम् कथितं, वचः इति शेषः, शृण्वती आकर्णयन्ती, चकितम् चकितेक्षणं यथा स्यात्तथा (चकितमित्यस्य चकितेक्षणमित्यर्थकरणमग्रिमग्रन्थस्वारस्यात् समुचितत्वाच्चेति बोध्यम्) देहलीम् गृहद्वारम्, एत्य आगत्य, (सा) मृगेक्षणा हरिणलोचना, कौमुदी चान्द्रमसी ज्योत्स्ना, इव, मम, लोचने नयने, कदा कस्मिन् क्षणे, शिशिरीकरिष्यते शीतलयिष्यति इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—आगतः इत्यादि। प्रवासी नायक अपने मन में सोचता है—'(तेरे) पति आ गए' इस सखीजनोक्त वचन को सुनती हुई, चकित-विलोकन-पूर्वक देहली पर आकर (वह) मृगनयना प्रेयसी, मेरी आँखों को, चन्द्र-ज्योत्स्ना की तरह कब शीतल करेगी।

उपपादयति—

अत्र शृण्वतीति शत्रा प्रत्यायितेन श्रवणसमकालमेव प्रियाया देहल्यागमनमित्यर्थेनातिशयोक्त्यात्मना गमितस्त्वरातिशयस्तद्गतमौत्सुक्यातिशयं पुष्णाति। कौमुद्युपमा तु तत्परिपोषितं प्रधानीभूतं प्रियगतमौत्सुक्यम्। चकितमित्यागमनविशेषणमपि वस्तुतो विचार्यमाणमीक्षणविशेषणीभवत्तस्यैवानुकूलम्। इति स्थिते भविष्यत्कालावच्छिन्नशिशिरीकरणस्य साधारणधर्मस्योपमेयान्वितत्वमिव नोपमानान्वितत्वम्।

अत्र उक्तपद्ये। शत्रेति। 'लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे' इति वर्तमानकालविहितेनेति भावः। प्रत्यायितेन अभिव्यञ्जितेन। इत्यर्थेनेति। अन्यथा 'श्रुत्वा' इत्युक्तिर्भवेदिति भावः। अतिशयोक्तीति। श्रवणस्यागमनकारणतया पूर्वकालिकत्वध्रौव्येऽपि समकालीनत्वप्रतीत्या 'कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविपर्ययरूपातिशयोक्तिः' इति भावः। गमितः व्यञ्जितः। तद्गतम् नायिकागतम्। कौमुद्युपमा तु इति। तुना पूर्वव्यवच्छेदः। उपमेयं नायिकागतमौत्सुक्यं न पुष्णातीति तात्पर्यम्। तत्परिपोषितमिति। नायिकागतौत्सुक्यातिशयपोषितमित्यर्थः। औत्सुक्यमिति। पुष्णातीत्यस्यानुषङ्गः। तथा च प्रियगतौत्सुक्यस्य नायिकागतौत्सुक्यातिशयः कौमुद्युपमा चेति द्वयं पोषकमिति भावः। ननु कथं कौमुद्युपमाया नायकगतौत्सुक्यमात्रपोषकत्वम्? 'कौमुदीव चकितमेत्य' इत्यन्वये तस्या नायिकागतौत्सुक्यपोषकत्वस्यापि सम्भवात, तथात्वे च भविष्यत्कालिक्या एव कौमुद्या उपमानत्वप्रतीत्या वक्ष्यमाणदोषानवकाश इत्यत आह—चकितमित्यागमनेति। आगमनविशेषणमपीति। श्रुत्याऽऽपाततः तद्विशेषणत्वेन ज्ञायमानमिति भावः। वस्तुतो विचार्यमाणमिति। इतस्ततो विक्षेपरूपो नेत्रधर्मश्चकितत्वम्, किञ्च प्रियतमागमनश्रवणकालिकनायिकाकर्तृकदेहल्यागमने चकितनयनपूर्वकत्वविशेषणमेव सहृदयहृदयसंवादि, इत्यादयोऽत्र वस्तुतो विचारा विज्ञेयाः। ईक्षणविशेषणीभवदिति। ईक्षणं नयनं तस्य विशेषणभावं भजमानमित्यर्थः। चकितमित्यस्य लक्षणया चकितेक्षणमित्यर्थः करणीय इति भावः। नयनधर्मस्य चकितत्वस्यागमने बाधितत्वाल्लक्षणाऽत्र नाहेतुकीत्यपि बोध्यम्। अत्र 'मृगेक्षणाघटितस्येक्षणस्य विशेषणम्, अर्थात् मृगवत् चकितमीक्षणं यस्या इत्यर्थः' इति सरलाकारष्टिप्पणीमकरोत्। तत्र 'मृगेक्षणाघटकस्येक्षणस्य' इति वक्तव्ये 'घटित'पदं तैरुक्तम्। किञ्च मृगेक्षणाघटकेक्षणे चकितत्वस्यान्वयो न कथमपि सम्भवतीति पण्डितराजीयाभिप्रायविषयत्वं तस्योपवर्णयन् स शोच्य एव। तस्यैवेति। 'कौमुद्युपमा प्रियगतमेवौत्सुक्यं पुष्णाति न प्रेयसीगतम्' इत्यर्थस्यैवेत्यर्थः। उक्तरीत्या चकितमित्यस्य चकितेक्षणमित्यर्थे निश्चिते नयनविहीनायाः कौमुद्या आगमनान्वयासंभवेन न तदुपमायाः प्रियागतौत्सुक्य-पोषकता-सम्भवो न वा भविष्यत्कालिक्याः कौमुद्या उपमानत्वप्रतीतिरिति भावः। इति स्थिते इति। अस्यां स्थितौ 'भविष्यत्कालिक्येव कौमुदी उपमानमत्र' इत्यर्थस्य वक्तुमशक्यतया वक्ष्यमाणदोषावकाशसूचनाय स्थितिवर्णनमिदमिति भावः। तस्यैवेत्यस्य 'ईक्षणस्यैव' इति व्याख्या नागेशकृता तु नैव शोभना, तथात्वे तदुक्तेरकिञ्चित्करतापत्तेः, न च पण्डितराजमुखादकिञ्चित्करोक्तिः कथमपि सम्भवतीति मे मतिः। उपमेयान्वितत्वमिव नोपमानान्वितत्वमिति। उपमेया नायिका, भवि-

ष्यत्काले एव लोचने शिशिरीकरिष्यतीति भविष्यत्कालावच्छिन्नशिशिरीकरणक्रियारूपस्य समानधर्मस्य तत्रान्वय उपपद्यते, उपमानभूता कौमुदी तु सर्वदैव शिशिरीकरोति नयने न तु भविष्यत्काल एव तथा करिष्यतीति न तत्र तादृशस्य तस्य धर्मस्यान्वय उपपद्यते इत्यर्थः। शरच्चन्द्रमरीचिमये निशीथसमये प्रवासी समाशंसते यद्यथाऽद्युनेयं चन्द्रिका नयने मे शीतलयति तथा प्राणवल्लभा मम लोचने कदा शीतलीकरिष्यतीति वस्तुस्थितौ न भविष्यत्कालवर्तिन्याः कौमुद्या उपमानत्वमपि तु वर्तमानकालवर्तिन्या एवेति परमार्थः। अत्र 'एषु सर्वेषु भूतभविष्यत्तत्तत्पदार्थानामेवोपमानीकरणेनान्वयस्य सम्भवोऽस्त्येवेति चिन्त्यान्येतान्युदाहरणानि। 'त्यक्ष्यामि वैदेहसुतां पुरस्तात् समुद्रनेमिं पितुराज्ञयेव' इत्यादि तूदाहर्तुमुचितम्' इति नागेशः। निशाकर-सूर्यकरकौमुद्यादयः सर्वकालस्थायिनः तथा च यथायथं भूतभविष्यत्कालिकानां तेषामुपमानत्वेन विवक्षणे उक्तदोषाः न सम्भवन्ति तेषु पद्येषु त्यक्ष्यामीति पद्ये तु पृथिव्याः पूर्वं त्यक्तत्वात् भविष्यत्कालान्वयो दुर्घटस्तत्र इति तदेव पद्यमनुपपद्यमानकालघटितसाधारणधर्मत्वस्योदाहरणं भवितुमर्हतीति तदाशयः। वस्तुतस्तु अन्यत्र तथा सम्भवेऽपि 'आगतः—' इति श्लोके तथा न सम्भवतीति प्रागुक्तमेव। तथा च तस्य श्लोकस्य प्रकृतदोषोदाहरणता समञ्जसैवेति दिक्।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'आगतः–' इस पद्य में 'शृण्वती (सुनती हुई)' इस पद के 'शतृप्रत्यय (ती हुई इस अंश)' से (क्योंकि इस प्रत्यय से वर्तमानकालिक असमाप्त क्रिया का बोध होता है) श्रवणकाल में ही प्रिया का देहली पर आना यह अर्थ अभिव्यक्त होता है जो अतिशयोक्ति अलङ्काररूप सिद्ध होता है-अर्थात् श्रवण कारण है और देहली पर आना उसका कार्य, अतः इन दोनों का पूर्वपश्चाद्भाव अवश्य-म्भावी है, पर उक्त रीति से उन दोनों का एक काल में होना जो प्रतीत होता है-वह 'कारणकार्य का पौर्वापर्यविपर्ययरूप अतिशयोक्ति' है, इस अतिशयोक्तिरूप अर्थ से नायिका का त्वरातिशय (अत्यन्त जल्दबाजी) व्यक्त होता है और यह त्वरातिशय नायिका की उत्कट उत्सुकता को पुष्ट करता है। कौमुदी की उपमा तो नायिक की उत्कट उत्सुकता से पोषित नायक की उत्सुकता को पुष्ट करती है। तात्पर्य यह की नायक की उत्सुकता के पोषक यहाँ दो पदार्थ होते हैं-एक नायिका की उत्कट उत्सुकता और दूसरी कौमुदी की उपमा। सारांश यह कि कौमुदी की उपमा नायिका की उत्सु-कता का पोषण नहीं करती। आप पूछेंगे कि-ऐसा क्यों? क्योंकि यदि कौमुदी इव चकितमेत्य (कौमुदी के समान चकित आकर)' इस तरह अन्वय किया जाय, तब कौमुदी की उपमा से नायिकागत औत्सुक्य का भी पोषण हो सकता है और इस रीति का आश्रय करने पर भी भविष्यकालिक कौमुदी (चन्द्र-ज्योत्स्ना) का ही उपमान होना सिद्ध होगा, फिर तो आगे जो भविष्यत्काल की अनुपपत्ति रूप दोष दिखलाना है उसका अवसर ही नहीं रहेगा, तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि प्रकृति पद्य में शब्दतः 'चकित' यह, आगमनक्रिया का विशेषण ज्ञात होता है, तथापि वास्तविक विचार करने पर वह (चकित) ईक्षण (नेत्र) का ही विशेषण हो जाता है, तात्पर्य यह कि-चकितत्व वस्तुतः इधर-उधर सञ्चालनरूप नेत्र का ही धर्म है-चकितमेत्य (चकित आकर)' इसका भी मतलब यही होता है कि 'इधर-उधर ताकती हुई आकर' ऐसी स्थिति में 'चकित' पद का अर्थ लक्षणा द्वारा चकितेक्षण (चकित हैं आँखें जिस क्रिया में)' ही करना पड़ेगा और जब ऐसा अर्थ, उक्त पद का, करना पड़ेगा, तब आपने जो

'कौमुदी इव चकितमेत्य' ऐसा अन्वय किया है, वह नहीं बन सकता, क्योंकि कौमुदी को आँखें नहीं होती, अतः नेत्रघटित अर्थ वाले चकित पद के साथ उसकी सङ्गति नहीं हो सकती। तात्पर्य यह कि उक्त रीति से चकित पदार्थ के नेत्र विशेषण हो जाने पर 'चकित' यह उक्ति भी, कौमुदी की उपमा का नायकगत औत्सुक्य-पोषक होनेवाली बात के ही अनुकूल होती है। उस स्थिति से अर्थात् 'भविष्यत्कालिक कौमुदी उपमान नहीं है' इसका निश्चय हो जाने पर, भविष्यत्कालिक शिशिरीकरणक्रियारूप साधारणधर्म का अन्वय, जिस तरह, उपमेय नायिका के साथ सुसङ्गत होता है उस तरह उपमान-कौमुदी के साथ नहीं। अभिप्राय यह कि-कौमुदी तो नयन को शीतल कर रही है न कि करेगी अतः भविष्यत्कालिक क्रिया का अन्वय कौमुदी के साथ नहीं हो सकता यह उपमान का दोष यहाँ है। नागेश का यहाँ कथन है कि-'कालानुपपत्तिरूप उपमा-दोष के जो 'रराज—' 'रणाङ्गणे—' और 'आगतः—' ये तीन उदाहरण दिये गये हैं वे ठीक नहीं हैं, क्योंकि चन्द्र, सूर्यकिरण और चन्द्रज्योत्स्ना ये ऐसे पदार्थ हैं जो सदा रहते हैं, ऐसी दशा में उपमेयान्वित अनुगामी धर्मों में जहाँ जो काल सङ्गत होगा उस काल से युक्त तत्तत्क्रिया को ही उपमानान्वयी धर्म माना जायगा अर्थात् 'रराज—' में भूतकालिक निशाकर, रणाङ्गणे—' में भूतकालिक सूर्यकिरण और 'आगतः—' में भवि-ष्यत्कालिक कौमुदी को ही उपमान स्वीकार कर लिया जायगा, अतः इन उदाहरणों में उक्त दोष नहीं हो सकते। अतएव कालानुपपत्ति का उदाहरण 'त्यक्ष्यामि वैदेहसुतां पुरस्तात्समुद्रनेमि पितुराज्ञयेव' अर्थात् पिता की आज्ञा से पृथ्वी की तरह जनकसुता-सीता का परित्याग करूँगा' इस रामचन्द्रोक्त पद्य को मानना चाहिए।" इसमें सन्देह नहीं कि नागेशोक्त उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि रामचन्द्र पृथ्वी का त्याग बहुत पहले कर चुके हैं और सीता का त्याग भविष्य में करेंगे, ऐसी स्थिति में 'त्यक्ष्यामि' पद से अवगत होनेवाली भविष्यत्कालिक त्यागक्रिया का अन्वय उपमान पृथ्वी के साथ नहीं बैठता। साथ ही यह भी निस्सन्देह बात है कि-उक्त उदाहरणों में दोषोद्धार की बात जो उन्होंने कही है वह आदि के दो उदाहरणों के लिये ठीक है-वहाँ भूतकालिक चन्द्र और सूर्यकिरणों को उपमान माना जा सकता है, पर तृतीय उदाहरण—'आगतः—' के लिये वह उत्तर समीचीन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भविष्यत्कालिक कौमुदी को उपमान नहीं माना जा सकता यह बात मैं पहले युक्तिपूर्वक कह चुका हूँ।

अनुपपद्यमानपुरुषार्थकत्वमुदाहरति—

'एतावति महीपालमण्डलेऽवनिमण्डन।
तारकापरिषन्मध्ये राजन्राजेव राजसे॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—हे अवनिमण्डन धरालङ्कार! राजन्, एतावति हस्तनिर्देशोऽयम्, महति इत्यर्थः, महीपालमण्डले नृपसमूहे, तारकापरिषन्मध्ये नक्षत्र-सभायाम्, राजा चन्द्रः, इव, राजसे शोभसे, त्वमिति शेषः।

पुरुष की अनुपपत्ति का उदाहरण दिखलाते हैं—एतावति इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे पृथ्वीभूषण राजन्! तुम इतने बड़े राजाओं के समूह में उसी तरह शोभित होते हो जिस तरह तारों की सभा में चन्द्र शोभित होता है।

उपपादयति—

अत्र क्रियायां सम्बोध्योपमेयान्वय इव नोपमानान्वयः।

'एतावति—' इति पद्योक्तमध्यपुरुषविशिष्टराजनक्रियायां, सम्बोध्यस्य युष्मदर्थभूतस्योपमेयस्यान्वये सिद्ध्यत्यपि उपमानस्य चन्द्रस्य युष्मदर्थरूपत्वविरहात् न तत्रान्वयः सिद्ध्यतीति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'एतावति –' इस पद्य में जो 'राजसे' यह क्रियापद है उसके अर्थ में संबोधित किये जाने वाले उपमेय-राजा-का अन्वय हो सकता है क्योंकि संबोधन के बाद 'त्वम् (तू)'-कर्ता का ही आक्षेप होता है, अतः उसके लिये मध्यमपुरुष की उक्त क्रिया उपयुक्त है, पर उपमान चन्द्र का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिये अन्यपुरुष की क्रिया (राजते) ही उपयुक्त हो सकती थी, अतः यहाँ पुरुषानुपपत्तिरूप उपमा का दोष लग जाता है ।

विध्यादीत्यादिग्राह्यप्रार्थनानुपपत्तिमुदाहरति—

'राजेव सम्भृतं कोषं केदारमिव कर्षकः ।
भवन्तं त्रायतां नित्यं भयेभ्यो भगवान् भवः ।।'

कविराशीर्वचनमाह—राजा नृपतिः, सम्भृतम् परिपूर्णम् , कोषमाकरम् , इव, कर्षकः कृषिकारः, क्षेत्रम् , इव भगवान् अणिमाद्यैश्वर्यशाली, भवः, शिवः, भवन्तम् , भयेभ्यो, नित्यम् सदा त्रायताम् रक्षत्वित्यर्थः ।

'विध्यादि' इस पद के 'आदि' पद से संग्रहणीय प्रार्थना की अनुपपत्ति का उदाहरण दिखलाते हैं—राजेव इत्यादि । कवि आशीर्वाद दे रहा है—राजा जिस तरह खजाने की और किसान जिस तरह खेत की रक्षा करता है, उस तरह भगवान् शिव, भयों से सदा तेरी रक्षा करें ।

उपपादयति—

अत्र प्राथ्र्यमानत्राणकर्तृत्वमुपमेये भव इवोपमानयो राजकर्षकयोर्नास्ति, तयोस्त्राणकर्तृत्वस्य सिद्धत्वात् ।

नास्तीति । प्राथ्र्यमानत्वरूपविशेषणाभावप्रयुक्तः विशिष्टस्य- प्राथ्र्यमानत्राणकर्तृत्वस्यात्राभावो बोध्यः । तदेव स्फुटयति—तयोरिति । अयं भावः—'त्रायताम्' इत्यत्र लोडर्थः प्रार्थना तथा च प्राथ्र्यमानत्राणकर्तृत्वम् तस्य तिङन्तपदस्यार्थः, स एवात्रोपमानयो राजकर्षकयोरुपमेयस्य भवस्य च साधारणधर्मतया विवक्षितः । परन्तु स साधारणो भवितुं नार्हति, प्रकृते भववृत्तित्राणकर्तृत्वस्यासिद्धतया प्राथ्र्यमानत्वसम्भवेऽपि राजकर्षकवृत्तित्राणकर्तृत्वयोः पूर्वसिद्धतया प्राथ्र्यमानत्वायोगात् , असिद्धस्यैव वस्तुतः प्रार्थनीयत्वात् । अतः एतादृशप्रार्थनाघटितक्रियारूपसाधारणधर्मकत्वमुपमाया दोष इति ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । अभिप्राय यह है कि—'लोट्' लकार का अर्थ प्रार्थना है, अतः 'राजेव—' इस पद्य के 'त्रायताम्' पद का अर्थ होता है 'प्रार्थनीय रक्षणक्रिया का कर्ता होना ।' यही यहाँ साधारणधर्मरूप में विवक्षित है । परन्तु यह यहाँ साधारणधर्म हो नहीं सकता । कारण, प्रार्थना उस वस्तु की की जाती है जो असिद्ध—पहले से प्राप्त नहीं-हो, ऐसी स्थिति में उपमेय शिव में 'प्राथ्र्यमानत्राणकर्तृत्व' रह सकता है अर्थात् पहले से अप्राप्त 'आपके' त्राण की प्रार्थना 'शिव' से की जा सकती है, न कि उपमान-राजा और किसान-से अर्थात् 'खजाना और खेत के त्राण की प्रार्थना

'राजा और किसान' से नहीं की जा सकती। कारण, उन दोनों के द्वारा उन दोनों वस्तुओं का त्राण करना पहले से ही सिद्ध है। तात्पर्य यह हुआ कि राजा अपने खजाने की और किसान-अपने खेत की रक्षा करते ही हैं-ये प्रार्थनीय वस्तुएँ नहीं हैं, अतः इस तरह के साधारणधर्मों का ग्रहण उपमा का दोष है।

दोषोद्धारप्रकारमुपदर्शयति—

यदि तु त्रायते इति प्रार्थनानिर्मुक्तं त्राणकर्तृत्वमुच्यते तदा धर्मस्य साधारणत्वान्न दोषः।

त्रायते इतीति। लडन्तमिति भावः। उक्तपद्ये 'त्रायताम्' इत्यस्य स्थाने 'त्रायते' इति पाठे कृते लोटोऽभावात् प्रार्थना नोपतिष्ठते, तथा च 'त्राणकर्तृत्वम्' तदर्थः, स चोक्तोपमानोपमेयोभयवृत्तित्वात्साधारणो धर्मो भवतीति दोषानवकाश इति भावः।

दोषोद्धार की रीति दिखलाते हैं—यदि तु इत्यादि। उक्त पद्य में 'त्रायतां (रक्षा करें)' के स्थान पर यदि 'त्रायते (रक्षा करते हैं)' ऐसा पाठ माना जाय, तब 'लोट् लकार' के स्थान पर 'लट् लकार' के आ जाने से प्रार्थनारहित 'त्राणकर्तृत्व (शुद्ध रक्षण-क्रिया का कर्ता होना)' ही धर्मरूप में उक्त होगा जो उपमान और उपमेय दोनों में रहने के कारण साधारण है, अतः उस पाठ में कोई दोष नहीं।

लडन्तपाठेऽपि धर्मस्य साधारण्यहानिमाशङ्क्य समाधत्ते—

अथ त्रायत इति प्रार्थ्यमानतानिर्मुक्तेऽपि त्राणकर्तृत्वेन साधारणत्वम्। प्रार्थ्यमानताया इव विधेयतानुवाद्यत्वयोर्भेदकत्वादिति चेत्। सत्यम्। इह हि धर्मलोपरहितायामुपमायां धर्मवाचकशब्दप्रतिपाद्यैः प्रार्थनाभूतभविष्यद्वर्तमानत्वादिभिर्विशेषणैर्विशिष्टधर्मस्योपमानोपमेयसाधारण्याभावे प्रयोजकाभावान्नोपमानिष्पत्तिरिति निर्विवादम्। तत्र विधेयत्वानुवाद्यत्वाभ्यां शब्देनानिवेदिताभ्याम् विषयताभ्यां विशिष्टस्य धर्मस्य यदि नास्ति साधारण्यम् मास्तु नाम। न ह्युदासीनैर्विशेषणैर्विशिष्टस्य धर्मस्य साधारण्यमपेक्षितम्। अपि तु धर्मवाचकशब्दनिवेदितैः। एवं चन्द्रवत्सुन्दरं मुखमित्यत्रापि सुन्दरत्वस्योपमानेऽनुवाद्यत्वे उपमेये च विधेयत्वेऽपि न साधारण्यहानिः।

प्रार्थ्यमानताया इवेति। प्रार्थ्यमानतातदभावयोरिवेति भावः। विधेयतानुवाद्यत्वयोरिति। उपमाननिष्ठे त्राणकर्तृत्वेऽनुवाद्यत्वमुपमेयनिष्ठे तत्र विधेयत्वमिति भावः। उत्तरयति—इह हि इति। साधारण्याभावे इति। सतीति शेषः। प्रयोजकेति। सादृश्यप्रयोजकसाधारणधर्माभावादित्यर्थः। तत्रेति। प्रकृतोपमायामित्यर्थः। उदासीनैः शब्दाप्रतिपाद्यैः। प्रसिद्धोदाहरणेऽप्येवमेवेत्याह—एवमिति। भेदसाधकं यद्यद्वस्तु, तत्तद्धर्मस्य साधारण्यविघटकम् , तथा च त्रायतामिति लोडन्तपाठपक्षे यथा प्रार्थ्यमानत्वतदभावौ, उपमेयोपमाननिष्ठयोस्त्राणकर्तृत्वयोर्भेदकौ भूत्वा, साधारण्यविघटकौ समभूताम् तथा लडन्तपाठपक्षेऽपि विधेयत्वानुवाद्यत्वे तयोर्भेदके सति साधारण्यं विघटयेताम् अर्थात् उपमेयशिवनिष्ठं त्राणकर्तृत्वं विधेयम् उपमानराजकर्षकगतं च तदनुवाद्यम् इति कथम् त्राणकर्तृत्वस्य साधारणधर्मतेति शङ्का, धर्मलुप्तातिरिक्तोपमास्थले धर्मवाचकशब्दप्रतिपाद्यविशेषणविशिष्ट-

धर्मस्य साधारण्यविरहे नोपमा, उपमात्वेन परिणंस्यमानस्य सादृश्यस्य प्रयोजकानुपलब्धेरिति सर्ववादिसिद्धान्तः, तथा च यत्र धर्मवाचकैः शब्दैः प्रार्थ्यमानत्वभूतत्वभविष्यत्त्ववर्तमानत्वादिविशिष्टाः क्रियारूपा धर्मा बोध्यन्ते, तत्र यदि विशिष्टास्ते धर्मा उपमानोपमेयसाधारणा न भवन्ति, तर्हि तत्र ते उपमाया अनिष्पादका अत एव दोषभूताः। यथा प्रकृतोदाहरणे लोडन्तपाठपक्षे 'त्रायताम्' इति धर्मवाचकेन शब्देन प्रार्थ्यमानत्वविशिष्टं त्राणकर्तृत्वं बोध्यते, तच्च पूर्वोक्तरीत्या न साधारणमिति दोषावहम्। लडन्तपाठपक्षे तु त्राणकर्तृत्वमेव केवलम् 'त्रायते' इति धर्मवाचकेन पदेन बोध्यते न तु विधेयत्वेन अनुवाद्यत्वेन वा विशिष्टं तत्, अतः विधेयत्वानुवाद्यत्वाभ्यां विशिष्टयोः त्राणकर्तृत्वयोरसाधारण्येऽपि न क्षतिः, शब्दानुपस्थाप्यविशेषणविशिष्टधर्मगतसाधारण्यस्यानपेक्षितत्वात्। अतः शुद्धं शब्दबोध्यं त्राणकर्तृत्वरूपं साधारणधर्ममादाय तत्र पाठे सिध्यत्येवोपमा। विधेयत्वानुवाद्यत्वे न साधारण्यविघटके धर्मवाचकपदानुपस्थाप्यत्वादिति सारांशः, अत एव चन्द्रवत्सुन्दरं मुखमित्यादिप्रसिद्धोपमोदाहरणेषु सुन्दरत्वस्य उपमानांशेऽनुवाद्यत्वे विधेयांशे विधेयत्वे च न साधारण्यहानिरिति च समाधानमिति भावः।

त्रायते इस परिवर्तित पाठपक्ष में एक शङ्का और उसका समाधान करते हैं—अथ इत्यादि। आप कहेंगे—त्रायते इस पाठ के द्वारा जिस प्रार्थ्यमानतारहित—शुद्ध—त्राणकर्तृत्व को आप साधारणधर्म बनाना चाहते हैं, वह भी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह 'त्रायताम्' इस पाठपक्ष में प्रार्थना और उसका अभाव, उपमेय तथा उपमानवृत्ति 'त्राणकर्तृत्व' को भिन्न बनाकर साधारण नहीं होने देते उसी तरह 'विधेयता' और 'अनुवाद्यता' परिवर्तित पाठपक्ष में भी उसको भिन्न बनाकर साधारण नहीं होने देगी अर्थात् जिस तरह प्रथम पाठ में उपमेय-भगवत्त्राणकर्तृत्व, प्रार्थनीय है और उपमान—राजा तथा कर्षकगत त्राणकर्तृत्व सिद्ध है प्रार्थनीय नहीं अतः वे दोनों कर्तृत्व एक नहीं होने पाते उसी तरह द्वितीय पाठ में उपमेय-गत उक्तधर्म असिद्ध होने के कारण विधेय है और उपमानगत उक्तधर्म सिद्ध होने के कारण अनुवाद्य है अतः वे दोनों एक (साधारण) नहीं हो सकेंगे, फलतः पाठपरिवर्तन करने पर भी दोष ज्यों का त्यों बना ही रहा। हम कहते हैं—यह बात आप की सत्य है। परन्तु समझने योग्य बात यह है कि—जिस उपमा में समानधर्म लुप्त नहीं रहता अर्थात् धर्मवाचक शब्द उक्त रहता है—वहाँ धात्वर्थ, जिस तरह, उस धर्मवाचक पद से प्रतिपादित होता है उसी तरह धात्वर्थ के विशेषण—प्रार्थना, भूतकालिकत्व, भविष्यत्कालीनत्व और वर्तमानकालवृत्तित्व आदि भी उस पद से प्रतिपादित होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उन विशेषणों से युक्त उक्त धात्वर्थ—क्रिया-रूप धर्म की उपमान तथा उपमेय में साधारणता नहीं होगी—अर्थात् उन विशेषणों से विशिष्ट होकर यदि वह धर्म उपमान और उपमेय दोनों में नहीं रहेगा—तब वह धर्म उपमा का साधक नहीं हो सकेगा क्योंकि धर्मवाचक शब्द का समग्र प्रतिपाद्य अर्थ ही साधारण होकर उपमा का साधक होता है, उसका एक अंश नहीं, वह एक निर्विवाद बात है। अतः 'त्रायताम्' पाठ रखने पर लकारार्थप्रार्थनाविशिष्ट त्राणकर्तृत्व ही यदि उपमानोपमेय दोनों में रहता तो साधारण होता, पर वैसा है नहीं—अर्थात् एक अंश में प्रार्थना की कमी उसको साधारण नहीं होने देती अतः उस पाठ में दोष होता है। पर 'त्रायते' पाठ कर देने पर ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि 'विधेयता' और 'अनुवाद्यता' केवल विषयतारूप हैं, उनका धर्मवाचक शब्द से प्रतिपादन

नहीं होता, वे शब्दार्थ न होकर भी ऊपर से समझे जाते हैं। अतः यदि उन विषयताओं से सहित धर्म की साधारणता नहीं होती तो न होवे। उपमा की सिद्धि के लिये शब्द द्वारा प्रतिपादित नहीं होनेवाले विशेषणों से युक्त धर्म की साधारणता अपेक्षित भी नहीं है। अपेक्षित है धर्मवाचक पद के द्वारा प्रतिपादित होनेवाले विशेषणों से युक्त धर्म की साधारणता, वह यहाँ है ही—अर्थात् 'त्रायते' पद से प्रतिपादित होनेवाला वर्त्तमानकालिक त्राणकर्तृत्व साधारण है ही अतः इस पक्ष में कोई दोष नहीं। सारांश यह हुआ कि जो वस्तु साधारणधर्मवाचक पद से बोधित होती है, उसी की कमी वैसे ही उस धर्म को साधारण होने से रोक सकती है, जैसे प्रार्थना 'त्रायतां' पद से बोधित होती है, अतः उपमान अंश में उसकी कमी त्राणकर्तृत्व को साधारण नहीं बनने देती। अनुवाद्यता, विधेयता आदि तो साधारणधर्मवाचक पद से अवगत होनेवाली वस्तु नहीं हैं, अतः उसकी कमी वैसे 'त्राणकर्तृत्व' को साधारण होने से नहीं रोक सकेगी। अतएव 'चन्द्र के समान सुन्दर मुख' इत्यादि प्रसिद्ध उदाहरणों में 'सुन्दरता' के उपमान अंश में अनुवाद्य और उपमेय अंश में विधेय होने पर भी साधारण होने में कोई बाधा नहीं होती।

आशङ्क्य समाधत्ते—

ननु—

'नीलाञ्चलेन संवृतमाननमाभाति हरिणनयनायाः।
प्रतिबिम्बित इव यमुनागभीरनीरान्तरेणाङ्कः॥'

इत्यत्रोपमाने चन्द्रे योगमर्यादया भासमान एणरूपोऽङ्क आननरूपोपमेय-विशेषणस्वबिम्बाभावात्कस्य प्रतिबिम्बः स्यात्। अत आधिक्यापादकतया दोषः। न च हरिणनयनसदृशस्य नयनस्योपादानात्तस्यैव बिम्बस्य प्रतिबिम्बः स्यादिति वाच्यम्। तादृशनयनस्य बहुव्रीह्यर्थकान्ताविशेषणतया आननाविशेषणत्वेन बिम्बत्वाभावादिति चेत्, मैवम्। शब्देनाननविशेषणत्वेन तादृशनयनस्याप्रति-पादनेऽपि कान्ताविशेषणत्वेनैवाननवृत्तित्वस्यापि प्रतिपत्तेः। न ह्याननमविषयी-कृत्य कान्तां विशेष्टुमीष्टे नयनम्, अनुभवविरोधात्।

नीलाञ्चलेनेति। नीलाञ्चलेन नीलशाटीप्रान्तभागेन, संवृतम् आच्छादितम्, हरिण-नयनायाः हरिणस्य नयने इव नयने यस्यास्तस्या मृगाक्ष्या इति यावत्, आननम् मुखम् यमुनायाः कालिन्द्याः गभीरस्य गम्भीरस्य पातालतलचुम्बिन इति यावत्, नीरस्य जलस्य अन्तः अन्तःप्रदेशे, प्रतिबिम्बितः प्रतिच्छायीभूतः, एणाङ्कः चन्द्रः, इव, आभाति प्रतीयत इत्यर्थः। योगेति। बहुव्रीहीत्यर्थः। स्वेति अङ्केत्यर्थः। तस्यैव बिम्बस्येति। तदा-त्मकस्य बिम्बस्येत्यर्थः। तादृशेति। हरिणनयनसदृशेत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। अविषयी-कृत्येति। प्रकारतासंसर्गतान्यतररूपेणेत्यर्थः। ईष्टे इति। नयनस्याननमात्रसम्बन्धित्वा-दिति भावः। तदाह—अनुभवविरोधादिति। आननद्वारैव नयनं कान्ताविशेषणं भवती-त्येवानुभवसिद्धमिति भावः। अत्र 'विषयतासम्बन्धेन आनने वर्तमानमेव नयनम्…' इति 'सरला' वक्रीकरोति विज्ञजनवक्त्रम्। 'नीलाञ्चलेन—' इति पद्ये चन्द्र उपमानम् तस्य च निर्देश 'एणाङ्क'-पदेन, तच्च पदम्। एणस्य हरिणस्य, अङ्कः चिह्नम् यस्मिन्निति बहु-व्रीहिसमाससामर्थ्येन चन्द्रं बोधयत् तद्गतमङ्कमपि बोधयति। एवञ्च तच्चिह्नविशिष्टश्चन्द्र

उपमानरूपः पर्यवस्यति, अतो मुखरूपोपमेयांशेऽपि तत्समकक्षं किमपि बिम्बभूतं वस्तु समपेक्षितम्, अन्यथा सादृश्यस्य पूर्णता न प्रतीयेत। परन्तु तादृशं किमपि वस्तु मुखरूपोपमेयविशेषणतयोपात्तं नास्तीति उपमानांशगतोऽङ्क अधिकतया दोषरूपतामासादयति। उपमेयवाक्यार्थघटकतया 'हरिणनयना' पदेनोपात्तम् हरिणनयनसमानं नयनमेव बिम्बभूतम् तत्प्रतिबिम्बभूतश्चोपमानगतोऽङ्क इति तु न वक्तुं योग्यम्। उपमेयमुखविशेषणीभूतस्यैव पदार्थस्योपमानचन्द्रविशेषणभावापन्नाङ्करूपप्रतिबिम्वबिम्बत्वं युक्तम्, हरिणनयनसमानं नयनं तु हरिणनयनापदबोध्यं, तत्पदीयबहुव्रीहिसमासार्थनायिकाविशेषणम्, अतो न तस्य बिम्बत्वमिति विचारासहत्वादित्याशङ्कायाः, तादृशं नयनं यद्यपि शब्दतो न मुखविशेषणमपि तु नायिकाविशेषणमेव, तथापि नायिकाविशेषणस्य नयनस्य मुखवृत्तित्वेन ज्ञानमवश्यं भवति, मुखवर्तिनो नयनस्य मुखमद्वारीकृत्य नायिकाविशेषणत्वासम्भवात्, अनुभवोऽपि तथैव। तथा च मुखगतत्वेन ज्ञातं नयनं बिम्बं भवितुमर्हत्येव, यतो मुखविशेषणतया यथा कथञ्चिद् ज्ञानमेव तस्य बिम्बभावायालम् न तु शब्दतस्तद्विशेषणतयोपपादनमित्युत्तरमिति भावः।

एक शङ्का और उसका समाधान किया जाता है—ननु इत्यादि। आप कहेंगे–'नीलाञ्चलेन–अर्थात् नीलवर्ण-साड़ी के अञ्चल से आच्छादित मृगाक्षी का मुख, यमुना के गम्भीर जल में प्रतिबिम्बित मृगाङ्क (चन्द्र) सा प्रतीत होता है' इस पद्य में उपमान चन्द्र का बोध जिस एणाङ्क पद से होता है उसी पद से योगशक्ति द्वारा उपमानभूत चन्द्र में एण—मृग–रूप चिह्न का भी बोध होता है, अतः उस चिह्न से युक्त चन्द्र ही उपमान सिद्ध होगा, परन्तु उपमेय—मुख—के विशेषणरूप में कोई ऐसी बिम्बभूत वस्तु नहीं कही गई है जिसका प्रतिबिम्ब उक्त मृगरूप चिह्न को माना जाय। ऐसी दशा में उपमान-अंश में वह चिह्नरूप विशेषण अधिक है यही कहा जायगा, अतः यह उपमा दुष्ट है। यदि इसका समाधान यह दिया जाय कि-उपमेय वाक्य में जो 'हरिणनयना' पद आया है उसका अर्थ होता है—'हरिण के नयन के समान नयनवाली' अतः यह कहा जा सकता है कि–उपमेय अंश में वह हरिण के नयन के समान नयन ही बिम्बरूप है जिसका प्रतिबिम्ब है उपमान-अंश में मृग-चिह्न तो यह ठीक नहीं। कारण, वह हरिणनयनसमाननयन, बहुव्रीहि समास के वाच्य नायिका का विशेषण है, उपमेय-मुख का नहीं, अतः वह (नयन) उपमेयविशेषण नहीं होने के कारण बिम्बभूत नहीं माना जा सकता। इस तरह से उक्त आशङ्का पुनः स्थिर रह गयी, अतः उसका सिद्धान्तभूत समाधान यह है कि—यद्यपि उक्त नयन शब्दतः मुख के विशेषणरूप में प्रतिपादित नहीं होता तथापि वह (नयन) नायिका का विशेषण होने के कारण ही मुख में रहनेवाला समझा जा सकता है, क्योंकि नयन वस्तुतः मुख में ही रहने वाला पदार्थ है, अतः उसका मुख-विशेषण होना ही न्याय-प्राप्त था, पर यहाँ उसको शब्दतः नायिका का विशेषण बनाया गया है तो वह तभी ठीक हो सकता है, जब बीच में मुख को द्वार बनाया जाय अर्थात् नयन, मुख के द्वारा ही नायिका का विशेषण हो सकता है, अनुभव सिद्ध भी यही है। तात्पर्य यह हुआ कि- नयन, मुख—विशेषण के रूप में उक्त नहीं होने पर भी, मुखवृत्तित्वेन ज्ञात होकर मृगाङ्क का बिम्ब माना जा सकता है।

पुनरन्यथा शङ्कते—

तथापि समभिव्याहारविशेषमापन्नेन शब्देनाप्रतिपादनाच्छाब्दे बोधे नाननस्य नयनविशिष्टत्वेन विषयत्वमिति चेत्।

ननु नोक्तं समाधानं सङ्गतम् , उपायाभावेन नयनपदार्थे मुखवृत्तित्वज्ञानासम्भवात् , न च मुखवृत्तित्वज्ञानं विना तस्य कान्ताविशेषणत्वानुपपत्तिप्रतिसन्धानं तदुपायतया प्रोक्तमेवेति वाच्यम् , शब्दप्रमाणवेद्यस्यैव बिम्बत्वादिकं समुचितमिति तेनोपायेन मुखवृत्तितया ज्ञातस्यापि नयनस्य बिम्बत्वायोगात् , न च कुतो न नयनस्य मुखवृत्तित्वेन शब्दवेद्यतेति शंक्यम् , समभिव्याहारस्यापि अन्वयबुद्धिप्रयोजकत्वेनात्र पद्ये नयनाननपदयोः समभिव्याहारविरहे नयनविशिष्टत्वेनाननस्य शाब्दबोधविषयत्वासम्भवात् , हरिणनयनापदघटकं नयनपदं तु नाननसमभिव्याहृतमिति तदाशय इति चेन्मैवम् ।

फिर दूसरे ढङ्ग से उक्त शङ्का को उज्जीवित करते हैं—तथापि इत्यादि । आप कहेंगे—यह सब होते हुए भी, उक्त पद्य में नयन तथा आनन पद समभिव्याहृत नहीं हैं—पास-पास उच्चरित नहीं हैं और अन्वयबोध में पदों का समभिव्याहार भी प्रयोजक है, अतः शाब्दबोध में वह (नयन) मुख का विशेषण नहीं हो सकता-अर्थात् यहाँ 'नयन वाला मुख' ऐसा शाब्दबोध नहीं बन सकता। 'हरिणनयना' में जो नयन पद है वह तो कान्ता-समभिव्याहृत है, अतः उससे शाब्दबोध में वह कान्ता का विशेषण होगा मुख का नहीं।

समाधत्ते—

संसर्गत्वे बाधकाभावात् स्वविशिष्टाननसंसर्गेण तादृशनयनस्य कान्ताविशेषणत्वात् । यथाकथञ्चिदुपमेयवृत्तिताज्ञानस्य बिम्बताप्रयोजकत्वात् ।

उक्तरीत्या यद्यपि नयनपदार्थे मुखनिष्ठविशेष्यतानिरूपिता प्रकारताख्या, मुखनिष्ठप्रकारतानिरूपिता विशेष्यताख्या वा विषयताशाब्दबोधीया न भासेतेति सत्यम् , तथापि स्व–(नयन)-विशिष्टमुखवत्त्वमेव नयनपदार्थस्य नायिकाविशेषणीभावे सम्बन्ध इति शाब्दबोधीया संसर्गताख्या विषयता नयनविशिष्टे मुखे भासेतैव—अर्थात् प्रकारतया विशेष्यतया भाने शब्दजन्यपदार्थोपस्थितेरपेक्षणेऽपि संसर्गतया भाने न तदपेक्षा । तथा च सम्बन्धघटकतया नयनवैशिष्ट्यं मुखे शाब्दबोधविषयो जात इति नयनस्य मुखरूपोपमेयांशे बिम्बत्वं भवितुमर्हति, यथाकथंचिदुपमेयवृत्तित्वज्ञानस्य बिम्बताप्रयोजकत्वादित्याशयादिति भावः ।

समाधान करते हैं—संसर्गत्वे इत्यादि । आपका उक्त कथनसङ्गत नहीं है, क्योंकि यह बात यद्यपि सत्य है कि यहाँ शाब्दबोध में मुख को विशेष्य बनाकर प्रकारतया नयन का भाव नहीं होगा, कारण, मुखसमभिव्याहृत नयनपद से नयन की उपस्थिति नहीं हुई है, तथापि कान्तासमभिव्याहृत नयनपद से नयन की उपस्थिति तो हुई है अतः कान्ता को विशेष्य बनाकर नयन का प्रकारतया भान शाब्दबोध में होगा और कान्ता के प्रकाररूप से मुख के भासित होने में 'नयनविशिष्टमुख' ही सम्बन्ध होगा, इस तरह से 'नयनविशिष्टमुख' में शाब्दबोध की संसर्गतानामक विषयता अवश्य रहेगी, इसमें कोई बाधा नहीं है-अर्थात् प्रकार अथवा विशेष्य होने के लिये ही शब्दजन्य उपस्थिति अपेक्षित होती है, सम्बन्ध होने के लिये नहीं। फलतः संसर्ग के रूप से 'नयनविशिष्टमुख' शाब्दबोध में आ गया, बस, इतने से ही काम बन जायगा-अर्थात् उपमेय मुख के विशेषणरूप में जब किसी तरह, नयन, शब्दतः ज्ञात हुआ तब वह (नयन) बिम्ब हो सकेगा, क्योंकि किसी तरह 'उपमेय में रहनेवाला यह है' इतना ज्ञान शब्दतः हो जाना ही बिम्ब होने के लिये पर्याप्त है।

बिम्बत्वसाधकस्य मुखवृत्तितया नयनविषयकशब्दप्रयोज्यज्ञानस्य प्रकारान्तरमाह—

यद्वा कान्ताविशेषणतया तादृशनयननोः शाब्दे बोधे वृत्ते पश्चादाननस्य तद्विशेष्यतया वैयञ्जनिके मानसे वा बोधे बाधकाभावात्। एवं च तादृशवाक्यप्रयोज्ये ज्ञाने उपमेयविशेषणतया भानस्य तादृशनयनस्य बिम्बस्य सत्त्वात्तदर्थं च चन्द्रगतस्यैणरूपस्याङ्कस्य प्रतिबिम्बतयोपादानमावश्यकमेवेति नाधिक्यं दोषः।

यद्वेति। अतिप्रसङ्गापत्त्या संसर्गतया भासमानस्य पदार्थस्य न शाब्दत्वमितीह पक्षान्तरोद्भावनबीजमवसेयम्। तादृशनयनयोरिति। हरणीयत्वनायकीयत्वविशिष्टनयनयोरित्यर्थः। तद्विशेष्येति। नयनविशेष्येत्यर्थः। तादृशवाक्येति। कान्ताविशेषणतया नयनबोधकवाक्येत्यर्थः। मानसबोधपक्षे तज्जन्यत्वाभावात् वैयञ्जनिकबोधपक्षेऽपि साक्षात्तज्जन्यत्वाभावादाह—प्रयोज्येति। ज्ञाने इति। वैयञ्जनिके मानसे वा इत्यर्थः। तदर्थम् तत्प्रतिबिम्बाकाङ्क्षाशान्त्यर्थम्। अयं भावः—यदि उक्तरीत्या नयननिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावतो मुखस्य संसर्गविधया भानेऽपि न शाब्दबोधविषयत्वम्, शब्दजन्योपस्थितिविषयस्यैव शाब्दबोधविषयत्वस्वीकारादिति विभाव्यते, तदा रीतिरियमास्थेया—'हरिणनेत्रसमाननेत्रवती कान्ता' इत्याकारकः कान्ताविशेषणतापन्ननयनविषयकः शाब्दः (आभिधिक इति यावत्) बोधः प्रथमं 'हरिणनयना' पदाज्जायते, ततः मुखविशेषणत्वानापन्ननयननिष्ठकान्ताविशेषणत्वानुपपत्तिप्रतिसन्धानोत्थितया व्यञ्जनया मनसा वा तत्सहकृतेन नयनप्रकारकमुखविशेष्यको बोधो बाधकविरहादुत्पद्यते। तथा च कान्ताविशेषणत्वेन मृगनयनसदृशनयनबोधकवाक्यप्रयोज्ये उक्ताकारके वैयञ्जनिके मानसे वा बोधे मुखरूपोपमेयविशेषणतया हरिणनयनसमानस्य नयनस्य भानं जातम् इति तन्नयनं बिम्बरूपं सम्पद्यते, अतः यत्प्रतिबिम्बाकाङ्क्षानिवृत्तये उपमानचन्द्रांशे मृगरूपस्य चिह्नस्य प्रतिबिम्बरूपेण ग्रहणमावश्यकमेवेति न प्रागुक्तः प्रतिबिम्बाधिक्यदोषः प्रकृतेऽवतरितुमीष्टे इति भावः।

यदि कहा जाय कि–उक्त उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि सम्बन्ध के अन्तर्गत विशेषणरूप से हरिण के नेत्र से सदृश नेत्र का और विशेष्यरूप से मुख का शाब्दबोध में भान होने पर भी वह शाब्दबोध का विषय नहीं माना जा सकता, कारण, वही पदार्थ शाब्दबोध का विषय माना जाता है जिसकी उपस्थिति शब्द से हुई रहती है, अतः दूसरा उत्तर करते हैं—यद्वा इत्यादि। अभिप्राय यह है कि–हरिणनयना शब्द की अभिधाशक्ति से पहले कान्ता के विशेषणरूप में हरिण की आँखों के समान आँखों का बोध होगा, उसके बाद, व्यञ्जनावृत्ति से अथवा मन से मुखरूप विशेष्य के विशेषणरूप में भी उक्त आँखों का बोध होगा, क्योंकि इस तरह के बोध में कोई बाधक नहीं है। और जब ऐसा बोध—जिसका साक्षात् नहीं तो कम से कम परम्परया अवश्य, 'हरिणनयना' पदयुक्त वाक्य ही कारण है, अतः जो एक तरह से शाब्द ही कहा जायगा—हो चुकेगा, तब शब्दतः उपमेय—मुख के विशेषणरूप में ज्ञात होनेवाला हरिणनयनसदृश नयन बिम्ब कहलायगा और जब वह बिम्ब कहलायगा, तब उस बिम्ब की आकांक्षा के शान्त्यर्थ उपमान चन्द्र अंश में एण-मृग-रूप अङ्क चिह्न का प्रतिबिम्बरूप में ग्रहण करना आवश्यक ही था, अतः उक्त प्रतिबिम्ब की अधिकतारूप दोष का कोई प्रसङ्ग नहीं रह जाता।

उक्तपद्ये सम्भावितापरदोषाभावं समुपपादयति—

कविसमयसिद्धतया चमत्कारापकर्षकत्वाभावेन लिङ्गभेदोऽपि नात्र दोषः ।

यद्यपि सामान्यतो लिङ्गभेदोऽप्युपमादोष इत्युक्तम्, तथापि यत्र यत्र लिङ्गभेदः कविसिद्धान्तप्रसिद्धस्तत्र तत्र स न दोषायेति 'नीलाञ्चलेन—' इति प्रकृतपद्ये उपमानस्य एणाङ्कस्य पुंल्लिङ्गत्वम्, उपमेयस्य आननस्य च नपुंसकलिङ्गत्वमिति लिङ्गभेदे सत्यपि दोषो न भवति, कविसमयसिद्धस्यैतादृशस्य लिङ्गभेदस्य चमत्कारापकर्षकत्वविरहादिति भावः ।

प्रकृत पद्य में सम्भावित एक अन्य दोष का वस्तुतः अभाव बतलाते हैं—कवि इत्यादि । 'नीलाञ्चलेन—' इस श्लोक में उपमेयबोधक 'आनन' पद के नपुंसकलिङ्ग और उपमानबोधक 'एणाङ्क' पद के पुंलिङ्ग होने से 'लिङ्गभेद' दोष यद्यपि आपाततः प्रतीत होता है, पर वस्तुतः यह (लिङ्गभेद) यहाँ दोषरूप नहीं है, क्योंकि ऐसा लिङ्गभेद, कवि-सम्प्रदाय-सिद्ध होने के कारण, चमत्कार को न्यून नहीं करता ।

एवमन्यत्राप्यपवादमाह—

एवं च कविसमयसिद्धतया प्रकारान्तरेण वा प्रागुक्तानां दोषाणां चमत्कारानपकर्षकत्वे नास्त्येव दोषत्वम् ।

पूर्वत्र लिङ्गभेदस्य कविसमयसिद्धतया दोषाभावत्वकथनेनैतत् सिद्धं यत् ये उपमादोषाः प्रागुक्तास्ते सर्वेऽपि तदैव दोषा यदा चमत्कारापकर्षकाः स्युः कविसङ्केतसिद्धत्वेन अन्येन वा केनचित् कारणेन यदा ते चमत्कारापकर्षका न भवेयुस्तदा दोषा अपि नैव स्युरिति भावः ।

दोष भी स्थितिविशेष में दोष नहीं होते इसी बात का अब उपपादन करते हैं—एवं च इत्यादि । जब उक्त पद्य में कविसमय प्रसिद्ध होने के कारण लिङ्गभेद को दोष नहीं माना गया, तब उस रीति से उक्त सभी उपमादोषों के विषय में यह सारांश समझ लेना चाहिए कि कविख्याति अथवा इसी तरह के अन्य कारणों से चमत्कारापकर्षक नहीं होने पर कोई दोष नहीं होता ।

कविसमयसिद्धत्वप्रयुक्तदोषाभावत्वस्य लक्ष्यं दर्शयति—

यथा—

'नवाङ्गनेवाङ्गणेऽपि गन्तुमेष प्रकम्पते ।
इयं सौराष्ट्रजा नारी महाभट इवोद्भटा ॥'

कवेरुक्तिः—एषः कश्चन वर्णनीयो मानवः, नवाङ्गना नवपरिणीता वधूः इव, अङ्गणे प्राङ्गणे, गन्तुम्, अति प्रकम्पते वेपथुयुक्तो भवति । तथा इयं काचिद् वर्णनीया, सौराष्ट्रजा सौराष्ट्रदेशोद्भवा, नारी स्त्री, महाभटः महान् योद्धा, इव, उद्भटा उद्दण्डा, अस्ति, न कुतोपि बिभेतीत्यर्थः । अत्र पुरुषस्य नायिकया, नायिकायाश्च पुरुषेण, सहोपमानोपमेयभावे वर्णितेऽपि न श्रौतुवैमुख्यं चमत्काराद्दानेरिति न दोषः ।

दोष भी जहाँ दोष नहीं होते, वैसा उदाहरण दिखलाया जाता है यथा इत्यादि । कवि कहता है—यह मनुष्य, नववधू के समान, आँगन में पैर रखते काँपता है और यह काठियावाड़ी स्त्री बड़े योद्धा की तरह उद्दण्ड है—किसी से डरती ही नहीं । यहाँ पुरुष की स्त्री से और स्त्री की पुरुष से दी गई उपमा उद्वेजक नहीं होने के कारण दोषावह नहीं है ।

एवंरीत्या सर्वत्र दोषाभावः समर्थनीय इत्याह—

एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्।

स्पष्टम्।

उक्तरीति से अन्य स्थानों में भी दोष का अभाव होता है ऐसा समझना चाहिए।

पूर्वोक्तं दोषत्वदूरीकरणनिपुणं प्रकारान्तरं यदुक्तं तत्किमिति जिज्ञासाप्रशमनायाह—

शेषं स्मरणालङ्कारप्रकरणे विकल्पप्रकरणे च वक्ष्यामः।

एतत्स्पष्टीकरणं तत्रैव करिष्यते।

अवशिष्ट बातें 'स्मरणालङ्कार' और 'विकल्पालङ्कार' के प्रकरण में कहेंगे।

परमं प्रकृतमुपसंहरति—

इत्युपमानिरूपणसंक्षेपः।

अहो! धन्योऽसौ पण्डितराजः यः एतावद्विशदनिरूपणं विधायापि संक्षेपमेव मनुते, न जाने पण्डितराजाभिमते विशदनिरूपणे कस्को विचारो विदुषां नयनगोचरः स्यात्। चन्द्रालोके—'अनेकस्यार्थयुग्मस्य सादृश्ये स्तबकोपमा। श्रितोऽस्मि चरणौ विष्णोर्भृङ्गस्तामरसं यथा॥ स्यात्सम्पूर्णोपमा यत्र द्वयोरपि विधेयता। पद्मानीव विनिद्राणि नेत्राण्यासन्नहर्मुखे॥' इति भेदद्वयमधिकमुक्तमिति नागेशः।

उपसंहार करते हैं इत्युपमा इत्यादि। यह है उपमानिरूपण का संक्षेप। धन्य है पण्डितराज की अनन्त प्रतिभा, जिसके बल पर आप इस तरह का विशद उपमानिरूपण कर लेने के बाद भी उसको संक्षेप समझते हैं।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामुपमाप्रकरणम्॥

उपमेयोपमानिरूपणं प्रतिजानीते—

अथास्या एव भेद उपमेयोपमा निरूप्यते—

अथेत्ययमानन्तर्ये। उपमानिरूपणानन्तरमिति तद्भावः। अस्या उपमायाः। निपूर्वकरूपधात्वर्थः प्रागुक्तः। उपमालङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीमुपमालङ्कारभेदभूतोपमेयोपमालङ्कारविषयकज्ञानानुकूलशब्दप्रयोगो विधीयत इति भावः।

उपमेयोपमालङ्कार का निरूपण करने की प्रतिज्ञा करते हैं—अथ इत्यादि। उपमा अलङ्कार के निरूपण के बाद अब उपमालङ्कार के ही एक भेद 'उपमेयोपमा अलङ्कार' का निरूपण किया जाता है।

उपमेयोपमायाः लक्षणं लिख्यते—

तृतीयसदृशव्यवच्छेदबुद्धिफलकवर्णनविषयीभूतं परस्परमुपमानोपमेयभावमापन्नयोरर्थयोः सादृश्यं सुन्दरमुपमेयोपमा।

तृतीयस्य उपमानोपमेयतया विवक्षितम् पदार्थयुगलादन्यस्य, सदृशस्य सादृश्यविशिष्टपदार्थस्य, व्यवच्छेदो निवृत्तिः, तस्य, बुद्धिः ज्ञानम्; फलं परिणामो, यस्य तादृशं यद् वर्णनम्, तद्विषयीभूतं तत्रागतमिति यावत्, परस्परं मिथः, उपमानोपमेय-

भावम् , आपन्नयोः प्राप्तयोः, पदार्थयोः सुन्दरं सादृश्यं 'उपमेयोपमा' इत्यर्थः। द्वयोः पदार्थयोः यस्य सुन्दरस्य पारस्परिकसादृश्यस्य वर्णनेन 'अनयोः पदार्थयोरिमावेव समानौ न कश्चित् तृतीयोऽनयोः समानः' इति ज्ञानं जायते, तत् सादृश्यम् 'उपमेयोपमालङ्कार'नाम्ना व्यपदिश्यत इति भावः।

उपमेयोपमालङ्कार का लक्षण लिखा जाता है—तृतीय इत्यादि। तीसरे सदृश पदार्थ की निवृत्ति का ज्ञान—अर्थात् इन दोनों पदार्थों की समता इन्हीं दोनों पदार्थों में है, अन्य किसी में नहीं, यह बोध—जिसका फल है उस वर्णन में आने वाला. परस्पर उपमान-उपमेय बने पदार्थों का, सुन्दर सादृश्य 'उपमेयोपमा' अलङ्कार कहलाता है।

पदकृत्यप्रदर्शनप्रसङ्गे प्रथमं 'भूतान्तस्य' उपमानोपमेयभावविशेषणस्य कृत्यं प्रदर्श्यते—

'तडिदिव तन्वी भवती भवतीवेयं तडिल्लता गौरी' इत्यत्र परस्परोपमाया-मतिव्याप्तिवारणाय भूतान्तम्।

नायकेन नायिकां प्रत्युक्ते 'भवती त्वम् , यथा, तडित् विद्युल्लता, इव, तन्वी कृशाङ्गी, तथा, इयं तडिल्लता, अपि, भवती त्वम् , इव गौरी गौरवर्णा', इत्यर्थके 'तडिदिवे'त्यादिमूलोक्तवाक्ये परस्परोपमालङ्कारः सिद्धान्तसिद्धः, तत्र प्रकृतोपमेयोपमालक्षणं मा प्रसाङ्क्षीदिति 'भूतान्तम्' उपमानोपमेयभावविशेषणत्वेन लक्षणे निवेशितमिति भावः।

लक्षण में जो अनेक विशेषण जोड़े गये हैं उनका क्या फल है इस बात का विचार करने के प्रसङ्ग में, सर्वप्रथम, '···वर्णन में आने वाला' यहाँ तक के अर्थों का बोधक जो एक विशेषण है उसका फल, दिखलाया जाता है—तडिदिव इत्यादि। 'तडिदिव—अर्थात् हे प्रिये ! तू बिजली की तरह दुबली-पतली है और यह बिजली (उसकी रेखा) तेरे समान गोरी है।' इस वाक्य में परस्पर की उपमा है 'उपमेयोपमा' नहीं। परन्तु प्रकृत उपमेयोपमलक्षण में यदि 'तीसरे-सदृश पदार्थ की निवृत्ति का ज्ञान जिसका फल है उस वर्णन में आने वाला' इतना अंश नहीं कहा जाता, तब उक्त वाक्य में भी वह लक्षण प्राप्त हो जाता, सो नहीं हो इसलिये उतना अंश लक्षण में जोड़ा गया है।

उक्तवाक्येऽतिव्याप्तिमुपपादयितुमाह—

अत्र तानवगौरिभ्यामनुगामिधर्माभ्याम् प्रयोजितमुपमाद्वयं न तृतीयं सदृशं व्यवच्छिनत्ति। एकेन धर्मेणैकप्रतियोगिके परानुयोगिके सादृश्ये निरूपितेऽपरप्रतियोगिकस्यैकानुयोगिकस्यापि तेन धर्मेण सादृश्यस्यार्थतः सिद्धतया शब्देन पुनस्तदुक्तिः स्वनैरर्थक्यपरिहाराय तृतीयसदृशव्यवच्छेदमाक्षिपति। प्रकृते चैकेन तानवरूपेण धर्मेण तडित्प्रतियोगिके कामिन्यनुयोगिके सादृश्ये निरूपिते तेनैव धर्मेण कामिनीप्रतियोगिकस्य तडिदनुयोगिकस्य सादृश्यस्यार्थतः सिद्धावपि न गौरत्वेन धर्मेण सिद्धिरिति तदर्थमुपात्तस्य द्वितीयसादृश्यवचनस्य न तृतीयसदृशव्यवच्छेदफलकत्वम्।

उपमाद्वयमिति। यतोऽतः पुनर्वर्ण्यमानमिति शेषः। तृतीयसदृशव्यवच्छेदे हेतुमुपन्यस्यति—एकेनेत्यादिना। अत्र यत इत्यादिर्बोध्यः। तदर्थम् तेन धर्मेण सादृश्यसिद्ध्यर्थम्। 'तडिदिव तन्वी—' इति पद्ये 'तन्वी'-पद-बोध्यस्तनुत्वरूपो धर्मस्तडिदुप-

मानिकां नायिकोपमेयिकामुपमां प्रयोजयति, एवं 'गौरी-'पद-बोध्यो गौरत्वरूपो धर्मो नायिकोपमानिकां तडिदुपमेयिकामुपमां प्रयोजयति। धर्मौ च तावनुगामिनौ, एकरूपेणोपमानोपमेययोरुभयोरन्वितत्वात्, एवञ्च भिन्नधर्मप्रयोज्यमिदमुपमाद्वयं तृतीयं समानं वस्तु व्यवच्छेत्तुं न प्रभवति। कुत इति चेदित्थम्—यत्रैकधर्मप्रयुक्तमेव परस्परप्रतियोगिकं परस्परानुयोगिकं च सादृश्य-द्वयं शब्दतः प्रतिपादितं तिष्ठति तत्रैकप्रतियोगिकापरानुयोगिकैकसादृश्यनिरूपणेनैव एकानुयोगिकापरप्रतियोगिकमपि सादृश्यमर्थतः सिद्ध्यति, सादृश्यस्य परस्परनिरूपितत्वात। तथा च शब्दतः प्रतिपादितं तादृशं परस्परसादृश्यद्वयं स्ववैयर्थ्यनिरासाय तृतीयं सदृशं व्यवच्छिनत्ति, प्रकृतपद्ये तु धर्मद्वयं सादृश्यद्वयप्रयोजकम्। तथा चैकधर्मप्रयुक्तैकप्रतियोगिकापरानुयोगिकसादृश्यनिरूपणेन तद्धर्मप्रयोज्यैकानुयोगिकापरप्रतियोगिकसादृश्यैवार्थतः सिद्धिः स्यात्, अतो भिन्नधर्मप्रयुक्तैकानुयोगिकापरप्रतियोगिकस्य सादृश्यस्य निरूपणं स्वतः सार्थकम् इति न तत् सदृशान्तरव्यवच्छेदरूपं फलं जनयतीति परमार्थतो नेदं पद्यमुपमेयोपमाया लक्ष्यम्। उक्तविशेषणानिवेशे तु प्रकृतमुपमेयोपमालक्षणमत्रापि प्रसज्येतेति अतिव्याप्तिरिति भावः।

अतिव्याप्ति दोष का उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'तडिदिव तन्वी—' इस पद्यखण्ड में दो समान धर्म हैं—एक 'तन्वी' पद से अवगत होनेवाला 'तनुत्व (दुबली पतली होना)' और दूसरा 'गौरी' पद से ज्ञात होनेवाला 'गौरत्व (गोरी होना)'। इन दो साधारणधर्मों से यहाँ पृथक्-पृथक् दो उपमायें सिद्ध होती हैं। ऐसी भिन्न-भिन्न साधारणधर्मों से सिद्ध होनेवाली-उपमायें तीसरे समान पदार्थ की निवृत्ति नहीं कर सकतीं। कारण यह है कि-एकधर्ममूलक एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ का सादृश्य सिद्ध हो जाने पर तद्धर्ममूलक उस पदार्थ का भी दूसरे पदार्थ के साथ सादृश्य अर्थतः सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुनः दूसरे पदार्थ के साथ उसके सादृश्य का शब्दतः कथन, अपने वैयर्थ्य को मिटाने के लिये, उन दोनों के तृतीय सदृश पदार्थ की निवृत्ति का आक्षेप कर देता है। तात्पर्य यह हुआ कि उपमान का यद्धर्ममूलक सादृश्य उपमेय में एक बार कह दिया जाता है, तद्धर्ममूलक सादृश्य ही यदि पुनः उपमेय का उपमान में शब्दतः कहा जाता है, तब उसका अभिप्राय यह निकल जाता है कि 'इन दोनों के समान तीसरा कोई नहीं है,' क्योंकि अकारण, विज्ञजन अर्थतः सिद्ध बात को शब्दतः नहीं दुहराते। इस तरह एक धर्मवाली परस्पर उपमा में तृतीय सदृश की निवृत्ति फलित होती है। परन्तु प्रकृत पद्य-खण्ड में यह बात नहीं हो सकती। कारण, 'तनुत्व (दुबली पतली होने)' रूप साधारणधर्ममूलक बिजली के साथ कामिनी का सादृश्य वर्णित हो जाने पर यद्यपि तद्धर्ममूलक (तनुत्वधर्मद्वारक) कामिनी के साथ बिजली का सादृश्य अर्थतः सिद्ध हो जाता है, तथापि 'गौरत्व-(गोरी होने) रूप साधारणधर्ममूलक कामिनी के साथ बिजली का सादृश्य सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रकृत पद्य के दोहरे सादृश्यकथन का फल उन्हीं उपमान-उपमेयों (कामिनी और बिजली) के भिन्न भिन्न समानधर्ममूलक सादृश्यों का ज्ञान होता है, न कि तृतीय समानवस्तु का व्यवच्छेदज्ञान। अतः यदि लक्षण में उक्त भाग का निवेश नहीं किया जाता, तब इस पद्य भाग-जो उक्त विचार के अनुसार वस्तुतः उपमेयोपमा का लक्ष्य नहीं है-में भी उपमेयोपमा का लक्षण चला जाता-अतिव्याप्ति दोष लग जाता।

परस्परपदकृत्यमाह—

'सदृशी तव तन्वि निर्मिता विधिना नेति समस्तसम्मतम् ।
अथ चेन्निपुणं विभाव्यते मतिमारोहति कौमुदी मनाक् ॥'

इति तृतीयसदृशव्यवच्छेदफलकवर्णनविषये सादृश्येऽतिव्याप्तिवारणाय परस्परमिति ।

'हे तन्वि कृशाङ्गि ! विधिना ब्रह्मणा, तव, सदृशी समाना, व्यक्तिरिति यावत् , न, निर्मिता रचिता, इति, समस्तसम्मतं सर्वजनस्वीकृतम् वस्तु । अथ अनन्तरम् , निपुणं सूक्ष्मम् , विभाव्यते विचार्यते, चेत् , तदा कौमुदी चन्द्रज्योत्स्ना, मनाक् ईषत् , मतिम् बुद्धिम् , आरोहति' इत्यर्थके 'सदृशी—' इति पद्ये कौमुदीभिन्ने कान्तासादृश्यनिषेधस्य शब्दतः कथनात् ईषत्सादृश्यस्य चन्द्रिकायां कथनात्तृतीयसदृशव्यवच्छेदः फलित इति तादृशवर्णनविषयीभूते सादृश्येऽतिव्याप्तिर्मा भूदतः परस्परमिति उपमानोपमेयभावविशेषणं लक्षणे निवेशितम् । निवेशिते च तस्मिन् नातिव्याप्तिः, कौमुदीसादृश्योक्तेरभावेन परस्परोपमानोपमेयभावस्याभावादिति भावः ।

'परस्पर पद' का फल दिखलाया जाता है—सदृशी इत्यादि । लक्षण में 'परस्पर उपमान-उपमेय बने पदार्थों का' यह अंश निम्नलिखित अर्थवाले काव्यवाक्य में अतिव्याप्ति न होने के लिये कहा गया है—'हे तन्वि ! विधाता ने तेरे समान कोई दूसरी नायिका व्यक्ति नहीं बनाई, यह सर्वसम्मत बात है । परन्तु यदि सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाय, तब चन्द्रज्योत्स्ना कुछ-कुछ बुद्धि में आरूढ होती है-अर्थात् इतना ज्ञात होता है कि चन्द्रज्योत्स्ना कुछ तेरी समता रखती है ।' इस श्लोक में जो चन्द्रज्योत्स्ना के कुछ-कुछ नायिका के समान होने की बात कही गई है उससे 'इन दोनों के समान तीसरा कोई नहीं है' यह बात सिद्ध होती है । फलतः इस सादृश्य-वर्णन का फल तीसरे सदृश की निवृत्ति है ऐसा कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि उपर्युक्त अंश लक्षण में नहीं कहा जाता तब यह पद्य भी उपमेयोपमा का उदाहरण हो जाता ।

सुन्दरपदनिवेशफलमाह—

लिङ्गवचनभेदादिदुष्टसादृश्यवारणाय सुन्दरमिति—

लिङ्गभेदवचनभेदप्रभृतिभिर्दोषैः दुष्टे वर्णनाविषयीभूते सादृश्येऽतिव्याप्तिनिरासाय लक्षणे 'सुन्दरम्' इति सादृश्य-विशेषणमुपात्तम् । उपात्ते च तस्मिन् विशेषणे न तत्र दोषः, तादृशदोषग्रस्तस्य सादृश्यस्यासुन्दरत्वात् इति भावः ।

सुन्दर पद का फल कहा जाता है– लिङ्ग इत्यादि । लिङ्गभेद, वचन-भेद आदि दोषों से युक्त सादृश्य में अतिव्याप्ति न हो-इसलिये लक्षण में सादृश्य का विशेषण 'सुन्दर' कहा गया है । दुष्टसादृश्य सुन्दर नहीं माना जाता, अतः 'सुन्दर' विशेषण कह देने पर अतिव्याप्ति नहीं होती ।

उदाहरणप्रदर्शनं प्रतिजानीते—

अथेदमुदाह्रियते—

अथ अर्थात् पदकृत्यप्रदर्शनान्तरं इयम् उपमेयोपमा, उदाह्रियते लक्ष्यगततया प्रदर्श्यत इति भावः ।

पदकृत्य दिखलाने के बाद अब उपमेयोपमा का उदाहरण दिखलाया जाता है।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'कौमुदीव भवती विभाति मे कातराक्षि भवतीव कौमुदी।
अम्बुजेन तुलितं विलोचनं लोचनेन च तवाम्बुजं समम् ॥'

नायकस्य नायिकां प्रत्युक्तिः—अयि कातराक्षि भयचकितलोचने! भवती, मे कौमुदी चन्द्रकला, इव, विभाति, कौमुदी च भवतीव विभाति। तव, विलोचनं नयनं जातिविवक्षयैकवचनमिति बोध्यम्। अम्बुजेन कमलेन, तुलितं सदृशम्, अम्बुजं च तव लोचनेन समं इत्यर्थः। अत्र कौमुदीनायिकयोः नयनाम्बुजयोश्च परस्परं सादृश्यवर्णनेन तृतीयसदृशव्यवच्छेदादुपमेयोपमा इति भावः। अत्र 'अत्र तुलितं सममित्युपमावाचकवैलक्षण्यं वक्ष्यमाणक्विप्क्यङादिवैलक्षण्यमिव दुष्टमिति चिन्त्यमिदम्' इति नागेशः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कौमुदीव इत्यादि। नायक का कथन है—हे कातराक्षि! तू मुझे चन्द्रकला सी प्रतीत होती है, और चन्द्रकला तुझ जैसी। तेरी नयन कमल के तुल्य हैं और कमल तेरे नेत्र के समान हैं। यहाँ कौमुदी और नायिका एवं कमल और नेत्र की परस्पर उपमा से तृतीय सदृश पदार्थ की निवृत्ति ज्ञात होती है, अतः यहाँ उपमेयोपमालङ्कार होता है। यहाँ नागेश का कथन है कि–'तुलितम्' और 'समम्' इन उपमावाचकों की विलक्षणता, आगे स्वयं ग्रन्थकार के द्वारा कही जानेवाली 'क्विप्' 'क्यङ्' आदि की विलक्षणता के समान, दुष्ट है, अतः यह उदाहरण चिन्तनीय है।' बात ठीक है 'सुन्दर' विशेषण से इस तरह के दुष्ट सादृश्य का निराकरण पण्डितराज को अभिमत है। अतः 'अम्बुजेन खलु लोचनं समं लोचनेन च तवाम्बुजं तथा' अथवा 'अम्बुजेन तुलितं विलोचनं विलोचनेन तुलितं च तेऽम्बुजम्' ऐसा पाठ मानना उचित है।

उपमेयोपमाया भेदो विधीयते—

इयं च तावद्द्विविधा उक्तधर्मा व्यक्तधर्मा च। उक्तधर्मा तावदनुगाम्यादिभिः प्रागुक्तैर्धर्मैरनेकधा।

उपमेयोपमायाः प्रथमं द्वौ भेदौ—एकः स यत्र साधारणो धर्मः स्पष्टतया शब्दैरुक्तस्तिष्ठति, अपरश्च स यत्र स धर्मो व्यञ्जनावृत्त्या विज्ञातो भवति शब्दैरुक्तो न भवति। प्रथमभेदस्य पुनर्बहवो भेदा भवन्ति, अनुगामित्वबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वोपचरितत्वादिभिरुपाधिभिः साधारणधर्मस्यानेकविधत्वादिति भावः।

उपमेयोपमा का भेद किया जाता है—इयम् इत्यादि। यह उपमेयोपमा प्रथमतः दो प्रकार की होती है—एक उक्तधर्मा–अर्थात् जिसमें साधारणधर्म स्पष्ट शब्दों में कथित रहता है और दूसरी व्यक्तधर्मा–अर्थात् जिसमें साधारणधर्म शब्दतः उक्त नहीं रहता, पर व्यञ्जना से ज्ञात होता है। उन दोनों प्रकारों में से प्रथम प्रकार–अर्थात् उक्तधर्मा–के पुनः अनेक प्रकार होते हैं, क्योंकि अनुगामी आदि भेदों से धर्म के अनेक रूप होते हैं।

उक्तधर्मायाः प्रथमं प्रकारं निर्देष्टुमाह—

अनुगामी धर्मो यथा—

स्पष्टम्।

अनुगामी धर्मवाली उपमेयोपमा जसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'निखिले निगमकदम्बे लोकेष्वप्येष निर्विवादोऽर्थः।
शिव इव गुरुर्गरीयान् गुरुरिव सोऽयं सदाशिवोऽपि तथा ॥'

निखिले सम्पूर्णे, निगमकदम्बे वेदसमूहे, अपि च, लोकेषु, एषः, अर्थः (इयं वार्ता) निर्विवादः ऐकमत्येव सिद्धः, यत् , गुरुः, शिव, इव, गरीयान् अतिश्रेष्ठः, एवम् , सोऽयम् (प्रत्यभिज्ञेयम्) सदाशिवोऽपि, गुरुः, इव, तथा गरीयानित्यर्थः। अत्र गरीयस्त्वमुपमानोपमेययोरेकरूपेणान्वययोग्यत्वादनुगामी साधारणो धर्म इति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—निखिले इत्यादि। सभी वेदों में तथा लोक में भी यह बात निर्विवादरूप से सिद्ध है कि—गुरु शिव के समान अतिश्रेष्ठ हैं और ये परमप्रसिद्ध सदाशिव भी गुरु के तुल्य महत्तम हैं। यहाँ 'अतिश्रेष्ठ होना'रूप साधारण-धर्म, एकरूप से उपमान-उपमेय दोनों में अन्वययोग्य होने के कारण, अनुगामी हैं।

उक्तधर्माया द्वितीयं प्रकारं निर्देष्टुमाह—

बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नो यथा—

स्पष्टम्।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न साधारणधर्मवाली उपमेयोपमा जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'रमणीयस्तबकयुता विलसितवक्षोजयुगलशालिन्यः।
लतिका इव ता वनिता वनिता इव रेजिरे लतिकाः ॥'

कविः वाटिकायां विहरन्तीः कामिनीर्वर्णयति—ताः, वनिताः कामिन्यः, रमणीयैः सुन्दरैः, स्तबकैः पुष्पगुच्छैः, युताः युक्ताः, लतिकाः लताः, इव, एवं लतिकाः, विलसितैः शोभितैः, वक्षोजयुगलैः स्तनद्वयैः, शालन्ते = शोभन्ते यास्तादृश्यः, वनिताः कामिन्यः, इव, रेजिरे शुशुभिरे इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—रमणीय इत्यादि। वाटिका में विहार करती हुई नायिकाओं का वर्णन कवि करता है—वे वनितायें—नायिकायें, सुन्दर पुष्प-गुच्छों से युक्त लताओं की तरह, और लताएँ सुन्दर स्तनयुगलों से शोभित नायिकाओं की तरह, शोभित हुई।

उपपादयति—

अत्र रमणीयत्वविलसितत्वाभ्यां विशेषणाभ्यां युतत्वशालित्वाभ्यां च विशेष्याभ्यां परस्परं वस्तुप्रतिवस्तुभावमापन्नाभ्यां पुटितः स्तबकस्तनरूपः परस्परं बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो धर्मः।

विशेषणाभ्यामिति। स्तबकवक्षोजयुगलपदार्थयोरिति भावः। विशेष्याभ्यामिति। स्तबकवक्षोजयुगलपदार्थनिष्ठविशेषणतानिरूपितविशेष्यताविशिष्टाभ्यामित्यर्थः। वस्त्विति। वस्तुतस्तयोरेकत्वादिति भावः। पुटितः सम्पुटितः। अयं भावः—'रमणीयस्तबकयुता—' इति पद्ये विशेषणतयोक्ते रमणीयत्वविलसितत्वे, एवम् विशेष्यतया कथिते युतत्वशालित्वे वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्ने, शब्दाश्रयभेदेन भिन्नत्वेऽपि परमार्थत एकपदार्थत्वात्। तयोर्मध्य-

गतश्च स्तबकस्तनरूपो धर्मः सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसानेन बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः सन् साधारणत्वमासाद्योपमागर्भामुपमेयोपमां प्रयोजयतीति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में विशेषणरूप में वर्णित 'रमणीयता' और 'विलसितता' (सुन्दरता) एवं विशेष्यरूप में वर्णित 'युक्तता' और 'शालिता' (शोभितता) परस्पर वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हैं, क्योंकि वस्तुतः ये (दो दो) एक ही पदार्थ हैं, केवल शब्द और आश्रय के भेद से भिन्न-से दीखते हैं । इन दोनों (विशेषण और विशेष्यों) के मध्य में कथित 'पुष्पगुच्छ तथा स्तन' सादृश्यमूलक अभेदारोप के कारण, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न होकर साधारणधर्मरूप हो जाते हैं ।

तृतीयं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

उपचरितो यथा—

आरोपितो धर्मो यथेत्यर्थः ।

उपचरित (आरोपित) धर्मवाली उपमेयोपमा, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'कुलिशमिव कठिनमसतां हृदयं जानीहि हृदयमिव कुलिशम् ।
प्रकृतिः सतां सुमधुरा सुधेव हि प्रकृतिरिव च सुधा ॥'

त्वम्, असताम् असज्जनानां दुर्जनानामिति यावत् हृदयम् मनः, कुलिशं वज्रम्, इव, एवम् कुलिशम्, असतां, हृदयमिव, कठिनं जानीहि विद्धि । सतां सज्जनानाम्, प्रकृतिः स्वभावः, सुधा अमृतम्, इव, सुमधुरा अतिमाधुर्यशालिनी, एवम् सुधा, सतां, प्रकृतिः, इव, सुमधुरा भवतीत्यर्थः । अत्र पृथिवीनिष्ठकठिनत्वस्य मनसि, सुधानिष्ठमाधुर्यस्य च प्रकृतावुपचारः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कुलिशमिव इत्यादि । तुम दुर्जनों के हृदय को वज्र की तरह और वज्र को दुर्जनों के हृदय की तरह कठोर समझो । सज्जनों का स्वभाव, अमृत के समान, और अमृत, सज्जनों के स्वभाव के समान, अत्यन्त मधुर होता है । यहाँ पृथ्वीरूप वज्र का धर्म—'कठिनता' हृदय में और अमृत का धर्म 'अत्यन्त मधुरता' स्वभाव में उपचरित (आरोपित) हैं ।

चतुर्थं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

केवलशब्दात्मको यथा—

श्लिष्टशब्दरूपधर्मो यथेत्यर्थः ।

केवल शब्द (श्लिष्ट पद) रूप धर्मवाली उपमेयोपमा, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अविरतचिन्तो लोके वृक इव पिशुनोऽत्र पिशुन इव च वृकः ।
भारतमिव सच्चित्तं सच्चित्तमिवाथ भारतं सकृपम् ॥'

अत्र, लोके संसारे, पिशुनः द्विजिह्वः, वृकः हिंसको जन्तुविशेषः (भेडिया इति प्रसिद्धः) इव, अविरतचिन्तः (पिशुनपक्षे-परापकारविषयकसार्वदिकचिन्ताशीलः, वृकपक्षे—अविषु मेषेषु रता संलग्ना चिन्ता यस्य तादृशः) वृकश्च, पिशुनः, इव, अविरतचिन्तः

तिष्ठतीति शेषः। सच्चित्तं सतां चेतः, भारतं महाभारताख्यग्रन्थविशेषः, इव, सकृपं (सच्चित्तपक्षे—सदयम् , ग्रन्थपक्षे—कृपेण कृपाचार्येण, सहितम् , प्रतिपादकतासंसर्गेण कृपाचार्यसाहित्यं ग्रन्थे बोध्यम्), भारतम् , च, सच्चित्तम् , इव, सकृपं, भवतीत्यर्थः । अत्र निरन्तरचिन्तत्वस्य पिशुनवृत्तित्वेऽपि वृकावृत्तित्वात्सकृपत्वस्य सज्जनचित्तवृत्तित्वेऽपि भारतग्रन्थावृत्तित्वात् 'अविरतचित्त-सकृप'-रूपौ श्लिष्टशब्दावेव साधारणधर्माविति भावः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अविरत इत्यादि। इस संसार में पिशुन-(चुगलखोर) वृक (भेड़िया) की तरह 'अविरतचिन्त' (निरन्तर चिन्तावाला-दूसरे की बुराई सोचनेवाला) होता है और पिशुन की तरह भेड़िया 'अविरतचिन्त' (अवि = भेड़ों में, रत = संलग्न, चिन्तावाला—भेड़ों पर ताक लगाए हुए) रहता है। एवं सज्जनों का चित्त, भारत-महाभारत की तरह, 'सकृप' (कृपायुक्त) होता है और सज्जनों के चित्त की तरह, भारत-महाभारतग्रन्थ 'सकृप' (कृपनामधारी आचार्य से युक्त) है। यहाँ 'निरन्तर चिन्तायुक्त होना' धर्म, 'वृक' में नहीं सङ्गत होता और 'भेड़ों पर ताक लगाये रहना' धर्म, 'पिशुन' में नहीं बन पाता। इसी तरह 'कृपायुक्त होना' धर्म, महाभारत ग्रन्थ में नहीं रहता और 'कृपाचार्य से युक्त होना' धर्म, सज्जनों के चित्त में नहीं ठीक बैठता, अतः यहाँ 'अविरतचिन्त' और 'सकृप' ये दोनों श्लिष्ट शब्द ही दोनों (पिशुन और वृक तथा सज्जन-चित्त और महाभारत) के विशेषण होने के कारण साधारण-धर्मरूप माने जाते हैं। यहाँ उक्तधर्मा उपमेयोपमा के उदाहरण समाप्त हुए।

द्विविधयोरुपमेयोपमयोरुक्तधर्माख्यस्य प्रथमभेदस्यावान्तरभेदानां चतुर्णामुदाहरणानि प्रदर्श्य, सम्प्रति द्वितीयभेदस्य व्यक्तधर्माख्यस्योदाहरणं प्रदर्शयितुमाह—

व्यक्तधर्मो यथा—

व्यञ्जनावृत्तिबोध्यसाधारणधर्मयुक्तोपमेयोपमा यथेत्यर्थः ।

व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा अवगत होनेवाली साधारणधर्म से युक्त उपमेयोपमा, जसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'वारिधिराकाशसमो वारिधिसदृशस्तथाऽकाशः ।
सेतुरिव स्वर्गङ्गा स्वर्गङ्गेवान्तरा सेतुः ॥'

वारिधिः समुद्रः, आकाशसमः, वियत्तुल्यः, तथा, आकाशः वियत् , वारिधिसदृशः समुद्रतुल्यः, अस्तीति शेषः, कुत इति चेत् ? यतः अन्तरा आकाशमध्ये, सेतुः शिलाशकलसङ्कलितो मार्गविशेषः, इव, स्वर्गङ्गा छायापथः, चकास्ति, तथा अन्तरा समुद्रमध्ये, स्वर्गङ्गा, इव, सेतुर्विद्योतते इत्यर्थः ।

उदाहरण का प्रदर्शन किया जाता है—वारिधर इत्यादि। एक वर्णन है कि—समुद्र आकाश के समान है और आकाश समुद्र के समान, क्योंकि आकाश में सेतु की तरह स्वर्गङ्गा (छायापथ) है और समुद्र में स्वर्गङ्गा की तरह, सेतु (बाँध) है।

उपपादयति—

अत्रापारत्वादिर्व्यज्यमानो धर्मः ।

दुर्घटत्वमादिपदग्राह्यम् । व्यक्तपदार्थं सूचयितुमाह—व्यज्यमानेति 'वारिधि—' इति श्लोके समुद्राकाशयोः अपारत्वं (निस्सीमत्वं) साधारणो धर्मः सेतुस्वर्गङ्गयोश्च दुर्घटत्वम् ।

तौ च धर्मौ नात्र वाच्यौ, वाचकविरहात् , अपि तु व्यङ्ग्यौ, अतः व्यक्तधर्मेयमुपमेयोपमेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में वर्णित आकाश और समुद्र में 'अपारता' समान धर्म है एवं सेतु और स्वर्गङ्गा में दुर्घटता' समानधर्म है, परन्तु इन धर्मों के प्रतिपादक पद पद्यवाक्य में हैं नहीं, अतः ये धर्मवाच्य नहीं, व्यङ्ग्य माने जाते हैं ।

विशेषमाह—

एषा सर्वाऽपि स्फुटे वाक्यभेदे प्रपञ्चिता ।

यत्र वाक्यभेदः स्फुटः अर्थात्—द्वयोर्वाक्ययोः सादृश्यद्वयं स्पष्टं निर्दिष्टम्—तादृशस्थलीयः पूर्वोक्तोपमेयोपमाप्रपञ्चो बोध्यः । एतेनास्फुटवाक्यभेदस्थलेऽपि उपमेयोपमासम्भवः सूच्यते ।

अनुपदोक्त उपमेयोपमा का विस्तार उन स्थलों पर किया गया है जहाँ वाक्यभेद स्पष्ट है अर्थात् शब्दतः दो वाक्यों में दो सादृश्य पृथक् पृथक् वर्णित रहे हैं । एतावता यह सूचित हुआ कि अस्फुट अर्थात् अर्थतः बोध्य वाक्यभेद के स्थल में भी यह अलङ्कार हो सकता है ।

पूर्वसम्भावितमुपमेयोपमाप्रकारमुदाहर्तुमाह—

आर्थे तु वाक्यभेदे –

वाक्यभेद इति । उदाह्रियत इति शेषः ।

अर्थतः अवगत होने वाले वाक्यभेद के स्थल में तो अब उदाहरण दिया जाता है ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अभिरामतासदनमम्बुजानने नयनद्वयं जनमनोहरं तव ।
इयति प्रपञ्चविषयेऽपि वैधसे तुलनामुदञ्चति परस्परात्मना ।।'

कविः कस्याश्चित्कामिन्याः कमनीयं नयनद्वयं नायकमुखेन वर्णयति—अयि अम्बुजानने कमलमुखि ! अभिरामतायाः परितो रमणीयतायाः, सदनं मन्दिरम् आवासस्थानमिति यावत् , तथा जनमनोहरं दर्शकलोकहृदयाकर्षकम् , च, तव, नयनद्वयं लोचनयुगलम् , इयति निश्चितपरिमाणतयाऽज्ञायमाने, वैधसे वैरञ्चे प्रपञ्चविषये संसारे, परस्परात्मना अन्योन्यरूपेण, तुलनां समताम् , उदञ्चति प्रकाशयतीत्यर्थः ।

नायक, नायिका से कहता है—हे कमलमुखि ! सौन्दर्य का मन्दिर और दर्शकजनों के मन हरने वाला तेरा नेत्रयुगल इतनी बड़ी विधि-सृष्टि में केवल परस्पर रूप से ही समता प्रकाशित करता है—अर्थात् इन दोनों (आँखों) की समता इन्हीं दोनों में है, तीसरे किसी पदार्थ में नहीं ।

उपपादयति—

अत्र परस्परात्मना तुलनामुदञ्चतीति संक्षिप्ताद्वाक्यादिदमेतेनैतच्चानेन तुलनामुदञ्चतीति वाक्यद्वयं विचारकमुल्लसति ।

इदं नयनं । एतेन नयनेन । एवमग्रेऽपि । विचारकमिति । विवरणरूपमित्यर्थः । 'अभिरामता—' इति श्लोके 'परस्परात्मना तुलनामुदञ्चति' संक्षिप्तमेकं वाक्यम् , तस्मात्

वाक्यात् विवरणात्मकं 'दक्षिणं नयनं वामेन नयनेन तुलनामुदञ्चति' 'वामं नयनं दक्षिणेन नयनेन तुलनामुदञ्चति' इति वाक्यद्वयञ्चिस्सरति, अतोऽत्र वाक्यभेद आर्थः न तु स्फुट इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'अभिरामतासदनम्—' इस पद्य में 'परस्परस्प से समता प्रकाशित करता है' यह एक संक्षिप्त वाक्य है, उससे अर्थतः 'दाहिनी आँख, बाईं आँख की समता प्रकाशित करती है और बाईं आँख, दाहिनी आँख की समता प्रकाशित करती है, ये दो वाक्य निकलते हैं, अतः यहाँ वाक्यभेद है तो अवश्य, पर स्फुट नहीं, ऐसा कहा जाता है ।

अस्या उपमेयोपमाया अपरेऽपि प्रभेदाः सम्भवन्तीति सूचयितुमाह—

एवं पूर्णालुप्तादयोऽप्यस्या उपमाया इव प्रायशः सर्वेऽपि भेदाः सम्भवन्ति ।

एवमिति, अनुगाम्यादिधर्मभेदवदित्यर्थः । अस्या उपमेयोपमायाः । असम्भावितभेदवारणाय प्रायश इति । उपमाया यथा पूर्णालुप्तादयो भेदा भवन्ति, तथोपमेयोपमाया अपि प्रायस्ते भेदा भवितुमर्हन्तीति भावः ।

उपमेयोपमा के अन्य भेदों की सूचना दी जाती है—एवम् इत्यादि । जिस तरह अनुगामी आदि धर्मों के भेद से उपमेयोपमा के अनेक भेद हुए हैं उसी तरह पूर्णा लुप्ता आदि वे सभी भेद प्रायः उपमेयोपमा के भी हो सकते हैं जो उपमा के होते है ।

ननु सम्भवन्तस्ते भेदाः कुतो नोदाह्रियन्ते इत्यत आह—

ते चामुयैव दिशा सुबुद्धिभिरुन्नेतुं शक्या इति नेह निरूप्यन्ते ।

अमुयैव दिशेति । तयैव (उपमाप्रकरणोक्तया) रीत्या इत्यर्थः । उन्नेतुम् ऊहितुम् । अन्यत् सुगमम् ।

उन संभावित प्रभेदों का निरूपण क्यों नहीं करते इसका उत्तर दिया जाता है—ते च इत्यादि । सुन्दर बुद्धि रखने वाले पुरुष, उपमाप्रकरणोक्त रीति से उन प्रभेदों का ऊह स्वयं कर सकते हैं, अतः उनका निरूपण यहाँ नहीं किया जाता है ।

खण्डयितुमप्पयदीक्षितमतमुत्थापयति—

चित्रमीमांसाकृतस्तु प्राचीनं लक्षणमव्याप्त्यतिव्याप्त्यादिभिर्दूषयित्वा—

'अन्योन्येनोपमा बोध्या व्यक्त्या वृत्त्यन्तरेण वा ।
एकधर्माश्रया या स्यात्सोपमेयोपमा मता ॥'

इति स्वयं लक्षणमाहुः । अस्यार्थः संक्षेपेण सपदकृत्यस्तदुक्तरीत्या सहृदयानां सौकर्यायोच्यते—अन्योन्येनेति । अन्योन्यप्रतियोगित्वविशिष्टा व्यक्त्या व्यञ्जनाव्यापारेण वृत्त्यन्तरेण शक्त्या वा बोध्या वेद्या एकधर्माश्रया एकधर्मप्रयोज्या या उपमा सा उपमेयोपमा मतेत्यन्वयः । अन्योन्येनेति विशेषणादिदं तच्च सममित्युभयविश्रान्तोपमाया निरासः । अत्रान्योन्यप्रतियोगिकत्वस्य व्यञ्जनव्यापारमात्रगम्यत्वेनोपमायाश्च शक्तिवेद्यतया परस्परनिरपेक्षेणैकेन व्यापारेणान्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्टायास्तस्या अबोधनात् , परस्परनैरपेक्ष्यस्यात्र वाकारेणाभिधानात् । एकधर्माश्रयेति विशेषणात् 'रजोभिर्भूरिव द्यौर्घनसन्निभैर्गजैश्च

द्यौरिव भूः' इति कस्यचित्पद्यस्यार्थे परस्परोपमायां नातिव्याप्तिः, तत्रोपमाप्रयोजकधर्मैक्याभावात्। भूतलोपमानिकायां प्रयोजकस्य रजसामनुगामिधर्मस्य, नभस्तलोपमानिकायां प्रयोजकस्य घनसदृशगजानां बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मस्य च भेदात्। व्यक्त्येति च विशेषणं व्यङ्ग्योपमेयोपमासङ्ग्रहार्थमितीदमुपमेयोपमात्वप्रयोजकं लक्षणमिति।

प्राचीनं लक्षणमिति। 'उपमानोपमेयत्वं द्वयोः पर्यायतो यदि। उपमेयोपमा सा स्याद् द्विविधैषा प्रकीर्तिता।' इतीत्यर्थः। अव्याप्तीति। 'तद्वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्' इत्यत्राव्याप्तिः। 'रजोभिः स्यन्दनोद्धूतैः' इत्यत्रातिव्याप्तिरिति भावः। (अनयोः पद्ययोः सम्पूर्णं स्वरूपं स्वयं मूलकृतैवानुपदं वक्ष्यते।) अन्योन्येनेत्यत्र तृतीयायाः प्रतियोगित्वार्थकतया तदर्थमाह—अन्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्टेति। व्यक्त्या इत्यस्यार्थमाह—व्यञ्जनाव्यापारेणेति। लक्षणाया असम्भवात् वृत्यन्तरेणेत्यस्य व्याख्यां करोति—शक्त्या इति। इवादिसत्त्वे इति भावः। बोध्या इत्यस्य व्याख्या—वेद्या इति। एकधर्माश्रया इत्यस्य टीका—एकधर्मप्रयोज्या इति। एक साधारणधर्ममूलिकेति तदर्थः। अन्वयमुक्त्वा पदकृत्यमाह—अन्योन्येति विशेषणादित्यादिना। उभयविश्रान्तेति। उभयत्र पर्यवसिता न श्रौतीत्यर्थः। तस्या निरासे हेतुमाह—अत्रेत्यादिना। शक्तीति। समपदेत्यादिः। ननु वृत्तिविषये परस्परनिरपेक्षत्वनिवेशो लक्षणे कुतोऽवगम्यते इति चेत्तत्राह—परस्परनैरपेक्ष्यस्येति। 'व्यक्त्या वृत्यन्तरेण वा' इत्यत्र 'वा'पदं प्रयुञ्जानैर्दीक्षितैर्वृत्त्योः परस्परनिरपेक्षत्वं सूचितम्, अन्यथा पक्षान्तरकथनासङ्गतेरिति भावः। अर्थ इति। अर्थरूपायामित्यर्थः। रजसामिति। प्रयोजकीभूतरजोऽभिन्नानुगामिधर्मस्येत्यर्थः। समानविभक्तिकत्वस्येव समानवचनत्वस्याभेदान्वये न तन्त्रत्वमित्यभिप्रायेणेदृशप्रयोगः। एवमग्रेऽपि। घनगजयोर्भेदेन कथं साधारणत्वमत आह—बिम्बेति। अयं भावः—अप्पयदीक्षितैः चित्रमीमांसाख्ये स्वनिबन्धे प्राचीनकृतं लक्षणं निरस्य 'अन्योन्येने'ति उपमेयोपमाया लक्षणं कृतं। तत्रा'न्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्टा या उपमा' इत्यर्थकस्य 'अन्योन्येन या उपमा' इत्यस्य निवेशेन 'इदं तच्च समम्' इत्युभयपर्यवसितोपमाया व्यावृत्तिः कृता, यतस्तत्रोपमा समशब्दशक्तिगम्या, 'इदं तेन समम्, तच्चानेन समम्' इत्याकारकपरस्परोपमानभावात्मकं परस्परप्रतियोगिकत्वं पुनर्व्यञ्जनागम्यम्। तथा चास्यामुपमायां शक्तिव्यञ्जनयोरुभयोरपेक्षणेन एकवृत्तिबोध्यत्वन्नास्ति। एकधर्मप्रयोज्येत्यर्थकैकधर्माश्रया इति कथनेन 'रजोभिः—' इति मूलोक्तपरस्परोपमानिरासो विहितः, यतस्तत्र भूतलोपमानकनभस्तलोपमेयकोपमाप्रयोजकः साधारणधर्मोऽनुगामी रजोरूपः तथा नभस्तलोपमानकभूतलोपमेयकोपमाप्रयोजकश्च साधारणधर्मो बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो घनसदृशगज इति तयोरुपमयोरेकधर्मप्रयोज्यत्वाभाव इति।

खण्डन करने के लिये अप्पयदीक्षित के मत का उपपादन किया जाता है—चित्र इत्यादि। अप्पयदीक्षितजी ने अपनी चित्रमीमांसा नामक पुस्तक में 'तद्वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्' इस पद्य में अव्याप्ति और 'रजोभिः स्यन्दनोद्धूतैः' इस पद्य में अतिव्याप्ति दोष दिखलाकर पहले 'उपमानोपमेयत्वं द्वयोः पर्यायतो यदि। उपमेयोपमा

सा स्याद्द्विविधैषा प्रकीर्तिता। अर्थात् यदि दोनों पदार्थ क्रमशः उपमान तथा उपमेय हों, तब वह उपमेयोपमा होती है। इसके दो भेद हैं।' इस प्राचीनोक्त लक्षण का खण्डन किया और तदुत्तर स्वयं 'अन्योन्येनोपमा—' यह मूलोक्त लक्षण किया है। सहृदयों की सुगमता के ध्यान से उक्त लक्षण का अर्थ पदकृत्यसहित संक्षेप में ग्रन्थकार, चित्र-मीमांसाकार की रीति से बतलाते हैं—अन्योन्येन = परस्पर दोनों पदार्थ जिसके प्रतियोगी होते हों ऐसी, तथा एकधर्माश्रया = एक ही साधारण धर्म से सिद्ध होनेवाली, जो उपमा (सादृश्य) व्यक्त्या = व्यञ्जनावृत्तिद्वारा, अथवा, वृत्यन्तरेण = अभिधावृत्तिद्वारा बोध्या = ज्ञात होती हो, उसको उपमेयोपमा माना जाता है—यह तो हुआ इस लक्षण वाक्य का अन्वयानुसारी अर्थ। अब पदकृत्य देखिये—इस लक्षण में उक्त अर्थवाला 'अन्योन्येन' विशेषण इसलिये जोड़ा गया है कि–'इदं तच्च समम्-अर्थात् यह और वह समान है' इस उभयनिष्ठ उपमा में अतिव्याप्ति न हो। इस उपमा में यद्यपि अन्योन्यप्रतियोगिकत्व है-अर्थात् इस वाक्य से 'इसका सादृश्य उसमें' और 'उसका सादृश्य इसमें' इस तरह दोनों का सादृश्य दोनों में सिद्ध होता है, तथापि यह अन्योन्यप्रतियोगिकत्व–दोनों का सादृश्यप्रतियोगी होना-व्यञ्जनावृत्ति द्वारा ज्ञात होता है–अर्थात् 'इसका सादृश्य उसमें और उसका सादृश्य इसमें' ऐसा ज्ञान शब्दतः नहीं होता और उपमा ज्ञात होती है 'सम' शब्द की अभिधावृत्ति से, अतः अन्य वृत्ति की अपेक्षा किये विना किसी एक वृत्ति से 'अन्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्ट उपमा' यहाँ ज्ञात नहीं होती। तात्पर्य यह कि–उक्त विशिष्ट उपमा का बोध कराने के लिये अभिधा को व्यञ्जनावृत्ति की अपेक्षा करनी पड़ती है। और लक्षण के अनुसार होना चाहिए 'अन्य वृत्ति की अपेक्षारहित एक वृत्ति द्वारा अन्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्ट उपमा का बोध।' आप पूछ सकते हैं कि–लक्षण में तो 'अन्य वृत्ति की अपेक्षा से रहित' यह बात लिखी हुई है नहीं, फिर आप यह बात कहाँ से ले आए, तो इसका उत्तर यह है कि–लक्षण में जो 'वा (अथवा)' पद है–उसका अर्थ यही होता है–अर्थात् 'वा' पद पक्षान्तर का बोधक है, अतः यह सिद्ध होता है कि–व्यञ्जना अथवा अभिधा–इन दोनों में से किसी एक के द्वारा उक्त विशिष्ट उपमा का बोध होता हो। 'एकधर्माश्रया-एक-धर्ममूलक (उपमा) इस अंश का फल यह है कि 'रज (धूलि) से आकाश पृथ्वी के समान और मेघों के सदृश गजों से पृथ्वी आकाश के समान' इस किसी पद्य के अर्थ रूप में आई हुई परस्परोपमा में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। कारण, यहाँ दोनों उपमाओं को सिद्ध करनेवाला धर्म एक नहीं हैं, 'भूतल' को उपमान मानकर बाँधी गई उपमा का साधक साधारण धर्म 'रज' यह अनुगामी पदार्थ है और 'आकाश-तल' को उपमान मानकर बाँधी गई उपमा का साधक हैं। बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न मेघ-सदृशगजपदार्थरूप धर्म। 'व्यक्त्या (व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा)' यह निवेश लक्षण में इसलिये किया गया है कि–इस लक्षण से व्यङ्ग्य उपमेयोपमा का भी संग्रह हो सके। यह लक्षण उपमेयोपमात्व का प्रयोजक–साधक है अर्थात् यह लक्षण जहाँ संघटित होगा, वह उपमा उपमेयोपमा समझी जायगी।

खण्डयति—

तन्न।

'अहं लतायाः सदृशीत्यखर्वं गौराङ्गि गर्वं न कदापि यायाः।
गवेषणेनालमिहापरेषामेषापि तुल्या तव तावदस्ति॥'

अत्रान्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्टाया उपमायास्तनुत्वादिरूपैकधर्माश्रयाया वृत्त्यन्तरेण शक्त्या बोधनादुपमेयोपमात्वापत्तेः।

तत् पूर्वोक्तदीक्षितकथनम्। न युक्तमिति शेषः। अयुक्तत्वे हेतुमाह—'अहं—' इत्यादिना। हे गौराङ्गि! लतायाः सदृशी लतानुयोगिकसादृश्याश्रया, अहम्, इति, अखर्वं महान्तम्, गर्वं, कदापि न यायाः प्राप्नुहि, यतः, इह त्वत्तुलाविषये, अपरेषां अन्येषां सम्प्रति नयनागोचराणां पदार्थानाम्, गवेषणेन अन्वेषणेन, अलं व्यर्थम्, तावत् प्रथमम्, एषाऽपि नयनगोचरीभूता लताऽपि, तव तुल्या त्वदनुयोगिकसादृश्याश्रया अस्ति इत्यर्थः। अन्वेषणे कृतेऽन्येऽपि तव तुल्याः पदार्थाः लब्धुं शक्या इति भावः। अत्रेति। अस्य 'इति' इत्यादिः। तनुत्वेति। अस्य 'अनुपात्त' इत्यादिः। शक्त्येति। वृत्यन्तरेणेत्यस्य व्याख्येयम्। अयमाशयः—दीक्षितोक्तलक्षणानुसारं 'अहं लतायाः—' इति पद्येऽपि उपमेयोपमालंकारत्वप्रसक्तिः, अन्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्टायाः परस्परोपमानोपमेयभावयुक्ताया इति यावत लतानायिकयोरुपमायाः अनुक्ततनुत्वादिरूपैकधर्मप्रयोज्यायाः, शक्त्या ज्ञायमानत्वात् तथा चातिव्याप्तिदोषग्रस्तमिदं लक्षणमिति।

खण्डन किया जाता है—तन्न इत्यादि। सब कुछ होने पर भी दीक्षितजी का उपमेयोपमालक्षण ठीक नहीं है। कारण, तदनुसार, "अहं लतायाः—अर्थात् हे गौराङ्गि! 'मैं लता के सदृश हूँ (हम दोनों की तुलना में मैं ही उपमान होती हूँ, मेरे उपमान होने योग्य वह क्या? कोई नहीं है)' इस तरह का महागर्व तू कभी मत करना। इस विषय में दूसरों को ढूँढने की आवश्यकता नहीं, प्रथमतः यह लता भी तो तेरे सदृश है अर्थात् तुलना में तेरा उपमान बनती है। अभिप्राय है कि—यह (लता) तो बिना ढूँढे तेरे समान मिल गई, ढूँढने पर तो न जाने कितनी चीजें ऐसी मिल जाँय।" इस पद्य में भी उपमेयोपमा हो जायगी, क्योंकि यहाँ भी दोनों क्रम-क्रम से जिसके प्रतियोगी होते हैं, ऐसी और तनुत्व (दुर्बलता) आदि अनुक्त एक धर्म से सिद्ध होने वाली उपमा का वृत्त्यन्तर (अभिधा) से बोध होता है। सारांश यह हुआ कि दीक्षितजी का लक्षण यहाँ अतिव्याप्त हो जाता है।

आशंक्य समाधत्ते—

न चात्रान्योन्यप्रतियोगिकत्वमुपमायां न प्रतीयते, लतादिसम्बन्धिसादृश्याश्रयत्वस्यैवास्मत्पदार्थेऽन्वयादिति वाच्यम्। 'मुखस्य सदृशश्चन्द्रश्चन्द्रस्य सदृशं मुखम्' इत्युपमेयोपमायामव्याप्तेः।

सदृशतुल्यादिपदानां धर्मिवाचकतया 'अहं लतायाः—' इति पद्ये 'लतायाः सदृशी' 'तव तुल्या' इत्यंशाभ्यां लतासम्बन्धिसादृश्याश्रयत्वस्यास्मत्पदार्थे त्वत्सम्बन्धिसादृश्याश्रयत्वस्यैतत्पदार्थे चान्वयावगमेन अन्योन्यप्रतियोगिकत्वस्य प्रतीतिरुपमायां न भवतीति कथमतिव्याप्तिरिति शङ्का नोचिता, यतस्तथाङ्गीकारे 'मुखस्य सदृशः—'इति मूलोक्तपद्यखण्डे उपमेयोपमोदाहरणतया सर्वसम्मते तल्लक्षणस्याव्याप्त्यापत्तिः, अत्रापि धर्मिवाचकसदृशपदसत्त्वेन तत्तुल्ययोगक्षेमत्वात्। यथा 'अहं लतायाः—' इत्यत्र सदृशतुल्यादिपदात् सादृश्याश्रयत्वस्यैव प्रतीतिः न सादृश्यप्रतियोगित्वस्य, तथा 'मुखस्य सदृशः—' इत्यत्रापीति उपमेयोपमात्वानापत्तिः, अतः सदृशादिपदसत्त्वे शब्दतः प्रतियोगिताया अप्रतीता-

वपि अर्थतः प्रतीतिर्भवतीति स्वीकार्यमेव तथा चालक्ष्ये 'अहं लतायाः—' इति पद्ये लक्षणप्रसङ्गादतिव्याप्तिः ग्रन्थकारोक्ता समुचितैवेति भावः।

एक आशंका और उसका समाधान अब किया जाता है—न च इत्यादि। सदृश, तुल्य आदि पदों से सादृश्यका आश्रय होना विदित होता है सादृश्य का प्रतियोगी होना नहीं। ऐसी दशा में 'अहं लतायाः—' इस पद्य की उपमा में परस्परप्रतियोगिकत्व की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि पद्य के 'लतायाः सदृशी (लता के सदृश)' और 'तव तुल्या (तेरे तुल्य)' इन अंशों से गौराङ्गी आदि में लता आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सादृश्य का आश्रय होना जी ज्ञात होगा, फिर आपके द्वारा प्रतिपादित अतिव्याप्ति नहीं होगी ऐसी आशङ्का यदि आप करें तो इसका उत्तर यह है कि–ऐसे स्थलों पर (सदृश आदि पदों के रहने पर) यदि प्रतियोगि-अनुयोगिभाव का भान नहीं माना जाय तब 'मुख के सदृश चन्द्र है और चन्द्र के सदृश मुख है' इस सर्वसम्मत उपमेयोपमा में अव्याप्ति हो जायगी–यहाँ उपमेयोपमा नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ भी वही बात है अर्थात् आपके हिसाब से सदृश पद के रहने पर 'अन्योन्यप्रतियोगिकत्व' की प्रतीति उपमा में नहीं होगी। अतः अगत्या मानना पड़ेगा कि–सदृश आदि धर्मिवाचक पदों के रहने पर शब्दतः प्रतियोग्यनुयोगिभाव की प्रतीति भले ही न हो, पर अर्थतः उसकी प्रतीति अवश्य होती है। ऐसा मानने पर ही 'मुख के सदृश चन्द्र—' इस पूर्वोक्त वाक्य में उपमेयोपमा हो सकेगी और जब ऐसा मान लिया जायगा तब 'अहं लतायाः—' इस पद्य में जो अतिव्याप्ति की बात कही गई है वह उचित ही सिद्ध होगी।

ननु 'मुखस्य सदृशः—' इतिवत् 'अहं लतायाः—' इति पद्यमपि लक्ष्यमेवोपमेयोपमायास्तथा च नातिव्याप्तिः, अलक्ष्ये लक्षणगमनस्यातिव्याप्तिपदार्थत्वादित्यत्राह—

न ह्यहं लताया इत्यत्रोपमेयोपमा भवितुमर्हति। गर्वमात्रनिरासपरत्वेनोत्तरार्धोपमायास्तृतीयसदृशव्यवच्छेदाप्रतिपत्तेः। अत एव अन्यान्यपि तव सदृशानि सन्त्येव तेषां गवेषणेन किं फलमित्येतदर्थकं गवेषणेनेत्युत्तरार्धं सङ्गच्छते। तृतीयसब्रह्मचारिव्यवच्छेदो ह्युपमेयोपमाजीवितमित्यालङ्कारिकसिद्धान्तः। अन्यथा 'भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन्व्योमेव भूतलम्' इत्यत्राप्युपमेयोपमात्वनिवारणप्रयासवैयर्थ्यापत्तेः।

उपमेयोपमाभवनानर्हत्वे हेतुमाह—गर्वेति। ननु तन्मात्रपरत्व एव किं बीजमत आह—अत एवेति। तत्परत्वेन तस्याः साफल्यादेवेत्यर्थः। उत्तरार्धं तदेकदेशः। नन्वेमपि तृतीयसदृशव्यवच्छेदप्रतीतावेवोपमेयोपमा इत्यत्र किं विनिगमकमत आह—तृतीयेति। सब्रह्मचारीति सदृशेत्यर्थः। नन्वन्येषां तथा सिद्धान्तेऽपि न मम सिद्धान्तस्तथेत्युक्तेरवसरं निवारयति—अन्यथेति। तस्य तज्जीवितत्वानङ्गीकारे इति तदर्थः। भुवस्तलमिवेति। रघुवंशाख्यमहाकाव्यघटकपद्यांशोऽयम्। अर्थस्तु स्पष्ट एव। यदि तृतीयसदृशनिवृत्तिप्रतीतिशून्येऽपि स्थले उपमेयोपमा दीक्षितस्याभिमताऽभविष्यत्तदा 'भुवस्तलमिव—' इत्यत्रान्यसाधनसंयुक्तेऽपि तृतीयसदृशव्यवच्छेदमात्ररहिते पद्ये तद्वारणायासं नासावकरिष्यत, अकरोच्चेत्तृतीयसदृशव्यवच्छेदस्योपमेयोपमाजीवितत्वं अन्यालङ्कारिकाङ्गीकृतं स्वीकर्तव्यमेव तेनापि। तथा च 'अहं लतायाः—' इति पद्यं नोपमेयोपमाया लक्ष्यं भवितुं शक्नोति, तृतीयसदृशव्यवच्छेदस्यात्राप्रतीतेः। न चोत्तरार्धोक्ताया उपमायास्तृतीय-

सदृशान्यवच्छेदकत्वमिति वाच्यम्, तस्या गर्वमात्रनिरासपरत्वात्। न चास्तु तस्या गर्वनिरासपरत्वं, परन्तु तेन सह तृतीयसदृशव्यवच्छेदकत्वमप्यस्तु, तन्निरासमात्रपरत्वं कुतोऽवगम्यते इति वाच्यम्, 'गवेषणेनालमिहापरेषाम्' इत्युत्तरार्धभागेन 'अन्यानि तव सदृशानि सन्ति' इत्यर्थस्य स्फुटं प्रतिपत्तौ तृतीयसदृशव्यवच्छेदप्रतीतेरङ्गीकर्तुमयोग्यतया गर्वमात्रनिरासपरत्वस्यावगमादिति भावः।

यदि आप कहें कि "-'अहं लतायाः—' इस पद्य को भी मैं उपमेयोपमा का लक्ष्य ही मानता हूँ, तब तो अतिव्याप्ति की बात नहीं उठेगी, क्योंकि अलक्ष्य में लक्षण का संघटित होना अतिव्याप्ति कहलाता है।" इसके उत्तर में कहते हैं—न हि इत्यादि। अभिप्राय यह है कि-'अहं लतायाः –' इस पद्य को उपमेयोपमा का लक्ष्य नहीं माना जा सकता। कारण, यहाँ तृतीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति प्रतीत नहीं होती। आप कहेंगे-यदि तृतीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति प्रतीत नहीं होती तब पद्य के उत्तरार्ध भाग में जो दूसरी उपमा वर्णित हुई है उसका क्या फल है ? तो मैं कहूँगा कि-उसका फल केवल पूर्वार्ध में वर्णित गर्व का निरास करना है। बात भी यही ठीक है, अन्यथा उत्तरार्ध का 'गवेषणेनालमिहापरेषाम्' यह अंश असङ्गत हो जायगा, क्योंकि 'तेरे सदृश बहुतेरे पदार्थ संसार में खोज करने पर मिल सकते हैं' यही उस अंश का अर्थ होता है। तात्पर्य यह कि-उक्त अंश से जब तेरे समान अनेक पदार्थों की सम्भावना व्यक्त की गई है जब तृतीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति कथमपि यहाँ विदित नहीं हो सकती है। आप कहेंगे-तृतीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति अभिव्यक्त होने पर ही उपमेयोपमा मानी जाय इसमें क्या प्रमाण है, तो इसके समाधान में मेरा कथन यह है कि-तृतीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति ही उपमेयोपमा का जीवन है ऐसा सभी आलङ्कारिकों का सिद्धान्त है। आप इस सिद्धान्त को स्वीकार न करें ऐसी बात तो हो नहीं सकती। कारण, आपने केवल तृतीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति की प्रतीति न होने के कारण, 'भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन् व्योमेव भूतलम्-अर्थात् पृथ्वी को आकाश के समान और आकाश को पृथ्वी के समान करते हुए' इस रघुवंश के पद्यांश में उपमेयोपमा के वारण करने का प्रयास किया है। यदि आप उक्त सिद्धान्त को न स्वीकार करते होते, तब यहाँ उपमेयोपमा के वारण का प्रयास नहीं करते।

दीक्षितमतसमर्थिकां युक्तिमाशङ्क्य समाधत्ते—

न च तृतीयसदृशव्यवच्छेदफलकत्वमुपमाविशेषणं वाच्यम्, विशेषणान्तरवैयर्थ्यापत्तेः। विशेषणव्यावर्त्यानामाधुनिकविशेषणेनैव वारणात्।

वाच्यमिति। 'अहं लतायाः—' इत्यत्रातिव्याप्तिवारणायेदानीं वक्तव्यमित्यर्थः। विशेषणान्तरेति। अन्योन्येनेत्यादीत्यर्थः। नन्वेवं कथमुक्तदोषव्यावृत्तिरत आह—विशेषणेति। विशेषणान्तरेत्यर्थः। 'अहं लतायाः—' इत्यत्र दोषनिरासाय लक्षणे तृतीयसदृशव्यवच्छेदफलकत्वमुपमाविशेषणं योज्येत चेत्, तर्हि तेन विशेषणेनैव 'इदं तच्च समम्', 'रजोभिर्भूरिव द्यौर्घनसन्निभैर्गजैश्च द्यौरिव भूः' इत्यादावतिव्याप्तौ वारितायां तद्वारकविशेषणान्तराणां योजनं निरर्थकं स्यादिति भावः।

दीक्षितमत के समर्थन में एक युक्ति दिखलाकर उसका खण्डन करते हैं—न च इत्यादि। अब यदि आप कहें कि—'अहं लतायाः—' इस पद्य में अतिव्याप्ति का वारण

करने के लिये 'तृतीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति जिससे फलित हो ऐसी उपमा' यह विशेषण भी लक्षण में जोड़ देंगे, तो यह भी समुचित नहीं। कारण, ऐसा करने पर आपके द्वारा लक्षण में लगाये गए अन्य सभी विशेषण (अन्योन्येन इत्यादि) व्यर्थ हो जायेंगे, क्योंकि उन विशेषणों के द्वारा 'इदं तच्च समम्', 'रजोभिर्भूरिव द्यौर्घनसंनिभैर्गजैश्च द्यौरिव भूः' इत्यादि स्थानों में जिस अतिव्याप्तिदोष का वारण आपको करना था, उसका वारण अब इसी नवीन विशेषण से हो जायगा।

दीक्षितोक्तमन्यदपि दूषयितुमाह—

अन्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्टा उपमा एकवृत्तिमात्रवेद्येत्यप्ययुक्तमेव। 'खमिव जलं जलमिव खम्' इत्यादौ खजलयोः सादृश्यान्वये प्रतियोगित्वस्य संसर्गत्वेन वृत्त्यविषयत्वात्। वृत्तिवेद्यानां पदार्थानां संसर्गो वृत्त्यवेद्य इत्यभ्युपगमात्। अन्यथा प्रकारतापत्तेः।

प्रतियोगित्वस्येति। अनुयोगित्वविशिष्टेत्यादिः। ननु कुतो न तस्य वृत्तिविषयत्वमित्याह—वृत्तीति। अत्र 'उक्तग्रन्थस्यैकवृत्तिमात्रवेद्यत्वे न तात्पर्यं किं तु वृत्तिद्वयवेद्यत्वाभावे। यद्वा तज्जन्यप्रतीतौ यथाकथंचिद्भासमानत्वमेव तन्मात्रवेद्यत्वम्। अस्ति च 'खमिव जलम्' इत्यादौ। नास्ति च तत्रेति तन्निरास इत्याशयेनादोषाच्चिन्त्यमिदम्' इति रुचिरमाह नागेशः। तत्तत्पदार्थमात्रे पदानां वृत्तिः, वृत्त्युपस्थापितानामर्थानां पारस्परिकाः सम्बन्धाः आकांक्षाभास्याः, न तेषु पदानां वृत्तिः 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इति न्यायात्, अत एव सम्बन्धानां प्रकारतया शाब्दबोधे भानं न भवति, अन्यथा तदपरिहार्यं स्यादिति सिद्धान्तः। तथा च 'खमिव जलम्—' इत्यादौ खजलपदनिष्ठाभिधावृत्तिवेद्ययोः आकाशजलपदार्थयोः इवपदनिष्ठतद्वृत्तिवेद्येन सादृश्यपदार्थेन सह जायमानेऽन्वयबोधे प्रतियोगित्वानुयोगित्वयोः संसर्गविधयैव भानम् न तु तत्र कस्यापि पदस्य काऽपि (शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना वा) वृत्तिः। एवञ्च प्रागुक्तदीक्षितकृतोपमेयोपमालक्षणे 'अन्योन्यप्रतियोगित्वविशिष्टा उपमा एकवृत्तिवेद्या यदि भवेत्, तदा सोपमेयोपमा' इति कथनमसङ्गतमेव, प्रतियोगित्वस्य वृत्त्यवेद्यत्वे तद्घटितविशिष्टोपमायामपि 'विशेषणाभावे विशिष्टाभावः' इति रीत्या वृत्तिवेद्यत्वाभावेन प्रागुक्तलक्ष्ये उपमेयोपमात्वानापत्तेरिति भावः।

दीक्षितकृत उक्त लक्षण के एक अन्य अंश का भी खण्डन करते हैं—अन्योन्य इत्यादि। अन्य किसी तरीके से जो अर्थ ज्ञात न हो सके उसी को शब्द का अर्थ मानना चाहिए अर्थात् शब्दों की वृत्ति (शक्ति लक्षणा आदि) उसी अर्थ में मानी जाती है जो वृत्ति के माने बिना ज्ञात न हो सके। तदनुसार पदार्थों के सम्बन्धों (प्रतियोगित्व अनुयोगित्व आदि) में पदों की वृत्ति नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके बिना भी आकांक्षा के द्वारा उनका भान शाब्दबोध में हो जाता है, अतएव शाब्दबोध में सम्बन्धों का विशेषणरूप से भान नहीं होता है, यदि वे (सम्बन्ध) भी पदनिष्ठवृत्ति से उपस्थित होते रहते, तब अन्यवृत्तिवेद्य पदार्थों के समान विशेषण ही होते। ऐसी स्थिति में दीक्षितजी ने जो उक्त लक्षण में यह कहा है कि—'परस्परप्रतियोगिकत्वविशिष्ट उपमा यदि एक वृत्ति से ज्ञात हो तब वह उपमेयोपमा है' वह सर्वथा असङ्गत है क्योंकि इस कथन के हिसाब से 'खमिव जलम् जलमिव खम्–अर्थात् जल आकाश के समान और आकाश जल के समान' इस वाक्य में उपमेयोपमा नहीं हो सकेगी। कारण, यहाँ

आकाश और जल के सादृश्य के साथ होनेवाले अन्वय-बोध में जो प्रतियोगिता-अनुयोगिता भासित होती है, वह संबन्धरूप है, अतः उक्त सिद्धान्त के अनुसार उसमें किसी पद की वृत्ति नहीं है-अर्थात् वह आकांक्षा भास्य है और 'प्रतियोगित्व' जब वृत्तिवेद्य नहीं हुआ, तब तद्युक्त होकर उपमा भी वृत्तिवेद्य नहीं कही जायगी। तात्पर्य यह कि यद्यपि शुद्ध उपमा सादृश्य इव पद की वृत्ति से वेद्य है पर अन्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्ट उपमा तो वृत्तिवेद्य नहीं है, अतः यहाँ उक्त लक्षण का संघटन नहीं हो सकेगा। यहाँ नागेश का कथन है कि 'अन्योन्यप्रतियोगित्वविशिष्ट उपमा एकवृत्तिवेद्य हो' इस उक्ति का अभिप्राय एकवृत्ति से प्रतियोगिता और उपमा दोनों का अवगत होना नहीं है, अपितु यह है कि-इस विशिष्ट में के दोनों अंश यदि वृत्तिवेद्य हों तो उन्हें एकवृत्तिवेद्य होना चाहिए और यदि इन दोनों में से कोई अंश विना वृत्ति के ही अवगत होता हो तो ऐसा हो सकता है-इससे कोई हानि नहीं। अथवा एकवृत्तिजन्य बोध में भासित होना ही यहाँ एकमात्रवृत्ति से वेद्य होना विवक्षित है, अतः यहाँ जो दीक्षित का खण्डन किया गया है वह ठीक नहीं है।

अलङ्कारसर्वस्वकारमतमालोचयितुमुपक्रमते—

यदप्यलङ्कारसर्वस्वकृतोक्तम् 'द्वयोः पर्यायेण तस्मिन्नुपमेयोपमा। तच्छब्देनोपमानोपमेयत्वप्रत्यवमर्शः। पर्यायो यौगपद्याभावः। अत एवात्र वाक्यभेदः' इति तन्न। अत्र द्वयोरिति व्यर्थम्। एकस्योपमानोपमेयात्मकत्वे 'गगनं गगनाकारम्' इत्यादौ वाक्यभेदाभावेन पर्यायाभावादेवाप्रसक्तेः।

'द्वयोः पर्यायेण—' इति लक्षणम्। लक्षणघटकतच्छब्दबोध्यं स्फोरयति—तच्छब्देनेति। पर्यायपदार्थमाह-पर्यायो यौग इति। फलितमाह—अत एवेति। खण्डने हेतुमाह—अत्र इत्यादिना। अलङ्कारसर्वस्वकारकृतम् 'द्वयोः—' इत्युपमेयोपमालक्षणं न सम्यक् वाक्यभेदरूपपर्यवसितार्थके पर्यायपदे लक्षणप्रविशिते तद्बलादेव यत्र, एक एव पदार्थः उपमानभूत उपमेयभूतश्च भवति तादृशे 'गगनं गगनाकारम्' इत्याद्यनन्वयस्थले लक्षणातिव्याप्तिर्न भवितुमर्हेत्, वाक्यभेदराहित्येन पर्यायाभावात्, तथा च 'द्वयोः' इति विशेषणं व्यर्थम्, व्यावर्त्याभावात् व्यावर्त्यत्वेनाभिमतस्य विशेषणान्तरेणैव वारणादिति भावः।

अब 'अलङ्कारसर्वस्वकार' के मत की आलोचना की जाती है—यदपि इत्यादि। अलङ्कारसर्वस्वकार ने "-'द्वयोः—इत्यादि अर्थात् दोनों में पर्यायेण यदि वह बात हो, तब उपमेयोपमा होती है' यह उपमेयोपमा का लक्षण बनाकर स्वयं उसकी व्याख्या में लिखा है कि-इस लक्षण में 'तस्मिन्' का अर्थ है 'उपमानता और उपमेयता होने पर' और 'पर्याय' शब्द का अर्थ है 'एक साथ न होना-अर्थात् भिन्न-भिन्न वाक्य से उपमानता और उपमेयता का वर्णित होना', अतएव उपमेयोपमा में वाक्यभेद हुआ करता है।" सारांश यह कि-अलङ्कारसर्वस्वकार के हिसाब से 'यदि प्रथम वाक्य का उपमान दूसरे वाक्य में उपमेय और प्रथम वाक्य का उपमेय द्वितीय वाक्य में उपमान हो तब उपमेयोपमा होती है'। परन्तु यह लक्षण भी ठीक नहीं। कारण, इस लक्षण में 'द्वयोः' पद व्यर्थ है। आप कहेंगे—व्यर्थ नहीं है-'गगनं गगनाकारम् अर्थात् आकाश आकाश के से आकारवाला है' इत्यादि अनन्वयालङ्कार—जहाँ एक ही पदार्थ उपमान और उपमेय दोनों होता है—में अतिव्याप्तिवारण के लिये उसकी ('द्वयोः' पद की) सार्थकता है, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि इसका वारण तो 'पर्याय' पद से ही हो जाता है। तात्पर्य

यह कि अनन्वयस्थल में वाक्यभेद नहीं रहता है, अतः वहाँ नियमतः 'पर्याय' पदार्थ का अभाव रहेगा ही, ऐसी स्थिति में जिस दोष को 'द्वयोः' कहकर आप हटाना चाहते हैं, वह 'पर्यायेण' पद से ही हट जाता है, फिर 'द्वयोः' की आवश्यकता नहीं रह जाती।

आशयविशेषवर्णनेन 'द्वयोः' इत्यस्य सार्थक्ये साधितेऽपि दोषान्तरेण दुष्टमेवैतल्लक्षणमित्याख्यातुं प्रवर्तते—

यदि च स्फुटत्वार्थमुपमानोपमेयत्वयोग्यतासम्पादकलिङ्गवचनभेदराहित्यप्रतिपत्त्यर्थं कविसमयसिद्धिस्फोरणार्थं वा द्वयोरिति ग्रहणं स्यात्, अथापि प्रागुदीरिते 'अहं लतायाः सदृशीत्यखर्वम्' इति पद्ये प्रतिपाद्यायामुपमायामतिव्याप्तेः।

'तद्वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां द्वे।
प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचलितभ्रमरं च पद्मम्॥'

इति कालिदासपद्ये प्रतिपाद्यायामुपमानोपमेययोर्युगपदुपमेयोपमानभावायामुपमेयोपमायां वाक्यभेदाभावादव्याप्तेश्च।

स्फुटत्वार्थमिति। एतेन वर्णनीयाशयविशेषस्यापि लाभस्तद्विनैव सम्भवति, परन्तु तथालब्धोऽप्यसौ न स्फुट इति ध्वनितम्। तद्भेदेऽपि तद्योग्यतायाः सत्त्वादाह—कवीति। इष्टापत्त्या नातिव्याप्तिरत आह—तद्वल्गुनेति। प्रकरणसापेक्षोऽयं श्लोकः। अवसितायामपि निशायां निशाशय्यामत्यजन्तं रघोस्तनयमजं स्वयंवरयात्रामुहूर्तानुरोधेन जागरयतां बन्दिजनबालकानां समवयस्कानाम्, तम्प्रति प्रभातवेलावर्णनपरेयमुक्तिः—तत् तस्मात सम्प्रत्येव इन्दुमत्या आत्मानं वरयितुं त्वया स्वयम्वरसभायां गन्तव्यमस्ति। सूर्यः समाससादोदयाचलप्रान्तम्, अस्मात् कारणादित्यर्थः। (इदानीम्) युगपद् एकक्षणावच्छेदेन, वल्गुना रमणीयेन, उन्मिषितेन प्रकाशेन, अन्तः अभ्यन्तरे इत्यर्थः, प्रस्पन्दमाना स्थानान्तरस्पर्शरहिताऽपि क्रियाशीला चपला इति स्थूलार्थः, परुषेतरा कोमला, तारा कनीनिका यस्य, तादृशम्, तव राजकुमारस्य अजस्येत्यर्थः, चक्षुर्नयनम्, एकवचनं जातिविवक्षयेति बोध्यम्, प्रचलिताः सस्पन्दा इत्यर्थः भ्रमरा यस्मिन्, तादृशम्, पद्मम् कमलम्, च, इति द्वे, तावत् प्रथमं एतेनाग्रेऽन्येषां तवाङ्गानामस्यापि (चक्षुषः) वा अङ्गस्य वस्त्वन्तरेणापि परस्परतुलाप्रसङ्गः समागन्तेति ध्वन्यते। सद्यः तत्कालमिति यावत, परस्परतुलाम् अन्योन्यसाम्यम्, अधिरोहताम् प्राप्नुतामिति (स्वयं वाञ्छामः)। कालिदासपद्ये इति कालिदासरचितरघुवंशाख्यमहाकाव्यघटकपद्ये इत्यर्थः। भावायामिति। उपमेयोपमानात्मिकायामित्यर्थः। ननु पर्यायपदनिवेशवारितव्यावर्त्यस्यापि द्वयोरित्यस्य न वैयर्थ्यम्, यद्विनोपमानोपमेययोग्यता न भवति तादृशस्य लिङ्गवचनभेदराहित्यस्य ज्ञानार्थम् तस्य सार्थकत्वात, न च लिङ्गवचनभेदराहित्यं नोपमानोपमेयभावयोग्यतासम्पादकम् तद्विनाऽपि कविप्रसिद्ध्यनुरोधेन स्थलविशेषे उपमानोपमेयभावस्वीकारादिति वाच्यम्, सत्येवं कविप्रसिद्धिस्फोरणार्थमेव तत्सार्थक्यसम्पत्तेः, न च कविप्रसिद्धिविरुद्धमुपमानोपमेयत्वं चेन्न भवति, तर्हि 'तस्मिन्' इत्यनेन बोधितादुपमानोपमेयभावादेव कविप्रसिद्धेरपि लाभः सिद्ध एवेति न तत्स्फोरणार्थं तत्सार्थक्यमिति शङ्क्यम्, तथा लब्धस्यापि कविप्रसिद्धिरूपस्य

वस्तुनः स्फुटज्ञानार्थं तत्सार्थक्यसम्भवात्, तथा चालङ्कारसर्वस्वकारकृतं प्रागुक्तमुपमेयोपमालक्षणं न दुष्टमिति चेन्न, 'अहं लतायाः—' इति प्रागुक्तपद्यप्रतिपाद्योपमायामतिव्याप्तिदोषस्य सत्त्वात्, तत्रापि पर्यायेण कविसमयसिद्धोपमानोपमेयभावस्य वर्णनेन तदीयलक्षणप्रसक्तेः। न च तत्र लक्षणप्रसक्तिरिष्टैवेति नातिव्याप्तिरनतिव्याप्तत्वे च पुनः सम्यगेव तल्लक्षणमिति वक्तव्यम्, 'तद्वल्गुना—' इति कालिदासपद्ये वर्णितायाम् एककालावच्छेदेनैव उपमानोपमेययोरुपमेयोपमानरूपायामपि तृतीयसदृशव्यवच्छेदफलकतया वस्तुत उपमेयोपमायां वाक्यभेदाभावादव्याप्तेर्दुरुद्धारात् इति भावः।

किसी तरह 'द्वयोः' पद की सार्थकता सिद्ध कर देने पर भी 'सर्वस्वकार' का उक्त लक्षण ठीक नहीं माना जा सकता, इस तथ्य का उल्लेख अब किया जाता है—यदि च इत्यादि। यदि आप कहें कि 'द्वयोः' पद व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उस पद के द्वारा वारणीय अतिव्याप्त्यादि दोषों का वारण 'पर्याय' पद से हो जाने पर भी 'लिङ्गभेद वचनभेद आदि के न रहने पर ही किसी पदार्थ में उपमानोपमेयभाव की योग्यता आती है' इस बात के ज्ञान के लिये उस पद की सार्थकता है। इस पर यदि ग्रन्थकार की ओर से यह कहा जाय कि—लिङ्गभेदाभाव आदि उपमानोपमेयभाव की योग्यता का संपादक हो नहीं सकते, क्योंकि उनके न रहने पर भी कविप्रसिद्धि के अनुरोध से 'नवाङ्गनेवाङ्गणेपि गन्तुमेष प्रकम्पते'—इत्यादि स्थलों में उपमानोपमेयभाव माना गया है तो सर्वस्वकार की ओर से यह कहा जा सकता है कि—तब कविसमयप्रसिद्धि की स्फूर्ति के लिये ही 'द्वयोः' पद का सार्थक्य माना जा सकता है। इतने पर भी यदि ग्रन्थकार की ओर से यह तर्क उपस्थित किया जाय कि कविसम्प्रदायप्रसिद्धि की स्फूर्ति के लिये किसी अन्य पद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके विना जब उपमानोपमेयभाव कहीं हो ही नहीं सकता, तब 'उपमानोपमेयभाव होने पर' इस अर्थ के बोधक 'तस्मिन्' पद से ही उसकी भी स्फूर्ति हो जायगी, तो इसके उत्तर में सर्वस्वकार के समर्थक यह कहेंगे—कि-हाँ, स्फूर्ति तो उसकी उससे हो जायगी, पर स्पष्ट नहीं -धूमिलरूप में, अतः स्पष्टतया उसकी स्फूर्ति के लिये 'द्वयोः' पद की सार्थकता सिद्ध की जा सकती है। तात्पर्य यह हुआ कि जब किसी तरह 'द्वयोः' पद सार्थक हो गया और अन्य कोई दोष आपने अभी तक दिखलाया नहीं तब सर्वस्वकार का उक्त लक्षण समुचित क्यों नहीं माना जाय, तो इस पर ग्रन्थकार का कथन है कि-नहीं, उस लक्षण को समुचित नहीं माना जा सकता। कारण, पहला तो यह कि उक्त लक्षण की, पूर्वोक्त 'अहं लतायाः-पद्य से प्रतिपादित होनेवाली उपमा में अतिव्याप्ति होगी, और दूसरा यह कि—'तद्वल्गुना—' इस रघुवंश में कालिदास द्वारा रचित-पद्य में प्रतिपादित उपमेयोपमा में, जिसमें एक साथ उपमान की उपमेयता और उपमेय की उपमानता अवगत होती है, अव्याप्ति होगी, क्योंकि इस उपमेयोपमा में वाक्य-भेद नहीं है—अर्थात् उपमान की उपमेयता और उपमेय की उपमानता भिन्न-भिन्न दो वाक्यों से वर्णित नहीं हुई है। और आपके लक्षण के अनुसार वैसा अवश्य होना चाहिए। 'तद्वल्गुना—' इस पद्य का अर्थ यों है—महाराज रघु के राजकुमार अज की इन्दुमती-स्वयंवर यात्रा का प्रसङ्ग है। राजकुमार रात में सुकोमल शय्या पर सोये हुए हैं। उनको जगाने के लिए बन्दीजनों के बालक (जो उनके समवयस्क हैं) प्रभात-वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं—हे राजकुमार ! सूर्य अब उदयाचल के शिखर को चूम रहा है, अतः हम चाहते हैं कि इस समय साथ ही साथ सुन्दरतम विकास के कारण ये दोनों पदार्थ परस्पर की तुलना को

प्राप्त करें—एक दूसरे के सदृश बनें। कौन? एक तो वह आपका नेत्र जिसके अन्दर कोमल पुतली चपल हो उठी है और दूसरा वह कमल जिसके भीतर भ्रमर विचलित हो उठा है—बाहर निकलने के लिए सचेष्ट हो रहा है।

पुरोदीरिताव्याप्तौ कथञ्चित्समाहितायामपि दोषान्तरं सम्भवतीत्याह—

न चात्रापाततः शब्दैक्येऽपि पर्यवसितो वाक्यभेदोऽस्तीति वाच्यम्। तथापि—

'सविता विधवति विधुरपि सवितरति दिनन्ति यामिन्यः।
यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि॥'

इति कस्यचित्कवेः पद्ये परस्परोपमायामतिव्याप्तेः। न चेयमुपमेयोपमेति शक्यते वक्तुम्, सुखसमये दुःखदोऽपि सुखयति दुःखसमये च सुखदोऽपि दुःखयति इत्येतावन्मात्रस्यार्थस्य विवक्षितत्वात्तृतीयसदृशव्यवच्छेदाप्रतिपत्तेः।

आपाततः संक्षेपत इति यावत्। पर्यवसितः आर्थ इति यावत्। तथापीति तथात्वेन तत्र दोषाभावेऽपीत्यर्थः। सवितेति। सुखदुःखाभ्यां, वशीकृते कवलीकृते, सुखदुःखावस्थयोः वर्तमाने इति यावत्, मनसि हृदये, सतीति भावः, सविता सूर्यः, विधवति विधुश्चन्द्रः स इवाचरतीति भावः, विधुः, अपि, सवितरति सूर्य इवाचरति, यामिन्यः रजन्यः, दिनन्ति दिनानीवाचरन्ति, दिनानि च, यामिनयन्ति यामिन्य इवाचरन्ति। सुखमये मनसि खरकर-निकरतापकोऽपि सूर्यश्चन्द्र इव शीतलः प्रतीयते, तमोमय्यः कार्यान्तरानासक्तप्राणिप्रसुप्ता-खिलक्लेशविवर्धिका अपि यामिन्यः दिवसा इव प्रकाशमया उत्साहवर्धका अनुभूयन्ते, दुःखमये च मानसे शीतलतमकिरणोऽपि चन्द्रः सूर्य इव तापकः प्रतीयते, प्रकाशमया अपि दिवसाः रजन्य इव तमोमया अनुभूयन्ते इति भावः। न चेति। न हीत्यर्थः। तथावक्तुम-शक्यत्वे हेतुमाह—सुखसमये इति। मात्रपदव्यवच्छेद्यं स्फुटत्वायाह—तृतीयेति। 'अभि-रामतासदन—' इत्यत्र शब्दतः वाक्यैक्येऽपि अर्थतो जायमानं वाक्यभेदमादायोपमेयो-पमायाः भेदान्तरं साधितं ग्रन्थकृता, तथा च 'तद्वल्गुना—' इति कालिदासपद्येऽपि आर्थो वाक्यभेदः अर्थात् 'द्वे परस्परतुलामधिरोहताम्' इत्युक्त्या 'चक्षुः पद्मस्य तुलामधिरोहतु', 'पद्मं च चक्षुषो तुलामधिरोहतु' इत्याकारकं वाक्यद्वयम्-अकामेनाप्यङ्गीकर्तव्यमेव तेन, एवञ्चाव्याप्तेरभावे लक्षणं निर्दुष्टमिति चेन्नैवम्, 'सविता विधवति—' इत्यज्ञातनामककविर-चितपद्यवर्णितपरस्परोपमायामतिव्याप्तिप्रसङ्गस्यानुवृत्तेः। नात्र परस्परोपमा, किंतु उपमेयो-पमैवेतीष्टापत्तिस्तु न शक्या कर्तुम्, सुखावस्थायां दुःखदायकान्यपि वस्तूनि सुखाकुर्वन्ति दुःखावस्थायां च सुखकराण्यपि वस्तूनि दुःखमुत्पादयन्तीत्येतावतोऽर्थस्य कविविवक्षाविषय-तया उपमेयोपमाजीवातुभूतस्य तृतीयसदृशव्यवच्छेदस्याप्रतीतेरिति भावः।

किसी तरह उक्त अव्याप्ति का समाधान यदि कर दिया जाय, तथापि दूसरे दोष बने ही रहेंगे इस बात का उल्लेख अब किया जाता है-न चापाततः इत्यादि। 'अभि-रामतासदन-' इस श्लोक में जैसे आर्थ वाक्यभेद मानकर उपमेयोपमा सिद्ध की गई है उसी तरह उक्त कालिदासीय पद्य में भी आर्थ वाक्यभेद मानकर वह सिद्ध की जा सकती है-अर्थात् यहाँ भी यह कहा जा सकता है कि-'परस्परतुलामधिरोहतां द्वे' इस

आपाततः एक प्रतीत होनेवाले वाक्य से 'चक्षु पद्म की तुला को प्राप्त करे' और 'पद्म चक्षु की तुला को प्राप्त करे' ये दो वाक्य पर्यवसित होते हैं–अतः अव्याप्ति नहीं होगी ऐसा कहकर उक्त अव्याप्तिदोष का समाधान यदि कर भी दिया जाय, तथापि 'सविता विधवति–अर्थात् जब मन सुख की अवस्था में रहता है, तब सूर्य चन्द्र की तरह शीतल हो जाता है और रातें भी दिन की तरह प्रकाशमय प्रतीत होने लगती हैं, और जब मन दुःख की अवस्था में रहता है, तब चन्द्र भी सूर्य की तरह प्रचण्ड तापक प्रतीत होता है और दिन भी रात की तरह अन्धकारमय ज्ञात होते हैं।' इस किसी कवि के पद्य में जो परस्पर की—सूर्य आदि की चन्द्र आदि के साथ और चन्द्र आदि की सूर्य आदि के साथ—उपमा वर्णित हुई है, उसमें अतिव्याप्ति हो ही जायगी। और आप यह तो कह नहीं सकते कि यहाँ परस्परोपमा नहीं उपमेयोपमा ही है, क्योंकि यहाँ 'सुख के समय दुखदायी भी सुखदायी और दुःख के समय सुखदायी भी दुखदायी प्रतीत होते हैं' केवल इतना सा अर्थ कहना वक्ता का अभीष्ट है अतः इस कथन से तृतीय सदृश पदार्थ की निवृत्ति, जो उपमेयोपमा का प्राण है–प्रतीत नहीं होती। यहाँ एक बात पर पाठकों का ध्यान में दिलाना चाहता हूँ—हिन्दीरसगङ्गाधरकार पं० श्री चतुर्वेदीजी ने 'सविता विधवति –' पद्य के अर्थ में लिखा है कि–'जब मन सुख के वश में होता है तब दिन ,रात्रि की तरह शान्तिप्रद हो जाते हैं और जब मन दुःख के वश में रहता है तब रात्रियाँ दिन की तरह अशान्त और व्यग्रतामय हो जाती हैं।' परन्तु मुझे यह व्याख्या समुचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि एक तो इस तरह की व्याख्या करने पर क्रमभङ्ग होता है अर्थात् 'सुखदुःखवशीकृते मनसि' यहाँ जो पहले सुख और पीछे दुःख की चर्चारूप क्रम है, तदनुसार सुखवशीकृत मन के लिये पहले 'सविता विधवति' फिर दुःखवशीकृत मन के लिये 'विधुरपि सवितरति' ये दोनों उपमायें कहकर पुनः उसी तरह सुखवशीकृत मन के लिये 'दिनन्ति यामिन्यः' और दुःखवशीकृत मन के लिये 'यामिनयन्ति दिनानि च' ये दोनों उपमायें दी गई हैं–इस तरह उक्तक्रम की रक्षा होती है, पर चतुर्वेदीजी की व्याख्या में यह क्रम नष्ट हो जाता है। दूसरे, दिन में मन चन्द कार्यों की ओर लगा रहता है, अतएव दुःख का उतना अनुभव नहीं होता, पर रात में मन सर्वथा एकाग्र होता है, अतः दुःख का अनुभव अधिक होता है, इसीलिये तो दुःखियों की यह उक्ति प्रसिद्ध है कि 'दिन तो किसी तरह कट जाते पर रातें काटने पर भी नहीं कटतीं।' कहने का तात्पर्य यह कि रातें दुःखवृद्धि के लिये प्रसिद्ध हैं, अतः दुखी के लिए 'दिन भी रात्रि के समान दुस्सह हो जाते हैं' यह कथन ही उपयुक्त होगा। इसी तरह सुखी के लिये यह कथन समुचित होगा कि 'रात्रियाँ भी दिन की तरह उल्लासमय हो जाती हैं।' कविसम्प्रदाय भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि 'दिनं त्वयि मे सम्प्राप्ते ध्वान्तच्छन्नापि यामिनी' ऐसी उक्ति काव्यजगत् में उपलब्ध होती है।

सर्वस्वकारकृतलक्षणस्यापरत्रापि अतिव्याप्तिमुद्भावयति—

एवम्—

'रजोभिः स्यन्दनोद्धूतैर्गजैश्च घनसन्निभैः।
भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन् व्योमेव भूतलम् ॥'

इत्यत्र परस्परोपमायामतिव्याप्तिः।

रजोभिरिति। रघुदिग्विजययात्राप्रसङ्गे रघुवंशस्य पद्यमिदम्—स्यन्दनेन रथेन, उद्धूतैः ऊर्ध्वं नीतैः, रजोभिः धूलिभिः, व्योम आकाशम्, भुवस्तलं धरातलम्, इव,

तथा घनसन्निभैः मेघसदृशैः, गजैः हस्तिभिः, च, भूतलम्, व्योम इव, कुर्वन्, रघुः दिग्विजयायागच्छत् इत्यर्थः। अत्र विभिन्नधर्मिका परस्परोपमा। 'द्वयोः पर्यायेण तस्मिन्नुपमेयोपमा' इति सर्वस्वकारलक्षणमत्रातिव्याप्तमिति भावः।

सर्वस्वकारकृत उपमेयोपमालक्षण की अन्यत्र भी अतिव्याप्ति दिखलाई जाती है— एवम् इत्यादि। सर्वस्वकारकृत उपमेयोपमा का लक्षण जिस तरह 'सविता विधवति—' में अतिव्याप्त होता है, उसी तरह 'रजोभिः—अर्थात् रथ से उड़ी हुई धूलि से आकाश को भूतल के समान और मेघतुल्य हाथियों से भूतल को आकाश के समान बनाते हुये (राजा रघु दिग्विजय के लिये गये)' इस परस्परोपमा में भी अतिव्याप्त है।

विशेषमाह—

सदृशान्तरव्यवच्छेदफलकत्वेन विशिष्यमाणे तु तस्मिन्नस्मदुक्त एव पर्यवसानम्।

'तस्मिन्' इति तत्पदप्रत्यवमृश्यमाने उपमानोपमेयत्वे तृतीयसदृशनिवृत्तिफलकत्वमपि विशेषणं यदि दीयेत तदा सर्वेषां प्रागुक्तानां दोषाणां परिहारो यद्यपि भवेत्, किंतु तदा मदुक्तलक्षणमेव पर्यवसितं इति फलतस्तल्लक्षणमसमीचीनमेवेति भावः।

यदि लक्षण में 'तृतीय सदृश पदार्थ की निवृत्ति जिससे फलित हो' ऐसे उपमानोपमेयभाव का निवेश करें, तब बात वही आ गई जो हमने कही है। अतः आप का (सर्वस्वकार का) लक्षण अपूर्ण ही है।

मूलालङ्कारसर्वस्वस्य खण्डनं विधाय सम्प्रति तद्विवरणरूपाया विमर्शिन्या अपि खण्डनं विधातुमाह—

यच्च विमर्शिनीकारेणोक्तम् "स च वाक्यभेदः शाब्द आर्थश्च। तत्र शाब्दो यथा—'रजोभिः स्यन्दनोद्धूतैः' इत्यादिः। अस्याश्चोपमानान्तरतिरस्कार एव फलम्। अत एवोपमेयेनोपमेत्यन्वर्थाभिधत्वम्" इति, तत्तुच्छम्। न हि 'रजोभिः स्यन्दनोद्धूतैः' इत्यत्रोपमानान्तरतिरस्कारः प्रतीयते। द्वयोरुपमयोरेकधर्मकत्वाभावात्, आद्याया उपमाया अनुगामिधर्मप्रयोज्यत्वात्, द्वितीयायाश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मप्रयोज्यत्वात्।

विमर्शिनीकारेणेति। अलङ्कारसर्वस्वव्याख्याकारेणेत्यर्थः। स चेति। मूलीयत्वेन प्रागुक्त इत्यर्थः। अस्या इति। उपमेयोपमाया इत्यर्थः। उपमानान्तरतिरस्कार इति। तृतीयसदृशनिवृत्तिरित्यर्थः। खण्डयति—तत्तुच्छम् इति। तत्र हेतुमाह—नेति। हि यतः। अनुगामीति। रजोरूपेत्यर्थः। बिम्बेति। घनगजेत्यर्थः। विमर्शिनीकृता मूलोक्तस्य वाक्यभेदस्य शाब्दत्वार्थत्वाभ्यां द्वैविध्यमुक्त्वा 'रजोभिः—' इति पद्यस्य प्रथमप्रभेदोदाहरणत्वमुक्तम्, तदुपपादने च तदुदाहरणघटकोपमेयोपमायास्तृतीयसदृशनिवृत्तिफलकत्वमुपवर्ण्य 'उपमेयेन उपमा—उपमेयोपमा' इत्यन्वर्थसंज्ञा साधिता, तदखिलं कलुषितमेव, 'रजोभिः—' इत्यत्र वर्णितयोरुपमयोः प्रथमस्या अनुगामिधर्ममूलकतया द्वितीयस्याश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्ममूलकतया तृतीयसदृशनिवृत्तेरप्रतिपत्तेः, समानधर्ममूलकोपमाद्वयवर्णनस्थल एव तत्प्रतिपत्तेः पूर्वं सयुक्तिकमुपपादितत्वादिति भावः।

मूल 'अलङ्कारसर्वस्व' का खण्डन करके अब उसकी व्याख्या-'विमर्शिनी'-का भी खण्डन करते हैं—यच्च इत्यादि। अलङ्कारसर्वस्व पर विमर्शिनी नामक व्याख्या लिखने वाले ने अपनी व्याख्या में लिखा है कि-"वह वाक्यभेद दो प्रकार का होता है-एक शाब्द और दूसरा आर्थ। उनमें से शाब्द वाक्यभेद का उदाहरण 'रजोभिः—' इत्यादि पद्य है। यहाँ की उपमेयोपमा का फल होता है तृतीय सदृश का तिरस्कार (निवृत्ति)। अतएव उपमेयेनोपमा (उपमेय के साथ—अर्थात् उपमेय को उपमान मानकर जो उपमा हो उसे उपमेयेनोपमा कहा जाता है। इस तरह) इस नाम की सार्थकता होती है।" पर यह व्याख्या भी असङ्गत ही है। क्योंकि—उनके दिए उदाहरण—'रजोभिः—' इस पद्य में अन्य उपमान की निवृत्ति फलित नहीं होती। कारण, यहाँ दोनों उपमाओं में एक धर्म नहीं है, प्रथम उपमा का साधक है धूलिरूप अनुगामी धर्म और द्वितीय उपमा का साधक है मेघ तथा गजरूप बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म। और तृतीय उपमान की निवृत्ति तब प्रतीत होती है, जब दोनों उपमाओं को सिद्ध करने वाला साधारणधर्म एक हो. यह बात पहले युक्तिपूर्वक सिद्ध की जा चुकी है। अतः विमर्शिनीकार का कथन अपने उदाहरण में ही सङ्घटित नहीं होता।

रत्नाकरोक्तं निरसितुमाह—

यदपि 'परस्परमुपमानोपमेयत्वमुपमेयोपमा' इति लक्षणं विधाय 'सविता विधवति—' इत्यादि प्रागुक्तपद्यं रत्नाकरेणोदाहारि, तच्च तदीयेनैव 'स चोपमानान्तरनिषेधार्थः' इति ग्रन्थेन विरुद्धम्। न ह्यस्मिन्पद्ये उपमानान्तरनिषेधः प्रतीयत इति प्रागेवावेदनात्। प्रतीयत एवेति चेत्, पुनरपि पृच्छ हृदयमेव स्वकीयम्।

स चेति। मिथ उपमानोपमेयभावश्चेत्यर्थः। हिः पूर्वहेतुपरामर्शकः। प्रतीयत एवेति। उपमानान्तरनिषेधरूपं कर्मपदमत्राध्याहार्यम्। हृदयमेव स्वकीयमिति पुनः पृष्टं निजहृदयमेव परमार्थं सूचयिष्यतीति भावः। अन्यत् सुगमम्।

अब अलङ्काररत्नाकर का खण्डन करते हैं—यदपि इत्यादि। 'अलङ्काररत्नाकर' के निर्माता ने 'परस्पर उपमान-उपमेय होने को उपमेयोपमा कहते हैं' यह लक्षण बनाकर 'सविता विधवति ' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य उदाहरणरूप में उपस्थित किया है। किन्तु यह उदाहरण 'वह (अर्थात् परस्पर उपमान-उपमेय होना) अन्य उपमान के निषेध के लिये है' इस अपने ही कथन के विरुद्ध है। कारण, इस पद्य में अन्य उपमान के निषेध की प्रतीति नहीं होती-यह बात पहले ही समझाई जा चुकी है। इतने पर भी यदि दुराग्रह दिखलाते हुए आप कहें कि—उपमानान्तर का निषेध वहाँ प्रतीत होता ही है, तो मैं आप से और कुछ नहीं कहकर केवल इतना ही कहूँगा कि—आप अपने ही हृदय से पुनः पूछिये। वही (आपका अपना हृदय ही) सही-सही उत्तर दे देगा। तात्पर्य यह कि पुनः तटस्थभाव से विचार करने पर आपका भी हृदय इस बात को स्वीकार करेगा कि 'सविता विधवति —'में वस्तुतः अन्य उपमान का निषेध प्रतीत नहीं होता।

परमतखण्डनप्रसङ्गमुपसंहर्तुमाह—

इत्यलं विवादेन।

पूर्वोक्तः शास्त्रार्थो व्यर्थः वस्तुतत्त्वस्य विज्ञैः स्वयमाकलनात् इति भावः।

अच्छा तो छोड़िये इस विवाद को।

'उपमेयोपमा' अलङ्कारपदवाच्या कदा भवतीति स्पष्टयति—

इयं चोपमेयोपमा यदि कस्याप्यर्थस्योत्कर्षाधायिका तदालङ्कारः। अन्यथा तु स्ववैचित्र्यमात्रपर्यवसितेति।

इतीति। अस्य बोध्यमिति शेषः। कस्यापि—वाच्यस्य व्यङ्ग्यस्य वा अर्थस्य उपस्कारिका चेदियमुपमेयोपमा, तदा अलङ्कारभावं भजते। अन्यार्थोपस्करणशून्या तु उपमेयोपमासंज्ञां भजमानाऽपि अलङ्कारभावं न भजत इति भावः।

'उपमेयोपमा' अलङ्कार कब कहलाती है इस बात का स्पष्टीकरण अब किया जाता है—इयं च इत्यादि। यह उपमेयोपमा जब किसी—वाच्य अथवा व्यङ्ग्य—अर्थ को उत्कृष्ट बनाती है—उसे उपस्कृत करती है—अर्थात् शोभासम्पन्न बनाती है तब अलङ्कार कहलाती है, अन्यथा इसकी समाप्ति अपनी विचित्रता में ही हो जाती है। तात्पर्य यह कि ऐसी दशा में वह केवल उपमेयोपमा कही जा सकती है, उपमेयोपमा अलङ्कार नहीं।

अलङ्कारान्तरेष्वपि युक्तेरस्यास्तुल्यत्वमाह—

एवमलङ्कारान्तरेऽपि ज्ञेयम्।

अन्यार्थोपस्करणदशायामेवान्यान्यपि रूपकादीनि अलङ्कारपदवाच्यानि अन्यथा स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्तान्येवेति भावः।

यही बात अन्य अलङ्कारों में भी समझी जा सकती है—अर्थात् वे भी जब किसी अन्य अर्थ को उपस्कृत करें तभी उन्हें अलङ्कार कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं।

व्यङ्ग्योपमेयोपमामुदाहर्तुमाह—

अथ ध्वन्यमानेयमुदाह्रियते—

अथ अनन्तरम्। ध्वन्यमाना व्यङ्ग्येति भावः। इयं उपमेयोपमा।

अब व्यङ्ग्य उपमेयोपमा का उदाहरण दिया जाता है।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'गाम्भीर्येणातिमात्रेण महिम्ना परमेण च।
राघवस्य द्वितीयोऽब्धिरम्बुधेश्चापि राघवः॥'

कविः कथयति—अतिमात्रेण अतिशयितेन, गाम्भीर्येण गम्भीरत्वेन, परमेण उत्कृष्टेन, महिम्ना महत्त्वेन, च, राघवस्य रामचन्द्रस्य, अब्धिः समुद्रो, द्वितीयः अम्बुधेः समुद्रस्य, च, राघवो द्वितीयः अनयोस्तृतीयस्तुल्यो नास्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—गाम्भीर्येण इत्यादि। कवि का कथन है कि—अत्यधिक गम्भीरता और परम महत्त्व इन दोनों के कारण, रामचन्द्र के लिये समुद्र और समुद्र के लिये रामचन्द्र दूसरा है।

उपपादयति—

द्वितीयशब्दस्य सादृश्यविशिष्टे शक्त्यभावाद् व्यक्तिरेव।

'गाम्भीर्येण—' इति पद्ये द्वितीयपदं सादृश्यविशिष्टं बोधयति, परं तु न शक्त्या, तदर्थनिरूपितशक्तेस्तत्राभावात्, अपि तु व्यञ्जनया, अतो व्यङ्ग्योपमेयोपमोदाहरणं पद्यमिदं भवतीति भावः।

उपपादन करते हैं—द्वितीय इत्यादि । 'गाम्भीर्येण—' इस पद्य में द्वितीय पद सादृश्यविशिष्ट अर्थ का बोधक होता है इसमें कोई सन्देह नहीं, पर सादृश्यविशिष्ट अर्थ की वाचकता (अभिधा) शक्ति द्वितीय पद में है नहीं अतः व्यञ्जना माननी पड़ती है । अतः यह पद्य व्यङ्ग्य उपमेयोपमा का उदाहरण होता है ।

उक्तोदाहरणेऽरुचिमुद्भाव्योदाहरणान्तरं प्रदर्शयितुमाह—

यदि तु लक्षणा तदेदमुदाहरणम् ।

'गाम्भीर्येण—' इति पद्ये द्वितीयपदस्य बाधितमुख्यार्थकस्य, सादृश्ये लक्षणायां लक्ष्यैवोपमेयोपमा न व्यङ्ग्या इति चेत् , तदा निम्नलिखितमुदाहरणं बोध्यमिति भावः ।

उक्त पद्य में द्वितीय पद का मुख्य (अपने से अन्य) अर्थ बाधित है, अतः उसकी सदृश अर्थ में लक्षणा होगी, फिर तो यहाँ की उपमेयोपमा लक्ष्य कही जायगी व्यङ्ग्य नहीं, यदि ऐसी बात आप कहें, तब निम्नलिखित उदाहरण व्यङ्ग्य उपमेयोपमा का समझना चाहिए ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'सुधासमुद्रं तव रम्यवाणी वाचं क्षमाचन्द्र सुधासमुद्रः ।
माधुर्यमध्यापयितुं दधाते खर्वेतरामान्तरगर्वमुद्राम् ॥'

कविः कमपि नृपं स्तौति—हे क्षमाचन्द्र धरासुधाकर ! तव भवतः, रम्यवाणी रमणीया वाक् , सुधासमुद्रम् पीयूषसमुद्रम् , तथा सुधासमुद्रः, तव, वाचम् , माधुर्यं माधुरीम् , अध्यापयितुं पाठयितुम् , खर्वेतराम् अखर्वाम् महतीमिति यावत् , आन्तरगर्वमुद्राम् मानसिकगर्वसूचकाकारव्यक्तिम् , दधाते धत्तः इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है - सुधा इत्यादि । कवि किसी राजा से कहता है—हे पृथ्वी के चन्द्र ! तेरी रमणीय वाणी अमृतसमुद्र को और अमृत का समुद्र तेरी वाणी को माधुर्य का पाठ पढ़ाने के लिये, आन्तरिक गर्व को प्रकट करनेवाली बहुत बड़ी बाह्य मुद्रा को धारण करते हैं ।

उपपादयति—

अत्र वागादिकर्तृकस्य परस्पराध्यापनस्य बाधान्माधुर्यसंक्रान्तिविशेषस्य लक्षणया बुध्यमानस्य प्रयोजनं स्वप्रयोज्यान्योन्योपमानोपमेयभावः ।

बाधादिति । अचेतने वागादौ स्वातन्त्र्यघटितकर्तृत्वस्यासम्भवादित्यर्थः । लक्षणयेति । 'अध्यापयितुम्' इत्येतत्पदनिष्ठयेति भावः । एवं मुख्यार्थबाधतद्योगरूपं कारणद्वयमुक्त्वा तृतीयं कारणं प्रयोजनमाह—प्रयोजनमिति । स्वमिति । लक्षणेत्यर्थः । अयं भावः— 'सुधासमुद्रं—' इति पद्ये 'अध्यापयितुम्' इति पदस्य मुख्योऽर्थः अध्यापनक्रियाकर्तृत्वरूपः, अचेतने वागादौ बाधितः, अतस्तस्य पदस्य सङ्क्रमणरूपार्थे लक्षणा, सा च लक्षणा प्रयोजनमूला, रूढेरभावात् , प्रयोजनञ्च वाक्सुधासमुद्रयोर्मिथ उपमानोपमेयभावावगमः, स च व्यञ्जनयेति सिद्धमुपमेयोपमाया व्यङ्ग्यत्वमिहेति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'सुधासमुद्रम्'—इस पद्य में वाणी आदि के द्वारा जो एक दूसरे को पाठ पढ़ानेवाली बात वर्णित हुई है, वह बाधित है, अतः लक्षणा द्वारा उसका अर्थ यहाँ यह किया जायगा कि—वे एक दूसरे में अपनी मधुरता

पहुँचाते हैं। इस लक्षणा का प्रयोजन होगा उस लक्षणा से ही सिद्ध होनेवाला परस्पर का उपमान-उपमेय होना'। उसी का नाम 'उपमेयोपमा' है, अतः यहाँ वह व्यङ्ग्य है।

दोषनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ दोषाः—

दोषा इति। अस्या इत्यादिः। उच्यन्ते इति शेषः। तथा चोपमेयोपमायाः स्वरूपोदाहरणादिनिरूपणानन्तरमिदानीं दोषाः कथ्यन्त इति भावः।

अब उपमेयोपमा के दोष कहे जाते हैं।

दोषानाह—

तत्र तावत्प्रागुक्ता यावन्त उपमाया दोषाः अनुक्ताश्च विस्तृतिभयात्, ते सर्वेऽप्युमात्वाक्रान्तत्वादस्यामपि बोध्याः। अयं पुनरन्योऽपि दोषः—यदेकोपमावैलक्षण्यमपरस्यामुपमायाम्। यथा—'कमलमिव वदनमस्या वदनेन समं तथा कमलम्' अत्र श्रौत्यार्थीकृतं वैलक्षण्यम्। 'कमलति वदनं यस्याः कमलं वदनायते जगति' क्विप्क्यङ्कृतमत्र वैलक्षण्यम्। एवमत्रैव 'पद्मं वदनायते' इति निर्माणे 'वक्त्रायते' इति वा उपमानोपमेयवाचकवैलक्षण्यम्। एवंप्रकारैरनेकैर्वैलक्षण्यं यदि सहृदयोद्वेजकं तदा दोषः।

तत्रेति। वक्तव्यानां तेषां मध्य इत्यर्थः। न तत्परिगणनमित्याह—अनुक्ताश्चेति। ननूपमादोषा अत्र कथमत आह—उपमात्वेति। अत एवास्या एव भेद इति प्रतिज्ञावाक्ये उक्तम्। तद्वृत्त्यन्यदोषमाह—अयं पुनरिति। इति वेति। कमलमित्यादिः। निर्माणे इत्यस्यानुषङ्गः। उपसंहरति—एवमिति। यदीत्यनेन तदभावेऽदुष्टत्वमेवेति सूचितम्। अयमुपमेयोपमालङ्कार उपमात्वाक्रान्तः, अतः उपमाया ये दोषा उक्ता अनुक्ता अपि ये सम्भविनः तेऽखिला उपमेयोपमाया अपि दोषा अवगन्तव्याः। अत्रोपमेयोपमायां द्वयोरुपमयोः स्थितिः निश्चिता, ते च द्वे उपमे तुला धृत इव यदा सर्वथाऽविलक्षणे तिष्ठतस्तदैव चमत्कारो भिन्नालङ्कारव्यपदेशयोग्यता चेति स्थितौ एकोपमातः अपरोपमायां वैलक्षण्यं पुनः स्वतन्त्र उपमेयोपमादोषः। तच्च वैलक्षण्यं विविधैः कारणैः सम्भवति, तत्र कतिपयकारणसम्भूतं वैलक्षण्यमुदाहरणप्रदर्शनद्वारा स्फोरयति यथेत्यादिना। 'कमलम् इव—' इति प्रथमोदाहरणे इवपदघटिता एकोपमा श्रौती, समपदघटिताऽपरोपमा पुनरार्थी। 'कमलति—' इति द्वितीयोदाहरणे प्रथमोपमा क्विप्प्रत्ययगता, द्वितीया पुनः क्यङ्प्रत्ययगता। अस्मिन् द्वितीयोदाहरणे एव 'कमलम्' इत्यस्य स्थाने 'पद्मम्' इति 'वदनायते' इत्यस्य स्थाने 'वक्त्रायते' इति वा पाठे उपमानोपमेयवाचकभेद इति सर्वत्र वैलक्षण्यं दोषरूपं सम्पद्यते। अन्यकारणमूलकमपि वैलक्षण्यं सम्भवति, तच्च स्वयमूहनीयं सहैवैतन्न विस्मरणीयं यत् सहृदयजनोद्वेगकरत्व एवैते दोषा अन्यथा नेति भावः।

दोषस्वरूप का परिचय कराया जाता है—तत्र इत्यादि। यह उपमेयोपमा अलङ्कार उपमा अलङ्कार से मिश्रित ही हुआ करता है, अतएव इसको उपमा का ही प्रभेद ग्रन्थकार ने माना है। ऐसी स्थिति में वे सभी दोष इसके भी दोष कहे जायेंगे जो उपमा के दोष कहे गये हैं तथा विस्तार के भय से न कहे जाने पर भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त

उपमेयोपमा का एक स्वतन्त्र दोष भी होता है, वह यह कि एक उपमा से दूसरी उपमा में किसी तरह की विलक्षणता का होना, तात्पर्य यह कि—उपमेयोपमा में दो उपमायें रहती हैं उन दोनों में विलक्षणता नहीं रहनी चाहिए अर्थात् उन दोनों उपमाओं को एक ही तरह की होनी चाहिए, तभी चमत्कार आता है-पृथक् अलङ्कार माना जा सकता है, अतः यदि उन दोनों उपमाओं में किसी तरह की विलक्षणता आ जायगी, तब वह दोष समझा जायगा, जैसे—'कमलमिव—अर्थात् इस स्त्री का मुख कमल-सा है और कमल इसके मुख के तुल्य है।' यहाँ 'इव (सा)' शब्द से बोधित होने के कारण प्रथम उपमा श्रौती है और 'सम (तुल्य)' शब्द से बोधित होने के कारण द्वितीय है आर्थी। यह इन दोनों उपमाओं में विलक्षणता है। 'कमलति—अर्थात् उस नायिका का वदन कमल-सा आचरण करता है और कमल मुख-सा।' यहाँ एक उपमा 'क्विप्' प्रत्यय के द्वारा अवगत होती है और दूसरी 'क्यङ्' प्रत्यय के द्वारा। यह विलक्षणता है। इसी तरह यदि इस पद्य में एक तरफ 'पद्मं वंदनायते' अथवा 'कमलं वक्त्रायते' बना दिया जाय, तब उपमान-वाचक और उपमेय-वाचक शब्दों की विलक्षणता हो जायगी। इस तरह अनेक तरह से होनेवाली विलक्षणता, यदि सहृदयहृदयों में उद्वेग-एक प्रकार का वैमुख्य-को उत्पन्न करनेवाली हो, तब उसे दोष समझना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि सहृदयजनोद्वेजक न होने पर कोई दोष नहीं होता।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे उपमेयोपमाप्रकरणम्।

रसगङ्गाधरग्रन्थघटकोपमेयोपमाप्रकरणं समाप्तमिति भावः।

रसगङ्गाधर में उपमेयोपमा का प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामुपमेयोपमाप्रकरणम् ॥

अनन्वयालङ्कारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथानन्वयः—

अनन्वय इति। अनन्वयालङ्कारनिरूपणमित्यर्थः। अथेत्यस्यारभ्यते इत्यर्थः।

अब अनन्वयालङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

लक्षणं लिख्यते—

द्वितीयसदृशव्यवच्छेदफलकवर्णनविषयीभूतं यदेकोपमानोपमेयकं सादृश्यं तदनन्वयः।

विशिष्टं सादृश्यम् अनन्वयः, वैशिष्ट्यं च द्विधा, तत्रैकं समानपदार्थप्रतियोग्यनुयोगिकत्वरूपम् , द्वितीयञ्च यस्य वर्णनेन द्वितीयसदृशपदार्थनिवृत्तिः फलिता भवति, तादृशत्वमिति भावः।

लक्षण दिखलाया जाता है—द्वितीय इत्यादि। उस सादृश्य का नाम 'अनन्वय' है जिसके वर्णन से दूसरे सदृश का निवारण फलित होता है और जिसका उपमान तथा उपमेय एक ही पदार्थ होता है।

लक्षणेऽनुक्तमपि अलङ्कारेतिसंज्ञासामर्थ्यावगम्यमानं अर्थं स्फुटत्वायाह—

स च कस्याप्युपस्कारकत्वेऽलङ्कारः। अन्यथा तु शुद्धः।

शुद्ध इति । स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्त इत्यर्थः । उक्तलक्षणलक्षितोऽनन्वयस्तदैव अलङ्कारपदव्यपदेश्यो भवेत्, यदा वाच्यव्यङ्ग्यान्यतरस्यार्थस्य शोभां जनयेत्। यत्र तान्न जनयेत् तत्र पुनः केवलोऽनन्वय एव सः, नालङ्कार इति भावः ।

वह अनन्वय (जिसका लक्षण ऊपर लिखा गया है) तभी अलङ्कार कहलाता है—जब उसके द्वारा किसी अन्य (वाच्य अथवा व्यङ्ग्य) अर्थ की शोभा बढ़ती हो अन्यथा वह शुद्ध अनन्वय कहलायगा, अलङ्कार नहीं ।

पदकृत्यं प्रदर्शयितुं प्रत्युदाहरणं निर्दिश्यते—

लोहितपीतैः कुसुमैरावृतमाभाति भूभृतः शिखरम् ।
दावज्वलनज्वालैः कदाचिदाकीर्णमिव समये ।।'

गिरिशिखरवर्णनम्—लोहितपीतैः अरुणपीतवर्णविशिष्टैः, कुसुमैः पुष्पैः, आवृतम् आच्छादितम्, भूभृतः पर्वतविशेषस्य, शिखरं सानुः, कदाचित् कस्मिंश्चित्, समये काले, दावस्य वनीयस्य, ज्वलनस्य वह्नेः, ज्वालैः ज्वालाभिः, वनाग्नितापैरिति यावत्, आकीर्णम् व्याप्तम्, (स्वम्) इव, आभाति प्रतीयत इत्यर्थः ।

लक्षण में जोड़े गए विशेषणों के फल दिखलाने के लिये प्रत्युदाहरण का निर्देश किया जाता है—लोहित इत्यादि। लाल-पीले फूलों से आच्छादित पर्वत का शिखर, किसी समय वनाग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त सा प्रतीत होता है। तात्पर्य यह कि किसी समय वनवह्नि के ताप से व्याप्त रहने पर पर्वत-शिखर जैसा दीखता रहा होगा, आज वैसा ही लाल-पीले फूलों से आच्छादित रहने पर दिखाई पड़ता है।

उपपादयति—

अत्र लोहितपीतकुसुमावृतं भूभृतः शिखरं स्वेनैव कस्मिंश्चित् समये दावज्वालाकीर्णेनोपमीयते, इति तत्सादृश्यवारणाय भूतान्तम् ।

'लोहितपीतैः—' इति पद्ये पर्वतशिखररूपैकपदार्थोपमानोपमेयकं सादृश्यं यद्यपि प्रतीयते, तथापि नायमनन्वयः, तस्य सादृश्यस्य द्वितीयसदृशव्यवच्छेदफलकवर्णनविषयीभूतत्वाभावात्। तथा चैतादृशसादृश्येऽनन्वयत्वापत्तिपरिहाराय लक्षणे भूतान्तविशेषणप्रवेश इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'लोहितपीतैः—' इस पद्य में 'लाल-पीले फूलों से आच्छादित पर्वतशिखर' की तुलना 'किसी समय वनाग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त' अपने आपके साथ की गई है। ऐसा सादृश्य भी अनन्वय न कहलावे इसलिये लक्षण में 'द्वितीयसदृशव्यवच्छेदफलकवर्णनविषयीभूत' यह सादृश्य का विशेषण जोड़ा गया है।

स्फुटत्वाय प्रत्युदाहरणान्तरमाह—

इदं वा प्रत्युदाहरणम्—

'नखकिरणपरम्पराभिरामं किमपि पदाम्बुरुहद्वयं मुरारेः ।
अभिनवसुरदीर्घिकाप्रवाहप्रकरपरीतमिव स्फुटं चकासे ।।'

कविः हरिचरणद्वयं वर्णयति—नखकिरणानां नखकान्तीनाम्, परम्परया श्रेण्या, अभिरामं मनोहरम्, किमपि अनिर्वचनीयम्, मुरारेः हरेः, पदाम्बुरुहद्वयं चरणकमलयुग-

लम्, अभिनवस्य उत्पत्तिकालावच्छिन्नस्य, सुदीर्घिकायाः गङ्गायाः, प्रवाहस्य, प्रकारेण समूहेन, परीतम् व्याप्तम् (स्वम्) इव, स्फुटं स्पष्टम्, चकासे शुशुभे इत्यर्थः।

स्पष्ट बोध के लिये दूसरे प्रत्युदाहरण का निर्देश किया जाता है—इदं वा इत्यादि। अथवा उक्त भूतान्त विशेषण का फल इस पद्य में समझना चाहिये—'भगवान् का अनिर्वचनीय चरणकमलयुगल, नखकिरणों की श्रेणी से मनोहर होकर उसी प्रकार शोभित हुआ, जैसे (जब गङ्गा उन चरणों से निकल रही थीं उस समय में) नवीन गङ्गा प्रवाहसमूह से व्याप्त होकर वह शोभित होता था।'

उपपादयति—

अत्रापि नखकिरणपरम्पराभिरामं हरेः पदाम्बुजं स्वात्मनैव सुरदीर्घिका-प्रवाहप्रकरपरीतेनोपमीयते।

'नखकिरण—' इति श्लोकेऽपि हरिपदाम्बुजयुगलमेव नखकान्तिपङ्क्तिमनोहरताविशिष्टत्वेनोपमेयम्, गङ्गाप्रवाहसमूहव्याप्तत्वेनोपमानञ्चास्ति तथा चैकोपमानोपमेयकसादृश्यस्य स्थितिरत्र स्फुटा। परन्तु पूर्वोक्तभूतान्तविशेषणार्थायोगान्नात्रानन्वयालङ्कारत्वमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि। 'नखकिरण—' इस पद्य में भी 'नख-कान्तियों की पंक्ति से मनोहर हरिचरणकमलों' की तुलना 'गङ्गा के नवीन प्रवाह-समूह से व्याप्त' अपने आपके साथ की गई है, अतः एक उपमान-उपमेय वाला सादृश्य-यद्यपि यहाँ है, तथापि यह अनन्वय नहीं कहला सकता, क्योंकि उक्त 'भूतान्त' विशेषण का अर्थ यहाँ नहीं घटता।

ननु वर्णनकाले भगवच्चरणयोर्गङ्गाप्रवाहपरीतत्वाभावे तद्विशिष्टत्वेनासत एव तस्योप-मानत्वकल्पने सदुपमानं नास्तीति द्वितीयसदृशव्यवच्छेदः प्रतीयत एवेत्यत आह—

सम्प्रति सुरदीर्घिकाप्रवाहेण भगवत्पादाम्बुरुहस्य सम्बन्धाभावात्सुरनिम्न-गोत्पत्तिकालावच्छिन्नस्य तस्योपमानतावगमायाभिनवेति प्रवाहविशेषणम्।

वर्णनसमये भगवच्चरणयोर्गङ्गाप्रवाहसम्बन्धो नास्तीति यद्यपि सत्यम् तथापि यस्मिन् काले भगवच्चरणाभ्यां गङ्गा निस्सृता, तस्मिन् काले तत्र तत्सम्बन्ध आसीत्, एवञ्च गङ्गानिस्सरणकालीनभगवच्चरणयुगलस्यैवोपमानता विवक्षिता, अत एव प्रवाहेऽभिनवेति विशेषणं योजितम्। तथा च नासत उपमानता न वा द्वितीयसदृशव्यवच्छेद इति भावः।

वर्णन के समय में हरिचरणों में वस्तुतः गङ्गाप्रवाह का सम्बन्ध है नहीं, ऐसी स्थिति में उसके सम्बन्ध से युक्त हरिचरण असत् अतएव कल्पित उपमान होगा, फिर तो यहाँ 'सत् उपमान नहीं है' इस रूप में द्वितीय सदृश का निवारण ज्ञात होगा ही, इस शङ्का का समाधान किया जाता है—सम्प्रति इत्यादि। अभिप्राय है कि—वर्णनकाल में भले ही हरिचरणों में गङ्गाप्रवाह का सम्बन्ध न हो पर जब उन चरणों से गङ्गा उत्पन्न हुई थी, तब तो वह था, ऐसी स्थिति में गङ्गोत्पत्तिकालिक हरिचरण को ही यहाँ उपमान कहा गया है यह समझना चाहिए, अतएव गङ्गाप्रवाह में 'अभिनव' विशेषण दिया गया है। इस उत्तर से उक्त शङ्का समाप्त हो जाती है क्योंकि अब असत् उपमानवाली बात नहीं रही।

ननु पूर्वोक्तपद्ययुगलेऽनन्वयालङ्कारः कुतो नाङ्गीक्रियते इत्यत आह—

न ह्यत्र सादृश्यवर्णनस्य फलं द्वितीयसब्रह्मचारिव्यवच्छेदः तस्याप्रतिपत्तेः।

सब्रह्मचारीति । सदृशेत्यर्थः । अत्र । 'अनन्वयार्थनिबन्धनवशाद्धि द्वितीयसदृशव्यवच्छेदः फलति । न हि धर्मान्तरावच्छिन्नस्य धर्मान्तरावच्छिन्नेन साधर्म्यमनन्वयि । अत एवोपमेयतावच्छेदकोपमानतावच्छेदकयोर्भेद एव साधर्म्यघटको न तु धर्मिणोः इत्युक्तं प्राक्। एवं चानन्वयार्थनिबन्धनप्रयोज्यद्वितीयसदृशव्यवच्छेदफलकसादृश्यवर्णनमनन्वयः । एकोपमानोपमेयकत्वविशेषणं चात्रैवार्थे तात्पर्यग्राहकम् । अन्यथा धर्मिभेदादेव तत्र वारणेन तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेवेति भावः ।' इति नागेशः । 'लोहितपीतैः—' 'नखकिरण—' इति च पद्यद्वये उपमानोपमेयभूतयोर्धर्मिणोरेकत्वेऽपि उपमेयतावच्छेदकोपमानतावच्छेदकयोर्भेदेन परस्परसादृश्यस्यान्वयो नासङ्गतः, तथा च न द्वितीयसदृशव्यवच्छेदस्तादृशसादृश्यवर्णनफलभूतः प्रत्येतुं योग्य इति भावः ।

प्रत्युदाहरणरूप में ऊपर कहे गए दोनों पद्यों में अनन्वय माना ही क्यों न जाय इसका उत्तर अब स्पष्ट रूप में कहा जाता है—न ह्यत्र इत्यादि । तात्पर्य यह है कि-ऊपर के दोनों श्लोकों में से किसी में भी अनन्वय नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ द्वितीय सदृश की निवृत्ति फलित नहीं होती और अनन्वय नहीं माना जाता है जहाँ सादृश्यवर्णन से द्वितीय सदृश की निवृत्ति फलित होती है । आप कहेंगे-कहीं द्वितीयसदृशनिवृत्ति की प्रतीति फलरूप में क्यों होती है और यहाँ क्यों नहीं होती ? द्वितीयसदृशनिवृत्ति की इस प्रतीति में क्या रहस्य है ? तो मैं कहूँगा कि-जहाँ दो पदार्थों का सादृश्य वर्णित होता है वहीं उस सादृश्य का वस्तुतः अन्वय होता है और जहाँ एक ही पदार्थ का सादृश्य-अर्थात् अपना सादृश्य अपने में ही वर्णित होता है वहाँ उस सादृश्य का अन्वय वस्तुतः नहीं होता—हो भी नहीं सकता, क्योंकि 'सादृश्य-पदार्थ भेदघटित है । हाँ, अपना सादृश्य भी अपने में अन्वित हो सकता है-होता भी है, यदि उस अपने आप का वर्णन दो रूपों से किया गया हो-अर्थात् उपमान और उपमेय के एक रहने पर भी यदि उपमानतावच्छेदक तथा उपमेयतावच्छेदक (वही रूप) दो हों तो सादृश्य का अन्वय होता है, उपमान-उपमेय भी यदि दो रहें तब तो और अच्छा । इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि जहाँ उपमान-उपमेय अथवा उपमानतावच्छेदक उपमेयतावच्छेदक भिन्न भिन्न रहेंगे, वहाँ सादृश्य का अन्वय होने में किसी तरह की बाधा नहीं होगी, अतएव वैसे स्थलों में द्वितीय सदृश की निवृत्ति अवगत नहीं होगी, पर जहाँ उन दोनों में से एक भी भिन्न-भिन्न नहीं होंगे, वहाँ का (अपने में अपना ही) सादृश्य अन्वित नहीं हो सकता, फिर भी जो उस तरह का सादृश्य वर्णित होता है, उसका फल यह ज्ञात हो जाता है कि इसका सादृश्य किसी दूसरे पदार्थ में नहीं है । यह तो हुआ वस्तुस्थिति का विश्लेषण । अब आप इस विश्लेषण के आधार पर विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि ऊपर के दोनों पद्यों ('लोहितपीतैः—' और 'नखकिरण—') में द्वितीय सदृश की निवृत्ति क्यों नहीं ज्ञात होती और कहीं क्यों वह ज्ञात होती है—अर्थात् उन दोनों पद्यों में क्रमशः पर्वतशिखर और हरिचरण ये एक ही पदार्थ उपमान और उपमेय दोनों हैं अवश्य, पर उपमानतावच्छेदक और उपमेयतावच्छेदक एक नहीं भिन्न हैं, तात्पर्य यह है कि-प्रथम पद्य में पर्वतशिखर, पुष्पाच्छादितरूप में उपमेय है, और वनाग्निव्याप्तरूप में उपमान, इसी तरह द्वितीय पद्य में हरिचरण, नखकान्ति मनोहररूप में उपमेय है और गङ्गाप्रवाह व्याप्तरूप में उपमान अतः इन दोनों स्थलों में अपने आप का भी अपने आप में सादृश्य अनन्वयी नहीं होगा, ऐसी दशा में द्वितीय सदृश की निवृत्ति ज्ञात नहीं होगी ।

एकोपमानोपमेयकेति विशेषणव्यावर्त्यमाह—

'स्तनाभोगे पतन् भाति कपोलात्कुटिलोऽलकः ।
सुधांशुबिम्बतो मेरौ लम्बमान इवोरगः ॥'

अस्यार्थः प्रागुल्लिखितः ।

'एक उपमान उपमेयवाला' इस विशेषण का फल दिखलाया जाता है—स्तनाभोग इत्यादि । इस पद्य की व्याख्या पहले की जा चुकी है ।

उपपादयति—

इति कल्पितोपमानिकायामुपमायामतिप्रसङ्गवारणायैकोपमानोपमेयकमिति । अत्रासत उपमानस्य कल्पनया सदुपमानं नास्तीति द्वितीयसदृशव्यवच्छेदस्यास्ति प्रतीतिः ।

इतिः पूर्वपद्यपरामर्शकः । असत इति । तथा च धर्मिभेदोऽत्र स्पष्टः । नास्तीति । अन्यथा तत्पर्यन्तानुधावनं व्यर्थं स्यादिति भावः । 'स्तनाभोगे—' इति पद्ये उपमानतया वर्णितः सुधांशुबिम्बावधिकमेरुपर्वताधिकरणकलम्बनकर्तृत्वविशिष्ट उरगो न सन् अप्रसिद्धत्वात् । तथा चासत एव तादृशस्य तस्योपमानता कल्प्या । एवं चोपमेयात्र वर्णितस्य कपोलावधिकस्तनाभोगाधिकरणकपतनकर्तृत्वविशिष्टस्य सतोऽलकरूपस्योपमेयस्य सदुपमानं नास्तीति प्रतीतिर्दुरपह्नवा, अन्यथा सदुपमानं परिहायासदुपमानस्य कल्पना प्रसरमेव न लभेत । तथा च द्वितीयसदृशव्यवच्छेदः प्रतीयमानः लक्षणघटकान्यंशं चुम्बत्येव, परन्तु एकोपमानोपमेयकेति सादृश्यविशेषणेनास्य व्यावृत्तिः उरगालकयोरुपमानोपमेययोर्भिन्नत्वादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—इति इत्यादि । 'स्तनाभोगे—' इस पद्य की कल्पित उपमानवाली उपमा में अतिव्याप्तिवारण करने के लिये लक्षण में 'एक उपमान उपमेय वाला' यह सादृश्य का विशेषण दिया गया है । तात्पर्य यह कि–इस पद्य में असत् (अवास्तविक) उपमान की कल्पना की गई है–अर्थात् चन्द्रमण्डल से मेरुपर्वत पर लटकता हुआ साँप वस्तुतः संसार में प्रसिद्ध नहीं है, फिर जो उसका उपमानरूप में वर्णन किया गया है वह केवल कल्पना के आधार पर, अतः इस तरह के उपमान की कल्पना से यह बात सिद्ध हो जाती है कि–कपोलतट से स्तनतट पर लटकते हुए कुटिलकेशरूप उपमेय का वास्तविक उपमान संसार में नहीं है, और जब यह बात सिद्ध हो जायगी, तब यह समझने में कोई बाधा नहीं रहेगी कि इस सादृश्य-वर्णन से द्वितीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति फलित होती है । इस तरह से यद्यपि लक्षण का अन्य भाग यहाँ सङ्घटित होता था पर सादृश्य के विशेषणरूप में जो लक्षण का 'एक उपमान उपमेयवाला' यह भाग है उससे इसका वारण हो जाता है, कारण, यहाँ उपमान-उपमेय एक नहीं अपितु दो हैं–अर्थात् उपमान है साँप और उपमेय अलक ।

उदाहरणं दर्शयितुमाह—

उदाहरणममृत(पीयूष)लहर्याख्ये मदीये गङ्गास्तवे—

गङ्गास्तुतिमये पण्डितराजरचिते अमृतलहरीनामके निबन्धेऽनन्वयालङ्कारोदाहरणभूतं पद्यमिदमिति भावः ।

उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—उदाहरण इत्यादि। पण्डितराजरचित अमृतलहरी नामक गङ्गास्तोत्र का निम्नलिखित पद्य 'अनन्वय' अलङ्कार का उदाहरण है।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

कृतक्षुद्राघौघानथ सपदि सन्तप्तमनसः,
समुद्धर्तुं सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः।
अपि प्रायश्चित्तप्रसरणपथातीतचरितान्,
नरानूरीकर्तुं त्वमिव जननि त्वं विजयसे॥'

हे जननि मातर्गङ्गे! कृतः क्षुद्राणां लघूनाम्, अघानां पापानाम्, ओघः समूहो यैस्तान्, अथ अल्पपापकरणानन्तरम्, सपदि तत्कालमेव, न तु कालान्तरे, प्राक्तनपुण्योदयादिति भावः, संतप्तमनसः पापतापाकुलचेतसः, नरान्, समुद्धर्तुम् पापेभ्यो मोचयितुम्, त्रिभुवनतले त्रिलोक्यां, तीर्थनिवहाः तीर्थस्थानानि काशीप्रयागादीनि, सन्ति। किन्तु प्रायश्चित्तानां पापनाशकानुष्ठानानाम्, प्रसरणानि प्रसङ्गाः, यत्र तादृशा ये पन्थानः मार्गाः, ततः अतीतानि दूरङ्गतानि, चरितानि चरित्राणि, येषाम् तान् प्रायश्चित्तप्राप्तिविषयत्वाक्रान्ताचरणकान् इति यावत्, अपि, नरान् मनुष्यान्, ऊरीकर्तुं निष्पापत्वेन स्वीकर्तुम्, त्वम् इव त्वं, विजयसे सर्वोत्कृष्टासि इत्यर्थः। नराणां स्वल्पानि पापानि तीर्थान्तरसेवनेनापि शाम्यन्ति किन्तु महापापानि तु तव (गङ्गायाः) सेवनेनैव नश्यन्तीति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कृत इत्यादि। हे मातः गङ्गे! छोटे-छोटे पाप-समूह को कर लेने के बाद तुरत मन में एक प्रकार के ताप का अनुभव करने वाले मनुष्यों का उद्धार करने के लिये त्रिभुवन में तीर्थों का एक विशाल समुदाय तैयार है। पर प्रायश्चित्तों की पहुँच से बाहर—अर्थात् जिनके प्रायश्चित्त हो ही नहीं सकते ऐसे—चरित्रवालों को भी—महापापियों को भी—निष्पाप बनाकर अपनाने वाली तेरी जैसी तू ही है। तात्पर्य यह कि महापापियों को भी अपनाने के विषय में तेरी तुलना दूसरों से हो नहीं सकती-इस विषय में तू ही सर्वोत्कृष्ट है।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'इयति प्रपञ्चविषये तीर्थानि कियन्ति सन्ति पुण्यानि।
परमार्थतो विचारे देवी गङ्गा तु गङ्गेव॥'

इयति एतावति, निरवधाविति भावः, प्रपञ्चविषये विषयरूपे संसारे, पुण्यानि पवित्राणि, कियन्ति अगणितानीति यावत्, तीर्थानि, सन्ति, तेषां पवित्रतायां काऽपि विप्रतिपत्तिर्नास्ति, किन्तु परमार्थतः वस्तुतः, विचारे विवेके, क्रियमाणे इति शेषः, गङ्गा देवी इव दिव्या सुरनिम्नगा, इव, तु पुनः, गङ्गा एवेत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—इयति इत्यादि। इतने बड़े संसार में पवित्र तीर्थ कितने हैं—उनकी इयत्ता नहीं, उनकी पवित्रता में किसी तरह का सन्देह नहीं।

पर वास्तविक विचार करने पर गङ्गा देवी जैसी तो गङ्गा देवी ही हैं—उनकी तुलना दूसरे से नहीं।

उदाहरणान्तरदाने बीजमाह—

पूर्वपद्ये वाच्योऽनुगामी धर्मः। इह तु व्यङ्ग्य इति विशेषः।

'कृतक्षुद्रा—' इति प्रथमोदाहरणे 'इयति—' इति द्वितीयोदाहरणे च सर्वोत्कर्षरूप एव अनुगामी साधारणधर्मः परन्तु प्रथमस्थले स 'विजयसे' इति तिङन्तपदवाच्यः; द्वितीयस्थले पुनः वाचकविरहाद् व्यङ्ग्य इति भावः। एतद्वैलक्षण्यस्फोरणायैवोदाहरणान्तरदानमिति सारांशः।

द्वितीय उदाहरण दिखलाने में बीजभूत विलक्षणता का स्पष्टीकरण करते हैं—पूर्व इत्यादि। उक्त दोनों उदाहरणों में यद्यपि साधारणधर्म एक ही है अनुगामी 'सर्वोत्कर्ष', परन्तु प्रथम में वह धर्म 'विजयसे' पद से वाच्यरूप में उपस्थित हुआ है और द्वितीय में वाचक का अभाव होने से वह व्यङ्ग्यरूप में ज्ञात होता है। इसी विलक्षणता को दिखलाने के लिये द्वितीय उदाहरण दिया गया है।

द्वितीयोदाहरणघटक'तु'पदप्रतीयमानं विशेषं स्फुटीकर्तुमाह—

तुशब्दोऽयं तीर्थान्तरेभ्यो वैलक्षण्यं प्रतिपादयंस्तत्प्रयोजकं भगवद्वासुदेवात्मकत्वं धर्मं श्रीगङ्गायां व्यनक्ति।

'त्वन्ताथादि न पूर्वभाक्।' इति कोशानुशासनानुसारं 'तु'शब्दो वाच्यवृत्त्याऽन्येभ्यस्तीर्थेभ्यो गङ्गायां भेदं बोधयति। तद्भेदनिदानभूतं विष्णुरूपत्वं पुनस्तत्र व्यङ्ग्यवृत्त्याऽवगमयतीति भावः।

द्वितीय उदाहरण में पठित 'तु' शब्द से अभिव्यक्त होनेवाले विशेष का उल्लेख किया जाता है—तुशब्दोऽयम् इत्यादि। 'त्वन्ताथादि न पूर्वभाक्—अर्थात् 'तु' 'अन्त' और 'अथ' पद पूर्व का भजन नहीं करते-पूर्व से भेद बतलाते हैं' इस कोश के अनुसार द्वितीय पद्य में पठित 'तु' शब्द अन्य तीर्थों की अपेक्षा गङ्गा में विलक्षणता (भेद) का बोध अभिधावृत्ति के द्वारा कराता है पर साथ ही उस भेद को सिद्ध करनेवाला विष्णुरूपत्वरूप धर्म का बोध भी उसमें व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा विदित कराता है।

उपरितनयोरुदाहरणयोर्वर्णितस्यानन्वयस्यालङ्कारत्वं निगमयति—

उभयत्रापि श्रीगङ्गाविषयकरत्युपस्कारकत्वादलङ्कारोऽयम्।

रतीति। कविनिष्ठेत्यादिः। उपस्कारकत्वात् पोषकत्वात्। अयं अनन्वयः उपरितने द्वे अपि पद्ये कविना गङ्गास्तुतौ प्रयुक्ते, अत उभयत्र गङ्गाविषयिणी कविरतिः प्रधानतया व्यङ्ग्या। वाच्यश्चानन्वयः तां रतिं पुष्णन्नलङ्कारभावं भजत इति भावः। एतेन 'वाक्यार्थोपस्कारकत्वम्' अलङ्कारसामान्यलक्षणं सङ्गमितम्।

ऊपर के दोनों उदाहरणों में वर्णित 'अनन्वय' अलङ्काररूप कैसे होता है इसका स्पष्टीकरण किया जाता है—उभयत्रापि इत्यादि। ऊपर के दोनों ही पद्य गङ्गा की स्तुति में रचे गये हैं, अतः उन दोनों पद्यों से गङ्गा के विषय में कवि का प्रेम (भाव) प्रधान रूप से अभिव्यक्त होता है, वही यहाँ काव्यजीवातुभूत अर्थ है और उस अर्थ को (कविनिष्ठगङ्गाविषयक रति को) पुष्ट करनेवाले के रूप में वाच्य होने के कारण 'अनन्वय'

होता है अलङ्काररूप, क्योंकि 'अलङ्करोति इति अलङ्कारः' दूसरे को अलंकृत करता है इसलिये 'अलङ्कार' कहा जाता है।

अनन्वये बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नसाधारणधर्मस्यासम्भावनां सूचयति—

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो धर्मस्त्वत्र नास्ति। तस्मिंश्च सति किञ्चिद्धर्मावच्छिन्नेन स्वेन सादृश्यस्य धर्मान्तरावच्छिन्ने स्वस्मिन्नन्वये बाधकाभावात्सदृशान्तरव्यवच्छेदाप्रतिपत्तेश्चानन्वय एव न स्यात्।

अत्रेति। अनन्वयालङ्कार इत्यर्थः। बाधकाभावादिति। अवच्छेदकभेद एव सादृश्यशरीरप्रविष्टो न तु धर्मिभेद इति भावः। यो वाक्यालङ्कारे हेतौ वा। अन्वये बाधकाभावो हि सदृशान्तरव्यवच्छेदाप्रतिपत्तौ हेतुः। अयं भावः—उपमानोपमेयघटिततयानन्वयेऽपि साधारणधर्मस्तिष्ठति परन्तु सोऽत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो न भवितुमर्हति, यतः उपमानविशेषणीभूत उपमेयविशेषणीभूतश्च पृथक् पृथक् धर्म एव तु मिलित्वा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो भवति, एवञ्च भिन्नधर्मावच्छिन्नस्वात्मकोपमाननिरूपितसादृश्यस्य भिन्नधर्मावच्छिन्नस्वात्मकोपमेयेऽन्वयोऽबाधितः, 'स्वस्य स्वस्मिन् सादृश्यम् न भवति' इत्यस्य स्वावच्छेदकयोरैक्ये तन्न भवतीत्यर्थस्य प्रागुपपादितत्वात्। अबाधिते च तथान्वयेन सदृशान्तरव्यावृत्तिः फलेत्, अफलितायां च तस्यां नानन्वयः प्रतीतिपथमवतरेत् इति बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मस्थलेऽनन्वयो न भवतीति सिद्धम्, तथा चानन्वयालङ्कारे साधारणधर्मो बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो न भवतीति।

'अनन्वय' में साधारणधर्म बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नरूप नहीं हो सकता इस बात का उपपादन अब करते हैं—बिम्ब इत्यादि। उपमानोपमेयभाव से युक्त होने के कारण अनन्वयालङ्कार में भी साधारणधर्म रहता अवश्य है, पर वह अनुगामी, आरोपित आदि प्रकार का ही हो सकता है बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न नहीं। कारण, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मवाले स्थलों में अनन्वय ही नहीं हो सकेगा। अभिप्राय यह है कि-जहाँ उपमान और उपमेय एक ही पदार्थ हो और उपमानताकाल में तथा उपमेयता-काल में उस एक पदार्थ का ही विशेषण भिन्न-भिन्न, पर समानधर्म हो, वहीं तो बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मवाले अनन्वय की सम्भावना हो सकती थी, पर वैसे स्थलों में अपना सादृश्य भी अपने में अन्वित होता ही है, क्योंकि वैसे अन्वय में बाधा तो यही उपस्थित की जाती है कि 'सादृश्य' भेदघटित पदार्थ है फिर अपने में अपने सादृश्य का अन्वय कैसे होगा? पर यह बात कुछ है नहीं, क्योंकि सादृश्य में वस्तु का नहीं अपितु वस्तु के विशेषणीभूत धर्म का भेद रहना चाहिए यह पहले कहा चुका है, और विशेषणीभूत धर्म का भेद वैसे स्थलों में नियमतः रहेगा ही। ऐसी स्थिति में—जब कि अपना सादृश्य भी अपने में अन्वित हो जायगा तब—द्वितीय सदृश की निवृत्ति उस सादृश्यवर्णन से फलित होगी नहीं, क्योंकि वह सादृश्य के अन्वय न हो सकने के कारण ही फलित होती है और जब वह फलित नहीं होगी तब 'अनन्वय' माना नहीं जा सकेगा। कारण, वही उसका जीवन है। फलतः यह सिद्ध हुआ कि अनन्वयस्थल में साधारण धर्मबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न नहीं हो सकता।

अनन्वयभेदानाह—

स च पूर्णो लुप्तश्चेति तावद्द्विविधः। पूर्णस्तूपमावत् षड्विधोऽपि सम्भवति।

स च अनन्वयश्च । तावत् आदौ । षड्विधोऽपीति । श्रौतार्थयोस्तयोः प्रत्येकं वाक्य-समासतद्धितगामित्वेनेति भावः ।

अब 'अनन्वय' के भेद कहे जाते हैं—स च इत्यादि । अनन्वय प्रथमतः दो प्रकार का होता है—एक 'पूर्ण' और दूसरा 'लुप्त ।' पूर्ण अनन्वय उपमा की तरह छहों प्रकार का हो सकता है ।

पूर्णानन्वयस्य भेदानुदाहर्तुमाह—

यथा—

पूर्णानन्वयस्य भेदाः प्रदर्श्यन्त इति भावः ।

पूर्ण अनन्वय के भेद । जैसे—

उदाहरणानि सार्धपद्येन निर्दिश्यन्ते—

'गङ्गा हृद्या यथा गङ्गा, गङ्गा गङ्गेव पावनी ।
हरिणा सदृशो बन्धुर्हरितुल्यः परो हरिः ॥
गुरुवद् गुरुराराध्यो गुरुवद् गौरवं गुरोः ।'

निगदव्याख्यातम् । अत्राद्यचरणे श्रौतो वाक्यगः पूर्णः । द्वितीयचरणे समासगः श्रौतः पूर्णः । तृतीयचरणे आर्थो वाक्यगः पूर्णः । तुर्यचरणे समासग आर्थः पूर्णः । पञ्चमचरणे 'तेन तुल्यम्–' इति वतेः सत्त्वादार्थः स तद्धितगः पूर्णः । षष्ठपादे 'तत्र तस्येव' इति वतेः सत्त्वाच्छ्रौतस्तद्धितगः पूर्ण इति बोध्यम् ।

उदाहरणों का निर्देश किया जाता है—गङ्गा इत्यादि । गङ्गा गङ्गा-सी सुन्दर है । गङ्गा गङ्गा-सी पवित्र है । हरि के समान बन्धु हरि है । हरि के समान उत्कृष्ट हरि है । गुरु गुरु की तरह सेव्य है । गुरु का गौरव गुरु का-सा है । यहाँ प्रथम चरण में श्रौत वाक्यगत, द्वितीय चरण में श्रौत समासगत, तृतीय चरण में आर्थ वाक्यगत, चतुर्थ चरण में आर्थ समासगत, पञ्चम चरण में 'तेन तुल्यम्...' सूत्र से 'वति' प्रत्यय होने के कारण आर्थ तद्धितगत और षष्ठ चरण में 'तत्र तस्येव' सूत्र से 'वति' प्रत्यय होने के कारण श्रौत तद्धितगत पूर्ण अनन्वयालङ्कार है ।

लुप्तानन्वयभेदानाह—

लुप्तेष्वपि धर्मलुप्तः पञ्चविधोऽपि सम्भवति, प्रागुक्ते सार्धपद्ये धर्मवाचक-पदमपहाय पदान्तरदाने ।

धर्मलुप्तानन्वयस्य पूर्ववत् पञ्च प्रकाराः भवितुमर्हन्ति । तेषामुदाहरणानि च पूर्वोक्त-सार्धपद्ये क्रमशो धर्मवाचकानां हृद्य-पावन-बन्धु-पर-आराध्य-गौरवपदानां स्थानेषु अन्येषां पदानां निवेशे स्वयमूहनीयानीति भावः ।

अब लुप्त अनन्वय के भेद दिखलाये जाते हैं—लुप्तेष्वपि इत्यादि । लुप्तभेदों में भी धर्मलुप्त अनन्वय पाँचों प्रकार का—अर्थात् श्रौत वाक्यगत, आर्थ वाक्यगत, श्रौत समासगत, आर्थ समासगत, और आर्थ तद्धितगत—हो सकता है । इन भेदों के उदाहरण ऊपर लिखे गए डेढ़ पद्य में ही धर्मवाचक—हृद्य, बन्धु, पर, आराध्य और गौरव-पदों के स्थान में अन्य पदों का समावेश कर देने पर समझे जा सकते हैं ।

वाचकलुप्तमनन्वयमुदाहरति—

वाचकलुप्तः—

'रामायमाणः श्रीरामः सीता सीतामनोहरा ।
ममान्तःकरणे नित्यं विहरेतां जगद्गुरू ॥'

इत्यत्र क्यङ्समासयोः ।

'रामसदृशाचरणकर्ता श्रीरामचन्द्रः तथा सीतासमा सुन्दरी सीता इतीमौ द्वावपि जगतो गुरू (मातापितरौ) सदा मम हृदये विहारं कुरुताम्' इत्यर्थकस्य 'रामायमाणः—' इति पद्यस्य रामांशे क्यङ्प्रत्ययगतस्य सीतांशे च समासगतस्य अनन्वयालङ्कारस्योदाहरणे द्रष्टव्ये इति भावः ।

वाचकलुप्त अनन्वय का उदाहरण दिखलाया जाता है—वाचकलुप्त इत्यादि । 'रामायमाणः—अर्थात् राम के सदृश आचरण करने वाले श्रीरामचन्द्र जी और सीता के समान सुन्दरी श्रीसीताजी-दोनों जगत् के गुरु (माता पिता), मेरे अन्तःकरण में, सदा, विहार करते रहें ।' इस पद्य के राम अंश में 'क्यङ्'प्रत्ययगत और सीता अंश में 'समास-' गत वाचकलुप्त अनन्वयालङ्कार के उदाहरण मिलते हैं । तात्पर्य यह कि—सादृश्यवाचक 'क्यङ्' प्रत्यय का तथा इवादि का क्रमशः यहाँ लोप (अदर्शन) हुआ है ।

वाचकलुप्तमेव पुनरन्ययोदाहरति—

'लङ्कापुरादतितरां कुपितः फणीव
निर्गत्य जातु पृतनापतिभिः परीतः ।
क्रुद्धं रणे सपदि दाशरथिं दशास्यः
संरब्धदाशरथिदर्शमहो ददर्श ॥'

कविर्लङ्कारणं वर्णयति—जातु कदाचित् , पृतनापतिभिः सेनापतिभिः, परीतो व्याप्तः, दशास्यो रावणः, अतितराम् अत्यन्तम् , कुपितः क्रुद्धः, फणी सर्पः, इव, लङ्कापुरात् लङ्काभिधाननगरात् , निर्गत्य निस्सृत्य, सपदि तत्कालमेव, रणे युद्धे, दाशरथिं रामचन्द्रम् , संरब्धदाशरथिदर्शम् क्रुद्धरामचन्द्रमिव, ददर्श दृष्टवान् इत्यर्थः । अत्र 'संरब्धदाशरथिदर्शम्' इत्यत्र संरब्धदाशरथिरिव दृश्यते इत्यर्थे कर्मणि णमुलप्रत्ययो भवति, अतः कर्मार्थकणमुलप्रत्ययगतवाचकलुप्तानन्वयोदाहरणं पद्यमिदं सम्पद्यत इति भावः ।

कर्मार्थक-णमुलप्रत्ययगत वाचकलुप्त अनन्वय का उदाहरण दिखलाते हैं—लङ्कापुरात्– इत्यादि । कवि लङ्का में होनेवाले युद्ध का वर्णन करता है—किसी समय, सेनापतियों से परिवेष्टित रावण ने, अत्यन्त कुपित सर्प की तरह, लङ्कापुरी से निकल कर, तत्काल, क्रुद्ध रामचन्द्र के समान क्रुद्ध रामचन्द्र को रण में, आश्चर्य से देखा ।—यहाँ 'संरब्धदाशरथिदर्शम्' में कर्म अर्थ में णमुल्प्रत्यय हुआ है, अतः णमुल्गत वाचकलुप्त अनन्वय का यह पद्य उदाहरण होता है ।

अन्यत्रापि वाचकलुप्तानन्वयलक्ष्यसम्भावनामाह—

एवं कर्तृणमुलादावप्यूह्यम् ।

पूर्वोक्तकर्मार्थकणमुल्प्रत्यय इव कर्त्रर्थकणमुल्प्रत्यये ततोऽन्यत्र च वाचकलुप्तानन्वयालङ्कारः सम्भवतीति भावः ।

इसी तरह 'कर्तृ-णमुल्' आदि में भी वाचकलुप्त अनन्वयालङ्कार का ऊह कर लेना चाहिए ।

एकलुप्तमुदाहृत्य सम्प्रत्यनेकलुप्तानन्वयोदाहरणप्रसंगे प्रथमं धर्मवाचकोभयलुप्त-मुदाहरति—

'अम्बरत्यम्बरं यद्वत्समुद्रोऽपि समुद्रति ।
विक्रमार्कमहीपाल तथा त्वं विक्रमार्कसि ॥'

यद्वत् यथा, अम्बरं आकाशः, अम्बरति आकाशति, समुद्रोऽपि वारिधिरपि, समुद्रति वारिधिरिवाचरति, तथैव, हे विक्रमार्कमहीपाल विक्रमार्कनामक राजन् ! त्वम्, विक्रमार्कसि विक्रमार्क इव आचरसि । आकाशसमुद्रसदृशौ यथा तावेव तथा त्वत्सदृश-स्त्वमेवेत्यर्थः ।

धर्मवाचक लुप्त अनन्वय जैसे—अम्बर इत्यादि । जैसे आकाश आकाशका-सा आचरण करता है और समुद्र समुद्रका-सा (क्योंकि उनके समान दूसरे नहीं हैं) वैसे ही हे विक्रमार्क राजन् ! तू भी विक्रमार्क के समान ही आचरण करता है (तेरी तुलना करने वाला भी कोई नहीं है) ।

उपपादयति—

अत्र वाक्यार्थावयवेष्वनन्वयेषु धर्मवाचकयोर्लोपः । मुखवाक्यार्थस्त्वनन्व-यफलेन निरुपमत्वेन समानधर्मेण प्रयोजितो मालोपमैव । एषा च ज्ञानसौक-र्यायात्रैव निरूपिता ।

ननु कोऽसौ वाक्यार्थो यदवयवास्त्रयोऽनन्वया अत आह—मुख इति । मुख्य इत्यर्थः । ननु मालोपमाया ईदृशो भेदो नैवास्ति पूर्वमनुक्तत्वादत आह—एषा चेति । मालोपमा चेत्यर्थः । अत्रैवेति । अनन्वयप्रकरण एवेत्यर्थः । 'अम्बरत्यम्बरम्—' इति श्लोके 'अम्ब-रम् अम्बरति', 'समुद्रः समुद्रति' तथा 'विक्रमार्कः विक्रमार्कति' इति मुख्यवाक्यार्थावयव-भूतास्त्रयोऽनन्वयाः । तेषु सर्वेषु सादृश्यवाचकस्य क्विप्प्रत्ययस्य साधारणधर्मस्य च लोपः । एतदनन्वयत्रयफलितनिरुपमत्वरूपसमानधर्मप्रयोजितः 'यद्वत्-तथा'पदबोध्यार्थघटितः प्रधा-नवाक्यार्थस्तु मालोपमारूप एव । यद्यपि अनन्वयफलीभूतानुपमत्वरूपसमानधर्म-प्रयोज्यमालोपमायाश्चर्चा उपमाप्रकरण एव कर्तुमुचिता, तथापि अन्वयज्ञानमन्तरा तद्ज्ञानासम्भवेन तच्चर्चात्र कृतेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । यहाँ मुख्यवाक्यार्थ के अङ्गरूप में तीन अनन्वय अलङ्कार हैं—पहला 'आकाश आकाश के समान' दूसरा 'समुद्र समुद्र के समान' और तीसरा 'विक्रमार्क राजा विक्रमार्क राजा के समान' । इन तीनों अनन्वयों में विशालता आदि समानधर्म और सादृश्यवाचक 'क्विप् प्रत्यय' का लोप है । मुख्य वाक्यार्थ तो मालोपमारूप है जिसका प्रयोजक होता है उक्त तीनों अनन्वयों से फलित होनेवाला निरुपमत्वरूप समानधर्म । यह मालोपमा 'यद्वत्' और 'तथा' पद से अवगत होती है । आप कहेंगे—आपने उपमा के प्रकरण में, जिसमें अनन्वयफलित अनुपमता समानधर्मरूप हो ऐसी मालोपमा की चर्चा क्यों नहीं की ? हम कहते हैं—यह प्रश्न आपका ठीक है पर विना अनन्वय के समझे ऐसी मालोपमा का समझना कठिन पड़ता और अब सहज में ही समझी जा सकती है, अतः इस मालोपमा का निरूपण यहीं किया गया है । अब आप मालोपमा के प्रभेदों में यह एक भेद और समझ लीजिए ।

त्रिलुप्तमनन्वयमुदाहरति—

'एतावति प्रपञ्चेऽस्मिन् सदेवासुरमानुषे ।
केनोपमीयतां तज्ज्ञै रामो रामपराक्रमः ॥'

देवाश्च असुराश्च मानुषाश्चेति द्वन्द्वः, तैः सहिते, एतावति इयद्विशाले, अस्मिन्, प्रपञ्चे संसारे तज्ज्ञैः रामस्वरूपज्ञैर्जनैः, रामपराक्रमः रामवत् पराक्रमो यस्येति बहुव्रीहिः, स तथाविधो रामः, केन उपमानेनेत्यर्थः, उपमीयताम् सोपमानो विधीयताम् ? न तादृशपराक्रमशाली कश्चिदपरो येन तस्य तुलना दीयेतेत्यर्थः ।

धर्मोपमान-वाचकलुप्त अनन्वय जैसे—एतावति इत्यादि । देवता, असुर और मनुष्यों से सहित इस इतने बड़े संसार में राम के स्वरूप को समझनेवाले लोग, राम के पराक्रम के समान पराक्रमवाले राम की, उपमा किससे दें ? जब उनके समान पराक्रमशाली कोई है ही नहीं तब फिर उनकी उपमा किसी से बने कैसे ?

उपपादयति—

अत्र वाचकधर्मोपमानानां लोपः ।

'एतावति—' इति श्लोके सादृश्यवाचकस्य इवादेः साधारणधर्मस्य उभयनिष्ठतया प्रतीयमानस्य पराक्रमादेः उपमानवाचकस्य कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य च लोपः । ननु 'रामपराक्रम'पदमेवोपमानवाचकमिति चेन्न, तस्य उपमेयविशेषणतयोपमानबोधकत्वविरहात् इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'एतावति—' इस पद्य में सादृश्यवाचक इव आदि पराक्रमरूप समानधर्म तथा राम के समान पराक्रमशाली कोई पुरुषविशेष इन तीनों का लोप है । 'रामपराक्रमः' यह पद तो उपमानबोधक हो नहीं सकता, क्योंकि वह पद उपमेय-राम-के विशेषणरूप में प्रयुक्त है और जब उपमान का ही पता नहीं तब उभयनिष्ठ होने के कारण साधारण कहलानेवाला धर्म आवे तो कैसे ?

न्यूनतां निराचष्टे—

अत्र चोपमानलुप्तादयोऽन्ये भेदा असम्भवादहृद्यत्वाच्च नोदाहृताः ।

अस्मिन् अनन्वयालङ्कारे शुद्ध उपमानलुप्त एवमन्येऽपि उपमोक्ता लुप्तभेदा न सम्भवन्ति सम्भवन्तोऽपि वा चमत्कारहीना अतस्तेषां भेदानामुदाहरणानि न लिखितानीति भावः ।

न्यूनता का निराकरण किया जाता है—अत्र इत्यादि । लुप्त भेद के जितने उपभेद उपमा में उदाहृत हुए हैं उन सभी उपभेदों के उदाहरण अनन्वय में भी दिखाए जाने चाहिएँ, पर दिखाये गए नहीं, अतः यहाँ यह न्यूनता आ जाती है, ऐसी आशङ्का नहीं की जा सकती क्योंकि लुप्तभेद के जिन उपभेदों के उदाहरण अनन्वय में दिखला दिये गए हैं उनसे अधिक उपभेद-शुद्ध उपमानलुप्त आदि-अनन्वय में हो ही नहीं सकते, खोज-खाज कर यदि उन भेदों के उदाहरण उपस्थित भी किये जाँय, तो वे वस्तुतः उदाहरण-कोटि में ग्राह्य नहीं हो सकते, कारण, उस तरह के उदाहरणों में चमत्कार का अभाव ही रहेगा और जब चमत्कार ही नहीं तब उनको अलङ्कार माना ही कैसे जायगा ?

खण्डनाय रत्नाकरमतमुत्थापयति—

यत्तु—"तेन तदेकदेशेनावसितभेदेन वोपमानतया कल्पितेन सादृश्यमनन्वयः। उपमेयेनैवोपमानतया कल्पितेनोपमेयस्यामुखावभासमानसाधर्म्यापादानमेकोऽनन्वयः, उपमेयैकदेशस्य तथैवोपमानताकल्पनमपरः। उपमेयस्यैव प्रतिबिम्बत्वादिना भेदेनावसितस्य तत्त्वकल्पनं तृतीयः।

आद्यो यथा—

'युद्धेऽर्जुनोऽर्जुन इव प्रथितप्रतापः' इत्यादि।

द्वितीयो यथा—

'एतावति प्रपञ्चे सुन्दरमहिलासहस्रभरितेऽपि।
अनुहरति सुभग तस्या वामार्धं दक्षिणार्धस्य॥'

तृतीयो यथा—

'गन्धेन सिन्धुरधुरन्धरवक्त्रमैत्री-
मैरावणप्रभृतयोऽपि न शिक्षितास्ते।
तत्त्वं कथं त्रिनयनाचलरत्नभित्ति-
स्वीयप्रतिच्छविषु यूथपतित्वमेषि॥'

एषूपमानान्तरविरहस्त्रिष्वपि भेदेषु गम्यते। इत्यनन्वयस्त्रिविधः।" इति रत्नाकरेणोक्तम्।

त्रिविधानन्वयसंग्राहकमेकं लक्षणं प्रथमत आह—तेनेत्यादि। अवसितभेदेनेति। निश्चितभेदेनेत्यर्थः। अस्मात् लक्षणात् 'उपमानतया कल्पितेन तेन सादृश्यमनन्वयः', 'उपमानतया कल्पितेन तदेकदेशेन सादृश्यमनन्वयः' एवम् 'अवसितभेदेन तेन उपमानतया कल्पितेन सादृश्यमनन्वयः' इति त्रिविधं लक्षणं फलतीति स्फोरयितुम् प्रथमलक्षणव्याख्यारूपं त्रिविधं लक्षणं क्रमश आह—उपमेयेनैवेत्यादिना। प्रथमलक्षणघटकस्य 'तेन' इत्यस्य विवरणम्—उपमेयेनैवेति। अमुखेति। अमुख्येत्यर्थः। तथा च 'अमुखावभासमानसाधर्म्यापादनम्' इत्यस्य 'अमुख्यरूपेण अवभासमानम् = प्रतीयमानं यत् साधर्म्यम् = सादृश्यम् तस्य आपादनम्—ग्रहणम्' इत्यर्थः। 'तदेकदेशेन' इत्यस्य प्रथमलक्षणघटकस्य विवरणम्- उपमेयैकदेशस्येति। तथैव उपमेयवत्। प्रथमलक्षणघटकस्य 'अवसितभेदेन' इत्यस्य विवरणम्—उपमेयस्यैव प्रतिबिम्ब इति। प्रतिबिम्बोऽत्र लौकिकः। अवसितस्य निश्चितस्य। तत्त्वेति। उपमानत्वेत्यर्थः। प्रथमभेदस्योदाहरणं निर्देष्टुमाह—आद्यो यथेति। उदाहरणमाह—युद्धे इति। युद्धे रणे, अर्जुनः महाभारतनायकः पाण्डुपुत्रः, इव, प्रथितप्रभावः विख्यातमाहात्म्यः, अर्जुन एवेत्यर्थः। द्वितीयभेदस्योदाहरणं निर्देष्टुमाह—द्वितीयो यथेति। उदाहरणं निर्दिश्यते—एतावति इति। हे सुभग सुन्दर। सुन्दरेण मनोहरेण महिलासहस्रेण स्त्रीसहस्रेण, भरिते परिपूर्णे, अपि, एतावति निरवधौ, प्रपञ्चे संसारे तस्याः कस्याश्चिद् वर्णनीयनायिकायाः, वामार्धम् वामार्धभागः, दक्षिणार्धस्य दक्षिणार्धभागस्य (कर्मणः शेषत्वविवक्षया षष्ठी), अनुहरति अनुकरोतीत्यर्थः। तन्नायिकावामाङ्गस्य समता-

यदि क्वचिदस्ति तर्हि तन्नायिकादक्षिणाङ्गेष्वेव, नान्यनायिकाङ्गेष्विति भावः। अत्र समुदिता नायिका उपमेयभूता। तृतीयभेदमुदाहर्तुमाह—तृतीयो यथेति। उदाहरणं निर्दिश्यते-गन्धेन—इति। हे सिन्धुरधुरन्धरवक्त्र गजश्रेष्ठमुख गणपते! ते प्रसिद्धाः, ऐरावणप्रभृतयः ऐरावतादयः, गन्धेनापि लेशतोऽपि, मैत्रीम् स्वसादृश्यमिति लक्ष्योऽर्थः, न, शिक्षिता अध्यापिताः प्रापिता इति यावत, त्वयेति शेषः, तत तस्मात् कारणात, त्वम्, त्रिनयनाचलस्य शिवशिखरिणः कैलासपर्वतस्येति यावत, रत्नभित्तिषु रत्नखचितभित्त्याधारेषु, याः स्वीयप्रतिच्छवयः स्वप्रतिबिम्बाः, तेषु, यूथपतित्वं दलाधिपत्वम्, कथं केन प्रकारेण, एषि प्राप्नोसि—प्रसिद्धा ऐरावतादयोऽपि यदि तव सदृशा न भवन्ति तर्हि निष्प्राणाः प्रतिकृतयः कथं तव सदृशा भवेयुः, न चेत् प्रतिकृतयः सदृशाः तर्हि न ता आदाय यूथत्वसम्पत्तिः, यूथत्वाभावे च कथं यूथपतित्वमित्यर्थः। उपमानान्तरविरह इति। तत्राद्ये स्फुट एव सः। द्वितीये तदवयवान्तरोपमया तस्यां निरुपमत्वं सिद्ध्यति। अन्यथा तत्सदृशपदार्थावयवेनैवैतदवयवस्योपमां दद्यात्। तृतीयेऽपि प्रतिबिम्बस्योपमानत्वकल्पनयाऽन्यस्योपमानस्याभावो गम्यते।

खण्डन करने के लिये पहले 'रत्नाकर' के मत का उपपादन किया जाता है—यत्तु इत्यादि। 'अलङ्काररत्नाकर' में कहा गया है कि—उस (उपमेय), उसके एकदेश (हिस्से) अथवा किसी तरह निश्चित रूप से भिन्न समझे गए उसी (उपमेय) को जब उपमानरूप में कल्पित करके उसका सादृश्य उसी में वर्णित हो तब उस सादृश्य को अनन्वय कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि-अनन्वय तीन प्रकार का होता है—१—उपमानरूप में कल्पित उपमेय के साथ उसी उपमेय का अवास्तविक-सादृश्यग्रहण। २—उसी तरह उपमेय के एकदेश को उपमानरूप में कल्पित कर लेना, और ३—उपमेय को ही प्रतिबिम्ब के रूप में भिन्न मानकर उपमानरूप में कल्पित कर लेना। इनमें से प्रथम, जैसे—'युद्धे···' इत्यादि अर्थात् युद्ध में अर्जुन सा प्रसिद्ध पराक्रमशाली अर्जुन ही है, कोई दूसरा नहीं। द्वितीय, जैसे-'एतावति···' इत्यादि अर्थात् हे सुन्दर! यह इयत्ता-रहित संसार यद्यपि हजारों सुन्दरियों से भरा पड़ा है, तथापि उस नायिका का वामार्ध (अङ्गों का बायाँ हिस्सा) दक्षिणार्ध (अङ्गों के दाहिने हिस्से) का ही अनुकरण करता है–उसके बायें अङ्गों को तुलना उसके दाहिने अङ्गों से ही की जा सकती है, अन्य नायिका के अङ्गों से नहीं, क्योंकि उसके समान सुघड़ अङ्गों वाली कोई दूसरी नायिका दुनिया में है ही नहीं। यह नायक का मित्र के प्रति कथन है। तृतीय जैसे-'गन्धेन···' इत्यादि अर्थात् हे गजेन्द्रवदन (गणेश)! वे परम प्रसिद्ध ऐरावत आदि हाथी आपकी मित्रता (समानता) को लेश मात्र भी नहीं सीख पाए-आपने अपनी समानता उन्हें दी ही नहीं-वे आपकी तुलना कर नहीं सकते। अतः मैं आप से पूछता हूँ कि-आप, कैलास पर्वत की रत्नमय भित्तियों में पड़नेवाले अपने प्रतिबिम्बों के यूथपति कैसे बन जाते हैं? जब सप्राण, चिरविख्यात, ऐरावत आदि दिग्गजों में आपकी समता नहीं, तब ये निष्प्राण प्रतिबिम्ब आपके यूथ में कैसे आ सकते हैं? कदापि नहीं आ सकते, और जब उनको लेकर आपका यूथ नहीं बन सकता, तब आप यूथपति बन कैसे सकते हैं? इसका रहस्य कुछ समझ में आता नहीं। इन तीनों भेदों में अन्य उपमान का अभाव प्रतीत होता है-अर्थात् प्रथम में 'अर्जुन जैसा अर्जुन ही है' इस कथन से अन्य उपमान का अभाव स्पष्ट ही है। द्वितीय में जो वर्ण-

नीय नायिका के अङ्गों की तुलना उसी के अङ्गों से की गई है उससे उस नायिका की निरुपमता सिद्ध होती है, यदि उसके जोड़ की कोई अन्य नायिका उपलब्ध होती, तो उसी के अङ्गों से वर्णनीय नायिका के अङ्गों की तुलना की जाती, अपने अङ्गों से नहीं। तृतीय में–गणेश जी के प्रतिबिम्बों को गणेश जी का उपमान माना गया है जिससे अन्य उपमान का अभाव स्पष्ट व्यक्त होता है। अतः अनन्वय तीन प्रकार का है।"

खण्डयति—

तन्न। उपमानान्तरविरहप्रतीतिमात्रादेवानन्वयत्वे 'स्तनाभोगे पतन्भाति' इत्यत्रोपदर्शितायाः कल्पितोपमाया अपि तथात्वापत्तेः। यद्यर्थातिशयोक्तावति-प्रसक्तेश्च। तादृशप्रतीतिफलकैकोपमानोपमेयकसादृश्यस्य तत्त्वे पुनः कथं नाम वामार्धदक्षिणार्धयोर्भिन्नयोः सादृश्ये तद्भेदत्वोपन्यासः। न च स तदेकदेशस्त-त्प्रतिबिम्बश्चेत्येतदन्यतमप्रतियोगिकसादृश्यमनन्वयः इति काव्याप्तिरतिव्याप्ति-र्वेति वाच्यम्। नास्त्यन्वयोऽस्येति योगार्थविरहेण तदेकदेशसादृश्यस्यानन्वय-पदार्थत्वासम्भवात्। अपि चानन्वये 'गगनं गगनाकारम्' इत्यादावुपमेयस्यैवोप-मानत्वेनोपन्यासादुपमेयातिरिक्तोपमानविरहप्रतीतिद्वारा निरुपमत्वमुपमेयगतं सिद्ध्यति। अत्र च वामार्धस्योपमेयस्य दक्षिणार्धरूपोपमानकथनेन निरुपमत्वं विरुद्धमेव। कान्तागतनिरुपमत्वप्रत्ययस्तु नानन्वयस्य फलं भवितुमर्हति, तस्या अनुपमेयत्वात्।

तत् पूर्वोक्तरत्नाकरमतम्। न युक्तं नेत्यर्थः। अयुक्तत्वे हेतुमाह—उपमानान्तरे-त्यादिना। तथात्वेति। अनन्वयत्वेत्यर्थः। इष्टापत्तावाह—यद्यर्थेति। 'यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्' इति काव्यप्रकाशोक्ततृतीयातिशयोक्त्युदाहरणे 'राकायामकलंकं चेदमृतांशोर्भवेद् वपुः। तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्॥' इत्यादाविति तदर्थः। आशयविशेष-वर्णनेऽपि न निर्दुष्टत्वमित्याह—तादृशेति। उपमानान्तरविरहेति तदर्थः। तत्त्वे अनन्वय-त्वे। पुनःशब्दस्त्वर्थे। भिन्नयोरिति। तथा च द्वितीयविशेषणाभाव इति भावः। तद्भेद-त्वेति। अनन्वयविशेषत्वेत्यर्थः। रत्नाकरमतस्य निर्दुष्टत्वमाशङ्कते–न चेत्यादिना। स इति। उपमेय इत्यर्थः। इदानीमाद्यविशेषणं न देयम्। तद्विरहस्य नान्तरीयकत्वादिति भावः। समाधत्ते—नास्त्यन्वय इत्यादिना। विरहेणेति। अबाधितत्वादिति भावः। ननु रूढमेवानन्वयपदमत आह—अपि चेति। अत्र चेति। द्वितीयभेदे चेत्यर्थः। निरुपमत्व-मिति। एषूपमानान्तरेत्यादिना प्रतिपादितमित्यर्थः। ननु तेन ग्रन्थेन कान्तायां निरुप-मत्वं प्रतिपादितं न तत्रेत्यत आह—कान्तेति। प्रागुक्तं रत्नाकरमतं न समीचीनम्, स्तनाभोगे—' इति पूर्वोक्तकल्पितोपमोदाहरणेऽतिव्याप्तेः, उपमानान्तरराहित्यस्य तत्रापि प्रतीतेः। न चेष्टापत्त्यादोष इति वाच्यम्, तत्र दोषाभावेऽपि अनुपदं टीकोद्धृतेऽतिश-योक्त्युदाहरणेऽतिप्रसङ्गस्य दुर्वारत्वात्। उपमान्तरविरहप्रतीतिफलकम् एकोपमानोपमेयकं यत्सादृश्यं तदनन्वय इति विवक्षणेऽपि न निस्तारः तदनुसारं द्वितीयभेदकथनस्यासङ्गतेः, तत्र वामार्धस्योपमेयत्वेन दक्षिणार्धस्योपमानत्वेन एकोपमानोपमेयकसादृश्यस्याभावात्। न च नोपमानान्तरविरहप्रतीतावाग्रहो न वा एकोपमानोपमेयकत्वे, अपितु उपमेय-तदेक-

देश-तत्प्रतिबिम्बान्यतमप्रतियोगिकसादृश्यस्यानन्वयत्व एवोक्तग्रन्थस्य तात्पर्यम्, तथा च पूर्वोक्तदोषाणामनवसर इति वाच्यम्, 'वामार्धं दक्षिणार्धस्य' इत्यत्र भिन्नपदार्थयोः सादृश्यस्यान्वये बाधकाभावात् अनन्वयपदयोगार्थासङ्गमात्। अनन्वयपदं न यौगिकमपितु रूढम् तथा च न तदर्थासङ्गमप्रसङ्ग इति चेदस्तु तथा, तथापि निरुपमत्वकथनं विरुद्धं प्रसज्येत, वामार्धरूपोपमेयस्य दक्षिणार्धरूपोपमानमस्ति इति स्वयमुक्तत्वात्। 'गगनं गगनाकारम्' इत्यादौ तु भवत्यनुपमत्वप्रतीतिः, उपमेयस्यैवोपमानत्वकल्पने अन्यदुपमानं नास्तीत्यस्य फलितत्वात्। कान्ताया निरुपमत्वप्रतीतिरत्रापि भवत्येवेति चेत्? सत्यम् भवति, परं तु न सा प्रतीतिरनन्वयस्य फलम्, उपमेयस्यानुपमेयत्वप्रतीतिरनन्वयफलम्। न चात्र नायिका उपमेया, वामार्धदक्षिणार्धयोरेवोपमानोपमेयभावस्य विवक्षणादिति भावः।

खण्डन किया जाता है—तन्न इत्यादि। ऊपर जिसका विस्तारपूर्वक उपपादन किया गया है। वह रत्नाकरमत वस्तुतः ठीक नहीं है। कारण, यदि केवल अन्य उपमान के अभाव की प्रतीति होने से अनन्वय माना जाय तब 'स्तनाभोगे···' यह कल्पितोपमा का उदाहरण जो पहले दिखलाया गया है उसको भी अनन्वय का उदाहरण मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी अन्य उपमान के अभाव की प्रतीति होती है: यदि इष्टापत्ति के द्वारा आप इस दोष से बचना चाहेंगे तो बच सकते हैं, पर 'यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्' इस लक्षण के अनुसार मम्मट आदि आलङ्कारिकों के द्वारा स्वीकृत अतिशयोक्ति के तृतीय भेद के उदाहरण—'राकायामकलङ्कं चेत्···' (सम्पूर्ण पद्य संस्कृतटीका में देखिये)-अर्थात् 'पूनों की रात में यदि निष्कलङ्क चन्द्र उपलब्ध हो तब उसका (वर्णनीय नायिका का) मुख 'इसको भी किसी से समता हो सकती है' इस पराभव को प्राप्त करेगा।' में होनेवाली अतिव्याप्ति (दोष) से नहीं बच सकते, क्योंकि सर्वसम्मत इस अतिशयोक्ति में इष्टापत्ति की सुविधा सम्भव नहीं है। यदि आप उक्त लक्षण का यह अभिप्राय प्रकाशित करें कि–'अन्य उपमान के अभाव की प्रतीति जिसका फल हो और जिसका उपमान तथा उपमेय एक ही पदार्थ हो ऐसे सादृश्य को अनन्वय कहा जाता है' तब उक्त अतिशयोक्तिस्थलीय दोष से भी मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि वहाँ सम्भावना-रूप में ही सही, पर दो पदार्थ उपमान-उपमेयरूप से विवक्षित हैं, एक नहीं। पर तब नायिका के बायें अङ्ग और दाहिने अङ्ग इन वस्तुतः दो पदार्थों के सादृश्य को जो आपने अनन्वय का द्वितीय भेद माना है वही असङ्गत हो जायगा, क्योंकि वहाँ भी सादृश्य के उपमान और उपमेय दो पदार्थ–दाहिने अङ्ग तथा बायें अङ्ग—स्पष्ट हैं। यदि आप कहें कि–'यह सब कुछ नहीं। उपमेय, उसका एक हिस्सा तथा उसका प्रतिबिम्ब इन तीनों में से किसी एक का सादृश्य यदि वर्णित हो, तब उस सादृश्य को अनन्वय माना जाय' बस, केवल इतना मैं कहता हूँ, फिर आप बतलाइये कहाँ अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति होगी? अर्थात् नहीं होगी, क्योंकि, द्वितीय भेद में उपमेय नायिका के एकदेश का सादृश्य वर्णित है ही अतः वहाँ अव्याप्ति नहीं होगी और उक्त कल्पितोपमा तथा अतिशयोक्ति में भी इन तीनों में से किसी एक का सादृश्य वर्णित है नहीं, अतः अतिव्याप्ति भी नहीं होगी।' तब मैं कहूँगा कि–आपका यह कथन ठीक है–अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति नहीं होगी, पर उपमेय के एक हिस्से के सादृश्य को जो आपने अनन्वय माना है, उसमें वस्तुतः अनन्वय पद का अर्थ घटता नहीं क्योंकि 'अनन्वय' पद का अर्थ होता है 'जिसका अन्वय न हो सके वह सादृश्य' और 'वामार्ध

दक्षिणार्धस्य अनुहरति' में जो सादृश्य प्रतीत होता है उसके अन्वित होने में किसी तरह की बाधा है नहीं-अर्थात् अपने में अपना सादृश्य बाधित होता है, यहाँ तो दाहिने का सादृश्य बायें में कहा गया है, फिर उसमें बाधा कैसी ? यदि आप कहें कि अनन्वय पद में योगार्थ विवक्षित नहीं, वह केवल एक रूढ संज्ञावाचक शब्द है, तो मैं कहूँगा—रहे कुछ काल के लिये आपकी यह अयुक्त युक्ति भी मान्य, पर इतने पर भी तो निस्तार नहीं आपका होता, क्योंकि 'एषु उपमानान्तरविरहस्त्रिष्वपि भेदेषु गम्यते' इस ग्रन्थ के द्वारा जो आपने उपमेय में निरुपमता की प्रतीति को अनन्वय का फल कहा है वह विरुद्ध है-अर्थात् 'गगन गगन-सा है' इत्यादि स्थलों में उपमेय का ही उपमान-रूप में वर्णन किया गया रहता है, अतः उससे पहले अन्य उपमान के अभाव की प्रतीति होती है और बाद में तद्द्वारा उपमेय की निरुपमता फलित होती है, पर आपके 'बायें अङ्ग दाहिने अङ्गों की समता करते हैं' इस द्वितीय भेदोदाहरण में तो उपमेय का उपमानरूप में वर्णन हुआ नहीं है—उपमेय—बायें अङ्गों—से भिन्न—दाहिने—अङ्गों को उपमान माना गया है, अतः यहाँ न अन्य उपमान के अभाव की प्रतीति होगी और न उपमेय की निरुपमता की। संक्षेप में तात्पर्य यह निकलता है कि-उपमान के रहते निरुपमता की बात करना सर्वथा विरुद्ध है। आप कहेंगे-नायिका की निरुपमता तो उससे अवश्य प्रतीत होती है, तो मैं भी उसको स्वीकार करूँगा, पर नायिका में जो निरुपमता की प्रतीति होती है वह अनन्वय का फल नहीं है, क्योंकि नायिका यहाँ उपमेय ही नहीं है —उपमेय है उसका वामार्ध जिसकी निरुपमता सिद्ध नहीं होती और उपमेय की निरुपमता ही अनन्वय का फल कहलाती है।

अलङ्कारसर्वस्वकारोक्तमुपपाद्य निरस्यति—

यदपि चालङ्कारसर्वस्वकृता 'अनन्वयध्वनित्वमत्र भविष्यति। अन्यथाऽलङ्कारध्वनेर्विषयापहारः स्यात्' इत्युक्तम्, तदपि तुच्छम्। अस्य ह्युपमाननिषेधफलकमभिन्नोपमानोपमेयकं सादृश्यं स्वरूपमित्युक्तम्। प्रकृते च वामार्धदक्षिणार्धयोस्तद्बाधितमित्युक्तमेव। कान्तायाः पुनरुपमाननिषेधस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि अभिन्नोपमानोपमेयकसादृश्यस्य स्वरूपस्याप्रत्ययात्। नहि निरुपमत्वप्रतीतिषु सर्वास्वभिन्नोपमानोपमेयकसादृश्यप्रतीतिपूर्वकत्वमिति नियमोऽस्ति। कल्पितोपमातिशयोक्त्योरसमालङ्कारध्वनौ च व्यभिचारात्। तस्मान्नास्त्येवात्रानन्वयगन्धोऽपि।

अनन्वयध्वनित्वमिति। अत्र 'तद्वामार्धं दक्षिणार्धमनुहरतीत्युच्यताम् सोऽनुहरतीति व्यङ्ग्यमिति भावः। एवं चास्य हीत्यादिना किमुच्यते तद्विचार्यं सहृदयैः। ईदृशव्यङ्ग्यव्यञ्जने उपायाभाव इत्यपि कश्चित्' इति नागेश आह। अत्र द्वितीयलक्ष्ये। हि यतः। अस्यानन्वयस्येदं स्वरूपमित्युक्तमतस्तत्तुच्छमित्यर्थः। तदुपपादयति—प्रकृते चेति। तदिति। अभिन्नोपमानोपमेयकं सादृश्यमित्यर्थः। तयोर्भेदादिति भावः। उपसंहरति—तस्मादिति। रत्नाकरोक्ते 'अनुहरति सुभग तस्या वामार्धं दक्षिणार्धस्य' इति अनन्वयद्वितीयभेदोदाहरणे वाच्यानन्वयालङ्कारत्वस्यासम्भवेऽपि अनन्वयध्वनित्वम् स्वीकरणीयमेव, ईदृशस्थले तस्यानङ्गीकारे अलङ्कारध्वनेर्लक्ष्यमेवापहृतं भवेदित्यलङ्कारसर्वस्वकार आख्यत, परमिदमप्यशोभनमेव, पूर्वोक्तस्य उपमाननिषेधफलकाभिन्नोपमानोपमेयकसादृश्यात्मकस्य अनन्वय-

स्वरूपस्य प्रकृते वामार्धदक्षिणार्धयोरुपमेयोपमानयोर्भिन्नयोः पदार्थयोर्बाधितत्वात् । ननु कान्तागतनिरुपमत्वस्य व्यङ्ग्यत्वेन तस्या एवोपमेयाया उपमानत्वकल्पनेन तादृशसादृश्यप्रतीतिर्वामार्धदक्षिणार्धयोस्तस्य बाधितत्वेऽपि अस्त्येवेति चेन्न, तस्यास्तित्वेऽपि उक्तस्यानन्वयस्वरूपस्याप्रतीतेः । यदि अभिन्नोपमानोपमेयकसादृश्यप्रतीतिपूर्विका एव सर्वा अनुपमत्वप्रतीतयो भवन्तीति नियमोऽभविष्यत्तदा कान्तागतनिरुपमत्वप्रतीतिपूर्वक्षणेऽपि तादृशसादृश्यप्रतीतिः स्वीकृताऽभविष्यत् , परं तु 'स्तनाभोगे···' इति कल्पितोपमायाम् , 'राकायामकलङ्कं चेत्···' इति पद्यार्थकल्पितातिशयोक्तौ, 'मयि त्वदुपमाविधौ···' इति असमालङ्कारध्वनौ च निरुपमत्वप्रतीतेः सत्त्वेऽपि तत्पूर्वक्षणे तादृशसादृश्यप्रतीतेरभावेन व्यभिचारात् स नियमो नाङ्गीकर्तुं योग्यः । अतः 'वामार्धम् दक्षिणार्धस्य' इत्यत्रानन्वयालङ्कारो नास्त्येवेति भावः ।

अलङ्कारसर्वस्वकार की उक्ति का उपपादन करके खण्डन करते हैं—यदपि इत्यादि । 'वामार्ध दक्षिणार्धस्य' इस स्थल के सम्बन्ध में अलङ्कारसर्वस्वकार ने जो यह कहा कि—'यहाँ वाच्य अनन्वय भले हो न हो पर अनन्वयध्वनि यहाँ अवश्य कही जायगी—अर्थात् यहाँ अनन्वय अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है ऐसा मानना उचित है, यदि यहाँ अनन्वयध्वनि नहीं मानी जाय तब काव्यजगत् से अलङ्कारध्वनि का लक्ष्य ही उठ जायगा।' पर उनका भी कथन निस्सार ही है। कारण, यह कहा जा चुका है कि—उपमान का निषेध जिसका फल हो और जिसके उपमान-उपमेय अभिन्न हों—एक ही पदार्थ हों— वह सादृश्य अनन्वय का स्वरूप है। और वैसा सादृश्य 'एतावति प्रपञ्चे···' इस पद्य में वर्णित 'वामार्ध' तथा 'दक्षिणार्ध' में तो बन पाता नहीं—यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है। तब बात रही नायिका के उपमान के निषेध (निरूपमत्व) की, सो उसकी प्रतीति यहाँ अवश्य होती है—उसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता, किन्तु वहाँ भी अनन्वय का स्वरूप-'अभिन्नोपमानोपमेयकसादृश्य'-प्रतीति नहीं होता और उस स्वरूप की प्रतीति के बिना इस व्यङ्ग्य को अनन्वयरूप माना कैसे जा सकता है ? यह तो कोई नियम है नहीं कि—सभी अनुपमत्व-प्रतीति के पूर्वक्षण में 'अभिन्नोपमानोपमेयकसादृश्य' की प्रतीति ही हो, क्योंकि—'स्तनाभोगे' इस कल्पितोपमा, 'राकायामकलङ्कं चेत्···' इस अतिशयोक्ति और 'मयि त्वदुपमाविधौ···' इस वक्ष्यमाण असमालङ्कारध्वनि में अनुपमता की प्रतीति होती है, पर वहाँ वैसे सादृश्य की प्रतीति नहीं होती। फलतः व्यभिचरित हो जाने के कारण वह नियम नहीं माना जा सकता। अतः 'एतावति···' इस पद्य में अनन्वयालङ्कार का लेश भी नहीं है।

अप्पयदीक्षितमतमुपपाद्य निरस्यति—

यच्च 'अयमनन्वयो व्यङ्ग्योऽप्यस्ति' ।

यथा—

'अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते ।
कालेनैषा भवेत् प्रीतिस्तवैवागमनात्पुनः ॥'

अत्र गृहागतं श्रीकृष्णं प्रति विदुरवाक्ये इयं त्वदागमनप्रभवप्रीतिर्बहुकालव्यवहितेन पुनरपि त्वदागमनेनैव भवेत् नान्येन, इत्युक्तिभङ्ग्या त्वदागमनप्रभवप्रीतेः सैव सदृशी न त्वितरप्रभवा इति व्यज्यते' इत्यप्पयदीक्षितैरभिहितम्

तदपि न। अमुष्यास्त्वदागमनप्रभवायाः प्रीतेर्वारान्तरत्वदागमनप्रभवा प्रीतिः सदृशीति प्रत्ययस्य सर्वजनसिद्धतया श्रीकृष्णागमनजन्यप्रीतिसामान्यावयवयोर्द्वयोः प्रीतिव्यक्त्योः सादृश्यस्याबाधितत्वाद्योगार्थाभावेनानन्वय एव नायं भवितुमर्हति। 'स्वस्मिन् सादृश्यस्यान्वयाभावादनन्वयः' इत्युपमाप्रकरणे स्वयमेवाभिधानात्। उपमेयस्य प्रीतिव्यक्तिविशेषस्य सदृशान्तरव्यवच्छेदबाधात्, तादृशप्रीतिसामान्यस्य चावयविनो निरुपमतया प्रतीयमानस्यानुपमेयत्वात् पूर्वोदाहरणतुल्यमेवैतत्। क्वचिदवयवयोरुपमाप्यवयविगतनिरुपमत्वव्यञ्जिकेति स्थिते सामान्यस्य श्रीकृष्णागमनजन्यप्रीतेः सैव सदृशीति मध्ये स्वसादृश्यप्रत्ययकल्पनं पुनर्न सहृदयहृदयमारोढुमीष्टे। रत्नाकरोक्तस्यैवानन्वयप्रकारस्यात्र व्यङ्ग्यतेत्यपि न युक्तम्, तस्य प्रागेव दूषितत्वात् प्रकृतेऽवाच्यत्वात्, स्वयमनन्वयप्रकरणे तस्य प्रतिपादनविरहाच्च।

यच्चेति। अस्य दूरस्थेन 'अभिहितम्' इति क्रियापदेन सम्बन्धः। 'अद्य या मम—' इति। हे गोविन्द श्रीकृष्ण! अद्य अस्मिन्नहनि, त्वयि भवति गृहागते भवनमुपेते सतीत्यर्थः, मम मत्सम्बन्धिनी, मम हृदये इति भावः, या प्रीतिः प्रसन्नता, जाता उत्पन्ना, एषा एतादृशीति यावत्, प्रीतिः पुनः, कालेन चिरकालानन्तरम्, तवैव न तु अन्यस्य कस्यचित्, आगमनात्, भवेत् नान्यथेत्यर्थः। सैवेति। त्वदागमनप्रभवप्रीतिरेवेत्यर्थः। निरस्यति—तदपि नेति। तत्र हेतुमाह—अमुष्या इति। यत इत्यादिः। योगार्थेति। अनन्वयपदयोगार्थेत्यर्थः। ननु रूढमेवानन्वयपदमभिमतमत आह—स्वस्मिन्निति। व्यवच्छेदे बाधादिति। तस्य व्यवच्छेदकरणेऽसामर्थ्यादित्यर्थः। कालान्तरस्य प्रीतिव्यक्तिविशेषस्य सदृशस्य सत्त्वादिति भावः। तादृशीति। श्रीकृष्णागमनजन्येत्यर्थः। पूर्वोदाहरणेति। अनुहरतीत्युदाहरणेत्यर्थः। नन्ववयविनो निरुपमत्वप्रतीतिवन्मध्ये सादृश्यप्रतीतिरप्यस्तु अत आह—क्वचिदिति। स्थलविशेषे इत्यर्थः। सैव श्रीकृष्णागमनजन्यप्रीतिरेव। मध्य इति। वाच्यव्यङ्ग्यार्थयोर्मध्य इत्यर्थः। रत्नाकरोक्तस्येति। अनन्वयद्वितीयभेदतया रत्नाकरेण कथितस्येत्यर्थः। अनन्वयप्रकारस्य 'तदेकदेशेन' इत्यादेः। अवाच्यत्वे हेतुः प्रागेव दूषितत्वादिति। ननु त्वया दूषितोऽपि न मया दूषितस्तत्राह—स्वयमिति। कालानवच्छिन्नं कृष्णागमनजन्यप्रीतिसामान्यम् अवयविभूतम्, इदानींतनकालावच्छिन्नं भविष्यत्कालावच्छिन्नं च कृष्णागमनजन्यप्रीतिद्वयं तदवयवभूतम्, तत्रावयवभूतयोः प्रीत्योः सादृश्यम् 'अद्य या मम—' इति पद्येऽवाच्यमपि दीक्षितप्रदर्शितोक्तिभङ्गीविशेषवशात् प्रतीयत इति सत्यम्, परन्तु तत्सादृश्यमनन्वयरूपं न भवितुमर्हति, भिन्नकालावच्छिन्नप्रीत्योरपि भिन्नतया तयोः सादृश्यस्यान्वये बाधकाभावात्, बाधितान्वयकसादृश्यस्यैवानन्वयपदार्थत्वस्वीकारात् बाधितान्वयकं चाभिन्नपदार्थप्रतियोगिकानुयोगिकसादृश्यमेव भवतीति सिद्धान्तात्'। कालानवच्छिन्नस्यावयविभूतस्य कृष्णागमनजन्यप्रीतिसामान्यस्योपमेयत्वं 'यदि विवक्षितमस्थास्यत्, तदा तत्सादृश्यं वर्ण्यमानत्वविरहेऽपि व्यञ्जनया प्रतीयमानं स तदनन्वयरूपमभविष्यत, परन्तु तस्योपमेयत्वं विवक्षितमेव नास्ति, विवक्षितमस्ति कालविशेषावच्छिन्नस्य कृष्णागमनजन्यप्रीतिविशेषस्यावयवभूतस्य तत्, तस्य चान्यसदृशनिषेधे

सामर्थ्यमेव नेति पूर्वोक्ते 'वामार्धं दक्षिणार्धस्य' इत्यत्रेव नात्राप्यनन्वयः। वाच्यवृत्त्यालिङ्गिताभ्यामवयवभूताभ्यां कालावच्छिन्नतादृशप्रीतिविशेषाभ्यां सामान्यरूपाया अवयविन्यास्तादृशप्रीतेरनुपमत्वं व्यज्यत इत्यत्र तु न कस्यापि विमतिः, तथा च तयोर्वाच्यव्यङ्ग्ययोर्मध्ये 'सामान्यकृष्णागमनजन्यप्रीतेः सैव सदृशी' इत्याकारकः सादृश्यबोधः कल्पनीय एव, एवञ्च तद्बोधविषयीभूतं सादृश्यं यथोक्तानन्वयरूपमिति दीक्षिताशये न काप्यनुपपत्तिरिति चेन्न, विचारासहत्वात्। तथाहि मध्ये यत्सामान्यप्रीत्योः सादृश्यं कल्प्यते तत्किमर्थम् ? सामान्यप्रीतिगतनिरुपमत्वव्यक्तिसिद्ध्यर्थम् इति चेत्तत्तुच्छम्, स्थलविशेषे अवयवयोः सादृश्यमपि अवयविगतनिरुपमत्वव्यञ्जकं भवति, तथा च अवयवभूतकृष्णागमनप्रभवप्रीत्योः सादृश्येनापि अवयविभूतसामान्यकृष्णागमनजन्यप्रीतिगतनिरुपमत्वव्यञ्जने सिद्धे तदर्थम् उक्ताकारकसादृश्यान्तरकल्पनकथायाः सहृदयजनानुभवविरुद्धत्वात्। 'उपमेयैकदेशेन उपमानतया कल्पितेन सादृश्यमनन्वयः' इति रत्नाकरकथितानन्वयस्यात्र व्यङ्ग्यता इति तु नोक्तिसम्भवः, तादृशोक्तेः प्रागेव युक्तिभिर्निराकृतत्वात्, तादृशानन्वयप्रकारस्य दीक्षितैः स्वग्रन्थेऽप्रतिपादनाच्चेति भावः।

अप्पयदीक्षित के मत का उपपादन करके निराकरण किया जाता है—यच्च इत्यादि। "यह अनन्वयालङ्कार व्यङ्ग्य भी होता है। जैसे—'अद्य या मम···' अर्थात् 'हे गोविन्द ! आज आपके मेरे घर में पदार्पण करने से मुझे जो प्रसन्नता हुई है, वह प्रसन्नता कालान्तर में पुनः आपके पदार्पण से ही हो सकती है।' घर पर आए हुए श्रीकृष्ण के प्रति, विदुर के इस वाक्य में 'यह आपके आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता, बहुत काल के बाद, फिर भी आपके आगमन से ही हो सकेगी अन्य किसी कारण से नहीं' इस कहने की विलक्षण शैली से यह व्यक्त होता है कि-'आपके आगमन से होनेवाली प्रसन्नता के समान वही प्रसन्नता है, अन्य किसी पदार्थ से उत्पन्न प्रसन्नता वैसी नहीं हो सकती।" यह जो अप्पयदीक्षित ने कहा है, वह भी ठीक नहीं है। कारण यह कि—'आपके आगमन से उत्पन्न इस प्रसन्नता के समान ही दूसरी बार आपके आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता है' यह प्रतीति सकलजनसिद्ध है—इसमें किसी को किसी तरह की बाधा प्रतीत नहीं होती। अभिप्राय है कि-कालविशेष से अनवच्छिन्न—अविशेषित—श्रीकृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता एक सामान्य अङ्गीभूत वस्तु है और कालविशेष से अवच्छिन्न अर्थात् समय-समय पर हुए श्रीकृष्ण के आगमन से उत्पन्न होनेवाली दो प्रसन्नतायें उसके अङ्ग हैं। इन दो प्रसन्नताओं को भिन्न-भिन्न काल में उत्पन्न होने के कारण भिन्न-भिन्न मानने में कोई बाधा नहीं, ऐसी स्थिति में इन अङ्गभूत प्रसन्नताओं का सादृश्य बाधित नहीं कहा जा सकता, और सादृश्य के बाधित हुए बिना 'अनन्वय' पद का योगार्थ यहाँ नहीं घटित होगा, फिर यहाँ अनन्वय कैसे हो सकता है? आपने स्वयं ही उपमा-प्रकरण में कहा है कि—'अपने सादृश्य का अन्वय अपने आप में नहीं हो सकने के कारण, यह अनन्वय कहलाता है।' अब आप ही कहिये कि-जब प्रकृत पद्य में उक्त रीति से सादृश्य अन्वित हो गया तब यहाँ अनन्वय कैसे हुआ? यहाँ वर्तमानकालिक अङ्गभूत कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता उपमेय है, उसकी तुलना जब दूसरी अर्थात्—भविष्यत्कालिक कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता से की जा रही है, तब अन्य सदृश की निवृत्ति तो बाधित हो ही गई, अर्थात् इस प्रसन्नता के समान अन्य प्रसन्नता नहीं है ऐसी बात नहीं रही, अतः यहाँ इस तरह से तो अनन्वय का लेश भी नहीं आता। अब यदि अङ्गिभूत सामान्य-कालविशेष से अनवच्छिन्न कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता

की अनुपमता को लेकर यहाँ अनन्वय की अभिव्यक्ति मानी जाय तो यह भी सङ्गत नहीं, क्योंकि उस तरह की सामान्य प्रसन्नता यहाँ उपमेय नहीं है और उपमेय की अनुपमता ही प्रतीति होकर अनन्वय का मूल बनती है। जो अङ्गभूत प्रसन्नता यहाँ उपमेय है उसकी अनुपमता सिद्ध ही नहीं होती, यह बात ऊपर के विचार से स्पष्ट है। अन्ततः यह सिद्ध हो गया कि यह उदाहरण भी पूर्वोक्त 'अनुहरति सुभग तस्याः...' इस उदाहरण के समान ही है—जैसे वहाँ अनन्वय, विचार करने पर सिद्ध नहीं होता, वैसे यहाँ भी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि आप कहें कि-इन अङ्गभूत प्रसन्नताओं के प्रतीत होनेवाली सादृश्य से अङ्गिभूत सामान्य कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता की अनुपमता तो अवश्य अभिव्यक्त होती है—उसके होने में किसी का वैमत्य हो नहीं सकता, फिर इन दोनों व्यङ्ग्य-व्यञ्जकों के मध्य में 'सामान्य-कालानवच्छिन्न कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता के समान वही प्रसन्नता है दूसरी नहीं' इस तरह के सादृश्य की कल्पना अवश्य ही करनी पड़ेगी और जब इस तरह का सादृश्य कल्पित होगा तब फिर उस सादृश्य को अनन्वयरूप मानने में आपको भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अनन्वय पद का योगार्थ सङ्घटित होता है। तो मैं कहूँगा कि नहीं—यह रीति भी मानने योग्य नहीं है। कारण, आपने जो मध्य में सामान्य प्रसन्नता के सादृश्य की कल्पना की है वह किसलिये? क्या सामान्य प्रसन्नता की सर्वसम्मत अभिव्यक्ति को सिद्ध करने के लिये? तो मैं कहूँगा कि उसके लिए आपका यह प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि स्थलविशेष में अङ्गों के सादृश्य से भी अङ्गी की अनुपमता सिद्ध होती है, ऐसी दशा में 'आज की कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता, कालान्तर में होनेवाले उनके आगमन से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता के समान है' इस अङ्गभूत प्रसन्नता के सादृश्य से भी सामान्य कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता की अनुपमता सिद्ध हो ही जायगी, फिर मध्य में एक अन्य सादृश्य की कल्पनावाली बात सहृदयों के हृदयों में ठीक-ठीक बैठती नहीं है। अब यदि आप कहें कि—रत्नाकर ने जो 'उपमानरूप में कल्पित उपमेय के एकदेश का सादृश्य अनन्वय है' यह अनन्वय का भेद बताया है उसी को हम व्यङ्ग्य बता रहे हैं तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि एक तो उस भेद की निस्सारता पहले सिद्ध की जा चुकी है, दूसरे उस तरह के भेद की चर्चा आपने अपने ग्रन्थों में की भी नहीं है। यदि आपको उस तरह का भेद अनन्वय में मान्य होता तो आप उसका उल्लेख अपने अनन्वयप्रकरण में अवश्य करते।

'अन्यथालङ्कारध्वनेर्विषयापहारः स्यात्' इति सर्वस्वकारोक्तिं मनसि निधाय तन्मुखमुद्रणाय स्वाभिमतमनन्वयध्वनिमुदाहर्तुमाह—

इदं पुनरनन्वयध्वन्युदाहरणम्—

अनन्वयालङ्कारध्वनेर्निम्ननिर्दिष्टमुदाहरणं वेदितव्यमिति भावः।

अनन्वयध्वनि का उदाहरण दिखलाने के लिये कहते हैं—इदम् इत्यादि। अनन्वयालङ्कारध्वनि का यह (निम्नलिखित) उदाहरण समझना चाहिए।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'पृष्टाः खलु परपुष्टाः परितो दृष्टाश्च विटपिनः सर्वे।
भेदेन भुवि न पेदे साधर्म्यं ते रसाल मधुपेन॥'

हे रसाल आम्रवृक्ष! मधुपेन, भ्रमरेण खलु निश्चयेन परपुष्टाः कोकिलाः, पृष्टाः स्वाद-

शब्दक्षान्तरं जिज्ञासिताः, अत्र रसज्ञानानां कोकिलानामन्तिके रसमयतरुजिज्ञासाया औचित्यमिति बोध्यम् । परकीयोक्तिषु प्रामाण्यस्य सन्दिग्धत्वादाह—सर्वे न तु कतिपये, (एतेन तत्त्वजिज्ञासाया बलवत्तरत्वमावेद्यते) विटपिनः तरवः, दृष्टाश्च स्वयमवलोकिताश्च, तथापि, भेदेन त्वद्भिन्ने इति यावत् , भुवि समस्ते जगति, तव त्वदीयम् , साधर्म्यम् सादृश्यम् , न, पेदे प्राप्तमित्यर्थः । अप्रस्तुतप्रशंसेयम् अप्रस्तुताद् भ्रमररसालवृत्तान्तात् प्रस्तुतयोः कयोश्चित् तत्त्वगवेषकानुपमनरपुंगवयोर्वृत्तान्तस्य प्रतीतेः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—पृष्टाः इत्यादि । हे आम्रतरु ! भ्रमरों ने रसज्ञ होने के नाते कोकिलों से पूछा और दूसरों के कथन से सन्तुष्ट न होकर खुद भी एक एक कर सभी वृक्षों को देख डाला, पर संसार भर में तेरी समता को उन्होंने भेद-सम्बन्ध से—अर्थात् तुम से अन्य में नहीं पाया ।

उपपादयति—

अत्र भेदेनेत्युक्त्याऽभेदे सादृश्यमनन्वयात्मकं तु पेदे इति ध्वन्यते ।

'पृष्टाः···' इति श्लोके 'त्वद्भिन्ने तव समता न पेदे' इत्यर्थकेन 'भेदेन तव साधर्म्यं न पेदे' इति कथनेन 'त्वयि तु तव सादृश्यं पेदे' इति व्यज्यते, तच्च व्यङ्ग्यं सादृश्यमनन्वयरूपमिति सिद्धमस्य श्लोकस्यानन्वयध्वन्युदाहरणत्वमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'पृष्टाः···' इस पद्य में जो 'भेद से नहीं पाया' यह कहा गया है, उससे यह ध्वनित होता है कि-अभेद सम्बन्ध से तुम्हारे सादृश्य को उन्होंने पाया—अर्थात् तुमसे अन्य में तुम्हारी समता उन्होंने नहीं पाई । इस कथन से यह स्पष्ट ध्वनित हो जाता है कि तुममें ही तुम्हारी समता प्राप्त की । ध्वनित होने वाला यह सादृश्य अनन्वयरूप है, अतः यह पद्य अनन्वयालङ्कारध्वनि का उदाहरण सिद्ध होता है ।

उदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवाऽनन्वयालङ्कारध्वनेरिदमुदाहरणं बोध्यम् ।

अथवा जैसे ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'नगेभ्यो यान्तीनां कथय तटिनीनां कतमया
पुराणां संहर्तुः सुरधुनि कपर्दोऽधिरुरुहे ।
कया वा श्रीभर्तुः पदकमलमक्षालि सलिलै-
स्तुलालेशो यस्यां तव जननि दीयेत कविभिः ॥'

पण्डितराजरचितगङ्गास्तोत्रगतं पद्यमेतत्—हे सुरधुनि अमरनदि ! जननि मातः ! मातृवत्सन्ततिकल्याणकारिणीति यावत्, कविभिः वर्णननिपुणैः पण्डितैः, तव, तुलालेशः उपमालवः, यस्यां, दीयेत, तादृशी का वर्तते अपि तु न कापीत्यर्थः । ननु बह्व्यो विख्याता नद्यः सन्तीति चेत्तत्राह—नगेभ्यः इति । नगेभ्यः पर्वतेभ्यः, 'नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्' इति पाक्षिकत्वान्नञो नकारस्य लोपाभावः । यान्तीनाम् निस्सरन्तीनाम् , मध्ये, 'यतश्च निर्धारणम्' इति षष्ठी । कतमया तटिन्या, पुराणां नगराणाम् , संहर्तुर्दाहकस्य शिवस्य कपर्दः

जटाजूटः, अधिरुरुहे अध्यारूढः। नगेभ्यो यान्तीनां तटिनीनां मध्ये, कया वा तटिन्या, श्रीभर्तुः विष्णोः, पदकमलम् चरणपङ्कजं, सलिलैः जलैः, अक्षालि धौतम्, इति त्वं कथय अस्मान् प्रति वद एवञ्च तत्कार्यकारित्वविरहात् काऽपि तवोपमेया नास्ति किमुतोपमानमिति भावः। अक्षालीत्यत्र 'चिण् भावकर्मणोः' इति कर्मणि चिणादेशः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—नगेभ्य इति। हे मातर्गङ्गे। कविगण जिसमें लेशतोऽपि तुम्हारी तुलना दे सकें ऐसी नदी कौन-सी है ? कोई नहीं। कहेंगे-है क्यों नहीं-बहुत सी प्रसिद्ध नदियाँ हैं, तो इसका उत्तर कवि के शब्दों में सुनिए—पर्वतों से निकलने वाली नदियों में कौन सी नदी ऐसी है जिसने त्रिपुरदाहक शिवजी के जटाजूट पर आरोहण किया हो और कौन सी ऐसी है जिसने भगवान् श्रीपति के चरणकमलों को अपने जल से धोया हो, हे गङ्गे! यह तुम ही कहो। तात्पर्य यह कि—इन दोनों कामों को करनेवाली दूसरी कोई नदी नहीं है, अतः हे गङ्गे! तुम्हारी तुलना किसी नदी से नहीं की जा सकती है।

उपपादयति—

अत्र कया वा त्वदितरया श्रीभर्तुः पदं सलिलैरक्षालि यस्यामितरस्यां कविभिस्तव तुलालेशोऽपि दीयेतेत्यर्थेन त्वयि पुनः सलिलक्षालितश्रीरमणचरणायां तव तुला दीयेतैवेत्यर्थोऽनन्वयात्मा श्रीगङ्गागतनिरुपमत्वपर्यवसायी इतरपदमहिम्ना व्यज्यते।

अत्र पूर्वार्धे तादृशव्यञ्जकाभावादाह—कया वेति। पूर्वोदाहरणे भेदेनेत्युक्त्या ता श-व्यञ्जयस्य स्फुटं प्रतीतिः। अत्र त्वस्फुटा। अत एवोदाहरणान्तरदानमिति ध्वनयन्नाह—इतरपदमहिम्नेति। 'नगेभ्यो यान्तीनाम्'''' इति पद्यस्योत्तरार्धेन 'कया वा''' इत्यादि' मूलोक्तार्थ उच्यते, तेन चार्थेन मूलोक्ताकारोऽनन्वयस्वरूपोऽर्थो ध्वन्यते, ध्वन्यमानश्चार्थो गङ्गागतनिरुपमत्वे पर्यवस्यतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'नगेभ्यः—' इस पद्य के उत्तरार्ध भाग का जो 'तुमसे अन्य किस नदी ने अपने जल से श्रीपति के चरण-कमलों को धोया है ? जिसमें कविगण तुम्हारा तुलालेश भी दे सकें' यह अर्थ वाच्य है, उससे 'तुमने तो अपने जल से श्रीरमण के चरणकमलों को धोया ही है, अतः तुम्हारे साथ तुम्हारी तुलना की जा सकती है'—यह अर्थ ध्वनित होता है, जो कि अनन्वयरूप है और जिसका पर्यवसान गङ्गा की निरुपमता में होती है। यहाँ यह अर्थ 'यस्याम्' पद के अर्थरूप 'इतर (अन्य)' पद के प्रभाव से ध्वनित होता है।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामनन्वयप्रकरणम्।

अनन्वयालङ्कारं निरूप्य सम्प्रति असमालङ्कारनिरूपणमारभमाणस्तावत्तल्लक्षणमाह—

सर्वथैवोपमानिषेधोऽसमाख्योऽलङ्कारः।

उपमाननिषेध इति। साक्षात्परम्परया वेत्यादिः। तथा च साक्षात्परम्परया या उपमाया आत्यन्तिकाभावो वर्णनविषयीभूतोऽसमनामकालङ्कारलक्षणमिति भावः।

अनन्वयालङ्कार का निरूपण कर लेने के बाद अब 'असम' अलङ्कार के निरूपण का आरम्भ करते हुए पहले उसका लक्षण करते हैं—सर्वथैव इत्यादि। साक्षात् अथवा परम्परया उपमा के आत्यन्तिक निषेध को 'असम' अलङ्कार कहते हैं।

विवेचयति—

अयं चानन्वये व्यङ्ग्योऽपि तच्चमत्कारानुगुणतया रूपकदीपकादावुपमेव न पृथगलङ्कारव्यपदेशं भजते। वाच्यतायां तु स्वातन्त्र्येण चमत्कारितया पृथक् व्यपदेशभाक्।

तच्चमत्कारानुगुणतयेति। अनन्वयकृतचमत्कारपरिपोषकतयेत्यर्थः। पृथगिति, पृथगलङ्कारेत्यर्थः। यद्यप्ययमसमपदार्थः अनन्वयस्थले नियमतो व्यङ्ग्यो भवत्येव, तथापि यथा रूपकदीपकाद्यलङ्कारेषु नियमतो व्यज्यमानाऽप्युपमा रूपणदीपनादिकृतविलक्षणचमत्कारपोषकतया गुणीभूता पृथक् अलङ्कारव्यवहारविषयतां नावगाहते, तथैव तत्र व्यज्यमानोऽप्यसमः अनन्वयकृतचमत्कारविशेषपोषक इति गुणीभूतः पृथक् अलङ्कारव्यवहारविषयो न भवति। यत्र पुनर्वाच्योऽयमसमस्तत्र स्वतन्त्रं चमत्कारं जनयन् भवत्येव पृथगलङ्कारव्यवहारविषय इति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—अयं च इत्यादि। यद्यपि यह 'असमपदार्थ' 'अनन्वय' में नियमतः व्यङ्ग्य होता ही है, तथापि वहाँ अनन्वयप्रयुक्त विलक्षण चमत्कार का पोषक होकर रहता है, स्वतन्त्र नहीं, अतः, जिस तरह रूपक, दीपक आदि में नियमतः व्यङ्ग्य होने पर भी उपमा को पृथक् अलङ्कार नहीं कहा जाता उसी तरह, इसको भी वहाँ पृथक् अलङ्कार नहीं कहा जा सकता। पर जहाँ यह असम (सादृश्य का निषेध) वाच्य रहता है वहाँ स्वतन्त्र चमत्कार को उत्पन्न करता है, अतः वहाँ, पृथक् अलङ्कार का व्यवहार उसमें किया जाता है।

उदाहरणं निर्देष्टुमाह—

यथा—

असमालङ्कारत्वप्रयोजको यः प्रकारः स निर्दिश्यत इति भावः।

जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'भूमीनाथ शहाबदीन भवतस्तुल्यो गुणानां गणै-
रेतद्भूतभवप्रपञ्चविषये नास्तीति किं ब्रूमहे।
धाता नूतनकारणैर्यदि पुनः सृष्टिं नवां भावये-
न्न स्यादेव तथापि तावकतुलालेशं दधानो नरः॥'

कविः शहाबुद्दीननामानमितिहासप्रसिद्धं यवनजातीयं नृपं स्तौति-हे शहाबुद्दीननामक भूमीनाथ राजन्! एतेभ्यो भूतेभ्यः वर्तमानेभ्यः पञ्चमहाभूतेभ्यः क्षित्यादिभ्यः, भवः उत्पत्तिर्यस्य तादृशे प्रपञ्चविषये संसारे, गुणानां गणैः शौर्योदार्यादिसमुदयैः, भवतस्तव, तुल्यः समानो, नास्ति, इति, किं ब्रूमहे कथयामः, अकथनेऽपि सर्वैरेतद् ज्ञायत एवेति भावः। धाता ब्रह्मा, यदि, नूतनकारणैः प्रसिद्धपञ्चभूतातिरिक्तस्वनिर्मितकारणैरित्यर्थः, पुनः, नवां नूतनाम्, सृष्टिं संसारम्, भावयेत् रचयेत्, तथापि नूतनसंसारनिर्माणेऽपि तावकतुलालेशं त्वदीयसमतालवं, दधानः दधत, नरो मनुष्यः, नैव, स्यात् भवेत् इत्यर्थः।

उदाहरण देखिये—कवि यवनराजा शहाबुद्दीन की स्तुति करता है कि—हे शहाबुद्दीन नृपते! गुणसमूह के कारण, तेरे समान इन वर्तमान पञ्चमहाभूतों (पृथ्वी आदि

उपादानकारणों) से बने संसार में (कोई) नहीं है, यह क्या कहें, क्योंकि बिना कहे भी यह सर्वविदित है। कहना तो यह है कि ब्रह्मा यदि नवीन (इन पञ्चमहाभूतों से भिन्न) कारणों से नवीन संसार को उत्पन्न करें, तब भी तेरी समग्र तुला की तो बात ही क्या ? तेरी तुलना के कण को भी धारण करनेवाला मनुष्य नहीं ही हो सकेगा।

उदाहरणान्तरं निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'भुवनत्रितयेऽपि मानवैः परिपूर्णे विबुधैश्च दानवैः ।
न भविष्यति नास्ति नाभवन्नृप यस्ते भजते तुलापदम् ॥'

कविः कमपि नृपं स्तौति—हे नृप राजन्। मानवैः मनुष्यैः, विबुधैः देवैः, दानवैः राक्षसैश्च, परिपूर्णे सर्वतोभावेन व्याप्तेऽपि, भुवनत्रितये त्रिलोक्याम्, यः पुरुषविशेषः, ते तव, तुलापदम् तुलनास्थानं, भजते प्राप्नोति, तादृशः कश्चिदपि, न अभवत्, न वा अस्ति, न वा भविष्यति कालत्रयेऽपि तव तुल्यो नेत्यर्थः। कालत्रयासत्त्वमेवोक्तोदाहरणाद् विशेषः। उदाहरणद्वयेऽपि सर्वथोपमानिषेधावगतेरसमालङ्कारः स्पष्टः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—भुवन इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे राजन्! देव, मानव और दानवों से व्याप्त इस त्रिलोकी में वह जो तेरी समानता का स्थान प्राप्त कर सके, न था, न है और न होगा। इन दोनों उदाहरणों में सर्वथा उपमा का निषेध वर्णित है, अतः असमालङ्कार स्पष्ट है। द्वितीय उदाहरण में, कालत्रय की उपमा का निषेध है, यही पूर्व उदाहरण से विलक्षणता है।

ननूदाहरणद्वयेऽपि निषेधस्य प्राधान्यात्कथमलङ्कारत्वम्, परपोषकत्वेनाप्रधानस्यैव तत्त्वादित्यत आह—

राजस्तुत्युत्कर्षकत्वादत्रासमालङ्कारः।

अत्र उदाहरणद्वये। 'भूमीनाथ—' 'भुवन—' इति पद्यद्वयम् राजस्तुतौ प्रयुक्तम्, अतः कविनिष्ठराजविषयकरतिभावोऽत्र प्रधानव्यङ्ग्यः, वाच्यश्च 'असमः' तत्पोषकत्वादलङ्काररूपः। असमो नात्र प्रधानमिति भावः।

यदि कोई कहे कि उक्त दोनों उदाहरणों में असम (उपमा का निषेध) ही प्रधान है—उसी का वर्णन प्रधान रूप में किया गया है, फिर वह अलङ्काररूप कैसे हो सकता है, क्योंकि अलङ्कार तो वह होता है जो स्वयम् अप्रधान होकर किसी प्रधान को उपस्कृत करे, तो इसका उत्तर दिया जाता है कि-हाँ, अप्रधान ही अलङ्कार होता है, यहाँ भी असम अप्रधान ही है क्योंकि प्रधान तो राजा की स्तुति है। तात्पर्य यह कि ऊपर के दोनों ही पद्य राजा की स्तुति में रचे गए हैं अतः इन दोनों से प्रधान रूप में कविगत राजविषयक रतिभाव अभिव्यक्त होता है और उसका पोषक होने के कारण असम (वाच्य उपमानिषेध) अलङ्काररूप बनता है।

ननूपमानलुप्तोपमयैव गतार्थोऽयमसम इत्याशङ्कां मनसि निधायाह—

आत्यन्तिकः काचित्कश्च सदृशनिषेधोऽसमोपमानलुप्तयोर्विषयः। सर्वथैवोपमाननिषेधेन सादृश्याप्रतिष्ठानान्नोपमागन्धोऽपि।

आत्यन्तिक इति । यथासंख्यमन्वयः । तथा च आत्यन्तिकः सदृशनिषेधोऽसमालङ्कारस्य विषयः क्वाचित्कः सदृशनिषेधश्चोपमानलुप्तोपमाया विषय इति फलितम् । ननु आत्यन्तिकसदृशनिषेधेऽपि कुतो नोपमानलुप्तोपमेत्यत आह—सर्वथैवेति । असमालङ्कारोदाहरणेषु, उपमानस्य सर्वथा निषेधो वर्णितस्तिष्ठति, अतस्तत्र निरूपकं विना सादृश्यं प्रतिष्ठातुमेव न पारयति, अप्रतिष्ठिते च सादृश्ये कथमुपमाप्रसरः ? नासम उपमानलुप्तायां गतार्थयितुं शक्य इति भावः ।

'असम' और 'उपमानलुप्ता उपमा' में भेद दिखलाने के लिये कहा जाता है—आत्यन्तिक इत्यादि । सदृश पदार्थ का जहाँ आत्यन्तिक अभाव वर्णित होता है वह है 'असम' का लक्ष्य और जहाँ किसी स्थानविशेष में अथवा किसी कालविशेष में सदृश पदार्थ का निषेध (अभाव) वर्णित रहता है वह है उपमानलुप्तोपमा का लक्ष्य, अतएव यह भी नहीं कहा जा सकता कि—यह 'असम' अलङ्कार उपमानलुप्ता उपमा में ही गतार्थ है । आप कहेंगे—यह भेद तो आपने अपने मन से कर लिया है । आत्यन्तिक सदृशनिषेधस्थल में भी उपमानलुप्तोपमा ही क्यों नहीं मान ली जाय ? तो इसका उत्तर यह है कि—जहाँ (असम के उदाहरण में) उपमान का सर्वथा निषेध वर्णित रहेगा—अर्थात् यह वर्णित रहेगा कि 'अमुक पदार्थ का उपमान कहीं कोई है ही नहीं' वहाँ सादृश्य खड़ा ही कैसे हो सकता है ? अर्थात् विना उपमान के किसका सादृश्य कहा जायगा ? और जब सादृश्य ही प्रतिष्ठित नहीं हो सकेगा तब वहाँ उपमा की गन्ध भी कैसे आवेगी ? क्योंकि सादृश्य का ही नाम उपमा है ।

रत्नाकरमतमुपपाद्य निरस्यति—

यत्तु—

'ढुण्ढुलन्तो मरीहसि कण्टक कलिआइं केअइवणाइं ।
मालइकुसुमसरिच्छं भमर भमंतो न पावहिसि ॥' इति ।

नेयमुपमानलुप्तोपमा, तस्याः सम्भवदुपमानानुपादानविषयत्वात् । अपि त्वसमालङ्कारः' इति रत्नाकरेणोक्तम् , तदसत् । मालतीकुसुमसदृशं भ्रमर भ्रमन्नपि न प्राप्स्यसीत्युक्त्या वर्ततां नाम तत्सदृशं क्वापि, त्वया तु दुष्प्रापमेवेति प्रत्ययादात्यन्तिकोपमाननिषेधाभावादुपमानलुप्तोपमैवेयं भवितुमर्हति, नासमालङ्कारः । अन्यथा मालतीकुसुमसदृशं नास्तीत्येवं ब्रूयात् , न तु प्राप्स्यसीति ।

ढुण्ढुलन्तो इति । व्याख्यातेयं गाथोपमाप्रकरणे । खण्डयति—तदसत् इति । तस्याऽसत्त्वे हेतुमुपन्यस्यति—मालतीत्यादिना । निषेधाभावादिति । सम्भवदुपमानत्वाच्चेत्यपि बोध्यम् । अन्यथेति । असमस्येष्टत्वे इत्यर्थः । यत्र सम्भवतोऽप्युपमानस्योपादानं न क्रियते तत्रोपमानलुप्तोपमा भवति 'ढुण्ढुलन्तो—' इति गाथायां तु उपमानसम्भावनैव निरासितेति नात्र सा किन्तु असमालङ्कार इति रत्नाकरस्याभिप्रायः । परमसौ न सङ्गतः 'मालतीकुसुमसदृशं न प्राप्स्यसि' इति कथनेन 'तत्सदृशं वस्तु विद्यते जगत्यवश्यम् परन्तु त्वया तल्लब्धुं न शक्यम्' इत्यर्थस्यैव प्रतीतिः, तथा च नात्रात्यन्तिकोपमाननिषेध इति असमलक्षणाप्राप्तिः, अपि च सम्भवतोऽप्युपमानस्यानुपादानेनोपमानलुप्तोपमायाः प्राप्तिश्चेति विचारासहत्वात् । यद्यत्रासमालङ्कारनिबन्धनं कवयितुरभिप्रेतं स्यात् , तर्हि 'मालतीकुसुम-

सदृशं नास्ती'त्येव कथयेत्। 'न प्राप्स्यसि' इति कथयतः कवेः उपमानलुप्तोपमानिबन्धने एव स्वारस्यं प्रतीयत इति भावः।

रत्नाकर के मत का उपपादन करके खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि। 'ढुण्ढुलन्तो—' इस पद्य - जिसकी व्याख्या उपमाप्रकरण में की जा चुकी है—में उपमानलुप्तोपमा अलङ्कार नहीं है, क्योंकि वह वहाँ होती है, जहाँ सम्भावित उपमान का उल्लेख नहीं किया गया रहता। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है—अर्थात् यहाँ उपमान की सम्भावना का ही खण्डन किया गया है, अतः यहाँ असमालङ्कार है। ऐसा जो रत्नाकर ने कहा, वह भी असत् है—असङ्गत है। कारण, यहाँ जो यह वर्णित है कि-'हे भ्रमर! तू संसारभर में घूमता हुआ भी मालतीफूल के समान दूसरे को नहीं पा सकेगा।' उससे यह अर्थ प्रतीत होता है कि-'उसके समान दूसरा भी कोई फूल दुनिया में कहीं हो भले ही पर तू उसको नहीं पा सकता।' अब आप बतलाइये कि-यहाँ उपमान का आत्यन्तिक निषेध हुआ? उत्तर देना पड़ेगा 'नहीं'। फिर असम यहाँ कैसे? उपमानलुप्तोपमा तो हो ही सकती है, क्योंकि सम्भावित उपमान का अनुल्लेख है। यहाँ यदि कवि को असमालङ्कार का निबन्धन करना अभीष्ट होता तो 'मालतीकुसुम सा दूसरा कोई कुसुम नहीं है' यही कहता, नकि 'मालतीकुसुम-सदृश दूसरे को नहीं पावेगा' यह। ऐसा कहने का कारण स्पष्ट है कि कवि को उपमानलुप्तोपमालङ्कार का निबन्धन अभीष्ट है।

आशंक्य समाधत्ते—

अथासमालङ्कारध्वननेनैव चमत्कारोपपत्तेरनन्वयस्य पृथगलङ्कारता कथमिति चेत्, सत्यम्। दीपकादेरप्युपमाभिव्यक्त्यैव चमत्कारोपपत्तौ कथं नाम पृथगलङ्कारत्वमिति तुल्यम्। न च दीपकादावुपमाया व्यङ्ग्यत्वेऽपि गुणीभावात्प्रकृते तु स्वसादृश्यस्य स्वस्मिन्नतितमां तिरस्कारेणासमालङ्कारस्यैव मुख्यतया ध्वननाद्वैषम्यमिति वाच्यम्। यथाहि दीपकसमासोक्त्यादौ गुणीभूतव्यङ्ग्यसत्त्वेऽप्यलङ्कारत्वं न हीयते एवमनन्वये प्रधानव्यङ्ग्यसत्त्वेऽपीति न किञ्चिद्विरुद्धम्। अनन्वयशरीरस्य स्वसादृश्यमात्रस्य वाच्यत्वेन वाच्यालङ्कारव्यपदेशोऽपि सुस्थ एव। दीपकाद्यलङ्कारकाव्ये गुणीभूतस्य व्यङ्ग्यस्य सत्त्वादस्तु नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्। ध्वनित्वं पुनर्न काप्यलङ्कृतिकाव्ये दृष्टमिति चेत्, पर्यायोक्तसादृश्यमूलाप्रस्तुतप्रशंसादिकाव्ये ध्वनित्वस्य स्फुटत्वात्।

आशङ्कते-अथेति। प्रतिबन्द्या समाधत्ते—सत्यमिति। अत एवारम्भे 'रूपकदीपकादावुपमेव' इति दृष्टान्तोक्तिः। दीपकादेरित्यस्य पृथगलङ्कारत्वमित्यत्रान्वयः। पुनरवान्तरशङ्कामाह—न चेति। अवान्तरशङ्कायाः समाधानमाह यथा हि इति। हि यतः प्रधानव्यङ्ग्यसत्त्वेऽपीति। अलङ्कारत्वं न हीयते इत्यस्यानुषङ्गः। एवमलङ्कारव्यवहारे साधिते वाच्यालङ्कारव्यवहारं तस्य साधयति—अनन्वयेति। शङ्कते—दीपकाद्यलङ्कारेति। बहुव्रीहिरत्र बोध्यः। अलङ्कृतिकाव्ये इति तद्युक्तकाव्ये इत्यर्थः। तथा चैवमित्याद्युक्तिरयुक्तेति भावः। समाधत्ते-पर्यायोक्तेति। अप्रस्तुतप्रशंसाया अनेकविधत्वादाह-सादृश्येति। अनन्वये स्वसादृश्यस्य स्वस्मिन् वाच्यस्वरूपे चमत्कारो नियतव्यङ्ग्यसादृश्यनिषेधकृत एवेति सर्वसम्मतम्, सादृश्यनिषेध एव च वाच्योऽसमाख्योऽलङ्कारः, तथा चैतत्सिद्ध्यति

यत् अनन्वयेऽसमालङ्कारस्य नियमतो व्यङ्ग्यत्वम् । अथ क्वचिद् वाच्यासमालङ्कारकृतः क्वचिच्च व्यङ्ग्यतदलङ्कारकृतश्चमत्कार इत्यङ्गीकारेणैव सामञ्जस्ये पृथगलङ्कारश्रेण्यां कथमनन्वयस्य गणनेति शङ्कायां दीपकादावपि नियमतो व्यज्यमानोपमाकृत एव चमत्कारस्तथा च तेनैव निर्वाहे दीपकादेरपि किमर्थम् पृथगलङ्कारत्वमिति शङ्कायास्तुल्यत्वमिति प्रतिबन्द्यात्मकं समाधानम् । यथा तत्त्वेऽपि दीपकादेः पृथगलङ्कारत्वम् तथा अनन्वयस्यापीति भावः । दीपकादौ व्यज्यमानाऽप्युपमा वाच्यार्थस्य (दीपकत्वादिनाऽभिमतस्य) अपेक्षया गुणीभूता इति प्रधानवाच्यार्थमूलकदीपकादिव्यवहारो युक्तः, अनन्वये तु वाच्यं स्वस्मिन् स्वसादृश्यम् बाधितत्वेन नितान्ततिरस्कारपात्रमेवेति किं तस्य प्राधान्यम् ? फलतः व्यज्यमानस्य सादृश्यनिषेधात्मकासमालङ्कारस्यैव प्राधान्यम् इति नात्राप्रधानवाच्यार्थमूलकानन्वयव्यवहारो युक्त इति तु नोचितं वैषम्योपदर्शनम्, अस्य वैषम्यस्याकिञ्चित्करत्वात् । तथाहि—यद्युपमात्मकगुणीभूतव्यङ्ग्यसद्भावेऽपि दीपकादेरलङ्कारत्वं न नश्यति तर्हि असमात्मकप्रधानव्यङ्ग्यसद्भावेऽनन्वयस्यालङ्कारत्वं कथं नश्येत् ? न नश्येदेव । न च न नश्यतु तस्यापि तत्, किंतु यत्र कोऽप्यर्थः प्रधानतयाऽभिव्यज्यते, तत्कृत एव च चमत्कारोऽनुभूयते तत्र ध्वनिकाव्यव्यवहार एव भवति नालङ्कारकाव्यव्यवहार इति भवतोऽपि प्रायोऽभिमतमेव तथा च प्रधानतोऽभिव्यज्यमानचमत्कारैककारणासमालङ्कारके काव्येऽनन्वयकाव्यव्यवहारः कथं स्यात् ? न च गुणीभूतव्यङ्ग्यसद्भावे दीपकादिव्यवहारवत् सोऽपि व्यवहारः स्यादिति शंक्यम्, अलङ्कृतिप्रधानकाव्येऽपि गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यव्यवहारस्यालङ्कारिकैरङ्गीकृततया तत्र तथा व्यवहारस्य सम्भवेऽपि तद्दृष्टान्तेन प्रकृते तथाव्यवहारस्यासम्भवादिति वक्तव्यम्, पर्यायोक्तसादृश्यमूलकाप्रस्तुतप्रशंसादिकाव्ये ध्वनित्वस्यालङ्कारकाव्यत्वस्य च स्फुटतया ध्वनित्वालङ्कारयोः सामानाधिकरण्येऽविरोधात् । अथास्त्वेतत्सर्वम्, परन्तु चमत्कार्यंशस्य व्यङ्ग्यत्वेन कमंशमादाय अनन्वये वाच्यालङ्कारत्वव्यपदेश इति चेत् ? स्वस्मिन् स्वसादृश्यरूपमनन्वयशरीरमादायेति भावः ।

खण्डन-मण्डनपूर्वक 'अनन्वय' को पृथक् अलङ्कार मानने में युक्ति दिखलाई जाती है—अथ इत्यादि । अब यहाँ शङ्का यह उपस्थित होती है कि–'अनन्वय' में वाच्य अंश—अपने में अपना सादृश्य—तो बाधित ही रहता है, अतः उससे कोई चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, फलतः यही मानना पड़ता है कि व्यञ्जना के द्वारा प्रतीत होनेवाले 'उपमाननिषेध (अनुपमता)' अंश से ही वहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, और उपमान के निषेध द्वारा सादृश्य (उपमा) का निषेध अथवा सादृश्य के निषेध द्वारा उपमान का निषेध ही असमालङ्कार का स्वरूप है । अतः यह कहना अत्यन्त ही सङ्गत है कि 'असमालङ्कार' को ध्वनित करने से ही 'अनन्वय' में चमत्कार आता है । ऐसी दशा में अनन्वयात्मक वर्णन को 'असमालङ्कार' व्यञ्जकमात्र मान लेने से निर्वाह हो जाता है, फिर पृथक् 'अनन्वय' को अलङ्कार क्यों माना जाय ? उत्तर में कहा जाता है कि दीपक आदि अलङ्कारों में भी उपमा की अभिव्यक्ति से ही चमत्कार बन पाता है-यदि सादृश्य की व्यञ्जनया प्रतीति न हो तो दीपक आदि में और चमत्कार ही क्या रह जाता है ? फिर उनको (दीपक आदि को) क्यों पृथक् अलङ्कार माना जाता है ? बात दोनों ही स्थलों पर एक सी है । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे प्रतीयमान उपमांश को लेकर ही चमत्कारी होनेवाले दीपकादि को पृथक् अलङ्कार माना जाता है, वैसे ही व्यज्यमान

उपमाननिषेध (असम) अंश को लेकर ही चमत्कार उत्पन्न करनेवाले अनन्वय को भी पृथक् अलङ्कार माना जायगा। यदि आप कहें कि–दीपक आदि का दृष्टान्त देकर जो अनन्वय को पृथक् अलङ्कार सिद्ध करने का प्रयास आपने किया है वह नहीं सफल हो सकता, क्योंकि दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में बड़ी विषमता है और वह विषमता यह है कि दीपक आदि में व्यङ्ग्य होकर भी उपमा गौण ही रहती है, प्रधान रहता है दीपकात्मक वाच्यार्थ ही, अतः प्रधान के अनुसार पृथक् अलङ्कार का व्यवहार सङ्गत हो जाता है, पर प्रकृत में तो अपने में अपना सादृश्य ही वाच्य रहता है जो अत्यन्त ही बाधित अतएव तिरस्कृत होने योग्य है, अतः असमालङ्कार ही ध्वनित होकर मुख्य हो जाता है, ऐसी स्थिति में यहाँ मुख्य असमध्वनिकाव्य का ही व्यवहार होना उचित प्राप्त है न कि अमुख्य अनन्वयालङ्कार काव्य का, तो इसका उत्तर यह है कि–जैसे 'दीपक' 'समासोक्ति' आदि अलङ्कारों में गुणीभूत (अप्रधान) व्यङ्ग्य के रहने पर भी उनकी अलङ्कारता नहीं नष्ट होती–अर्थात् वे अलङ्कार कहलाते ही हैं, उसी तरह 'अनन्वय' में प्रधान व्यङ्ग्य के रहने पर भी उसकी (अनन्वय की) अलङ्कारता नष्ट नहीं होगी, वह भी अलङ्कार कहलायगा। तात्पर्य यह कि–जब अप्रधान व्यङ्ग्य के रहने से किसी पदार्थ का अलङ्कार होना नहीं रुकता तब प्रधान व्यङ्ग्य के रहने से वह रुक जाय यह न्यायसङ्गत नहीं है। और 'अपने में अपना सादृश्य' यह जो 'अनन्वय' का शरीरस्वरूप है वह तो वाच्य ही है, व्यङ्ग्य नहीं, अतः अनन्वय को वाच्य अलङ्कार कहना भी उचित ही है। यदि आप कहें कि दीपक आदि अलङ्कारों से युक्त काव्यों में सादृश्यरूप व्यङ्ग्य के गुणीभूत (अप्रधान) होने से उन्हें 'गुणीभूत व्यङ्ग्य (उत्तम काव्य)' कहा जाता है तो वह ठीक है, पर किसी अलङ्कार-प्रधानकाव्य का ध्वनि (उत्तमोत्तम) काव्य होना कहीं नहीं देखा गया। अभिप्राय यह है कि–बहुतेरे अलङ्कारों में कुछ व्यङ्ग्य गुणीभूत होकर रहते हैं और उन व्यङ्ग्यों में चमत्कार भी रहता है, अतः उन्हें चित्र-काव्य (मध्यम) न कहकर गुणीभूतव्यङ्ग्य (उत्तम) कहा जा सकता है, पर अलङ्कारप्रधान ऐसा कोई काव्य नहीं जो अलङ्कारप्रधान होकर भी ध्वनि (उत्तमोत्तम) कहला सके। किन्तु अनन्वयालङ्कार में असमालङ्कार प्रधानतया ध्वनित अतएव वाच्यापेक्षया अधिक चमत्कारी भी होता है। ऐसी स्थिति में अब अनन्वयालङ्कारयुक्त काव्य को 'ध्वनि (उत्तमोत्तम)' काव्य कहना पड़ेगा, जो एक अदृष्टपूर्व बात है। इसका समाधान यह है कि–जिस बात को आप अदृष्टपूर्व समझ रहे हैं, वह वस्तुतः अदृष्टपूर्व है नहीं, जरा सी तिरछी नजर करके देखने पर वह बात 'पर्यायोक्त' और सादृश्यमूलक 'अप्रस्तुतप्रशंसा' आदि अलङ्कारप्रधान काव्यों में स्पष्ट देखी जा सकती है–अर्थात् उन अलङ्कारों से युक्त काव्य अलङ्कारप्रधान ही कहलाते हैं और साथ-साथ वहाँ प्रधानतया ध्वनित होनेवाले अर्थ भी रहते हैं।

मतान्तरमाह—

प्राञ्चस्तु नेदमलङ्कारान्तरमित्यप्याहुः।

'असमो' नालङ्कारः कश्चित्, तदुदाहरणतयाऽभिमतेषु काव्येषु उपमालङ्कारदूरीकरणमात्रस्यैव रसाद्यनुगुणतया रमणीयत्वात् इति प्राञ्चो मन्यन्ते। रत्याद्यनुकूलतया कुतश्चिदङ्गाद्भूषणापसारणं यथा शोभाविशेषाय भवति, तथा स्थलविशेषेऽलङ्कारविशेषस्य दूरीकरणमात्रमपि रसाद्यनुगुणतया रमणीयं भवतीति न तत्रालङ्कारान्तरकल्पनावश्यकतेति तदाशयः। एतच्च व्यतिरेकालङ्कारप्रकरणे ग्रन्थकृतैवोक्तम्।

प्राचीनों का मत दिखलाया जाता है—प्राञ्चस्तु इत्यादि। प्राचीन आचार्य 'असम' नामक अलङ्कार नहीं मानते। नहीं मानने में उनकी युक्ति यह है कि-जैसे सम्भोग आदि में अनुकूल होने के कारण नायिका के किसी-किसी अङ्ग से भूषण का हटा देना ही शोभाविशेष के लिए होता है उसी तरह कहीं-कहीं अलङ्कार को दूर कर देना ही रस आदि के लिये उपकारक हो जाता है, अतः जिन काव्यों में 'असम' अलङ्कार माना जाता है, उनमें उपमा अलङ्कार का निरास कर देने मात्र से चमत्कार पैदा होता है, किसी खास अलङ्कार के होने से नहीं, यही मानना चाहिये। 'प्राचीन नहीं मानते' इस कथन से नवीन (जिनमें ग्रन्थकार भी प्रायः सम्मिलित हैं) 'असमालङ्कार' मानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, उसमें तर्क यह है कि नये-नये चमत्कारों की उपलब्धि ही तो नवीन-नवीन अलङ्कारों को स्वीकार करने में युक्ति है, फिर जैसे सादृश्य वर्णित रहने पर एक तरह का चमत्कार उपलब्ध होने से 'उपमा' नाम का अलङ्कार माना जाता है वैसे ही सादृश्यनिषेध वर्णित रहने पर भिन्न तरह का चमत्कार उपलब्ध होने से एक भिन्न अलङ्कार क्यों नहीं माना जाय?

व्यङ्ग्यमसमालङ्कारं दर्शयितुमाह—

अयं चासमालङ्कारो व्यज्यमानो यथा—

व्यञ्जनावृत्तिबोध्य यह असमालङ्कार, जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'मयि त्वदुपमाविधौ वसुमतीश वाचंयमे
न वर्णयति मामयं कविरिति क्रुधं मा कृथाः।
चराचरमिदं जगज्जनयतो विधेर्मानसे
पदं नहि दधेतरां तव खलु द्वितीयो नरः॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—हे वसुमतीश राजन्! त्वदुपमाविधौ प्रसिद्धेन इन्द्रादिनोपमानेन सह तव तुलनाकरणे (विषयसप्तमीयम्), मयि, वाचंयमे मौनावलम्बिनि, सति, अयं कविः, मां, न वर्णयति, इति हेतोः, क्रुधं कोपम्, मा कृथाः न कुरु, त्वमिति शेषः। 'मा कृथाः' इत्यत्र 'माङि लुङ्' इति सूत्रेण सर्वलकारापवादभूतो लुङ्। माङ्योगादडागमाभावः। अवर्णनहेतुकक्रोधाकरणे कारणमाह—चराचरमिति। हि यतः, चराचरम् स्थावरजङ्गमात्मकम्, इदं परिदृश्यमानं, जगत् संसारम्, जनयतः उत्पादयतः, विधेः ब्रह्मणः, मानसे चेतसि, तव द्वितीयः त्वादृशोऽपरः, नरः मनुष्यः, खलु निश्चयेन, पदं स्थानम्, न दधेतराम् प्रापेत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—मयि इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे राजन्! मैं आपकी किसी के साथ तुलना करने के विषय में चुप हूँ, इसलिये आप यह समझकर कि 'यह कवि मेरा वर्णन नहीं करता' क्रोध न कीजिएगा। असली बात यह है कि—इस स्थावर-जङ्गमात्मक संसार को रचनेवाले विधाता के मन में आपके जैसा कोई दूसरा मनुष्य स्थान ही न प्राप्त कर सका। आप कैसे दूसरे मनुष्य की रचना करना तो दूर रहे, विधाता यह सोच भी नहीं सके कि आप जैसा कोई दूसरा हो सकता है।

उपपादयति—

अत्र य एतावन्तं समयं विधातुर्मानसं नाधिरूढः सोऽग्रेऽपि मानाभावान्नाधिरोहेत्, अतः सर्वथैव नास्तीति गम्यते।

ननु निषेधस्य वाच्यत्वेन कथमसमस्यात्र व्यङ्ग्यत्वम्, किंच 'दधे' इति भूतकालिकक्रियापदेन भूतनिषेधप्रतिपादनेनात्यन्तिकनिषेधाप्रतीत्या कथमसम इत्यत आह—अत्रेति। अस्मिन् पद्ये इत्यर्थः। मानाभावात् प्रमाणविरहात्। गम्यत इति। गम्यश्चायमर्थः 'असमालङ्कार'रूपः। एवञ्च पदधारणनिषेधस्य शाब्दत्वेऽपि भूतकालिकत्वेऽपि च उपमाननिषेधस्य व्यङ्ग्यत्वमात्यन्तिकत्वञ्चाक्षुण्णमेवेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'मयि त्वदुपमाविधौ—' इस पद्य में 'आपके समान कोई दूसरा मनुष्य विधाता के मन में नहीं आया' इतना तो साफ वर्णित है और इसीसे यह भी अनायास ज्ञात हो जाता है कि—आगे भी आप जैसा कोई उनके मन में नहीं आयगा, क्योंकि आगे उनके मन में आप जैसा कोई आ ही जायगा इसका कोई प्रमाण नहीं है। फलतः इस पद्य से यही अभिव्यक्त होता है कि-आप जैसा कोई सर्वथा ही नहीं है और यह प्रतीयमान अर्थ 'असम' रूप है, अतः इस पद्य को व्यङ्ग्य असमालङ्कार का उदाहरण समझा जाता है।

व्यङ्ग्यत्वेऽपि कथमत्रासमस्यालङ्काररूपतेत्याह—

एवं च व्यज्यमानोऽप्यसमोऽत्र प्रधानीभूतराजस्तुत्युत्कर्षकतयालङ्कार एव।

'मयि—' इति श्लोके राजस्तुतिः सर्वतः प्रधाना (कविनिष्ठराजविषयकरतिभावः सर्वतः प्रधान इति भावः) अतः व्यङ्ग्योऽप्यसमः अप्रधानः सन् प्रधानप्रकर्षकारणतया अलङ्काररूप एव तिष्ठति नालङ्कार्यरूप इति सारांशः।

व्यङ्ग्य होने पर भी यह असम अलङ्काररूप कैसे होता है इसकी उपपत्ति सुनिये— एवं च इत्यादि। 'मयि—'इस पद्य के द्वारा राजा की स्तुति की गई है, अतः इस पद्य से राजा के विषय में कवि का प्रेम (भाव) सर्वतः प्रधानरूप से अभिव्यक्त होता है, अतः व्यङ्ग्य होकर भी 'असम' उसकी अपेक्षा अप्रधान ही रहता है और अप्रधान प्रधान का पोषक होता ही है। इसीलिये व्यङ्ग्य होने पर भी यहाँ का 'असम' अलङ्काररूप ही है, अलङ्कार्यरूप नहीं।

यत्रासम एव मुख्यतयाऽभिव्यज्यते न रसादिस्तादृशमुदाहरणं दर्शयितुमाह—

मुख्यतया ध्वन्यमानोऽयं यथा—

अयम् असमः। अन्यत् स्पष्टम्।

जहाँ 'असम' ही प्रधान रूप से ध्वनित होता है, वैसा उदाहरण, जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'सदसद्विवेकरसिकैरालोक्य समस्तलोकमथ कविभिः।
गणिता गगनलतादेर्गणनायां तन्वि! तव सदृशी॥'

हे तन्वि कृशाङ्गि! सताम् सत्यभूतानाम्, असताम् असत्यभूतानाञ्च, पदार्थानाम्, विवेके विवेचने, रसिकैः स्नेहवद्भिः कविभिः, समस्तलोकम् समग्रं जगत्, आलोक्य निभाल्य, अथ अनन्तरम् तव सदृशी त्वत्तुल्या, गगनलतादेः आकाशलताद्यसम्भवद्वस्तुनः

गणनायाम् कोटौ, गणिता संख्याता इत्यर्थः । अत्र 'असत्पदार्थगणनायां तव तुल्या गणिता इत्युक्त्या त्वत्तुल्या जगति नास्तीति प्राधान्येन व्यज्यते, अतः अलङ्कारध्वनिरिति भावः । नालङ्कार इति तदाशयः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सदसद् इत्यादि । हे कृशाङ्गि ! सत्य और मिथ्या पदार्थों का विवेक करने में रस लेने वाले कवियों ने समस्त संसार की देख-भाल कर चुकने के बाद तेरी जैसी को 'आकाशलता' आदि की गणना में गिना है—अर्थात् 'आकाशलता' जैसे संसार में नहीं है वैसे ही तेरे समान भी कोई नहीं हो सकती । यहाँ 'तेरी बराबरी की कोई दूसरी नायिका नहीं है, यह असम पदार्थ प्रधान रूप से ही अभिव्यक्त होता है-अर्थात् यहाँ कोई दूसरा प्रधान अर्थ है ही नहीं जिसका पोषण यह असमपदार्थ करे, अतः अलङ्कार (अलङ्कार कहलाने योग्य पदार्थ) की ध्वनि यहाँ मानी जायगी, व्यङ्ग्य अलङ्कार नहीं ।

असमालङ्कारस्य भेदानुपपादयति—

अयं क्वचिदुपमानस्य निषेधात्क्वचिच्च साक्षादुपमाया एव। आद्यस्तूपदर्शितः।

उपमानिषेध एव यद्यप्यसमालङ्कारलक्षणे प्रविष्टः, तथापि उपमाननिषेधेऽपि निरूपका-भावादुपमानिषेधः पर्यवस्यतीति उपमाननिषेधमूलकम् साक्षादुपमानिषेधमूलकञ्च भेदद्वय-मसमस्य तावद्बोध्यम् । तत्रोपमाननिषेधमूलकः प्रथमो भेदः प्रागुदाहृत इति भावः ।

असमालङ्कार के भेद किये जाते हैं—अयम् इत्यादि । यह 'असमालङ्कार' कहीं उपमान के निषेध से होता है और कहीं साक्षात् उपमा के ही निषेध से । तात्पर्य यह है कि-यद्यपि लक्षण में उपमा के निषेध को ही 'असम' कहा गया है, तथापि उपमान-निषेधमूलक भी एक भेद इसका होता है, क्योंकि उपमान के निषेध से उपमा का निषेध ही फलतः सिद्ध होता है । कारण, उपमान ही उपमा (सादृश्य) का निरूपक होता है, फिर निरूपक के अभाव में उपमा कैसे हो सकती है ? इस तरह उपमाननिषेध-मूलक और साक्षात् उपमानिषेधमूलक दो भेद असम के सिद्ध हुए । उनमें प्रथम अर्थात् उपमाननिषेधमूलक भेद का उदाहरण पहले दिखलाया जा चुका है ।

द्वितीयभेदमुदाहर्तुमाह—

द्वितीयो यथा—

द्वितीय अर्थात् साक्षात् उपमानिषेधमूलक असमालङ्कार, जैसे ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'पूर्णमसुरै रसातलममरैः स्वर्गो वसुन्धरा च नरैः ।
रघुवंशवीरतुलना तथापि खलु जगति निरवकाशैव ॥'

यद्यपि असुरैः रसातलम् पातालम् , पूर्णम् , अमरैर्देवैः, स्वर्गः, पूर्णः, नरैः मनुष्यैः, वसुन्धरा पृथ्वी, च, पूर्णा अस्तीति शेषः । अत्र 'पूर्णम्' इत्यस्य लिङ्गव्यत्यासेनान्यत्रा-न्वयः । तथापि रसातलस्वर्गवसुन्धराणाम् असुरामरनरपरिपूर्णत्वेऽपि, जगति संसारे, खलु निश्चयेन, रघुवंशवीरस्य रामचन्द्रस्य, तुलना उपमा, निरवकाशा निष्प्रसरा निराधारेति यावत्, एवेत्यर्थः । अत्र साक्षादुपमानिषेधादसमः सम्पद्यते इति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—पूर्णम् इत्यादि । पाताल असुरों से, स्वर्ग देव-ताओं से और पृथ्वी मनुष्यों से यद्यपि पूर्ण है—इन सभी जातियों में एक से एक वीर

वर्तमान हैं, तथापि रघुवंशवीर-रामचन्द्रजी की तुलना-उपमा-निरवकाश ही रह जाती है-अर्थात् उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, वह अनुपम है। यहाँ 'तुलना निरवकाशैव' इस उक्ति के द्वारा साक्षात् उपमा का निषेध किया गया है अतः यह पद्य असमालङ्कार के द्वितीय भेद का उदाहरण होता है।

अन्यभेदानां स्वयमूहनीयतामाह—

एवं पूर्णतया लुप्ततया चास्यापि यथासम्भवं भेदा उन्नेयाः।

यथोपमायां पूर्णालुप्तादयो भेदा भवन्ति तथाऽसमेऽपि कियन्तो भेदा भवितुमर्हन्ति, तेषामूहः स्वयं सुधीभिर्विधातव्य इति भावः।

जैसे 'उपमा' के पूर्णा-लुप्ता आदि भेद होते हैं, वैसे 'असम' के भी उनमें से कितने ही भेद हो सकते हैं, जिनका वर्णन विस्तार के भय से छोड़ दिया गया है। पर विद्वानों को स्वयं उनका ऊह कर लेना चाहिये।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामसमालङ्कारप्रकरणम्।

अथोदाहरणालङ्कारनिरूपणमारभमाणस्तावल्लक्षणमाह—

सामान्येन निरूपितस्यार्थस्य सुखप्रतिपत्तये तदेकदेशं निरूप्य तयोरवयवावयविभाव उच्यमान उदाहरणम्।

सुखप्रतिपत्तये इति। द्रुततरं बुद्ध्यारूढत्वायेत्यर्थः। तयोरिति। सामान्यैकदेशयोरित्यर्थः। सामान्यरूपं कमपि पदार्थं प्रागुपवर्ण्य पश्चात् तस्योपवर्णितस्य सामान्यरूपस्य पदार्थस्य स्पष्टज्ञानाय तद्विशेष उपवर्ण्यते, तयोश्च सामान्यविशेषभूतयोः पदार्थयोः स्वाभाविकोऽवयवावयविभावो यत्र शब्देनाभिधीयते, तत्र तादृशः सः अवयवावयविभाव एवोदाहरणालङ्कार इति भावः।

असमालङ्कारनिरूपणोत्तर अब उदाहरणालङ्कार-निरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम उसका (उदाहरणालङ्कार का) लक्षण किया जाता है—सामान्येन इत्यादि। सामान्यरूप से वर्णित अर्थ के शीघ्र बोध के लिये, उसके एकदेश का वर्णन करके, सामान्य-पदार्थ और उसके एकदेश का, शब्द से उक्त अङ्गाङ्गिभाव 'उदाहरण' कहलाता है।

लक्षणं विवेचयितुमाह—

अथान्तरन्यासवारणायोच्यमान इति। वचनं च इव-यथा-निदर्शन-दृष्टान्तादिशब्दैः काव्येषु स्फुटम्। न च इवयथाशब्दयोः सादृश्यवचनयोरवयवावयविभावे विशेषसामान्यात्मके नास्ति वृत्तिरिति वाच्यम्। लक्षणायाः साम्राज्यात्। अन्यथा ह्युत्प्रेक्षाबोधकतापि दुर्घटा स्यात्।

लक्षणघटकोच्यमानपदकृत्यं दर्शयितुमाह—अर्थान्तरेति। ननु केन केन शब्देनावयवावयविभाव उच्येतेति जिज्ञासायामाह—वचनं चेति। शङ्कते—न चेति। समाधत्ते-लक्षणेति। लक्षणाया अवश्यस्वीकरणीयतामाह—अन्यथेति। लक्षणानङ्गीकारे इति तदर्थः। अर्थान्तरन्यासेऽपि यद्यप्यवयवावयविभावः प्रतीयते, तथापि तत्र स शब्देनोच्यमानो न तिष्ठति। एवञ्चार्थान्तरन्यासे उदाहरणालङ्कारलक्षणं न प्रसज्जत्विति 'उच्यमान' पदं

लक्षणे प्रवेशितम्। तथा च यत्र सामान्यविशेषयोरवयवावयविभावस्य बोधकः शब्द उपात्तस्तत्रोदाहरणम्। यत्र च तादृशः शब्दो नोपात्तस्तत्रार्थान्तरन्यास इति विवेकः। तयोरवयवावयविभावस्य बोधकाश्च शब्दा इव-यथा-निदर्शन-दृष्टान्तादयो भवन्तीति काव्यावलोकनेन स्फुटमवगम्यते। विशेषसामान्यभावात्मकेऽवयवावयविभावे इव-यथापदयोरभिधा नास्ति, तयोरभिधायाः सादृश्यरूपार्थ एव कोशादिभिर्बोधितत्वादिति चेत्? सत्यम्, तयोः पदयोस्तत्रार्थे लक्षणाङ्गीकरणीयेति लक्षणकारस्याभिप्रायः। तथा च 'उच्यमान' इत्यस्य नाभिधाबोध्यमान इत्यर्थः, अपितु शब्देन बोध्यमान इत्येव। तच्च लक्षणायामपि न विरुद्धम् इति सारांशः। अत एव इव यथापदयोरुत्प्रेक्षाबोधकता सकलालङ्कारिकाभिमता सङ्गच्छते। सादृश्यवाचकौ तौ शब्दौ सम्भावनात्मिकामुत्प्रेक्षामपि लक्षणयैव बोधयितुं प्रभवत इति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—अर्थान्तर इत्यादि। अर्थान्तरन्यास के उदाहरणों में अतिप्रसङ्ग न हो इसलिये 'उदाहरण' के लक्षण में 'शब्द से उक्त' यह अवयवावयविभाव का विशेषण दिया गया है। तात्पर्य यह कि—अर्थान्तरन्यास के उदाहरणों में भी सामान्य विशेषभाव प्रतीत अवश्य होता है, पर उस भाव का बोधक कोई पद वहाँ नहीं रहता, अतः उससे पृथक् करने के लिये 'उदाहरणालङ्कार में उक्त भाव का शब्द द्वारा अवगत होना आवश्यक माना जाता है। काव्यों में उक्त अवयवावयविभाव के बोधक 'इव, यथा, निदर्शन और दृष्टान्त' पद स्पष्ट उपलब्ध होते हैं। 'इव' और 'यथा' पद 'सादृश्य' के वाचक हैं, अतः वे दोनों पद सामान्य-विशेषरूप अवयवि–अवयवभाव के बोधक किस वृत्ति के बल पर हो सकते हैं? अर्थात् अभिधावृत्ति के बल पर नहीं हो सकते, तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हाँ, अभिधा के बल पर नहीं हो सकते यह बात सत्य है, पर लक्षणा के बल पर तो हो ही सकते हैं—अर्थात् जहाँ जिस पद की अभिधा बाधित रहती है वहाँ भी उस पद की लक्षणा का साम्राज्य रहता है ऐसी स्थिति में इव-यथा आदि पदों की अभिधा भले ही 'अवयवावयविभाव'रूप अर्थ में न हो पर लक्षणा हो सकती है। इसीलिये तो वे पद सम्भावनारूप उत्प्रेक्षा के भी बोधक होते हैं, यदि अभिधा के बल पर ही उन पदों का बोधक होना निश्चित रहता, तब तो सादृश्य के अतिरिक्त किसी भी अर्थ के बोधक नहीं हो पाते और उनको उत्प्रेक्षा-बोधक सभी आलङ्कारिक मानते हैं। ऐसी दशा में लक्षणा द्वारा इव-यथा आदि पद उत्प्रेक्षा की तरह अवयवावयविभाव के भी बोधक हैं यह मानने में किसी को किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

लक्ष्यं दर्शयितुं कथयति—

उदाहरणम्—

अधोनिर्दिष्टं बोध्यमिति भावः।

उदाहरण देखिए।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अमितगुणोऽपि पदार्थो दोषेणैकेन निन्दितो भवति।
निखिलरसायनराजो गन्धेनोग्रेण लशुन इव॥'

अमितगुणः अपरिमितगुणशाली अपि, पदार्थः वस्तु, एकेन, दोषेण, निन्दितः निन्दाविषयः, भवति जायते। यथा निखिलरसायनराजः सकलेषु रसायनेषु श्रेष्ठः, लशुनः स्व-

नामख्यातः मूलविशेषः, उग्रेण उत्कटेन, गन्धेन निन्दितो भवतीत्यर्थः। अत्रामितगुणपदार्थसामान्यं प्रागुपवर्णितम्, ततस्तदेकदेशो विशेषभूतो लशुनो निरूपितस्तयोश्चावयव्यवयवभावः 'इव'शब्देन बोधित इत्युदाहरणालङ्कारोदाहरणं पद्यमेतत्सम्पद्यत इति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अमित इत्यादि। अमित-अगणित-गुणों से युक्त भी पदार्थ एक दोष के कारण निन्दित हो जाता है जैसे सकल रसायनों (आयु आदि को बढ़ाने वाले औषधों) में श्रेष्ठ लहसुन उग्र गन्ध के कारण निन्दित हो गया है। यहाँ पहले अगणितगुणगणशाली पदार्थ-सामान्य का वर्णन किया गया है, तदुत्तर उसके एक देश-विशेषभूत पदार्थ-लहसुन का। और इन दोनों सामान्य-विशेषभूत पदार्थों में अवयवी-अवयवभाव है—अर्थात् सामान्य अगणितगुणयुक्त पदार्थ अवयवी-अङ्गी है और विशेषभूत तादृश लहसुन है अवयव-अङ्ग। यह अङ्गयङ्गभाव यहाँ इव शब्द से साफ कह दिया गया है, अतः यह पद्य उदाहरणालङ्कार का उदाहरण माना जाता है।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न चात्र पदार्थलशुनयोरुपमा शक्या वक्तुम्। तयोः सामान्यविशेषभावेन सादृश्यस्यानुल्लासात्। तथात्वे तु इवशब्दादीनामिव सदृशादिशब्दानामप्यलङ्कारेऽस्मिन् प्रयोगः स्यात्।

अनुल्लासादिति। मिथो भेदाभावेन स्फुटमप्रतीतेरित्यर्थः। तथात्वे त्विति। सादृश्यस्योल्लासे त्वित्यर्थः। अस्योपपत्तिरत्रैवाग्रे स्फुटीभविष्यति। 'अमितगुण—' इति श्लोके पूर्वार्धवर्णितस्य पदार्थसामान्यस्योत्तरार्धवर्णितस्य लशुनस्य चोपमैव कविना निबद्धा तथा चात्रोपमालङ्कार एवेति नातिरिक्तोदाहरणालङ्कारकल्पनावश्यकतेति वक्तुं न शक्यम्, सामान्यविशेषभावापन्नयोस्तयोः 'विशेषः सामान्यान्नातिरिच्यते' इति सिद्धान्तरीत्या परस्परं भेदविरहेण भेदघटितस्य सादृश्यपदार्थस्य प्रत्येतुमशक्यतयोपमाया अप्रसक्तेः। यद्येवंविधे स्थले सादृश्यं प्रतीतं भवेत्, तर्हि तत्र इव—यथापद—प्रयोगवत् सदृशतुल्यादिपदप्रयोगोऽपि भवेत्, न च भवति अनन्वयात्, तथा चैवंविधस्थले सादृश्यस्याप्रतीतिरकामेनापि स्वीकरणीयैवेति भावः।

एक आशङ्का करके उसका समाधान किया जाता है—न चात्र इत्यादि। अमित-गुणोऽपि-' इस पद्य में 'पदार्थ' और 'लहसुन' की उपमा नहीं कही जा सकती, क्योंकि उपमा सादृश्य का नाम है और सादृश्य की प्रतीति यहाँ हो नहीं सकती। कारण, सादृश्य भेदघटित पदार्थ है, अतः दो भिन्न वस्तुओं में ही वह हो सकता है और सामान्य 'पदार्थ' तथा विशेष 'लहसुन' में भेद है नहीं अर्थात् 'लहसुन' भी 'पदार्थ' के अन्तर्गत ही है उससे भिन्न नहीं। यदि इस तरह के सामान्यविशेष भाववाले स्थल—जो उदाहरणालङ्कार का लक्ष्य है-में सादृश्य की स्पष्ट प्रतीति होती, तो जिस तरह, 'इव' 'यथा' आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उस तरह सदृश, तुल्य आदि पदों का भी प्रयोग हो सकता। पर ऐसा होता नहीं। प्रकृत उदाहरण में ही देखिए-'जैसे लहसुन' इस वाक्य के स्थान पर 'लहसुन के सदृश' नहीं कहा जा सकता।

इवपदघटितमुदाहरणमुक्त्वा यथापदघटितं तद्दर्शयितुमाह—

यथा वा—

'इव'पदयुक्त उदाहरण तो दिखलाया जा चुका। अब 'यथा'पदयुक्त उदाहरण देखिए।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अतिमात्रबलेषु चापलं विदधानः कुमतिर्विनश्यति ।
त्रिपुरद्विषि वीरतां वहन्नवलिप्तः कुसुमायुधो यथा ॥'

अतिमात्रबलेषु स्वापेक्षयाऽत्यधिकबलशालिषु चापलं चञ्चलताम् द्वेषभावमिति यावत् विदधानः कुर्वाणः, कुमतिः दुर्बुद्धिः जन इति शेषः, विनश्यति विशेषेण नाशमुपलभते, यथा त्रिपुरद्विषि त्रिपुरासुरद्वेषिणि शिवे वीरताम् शौर्यम् , वहन् दधानः, अवलिप्तः गर्वी, कुसुमायुधः प्रसूनशरः काम इति यावत् , विनष्ट इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अतिमात्र इत्यादि । अत्यधिक बलवालों के विषय में—अर्थात् उनके साथ—चञ्चलता करनेवाला दुर्बुद्धि मनुष्य नष्ट हो जाता है, जैसे त्रिपुरारि (शिव) के विषय में वीरता रखनेवाला—उनके साथ वीरता दिखलाने वाला—घमंडी कुसुमायुध (कामदेव) नष्ट हो गया ।

उपपादयति—

अत्र त्रिपुरद्विड्वीरते अतिमात्रबलचापलयोर्विशेषौ । अवलेपकुसुमायुधौ च कुमतिरित्यत्र गुणप्रधानयोः ।

गुणप्रधानयोरिति । कुत्सितमतितद्विशेष्ययोरित्यर्थः । विशेषावित्यस्यानुषङ्गः । 'अति-मात्र—' इति श्लोकेऽतिमात्रबलचापलपदार्थौ सामान्यभूतावत एवावयविनौ त्रिपुरद्वेषिवीरता-पदार्थौ च तद्विशेषभूतावत एव तौ तदवयवौ । एवम् कुमतिपदार्थौ कुत्सितमतितद्विशिष्टौ सामान्यभूतावयविनौ अवलेपकुसुमायुधपदार्थौ च तद्विशेषभूतावत एवावयवौ । एतस्या-वयवावयविद्वयस्य संबन्धः (अवयवावयविभावः) यथापदेनोक्त इति इदमपि उदाहरणा-लङ्कारोदाहरणम् भवतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है-अत्र इत्यादि । 'अतिमात्र'—इस पद्य में 'अत्यधिक बलवाले' और 'चञ्चलता' ये दोनों पदार्थ सामान्यरूप अतएव अङ्गी हैं और 'शिव' तथा 'वीरता' ये दोनों पदार्थ हैं उन दोनों के विशेषरूप अतएव उनके अङ्ग, इसी तरह 'दुर्बुद्धि' पद के अर्थ में गौणरूप से आई हुई 'बुरी बुद्धि' और प्रधान रूप से आया हुआ 'बुरी बुद्धि-वाला' ये दोनों पदार्थ सामान्यरूप अतएव अङ्गी हैं और इन दोनों के विशेष अतएव अङ्गरूप हैं 'घमंड' तथा 'कामदेव' । तात्पर्य यह कि उक्त पदार्थों का अङ्गाङ्गिभाव यहाँ 'यथा' पद से उक्त है, अतः यह पद्य 'उदाहरण' का उदाहरण होता है ।

निदर्शनपदघटितमुदाहरणं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

निदर्शनपदयुक्त उदाहरण अब देखिए ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम् ।
मूर्च्छां गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः ॥'

विपद्गतोऽपि विपत्तिग्रस्तोऽपि सद्गुणः समीचीनगुणयुक्तः, पदार्थः, नितराम् , अत्यन्तम् , उपकारम् , एव, कुरुते । अत्र विपद्गतस्यापि सद्गुणपदार्थस्योपकारित्वे, मूर्च्छाम्

संस्कारविशेषणम् मोहश्च, गतः प्राप्तः, वा अथवा, मृतः संस्कारविशेषापन्नः निष्प्राणश्च, पारदः रसविशेषः, निदर्शनम् दृष्टान्त इत्यर्थः। अत्र विपद्गतसद्गुणात्मकसामान्यस्य मूर्च्छितपारदात्मकविशेषस्य चावयवावयविभावो निदर्शनपदेनोक्त इत्युदाहरणोदाहरणतां प्रतिपद्यते पद्यमेतदिति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—उपकार इत्यादि। विपत्तिग्रस्त होकर भी अच्छे गुणों से युक्त पदार्थ अत्यन्त उपकार ही करता है। इस बात का दृष्टान्त है मूर्च्छित अथवा मृत पारा। मूर्च्छित, मृत, बुभुक्षित आदि अवस्था तब पारे की मानी जाती है जब रासायनिक प्रक्रिया से उसका संस्कार किया जाता है। यह पद्य भी उदाहरणालंकार का उदाहरण होता है, क्योंकि यहाँ भी विपत्तिग्रस्त अच्छे गुणों से युक्त पदार्थ—जो एक सामान्यरूप है और मूर्च्छित अथवा मृत परन्तु उपकारक पारा—जो उसी का एक विशेष रूप है इन दोनों का अङ्गाङ्गिभाव 'निदर्शन' पद से उक्त है।

दृष्टान्तपदघटितस्याप्युदाहरणालंकारस्योदाहरणमिदमेव पद्यं भवितुमर्हतीति बोधयितुम् पाठान्तरमाह—

दृष्टान्तो वा—

उक्तपद्यघटकस्य 'निदर्शनम्' इत्यस्य स्थाने 'दृष्टान्तः' इति वा पाठो बोध्यः। तथात्वे च दृष्टान्तपदघटितमिदमुदाहरणं सम्पद्येतेति भावः।

'दृष्टान्त'पद वाला उदाहरण भी उक्त पद्य ही हो सकता है यह समझने के लिये पाठान्तर दिखलाया जाता है—दृष्टान्तो वा इति। अर्थात् उक्त पद्य के 'निदर्शनम्' के स्थान में 'दृष्टान्तः' ऐसा पाठ मानने पर यही पद्य 'दृष्टान्त'शब्दघटित उदाहरणालंकार का उदाहरण होता है।

विशेषमाह—

इवादिशब्दप्रयोगे सामान्यार्थप्राधान्यं वाक्यैक्यम्, निदर्शनादिशब्दप्रयोगे तु विशेषप्राधान्यं वाक्यभेदश्चेति विशेषः।

इवशब्देत्यस्य तत्रेत्यादिर्बोध्या। वाक्यैक्यमिति। पदैकवाक्यतापन्नत्वमित्यर्थः, वाक्यभेद इति। पदैवाक्यत्वं नेत्यर्थः। वाक्यैकवाक्यत्वं तु भवत्येव। इव-यथा-निदर्शन दृष्टान्तेति चतुर्णामपि शब्दानां सत्त्वे भवत्युदाहरणालंकारः, परंतु इवयथेतिपद-द्वयान्यतरघटितोदाहरणे सामान्यार्थः प्रधानो विशेष्यः, विशेषार्थश्च गौण—विशेषणं भवति। एवम् तत्र सामान्यविशेषयोरर्थयोः प्रतिपादकम् वाक्यम् एकम् भवति। निदर्शन-दृष्टान्तेति पदद्वयान्यतरघटितोदाहरणे पुनः विशेषभूत एवार्थः प्रधानम् सामान्यार्थश्च गौणः तत्प्रतिपादकञ्च वाक्यद्वयम् इति विशेषो बोध्यः।

एक विशेष समझाया जाता है—इवादि इत्यादि। इव, यथा, निदर्शन और दृष्टान्त इन चारों शब्दों के रहने पर यद्यपि समानरूप से 'उदाहरणालंकार' होता है, तथापि इव और यथा पदों के रहने पर 'सामान्यपदार्थ' प्रधान होता है और 'विशेषपदार्थ' गौण, एवम् इन दोनों के रहने पर एक वाक्य होता है और निदर्शन तथा दृष्टान्त शब्द के रहने पर 'विशेषपदार्थ' ही प्रधान होता है तथा 'सामान्यपदार्थ' गौण, एवम् इन दोनों पदों के रहने पर दो वाक्य होते हैं, यह विलक्षणता होती है, ऐसा समझना चाहिए।

तमेव विशेषं शाब्दबोधप्रदर्शनेन स्फुटीकरोति—

तत्र तावद् 'अमितगुणः—' इति पद्ये क्रियाप्रधानमाख्यातमिति नयेऽमितगुणपदार्थकर्तृकमेकदोषहेतुकं निन्दाविषयीभवनं निखिलरसायनराजलशुनकर्तृकोग्रगन्धहेतुकनिन्दाविषयीभवनावयवकमिति धीः । प्रथमान्तविशेष्यकबोधवादिनां तूग्रगन्धहेतुकनिन्दाविषयीभवनाश्रयताद्दशलशुनावयवकस्ताद्दशपदार्थ एकदोषहेतुकनिन्दाविषयीभवनाश्रय इति । तत्रापि विशेषवाक्यार्थे क्रियान्वयो मृग्यते हेत्वन्तरान्वयार्थम् । अन्यथा ताद्दशलशुनावयवके ताद्दशपदार्थ एव क्रियान्वयेनोपपत्तिः स्यात् । एवं यथाशब्दस्थलेऽपि । उपकारमेवेत्यत्र तु विपद्गताभिन्नः सद्गुण उपकारानुकूलकृतिमानिति पूर्ववाक्यार्थः, अत्रास्मिन्नर्थे मूर्च्छाङ्गतो मृतो वा पारदो निदशनमेकदेश इत्युत्तरवाक्यार्थे गुण इति केषाञ्चित् । इतरेषां तु ताद्दशकर्तृका ताद्दशक्रियेति पूर्ववाक्यार्थे ताद्दशः पारद एकदेश इति । प्रधानावयवस्येव गुणावयवस्यापि विशिष्टार्थावयवत्वात् , घटमानयेत्यत्र नीलघटवत् ।

तत्रेति । तेषां मध्य इत्यर्थः । बोधवादिनामिति । नैयायिकानामित्यर्थः—ताद्दशेति । निखिलरसायनराजेत्यर्थः । ताद्दशेति । अमितगुणेत्यर्थः । इतीति । धीरित्यस्यानुषङ्गः । ननु निन्दितो भवतीत्यादेरेकत्रैवोपादानात्कथमुभयत्र बोध इत्यत आह—तत्रापीति । हेत्वन्तरान्वयेति । उग्रगन्धादिरूपहेत्वन्तरेत्यर्थः । अन्यथेति । तदनन्वये इत्यर्थः । नोपपत्तिरिति । उपपत्तिर्न स्यादित्यर्थः । पद्यस्यात्रेत्यस्यार्थमाह—अस्मिन्निति । गुण इति । गुणीभूत इत्यर्थः । केषांचित् । नैयायिकानाम् । इतरेषाम् वैयाकरणानाम् । ताद्दशकर्तृका इति । विपद्गताभिन्नसद्गुणकर्तृकोपकारक्रियेत्यर्थः । पद्यस्थात्रेत्यस्यार्थमाह—पूर्ववाक्यार्थे इति । ताद्दश इति । मूर्च्छां गतादिरूप इत्यर्थः । ननु क्रियारूपस्य पूर्ववाक्यार्थस्य कथं द्रव्यरूपः पारदोऽवयव इत्यत आह—प्रधानेति । 'क्रिया प्रधानमाख्यातम्' इति सिद्धान्तं स्वीकुर्वाणाः शाब्दिकाः क्रियामुख्यविशेष्यकं शाब्दबोधः मन्यन्ते । तदनुसारम् । 'अमितगुणः—'इत्यादीव यथापदघटितोदाहरणालंकारकाव्यवाक्यात् । 'निखिलरसायनराजो लशुनः कर्ता यस्य ताद्दशं तथा उग्रो गन्धो हेतुर्यस्य ताद्दशं च यत् निन्दाविषयीभवनम् तत् अवयवभूतं यस्य ताद्दशं तत् निन्दाविषयीभवनम् यस्य अमितगुणपदार्थः कर्ता एको दोषश्च हेतुः' इत्यर्थको मूलोक्ताकारो बोधो भवति । आख्यातं नाम तिङ् न तिङन्तम् , तथा च 'क्रियाप्रधानम्—' इति वचनेन तिङर्थेषु क्रियायाः प्राधान्यं बोध्यते न तिङन्तवाक्यस्यार्थे, अतो वाक्यार्थबोधे प्रथमान्तपदार्थ एव मुख्यो विशेष्य इति नैयायिकाः तदनुसारं पुनः उक्तवाक्यात् 'उग्रगन्धहेतुकनिन्दाविषयीभवनाश्रयः सकलरसायनराजो लशुनोऽवयवो यस्य ताद्दशो योऽमितगुणपदार्थः स एकदोषहेतुकनिन्दाविषयीभवनाश्रयः' इत्यर्थको मूलोक्ताकारो बोधो जायते । उभयत्र बोधे सामान्यार्थप्राधान्यं पदैकवाक्यत्वम् च स्पष्टम् । ननु एकत्रैव पद्ये 'भवति' क्रियाया उपादानमस्ति बोधे चोभयत्र तद्भानं प्रदर्श्यते कथमेतदिति चेन्न, विशेषवाक्योक्तोग्रगन्धरूपहेतोरन्वयसिध्यर्थं तदा वृत्तेः स्वीकरणीयत्वात् तदस्वीकारे 'सकलरसायनराजलशुनावयवकोऽमितगुणपदार्थ एकदोषहेतुक-

निन्दाविषयीभवनाश्रयः' इत्याकारक एव बोधो भवेत्, तथा च विशेषवाक्योक्तोग्रगन्धरूप-हेतोरनन्वय एव प्रसज्येत । एकस्यामेव क्रियायां हेतुद्वयान्वयस्तु बाधित एवेति तात्पर्यम् । 'उपकारमेव—' इत्यादि । निदर्शनादिपद्यघटितोदाहरणालंकारकाव्यवाक्यात्तु नैयायिकमते 'अभेदसंबन्धेन विपद्गतपदार्थविशेषणकः सद्गुणपदार्थः उपकारानुकूलकृतिमान् इत्याकारकः पूर्ववाक्यार्थः अस्मिन्नर्थे (पूर्ववाक्यार्थे) मूर्च्छां गतो मृतो वा पारदः एकदेश इत्युत्तरवाक्यार्थे विशेषणीभूतः (गुणीभूतः) इत्यर्थको मूलोक्ताकारको बोधः अस्मिन् बोधे विशेषप्राधान्यं वाक्यभेदश्च स्पष्टः । वैयाकरणमते पुनरस्माद् वाक्यात् 'विपद्गताभिन्नसद्-गुणकर्तृकोपकारक्रिया इति पूर्ववाक्यार्थे मूर्च्छां गतादिरूपः पारदोऽवयवः' इति बोधः । अत्रान्तिमबोधे सर्वतः प्रधानभूतोपकारक्रिया, तदवयवः (तद्विशेषणीभूतः) च सद्गुण-पदार्थः तदवयवश्च तादृशः पारद इति स्थितौ सद्गुणकर्तृकोपकारक्रियारूपस्य विशिष्टार्थस्य तादृशपारदोऽवयवो भवतीति कथ्यते । एवमेव 'घटमानय' इति वाक्याज्जायमाने बोधे प्रधानीभूताया आनयनक्रियाया विशेषणीभूते घटांशे विशेषणीभूतं नीलादिरूपम् आनयन-क्रियाया घटविशिष्टाया विशेषणं स्वीक्रियते, अत एव नीलघटादेरेवानयनं भवति । अत्र 'नीलघटवत्' इति पाठापेक्षया 'नीलरूपवत्' इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति । एतेन क्रिया-रूपस्य पूर्ववाक्यार्थस्य कथं द्रव्यरूपः पारदोऽवयव इति शंका निरस्ता । इत्यस्त्वेवादिघटित-वाक्यस्थले सामान्यविशेषवाक्ययोः पदैकवाक्यता भवतीत्येव वाक्यैक्यम् । निदर्शनादि-पदघटितस्थले तु सामान्यविशेषवाक्ययोर्वाक्यैकवाक्यता भवतीत्येव वाक्यभेद इति भावः ।

उक्त विशेष का स्पष्टीकरण शाब्दबोध दिखला कर किया जाता है—तत्र इत्यादि । 'क्रियाप्रधानमाख्यातम्-अर्थात् आख्याततिङन्त (तिङन्तपदघटितवाक्य) के बोध में क्रिया की प्रधानता होती है ।' इस वचन की इस व्याख्या को मानने वाले वैयाकरणों के मत में सभी वाक्यों के बोधों में क्रिया ही मुख्य विशेष्य होती है, अतः उनके हिसाब से 'अमितगुणः—' इत्यादि उदाहरणालंकारयुक्त काव्यवाक्यों—जिनमें 'इव' अथवा 'यथा' पद का प्रयोग किया गया हो—से "अमित गुण वाला पदार्थ जिसका कर्त्ता है और एक दोष जिसका कारण है वह निन्दित होना ऐसा सामान्य पदार्थ है, जिसका 'सकल रसायनों में श्रेष्ठ लहसुन जिसका कर्त्ता है और उग्र गन्ध जिसका कारण है वह निन्दित होना' अङ्ग एक विशेष पदार्थ—है ।" ऐसा शाब्दबोध होता है । नैयायिक लोग 'क्रियाप्रधानम्—' इस वचन की कुछ भिन्न व्याख्या करते हैं—वे कहते हैं कि—'आख्यात' शब्द का अर्थ तिङन्त नहीं, तिङ् प्रत्यय होता है, अतः तिङ् प्रत्यय के अर्थों में क्रिया की प्रधानता उक्त वचन से बोधित होती है (याद रहे कि वे क्रिया को भी तिङ्प्रत्यय का ही अर्थ मानते हैं) इस व्याख्या के अनुसार तिङन्तपदघटित वाक्य के अर्थबोध में क्रिया की प्रधानता सिद्ध हुई नहीं, फलतः वे सभी वाक्यों के अर्थबोधों में प्रथमान्तपद के अर्थ को ही मुख्य विशेष्य मानते हैं । तदनुसार, उक्तवाक्य से—'उग्र गन्ध जिसका कारण है ऐसे निन्दित होने (क्रिया) का आश्रय (आधार) सकल रसायनों में श्रेष्ठ लहसुन जिसका अवयव (अङ्ग) है वह अमितगुणवाला पदार्थ, उस निन्दित होने (क्रिया) का आश्रय है जिसका कारण एक दोष है ।' इस तरह का शाब्दबोध होता है । उक्त पद्य में 'निन्दितो भवति—निन्दित होना रूप क्रिया' केवल एक बार—(सामान्यपदार्थ के साथ) प्रयुक्त हुई है और शाब्दबोध में उस क्रिया का भान दो बार (सामान्यपदार्थ के साथ और विशेषपदार्थ के साथ) दिखलाया गया है, यह

क्यों ? ऐसी आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे स्थलों पर सामान्यपदार्थ-अंश में जो हेतु रहता है उससे भिन्न हेतु विशेषपदार्थ-अंश में रहता है, जैसे उक्त स्थल पर सामान्यपदार्थांश में हेतु है 'एक दोष' और विशेषपदार्थांश में हेतु है 'उग्र गन्ध'। इन दोनों भिन्न-भिन्न हेतुओं का किसी भी एक क्रिया में अन्वय असंभव है और यदि केवल विशेषपदार्थ का सामान्यपदार्थ के साथ अन्वय करके उस सामान्यपदार्थ का ही क्रिया के साथ अन्वय किया जाय तो बात बनती नहीं—अर्थात् विशेषपदार्थ-अंश में कथित हेतु अनन्वित ही रह जायगा। ऐसीदशा में पद्योक्त एक ही 'निन्दित होनेरूप क्रिया' की आवृत्ति कर ली जाती है, अतः दो बार उसका शाब्दबोध में भान होता है। अब रही 'निदर्शन' 'दृष्टान्त' आदि पदोंवाले वाक्यों के शाब्दबोध की बात। उसको भी समझिए। 'उपकारमेव—' इस निदर्शन अथवा दृष्टान्तपद-घटित वाक्य से नैयायिकों के अनुसार 'आपत्ति में पड़े हुए से अभिन्न अच्छे गुणवाला पदार्थ उपकार के अनुकूल कृति (यत्न) से युक्त होता है, इस सामान्य अर्थ का मूर्च्छित अथवा मृत पारा अङ्ग-रूप—एक उदाहरण है' ऐसा शाब्दबोध होता है। वैयाकरणों के अनुसार तो उक्त वाक्य से 'आपत्ति में पड़े हुए से अभिन्न अच्छे गुणों वाला पदार्थ जिसका कर्ता है उस उपकारक्रियारूप सामान्य अर्थ का मूर्च्छित अथवा मृत पारा अङ्ग रूप है।' ऐसा शाब्दबोध होता है। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि—वैयाकरणानुसारी इस पिछले शाब्दबोध में जो क्रियारूप पूर्व वाक्यार्थ का अङ्ग द्रव्य(पारा)रूप उत्तर वाक्यार्थ को माना गया है, वह ठीक नहीं, क्योंकि क्रिया का अङ्ग द्रव्य नहीं हो सकता तो इसका उत्तर यह है कि—यद्यपि 'पारा' 'अच्छे गुणोंवाले पदार्थ' का अङ्ग है क्रिया का नहीं, तथापि 'पारा' जिसका अङ्ग है वह 'अच्छे गुणोंवाला पदार्थ' यहाँ 'उपकार' क्रिया का विशेषण होकर भासित हुआ है, अतः क्रिया के विशेषण का अवयव होने के कारण 'पारा' को भी क्रिया का अवयव कहा जा सकता है। कारण, जैसे प्रधान (विशेष्य) का अवयव विशिष्ट (विशेषणों के सहित पूरे वाक्यार्थ) का अवयव होता है, वैसे ही विशेषणों का अवयव भी विशिष्ट का अवयव हो सकता है—अर्थात् यद्यपि यहाँ 'पारा'रूप विशेष पदार्थ 'क्रिया'रूप विशेष्य का अङ्ग नहीं हो सकता, तथापि विपद्गत सद्गुणपदार्थरूप विशेषण से सहित विशेष्य क्रिया (विशिष्ट) का अङ्ग होने में तो किसी तरह की बाधा है नहीं। जैसे कि 'घड़ा लाओ' इस वाक्य से होनेवाले बोध में आनयनक्रियारूप विशेष्य के अङ्ग घड़े का विशेषण नील आदि रूप उक्त क्रिया का भी विशेषण (अङ्ग) समझा जाता है, अन्यथा 'घड़ा लाओ' इस वाक्य से श्रोता 'नीले घड़े' के साथ 'लाना' क्रिया का सम्बन्ध न समझ पायँगे और उस स्थिति में वैसे घड़े को लाना भी नहीं। तात्पर्य यह कि आप बलविशेष्य का अङ्ग समझ कर दोष दे रहे हैं, पर हम 'पारा' को विशेष्य का अङ्ग नहीं, अपितु विशिष्ट का अङ्ग बना रहे हैं' और वैसा हो सकता है। अतः कोई दोष नहीं। सारांश यह हुआ कि—'इव' 'यथा' आदि पदों वाले वाक्यों में सामान्य अर्थ की प्रधानता और 'निदर्शन' 'दृष्टान्त' आदि पदोंवाले वाक्यों में विशेष अर्थ की प्रधानता रहती है, यह बात जो पहले ग्रन्थकार ने कही है, वह नैयायिकानुसारी शाब्दबोध के अनुरोध से, क्योंकि सबसे अन्तिम वैयाकरणानुसारी शाब्दबोध में उस बात की रक्षा नहीं होती। इसी तरह—"इव, यथा आदि पदों के प्रयोग रहने पर एक-वाक्यता होती है और 'निदर्शन' 'दृष्टान्त' आदि पदों के प्रयोग रहने पर दो वाक्य होते हैं।" यह बात जो पहले ग्रन्थकार ने कही है, उसका अभिप्राय केवल इतना है कि—प्रथम स्थल में पदैकवाक्यता होती है—अर्थात् पद्य के सभी पद मिलकर एक वाक्य की सृष्टि करते हैं और द्वितीय स्थल में वाक्यैकवाक्यता होती है—अर्थात् एक-एक गिरोह

के पद मिलकर पहले अलग-अलग दो वाक्यों की सृष्टि करते हैं, पर पीछे वे दोनों वाक्य मिलकर एक वाक्य हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि एकवाक्यता दोनों स्थलों पर होती ही है।

चन्द्रालोकोक्तं 'विकस्वरालंकारं' गतार्थयितुमाह—

'अर्थिभिश्छिद्यमानोऽपि स मुनिर्न व्यकम्पत।
विनाशेऽप्युन्नतः स्थैर्यं न जहाति द्रुमो यथा॥'

कविर्दधीचेर्दानवीरतां वर्णयति—अर्थिभिः याचकैर्देवैरिति यावत्, छिद्यमानः भिद्यमानः, अपि स दधीचिः मुनिः, न, व्यकम्पत कम्पं नापत्। युक्तं च तत्, उन्नतः महामनाः, विनाशेऽपि जायमाने इति भावः, स्थैर्यम् स्थिरताम्, न जहति त्यजति, यथा द्रुमः तरुश्छिद्यमानोऽपि अविचल एव तिष्ठतीत्यर्थः।

'चन्द्रालोक' तथा उसकी टीका 'कुवलयानन्द' में माने गए 'विकस्वरालंकार' के खण्डन के लिये नवीन उदाहरण उपस्थित किया जाता है—'अर्थिभिः इत्यादि। कवि दधीचि मुनि की दान-वीरता का वर्णन करता है—याचकों (याचकरूप में उपस्थित देवताओं) द्वारा काटा जाता हुआ भी वह मुनि (दधीचि) कम्पित नहीं हुआ। उचित ही है, उन्नत (महामना) जन विनाश होते रहने पर भी स्थिरता को नहीं त्यागते, जैसे वृक्ष, उसे काटते जाइये पर निषेध में एक शब्द नहीं बोलेगा।

उपपादयति—

अत्र दधीच्यालम्बनायां तदीयलोकोत्तरचरितस्मरणोद्दीपितायामेतत्पद्यप्रयोगानुभावितायामेतत्पद्यनिर्मातृगतायां रतौ प्रधानीभूतायामर्थ्यालम्बनस्तत्कृतयाच्ञाश्रवणोद्दीपितो गात्रच्छेदाभ्यनुज्ञानानुभावितो धृत्या सञ्चारिभावेन पोषितो मुनिगत उत्साहो गुणः। तत्र चाध्यर्धतृतीयचरणगतस्यार्थान्तरन्यासस्योत्कर्षकतया स्थितस्य विवेचनद्वारालङ्करणं चतुर्थचरणशकलगतमुदाहरणम्।

'अर्थिभिः—' इति श्लोके कविगता दधीचिविषयिणी सा रतिः (भावः) प्रधानतयाऽभिव्यज्यते, यस्या आलम्बनविभावो दधीचिः, उद्दीपनविभावो दधीचिसंबन्धिलोकोत्तरचरित्राकर्णनम्, अनुभावश्च प्रकृतपद्यप्रयोगः। यद्यपि अत्र मुनिगतः स उत्साहोऽपि प्रतीयते यस्य याचका आलम्बनविभावाः, तत्कृतयाचनावचनश्रवणमुद्दीपनविभावः, अङ्गच्छेदनानुमतिदानमनुभावः, धैर्यं संचारिभावः, तथापि सः (उत्साहः) प्रधानीभूतरतिभावपोषकतया गौण इति न वीररसरूपः। तस्योत्साहस्योत्कर्षकतया 'विनाशेऽप्युन्नतः स्थैर्यं न जहाति' इत्यध्यर्धतृतीयचरणगतः सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलंकारः, तस्यार्थान्तरन्यासस्योत्कर्षकरणात् 'द्रुमो यथा' इति चतुर्थचरणखण्डगतसामान्यविशेषयोरवयवावयविभावरूपः उदाहरणालंकार एवेति न विकस्वराख्यः कश्चिदपरालंकार इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'अर्थिभिः—' इस पद्य से कविनिष्ठ मुनिविषयक वह रति (भाव) प्रधानरूप में अभिव्यक्त होती है, जिसके आलम्बनविभाव—मुनि दधीचि, उद्दीपनविभाव-दधीचिसंबन्धी लोकोत्तरचरित्रों का श्रवण, और अनुभाव-प्रकृत पद्य की रचना है। यद्यपि इस पद्य से मुनि(दधीचि)निष्ठ वह उत्साह भी अभिव्यक्त होता है जिसके आलम्बनविभाव—याचक-देवगण, उद्दीपनविभाव-याचक-

जनोक्त याचनावचनों का श्रवण, अनुभाव-अङ्गच्छेदन के लिये अनुमतिदान और धैर्य संचारिभाव हैं, तथापि वह (उत्साह) प्रधानरूप में अभिव्यक्त होनेवाले रतिभाव का पोषक-गौण ही है, अतएव वह दान वीररसरूप नहीं हो सकता। इस उत्साह को उत्कृष्ट बनाने के कारण इस पद्य के तृतीय तथा आधे चतुर्थ (३॥) चरण ('विनाशेऽप्युन्नतः स्थैर्यं न जहाति) द्वारा प्रतिपादित सामान्य से विशेष का समर्थनरूप अर्थान्तरन्यास, वाच्य अलंकार है और इस अर्थान्तरन्यास का विवेचक होने के नाते उत्कर्षक, चतुर्थ चरण के एक भाग में आया हुआ (द्रुमो यथा) यह सामान्य और विशेष का अवयवावयविभावरूप 'उदाहरणालंकार' होता है। तात्पर्य यह कि उक्त रीति से इस पद्य में भी जब उदाहरणालंकार माना जा सकता है तब एक पृथक् 'विकस्वरालंकार' मानने की आवश्यकता नहीं है।

अलंकारदृष्ट्या पूर्वोक्तपद्यतुल्यं प्राचीनं पद्यान्तरमुद्धरति—

एवमेव—

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्।
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः॥'

इति कालिदासपद्येऽपि बोध्यम्।

कविकुलगुरुः कालिदासः कुमारसंभवाख्ये स्वनिबन्धे हिमालयं वर्णयन्नाह—अनन्तेति। हिमं प्रालेयम्, अनन्तरत्नप्रभवस्य अगणितरत्नोत्पत्तिस्थानस्य यस्य हिमालयस्य, सौभाग्यविलोपि सौन्दर्यस्य श्रेष्ठताया वा नाशकम्, न जातम् नाभूत् कुत इति चेत्? यतः एको, दोषः, गुणसन्निपाते गुणसमूहे, इन्दोः चन्द्रमसः, किरणेषु ज्योत्स्नासु, अङ्कः, कलङ्कः, इव निमज्जति निलीनो भवतीत्यर्थः अत्रापि। पूर्वार्धोपवर्णितस्य विशेषपदार्थस्य 'एको दोषो गुणसन्निपाते निमज्जति' इत्यंशेन सामान्यपदार्थवर्णनरूपेण समर्थनादर्थान्तरन्यासोऽलंकारः, तदुत्कर्षकतया च—'इन्दोः किरणेषु अङ्क इव' इत्यंशे उदाहरणालंकारः। इदं पद्यं कुवलयानन्दे 'विकस्वरालंकारोदाहरणतया प्रदर्शितम्' तच्चेदानीं पूर्वपद्यसाम्यकथनेन निराकृतं पण्डितराजेन वेदितव्यमिति भावः।

अलंकार की दृष्टि से पूर्वोदाहृत पद्य के समान एक प्राचीन पद्य उद्धृत किया जाता है—एवमेव इत्यादि। 'अर्थिभिः—इस पद्य में जो बात कही गई है वही बात 'अनन्तरत्न—अर्थात् अनन्त रत्नों को उत्पन्न करनेवाले हिमालय के सौभाग्य (सौन्दर्य अथवा श्रेष्ठता) को हिम (बरफ) नष्ट नहीं कर सका। कारण एक दोष गुणों के समूह में डूब जाता है—छिप जाता है, जैसे चन्द्र की किरणों में कलङ्क।' इस हिमालयवर्णनपरक कुमारसंभवस्थ कालिदास के पद्य में भी समझनी चाहिए। तात्पर्य यह कि—इस पद्य को कुवलयानन्दकार ने जो 'विकस्वरालंकार' का उदाहरण माना है वह ठीक नहीं, क्योंकि जिस तरह पूर्व पद्य में उदाहरणालंकार होता है, उस तरह यहाँ भी पूर्वार्ध के द्वारा वर्णित विशेष अर्थ का समर्थन करने के कारण 'एक दोष गुणों के समूह में डूब जाता है' यह सामान्य अर्थ 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' रूप है और इस अर्थान्तरन्यासभूत पदार्थ को पुष्ट करने के कारण 'जैसे चन्द्र की किरणों में कलङ्क' यह अंश 'उदाहरणालंकार' का ही विषय है, फिर व्यर्थ एक नवीन अलंकार की कल्पना करना उचित नहीं।

नन्वेवं साङ्कर्येऽर्थान्तरन्यासविशेषत्वमेवास्तु उदाहरणत्वेनाभिमतस्थलविशेषस्येत्याशङ्कायामाह—

अस्मिंश्चालङ्कारेऽवयवावयविभावबोधकस्येवशब्दादेः प्रयोगः, सामान्यविशेषयोरेकरूपविधेयान्वयश्चार्थान्तरन्यासभेदाद् वैलक्षण्याधायक इति तत्प्रकरणे निपुणतरमुपपादयिष्यामः।

भेदादिति। विशेषादित्यर्थः। अर्थान्तरन्यासविशेषापेक्षया वैलक्षण्याधायक इति समुदितार्थः। अयं भावः—प्रक्रान्ते उदाहरणालङ्कारे सामान्यविशेषयोरर्थयोरवयवावयविभावबोधक इवशब्दादिः प्रयुक्तस्तिष्ठति, सामान्यविशेषात्मकयोर्द्वयोरपि पदार्थयोर्विधेयभूतायामेकस्यामेव क्रियायाम् अन्वयश्च भवति, एतद्वैचित्र्यद्वयविपरीतमर्थान्तरन्याससामान्येऽवयवावयविभावबोधकः कोऽपि शब्दः प्रयुक्तो न तिष्ठति, तथा विधेयभूतविभिन्नक्रिययोः सामान्यविशेषरूपत्वशंकाप्रसर इति। एष प्रसङ्गोऽर्थान्तरन्यासनिरूपणप्रकरणे निपुणतरमुपपादनीय इत्यत्र ग्रन्थकृता सूच्यते। पाठकजनसौविध्याय तत्रत्यो ग्रन्थांशोऽविकलमधस्तादुल्लिख्यते—"न चैवमपि विशेषस्य सामान्यसमर्थनं नार्थान्तरन्यासभेदो भवितुमीष्टे, प्रागुक्तोदाहरणालङ्कारेणैव गतार्थत्वादिति वाच्यम्। इवादिप्रयोगाभावस्यैवात्र ततो वैलक्षण्यात्। एवमपि वाचकाभावादार्थोऽयमुदाहरणालङ्कारोऽस्तु, नार्थान्तरन्यासभेद इति चेत्, इदमस्ति वैलक्षण्यम्—सामान्यार्थसमर्थकस्य विशेषवाक्यार्थस्य द्वया गतिः। अनुवाद्यांशमात्रे विशेषत्वम्, विधेयांशस्तु सामान्यगत एवेत्येका। अनुवाद्यविधेयोभयांशेऽपि विशेषत्वमित्यपरा। तत्राद्या उदाहरणालंकारस्य विषयः, द्वितीया त्वर्थान्तरन्यासभेदस्य। एवं च 'मूर्च्छां गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः' इत्युदाहरणालंकारगते विशेषे उपकारमेव कुरुत इति प्राचीनसामान्यार्थगतैव यथोक्तरूपेण क्रिया विधेया। 'रोगानपहरति पारदः सकलान्' इत्यर्थान्तरन्यासगते तु पृथगुपात्त विशेषरूपेणेति।"

यह उदाहरणालंकार' जब 'अर्थान्तरन्यास' से मिश्रित ही पाया जाता है, तब क्यों न इसे 'अर्थान्तरन्यास' का ही एक भेद मान लिया जाय? अतिरिक्त अलंकार मानने की आवश्यकता क्या है? इस आशंका का समाधान करने के लिये दोनों में रहनेवाले वैलक्षण्य का उल्लेख किया जाता है—अस्मिंश्च इत्यादि। अभिप्राय यह है कि—इस उदाहरणालंकार में सामान्य-विषयभूत पदार्थों के अवयवावयविभाव के बोधक 'इव' आदि शब्द प्रयुक्त रहते हैं—और सामान्य (जैसे 'गुणसमूह में एक दोष') और विशेष (जैसे 'चन्द्र की किरणों में कलङ्क') दोनों पदार्थों का एक ही विधेय (जैसे 'डूबना' क्रिया) में अन्वय होता है पर अर्थान्तरन्यास में ऐसा नहीं होता—अर्थात् वहाँ अवयवावयविभावबोधक इव आदि शब्द प्रयुक्त नहीं होते और सामान्यविशेषभूत दो अर्थों का अन्वय भिन्न-भिन्न विधेय (क्रिया) में होता है। इन्हीं वैलक्षण्यों के वर्तमान रहने के कारण 'उदाहरणालंकार' को 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' का भेद नहीं माना जा सकता। फलतः 'उदाहरण' को एक पृथक् ही अलंकार मानना आवश्यक है। इस प्रसंग का विशद उपपादन ग्रन्थकार अर्थान्तरन्यास के प्रकरण में करेंगे।

प्राचीनमतमाह—

प्राञ्चस्तु "नायमलङ्कारोऽतिरिक्तः। उपमयेव गतार्थत्वात्। न च सामान्यविशेषयोः सादृश्यानुल्लासात्कथमुपमेति वाच्यम्। 'निर्विशेषं न सामान्यम्—'

इति सामान्यस्य तत्किञ्चिद्विशेषं बिना प्रकृतत्वायोगात्तादृशविशेषमादाय विशेषान्तरस्य सादृश्योल्लासे बाधकाभावादिवादिभिरामुखे प्रतीयमानस्यापि सामान्यविशेषभावस्य परिणामे सादृश्य एव विश्रान्तेः ।।" इत्यप्याहुः ।।

अयमिति । उदाहरणाख्य इत्यर्थः । प्रकृतत्वायोगादिति । प्रस्तुतत्वासंभवादित्यर्थः । आमुखे आदौ । उपमालंकार एवान्तर्भूतत्वादुदाहरणाख्यः कश्चिदपरोऽलंकारो नास्ति । अभेदेन मिथोऽन्वीयमानयोः सामान्यविशेषपदार्थयोर्भेदविरहात् भेदगर्भस्य सादृश्यस्यास्फुरणेन नोपमा भवितुमर्हतीति तु न वक्तुं योग्यम्, 'न निर्विशेषं सामान्यं भवति' इति सिद्धान्तेन 'अमितगुणोऽपि पदार्थः—' इत्यादौ अमितगुणपदार्थतया दोषपदार्थतया च यावत्तावपि विशेषौ (विमलविद्याकामुकत्वादिकौ) न गृह्येताम्, तावत् तयोः प्रस्तुतत्वं न संभवेत्, तयो प्रस्तुतत्वानवगमे च तत्समर्थकतया लशुनादिरूपविशेषोपन्यासो न संगच्छेत्, अतः सामान्यस्यापि प्रकरणप्राप्तविशेषरूपता स्वीकर्तव्यैव, तथात्वे च तमेव विशेषमादायोक्तस्यापरस्या विशेषस्य सादृश्यस्फुरणे बाधकविरहेणोपमायाः साम्राज्यमित्याशयात् । नन्वेवमपि उदाहरणाख्येऽलंकारे इवादीनां सामान्यविशेषभावात्मकावयवावयविभावबोधकत्वेन कथं सादृश्योल्लास इति चेन्न, आदौ इवादिशब्दैः प्रतीयमानस्यापि सामान्यविशेषभावस्य पर्यवसाने सादृश्य एव विश्रमादिति भावः ।

प्राचीनों का मत दिखलाया जाता है—प्राञ्चस्तु इत्यादि । प्राचीन आलंकारिक लोग तो यह भी कहते हैं कि—'यह उदाहरणनामक अलंकार अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि यह उपमा से ही गतार्थ हो जाता है—अर्थात् जहां आप उदाहरणनामक अलंकार मानते हैं वहां उपमा अलंकार ही माना जा सकता है । यदि आप कहें कि सामान्य-विशेषभावस्थल में हो तो उदाहरणालंकार माना जाता है और सामान्य-विशेष में अभेद माना जाता है फिर भेदविशिष्ट सादृश्य की प्रतीति हो नहीं सकती और जब सादृश्य की प्रतीति ही नहीं होगी तब उपमा कैसे हो सकती है ? तो इसका समाधान यह है कि—'सामान्य विशेषरहित नहीं होता' इस सिद्धान्त के अनुसार 'अमितगुणोऽपि पदार्थः—' इत्यादि उदाहरणालंकार के लक्ष्यों में 'अमित गुण' और 'दोष' इन दोनों सामान्य पदार्थों को भी किसी न किसी विशेष (जैसे विमल विद्या तथा कामुकता आदि) के रूप में ही समझना पड़ेगा, अन्यथा वे सामान्य प्रस्तुत वस्तु समझे नहीं जा सकेंगे और जब वे प्रस्तुत नहीं समझे जायंगे तब उनके समर्थन में जो आगे लहसुन-उग्रगन्ध आदि विशेषों का विशेषरूप में उल्लेख किया गया रहता है वही असङ्गत हो जायगा और इस युक्ति से जब सामान्य को भी किसी प्रकरणप्राप्त विशेष के रूप में समझ लिया जायगा, तब उन्हीं विशेषों को लेकर उक्त अन्य विशेष के साथ सादृश्य उल्लसित होगा—इसमें किसी तरह की बाधा नहीं और सादृश्य के उल्लसित हो जाने पर सुखेन उपमा मानी जा सकेगी । यदि इतने पर भी आप कहेंगे कि-यहाँ तो सामान्यविशेषात्मक अवयवावयविभाव के बोधक 'इव' आदि शब्द प्रयुक्त रहते हैं, अतः अवयवावयविभाव का ही बोध होगा सादृश्य का नहीं, तो इसके उत्तर में मेरा कथन है कि—हाँ आरम्भ में 'इव' आदि शब्दों से सामान्यविशेषभाव का बोध अवश्य होगा पर अन्त में उस सामान्य, विशेषभाव का उक्त रीति से सादृश्य में ही विश्राम मानना पड़ेगा अन्यथा गुजारा नहीं ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामुदाहरणप्रकरणं समाप्तम् ।

अथ स्मरणालंकारनिरूपणमारभमाणस्तावत्तल्लक्षणमाह—

सादृश्यज्ञानोद्बुद्धसंस्कारप्रयोज्यं स्मरणं स्मरणालङ्कारः ।

'इदमेतस्य सदृशम्' इत्याकारकेण सादृश्यज्ञानेन उद्बुद्धः जागरितः, यः, संस्कारः वासना, तत्प्रयोज्यं तन्मूलकम् यत् स्मरणम् (वस्तुविशेषस्य) तत् सहृदयहृदयाह्लादजनकं चेत् तदा स्मरणाख्योऽलंकारः कथ्यत इत्यर्थः । किमपि वस्तु दृष्ट्वा यत्तत्सदृशं वस्त्वन्तरं स्मर्यते तत् स्मरणालंकारपदेन व्यवह्रियत इति भावः ।

अब स्मरणालंकारनिरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम स्मरणालंकार का लक्षण किया जाता है—सादृश्य इत्यादि । सादृश्य के ज्ञान से उद्बुद्ध (जगा हुआ) जो संस्कार उससे साक्षात् अथवा परम्परया होनेवाला जो स्मरण उसको 'स्मरणालंकार' कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि-किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने से जो तत्सदृश अन्य वस्तु की स्मृति हो आती है वह जब काव्य में चमत्कारीरूप से वर्णित होती है तब उसे स्मरणालंकार कहते हैं ।

उदाहरणं निर्देष्टुमाह—

यथा—

स्मरणालंकारप्रयोजकः प्रकारः प्रदर्श्यत इति भावः ।

जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'दोर्दण्डद्वयकुण्डलीकृतलसत्कोदण्डचण्डध्वनि-
　　ध्वस्तोद्दण्डविपक्षमण्डलमथ त्वां वीक्ष्य मध्येरणम् ।
वल्गद्गाण्डिवमुक्तकाण्डवलयज्वालावलीताण्डव-
　　भ्रश्यत्खाण्डवरुष्टपाण्डवमहो को न क्षितीश स्मरेत् ॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—हे क्षितीश राजन् मध्येरणम् रणस्य = युद्धस्य मध्ये ('पारे मध्ये षष्ठ्या वा' इति-अव्ययीभावसमासः) दोषौ = बाहू दण्डौ इव इति दोर्दण्डौ (उपमितसमासः) तयोर्द्वयेन बाहुयुगलेनेति यावत् कुण्डलीकृतम् (अकुण्डलं कुण्डलं कृतमित्यभूततद्भावे च्विः) कुण्डलाकारतया परिणमितम् इति यावत् , अत एव, लसत् शोभमानं यत् कोदण्डं धनुः, तस्य, ये चण्डाः भयंकराः, ध्वनयः शब्दविशेषाः, तैः, ध्वस्तं नाशितम् , उद्दण्डानाम् उद्धतानाम् , विपक्षाणाम् शत्रूणाम् मण्डलं समूहो येन तादृशं, त्वाम् वर्णनीयं नृपतिविशेषम् , वीक्ष्य दृष्ट्वा, कः जनः, वल्गतः वाचालात् , गाण्डिवात् तन्नामकात् धनुषः, (गाण्डिवशब्दो ह्रस्वेकारविशिष्टो दीर्घेकारविशिष्टश्चास्ति । यथा महाभारते-'धनुर्ग्राहश्चार्जुनः सव्यसाची धनुश्च तद्गाण्डिवं भीमवेगम्' । इति तथा 'यन्मां पूर्वमिहापृच्छः शत्रुसेनानिबर्हणम् । गाण्डीवमेतत्पार्थस्य लोकेषु विदितं धनुः ॥' इति । व्युत्पत्तिश्च-गाण्डिर्ग्रन्थिरस्यास्तीति विग्रहे । 'गाण्ड्यजगात् संज्ञायाम्' इति वप्रत्ययः । अथवा ग्रन्थिवाचकात् गाण्डिशब्दात् 'कृदिकारान्तात्' इति ङीपि 'गाण्डी'ति ततो वः ।) मुक्तं प्रक्षिप्तम् , यत् काण्डवलयं बाणसमूहः, तस्य या ज्वालावली तापपुञ्जम् , तस्याः,

ताण्डवेन उद्धतनृत्येन, भ्रश्यत् नश्यत् यत् खाण्डवं वनविशेषः, तत्र स्थितम्, रुष्टं क्रुद्धम्, पाण्डवम् अर्जुनम्, न स्मरेत् न ध्यायेत्, सर्वेऽपि स्मरेयुरित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—दोर्दण्ड इत्यादि । कवि किसी राजा का वर्णन करता है—हे राजन्! दोनों बाहुदण्डों से कुण्डल के समान गोल किये सुन्दर धनुष की प्रचण्ड ध्वनि से उदण्ड शत्रुसमूह को नष्ट कर देनेवाले तुम्हें युद्ध के मध्य में देखकर, कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो, वाचाल गाण्डोव धनुष से निकले बाण-समूह की ज्वालावली के ताण्डव-नृत्य से भ्रष्ट होते हुए खाण्डव (एक वनविशेष) में स्थित क्रुद्ध पाण्डव (अर्जुन) का स्मरण न करे । रणभूमि में आपको देखकर दर्शकों को वैसे अर्जुन की स्मृति हो ही आती है ।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'भुजभ्रमितपट्टिशोद्दलितदृप्तदन्तावलं
भवन्तमरिमण्डलक्रथन पश्यतः सङ्गरे ।
अमन्दकुलिशाहतिस्फुटविभिन्नविन्ध्याचलो
न कस्य हृदयं झगित्यधिरुरोह देवेश्वरः ॥'

कविः कमपि नृपं वर्णयति—हे अरिमण्डलक्रथन शत्रुसमूहनाशक! भुजाभ्याम् बाहुभ्याम्, भ्रमितेन घूर्णितेन, पट्टिशेन अस्त्रविशेषेण, उद्दलिताः नाशिताः, दृप्ताः मदमत्ताः, दन्तावला गजा येन तम् भवन्तम् प्रकृतं कमपि राजानम्, संगरे युद्धे, पश्यतः अवलोकयतः, कस्य पुरुषस्य, हृदयम् चेतसीति यावत्, अमन्दाभिः प्रबलाभिः, कुलिशस्य वज्रस्य आहतिभिः प्रहारैः, स्फुटं स्पष्टम्, विभिन्नः छिन्नः, विन्ध्याचलः विन्ध्यनामकपर्वतो येन तादृशः, देवेश्वरः इन्द्रः, झगिति शीघ्रम्, न, अधिरुरोह आरूढवान्, अपि तु सर्वेषामेव दृप्तदन्तावलदलनकारिणं भवन्तमनुपश्यतां मानसे प्रबलवज्रप्रहारच्छिन्नविन्ध्यो देवराजः पदं निदधे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—भुजभ्रमित इत्यादि । कवि किसी राजा का वर्णन करता है—हे शत्रुसमूहविध्वंसक! भुजाओं से घुमाए गये पट्टिश (एक अस्त्र) के द्वारा मदमत्त हाथियों का दलन कर चुकनेवाले आपको, युद्ध में देखते हुए किसके हृदय में, वज्र के प्रबल प्रहारों से स्पष्टरूप में विन्ध्याचल को तो तोड़नेवाला देवराज इन्द्र हृदय में, वज्र के प्रबल प्रहारों से स्पष्टरूप में विन्ध्याचल को तोड़नेवाला देवराज इन्द्र तत्काल आरूढ नहीं हुआ ।

उपपादयति—

अनयोः पद्ययोः प्रधानीभूताया राजविषयककविनिष्ठरतेरुत्कर्षकतया स्मरणमलङ्कारः ।

पूर्वोक्तावुभावपि श्लोकौ राजस्तुतिपरावतस्तयोः कविगतो राजविषयकः रतिभावः

प्रधानतयाऽभिव्यज्यते, अभिव्यज्यमानं च तं प्रधानभावमुपस्कुर्वत् वाच्यं लक्ष्यं च स्मरणम् अलंकाररूपतां प्रतिपद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अनयोः इत्यादि । ऊपर के दोनों ही पद्य राजवर्णन में प्रयुक्त हुए हैं, अतः उन दोनों ही पद्यों से प्रधानतया कविहृदयगत राजा का प्रेम (भाव) अभिव्यक्त होता है और उस प्रेमभाव को उत्कृष्ट बनाता है प्रकृत स्मरण, अतः यह स्मरण अलङ्काररूप है ।

उदाहरणद्वयप्रदर्शननिदानभूतमुभयोरुदाहरणयोर्वैलक्षण्यं दर्शयति—

आद्ये वाच्यम् , द्वितीये तु लक्ष्यमिति विशेषः ।

आद्ये इति । स्मरणमित्यस्यानुषङ्गः । लक्ष्यमिति । अधिरोहतेर्लक्ष्यमित्यर्थः । 'दोर्दण्ड' इत्यत्र 'स्मरेत्' इति क्रियापदस्य स्मरणरूपोऽर्थो वाच्यः, 'भुजभ्रमित' इत्यत्र तु सोऽर्थो न वाच्योऽपि तु 'अधिरुरोह' इत्यस्य बाधितमुख्यार्थकस्य लक्ष्य इत्येवोभयोर्लक्ष्ययोर्वैलक्षण्यमिति भावः ।

दो उदाहरण दिखलाने का रहस्य (दोनों में वैलक्षण्य) दिखलाया जाता है—आद्ये इत्यादि । प्रथम उदाहरण (दोर्दण्ड—) में 'स्मरेत्' पद से स्मरण वाच्यरूप में अवगत होता है और द्वितीय उदाहरण (भुजभ्रमित—) में वह 'हृदयमधिरुरोह' पद से लक्ष्यरूप में ज्ञात होता है। इसी वैलक्षण्य को ध्यान में रखकर दो उदाहरणों का उल्लेख ग्रन्थकार ने किया है ।

ननु वीररसोऽप्यत्र प्रधानतया व्यज्यत इति तद्ध्वनित्वमुक्तपद्ययोः कुतो नाङ्गीक्रियत इत्याशंकायामाह—

वीररसोऽपि चात्र प्रधानोत्कर्षकतयालङ्कार एव ।

वीररस इति । तत्स्थायीभाव उत्साह इत्यर्थः । चरमविश्रान्तिधामत्वविरहेण रसत्वेऽपरिणमनात् । प्रधानोत्कर्षकतयेति । कविनिष्ठरतिभावोपस्कारकतयेत्यर्थः । यद्यपि पूर्वोक्तयोर्द्वयोरपि पद्ययोः राजनिष्ठ उत्साहः प्रतीयते, तथापि नासौ प्रधानः, अपि तु प्रधानतया प्रतीयमानस्य कविगतस्य रतिभावस्य पोषकतया गौण एव, अतः स उत्साहात्मकः स्थायीभावो रसरूपे न परिणमति—रसपदव्यवहारयोग्यो न भवतीति तस्य रसवदलङ्कारत्वमेव स्वीकरणीयमिति भावः ।

उक्त दोनों पद्यों में वीररस (वर्णनीय राजगत उत्साह) भी ध्वनित होता है फिर वीररसध्वनि क्यों नहीं यहाँ मानी जाय ? इस शंका का समाधान किया जाता है—वीररसोऽपि इत्यादि । अभिप्राय है कि—उक्त दोनों पद्यों में 'उत्साह' (वीर रस का स्थायीभाव) यद्यपि ध्वनित होता है पर वह प्रधान नहीं है क्योंकि—सर्वप्रधान कविगत रतिभाव का वह पोषण करता है, अतएव पदपेक्षया गौण है और गौण स्थायीभाव रसरूप में परिणत होता ही नहीं, फलतः वह 'उत्साह' भी प्रधान का उपस्कारक होने के कारण 'रसवत्' अलंकार ही माना जायगा, अतएव इन पद्यों में 'वीररसध्वनि' का व्यवहार नहीं हो सकता ।

लक्षणे प्रयोज्यत्वनिवेशस्य फलमाह—

'एकीभवत्प्रलयकालपयोधिकल्प-
मालोक्य सङ्गरगतं कुरुवीरसैन्यम् ।

सस्मार तल्पमहिपुङ्गवकायकान्तं
निद्रां च योगकलितां भगवान् मुकुन्दः ॥'

अत्र तल्पनिद्रयोः स्मरणं यद्यपि न तल्पनिद्रासादृश्यदर्शनोद्बुद्धसंस्कारप्रयोज्यम्, तथापि सैन्यगतपयोधिसादृश्यदर्शनोद्बुद्धपयोधिविषयकसंस्कारजन्यपयोधिस्मरणाधीनत्वाद्भवत्येव यत्किञ्चित्सादृश्यदर्शनोद्बुद्धसंस्कारप्रयोज्यम्। न हि सादृश्ये स्मर्यमाणसम्बन्धित्वं विवक्षितम्। एवं वाच्ययोस्तल्पनिद्रास्मरणयोः एतत्कारणतया आक्षिप्तस्य पयोधिस्मरणस्य चाविशेषेण सङ्ग्रहाय लक्षणे जन्यत्वमपहाय प्रयोज्यत्वमुपात्तम्।

कविर्महाभारतयुद्धं वर्णयति—एकीभवदिति। भगवान् मुकुन्दः श्रीकृष्णः, एकीभवन्तो मिथो मिलन्तो, ये, प्रलयकालस्य पयोधयः समुद्राः, तत्कल्पम् तत ईषदूनम् तत्सदृशमिति यावत् ('ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः' इति कल्पप्प्रत्ययः), संगरगतं युद्धमध्यस्थितम्, कुरुवीरसैन्यम् दुर्योधनपक्षीयसैनिकम्, आलोक्य दृष्ट्वा, अहिपुंगवस्य सर्पराजस्य शेषस्येति यावत्, कायेन शरीरेण, कान्तं रमणीयम्, तल्पं शय्याम्, योगकलितां समाधिमयीमिति भावः, निद्रां स्वापम्, च, सस्मार स्मृतवानित्यर्थः। उपपादयति—अत्रेति एकीभवदिति पद्य इत्यर्थः। तल्पनिद्रेति। तल्पनिद्रयोः सादृश्यस्य दर्शनेन तल्पनिद्रातुल्यवस्त्वन्तरदर्शनेन, उद्बुद्धो जागरितो यः संस्कारः, तत्प्रयोज्यं तन्मूलकमित्यर्थः। सैन्यगतेति। सैन्यगतं यत् पयोधिसादृश्यं तस्य दर्शनेन उद्बुद्धो यः पयोधिविषयकः संस्कारस्तज्जन्यं साक्षात्तन्मूलकम् तदुत्पाद्यमिति यावत्, यत् पयोधेः स्मरणं तदधीनत्वादित्यर्थः। यत्किञ्चित्सादृश्येति सैन्यगतपयोधिसादृश्येत्यर्थः। प्रयोज्यमिति। परम्परया तत्फलीभूतमित्यर्थः। एतच्च पूर्वोक्तस्य तल्पनिद्रयोः 'स्मरणम्' इत्यस्य विशेषणम्। स्मर्यमाणसम्बन्धित्वमिति। स्मर्यमाणपदार्थप्रतियोगिकत्वमित्यर्थः। विवक्षितमिति। लक्षणे इति शेषः। एवमिति। वैधर्म्ये दृष्टान्तः। एतदिति। तल्पनिद्रास्मरणकारणतयेत्यर्थः। संग्रहायेति स्मरणालंकारलक्षणलक्ष्यत्वायेत्यर्थः। अयं भावः—'एकीभवत्...' इति श्लोके मुकुन्दकर्तृकं तल्पनिद्राविषयकं स्मरणं यद्वाच्यवृत्त्या वर्णितमस्ति तत्तल्पनिद्रासादृश्यदर्शनोद्बुद्धसंस्कारप्रयोज्यं नास्ति, भगवता तल्पनिद्रासदृशपदार्थस्यादर्शनात् इति यद्यपि सत्यम्, तथापि कुरुवीरसैन्ये भगवता यत्पयोधिसादृश्यं दृष्टम् तेन पयोधिविषयकः संस्कारो भगवदात्मन्युद्बुद्धस्तेन भगवति पयोधिस्मरणं जातम्, तत्स्मरणवशादेव च भगवति तल्पनिद्रास्मरणमपि जातमित्यपि सत्यमेव। तथा च सैन्यगतपयोधिसादृश्यदर्शनोद्बुद्धसंस्कारजन्यत्वं पयोधिस्मरणस्यास्तु किन्तु तादृशसंस्कारप्रयोज्यत्वं तु तल्पनिद्रास्मरणयोरप्यक्षतमेव, तज्जन्यजन्यस्य तत्प्रयोज्यत्वनियमात्। ननु अलंकारत्वेनाभिमतस्य स्मरणस्य प्रयोजको यः संस्कारस्तदुद्बोधको योऽनुभवस्तद्विषयीभूते सादृश्ये स्मर्यमाणपदार्थसंबन्धित्वमपेक्षितम्, न च तदिहास्ति, स्मर्यमाणतल्पनिद्रासंबन्धित्वस्य तल्पनिद्रास्मरणप्रयोजकसंस्कारोदबोधकानुभवविषयसैन्यगतपयोधिसादृश्येऽसंभवात्, पयोधिसंबन्धित्वस्यैव तत्र संभवादिति चेन्न, लक्षणघटकसादृश्ये स्मर्यमाणसंबन्धित्वस्याविवक्षितत्वात्। एवञ्च प्रकृतपद्ये स्मरणालंकारद्वयं सुस्थम्। तत्रैकः स्मरणालंकारो व्यङ्ग्यः (प्रतीयमानपयोधिविषयकस्मरणात्मकोऽलंकारो व्यङ्ग्यः)। अपरश्च वाच्यः

(तल्पनिद्राविषयकस्मरणरूपोऽलंकारो वाच्यः) । अत एव लक्षणे जन्यत्वं विहाय प्रयोज्यत्वं निवेशितम्, निवेशिते च तस्मिन् प्रकृते वाच्ययोस्तल्पनिद्रास्मरणयोस्तत्कारणत्वेन प्रतीयमानस्य पयोधिस्मरणस्य च संग्रहः समुचित एवेति ।

लक्षण में 'सादृश्यज्ञानोद्बुद्धसंस्कार से साक्षात् होने वाला' इतना ही न कह कर 'साक्षात् अथवा परम्परया होनेवाला' ऐसा जो कहा गया है उसका फल दिखलाया जाता है—'एकीभवत्···' इत्यादि । कवि महाभारतयुद्ध का वर्णन करता है—एक होते हुए प्रलयकालिक समुद्र के समान, युद्ध में डटी हुई कुरुवीर—दुर्योधन—की सेना को देखकर भगवान् श्रीकृष्ण ने सर्पराज—शेष—के शरीर से बनी सुन्दर शय्या तथा योगनिद्रा का स्मरण किया । यहाँ 'शय्या' और 'निद्रा' का स्मरण जो वाच्यरूप में वर्णित है वह 'शय्या' और 'निद्रा' का सादृश्य देखने से उद्बुद्ध संस्कार का प्रयोज्य (उससे साक्षात् अथवा परम्परया होने वाला फल) यद्यपि नहीं है क्योंकि भगवान् ने यहाँ किसी ऐसे पदार्थ को नहीं देखा जो शय्या अथवा निद्रा के सदृश हो । तथापि यह सत्य है कि भगवान् ने सैनिकों में समुद्र का सादृश्य देखा, उससे भगवान् की आत्मा में समुद्र का संस्कार जगा, जिससे समुद्र का स्मरण हुआ और उस स्मरण से हो शय्या और निद्रा का स्मरण भी हुआ । इस स्थिति में शय्या और निद्रा का स्मरण समुद्र का सादृश्य देखने से उद्बुद्ध संस्कारजन्य (साक्षात् फल) भले ही न कहलावे, पर प्रयोज्य (परम्परित फल) तो अवश्य कहलायगा । आप कहेंगे—उक्त बात ठीक है, पर यह शय्या और निद्रा का स्मरण स्मर्यमाण (जिसका स्मरण होता है उस शय्या और निद्रा) के सादृश्यदर्शन से उद्बुद्ध संस्कार का प्रयोज्य तो हुआ नहीं फिर वह अलंकाररूप कैसे होगा? तो, इसका उत्तर यह है कि—लक्षण में यह तो कहा हुआ है नहीं कि सादृश्य स्मर्यमाण पदार्थ का ही लिया जाय, फलतः किसी भिन्न पदार्थ के सादृश्यदर्शन से उद्बुद्ध संस्कार का साक्षात् परम्परया वा फलीभूत किसी भिन्न पदार्थ का स्मरण भी लक्षण से संगृहीत होता ही है । प्रकृत श्लोक के वाच्य शय्या और निद्रा का स्मरण और उसके कारणरूप में प्रतीत होने वाला समुद्र का स्मरण दोनों का एक तरह से संग्रह करने के लिये ही लक्षण में 'साक्षात्परम्परासाधारणप्रयोज्यत्व' का निवेश किया गया है । सारांश यह हुआ कि प्रकृत पद्य में दो स्मरणालंकार हैं जिनमें एक (समुद्रस्मरण) व्यंग्य और दूसरा (शय्या और निद्रा का स्मरण) वाच्य है ।

मतान्तरमाह—

केचित्तु सदृशज्ञानोद्बुद्धसंस्कारजन्यं सदृशविषयकमेव स्मरणमलङ्कारः । भुजगेन्द्रनिद्रास्मृतिस्तु नालङ्कार इत्याहुः ।

केचित्तु इति । अत्र मते जन्यत्वनिवेशः सादृश्यस्मर्यमाणसंबन्धित्वनिवेशश्चेति पूर्वतो भेदः भुजगेन्द्रेति । 'एकसंबन्धिज्ञानमपरसंबन्धिनं स्मारयति' इति न्यायेन तल्पादिस्मरणस्य पयोधिस्मरणजन्यत्वेऽपि तादृशसंस्काराजन्यत्वादसदृशविषयकत्वाच्चेति भावः । पयोधिस्मरणं तु तादृशसंस्कारजन्यं सदृशविषयकञ्चेति भवत्यलङ्काररूपमिति सारांशः । अत्र 'केचित्तु' इत्युक्त्याऽरुचिर्ध्वन्यते तद्बीजमाह नागेशः—'सादृश्ये स्मर्यमाणसंबन्धित्वनिवेशस्यैवं सति फलाभावः । न हि तादृशसंस्कारजन्यं स्मरणं विसदृशविषयकं संभवति । किञ्च पयोधिस्मरणस्यापि सदृशज्ञानात्मकतया तेन तल्पादिस्मरणानुकूलसंस्कारस्योद्बोधनसंभवेन तज्जन्यत्वसत्त्वादलङ्कारत्वमेव तस्ये'ति ।

अन्य मत का उल्लेख किया जाता है—केचित्तु इत्यादि। कुछ विद्वानों का कथन है कि—"सदृश पदार्थ के ज्ञान से उद्‌बुद्ध संस्कार द्वारा उत्पन्न (उस संस्कार का साक्षात्फल) और सदृश के विषय में होनेवाला ही स्मरण अलंकाररूप होता है। अतः 'एकीभवत्—' इस पद्य में शेषनाग से बनी शय्या और योगनिद्रा का स्मरण अलंकाररूप नहीं है, क्योंकि वह स्मरण पयोधिस्मरण से उत्पन्न हुआ है उक्त संस्कार द्वारा नहीं और स्मारक का सदृश पदार्थ उसका विषय भी नहीं है। यहाँ नागेश कहते हैं कि—पूर्वमत से इस मत में दो विलक्षणतायें हैं—एक तो 'साक्षात्परम्परासाधारणफल' के स्थान पर 'साक्षात्फलबोधकजन्यत्व' का निवेश, दूसरे 'सदृश के विषय में होने का निवेश, जिससे शय्या और निद्रा के स्मरण का अलंकाररूप नहीं होना सिद्ध होता है। पर यह मत अरुचिग्रस्त है और अरुचि का हेतु यह है कि—एक तो ऐसी स्थिति में इस लक्षण में 'सदृश के विषय में होने वाला' यह विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 'सदृश के ज्ञान से उद्‌बुद्ध संस्कार द्वारा उत्पन्न (उसका साक्षात्फलीभूत) स्मरण' असदृश के विषय में होता नहीं और दूसरे, 'समुद्र का स्मरण' सदृश ज्ञानरूप हुआ ही, क्योंकि स्मरण भी ज्ञानरूप है और समुद्र सेना के सदृश है। और जब 'समुद्रस्मरण' भी सदृशज्ञानरूप हो गया तब उससे 'शेषशय्या तथा योगनिद्रा' के स्मरण को उत्पन्न करने वाले संस्कार का उद्बोधन हो ही सकता है, फलतः उन दोनों का स्मरण भी 'सदृशज्ञानोद्‌बुद्धसंस्कारजन्य' हो ही गया, अतः इस नवीन लक्षण के अनुसार भी उस स्मरण को अलंकाररूप होने से रोका नहीं जा सकता, फिर ये सब प्रयास किसलिये ?"

सादृश्यज्ञाननिवेशफलमाह—

'इत एव निजालयं गताया वनितायाः गुरुभिः समावृतायाः।
परिवर्तितकन्धरं नतभ्रु स्मयमानं वदनाम्बुजं स्मरामि॥'

नायकः कथयति—इत एव मत्सकाशादेव, निजालयं निजभवनं, गतायाः प्रयातायाः, तथा प्रयाणकाले गुरुभिः श्वश्र्वादिवृद्धस्त्रीभिः, समावृतायाः परिवेष्टितायाः, वनिताया नायिकायाः, परिवर्तितकंधरम् परिवर्तिता कन्धरा=ग्रीवा यस्मिन् कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा, एवम् नतभ्रु नते=नम्रे भ्रुवौ यस्मिन् कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा, स्मयमानं ईषद्धास्ययुक्तम्, वदनाम्बुजं मुखकमलम्, स्मरामि, अहमिति शेषः।

लक्षण में जो 'सादृश्यज्ञानप्रयुक्त' यह विशेषण 'स्मरण' का लगाया है, उसका फल दिखलाया जाता है—इत एव इत्यादि। नायक की उक्ति है—यहीं से (मेरे ही निकट से) अपने घर गई और जाने के समय सास आदि वृद्ध स्त्रियों से परिवेष्टित नायिका के, गरदन को घुमाकर और भौंहों को नीचे कर मुसकराते मुख-कमल का स्मरण कर रहा हूँ।

उपपादयति—

अत्र स्मरणं चिन्तोद्‌बुद्धसंस्कारप्रयोज्यत्वान्नालङ्कारः व्यङ्ग्यत्वविरहाच्च न भावः।

'इत एव—' इति श्लोके यत्स्मरणं वर्णितम् तच्चिन्तया ध्यानेन उद्‌बुद्धस्य संस्कारस्य फलम् न तु सदृशपदार्थदर्शनोद्‌बुद्धसंस्कारस्य, अतो नेदं स्मरणं अलंकाररूपम् भवति सदृशज्ञानोद्‌बुद्धसंस्कारप्रयोज्यस्मरणस्यैव लक्षणाक्रान्तत्वात्। भावरूपमपि नैतत्स्मरणं भवति व्यङ्ग्यस्यैव स्मृत्यादेर्भावत्वस्वीकारादिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'इत एव—' इस पद्य में वर्णित स्मरण अलंकाररूप नहीं होता क्योंकि यह स्मरण चिन्ता (ध्यान) से उद्बुद्ध संस्कार का फल है, सदृश-ज्ञान से उद्बुद्ध संस्कार का नहीं और लक्षण में 'सादृश्यज्ञानोद्बुद्धसंस्कार-फलीभूतस्मरण' को ही अलंकार कहा गया है। और यह स्मरण भावरूप भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यङ्ग्य स्मरण आदि को ही 'भाव' कहा गया है और यह स्मरण व्यङ्ग्य नहीं वाच्य है।

उक्तस्थलसमानं स्थलान्तरमपि दर्शयति—

एवम्—

'दरानमत्कन्धरबन्धमीषन्निमीलितस्निग्धविलोचनाब्जम्।
अनल्पनिःश्वासभरालसाङ्ग्याः स्मरामि सङ्गं चिरमङ्गनायाः॥'

इहापि स्मृतिर्न भावो नाप्यलङ्कारः। व्यङ्ग्यस्यैव व्यभिचारिणो भावत्वात्। यथा—'सा वै कलङ्कविधुरा मधुराननश्रीः।' अयं चालङ्कारिकाणां सम्प्रदायो यत्सादृश्यमूलकत्वे स्मरणं निदर्शनादिवदलङ्कारः। तस्याभावे व्यङ्ग्यतायां भावः। तयोरभावे तु वस्तुमात्रम्।

एवमिति। 'एकीभवत्—' इति पद्य इवेत्यर्थः। नायकः स्वमित्रं प्रत्याह—दरानमदिति। अनल्पानां प्रभूतानाम्, निःश्वासानां भरेण समूहेन, अलसानि आलस्ययुक्तानि, अङ्गानि यस्यास्तस्याः, अङ्गनाया नायिकायाः, दरं अल्पम्, आनमन् नम्रीभवन्, कन्धरबन्धः ग्रीवासन्धिस्थलविशेषः, यस्मिन् तादृशम्, तथा ईषत् निमीलिते मुद्रिते, स्निग्धे स्नेहपूर्णे, विलोचनाब्जे कमलतुल्यनयने यस्मिन् तथाविधम् च सङ्गं सम्भोगम्, चिरं बहूनि दिनानि यावत्, स्मरामि अहमिति शेषः। इहापि दरानमदिति श्लोकेऽपि। सा वै इति। एतत्पद्यं प्रथमानने लिखितं व्याख्यातञ्च। सम्प्रदाय इति। परम्परेत्यर्थः। तस्येति सादृश्यमूलकत्वस्येत्यर्थः। व्यङ्ग्यतायामिति। सत्यामिति शेषः। तयोरिति व्यङ्ग्यत्वसादृश्यमूलकत्वयोरित्यर्थः। अयं भावः—यथा 'एकीभवत्—' इत्यत्र वर्णितं स्मरणं नालङ्कारो न वा भावस्तथैव 'दरानमत्—' इति श्लोके वर्णितं स्मरणमपि नालंकारः चिन्तामूलकतया सादृश्यमूलकत्वाभावात्, नापि भावः 'व्यभिचार्यञ्जितो भावः' इति लक्षणानुसारं व्यङ्ग्यस्यैव। व्यभिचारिणः स्मृत्यादेर्भावत्वोपगमात्। आलङ्कारिकाणां विदुषामयं सम्प्रदायोऽस्ति यत् यत्र स्मरणं सादृश्यमूलकं तत्रालङ्कारः। यथा 'दोर्दण्ड—' इत्यादौ। यत्र च न सादृश्यमूलकम्, किन्तु व्यङ्ग्यम् तत् तत्र भावः। यथा 'सा वै कलङ्क—'इत्यादौ। यत्र तु न सादृश्यमूलकं न वा व्यङ्ग्यं अपि तु चिन्तादिमूलकं वाच्यं तत् तत्र वस्तुमात्रम्। यथा 'इत एव—' 'दरानमत्—' इत्यादौ इति।

स्पष्टज्ञानार्थ पूर्वोक्त स्थल के समान ही दूसरा भी स्थल दिखलाया जाता है—एवं इत्यादि। इसी तरह—'दरानमत्—अर्थात् अत्यन्त श्वाससमूह से आलस्ययुक्त अङ्गोंवाली अङ्गना के उस संग (संभोग) का स्मरण करता हूँ जिसमें गरदन का सन्धि-स्थल किंचित् झुका हुआ और स्नेहभरे नयन-कमल थोड़े से मुँदे हुए थे।' इस मित्र के प्रति नायकोक्त पद्य में जो स्मरण वर्णित है वह भी अलंकाररूप नहीं है, क्योंकि उसके मूल में सादृश्य का ज्ञान नहीं है, वरन् चिन्ता है और भाव भी वह नहीं है क्योंकि—व्यभि-

चार्यञ्जितो भावः' के अनुसार व्यङ्ग्य स्मृत्यादि व्यभिचारिभाव ही भावरूप माने गए हैं। आलङ्कारिक विद्वानों की यह एक परम्परागत मान्यता है कि—सादृश्यमूलक स्मरण 'अलङ्काररूप' होता है, जैसे—दोर्दण्ड—' इत्यादि पूर्वोक्त पद्यों में; सादृश्यमूलक न होकर व्यङ्ग्य होने पर 'भावरूप' होता है, जैसे—'सा वै कलङ्क—' इत्यादि प्रथमानन में उद्धृत पद्य में; और इन दोनों से भिन्न—अर्थात् चिन्तादिमूलक और वाच्य रहने पर स्मरण वस्तुमात्र कहलाता है, जैसे—'इत एव—' 'दरानमत्—' इत्यादि पद्यों में।

आलोचयितुमप्पयदीक्षितमतमुत्थापयति—

अप्पयदीक्षितास्तु—

"स्मृतिः सादृश्यमूला या वस्त्वन्तरसमाश्रया।
स्मरणालङ्कृतिः सा स्यादव्यङ्ग्यत्वविशेषिता॥"

यथा—

'अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूरं
न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्यीचकार।
सपदि गतमनस्कश्चित्रमाल्यानुकीर्णे
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः॥'

यथा वा—

'दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्तादम्भस्तः स्फुरदरविन्दचारुहस्ताम्।
उद्वीक्ष्य श्रियमिव काञ्चिदुत्तरन्तीमस्मार्षीज्जलनिधिमन्थनस्य शौरिः॥'

एकत्र सदृशदर्शनात्तत्सदृशकर्मिका स्मृतिः। इतरत्र सदृशदर्शनात्तत्सदृशलक्ष्मीसम्बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्य स्मृतिः। उभयत्रापि सादृश्यमूलकवस्त्वन्तरस्मृतित्वमविशिष्टम्। अत एव सदृशासदृशसाधारण्यार्थतया लक्षणे वस्त्वन्तरग्रहणमर्थवत्।

'सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्जृम्भते
चण्डांशोर्निशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीलति।
वत्सैतद्विदितं कथं नु भवता धत्ते कुरङ्गं यतः
क्वासि प्रेयसि हा कुरङ्गनयने चन्द्रानने जानकि॥'

अत्र श्रुतकुरङ्गसम्बन्धिनस्तन्नयनस्य स्मरणात्तत्सदृशसीतानयनस्मृतिस्तत्सम्बन्धिसीतास्मृतिश्चेति। किं त्वेषा व्यङ्ग्या अलङ्कार्यभूता च। तद्व्यावृत्त्यर्थमव्यङ्ग्यत्वविशेषणम्।

'अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाऽम्भोधय-
स्तानेतानपि बिभ्रती किमपि न श्रान्तासि तुभ्यं नमः।
आश्चर्येण मुहुर्मुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद् भुव-
स्तावद् बिभ्रदिमां स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः॥'

अत्र स्तूयमानभूसम्बन्धिनो भूभृतः स्मृतिर्न सादृश्यमूलेति नात्र स्मरणालङ्कारः। किं तु स्मृतेः सञ्चारिभावस्य भूभृद्विषयकरतिभावाङ्गत्वात्प्रेयोऽलङ्कारः। एतद्व्यावृत्तये सादृश्यमूलेति विशेषणम्।' इत्याहुः।"

अप्पयदीक्षितास्तु इति अस्य 'आहुः' इति दूरस्थेन क्रियापदेनान्वयः। लक्षणमाह—स्मृतिरिति वस्त्वन्तरसमाश्रया अन्यवस्तुविषयिणी अव्यङ्ग्यत्वविशेषिता अव्यङ्ग्या वाच्येति यावत्, या, सादृश्यमूला सदृशपदार्थानुभवप्रयोज्या स्मृतिः, सा स्मरणालंकृतिरित्यर्थः।

उदाहरणं दर्शयति—अपि तुरगेति। रघुवंशे दशरथमृगयावर्णनम्। कविः कथयति—चित्रमाल्यानुकीर्णे विविधवर्णकुसुमदामव्याप्ते, रतिविगलितबन्धे सम्भोगकालिकसंघर्षवशोन्मुक्तबन्धने (अनेन विशेषणद्वयेन केशपाशे मयूरसाम्यमागूरितम्) प्रियायाः प्रेयस्याः, केशपाशे कचनिचये, सपदि शीघ्रम्, गतमनस्कः संलग्नचेताः, स्मृततादृशप्रियाकेशकलाप इति यावत्, स दशरथः तुरगसमीपात् अपि अश्वनिकटादपि (एतेन तद्वेधे सौकर्यं ध्वनितम्) उत्पतन्तम् उड्डीयमानम्, रुचिरकलापं रमणीयबर्हम् मयूरम्, न बाणलक्ष्यीचकार तस्मिन् बाणक्षेपं नाकरोदित्यर्थः।

उदाहरणान्तरं दर्शयति—दिव्यानामिति। माघकाव्ये जलकेलिवर्णनम्। कविर्वक्ति-शौरिः भगवान् श्रीकृष्णः, दिव्यानामपि स्वर्गीयानामपि, कृतविस्मयाम् उत्पादिताश्चर्यभावाम् (एतेन सौन्दर्यातिशयो बोध्यते) स्फुरदरविन्दचारुहस्ताम् स्फुरता विकसता, अरविन्देन कमलेन, चारू सुन्दरौ, हस्तौ करौ, यस्यास्ताम्, अत एव, श्रियं लक्ष्मीम्, इव, अम्भस्तः जलतः, उत्तरन्तीं निस्सरन्तीम्, कांचित् नायिकाम्, पुरस्तात् अग्रे, एव, उद्वीक्ष्य दृष्ट्वा, जलनिधिमन्थनस्य समुद्रमन्थनस्य अस्मार्षीत् स्मृतवानित्यर्थः।

उपपादयति—एकत्रेति। प्रथमोदाहरण इत्यर्थः। सदृशदर्शनादिति। रुचिरकलापमयूरदर्शनादित्यर्थः। सदृशकर्मिकेति। मयूरकलापसदृशप्रियाकेशपाशविषयिणीति भावः। इतरत्रेति। द्वितीयोदाहरण इत्यर्थः। सदृशदर्शनादिति। वारिजभूषितकरवारिनिस्सरद्दिव्यनारीदर्शनादित्यर्थः। तत्सदृशेति। तन्नारीसदृशेत्यर्थः। उभयत्र द्वयोरुदाहरणयोः। अविशिष्टमिति। समानमित्यर्थः। अत एवेति उभयविधस्मरणस्यालंकारत्वेनेष्टत्वादेवेत्यर्थः। 'अपि तुरग—' इत्यत्र रमणीयबर्हमयूरदर्शनेन पुष्पपुञ्जभूषितोन्मुक्तप्रियाकेशविषयकः संस्कारः उद्‌बुद्धः, तेन तादृशकेशविषयकं स्मरणं जातमिति सादृश्यानुयोगिप्रतियोगिनावेव स्मृतिकारणस्मृतिविषयरूपौ अत इयं स्मृतिः सादृश्यमूला सदृशविषया च। 'दिव्यानामपि' इत्यत्र तु श्रीसदृशजलनिस्सरद्दिव्यरूपनारीदर्शनेन समुद्रमन्थनस्मरणं वर्णितम्, अतोऽत्र स्मरणकारणस्मरणविषयौ न सादृश्यानुयोगिप्रतियोगिनौ, फलतः इयं स्मृतिः सादृश्यमूलापि सदृशविषया नास्ति। परन्तु उभयपद्यगतमुभयविधं स्मरणम् अलङ्काररूपम्, लक्षणाक्रान्तत्वात्। लक्षणे हि सादृश्यमूलकविसदृशसदृशान्यतरविषयकस्मरणसंग्रहाय 'वस्त्वन्तरसमाश्रया' इत्यस्य स्थाने, 'तुल्यान्तरसमाश्रया' इति न कृतम्। तथात्वे हि सादृश्यमूलकसदृशविषयकस्मृतेरेव प्रथमस्थलगताकारायाः संग्रहः स्यात्, प्रकृतपाठे तु सदृशासदृशवस्त्वन्तरमात्राविषयिकायाः द्वितीयस्थलगताकाराया अपि संग्रहो भवतीति भावः।

लक्षणघटकाव्यङ्ग्यत्वविशेषणव्यावर्त्यमाह—सौमित्रे इति। हनुमन्नाटकगतं सीतावियोगकालिकरामलक्ष्मणोक्तिप्रत्युक्तिमयं पद्यमेतत्, रामः कथयति—सौमित्रे लक्ष्मण! ननु निश्चयेन, तरुतलं वृक्षमूलदेशः, सेव्यताम् आश्रीयताम्, कुतः? यतः चण्डांशुः प्रखरकरः सूर्यः, उज्जृम्भते वर्धते। लक्ष्मणः कथयति—हे रघुपते रामचन्द्र! चण्डांशोः सूर्यस्य, निशि रात्रौ, का कथा? दिवाकरस्य निशास्थितिचर्चाऽपि नोचिता। तथा च सूर्योज्जृम्भणविषयकं भवतो ज्ञानं भ्रम एवेति भावः। अथ न चेदसौ सूर्यः तर्हि कोऽयं व्योम्नि प्रकाशते? इति चेत् तत्राह लक्ष्मणः—अयं प्रत्यक्षदृश्यमानः चन्द्रः उन्मीलति उदयते। राम आह-वत्स लक्ष्मण! भवता, एतत् 'नायं सूर्योऽपि तु चन्द्रः' इत्याकारकं वस्तु, कथं केन प्रमाणेन विदितम् ज्ञातम्? लक्ष्मण आह—यतः यस्मात् कुरङ्गं हरिणं कुत्सितं रङ्गम् = कालिमानं वा धत्ते अयं प्रकाशाधारभूतो वस्तुविशेष इति शेषः। मृगाङ्कोऽयं चन्द्र एवं न सूर्य इति भावः। कुरङ्गपदश्रवणस्मृतसीतातन्नयनश्च रामो विह्वल इवोन्मत्त इव च भूत्वा प्राह—हे कुरङ्गनयने हरिणनेत्रे! चन्द्रानने! प्रेयसि अतिप्रिये, जानकि सीते, क्व कुत्र, असि वर्तसे? 'हा' इति खेदसूचकमव्ययम्।

उपपादयति अत्रेति। 'सौमित्रे' इति पद्य इत्यर्थः। श्रुतकुरङ्गेति। श्रुतः कुरङ्गरूपः सम्बन्धी यस्य तस्येत्यर्थः, तन्नयनस्येति। कुरङ्गनयनस्येत्यर्थः। तत्सदृशेति। कुरङ्गनयनसदृशेत्यर्थः। तत्संबन्धीति, सीतानयनसंबन्धीत्यर्थः। एषा स्मृतिः अलंकार्यभूतेति। प्रधानेत्यर्थः। तथा च नालङ्कारत्वमस्याः स्मृतेरुचितमिति भावः, तद्व्यावृत्त्यर्थमिति। व्यङ्ग्यस्मृतिव्यावृत्त्यर्थमित्यर्थः, विशेषणमिति। 'अव्यङ्ग्यत्वविशेषिता' इति रूपेण लक्षणे इति भावः। 'सौमित्रे ननु' इत्यत्र रामस्य कुरङ्गपदश्रवणेन मृगज्ञाने जाते 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिनं स्मारयति' इति न्यायेन तस्य मृगनयनस्य स्मरणं भवति। यत् सीतानयनस्य सदृशम् अतः सीतानयनसदृशमृगनयनस्मरणेन सीतानयनस्मरणम् ततश्च तदात्मकैकसंबन्धिज्ञानेन सीतास्मरणम् इति यद्यपि प्रतीयते, तथापि प्रतीयमानस्य सादृश्यमूलकस्यापि च सीतानयनस्मरणस्यालंकाररूपत्वं न लक्षणघटकाव्यङ्ग्यत्वविशेषणेन वारणात्। किञ्च सा स्मृतिः प्राधान्यादलंकार्यभूता कथमलंकारत्वमुपगच्छत्वित्यपि बोध्यम्। अन्यत्स्मृतिद्वयं तु—अव्यङ्ग्यत्वविशेषणेन सादृश्यमूलकत्वविशेषणेन च व्यावृत्तम् इति भावः।

सादृश्यमूलकत्वात्मकस्मृतिविशेषणासाधारणफलमाह—अत्युच्चा इति। कविकृतराजविशेषस्तुतिरियम्। कविः राजानं प्रति कथयति—अत्युच्चाः परमोन्नताः, गिरयः पर्वताः, परितः चतुर्दिक्षु, स्फुरन्ति दृश्यमाना भवन्ति, तथा, स्फाराः विशालाः, अम्भोधयः समुद्राः, अपि, परितः स्फुरन्ति, परमेतान सर्वानपि बिभ्रन्ति त्वं पृथवी न श्रान्ता श्लथा खिन्नेति यावत्, असि वर्तसे, अतः, तुभ्यम् भगवत्यै वसुन्धरायै नमः, इत्थं प्रकारेण आश्चर्येण आश्चर्ययुक्तः सन्निति भावः, मुहुर्मुहुः वारम्वारम् यावत्, भुवः पृथिव्याः, स्तुति, प्रस्तौमि प्रारभे, तावत्, इमां पृथवीं, बिभ्रत् धारयन्, तव भवतो, भुजो बाहुः स्मृतः, ततो वाचः पृथवीस्तुतिप्रवृत्ता इति भावः, मुद्रिताः रुद्धा इति भावः। हे राजन्! धराधारकभवद्भुजस्मरणे सति पर्वतसमुद्रधारणज्ञानसंजातं पृथिव्यामुत्कर्षज्ञानं ध्वस्तमिति तदीयस्तुतिप्रवृत्तवाङ्मुद्रणमेव शरणमकलयमित्यर्थः।

उपपादयति—अत्रेति। 'अत्युच्चाः' इति पद्ये इत्यर्थः। वर्ण्यमाने इति शेषः, स्मृतिरित्यत्र च तदन्वयः। स्तूयमानेति। स्तूयमाना या भूः तस्याः संबन्धिनः भूभृतः राज्ञः। सादृश्यमूलेति। अपि तु 'एकसंबन्धिज्ञानम्—' इति न्यायमूलेति भावः। इतीति। अत इत्यर्थः। अत्र प्रकृतपद्ये। न स्मरणालङ्कार इत्यन्वयः, सादृश्यमूलेति लक्षणघटकस्मृतिविशेषणेन व्यावर्तनादिति भावः। अथ किं कोऽप्यलङ्कारोऽत्र नास्तीति चेन्नेत्याह—किञ्चेति। स्मृतेरिति। 'स्मृता' इति पद्यघटकपदबोधिताया इति भावः। संचारीति। वस्तुतः अस्याः स्मृतेः सञ्चारिभावत्वं न संभवति वाच्यत्वात्, व्यङ्ग्यत्व एव स्मृत्यादेस्तथात्वादिति बोध्यम्। एतदनुपदमेव खण्डनग्रन्थे स्फुटीभविष्यति भूभृद्विषयेति। राजस्तुतिपरे प्रकृतपद्ये कविगतो राजविषयकरतिभाव एव प्रधानव्यङ्ग्यः काव्यत्वप्रयोजकः, स्मृतिश्च तदङ्गभूतेति भावः। प्रेयोऽलङ्कार इति 'गुणीभूतो भावः प्रेयो नामाऽलङ्कारः' इति तल्लक्षणार्थक्रोडीकारादिति तात्पर्यम्। आहुरिति। अस्य क्रियापदस्य प्रागुक्तेन 'दीक्षिताः' इति कर्तृपदेन सम्बन्धः।

खण्डन करने के लिये मतान्तर का प्रतिपादन किया जाता है—अप्पयदीक्षितास्तु इत्यादि। अप्पयदीक्षित कहते हैं कि—"किसी (समान अथवा असमान) वस्तु के विषय में होने वाली उस स्मृति को स्मरणालंकार कहते हैं जो व्यङ्ग्य न हो—अर्थात् वाच्य अथवा लक्ष्य हो और जिसका मूल सादृश्य हो। जैसे—

'अपि तुरगसमीपात् अर्थात् अश्व के समीपदेश से भी उड़ते हुए सुन्दर पूँछ वाले मयूर को दशरथ ने अपने बाण का लक्ष्य नहीं बनाया क्योंकि विचित्र चमकीली पूँछ वाले मयूर को देखते ही उसका मन, संभोग-संमर्द के कारण उन्मुक्त-बन्धन और विविध वर्ण के पुष्पों से बनी मालाओं से व्याप्त, प्रिया के केश-पाश में चला गया—मन ही जब पाश में आबद्ध हो गया तब हाथ बाण चलावे तो कैसे? आखिर मन ही तो बाह्येन्द्रियों का संचालक है। तात्पर्य यह कि उस तरह के प्रियाकेशों का स्मारक मयूर-पुच्छ भी उसे प्रीतिस्थान प्रतीत हुआ, अतः बाण चला कर उसे वह बरबाद नहीं कर सका।' कविवर कालिदास ने रघुवंश में दशरथमृगया-वर्णन के प्रसंग पर इस पद्य की रचना की है। अथवा जैसे—

'दिव्यानामपि—अर्थात् स्वर्गीय जनों को भी विस्मित कर देनेवाली किसी नायिका को, सुन्दर कर में अर्धविकसित कमल लिए, लक्ष्मी की तरह अपने सामने, जल से निकलते देखकर, भगवान् कृष्णचन्द्र ने समुद्रमन्थन का स्मरण किया—लक्ष्मी-प्रादुर्भाव का समय उनके ध्यानपथ में आ गया।' जलकेलिवर्णन-प्रसङ्ग पर माघकाव्य में कवि की यह उक्ति है।

इन दोनों उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण (अपि तुरग—) में सदृश वस्तु (मयूर-पुच्छ) के दर्शन से उसके सदृश (प्रिया के केश-पाश) का स्मरण हुआ है और द्वितीय उदाहरण में सदृश वस्तु (हाथ में कमल लिये जल से निकलती परमरमणीय रमणी) के दर्शन से उसके (रमणी के) सदृश लक्ष्मी से सम्बन्ध रखने वाले समुद्र-मन्थन का स्मरण हुआ है। दोनों ही उदाहरणों में सादृश्यमूलक और अन्य वस्तु के विषय में होनेवाली स्मृति की सत्ता समान है। तात्पर्य यह कि—जिस तरह प्रथम उदाहरण में सदृश-मयूरपुच्छ के देखने से तत्सदृश-प्रियाकेशपाश का स्मरण वर्णित है उस तरह यद्यपि द्वितीय उदाहरण में नहीं है—अर्थात् वहाँ सदृश (जल से निकलती नायिका) के

देखने से तत्सदृश लक्ष्मी का स्मरण वर्णित नहीं हुआ है अपितु लक्ष्मी से सम्बन्ध रखने वाले समुद्र-मन्थन—जो जल से निकलती नायिका के सदृश नहीं है—का स्मरण वर्णित है, तथापि दोनों स्थानों में वर्णित स्मरणों के मूल में सादृश्य समानरूप से है। बस, इतने से ही दोनों स्मरण समानरूप से अलंकाररूप हैं। अभिप्राय यह हुआ कि—लक्षण में यह नहीं कहा गया है कि—सदृश वस्तु के देखने से होनेवाला तत्सदृवस्तुविषयक स्मरण ही अलंकार हो। यदि ऐसा कहना लक्षणकार का अभीष्ट होता, तो 'वस्त्वन्तर-समाश्रया (अन्य वस्तु के विषय में होने वाली)' यह विशेषण इस रूप में नहीं कहा जाता अपितु 'तुल्यान्तरसमाश्रया—अर्थात् सदृश अन्य वस्तु के विषय में होने वाली' इस रूप में कहा जाता। फलतः स्मरण सदृश का हो अथवा विसदृश का, पर उसका मूल यदि सादृश्य हो तो वह अलंकाररूप अवश्य होगा।

'हे लक्ष्मण! प्रचण्ड किरणों वाला सूर्य उदित है, अतः तरु-तल की सेवा करो वृक्ष के नीचे चलो। रघुपते! रात के समय सूर्य की क्या बात, यह तो चन्द्र उदित हो रहा है। वत्स! तुमने कैसे जाना कि यह चन्द्र है? क्यों न जानूँगा, यह मृग का धारण जो कर रहा है। (इतनी उक्ति-प्रत्युक्ति राम और लक्ष्मण में हुई कि राम कराह उठे-) हाय! मृगनयने! चन्द्रमुखी! प्रियतमे! जानकी! तुम कहाँ हो?' (हनुमन्नाटक)

यहाँ भी यद्यपि लक्ष्मण के मुख से सुने 'मृग' पद से मृग के बोध द्वारा 'एक-सम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिनं स्मारयति' के अनुसार उसके (मृग के) नेत्रों का स्मरण हुआ और उस स्मरण के कारण उन नेत्रों (मृगनेत्रों) के सदृश सीता के नेत्रों का तथा उन नेत्रों (सीता-नेत्रों) से सम्बन्ध रखने वाली सीता का स्मरण हुआ है, तथापि यह स्मरण व्यङ्ग्य है और अलंकार्य है। ऐसे स्मरण में उक्त स्मरणालंकार का लक्षण अति-व्याप्त न हो इसलिये 'अव्यङ्ग्य' यह स्मृति का विशेषण लक्षण में दिया गया है।

'अत्युच्चाः—अर्थात् चारों तरफ ऊँचे-ऊँचे पर्वत और समुद्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हे वसुन्धरे! इन सब को धारण करती हुई भी तू कुछ भी श्रान्त नहीं हुई, तुझे प्रणाम है'—इस तरह, आश्चर्यपूर्वक, जब तक पृथिवी की बार-बार स्तुति का प्रस्ताव करता हूँ, तब तक उस पृथिवी को भी धारण करने वाले आपके बाहु का स्मरण हो आया, फिर क्या था! वाणी रुक गई—पर्वत-समुद्र आदि से युक्त समग्र पृथिवी के धारण करने के कारण सर्वश्रेष्ठ आपके बाहु का स्मरण होते ही पृथिवी के प्रति बनी मेरी श्रेष्ठत्व की धारणा समाप्त हो गयी, फिर उसकी स्तुति करते नहीं बनी।' यह पद्य कवि के द्वारा किसी राजा की स्तुति में प्रयुक्त हुआ है।

यहाँ जिसकी स्तुति की जा रही है उस पृथ्वी के सम्बन्धी (उसके स्वामी) राजा का स्मरण यद्यपि वाच्यवृत्त्या वर्णित हुआ है, पर बस (स्मरण) के मूल में सादृश्य नहीं है—अर्थात् सदृशवस्तुदर्शन से यह स्मरण नहीं हुआ है, अपितु 'एकसम्बन्धिज्ञानम्—' इस न्याय के अनुसार पृथ्वी का ज्ञान होने से तत्संबन्धी राजा का स्मरण हुआ है, अतः यहाँ स्मरणालंकार नहीं है, किन्तु सञ्चारिभाव-रूप यह स्मरण कविगत राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है अतः 'प्रेयान्' अलंकार है। इसी तरह के (सादृश्य जिनके मूल में न हों उन) स्मरणों का वारण करने के लिये लक्षण में 'सादृश्यमूला' यह विशेषण लगाया गया है।'

उक्तदीक्षितमतस्य खण्डनात्मिकामालोचनां विधत्ते—

तदेतत् सर्वमरमणीयम्। यत्तावदुच्यते सदृशासदृशयोः केशपाशजल-निधिमन्थनयोः सङ्ग्रहाय लक्षणे वस्त्वन्तरग्रहणमर्थवदिति। तत्र सादृश्यमूला

स्मृतिः स्मरणालङ्कार इत्येतावतैव केशपाशस्मरणस्येव जलनिधिमन्थनस्मरणस्यापि सङ्ग्रहाद्वस्त्वन्तरसमाश्रयत्वविशेषणमनर्थकम्। एकत्र सादृश्यदर्शनोद्बुद्धसंस्कारजन्यत्वेन, अपरत्र च सादृश्यदर्शनोद्बुद्धसंस्कारजलक्ष्मीस्मरणोद्बुद्धसंस्कारजन्यत्वेन च सादृश्यमूलत्वाविशेषात्। नहि सादृश्यमूलेत्युक्ते सदृशविषयेति लभ्यते, येन जलनिधिमन्थनस्मृतेरसङ्ग्रहः स्यात्। यदपि 'सौमित्रे ननु सेव्यताम्—' इत्यत्र स्मृतिर्व्यङ्ग्या अलङ्कार्यभूता च तद्व्यावृत्तयेऽव्यङ्ग्यत्वविशेषणमित्युक्तम्। तत्र नेयं स्मृतिरलङ्कार्यभूता, किन्तु जानक्यालम्बनो निशासमयोद्दीपितः सन्तापादिनानुभावित उन्मादेन सञ्चारिणा परिपोषितो विप्रलम्भः प्रधानत्वेनालङ्कार्यः। तस्य च—स्मृतिरुत्कर्षहेतुत्वादलङ्कार एव। अतो नितरां तद्व्यावृत्त्यर्थमव्यङ्ग्यत्वविशेषणदानमनुचितम्। नहि व्यङ्ग्यत्वालङ्कारत्वयोर्विरोध इति वक्तुं शक्यम्। नित्यव्यङ्ग्यानां रसभावादीनामपि पराङ्गतायामलङ्कारत्वाभ्युपगमात्। प्रधानव्यङ्ग्यव्यावृत्त्यर्थं पुनरुपस्कारकत्वं सर्वेष्वलङ्कारलक्षणेषु देयमिति प्रागेवावेदितम्। यदप्युक्तम् 'अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः—' इत्यत्र स्मृतेः सञ्चारिभावस्य भूभृद्विषयरतिभावाङ्गत्वात्प्रेयोऽलङ्कार इति, तन्न। भावस्य हि भावाद्यङ्गतायां प्रेयोऽलङ्कारत्वम्। न ह्यत्र स्मृतिर्भावः। तस्याः स्मरतिना वाचकेनाभिधानात्। नहि वाच्यस्य व्यभिचारिणो भावत्वं वक्तुं युक्तम्। 'व्यभिचार्यञ्जितो भावः' इति सिद्धान्तविरोधात्। तथा चोक्तं सर्वस्वकृता—"प्रेयोऽलङ्कारस्य तु सादृश्यव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापिता स्मृतिर्विषयः। तत्रापि विभावाद्यागूरितत्वे, यथा 'अहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्' इति। न तु स्वशब्दनिवेद्यत्वे।

यथा—

'अत्रानुगोदं मृगयानिवृत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदः।
रहस्त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्तम्॥'

इत्यादाविति।' ननु भावाद्यङ्गीभूतभावत्वं न प्रेयोऽलङ्कारलक्षणम्। अपि तु भावाद्यङ्गीभूतसञ्चारित्वमात्रम्। तथा च प्रकृते स्मरणस्य स्वशब्दनिवेद्यत्वेन भावत्वविरहेऽपि सञ्चारित्वानपायात्प्रेयोऽलङ्कारत्वमविरुद्धमेवेति चेत्, एवं तर्हीतराङ्गीभूतस्थायित्वमात्रं रसालङ्कारत्वम्, न तु व्यज्यमानत्वविशिष्टम्, इत्यस्यापि सुवचत्वात्।

एवं च—

'चराचरोभयाकारजगत्कारणविग्रहम्।
कल्पान्तकालसंक्रुद्धं हरं सर्वहरं नुमः॥'

इत्यत्र क्रोधस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेऽपि देवताविषयकरतिभावाङ्गीभूतस्थायित्वानपायाद्रसालङ्कारता स्यात्। न चेष्टापत्तिः, अपसिद्धान्तात्। तस्माद् व्यज्यमानस्यैव स्थायिनः पराङ्गत्वे यथा रसालङ्कारत्वमेवं व्यज्यमानस्यैव सञ्चा-

रिणो भावाद्यङ्गतायां प्रेयोऽलङ्कारत्वमिति नात्र स्मृतिमादाय प्रेयोऽलङ्कारता वाच्या, किं तु भूविषयकरतेः पूर्वार्धव्यङ्ग्याया उत्तरार्धव्यङ्ग्यभूभृद्विषयरतिभावाङ्गत्वाद्युक्ता प्रेयोऽलङ्कारता वक्तुम्। उक्तं च मम्मटभट्टैः—'अत्र भूविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयरतिभावस्य' इति। अपि च महदिदमाश्चर्यं यत् स्वेनैव निर्मितः कुवलयानन्दाख्यः सन्दर्भो विस्मृतः। उक्तं च तत्र—'विभावानुभावाभ्यामभिव्यञ्जितो निर्वेदादिर्भावः, स यत्रापरस्याङ्गं स प्रेयोऽलङ्कारः' इति।

एतत्सर्वमिति। दीक्षितोक्तमखिलमित्यर्थः। अरमणीयमिति। असुन्दरमित्यर्थः। अयुक्तमिति यावत्। वक्ष्यमाणदोषादिति भावः। तमेव दाढर्यायानूयाह—यत्तावदिति। तत्रेति। उच्यमाने तस्मिन्नित्यर्थः। भ्रम इति शेषः। तदाह—सादृश्येति। एवमग्रेऽपि। केशपाशस्मरणस्येवेति। तस्य सदृशविषयकत्वेन दृष्टान्तत्वमिति भावः। एकत्रेति। प्रथमोदाहरणवर्णितस्मरण इत्यर्थः। अपरत्रेति। द्वितीयोदाहरणवर्णितस्मरण इत्यर्थः। सादृश्येति। सादृश्यस्य दर्शनेन = ज्ञानेन, उद्बुद्धो यः संस्कारः (जलनिधिमन्थनविषयकः) तज्जम् = तज्जन्यम्, यत् लक्ष्म्याः स्मरणम्, तेन उद्बुद्धो यः संस्कारस्तज्जन्यत्वेनेत्यर्थः। स्यादिति। इतीति शेषः। अत्र 'सादृश्यपदस्य नियतसम्बन्धिकतया सम्बन्ध्याकांक्षायामुपस्थितस्मर्यमाणस्यैवान्वयापत्तिः। नहि जनकत्वमूला पूज्यते इत्युक्ते पुत्रजनकत्वेन भार्या पूज्यते। अतो वस्त्वन्तरसमाश्रयेत्यावश्यकमिति चिन्त्यमिदम्' इति नागेशः। 'सादृश्यमूला' इति कथनेन साक्षात्परम्परया वा सादृश्यज्ञानेनोत्थापिता सर्वाऽपि (सदृशविषया विसदृशविषया च) स्मृतिः संगृह्यते न तु सदृशविषयैव स्मृतिः। तथा च 'अपि तुरग' इत्यत्र चित्रमयूरपिच्छरूपसदृशपदार्थज्ञानोद्बुद्धसंस्कारजन्यकेशपाशस्मृतिः (सादृश्यज्ञानेन साक्षादुत्थापिता सदृशविषया स्मृतिः) यथा स्मरणालंकारकोटौ संगृहीता भवति तथा 'दिव्यानामपि—' इत्यत्र जलनिस्सरत्सुन्दरीरूपसदृशवस्तुज्ञानोद्बुद्धसंस्कारजन्यलक्ष्मीस्मरणोद्बुद्धसंस्कारजन्यसमुद्रमथनस्मरणमपि (सादृश्यज्ञानेन परम्परयोत्थापितं विसदृशविषयकं स्मरणम्) संगृहीतं स्यादेव स्मरणालङ्कारश्रेण्यामिति तदर्थं दीक्षितेन उक्तम् 'वस्त्वन्तरसमाश्रयत्वविशेषणं लक्षणे व्यर्थमेवेति भावः'। अव्यङ्ग्यत्वविशेषणसार्थक्यप्रदर्शनाय दीक्षितेनोक्तं प्रत्युदाहरणं निरस्यति—यदपि इत्यादि। अस्य 'उक्तम्' इत्यत्रान्वयः। नेयं स्मृतिरलंकार्यभूता इति। अत्र "अत्र स्मृतेः हा क्वासि इत्यादिपदगम्यत्वेन विवहनप्रवृत्तराजानुगम्यमानभृत्यवत्, 'शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः' इत्यादौ शठादिपदगम्यासूयावद्वा तस्या एव प्राधान्यादलङ्कार्यत्वम्। अनुपस्कार्यत्वाच्च विप्रलम्भस्यैव तत्त्वाच्चेति चिन्त्यम्' इति नागेशः। यस्मिन् प्रकरणे पद्यमिदमुक्तं कविना, तेन प्रकरणेन विप्रलम्भो व्यज्यते, अतः प्रकृतपद्यव्यङ्ग्या स्मृतिः प्रकरणव्यङ्ग्यविप्रलम्भरसपोषिका भवेदित्येव समुचितम्। प्रकरणव्यङ्ग्यविप्रलम्भशृङ्गाररसपुष्टयर्थमेव कविना प्रकृतपद्यस्य रचना च कृतेति गुणीभूतव्यङ्ग्याया अस्याः स्मृतेः प्रधानरसोपस्कारकत्वादलङ्कारत्वं युक्तमेवेत्यपि केचित्। विप्रलम्भ इति। रामनिष्ठ इति भावः। नितरामित्यस्यानौचित्येऽन्वयः। तदाशयं खण्डयति—नहीति। नित्येति। सर्वथेत्यर्थः। कदाप्यवाच्यलक्ष्येति यावत्। नन्वेवं प्राधान्येऽप्यलङ्कारत्वापत्तिरत आह—प्रधानेति। सर्वेषु न त्वत्रैव। तथा चालङ्कारसामान्य-

लक्षणप्राप्तत्वात्तस्य नातिप्रसंग इति भावः। 'सौमित्रे ननु सेव्यताम्—' इत्यत्र स विप्रलम्भश्रृङ्गाररस एव प्रधानव्यङ्गयः यस्य सीताऽऽलम्बनविभावः, निशासमयः उद्दीपनविभावः, सन्तापादिरनुभावः, उन्मादश्च सञ्चारिभावः। एवञ्च प्रधानः स रसोऽलङ्कार्य एवेत्यत्र प्रायो न कस्यापि विप्रतिपत्तिः। सीताविषयिणी स्मृतिश्च व्यङ्गयापि गुणीभूता प्रधानरसोपस्कारिणी अलङ्काररूपैव। तथा च तद्वारणाय लक्षणेऽव्यङ्गयत्वविशेषणनिवेशो दीक्षितकृतोऽयुक्त एव। व्यङ्गया स्मृतिः कथमलङ्काररूपा भवेत्, व्यङ्गयत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधादिति तु नोद्भावनयोग्यम्, व्यङ्गयत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधानङ्गीकारात्, तथात्वे स्वीकृते पराङ्गतादशापन्नानां रसभावादीनामलङ्काररूपत्वं सकलालङ्कारिकाङ्गीकृतं भज्येत। नन्वेवं प्रधानव्यङ्गयस्यापि अलङ्कारत्वमापद्येतेति चेन्न, तद्वारणायालङ्कारसामान्यलक्षणे उपस्कारकत्वं देयमित्यस्य प्रागुक्तत्वाद् इति सारांशः। लक्षणघटकसादृश्यमूलेति विशेषणव्यावर्त्यप्रदर्शनप्रसंगे 'अत्युच्चाः' इति पद्यमुल्लिख्य तत्र दीक्षितोक्तं विशेषं खण्डयितुमाह—यदप्युक्तमिति। सिद्धान्तेति। मम्मटभट्टादीनामिति शेषः। तद्ग्रन्थमाह—प्रेयोलङ्कारस्येत्यादि। इतीत्यन्तेन। तत्रापीति। तदुत्थापितस्मृतिष्वपीति भावः। आगूरितत्वे इति। आविष्कृतत्वे इत्यर्थः।

अत्रानुगोदमिति। पुष्पकेण लङ्कातोऽयोध्यां गच्छतः श्रीरामस्य सीतां प्रत्युक्तिरियं रघुवंशे। अत्र पञ्चवट्याम्, अनुगोदम् गोदावरीनदीसमीपे, मृगयानिवृत्तः आखेटं कृत्वा परावृत्तः, तरङ्गवातेन तरङ्गस्पृष्टवायुना (एतेन वायोः शैत्यातिशयो व्यज्यते) विनीतखेदः अपगतक्लमः, तथा, रहः एकान्ते, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्धा त्वदीयक्रोडविन्यस्तमस्तकः सन्, अहम्, वानीरगृहेषु वेतसलतामण्डपेषु, यत् सुप्तं स्वापम्, अकार्षम् तत् स्मरामि इत्यर्थः। सुप्त इति मल्लिनाथसम्मतः प्रथमान्तपाठः सुन्दरः। तस्मिन् पाठे अहं सुप्त इति स्मरामि इत्यर्थः, सुप्त इत्येतावत्पर्यन्तः वाक्यार्थः कर्म। स्थानमिदमालोकयतो मम मानसे बलादिव तादृशशयनस्मृतिर्जागर्तीति भावः।

शङ्कते—नन्विति। प्रतिबन्द्या समाधत्ते—एवं तर्हीति। इष्टापत्तिं परिहरति—एवं चेति।

चराचरोभयाकारेति। चराः जंगमाः, अचराः स्थावराः, उभये द्विविधाः, आकाराः स्वरूपाणि, यस्य, तादृशं यज्जगत् संसारः, तस्य, कारणं निदानभूतो, विग्रहः शरीरं यस्य तम्, कल्पान्तकाले प्रलयकाले, संक्रुद्धम् अतिक्रुद्धम्, अत एव, सर्वहरम् सकलचराचरसंहारकारकम्, हरं महाकालम्, नुमः नमस्कुर्मः, वयमित्यर्थः।

स्वशब्देति। क्रुद्धमितीत्यर्थः। रतिभावेति। कविनिष्ठेत्यादिः। अपसिद्धान्ताद् इति। सिद्धान्तविरुद्धत्वादिति भावः। स्मृतिमादायेत्युक्तिफलमाह—किं त्विति। एवं च प्रेयोऽलङ्कारसत्त्वेऽपि त्वत्कृतम् तदुपपादनं चित्रमीमांसास्थमयुक्तमिति भावः। स्वोक्तौ मम्मटोक्तिं प्रमाणतयोपन्यस्यति—उक्तं चेत्यादिना। भावस्येति। अङ्गमिति शेषः। स्वेनैवेति। अप्पयदीक्षितेनैवेत्यर्थः। तत्र कुवलयानन्दे। निर्वेदादिस्त्रयस्त्रिंशत्। अपरस्य भावादेः। 'व्यभिचार्यञ्जितो भावः' इति सिद्धान्तानुसारेण व्यङ्गयस्यैव व्यभिचारिणो भावत्वम्। भावस्य च भावाद्यङ्गतायां प्रेयोऽलंकारत्वम्। तथा च 'अत्युच्चाः—'इति पद्ये स्मृतिपदवाच्यं स्मरणम् न भावः, भावत्वमप्राप्तस्य च स्मरणस्य कविनिष्ठराजविषयकरतिभावाङ्गत्वेऽपि न प्रेयोऽलङ्कारत्वसम्भवः। अत एव 'सादृश्येतरमूलिका वाच्यविभावादिव्यङ्गया स्मृतिः प्रेयोऽ-

ऽङ्कारलक्ष्यभूता यथा 'कोपेऽपि कान्तं मुखम्' इत्यादौ । वाच्या स्मृतिस्तु न तल्लक्ष्यभूता यथा 'अत्रानुगोदम्'—इत्यादौ" इति सर्वस्वकाराद्युक्तिः संगच्छते। संचारी यदि भावाद्यङ्गभूतस्तदा स प्रेयोऽलङ्कारः, तस्य संचारिणः भावरूपत्वम् (व्यङ्ग्यत्वम्) प्रेयोऽलङ्कारलक्ष्यत्वाय नापेक्षितम्, तथा च प्रकृते स्मृतेर्वाच्यत्वेन भावरूपत्वाभावेऽपि संचारित्वसत्त्वेन प्रेयोऽलङ्कारत्वं स्यादिति तु न वक्तुं शक्यम्, तथा सति अव्यङ्ग्योऽपि (वाच्योऽपीति यावत्) स्थायी यदि इतराङ्गीभावमापन्नो भवेत्, तदा स रसाऽलङ्कार इत्यस्यापि सुवचतया 'चराचर—' इति श्लोके वाक्यस्यापि क्रोधस्य कविगतदेवताविषयकरतिभावाङ्गीभूतस्यायित्वसत्त्वेन रसालङ्कारतापत्तेः । सिद्धान्तविरोधपरिहारानुरोधेनेष्टापत्तिरपि कर्तुमशक्यैव । फलतो व्यङ्ग्यस्थायिभाव एव यथा पराङ्गतादशायां रसालङ्कारो भवति तथैव व्यङ्ग्य एव सञ्चारिभावाद्यङ्गतावस्थायां प्रेयोऽलंकार इत्यकामेनापि स्वीकार्यमेव । इत्थं च 'अत्युच्चाः—' इति पद्ये स्मृतिमादाय प्रेयोऽलङ्कारप्रतिपादनं दीक्षितकृतमयुक्तम् । पूर्वार्धव्यङ्ग्यकविगतपृथ्वीविषयकरतिभावस्य उत्तरार्धव्यङ्ग्यकविगतराजविषयकरतिभावाङ्गतया प्रेयोऽलङ्कारता सम्भवतीति तु अन्यत् । मम्मटभट्टा अपि रतिभावमादायैवात्र प्रेयोऽलङ्कारतां साधयामास । कुवलयानन्दे 'वाच्यविभावादिव्यङ्ग्यसञ्चारिणां भावत्वम् तस्य च भावस्यापराङ्गतायां प्रेयोऽलङ्कारत्वम्' इति स्फुटं ब्रुवाणो दीक्षितमहोदयः कथं तद्विरुद्धमिहाहस्मेति परमाश्चर्यविषय इति भावः ।

उक्त दीक्षितोक्ति का खण्डन किया जाता है—तदेतत्सर्वमरमणीयम् इत्यादि । अप्पय दीक्षित की उक्त सभी बातें असुन्दर हैं—असंगत हैं । देखिए, सर्वप्रथम उन्होंने जो यह कहा है कि—"सदृश अर्थात् स्मरण में मूलभूत मयूरपुच्छ के समान-केशपाश और असदृश्य—अर्थात् स्मृतिमूलभूतपदार्थ जल से निकलती नायिका की समानता नहीं रखने वाला समुद्रमंथन दोनों का संग्रह करने के लिये लक्षण में 'अन्य वस्तु के विषय में होने वाली' इस अंश का ग्रहण सार्थक है।" यह ठीक नहीं । कारण, 'सादृश्यमूलक स्मरण को स्मरणालंकार कहते हैं' इतने कथन से ही केशपाश के स्मरण की तरह समुद्रमन्थन-स्मरण भी संगृहीत हो ही जाता, फिर उसके संग्रह के लिये जो 'अन्य वस्तु के विषय में होनेवाली' यह अंश कहा गया है वह निरर्थक है । एक जगह (प्रथम पद्य में) स्मरण, सादृश्य दर्शन द्वारा उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न होता है और दूसरी जगह (द्वितीय पद्य में) सादृश्यदर्शन द्वारा उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न लक्ष्मी के स्मरण से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न हुआ है, फलतः दोनों जगहों पर स्मरण का मूल सादृश्य है ही । अर्थात् एक जगह सादृश्य स्मरण का साक्षात् मूल है, दूसरी जगह परम्परया, पर दोनों ही स्मरण सादृश्यमूलक कहे जा सकते हैं, क्योंकि 'सादृश्यमूलक' इस कथनसे 'सादृशपदार्थके विषय में होनेवाली' यह अर्थ तो निकलता नहीं कि जिससे 'समुद्रमन्थन के स्मरण' का संग्रह नहीं होगा । यहाँ नागेश दीक्षितोक्ति का समर्थन करते हैं । उनका कथन है कि—"सादृश्य एक ऐसा पदार्थ है जिसका सम्बन्धी नियत-निश्चित-होता है, अतः प्रकृत में सम्बन्धी आकांक्षा होने पर नियमतः उपस्थित स्मर्यमाण (स्मरण किये जाने वाले सदृशपदार्थों) का ही अन्वय होगा, न कि असदृशपदार्थों का । अर्थात् 'सादृश्यमूलक स्मरण' ऐसा कहने पर स्मारक और स्मर्यमाण पदार्थों का सादृश्य ही अवगत होता है । ठीक भी है 'जनकत्वमूला पूजित होती है' ऐसा कहने पर कहने वाले की जननी को ही पूजा समझी जाती है, पुत्र-जनक होने के कारण पत्नी की पूजा नहीं । ऐसी स्थिति में 'सादृश्यमूलक स्मृति'

इस कथन से सदृश के स्मरण का ही संग्रह होगा, सदृश के सम्बन्धी के स्मरण का नहीं, अतः 'अन्य वस्तु के विषय में होने वाली' यह अंश सार्थक ही है, क्योंकि इस अंश से यह स्पष्ट हो जाता है कि सदृश तथा असदृश दोनों के स्मरण यहाँ संग्रहणीय हैं, अन्यथा 'सदृश के विषय में होने वाली' ऐसा ही विशेषण जोड़ा जाता।" अब उनकी दूसरी बात को लीजिए। उन्होंने कहा है कि—"सौमित्रे ननु सेव्यताम् तरुतलम्—' इस पद्य में स्मरण व्यङ्ग्य है और अलङ्कार्य हैं—अर्थात् प्रधान है, अतः उस स्मरण में स्मरणालङ्कार का लक्षण अतिव्याप्त न हो इसलिये लक्षण में 'अव्यङ्ग्य' यह विशेषण जोड़ा गया है।" पर यह कथन भी उनका उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ 'स्मृति' व्यङ्ग्य होने पर भी अलङ्कार्य—प्रधान—नहीं है, अपितु रामचन्द्रगत वह विप्रलम्भशृङ्गार प्रधान होने के कारण अलङ्कार्य है जिसका आलम्बन विभाव है जानकी, उद्दीपन विभाव है निशासमय, अनुभाव है सन्ताप आदि और संचारीभाव है उन्माद। तात्पर्य यह हुआ कि उक्त पद्य से स्मृति और विप्रलम्भशृङ्गाररस दोनों ही व्यङ्ग्य होते हैं, पर उन दोनों में प्रधानता विप्रलम्भ की ही रहती है अतः उसी को अलङ्कार्य मानना युक्तिसंगत है। स्मरण तो व्यङ्ग्य होकर भी गौण है और प्रधान रस को उत्कृष्ट बनाने वाला है, अतः उसको अलङ्काररूप मानना ही समुचित है। फिर इस स्मृति को अलङ्कारश्रेणी से निष्कासित करने के लिये लक्षण में 'अव्यङ्ग्य' विशेषण जोड़ना नितान्त अनुचित है। और आप यह तो कह नहीं सकते कि—'व्यङ्ग्यता' और 'अलङ्कारता' में परस्पर विरोध है—अर्थात् जो वस्तु व्यङ्ग्य हो वह उस अवस्था में अलङ्कार हो ही न सके, क्योंकि नित्य-व्यङ्ग्य—अर्थात् जो कभी वाच्य अथवा लक्ष्य होते ही नहीं उन—रस, भाव आदि को भी दूसरे के अङ्ग हो जाने पर अलङ्कार माना जाता है। बात रही प्रधान व्यङ्ग्य के अलङ्कार न होने की, सो वह ठीक ही है और उसके (प्रधान व्यङ्ग्य के) वारण करने के लिये सभी अलङ्कारों के लक्षणों में 'उपस्कारक' विशेषण लगाना चाहिए यह बात पहले ही कही जा चुकी है। अभिप्राय यह कि यह सामान्य नियन्त्रण सभी अलंकारों के विषय में लागू किया जाना चाहिए कि—कोई भी अलंकार तभी अलंकार हो सकता है जब वह किसी अपने से भिन्न प्रधान काव्यार्थ को उपस्कृत—अलंकृत—करता हो। इस नियन्त्रण से प्रधान काव्यव्यङ्ग्य अर्थ कभी भी अलंकार नहीं हो सकता और जो व्यङ्ग्य प्रधान नहीं और अन्य प्रधान को उपस्कृत भी करता हो उसको तो अलंकारकोटि में गिना ही जाना चाहिए। यहाँ भी नागेश मूलकार का खण्डन और दीक्षित का समर्थन करते हैं। उनके कथन का अभिप्राय है कि "—'सौमित्रे! ननु—' इस पद्य में 'हाय! कहाँ है' इन पदों से अभिव्यक्त होने वाली स्मृति ही प्रधान है और वह उसी तरह प्रधान है जिस तरह बराती के रूप में चलनेवाले राजा के आगे-आगे विवाह के लिये जाता हुआ नौकर अथवा जिस तरह 'शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः' इत्यादिक में 'शठ' आदि पदों से ध्वनित होनेवाली 'असूया'। और जब स्मृति की प्रधानता सिद्ध है तब उसका अलंकार्य होना भी निश्चित रूप से मान्य होना ही चाहिए—अर्थात् वह (स्मरण) किसी का उपस्कारक नहीं है स्वयम् उपस्कार्य है, विप्रलम्भशृङ्गाररस ही उसका उपस्कारक होने से अलंकाररूप है। फलतः दीक्षित का कथन ठीक ही है।" कुछ लोग यहाँ यह भी कहते हैं कि—'उक्त पद्य जिस प्रकरण का है उस समूचे प्रकरण से विप्रलम्भशृङ्गाररस ही प्रधानरूप में ध्वनित होता है, इस पद्य की रचना भी कवि ने प्रकरणव्यङ्ग्य विप्रलम्भ की परिपुष्टि के लिये ही की है, अतः इस पद्य का भी प्रधान व्यङ्ग्य विप्रलम्भ को ही मानना चाहिये, स्मरण व्यङ्ग्य होकर भी उसका पोषक ही है,

अतः वह अलंकाररूप ही माना जा सकता है।' तीसरी बात दीक्षितजी ने यह कही कि "—'अत्युच्चाः –' इस पद्य में स्मृतिरूप सञ्चारीभाव कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग होने के कारण 'प्रेयान्' अलंकार है।" पर यह बात भी उनकी ठीक नहीं। कारण, भाव जब भाव आदि का अङ्ग होता है तब वह 'प्रेयान्' अलंकार कहलाता है। पर प्रकृत पद्य में 'स्मरण' भावरूप है हो नहीं, क्योंकि यहाँ वह 'स्मृतः' पद का वाच्यार्थ है और वाच्य सञ्चारीभावरूप कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा कहने पर भी 'व्यभिचार्यञ्जितो भावः– अर्थात् व्यङ्ग्य व्यभिचारीभाव कहलाता है' इस (काव्यप्रकाश के) सिद्धान्त का विरोध होता है। काव्यप्रकाश का ही नहीं, अपितु 'अलंकारसर्वस्वकार' का भी ऐसा ही सिद्धान्त है। वे कहते हैं कि "—'प्रेयान्' अलंकार का लक्ष्य तो वह स्मरण होता है जो सादृश्य से अन्य किसी निमित्त से उद्बोधित हुआ करता है और वह भी वाच्य-विभावादिक से अभिव्यक्त होने पर, जैसे 'अहो! कोपेऽपि कान्तं मुखम्—अर्थात् आश्चर्य है कि उसका मुख क्रोधावस्था में भी कमनीय था' इत्यादिक में। वाच्य होने पर 'स्मरण' भावरूप नहीं होता अतएव 'प्रेयान्' अलंकाररूप भी नहीं होता, जैसे–'अत्रानुगोदम्–अर्थात् यहाँ, गोदावरी नदी के तट पर शिकार खेलकर लौटा हुआ और जलतरंगों की शीतल हवा से श्रमरहित किया गया मैं, जो, एकान्त में तेरी गोदी में सिर रखकर वेतस के मण्डपों में शयन करता था उस शयन का स्मरण कर रहा हूँ—इस स्थल को देखते ही उस शयन का स्मरण हो आया।' इस—विमान द्वारा लंका से लौटते समय पञ्चवटी के किसी स्थल को दिखाते हुए रामचन्द्र की सीता के प्रति उक्ति—में। यदि आप कहें कि—मेरे विचार से 'भाव आदि के अङ्ग बने हुए भाव ही 'प्रेयान्' अलंकार नहीं होते, अपितु भाव आदि के अङ्ग बने हुए सञ्चारीमात्र—अर्थात् उन संचारियों का भावरूप होना आवश्यक नहीं, अतएव प्रकृत में स्मरण यदि वाच्य होने के कारण भावरूप नहीं होता, तो न हो, सञ्चारी तो है ही, बस, इतने से ही पराङ्गतादशा में उसकी प्रेयोऽलंकारता सिद्ध हो जाती है—किसी तरह का विरोध नहीं होता, तो यह भी उचित नहीं क्योंकि आपके कथनानुसार यदि प्रेयोऽलंकार कहलाने के लिये सञ्चारियों का भावरूप (व्यङ्ग्य) होना अवश्यक न माना जाय, तब 'रसवत्' अलंकार कहलाने के लिये स्थायीभावों का व्यङ्ग्य होना भी आवश्यक न मानिये—अर्थात् जिस तरह आप वाच्य सञ्चारी को भी भाव आदि के अंग होने पर प्रेयान् मान लेने के लिये उद्यत हैं उसी तरह वाच्य स्थायी को भी अपरांगतावस्था में आप रसवत् मानेंगे, और यदि ऐसा मानेंगे, तब 'चराचरोभया—अर्थात् हम, स्थावर-जंगम दोनों रूप वाले संसार के कारणस्वरूप और प्रलय-काल में कुपित अतएव सबके संहार करने वाले शिव को प्रणाम करते हैं।' इस पद्य में वाच्यरूप से वर्णित क्रोध (रौद्ररस का स्थायी) भी रसवत् अलंकार हो जायगा, क्योंकि वाच्य हो जाने से भावरूप वह (क्रोध) भले ही न हो पर स्थायी-मात्र तो है ही और देवताविषयक कविगत रतिभाव का अंग भी है। इष्टापत्ति ता की नहीं जा सकती, क्योंकि यह बात वस्तुतः सिद्धान्तविरुद्ध है। अन्ततः इन सब आपत्तियों से बचने के लिये यह मानना ही पड़ेगा कि—जैसे व्यङ्ग्य स्थायी ही अन्य प्रधान वाक्यार्थ का अंग होकर रसवत् अलंकार होता है उसी तरह व्यङ्ग्य सञ्चारी ही भाव आदि का अंग होकर प्रेयान् अलंकार कहलाता है। अतः 'अत्युच्चाः—' इस पद्य में स्मरण को लेकर प्रेयोऽलङ्कार नहीं कहा जा सकता, किन्तु पद्य के प्रथमार्ध भाग से अभिव्यक्त होनेवाले कविगत पृथ्वीविषयक रतिभाव-जो पद्य के अन्तिम आधे भाग से अभिव्यक्त होनेवाले कविगत राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है—को

लेकर ही कहा जा सकता है। मम्मटभट्ट ने भी इस पद्य में प्रेयोऽलंकार सिद्ध करते समय कहा है कि—'यहाँ पृथ्वी के विषय में होने वाला रतिरूप भाव राजा के विषय में होने वाले रति-भाव का अङ्ग है।' मम्मटभट्ट को भी छोड़िये। स्वयं दीक्षितजो ने भी कुवलयानन्द नामक स्वरचित निबन्ध में कहा है कि—"निर्वेद आदि संचारी जब विभाव और अनुभाव से ध्वनित होते हैं तब वे 'भाव' कहलाते हैं और वे भाव जब दूसरों के अङ्ग हो जाते हैं तब प्रेयान् अलंकार माने जाते हैं।" अब आप हम सोच सकते हैं कि—यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है, दीक्षितजी अपने निबन्ध को भी भूल गए—एक निबन्ध में जैसी बात लिखते हैं दूसरे निबन्ध में ठीक उसकी उलटी बात। इस तरह यह सत्य प्रकट है कि दीक्षितजी की बातें यहाँ सुन्दर नहीं हैं—विद्वानों को सन्तुष्ट करने में सर्वथा असमर्थ हैं।

अलंकारसर्वस्वरत्नाकरयोर्मतमनूद्यावद्यति—

यदपि 'सदृशानुभवाद्वस्त्वन्तरस्मृतिः स्मरणम्' इत्यलङ्कारसर्वस्व-रत्नाकरयोः स्मरणालङ्कारलक्षणमुक्तम्, तदपि न। सदृशस्मरणादुद्बुद्धेन संस्कारेण जनिते स्मरणेऽव्याप्तेः।

यथा—

'सन्त्येवास्मिञ्जगति बहवः पक्षिणो रम्यरूपा-
स्तेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु।
यैरध्यक्षैरथ निजसखं नीरदं स्मारयद्भिः
स्मृत्यारूढं भवति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम्॥'

अत्र च चातकदर्शनादेकसम्बन्धिज्ञानादुत्पन्नेनापरसम्बन्धिनो जलधरस्य भगवत्सदृशस्य स्मरणेन जनितं भगवतः स्मरणं भगवद्विषयरतिभावाङ्गम्। यदि च 'सदृशानुभवात्' इत्यपहाय 'सदृशज्ञानात्' इति लक्षणे निवेश्यते तदा भवत्यस्यापि सङ्ग्रह इति दिक्।

अलङ्कारसर्वस्वरत्नाकरयोर्ग्रन्थयोः। सदृशेति। स्मर्यमाणसदृशेत्यर्थः। सन्त्येवेति। अस्मिन् परिदृश्यमाने, जगति संसारे, रम्यरूपाः सुन्दराकाराः, बहवः, पक्षिणः (यद्यपि) सन्ति, (तथापि) तेषां पक्षिणाम्, मध्ये, चातकेषु स्वनामख्यातपक्षिविशेषेषु, मम, वासना संस्कारः, धारणेति यावत्, महती गुरुतरा, विद्यते, इति शेषः। निजसखम् स्वमित्रम्, नीरदं मेघम्, स्मारयद्भिः, यैः चातकैः, अध्यक्षैः प्रत्यक्षभूतैः, सद्भिः हेतुभिः, किमपि साधारणबुद्ध्याऽज्ञायमानम्, कृष्णाभिधानं कृष्णनामख्यातम्, ब्रह्म परमात्मा, स्मृत्यारूढं स्मरणगोचरं, भवति जायत इत्यर्थः। उपपादयति—अत्रेति। दर्शनादिति। अस्य 'ज्ञानात्' इत्यत्राभेदेनान्वयः। चातकदर्शनात्मकैकसम्बन्धिज्ञानादिति यावत्। उत्पन्नेनेति। अस्य 'स्मरणेन' इत्यत्रान्वयः। 'सदृशपदार्थानुभवोद्बुद्धसंस्कारजन्यं स्मरणं स्मरणालङ्कारः' इत्यर्थकम् सर्वस्वकाररत्नाकरोक्तं मूलोद्धृतं लक्षणम् न सम्यक्, तस्य 'सन्त्येवास्मिन्'—इति लक्ष्येऽव्याप्तत्वात्। अयं भावः 'सन्त्येव' इत्यत्र प्रथमं चातकानुभवः, ततः 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिनं स्मारयति' इति न्यायेन मेघस्मरणम्, तेन स्मरणेन मेघसदृश

कृष्णविषयकसंस्कारोद्‌बोधः, उद्‌बुद्धेन तेन संस्कारेण कृष्णस्मरणम् , तच्च स्मरणं कविगतस्य पद्यप्रधानव्यङ्ग्यस्य भगवद्विषयकरतिभावस्योपस्कारकत्वादङ्गभूतमिति समुचितं तस्यालङ्काररूपत्वम् । किंतु पूर्वोक्तलक्षणेन नास्य संग्रहः सम्भवति, अस्य स्मरणस्य मेघरूपसदृशस्मरणप्रयोज्यत्वेन सदृशानुभवप्रयोज्यत्वविरहात् । अतः लक्षणघटकस्य 'सदृशानुभवात्' इत्यस्य स्थाने 'सदृशज्ञानात्'इति कथनं युक्तम् , यतः सदृशज्ञानपदेन सदृशस्मरणस्यापि बोधे तस्य लक्ष्यस्य संग्रहः सम्भवेदिति सारांशः ।

अब 'अलंकार सर्वस्व' और 'अलंकाररत्नाकर' के लक्षण का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—यदपि इत्यादि । 'सदृशपदार्थ के अनुभव – प्रत्यक्ष ज्ञान—से होनेवाले अन्य वस्तु के स्मरण का नाम स्मरणालङ्कार है ।' यह जो 'अलंकारसर्वस्व' तथा 'रत्नाकर' नामक निबन्ध में लिखा गया है, वह भी ठीक नहीं है । कारण, यह लक्षण उस स्मरण में अव्याप्त है—अर्थात् इस लक्षण से उस स्मरण का संग्रह नहीं होता, जो सदृश पदार्थ के अनुभव से नहीं अपितु सदृश पदार्थ के स्मरण से संस्कारोद्बोध द्वारा उत्पन्न होता है । जैसे—'सन्त्येवास्मिन्—अर्थात् इस संसार में यद्यपि बहुतेरे पक्षी रमणीय रूप वाले हैं, पर मेरी वासना-धारणा-सबसे अधिक उन चातकपक्षियों के विषय में हो रहती है अपने मित्र-संबन्धी-मेघ का स्मरण करानेवाले जिन चातकों के नयनगोचर होने से कृष्णनामक अगोचर ब्रह्म स्मृति-पथ में आरूढ़ हो जाता है ।' यहाँ चातकरूप एक संबन्धी के प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से 'एक संबन्धी का ज्ञान अपर संबन्धी का स्मरण कराता है' इस न्याय के अनुसार उस मेघ का स्मरण होता है जो कृष्ण भगवान् के सदृश है और उस मेघस्मरण से तत्सदृश भगवान् कृष्ण का वह स्मरण होता है, जो पद्य के प्रधान व्यङ्ग्य कविगत भगवद्विषयक रतिभाव का अङ्ग है—पोषक है । तात्पर्य यह कि यहाँ कृष्णस्मरण सर्वसम्मति से स्मरणालंकार होने योग्य है, किन्तु उक्त लक्षण के अनुसार इसका संग्रह नहीं हो पाता, क्योंकि यह स्मरण सदृश पदार्थ—मेघ—के अनुभव (प्रत्यक्ष) से उत्पन्न नहीं हुआ है अपितु उसके स्मरण से उत्पन्न हुआ है । यदि लक्षण में 'सदृशानुभवात्—सदृश पदार्थ के प्रत्यक्ष ज्ञान से' इसके स्थान पर 'सदृशज्ञानात्—सदृशपदार्थ के किसी तरह के (प्रत्यक्षात्मक अथवा स्मरणात्मक) ज्ञान से' ऐसा निवेश किया जाय, तब उक्त भगवत्स्मरण का भी संग्रह हो सकता है ।

स्मरणालङ्कारध्वनिं निरूपयितुमाह—

अथास्य ध्वनिः ।

अथेति । परमतनिरसनानन्तरमित्यर्थः । अस्य स्मरणालङ्कारस्य । ध्वनिरिति । उत्तमोत्तमकाव्यताप्रयोजको वैयञ्जनिकबोध इति भावः ।

स्मरणालंकारध्वनि का निरूपण करने की बात कही जाती है—अथ इत्यादि । अब यहाँ स्मरणालंकारध्वनि का आरम्भ समझना चाहिए ।

स्मरणालङ्कारध्वनिमुदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'इदं लताभिः स्तबकानताभिर्मनोहरं हन्त वनान्तरालम् ।
सदैव सेव्यं स्तनभारवत्यो न चेद्युवत्यो हृदयं हरेयुः ॥'

कमनीयकाननमध्यगतः कश्चित् परामृशति—हन्त अहो! स्तबकानताभिः पुष्पगुच्छावनम्राभिः, लताभिः वल्लरीभिः, मनोहरम् रमणीयम्, इदं प्रत्यक्षदृश्यमानम्, वनान्तरालम् वनमध्यभागः, सदैव नैरन्तर्येण, सेव्यम् आश्रयणीयम्, कदा? यदि स्तनभारवत्यः कुचभारयुताः (एतेन नम्रीभाव आवेद्यते), युवतयः तरुण्यः, हृदयं मनः, न, हरेयुः वशीकुर्युरित्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—इदम् इत्यादि। सुन्दरतम कानन के मध्य में अवस्थित कोई पुरुष अपने मन में सोच रहा है—आह! पुष्प-गुच्छों से नमी हुई लताओं से ललित यह वन-मध्य सदा ही सेवन करने योग्य है, यदि स्तन-भार से युक्त (अवनत) युवतियाँ हृदय हरण न कर लें।

उपपादयति—

अत्र स्तबकानताभिर्लताभिः स्तनभारवतीनां युवतीनां स्मरणमलङ्कार्यस्यान्यस्याभावादनुपसर्जनम्, स्तनस्तबकरूपस्य बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नस्य साधारणधर्मस्य वाच्यत्वेऽपि तत्प्रयोजितसादृश्यमूलकस्य स्वस्य शब्दवाच्यत्वविरहाद् व्यङ्ग्यं च।

अत्रेति। 'इदं लताभिः-' इति पद्य इत्यर्थः। लताभिरिति। प्रयोज्यत्वं तृतीयार्थः। तस्य च स्मरणमित्यत्रान्वयः। अनुपसर्जनमिति। अगौणमित्यर्थः। प्रधानमिति यावत्। एवमलङ्कारत्वं निरस्य ध्वनित्वमुपपादयितुमाह—स्तनेति। तदिति। साधारणधर्मेत्यर्थः। स्वस्य स्मरणस्य। व्यङ्ग्यं च स्मरणमिति पूर्वत्रान्वयः। 'इदं लताभिः—' इति पद्यप्रवक्तुः कविकल्पितस्य पुरुषस्य स्तबकानतलताज्ञानात् संस्कारोद्बोधक्रमेण स्तनभारयुतयुवतीजनस्मरणं जातमिति विप्रतिपत्तिहीनं वचः, तच्च स्मरणं सादृश्यमूलम्, सादृश्यं च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नस्तनस्तबकरूपसाधारणधर्मप्रयोज्यम् अतः सर्वथा स्मरणालङ्कारसम्पत्तियोग्यमिदं स्मरणम्, परन्तु पद्यस्यास्य काव्यतायाः प्रयोजकः चमत्कारवत्तया प्रधानोऽर्थः स्मरणमेवैतत्, एवञ्च 'उपस्कारकत्व' रूपसकलालङ्कारलक्षणप्रविष्टविशेषणेन व्यावर्त्यतेऽस्यालङ्कारत्वम्, अतोऽत्र व्यङ्ग्यालङ्कारव्यवहारो न, अलङ्कारत्वमाप्तस्यैव पदार्थस्य व्यङ्ग्यत्वे तथा व्यवहारप्रवृत्तेरिष्टत्वात्, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नस्तनस्तबकात्मकवाच्यसाधारणधर्मप्रयोज्यसादृश्यमूलकोऽयं स्मरणपदार्थो न वाच्यो व्यङ्ग्य एवेत्यत्र यद्यपि न कश्चित् सन्देहः, तथापि नालङ्कारत्वमाप्त इति पूर्वमुक्तम्। एवञ्च स्मरणालङ्कारध्वनिरयमिति फलितम्। अलङ्कारभावानापन्नपदार्थध्वननेऽलङ्कारध्वनिव्यवहार एव कथमिति तु न संशेतव्यम्, अलङ्कारत्वयोग्यपदार्थध्वनन एवालङ्कारध्वनिव्यवहारस्य प्रागुपपादितत्वात्, अलंकारत्वमप्राप्तेऽप्यत्र स्मरणे तद्योग्यत्वं विद्यत एवेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'इदं लताभिः—' इस पद्य में पुष्प-गुच्छों से नमी हुई लताओं द्वारा स्तन-भार से युक्त युवतियों का स्मरण हुआ है और वह स्मरण ही इस वाक्य का प्रधान अर्थ है—इस वाक्य को काव्य-कोटि में लाने वाला चमत्कारी अर्थ है, इस वाक्य का प्रतिपाद्य कोई ऐसा दूसरा अर्थ नहीं है जो सर्वाधिक चमत्कारी होने के कारण प्रधान हो, फलतः यह स्मरण किसी दूसरे का उपस्कारक नहीं है, साथ-साथ यह स्मरण व्यङ्ग्य भी है, क्योंकि 'स्तनों' और 'पुष्प-गुच्छों' रूप बिम्बप्रति-

बिम्बभावापन्न साधारणधर्म के वाच्य होने पर भी उसके द्वारा सिद्ध सादृश्य-मूलक स्मरण किसी शब्द से वाच्य नहीं है। अतः इस पद्य को स्मरणालङ्कार-ध्वनि का उदाहरण माना जाता है। स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि—यद्यपि पण्डितराज व्यङ्ग्य अलंकार भी मानते हैं तथापि यहाँ व्यङ्ग्य स्मरणालङ्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ किसी अन्य अलङ्कार्य—प्रधान—अर्थ के न रहने से यह स्मरण उपस्कारक नहीं है और व्यङ्ग्य अलङ्कार का व्यवहार वहीं होता है जहाँ कोई परोपस्कारक पदार्थ व्यङ्ग्य होता है। आप पूछ सकते हैं कि—जब ऐसी स्थिति है तब स्मरणालङ्कारध्वनि का ही व्यवहार यहाँ कैसे होगा? तो इसका उत्तर यह होगा कि—अलंकाररूप नहीं अपितु अलंकार होने योग्य पदार्थ के ध्वनित होने पर ही अलंकारध्वनि का व्यवहार होता है यह बात पहले युक्ति-पूर्वक प्रतिपादित हो चुकी है और यहां का स्मरण उपस्कारक न होने के कारण अलङ्काररूप भले ही न हो, पर सादृश्यमूलक होने से अलंकार होने की सामान्य योग्यता तो रखता ही है।

पद्यघटकस्य 'युवत्यः' इति पदस्यासाधुतां मनसि कृत्वा समाधत्ते—

युवत्य इति च 'सर्वतोऽक्तिन्नर्थात्' इति ङीषि साधुः।

यद्यपि ह्रस्वेकारान्तयुवतिपदमेव प्रचुरप्रयोगतया प्रसिद्धं तस्य च प्रथमाबहुवचने 'युवतयः' इति रूपमेव समुचितम्, तथापि 'सर्वतो—' इत्यनेन ङीषि दीर्घेकार-विशिष्टस्य 'युवती'पदस्य प्रथमाबहुवचने 'युवत्यः' इत्यपि साध्वेवेति भावः। अत्र "यौतेः शत्रन्तात् ङीप्यपि साधुत्वं भवति। 'सर्वतः—' इत्येतत्पर्यन्तानुधावनं व्यर्थम् दुष्टं चेति" नागेशः।

'युवत्यः' इस पद की साधुता दिखलाई जाती है—युवत्य इत्यादि। ह्रस्व इकारान्त 'युवति' शब्द—जो अधिक प्रसिद्ध है—का रूप प्रथमाबहुवचन में यद्यपि—'युवतयः' ही होता है, तथापि 'सर्वतः—' इस वार्तिक से ङीप् प्रत्यय कर देने पर वह दीर्घ ईकारान्त 'युवती' शब्द भी निष्पन्न होता है, जिसका 'युवत्यः' ऐसा रूप हो सकता है। शतृप्रत्ययान्त यु धातु से ङीप् प्रत्यय करके भी दीर्घ ईकारान्त युवती शब्द बन सकता है यह भी समझना चाहिए—

उदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'इदमप्रतिमं पश्य सरः सरसिजैर्वृतम्।
सखे मा जल्प नारीणां नयनानि दहन्ति माम्॥'

द्वयोर्मित्रयोरुक्तिप्रत्युक्ती। एकः कथयति—सरसिजैः कमलैः, वृतं परिपूर्णम्, अत एव अप्रतिमं अनुपमम्, इदं प्रत्यक्षभूतम्, सरः सरोवरम्, पश्य अवलोकय। अपर आह—सखे मित्र! मा जल्प ईदृशीं वार्तां न कथय, कुतः? यतः नारीणां कामिनीनाम्, नयनानि नेत्राणि, मां दहन्ति दग्धं कुर्वन्ति इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—इदमित्यादि। यह दो मित्रों की उक्ति-प्रत्युक्ति है। एक मित्र कहता है—कमलों से परिपूर्ण इस अनुपम सरोवर को देखो। दूसरा मित्र उत्तर देता है—मित्र! ऐसी बात न करो, मुझे नायिकाओं के नेत्र दग्ध किए डालते हैं।

उपपादयति—

अत्रापि सरसिजज्ञानाधीनतत्सदृशस्मृतिः प्राधान्येन ध्वन्यते।

'इदमप्रतिमम्—' इत्यत्र कमलानां शाब्दबोधात्मकेन ज्ञानेन संस्कारोद्बोधद्वारा जन्यमानं कमलसदृशनारीनयनस्मरणं प्रधानतयाऽभिव्यज्यत इति स्मरणालङ्कारध्वनेरुदाहरणमेतदपि पद्यं सम्पद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि। 'इदम्—' इस पद्य में भी कमलों के ज्ञान (शाब्दबोधात्मक) से होने वाला कमल-सदृश नारि-नयनों का स्मरण प्रधानरूप से ध्वनित होता है, अतः यह पद्य भी स्मरणालङ्कारध्वनि का उदाहरण समझा जा सकता है।

अथास्यालङ्कारस्य दोषान् निरूपयति—

अथास्मिन् स्मरणालङ्कारे उपमादोषाः प्रायशः सर्व एव दोषाः। विशेषतश्च नियमेनास्मिन् व्यज्यमानसादृश्यके सादृश्यस्य शब्दवाच्यतायां दोषः।

यथा—

'उपकारमस्य साधोर्नैवाहं विस्मरामि जलदस्य।
दृष्टेन येन सहसा निवेद्यते नवघनश्यामः॥'

अत्र स्मृत्यैव घनसादृश्यं भगवतः प्रतीयमानं वाच्यवृत्त्या कदर्थितं निवेद्यते। देवकीतनय इति तु साधु।

ये उपमादोषाः प्रागुपपादिताः ते सर्वे प्रायः स्मरणालंकारस्यापि चमत्कारापकर्षकत्वाद्दोषाः। तदतिरिक्तश्च सादृश्यस्य शब्दवाच्यत्वमस्य विशिष्टो दोषः। अथ कथमस्य दोषत्वमिति चेत्, अत्रालंकारे सादृश्यस्य व्यञ्जनया प्रतीयमानत्वनियमेनानावश्यकस्य शब्दद्वारा तदभिधानस्य पुनरुक्तिरूपत्वेन श्रोतुर्वैमुख्याधायकत्वादिति बोध्यम्। तादृशदोषोदाहरणं दर्शयति—उपकार इति। अस्य प्रत्यक्षभूतस्य, साधोः परोपकारपरस्य, जलदस्य वारिदस्य, उपकारम्, अहं, नैव, विस्मरामि, येन जलदेन दृष्टेन प्रत्यक्षीभूतेन सता, सहसा हठात्, नवघनश्यामः श्रीकृष्णः, निवेद्यते स्मार्यते इत्यर्थः। उपपादयति—अत्रेति। अयं भावः—'उपकारमस्य' इत्यत्र 'निवेद्यते'पदबोध्येन स्मरणेनैव श्रीकृष्णस्य मेघसादृश्यं प्रतीयत इति पुनः नवघन इव श्यामः इत्येवं विग्रहणीयेन 'नवघनश्यामः' इति समस्तपदेन तदभिधानं दोष इति। दोषपरिहारप्रकारमाह—देवकी इति। 'नवघनश्यामः' इत्यस्य स्थाने 'देवकीतनयः' इति पाठे कृते निर्दुष्टमिदं पद्यं स्यादित्यर्थः।

अब स्मरणालंकार में होनेवाले दोषों का निरूपण किया जाता है—अथ इत्यादि। इस स्मरणालंकार में प्रायः वे सभी दोष होते हैं जो उपमा के दोष माने गए हैं, तदतिरिक्त इस अलंकार का खास दोष यह है कि—सादृश्य का शब्दवाच्य बना देना और सादृश्य की शब्द-वाच्यता इसलिए यहाँ दोषरूप हो जाती है कि जब इस अलंकार में सादृश्य की प्रतीति नियमतः व्यञ्जना द्वारा होती ही रहती है तब वह एक तरह से पुनरुक्तिरूप हो जाती है। जैसे—'उपकारमस्य······अर्थात् मैं इस परोपकारी जलद का उपकार भूलता ही नहीं, जो दृष्टिगोचर होते ही नवघनश्याम (नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण श्रीकृष्ण) का स्मरण करा देता है।' यहाँ 'निवेद्यते' पद से अवगत होनेवाले स्मरण से ही

भगवान् श्रीकृष्ण का मेघ के साथ सादृश्य प्रतीत होता है फिर जो 'घनश्याम' पद—जिसका अर्थ समासमर्यादा से घन के समान श्याम होता है—से उस सादृश्य को वाच्य बनाया गया है वह कदर्थना है—दोष है। हाँ, यदि 'नवघनश्यामः' शब्द के स्थान पर 'देवकीतनयः' शब्द रक्खा जाय, तब पद्य निर्दोष हो सकता है।

साधारणधर्ममूलकं विशेषं निरूपयितुमुपक्रमते—

अत्र सादृश्यप्रयोजकस्य साधारणधर्मस्य साक्षादुपादानानुपादानयोरुपमायामिवात्रापि व्यवस्था। तथा हि उपमायां तावत्क्वचिद्धर्मो नियमेन प्रतीयमानः साक्षान्नोपादेय एव। यथा 'शङ्खवत्पाण्डुरच्छविः' इत्यत्र पाण्डुरत्वम्। 'शङ्खवत्पाण्डुरोऽयम्' इत्यादौ तु नानाविधेषु धर्मेष्वनेनैव धर्मेण सादृश्यमित्यस्य दुरवगमत्वात्, सर्वत्रोपमानोपमेयसाधारणस्य श्लिष्टशब्दात्मकस्यान्यस्य वा स्वानभिप्रेतस्य साधारणधर्मस्योपमाप्रयोजकत्वसम्भवात्तद्वारणाय पाण्डुरत्वादिधर्मो वाच्यतां नीयते। यथा वा 'अरविन्दमिव सुन्दरं मुखम्' इत्यादौ सुन्दरत्वादिः। न नीयते च क्वचित्, वक्तुरन्यस्यानुपस्थानात्प्रसिद्धेः प्राबल्यात्। यथा 'अरविन्दमिव मुखम्' इत्यादौ स एव। अप्रसिद्धश्च धर्मोऽवश्यं साक्षादुपादेयः। अन्यथा तस्याप्रतिपत्तौ कवेस्तदुपमानिर्माणप्रयासवैयर्थ्यापत्तेः। यथा 'नीरदा इव ते भान्ति बलाकाराजिता भटाः' इत्यादौ श्लिष्टशब्दात्मकः। इत्थं च कश्चित्साधारणो धर्मः साक्षादनुपादेय एव। कश्चिदुपादेयानुपादेयश्च। कश्चिदुपादेय एवेति सहृदयसम्मतः समयः। एवमेवोपमाजीवातुकेऽस्मिन् स्मरणालङ्कारेऽपि बोध्यम्।

अत्रेति। स्मरणालङ्कारे इत्यर्थः। अस्योपादानादावेवान्वयः। दानयोरिति। सतोरिति शेषः। अत्रापीति। स्मरणालङ्कारेऽपीत्यर्थः। स्फुटत्वाय पुनरुक्तिः। प्रतीयमान इति। शब्दाभावेऽपि गम्यमान इत्यर्थः। साक्षादिति। उपमानोपमेयविशेषणत्वेनेत्यर्थः। यथेति। उपमेयविशेषणच्छविविशेषणतयोपस्थितपाण्डुरत्वस्यैव प्रत्यासत्त्या तत्र गम्यमानत्वादिति भावः। ननु धर्मान्तरस्योपमाप्रयोजकत्वाभावादेव नैव सादृश्यं दुरवगममत आह—सर्वत्रेति। स्वानभिप्रेतस्य साधारणधर्मस्येति। अत्र साधारणपदमधिकं प्रतिभाति, 'उपमानोपमेयसाधारणस्य' इति प्रागुक्तविशेषणघटकसाधारणपदेनैव तदर्थलाभात्। वाच्यतां नीयत इति। वाच्यो विधीयत इति भावः। विशेषं वक्तुमस्य द्वितीयमुदाहरणमाह—यथा वेति। न नीयते चेति। वाच्यतामित्यस्यानुषङ्गः। अनुपस्थितौ हेतुमाह—प्रसिद्धेरिति। स एवेति। सुन्दरत्वादिरित्यर्थः। अन्यथा साक्षादनुपादाने। तस्य साधारणधर्मस्य। अप्रतिपत्तौ अप्रतीतौ। 'नीरदा इव……'इति। बलाकाराजिताः बलाकाराभ्याम् अजिताः, ते भटाः योद्धारः, बलाकाभिः बकपङ्क्तिभिः, राजिताः शोभिताः, नीरदाः मेघाः, इव, भान्ति प्रतीयन्त इत्यर्थः। उपसंहरति—इत्थं चेति। यथोपमायामिति शेषः। समयः सिद्धान्तः। एवम् उपमावत्। जीवातुर्जीवनौषधम्। सादृश्यप्रयोजकस्य साधारणधर्मस्य साक्षादुपादानेऽनुपादाने वा सति यथोपमायां व्यवस्था भवति, तथैवात्र स्मरणालङ्कारेऽपि सा भवति। कीदृशी व्यवस्थोपमायामिति चेदित्थम्—यत्र यो धर्मो नियमेन वाचकमन्तरापि प्रतीयमानः तत्र स धर्मः साक्षान्नोपादेयः। यथा—'शङ्खवत्पाण्डुरच्छविः' इत्यत्र पाण्डुरत्वरूपो धर्मो नोपादेयः,

'शङ्खवच्छविः' इत्येतावदुक्तावपि पाण्डुरत्वस्योक्तरीत्या प्रतीतेः। यत्र च यो धर्मो न वाचक-मन्तरेण नियमतः प्रतीयमानस्तत्र पुनः स धर्मः साक्षादुपादेय एव। यथा—'शङ्खवत्पाण्डुरोऽयम्' इत्यत्र पाण्डुरत्वरूपो धर्म उपादेय एव, उपादानं विना तस्य प्रतीतेरनियमात्, वक्तुरनभिप्रेतस्यापि शिलष्टशब्दात्मकस्यान्यस्य वोपमाप्रयोजकस्य धर्मस्य सम्भाव्यमानत्वात्। यत्र च यो धर्मः प्रसिद्धेरनुरोधे नियमतः प्रतीयमानः प्रसिद्धेरननुरोधे पुनर्नियमतः प्रतीयमानस्तत्र स धर्मः साक्षादुपादेयोऽपि नापि चोपादेयः यथा—'अरविन्दमिव सुन्दरं मुखम्' 'अरविन्दवन्मुखम्' इत्यनयोः स्थलयोः क्रमशः सुन्दरत्वोपादानं तदभावश्च। अप्रसिद्धो धर्मः साक्षादुपादेय एव। यथा—'नीरदा इव……'इत्यादौ 'वलाकाराजित्वादिः, अन्यथा तदप्रतीतौ उपमैव न सम्पद्येत, कथंचित् तत्सम्पत्तौ वा कविविवक्षितार्थाप्रतीतिरेवेति भावः। अन्यत् सुगमम्।

साधारणधर्ममूलक कुछ विशिष्ट बातों का विचार किया जाता है—अत्र इत्यादि। इस स्मरणालंकार में भी सादृश्य-साधक-साधारणधर्म के साक्षात् ग्रहण करने और न करने की व्यवस्था उपमालंकार की ही तरह होती है। अभिप्राय यह कि जिस तरह, उपमा में, कहीं, नियमतः—वाचक के बिना भी—प्रतीत होनेवाले धर्म का साक्षात् ग्रहण करना उचित नहीं होता, जैसे—'शंख की तरह श्वेत कान्ति वाला', यहाँ श्वेतत्वरूप धर्म का उपादान उचित नहीं। कारण, साक्षात् ग्रहण न करने पर भी उसकी प्रतीति हो ही जाती है, क्योंकि कान्ति में शंख के समान श्वेतत्व धर्म की ही सम्भावना है, अन्य की नहीं। 'शंख के समान श्वेत यह' इत्यादिक में तो श्वेतत्व धर्म का साक्षात् ग्रहण करना उचित ही है, क्योंकि यदि 'शंख के समान यह' इतना ही कहा जाय, तब ऐसे अनेक धर्मों की संभावना की जा सकती है यन्मूलक शंख की समता 'यह' पदार्थ में दी जा सके, जैसे वर्तुलत्व आदि, यह बात दूसरी है कि वे धर्म वक्ता के अभिमत हों अथवा नहीं, ऐसी स्थिति में पाण्डुरत्व धर्ममूलक ही शंख की समता—जो वक्ता का अभिमत है—नहीं समझी जा सकती। स्पष्ट अभिप्राय है कि—सब जगह उपमान तथा उपमेय दोनों में रहने वाला 'श्लिष्टशब्दरूप' अथवा अन्य कोई कवि का अनभिमत धर्म भी उपमा का प्रयोजक हो सकता है, अतः अनभिमत धर्म को प्रकृत उपमा का प्रयोजक न समझ लिया जाय इसलिये कवि के अभिमत धर्म का ग्रहण ऐसे स्थलों पर आवश्यक हो जाता है। अथवा जैसे—'कमल-सा सुन्दर मुख' इत्यादि में सुन्दरता आदि धर्म का ग्रहण केवल इसलिये किया जाता है कि इससे भिन्न किसी धर्म को उपमा का प्रयोजक न मान लिया जाय। कहीं ऐसे प्रसिद्ध धर्मों का साक्षात् ग्रहण नहीं भी किया जाता, जैसे—'कमल-सा मुख' इत्यादि में 'सुन्दरता' आदि का ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि प्रसिद्धि की प्रबलता से अन्य धर्म की उपस्थिति वक्ता अथवा श्रोता किसी को होती ही नहीं। हाँ, अप्रसिद्ध धर्म का साक्षात् ग्रहण करना अत्यावश्यक होता है, अन्यथा श्रोताओं को उस धर्म का ज्ञान नहीं होने से कवि का उपमासृष्टिप्रयास ही व्यर्थ हो जायगा। जैसे—'नीरदा इव—अर्थात् वे योद्धा मेघों के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि जैसे मेघ 'वलाकाराजित (बगुलों की पङ्क्ति से शोभित) हैं वैसे ही वे भी 'वलाकाराजित' (बल और आकार के कारण अजित - किसी से न जीते गए) हैं।' इत्यादि में 'वलाकाराजित' आदि शिलष्ट शब्दरूप धर्म। तात्पर्य यह हुआ कि यदि ऐसे धर्मों को स्पष्ट शब्दों में न लिखा जाय तब श्रोतागण समझ ही नहीं पायेंगे कि मेघों और योद्धाओं में क्या समान धर्म है। अतः ऐसे अप्रसिद्ध धर्मों का साक्षात् ग्रहण अत्यावश्यक है। इस तरह यह सिद्ध

हुआ कि—उपमा में कुछ साधारणधर्म ऐसे होते हैं जिनका साक्षात् ग्रहण नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनका साक्षात् ग्रहण हो भी सकता है और नहीं भी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका ग्रहण करना ही चाहिए, यह है सहृदयों का सम्मत सिद्धान्त। यही व्यवस्था स्मरणालङ्कार के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण, इस स्मरणालंकार में प्राण डालने वाली उपमा ही है, सारांश यह कि स्मरणालंकार में भी साधारणधर्म उक्त तीनों प्रकार का हो सकता है।

उक्तत्रिविधधर्ममूलकस्मरणालङ्कारोदाहरणप्रदर्शनायाह—

तत्रानुगामिनि धर्मे 'स्मृत्यारूढं भवति किमपि' इत्यादौ पद्ये निवेदितमेव स्मरणम्। बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नेऽपि धर्मे 'भुजभ्रमितपट्टिश—' इत्यादि पद्ये निरूपितम्। कुलिशपट्टिशयोर्भूधरदन्तावलयोश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावात्।

तत्रेति। प्रागुक्तानुपादेयादिधर्माणां मध्य इत्यर्थः। स्मृत्यारूढमिति। एतदन्तिमचरणकं सम्पूर्णं पद्यमस्मिन्नेव प्रकरणे प्रागुक्तम्। अत्र श्यामत्वरूपोऽनुगामी धर्मोऽनुपात्तः। निवेदितं कथितम्। स्मरणमिति। स्मरणालङ्कार इति भावः, भुजभ्रमित इति। इदमपि पद्यं प्रकरणस्यास्य प्रारम्भे उदाहृतं द्रष्टव्यम्। निरूपितं स्मरणमित्यस्यानुषङ्गः। उपपादयति—कुलिशेत्यादिना। बिम्बप्रतिबिम्बभावादिति। पट्टिशदन्तीवलयोर्बिम्बत्वं कुलिशभूधरयोश्च प्रतिबिम्बत्वमिति बोध्यम्। एवञ्चात्रावश्यकतया साधारणधर्म उक्त इति भावः।

उक्त तीनों प्रकार के साधारणधर्म उपमा की तरह स्मरणालङ्कार में भी अनुगामी आदि रूप से भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं यह दिखलाने के लिये तादृश उदाहरण दिये जाते हैं—तत्र इत्यादि। उन धर्मों में से अनुगामी साधारणधर्म जहाँ लुप्त है ऐसे स्मरणालंकार का उदाहरण 'स्मृत्यारूढं—'इस पद्य के रूप में पहले दिखलाया जा चुका है। यह पद्य सर्वस्वकार आदि के मत का खण्डन करते समय इसी प्रकरण में लिखा गया है। यहाँ श्यामत्वरूप अनुगामी साधारणधर्म का अग्रहण है। उक्त विचार के अनुसार आवश्यक होने के कारण बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न साधारणधर्म जहाँ उक्त है ऐसा स्मरणालंकारोदाहरण भी 'भुज–' इस पद्य के रूप में कहा जा चुका है। यह पद्य इसी प्रकरण के आदि में ग्रन्थकार ने स्वसम्मत उदाहरण देते समय लिखा है। यहाँ 'वज्र' और 'पट्टिश' एवं पर्वत और गज में बिम्बप्रतिबिम्बभाव है। अर्थात् पट्टिश और गज बिम्ब हैं तथा वज्र और पर्वत प्रतिबिम्ब। और ऐसा यह साधारणधर्म यहाँ उपात्त है।

एवं अनुगामिबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नेति द्विविधधर्ममूलकस्मरणालङ्कारोदाहरणभूतपद्ययुगलं स्मारयित्वोपचरितधर्ममूलकतदुदाहरणं दर्शयितुमाह—

उपचरिते यथा—

उपचरिते धर्मे स्मरणं यथेत्यनुषङ्गः।

उक्त द्विविधधर्ममूलक स्मरणालंकार के उदाहरणभूत पूर्वोक्त दो पद्यों का स्मरण कराकर अन्यविधधर्ममूलक स्मरण का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—उप इत्यादि। जहाँ साधारणधर्म उपचरित (आरोपित) रहता है वैसा उदाहरण, जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'क्वचिदपि कार्ये मृदुलं क्वापि च कठिनं विलोक्य हृदयं ते ।
को न स्मरति नराधिप नवनीतं किं च शतकोटिम् ॥'

कविः राजानं स्तौति—हे नराधिप राजन् ! क्वचिदपि कस्मिंश्चिदपि कार्ये कर्तव्ये विषये, मृदुलं कोमलम् , क्वापि च कुत्रचिच्च कार्ये, कठिनं कठोरम् , ते तव, हृदयं मनः, विलोक्य ज्ञात्वा, औचित्यात् ज्ञानविशेषार्थकस्यापि लोकयतेरत्र ज्ञानसामान्यार्थकत्वात् , कः मनुष्यः, नवनीतम् , किं च तथा शतकोटिं वज्रम् न स्मरति ? सर्वोऽपि स्मरतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—क्वचिदपि इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे राजन् ! किसी कार्य में कोमल और किसी कार्य में कठोर तेरे हृदय को समझ कर कौन मनुष्य मक्खन तथा वज्र का स्मरण नहीं करता ? अर्थात् सभी करते हैं ।

उदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अगाधं परितः पूर्णमालोक्य स महार्णवम् ।
हृदयं रामभद्रस्य सस्मार पवनात्मजः ॥'

स प्रसिद्धः, पवनात्मजः हनूमान् , अगाधं अतिगभीरम् , परितः सर्वतः, पूर्णम् अरिक्तम् , महार्णवं समुद्रम् , आलोक्य दृष्ट्वा, रामभद्रस्य रामचद्रस्य, हृदयं चेतः, सस्मार स्मृतवानित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अगाधम् इत्यादि । उस सुप्रसिद्ध हनूमान् ने अतलस्पर्शी तथा चारों तरफ से भरे-पूरे समुद्र को देखकर भगवान् रामचन्द्र के हृदय का स्मरण किया ।

उपपादयति—

अत्र मृदुलत्वाद्यो धर्मा हृद्युपचरिताः ।

प्रथमे पद्ये मूर्तधर्मयोर्मृदुलत्वकठोरत्वयोः अमूर्ते हृदये समारोपः, एवं द्वितीयपद्ये समुद्रधर्मस्यागाधत्वस्य हृदये सः इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । प्रथम उदाहरण में कोमलता तथा कठोरता—जो मूर्त (दृष्टिगोचर होने योग्य) पदार्थों के धर्म हैं—का अमूर्त हृदय में आरोप हुआ है । इसी तरह द्वितीय उदाहरण में अगाधता-जो समुद्र का धर्म है—का हृदय में आरोप हुआ है ।

उदाहरणद्वयदाननिदानभूतं विशेषमाह—

इयांस्तु विशेषः—यदेकत्रानुभूयमाने हृदये स्मर्यमाणनवनीतादेः सादृश्यस्य सिद्धिः, अपरत्र तु स्मर्यमाणे हृदयेऽनुभूयमानसमुद्रस्येति, सादृश्यस्योभयाश्रयत्वात् ।

एकत्र प्रथमपद्ये। अपरत्र द्वितीयपद्ये। समुद्रस्येति। सादृश्यस्य। सिद्धिरित्यस्यानुषङ्गः, उभयाश्रयत्वादिति। उभयनिरूप्यत्वादिति भावः। 'क्वचिदपि—' इत्यत्र राज्ञो हृदयमनुभूयमानं वस्तु तत्र स्मर्यमाणस्य नवनीतशतकोटियुगलस्य सादृश्यं सिद्ध्यति। 'अगाधम्—' इत्यत्र तु अनुभूयमानस्य, समुद्रात्मकस्य वस्तुनः सादृश्यं स्मर्यमाणे हृदये सिद्ध्यतीति द्वयोरुदाहरणयोर्विशेषः। एतद्विशेषप्रदर्शनायैवोदाहरणद्वयदानम्। असङ्गतोऽयं विशेष इति चेन्न, उभयत्रोपमानोपमेययोः सादृश्यं विवक्षितम्। तच्चोभयथापि वर्णयितुं शक्यम्, उपमानप्रतियोगिकोपमेयानुयोगिकतया उपमेयप्रतियोगिकोपमानानुयोगिकतया वा सादृश्यस्योभयनिरूप्यत्वात्, एवञ्च प्रथमपद्ये स्मर्यमाणोपमानप्रतियोगिकानुभूयमानोपमेयानुयोगिकस्य, द्वितीयपद्ये चानुभूयमानोपमानप्रतियोगिकस्मर्यमाणोपमेयानुयोगिकस्य सादृश्यस्य सिद्धौ बाधकविरहादिति भावः।

दोनों उदाहरणों में परस्पर वैलक्षण्य दिखलाया जाता है—इयांस्तु इत्यादि। प्रथम पद्य में अनुभव किये जाते हृदय में स्मरण किये जाते 'मक्खन' आदि के सादृश्य की सिद्धि हुई है और द्वितीय पद्य में स्मरण किये जाने वाले हृदय में अनुभव किये जाने वाले समुद्र के सादृश्य की, क्योंकि सादृश्य अनुभूत होने वाले और स्मृत होने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों से सम्बन्ध रखता है। स्पष्ट तात्पर्य यह कि एक जगह उपमेय के अनुभव से उपमान का और दूसरी जगह उपमान के अनुभव से उपमेय का स्मरण हुआ है।

धर्मान्तरमूलकमुदाहरणं दर्शयितुमाह—

केवलशब्दात्मके यथा—

श्लिष्टशब्दमात्रात्मके धर्मे स्मरणं यथेत्यनुषङ्गः।

जहाँ केवल श्लिष्टशब्दरूप साधारणधर्ममूलक सादृश्य की प्रतीति होती है ऐसे स्मरणालंकार का उदाहरण। जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'ऋतुराजं भ्रमरहितं यदाहमाकर्णयामि नियमेन।
आरोहति स्मृतिपथं तदैव भगवान् मुनिर्व्यासः॥'

कवेरुक्तिः—अहम्, यदा यस्मिन् क्षणे, भ्रमरहितं नानाविधपुष्पविकासद्वारा मधुप्रापकत्वात् भ्रमराणां हितम्, ऋतुराजं वसन्तम्, आकर्णयामि शृणोमि, तदैव तस्मिन्नेव क्षणे, भगवान् व्यासो मुनिः, स्मृतिपथम् आरोहति स्मृतिविषयो भवति, यतः सोऽपि भ्रमरहितः भ्रमेण हीनः—प्रमाता इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—ऋतुराजम् इत्यादि। कवि का कथन है—मैं जब 'भ्रमर-हित'-भ्रमरों के हितकारी—ऋतुराज-वसन्त—को सुनता हूँ, तभी भगवान् व्यास मुनि मेरे स्मृति-पथ में नियमतः आरूढ हो जाते हैं, क्योंकि वे भी भ्रम-रहित—भ्रमहीन-(यथार्थज्ञानकर्ता) हैं।

उपपादयति—

अत्र भ्रमरहितशब्दो व्यासवसन्तयोः साधारणः।

'ऋतुराजम्—' इति पद्ये वर्ण्यमानयोर्व्यासवसन्तयोः सादृश्यस्य साधको न कश्चित्

अर्थात्मकः साधारणो धर्मः, अपि तु 'भ्रमरहित' शब्द एव केवलोऽर्थभेदेनोभयत्र विशेषणीभवन् साधारणधर्मतां प्रतिपद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'ऋतुराजम्—' इस पद्य में वर्णनीय व्यास और वसन्त के सादृश्य को सिद्ध करने वाला कोई अर्थात्मक साधारणधर्म नहीं है, अपितु 'भ्रमरहित' शब्द ही अर्थभेद से दोनों (व्यास और वसन्त) का विशेषण होने से साधारणधर्मरूप होता है।

उपसंहरन्नाह—

एवमन्येऽपि प्रभेदाः सुधीभिरुन्नेयाः। इह पुनर्दिङ्मात्रमुपदर्शितम्।

उपमावत् स्मरणालङ्कारस्यापि निरूपितेतराः कियन्तो भेदाः संभवन्ति, ते विज्ञैः स्वयमनुसन्धेयाः। स्वयमनुसन्धाने सहायकतया केवलं दिग्दर्शनमत्र कारितं ग्रन्थकृतेति भावः।

उपसंहार किया जाता है—एवमिति। उपमा की तरह स्मरणालंकार के भी साधारणधर्मवैचित्र्यमूलक और अनेक भेद हो सकते हैं जिनका ऊह स्वयं सुधी जनों को कर लेना चाहिए। ग्रन्थकार ने तो यहाँ केवल दिग्दर्शन कराया है।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां स्मरणालङ्कारनिरूपणं समाप्तम्।

स्मरणालङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीं रूपकालङ्कारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथाभेदप्रधानेषु रूपकं तावन्निरूप्यते।

अथेति। स्मरणालङ्कारनिरूपणानन्तरमित्यर्थः। अभेदप्रधानेष्विति। अलंकारेष्विति शेषः। तावत् आदौ। एवं च पूर्वं भेदाभेदोभयप्रधाना अलङ्कारा निरूपिताः, सम्प्रति बह्वलङ्कारव्यापित्वेन प्रसिद्धतया प्राधान्येन च रूपकनिरूपणमिति भावः।

स्मरणालंकारनिरूपण के बाद अब रूपकालंकार का निरूपण करने की प्रतिज्ञा करते हैं—अथेत्यादि। जिनमें भेद तथा अभेद दोनों की प्रधानता समानरूप से रहती है उन अलंकारों का निरूपण पहले किया जा चुका है, अब, जिनमें अभेद की ही प्रधानता होती है उन अलंकारों में भी सर्वप्रधान तथा बहुतेरे अभेद-प्रधान अलंकारों के मूलभूत रूपकालंकार का निरूपण सबसे पहले किया जाता है।

लक्षणं तावल्लिख्यते—

उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणोपमेये शब्दान्निश्चीयमानमुपमानतादात्म्यं रूपकम्। तदेवोपस्कारकत्वविशिष्टमलङ्कारः।

उपमेयतावच्छेदकेति। उपमेयतावच्छेदकं मुखत्वादिकं पुरस्कृत्य न तु तत्तिरोधायेत्यर्थः। उपमेयतावच्छेदकप्रकारकबोधविशेष्ये उपमेये इति यावत्। अत्र 'उपमेयतावच्छेदकमात्रप्रकारकप्रतीतिजनकशब्दबोध्ये विषये इत्यर्थः। तेनातिशयोक्तौ चन्द्रादिपदान्मुखत्वादिना मुखोपस्थितिरिति मतेऽपि नातिव्याप्तिरिति बोध्यमिति' नागेशः। शब्दान्निश्चीयमानमिति। शब्दात्मकप्रमाणजन्यनिश्चयगोचरम्, न तु प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरजन्यनिश्चयविषयीभूतमित्यर्थः। उपमानतादात्म्यमिति। उपमानाभेद इत्यर्थः। रूपकम् रूपक-

पदार्थः । तदेव रूपकपदार्थ एव । उपस्कारकत्वेति । प्रधानोत्कर्षकत्वेति भावः । विशिष्टेति । युक्तेत्यर्थः ।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—उपमेयता इत्यादि । उपमेयतावच्छेदक (उपमेय में रहने वाले असाधारण धर्म-मुखत्व आदि) को आगे रखकर-अर्थात् उस धर्म के साथ समझे जाते हुए, उपमेय (मुख आदि) में शब्द-प्रमाण (न कि प्रत्यक्ष-चक्षु आदि-प्रमाण के द्वारा निश्चित की जाने वाली उपमान (चन्द्र आदि) की एकरूपता (अभेद) को 'रूपक' कहते हैं । यह तो हुआ लोकप्रसिद्ध रूपक पदार्थ का लक्षण, इसी में यदि 'उपस्कारक अर्थात् प्रधानवाक्यार्थोत्कर्षक' यह विशेषण भी जोड़ दिया जाय, तब यह साहित्यशास्त्रप्रसिद्ध रूपकालंकार का लक्षण समझा जायगा ।

पदकृत्यं दर्शयति—

उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणेति विशेषणादपह्नुतिभ्रान्तिमदतिशयोक्तिनिदर्शनानां निरासः । अपह्नुतौ स्वेच्छया निषिध्यमानत्वात्, भ्रान्तिमति च तज्जनकदोषेणैव प्रतिबध्यमानत्वादतिशयोक्तिनिदर्शनयोश्च साध्यवसानलक्षणामूलकत्वादुपमेयतावच्छेदकस्य नास्ति पुरस्कारः । शब्दादिति विशेषणात् । मुखमिदं चन्द्रः' इति प्रात्यक्षिकाहार्यनिश्चयगोचरचन्द्रतादात्म्यव्यवच्छेदः । निश्चीयमानमिति विशेषणात्सम्भावनात्मनो 'नूनं मुखं चन्द्रः' इत्याद्युत्प्रेक्षाया व्यावृत्तिः । उपमानोपमेयविशेषणाभ्यां सादृश्यलाभात् 'मुखं मनोरमा रामा' इत्यादिशुद्धारोपविषयतादात्म्यनिरासः । सादृश्यमूलकमेव च तादात्म्यं रूपकमामनन्ति ।

उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणेति प्रथमविशेषणकृत्यमाह—उपमेयतेति । निरासे हेतुमाह—अपह्नुतावित्यादिना । तज्जनकेति । भ्रान्तिजनकेत्यर्थः । उपमेयतावच्छेदकस्येति । अस्य मध्यमणिन्यायेनोभयत्रान्वयः । शब्दादिति द्वितीयविशेषणकृत्यमाह—शब्दादिति । प्रात्यक्षिकेति । प्रात्यक्षिकः चक्षुरादिजन्यः, यः आहार्यः बाधकालीनेच्छाजन्यः, निश्चयः निश्चयात्मकं ज्ञानम् तद्गोचरं तद्विषयीभूतम् यत् चन्द्रतादात्म्यम् चन्द्राभेदः तस्य व्यवच्छेदो व्यावृत्तिरित्यर्थः । तृतीयविशेषणकृत्यमाह—निश्चीयमानम् इति । उपमानोपमेयेति । एतद्रूपविशेषणाभ्यामित्यर्थः । उपमानत्वोपमेयत्वयोः सादृश्यनियतत्वादिति भावः । अपह्नुतौ—'नेदं मुखम् अपि तु चन्द्रः' इत्यादौ उपमेयतावच्छेदकस्य मुखत्वस्य निषेध एव, भ्रान्तिमति—'पद्ममिति भ्रमरा मुखमभिधावन्ति' इत्यादौ भ्रमजनकेन दोषेण तस्य प्रतिबन्ध एव अतिशयक्तौ निदर्शनायाञ्च क्रमशः 'चन्द्रोऽयम्' 'अमायां तन्मुखं पश्य चन्द्रदर्शनकौतुकी' इत्यादौ साध्यवसानलक्षणायाः साम्राज्येन तस्याप्रतीतिरेवेति उपमेयतावच्छेदकस्यापुरस्कारेण चतुर्णामेषामलङ्काराणाम् 'उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेण' इति विशेषणाद् व्यावृत्तिः । मुखमिदं न चन्द्रः' इति बाधज्ञाने जाग्रति 'मुखेऽस्मिन् चन्द्रत्वप्रकारकं चाक्षुषं ज्ञानं मे जायताम्' इतीच्छाजन्यम् यत् 'मुखमिदं चन्द्रः' इत्याकारकं निश्चयात्मकं चाक्षुषं ज्ञानं तदाहार्यम्, एतदाहार्यनिश्चयविषयीभूतयोश्च मुखचन्द्रयोरपि यद्यपि तादात्म्यम् प्रतीयते, तथापि नास्य रूपकत्वम्, तस्याहार्यनिश्चयस्य चाक्षुषत्वेन शाब्दत्वाभावात् लक्षणे 'शब्दादिति' निवेशात् । 'नूनं मुखं चन्द्रः' इति वस्तूत्प्रेक्षायाः सम्भावनारूपाया लक्षणघटकनिश्चीयमानविशेषणाद्वारणम् । 'यत्रयत्रोपमानोपमेयत्वं तत्र तत्र सादृश्यम्'

इति व्याप्त्या लक्षणे उपमानोपमेयनिवेशात् सादृश्यं लभ्यते, लब्धेन च तेन सादृश्येन 'सुखं मनोरमा रामा' इत्यत्रत्यम् शुद्धारोपविषयीभूतम् (सादृश्यामूलकत्वेन गौणारोपविषयीभूतं नेति यावत्) रामासुखयोस्तादात्म्यं निरस्यते। ननु कथं शुद्धारोपविषयस्तादात्म्यं निरस्यते। स्वीक्रियतां तस्यापि रूपकत्वम् इति चेन्न, सादृश्यमूलकतादात्म्यस्यैव रूपकत्वेनाङ्गीकारात् इति भावः।

लक्षणघटक विशेषणों के फल दिखलाये जाते हैं—उपमेयता इत्यादि । अपह्नुति, भ्रान्तिमत् , अतिशयोक्ति और निदर्शना इन चारों अलंकारों में भी यद्यपि उपमान तथा उपमेय का तादात्म्य रहता है, पर उपमेयतावच्छेदक को आगे रखकर उस तादात्म्य का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अपह्नुति-'मुख नहीं, चन्द्र है'—में अपनी इच्छा से वक्ता उपमेय (मुख) के साथ-साथ उपमेयतावच्छेदक-मुखत्व-का निषेध ही कर देता है, भ्रान्तिमत्—'कमल समझकर भौरे मुख की ओर दौड़ते हैं'—में जिस दोष के कारण भ्रमरों को मुख में कमल की भ्रान्ति होती है उस दोष से ही उपमेयतावच्छेदक-मुखत्व-प्रतिबद्ध हो जाता है अर्थात् जब मुख को मुख समझा ही नहीं गया तब मुखत्व भासित हो ही नह सकता, अतिशयोक्ति - (मुख को देखकर) 'यह चन्द्र है'—में और निदर्शना—'यदि तू अमावस की रात में चन्द्र-दर्शनार्थं उत्सुक हो तो उसके मुख को देखो' में—साध्यवसाना लक्षणा हुई रहती हैं, फलतः उपमेय-मुख का भी बोध चन्द्रस्वरूप से ही होता है अतः उपमेयतावच्छेदक-मुखत्व-की प्रतीति असंभव हो है, इन्हीं चारों अलंकारों में रूपकालंकार के लक्षण की अतिप्रसक्ति को रोकने के लिए लक्षण में 'उपमेयतावच्छेदक को आगे रखकर' यह विशेषण जोड़ा गया है। 'मुख चन्द्र नहीं ःे' इस तरह के बाध का ज्ञान रहने पर भी 'मुझे मुख में चन्द्र का ज्ञान हो' इस तरह की इच्छा से जो 'यह मुखचन्द्र है' इस तरह का चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष निश्चय होता है वह आहार्य कहलाता है, इसी आहार्य-निश्चय के विषयीभूत मुखचन्द्र के तादात्म्य (एकरूपता) को रूपकालंकार की श्रेणी से बहिष्कृत करने के लिए लक्षण में 'शब्दात्' यह निश्चय का विशेषण लगाया गया है, इस विशेषण के द्वारा उक्त आहार्य निश्चयका कारण हो जाता है, क्योंकि वह निश्चय शब्द से नहीं अपितु चक्षु से हुआ है। 'मुख मानो चन्द्र है, यह वस्तूत्प्रेक्षा संभावनारूप है निश्चयरूप नहीं, इसी का वारण करने के लिये लक्षण में 'निश्चीयमान-निश्चित की जाने वाली' यह विशेषण कहा गया है। उपमानोपमेयभाव सादृश्यव्याप्य पदार्थ है—अर्थात् जहाँ उपमानोपमेयभाव रहता है वहाँ सादृश्य अवश्य रहता है—ऐसी दशा में 'उपमान' और 'उपमेय' ये दोनों पद जो लक्षण में आए हैं उनसे सादृश्य का लाभ होता है अर्थात् सादृश्यमूलक 'एकरूपता'—'तादात्म्य'—को ही रूपक समझा जाता है,—अतः इस विशेषण से 'मनोरम रमणी सुख है' इस निश्चय में आने वाले रमणी और सुख के तादात्म्य का वारण होता है—यह तादात्म्य रूपक नहीं कहलाता, क्योंकि यह तादात्म्य सादृश्यमूलक नहीं है अपितु शुद्ध आरोपमूलक है। यदि कोई कहे कि शुद्ध आरोपमूलक तादात्म्य का वारण क्यों किया जाता है ? उसको भी रूपक क्यों नहीं मान लिया जाता ? तो इसका समाधान यह है कि सादृश्यमूलक एकरूपता (तादात्म्य) को ही सब लोग रूपक मानते हैं अन्यमूलक एकरूपता को नहीं।

सादृश्यमूलकतादात्म्यस्यैव रूपकत्वे प्रमाणं दर्शयितुं प्राचीनोक्तिमुद्धरति—

तथा चाहुः—

'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।'

'उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते ॥' इति ।

आहुरिति । मम्मटभट्टादय इत्यर्थः । अत्राधं मम्मटीयम् । अर्धं च दण्डिनः । तथा च भिन्नं लक्षणद्वयमिदम् । उपमानोपमेययोर्योऽभेदः (भेदाघटितोऽभेदस्तादात्म्यमिति यावत्) तत् (उद्देश्यविधेययोरैक्यमापादयत्सर्वनामपर्यायेणान्यतरलिङ्गभाग् भवतीति नियमेन विधेयरूपकगतनपुंसकलिङ्गनिर्देशः) रूपकम् इति मम्मटीयलक्षणार्थः । तिरोभूतः अविवक्षितः इति यावत्, भेदो भेदांशः, यस्यास्तादृशी उपमैव रूपकं कथ्यत इति दण्डिकृतलक्षणार्थः । उपमायां भेदाभेदघटितं सादृश्यं भासते, रूपके तु शुद्धाभेदघटितमेव सादृश्यं भासत इति परमार्थः। आभ्यां लक्षणाभ्यां सादृश्यमूलकस्यैव तादात्म्यस्य रूपकत्वं प्रमाणितं भवतीति भावः ।

सादृश्यमूलक एकरूपता ही रूपक कहलाता है इस बात को प्रमाणित करने के लिये प्राचीनोक्तियों का उद्धरण देते हैं- तथा च इत्यादि । 'उपमान तथा उपमेय का जो अभेद (तादात्म्य-एकरूपता) वही रूपक है ।' यह रूपक का लक्षण मम्मटभट्ट ने किया है । और 'भेद अंश को तिरोहित कर देने पर—छिपा देने पर—उपमा ही रूपक कहलाता है ।' यह रूपक का लक्षण दण्डी ने किया है जिसका अभिप्राय यह है कि उपमा में भेद तथा अभेद दोनों से मिश्रित सादृश्य भासित होता है और उनमें से यदि भेद अंश को तिरोहित कर दिया जाय—अर्थात् केवल शुद्ध तादात्म्य को ही भासित किया जाय तब वही रूपक हो जाता है । इन दोनों ही लक्षणों से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि सादृश्यमूलक तादात्म्य को ही रूपक मानने की परम्परा आलङ्कारिकों में बहुत पुरानी है ।

रूपके तादात्म्य भानं केन रूपेण भवतीति विवेचयितुमाह—

तच्च यत्र विषयविषयिणोरेकविभक्त्यन्तत्वेन निर्देशस्तत्र संसर्गः, अन्यत्र तु शब्दार्थतया क्वचिद् विशेषणं विशेष्यं चेति विवेचयिष्यते ।

तच्चेति । उक्तरूपतादात्म्यं चेत्यर्थः । संसर्ग इति । अपदार्थत्वादिति भावः । अन्यत्रेति । भिन्नविभक्त्यन्तत्वेन विषयविषयिणोर्निर्देशस्थल इत्यर्थः । विनिगमकाभावादाह— क्वचिदिति । विवेचयिष्यत इति । उदाहरणनिरूपणप्रसङ्ग इति भावः । यत्रारोपः स-उपमेय इति यावत्-विषयः, यस्यारोपः स-उपमानपदार्थ इति यावत्-विषयी । एवञ्चोपमेयोपमानयोर्यत्र समानविभक्त्यन्तत्वेन निर्देशस्तत्र ('मुखं चन्द्रः' इत्यादौ) तादात्म्यं न कस्यापि पदस्यार्थ इति संसर्गतया भासते, विशेषणत्वेन विशेष्यत्वेन वा पदार्थस्यैव भानं भवतीति नियमात् । यत्र पुनस्तयोर्भिन्नविभक्त्यन्तत्वेन निर्देशस्तत्र क्वचित् ('मुखं चन्द्रत्वं प्राप्नोति' इत्यादौ) लक्षणया चन्द्रत्वपदस्यैवार्थस्तादात्म्यम् इति तत् द्वितीयार्थे कर्मणि विशेषणतया भासते, क्वचिच्च ('मुखे चन्द्रत्वम्' इत्यादौ) चन्द्रत्वपदस्य कश्योऽर्थश्चन्द्रतादात्म्यं विशेष्यतया भासत इति भावः ।

उक्त 'रूपक-तादात्म्य' का भान किस रूप से होता है इस बात का विवेचन करने के लिये कहा जाता है—तच्च इत्यादि । अभिप्राय है कि-काव्यों में रूपक (अभेद अथवा तादात्म्य) का भान तीन प्रकार से होता है- कहीं सम्बन्धरूपसे, कहीं विशेषणरूप से और कहीं विशेष्यरूप से । जहाँ विषय और विषयी (जिसमें आरोप किया जाता

है वह उपमेय-मुखादि विषय कहलाता है और जिसका आरोप किया जाता है वह उपमान-चन्द्र आदि विषयी कहलाता है, अतः विषय-विषयी का अर्थ उपमेय-उपमान समझना चाहिये) का निर्देश एक विभक्ति के साथ किया गया हो, वहाँ तादात्म्य का मान सम्बन्धरूप से होता है, क्योंकि वैसे स्थलों पर वह तादात्म्य किसी पद का अर्थ नहीं होता और विशेषण अथवा विशेष्यरूप से उसी का भान होता है जो किसी पद का अर्थ होता है ऐसा नियम है। फलतः यह सिद्ध हुआ कि 'मुख चन्द्र है' इत्यादि स्थलों पर मुख चन्द्र का तादात्म्य-रूपक-सम्बन्धरूप से भासित होता है, और जहाँ उपमेय-उपमान का निर्देश भिन्न भिन्न विभक्ति के साथ किया गया हो वहाँ उसके पदार्थरूप हो जाने से दो बाते होती हैं—अर्थात् वैसी स्थिति में कहीं तो तादात्म्य विशेषणरूप से भासित होता है और कहीं विशेष्यरूप से। फलतः 'मुख चन्द्रभाव को प्राप्त करता है' यहाँ लक्षणा के कारण चन्द्रभाव पद का अर्थ बना हुआ 'तादात्म्य' विशेषण होता है और 'मुख में चन्द्रता है' यहाँ 'चन्द्रता' पद का लक्ष्यार्थ चन्द्रतादात्म्य विशेष्यरूप से भासित होता है। इस बात का विशद विवेचन ग्रन्थकार इसी प्रकरण में आगे करेंगे।

रत्नाकरमतमनूद्य निरस्यति—

यत्तु 'सादृश्यप्रयुक्तः सम्बन्धान्तरप्रयुक्तो वा यावान्भिन्नयोः सामानाधिकरण्यनिर्देशः स सर्वोऽपि रूपकम्। सारोपलक्षणामूलकत्वस्य तुल्यत्वेन सादृश्यप्रयुक्तस्य तादात्म्यस्येव सम्बन्धान्तरप्रयुक्तस्यापि तादात्म्यस्य संग्रहीतुमौचित्यात्, तस्मात् दुराग्रह एवायं प्राचाम्—उपमानोपमेययोरभेदो रूपकम्, न तु कार्यकारणयोः' इति रत्नाकरेणोक्तम्, तन्न। अपह्नुत्यादौ भिन्नयोः सामानाधिकरण्यस्य सत्त्वात्तत्रातिव्याप्तेः। किञ्च 'सादृश्यमूलकं स्मरणं स्मरणालङ्कारः न तु चिन्तादिमूलम्' इति भवतैव पूर्वमुदितम्। तत्र यदि सादृश्यामूलकस्यापि कार्यकारणादिकयोः कल्पितस्य ताद्रूप्यस्य रूपकत्वमभ्युपेयते तदा सादृश्यामूलकस्य चिन्तादिमूलस्य स्मरणस्याप्यलङ्कारत्वमभ्युपेयताम्। न च स्मरणस्य भावत्वमुच्यमानं निर्विषयं स्यादिति वाच्यम्, तस्य व्यज्यमानविषयत्वेनोपपत्तेः।

भिन्नयोरिति। ननूपमानोपमेययोरित्यर्थः। रत्नाकरमतमेतत् रूपके उपमानोपमेययोरप्रवेशेऽपह्नुतौ सुतरां तदप्रवेशस्येष्टत्वात्। स्वमते तु तत्रापि तत्प्रवेश एवेत्यन्यदेतत्, निर्विषयमिति सर्वस्यैवालङ्कारत्वेन तदन्यत्वाभावादिति भावः। व्यज्यमानेति। व्यज्यमानस्मरणविषयत्वेनेत्यर्थः। 'सारोपलक्षणास्थले रूपकं भवतीति वस्तुस्थितिः। तथा च सारोपलक्षणा गौणी भवतु शुद्धा वा सर्वत्राविशेषेण रूपकमेषितव्यम्, अतः भिन्नयोः (सदृशयोः कार्यकारणयोर्वा) पदार्थयोः सादृश्यमूलकः सम्बन्धान्तरमूलको वा—सर्वोऽपि—सामानाधिकरण्यनिर्देशः रूपकालंकारः, उपमानोपमेययोरेव स तथेति प्राचां दुराग्रहमात्रम्' इति रत्नाकरमतम् न युक्तम्, तन्मतेऽपह्नुत्यादावपि उपमानोपमेययोरप्रवेशस्यौचित्येन। 'न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्रं पत्रिणां यतः। चन्दनं चन्द्रिका गन्धो गन्धवाहश्च दक्षिणः।' इत्यादौ तन्मतसिद्धापह्नुतौ अतिव्याप्तेः, भिन्नयोः सामानाधिकरण्यस्यात्र सत्त्वात्। अपि च सादृश्यामूलकस्यापि कार्यकारणयोस्तादात्म्यस्य रूपकत्वेऽङ्गीकृते सादृश्यमूलं स्मरणं स्मरणा-

लङ्कारः' इति स्वोक्तिर्विरुद्धा स्यात्, रूपकस्येव स्मरणस्यापि सादृश्यामूलकस्य स्मरणालङ्कारत्वेन स्वीकर्तुमौचित्यात्। स्मरणस्य भावत्वं स्वीक्रियमाणं निर्लक्ष्यं भवेत्, मम तु मते न निर्लक्ष्यं भवति सादृश्यमूलकस्य स्मरणस्यालंकारत्वेऽपि चिन्तादिमूलकस्य तस्य भावत्वादिति तु न वक्तुं शक्यम्। वाच्यस्य सर्वस्यापि (सादृश्यमूलकस्य चिन्तादिमूलकस्य वा) स्मरणस्यालङ्कारत्वेऽपि व्यङ्ग्यस्मरणस्य भावलक्ष्यतासौलभ्यादिति भावः।

'रत्नाकर' के मत का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि ' 'रत्नाकर' ने कहा है कि—'सादृश्य के कारण अथवा अन्य किसी सम्बन्ध के कारण अर्थात् सभी तरह के भिन्न-भिन्न दो पदार्थों के सामानाधिकरण्यनिर्देश (एकविभक्तियुक्तरूप में कथन) को रूपक कहना चाहिए। कारण, सारोपा लक्षणा जब दोनों (सादृश्यमूलक सामानाधिकरण्यनिर्देश अथवा अन्यसम्बन्धमूलक सामानाधिकरण्यनिर्देश) स्थानों पर समानरूप से रहती है, तब सादृश्यमूलक एकरूपता के समान अन्य (कार्यकारणभाव आदि) सम्बन्धमूलक एकरूपता का भी रूपककोटि में संग्रह करना उचित है। अतः प्राचीनों का यह कथन दुराग्रहमात्र है कि उपमान उपमेय का अभेद (एकरूपता) रूपक है, कार्यकारण का अभेद नहीं।' परन्तु 'रत्नाकर' का यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि एक तो आप के हिसाब से जब रूपक में उपमानोपमेय का निवेश नहीं किया जाना चाहिए तब अपह्नुति आदि में भी उसका निवेश न करना ही उचित होगा, अतः वहाँ (अपह्नुति आदि में) इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी। कारण यह कि दो भिन्न पदार्थों का सामानाधिकरण्य वहाँ भी रहेगा। दूसरे, अपने ही पहले कहा है कि—'सादृश्यमूलक स्मरण स्मरणालंकार कहलाता है, चिन्तादिमूलक नहीं।' अब सोचने की बात यह है कि—जब आप सादृश्य से भिन्न कार्यकारण आदि सम्बन्धमूलक तादात्म्य को भी रूपक मानते हैं, तब चिन्तादिमूलक स्मरण की भी स्मरणालंकारता आप को मान्य होनी चाहिए अर्थात् जब सादृश्यमूलक तादात्म्य को आप रूपक मान ही लेते हैं, तब सादृश्यमूलक स्मरण को ही स्मरणालंकार मानने का आग्रह क्यों? फलतः आप की उक्ति परस्पर विरुद्ध हो जाती है। आप कहेंगे—सादृश्यमूलक स्मरण को ही स्मरणालंकार हम इसलिये मानते हैं—कि चिन्तादिमूलक स्मरण भाव कहलावे, यदि सभी (सादृश्यमूलक तथा चिन्तादिमूलक दोनों प्रकार के) स्मरणों को अलंकार ही मान लेंगे तब जो सभी आलंकारिक स्मरण को भाव भी मानते हैं वह असंगत हो जायगा, किन्तु यह युक्ति भी आप की समीचीन नहीं, क्योंकि सभी सादृश्यमूलक (तथा चिन्तादिमूलक दोनों तरह के) स्मरणों को वाच्यतादशा में अलंकार मान लेने पर भी व्यङ्ग्यतादशा में स्मरण का भाव कहलाना चरितार्थ है।

खण्डनार्थं दीक्षितमतमनुवदति—

अप्पयदीक्षितास्तु—

"—'बिम्बाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिह्नुते।
उपरञ्जकतामेति विषयी रूपकं तदा॥'

अत्र बिम्बाविशिष्ट इति विषयविशेषणात्।

'त्वत्पादनखरत्नानां यदलक्तकमार्जनम्।
इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः॥'

इति निदर्शनाया निरासः। तत्र विषयस्य मार्जनस्यालक्तकादिरूपबिम्ब-

विशिष्टत्वात्। निर्दिष्ट इति विशेषणान्निगीर्णविषयायाम् 'कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्' इत्याद्यतिशयोक्तौ नातिव्याप्तिः। अनिह्नुते निषेधास्पृष्ट इति विशेषणादपह्नुतौ नातिव्याप्तिः। उपरञ्जकतामाहार्यताद्रूप्यनिश्चयगोचरतामेतीत्यनेन सन्देहोत्प्रेक्षासमासोक्तिपरिणामभ्रान्तिमत्स्वतिव्याप्तिनिरासः। ससन्देहोत्प्रेक्षयोर्निश्चयस्यैवाभावात्। समासोक्तिपरिणामयोर्विषयिताद्रूप्यस्यागोचरत्वात्, समासोक्तौ व्यवहारमात्रसमारोपात्। परिणामे चारोप्यमाणस्यैव विषयताद्रूप्यगोचरत्वात्। भ्रान्तिमति च सतः कल्पितस्य वा प्रवृत्त्यादिपर्यन्तिकस्वारसिकभ्रमस्यैव निबन्धनेन तस्यानाहार्यत्वात्।" इत्याहुः।

दीक्षितास्तु इति। अस्य दूरस्थेन 'आहुः' इत्यनेनान्वयः बिम्बाविशिष्टे इति। चित्रमीमांसास्थम्। अप्पयदीक्षितकृतम् रूपकलक्षणमिदम्। बिम्बाविशिष्टे बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नविशेषणरहिते, अनिह्नुते अतिरोहिते, निषेधास्पृष्टे इति यावत्, निर्दिष्टे शब्दिते शब्देनाभिहिते इति यावत्, विषये उपमेये, विषयी उपमानम्, यदि, उपरञ्जकताम् आहार्यताद्रूप्यनिश्चयगोचरताम्, एति प्राप्नोति, तदा रूपकम् इत्यर्थः। प्रथमविशेषणफलमाह—अत्रेति त्वत्पादेति। त्वत्पादनखरत्नानाम् त्वच्चरणगतनखरूपाणां रत्नानाम् (अत्र रूपकालङ्कारः) यत् अलक्तकमार्जनम् अलक्तककरणकरञ्जनम्, इदम् उक्ताकारं मार्जनम्, श्रीखण्डलेपेन मलयजरससंपर्केण, विधोः चन्द्रमसः, पाण्डुरीकरणम् धावल्यप्रापणम् इत्यर्थः। अत्र 'त्वत्पादनखानामलक्तकमार्जनम् श्रीखण्डलेपेन विधोः पाण्डुरीकरणवत्' इति वाक्यार्थप्रतीतेर्वाक्यार्थनिदर्शनेति भावः। उपपादयति—तत्रेति। इदमत्र विशदीकरणम्—यथा चन्द्रः स्वतः शुभ्रत्वादनासञ्जनीयधावल्यस्तथा नखाः स्वतोऽरुणत्वादनासञ्जनीयारुण्या इति सादृश्येन नखानां चन्द्रस्य च बिम्बप्रतिबिम्बभावः अलक्तकचन्दनयोरन्यत्र स्ववर्णासञ्जकत्वेन बिम्बप्रतिबिम्बभावः। तथा च बिम्बभावापन्ननखालक्तकविशिष्ट एव मार्जनरूप उपमेये तत्प्रतिबिम्बभूतचन्द्रचन्दनविशिष्टं पाण्डुरीकरणरूपमुपमानमुपरञ्जकमिति भवत्यस्या निदर्शनाया बिम्बाविशिष्ट इति विषयविशेषणान्निरासः। द्वितीयविशेषणफलमाह—निर्दिष्ट इति। कमलमिति। अनम्भसि जलभिन्नप्रदेशे नायिकायामिति भावः, कमलम् कमलत्वेनाध्यवसितम् मुखम् च पुनः, कमले मुखे इति परमार्थः, कुवलये नीलकमलयुगलम्, नयनद्वयीति सारांशः, तानि कमलकुवलयानि, कनकलतिकायाम् कनकलतात्वेनाध्यवसितायां गौरवर्णतनुकायनायिकायामित्यर्थः। सर्वत्र यथायोग्यं क्रियापदमस्त्यादिकमध्याहार्यम्। अत्र विषयिभिः उपमानैः (कमलकुवलयकनकलतारूपैः) विषयाणाम् उपमेयानाम् (मुखनयननायिकाकाययष्टीनाम्) निगरणात् अतिशयोक्तिः, तस्याश्च प्रकृतलक्षणघटकेन 'निर्दिष्टे' इति विषयविशेषणेन व्यावृत्तिः, विषयस्यानिर्दिष्टत्वादिति भावः। तृतीयविशेषणफलमाह—अनिह्नुते इति। निषेधास्पृष्ट इति तद्व्याख्या 'नेदं मुखं चन्द्रः' इत्यादावपह्नुतौ निषेधस्पृष्टमेवोपमेयमिति तन्निरासस्तद्विशेषणादिति भावः। उपरञ्जकतामित्यस्य व्याख्यापुरस्सरं फलमाह—उपरञ्जकेति। उपमेये उपमानतादात्म्यं यद्याहार्यनिश्चयविषयीभूतं स्यादिति समुदितार्थः। निरासे हेतुमाह—

ससन्देह इत्यादिना। अगोचरत्वे क्रमेण हेतू आह—समासोक्तावित्यादिना। तस्य तादात्म्यनिश्चयस्य। अयमाशयः—ससन्देहे सन्देहस्यैव उत्प्रेक्षायां सम्भावनाया एव च प्रतीतेर्निश्चयो नास्त्येव प्रतीतिगोचरः। समासोक्तौ व्यवहारमात्रारोपेण ताद्रूप्यस्याप्रतीतिरेव। परिणामे उपमेयताद्रूप्यमेवोपमाने प्रतीयते नोपमानताद्रूप्यमुपमेये। भ्रान्तिमति च आदितोऽन्तपर्यन्तम् भ्रमात्मकनिश्चयोऽबाधित एव तिष्ठति अत एव प्रवृत्त्यादिरुपपद्यते, एवञ्च स निश्चयोऽनाहार्य एवाबाधितत्वात्। तथा चैषु सर्वेष्वलङ्कारेषु आहार्यनिश्चयगोचरमुपमेये उपमानतादात्म्यं नास्तीति तदर्थकेन 'उपरञ्जकतामेति' इति विशेषणेन तेषामलङ्काराणां निरासः कृतो भवतीति।

खण्डन करने के लिये पहले अप्पय दीक्षित के मत का अनुवाद किया जाता है— अप्पयदीक्षितास्तु इत्यादि। अप्पय दीक्षित कहते हैं कि—"–'बिम्ब अर्थात् ऐसे विशेषण–जिनके प्रतिबिम्बरूप विशेषण आगे कहे गये हों—से रहित, अनपह्नुत अर्थात् न छिपाए गए—अनिषिद्ध, और निर्दिष्ट (अर्थात् विषयिबोधक पद से भिन्न पद द्वारा बोधित) विषय (उपमेय) में विषयी (उपमान) यदि उपरञ्जकता को प्राप्त करे अर्थात् अपना आहार्य (ताद्रूप्य) निश्चय करावे, तब उस आहार्य को 'रूपक' कहते हैं।' यहाँ बिम्ब से रहित यह जो उपमेय का विशेषण दिया गया है उससे 'स्वत्पाद—अर्थात् रत्नरूप आपके चरणनखों का जो महावर से साफ करना (रँगना) है यह चन्दन के लेप से चन्द्र का स्वच्छ बनाना है।' इस निदर्शना में रूपक-लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण होता है क्योंकि यहाँ 'साफ करना' रूप उपमेय 'महावर' आदि बिम्ब से युक्त है। स्पष्ट अभिप्राय यह है कि–'जैसे चन्द्र स्वतः धवल होने के कारण किसी अन्य वस्तु से धवल बनाने योग्य नहीं होता वैसे आपके चरणनख भी स्वतः अरुण होने के कारण किसी दूसरे से अरुण बनाने योग्य नहीं हैं' इस तरह के सादृश्य के कारण नख और चन्द्र में बिम्बप्रतिबिम्बभाव है–अर्थात् नख बिम्बरूप हैं और चन्द्र प्रतिबिम्बरूप। इसी तरह 'जैसे महावर दूसरे में अपने वर्ण (लाली) को पहुँचाने वाला है वैसे चन्दन भी दूसरे में अपने वर्ण (उजलापन) को पहुँचाने वाला है' इस तरह के सादृश्य के कारण महावर और चन्दन में भी बिम्बप्रतिबिम्बभाव है–अर्थात् महावर बिम्ब और चन्दन प्रतिबिम्बरूप है। अतः यहाँ का उपमेय (साफ करना) नख तथा महावररूप बिम्बभूत विशेषणों से युक्त है अतएव इसका 'बिम्बरहित' विशेषण से वारण हो जाता है। 'भिन्न शब्द के द्वारा बोधित' विशेषण से जिसमें उपमान के द्वारा ही उपमेय का ग्रहण होता है, पृथक् नहीं, उस 'कमलमनम्भसि''''''अर्थात् जलभिन्न देश में कमल (वस्तुतः मुख) है, कमल में दो नीलकमल (वस्तुतः दो नयन) हैं और वे सब (एक कमल और दो नीलकमल) एक सुवर्णलता (वस्तुतः गौरवर्णा पतली छरहरी सुन्दरी) में हैं।' इत्यादि अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति नहीं होती! तात्पर्य यह कि इस अतिशयोक्ति में कमल, नीलकमल और सुवर्ण-लतारूप उपमानों से क्रमशः मुख, नयनयुगल और सुन्दरीरूप उपमेयों का निगरण हो गया है–उनसे पृथक् इनका निर्देश नहीं है अतः उक्त विशेषण से इसकी व्यावृत्ति सिद्ध होती है। 'नहीं छिपाए गये' का अर्थ है जिसमें निषेध का स्पर्श नहीं हो, इस विशेषण से 'अपह्नुति' में अतिव्याप्ति नहीं होती–अर्थात् अपह्नुति में 'यह मुख नहीं चन्द्र है' इस प्रकार से उपमेय का निषेध किया गया रहता है, अतः इसका वारण उक्त विशेषण से हो जाता है। 'उपरञ्जकता को प्राप्त करे' इसका अभिप्राय है आहार्य (बाधकालिक इच्छाजन्य) स्वकीय

ताद्रूप्य निश्चय का विषय होना। इस विशेषण से ससन्देह, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, परिणाम और भ्रान्तिमान् इन अलंकारों में रूपकलक्षण की अतिव्याप्ति वारित होती है। कारण, ससन्देह संशयरूप होता है और उत्प्रेक्षा संभावनारूप होती है, अतः इन दोनों में किसी तरह का निश्चय होता ही नहीं, समासोक्ति में केवल उपमान के व्यवहार का आरोप होता है उपमान का नहीं, परिणाम में उपमेय के ताद्रूप्य का ही निश्चय उपमान में होता है, उपमान के ताद्रूप्य का निश्चय उपमेय में नहीं, और भ्रान्तिमान् में आदि से अन्त तक भ्रमात्मक, पर अनाहार्य-अबाधित - ही निश्चय रहता है, अतएव प्रवृत्ति आदि बन पड़ते हैं, फलतः इन सभी अलंकारों में उपमान के ताद्रूप्य का उपमेय में आहार्य निश्चय नहीं ही रहा, अतः उक्त विशेषण से इनकी निवृत्ति होती है। फलतः यह लक्षण सर्वथा निर्दुष्ट है।'

प्रागुक्तदीक्षितमतखण्डनप्रसङ्गे तावत् प्रथमविशेषणव्यावर्त्यं खण्डयति—

तन्न। 'त्वत्पादनखरत्नानाम्' इत्यादि निदर्शनाव्यावृत्त्यर्थं बिम्बाविशिष्टत्वं विषयविशेषणं तावदयुक्तमेव। यद्यत्र 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि रूपकान्तर इव सत्यपि श्रौतारोपे नेदं रूपकम्, अपि तु निदर्शनेत्युच्यते, तदा 'मुखं चन्द्रः' इत्यपि निदर्शनेत्युच्यताम्। निरस्यतां च रूपकदाक्षिण्यकौपीनम्। किं च 'त्वत्पाद'—इत्यत्र किं पदार्थनिदर्शना, आहोस्विद्वाक्यार्थनिदर्शना? नाद्यः। बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नपदार्थघटितविशिष्टार्थयोरेवात्राभेदप्रतीतेः। कुवलयानन्दगतनिदर्शनाप्रकरणे त्वयोक्तमार्गेण धर्म्यन्तरे पदार्थे तदवृत्तिधर्मस्य पदार्थस्य भेदेनारोपस्याभावाच्च। न द्वितीयः। वाक्यार्थरूपकोच्छित्त्यापत्तेः। इष्टापत्तौ वैपरीत्यस्य सुवचत्वाच्च। अस्माभिर्निदर्शनाप्रकरणे वक्ष्यमाणया सरण्या अभेदस्य श्रौतत्वार्थत्वाभ्यामुद्देश्यविधेयभावालिङ्गनानालिङ्गनाभ्यां च रूपकनिदर्शनयोर्वैलक्षण्येन सकलव्यवस्थोपपत्तेः। तस्मादत्र वाक्यार्थरूपकमेव, न वाक्यार्थनिदर्शना। तस्याश्चैवमुदाहरणं निर्मातव्यम्—

'त्वत्पादनखरत्नानि यो रञ्जयति यावकैः।
इन्दुं चन्दनलेपेन पाण्डुरीकुरुते हि सः॥'

अत्र कर्त्रोरभेदस्य शाब्दत्वेऽपि क्रिययोरभेदस्याशाब्दत्वात्तस्यैव च समग्रभरसहिष्णुत्वान्निदर्शनैव। ननु यदीदमुदाहरणं निदर्शनायां न स्यात्तदा कथमलङ्कारसर्वस्वकृता तत्प्रकरण उदाहृतमिति चेत्, भ्रान्तेनैव प्रतारितोऽसि। नहि प्रामाणिकेन भवता कदापि परेणानुक्तं किञ्चिदुच्यते। यदपि रूपके बिम्बप्रतिबिम्बभावो नास्तीत्युक्तं तदपि भ्रान्त्यैव। तथा च सर्वस्वटीकायां विमर्शिन्यामुदाहृतं बिम्बप्रतिबिम्बभावेन रूपकम्—

'कन्दर्पद्विपकर्णकम्बुमलिनैर्दानाम्बुभिर्लाञ्छितं
संलग्नाञ्जनपुञ्जकालिमकलं गण्डोपधानं रतेः।
व्योमानोकहपुष्पगुच्छमलिभिः सञ्छाद्यमानोदरं
पश्यैतच्छशिनः सुधासहचरं बिम्बं कलङ्काङ्कितम्॥'

अत्र कलङ्कस्य दानाम्ब्वादिभिः प्रतिबिम्बनम्, लाञ्छितत्वाङ्कितत्वयोः शुद्धसामान्यरूपत्वमित्युक्तं चेत्यास्ताम् तावत्।

तन्नेति। प्रागुक्तं दीक्षितमतं युक्तं नेत्यर्थः। अयुक्तत्वहेतुगर्भम् तन्मतानुवादपूर्वकं स्वाभिप्रायं प्रकटयति—त्वत्पाद इत्यादिना। रूपकान्तरे अन्यस्मिन् रूपके। रूपकमध्ये इति भट्टमहोदयकृता टिप्पणिस्तु शोच्यैव। रूपकदाक्षिण्यकौपीनमिति। एतच्च 'रूपकमुख-संकोचरूपकौपीनम् इत्यर्थः। निर्लज्जत्वादिति भावः।' इत्येवं वाचष्टे नागेशः। 'रूपकमुख-सङ्कोचेत्यादि नागेशाक्षरस्वारस्यं तु नागेश एव विजानीयात्' इतीत्थं नागेशव्याख्या निरा-चक्षाणो भट्टमहोदयः 'रूपकालङ्कारेऽपि परिज्ञानदाक्षिण्यमस्ति इति विद्वत्सु स्वस्य निर्लज्ज-तानिवारकमवगुण्ठनं सम्प्रति निरस्यताम्, एवंविधस्थले रूपकमनङ्गीकृत्य प्रसह्य निर्लज्जता-प्रकटनादित्याशयः' इत्येवं विवृणोति। 'रूपकमर्यादारक्षणार्थं धृतं कौपीनमधोवस्त्रविशेषम् (लंगोटीति प्रसिद्धम्) त्यज्यताम्' इति हिन्दीरसगङ्गाधरकारचतुर्वेदमहोदयोऽनुवदति। गुह्यं पुरुषलिङ्गं, कौपीनम् तदावरकत्वात् वस्त्रखण्डमपि कौपीनम्। तथा च रूपके यद्दाक्षि-ण्यम् = रूपकालङ्कारविषयकनैपुण्यं तदात्मकं यत् कौपीनम् = रूपकविषयकाज्ञानावरकम् तत् निरस्यताम् त्यज्यताम्, 'त्वत्पाद—' इत्यत्र रूपकमब्रुवतस्तव रूपकविषयकाज्ञान-प्रकटने जाते तदावरकधारणस्य वृथात्वादित्याशय इति त्वहं मन्ये। उपमेये शाब्दोपमा-नताद्रूप्यारोपे रूपकम् इति वस्तुस्थितिः। तथा च 'त्वत्पाद—' इत्यत्र मार्जनरूपे-उपमेये पाण्डुरीकरणरूपोपमानताद्रूप्यस्य शब्दत आरोप्यमाणतया रूपकमेवोचितं न निदर्शनेति भावः! पुनरन्यथा तत्र निदर्शनात्वं खण्डयति—किञ्चेति। बिम्बप्रतिबिम्बेति। बिम्बप्रति-बिम्बभावापन्ना ये पदार्थाः नखालक्तकचन्द्रचन्दनरूपाः, तद्घटितयोः = तद्द्वारा निर्मितयोः विशिष्टार्थयोः = नखकर्मकालक्तककरणकमार्जन—श्रीखण्डलेपकरणकविधुकर्मकपाण्डुरीकरणयो-रित्यर्थः। अभेदप्रतीतेरिति। तथा च 'विशिष्टयोः (बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नविशेषण-विशिष्टयोः) धर्मयोरैक्यारोपो वाक्यार्थनिदर्शना' इति त्वदुक्तलक्षणसङ्गत्या वाक्यार्थ-निदर्शनात्वमुचितमिति भावः। त्वदुक्तपदार्थनिदर्शनालक्षणमपि नात्र सङ्गच्छत इत्याह कुवलयेति। धर्म्यन्तरे इति। पदस्य न तु वाक्यस्य अर्थभूते अन्यस्मिन् धर्मिणि = उप-माने उपमेये वा पदार्थभूतस्य तदवर्तिनो धर्मस्य = उपमानगतस्य उपमेयगतस्य वा इत्यर्थः। भेदेनेति। भिन्नवाक्यगतत्वेनेत्यर्थः। अभावाच्चेति। 'उपमानोपमेययोरन्यतर-स्मिन् अन्यधर्मारोपः पदार्थनिदर्शना' इति त्वदुक्तलक्षणार्थस्य विरहादिति भावः। वाक्यार्थनिदर्शनात्वमेव तर्हि अस्तु, नेत्याह—न द्वितीय इति। तत्र हेतुमाह—वाक्यार्थ रूपेति। वाक्यार्थरूपकं तर्हि उच्छिन्नं स्यादिति भावः। इष्टापत्तिरपि न शक्या कर्तु-मित्याह—इष्टापत्ताविति। वैपरीत्यस्येति। वाक्यार्थनिदर्शनोच्छित्तेरित्यर्थः। सुवच-त्वादिति। वाक्यार्थनिदर्शनैवोच्छिन्ना भवत्वित्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वादिति भावः। स्वमते तु न कस्याप्युच्छेद इत्याह—अस्माभिरिति। व्यवस्थोपपत्तेरिति। "श्रौतः—शाब्दः, अभेदः, उद्देश्यविधेयभावालिङ्गितं च यत्र भवेत् तत्र रूपकम्। यथा—'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ मुखचन्द्रयोः शाब्दोऽभेद उद्देश्यविधेयभावश्च स्फुटः। यत्र पुनरार्थः—अर्थबलगम्यः—अभेदः, उद्देश्यविधेयभावानालिङ्गितं च तत्र निदर्शना। यथा—'यो यावकैर्नखान् रञ्ज-

यति स चन्दनेनेन्दुं पाण्डुरीकुरुते' इत्यादौ रञ्जनपाण्डुरीकरणयोरार्थोऽभेदः शब्दस्य भिन्नत्वात्, उद्देश्यविधेयभावाभावश्च ।" इति व्यवस्थासम्पत्तेरिति भावः । पर्यवसितमाह—तस्मादिति । अत्रेति । 'स्वत्पाद—' इति त्वदुक्ते प्रत्युदाहरण इत्यर्थः । ननु तर्हि निदर्शनायाः किमुदाहरणमत आह—तस्या इति । वाक्यार्थनिदर्शनाया इति तदर्थः । यावकैः अलक्तकरसैः । अर्थस्तु प्राग्वदेव, केवलं तात्पर्ये भेदः, स चोपपादने स्फुट एव । उपपादयति—अत्रेति । कर्त्रोरिति । 'यः' 'सः' इति निर्दिष्टयोरित्यर्थः । क्रिययोरिति रञ्जयतिपाण्डुरीकरोत्योरित्यर्थः । ननु कर्त्रोरभेदमादाय वाक्यार्थरूपकमेवास्त्वित्यत आह—तस्यैव चेति । क्रिययोरभेदस्यैव चेत्यर्थः । समग्रेति । मुख्यचमत्काराधायकत्वादिति भावः । दीक्षितमतपुष्टयर्थमाशङ्कते—नन्विति । इदं दीक्षितोक्तम् । भ्रान्तेनैवेति । असद्वक्ता सर्वस्वकारोऽपि भवानिव भ्रान्त एवेति भावः । अत्र 'भ्रान्त्यैवेति मुख्यपाठः' इति नागेशः । 'भ्रां तेनेव' इति काशीमुद्रितपुस्तकपाठः । किंचिदुच्यते इति । तथा च परकीयकथानुवादको भवान् स्वयमज्ञ एवेति कटुतरोऽसत्यश्च दीक्षिते पण्डितराजस्याक्षेपोऽयमिति भावः । 'बिम्बाविशिष्टे' इति विशेषणफलितम् रूपके बिम्बप्रतिबिम्बभावास्वीकारं दीक्षितकृतं खण्डयितुमाह—यदपीति । कन्दर्पेति । चन्द्रोदयवर्णनमिदम् । नायको नायिकां प्रत्याचष्टे—मलिनैः, दानाम्बुभिः मदजलैः, लाञ्छितं चिह्नितम्, कन्दर्पद्विपकर्णकम्बुकामदेववाहनीभूतगजश्रवणाभरणात्मकशङ्खरूपम्, संलग्नस्य संसक्तस्य, अञ्जनपुञ्जस्य, कालिम्ना श्यामलत्वेन, कलं रमणीयम् नयनगतकज्जलमलिनमिति यावत्, रतेः कामपत्न्याः, गण्डोपधानं कपोलतलविन्यसनीयलघूपबर्हः (गलतकिया इति प्रसिद्धः) तद्रूपम्, तथा, अलिभिः भ्रमरैः, संच्छाद्यमानं आव्रियमाणम्, उदरम् मध्यभागो यस्य तत्, भ्रमराच्छन्नमध्यमिति यावत्, व्योम्नः आकाशस्य, ये अनोकहाः वृक्षाः, तेषां पुष्पाणाम्, गुच्छं स्तबकम्, भ्रमरभरमलिनमध्यवियत्तरुकुसुमस्तबकस्वरूपमिति यावत्, सुधासहचरं सुधासदृशम् धवलतममिति यावत्, पुनः, कलङ्काङ्कितं मध्यभागस्थितकालिमेति यावत्, एतत् प्रत्यक्षभूतम्, शशिनः चन्द्रस्य, बिम्बं मण्डलम्, पश्य अवलोकय इत्यर्थः । बिम्बप्रतिबिम्बभावविशिष्टरूपकत्वमुपपादयति—अत्रेति । कन्दर्पेति पद्ये शशिबिम्बरूपोपमेये क्रमशः कम्बुगण्डोपधानपुष्पगुच्छरूपोपमानानां ताद्रूप्यस्य शब्दत आरोपाद्रूपकम्, तच्च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नविशेषणविशिष्टोपमानोपमेयनिरूपितम्, उपमेयधर्मकलङ्कस्योपमानधर्मैः दानाम्बुकज्जलभ्रमरैः सह बिम्बप्रतिबिम्बभावात् । तथा च 'रूपके बिम्बप्रतिबिम्बभावो न भवति' इति दीक्षिताशयो निरस्त इति भावः । शुद्धसामान्येति । लाञ्छितत्वाङ्कितत्वयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावो नास्तीति भावः । अत्र 'अनयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नत्वादिदं चिन्त्यम् ।' इति नागेशः । वस्तुतस्तु नात्र किमपि चिन्ताबीजम्, भवत्वत्र वस्तुप्रतिवस्तुभावः, बिम्बप्रतिबिम्बभावो नास्तीत्येतावन्मात्रे ग्रन्थकर्तुस्तात्पर्यात् । केचित्तु 'शुद्धसामान्यरूपत्वम्' इत्यस्यैव शुद्धवस्तुप्रतिवस्तुभावोऽर्थ इत्याहुः ।

उक्त दीक्षित मत का खण्डन करने के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम तदभिमत प्रथम विशेषणफल का खण्डन करते हैं—तन्न इत्यादि । पूर्वप्रतिपादित दीक्षित का मत ठीक नहीं है । कारण, सर्वप्रथम उन्होंने 'त्वत्पाद–' इत्यादि निदर्शना के वारणार्थ उपमेय में 'बिम्बरहित' विशे-

रण जोड़ने की जो बात कही है वह अयुक्त है, क्योंकि जैसे 'मुख चन्द्र है' इत्यादि अन्य रूपकों में शब्दतः अभेदारोप (उपमान उपमेय का आरोपित ताद्रूप्य) रहता है वैसे यहाँ ('त्वत्पाद-' इस पद्य में) भी है—अर्थात् यहाँ भी 'साफ करना' रूप उपमेय और 'पाण्डुरीकरण'रूप उपमान का ताद्रूप्य शब्दतः प्रतीत होता हैं, अतः यहाँ रूपक ही है निदर्शना नहीं। यदि ऐसी स्थिति में भी यहाँ रूपक न मानकर निदर्शना मानी जाय तब 'मुख चन्द्र है' यहाँ भी निदर्शना ही मान लीजिए, रूपकाभिज्ञता का आवरण जो ओढ़े हुए हैं उसको हटा दीजिए। तात्पर्य यह कि 'त्वत्पाद—' इस पद्य में 'रूपक' न कहकर 'निदर्शना' कह देने के कारण जब आपका रूपकविषयक अज्ञान लोगों के समक्ष प्रकट हो ही गया तब व्यर्थ रूपकज्ञता की चादर ओढ़े रहने से क्या लाभ? यदि आपके कथनानुसार 'त्वत्पाद—' इस पद्य में निदर्शना ही है, तो कौन-सी निदर्शना है—पदार्थनिदर्शना अथवा वाक्यार्थनिदर्शना? यदि आप पदार्थनिदर्शना कहें तो यह सम्भव नहीं, क्योंकि यहाँ बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न पदार्थों से बने दो पूरे वाक्यार्थों का ही परस्पर अभेद प्रतीत होता है, अतः 'विशिष्टयोर्धर्मयोरैक्यारोपो वाक्यार्थनिदर्शना अर्थात् बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न विशेषणों से युक्त दो धर्मों में जो एकरूपता का आरोप किया जाता है वह वाक्यार्थनिदर्शना है' इस कुवलयानन्दोक्त आपके लक्षण के अनुसार वाक्यार्थनिदर्शना होनी चाहिए, 'उपमान का धर्म उपमेय में अथवा उपमेय का धर्म उपमान में यदि आरोपित हो तब उसे पदार्थनिदर्शना कहते हैं' (उपमानोपमेययोरन्यतरस्मिन् अन्यतरधर्मारोपः पदार्थनिदर्शना) यह कुवलयानन्दोक्त आपका पदार्थनिदर्शना-लक्षण यहाँ सङ्घटित भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक का धर्म दूसरे में आरोपित नहीं है अपितु दो धर्मियों का ही अभेद आरोपित है और वे धर्मी भी पदार्थरूप नहीं हैं अपितु वाक्यार्थरूप हैं। यदि आप कहें कि पदार्थनिदर्शना न सही, वाक्यार्थनिदर्शना तो हो सकती है-उसका लक्षण तो सङ्घटित होता है, बस, यही मेरा भी अभिप्राय है अर्थात् मैं यहाँ वाक्यार्थनिदर्शना ही मानता हूँ, तो यह भी मानने योग्य बात नहीं, क्योंकि यदि यहाँ वाक्यार्थनिदर्शना मान ली जायगी तब वाक्यार्थरूपक का उच्छेद हो जायगा-उसका लक्ष्य कहीं मिलेगा ही नहीं। अभिप्राय यह कि ऐसे ही स्थलों पर वाक्यार्थरूपक होता है और आप वहाँ वाक्यार्थनिदर्शना मानते हैं फिर उसका लक्ष्य मिलना असम्भव ही हो जायगा। इष्टापत्ति तो की नहीं जा सकती-अर्थात् आप यह कह नहीं सकते कि वाक्यार्थरूपक का उच्छेद होता है तो हो जाने दीजिए, क्योंकि इसके बदले में हम भी ऐसा कह सकते हैं कि—वाक्यार्थरूपक ही मानिए और वाक्यार्थ-निदर्शना का ही उच्छेद हो जाने दीजिए। इस पर आप पूछ सकते हैं कि-मेरे मत में तो आप एक (वाक्यार्थरूपक अथवा वाक्यार्थनिदर्शना) का उच्छेद हो जाने का दोष बतलाते हैं पर आप स्वयं कैसे इन दोनों को पृथक् करने की व्यवस्था बनाते हैं, तो इसके उत्तर में मैं कहूँगा कि-देखिए मेरा निदर्शना-प्रकरण-अर्थात् जहाँ शब्दतः अभेद की प्रतीति होती हो और उद्देश्य-विधेयभाव हो वहाँ रूपक तथा जहाँ अर्थतः अभेद की प्रतीति होती हो और उद्देश्य-विधेयभाव नहीं हो वहाँ निदर्शना इस तरह से वहाँ मैंने दोनों के पृथग्भाव की व्यवस्था की है। इन सब युक्तियों के कारण उपसंहार में मेरा कथन है कि-'त्वत्पाद-' इस पद्य में (इस पद्य का जैसा स्वरूप आपने लिखा है उस स्वरूप में) वाक्यार्थरूपक ही है, वाक्यार्थनिदर्शना नहीं। यदि आपको वाक्यार्थ-निदर्शना का उदाहरण देखना हो तो उक्त पद्य का पाठ यों मानिये—'त्वत्पादनखरत्नानि' अर्थात जो आपके चरण-नख-रत्नों को महावर से रँगता है वह चन्दनलेप से चन्द्रमा

को धवल बनाता है।' यहाँ यद्यपि 'जो' और 'वह' पदों से निर्दिष्ट कर्ताओं का अभेद शब्दतः प्रतीत होता है तथापि 'रँगता है' और 'धवल बनाता है' इन क्रियाओं का अभेद शब्दतः प्रतीत नहीं होता-अर्थात् अर्थतः प्रतीत होता है और चमत्कार का सारा दायित्व क्रियाओं के उस आर्थ अभेद पर ही है-वाक्यार्थ का पर्यवसान वहीं जाकर होता है, अतः यहाँ निदर्शनी ही है। तात्पर्य यह कि-कर्ताओं के शाब्द अभेद को लेकर यहाँ वाक्यार्थरूपक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह गौण है, मुख्य क्रियाओं का अभेद तो आर्थ ही है, अतः निदर्शना ही यहाँ मानी जायगी। अब कदाचित् आप कहें कि-यदि 'त्वत्पादनखरत्नानाम्-' यह पद्य निदर्शना का उदाहरण होने योग्य न होता, तो अलङ्कारसर्वस्वकार इस पद्य को निदर्शनोदाहरण-प्रकरण में क्यों लिखते ? तो मैं कहूँगा कि बहुत ठीक, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, वे स्वयं तो भ्रम में थे ही, आपको भी भ्रम में डाल दिया। आप तो प्रामाणिक व्यक्ति हैं, अतः आप दूसरों से कही हुई बात को ही दुहराते हैं। (इस कथन का अभिप्राय यह है कि-आप स्वयं कुछ सोचते विचारते नहीं दूसरों की लिखी हुई बात को अपनी पुस्तकों में दुहरा डालते हैं, फलतः आप 'अर्थम्न चौरः' के अनुसार चौर लेखक हैं।) (पर यह आक्षेप बहुत कुछ असत्य है, कटुतर तो है ही, वस्तुतः दीक्षितजी का पाण्डित्य ईदृश आक्षेपयोग्य है नहीं।) इसके अतिरिक्त दीक्षितजी ने जो 'बिम्बाविशिष्टे' इस विशेषण द्वारा तथा अन्यत्र दृष्ट शब्दों से भी यह कहा है-रूपक में बिम्बप्रतिबिम्बभाव नहीं होता है वह भी भ्रममूलक ही है, क्योंकि अलङ्कारसर्वस्व की विमर्शिनी नामक टीका में बिम्बप्रतिबिम्बभावस्थल में भी रूपक दिखलाया गया है। सुनिये—'कन्दर्प-' यह चन्द्रोदय का वर्णन है। नायिका से नायक कहता है—मलिन मद-जल से चिह्नित कामदेव के हाथी का कर्णाभरणीभूत शङ्खरूप संलग्नकज्जलपुञ्ज की कालिमा से सुन्दर रति (काम-पत्नी) के गण्डोपधान (गलतकिया) रूप और भ्रमरों से आच्छादित मध्यभागवाले आकाशतरु के उजले पुष्पस्तबकरूप सुधासदृश (उजले) कलङ्कयुक्त इस चन्द्रबिम्ब को देखो। यहाँ मदजल, कज्जलपुञ्ज और भ्रमर से कलङ्क का प्रतिबिम्बन हुआ है और चिह्नित होना तथा (कलङ्क से) अङ्कित होना शुद्ध सामान्यरूप है-अर्थात् इस अंश में बिम्बप्रतिबिम्बभाव नहीं है, वस्तुप्रतिवस्तुभाव है यह बात दूसरी है। अभिप्राय यह है कि-'कन्दर्प-' इस पद्य में उपमेय चन्द्रमण्डल और उपमानों—शङ्ख, गलतकिया तथा पुष्पस्तबक-में परस्पर ताद्रूप्य शब्दतः प्रतीत होता है, अतः यहाँ रूपक है और बिम्बप्रतिबिम्बभाव भी है, क्योंकि कलङ्क बिम्बरूप है और मदजल, कज्जल तथा भ्रमर प्रतिबिम्बरूप हैं—ये बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म ही यहाँ के उपमानोपमेय में सादृश्य को सिद्ध करते हैं और इस सादृश्य के कारण ही उपमान-उपमेय में ताद्रूप्य का आरोप होता है—रूपक बन पाता है। फलतः दीक्षितजी का 'रूपक में बिम्बप्रतिबिम्बभाव नहीं होता' यह कथन भ्रममूलक ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

द्वितीयविशेषणमेव निरस्यति—

तथा निर्दिष्टे शब्देनाभिहिते इत्यस्य येन केनचिद्रूपेण शब्देनाभिहित इत्यर्थः, उताहो उपमेयतावच्छेदकरूपेण शब्देनाभिहिते ? आद्ये 'सुन्दरं कमलं भाति लतायामिदमद्भुतम्' इत्यत्रातिप्रसङ्गः। सुन्दरपदेन सुन्दरत्वेन रूपेण इदंपदेन च विषयस्याननस्य प्रतिपादनात्। न चात्र सुन्दरपदार्थस्यारोप्यमाणकमलान्वय एव, न तु वदनरूपविषयान्वय इति वाच्यम्। कमलपदेन कमल-

ताद्रूप्येणाननस्यैव लक्षणयोपस्थानात्तत्रैव सुन्दरादिपदार्थान्वयो युक्तः, न तु विशेषणीभूते कमले। अथ तादृशं विषयमुद्दिश्य विषयिताद्रूप्यं यत्र विधीयते इत्यपि लक्षणवाक्यार्थः। प्रकृते च सुन्दरत्वावच्छिन्नमुद्दिश्य कमलताद्रूप्यस्याविधानान्नातिप्रसङ्ग इति चेत्। न। 'मुखचन्द्रस्तु सुन्दरः' इत्यादिरूपके समासगतयोर्विषयविषयिणोः पृथग्विभक्तिमन्तरेणोद्देश्यविधेयभावाभावादव्याप्त्यापत्तेः। द्वितीये त्वनिह्नुत इति विशेषणवैयर्थ्यम्। अपह्नुतावुपमेयतावच्छेदकस्य निषिध्यमानतया तेन रूपेण विषयस्यानिर्दिष्टत्वादेव लक्षणस्याप्रसक्तेः। निश्चयगताहार्यत्वविशेषणवैयर्थ्यं च। भ्रान्तिमति दोषविशेषेण प्रतिबध्यमानतया नास्त्युपमेयतावच्छेदकसंस्पर्श इति तावतैव वारणात्। अपि च 'नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्' इति कुवलयानन्दे त्वयोक्तायामपह्नुतावतिप्रसङ्गः। अत्र सुधांशौ सुधांशुत्वनिह्नवेऽप्यारोपविषयस्यानिह्नवात्। न चेदं रूपकमेवेति वाच्यम्। त्वदुक्तिविरोधापत्तेः।

येन केनचिद्रूपेणेति। उपमेयतावच्छेदकभिन्नरूपेणेत्यर्थः। उताहो अथवा। 'सुन्दरं कमलम्—' इति। लतायां लतात्वेनाध्यवसितायां नायिकायाम्, अद्भुतं आश्चर्यकरम्, सुन्दरं मनोरमम्, इदं मुखम्, कमलम्, भाति शोभत इत्यर्थः। इत्यत्रेति। रूपकातिशयोक्तिलक्ष्य इत्यर्थः। अतिप्रसङ्गे हेतुमाह—सुन्दरपदेनेति। 'निर्दिष्टे' इत्यस्य 'येन केनचिद्रूपेण शब्दप्रतिपादिते' इत्यर्थस्वीकारे 'सुन्दरं कमलम्-' इति रूपकातिशयोक्तौ इदंपदबोध्यस्योपमेयस्य मुखस्य सुन्दरत्वरूपेण सुन्दरपदप्रतिपाद्यत्वादतिव्याप्तिरिति भावः। अतिव्याप्तिनिरासाय शङ्कते—न चात्रेति। कमलान्वय एवेति। तत एव चमत्कारात्सान्निध्याच्चेति भावः। समाधत्ते—कमलपदेनेति। एतेन रूपकातिशयोक्तिरत्रेति ध्वनितम्। तत्रैवेति। मुख एवेत्यर्थः। न त्विति। 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति—' इति न्यायादिति भावः। आरोप्यमाणे-उपमाने कमलपदार्थ एव सुन्दरपदार्थस्यान्वयः सान्निध्यात्, न तु विषये उपमेये मुखे तथा च केनापि रूपेणोपमेयस्य मुखस्यातिर्देशान्नातिप्रसङ्ग इति न वक्तुं शक्यम्, मुखे लाक्षणिकात् कमलपदादत्र कमलताद्रूप्येण मुखस्यैवोपस्थितिर्विशेष्यतया कमलस्योपस्थितिर्विशेषणतयैवेति स्थितौ पदार्थः पदार्थेनेति न्यायानुरोधेन सुन्दरपदार्थस्येदं पदबोध्ये उपमेये-मुखे-एवान्वयस्य युक्ततयाऽतिप्रसङ्गस्य दुरुद्धत्वादिति भावः। अतिप्रसङ्गाभावाय पुनरन्यथा शङ्कते—अथेति। तादृशमिति। येन केनचिद्रूपेण शब्देनाभिहितमित्यर्थः। इत्यपीति उद्देश्यविधेयभावघटितोऽपीत्यर्थः। तथा वाक्यार्थे दोषाभावमुपपादयति—प्रकृते चेति। 'सुन्दरं कमलम्—' इत्यत्र चेति तदर्थः। अविधानादिति। तादृशमाननमुद्दिश्य भानक्रियाया एव विधेयत्वादिति भावः। (अत्र 'यद्वा सुन्दरत्वादेः कमलत्वादिविशिष्टे विशेषणत्वमेवोद्देश्यतावच्छेदकत्वम्। इयांस्तु विशेषः--यदतिशयोक्तावुपमेयधर्मस्योद्देश्यतावच्छेदकत्वाभाव एव रूपके त्वनियम इतीति भावः।' इति विशेषमाह नागेशः।) समाधत्ते नेति। तत्र हेतुमाह—मुखचन्द्रस्त्विति। मुखरूपश्चन्द्रः सुन्दर इत्यर्थः। विषयविषयिणोः उपमेयोपमानयोः। पृथगिति। उद्देश्यविधेयभावेन बोधेऽभिन्नविभक्तिजन्योपस्थितेः कारणत्वात्। तथा च व्यस्ते तथा प्रतीतिः, न समास इति भावः। केनापि रूपेण

शब्दप्रतिपाद्यमुपमेयमुद्दिश्य यत्रोपमानताद्रूप्यं विधीयते तत्रैव रूपकमिति विवक्षणे 'सुन्दरं कमलम्—' इत्यत्र अतिप्रसङ्गः, अत्र मुखमुद्दिश्य भानस्य विधेयतया सुन्दरत्वावच्छिन्नोद्देश्येन । कमलताद्रूप्यस्याविधानादित्यपि न युक्तम् , पृथग् विभक्तिविरहेणोद्देश्यविधेयभावायोग्योपमेयोपमानसम्पन्ने 'मुखचन्द्रः–' इत्यादि समस्तरूपकेऽव्याप्त्यापत्या तथा विवक्षणस्यासम्भवादिति सारांशः । द्वितीयकल्पं दूषयति—द्वितीये तु इति । 'निर्दिष्टे' इत्यस्योपमेयतावच्छेदकरूपेण शब्देनाभिहिते इत्यर्थ इति द्वितीयकल्पे तु इति तदर्थः । दोषमाह—विशेषणवैयर्थ्यमिति । वैयर्थ्ये हेतुमाह—अपह्नुता इति । उपमेयतावच्छेद्यस्येति । उपमेयतावच्छेदकविशिष्टस्येति भावः । उपमेयस्येति यावत् । अनिर्दिष्टत्वादिति । अत्र 'अत्र निषेधप्रतियोगिविधया निर्दिष्टत्वादिदं चिन्त्यम् । न च तथा निर्दिष्टत्वेऽपि पुरस्काराभावः । तर्हि तात्पर्यन्तविवक्षाबोधनार्थमेवानिह्नुते इति विशेषणसाफल्यादिति बोध्यम् ।' इति नागेशः । उक्तद्वितीयकल्पे दोषान्तरमप्याह—निश्चयेति । उपरञ्जकतापदार्थीभूतेति भावः । वैयर्थ्यहेतुगर्भमुपपादनमाह—भ्रान्तीति । तावतैवेति उक्तार्थकनिर्दिष्टे इति विशेषणेनैवेत्यर्थः । अत्र 'इदं चिन्त्यम् । आहार्यत्वविशेषणस्य निर्दिष्टे इति विशेषणलब्धार्थकथनतात्पर्यकत्वात् । अतिशयोक्तौ लक्षणामाहात्म्याज्जायमानज्ञानस्यानाहार्यस्यैव जायमानत्वेन तावतैव वारणात् । शक्यतावच्छेदकलक्ष्यतावच्छेदकयोर्भानमिति त्वल्लिखितमतान्तरेऽपि युगपदेवोभयोर्भानेन बाधस्यैवानुपस्थितत्वाच्च तद्बुद्धेराहार्यत्वम् । किञ्च चन्द्रवृत्तिगुणवत्त्वस्य लक्ष्यतावच्छेदकस्य चन्द्रत्वस्य च मिथो विरोधाभावेन न बाधप्रतिसन्धानम् । मुखत्वेन मुखं लक्ष्यत इति त्वश्रद्धेयमेव । रूपके तु बाधस्य स्फुटमुपस्थितत्वेन साक्षाद्व्यञ्जनया वा जायमाना ताद्रूप्यप्रतिपत्तिराहार्यैवेति दीक्षिताशय इति दिक् ।' इति नागेशः । निर्दिष्टे इत्यस्य उपमेयतावच्छेदकरूपेण शब्देनाभिहिते इत्यर्थकरणेऽपि न निस्तारः, 'नेदं मुखं सुधांशुरयम्' इत्याद्यपह्नुतावुपमेयस्यैव निषेधे उपमेयतावच्छेदकरूपेणोपमेयस्य सुतरामनभिहिततया निर्दिष्टे इति विशेषणेनैव तद्वारणे सिद्धे तद्वारणार्थकस्य अनिह्नुते इति विशेषणस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात् , 'चन्द्र इति चकोरास्त्वन्मुखमभिधावन्ति' इत्यादि भ्रान्तिमति, भ्रान्तिजनकदोषविशेषेण उपमेयतावच्छेदकस्य मुखत्वादेः प्रतिबध्यमानतया तेन रूपेणोपमेयस्य मुखादेरभिधानस्य सर्वथैवासम्भवतया तस्यापि (भ्रान्तिमतोऽपि) तेनैव विशेषणेन व्यावृत्तौ तद्वारणाय प्रदत्तस्य निश्चये आहार्यत्वविशेषणस्यापि तथात्वाच्चेति भावः । तृतीयविशेषणव्यावृत्तिं दूषयति—अपि चेति । 'नायं सुधांशुः—' इति । अयं प्रत्यक्षदृश्यमानः, सुधांशुश्चन्द्रो, न । तर्हि तदा अस्यासुधांशुत्वे इति यावत् , किं वस्तु सुधांशुः ? प्रेयसीमुखं प्रियतमाननम् , सुधांशुः इत्यर्थः । त्वयोक्तायामिति । एतेन स्वमते नास्या-पह्नुतित्वमिति भावः । अपह्नुतौ पर्यस्तापह्नुतौ । अतिप्रसङ्ग इति । त्वदुक्तरूपकलक्षणातिव्याप्तिरित्यर्थः । अतिप्रसङ्गे हेतुमुपपादयति–अत्रेति । विषयस्य मुखस्य । विषयस्य सुधांशोः इति नागेशोक्तिश्चिन्त्या । 'नायं सुधांशुः—' इत्यत्र 'नायं सुधांशुः' इत्यंशे सुधांशुत्वस्य निषेधस्पृष्टत्वेऽपि 'सुधांशुः प्रेयसीमुखम्' इत्यंशे उपमेयतावच्छेदकमुखत्वेन रूपेण शब्दाभिहिते निषेधास्पृष्टे च मुखरूपे उपमेये उपमानसुधांशुताद्रूप्यप्रतीत्या रूपकापत्तिः प्रसजन्ती 'अनिह्नुते' इति विशेणयेन नैव वारयितुं शक्येति भावः । रूपकत्वस्वीकारस्तु तव नोपपद्येत, कुवलयानन्दाख्ये निजनिबन्धेऽपह्नुतित्वस्य स्पष्टशब्दैस्त्वया स्वीकृतत्वात् । नागेशस्तु

अत्रापि 'इदमपि चिन्त्यम् । उपमेयोपमादीनां वैचित्र्यविशेषेणालङ्कारान्तरत्ववदिहाप्युपपत्तेः । मतान्तरेऽप्यभेदादिकृतेन चमत्कारे रूपकम् , निह्नवादिकृते तस्मिंस्तु सेति विषयविभागसम्भवात् । चमत्कारित्वस्यालङ्कारसामान्यलक्षणप्राप्तत्वात्समुदितस्यालङ्कारत्वेनांशे रूपकत्वे इष्टापत्तेश्च' इत्येभिरक्षरैर्दीक्षितोक्ति समर्थयन् दृश्यते ।

द्वितीय विशेषण को दूषित किया जाता है—तथा इत्यादि । प्रथम विशेषण की दशा तो आपने देख ली । अब आप द्वितीय विशेषण की दशा को देखें—दीक्षितजी ने अपने रूपकलक्षण में 'निर्दिष्टे' यह दूसरा विशेषण जोड़ा है और उसका अर्थ किया है शब्द से प्रतिपादित । अब इसमें प्रष्टव्य यह है कि-'शब्द से प्रतिपादित' इसका क्या अर्थ ? जिस किसी रूप से शब्द द्वारा कथित यह, अथवा उपमेयतावच्छेदक—मुखत्व आदि रूप से शब्द द्वारा कथित यह ? इन दोनों में यदि प्रथम अर्थ दीक्षितजी को स्वीकृत हो, तो वह ठीक नहीं, क्योंकि तब 'सुन्दरं कमलम्—अर्थात् लता में (लतात्वेन अध्यवसित नायिकाकाययष्टि में) अद्भुत और सुन्दर यह कमल (कमलत्वेन अध्यवसित मुख) सुशोभित हो रहा है ।' इस रूपकातिशयोक्ति के लक्ष्य में उक्तार्थक उक्त विशेषणयुक्त रूपकलक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । कारण यह कि—यहाँ भी 'सुन्दर यह' इन शब्दों के द्वारा सुन्दरत्वरूप से उपमेय-मुख-का प्रतिपादन है यदि आप कहें कि यहाँ सुन्दर पद के अर्थ का अन्वय आरोपित होनेवाले अर्थात् विषयी (उपमान) कमल में ही है, जिसमें आरोपित होता है उस विषय (उपमेय मुख) में नहीं (अतः सुन्दरत्वरूप से उपमेय-मुख-का प्रतिपादन नहीं हुआ, अतिव्याप्ति नहीं होगी), तो यह भी सङ्गत नहीं, क्योंकि यहाँ लक्षणा द्वारा, 'कमल पद से, कमल के रूप में प्रधानरूप से मुख की ही उपस्थिति होती है-अर्थात् यहाँ 'कमल' पद का अर्थ केवल कमल नहीं अपितु कमलरूप मुख है, अतः 'सुन्दर आदि पदार्थों का अन्वय मुख में ही होना उचित है, विशेषणरूप बने हुए कमल में नहीं अर्थात् अन्वय के विषय में 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति न पदार्थैकदेशेन-किसी पद का अर्थ किसी पद के प्रधान अर्थ के साथ ही अन्वित होता है, पदार्थ के एकभाग विशेषणीभूत पदार्थ के साथ नहीं ।' इस सर्वसम्मत नियम की रक्षा सभी को करनी है । अब यदि आप कहें कि-'जिस किसी रूप से शब्द द्वारा अभिहित उपमेय को उद्देश्य बनाकर जहाँ उपमान का ताद्रूप्य (एकरूपता) विहित होता हो' यह भी लक्षणवाक्य का अर्थ है-अर्थात् उपमेय का उद्देश्य होना और उपमान का विधेय होना भी इस रूपकलक्षण का तात्पर्यार्थ है और प्रकृत उदाहरण में 'सुन्दरता' से अवच्छिन्न (युक्त) मुख को उद्देश्य बनाकर कमल के ताद्रूप्य का विधान नहीं होता-अर्थात् यहाँ मुख और कमल का उद्देश्य- विधेयभाव है ही नहीं, यदि उद्देश्य-विधेयभाव है तो मुख और शोभित होना-क्रिया में, अतः अतिव्याप्ति-दोष नहीं होगा, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर 'मुखचन्द्र सुन्दर है' इत्यादि रूपक में लक्षण की अव्याप्ति ही हो जायगी—यह रूपक कहला ही नहीं सकेगा । कारण, यहाँ उपमान तथा उपमेय के लिये पृथक्-पृथक् विभक्ति नहीं आई है और उद्देश्य-विधेयभाव के लिये पृथक्-पृथक् विभक्ति का आना आवश्यक है, अतः असमस्त वाक्य-स्थल में ही उद्देश्य-विधेयभाव होता है, यहाँ समस्त वाक्य में वह नहीं हो सकता । अब यदि द्वितीय कल्प को दीक्षितजी का अभिमत मानें—अर्थात् 'निर्दिष्टे' पद का अर्थ 'उपमेयतावच्छेदकरूप से शब्द द्वारा उक्त' करें तो वह भी असङ्गत ही होगा, क्योंकि यद्यपि इस कल्प में पूर्वकल्पीय दोष नहीं होगा तथापि—दूसरा दोष हो ही जायगा—अर्थात् इस कल्प (पक्ष) में 'अनिह्नुते यह विशेषण व्यर्थ हो

जायगा, क्योंकि उस विशेषण का फल जो 'अपह्नति' का वारण माना जाता था, वह अब इस 'निर्दिष्टे' विशेषण से ही सिद्ध हो जायगा। कारण, 'यह मुख नहीं चन्द्र है' इत्यादि अपह्नतियों में 'उपमेयतावच्छेद्य—अर्थात् उपमेय-मुख आदि-का निषेध किया गया रहता है, अतः उपमेयतावच्छेदकरूप से उपमेय का प्रतिपादन न होने से ही लक्षण की अप्राप्ति हो जायगी। इतना ही नहीं, इस द्वितीय पक्ष में 'उपरञ्जकता' की व्याख्या में दीक्षितजी के द्वारा कहा गया 'आहार्य' यह निश्चय-विशेषण भी व्यर्थ हो जायगा। यह विशेषण 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार में अतिव्याप्ति-वारण के लिये लगाया गया है, पर वहाँ भ्रमजनक दोष से उपमेयतावच्छेद की प्रतीति रोक दी जाती है, अतः वहाँ उपमेयतावच्छेदक का स्पर्श भी नहीं रहता, इस स्थिति में उसका भी वारण 'निर्दिष्टे' विशेषण से ही हो जा सकता है। और इन विशेषणों का निवेश कर देने पर भी 'नायं सुधांशुः—अर्थात् यह (प्रत्यक्ष दीख पड़नेवाला चन्द्रमा) चन्द्रमा नहीं है। तो चन्द्रमा क्या है? प्रियतमा का मुख।' इस दीक्षिताभिमतकुवलयानन्दगत पर्यस्तापह्नुति में अतिव्याप्ति हो हो जायगी, क्योंकि यहाँ उपमेयतावच्छेदक-मुखत्वरूप से प्रतिपादित उपमेय-मुख में उपमान-चन्द्र का तद्रूप आरोपित होकर निश्चित होता है। आप कदाचित् कहे कि-'अनिह्नुते' विशेषण से इसका वारण होगा, तो यह कथन बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ चन्द्र में चन्द्रत्व का निषेध रहने पर भी उपमेय-मुख-सर्वथा निषेध से अछूता ही है। फलतः 'अनिह्नुते' विशेषण व्यर्थ ही सा हो जाता है—जिस फल की सिद्धि के लिये जो विशेषण जोड़ा जाता है, वह फल यदि उससे सिद्ध नहीं होता—तब उसकी सार्थकता ही क्या? दीक्षितजी इसको ('नायं सुधांशुः—' को) रूपक तो मान नहीं सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर उन्होंने कुवलयानन्द में स्वयं जो उसको पर्यस्तापह्नुति माना है—उससे विरोध पड़ जायगा।

चित्रमीमांसायामप्पयदीक्षितेनोक्तमन्यदपि खण्डयति—

यच्चाप्युक्तमव्यङ्ग्यत्वविशेषणाच्चेदमेवालङ्कारभूतस्य रूपकस्य लक्षणमिति, तदपि न। नहि व्यङ्ग्यत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधोऽस्ति। प्रधानव्यङ्ग्यरूपकवारणाय पुनरुपस्कारकत्वं विशेषणमुचितमित्यसकृदावेदनात्। अनलङ्कारत्वस्य तुल्यतया प्रधानव्यङ्ग्यरूपकस्येव प्रधानवाच्यरूपकस्यापि वारणीयत्वेन तद्वारकविशेषणाभावेन तत्रातिप्रसङ्गाच्च।

इदमेवेति। प्रागुक्तं रूपकलक्षणमेवेत्यर्थः। नन्वेवं कथमतिप्रसङ्गनिरासोऽत आह—प्रधानेति। नन्वेवमपि विनिगमनाविरहात्तयोक्तिरत आह—अनलमिति। मन्मते तु तेनैवोभयोर्वारणमिति भावः। अलङ्कारभूतरूपकलक्षणेऽव्यङ्ग्यत्वविशेषणप्रक्षेपो दीक्षितस्य नोचितः, नित्यव्यङ्ग्यस्य रसादेरपि स्थितिविशेषेऽलङ्कारत्वस्य स्वीकृततया व्यङ्ग्यत्वालङ्कारत्वयोरविरोधसिद्धौ संग्रहणीयस्य व्यङ्ग्यरूपकालङ्कारस्यासंग्रहप्रसङ्गात्। ननु अप्राधान्येन व्यज्यमानस्य रूपकस्य संग्रहणीयत्वेऽपि असंग्रहणीयस्य प्राधान्येन व्यज्यमानस्य रूपकस्य व्यावृत्त्यर्थं लक्षणेऽव्यङ्ग्यत्वविशेषणयोगो युक्त इति चेन्न, तदर्थं 'उपस्कारकत्व'-विशेषणस्य योजयितुमौचित्यात्। न चोभाभ्याम् (अव्यङ्ग्यत्वोपस्कारकत्वाभ्याम्) विशेषणाभ्यां समानतया प्रधानव्यङ्ग्यवारणसम्भवे 'उपस्कारकत्व'विशेषणस्यैव योजने किमौचित्यमिति वाच्यम्, यथा प्रधानतया व्यज्यमानं रूपकं नालङ्कारः अपि तु अलङ्कार्यम् इति तद्वारणप्रयास आव-

श्यकः, तथैव प्राधान्येन वाच्यमपि रूपकमलङ्कार्यमेव नालङ्कार इति तद्वारणप्रयासोऽप्यवाश्यक एव, एवञ्च यदि केनाप्येकेन विशेषणेन तयोरुभयोर्वारणं भवेत्, तर्हि तद्विशेषणयोजने औचित्यं निर्विवादम्, अतः उभयोर्वारकस्य उपस्कारकत्वविशेषणस्य योजने औचित्यमस्ति, प्रधानव्यङ्ग्यरूपकमात्रवारकस्य 'अव्यङ्ग्य' विशेषणस्य योजने च तन्नास्तीत्याशयात् इति भावः।

अप्पयदीक्षिता द्वारा चित्रमीमांसा में कही गई एक अन्य बात का भी खण्डन किया जाता है—यच्चापि इत्यादि। और जो दीक्षितजी ने यह कहा है कि—"इसी (पूर्वोक्त सामान्य रूपकलक्षण) में यदि 'अव्यङ्ग्य' यह एक और विशेषण जोड़ दिया जाय, तब यही लक्षण अलङ्कारभूत रूपक का हो जायगा" वह भी समुचित नहीं, क्योंकि व्यङ्ग्यता तथा अलङ्कारता में कोई विरोध नहीं है, नित्यव्यङ्ग्य रस आदि भी स्थितिविशेष में अलङ्काररूप होते ही हैं, फिर व्यङ्ग्यरूपकालङ्कार भी मानना ही पड़ेगा और इस विशेषण से उसका वारण ही हो जायगा—अर्थात् इस विशेषण के कारण लक्षण की व्यङ्ग्यरूपकालङ्कारस्थल में अव्याप्ति ही हो जायगी। यदि आप कहें कि—प्रधानीभूत अन्य वाक्यार्थ के पोषक व्यङ्ग्य रूपक भले ही अलङ्कारश्रेणी में संग्रहणीय हों, पर प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाला रूपक तो आपके मत से भी अलङ्कारश्रेणी में संग्रहणीय नहीं होगा—उसको तो आप भी अलङ्कार्य ही मानियेगा अलङ्कार नहीं, फिर उस प्रधान व्यङ्ग्यरूपक का वारण करने के लिये 'अव्यङ्ग्य' विशेषण क्यों नहीं समुचित समझा जायगा, तो यह भी मानने योग्य आपका तर्क नहीं, क्योंकि प्रधान व्यङ्ग्यों का वारण करने के लिये सभी अलङ्कारों के लक्षण में 'उपस्कारक-' विशेषण जोड़ने की बात बार-बार कही जा चुकी है। यदि आप कहें कि—प्रधान व्यङ्ग्य के वारणार्थ 'उपस्कारक-' विशेषण ही जोड़ा जाय 'अव्यङ्ग्य-' विशेषण नहीं, यह कौन-सी बात है? तो मैं कहूँगा कि-हाँ, है ऐसी कुछ बात जिसके अनुरोध से 'उपस्कारक-' विशेषण का जोड़ना ही उचित है और वह बात यह है कि-जिस तरह प्रधानरूप में अभिव्यक्त होने वाला रूपक अलङ्कार नहीं अलङ्कार्य होता है, अतः उसका अलङ्कारश्रेणी से निष्कासन आवश्यक है, उसी तरह प्रधानरूप में वाच्य होने वाला रूपक भी अलङ्कार नहीं, अलङ्कार्य ही होता है, अतः उसका भी अलङ्कारश्रेणी से बहिर्भाव आवश्यक है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि-'उपस्कारक' और 'अव्यङ्ग्य' इन दोनों में से कौन-सा विशेषण उचित है? 'उपस्कारक' विशेषण से प्रधान व्यङ्ग्य तथा प्रधान वाच्य दोनों का ही वारण होता है और 'अव्यङ्ग्य'-विशेषण से केवल प्रधान व्यङ्ग्य का, फलतः इस विशेषण को जोड़ देने के बाद भी प्रधानवाच्यरूपकस्थल में लक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जायगी। अतः दीक्षितजी का लक्षण गड़बड़ ही है।

मम्मटभट्टकृतकाव्यप्रकाशोक्तं लक्षणं निरस्यति—

यच्च 'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः' इत्यादि प्राचीनैरुक्तम्, तच्चिन्त्यम्, अपह्नुत्यादावुपमानोपमेययोरभेदस्य प्रतीतिसिद्धतया तत्रातिप्रसङ्गात्। अथोपमानोपमेययोरित्युक्त्या उपमेयतावच्छेदकं पुरस्कृत्योपमानतावच्छेदकावच्छिन्नाभेद इत्यर्थलाभादपह्नुतौ चोपमेयतावच्छेदकस्य पुरस्काराभावान्नातिप्रसङ्ग इति चेत्। न। 'नूनं मुखं चन्द्रः' इत्याद्युत्प्रेक्षायां तथाप्यतिप्रसक्तेः।

प्राचीनैः मम्मटभट्टादिभिः। अपह्नुत्यादाविति। भ्रान्तिमदतिशयोक्त्यादय आदिपदग्राह्याः। उपमेयतावच्छेदकं पुरस्कृत्येति। भासमानोपमेयतावच्छेदके उपमेये इति भावः। उपमानतावच्छेदकेति। भासमानोपमानतावच्छेदकस्योपमानस्याभेद इत्यर्थः। पुरस्काराभावादिति। उपमेयस्य निषिध्यमानत्वादिति भावः। 'उपमानोपमेययोर्योऽभेदस्तद्रूपकम्' इत्यर्थकं मम्मटभट्टकृतं रूपकलक्षणं न सम्यक्, अपह्नुत्यादावतिव्याप्तेः, तत्राप्युपमानोपमेययोरभेदस्य प्रतीयमानत्वात्। 'उपमानोपमेययोः' इति लक्षणे कथनेन 'मुखत्वाद्युपमेयतावच्छेदकविशिष्टे मुखादावुपमेये चन्द्रत्वाद्युपमानतावच्छेदकविशिष्टचन्द्राद्युपमानाभेदो रूपकम्' इत्यर्थलाभेऽपह्नुत्यादौ नातिव्याप्तिः, तत्र निषेधादिनोपमेयतावच्छेदकवैशिष्ट्यस्य विरहात् इति यद्यपि सत्यम्, तथापि निस्तारो नास्ति, 'नूनं मुखं चन्द्रः' इत्युत्प्रेक्षायामतिव्याप्तेः सत्त्वात्, अत्र मुखत्वविशिष्टमुखानुयोगिकचन्द्रत्वविशिष्टचन्द्रप्रतियोगिकाभेदस्य प्रतीतेरिति भावः।

मम्मटभट्टकृत काव्यप्रकाशग्रन्थ में उक्त रूपकलक्षण का खण्डन किया जाता है—यच्च इत्यादि। 'उपमान और उपमेय का जो अभेद उसको रूपक कहते हैं' यह जो रूपकलक्षणकरणप्रसङ्ग में मम्मटभट्ट ने कहा है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि उपमान तथा उपमेय के अभेद की स्पष्ट प्रतीति होने के कारण अपह्नुति आदि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है अर्थात् इस लक्षण के अनुसार 'यह मुख नहीं चन्द्र है' इत्यादि तरह के अपह्नुति आदि अलङ्कार के उदाहरण भी रूपकश्रेणी में संगृहीत होने लगेंगे। यदि आप कहेंगे - लक्षण में 'उपमान और उपमेय का' इस तरह के कथन से यह लब्ध होता है कि—'उपमेयतावच्छेदक को आगे रखकर—अर्थात् उपमेय—भाव का परिचायक-मुखत्व आदिसे युक्त मुख आदि में-उपमानतावच्छेदकावच्छिन्न का—अर्थात् चन्द्रत्व आदि से परिचित चन्द्र (एक वस्तुविशेष) का अभेद रूपक है' और इस अर्थ के अनुसार अपह्नुति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ, 'मुख नहीं है' इत्यादि प्रकार से उपमेय का निषेध किया गया रहता है, अतः उपमेयतावच्छेदक-मुखत्व आदि—का आगे रहना संभव नहीं, तो मैं कहूँगा कि-हाँ, यह तर्क सत्य है, अब अपह्नुति आदि में अतिप्रसङ्ग नहीं रहा, पर इससे क्या लक्षण निर्दुष्ट सिद्ध हो गया ? कथमपि नहीं, क्योंकि-अपह्नुति आदि में न सहि, उत्प्रेक्षा में तो अब भी अतिव्याप्ति बनी है—'मानो मुख चन्द्र है' यही तो उत्प्रेक्षा का उदाहरण है, यहाँ मुखत्व-उपमेयतावच्छेदक—को आगे रखकर मुख में चन्द्रत्वविशिष्ट चन्द्र का अभेद साफ झलकता है, फिर उक्त लक्षण की यहाँ प्राप्ति हो जाने में बाधा क्या ? कुछ नहीं, वह हो ही जायगी।

पूर्वापादितायां उत्प्रेक्षायां मम्मटलक्षणीयातिव्याप्तेरभावमाशङ्क्य पुनस्तां द्रढयति—

न च—

'प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्नुतिः।'
'सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्॥'

इत्याद्यपह्नुत्युत्प्रेक्षादीनां बाधकत्वात्तत्परिगृहीतविषयातिरिक्तो रूपकस्य 'मुखं चन्द्रः' इत्यादिर्विषयः स्यात्। यथा 'शरमयं बर्हिः' इत्येतद्विषयातिरिक्तः 'कुशमयं बर्हिः। इत्यस्य। यथा वा क्सादेशविषयातिरिक्तो विषयः सिचः। लोकेऽपि यथा 'ब्राह्मणेभ्यो दधि देयम्', तक्रं कौण्डिन्याय' इत्यत्र तक्रसम्प्र-

दानातिरिक्तं दध्नः सम्प्रदानमिति वाच्यम्। वैषम्यात्। विशेषशास्त्रं हि स्वविषयातिरिक्तं विषयं ग्राहयत्सामान्यशास्त्रस्य बाधकमित्युच्यते। प्रकृते च रूपकस्य लक्षणं धर्मः। स यद्युत्प्रेक्षादिवृत्तिः स्यात् कस्तस्माद्विषयान्निरस्य विषयान्तरं ग्राहयेत्। नहि घटत्वं स्वाधिकरणात् पृथिवीत्वं द्रव्यत्वं वा निरस्य विषयान्तरं ग्राहयितुमीष्टे। तस्मादतिप्रसक्तिर्लक्षणेऽस्मिन्दोषः। ननु सम्भावनात्मिकोत्प्रेक्षा, कथं तस्यामभेदत्वात्मकरूपकलक्षणातिप्रसक्तिरिति चेत्। न। विनिगमकाभावेन सम्भाव्यमानाभेदस्याप्युत्प्रेक्षास्वरूपत्वात्। विषयसम्भावनाऽभेदाभ्यामुत्प्रेक्षायामलङ्कारद्वयव्यवहारापत्तेश्च। निश्चीमानत्वेनाभेदो विशेषणीय इति चेदस्मदुक्त एव तर्हि पर्यवसतिरिति दिक्।

प्रकृतमिति। मम्मटकृतमपह्नुतिलक्षणमिदम्। प्रकृतं उपमेयं, निषिध्य तिरोधाय, अन्यत् उपमानम्, यत् साध्यते स्थाप्यते, सा अपह्नुतिः अलङ्कार इत्यर्थः। सम्भावनमिति। तत्कृतमेवोत्प्रेक्षालक्षणमेतत्। प्रकृतस्य उपमेयस्य, समेन सदृशेन उपमानेनेति यावत्, यत्, सम्भावनम्, सा उत्प्रेक्षा इति तदर्थः। बाधकत्वादिति। विशेषविहितत्वेनापवादत्वादिति भावः। तत्परिगृहीत इति। ताभ्यामपह्नुत्युत्प्रेक्षाभ्याम्, परिगृहीताः आक्रान्ताः, ये, विषयाः, लक्ष्याणि, तद्भिन्न इत्यर्थः। मुखं चन्द्र इति। अत्र गमकाभावात्तदुभयं न। तत्र जैमिनीयं दृष्टान्तमाह—यथा शरेति। आभिचारिके कर्मणि विशेषविहितमिदम्, यज्ञसामान्ये विहितस्य 'कुशमयं बर्हिः इत्यस्य बाधकमित्यर्थः। व्याकरणोक्तं तमाह—यथा वा क्सेति। 'शल इगु—' इति विहितेत्यादिः। सिच इति! 'च्लेः सिच्' इति विहितस्येति भावः। लौकिकं तमाह—लोकेऽपीति। कौण्डिन्यायेति। ब्राह्मणविशेषस्य संज्ञेयम्। लौकिकन्यायोऽयं 'तक्रकौण्डिन्यन्याय'शब्देन व्याकरणे प्रसिद्धः। विशेषविहितेन तक्रदानेन सामान्यविहितस्य दधिदानस्य बाध इति भावः। सम्प्रदानेति। दानपात्रेत्यर्थः। सामान्यशास्त्रे विशेषशास्त्रेण स्वसार्थक्याय स्वप्रवृत्तियोग्यातिरिक्तत्वेन सङ्कोचो विधीयते। यथा 'शरमयं बर्हिः' इति विशेषशास्त्रेण 'कुशमयं बर्हिः' इति सामान्यशास्त्रे स्वप्रवृत्तियोग्याभिचारिकर्मातिरिक्तत्वेन, यथा वा 'शल इगु—' इति विशेषशास्त्रे 'च्लेः सिच्' इति सामान्यशास्त्रे स्वप्रवृत्तियोग्येगुपधशलन्तधात्वव्यवहितोत्तरच्लिभिन्नत्वेन, यथा वा 'तक्रं कौण्डिन्याय' इति विशेषविधानेन 'ब्राह्मणेभ्यो दधि देयम्' इति सामान्यविधाने स्वप्रवृत्तियोग्यकौण्डिन्यायत्वेन सङ्कोचो विधीयते, तथैव विशेषविहिताभ्याम् 'प्रकृतम्—' सम्भावनम्—' इत्येताभ्यां सामान्यविहिते 'तद्रूपकम्—' इत्यस्मिन् प्रकृतनिषेधोत्तरकालिकान्यसाधनान्यत्वेन, प्रकृतविषयकसदृशकरणकसम्भावनान्यत्वेन च सङ्कोचो विधीयेत, तथा चापह्नुत्युत्प्रेक्षालक्ष्यातिरिक्ते 'मुखं चन्द्रः' इत्यादावेव रूपकलक्षणस्य प्रवृत्तिरिति नातिव्याप्तिरिति शङ्कादलस्याभिप्रायः। समाधत्ते—वैषम्येति। दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैलक्षण्यादिति भावः। तदेव वैलक्षण्यं स्फोरयति—विशेषशास्त्रम् इति। ग्राहयत् इति। न त्वग्राहयदिति भावः। तस्यैव तद्बीजत्वात्। धर्म इति। अभेदस्वरूप इत्यर्थः। अयं भावः—दृष्टान्तभूतानि वस्तूनि, शास्त्ररूपाणि वचनानि, न धर्मरूपाणि, अतस्तत्रैतत्सम्भवति यदेकं शास्त्रमपरस्य शास्त्रस्य विषयं स्वविषयातिरिक्तत्वेन सङ्कुचितं कुर्यादिति, प्रकृते तु तत्तदलङ्कारस्य

धर्मरूपं तत्तल्लक्षणम् इति नैतत्सम्भवति यत्प्रसज्यमानं तद्धर्मात्मकं लक्षणं स्थानविशेषान्निरस्य स्थानविशेष एव केन्द्रितं कृतं स्यादिति, यथा घटत्वं पृथिवीत्वद्रव्यत्वादिरहितेऽधिकरणे स्थापयितुं न शक्यम् इति । उपसंहरति—तस्मादिति । बाधाद्यसम्भवादिति तदर्थः । अस्मिन् लक्षणे इति । मम्मटकृतरूपकलक्षणे इत्यर्थः । तथा च दुष्टमेव मम्मटीयमेतद्रूपकलक्षणमिति भावः । पुनर्मम्मटलक्षणसमर्थनायान्यदाशंक्य समाधत्ते—न चेति । अयमत्र निर्गलितार्थः-उक्तलक्षणानुसारम् उत्प्रेक्षायाः सम्भावनं स्वरूपम्, रूपकस्य चाभेदः, तथा च नानयोः सङ्कीर्णताप्रसङ्गः कथमपि सम्भवति, सर्वथा विभिन्नविषयकत्वात्तयोरित्यपि न सम्भवदुक्तिकम्, विनिगमनाविरहेण विषयसम्भावनवत् सम्भाव्यमानविषयाभेदस्यापि उत्प्रेक्षास्वरूपत्वेनाङ्गीकरणीयत्वात्, तथा च सङ्कीर्णताप्रसङ्गः इत्याशयात् । 'अभेदो रूपकम्' इत्युक्तौ सम्भाव्यमानोऽप्यभेदो ग्रहीतुं शक्येतेति परमार्थः । ननु भवद्रीत्या सम्भाव्यमानोऽभेद उत्प्रेक्षा । ये तु विषयसम्भावनामेवोत्प्रेक्षां मन्यन्ते, तन्मते न रूपकलक्षणस्योत्प्रेक्षायामतिप्रसङ्ग इति चेत् ? सत्यम्, परन्तु तथा सति लक्षणविषये मतभेदात् उत्प्रेक्षायामेव । उत्प्रेक्षा-रूपकमित्यलङ्कारद्वयव्यवहार आपतेत् । उत्प्रेक्षायां विषयाभेदस्य सम्भाव्यमानतया न निश्चय इति अतिव्याप्तिनिरासाय रूपकलक्षणे निश्चयगोचरत्वेनाभेदो विशेषणीय इति, चेत् ? समागतो मदीयः पन्थाः । कथंचिद्रूपकलक्षणे निश्चयः प्रवेष्टव्योऽन्यथाऽनुगतं लक्षणं न स्यादित्येव ममाभिप्राय इति ।

पूर्वोक्त अतिव्याप्तिवारक कुछ युक्तियाँ बतलाकर पुनः उनके खण्डन किये जाते हैं—न च इत्यादि । 'प्रकृतं यत्—अर्थात् उपमेय का निषेध करके उसे उपमान सिद्ध करना अपह्नुति कहलाता है ।' और 'सम्भावनम्—अर्थात् उपमेय की उपमान के रूप में सम्भावना उत्प्रेक्षा कहलाती है ।' तात्पर्य यह है कि-अभेद के रहने पर भी जहाँ निषेध हो वहाँ अपह्नुति होती है और जहाँ सम्भावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा होती है । ये दोनों क्रमशः मम्मटकृत अपह्नुति और उत्प्रेक्षा के लक्षण हैं, जो विशेषरूप हैं और उक्त रूपकलक्षण है सामान्यरूप, अतः इन विशेष लक्षणों से उस सामान्य लक्षण का बाध होगा—अर्थात् ये दोनों विशेष लक्षण, 'मेरी प्रवृत्ति होने योग्य निषेध तथा सम्भावना स्थिति से भिन्न शुद्ध अभेद में ही तुम प्रवृत्त होवो' इस प्रकार से उक्त सामान्य रूपकलक्षण में सङ्कोच कर देंगे, फलतः 'यह मुख नहीं, चन्द्र है' इत्यादि अपह्नुति और 'मानो मुख चन्द्र है' इत्यादि उत्प्रेक्षा के लक्ष्यों से भिन्न 'मुख चन्द्र है' इत्यादि ही रूपक के लक्ष्य होंगे । इस तरह का बाध्य-बाधकभाव भिन्न-भिन्न शास्त्रों तथा लोक में भी देखा जाता है । जैसे—सामान्य यज्ञ के प्रकरण में 'कुशों का बर्हि होना चाहिये' ऐसा विधान किया गया है और आभिचारिक (मारणात्मक) यज्ञप्रकरण में 'सरकण्डे का बर्हि होना चाहिये' ऐसा विधान किया गया है । अब ये दोनों ही विधान कैसे सार्थक हों, इसलिये इन दोनों विधानों में बाध्य-बाधकभाव माना जाता है अर्थात् विशेषविहित द्वितीय वाक्य होता है बाधक और सामान्यविहित प्रथम वचन होता है बाध्य, फलतः उक्तविध सङ्कोचप्रक्रिया के द्वारा बाधक वचन के विषयों—आभिचारिक यज्ञों—से अन्य स्वर्गादिप्रापक यज्ञ ही बाध्यवचन के विषय होते हैं । यह तो हुआ मीमांसाशास्त्र का दृष्टान्त । अब व्याकरणशास्त्र का दृष्टान्त देखिये—व्याकरणशास्त्र में सामान्यतः 'च्लेः सिच्' इस सूत्र से 'च्लि प्रत्यय' के स्थान में 'सिच्' आदेश विहित है और उसी 'च्लि प्रत्यय' के स्थान में 'शल इगु—' इस सूत्र से 'क्स' आदेश भी विशेषतः विहित है ।

अब यहाँ भी दोनों सूत्रों की सार्थकता के लिये बाध्य-बाधकभाव मानना पड़ता है-अर्थात् विशेषविहित 'क्स' से सामान्यविहित 'सिच्' का बाध होता है, फलतः उक्त सङ्कोचात्मक प्रक्रिया के अनुसार 'क्स' के लक्ष्य से भिन्न ही 'सिच्' का लक्ष्य होता है। लोक में भी इस तरह के दृष्टान्त का अभाव नहीं है। देखिये—जब किसी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि-'सभी ब्राह्मणों को दही दिया जाय' और 'कौण्डिन्य को तक्र' तब ब्राह्मण होने के नाते यद्यपि 'कौण्डिन्य' को भी दधिदान प्राप्त है, तथापि विशेषविहित तक्रदानवचन से सामान्यविहित दधिदानवचन का बाध हो जाने से उस (कौण्डिन्य) को तक्र ही दिया जाता है दधि नहीं, फलतः तक्रदान का जो सम्प्रदान—दानपात्र-होता है, उससे भिन्न ही दधिदान का सम्प्रदान-दानपात्र-होता है। ठीक यही बात प्रकृत में भी है अर्थात् जहाँ निषेध तथा सम्भावना वाला अभेद हो वहाँ क्रमशः अपह्नुति और उत्प्रेक्षा होगी और जहाँ केवल अभेद होगा वहाँ रूपक। अतः रूपक-लक्षण की अतिव्याप्ति उत्प्रेक्षा में हो जायगी ऐसी आशङ्का नहीं की जा सकती, यह यदि मम्मटभट्ट अथवा उनके समर्थक जन कहें, तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने जो-जो दृष्टान्त उपस्थित किये हैं वे विषम हैं-प्रकृत में ठीक-ठीक बैठते नहीं। अभिप्राय यह कि वे सब (दृष्टान्त में आते हुये) शास्त्रीय किंवा लौकिक विधायक वचन हैं, उनमें ऐसी बात हो सकती है कि-जो वचन 'अपने लक्ष्यों से भिन्न लक्ष्यों में ही तुम लगो' इस तरह का बोध करावे, वह बाधक कहलावे और जिस वचन के विषय में उक्त प्रकार का बोध कराया जाय वह कहलावे बाध्य, पर यहाँ तो ऐसी बात संभव नहीं, क्योंकि रूपक का लक्षण क्या है? रूपक में रहनेवाला साधारण धर्म (सभी लक्षण लक्षणीय के असाधारण धर्म ही होते हैं)। वह धर्म यदि उत्प्रेक्षा में भी पाया जाय. तब कौन उसको वहाँ से हटाकर अन्यत्र केन्द्रित कर सकेगा। अर्थात् रूपक का असाधारण धर्म जब उत्प्रेक्षा में रहेगा, तब 'यह उत्प्रेक्षा है, रूपक नहीं' यह बात कोई कैसे समझा सकेगा। रूपक का लक्षण हुआ सामान्य धर्म और उत्प्रेक्षा का लक्षण हुआ विशेष धर्म यही न, पर इससे क्या! विशेष धर्म सामान्य धर्म को हटाकर रहे ऐसी बात तो है नहीं, घड़ों में 'घटत्व' रूप विशेष धर्म के साथ-साथ पृथ्वीत्व द्रव्यत्व आदि सामान्य धर्म भी रहते हैं, अब यदि कोई पृथ्वीत्व तथा द्रव्यत्व को हटाकर केवल घटत्व को किसी अधिकरण में रखना चाहे तो क्या रख सकता है? कभी नहीं। उसी तरह अपह्नुति और उत्प्रेक्षा में निषेध और संभावनारूप विशेषधर्मों के साथ रहनेवाले अभेद-रूप सामान्य धर्म को कोई हटा नहीं सकता। और अभेद जब है, तब रूपक भी वहाँ आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लक्षणानुसार उपमान-उपमेय का अभेद रहने पर रूपक होगा ही। अतः इस मम्मटकृत रूपकलक्षण में अतिव्याप्ति दोष है, आप कहेंगे—उत्प्रेक्षा का स्वरूप है सम्भावना और रूपक का अभेद, फिर 'अभेद होना' जो रूपक का लक्षण है उसकी उत्प्रेक्षा में अतिव्याप्ति कैसे होगी? दोनों दो वस्तुएँ हैं। इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि-जब उत्प्रेक्षा में संभावना तथा अभेद दोनों की उपलब्धि होती है, तब अभेद से युक्त सम्भावना के समान संभावना से युक्त अभेद को भी उत्प्रेक्षा कहा जा सकता है-अर्थात् सम्भावना को ही प्रधान और अभेद को गौण मानने में कोई खास प्रमाण नहीं है। और जब अभेद की प्रधानता मान ली जायगी, तब उसको रूपक न मानने में आपका कोई भी तर्क सफल नहीं हो सकता। दूसरे, रूपक का ऐसा लक्षण करने पर उत्प्रेक्षा में उपमेय के अभेद के हिसाब से रूपक का और सम्भावना के हिसाब से उत्प्रेक्षा का इस तरह दो अलङ्कारों का व्यवहार

होने लगेगा। कारण, आप किसी भी व्यवहार को हटा नहीं सकते। अब यदि आप कहें कि-रूपकलक्षण में अभेद के साथ 'निश्चीयमान—अर्थात् निश्चित किया जानेवाला' यह एक विशेषण और लगा देंगे, अतः उत्प्रेक्षास्थलीय सम्भाव्यमान अभेद रूपक नहीं कहला सकेगा, तो मैं भी इसका स्वागत करूँगा—स्वागत न कैसे करूँ, क्योंकि यह तो मेरा ही बताया रास्ता है-अर्थात् जिस तरह मैंने रूपकलक्षण में 'निश्चय' का प्रवेश कराया है उस तरह यदि आप भी उसका प्रवेश अपने लक्षण में करा दें तब तो कोई विवाद ही हम और आप में नहीं रहा।

सम्प्रति प्राचीनाभिमतान् रूपकभेदानाचष्टे—

तदिदं रूपकं सावयवं निरवयवं परम्परितं चेति तावत्त्रिविधम्। तत्राद्यं समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति चेति द्विविधम्। द्वितीयमपि केवलं मालारूपकं चेति द्विविधम्। तृतीयं च श्लिष्टपरम्परितं शुद्धपरम्परितं चेति द्विविधं सत्प्रत्येकं केवलमालारूपत्वाभ्यां चतुर्विधमित्यष्टविधमाहुः।

इदं पूर्वोक्तम्। तावत् आदौ। आहुरिति। प्रकाशकारादय इति भावः। एतत्सूचिता-रुचिस्त्वग्रे स्फुटीभविष्यति। अन्यत् सुगमम्।

अब रूपक के प्राचीनाभिमत भेद किये जाते हैं—तदिदमित्यादि। पूर्वोक्त रूपक के प्रथमतः तीन भेद हैं—सावयव, निरवयव और परम्परित। उनमें से सावयव रूपक के दो प्रकार होते हैं-एक समस्तवस्तुविषय और दूसरा एकदेशविवर्त्ती। निरवयव रूपक के भी दो उपभेद होते हैं-एक केवलरूपक तथा दूसरा मालारूपक। परम्परित रूपक के चार उपभेद होते हैं—श्लिष्टपरम्परित केवलरूप और मालारूप, इसी तरह शुद्धपरम्परित केवलरूप और मालारूप। इस प्रकार से रूपक के कुछ आठ भेद होते हैं—ऐसा मम्मटभट्ट आदि कहते हैं। 'मम्मटभट्ट आदि कहते हैं' इस कथन के कुछ अरुचि सूचित होती है, इस अरुचि का बीज आगे स्पष्ट किया जायगा।

उक्तेषु प्रधानभेदेषु लिलक्षितेषु तावत्प्रथमभेदं लक्षयति—

तत्र—

परस्परसापेक्षनिष्पत्तिकानां रूपकाणां संघातः सावयवम्।

तत्रेति। उक्तभेदानां मध्य इत्यर्थः। परस्परेति। परस्परं मिथः, सापेक्षा आश्रिता, निष्पत्तिः सिद्धिर्येषां तेषामित्यर्थः। संघातः समूहः। अन्योन्यापेक्षया सिद्ध्यतां रूपकाणां समूहः सावयवरूपकं कथ्यत इति भावः।

रूपक के पूर्वोक्त भेदों के लक्षणकरणप्रसङ्ग में सर्वप्रथम प्रथम भेद का लक्षण किया जाता है—तत्र इत्यादि। उक्त भेदों के मध्य में—एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होनेवाले रूपकों के समूह को सावयव रूपक कहते हैं।

सावयवरूपकोपभेदौ लिलक्षयिषुस्तावत् प्रथमोपभेदं लक्षयति—

तत्रापि—

समस्तानि वस्तून्यारोप्यमाणानि शब्दोपात्तानि यत्र तत्समस्तवस्तुविषयम्।

तत्रापीति। सावयवरूपकेऽपीत्यर्थः। आरोप्यमाणानीति। आरोपस्य विषयिण इत्यर्थः। उपमानानीति यावत्। यत्र सावयवे रूपके सर्वाण्युपमानानि शब्दतः प्रतिपादितानि तिष्ठन्ति तत्समस्तवस्तुविषयनामकं रूपकं कथ्यत इति भावः।

सावयव रूपक के प्रथम उपभेद का लक्षण किया जाता है—तत्रापि इत्यादि। सावयव रूपक में भी, उसको 'समस्तवस्तुविषय' नामक रूपक कहा जाता है, जिसमें सभी आरोपणीय-उपमानभूत-पदार्थों का ग्रहण शब्दतः किया गया रहता है।

द्वितीयसावयवरूपकोपभेदं लक्षयति—

यत्र च क्वचिदवयवे शब्दोपात्तमारोप्यमाणं क्वचिच्चार्थसामर्थ्याक्षिप्तं तदेकदेशे शब्दानुपात्तविषयिके अवयवरूपके विवर्तनात्स्वस्वरूपगोपनेनान्यथात्वेन वर्तनादेकदेशविवर्ति।

यत्र चेति। यत्र तु संघातात्मकसावयवरूपके इत्यर्थः। अत्र सामर्थ्याक्षिप्तं तत् एकदेशविवर्ति इत्यंशो लक्षणम्, अपरांशस्तु नामकरणव्याख्येति विवेकः। अवयवरूपके इति। रूपकसंघातस्यावयविनोऽवयवे कस्मिंश्चिद्रूपके इत्यर्थः। विवर्तनादिति। विरुद्धतया वर्तनादित्यर्थः। विरुद्धत्वमेवाह—स्वेति। यस्मिन् रूपकसंघातात्मकतयाऽवयविभूते सावयवरूपके एकावयवभूतरूपकघटकमुपमानं शब्दतो गृहीतं तथा अपरावयवभूतरूपकघटकमुपमानं न शब्दतो गृहीतमपि तु अर्थबललब्धं भवति तत् एकदेशविवर्तिरूपकं कथ्यत इति लक्षणार्थः। ननु कथमेतन्नामकरणम् इति चेत्? एकदेशे-उपमानवाचकपदशून्ये अवयवभूते रूपके-विवर्तनात्—विरुद्धतया वर्तनात्—शब्दोपात्तोपमानकावयवरूपकापेक्षयाभिन्नतया, रूपकस्वरूपगोपनपूर्वकमित्यर्थः, स्थितेरिति बोध्यम्।

सावयव रूपक के द्वितीय उपभेद का लक्षण किया जाता है—यत्र च इत्यादि। जिस सावयव रूपक में, अवयव में उपमान शब्दतः कथित हो और किसी अवयव में वह (उपमान) अर्थतः आक्षिप्त होता हो, वह 'एकदेशविवर्ति रूपक' कहलाता है। यह रूपक, एकदेश-अर्थात् जहाँ उपमान का ग्रहण शब्दतः नहीं किया हो उस अवयवभूत रूपक—में अपने स्वरूप को छिपाए रहता है, अतः उसकी स्थिति अन्यथा—अर्थात् जिनमें उपमान का शब्दतः ग्रहण किया गया हो उनसे भिन्न—होती है, अतः इसे 'एकदेशविवर्ति' कहा जाता है।

नामकरणबीजविषयकमतभेदमाह—

यद्वा—

एकदेशे उपात्तविषयिके अवयवे विशेषेण स्फुटतया वर्तनादेकदेशविवर्ति॥

विनिगमनाभावादाह यद्वेति। अथवेति तदर्थः। अवयव इति अवयवरूपक इत्यर्थः। एतच्च 'एकदेशे' इत्यस्य व्याख्या। विवर्तनपदघटकव्युपसर्गस्यार्थमाह-विशेषेणेति। तद्व्याख्यामाह—स्फुटतयेति। अन्यत् स्फुटम्।

'एकदेशविवर्ति' इस नामकरण में मतभेद से दूसरी युक्ति दिखलाई जाती है—यद्वेत्यादि। अथवा, यह रूपक एकदेश में—अर्थात् जहाँ शब्दतः उपमान गृहीत हो वहाँ-विशेषरूप से-अर्थात् स्पष्टतया-वर्तमान रहता है। तात्पर्य यह है कि अन्य अंश में स्पष्टतया वर्तमान नहीं रहता है अतः इसे 'एकदेशविवर्ति' कहा जाता है।

उदारण निर्देष्टुमाह—

समस्तवस्तुविषयं सावयवं यथा—

समस्तवस्तुविषयाख्यसावयवरूपकोदाहरणं निम्ननिर्दिष्टमवगन्तव्यमिति भावः।

समस्तवस्तुविषय नामक सावयव रूपक, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'सुविमलमौक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे ।
वदनपरिपूर्णचन्द्रे सुन्दरि राकासि नात्र सन्देहः ॥'

नायको नायिकामाह—सुविमलानि अतिस्वच्छानि, मौक्तिकानि मुक्ताभरणानि, तारा नक्षत्राणि यत्र तत्संबुद्धौ रूपम्, धवलं शुभ्रम्, अंशुकं वसनम्, चन्द्रिकाया चन्द्रज्योत्स्नायाः चमत्कारो विलासो यत्र तादृशी, वदनं मुखम्, परिपूर्णः सम्पूर्णमण्डलः, चन्द्रो यत्र तादृशी, हे सुन्दरी ! त्वम्, राका पूर्णिमा, असि वर्तसे, अत्र विषये, संदेहः संशयो नास्तीत्यर्थः । अत्र पद्ये चत्वारि रूपकाणि—मुक्तानक्षत्रयोरेकम्, वसनज्योत्स्नयोर्द्वितीयम्, मुखचन्द्रयोस्तृतीयम्, नायिकापूर्णिमयोश्च चतुर्थम् । एषां च रूपकाणां सिद्धिः परस्परसापेक्षा एकं रूपणं विनाऽपरस्य रूपणस्यायुक्तत्वेनानुत्थानात्, अतः सावयवरूपकोदाहरणत्वमत्र सुस्थम् ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सुविमल इत्यादि । हे सुन्दरी ! तू पूनो की रजनी हो-इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि-तुम में, तेरे आभूषण में पिरोये मोती के दाने विमलतर तारे हैं, तेरा धवल वसन चाँदनी की चमचमाहट है, तेरा मुख पूरा चाँद है-इन सभी अङ्गों के जुटे रहनेपर भला तेरे पूर्णिमा होने में कोई सन्देह कर सकता है ? यहाँ मोती के दाने और तारों में, वसन और चाँदनी की चमचमाहट में, मुख और चन्द्र में तथा सुन्दरी और पूनों की रजनी में रूपक हुए हैं, ये सभी रूपक परस्पर सापेक्ष हैं-एक के विना दूसरे की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः 'सावयव रूपक' का उदाहरण यह पद्य कहा जा सकता है ।

एतदुदाहरणगतं विशेषमाह—

अत्र समुदायात्मकस्य सावयवरूपकस्यावयवानां सर्वेषामपि वस्तुतः समर्थ्यसमर्थकभावस्य परस्परं तुल्यत्वेऽपि कवे राकारूपस्यैव समर्थ्यत्वेनाभिप्रेतत्वात्समर्थकतयोपादानमितरेषामिति गम्यते । एवं स्थिते समर्थकरूपकाणां विषयविषयिणोः पृथग्विभक्तेरश्रवणादनुवाद्यत्वेऽपि समर्थ्यरूपकस्य तयोः पृथग्विभक्तिश्रवणाद्विधेयतया तदादाय सङ्घातात्मकस्य सावयवरूपकस्यापि विधेयत्वमत्र व्यपदिश्यते । यथा भटसङ्घातान्तर्गस्य मुखस्य कस्यापि भटस्य जय-पराजयाभ्यां भटसङ्घातो जितः पराजितश्चेत्युच्यते ।

अवयवानामिति । मुक्तानक्षत्र-वसनज्योत्स्ना-मुखचन्द्र-नायिकापूर्णिमारूपाणामवयवरूपकाणामित्यर्थः । अभिप्रेतत्वादिति । विधेयतया वर्णनीयत्वादिति भावः । तयोर्विषयविषयिणोः । तदादायेति । तदीयविधेयत्वमादायेत्यर्थः । अत्रेति । प्रकृतपद्य इत्यर्थः । अन्यधर्मेणान्यत्र व्यवहारे दृष्टान्तमाह—यथेति । अयं भावः—'सुविमल—' इति पद्यगतं समस्तवस्तुविषयसावयवरूपकं विधेयमिति आलङ्कारिकसम्मतो व्यवहारः । ननु मुक्तानक्षत्रयोः, वसनज्योत्स्नयोः मुखचन्द्रयोश्च रूपकाणां समस्तपदगतानां न विधेयत्वव्यवहारयोग्यत्वम्, तेषु उपमेयोपमानयोः पृथग्विभक्त्यन्तपदानुपस्थाप्यत्वात्, उद्देश्य-विधेयभावबोधे च पृथग्विभक्त्यन्तपदजन्योपस्थितेस्तन्त्रत्वात्, एवञ्चाविधेयानि तानि रूपकाणि

चरमं राकारूपकं च सामादाय समुदायात्मके सावयवरूपके कथं विधेयत्वव्यवहारः सङ्गच्छेदिति चेत् ? सैनिकसमूहगतप्रधानसैनिकस्य जये पराजये वा यथा सैनिकसमूहस्य जयः पराजयश्च व्यवह्रियते, तथैव पृथग्विभक्त्यन्तपदोपस्थाप्यतया विधेयीभूतस्य प्रधानस्य नायिकाराकारूपकस्य समुदायात्मकसावयवरूपकघटकस्य विधेयत्वमादाय समुदायात्मकसावयवरूपकेऽपि विधेयत्वव्यवहारः सङ्गत इत्याशयात्। न च किमत्र राकारूपके प्राधान्यम् इति वाच्यम् , समर्थ्यत्वस्यैव तत्र तत्त्वात्। न च कुतस्तस्यैव समर्थ्यत्वम् , समूहात्मकसावयवरूपकघटकसकलरूपकाणां समर्थ्य-समर्थकभावस्य वस्तुतस्तुल्यत्वादिति वक्तव्यम् , तुल्येऽपि सर्वेषां वस्तुतः समर्थ्य-समर्थकभावे चरमस्य राकारूपकस्यैव समर्थत्वेन कविविवक्षाविषयत्वात् तथा च तदन्यानि रूपकाणि समर्थकान्यनुवाद्यानि चेति।

'सुविमल-'इस उदाहरण में माने जाने वाले सावयव रूपक को विधेयक सिद्ध करने की युक्ति दिखलाई जाती है—अत्र इत्यादि। यह सावयव रूपक अनेक रूपकों का समूह रूप होता है यह बात लक्षण से ही स्पष्ट है। इस समूह के अन्तर्गत जितने अवयवभूत रूपक होते हैं उन सबों में समानरूप से समर्थ्य समर्थकभाव होता है—अर्थात् सभी को समर्थ्य और समर्थक दोनों कह सकते हैं, क्योंकि सबको सब की अपेक्षा बराबर है, फिर भी यहाँ नायिका और पूर्णिमा का जो रूपक है उसी को समर्थ्य माना जायगा और सबको समर्थक, क्योंकि कवि ने नायिका पूर्णिमा रूपक का समर्थन करने के लिये ही अन्य रूपकों का सर्जन किया है। फलतः यहाँ समर्थ्य होने के कारण नायिक-पूर्णिमा रूपक प्रधान है और अन्य रूपक-अर्थात् मुक्तानक्षत्ररूपक, वसनज्योत्स्नारूपक तथा मुखचन्द्ररूपक, समर्थक होने के कारण, अङ्गभूत हैं। ऐसी स्थिति में समर्थक सभी रूपक यद्यपि अनुवाद्य कहे जायेंगे, क्योंकि उन रूपकों में आए हुए उपमान-उपमेयों की उपस्थिति पृथक्-पृथक् विभक्ति वाले पदों से नहीं हुई है—अर्थात् वे रूपक समस्त पदों के वाच्य हैं, अतः समुदाय-समस्त पदसमूह-से एक ही विभक्ति आई है और उद्देश्य-विधेयभाव के बोध में पृथक् विभक्ति वाले पदों से अर्थ का उपस्थित होना कारण माना जाता है, तथापि समर्थ्य (प्रधान) रूपक विधेय कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें आए हुए उपमान-उपमेय की उपस्थिति पृथक् पृथक् विभक्ति वाले पदों से हुई है—अर्थात् वहाँ समास नहीं किया गया है और उस एक अंश की विधेयता को लेकर ही समूहात्मक सावयव रूपक में विधेय होने का व्यवहार किया जाता है। जैसे-योद्धाओं के समूह के अन्तर्गत किसी मुख्य योद्धा के जय अथवा पराजय से योद्धाओं के समूह का जय अथवा पराजय व्यवहृत होता है। सारांश यह हुआ कि-यदि समर्थ्यरूपक विधेय हो तो समग्र सावयवरूपक विधेय माना जाता है, और उसके अङ्गरूप समर्थकरूपकों के अनुवाद्य होने का अनुरोध नहीं किया जाता।

उदाहरणान्तरमाह—

'व्योमाङ्गणे सरसि नीलिमदिव्यतोये
तारावलीमुकुलमण्डलमण्डितेऽस्मिन्।
आभाति षोडशकलादलमङ्कभृङ्गं
सूराभिमुख्यविकचं शशिपुण्डरीकम्॥'

कविः पूर्णेन्दु वर्णयति—नीलिमा नैल्यम् , दिव्यं प्रसन्नतमम् , तोयं जलम्, यस्मिन् , तस्मिन् , तथा, तारावली नक्षत्रपङ्क्तिः, मुकुलमण्डलं कमलकलिकासमुदायः (कर्मधारयः),

तेन, मण्डितेऽलंकृते, अस्मिन् प्रत्यक्षे, व्योमाङ्गणे सरसि गगनसरोवरे, षोडश-कलाः ज्योतिःशास्त्रख्याततावत्सङ्ख्याका ज्योत्स्नाः, दलानि पत्राणि यस्मिन् तत्, अङ्कः कलङ्कः, भृङ्गः भ्रमरः, यस्मिन् तत्, तथा, सूरस्य सूर्यस्य, आभिमुख्येन सम्मुखागमनेन, विकच विकसितम्, शशिपुण्डरीकं चन्द्ररूपं कमलम्, आभाति शोभत इत्यर्थः। परस्परसापेक्ष निष्पत्तिरूपकसङ्घातस्यात्र सत्त्वादिदमपि पद्यं समस्तवस्तुविषयसावयवरूपकोदाहरण-मिति भावः।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—व्योम इत्यादि। कवि पूर्णचन्द्र का वर्णन करता है—आकाश एक सरोवर है। नीलिमा उसका दिव्य (प्रसन्न) जल। यह सरोवर नक्षत्रराशिरूप कमलकोरकों से विभूषित है। इस सरोवर में कलङ्क-रूप-भ्रमर से युक्त षोडशकलारूप षोडश पत्तों वाला यह विकसित चन्द्र-रूप कमल, शोभित हो रहा है, यह कमल विकसित क्यों नहीं होता? सूर्य के सामने जो है—सूर्य के सामने पड़े और कमल खिले नहीं यह असम्भव है। यहाँ भी परस्पर-सापेक्ष अनेक रूपकों का समूह वर्णित है, अतः यह पद्य भी 'समस्तवस्तुविषयक सावयवरूपक' का उदाहरण समझा जाता है।

उदाहरणान्तर-दान-निदानभूतं विशेषमाह—

अस्य तु सावयवरूपकस्यानुवाद्यत्वमेव।

पूर्वोदाहरणगतं सावयवरूपकं विधेयमासीत्, 'व्योमेति—' पद्यगतं तत्तु न विधेयम्, अपि तु अनुवाद्यमेव, कतिपयसमर्थकरूपकैः सह समर्थ्यस्य शशिपुण्डरीकरूपकस्यापि पृथग्-विभक्तिकपदजन्योपस्थितोपमानोपमेयकताविरहेणोद्देश्यविधेयभावानवगाहित्वात्, सर्वमु-द्दिश्य भानक्रियाया एव विधानाच्चेति भावः।

द्वितीय उदाहरण दिखलाने का बीज बतलाया जाता है—अत्र तु इत्यादि। 'सुवि-मल—' इस प्रथम उदाहरण में सावयवरूपक विधेय था, पर 'व्योम—' इस द्वितीय उदाहरण में वह विधेय नहीं है, अपि तु अनुवाद्य है, क्योंकि-समर्थक रूपकों के साथ समर्थ्य अतएव प्रधानरूपक (चन्द्र-कमल) अंश में भी पृथक् विभक्तियाँ नहीं हैं, अतः उद्देश्य-विधेयभाव नहीं हो सकता, फलतः यहाँ सभी रूपकाक्रान्त पदार्थों को उद्देश्य बनाकर भान क्रिया का ही विधान किया गया है।

ननु सर्वमेतत्सत्यम्, परन्तु द्वितीयोदाहरणे सूर्याभिमुख्यविकचत्वं चन्द्रमसि वर्णितं कथं सङ्गतम्, सूर्याभिमुख्यकाले दिवसे चन्द्रविकासस्यासिद्धत्वादित्यत आह—

अत्र वर्ण्यस्य पूर्णचन्द्रस्य सूर्याभिमुख्यं ज्योतिःशास्त्रसिद्धम्। तेन सूर्याभि-मुख्ये चन्द्रस्य कथं विकास इति न शङ्कनीयम्।

'व्योमाङ्गणे—' द्वितीयोदाहरणे पूर्णचन्द्रो वर्णनीयः, स च पूर्णिमागत एव सम्भव-तीति निर्विवादम्, पूर्णिमाचन्द्रश्च सूर्याभिमुखो भवतीति ज्योतिःसिद्धान्तसिद्धं वस्तु। अयं भावः-सूर्यतेजसैव चन्द्रस्तेजस्वी भवतीति नाविदितं शास्त्रज्ञानाम्, एवञ्च पूर्णिमायां पूर्णं सूर्यतेजश्चन्द्रे प्रतिफलति, अत एव तस्यां तिथौ चन्द्रमसः पूर्णत्वम्—अर्थात् तस्यां तिथौ षड्राश्यन्तरितौ सूर्याचन्द्रमसौ समानान्तरतया मिथोऽभिमुखौ तिष्ठत इति।

द्वितीय उदाहरण में चन्द्रमा का सूर्याभिमुख होने के कारण विकसित होने की बात कैसे सङ्गत होगी? क्योंकि 'दिनमें-सूर्य की आभिमुख्यावस्था में-चन्द्र का तिरोहित होना

ही देखा जाता है' इस आशङ्का का उत्तर दिया जाता है—अत्र इत्यादि। 'व्योमाङ्गणे—' इस द्वितीय उदाहरण में जिस पूर्णचन्द्र का वर्णन करना कवि को अभीष्ट है वह पूर्ण चन्द्र पूर्णिमा-तिथि में ही होता है और उस तिथि में चन्द्र, सूर्य के आमने-सामने रहता है, यह बात ज्योतिःशास्त्र के सिद्धान्त भाग में प्रसिद्ध है—अर्थात् सूर्य के तेज से ही चन्द्र में तेज आता है और जिस समय सूर्य के सामने चन्द्र पड़ता है उस समय चन्द्र का पूर्ण प्रकाश दिखाई पड़ता है और वह समय है पूर्णिमा, क्योंकि उस तिथि में सूर्य तथा चन्द्र में छ राशियों का अन्तर पड़ता है, अतः समानान्तर रेखा पर स्थित सूर्य-चन्द्र परस्पर अभिमुख रहते हैं, अतएव सूर्य की अभिमुखता में चन्द्र का विकास कैसे होगा यह शङ्का नहीं करनी चाहिए।

सावयवरूपकस्य द्वितीयं भेदमुदाहर्तुमाह—

एकदेशविवर्ति सावयवं यथा—

सावयवरूपकस्यैकदेशविवर्तिनामको द्वितीयो भेदो येन प्रकारेण सम्पद्यते स प्रकारो लक्ष्यगततया प्रदर्श्यत इति भावः।

सावयव रूपक के द्वितीय भेद का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—एक इत्यादि। एकदेशविवर्ति सावयव रूपक जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'भव-ग्रीष्म-प्रौढातप-निवह-सन्तप्त-वपुषो
बलादुन्मूल्य द्राङ्निगडमविवेक-व्यतिकरम्।
विशुद्धेऽस्मिन्नात्मामृतसरसि नैराश्य-शिशिरे
विगाहन्ते दूरीकृतकलुषजालाः सुकृतिनः॥'

भवरूपः संसारात्मको, यः, ग्रीष्मः तापमयः समय-विशेषः, तस्य, प्रौढेन बलवत्तरेण, आतपनिवहेन आतपरूपस्य ताप-विशेषस्य समूहेन, सन्तप्तानि व्याकुलीकृतानीति यावत्, वपूंषि शरीराणि येषां तादृशाः, सुकृतिनः पुण्यवन्तो जनाः, अविवेकः क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोर्भेदज्ञानराहित्यम्, तस्य व्यतिकरम् सम्बन्धम्, निगडं पाशम्, अज्ञानाश्रयत्वरूपबन्धनसाधनमिति समुदितार्थः, द्राक् शीघ्रम्, बलात् बलात्कारेण, उन्मूल्य मूलतो निरस्य, दूरीकृतं नाशितम्, कलुषजालं पापपुञ्जम्, यैस्तादृशाः सन्तः, नैराश्येन सांसारिकविषयवैमुख्येन, शिशिरे शीतले, अथ च विशुद्धे निर्मले, अस्मिन् अतिनिकटस्थे आत्मामृतसरसि आत्मरूपे पीयूषसरोवरे, विगाहन्ते निमज्जन्ति-मज्जनपूर्वकं स्नान्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—भव इत्यादि। संसार वह ग्रीष्म ऋतु है जिसके प्रबल धूप-समूह (क्लेश विशेष) से मनुष्यों के शरीर झुलसते रहते हैं, पर जब कोई सद्गुरु मिल जाता है, तब उनके सदुपदेशों से धर्माचरण में प्रवृत्ति बन जाती है तभी उनके पाप-जाल दूर चले जाते हैं और जब मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं, तब वे अतिशीघ्र जोर जबर्दस्ती, अपने में वर्तमान अज्ञान-सम्बन्धरूप पाशको जड़मूल से तोड़कर विशुद्ध तथा विषयवैमुख्य के कारण शीतल इस आत्मरूप अमृत-सरोवर में अवगाहन करने लगते हैं—डुबकियाँ लगाने लगते हैं।

उपपादयति—

अत्र सहचरैर्निगडादिरूपकैः सुकृतिषु गजरूपकमाक्षिप्यते।

सहचरैरिति । सहवर्णितैरित्यर्थः । अनेनाक्षेपकत्वयोग्यता, गजरूपकस्य प्राधान्यं च सूचितम् । निगडादीति । आदिपदेन ग्रीष्मसरोवरादिरूपकाणां संग्रहो बोध्यः । अयं भावः- 'भवग्रीष्म—' इति श्लोके मिथःसापेक्षसिद्धिकानि बहूनि रूपकाणि सन्तीति तत्सङ्घातस्य सावयवरूपकत्वम् तत्रापि समर्थकरूपकाणाम् उपमानानि शब्दोपात्तानि, समर्थ्यरूपकोपमानञ्च न शब्दोपात्तम् अपि त्वार्थमिति एकदेशविवर्तित्वञ्चात्र सिद्धयतीति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'भवग्रीष्म—' इस पद्य में संसार ग्रीष्म का, अज्ञान संबन्ध-पाश का आत्मा सरोवर का और गज पुण्यवानों का रूपक वर्णित है जो परस्पर सापेक्ष हैं अतः इन रूपकों का समूह सावयव रूपक कहलाता है और वह सावयव रूपक भी इसलिये एकदेशविवर्ति कहलाता है कि—समर्थकरूपक शब्दतः कथित है और उन सहचारी समर्थकरूपकों से खासकर पाशरूपक से समर्थ्य-प्रधान 'गज-पुण्यवानों' का रूपक शब्दतः उक्त नहीं रहनेपर भी आक्षिप्त हो जाता है । स्पष्ट अभिप्राय यह कि—जब शरीरताप के कारण बेड़ी-तोड़कर सरोवर में मज्जन करने की बात मनुष्य में वर्णित हुई है, तब उस वर्णन से मज्जन करनेवाले मानवों की गजरूपता स्वयं विदित हो ही जाती है ।

उदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'रूपजला चलनयना नाभ्यावर्ता कचावलीभुजगा ।
मज्जन्ति यत्र सन्तः सेयं तरुणीतरङ्गिणी विषमा ॥'

कविः कथयति—रूपं सौन्दर्यं, जलं यस्यां सा, चले चञ्चले, नयने यस्यां सा, अत्र नयनयोर्मीनरूपताऽऽक्षिप्यते, नाभिः आवर्तो यस्यां सा, तथा कचावली केशसमूहः भुजगः सर्पो यस्यां सा इयं प्रत्यक्षभूता, सा तादृशी, विषमा भयङ्करी, तरुणीतरङ्गिणी युवतीरूपा नदी, यत्र यस्यां नद्यां, सन्तः सज्जनाः, मज्जन्ति अवगाहन्ति ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—रूपजला इत्यादि । यह युवती वह भयङ्कर नदी है, जिस में सज्जन डूब जाते हैं । युवती नदी कैसे है ? क्यों नहीं है, जब कि एक नदी में रहने वाली सभी चीजें उस में भी वर्तमान हैं—इस में रूप ही जल है, चञ्चल नेत्र मछलियां हैं, नाभि आवर्त है और केशों की पङ्क्ति सर्प है ।

उदाहरणान्तरदाने बीजमुद्भावयति—

पूर्वं तु कवेः समर्थ्यत्वेनाभिमतस्य रूपकस्याक्षेपः, इह तु समर्थकत्वेनाभिमतस्य नयनयोर्मीनरूपकस्येति विशेषः ।

'भवग्रीष्म—' इति प्रथमोदाहरणे समर्थ्यत्वेन कविविवक्षाविषयस्य शब्दतोऽनुक्तस्य 'गजसुकृतिरूपकस्य' अर्थादाक्षेपो भवति, 'रूपजला—' इति द्वितीयोदाहरणे पुनः समर्थकत्वेन कविविवक्षाविषयस्य शब्दतोऽनुपात्तस्य नयनमीनरूपकस्यार्थादाक्षेप इति द्वयोरुदाहरणयोर्विशेषः । एतद्विशेष्यप्रदर्शनायैवोदाहरणद्वयदानमिति भावः ।

द्वितीय उदाहरण दिखलाने में बीज कहा जाता है—पूर्वं तु इत्यादि । प्रथम उदाहरण-'भवग्रीष्म-'-में उस गज-रूपक का अर्थतः आक्षेप होता है, जिसे कवि समर्थ्य

रूप में उपस्थित करना चाहता है, और द्वितीय उदाहरण—'रूपजला-'-में उस मीन रूपक का अर्थतः आक्षेप होता है, जिसे कवि समर्थक रूप में वर्णित करना चाहता है। सारांश यह कि समर्थ्य अथवा समर्थक दोनों रूपकों में से किसी भी प्रकार के रूपक का अर्थतः आक्षेप होने पर एकदेशविवर्ति रूपक होता है—उन में से समर्थ्य के आक्षेप वाले रूपक का उदाहरण है प्रथम पद्य और समर्थक के आक्षेप का उदाहरण है दूसरा पद्य।

ननु रूपकसंघातात्मकस्यास्य सावयवरूपकस्य कथं रूपकभेदेषु पृथग्गणनेति शङ्कां समाधातुमाह—

अत्र च चमत्कारविशेषजनकतया रूपकसंघातात्मकमपि सावयवरूपकं रूपकालंकृतिभेदगणनायां गण्यते। यथा मौक्तिकालंकृतिभेदगणनायामेकं नासामौक्तिकमिव सङ्घातात्मकमौक्तिकमञ्जर्यादयोऽपि गण्यन्ते। अन्यथा माला-रूपस्योपमादेस्तद्भेदगणनेऽगणनप्रसङ्गात्। एतेन 'गवां सङ्घातो गोभेदानां कपिलादीनां गणनायां यथा न गण्यते तथा रूपकभेदगणनाप्रस्तुतौ न तत्सङ्घा-तात्मकं सावयवं गणनीयम्' इति परास्तम्।

जनकतयेति। गणनायां हेतुरयम्। गण्यत इति। पृथगिति शेषः। लोकदृष्टान्तेन सिद्धमर्थं प्रतिपाद्य व्यतिरेकमुखेन द्रढयति—अन्यथेति। सङ्घातस्य प्रत्येकादवयवात्पृथग्-गणने इति तदर्थः। तद्भेदेति। उपमालङ्कारभेदेत्यर्थः। साहित्यशास्त्रे चमत्कारवैलक्षण्य-मेव भेदवैलक्षण्ये निदानम्। तथा च यथा मुक्तालङ्कारभेदगणनप्रसङ्गे एकं नासाभरण-भूतमौक्तिकमिव भिन्नविधशोभासम्पादकतया मुक्तासमूहात्मका मुक्तामञ्जर्यादयोऽपि पृथग् गण्यन्ते, तथैव एकस्य रूपकस्योपेक्षया चमत्कारविशेषोत्पादकतया रूपकसमूहात्मकं सावयवरूपकमपि रूपकालङ्कारभेदगणनप्रसङ्गे पृथक् परिगण्यते। यदि रूपकसङ्घातात्मकस्य सावयवरूपकस्य रूपकालङ्कारभेदेषु पृथग् गणनं न क्रियेत, तर्हि उपमासमूहात्मकस्य मालोपमादेरपि उपमादिभेदेषु पृथग् गणनं न करणीयं स्यात्, क्रियते तद्गणनं सर्वैरित्यत-स्तद्वदस्यापि पृथग्गणनं कर्तव्यमेव। अन्यदृष्टान्तेन सावयवरूपकस्य पृथग्रूपकभेद-गणनेऽगणनं कैश्चिदुत्प्रेक्षितं निरसितुमाह—एतेनेति। उक्तयुक्त्युपन्यासेनेत्यर्थः। अस्य 'परास्तम्' इत्यत्रान्वयः। प्रस्तुतौ प्रस्तावे। गोविशेष-कपिलादि गणनावसरे गोसमूहो यथा पृथग् गोभेदत्वेन न परिगण्यते, तथैव रूपकभेदगणनावसरे रूपकसमूहात्मकस्य सावयवरूपकस्यापि पृथक् परिगणनं नोचितमिति केचिदाचक्षते, किंतु तन्न युक्तम्, प्रति-गोव्यक्तिवत् गोसमूहो नापरं किञ्चित् कार्यं करोतीति तस्य गोभेदगणनेऽगणनेऽपि एक-नासामौक्तिकापेक्षया भिन्नविधकार्यकारित्वेन मौक्तिकसमूहात्मकमुक्तामञ्जर्यादिवत् भिन्न-विधचमत्कारकारित्वेन रूपकसंघातात्मकस्य सावयवरूपकस्य पृथग्गणने बाधकाभावा-दिति भावः।

सावयव रूपक जब रूपकों का समूह ही होता है तब उसकी गणना रूपकालङ्कार के पृथग भेदों में क्यों की जाती है इस आशङ्का का समाधान करने के लिए कहा जाता है—अत्र च इत्यादि। साहित्य-शास्त्र में भिन्न-भिन्न प्रकार के चमत्कारों को उत्पन्न करने के कारण ही भिन्न-भिन्न भेद माने जाते हैं, ऐसी स्थिति में रूपकों का समूहरूप होने पर भी 'सावयव रूपक' की गणना रूपकालङ्कार के भिन्न भेद में होती है-अर्थात्

'सावयवरूपक' रूपकालङ्कार का एक पृथक् प्रकार माना जाता है, क्योंकि किसी एक रूपक में जैसा चमत्कार उत्पन्न होता है उससे सर्वथा भिन्न तरह का चमत्कार रूपक समूहात्मक 'सावयवरूपक' में होता है। इस बात की पुष्टि लौकिक दृष्टान्त से भी होती है। देखिए—मुक्ताभरणों की गणना करते समय जैसे एक मोतीवाला नासामौक्तिक (नकवेसर) एक पृथक् मुक्ताभरण के रूप में गिना जाता है वैसे ही अनेक दानोंवाली (मुक्तासमूह रूप) मोती की माला भी एक पृथक् मुक्ताभरण के रूप में गिनी जाती है। ठीक भी है, एक मोती से बने आभूषण की अपेक्षा अनेक मोतियों से बने आभूषण में कुछ भिन्न ही शोभा होती है। इसी प्रकार 'सावयवरूपक' के विषय में भी समझना चाहिए। यदि रूपकसमूहात्मक 'सावयवरूपक' की गणना एक स्वतन्त्र रूपकप्रभेद के रूप में नहीं की जाय, तब जो सभी आलङ्कारिक लोग मालोपमा आदि को उपमा आदि के स्वतन्त्र प्रभेद के रूप में गिनते हैं, वह भी न बने, क्योंकि मालोपमा भी अनेक उपमाओं का समूह ही होता है। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि–जैसे गायों का वर्गीकरण करते समय कपिला आदि की तरह गायों को झुण्ड एक पृथक् वर्ग नहीं माना जाता, वैसे ही रूपकालङ्कार का वर्गीकरण करते समय रूपक समूहात्मक 'सावयवरूपक' को भी पृथक् वर्ग में नहीं गिनना चाहिये, परन्तु ऐसा कहनेवाले उक्त मुक्ताभरण वाले दृष्टान्त से परास्त हो जाते हैं—तात्पर्य यह कि गायों का वर्गीकरण उसके वर्ण को आधार बनाकर किया जाता है, अतः भिन्न-भिन्न वर्णवाली गायों को भिन्न-भिन्न वर्ग में गिनते हैं और नाना तरह के वर्णों वाले उसके झुण्ड को किसी खास वर्ग में नहीं गिनते, पर यहाँ तो वैसी बात नहीं है, अर्थात् अलङ्कारों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न तरह की शोभा को उत्पन्न करने के कारण किया जाता है—वर्गीकरण का आधार कार्य होता है; ऐसी स्थिति में भिन्न तरह के चमत्कार को उत्पन्न करने वाले समूह को भी प्रत्येक से भिन्न अलङ्कार के रूप में गिना जाता है।

सावयवरूपक-मालारूपकयोरेकतरेणापरस्य गतार्थत्वमाशङ्क्य तद्वारकं तयोर्वैलक्षण्यमाह—

एवमस्मात्सङ्घातात्मकात्सावयवान्मालारूपकस्य सङ्घातात्मकत्वेनाविशेषेऽप्येकविषयकत्व-परस्परनिरपेक्षत्वाभ्यामस्ति महान् विशेषः।

एवमिति। सावयवस्य पृथग्गणनवदित्यर्थः। अविशेषेऽपीति। अभेदेऽपीत्यर्थः। एकविषयकत्वेति। मालारूपकनिष्ठावेतौ धर्मौ। सावयवं चानेकविषयकं परस्परसापेक्षञ्चेति बोध्यम्। 'सावयवं' 'माला' चेति द्वावपि रूपकभेदौ रूपकसमूहात्मकौ, तथा च समूहात्मकत्वरूपेण द्वावप्यभिन्नौ, यद्यपि, तथापि सावयवेऽनेके विषयाः (उपमेयीभूतपदार्थाः), मालायाञ्च एक एव विषयः। एवम् सावयवावयवभूतानि रूपकाणि परस्परसापेक्षाणि, मालावयवभूतानि च तानि मिथो निरपेक्षाणि, इति वैलक्षण्यद्वयमेतत्तयोर्भेदकमिति भावः।

'सावयवरूपक' और 'मालारूपक' में भेद बताया जाता है—एवम् इत्यादि। ये दोनों अलङ्कार (सावयवरूपक तथा मालारूपक) अनेक रूपकों के समूह रूप हैं अतः यद्यपि दो पृथक् अलङ्कार कहे जाने योग्य नहीं दिखाई पड़ते, तथापि 'रूपक' के दो भिन्नविध प्रभेद के रूप में ये दो अलङ्कार माने जाते हैं और बहुत ठीक माने जाते हैं, क्योंकि समूहात्मक होने से दोनों की एकता सिद्ध नहीं हो जाती-एक (सावयव) में उपमेय अनेक रहते हैं और 'समूह' की एक-एक इकाई (अवयवभूत एक-एक रूप में) परस्पर सापेक्ष रहती है, इसके विपरीत, दूसरे (माला) में उपमेय एक रहता है और 'समूह' की एक-एक इकाई परस्पर निरपेक्ष रहती है। सारांश यह कि–किसी एक अंश में समानता रहने पर

भी 'सावयवरूपक' तथा 'मालारूपक', अनेक अंशों में भिन्नता रखने के कारण, दो भिन्न भेद रूपक के होते हैं।

त्रिधा विभक्तेषु रूपकेषु प्रथमः सावयवात्मको भेदः सोपभेदो निरूपितः, इदानीं द्वितीयं निरवयवात्मकं भेदं निरूपयितुमाह—

निरवयवं केवलं यथा—

निरवयवस्य यद्यपि लक्षणं न कृतम्, तथापि सावयव-भिन्नरूपकत्वम् निरवयवरूपकत्वम्' इति नामाक्षरस्वारस्यसिद्धं लक्षणं स्फुटमेवावगम्यते, तस्य च तल्लक्षणसिद्धस्य भेदस्य केवलमालारूपौ द्वावुपभेदौ, तयोः प्रथमोपभेदस्य प्रकारो निर्दिश्यत इति भावः।

सावयव, निरवयव तथा परम्परित ये तीन प्रधान भेद जो पहले रूपक के किए गए थे, उनमें प्रथम भेद (उपभेद-सहित) का निरूपण किया जा चुका, अब द्वितीय भेद का निरूपण किया जाता है—निरवयवम् इत्यादि। 'निरवयव' रूपक का लक्षण यद्यपि पहले करना चाहिये था, पर ऐसा इसलिये नहीं किया गया कि—'निरवयव' इस नाम से ही 'सावयव से भिन्न जो रूपक वह 'निरवयव' कहलाता है-अर्थात् परस्पर अपेक्षा न रखनेवाले रूपकों का समूह 'निरवयवरूपक' है" यह लक्षण ज्ञात हो जाता है, इसके भी दो उपभेद होते हैं—एक केवल और दूसरा माला, उनमें से प्रथम जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'बुद्धिर्दीपकला लोके यया सर्वं प्रकाशते।
अबुद्धिस्तामसी रात्रिर्यया किञ्चिन्न भासते॥'

बुद्धिर्ज्ञानम्, दीपकला प्रदीपज्वाला, अस्तीति शेषः, यया दीपकलया, लोके संसारे, सर्वम् वस्तुजातम्, प्रकाशते ज्ञातं भवति। अपि च, अबुद्धिरज्ञानम्, तामसी अन्धकारमयी, रात्रिः रजनिरूपा, विद्यते इति शेषः, यया तमोमयरात्रिरूपयाऽबुद्ध्या, किञ्चित् वस्तु, न भासते अज्ञातं तिष्ठतीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—बुद्धिः इत्यादि। ज्ञान दीपक की ज्वाला है, जिससे संसार में सभी चीजें प्रकाशित होती हैं—ज्ञात होती हैं और अज्ञान अन्धकारमय रात्रि रूप है, जिससे कुछ नहीं भासित होता—सभी चीजें अज्ञात रह जाती हैं।

उपपादयति—

अत्र रूपकद्वयमपि सापेक्षरूपकसङ्घातात्मकत्वविरहान्निरवयवम्। मालात्मकत्वविरहाच्च केवलम्।

'बुद्धिर्दीपकला—' इति श्लोके बुद्धि-दीपकलयोरेकमबुद्धितामसरात्र्योश्च। द्वितीयं रूपकं वर्णितम्, एवञ्च रूपक-सङ्घातोऽत्राप्यस्ति, परन्तु तत्सङ्घातघटकयोर्द्वयो रूपकयोः परस्परसापेक्षता नास्तीति सापेक्षरूपकसङ्घातरूपत्वस्य विरहात् सावयवरूपकत्वस्याप्रसक्तौ निरवयवरूपकत्वं सिद्ध्यति। एकस्मिन्नुपमेयेऽनेकोपमानतादात्म्यत्वम्। मालारूपकात्मकत्वम्, तदभावाच्च केवलरूपकत्वमस्य रूपकस्य सिद्ध्यति। बुद्ध्यबुद्ध्योर्द्वयोरुपमेययोर्दीपकलातामस-रात्रिरूपोपमानद्वयतादात्म्यमेवात्र सम्पादितं कविनेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'बुद्धिर्दीपकला—' इस पद्य में दो रूपक वर्णित हैं—एक 'बुद्धि-दीपकला' का दूसरा 'अबुद्धि-अन्धकारमयरात्रि' का। इस

तरह यहाँ भी यद्यपि रूपकों का समूह है, पर उस समूह के अन्तर्गत दोनों रूपक परस्पर सापेक्ष नहीं हैं, फलतः परस्पर सापेक्ष रूपकों का समूह यहाँ तैयार नहीं होता, अतः यह 'निरवयव' रूपक का उदाहरण सिद्ध होता है। और वह 'निरवयवरूपक' भी 'केवल' है, क्योंकि यहाँ 'माला' रूपता का अभाव है-अर्थात् यहाँ का उपमेय में अनेक उपमानों का तादात्म्य नहीं दिखलाया गया है—बुद्धिरूप उपमेय में दीपकलारूप उपमान का और अबुद्धिरूप उपमेय में अन्धकारमयरात्रिरूप उपमान का तादात्म्य दिखलाया गया है।

निरवयवरूपकस्य द्वितीयमुपभेदमुदाहर्तुमाह—

निरवयवं मालारूपकं यथा—

निरवयवरूपकोपभेदभूतमालारूपकस्य प्रकारो निर्दिश्यत इति भावः।

निरवयव रूपक का द्वितीय उपभेद मालारूपक, जसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'धर्मस्यात्मा भागधेयं क्षमायाः सारः सृष्टेर्जीवितं शारदायाः।
आज्ञा साक्षाद् ब्रह्मणो वेदमूर्त्तेराकल्पान्तं राजतामेष राजा॥'

कविः कस्यापि राज्ञश्चिरजीवनमाशंसते—धर्मस्य पुण्यस्य, आत्मा अनन्योपासकत्वेन आत्मरूपः, क्षमायाः पृथिव्याः तितिक्षाया वा, भागधेयम् सर्वोत्कृष्ट-संरक्षकतया सौभाग्यरूपः, सृष्टेः संसारस्य, सारः सर्वोत्कृष्टपदार्थः, शारदायाः, सरस्वत्याः, जीवितम् प्रियतरतया प्राणरूपः, तथा, वेदमूर्त्तेः वेदात्मकस्य, साक्षाद् ब्रह्मणः अप्रतिहतशक्तिकत्वाद् वस्तुतो ब्रह्मणः, आज्ञा अपरिहरणीयवचनतयाऽऽदेशरूपः, एषः वर्णनीयः कश्चित्, राजा नृपः, आकल्पान्तम् कल्पान्तकालपर्यन्तम्, राजताम् विद्योततामित्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया है—धर्मस्य इत्यादि। धर्म के लिये आत्मस्वरूप, क्षमा (पृथ्वी अथवा सहनशीलता) के लिये भाग्यस्वरूप, सृष्टि के लिये साररूप, सरस्वती के लिये जीवनस्वरूप और वेदरूप साक्षात् ब्रह्म (अर्थात् सर्वनियन्ता) का आदेश स्वरूप यह राजा कल्पान्त काल तक विराजमान कर रहे।

उपपादयति—

एकविषयकनानापदार्थारोपरूपत्वान्मालारूपमिदम्। परस्परसापेक्षत्वविरहाच्च निरवयवम्।

एकेति। राजेत्यर्थः। विषयेति। उपमेयेत्यर्थः। नानापदार्थेति। धर्मात्म-क्षमाभाग्य-सृष्टिसार-शारदाजीवन-वेदाज्ञेत्यर्थः। आरोपेति। तादात्म्यारोपेत्यर्थः। सापेक्षत्वविरहादिति। एकोपमेयकानेकोपमानतादात्म्यारोपाणाम् मिथो निरपेक्षत्वादिति भावः। 'धर्मस्यात्मा—' इति श्लोके राजरूपे एकस्मिन्नुपमेये धर्मात्मादीनामनेकेषामुपमानानां तादात्म्यमारोपितमिति मालारूपमिदं रूपकं सम्पद्यते। तच्च रूपकं निरवयवम्, आरोप्यमाणानां तादात्म्यानां मिथोऽनपेक्षत्वादिति भावः।

उपपादन किया जाता है—एक इत्यादि। 'धर्मस्यात्मा—' इस पद्य में जो रूपक वर्णित हुआ है उसमें उपमेय एक है और उपमान अनेक-अर्थात् एक राजा में ही धर्म की आत्मा आदि अनेक पदार्थों का तादात्म्य आरोपित हुआ है, अतः यह मालारूपक है और वे रूपक एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते-अर्थात् धर्मात्मा आदि पदार्थों में से

किसी एक का भी तादात्म्य स्वतन्त्ररूप से (दूसरे के तादात्म्य की अपेक्षा किए विना) राजा में आरोपित हो सकता है, अतः निरवयव है।

अथेदानीं निरूपणीयस्य रूपकतृतीयभेदस्य तावल्लक्षणमाह—

यत्र चारोप एवारोपान्तरस्य निमित्तं तत्परम्परितम्।

क्वचिदेकस्मिन् उपमेये तदुपमानतादात्म्यस्य य आरोपस्तद्धेतुको यः अपरस्मिन् उपमेये तदुपमानतादात्म्यारोपस्तत् परम्परितरूपकमिति भावः।

अब रूपक-तृतीय भेद-निरूपण प्रसङ्ग में सर्व प्रथम उसी भेद लक्षण किया जाता है—यत्र च इत्यादि। जहाँ एक आरोप ही दूसरे आरोप का कारण हो वहाँ वह परम्परित रूपक कहा जाता है। तात्पर्य यह कि-किसी एक उपमेय में उसके उपमान का तादात्म्यारोप करने के कारण जो दूसरे उपमेय में उसके उपमान का तादात्म्यारोप हो वह परम्परित रूपक होता है।

प्राग्लक्षितस्य परम्परितस्य द्वौ भेदौ श्लिष्टपरम्परितम्, शुद्धपरम्परितञ्च, तत्राद्यस्य लक्षणमाह—

तत्रापि समर्थकत्वेन विवक्षितस्यारोपस्य श्लेषमूलकत्वे श्लिष्टपरम्परितम्।

तत्रापीति। पूर्वलक्षिते परम्परितेऽपीत्यर्थः। विवक्षितस्येति। कविनेति भावः। परम्परितशरीरप्रविष्टयोर्द्वयोरारोपयोर्मध्ये हेतुभूत आरोपः समर्थकतया, कार्यभूतश्चारोपः समर्थ्यतया, कविविवक्षाविषयो भवति, तत्र समर्थकारोपो यदा श्लेषमूलकः (श्लिष्टपदोपस्थापितोपमानकः) यदा समर्थ्य-समर्थकभावापन्नः स रूपकसमूहः श्लिष्टपरम्परितमिति भावः।

जिसका लक्षण पहले किया गया है, उस परम्परित रूपक के भी दो उपभेद होते हैं—एक श्लिष्ट परम्परित और दूसरा शुद्ध परम्परित (इन दोनों उपभेदों के भी पुनः केवल' और 'माला' रूप से दो-दो प्रभेद हो जाते हैं, यह ध्यान रखना चाहिए।) उनमें से प्रथम का परिचय कराया जाता है—तत्रापि इत्यादि। अभिप्राय यह है कि—"परम्परित रूपक में दो रूपक रहते हैं—अर्थात् दो उपमेयों में अपने-अपने दो उपमानों का तादात्म्य-(अभेद-एकरूपता)-आरोप हुआ रहता है, उनमें से एकरूपक दूसरे रूपक का समर्थक रहता है—एक का दूसरा कारण रहता है—एक के विना दूसरा हो ही नहीं सकता" यह बात परम्परित के लक्षण से विदित हो चुकी है। अब यह भी विदित होना चाहिए कि-उक्त दोनों रूपकों में से कौन समर्थक हो और कौन समर्थ्य इसका निर्णय वक्ता (कवि) की इच्छा पर निर्भर करता है—अर्थात् वक्ता जिस (रूपक) को समर्थक और जिसको समर्थ्य बनाना चाहे-बना सकता है और जिसको समर्थक बनाया गया रहेगा वह यदि श्लेषमूलक हो—अर्थात् समर्थक रूपक की उपस्थिति यदि श्लिष्ट-पदों द्वारा हुई हो, तब वह श्लिष्ट-परम्परित रूपक कहलाता है। (इस परिचय से ही यह भी ज्ञात हो जाना चाहिए कि समर्थक रूपक की उपस्थिति श्लिष्ट-पदों द्वारा न होकर यदि पृथक्-पृथक् दो पदों (अश्लिष्ट-पदों) द्वारा हुई हो तब वह शुद्ध परम्परित समझा जायगा।)

श्लिष्ट-परम्परितरूपकमुदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसा

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अहितापकरणभेषज नरनाथ भवान् करस्थितो यस्य ।
तस्य कुतो हि भयं स्यादखिलामपि मेदिनीं चरतः ॥'

अहितानाम् शत्रूणाम् , अपकरणम् अपकारः, एव, अहीनां सर्पाणाम् , तापकरणम् तापोत्पादनम् , तत्र, भेषज ! औषधस्वरूप ! हे नरनाथ राजन् ! भवान् , यस्य जनस्य, करस्थितः लक्षणया सपक्षः, विद्यत इति शेषः, अखिलां समग्राम् , मेदिनीं पृथिवीम् , चरतः भ्रमतः, तस्य, अहिभयरूपम् हि भयं निश्चितभयम् , कुतः कस्माद्धेतोः, स्याद् भवेत् ? न भवेदिति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अहिताप इत्यादि । हे नरनाथ ! आप 'अहितापकरणभेषज' (शत्रुओं का अपकार करना ही सर्पों को ताप पैदा करना है उसके औषध) हैं । आप जिसके हाथ में स्थित हैं—पक्ष में हैं, उसे सम्पूर्ण धरातल पर घूमते हुए भी '(ऽ) हि-भयम्' (सर्पभयरूप निश्चितभय) कैसे हो सकता है ?

उपपादयति—

अत्र द्वयोरप्यारोपयोः समर्थ्यसमर्थकभावस्य वस्तुतस्तुल्यत्वेऽप्यहितानामपकरणमेवाहीनां तापकरणमिति श्लेषमूलकेनारोपेण राजनि भेषजतादात्म्यारोपस्य समर्थनीयतया कवेरभिप्रायः । अत एव भङ्गश्लेषनिवेदितोऽहिभयाभावोऽपि सङ्गच्छते ।

द्वयोरिति । अहिसम्बन्धितापकरणभेषजारोपयोरित्यर्थः । कवेरिति । प्राधान्यादिति भावः । अत एवेति । भेषजतादात्म्यारोपस्य समर्थनीयतया कवितात्पर्यविषयत्वादेवेत्यर्थः । भङ्गेति । पदच्छेदेत्यर्थः । ('कुतो हि भयम्' इत्यत्र 'कुतः अहिभयम्—हि = निश्चितम् भयम्' इत्याकारकेति यावत्) 'अहिताप—' इत्यत्र 'शत्र्वपकरणे सर्पतापकरणस्य' 'राज्ञि औषधस्य' इति द्वावारोपौ (द्वे रूपके) तयोः समर्थ्यसमर्थकभावस्तुल्यः—अर्थात् शत्र्वपकरणे सर्पतापकरणस्यारोपे प्राक्कृते यथा राज्ञि भेषजस्यारोपः सोपपत्तिको भवति, तथैव राज्ञि भेषजारोपे एव प्राक्कृते शत्र्वपकरणे सर्पतापकरणस्यारोपः सोपपत्तिको जायते इति यद्यपि सत्यम् , तथापि राज्ञि भेषजारोप एव श्लेषमूलकेन शत्र्वपकरणे सर्पतापकरणारोपेण समर्थयितुं कवेरभिमतः, अत एव 'कुतो हि भयं स्यात्' इत्यंशे 'अहिभयं कुतः स्यात्' इत्याकारकेण सभङ्गश्लेषेण बोधितः सर्पभयविरहः सङ्गतो भवति । यदि राज्ञि कृतेन भेषजारोपेण शत्र्वपकरणे क्रियमाणस्य सर्पतापकरणारोपस्य समर्थनं कवेरभिमतमभविष्यत् , तदा प्रोक्तसभङ्गश्लेषबोधितः सर्पभयाभावो निरवकाश एव प्रासजिष्यत् । एवञ्च श्लिष्टपरम्परितत्वं मालारूपताविरहात् केवलत्वञ्चात्र सिद्धमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'अहिताप—' इस पद्य में दो आरोप हुए हैं—एक "'शत्रुओं के अपकार' में 'सर्पों के ताप उत्पन्न करने का' और दूसरा 'राजा' में 'औषध' का" । यद्यपि इन दोनों आरोपों में समर्थ्य-समर्थकभाव समान है—अर्थात् दोनों ही दोनों के समर्थक और दोनों ही दोनों से समर्थित माने जा सकते हैं, तात्पर्य यह कि जिस तरह 'शत्रुओं के अपकार में सर्पतापकरण' के आरोप करने से 'राजा में औषध का आरोप' करते बन पड़ता है उसी तरह 'राजा में औषध के आरोप करने से

शत्रुओं के अपकार में सर्पतापकरण' का आरोप सयुक्तिक होता है, अतः इन दोनों आरोपों में से किसी एक को समर्थ्य अथवा समर्थक नहीं कह सकते, तथापि 'शत्रुओं के अपकार करने' में 'सर्पों को ताप उत्पन्न करने' के श्लेषमूलक आरोपद्वारा 'राजा में औषध' का आरोप कवि को अभिमत है, न कि राजा में औषध के आरोपद्वारा पूर्वोक्त श्लेष-मूलक आरोप का समर्थन। अतएव सभङ्गश्लेष (कुतः अहिभयम् , हि = निश्चितं कुतः भयम्) द्वारा बोधित सर्प-भय का अभाव सङ्गत होता है। अन्यथा—यदि पूर्वोक्त श्लेषमूलक आरोप (शत्रु अपकरण में सर्पतापकरणारोप) का समर्थन करना ही कवि को अभिमत होता तो-आगे सभङ्गश्लेषद्वारा बोधित सर्पभय का अभाव अप्रासङ्गिक हो जाता। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि-यहाँ एक आरोप ही दूसरे आरोप का कारण है, अतः परम्परित और उन दोनों आरोपों में भी समर्थक आरोप का श्लेषमूलक होने से श्लिष्ट परम्परित रूपक का यह उदाहरण अवश्य है। साथ ही मालारूपता के अभाव रहने के कारण यह श्लिष्ट केवल परम्परित रूपक कहा जाता है।

श्लिष्टपरम्परितं मालारूपमुदाहर्तुमाह—

इदमेव मालारूपं यथा—

इदमेवेति। शिलष्टपरम्परितमेवेत्यर्थः।

श्लिष्ट परम्परित मालारूप, जैसे—

उदाहरणं निर्देष्टुमाह—

'कमलावासकासारः क्ष्माधृतिफणीश्वरः।
अयं कुवलयस्येन्दुरानन्दयति मानवान्॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—कमलायाः लक्ष्म्याः, वास एव कमलानाम् वारिजानाम् , आवासः, तत्र विषये, कासारः सरोवररूपः, क्षमायास्तितिक्षायाः, धृतिः धारणमेव, क्षमायाः पृथिव्याः धृतिः, तत्र विषये, फणीश्वरः शेषनागरूपः, तथा कोः पृथिव्याः, वलयम् मण्डलमेव, कुवलयम् रात्रिविकासिकमलविशेषः, तस्य, इन्दुश्चन्द्रः, अयं वर्णनीयो राजा, मानवान् लोकान् आनन्दयति सुखयतीत्यर्थः। अत्र समर्थककमलावासाद्यारोपस्य श्लेषमूलकस्य चन्द्रारोपे निमित्तत्वाद्राज्ञि कासाराद्यनेकपदार्थारोपरूपत्वाच्च मालाशिलष्टपरम्परितरूपकतेति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कमला इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—यह (वर्णनीय कोई राजा) 'कमलावास' (कमला = लक्ष्मी के वास रूप कमलों के आवास) के विषय में कासार-सरोवर है, 'क्षमा' (सहनशीलता रूप पृथिवी) के धारण करने के विषय में फणीश्वर-शेषनाग है और 'कुवलय' (भूमण्डलरूप रात्रि विकासी कमलों) का चन्द्रमा है, अतः मनुष्यों को आनन्दित कर रहा है। यहाँ समर्थक कमलावासादि का आरोप चन्द्र के आरोप में निमित्त होता है तथा एक राजारूप उपमेय में कासार आदि अनेक पदार्थों का आरोप हुआ है अतः यह श्लिष्ट परम्परित माला रूपक का उदाहरण होता है।

परम्परितद्वितीयभेदस्य प्रथममुपभेदमुदाहर्तुमाह—

शुद्धपरम्परितं केवलं यथा—

केवलस्य शुद्धपरम्परितरूपकस्य सम्पत्तेः प्रकार उदाहरणमुखेन प्रदर्श्यत इति भावः।
शुद्ध परम्परित केवल रूपक, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'देवाः के पूर्वदेवाः समिति मम नरः सन्ति के वा पुरस्ता-
देवं जल्पन्ति तावत्प्रतिभट-पृतना-वर्तिनः क्षत्र-वीराः।
यावन्नायाति राजन्नयनविषयतामन्तकत्रासिमूर्ते
मुग्धारिप्राणदुग्धाशनमसृणरुचिस्त्वत्कृपाणो भुजङ्गः॥'

अर्थशक्तिमूलकध्वन्युदाहरणप्रकरणे (१११ पृष्ठे) व्याख्यातोऽयं श्लोकः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—देवाः इत्यादि। इस पद्य की व्याख्या पहले (अर्थशक्तिमूलकध्वनियों के उदाहरण देते समय, पृ० ११२ में) की जा चुकी है।

उपपादयति—

अत्रापि भुजङ्गारोपो दुग्धारोपसमर्थ्यत्वेनाभिमतः।

'देवाः के—' इति श्लोके द्वे रूपके वर्णिते, तत्रैकस्मिन् रूपकेऽरिप्राणो दुग्धारोपः, द्वितीये च कृपाणे भुजङ्गारोपः। अनयोश्च प्रथम आरोपः समर्थकत्वेन द्वितीयश्च समर्थ्यत्वेन कवेरभिप्रेतः। एवञ्च परम्परितत्वमस्य सिद्धयति। श्लेषाभावात् शुद्धत्वं मालात्मकताविरहाच्च केवलत्वमित्यपि बोध्यम्।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि। 'देवाः के—' इस पद्य में भी, खड्ग में सर्प के आरोप का, प्राणों में दुग्ध के आरोप द्वारा समर्थन करना कवि को अभीष्ट है। अभिप्राय यह कि—उक्त पद्य में दो रूपक वर्णित हुए हैं—एक 'प्राण-दुग्ध' का और दूसरा 'खड्ग-सर्प' का। इन दोनों रूपकों में से, प्रथम में दुग्ध का आरोप प्राण में किया गया है और द्वितीय में सर्प का खड्ग में। इन दोनों आरोपों में प्रथम को समर्थक और द्वितीय को समर्थ्यरूप से कवि ने उपस्थित किया है अतः यह परम्परित, और श्लेष के नहीं रहने से शुद्ध, तथा मालारूप न होने से केवल रूपक कहा जाता है।

परम्परितद्वितीयभेदस्य द्वितीयमुपभेदमुदाहर्तुमाह—

तदेव मालारूपं यथा—

तदेवेति। शुद्धपरम्परितमेवेत्यर्थः।

शुद्ध परम्परित मालारूपक, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'प्राचीसन्ध्या समुद्यन्महिमदिनमणेर्मानमाणिक्यकान्ति-
र्ज्वालामाला कराला कवलितजगतः क्रोधकालानलस्य।
आज्ञा कान्ता पदाम्भोरुहतलविगलन्मञ्जुलाक्षारसाभा
क्षोणीन्दो सङ्गरे ते लसति नयनयोरुद्भटा शोणिमश्रीः॥'

हे क्षोणीन्दो धराचन्द्र! समुद्यतः उदयं गच्छतः, महिमरूपस्य प्रतापरूपस्येति यावत् दिनमणेः सूर्यस्य, प्राचीसन्ध्या प्रभातवेला, मानरूपस्य आत्माभिमानात्मकस्य माणिक्यस्य मुक्ताविशेषस्य, कान्तिः, प्रभा, कवलितं भक्षितं दग्धमिति यावत्, जगत्, येन तस्य क्रोधरूपस्य, कालानलस्य प्रलयाग्नेः, कराला भयङ्करी, ज्वालामाला ज्वालापङ्क्तिः' तथा

आज्ञारूपिण्याः, कान्तायाः, पदाम्भोरुहतलात् चरणकमलतलात्, विगलतः पततः मञ्जोः रमणीयस्य, लाक्षारसस्य यावकद्रवस्य, आभा कान्तिः, इव कान्तिर्यस्यास्तादृशी, उद्भटा उत्कटा, शोणिमश्रीः आरुण्यशोभा, सङ्गरे युद्धे, ते तव, नयनयोश्चक्षुषोः, लसति चकास्तीत्यर्थः। अत्र, तृतीयं चरणं निर्णयसागरमुद्रितप्राचीनसंस्करणगतपाठानुसारि अयमेव पाठः हिन्दीरसगङ्गाधरकारेणापि स्वीकृतो मयाऽनुमोदितः। काशीमुद्रितपुस्तके तु 'आज्ञा, कान्तापदाम्भोरुहतलविगलन्मञ्जुलाक्षारसानाम्' इति पाठो दृश्यते। भट्टमथुरानाथोऽपि स्वसम्पादितेऽधुना प्रचुरप्रचारे संस्करणे काशीमुद्रितपुस्तकपाठमेव समावेशयत्, 'कान्तापादलाक्षारसानाम् आज्ञा, तव नयनयोः शोणता लाक्षारसानामाज्ञेव शोणतासम्पादयित्री' इति च तदाशयमाख्यत्। अत्र समर्थकानां दिनमण्याद्यारोपाणां श्लेषामूलकानां सन्ध्याद्यारोपेषु निमित्तत्वात् शोणिमश्रियां सन्ध्याद्यनेकपदार्थारोपाच्च शुद्धपरम्परितमालारूपकमिदमिति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—प्राची इत्यादि। हे धराचन्द्र! जो उदीयमान भवदीय-प्रताप-सूर्य की पूर्व सन्ध्या (उषःकाल) है, जो आत्माभिमानरूप मोती की कान्ति है, जो संसार को कवलित (दग्ध) करनेवाले क्रोधरूप प्रलयाग्नि की भयङ्कर ज्वालापरम्परा है और जिसकी आभा आज्ञारूप कामिनी के चरणकमलतल से गिरते लाक्षा-रस की आभा के तुल्य है, वह अरुणता की उत्कट शोभा, युद्ध में आपकी आखों में शोभित होती है। इस पद्य के तृतीय चरण में जैसा पाठ मैंने रखा है वह निर्णय सागर से मुद्रित सर्व प्राचीन संस्करण का है। हिन्दी रसगङ्गाधरकार ने भी अपनी पुस्तक में इसी पाठ को स्वीकृत किया है। काशीमुद्रित संस्करण तथा भट्ट मथुरानाथ जी सम्पादित संस्करण में तो 'आज्ञा कान्तापदाम्भोरुहतलविगलन् मञ्जुलाक्षारसानाम्' ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। पर उस पाठ के अनुसार अर्थ ठीक-ठीक बैठता नहीं, यह समझ लेना चाहिए। यहाँ प्रताप आदि में सूर्य आदि के आरोप करने के कारण अरुणता की शोभा में सन्ध्या आदि अनेक पदार्थों का आरोप हुआ है और श्लेष कहीं नहीं है, अतः शुद्ध परम्परित माला रूपक का उदाहरण यह पद्य होता है।

अथेदानीं सावयवरूपकपरम्परितरूपकयोर्भेदं दर्शयितुमाह—

यद्यपि सावयवेऽप्यारोप आरोपान्तरस्योपायस्तथापि तत्रारोपातिरिक्तेन कवि-समय-सिद्ध-सादृश्येनाप्यारोपान्तरसिद्धिः सम्भवति। तथा प्रागुक्ते 'सुन्दरि राकासि नात्र सन्देहः' इत्यत्र मौक्तिकादीनां तारात्वाद्यारोपं विनाप्यौज्ज्वल्यमात्रेणापि सुन्दर्यां राकारोपसिद्धेः, इह तु नयनशोणिम्नि ज्वालाद्यारोपोऽनलसमारोपं नियमेनापेक्षते। एवं 'कारुण्यकुसुमाकाशः खलः' इत्यत्राकाशखलयोः सादृश्यस्याप्रसिद्धतयाऽऽरोपसिद्ध्यर्थमारोप एवोपाय इति वैलक्षण्यम्। कश्चित्तु बह्वारोपात्मकात् सावयवादारोपद्वयात्मकमेवास्य वैलक्षण्ये बीजमित्याह।

आरोप इति। अत्र आरोपे इति सप्तम्यन्तपाठमङ्गीकृत्य क्लिष्टा व्याख्या सरलाकारस्योचिता न प्रतिभाति, प्रथमान्तपाठमङ्गीकृत्य सरलव्याख्यायाः सम्भवात्। अनलसमारोपमिति। अत्र 'राज्ञीति शेषः' इति नागेश आह तद् भ्रममूलकमेव। 'क्रोधे इति शेषः' इति कथनं साधीयः, मतान्तरमाह=कश्चित्त्विति। अत्रारुचिबीजं प्रागुक्तरीत्या निर्वाह इति। ननु

सावयवे रूपके आरोपाणाम् परस्परं समर्थ्यसमर्थकभावात्मकः कार्यकारणभावस्तिष्ठति, अस्मिन् परम्परितेऽपि च, तथा च कोऽनयोर्भेद इति चेन्न, सुन्दरि राकासि नात्र सन्देहः' इत्यादौ सावयवे मौक्तिकादिषु तारात्वाद्यारोपमन्तरापि औज्ज्वल्यात्मकेन सादृश्येन सुन्दर्यां राकारोपस्य सिद्धिः, 'प्राचीसन्ध्या—' इत्यादौ परम्परिते तु क्रोधादावनलाद्यारोपं विना नेत्रशोणतादौ ज्वलाद्यारोपो न सम्भवतीत्येको भेदः, एवम् 'कारुण्यकुसुमाकाशः खलः—अर्थात् कारुण्यरूपस्य पुष्पस्य कृते खलु आकाशरूपः—आकाशे यथा पुष्पमसम्भवम् तथा खले कारुण्यम् इति यावत्' इत्यादौ परम्परिते कारुण्ये कुसुमारोपं विना खले आकाशारोपः सम्भवत्येव न, आकाशखलयोः सादृश्यस्याप्रसिद्धत्वात्, सावयवे तु नाप्रसिद्धसादृश्यकपदार्थयोः रूपणमिति द्वितीयोऽपि भेद इत्याशयात्। सावयवे बहव आरोपाः परम्परिते तु द्वावेवारोपौ इत्येव तयोर्भेद इत्यपि कश्चिदिति भावः।

अत्र सावयव रूपक तथा परम्परित रूपक में भेद दिखलाया जाता है—यद्यपि इत्यादि। सावयव रूपक में एक आरोप अन्य आरोप का उपायभूत (समर्थक) होता है और इस परम्परित रूपक में भी, अतः इन दोनों में क्या भेद है यह आशङ्का यद्यपि उठती है, पर यह कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों में उक्त एक प्रकार की समस्त रहने पर भी बहुत बड़ा अन्तर है और वह अन्तर यह है कि-सावयव रूपक में आरोप के विना (केवल) कवि-समय-सिद्ध सादृश्य द्वारा भी अन्य आरोप की सिद्धि हो सकती है—अर्थात् यदि एक आरोप का उपायभूत दूसरा आरोप रहे तब भी ठीक और न रहे तब भी काम चल सकता है। जैसे पूर्वोक्त 'सुन्दरि राकासि नात्र सन्देहः' यहाँ मोती आदि में यदि-तारा आदि का आरोप न किया जाय तथापि उज्ज्वलता-मात्र के कारण सुन्दरी में पूर्णिमा का आरोप सिद्ध हो सकता है। 'किन्तु 'प्राची—' इत्यादि परम्परित रूपक में ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो नेत्रों की अरुणता में ज्वाला आदि का आरोप क्रोध आदि में अग्नि आदि के आरोप की अपेक्षा नियमतः रखता है—अर्थात् अग्नि के आरोप के विना ज्वाला का आरोप हो ही नहीं सकता। इसी तरह 'कारुण्यकुसुमाकाशः खलः—अर्थात् दुष्ट जन दयारूप पुष्प का आकाश है, जैसे आकाश में पुष्प असम्भव है वैसे दुष्ट-जन में दया असम्भव है।' इस परम्परित में एक आरोप ही दूसरे आरोप का उपाय है—अर्थात् दुष्ट जन में आकाशारोप करने के लिये दया में पुष्प का आरोप करना ही पड़ेगा, अन्यथा यह रूपक बन ही नहीं सकता, क्योंकि आकाश और दुष्टजन में सादृश्य अप्रसिद्ध है—कोई नहीं जानता कि उनमें क्या समता है। बस, इतने से सावयवरूपक तथा परम्परित रूपक में भेद सिद्ध हो गया—दोनों की विलक्षणता प्राप्त हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि-'सावयव रूपक में अनेक आरोप रहते हैं—अर्थात् एक समर्थ्य के अनेक समर्थक होते हैं, पर परम्परित में दो हीं आरोप होते हैं—अर्थात् एक समर्थ्य का एक ही समर्थक होता है' यही दोनों में विलक्षणता है। पर यह मत उतना मनोऽनुकूल नहीं है। कारण, उक्त रीति से जब दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है तब एक और अनेक आरोप की कल्पना व्यर्थ है।

रूपकप्रभेदगणने न्यूनत्वं परिहरति—

'काव्यं सुधा रसज्ञानां कामिनां कामिनी सुधा।
धनं सुधा सलोभानां शान्तिः संन्यासिनां सुधा॥'

अत्र विषयमालाकृतो न कश्चिच्चमत्कारविशेष इति न पृथग्भेदगणनायां गण्यते। आरोप्यमाणमाला तु चमत्कारविशेषशालित्वाद्गण्यत एव।

काव्यमिति। रसज्ञानाम् काव्य-रस-रहस्य-मर्मज्ञानाम्, काव्यम् कविकृति-विशेषः, सुधा अमृतरूपम्, कामिनाम् कामज्वालामालाकुलचेतसां जनानां, कामिनी, कामभाववती रमणी, सुधा अमृतरूपा, सलोभानाम् धनलोलुपानां जनानां, धनं वित्तं, सुधा अमृतरूपम्, तथा, संन्यासिनाम् विषयविमुखानाम् जनानाम्, शान्तिः शमः, सुधा अमृतरूपेत्यर्थः। यस्य यद् वस्तु प्रियं भवति तस्य कृते तदेव वस्तु सुधारूपं जायत इति भावः। अत्रेति। 'काव्यं सुधा—' इति श्लोके इत्यर्थः। विषयमालाकृत इति। सत्येकस्मिन् उपमाने उपमेयसमूहकृत इत्यर्थः। 'एकस्योपमेयस्य नानोपमानकृतः' इति मर्मप्रकाशस्तु भ्रममूलक एव। स च भ्रमो नागेशस्य प्रकाशकस्य अन्यस्य वेति तु अन्यत्। न चमत्कारविशेषे इति। अत्र सचेतसामनुभव एव प्रमाणम् बोध्यम्। आरोप्यमाणमालेति। एकस्मिन्नुपमेयेऽनेकोपमानारोपसमूह इत्यर्थः। चमत्कारविशेष इति। अत्रापि प्रमाणं सहृदयानुभवरूपमेवावगन्तव्यम्। अयं भावः—'काव्यं सुधा—' इत्यादौ यत्रोपमानं सुधादिरूपमेकम् उपमेयानि च काव्यादीन्यनेकानि, तत्र तथा—रूपकस्य कोऽपि भेदः कुतो नाङ्गीक्रियते यथा 'धर्मस्यात्मा—' इत्यादौ प्रागुक्ते–यत्र उपमेयं राजादिरूपमेकम् उपमानानि च धर्मात्मादीनि अनेकानि तत्र–' इति शङ्का न कार्या, अलङ्कारप्रभेदत्वाङ्गीकारस्य चमत्कारविशेष प्रतीतिमूलकतया चमत्कारविशेष-शाल्यारोप्यमाणमालास्थले–'धर्मस्यात्मा–' इत्यादौ रूपकप्रभेदतास्वीकारेऽपि चमत्कार-विशेषशून्यविषयमालास्थले—'काव्यं सुधा—' इत्यादौ तदङ्गीकारे युक्तिविरहादिति।

उपमान एक हो और उपमेय अनेक तो मालारूपक क्यों नहीं माना जाता, इसका उत्तर दिया जाता है—काव्यम् इत्यादि। (रसज्ञ जनों के लिये काव्य अमृत है, कामियों के लिये कामिनी अमृत है. लोभियों के लिये धन अमृत है और संन्यासियों के लिये शान्ति अमृत है।) यहाँ उपमान–अमृत–एक है और उपमेयों (काव्य आदि) की माला है, किन्तु इस माला के कारण कोई खास तरह का चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, अतः ऐसी माला रूपक के भेदों की गणना में पृथग् नहीं गिनी जाती। उपमानों की माला—'धर्मस्यात्मा—' इत्यादि पूर्वोक्त स्थल—में तो एक खास तरह का चमत्कार उत्पन्न होता है, अतः उसकी गणना पृथक् रूपक-प्रभेद के रूप में करनी ही पड़ती है।

सम्प्रति शिष्य–बुद्धि–वैशद्यार्थम् परम्परितरूपकसम्बधिविशेषे विचारणीये प्रथमं श्लिष्टपरम्परितसम्बन्धिविशेषं विचारयति—

अथ कथं नाम श्लिष्टपरम्परिते 'कमलावासकासारः' इत्यादावेकस्यारोपस्यारोपान्तरोपायत्वम्। यतः श्लेषेण कमलानामावासस्य कमलाया वासस्य चाभेदमात्रमत्र प्रतीयते, नैकत्रान्यारोपः। तस्य स्वतन्त्रविषयनिर्देशापेक्षत्वात्। न च शुद्धाभेदप्रत्यय एवारोपः। विषयनिगरणात्मिकायामतिशयोक्तावपि तत्प्रसङ्गात्। न च शुद्धाभेदप्रत्ययेनात्रार्थः यत्सम्बन्धिनि यत्सम्बन्ध्यभेदस्तस्मिंस्तद्भेद इति 'कमलावासकासारः' इत्यादौ राजनि कासारारोपो राजसम्बन्धिनि लक्ष्म्याश्रयत्वे कासारसम्बन्धिसरोजाश्रयत्वाभेदारोपेण समर्थयितुं शक्यः श्लेषेण तु पुनर्लक्ष्म्याश्रयत्वसरोजाश्रयत्वयोरभिन्नत्वेन प्रत्ययादभिन्नधर्मनिबन्धनो राजकासारयोरप्यभेदप्रत्ययः स्यात्, न तु राजनि विषये कासारविषयि-

कस्यारोपस्य प्रकृतस्य सिद्धिः। इमावभिन्नावित्याद्याकारस्य शुद्धाभेदप्रत्ययस्याप्रकृतत्वात्प्रागुक्त आरोपो मृग्यः। स च न श्लेषसाध्य इति। सत्यम्। श्लेषेण शुद्धाभेदप्रतीतौ सत्यां प्रकृतारोपसमर्थनायान्तरा मानसस्य राजसम्बन्धिनि कासारसम्बन्ध्यभेदारोपस्य कल्पनान्नानुपपत्तिः।

तस्येति। एकत्रान्यारोपस्येत्यर्थः। मृग्य इति। अन्वेषणीयः इत्यर्थः। साधनीय एव नाद्युनापि सिद्ध इति तद्भावः। शङ्काया युक्तत्वमङ्गीक्रियते—सत्यमिति। समाधत्ते—श्लेषेणेत्यादिना। नानुपपत्तिरिति। अत्र 'अत्रेदं चिन्त्यम्—कमलावासेनायं राजा कासार॰ इत्यादौ यथा श्लेषमूलकाभेदाध्यवसानेनैनं साधारणधर्ममादाय राजकासारयो रूपकस्य गाम्भीर्येण समुद्रोऽयमित्यादाविव, सम्भवस्तद्वत्कमलावासकासार इत्यादावपि सम्भवात् किमर्थोऽयं क्लेशः। साधारणधर्मज्ञानस्य चाभेदारोपप्रयोजकत्वात्। इदमेव चास्योपायत्वमारोपे एतन्मूलीभूतसाधारणधर्मसम्पत्तिः। साधारणधर्मसम्पत्तिः आरोपेणैवेत्यत्र न किञ्चिन्मानम्। समर्थके रूपकत्वव्यवहारस्तु भाक्तः। तदापि श्लिष्टेषु सादृश्यमूलकत्वाभावादावश्यकः। एवञ्च 'कारुण्यकुसुमाकाशः खलः' इत्यादौ वक्ष्यमाणान्योन्याश्रयोऽपि न। खलाकाशरूपकोपयुक्तकारुण्यकुसुमयोरभेदस्येच्छाधीनाहार्यस्य सम्भवेन तावतैवोपपत्तेः। न तु समर्थकारोपे सादृश्यमूलकत्वमावश्यकमित्यनुपदमेवोक्तम्। एतेन स्यादेतदित्यादिना सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्र इत्यत्रत्य पूर्वपक्षसमाधाने परास्ते। अस्मदुक्तरीत्या पूर्वपक्षस्यैवाभावादिति।' इति रुचिरमाह नागेशः। अयं भावः—'कमलावासकासारः' इत्यादौ श्लिष्टपरम्परितोदाहरणतयाऽभिमते स्थले 'कमलावास' इति समर्थकांशे स्वतन्त्रतया विषयस्य (उपमेयस्य) लक्ष्मीवासात्मकस्य निर्देशाभावे स्वतन्त्रविषयनिर्देशसापेक्षस्य एकत्र (उपमेये = लक्ष्मीवासे) अन्या-(उपमान-सरोजावासा) रोपस्य न प्रतीतिः, श्लेषस्तु उपमानोपमेययोः (कमलानामावासस्य कमलाया वासस्य च) अभेदमात्रं प्रत्याययति, तथा च श्लिष्टपरम्परिते एक आरोप आरोपान्तरस्योपायो भवतीति कथा कथं सङ्गता? शुद्धाभेदप्रतीतेरेवारोपपदार्थत्वं तु स्वीकर्तुमशक्यमेव, उपमेयनिगरणरूपायामतिशयोक्तावपि शुद्धाभेदप्रतीत्या रूपकनियतस्यारोपस्य प्रसक्त्यापत्तेः। किञ्चात्र शुद्धाभेदप्रतीत्या सिसाधयिषितं प्रयोजनं सेद्धुमपि नार्हति, यतः 'यत्सम्बन्धिनि यत्सम्बन्ध्यभेदस्तस्मिंस्तदभेदः' इतिन्यायानुसारेण प्रकृते प्रथमतत्पदग्राह्यराजसम्बन्धिनि कमलाया वासत्वे (लक्ष्म्याश्रयत्वे) द्वितीययत्पदग्राह्यकासारसम्बन्धिनः कमलानामावासत्वस्य (सरोजाश्रयत्वस्य) श्लेषमूलकेऽभेदाप्रतीते तद्बलेन प्रथमतत्पदग्राह्ये राज्ञि द्वितीयतत्पदग्राह्यस्य कासारस्याभेदः प्रतीयेत, न तु राजरूपे उपमेये कासाररूपस्योपमानस्य रूपकालङ्कारतानियामकः आरोपः 'इमौ अभिन्नौ' इत्याकारकेण शुद्धाभेदप्रत्ययेनारोपस्याविषयीकरणात्। परम्परितरूपकालङ्कारतानियामको राज्ञि कासारारोपस्तु राजसम्बन्धिलक्ष्म्याश्रयत्वे (कमलाया वासत्वे) कासारसम्बन्धिसरोजाश्रयत्वा (कमलपुष्पावासत्वा) भेदारोपेण समर्थयितुं शक्यः, स च न श्लेषसाध्य इति शङ्कायां समाधानमिदं यत् श्लेषेण लक्ष्मीवास-कमलपुष्पावासयोः शुद्धाभेदप्रतीतौ जातायां परम्परितरूपकालङ्कारतानियामकस्य राज्ञि कासारारोप-

स्य समर्थनाय मध्ये राजसम्बन्धिनि लक्ष्म्याश्रयत्वे कासारसम्बन्धिसरोजाश्रयत्वाभेदारोपो मानसः कल्प्यत इति न किञ्चिदसमञ्जसमिति ।

परम्परित रूपक-सम्बन्धि कुछ विशिष्ट बातों पर विचार करने के प्रसङ्ग में पहले श्लिष्ट परम्परित रूपक सम्बन्धि विशेषों का विचार किया जाता है—अथ इत्यादि। विचार यहाँ यह करना है कि–'कमलावासकासारः' इत्यादि श्लिष्ट परम्परित रूपक में एक अर्थात् कमला (लक्ष्मी) के निवास में कमलों के निवास का–आरोप अन्य अर्थात् राजा में सरोवर के—आरोप का उपाय (समर्थक) कहा जाता है, वह कैसे सङ्गत होता है ? कारण, यहाँ श्लेष से 'कमला के वास' और 'कमलों के आवास' का केवल अभेद ही ज्ञात होता है, एक का दूसरे में आरोप नहीं। क्योंकि आरोप के लिये उपमेय का स्वतन्त्र रूप से निर्देश अपेक्षित है–अर्थात् जहाँ उपमेय तथा उपमान के बोधक दो पृथक् पृथक् पद उच्चरित रहते हैं वहीं उपमेय में उपमान का आरोप अवगत होता है, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह कि-'कमलावासकासारः' आदि में एक पद से श्लेष द्वारा दो अर्थों का एक साथ ज्ञान होने से उन दोनों अर्थों का अभेद ज्ञात होने पर भी उनमें से एक अर्थ का दूसरे अर्थ पर आरोप विदित नहीं होता। यदि कोई शुद्ध-अभेद-प्रतीति को ही आरोप कहना चाहे, तो वह बन नहीं सकता, क्योंकि इस कथन के अनुसार अतिशयोक्ति में भी जहाँ उपमेय निगीर्ण रहता है (उपमेय का भी बोध उपमानवाचक पद से ही होता है)—उस आरोप का व्यवहार होने लगेगा, जिसका व्यवहार रूपक में ही आलङ्कारिक लोग करते आए हैं। दूसरे, शुद्ध-अभेद प्रतीति से यहाँ का अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध भी नहीं हो सकता। कारण, 'जिसके सम्बन्धी में जिसके सम्बन्धी का अभेद हो उसमें उसका अभेद होता है' इस न्याय के अनुसार कमला-वास और कमल-निवास के अभेद से तदात्मक साधारणधर्ममूलक अभेद ही राजा और सरोवर का सिद्ध हो सकेगा, न कि राजारूप उपमेय में सरोवररूप उपमान का वह आरोप जो यहाँ प्रस्तुत है—रूपक की सिद्धि में जिसकी अपेक्षा है, उस आरोप का समर्थन तो तब हो सकता था यदि राजा से सम्बन्ध रखनेवाले कमला-वासत्व (लक्ष्म्याश्रयत्व) में सरोवर से सम्बन्ध रखनेवाले कमल-निवासत्व (सरोजाश्रयत्व) का अभेदारोप सिद्ध होता, पर श्लेष से वह (अभेद का आरोप) सिद्ध होता नहीं, उससे तो केवल अभेद की ही सिद्धि होती है और जहाँ शुद्ध अभेद ही प्रतीत होता है वहाँ आरोप की बात ही असङ्गत है, जैसे—'ये दोनों अभिन्न हैं' इस कथन से दोनों में अभेद की प्रतीति होने पर भी आरोप की प्रतीति नहीं होती, अतः 'कमलावासकासारः' में परम्परित रूपक को सिद्ध करनेवाला 'यह एतद्रूप है' इस व्यवहार का नियामक आरोप अन्वेषणीय ही है। यह हुआ एक प्रश्न, और इसका उत्तर यह है कि आपका कथन सत्य है, पर शब्द से श्लेष द्वारा जब लक्ष्मीवासत्व और सरोजावासत्व का अभेद सिद्ध हो जायगा, तब बीच में मनद्वारा उन दोनों में से प्रथम का दूसरे में आरोप हो जाने की कल्पना कर ली जायगी और ऐसी कल्पना इसलिये कह ली जायगी कि राजा में सरोवर का आरोप जो शब्दतः सिद्ध है उसका समर्थन हो सके। और उसका समर्थन आरोप से ही हो सकता है केवल अभेद से नहीं, यह बात पहले लिखी जा चुकी है। तात्पर्य यह कि–कवि ने यहाँ राजा में सरोवर के शब्दतः कथित आरोप का समर्थन करने के लिये ही 'कमलावास' पद में श्लेष किया है और उस श्लेष से आरोप की प्रतीति न होने के कारण अभीष्ट समर्थन हो नहीं पाता, अतः अगत्या शब्दतः केवल अभेद की प्रतीति होने पर भी समर्थक भाग में मानस आरोप की कल्पना करनी पड़ती

है। ऐसी कल्पना करने पर सब बातें बन भी जाती हैं। नागेश का कथन यहाँ यह है कि–'यद्यपि समुद्र की गम्भीरता और किसी मानव की गम्भीरता दो वस्तु है, तथापि एक शब्दोपात्त होने के कारण उन दोनों गम्भीरताओं को एक मानकर 'गम्भीरता से यह मनुष्य समुद्र है' इत्यादि स्थल में श्लिष्ट गम्भीरतात्मक साधारणधर्ममूलक समुद्ररूपक जैसे सिद्ध होता है वैसे ही 'कमलावास के कारण यह राजा सरोवर है' इत्यादि स्थलों पर भी श्लिष्ट एक शब्दोपात्त कमला-लक्ष्मी के वास और कमलों के आवास को एक धर्म मानकर सरोवररूपक सिद्ध होता है, फिर इसी तरह 'कमलावासकासारः' इस प्रकृत परम्परित रूपकस्थल में भी कार्य चल ही सकता है, अतः पण्डितराज की मानस आरोप वाली कल्पना व्यर्थ है। साधारणधर्म ज्ञान को अभेदारोप का साधक सभी मानते ही हैं। श्लिष्ट परम्परितरूपक में 'एक आरोप दूसरे आरोप का उपायभूत रहता है' इस कथन का भी अभिप्राय यही है कि द्वितीय आरोप के मूलभूत साधारण धर्म की सिद्धि श्लेष से हो जाती है। साधारणधर्म की सिद्धि आरोप करने पर ही हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तब रही बात यह कि श्लिष्ट परम्परितस्थल पर समर्थकांश में रूपक का व्यवहार कैसे बनेगा? क्योंकि वहाँ आरोप आप नहीं मानते और रूपक आरोप के बिना होता नहीं। बात यह सत्य है। पर उत्तर भी इसका यह सत्य ही है कि–समर्थकांश में जो वहाँ रूपक व्यवहार होता है वह गौण है, वास्तविक नहीं और यह बात आपको मानस आरोप की कल्पना करने पर भी माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उस तरह से आरोप के सिद्ध हो जाने पर भी वह आरोप सादृश्यमूलक नहीं ही होगा और सादृश्यमूलक आरोप को ही आप हम सभी रूपक मानते हैं। इस मेरी रीति के अनुसरण करने पर 'कारुण्यकुसुमाकाशः खलः' इत्यादि स्थलों पर जो आपने आगे अन्योन्याश्रय दिखलाया है उसका भी अवसर नहीं आता। कारण, खल में आकाश-रूपक की सिद्धि के लिये अपेक्षित साधारणधर्म का ज्ञान कारुण्य और कुसुम में इच्छाधीन आहार्य अभेद मान लेने पर हो ही जाता है। समर्थक अंश में सादृश्यमूलकता आवश्यक नहीं हैं यह बात तुरत कही जा चुकी है। इस रीति के अनुसार वे शङ्कासमाधान भी समाप्त हो जाते हैं जिनका उत्थान पण्डितराज ने 'स्यादेतत्' से आरम्भ कर 'सौजन्य-चन्द्रिकाचन्द्रः' में किया है। कारण इस रीति के अनुसार वहाँ पूर्वपक्ष ही–जो दिखलाया गया है—नहीं उठता।'

शुद्धपरम्परिते विशेषं विचारयति—

कथं तर्हि परम्परितरूपके 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रो राजा' इत्यादौ रूपकत्वम्, अभेदारोपस्य सत्त्वेऽपि तस्य सादृश्यमूलकत्वाभावादिति चेत्; न। समर्थकारोपेण धर्मैक्यसम्पादने सादृश्यस्य निष्प्रत्यूहत्वात्।

तर्हि तदा। समर्थ्यारोपस्य समर्थकारोपहेतुकत्वाङ्गीकारे इति यावत्। सौजन्येति। सौजन्यम् सुजनता, तद्रूपा या चन्द्रिका चन्द्रज्योत्स्ना, तस्याः कृते, चन्द्रः चन्द्ररूपो राजा नृप इत्यर्थः। तस्येति। अभेदारोपस्येत्यर्थः। भावादिति। समर्थकारोपमूलकत्वादिति भावः। खण्डयति—नेति। तत्र हेतुमाह—समर्थकारोपेणेति। चन्द्रिकायां सौजन्याभेदारोपेणेति तदर्थः। 'सौजन्य—' इत्यत्र राज्ञि चन्द्राभेदारोप इति सत्यम्, किन्तु तस्यारोपस्य मूलम् न सादृश्यम्। अपि तु चन्द्रिकायां सौजन्याभेदारोपः, तथा च कथमिदम् रूपकम्? सादृश्यमूलकारोपस्यैव रूपकत्वस्वीकारात् इति शङ्कादलाशयः।

चन्द्रिकायां सौजन्यस्याभेदे समारोपिते चन्द्रिकासौजन्ययोरैक्यं सिद्धयति, तथा चैकतापन्नसौजन्य-चन्द्रिकात्मकसाधारणधर्मप्रयोज्यसादृश्यं चन्द्रराज्ञोर्निष्प्रत्यूहमिति सिद्धं तयोरभेदारोपस्य सादृश्यमूलकत्वमिति समाधानदलाशय इति भावः।

शुद्ध परम्परित रूपक सम्बन्धी विशिष्ट विचार किया जाता है—कथमित्यादि। आप कहेंगे—जब आप परम्परितस्थल में समर्थ्य आरोप का मूल समर्थक आरोप को मानते हैं तब 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रः-अर्थात् राजा सुजनतारूप चाँदनी के लिये चन्द्रमा है' इत्यादि शुद्ध परम्परित रूपक में सामान्य रूपक का लक्षण ही कैसे सङ्घटित होगा, क्योंकि आप के हिसाब से, राजा में जो चन्द्र का अभेद आरोपित हुआ है उसका मूल सादृश्य न हो कर चाँदनी में सुजनता का अभेदारोप है और रूपक के सामान्य लक्षण में सादृश्यमूलक आरोप का ही रूपक होना कहा गया है। पर यह कथन कुछ महत्व नहीं रखता। कारण, समर्थक आरोप—अर्थात् चाँदनी में सुजनता का अभेदारोप–जब कर दिया जायगा तब चाँदनी और सुजनता एक धर्म रूप हो जायगें और इसतरह एक बने इस साधारण धर्म के कारण राजा और चन्द्र में सादृश्य निर्विघ्नरूप से सिद्ध हो जायगा फलतः इस स्थित में राजा में चन्द्राभेदारोप का मूल सादृश्य को मानने में कोई बाधा नहीं रह जाती है।

पुनरपरविधं रूपकसम्बन्धि-विचार विशेषं विधातुं शङ्कते—

स्यादेतत्। सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्र इत्यत्र तत्पुरुषावयवे समानाधिकरण-तत्पुरुषे चन्द्रिकायामभेदसंसर्गेण सौजन्यस्य विशेषणत्वात्प्रतीयमानश्चन्द्रिकागतः सौजन्याभेदो न राजनि चन्द्राभेदात्मकं रूपकं समर्थयितुं प्रभवति, यत्सम्बन्धिनि यत्सम्बन्ध्यभेद–इत्यादिप्रागुक्तन्यायात्। अपि तु सौजन्ये विषये चन्द्रिकाभेदः। यथा—'सौजन्यं ते धराशीश ! चन्द्रिका त्वं सुधानिधिः।' स च दुरुपपाद एव। न चानयोः समानवित्तिवेद्यत्वान्नानुपपत्तिरिति शक्यं वक्तुम्, प्रात्यक्षिके हि सामग्र्यास्तुल्यत्वात्तत्। न तु शाब्दबोधे व्युत्पत्तिवैचित्र्यनियन्त्रिते। एवमन्यत्रापि कथं समासगत–शुद्ध–परम्परिते द्वयोरारोपयोर्निर्वाह्य–निर्वाहकभावः ? कथं च शशिपुण्डरीकमित्यादौ पुण्डरीकरूपकमुच्यते ? पुण्डरीकाभेदात्मकस्य पुण्डरीकताद्रूप्यस्याभानात्। शश्यभेदप्रत्ययाच्च पुण्डरीकं शशीत्यत्रेव शशिरूपकमुच्यताम्। एवं नीलिमदिव्यतोये तारावलीमुकुलमण्डल-मण्डिते षोडलकलादलमङ्कभृङ्गमित्यत्राप्युत्तरपदार्थे पूर्वपदार्थाभेदस्यैव भानात्पूर्वपदार्थरूपकापत्तिः।

तथा—

'सुविमलमौक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे।
वदन-परिपूर्णचन्द्रे सुन्दरि ! राकासि नात्र सन्देहः॥'

इत्यत्र सुन्दर्यां विषयभूतायां राकातादात्म्यावगमात्स्फुटमेव तावद्राकारूपकम्। तत्र चरणत्रयगतानि रूपकाणि राकारूपकानुगुणतयोपात्तान्यपि नानुगुण्यमाचरन्ति। ताराचन्द्रिका-पूर्णचन्द्राणां मौक्तिक-धवलांशुक-वदनाभिन्नत्वे सिद्धेऽपि न सुंदर्यां राकातादात्म्यं सेद्धुमीष्टे प्रत्युत विपरीतं राकायां सुन्दरीताद्रूप्यं, तेषां राकासम्बन्धित्वात् सर्वमेव व्याकुलमिति।

तत्पुरुषावयवे इति। तत्पुरुषसंज्ञके इति यावत्। समानाधिकरणतत्पुरुषे इति। कर्मधारये इति भावः। सौजन्यचन्द्रिकापदयोरिति शेषः। चन्द्रिकाऽभेद इति। चन्द्राभेदात्मकं रूपकं समर्थयितुं प्रभवतीत्यस्यानुषङ्गः। 'सौजन्यं ते—' इति। हे धराधीश पृथिवीपते! ते तव, सौजन्यम्, चन्द्रिकाज्योत्स्नारूपम्, अतः, त्वम्, सुधानिधिः चन्द्ररूप इत्यर्थः। स चेति। स तु इत्यर्थः। दुरुपपाद इति। सौजन्यचन्द्रिकेत्यत्रेति भावः। अनयोरिति। अभेदयोरित्यर्थः। चन्द्रिकागतसौजन्याभेद-सौजन्यगतचन्द्रिकाभेदयोरिति स्पष्टार्थः। समानवित्तीति। समाना तुल्या एकेति यावत्, या वित्तिः ज्ञानसाधनभूता सामग्री, तद्वेद्यत्वादिति भावः। प्रात्यक्षिके इति। चक्षुरादिजन्यज्ञाने इत्यर्थः। तदिति। तुल्यवित्तिवेद्यत्वमित्यर्थः। व्युत्पत्ति इति। कार्यकारणभावेत्यर्थः। नियन्त्रित इति। नियमित इत्यर्थः। अन्यत्रापीति। उदाहृतातिरिक्तस्थलेऽपीत्यर्थः। उदाहृतस्थल एव शङ्कते—कथं चेति। चस्त्वर्थे। 'सुविमल—' इति। व्याख्यातमिदं प्रागेव। चरणत्रयगतानीति। इतोऽग्रे यद्यपि 'राकारूपकाण्यनुगुणतया' इत्येव पाठः प्राप्तसंस्करणेषूपलभ्यते, तथापि नासौ पाठः सङ्गतो मम प्रतिभात इति मूलोक्तः कल्पित इति बोध्यम्। सेद्धुमीष्टे इति। सम्पत्तुं प्रभवतीत्यर्थः। सुन्दरीताद्रूप्यमिति। सेद्धुमीष्टे इत्यस्यानुषङ्गः। तत्र हेतुमाह—तेषामिति। सर्वमेवेति। रूपकप्रकरणोक्तमिति भावः। इतः प्राक् 'इति' पदमध्याहार्य्यम्। इतिः पूर्वपक्षसमाप्तिसूचकः। अयं भावः—'सौजन्य-चन्द्रिका-चन्द्रो राजा' इत्यत्र राजरूपोपमेये चन्द्ररूपोपमानाभेदात्मकस्य रूपकस्य सौजन्यरूपोपमेयगतेन चन्द्रिकारूपोपमानाभेदेन समर्थनात् परम्परितरूपकं समर्थनीयम्, तच्च तदैव सम्भवति यदि 'सौजन्यं ते धराधीश चन्द्रिका—' इत्यादिव्यस्तस्थल इव सौजन्ये चन्द्रिकाभेदः प्रतीयते; परन्तु प्रागुक्ते समस्तस्थले तस्मिन् तदभेदः प्रत्येतुमशक्यः, यतः तत्र 'सौजन्यं चन्द्रिका' इति विगृह्य जायमाने कर्मधारयसमासे चन्द्रिकायामभेदेन सम्बन्धेन सौजन्यस्य विशेषणत्वात् चन्द्रिकागतः सौजन्याभेद एव प्रतीयते, न तु सौजन्यगतश्चन्द्रिकाभेदः। चन्द्रिकागतसौजन्यभेदेन च प्रतीयमानेन चन्द्रे राजाभेदस्य समर्थनं स्यात् न तु राज्ञि चन्द्राभेदस्य, 'यत्सम्बन्धिनि यत्सम्बन्ध्यभेदः—' इति प्रागुक्तन्यायात् अर्थात् चन्द्रसम्बन्धिचन्द्रिकायां प्रतीयमानः राजसम्बन्धिसौजन्याभेदः चन्द्रे राजाभेदस्य निमित्तं भवेत्। एवं च कथमिह चन्द्ररूपकम्? ननु चन्द्रिकायां सौजन्याभेदः सौजन्ये चन्द्रिकाभेदश्च तुल्यवित्तिवेद्यौ—अर्थात् तयोरेकस्मिन्नभेदे ज्ञातेऽपरोऽप्यभेदो विज्ञात एव, यथा—'रक्तो घटः' इत्यत्र घटे दृष्टे तदीयं रूपमपि दृष्टं भवत्येव, अतो न किञ्चिदसमञ्जसमिति चेन्न, प्रात्यक्षिके, ज्ञाने तथा सम्भवेऽपि शाब्दबोधे तदसम्भवात्। रक्तो घट इत्यादि-प्रत्यक्षस्थले रूपघटयोः प्रत्यक्षस्य कारणीभूता सामग्री चक्षुरादिरूपा एकैवेति तत्र सम्भवति घटतदीयरूपयोस्तुल्यवित्तिवेद्यत्वम्, 'सौजन्याभिन्ना चन्द्रिका' 'चन्द्रिकाभिन्नम् सौजन्यम्' इत्याकारकयोः शाब्दबोधयोस्तु सम्पादिका सामग्री नैका, सामग्री, घटकयोः। 'सौजन्यपदोत्तरचन्द्रिकापदत्व'—'चन्द्रिकापदोत्तरसौजन्यपदत्व'रूपयोराकाङ्क्षाज्ञानयोर्भिन्नत्वादिति तत्र तुल्यवित्तिवेद्यत्वं न सम्भवतीति तात्पर्यम्। फलतो न केवलं 'सौजन्य-चन्द्रिकाचन्द्रो राजा' इत्यत्रैव, अपि तु सर्वेषु समासगतशुद्धपरम्परितरूपक-

लक्ष्येषु समपेक्षितो द्वयोरारोपयोर्निर्वाह्य-निर्वाहकभावो दुरुपपादः। एवम्, 'शशिपुण्डरीकम्' 'नीलिमदिव्यतोये' 'तारावलीमुकुलमण्डलमण्डिते' 'षोडशककादलम्' 'अङ्कभृङ्गम्' इत्यादिषु रूपकलक्ष्येषु पुण्डरीक-दिव्यतोय-मुकुलमण्डल-दल-भृङ्गात्मकोत्तरपदार्थरूपकव्यवहारासङ्गतिः, शशि-नीलिम-तारावली-षोडशकलाऽङ्करूपपूर्वपदार्थरूपकव्यवहारापत्तिश्च, पूर्वोक्तरीत्या सर्वत्र पूर्वपदार्थेषु शश्यादिषु उत्तरपदार्थानाम् पुण्डरीकादीनामभेदस्याप्रत्ययात्, उत्तरपदार्थेषु पुण्डरीकादिषु पूर्वपदार्थानाम् शश्यादीनामभेदस्य प्रत्ययाच्च। इत्थमेव सुविमल—' इत्यत्रापि प्रागुक्तयुक्त्यैव तारा (चन्द्रिका) पूर्णचन्द्रात्मकेषूत्तरपदार्थेषु मौक्तिक (धवलांशुक) वदनरूपपूर्वपदार्थाभेद एव प्रतीयेत, तथा च तानि पूर्वपदार्थरूपकाणि स्युः, तादृशानि च तानि रूपकाणि चरमं सुन्दर्यां राकारूपकं न समर्थयितुं समर्थानि, अपि तु राकायां सुन्दरीरूपकमेव समर्थयितुं समर्थानि, प्रागुक्तन्यायात्। न चास्तु तथैव, का हानिस्तावतेति वाच्यम्, 'सुन्दरि राकासि' इत्युक्त्योपमेयायां सुन्दर्यां राकातादात्म्यावगमे राकारूपकस्यैव कविविवक्षितत्वावगमात्, तदनुगुणतयोक्तत्वाद् अन्यांशेष्वपि उत्तरपदार्थरूपकाणामेवेष्टत्वात्। इत्थं च रूपकप्रकरणोक्तः सकलोऽपि सिद्धान्तः कलुषित इति।

रूपक के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट सिद्धान्त स्थिर करने के लिये शंका की जाती है—स्यादेतत इत्यादि। इतने पर भी यह शंका की जा सकती है कि—पूर्वोक्त 'सौजन्य-चन्द्रिकाचन्द्रो राजा' इस शुद्ध परम्पितरूपक के उदाहरण में दो समास हैं-एक सौजन्य-चन्द्रिका' शब्द में और दूसरा इस शब्द को 'चन्द्र' शब्द के साथ जोड़ने में। ये दोनों ही समास यद्यपि तत्पुरुषसंज्ञक हैं, पर प्रथम समास तत्पुरुष का अवयव होने पर भी समानाधिकरण-समानविभक्तिकपद-युक्त होने के कारण एक भिन्न संज्ञा (कर्मधारय) का भाजन हो जाता है और दूसरा तत्पुरुष (षष्ठीतत्पुरुष) ही कहा जाता है। इस कर्मधारय में अर्थात् 'सौजन्य-चन्द्रिका'पदार्थ में 'सौजन्य'पदार्थ अभेदसंबन्ध से 'चन्द्रिका'पदार्थ का विशेषण होता है। तात्पर्य यह कि-'सौजन्य' विशेषण है और 'चन्द्रिका' विशेष्य। अतः 'सौजन्य-चन्द्रिका' पद के द्वारा 'चन्द्रिका' में 'सौजन्य' का अभेद प्रतीत होता है, न कि 'सौजन्य' में 'चन्द्रिका' का। वह अभेद (चन्द्रिका में सौजन्य का अभेद) 'राजा' में 'चन्द्र' के अभेदरूप रूपक का समर्थन नहीं कर सकता, अपि तु 'चन्द्र में 'राजा' के भेदक का समर्थन कर सकता है। अभिप्राय यह कि—जब समर्थकरूपकभाग में उपमेय (सौजन्य) का उपमान (चन्द्रिका) में अभेद ही समासमर्यादा से अवगत होता है, तब समर्थ्य रूपक(राजा और चन्द्र)भाग में भी वैसा ही होना उचित है—अर्थात् समर्थकरूपक अपने से विपरीत रूपक का समर्थन नहीं करेगा। और 'जिसके सम्बन्धी में जिसके सम्बन्धी का अभेद हो, उसमें उसका अभेद होता है' इस पूर्वोक्त न्याय के अनुसार भी उक्त रीति की ही पुष्टि होती है—अर्थात् 'सौजन्य' राजा का सम्बन्धी है और 'चन्द्रिका' चन्द्र की सम्बन्धिनी, उन दोनों में जिसका जिसमें आरोप (अभेद) प्रतीत होगा, उसके सम्बन्धियों में वह आरोप उसी क्रम से प्रतीत होगा। यहाँ कर्मधारय समास के अनुसार सौजन्य के विशेषण और चन्द्रिका के विशेष्य होने के कारण, सौजन्य का चन्द्रिका में अभेद प्रतीत होता है—सौजन्य का उपमान होना और चन्द्रिका का उपमेय होना विदित होता है। इस हिसाब से समर्थ्य भाग में भी राजा का अभेद चन्द्र में प्रतीत होगा—राजा का उपमान होना और चन्द्र का उपमेय होना समर्थित

होने लगेगा, जो कविसिद्धान्तपरम्परा से सर्वथा विपरीत है। वह अनुकूल तब हो सकता है, जब कि चन्द्रिका का सौजन्य में अभेद प्रतीत हो, जैसे कि—'सौजन्यं ते' अर्थात् हे राजन्! आप का 'सौजन्य चन्द्रिका है और आप चन्द्रमा हैं।' इस असमस्त वाक्य में प्रतीत होता है। तात्पर्य यह कि जिस तरह असमासस्थल में चन्द्रिका का विधेय (विशेषण) होना और सौजन्य का विशेष्य होना स्पष्ट ज्ञात होता है, उस तरह यदि समासस्थल में भी होता तो वक्ता का अभीष्ट सिद्ध हो सकता पर समासस्थल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि वहाँ पूर्व पदार्थ का विशेषण होना और उत्तर पदार्थ का विशेष्य होना ही विदित होता है। यदि कहा जाय कि—सौजन्य का चन्द्रिका में अथवा चन्द्रिका का सौजन्य में अभेद-दोनों ही अभेद—एक ही उपाय से समझे जा सकते हैं—ये दोनों तुल्य-वित्ति-वेद्य हैं (एक उपाय से समझे जानेवाले दो पदार्थ हैं), अतः कोई अनुपपत्ति नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि—यह बात प्रात्यक्षिक (प्रत्यक्ष-जन्य) ज्ञान के विषय में कही जा सकती है, क्योंकि वहाँ दोनों तरह के बोधों की सामग्री एक रहती है। परन्तु शाब्दबोध में ऐसा नहीं होता—वह तो व्युत्पत्ति की विचित्रता से जकड़ा हुआ है। सारांश यह कि—'तुल्य-वित्ति-वेद्यत्व' एक न्याय है जिसका अभिप्राय यह है कि एक साधन से दो तरह की बातें समझ ली जा सकती हैं। पर इस न्याय का उपयोग चक्षुरादि इन्द्रियों से होनेवाले ज्ञान में ही किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ साधन एक रहता है, जैसे, कल्पना कीजिए कि—किसी एक जगह पर घड़ा और कपड़ा दोनों ही चीजें रखी हैं, वहाँ यदि हम दृष्टिपात करें तो यह नहीं हो सकता कि घड़े का दर्शन (ज्ञान) हो और कपड़े का नहीं, क्योंकि जिस साधन (आँखों) का संयोग होने से हम घड़े को जान सके हैं उस साधन (आँखों) का संयोग इसी तरह कपड़े के साथ भी होगा जिस तरह घड़े के साथ हुआ है। शब्द से होनेवाले ज्ञान में तो इस न्याय का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ ज्ञान के भेद से साधन (कारण) भी भिन्न हो जाता है, जैसे—समासस्थल में सौजन्य का अभेद चन्द्रिका में समझने का एक कारण सौजन्यपदोत्तर चन्द्रिकापद ('सौजन्यचन्द्रिका' इस तरह के पद) का ज्ञान है और चन्द्रिका का अभेद सौजन्य में समझने का कारण चन्द्रिकापदोत्तर-सौजन्यपद ('चन्द्रिकासौजन्य' इस तरह के पद) का ज्ञान हो जाता है। फलतः शाब्दबोध में शब्द के आकार-प्रकार बदल जाने पर बोध का आकार-प्रकार भी बदल जाता है, अतः उक्त न्याय आप के पक्ष में काम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में 'सौजन्य-चन्द्रिका-चन्द्रो राजा' यहीं नहीं अपितु सभी समासगत-शुद्ध परम्परित-रूपक-स्थलों पर यह शंका समान रूप से उपस्थित है कि दो आरोपों (रूपकों) का परस्पर निर्वाह्य-निर्वाहकभाव (समर्थ्य-समर्थक होना) कैसे बन सकता है? परम्परित रूपक स्थल में ही नहीं, अपितु अन्य समासगत रूपकों में भी उक्त अभेद-प्रतीतिविषयक गड़बड़ी के कारण शंका उपस्थित हो जाती है। जैसे-'शशिपुण्डरीक' इत्यादि में कमल का रूपक (ताद्रूप्य) कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि कमल के ताद्रूप्य का अर्थ है कमल का शशि (चन्द्र) में अभेद, पर वह 'शशिपुण्डरीक' इस कर्मधारयसमास में प्रतीत होता नहीं, प्रतीत होता है कमल में शशि का अभेद। अतः जैसे 'कमल चन्द्र है' इस स्थान में चन्द्र का रूपक कहा जाता है वैसे ही 'शशिपुण्डरीक' में भी चन्द्र का रूपक कहना उचित है, कमल का नहीं। इसी तरह 'नीलिमदिव्यतोय', 'तारावलीमुकुल', 'षोडश-कला-दल', 'अङ्कभृङ्ग' इन सभी स्थलों में पूर्व पदार्थ (नीलिमा, तरावली, षोडश कलायें और अङ्क) के रूपक जो इष्ट नहीं हैं वे ही कहे जा सकेंगे, किन्तु उत्तर पदार्थ (दिव्य जल, मुकुल, दल और भृङ्ग) के रूपक जो अभीष्ट हैं वे नहीं कहे जा सकेंगे, क्योंकि उक्त

युक्ति से इन सभी जगहों में उत्तर पदार्थ (दिव्यतोय आदि) में पूर्वपदार्थ (नीलिमा आदि) का ही अभेद प्रतीत होगा, पूर्व पदार्थ में उत्तर पदार्थ का अभेद नहीं। एवम्—'सुविमलमौक्तिक—' इस पूर्वोक्त पद्य में उपमेयरूप 'सुन्दरी' में उपमानरूप 'पूर्णिमा' का अभेद प्रतीत होता है, अतः पूर्णिमा का रूपक यद्यपि स्पष्ट है तथापि पद्य के प्रथम तीन चरणों के रूपक, पूर्णिमारूपक की अनुकूलता के लिये निर्मित होने पर भी, उसकी अनुकूलता नहीं करते। कारण, 'तारा', 'चाँदनी' और 'पूर्णचन्द्र' का क्रमशः मोती, धवल वसन और मुख के साथ अभेद सिद्ध होने पर भी सुन्दरी में पूर्णिमा का तादूप्य (अभेदारोप) सिद्ध नहीं हो सकता, प्रत्युत उसके विपरीत पूर्णिमा में सुन्दरी का तादूप्य सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वे—अभेद के आश्रयरूप में प्रतीत होने वाले 'तारा' आदि—पूर्णिमा के सम्बन्धी हैं, सुन्दरी के नहीं। अतः सब गड़बड़ है।

समाधत्ते—

अत्र वदन्ति—अभेदस्तावद्विशेषणस्य संसर्गो भवति। स च यथा मुखं चन्द्र इत्यादौ वाक्यगते रूपके स्वप्रतियोगिनश्चन्द्रस्य स्वानुयोगिनि मुखे विशेषणताया निर्वाहकस्तथैव समासगते मुखचन्द्र इत्यादौ रूपके स्वानुयोगिनो मुखस्य प्रतियोगिनि चन्द्रे विशेषणतायाः। एवं चोभयत्रापि वस्तुतश्चन्द्राभेद एव संसर्गः। क्वचिदनुयोगित्वमुखः, क्वचिच्च प्रतियोगित्वमुखः, विशेषण-विशेष्यभाववैचित्र्यात्। न तु मुखचन्द्र इत्यत्र मुखाभेदः संसर्गः। तथा सति चन्द्ररूपकतापत्तेः, मुखरूपकापत्तेश्च। स्वप्रतियोगिकाभेद एव विशेषणसंसर्गो न तु स्वानुयोगिकाभेद इति तु दुराग्रहः। एवं च सौजन्यचन्द्रिकेत्यादौ वस्तुतः सौजन्याभेदो न सौजन्यस्य चन्द्रिकाविशेषणस्य संसर्गः, अपि तु चन्द्रिकाभेद एव। तथा च सौजन्यनिष्ठाभेदप्रतियोगिनी चन्द्रिकेति पर्यवसितेऽर्थे, भङ्ग्यन्तरेण सौजन्ये चन्द्रिकाऽभेदसिद्धौ जातायां राजनि चन्द्राभेदोऽपि निष्पद्यते इति परम्परितेनानुपपत्तिः। शशिपुण्डरीकमित्यादावपि शशिनिष्ठाभेदप्रतियोगिपुण्डरीकमिति पर्यवसितेऽर्थे पुण्डरीकाभेदस्य भानात्पुण्डरीकरूपकमव्याहतम्। एवमन्येष्वप्यवयवरूपकेषु बोध्यम्, एवं सुविमलमौक्तिकतारे इत्यादावपि ताराद्यभेदा एव मौक्तिकादिगतो मौक्तिकादीनां तारादिविशेषणानां संसर्गीभवन् राकारूपकस्य समर्थको भवतीति सर्वं सुस्थम्। सोऽयमभेदो यत्रानुयोगित्वमुखस्तत्र रूपकस्य विधेयता। यत्र च प्रतियोगित्वमुखस्तत्रानुवाद्यत्वमिति दिक्।

चन्द्रे विशेषणताया इति निर्वाहक इत्यस्यानुषङ्गः। क्वचिदिति। वाक्यगते इत्यर्थः। क्वचिच्चेति, समासगते इत्यर्थः। एवकारव्यावर्त्यमाह—न त्विति। इत्यत्र समासगते। मुखाभेद इति। मुखप्रतियोगिकाभेद इत्यर्थः। नानुपपत्तिरिति। अत्र 'रूपकत्वस्येत्यादिः' इति नागेशः। परन्तु तन्न युक्तं प्रतिभाति, मुखरूपकत्वस्य तथाप्यक्षतेः। मुखरूपकं तत्रेष्टं नास्तीति त्वन्यत्। अतः चन्द्ररूपकत्वस्येति विवरणमुचितम्। अन्येष्वप्यवयवरूपकेष्विति। 'नीलिमदिव्यतोये' इत्यादावित्यर्थः। सर्वं सुस्थमिति। अत्र "अन्ये तु 'तुल्य-वित्ति-वेद्यतया चन्द्राभेदस्यापि मुखे प्रतीतेरार्थं चन्द्ररूपकम्। शाब्दं त्वस्ते। एवं मुखाभेदस्य समासशास्त्रप्रवृत्त्युपयोगितयाङ्गीकारेऽप्यतात्पर्यविषयत्वान्न तमादाय मुखरूपक-

व्यवहारः। किं चात्र पूर्वपदार्थप्रधानमयूरव्यंसकादिसमासेन। चन्द्रपुण्डरीकाद्यभेदस्यैव मुखशश्यादौ भानाच्च दोषः। अत एव विशेष्यस्य पूर्वनिपातार्थमिदम्' इति भाष्यकृतः। एवं च वाच्यतापि चन्द्ररूपकस्य" इत्याहुः। अपरे तु चन्द्रनिष्ठाभेदश्चन्द्रप्रतियोगिकाभेदश्च रूपकम्। अत एव 'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः'इत्युक्तं प्रकाशे। यद्वा विषयिनिष्ठाभेद-प्रतियोगितया यत्र विषयस्य रञ्जनमित्येव लक्षणार्थः। एवं च मुखप्रतियोगिकाभेदवांश्चन्द्र इत्येवं बोधेऽपि न क्षतिः' इत्याहुः" इति नागेशः। एवं रूपकत्वसाम्येऽपि समासगत-वाक्यगतरूपकयोर्भेदस्तमाह—सोऽयमित्यादिना। अयं भावः—स्व(विशेषण)प्रतियोगिका-भेद एव विशेषणस्य सम्बन्धस्तथा च मुखचन्द्र इत्यादिसमासगतरूपकस्थले मुखप्रति-योगिकाभेद एव चन्द्रे भासेत, यत्र चाभेदो भासते तदेवोपमेयम्, यस्य चाभेद-स्तदुपमानम् इति मुखरूपकापत्तिरित्यभिप्रायेण प्राक् सर्वा अनुपपत्तयो दर्शिताः, परं तु तद् भ्रान्तिमूलकम् यतः स्वप्रतियोगिकाभेदो यथा विशेषणस्य सम्बन्धस्तथा स्वानुयो-गिकाभेदोऽपि। एवञ्च मुखं चन्द्रः इत्यादि वाक्यगतरूपकस्थले चन्द्रप्रतियोगिकाभेदव-न्मुखम् इति जायमाने बोधे चन्द्रो विशेषणं मुखञ्च विशेष्यं भवति। मुखचन्द्र इत्यादि समासगतरूपकस्थले तु मुखानुयोगिकाभेदप्रतियोगी चन्द्र इति बोधे मुखमेव विशेष्यम् चन्द्रश्च विशेष्यो भवति। उभयत्रापि चन्द्रस्यैवाभेदप्रतियोगितया प्रत्ययेनोपमानत्वं सुस्थम्, अतोऽखिलाः पूर्वोक्ता अनुपपत्तयो वारिताः, सौजन्यचन्द्रिका इत्यत्र चन्द्रिकाप्रतियोगि-काभेदस्यैव सौजन्यात्मकविशेषणसम्बन्धत्वेन सौजन्यानुयोगिकाभेदप्रतियोगिनी चन्द्रिकेति बोधे प्रकारान्तरेण सौजन्ये चन्द्रिकाभेदसिद्धौ राज्ञि चन्द्राभेदस्य समर्थनसम्भवात्, शशि-पुण्डरीकम् इत्यत्र शश्यनुयोगिकाभेदप्रतियोगिपुण्डरीकम् इति बोधे शशिनि पुण्डरीकाभेदस्य भानेन पुण्डरीकरूपकत्वस्याव्याहतत्वात्, नीलिमदिव्यतोये, तारावलीमुकुलमण्डलमण्डिते, षोडशकलादलम्, अङ्कभृङ्गम् इत्येतेष्वपि उक्तरीत्या उत्तरपदार्थप्रतियोगिकाभेदस्य पूर्वपदार्थे भानेनोत्तरपदार्थरूपकत्वस्याक्षतत्वात् 'सुविमलमौक्तिकतारे—' इत्यत्रापि तारादिप्रतियोगि-काभेदस्यैव मौक्तिकाद्यात्मकविशेषणसम्बन्धतया तत्र-समर्थकांशे-ताराद्युत्तरपदार्थरूपक-त्वसिद्धौ तैः रूपकैः राकारूपकस्य समर्थ्यतासम्भवाच्च। अभेदो विशेषणस्य सम्बन्ध इति सत्यम्, परन्तु विशेषणविशेष्यभाववैचित्र्येण व्यासस्थले तस्य (अभेदस्य) मुखे (अग्रभागे) अनुयोगित्वं, तिष्ठति 'मुखं चन्द्रः' इत्यादितः चन्द्रप्रतियोगिकाभेदानुयोगि मुखम् इत्यादिबोधात्, समासस्थले च तस्य मुखे प्रतियोगित्वं तिष्ठति, 'मुखचन्द्रः' इत्या-दितः 'मुखानुयोगिकाभेदप्रतियोगी चन्द्रः' इत्यादिबोधात् इति तात्पर्यम्। यद्यपि गुरुमर्म-प्रकाशकारस्तदनुसारी सरलाकारश्च 'अनुयोगित्वमुख-प्रतियोगित्वमुख'शब्दयोः 'अनुयोगित्वं मुखे=आदौ यस्य'इत्यादि विवरणं विधाय समासस्थलेऽनुयोगित्वमुखत्वं व्यासस्थले च प्रति-योगित्वमुखत्वं निर्णीतवन्तौ, तथाप्यहम् 'सोऽयमभेदो यत्रानुयोगित्वमुखस्तत्र रूपकस्य विधेयता' इत्याद्यग्रिमग्रन्थस्वारस्यानुरोधेन 'अनुयोगित्वं मुखे = अग्रभागे यस्य, इत्यादि विवृत्य तद्विपरीतम् निरचिन्वम्। यदि समासेऽनुयोगिमुखत्वमभेदस्याभिमतमभविष्यत्तदाऽ-नुयोगित्वमुखाभेदस्थले रूपकस्य विधेयत्वकथनमसंगतमेवाभविष्यत्, समासे-मुखचन्द्रः इत्यादौ रूपकस्य विधेयतायाः युक्ति-सिद्धान्तोभयविरुद्धत्वादिति ध्यानीयं विज्ञैः। एतावत

पुनरवगन्तव्यम् यद्यत्राभेदोऽनुयोगित्वमुखस्तत्र रूपकं विधेयं भवति—अर्थात् व्यासस्थले 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ अभेद उक्तयुक्त्याऽनुयोगित्वमुखस्तिष्ठति तत्र चोपमानोपमेययोः पृथक्-पृथक् विभक्तिश्रवणादुद्देश्यविधेयभावसम्भवेन रूपकस्य विधेयत्वेन व्यवहारो भवति। यत्र चाभेदः प्रतियोगित्वमुखस्तत्र रूपकमनुवाद्यं भवति—अर्थात् समासस्थले-'मुखचन्द्रः' इत्यादौ—अभेद उक्तयुक्त्या प्रतियोगित्वमुखस्तिष्ठति, तत्र चोपमानोपमेययोः पृथग्विभक्तेर-श्रवणादुद्देश्यविधेयभावासंभवेन रूपकस्यानुवाद्यत्वेनैव व्यपदेशो जायत इति।

उक्त आशंका का उत्तर दिया जाता है—अत्र वदन्ति इत्यादि। उक्त आशंका के उत्तर में कहते हैं कि—अभेद विशेषण का संबन्ध होता है विशेष्य का नहीं, यह सर्व-सम्मत बात है—अर्थात् अभेदसंबन्ध से विशेषण ही विशेष्य में रहनेवाला समझा जाता है, विशेष्य विशेषण में रहनेवाला नहीं। यह सत्य है पर वह अभेद जैसे 'मुख चन्द्रमा है' इत्यादि वाक्यगत रूपक में अपने प्रतियोगी चन्द्र का अपने अनुयोगी मुख में, विशेषण होना निभा देता है वैसे ही 'मुखचन्द्र' आदि समासगत रूपक में अपने अनुयोगी मुख का, अपने प्रतियोगी चन्द्र में, विशेषण होना निभा देता है। तात्पर्य यह कि वाक्य तथा समास में विशेषण-विशेष्य होना बदलता है, अनुयोगी-प्रतियोगी होना नहीं, अतः वाक्य तथा समास दोनों ही जगहों पर वस्तुतः 'चन्द्रका अभेद अर्थात् 'चन्द्रप्रतियोगिक अभेद' ही संबन्धरूप होता है, 'मुख का-मुखप्रतियोगिक-अभेद नहीं। यह बात दूसरी है कि कहीं (व्यासस्थल में) अभेद के आगे अनुयोगित्व आता है और कहीं (समासस्थल में) प्रतियोगित्व उसके आगे आता है। इस तरह के अग्रागमन का कारण है विशेषण-विशेष्य होने की विचित्रता—अर्थात् यह निश्चित नहीं कि अनुयोगी ही विशेषण हो अथवा प्रतियोगी ही; दोनों में से कोई भी विशेषण अथवा विशेष्य हो सकता है। इस विचित्रता के कारण कभी (समास कर देने पर) अनुयोगी-मुख आदि विशेषण हो जाता है और कभी (समास न करने पर) प्रतियोगी-चन्द्र आदि। और जब अनुयोगी विशेषण होता है तब प्रतियोगित्व अभेद के आगे आ जाता है—अर्थात् 'मुखचन्द्र' इस समस्त पद से 'मुख जिसका अनुयोगी है उस अभेद का प्रतियोगी चन्द्र' ऐसा बोध होता है और जब प्रतियोगी विशेषण होता है तब अनुयोगित्व अभेद के आगे आ जाता है—अर्थात् 'मुख चन्द्र है' इस वाक्य—जिसमें अभेद का प्रतियोगी चन्द्र विधेय होने के कारण विशेषण और उसका अनुयोगी मुख उद्देश्य होने के कारण विशेष्य हुआ है—से 'चन्द्र जिसका प्रतियोगी है उस अभेद का अनुयोगी-आश्रय-मुख' ऐसा बोध होता है। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि—'मुखचन्द्र' इत्यादि समासगत-रूपकस्थल में मुख का (मुख-प्रतियोगिक-अभेद संबन्धरूप से आया है, चन्द्र का नहीं। कारण, यदि—ऐसा हो अर्थात् 'मुखचन्द्र' आदि में मुख के अभेद को संबन्ध रूप से आया हुआ माने—तो ऐसी जगह चन्द्र-रूपक न कहला कर मुख-रूपक कहलाने लगेगा—अर्थात् मुख में चन्द्र का आरोप न मानकर चन्द्र में मुख का आरोप मान्य होने लगेगा। स्वप्रतियोगिक अभेद ही—अर्थात् जिसका विशेषण प्रतियोगी हो वही अभेद संबन्धरूप में आ सकता है, न कि स्वानुयोगिक अभेद—अर्थात् जिसका विशेषण अनुयोगी हो वह अभेद संबन्धरूप में नहीं आ सकता—तात्पर्य यह कि विशेषण सर्वदा अभेद का प्रतियोगी ही हो सकता है, अनुयोगी नहीं, यह किसी का कथन तो केवल दुराग्रह है, क्योंकि इस तरह के कथन में कोई प्रमाण नहीं। इस स्थिति में 'सौजन्य-चन्द्रिका' आदि रूपक में 'चन्द्रिका के विशेषणरूप सौजन्य' का संबन्ध 'सौजन्य का अभेद' नहीं, अपितु 'चन्द्रिका का अभेद' है—अर्थात् उस अभेद का प्रतियोगी सौजन्य नहीं,

चन्द्रिका है। अतः उक्त सामासिक पद से पर्यवसित होने वाले 'चन्द्रिका सौजन्य में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी है' इस अर्थ में विग्रह के ढङ्ग से न सही, किन्तु दूसरे ढङ्ग से सौजन्य में चन्द्रिका का अभेद सिद्ध हो जाता है और उसके सिद्ध हो जाने पर चन्द्र का अभेद राजा में भी सिद्ध हो जाता है। अतः परम्परित रूपक में कोई गड़बड़ी नहीं। 'शशिपुण्डरीक' आदि में भी 'चन्द्र में रहने वाले अभेद का प्रतियोगी कमल' यह अर्थ सिद्ध हो जाने पर कमल का अभेद ही चन्द्र में प्रतीत होता है, अतः कमल का रूपक मानने में कोई बाधा नहीं। इसी तरह अन्य अवयव-रूपकों में भी समझना चाहिए—अर्थात् 'नीलिमतोय, तारावलीमुकुल, षोडश कला-दल, तथा अङ्क-भृङ्ग' इन सब जगहों में भी उक्त रीति से अन्त में उत्तरपदार्थ तोय आदि का अभेद ही पूर्वपदार्थ नीलिमा आदि में समझा जायगा, अतः—यहाँ भी उत्तरपदार्थरूपक मानने में कोई अड़चन नहीं रह जाती। इस तरह 'सुविमलमौक्तिकतारे' इत्यादि में भी मोती आदि में रहनेवाला तारा आदि का अभेद ही तारा आदि के विशेषणीभूत मोती आदि का संबन्ध होकर राका-रूपक का समर्थक होता है। अतः सब ठीक है। हाँ, इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि—यह अभेद जहाँ अनुयोगित्व मुख हो—अर्थात् जहाँ शाब्दबोध में अभेद के आगे अनुयोगित्व शब्द जोड़ा जाता हो वहाँ फलतः व्यास-स्थल में रूपक विधेय कहलाता है, क्योंकि वहाँ 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि रीति से उपमान-उपमेय में अलग-अलग विभक्ति के श्रवण होने से उद्देश्य-विधेयभाव हो सकता है और यह अभेद जहाँ प्रतियोगित्वमुख हो अर्थात् जहाँ शाब्दबोध में अभेद के आगे प्रतियोगित्व शब्द जोड़ा जाता हो वहाँ फलतः समासस्थलमें रूपक-अनुवाद्य कहलाता है, क्योंकि वहाँ 'मुख-चन्द्रः'इत्यादि रीति से उपमान-उपमेय में पृथक् विभक्ति के श्रवण न होने से उद्देश्य–विधेयभाव नहीं हो सकता है। यहाँ 'सर्वं सुस्थम्' इस प्रतीक पर नागेश कतिपय भिन्न मतों का उल्लेख करते हैं, जो निम्नलिखित हैं—"-'मुखचन्द्र' इत्यादि समासगत रूपकस्थल में यद्यपि शब्दतः मुख का अभेद ही चन्द्र में भासित होता है, तथापि तुल्य-वित्ति-वेद्य होने के कारण, अर्थतः चन्द्र का अभेद मुख में भी गृहीत ही हो जाता है, अतः ऐसे–समास–स्थलों में आर्थ चन्द्र-रूपक होता है। शाब्द चन्द्र–रूपक तो 'मुखचन्द्र है' इत्यादि व्यास–वाक्य–स्थल में होता है। यदि कोई कहे कि मुख का अभेद जब शब्दतः चन्द्र में गृहीत हुआ तब मुख-रूपक-व्यवहार ही वहाँ क्यों नहीं होता, तो इसका उत्तर यह होगा कि समासशास्त्र की प्रवृत्ति में उपयोगी होने के कारण मुख का अभेद चन्द्र में भले ही माना जाय पर वह वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं है—वक्ता के तात्पर्य का विषय तो मुख में चन्द्र का अभेद ही है, अतः मुख-रूपक व्यवहार की आपत्ति नहीं हो सकती। अथवा 'मुखचन्द्र' इत्यादि पदों में 'मयूरव्यंसकादयश्च' इस पाणिनिसूत्र से ही समास किया जायगा जिस समास में पूर्व पदार्थ की ही प्रधानता रहती है, अतः 'मुखचन्द्रः', 'शशिपुण्डरीकम्' इत्यादि में चन्द्र-पुण्डरीक आदि का ही अभेद मुख-शशि आदि में भासित होगा, अतः कोई दोष नहीं। अतएव भाष्यकार ने भी कहा है कि 'मयूर–इत्यादि सूत्र विशेष्य के पूर्व प्रयोगार्थ है।' इस रीति को मानने पर उक्त स्थल में चन्द्र-रूपक वाच्य भी कहलाता है, अन्यथा वैसा नहीं कहला सकता।" यह अन्य लोगों का मत है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि—"चन्द्र का अभेद और चन्द्र में रहने वाला अभेद—दोनों ही अभेद-रूपक कहलाते हैं। अतएव काव्यप्रकाश में 'उपमान-उपमेय का अभेद रूपक है' ऐसा ही लक्षण किया गया, 'उपमान का उपमेय का अभेद रूपक है' ऐसा नहीं। अथवा 'विषयी उपमान में रहने वाला जो अभेद उसकी प्रतियोगिता से जहाँ विषय-उपमेय का रञ्जन

हुआ हो वहाँ रूपक होता है' यही लक्षणवाक्य का अर्थ है। अतः 'मुख-चन्द्र' इत्यादि से 'मुखप्रतियोगिकमुख का अभेद वाला चन्द्र' इस तरह का बोध होने पर भी कोई क्षति नहीं।"

परम्परितरूपकस्य प्रभेदान्तरमवतारयति—

तत्र 'प्राची सन्ध्या समुद्यन्महिमदिनमणेः' इत्यत्रारोप्यमाणयोः परस्परमारोपविषययोश्चानुकूल्ये रूपकयोरनुग्राह्यानुग्राहकभावो दर्शितः।

तत्रेति। पदार्थरूपकाणां मध्ये इत्यर्थः। आरोप्यमाणयोः उपमानयोः। परस्परमित्यस्य मध्यमणिन्यायेनोभयत्रान्वयः। आरोपविषययोः उपमेययोः। आनुकूल्ये अविरुद्धत्वे। अनुग्राह्यानुग्राहकभावः समर्थ्यसमर्थकभावः। 'प्राचीसन्ध्या—' इत्यत्रारोप्यमाणौ पूर्वसन्ध्यासूर्यौ आरोपविषयौ महिमनयनगतशोणिमश्रियौ च मिथोऽनुकूलौ, पूर्वसन्ध्यायां सूर्यस्य महिम्नि नयनगतशोणिमशोभायाश्च सम्भाव्यमानत्वादिति भावः।

परम्परितरूपक के अन्य भेदों की अवतारणा की जाती है—तत्र इत्यादि। परम्परितरूपक के प्रभेदों में समर्थ्य-रूपक और समर्थकरूपक के उपमानों तथा उपमेयों के परस्पर अनुकूल होने पर समर्थ्य-समर्थक होना 'प्राचीसंध्या—' इस पद्य में दिखाया जा चुका है अर्थात् उक्त पद्य में, उपमान–पूर्वसंध्या—और सूर्य आदि परस्पर अनुकूल हैं—पूर्वसंध्या (प्रभात) में सूर्य रहता ही है, इसी तरह उपमेय-प्रताप और नयन–शोणता आदि भी परस्पर अनुकूल हैं—प्रतापीजन की आँखें लाल हुआ ही करती हैं।

पूर्वावतारणासूचितभेदान्तरं दर्शयितुमाह—

प्रातिकूल्ये यथा—

आरोप्यमाणयोः परस्परमारोपविषययोश्च विरुद्धत्वे रूपकयोरनुग्राह्यानुग्राहकभावो यथेति भावः।

समर्थ्यरूपक और समर्थकरूपक के उपमानों और उपमेयों के परस्पर प्रतिकूल होने पर भी समर्थ्यसमर्थक होने का उदाहरण जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'आनन्दमृगदावाग्निः शीलशाखिमदद्विपः।
ज्ञानदीपमहावायुरयं खलसमागमः॥'

अयम् प्रत्यक्षदृश्यमानः, खलसमागमः नीचाशयजनसम्मेलनम्, आनन्दरूपस्य मृगस्य कृते दावाग्निः वनवह्निरूपोऽस्ति, शीलम् सदाचारः, तद्रूपो यः शाखी तरुः, तस्य कृते मदद्विपः मत्तगजरूपोऽस्ति, तथा ज्ञानरूपो यो दीपः तस्य कृते महावायुः झंझावातरूपोऽस्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—आनन्द इत्यादि। यह खलों–नीच धारणावाले जनों—का समागम आनन्दरूप हरिण के लिये वनवह्नि है, सदाचाररूप वृक्ष के लिये मद-मत्त हाथी है और ज्ञानरूप दीपक के लिये महावायु है।

उदाहरणान्तरं निर्देष्टुं कथयति—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'कारुण्यकुसुमाकाशः शान्तिशैत्यहुताशनः ।
यशःसौरभ्यलशुनः पिशुनः केन वर्ण्यते ॥'

कारुण्यकुसुमस्य दयारूपपुष्पस्य, कृते आकाशः वियद्रूपः, शान्तिशैत्यस्य शान्तिरूपशीतलत्वस्य कृते हुताशनः अग्निरूपः, तथा यशःसौरभ्यस्य यशोरूपस्य सुगन्धस्य कृते लशुनः लशुनरूपः, पिशुनः कर्णेजपः, केन जनेन, वर्ण्यते न केनापीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कारुण्य इत्यादि । उस चुगलखोर का वर्णन किससे सम्भव है जो दयारूप पुष्प के लिये आकाशरूप, शान्तिरूप शीतलता के लिये अनलरूप और यशोरूप सुगन्ध के लिये लहसुनरूप है ।

उपपादयति—

एकत्र नाश्यनाशकभावरूपमपरत्र चात्यन्तिकसंसर्गशून्यतारूपं प्रातिकूल्यमुपमानयोस्तथैवोपमेययोश्च । अनुग्राह्यानुग्राहकभावः पुनरारोपयोरविशिष्ट एव ।

लक्ष्यान्तरदाने बीजमाह-एकत्रेति । आद्ये इत्यर्थः । अपरत्रेति । द्वितीये इत्यर्थः । दावाग्निना यथा मृगस्तथा खलसमागमेन आनन्दो नाश्यते, एवं च दावाग्निर्यथा मृगार्थम् प्रतिकूलस्तथा आनन्दस्य कृते खलसमागम इत्यादिरूपे प्रातिकूल्ये 'आनन्दमृग—' इति परम्परितरूपकोदाहरणम् । एवम्—आकाशे यथा कुसुमस्य तथा खले कारुण्यस्य संसर्गो नेत्यादिरूपे प्रातिकूल्ये 'कारुण्य-' इति 'परम्परितरूपकोदाहरणमिति भावः । एवं प्रातिकूल्यमुपपाद्य तत्सत्त्वेऽपि समर्थ्यसमर्थकभावोऽस्त्येवेत्युपपादयति—अनुग्राह्य इत्यादि । आनन्दे मृगारोपेण शीले शाख्यारोपेण ज्ञाने दीपारोपेण च खलसमागमे दावाग्निमदद्विपमहावायूनामारोपः समर्थ्यते प्रथमश्लोके, एवं कारुण्ये कुसुमारोपेण, शान्तौ शैत्यारोपेण, यशसि सौरभ्यारोपेण पिशुने आकाशहुताशनलशुनानामारोपः समर्थ्यते द्वितीयश्लोक इति सारांशः ।

उपपादन किया जाता है—एकत्र इत्यादि । उक्त दोनों उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण में नाश्यनाशकभावरूप और द्वितीय उदाहरण में सर्वथा सम्बन्धराहित्यरूप प्रतिकूलता उपमानों तथा उपमेयों में है। तात्पर्य यह कि प्रथम पद्य में, समर्थकरूपकगत—मृग, वृक्ष और दीप—एवं समर्थ्यरूपकगत—दावानल, मत्तगज और महावायु—जो उपमान हैं वे परस्पर प्रतिकूल हैं। प्रतिकूलता इनमें यह है कि क्रमशः प्रथमवर्ग के पदार्थों के नाशक हैं क्रमशः द्वितीय वर्ग के पदार्थ, इसी तरह समर्थकरूपकगत आनन्द, शील और ज्ञान—एवं समर्थ्यरूपकगत—खलसमागम—जो उपमेय हैं उनमें भी परस्पर प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता भी वही है—अर्थात् खल-समागम प्रथम वर्ग में गिनाए गये पदार्थों का नाशक है । द्वितीय पद्य में, जो समर्थकरूपकगत—कुसुम, शैत्य और सुगन्ध—एवम् समर्थ्यरूपकगत—आकाश, अग्नि और लहसुन—जो उपमान हैं उनमें भी परस्पर प्रतिकूलता है—और प्रतिकूलता यह है कि—क्रमशः प्रथम वर्ग के पदार्थों के साथ क्रमशः द्वितीय वर्ग के पदार्थों का कभी किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रहता, इसी तरह समर्थकरूपकगत उपमेयों—दया, शान्ति तथा यश—के साथ समर्थ्यरूपकगत उपमेय—चुगलखोर—का किसी प्रकार

का सम्बन्ध न हो सकनारूप प्रतिकूलता है। पर उक्त प्रतिकूलताओं के रहने पर भी दोनों ही स्थलों में समर्थ्य-समर्थकभाव उसी तरह होता है जिस तरह अनुकूलता वाले उदाहरणों में।

परम्परितरूपकस्य भिन्नविधं वैचित्र्यं चित्रयितुमुदाहरणान्तरमाह—

तथा—

'अयं सज्जनकार्पासरक्षणैकहुताशनः।
परदुःखाग्निशमनमारुतः केन वर्ण्यते ॥'

दुर्जनं स्वभावतः परापकारनिरतं कमप्युद्दिश्य कविराह—सज्जनरूपस्य, कार्पासस्य तूलविशेषस्य, रक्षणे लक्षणया नाशने, एकः अद्वितयः, हुताशनः अग्निरूपः, तथा पर-दुःखरूपस्य, अग्नेः, शमने लक्षणया वर्धने, मारुतः वायुरूपः, अयं दुर्जनः, केन व्यक्ति-विशेषेण वर्ण्यते ? वर्णयितुं शक्यते ? न केनापीत्यर्थः।

भिन्न तरह की विचित्रता का चित्रण करने के लिये परम्परित का एक और उदाहरण उपस्थित किया जाता है—अयम् इत्यादि। किसी दुर्जन को उद्देश्य कर कवि ने कहा है—यह सज्जनरूप कपास की रक्षा करने में (लक्षणा द्वारा नाश करने में) एक अद्वितीय अग्नि है और दूसरों के दुःखरूप अग्नि का शमन (लक्षणया वर्धन) करने में वायुरूप है। इसका वर्णन कौन कर सकता है ? कोई नहीं।

उपपादयति—

अत्र रक्षणशमनपदे विरोधिलक्षणया विपरीतार्थबोधके।

'अयम्' इति श्लोके हुताशनकर्तृकं कार्पासकर्मकं रक्षणं यथा बाधितम् तथा दुर्जन-कर्तृकं सज्जनकर्मकं रक्षणं बाधितमिति रक्षणपदस्य वैपरीत्यसंबन्धमूलिका नाशनेऽर्थे लक्षणा। एवं मारुतकर्तृकं वह्निकर्मकं शमनं यथा बाधितं तथा दुर्जनकर्तृकं परकीयदुःखकर्मकं शमन-मपि बाधितमिति शमनपदस्य वैपरीत्यसंसर्गमूलिका वर्धनेऽर्थे लक्षणा। तथा च समर्थ्य-समर्थकभावापन्नरूपकद्वयसमूहात्मकेऽत्र परम्परिते। लक्षणाप्रवेश एकं वैचित्र्यमिति भावः। इदञ्चापरं वैचित्र्यमिह विभावनीयम्—पूर्वार्धगतयोः समर्थ्यसमर्थकरूपकयोः। उपमानोपमेये मिथः प्रतिकूले कार्पास-हुताशनयोः सज्जनदुर्जनयोश्च नाश्य-नाशकभावापन्नपदार्थत्वात्। उत्तरार्धगतयोः समर्थ्यसमर्थकरूपकयोरुपमानोपमेये तु न मिथः प्रतिकूले, अग्नि-मारु-तयोः परदुःखदुर्जनयोश्च परस्परसंवर्ध्यसंवर्धकभावापन्नत्वेनानुकूलत्वात्।

व्याख्या द्वारा सूचित की गई लक्षणा का उपपादन किया जाता है—अत्रेति। 'अयम्' इस पद्य में 'रक्षण' तथा 'शमन' पद विपरीत लक्षणा द्वारा वाच्य से विरुद्ध अर्थ—नाशन और वर्धन के बोधक हैं। अभिप्राय यह कि— जिस तरह आग से कपास की रक्षा बाधित है एवं वायु से आग का प्रशमन बाधित है उसी तरह दुर्जन से सज्जन की रक्षा एवं दुर्जन से परकीय दुःख का प्रशमन भी बाधित है, अतः रक्षण तथा शमन पद की लक्षणा क्रमशः नाशन तथा वर्धन अर्थ में करनी पड़ेगी और 'लक्षणा शक्यसंबन्धः' का रक्षक संबन्ध यहाँ होगा 'विरोध'वैपरीत्य। इस तरह से परस्पर समर्थ्यसमर्थकभावापन्न अनेक रूपकों के समूहरूप इस परम्परित रूपक में लक्षणा का प्रवेश कराना एक प्रकार की विचित्रता दिखलाई गई। यहाँ दूसरी विचित्रता भी यह है कि—पूर्वार्ध में, समर्थक

रूपक का उपमान-कपास और समर्थ्य रूपक का उपमान-अग्नि परस्पर प्रतिकूल हैं—एक का दूसरा नाशक है, इसी तरह उक्त दोनों रूपकों के उपमेय सज्जन और दुर्जन भी परस्पर प्रतिकूल हैं—एक का दूसरा नाशक ही है। ठीक इसके विपरीत, उत्तरार्ध में समर्थक रूपक का उपमान—अग्नि और समर्थ्य रूपक का उपमान—वायु प्रतिकूल नहीं हैं, अपितु अनुकूल ही हैं—एक का दूसरा सहायक ही है। इसी तरह इन दोनों रूपकों के उपमेय क्रमशः परकीय दुःख और दुर्जन भी प्रतिकूल नहीं, अनुकूल हैं—एक का दूसरा वर्धक है। इस तरह यहाँ प्रातिकूल्य तथा आनुकूल्य का विचित्र मिश्रण है।

अवान्तरप्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

एवं पदार्थरूपकं लेशतो निरूपितमेव।

एवं प्रागुक्तरीत्या। पदार्थरूपकमिति। यत्रैकस्मिन् उपमेयभूते पदार्थेऽपरस्य पदार्थभूतस्योपमानस्यारोपस्तादृशं रूपकमित्यर्थः। लेशतः अंशतः।

अवान्तर प्रकरण की समाप्ति सूचित की जाती है—एवं इत्यादि। इस तरह (पूर्वोक्त रीति से) पदार्थ रूपक (उस रूपक, जिसमें एक पदके अर्थ का आरोप दूसरे पद के अर्थ में होता है) का अंशतः निरूपण किया जा चुका।

वाक्यार्थरूपकं निरूपयिष्यन् तावत्तल्लक्षणमाह—

वाक्यार्थे विषये वाक्यार्थान्तरस्यारोपे वाक्यार्थरूपकम्।

उपमेयभूते एकस्मिन् वाक्यार्थे (न तु पदार्थे) उपमानभूतस्यान्यवाक्यार्थस्य (न तु पदार्थस्य) आरोपे-तादात्म्ये-वाक्यार्थरूपकं भवतीति भावः।

वाक्यार्थरूपक का निरूपण करने के प्रसङ्ग में पहले उसका लक्षण किया जाता है—वाक्यार्थे इत्यादि। जब किसी एक पद का अर्थ नहीं, अपितु किसी पूरे वाक्य का अर्थ उपमेय हो और उसमें उपमानभूत पूरे वाक्य के अर्थ का आरोप हो, तब वह आरोप वाक्यार्थरूपक कहलाता है।

दृष्टान्तद्वारा वाक्यार्थरूपकगतं विशेषं स्फोरयितुमाह—

यथा हि विशिष्टोपमायां विशेषणानामुपमानोपमेयभाव आर्थस्तथात्रापि वाक्यार्थघटकानां पदार्थानां रूपकमर्थावसेयम्।

विशिष्टोपमायामिति। 'आत्मनोऽस्य तपोदानैर्निर्मलीकरणं भवेत्। क्षालनं भास्करस्येव सारसैः सलिलोत्करैः।' इत्यादिप्रकारिकायामित्यर्थः। विशेषणानामिति। आत्मभास्करयोः तपोदानसलिलोत्करयोश्चोपमेयोपमानविशेषणयोरित्यर्थः। आर्थ इति तदंशे इवाद्यप्रयोगादिति भावः। अत्रापि वाक्यार्थरूपके। वाक्यार्थघटकानामिति। वाक्यार्थान्तर्गतानामित्यर्थः। अर्थावसेयमिति। आर्थमित्यर्थः। न शाब्दमिति तदाशयः।

दृष्टान्त द्वारा वाक्यार्थरूपक में होनेवाले विशेष का स्पष्टीकरण किया जाता है—यथा हि इत्यादि। जैसे विशिष्ट-विशेषणयुक्त—उपमा में विशेषणों का उपमानोपमेयभाव अर्थतः अवगत होता है शब्दतः नहीं, क्योंकि वहाँ उपमा-सादृश्य का बोधक पद 'इव' आदि नहीं रहता; वैसे ही वाक्यार्थ-रूपक में भी वाक्यार्थ-घटक—अर्थात् जिनके समूह से वाक्यार्थ बनता है उन पदार्थों का रूपक अर्थतः समझने योग्य होता है, शब्दतः नहीं। अभिप्राय यह कि—यदि 'तप-दान आदि के द्वारा आत्मा को निर्मल करना वैसा ही है जैसा सरोवर के जल से सूर्य का प्रक्षालन करना' ऐसा कहा जाय तब सभी आचार्य इसको विशिष्ट—अर्थात् वाक्यार्थ की—उपमा मानेंगे और इस उपमा में आत्मा की सूर्य

के साथ और तप-दान की जल के साथ होने वाली उपमा अर्थतः ज्ञात होने वाली मानी जायगी, उसी तरह वक्ष्यमाण वाक्यार्थ-रूपक के उदाहरण में भी विशेष्यांश का तादृूप्य तो शब्दतः ज्ञात होगा पर विशेषणांश का तादृूप्य शब्दतः नहीं, अर्थतः ज्ञात होगा।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'आत्मनोऽस्य तपोदानैर्निर्मलीकरणं हि यत्।
क्षालनं भास्करस्येदं सारसैः सलिलोत्करैः॥'

अस्य स्वतो निर्मलस्य, आत्मनो जीवाख्यस्य ब्रह्मणः, तपोदानैः तपस्याभिः परोद्देश्येनार्थत्यागैश्च, यत निर्मलीकरणं निर्मलतासम्पादनम्, इदं तत, सारसैः सरोवरीयैः, सलिलोत्करैः जलपुञ्जैः, भास्करस्य सूर्यस्य, क्षालनं निर्मलीकरणमित्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—आत्म इत्यादि। स्वतःनिर्मल इस आत्मा को तप और दानों से निर्मल करना सरोवर के जल-समूह से सूर्य को धोना है।

उपपादयति—

अत्रात्मनि तपोदानेषु चारोपविषयविशेषणतया बिम्बभूतेषु, भास्करस्य सलिलोत्करादीनां च विषयि-विशेषणत्वेन प्रतिबिम्बानां रूपकं गम्यमानं प्रधानीभूतविशिष्टरूपकाङ्गम्।

सलिलोत्करादीनामिति। यद्यप्यत्रोपलब्धपुस्तके 'सलिलक्षालनादीनाम्' इत्येव पाठः, परन्तु स न संगत इति नागेशेन स्वटीकायामुद्धृतो मूलोक्तः पाठ एव मयादृतः। 'आत्मनोऽस्य—' इति श्लोके तपोदानकरणकात्मकर्मकनिर्मलीकरणात्मके उपमेयभूते वाक्यार्थे सारससलिलसमूहकरणकभास्करकर्मकक्षालनात्मकस्योपमानभूतस्य वाक्यार्थस्याभेदारोपरूपं वाक्यार्थरूपकं प्रधानं शाब्दञ्च। उपमेयविशेषणतया बिम्बभूते आत्मनि तपादौ चोपमानविशेषणतया प्रतिबिम्बभूतस्य भास्करस्य सलिलोत्करस्य चाभेदारोपरूपं रूपकद्वयमशाब्दमपि अर्थतः प्रतीयमानमङ्गमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'आत्मनोऽस्य—' इस पद्य में 'तप-दानों से आत्मा का निर्मल करना' यह वाक्यार्थ उपमेय है, जिसमें 'सरोवर के जल से सूर्य का धोना' इस उपमानभूत वाक्यार्थ का शब्दतः आरोप होता है, अतः यह आरोप शब्दवाक्यार्थरूपक कहलाता है और यह वाक्यार्थरूपक ही यहाँ प्रधान है। यद्यपि यहाँ, उपमेय के विशेषण होने से बिम्बरूप आत्मा में उपमान-विशेषण होने से प्रतिबिम्बरूप सूर्य का तथा इसी तरह, बिम्बरूप तप-दानों में प्रतिबिम्बरूप जल का आरोप भी अर्थतः प्रतीत होता है, अतः ये दो आर्थपदार्थरूपक भी हैं, पर वे दोनों उक्त प्रधान रूपक के अङ्ग-भूत हैं ऐसा समझना चाहिए।

दीक्षितमतमुत्थाय निरस्यति—

'नेदं रूपकम्। रूपके बिम्ब-प्रतिबिम्बभावो नास्ति' इति केनाप्यालङ्कारिकम्मन्येन प्रतारितस्य दीर्घश्रवसो द्रविडस्योक्तिरश्रद्धेयैव। ययोरिवादिशब्दप्रयोगे उपमा तयोरेकत्रान्यारोपे रूपकमिति नियमात्। अत्र यदि रूपकं नाङ्गीकुरुषे मैवाङ्गीकुरु, तर्हि तत्रैव यथादिशब्दप्रयोगे उपमामपि। एवं 'त्वयि कोपो महीपाल सुधांशाविव पावकः' इत्यादौ स्वकल्पितेन विशिष्टेन धर्मिणा सादृश्यस्य प्रत्यया-

दुपमां ब्रूषे, ब्रूहि तर्हि तत्रैवेवस्य निरासे 'त्वयि कोपो महीपाल सुधांशौ हव्यवाहनः' इत्यादौ रूपकमपि ।

दीर्घश्रवस इति । यशस्विनः, लम्बकर्णस्येति चार्थः । खरस्येति व्यङ्ग्योऽर्थः । अस्याग्रे 'द्रविडस्य' इति पाठो यद्यपि मूले नोपलभ्यते, तथापि नागेशविवरणानुसारं समुचितः स पाठः कल्पित इति बोध्यम् । त्वयि कोप इति । हे महीपाल राजन् ! त्वयि कोपः त्वद्गतः क्रोधः, सुधांशौ पावकः चन्द्रगताग्निः, इव, प्रतीयत इत्यर्थः । स्वकल्पितेन कविकल्पितेन । विशिष्टेन धर्मिणेति । आधेयतासम्बन्धेन सुधांशुरूपविशेषणविशिष्टपावकेनेत्यर्थः । सादृश्यस्येति । राजगतकोपानुयोगिकसादृश्यस्येति भावः । 'त्वयि......हव्यवाहन' इति । हे महीपाल ! त्वद्गतः कोपः सुधांशुगतपावकरूप इत्यर्थः । रूपके बिम्ब प्रतिबिम्बभावो न भवति, अतः 'आत्मनोऽस्य—' इति प्रागुक्तः श्लोको रूपकोदाहरणं नास्ति—फलतो वाक्यगतं रूपकं न भवतीति दीक्षितेनोक्तं न युक्तम् , ययोरुपमानोपमेयभावापन्नपदार्थयोरिवादिप्रयोगदशायामुपमा भवति सादृश्यस्य वाच्यत्वात् , तयोरिवाद्यप्रयोगदशायाम् समानविभक्तिकतया एकत्र—उपमेये अन्यस्य—उपमानस्य आरोपे प्रतीयमाने रूपकं भवतीति नियमे सर्वसम्मते वर्तमाने 'आत्मनोऽस्य—' इत्यत्रेवाद्यप्रयोगे रूपकमनङ्गीकुर्वता दीक्षितेन तत्रैवेवादिप्रयोगे कृते उपमाया अपि अनङ्गीकरणीयत्वात् । ननु उपमामपि नैवाङ्गीकरोम्यहं तत्रेति यदि दीक्षितः कथयेत् , तर्हि किमुत्तरं भवतः इति चेत् ? इदमुत्तरं बोध्यम्—'त्वयि कोपो—' इत्यत्र 'इव पावकः' इति पाठविशिष्टे वाक्ये भवता कण्ठरवेणोपमा स्वीकृता, अतः तत्रैव 'सुधांशौ हव्यवाहनः' इति पाठविशिष्टे वाक्येऽकामेनापि रूपकमपि स्वीकर्तव्यमेव भवता । एवञ्च 'आत्मनोऽस्य—' इत्यत्रेवादिप्रयोगे तदप्रयोगे च क्रमशः उपमारूपके स्वीकरणीये एव भवेतां भवता, तुल्यन्यायादिति । तथा च रूपकेऽपि बिम्ब प्रतिबिम्बभावसिद्धौ वाक्यार्थरूपकं प्रागुक्तपद्यस्य तदुदाहरणत्वञ्च युक्तमेवेति भावः ।

अप्पयदीक्षित के मत का खण्डन किया जाता है—नेदम् इत्यादि । किसी आलङ्कारिकंमन्य (अपने को अलङ्कारशास्त्र का वेत्ता समझने वाले) के धोखे में आये हुए दीर्घश्रवा (यशस्वी, अथच लम्बकर्ण—गदहा) द्रविड (अप्पयदीक्षित) का यह कथन कि—'यह ('आत्मनोऽस्य—' यह पद्य) रूपक (रूपक का उदाहरण) नहीं है, क्योंकि रूपक में बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव नहीं होता और यहाँ आत्मा तथा सूर्य आदि में बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव है' श्रद्धा करने योग्य नहीं है । कारण उपमानोपमेयभावापन्न जिन दो पदार्थों में 'इव' आदि शब्दों का प्रयोग करने पर उपमा होती है, उनमें 'इव' आदि का प्रयोग न करने पर और साथ-साथ एक (उपमान) के दूसरे (उपमेय) में आरोप की प्रतीति होने पर रूपक होता है—यह नियम है । अतः यदि आप उक्त पद्य में रूपक नहीं मानते तो फिर इसी पद्य में 'इव' अथवा 'यथा' आदि शब्दों का प्रयोग करने पर उपमा भी आप को नहीं माननी चाहिये । यदि आप कहें कि—मैं यहाँ 'इव' आदि का प्रयोग करने पर उपमा भी नहीं मानूँगा, तो छोड़िये इस पद्य को, 'त्वयि कोपो—अर्थात् हे राजन् ! आप में कोप चन्द्र में आग की तरह है ।' इस पद्य-वाक्य में कवि-कल्पित विशिष्ट—अर्थात् चन्द्ररूप विशेषण से युक्त धर्मी—अर्थात् अग्नि के साथ राजगत कोप का सादृश्य प्रतीयमान होने के कारण आपने कण्ठरव से उपमा मानी है, अब आप कहिये कि यदि इसी पद्य के 'इव पावकः' की जगह 'हव्यवाहनः' ऐसा पाठ कर दिया जाय-अर्थात् 'हे राजन् ! आप में

कोप चन्द्र में आगरूप है।' ऐसा अर्थ कर दिया जाय-तब आप उसमें रूपक मानियेगा या नहीं? अगत्या आपको 'हाँ' कहना ही पड़ेगा। बस, मेरा अभीष्ट सिद्ध हो गया-अर्थात् इस स्थिति में जब आप यहाँ रूपक मान लेते हैं, तब 'आत्मनः—' इस पद्य में रूपक क्यों नहीं मानियेगा? युक्ति तो दोनों ही जगहों में समान है। तात्पर्य यह कि रूपक में भी बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव होता है, अतः पदार्थरूपक से भिन्न वाक्यार्थरूपक अवश्य मान्य होना चाहिये और उसका उदाहरण भी 'आत्मनः-' यह पद्य माना जाना चाहिये।

वाक्यार्थरूपकस्योदाहरणान्तरमाह—

तथा—

'कुङ्कुमद्रवलिप्ताङ्गः काषायवसनो यतिः।
कोमलातपबालाभ्रः सन्ध्याकालो न संशयः॥'

इत्यादावपि विशिष्टरूपकं बोध्यम्।

कुङ्कुमेति। कुङ्कुमस्य केसरस्य, द्रवेण रसेन, लिप्तानि, अङ्गानि, यस्य सः, तथा—काषायं कषायरङ्गरञ्जितम्, गैरिकवर्णमिति यावत्, वसनं वस्त्रं यस्य तादृशश्च, यतिः संन्यासी, कोमलः अतीव्रः, आतपः, यत्र सः, एवं बालं अनिबिडमित्यर्थः- अभ्रं मेघो यत्र सः, अनयोर्विशेषणयोरपि सामान्यविशेषभावविवक्षया कथंचित् कर्मधारयः, अथवा कोमलातपमिति अभ्रविशेषणम् तथा च कोमलातपम् इति बहुव्रीहिः कोमलेनातपेन युक्तमिति यावत् बालमभ्रं यत्रेति विग्रहो बोध्यः। तादृशः, सन्ध्याकालस्तद्रूप इति यावत् अस्ति, अत्र विषये संशयः न भवितुमर्हतीत्यर्थः। विशिष्टरूपकम् इति। बिम्ब-प्रतिबिम्बभावयुक्तरूपकमित्यर्थः। वाक्यार्थरूपकमिति भावः। यतिरूप उपमेये सन्ध्याकालरूपस्योपमानस्य शाब्दोऽभेदारोप इति तदङ्गिरूपकम्, तस्य च उपमेयविशेषणतया बिम्बभूते कुङ्कुम-द्रव-लेपे उपमानविशेषणतया प्रतिबिम्बभूतस्य कोमलातपस्यार्थ आरोप इति तत् तथा तयैव युक्त्या बिम्बभूते काषायवसने तयैव युक्त्या प्रतिबिम्बभूतस्य बालाभ्रस्यार्थ आरोप इति तच्च—रूपकद्वयम्—अङ्गभूतम्। एतदङ्गभूतरूपकविशिष्टमुक्ताङ्गिरूपकम् वाक्यार्थरूपकम्-विशिष्टरूपकमिति भावः।

वाक्यार्थरूपक का ही दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—तथा इत्यादि। उसी तरह, 'कुङ्कुमद्रव-अर्थात् केसर-रस से अनुलिप्त अङ्गोंवाला तथा काषाय-वस्त्रधारी संन्यासी, हलकी धूप और छोटे-छोटे लाल-सफेद मेघोंवाला सायंकाल है इसमें कोई सन्देह नहीं' इत्यादि में भी विशिष्टरूपक समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि—यहाँ यतिरूप उपमेय में सायंकालरूप उपमान का शब्दतः आरोप प्रधान रूपक है और उपमेय—विशेषण—होने के कारण बिम्बभूत केसर-रस-लेप तथा गेरुये वस्त्र में उपमान—विशेषण—होने के कारण प्रतिबिम्बभूत हलकी धूप तथा छोटे-छोटे लाल-सफेद मेघों का क्रमशः अर्थतः आरोप अङ्गरूपक है अर्थात् अङ्गिभूत शाब्द एक रूपक के आर्थ दो रूपक अङ्ग हैं, अतः यह पद्य विशिष्ट-रूपक (वाक्यार्थ-रूपक) का उदाहरण होता है।

'त्वयि कोप' इत्यतः 'कुङ्कुम' इत्यत्र यो भेदस्तमाह—

त्वयि कोप इत्यत्र विषयिणः स्वबुद्धिकल्पितत्वात्कल्पितं विशिष्टरूपकम्। इह तु न तथेति विशेषः।

विषयिणः उपमानस्य, चन्द्राधिकरणकाग्नेरिति यावत् । स्वबुद्धिकल्पितत्वादिति । वास्तविके जगति तदसंभवेन कविकल्पितत्वादिति भावः । इह त्विति । 'कुङ्कुमद्रव–' इत्यत्र त्वित्यर्थः । न तथेति । विषयी न स्वबुद्धिकल्पितः अपि तु स्वतःसंभवी, अतो न कल्पितं विशिष्टरूपकमिति भावः ।

'त्वयि कोप' और 'कुङ्कुम' इन दोनों उदाहरणों में परस्पर भेद दिखलाया जाता है—त्वयि इत्यादि। 'त्वयि कोप–' इस उदाहरण में उपमान (चन्द्र में अग्नि) कविकल्पित है, अतः वहाँ का विशिष्टरूपक भी कल्पित कहा जायगा और 'कुङ्कुम–' इस उदाहरण में उपमान (सन्ध्याकाल) कविकल्पित नहीं, अपितु स्वतःसम्भवी है, अतः वहाँ का रूपक कल्पित नहीं कहा जायगा यही दोनों उदहरणों में भेद है ।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न चैवमादौ प्रतीयमानोत्प्रेक्षा वक्तुं शक्या, अभेदस्य निश्चीयमानत्वात् । उत्प्रेक्षायां च सत्यां सम्भाव्यमानता स्यात् । अन्यथा मुखं चन्द्र इत्यादावपि प्रतीयमानोत्प्रेक्षापत्त्या रूपकविलोपापत्तेः ।

एवमादाविति । आत्मनोऽस्येत्यादावित्यर्थः । इवाद्यप्रयोगात् आह—प्रतीयेति । अन्यथेति । तस्य सभाव्यमानत्वे इष्टापत्तौ इत्यर्थः । 'सम्भावनमथोत्प्रेक्षा' इति लक्षणानुसारमुत्प्रेक्षास्थलेऽभेदः सम्भाव्यमानस्तिष्ठतीति निश्चितम् , एवञ्चात्मनोऽस्येत्यादौ व्यङ्ग्योत्प्रेक्षेति कथनं नोचितम् , तत्राभेदस्य निश्चीयमानत्वात । न च सम्भाव्यमान एवाभेदस्तत्रेति दुराग्रहः, तथा सति 'मुखं चन्द्रः' इत्यादिषु सर्वेषु रूपकोदाहरणेषु तादृशदुराग्रहसम्भवेन प्रतीयमानोत्प्रेक्षापत्तौ रूपकोच्छेदापत्तेरिति भावः ।

एक शंका और उसका समाधान करते हैं—न चैवम् इत्यादि । 'आत्मनोऽस्य—' इत्यादि पद्यों में व्यङ्ग्य उत्प्रेक्षा ही मान ली जाय, रूपक नहीं, ऐसी शङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ अभेद का निश्चय है, उत्प्रेक्षा यदि होती तो अभेद का निश्चय नहीं, संभावना रहती है। यहाँ भी अभेद की संभावना ही है ऐसा दुराग्रह तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह 'मुख चन्द्र है' इत्यादि सभी रूपकोदाहरणों में 'अभेद-संभावना' का दुराग्रह किया जा सकता है जिससे सर्वत्र प्रतीयमान उत्प्रेक्षा ही हो जायगी, फिर रूपक का तो कविजगत् से उच्छेद ही हो जायगा ।

अथ रूपकालङ्कारविशिष्टात्पदाद् वाक्याद्वा जायमानं बोधं विचारयितुं प्रतिजानीते—

अथ बोधो विचार्यते—

रूपकालङ्कारलक्षणोदाहरणादीनां निरूपणानन्तरं रूपकविशिष्टपदजन्यबोधविषयको विचार आरभ्यत इति भावः ।

अब रूपकस्थलीय शाब्दबोध का विचार किया जाता है ।

तत्र प्राचीनमतमाह—

तत्र प्राञ्चः—"विषयिवाचकपदेन विषयिवृत्तिगुणवतो लक्षणया सारोपयोपस्थितौ, विषये तस्याऽभेदेन संसर्गेण विशेषणतयाऽन्वयः । एवं च मुखं चन्द्र इत्यत्र चन्द्रवृत्तिगुणवदभिन्नं मुखमिति धीः । अत एवालङ्कारभाष्यकारः 'लक्षणापरमार्थं यावता रूपकम्' इत्याह । नच चन्द्रसदृशं मुखमित्युपमातोऽस्य

को भेदः। बोधवैलक्षण्याभावेन विच्छित्तिवैलक्षण्याभावात्। वृत्तिमात्रवैलक्षण्यस्याप्रयोजकत्वादिति वाच्यम्। लाक्षणिकबोधोत्तरं जायमानेन प्रयोजनीभूतेनाभेदबोधेनैव वैलक्षण्यात्। निरूढलक्षणातिरिक्ताया लक्षणायाः प्रयोजनवत्तानियमात्। अभेदबुद्धेश्च वृत्त्यन्तरवित्तिभाव्यत्वेन न बाधबुद्धिप्रतिबध्यत्वम्" इत्याहुः।

तत्रेति। बोधविषय इत्यर्थः। विषयीति। उपमानेत्यर्थः। आरोपस्य विषयि-विषययोर्द्वयोरुपादानादाह—सारोपेति। उपस्थितौ सत्यामिति शेषः। विषय इति। उपमेय इत्यर्थः। उपमेयतावच्छेदकविशिष्टे उपमेये इति स्पष्टार्थः। तस्येति। पूर्वोपस्थितस्योपमानवृत्तिगुणवत इत्यर्थः। 'लक्षणापरमार्थम्-' इति। यावता कारणेन लक्षणा एव परमः = सारांशभूतः अर्थो यत्र तादृशं तद् वस्तु तावता = तेन कारणेन, रूपकम् = रूपकपदेन तस्य वस्तुनो व्यवहार इत्यर्थः। रूप्यते = आरोप्यते इति व्युत्पत्तियोगादिति भावः। वृत्तीति। शक्तिलक्षणान्यतरेत्यर्थः। वृत्त्यन्तरवित्तीति। व्यञ्जनाज्ञानेत्यर्थः। आहुरिति। अत्र नागेशः—'एतन्मते ह्येवं रूपकलक्षणम्—अनिह्नुतविषयकं पुरस्कृतविषयतावच्छेदकं वा आहार्याभेदप्रतीतिफलकोपमानबोधकपदजन्यप्रतीतिविषयीभूतम् साधर्म्यमिति' इत्याचष्टे। रूपकस्थले सर्वत्रोपमानवाचकस्य पदस्य स्ववृत्तिगुणवति सारोपा लक्षणा भवत्येव, अभेदेन वाच्यार्थान्वयस्य बाधितत्वात। तथा चोपमानबोधकपदादुपस्थितस्य स्ववृत्तिगुणवद्रूपस्यार्थस्याभेदसम्बन्धेनोपमेये विशेषणविधयाऽन्वयो भवति। तेन 'मुखं चन्द्र' इत्यत्र चन्द्रवृत्तिगुणाः आह्लादकत्वादयस्तद्वदभिन्नं मुखमिति बोधः फलितः। 'लक्षणापरमार्थम्—' इति वदताऽलङ्कारभाष्यकृतापि रूपके लक्षणास्थितिः समर्थिता भवति नन्वेवं 'चन्द्रसदृशं मुखम्' इत्युपमापेक्षया रूपकेऽस्मिन् को भेदः? सादृश्यस्यापि तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वरूपतयोपमास्थलेऽपि रूपकस्थलसमानाकारकबोधस्यैव जायमानत्वेनोभयोः स्थलयोर्बोधवैलक्षण्यविरहेण चमत्कारवैलक्षण्यविरहे एकत्वस्यैत पर्यवसानात्, न च वृत्तिवैलक्षण्यकृतमुपमारूपकयोर्वैलक्षण्यम्—अर्थात उपमास्थले चन्द्रवृत्तिगुणवतोऽभिधयोपस्थितिः रूपके तु तस्योपस्थितिर्लक्षणयेति वाच्यम्, चमत्कारे भेदाभावेन तस्य वैलक्षण्यस्याकिञ्चित्करत्वात इति चेन्मैवम्, अभिधालक्षणान्यतरजन्यप्राथमिकबोधेऽविलक्षणेऽपि रूपकस्थले निरूढत्वस्यासम्भवेन प्रयोजनमूलाया एव लक्षणाया अङ्गीकर्तव्यतया उक्तप्राथमिकबोधानन्तरं नियमतो जायमानेन प्रयोजनात्मकेनोपमानोपमेययोरभेदस्य प्रत्ययेन उपमापेक्षयाधिकचमत्कारकरेण वैलक्षण्यस्य सिद्धेः। उपमास्थले उपमानोपमेययोः समानगुणवत्त्वस्यैव प्रतीतिः, रूपकस्थले तु तयोरभेदस्यापि प्रतीतिरिति तयोर्भेद इति सारांशः। न च 'मुखं न चन्द्रः' इति बाधबुद्धौ विद्यमानायां कथं तयोरभेदः प्रत्येतुं शक्यः, तदभेदबुद्धिं प्रति तद्भेदविषयकबाधबुद्धेः प्रतिबन्धकत्वादिति वाच्यम्, बाधबुद्धिप्रतिबध्यतावच्छेदकदले व्यञ्जनाज्ञानाजन्यत्वस्य निवेशेन व्यञ्जनाजन्यस्य तयोरभेदप्रत्ययस्य सुशकयत्वादिति प्राचामालङ्कारिकाणामभिप्रायः।

रूपकस्थलीय शाब्दबोध के विषय में प्राचीनों का मत दिखलाया जाता है—तत्र प्राञ्चः इत्यादि। सभी रूपकों में उपमानवाचक पद की 'स्ववृत्तिगुणवत्' (अपने में रहने

वाले गुणों से युक्त) अर्थ में सारोपा लक्षणा हुई ही रहती है, अतः सर्वत्र उपमानवाचक पद से लक्षणा द्वारा 'स्ववृत्तिगुणवत्' अर्थ की उपस्थिति होती है और उस उपस्थित अर्थ का उपमेय में अभेदसम्बन्ध द्वारा विशेषण रूप से अन्वय होता है। इस तरह से 'मुख चन्द्र है' इस रूपकस्थल में लक्षणा द्वारा चन्द्ररूप उपमानवाचक पद से उपस्थित हुए 'चन्द्रवृत्तिगुणवत्'—(चन्द्र में रहने वाले आह्लादकता आदि गुणों से युक्त) रूप अर्थ का अभेदसम्बन्ध द्वारा मुख-रूप उपमेय में विशेषणरूप से अन्वय होगा, अतः उक्त रूपक-वाक्य का शाब्दबोध—'चन्द्र में रहने वाले गुणों से युक्त अभिन्न मुख' यह होता है। अतएव अलंकारभाष्यकार ने कहा है कि—'जिस लिये लक्षणा ही परम अर्थ—सारभूत तत्त्व—रहता है, इसीलिये रूपक कहलाता है।' तात्पर्य यह कि-'रूप्यते= आरोप्यते' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'रूपक' पद का भी अर्थ 'आरोप-लक्षणा' ही होता है। यदि कोई कहे कि—इस तरह का बोध मानने पर 'चन्द्रसदृश मुख' इस उपमा से उक्त रूप का क्या भेद हुआ? क्योंकि बोध में विलक्षणता न होने से चमत्कार में विलक्षणता न होगी, अभिप्राय यह कि— सादृश्य का अर्थ भी 'उससे भिन्नता रखते हुए उसमें रहने वाले गुणों से युक्त होना ही होता है इस स्थिति में उक्त रीति से रूपकस्थल में जैसा बोध होता है वैसा ही उपमास्थल में भी होगा और जब बोध एक तरह का होगा तब चमत्कार भी दोनों जगहों पर एक ही तरह का मानना पड़ेगा। और जब तक चमत्कार में विलक्षणता न हो तब तक भिन्न अलंकार माना नहीं जा सकता। यदि कहा जाय कि बोध के एक होने पर भी, उपमा में वह बोध अभिधा द्वारा सिद्ध होता है और रूपक में लक्षणा द्वारा, अतः वृत्ति के भेद के कारण उपमा तथा रूपक में भेद हो जायगा। तो यह कथन कुछ मूल्य नहीं रखता। कारण, केवल वृत्ति के भेद से अलंकार का भेद सिद्ध नहीं होता। सारांश यह कि चमत्कार के भेद से अलंकार का भेद सिद्ध होता है और वृत्ति-भेद होने पर भी चमत्कार में कोई अन्तर पड़ता नहीं। उक्त 'उपमा और रूपक में क्या भेद हुआ? इस आशंका का उत्तर यह है—लक्षणा द्वारा बोध हो जाने के बाद रूपकस्थल में लक्षणा के फल—अभेद (उपमान का उपमेय में अभेद) का भी व्यञ्जना से बोध होता है, और उपमास्थल में यह वैयञ्जनिक अभेद-बोध नहीं होता, बस, इसी वैयञ्जनिक बोध के होने तथा न होने से चमत्कार में अन्तर पड़ जाता है और यही अन्तर उपमा तथा रूपक को भिन्न-भिन्न अलंकार सिद्ध कर देता है। आप कहेंगे—रूपक-स्थल में लक्षणा होने से फलीभूत अभेद की प्रतीति क्यों मानी जाय? तो इसका समाधान यह है कि—रूढिमूला से अतिरिक्त सभी लक्षणाओं में प्रयोजन—फल—होना ही चाहिए ऐसा नियम है और रूपक में रूढिमूला नहीं, अपितु उससे अन्य (सारोपा) लक्षणा ही होती है, अतः फलीभूत अभेद-बोध अवश्य मानना पड़ेगा। अब शंका रह जाती है एक यह कि जब 'मुख चन्द्र नहीं है' ऐसा बाधनिश्चय (मुख में चन्द्र से भिन्नता का निश्चय) है, तब अभेदबोध होगा कैसे—चन्द्र से अभिन्न मुख को समझ कैसे सकेंगे? इसका उत्तर यह है कि रूपकस्थल में अभेद का बोध व्यञ्जना के ज्ञान से होता है और वैयञ्जनिक बोध में बाध का अभाव अपेक्षित नहीं होता अर्थात् बाध रहने पर भी वैयञ्जनिक बोध होता ही है। स्पष्टार्थ यह है कि—बाधनिश्चय की प्रतिबध्यता के अवच्छेदक भाग में वैयञ्जनिक बोधभिन्नत्व का निवेश किया जाता है अर्थात् वैयञ्जनिक बोध से भिन्न बोध के प्रति ही बाधनिश्चय को प्रतिबन्धक माना जाता है, अतः बाध-निश्चय के रहने पर भी वैयञ्जनिक बोध होता है। यह है प्राचीन आलंकारिकों का मत।

तत्रैव नवीनमतमाह—

नव्यास्तु—"नामार्थयोरभेदसंसर्गेणान्वयस्य व्युत्पत्तिसिद्धत्वाच्चन्द्राभिन्नं मुखमिति लक्षणां विनैव बोधः। फलस्यान्यथैवोपपत्तेर्लक्षणाकल्पनस्यान्याय्यत्वात्। किञ्च यदि च रूपके लक्षणा स्यान्मुखचन्द्र इत्यत्रोपमितविशेषणसमासयोरुत्तरपदस्य लाक्षणिकत्वाविशेषादेकस्योपमात्वमन्यस्य रूपकत्वमिति व्याहतं स्यात्। अपि च मुखं न चन्द्रसदृशमपि तु चन्द्र इत्यादौ सादृश्यव्यतिरेकमिश्रिते सादृश्यबुद्धेरयोगात् एवं देवदत्तमुखं चन्द्र एव यज्ञदत्तमुखं तु न तथा, अपि तु चन्द्रसदृशमित्यादौ नञर्थस्य लक्ष्यमाणचन्द्रसदृशान्वयित्वात् 'न चन्द्रसदृशश्चन्द्रसदृशम्' इति बोधकदर्थनापत्तेश्च। नहि नञः फलीभूतज्ञानविषयेणाभेदेनान्वयो युक्तः, एतदन्वयवेलायां तस्यानुपस्थितेः। तादृशाभेदबोधस्य चाहार्यत्वान्न बाधबुद्धिप्रतिबध्यत्वम्। यद्वा आहार्यान्यत्वस्येव शाब्दान्यत्वस्यापि बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककोटौ निवेशः। सति च बाधनिश्चये तद्वत्ताशाब्दबुद्धेरनुत्पादः, योग्यताज्ञानविरहात्। सति च क्वचिदाहार्ये योग्यताज्ञाने तद्बुद्धेरिष्टत्वात्। अत एव योग्यताज्ञानस्य बाधनिश्चयपराहतस्यापि शाब्दधीहेतुत्वम्। तस्मादन्यतरप्रकारेण काव्ये सर्वत्र बोधोपपत्तिः। अपि च तद्गतधर्मवत्त्वबुद्धेः कथं तदभेदबुद्धिः फलं स्यात्। नहि साधारणधर्मावच्छिन्नाभेदज्ञानस्य तत्तदसाधारणधर्मावच्छिन्नाभेदज्ञाने हेतुत्वं क्वाप्यवगतम्। घटपटयोर्द्रव्यत्वेनाभेदग्रहेऽपि घटत्वादिना भेदग्रहात्। तदभिन्नत्वेन ज्ञानस्य पुनस्तद्धर्मप्रतिपत्तिः फलं स्यात्। प्रवाहाभिन्नज्ञानस्येव शैत्यपावनत्वादिप्रतिपत्तिः।

अत एव—

> 'कृपया सुधया सिञ्च हरे मां तापमूर्च्छितम्।
> जगज्जीवन तेनाहं जीविष्यामि न संशयः॥'

इत्यादावमृताभिन्नत्वबोधे सत्येव कृपायाः सेके कारणत्वेनान्वयः। तादृशसेकस्य जीवने हेतुत्वेन इति दिक्।

फलस्येति। अभेदबुद्धेरित्यर्थः। अन्यथैवेति। उक्तप्रकारेणेत्यर्थः। उपमितविशेषणसमासयोरिति। 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' इत्याभ्यां पाणिनिसूत्राभ्यां कृतयोः समासयोरित्यर्थः। लाक्षणिकत्वाविशेषादिति। समासशास्त्राणां लक्षणाग्राहकत्वम् इति वदतां नैयायिकानां मतमनुसृत्येदम्। अतिरिक्तसमासशक्तिमङ्गीकुर्वतां वैयाकरणानां मते तु रूपकत्वनियामकविशेषणसमासे लक्षणासत्त्वेऽपि उपमितसमासे समासशक्त्यैव तादृशार्थबोधे लक्षणा नेति बोध्यम्। एकस्योपमितसमासस्य। अन्यस्य विशेषणसमासस्य। सादृश्यव्यतिरेकेति। सादृश्यभेदेत्यर्थः। न तथेति। न चन्द्र इत्यर्थः। सदृश इति। मुखपदार्थ इति शेषः। बोधकदर्थनेति। बोधोपहास इति भावः। नञः नञर्थस्य। फलीभूतज्ञानविषयेणेति। वैयञ्जनिकबोधविषयेणेत्यर्थः। एतदिति। नञर्थेत्यर्थः। तस्य अभेदस्य। ननु बाधसत्त्वेन कथमीदृशाभेदबोध इत्यत आह—तादृशेति। इदं च शाब्दबोधे बाधज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वमङ्गीकृत्य। वस्तुतस्तदेव नेत्याह—यद्वेति।

नन्वेवं बाधनिश्चयदशायां शाब्दबोधविरहोऽनुभवसिद्धो नोपपद्येत इत्यत आह—सतिचेति। बुद्धेरनुत्पाद इति। अत्र नागेशः—'इदं तु चिन्त्यम्। शाब्दबोधो हि भवत्येव। अत एव वह्निना सिञ्चतीति वाक्यप्रयोक्तुरद्रवेण वह्निना कथं सेकं ब्रवीषीत्युपहासः संगच्छते। अबोधे हि एतदर्थकद्रविडभाषाश्रवणोत्तरं पाश्चात्यस्येव मूकतैव स्यात्। ननु पदार्थस्मरणमेव न शाब्दबोध इति चेत्, किमनेन श्रद्धाजाड्येन। बाधज्ञानादीनां च तद्बोधेऽप्रामाण्यज्ञानजननद्वारा प्रवृत्तिप्रतिबन्धकत्वम्, योग्यताज्ञानादीनां च तज्जनकत्वमेव नेति रमणीयः पन्थाः।' इति रमणीयतममाचष्टे। अत एवेति। बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककुक्षौ शाब्दान्यत्वनिवेशादेवेत्यर्थः। एतदन्यतरप्रकारेणेति। शाब्दबोध एवाहार्यः, अथवा बन्धनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वं निवेश्य योग्यताज्ञानमाहार्यम् इत्यनयोरेकतरेण प्रकारेणेत्यर्थः। अभेदग्रहेऽपीति। अत्र नागेशः—'अन्ये तु चमत्कारिसाधारणधर्मरूपसादृश्यज्ञान एव फलबलात्तथा शक्तिकल्पने नायं दोष इत्याहुः।' इति कथंचित् प्राचीनमतं समर्थयन् दृश्यते। प्रतिपत्तिरिति। फलमित्यस्यानुषङ्गः। अत एवेति। रूपकस्थले वाच्ययोरेवाभेदादेवेत्यर्थः। 'कृपया–' इति। हे जगज्जीवन संसारप्राणप्रद, हरे विष्णो! तापमूर्च्छितं क्लेशपीडितम्, माम्, कृपया सुधया दयारूपपीयूषेण, सिञ्च आर्द्रीकुरु। तेन कृपासुधाकरणकेन सेकेन, अहम्, जीविष्यामि क्लेशरहितो भविष्यामि, अत्र, संशयो नास्तीत्यर्थः। रूपकस्थले–'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ–उपमानोपमेययोः—चन्द्रमुखादिकयोरभेदो बुबोधयिषितः, स च प्रथमं लक्षणया 'चन्द्रसदृशाभिन्नं मुख'मिति बोधेऽपि पश्चात् व्यञ्जनया बोध्यते—इति प्राचीना मन्यन्ते। नवीनास्तु नामार्थयोरभेदातिरिक्तः सम्बन्धोऽव्युत्पन्न' इति सिद्धान्ते जाग्रति 'चन्द्राभिन्नं मुखम्' इति प्रथममेवाभिधयैव च बोधे सम्भवति लक्षणाश्रयणं व्यर्थं मन्यन्ते। ननु 'मुखं न चन्द्रः' इति बाधनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वात् कथं तादृशाभेदबोध इति चेन्न, तादृशाभेदबोधस्याहार्यत्वस्वीकारेण बाधनिश्चयाप्रतिबध्यत्वात्, बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककोटौ अनाहार्यत्वस्य निवेशात। न चाहार्यं प्रात्यक्षिकमेवेति नियमः, तस्यास्वीकारात्। अथवाऽस्तु स नियमः। बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदकदलेऽनाहार्यत्वस्येव शाब्दान्यत्वस्यापि निवेशः, तेनैवोक्ताकारको बाधपराहतोऽपि शाब्दाभेदबोधो जायेत। न चैवं सति बाधनिश्चयदशायां शाब्दबोधस्यापि अनुत्पत्तिरिति यदनुभवसिद्धं तद् विरुद्ध्येतेति वाच्यम्, बाधनिश्चयदशायां न सर्वविधशाब्दबोधानुत्पत्तिः, अपि तु तद्वत्ताशाब्दबोधमात्रानुत्पत्तिः, सापि न बाधनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वेन, अपि तु—'पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता' इति लक्षणलक्षिताया योग्यतायाः ज्ञानस्य तद्वत्ताशाब्दबुद्धौ कारणत्वे तद्विरहेणेत्याशयात्। अत एव योग्यताज्ञानस्य शाब्दबोधे कारणत्वोक्तिः संगच्छते। बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदकदले शाब्दान्यत्वानिवेशे तु तत्प्रतिबन्धकत्वेनैव बाधनिश्चयदशायां शाब्दबोधे वारिते तदुक्तिरसंगतैव स्यात्। न चैवमपि नोक्तस्थले शाब्दाभेदबोधः सम्भवति योग्यताज्ञानविरहादिति शंक्यम्, आहार्ययोग्यताज्ञानसाम्राज्यात्। एवञ्च शाब्दबोधस्यैवाहार्यत्वस्वीकारेण, तदस्वीकारे वा बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वं निवेश्याहार्ययोग्यताज्ञानस्वीकारेण काव्ये सर्वत्र बाधितार्थविषयकोऽपि शाब्दबोधः उपपद्यत एव। इत्थञ्च नवीनमतमेव सम्यक् न प्राचीन-

मतम्, तन्मते मुखचन्द्र इत्यत्रोपमितविशेषणसमासयोरुत्तरपदस्य स्वसदृशे लाक्षणिकत्वाविशेषेण प्रथमस्योपमात्वं द्वितीयस्य च रूपकत्वमिति प्रवादस्य व्याहततत्वात्, 'मुखं न चन्द्रसदृशम् अपि तु चन्द्रः' इति सादृश्यभेदविशिष्टे रूपके प्राचीनैः चिकीर्षितस्य चन्द्रपदजन्यतत्सादृश्यबोधस्यायुक्तत्वात् तत्सादृश्यस्य प्रथममेव शब्दतो निषेधात्, 'देवदत्तमुखं चन्द्र एव यज्ञदत्तमुखं तु न तथा अपि तु चन्द्रसदृशम्' इत्यादौ नञर्थस्य चन्द्रपदलक्ष्यचन्द्रसदृशरूपार्थे एवान्वये 'न चन्द्रसदृशं चन्द्रसदृशम्' इत्युपहासास्पदबोधप्रसङ्गाच्च। किंच 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ लक्षणया प्रथमं चन्द्रगतसाधारणधर्मवत्त्वं मुखे प्रतीयते पश्चाच्च लक्षणाफलीभूतश्चन्द्राभेदो मुखे व्यञ्जनया प्रतीयते इत्यभिप्रायोऽपि प्राचां न सेद्धुमर्हति। व्याप्यसत्तायां विद्यमानायां व्यापकसत्ता नियमतस्तिष्ठति, न तु व्यापकसत्तायां सत्यामपि व्याप्यसत्ता तथा। तथा च कथं चन्द्रगतधर्मबुद्धेर्मुखविशेष्यिकायाः फलं मुखविशेष्यिका चन्द्राभेदबुद्धिः स्यात् ? साधारणधर्मावच्छिन्नचन्द्राभेदज्ञानस्य व्यापकत्वेन असाधारणधर्मावच्छिन्नचन्द्राभेदज्ञानस्य च व्याप्यत्वेन प्रथमज्ञानसत्त्वेऽपि द्वितीयज्ञानसत्ताया अनियमात्। अत एव घटपटयोः साधारणात्मकेन द्रव्यत्वेनाभेदज्ञानेऽपि असाधारणात्मकेन घटत्वादिना जायमानो भेदग्रहः संगतो भवति। अत एवमास्थेयं यत् प्रागुक्तनवीनमतानुसारेण प्रथमं चन्द्राभेदज्ञानं मुखे भवति तस्य च फलरूपेण पश्चात् व्यञ्जनया चन्द्रगतसाधारणधर्मवत्त्वज्ञानं मुखे जायते इति। एतच्च संभवत्यपि व्याप्ये चन्द्राभेदज्ञाने जाते व्यापकस्य चन्द्रगतसाधारणधर्मवत्त्वज्ञानस्य नियतत्वात्। नवीनमतस्वीकारादेव च 'कृपया सुधया—' इत्यत्र कृपासुधयोरभेदे वाच्यवृत्त्यैवावगते कृपायाः सेके करणत्वेन कृपाकरणकसेकस्य च जीवने हेतुत्वेनान्वय उपपद्यते। प्राचीनमताङ्गीकारे तु सुधासदृशी कृपेति बोधे कृपायाः करणत्वेन सेके तादृशसेकस्य च हेतुत्वेन जीवनेऽन्वयो नैवोपपद्येत तत्सदृशज्ञानात् तत्कार्योत्पत्तेरनुभवविरुद्धत्वादिति भावः।

अब रूपकस्थलीय शाब्दबोध के विषय में नवीनों का मत दिखलाया जाता है—नव्यास्तु इत्यादि। दो प्रातिपदिकों के अर्थों का अभेद-सम्बन्ध से अन्वय व्युत्पत्तिसिद्ध है—उसको सिद्ध करने के लिये किसी अन्य युक्ति की आवश्यकता नहीं। अतः 'मुख चन्द्र है' इस वाक्य का शाब्दबोध 'चन्द्र से अभिन्न मुख' यह होता है। यहाँ लक्षणा मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस अभेद को आप लक्षणा का प्रयोजन मानते हैं वह जब अप्रकार—अकांक्षा आदि—से स्वतःसिद्ध हो जाता है तब उसके लिये लक्षणा की कल्पना करना न्यायानुकूल नहीं माना जा सकता। दूसरे, लक्षणा मानने में कई एक दोष भी हैं। यदि रूपकस्थल में लक्षणा हो तो १—'मुखचन्द्र' इस स्थल में 'उपमित-समास' करने पर अथवा 'विशेषण-समास' करने पर आपके हिसाब से उत्तरपद लाक्षणिक ही रहेगा फिर जो एक (उपमित-समास) को उपमा और दूसरे (विशेषण-समास) को रूपक माना जाता है वह व्याहत—असंगत—हो जायगा। अभिप्राय यह है कि—'मुखं चन्द्र इव' इस विग्रह में जब 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस पाणिनि-सूत्र से समास करके 'मुख-चन्द्र' पद को सिद्ध करते हैं तब उपमा अलंकार यहाँ माना जाता है और 'मुखं चन्द्रः' इस विग्रह में जब 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' इस पाणिनि-सूत्र से समास करके उक्त पद को बनाते हैं तब यहाँ रूपकालंकार माना जाता है। यह है वस्तुस्थिति। अब यदि प्राचीनों के कथनानुसार रूपकस्थल में लक्षणा मानी

जाय तब तो उक्त उपमित-समास तथा विशेषण-समास में कोई अन्तर नहीं रह जायगा, क्योंकि उपमित-समास में जिस तरह उत्तर—चन्द्र—पद की स्वसदृश में लक्षणा होने के कारण 'चन्द्र-सदृश मुख' यह अर्थ होता है उसी तरह आपके हिसाब से विशेषण-समास में भी उक्त पद की उक्त अर्थ में लक्षणा होने के कारण वैसा ही अर्थ होगा फिर प्रथम को उपमा और द्वितीय को रूपक कहने में कोई युक्ति नहीं रह जायगी। और २—'मुख चन्द्र-सदृश नहीं है, किंतु चन्द्र है' इत्यादि—जहाँ सादृश्य का निषेध भी मिश्रित रहता है—रूपकों में लक्षणा वाली प्राचीनों की बात बन नहीं सकती, क्योंकि 'किन्तु चन्द्र है' इस अंश में 'चन्द्र' पद की चन्द्रसदृश में ही लक्षणा मानेंगे पर वह ठीक होगी नहीं। कारण जिस मुख में शब्दतः पहले चन्द्रसादृश्य का निषेध किया गया हो उसी मुख में लक्षणा द्वारा चन्द्रसादृश्य की बुद्धि हो नहीं सकती। इसी तरह, ३—'देवदत्त का मुख चन्द्र ही है, यज्ञदत्त का मुख तो वैसा नहीं है, किंतु चन्द्र के सदृश है' इत्यादि स्थानों में आपके हिसाब से प्रथमवाक्यांशगत चन्द्रपद का अर्थ लक्षणा द्वारा चन्द्रसदृश होगा, अतः द्वितीय-वाक्यांश-गत 'वैसा नहीं है' का अर्थ होगा 'चन्द्रसदृश नहीं है'—अर्थात् नञर्थ का अन्वय चन्द्र पद के लक्ष्यार्थ—चन्द्रसदृश—के साथ ही होगा, अब यदि तृतीय वाक्यांश के साथ मिलाकर अर्थ करें तो 'जो चन्द्रसदृश नहीं वह चन्द्रसदृश' ऐसा ही अर्थबोध होगा, पर यह तो कोई बोध हुआ नहीं, अपितु बोध का केवल उपहास हुआ। यदि आप कहें कि—नञर्थ का अन्वय चन्द्रसदृशरूप लक्ष्य अर्थ के साथ न करके लक्षणा के प्रयोजनीभूत ज्ञान में विषय होने वाले 'अभेद' के साथ करेंगे—अर्थात् नञर्थ का अन्वय व्यङ्ग्य 'अभेद' के साथ करके 'वैसा नहीं है' का अर्थ हम यह करेंगे कि 'चन्द्राभिन्न नहीं है', अतः कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो यह युक्ति भी आपकी कार्यकर नहीं हो सकती, क्योंकि इस वाक्य नञर्थ का अन्वय करते समय उस व्यङ्ग्य 'अभेद' की उपस्थिति ही नहीं हुई रहेगी, फिर उसके साथ इसका अन्वय हो नहीं सकेगा। तात्पर्य यह हुआ कि—पूर्वकालोपस्थित वाच्य अर्थ का अन्वय पीछे उपस्थित होने वाले व्यङ्ग्य अर्थ के साथ किया ही नहीं जा सकता। आप कहेंगे—'मुख चन्द्र है' इस जगह जो नवीन विद्वान् सीधे अभेदसम्बन्ध से अन्वय करके 'चन्द्र से अभिन्न मुख' ऐसा अर्थ कर लेते हैं वह होगा कैसे? क्योंकि 'मुख चन्द्र से भिन्न है' इस प्रकार का बाध-ज्ञान पहले से दृढ़रूप में बना रहता है और बाधित अर्थ का बोध होता नहीं। कारण, उस तरह के अर्थ-बोध के प्रति बाधज्ञान को प्रतिबन्धक माना गया है तो इसका उत्तर यह है कि—यहाँ का 'चन्द्राभिन्न मुख' यह बोध आहार्य (बाधकालिकइच्छा-जन्य) है और आहार्य-बोध बाधज्ञान से रुकता नहीं, क्योंकि आहार्य से भिन्न बोध के प्रति ही बाधज्ञान को प्रतिबन्धक माना जाता है। इस पर यदि आप कहें कि—प्रात्यक्षिक ज्ञान ही आहार्य होता है, शाब्द ज्ञान नहीं, फिर उक्त बोध को आहार्य कैसे माना जा सकता है? क्योंकि उक्त बोध प्रात्यक्षिक नहीं, शाब्द है, तो मैं कहूँगा कि—रहे आपकी ही बात—उक्त बोध को आहार्य मत मानिए, तथापि उक्त बोध बाध-ज्ञान से प्रतिबद्ध नहीं होगा—क्योंकि जिस तरह बाध-ज्ञानीय-प्रतिबध्यतावच्छेदककोटि में अनाहार्यत्व का निवेश है उसी तरह शाब्दान्यत्व का भी निवेश कर दिया जायगा—अर्थात् शाब्दबोधातिरिक्त बोध के प्रति ही बाध-ज्ञान को प्रतिबन्धक माना जायगा, अतः बाधित अर्थ का भी शाब्दबोध होने में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकेगी। इस पर यदि आप कहें कि बाध-ज्ञानीय-प्रतिबध्यतावच्छेदककोटि में अगर शाब्दान्यत्व का निवेश कर दिया जायगा तब बाधनिश्चय के रहने पर शाब्दबोध का न होना जो अनुभव-

सिद्ध है उसका क्या होगा? तो इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि बाध-निश्चय के रहने पर सभी तरह के शाब्दबोधों का न होना अनुभव-सिद्ध नहीं है, अपितु तद्वत्ता-शाब्दबोध—अर्थात 'घर में घट नहीं है' इस प्रकार का बाध रहने पर 'घट वाला घर' ऐसे शाब्दबोध का न होना ही केवल अनुभव-सिद्ध है और वह भी बाध-ज्ञान के प्रतिबन्धक होने के कारण नहीं, अपितु 'पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता' इस योग्यता के ज्ञान का अभाव रहने के कारण। इस स्थिति में यदि कहीं आहार्ययोग्यता-ज्ञान हो जाता है तब वहाँ तद्वत्ता-शाब्दबोध भी होता ही है—यही इष्ट है। अतएव (बाधनिश्चय-प्रतिबध्यतावच्छेदककोटि में शाब्दान्यत्वनिवेश करने से ही) शाब्दबोध के प्रति योग्यता-ज्ञान को कारण मानना भी शाब्दिकों का संगत होता है। अभिप्राय यह कि यदि बाधनिश्चय-प्रतिबध्यतावच्छेदककोटि में शाब्दान्यत्व का निवेश नहीं किया जाय तब तो बाधनिश्चय से ही वह शाब्दबोध—जिसको योग्यताज्ञान की कारणता से रोकना चाहेंगे—रुक जायगा, फिर योग्यताज्ञान को शाब्दबोध के प्रति कारण मानना असंगत ही होगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि शाब्द अभेदबोध को आहार्य मान कर अथवा योग्यताज्ञान को आहार्य मान कर—दोनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार से काव्य में, सर्वत्रबाधित अर्थ का भी बोध बन सकता है। यहाँ नागेशभट्ट ने एक भिन्न ही सिद्धान्त स्थिर किया है और वह सिद्धान्त तर्कसंगत भी प्रतीत होता है। उनका कथन है कि—"बाधित अर्थ का भी शाब्दबोध होता ही है। अतएव तो 'आग से सींचता है' इस उक्ति को सुन कर श्रोता के द्वारा वक्ता का उपहास—'ओ महाशयजी! आग क्या कोई तरल पदार्थ है जो आप उससे सींचने की बात करते हैं'—संगत होता है। यदि उक्त वाक्य से बोध ही न होता तब तो जैसे इसी अर्थ वाला द्रविड भाषा का वाक्य सुनकर कोई भी पश्चिमभारतीय चुप हो जाता है वैसे श्रोता चुप हो जाता—उक्त उपहास नहीं करता। 'उक्त वाक्य के श्रवण से उन पदार्थों का केवल स्मरण होता है, अतएव उक्त उपहास संगत ही है—अर्थात् उस तरह के वाक्यों के श्रवण से वाक्यार्थबोध नहीं ही होता यह कथन तो केवल प्राचीनों के प्रति अन्धश्रद्धा है—जड़ता है। तात्पर्य यह कि पदार्थ-स्मरण होता है पर वाक्यार्थ-बोध नहीं होता यह अयुक्तिक सिद्धान्त है। अतः यह मानना चाहिए कि—बाधित अर्थ का भी शाब्दबोध होता ही है। बाध-निश्चय उस बोध में अप्रामाण्य-ज्ञान करा कर बाधित अर्थ वाले वाक्य से ज्ञात अर्थ में प्रवृत्ति को रोकते हैं, अर्थात् बाधनिश्चय प्रवृत्ति-प्रतिबन्धक होते हैं, शाब्दबोध-प्रतिबन्धक नहीं, और योग्यताज्ञान शाब्दबोध के प्रति कारण ही नहीं है। यही मार्ग सुन्दर है।"

४—लक्षणा मानने में एक यह भी दोष है कि—तत्सादृश्य का अर्थ है 'उस वस्तु में रहने वाले धर्म से युक्त होना' इस बोध का फल 'उसके अभेद का बोध' कैसे हो सकता है? कहीं भी ऐसा नहीं देखा जाता कि—साधारणधर्मों से युक्त पदार्थों के अभेद का ज्ञान उन-उन वस्तुओं के असाधारणधर्म से युक्त पदार्थ के अभेद-ज्ञान का कारण होता हो। देखा तो यही जाता है कि—घड़े और कपड़े में द्रव्यत्वरूप साधारणधर्ममूलक अभेद-ज्ञान होने पर भी 'घटत्व' और 'पटत्व' रूप असाधारणधर्म-मूलक भेदज्ञान होता ही है। हाँ, उलटा यह हो सकता है कि—उससे अभिन्न समझने का फल उसके धर्मों का वहाँ रहना समझा जाय, जैसे 'गंगायां घोषः—अर्थात् गंगा पर ग्राम है' इस वाक्य से लक्षणा द्वारा जब प्रवाह और तट को अभिन्न समझ लिया जाता है तब प्रवाह के धर्म-शीतलता तथा पवित्रता आदि—का ग्राम में भी ज्ञान होता है। सारांश यह है कि—किसी व्याप्यधर्म से युक्त होने का ज्ञान जहाँ होता है वहाँ उस व्याप्यधर्मापेक्षया व्यापक-धर्मों से युक्त होने का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि व्याप्य की सत्ता में व्यापक की सत्ता

निश्चित है, जैसे प्रवाहाभेदज्ञान है व्याप्य, और शीतलता आदि का ज्ञान है व्यापक, अतः जब तट में प्रवाहाभेदज्ञान हो जाता है तब शीतलता आदि का ज्ञान भी वहाँ होता है। इस युक्ति से मुख में व्याप्य (चन्द्राभेद) ज्ञान होने पर व्यापक (चन्द्रगत आह्लादकता आदि) का ज्ञान हो सकता है, पर व्यापक (आह्लादकता) आदि का ज्ञान होने पर भी व्याप्य(चन्द्राभेद) का ज्ञान नहीं हो सकता। तात्पर्य यह निकलता है कि—अभेद-ज्ञान का फल सादृश्य-ज्ञान हो सकता है, सादृश्य-ज्ञान का फल अभेद-ज्ञान नहीं हो सकता। रूपक में अभेदज्ञान ही होता है, सादृश्य-ज्ञान नहीं, अतएव—'कृपया सुधया—अर्थात् हे हरि! मैं ताप से मूर्च्छित हूँ। मुझे कृपारूप सुधा से सींचो। हे जगत् के जीवन! उससे मैं जी उठूँगा—इसमें सन्देह नहीं।' इत्यादि में, कृपा और अमृत में अभिन्नता का बोध होने पर ही उसका कारणरूप से 'सींचने' में अन्वय होता है—अर्थात् कृपा को अमृत से अभिन्न न मानकर अमृत-सदृश मानने पर वह सींचने का कारण कैसे हो सकती है? और अभिन्न न मानने पर ही वैसा 'सींचना' जीवन का हेतु हो सकता है—अर्थात् कृपा जब तक अमृतरूप न हो तब तक उसका 'सींचना' जीवन का हेतु नहीं हो सकता। यह नवीन आलंकारिकों के मत का दिग्दर्शन-मात्र है।

तृतीयान्तपदबोध्यसाधारणधर्मकरूपकस्थले बोधं विचारयति—

अथ कथं 'गाम्भीर्येण समुद्रोऽयं सौन्दर्येण च मन्मथः' इत्यत्र बोधः। शृणु—प्राचां तावल्लक्ष्यमाणैकदेशे सादृश्ये प्रयोज्यताया अभेदस्य वा तृतीयार्थस्यान्वयाद् गाम्भीर्यप्रयोज्यसमुद्रसादृश्यवदभिन्नोऽयम्, गाम्भीर्याभिन्नसमुद्रवृत्तिधर्मवदभिन्नोऽयमिति वा धीः। लक्षणां विनैव अभेदसंसर्गेणान्वयवादिनां पुनरित्थम्—कविना स्वेच्छामात्रादुपकल्पिता असन्तोऽप्यन्तःकरणपरिणामात्मका अर्था उपनिबध्यन्ते मुखचन्द्रादयः। तेषु च साधारणधर्माणामस्त्येव प्रयोजकत्वम्, तद्दर्शनाधीनत्वात्तन्निर्मितेः। एवं च गाम्भीर्यादिप्रयोज्यसमुद्राद्यभिन्न इति बुद्धिरप्रत्यूहेति। यद्वा ज्ञानजन्यज्ञानप्रकारत्वं तृतीयार्थः, वह्निमान् धूमादित्यादौ पञ्चम्यर्थतया तस्य कल्पनात्। एवं च गाम्भीर्यज्ञानजन्यज्ञानप्रकारसमुद्राभिन्न इत्यादिर्बोधः।

प्रयोज्यताया अभेदस्य वेति। मतभेदात्सम्भवदुक्तिकत्वाच्चोभयोरन्यतरस्य तृतीयार्थत्वमिति भावः, 'प्रकृत्यादिगणाज्जाता तृतीया तु तदात्मताम्। अवच्छेदकताबुद्धि प्रकारत्वादि शंसति' इति प्राचीनोक्तिः, 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्' इति वार्तिकविहिततृतीयाया नानार्थकत्वं सूचयतीति स्पष्टार्थः। अन्तःकरणपरिणामात्मका इति। अन्तःकरणवृत्तिरूपा इत्यर्थः। मुखचन्द्रादय इति। चन्द्राभिन्नमुखादिरूपा अर्था इति भावः। तेषु। चन्द्राभिन्नमुखादिरूपेष्वर्थेष्विति भावः। तद्दर्शनेति। चन्द्राभिन्नमुखादिरूपार्थचाक्षुषेति, चन्द्राभिन्नमुखादिरूपार्थज्ञानेति वा अर्थः, दृशेश्चाक्षुषार्थकत्वात् ज्ञानसामान्यार्थकत्वाच्चेति भावः। तन्निर्मितेरिति। चन्द्राभिन्नमुखादिरूपसृष्टेरित्यर्थः। नन्वेवमन्धकवेस्तन्निर्मितिर्न स्यादत आह—यद्वेति। अथवा। साधारणधर्मज्ञानस्य तन्निर्मितिप्रयोजकत्वेऽपि साधारणधर्माणां न तत्प्रयोजकत्वमित्यत आह—यद्वेति। तस्येति। ज्ञानजन्यज्ञानप्रकारत्वस्येत्यर्थः। 'यादृशं गाम्भीर्यं समुद्रे तादृशं त्वयि, अतस्त्वम् समुद्ररूपः, एवं यादृशं सौन्दर्यं मन्मथे (काम-

देवे) तादृशं त्वयि, अतस्त्वम् मन्मथरूपः' इत्यर्थकात् 'गाम्भीर्येण—' इति वाक्यात् प्राचीनमते 'गाम्भीर्यप्रयोज्यं यत् समुद्रसादृश्यं तद्वता अभिन्नोऽयम्' इति, एवम्—'सौन्दर्यप्रयोज्यं यन्मन्मथसादृश्यं तद्वता अभिन्नोऽयम्' इति बोधः, समुद्र-मन्मथ-पद-लक्ष्यस्वसदृशरूपार्थैकदेशसादृश्यान्वयिप्रयोज्यतार्थकत्वात् गम्भीर्यसौन्दर्य-पदोत्तरतृतीयाविभक्त्योः। अथवा तद्वाक्यात् तन्मते 'गाम्भीर्याभिन्नो यः समुद्रवृत्ति-धर्मः एवं सौन्दर्याभिन्नो यो मन्मथवृत्तिधर्मस्तद्वता अभिन्नोऽयम्' इति बोधः, गाम्भीर्य-सौन्दर्य-पदोत्तर-तृतीयाविभक्त्योः लक्ष्यमाणैकदेश-सादृश्यान्वय्यभेदार्थकत्वात्। रूपके न लक्षणा, अपि तु अभेदेनोपमानोपमेययोर्वाच्यार्थयोरेवान्वय इति वदतां नवीनानां मते तु 'गाम्भीर्य-प्रयोज्य-समुद्राभिन्नः, एवं सौन्दर्यप्रयोज्य-मन्मथाभिन्नोऽयम्' इति बोधः, तृतीयाविभक्त्योः क्रमशः समुद्र-मन्मथपदार्थान्वयिप्रयोज्यतार्थकत्वात्। ननु कथं समुद्रमन्मथादयः पदार्था गाम्भीर्यादिप्रयोज्या इति चेत्? इत्थम्—उपमेयराजा-दिनिष्ठाभेदप्रतियोगिनः समुद्रादयः पदार्था न वास्तविका अपि तु अन्तःकरणवृत्तिरूपाः कविकल्पिताः, तादृशकल्पनायां चोपमेये उपमानवृत्तिधर्मदर्शनमेव मूलम्, तथा च भव-न्त्येव पदार्थाः साधारणधर्मप्रयोज्याः। अथवा ज्ञानजन्यज्ञानप्रकारत्वमीदृशतृतीयावि-भक्तेरर्थः। ननु नेदृशविभक्त्यर्थः क्वचिद् दृष्ट इति चेन्न, 'वह्निमान् धूमात्' इत्यादौ पञ्चमी-विभक्तेस्तादृशार्थकत्वस्य परैः स्वीकृतत्वात्, अत एव 'धूमज्ञानजन्यज्ञानप्रकारीभूतवह्नि-विशिष्टः पर्वतादिरि'ति बोधस्तन्मते समुपपद्यते। तथा च प्रकृते 'गाम्भीर्यज्ञानजन्यं यत् ज्ञानं 'अयं समुद्रः' इत्याकारकं तत्र प्रकारीभूतो यः समुद्रस्तदभिन्नोऽयम्' इति एवं 'सौन्दर्यज्ञानजन्यं यत् ज्ञानं 'अयं मन्मथः' इत्याकारकं तत्र प्रकारीभूतो यो मन्मथस्तदभिन्नोऽयम्' इति बोध इति भावः।

अब उस रूपकस्थल का बोध दिखलाया जाता है जहाँ तृतीयाविभक्त्यन्त पद के द्वारा साधारणधर्म की उपस्थिति होती है—अथ इत्यादि। अब 'गाम्भीर्येण—अर्थात् यह राजा गम्भीरता से समुद्र और सुन्दरता से कामदेव है।' इस वाक्य से कैसा शाब्द-बोध होगा इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। १—प्राचीनों के मतानुसार ऐसे स्थलों पर साधा-रणधर्म-बोधक पद—गाम्भीर्य-सौन्दर्य आदि—के आगे जुड़ी हुई तृतीया विभक्ति का अर्थ 'प्रयोज्यता' अथवा 'अभेद' होता है, क्योंकि ऐसे स्थानों में 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्' इस वार्तिक से तृतीया विभक्ति होती है और उस तृतीया के 'प्रयोज्यता', 'अभेद' आदि अनेक अर्थ होते हैं। उस तृतीयाविभक्त्यर्थ का यहाँ समुद्र और मन्मथ पद से लक्षणा द्वारा बोधित सदृश (सादृश्ययुक्त) के एकदेश (सादृश्य) में अन्वय होगा, अतः उक्त वाक्य का शाब्दबोध—'गम्भीरता द्वारा सिद्ध किए जाने वाले समुद्र के सादृश्य से युक्त से अभिन्न, एवं सुन्दरता द्वारा सिद्ध किए जाने वाले कामदेव के सादृश्य से युक्त से अभिन्न यह राजा' ऐसा अथवा 'गम्भीरता से अभिन्न समुद्र के धर्म (सादृश्य) से युक्त से अभिन्न, एवं सुन्दरता से अभिन्न कामदेव के धर्म (सादृश्य) से युक्त से अभिन्न यह राजा' ऐसा होगा। और जो लोग विना लक्षणा के ही अभेदसम्बन्ध द्वारा अन्वय मानते हैं उन नवीनों के मतानुसार यह बात है कि जो 'मुखचन्द्र' (चन्द्राभिन्न मुख) आदि पदार्थ वास्तविक नहीं होते, केवल अन्तःकरण के परिणामरूप (चित्तवृत्तिविशेष-रूप— मानस) होते हैं उनकी सृष्टि कवि कल्पना द्वारा करता है और इस तरह की काल्प-

निक सृष्टि में साधारणधर्म ही प्रयोजक (मूल) होते हैं—अर्थात् चन्द्रगत आह्लादकता आदि धर्मों को मुख आदि में देखकर अथवा समझ कर ही ऐसी कल्पना की जाती है। अतः—उक्त वाक्य का बोध—'गम्भीरता आदि के द्वारा सिद्ध किए जाने वाले (प्रयोज्य) समुद्र आदि से अभिन्न यह राजा' ऐसा होता है। सारांश यह हुआ कि ये उपमेय राजारूप काल्पनिक समुद्र आदि गम्भीरता आदि के प्रयुक्त ही समुद्र आदि होते हैं, अतः उक्त बोध मानने में किसी तरह की विघ्न-बाधा नहीं हो सकती। यदि आप कहें कि ऐसी स्थिति में वह अन्ध कवि—जो न चन्द्र को कभी देख सका है न मुख को ही—कैसे इस तरह की कल्पना करेगा? अथवा आपकी युक्ति के अनुसार भी साधारणधर्मों का ज्ञान ही उक्तविध कल्पना का प्रयोजक ठहरता है, साधारणधर्म नहीं, फिर उक्त बोध - जिसमें समुद्र आदि को साधारणधर्म-प्रयोज्य बताया गया है—कसे होगा? तो इसके उत्तर में मेरा कथन है कि छोड़िए उस बोध को। 'ज्ञान-जन्य-ज्ञान-प्रकारत्व'-ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान का प्रकार होना—को तृतीया विभक्ति का अर्थ मान लीजिये। विभक्त्यर्थ के रूप में इसको नई मान्यता नहीं देनी पड़ेगी, 'वह्निमान् धूमात्' इत्यादि स्थलों पर पञ्चमी विभक्ति के अर्थरूप में इसे नैयायिक लोग मान्यता प्रदान कर चुके हैं। तात्पर्य यह कि 'वह्निमान् धूमात्' का शाब्दबोध नैयायिक लोग 'धूम-ज्ञान-जन्य ज्ञान में प्रकारीभूत वह्नि वाला पर्वत' करते हैं जिससे सिद्ध होता है कि—वे 'ज्ञान-जन्य ज्ञानप्रकारत्व' को 'धूमात्' इस पञ्चमी विभक्ति का अर्थ मानते हैं, फिर हम उसी वस्तु को यहाँ तृतीया विभक्ति का अर्थ क्यों नहीं मान सकते? अवश्य मान सकते हैं। तदनुसार, उक्त वाक्य का शाब्दबोध होगा—'गम्भीरता के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान में विशेषणीभूत समुद्र से अभिन्न' एवं 'सुन्दरता के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान में विशेषणीभूत कामदेव से अभिन्न यह' ऐसा। स्पष्ट अर्थ यह कि वर्णनीय राजा-रूप उपमेय में रहने वाली गम्भीरता का ज्ञान पहले होता है उस गम्भीरता-ज्ञान से उसी राजा में 'यह समुद्र है' ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, इस द्वितीय ज्ञान में विधेयभूत समुद्र विशेषण और यह (राजा) विशेष्य है, बस, इन्हीं बातों को जोड़ कर उक्त शाब्दबोध सम्पन्न हो जाता है।

अभेदात्मकस्यास्य रूपकस्य वाक्यार्थे त्रिधा भानं भवतीति लक्ष्यप्रदर्शनमुखेन स्फोरयितुमाह—

तदिदं रूपकं विषयविषयिणोः सामानाधिकरण्ये अपदार्थतया संसर्गः। यथा 'बुद्धिर्दीपकला -' इत्यादौ।

रूपकमिति। उपमानोपमेययोरभेद इति यावत्। विषयविषयिणोरिति। यत्राभेदारोपः स विषयः, उपमेय इति यावत्, यस्याभेदस्यारोपः, स विषयी, उपमानमिति यावद् इति बोध्यम्। सामानाधिकरण्य इति। समानविभक्तिकपदबोध्यत्व इत्यर्थः। अपदार्थतयेति। पदनिष्ठवृत्त्यबोध्यतयेत्यर्थः। लक्ष्य-प्रदर्शनायाह—यथेति। 'बुद्धिः—' इति। पद्यमिदमस्मिन्नेव प्रकरणे प्रागुक्तं व्याख्यातञ्च। विशेषणविधया विशेष्यविधया वा भानं तस्यैवार्थस्य भवति यस्योपस्थितिर्वृत्तिज्ञानाधीना, यस्य तु अर्थस्योपस्थितिर्न वृत्तिज्ञानाधीना, अपि तु आकांक्षादिवशात् तस्य भानं संसर्गविधया भवतीति वस्तुस्थितिः। तथा च 'मुखं चन्द्रः' इत्यादाविव 'बुद्धिर्दीपकला—' इत्यत्र विषयविषयिणोर्बुद्धि-दीपकलयोः सामानाधिकरण्यमिति तत्र तयोरभेदः संबन्धविधया भासेत, आकांक्षादिवशात्तस्योपस्थितेः। इत्थञ्च 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ

चन्द्रप्रतियोगिकाभेदवन्मुखमित्यादिर्न बोधः, अपि तु अभेदसंबन्धेन चन्द्रवन्मुखमित्यादिरेवेति भावः।

यह रूपक (उपमान उपमेय का अभेद) वाक्यार्थ में तीन तरह से भिन्न-भिन्न स्थल में भासित होता है, इसी वैचित्र्य को चित्रित करने के लिये कहा जाता है—तदिदमित्यादि। जहाँ विषय (उपमेय) और विषयी (उपमान) समानाधिकरण रहते हैं—दोनों के बोधक-पदों से एक ही तरह की विभक्ति आई रहती है, वहाँ उसका (अभेद का) भान संबन्धरूप में होता है, विशेषण अथवा विशेष्यरूप में नहीं, क्योंकि विशेषण अथवा विशेष्यरूप में उसी अर्थ का भान होता है जो किसी पद का वाच्य अथवा लक्ष्य हो, आकांक्षा आदि के द्वारा जिस अर्थ की उपस्थिति होती है—उसका भान सम्बन्धरूप में ही होता है। सामानाधिकरण्यस्थल में अभेद (रूपक) किसी भी पद का वाच्च किंवा लक्ष्य नहीं रहता, अतः उसका भान संसर्गरूप में ही होता है। जैसे—'बुद्धिर्दीप' इस पूर्वोक्त पद्य में बुद्धि-रूप विषय और दीपकलारूप विषयी समानाधिकरण हैं, फलतः उन दोनों का अभेद किसी पद का अर्थ नहीं होने के कारण संबन्धरूप में भासित होता है। अभिप्राय यह कि—'बुद्धिर्दीपकला' इसका शाब्दबोध, 'दीपकला के अभेद से युक्त बुद्धि' इस तरह नहीं, अपि तु 'अभेद सम्बन्ध से दीपकला वाली बुद्धि' इस तरह से किया जा सकता है। यह हुआ रूपक के भान का प्रथम 'प्रकार'।

वाक्यार्थेऽभेदात्मकरूपकभानस्य प्रथमां विधां स्फोरयित्वा सम्प्रति द्वितीयां विधां स्फोरयितुमाह—

वैयधिकरण्ये च शब्दार्थतया क्वचिद् विशेष्यम्।

यथा—

'कैशोरे वयसि क्रमेण तनुतामायाति तन्व्यास्तना-
वागामिन्यखिलेश्वरे रतिपतौ तत्कालमस्याज्ञया।
आस्ये पूर्णशशाङ्कता नयनयोस्तादात्म्यमम्भोरुहां
किं चासीदमृतस्य भेदविगमः साचिस्मिते तात्त्विकः॥'

अत्र शशाङ्कता-तादात्म्य-भेदविगमशब्दैरभिधीयमानं रूपकं प्रथमान्त-विशेष्यतावादिनां मते विशेष्यम्। क्रियाविशेष्यतावादिनां तु तत्रैव किञ्चिद् व्यत्यासेन निष्ठान्तक्रियादाने।

वैयधिकरण्य इति। भिन्नविभक्तिकपदबोध्यत्व इत्यर्थः। अस्यादौ 'विषयविषयिणोः' इत्यस्यानुषङ्गो बोध्यः। शब्दार्थतयेति। शब्दनिष्ठवृत्तिबोध्यतयेत्यर्थः। क्वचित् अधोनिर्दिष्टलक्ष्ये तादृशेऽन्यस्मिन् लक्ष्ये च। विशेष्यमिति। वाक्यार्थमुख्यविशेष्यमित्यर्थः। लक्ष्यप्रदर्शनायाह—यथेति। लक्ष्यमाह—'कैशोरे—' इति। कविः वयःसन्धिगतायाः कामिन्याः सौन्दर्यं वर्णयति। अत्र 'तन्व्यास्तनौ' इति मध्यमणिन्यायेनोभयत्रान्वेति। तथा च—तन्व्याः कृशाङ्ग्याः, तनौ शरीरे, क्रमेण क्रमशः, कैशोरे वयसि किशोरावस्थायाम्, तनुतां क्षीणताम् आयाति आगच्छति सति, तथा तत्रैव तनौ, रतिपतौ कामदेवे, अखिलेश्वरे सर्वेश्वरे—राज्ञि, आगामिनि आगन्तुकामे सति, तत्कालं तस्मिन्नेव क्षणे, अस्य कामदेवस्य, आज्ञया आदेशेन, तस्याः, आस्ये मुखे, पूर्णशशाङ्कता पूर्णचन्द्रत्वम्, आसीत्

अभूत, नयनयोश्चक्षुषोः अम्भोरुहां वारिजानाम्, तादात्म्यम् अभेदः, आसीत् किञ्च साचिस्मिते वक्रेषद्धास्ये, अमृतस्य पीयूषस्य, तात्त्विकः वास्तविकः, भेदविगमः अभेदः, आसीत् इत्यर्थः, वयःसन्धिकाले कामदेवनिदेशेनेव कामिन्या अङ्गेषु सौन्दर्यं स्वयमेव प्रादुरासीदिति भावः। उपपादयति—अत्रेत्यादिना। अभिधीयमानमिति। बोध्यमानमित्यर्थः। शक्त्या लक्षणया वेति भावः। प्रथमान्तविशेष्यतावादिनामिति। नैयायिकानामित्यर्थः। क्रियाविशेष्यतावादिनामिति। शाब्दिकानामित्यर्थः। तत्रैव उक्तपद्य एव। किञ्चिद्व्यत्यासेनेति। 'किञ्चासीत्' इत्यस्य स्थाने इति भावः। निष्ठान्तेति। 'सम्पन्नो हि' इति पाठे इत्यर्थः। विषयविषयिणोर्वैयधिकरण्यस्थलेऽभेदः पदनिष्ठवृत्तिबोध्यो भवति, अतस्तत्र द्वयी गतिः क्वचित्तस्य विशेष्यविधया भानं क्वचिच्च विशेषणविधया। तत्र 'कैशोरे—' इति पद्यं विशेष्यविधया तद्भानस्थानम्, यतः तत्र शशाङ्कतादिप्रथमान्तपदबोध्योऽसावभेद इति 'आस्याधिकरणभूतकालिकसत्तावती पूर्णशशाङ्कता' इत्यादिरीत्या जायमाने बोधेऽभेदात्मकस्य रूपकस्य विशेष्यत्वं सिद्ध्यति। ननु प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधवादिनां नैयायिकानामेव मते एतत् सिद्ध्यति, न क्रियामुख्यविशेष्यकबोधवादिनां वैयाकरणानां मते, तथा च नायं विशेष्यविधया रूपकभानसिद्धान्तः सर्वसम्मत इति चेत्? सत्यम्, न तिङन्तक्रियापदविशिष्टपाठे वैयाकरणाः प्रथमान्तपदबोध्याभेदविशेष्यकं बोधं कुर्युः, किन्तु कृदन्तक्रियापदविशिष्टपाठे अर्थात्—'सम्पन्नो हि' इति निष्ठासंज्ञकक्तप्रत्ययान्तक्रियापददाने तेऽपि प्रथमान्तार्थविशेष्यकमेव बोध्यं स्वीकुर्युः, तथैव तैः सिद्धान्तितत्वादिति भावः।

अब वाक्यार्थ में रूपक (अभेद) के भासित होने का दूसरा प्रकार दिखलाया जाता है—वैयधिकरण्ये इत्यादि। जहाँ विषय-विषयी भिन्न-भिन्न विभक्तिवाले पदों से निर्दिष्ट होते हैं वहाँ कहीं रूपक विशेष्यरूप में भासित होता है। जैसे—'कैशोरे—अर्थात् कृशाङ्गी कामिनी के शरीर में किशोरावस्था के चिह्न क्रमशः क्षीण होते जा रहे थे—वह कामिनी यौवन की देहली पर पदार्पण कर चुकी थी। अखिलेश्वर (सार्वभौम) कामदेव का आगमन होनेवाला था। अतः उस आगामी राजा की आज्ञा से, तत्काल कृशाङ्गी के मुख में पूर्णचन्द्र का भाव, नयनों में कमलों का तादूप्य और वक्र ईषद् हास्य में अमृत का वास्तविक अभेद हो गया।' जहाँ 'चन्द्र का भाव' 'तादूप्य' और 'अभेद' इन प्रथमान्त पदों से रूपक—अभेद—का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह कि यहाँ उपमेय—मुख, नयन और ईषद्हास्य—का 'आस्ये', 'नयनयोः' तथा 'साचिस्मिते' इन सप्तम्यन्त पदों से एवम् उपमान—चन्द्र, कमल तथा अमृत—का उक्त भाववाचक संज्ञाओं से बोध कराया गया है, जिससे यह वैचित्र्य यहाँ उत्पन्न हो गया है कि रूपक शब्दबोध्य हो गए हैं। अतः जो लोग शाब्दबोध में प्रथमान्तपद के अर्थ को मुख्य विशेष्य बनाते हैं उन नैयायिकों के मतानुसार, यहाँ—'मुख में रहनेवाली भूतकालिक सत्ता (आसीत् पदवाच्य क्रिया) से युक्त पूर्णचन्द्र का भाव' इत्यादि रीति से शाब्दबोध होता है। इस बोध में रूपक (पूर्णचन्द्र का भाव—अभेद) विशेष्यरूप में भासित हुआ है। यद्यपि जो लोग शाब्दबोध में क्रिया को मुख्य विशेष्य बनाते हैं उन वैयाकरणों के मतानुसार उक्त रीति से बोध नहीं होगा, फलतः रूपक की विशेष्यता भी सिद्ध नहीं होगी, तथापि उसी पद्य में जब 'किं चासीत्' के स्थान में 'सम्पन्नो हि'

यह निष्ठान्तक्तप्रत्ययान्त—कृदन्त—क्रियापद रख दिया जायगा तब उनके मतानुसार भी प्रथमान्त पद का अर्थ ही शाब्दबोध में विशेष्य होगा, क्योंकि कृदन्त (तिङन्त से भिन्न) क्रिया पदवाले स्थलों में उनको भी क्रिया का विशेषण होना ही अभीष्ट है, फलतः वैसी स्थिति में उनके मत से भी रूपक का विशेष्य होना सिद्ध होता है। यह अभेदात्मक रूपक-भान का दूसरा प्रकार हुआ।

वाक्यार्थेऽभेदात्मकरूपकभानस्य तृतीयां विधां स्फोरयितुमाह—

क्वचिच्च विशेषणम्।

यथा—

'अविचिन्त्यशक्तिविभवेन मन्दरि प्रथितस्य शम्बररिपोः प्रभावतः।
विधुभावमञ्चतितमां तवाननं नयनं सरोजदलनिर्विशेषताम् ॥'

इह द्वितीयार्थे विशेषणीभूतं विधुत्वादि विध्वभेदात्मकतया रूपकम्।

'अविचिन्त्य—' इति। अविचिन्त्याः अचिन्तनीयाः, याः शक्तयः सामर्थ्यविशेषाः, तद्रूपेण विभवेन सम्पत्त्या, प्रथितस्य प्रख्यातस्य, शम्बररिपोः कामदेवस्य, प्रभावतः प्रभावात्, हे सुन्दरि, तव, आननं मुखम्, विधुभावं चन्द्रत्वम्, अञ्चतितमां नियमतः प्राप्नोति, तथा, तव, नयनं जातावेकवचनम्, नेत्रयुगलमिति यावत्, सरोजदलनिर्विशेषतां कमलपत्रसारूप्यम्, अञ्चतितमामित्यर्थः। उपपादयति—इत्यादिना। द्वितीयार्थ इति। विधुभावपदोत्तरद्वितीयाविभक्त्यर्थः इत्यर्थः। विधुत्वादिति। अत्रादिपदेन सरोजदलसारूप्यं संगृह्यते। विध्वभेदेति। लक्षणयेति भावः। विषयविषयिणोर्वैयधिकरण्ये रूपकं क्वचित् विशेषणतया भासते। यथा—'अविचिन्त्य—' इति पद्ये। अत्र विधुभाव-सरोजदलनिर्विशेषतापदाभ्यां रूपके बोध्येते, ते च रूपके विशेषणीभूते, 'विधुभावनिष्ठा एवं सरोजदलनिर्विशेषतानिष्ठा या कर्मता तन्निरूपकं यदञ्चनं तदनुकूलकृतिमत आननं नयनञ्च' इति बोधात्। ननु कथमिह रूपकम्, अभेदात्मकस्य तस्यात्राप्रत्ययादिति चेन्न, लक्षणया विधुभावादिपदस्य स्वार्थप्रतियोगिकाभेदपरत्वादिति भावः। इत्यञ्चाभेदात्मकमिदं रूपकं क्वचिद् सम्बन्धविधया, क्वचित् विशेष्यविधया, क्वचिच्च विशेषणविधया वाक्यार्थे भासत इति परमार्थः।

अब अभेदात्मक रूपक के भान का तीसरा प्रकार दिखलाया जाता है-क्वचिच्च इत्यादि। उपमान-उपमेय के अभेदरूप रूपक का बोध भिन्नविभक्तिक पदों द्वारा होने पर कहीं वह अभेदात्मक रूपक विशेषणरूप में भासित होता है। जैसे—'अविचिन्त्य—अर्थात् अचिन्तनीय शक्तियों के कारण विख्यात कामदेव के प्रभाव से हे सुन्दरि! तेरा मुख चन्द्रता को और नेत्र कमलपत्र की एकरूपता को प्राप्त कर रहे हैं।' यहाँ मूलपद्यगत 'विधुभाव' पद और 'सरोजदलनिर्विशेषता' पद लक्षणा-द्वारा विध्वभेद (चन्द्राभेद) और सरोजदलाभेद (कमलपत्राभेद) के बोधक हैं, अतः यहाँ दो रूपक होते हैं और वे दोनों ही रूपक (अभेद) द्वितीया विभक्ति के अर्थ—कर्मता— में 'निष्ठत्व' संबन्ध से विशेषण हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि इस वाक्य से होने वाले 'विधुभावनिष्ठ कर्मता की निरूपक अञ्चन-प्राप्ति-क्रिया के अनुकूल यत्न वाला मुख' इत्यादि शाब्दबोध में विधुभाव (चन्द्राभेद) द्वितीया के अर्थ (कर्मता) के विशेषणरूप से भासित होता है। फलतः पर्यवसित अर्थ

इस प्रकरण का यह हुआ कि अभेदात्मक रूपक का भान तीन प्रकारों से होता है—कहीं संबन्धरूप से, कहीं विशेष्यरूप से और कहीं विशेषणरूप से।

समासगतरूपकस्थले बोधप्रकारं सूचयितुमाह—

एवं मुखचन्द्र इत्यादावुपमितसमासे तावदुपमैव। विशेषणसमासे तु रूपकम्। बोधश्च शशिपुण्डरीकमित्यादाविव प्राक्प्रतिपादितदिशा बोध्यः।

उपमितसमासे 'उपमितं व्याघ्रादिभिः—' इति सूत्रविहितसमासे। विशेषणसमासे त्विति। 'विशेषणं विशेष्येण—' इति सूत्रविहितसमास इत्यर्थः। अत्र 'चिन्त्यमिदम्'। चन्द्रमुखमित्यस्यापत्तेः। परिणामालङ्कारोदाहरणे तु विशेषणसमास उचितः। अत्र तु मयूरव्यंसकेति समासे त्वित्युचितम्।' इति युक्तमाह नागेशः। शशिपुण्डरीकमिति। 'शशिनिष्ठाभेदप्रतियोगि पुण्डरीकम्' इति बोधवदित्यर्थः। बोध्य इति। तथा च मुखनिष्ठाभेदप्रतियोगि मुखमिति बोध इति भावः।

समासगत रूपकस्थल में शाब्दबोध का प्रकार बतलाने के लिये कहा जाता है—एवं इत्यादि। 'मुख चन्द्र' इत्यादि समस्त पदों में उपमितसमास—अर्थात् 'उपमितं व्याघ्रादिभिः—' इस पाणिनिसूत्र से समास होने पर उपमा ही होती है अतः उसका यहाँ प्रसङ्ग नहीं। हाँ, विशेषणसमास—अर्थात् 'विशेषणं विशेष्येण—' इस पाणिनिसूत्र से समास—होने पर रूपक हो सकता है और तब बोध भी पूर्वोक्त 'शशि-पुण्डरीक' पद के प्रसंग पर कथित रीति से हो जायगा। तात्पर्य यह कि—जिस तरह 'शशिपुण्डरीक' पद का बोध 'शशि में रहने वाले अभेद का प्रतियोगी पुण्डरीक' इत्याकारक पहले किया गया है उसी तरह 'मुख-चन्द्र' पद का बोध भी 'मुख में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी चन्द्र' यह होगा। यहाँ विशेषणसमास वाली मूलोक्त बात पर नागेश लिखते हैं कि "यह गलत है क्योंकि विशेषणसमास करने पर 'मुखचन्द्र' ऐसा नहीं अपितु 'चन्द्रमुख' ऐसा प्रयोग हो जायगा, अतः 'मयूरव्यंसकादयश्च इस सूत्र से समास होने पर' ऐसा यहाँ लिखना चाहिए। विशेषणसमास तो परिणामालंकार के उदाहरणों—'मुख-चन्द्र से अन्धकार दूर हुआ' इत्यादिकों—में होना उचित है।"

व्यधिकरणरूपकविशेषस्थले शाब्दबोधं दर्शयितुमाह—

'मीनवती नयनाभ्यां करचरणाभ्यां प्रफुल्लकमलवती।
शैवालिनी च केशैः सुरसेयं सुन्दरी सरसी॥'

इत्यादौ तृतीयाया अभेदार्थकत्वात्तस्य च प्रागुक्तदिशा प्रतियोगित्वमुखस्यार्थवशादन्वये, नयननिष्ठाभेदप्रतियोगिमीनवतीति बोधः। मीनवत्त्वं च स्वाभिन्नद्वारकम्। एतत्स्फोरणायैव नयनाभ्यामित्युक्तम्। मीनाभिन्ननयनवतीति तु पर्यवसितम्। नयनाभेदे तु मीनेषु गृह्यमाणे सरसीरूपकापोषणादित्युक्तमेव।

मीनवतीति। सुरसा सुन्दरः रसः प्रेमा जलञ्च यस्यां सा, इयं सुन्दरी, नयनाभ्याम् मीनवती मीनरूपनयनयुक्ता, करचरणाभ्यां प्रफुल्लकमलवती विकसितकमलरूपकरचरणयुक्ता, तथा केशैः शैवालिनी शैवालरूपकेशयुक्ता सती, सरसी सरोवररूपा सम्पद्यत इत्यर्थः। तृतीयाया इति। 'प्रकृत्यादिभ्यः—' इति विहिताया इत्यर्थः। तस्येति। तृतीयार्थस्याभेदस्येत्यर्थः प्रागुक्तदिशेति। 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रः' इत्यत्रोक्तरीत्येत्यर्थः। प्रतियोगित्वमुख-

स्येति। स्वनिष्ठाभेदप्रतियोगित्वस्येति समुदितार्थ इति भावः। अर्थवशादिति। सरसीरूपकानुरोधेनेति भावः। स्वाभिन्नेति। मीनाभिन्ननयनेत्यर्थः। नयनाभेदे इति। नयनप्रतियोगिकाभेदे इत्यर्थः। उक्तमेवेति 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रः' इत्येतद्विचारप्रसङ्गे इति भावः। प्रकृत्यादित्वाज्जाताया नयनादिपदोत्तरतृतीयायाः स्वीक्रियमाणस्याभेदरूपार्थस्य प्रतियोगित्वं यद्यपि स्वप्रकृत्यर्थे नयनादावेव साधारणतया प्राप्तम्, तथापि पूर्वोक्तरीत्या मीनादौ तत् व्यवस्थाप्यते। तथा च 'नयनादिनिष्ठः तदनुयोगिक इति यावत् योऽभेदः तस्य प्रतियोगी यो मीनादिस्तद्युक्ता' इति बोधो भवति। ननु मीनादियुक्तत्वम् सुन्दर्यां न सम्भवतीति चेत्? सत्यम्, मीनाद्यभिन्ननयनादियुक्तत्वेन मीनादियुक्तत्वे तात्पर्यात्। अत एव 'नयनाभ्याम्' इत्यादि तृतीयान्तपदप्रयोगः। मीनाद्यभिन्ननयनादियुक्तेति पर्यवसितार्थः। न च कुतोऽयं द्रविडप्राणायामः? मीनादिषु नयनादिप्रतियोगिकाभेद एव गृह्यताम् इति वाच्यम्, तथा सति 'सुन्दरी सरसी' इत्यंशे निर्विवादस्य सरसीरूपकस्य समर्थनं न स्यात्, तत्समर्थनमेव च वक्तुरभिप्रेतमित्याशयात्। मीनवतीति पद्ये परम्परितं रूपकं कवेर्निबन्धनीयम्, तत्रोपमानभूतायाः सरस्याः उपमेयभूतायाः सुन्दर्याश्च तादात्म्यात्मकं रूपकं प्रधानं सामर्थ्यम्, उपमानभूतानां मीनकमलशैवालानाम् उपमेयभूतानां नयन-करचरण-केशानां तादात्म्यात्मकानि च रूपकाणि समर्थकानि, इति स्थितौ समर्थकांशे मीनाद्युपमानाभेदो नयनाद्युपमेये साधयितुमुचितः, तदैव तानि मीनादिरूपकाणि कथ्येरन्, मीनादिरूपकैरेव च सरसीरूपकस्य समर्थनं स्यात्। तदंशे न सरसी रूपकम् अपि तु सुन्दरीरूपकमेवेति तु न शक्यं वक्तुम्, सुन्दर्या एव प्रकृतत्वेनोपमेयत्वादिति स्पष्टार्थः।

एक खास व्यधिकरणरूपकस्थल का शाब्दबोधप्रकार दिखलाया जाता है—मीनवती इत्यादि। 'मीनवती—अर्थात् यह सुन्दरी अच्छे रस (प्रेम तथा जल) वाली सरसी है जो नेत्रों के कारण मछलीवाली, हाथ-पैरों के कारण कमलवाली तथा केशों के कारण सेवारवाली है।' इत्यादिक में नयन आदि पदों से 'प्रकृत्यादित्वात्' तृतीया विभक्ति हुई है जिसका अर्थ 'अभेद' है, उसका प्रतियोगी यद्यपि नयन आदि को ही होना चाहिए; पर 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रः' इस वाक्य के विषय में विचार करते समय कही गई रीति से मीन आदि को ही अभेद का प्रतियोगी माना जाता है और ऐसा इसलिए माना जाता है कि समग्र वाक्य का अर्थ—अर्थात् अग्रिम सरसी-रूपक—तभी संगत होता है, अतः उक्त श्लोकवाक्य से 'नेत्र में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी जो मीन उससे युक्त' इत्यादि बोध होता है। और सुन्दरी का 'मछलीवाली होना' है मछलियों से अभिन्न नेत्रों द्वारा – अर्थात् नेत्रों को मछलियों से अभिन्न समझ लेने पर ही सुन्दरी मछलीवाली समझी जा सकती है। इस 'द्वारा' को स्पष्ट करने के लिये ही 'नयनाभ्याम्' इत्यादि तृतीयान्त पदों का प्रयोग किया गया है। अतः अन्ततः 'नेत्रों के कारण मछलीवाली' का अर्थ होता है 'मछलियों से अभिन्न अर्थात् 'मछलीरूप-नेत्रोंवाली।' यह उलटफेर इसलिये करना पड़ता है कि—यदि नेत्रों का अभेद मछलियों में समझा जाय तो सुन्दरी में सरसी का रूपक समर्थित नहीं होता, प्रत्युत सरसी में सुन्दरी का रूपक समर्थित होने लगता जो कवि का अभीष्ट नहीं है, यह बात पहले भी कही जा चुकी है। सारांश यह हुआ कि यहाँ प्रस्तुत होने के कारण उपमेयरूप सुन्दरी में सरसीरूप उपमान का तादात्म्य जो वर्णित है वह सरसीरूपक ही कहलायगा सुन्दरीरूपक नहीं, यह निर्विवाद सत्य है, अब इस प्रधान रूपक के समर्थन में अन्य जो रूपक वर्णित हुए

हैं उनमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि—उपमेय सुन्दरी—से संबन्ध रखने वाले पदार्थों को उपमेय और उपमान—सरसी—से संबन्ध रखनेवाले पदार्थों को उपमान माना जाय, इस हिसाब से नयन आदि को उपमेय और मीन आदि को उपमान माना जाता है और इस मान्यता के अनुसार उक्त तृतीयार्थ-अभेद का प्रतियोगी मीन आदि को मानना जरूरी है, क्योंकि उपमान ही प्रतियोगी हो, ऐसा सिद्धान्त है।

रूपके साधारणधर्मस्थितिं विचारयति—

साधारणधर्मश्चात्राप्युपमायामिव क्वचिदनुगामी क्वचिद्बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः क्वचिदुपचरितः क्वचिच्च केवलशब्दात्मा। सोऽपि क्वचिच्छब्देनोपात्तः, क्वचित्प्रतीयमानतया नोपात्तः।

अनुगामी, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः, उपचरितः (आरोपितः) केवलशब्दरूपश्चेति चतुर्विधाः साधारणधर्मा यथोपमायां भवन्ति तथा रूपकेऽपि ते भवन्ति। अथ च तथाविधास्ते चत्वारः साधारणधर्माः क्वचित् अप्रसिद्धत्वात् शब्दतः कथितास्तिष्ठन्ति, क्वचिच्च प्रसिद्धतया शब्दमन्तरापि प्रतीतिपथमवतरन्तः शब्दत उपात्ता न भवन्तीति भावः। केवलशब्दरूपस्तूपात्त एव भवतीत्यपि बोध्यम्।

रूपक में साधारणधर्म किस-किस तरह का हो सकता है इसका विचार अब किया जाता है—साधारण इत्यादि। रूपक में भी साधारणधर्म, उपमा की तरह, कहीं अनुगामी, कहीं बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्न, कहीं उपचरित (आरोपित) और कहीं केवल शब्दरूप होता है। और ये सभी धर्म भी कहीं शब्द द्वारा उक्त होते हैं और कहीं अर्थात् प्रतीत होने के कारण, शब्द द्वारा उक्त नहीं होते। अभिप्राय यह कि—इन चारों तरह के धर्मों में से कोई एक तरह का धर्म एक जगह रहेगा और वह भी यदि प्रचुर प्रसिद्ध रहेगा तब उसके बोधक पद की अपेक्षा नहीं होगी—अर्थात् बोधक पद के बिना भी प्रतीत हो जायगा और यदि वह अप्रसिद्ध रहेगा तब उसके बोधक पद की अपेक्षा होगी—अर्थात् बोधक पद के अभाव में उसकी प्रतीति नहीं होगी। यह ध्यान रहे कि इनमें से कोई-कोई धर्म नियमतः बोधक की अपेक्षा रखता है। जैसे—केवल शब्दरूपधर्म, वह बोधक के अभाव में प्रतीति-पथ में आ ही नहीं सकता है।

उपात्तमनुगामिनं धर्ममुदाहर्तुमाह—

उपात्तोऽनुगामी यथा—

शब्दतः उक्त अनुगामी धर्म वाला रूपक जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'जडानन्धान्पङ्गून्प्रकृतिबधिरानुक्तिविकलान्
ग्रहग्रस्तानस्ताखिलदुरितनिस्तारसरणीन्।
निलिम्पैर्निर्मुक्तानपि च निरयान्तर्निपततो
नरानम्ब त्रातुं त्वमिह परमं भेषजमसि॥'

कविर्गङ्गां स्तौति—हे अम्ब मातः! जडान् कर्तव्यविमुखान्, अन्धान् नष्टनेत्रप्रकाशान्, पङ्गून् गमनशक्तिविहीनान् प्रकृतिबधिरान् प्रकृत्या स्वभावेन, जन्मत इति यावत्; श्रवणशक्तिरहितान्, उक्तिविकलान् वचनशक्तिहीनान्, फलतः, ग्रहग्रस्तान् 'ग्रहैः ग्रस्ता-

इमे' इत्येवं व्यवह्रियमाणान् , अत एव, अस्ताः दूरीभूताः अखिलाः सर्वेऽपि दुरित-निस्तारस्य पापोद्धारस्य सरणयः मार्गा येषां तथाविधान् , अत एव च, निलिम्पैः देवैरपि किमुत मनुष्यैः, निर्मुक्तान् त्यक्तान् , अन्ततः, निरयस्य नरकस्य, अन्तर्मध्ये, निपततः पतनोन्मुखान् , नरान् मनुष्यान् त्रातुं रक्षितुम् इह संसारे, त्वं, परमम् उत्कृष्टं भेषजम् औषधम् , असि विद्यसे इत्यर्थः । त्वत्कृपाया अभावे येषां नरकगमनं निश्चितं तथाविधा अपि अङ्गविकलाः पापिनः त्वदीयजल-स्पर्शेन स्वर्गं व्रजन्तीति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—जडा इत्यादि । कवि गङ्गा की स्तुति करता है—हे मातः गङ्गे ! जो जड़, अन्धे, लूले, जन्म से बहरे, गूँगे और ग्रहों से जकड़े हैं, जिनके लिये पापों से उद्धार पाने के सभी रास्ते समाप्त हैं, जिन्हें देवगण भी त्याग चुके हैं, अतएव जो नरक के अन्दर गिरने ही वाले हैं उन निरस्त मानव रोगियों की रक्षा करने के लिये तू इस संसार में महान् औषध है ।

उपपादयति—

अत्र त्रातुमिति तुमुन्नन्तेन शब्देनोपात्तम् जडान्धादित्राणं भेषजभागीरथ्योः ।

भेषज-भागीरथ्योरिति । अनुगामी धर्म इति शेषः । 'जडानन्धान्' इति श्लोके गङ्गोपमेयभूता, औषधञ्चोपमानभूतम् , तयोः साधारणधर्मश्च जडान्धादित्राणकर्तृत्वम् तच्चैकरूपेणोपमानोपमेयोभयान्वयित्वादनुगामि 'त्रातुम्' इति तुमुन्प्रत्ययान्तेन शब्देन वर्णितश्च । एवञ्चैदशसाधारणधर्ममूलकाभेदारोपात्तयो रूपकम् सम्पद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्रेत्यादि । 'जडान्' इस पद्य में 'त्रातुम्' इस 'तुमुन्' प्रत्ययान्त पद द्वारा उक्त 'जड-अन्ध आदि लोगों की रक्षा' औषध तथा गङ्गा का साधारण धर्म है । अभिप्राय यह कि—उक्त पद्य में औषधरूप उपमान का गङ्गारूप उपमेय में तादात्म्य, रूपक है और इस तादात्म्य का मूल है उन दोनों में रहने वाला 'जडान्धादि-त्राण'रूप समानधर्म जो यहाँ शब्दतः उक्त है तथा एक रूप से दोनों में अन्वित होने के कारण अनुगामी है ।

अनुपात्तमनुगामिनं धर्ममुदाहर्तुमाह—

अयमेवानुक्तो यथा—

अयमेवेति । अनुगामी साधारणधर्म एवेत्यर्थः । अन्यत् स्पष्टम् ।

अनुपात्त अनुगामी साधारणधर्म, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते —

'समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधायाः किमपि त-
न्महैश्वर्यं लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः ।
श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां
सुधासाम्राज्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु ॥'

इयमपि गङ्गास्तुतिरेव । भक्तः कथयति—हे गङ्गे ! सकलवसुधायाः सम्पूर्णपृथिव्याः किमपि अनिर्वचनीयम् , अथ च समृद्धम् अभ्युन्नतम् , सौन्दर्यम् सुन्दरभाग्यवत्त्वं वा यद्रूपमिति यावत् एवम् , लीलया अनायासेन जनितानि उत्पादितानि जगन्ति येन तस्य, खण्डपरशोः शिवस्य, महैश्वर्यम् महाविभूतिरूपम् , इत्थमेव, श्रुतीनां वेदानां, सर्वस्वम्

सारभूतं प्रतिपाद्यम्, अथ च, सुमनसाम्, देवानाम् मूर्तम् रूपवत्, प्रत्यक्षयोग्यमिति यावत्, सुकृतम् पुण्यरूपम्, एवम्, सुधाया अमृतस्य, साम्राज्यम् विस्तृतांशरूपम्, तत् परमप्रसिद्धम्, ते तव, सलिलम् जलम्, नः अस्माकम्, अशिवम् अकल्याणम्, शमयतु शान्तं करोत्वित्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—समृद्धम् इत्यादि। भक्त गंगा से प्रार्थना करता है—हे गङ्गे! वह तेरा जल हमारे अकल्याण को शान्त करे, जो समग्र पृथ्वी का परमोन्नत और अनिर्वचनीय सौभाग्य-सौन्दर्य अथवा भाग्यशालित्व है, जो अनायास संसार की सृष्टि करने वाले शिवजी की महती विभूति है और जो वेदों का सर्वस्व, देवताओं का मूर्तिमान पुण्य एवम् अमृत का साम्राज्य है।

उपपादयति—

अत्र सौभाग्यभागीरथ्योः स्वाभावव्यापकदौर्भाग्यत्व परमोत्कर्षाधायकत्वादिरनुपात्तः—प्रतीयमानो धर्मः। एवमीश्वरासाधारणधर्मत्व-परमगोप्यत्व-निरतिशयसुखजनकत्वान्यापामरसकलजनजरामृत्युहरणक्षमत्वं चोत्तरोत्तरारोपेष्वनुगामीति।

सौभाग्यभागीरथ्योरिति। सौभाग्यभागीरथीजलयोरिति भावः। स्वाभावव्यापकदौर्भाग्यत्वेति। स्वाभावस्य सौभाग्याभावस्य भागीरथीजलाभावस्य वा व्यापकम् समानाधिकरणम्, दौर्भाग्यम् यस्य तद्भावेत्यर्थः। यत्र यत्र सौभाग्यस्याभावस्तत्र तत्र यथा दौर्भाग्यं तिष्ठति तथैव यत्र-यत्र भागीरथीजलस्याभावस्तत्र तत्रापि दौर्भाग्यम् तिष्ठतीति स्वाभावव्यापकदौर्भाग्यत्वं सौभाग्यभागीरथीजलयोः समानो धर्म इति परमार्थः। एवञ्च समृद्धमिति पद्ये सौभाग्यगङ्गाजलयोः 'स्वाभावव्यापकदौर्भाग्यत्वपरमोत्कर्षकारित्वरूपौ' द्वावनुगामिनौ साधारणधर्मौ बोधकमन्तरापि प्रतीयेते। एवम् ऐश्वर्यगङ्गाजलयोः 'ईश्वरमात्रवृत्तित्वं' साधारणधर्मः अनुक्तोऽपि अनुगामितया प्रतीयते। इत्थमेव श्रुतिसर्वस्वगङ्गाजलयोः 'अतिगोपनीयत्वम्' अनुगामी साधारणो धर्मः उक्तिं विनापि गम्यते। एवम् सुकृतगङ्गाजलयोः 'सर्वाधिकसुखजनकत्वम्' अनुगामी साधारणो धर्मः शब्दतः अनुक्तोऽपि ज्ञायते। एवम् अमृत-साम्राज्य-गङ्गाजलयोः सकलप्राणिजरामरणहरणसमर्थत्वम् अनुगामी धर्मः अनुपात्तोऽपि प्रतीयत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'समृद्धम्—' इस पद्य में गङ्गाजल ही एक उपमेय है और उपमान—वसुधा सौभाग्य, शिवैश्वर्य, वेद-सर्वस्व, देव-सुकृत और अमृत-साम्राज्य ये—अनेक हैं। अब यह समझिए कि इस एक उपमेय और उन भिन्न-भिन्न उपमानों में समानधर्म क्या है? सौभाग्य और गङ्गाजल के दो समानधर्म हैं—एक 'स्वाभावव्यापक दौर्भाग्यत्व'—अर्थात् जैसे जहाँ-जहाँ सौभाग्य नहीं रहता वहाँ वहाँ दौर्भाग्य (भाग्यहीनता) रहता है वैसे ही जहाँ जहाँ गङ्गाजल नहीं रहता वहाँ-वहाँ भी दौर्भाग्य रहता है और दूसरा 'परम' उत्कर्ष उत्पन्न करना', इसी तरह ऐश्वर्य और गङ्गाजल का समान धर्म है 'परमगोपनीय होना', सुकृत और गङ्गाजल का समानधर्म है 'सर्वाधिक सुख उत्पन्न करना' और अमृत तथा गङ्गाजल का समान धर्म है 'नीच से लेकर उत्कृष्ट प्राणी तक के जरा-मृत्यु का हरण कर सकना'। ये सभी समानधर्म अनुगामी हैं और शब्दतः अनुक्त होने पर भी प्रतीयमान हैं।

बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नं साधारणधर्मम् पूर्वमुदाजहारेति स्मारयति—

बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नो विशिष्टरूपकप्रसङ्गे निरूपितः ।

आपन्न इति । साधारणधर्म इति शेषः । निरूपित इति । 'कुङ्कमद्रवलिप्ताङ्गः काषायवसनो यतिः । कोमलातपशोणाभ्रः सन्ध्याकालो न संशयः ।' इत्यादाविति भावः ।

पूर्वोदाहृत बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्न साधारणधर्म का स्मरण दिलाया जाता है—बिम्ब इत्यादि । बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न साधारणधर्म का निरूपण पहले—विशिष्ट रूपक के प्रसङ्ग में—किया जा चुका है । अभिप्राय यह कि—'कुङ्कुमद्रव—' इस संस्कृत टीका में उद्धृत श्लोक में साधारणधर्म बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्न है ।

उपचरितं साधारणधर्ममुदाहर्तुमाह—

उपचरितो यथा—

आरोपितः साधारणधर्मो यथेति भावः ।

उपचरित आरोपित साधारणधर्म, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अविरतं पर-कार्यकृतां सतां मधुरिमातिशयेन वचोऽमृतम् ।
अपि च मानसमम्बुनिधिर्यशो विमलशारदचन्दिरचन्द्रिका ॥'

अविरतं सततम् , परकार्यकृताम् परोपकारिणाम् , सताम् , सज्जनानाम् , वचः वचनम् , मधुरिमातिशयेन माधुर्याधिक्येन, अमृतम् पीयूषरूपम् , अपि च मानसम् मनः, अम्बुनिधिः समुद्ररूपम् , यशः कीर्तिः, विमला स्वच्छा या शारदस्य शरत्कालीनस्य, चन्दिरस्य चन्द्रमसः चन्द्रिका ज्योत्स्ना तद्रूपमित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अविरतम् इत्यादि । जो निरन्तर परोपकार करने वाले होते हैं उन सज्जनों का वचन माधुर्य की अधिकता के कारण अमृत, मन समुद्र और यश शरद् के चन्द्रमा की निर्मल ज्योत्स्ना सा होता है ।

उपपादयति—

अत्रामृतरूपके विषये वचस्युपचरितो मधुरिमातिशयः शब्देनोपात्तः । अम्बुनिध्यादिरूपके च गाम्भीर्याद्यनुपात्तम् ।

'अविरतम्—' इति श्लोके त्रीणि रूपकाणि सन्ति वचसि अमृततादात्म्यरूपमेकम् , मानसेऽम्बुधितादात्म्यरूपम् द्वितीयम् , यशसि चन्दिरचन्द्रिकातादात्म्यरूपं च तृतीयम् , तत्र प्रथमरूपके मधुरिमातिशयः साधारणो धर्मः स च विषयिणि अमृते स्वभावसिद्धो विषये वचसि चारोपितो, मधुरिमातिशयस्य वस्तुतस्तत्रासत्त्वात् , द्वितीये रूपके गाम्भीर्यम् साधारणो धर्मः स च विषयिणि अम्बुनिधौ स्वाभाविको विषये मानसे चारोपितस्तत्र तस्य वस्तुतोऽसत्त्वात् , एवम् तृतीये रूपके निर्मलत्वम् साधारणो धर्मः स च विषयिणि चन्द्रे वास्तविको विषये यशसि चारोपितोऽमूर्तत्वेन वस्तुतस्तत्र तस्यासत्त्वात् । एवञ्चात्र त्रिष्वपि रूपकेषु साधारणो धर्म उपचरित इति सिद्धम् । परन्तु तत्र प्रथमरूपकगत आरोपितोऽपि मधुरिमातिशयरूपः साधारणधर्मः शब्दोपात्तः, अन्यरूपकगतौ च पूर्वोक्तावारोपितौ धर्मौ न शब्दोपात्ताविति भावः ।

उपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'अविरतम्–' इस पद्य में अमृत रूपक के विषय (उपमेय) वचन में मधुरिमातिशयरूप आरोपित साधारणधर्म शब्दतः उक्त है और समुद्र आदि के रूपकों में गम्भीरता आदि आरोपित धर्म शब्दतः उक्त नहीं हैं। अभिप्राय यह कि उक्त पद्य में तीन रूपक हैं—वचन में अमृत का तादात्म्य एक, मन में समुद्र का तादात्म्य दूसरा और यश में चन्द्र-ज्योत्स्ना का तादात्म्य तीसरा। इन तीनों में से प्रथम में साधारणधर्म माधुर्य की अधिकता है जो उपमान (अमृत) में वास्तविक है और उपमेय (वचन) में आरोपित, द्वितीय में साधारणधर्म गम्भीरता है जो उपमान (समुद्र) में वास्तविक और उपमेय (मन) में आरोपित है। इसी तरह तृतीय में साधारणधर्म निर्मलता है जो उपमान (चन्द्र) में वास्तविक और उपमेय (यश) में आरोपित है। उपमेय में ये धर्म आरोपित इसलिये कहे जाते हैं कि उनमें वे धर्म वस्तुतः रहते नहीं। इस तरह यह सिद्ध है कि यहाँ के तीनों ही रूपकों में साधारणधर्म उपचरित हैं, पर उनमें भी विलक्षणता यह है कि प्रथम रूपक का आरोपित साधारणधर्म (माधुर्य की अधिकता) शब्दतः उपात्त है और अन्य दो रूपकों के साधारणधर्म (गम्भीरता और निर्मलता) शब्दतः उपात्त नहीं हैं। फलतः यह पद्य उपात्त उपचरित धर्म और अनुपात्त उपचरित धर्म दोनों का उदाहरण होता है।

केवलशब्दात्मकं साधारणधर्ममुदाहर्तुमाह—

केवलशब्दात्मको यथा—

क्वचित्-क्वचित् केवलः शब्दः साधारणधर्मरूपस्तिष्ठति नार्थस्तदुदाहरणं यथेति भावः।

केवल शब्दात्मक साधारणधर्म, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अङ्कितान्यक्षसङ्घातैः सरोगाणि सदैव हि।
शरीरिणां शरीराणि कमलानि न संशयः॥'

व्याख्यातोऽयं श्लोको लक्षणानिरूपण इति नेह पुनर्व्याख्यायते।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अङ्कितानि इत्यादि। इस पद की व्याख्या पहले लक्षणानिरूपण में की जा चुकी है, अतः पुनरावृत्ति उसकी यहाँ नहीं की जाती।

उपपादयति—

अत्र सरोगशब्दादिरुपात्त एव प्रतीयते न लुप्तः। आद्यो ह्यभङ्गो द्वितीयस्तु भग्नः।

'अङ्कितानि—'इत्यत्र शरीररूपोपमेये कमलरूपोपमानतादात्म्यम् रूपकम्, तत्र च न कश्चित् आर्थः साधारणधर्मः, अपि तु अक्षसंघातकरणकाङ्कनरूपः, सरोगत्वरूपश्च श्लिष्टः शब्द एव तथा श्लेषश्च प्रथमः (अक्षपदगतः) अभङ्गः, द्वितीयः (सरोगपदगतः) तु सभङ्गः। एष च धर्म उपात्त एव भवति नानुपात्तस्तथा चात्रैक एव भेद इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'अङ्कितानि—' इस पद्य में शरीररूप उपमेय में कमलरूप उपमान का तादात्म्यरूपक है जिसमें साधारणधर्म 'अक्षसंघात से अङ्कित' और 'सरोग' ये शब्द ही होते हैं। तात्पर्य यह कि ऐसा कोई धर्म उपलब्ध नहीं होता जो शरीर और कमल दोनों में रहता हो, पर उक्त दोनों श्लिष्ट विशेषण ऐसे हैं जिनका भिन्न-भिन्न अर्थ शरीर तथा कमल दोनों में संघटित होता है, अतः ये शब्द ही यहाँ उपमान-उपमेय दोनों में रहने वाले समानधर्म माने जाते हैं। श्लेष भी यहां दो तरह

का है—प्रथम अर्थात् 'अच' शब्द में अभङ्ग और द्वितीय—अर्थात् 'सरोग' शब्द में सभङ्ग। अभङ्ग का अर्थ है बिना टुकड़ा किये दोनों अर्थों का निकल जाना और सभङ्ग का अर्थ है टुकड़ा करने पर दो अर्थों का निकलना। यह शब्दरूप साधारणधर्म बोधक पद के बिना प्रतीत नहीं होता, अतः इसका एक ही भेद (उपात्त) हो सकता है, दूसरा भेद (अनुपात्त-लुप्त) नहीं।

अस्य भेदान्तरमाह—

अयमेव साधारणो यत्र युक्तिरूपेणोपन्यस्यते तद्धेतुरूपकम्।

अयमेवेति। केवलशब्दात्मक इत्यर्थः। साधारण इति। धर्म इति शेषः। युक्तिरूपेणेति। आरोपोपपादकतयेत्यर्थः। अन्यत् सुगमम्।

रूपक का एक भिन्न भेद दिखलाया जाता है—अयमेव इत्यादि। यही—केवल शब्दात्मक—साधारणधर्म जहाँ युक्ति-रूप से (आरोप के उपपादकरूप से) उपन्यस्त (वर्णित) रहता है वहाँ 'हेतुरूपक' होता है।

उदाहरणं निर्देष्टुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'पञ्चशाखः प्रभो यस्ते शाखा सुरतरोरसौ।
अन्यथाऽनेन पूर्यन्ते कथं सर्वमनोरथाः ॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—हे प्रभो राजन्! ते तव, यः, पञ्चशाखः पञ्चाङ्गुलिः करः, असौ पञ्चाङ्गुलिः करः, सुरतरोः कल्पवृक्षस्य, शाखा तद्रूपः अस्तीति शेषः। अन्यथा—तव करस्य सुरतरुशाखात्वविरहे, अनेन तव पञ्चशाखेन, सर्वमनोरथाः सकलजनाभिलाषाः, कथं केन प्रकारेण, पूर्यन्ते सफलाः क्रियन्ते ? इत्यर्थः। अत्रोत्तरार्धगतशब्दरूपः समानो धर्मः करे सुरतरुशाखातादात्म्यारोपस्योपपादक इति हेतुरूपकमिदमिति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—पञ्च इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे प्रभो! आपका जो पञ्चशाख-अर्थात् पाँच अङ्गुलियों वाला हाथ है वह कल्पवृक्ष की शाखा है। अन्यथा इसके द्वारा सबके मनोरथ कैसे पूर्ण किए जाते हैं? यहाँ उत्तरार्धगत (अन्यथा······इत्यादि) शब्दरूप साधारणधर्म हाथरूप उपमेय में कल्पवृक्षशाखारूप उपमान के आरोप को उपपन्न करता है, अतः यह 'हेतुरूपक' है।

हेतुरूपकस्योदाहरणान्तरं निर्देष्टुमाह—

एवम्—

इसी तरह—

उदाहरणमाह—

'प्राणेशविरहक्लान्तः कपोलस्तव सुन्दरि।
मनोभवव्याधिमत्त्वान्मृगाङ्कः खलु निर्मलः ॥'

हे सुन्दरि ! प्राणेशस्य पत्युः, विरहेण वियोगेन, क्लान्तः म्लानः, तव, कपोलः, मनोभवव्याधिमत्त्वात् कपोलपक्षे कामजन्यविशिष्टमनोव्यथायुक्तत्वात् मृगाङ्करसपक्षे मनसि समुत्पन्नस्य क्षयरोगस्य मन्थनकारित्वात् , चन्द्रपक्षे कामभावनाधिक्यप्रयुक्तराजयक्ष्माख्य-रोगवत्त्वाच्च, खलु निश्चयेन, निर्मलः विमलः, मृगाङ्कः चन्द्रः मृगाङ्करसश्च तद्रूप इत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—प्राणेश इत्यादि । हे सुन्दरि ! प्राणनाथ के विरह से म्लान तेरा कपोल 'मनोभवव्याधिमत्त्व' (कपोल के पक्ष में कामजन्यविशिष्ट आधि—मनोव्यथा—से युक्त होने, मृगाङ्करस के पक्ष में—मन में उत्पन्न होनेवाले रोग—क्षय—का मथन करने, और चन्द्र के पक्ष में कामदेव के रोग—राजयक्ष्मा—से युक्त होने) के कारण निर्मल 'मृगाङ्क' (एक तरह का औषध और चन्द्रमा) है ।

उपपादयति—

इह श्लेषेण रसचन्द्रयोः कपोले ताद्रूप्यप्रत्ययाद्द्विरूपकं निरवयवम् । हेतुस्तु त्रिषु श्लिष्ट एव ।

निरवयवमिति । परस्परमवयवावयविभावाभावादिति भावः । हेतुरिति । मनोभवेत्यादिः शब्द इत्यर्थः । त्रिष्विति । उपमानद्वये उपमेये चेत्यर्थः । श्लिष्ट इति । श्लेषप्रयुक्तास्त्रयोऽर्थाः पद्यव्याख्यायामुक्तास्तत एवावगन्तव्याः । 'प्राणेश—' इत्यत्र मृगाङ्कपदस्य श्लिष्टतया मृगाङ्कनामा रसविशेषश्चन्द्रश्चार्थः । तथा च तयोः—रसविशेषचन्द्ररूपयोः—द्वयोरुपमानयोः कपोलरूपे एकस्मिन्नुपमेये तादात्म्यं प्रतीयते, अतो निरवयवं द्विरूपकमेतत् । एतदेवोदाहरणान्तरदाननिदानभूतं पूर्वोदाहरणतो वैलक्षण्यम् इति बोध्यम् । अस्मिन् द्विरूपके साधारणो धर्मः 'मनोभवव्याधिमत्त्वात्' इति केवलशब्दात्मकः, स चारोपोपपादकतयाऽत्र वर्णित इति हेतुरूपकत्वमस्य द्विरूपकस्य सिद्ध्यतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—इह इत्यादि । 'प्राणेश—' इस पद्य में श्लेष द्वारा मृगाङ्क-रस और चन्द्र दोनों का तादात्म्य कपोल में प्रतीत होता है, अतः निरवयव (परस्पर अङ्गाङ्गिभावरहित) 'द्विरूपक' है । अर्थात्—सुन्दरी के कपोल के साथ ही साथ दो रूपक—दो वस्तुओं के अभेद—बताए गए हैं । 'मनोभवव्याधिमत्त्व'रूप केवल शब्दात्मक साधारणधर्म (जिसका वर्णन यहाँ आरोप के हेतुरूप में हुआ है और जिसके कारण यह हेतुरूपक कहलाता है) तो तीनों (कपोल, मृगाङ्करस और चन्द्रमा) में श्लिष्ट है—उसके तीन अर्थ तीनों पक्षों में लग जाते हैं । फलतः पहला पद्य एकहेतुरूपक का उदाहरण था और यह पद्य हेतु-द्विरूपक का उदाहरण है ।

भेदप्रदर्शनसमाप्तिं सूचयन्नाह—

एवमन्येऽपि प्रकारा ज्ञेयाः ।

पूर्वोक्तप्रकारवत् अनुक्ता अपि रूपकप्रकाराः स्वयमूहनीया इति भावः ।

पहले कहे गए प्रकारों के समान रूपक के अन्य (अनुक्त) प्रकार भी स्वयं समझ लेने चाहियें ।

विशेषमाह—

'उल्लासः फुल्लपङ्केरुहपटलपतन्मत्तपुष्पंधयानां
निस्तारः शोकदावानलविकलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम् ।

उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः
सङ्घातः कोऽपि धाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत् ॥'

अत्रोपमेय उपमानस्य नारोपः, अपि तु कारणे कार्यस्येति रूपकं न भवतीति प्राञ्चः। एतन्मतानुसारेणैवास्माभिरपि लक्षितम्। उच्छृङ्खलाः पुनरारोपमात्रं रूपकं वदन्त इहापि रूपकमेवाचक्षत इति प्रागेव निरूपितम्।

उल्लास इति। सूर्योदयवर्णनमिदम्। फुल्लानां विकसितानां, पङ्केरुहाणां कमलानाम् पटले समूहे, पततां पातुकानाम् मत्तानां पीतकुसुममधुमदयुक्तानाम्, पुष्पंधयानाम् भ्रमराणाम्, उल्लासः हर्षः तद्धेतुरिति यावत, शोकरूपेण दावानलेन वनवह्निना विकलानि हृदयानि यासां तासाम्, कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकीनाम्, निस्तारः दुःखोद्धारस्तद्धेतुरिति यावत्, उपहतं नाशितं महस्तेजो यैस्तेषाम्, तामसानां तमःपुञ्जानाम्, उत्पातः विनाशः तद्धेतुरिति यावत्, चक्षुषां नेत्राणाम्, पक्षपातः पक्षपातहेतुः सहायक इति यावत्, कोऽपि विलक्षणः, अयं दृश्यमानः धाम्नां तेजसाम् संघातः समूहः, उदयगिरिप्रान्ततः उदयाचल-शिखरात्, प्रादुरासीत् प्रादुर्बभूवेत्यर्थः। अत्रत्यं वक्तव्यम् आह—अत्रेत्यादिना। अयं भावः—उपमेये उपमानारोप एव रूपकम्, अत्र तु उल्लासादिधामसंघातपदार्थयोरुपमानो-पमेयभावो नास्ति, अपि तु कार्यकारणभावः—अतः कारणे कार्यस्यात्राभेदारोप इति नेदम् रूपकम्, किन्तु हेत्वलङ्कारोऽयमतिरिक्त इति प्राचीनाः। रसगङ्गाधरकारो भट्ट-जगन्नाथोऽपि अस्मिन्नंशे प्राचीनमतमेव स्वीकुरुते, अत एव 'उपमेये निश्चीयमानमुपमान-तादात्म्यम्' इति उपमानोपमेयघटितं रूपकलक्षणं निर्मिमीते। उद्धतस्वभावाः केचनाधुनिकाः आरोपमात्रं रूपकं स्वीकुर्वन्तः प्रकृते कारणे कार्यारोपमपि रूपकं मन्यन्ते। एष विचारः प्रागपि कृतो ग्रन्थकृता इति।

एक विचारविशेष देखिये—उल्लासः इत्यादि। सूर्योदय का वर्णन है—'विकसित कमलों के समूह पर गिरते हुये मधुपान से मत्त बने भ्रमरों का उल्लास (हर्ष) अर्थात् हर्षकारक, शोकरूप दावानल से विकल हृदयवाली चक्रवाकियों का निस्तार (दुःखोद्धार) अर्थात् दुःखोद्धारक, प्रकाश को नष्ट कर चुके अन्धकारों के समूह का उत्पात (विनाश) अर्थात् विनाश करने वाला, और नेत्रों का पक्षपात अर्थात् पक्षपात करने वाला कोई तेजःपुञ्ज उदयाचल के प्रान्त से प्रकट हुआ है।' यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप नहीं है, किन्तु कारण में कार्य का आरोप है, अतः यह रूपक नहीं होता—अर्थात् 'हेतु' नामक एक दूसरा ही अलङ्कार होता है यह प्राचीनों का मत है। पण्डितराज ने भी प्रकृत ग्रन्थ में उक्त प्राचीन मत के अनुसार ही लक्षण किया है—अर्थात् इन्होंने भी रूपक में उपमानोपमेयभाव का रहना आवश्यक माना है अतः उनके मत से भी यहाँ रूपक नहीं हो सकता। पर उद्धतस्वभाववाले कुछ नवीन विद्वान् सभी आरोपों को—फिर वह उपमेय में उपमान का हो, कारण में कार्य का हो अथवा अन्य कोई—रूपक कहते हैं, अतः उनके मत से उक्त पद्य में भी रूपक ही अलंकार है यह बात पहले भी कही जा चुकी है।

स्थलविशेषे साधारणधर्मस्वरूपं स्फोरयितुं शङ्कासमाधाने विधत्ते—

ननु—

'यशःसौरभ्यलशुनः शान्तिशैत्यहुताशनः।

कारुण्यकुसुमाकाशः पिशुनः केन वर्ण्यते ।।'

इत्यत्र लशुनहुताशनाकाशैः पिशुनस्य किं साधर्म्यम्, येन तेषामस्मिन् रूपकमुच्यत इति चेत्, यशःसौरभ्ययोः शान्तिशैत्ययोः कारुण्यकुसुमयोश्च ताद्रूप्ये शब्दादुपस्थापितेऽनन्तरमुपस्थितं यशोरूपसौरभ्याद्यभाववत्त्वमेतत् ।

'यशःसौरभ्य—' इति । पद्यमेतत् प्रागस्मिन्नेव प्रकरणे व्याख्यातम् । तेषाम् लशुनादीनाम् । अस्मिन् पिशुने अभावेति । अत्र यथायथं समवायादिरभावीयप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धो विज्ञेयः । एतदिति । एतत् यशोरूपसौरभ्याद्यभाववत्त्वम् साधारणधर्म इति भावः । अयमत्र विशदोऽर्थः—'यशःसौरभ्य—' इत्यत्र पिशुनरूपे उपमेये लशुनहुताशनाकाशानामुपमानानां ताद्रूप्यं प्रधानरूपकम्, तच्च साधारणधर्मोपस्थितिमन्तरा न सेद्धुं शक्नोति, रूपकेऽपि साधारणधर्मप्रयोज्यत्वस्य प्रागुपपादितत्वात्, एवञ्च लशुनपिशुनयोः हुताशनपिशुनयोराकाशपिशुनयोश्च कः समानो धर्म इति समुचितायां जिज्ञासायाम् एतद् बोध्यम् यत् नात्र पूर्वोक्तं प्रधानत्वेन विवक्षितम् एकमेव रूपकम्, अपि तु तत्समर्थकानि अपराण्यपि त्रीणि रूपकाणि सन्ति तत्र यशस्युपमेये सौरभ्यस्योपमानस्य ताद्रूप्यम् एकम्, शान्तिरूपोपमेये शैत्यरूपोपमानस्य ताद्रूप्यम् द्वितीयम्, कारुण्यरूपोपमेये कुसुमरूपोपमानस्य ताद्रूप्यम् तृतीयम्, एवञ्चैतानि रूपकाणि प्राक् शब्दतः उपतिष्ठेरन्, येन तयोस्तयोः पदार्थयोरैक्यं विज्ञातमिति पर्यवसितम्, यथा पर्यवसानानन्तरञ्च यशोरूपसौरभ्याभाववत्त्वं लशुनेन, शान्तिरूपशैत्याभाववत्त्वं हुताशनेन, कारुण्यरूपकुसुमाभाववत्त्वं च आकाशेन पिशुनस्य साधर्म्यमिति । अर्थात् लशुनो यथा सौरभ्याभाववान् तथा पिशुनः यशोऽभाववान्, इत्यश्चैकत्वेन विज्ञातयोर्यशःसौरभ्ययोरभावो लशुन-पिशुनयोरक्षतः । एवमन्यांशेऽपीति ।

स्थल-विशेष में साधारणधर्म क्या है इस बात का स्पष्टीकरण शंका-समाधान द्वारा किया जाता है—ननु इत्यादि । 'यशःसौरभ्य—' इस पद्य—जिसकी व्याख्या इसी प्रकरण में पहले की जा चुकी है—में लहसुन, अग्नि और आकाश के साथ चुगलखोर का क्या समानधर्म है जिसे लेकर यहाँ रूपक कहा जाता है? तो इसका समाधान यह है कि यश और सुगन्ध, शान्ति और शीतलता तथा दया और पुष्प का ताद्रूप्य (अभेद) शब्द द्वारा उपस्थित कर दिये जाने पर बाद में, 'यशरूप सुगन्ध के अभाव से युक्त होना' (अर्थात् जैसे लशुन सुगन्ध के अभाव वाला होता है—अपने में तो सुगन्ध होता ही नहीं दूसरे का सुगन्ध भी उसके पास नहीं आ सकता—वैसे ही चुगलखोर यश के अभाव वाला है—किसी यशस्कर कार्य को स्वयं तो करता नहीं, दूसरे का भी यश उस तक नही पहुँच पाता, निन्दा ही पहुँच पाती है) यही समानधर्म है । इसी तरह अन्य-अग्नि आदि—के साथ भी समझना चाहिए ।

एवं स्थितौ अन्योन्याश्रयमाशंक्य समाधत्ते—

एवमपि लशुनखलयोस्ताद्रूप्यसिद्धौ सत्यां लशुनरूपखलावृत्तित्वेन यशःसौरभ्ययोस्ताद्रूप्यं सिद्ध्येत्, यशःसौरभ्ययोस्ताद्रूप्यसिद्धौ च यशोरूपसौरभ्यशून्यत्वेन लशुनखलयोस्ताद्रूप्यम्, इत्यन्योन्याश्रयो नाशङ्कनीयः । सकलसिद्धेः कल्पनामयत्वेन, कल्पनायाश्च स्वप्रतिभाधीनत्वात् । शिल्पिभिः परस्परावष्टम्भमात्राधीनस्थितिकाभिः शिलेष्टकाभिर्गृहविशेषनिर्माणाच्च ।

ननु यथा प्रधानरूपकघटकोपमानोपमेययोर्लशुनादिपिशुनयोः साधारणधर्मः यशोरूप-सौरभ्याद्यभाववत्त्वम् , तथा समर्थकरूपकघटकयोरुपमानोपमेययोः यशःसौरभ्ययोः शान्ति-शैत्ययोः कारुण्यकुसुमयोश्च साधारणधर्मः लशुनादिरूपखला(पिशुना)वृत्तित्वम् एषितव्यः, एवञ्चान्योन्याश्रयापातः, लशुनादिरूपखलावृत्तित्वमूलकस्य यशःसौरभ्यादीनां ताद्रूप्यस्य सिद्धौ यशोरूपसौरभ्याद्यभाववत्त्वमूलकस्य लशुनादिखलयोस्ताद्रूप्यस्य तथा तद्धर्ममूलकस्य-लशुनादिखलयोस्ताद्रूप्यस्य सिद्धौ तद्धर्ममूलकस्य यशःसौरभ्यादीनां ताद्रूप्यस्य समपेक्षित-त्वात् , अन्योन्याश्रितानि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते, यथा नौर्नावि बद्धा नेतरत्राणाय भवति इत्येकमपि रूपकं न सिद्धयेदिति चेन्मैवम् , कविसृष्टौ सकलपदार्थसिद्धेः कल्पनामयतया कल्पनायाश्च कविप्रतिभाधीनत्वेन तत्रान्योन्याश्रयस्यादूषकत्वात् (लौकिकघटनास्वेवान्यो-न्याश्रयः प्रतिबन्धकः, कविप्रतिभोत्थितकल्पनासु नेत्याशयात्) न चोत्पत्ताविव ज्ञानेऽपि अन्योन्याश्रयस्य प्रतिबन्धकतया कथं तथा कविप्रतिभेति वाच्यम् , स्थापत्यकलाकोवि-दैर्मिथोऽवष्टम्भमात्राधीनस्थितिकशिलेष्टकादिद्वारा गृहविशेषनिर्माणदर्शनेनोत्पत्तावपि नान्यो-न्याश्रयस्याप्रतिबन्धकत्वं स्वीकर्तुं योग्यम् , किमुत ज्ञाने इत्यभिप्रायात् ।

पूर्वोक्त 'यशोरूप सौरभ्याद्यभाववत्त्व' पदार्थ को साधारणधर्म मानने पर अन्योन्या-श्रयदोष की आशङ्का करके उसका समाधान किया जाता है—एवमपि इत्यादि । ऐसा मानने पर भी यदि आप यह शंका करें कि—जब लहसुन और चुगलखोर का ताद्रूप्य सिद्ध होगा तब 'लहसुनरूप चुगलखोर' में न रहने के कारण यश और सुगन्ध का ताद्रूप्य सिद्ध होगा और जब यश और सुगन्ध का ताद्रूप्य सिद्ध होगा तब यशरूप सुगन्ध से शून्य होनेके कारण लहसुन और चुगलखोर का ताद्रूप्य सिद्ध होगा, इस तरह अन्योन्याश्रय होगा—अर्थात् एक ताद्रूप्य की सिद्धि के विना दूसरा ताद्रूप्य सिद्ध नहीं होगा—फलतः एक भी ताद्रूप्य सिद्ध नहीं हो सकेगा, तो इसका उत्तर यह है कि काव्य में सब बातों की सिद्धि कल्पनामय है और कल्पना है कवि की प्रतिभा के अधीन । अतः प्रतिभा द्वारा दोनों में से किसी भी ताद्रूप्य का पहले निर्माण किया जा सकता है, और जब इस तरह एक ताद्रूप्य बन गया तब अन्य ताद्रूप्य बनने में तो कोई बाधा है नहीं । ऐसी स्थिति में यहाँ अन्योन्याश्रय की बात नहीं चल सकती । न केवल कल्पना में ही किन्तु लोक में भी—कारीगर लोग केवल एक दूसरे के सहारे खड़े रहने वाले ईंट-पत्थरों से विशेष प्रकार के घर बनाते पाए जाते हैं । यदि अन्योन्याश्रय नवीन प्रकार के निर्माण में बाधक हो तब उनका कारोबार ही बन्द हो जाय । अतः यह समझना चाहिए कि अन्योन्याश्रय दोष वहीं होता है, जहाँ उसके कारण, कार्य का रुकना अनुभवसिद्ध हो, अन्यथा नहीं ।

रूपकध्वनिमुदाहर्तुमाह—

अथास्य ध्वनिः—

अतः परं रूपकालङ्कारध्वनिर्निरूप्यत इति भावः ।

अब रूपकध्वनि का निरूपण किया जाता है ।

रूपकध्वनेः प्रथमभेदमुदाहर्तुमाह—

तत्र शब्दशक्तिमूलो यथा—

तत्रेति । रूपकध्वनिमध्य इत्यर्थः । शब्दशक्तिः शब्दनिष्ठा व्यञ्जना तन्मूलको रूपक-ध्वनिर्यथेति भावः ।

रूपकध्वनि दो प्रकार की होती है—एक शब्दशक्ति(शाब्दी व्यञ्जना)मूलक और दूसरी अर्थ शक्ति(आर्थी व्यञ्जना)मूलक। इन दोनों से प्रथम, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'विज्ञत्वं विदुषां गणे सुकवितां सामाजिकानां कुले
माङ्गल्यं स्वजनेषु गौरवमथो लोकेषु सर्वेष्वपि।
दुर्वृत्ते शनितां नृलोकवलये राजत्वमव्याहतं
मित्रत्वं च वहन्नकिञ्चनजने देव त्वमेको भुवि॥'

कविः राजानं कमपि स्तौति—हे देव राजन्! विदुषां पण्डितानां, गणे समूहे, विज्ञत्वं पाण्डित्यं बुधत्वञ्च, सामाजिकानां सभ्यानां साहित्यिकानामिति यावत्, कुले समूहे, सुकवितां सुन्दरकाव्यकर्तृत्वं शुक्रत्वञ्च, स्वजनेषु निजाश्रितलोकेषु, माङ्गल्यं कल्याणरूपत्वम् अङ्गारकत्वञ्च, अथो अनन्तरम्, सर्वेष्वपि लोकेषु सकलजनेषु, गौरवं श्रेष्ठत्वम् बृहस्पतित्वञ्च, दुर्वृत्ते दुराचारिणि जने, अशनितां वज्रत्वम् शनिताञ्च, नृलोकवलये मानवलोकमण्डले, अव्याहतं अप्रतिहताज्ञम् राजत्वं नृपत्वं चन्द्रत्वञ्च, तथा अकिञ्चनजने दरिद्रलोके, मित्रत्वं सुहृत्त्वम् सूर्यत्वञ्च, वहन् दधानः, त्वम्, भुवि संसारे एकः अद्वितीयः, असीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—विज्ञत्वम् इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे राजन्! विद्वानों के समुदाय में विज्ञता (व्यङ्ग्य अर्थ बुधत्व) को, सभ्य-समूह (साहित्यिकों) में सुन्दर कवित्व (व्यङ्ग्य अर्थ शुक्रत्व) को, आत्मीय जनों में कल्याणरूपता (व्यङ्ग्य अर्थ मंगलग्रहत्व) को, सब लोगों में गौरव-श्रेष्ठता (व्यङ्ग्य अर्थ बृहस्पतित्व) को, दुराचारियों में अशनिता—वज्रत्व (व्यङ्ग्य अर्थ शनिग्रहत्व) को भूमण्डल में अव्याहतराजत्व (व्यङ्ग्य-अर्थ चन्द्रत्व) को और दरिद्रजनों में मित्रता (व्यङ्ग्य अर्थ सूर्यत्व) को धारण करनेवाले आप पृथिवी पर एक हैं—अद्वितीय हैं (आपके जोड़ का दूसरा कोई नहीं)।

उपपादयति—

अत्र शक्तिनियन्त्रणेऽपि बुधत्व-शुक्रत्वादीनि बुधाद्यभेदरूपाणि राजनि व्यज्यन्ते।

'विज्ञत्वम्—' इत्यत्र राजप्रकरणगते पद्ये विज्ञत्व-सुकवितादीनां पदानां शक्तिः (अभिधा) प्रकरणेन पाण्डित्यसुन्दरकाव्यकर्तृत्वादावर्थे नियम्यते, अतो बुधत्व-शुक्रत्वादयोऽर्था न तेषां पदानां वाच्याः किन्तु अनेकार्थकपदप्रयोगरूपयुक्तिसमुल्लसितया तत्तत्पदनिष्ठव्यञ्जनया बुधत्वादयोऽर्था बोध्यन्ते, बुधत्वादयश्च बुधाद्यभेदरूपाः पदार्थाः, अभेद एव च रूपकम् इति राजरूपोपमेये बुधाद्युपमानाभेदः रूपकम्—व्यज्यते, अतः शब्दशक्तिमूलरूपकध्वनेरुदाहरणमिदं पद्यं भवतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'विज्ञत्वम्—' यह पद्य राजा के प्रकरण में कहा गया है, अतः 'विज्ञत्व-सुकविता' आदि अनेकार्थक पदों की शक्ति (अभिधा) प्रकरण द्वारा 'पाण्डित्य—सुन्दरकाव्यनिर्मातृत्व' आदि अर्थ में नियन्त्रित हो जायगी—फलतः 'बुधत्व शुक्रत्व' आदि अर्थ वाच्य नहीं हो सकेगा, परन्तु अनेकार्थक पद-प्रयोग

करने के कारण उठी हुई शाब्दी व्यञ्जना से बुधत्व आदि अप्राकरणिक अर्थ भी ज्ञात होगा और बुधत्व आदि का अर्थ बुध आदि ग्रहों का अभेद ही पर्यवसित होता है अतः यहाँ रूपक ध्वनित होता है क्योंकि अभेद को ही रूपक कहा जाता है। तात्पर्य यह कि—राजारूप उपमेय में बुध आदि ग्रहों (उपमानों) का अभेद जो यहाँ ध्वनित होता है वह व्यङ्ग्यरूपक कहलायगा, अतः यह पद्य रूपकध्वनि का उदाहरण है।

उदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे—

उदाहरणान्तरं प्रदर्शयति—

'अविरलविगलद्दानोदकधाराऽऽसारसिक्तधरणितलः।
धनदाग्रमहितमूर्त्तिर्देव ! त्वं सार्वभौमोऽसि ॥'

राजवर्णनमिदम्। हे देव राजन्! अविरलम्, सततम्, विगलतः स्रवतः दानोदकस्य उत्सर्गजलस्य मदसलिलस्य च, धारासारेण धारावाहिकसम्पातेन, सिक्तमार्द्रीकृतम्, धरणितलं येन तादृशः तथा धनदानाम् धनदायकानाम् धनदस्य कुबेरस्य च, अग्रे, महिता प्रशस्ता, मूर्त्तिः स्वरूपं यस्य तादृशश्च त्वम् सार्वभौमः सर्वभूमिपतिः (चक्रवर्ती) दिग्गजश्च, असि विद्यस इत्यर्थः। अत्र द्व्यर्थकानाम् दान-धनद-सार्वभौम-शब्दानामभिधाः प्रकरणेन राजपक्षीयार्थेषु नियन्त्रिताः, अतो दिग्गजपक्षीया अर्था न वाच्या अपि तु शब्दशक्तिमूलया व्यञ्जनया बोध्याः—व्यङ्ग्या इति राजरूपोपमेयगतदिग्गजरूपोपमानताद्रूप्यात्मकं रूपकं ध्वन्यते, अत इदमपि पद्यम् शब्दशक्तिमूलरूपकध्वनेरुदाहरणम्। इयांस्तु विशेषो यत् प्रथमोदाहरणे विशेषणान्येव व्यञ्जकानि, अत्र तु विशेष्यमपीति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अविरल इत्यादि। राजा का वर्णन है—हे देव! आप सार्वभौम (चक्रवर्ती राजा अथवा दिग्गज) हैं। आपने निरन्तर गिरते दान-जल (दिग्गजपक्ष में मद-जल) की धारावाहिक वृष्टि से पृथिवीतल को सींच दिया है और आप 'धनदाग्रमहितमूर्ति' (राजा के पक्ष में धनदायकों के आगे प्रशस्त स्वरूपवाले, दिग्गज के पक्ष में—कुबेर के आगे प्रशस्त स्वरूपवाले) हैं। यहाँ प्रकरण से दान, धनद और सार्वभौम शब्द की अभिधा शक्ति राजपक्षीय अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है, अतः दिग्गजपक्षीय अर्थ शाब्दीव्यञ्जना द्वारा ध्वनित होता है जिससे अन्त में राजारूप उपमेय में दिग्गजरूप उपमान का ताद्रूप्य अभिव्यक्त होता है, अतः यह पद्य भी शब्दशक्तिमूलक रूपकध्वनि का उदाहरण होता है। पर, प्रथम उदाहरण में केवल विशेषणांश में ही ध्वनि हुई है और इस द्वितीय उदाहरण में विशेषण तथा विशेष्य दोनों अंशों में वह होती है यह दोनों उदाहरणों में अन्तर समझना चाहिये।

अर्थशक्तिमूलकं रूपकध्वनिमुदाहर्तुमाह

अर्थशक्तिमूलो यथा—

अर्थशक्तिः = अर्थनिष्ठा व्यञ्जना तन्मूलकरूपकध्वनिर्यथेत्यर्थः।

अर्थनिष्ठव्यञ्जनामूलक रूपकध्वनि, जैसे—

उदाहरणं निर्दिशति—

'कस्तूरिकातिलकमालि विधाय सायं
स्मेरानना सपदि शीलय सौधमौलिम्।

प्रौढिं भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा-
मुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि ॥'

सखी नायिकामाह—हे आलि सखि! सायम् सन्ध्यासमये, कस्तूरिकाया मृगाण्डस्य, तिलकम् लालाटिकां, विधाय कृत्वा, स्मेरानना प्रसन्नमुखी सती, सपदि शीघ्रम्, सौधमौलिम् गृहशिखरम्, शीलय आश्रय। एवंकृते सति किं स्यात्तदाह—प्रौढिम् इति। कुमुदानि रात्रिविकासीनि पुष्पाणि, मुदां विकासानाम्, उदाराम् अतिशयिताम्, प्रौढिं पूर्णताम्, भजन्तु प्राप्नुवन्तु, अपि च हरितः दिशाः, परितः सर्वतोभावेन, मुखानि प्रारम्भिकभागान्, उल्लासयन्तु प्रकाशयन्तु इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कस्तूरिका इत्यादि। सखी नायिका से कहती है—हे सखी! तू सन्ध्या समय कस्तूरी का तिलक लगाकर, तत्काल, प्रासाद-शिखर का परिशीलन कर, जिससे कुमुद हर्ष की अत्यन्त अधिकता को प्राप्त करें—अर्थात् पूर्णतया विकसित हो उठें और दिशाएँ अपने मुखों को पूर्णतया उल्लासयुक्त बना लें—अर्थात् उनके प्रारम्भिक भाग अच्छी तरह प्रकाशित हो जायँ।

उपपादयति—

अत्र त्वदीयमाननं कलङ्क-चन्द्रिका-विशिष्टचन्द्राभिन्नमिति रूपकम् कुमुदविकासादिना ध्वन्यते न तु भ्रान्तिमान्। कुमुदानां हरितां चाऽचेतनत्वात्। न चाऽचेतनेषु मुदामसम्भवादवश्यं कुमुदादिषु चेतनत्वारोपेण भाव्यम्, तेन च भ्रान्तिसिद्धिरिति वाच्यम्। मुत्पदस्य विकासे लाक्षणिकत्वात्।

अत्र प्रकृतपद्ये। कलङ्केति। कलङ्कश्च चन्द्रिका चेति द्वन्द्वः, ताभ्यां विशिष्टो यश्चन्द्रस्तदभिन्नमिति भावः। विकासादिनेति। आदिपदेन हरिन्मुखोल्लासः परामृश्यते। भ्रान्तिमान् भ्रान्तिमदलङ्कारः। तस्याध्वनने हेतुमाह—कुमुदानामिति। भ्रान्तिस्थापनायाशंक्यते—न चेति। समाधीयते—मुत्पदस्येति। 'कस्तूरिका—' इति श्लोके स्मेराननायाः कस्तूरीतिलकालंकृताया नायिकायाः सायं सौधशिखरारोहणं निमित्तीकृत्य कुमुदविकासः दिशामुखोल्लासश्च वर्णितः, स च नायिकाननस्य चन्द्राभिन्नत्वमन्तरा न सम्भवति, तस्य चन्द्रायत्तत्वात् अतः तद्वर्णनेन 'नायिकाननम् सकलङ्कः सचन्द्रिकश्च चन्द्रः' इति रूपकम् ध्वन्यते। कुमुदानाम् हरिताम् च नायिकानने चन्द्रभ्रम इति भ्रान्तिमदलङ्कारध्वनिरेवात्र न रूपकध्वनिरिति तु शक्यम्, वक्तुम् अचेतनेषु कुमुदहरित्सु भ्रान्तेरसम्भवात्। अचेतनेष्वपि तेषु चेतनत्वारोपः, तदधिकरणकमुद्वर्णनस्यान्यथाऽसङ्गतेरित्यपि न वक्तुं योग्यम्, मुत्पदस्य विकासे लाक्षणिकतया लक्ष्यार्थस्य विकासस्याचेतनकुमुदादावपि सम्भवेन चेतनत्वारोपस्यानावश्यकत्वात्, एवञ्चार्थशक्तिमूलकरूपकध्वनेरुदाहरणमिदं पद्यं सम्पद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'कस्तूरिका—' इस पद्य में कस्तूरी का तिलक लगाकर प्रसन्नमुखी नायिका के प्रासाद-शिखरारोहण से कुमुदों का विकास और दिशाओं का प्रकाश वर्णित हुआ है, यह वर्णन तब तक संगत नहीं हो सकता जब तक नायिका के मुख को चन्द्र नहीं मान लिया जाय, क्योंकि कुमुदों का विकास और दिशाओं का प्रकाश चन्द्र के ही अधीन है, अतः यहाँ इस वर्णन से 'नायिका का मुख कलङ्क और चाँदनी दोनों से युक्त चन्द्र से अभिन्न है' यह रूपकालङ्कार ध्वनित होता

है। कुमुदों और दिशाओं को नायिका के मुख में उस तरह के चन्द्र का भ्रम हुआ, अतः वे विकसित तथा प्रकाशित हो उठे इस अभिप्राय के अनुसार यहाँ 'भ्रान्तिमान्' अलंकार ही ध्वनित होता है, 'रूपकालङ्कार' नहीं—ऐसी बात तो कही नहीं जा सकती, क्योंकि कुमुद आदि अचेतन पदार्थ हैं और अचेतनों में भ्रम (किसी तरह का भी ज्ञान) हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे—अचेतनों में मुद (हर्ष) भी तो नहीं हो सकता और यहाँ कुमुदों में हर्ष का वर्णन किया गया है, अतः अवश्य ही इन अचेतन पदार्थों में चैतन्य का आरोप करना पड़ेगा और जब चेतनता का आरोप हो जायगा तब हर्ष के समान भ्रम भी उनमें हो ही सकता है तो यह तर्क भी उचित नहीं। कारण, 'मुत्' पद यहाँ 'विकास' अर्थ में लाक्षणिक है, अतः चैतन्य का आरोप आवश्यक नहीं है। फलतः यह पद्य 'अर्थ-शक्तिमूलक रूपकध्वनि' का उदाहरण होता है।

उदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

इदं वा विविक्तमुदाहरणम्—

विविक्तमिति। भ्रान्तिमदमिश्रितमित्यर्थः। यत्र भ्रान्तिमदलङ्कारस्य सन्देहोऽपि न भवेत्तादृशं रूपकध्वनेरुदाहरणं निम्ननिर्दिष्टं बोध्यमिति भावः।

उदाहरणान्तर दिखलाने के लिये कहा जाता है—इदं वा इत्यादि। अर्थशक्तिमूलक रूपकध्वनि का विविक्त—अर्थात् जिसमें भ्रान्तिमत्-अलङ्कार-ध्वनि का सन्देह भी नहीं किया जा सकता—उदाहरण इसको—निम्नलिखित पद्य को—समझना चाहिए।

उदाहरणं दर्शयति—

'तिमिरं हरन्ति हरितां पुरः स्थितं तिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम्।
वदनत्विषस्तव चकोरलोचने! परिमुद्रयन्ति सरसीरुहश्रियः॥'

हे चकोरलोचने चकोररूपनयने! तव वदनत्विषः मुखकान्तयः, हरितां दिशां पुरः अग्रे, स्थितम् प्रसृतम्, तिमिरम् अन्धकारम्, हरन्ति नाशयन्ति, अथ अनन्तरम्, तापशालिनाम् तापवताम्, तापं दाहम्, तिरयन्ति दूरीकुर्वन्ति, तथा, सरसीरुहश्रियः कमल-शोभाः, परिमुद्रयन्ति मुद्रिताः तिरोहिताः कुर्वन्ति इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—वदन इत्यादि। कवि किसी सुन्दरी की मुखकान्ति का वर्णन करता है—हे चकोरलोचने! तेरे मुख की कान्तियाँ दिशाओं के आगे उपस्थित अन्धकार का हरण करती हैं, संतप्तों के ताप को दूर करती हैं और कमलों की शोभाओं को मुद्रित करती हैं।

उपपादयति—

इहापि वदनं चन्द्र इति गम्यते।

'तिमिरम्–' इति श्लोकेऽपि 'मुखं चन्द्रः' इत्याकारकं रूपकं ध्वन्यते। न चात्र भ्रान्तिमदादेः संशयलेशोऽपि, अत इदं पद्यं सर्वसम्मतया रूपकध्वनेरुदाहरणता प्रतिपद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—इहापि इत्यादि। 'तिमिरम्–' इस पद्य में भी 'मुख चन्द्र है' इस तरह का रूपक ध्वनित होता है। यहाँ अन्य किसी अलंकार के ध्वनित होने की संभावना ही नहीं है, अतः यह पद्य सर्व-सम्मति से रूपकालंकार-ध्वनि का उदाहरण होता है।

ध्वनिकारोक्तं रूपकध्वनिं निरस्यति—

आनन्दवर्धनाचार्यास्तु—

'प्राप्तश्रीरेष कस्मात्पुनरपि मयि तं मन्थखेदं विदध्या-
न्निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नैव सम्भावयामि ।
सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात-
स्त्वय्यायाते विकल्पानिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥

अत्र रूपकाश्रयेण काव्यचारुत्वव्यवस्थापनाद्रूपकध्वनिः' इत्याहुः । तच्चिन्त्यम् । अत्र च जलधिकम्पहेतुत्वेन विकल्पत्रयं कल्प्यते । तच्च प्रकृते राजविशेष्यिकां जलनिधिगतामनाहार्यविष्णुतादात्म्यज्ञानरूपां भ्रान्तिमेवाक्षिपति, न रूपकम् । तज्जीवातोराहार्यविष्णुतादात्म्यनिश्चयस्य कम्पाजनकत्वात् । कविजलधिगतत्वेन वैयधिकरण्याच्च । अज्ञातमेव केवलं विष्णुतादात्म्यं जलधेः कम्पेऽनुपयुक्तमेव । चमत्कारिण्यपि चात्र भ्रान्तिरेवेति ध्वनिरपि तस्या एव युक्तः ।

'प्राप्तश्रीरेष–' इति । कश्चित् चाटुकारो राजानं प्रत्याह—हे राजन् ! त्वयि, आयाते उपगते सति, प्राप्ता श्रीर्येन तादृश एष, पुनरपि, मयि, तम् अनुभूतपूर्वम्, मन्थखेदम् मन्दरगिरिकरणकमन्थनपीडनम् , कस्मात , विदध्यात् कुर्यात , अनलसमनसः इदानीं पालनावसरे आलस्यशून्यहृदयस्यास्य, पूर्वाम् प्राचीनाम् प्रलयकालिकीमिति यावत् , निद्रामपि, नैव, संभावयामि तर्कयामि, सकलानां द्वीपानां नाथैरधिपैरनुयातोऽनुसृतश्चायं भूयः पुनः, किमिति, सेतुं, बध्नाति, इत्येवं विकल्पान् ज्ञानभेदान् , दधतो धारयतः, इव, पयोधेः समुद्रस्य, कम्प आभातीत्यर्थः । रूपकाश्रयेणेति । अनुरणनरूपकद्वारेत्यर्थः । खण्डयति—तच्चिन्त्यमिति । तत्र हेतुमाह—अत्र चेत्यादिना । प्रकृते इति । 'प्राप्त' इति पद्य इत्यर्थः । राजविशेष्यिकामिति । राजा विशेष्यो यस्याम् तादृशीम् राजविषयिकामिति यावत् । जलनिधिगतामिति । समुद्रनिष्ठामित्यर्थः । भ्रान्तेरेतद् विशेषणद्वयम् । तज्जीवातोरिति । रूपकजीवातोरित्यर्थः । 'कृपया सुधया सिञ्च' इत्यत्र सेचनवत् आहार्याभेदनिश्चयतोऽपि भयादिकं सम्भवतीत्युपपश्यन्तरमाह—कविजलधिगतत्वेनेति । अनिश्चितमपि वस्तुगत्या वर्तमानं राज्ञि विष्णुतादात्म्यं समुद्रे कम्पं जनयेन्नेत्याह—अज्ञातमेवेति । अस्य विवरणम्—केवलमिति । भ्रान्तेरिव निश्चयस्यापि समुद्रे सम्भव इत्यत आह—चमत्कारिण्यपीति । 'प्राप्तश्रीः—' इत्यत्रोत्प्रेक्षा वाच्या, ततश्च भगवत्तादात्म्यमस्य भूभृतोऽवगम्यत इति रूपकालंकारध्वनिः कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धालङ्कारव्यङ्ग्य इति ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनाचार्य आह, तन्न युक्तम्, विचारासहत्वात् । तथाहि—'प्राप्तश्रीः—' इत्यत्र समुद्रस्य कम्पो वाच्यः, तत्कारणत्वेन च त्रयो विकल्पाः कल्पिताः—'मन्थनाय विष्णुरायातः' इत्येकः, शयनाय विष्णुरायातः' इति द्वितीयः, 'सेतुबन्धनाय राम आगतः' इति च तृतीयः । ते च राज्ञि समुद्रस्यानाहार्यविष्णुतादात्म्यभ्रमेण सम्भवन्ति-रज्ज्वादौ सर्पाद्यनाहार्यभ्रमस्य भयादिजनकत्ववत् समुद्रगतस्योक्तभ्रमस्य कम्पजनकतासम्भवात , न तु तस्मिन् तस्याहार्यविष्णुतादात्म्यनिश्चयेन, आहार्यनिश्चयस्य कार्याजनकतया कम्पजनकत्वानुपपत्तेः । एवञ्चात्रानाहार्य-

निश्चयमूलको राज्ञि समुद्रस्य विष्णुतादात्म्यभ्रमरूपः 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार एव ध्वन्येत, न तु आहार्यनिश्चयमूलकः राज्ञि विष्णुतादात्म्यरूपो रूपकालङ्कारः। किञ्च तादृश आहार्यनिश्चयोऽपि कवेरेव जायते, कम्पस्तु समुद्रस्येति न तन्निश्चयस्य तत्कम्पजनकत्वं सम्भवति, समानाधिकरणयोरेव पदार्थयोर्जन्यजनकभावाङ्गीकारात्। ज्ञातमेव सर्पादिकं यथा भयादिजनकं भवति तथा ज्ञातमेव विष्णुतादात्म्यं ज्ञातरि समुद्रे कम्पं जनयितुमलमिति नाज्ञातस्य विष्णुतादात्म्यस्य कम्पे उपयोगः। अपि च समुद्रगता भ्रान्तिरेवात्र चमत्कारजनिकेति भ्रान्तिमदलङ्कारध्वनिरेवात्र न्याय्य इति भावः। वस्तुतस्त्वत्रेदं रहस्यम्—कविः समुद्रगतं ज्ञानं सम्भावयति, तच्च ज्ञानं यदि आहार्यनिश्चयरूपं स्वीकृतं स्यात् तदा रूपकध्वनिर्भवेत्, यदि तु अनाहार्यभ्रमरूपमङ्गीकृतं स्यात् तदा भ्रान्तिमद्ध्वनिर्भवेत्, एवं स्थितौ ग्रन्थकृतोऽयमाशयोऽवगम्यते यत् तद् ज्ञानं नाहार्यनिश्चयरूपं भवितुमर्हति आहार्यात् (बाधकालिकेच्छाजन्यात्) ज्ञानात् कम्पोत्पत्तेरसम्भवात्, कथञ्चिदुत्पत्त्यङ्गीकारेऽपि स कम्पोऽभिनयरूप एव भवेदिति चमत्कारो न स्यात्, अतस्तद् ज्ञानम् अनाहार्यभ्रमरूपमेव स्वीकरणीयम्, यतस्तत उत्पन्नः कम्पो वास्तविकतया वर्णनीयराजप्रकर्षं साधयन् चमत्कारं जनयेत्। फलतो भ्रान्तेरेव चमत्कारप्रयोजकतया भ्रान्तिमतो ध्वनिरेवात्र स्वीकर्तुमुचितो न रूपकध्वनिरिति।

अब ध्वनिकार द्वारा पेश किए गए रूपक-ध्वनि के उदाहरण का खण्डन किया जाता है—आनन्द इत्यादि। आनन्दवर्धनाचार्य ने तो अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रन्थ में 'प्राप्तश्रीरेष—अर्थात् हे राजन्! आपके समुद्रतट पर आने पर मानो इन विकल्पों को धारण करनेवाले समुद्र का कम्प प्रतीत होता है। वह (समुद्र) सोचता है—इन्हें (विष्णु को) लक्ष्मी मिल चुकी है, फिर ये उस मन्थन—जिसका कटु अनुभव पहले मुझे हो चुका है—का खेद मुझमें क्यों करेंगे? पहले वाली (प्रलयकाल की) इनकी (विष्णु की) निद्रा की भी संभावना नहीं करता, क्योंकि इस समय (पालन के अवसर में) इनके मन में आलस्य नहीं है। पुनः बाँध बाँधने की तैयारी कर रहे हों, पर यह भी क्यों? इस समय तो सब द्वीपों के अधिपति इनके अनुयायी हैं (रावण की तरह द्वीपान्तरवर्ती कोई राजा प्रतिद्वन्द्वी आज नहीं है)। इस पद्य में, रूपक द्वारा ही काव्य की सुन्दरता व्यवस्थित है, अतः रूपक ध्वनि है' ऐसा कहा है, परन्तु उनका यह कथन विचारणीय है। कारण, इस पद्य में समुद्र के कंप के हेतुरूप में तीन विकल्पों—'मन्थन करने के लिये विष्णु आए हैं' एक, 'सोने के लिये विष्णु आए हैं' दो और 'बाँध बाँधने के लिये रामरूप में अवतीर्ण विष्णु आए है' तीन—की कल्पना की जाती है। और वे तीनों विकल्प प्रस्तुत पद्य में, राजा जिसमें विशेष्य है ऐसी—अर्थात् राजा के विषय में होने वाली—और समुद्र में उत्पन्न, आहार्य नहीं, अपि तु सत्य विष्णु-तादात्म्य-(अभेद-) ज्ञानरूप, भ्रान्ति का ही आक्षेप करते हैं, न कि रूपक का, क्योंकि रूपक का जीवनदाता जो विष्णु का आहार्य (बाधित होने पर भी इच्छा से कल्पित) तादात्म्य (अभेद) निश्चय है वह कंप को उत्पन्न नहीं कर सकता। तात्पर्य यह कि समुद्र को भ्रम हो तभी वह कंपित हो सकता है, अपने आप झूठी कल्पना करके नहीं। आप कहेंगे—'कृपया सुधया सिञ्च—' इस स्थल पर जैसे कृपा में सुधा के आहार्य (अभेद) निश्चय से सेचन कहा गया है उसी तरह यहाँ भी राजा में आहार्य (अभेद) निश्चय से कंप की बात कही जा सकती है तो इसका उत्तर यह है कि—हाँ, उक्त आहार्यनिश्चय और कंप यदि एक ही

व्यक्ति में होते तब वैसी बात कही जा सकती थी, पर यहाँ वे दोनों एक में हैं नहीं—अर्थात् उक्त आहार्यनिश्चय हुआ है कवि को और कंप होता है समुद्र में, अतः इस व्यधिकरण (अन्य में रहनेवाले) ज्ञान से अन्य में कंप नहीं हो सकता। आप कहेंगे—समुद्र को राजा में विष्णु-तादात्म्य-ज्ञान भले ही नहीं हो, पर वस्तुतः राजा में वह तादात्म्य जब है तब उससे समुद्र कंपित क्यों नहीं होगा ? तो मैं कहूँगा कि महाशय जी ! रज्जु में सर्प का तादात्म्य यदि रहे भी तो क्या वह अज्ञातावस्था में भय का कारण होता है ? आप भी कहेंगे—नहीं, बस, यही बात यहाँ भी समझिए अर्थात् अज्ञात विष्णु-तादात्म्य समुद्र में कंप उत्पन्न नहीं कर सकता। आप कहेंगे—उक्त आहार्यनिश्चय कवि को है, समुद्र को नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं—जब कि आप विष्णु-तादात्म्य का भ्रम समुद्र में ही मानते हैं, भ्रम भी समुद्र में नहीं मानते, यह तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि तब आहार्यनिश्चय वाली आपत्ति इस पक्ष में भी आ जायगी अर्थात् अन्यगत भ्रम से अन्य में कंप नहीं हो सकेगा, अतः भ्रम तो आप को समुद्र में ही मानना है, फिर उक्त आहार्यनिश्चय भी समुद्र में ही क्यों नहीं माना जाय ? अगत्या आहार्यनिश्चय भी समुद्र में ही आप को मानना पड़ेगा और तब उससे कंप की बात भी बन जायगी तथा रूपकध्वनि-कथन भी आनन्दवर्धन का ठीक हो जायगा, तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि हाँ, आपके कथनानुसार राजविषयक आहार्य-विष्णु-तादात्म्यनिश्चय भी समुद्र में माना जा सकता है और मेरे कथनानुसार राजविषयक अनाहार्य (विष्णु-तादात्म्य) भ्रम भी समुद्र में माना जा सकता है पर मान्य होना चाहिए उक्त भ्रम ही—क्योंकि उसी में चमत्कार है, उक्त निश्चय में नहीं, और जब चमत्कार भ्रम में ही है तब ध्वनि भी उसी की मान्य होनी चाहिए। वास्तविक बात यह है कि कवि समुद्रगत ज्ञान का ऊह करता है। अब यदि वह समुद्रगत ज्ञान आहार्यनिश्चयरूप माना जाय तब 'रूपक' ध्वनित होगा और यदि वह ज्ञान अनाहार्य भ्रमरूप माना जाय तब 'भ्रान्तिमान्' ध्वनित होगा। इस स्थिति में ग्रन्थकार का आशय यह है कि वह ज्ञान आहार्यनिश्चयरूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवान के आहार्यनिश्चय से समुद्र में कंप नहीं हो सकता—'यह सर्प नहीं है' इस प्रकार का निश्चय रहने पर अपनी इच्छा से रज्जु में सर्प का ज्ञान कर देने पर भी भय होते नहीं देखा जाता, यदि दुराग्रहवश—आहार्यनिश्चय से समुद्र में कंप का होना मान भी लिया जाय तो वह कंप एक अभिनयमात्र होगा, वास्तविक नहीं, और इस अवस्था में यह कंप की बात सहृदय-हृदयों में चमत्कार नहीं उत्पन्न कर सकती। कारण, इस तरह के अभिनयिक कंप से वर्णनीय राजा का वह उत्कर्ष सिद्ध नहीं होता जो कवि का मुख्य लक्ष्य है, अतः समुद्रगत वह ज्ञान अनाहार्य भ्रमरूप ही माना जायगा, क्योंकि उससे समुद्र में कंप उत्पन्न हो सकता है—रज्जु में सर्प के अनाहार्य भ्रम से भय होते देखा जाता है और इस दशा में समुद्र का वह कंप वास्तविक होगा, अभिनयमात्र नहीं, अतः इस कंप की बात से सहृदय-हृदयों में चमत्कार भी उत्पन्न होगा। कारण, इस तरह के सत्य कंप से वर्णनीय राजा का उत्कर्ष जो कवि का मुख्य-उद्देश्य है—सिद्ध होता है। फलतः चमत्कार-प्रयोजक भ्रम ही है, आहार्य-निश्चय नहीं, अतः भ्रान्ति (भ्रान्तिमत्-अलंकार) की ध्वनि ही यहाँ मानी जायगी, रूपक की ध्वनि नहीं।

अथास्य दोषं निरूपयति—

अथास्यापि कविसमयविरुद्धतया चमत्कारापकर्षका लिङ्गभेदादयो दोषाः सम्भवन्ति।

अथेति। रूपकविषयकान्यविचारानन्तरमित्यर्थः। अस्य रूपकस्य। 'दोषाः' इत्यत्रान्वयः। विरुद्धतयेति। चमत्कारापकर्षे हेतुरयम्। भेदादय इति। वचनभेदादय आदिपदग्राह्याः। कविपरम्पराप्राप्तसिद्धान्तविरुद्धा ये लिङ्गभेदादयस्ते रूपकगतं चमत्कारमपकर्षयन्तो रूपकस्य दोषा भवितुमर्हन्तीति भावः।

अब रूपकगत दोष का निरूपण किया जाता है—अथ इत्यादि। कवि-सिद्धान्त से विरुद्ध होने के कारण चमत्कार को न्यून बनाने वाले 'लिङ्गभेद' (उपमान-उपमेय का भिन्न-भिन्न विभक्तिवाले पदों से बोधित होना) आदि दोष रूपक में भी हो सकते हैं।

दोषोदाहरणं दर्शयितुमाह—

यथा—

जैसे।

उदाहरणं दर्शयति—

'बुद्धिरब्धिर्महीपाल ! यशस्ते सुरनिम्नगा।
कृतयस्तु शरत्कालचारुचन्द्रिरचन्द्रिका ॥'

हे महीपाल राजन्! ते, बुद्धिः, अब्धिः समुद्रः, यशः, सुरनिम्नगा गङ्गा, तु पुनः, कृतयः व्यापाराः, शरत्कालस्य, चारोः सुन्दरस्य, चन्द्रिरस्य चन्द्रमसः, चन्द्रिका ज्योत्स्नेत्यर्थः। अत्रोपमेयभूता बुद्धिः स्त्रीलिङ्गशब्दबोध्या, उपमानभूतः समुद्रश्च पुल्लिङ्गपदबोध्यः, एवम् उपमेयभूतं यशो नपुंसकलिङ्गशब्दबोध्यम्, उपमानभूता गङ्गा च स्त्रीलिङ्गपदबोध्येति लिङ्गभेदस्योदाहरणद्वयमिदम्। उपमेयभूतकृतयो बहुवचनान्तपदबोध्या उपमानभूतचन्द्रिका चैकवचनान्तपदबोध्येति वचनभेदस्येदमुदाहरणमिति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—बुद्धिः इत्यादि। हे राजन्! आपकी बुद्धि समुद्र है। आपका यश गङ्गा है और कृतियाँ शरद् ऋतु के सुन्दर चन्द्र की चाँदनी हैं। यहाँ प्रथम दो रूपकों में उपमेय क्रमशः बुद्धि तथा यश स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग है—और उपमान क्रमशः समुद्र तथा गंगा पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग है, अतः ये दोनों 'लिङ्गभेद' के उदाहरण हैं। इसी तरह अन्तिम रूपक उपमेय (कृतियाँ) बहुवचनान्त है और उपमान (चन्द्रिका) है एकवचनान्त, अतः यह 'वचनभेद' का उदाहरण है।

दूषकताबीजमाह—

अत्र विषयविषयिणोर्लिङ्गादिकृतं वैलक्षण्यं ततोऽस्याद्रूप्यबुद्धौ प्रतिकूलम्।

उपमानोपमेययोः साम्यमेव तयोस्तादात्म्यज्ञाने कारणं भवति। एवं स्थिते यत्रोपमानोपमेययोर्लिङ्गादिप्रयुक्तं वैलक्षण्यं (भेदः) भवति तत्र तयोस्तादात्म्यज्ञानं न भवितुं शक्नोतीति दोषत्वम् लिङ्गादिकृतवैलक्षण्यस्येति भावः।

'लिङ्ग-भेद' आदि क्यों दोष है इसमें बीज दिखलाया जाता है—अत्र इत्यादि। यहाँ उपमेय-उपमान में लिङ्गादिक द्वारा की गई विलक्षणता उनके तादूप्य-ज्ञान के प्रतिकूल होती है—उसके कारण तादूप्य समझना बाधित हो जाता है, अतः वह (लिङ्ग आदिकृत विलक्षणता) रूपक का दोष कहलाता है।

दोषत्वेनाभिमतानामपि लिङ्गभेदादीनां क्वचिददोषतामाह—

क्वचित्कविसमयसिद्धतया चमत्कारहानिराहित्ये तु नामी दोषाः।

अमी लिङ्गभेदादयः। ये लिङ्गभेदादयः कविसिद्धान्तसंगृहीतास्ते चमत्कारहानिं न विदधतीति तादृशा लिङ्गभेदादयोऽदोषा एवेति भावः।

जो लिङ्गभेद आदि दोष माने गए हैं वे भी कहीं-कहीं अदोष हो जाते हैं यही बात अब कही जाती है—क्वचित् इत्यादि। जहाँ कहीं कवि-सिद्धान्त-सिद्ध होने के कारण चमत्कार की हानि नहीं होती हो वहाँ ये (लिङ्गभेद आदि) दोषरूप नहीं होते।

लिङ्गभेदादेरदोषत्वमुदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणं निर्दिशति—

'सन्ताप-शान्तिकारित्वाद्वदनं तव चन्द्रमाः' इत्यादौ हेतुरूपके।

सन्ताप-शान्तिकारित्वात् सन्तापनाशकत्वात् हेतोः, तव, वदनं मुखं, चन्द्रमा इत्यर्थः। इदम् हेतु-रूपकम्, साधारणधर्मस्यारोपहेतुतयोपन्यासात। अत्र वदनचन्द्रमसोरुपमेयोपमानयोर्भिन्नलिङ्गकपदबोध्यत्वेऽपि न लिङ्गभेदाख्यो दोषः, ईदृशालिङ्गभेदस्य कवि-सिद्धान्त-सिद्धत्वेन चमत्कारानपकर्षकत्वादिति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सन्ताप इत्यादि। 'सन्तापशान्तिकारित्वात्—अर्थात् सन्ताप-शामक होने के कारण तेरा मुख चन्द्रमा है।' इत्यादि हेतु-रूपक में यद्यपि उपमेय (मुख) नपुंसकलिङ्ग और उपमान (चन्द्रमा) पुल्लिङ्ग है तथापि दोष नहीं, क्योंकि इस तरह का लिङ्गभेद कविसम्प्रदाय-सिद्ध होने के कारण चमत्कार का अपकर्षक नहीं होता।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां रूपकालङ्कारप्रकरणं समाप्तम्।

रूपकनिरूपणानन्तरं सम्प्रति 'परिणाम' निरूपणं प्रतिजानीते—

अथ परिणामः—

अथेत्ययं शब्दोऽनन्तरत्वे। तथा रूपकनिरूपणानन्तरमिति तदर्थः। परिणामः तदाख्योऽलङ्कारः। निरूप्यत इति शेषः।

रूपकालङ्कार निरूपण के बाद अब परिणामालङ्कार-निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि।

तत्र तावत्तल्लक्षणमाह—

विषयी यत्र विषयात्मतयैव प्रकृतोपयोगी न स्वातन्त्र्येण, स परिणामः।

विषयी उपमानम्। विषयेति। उपमेयेत्यर्थः। एवकारव्यावर्त्यमाह—न स्वातन्त्र्येणेति। स्वस्वरूपेणेत्यर्थः। तत्रेति शेषः। स विषयाभेदः। उपमेयरूपेणोपयुज्यमानमुपमानं परिणामालङ्कार इति भावः।

परिणाम-निरूपण-प्रसङ्ग में पहले उसका लक्षण किया जाता है—विषयी इत्यादि। जहाँ उपमान उपमेयरूप से ही प्रसङ्गोपयोगी हो, वहाँ वह (उपमान में उपमेय का अभेद) 'परिणाम' होता है।

रूपक-परिणामयोर्भेदज्ञापनायाह—

अत्र च विषयाभेदो विषयिण्युपयुज्यते। रूपके तु नैवमिति रूपकादस्य भेदः।

अत्र चेति। परिणामे चेति भावः। नैवमिति। किंतु विपरीतमिति भावः। रूपकादस्य भेद इति। अत्र "वयं तु ब्रूमः—उपमानप्रतियोगिकाभेदो रूपकम्। उपमेयप्रतियोगिकाभेदः परिणामः प्रतीपवत्। तत्राभेदे उपमेयप्रतियोगिकत्वतात्पर्यग्राहकं प्रकृतकार्योपयोगः न तु तच्छरीरेऽस्य प्रवेशः। एवं च यत्रोपमानस्य स्वात्मनैव प्रकृतकार्योपयोगो यत्र चोदासीनता तत्र रूपकमेव। एवं च परिणामो विशेषणसमासायत्तः रूपकं मयूरव्यंसकादिसमासायत्तम्। मुखचन्द्र इत्यादौ यदि तु चन्द्रमुखमिति प्रयुज्यते तदा विशेषणसमासायत्तमपि रूपकमिति। परे तु 'उपमानोपमेयपदानामुपमानप्रतियोगिकाभेदसंसर्गेण बोधकानां 'मयूरव्यंसकादयश्च' इति समासेन विशेषणसमासबाधाच्चन्द्रमुखमिति प्रयोग एव न इत्याहुः।" इति नागेशः। रूपकपरिणामयोरुभयोरपि उपमानोपमेययोरभेदो यद्यपि समानः' तथापि परिणामे उपमेयप्रतियोगिकाभेद उपमाने प्रतीयमानः प्रकृतकार्ये उपयोगं व्रजति, रूपके तु उपमानप्रतियोगिकाभेदः उपमेये प्रतीयमानः प्रकृतकार्ये उपयोगं व्रजतीति तयोर्भेद इति भावः।

रूपक और परिणाम में जो परस्पर भेद है उसका ज्ञान कराने के लिये कहा जाता है— अत्र इत्यादि। परिणाम में उपमेय का अभेद उपमान में प्रतीत होकर प्रकृतोपयोगी होता है—अर्थात् उपमान को उपमेय से अभिन्न समझ लेने पर ही प्रस्तुत वाक्यार्थ संगत होता है। पर रूपक में ऐसा नहीं होता, किन्तु उपमान का अभेद उपमेय में प्रतीत होकर प्रकृतोपयोगी होता है—अर्थात् उपमेय को उपमान से अभिन्न समझने पर प्रस्तुत वाक्यार्थ संगत होता है। यही इन दोनों में परस्पर भेद है। 'रूपकादस्य भेदः' इस मूल-प्रतीक पर नागेश कहते हैं कि—"उपमान जिसका प्रतियोगी हो ऐसा अभेद—अर्थात् उपमान का अभेद – रूपक है और उपमेय जिसका प्रतियोगी हो ऐसा अभेद—अर्थात् उपमेय का अभेद—परिणाम है, जैसे—प्रतीप। 'इस अभेद का प्रतियोगी उपमेय है' इस वक्तृ-तात्पर्य का ज्ञापक होता है उसी तरह के अभेद का प्रकृतकार्योपयुक्त होना। अतः परिणाम के लक्षण में प्रकृतोपयोगवाली बात का निवेश अनावश्यक है। इस तरह से जहाँ उपमान अपने रूप में ही प्रकृत कार्य में उपयुक्त होता हो अथवा उदासीन हो— अर्थात् प्रकृत कार्य में उसका (उपमान का) उपयोग होता ही नहीं हो वहाँ रूपक ही होगा। फलतः 'परिणाम' विशेषणसमास ('विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' से समास) के अधीन है और रूपक मयूरव्यंसकादिसमास ('मयूरव्यंसकादयश्च' से समास) के अधीन है। 'मुख चन्द्र' की जगह पर यदि 'चन्द्र-मुख' का प्रयोग किया जाय तब विशेषण समासाधीन भी रूपक ही होगा, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उपमान जिसका प्रतियोगी हो वैसे अभेदसम्बन्ध से विशेषण-विशेष्यभाव का बोधक उपमानोपमेयवाचक पदों में मयूरव्यंसकादिसमास विशेषणसमास का बाधक हो जायगा, अतः चन्द्र-मुख ऐसा प्रयोग ही नहीं हो सकता।"

उदाहरणं प्रदर्शयितुमाह—

अयमुदाह्रियते—

अयम् परिणामालङ्कारः।

परिणामालङ्कार का उदाहरण दिया जाता है।

उदाहरणं निर्दिशति—

'अपारे संसारे विषमविषयारण्यसरणौ
मम भ्रामं भ्रामं विगलितविरामं जडमतेः।
परिश्रान्तस्यायं तरणितनयातीरनिलयः
समन्तात् सन्तापं हरिनवतमालस्तिरयतु॥'

भक्तः प्रार्थयते—तरणितनयायाः यमुनायाः, तीरे तटे, निलय आवासो यस्यासौ, अयम् प्रत्यक्षवत् प्रतीयमानः, हरिनवतमालः हरिरूपो नवीनस्तमालतरुः, अपारे असीम्नि, संसारे जगति, विषमाः दुःखकरा इति यावत्, ये विषयाः भोग्यवस्तूनि स्रक्चन्दनवनितादीनि, तद्रूपे अरण्यसरणौ वनमार्गे, विगलितः निरस्तः, विरामः विश्रमः यस्मिन्कर्मणि तद् यथा स्यात्तथा, भ्रामं भ्रामं भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा, परिश्रान्तस्य क्लान्तस्य, जडमतेः शिथिलबुद्धेः, मम, सन्तापम् क्लेशविशेषम्, समन्तात् सर्वतोभावेन, तिरयतु निवर्तयत्वित्यर्थः।

उदाहरणका निर्देश किया जाता है—अपारे इत्यादि। भक्त प्रार्थना करता है—अपार संसार में, विषम विषयरूप जङ्गली रास्ते पर अविरामगति से घूम-घूमकर श्रान्त बने मुझ जड़बुद्धि के सन्ताप को यमुना-तटवासी हरिरूप तमाल-तरु सब तरह से शान्त करे।

उपपादयति—

अत्र भगवदात्मतयैव तमालस्य संसारतापनिवर्तनक्षमत्वम्। मार्गश्रान्तजनसन्तापहारकत्वाद्रमणीकशोभाधारत्वाच्च तमालो विषयितयोपात्तः। अयं समानाधिकरणो वाक्यगः।

'अपारे—' इति पद्ये हरिरुपमेयभूतः तमालश्चोपमानभूतः, तत्रोपमानाभेद उपमेये कविविवक्षितः प्रतीयते, भगवदभिन्नतयैव तमालस्य पद्योपबद्धसंसारतापशमनसमर्थत्वात्, तथा च प्रागुक्तलक्षणलक्षितः परिणामालङ्कारोऽत्र स्पष्टः। ननु हरेरेवोपमानत्वेन रूपकमेवास्त्विति चेन्न, मार्गश्रमसन्तप्तजनसन्तापापहारकत्वस्य शोभाविशेषशालित्वस्य च तमाल एव सत्त्वेन तस्यैवोपमानतयोपादानात्। अयं च परिणामः समानाधिकरणः, उपमेयोपमानयोर्हरितमालयोः समानविभक्तिकपदजन्योपस्थितिमत्त्वात् (अत्र यद्यपि हरिनवतमालः इति समस्तं पदम्, अतो नोपमेयोपमानयोः पृथग् विभक्तिश्रवणम्, तथापि लुप्तविभक्त्यनुसंधानेन समानविभक्तिकत्वं बोध्यम्)। वाक्यगश्चायं परिणामः, प्रकृतकार्योपयोगित्वपर्यन्तस्य परिणामशरीरत्वेन कार्यबोधक'तिरयतु'पदस्य समासाघटकत्वात्। क्वचित्तु 'हरिरिह तमालः' इति पाठः। तथापाठे प्रकृतकार्योपयोगित्वस्य परिणामशरीरेऽप्रवेशेऽपि वाक्यगत्वं स्पष्टमेवेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'अपारे—' इस पद्य में हरि (भगवान्) उपमेय हैं और तमाल है उपमान, जिन दोनों में परस्पर अभेदारोप किया गया है, पर उस अभेद का प्रतियोगी उपमेय (हरि) को ही माना जायगा अर्थात् 'हरि का अभेद तमाल में है' ऐसा ही समझा जायगा, क्योंकि तमाल, संसारताप को, भगवद्रूप होने पर ही निवृत्त कर सकता है। तात्पर्य यह कि भगवान् को तमालरूप समझने पर

संसार-ताप निवर्तकता उसमें सिद्ध नहीं हो सकती। हरि को ही उपमान मानकर 'रूपक' ही यहाँ क्यों नहीं माना जाय ? ऐसी बात तो कही नहीं जा सकती क्योंकि मार्ग से थके मनुष्यों के सन्ताप को निवृत्त करने की शक्ति तमाल में ही है और रमणीय शोभा का आधार भी वही (तमाल) है, अतः उपमानरूप से उसी का उपादान किया जाना उचित है। यह परिणाम समानाधिकरण कहलाता है क्योंकि यहाँ के उपमेय तथा उपमान एकविभक्ति वाले हैं (यद्यपि 'हरिनवतमाल' समस्त पद है, तथापि 'हरिः तमालः' इस विग्रहावस्था की विभक्तियों को लेकर उन दोनों को एकविभक्ति वाला समझा जाता है)। साथ-साथ यह परिणाम वाक्यगत कहलाता है, क्योंकि रसगङ्गाधरकार के हिसाब से 'प्रकृतकार्य में प्रयुक्त होना' भी परिणामालङ्कार के शरीर-लक्षण में प्रविष्ट है और कार्य है यहाँ 'निवृत्त करना' जिसका बोधक 'तिरयुत' पद समास के अन्तर्गत नहीं है। कोई कोई यहाँ 'हरिनवतमालः' की जगह पर 'हरिरिह तमालः' पाठ मानते हैं—तदनुसार 'प्रकृतकार्योपयोग' को लक्षणघटक नहीं मानने पर भी इस परिणाम का वाक्यगतत्व स्पष्ट है।

समासगतं समानाधिकरणं परिणाममुदाहर्तुमाह—

समासगो यथा—

समासगतः समानाधिकरणः परिणामालङ्कारो यथेति भावः।

समासगत समानाधिकरण परिणामालङ्कार जैसे—

उदाहरणं दर्शयति—

'महर्षेर्व्यासपुत्रस्य श्रावं श्रावं वचःसुधाम्।
उप(अभि)मन्युसुतो राजा परां मुदमवाप्तवान्॥'

उपमन्योः अभिमन्योर्वा सुतः पुत्रः (कश्चिदज्ञातनामा परीक्षितो वा), व्यास-पुत्रस्य, महर्षेः शुकदेवस्य, वचःसुधाम् वचनामृतम्, श्रावं श्रावम् श्रुत्वा-श्रुत्वा पराम् अतिशयिताम्, मुदम् हर्षम्, अवाप्तवान् लब्धवानित्यर्थः। अत्रापि सुधारूपे उपमाने वचनरूपोपमेयाभेदारोपस्य श्रवणरूपे प्रकृतकार्ये उपयोगित्वात्परिणामः। वचनरूपोपमेये सुधारूपोपमानाभेदारोपे तु वचनस्यापि सुधात्वात् श्रवणं न सम्भवति, अपि तु पानमिति तत्त्वम्। स चायं परिणामः पूर्वोदाहरणोक्तयुक्त्या समानाधिकरणः समासगतश्च 'स्नात्वा कालकः' इतिवत् मयूरव्यंसकादित्वात् समासेन 'श्रावं श्रावं वचःसुधाम्' इत्यस्य समस्तैकपदत्वात्। इदं तु बोध्यम्—यदुक्तः समासगतत्वसाधनप्रकारः प्रकृतकार्योपयोगित्वपर्यन्तस्य परिणामशरीरत्वमिति ग्रन्थकृदभिमतं पक्षमादाय, तावत्पर्यन्तस्य परिणामशरीरत्वानङ्गीकारे तु 'वचःसुधाम्' इत्येतावत्समस्तपदमादायापि परिणामस्य समासगतत्वे सिद्धे 'श्रावं श्रावम्' इति पृथगसमस्तमेवास्तु तावतापि न क्षतिरिति।

उदाहरण दिखलाया जाता है—महर्षेः इत्यादि। उपमन्यु के पुत्र किसी राजा ने अथवा अभिमन्यु के पुत्र-राजा परीक्षित ने व्यास जी के पुत्र महर्षि शुकदेव जी के वचनामृत सुन-सुनकर परम आनन्द प्राप्त किया। यहाँ भी उपमानरूप अमृत में आरोपित उपमेयरूप वचन का श्रवणरूप प्रकृत कार्य में उपयोग हो रहा है—अर्थात् अमृत भी वचनरूप बनकर ही 'श्रवण' का कर्म हो सकता है, अन्यथा (अमृत अपने रूप में) 'श्रवण' का नहीं, 'पान' का कर्म हो सकता है—अतः यह भी परिणाम है पूर्व रक्षी

उदाहरण की व्याख्या में प्रतिपादित युक्ति से समानाधिकरण कहलाने योग्य यह परिणाम समासगत कहलाता है, क्योंकि 'श्रावं-श्रावं वचःसुधाम्' यह एक समस्त पद है। समास यहाँ 'मयूरव्यंसकादित्वात्' 'स्नात्वा कालकः' की तरह हुआ है। यहाँ के परिणामालंकार को समासगत बनाने की यह प्रणाली इसलिये अपनाई जाती है कि—'प्रकृत कार्य में उपयुक्त होना' भी 'परिणाम' के लक्षण में प्रविष्ट है और तदनुसार 'श्रावं श्रावम्' इस कार्यबोधक पद को भी समास के भीतर ले आने पर ही समासगत 'परिणाम' कहा जा सकता है। यदि 'प्रकृतकार्योपयोग' को परिणाम (शरीर) प्रविष्ट नहीं मानें तब तो 'वचःसुधाम्' इतने भर के समस्त होने से ही यह 'समासगत परिणाम' माना जा सकता है, अतः 'श्रावं श्रावम्' को पृथक् असमस्त पद मानने पर भी कोई क्षति नहीं।

व्यधिकरणं परिणाममुदाहर्तुमाह—

व्यधिकरणो यथा—

व्यधिकरण इति। भिन्नविभक्तिकपदबोध्योपमानोपमेयक इति भावः।

व्यधिकरण (भिन्न विभक्ति वाला) परिणाम जैसे—

उदाहरणं समुपस्थापयति—

'अहीनचन्द्रा लसताऽऽननेन ज्योत्स्नावती चापि शुचिस्मितेन।
एषा हि योषा सितपक्षदोषा तोषाय केषां न महीतले स्यात् ॥'

लसता शोभमानेन, आननेन, मुखेन, अहीनचन्द्रा पूर्णचन्द्रा (मुखरूपपूर्णेन्दुयुक्तेति यावत्) अपि पुनः, शुचिस्मितेन शुद्धेषद्धासेन, ज्योत्स्नावती प्रकाशवती (शुचिस्मितरूपज्योत्स्नायुक्ता) च, अतः सितपक्षदोषा शुक्लपक्षयामिनी (तद्रूपेति यावत्) एषा वर्णनीया, योषा रमणी, महीतले पृथिव्याम्, केषां, तोषाय तृप्तये, न स्यात् ? अपि तु सर्वेषां तोषाय स्यादित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अहीन इत्यादि। शोभित होनेवाले मुख के द्वारा पूर्ण चन्द्र वाली और शुद्ध ईषद्धास-द्वारा चाँदनी वाली यह शुक्लपक्ष की रात्रिरूपा रमणी पृथिवीतल पर किसके संतोष (तृप्ति) के लिये नहीं होगी ? अर्थात् सभी इससे सन्तुष्ट होंगे।

उपपादयति—

अत्र सर्वेषामेव तोषाय स्यादित्यनेन विरहिजनतोषजनकत्वमपि लभ्यते। तच्चारोप्यमाणशुक्लपक्षरजन्याः स्वात्मना बाधितम्, योषारूपेण तु सङ्गच्छत इति भवति परिणामः। स च परस्परसापेक्षबहुसङ्घात्मकतया सावयवः। तत्राद्यार्धगतौ द्वाववयवौ व्यधिकरणौ द्वितीयार्धगतश्चैकः समानाधिकरणः।

अत्र सर्वेषामिति। काकुलभ्यमिदम्। एवञ्च प्रकृतपद्यघटको नञ् काक्वामिति सिद्धम्। आरोप्यमाणेति। उपमानेत्यर्थः। अत्र 'योषायाम्' इत्यादिर्बोध्यः। स्वात्मनेति। रजनीरूपेणेत्यर्थः। बाधितमिति। तस्या उद्दीपकत्वेन विरहिजनतापजनकत्वादिति भावः। नन्वेवं समानाधिकरण एवायमिति कुतः विपरीतप्रतिज्ञा अत आह—स चेति। प्रकृतपद्यगतः परिणामश्चेति तदर्थः। सावयव इति। साङ्ग इत्यर्थः। तत्र सावयवे परिणामे। 'अहीनचन्द्रा—' इत्यत्र 'तत्तद्विशेषणविशिष्टा एषा योषा केषां तोषाय न स्यात्' इति काकुवाक्यतो लभ्येन 'सर्वेषामेव तोषाय एषा स्यात्' इत्यर्थेन सर्वपदार्थान्तर्गतविरहिजन-

तोषायापि स्यात् इत्यवगम्यते। परन्तु तत् विरहिजनतोषकत्वम् उपमेयभूतायाम् योषायाम् उपमानभूतायाः शुक्लपक्षरात्रेरारोपे न संगतम्, आरोप्यमाणपदार्थस्यैव प्राधान्ये योषाया अपि रात्रिरूपत्वसिद्धौ विरहोद्दीपकत्वेनासंतोषस्यैव सम्पत्तेः, अत उपमानभूतायां रात्रौ उपमेयभूताया योषाया आरोपोऽत्र स्वीकार्यः, तथा च रात्रेरपि योषारूपत्वे सिद्धे विरहिणामपि संतोषकत्वं संगतं भवति, स्त्रीसान्निध्यस्य विरहविनाशकत्वात्। एवञ्च विषयात्मतया विषयिणः प्रकृतोपयोगेनात्र परिणामः सिद्धयति। अयं च परिणामः साङ्गः। परस्परसापेक्षानेकपरिणामसमूहात्मकत्वात्। तत्र प्रथमार्धगतौ 'मुखेन पूर्णचन्द्रा' 'स्मितेन ज्योत्स्नावती' इत्याकारकौ द्वावङ्गभूतौ परिणामौ व्यधिकरणौ, उपमेयोपमानयोः विभिन्नविभक्तिकपदजन्योपस्थितिकत्वात्। उत्तरार्धगतश्च 'सितपक्षदोषा योषा' इत्याकारकोऽङ्गभूतः परिणामः समानाधिकरणः उक्तयुक्तेरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'अहीनचन्द्रा—' इस पद्य में 'केषां तोषाय न स्यात् ?' इस काकु से यह विदित होता है कि—सबों के संतोष के लिये होगी और इस 'सबों' के अन्दर विरहीजन भी आ जाते हैं, अतः यह सिद्ध हुआ कि—शुक्लपक्ष की रात्रिरूपा यह रमणी विरहियों के लिये भी संतोषजनक है। अब हम सोचें कि आरोपित होने वाली—अर्थात् उपमानरूप यह शुक्लपक्ष की रात्रि क्या अपने रूप में विरहियों के लिये संतोष-जनक हो सकती है ? कभी नहीं, क्योंकि चाँदनी रात विरहियों के उत्ताप को ही बढ़ाती है, अतः यह मानना पड़ेगा कि रमणीरूप में ही यहाँ उक्त रात्रि को सकलजन-सन्तोषकर कहा गया है, ठीक भी है, नायिका का सान्निध्य विरहियों के लिये भी सन्तोषकर होता है। फलतः विदित है कि यहाँ उपमान उपमेय के रूप में प्रकृतकार्योपयोगी हो रहा है, अतः यह भी परिणामालंकार का उदाहरण है। परन्तु यह भी समझना चाहिए कि यहाँ एक नहीं अनेक परिणाम हैं। जैसे 'मुख द्वारा चन्द्रवाली' यह एक, 'ईषद् हास द्वारा चाँदनी वाली' यह दूसरा और—'शुक्ल पक्ष की रात रमणी' यह तीसरा। इन तीनों में प्रथम दो परिणाम व्यधिकरण हैं, क्योंकि उपमेय (मुख तथा स्मित) की उपस्थिति तृतीयान्त पदों के द्वारा और उपमान (चन्द्र तथा ज्योत्स्ना) की उपस्थिति प्रथमान्त पदों के द्वारा हुई है। इन्हीं दोनों परिणामों को लेकर यह पद्य व्यधिकरण परिणाम के उदाहरणरूप में उपस्थित किया गया है। अन्तिम परिणाम तो समानाधिकरण ही है, क्योंकि उस अंश में उपमेय (नायिका) और उपमान (शुक्लपक्ष की रात्रि) दोनों की उपस्थिति प्रथमान्त पदों से ही हुई है। इस तरह यहाँ परस्परसापेक्ष इन परिणामों का समूह सावयव (साङ्ग) परिणाम कहा जायगा।

निरसनीयमप्पयदीक्षितमतमुत्थापयति—

यच्चाप्पयदीक्षितैर्वैयधिकरण्येन परिणामे उदाहृतम्—

'तारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधर-
च्छायाधारककन्धराय गिरिजासङ्गैकशृङ्गारिणे।
नद्या शेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणेनास्त्रिणे
नागैः कङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयं नतिः॥'

यथा वा—

'द्विर्भावः पुष्पकेतोर्विबुधविटपिनां पौनरुक्त्यं विकल्प-
श्चिन्तारत्नस्य वीप्सा तपनतनुभुवो वासवस्य द्विरुक्तिः।

द्वैतं देवस्य दैत्याधिपमथनकलाकेलिकारस्य कुर्व-
न्नानन्दं कोविदानां जगति विजयते श्रीनृसिंहक्षितीन्द्रः ॥' इति ॥

भक्तो भगवन्तं भूतनाथं नौति—तारानायकेति । तारानायकः चन्द्रः शेखरः शिरोभूषणं यस्य तस्मै, जगतः संसारस्य, आधाराय अधिष्ठानाय, धाराधरस्य मेघस्य, छायायाः कान्तेः, धारिका धारयित्री, कन्धरा ग्रीवा यस्य तस्मै, नीलकण्ठायेति यावत्, गिरिजायाः पार्वत्याः, सङ्गः सहवासः, एव एकः शृङ्गारः तद्वते गिरिजामात्रैककान्तासक्तायेति यावत्, नद्या गङ्गया, शेखरिणे शिरोभूषणवते गङ्गात्मकशिरोभूषाविशिष्टायेति यावत्, दृशा तृतीयनयनेन, तिलकिने तिलकयुक्ताय तृतीयनेत्रमेव तिलककार्यं यत्र कुरुते तादृशायेति यावत्, नारायणेन विष्णुना, अस्त्रिणे अस्त्रवते नारायणात्मकास्त्रयुक्तायेति यावत्, नागैः सर्पैः, कङ्कणिने वलयवते नागरूपकङ्कणविशिष्टायेति यावत्, नगेन पर्वतेन कैलासेनेति यावत्, गृहिणे गृहवते, पर्वतात्मकगृहवासिने इति यावत्, नाथाय अस्माकं स्वामिने, सा सकलमनोरथपूरकतया प्रसिद्धा, इयम् इदानीं मया विधीयमाना, नतिः नमस्कारः, अस्त्वित्यर्थः । कविः राजानं स्तौति—द्विर्भाव इति । पुष्पकेतोः कामदेवस्य, द्विर्भावः द्विरावृत्तिः (द्वितीयः कामदेव इति सरलार्थः), विबुधविटपिनाम् दैवतरूणाम् मन्दारादीनामिति यावत्, पौनरुक्त्यम् पुनरुक्तिः (द्वितीयो देवतरुरिति सरलार्थः), चिन्तारत्नस्य चिन्तामणेः, विकल्पः अपरपक्षः (द्वितीयश्चिन्तामणिरिति सरलार्थः), तपनतनुभुवः सूर्यतनूजस्य कर्णस्येति यावत्, वीप्सा द्विर्भावः (द्वितीयः कर्ण इति सरलार्थः), वासवस्य इन्द्रस्य, द्विरुक्तिः पुनरुक्तिः (द्वितीय इन्द्र इति सरलार्थः), दैत्याधिपानाम् दैत्यराजानां हिरण्यकशिप्वादीनाम् या मथनकला दलनलीला तत्र केलिकारस्य क्रीडाकरस्य—दैत्यगणनाशकस्येति यावत्, देवस्य विष्णोः, द्वैतम् द्वितीयता (द्वितीयो [illegible] इति सरलार्थः), श्रीनृसिंहक्षितीन्द्रः श्रीनृसिंहनामा नरेशः, कोविदानाम् विदुषाम्, आनन्दम् सुखविशेषम्, कुर्वन् जनयन् सन्, जगति संसारे, विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः । इदं पद्ययुगलं व्यधिकरणपरिणामालङ्कारोदाहरणतया चित्रमीमांसाभिधाने निजनिबन्धेऽप्पयदीक्षितेनोल्लिखितम् ।

अब अप्पयदीक्षित-का खण्डनीय मत उपस्थित किया जाता है—यच्चापि । अप्पयदीक्षित ने व्यधिकरण परिणामालंकार के उदाहरणरूप से, अपनी चित्रमीमांसा में 'तारानायकशेखराय—' और 'द्विर्भावः पुष्पकेतोः—' ये दोनों पद्य उपस्थित किये हैं । इन दोनों पद्यों के अर्थ क्रमशः निम्नलिखितरूप से होते हैं—'चन्द्र जिनका शिरोभूषण है, जो जगत् के आधार हैं, जिनका कण्ठ मेघ की कान्ति को धारण करता है, और पार्वती के साथ ही जिनका एक शृङ्गार है ऐसे नदी (गङ्गा) द्वारा शिरोभूषावाले, ललाटचक्षु द्वारा तिलक वाले, नारायण द्वारा अस्त्र वाले, सर्पों द्वारा कङ्कण वाले और पर्वत (कैलास) द्वारा घर वाले (हमारे) स्वामी (शिव) के लिये सकलमनोरथपूरकरूप में प्रसिद्ध यह नमस्कार है ।' (यह प्रथम पद्य भक्त की उक्ति है ।) 'जो, कामदेव का दुहराना है—अर्थात् दूसरा कामदेव है, कल्पवृक्षों की पुनरुक्ति है—अर्थात् दूसरा कल्पवृक्ष है, चिन्तामणि का विकल्प है—अर्थात् दूसरा चिन्तामणि है, राजा कर्ण का बार बार कथन है—अर्थात् दूसरा कर्ण है, इन्द्र की दुबारा उक्ति है—अर्थात् दूसरा इन्द्र है और दैत्याधिपों के विनाश की लीला करने वाले देव विष्णु का द्वैत है अर्थात् दूसरा रूप है वह

श्री नृसिंहनामा नरेश, विद्वानों के आनन्द को उत्पन्न करता हुआ, संसार में सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त कर रहा है।' (यह दूसरा पद्य राजस्तुति में कवि के द्वारा कहा गया है।)

प्रागुक्तं दीक्षितमतं निरस्यति—

अत्र चिन्त्यते—तारानायकशेखरायेति पद्ये गिरिजासङ्गैकशृङ्गारिणि भवे कविकर्तृका नतिः प्रक्रान्ता। शृङ्गारिता च शेखरादीनि भूषणान्यपेक्षत इति नद्या आरोप्यमाणशेखररूपतयैवोपयोगः न स्वरूपेण। एवं दृशोऽपि तिलकरूपतयेति रूपकमेव शुद्धं भवितुमर्हति। ननु परिणामे विषयाभिन्नतया विषयव्यवतिष्ठत इत्युक्तम्. प्रकृते च विषयवाचकेभ्यो नद्यादिशब्देभ्यः परस्यास्तृतीयाया अभेदार्थकत्वाच्छेखरादेश्च तदन्वयित्वात्कथं नात्र परिणाम इति चेत्, न। विषयाभिन्नत्वेन विषयिणो भानेऽपि तेन रूपेण तस्यानुपयोगात्। द्विर्भावः पुष्पकेतोरिति पद्येऽपि कोविदानन्दजनन-जगदुत्कर्षौ कथ्येते राज्ञो नृसिंहस्य। तत्र कोविदानन्दजनकत्वमपि राज्ञ आरोप्यमाणद्वितीयमन्मथादिताद्रूप्येण यथा सम्भवति न तथा केरलस्वरूपेण। तथाहि—अहो नयनानामस्मदीयानां साफल्यं यदयमपरो मन्मथोऽस्माभिरालोक्यत इति मन्यमानानां तेषां नयनानन्दस्तावत्पुष्पकेतुनैवोपपाद्यते, न तु राज्ञा। एवमपरोऽयं कल्पतरुश्चिन्तामणिर्द्वितीयः कर्ण इन्द्रश्च भूगतोऽयमन्यो दारिद्र्यमस्माकं परिहरिष्यति। हरिः खल्वयं संसारं हरिष्यतीत्यभिमानाज्जायमानस्तेषामानन्दोऽप्यारोप्यमाणैः कल्पवृक्षादिभिरेवेति न विषयात्मना विषयिण उपयोगः, अपि तु स्वात्मनैवेति कुत्रास्ति परिणामः ?

अत्रेति। उक्तदीक्षितमतविषये इत्यर्थः। चिन्त्यते विचार्यते। चिन्तामेव स्फोरयति—तारानायकेत्यादिना। प्रक्रान्ता प्रस्तुता। आरोप्यमाणेति। उपमानेत्यर्थः। स्वरूपेण नदीरूपेण। शुद्धमिति। परिणामामिश्रितमित्यर्थः। परिणामत्वसमर्थनायाशंकते—नन्विति। विषयेति। उपमेयेत्यर्थः। विषयीति। उपमानमित्यर्थः। तृतीयाया इति। प्रकृत्यादित्वाज्जाताया इति भावः। तदन्वयित्वादिति। तृतीयार्थाभेदान्वयित्वादित्यर्थः। निरस्यति—नेति। तत्र हेतुमाह—विषयाभिन्नेति। एवं प्रथमपद्यविषयकं विचारं समाप्य द्वितीयपद्यविषयकं तं कर्तुमुपक्रमते—द्विर्भाव इत्यादिना। कथ्येते इति। 'कुर्वन्' इति शत्रन्तेन 'विजयते' इति लडन्तेन चेति भावः। तत्रेति। तयोर्द्वयोर्मध्य इत्यर्थः। द्विर्भावः पुष्पकेतोरित्यस्यार्थमाह—अयमपरो मन्मथ इति। विबुधेति। वाक्यस्यार्थमाह—अपरोऽयं कल्पतरुरिति। विटपिनामिति बहुवचनं कल्पभेदाभिप्रायेण। चिन्तारत्नस्य विकल्प इत्यस्यार्थमाह—चिन्तामणिर्द्वितीय इति। द्वितीय इत्यस्याग्रेऽप्यनुषङ्गो बोध्यः। तपनेत्यादेरर्थमाह—कर्ण इति। वासवस्येत्यस्यार्थमाह—इन्द्रश्चेति। भूगत इत्यनेन प्रसिद्धेन्द्राद् व्यतिरेकः सूचितः। द्वैतं देवस्येत्यादेरर्थमाह—हरिरिति। संसारं हरिष्यतीति। जनन-मरणादिसंसरणं नाशयिष्यतीत्यर्थः। स्वात्मनैवेति। विषयिरूपेणैवेत्यर्थः। परिणामः ? इति। काक्वा नास्तीत्यर्थः। 'तारानायक—' इति प्रथमश्लोके शृङ्गारिशिवोद्देश्येन कविना क्रियमाणो नमस्कारः प्रस्तुतोऽर्थः। शृङ्गारित्वे च शेखरतिलकादीनि भूषणानि समपेक्षितानि, तानि विना

शृङ्गारित्वानुपपत्तेः, तत्र च। नदीदृगादीनामुपमेयानाम् शेखरतिलकाद्युपमानरूपतयैव उपयोगो न स्वस्वरूपेण। तथा च प्रकृतलक्षणानाक्रान्ततया न परिणामः, अपि तु रूपकमेव। उपमेयवाचकनदीदृगादिपदोत्तरतृतीयाविभक्त्यर्थेऽभेदे शेखर-तिलकादेरन्वयेन पर्यवसिते 'नद्यादिप्रतियोगिकाभेदाश्रयाणि शेखरादीनि' इत्यर्थे परिणामः स्पष्टः, तल्लक्षणे उपमेया-भिन्नतयोपमानावस्थानस्योक्तत्वादिति तु वक्तुं न सुशकम्, 'विषयात्मतया प्रकृतोपयोगी विषयी' इत्युक्त्या परिणामघटकतया फलितयोः विषयाभेद-प्रकृतोपयोगयोरंशयोः प्रथमांशस्य सत्त्वेऽपि द्वितीयांशस्यासत्त्वात्। ननु प्रकृते विषयिणि शेखरादौ विषयस्य नद्यादेरभेदः शृङ्गारित्वे उपयोगश्चास्त्येवेति कथमुक्तांशद्वयसत्त्वहानिरिति चेत्? सत्यम्, विषयिणः शेखरादेरुपयोगोऽस्ति, परन्तु न विषयाभिन्नत्वेन, अपि तु स्वरूपेणैवेत्याशयः। न चैवं रूपकमपि कथम्? तत्रापेक्षितस्य विषयिप्रतियोगिकाभेदस्यात्राप्रतीतेर्विषयप्रतियोगिकाभेद-स्यैव प्रतीतेश्चेति वाच्यम्, रूपकप्रकरणोक्तरीत्या विषयिप्रतियोगिकाभेदस्यैवेदृशे स्थले स्वीकारात्। एवं 'द्विर्भावः—' इत्यत्रापि मुख्यतया वर्ण्यमानयोरत एव प्रकृतकार्यरूपयोः राज्ञः कोविदानन्दजनकत्वजगदुत्कर्षयोर्मध्ये कोविदानन्दजनकत्वांशे प्रकृतपद्योपमानभूतानां कामदेव-कल्पतरु-चिन्तामणि-कर्णेन्द्र-विष्णूनाम् स्वरूपेणैवोपयोगः न तु राजात्मकोपमेय-रूपेण, यतः 'कामदेवोऽस्माभिर्दृष्टः' 'धरातलावतीर्णः कल्पतरुः, कर्णः, इन्द्रो वाऽयमस्माकं दारिद्र्यं दूरीकरिष्यति' 'विष्णुरयं नः संसारयात्रां समापयिष्यति' इत्याकारकाणां ज्ञानानामे-वानन्दहेतुत्वम्। तथा चोपमेयरूपेणोपमानोपयोगाभावादत्र न परिणामप्रसङ्गः, अपि तु स्व-स्वरूपेणोपमानोपयोगसत्त्वाद्रूपकप्रसक्तिरेव। इत्थं च दीक्षितमतं न युक्तमिति भावः। अत्र "उक्तप्रधानपरिणामप्रकरणे 'इदं वैयधिकरण्यं रूपकेऽपि दृश्यते' इत्युक्त्वा तारानायक-शेखरायेत्याद्युदाहृतम् तत्र को दोषः? किं च नद्या शेखरिणे इत्यंशे विषयात्मतयैव प्रकृतोपयोगाभावात्परिणामाभावेऽपि वाच्यमार्थं वा रूपकमपि न वाच्यम्। उपमानप्रति-योगिकाभेदस्योपमेयेऽभानात्। किं च शृङ्गारितोपपादकं शेखरादीत्यप्ययुक्तमेव। नारा-यणेनाक्ष्णे इत्यस्य तदुपपादकत्वाभावात्। किं तु नमस्यतासम्पादकशिवनिष्ठोत्कर्षबोधका-नीमानि विशेषणानि। तदुपपादकता च शेखरस्य नदीतादात्म्यापत्त्येति परिणाम एवायम्; शेखरस्य नीचजनसाधारणत्वात्। इत एवास्वरसात् द्विर्भावः पुष्पकेतोरिति पद्यान्तर-मुदाहृतं तैः। तस्मात् 'यच्च' इत्यादि 'कुत्रास्ति परिणामः' इत्यन्तं चिन्त्यमिति बोध्यम्।" इति नागेशः।

उक्त दीक्षितमत का खण्डन किया जाता है—अत्र चिन्त्यते इत्यादि। 'तारानायक-शेखराय—' इस पद्य में पार्वतीसङ्ग के कारण शृङ्गारी शिव के प्रति कवि द्वारा किया जानेवाला नमस्कार प्रस्तुत अर्थ है। और शृङ्गारी होने के लिये शिरोभूषण आदि आभ-रणों की अपेक्षा है, क्योंकि उनके विना शृङ्गारी होना सम्भव नहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ आरोपित किए जानेवाले–अर्थात् उपमानभूत पदार्थ-शिरोभूषण, तिलक आदि के रूप में ही नदी, नेत्र आदि उपमेयों का उपयोग सिद्ध होता है, अतः यहाँ शुद्ध रूपक ही होना चाहिए, परिणाम नहीं। 'परिणाम में उपमान उपमेय से अभिन्न होकर रहता है' यह कहा जा चुका है। और प्रस्तुत पद्य में उपमेयवाचक नदी आदि शब्दों के आगे की तृतीया विभक्ति का अर्थ अभेद है और उस अभेद के साथ 'शिरोभूषण' आदि का

अन्वय होता है। अतः 'नदीद्वारा शिरोभूषणवाले' का अर्थ होगा 'नदी से अभिन्न शिरोभूषणवाले-अर्थात् नदीरूप शिरोभूषणवाले'। ऐसी अवस्था में नदी का अभेद शिरोभूषण में होता है, न कि शिरोभूषण का अभेद नदी में। फिर यहाँ परिणाम कैसे नहीं?' यह शङ्का तो की नहीं जा सकती, क्योंकि उक्त रीति से प्रकृत पद्य में उपमेय से अभिन्न उपमान (नदीरूप शिरोभूषण) की प्रतीति अवश्य होती है-इसमें किसी को कोई विप्रतिपत्ति नहीं, पर प्रकृतकार्य-शृङ्गार-में उसका (शिरोभूषणरूप उपमान का) उपयोग उस रूप में (उपमेय नदीरूप में) नहीं होता, अपितु अपने आपके रूप में ही। तात्पर्य यह कि-परिणाम-लक्षण में दो बातें कही गई हैं-एक उपमेय से अभिन्नरूप में उपमान का प्रतीत होना और दूसरी उपमेय रूप में ही उपमान का प्रकृत-कार्योपयोगी होना, इन दोनों बातों में से प्रथम बात यहाँ अवश्य सङ्घटित होती है, पर दूसरी बात नहीं, अतः परिणाम का यह लक्ष्य नहीं हो सकता। आप कहेंगे-जब आप भी यहाँ उपमेय का ही अभेद उपमान में मानते हैं, तब रूपक भी कैसे होगा? क्योंकि रूपक में उपमान का अभेद उपमेय में भासित होता है, तो इसका उत्तर रूपकप्रकरण की बात का स्मरण करके समझ लीजिये-अर्थात् ऐसी जगहों पर भी अभेद का प्रतियोगी उपमान को ही माना जाता है, अतः रूपक होने में कोई बाधा नहीं। 'द्विर्भावः पुष्पकेतोः—' इस पद्य में भी राजा नृसिंह के विषय में 'विद्वानों के आनन्द को उत्पन्न करना' और 'जगत् में उत्कृष्ट होना' ये दो बातें कही जा रही हैं। उनमें से राजा का 'विद्वानों के लिये आनन्दजनक होना' भी जिस तरह आरोपित किए जानेवाले दूसरे कामदेव आदि के रूप में बन सकता है उस तरह केवल अपने रूप में नहीं। समझिए—'ओह! हमारे नेत्रों की सफलता, कि-इस दूसरे कामदेव को हम देख रहे हैं' ऐसा माननेवाले विद्वानों के नेत्रों के लिये आनन्द 'कामदेव' द्वारा ही सिद्ध किया जा रहा है, न कि राजा द्वारा। इसी तरह यह दूसरा कल्पवृक्ष और चिन्तामणि है, दूसरा कर्ण है और पृथ्वी पर अवतीर्ण इन्द्र है—यह हमारी दरिद्रता का हरण करेगा। यह विष्णु भगवान् है, अतः हमारी संसारयात्रा को निवृत्त कर देगा-इस अभिमान से उत्पन्न होनेवाला आनन्द भी 'कल्पवृक्ष' आदि के द्वारा ही बन सकता है, राजाद्वारा नहीं। अतः यहाँ उपमान का उपयोग उपमेयरूप में नहीं है, किन्तु उपमानरूप में ही है। फिर यहाँ परिणाम कहाँ है? अर्थात् रूपक ही है। सारांश यह हुआ कि दीक्षित जी ने जो उक्त दोनों पद्यों को व्यधिकरण परिणाम के उदाहरण बतलाया, वह असङ्गत ही है। वस्तुतः ऐसी बात है नहीं—अर्थात दीक्षित जी ने परिणाम के उदाहरणरूप में इन पद्यों को उपस्थित नहीं किया है, किन्तु यह कहा है कि-"इस तरह का वैयधिकरण्य जैसा परिणाम में होता है—रूपक में भी हो सकता है। 'जैसे—'तारानायक—' और 'द्विर्भावः—' इन दोनों पद्यों में।" देखिए—उनकी चित्रमीमांसा के परिणामप्रकरण को। नागेश भी अपनी टीका में यहाँ लिखते हैं कि-"परिणामप्रकरण में 'यह वैयधिकरण्य रूपक में भी दीख पड़ता है' ऐसा कहकर दीक्षित जी ने 'तारानायकशेखराय—' इत्यादि उदाहरण दिए हैं। उसमें क्या दोष हुआ? और 'नदी द्वारा शिरोभूषणवाले' इस अंश में उपमेयरूप से उपमान का प्रकृतकार्य में उपयोग नहीं होता, अतः परिणाम भले ही न हो, पर वाच्य अथवा आर्थ रूपक भी तो नहीं हो सकता क्योंकि उपमान प्रतियोगिक-अर्थात् उपमान का अभेद उपमेय में यहाँ प्रतीत नहीं होता। और 'शृङ्गार के उपपादक शिरोभूषण आदि हैं' यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि 'नारायण द्वारा अस्त्रवाले' यह अंश शृङ्गार का उपपादक हो नहीं सकता। अतः यह समझना चाहिये कि-ये सब विशेषण यहाँ शिव को प्रणम्य सिद्ध करने के लिये उनके उत्कर्ष के बोधक हैं। और शिव की प्रणम्यता की सिद्धि शुद्ध

शिरोभूषण मात्र से होती नहीं, वरन् शिरोभूषण की नदीरूपता से होती है, क्योंकि शुद्ध अर्थात किसी तरह का शिरोभूषण किसी नीच जन में भी हो सकता है, फिर उससे किसी का उत्कर्ष कैसा ? और प्रणम्यता कैसी ? हाँ, नदी को शिरोभूषण बना लेना अवश्य ही उत्कर्ष तथा प्रणम्यता का कारण हो सकता है। अतः यह पद्य परिणाम का ही उदाहरण है। इसी अस्वरस के कारण 'द्विर्भावः—' यह दूसरा पद्य-जहाँ परिणाम की कोई गुञ्जाइश नहीं—उदाहरण के रूप में उन्होंने रक्खा। अतः 'यच्च' से लेकर 'कुत्रास्ति परिणामः' तक का मूलग्रन्थ चिन्तनीय है ऐसा समझना चाहिए।''

खण्डनाय सर्वस्वकारमतमुपन्यस्यति—

अलङ्कारसर्वस्वकारस्तु—'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः' इति सूत्रयित्वा 'आरोप्यमाणं रूपके प्रकरणोपयोगित्वाभावात्प्रकृतोपरञ्जकत्वेनैव केवलेनान्वयं भजते। परिणामे तु प्रकृतात्मतयारोप्यमाणस्योपयोग इति प्रकृतमारोप्यमाणतया परिणमति' इति व्याख्यातवान्।

आरोप्यमाणेति। उपमानेत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। प्रकृतोपयोगित्वे इति। प्रस्तुतकार्योपयोगित्वे इत्यर्थः। प्रकरणेति। प्रकृतकार्येत्यर्थः। प्रकृतोपरञ्जकत्वेनेति। प्रकृतस्य—उपमेयस्य—स्वोपरक्तबुद्धिविषयीकरणेनेत्यर्थः। प्रकृतात्मतयेति। उपमेयरूपेणेत्यर्थः। प्रकृतम् उपमेयम्। आरोप्यमाणतया उपमानरूपतया। 'आरोप्यमाणम् = उपमानं यत्र प्रस्तुतकार्योपयोगि भवति तत्र परिणामालङ्कारः' इति सूत्रं निर्माय स्वयमलङ्कारसर्वस्वकृत तस्य सूत्रस्य व्याख्यामकरोत् यत्–रूपके उपमानं प्रस्तुतकार्योपयोगि न भवतीति तस्य प्रस्तुतकार्येऽन्वयः उपमेयोपरञ्जकत्वमात्रेण भवति—अर्थात् उपमेयनिष्ठाहार्याभेदनिश्चयगोचरतया भवति। परिणामे पुनः उपमेयरूपेणोपमानस्योपयोगो भवतीति उपमेयमुपमानरूपतया परिणमति, अतः परिणाम इति संज्ञाकरणम् इति भावः।

अब खण्डनीय सर्वस्वकार का मत उद्धृत किया जाता है—अलङ्कारसर्वस्वकारस्तु इत्यादि। अलङ्कारसर्वस्वकार ने तो 'आरोपित किया जानेवाला –अर्थात् उपमान यदि प्रस्तुतकार्योपयोगी हो तब 'परिणाम' होता है।' यह सूत्र बनाकर उसकी व्याख्या में लिखा कि—रूपक में आरोपित किया जानेवाला–उपमान–प्रस्तुतकार्य में उपयोगी नहीं होता अतः उसका कार्य के साथ सम्बन्ध केवल इतना भर होता है कि वह उपमेय का उपरञ्जक हो गया रहता है। तात्पर्य यह कि—कार्य में अन्वय उपमेय का ही होता है पर उसमें उपमान का झूठा तादात्म्य गृहीत हुआ रहता है जिससे उपमान भी कार्यान्वित सा ज्ञात होता है। परन्तु परिणाम में तो उपमान उपमेयरूप से प्रस्तुतकार्योपयोगी होता है, अतः उपमेय उपमानरूप में परिणत होजाता है, फलतः वहाँ उपमान का कार्य के साथ वास्तविक सम्बन्ध होता है।'

प्रागुक्तसर्वस्वकारोक्तं खण्डयति—

अत्रापि चिन्त्यते—आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोग इत्यस्य प्रकृतकार्ये उपयोग-आहोस्वित् प्रकृतविषयात्मतया उपयोगोऽर्थः ? न तावदाद्यः।

'दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां
पादप्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि दूये।

उद्यत्कठोरपुलकाङ्कुरकण्टकाग्रै-
र्यत्खिद्यते तव पदं ननु सा व्यथा मे ॥'

इति त्वदुदाहृतरूपकोदाहरणे आरोप्यमाणानां कण्टकानां प्रकृतखेदव्यथारूपकार्ये उपयोगेनातिप्रसङ्गात् न द्वितीयः।

'अथ पक्त्रिमतामुपेयिवद्भिः सरसैर्वक्त्रपथाश्रितैर्वचोभिः।
क्षितिभर्तुरुपायनं चकार प्रथमं तत्परतस्तुरङ्गमाद्यैः ॥'

इत्यत्र स्वोक्तव्यधिकरणपरिणामोदाहरणासङ्गत्यापत्तेः। यतो राजसङ्घटने ह्युपायनस्यारोप्यमाणस्य स्वात्मनैवोपयोगः, न तु विषयवचोरूपतया। वचसां तु विषयाणामारोप्यमाणोपायनरूपत्वेन परमुपयोग इति प्रत्युत विपरीतम्। तस्मादस्मदुक्तमेव व्यधिकरणपरिणामस्योदाहरणं साधु। इदं तु पुनर्व्यधिकरणरूपकं भवितुमर्हति। तृतीयार्थोभेदोऽपि मीनवतीनयनाभ्यामित्यत्रेव प्रकृत्यर्थानुयोगिको बोध्यः।

अत्रेति। सर्वस्वकारोक्तिविषये इत्यर्थः। चिन्त्यते इति। विचारः क्रियते इति भावः। चिन्तास्वरूपमाह—आरोप्यमाणस्येत्यादिना। उपयोग इति। वक्ष्यमाणार्थपदस्यात्राप्यपकर्षः। दासे इति। कृतागसि कृतापराधे, दासे सेवके, प्रभूणाम् स्वामिनां, पादप्रहारः चरणाघातः, उचितो युक्त, एव, भवति, अतः हे सुन्दरि! अस्मि अहम् (अस्मदर्थकमव्ययमेतत, क्वचित्तु 'अस्मि' इत्यस्य स्थाने 'अत्र' इति पाठो दृश्यते, तथा च अत्र पादप्रहारविषये न दूये इत्यर्थः) न, दूये दुःखीभवामि। किन्तु उद्यन्ति त्वदीयचरणस्पर्शेनोत्पद्यमानानि यानि कठोराणि पुलकानि रोमाणि तेषाम् अङ्कुरा एव कण्टकाग्राणि तैः, तव, पदं यत् खिद्यते क्लेशं प्राप्नोति, ननु निश्चयेन, सा मे, व्यथा वेदना इत्यर्थः। नायिकां प्रति सापराधस्यानुभूततत्पादप्रहारस्य नायकस्योक्तिरियम्। तदुदाहृतेति। सर्वस्वकारोदाहृतेत्यर्थः। आरोप्यमाणानामिति। पुलकेष्वित्यादिः। प्रकृतेति। प्रकृतो यः खेदस्तत्सम्बन्धिनी या व्यथेत्यर्थः। अथ पक्त्रिमतामिति। पूर्वसाकांक्षम् प्रकरणविशेषघटितमेतत्पद्यम्। अथ अनन्तरम्, कश्चित् पूर्वप्रक्रान्तो जनः, वक्त्रपथाश्रितैः मुखनिःसृतैः, पक्त्रिमताम् परिपक्वताम्, उपेयिवद्भिः प्राप्तवद्भिः, अत एव, सरसैः, वचोभिः वचनैः, प्रथमम् प्राक्, तत्पश्चात, तुरङ्गमाद्यैः अश्वाद्यैः, क्षितिभर्तुः राज्ञः, उपायनम् उपहारं चकारेत्यर्थः। असङ्गतिमुपपादयति—यतो इत्यादिना। राजसङ्घटने राजमेलने। उपायनस्य उपहारस्य। आरोप्यमाणस्येति। वचसामित्यादिः। प्रत्युत विपरीतमिति। अत्र 'अत्रेदं चिन्त्यम्—यत्किञ्चिद्रूपोपायनस्य राजसङ्घटनानुपायत्वात, विलक्षणवचनतुरङ्गमादिरूपस्यैव च तदुपायत्वात, एवं च राजसङ्घटनोपयोगित्वं तुरङ्गमादिरूपेणैवोपायनस्यैतदुक्तिरेव विपरीतेति। अग्रिममवधारणमिदं त्वित्याद्युक्तं च चिन्त्यमिति बोध्यम्।' इति नागेशः। पर्यवसितार्थमाह—तस्मादिति। अस्मदुक्तमिति। 'अहीनचन्द्रा—' इति पद्यमित्यर्थः। इदं तु इति। 'अथ पक्त्रिम—' इति पद्यमित्यर्थः। 'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे' इति सूत्रांशस्य द्वावर्थौ सम्भवतः, प्रकृतकार्ये उपयोग इत्येकः, प्रकृतोपमेयरूपेणोपयोग इति च द्वितीयः, तत्र प्रथमो न युक्तः, 'दासे कृतागसि' इति

सर्वस्वकाराभिमते रूपकोदाहरणेऽतिव्याप्तेः उपमेयकण्टकानां स्वजन्यनायिकागतखेदसंभावनाप्रयुक्तनायकगतव्यथारूपप्रकृतकार्ये उपयोगित्वात्। द्वितीयोऽपि नोचितः, 'अथ पवित्रमता—' इत्यत्र त्वदुक्तव्यधिकरणपरिणामोदाहरणत्वस्यासङ्गतेः, उपायनरूपस्योपमानस्योपमेयरूपतया राजमेलनात्मके प्रकृतकार्ये उपयोगाभावात्, उपमेयभूतवचनानामेवोपमानात्मनोपयोगेन वैपरीत्याच्च। अतो नेदं व्यधिकरणपरिणामोदाहरणम् सम्भवति, व्यधिकरणरूपकस्यैव प्रसक्तेः। ननु उपमेयवाचकवचःपदोत्तरतृतीयाविभक्त्यर्थाभेदस्य प्रकृत्यर्थप्रतियोगिकतया उपमानप्रतियोगिकाभेदभानाभावात् कथं रूपकमिति चेन्न, 'मीनवती नयनाभ्याम्—' इति प्रयुक्तपद्य इवात्रापि प्रकृत्यर्थानुयोगिकाभेदस्यैव तृतीयार्थताङ्गीकारात्। व्यधिकरणपरिणामोदाहरणं पुनर्मदुक्तमेवावगन्तव्यमिति भावः।

उक्त सर्वस्वकारमत का खण्डन किया जाता है—अत्रापि चिन्त्यते इत्यादि। उक्त सर्वस्वकार के मत के विषय में यह विचार किया जाता है कि 'आरोपित किये जानेवाले का प्रकृत में उपयोग' इस सूत्रांश का क्या अर्थ? प्रकृत कार्य में उपयोग अथवा प्रकृत उपमेय के रूप में उपयोग? दोनों में से एक भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम अर्थ मानने पर 'दासे कृतागसि—अर्थात हे सुन्दरि! दास यदि अपराधी हो तो उस पर स्वामियों का पाद-प्रहार उचित ही है, अतः मुझ अपराधी पर जो तुमने पाद-प्रहार किया उससे मैं दुखी नहीं हूँ। पर तुम्हारा चरण, उठते हुए कठोर रोमाञ्चों के अङ्कुररूप काँटों की नोकों से, खिन्न हो रहा है, बस यही मुझे व्यथा है।' इस नायक द्वारा मानिनी नायिका के प्रति कहे गए पद्य-जिसको आपने रूपक का उदाहरण माना है—में अतिव्याप्ति हो जायगी। कारण, यहाँ आरोपित किए जानेवाले-उपमान (काँटों) का प्रकृत व्यथारूप कार्य में उपयोग होता है। द्वितीय अर्थ मानने पर 'अथ पवित्रमताम्—अर्थात् उसने पहले मुखरूप पथ के पथिक-मुख द्वारा उच्चरित-और परिपक्व, अतएव सरस, वचनों द्वारा राजा की 'नजर' (भेंट) की, बाद में घोड़ा आदि द्वारा।' इस पद्य में आपका कहा हुआ 'व्यधिकरणपरिणाम' का उदाहरण असङ्गत हो जायगा। कारण, राजा से मिलने में आरोपित किए जानेवाले 'नजर' रूप उपमान का उपयोग अपने रूप में ही होता है, उपमेय वचनरूप में नहीं, प्रत्युत उपमेयरूप वचनों का उपयोग उपमानरूप 'नजरों' के रूप में होता है जो आपके कथन से सर्वथा विपरीत है। अतः आपके लक्षण-उदाहरण सभी गड़बड़ हैं। फलतः मदुक्त लक्षण तथा व्यधिकरणपरिणाम का उदाहरण ही ठीक है। आपका यह उदाहरण तो व्यधिकरण रूपक का हो सकता है। आप कहेंगे—रूपक का यह उदाहरण कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ वचः पद के आगे की तृतीया विभक्ति के अर्थ-अभेद-का प्रतियोगी प्रकृत्यर्थ-वचन-होगा, अतः उपमेय-वचन-का अभेद प्रतीत होगा, उपमान-'नजर'—का अभेद नहीं और रूपक की सिद्धि में उपमान के अभेद की प्रतीति आवश्यक है, तो इसका समाधान यह है कि जैसे 'मीनवती नयनाभ्याम्-' में प्रकृत्यर्थानुयोगिक अभेद ही तृतीयार्थ माना जाता है वैसे यहाँ भी प्रकृत्यर्थानुयोगिक अभेद को ही तृतीया विभक्ति का अर्थ माना जायगा। तात्पर्य यह कि ऐसी जगहों पर अभेद का प्रतियोगी उपमान ही होता है? उपमेय नहीं, अतः रूपक की सिद्धि होने में कोई बाधा नहीं। यहाँ भी नागेश अपनी टीका में सर्वस्वकार का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं-'राजा से मिलने में जिस किसी तरह के उपायन (नजर) का उपयोग नहीं किया जाता, अपितु विलक्षण उपायन का ही उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ उपायन का उपयोग अपने आपके रूप

में नहीं, किन्तु विलक्षण वचन अश्व आदि के रूप में ही होगा, फिर यहाँ परिणाम अवश्य माना जा सकता है, अतः ग्रन्थकार का यह खण्डन उचित नहीं है।'

मतान्तरमाह—

केचित्तु "क्वचित्केवलो विषयः स्वात्मना न प्रकृतोपयोगीत्ययमारोप्यमाणाभिन्नतयाऽवतिष्ठते, तत्रारोप्यमाणपरिणामः। यथा—'वदनेनेन्दुना तन्वी शिशिरीकुरुते दृशौ'। अत्र वदनमिन्द्वभिन्नतयाऽवतिष्ठते, केवलस्य वदनस्य दृक्छिशिरीकारकत्वायोगात्। क्वचिच्चारोप्यमाणः स्वात्मना न प्रकृतकार्योपयोगीत्ययं विषयाभिन्नतयाऽवतिष्ठते, तत्र विषयपरिणामः। यथा—'वदनेनेन्दुना तन्वी स्मरतापं विलुम्पति'। अत्रेन्दुर्वदनाभिन्नतयाऽवतिष्ठते, केवलस्येन्दोः स्मरतापापनोदकत्वायोगात्। एवं च परिणामद्वयात्मकमिदं रूपकमेव भवितुमर्हति। विषयतावच्छेदक-विषयितावच्छेदकान्यतरपुरस्कारेण निश्चीयमानविषयिविषयान्यतरत्वस्य तल्लक्षणत्वात्। अत एवोक्तम्—'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः' इति। तस्मान्न रूपकात्परिणामोऽतिरिच्यते" इति वदन्ति।

केवल इति। उपमानाभिन्नत्वेनाप्रतीयमान इति भावः। विषयः उपमेयः। आरोप्यमाणेति। उपमानेत्यर्थः। आरोप्यमाणपरिणाम इति। आरोप्यमाणे परिणामः परिणतिः तद्रूपतयाऽवस्थानमिति यावत्। विषयस्येति भावः। आरोप्यमाणपरिणाममुदाहरति—यथेति। तन्वी कृशाङ्गी नायिका, वदनरूपेण इन्दुना, दृशौ नयने, शिशिरीकुरुते शीतलयतीत्यर्थः। वदनस्येति। तस्य जलभिन्नत्वादिति भावः। विषयपरिणाम इति। विषये—उपमेये—परिणामः विषयिण इति यावत्। उपमेयरूपेणोपमानावस्थितिर्विषयपरिणाम इति स्पष्टार्थः। विषयपरिणाममुदाहरति—यथेति। कृशाङ्गी चन्द्ररूपेण मुखेन कामतापमपनुदतीत्यर्थः। इन्दोरिति। तस्योद्दीपकत्वेन तज्जनकत्वादिति भावः। ननु कथमयं द्विविधः परिणामः रूपकत्वेन स्वीकरणीयः, लक्षणानाक्रान्तत्वात् इत्यतोऽभिनवं रूपकलक्षणमाह—विषयतावच्छेदकेत्यादिना। तल्लक्षणेति। रूपकलक्षणेत्यर्थः। अभिनवमिदं लक्षणं प्राचीनलक्षणेन संवादयति—अत एवेति। उक्तमिति मम्मटभट्टेनेति भावः। 'उपमेयतावच्छेदकम् (उपमेयवृत्त्यसाधारणधर्मम्) पुरस्कृत्य निश्चीयमानमुपमेयतादात्म्यम्, उपमानतावच्छेदकं (उपमानगतासाधारणधर्मम्) पुरस्कृत्य निश्चीयमानमुपमेयतादात्म्यम्' इत्युभयविधं रूपकलक्षणम्। तेन यत्रोपमेयमुपमानरूपेण परिणमति—अर्थात् उपमेयमुपमानात्मना कार्योपयोगि भवति, यत्र चोपमानमुपमेयरूपेण परिणमति—अर्थात् उपमानमुपमेयात्मना कार्योपयोगि भवति, तत्रोभयत्र रूपकमेव। फलतः परिणामनामकः कश्चिद्रूपकातिरिक्तोऽलङ्कारो नास्तीति केषांचिदभिप्रायः। अत्र 'केचित्' 'वदन्ति' इति पदद्वयेनारुचिः सूच्यते, तद्बीजमाह नागेशः—'चमत्कृतिनिदानत्वेनालङ्कारभेद इति सिद्धान्तितत्वादन्यत्रेवात्रापि भेद एवोचितः'। इति।

अन्य मत का उल्लेख किया जाता है—केचित्तु इत्यादि। कुछ विद्वानों का कथन है कि—"दो तरह से परिणाम होता है। कहीं केवल उपमेय अपने रूप से प्रस्तुत कार्य में उपयोगी नहीं होता, अतः उसे (उपमेय को) आरोपित किए जानेवाले (उपमान) से अभिन्न होकर रहना पड़ता है। ऐसी जगह प्रस्तुत का आरोपित किए जानेवाले के रूप में—अर्थात् उपमेय का उपमान के रूप में—परिणाम होता है। जैसे—'वदनेन्दुना—

अर्थात् कृशाङ्गी नायिका चन्द्ररूप मुख से नयनों को शीतल करती है।' यहाँ मुख को चन्द्र से अभिन्न होकर रहना पड़ता है, क्योंकि केवल मुख नयन को शीतल नहीं कर सकता। और कहीं आरोपित किया जानेवाला (उपमान) अपने रूप से प्रस्तुत कार्य में उपयोगी नहीं होता, अतः उसे उपमेय से अभिन्न होकर रहना पड़ता है। ऐसे स्थलों पर उपमान का उपमेय के रूप में परिणाम होता है। जैसे—'वदनेनेन्दुना—अर्थात् कृशाङ्गी नायिका मुखरूप चन्द्र से कामताप को शान्त करती है।' यहाँ चन्द्र को मुख से अभिन्न होकर रहना पड़ता है, क्योंकि केवल चन्द्र कामताप को शान्त नहीं कर सकता। इस तरह इन दोनों परिणामों के रूप में रूपक का होना ही उचित है, क्योंकि मेरे हिसाब से रूपक का लक्षण यह होना चाहिए कि—उपमेयतावच्छेदक ('मुखत्व' आदि) अथवा उपमानतावच्छेदक ('चन्द्रत्व' आदि) दोनों में से किसी एक को आगे रखकर निश्चित की जाने वाली उपमानरूपता अथवा उपमेयरूपता दोनों में से किसी को भी रूपक कहा जा सकता है। अतएव तो मम्मटभट्ट ने कहा है कि—'तद्रूपक—अर्थात् उपमान-उपमेय का जो अभेद होता है (उन दोनों में से चाहे कोई किसी रूप में परिणत हो) वह रूपक कहलाता है।' अतः 'परिणाम' 'रूपक' से कोई अतिरिक्त अलङ्कार नहीं है।" 'केचित्तु' तथा 'वदन्ति' इन दोनों ही पदों से इस मत में ग्रन्थकार अपनी अरुचि सूचित करते हैं, जिसका बीज नागेश अपनी टीका में यह बतलाते हैं कि 'अलङ्कार के भेद में चमत्कार का भेद ही मूल कारण माना जाता है। ऐसी दशा में जैसे अन्य अनेक भिन्न-भिन्न अलङ्कार माने जाते हैं, वैसे इन दोनों (रूपक और परिणाम) को भी भिन्न-भिन्न अलङ्कार मानना ही उचित है।' इसका अभिप्राय यह हुआ कि—रूपक-जहाँ उपमान प्रधान रहता है और उपमेय गौण—में उपमानकृत चमत्कार होता है और परिणाम-जहाँ उपमेय प्रधान रहता है और उपमान गौण—में उपमेयकृत चमत्कार होता है, अतः ये दोनों चमत्कार दो तरह के होते हैं और चमत्कार जब दो तरह के होते हैं तब अलङ्कार भी दो मानने ही पड़ेंगे।

अथ परिणामालङ्कारविशिष्टवाक्यजबोधं विचारयितुं प्रक्रमते—

अथ बोधः—

परिणामसम्बद्धविचारान्तरकरणानन्तरं सम्प्रति परिणामवाक्यजबोधो विचार्यत इति भावः।

परिणाम के विषय में अन्य विचार कर लेने के बाद अब परिणामवाले वाक्यों से होनेवाले शाब्दबोध का विचार किया जाता है।

कतिपयेषु स्थलविशेषेषु बोधं विचारयति—

हरिनवतमाल इत्यत्र भगवदभिन्नतमाल इति निर्विवादैव धीः। तथा श्रावं श्रावं वचःसुधामित्यत्र विशेषणसमासगतपरिणामे वचनाभिन्नां सुधामिति, पायं पायं वचःसुधामितिरूपके तु वचोनिष्ठाभेदप्रतियोगिनीं सुधामिति बुद्धिः। एवं च 'वदनेनेन्दुना तन्वी स्मरतापं विलुम्पति' इति व्यस्तपरिणामे 'वदनेनेन्दुना तन्वी शिशिरीकुरुते दृशौ' इति व्यस्तरूपके च बोधवैलक्षण्यम्।

तथा—

'शान्तिमिच्छसि चेदाशु सतां वागमृतं शृणु।
हृदये धारणाद्यस्य न पुनः खेदसम्भवः॥'

इति परिणामे, शृण्विति विहाय पिबेति कृते तत्रैव रूपके,

'विद्धा मर्मणि वाग्बाणैर्घूर्णन्ते साधवः खलैः।
सद्भिर्वचोऽमृतैः सिक्ताः पुनः स्वस्था भवन्ति ते ॥'

इति रूपके च बोधव्यवस्थितिः। तथा 'अहीनचन्द्रा लसताऽऽननेन ज्योत्स्नावती चापि शुचिस्मितेन' इति व्यधिकरणपरिणामेऽभेदस्य तृतीयार्थत्वात्सरसीलसदाननाभिन्नहीनेतरचन्द्रयुक्तेति धीः। मीनवती नयनाभ्यामित्यत्र तु सरसीतादात्म्यारोपो बाधकाभावात्तावत्सिद्धः। तस्य च मीनयोर्नयनाभेदारोपेणासमर्थनान्नयनयोर्मीनाभेदारोपो मृग्यः। स च तृतीयायाः प्रकृत्यर्थाभेदार्थकतायां न सम्भवतीति यथाकथञ्चित्तस्याः प्रकृत्यर्थनिष्ठाभेदप्रतियोगित्वार्थकत्वं वाच्यम्। तेन नयननिष्ठाभेदप्रतियोगिमीनयुक्तेति धीः। एवं चारोप्यमाणे विषयप्रतियोगिकाभेदस्याभानान्न परिणामः, अपि तु रूपकमेव। इयमेव सरणिः 'नद्या शेखरिणे दृशा तिलकिने—' इति प्रागुक्ताप्पयदीक्षितदत्तोदाहरणे, 'वचोभिरुपायनं चकार—' इत्यलङ्कारसर्वस्वोदाहरणे च बोध्या। पुनरारोप्यमाणे यथाकथञ्चिद्विषयाभेदप्रत्ययमात्रात्परिणामतोच्यते, नाद्रियते च प्रकृतोपयोगस्तदा 'प्रवृत्तोऽस्याः सेक्तुं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम्' इति तदुदाहृतरूपकस्य परिणामतापत्तिः, प्रेमलतिकामिति समासे प्रेम्णो विषयस्य लतिकायामारोप्यमाणायामभेदेन विशेषणत्वादिति दिक्।

हरिनवेति। ग्रन्थकृता दत्ते परिणामप्रथमोदाहरणे इत्यर्थः। भगवदभिन्नेति। तमालनिष्ठाभेदप्रतियोगी भगवानिति भावः। निर्विवादैवेति। परिणामस्य निर्विवादत्वेऽन्यस्या असम्भवादिति भावः। धीः बोधः। ग्रन्थकृदुक्तपरिणामद्वितीयोदाहरण आह—तथेति। विशेषणसमासेति। 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' इति सूत्रविहितसमासेत्यर्थः। गत इति। अधीनेत्यर्थः, वचनाभिन्नमिति। सुधानिष्ठाभेदप्रतियोगिवचनानीति भावः। रूपके त्विति। 'श्रावं श्रावम्' इत्यस्य स्थाने स्वीकृतस्य 'पायं पायम्' इति पाठस्य सुधारूपोपमानप्राधान्यमूलकरूपकगमकत्वादिति भावः। एवञ्चेति। समस्तयोः परिणामरूपकयोर्बोधवैलक्षण्यसिद्धौ चेत्यर्थः। बोधवैलक्षण्यमिति। प्रतियोगित्वमुखत्वानुयोगित्वमुखत्वकृतमिति भावः। तथा च 'इन्दुनिष्ठाभेदप्रतियोगिना वदनेने'ति परिणामे, 'वदननिष्ठाभेदप्रतियोगिना इन्दुना' इति च रूपके बोध इति सारांशः। एवमग्रेऽपीत्याह—तथेति। शान्तीति। त्वम्, शान्तिं इच्छसि चेत्? तदा, आशु शीघ्रम्, सतां सज्जनानां, वागमृतं वचनपीयूषम्, शृणु, यस्य वचनपीयूषस्य, धारणात्, श्रवणात् पुनः, हृदये, खेदस्य, सम्भवो न भवतीत्यर्थः। परिणाम इति। आरोप्यमाणस्यामृतस्य विषयीभूतवचोरूपतयैव श्रवणात्मके प्रस्तुतकार्ये उपयोगादिति भावः। शृण्वितीति। 'शृणु' इत्यस्य स्थाने 'पिब' इति पाठे समाश्रिते इति भावः। तत्रैव तस्मिन्नेव पद्ये। रूपके इति। आरोप्यमाणस्य स्वरूपेणैव पानात्मके कार्ये उपयोगादिति भावः। विद्धेति। खलैः दुर्जनैः, वाग्बाणैः वचनेषुभिः, मर्मणि मर्मभूतहृदयदेशावच्छेदेन, विद्धाः आहताः, साधवः सज्जनाः, घूर्णन्ते मस्तकघूर्णनं भजन्ते। पुनः, सद्भिः सज्जनैः, वचोऽमृतैः वाणीसुधाभिः, सिक्ताः आर्द्रीकृताः सन्तः,

ते दुर्जनवाग्बाणविद्धाः साधवः, स्वस्थाः घूर्णनरहिताः, भवन्तीत्यर्थः। रूपके चेति। 'विद्धा' इत्यत्र 'वाग्बाणैः' 'वचोऽमृतैः' इत्युभयमपि रूपकमेव, उपमानयोः बाणामृतयोः उपमेयवाग्रूपेण कार्यानुपयोगित्वात् स्वस्वरूपेण तदुपयोगित्वाच्चेति भावः। बोधव्यवस्थितिरिति। 'वागभिन्नामृतम्—' अर्थात् अमृतनिष्ठाभेदप्रतियोगिनीम् वाचम्' इति परिणामे, पिबेति पाठानुसारं रूपके तु—वाङ्निष्ठाभेदप्रतियोग्यमृतमिति, 'बाणाभिन्नाभिर्वाग्भिः, अर्थात् वाङ्निष्ठाभेदप्रतियोगिभिर्बाणैः' इति 'वचननिष्ठाभेदप्रतियोगिभिरमृतैः' इति च यथायथं बोधा इति भावः। व्यधिकरणपरिणामस्थले बोधं विचारयति—तथेति। लसताऽऽननेनेति। शोभमानमुखाभिन्नपूर्णचन्द्रयुक्तेति बोधार्थः। एवं शुचिस्मिताभिन्नज्योत्स्नायुक्तेत्यपि बोधो बोध्यः। नन्वेवम् 'मीनवती नयनाभ्याम्—' इत्यत्रापि तादृशबोधापत्तिः तुल्यत्वान्नेत्याह—'मीनवती…' इत्यत्र त्विति। तावत् आदौ। तस्य चेति। सुन्दर्यां सरसीतादात्म्यस्येत्यर्थः। प्रकृत्यर्थाभेदेति। प्रकृत्यर्थप्रतियोगिकाभेदेत्यर्थः। विभक्त्या संसर्गबोधनस्य प्रकृत्यर्थप्रतियोगिकस्यैव व्युत्पत्तिसिद्धत्वेन तदसम्भवादाह—यथाकथञ्चिदिति। तस्याः तृतीयायाः। तेनेति। तृतीयायाः प्रकृत्यर्थनिष्ठाभेदप्रतियोगित्वार्थकत्वकल्पनेनेत्यर्थः। अयमत्र विशदोऽर्थः—'सुन्दरी सरसी' इत्यंशे सुन्दर्यां सरसीतादात्म्यारोपे न किञ्चिद् बाधकमिति प्रधानमिदं सरसीरूपकं प्रथमतः सिद्ध्यति। ततः समर्थकरूपकांशं नयनाभ्यामित्यभेदार्थकतृतीयाविभक्तिश्रवणाद्यद्यपि प्रकृत्यर्थस्य नयनस्य अभेदः—नयनप्रतियोगिकाभेद इति यावत्—प्राप्तः, किन्तु नयनाभेदेन सरसीरूपकस्य समर्थनं न भवति, अत एव नयनयोर्मीनाभेदः मीनप्रतियोगिकाभेद इति यावत्—मृग्यः—यत्नविशेषेणापि स्वीकार्यः। स च यत्नविशेषः स्थलविशेषातिरिक्तत्वेनोक्तव्युत्पत्तौ सङ्कोचरूपः। तथा चोक्ततृतीयायाः नयननिष्ठाभेद एवार्थः फलितः। एवञ्च 'नयननिष्ठे'ति मूलोक्ताकारो बोधस्तत्र जायते। तादृशबोधविषयीभूतेन चार्थेन सरसीरूपकस्य समर्थनं भवतीति। फलितमाह—एवं चेति। आरोप्यमाणे—अर्थात् मीने विषयप्रतियोगिकाभेदस्य—अर्थात् नयनप्रतियोगिकाभेदस्य अप्रतीतेर्नात्र परिणामः, किन्तु रूपकमेवेति भावः। उक्तप्रकारेणायमेव बोधोऽन्यत्रेत्याह—इयमेवेति। सरणिः पद्धतिः। उदाहरणे च बोध्येति। 'नदीनिष्ठाभेदप्रतियोगिशेखरयुक्ताय' इति 'दृङ्निष्ठाभेदप्रतियोगितिलकयुक्ताय' इति, 'वचननिष्ठाभेदप्रतियोग्युपायनम्' इति च बोधा भवन्ति। एवञ्चोक्तयुक्त्याऽत्रापि रूपकमेवेति सिद्धम् इति भावः। अत्र नागेशः—"परे तु पूर्वपदार्थप्रधानमयूरव्यंसकादिसमासेन सुधाप्रतियोगिकाभेदवद्वच इत्येव बोधः। रूपके मीनवती नयनाभ्यामित्यत्र सुन्दर्यां सरसीतादात्म्यरूपं रूपकं मुख्यवाक्यार्थः। तत्र च मीनवत्त्वादिः साधारणो धर्मः। तस्य च सुन्दर्यामभावात्प्राप्तबाधबुद्धिस्थगनाय नयनाभ्यां मीनवतीति सुन्दरीविशेषणम्। सरस्यां च मीनवत्त्वं प्रसिद्धमेव। सुन्दर्यां मीनवत्त्वसम्पादनरूपप्रकृतकार्योपयोगिता मीनानां नयनतादात्म्यापत्त्यैवेति तदंशे परिणाम एवेति नयनप्रतियोगिकाभेदवन्मीनवतीत्येव बोध इति दिक्। 'पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय' मञ्जु' इत्यादौ रूपकोपमयोः सन्देह एव इति प्राहुः।" इति। मीनवतीति पद्ये परम्परितरूपकम्। परम्परिते च समर्थ्यसमर्थकभावे नियमतस्तिष्ठति। रूपकस्य समर्थनम् च रूपकेणैव

सम्भवति, न परिणामेनेति 'मीनवती नयनाभ्याम्' इत्यंशेऽपि ग्रन्थकारोक्तदिशा रूपकमेव न्याय्यम्, न नागेशोक्तरीत्या परिणाम इति तु मम प्रतिभाति। उपसंहारे पुनर्दीक्षिताशयनिरसनमुखेन परिणामे कार्योपयोगं समर्थयति—यदीति। 'प्रवृत्तोऽस्याः—' इति। रूपकोदाहरणतया पद्यमेतद्दीक्षितेनोद्धृतम्। 'कुरङ्गीवाङ्गानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्, सखीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्। अनिद्रं यच्चान्तः स्वपिति तदहो! वेद्म्यभिनवाम्…' इति चरणत्रयशेषो बोध्यः। कुरङ्गी हरिणी, इव, गीतध्वनिषु, अङ्गानि, यत्, स्तिमितयति निश्चलीकरोति, श्रुतमपि, कान्तोदन्तम् प्रियतमसमाचारम्, पुनः वारंवारम्, सखीम्, यत्, प्रश्नयति प्रश्नं करोति, अन्तः अनिद्रम् आभ्यन्तरनिद्रां विनैव, निद्राच्छलेनेति यावत्, यत् स्वपिति स्वापमुद्रां धत्ते, तेनाहं वेद्मि जानामि, किं जानामि? मनसिजः कामः, अस्याः, हृदि, अभिनवाम् नूतनाम्, प्रेमलतिकाम् प्रीतिवल्लरीं, सेक्तुम् आर्द्रीकर्तुम्, प्रवृत्तः उद्यत इत्यर्थः। सख्याः सखीं प्रति नायिकावृत्तान्तसूचनायोक्तिरियम्। अस्मिन् श्लोके प्रेम्णि उपमेये लतिकाया उपमानभूतायास्तादात्म्यस्यारोपेण रूपकम्, न तु परिणामः उपमानभूताया लतिकाया उपमेय (प्रेम) रूपेण सेकात्मके कार्ये उपयोगाभावात्। यदि परिणामे कार्योपयोगांशो न निविश्येत, तदाऽत्रापि परिणाम आपतेत्, लतिकारूपे उपमाने प्रेमरूपोपमेयाभेदस्य प्रतीतेरिति भावः।

परिणामालङ्कार वाले कतिपय वाक्यों में शाब्दबोध दिखलाये जाते हैं—हरिनव—इत्यादि। 'हरिनवतमालः' इस ग्रन्थोक्त प्रथम परिणामोदाहरण-वाक्य का शाब्दबोध 'हरि से अभिन्न नवीन तमाल—अर्थात् तमाल में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी हरि' यह होता है। इस विषय में किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं। 'श्रावं श्रावं वचःसुधाम्—वचनामृत सुन सुनकर' इस ग्रन्थोक्त द्वितीय परिणामोदाहरण वाक्य का शाब्दबोध—'वचन से अभिन्न अमृत-अर्थात् अमृत में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी वचन' यह होता है। इसी वाक्य में 'श्रावं श्रावम्' की जगह पर यदि 'पायं-पायम्' ऐसा पाठ कर दिया जाय, तब यहाँ परिणाम न होकर रूपक अलङ्कार हो जाता है और तब उस रूपक वाक्य का शाब्दबोध—'वचन में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी अमृत अर्थात् अमृत से अभिन्न वचन' यह होता है। और अब जब कि समस्त परिणाम तथा समस्त रूपक में शाब्दबोध की भिन्नता दिखला दी गई, तब—'वदनेनेन्दुना तन्वी स्मरतापं विलुम्पति' इस व्यस्त (वाक्यगत) परिणाम में तथा 'वदनेनेन्दुना तन्वी शिशिरीकुरुते दृशौ' इस व्यस्तरूपक में भी शाब्दबोधों की विलक्षणता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह कि पूर्वोक्तरीति से परिणाम में 'चन्द्र में रहने वाले अभेद का प्रतियोगी मुख-अर्थात् मुख से अभिन्न चन्द्र' ऐसा बोध होता है और रूपक में 'मुख में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी चन्द्र-अर्थात् चन्द्र से अभिन्न मुख' ऐसा बोध होता है। वैसे ही—'शान्तिमिच्छसि—अर्थात् यदि तू शान्ति चाहता है तो शीघ्र सज्जनों का वचनामृत सुन' जिसके धारण करने से फिर हृदय में खेद की उत्पत्ति नहीं होती।' इस परिणाम में, और इसी पद्य में 'शृणु' की जगह पर 'पिब' पाठ कर देने से रूपक बन जाने पर, एवं 'विद्धा मर्मणि—अर्थात् दुर्जनों द्वारा वचन-बाणों से मर्मस्थल में घायल किए गये सज्जन पुरुष चक्कर खाने लगते हैं और वे ही सज्जनों द्वारा वचनामृत से सींचे गये पुनः स्वस्थ हो जाते हैं।' इस रूपक में भी शाब्दबोध की व्यवस्था हो जाती है। अभिप्राय यह है कि-परिणाम में पूर्वरीति से 'अमृत में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी वचन-

अर्थात् वचन से अभिन्न अमृत' यह और रूपक में 'वचन में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी अमृत–अर्थात् अमृत से अभिन्न वचन' यह बोध होता है। इसी तरह 'वचनबाण' का भी बोध समझ लेना चाहिए। तथा—'अहीनचन्द्रा—अर्थात् सुन्दर मुख द्वारा पूर्ण चन्द्र वाली और शुद्ध मन्द हास द्वारा चाँदनी वाली' इस 'व्यधिकरण परिणाम' में तृतीया का (तद्द्वारा) अर्थ अभेद होता है, अतः 'सुन्दरमुख द्वारा पूर्ण चन्द्रवाली' इस वाक्य का शाब्दबोध—सुन्दर मुख से अभिन्न पूर्ण चन्द्रवाली–अर्थात् चन्द्र में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी जो मुख उससे युक्त' और 'शुद्ध मन्द हास द्वारा चाँदनीवाली' इस वाक्य का शाब्दबोध—'शुद्ध मन्दहास से अभिन्न चाँदनीवाली–अर्थात् चाँदनी में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी जो चाँदनी उससे युक्त' ये होते हैं। 'मीनवती नयनाभ्याम्—' इत्यादि पूर्वोक्त रूपकोदाहरण में तो, प्रथमतः सरसीरूपक अर्थात् सुन्दरी में सरसी का तादात्म्यारोप–सिद्ध होता है—उसकी सिद्धि में किसी तरह की बाधा नहीं होती। पर उस प्रधानरूपक का समर्थन 'मछलियों में नेत्रों के अभेदारोप' से नहीं हो सकता, अतः 'नेत्रों में मछलियों का अभेदारोप' ढूँढ़ने योग्य हो जाता है। और यह 'नेत्रों में मछलियों का अभेदारोप' तब बन नहीं सकता यदि 'नयनाभ्याम्' इत्यादि तृतीया विभक्ति का अर्थ प्रकृत्यर्थाभेद–अर्थात् तृतीया विभक्ति की प्रकृति–नयन आदि शब्द–का अर्थ जिसका प्रतियोगी हो उस अभेद–को माना जाय, इसलिये जिस किसी तरह तृतीया विभक्ति का अर्थ उस अभेद को मानना पड़ेगा जो अपनी प्रकृति के अर्थ-नयन आदि–में रहनेवाला हो और जिसका प्रतियोगी मीन आदि हों। और जब ऐसे अभेद को तृतीया विभक्ति का अर्थ मान लिया जायगा तब उक्त सरसीरूपक का उससे समर्थन भी हो सकेगा। इस तरह से अब 'मीनवती नयनाभ्याम्' का शाब्दबोध— 'नेत्रों में रहनेवाले अभेद के प्रतियोगी जो मीन (मछलियाँ) उनसे युक्त' यह होगा। फलतः यहाँ परिणाम अलङ्कार नहीं होता, क्योंकि आरोप्यमाण–अर्थात् उपमानभूत मछलियों–में विषय प्रतियोगिक अभेद–अर्थात् उपमेय (नेत्रों) का अभेद प्रतीत नहीं होता। हाँ, रूपक अलङ्कार यहाँ अवश्य होता है, क्योंकि आरोप्यमाण उपमानभूत पदार्थ-मछलियों का अभेद उपमेयभूत पदार्थ (नेत्रों) में प्रतीत होता है। यही पद्धति 'नद्या शेखरिणे दृशा तिलकिने' इत्यादि अप्पयदीक्षित के उदाहरण में और 'वचोभिरुपायनं चकार' इस अलङ्कारसर्वस्वकार के उदाहरण में समझनी चाहिये। अभिप्राय यह कि–इन पद्यों में परिणामालङ्कार नहीं, अपितु रूपकालङ्कार है, अतः उन वाक्यों का शाब्दबोध रूपक का-सा होना चाहिये। फलतः 'नदी में रहनेवाले अभेद के प्रतियोगी शेखर से युक्त' इस तरह का शाब्दबोध होना चाहिये, न कि 'शेखर में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी नदी से युक्त' इस तरह का। यदि आप इस तरह का दुराग्रह करें कि–किसी भी प्रकार से उपमान में उपमेय के अभेद की प्रतीति का नाम परिणाम है, उस का प्रकृत कार्य में उपयोग हो अथवा नहीं। तब तो 'प्रवृत्तोऽस्याः—' जिसका एक चरण मूल में उद्धृत है और अवशिष्ट तीन चरण संस्कृत टीका में उद्धृत हैं तथा जिसका अर्थ यों है—(सखी सखी से नायिका के विषय में कह रही है–) 'मैं समझती हूँ कि–कामदेव इसके हृदय में नूतन प्रेमलता को सींचने में प्रवृत्त हो चुका है क्योंकि यह सङ्गीत(ध्वनि) समय में अङ्गों को हरिणी की तरह निश्चल कर देती है, प्रियतम के सुने हुए समाचार को भी सखी से पुनः पूछती है और भीतर से निद्रा के विना ही सोती है–जागती हुई भी सोई की सी मुद्रा बनाती है।' इस पद्य में जिसको दीक्षित जी ने रूपक का उदाहरण माना है वह परिणामालङ्कार होने लगेगा, क्योंकि 'प्रेमलतिकाम्' इस समस्त पद के अर्थ में उपमेय प्रेम, अभेदसम्बन्ध द्वारा, आरोपित की जानेवाली (उपमान)

'लतिका' का विशेषण बन रहा है-उपमेयप्रतियोगिक-अभेद उपमान में भासित हो रहा है। परिणाम लक्षण में 'कार्योपयोग' का निवेश करने पर तो यहाँ परिणाम का कोई प्रसङ्ग ही नहीं रह जाता, क्योंकि उपमान-लता का उपयोग सेचन में उपमेय-प्रेमरूप से नहीं, अपितु अपने रूप से ही होता है। सारांश यह हुआ कि परिणाम लक्षण में 'कार्योपयोग' का निवेश करना ही चाहिये और उस हालत में 'नद्या शेखरिणे—' इत्यादि पद्यों में रूपक ही माना जा सकता है, परिणाम नहीं। नागेश यहाँ भी 'अन्य का मत' ऐसा कहकर कुछ भिन्न मत उपस्थित करते हैं। उनके कथन का सारांश यह है कि-"-'वचःसुधाम्' में 'मयूरव्यंसकादयश्च' से समास होता है और इस समास में पूर्वपदार्थ की प्रधानता होती है, अतः उक्त वाक्य का बोध—'सुधा जिस की प्रतियोगिनी हो ऐसे अभेद से युक्त वचन-अर्थात् सुधा के अभेद से युक्त वचन' ऐसा ही समझना चाहिये। 'मीनवती नयनाभ्याम्' इस वाक्य का 'सुन्दरी में सरसी-तादूप्यात्मक रूपक' प्रधान अर्थ है और इस रूपक में उपमान-उपमेय का साधारण धर्म है मछलीवाला होना (मीनवत्त्व)। पर सुन्दरी में इस धर्म का अभाव है-अर्थात् सुन्दरी में मछलियाँ नहीं हैं, अतः जो बाध बुद्धि (सुन्दरी न मीनवती) प्राप्त है उसी को स्थगित करने के लिये केवल 'मीनवती' न कहकर 'नयनाभ्यां मीनवती' ऐसा सुन्दरी का विशेषण कहा गया है। सरसी में तो मीनवत्ता (मछलियों का रहना) प्रसिद्ध ही है। इस स्थिति में सुन्दरी को मीनयुक्त बनानारूप प्रस्तुत कार्य में मीनों का उपयोग नयनरूप होने पर ही होता है, अतः उस अंश में परिणामालङ्कार ही है, अतएव उस अंश का बोध भी 'नयन जिसके प्रतियोगी हैं इस तरह के अभेद वाली मछलियों से युक्त सुन्दरी' ऐसा ही होगा।"

परिणामालङ्कारध्वनिनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ परिणामध्वनिर्विचार्यते—

शाब्दबोधनिरूपणानन्तरं परिणामध्वनिविषयको विचारः प्रस्तूयत इति भावः।

परिणामालङ्कारध्वनिनिरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—अथ इत्यादि। शाब्दबोध विचार के बाद अब परिणामालङ्कारध्वनि के विषय में विचार किया जाता है।

अप्पयदीक्षितोक्तमनूद्य खण्डयति—

तत्र यत्तावदप्पयदीक्षितैर्विद्याधरोक्तं ध्वन्युदाहरणमनूद्य दूषितम्—

"तथाहि—

'नरसिंह धरानाथ! के वयं तव वर्णने।
अपि राजानमाक्रम्य यशो यस्य विजृम्भते॥'

अत्र राजपदेन चन्द्रे विषये निर्दिष्टे तत्रारोप्यमाणस्य नृपस्याक्रमणरूप-कार्योपयोगिनः प्रतीतेः परिणामो व्यज्यते इति, तदयुक्तम्। तत्र ह्यारोप्यमाणस्य नृपस्य नृपात्मनैवाक्रमणोपयोगः, न चन्द्रात्मना" इति। तदसत्। अत्र विजृम्भणं नाम न केवलं प्रागल्भ्यमात्रं कवेरभिप्रेतम्, येन यशःकर्तृकाक्रमणे नृपस्य नृपात्मनैव कर्मतारूप उपयोगः स्यात्। अपि तु निरतिशयनैर्मल्यगुण-वत्तायां स्वसमानजातीयद्वितीयराहित्यप्रयुक्तः प्रौढिविशेषः। आक्रमणं तु न्यग्-भाव एव। एवं चैवंविधविजृम्भणे चन्द्रकर्मकमेवाक्रमणमुपयुज्यते, न तु नृप-

कर्मकमिति विषयितया व्यज्यमानस्यापि नृपस्य चन्द्रात्मनैवाक्रमणोपयोग इति रमणीयमेव विद्याधरेणोक्तं परिणामव्यङ्ग्यतायामुदाहरणम्।

अत्रेति। 'नरसिंह—' इति पद्य इत्यर्थः। व्यज्यत इतीति। विद्याधरेणेति भावः। विद्याधरोक्तं खण्डयति—तदयुक्तमिति। अयुक्तत्वे हेतुमाह—तत्र ह्यारोप्येत्यादिना। न चन्द्रात्मना इतीति। अस्य प्रागुक्तेन 'दूषितम्' इत्यनेनान्वयः। तद्दूषणं निरस्यति—तदसत् इति। तत्र हेतुमाह—अत्रेत्यादिना। प्रागल्भ्येति। आक्रमणसाफल्याभिमानेति भावः। गुणवत्तायाम् तद्रूपसाधारणधर्मे। स्वसमानजातीयद्वितीयराहित्येति। निजनिष्प्रतिद्वन्द्वितेत्यर्थः। प्रौढिः उत्कर्षः। न्यग्भाव इति नीचैर्नयनमिति भावः। एवं चेति। विजृम्भमाणाक्रमणयोरुक्तरूपत्वे चेत्यर्थः। रमणीयमेवेति। अत्र "अत्रेदं चिन्त्यम्—राजशब्दस्यानेकार्थत्वात्, विजृम्भतेश्च प्रागल्भ्यतदुक्तार्थोभयपरत्वात्, प्रकरणादेश्च शक्तिसङ्कोचकस्याभावात्, तन्त्रेण शक्त्यैव तुल्यतयाऽर्थद्वयोपस्थितौ 'सर्वदो माधवः पातु' इतिवत् श्लेष एवायम्, क्व परिणामः क्व वा नृपस्य व्यज्यमानतेति प्रकृतनरसिंहराजोत्कर्षस्य च चन्द्रकर्मकाक्रमणेनेवेतरनृपाक्रमणेनापि सूपपादत्वात्। न च द्वयोरपि राजपदार्थयोरितरक्रियान्वये राजानाविति द्विवचनं स्यादिति वाच्यम्। 'न ब्राह्मणं हन्यात्' इतिवदुपपत्तेः। समाहारद्वन्द्वविषयेऽप्येकशेषस्य कैश्चिद्वैयाकरणैरङ्गीकाराच्च। अस्तु वारोपः, तथापि नृपस्यैवारोप्यमाणत्वम् चन्द्रस्यैव विषयत्वमित्यत्र नियामकाभावः। अत्रैव च दीक्षिततात्पर्यम्। अपि च प्रागल्भ्यस्यापि विजृम्भत्यर्थत्वेन प्रकृतकार्योपयोगिता नृपत्वेनापि नृपस्य सम्भवति। ननु तात्पर्यविषयीभूतप्रकृतकार्यानुपयोगित्वमस्त्येवेति चेत्, तस्यैव तात्पर्यविषयत्वे मानं विभावयेति।" इति नागेशः। हिन्दीरसगङ्गाधरकारश्चतुर्वेदमहोदयस्तु 'उभयोः कार्ययोस्तात्पर्यविषयत्वसम्भवेऽपि विद्याधरीयतात्पर्यविषयत्वं पण्डितराजोक्तकार्यस्यैव, अन्यथा तेन तस्य पद्यस्य परिणामध्वनिलक्ष्यतयोल्लेखासङ्गतेः' इति स्वपुस्तके टिप्पणमकरोत्। सरलाकारो भट्टमहोदयस्तु "'राजानमाक्रम्य यस्य (राज्ञः) यशो विजृम्भते' इत्युक्तौ कवेः श्लिष्टपदप्रयोगसंरम्भात् 'प्रतिस्पर्धिनं राजानमाक्रम्य यथाऽयं राजा विजृम्भते, तथा अन्येषां राज्ञां यश उपमानत्वेन प्रसिद्धं राजानं (चन्द्रम्) आक्रम्य (न्यक्कृत्य) अस्य यशो विजृम्भते' इति पर्यवसितार्थानुसारमस्त्येव राजपदस्य चन्द्ररूपार्थे शक्तेर्नियामकं प्रकरणम्" इत्यप्याह स्म। ग्रन्थाशयः पुनरेवमवगन्तव्यः—'यस्य राज्ञो यशः राजानम् (वाच्यवृत्त्या चन्द्रं, व्यञ्जनवृत्त्या च नृपम्) आक्रम्य न्यक्कृत्य, विजृम्भते, हे नरसिंहनामकधराधिप, तस्य तव, वर्णने वयं के? न केऽपि (असमर्था वयं तव वर्णने)' इत्यर्थकम् 'नरसिंहधरानाथ—' इति पद्यं परिणामालङ्कारध्वन्युदाहरणम्, राजपदेनोपस्थापिते चन्द्रात्मके उपमेये आरोप्यमाणस्य तेनैव पदेनोपस्थापितस्य नृपात्मकोपमानस्य आक्रमणात्मके प्रकृतकार्ये उपयोगेन परिणामालङ्काराभिव्यक्तेः। ननु वाच्यत्वमेव कुतो नास्य परिणामस्येति चेन्न, उपमेयस्य वाच्यत्वेऽपि प्रकरणेन शक्तेः सङ्कोचादवाच्यस्योपमानस्य प्रकृतोपयोगिनो व्यञ्जनयैव प्रतीतेरिति विद्याधरः स्वग्रन्थे प्रत्यपादयत्। उपमेयात्मनोपमानस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः, अत्र तु उपमानस्य नृपस्य स्वात्मनैवाक्रमणात्मके कार्ये उपयोगः, न चन्द्ररूपोपमेयात्मना, इति नात्र परिणामो वाच्यो व्यङ्ग्यो वा

सम्भवतीति विद्याधरमखण्डयद् दीक्षितः। तत्राह पण्डितराजः—नैतत्खण्डनं दीक्षितकृतं सम्यक्, यतोऽत्राक्रमणमात्रं न कार्यम्, अपि तु आक्रमणपूर्वकं विजृम्भणम्, विजृम्भणं च नैर्मल्यातिशयात्मकगुणविषयेऽद्वितीयत्वप्रयुक्तोत्कर्षरूपं कविविवक्षाविषयीभूतम्, आक्रमणं च न्यग्भावनम्, तथा चैतदाक्रमणपूर्वकविजृम्भणैकदेशे आक्रमणे यशःकर्तृके आरोप्यमाणस्य नृपस्य उपमेयचन्द्रात्मतयैवोपयोगः कर्मीभवनरूप इति युक्तमेवास्य पद्यस्य विद्याधरोक्तं परिणामध्वन्युदाहरणत्वम्। यदि प्रागल्भ्यमात्रं विजृम्भणम् आक्रमणं च अस्त्रादिप्रहारादिरूपं कविविवक्षितमभविष्यत, तदा यशःकर्तृके तत्राक्रमणे नृपस्य स्वात्मनैवोपयोगः कर्मतारूपोऽभविष्यत् इति तथात्वे दीक्षितकृतं खण्डनमपि सम्यक् स्यात्, परन्तु प्रागल्भ्यमात्रस्य विजृम्भणपदार्थता कवेरभिमतैव नास्तीति।

दीक्षितोक्ति का खण्डन किया जाता है—तत्र यत्तावत् इत्यादि। 'नरसिंह—' अर्थात् 'हे धराधिप नरसिंह! जिसका यश राजा (चन्द्र तथा नृप) का भी आक्रमण करके विजृम्भित हो रहा है उस आपका वर्णन करने में हम कौन होते हैं?' इस पद्य में 'राजा' पद से 'चन्द्र' रूप उपमेय की उपस्थिति होती है जिसमें उसी पद से अभिव्यक्त होने वाले नृपरूप उपमान का आरोप है और उस आरोप्यमाण (नृप) का आक्रमण-रूप प्रस्तुत कार्य में उपयोग भी हो रहा है—अर्थात् आक्रमण का कर्म, चन्द्र नहीं, नृप ही हो सकता है अतः यहाँ परिणामालङ्कार ध्वनित होता है (उपमेय के वाच्य होने पर भी प्रकृतोपयोगी उपमान की प्रतीति व्यञ्जना द्वारा होने के कारण परिणाम, वाच्य नहीं, व्यङ्ग्य माना जाता है) यह कथा विद्याधर ने अपने ग्रन्थ में कही जिसका खण्डन अप्पय दीक्षित ने अपने ग्रन्थ में किया। खण्डन करने में उनकी युक्ति यह है कि—आरोप्यमाण-नृप-का उपयोग आक्रमणरूप कार्य में अवश्य होता है पर अपने रूप में ही—नृपरूप में ही, उपमेय (चन्द्र) रूप में नहीं, अतः यहाँ परिणाम अलङ्कार नहीं हो सकता, क्योंकि वह वहाँ होता है जहाँ उपमान उपमेय रूप से प्रकृतकार्य में उपयोगी होता हो। इस पर ग्रन्थकार (पण्डितराज) का कथन है कि-दीक्षितजी के द्वारा किया गया उक्त खण्डन उचित नहीं है। कारण, 'विजृम्भण' का अर्थ यहाँ केवल प्रागल्भ्य (शत्रु पर सफल आक्रमण करने से होनेवाला एक प्रकार का हृदय-विकास) कवि का अभिमत नहीं है। यदि वैसा रहता तब यह कहा जा सकता था कि-यशःकर्तृक (यश द्वारा किये जानेवाले) आक्रमण में नृप नृपरूप से ही उपयोगी (उस आक्रमण का कर्म) होगा। अपि तु यहाँ विजृम्भण का कवि-विवक्षित अर्थ है-सर्वाधिक निर्मलतारूप गुण में अद्वितीय होने के कारण होनेवाला उत्कर्षविशेष। और आक्रमण का अर्थ तो न्यग्भाव (नीचा दिखाना) ही है। ऐसी स्थिति में इस तरह के विजृम्भण का उपयोगी चन्द्र-कर्मक (चन्द्र के ऊपर किया गया) आक्रमण ही हो सकता है, नृपकर्मक (नृप के ऊपर किया गया) आक्रमण नहीं। अभिप्राय यह हुआ कि-यहाँ चन्द्ररूप नृप को निर्मलता के विषय में नीचा दिखाकर यश का उत्कर्ष (अद्वितीय निर्मल होना) ही कवि का प्रतिपाद्य है। अतः यह सिद्ध हुआ कि उपमानरूप से अभिव्यक्त होने पर भी नृप का आक्रमण में उपयोग चन्द्ररूप से ही होता है इसलिये विद्याधर ने जो इस पद्य को परिणामालङ्कारध्वनि का उदाहरण कहा वह सुन्दर-उचित ही है। यहाँ नागेश कहते हैं कि-"विद्याधर की उक्ति को सुन्दर बतलाना चिन्तनीय है, क्योंकि यहाँ 'राजा' शब्द अनेकार्थक (चन्द्र और नृप दो अर्थवाला) है, 'विजृम्भते' यह क्रियापद भी द्व्यर्थक (प्रागल्भ्य और निर्मलता के विषय में अद्वितीय होने के कारण होनेवाला

उत्कर्षविशेष इन दो अर्थों वाला) है, और शक्ति को सङ्कुचित करनेवाला प्रकरण आदि कुछ है नहीं। ऐसी दशा में 'सर्वदो माधवः' की तरह यहाँ भी दोनों अर्थ (चन्द्र तथा नृप) अभिधाशक्ति से ही बोधित होंगे, अतः श्लेष का ही उदाहरण है, फिर परिणाम कहाँ ? और नृप की व्यङ्ग्यता कहाँ ? अर्थात् इन दोनों में से एक भी बात यहाँ नहीं है। रहा प्रस्तुत नरसिंह राजा का उत्कर्ष सिद्ध करना, सो वह तो तदीय यशोद्वारा चन्द्र को आक्रान्त करने से जिस तरह सिद्ध होता है उसी तरह अपने द्वारा अन्य नृपों को आक्रान्त करने से भी सिद्ध हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में राजपद के दो (चन्द्र और नृप) अर्थों के दो प्रकार की विजृम्भण क्रिया में अन्वय होने से 'राजानौ' यह द्विवचनान्त प्रयोग होना चाहिए इस आपत्ति का उठाना भी कुछ महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि 'न ब्राह्मणं हन्यात्' की तरह एकवचन भी हो सकता है और समाहार द्वन्द्व के विषय में भी कुछ वैयाकरणों ने एकशेष माना है तदनुसार एकशेष करके भी एकवचन को शुद्ध सिद्ध किया जा सकता है।" इस नागेशोक्ति का खण्डन आंशिक रूप से भट्ट मथुरानाथ जी ने अपनी टिप्पणी में यों किया है—"–'राजा को आक्रान्त कर जिस (नृप) का यश विजृम्भित होता है' इस उक्ति में कवि ने श्लिष्ट प्रयोग (राजा) करने का जो प्रयास किया है उससे यह प्राकरणिक अर्थ पर्यवसित होता है कि–'प्रतिस्पर्धी नृप को आक्रान्त कर जिस तरह यह नृप विजृम्भित होता है उसी तरह अन्य नृपों के उपमानभूत यश को आक्रान्त कर इस नृप का यश विजृम्भित होता है।' इस तरह चन्द्र का प्रकरण साफ ज्ञात होता है, अतः उस प्रकरण से 'राजा पद की शक्ति चन्द्र में अवश्य नियन्त्रित होगी और उसके नियन्त्रित हो जाने पर 'नृप' रूप अर्थ व्यङ्ग्य ही होगा, फिर जो नागेश जी ने 'शक्ति नियन्त्रित नहीं होती, दोनों अर्थ वाच्य ही हैं' इत्यादि बातें कही हैं वे ठीक नहीं।" (मुझे तो भट्ट जी की व्याख्या के अनुसार भी दोनों ही अर्थ प्राकरणिक प्रतीत होते हैं) उक्त भट्टजी द्वारा वर्णित आशय को हृदय में रखकर अथवा हिन्दी रसगङ्गाधरकार द्वारा कथित 'उक्त द्विवचनापत्ति तथा उसके समाधान की क्लिष्टकल्पना' को हृदय में रखकर आगे नागेश ने कहा है कि– "अथवा रहे आरोप–अर्थात् चन्द्र और नृप में से एक उपमेय तथा दूसरा आरोपित समझा जाय–तथापि नृप ही आरोप्यमाण (उपमान) और चन्द्र ही उपमेय हो इसमें क्या नियामक हो सकता है ? अर्थात् आप जो चन्द्र को उपमेय और नृप को आरोप्यमाण मान कर परिणाम की बात करते हैं, सो यह भी तो माना जा सकता है कि नृप ही उपमेय और चन्द्र ही उपमान हो तब आपका 'परिणाम' कैसे होगा ? अप्पय दीक्षित का भी तात्पर्य इसी युक्ति में है–अर्थात् उन्होंने जो विद्याधर का खण्डन किया है उसका रहस्य भी यही है कि–नृप नहीं, चन्द्र ही यहाँ उपमान है और उसका उपयोग भी आपके हिसाब से अपने रूप में ही होता है, अतः यहाँ परिणाम नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि प्रागल्भ्य भी तो विजृम्भण का अर्थ है अतः नृपरूप से भी नृप आक्रमण में उपयोगी हो ही सकता है, फिर नृप को उपमान मानकर भी परिणाम नहीं सिद्ध किया जा सकता। आप कहेंगे विजृम्भण का जो अर्थ पण्डितराज ने लिखा है वही कवि का भी तात्पर्य विषय है और तदनुसार तो नृप अपने रूप से आक्रमण में उपयोगी होता नहीं, तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि पण्डितराजोक्त विजृम्भण पदार्थ में ही कवि का तात्पर्य है इसमें प्रमाण नहीं।" हिन्दी रसगङ्गाधरकार चतुर्वेदी जी यहाँ कहते हैं कि—'प्रमाण रहे अथवा नहीं, पर विधाधर का तात्पर्य उसी अर्थ में है जो पण्डितराज ने लिखा है, अन्यथा परिणाम-ध्वनि की बात यहाँ वे नहीं लिखते।'

दीक्षितोक्तमन्यदपि खण्डयति—

यद्यपि तैरेव परोक्तिं दूषयित्वा स्वयं परिणामस्य व्यङ्ग्यतायामुक्तम्—

"चिराद् विषहसे तापं चित्त ! चिन्तां परित्यज ।
नन्वस्ति शीतलः शौरेः पादाब्जनखचन्द्रमाः ॥'

अत्र चिरतापार्तं प्रति हरिपादनखचन्द्रसद्भावप्रदर्शनेन तमेव निषेवस्व तन्निषेवणादयं तव तापः शान्तिमेष्यतीति परिणामो व्यज्यते" इति, तत्तुच्छम् । 'आरोप्यमाणस्य विषयात्मकत्वेन प्रकृतकार्योपयोगे परिणामः' इति स्वयमेवोक्तम् । तत्र प्रकृतकार्योपयोगमात्रं न परिणामशरीरम् । अपि तु विषयिगतायाः प्रकृतकार्योपयोगितायाः अवच्छेदकीभूतं विषयताद्रूप्यम् । एवं चात्र नखचन्द्रसद्भावप्रदर्शनेन तन्निषेवणादयं तव तापः शान्तिमेष्यतीति प्रकृतोपयोगितायाः व्यङ्ग्यत्वेपि तदवच्छेदकीभूतस्य विषयिणि विषयताद्रूप्यरूपस्य परिणामस्य वाक्यवाच्यत्वात् शक्यसंसर्गत्वाद्वा सर्वथैव न व्यङ्ग्यत्वं वक्तुमुचितम् ।

तैरेवेति । अप्पयदीक्षितैरेवेत्यर्थः । परोक्तिं विद्याधरोक्तिम् । व्यङ्ग्यतायामिति । उदाहरणमिति शेषः । तदुक्तमुदाहरणमनुवदति—चिरादिति । हे चित्त !, त्वम् , चिरात् बहोः कालात् , तापम् भवानलज्वालाम् , विषहसे अनुभवसि, (अतश्चिन्तितस्तिष्ठसि) परन्तु तां चिन्तां, परित्यज मुञ्च । शौरेः श्रीकृष्णस्य, यत् पादाब्जम् चरणकमलम् , कमलसदृशचरणाविति यावत् , तस्य ये नखाः तद्रूपश्चन्द्रमाः, (शौरेः पादाब्जेत्यत्र 'देवदत्तस्य गुरुकुलम् इतिवत् समासः) ननु निश्चयेन अस्तीति तदर्थः । संसारतापाकुलस्य पुंसः स्वमानसं प्रत्युक्तिरियम् । दीक्षितोक्तपरिणामध्वनिप्रतिपादनप्रकारमनुवदति—अत्रेति । दीक्षितोक्तं निरस्यति—तत्तुच्छमिति । तुच्छत्वे हेतुमाह—आरोप्यमाणस्येत्यादिना । विषयिगतायाः इति । उपमाननिष्ठाया इत्यर्थः । विषयताद्रूप्यमिति । उपमेयताद्रूप्यम् इत्यर्थः । परिणामशरीरमित्यस्यानुषङ्गः । फलितमाह एवं चेति । उक्तस्य परिणामशरीरत्वे चेत्यर्थः । वैयाकरणमतेनाह—वाक्येति । नैयायिकमतेनाह—शक्येति । 'चिरात् विषहसे—' इति श्लोके चिरतापार्तं चित्तं प्रति हरिपादनखचन्द्रसद्भाव उक्तः । तेन 'तमेव सेवस्व, तत्सेवनादेव ते तापः शान्तो भविष्यति इत्यर्थो व्यज्यते । एष चार्थः परिणामालङ्काररूपः, उपमानस्य चन्द्रस्य नखरूपोपमेयात्मकतया तापशान्तिरूपप्रस्तुतकार्ये उपयोगात् । तथा च परिणामालङ्कारध्वनेरुदाहरणं पद्यमिदं भवतीति दीक्षितेनोक्तम् न युक्तम् , विचारासहत्वात् । तथाहि—'उपमानं यत्रोपमेयरूपेण प्रकृतकार्योपयोगि तत्र परिणामः' इति स्वयं दीक्षितेनापि कथितम् । तेन केवलस्य प्रकृतकार्योपयोगस्य परिणामस्वरूपत्वं न सिद्ध्यति, अपि तु उपमानगतप्रकृतकार्योपयोगितावच्छेदकोपमेयताद्रूप्यस्य तत्स्वरूपत्वं सिद्ध्यति—अर्थात् प्रकृतकार्योपयोगः उपमाने उपमेयताद्रूप्यम् चेत्युभयांशस्य परिणामरूपता सिद्ध्यति । एवं स्थितौ परिणामस्य व्यङ्ग्यताऽत्र न सम्भवति, उक्तोभयांशकपरिणामघटकप्रकृतोपयोगांशस्य 'नखचन्द्रसेवनादयं तव तापः शान्तो भविष्यति इत्याकारकस्य, नखचन्द्रसद्भाववर्णनेन व्यङ्ग्यत्वेऽपि 'उपमाने उपमेयताद्रूप्यस्यांशान्तरस्य परिणामशरीरघटकस्याव्यङ्ग्यत्वात् ।

कथं तदंशस्याव्यङ्ग्यत्वम् इति चेत् ? वैयाकरणमते पृथक् समासशक्तेः स्वीकारेण 'पादाब्जनखचन्द्रमाः' इति समस्तवाक्यस्य नखचन्द्रमसोरिव तदीयताद्रूप्येऽपि शक्तेः सत्त्वेन तस्य वाच्यत्वात्, नैयायिकमते पुनः पृथक्शक्तेरस्वीकारेण तस्य वाच्यत्वविरहेऽपि संसर्गमर्यादया भानात् इति भावः ।

दीक्षित द्वारा कथित परिणाम-ध्वनि के उदाहरण का अनुवाद कर खण्डन किया जाता है—यदपि इत्यादि । अप्पयदीक्षित ने विद्याधर की उक्ति को दूषित कर 'चिराद्-विषहसे—अर्थात् हे चित्त ! तू बहुत समय से सन्ताप सह रहा है और चिन्ता कर रहा है, पर मेरा कहना है कि तू चिन्ता करना छोड़ दे । श्रीकृष्ण के चरण-कमल का नख-रूप शीतल चन्द्रमा निश्चय ही वर्तमान है ।' इस पद्य को परिणाम-ध्वनि का उदाहरण कहा है और उसके उपपादन में लिखा है कि—यहाँ चिरकाल से सन्ताप-पीड़ित चित्त के प्रति 'श्रीकृष्ण के चरणकमल का नखरूपचन्द्र की सत्ता' दिखाने से जो 'उसी का सेवन करो, उसके सेवन से तेरा यह ताप शान्त होगा' यह अर्थ ध्वनित होता है वह परिणामालङ्काररूप है, क्योंकि इस अर्थ में उपमान(चन्द्र)का उपयोग उपमेय(नख) रूप से तापशान्तिरूप-प्रस्तुत कार्य में स्पष्ट है । पर उनका यह कथन ठीक नहीं है । कारण, विचार करने पर यहाँ परिणाम का व्यङ्ग्य होना सिद्ध नहीं होता । देखिए—उन्होंने स्वयं कहा है कि—उपमान का उपमेयरूप से प्रस्तुत कार्य में उपयोग होने पर परिणाम होता है ।' इस कथन से केवल प्रस्तुत कार्य में उपयोग परिणाम का स्वरूप सिद्ध नहीं होता, किन्तु उपमान में रहनेवाली कार्योपयोगिता का अवच्छेदक-अर्थात् उपयोगिता का विलक्षण परिचायक-उपमेय का ताद्रूप्य ही परिणाम का स्वरूप (लक्षण) सिद्ध होता है तात्पर्य यह कि-उपयोगिता का नाम परिणाम नहीं, अपि तु उपयोगिता के अवच्छेदक ताद्रूप्य का नाम है । सारांश यह निकला कि-कार्योपयोग तथा-उपमान में उपमेय का ताद्रूप्य इन दोनों अंशों का सम्मिलित नाम परिणाम है । ऐसी स्थिति में यहाँ नख-चन्द्र की सत्ता के वर्णन से 'उसके सेवन से तेरा यह ताप शान्त होगा' इस प्रकृत-कार्योपयोगांश-अर्थात् उपमान की उपमेयरूप से प्रस्तुत कार्य में उपयोगिता-की व्यङ्ग्यता सिद्ध होने पर भी, उस उपयोगिता के अवच्छेदक-उपमान में उपमेय के ताद्रूप्य—(जो परिणाम का स्वरूप है) की व्यङ्ग्यता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वह अंश अतिरिक्तसमासशक्तिवादी वैयाकरणों के मत से 'पादाब्जनखचन्द्रमाः' इस वाक्य का वाच्य ही होता है, समास-शक्ति नहीं मानने वाले नैयायिकों के मत से भी वह अंश (ताद्रूप्य) शक्यार्थ के सम्बन्धरूप से भासित होता है । सारांश यह कि-जिन दो अंशों को मिलाकर परिणाम का स्वरूप तैयार होता है उन दोनों अंशों में से एक अंश यहाँ अवश्य ही व्यङ्ग्य है, पर दूसरा अंश व्यङ्ग्य नहीं है—वह वाच्य अथवा सम्बन्ध रूप है, अतः 'परिणाम (उक्त दो अंशों का मिश्रित स्वरूप) यहाँ व्यङ्ग्य हुआ है' ऐसा नहीं कहा जा सकता । फलतः यह पद्य परिणाम-ध्वनि का उदाहरण नहीं हो सकता ।

स्वसम्मतं परिणामध्वन्युदाहरणं दर्शयितुमाह—

इदं तूदाहरणं युक्तम्—

तु पुनः, इदं निम्ननिर्दिष्टम्, उदाहरणं परिणामध्वनेरिति यावत्, युक्तम् उचितमित्यर्थः ।

परिणामध्वनि का उदाहरण निम्नलिखित पद्य हो सकता है—

उदाहरणं निर्दिशति—

'इन्दुना परसौन्दर्यसिन्धुना बन्धुना विना।
ममायं विषमस्तापः केन वा शमयिष्यते॥'

परस्य उत्कृष्टस्य, सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः सिन्धुना सागरेण, (एतेन सौन्दर्यस्यामृतरूपता ध्वन्यते) अतिसुन्दरेणेति यावत्, बन्धुना बन्धुवद्धितसाधकेनेति यावत्, इन्दुना चन्द्रेण (रमणीमुखेनेति व्यङ्ग्योऽर्थः) विना, विषमः भयङ्करः, मम अयम्, तापः विरहताप इति भावः, केन, शमयिष्यते शान्तो विधास्यते, काक्वा न केनापीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—इन्दुना इत्यादि। परम सौन्दर्य के समुद्र मेरे बन्धु चन्द्रमा के विना (व्यञ्जनया सुन्दर रमणीमुख के विना) मेरा यह विषम ताप (विरहताप) अन्य किस से दूर किया जा सकता है?

उपपादयति—

अत्र वक्तुर्विरहितया व्यज्यमानरमणीवदनाभिन्नत्वेनेन्दुरभिप्रेतः। तेन रूपेणैव तस्य प्रकृतविरहसन्तापशमनहेतुत्वात्।

'इन्दुना—' इति पद्यस्य विरही प्रकरणप्राप्तो वक्ता। विरहिणो विरहजन्यतापस्य शमकः चन्द्रः चन्द्रत्वेन रूपेण न सम्भवति, तस्योद्दीपकत्वेन स्वरूपतो विरहतापवर्धकत्वात्। अतोऽत्र प्रेयसीमुखाभिन्नः (तद्रूपः) चन्द्रो वक्तुर्विवक्षितः। प्रेयसीमुखञ्च नात्र वाच्यम्, अपि तु वक्तुर्विरहेण प्रकरणप्राप्तेन व्यङ्ग्यम्। तथा च वाच्यस्य चन्द्ररूपोपमानस्य व्यङ्ग्यरमणीमुखरूपोपमेयात्मकत्वेन तापशान्तावुपयुज्यमानत्वात्परिणामध्वनिरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'इन्दुना—' इस पद्य का वक्ता प्रकरणप्राप्त विरही है। अतः ध्वनित होनेवाले सुन्दरी-मुख से अभिन्न रूपमें चन्द्र अभिमत है। तात्पर्य यह कि-विरही वक्ता को सुन्दरी-सुखचन्द्र चाहिए, यह प्रसिद्ध चन्द्र नहीं। कारण, विरहताप को चन्द्र रमणीमुखरूप से ही शान्त कर सकता है, अपने रूप से (चन्द्ररूप से) नहीं। अभिप्राय यह कि-यहाँ व्यङ्ग्य (उपमेय) रमणीमुखरूप से, वाच्य उपमान (चन्द्र), तापशान्तिरूप-प्रस्तुत कार्य में उपयोगी होता है, अतः यह पद्य परिणाम-ध्वनि का उदाहरण है।

अत्रातिशयोक्तिमाशङ्क्य निराकुरुते—

न चात्र विषयनिगरणात्मिकातिशयोक्तिर्वक्तुं शक्या, तस्यां ह्यारोप्यमाणाभिन्नत्वेन विषयस्य प्रत्ययात्। यथा 'कमलं कनकलतायाम्' इत्यादौ कनकलताऽभिन्नायां वनितायां कमलाभिन्नं मुखमिति।

अतिशयोक्तेरेको भेदस्तादृशः सर्वसम्मतो यत्र विषयः (उपमेयभूतः पदार्थः) निगीर्णस्तिष्ठति—अर्थात् उपमेयबुबोधयिषयोपमानवाचकपदमेवोपात्तं भवति, उपमेयवाचकं पदं न। सोऽतिशयोक्तेर्भेद एव 'इन्दुना—' इत्यत्र कुतो नाङ्गीक्रियते? अत्रापि उपमेयतात्पर्येणोपमानमात्रोपादानादिति शङ्कादलस्याशयः। अतिशयोक्तौ उपमानाभिन्नत्वेनोपमेयस्य प्रतीतिर्भवति—अर्थात् उपमानप्रतियोगिकाभेद उपमेये गृह्यते, यथा 'कनकलतायां कमलम्' इत्यत्र सुवर्णलताभिन्नायां कामिन्यां कमलाभिन्नं मुखमिति प्रतीयते—अर्थात्

'कनक—' इत्यत्र कनकलताकमलयोरुपमानभूतपदार्थयोः अभेदः कामिनीतन्मुखयोरुपमेयभूतयोः पदार्थयोर्विज्ञायते। अतः तत्रातिशयोक्तेरुक्तो भेदः सम्भवति, प्रकृते तु नेति च समाधानाशयः।

यहाँ अतिशयोक्ति की आशङ्का करके उसका समाधान किया जाता है—न च इत्यादि। 'इन्दुना—' इस पद्य में परिणाम व्यङ्ग्य नहीं है, किन्तु वाच्य अतिशयोक्ति है, क्योंकि यहाँ उपमान–चन्द्र–के द्वारा उपमेय–मुख–का निगरण है, मुख का बोध कराने के लिये ही चन्द्र पद प्रयुक्त हुआ है ऐसी आशङ्का भी उचित नहीं। कारण, अतिशयोक्ति में उपमेय की प्रतीति उपमान से अभिन्नरूप में होती है। जैसे—'कनकलता में कमल' यहाँ 'कनकलता से अभिन्न कामिनी में कमल से अभिन्न मुख' यह प्रतीति होती है।

ननु प्रकृते कीदृशी प्रतीतिर्याऽतिशयोक्तेः प्रतिकूला परिणामस्य चानुकूलेति चेत् ? तादृशीम् प्रतीतिमुपपादयति—

इह तु मुखस्य चन्द्राभिन्नत्वेन प्रत्यये न पुनर्विरहतापशमनरूपप्रकृतकार्यसिद्धिरिति चन्द्रस्यारोप्यमाणस्य मुखरूपविषयाभिन्नत्वं मृग्यम्। तच्च व्यङ्ग्यतायामेव भवतीति परिणामध्वनिरेवायम्, नातिशयोक्तिः।

मृग्यमेषितव्यम्। तच्च तदभिन्नत्वञ्च। व्यङ्ग्यतायामिति। परिणामस्य व्यङ्ग्यतायामिति भावः। उपमेयस्य व्यङ्ग्यता तूभयोस्तुल्यैवेति बोध्यम्। 'इन्दुना—' इति पद्ये उपमानस्य चन्द्रस्योपमेयभूतमुखाभिन्नत्वं गृह्यते, अर्थात् मुखप्रतियोगिकाभेदाश्रयश्चन्द्र इत्येवोचितत्वात्प्रतीतिः, नतु मुखरूपस्योपमेयस्य चन्द्ररूपोपमानाभिन्नत्वं गृह्यते—अर्थात चन्द्रप्रतियोगिकाभेदाश्रयीभूतं मुखम् इति प्रतीतिर्न भवति, यतः तादृशप्रतीतौ मुखस्यापि चन्द्ररूपतासिद्धौ प्रस्तुतस्य विरहतापशान्तिरूपस्य कार्यस्य पूर्तिर्न भवितुमर्हेत, चन्द्ररूपोऽयम् इति बुद्धेरपि चन्द्रोऽयम् इति बुद्धिवत् विरहतापकरत्वस्यैवानुभवसिद्धत्वात्। एवञ्चोपमानप्रतियोगिकाभेदाश्रयोपमेयप्रतीतिमूलकातिशयोक्तिर्नेह सम्भवदुक्तिका। परिणामस्तु प्रकृतकार्योपयोग्युपमेयप्रतियोगिकोपमानाश्रयकाभेदप्रतीतिमूलकः सम्भवदुक्तिक एव। स च परिणामोऽत्र न वाच्यः उपमेयस्यावाच्यत्वात् अपि तु व्यङ्ग्यः, उपमाननिष्ठतादात्म्यप्रतियोग्युपमेयस्य व्यङ्ग्यत्व एव 'परिणामो व्यङ्ग्यः' इति व्यवहारात्। तथा च परिणामध्वनिरत्र सुस्थ इति भावः।

प्रकृत पद्य से कैसे प्रतीति होती है जो अतिशयोक्ति के प्रतिकूल पड़ती है और परिणाम के अनुकूल ? तथा वैसी ही प्रतीति क्यों होती है ? इन जिज्ञासाओं की शान्ति के लिये कहा जाता है—इह तु इत्यादि। 'इन्दुना—' इस पद्य से चन्द्ररूप उपमान में मुखरूप उपमेय का अभेद प्रतीत होता है, क्योंकि वही समुचित है और औचित्य यह है कि–उस प्रतीति से चन्द्र को मुखरूप समझना फलित होता है जिससे विरहतापशान्तिरूप प्रस्तुत कार्य की सिद्धि होती है। प्रेयसीमुखदर्शन से विरहशान्ति अनुभवसिद्ध है। मुखरूप उपमेय में चन्द्ररूप उपमान का अभेद तो यहाँ प्रतीयमान माना नहीं जा सकता, क्योंकि उस तरह की प्रतीति से मुख को भी चन्द्ररूप समझना फलित होगा और 'चन्द्ररूप यह है' इस तरह की प्रतीति होने पर उक्त प्रस्तुत कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती–अर्थात् किसी को चन्द्ररूप समझ लेने पर विरहियों की ताप-वृद्धि ही अनुभवसिद्ध है। ऐसी स्थिति में यहाँ वह अतिशयोक्ति हो नहीं सकती जिसके

लिये उपमेय में उपमारूपता की प्रतीति नियमतः अपेक्षित है। हाँ, वह परिणाम अवश्य हो सकता है जिसके लिये उपमान में उपमेयरूपता की प्रतीति अपेक्षित रहती है और उपमेयरूप में ही उपमान का प्रस्तुत कार्योपयोगी होना अपेक्षित ही रहता है। पर यहाँ का यह परिणाम वाच्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस पर चमत्कार निर्भर है वह उपमेय यहाँ वाच्य नहीं है, व्यङ्ग्य वह यहाँ कहा जा सकता है, क्योंकि जिसका तादात्म्य गृहीत होने से चमत्कार उत्पन्न होता है उस उपमेय के व्यङ्ग्य होने पर ही व्यङ्ग्य परिणाम का व्यवहार होता है। अतः यहाँ परिणाम ध्वनि है अतिशयोक्ति नहीं, यह सारांश समझना चाहिए।

ध्वनि-विशेषत्वं प्रकृतध्वनेः स्फोरयति—

अयं त्वर्थशक्तिमूलः।

'इन्दुना—' इति श्लोकगतः परिणामध्वनिः अर्थशक्तिमूलः, पदानां परिवृत्तिसहत्वादिति भावः।

'इन्दुना—' इस पद्य में होनेवाली परिणामध्वनि अर्थशक्तिमूलक है, क्योंकि यहाँ के पद परिवृत्तिसह हैं—बदले जा सकते हैं। सारांश यह कि जहाँ शब्द बदलने योग्य रहते हैं—अर्थात् जहाँ जिन शब्दों के स्थान पर तत्पर्याय दूसरे शब्दों को रखने पर भी ध्वनि होती ही रहे-वहाँ वे शब्द ध्वनिसाधक होते नहीं, अपितु वह अर्थ ध्वनिसाधक सिद्ध होता है, अतः वहाँ की ध्वनि अर्थशक्तिमूलक कहलाती है।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

शब्दशक्तिमूलपरिणामध्वनिर्यथा—

शब्दशक्तिमूलक परिणामध्वनि का उदाहरण जैसे—

उदाहरणं निर्दिशति—

'पान्थ मन्दमते किं वा सन्तापमनुविन्दसि।
पयोधरं समाशास्व येन शान्तिमवाप्नुयाः॥'

हे मन्दमते मन्दबुद्धे, पान्थ पथिक ! विरहिन्। इति यावत्, त्वम्, किम् किमर्थम्, सन्तापं प्रबलं दाहम्, अनुविन्दसि प्राप्नोषि ? पयोधरं मेघं (वस्तुतः स्तनम्), समाशास्व, (तस्याशां कुरु इति समुदितार्थः), येन आशाविशेषेण, शान्तिम्, अवाप्नुयाः लभेथाः इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—पान्थ इत्यादि। हे मन्दबुद्धिवाले पथिक ! तू क्यों सन्ताप पा रहा है ? शीघ्र पयोधर (मेघ वस्तुतः स्तन) की आशा कर, जिससे कि शान्तिलाभ हो।

उपपादयति—

अत्र झगिति तापशमहेतुत्वेनोपस्थिते पश्चान्मद-(मति-पद)-बोधनीयविशेष्यकस्मरतापवत्तावैशिष्ट्यबुद्धौ सत्यां सहृदयस्य तादृशतापशमकरमणीस्तनरूपविषयताद्रूप्यबुद्धिर्भवति।

झगिति शीघ्रम्। उपस्थिते इति। मेघे इति भावः। अयं भावः—पान्थ—'इत्यत्र पयोधरपदात् प्रथमं तापशान्तिकारणत्वेन प्रसिद्धो मेघरूपार्थं उपस्थितो भवति ततः

'मन्दमते' इति सम्बोधनस्य 'विरहतापशान्त्युपायानवधारणेन तव बुद्धौ मन्दता' इत्यर्थानुसन्धानेन 'विरही स्मरतापवत्ताविशिष्टः' इत्याकारके मन्दमतिपदबोध्यविरहिविशेष्यक स्मरतापवत्तावैशिष्ट्यज्ञाने सति सहृदयः प्रागभिधयोपस्थिते पयोधरपदार्थरूपे उपमाने स्मरतापशमनकारणकामिनीस्तनरूपोपमेयतादात्म्यं बुध्यते इति । प्रागभिधयोपस्थितः पयोधरपदार्थो मेघोऽत्रोपमानम्, पश्चाद् व्यञ्जनयोपस्थितः पयोधरपदार्थ एव रमणीस्तन उपमेयः, अनयोश्च तादात्म्यमत्र भासते, तत्रोपमेयं तादात्म्यस्य प्रतियोगी, तत्प्रतियोगिकतादात्म्येनैव प्रकृतस्मरतापशान्तिकार्यसिद्धिसम्भवात्, उपमानञ्च तादात्म्यस्याश्रयः । तथा च प्रकृतकार्योपयोगितावच्छेदकोपमाननिष्ठोपमेयप्रतियोगिकतादात्म्यप्रतीत्या परिणामः स्पष्टः, स चोपमेयस्य व्यङ्ग्यत्वेन व्यङ्ग्य इति परिणामध्वनिः पयोधरपदस्य परिवृत्त्यसहतया शब्दशक्तिमूल इति स्पष्टार्थः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'पान्थ मन्दमते—' इस पद्य में तापशान्ति के कारणरूप में प्रसिद्ध होने के कारण, प्रथमतः 'पयोधर' पद से मेघरूप अर्थ अभिधावृत्ति द्वारा उपस्थित होता है । परन्तु बाद में जब 'मन्दमति' इस सम्बोधन की ओर ध्यान जाता है और तापशान्ति का उपाय न सोच सकने के कारण विरही मन्दबुद्धि है यह विदित हो जाता है तब अनायास ही मन्दमति पद से अवगत होनेवाला-विरही—जिसमें विशेष्य होता है और काम-ताप जिसमें विशेषण होता है ऐसा—अर्थात् 'विरही कामतापवाला है' इस तरह का बोध हो जाता है, और इस बोध के हो जानेपर व्यञ्जना द्वारा कामतापशामकरूप में पयोधर पद से ही उपस्थित होनेवाले कामिनीस्तनरूप उपमेय का तादात्म्य उसी पद से अभिधाद्वारा पहले उपस्थित मेघरूप उपमान में सहृदय को ज्ञात होता है । कहने का सारांश यह कि—अभिधाद्वारा उपस्थित मेघरूप पयोधर पदार्थ उपमान है और व्यञ्जना द्वारा उपस्थित पयोधर पद का ही अर्थ-कामिनीस्तन उपमेय है । इन दोनों में से उपमेय का ही ताद्रूप्य उपमान में यहाँ प्रतीत होता है, उपमान का ताद्रूप्य उपमेय में नहीं, क्योंकि उपमेय (स्तन)से अभिन्न उपमान(मेघ) को समझने से ही कामतापशान्तिरूप कार्य की सिद्धि हो सकती है, मेघरूप उपमान से अभिन्न स्तनरूप उपमेय को समझने से नहीं । ऐसी स्थिति में परिणाम यहाँ स्पष्ट है और वह व्यङ्ग्य इसलिये माना जाता है कि—उपमेय व्यङ्ग्य है । फलतः परिणामध्वनि का उदाहरण यह पद्य ठीक है । यह ध्वनि शब्दशक्तिमूलक इसलिये मानी जाती है कि—'पयोधर' पद यहाँ परिवर्तित होने योग्य नहीं है ।

परिणामगतदोषपरिचायनायाह—

दोषाश्चात्रापि पूर्ववदुन्नेयाः ।

रूपके यथा ये लिङ्गभेदादयो दोषा उक्तास्ते तथैवात्रापि बोध्या इति भावः ।

रूपक में जो लिङ्गभेद आदि दोष बतलाए गये हैं वे ही सब दोष परिणाम में भी हो सकते हैं यह समझ लेना चाहिए ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां परिणामालङ्कारप्रकरणं समाप्तम् ।

परिणामालङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीं ससन्देहालङ्कारनिरूपणं कर्तव्यत्वेन प्रतिजानीते—

अथ ससन्देहः—

अथेति । परिणामालङ्कारनिरूपणानन्तरमित्यर्थः । ससन्देहः । तदाख्योऽलङ्कारः । निरूप्यते इति शेषः ।

'परिणाम' का निरूपण कर लेने के बाद अब 'ससन्देह'का निरूपण किया जाता है—

तत्र तावत्तल्लक्षणमाह—

सादृश्यमूला भासमानविरोधका समबला नानाकोट्यवगाहिनी धी रमणीया ससन्देहालङ्कृतिः ।

सादृश्यमूलेति । सादृश्यज्ञानरूपदोषजन्येत्यर्थः । भासमानेति । भासमानः = विषयीभवन् विरोधो यस्याम् सा भासमानविरोधा, ततः समासान्ते कप्रत्यये, पूर्वाकारस्य ह्रस्वत्वे, टापि यथोक्तं रूपं सिद्ध्यति । धकारोत्तराकारस्येत्वं तु वैकल्पिकत्वान्नेति भावः । समबलेति । समानकोटिद्वयभासकसामग्रीजन्येत्यर्थः । नानेति । स्फुटत्वार्थमिदम् । कोट्यवगाहिनीति । विरुद्धानेकधर्मविषयिणीति । समुदितार्थः । धीः । बुद्धिरित्यर्थः । रमणीयेति । चमत्कारकरीत्यर्थः । ससन्देहालङ्कृतिरिति । तादृशधीवृत्तिसन्देहत्वप्रकारक-ज्ञानविषया बुद्धिः ससन्देहालङ्कृतिरिति विवक्षितोऽर्थः । ईदृशविवक्षाफलं प्रथमोदाहरणव्याख्यायां स्फुटीभविष्यति ।

सर्वप्रथम ससन्देह का लक्षण किया जाता है—सादृश्यमूलेत्यादि । सादृश्य-ज्ञान-रूप दोष से होनेवाला एवं जिसमें विरोध भासित होता हो और जिसमें अनेक कोटियों को भासित करनेवाली सामग्री (कारणसमूह) समानवलशालिनी हो ऐसा अनेक कोटियों (धर्मविशेषों) का अवगाहन करनेवाला ज्ञान, सुन्दर होने पर, 'ससन्देह' अलङ्कार कहलाता है । तात्पर्य यह कि उक्त तरह के सन्देह पदार्थ का ज्ञान 'ससन्देह' अलङ्कार होता है । इस तरह के तात्पर्य वर्णन का फल उदाहरण की व्याख्या में स्पष्ट किया जायगा ।

पदकृत्यान्याह—

'अधिरोप्य हरस्य हन्त चापं परितापं प्रशमय्य बान्धवानाम् ।
परिणेष्यति वा न वा युवाऽयं निरपायं मिथिलाधिनाथपुत्रीम् ॥'

अत्र मिथिलास्थजनोक्तौ तच्चिन्ताभिव्यञ्जके संशयमात्रेऽतिव्याप्तिवारणाय सादृश्यमूलेति । सादृश्यज्ञानरूपदोषजन्येत्यर्थः । तेन 'सिंहवत् प्रान्तरं गच्छ गृहं सेवस्व वा श्ववत्' इत्युपमाविकल्पे वाकारप्रतीतविरोधकप्रान्तरगमन-गृहसेवन-रूपनानाधर्मावगाहिनि सादृश्यविषयकेऽपि नातिप्रसङ्गः । तस्य सादृश्यज्ञानरूपत्वात् । मालारूपकातिप्रसङ्गवारणाय भासमानविरोधकेति । उत्प्रेक्षाव्यावृत्तये समबलेति समानभासकसामग्रीत्वार्थकम् । एतद्विशेषणद्वयप्राप्तस्यैवानेकत्वस्य स्फुटत्वार्थं नानेति । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति लौकिकसंशयनिवृत्तये रमणीयेति, चमत्कारिणीत्यर्थः । एतच्च विशेषणं सामान्यालङ्कारलक्षणप्राप्तमेव । एवमुपस्कारकत्वमपि बोध्यम् । एतद्विशेषणद्वयस्य सादृश्यमूलत्वस्य चाभावे संशयमात्रमेव ।

सादृश्यमूलेतिविशेषणफलमभिधातुं पद्यमुपन्यस्यति—अधिरोप्य इति । अयं दृग्गोचरीभूतः, युवा युवकः रामचन्द्र इति यावत् , हरस्य शम्भोः, चापं धनुः, अधिरोप्य

आकृष्य, बान्धवानां विश्वामित्रादीनाम्, परितापं चिन्ताविशेषम्, प्रशमय्य शमयित्वा, च, मिथिलाधिनाथस्य जनकस्य, पुत्रीं तनयाम् सितामिति यावत्, निरपायं निर्विघ्नम् यथा स्यात्तथा, परिणेष्यति विवाहयिष्यति, न वा अथवा न विवाहयिष्यति इति तदर्थः। हन्त इति खेदे। खेदश्चाभिमतसीतारामपरिणयसंशयजन्य इति बोध्यम्। वक्तव्यमुपपादयति—अत्रेत्यादिना। तच्चिन्तेति। मिथिलास्थजनचिन्तेत्यर्थः। संशयमात्रे इति। अलङ्कारत्वरहिते संशये इत्यर्थः। 'अधिरोप्य—' इत्यत्र रामकर्तृकसीताकर्मकपरिणयतदभावरूपविरुद्धकोटिज्ञानरूपः सन्देहो यद्यपि वर्णितस्तथापि नासावलङ्कारः तस्य चिन्तामूलकत्वेन सादृश्यमूलकत्वाभावात्। ईदृशसन्देहवारणायैव लक्षणे सादृश्यमूलत्वोक्तिरिति भावः। यद्यपि प्रकृतपद्ये संशयस्य न सादृश्यमूलत्वमिति यथाश्रुतेनैव वारणं सम्भवति, तथाप्यन्यत्राप्यदोषाय सादृश्यमूलेति विशेषणस्यार्थविशेषमाह—सादृश्यज्ञानेति। 'इदमस्य सदृशम्' इत्याद्याकारकं यत् सादृश्यज्ञानम् तद्रूपो यो दोषः तज्जन्यः ज्ञानविशेष इति तदर्थः। एतादृशार्थकरणफलमाह—तेनेति। तथार्थविवक्षणेनेत्यर्थः। 'सिंहवत्—' इति। 'सिंहो यथाऽरण्यं गच्छति तथा त्वमरण्यं याहि, अथवा श्वा कुक्कुरः, यथा गृहं सेवते तथा त्वमपि गृहं सेवस्व' इत्यर्थः। उपमाविकल्पोऽयम्। अत्र 'वा' पदेन विरोधः, अरण्यगमनगृहसेवनरूपकोटिद्वयं सादृश्यं च विषयतया भासन्ते इति यथाश्रुतसन्देहलक्षणमत्रापि प्रसज्येत अतः 'सादृश्यमूला' इत्यस्यार्थविशेषकरणमावश्यकं जातम्, तादृशार्थकरणे तु नात्रोपमाविकल्पे लक्षणातिप्रसक्तिः, तस्योपमाविकल्पस्य सादृश्यज्ञानरूपत्वेन सादृश्यज्ञानरूपदोषजन्यत्वविरहात् इति भावः। भासमानेतिविशेषणव्यावर्त्यं दर्शयितुं प्रक्रमते—मालारूपकेति। 'धर्मस्यात्मा भागधेयं क्षमायाः सारः सृष्टेः' इत्यादावित्यर्थः। सादृश्यज्ञानरूपदोषजन्यं राजधर्मिकम् धर्मात्मत्व-क्षमाभागधेयत्व-सृष्टिसारत्वरूपनानाधर्मकं ज्ञानं यद्यपि अत्र वर्णितम् तथापि न तत् संशयरूपं प्रोक्तनानाधर्माणां मिथोविरोधाभावेन 'भासमानविरोधका' इति विशेषणेन वारणात् इति भावः। समबलेतिविशेषणफलं दर्शयितुं चेष्टते—उत्प्रेक्षेति। 'धूमस्तोमं तमः शङ्के' इत्यादावित्यर्थः। ननु धीविशेषणतयोक्तमपि समबलत्वं वस्तुतः कोट्योरेव पर्यवसीयते तथा च कथं तेन विशेषणेनोत्प्रेक्षाव्यावृत्तिः, तत्रापि तयोस्तुल्यबलत्वस्य सत्त्वादत आह—समानेति। समाना = समानस्थितिका, भासिका = कोटिद्वयभानजनिका सामग्री यस्या धियस्तादृशी धीरित्यर्थः। तथा च कोटिद्वयभासकसामग्र्याः समबलत्वं विवक्षितम्, न तु कोटिद्वयस्येति भावः। एवञ्च वस्तुतो धीविशेषणमेव समबलेति सारांशः। अयमभिप्रायः—आहार्यसम्भावनात्मिकायां 'धूमस्तोमं तमः शङ्के' इत्याद्युत्प्रेक्षायां तमआदिविधेयकोटिभासिका सामग्री उत्कटा, विधेयांशे आहार्यपदार्थघटकेच्छारूपहेतोरुत्कटत्वात्, तथा च तत्रत्या धीर्न कोटिद्वयभासकसमबलसामग्रीजन्येति तद्वारणाय तदर्थकं 'समबला' इति विशेषणमिति। 'समानं भासते तादृशी। भासनविषयकसामग्री समाना भवेदित्याशयः।' इति सरलाकारस्य भट्टमहोदयस्य विवरणं वस्तुतत्त्वं कियत् स्पृशतीति दार्शनिकैः साहित्यिकैरवधारणीयम्। नन्वेवं नानेति व्यर्थमत आह—एतद्विशेषणद्वयेति। 'भासमानविरोधका' 'समबला' इति विशेषणद्वयेत्यर्थः। अनेकत्वस्येति। अनेकधर्मकस्य

संशयस्येत्यर्थः। रमणीयेति विशेषणफलं प्रदर्शयितुमाह—स्थाणुरिति। स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति ज्ञानं यद्यप्युक्तसंशयलक्षणाक्रान्तम्, तथापि नालङ्काररूपम्, तस्य लौकिकत्वेन (कविप्रतिभाऽनुत्थापितत्वेन) अचमत्कारित्वात्। एतद्वारणायैव लक्षणे 'रमणीया' इति विशेषणप्रवेश इति भावः। भेदं विशेषणमत्र विशेषतो निवेशनीयम्, उपस्कारकत्वस्य रमणीयत्वस्य च सकलालङ्कारलक्षणेषु सामान्यतो निवेशस्य प्रागुक्तत्वादित्याह—एतच्चेति। पर्यवसितमाह—एतदिति। रमणीयत्वोपस्कारकत्वद्वयेत्यर्थः। सः संशयो रमणीयः, उपस्कारकः सादृश्यमूलो वा न भवेत्, स केवलः संशयः, नालङ्कार इति भावः।

उक्त ससन्देहालङ्कार के लक्षण में दिए गए विशेषणों के फल दिखलाये जाते हैं—अधिरोप्य इत्यादि। 'अधिरोप्य—अर्थात् हाय! शिवजी के धनुष को चढ़ाकर और विश्वामित्र आदि बान्धवों का सन्ताप शान्त कर यह युवक (रामचन्द्र) जनकतनया सीता को निर्विघ्न ब्याहेगा अथवा नहीं?' मिथिलापुरी के निवासिओं की इस उक्ति में, उनकी (मिथिलावासियों की) चिन्ता को अभिव्यक्त करनेवाले शुद्ध (अलङ्कारत्व-शून्य) सन्देह में प्राप्त अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये लक्षण में 'सादृश्यमूला' यह विशेषण दिया गया है, जिसका अर्थ है 'सादृश्यज्ञानरूपदोष से उत्पन्न होनेवाली'। ऐसा अर्थ करने का फल यह है कि 'सिंहवत्—अर्थात् सिंह की तरह निर्जन वन में चला जा अथवा कुत्ते की तरह घर की सेवा करता रह।' इस उपमा-विकल्प (दो तरह के सादृश्यों का पाक्षिक ज्ञान) में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि यह विकल्प सादृश्यज्ञानरूप ही है, सादृश्य-ज्ञान-रूप-दोष से उत्पन्न होनेवाला नहीं। यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जाता तब तो उक्त उपमा-विकल्प में अतिप्रसङ्ग हो ही जाता, क्योंकि वह भी 'वा' (अथवा) शब्द से जिनमें विरोध की प्रतीत होती है ऐसे वनगमन तथा गृहसेवन रूप अनेक धर्मों (कोटियों) का अवगाहन करनेवाला—और सादृश्य के विषय में होनेवाला ज्ञानरूप है। सारांश यह कि—'सादृश्यमूला' इस विशेषण का 'सादृश्य जिसके मूल में हो ऐसी' यह जो अर्थ आपाततः ज्ञात होता है उससे भी 'अधिरोप्य—' इस पद्य में अतिव्याप्ति का वारण हो जा सकता है, क्योंकि वहाँ के सन्देह के मूल में सादृश्य नहीं अपितु चिन्ता है, तथापि 'सिंहवत्—' इत्यादि स्थलों पर अतिप्रसङ्गवारणार्थ उसका पूर्वोक्त अर्थ करना पड़ता है, क्योंकि आपाततः ज्ञात होनेवाले अर्थ से यहाँ काम नहीं चल सकता था। कारण, इस उपमा-विकल्प के मूल में सादृश्य है ही। फलतः उक्त दोनों ही स्थलों में अतिप्रसङ्ग का वारण उक्तार्थक उक्त विशेषण का फल होता है 'यह राजा धर्म की आत्मा, क्षमा का भाग्य और सृष्टि का सार है' इत्यादि 'मालारूपक' में भी समानबल, सादृश्यमूलक, अनेककोट्यवगाही ज्ञान होता है। उसमें प्राप्त अतिप्रसङ्ग का वारण करने के लिये लक्षण में 'भासमान-विरोधका' यह विशेषण जोड़ा गया है। 'मालारूपक' में भासित होनेवाले अनेक धर्म परस्पर विरुद्ध नहीं रहते, अतः उक्त विशेषण से उसका वारण हो जाता है। 'धूमस्तोमं तमः शङ्के—अर्थात् मैं तम में धूमसमूह की शङ्का करता हूँ' इत्यादि उत्प्रेक्षा में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये लक्षण में 'समबला' यह विशेषण दिया गया है। आप कहेंगे—उक्त विशेषण शब्दतः यद्यपि 'धीः' में दिया गयाहै, तथापि अर्थतः वह 'कोटिद्वय' का ही विशेषण होगा—अर्थात् उक्त विशेषण का फलितार्थ यही होगा कि 'जिस ज्ञान में समानबलवाली दो कोटियाँ भासित हों।' ऐसी स्थिति में उस विशेषण से उक्त उत्प्रेक्षा का वारण कैसे होगा? क्योंकि वहाँ भी दोनों (तम तथा धूम) कोटियाँ समानबलशालिनी हैं, तो इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है कि 'समबल'

यह ज्ञान का ही विशेषण है, कोटिद्वय का नहीं और उसका अर्थ है 'जिस ज्ञान में दोनों कोटियों को भासित करनेवाली सामग्री (कारण-समूह) समान—तुल्यबल-हो। अब आप देखें कि उक्त उत्प्रेक्षा का वारण उससे होता है कि नहीं। अवश्य होता है, क्योंकि उत्प्रेक्षा आहार्य (बाधित होकर भी इच्छाजन्य) सम्भावनारूप होती है, अतः वहाँ दो कोटियों को भासित करने वाली सामग्री के अन्तर्गत उत्प्रेक्षा करनेवाले की इच्छा भी एक है और वह इच्छा विधेयकोटि में उत्कट है—अर्थात् उत्प्रेक्षक में धूम-समूह के भान की जैसी उत्कट इच्छा है वैसी तम के भान की नहीं—अतएव तो वह वस्तुतः तम की धूमत्वेन सम्भावना करता है। इस तरह यद्यपि 'भासमानविरोधका' तथा 'समबला' इन दोनों विशेषणों से ही ज्ञात हो जाता है कि—'जिस ज्ञान में अनेक कोटि हों', तथापि उक्त दोनों विशेषणों से प्राप्त हुई कोटियों की अनेकता को स्पष्ट करने के लिये 'कोटि' में 'नाना' (अनेक) विशेषण कहा गया है। 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा—अर्थात् ठूंठ है अथवा मनुष्य है' इस लौकिक सन्देह की निवृत्ति के लिये लक्षण में 'रमणीया' यह कहा गया है, जिसका अर्थ है 'चमत्कार-युक्त'। उक्त लौकिक सन्देह चमत्कार-युक्त नहीं, अतः उसका उक्त विशेषण से वारण हो जाता है। यह (रमणीय) विशेषण अलङ्कार-सामान्य के लक्षण से प्राप्त है—अर्थात् चमत्कार-युक्त पदार्थ ही अलङ्कार कहलाता है यह बात सभी अलङ्कारों के लिये समझनी चाहिये, उसी बात की याद दिलाने के लिये यहाँ 'रमणीया' कह दिया गया है। फलतः यह लक्षण का कोई खास अंश नहीं है। इसी तरह 'उपस्कारकत्व' भी सभी अलङ्कारों के लिये सामान्य विशेषण समझना चाहिए—अर्थात् जो पदार्थ स्वयं गौण रहकर किसी प्रधान अर्थ को शोभित करनेवाला होता है वही अलङ्कार कहलाता है यह बात समानरूप से सभी अलङ्कारों में समझ लेनी चाहिए। इन दोनों विशेषणों में से एक भी यदि सङ्घटित नहीं होता हो और इन दोनों के सङ्घटित होते रहने पर भी यदि सादृश्य-ज्ञान-रूपदोष से उत्पन्न न हुआ हो तो अपेक्षित अन्य बातों के रहने पर वह ज्ञान-विशेष संशय कहा जा सकता है, ससन्देहालङ्कार नहीं।

ननु संशये विरोधो न भासते मानाभावात्। किंत्वविरोधित्वज्ञानाभावविशिष्टनाना-कोटिकज्ञानमेव संशय इति कुत उक्तलक्षणमित्यतो लक्षणान्तरमाह—

यद्वा 'सादृश्यहेतुका निश्चयसम्भावनान्यतरभिन्ना धी रमणीया संशया-लङ्कृतिः'।

निश्चयसम्भावनोभयभेदस्यैकस्मिन् निश्चये सम्भावने च सत्त्वात्तथोक्तौ तत्रातिप्रसङ्गा-पत्तेराह—अन्यतरेति। तथा च सम्भावनाभिन्नत्वे सति निश्चयभिन्नत्वमित्यर्थलाभान्न रूपकोत्प्रेक्षादावतिप्रसङ्गस्तत्र निश्चयसम्भावनान्यतरत्वस्यैव सत्त्वादिति भावः। तत्रालिर्नेत्रं वेति वाक्याद्विरोधभानवादिमतेऽलित्ववानयमलित्वविरुद्धनेत्रत्ववानिति विशिष्टवैशिष्ट्यन्या-येन, एकत्र द्वयमिति न्यायेन वा बोधः। अलिशब्दस्य च वाशब्दसमभिव्याहारे उभयत्रा-न्वयः। व्युत्पत्तिवैचित्र्यात्। केचित्तु वाशब्दद्वयबलादलित्वविरुद्धनेत्रत्ववानयं नेत्रत्वविरुद्धा-लित्ववानिति बोधमाहुः। तदभानवादे तु अलित्ववानिति नेत्रत्ववानिति बोधः। समुच्चये त्वेतन्मतेऽविरोधभानमङ्गीकार्यमिति दिक्।

यदि कहा जाय कि—सन्देह में विरोध नहीं भासित होता। कारण, वहाँ उसके भासित होने में कोई प्रमाण नहीं है। अतः सन्देह उस ज्ञान को कहना चाहिए जिसमें ऐसे दो धर्म—जिनके विषय में अविरोध का ज्ञान नहीं हो—विशेषणरूप से भासित हों।

ऐसी स्थिति में सन्देह का उक्त लक्षण ठीक नहीं, अतः दूसरा लक्षण किया जाता है— यद्वा इत्यादि। निश्चयात्मक ज्ञान से अन्य तथा संभावनात्मक ज्ञान से भी अन्य जो सादृश्य-ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला चमत्कारजनक ज्ञान वह 'सन्देहालङ्कार' कहा जाता है। यहाँ मूल में 'निश्चयसम्भावनान्यतरभिन्ना—अर्थात् इन दोनों में से प्रत्येक से भिन्न' ऐसा कहा गया है। क्यों? उसकी जगह 'निश्चयसम्भावनोभयभिन्ना-अर्थात् इन दोनों से भिन्न' ऐसा क्यों नहीं कहा गया? तो इसका रहस्य समझना चाहिए कि यदि वैसा कहा जाता तब वह कथन व्यर्थ ही न होता, अपितु-आपत्ति-जनक भी हो जाता, क्योंकि उभय भेद प्रत्येक में रह जाता-अर्थात् निश्चय तथा सम्भावना इन दोनों से भिन्न निश्चय भी कहला जाता और सम्भवना भी और ऐसी स्थिति में निश्चयात्मक रूपक तथा सम्भावनात्मक उत्प्रेक्षा में इस लक्षण का अतिप्रसङ्ग हो ही जाता, अतः अन्यतर-भेद का निवेश किया गया है जिसका स्पष्टीकरण हो चुका है व्याख्या में और तदनुसार उक्त दोनों स्थलों में अतिप्रसङ्ग का वारण—जो उस निवेश का प्रयोजन है—सिद्ध हो जाता है। एक बात और—उक्त दोनों लक्षणों से निष्कर्ष यह निकलता है कि-संशय के विषय में दो पक्ष हैं-एक यह कि उसमें विरोध का भान होता है और दूसरा यह कि वह नहीं होता है। तदनुसार 'यह भ्रमर है अथवा नेत्र' इस वाक्य से विरोधभानवादियों के मत में 'भ्रमरत्वधर्मवाला यह भ्रमरत्व-विरुद्ध नेत्रत्वधर्मवाला है' ऐसा शाब्दबोध होगा। इस बोध को 'विशिष्टवैशिष्ट्य'न्यायानुसारी अथवा 'एकत्र द्वयम्'न्यायानुसारी कह सकते हैं। अभिप्राय यह है कि इस बोध में भ्रमरत्वविशिष्ट इदं पद (यह) के अर्थ को उद्देश्य बनाकर नेत्रत्ववैशिष्ट्य का विधेयरूप में भान माना जाय अथवा इदं पदार्थ को उद्देश्य बनाकर भ्रमरत्व तथा नेत्रत्व दोनों का विधेयरूप में भान माना जाय—दोनों प्रकार हो सकते हैं। इस पक्ष में व्युत्पत्ति की विचित्रता से वाक्य में एक बार उक्त होने पर भी भ्रमर पदार्थ का दो जगहों पर अन्वय करना पड़ता है और ऐसा करने में प्रेरक है वाक्य का 'वा' पद। जो लोग विरोध का भान संशय में नहीं मानते उनके मत में उक्त वाक्य से 'भ्रमरत्वधर्मवाला यह नेत्रत्वधर्मवाला है' ऐसा बोध होगा। आप कहेंगे—इस द्वितीय मत के अनुसार 'समुच्चय' और 'संशय' में क्या अन्तर रहा? तो इसका उत्तर यह है कि इस मत के अनुसार 'समुच्चय' में अविरोध अंश का भी भान मान लेना चाहिए—अर्थात् 'देवदत्त ब्राह्मण है और पण्डित भी' इत्यादि समुच्चयात्मक वाक्यों से 'देवदत्त ब्राह्मणत्व वाला तथा ब्राह्मणत्व से अविरुद्ध पाण्डित्य वाला है' इत्यादि रीति से बोध होगा।

संशयालङ्कृतिं विभनक्ति—

सा च शुद्धा निश्चयगर्भा निश्चयान्ता चेति त्रिविधा।

सा संशयालङ्कृतिः। शुद्धेति। निश्चयामिश्रितेत्यर्थः। निश्चयगर्भेति। यस्य गर्भे=मध्ये, निश्चयोऽपि जायते तादृशो यः संशयस्तद्रूपेत्यर्थः। निश्चयान्तेति। यस्यान्त एव निश्चयो जायते तादृशो यः संशयस्तद्रूपेत्यर्थः।

संदेहालङ्कार का विभाग किया जाता है—सा च इत्यादि। उक्त 'ससंदेहालङ्कार' तीन प्रकार का होता है—एक शुद्ध, अर्थात् जिसमें आदि से अन्त तक संदेह ही बना रहता है। दूसरा निश्चयगर्भ, अर्थात् जिसके बीच-बीच में निश्चय भी होता रहता है, और तीसरा निश्चयान्त, अर्थात् जिसमें आदि से लगातार संदेह बना रहता है, पर अन्त में निश्चय हो जाता है।

तत्र प्रथमभेदमुदाहर्तुमाह —

आद्या यथा—

शुद्धससन्देहालङ्कृतिर्यथेत्यर्थः ।

प्रथम—अर्थात् शुद्ध ससन्देहालङ्कार, जैसे—

उदाहरणं प्रदर्शयति—

'मरकतमणिमेदिनीधरो वा तरुणतरस्तरुरेष वा तमालः ।
रघुपतिमवलोक्य-तत्र दूरादृषिनिकरैरिति संशयः प्रपेदे ॥'

वनं गच्छतो रघुपतेर्वर्णनमिदम् । ऋषिनिकरैः मुनिवृन्दैः, तत्र वनमार्गे, दूरात्, रघुपतिं रामभद्रम्, आलोक्य दृष्ट्वा, एषः दृश्यमानः, मरकतमणेः श्यामवर्णमणिविशेषस्य, मेदिनीधरः पर्वतः, वा अथवा, तरुणतरः सर्वथा समृद्धः, तमालतरुः तमालवृक्षः, इति संशयः, प्रपेदे प्राप्त इत्यर्थः । अत्र यद्यपि शाब्दो बोधो न संशयात्मकः, शाब्द एव च बोधः संशयात्मकः प्रकृतेऽलङ्कारत्वेनाभिमत इति कथमिहालङ्कार इति चेत् ? सत्यम्, तथापि ऋषिनिष्ठज्ञानवृत्तिसंशयत्वप्रकारकशाब्दज्ञानविषयसंशयस्य सत्त्वादलङ्कारत्वमिति भावः । एतच्च लक्षणवाक्यव्याख्यायामपि सूचितं प्राक् ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—मरकत इत्यादि । वन जाते राम का वर्णन है—उस वनपथ पर पग बढ़ाते रामभद्र को दूर से देखकर मुनिवृन्दों को यह सन्देह हुआ कि यह मरकतमणि का पर्वत है अथवा पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हुआ तमाल का वृक्ष है । यहाँ शाब्दबोध सन्देहरूप नहीं है अर्थात् शाब्दबोध में दो धर्म भासित नहीं होते, अपितु सन्देहयुक्त मुनिवृन्दरूप एक ही धर्म, अतः यहाँ ससन्देहालङ्कार कैसे होगा ? क्योंकि शाब्दबोधात्मक सन्देह को ही अलङ्कार मानना आलङ्कारियों का अभिमत है यह शङ्का यद्यपि हो सकती है, तथापि मुनिवृत्ती ज्ञान में 'सन्देहत्वप्रकारक सन्देहविशेष्यक' शाब्दबोध तो यहाँ होगा, बस इसीसे 'ससन्देहालङ्कार' यहाँ बन जायगा, क्योंकि लक्षणवाक्य का तात्पर्य यही है यह बात पहले भी सूचित की जा चुकी है ।

द्वितीयं भेदमुदाहर्तुमाह—

द्वितीया यथा—

निश्चयगर्भसन्देहालङ्कृतिर्यथेत्यर्थः ।

निश्चयगर्भ ससन्देहालङ्कार, जैसे—

उदाहरणमाह—

'तरणितनया किं स्यादेषा न तोयमयी हि सा
मरकतमणिज्योत्स्ना वा स्यान्न सा मधुरा कुतः ।
इति रघुपतेः कायच्छायाविलोकनकौतुकै-
र्वनवसतिभिः कैः कैरादौ न सन्दिदिहे जनैः ॥'

रघुपते रामभद्रस्य, कायच्छायायाः देहकान्तेः, विलोकने दर्शने, कौतुकं कुतूहलं येषां तैः, कैः कैः वनवसतिभिः वनवासिभिः जनैः, आदौ प्रथमम्, 'एषा, तरणितनया कालिन्दी, स्यात् भवेत्, किम् ? न, कुतः ? हि यतः, सा तोयमयी जलमयी, इयं तु न तथेति भावः,

वा अथवा मरकतमणेः ज्योत्स्ना प्रभा, स्यात्, किम्? न, सा, कुतो मधुरा रुचिकरी? नेत्यर्थः इयं तु मधुरेति भावः' इति न, सन्दिदेहे सन्देहः कृतः, सर्वैस्तया सन्देहः कृत इत्यर्थः। अत्रापि प्रागवदलङ्कारत्वमुपपाद्यम्। निश्चयस्य मध्ये प्रतिपादनादत्र निश्चयगर्भत्वं बोध्यम्। प्रसङ्गः प्राग्वत्।

उदाहरण दिखलाया जाता है—तरणितनया इत्यादि। यह भी वनयात्री राम का ही वर्णन है—रामचन्द्र की देहकान्ति के दर्शन में उत्कण्ठावाले किन-किन वनवासी जनों को, पहले यह सन्देह नहीं हुआ कि—क्या यह यमुना होगी? नहीं वह तो जलमयी है। तो क्या मरकतमणि की प्रभा होगी? नहीं, वह मधुर कैसे हो सकती है—उसमें ऐसी रुच्यता कहाँ से आवेगी? यहाँ भी अलङ्कारता का उपपादन पूर्ववत् करना चाहिए। यहाँ 'यमुना नहीं हो सकती' इत्यादि रूप से बीच-बीच में निश्चय भी हुआ है, अतः यह निश्चय-गर्भ सन्देह कहलाता है।

तृतीयं भेदमुदाहर्तुमाह—

तृतीया यथा—

निश्चयान्तससन्देहालङ्कृतिर्यथेत्यर्थः।

निश्चयान्त ससन्देहालङ्कार जैसे—

उदाहरणमाह—

'चपला जलदाच्च्युता लता वा तरुमुख्यादिति संशये निमग्नः।
गुरुनिःश्वसितैः कपिर्मनीषी निरणैषीदथ तां वियोगिनीति॥'

अशोकवाटिकायां विरहदुर्वहं जीवनं यापयन्त्याः सीताया वर्णनमिदम्—जलदात् मेघात्, च्युता पतिता, चपला विद्युल्लता, इयम्, अथवा, तरुमुख्यात् प्रधानात् वृक्षात्, च्युता, लता वल्लरी, इति संशये सन्देहे, निमग्नः लीनः, मनीषी बुद्धिमान्, कपिः हनुमान्, अथ अनन्तरम्, गुरुभिः दीर्घैः, निःश्वसितैः श्वासवायुभिर्हेतुभिः, तां सीताम्, वियोगिनी विरहिणी, इति, निरणैषीत् निरचिनोत् इत्यर्थः। इहापि प्राग्वदेवालङ्कारत्वं निगमनीयम्। अन्ते निश्चयस्योक्तेर्निश्चयान्तोऽयं सन्देहः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—चपला इत्यादि। हनूमान् जी ने जब अशोकवाटिका में सीता को देखा तब वे पहले इस सन्देह में डूब गए कि—यह या तो मेघ से गिरी हुई विद्युत है या किसी प्रधान वृक्ष से गिरी हुई लता है। तदनन्तर बुद्धिमान् हनूमान् ने दीर्घ निःश्वासों द्वारा निर्णय किया कि यह वियोगिनी है—रामविरहकातरा जानकी है, विद्युत् अथवा लता नहीं। यहाँ भी सन्देह को अलङ्कारकोटि में लाने के लिये पूर्वोक्त युक्ति का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ आदि से सन्देह के रहने पर भी अन्त में निश्चय हुआ है, अतः इसे निश्चयान्त सन्देह कहा जाता है।

नन्वेषूदाहरणेषु संशयस्यैव प्राधान्येनान्योपस्कारकत्वविरहात्कथमलङ्कारत्वमत आह—

एषु संशयेषु मञ्जूषादिगतकटकादिष्विवालङ्कारव्यपदेशः।

पूर्वोक्तेषु पद्येषु वर्णिताः सन्देहाः स्वयं प्रधानवाक्यार्थाः, तथा चान्योपस्कारकत्वाभावात् कथमलङ्कारभावं ते भजेरन् इति शङ्कायां इदं समाधानं यत् यथा मञ्जूषादिगताः कटकादयस्तत्कालेऽलङ्कृतिक्रियाशून्या अपि अलङ्कृतियोग्यत्वादलङ्काराः कथ्यन्ते तथैवालङ्करणयोग्यतामादायैष्वपि सन्देहेष्वलङ्कारत्वव्यपदेश इति।

यदि कोई कहे कि—उक्त उदाहरणों में जो सन्देह वर्णित हुए हैं वे तो स्वयं प्रधान वाक्यार्थ हैं, किसी दूसरे को शोभित करते नहीं, फिर ये अलङ्कारकोटि में कैसे आ सकते हैं, तो इसका समाधान यह है कि—हाँ भाई! ये सन्देह किसी अन्य को शोभित नहीं करते, पर शोभित करने की योग्यता तो रखते ही हैं बस, इतने से ही ये सन्देह अलङ्कार कोटि में आ जाते हैं। लोकरीति भी तो ऐसी ही है। देखिए—जो कटक-कुण्डलादि पेटी में ही धरे रहते हैं—तत्काल किसी की देह की शोभा नहीं बढ़ाते उन्हें भी तो अलङ्कार कहा ही जाता है। क्यों? केवल शोभावर्धन की योग्यता रखने के कारण ही तो। बस, यही रीति यहाँ भी समझ लेनी चहिए।

प्रत्युदाहरणं दर्शयति—

एवं च—

'तं दृष्टवान् प्रथममद्भुतधैर्यवीर्य-
गाम्भीर्यमक्षणविमुक्तसमीपजानिम्।
वीक्ष्याथ दीनमबलाविरहव्यथार्तं
रामो न वाऽयमिति संशयमाप लोकः॥'

इत्यत्र सत्यपि चमत्कारे सादृश्यमूलत्वाभावान्न संशयस्यालङ्कारत्वम्।

एवं चेति। उक्तरीत्या संशयालङ्कारलक्षणस्य सादृश्यमूलत्वघटितत्वे चेत्यर्थः। तं दृष्टवानिति। प्रथमं संयोगदशायाम्, अद्भुतानि आश्चर्यकराणि, धैर्यम्, वीर्यम्, गाम्भीर्यञ्च तानि यस्य तादृशम्, तथा न क्षणं विमुक्ता समीपदेशाज्जाया (सीता) येन तम्, (जानिरित्यत्र 'जायाया निङ्' इति सूत्रं स्मरणीयम्) तं रामचन्द्रम्, दृष्टवान्, लोकः, अथ रावणकृतसीतापहारोत्तरम्, दीनं धैर्यादिहीनम्, तथा अबलायाः सीतायाः, विरहात्, या व्यथा पीडा, तया आर्तं पीडितम्, तम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, 'अयं रामः न वा' इति संशयम्, आप प्राप्तवान् इत्यर्थः। उपपादयति—अत्रेति। अयं भावः—यद्यप्यत्र विप्रलम्भपोषकतया चमत्कारी सन्देहो वर्णितस्तथापि नासावलङ्कारः, तस्य सादृश्यमूलकत्वाभावात् इति।

प्रत्युदाहरण दिखलाया जाता है—एवं च इत्यादि। सादृश्यमूलक सन्देह ही अलङ्कार होता है यह निर्णय जब लक्षण द्वारा हो गया तब 'तं दृष्टवान्—अर्थात् संयोगावस्था में आश्चर्यजनक धीरता, वीरता और गम्भीरता से युक्त तथा क्षण भर के लिये भी अपने समीप से सीता को अलग नहीं करने वाले राम को देख चुके लोगों ने रावण द्वारा सीताहरण के बाद, उनको दीन तथा सीताविरहजन्य व्यथा से पीड़ित देखकर, यह सन्देह किया कि—'यह राम है अथवा नहीं'। इस सीताविरहकातर रामवर्णनपरक पद्य में प्रतिपादित संशय विप्रलम्भशृङ्गार का पोषक होने के कारण चमत्कारजनक होकर भी अलङ्काररूप नहीं होता, क्योंकि उसके मूल में सादृश्य नहीं है।

विशेषं सूचयति—

एवमारोपमूलोऽयं सन्देहालङ्कारः।

अयं—पूर्वोक्तेषूदाहरणेषु प्रदर्शितः, सन्देहालङ्कारः उपमानोपमेययोर्द्वयोरुपादानात् आरोपमूलः कथ्यते। एवञ्चैवंविधसन्देहालङ्कारे रूपकमुपजीव्यमिति भावः।

विशेष की सूचना दी जाती है—एवमिति। पूर्वोक्त उदाहरणों में दिखलाये गए ससन्देहालङ्कार आरोपमूलक हैं, क्योंकि यहाँ उपमान-उपमेय दोनों का ग्रहण किया गया है। फलतः इस तरह से ससन्देहालङ्कार में रूपकालङ्कार ही सूक्ष्मरूप से कार्य करता रहता है। सन्देहकृत विलक्षण चमत्कार के कारण भिन्न अलङ्कार की संज्ञा इसे दी जाती है।

प्रागुक्तस्य त्रिविधस्यापि ससन्देहालङ्कारस्यान्यमतसिद्धं त्रैविध्यमाशंक्य निरस्यति—

अध्यवसानमूलोऽपि दृश्यते।

यथा—

'सिन्दूरैः परिपूरितं किमथवा लाक्षारसैः क्षालितं
लिप्तं वा किमु कुङ्कुमद्रवभरैरेतन्महीमण्डलम्।
सन्देहं जनयन्नृणामिति परित्रातत्रिलोकस्त्विषां
व्रातः प्रातरुपातनोतु भवतां भव्यानि भासां निधेः॥'

अयं च संशयः सवितृविषयककविरतिपरिपोषकतया कामिनीकरगतकङ्कणादिरिव मुख्यतयाऽलङ्कृतिव्यपदेश्यः। अत्र च विवक्षितविवेचने क्रियमाणे किरणव्राते सिन्दूरत्वादिकोटिकः संशयः पर्यवस्यति। स च न सारोपः। विषयविषयिणोस्तदनुकूलविभक्तेरभावात्। अतः सिन्दूरत्वादिना संशयधर्मी किरणव्रातोऽध्यवसीयत इति। अत्र विचार्यते-सिन्दूरैः परिपूरितं किमथवेति पद्ये तावत्सिन्दूरादिकरणकपरिपूरितत्वादिकोटिको जगन्मण्डलधर्मिकः संशयः शब्दात्प्रतीयते। तस्मिंश्च संशये किमिदं सिन्दूररजो वा स्यात्, आहोस्विल्लाक्षारसः, उताहो कुङ्कुमद्रव इति सूर्यकिरणधर्मिकं संशयान्तरमानुगुण्यमाधत्ते। यथा पुरोवर्तिनि तुरगे स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयो भूतलमिदं स्थाणुमत्पुरुषवद्वेति संशये। एवञ्च सूर्यकिरणधर्मिकः संशयो गुणीभूतो व्यञ्जनागम्यत्वाद्विषयविषयिणोरारोपानुकूलविभक्तिकतां नापेक्षते। अपेक्षते च साक्षाच्छब्दवेद्यतायामिति कुत्राध्यवसानमूलता संशयस्य? एतेनाध्यवसानमूलतां संशयस्य निरूपयतो विमर्शिनीकारस्योक्तिरपास्ता।

अध्यवसानमूल इति। उपमानेनोपमेयस्य निगरणादिति भावः। तादृशमुदाहरणं दर्शयति—सिन्दूरैरिति। कविराशीर्मुखेन भास्करभासः स्तौति—एतत्, महीमण्डलम्, सिन्दूरैः, परिपूरितम्, अथवा, लाक्षारसैः यावकद्रवैः, क्षालितं धौतम्, वा, कुङ्कुमद्रवभरैः केसररससमूहैः, लिप्तम् किमु, इति, नृणां मानवानाम्, सन्देहम्, जनयन् उत्पादयन्, तथा, परित्राताः रक्षिताः त्रयो लोका येन तादृशः, भासां निधेः सूर्यस्य, त्विषां तेजसाम्, व्रातः समूहः, प्रातः उषःकाले, भवताम्, भव्यानि श्रेयांसि, उपातनोतु विस्तारयत्विति तदर्थः। पूर्वतो भेदान्तरमाह—अयं चेति। 'सिन्दूरैः—' इति पद्ये कविनिष्ठः सूर्यविषयको रत्याख्यो भावः प्रधानतयाऽभिव्यज्यते, तं च भावं वाच्यः सन्देहः पुष्णाति। तथा च ?ख्योपस्कारकोऽयं सन्देहोऽलङ्कृतिक्रियाविशिष्टतया कामिन्याः करावलम्बं कुर्वन् कङ्कणादिरिव ?ख्याम् अलङ्कारपदव्यवहार्यतां धत्ते इत्यर्थः। एवञ्च पूर्वोदाहरणेभ्योऽस्मिन्नुदाहरणे द्वौ

भेदौ भवतः । एको मुख्यालङ्कारव्यवहाररूपः, अपरश्च साध्यवसानत्वरूप इति भावः । नन्वत्रापि महीमण्डलस्य विषयतयोपादानात्सारोपत्वमेव, न साध्यवसानत्वमित्यत आह—अत्र चेति । विवक्षितेति । तात्पर्यार्थेत्यर्थः । किरणव्राते सिन्दूरत्वादिकोटिक इति । 'किरणव्रातः सिन्दूरत्ववान्, लाक्षारसत्ववान्, कुङ्कुमद्रवभरत्ववान्वा इत्याकार' इत्यर्थः । 'किरणव्रातो वा सिन्दूरलाक्षादिकं वेत्याकारकः' इति 'सरला'विवरणं तु शोच्यमेव । स चेति । उक्ताकारकसंशयश्चेत्यर्थः । तस्याः सारोपत्वे हेतुमाह—विषयेति । उपमेयोपमानयोरित्यर्थः । किरणव्रातसिन्दूरादिकयोरिति यावत् । तदिति । आरोपेत्यर्थः । तथा च तत्त्वेनानुपादानमिति भावः । एतेन 'एवमपि किरणव्रातस्योपादानात्सारोपत्वमेव' इति निरस्तम् । पर्यवसितार्थमाह—अत इति । अयं भावः—'सिन्दूरैः—' इत्यत्र किरणव्रातधर्मिकः सिन्दूरत्वादिनानाधर्मावगाही सन्देह एव वक्तृतात्पर्यविषयः । स च नारोपमूलो वक्तुं योग्यः, 'सिन्दूरैः' इत्यादेस्तृतीयान्ततया 'त्विषां व्रातः' इत्यस्य च प्रथमान्ततया विभक्तिभेदात्, आरोप्यमाणारोपविषययोः समानविभक्तिकपदबोध्यत्व एवारोप इति नियमात् । अतोऽगत्या विषयिवाचकैः सिन्दूरादिपदैः सादृश्याख्यसम्बन्धेन विषयभूतः संशयधर्मी च किरणव्रातो लक्ष्यत इत्येवाङ्गीकरणीयम् । एवञ्च सिद्धमस्य संशयस्याध्यवसानमूलत्वम्, विषयिवाचकेन पदेन सदृशलक्षणया विषयोपस्थापनस्यैवाध्यवसानपदार्थत्वात् । न रूपकोपजीव्यक एव संशयालङ्कारोऽपि तु अतिशयोक्त्युपजीव्यकोऽपीति । प्रागुपपादितं संशयालङ्कारस्याध्यवसानमूलकत्वं निरसितुमाह—अत्र विचार्यते इत्यादि । यावत् आदौ । इदं किरणजातम् । आनुगुण्यम् अनुकूलताम् । आधत्ते सम्पादयतीति यावत् । संशये संशयान्तरस्यानुगुण्याधायकत्वे दृष्टान्तमाह—यथेति । एवं चेति । उक्तायां स्थितावित्यर्थः । गुणीभूत इति । उपपादकत्वादिति भावः । उपपाद्यं हि प्रधानं भवति । अनपेक्षत्वे हेतुमाह—व्यञ्जनेति । तर्हि कुत्र तदपेक्षा तत्राह—अपेक्षते चेति । एवञ्चारोपमूलक एवायमपि सन्देह इति भावः । अध्यवसानमूलकस्तु सन्देह आकाशकुसुमतुल्य एव । तदाह–कुत्रेति । एतेनेति । उक्तव्याख्यानेनेत्यर्थः । उक्तिरिति । एवञ्चात्रत्यः पूर्वपक्षः विमर्शिनीकारस्यैवेति स्पष्टम् ।

अयमत्र निर्गलितोऽर्थः—'सिन्दूरैः—' इति पद्ये द्वौ संशयौ वर्णितौ स्तः । तत्रैकः 'महीमण्डलं सिन्दूरकरणकपरिपूरितत्ववत्, लाक्षारसकरणकक्षालितत्ववत्, कुङ्कुमद्रवकरणकलिप्तत्ववद्वा' इत्याकारकः साक्षाच्छब्दवाच्यः प्रथमप्रतीतिविषयः, अपरश्च सूर्यकिरणसमूहविशेष्यकः 'अयं सिन्दूरपरागः, लाक्षारसः कुङ्कुमद्रवो वा' इत्याकारकः साक्षाच्छब्दावेद्यतया व्यङ्ग्यः पश्चात्प्रतीतिगोचरः । अनयोः प्रथमः प्रधानः, उपपाद्यत्वात्, द्वितीयस्तूपपादकतया गुणीभूतः । तत्र प्रधानीभूतस्य संशयस्य सारोपत्वं विप्रतिपत्तिहीनमेव, विषयविषयिणोरुभयोरुपादानात् । गुणीभूतसंशयस्यापि सारोपत्वस्वीकारे न बाधा काचित्, बाधकतयोपहितस्य विषयविषयिणोः समानविभक्तिकपदावोध्यत्वस्य प्रकृतेऽप्रसक्तात्, शब्दवेद्यसंशय एव तयोः समानविभक्तिकपदबोध्यत्वस्यारोपनियामकत्वात् । एवञ्चारोपमूलसन्देहालङ्कारोदाहरणमेवैतत्पद्यं भवति । अतः अध्यवसानमूलकसन्देहालङ्कारस्वीकारो विमर्शिनीकारस्यासङ्गत एव । फलतो रूपकोपजीव्यक एवायमलङ्कारो, नातिशयोक्त्युपजीव्यकः । तथा च त्रय एव भेदा अस्य, न पुनस्तत्रैकैकस्यापि त्रैविध्यमिति ।

सन्देहालङ्कार के विषय में एक विशिष्ट विचार किया जाता है—अध्यवसान इत्यादि। यह सन्देहालङ्कार अध्यवसानमूलक भी देखा जाता है। अभिप्राय यह कि जिस तरह पूर्वोक्त उदाहरणों में आरोप्यमाण तथा आरोपविषय दोनों उक्त हैं, अतः वहाँ के सन्देहालङ्कार आरोपमूलक अर्थात् रूपकमूलक कहे जाते हैं उसी तरह कहीं-कहीं केवल आरोप्यमाण ही उक्त रहता है और आरोपविषय उससे निगीर्ण रहता है, अतः वैसी जगह का सन्देहालङ्कार अध्यवसानमूलक-अर्थात् अतिशयोक्तिमूलक कहा जायगा। जैसे—"सिन्दूरैः—अर्थात् 'यह धरामण्डल क्या सिन्दूर से परिपूर्ण है, अथवा आलते (लाक्षा) के पानी से धोया हुआ है, किंवा केसर के रससमूह से पुता हुआ है' इस तरह के सन्देह को मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न करता हुआ त्रिलोकी-त्राता सूर्य का प्रातःकालीन कान्ति-समूह आपका कल्याण करे।" यहाँ का सन्देह सूर्य के विषय में कवि के प्रेम को पुष्ट करता है, अतः कामिनी के हाथ में पहने कङ्कण आदि की तरह मुख्यतया अलङ्कार कहने योग्य है। तात्पर्य यह कि–पूर्वोक्त उदाहरणों में वर्णित सन्देह पेटी में धरे भूषण की तरह अलंकृत करने की योग्यता रखने के कारण गौणतया अलङ्कार कहे गये हैं, पर यहाँ का सन्देह अलंकृत करने की योग्यता रखने के कारण ही नहीं, अपितु अलंकृत करने के कारण अलङ्कार कहा जायगा। यह भी उक्त उदाहरणों से इस उदाहरण में एक विलक्षणता है। 'सिन्दूरैः—' इस पद्य में, वक्ता के अभिमत अर्थ का विवेचन करने पर, अन्ततः किरण-समूह में 'सिन्दूरत्व' आदि कोटियोंवाला सन्देह सिद्ध होता है। अर्थात् ऊपर से देखने पर यद्यपि धरामण्डलरूप धर्मी (आधार) में सिन्दूरपरिपूरितत्व आदि अनेक धर्मों का सन्देह दिखाई पड़ता है, पर वास्तविक विचार करने पर जिस सूर्यकिरण के धरा पर फैले रहने के कारण उक्त सन्देह दिखाई पड़ा है उस किरणरूप धर्मी में सिन्दूरत्व आदि अनेक धर्मों का सन्देह ही समझा जायगा। और वह (किरणधर्मिक) सन्देह सारोप—आरोपमूलक—है नहीं, क्योंकि एक का दूसरे में आरोप करने के लिये उन दोनों की एकजातीय विभक्तिवाले पदों से उपस्थिति अपेक्षित रहती है और यहाँ ऐसी बात नहीं है-अर्थात् यहाँ सिन्दूरत्व आदि आरोप्यमाण की उपस्थिति 'सिन्दूरैः' आदि तृतीया विभक्तिवाले पदों द्वारा होती है तथा किरणरूप आरोपविषय की उपस्थिति 'त्विषां व्रातः' इस प्रथमान्त पद द्वारा होती है। फलतः यहाँ रूपकवाली स्थिति नहीं है। अतः मानना पड़ता है कि-यहाँ 'सिन्दूरैः' आदि पदों द्वारा 'सिन्दूरत्व आदि' रूप से संशय का धर्मी किरणसमूह अध्यवसित हुआ है-अर्थात् सादृश्यमूलक लक्षणा द्वारा सिन्दूर आदि पद ही किरण का भी बोधक है। फलतः यहाँ अतिशयोक्ति वाली स्थिति है। यह हुआ एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष सुनिये—विचार करने से विदित होता है कि–'सिन्दूरैः परिपूरितम्—' इस पद्य में, प्रथमतः, पृथ्वीमण्डल-रूप धर्मी (आधार) में 'सिन्दूर आदि द्वारा परिपूर्ण किया गया' कोटियों (धर्मों) वाला–अर्थात् 'पृथ्वीमण्डल सिन्दूर से परिपूर्ण किया गया है, अथवा लाक्षारस से धोया गया है, किंवा केसररससमूह से पोत दिया गया है' इस तरह का सन्देह, शब्द द्वारा प्रतीत होता है। उस सन्देह में सूर्यकिरणरूप धर्मी में होनेवाला 'क्या यह सिन्दूररज है अथवा आलते का पानी है किंवा केसर का रस' यह दूसरा सन्देह अनुकूलता उत्पन्न करता है। तात्पर्य यह कि एक दूसरे सन्देह से पहला सन्देह सिद्ध किया जाता है। जैसे कि सामने खड़े घोड़े के विषय में (घोड़े का जरा भी ज्ञान न होकर) 'यह खम्भा है अथवा पुरुष' यह सन्देह 'यह पृथ्वीतल खम्भे से युक्त है अथवा पुरुष से' इस दूसरे संदेह में उपयोगी होता है, क्योंकि विना प्रथम सन्देह के द्वितीय

सन्देह बन ही नहीं सकता, वही बात यहाँ भी है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि सूर्य-किरणरूप धर्मों में होनेवाला (दूसरा) सन्देह व्यञ्जनावृत्ति से प्रतीत होने के कारण उपमान-उपमेय में आरोप के अनुकूल समान विभक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, पर यदि वही साक्षात शब्दों द्वारा प्रतीत होता (जैसा कि पहला संदेह है) तो समान विभक्ति की अपेक्षा रखता। अतः यहाँ सन्देह की अध्यवसानमूलकता कहाँ है? अभिप्राय यह कि वाच्य आरोप में उपमान उपमेय एक विभक्तिवाले हैं, व्यङ्ग्य आरोप में नहीं, ऐसी दशा में ऐसे सन्देहों को अध्यवसानमूलक मानना उचित नहीं। सारांश यह कि 'सिन्दूरैः—' इस पद्य का पहला (वाच्य आरोपवाला) सन्देह सादृश्यमूलक न होने के कारण अलङ्कारश्रेणी में आता ही नहीं, रहा दूसरा (व्यङ्ग्य आरोपवाला) सन्देह, सो उसमें उपमान-उपमेय की, समानविभक्तिक न होने पर भी, उक्त रीति से आरोपमूलकता मानी ही जा सकती है, अतः अध्यवसानमूलक (अतिशयोक्तिमूलक) सन्देह होता ही नहीं। अतः सन्देहालङ्कार को अध्यवसानमूलक भी मानकर भेदसंख्या बढ़ावानेले विमर्शिनी (अलङ्कारसर्वस्व की टीका) कार परास्त हो गये।

अप्पयदीक्षितोक्तमनूद्य निरस्यति—

अप्पयदीक्षितास्तु—

'अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः
शृंगारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः।
वेदाभ्यासजडः कथं स विषयव्यावृत्तकौतूहलो
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः॥'

इत्यत्र चन्द्रादीनां सन्देहधर्मिणामेवानेकत्वम्। प्रकारस्तु वर्णनीयवनितास्रष्टृत्वमेकमेवेत्यनेककोटिकत्वाभावाद्विरोधेन परस्परप्रतिक्षेपकतया निबद्धानेककोट्यवगाहित्वरूपस्य संशयलक्षणस्याऽव्याप्तिमाहुः। तन्न। अत्र हि अस्याः सर्गविधौ यः प्रजापतिरभूत्स किं चन्द्रः, किं नु मदनः, किं वा नु वसन्त इति संशयः प्रजापतिधर्मिकश्चन्द्रत्वादिनानाकोटिक एवेति कुत्राऽव्याप्तिः। न चात्र चन्द्रादिधर्मिकः संशयो युक्तो वक्तुम्। एवं च प्रजापतेः प्रथमोद्देशो न स्यात्।

'अस्याः सर्गविधा'विति। कालिदासकृते विक्रमोर्वशीयनाटके उर्वश्या वर्णनमिदम्। 'मालतीमाधवे मालतीवर्णनमिदम्' इति नागेशव्याख्या तु भ्रान्तिमूलिकैव। पुरूरवा उर्वशीमवलोक्य कथयति—अस्याः उर्वश्याः, सर्गविधौ सृष्टिकरणे, कः, प्रजापतिः स्रष्टा, अभूत्? कान्तिप्रदः कान्तिदायकः, चन्द्रः, नु, शृङ्गारैकरसः शृङ्गाररसस्याद्वितीयः आश्रयः, स्वयं, मदनः कामदेवः, नु, पुष्पाकरः कुसुमाकरः मासः चैत्रः, बसन्त इति यावत, नु। ननु अस्याः सृष्टौ कथमभिनवप्रजापतिगवेषणम्? चिरप्रसिद्धश्चराचरनिर्माता विधाता एवैनामपि सृजेत, नेत्याह—वेदाभ्यास इति। वेदानाम्, अभ्यासेन = पुनःपुनरध्ययनेन, जडः शिथिलः (उपहासोक्तिरियम्), अत एव विषयेभ्यः सांसारिकवस्तुभ्यः, व्यावृत्तं निरस्तम्, कौतूहलं उत्कण्ठा यस्य तादृशः, स प्रसिद्धः, पुराणो वृद्धः, मुनिः ब्रह्मा, मनोहरं दर्शकजनचित्ताकर्षकं रमणीयमिति यावत, इदं पूर्वोक्तवनितागतम्, रूपम्, निर्मातुं रचयितुं कथम्, प्रभवेत् समर्थः स्यात, न स्यादित्यर्थः। अत्र यदुक्तं दीक्षितेन तदनुवदति—

इत्यत्रेति । अभावादित्यव्याप्तौ हेतुः । संशयलक्षणमाह- विरोधेनेति । परस्परप्रतिक्षेपकतयेति । मिथोऽवमर्दकतयेत्यर्थः । 'भासमानविरोधकः समबलः नानाकोट्यवगाही ज्ञानविशेषः संशयः' इति संशयसामान्यलक्षणमेवात्र न सङ्घटते, 'चन्द्रः, कामः, वसन्तो वा प्रजापतिः' इति ज्ञाने विशेष्यस्य चन्द्रादेरनेकत्वेऽपि विशेषणस्य प्रजापतित्वस्य (वर्णनीयनायिकासृष्टिकर्तृत्वस्य) एकत्वात्, एवञ्च संशयालङ्कारलक्षणसङ्घटनं तु दूरापास्तम् इति दीक्षिताकूतमिति भावः । निरस्यति—तन्नेति । निरासे हेतुमाह—अत्रेत्यादिना । हि यतः । अस्याः उर्वश्याः । 'मालत्याः' इति नागेशव्याख्या तु पूर्ववदत्रापि भ्रममूलिकैव । कुत्राव्याप्तिरिति । नाव्याप्तिरिति भावः । 'उर्वश्याः सृष्टौ यो विधाता स चन्द्रः, कामो, वसन्तो वा' इति ज्ञानाकारोऽत्राभिप्रेतः । तत्र प्रजापतिरेव विशेष्यभूतः एकः, विशेषणभूतं चन्द्रत्वादिकं पुनरनेकमेवेति प्रोक्तसंशयलक्षणमत्र सङ्घटत एवेति दीक्षितस्याव्याप्तिकथनं न युक्तमिति भावः । तदुपपादनं खण्डयति—न चेति । एवं चेति । चो ह्यर्थे । यत एवं सतीत्यर्थः । प्रथमोद्देश इति । प्रागुच्चारणमित्यर्थः । 'अस्याः सर्गविधौ—' इत्यत्र प्रजापतित्वप्रकारकः चन्द्रादिविशेष्यकः बोधोऽभिप्रेत इति न वक्तुं योग्यम्, तथा सति प्रजाप्रतित्वस्य विधेयत्वेन तद्बोधकपदस्य पश्चान्निर्देष्टुमौचित्यात् 'उद्देश्यमतिक्रम्य न विधेयमुदीरयेत्' इति नियमादिति भावः । प्रजापतेः प्राङ्निर्देशेनोद्देश्यत्वम्, चन्द्रत्वादेश्च पश्चान्निर्देशेन विधेयत्वम्, तथा च ग्रन्थकाराभिमतः प्रागुपदर्शितो बोधाकार एवेष्ट इति सारांशः ।

अब अप्पयदीक्षित के मत का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—अप्पयदीक्षिता इत्यादि, 'अस्याः सर्गविधौ—अर्थात् इस सुन्दरी की सृष्टि करने में कौन प्रजापति (सृष्टिकर्ता) हुआ होगा? कान्तिदायक चन्द्रमा, अथवा शृङ्गाररस का एक (अद्वितीय) आश्रय स्वयं कामदेव, किंवा कुसुमाकर मास (चैत्र = वसन्त)? कारण, वेद का सदा अभ्यास करते रहने के कारण जड़ बना हुआ, अतएव सांसारिक विषयों से मुख मोड़ चुका वह पुराना मुनि (ब्रह्मा) भला इस मनोहर रूप को कैसे बना सकता है?' (यह 'विक्रमोर्मशीय' नाटक में पुरूरवा द्वारा किया गया उर्वशी का वर्णन है। 'मालतीमाधव में यह मालती का वर्णन है' ऐसा नागेशकृत 'मर्मप्रकाश' का विवरण भ्रममूलक है।) यह सन्देह के धर्मी अर्थात् ज्ञान में विशेष्यरूप से भासित होने वाले पदार्थ चन्द्र आदि ही अनेक हैं, प्रकार—विशेषण तो वर्णनीय नायिका का उत्पन्न करना (प्रजापतित्व) एक ही है, अतः यह ज्ञान अनेक कोटियों (एक विशेष्य में अनेक विशेषणों) वाला हुआ नहीं—अर्थात् यह ज्ञान अनेक विशेष्यों में एकविशेषणवाला हुआ। ऐसी स्थिति में 'विरुद्ध होने के कारण परस्पर-एक दूसरे को-दबानेवाली अनेक कोटियों-विशेषणों-का अवगाहन करनेवाला ज्ञान संशय है' इस लक्षण की उक्त ज्ञान में अव्याप्ति होती है—अर्थात् यह संशयलक्षण वहाँ सङ्घटित नहीं होता, यह अप्पयदीक्षित का कथन है, जो सर्वथा असङ्गत है। कारण, यहाँ, इस सुन्दरी की सृष्टि में जो प्रजापति हुआ है वह क्या चन्द्र है, अथवा कामदेव है, किंवा वसन्त है, इस तरह का ज्ञान अभीष्ट है जिसमें संशय का उक्त लक्षण सङ्घटित होता ही है, क्योंकि इस ज्ञान में प्रजापतिरूप एक विशेष्य के विशेषणरूप से चन्द्रत्व, कामदेवत्व तथा वसन्तत्वरूप परस्परविरोधी पदार्थ भासित होते ही हैं। फिर यहाँ 'संशयलक्षण की अव्याप्ति कहाँ होती है? यदि कोई कहे कि—पण्डितराज ने जैसा बतलाया है वैसा ही ज्ञान यहाँ होगा, दीक्षित जी ने जैसा बतलाया है वैसा नहीं, इसमें प्रमाण क्या? तो लीजिए प्रमाण—ज्ञान में जो

विशेष्य होता है वह रहता है उद्देश्य और जो विशेषण होता है वह रहता है विधेय, यह नियम है, और साथ ही उद्देश्य-बोधक पद का विधेयबोधक पद से पहले प्रयुक्त होना भी निश्चित है। ऐसी स्थिति में दीक्षिताभिमत ज्ञान—जिसमें प्रजापतित्व ही विशेषण और चन्द्र आदि ही विशेष्य माने जाते हैं—के अनुसार प्रजापतिः' का पहले प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से वह विधेय-बोधक है। फलतः 'प्रजापति' पद के पूर्वप्रयोगरूप प्रमाण से पण्डितराजोक्त ज्ञान ही सिद्ध होता है, क्योंकि तदनुसार प्रजापति विशेष्य-अत एव उद्देश्य हो जाता है।

दीक्षिताभिप्रेतमन्यदपि निराचष्टे—

यदपि, 'साम्यादप्रकृतार्थस्य या धीरनवधारणा' इति प्राचां लक्षणं महता प्रबन्धेन त एव दूषितवन्तः, तदपि न। साम्यनिमित्ता निश्चयसम्भावनान्यतर-भिन्ना या धीरिति तदर्थकरणे दोषाभावात्। निश्चयत्वं तु संशयाघटितमेव निर्वचनीयम्।

'साम्यात—' इति। 'प्रकृतार्थाश्रया तज्ज्ञैः ससन्देहः स इष्यते' इति तदुत्तरार्धभागः। अवधारणभिन्ना प्रस्तुतार्थविशेष्यिका अप्रस्तुतार्थप्रकारिका या सादृश्यप्रयुक्ता धीः स सन्देहालङ्कार इत्यर्थः। त एवेति। अप्पयदीक्षिता एवेत्यर्थः। दूषितवन्त इति। चित्रमीमांसायामित्यर्थः। तत्र "साम्यादिति किमन्नाद्धेतोर्वसतीतिवत्फलत्वेन हेतुत्वविवक्षया पञ्चमी, उत स्वतो हेतुत्वविवक्षया, आद्येऽप्रकृतसाम्याभिव्यक्तिफलकत्वमर्थः। स्यात्। तथा सति 'आनीय द्विषताम्—' इत्युदाहरणेऽव्याप्तिः। द्वितीये साम्यादित्यनेन किमेकमेवाप्रकृतसाम्यं विवक्षितम्, उतैकमनेकं वेत्यनियमः। आद्ये 'अयं मार्तण्डः किम्—' इत्युदाहरणेऽव्याप्तिः, मार्तण्डत्वादिविकल्पेषु नैकं साम्यं हेतुः। किंतु प्रतापेन दुर्निरीक्ष्यत्वसाम्यं मार्तण्डत्वविकल्पे, दुराधर्षत्वसाम्यं कृशानुत्वविकल्पे, क्षणेन सकलसंहर्तृत्वसाम्यं कृतान्तविकल्पे च हेतुः। द्वितीये 'इह नमय शिरः कलिङ्गवद्वा समरमुखे करहाटवद्धनुर्वा' इति विकल्पालङ्कारेऽतिव्याप्तिः। अपि चानवधारणेति किमुच्यते। अनिश्चयात्मकत्वमिति चेत् तथा सति 'बालेन्दुवक्राण्यविकासभावात्' इत्यादावुदाहरिष्यमाणायामप्रकृतसाम्यनिमित्ततत्तादात्म्यसम्भावनारूपायामुत्प्रेक्षायामतिव्याप्तिः।" इत्याशयकं दूषणमभिहितम्। तन्निरस्यति—तदपि नेति। तत्र हेतुमाह—साम्यनिमित्तेति। साम्यादित्यस्यार्थोऽयम्। निश्चयसम्भावनेति। अनवधारणेत्यस्य तात्पर्यार्थोऽयम्। ईदृशार्थकरणे सर्वेऽपि दीक्षितोक्ता दोषा निरस्ता भवन्ति। ननु तद्दोषनिरासेऽपि संशयलक्षणे निश्चयान्यत्वस्य निश्चयलक्षणे च संशयान्यत्वस्य प्रवेशादन्योन्याश्रयः स्यादिति मनसि निधाय, तद्वारकमुपायमुपदर्शयति—निश्चयत्वं त्विति। निश्चयलक्षणे न संशयप्रवेशः, कोटिताख्यविषयतानवगाहिज्ञानविशेषस्य तल्लक्षणत्वात्। तथा च निर्दुष्टमेव प्राचां 'साम्यादिति' लक्षणमिति भावः।

दीक्षित के ही एक दूसरे अभिप्राय का खण्डन किया जाता है—यदपि इत्यादि। 'साम्यात्—अर्थात् सादृश्य के कारण प्रस्तुत अर्थ में जो अप्रस्तुत अर्थ का अवधारणा-रहित ज्ञान होता उसको सन्देह कहते हैं।' इस प्राचीनों के लक्षण को जो दीक्षित ने बड़े आडम्बर के साथ दूषित किया है-अर्थात् उन्होंने "'साम्यात्' का क्या अर्थ? यदि 'अन्नाद्धेतोर्वसति' की तरह फल को हेतु मानकर की गई पञ्चमी विभक्ति के अनुसार 'जिस ज्ञान का फल अप्रस्तुत अर्थ की समता का ध्वनित होना हो' यह किया जाय

तब उन्हीं के द्वारा दिखलाये गये 'आनीय ह्विषताम्र—' इस उदाहरण में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वहाँ अप्रस्तुत की समता को अभिव्यक्त करना कवि का अभीष्ट नहीं है। यदि 'साम्य' को स्वतःज्ञान का हेतु मानकर पञ्चमी करें और तदनुसार 'साम्य-हेतुक ज्ञान' ऐसा अर्थ किया जाय तब यह प्रश्न उठेगा कि हेतुभूत समता एक तरह की हो यह आपका अभिप्राय है, अथवा एक अनेक सब तरह की समता यह अभिप्राय है? एक भी सङ्गत नहीं, क्योंकि प्रथम अभिप्राय में 'अयं मार्तण्डः किम्—' यह उदाहरण आपका संगृहीत नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां भिन्न-भिन्न विकल्प में भिन्न-भिन्न तरह की समता हेतु है, द्वितीय अभिप्राय में 'इह नमय शिरः कलिङ्गवद्वा समरमुखे करहाटवद्धनुर्वा—अर्थात् इस युद्ध में कलिङ्गवासियों की तरह मस्तक नवाओ अथवा करहाटदेशवासियों की तरह धनुष नवाओ' यह विकल्पालङ्कार का उदाहरण संगृहीत होने लगेगा। इसी तरह 'अनवधारणा' का क्या अर्थ? यदि 'निश्चय से भिन्न' यह अर्थ अभीष्ट हो तब 'बालेन्दुवक्राण्यविकासभावात्—' इस सम्भावनात्मक उत्प्रेक्षा में अतिव्याप्ति हो जायगी।" इत्यादि बातें कही हैं। वह भी ठीक नहीं। कारण, यदि उक्त प्राचीनों की कारिका का 'सादृश्यनिमित्तक और निश्चय तथा सम्भावना इन दोनों में से प्रत्येक से भिन्न जो ज्ञान' ऐसा अर्थ कर लिया जाय—अर्थात् 'साम्यात्' के 'यत्किञ्चित् सादृश्य-ज्ञान से उत्पन्न होने वाला' और 'अनवधारणा'घटक 'अवधारणा' का निश्चय-सम्भावना दोनों ही अर्थ मान लिये जायँ तब उक्त सभी दोषों के वारित हो जाने से प्राचीनों का लक्षण निर्दुष्ट हो जाता है। रही बात यह—कि सन्देह का ऐसा लक्षण बनाने से 'निश्चय से भिन्न सन्देह' और 'सन्देह-भिन्न निश्चय' इस तरह एक लक्षण में दूसरे लक्षण की अपेक्षा हो जाने से अन्योन्याश्रय दोष होगा। पर यह दोष भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक का लक्षण तो ऐसा बनाना ही होगा कि जिसके अन्दर दूसरे का प्रवेश न हो, अतः निश्चय का लक्षण ऐसा बनाइए कि जिसके अन्दर सन्देह का प्रवेश न हो—अर्थात् 'कोटिता' नाम की जो एक विषयता मानी जाती है उसका अवगाहन जो न करे उस ज्ञान को निश्चय कहिए। बस, सभी बखेड़े समाप्त।

विशेषमाह—

उक्तेषूदाहरणेषु सोऽयं संशयालङ्कारः स्वशब्दवेद्यत्वाद्वाच्यः।

'मरकतमणि—'इत्यादीनि यानि ससन्देहालङ्कारस्योदाहरणानि प्रागुक्तानि तेषु ससन्देहालङ्कारोऽयं क्रमशः 'संशयः' 'सन्दिदिहे' 'संशये' इत्येभिः सन्देहवाचकैः पदैः बोधित इत्यतस्तत्रायमलङ्कारो वाच्यत्वेन व्यवहर्तुं योग्य इति भावः।

विशेष बातों का स्पष्टीकरण किया जाता है—उक्तेषु इत्यादि। उक्त ('मरकतमणि—' इत्यादि) उदाहरणों में यह ससन्देहालङ्कार अपने वाचक शब्दों—'संशयः' आदि—से अवगत होता है, अतः वाच्य है।

लक्ष्यं ससन्देहालङ्कारमुदाहर्तुमाह—

लक्ष्यो यथा—

लक्ष्य ससन्देहालङ्कार, जैसे—

उदाहरणमुपदर्शयति—

'साम्राज्यलक्ष्मीरियमृष्यकेतोः सौन्दर्यसृष्टेरधिदेवता वा।
रामस्य रामामवलोक्य लोकैरिति स्म दोला रुरुहे तदानीम्॥'

लोकैः जनैः, तदानीं विवाहानन्तरम्, रामस्य रामां कान्ताम्, सीतामिति यावत्, अवलोक्य, ऋष्यकेतोः कामदेवस्य, साम्राज्यलक्ष्मीः साम्राज्यसर्वस्वम्, सौन्दर्यसृष्टेः रमणीयतानिर्माणस्य, अधिदेवता अधिष्ठात्री देवी, वा, इयम्, इति दोला (झूला इति भाषा) रुरुहे स्म आरूढा इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—साम्राज्य इति। उस समय (विवाह के अनन्तर) रामचन्द्र की रमणी (सीता) को देखकर लोग 'यह काम की साम्राज्यलक्ष्मी है अथवा सौन्दर्यसृष्टि की अधिदेवता है' इस झूले पर आरूढ हुए—इस तरह के सन्देह से युक्त हुए।

उपपादयति—

अत्र पर्यायेणोभयकोट्यालम्बनतया दोलासादृश्यात् संशयोऽत्र दोलाशब्देन लक्ष्यते।

दोला यथाऽरोहकैरान्दोल्यमाना पर्यायक्रमेण कोटिद्वयम् (पर्यन्तभागयुगलम्) आलम्बते, तथा संशयात्मकं ज्ञानमपि पर्यायक्रमेण कोटिद्वयम् (विरुद्धधर्मद्वयम्) अवलम्बते (विषयीकुरुते), अतः 'साम्राज्य—' इति पद्ये दोलाशब्दस्य संशये सादृश्यसम्बन्धमूलिका-गौणी-लक्षणा भवति। तथा चात्रत्यः ससन्देहालङ्कारः लक्ष्य इति व्यपदिश्यते इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। जिस तरह झूला आन्दोलित होने पर दोनों कोटियों (छोरों) का अवलम्बन करता है, उस तरह संशयात्मक ज्ञान भी दोनों कोटियों (विरुद्ध दो धर्मों) का आलम्बन करता है—विषय बनता है। इस तरह झूले का सादृश्य संशय में सिद्ध है। अतः 'साम्राज्य—' इस पद्य में 'दोला' शब्द की संशय—रूप अर्थ में सादृश्यसम्बन्धमूलक—अर्थात्-गौणी लक्षणा होती है। फलतः इस पद्य को लक्ष्य ससन्देहालङ्कार का उदाहरण कहा जाता है।

व्यङ्ग्यं ससन्देहालङ्कारमुदाहर्तुमाह—

व्यङ्ग्योऽयं यथा—

अयं ससन्देहालङ्कारो व्यञ्जनया प्रतीयमानो यथेत्यर्थः।

व्यङ्ग्य ससन्देहालङ्कार, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'तीरे तरुण्या वदनं सहासं नीरे सरोजं च मिलद्विकासम्।
आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धालिकिशोरमाला॥'

मुग्धा अल्पज्ञा, मरन्दे परागे विषये, लुब्धा लोभवती, अलिकिशोराणां भ्रमरशिशूनां, माला पङ्क्तिः, तीरे तटे, सहासं हासयुक्तम्, तरुण्या युवत्याः, वदनं मुखम्, नीरे जले, च, मिलद्विकासं सविकासम्, सरोजं कमलम्, आलोक्य दृष्ट्वा, उभयत्र मुखसमीपे कमलसमीपे च, धावति द्रुतं गच्छतीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—तीरे इत्यादि। तटपर हास-युक्त युवती के मुख को और जल में विकसित कमल को देखकर मुग्ध तथा मकरन्द-लोभी छोटे-छोटे भ्रमरों की पङ्क्ति दोनों तरफ दौड़ रही है।

उपपादयति—

अत्र कमलधर्मिकोऽभेदेन संसर्गेण पुरोवर्तिव्यक्तिद्वयप्रकारकः कमलमिदमिदं वेति भ्रमरगतः संशयो व्यङ्ग्यः। न च कमलाभेदबुद्धेर्भ्रमरप्रवृत्त्युपायतयाऽपेक्षणादिदं पदार्थाभेदबुद्धिर्निरर्थिकेति वाच्यम्। एकपदार्थधर्मिकापरपदार्थाभेदबुद्धेरपरपदार्थधर्मिकैकपदार्थाभेदबोधप्रयोजकत्वेन कमलाभेदबोधसाम्राज्यात्। कमलत्वमेतद्वृत्ति तद्वृत्तिर्वेति संशयाकारः। सोऽयं संशयध्वनिः।

अत्रेति। 'तीरे तरुण्या—' इति श्लोके इत्यर्थः। कमलधर्मिक इति। कमलविशेष्यक इत्यर्थः। पुरोवर्तिव्यक्तिद्वयेति। तरुणीमुखकमलेतिवस्तुद्वयेत्यर्थः। व्यङ्ग्य इति। वाचकलक्षकयोरभावादिति भावः। 'तीरे—' इति पद्ये वाच्येनोभयत्र भ्रमरकर्तृकधावनेन 'कमलं इदं इदं वा' इत्याकारकः अभेदसम्बन्धावच्छिन्नपुरोवर्तिव्यक्तिद्वयनिष्ठप्रकारतानिरूपितकमलनिष्ठविशेष्यताकः भ्रमरनिष्ठः सन्देहः (अलङ्कारः) व्यज्यते इति भावः। अत्राशङ्कते—न चेति। कमलाभेदबुद्धेरिति। 'इदं कमलम्' इत्याकारकज्ञानस्येत्यर्थः। इदं पदार्थेति। इदं त्वेनेदम्पदार्थेत्यर्थः। अभेदबुद्धिरिति। 'कमलं इदम्' इत्याकारिका बुद्धिरित्यर्थः। एकपदार्थधर्मिकेति। 'इदं कमलम्' इत्याकारिकायाः इदंपदार्थधर्मिककमलाभेदबुद्धेरिति प्रकृतोऽर्थः। अपरपदार्थधर्मिकेति। 'कमलं इदम्' इत्याकारक-कमलधर्मिकेदं पदार्थाभेदज्ञानेति प्रकृतोऽर्थः। कमलाभेदबोधेति। 'इदं कमलम्' इत्याकारकबोधेत्यर्थः। कमले इदंपदार्थाभेदो निरर्थकः उभयत्र धावनकर्मणि भ्रमरप्रवृत्तेरिदं पदार्थधर्मिककमलाभेदज्ञानाधीनत्वात् कमलधर्मिकेदं पदार्थाभेदज्ञानस्य तत्राप्रयोजकत्वात्। तथा च 'इदमिदं वा कमलम्' इत्याकारकस्यानेकधर्मिकैकप्रकारकज्ञानस्यैवात्रौचित्येनानेककोटिकत्वाभावान्नायं संशय इति शङ्कादलाशयः, सम्बन्धरूपतयाऽभेदो द्विष्ठः पदार्थः, तया चैकस्य पदार्थस्यापरत्राभेदे गृहीतेऽपरस्य पदार्थस्याभेद एकस्मिन् गृहीतो भवत्येवेति इदंपदार्थे कमलाभेदे ज्ञायमाने कमले इदंपदार्थाभेदस्य ज्ञानं निष्प्रयोजनमपि स्यादेवेति च समाधानदलाशयो बोध्यः। पर्यवसितमाह—कमलत्वमिति। 'कमलं इदमिदं वा' इत्याकारके कमलविशेष्यकेऽभेदसम्बन्धावच्छिन्नपुरोवर्तिव्यक्तिद्वयनिष्ठप्रकारताके संशये जायमाने 'कमलत्वं एतद्वृत्ति तद्वृत्ति वा' इत्याकारकः कमलत्वविशेष्यकः स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नैतद्वृत्तित्वतद्वृत्तित्वोभयनिष्ठप्रकारताकः एव संशयः पर्यवस्यतीति भावः। उपसंहरति—सोऽयमिति। उक्तरीत्या प्रकृतपद्ये ससन्देहालङ्कारध्वनिरयं सुस्थमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'तीरे—' इस पद्य में 'तटपर तरुणी-मुख और जल में कमल को देख लेने के बाद भ्रमरों का दोनों तरफ दौड़ना'रूप वाच्यार्थ से कमलरूप आधार में, अभेद सम्बन्ध द्वारा, आगे स्थित दो व्यक्ति (एक तरुणी का मुख, दूसरा कमलपुष्प) जिसकी कोटियाँ हैं ऐसा 'कमल यह है अथवा यह' इस आकार वाला भ्रमरनिष्ठ सन्देह (अलङ्कार) अभिव्यक्त होता है। आप कहेंगे—कमलरूप आधार में 'यह' का अभेद निरर्थक है। कारण, भ्रमर जो दोनों वस्तुओं की तरफ दौड़ रहे हैं सो 'कमल में यह' के ज्ञान से नहीं, किंतु 'यह' में कमल' ज्ञान से दौड़ रहे हैं। अतः भ्रमरगत ज्ञान का आकार वस्तुतः यह सिद्ध होता है कि—'यह अथवा यह कमल है'। इस ज्ञान में धर्मी ही अनेक हैं कोटि तो 'कमल' एक ही है, फिर यह

ज्ञान संशय हुआ ही नहीं। पर यह आपका कथन उचित नहीं। कारण, एक पदार्थ में अन्य पदार्थ का अभेदज्ञान अन्य पदार्थ में एक पदार्थ के अभेद-ज्ञान का निमित्त हुआ करता है। सारांश यह कि 'अभेद' परस्पर का सम्बन्ध है, अतः 'यह में कमल का अभेद' मानने पर 'कमल में यह का अभेद' अपने-आप ही सिद्ध हो जाता है। इसलिये अन्ततोगत्वा इस सन्देह का आकार यह हो जाता है कि–'कमलत्व इसमें रहनेवाला है अथवा उसमें रहनेवाला'। इस अनेककोटियों वाले ज्ञान को सन्देह मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य यह निकला कि–ससन्देहालङ्कारध्वनि (व्यङ्ग्य ससन्देहालङ्कार) का यह उदाहरण ठीक है।

ससन्देहालङ्कारध्वनेरुदाहरणान्तरमाह—

'आज्ञा सुमेषोरविलङ्घनीया किं वा तदीया नवचापयष्टिः।
वनस्थिता किं वनदेवता वा शकुन्तला वा मुनिकन्यकेयम् ॥'

यद्यप्यत्रापि वाचकशब्दाभावाद् व्यङ्ग्य एव भवितुमर्हति संशयः, तथापि विषयनिरूपणेन स्फुटमावेदितत्वान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुः। अपि तु गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रभेदव्यपदेशस्य, अनुगामी चात्र प्रतिप्रकारं पृथगेव निर्दिष्टः।

सीतां पश्यतां मुनीनामुक्तिः— इयं सीतात्वेनानिर्णीता सीता, सुमेषोः पुष्पेषोः (कामदेवस्य) अविलङ्घनीया अवश्यमेव पालनीया, आज्ञा, किंवा, तदीया कामदेवसम्बन्धिनी, नवचापयष्टिः नूतनधनुर्वल्ली, किंवा, वनस्थिता वनवासिनी, वनदेवता वनाधिष्ठात्री देवी, किंवा मुनिकन्यका मुनितनया, शकुन्तला अस्तीत्यर्थः। उपपादयति— यद्यपीति। वाचकशब्देति। संशय-सन्देहादीत्यर्थः। विषयेति। आज्ञादीत्यर्थः। गुणीभूतेति। गुणीभूतव्यङ्ग्यनामको यः काव्य-प्रभेदस्तद्व्यपदेशस्येत्यर्थः। हेतुरित्यस्यानुषङ्गः। अनुगामीति। एकरूपेणान्वीयमानः उपमानोपमेयोभयवृत्तिर्धर्म इत्यर्थः। प्रतिप्रकारमिति। प्रकारतया भासमाने प्रत्येकस्मिन् उपमाने इत्यर्थः। प्रतिसन्देहमिति स्थूलोऽर्थः। 'आज्ञा—' इति पद्ये सन्देहवाचकः कश्चन शब्दो नास्ति, अतः इदमर्थधर्मिकः अभेदेन कामाज्ञाकामचापयष्टिवनदेवताशकुन्तलारूपविरुद्धधर्मप्रकारको वर्णनीयः सन्देहो व्यङ्ग्य इत्यत्र न काऽपि विचिकित्सा, परन्तु सत्यपि तस्मिन् व्यङ्ग्ये ससन्देहालङ्कारध्वनिव्यवहारोऽत्र न भवेत्, गूढव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनिव्यवहारप्रयोजकत्वात्, अत्रत्यसन्देहरूपव्यङ्ग्यस्य विषयनिरूपणेन स्फुटबोधिततयाऽगूढत्वात्। तस्मादत्रैवं सन्देहात्मकं व्यङ्ग्यमादाय गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकमध्यमकाव्यव्यवहार एव स्यात्, अगूढव्यङ्ग्यस्य तद्भेदेषु गणनात्। अत्र सीता प्रकृतत्वेनोपमेयभूता आज्ञाचापयष्टिवनदेवताशकुन्तलाश्चाप्रकृतत्वेनोपमानभूताः, तत्र आज्ञासीतयोः अविलङ्घनीयत्वम्, चापयष्टि-सीतयोर्नवत्वम्, वनदेवतासीतयोः वनवासित्वम्, शकुन्तलासीतयोश्च मुनिकन्यात्वम्, साधारणोऽनुगामी धर्म इति भावः।

ससन्देहालङ्कारध्वनि का प्रत्युदाहरण दिखलाया जाता है—आज्ञा इत्यादि। सीता को देखकर मुनियों का कथन है—यह कुसुमेषु (कामदेव) की अनुल्लङ्घनीय आज्ञा है, अथवा उसके नूतन धनुष की यष्टि है, किंवा वनवासिनी वनदेवता है, अथवा मुनिकन्या शकुन्तला है? इस पद्य में भी सन्देह-वाचक कोई शब्द नहीं है—अर्थात् 'मुनियों को यह सन्देह हुआ' यह बात नहीं लिखी है, अतः यहाँ भी सन्देह (अलङ्कार) व्यङ्ग्य ही-

होगा, पर व्यङ्ग्य होकर भी वह सन्देह इस पद्य में ध्वनिकाव्यव्यवहार करने का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सीता में जिन विषयों का सन्देह किया जा रहा है उन आज्ञा आदि का निरूपण होने के कारण सन्देह स्पष्टतया बोधित हो गया है—गूढ़ (छिपा हुआ) नहीं रह सका और ध्वनिकाव्यव्यवहार का कारण वही व्यङ्ग्य होता है जो गूढ़ हो। हाँ, 'गुणीभूतव्यङ्ग्य नामक' मध्यमकाव्यव्यवहार का कारण यह अगूढ़ व्यङ्ग्य (सन्देहालङ्कार) हो सकता है। अन्यत्र 'अस्फुटमगूढम्' इत्यादि शब्दों द्वारा 'गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य के परिगणनप्रकरण में 'अगूढ़' वाले काव्य को मध्यम काव्य में गिना भी गया है। फलतः 'आज्ञा—' यह पद्य मध्यम काव्य का उदाहरण है, ध्वनि-काव्य का नहीं। इस पद्य में सीता प्रस्तुत होने के कारण उपमेयभूत है और आज्ञा, चापयष्टि, वनदेवता तथा शकुन्तला हैं अप्रस्तुत होने के कारण उपमानभूत। इनमें से प्रत्येक उपमान-जो संदेह में प्रकारतया (विशेषणरूप से) भासित हुए हैं-के साथ उपमेय-सीता-का साधारणधर्म जो अनुगामी (एक ही बार उच्चरित होकर दोनों तरफ अन्वित हो सकनेवाला) है पृथक्-पृथक् निर्दिष्ट हुआ है। जैसे-आज्ञा के साथ 'अनुल्लङ्घनीयता', चापयष्टि के साथ 'नवीनता' वनदेवता के साथ 'वनवासित्व' और शकुन्तला के साथ 'मुनिकन्यात्व' सीता के अनुगामी साधारणधर्म हैं। यह ध्यान रहे कि-राजा जनक राजा होकर भी मुनि थे, अतः सीता भी मुनिकन्या कही जा सकती है।

निरसितुम् अप्पयदीक्षितोक्तं सन्देहध्वन्युदाहरणं तद्विवरणञ्चोद्धरति—

यत्तु चित्रमीमांसायां संशयध्वन्युदाहरणप्रसङ्गे अप्पयदीक्षिताः—

"'काञ्चित् काञ्चनगौराङ्गीं वीक्ष्य साक्षादिव श्रियम्।
वरदः संशयापन्नो वक्षःस्थलमवैक्षत॥'

अत्र संशयस्य शब्दोपात्तत्वेऽपि तावन्मात्रस्यानलङ्कारत्वात्तदलङ्कारताप्रयोजकस्य वक्षःस्थले स्थितैव लक्ष्मीस्ततोऽवतीर्य पुरस्तिष्ठतीत्येवं संशयाकारस्य वक्षःस्थलमवैक्षतेत्यनेन व्यङ्ग्यत्वात् सन्देहालङ्कारध्वनिरत्रेति।

यथा—

'दर्पणे च परिभोगदर्शिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः।
वीक्ष्य बिम्बमनुबिम्बमात्मनः कानि कान्यपि चकार लज्जया॥'

इत्यत्र कानि कान्यपीति सामान्यतो निर्दिष्टानुभावविशेषप्रतीत्यर्थं लज्जाशब्दप्रयोगेऽपि तस्याः स्वविभावानुभावाभ्यां रसानुगुणाभिव्यक्तिरूपो ध्वनिः" इत्याहुः।

काञ्चिदिति। साक्षात् पुरः समुपस्थिताम्, श्रियं लक्ष्मीम्, इव, काञ्चनवत् सुवर्णवत् गौराणि पीतमसृणकान्तीनि, अङ्गानि यस्यास्तादृशीम्, काञ्चित् सुन्दरीम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, संशयापन्नः जातसन्देहः, वरदः 'काञ्जीवरम् (मद्रास)' नगरे वरदराजनाम्ना ख्यातो विष्णोर्मूर्तिविशेषः, वक्षःस्थलम् स्वकीयमुरोदेशम्, अवैक्षत दृष्टवानित्यर्थः। अप्पयदीक्षितमूलपुरुषवक्षःस्थलाचार्यकृतवरदराजवसन्तोत्सवस्थमिदं पद्यम्। उपपादयति दीक्षितः—अत्रेति। तदिति। संशयेत्यर्थः। अयमत्र तदाशयः—'काञ्चित्—' इत्यत्र 'संशयापन्नः' इति समस्तपदघटक-संशय-' पदेन यद्यपि वाच्यवृत्त्यैव सन्देहो बोध्यते, तथापि तद्बोधितस्यास्फुटाकारस्य तस्य नालङ्कारत्वम्, अतः 'वक्षःस्थले स्थिता लक्ष्मीस्ततोऽवतीर्य

पुरः तिष्ठति अथवा काचिदन्या कनकगौरी रमणी' इत्येवं स्फुटाकारस्यैव तस्यालङ्कारत्वं निर्वचनीयम्, स चाकारस्तदाकारविशिष्टसंशयश्च न वाच्यः, अपि तु 'वक्षःस्थलमवैक्षत' इत्यनेन व्यङ्ग्य एवेत्यत्र सन्देहालङ्कारध्वनिरिति। एवंरीत्या ध्वनित्वव्यवहारे दृष्टान्तविधया पद्यान्तरमुपन्यस्यति दीक्षितः यथा—दर्पणे—' इति। दर्पणे आदर्शे, परिभोग-दर्शिनी सम्भोगचिह्नदर्शिका पार्वती, आत्मनः स्वस्याः, बिम्बमनु प्रतिकृतेः पश्चाद्भागे, पृष्ठतः पृष्ठदेशे, निषेदुषः उपविष्टस्य, प्रणयिनः प्रियतमस्य शिवस्य, बिम्बं प्रतिकृतिम्, वीक्ष्य, लज्जया, कानि कानि नानाविधानि चेष्टितानीति यावत्, चकारेत्यर्थः। दीक्षित-ग्रन्थे तदुद्धरणात्मके रसगङ्गाधरे च 'कानि कान्यपि' इति पाठः समुपलभ्यते, तदनुसार-मियं व्याख्या कुमारसम्भवे तु 'कानि कानि न' इति पाठो दृश्यते, तदनुसारिणी व्याख्या स्वयमूहितुं शक्या। कुमारसम्भवे पार्वतीसम्भोगवर्णनमिदम्। उपपादयति स एव—अत्रेति। निर्दिष्टेति। निर्दिष्टाः उपवर्णिता ये अनुभावाः, मुखनम्रीभावादयः, विशेषरूपेण तत्प्रतीत्यर्थमित्यर्थः। तस्याः लज्जायाः। स्वविभावानुभावाभ्यामिति। प्रियतमेन नायिका-कृतसम्भोगचिह्नदर्शनप्रयासस्य ज्ञानं विभावः, मुखनम्रीभावादिरनुभावः ताभ्यामित्यर्थः। जन्यत्वं तृतीयार्थः। तस्य चाभिव्यक्तिपदार्थेऽन्वयः। रसानुगुणेति। शृङ्गाररसपोषिका या अभिव्यक्तिः तद्रूप इत्यर्थः। इदमत्र तदाकूतम् 'दर्पणे—' इति पद्ये 'कानि कानि' इत्यनेन अनुभावा निर्दिष्टाः परन्तु 'के ते अनुभावाः, कस्य वा अनुभावाः' इत्यादि न तावता विशेषतः प्रतीयते इति तत्प्रतीत्यर्थम् 'लज्जया' इति कविना प्रयुक्तम्। येन त्रपा-नुभावा मुखनम्रीभावादयः प्रतीयन्ते। एवञ्चात्र लज्जाया वाच्यत्वाद्यपि न व्यङ्ग्यत्वम्, तथापि वाच्यायास्तस्या न प्रकृतशृङ्गाररसपोषकत्वम्, तत्पोषकत्वञ्च स्वकीयविभावानु-भावद्वाराऽभिव्यज्यमानायास्तस्या इति लज्जाध्वनिरत्र व्यवह्रियते यथा तथा तत्रापि सन्देहध्वनिरिति।

खण्डन करने के लिये सन्देह ध्वनि का दीक्षितोक्त उदाहरण तथा तत्कृत उसका उपपादन अब यहाँ उद्धृत किया जाता है—यत्तु इत्यादि। अप्पय दीक्षित ने अपनी 'चित्रमीमांसा' में 'सन्देहध्वनि' के उदाहरण के प्रसङ्ग पर लिखा है—"काञ्चित्—अर्थात् वरदराज ('काञ्जीवरम्-मद्रास'-में भगवान् विष्णु की 'वरदराज' नाम से प्रसिद्ध एक मूर्त्ति) मानो साक्षात् लक्ष्मी हो ऐसी, सुवर्ण सदृश और गौर अङ्गों वाली किसी कामिनी को देखकर सन्देह-युक्त हुए और वक्षःस्थल देखने लगे।" (यह पद्य अप्पयदीक्षित के मूल पुरुष 'वक्षःस्थलाचार्य' द्वारा रचित 'वरदराज-वसन्तोत्सव' का है।) इस पद्य में यद्यपि सन्देहात्मक ज्ञान साक्षात् शब्द द्वारा वर्णित है—अर्थात् 'संशयापन्नः' में संशय शब्द आया है, तथापि केवल उतना भाग—अर्थात् स्पष्ट आकाररहित सन्देह-अलङ्कार-रूप नहीं होता, और वक्षःस्थल में रहने वाली लक्ष्मी ही वहाँ से उतरकर आगे खड़ी है' इस तरह के आकार वाला जो वही सन्देह अलङ्काररूप है वह उस रूप में शब्दोपात्त है नहीं, अपि तु 'वक्षःस्थल को देखने लगे' इस उक्ति से व्यङ्ग्य होता है। तात्पर्य यह कि-'संशय' पद से निराकार सन्देह के वाच्य होने पर भी साकार सन्देह वाच्य नहीं, व्यङ्ग्य है, और साकार सन्देह ही अलङ्काररूप माना जाता है। अतः यह पद्य सन्देहालङ्कारध्वनि का उदाहरण है। जैसे कि—'दर्पणे च—अर्थात् दर्पण में सम्भोग के चिह्न—नखक्षत आदि—को देख रही पार्वती ने अपने पीछे बैठे प्रियतम–

शिव-के प्रतिबिम्ब को अपने प्रतिबिम्ब के पीछे की तरफ देखकर लज्जा से क्या क्या न किया।' (यह अर्थ कुमारसम्भव में उपलब्ध 'कानि कानि न चकार-' इस पाठ के अनुसार किया गया है। दीक्षित की चित्रमीमांसा में तथा तदुद्धरणात्मक रसगङ्गाधर में 'कानि कान्यपि चकार' यह पाठ-जो मूल में लिखा गया है-प्राप्त होता है तदनुसार किसी तरह 'नाना प्रकार की चेष्टाएँ की' यह अर्थ किया जा सकता है पर पाठ अच्छा वही है जो कुमारसंभव में प्राप्त होता है। यह पद्य पार्वती-सुरत-वर्णन-प्रसङ्ग पर कुमारसम्भव-अष्टम सर्ग में आया है।) यहाँ 'क्या-क्या' इस तरह सामान्यरूप में वर्णित अनुभावों की विशेषरूप से प्रतीति के लिये 'लज्जा' शब्द का प्रयोग करने पर भी, अपने विभावों और अनुभावों द्वारा, लज्जा की रस के अनुकूल अभिव्यक्तिरूप ध्वनि है—अर्थात् यहाँ अनुभावों की विशेष रूप में प्रतीति करवाने के लिये 'लज्जा' शब्द के आने पर भी रस का पोषण करने में क्षम लज्जारूप चित्तवृत्ति व्यङ्ग्य ही है। प्रकृत में कहने का तात्पर्य यह है कि-जिस तरह 'दर्पणे-च' इस पद्य में लज्जाशब्द का ग्रहण रहने पर भी, जिस रूप में वह रस का पोषण कर सकती है उस-विभावानुभाव द्वारा प्रतीयमानत्व—रूप से व्यङ्ग्य ही मानी जाती है और तदनुसार 'लज्जा-ध्वनि' कही जाती है, उसी तरह 'काञ्चित्—' इस पद्य में भी सन्देह को अलङ्कारतावच्छेदकरूप में व्यङ्ग्य माना जा सकता है और तदनुसार उस पद्य को 'सन्देहालङ्कारध्वनि' का उदाहरण भी कहा जा सकता है।

निरस्यति—

तदेतद् ध्वनिमर्मज्ञैरुपहसनीयमेव ।

प्रागुद्धृतं दीक्षितोक्तं सर्वमनुचितमेवेति भावः ।

दीक्षित द्वारा कही गई उक्त बातों का अब खण्डन किया जाता है—तदेतत् इत्यादि। पूर्वोक्त सभी बातें ऐसी ही हैं जिनका ध्वनिमर्मज्ञ जन उपहास ही कर सकते हैं—आदर नहीं।

उपहसनीयत्वे हेतुमाह—

तथाहि संशयाविष्ट इत्यत्र संशयपदेनैकस्मिन् पदार्थे विरुद्धनानापदार्थसम्बन्धावगाहिज्ञानं साक्षादेव निवेद्यते। तत्र कोऽसौ विरुद्धो नानार्थ इति विशेषाकाङ्क्षायां वक्षःस्थलावेक्षणेन वक्षःस्थलस्थैव लक्ष्मीस्ततोऽवतीर्य किं पुरस्तिष्ठतीत्यादिरर्थो व्यञ्जनाव्यापारेण बोध्यमानः शक्त्या संशयशब्दनिवेदितज्ञानविशेषणीभूतेन सामान्यार्थेन साकमभेदेन पर्यवस्यति। एवं च संशयमात्रस्य शक्त्या बोधनाद्वक्षःस्थलस्थितैवेत्यादिविषयभागस्यापि विरुद्धनानार्थत्वेन सामान्याकारेणावलीढतया तयैव कवलीकरणाद्वाच्यार्थसंशयपर्यवसायकत्वाच्च न कस्यापि ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वं युक्तम्। सर्वथा वाच्यवृत्त्यचुम्बितस्यैव तथात्वमिति ध्वनिमार्गप्रवर्तकैः सिद्धान्तितत्वात्।

तथा च द्वितीयोद्द्योते—

"'शब्दार्थशक्त्याक्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना पुनः।
यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या साऽन्यैवालङ्कृतिर्ध्वनेः॥'

इति सूत्रयित्वा।

'सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया।
हसन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम् ॥'

अत्र सङ्केतकालमनसं ज्ञात्वा लीलापद्मं निमीलितमिति वदता कविना लीलापद्मनिमीलनस्य प्रदोषाभिव्यञ्जकत्वं स्वोक्त्यैव निवेदितमिति ध्वनिमार्गादयमपर एव गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य मार्गः।

यथा वा—

'अम्बा शेतेऽत्र वृद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो
निःशेषागारकर्मश्रमशिथिलतनुः कुम्भदासी तथाऽत्र।
अस्मिन् पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा
पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमवसरव्याहृतिव्याजपूर्वम् ॥'

अत्र निःशङ्कं रन्तुमायाहीत्यर्थश्वरणत्रयव्यङ्ग्योऽप्यवसरव्याहृतेर्व्याजत्वं ब्रुवता कविना स्फुटं स्वोक्त्या निवेदित इत्ययमपि न ध्वनेर्मार्गः" इत्याहुरानन्दवर्धनाचार्याः।

तृतीयोद्द्योते च गुणीभूतव्यङ्ग्यनिरूपणे 'व्यङ्ग्यास्यार्थस्य यदि मनागप्युक्त्या प्रकाशनं तदा गुणीभाव एव शोभते। तस्माद्यत्रोक्तिं विना व्यङ्ग्योऽर्थस्तात्पर्येण प्रतीयते तत्र तस्य प्राधान्याद् ध्वनित्वम्' इति तद्युक्तिविवेचनेऽभिनवगुप्तपादाचार्याः।

एवं चैवंविधेषु विषयेषु व्यञ्जकत्वस्य व्यङ्ग्यस्य वा मनागुक्तिसंस्पर्शमात्रेण ध्वनित्वं निराकुर्वाणाः 'काञ्चित् काञ्चनगौराङ्गीं—' इति पद्ये शब्दाभिहितव्यङ्ग्ये ध्वनित्वं कथमिव स्वीकुर्वीरन्। एतेन 'दर्पणे च परिभोगदर्शिनी' इति प्रागुक्तपद्ये तज्ज्ञाध्वनित्वं यद्दीक्षितैरभ्यधीयत तदप्यपास्तमिति दिक्।

इत्यत्रेति। घटकत्वं सप्तम्यर्थः। तथा चैतद्वाक्यघटकसंशयपदेनेत्यर्थः। अस्य 'निवेद्यते' इत्यत्रान्वयः। साक्षात् इति। वृत्त्यन्तरानन्तर्भावेणाभिधयेत्यर्थः। निवेद्यते बोध्यते। तत्र सामान्यज्ञाने। अवेक्षणेनेति। वक्षःस्थलदर्शनरूपार्थेनेति भावः। अस्य 'बोध्यमानः' इत्यत्रान्वयः। संशमात्रस्येति। अस्पष्टविषयाकारतया केवलस्य ससंदेहस्येत्यर्थः। अर्थत्वेन सामान्याकारेणेति। एतद्रूपसामान्याकारेणेत्यर्थः। अवलीढतयेति। बोध्यतयेत्यर्थः। तयैव शक्त्यैव। कवलीति। बोधनादित्यर्थः। नन्वेवमपि विशेषरूपेण व्यङ्ग्यत्वमेवात आह—वाच्यार्थेति। विशेषसंशयस्येत्यादिः। तदाह—कस्यापीति। विशेषस्यापीत्यर्थः। सर्वथा केनापि प्रकारेण। तथात्वम् ध्वनित्वम्। अयं भावः—विरुद्धनानाकोट्यवगाहिज्ञानविशेषात्मकसंदेहरूपार्थवाचकं संशयपदमित्यत्र न कस्यापि विमतिः। तादृशं च संशयपदं 'काञ्चित्—' इति पद्ये वर्तते। तथा चात्र, सन्देहस्य वाच्यतैव, न व्यङ्ग्यता। यद्यपि विरुद्धनानाकोटित्वात्मकेन सामान्यरूपेण कोटिद्वयस्य संशयपदवाच्यत्वेऽपि 'वक्षःस्थलस्यैव लक्ष्मीः ततोऽवतीर्य पुरस्तिष्ठति' इत्याकारेण विशेषरूपेण एकस्याः कोटेर्न वाच्यता, अपि तु वरदकर्तृकवक्षःस्थलावेक्षणरूपार्थव्यङ्ग्यतैव, एवञ्च 'न निर्विषयं ज्ञानस्य स्वरूपम्' इति

दृष्ट्या सन्देहस्य व्यङ्ग्यताऽत्र वक्तुमुचितेति सत्यम्, तथापि कोटिद्वयत्वेन सामान्यरूपेण संशयपदाद्वाच्यवृत्त्याऽवगते कोटिद्वये 'किं तत् कोटिद्वयम्' इति विशेषजिज्ञासायाम् पूर्वोक्तरीत्या व्यञ्जनया ज्ञायमाना कोटिः अभिधाबोधितसामान्यकोट्यभिन्नैव पर्यवस्यतीति स्थितौ विशिष्टात्मकसंदेहपदार्थगतविशेष्यांशस्य ज्ञानस्याभिधाबोध्यतया विषयभागस्य विशेषणांशस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि अभिधास्पृष्टतया ध्वनिव्यदेशोऽत्र न सम्भवति, अभिधाऽनालिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वादिति। वाच्यवृत्त्यचुम्बितस्यैव व्यङ्ग्यस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वे ध्वनिकारोक्ति प्रमाणतयोपन्यस्यति—तथा चेत्यादिना। द्वितीयोद्द्योते इति। आनन्दवर्धनाचार्यप्रणीतध्वन्यालोकस्येति भावः। शब्दार्थेति। शब्दाशक्त्या, अर्थशक्त्या, उभयशक्त्या वा बोधितोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थो तस्मिन् काव्ये कविना पुनः स्वोक्त्या आविष्क्रियते (अभिधावृत्तिबोध्यो विधीयते) तत्र न ध्वनिः, अपि तु ध्वनेरन्योऽलङ्कारविशेष एवेत्यर्थः। ध्वनिकारोक्तं तादृशमुदाहरणमुद्धरति—सङ्केतकालेति। विदग्धया चतुरया नायिकया, विटं स्वस्यामासक्तं जारपुरुषम्, सङ्केतकाले मनो यस्य तादृशम्, सङ्केतसमयज्ञानाकुलमिति यावत्, ज्ञात्वा, लीलापद्मं क्रीडार्थं करे धृतं कमलम्, हसता प्रसीदता, नेत्रेण, अर्पितः सूचितः, आकूतः अभिप्रायविशेषो यस्मिन् कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा, निमीलितं मुद्रितं मुष्टिगूढं कृतमित्यर्थः। अत्रोक्तं तदुपपादनमुद्धरति—अत्रेत्यादिना। इति वदतेति। क्त्वान्तवाक्यविशिष्टक्तान्तवाक्यं वदनेत्यर्थः। अन्यथा क्त्वान्तवाक्येनैवार्थात्तदभिव्यञ्जकत्वे सिद्धे क्तान्तवाक्यानर्थक्यं स्पष्टमेव। तदाह—स्वोक्त्यैवेति। क्त्वान्तवाक्येनैवेत्यर्थः। अयमाशयः—'सङ्केत—' इत्यत्र पद्मनिमीलनचेष्टया प्रदोषकालश्चोर्थरतयोग्यो व्यज्यते, स च व्यङ्ग्यः 'सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा' इत्यंशेन वाच्यायमानः कृतः, अतस्तं व्यङ्ग्यमादाय ध्वनिकाव्यव्यवहारो न भवति, अपि तु अलङ्कारप्रधानगुणीभूतव्यङ्ग्यनामकमध्यमकाव्यव्यवहार एवेति। तादृशमुदाहरणान्तरं तदुक्तमुद्धरति—अम्बेति। अत्र गृहप्रदेशविशेषे (एवमग्रेऽपि), वृद्धा (एतेन तस्याः चक्षुरादीन्द्रियशक्तिवैकल्यम्, तेन च जागरितायामपि तस्यां ज्ञानविशेषाभाव आवेद्यते) अम्बा माता, शेते (वाक्यान्तरेऽपि क्रियापदस्यास्यान्वयो बोध्यः), अत्र, परिणतवयसाम् वृद्धानाम्, अग्रणीः प्रधानः, अतिवृद्ध इति यावत्, तातः पिता (अत्रापि पूर्ववद् व्यङ्ग्यं बोध्यम्) तथा, अत्र, निःशेषेण सकलेन, आगारकर्मणा गृहकार्येण तत्करणेनेति यावत्, जनितः यः श्रमः, तेन, शिथिला आलस्यमयी, तनुः शरीरं यस्याः तादृशी (एतेन तज्जागरणसम्भावनानिरासः सूच्यते), कुम्भदासी कुम्भेति पान्थसम्बोधनमिति कश्चित्, तन्नामिका दासीत्यन्यः, जलाद्याहरणार्थं दासी, न क्रीडादासीति तु तत्त्वम्, कतिपयेभ्यो, दिवसेभ्यः प्रोषितः विदेशस्थः, प्राणनाथः स्वामी यस्यास्तादृशी (अत्र कतिपयेत्यनेन शीघ्रं तदागमनाभावो व्यज्यते, प्राणनाथेत्यनेन च तस्मिन् स्वकीयप्रेमाभावः), पापा पापिनी (सकलदुःखानां पापमूलत्वेन वियोगदुःखस्यापि पापमूलत्वात् पापात्वम्), एका एकाकिनी (एतेन रतसौविध्यम् ध्वन्यते), अस्मिन् स्थानविशेषे, शये इति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः, इत्थम् पूर्वोक्तप्रकारेण, तरुण्या नवयौवनशालिन्या (एतेन कामभावोत्कटता व्यज्यते), पान्थाय पथिकाय (एतेन तस्यापि चिरवियोगित्वेनोत्कण्ठातिशयः सूच्यते), अवसरव्याहृतिः

प्रासङ्गिकी उक्तिस्तद्रूपो यो व्याजः कपटम्, स पूर्वः पुरस्सरो यस्मिन् कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा, कथितम् इत्यर्थः। अत्रत्यं तदुपपादनमुद्धरति—अत्रेत्यादिना। अयं भावः—'अम्बा–' इति पद्ये आद्येन चरणत्रयेण 'शङ्कामपहाय त्वं सम्भोगं विधातुमागच्छ' इत्यर्थोऽर्थशक्त्या व्यज्यते, परमसौ व्यङ्ग्योऽर्थश्चतुर्थचरणगतेन अवसरव्याहृतिव्याजेन वाच्यीकृत इति नैनं व्यङ्ग्यार्थमादायात्र ध्वनिव्यपदेशः, अपि तु अपह्नुत्यलङ्कारप्रधानगुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यव्यपदेश एवेति। न केवलम् ध्वनिकृतैव एवं सिद्धान्तितम्, अपि तु ध्वन्यालोकस्य लोचनाभिधां टीकां कुर्वता अभिनवगुप्ताचार्येणापि तथैव सिद्धान्तितमित्याह—तृतीयोद्द्योते चेति। गुणीभाव इति। मनागप्युक्त्या प्रकाशितस्य व्यङ्ग्यार्थस्येति भावः। तथा च तादृशस्थले गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकमध्यमकाव्यत्वमिति तात्पर्यम्। परिशेषलब्धमर्थं स्फोरयति—तस्मादिति। यत्र मनागप्यनामृष्टवाच्यवृत्तिर्व्यङ्ग्यार्थस्तत्रैव ध्वनिनामकोत्तमकाव्यत्वमित्याशयः। ग्रन्थकारः प्रकृतमुपसंहरन्नाह—एवं चैवंविधेष्विति। विषयेषु लक्ष्येषु। पूर्वोदाहरणाशयेनाह—व्यञ्जकत्वस्येति। द्वितीयोदाहरणाशयेनाह—व्यङ्ग्यस्येति। निराकुर्वाणाः खण्डयन्तः। स्वाभिमतपुष्ट्यर्थम् दृष्टान्तविधया दीक्षितोत्थापितः प्रसङ्गोऽपि उपहासास्पदमेवेत्याह—एतेनेति। अयमभिसन्धिः—ध्वनिकार आनन्दवर्धनः लोचनकारोऽभिनवगुप्तश्च सर्वमान्यावालङ्कारिकौ ईषद्वाच्यवृत्तिस्पृष्टस्यापि व्यङ्ग्यार्थस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुताम् निराकुरुताम्, अतः 'दर्पणे च परिभोगदर्शिनो—' इत्यत्र लज्जापदेनाभिहितस्य प्रकारान्तरेण व्यङ्ग्यस्यापि त्रपाभावस्य न ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्। इत्थञ्च तद्दृष्टान्तेन 'काञ्चित्—' इत्यत्र शब्दाभिहितस्य ससन्देहालङ्कारस्य प्रकारान्तरेण व्यङ्ग्यत्वमुपपाद्य ध्वनिव्यवहारहेतुतां ब्रुवाणो दीक्षितो ध्वनिमर्यादानभिज्ञ एवेति।

दीक्षित की बातों के उपहासयोग्य होने में हेतु दिखलाया जाता है—तथाहि इत्यादि। 'संशयापन्नः' इस मूलोक्त वाक्य के 'संशय' पद से 'एक पदार्थ में, परस्परविरोधी अनेक पदार्थों के सम्बन्धों का अवगाहन करनेवाला ज्ञान' (जिसे सन्देह कहा जाता है) साक्षात् ही बोधित होता है अर्थात् संशय-पद-घटित 'वरदः संशयापन्नः' इस वाक्य का वाच्य अर्थ ही यह है कि वरदराज को कोई ऐसा ज्ञान हुआ है जो एक पदार्थ में परस्परविरुद्ध अनेक कोटियों का ग्रहण कर रहा है। इसके बाद जब 'वह परस्परविरोधी पदार्थ (जो कोटिरूप है) कौन है' इस विशेष की जिज्ञासा होती है तब वरदराज के वक्षःस्थल-दर्शन-रूप अर्थ से अभिव्यक्त होनेवाले 'वक्षःस्थल में रहनेवाली लक्ष्मी ही वहाँ से उतर कर आगे खड़ी है क्या?' यह (कोटिभूत) अर्थ अवगत होता है। इस तरह विशेषरूप में व्यञ्जना द्वारा ज्ञात होनेवाला यह कोटिभूत अर्थ, अभिधा द्वारा, संशय शब्द से बोधित उक्त ज्ञान में विशेषण बने सामान्य अर्थ (अनेक पदार्थ) के साथ अभिन्नता को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह कि जिस अंश को लेकर आप उक्त पद्य में सन्देह को व्यङ्ग्य मान रहे हैं वह अंश अन्ततः वाच्य सन्देह का विवरण मात्र ठहरता है, स्वतन्त्र व्यङ्ग्य अर्थ नहीं। इस तरह सारांश यह सिद्ध हुआ कि 'काञ्चित्—' इस पद्य में केवल (विषयांशरहित) सन्देह तो अभिधा द्वारा ज्ञात होने के कारण वाच्य है ही, साथ ही उसके एक अंश का विवरणरूप 'वक्षःस्थल में स्थित ही लक्ष्मी वहाँ से उतर कर सामने खड़ी है' यह विषयभाग भी 'विरोधी अनेक पदार्थ' रूप होने के कारण विशेषरूप से व्यङ्ग्य होकर भी सामान्यरूप से अभिधा द्वारा आक्रान्त है। ऐसी स्थिति में अभिधावृत्ति का ग्रास बन जाने से इस अर्थ को स्वतन्त्र-

तथा व्यङ्ग्य नहीं कहा जा सकता इस और व्यङ्ग्य अर्थ की समाप्ति भी वाच्यार्थ-विषयक सन्देह में ही होती है। अतः यहाँ एक भी ऐसा अर्थ नहीं जो इस काव्य को ध्वनि (उत्तमोत्तम) बना सके। कारण, ध्वनिमार्ग-प्रवर्तकों का सिद्धान्त है कि जिसमें अभिधावृत्ति का स्पर्श सर्वथा नहीं हो वही व्यङ्ग्य काव्य में 'ध्वनि'व्यवहार करा सकता है। देखिए—'ध्वन्यालोक' के द्वितीय 'उद्द्योत' में 'आनन्दवर्धनाचार्य' ने—'शब्दार्थशक्त्या—अर्थात् शब्दशक्ति अथवा अर्थशक्ति किंवा उभयशक्ति (शब्दनिष्ठ व्यञ्जना अथवा अर्थनिष्ठ व्यञ्जना किंवा उभयनिष्ठ व्यञ्जना) द्वारा आक्षिप्त (बोधित) भी व्यङ्ग्य अर्थ, जहाँ कवि द्वारा अपनी उक्ति से पुनः प्रकट कर दिया जाता है, वह 'ध्वनि' से भिन्न ही अलङ्कार है—ऐसी जगह 'ध्वनि' नहीं, किन्तु अलङ्कार माना जाना चाहिये।' यह सूत्र बनाकर कहा है कि "'संकेत—अर्थात् चतुर नायिका ने जार को संकेत-काल-ज्ञान के लिये उत्सुक मन वाला जानकर, हँसती आँखों से अपने अभिप्राय को प्रकट करने के साथ, लीलाकमल को मूँद दिया।' यहाँ 'जार को संकेत-काल-ज्ञान के लिये उत्सुक मन वाला जानकर' इस अंश से युक्त 'लीलाकमल को मूँद दिया' इस वाक्यांश को कहते हुए कवि ने 'लीलाकमलमुद्रण' में वर्तमान 'प्रदोषकालव्यञ्जकता' को अपनी उक्ति द्वारा ही प्रकट कर दिया, अतः ध्वनिपद्धति से भिन्न यह गुणीभूत व्यङ्ग्य की पद्धति है। अभिप्राय यह कि यदि 'जार को संकेत-काल-ज्ञान के लिये उत्सुक मनवाला जानकर' इस वाक्यांश का उच्चारण कवि नहीं करता तब 'लीलाकमल-मुद्रण' की 'प्रदोषव्यञ्जकता' प्रकट नहीं होती—छिपी रहती, अतः उस स्थिति में यह पद्य ध्वनि-काव्य कहलाता, पर ऐसा हुआ नहीं, अतः यह मध्यमकाव्य ही कहलाता है। अथवा जैसे—'अम्बा शेते—अर्थात् यहाँ बूढ़ी माता सोती है, यहाँ वृद्धों के अगुआ अतिवृद्ध पिता सोते हैं तथा यहाँ सारे घर के कामों को करने से श्रान्त अतएव शिथिल शरीरवाली 'कुम्भदासी' (कुम्भ नामकी दासी अथवा जल ढोने के लिये घड़ा उठाने वाली दासी, क्रीड़ा-दासी नहीं) सोती है, और इस जगह, कुछ दिनों से दूरस्थ पति से वियुक्त अतएव पापिनी मैं अकेली सोती हूँ, इस तरह युवती ने प्रासङ्गिक उक्ति के छल से, पथिक को कहा।' (यहाँ 'माता को वृद्ध और पिता को वृद्धों का अगुआ' कहने से उनके जगने का कोई भय नहीं, जग जाने पर भी दृष्टिशक्ति श्रवणशक्ति आदि से हीन होने के कारण, उन पर हमारे आचरणों के प्रकट होने का भय नहीं, इत्यादि अर्थ व्यक्त होते हैं, इसी तरह 'कुम्भदासी' को श्रान्त तथा शिथिल शरीरवाली कहने से उसके जगने का भी भय नहीं, यह अर्थ ध्वनित होता है, एवं अपने को पतिवियुक्ता तथा अकेली सोनेवाली कहने से नायिका की उत्कट सम्भोगेच्छा प्रतीत होती है, पति को 'प्राणनाथ' कहने से 'हृदयनाथत्व' का वारण झलकता है, 'पथिक को' इस कथन से उसका भी सम्भोगोत्सुक होना सिद्ध होता है। यहाँ 'निःशङ्क होकर रमण करने आओ' यह अर्थ पद्य के प्रथम तीन चरणों से यद्यपि व्यङ्ग्य होता है, तथापि कवि ने 'प्रासङ्गिक उक्ति' को छलरूप कहते हुए उस व्यङ्ग्य अर्थ को अपनी उक्ति से स्पष्ट अवगत होने योग्य बना दिया। अतः यह भी 'ध्वनि' का मार्ग नहीं है।" यह तो हुई आनन्दवर्धनाचार्य की बात। इसके अतिरिक्त 'ध्वन्यालोक' पर 'लोचन' नामक व्याख्या लिखनेवाले अभिनवगुप्ताचार्य ने भी 'ध्वन्यालोक' के तृतीय उद्द्योत में आनन्दवर्धन की युक्तियों का विवेचन करते हुए गुणीभूतव्यङ्ग्य-निरूपण-प्रसङ्ग में लिखा है—'व्यङ्ग्य अर्थ यदि उक्ति द्वारा प्रकाशित हो जाय तब उसका अप्रधान होना ही शोभित होता है। तात्पर्य यह कि उस स्थिति में व्यङ्ग्य को प्रधान कहना उचित नहीं। अतः जहाँ उक्ति के विना ही व्यङ्ग्य अर्थ तात्पर्यतः प्रकाशित होता है वहाँ उसकी प्रधानता होने के

कारण काव्य को 'ध्वनि' माना जाता है, अन्यत्र नहीं।' इन उद्धरणों से यह सिद्ध हुआ कि जो ध्वनिमार्गप्रवर्तक आचार्य 'संकेतकाल—' इत्यादि लक्ष्यों में व्यञ्जना अथवा व्यङ्ग्य का उक्ति (अभिधा) के साथ किञ्चित् भी स्पर्श हो जाने पर 'ध्वनि-काव्यता' का निराकरण करते हैं वे 'काञ्चित्काञ्चनगौराङ्गीम्—' इस पूर्वोक्त उदाहरण में—जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ प्रकारान्तर से स्पष्टतया अभिधावृत्ति-बोध्य हो गया है—'ध्वनि-काव्यता' कैसे स्वीकार करेंगे? इसी से 'दर्पणे च परिभोगदर्शिनी—' इस पूर्वोक्त 'कुमार-सम्भव' के पद्य में जो दीक्षित जी ने 'ध्वनिकाव्यता' का दृष्टान्तरूप में उल्लेख किया है, वह भी समाप्त हो गया। तात्पर्य यह कि न 'कुमारसम्भव' का पद्य ही 'ध्वनिकाव्य' (उत्तमोत्तम) है, न दीक्षित जी का उदाहरण ही।

ससन्देहालङ्कारे साधारणधर्मस्थितिं विचारयति—

अस्मिंश्च संशये नानाकोटिषु क्वचिदेक एव समानो धर्मः। क्वचित् पृथक्। सोऽपि क्वचिदनुगामी, क्वचिद् बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नः, क्वचिदनिर्दिष्टः, क्वचिन्निर्दिष्टः।

अयं ससन्देहालङ्कारोऽपि सादृश्यमूलकः, अतोऽत्रापि सादृश्यनियामकः समानो धर्मः तिष्ठति। स च समानो धर्मः कुत्रचित् सन्देहे विशेषणीभूतानामुपमानभावापन्नानाम् अनेकपदार्थानाम् सादृश्यस्य विशेष्यीभूते उपमेयभावापन्ने पदार्थे नियामक एक एव भवति, कुत्रचिच्च भिन्नो भवति। अनयोर्द्विविधयोः समानधर्मयोः प्रत्येको धर्मः पुनश्चतुर्विधो भवति, अनुगामि-बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नानिर्दिष्टनिर्दिष्टरूपत्वात् इति भावः।

ससन्देहालङ्कार में साधारणधर्म की क्या स्थिति होती है इसका विचार अब किया जाता है—अस्मिंश्च इत्यादि। यह ससन्देह भी सादृश्यमूलक अलङ्कार है, अतः इसमें भी सादृश्य को सिद्ध करनेवाला साधारणधर्म होता है—अर्थात् सन्देह में जो विशेष्य-भूत पदार्थ रहता है वह उपमेय तथा सन्देह में जो कोटिभूत (विशेषण) पदार्थ रहते हैं वे उपमान कहे जा सकते हैं। अब उस एक उपमेय में उन अनेक उपमानों का सादृश्य जिसके कारण सिद्ध होता है वह समानधर्म अनेक प्रकार का हो सकता है जैसे—कहीं वह एक रहता है। तात्पर्य यह कि एक उपमान के साथ उपमेय का जो साधारणधर्म होगा वही दूसरे उपमान के साथ भी। और कहीं वह भिन्न-भिन्न रहता है। अभिप्राय यह कि एक उपमान के साथ जो उपमेय का साधारणधर्म रहेगा, उससे भिन्न दूसरे उपमान के साथ। इन दोनों प्रकार के साधारणधर्मों में से प्रत्येक पुनः चार-चार प्रकार का होता है, जैसे- कहीं अनुगामी, कहीं बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न, कहीं अनुक्त और कहीं उक्त।

क्रमेण तत्तद्धर्मोदाहरणप्रदर्शनप्रसङ्गे प्रथममनुगामिनोऽनिर्दिष्टस्यैकस्य तस्योदाहरणमाह—

तत्र 'मरकतमणिमेदिनीधरो वा' इति प्रागुदाहृतपद्ये श्यामाभिरामत्वं धर्मिणो रामस्य कोट्योश्च तमाल-मरकत-भूधरयोरेक एवानुगामी धर्मः प्रतीय-मानत्वादनिर्दिष्टः।

तत्रेति। तेषां धर्माणाम् मध्य इत्यर्थः। श्यामेति। श्यामत्वविशिष्टाभिरामत्वमि-त्यर्थः। धर्मिण इति। संशयीयविशेष्यताश्रयस्येत्यर्थः। उपमेयस्येति यावत्। कोट्योरिति। संशयीयप्रकारताश्रययोरित्यर्थः। उपमानयोरिति यावत्। 'मरकतमणि—'इति पद्ये तमाल-

रामयोः मरकतपर्वतरामयोश्चैक एव साधारणो धर्मः श्यामत्वसमानाधिकरणाभिरामस्वरूपः। स चात्रानिर्दिष्टः अनिर्देशेऽपि प्रसिद्धिबलात्प्रतीतेः।

अब क्रमशः उन धर्मों के उदाहरण दिखलाने के क्रम में पहले अनुक्त एक अनुगामी धर्म का उदाहरण दिखलाया जाता है—तत्र इत्यादि। उक्त धर्मों में से अनुगामी एक अनुक्त समानधर्म का उदाहरण 'मरकतमणि—' यह पूर्वोक्त पद्य होता है, क्योंकि वहाँ धर्मी (सन्देह में विशेष्यरूप से भासित होनेवाला पदार्थ) राम तथा तमाल और मरकतपर्वत इन दोनों कोटियों में 'श्यामसुन्दरता'रूप एक ही धर्म है जो अनुगामी है तथा प्रसिद्धिबल से प्रतीत हो जाने के कारण अनुक्त है।

निर्दिष्टमेकमनुगामिनं धर्ममुदाहर्तुमाह—

स एव निर्दिष्टो यथा—

स एवेति। अनुगामी एक एवेत्यर्थः।

उक्त अनुगामी एक समानधर्म, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'नेत्राभिरामं रामाया वदनं वीक्ष्य तत्क्षणम्।
सरोजं चन्द्रबिम्बं वेत्यखिलाः समशेरत ॥'

अखिलाः सर्वे जनाः, रामायाः सुन्दर्याः, नेत्राभिरामम् नयनरमणीयम्, वदनं मुखम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, तत्क्षणम् तस्मिन्नेव समये, इदम्, सरोजं कमलम्, चन्द्रबिम्बं चन्द्रमण्डलम्, वा, इति, समशेरत संशयं कृतवन्त इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—नेत्राभिरामम् इत्यादि। सुन्दरी के नयन-मनोहर मुख को देखकर सब लोग तत्काल 'कमल है अथवा चन्द्र-मण्डल' इस तरह सन्देह करने लगे।

उपपादयति—

अत्र नेत्राभिरामत्वरूपस्त्रिष्वेक एवानुगामी धर्मो निर्दिष्टः।

'नेत्राभिरामम्—' इत्यत्रोपमेयस्थानीये संशयधर्मिणि रामावदने यथा नेत्राभिरामत्वम् (नेत्रयोः = नेत्रदेशावच्छेदेन नेत्राभ्यां वा अभिरामत्वम्) तथोपमानस्थानीययोः सरोजचन्द्रबिम्बयोरपि नेत्राभिरामत्वम् (नेत्रवदभिरामत्वम्) इति श्लिष्टोऽयमेकस्त्रिषु अनुगामी साधारणधर्मः। स चात्रोक्त इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'नेत्राभिरामम्—' इस पद्य में सुन्दरी-मुख, कमल और चन्द्रबिम्ब तीनों में एक ही अनुगामी समानधर्म 'नयन-मनोहरत्व' शब्द द्वारा प्रतिपादित है। अभिप्राय यह है कि उक्त पद्य में संशय में विशेष्यभूत पदार्थ (उपमेय-सुन्दरीमुख) जिस तरह नयन-मनोहर (नयन-देश में मनोहर अथवा नयनों से मनोहर) है उसी तरह संशय में कोटिभूत पदार्थ (उपमान-कमल तथा चन्द्र-बिम्ब) भी नयन-मनोहर (नयन के समान मनोहर) है, अतः श्लेषद्वारा एक 'नयन-मनोहरता' ही तीनों में रहनेवाला धर्म होता है जो शब्दद्वारा यहाँ कथित है।

उक्तभिन्नानुगामिधर्मोदाहरणं स्मारयति—

पृथगनुगामी निर्दिष्टो यथा प्रागुदाहृते 'आज्ञा सुमेषोः' इत्यादौ।

उपपादितमिदं प्राक्।

शब्दद्वारा उक्त भिन्न-भिन्न तरह के अनुगामी समानधर्म—जो पहले उदाहृत हो चुके हैं—का स्मरण कराया जाता है—पृथग् इत्यादि। 'आज्ञा सुमेषोः—' इस पद्य में उस तरह का धर्म है जिसका उपपादन पहले हो किया जा चुका है।

तादृशस्य धर्मस्योदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'सम्पश्यतां तामतिमात्रतन्वीं शोभाभिराभासितसर्वलोकाम्।
सौदामिनी वा सितयामिनी वेत्येवं जनानां हृदि संशयोऽभूत्॥'

अतिमात्रतन्वीम् नितान्तदुर्बलाङ्गीम्, तथा, शोभाभिः, आभासिताः प्रकाशिताः, सर्वे लोकाः यया ताम् ('सम्बन्धिशब्दः साकाङ्क्षो नित्यं सर्वः समस्यते' इति नियमेन 'शोभाभिः' इत्यस्य पृथङ्निर्देशेऽपि 'आभासितसर्वलोकाम्' इत्यत्र समासो बोध्यः), ताम् वर्णनीयां नायिकाम्, सम्पश्यताम् समवलोकयताम्, जनानाम्, हृदि हृदये, 'इयं सौदामिनी विद्युल्लता, अथवा सितयामिनी शुक्लपक्षीयरात्रिः' इति, संशयः, अभूदित्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सम्पश्यताम् इत्यादि। अत्यधिक दुर्बल अङ्गों वाली तथा शोभाओं से सब भुवनों को प्रकाशित करने वाली उस सुन्दरी के दर्शकों को 'विद्युल्लता है अथवा शुक्लपक्ष की रात्रि है' यह सन्देह हुआ।

उपपादयति—

अत्रातिमात्रतनुत्वं सौदामिन्या, शोभाभिराभासितसर्वलोकात्वं च सितयामिन्या सह कान्तायाः पृथगनुगामी समानो धर्मः।

सौदामिन्येति। सह कान्तेत्यत्रान्वेति। 'सम्पश्यताम्—' इत्यत्र सौदामिनीकान्तयोरतिमात्रदुर्बलत्वम्, सितयामिनी-कान्तयोश्च शोभाभासितसर्वलोकत्वम् अनुगामी साधारणो धर्मः पृथक् पृथक् उक्त इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'सम्पश्यताम्—' इस पद्य में 'अत्यधिक दुबली होना' विद्युल्लता के साथ और 'शोभाओं से सब भुवनों को प्रकाशित करना' शुक्लपक्षीय रात्रि के साथ—इस तरह एक ही कामिनीरूप उपमेय के अनुगामी समानधर्म पृथक्-पृथक् उक्त हुये हैं।

अनुक्तभिन्नानुगामिसाधारणधर्मोदाहरणप्रदर्शनायाह—

अत्रैव पूर्वार्धगतविशेषणद्वयत्यागे स एवानिर्दिष्टः।

'सम्पश्यताम्—' इत्यस्मिन्पद्य एव यदि धर्मबोधके पूर्वार्धगते 'अतिमात्रतन्वीम्' 'शोभाभिराभासितसर्वलोकाम्' इति विशेषणपदे अनिवेश्येयाताम्, तदा तदेव पद्यमनुक्तपृथगनुगामिसाधारणधर्मोदाहरणतां प्रतिपद्येतेति भावः।

'सम्पश्यताम्—' इस पद्य में ही यदि पूर्वार्ध के दोनों ('अत्यधिक दुबली होना' तथा 'शोभाओं से सब भुवनों को प्रकाशित करना') धर्मबोधक विशेषणों को छोड़

दिया जाय-अर्थात् उन दोनों विशेषणों का समावेश न करके ही पद्य-रचना की जाय-तब यह पद्य अनुक्त पृथक् अनुगामी समानधर्म का उदाहरण हो जायगा।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नपृथङ्निर्दिष्टसाधारणधर्मोदाहरणं स्मारयति—

बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नो यथा 'तीरे तरुण्या वदनं सहासम्' इत्यादौ प्रागुक्ते।

'तीरे तरुण्याः—' इति श्लोके 'सहासत्वम्' 'मिलद्विकाशत्वम्' चेति द्वौ साधारणधर्मौ शब्दतः कथितौ तौ च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नाविति भावः।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न साधारणधर्म, जैसे—'तीरे तरुण्याः—' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में। अभिप्राय है कि 'तीरे तरुण्याः—' इस पद्य में 'हासयुक्त होना' और 'विकाश-युक्त होना' ये दो समानधर्म पृथक् पृथक् शब्दतः उक्त हैं और ये दोनों धर्म साधारण इसलिये होते हैं कि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं।

तादृशधर्मोदाहरणान्तरं निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'सपल्लवा किं नु विभाति वल्लरी सफुल्लपद्मा किमियं नु पद्मिनी।
समुल्लसत्पाणिपदां स्मिताननामितीक्षमाणैः समलम्भि संशयः॥'

समुल्लसत्पाणिपदां शोभमानकरचरणाम्, तथा, स्मिताननां सेषद्धासमुखीम्, कामिनीम्, ईक्षमाणैः पश्यद्भिर्जनैः, 'सपल्लवा किसलयवती, वल्लरी लता, विभाति शोभते, किं नु अथवा, सफुल्लपद्मा विकसितकमलकोशयुक्ता, पद्मिनी नलिनी, विभाति, किं नु' इति इत्याकारकः, संशयः, समलम्भि लब्ध इत्यर्थः (अत्र 'नु'शब्दो वितर्के)। अत्र 'पाणि-पदां स्मिते'ति प्रतीकमुपादायाह नागेशः—'पादप्रतिबिम्बानिर्देशान्न्यूनताऽत्र। अत एव पाण्याननयोरित्यग्रिमोक्तिः सङ्गच्छते। वस्तुतस्तु फुल्लपद्मं पाणिवत् पादयोरपि प्रतिबिम्ब इति न दोषः। व्याख्यानं तूपलक्षणत्वेन योज्यम्।' इति।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सपल्लवा इत्यादि। शोभायुक्त कर चरणोंवाली तथा मन्दहासयुक्त मुखवाली इस कामिनी को देखने वालों को यह सन्देह हुआ कि 'यह क्या पल्लवोंसहित लता शोभित हो रही है अथवा विकसित कमलयुक्त पद्मिनी ?'

उपपादयति—

अत्र पल्लवफुल्लपद्मे पाण्याननयोः प्रतिबिम्बकोट्योः पृथङ् निर्दिष्टे।

'सपल्लवा—' इति पद्ये नायिकारूपे धर्मिणि वल्लरी-पद्मिनीरूपविरुद्धकोटिकः सन्देहो वर्णितः, सन्देहश्चायं साधारणधर्मवत्ताज्ञानजन्यः, साधारणधर्मश्च वल्लरीनायिकयोः पल्लव-पाणिरूपः, पद्मिनी-नायिकयोश्च फुल्लपद्माननरूपः। ननु पल्लवो वल्लरीमात्रवृत्तिः पाणिश्च नायिकामात्रवृत्तिः, एवम्, फुल्लपद्मं पद्मिनीमात्रवृत्ति, आननं च नायिकामात्रवृत्ति, एवं स्थितौ कथं तयोः मिलितयोः(पल्लवपाण्योः फुल्लपद्माननयोश्च) साधारणतेति, चेन्न, बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नत्वेन तयोरेकत्वाध्यवसायात्। पाणिरूपस्य बिम्बस्य पल्लवः प्रतिबिम्बः,

आननरूपस्य च बिम्बस्य फुल्लपद्मं प्रतिबिम्बभूतम् । प्रतिबिम्बभूतौ च द्वौ पदार्थौ पृथक् पृथङ् निर्दिष्टाविति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'लपल्लवा—' इस पद्य में हाथ पैर के प्रतिबिम्ब 'पल्लव' और मुख का प्रतिबिम्ब 'विकसित कमल' लता और पद्मिनीरूप दोनों कोटियों में पृथक्-पृथक् शब्दतः उक्त हुए हैं। यद्यपि मूल में 'पाण्याननयोः' ऐसा कह कर हाथ मात्र का प्रतिबिम्ब 'पल्लव' को कहा गया है, पर उस कथन में 'पाणि' को 'पद' का भी उपलक्षण समझना चाहिए, अन्यथा 'न्यूनता' हो जायगी।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नस्य निर्दिष्टस्योदाहरणं दत्त्वाऽनिर्दिष्टस्य तदाह—

'इदमुदधेरुदरं वा नयनं वाऽत्रेरुतेश्वरस्य मनः ।
दशरथगृहे तदानीमेवं संशेरते स्म कवयोऽपि ॥'

कवयोऽपि वस्तुतत्त्वगवेषका अपि, किमुत अन्ये, तदानीं रामोत्पत्तिसमये, 'इदम् , उदधेः समुद्रस्य, उदरं मध्यभागः, अथवा, अत्रेस्तन्नाम्नो मुनेः, नयनम् , उत, ईश्वरस्य, मनः' इत्येवम् , दशरथगृहे तद्विषये, संशेरते स्म सन्देहं कृतवन्त इत्यर्थः । पुराणे चन्द्रस्य त्रिधोत्पत्तिः वर्णिता समुद्रादत्रिनेत्रात्परमेश्वरमनसश्चेति भावः ।

उक्त बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म का उदाहरण देकर अब अनुक्त तादृश धर्म का उदाहरण दिया जाता है—इदमित्यादि। राम-जन्म के समय, दशरथ के घर के विषय में कवि भी इस तरह सन्देह करते थे कि-'यह समुद्र का मध्य-भाग है अथवा अत्रिमुनि का नेत्र है कि वा परमेश्वर का मन है ?' (इस सन्देह के मूल में पुराणों की वह उक्ति काम कर रही है जिसमें तीन प्रकार से चन्द्रमा की उत्पत्ति वर्णित है-समुद्र के मध्य से, अत्रि के नेत्र से और परमेश्वर के मन से)।

उपपादयति—

अत्र तदानीमिति प्रकरणसाहाय्यावशाद्दशरथगृहेण धर्मिणाऽऽक्षिप्तस्य तत्कालजातस्य भगवतो रामस्य जलध्युदरादिसंशयकोटित्रयाक्षिप्तः साधारणश्चन्द्रः प्रतिबिम्बः । इमौ च बिम्बप्रतिबिम्बावनिर्दिष्टावपि प्रतीयमानौ सादृश्यं प्रयोजयतः । एतेन 'अनुगाम्येव धर्मो लुप्तः सम्भवति, न तु बिम्बितः' इति वदन्तः परास्ताः । इति दिक् ।

धर्मिणेति । संशयीयविशेष्यताश्रयेणेत्यर्थः । रामस्येति । बिम्बरूपस्येति भावः । साधारण इति । जलध्यादिकोटित्रये वर्तमान इत्यर्थः । इमाविति । रामचन्द्रावित्यर्थः । एतेनेति । ईदृशोदाहरणोपलम्भेनेत्यर्थः । अयं भावः—'इदमुदधेः—' इति श्लोके दशरथगृहधर्मिकः समुद्रोदरात्रिनेत्रपरमेश्वरमनोरूपविरुद्धकोटिकः संशयो वर्णितः । तत्र 'तदानीम्' इति पदप्रतिपाद्यप्रकरणसहकृतेन संशयधर्मिणा दशरथगृहेण तत्कालोत्पन्नो राम आक्षिप्यते, तं विना तत्रोक्तकोटिकसंशयस्यानुदयात् , एवं संशयकोटिभूतैः समुद्रोदरादिभिस्त्रिभिः त्रिषु साधारणश्चन्द्र आक्षिप्यते, तं विना तेषां संशये कोटित्वासम्भवात् । आक्षिप्तयोश्चानयोः रामो बिम्बः, चन्द्रश्च प्रतिबिम्बः । एवं बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नतयैक्यमापन्नो 'राम-चन्द्र'पदार्थः समुद्रोदरादेरुपमानभूतस्य, दशरथगृहस्य चोपमेयभूतस्य साधारणधर्मः सम्पद्यते । अनुक्तावपि तौ बिम्बप्रतिबिम्बौ प्रतीयेते सादृश्यं च प्रयोजयत

इतीह वैचित्र्यं बोध्यम्। 'अनुगामी धर्म एवानुक्तः प्रतीयते, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नस्तु न' इति ये कथयन्ति ते अनेनानुक्तप्रतीयमानबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मेणोदाहरणेन परास्ता इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'इदमुदधेः—' इस पद्य में रामजन्मसमय-रूप प्रकरण की सहायता से संशयधर्मी (जिसके विषय में विभिन्नकोटिक सन्देह होता है उस) दशरथगृहरूप अर्थ से तत्कालोत्पन्न राम का आक्षेप होता है, इसी तरह संशय में कोटिभूत पदार्थ समुद्र के मध्यभाग, अत्रि-नेत्र और परमेश्वर-मन इन तीनों से, तीनों में रहनेवाले (तीनों से उत्पन्न होनेवाले) चन्द्र का आक्षेप होता है। ये आक्षिप्त पदार्थ (राम और चन्द्र) बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं-अर्थात् राम बिम्ब और चन्द्र प्रतिबिम्ब है। यद्यपि ये दोनों बिम्ब और प्रतिबिम्ब (राम तथा चन्द्र) पद्य में उक्त नहीं हैं, तथापि इन दोनों की प्रतीति यहाँ अवश्य होती है, क्योंकि जब तक इनकी प्रतीति नहीं होगी तब तक उक्त सन्देह बन ही नहीं सकता। और जब ये दोनों पदार्थ बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न होकर प्रतीत हो जाते हैं तब ये ही साधारणधर्मरूप होकर दशरथगृह का समुद्रमध्यभाग आदि उक्त तीनों पदार्थों के साथ सादृश्य सिद्ध कर देते हैं और सादृश्य सिद्ध हो जाने पर तन्मूलक उक्त सन्देह (दशरथगृह के विषय में समुद्र-मध्यभाग आदि का सन्देह) भी बन जाता है। इस उदाहरण से वे सब परास्त हो जाते हैं जो 'अनुगामी धर्म ही अनुक्त हो सकता है, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म नहीं' ऐसा कहते हैं।

विशेषमाह—

अयं च क्वचिदनाहार्यः, क्वचिदाहार्यः। यत्र हि कविना परनिष्ठः संशयो निबध्यते प्रायशस्तत्रानाहार्यः। यथा 'तीरे तरुण्याः' 'मरकतमणिमेदिनीधरो वा' इत्यादिषु प्रागुदाहृतेषु पद्येषु। तत्र भ्रमरादीनां संशयानानां ग्राह्यनिश्चया-भावात्। यत्र च स्वगत एव तत्राऽऽहार्यः।

यथा—

'अलिर्मृगो वा नेत्रं वा यत्र किञ्चिद् विभासते।
अरविन्दं मृगाङ्को वा मुखं वेदं मृगीदृशः॥'

अत्र वक्तुः कवेस्तत्त्वज्ञतया संशयावाहार्यावेव।

अयं चेति। संशयश्चेत्यर्थः। अनाहार्य इति। बाधकालीनेच्छाजन्यो नेत्यर्थः। अना-हार्यसंशयस्थलं परिभाषते—यत्र कविनेति। परनिष्ठ इति। स्वभिन्ननिष्ठ इत्यर्थः। कुत्रचित् व्यभिचारादाह प्रायश इति। अनाहार्यसंशयोदाहरणमुपदर्शयति—यथा'तीरे' इत्यादि। अनाहार्यत्वमुपपादयति—तत्रेति। संशयानानामिति। भ्रमरादिविशेषणमेतत्। ग्राह्य-निश्चयेति। ज्ञातव्यवस्तुनिश्चयेत्यर्थः। आहार्यसंशयं परिभाषते—यत्र चेति। स्वगत एवेति। एवेन परनिष्ठत्वव्यवच्छेदः। आहार्यसंशयोदाहरणं प्रदर्शयति—यथा 'अलिः—' इति, यत्र मुखरूपे वस्तुनि, अलिः भ्रमरः, मृगः हरिणः, अथवा नेत्रम्, किञ्चित् एषु इदंतयाऽनिश्चितमेकम्, विभासते शोभते, इदम् मुखरूपं वस्तु, अरविन्दं कमलम्, वा, मृगाङ्कश्चन्द्रो वा, मृगीदृशः मृगनयनाया नायिकाया मुखं वा अस्तीत्यर्थः। उपपादयति—अत्र वक्तुरिति। तत्त्वज्ञतयेति। वास्तविकवस्तुनिर्णयविशिष्टतयेत्यर्थः। संशयाविति। नेत्र-

धर्मिकः भ्रमरहरिणोभयकोटिक एकः संशयः, मुखधर्मिकः कमलचन्द्रोभयकोटिकश्च द्वितीय इति भावः। मुखे कमलसंशये नेत्रे भ्रमरसंशयः, मुखे चन्द्रसंशये च नेत्रे चन्द्रमध्यगत-हरिणसंशय इति सारांशः। अलङ्कारभूतोऽयं सन्देहो द्विविधः सम्भवति आहार्यः, अनाहार्यश्च। यत्र कविः परगतं सन्देहं वर्णयति तत्र—'तीरे तरुण्याः–' 'मरकतमणिमेदिनीधरो वा' इत्यादौ—अनाहार्यः, संशयकारकाणाम् भ्रमरादीनाम् संशयविषयीभूतविविधकोटि-गतैकपदार्थनिश्चयाभावात्। यत्र तु कविः स्वयं संदेग्धि तत्र—'अलिर्मृगो वा—' इत्यादौ आहार्यः, कवेर्ग्राह्यनिश्चयसत्त्वेऽपि इच्छामात्रजन्यत्वात्तस्येति भावः।

एक अन्य रीति से सन्देहालङ्कार का विभाग किया जाता है—अयं च इत्यादि। यह ससन्देहालङ्कार दो प्रकार का होता है, क्योंकि अनाहार्य और आहार्यभेद से सन्देह दो प्रकार के हो सकते हैं (आहार्य सन्देह का अर्थ है वास्तविक वस्तु को जानते रहने पर भी इच्छाजन्य सन्देह और अनाहार्य सन्देह का अर्थ है वास्तविक सन्देह–अर्थात् वास्तविक वस्तु को जानने के कारण होनेवाला सन्देह)। जहाँ कवि दूसरे किसी को होनेवाले सन्देह का वर्णन करता है वहाँ प्रायः (प्रायः इसलिये की कहीं इसके विपरीत बात भी हो जा सकती है) अनाहार्य सन्देह होता है। जैसे—'तीरे तरुण्याः–' मरकत-मणि–' इत्यादि पूर्वोदाहृत पद्यों में। ऐसे स्थलों के सन्देहों को अनाहार्य मानने में खास कारण यह है कि यहाँ जिन (भ्रमर, ऋषिवृन्द आदि) के सन्देहों का वर्णन कवि द्वारा किया गया है उन्हें ज्ञातव्य वस्तु का निश्चय नहीं है-वे वास्तविक वस्तु क्या है यह निश्चयपूर्वक नहीं जानते रहते हैं। जहाँ कवि स्वयं सन्देह करता है – किसी दूसरे के सन्देह का बर्णन नहीं करता—वहां सन्देह आहार्य होता है, क्योंकि वैसे स्थल में कवि वास्तविक वस्तु को जानकर भी केवल अपनी इच्छा से सन्देह का उत्थान करता है, जैसे 'अलिर्मृगो वा-अर्थात् जिसमें भ्रमर, हरिण अथवा नेत्र कुछ भासित हो रहा है यह कमल है, चन्द्रमा है अथवा मृगाक्षी नायिका का मुख है ?' यहाँ का सन्देह आहार्य है, क्योंकि यहाँ कवि तत्त्वज्ञ है अर्थात् वह 'मृगाक्षी की आंख है यह और उस आंख से शोभित यह उसका मुख है' इस वास्तविक तथ्य को जानता है, फिर जो उसने नेत्र में भ्रमर और हरिण का एवं मुख में कमल और चन्द्र का सन्देह किया है वह उस (कवि) की इच्छा का विलास है।

अपरं विशेषमाह—

परम्परितोऽपि चायं सम्भवति—

विद्वद्दैन्यतमस्त्रिमूर्तिरथवा वैरीन्द्रवंशाटवी-
दावाग्निः किमहो महोज्ज्वलयशःशीतांशुदुग्धाम्बुधिः।
किंवाऽनङ्गभुजङ्गदष्टवनिताजीवातुरेवं नृणां
केषामेष नराधिपो न जनयत्यल्पेतराः कल्पनाः॥'

अत्राप्याहार्यः।

परम्परितोऽपीति। अत्रारोपस्यारोपमात्रोपायत्वेन परम्परितत्वम्, न तु संशयोपायत्वेन। दैन्यादीनां तमस्त्वादिसन्देहाविषयत्वादिति बोध्यमिति नागेशः। विद्वद्दैन्येति। राजस्तुतिरियम्–एष वर्णनीयः, नराधिपः राजा, विदुषां पण्डितानाम्, दैन्यम् दारिद्र्यमेव, तमः अन्धकारः (रूपकम्, एवमग्रेऽपि) तस्य कृते, त्रिमूर्तिः सूर्यः, अयं किम्? अथवा,

वैरीन्द्राः विरोधिश्रेष्ठा राजानः, एव, वंशाटवी वंशारण्यम् , तस्य, कृते दावाग्निः वनवह्निः, किम् ? अथवा, महोज्ज्वलं परमस्वच्छम् , यशः कीर्तिरेव शीतांशुश्चन्द्रः, तस्य कृते, दुग्धाम्बुधिः पयःपारावारः किम् , अथवा अनङ्गेन कामदेवेन तद्रूपेणेति यावत् , भुजङ्गेन सर्पेण, दष्टाः कृतदंशाः अतिकामाकुला इति यावत् , याः, वनिताः कामिन्यः, तासां कृते, जीवातुः जीवनौषधम् , किम् ? इत्येवंप्रकारिकाः, अल्पेतराः अनल्पाः, कल्पनाः संशयान् , केषां नृणां मनुष्याणाम् , न, जनयति उत्पादयति ? सर्वेषां तथा कल्पना जनयतीत्यर्थः । अत्र दारिद्र्यादिषु तमस्त्वादेरारोपो राजनि सूर्यत्वाद्यारोपस्य कारणमत एव परम्परितत्वम् । संशयश्चात्रापि स्वगततयाऽऽहार्य इति भावः ।

एक विशेष इस अलङ्कार के सम्बन्ध में बतलाया जाता है—परम्परितोऽपि इत्यादि । यह ससन्देहालङ्कार रूपक की तरह परम्परित भी हो सकता है, जैसे—'विद्वद्दैन्य— अर्थात् यह राजा विद्वानों के दारिद्र्यरूप अन्धकार के लिये त्रिमूर्ति (सूर्य) है, अथवा शत्रुओं में श्रेष्ठ राजाओं-रूप बाँस के वन के लिये वनवह्नि है, किंवा अतिनिर्मल यशःरूप चन्द्र के लिये क्षीरसागर है, आहोस्वित् काम-रूप सर्प से डँसी हुई कामिनियों के लिये जीवनौषध है, इस तरह यह राजा किन्हें अनेक कल्पनाएँ (संशय) उत्पन्न नहीं करता अर्थात् सभी के हृदय में इसे देखकर ऐसी कल्पनाएँ उत्पन्न होती ही हैं ।' यहाँ दारिद्र्य आदि में अन्धकार आदि का आरोप जिस लिये किया जाता है इसलिये ही राजा में सूर्य आदि का आरोप किया जाता है । फलतः एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, अतएव यहाँ का सन्देहालङ्कार परम्परित कहलाता है, न कि एक सन्देह का दूसरे सन्देह के प्रति कारण होने से, क्योंकि वैसी स्थिति यहाँ नहीं है— अर्थात् दारिद्र्य में अन्धकार सन्देह नहीं, अपि तु आहार्यनिश्चय ही है । सन्देह यहाँ का भी आहार्य ही है । कारण, कवि स्वयं सन्देह करता है—वस्तुस्थिति का निश्चितरूप से जान कर भी ।

'यत्र स्वगत एव संशयस्तत्राहार्यः' इति यदुक्तं प्राक् तत्रैवकारेण कृतमवधारणमयुक्तमिति साम्प्रतमाह—

क्वचित् परनिष्ठोऽपि कविना निबध्यमान आहार्यो भवति ।

न केवलम् स्वगत एव, अपि तु परगतोऽपि कविवर्णितः सन्देहः क्वचिदाहार्यो भवतीति भावः ।

'स्वगत सन्देह ही आहार्य होता है' यह जो पहले सामान्यतः कहा गया है, उसका अपवाद कहा जाता है—क्वचित् इत्यादि । कहीं-कहीं कविद्वारा वर्णित परकीय सन्देह भी आहार्य होता है ।

तादृशमुदाहरणं दर्शयितुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'गगनाद् गलितो गभस्तिमानुत वाऽयं शिशिरो विभावसुः ।
मुनिरेवमरुन्धतीपतिः सकलङ्कः समशेत राघवे ॥'

सकलज्ञः सर्वज्ञः अरुन्धतीपतिः मुनिः वशिष्ठः, (जातकर्मसमये) राघवे रामचन्द्रे धर्मिणि, अयम् , गगनात् , गलितः पतितः, गभस्तिमान् सूर्यः, उत, शिशिरः शीतलः, विभावसुः, अग्निः, एवम् , समशेत संशयं कृतवानित्यर्थः। (यद्यपि विद्वद्दैन्येत्यत्रोदाहृतोऽपि संशयः परनिष्ठो भवति, तथापि केषामिति सामान्येन निर्देशात् स्वनिष्ठोऽपि भवतीति द्वितीयमिदमुदाहरणमुक्तमिति बोध्यम्)।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—गगनात् इत्यादि। अरुन्धती के स्वामी सर्वज्ञ वशिष्ठमुनि (जातकर्म के समय) रामचन्द्र के विषय में, 'यह आकाश से गिरा हुआ सूर्य है अथवा शीतल अनल है' इस तरह सन्देह करने लगे। (यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए। वह यह कि यद्यपि 'विद्वद्दैन्य—' यह पहला पद्य भी परगत सन्देह का उदाहरण हो सकता है पर वहाँ 'केषाम्—किन्हें' इस सामान्य कथन के कारण वह स्वगत सन्देह का भी उदाहरण हो जासकता है, अतएव शुद्ध परगत फिर भी आहार्य सन्देह का यह दूसरा उदारण दिया गया है)।

उपपादयति—

अत्र मुनेर्वशिष्ठस्य सर्वज्ञत्वेनोपात्तस्य संशय आहार्य एव।

'गगनात्—' इति पद्ये वशिष्ठो मुनिः सर्वज्ञतयोपवर्णितः। तथा च तस्य वस्तुतत्त्वानभिज्ञत्वमसम्भवम्। एवं स्थितौ प्राप्तनिश्चयवतो मुनेः सन्देह इच्छाजन्यत्वादाहार्य एव भवितुमर्हति। इत्थञ्च सिद्धम् परगतस्यापि सन्देहस्याहार्यत्वमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'गगनाद्–' इस पद्य में वशिष्ठ मुनि को सर्वज्ञ कहा गया है, अतः उनको वास्तविक सन्देह नहीं हो सकता यह सिद्ध है। ऐसी स्थिति में जो उनके सन्देह का वर्णन किया गया है वह आहार्य ही हो सकता है अर्थात् यही यहाँ उचित समझा जा सकता है कि मुनि सब कुछ जान कर भी अपनी इच्छा से सन्देह कर रहे हैं।

'गगनात्—' इति पद्यवर्णितस्य सन्देहस्यानाहार्यतामाशंक्य समाधत्ते—

यद्यप्यत्र 'मुनीनां च मतिभ्रमः' इत्युक्त्या तस्यानाहार्य एव संशयो वक्तुं शक्यः, तथापि कोटितावच्छेदकयोः शिशिरत्वगगनगलितत्वयोरग्निसूर्यरूपकोटिद्वये आहार्यबोधस्यैवावश्यवाच्यतया पुरोवर्तिनि कोटिद्वयाभेदांशेऽपि तस्यैव न्याय्यत्वात्। इह च कोट्योर्धर्मिसादृश्यदार्ढ्यायोष्णत्वगगनगतत्वरूपवैधर्म्यनिरासकमविद्यमानमपि गगनगलितत्वं शिशिरत्वं चारोप्यते वक्त्रा।

अत्र 'गगनाद्–' इति पद्ये। मुनीनां चेति। चकारोऽन्यसमुच्चायकः। तस्य वशिष्ठस्य। कोटितावच्छेदकयोः विशेषणतावच्छेदकयोः। विशेषणविशेषणयोरिति यावत्। पुरोवर्तिनि श्रीरामे। इतोऽग्रे यद्यपि 'अभेदेन कोटि–' इतीदृश एव पाठो मूले लिखितो विलोकितः, तथापि असङ्गततया 'अभेदेन' इत्यंशो मया त्यक्तः। नागेशोऽपि स्वगुरुमर्मप्रकाशे 'वर्तिन्यभेदेनेति चिन्त्यम्' इति प्राकाशयत्। तस्यैव आहार्यबोधस्यैव। ननु तयोः कोटितावच्छेदकयोर्निवेश एव किमर्थः इत्यत आह—इह चेति। 'मुनीनां च मतिभ्रमः' इत्याप्तजनोक्तिः सर्वज्ञस्यापि मुनेः प्राकृतजनवत् व्यवहारदशायां भ्रमसंशयादिकं सूचयति। तथा च सर्वज्ञस्यापि वशिष्ठस्य वास्तविकः संशयो भवितुमर्हति, अतः 'गग-

नात—' इति पद्ये वर्णितः संशयः अनाहार्य एव स्वीकर्तुमुचितः, नाहार्य इति शङ्कादलस्याशयः, संशये यो विशेष्यो भवति ये च विशेषणे भवतः, तयोरुपमेयोपमानभाव एव तिष्ठति अर्थात् विशेष्यमुपमेयं भवति विशेषणयोश्च प्रत्येकं पृथक्-पृथक् उपमानं भवति। एवं च तयोः सादृश्यं आवश्यकं सादृश्यं च सति वैधर्म्ये न सम्भवति, अतः प्रकृते कोटयोः सूर्याग्न्योः वस्तुतो वर्तमानयोरपि वैधर्म्यसाधकयोर्धर्मयोः गगनगतत्वोष्णत्वयोर्निराकरणार्थं वस्तुतोऽवर्तमाने अपि गगनगलितत्व-शिशिरत्वे क्रमशस्तयोरारोप्यते वर्णयित्रा कविना। इत्थं चारोपितयोस्तयोर्बोधो मुनेरपि आहार्य एव सम्भवति अग्निसूर्यरूपकोटिद्वयात्मके विशेष्ये। ततश्च तदवच्छिन्नप्रकारताकः अभेदसम्बन्धावच्छिन्नपुरोवर्तिरामनिष्ठविशेष्यताकः मुनिनिष्ठः संशयोऽपि आहार्य एव स्वीकर्तुमुचित इति च समाधानदलास्याशयो बोध्यः।

एक शङ्का और उसका समाधान किया जाता है—यद्यप्यत्र इत्यादि। मुनियों को भी मति-भ्रम होता है' इस उक्ति के अनुसार सर्वज्ञ वशिष्ठ को भी व्यवहार-दशा में सन्देह हो सकता है, अतः 'गगनाद्गलितः—' इस पद्य में वर्णित वशिष्ठ जी का सन्देह अनाहार्य ही कहा जा सकता है अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि वशिष्ठ जी सब कुछ जानते हुए भी स्वेच्छया सन्देह कर रहे हैं, अपितु यही कहा जा सकता है कि सचमुच वशिष्ठ जी को वैसा सन्देह हुआ है। इस शङ्का का उत्तर यह है कि वस्तुतः संशय का आधार उपमेय और संशय के विषय भिन्न-भिन्न उपमान हो रहते हैं, अतः उन दोनों में परस्पर सादृश्य का बोध होना उपमा की तरह संशयालङ्कार के लिये भी अपेक्षित है और यदि उन दोनों में से किसी एक में भी वैधर्म्य (सादृश्यविरोधी धर्म) ज्ञात होगा तब सादृश्य बन नहीं सकता। ऐसी स्थिति में यहाँ संशय विषयीभूत सूर्य और अग्नि में ज्ञात होनेवाले विरोधी धर्म—गगनवासित्व और उष्णत्व—को दूर करने के लिये वक्ता अपनी इच्छा से उन दोनों में क्रमशः 'गगन से गिरा हुआ होना' और 'शीतलता' का आरोप करता है, अन्यथा उन दोनों (सूर्य-अग्नि) में संशयाधार राम का सादृश्य ही सिद्ध नहीं होगा और सादृश्य की सिद्धि के बिना सन्देह सिद्ध हो नहीं सकता। इस तरह आवश्यक समझकर आरोपित 'गगन-गलितत्व' और 'शीतलत्व' जो यहाँ कोटितावच्छेदक-अर्थात् कोटिभूत सूर्य अग्नि के विशेषण हैं—का बोध वशिष्ठ जी को भी आहार्य ही होगा-ऐसा मानना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं, फिर आगे स्थित राम में उन आरोपित विशेषणों से विशिष्ट सूर्य अग्नि के अभेद का ज्ञान (संशय) भी आहार्य ही माना जाय यही उचित है।

उपसंहरति—

एवमादयोऽन्येऽपि प्रकाराः सुधीभिः स्वयमुन्नेयाः।

यादृशा यादृशाः संशयालङ्कारस्य भेदा प्रागुक्तास्तादृशा अन्येऽपि भेदा अस्य सम्भवन्ति, ते च विद्वद्भिः स्वयमूहनीया इति भावः।

उपसंहार किया जाता है—एवमादय इत्यादि। जिस तरह के भेद सन्देहालङ्कार के पहले दिखलाए गये हैं वैसे भेद और भी हो सकते हैं, पर उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया, सुधीजन स्वयं उन भेदों का ऊह कर लें।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां ससन्देहालङ्कारप्रकरणं समाप्तम्।

ससन्देहालङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीं भ्रान्तिमदलङ्कारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ भ्रान्तिमान्—

अथेति । अनन्तरं इत्यर्थः । ससन्देहालङ्कारनिरूपणानन्तरमिति भावः । भ्रान्तिमानिति । निरूप्यत इति शेषः । अथवा—अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः । भ्रान्तिमदलङ्कारो निरूप्यत्वेनाधिकृतो वेदितव्य इति भावः ।

ससन्देहालङ्कार—निरूपण कर लेने के बाद अब ग्रन्थकार 'भ्रान्तिमत्' अलङ्कार-निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—अथ इत्यादि । अब 'भ्रान्तिमत्' अलङ्कार का निरूपण प्रारब्ध समझना चाहिए ।

आदौ भ्रान्तिमदलङ्कारस्य लक्षणमाह—

सदृशे धर्मिणि तादात्म्येन धर्म्यन्तरप्रकारकोऽनाहार्यो निश्चयः सादृश्यप्रयोज्यश्चमत्कारी प्रकृते भ्रान्तिः । सा च पशुपक्ष्यादिगता यस्मिन् वाक्यसन्दर्भेऽनूद्यते स भ्रान्तिमान् ।

अन्यत्र नैवमित्याह—प्रकृत इति । पक्ष्यादीति । आदिना मनुष्यग्रहणम् । तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नधर्म्यन्तरनिष्ठप्रकारतानिरूपितसदृशधर्मिनिष्ठविशेष्यताशाली सादृश्यज्ञानाधीनः, अनाहार्यः, चमत्कृतिकरो निश्चयः अलङ्कारशास्त्रप्रसिद्धभ्रान्तिपदार्थः । पशुपक्षिमनुष्यनिष्ठतादृशभ्रान्तिपदार्थवर्णनपरो वाक्समूहो भ्रान्तिमत्पदार्थ इति भावः ।

सर्वप्रथम 'भ्रान्तिमत्' अलङ्कार का लक्षण किया जाता है—सदृशे इत्यादि । सादृश्ययुक्त धर्मी (आधार) में, अभेदसम्बन्ध से, अन्य किसी धर्मी का, अनाहार्य (वास्तविक) और सादृश्यज्ञान का कारण होनेवाला निश्चयात्मक ज्ञान, चमत्कारयुक्त होने पर अलङ्कारशास्त्र में, 'भ्रान्ति' कहा जाता है और पशु, पक्षी, अथवा मनुष्य में रहनेवाली उस 'भ्रान्ति' का वर्णन जिस वचनसमूह में किया जाता है वह वचनसमूह 'भ्रान्तिमान्' कहलाता है । इस लक्षण में 'अलङ्कार शास्त्र में' ऐसा जो कहा गया है उसका तात्पर्य यह कि अन्य (न्यायादि) शास्त्रों मे 'भ्रान्ति' का लक्षण ऐसा नहीं, अपि तु भिन्न तरह किया गया है ।

प्रतिज्ञाविरोधाभावायाह—

अत्र च भ्रान्तिमात्रमलङ्कारः । भ्रान्तिमानलङ्कार इति व्यवहारस्त्वौपचारिकः । तथा चाहुः—

'प्रमात्रन्तरधीर्भ्रान्तिरूपा यस्मिन्ननूद्यते ।
स भ्रान्तिमानिति ख्यातोऽलङ्कारे त्वौपचारिक ॥ इति ।

औपचारिक इति । भ्रान्तिनिष्ठालङ्कारत्वस्य तद्वत्यारोपात् । भ्रान्तितद्वतोरभेदारोपादिति भावः । ससन्देह इति व्यवहारोऽप्येवमेवेति प्रागुक्तम् । अस्मिन्नर्थेऽन्यस्यसम्मतिं दर्शयति—तथा चाहुरिति । प्रमात्रन्तरेति । भ्रान्तिरूपा, प्रमात्रन्तरस्य कविभिन्नस्य ज्ञातुः, धीर्बुद्धिः, यस्मिन् वाक्सन्दर्भे, अनूद्यते वर्ण्यते, स वाक्सन्दर्भः, 'भ्रान्तिमान्' इति ख्यातः भ्रान्तिमच्छब्देनोच्यते स्म, अलङ्कारे तु, स शब्दः, औपचारिक इत्यर्थः ।

ग्रन्थकार ने अलङ्कारनिरूपण की प्रतिज्ञा की है और 'भ्रान्तिमान्' शब्द से अलङ्कार का बोध होता नहीं, अतः जो विरोध आपाततः दिखाई पड़ता है उसे दूर करने के लिये कहा जाता है—अत्र च इत्यादि। 'भ्रान्तिमान्' शब्द में 'भ्रान्ति' मात्र अलङ्कार की संज्ञा है। 'भ्रान्तिमान् अलङ्कार' इस तरह का व्यवहार तो औपचारिक (आरोपमूलक) है। अभिप्राय यह कि भ्रान्तिमात्र में रहनेवाली अलङ्कारता का भ्रान्ति अलङ्कार से युक्त वाक्य में आरोप कर देने से वैसा व्यवहार होता है अथवा भ्रान्ति अलङ्कार तथा उस अलङ्कार से युक्त वाक्य इन दोनों में अभेद का आरोप होने से उक्त व्यवहार किया जाता है। इस प्रसङ्ग पर दूसरे आचार्य भी यही बात कहते हैं—"प्रमात्रन्तर—अर्थात् जिस वचन-सन्दर्भ में जानकार से अन्य—अर्थात् कवि से भिन्न—के भ्रमात्मक बोध का अनुवाद किया जाता है, वह वचन-सन्दर्भ 'भ्रान्तिमान्' कहलाता है। अलङ्कार में इस शब्द का प्रयोग आरोपमूलक है।" ('ससन्देह' शब्द का अलङ्कार अर्थ में प्रयोग भी इसी तरह आरोपमूलक है यह बात पहले कही जा चुकी है)।

लक्षणे निविष्टानां विशेषणानां फलान्युपदर्शयति—

लक्षणे मीलित-सामान्य-तद्गुण वारणाय धर्मिग्रहणद्वयम्। रूपकवित्ति-वारणायानाहार्य इति कविभिन्नगत इति वा। संशयावारण निश्चय इति। इदं रजतमिति रङ्गविशेष्यकबोधवारणाय चमत्कारीति। कविप्रतिभानिर्वर्तित इत्यर्थः रङ्गे रजतमिति बुद्धेर्लौकिकतया न कविप्रतिभानिर्वर्तितत्वम्।

'अकरुणहृदय प्रियतम मुञ्चामि त्वामितः परं नाहम्।
इत्यालपति कराम्बुजमादायालीजनस्य विकला सा॥'

इत्यत्र नायिकासन्देशहरस्योक्तौ व्यज्यमानस्योन्मादस्य वारणाय सादृश्य-प्रयोज्य इति। न चात्रोन्मादस्य प्राधान्यात् सकलालङ्कारसाधारणेनोपस्कारकत्वविशेषणेनैव वारणमिति वाच्यम्। तस्यापि पार्यन्तिकविप्रलम्भोपस्कारकत्वात्। यद्वा सन्देशहरात् संदेशं श्रुतवतो नायकस्य स्वमित्रं प्रति यदेदं वाक्यं 'अकरुणहृदय—' इत्यादि तदास्मिन्नेव पद्ये सेतिपदव्यङ्ग्यायाः स्मृतेरुपस्कारके उन्मादे तथाप्यतिप्रसङ्गापत्तेः सादृश्यप्रयोज्यत्वमावश्यकम्। लक्षणे चात्रैकत्वं विवक्षितम्। अन्यथा वक्ष्यमाणानेकगृहीतृकानेकप्रकारकैकविशेष्यकभ्रान्तिसमुदायात्मन्युल्लेखेऽतिप्रसङ्गापत्तेः। अत एवैकवचनमपि सार्थकम्।

'लक्षणे' इत्यस्य सर्वत्रान्वयो बोध्यः। धर्मिद्वयनिवेशफलमाह—मीलित इति। यदि लक्षणे धर्मिद्वयग्रहणं न स्यात् 'अन्यस्मिन् अन्यप्रकारकनिश्चयः' इत्येवमुक्तिः भवेत्, तदा मीलित-सामान्य-तद्गुणालङ्कारोदाहरणेषु प्रकृतलक्षणमतिप्रसज्येत, तत्रापि धर्मान्तरे धर्मान्तरस्यानाहार्यनिश्चयस्य वर्णितत्वात्। धर्मिग्रहणे कृते तु नैष दोषः, धर्मिणी धर्म्यन्तरनिश्चयाभावादिति भावः। अनाहार्यनिवेशफलमाह—रूपकेति। वित्तिर्ज्ञानम्। 'प्रमात्रन्तरधीः—' इति परकीयलक्षणानुसारमाह—कविभिन्नगत इति चेति। उपमेये उपमानतादात्म्यरूपस्य रूपकस्य ज्ञानमपि भ्रम एव, सोऽपि सादृश्यमूलः चमत्कारी चेति तत्र प्रकृतलक्षणातिप्रसङ्गवारणाय 'आनाहार्यत्व-' निवेशः। तन्निवेशे तु न तत्रातिप्रसङ्गः, तद्ज्ञानस्याहार्यत्वस्य सर्वसम्मतत्वात इति भावः। संशयालङ्कारे भ्रान्तिलक्षणातिप्रसक्ति-

निरासाय निश्चयनिवेशः। चमत्कारीत्यस्य कविप्रतिभोत्थित इत्यर्थः। अभेदेन रजतप्रकारकरङ्गविशेष्यकलौकिकभ्रमवारणाय तन्निवेशः। सादृश्यप्रयोज्यत्वनिवेशफलमाख्यातुमाह—अकरुण इति। नायिकादूतो नायकं प्रत्याह—हे अकरुणहृदय निर्दयचित्त प्रियतम! अहम्, इतः परम् अद्यारभ्य, त्वां, न, मुञ्चामि त्यजामि' इति आलीजनस्य सखीजनस्य, कराम्बुजम् हस्तकमलम्, आदाय गृहीत्वा, विकला वियोगवैकल्यमनुभवन्ती, सा तव प्रेयसी, आलपति वक्तीत्यर्थः। उपपादयति—अत्रेति। उन्मादस्येति। 'विप्रलम्भमहापदादिजन्मा अन्यस्मिन्नन्यावभास उन्मादः' इति मतेनेदम्। 'अकरुण—' इति पद्यात्मिकया नायकं प्रति नायिकासन्देशहरस्योक्त्या नायिकाया उन्मादो व्यज्यते। स चोन्मादोऽन्यस्मिन्नन्यावभास एव। तथा च भ्रमरूप एवासौ सम्पद्यते। तस्मिन् प्रकृतभ्रमालङ्कारलक्षणं मा प्रसाङ्क्षीत् इति भ्रमात्मकनिश्चये सादृश्यप्रयोज्यत्वं निवेश्यते। निवेशिते च तस्मिन् न तत्रातिप्रसङ्गसम्भावना, तस्य (उन्मादस्य) वियोगजन्यतया सादृश्यप्रयोजकत्वाभावात् इति भावः। आशङ्क्य समाधत्ते—न चेत्यादिना। 'अकरुण—' इत्यत्र प्रतीयमान उन्माद एव प्रधानवाक्यार्थः काव्यत्वप्रयोजकः। तथा च तत्र नालङ्कारत्वं सम्भवति अनुपस्कारकत्वात्, अलङ्कारसामान्यलक्षणे उपस्कारकत्वस्य निविष्टत्वात्। एवञ्चालङ्कारसामान्यलक्षणानाक्रान्ततयैवास्योन्मादस्य वारणे सिद्धे विशेषलक्षणे तद्वारकविशेषणं व्यर्थमेवेति शङ्कादलस्य, नोन्मादोऽत्र प्रधानो वाक्यार्थः, अपि तु विप्रलम्भः, तदुपस्कारक एव चोन्माद इति न सामान्यलक्षणानाक्रान्तत्वं तस्य, अतो विशेषलक्षणे तद्वारकविशेषणप्रक्षेप आवश्यक एवेति च समाधानदलस्याशयो बोध्यः। ननु विप्रलम्भजन्यत्वेनोन्मादस्य कथं तदुपस्कारकत्वमत आह—यद्वेति। 'अकरुण—' इति न नायकं प्रति नायिकासन्देशहरस्योक्तिः, अपि तु श्रुतनायिकासन्देशस्य नायकस्य स्वमित्रं प्रतीत्यभिप्रेते पद्यघटकेन 'सा' इत्यनेन पदेन 'मरणम्' सर्वप्रधानतयाऽभिव्यक्तं स्यात्, उन्मादश्च तत्पोषकतया प्रतीतो भवेत्। तथा च तादृशे उन्मादेऽतिव्याप्तिवारणाय सादृश्यप्रयोज्यत्वनिवेश आवश्यक इति भावः। ननु एवमपि उल्लेखालङ्कारे प्रकृतभ्रमलक्षणातिप्रसक्तिर्दुरुद्धरैव, उल्लेखस्यानेकव्यक्तिसमवेतानेकप्रकारकैकविशेष्यकभ्रमसमूहरूपतया प्रकृतलक्षणघटकसकलविशेषणसङ्गमनादिति चेन्न। प्रकृतलक्षणे 'निश्चयः' इत्यत्रैकत्वस्य विवक्षितत्वेन निश्चयसमुदायात्मके उल्लेखे तस्याप्रसक्तेः। तत्रैकत्वस्य विवक्षितत्वादेव तत्रत्यैकवचनस्य सार्थक्यमपि भवति। अन्यथा विशिष्यैकवचनोक्तेर्वैयर्थ्यमेवेति सारांशः।

लक्षण में जोड़े गए भिन्न भिन्न विशेषणों के फल दिखलाए जाते हैं—लक्षणे इत्यादि। लक्षण में दो बार धर्मी' पद के ग्रहण करने का फल यह होता है कि मीलित, सामान्य और तद्गुण अलङ्कारों में 'भ्रान्ति' अलङ्कार का लक्षण अतिप्रसक्त नहीं होता, क्योंकि उन अलङ्कारों में एक धर्मी में अन्य धर्मी का भ्रमात्मक निश्चय नहीं होता, अपितु एक धर्म में दूसरे धर्म का। यदि 'भ्रान्ति-लक्षण' में दो बार धर्मी का ग्रहण नहीं होता तब 'अन्य में अन्य का निश्चय' यही फलित होता और उस स्थिति में उन अलङ्कारों का भी संग्रह होने लगता। रूपक-ज्ञान में प्रकृत लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिये यहाँ 'अनाहार्य (वास्तविक)' अथवा 'कवि से भिन्न में रहने वाला' यह 'निश्चय' का विशेषण दिया गया है। तात्पर्य यह कि उपमेय में उपमान का भ्रमात्मक निश्चय

रूपक में भी रहता है पर वह निश्चय वास्तविक नहीं, कृत्रिम (इच्छाजन्य) रहता है। सन्देह में अतिप्रसङ्गवारणार्थ 'निश्चय' कहा गया है, ज्ञान-सामान्य नहीं। 'यह चाँदी है' इस जगह जो राँगे में चाँदी का ज्ञान होता है–इस भ्रम में अतिव्याप्ति-निराकरणार्थ प्रकृतलक्षण में 'चमत्कारी' पद दिया गया है–जिसका अर्थ है 'कवि की प्रतिभा से सम्पन्न किया हुआ'। राँगे में जो चाँदी का ज्ञान होता है वह लौकिक है, कविप्रतिभा से सम्पन्न नहीं हुआ है, अतः वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होती। "अकरुणहृदय–अर्थात् वह सखी का करकमल पकड़ कर 'हे निर्दय हृदय वाले प्रियतम! मैं (जो छोड़ चुकी सो छोड़ चुकी) अब इसके बाद तुम्हें नहीं छोड़ती—छोड़ ही नहीं सकती।' इस तरह विकल होकर बातें करती रहती है।" नायक के प्रति इस नायिका का सन्देश लाने वाले की उक्ति में जो उन्माद अभिव्यक्त होता है उसमें अतिव्याप्ति न हो इसलिये प्रकृत लक्षण में निश्चय का विशेषण 'सादृश्यप्रयोज्य—सादृश्यज्ञान से सिद्ध होने वाला' कहा गया है। अभिप्राय यह है कि–'वियोग और इसी तरह की अन्य महा विपत्तियों के कारण जो अन्यवस्तु में अन्यवस्तु का ज्ञान होने लगता है' उसीको उन्माद कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त पद्य में जो उन्माद अभिव्यक्त होता है वह भी भ्रमात्मक निश्चय ही है, अतः 'सादृश्य–प्रयोज्य' इस विशेषण के अभाव में प्रकृत लक्षण की उस उन्माद में अतिव्याप्ति हो जाती। उस विशेषण के रहने पर तो यह आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह उन्मादात्मक भ्रम सादृश्यज्ञान के कारण नहीं हुआ रहता, अपितु वियोग से हुआ रहता है। आप कहेंगे—उन्माद का वारण करने के लिये इस विशेष लक्षण में किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह 'उन्माद' यहाँ प्रधान व्यङ्ग्य के रूप में आया है, अतः वह स्वयम् उपस्कार्य है, किसी दूसरे का उपस्कारक नहीं, ऐसी स्थिति में उसका वारण अलङ्कार-सामान्य-लक्षण में जोड़े गए 'उपस्कारकत्व' विशेषण से ही हो जायगा पर यह कथन ठीक नहीं। कारण, यह उन्माद भी अन्ततः अभिव्यक्त होनेवाले 'विप्रलम्भ शृङ्गार' का उपस्कारक है, अतः सामान्य-लक्षण-गत 'उपस्कार-कत्व' विशेषण से उसका वारण नहीं हो सकता। फलतः विशेष लक्षण में उसके वारण के लिये विशेषण का जोड़ा जाना आवश्यक ही है इस पर यदि आप कहें कि—'उन्माद' तो 'विप्रलम्भशृङ्गार' का ही फल है, फिर वह 'उन्माद' अपने जनक-(विप्रलम्भशृङ्गार) का उपस्कारक कैसे हो सकता है? तो मैं भी इस युक्ति को मान लेता हूँ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि विशेष लक्षण में 'सादृश्य प्रयोज्यत्व' के निवेश की आवश्यकता नहीं रही–उसकी आवश्यकता तब भी है। कारण, 'अकरुण-' इस पद्य को यदि सन्देश-वाहक द्वारा नायिका के सन्देश को सुन चुके नायक की अपने मित्र के प्रति उक्ति मानी जाय तब उस पद्य के 'सा' पद से 'मरण' अभिव्यक्त होगा और उस मरण का उपस्कार होगा प्रथम अभिव्यक्त 'उन्माद', जिसमें आपको भी आपत्ति नहीं होगी। अब आप सोचें कि उस स्थिति में उस 'उन्माद' का वारण साधारण विशेषण(उपस्कारकत्व)से होगा? आप भी कहेंगे–नहीं, फिर उसके वारण के लिये विशेष लक्षण में उक्त विशेषण की आवश्यकता है अथवा नहीं यह आप स्वयं समझ सकते हैं। लक्षण में 'निश्चय' का एक होना अभीष्ट है—अर्थात् एक ही लक्षणोक्त-विशेषण-विशिष्ट निश्चय को 'भ्रान्ति' अलङ्कार कहते हैं, भिन्न-भिन्न अनेक तादृश निश्चयों को नहीं। अन्यथा जिन भ्रान्तियों में अनेक ज्ञाता तथा अनेक विशेषण हों और विशेष्य एक हो ऐसी भ्रान्तियों के समूहरूप आगे कहे जाने वाले 'उल्लेखालङ्कार' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। अतएव 'निश्चय' पद में एकवचन लिखना सार्थक है।

भ्रान्त्यलङ्कारोदाहरणं निर्देष्टुमाह—

उदाहरणम्—

निम्ननिर्दिष्टं बोध्यमिति शेषः।

'भ्रान्ति' अलङ्कार का उदाहरण निम्नलिखित पद्य को समझना चाहिए—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कनकद्रवकान्तिकान्तया मिलितं राममुदीक्ष्य कान्तया।
चपलायुतवारिदभ्रमान्ननृते चातकपोतकैर्वने॥'

चातकपोतकैः चातकाख्यपक्षिशिशुभिः, कनकद्रवस्य सुवर्णरसस्य कान्तिरिव या कान्तिः, तया, कान्तया रमणीयया, कान्तया रमण्या, सीतयेति यावत्, मिलितं सङ्गतम्, रामम्, उदीक्ष्य दृष्ट्वा, चपलया विद्युता, युतस्य मिलितस्य, वारिदस्य मेघस्य, भ्रमात्, वने, ननृते नृत्यं चक्रे इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कनक इत्यादि। सुवर्ण के रस की-सी कान्ति से रमणीय रमणी (सीता) से युक्त राम को देखकर, वन में, चातकों के बच्चे, विद्युत् से युक्त मेघ के भ्रम से नाचने लगे।

उपपादयति—

अत्र चातकगतहर्षोपस्कारकतया तद्गता भ्रान्तिरलङ्कारः।

'कनकद्रव—' इति पद्ये 'ननृते'पदेन चातकगतो 'हर्षभावः' व्यज्यते, तं च वाच्या चातकनिष्ठा भ्रान्तिरुपस्करोतीति सा 'भ्रान्ति'रत्रालङ्कार इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'कनकद्रव—' इस पद्य में 'नाचने लगे' इस उक्ति से चातकगत 'हर्षभाव' व्यक्त होता है और उस 'हर्षभाव' को पुष्ट करता है चातकनिष्ठ भ्रम (सीतायुक्त राम में विद्युद्युक्त मेघ का ज्ञान), अतः यह 'भ्रम' अलङ्कार है।

किञ्चिद्व्यत्यासेन प्रोक्तपद्यस्यैव भ्रान्तिध्वनेरुदाहरणत्वं दर्शयति—

यदि 'परिफुल्लपतत्त्रपल्लवैर्मुमुदे चातकपोतकैर्वने' इत्युत्तरार्धं निर्मीयते तदायमेव भ्रान्तिध्वनिः।

परिफुल्लेति। पतत्त्राणि पक्षाणि, पल्लवा इव इति पतत्त्रपल्लवाः, ते परिफुल्लाः विकसिता येषां तादृशैः चातकपोतकैरित्यर्थः। अत्र पाठे भ्रमो न वाच्यः, वाचकविरहात्, अपि तु प्रधानतयाऽभिव्यज्यमानस्य हर्षभावस्य कारणतया तत्पोषको भ्रमोऽपि व्यङ्ग्य एवेति। तादृशपाठविशिष्टमिदं पद्यं भ्रान्त्यलङ्कारध्वनेरुदाहरणमिति भावः।

'भ्रान्तिअलङ्कार-ध्वनि' का उदाहरण दिखलाने के लिये उक्त पद्य में कुछ अंश का परिवर्तन करने की बात कही जाती है—यदि इत्यादि। 'कनकद्रव—' इस पद्य का ही उत्तरार्ध भाग यदि 'परिफुल्ल—अर्थात् पल्लवों के समान विकसित पंखोंवाले चातकों के बच्चे, वन में, नाचने लगे।' इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तब यही पद्य 'भ्रान्ति-ध्वनि' का उदाहरण हो सकता है। अभिप्राय यह है कि–उक्त परिवर्तित पाठ में भ्रान्ति-वाचक कोई शब्द नहीं रह जाता, अतः 'भ्रान्ति' वाच्य नहीं होती, पर प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले 'हर्ष' के कारणरूप में 'भ्रान्ति' व्यङ्ग्य होती है और वह

'भ्रान्ति' हर्ष को उपस्कृत तो करती ही है। फलतः उस परिवर्तित पाठ के अनुसार उक्त पद्य 'भ्रान्ति-अलंकार-ध्वनि' का उदाहरण हो जाता है।

दीक्षितोक्तं लक्षणमनूद्य दूषयति—

यच्चाप्पयदीक्षितैर्लक्षणमुक्तम्—

'कविसम्मतसादृश्याद्विषये पिहितात्मनि।
आरोप्यमाणानुभवो यत्र स भ्रान्तिमान् मतः ॥' इति।

'तत्र कविसम्मतसादृश्यप्रयोज्ये विषये आरोप्यमाणानुभवो यत्र वाक्सन्दर्भे स भ्रान्तिमान्' इति भ्रान्तिमतो लक्षणं विधाय रूपकव्यावृत्त्यर्थं पिहितात्मनीत्युच्यते। न चैतद्युक्तम्। नहि रूपकवाक्ये आरोप्यमाणस्यानुभवो वर्ण्यते, किं तु तस्माज्जायते। न चात्रानुभवान्तं भ्रान्तेर्लक्षणमग्रिमं च भ्रान्तिमतः। तत्र भ्रान्तिलक्षणे रूपकेऽतिव्याप्तेर्वारणाय विषये पिहितात्मनीति विशेषणमिति वाच्यम्। अनुभवत्वघटितस्य भ्रान्तिलक्षणस्यानुभूयमानाभेदात्मके रूपके कथमप्यप्रवृत्तेः। यदि च रूपकपदं रूपकबुद्धिपरमिति ग्रन्थसामञ्जस्यं विधीयते तदापि विषयतावच्छेदकानवगाहिनि 'मरकतमणिमेदिनीधरो वा तरुणतरस्तरेष वा तमालः' इति संशयेऽतिप्रसङ्गात्, 'कमलमिति चञ्चरीकाश्चन्द्र इति चकोरास्त्वन्मुखमनुधावन्ति' इति भ्रान्तिसमुदायात्मन्युल्लेखेऽतिव्याप्तेश्च। अत्र भ्रान्त्या सङ्कीर्ण उल्लेख इति चेत्, नह्येतावतोल्लेखांशातिव्याप्तिर्न दोषः। नहि दुग्धजलभागानां व्यामिश्रतास्तीति दुग्धलक्षणं जलांशातिव्याप्तिकं कर्तुं युक्तम्।

कविसम्मतेति। अस्यार्थोऽनुपदं 'तत्र-'इत्यादिना ग्रन्थकृतैव करिष्यते। सादृश्यप्रयोज्ये विषये इति। सादृश्यमूलकोपमेयभावापन्ने इत्यर्थः। पिहितात्मनीति। निह्नुतस्वरूपे इत्यर्थः। तत्त्वेनागृहीते इति यावत्। उच्यते इति। अत्र 'अयं भावः—तद्विशेषणेनारोप्यमाणानुभवस्य स्वारसिकस्य कविप्रतिभया कल्पनं विवक्षितम्। तस्यैव विषयपिधानसामर्थ्यादिति।' इति नागेशः। खण्डयति—नैतत् इति। तत्र हेतुमाह—नहीति। अयमाशयः—'कविसमयसिद्धसादृश्यद्वारोपमेयत्वमाप्ते वस्तुनि उपमानस्य निश्चयो यस्मिन् वाक्ये वर्णितो भवति तद् वाक्यं भ्रान्तिमत्' इति भ्रान्तिमतो लक्षणं क्रियते दीक्षितेन। एवञ्च तस्मिन्लक्षणे रूपकवारकं 'पिहितात्मनि' इति विशेषणं नोचितम्, रूपकालङ्कारविशिष्टे वाक्ये उपमाननिश्चयस्यावर्णनेन तत्र तद्विशेषणमन्तरापि लक्षणस्याप्रसक्तेः। रूपकवाक्यादुपमानस्य निश्चयो भवतीति तु अन्यत्। नहि उपमानानुभवस्य सम्पत्तिस्तस्य वर्णनमिति व्यपदिश्यते इति। आशयान्तरमुपवर्ण्य तद्विशेषणसार्थक्यं शङ्कते—न चेति। अस्तु नाम भ्रान्तिमतो लक्षणे तस्य विशेषणस्य वैयर्थ्यम्, भ्रान्तिलक्षणे रूपकवारकं तत्सार्थकमिति शङ्कादलाभिप्रायः। तत्रापि तद्व्यर्थमेवेति समाधत्ते—अनुभवत्वेति। निश्चीयमानस्योपमानस्य तादात्म्यं रूपकम् तत्र निश्चयात्मिकाया भ्रान्तेः प्रसक्तिर्नास्त्येवेति तद्वारणप्रयासो व्यर्थ एवेति समाधानदलाभिप्रायः। पुनरर्थान्तरकरणेन तद्विशेषणसार्थक्यं कुरुते—यदि चेति। 'रूपकव्यावृत्त्यर्थम्' इति दीक्षितग्रन्थघटकरूपकपदस्य रूपकज्ञानपरत्वे स्वीकृते रूपकज्ञानेऽतिप्रसङ्गतो भ्रान्तिलक्षणांशस्य प्रवृत्तेर्वारणाय

'पिहितात्मनि' इत्यस्य सार्थक्यं भवतीति भावः। तस्य विशेषणस्य सार्थक्येऽपि लक्षणं दुष्टमेवेत्याह—तदापीति। उक्तविशेषणस्य सार्थक्येऽपि इति तदर्थः। विषयतावच्छेदकेति। उपमेयतावच्छेदकेत्यर्थः। रामत्वेति यावत्। तथा च रामत्वाविषयके इति समुदायार्थः। संशये इति। लक्षणघटकानुभवपदस्य ज्ञानसामान्यार्थकत्वे एष दोषो बोध्यः। ननु तस्य निश्चयपरत्वे नैष दोष इत्यतो दोषान्तरमाह—'कमलमि'ति। अर्थोऽस्य स्फुट एव। भ्रान्तिसमुदायात्मके उल्लेखे भ्रान्तिलक्षणस्यातिप्रसङ्गः, सादृश्यप्रयोज्ये पिहितात्मनि विषये आरोप्यमाणानुभवस्य तत्रापि सत्त्वादिति भावः। दोषाभावमाशङ्क्य पुनर्दोषं द्रढयति—अत्र भ्रान्त्या इति। भ्रान्तिमिश्रिते उल्लेखे भ्रान्तिलक्षणप्रसक्तिरुचितैव, न दोषायेति शङ्काया इदं समाधानम् यत् यथा नियमतो दुग्धे जलभागस्य मिश्रणे सत्यपि दुग्धलक्षणं जलांशव्यावृत्तमेव विधीयते, तथैव उल्लेखस्य भ्रान्तिसङ्कीर्णत्वेऽपि भ्रान्तिलक्षणम् उल्लेखांशव्यावृत्तमेव कर्तुमुचितम्, अन्यथा यथा जलांशातिव्याप्तं दुग्धलक्षणं दुष्टमेवं भ्रान्तिलक्षणमुल्लेखांशातिव्याप्तं दुष्टमेव स्यादिति। अत्र 'अतिव्याप्तेश्च' इति प्रतीकमुपादाय "उल्लेखत्वभ्रान्तित्वयोरत्र सङ्कीर्णत्वम्। बाधकाभावात्। भूतत्वमूर्तत्वयोरिव नरैर्वरगतिप्रदेत्यत्रोल्लेखत्वस्य, कनकद्रवेत्यत्र भ्रान्तित्वस्य सावकाशत्वादिति कश्चित्। वनितेति वदन्त्येतां लोका इति त्वदुदाहृतापह्नुतिसङ्कीर्णोल्लेखे उपमेयतावच्छेदकनिषेधसामानाधिकरण्येनोत्थाप्यापह्नुतिलक्षणातिव्याप्तिस्तवाप्यस्ति। एवं तत्तदलङ्कारसङ्कीर्णे तत्तदलङ्कारलक्षणस्य सा दुर्वारेति चिन्त्यमिदमित्यपरे।" इति नागेशः।

अब अप्पयदीक्षितकृत भ्रान्तिलक्षण का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—यच्च इत्यादि। अप्पयदीक्षित ने 'कविसम्मत—' इत्यादि लक्षण 'भ्रान्तिमान्' का किया है। इस लक्षण में "कवियों के अभिमत सादृश्य द्वारा सिद्ध होनेवाले उपमेय में उपमान का अनुभव जिस वाक्य में वर्णित हो वह वाक्य 'भ्रान्तिमान्' है।" इस तरह 'भ्रान्तिमान्' का लक्षण बनाकर रूपक में अतिव्याप्तिवारणार्थ उपमेय का 'पिहितात्मनि (जिसका स्वरूप छिपा दिया गया हो)' यह विशेषण दिया गया है। इस विशेषण से यह अभिप्राय प्रकट होता है कि उक्त अनुभव कविप्रतिभोत्थित होना चाहिए, क्योंकि वैसा न होने पर उसके द्वारा उपमेय का छिपाना नहीं बन सकता—अर्थात् उपमेय को उपमान समझना (भ्रम) नहीं हो सकता। पर दीक्षितजी का उक्त लक्षण ठीक नहीं है। कारण, आपका लक्षण 'भ्रान्तिमान् (भ्रान्तियुक्त वाक्य)' का है, अतः उसकी अतिव्याप्ति रूपक के वाक्य में हो सकती है, रूपक में नहीं, फिर जो आपने "रूपकवारणार्थ इस लक्षण में 'पिहितात्मनि' विशेषण लगाया गया है" ऐसा लिखा वह असङ्गत हो जाता है। यदि आप कहें कि 'भ्रान्ति' तथा 'भ्रान्तिमान्' दोनों का लक्षण किया गया है—'अनुभव' पर्यन्त का भाग 'भ्रान्ति' का लक्षण है और अग्रिम भाग 'भ्रान्तिमान्' का। उनमें से 'भ्रान्ति' लक्षण में 'पिहितात्मनि' यह उपमेय का विशेषण दिया गया है और वह इसलिए दिया गया है कि रूपक में भ्रान्तिलक्षण का अतिप्रसङ्ग न हो, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि भ्रान्ति का लक्षण है 'अनुभव'। अब आप सोचें कि अनुभवरूप भ्रान्तिलक्षण का अनुभव में आनेवाले अभेदरूप रूपक में अतिप्रसङ्ग होता ही कहाँ है जिसके वारणार्थ आप विशेषण जोड़ रहे हैं। तात्पर्य यह कि भ्रान्ति अनुभव का नाम है और रूपक है अनुभव में आनेवाले अभेद का नाम, फिर इन भिन्न पदार्थों

में किसी एक का दूसरे में अतिप्रसङ्ग कैसे हो सकता है ? अब यदि आप 'रूपकव्या-वृत्त्यर्थम्' में 'रूपक' पद का 'रूपक का ज्ञान' अर्थ करके ग्रन्थ को सङ्गत बनाना चाहें अर्थात् रूपक का ज्ञान अनुभवरूप हो जाता है, अतः उसमें अतिव्याप्तिवारणार्थ भ्रान्तिलक्षण में उक्त विशेषण दिया गया है (उस विशेषण से उक्त अतिव्याप्ति इसलिये वारित हो जाती है कि रूपक अथवा उसके ज्ञान में उपमेय पिहितात्मा—छिपे रूप वाला नहीं रहता, अपितु प्रकट रूपवाला ही रहता है) तो बना लें उस ग्रन्थ को सङ्गत, पर इतने पर भी उक्त लक्षण निर्दिष्ट नहीं होगा, क्योंकि यदि उस लक्षण में अनुभव का अर्थ ज्ञानसामान्य किया जाय तब 'मरकतमणि—' इस पूर्वोक्त सन्देह—जहाँ उपमेयतावच्छेदक अर्थात् रामत्व का अवगाहन नहीं हुआ है, तात्पर्य यह कि जहाँ रामरूप उपमेय छिपा ही हुआ है—में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जायगी, यदि अनुभव का अर्थ निश्चय किया जाय तब भी 'कमलमिति चञ्चरीकाः—अर्थात् तेरे मुख को भ्रमर कमल और चकोर चन्द्रमा समझकर पीछे-पीछे दौड़ते हैं' इस भ्रान्तियों के समूहरूप उल्लेखालङ्कार में उक्त भ्रान्ति-लक्षण की अतिव्याप्ति रहेगी ही। यदि आप कहें कि यह उल्लेख है भ्रान्ति से मिश्रित, अतः उसमें यदि भ्रान्ति का लक्षण सङ्कटित हो जाता है तो वह होना ही चाहिए यह कोई दोष (अतिव्याप्ति) नहीं, तो यह भी समुचित नहीं हो सकता। कारण, दूध जलभाग से नियमतः मिश्रित रहता है, अतः दूध का लक्षण ऐसा नहीं बनाया जाता जिसकी जलभाग में अतिव्याप्ति हो जाय। फलतः दीक्षितजी के लक्षण को असङ्गत ही कहा जायगा।

दीक्षितोद्धृतं भ्रान्तिविशेषोदाहरणमनूद्यालोचयति—

यच्चापि भिन्नकर्तृकोत्तरोत्तरभ्रान्तावुदाहृतम्—

'शिञ्जानैर्मञ्जरीति स्तनकलशयुगं चुम्बितं चञ्चरीकै-
स्तत्रासोल्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदष्टाः।
तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिता काकलोकै-
रित्थं चोलेन्द्रसिंह त्वदरिमृगदृशां नाप्यरण्यं शरण्यम् ॥' इति।

तत्र विचार्यते—स्तनकलशयुगे हि न तावन्मञ्जरीसादृश्यं कविसमयसिद्धम्, येन तन्मूला चञ्चरीकाणां भ्रान्तिरुपनिबध्येत। दोषान्तरमूला तु सा नालङ्कार इत्यनुपदमेव निरूपितम्। अपि च धर्मिणि कलशरूपकानुवादेन मञ्जरीभ्रान्ति-रूपमलङ्कारान्तरमुपनिबध्यमानमुद्वेजकमेव सहृदयानाम्। नहि सादृश्यमूलैका-लङ्कारावच्छिन्ने सादृश्यमूलालङ्कारान्तरं शोभते। यथा 'मुखकमलं तव चन्द्रवत् प्रतीमः' इति प्रागेव निवेदनात्। प्रत्युत कलशरूपकेण मञ्जरीसादृश्यतिरस्का-राच्च। 'तत्रासोल्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदष्टाः' इत्यत्र विधेया विमर्शाद्विधेयान्तरमाकाङ्क्षितम्। कीरैर्दष्टा इति तु भाव्यम्। जाता इत्यध्याहा-रेऽपि विवक्षितस्याविधेयत्वमविवक्षितस्य च विधेयत्वं प्रसज्येत। एवं 'तल्लोपा-यालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकैः' इत्यत्र न तावत्पिकनिनदास्ता-डनयोग्याः काकानाम्, येन तद्धिया आलपन्त्यस्तैस्ताड्येरन्। नापि पिकनिनद-भ्रम आलपन्तीषु सम्भवति। सम्भवन्वा न सादृश्यमूलः। पिकनिकरधियेति तु भाव्यम्। अथ तदालापेषु पिकनिनदबुद्धेरपि तासु पिकबुद्ध्युत्पादनद्वारा

सम्भवत्येव ताडनोपयोग इति प्रयोज्यत्वार्थकतृतीयया पिकनिनदधीप्रयोज्यकाककर्तृकताडनकर्मत्वमालपन्तीनां सुप्रतिपादमेवेति चेत्, नैवम्। तथा प्रतीतेरसिद्धेः। 'चौरबुद्ध्या हतः साधुः' इत्यादौ चौरबुद्धिहननयोः सामानाधिकरण्येन हेतुहेतुमद्भावगमकत्वव्युत्पत्तेः। एवं 'दन्तिबुद्ध्या हतः शूरैर्वराहो वनगोचरः' इत्यत्रापि विशेष्यतया वराहवृत्तेर्दन्तिबुद्धेर्वराहवृत्तिहेतुभावागमः। त्वदुक्तरीत्या दन्तबुद्ध्येति कृते बोधकदर्थनैव। किं च पिकानां हि कूजितादिशब्दैरेव शब्दो वर्ण्यते, न तु निनदादिशब्दैः सिंहदुन्दुभ्यादिशब्दप्रयोगयोग्यैः। तथा प्रथमद्वितीयचरणस्थयोः स्तनपाण्योर्यथाकथञ्चित् व्यवहितमपि जातान्वयमपि त्वदरिमृगदृशामिति षष्ठ्यन्तमन्वेतुं शक्नुयात्, न तु तृतीयचरणस्थे आलपन्त्य इत्यस्मिन् विशेषणे विशेष्यभावेनेति तासां ताटस्थ्यमेव स्यात्। विभक्तिविपरिणतावपि प्रक्रमभङ्गासंष्ठुलत्वाभ्यां स्थितमेवेति पद्यमव्युत्पन्ननिर्मितमेव। दीक्षितैस्तु भ्रान्त्यलङ्कारांशमात्रमादायोदाहृतमिति दिक्।

भिन्नकर्तृकेति। भिन्नः कर्ता यस्यां तादृशी या उत्तरोत्तरभ्रान्तिस्तस्यामित्यर्थः। विविधव्यक्तिसमवेतायां पूर्वपूर्वभ्रान्तिप्रयुक्ताग्रिमाग्रिमभ्रान्ताविति यावत्। शिञ्जानैरिति। हे चोलेन्द्रसिंह चोलदेशनरेशमुख्य! त्वदरिमृगदृशां भवदीयशत्रुरमणीनाम्, त्वद्भयेन पलाय्य वनं श्रितैः शत्रुभिः सह गतानामिति यावत्, अरण्यं वनम्, अपि, शरण्यं शरणदायकम्, नाभूत्। यतः, तत्र, शिञ्जानैर्गुञ्जद्भिः, चञ्चरीकैः भ्रमरैः, मञ्जरीतिबुद्ध्या, तासाम्, स्तनकलशम्, चुम्बितम्, तत्रासोल्लासलीलाः भ्रमरभयजननजातचेष्टाः, तासां, पाणयः, किसलयमनसा किसलया इमे इति चेतसा, कीरदष्टाः शुकैर्दष्टाः तथा तल्लोपाय कीरदूरीकरणाय, आलपन्त्यः, वदन्त्यस्ताः, काकलोकैः काकैः, पिकनिनदधिया कोकिलकूजनबुद्ध्या, ताडिता आहताः इत्यर्थः। अत्र स्तने मञ्जरीभ्रमो भ्रमरसमवेतः, तद्भ्रमोपद्रवशमनप्रयासहेतुकः पाणिषु किसलयभ्रमः कीरसमवेतः, तद्भ्रमजनितोपद्रवदूरीकरणप्रयत्नमूलकः मृगाक्षीषु पिकनिनदभ्रमः काकसमवेत इति भवतीदं पद्यम् अनेककर्तृकोत्तरोत्तरभ्रान्तेरुदाहरणमिति भावः। पद्यमिदमालोचयितुमुपक्रमते—तत्र विचार्यते इति। ननु यथाकथंचित् सादृश्यमप्यस्तीत्यत आह—अपि चेति। धर्मिणि स्तनरूपे। अलङ्कारावच्छिन्ने अलङ्कारविशिष्टे। मुखकमलमिति रूपकम्। अभ्युपेत्याह—प्रत्युतेति। 'शिञ्जानैः—' इति श्लोके वर्णितस्य स्तनकलशाधिकरणकस्य मञ्जरीभ्रमस्यालङ्कारत्वं नोपपद्यते, दोषान्तरमूलकस्य भ्रमस्यालङ्कारत्वानङ्गीकारात्। ननु सादृश्यमूलक एव स्तनकलशे मञ्जरीभ्रम इति चेन्न, स्तने मञ्जरीसादृश्यस्य कविसमयासिद्धतया तन्मूलकस्य तत्र तद्भ्रमस्यासम्भवात्। ननु स्तने यत्किञ्चित् मञ्जरीसादृश्यमस्त्येव, कविसमयसिद्धत्वं तस्याकिञ्चित्करमेवेति चेत्? तथास्तु। परन्तु न तावतापि प्रकृते सामञ्जस्यम्, अधिकरणे स्तने कलशारोपरूपे रूपके जाते तदनुवादेन मञ्जरीभ्रमरूपालङ्कारान्तरोपनिबन्धस्य सहृदयोद्वेजकत्वात्। 'मुखकमलं तव चन्द्रवत् प्रतीमः' इत्यत्र मुखगतकमलरूपकमनूद्य चन्द्रोपमेव सादृश्यमूलकैकालङ्कारविशिष्टे सादृश्यमूलकमेवालङ्कारान्तरं न शोभत इति तस्य सहृदयोद्वेजकत्वं बोध्यम्। तुष्यद्दुर्जनन्यायेन स्वीकृतेऽपि तादृशालङ्कारान्तरस्य सहृद-

यानुद्वेजकत्वे प्रकृते न गतिः स्तने कलशरूपणेन वस्तुतो मञ्जरीसादृश्यस्य तिरस्कृततयाऽनुदयादिति भावः, एवमाद्ये दोषमुक्त्वा द्वितीये दोषमाह—तत्रासोल्लासेति। विधेयाविमर्शादिति। विधेयस्याकथनादित्यर्थः। उद्देश्यकोटिप्रविष्टं सर्वमिति भावः। अत्र—'पाणीनुद्दिश्य विशिष्टस्य कीरकर्तृकदष्टत्वस्य विधेयत्वे को दोष इति चिन्त्यमिदम्' इति नागेशः। अदोषप्रकारमाह—कीरैर्दष्टा इति। अध्याहारेण विधेयपूर्तौ दोषमाह—जाता इत्यध्याहारे इति। विवक्षितस्येति। दष्टत्वस्येत्यर्थः। अविवक्षितस्येति। जातत्वस्येत्यर्थः। द्वितीयचरणे पाणीनुद्दिश्य दष्टत्वस्य विधेयत्वं विवक्षितं वक्तुः, परन्तु दष्टत्वबोधकपदस्य समासघटकतया न तस्य विधेयतयाऽवगमः, अतोऽपरं किञ्चिद् विधेयमिहाकाङ्क्षितं भवति। 'कीरैर्दष्टाः' इत्येवमसमस्तपदविन्यासे वक्तुरभिमतं सेद्धुमर्हति। ननु 'जाताः' इत्यस्याध्याहारेण विधेयकाङ्क्षाशान्तिः सम्भवतीति चेत्, सत्यम्, किन्तु विधेयाकाङ्क्षाशान्तावपि वक्तुरभिप्रेतस्यासिद्धिरेव, यतो दष्टत्वस्य विधेयत्वमभिप्रेतं वक्तुः। तथाकरणे तु न तस्य विधेयत्वमपि तु जातत्वस्येति दुष्टमेवास्य पद्यस्य द्वितीयं चरणमिति भावः। तृतीये तमाह—एवमिति। तावत् आदौ। दोषमूलः सम्भवतीत्याह—सम्भवन्वेति। अदोषप्रकारमाह—पिकनिकरेति। तृतीयचरणे पिकनिनदधीहेतुककाककर्तृकताडनकर्मत्वमालपन्तीनामुपवर्णितम्, तच्च न युक्तम्, पिकनिनदस्यैव काककर्तृकताडनायोग्यतया तद्धीहेतुकान्यताडनस्य काककर्तृकस्य सुतरामयोग्यत्वेनासम्भवात्। किञ्च तृतीयचरणगतपदस्वारस्येन आलपन्तीषु काकानां पिकनिनदभ्रमो यत् प्रतीयते तदपि न सङ्गतम्, द्रव्यात्मकव्यक्तौ गुणात्मकनिनदभ्रमस्य सादृश्यमूलकस्यासम्भवात्, द्रव्यगुणयोः कविसंमतसादृश्यविरहात, दोषान्तरमूलकस्य तादृशभ्रमस्य सम्भवेऽपि अलङ्कारत्वायोगात्। 'पिकनिकरधिया' इति पाठश्चेदभविष्यत्, तदा निर्दोषताऽसेत्स्यत्, यतस्तुल्यमाधुर्ययुक्तशब्दवत्त्वात्मकसादृश्यमूलकः आलपन्तीषु पिकनिकरभ्रमः सम्भवति, तथा काकताडनयोग्यपिकनिकरधीहेतुककाककर्तृकताडनकर्मत्वमपि तासु सुसङ्गतमिति भावः। यथास्थितपाठेऽपि दोषराहित्यमाशङ्क्य समाधत्ते—अथेत्यादिना। तदालापेषु इति। आलपन्तीनां मृगदृशामालापेष्वित्यर्थः। तृतीययेति। पिकनिनदधीपदोत्तरयेत्यर्थः। तथाप्रतीतेरिति। 'पिकनिनदधीप्रयोज्यकाककर्तृकताडनकर्मीभूता आलपन्त्यः' इति प्रतीतेरित्यर्थः। तथाप्रतीतेरसिद्धौ हेतुमुपदर्शयति—चौरबुद्धयेति। सामानाधिकरण्येनेति। विशेष्यतासम्बन्धेन यत्र (साधौ) चौरबुद्धिः तत्र कर्मतासम्बन्धेन हननं इत्याकारकेणेत्यर्थः। तादृशं स्थलान्तरमाह—एवं 'दन्तिबुद्धये'ति। वीरैः वने दृष्टिपथमुपेतो वराहो गजभ्रमेण हत इति तदर्थः। दन्तबुद्धयेतिकृते इति। अत्र यद्यपि मूले 'दन्तिबुद्धया' इत्येव पाठः प्राप्तपुस्तके दृष्टः, तथापि नासौ सङ्गत इति मूलोक्तः पाठान्तरः कल्पितः। नायिकालापेषु सादृश्यमूलकः पिकनिनदभ्रमः सम्भवति, स च भ्रमो नायिकासु सादृश्यमूलकं पिकभ्रममुत्पादयितुं क्षमते। तथा च नायिकालापविशेष्यकपिकनिनदभ्रमोऽपि परम्परया काककर्तृकनायिकाकर्मकताडने उपयुज्यत एवेति 'पिकनिनदधिया' इत्यत्र तृतीयाविभक्तेः प्रयोज्यत्वमर्थमास्थाय 'पिकनिनदधीप्रयोज्य—' इति प्रागुक्तबोधे क्रियमाणे नासङ्गतिः काचित्—इति शङ्कादलस्याभिप्रायः, 'चौरबुद्धया—' इत्यत्र 'दन्तिबुद्धया—' इत्यत्र च सामानाधिकरण्येन चौरभ्रमहननयोः दन्ति-

भ्रमहननयोश्च हेतुहेतुमद्भावस्यानुभवसिद्धतया 'पिकनिनदधिया' इत्यत्रत्यतृतीयायाः प्रयोज्यत्वार्थकत्वासम्भवे प्रागुक्तो बोधो न सेद्धुं प्रभवतीति च समाधानदलस्याभिप्रायो बोध्यः। दोषान्तरमपि दर्शयति—किं चेति। शब्दप्रयोगयोग्यैरिति। शब्दे प्रयोगयोग्यैरित्यर्थः। 'पक्षिषु कूजितप्रायम्' इति कविसमयानुसारं पिकानां शब्दः कूजितादिशब्दैरेव वर्णयितुमुचितः, न तु निनदादिशब्दैः, निनदादिशब्दानां सिंहदुन्दुभ्यादीनां शब्देष्वेव प्रयोगस्य कविसमयसिद्धत्वादिति भावः। अपरामप्यनुपपत्तिमुद्घाटयति—तथेति। स्वारसिकयोरासत्त्याकङ्क्षयोरभावादाह—यथाकथञ्चिदिति। जातान्वयेति। नाप्यरण्यं शरण्यमिति संनिहितेनेति भावः। न त्विति। विभिन्नविभक्तिकत्वात्स्वस्मिन् स्वभेदाभावाच्चेति भावः। ननु विभक्तिविपरिणामेनाभेदान्वयः सुलभोऽत आह—विभक्तीति। नन्वेवं दीक्षितैः कथमुदाहरणत्वेनोद्धृतं पद्यमेतदित्यत आह—दीक्षितैरिति। अन्वयबोधं प्रति आसत्त्याकाङ्क्षयोः कारणत्वं सर्ववादिसिद्धम्, तथा च प्रकृतपद्यीयचतुर्थचरणघटकस्य 'मृगदशाम्' इति षष्ठ्यन्तपदस्यार्थः आसन्नेन साकाङ्क्षेन च 'नाप्यरण्यं शरण्यम्' इत्यस्यार्थेन सहैवान्वेतुं यद्यपि योग्यः, तथापि तुष्यद्दुर्जनन्यायेन अस्वारसिक्यावपि आसत्त्याकाङ्क्षे कल्पयित्वा उक्तषष्ठ्यान्तार्थस्य प्रथमद्वितीयचरणघटकस्तनपाणिपदार्थाभ्यां सहान्वयः कथञ्चिदुपपादयितुं शक्यः। किन्तु तृतीयचरणस्थभिन्नविभक्तिकपदबोध्यालपन्नायिकात्मके विशेषणे विशेष्यतयोक्तषष्ठ्यन्तपदार्थान्वयः कथमपि नोपपादयितुं शक्यः। अभिमतस्तु तदन्वयोऽपि वक्तुरिति 'अभवन्मतसम्बन्धः' अपि महादोषोऽस्मिन् पद्ये। विभक्तिविपरिणामेनान्वयमुपपाद्य तद्दोषनिरासेऽपि भग्नप्रक्रमताऽसंष्ठुलताभ्यां दोषाभ्यामक्रान्तमेव पद्यमेतत् इति भावः। इत्थञ्चाव्युत्पन्नकविरचितमिदं पद्यं दीक्षितेन परमव्युत्पन्नेन स्वग्रन्थे नोद्धर्तुमुचितम् इति सारांशः।

भ्रान्ति-विशेष के उदाहरण देने के क्रम में दीक्षित द्वारा उद्धृत एक ही पद्य की आलोचना की जाती है—यच्चापि इत्यादि। और जो दीक्षितजी ने भिन्न-भिन्न व्यक्ति को एक के बाद दूसरा इस क्रम से होनेवाले भिन्न-भिन्न तरह के उदाहरण में 'शिञ्जानैः—अर्थात् गूँजते हुए भ्रमरों ने मञ्जरी समझकर कलशरूप स्तनयुगल को चूम लिया। भ्रमरों के भय से नाना तरह की चेष्टाओं को करनेवाले हाथों को शुकों ने पल्लव समझकर काट खाया। शुकों को हटाने के लिये बोलती हुई रमणियों को कोयलों के शब्द समझकर कौओं ने ताड़न करना शुरू किया। चोलनरेशों में सिंह! तेरे शत्रुओं की मृगाक्षी नायिकाओं को वन में भी शरण नहीं मिल सकी।' यह पद्य उद्धृत किया है उस पर विचार किया जाता है। प्रथम तो कलशरूप स्तनयुगल में मञ्जरी का सादृश्य कवि-सम्प्रदाय-सिद्ध नहीं है कि उसको मूल बनाकर भ्रमरों के भ्रम का वर्णन किया जाय। और यदि किसी अन्य (सादृश्य से भिन्न) के कारण भ्रमरों को कलशरूप स्तनयुगल में मञ्जरी का भ्रम हुआ हो तो वैसा भ्रम अलङ्काररूप नहीं होता-यह बात अभी थोड़े ही पहले निरूपित हो चुकी है। यदि आप कहें कि स्तनयुगल में मञ्जरी का कुछ न कुछ सादृश्य हो ही सकता है, रही बात उसके कविसम्प्रदायसिद्ध न होने की, सो यह कुछ नहीं, तो मैं भी आपकी बात मान लेता हूँ, पर तब भी कलशरूप स्तनयुगल में मञ्जरी-भ्रम की उक्ति उचित नहीं, क्योंकि स्तनरूप धर्मी में कलश के रूपक का अनुवाद करके मञ्जरीभ्रमरूप अन्य अलङ्कार की कल्पना सहृदयों को उद्विग्न ही बनाती है। उद्विग्न बनावे भी क्यों नहीं, कारण, सादृश्यमूल एक अलङ्कारवाले पदार्थ में सादृश्यमूलक ही

दूसरा अलङ्कार शोभित नहीं होता, जैसे कि 'तेरे मुख-कमल को हम चन्द्र-सा समझते हैं' इत्यादि में। तात्पर्य यह कि जैसे मुख में कमलरूपक हो जाने के बाद उसी में चन्द्रोपमा नहीं सुन्दर प्रतीत होती, उसी तरह प्रकृत में स्तन में कलशरूपक हो जाने के बाद उसी में मञ्जरीभ्रम नहीं अच्छा लगता है। प्रत्युत कलशरूपक द्वारा मञ्जरीसादृश्य का तिरस्कार हो जाता है अर्थात् स्तन को कलश के समान मान लेने पर मञ्जरी के समान मानना बनता नहीं है। यह तो हुई प्रथम चरण की बात। अब द्वितीय चरण को लीजिए। द्वितीय चरण के कीरदष्टाः' पद में 'विधेयाविमर्श' दोष है—अर्थात् हाथों को उद्देश्य बनाकर 'दष्टता' का विधान करना कवि का अभीष्ट है, पर 'दष्टता' बोधक 'दष्टाः' पद 'कीर' पद के साथ समस्त कर दिया गया है जिससे 'दष्टता' का विधेय होना अवगत नहीं हो पाता क्योंकि स्वतन्त्र पदार्थ का ही विधेयभाव अवगत होता है यह एक स्वाभाविक नियम है, अतः यहाँ किसी दूसरे विधेय की आकांक्षा बनी ही रहती है। वस्तुतः यहाँ 'कीरैर्दष्टा;' ऐसा असमस्त ही होना चाहिए था। यदि 'कीरदष्टाः' के साथ 'जाताः' पद का अध्याहार करके विधेयपूर्ति की चेष्टा की जाय तब 'विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्' हो जायगा—अर्थात् जिस 'दष्टता' का विधान करना चाहते थे वह विधेय नहीं होगा और जिसका विधान नहीं करना चाहते थे वह 'जाताः' पद का अर्थ विधेय हो जायगा।। इसी प्रकार तृतीय चरण में—प्रथम तो कोकिलों के शब्द ही कौओं के ताड़न करने योग्य नहीं—क्या कोई शब्दों की ताड़ना कर सकता है? नहीं, फिर उनके भ्रम से दूसरों की (बोलनेवालियों की) ताड़ना कसे की जा सकती है? और बोलनेवालियों में कोकिलों के शब्दों का भ्रम हो भी नहीं सकता। अभिप्राय यह कि द्रव्य (बोलनेवाली नायिकाओं) में गुण (शब्दों) का भ्रम सादृश्यमूलक नहीं सम्भव है और अन्यदोषमूलक भ्रम सम्भव होकर भी अलङ्काररूप ही नहीं माना जाता है। वस्तुतः यहाँ 'पिकनिकरधिया (कोकिलों का समूह समझकर)' पाठ होना चाहिए। इस पाठ में सब बातें ठीक हो जाती हैं अर्थात् बोलनेवालियों में समानशब्द माधुर्यरूप सादृश्यमूलक कोकिलसमूह का भ्रम भी हो सकता है और कोकिलसमूह के कौओं द्वारा ताड़न योग्य होने से कोकिलसमूहभ्रम के कारण बोलनेवालियों का कौओं द्वारा ताड़न भी हो सकता है। आप कहेंगे—नायिकाओं की वाणियों में कोकिलों के शब्दों का भ्रम सादृश्यमूलक होगा और वह भ्रम नायिकाओं में कोकिलों के भ्रम को उत्पन्न करेगा, इस तरह से नायिकाओं की वाणियों में होनेवाले कोकिलाशब्दभ्रम का भी परम्परया उपयोग काक द्वारा नायिकाओं के ताड़न में हो सकता है, अतः 'पिकनिनदधिया' पद में आई हुई तृतीया विभक्ति का 'प्रयोज्यता (सिद्ध होने योग्य होना)' अर्थ मानकर उस वाक्य का 'कोकिलों के शब्दों का भ्रम जिसका परम्परया साधक है ऐसी कौओं द्वारा की जानेवाली ताड़ना का कर्म बोलने वाली' यह अर्थ सहज में ही प्रतिपादित हो सकता है, अतः कोई गड़बड़ी इस चरण में नहीं है। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी प्रतीति सिद्ध नहीं हो सकती अर्थात् उक्त प्रकार से उस वाक्य का अर्थ नहीं किया जा सकता। कारण, 'चोर के भ्रम से साधु मार डाला गया' इत्यादि स्थलों में चौरभ्रम तथा हनन में सामानाधिकरण्येन अर्थात साक्षात् ही कारण-कार्यभाव का अवगत होना नियमसिद्ध है। इसी तरह 'वीरों ने सूकर को हाथी के भ्रम से वन में मार डाला' इस वाक्य में भी विशेष्यतासम्बन्ध से सूकर में रहनेवाले हाथीभ्रम का सूकर में कर्मतासम्बन्ध से रहनेवाले हनन के प्रति हेतु होना अवगत होता है। आपके हिसाब से यदि 'हाथी के भ्रम से' की जगह 'हाथीदाँत के भ्रम से' कह दिया जाय तब तो बेचारे बोध की मिट्टी पलीद होगी-अर्थात् 'हाथीदाँत के भ्रम से वीरों ने सूकर को

मारा' ऐसा ही वाक्य रक्खा जाय और उसकी व्याख्या यों की जाय कि सूकर के दाँत में हाथीदाँत का भ्रम सूकर में हाथी के भ्रम को उत्पन्न करेगा, अतः सूकर के दाँत में हाथीदाँत का भ्रम भी सूकर के हनन में परम्परया उपयोगी होता ही है, फिर 'प्रयोज्यत्व' 'दन्तबुद्ध्या पदगत तृतीया का अर्थ मानकर उक्त रीति से अर्थबोध किया जाय तो वह अर्थबोध क्या होगा? अर्थबोध का उपहासमात्र होगा। सारांश यह कि जब 'चौरबुद्ध्या' 'दन्तिबुद्ध्या' इत्यादि स्थलों में चौरबुद्धि (चौरभ्रम) और हनन में एवं दन्ति-बुद्धि और हनन में साक्षात् ही कारण-कार्यभाव अनुभवसिद्ध है अर्थात् हननरूप कार्यके प्रति चौरभ्रम तथा दन्तिभ्रम का साक्षात् कारण होना ही विदित होता है तब 'पिकनिनदधिया' में भी ताडन के प्रति पिकनिनदभ्रम का साक्षात् कारण होना ही समझा जायगा और जब साक्षात् कार्यकारणभाव ही इन सब जगहों में होगा तब 'प्रयोज्यत्व' तृतीया का अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह परम्परया साधक होनेवाली स्थिति में माना जाता है। फलतः ऐसी जगहों में 'हेतुता' ही तृतीया का अर्थ माना जायगा और उस अर्थ के अनुसार प्रकृत में वाक्यार्थ बैठ नहीं सकता, क्योंकि पिकनिनदबुद्धि काक द्वारा नायिकाताडनरूप कार्य के प्रति हेतु (साक्षात् कारण) होती नहीं, आप शङ्का करेंगे—उन्हीं दो पदार्थों में कार्य-कारणभाव होता है जो किसी एक अधिकरण में रहते हों, जैसे घट के प्रति दण्ड इसलिये कारण होता है कि वे दोनों ही कपाल (घड़े के दो टुकड़ों) में रहते हैं अर्थात् घट समवायसंबन्ध से और दण्ड संयोगसंबन्ध से कपालरूप एक अधिकरण में रहते हैं, फिर यहाँ जो चौरभ्रम को कारण और हनन को कार्य बतलाते हैं वह कैसे? क्योंकि भ्रम समवायसंबन्ध से आत्मा में और हनन (क्रिया) कर्मतासंबन्ध से साधु आदि में रहनेवाले हैं, तो इसका समाधान आपको यह समझना चाहिए कि जिस साधु आदि में 'कर्मता' संबन्ध से हनन रहता है उन साधु आदि में ही 'विशेष्यता'संबन्ध से उक्त भ्रम भी रहता है अतः उक्त कार्य-कारणभाव के होने में किसी तरह की बाधा नहीं। इसके अतिरिक्त इस पद्य में और भी दोष है, जैसे—कोकिल आदि पक्षिजातीय प्राणियों के शब्द 'कूजित' आदि शब्दों से ही वर्णित होते हैं, न कि 'निनद' आदि शब्दों से, क्योंकि वे शब्द सिंह, नगाड़े आदि के शब्दों में ही प्रयुक्त होने योग्य हैं। अतः 'पिकनिनद' में 'ख्यातिविरुद्धता' दोष है। इसी तरह प्रथम तथा द्वितीय चरण में आये 'स्तनों' और 'हाथों' के साथ किसी तरह, दूर होने पर भी तथा दूसरे शब्द (शरण्यम्) के अर्थ के साथ अन्वित हो चुकने पर भी चतुर्थ चरण के 'मृगदृशाम्' इस षष्ठ्यन्त पद का अर्थ अन्वित हो सकता है, ['किसी तरह' कहने का अभिप्राय यह है कि वस्तुतः ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्वयबोध के प्रति आसत्ति (सान्निध्य) और आकांक्षा का ज्ञान कारण होता है और यहाँ 'मृगदृशाम्' के अर्थ की आसत्ति और आकांक्षा 'शरण्यम्' पदार्थ के साथ ही है, तथापि अन्वय द्वारा स्तनों और हाथों के साथ भी उन दोनों के ज्ञानरूप कारण की कल्पना कर ली जा सकती है] पर तृतीय चरण में आये 'आलपन्त्यः' इस प्रथमान्त विशेषणपदार्थ के साथ विशेष्यरूप से उस षष्ठ्यन्त पद के अर्थ का अन्वय किसी तरह नहीं हो सकता। अतः इस विशेषण के साथ 'मृगाक्षियों' की तटस्थता ही हो जाती है—वह उनके साथ किसी तरह नहीं जुड़ सकता। और उसके साथ भी उसका जुड़ना कवि को इष्ट था। फलतः यहाँ 'अभवन्मतसम्बन्ध' दोष है। इतने पर भी यदि आप विभक्ति बदलकर अन्वय कर भी दें, तथापि 'भग्नप्रक्रमता' (दो चरणों में 'मृगदृशाम्' षष्ठ्यन्त होना और एक में प्रथमान्त होना) एवं 'असंष्ठुलता' (ऊबड़खाबड़पन) ये दोष रह ही जाते हैं। अतः यह पद्य किसी अव्युत्पन्न जन का ही बनाया हुआ है।

दीक्षितजी ने 'भ्रान्तिअलङ्कारांश' मात्र को लेकर इस पद्य को उदाहरणरूप से अपने ग्रन्थ में उद्धृत कर दिया है।

सर्वस्वकारोक्तं लक्षणं परीक्षते—

यत्त्वलङ्कारसर्वस्वकृता लक्षितम्, 'सादृश्याद्वस्त्वन्तरप्रतीतिर्भ्रान्तिमान्' इति तन्न। प्रागुक्ते संशयालङ्कारे वक्ष्यमाणायामुत्प्रेक्षायां चातिप्रसङ्गात्। प्रतीतिपदस्य निश्चयपरत्वे रूपकवित्तावतिप्रसङ्गात्। विषयतावच्छेदकानवगाहित्वेन निश्चयो विशेषणीय इति चेत्, विशेष्यताम्। तथाप्यतिशयोक्तिवित्तावतिप्रसक्तिरवारितैव। अनाहार्यत्वेन निश्चयविशेषणत्वे पुनरस्मदुक्त एव पर्यवसितिः, मतुबर्थासङ्गतिश्च।

'सादृश्याद्धेतोर्वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरस्य प्रतीतिर्भ्रान्तिमान्' इत्यर्थकं मूलोक्तं सर्वस्वकारकृतं लक्षणं न सम्यक्, तत्रत्यप्रतीतिपदस्य ज्ञानसामान्यार्थकत्वे संशयालङ्कारे उत्प्रेक्षालङ्कारे चातिव्याप्तेः, तत्रापि सादृश्यमूलिकाया वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरस्य प्रतीतेः सत्त्वात्, तत्रत्यप्रतीतिपदस्य निश्चयार्थकत्वे संशयसम्भावनारूपयोस्तयोरतिव्याप्तेर्वारणेऽपि रूपकस्य (वित्तौ) ज्ञाने अतिव्याप्तेस्तादवस्थ्याच्च। उपमेयतावच्छेदकाविषयको निश्चय इति तात्पर्ये वर्ण्यमाने रूपकवित्तावप्यतिव्याप्तिर्यद्यपि वारिता भवति, तथापि अतिशयोक्तिवित्तौ सा तिष्ठत्येव तत्र उपमेयतावच्छेदकानवगाहिनो निश्चयस्य वर्तमानत्वात्। अनाहार्यो निश्चय इत्याशयोपवर्णने यद्यपि सोऽपि दोषो निरस्तो भवति, तथापि तदा न सर्वस्वकारस्य विजयोऽपि तु ममैव, अस्मदुक्तलक्षण एव तदुक्तेः पर्यवसानात्। किञ्च 'भ्रान्तिमान्' इत्यत्रत्यमतुबर्थस्यासङ्गतिस्तथापि, भ्रान्तिमात्रस्यैवै तल्लक्षणविषयत्वादिति भावः। नागेशस्तु 'अनाहार्यत्वेन' इति प्रतीकमुपादाय 'नन्वेवमपि कथमतिशयोक्तावतिव्याप्तिवारणम्। तस्यामनाहार्यभेदज्ञानस्यैव सर्वसंमतत्वात् प्रागुक्तत्वाच्चेति चेत, चिन्त्यमेतत्।' इत्याचष्टे।

सर्वस्वकारकृत लक्षण की आलोचना की जाती है—यत्तु इत्यादि। 'अलंकारसर्वस्वकार' ने जो 'भ्रान्तिमान्' का 'सादृश्यात्—अर्थात् सादृश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु की प्रतीति को 'भ्रान्तिमान्' 'अलङ्कार कहते हैं' यह लक्षण किया वह ठीक नहीं है। कारण, इस लक्षण के पूर्वोक्त 'सन्देहालङ्कार' और आगे कहे जानेवाले उत्प्रेक्षालङ्कार' में अतिव्याप्ति हो जाती है, क्योंकि सन्देह तथा सम्भावना भी प्रतीतिरूप है। यदि आप कहें कि—'प्रतीति' शब्द का अर्थ यहाँ निश्चय' है—केवल ज्ञान नहीं, अतः यह दोष नहीं हो सकता, तो तथापि रूपक के ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी। आप कहेंगे—इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये निश्चय' में विषयतावच्छेदकानवगाही—अर्थात् उपमेयतावच्छेदक (मुखत्व आदि को) जो विषय नहीं बनाता हो—यह विशेषण जोड़ देंगे, तो जोड़िए, पर तब भी अतिशयोक्तिज्ञान में होनेवाली अतिव्याप्ति का वारण नहीं ही हो सकेगा, क्योंकि वहाँ उपमेयतावच्छेदक का अवगाहन नहीं किया गया रहता है। अब यदि आप निश्चय' में 'अनाहार्य' विशेषण लगाना चाहें, तब दोष का वारण तो होगा, पर आपके लक्षण की समाप्ति भी तब मेरे लक्षण में ही हुई। फलतः सर्वस्वकार के लक्षण में इतनी न्यूनता है ही। और इतना सब करने पर भी यह लक्षण 'भ्रान्तिमान्' का नहीं, अपितु 'भ्रान्ति' का हुआ, अतः 'मतुप् (मान्)' का अर्थ तब भी असङ्गत ही रहा।

भ्रान्त्यलङ्कारे साधारणधर्मस्थितिं विचारयति—

तत्र 'कनकद्रवकान्तिकान्तया' इत्यत्र सीतातडितोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः। युतत्वमिलितत्वयोश्च शुद्धसामान्यरूपता।

'रामं स्निग्धतरश्यामं विलोक्य वनमण्डले।
धाराधरधिया धीरं नृत्यन्ति स्म शिखावलाः॥'

अत्र स्निग्धत्वश्यामत्वयोरनुगामित्वम्।

तत्रेति। उक्तोदाहरणानां मध्ये इत्यर्थः। 'भ्रान्त्यलङ्कारेऽपि साधारणधर्माः प्राग्वदनेकविधा भवन्ति। तत्र 'कनकद्रवे'ति पद्ये सीतातडित्ते बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्ने सती साधारणधर्मतां प्रतिपद्येते। युतत्वमिलितत्वे च शुद्धसामान्यरूपे वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्ने इति भावः। अनुगामिधर्मोदाहरणमाह—राममिति। शिखावला मयूराः, वनमण्डले, स्निग्धतरश्यामं चिक्कणमथ च श्यामलम्, रामम्, विलोक्य, धाराधरधिया मेघभ्रमेण, धीरं यथा स्यात्तथा नृत्यन्ति स्म ननृतिरे इत्यर्थः। उपपादयति—अत्रेति। स्निग्धत्वं श्यामत्वञ्च रामधाराधरयोरनुगामिनौ साधारणधर्माविति भावः।

'भ्रान्ति' अलङ्कार में साधारणधर्म की स्थिति क्या है इसका विचार अब किया जाता है—तत्र इत्यादि। 'भ्रान्ति' अलङ्कार में भी साधारणधर्म पूर्ववत् अनेक प्रकार के रहते हैं। उनमें से 'कनकद्रव—' इस पूर्वोक्त उदाहरण में 'सीता' और 'विद्युत्' में बिम्बप्रतिबिम्बभाव है और 'युतत्व' तथा मिलितत्व' में शुद्ध सामान्यरूपता—अर्थात् वस्तुप्रतिवस्तुभाव है। 'रामं स्निग्धतरश्यामम्—अर्थात् मयूर, वन में, अतिस्निग्ध श्यामवर्णवाले रामचन्द्र को देखकर, मेघ के भ्रम से, मन्द-मन्द, नाचने लगे।' इस पद्य में 'स्निग्धता' और श्यामता' ये दो धर्म अनुगामी हैं—अर्थात् ये दोनों धर्म एकरूप से राम तथा मेघ में अन्वित होनेवाले हैं।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां भ्रान्तिमदलङ्कारप्रकरणं समाप्तम्।

भ्रान्तिमदलङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीमुल्लेखालङ्कारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथोल्लेखः—

उल्लेखालङ्कारनिरूपणं प्रारब्धं वेदितव्यमिति भावः।

'भ्रान्तिमान्' अलंकार के निरूपण के बाद अब 'उल्लेख' अलंकार के निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि। अब उल्लेखालङ्कार' का निरूपण आरब्ध होता है।

तल्लक्षणमादौ ब्रूते—

एकस्य वस्तुनो निमित्तवशाद् यदनेकैर्ग्रहीतृभिरनेकप्रकारकं ग्रहणं तदुल्लेखः।

अनेककर्तृकम्, अनेकप्रकारकम् एकविशेष्यकम् यत्सकारणकं ज्ञानम् स उल्लेख इति भावः।

सर्वप्रथम 'उल्लेख' का लक्षण किया जाता है—एकस्य इत्यादि। एक वस्तु का, अनेक ज्ञाताओं द्वारा अनेक प्रकार का सकारण ज्ञान उल्लेख' कहलाता है—अर्थात् उस ज्ञान

को 'उल्लेख कहा जाता है जिसके कर्त्ता एक से अधिक व्यक्ति हों और जिसमें विशेष्य एक तथा विशेषण अनेक हों एवम् जो सकारणक हो।

लक्षणे योजितानां विशेषणानाम् फलान्याचष्टे—

'अधरं बिम्बमाज्ञाय मुखमब्जं च तन्वि ! ते।
कीराश्च चञ्चरीकाश्च विन्दन्ति परमां मुदम् ॥'

अत्र कीरचञ्चरीकाभ्यामधरवदनयोर्बिम्बत्वेन पद्मत्वेन च ग्रहणे भ्रान्तिरूपेऽतिप्रसङ्गवारणायैकस्य वस्तुन इति। 'धर्मस्यात्मा भागधेयं क्षमायाः' इत्यादिमालारूपकेऽतिप्रसङ्गवारणायानेकैर्ग्रहीतृभिरित्यविवक्षितबहुत्वकं ग्रहणविशेषणम्।

'नृत्यत्त्वद्वाजिराजिप्रखरखुरपुटपोद्धतैर्धूलिजालै-
रालोकालोकभूमीधरमतुलनिरालोकभावं प्रयाते।
विश्रान्तिं कामयन्ते रजनिरिति धिया भूतले सर्वलोकाः
कोकाः क्रन्दन्ति शोकानलविकलतया किं च नन्दन्त्युलूकाः ॥'

अत्र धूलिजालरूपस्यैकस्य वस्तुनोऽनेकैर्लोककोकोलूकैर्ग्रहीतृभिरेकेनैव रजनीत्वरूपेण प्रकारेण ग्रहणमिति तत्रातिप्रसङ्गवारणायानेकप्रकारकमिति। ग्रहणमिति ग्रहणसमुदायो विवक्षितः। एकत्वं जातौ। अनेकग्रहीतृकस्यैकस्य ग्रहणस्याप्रसिद्धेः। तेन द्वयोर्बहूनां वा ग्रहणं निमित्तवशादिति तु वस्तुकथनमात्रम्।

विशेष्यभूते वस्तुनि एकत्वविशेषणस्य फलमाह—अधरमिति। हे तन्वि कृशाङ्गि! ते, अधरम्, बिम्बम्, आज्ञाय ज्ञात्वा, कीराः शुकाः, तथा, ते, मुखम्, अब्जम् कमलम्, आज्ञाय, चञ्चरीकाः भ्रमराः, च, परमाम् उत्कृष्टाम्, मुदम् हर्षम्, विन्दन्ति लभन्ते इति तदर्थः। उपपादयति—अत्रेति। 'अधरम्—' इति पद्ये कीरकर्तृकम् अधरविशेष्यकं बिम्बत्वप्रकारकम् एकम्, द्वितीयञ्च चञ्चरीककर्तृकम्, मुखविशेष्यकम् अब्जत्वप्रकारकम्, ज्ञानं वर्णितम्। ज्ञानद्वयमप्येतद् भ्रमरूपम् भ्रान्तिमदलङ्कारताप्रयोजकम्। तत्र प्रकृतोल्लेखलक्षणं नातिव्याप्नोत्विति तल्लक्षणे विशेष्यभूतस्य वस्तुनो विशेषणमेकत्वमुपात्तम्। उपात्ते च तस्मिन् प्रकृतपद्यवर्णितज्ञानविशेष्ययोः अधरमुखयोर्वस्तुद्वयात्मकतयाऽतिव्याप्तिर्वारिता भवतीति भावः। लक्षणेऽनेककर्तृकत्वस्य ग्रहणविशेषणस्य योजने फलमाह—धर्मस्यात्मा इति। 'धर्मस्यात्मा—' इति मालारूपकेऽपि राजरूपैकविशेष्यकम् धर्मात्मत्वाद्यनेकप्रकारकं ज्ञानं वर्णितमस्तीति तत्रोल्लेखलक्षणातिव्याप्तिर्न भवत्विति अनेककर्तृकत्वार्थकम् 'अनेकैर्ग्रहीतृभिः' इति ज्ञान-विशेषणं योजितम्। तथा च न तत्रातिव्याप्त्यवकाशः, तत्रत्यज्ञानस्यैककर्तृकत्वात्। नन्वेवं बहुवचनात् त्र्यादिकर्तृकज्ञान एव लक्षणसंगतिः, न द्विकर्तृकज्ञाने इति चेन्न, बहुवचनस्याविवक्षितत्वात्, प्रकृत्यंशतश्चैकाधिककर्तृरेव लाभादिति भावः। अनेकप्रकारकत्वस्य ग्रहणविशेषणस्य निवेशे फलमुपदर्शयति—नृत्यदिति। हे राजन्! नृत्यताम् मण्डलाकारेण भ्रमताम् त्वद्वाजिनाम् त्वदीयाश्वानाम्, राजेः समूहस्य, प्रखरैस्तीक्ष्णैः खुरपुटैः खुराग्रभागैः, प्रोद्धतैरुत्पाट्योच्छालितैः, धूलिजालैः रजःपुञ्जैः, आलोकालोकभूमी-

धरम् लोकालोकनामकपर्वतपर्यन्तम्, भूतले, अतुलनिरालोकभावम् अत्यन्तनिष्प्रकाशभावं, प्रयाते गते सति, रजनिः रात्रिः, समागता, इति धिया, सर्वे लोकाः मनुष्याः, विश्रान्तिम् विश्रमम्; कामयन्ते इच्छन्ति, कोकाःचक्रवाकाः, शोकानलेन विकलतया, क्रन्दन्ति, किं च, उलूकाः, नन्दन्ति प्रसीदन्तीत्यर्थः। उपपादयति—अत्रेति। नृत्यदितिपद्यवर्णिते लोक-काकोलूकरूपानेकव्यक्तिकर्तृके धूलिजालरूपैकविशेष्यके रजनीत्वरूपैकप्रकारके ज्ञानेऽति-प्रसङ्गनिरासायानेकप्रकारकमिति ग्रहणविशेषणमिति भावः। लक्षणघटकग्रहणपदं व्याचष्टे—ग्रहणमिति। ग्रहणपदस्य ज्ञानसमूहोऽर्थो बोध्यः। नन्वेवं ग्रहणानीति बहुवचनान्तं पदं प्रयोक्तुमुचितमित्यत आह—एकत्वमिति। ज्ञानत्वजात्यवच्छिन्नबोधनायैकवचनान्तोऽपि प्रयोगो न दोषावह इति भावः, एकवचनान्तस्य ग्रहणपदस्य ग्रहणसमूहरूपोऽर्थो नोपरिष्टाद् व्याख्येयोऽपि तु प्रकृते स एवोचित इत्याह—अनेक इति। एकवस्तुविशेष्यकस्यानेकप्रका-रकस्येत्यादिः। ज्ञातृभेदेन ज्ञानभेदस्य नित्यसिद्धतया अनेकज्ञातृकैकज्ञानस्याप्रसिद्धत्वाद् ग्रहणपदस्य प्रकृते ज्ञानसमूह औचित्यबललब्ध एवार्थ इति इति भावः। फलितमाह—तेनेति। अनेकग्रहीतृकैकग्रहणस्याप्रसिद्धत्वेन हेतुनेति तदर्थः। 'ग्रहीतृभिः' इत्यत्र बहुवचनस्याविव-क्षितत्वस्योक्ततया। द्विग्रहीतृकस्थलानुरोधेनाह—द्वयोरिति। ज्ञानयोरिति भावः। द्वयधिक-ग्रहीतृकस्थलानुरोधेनाह—बहूनामिति। ज्ञानानामिति भावः। ग्रहणमिति। बोध इत्यर्थः। एकवचनान्तादपि ग्रहणपदादिति भावः। भवतीति शेषः। ननु 'निमित्तवशात्' इति विशेषणं लक्षणेऽव्याप्त्यतिव्याप्तिनिरासाय अन्यथा वा ? आद्ये कुतो न तत्फलोपन्यासः ? द्वितीये व्यर्थविशेषणघटितत्वं लक्षणस्येत्यत आह—निमित्तेति। अव्याप्त्यतिव्याप्तिनिरास-कत्वाभावेऽपि न निर्निमित्तं ज्ञानं भवतीति वस्तुस्थितिस्फोरणाय सार्थकतया न व्यर्थ-विशेषणघटितत्वं लक्षणस्येति भावः। अत्र "न च 'कीर्तौ विस्फूर्तिमत्यां ते मृणालक्षीर-शङ्किनः। द्वयेऽपि नागास्तन्वन्ति जिह्वान्तोल्लोलनं मुहुः॥' इति भ्रान्तिमदुदाहरणे एकस्या एव कीर्तेरनेकेन कुञ्जरभुजंगरूपेण ग्रहीत्रा मृणालक्षीररूपत्वानेकप्रकारेणोल्लेखनमस्तीति, तत्रातिव्याप्तिनिरासाय निमित्तभेदादित्यर्थकं निमित्तवशादित्यावश्यकम्। तत्र कीर्त्तिगतं धावल्यमेकमेवोल्लेखद्वयेऽपि निमित्तमिति वाच्यम्। स्वस्वप्रियाहारलिप्सारूपनिमित्तभेदस्यापि तत्र सत्त्वेन संग्राह्यत्वादिति भावः।" इति नागेशः।

लक्षण में लगाए गए भिन्न-भिन्न विशेषणों के फल दिखलाने के लिये कहा जाता है—अधरम् इत्यादि। 'अधरम्—अर्थात् हे कृशाङ्गि! तेरे अधर को बिम्बफल और मुख को कमल समझकर सुग्गे तथा भौंरे परम हर्ष को प्राप्त करते हैं।' इस पद्य में दो ज्ञानों का वर्णन है। एक वह जिसमें सुग्गों द्वारा अधर को बिम्बफल समझा गया है और दूसरा वह जिसमें भौंरों द्वारा मुख को कमल समझा गया है। ये दोनों ही ज्ञान भ्रमा-त्मक होने के कारण 'भ्रान्तिमान्' अलंकार के विषय हैं। इन ज्ञानों के समूह में प्रस्तुत 'उल्लेख-लक्षण' की अतिव्याप्ति न हो इसलिये, लक्षण 'एक वस्तु का—अर्थात्—एक-विशेष्यक' यह विशेषणभाग जोड़ा गया है। उस विशेषण के जोड़ने पर अतिव्याप्ति इसलिये नहीं होती कि यहाँ एक वस्तु का नहीं, अपितु अधर तथा मुख इन दो वस्तुओं का ज्ञान वर्णित है। 'धर्मस्यात्मा—अर्थात् यह राजा धर्म की आत्मा है, क्षमा का भाग्य है' इत्यादि पूर्वोक्त मालारूपक में अतिव्याप्ति-वारण के लिये लक्षण में 'अनेक ज्ञाताओं

द्वारा (अनेककर्तृक) यह ज्ञान का विशेषण लगाया गया है। उक्त मालारूपक में ज्ञाता एक है, अनेक नहीं, अतः अतिव्याप्ति नहीं होती। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि—'अनेकैर्ग्रहीतृभिः' इस मूल पद में बहुवचन वक्ता (लक्षणकार) का अभीष्ट नहीं है, अतः एक से अधिक ज्ञाता का होना ही अपेक्षित है और एक से अधिक ज्ञाता दो ज्ञाताओंवाले स्थल में एवम् बहुत ज्ञाताओंवाले स्थल में समानरूप से हो सकता है। फलतः दोनों ही स्थलों पर उल्लेखालंकार होगा। 'नृत्यत्त्वद्वाजि—अर्थात् हे राजन्! आपके अश्वों के समूह के तीक्ष्ण खुराग्रभागों से उड़ते धूलि-समूहों द्वारा, 'लोकालोक' पर्वत पर्यन्त—अर्थात् समस्त संसार में—ऐसा प्रकाश का अभाव हो गया कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। अतः 'रात्रि हो गई' यह समझकर पृथिवीतल पर सब लोग विश्राम चाह रहे हैं, शोकाग्नि से विकल होने के कारण चकवे रो रहे हैं और उल्लू आनन्द मना रहे हैं।' यहाँ धूलि-समूहरूप एक वस्तु में लोक, चक्रवाक और उल्लू इन अनेक ज्ञाताओं द्वारा किए जाने वाले रात्रिरूप एक-विषयक ज्ञान में अतिव्याप्ति वारणार्थ लक्षण में 'अनेकप्रकारक' यह ज्ञान का विशेषण लगाया गया है। इस विशेषण के लगने पर अतिव्याप्ति इसलिये नहीं होती कि यहाँ प्रकार (विशेषण) एक ही (रात्रित्व) है, अनेक नहीं। 'ज्ञान' शब्द से लक्षण में 'ज्ञान का समूह' कहना अभीष्ट है। कारण, अनेक ज्ञाताओं द्वारा किया जानेवाला ज्ञान एक हो ही नहीं सकता— अर्थात् ज्ञाता के भेद से ज्ञान भी भिन्न हो ही जाता है। आप कहेंगे—तब 'ज्ञान' शब्द में एकवचन क्यों लिखा गया? तो इसका उत्तर यह है कि एक जाति की अनेक वस्तुओं के लिये एकवचन का विधान शब्दशास्त्र में किया गया है, वही एकवचन यहाँ है। अतः इस एकवचनान्त 'ग्रहण' पद से दो अथवा दो से अधिक ज्ञानों का ग्रहण समझना चाहिए। 'सकारणक' यह लक्षण का भाग तो केवल वस्तुस्थिति-कथन है—अर्थात् यह विशेषण अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये नहीं, किन्तु ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये है।

उदाहरणं प्रस्तौति—

उदाहरणम्—

प्रस्तूयत इति भावः।

उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है :

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'नरैर्वरगतिप्रदेत्यथ सुरैः स्वकीयापगे-
त्युदारतरसिद्धिदेत्यखिलसिद्धसङ्घैरपि।
हरेस्तनुरिति श्रिता मुनिभिरस्तसङ्गैरियं
तनोतु मम शं तनोः सपदि शन्तनोरङ्गना॥'

वरगतिः ब्रह्म-सुखप्राप्तिः तत्प्रदा, इयम्, इति बुद्धया, नरैः, स्वकीयापगा मन्दाकिनी इति धिया, सुरैः देवैः, उदारतरसिद्धिदा अत्युत्कृष्टसिद्धिदायिनी, इति धिया, अखिलैः सर्वैः सिद्धसंघैः, हरेस्तनुः विष्णुकायरूपा, इति धिया, अस्तसङ्गैः विषयविमुखैः, मुनिभिश्च, श्रिता सेविता, इयम् नयनगोचरीभूता, शन्तनोः तन्नामकस्य राजर्षेः, अङ्गना पत्नी, गङ्गेति यावत्, मम, तनोः शरीरस्य, शं कल्याणं, तनोतु विस्तारयतु इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—नरैः इत्यादि। कवि गङ्गा की स्तुति करता है—श्रेष्ठ गति (मुक्ति) देने वाली है इस धारणा से मानवों द्वारा, अपनी नदी है इस धारणा से देवताओं द्वारा, बहुत बड़ी सिद्धि देने वाली है इस धारणा से सभी सिद्ध-समूहों द्वारा,

भगवान् विष्णु की शरीररूपा है इस धारणा से आसक्ति-रहित मुनियों द्वारा, सेवित यह शन्तनु की पत्नी (श्री गङ्गा) मेरे शरीर का कल्याण करे।

उपपादयति—

अत्र च लिप्सारुचिभ्यां निमित्ताभ्यामस्त्यनेकग्रहीतृकवरगतिप्रदात्वाद्यनेकप्रकारकग्रहणसमुदायो गङ्गाविषयकरतिभावोपस्कारकः।

लिप्सेति। लाभेच्छेत्यर्थः। तादृशग्रहणसमुदायस्यालङ्कारत्वायाह—गङ्गेति। कविनिष्ठेत्यादिः। 'नरैर्वरगतिप्रदा—' इति पद्ये 'नर-सुर-सिद्ध-मुनि-रूपा अनेके ज्ञातारः गङ्गारूपमेकं वस्तु वरगतिप्रदात्वस्वकीयापगात्वोदारतरसिद्धिदात्वहरितनुत्वात्मकैरनेकैः प्रकारैः लिप्सारुचिरूपाभ्यां कारणाभ्याम् जानन्ती'ति वर्णितम्। तेषां तानि ज्ञानानि (तादृशज्ञानसमुदायः) कविनिष्ठं गङ्गाविषयकं रतिभावं पद्यप्रधानव्यङ्ग्यम् पुष्णन्ति, अतः स ज्ञानसमुदाय उल्लेखालङ्काररूपः सम्पद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र च इत्यादि। 'नरैर्वर—' इस पद्य में ऐसा ज्ञान-समूह वर्णित है जिसका कारण अपनी-अपनी लिप्सा (लाभ की इच्छा) तथा अपनी-अपनी रुचि है, और जिसके कर्ता (ज्ञाता) नर, सुर, सिद्ध तथा मुनि-रूप अनेक व्यक्ति हैं, एवम् जिसमें उत्कृष्ट गति देनेवाली होना आदि अनेक प्रकार (विशेषण) हैं, इसी तरह जो गङ्गारूप एक वस्तु के विषय में हुआ—अर्थात् जिसमें विशेष्य एक गङ्गा ही है। यह ज्ञान-समूह यहाँ 'उल्लेखालंकार'-रूप होता है, क्योंकि वह (ज्ञान-समूह) पद्य से प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले कविगत गङ्गाविषयक रति भाव का उपस्कारक (पोषक) है।

विशेषमाह—

शुद्ध एवात्रायमुल्लेखालङ्कारः, रूपकाद्यमिश्रणात्।

उल्लेखालङ्कारो द्विविधः शुद्धः सङ्कीर्णश्च, तत्रालङ्कारान्तरामिश्रणे शुद्धः। यथा 'नरैर्वरगति—' इति श्लोके। अत्र रूपकाद्यलङ्कारान्तरविविक्तोल्लेख इति भावः।

उदाहृत उल्लेख की विलक्षणता सूचित की जाती है—शुद्ध इत्यादि। उल्लेखालंकार दो प्रकार का होता है—एक शुद्ध और दूसरा संकीर्ण। उनमें शुद्ध उसको कहा जाता है जिसमें किसी अन्य अलंकार का मिश्रण न हो। जैसे—'नरैर्वर—' इस पद्य में जो उल्लेख है वह शुद्ध है, क्योंकि यहाँ रूपक आदि अन्य अलंकारों का मिश्रण नहीं है।

यत्रोल्लेखालङ्कारेऽलङ्कारान्तरयोगो भवति, स सङ्कीर्णः कथ्यते। तादृशमपि लक्ष्यं नालभ्यमित्याह—

सङ्कीर्णोऽपि दृश्यते।

उल्लेख इति भावः।

जिसमें अन्य किसी अलंकार का मिश्रण पाया जाता हो उसको 'संकीर्ण' उल्लेख कहते हैं। वैसा उल्लेख भी दिखाई पड़ता है।

तादृशमुदाहरणं निर्देष्टुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणं निर्दिशति—

'आलोक्य सुन्दरि ! मुखं तव मन्दहासं
नन्दन्त्यमन्दमरविन्दधिया मिलिन्दाः ।
किञ्चालि ! पूर्ण-मृग-लाञ्छन-सम्भ्रमेण
चञ्चूपुटं चटुलयन्ति चिरं चकोराः ॥'

हे सुन्दरि ! तव, मन्दहासम् ईषद्धासशोभितम् (एतच्च दरमुकुलितकमलसाम्यसिद्ध्यर्थम्) मुखम् , आलोक्य, मिलिन्दाः भ्रमराः, अरविन्दधिया कमलभ्रमेण, अमन्दम् अधिकम् , नन्दन्ति आनन्दमनुभवन्ति । किंच हे आलि सखि ! तादृशं तव मुखमालोक्य, चकोराः पक्षिविशेषाः, पूर्णस्य राकागतस्य, मृगलाञ्छनस्य मृगाङ्कस्य चन्द्रस्येति यावत् , सम्भ्रमेण सम्यग् भ्रान्त्या, चिरं कियत्कालं यावत् , चञ्चूपुटम् , चटुलयन्ति चपलं कुर्वन्ति इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—आलोक्य इत्यादि । हे सुन्दरि ! तेरे मन्द-हास-युक्त मुख को देखकर, भ्रमर, कमलभ्रम से अत्यधिक आनन्दित होते हैं और हे सखि ! चकोर, पूर्णचन्द्र के भ्रम से, बहुत समय तक चोंचों को चञ्चल बनाते रहते हैं ।

उपपादयति—

अत्रैकैकग्रहणरूपया भ्रान्त्या समुदायात्मक उल्लेखः सङ्कीर्णः ।

'आलोक्य-' इति पद्ये मिलिन्दकर्तृकम् मुखविशेष्यकं कमलत्वप्रकारकम् एकम् अपरञ्च चकोरकर्तृकम् मुखविशेष्यकम् चन्द्रत्वप्रकारकम् ज्ञानं वर्णितम् । ज्ञानद्वयमप्येतत् भ्रमरूपम् , अन्यस्मिन् पदार्थेऽन्यपदार्थावगाहित्वात् । तथा च भ्रान्तिमदलङ्कारद्वयमत्र सिद्धयति । किंतु तादृशभ्रमद्वयसमूहात्मक उल्लेखालङ्कारोऽप्यत्र भवति, लक्षणाक्रान्तत्वात्—अर्थात् मुखरूपैकधर्मिक-चन्द्रत्वकमलत्वात्मकानेकप्रकारक-भ्रमरचकोररूपानेककर्तृक-ज्ञान-समूहोऽत्र वर्णित एवेति न कस्यापि विप्रतिपत्तिरुल्लेखाङ्गीकारे । निमित्तञ्चात्र स्वप्रियाहारलिप्सा । इत्थञ्च भ्रान्तिमदलङ्कारमिश्रितोल्लेखालङ्कारोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सुस्थमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'आलोक्य-' इस पद्य में दो ज्ञान वर्णित हुए हैं—एक वह जिसमें भ्रमर कर्ता है, मुख विशेष्य है और कमलत्व प्रकार है, अर्थात् एक ज्ञान में भ्रमर द्वारा मुख को कमल समझा गया है और दूसरा वह जिसमें चकोर कर्ता है, मुख विशेष्य है तथा चन्द्रत्व प्रकार है, अर्थात् दूसरे ज्ञान में चकोर द्वारा मुख को चन्द्र समझा गया है । ये दोनों ज्ञान अन्य में अन्य विषयक होने से भ्रम-रूप हैं, अतः ये दोनों भ्रमात्मक ज्ञान दो पृथक्-पृथक् 'भ्रान्तिमान्' अलंकार-रूप हो जाते हैं । और इन दोनों भ्रमात्मक ज्ञानों का समूह तृतीय अलंकार 'उल्लेख'-रूप होता है, क्योंकि अपने-अपने प्रिय भोजन के लाभ की इच्छा रूप कारण से मुखरूप एक वस्तु का भ्रमर तथा चकोर-रूप अनेक व्यक्ति द्वारा कमल तथा चन्द्रमा-रूप अनेक प्रकार से ज्ञान-समूह यहाँ स्पष्ट है । फलतः यह उल्लेख 'भ्रान्तिमान्' से मिश्रित है ।

भ्रान्तिसंकीर्णमुल्लेखमुदाहृत्यापह्नुतिसङ्कीर्णं तमुदाहरति—

'वनितेति वदन्त्येतां लोकाः सर्वे वदन्तु ते ।
यूनां परिणता सेयं तपस्येति मतं मम ॥'

सर्वे लोकाः एताम् , वनिता नायिका, इति वदन्ति। ते वदन्तु। परन्तु यूनां युवकानां, सा लोकोत्तरा, तपस्या, इयं परिणता इत्थं रूपेणावतीर्णा, इति, मम, मतम् अस्तीत्यर्थः।

'भ्रान्ति'-मिश्रित 'उल्लेख' का उदाहरण दिखलाकर अब 'अपह्नुति'-मिश्रित 'उल्लेख' का उदाहरण दिखलाया जाता है—वनिता इत्यादि। सब लोग इसे 'स्त्री' कहते हैं। वे भले ही कहें, पर मेरा मत तो यह है कि – युवकों की तपस्या इस रूप में परिणत हुई है।

उपपादयति—

अत्र विषयतावच्छेदकस्य परसम्मतत्वेन निषेध्यतयोपन्यासादपह्नुत्या सङ्कीर्णः।

अवच्छेदकस्येति। वनितात्वस्येत्यर्थः। निषेध्येति। आर्थिकेत्यादिः। 'वनिता-' इति पद्ये एतदर्थविशेष्यकः वनितात्व-तपस्यात्वप्रकारकः तत्पदार्थमत्पदार्थग्रहीतृकः ज्ञानसमूहो वर्णित इति स 'उल्लेखः', तस्मिँश्च उपमेयतावच्छेदकस्य मुखत्वस्य परसम्मततया वर्णनान्निषेधस्यार्थतः फलितत्वेन सम्पद्यमानस्य अपह्नुत्यलङ्कारस्य मिश्रणमिति भवतीदं पद्यमपह्नुतिसंकीर्णोल्लेखोदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'वनिता-' इस पद्य में 'एताम्' पदार्थ को लोग वनिता समझते हैं और मैं तपस्या समझता हूँ, ऐसा वर्णन है जिससे एक वस्तु का भिन्न-भिन्न व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न-प्रकारक ज्ञान फलित होता है, अतः यह 'उल्लेखालंकार' होता है जिसमें उपमेयतावच्छेदक-वनितात्व-को दूसरों का माना हुआ बताने के कारण उसका अर्थतः निषेध फलित हो जाने से सिद्ध होने वाले अपह्नुति अलंकार का मिश्रण है।

दीक्षितोक्तमनूद्य निरस्यति—

अप्पयदीक्षितास्तु—"एवमपि यदि—

'कान्त्या चन्द्रं विदुः केचित्सौरभेणाम्बुजं परे।
वक्त्रं तव वयं ब्रूमस्तपसैक्यं गतं द्वयम् ॥'

इत्यपह्नवोदाहरणविशेषेऽतिव्याप्तिः शङ्क्या, तदानीमनेकधोल्लेखनं निषेधास्पृष्टत्वेन विशेषणीयम्। तत्राद्योल्लेखनद्वयं परमतत्वोपन्याससामर्थ्याद्गम्यमाननिषेधमिति नातिव्याप्तिः" इत्याहुः। तन्न। 'द्विविधश्चायमुल्लेखः शुद्धोऽलङ्कारान्तरसङ्कीर्णश्च' इत्युक्त्वा "श्रीकण्ठजनपदवर्णने—'यस्तपोवनमिति मुनिभिरगृह्यत' इत्यादौ शुद्धः, 'यमनगरमिति शत्रुभिः वज्रपञ्जरमिति शरणागतैः' इत्यादौ भ्रान्तिरूपकादिसङ्कीर्णः" इति स्वयमेवोक्तत्वात्। इहाप्यपह्नुत्या सङ्कीर्ण उल्लेख इत्यस्य सुवचत्वात्। यदि चैवंविधापह्नुतिवारणाय निषेधास्पृष्टत्वं विशेषणमुच्यते तदा—

'कपाले मार्जारः पय इति कराँल्लेढि शशिन-
स्तरुच्छिद्रप्रोतान् बिसमिति करी सङ्कलयति।
रतान्ते तल्पस्थान् हरति वनिताऽप्यंशुकमिति
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विभ्रमयति ॥'

इति त्वदुदाहृतभ्रान्तावतिप्रसङ्गः कथं नाम वार्येत। मार्जाराद्यनेकग्रहीतृकानेकधोल्लेखनस्य तत्रापि सत्त्वात्। स्वस्वप्रियाहारलिप्सारूपनिमित्तभेदाच्च। तस्मात् सङ्कीर्णनिवारणाय यत्नोऽनर्थक एव।

एवमपीति। उक्तविशेषणदानेऽपीत्यर्थः। कान्त्येति। नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः—केचित् जनाः, तव, वक्त्रम् सुखम्, कान्त्या कान्तिमत्तया कारणेन, चन्द्रं, विदुः जानन्ति, परे अन्ये जनाः, तव, वक्त्रं, सौरभेण सुगन्धेन हेतुना अम्बुजं कमलम्, विदुः। वयं तु, तपसा तपस्याबलेन, ऐक्यं मिश्रणम्, गतम्, द्वयम् चन्द्रकमलात्मकं युगलम्, तव, वक्त्रम्, ब्रूमः कथयामः, इत्यर्थः। अतिव्याप्तिरिति। उल्लेखलक्षणस्येति भावः। तत्रेति। 'कान्त्या—' इति पद्ये इत्यर्थः। उल्लेखनद्वयमिति। ग्रहणद्वयमित्यर्थः। चन्द्रत्वज्ञानं कमलत्वज्ञानञ्चेति यावत्। परमतत्वोपन्यासेति। 'परे विदुः' इत्यादिकथनेत्यर्थः। गम्यमानेति। व्यज्यमानेत्यर्थः। 'कान्त्या—' इति पद्येऽपह्नुत्यलङ्कारोदाहरणेऽतिव्याप्तिनिरासायोल्लेखालङ्कारलक्षणे निषेधास्पृष्टत्वं विशेषणं देयम्। दत्ते च तत्र विशेषणे न तत्रातिव्याप्त्यवसरः, मुखविशेष्यकं चन्द्रत्वप्रकारकम् कान्तिहेतुकम् किंपदार्थकर्तृकम् एकम् ज्ञानम्, मुखविशेष्यकं कमलत्वप्रकारकम् सौरभहेतुकं परपदार्थकर्तृकम् द्वितीयम्, ज्ञानम्, मुखविशेष्यकं कमलत्वचन्द्रत्वोभयप्रकारकम्—पूर्वोक्तगुणद्वयहेतुकम् अस्मत्पदार्थकर्तृकं तृतीयं ज्ञानमिति ज्ञानत्रयस्योल्लेखत्वप्रयोजकस्य सत्त्वेऽपि प्रथमज्ञानद्वयस्य परमतत्वोपन्याससामर्थ्याभिव्यज्यमाननिषेधस्पृष्टत्वादिति पूर्वपक्षिणो दीक्षितस्याशयः। निरस्यति—तत्रेति। तत्र हेतुमाह—द्विविध इत्यादिना। श्रीकण्ठेति शुद्धस्यैकमुदाहरणमुक्त्वाऽन्यदाह—यथा वा हर्षचरिते इत्यादिः। यस्तपोवनमित्यादिगद्यम्। अगृह्यतेत्यस्य सर्वत्र सम्बन्धः। यच्छब्दार्थः श्रीकण्ठजनपदः। शुद्ध इति। अलङ्कारान्तरस्याप्रसङ्गादिति भावः। यमनगरत्वादीनां तादृप्यानुभवगोचरतयाऽन्वये भ्रान्तीति। यदि तेषामुपरञ्जकतामात्रेणान्वयस्तदाह—रूपकेति। ततः प्रकृते किमायातमित्याह—इहापीति। दीक्षितोक्तिनिरासे हेत्वन्तरमाह—यदि चेति। एवंविधेति। विलक्षणेत्यर्थः। कपाले इति। चन्द्रकरवर्णनमिदम्—मार्जारः बिडालः, पयः दुग्धम्, इति बुद्ध्या, कपाले तत्र स्थितान्, शशिनः चन्द्रस्य, करान् किरणान्, लेढि आस्वादयति, करी गजः, बिसम् मृणालम्, इति बुद्ध्या, तरुच्छिद्रप्रोतान् वृक्षविवरपातिनः, शशिनः करान्, सङ्कलयति सञ्चिनोति, वनिता नायिका, अपि, रतान्ते सम्भोगसमाप्तौ, अंशुकम् धवलं वसनम्, इति बुद्ध्या, तल्पस्थान् शय्याप्रस्तृतान्, शशिनः करान्, हरति गृह्णाति। अहो आश्चर्यम्। प्रभया कान्त्या, मत्तः, चन्द्रः, इदं परिदृश्यमानम्, जगत् संसारं, विभ्रमयति भ्रान्तं करोतीत्यर्थः। त्वदुदेति। त्वया प्रथमं मुख्यत्वेनोदाहृतेत्यर्थः। तादृश्यभ्रान्तिविशेषस्यापि वारणावश्यकत्वात्। अन्यथा सङ्कीर्णं तत्कथमादावुदाहृतम्। तद्विविक्तविषयस्यैवादावुदाहर्तुमौचित्यात्। अन्यथाऽलङ्कारभेदो न स्यादिति भावः। अनेकधेति। पयस्त्वादीत्यर्थः। उपसंहरति—तस्मादिति। अलङ्कारान्तरसंकीर्णोऽप्युल्लेखो यदा दीक्षितैः स्वीकृतः उदाहृतश्च, तदा 'कान्त्या—' इति पद्येऽपि अपह्नुतिसङ्कीर्ण उल्लेखः स्वीकर्तव्यस्तैः। तत्स्वीकारे च तद्वारणप्रयासः (निषेधास्पृष्टत्वविशेषणप्रक्षेपः) मत्कृतो व्यर्थ एव। किञ्च यदि अपह्नुतिसङ्कीर्ण उल्लेख उल्लेखलक्षणप्रसक्तेर्वारणीयः, तदा भ्रान्तिसङ्कीर्णोऽपि स ततो वारणीय एव तुल्यत्वात्। तथा च 'कपाले—'

इति पद्यगतभ्रान्तिसङ्कीर्णोल्लेखवारणायापि उल्लेखलक्षणे त्वया किञ्चिद् विशेषणं दातव्य-मासीत्, न च दत्तम् इति न्यूनता स्यात्। ननु 'कपाले—' इत्यत्र भ्रान्तिरेव केवला, नोल्लेख इति चेन्न, मार्जाराद्यनेककर्तृकस्य शशिकरविशेष्यकस्य पयस्त्व-बिसत्वांशुकत्वा-त्मकानेकप्रकारकस्य स्वस्वप्रियभोजनप्राप्तिलोभहेतुकस्य ज्ञानसमुदायस्य उल्लेखत्वप्रयोजकस्य सत्त्वेनोल्लेखस्य स्पष्टत्वात्। तथा च तादृशस्थलेषु अलङ्कारान्तरसङ्कीर्ण उल्लेखः स्वीकर-णीय एव, न तद्वारणप्रयासो विधेय इति उत्तरपक्षिणो जगन्नाथस्याशयः।

दीक्षितजी की उक्ति का खण्डन किया जाता है—अप्पयदीक्षितास्तु इत्यादि। दीक्षित जी का कथन है कि—"यदि इन विशेषणों के लगाने के बाद भी 'कान्त्या—अर्थात् तेरे मुख को कान्ति के कारण कुछ लोग चन्द्र कहते हैं, दूसरे लोग सुगन्ध के कारण कमल कहते हैं, पर हम तो कहते हैं कि—तप करके दोनों एकता को प्राप्त हो गए हैं—अतः तेरा मुख उन दोनों (चन्द्र तथा कमल) का मिश्रणरूप है।' इस नायिका के प्रति नायक की उक्ति—जो अपह्नुति-विशेष का उदाहरण है—में अतिव्याप्ति की शंका हो तो 'उल्लेख' के लक्षण में 'अनेक प्रकार के उल्लेखन (ज्ञान)' का 'निषेध से स्पृष्ट जो न हो' यह एक विशेषण और लगा देना चाहिए। ऐसा कर देने पर उक्त (कान्त्या इत्यादि) पद्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जो 'मुख चन्द्र है, मुख कमल है, मुख दोनों का मिश्रण है' ये तीन ज्ञान वर्णित हुए हैं उनमें से प्रथम दो ज्ञान निषेध से स्पृष्ट हैं। कारण, उन दोनों का वर्णन 'अन्य-मत' के रूप में हुआ है जिससे उन दोनों ज्ञानों का निषेध ध्वनित होता है।" पर यह कथन दीक्षितजी का ठीक नहीं है। कारण, आपने स्वयम् ही 'यह उल्लेख दो प्रकार का होता है—शुद्ध और अन्य अलंकार से मिश्रित' यह कहकर आगे कहा है कि—"श्रीकण्ठ देश के वर्णन में 'जिसे मुनि लोग तपोवन समझते थे' इत्यादि में शुद्ध उल्लेख है और 'शत्रुगण यमराज का नगर समझते थे, शरणागतजन वज्र का पिंजरा समझते थे' इत्यादि में भ्रान्ति अथवा रूपक से मिश्रित है।" ऐसी स्थिति में उपरिलिखित पद्य को भी अपह्नुति से मिश्रित उल्लेख का उदा-हरण माना जा सकता है—अर्थात् यह उचित नहीं कि अन्य अलंकार से मिश्रित उल्लेख माना जाय और अपह्नुति से मिश्रित उल्लेख नहीं माना जाय। दूसरी बात यह कि यदि ऐसी अपह्नुति के वारणार्थ 'निषेध से स्पृष्ट नहीं हो' यह विशेषण लगाया जाता है तब—'कपाले मार्जारः—अर्थात् कपाल (खप्पर) में स्थित चन्द्र-किरणों को दूध समझकर बिलाव चाट रहा है, वृक्ष के विवरों में व्याप्त उन चन्द्र-किरणों को मृणाल समझकर हाथी समेट रहा है और शय्या पर फैली हुई उन किरणों को साड़ी समझकर सुरत के अन्त में, कामिनी भी उठा रही है। ओह! प्रभा से मत्त बना यह चन्द्र इस संसार को भ्रान्त बना रहा है।' इस आपकी उदाहृत भ्रान्ति में उल्लेख की अतिव्याप्ति कैसे वारित होगी? क्योंकि इसके वारण के लिये तो आपने उल्लेख-लक्षण में कोई विशे-षण जोड़ा नहीं है। और जब आप उक्त अपह्नुति का वारण करने के लिये विशेषण जोड़ते हैं तब आपके लिये इस भ्रान्ति के वारणार्थ भी विशेषण जोड़ना उचित था। यहाँ ('कपाले मार्जारः—' में) उल्लेख है ही नहीं यह तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि मार्जार आदि अनेक व्यक्तिओं द्वारा चन्द्र-किरणरूप एक वस्तु का दूध आदि अनेक प्रका-रक ज्ञान यहाँ भी किया गया है—ऐसे ज्ञानों का किया जाना वर्णित है—और उन भिन्न-भिन्न ज्ञानों का भिन्न-भिन्न कारण भी है—अपने अपने प्रिय भोजन की प्राप्ति की इच्छा। अतः यहाँ भी भ्रान्ति-मिश्रित उल्लेख अवश्य है। ऐसी दशा में यदि आप इसके वार-णार्थ कोई प्रयास नहीं करते हैं, तब उक्त अपह्नुति के वारणार्थ भी प्रयास मत कीजिए।

फलतः मिश्रित उल्लेख के निवारण का प्रयास व्यर्थ ही है—जब मिश्रित उल्लेख होता ही है तब फिर उसे हटाने की क्या आवश्यकता है ?

संशयसङ्कीर्णमुल्लेखमुदाहर्तुमाह—

संशयसङ्कीर्णो यथा—

ससन्देहालङ्कारमिश्रितोल्लेखालङ्कारो यथेति भावः

ससंदेह अलंकार से मिश्रित उल्लेखालंकार जैसे—

उदाहरणं समुपन्यस्यति—

'भानुरग्निर्यमो वाऽयं बलिः कर्णोऽथवा शिबिः।
प्रत्यर्थिनश्चार्थिनश्च विकल्पन्त इति त्वयि॥'

कविः कमपि नृपं प्रति वक्ति—हे राजन्! प्रत्यर्थिनः शत्रवः, त्वयि भवति, 'भानुः सूर्यः, अग्निः, यमो, वा, अयम्' इति विकल्पन्ते संशेरते तथा अर्थिनो याचकाः, त्वयि, बलिः, कर्णः, अथवा शिबिः, अयम्' इति विकल्पन्ते इत्यर्थः। बलिकर्णशिबिनामानः परमदानिनो राजानः प्रसिद्धाः पुराणादौ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—भानुरित्यादि। कवि किसी राजा को कह रहा है—हे राजन्! शत्रुजन आपमें सूर्य, अग्नि और यमराज का संदेह करते हैं तथा याचक जन आप में बलि, कर्ण और शिबि का संदेह करते हैं। बलि, कर्ण और शिबि इतिहास-प्रसिद्ध दानी राजा हो चुके हैं।

उपपादयति—

अत्र द्वयोर्ग्रहणयोः प्रत्येकं संशयत्वम् समुदायस्य तूल्लेखता।

ग्रहणेति। ज्ञानेत्यर्थः। समुदायस्य ग्रहणसमुदायस्य। 'भानुः—' इति पद्ये त्वदर्थराजविशेष्यकम् प्रत्यर्थिकर्तृकम्, भानुत्वाग्नित्वयमत्वप्रकारकम्, भयजनकत्वहेतुकम् एकं ज्ञानम्, राजविशेष्यकं याचककर्तृकम् बलित्व-कर्णत्व-शिबित्वप्रकारम्, दातृत्वहेतुकम् चापरं ज्ञानं वर्णितम् तयोः प्रत्येकं संशयरूपम्, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाकोट्यवगाहित्वात्। तयोः ज्ञानयोः समूहस्तु उल्लेखालङ्काररूपः, लक्षणाक्रान्तत्वात्। एवञ्च ससन्देहालङ्कार-सङ्कीर्णोल्लेखालङ्कारोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सिद्ध्यतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'भानुः—' इस पद्य में दो ज्ञान वर्णित हुए हैं, दोनों ही पृथक् पृथक् संशयरूप हैं, क्योंकि एक में राजा को शत्रुओं द्वारा सूर्य, अग्नि तथा यम इन तीनों में से एक अनिश्चितरूप में समझा गया है और दूसरे में राजा को याचकों द्वारा बलि, कर्ण तथा शिबि इन तीनों में से एक अनिश्चित रूप में समझा गया है। तात्पर्य यह कि ये दोनों ही ज्ञान एक धर्मी में विरुद्ध अनेक कोटियों का अवगाहन करने के कारण संदेहात्मक हैं। फलतः ये दो ससंदेहालंकार होते हैं। पर इन दोनों संदेहात्मक ज्ञानों का समूह उल्लेखालंकाररूप हो जाता है, क्योंकि शत्रु तथा याचकरूप अनेक व्यक्तियों द्वारा राजारूप एकवस्तु का अग्नित्व आदि तथा बलित्व आदि अनेक-प्रकारक जो ज्ञान तद्रूप ही पर्यवसन्न होता है। अतः यह पद्य ससंदेहालंकार से मिश्रित उल्लेखालंकार का उदाहरण होता है।

भेदान्तरमाख्यातुं पूर्वोदाहृतेषु पद्येषु भेदस्वरूपं विवृणोति—

अयं च स्वरूपमात्रोल्लेखे स्वरूपोल्लेखः प्रागेव निरूपितः।

अयं चेति उल्लेखश्चेत्यर्थः। उल्लेखे इति। सतीति शेषः। एवमग्रेऽपि। वस्तुस्वरूपमात्रज्ञाने वर्णिते स्वरूपोल्लेखः स्वीक्रियते, तस्य निरूपणं प्राक् कृतम् इति भावः।

उल्लेख के अन्य भेद दिखलाने के लिये पूर्वोदाहृत पद्यों में भेद का विवरण करते हैं—अयं च इत्यादि। जब किसी वस्तु के केवल स्वरूप का उल्लेख हो—ज्ञान वर्णित हो—तब स्वरूपोल्लेख होता है, जिसका निरूपण पहले किया जा चुका है—पूर्वोदाहृत पद्यों में स्वरूपोल्लेख ही है।

भेदान्तरस्य स्वरूपं विवृण्वन् तदुदाहरणं निर्देष्टुमाह—

फलानामुल्लेखे फलोल्लेखो यथा—

फलानाम् (प्रयोजनानाम्) उल्लेखे (पूर्वोक्ताकारे ज्ञाने) सति फलोल्लेखो भवति। स यथेति भावः।

जब फलों (प्रयोजनों) का उल्लेख हो तब फलोल्लेख होता है, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अर्थिनो दातुमेवेति त्रातुमेवेति कातराः।
जातोऽयं हन्तुमेवेति वीरास्त्वां देव ! जानते ॥'

कविर्नृपं प्रति कथयति—हे देव ! 'दातुम् दानं कर्तुम् , एव, अयं जातः उत्पन्नः' इति इत्थं रूपेण, अर्थिनो याचकाः, त्रातुम् रक्षितुम् , एव, अयं जातः' इति, कातराः भीताः, तथा, 'हन्तुम् , एष, अयं जातः' इति, वीराः, त्वां, जानते विदन्तीत्यर्थः। त्वद्विशेष्यकाणि विभिन्नहेतुकानि नानाविधानि ज्ञानानि तेषां जायन्ते इति भावः। अत्रैकस्य राजरूपस्य वस्तुनोऽर्थि-कातर-वीरात्मकानेकजनकर्तृकाणि दातृत्व-त्रातृत्व-हन्तृत्वप्रकारकाणि ज्ञानानि वर्णितानीत्युल्लेखत्वं स्पष्टम् ! तत्र प्रकाराणां दातृत्वादीनां फलस्वरूपतया फलोल्लेखत्वव्यवहार इति सारांशः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अर्थिनो दातुमित्यादि। हे देव ! याचक लोग आपको देने के लिये, कायर लोग रक्षा करने के लिये और वीर लोग आपको मारने के लिये ही उत्पन्न हुआ समझते हैं। यहां राजारूप एक वस्तु का याचक आदि अनेक व्यक्तियों द्वारा दातृत्व आदि अनेक-प्रकारक ज्ञान किया गया है, अतः 'उल्लेख अलंकार' होता है और इस उल्लेख में प्रकारीभूत पदार्थ—दातृत्व आदि—प्रयोजन (फल) रूप हैं, इसलिये इसे फलोल्लेख कहा जाता है।

पूर्ववत् पुनरपरस्य भेदस्य स्वरूपं प्रकटयन् तदुदाहरणनिर्देशं प्रतिजानीते—

हेतूनामुल्लेखे हेतूल्लेखो यथा—

कारणानां तथाविधे ज्ञाने वर्णिते हेतूल्लेखो भवति, स यथेति भावः।

हेतुओं का उल्लेख होने पर हेतूल्लेख होता है, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'हरिचरण-नखर सङ्गादेके हरमूर्धस्थितेरन्ये।
त्वां प्राहुः पुण्यतमामपरे सुरतटिनि ! वस्तुमाहात्म्यात् ॥'

हे सुरतटिनि गङ्गे ! एके कतिपये, हरिचरणयोः, नखराणाम् नखानाम् , सङ्गात् संसर्गात् , अन्ये, हरस्य शिवस्य, मूर्ध्नि मस्तके, स्थितेः वासात् , अपरे, पुनः, वस्तु-

माहात्म्यात् त्वदीयस्वरूपस्यैव महत्त्वात् , त्वां भवतीम् , पुण्यतमाम् पवित्रतमाम् , प्राहुः कथयन्तीत्यर्थः। अत्र पुण्यतमात्वरूपैकविशेष्यकस्य विभिन्नजनकर्तृकस्य हरिचरणनखसङ्गादिविविधप्रकारकस्य ज्ञानसमुदायस्य वर्णनादुल्लेखः। तत्र प्रकारीभूतस्य पदार्थस्य हरिचरणनखसङ्गादेर्हेतुत्वात् हेतूल्लेखत्वव्यपदेशः। अथवा युष्मत्पदार्थगङ्गारूपैकविशेष्यकस्य विभिन्नजनकर्तृकस्य हरिचरणनखसङ्गादिहेतुकपुण्यतमात्वप्रकारकस्य ज्ञानसमूहस्य वर्णनादुल्लेखः। अत्र कल्पे एकस्यापि पुण्यतमात्वस्य हरिचरणनखसङ्गादिहेतुभेदेन भेदादनेकप्रकारकत्वं ज्ञानस्य बोध्यम्। प्रकारस्य हेतुगर्भत्वाच्च हेतूल्लेखत्वव्यपदेश इति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—हरिचरण इत्यादि। हे गङ्गे! आपको कुछ लोग भगवान् के चरण-नख के सङ्ग के कारण, दूसरे लोग शिवजी के शिर पर रहने के कारण और अन्य लोग वस्तु के माहात्म्य के—अर्थात् आप हैं ही ऐसी वस्तु, इस—कारण अत्यन्त पवित्र कहते हैं। यहाँ अत्यन्त पवित्रतारूप एक वस्तु का भिन्न-भिन्न व्यक्ति द्वारा भगवान् के चरण-नख-सङ्ग आदि अनेक-प्रकारक ज्ञान किया गया है, अतः उल्लेख अलंकार होता है और इस उल्लेख में प्रकारीभूतपदार्थ (भगवच्चरण-नख-सङ्ग आदि) के हेतुरूप होने से यह 'हेतूल्लेख' कहलाता है। अथवा गङ्गा-रूप एक वस्तु का भिन्न-भिन्न व्यक्तिद्वारा भगवच्चरणनख-सङ्ग-आदि-हेतुक अत्यन्त पवित्रता-प्रकारक ज्ञान किया गया है, अतः 'उल्लेख' होता है और इस उल्लेख में प्रकारीभूत पदार्थ—अत्यन्तपवित्रता—के पीछे उपाधिरूप से हेतुभूतपदार्थ जुड़े हैं, इसलिये यह 'हेतूल्लेख' कहलाता है। इस पक्ष में अत्यन्त पवित्रतारूप प्रकार यद्यपि एक ही है, तथापि हरिचरणनखसङ्ग आदि हेतु के भेद से एक भी पवित्रता अनेक हो जाती है, अतः प्रकार की अनेकता समझी जाती है।

प्रथममुल्लेखं निरूप्य द्वितीयमुल्लेखं निरूपयितुमिच्छुस्तावत्तल्लक्षणं सावतरणमाह—

अत्र प्रकारान्तरेणाप्युल्लेखो दृश्यते—यत्रासत्यपि ग्रहीत्रनेकत्वे विषयाश्रयसमानाधिकरणादीनां सम्बन्धिनामन्यतमानेकत्वप्रयुक्तमेकस्य वस्तुनोऽनेकप्रकारत्वम्।

समानाधिकरणेति। समानम् अधिकरणं सञ्चरणस्थानं येषां तादृशेत्यर्थः। तथा च विषयाश्रयसहचरादिरूपा ये सम्बन्धिनस्तेषामिति स्पष्टोऽर्थ इति भावः। पूर्वं यथा ज्ञातृभेदादेकस्य वस्तुनोऽनेकधा ग्रहणं भवति स्म तथा यदि नापि भवेत्—अर्थात् ज्ञाता यद्येकोऽपि भवेत् , तथापि यदि विषयस्य, आश्रयस्य, सहचरादेश्च भेदेनैकस्य वस्तुनोऽनेकप्रकारत्वं स्यात् , तदा सोऽप्युल्लेख इति लक्षणार्थः।

प्रथम उल्लेख का निरूपण किया जा चुका। अब द्वितीय उल्लेख का निरूपण करना है, अतः सर्वप्रथम अवतरणपूर्वक द्वितीय उल्लेख का लक्षण किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'उल्लेख' एक अन्य प्रकार से भी देखा जाता है। वह वहाँ होता है जहाँ ज्ञाताओं के अनेक न होने पर भी विषय, आश्रय अथवा समानाधिकरण-सहचर (साथ रहने वाले) आदि सम्बन्धियों में से किसी की भी अनेकता के कारण एक वस्तु अनेक तरह की हो जाय।

द्वितीयस्याप्युल्लेखस्य पूर्ववद् भेदमाह—

अयमपि द्विविधः, शुद्धोऽलङ्कारान्तरसङ्कीर्णश्च।

अयमपीति। द्वितीय उल्लेखोऽपीत्यर्थः।

यह उल्लेख भी दो प्रकार का है—शुद्ध और अन्य अलंकार से मिश्रित।

तत्र प्रथममुदाहर्तुमाह—

शुद्धो यथा—

द्वितीय उल्लेखः शुद्धो यथेत्यर्थः।

शुद्ध द्वितीय उल्लेख, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'दीनव्राते दयार्द्रा निखिलरिपुकुले निर्दया किं च मृद्वी
काव्यालापेषु तर्कप्रतिवचनविधौ कर्कशत्वं दधाना।
लुब्धा धर्मेष्वलुब्धा वसुनि परविपद्दर्शने कांदिशीका
राजन्नाजन्मरम्या स्फुरति बहुविधा तावकी चित्तवृत्तिः॥'

हे राजन्! दीनव्राते दीनप्राणिसमूहे दयार्द्रा करुणाक्लिन्ना, निखिलानां सर्वेषां रिपूणां, कुले समूहे, निर्दया दयारहिता, काव्यालापेषु काव्यकथासु, मृद्वी कोमला (केचित्तु व्यालापेषु उक्तिसामान्ये, मृद्वीका द्राक्षारूपेति व्याचक्षते), तर्कस्य प्रतिवचनविधौ उत्तरकरणे, कर्कशत्वं कठोरताम्, दधाना धारयन्ती, धर्मेषु धर्मविषये, लुब्धा लोभवती, वसुनि धनविषये, अलुब्धा लोभरहिता, किं च, परेषाम्, अन्येषाम्, परया महत्या वा (षष्ठीतत्पुरुषः कर्मधारयो वा) विपदः, विपत्तेः, दर्शने साक्षात्कारे ज्ञाने वा, सतीति शेषः, कांदिशीका कस्यां दिशि गन्तव्यम् इति धीविशिष्टा ('तदाह माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्' इति वार्तिकेन ठक्, पृषोदरादित्वात्साधु, 'कांदिशीको भयद्रुतः' इति कोशः), अत एव बहुविधा अनेकप्रकारिका, तावकी त्वदीया, आजन्मरम्या स्वभावतो रमणीया, चित्तवृत्तिः, स्फुरति प्रकटीभवतीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—दीनव्राते इत्यादि। हे राजन्! दीनों के समूह पर दया से आर्द्र, समस्त शत्रु-समुदाय पर निर्दय, काव्यों की कथा करने में कोमल, तर्कों के उत्तर देने में कठोरता को धारण करनेवाली, धर्म में लोभयुक्त, धन में लोभरहित, और अन्य की विपत्ति का दर्शन होने पर अतिभीरु, अतएव अनेक प्रकार की सहज सुन्दर आपकी चित्तवृत्ति स्फुरित हो रही है—चमक रही है।

उपपादयति—

अत्र दीनव्रातादीनां विषयाणामनेकत्वाच्चित्तवृत्तेरनेकविधत्वम्। राजविषयकरतिभावोपस्कारकोऽयमुल्लेखः। यद्यपि चित्तवृत्तिव्यक्तीनामत्रैक्यं नास्ति, तदीयचित्तवृत्तित्वेन सामान्येन तासामेकत्वं विवक्षितम्।

अस्यालङ्कारत्वायाह—राजेति। कविनिष्ठेत्यादिः। नास्तीति। तथा चैकस्य वस्तुन इत्यंशाभावान्नेदं लक्ष्यमिति भावः। समाधत्ते—तथापीति। 'दीनव्राते—' इति पद्ये ज्ञातुरेकत्वेऽपि विषयतया चित्तवृत्तिसम्बन्धिनां दीनसमूहादीनाम् भेदात् चित्तवृत्तिरूपस्यैकस्य वस्तुनः दयार्द्रत्वादिविविधप्रकारत्वं वर्णितम्, तच्च कविगतराजविषयकरतिभावस्य प्रधानव्यङ्ग्यस्य पोषकमिति द्वितीयोल्लेखरूपतामासादयति, ननु चित्तवृत्तिव्यक्तयः स्वतो भिन्ना इति तासामेकत्वाभावेन कथ'मेकस्य वस्तुनः' इत्यंशसङ्गतिरिति चेत्? सत्यम्, राजकीयचित्तवृत्तित्वात्मकसामान्यरूपेण तासामेकत्वमिह वक्तुरभिप्रेतमिति सारांशः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'दीनव्राते-' इस पद्य में राजा की एक चित्तवृत्ति को भिन्न-भिन्न प्रकार से समझने वाला ज्ञाता यद्यपि एक ही व्यक्ति है, तथापि चित्तवृत्ति के विषय 'दिनों का समूह' आदि अनेक हैं, अतः एक भी व्यक्ति एक ही चित्तवृत्ति को दया से आर्द्र, निर्दय आदि अनेक प्रकार से समझता है और चित्तवृत्ति का दयार्द्र आदि अनेक-प्रकारक होना, पद्य से प्रधानतया ध्वनित होने वाले राजा के विषय में कवि के प्रेमभाव को पुष्ट करता है, अतः वह चित्तवृत्ति का अनेक प्रकार का होना द्वितीय उल्लेखालंकाररूप होता है। यह उल्लेखालंकार शुद्ध है, क्योंकि इसमें किसी अन्य अलंकार का मिश्रण नहीं है। आप कहेंगे—चित्तवृत्तियाँ तो सभी व्यक्तिगतरूप से विभिन्न होती हैं फिर यहाँ राजा की चित्तवृत्तियों को एक कैसे मान सकते हैं? और जब चित्तवृत्ति की एकता सिद्ध होती नहीं तब उल्लेख का लक्षण घटेगा कैसे? क्योंकि लक्षण में 'एक वस्तु यदि अनेक रूप हो' ऐसा कहा गया है तो इसका उत्तर यह है कि चित्त-वृत्तित्वेन रूपेण उन्हें एक कहना यहाँ अभीष्ट है।

तथा लक्षणे विवक्षाया अभावादुदाहरणान्तरं प्रदर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कातराः परदुःखेषु निजदुःखेष्वकातराः।
अर्थेष्वलोभा यशसि सलोभाः सन्ति साधवः॥'

परदुःखेषु अन्यदुःखविषये, कातरा भीताः, निजदुःखेषु स्वदुःखविषये, अकातरा अभीताः, अर्थेषु धनविषये, अलोभा लोभरहिताः, यशसि यशोविषये, सलोभा लोभवन्तः, साधवः सत्पुरुषाः, सन्ति अधुनापि जगति विद्यन्त इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कातरा इत्यादि। दूसरों के दुःखों में कायर और अपने दुःखों में निर्भय, धन में लोभरहित और यश में लोभयुक्त सत्पुरुष आज भी संसार में हैं।

उपपादयति—

अत्रापि साधवः सन्तीत्यनेन मृता अपि न मृतास्ते, इतरे पुनरमृता अपि मृता एवेत्यर्थाभिव्यक्तिद्वारा व्यज्यमाने साधूत्कर्षविशेषे उपस्कारकोऽयम्।

अत्र परदुःखादीनां विषयाणामनेकत्वात्साधूनामनेकविधत्वम् स्पष्टमुपेदयालंकारत्वमुप-पादयति—अत्रापीति। 'कातराः-' इति पद्ये एकस्य साधुरूपस्य वस्तुनः एकेनैव ग्रहीत्रा परदुःखादिविषयभेदप्रयुक्तमनेकप्रकारकम् (कातरत्वादिप्रकारकम्) ज्ञानं कृतमिति द्वितीय उल्लेखः। ननु कथमत्रोल्लेखस्यालंकारत्वम् इति चेन्न, 'साधवः सन्ति' इत्येतद्वाक्यार्थेन 'मृता अपि तादृशाः साधवः न मृताः—जीविता एव, अन्यादृशा जनाः पुनः जीविता अपि मृता एव' इत्यर्थोऽभिव्यज्यते, तेन चाभिव्यक्तेनार्थेन साधूत्कर्षविशेषो ध्वन्यते, तस्य च साधूत्कर्षस्य प्रधानव्यङ्ग्यस्य पोषकत्वादुल्लेखस्यात्रालंकारत्वमित्याशयादिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि। अभिप्राय है कि—'कातराः-' इस पद्य में 'साधुरूप' एक वस्तु का परदुःखादिरूप विषयभेद के कारण एक ही व्यक्ति द्वारा कायर आदि अनेक-प्रकारक ज्ञान किया गया है और यह एक वस्तु का अनेक-प्रकारक

होना साधु के उस उत्कर्ष-विशेष का उपस्कारक है जो 'सत्पुरुष हैं' इस उक्ति से होने वाली 'मर कर भी वैसे सत्पुरुष जीवित ही हैं और अन्य साधारण जन जीकर भी मरे हैं' इस अर्थ की अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त होता है, अतः यह द्वितीय उल्लेख (शुद्ध) का उदाहरण होता है।

एवंविषयानेकत्वप्रयुक्तमुदाहृत्याश्रयानेकत्वप्रयुक्तमुदाहर्तुमाह—

यथा वा—

आश्रयानेकत्वप्रयुक्त उल्लेखो यथेति भावः।

विषय की अनेकता से होने वाले द्वितीय शुद्ध उल्लेख का उदाहरण दिखलाकर अब आश्रय की अनेकता से होने वाले द्वितीय उल्लेख के शुद्ध भेद का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—यथा वा इति। अथवा जैसे—

उदाहरणं समुपन्यस्यति—

'तुषारास्तापसव्राते तामसेषु च तापिनः।
दृगन्तास्ताडकाशत्रोर्भूयासुर्मम भूतये॥'

तापसव्राते तापससमूहोपरि, तुषाराः शीतलाः, तथा तामसेषु तमोगुणप्रधानेषु राक्षसादिषु तदुपरीति यावत्, तापिनः तापकाः, ताडकाशत्रोः ताडकाहन्तुः श्रीरामस्य, दृगन्ताः कटाक्षाः, मम, भूतये ऐश्वर्याय, भूयासुः भवन्त्वित्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—तुषारा इत्यादि। तपस्वियों के ऊपर शीतल, और तामसों (तमोगुण-प्रधान राक्षस आदिकों) के ऊपर तापदायक श्री रामचन्द्र के कटाक्ष मेरे ऐश्वर्य के लिये हों।

पूर्वोदाहरणद्वयाद् वैलक्षण्यं तृतीयोदाहरणे दर्शयति—

पूर्वपद्ययोर्विषयानेकत्वप्रयुक्तम्, इह त्वाश्रयानेकत्वप्रयुक्तमनेकविधत्वं दृगन्तानाम्।

'दीनव्राते—' 'कातराः' इत्यनयोः प्रागुक्तयोः श्लोकयोः विषयभेदप्रयुक्तमेकस्य वस्तुनो भिन्नप्रकारत्वं वर्णितम्। 'तुषाराः—' इति तृतीये पद्ये तु दृगन्तानामाश्रयीभूताः तापसाः तामसाश्च भिन्ना इत्याश्रयभेदप्रयुक्तम् एकस्य दृगन्तरूपस्य वस्तुनः तुषारत्व–तापित्व-रूपानेकप्रकारत्वं वर्णितमित्यत्रापि शुद्धो द्वितीय उल्लेख इति भावः।

पूर्व उदाहरणों से तृतीय उदाहरण में विलक्षणता दिखलाई जाती है—पूर्व इत्यादि। 'दीनव्राते—' तथा 'कातराः—' इन दोनों पद्यों में विषयों की अनेकता से एक वस्तु का भिन्न-भिन्न-प्रकारक होना वर्णित हुआ है, पर 'तुषाराः—' इस तृतीय पद्य में कटाक्ष के आश्रय (तापस और तामस) भिन्न हैं, अतः कटाक्षरूप एक वस्तु के शीतलता और तापकतारूप अनेक प्रकार वर्णित हैं। तात्पर्य यह कि यह तीसरा पद्य भी शुद्ध द्वितीय उल्लेख का उदाहरण होता है।

समानाधिकरणानेकत्वप्रयुक्तमुदाहरति—

'विद्वत्सु विमलज्ञाना विरक्ता यतिषु स्थिताः।
स्वीयेषु तु गरोद्गारा नानाकाराः क्षितौ खलाः॥'

विद्वत्सु विद्वज्जनसविधे, विमलज्ञानाः निर्मलबोधत्वेनात्मानं ख्यापयन्तः, यतिषु संन्यासिजनसन्निधौ, विरक्ता विरक्तवदाचरन्तः, तु पुनः, स्वीयेषु स्वजनसमीपे, गरोद्गारा विषवमनकारिणः, अत एव, नानाकारा विविधरूपाः, खलाः दुर्जनाः, क्षितौ पृथिवीतले, सन्तीत्यर्थः।

समानाधिकरणों (सहचरों) की अनेकता से होने वाले शुद्ध द्वितीय उल्लेख का उदाहरण दिखलाया जाता है—विद्वत्सु इत्यादि। विद्वज्जनों के समीप निर्मल ज्ञान वाले संन्यासियों के निकट विरक्त, और स्वजनों पर विष-वमन करने वाले, इस तरह पृथिवी पर, दुर्जन लोग अनेक आकार धारण किए हुए हैं।

उपपादयति—

अत्र विद्वदादिसहचरभेदप्रयुक्तं खलानामनेकविधत्वम्।

'विद्वत्सु—' इति पद्ये खलरूपस्यैकस्य वस्तुनः विद्वदादिसहचरभेदाधीनम् विमलज्ञानत्वाद्यनेकप्रकारत्वं वर्णितमितीदमपि पद्यं शुद्धद्वितीयोल्लेखोदाहरणत्वमेतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'विद्वत्सु—' इस पद्य में विद्वान् आदि सहचरों के भेद के कारण खल अनेक प्रकार के बताए गए हैं—अर्थात् यहाँ विद्वान् आदि सहचरों की भिन्नता से खलरूप एक वस्तु के विमलज्ञानत्व आदि अनेक प्रकार हो गए हैं, अतः यह भी शुद्ध द्वितीय उल्लेख का एक प्रभेद है।

लक्षणघटके 'समानाधिकरणादीनाम्' इत्यत्र वर्तमानेन 'आदि' पदेन संगृह्यमाणं स्फोरयति—

एवमन्येषां सम्बन्धिनां भेदेऽप्यूह्यम्।

विषयाश्रयसमानाधिकरणात्मकसम्बन्धिभेदप्रयुक्तं यत्रैकस्य वस्तुनोऽनेकप्रकारत्वं तत्र यथा द्वितीय उल्लेखो भवति, तथैव अन्यविधसम्बन्धिभेदप्रयुक्तमपि यत्रैकस्य वस्तुनोऽनेकप्रकारत्वं स्यात्तत्रापि स भवेदिति भावः।

लक्षण में आये हुए 'आदि' पद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये कहा जाता है—एवम् इत्यादि। जिस तरह विषय, आश्रय और सहचर के भेद से एक वस्तु के अनेक प्रकार होने पर द्वितीय उल्लेख होता है उसी तरह जहाँ इन तीनों (विषय आदि) से अन्य संबन्धी के भेद से एक वस्तु के अनेक प्रकार होंगे वहां भी यह उल्लेख हो सकता है इस बात का ऊह स्वयम् कर सकते हैं।

अलङ्कारान्तसंकीर्णं द्वितीयमुल्लेखमुदाहर्तुमाह—

सङ्कीर्णो यथा—

अलङ्कारान्तरमिश्रितो द्वितीय उल्लेखो यथेति भावः।

मिश्रित द्वितीय उल्लेख, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'गगने चन्द्रिकायन्ते हिमायन्ते हिमाचले।
पृथिव्यां सागरायन्ते भूपाल! तव कीर्तयः॥'

हे भूपाल राजन्! तव, कीर्तयः, गगने चन्द्रिकायन्ते चन्द्रिका इवाचरन्ति, हिमाचले हिमपर्वते, हिमायन्ते हिमवदाचरन्ति, तथा, पृथिव्यां सागरायन्ते समुद्रवदाचरन्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—गगने इत्यादि। हे राजन् ! आपकी कीर्तियाँ आकाश में चन्द्रिका-सा, हिमालय में हिम (बरफ)-सा और पृथिवी पर समुद्र-सा आचरण करती हैं।

उपपादयति—

अत्रोपमया आपाततः प्रतीयमानया, पर्यवसितया चोत्प्रेक्षया।

उपमानात्क्यङो विधानादाह—उपमयेति। तत्र तात्पर्याभावादाह—पर्यवसितयेति। उत्प्रेक्षयेति। संकीर्ण इति शेषः। 'गगने—' इति श्लोके कीर्तिरूपैकवस्तुनः गगनाद्याश्रय-भेदप्रयुक्तम् चन्द्रिकात्वादिविविधप्रकारत्वम् वर्णितमस्तीति द्वितीय उल्लेखः सिद्धः। स च न शुद्धः। क्यङ्प्रत्ययस्य सर्वत्रोपमानबोधकप्रकृतिविहितत्वेनापाततः प्रतीयमानेनोपमालङ्कारेण, वस्तुतस्तु उपमानोपमेयभावस्यात्र कविविवक्षाविषयत्वविरहेण सम्भावनाया एव प्रतीत्या उत्प्रेक्षालङ्कारेण तस्य संकीर्णत्वादिति भावः

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'गगने—' इस पद्य में एक व्यक्ति द्वारा कीर्तिरूप एक वस्तु के गगन आदि आश्रय (भेद) प्रयुक्त चन्द्रिकात्व आदि अनेक प्रकार वर्णित हैं, अतः यहाँ द्वितीय उल्लेख होता है और वह उल्लेख यहाँ ऊपर से प्रतीत होनेवाली उपमा, पर अन्ततः सिद्ध होनेवाली उत्प्रेक्षा से मिश्रित है। तात्पर्य यह कि 'चन्द्रिकायन्ते' आदि पदों में उपमानबोधक प्रकृति से आचारार्थक 'क्यङ्' प्रत्यय हुए हैं, अतः आपाततः पहले उपमा की प्रतीति हो जाती है, पर जब वक्ता के अभिप्राय का अनुसन्धान किया जाता है तब ज्ञात होता है कि उपमानोपमेयभाव यहाँ उसका अभिप्रेत नहीं है, अतः वक्ता का अभिप्रेत संभावना सिद्ध होता है, इसलिये अन्त में उत्प्रेक्षा की ही प्रतीति होती है।

अलङ्कारान्तरसङ्कीर्णस्य द्वितीयोल्लेखस्योदाहरणान्तरं दर्शयति—

'उपरि करवालधाराकाराः क्रूरा भुजङ्गमपुङ्गवात्।
अन्तः साक्षाद् द्राक्षादीक्षागुरवो जयन्ति केऽपि जनाः॥'

उपरि बहिः, करवालस्य असेः, धारायाः, आकार इव आकारो येषां तादृशाः, तथा भुजङ्गमपुंगवात् सर्वश्रेष्ठात्, क्रूराः कठोराः, परन्तु, अन्तः हृदये, साक्षात्, द्राक्षाणाम् मृद्वीकानां, दीक्षासु गुरवः उपदेष्टारः, अतिमधुराः कोमलाश्चेति यावत्, केऽपि कतिपये, जनाः, जयन्ति सर्वोत्कृष्टतया वर्तन्त इत्यर्थः। अत्र "आर्यापूर्वार्धे 'नेह भवति विषमे जः' इति नियमादत्र च विषमे सप्तमस्थाने जगणस्य सत्त्वाच्छन्दोभङ्ग-दूषितमेतदार्यापूर्वार्धमिति ज्ञेयम्।" इत्याहुः काव्यमालासम्पादका भट्टमहोदयाश्च। अहं तु मन्ये नासौ नियमः सर्व-सम्मतः, यतः श्रुतबोधकारेण 'यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि। अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या॥' इत्येवोक्तम्। अस्मिन् लक्षणे स नियमो न कृतः। किञ्च रसज्ञाऽप्यत्रच्छन्दोभङ्गं न सूचयति, अतः आर्यापूर्वार्धसमं द्वितीयमपि यत्र भवति हंसगते। छन्दोविदस्तदानीं गीतिंताममृतवाणि भाषन्ते॥' इत्येवंलक्षणकगीतिच्छन्दो-बद्धेऽस्मिन्पद्ये न छन्दोभङ्गदोषः इति।

अलंकारान्तर से मिश्रित द्वितीय उल्लेख का दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—उपरि इत्यादि। ऊपर से तलवार की धार के समान आकार वाले तथा सर्पराज से

भी क्रूर, पर अन्तःकरण में साक्षात् दाखों को भी दीक्षा देने वाले गुरु (अति मधुर और कोमल) कतिपय पुरुष सर्वोत्कृष्ट हैं। यहाँ 'आर्या छन्द के विषम-स्थानों में जगण नहीं होता, पर यहाँ सप्तम स्थान में जगण है, अतः यह आर्या का पूर्वार्ध छन्दो-भङ्ग-दूषित है।' यह काव्य-माला-सम्पादक ने पहले लिखा और उसका अनुवाद पीछे हिन्दी रस-गङ्गाधरकार आदि ने भी अपनी टिप्पणी में किया है। पर मैं समझता हूँ कि वस्तुतः यहाँ छन्दोभङ्ग है नहीं, क्योंकि एक तो जिह्वा यहाँ छन्दो-भङ्ग की सूचना नहीं देती, दूसरे जिस नियम के अनुसार यहाँ छन्दोभङ्ग कहा गया है वह सर्वसम्मत है भी नहीं। देखिए—श्रुतबोधकार ने 'यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा—' इत्यादि संस्कृत टीका में उद्धृत किए गए आर्या-लक्षण में उस नियम की चर्चा नहीं की है। ततः 'आर्यापूर्वार्धं—' इत्यादि संस्कृतटीकोद्धृत लक्षण के अनुसार 'गीति–' छन्द में निबद्ध इस पद्य में कोई दोष नहीं आता।

उपपादयति—

अत्रोपमाव्यतिरेकाभ्यां तयोः समुच्चयेनोत्प्रेक्षया च सङ्कीर्णः।

उपमेति। 'करवालधाराकाः' इत्यंश इति भावः। व्यतिरेकेति 'क्रूराः' इत्यंश इति भावः। तयोरुपमाव्यतिरेकयोः। उत्प्रेक्षयेति। 'गुरवः' इत्यंशे प्रतीयमानयेति भावः। 'उपरि—' इति पद्ये जनरूपस्यैकस्य वस्तुनः बहिरन्तर्देशरूपाश्रय-भेद-प्रयुक्तम् करवाल-धाराकारत्वाद्यनेकप्रकारत्वं वर्णितमिति द्वितीय उल्लेखः सिद्ध्यति। स च उपमाव्यतिरे-काभ्याम्, तयोः समुच्चयेन, गम्योत्प्रेक्षया च सङ्कीर्ण इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'उपरि—' इस पद्य में जनरूप एक वस्तु के 'ऊपर और अन्दर' रूप आश्रय-भेद-प्रयुक्त करवालधाराकारत्व आदि अनेक प्रकार वर्णित हैं, अतः द्वितीय उल्लेख यहाँ होता है, वह उल्लेख शुद्ध नहीं है, अपि तु—'धार के समान आकारवाले' इस अंश में उपमा से, 'सर्पराज से भी क्रूर' इस अंश में व्यतिरेक से, इन दोनों के समुच्चय से और 'द्राक्षाओं को दीक्षा देनेवाले गुरु' इस अंश में गम्य उत्प्रेक्षा से मिश्रित है।

द्वयोरुल्लेखयोः सङ्करमादिपदग्राह्यसम्बन्धिभेदप्रयुक्तत्वं च दर्शयितुमाह—

'यमः प्रतिमहीभृतां हुतवहोऽसि तन्नीवृतां
सतां खलु युधिष्ठिरो धनपतिर्धनाकाङ्क्षिणाम्।
गृहं शरणमिच्छतां कुलिशकोटिभिर्निर्मितं
त्वमेक इह भूतले बहुविधो विधात्रा कृतः॥'

हे राजन्! प्रतिमहीभृतां शत्रूणां, कृते, यमः अन्तकरूपः, तन्नीवृतां प्रतिपक्षराज-जनपदानाम्, कृते हुतवहः अग्निरूपः, सतां सज्जनानाम्, कृते, खलु निश्चयेन, युधिष्ठिरः तद्रूपः धनाकाङ्क्षिणां धनयाचकानाम्, कृते, धनपतिः कुबेरः, शरणम्, इच्छताम्, कृते, कुलिशकोटिभिः वज्राग्रभागैः निर्मितं गृहं भवनरूपः, त्वम्, असि, अतः, इह, भूतले, एकोऽपि, त्वम्, विधात्रा ब्रह्मणा, बहुविधः नानारूपः, कृत इत्यर्थः।

अब दो उल्लेखों के संकर (मिश्रण) तथा 'आदि' पद से ग्रहण किये गये संबन्धि-भेद-प्रयुक्तता को दिखलाने के लिये कहा जाता है—यमः इत्यादि। हे राजन्! शत्रुभूत-राजाओं के लिये यम, उनके देशों के लिये अग्नि, सज्जनों के लिये युधिष्ठिर, धन चाहने

वालों के लिये कुबेर और शरण चाहने वालों के लिये वज्र की नोकों से बनाया हुआ घर इस तरह एक ही तुझे विधाता ने पृथिवीतल पर अनेक प्रकार का बनाया है।

उपपादयति—

अत्र कविना यमत्वादिना रूपेण राज्ञो रूपवतः करणाद्रूपकेण, विपक्षभूपालादीनामेतस्मिन्नायाते यमत्वादिना भ्रान्तिरपि सम्भवतीति भ्रान्तिमता, विपक्षभूपालादिभिरनेकैर्ग्रहीतृभिर्यमत्वादिभिरनेकैर्धर्मैरुल्लेखनात् प्रागुक्तोल्लेखप्रकारेण च सह सङ्कीर्णोऽयं सम्बन्धिषष्ठ्यन्तभेदप्रयुक्तवर्ण्यानेकविधत्वक उल्लेखः।

यमत्वादिना भ्रान्तिरपीति। अत्र 'शरणेच्छूनां भ्रान्तिवर्णने राजोत्कर्षविरोधीति चिन्त्यमिदम्' इति नागेशः। अहं तु मन्ये सादृश्यमूलकाहार्यारोपरूपं रूपकं चेन्न विरोधि तर्हि सादृश्यमूलिका भ्रान्तिरपि न विरोधिनी राजोत्कर्षे, तुल्यत्वादिति। प्रागुक्तोल्लेखेति। अत्रापि 'इदमपि चिन्त्यम्। ज्ञानस्यानिबन्धने च ज्ञानपर्यन्तस्य पूर्वोल्लेखस्य कथमप्यत्रासत्त्वात्। नियतव्यञ्जकसामग्र्यभावेनार्थस्यापि तस्यासत्त्वाच्चेति दिक्। इतोऽपि भ्रान्तिरपि सम्भवतीति चिन्त्यमिति बोध्यम्।' इति नागेशः। विषयाश्रयसहचराणां सम्बन्धिन मात्रासत्त्वादाह—सम्बन्धिषष्ठ्यन्तेति। षष्ठ्यन्तार्थसम्बन्धीत्यर्थः। क्वचित्तथैव पाठः। 'यमः—' इतिश्लोके युष्मदर्थस्यैकस्य राज्ञः प्रतिमहीभृदादिषष्ठ्यन्तार्थसम्बन्धिभेदप्रयुक्तम् यमत्वाद्यनेकप्रकारत्वं वर्णितमिति द्वितीय उल्लेखो भवति। स च न शुद्धः, रूपकेण, भ्रान्तिमता, प्रथमोल्लेखेन च संकीर्णत्वात्। तत्र वर्णनीये राज्ञि सादृश्यमूलकयमाद्युपमानाभेदारोपाद्रूपकम्, वर्णनीये राज्ञि समागते प्रतिपक्षराजादीनां यमत्वादिना भ्रान्तेः सम्भवाद् भ्रान्तिमान्, प्रतिपक्षराजादिभिरनेकैः ज्ञातृभिरेकस्य वर्णनीयस्य राज्ञः यमत्वादिनानाप्रकारकत्वेन ज्ञानात् प्रथमोल्लेखश्चेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'यमः—' इस पद्य में कवि ने अपने स्वरूप में विद्यमान राजा को 'यम' आदि रूपों में बताया है—अर्थात् कवि द्वारा वर्णनीय राजारूप उपमेय में 'यम' आदि उपमानों का सादृश्यमूलक अभेदारोप किया गया है, अतः रूपक से, वर्णनीय राजा के आने पर शत्रुभूत राजा आदि को 'यम' आदि का भ्रम भी सम्भव है, अतः भ्रान्तिमान् से और शत्रुभूत राजा आदि अनेक ज्ञाताओं द्वारा वर्णनीय राजारूप धर्मी में यमत्व आदि अनेक-प्रकारक ज्ञान किया गया है, अतः प्रथम उल्लेख से—इतने अलङ्कारों से—मिश्रित द्वितीय उल्लेख है, क्योंकि 'प्रतिमहीभृताम् (शत्रुभूत राजाओं)' आदि षष्ठ्यन्त पद के अर्थ—संबन्धियों—के भेद के कारण वर्णनीय एक राजा का 'यम' आदि अनेक प्रकार का होना यहाँ वर्णित है। नागेश यहाँ कहते हैं कि—"द्वितीय उल्लेख के इस भेद को 'भ्रान्तिमान्' और 'द्वितीय उल्लेख' से मिश्रित बताना उचित नहीं। कारण, एक तो शरणेच्छुजनों द्वारा वर्णनीय राजा के विषय में किसी तरह की भ्रान्ति हुई है यह वर्णन वर्णनीय राजा के उत्कर्ष का विरोधी है, दूसरे द्वितीय उल्लेख की भी यहाँ सम्भावना नहीं, क्योंकि उसके लक्षण में ज्ञान-पर्यन्त का समावेश है और यहाँ यम आदि के ज्ञान का वर्णन है नहीं—अर्थात् जब यहाँ ज्ञान-वाचक कोई शब्द नहीं है और न ज्ञान-व्यञ्जक कोई निश्चित सामग्री ही है तब शाब्द अथवा आर्थ किसी तरह का—ज्ञानात्मक प्रथम उल्लेख कैसे हो सकता है? इससे यह सिद्ध हुआ कि—भ्रान्ति भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, अतः शब्द द्वारा अथवा अर्थ द्वारा ज्ञान का वर्णन न होने के कारण भी भ्रान्ति की संभावना नहीं।"

द्वयोरुल्लेखयोर्वैलक्षण्यं दर्शयति—

अत्रेदं बोध्यम्—प्रथमनिरूपितोल्लेखप्रकारे 'यं महाविष्णुरिति वैष्णवाः, शिव इति शैवाः, यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः, स्वभाव इति लौकायतिकाः, ब्रह्मेत्यौपनिषदाः वदन्ति सोऽयमादिपुरुषो हरिः' इत्यादौ तत्तद्ग्रहीतृकतत्तत्प्रकारकज्ञानसमुदायस्य चमत्कारजनकताया अनुभवसिद्धत्वेनालङ्कारत्वम्। द्वितीये तु प्रकारे 'यः शिष्टेषु सदयः दुष्टेषु करालः' इत्यादौ तत्तद्विषयभेदभिन्नस्य प्रकारसमुदायमात्रस्य तथात्वम्। न तु विद्यमानस्यापि ज्ञानांशस्य, चमत्कारित्वेनाननुभवात्। चमत्कारनिबन्धनो ह्यलङ्कारभाव उपमादीनाम्। अत एवस्माभिः 'विषयाद्यन्यतमानेकत्वप्रयुक्तमेकस्य वस्तुनोऽनेकप्रकारत्वम्' इति द्वितीय उल्लेखो लक्षितः।

यमिति। वर्णनीयः कश्चन राजा यत्पदार्थः। लौकायतिकाः चार्वाकाः। जनकताया इति। इदं ज्ञानं चमत्कारीत्यनुभवाकारः। य इति। अत्रापि वर्णनीयः कश्चिन्नृप एव यत्पदार्थः। तथात्वम् चमत्कारित्वेनानुभावसिद्धत्वम्। प्रकारविशेषणमात्रव्यवच्छेद्यमाह—न त्विति। विद्यमानस्यापि ज्ञानांशस्येति। एकस्य वस्तुनः भिन्नवस्त्वात्मकता ज्ञाननिबन्धनैव सम्भवतीत्यतो ज्ञानांशस्य विद्यमानता बोध्या। अत एवेति। विद्यमानस्यापि ज्ञानांशस्याचमत्कारित्वात् उपमादीनामलङ्कारत्वस्य चमत्कारनिबन्धनत्वाच्चेत्यर्थः। 'यं महाविष्णुरिति वैष्णवाः—' इत्यादौ प्रथमोल्लेखोदाहरणे वैष्णवाद्यनेकज्ञातृक-महाविष्णुत्वाद्यनेकप्रकारकवर्णनीयराजधर्मिकज्ञानसमुदाय एव चमत्कारित्वेनानुभवसिद्ध इति तस्यैवालङ्कारत्वम्, तावत्पर्यन्तस्य प्रथमोल्लेखलक्षणे प्रवेशश्च। 'यः शिष्टेषु सदयः—' इत्यादौ द्वितीयोल्लेखोदाहरणे पुनः शिष्टादिविषयभेदप्रयुक्तभेदविशिष्टस्य सदयत्वादिप्रकारसमुदायस्यैव चमत्कारित्वेनानुभवसिद्धतेति तस्यैवालङ्कारत्वम्, तावत्पर्यन्तस्यैव च द्वितीयोल्लेखलक्षणे प्रवेशश्च। ननु प्रागुक्तादिके द्वितीयोल्लेखोदाहरणेऽपि एकज्ञातृक-वर्णनीयधर्मिक-विषयादिभेदहेतुक-नानाप्रकारकज्ञानसमूहस्य स्थितिरवश्यमेषितव्या, एकवस्तुगतानेकप्रकारत्वस्य ज्ञाननिबन्धनत्वात्, तथा च तत्रापि तस्यैव (ज्ञानसमूहस्यैव) अलङ्कारत्वं किमिति नाङ्गीक्रियते इति चेन्न, सतोऽपि ज्ञानांशस्याचमत्कारित्वेनालङ्कारत्वायोगात् उपमादेरलङ्कारत्वस्य चमत्कारमूलकतायाः सर्वसम्मतत्वात् एवञ्च द्वयोरुल्लेखयोर्वैलक्षण्यं स्पष्टमिति भावः।

दोनों उल्लेखों के पृथक्करण में युक्ति दिखलाई जाती है—अत्रेदम् इत्यादि। 'जिसे वैष्णव महाविष्णु कहते हैं, याज्ञिक यज्ञपुरुष कहते हैं, चार्वाक स्वभाव कहते हैं, वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं वह आदिपुरुष हरि यह (वर्णनीय राजा) है।' इत्यादि प्रथम उल्लेख के उदाहरणों में भिन्न-भिन्न ज्ञाताओं द्वारा किए गये भिन्न-भिन्न प्रकारों (विशेषणों) वाले ज्ञानों—जैसे प्रकृत में वैष्णव आदि ज्ञाताओं द्वारा किए गये महाविष्णुत्व आदि भिन्न-भिन्न प्रकारों वाले ज्ञानों के समूह में ही चमत्कारोत्पादकता अनुभवसिद्ध है—अर्थात् उन ज्ञानों के द्वारा ही सहृदयों के हृदयों में आनन्द उत्पन्न किया जाता है, अतः उन्हें (ज्ञानों को) ही अलंकार माना जाता है। 'जो (वर्णनीय राजा) शिष्टों के विषय में दयायुक्त है, दुष्टों के विषय में भयंकर है।' इत्यादिक द्वितीय उल्लेख के उदाहरणों में तो उन-उन विषयों के भेद के कारण होने वाले एक व्यक्ति के भिन्न-भिन्न प्रकार—अनेक रूप होना—

(जैसे प्रकृत में शिष्ट आदि विषयों के भेद के कारण वर्णनीय राजा का दयायुक्त आदि अनेकरूप होना) ही चमत्कारी अनुभूत होता है, अतः उन (प्रकारों) को ही अलंकार माना जाता है। यद्यपि द्वितीय उल्लेख के उदाहरणों में भी ज्ञान अंश रहता अवश्य है, क्योंकि ज्ञान के भेद (समझ की भिन्नता) से ही एक वस्तु की अनेकप्रकारता हो सकती है, अन्यथा नहीं, तथापि ऐसे स्थलों में रह कर भी ज्ञान अंश चमत्कारी (आनन्दोत्पादक) नहीं अनुभूत होता, अतः उस अंश को अलंकार नहीं माना जाता। कारण, चमत्कारोत्पादक होने के कारण ही उपमा आदि को भी अलंकार माना जाता है। अतएव दूसरे उल्लेख का लक्षण 'विषय आदि में से किसी एक की अनेकता के कारण एक वस्तु के अनेक प्रकार होना' यों बनाया गया है। सारांश यह कि प्रथम उल्लेख में ज्ञान-समूह को और द्वितीय उल्लेख में प्रकार-समूह को अलंकार माना गया है।

एकरूपेण द्वयोरुल्लेखयोरनुगमं दर्शयति—

एवं च 'लक्षणद्वयान्यतरत्वमुल्लेखसामान्यलक्षणतावच्छेदकम्' इत्याहुः। परे तु 'प्रकारद्वयेऽपि वर्ण्यवृत्तित्वेन भासमानप्रकारसमुदाय एवोल्लेखः' इत्यपि वदन्ति।

उक्तरीत्या द्वयोरुल्लेखयोः पृथग्लक्षणकत्वेऽपि तल्लक्षणान्यतरत्वेन रूपेणानुगमः सम्भवति। यदि तु अन्यतरत्वस्य गुरुत्वम् दुर्ज्ञेयत्वं च विभाव्यते तदा 'अनेकैर्ग्रहीतृभिः' 'असत्यपि ग्रहीत्रनेकत्वे' इत्यंशद्वयं लक्षणद्वयघटकं निरस्य वर्णनीयैकवस्तुगतप्रकारसमुदायस्य ग्रहीतृ विषयाश्रयाद्यन्यतमभेदप्रयुक्तस्योल्लेखद्वयसाधारणलक्षणत्वमङ्गीकार्यम्। स्वीकार्यम् च सर्वत्र प्रकारसमुदायस्यैव चमत्कारित्वमिभि भावः। तथा चैकविध एवोल्लेख इति सारांशः।

दोनों उल्लेखों का एक रूप से अनुगम करने की रीति दिखलाई जाती है—एवं च इत्यादि। ऐसी स्थिति—जब कि एक जगह ज्ञानों और दूसरी जगह प्रकारों में चमत्कार अनुभूत होने के कारण दो तरह के उल्लेख माने गए—दो तरह के लक्षण किए गए—में 'इन दोनों लक्षणों में से किसी एक का होना' यदि उल्लेख-सामान्य लक्षण का अवच्छेदक (परिचायक) धर्म मान लिया जाय तब अनुगम हो सकता है यह कुछ लोग कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि—एक तो 'अन्यतरत्व (दो में से एक का होना)' परिष्कार-पद्धति के अनुसार गौरवग्रस्त वस्तु है दूसरे 'अन्यतरत्व' के स्वरूप का ज्ञान होना भी कठिन है, अतः दो लक्षण करके उसको एकरूप से कहने का प्रयास असंगत है, अपि तु दोनों उल्लेखों के भेद को मिटा कर एक लक्षण कर लेना—एक प्रकार का उल्लेख मान लेना—ही समुचित है, अर्थात् 'ज्ञाताओं, विषयों, आश्रयों आदि की अनेकता के कारण होने वाले एक वस्तु के अनेक प्रकार उल्लेख है' एक यही लक्षण—फलतः एक ही उल्लेख—मानना चाहिए और सर्वत्र प्रकारांश में ही चमत्कार मान लेना चाहिए—पहले जो प्रथम उल्लेख में ज्ञान को और द्वितीय उल्लेख में प्रकार को चमत्कारोत्पादक मानते थे उस मान्यता को छोड़ देना चाहिए।

व्यङ्ग्यमुल्लेखं निरूपयितुमाह—

अथोल्लेखस्य ध्वनिः—

उल्लेखालंकारध्वनिर्निरूप्यत्वेनारभ्यत इति भावः।

व्यङ्ग्य उल्लेख का निरूपण करने के लिये कहा जाता है—अथ इत्यादि। अब उल्लेखालंकार की ध्वनि का निरूपण आरब्ध समझिए।

व्यङ्ग्यमुल्लेखमुदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अनल्पतापाः कृतकोटिपापा गदैकशीर्णा भवदुःखजीर्णाः ।
विलोक्य गङ्गां विचलत्तरङ्गाममी समस्ताः सुखिनो भवन्ति ॥'

कविर्गङ्गां वर्णयति—अनल्पः अधिकः, तापो येषाम् ते, बहुतापा इति यावत्, कृतानि कोटिसंख्यकानि पापानि यैस्ते, गदैकैः प्रधानरोगैः, शीर्णाः विकलाङ्गाः, तथा, भवस्य संसारस्य, दुःखैः क्रोधादिभिः, जीर्णाः जर्जरमनसः, इति, अमी, समस्ताः सर्वविधा अपि लोकाः, विचलन्तः चञ्चलीभवन्तः, तरङ्गा यस्याम् तादृशीम्, गङ्गाम्, विलोक्य, सुखिनः, भवन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अनल्प इत्यादि । गङ्गा का वर्णन है—अत्यधिक ताप वाले, करोड़ों पाप करने वाले, प्रधान रोगों से गलिताङ्ग और संसार के दुःखों (कामक्रोध आदि) से जर्जरित, ये सब के सब—लहराती हुई गङ्गा को देखकर सुखी होते हैं ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धोदीरितानां चतुर्णां विलोकनकर्तृणाम् । सुखित्वोक्त्या क्रमेण ताप-पाप-रोग-भव-नाशकत्वप्रकारकाणि ग्रहणान्याक्षिप्यन्ते ।

'अनल्प—' इतिश्लोके पूर्वार्धवर्णितचतुर्विधगङ्गादर्शकजनसमवेतसुखवर्णनेन क्रमशः ताप-पाप-रोग-भव-नाशकत्वप्रकारकज्ञानसमूहः (अर्थात् अनल्पतापजनकर्तृकं तापनाशकत्वप्रकारम्, कृतकोटिपापजनकर्तृकं रोगनाशकत्वप्रकारकम्, गदशीर्णजनकर्तृकम् रोगनाशकत्वप्रकारकम् तथा भवदुःखजीर्णजनकर्तृकम् भवनाशकत्वप्रकारकम् गङ्गाविशेष्यकं ज्ञानम्) उल्लेखालङ्कारत्वपर्यवसायी व्यज्यते इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'अनल्पतापाः—' इस पद्य में पूर्वार्धवर्णित 'चारों प्रकार के दर्शकों के सुखी होने की बात' से चारों ज्ञाताओं द्वारा किए गए 'गङ्गा ताप-नाशिनी है, गङ्गा पापनाशिनी है, गङ्गा रोगनाशिनी है तथा गङ्गा संसारनाशिनी है—' ये चार प्रकार के ज्ञान ध्वनित होते हैं और ऐसे ज्ञानों का समूह ही 'उल्लेख' है, अतः यह पद्य उल्लेख-ध्वनि का उदाहरण होता है ।

विशेषमाह—

अयं च शुद्धस्योल्लेखस्य ध्वनिः ।

'अनल्पतापाः—' इत्यत्र ध्वन्यमानः उल्लेखः शुद्धः, अलङ्कारान्तरामिश्रितत्वादिति भावः ।

शुद्ध (अन्य अलंकार से अमिश्रित) उल्लेखालंकार की यह ('अनल्प—' इस पद्य में दिखाई गई) ध्वनि है ।

सङ्कीर्णोल्लेखध्वनिमुदाहर्तुमाह—

सङ्कीर्णस्य यथा—

अलङ्कारान्तरमिश्रितस्योल्लेखालङ्कारस्य ध्वनिर्यथेति भावः ।

अन्य अलङ्कार से मिश्रित उल्लेख अलङ्कार की ध्वनि, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'स्मयमानाननां तत्र तां विलोक्य विलासिनीम् ।
चकोराश्चञ्चरीकाश्च मुदं परतरां ययुः ॥'

सख्युर्नायकस्य वा उक्तिरियम्—चकोराः स्वनामख्याताः पक्षिविशेषाः, चञ्चरीका भ्रमराः, च, तत्र क्वचित् स्थानविशेषे, स्मयमानम् सस्मितम् , आननम् मुखं, यस्यास्ताम् , ताम् अनुभूतां प्रसिद्धां वा, विलासिनीम् कामिनीम् , विलोक्य, परतराम् अत्युत्कृष्टाम् , मुदम् हर्षम् , ययुः प्राप्तवन्त इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—स्मयमान इत्यादि । वहाँ (किसी स्थान-विशेष में) मन्दहासयुक्त मुखवाली उस विलासिनी को देखकर चकोर तथा भ्रमरों ने परम हर्ष प्राप्त किया ।

उपपादयति—

अत्र ध्वन्यमानया एकैकग्रहणरूपया भ्रान्त्या तदुभयसमुदायात्मा उल्लेखः सङ्कीर्णः ।

एकैकेति । चन्द्रत्वेन कमलत्वेन च ग्रहणेत्यर्थः । तदुभयेति । ग्रहणद्वयेत्यर्थः । 'स्मयमानाननाम्—' इति श्लोके चकोराणाम् चञ्चरीकाणाञ्च सस्मितमुख-कामिनी विलोकन-जन्य-मुत्प्राप्तिवर्णनेन सस्मिते कामिनीमुखे चकोराणां चन्द्रत्वभ्रमः, चञ्चरीकाणाञ्च कमलत्व-भ्रमो व्यज्यते । तौ च भ्रमौ भ्रान्तिमदलङ्कारद्वयरूपौ, तयोर्भ्रान्त्योः समूहश्च नानाग्रहीतृकैकविशेष्यकानेकप्रकारकज्ञानसमुदायरूपतया उल्लेखालङ्काररूपः । एवञ्च भ्रान्तिमद-लङ्कारद्वयसंकीर्णोल्लेखालङ्कारध्वनेरुदाहरणमिदं पद्यं सम्पद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । अभिप्राय यह है कि—'स्मयमानाननाम्—' इस पद्य में जो सस्मित मुखवाली कामिनी के अवलोकन से चकोरों तथा भ्रमरों के हर्ष की प्राप्ति वर्णित है उससे नायिका-मुख में चकोरों का चन्द्र-भ्रम तथा भ्रमरों का कमल-भ्रम—ये दोनों भ्रम—अभिव्यक्त होते हैं । ये दोनों ही भ्रम पृथक् पृथक् रूप में दो 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार हैं और इन दोनों भ्रमों का समूह अभिव्यक्त होकर 'उल्लेख' अलङ्काररूप होता है, क्योंकि भ्रमों का यह समूह अनेक व्यक्ति द्वारा किया गया एक वस्तु के विषय में अनेक-प्रकारक ज्ञानरूप है ही । अतः यह पद्य 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार से मिश्रित 'उल्लेख' अलङ्कार की ध्वनि का उदाहरण होता है ।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न चात्र भ्रान्तेरेव चमत्कार इति शक्यापह्नव उल्लेखः । अनेककर्तृका-नेकधाग्रहणस्यालङ्कारान्तरविविक्तविषयस्य चमत्कृतेरिहापि सत्त्वात् ।

शक्यापह्नव इति । नैवात्रोल्लेखोऽस्तीत्यर्थः । समाधत्ते—अनेकेति । विविक्तविषय-स्येति । अनेकधाग्रहणस्य विशेषणमेतत् । अलङ्कारान्तरेभ्यो विविक्तः पृथग्भूतो विषयो लक्ष्यम् यस्य तादृशस्येत्यर्थः । जन्यत्वं ग्रहणपदोत्तरषष्ठ्या अर्थश्चमत्कृतावन्वेतीति भावः । 'स्मयमानाननाम्—' इत्यत्रैकैकग्रहणरूपाया भ्रान्तेर्यथा चमत्कारोऽनुभवविषय-

स्तथाऽनेककर्तृकैकविशेष्यकनानाप्रकारकज्ञानसमुदायात्मकस्य स्वतन्त्रस्योल्लेखालङ्कारस्य चमत्कारोऽपि अनुभवविषय इति "नात्रोल्लेखः, 'भ्रान्तिमान्' एव केवलः" इति न वक्तुं शक्यमिति सारांशः ।

एक शङ्का और उसका समाधान किया जाता है—न चात्र इत्यादि । 'स्मयमानाननाम्—' इस पद्य में भ्रान्ति का ही चमत्कार है, अतः उल्लेख छिपाया जा सकता है—अर्थात् उल्लेख यहाँ है ही नहीं ऐसा कहा जा सकता है यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि अनेक कर्ताओं द्वारा किया जाने वाला एक वस्तु में अनेक प्रकार का ज्ञान (अर्थात् उल्लेख), जिसका विषय अन्य अलङ्कारों से पृथक् है—अर्थात् जिसको उल्लेख के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका चमत्कार भी यहाँ स्वतन्त्र रूप से है । तात्पर्य यह कि एक-एक भ्रम के चमत्कार को लेकर भ्रान्तिमान् जैसे होगा वैसे भ्रम-समूहकृत चमत्कारविशेष को लेकर उल्लेख भी यहाँ होगा ही ।

प्रथमोल्लेखस्य शुद्धस्य सङ्कीर्णस्य च ध्वनेरुदाहरणे प्रदर्श्य द्वितीयोल्लेखध्वनिमुदाहर्तुमाह—

द्वितीयोल्लेखस्य ध्वनिर्यथा—

द्वितीय उल्लेख की ध्वनि, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'भासयति व्योमगता जगदखिलं कुमुदिनीर्विकासयति ।
कीर्तिस्तव धरणिगता सगरसुतायासमफलतां नयते ॥'

राजस्तुतिरियम्—हे राजन् ! तव, कीर्तिः, व्योमगता आकाशगता सती, अखिलं समग्रं, जगत् संसारम् भासयति प्रकाशयति, तथा कुमुदिनीः, विकासयति, धरणिगता धरातलगता सती च, सगरसुतानाम् सगरराजतनयानाम् आयासम् सागरनिर्माणप्रयासम् , अफलताम् व्यर्थताम् , नयते प्रापयते इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—भासयति इत्यादि । हे राजन् ! आपकी कीर्ति आकाशव्यापिनी होकर समग्र संसार को भासित करती है तथा कुमुदिनियों को विकसित करती है और पृथिवीगत होकर सगर राजा के पुत्रों के परिश्रम को निष्फल कर रही है ।

उपपादयति—

अत्राधिकरणभेदप्रयुक्तमेकस्यामेव कीर्तौ चन्द्रिकात्वसागरत्वरूपानेकविधत्वं रूपसङ्कीर्णं ध्वन्यते ।

'भासयति—' इति श्लोके एकस्याः कीर्तेः जगद्भासन-कुमुदिनीविकासन सगरसुतायासवैफल्यनयनकर्तृत्वेन वर्णनात् कीर्तेश्चन्द्रिकात्वसागरत्वात्मकानेकप्रकारत्वं द्वितीयोल्लेखात्मकम् व्यङ्ग्यं भवति, तत्र च प्रकारभेदे व्योमधरणिरूपाधिकरणभेदः प्रयोजकः । उल्लेखश्चायं न शुद्धः रूपकसङ्कीर्णत्वात् । रूपकश्चात्र व्यङ्ग्यमेव कीर्तिरूपोपमेये चन्द्रसागररूपोपमानद्वयतादात्म्यरूपं बोध्यम् । शुद्धद्वितीयोल्लेखध्वनिरनुदाहृतोऽपि स्वयमूहनीय इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'भासयति—' इस पद्य में आकाश तथा धरातलरूप-आधार-भेद के कारण कीर्तिरूप एक वस्तु के अनेक प्रकार—'चाँदनीपन' तथा

'समुद्रपन'—(अर्थात् द्वितीय उल्लेख) ध्वनित होता है। यह उल्लेख व्यङ्ग्यरूपक से मिश्रित है। कीर्तिरूप उपमेय में चन्द्र तथा समुद्ररूप उपमानों का तादात्म्य यहाँ रूपक का स्वरूप है।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामुल्लेखालङ्कारप्रकरणं समाप्तम्।

उल्लेखालङ्कारनिरूपणानन्तरमपह्नुत्यलङ्कारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथापह्नुतिः—

अपह्नुतिः अपह्नुति-निरूपणम्, अथ आरब्धं वेदितव्यमिति भावः।

उल्लेख अलंकार का निरूपण कर लेने के बाद अब अपह्नुति अलंकार के निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि। अब अपह्नुति-निरूपण का आरम्भ किया जाता है।

अपह्नुति-निरूपण-प्रसङ्गे तावत्तल्लक्षणमाह—

उपमेयतावच्छेदकनिषेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणमुपमानतादात्म्यमपह्नुतिः।

उपमेयतावच्छेदकस्य उपमेयवृत्त्यसाधारणधर्मस्य (मुखत्वादेः) यो निषेधः शब्दप्रतिपादितोऽर्थबललब्धो वा भावस्तत्सामानाधिकरण्येन तदधिकरणवृत्तित्वेन, आरोप्यमाणम् आहार्यनिश्चयविषयीक्रियमाणम्, उपमानस्य चन्द्रादेः, तादात्म्यम् अभेदः, अपह्नुत्यलङ्कार इत्यर्थः। यस्मिन्नधिकरणे मुखत्वादेर्निषेधः शब्दतोऽर्थतो वा प्रतिपाद्यते तस्मिन्नेवाधिकरणे (मुखादावुपमेयभूतपदार्थे) चन्द्रादेरुपमानस्य तादात्म्यमारोप्यमाणमपह्नुतिरिति भावः।

अपह्नुति-अलंकार-निरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम उसका (अपह्नुति का) लक्षण किया जाता है—उपमेयतावच्छेद इत्यादि। जिस मुख आदि अधिकरण में उपमेयवृत्ति-असाधारणधर्म (मुखत्व आदि) का निषेध शब्दतः अथवा अर्थतः किया जाता हो उसी में (मुख आदि में) आरोपित किया जाता हुआ उपमान (चन्द्र आदि) का अभेद अपह्नुति-अलंकार कहलाता है।

लक्षणं विवेचयति—

रूपकवारणाय तृतीयान्तम्। अस्यां चोपमेयतावच्छेदकस्य निषेधादुपमेयतावच्छेदकोपमानतावच्छेदकयोर्विरोधो गम्यते। रूपके तु तयोः सामानाधिकरण्यप्रत्ययात् स निवर्तते।

रूपकवारणायेतिभ्रान्त्यादेरप्युपलक्षणम्। तदुपपादयति—अस्यां चेति। स विरोधः। 'नेदं मुखं किन्तु चन्द्रः' इत्याद्यपह्नुतौ मुखत्वादेर्निषेध इति मुखत्वचन्द्रत्वयोर्विरोधो व्यक्तो भवति। 'मुखं चन्द्रः' इत्यादिरूपके पुनर्मुखत्व–चन्द्रत्वयोरेकाधिकारणवृत्तिताप्रतीतेरविरोध एव भासते। 'चन्द्रधिया चकोरास्त्वन्मुखमभिधावन्ति' इत्यादिभ्रान्तिमत्यपि तयोर्विरोधो नैव भासते, मुखत्वस्य शब्दतः अप्रतीयमानत्वेन प्रतियोग्यप्रसिद्धया अर्थतश्च निषेधाभावात्। तथा चोपमेयतावच्छेदकोपमानतावच्छेदकगतमिथोविरोधव्यक्तिपर्यवसाय्यर्थकलक्षणघटकतृतीयान्तभागेन रूपकभ्रान्तिमदादिवारणं भवतीति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—रूपक इत्यादि। पूर्वोक्त-अपह्नुति-लक्षण में 'जिस अधिकरण में उपमेयतावच्छेदक का निषेध किया जाता हो' इतना अंश रूपक में अतिप्रसङ्ग का वारण करने के लिये कहा गया है। अभिप्राय यह कि अपह्नुति में उपमेयतावच्छेदक का निषेध होने से उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक का परस्परविरोध व्यक्त होता है अर्थात् 'मुख नहीं, चन्द्र है' इत्यादि अपह्नुति में जब 'मुख नहीं' के द्वारा मुखत्व का निषेध कर दिया जाता है तब यह साफ झलक उठता है कि मुखत्व तथा चन्द्रत्व परस्परविरोधी पदार्थ हैं, अन्यथा उक्त निषेध करने की आवश्यकता ही क्या थी, 'मुख-चन्द्र है' ऐसा ही कहते। रूपक में तो उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक का साथ-साथ एक स्थल में रहना प्रतीत होता है, अतः उन दोनों का विरोध नहीं व्यक्त होता, अपितु अविरोध ही भासित होता है, अर्थात् 'मुख चन्द्र है' इत्यादि रूपक में मुखत्व तथा चन्द्रत्व की एक ही मुख में जब प्रतीति होती है तब उन दोनों का अविरोध ही सिद्ध होता है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अपह्नुतिलक्षण के उक्त अंश—जिसका पर्यवसित अर्थ उपमेयतावच्छेदक और उपमानतावच्छेदक का पारस्परिक विरोध व्यक्त होना है—से रूपक का वारण हो जाता है। रूपक का ही नहीं, किन्तु भ्रान्तिमत् आदि का भी वारण उसी अंश से होता है, क्योंकि वहाँ भी उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक का विरोध व्यक्त नहीं होता। वस्तुतः वहाँ उपमेयतावच्छेदक की प्रतीति ही भ्रान्त को नहीं होती, फिर उसके साथ किसी का विरोध भासित होगा कैसे ?

लक्ष्यप्रदर्शनायाह—

उदाहरणम्—

उदाहरण, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'स्मितं नैतत् किन्तु प्रकृतिरमणीयं विकसितं
मुखं ब्रूते मूढः कुमुदमिदमुद्यत्परिमलम्।
स्तनद्वन्द्वं मिथ्याकनकनिभमेतत्फलयुगं
लता रम्या सेयं भ्रमरकुलनम्या न रमणी॥'

एतत् अनुभूयमानं वस्तु, स्मितम् ईषद्धासः, नास्ति, किं तु, प्रकृत्या स्वभावेन रमणीयम् सुन्दरम्, विकसितम् विकासः अस्ति, मूढः मूर्खः, मुखं, ब्रूते कथयति, नेदं मुखमिति यावत्, किं तर्हि ? उद्यत्परिमलम् प्रसरत्सुगन्धम्, कुमुदम्, इदम् अस्ति, स्तनद्वन्द्वम् कुचयुगलं, मिथ्या, स्तनद्वन्द्वकथनमसत्यम् इति यावत् (स्तनद्वन्द्वं नास्ति), किं तर्हि ? कनकनिभम् सुवर्णप्रभम्, फलयुगम्, एतत्, अतः, इयं समक्षस्थिता, रमणी कामिनी, नास्ति अपि तु, भ्रमराणां, कुलेन समूहेन, नम्या नम्रीभावं नीयमाना, सा प्रसिद्धा, लता, इयम्, अस्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—स्मितम् इत्यादि। यह मन्दहास नहीं, अपितु स्वभाव-सुन्दर विकास है। मूर्खजन इसको मुख कहता है, वस्तुतः यह सुगन्धों को बिखेरता हुआ कुमुद-पुष्प है। स्तन-युगल कहना झूठा है, यह तो सुवर्ण सी कान्तिवाला फलयुगल है। अतः यह भ्रमर-समूह से नम्र बनाई जानेवाली रमणीय लता है, रमणी नहीं।

अत्र स्पष्टत्वाल्लक्षणसमन्वयमुपेक्ष्य भेदमुपपादयति—

इयं चानुग्राह्यानुग्राहकभावापन्नावयवकसङ्घातात्मकतया सावयवा ।

इयं चेति । उदाहृता चेत्यर्थः । अवयवकेति । बहुव्रीहिणा सङ्घातविशेषणम् । 'स्मितम्—' इतिश्लोके उपमेयतावच्छेदकीभूतानाम् स्मितत्वादीनाम् निषेधस्याधिकरणेषु स्मितादिषु उपमानानाम् विकासादीनाम् तादात्म्यस्यारोप्यमाणत्वादपह्नुतिः स्पष्टा । सा चात्र सावयवा, साध्य-साधकभावापन्नावयवकसमूहरूपत्वादिति भावः ।

यहाँ स्पष्ट होने के कारण लक्षण समन्वय का उपपादन न करके भेद का उपपादन किया जाता है—इयं च इत्यादि । 'स्मितम्—' इस पद्य में मन्दहास आदि रमणी पर्यन्त जिन अधिकरणों में स्मितत्व आदि उपमेयतावच्छेदकों का निषेध किया जाता है उन्हीं में विकास आदि लता पर्यन्त उपमानों का तादात्म्य आरोपित होता है, अतः अपह्नुति स्पष्ट है । वह अपह्नुति भी यहाँ 'सावयवा' है, क्योंकि यह अपह्नुति ऐसी अपह्नुतियों का समूहरूप है जो परस्पर समर्थ्य-समर्थकभाव से युक्त है, अर्थात् यहाँ चारों चरणों में चार भिन्न-भिन्न अपह्नुतियाँ हैं जिनमें प्रथम तीन अपह्नुतियाँ चतुर्थ अपह्नुति का समर्थन करती हैं ।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

निरवयवेयं यथा—

निरवयवा अपह्नुतिर्यथेति भावः ।

निरवयव अपह्नुति, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'श्यामं सितञ्च सुदृशो न दृशोः स्वरूपं
किं तु स्फुटं गरलमेतदथामृतं च ।
नो चेत् कथं निपतनादनयोस्तदैव
मोहं मुदं च नितरां दधते युवानः ॥'

कवेरुक्तिः—सुदृशः सुनयनाया नायिकायाः, दृशोः नयनयोः, अंशभेदेन श्यामम्, सितम् शुक्लम्, च स्वरूपम् स्वाभाविकं रूपं नास्ति, किं तु एतत् श्यामं सितं च, गरलम् विषम्, अथ अमृतं, च, स्फुटम् स्पष्टम् । विपक्षे बाधकमाह—नो चेदिति । यद्येतत् श्यामं गरलम्, सितममृतं च नास्ति तदा, अनयोः दृशोः, निपतनात्, तदैव पतनकाल एव युवानः, कथम्, नितराम् अत्यन्तम्, मोहम् मूर्च्छाम्, मुदम् हर्षम्, च, दधते धारयन्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—श्यामम् इत्यादि । कवि की उक्ति है कि श्याम और श्वेत सुनयना के नयनों का स्वरूप नहीं है, किन्तु स्पष्ट है कि यह विष तथा अमृत है । कारण, यदि ऐसा न हो तो इन आँखों के पतन से तत्काल ही युवकगण मोह और हर्ष को कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि यह विष तथा अमृत का ही काम है ।

अत्रापि निरवयवत्वस्य स्फुटतया तदुपपादनमुपेक्ष्य प्राग्वद् भेदमाह—

अत्र प्रतिज्ञानार्थवैपरीत्ये बाधकोपन्यासाद्धेत्वपह्नुतिः ।

'श्यामं सितम्' इत्यत्र श्यामत्वसितत्वरूपोपमेयतावच्छेदकनिषेधसामानाधिकरण्येन गरलामृतरूपयोरुपमानयोस्तादात्म्यस्य क्रमश आरोप्यमाणत्वादपह्नुतिः। सा च निरवयवा, अपह्नुतिसङ्घातात्मकत्वाभावात्। प्रतिज्ञातस्य गरलामृततादात्म्यरूपपक्ष्यार्थस्य वैपरीत्ये 'नो चेत्' इत्यादिना बाधकहेतोरुपवर्णनात् हेत्वपह्नुतिशब्देनेयमपह्नुतिर्व्यवह्रियत इति भावः।

यहाँ भी निरवयवत्व स्पष्ट है, अतः उसका उपपादन न करके अन्य विशेष बतलाया जाता है—अत्र इत्यादि। 'श्यामम्—' इस पद्य में श्यामत्व आदि उपमेयतावच्छेदक का निषेध करके विष आदि उपमान के तादात्म्य का आरोप किया गया है, अतः अपह्नुति है और वह भी निरवयव है, क्योंकि यह समर्थ्य-समर्थकभावयुक्त अपह्नुतियों का समूहरूप नहीं है, यहाँ की अपह्नुति को 'हेतु अपह्नुति' भी कहा जाता है। कारण, यहाँ विष तथा अमृत होने की जो प्रतिज्ञा की गई है उसके विपरीत पक्ष (श्याम तथा शुक्ल नयनों का स्वरूप ही है इस पक्ष) में बाधक हेतु का वर्णन 'नो चेत्' इत्यादि द्वारा किया जाता है।

अपह्नुतिभेदानाचष्टे—

अस्यां च नञादिभिः साक्षात्, परमतसिद्धत्वाद्युपन्यासैश्च किञ्चिद् व्यवधानेन विषयस्य निषेधे बोध्यमाने प्रायशो वाक्यस्य भेदः। मिषच्छलच्छद्मकपटव्याजवपुरात्मादिशब्दैस्तु तस्मिंस्तस्यैक्यम्। क्वचिदपह्नवपूर्वकत्वं क्वचिच्चारोपपूर्वकत्वम् क्वचिद्विषयितादूप्यविषयनिषेधयोरेकस्य शाब्दत्वमेकस्यार्थत्वम् क्वचिदुभयोः शाब्दत्वमथोभयोरार्थत्वं विधेयत्वमनुवाद्यत्वं चेति। एवमनेके प्रकाराः सम्भवन्ति।

किञ्चिदिति। भ्रान्त्यादीत्यर्थः। तस्मिन् तन्निषेधे। तस्य वाक्यस्य। निषेधयोरिति। मध्य इति शेषः। अथेति। क्वचिदित्यर्थः। अनुवाद्यत्वं चेति। उभयोरप्यनुवाद्यत्वं विधेयत्वं चेत्यर्थः। अयमपह्नुत्यलङ्कारस्तावद् द्विविधः, एकत्र वाक्यभेदोऽपरत्र वाक्यैक्यम्। तत्र यत्र नञ्-शब्दादिभिः, साक्षात् उपमेयस्य निषेधः, 'परे एवं वदन्ति (नाहमेवं वदामि)' इत्याद्यनुवादेन भ्रान्त्याद्यलङ्कारान्तरं मध्ये निबध्य ततो वा उपमेयस्य निषेधः, तत्र प्रायो वाक्यभेदो भवति। यत्र तु मिषच्छलादिशब्दैरुपमेयस्य निषेधस्तत्र वाक्यैक्यम् भवति। प्रकारान्तरेणापि अपह्नुतेर्भेदा भवन्ति। यथा कुत्रचित् प्रथममुपमेयस्य निषेधस्ततः उपमानतादात्म्यस्यारोपः, कुत्रचित्प्रथममारोप एव ततो निषेधः, एवं कुत्रचित् उपमानतादात्म्योपमेयनिषेधयोर्मध्ये एकस्य शब्दतः प्रतिपादनमपरस्यार्थतोऽवगमः, कुत्रचित् तयोर्द्वयोः शब्दत एव प्रतिपादनम्, कुत्रचिच्च द्वयोरर्थत एव बोधः, एवं कुत्रचित् उपमेयनिषेधोपमानतादात्म्ये विधेये प्रधाने (अनुवाद्यकोटिप्रविष्टत्वेन गुणीभूतेन) भवतः, कुत्रचिच्च ते उभे अपि अनुवाद्ये गुणीभूते तिष्ठतः। इत्थं च बहवो भेदा अपह्नुतेर्भवितुमर्हन्तीति भावः।

अपह्नुति अलङ्कार के भेद किये जाते हैं—अस्यां च इत्यादि। इस अपह्नुति में जब 'नञ् (नहीं)' आदि शब्दों द्वारा साक्षात्, अथवा 'यह दूसरे कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता' इत्यादि रीति से किसी अन्य अलंकार (भ्रान्ति आदि) को मध्य में लाकर, उपमेय का निषेध ज्ञात कराया जाता है तब प्रायः वाक्य-भेद होता है, अर्थात् उपमेय का

निषेध एक वाक्य में और उपमान का ताद्रूप्य दूसरे वाक्य में रहता है। पर जब वही निषेध मिष, छल, छद्म, कपट, व्याज, वपु, आत्मा आदि शब्दों से अवगत कराया जाता है तब वाक्य की एकता होती है, अर्थात् उक्त दोनों बातें एक ही वाक्य में आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त कहीं निषेध पहले रहता है, कहीं आरोप पहले। कहीं उपमान का तादात्म्य और उपमेय का निषेध इन दोनों में से एक शब्द द्वारा वर्णित होता है, दूसरा होता है अर्थतः प्राप्त। कहीं दोनों शब्द द्वारा ही वर्णित होते हैं, कहीं दोनों अर्थ-प्राप्त ही रहते हैं। कहीं दोनों विधेय होते हैं, कहीं दोनों अनुवाद्य। इस तरह अपह्नुति के अनेक प्रकार हो सकते हैं।

सत्स्वपि पूर्वोक्तेष्वनेकेषु प्रकारेषु न ते सर्वे प्रकारा अलङ्कारत्वेन परिगणयितुमुचिता इत्याह—

परं न ते वैचित्र्यविशेषमावहन्तीत्यगणनीयाः।

प्रागुक्ताः सर्वे प्रकाराः सम्भवन्तोऽपि नालङ्कारकोटौ प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति, वैचित्र्यविशेषानाधायकत्वात्, वैचित्र्यविशेषस्यैव चालङ्कारजीवातुभूतत्वादिति भावः।

अपह्नुति के जितने प्रकार ऊपर बताये गये हैं, उन सबों की अलंकारश्रेणी में गणना करना उचित नहीं, क्योंकि उनमें कोई विलक्षण-वैचित्र्य (चमत्कार) नहीं होता और विलक्षण-वचित्र्य को ही अलंकार माना जाता है।

ते प्रकारा भवन्त्येव नेति शङ्कानिरासाय तेषां दिग्दर्शनं कारयति—

एवमपि दिङ्मात्रमुपदर्श्यते—तत्र प्रागुक्तायां सावयवापह्नुतौ प्रथमावयवेऽपह्नवपूर्वकत्वमुभयोः शाब्दत्वं विधेयत्वं वाक्यभेदश्च। द्वितीयावयवे तु वक्तृगतमूढतोक्त्या तद्गतभ्रान्तिप्रतिपत्तिव्यवहिता निषेधप्रतिपत्तिरिति निषेध आर्थः। ताद्रूप्यं शाब्दम्। विधेयवाक्यभेदापह्नवपूर्वकत्वानि पूर्ववत्। चतुर्थावयवे पुनरारोपपूर्वकोऽपह्नवः। उभयोः शाब्दत्वविधेयत्वे वाक्यभेदश्च प्रथमवदेव।

'वदने विनिवेशिता भुजंगी पिशुनानां रसनामिषेण धात्रा।
अनया कथमन्यथाऽवलीढा नहि जीवन्ति जना मनागमन्त्राः॥'

अत्रैकवाक्यत्वं निषेधताद्रूप्ययोरार्थत्वमनुवाद्यत्वं च, निवेशनस्य विधेयत्वात्।

एवमपीति। चमत्कारित्वाभावेऽपीत्यर्थः। उपदर्श्यत इति। उक्तप्रकारजातमिति शेषः। तत्र तेषां मध्ये। प्रथमेति। स्मितमितिपादप्रतिपाद्ये इत्यर्थः। अपह्नवेति। निषेधस्य प्रागुल्लेखादिति भावः। उभयोः ताद्रूप्यनिषेधयोः। एतत्पदार्थस्योद्देश्यत्वादाह—विधेयत्वमिति। द्वितीयेति। मुखमिति पादप्रतिपाद्य इत्यर्थः। तुरुक्तवैलक्षण्ये। तदेवाह—वक्तृगतेति। तद्गतेति। वक्तृगतेत्यर्थः। भ्रान्तीति। भ्रान्तिमदलङ्कारेत्यर्थः। प्रतिपत्तीति। वैयञ्जनिकबोधेत्यर्थः। पूर्ववदिति। प्रथमचरणवदित्यर्थः। स्तनद्वन्द्वमिति पादप्रतिपाद्यतृतीयावयवस्य द्वितीयेन तुल्यत्वात्तमुपेक्ष्याह—चतुर्थेति। लतेतिपादप्रतिपाद्य इत्यर्थः। पुनःशब्दो वैलक्षण्ये। आरोपपूर्वक इति। उपमानताद्रूप्यस्य प्रागुल्लेखादिति भावः। उभयोः ताद्रूप्यनिषेधयोः। वाक्यैक्यस्योदाहरणं सप्रकारभेदमाह—वदन इति। धात्रा विधिना, पिशुनानां, मुखे, रसनामिषेण जिह्वाच्छलेन। भुजङ्गी सर्पिणी, विनिवेशिता

स्थापिता। अन्यथा तथात्वाभावे, अनया जिह्वया, अवलीढाः आस्वादिताः लक्ष्यीकृता इति यावत् , जनाः, अमन्त्राः विफलमन्त्रात्मकप्रतिकाराः सन्तः कथम् , मनाक् ईषदपि, क्षणमपीति यावत् , न, जीवन्ति म्रियन्त इत्यर्थः। उपपादयति—अत्रैकेति। अनुवाद्यत्वं चेति क्वचित् पुस्तके 'विधेयत्वं च' इति पाठ उपलभ्यते परमसौ न युक्तः। असंगतत्वात् , 'विनिवेशनस्य' इत्यग्रिमग्रन्थविरोधाच्चेति भावः। 'वदने-' इतिश्लोके 'मिष'पदेन निषेधस्य बोध्यमानतया वाक्यैक्यम् निषेधताद्रूप्ययोरुभयोरर्थादवगमो, न शब्दात् , अर्थावगतयोश्च तयोरनुवाद्यत्वमेवात्र, न विधेयत्वम् , निवेशनस्यैव विधेयत्वादिति सारांशः।

पूर्वोक्त अपह्नुति के प्रकार हैं अवश्य, अलंकारकोटि में उनकी गणना भले ही न हो। यहाँ यदि कोई यह कहे कि इतने प्रकार होते ही नहीं तो ऐसा कहने वालों के मुख-मुद्रणार्थ उन प्रकारों का दिग्दर्शन कराया जाता है—एवमपि इत्यादि। देखिए—'स्मितं नैतत् –' यह जो पहले सावयव अपह्नुति का उदाहरण कहा गया है उसमें चार अवयव हैं जिनमें से प्रथम अवयव—अर्थात् प्रथमचरणगत अपह्नुति—में अपह्नवपूर्वक आरोप है—अर्थात् निषेध पहले किया गया है और ताद्रूप्यारोप पीछे एवम् निषेध और ताद्रूप्य दोनों शब्द द्वारा वर्णित हैं और हैं दोनों के दोनों विधेय तथा यहाँ वाक्य-भेद है। दूसरे अवयव—अर्थात् द्वितीयचरणगतअपह्नुति—में तो वक्ता को मूढ़ कहने के कारण वक्ता का भ्रम ज्ञात होता है और उसके बाद निषेध, अतः निषेध अर्थप्राप्त है और ताद्रूप्य शब्द द्वारा वर्णित। विधेयता, वाक्य-भेद और निषेध का प्रथम होना—ये सब प्रथम अवयव की तरह हैं। अर्थात् इस अवयव में भी निषेध तथा ताद्रूप्य दोनों विधेय हैं, दो वाक्य हैं और पहले निषेध तब आरोप होता है। तृतीय चरणगत अपह्नुति में सभी बातें द्वितीय अवयव की सी ही हैं। चतुर्थ अवयव अर्थात् चरणगत अपह्नुति—में फिर रीति बदल जाती है अर्थात् वहाँ पहले आरोप है और निषेध पीछे। और निषेधआरोप दोनों का शब्द द्वारा वर्णित होना, विधेय होना और वाक्य-भेद ये सब प्रथम अवयव के समान ही हैं। एक उदाहरण और देखिए—'वदने—अर्थात् विधाता ने जिह्वा के मिष (छल) से चुगलखोरों के मुख में सर्पिणी रख दी है। अन्यथा इस जिह्वा से आस्वादित—इसके चक्कर में पड़े हुए—जन अमन्त्र अर्थात् मन्त्रात्मक प्रतिकार से भी निराश होकर कुछ देर भी क्यों नहीं जीते।' यहाँ एकवाक्यता है अर्थात् 'उपमेय (जिह्वा)' का निषेध, और 'उपमान (सर्पिणी)' का ताद्रूप्य दोनों एक ही वाक्य में आए हैं। दोनों (निषेध तथा ताद्रूप्य) अर्थप्राप्त और अनुवाद्य हैं। अनुवाद्य इसलिए कि न यहाँ निषेध विधेय है न ताद्रूप्य, किन्तु 'निवेशन (रखना)' विधेय है। किसी किसी पुस्तक में 'अनुवाद्यत्वं च' की जगह पर 'विधेयत्वं च' ऐसा पाठ प्राप्त है, पर वह असङ्गत है, क्योंकि आगे साफ लिखा जा रहा है कि "निवेशन' विधेय है।"

भेदविचारं समापयन्नाह—

एवमन्यदप्यूह्यम्—

अपह्नुतेर्ये प्रकारा उक्तास्तेषु येषामुदाहरणानि प्रदर्शितानि तदतिरिक्तानामुदाहरणादिकम् स्वयमूहनीयमिति भावः।

उक्त प्रकारों के विषय में अन्य बातें स्वयं समझिए।

लक्षणघटकाहार्यपदार्थं विवृण्वन् तत्फलमाह—

अत्र च लक्षणे आरोप्यमाणमित्यस्याहार्यनिश्चयविषयीक्रियमाणमित्यर्थः। तेन—

सङ्ग्रामाङ्गणसम्मुखाहतकियद्विश्वम्भराधीश्वर-
व्यादीर्णीकृतमध्यभागविवरोन्मीलन्नभोनीलिमा ।
अङ्गारप्रखरैः करैः कवलयन् सद्यो जगन्मण्डलं
मार्तण्डोऽयमुदेति केन पशुना लोके शशाङ्कीकृतः ॥'

अत्र च विरहिजनवाक्ये नायं शशाङ्कः, अपि तु सच्छिद्रो मार्तण्ड इतिच्छायामात्रमपह्नुतेः, न त्वपह्नुत्यलङ्कारः । तज्ज्ञानस्य दोषविशेषजन्यत्वेनानाहार्यत्वात्, किं तु भ्रान्त्यलङ्कार एव ।

अलिर्मृगो वा नेत्रं वा यत्र किञ्चिद्विभासते ।
अरविन्दं मृगाङ्को वा मुखं वेदं मृगीदृशः ॥'

इत्यत्र मुखमरविन्दं वेति कविनिष्ठाहार्यसंशये मुखनिषेधसामानाधिकरण्येन विषयीभवतोऽरविन्दतादात्म्यस्य निश्चयविषयत्वाभावान्न सङ्ग्रहः । न चात्र विषयनिषेधस्यापदार्थत्वं शङ्क्यम्, वाशब्दार्थत्वात् ।

आरोप्यमाणपदस्यार्थं विवृणुते—अत्र च लक्षणे इति । निश्चये आहार्यत्वानिवेशफलमाह—तेनेति । सङ्ग्रामेति । सङ्ग्रामाङ्गणे युद्धभूमौ, सम्मुखाहताः सम्मुखयुद्धेन मृताः, ये, कियन्तः कतिपये, विश्वम्भराधीश्वरा धरापतयः, तैः, व्यादीर्णीकृतेन विदारितेन मध्यभागेन, यद् विवरम्, तस्मात्, उन्मीलन् प्रकाशमानः, नभोनीलिमा आकाशनैल्यगुणो यस्य तादृशः, तथा, अङ्गारप्रखरैः अङ्गारवत्तीक्ष्णैः, करैः किरणैः, जगन्मण्डलम्, सद्यः साक्षात्, कवलयन् भक्षयन्, अयं प्रत्यक्षं दृश्यमानः, मार्तण्डः सूर्यः, केन पशुना लक्षणया पशुवदज्ञानेन, लोके, अयम्, शशाङ्कीकृतः शशाङ्कश्चन्द्रः स यो न भवति तं तथा कः कृतवानित्यर्थः । उपपादयति—अत्रेति । संग्रामेतिपद्य इति तदर्थः । छायामात्रम् सादृश्यमात्रम् । तज्ज्ञानस्येति । सच्छिद्रमार्तण्डज्ञानस्येत्यर्थः । दोषविशेषेति । विरहेत्यर्थः । अनाहार्यत्वाद् इति । इच्छाजन्यत्वाभावेनेति भावः । विरहिजनोक्ते 'सङ्ग्राम—' इतिश्लोकवाक्ये 'नायं चन्द्रः किंतु सविवरः सूर्यः' इत्याकारकोऽपह्नवो यद्यप्यापाततः प्रतीयते, तथापि वस्तुतो नापह्नवः, मार्तण्डतादात्म्यनिश्चयस्य विरहजन्यत्वेनानाहार्यत्वात् । तथा च दोषविशेषजन्यस्य सादृश्यमूलकस्य उपमेये उपमानभ्रमस्य सत्त्वाद् भ्रान्तिमान् अलङ्कार एवात्रेति सारांशः । आरोप्यमाणपदार्थकुक्षौ ज्ञानत्वमपहाय निश्चयत्वस्य निवेश्यमानस्य फलमाह—अलिरिति । व्याख्यातमिदं पद्यमनुपदं ससन्देहालङ्कारप्रकरण इति नेह पुनर्व्याख्यायते । प्रकृतमुपपादयति—अत्रेत्यादिना । अलिः—' इतिपद्येऽपि 'मुखम् कमलम् वा' इत्याकारकं कविसमवेतं ज्ञानं वर्णितम् तत्र च ज्ञाने उपमेयमुखनिषेधाधिकरणवृत्तितया उपमानभूतमकलतादात्म्यं विषयीभवति यद्यपि, तथापि न तत्रापह्नुतिः, तस्य ज्ञानस्य संशयरूपतया निश्चयात्मकताविरहात् । उपमेयनिषेधोऽत्र न कस्यापि पदस्यार्थः, एवञ्च तावतैवात्र नापह्नुतिरिति तदर्थं निश्चयत्वपर्यन्तानुधावनं व्यर्थमिति न शङ्क्यम्, तन्निषेधस्य वापदार्थत्वादिति भावः ।

लक्षण में आए हुए 'आरोप्यमाण' पद के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए उसका फल दिखलाते हैं—अत्र च इत्यादि । इस अपह्नुति-लक्षण में 'आरोप्यमाण—अर्थात् आरोपित

किया जानेवाला' शब्द का अर्थ है 'आहार्यनिश्चय का विषय किया जाना।' तात्पर्य यह कि वह पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसका निश्चय अपनी इच्छा से वक्ता ने (झूठा ही सही पर) कर लिया हो। उक्त पद का ऐसा अर्थ करने का फल यह हुआ कि 'संग्रामाङ्गण अर्थात् समरभूमि में सम्मुख मारे गए कितने ही राजाओं द्वारा विदीर्ण किए गए मध्यभाग के छिद्र से आकाश की नीलिमा प्रकट हो रही है। उस नीलिमा से युक्त यह सूर्य अंगारों के समान तीक्ष्ण किरणों से भुवन-मण्डल को तत्काल भस्मसात् करता हुआ उदित हो रहा है। किस पशु ने इसे चन्द्रमा न होते हुए भी संसार में चन्द्रमा कर दिया?' इस विरही के वाक्य में अपह्नुति अलंकार नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो विरही को 'यह चन्द्रमा नहीं, किंतु छिद्रसहित सूर्य है' ऐसा निश्चय होता है वह विरहरूपदोष के कारण, अतः वह आहार्य (इच्छाजन्य) नहीं है। हाँ, अपह्नुति की छाया यहाँ अवश्य है, पर वस्तुतः अलंकार यहाँ भ्रान्तिमान् ही है। दूसरा फल यह हुआ कि—'अलिर्मृगो वा—' यह पद्य जिसकी व्याख्या ससंदेहालंकारप्रकरण में की जा चुकी है—अपह्नुति-कोटि में संगृहीत नहीं होता। कारण, यहाँ जो कवि को 'यह मुख है अथवा कमल' ऐसा आहार्यज्ञान होता है उसमें यद्यपि मुख के निषेध के साथ ही कमल का तादूप्य भी विषय हुआ है, तथापि वह ज्ञान आहार्यसंशय है, आहार्यनिश्चय नहीं। यहाँ उपमेय-मुख का निषेध किसी पद का अर्थ नहीं—अर्थात् निषेध-वाचक कोई पद यहाँ नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'वा' शब्द का अर्थ भी एक प्रकार से निषेध ही होता है—यदि कवि को मुख का निषेध करना अभीष्ट न होता तब 'अथवा' कह कर उसका उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी?

दीक्षितमतमनूद्य खण्डयति—

यत्तु कुवलयानन्दाख्ये सन्दर्भे अप्पयदीक्षितैरपह्नुतिप्रभेदकथनप्रस्तावे पर्यस्तापह्नुत्याख्यं भेदं निरूपयद्भिरभिहितम्—

'अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापह्नुतिस्तु सः।
नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्॥' इति।

अत्र चिन्त्यते—नायमपह्नुतेर्भेदो वक्तुं युक्तः, अपह्नुतिसामान्यलक्षणानाक्रान्तत्वात्। तथा हि 'प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्नुतिः, उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत्स्थाप्यते साऽपह्नुतिः' इति काव्यप्रकाशोक्तलक्षणबहिर्भावस्तावत् स्फुट एव। एवं 'विषयापह्नवे वस्त्वन्तरप्रतीतावपह्नुतिः' इत्यलङ्कारसर्वस्वोक्तं लक्षणमपि नात्र प्रवर्तते।

'प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्वप्रकल्पनम्।
साम्यादपह्नुतिर्वाक्यभेदाभेदवती द्विधा॥'

इति चित्रमीमांसागतं तन्निर्मितमपि लक्षणमिह तथैव। तस्मात् 'नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्' इत्यत्र दृढारोपं रूपकमेव भवितुमर्हति, नापह्नुतिः। उपमेयतोपमानतावच्छेदकयोः सामानाधिकरण्यस्य निष्प्रत्यूहं भानात्। तदुक्तं विमर्शिन्याम्—"न विषं विषमित्याहुर्ब्रह्मस्वं विषमुच्यते।' अत्र विषस्य निषेधपूर्वं ब्रह्मस्वविषये आरोप्यमाणत्वाद् दृढारोपं रूपकमेव, नापह्नुतिः।" इति। यदि च प्राचीनमतमुपेक्ष्यालङ्काररत्नाकरेणेव मयाऽप्ययं प्रकारोऽपह्नुतिमध्ये

गणित इत्युच्यते, तदा आहार्यताद्रूप्यनिश्चयस्य समानत्वाद्रूपकभेद एवापह्नुतिरित्यप्युच्यताम्। निरस्यतां च प्राचीनमुखदाक्षिण्यम्। एवमपि चित्रमीमांसागतत्वन्निर्मितापह्नुतिलक्षणस्यात्राव्याप्तिः स्थितैव। अपि च यदि 'नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्' इत्यत्र पर्यस्तापह्नुतिरित्युच्यते, तदा तस्यामेव त्वत्कृतचित्रमीमांसागतस्य—

'बिम्बाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिह्नुते।
उपरञ्जकतामेति विषयी रूपकं तदा॥'

इति रूपकलक्षणस्यातिव्याप्तिर्वज्रलेपायिता स्यात्, विषयिणो निह्नवेऽपि विषयस्यानिह्नुतत्वात्। अथापि चित्रमीमांसायां प्राचीनमतानुसारेण रूपकलक्षणम्, कुवलयानन्दे च रत्नाकराद्यनुसारेणापह्नुतित्वोक्तिरिति यथाकथञ्चित् सामञ्जस्यं विधेयमिति दिक्।

अन्यत्रेति अन्यत्र उपमेये आरोपार्थः उपमानताद्रूप्यारोपप्रयोजनकः, तस्य उपमानस्य, स अपह्नवः पर्यस्तापह्नुतिरिति लक्षणार्थः। उत्तरार्धेनोदाहरणमाह—नायमिति। अयं गगनस्थः, सुधांशुः चन्द्रो, न, किंतु प्रेयसीमुखम् सुधांशुः इत्यर्थः। खण्डयितुमाह—अत्र चिन्त्यत इत्यादि। 'नायं सुधांशुः—' इत्यत्रापह्नुतिर्न भवितुमर्हति, तत्रापह्नुतिसामान्यलक्षणाप्रसक्तेरिति भावः। अप्रसज्यमानानि नानाविधानि लक्षणान्युद्धरति—तथाहि इत्यादिना। 'प्रकृत—'इति। इयं मम्मटभट्टस्य कारिका, प्रकृतम् उपमेयम्। अन्यत् उपमानम्। उपमेयमसत्यमिति। कारिकाकारकृतं कारिका-विवरणमेतत्। विषयापह्नव इति। विषयस्य उपमेयस्य, अपह्नवे सति वस्त्वन्तरस्य उपमानस्य, प्रतीतौ, जायमानायाम्, अपह्नुतिरलङ्कारो भवतीत्यर्थः। प्रकृतस्य निषेधेनेति। प्रकृतस्य उपमेयस्य निषेधेन तद्द्वारेत्यर्थः, साम्यात् सादृश्यमूलकम्, यत्, अन्यत्वस्य उपमानत्वस्य, प्रकल्पनम्, सा, अपह्नुतिः एकवाक्यगतत्वेन भिन्नवाक्यगतत्वेन च द्विप्रकारिकेत्यर्थः। उपरि समुद्धृतानि त्रीण्यपि अपह्नुतेः सामान्यलक्षणानि 'नायं सुधांशुः—'इत्यत्र न संघटन्ते, सर्वत्रोपमेयनिषेधस्य निवेशात्, प्रकृते चोपमानस्यैव निषेधेनोपमेयस्यानिषेधादिति सारांशः। उपसंहरति—तस्मादिति। दृढारोपमिति। आरोपदार्ढ्यसम्पादकमित्यर्थः। रूपकस्य सत्त्वेऽपह्नुतेश्चासत्त्वे हेतुमुपन्यस्यति—उपमेयतेति। मुखत्वसुधांशुत्वयोरेकाधिकरणवृत्तिताया निर्विघ्नं भासमानत्वादित्यर्थः। अत्रार्थे प्राचीनोक्तिं संवादयति—तदुक्तमिति। न विषमिति। विषं, विषं, न आहुः कथयन्ति, ब्रह्मस्वं ब्राह्मणस्वामिकं धनम्। विषम्, उच्यते कथ्यते इत्यर्थः। विषभोक्तुः कथञ्चिदनाशेऽपि ब्रह्मस्वभोक्तुर्नाशो ध्रुव इति तद्भावः। अत्रत्यं विमर्शिनीकारकृतमुपपादनमुद्धरति—अत्रेति। विषस्य उपमानतया विवक्षितस्य। ब्रह्मस्वविषये इति। ब्रह्मस्वरूपे उपमेये इत्यर्थः। आरोप्यमाणत्वादिति। विषस्येति पूर्वोक्तेनान्वयः। यया युक्त्या 'न विषम्—'इत्यत्रापह्नुतेरसत्त्वं रूपकस्य च सत्त्वम् विमर्शिनीकारोऽसाधयत्, तयैव युक्त्या 'नायं सुधांशुः—'इत्यत्रापि तथा सिद्धयतीति परमार्थः। अत्र 'इदं चिन्त्यम्—'नेदं मुखं चन्द्र इति प्रसिद्धापह्नुत्युदाहरणेऽपि

मुखनिषेधस्य चन्द्रारोपदार्ढ्यसम्पादकत्वस्य वक्तुं शक्यत्वेनानुभवसिद्धत्वेन चापह्नुतिमात्रस्योच्छेदापत्तेः। यदि तु निषेधपूर्वकारोपे चमत्कारविशेषस्यानुभवसिद्धत्वादलङ्कारान्तरत्वं तर्हि प्रकृतेऽपि तुल्यमिति।' इति नागेशः। वस्तुतस्तु 'नेदं मुखं, चन्द्रः' इति प्रसिद्धापह्नुत्युदाहरणे उपमेयतावच्छेदकस्य मुखत्वस्य निषेधः स्पष्टः, अतोऽत्र रूपककथनं दुराग्रहमात्रम्, 'विषये यद्यनिह्नुते' इति दीक्षितकृतरूपकलक्षणानुसारमपि विषयनिषेधस्य रूपकत्वविरोधित्वात्। विषयनिषेधस्य रूपकदार्ढ्यसम्पादकत्वमित्युक्तिरपि चक्षुषोर्धूलिप्रक्षेप एव। विषये निषिद्धे कोपमानतादात्म्यारोपः? तादात्म्यारोप एव चासिद्धे का पुनस्तस्य दार्ढ्यसम्पादनाशा? 'नायं सुधांशुः—'इत्यत्र तु 'प्रेयसीमुखं सुधांशुः' इति रूपकं वादिप्रतिवादिविधया स्फुटमेव सिद्ध्यति, 'नायं सुधांशुः' इति गगनस्थितस्य चन्द्रस्य कृते कृतो निषेधः प्रकृतारोपदार्ढ्याय एवेति स्वीकरणीयमकामेनापीति मार्मिका विमृशन्तु। ननु वस्तुस्थितेरेवानुरोद्धव्यतया प्राचीनैरवज्ञीकृतोऽप्येषोऽपह्नुतेर्भेदः स्वीक्रियत इत्याह—यदि चेति। रत्नाकरेणेवेति। दृष्टान्तोल्लेखात्तदनुरोधेनायं भेदो गणित इति सूचितम्। प्रतिवन्द्या जागरूकत्वेन तदपि न सम्भवतीत्याह—तदेति रूपके यथोपमानाहार्यताद्रूप्यनिश्चयो भवति तथापह्नुतावपीति रूपकप्रकारविशेषा एव सर्वा अपह्नुतय इत्यपि वक्तव्यं भवतेति भावः। ननु प्राचीनसिद्धान्तविरोध इति चेत्तत्राह—निरस्यतां चेति। प्राचीनाः प्रकाशकारादयस्तदनुरोधस्त्यज्यतामिति तात्पर्यार्थः। ननु निषेधपूर्वकारोपे चमत्कारविशेषस्यानुभवसिद्धत्वेन कथमपलापः, अतो दोषान्तरमाह—एवमपीति। उक्तरीत्या तथाङ्गीकारेऽपीत्यर्थः। लक्षणस्येति। 'प्रकृतस्य निषेधेन—'इत्यादेः प्रागुद्धृतस्येत्यर्थः। अत्रेति। 'नायं सुधांशुः—'इति लक्ष्ये इत्यर्थः। अव्याप्तिरिति। प्रकृतनिषेधाभावादिति भावः। दोषान्तरमाह—अपि चेति। तस्यामेवेति। पर्यस्तापह्नुतावेवेत्यर्थः। 'बिम्बाविशिष्टे—' इति। रूपकप्रकरणे समद्धृता व्याख्याता चेयं कारिका। वज्रलेपायितेति। दुर्वारेत्यर्थः। अतिव्याप्तेर्वज्रलेपायितत्वे हेतुमाह—विषयिण इति। 'नायं सुधांशुः—'इत्यत्र सुधांशोरूपमानस्य निषेधेऽपि मुखस्योपमेयस्यानिषिद्धतया त्वदुक्तलक्षणप्रसक्तेरतिव्याप्तिरिति भावः। दीक्षितहृदयमुद्घाटयति—अथापीति। रत्नाकरादीति, आदिना दण्डिग्रहणम्। इत्थं हि काव्यादर्शे (२। ३०४) तेनोक्तम्—'अपह्नुतिरपह्नुत्य किंचिदन्यार्थसूचनम्' इति। यथा कथंचित्। सामञ्जस्यमिति। अत्र "एतदनन्तरमत्र किंचित्पतितम्। तत्सर्वपुस्तके दुर्लभमेव अनन्तरं 'विधेयमिति दिक्' इति ग्रन्थः।" इति नागेशः।

अनुवाद करके दीक्षितमत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि। 'कुवलयानन्द' नामक ग्रन्थ में अप्पय दीक्षित ने अपह्नुति के भेद कहने के प्रसङ्ग पर 'पर्यस्तापह्नुति' नामक भेद का निरूपण करते हुए कहा है कि "अन्यत्र—अर्थात् उपमेय में उपमान का आरोप करने के लिए (उपमान के) अपह्नव को 'पर्यस्तापह्नुति' कहते हैं, जैसे यह आकाश में स्थित चन्द्रमा, चन्द्रमा नहीं है, तो फिर चन्द्रमा क्या है? प्रियतमा का मुख" उक्त दीक्षित-कथन पर विचार किया जाता है—'नायं सुधांशुः—' को अपह्नुति का भेद कहना समुचित नहीं, क्योंकि इसमें अपह्नुति का सामान्य लक्षण संघटित नहीं होता। देखिए—'प्रकृतं प्रतिषिध्य—अर्थात् उपमेय को मिथ्या कहकर उपमान का सत्यतया स्थापन करना अपह्नुति है।' यह लक्षण काव्यप्रकाशकार मम्मट ने किया है।

'विषयापह्नवे—अर्थात् उपमेय के छिपाने पर अन्य वस्तु की प्रतीति को अपह्नुति कहते हैं'। यह लक्षण सर्वस्वकार ने बनाया है। स्वयं दीक्षित जी ने 'चित्रमीमांसा' में 'उपमेय का निषेध करके, सादृश्य के कारण, अन्य होने की कल्पना को अपह्नुति कहते हैं। वह कहीं एकवाक्यगत कहीं दोवाक्यगत होने से दो तरह की है।' यह लक्षण लिखा है। वे तीनों ही अपह्नुति के सामान्य लक्षण प्रकृत में संघटित नहीं होते। कारण, इन तीनों ही लक्षणों में उपमेय का निषेध आवश्यक माना गया है और यहाँ ('नायं सुधांशुः' में) उपमेय का निषेध नहीं हुआ है। अतः 'नायं सुधांशुः—' इस वाक्य में दृढारोप रूपक ही होना उचित है, अपह्नति नहीं। कारण, यहाँ उपमेयतावच्छेदक (मुखत्व) और उपमानतावच्छेदक (चन्द्रत्व) दोनों का एक अधिकरण (आधार) में रहना—जो रूपक का साधक है—निर्विघ्न रूप से भासित होता है—अर्थात् उपमान-उपमेय का विरोध—जो अपह्नति का साधक होता है—यहाँ भासित नहीं होता। यही बात 'विमर्शिनी' में उपलब्ध भी होती है—"न विषम्—अर्थात् जहर को जहर नहीं कहते अपि तु ब्राह्मण के धन को जहर कहते हैं, यहाँ पहले विष का निषेध कर अनन्तर उसका 'ब्रह्मस्व'रूप उपमेय में आरोप किया जा रहा है, अतः यहाँ दृढारोप रूपक ही है, अपह्नुति नहीं।" यदि आप कहें कि—'अलङ्कार-रत्नाकर' की तरह मैंने भी प्राचीन मत की उपेक्षा करके इस भेद को अपह्नुति में ही गिना है, तो मैं कहूँगा कि आहार्य ताद्रूप्य का निश्चय तो अपह्नुति में भी वैसा ही रहता है जैसा रूपक में, अतः अपह्नुति को भी रूपक का ही भेद कह दीजिए और प्राचीनों का मुँह जोहना छोड़ दीजिए। यदि आप निषेधपूर्वक आरोप में विलक्षण चमत्कार अनुभूत होने की बात कहकर उक्त प्रतिबन्दी से बचना चाहें तो बच सकते हैं, पर अन्य आपत्ति से नहीं बच सकते—अर्थात् 'प्रकृतस्य निषेधेन-' इस पूर्वोद्धृत चित्रमीमांसागत आपके लक्षण की अव्याप्ति यहाँ हो ही जायगी, तात्पर्य यह कि जब आप 'नायं सुधांशुः—' को अपह्नुति का भेद मानते हैं—तब उसमें आपका सामान्य अपह्नुति-लक्षण संघटित हो यह उचित है, पर ऐसा होता नहीं—यह दोष आपके मत में होगा ही। इतना ही नहीं, यदि आप 'नायं सुधांसुः—' में 'पर्यस्तापह्नति' कहते हैं, तब उसी पर्यस्तापह्नुति में चित्रमीमांसागत आपका 'बिम्बाविशिष्टे—' यह रूपकलक्षण जो रूपक-प्रकरण में व्याख्यात हो चुका है—अतिप्रसक्त हो जायगा, क्योंकि वहाँ उपमान का निषेध होने पर भी उपमेय का निषेध नहीं हुआ है। इतने पर भी 'चित्रमीमांसा' में प्राचीनों के मत के अनुसार रूपक का लक्षण किया गया है और 'कुवलयानन्द' में रत्नाकर, दण्डी आदि के अनुसार इस भेद को अपह्नुति कहा गया है इस तरह किसी प्रकार समन्वय किया जा सकता है। यहाँ नागेश का कथन है कि—'सामञ्जस्यं' के बाद कुछ ग्रन्थ त्रुटित है, जो किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं होता।

भेदान्तरमुदाहरति—

'अनल्पजाम्बूनददानवर्षं तथैव हर्षं जनयञ्जनेषु।
दारिद्र्य घर्म-क्षपणक्षमोऽयं धाराधारो नैव धराधिनाथः॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—जनेषु लोकेषु, अनल्पं प्रभूतं, यज्जाम्बूनददानम् सुवर्ण-वितरणम्, स एव वर्षः वृष्टिः, तम्, तथैव, हर्षम् सुखम्, जनयन् सम्पादयन्, अयम् वर्णनीयः पुरुषविशेषः, दारिद्र्यरूपस्य घर्मस्य रौद्रस्य, क्षपणे नाशने, क्षमः समर्थः, धाराधरः मेघः, अस्ति, धराधिनाथः वसुधाधिपः (राजा) नैव, अस्तीत्यर्थः।

अपह्नुति का अन्य भेद उदाहरण द्वारा दिखलाया जाता है—अनल्प इत्यादि। कवि किसी राजा के विषय में कहता है—मानवों में अत्यधिक सुवर्णदान-रूप वृष्टि तथा हर्ष उत्पन्न करता हुआ यह दरिद्रता-रूप ताप के नाश करने में समर्थ मेघ है, राजा नहीं।

भेदं स्फुटयति—

सावयवारोपेयमपह्नुतिः।

'अनल्प—' इतिश्लोके दाने वर्षारोपेण 'धराधिनाथो न किन्तु धाराधरः' इत्यपह्नुतिः सावयवारोपा (अवयवारोपसहिता, अवयवरूपकसहितेति यावत्) व्यवह्रियत इति भावः।

भेद का स्पष्टीकरण किया जाता है—सावयवा इत्यादि। 'अनल्प—' इस पद्य में जो अपह्नुति है वह सावयवारोपा (अवयवांश में आरोपसहिता) कही जाती है। सारांश यह कि—यहाँ 'दानवर्षम्' इस अवयव-भाग में आरोप हुआ है—अर्थात् दान में वृष्टि-भाव आरोपित है (फलतः रूपक है), अतः 'राजा नहीं, किन्तु मेघ है' यहाँ की यह अपह्नुति 'सावयवारोपा' कही जाती है।

पुनर्भेदान्तरमाह—

आरोपमात्रोपायत्वे परम्परिताप्येषा सम्भवति।

आरोपेति आरोपस्येत्यादिः। मात्रपदेन अपह्नुतेरपह्नुत्युपायत्वं व्यवच्छिद्यते। यस्या अपह्नुतेरवयवांशे एक आरोपोऽपरस्यारोपस्योपायभूतो भवेत्, साऽपह्नुतिः परम्परिता कथ्यत इति भावः।

पुनः अन्य भेद किया जाता है—आरोप इत्यादि। जिस अपह्नुति के अवयवांश में ऐसे दो आरोप हों जिनमें एक दूसरे का उपायभूत रहे तब वह अपह्नुति परम्परिता भी हो सकती है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'मनुष्य इति मूढेन खलः केन निगद्यते।
अयं तु सज्जनाम्भोजवनमत्तमतङ्गजः॥'

केन, मूढेन, खलः दुष्टो जनः, 'मनुष्यः' इति पदेन, निगद्यते कथ्यते। मनुष्यो न, अपि तु अयम् सज्जनसमूहरूपस्य, अम्भोजवनस्य कमलपुञ्जस्य, कृते, मत्तः, मतङ्गजः हस्ती, अस्तीत्यर्थः। अत्र सज्जनसमुदयेऽम्भोजवनत्वारोपः खले मतङ्गजत्वारोपस्योपाय इति परम्परितताऽस्या अपह्नुतेर्बोध्या।

उदाहरण दिखलाया जाता है—मनुष्य इत्यादि। कौन मूर्ख 'दुष्ट' को मनुष्य कहता है। यह तो सज्जनरूप कमल-वन के लिये मत्त हाथी है—जैसे मत्त हाथी कमलवन को तोड़-फोड़कर विनष्ट कर देता है उसी तरह दुष्ट सज्जन को नष्ट कर देता है। यहाँ दुष्ट में हाथीपन के आरोप का उपायभूत है सज्जनों में कमल-वन-भाव का आरोप, अतः 'मनुष्य नहीं, हाथी है' इस अपह्नुति का व्यवहार 'परम्परित' शब्द से किया जाता है।

अपह्नुतिध्वनिमुदाहर्तुमाह—

अस्याश्च ध्वनिर्यथा—

अस्या अपह्नुतेः।

अपह्नुति की ध्वनि जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'दयिते रदनत्विषां मिषादयि ! तेऽमी विलसन्ति केसराः।
अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृहयालवोऽलयः॥'

व्याख्यातमिदं प्राक् (११४ पृष्ठे)।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—दयिते इत्यादि। (इसका अर्थ ११४ पृ. में देखें)।

उपपादयति—

अत्र 'नैता रदनत्विषः, किंतु किञ्जल्कपरम्पराः। न चैतेऽलकाः, अपि त्वलयः' इति पूर्वोत्तरार्धाभ्यां द्वे अपह्नुती तावत्प्रात्कण्ठ्येनैव निवेदिते। ताभ्यां च 'न त्वं नारी, किं तु कमलिनी' इति तृतीयापह्नुतिर्व्यञ्जनव्यापारेण प्राधान्येन निवेद्यते, तत्सम्बन्धिवस्तुनिषेधारोपयोस्तन्निषेधारोपनिवेदकत्वस्य न्याय्यत्वात्। तुल्ययोगिता तु गुणतया स्थिता।

तावत् आदौ। अप्राधान्ये ध्वनित्वाभावादाह—प्राधान्येनेति। तदिति। अवयवीत्यर्थः। ननु वाच्यतुल्ययोगिताया एवात्र प्राधान्येन कथं ध्वनित्वमत आह—तुल्ययोगिता त्विति। 'दयिते—' इतिश्लोके रदत्विट्त्वनिषेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणकेसरतादात्म्यरूपा एका अपह्नुतिः पूर्वार्धेन, अलकत्वनिषेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणभ्रमरतादात्म्यरूपा च द्वितीया अपह्नुतिः द्वितीयार्धेन, वाच्यवृत्त्यैव बोध्यते। तेन चापह्नुतिद्वयेन। नारीत्वनिषेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणकमलिनीतादात्म्यरूपा 'न त्वं नारी, किंतु कमलिनी' इत्याकारा तृतीयाऽपह्नुतिर्ध्वन्यते। एतत्तृतीयापह्नुतिव्यञ्जकत्वं प्रथमवाच्यापह्नुतिद्वयस्य समुचितमेव, यतः अवयविसम्बन्धिवस्तुनिषेधारोपौ अवयविनिषेधारोपयोः बोधकौ भवत एव—अर्थात् अवयविभूतनारीसम्बन्धिरदनकान्तिनिषेधोऽवयविरूपनारीनिषेधस्य, एवम् अवयविभूतकमलिनीसम्बन्धिकिंजल्कपरम्परारोपः कमलिन्यारोपस्य बोधकौ भवेताम्। अस्याश्च व्यङ्ग्यापह्नुतेः सर्वाधिकचमत्कारितया प्राधान्येन तद्ध्वनित्वव्यवहारोऽत्र क्रियते। ननु अप्रकृतयोः केसरभ्रमरयोर्विलासरूपैकक्रियान्वयित्वेन जायमाना तुल्ययोगिताऽत्र प्रधानेति चेन्न, तस्या गुणताया एव स्वीकरणादौचित्याच्चेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'दयिते—' इस पद्य में 'ये दन्त-कान्तियाँ नहीं हैं, किंतु केसर-पंक्तियाँ हैं' और 'ये केश नहीं हैं, किन्तु भ्रमर हैं' ये दो अपह्नुतियाँ तो क्रमशः पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध द्वारा प्रकट रूप में ही निवेदित हैं—अर्थात् वाच्य ही हैं। इन दोनों अपह्नुतियों द्वारा 'तू स्त्री नहीं, किन्तु कमलिनी है' यह तृतीय अपह्नुति, व्यञ्जनावृत्ति से, प्रधानतया ध्वनित होती है। कारण, 'अवयवी से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओं के निषेध और आरोप से अवयवी के निषेध और आरोप विदित होते ही हैं'—यह बात न्याय-प्राप्त है। तात्पर्य यह कि नारी-सम्बन्धि-दन्तकान्तियों का निषेध नारी-निषेध का और कमलिनी-संबन्धि केसरों का आरोप कमलिनी आरोप का व्यञ्जक न्यायतः होगा।

आप कहेंगे—यहाँ उपमान होने के कारण अप्रस्तुत केसर तथा भ्रमरों का विलास-क्रियारूप एक धर्म के साथ सम्बन्ध है, अतः जो तुल्ययोगिता वाच्य होती है वहीं प्रधान है, फिर अप्रधान व्यङ्ग्य अपह्नुति को लेकर ध्वनि का व्यवहार करना उचित नहीं, तो मैं कहूँगा कि—आपका कथन ठीक नहीं है। कारण, तुल्ययोगिता यहाँ है अवश्य, पर प्रधान नहीं किन्तु गौण, अतः उक्त ध्वनि का व्यवहार यहाँ अत्यन्त समुचित है।

खण्डनाय दीक्षितोक्तमुद्धरति—

यत्त्वप्पयदीक्षितैरपह्नुतिध्वनावुक्तम्—

"-'त्वदालेख्ये कौतूहलतरलतन्वी विरचिते
विधायैका चक्रं रचयति सुपर्णीसुतमपि।
अपि स्विद्यत्पाणिस्त्वरितमपमृज्यैतदपरा
करे पौष्पं चापं मकरमुपरिष्टाच्च लिखति॥'

इत्यादावपह्नुतिध्वनिरुदाहर्तव्यः। अत्र हि चक्रसुपर्णलेखनेन 'नायं साधारणः पुरुषः, किंतु पुण्डरीकाक्षः' इति कयाचिद् व्यञ्जितम्। अन्यया तु—तस्याप्येतादृशं रूपं न सम्भवतीत्याशयेन 'नायं पुण्डरीकाक्षोऽपि, किन्तु—मन्मथः' इति तदुभयमपमृज्य पुष्पसायकमकरध्वजलेखनेन व्यञ्जितम्।" इति।

कस्यचन नायकस्य वर्णनम् त्वदालेख्ये इति। कविः कथयति—कौतूहलेन उत्कण्ठया, तरलया चपलया, तन्व्या कृशाङ्गया नायिकया, विरचिते निर्मिते, त्वदालेख्ये त्वत्प्रतिकृतिभूते चित्रे, एका नायिका, चक्रं सुदर्शनाख्यम्, तच्चित्रमिति यावत्, विधाय कृत्वा, सुपर्णीसुतं गरुडम्, तच्चित्रमिति यावत्, अपि रचयति। स्विद्यन्तौ स्वेदयुक्तीभवन्तौ, पाणी करौ, यस्यास्तादृशी अपरा तृतीया काचिन्नायिका, एतदपि चक्रगरुडचित्रमपि, त्वरितं शीघ्रम्, उपमृज्य प्रोञ्छ्य, करे चित्रलिखितत्वद्धस्ते, पौष्पं प्रसूनमयम्, चापं धनु-, उपरिष्टाच्च, मकरम्, लिखतीत्यर्थः। अत्र 'स्विद्यत्पाणिः' इति विशेषणं चित्रापमार्जनयोग्यतां व्यनक्ति। तस्यापीति। पुण्डरीकाक्षस्यापि। तदुभयमिति। चक्रसुपर्णद्वयमपीत्यर्थः। अयं भावः—दीक्षितेन 'त्वदालेख्ये—' इति पद्यमपह्नुतिध्वन्युदाहरणतया स्वीकरणीयमित्युक्त्वा तदुपपादने कथितम्, यत् अस्मिन् पद्ये चक्रसुपर्णचित्रनिर्माणेन (तादृशनिर्माणवर्णनेन) 'नायं साधारणः पुरुषः, अपि तु विष्णुः' इत्याकारिकाऽपह्नुतिर्ध्वन्यते। पुनः विष्णोरीदृशं रूपं न भवितुमर्हतीत्यभिप्रायवदपरनायिकाकर्तृकतत्प्रोञ्छनपूर्वककराधिकरणकपुष्पधनुरादिनिर्माणवर्णनेन 'नायं विष्णुरपि, अपि तु कामदेवः' इत्याकारिकाऽपराऽप्यपह्नुतिर्ध्वन्यत इति। इति।

खण्डन करने के लिये दीक्षितजी का मत उद्धृत किया जाता है—यत्तु इत्यादि। अप्पयदीक्षित ने अपह्नुति-ध्वनि के विषय में कहा है कि—"'त्वदालेख्ये—अर्थात् उत्कण्ठा से चञ्चल बनी कृशाङ्गी नायिका द्वारा रचित तेरे चित्र में दूसरी नायिका सुदर्शन-चक्र (उसका चित्र) बनाकर गरुड़ बना रही है। और तीसरी नायिका—जिसके हाथों में प्रस्वेद आ रहे थे (इससे चित्र को मिटाने की योग्यता सूचित होती है) झट से चक्र और गरुड़ को मिटाकर हाथ में पुष्पमय धनुष तथा ऊपर मगर लिख रही है।' (यह किसी नायक का कविकृत वर्णन है।) इत्यादिक में अपह्नुति-ध्वनि का उदाहरण देना

चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी नायिका द्वारा चक्र तथा गरुड के चित्रण का वर्णन होने से 'यह साधारण पुरुष नहीं, किंतु विष्णु है' यह अपह्नुति ध्वनित होती है और पुनः अन्य नायिका द्वारा 'विष्णु का भी ऐसा रूप नहीं हो सकता' इस अभिप्राय से शीघ्र चक्र तथा गरुड दोनों को मिटाकर पुष्पमय धनुष और मगररूप ध्वजा के चित्रण का वर्णन होने से 'यह विष्णु भी नहीं, किंतु कामदेव है' यह अपह्नुति भी ध्वनित होती है।"

खण्डयति—

तदेतदापातरमणीयम्। यत्तावदुच्यते—'चक्रसुपर्णलेखनेन नायं साधारणः पुरुषः, किन्तु पुण्डरीकाक्षः' इति कयाचिद् व्यञ्जितमिति। तत्रापह्नुतेर्द्वौ भागौ—उपमेयनिषेधः, उपमानारोपश्चेति। तयोस्तावदुपमानारोपभागः पुण्डरीकाक्षोऽयमित्याकारश्चक्रसुपर्णलेखनेनाभिव्यङ्क्तुं शक्यः, चक्रसुपर्णयोस्तत्सम्बन्धित्वात्। न तु नायं साधारणः पुरुष इत्युपमेयनिषेधभागोऽपि, व्यञ्जकस्यारोपमात्रव्यञ्जनसमर्थस्य तादृशनिषेधव्यञ्जने सामर्थ्याभावात्। नाप्यनुभवसिद्धः सः, येन तद्व्यञ्जनोपायो गवेष्येत। नापि गवेष्यमाणोऽपि तद्व्यञ्जनोपायः शब्दोऽर्थो वा उपलभ्यते, येनानुभवकलहोऽपि स्यात्। न च साधारणपुरुषनिषेधमन्तरेण पुण्डरीकाक्षतादात्म्यारोपो दुर्घट इति सोऽपि व्यज्यत इति वाच्यम्, रूपकोच्छेदापत्तेः। मुखं चन्द्र इत्यादौ मुखनिषेधमन्तरेण चन्द्रत्वं दुरारोपमित्यस्यापि सुवचत्वात्। तत्रापि मुखनिषेधावगमे जितमपह्नुत्या।

अथ मुखं चन्द्र इति रूपके मुखत्वसामानाधिकरण्येन चन्द्रताद्रूप्यस्यारोप्यमाणतया न मुखनिषेधापेक्षेति चेत्, प्रकृतेऽपि तर्हि तादृशसाधारणपुरुषत्वसामानाधिकरण्येन पुण्डरीकाक्षतादात्म्यारोपरूपमसौ राजा पुण्डरीकाक्ष इत्याकारकरूपकमेव भवितुमीष्टे, नापह्नुतिः।

यदपि चोच्यते 'नायं पुण्डरीकाक्षः, अपि तु मन्मथः' इत्यादि। तत्र यद्यपि चक्रसुपर्णदूरीकरणेन नायं पुण्डरीकाक्ष इति निषेधः, पुष्पचाप-ध्वजगतमकरयोर्लेखनेन च मन्मथोऽयमित्युपमानारोपश्च व्यङ्ग्यो भवितुमर्हति, तथापि नासावपह्नुतिः। 'प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्वप्रकल्पनम्' इति त्वत्कृतलक्षणस्याप्यत्रासत्त्वात्। अत्र हि निषेध्यस्य भगवतः पुण्डरीकाक्षस्यावर्ण्यत्वेनाप्रकृततया प्रकृतनिषेधाभावात्। नहि पूर्वारोपिततामात्रेण प्रकृतत्वं वक्तुं शक्यम्। प्रकृतपदस्यारोपविषयपरतया 'निषिध्य विषयम्' इत्यादिना क्त्वाप्रत्ययफलं ब्रुवता भवतैव तत्र स्फुटीकरणात्। काव्यप्रकाशकृतापि 'प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्नुतिः' इति सूत्रं व्याचक्षाणेन 'उपमेयमसत्यं कृत्वा' इत्यादिना प्रकृतपदस्योपमेयपरतयैव व्याख्यानाच्च।

प्राचीनमतसिद्धेयमपह्नुतिर्व्यङ्ग्यत्वेनास्माभिरिहोच्यत इत्यपि कुशकाशावलम्बनमात्रम्, 'प्रकृतस्य निषेधेन' इत्यादिलक्षणं कुर्वता भवतैव तस्या बहिःकरणात्।

एवमप्युक्तपद्ये कोऽलङ्कारो व्यङ्ग्य इति चेत्? विच्छित्तिवैलक्षण्येऽतिरिक्तः, अन्यथा त्वपह्नुतिरेवास्तु। लक्षणं तु तदा प्रसक्तयत्किञ्चिद्वस्तुनिषेधसामाना-

धिकरण्येन क्रियमाणवस्त्वन्तरारोपत्वमेव। तस्मात् सर्वमेवेदमहृदयङ्गमं सहृदयानाम्।

तदेतदिति। पूर्वोद्धृतं दीक्षितमतमित्यर्थः। आपातरमणीयं बहिःसुन्दरम्। वस्तुतो दुष्टमिति यावत् प्रथममंशविशेषमनूद्य खण्डयति—यत्तावदिति। तत्रेति। उच्यतइति शेषः। तत्सम्बन्धित्वादिति। पुण्डरीकाक्षसम्बन्धित्वादित्यर्थः। भागोऽपीति। अभिव्यङ्क्तुं शक्य इत्यनुषङ्गः। व्यञ्जकस्येति। चक्रसुपर्णलेखनस्येत्यर्थः। नन्वेवं कथं तदनुभवोऽत आह—नापीति। स इति। तादृशनिषेधभाग इत्यर्थः। उक्तपद्य इति शेषः। गवेष्येत अन्विष्येत। ननु विनिगमनाविरहोऽत आह—नापीति। उपलभ्यत इति। प्रकृतपद्य इति शेषः। अनुभवकलह इति। 'निषेधभागो नानुभूयते' इति वदता मया सह 'अनुभूयत एव स भागः' इतिवदतस्तवानुभवविषयको विवाद इत्यर्थः। निषेधभागाभिव्यक्तेः स्वीकरणीयत्वे युक्तिं शङ्कते—न चेति। दुर्घट इति। तज्ज्ञानस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वादिति भावः। सोऽपीति। निषेधभागोऽपीत्यर्थः। अनुपपत्त्येति भावः। समाधत्ते—रूपकोच्छेदेति। कथं तदुच्छेदः, 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ सावकाशत्वादित्यत्राह—मुखं चन्द्र इति। ननु तत्रापि तत्स्वीकारोऽत आह—तत्रापीति। रूपकेऽपीत्यर्थः। एवं च तदुच्छेदापत्तिरिति भावः। बाधज्ञानमाहार्यज्ञाने न प्रतिबन्धकमित्याशयेनाह—अथेति। सामानाधिकरण्येनेति। मुखत्वविशिष्टमुखरूपाधिकरणवृत्तितयेत्यर्थः। अत्र 'न त्ववच्छेदकावच्छेदेन' इति परिशिष्टार्थविवरणं तु न सुसङ्गतं प्रतिभाति, अप्रासङ्गिकत्वादिति सुधीभिराकलनीयम्। आरोप्यमाणतयेति। आहार्यज्ञानविषयीक्रियमाणतयेत्यर्थः। पूर्वोक्तं 'त्वदालेख्ये—' इति पद्यस्यापह्नुतिध्वन्युदाहरणताकथनं न युक्तम्, यतस्तत्र प्रथमापह्नुतेर्ध्वननं न सम्भवति, अपह्नुतिशरीरप्रविष्टयोरुपमेयनिषेधोपमानारोपात्मकयोर्द्वयोर्भागयोरन्तिमभागस्य 'पुण्डरीकाक्षोऽयम्' इत्याकारकस्य पुण्डरीकसम्बन्धिचक्रादिलेखनवर्णनरूपव्यञ्जकेन व्यङ्ग्यत्वेऽपि प्रथमभागस्य 'नायं साधारणः पुरुषः' इत्याकारकस्याव्यङ्ग्यत्वात्। ननु कुतोऽव्यङ्ग्यत्वं तद्भागस्येति चेत्? व्यञ्जकाभावादिति बोध्यम्। चक्रादिलेखनमेव तद्भागस्याप्यभिव्यञ्जकं किं न स्यादिति चेन्न, उदासीनतया तद्व्यञ्जने तस्यासमर्थत्वात्, उदासीनस्यापि व्यञ्जकत्वे यत्किञ्चिदनभिमतार्थव्यञ्जकत्वस्याप्यापत्तेः। उपमेयनिषेधावगममन्तरोपमानताद्रूप्यारोपः सम्भवत्येव नेति कथनं तु न किञ्चित्, तथाङ्गीकारे रूपकविलोपात्। तथा चात्रापि उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणोपमानतादात्म्यावगमात् रूपकध्वनिरेव, नापह्नुतिध्वनिरिति सारार्थो बोध्यः। द्वितीयाप्यपह्नुतिर्ध्वन्यमानतया दीक्षिताभिमता न सम्भवतीत्याह—यदपीति। ननु निषेधसमानाधिकरण्येनोपमानतादात्म्यारोपसत्त्वात्कथं तदभावोऽत आह—अत्र हीति। ननु पूर्वमारोपितत्वात्प्रकृत एव सोऽत आह—नहीति। निषिध्य विषयमित्यादिनेति। "—'निषिध्य विषयं साम्यादन्यारोप' इति तु क्त्वाप्रत्ययेन लक्षणं नोक्तम्। वक्ष्यमाणोदाहरणे आरोपपूर्वकापह्नवेऽव्याप्तिप्रसङ्गात्" इति तैरुक्तम्। फलं क्वचिदव्याप्तिरूपमनिष्टम्। तत्र चित्रमीमांसायाम्। 'स्वकृतलक्षणस्यापि' इत्यत्रापिपदेन सूचितं लक्षणान्तरस्यासत्त्वं स्फुटयति—काव्येति। व्याख्यानाच्चेति। पुण्डरीकाक्षस्तूपमानमिति भावः। 'नायं पुण्डरीकाक्षः, अपि तु मन्मथः' इत्याकारा द्वितीयापह्नुतिर्ध्वन्यते

इति कथनमपि दीक्षितस्यायुक्तमेव, एतदाकारान्तर्गतांशद्वयस्य मूलोक्तरीत्या व्यङ्ग्यत्वसम्भवेऽपि अपह्नुतित्वस्यैव विरहात्। निषेध्यस्य विष्णोरवर्णनीयतया प्रकृतपदबोध्यताविरहेण 'प्रकृतस्य निषेधेन—' इति तदीयापह्नुतिलक्षणस्याप्यप्राप्तेः। ननु प्रकृतपदेन पूर्वारोपितार्थस्यैव ग्रहणं, तथा च प्रकृते पुण्डरीकाक्षः प्रकृत इति चेन्न, प्रकृतपदस्योपमेयपरतायाः भयता काव्यप्रकाशकृता च व्यवस्थापनादिति भावः। पुनरन्यथा दीक्षितोक्तेः सङ्गतिमाशंक्य—समाधत्ते—प्राचीनेति। प्रागुक्तदण्डिमतेत्यर्थः। इह चित्रमीमांसायाम्। कुशकाशेति। यथा ससारकाष्ठाद्यवलम्बनमेवोचितम् न कुशाद्यसारतृणालम्बनम्, तथा सर्वसिद्धससारमतालम्बनमेवोचितं नैकदेशिमतालम्बनमिति भावः। तदेवाह—प्रकृतेति। एव प्रत्यासत्तिबोधकः। दण्डयादिमतेन 'त्वदालेख्ये—' इत्यत्रापह्नुतिध्वनिः सुस्थ एवेति मयापि तन्मतानुसारं तथा लिखितमित्यपि न दीक्षितेन वक्तुं शक्यम्, 'प्रकृतस्य—' इत्यपह्नुतिलक्षणं रचयता तेन दण्डयादिमतस्य तिरस्कारात्, स्वयं तिरस्कृतस्य स्वयं पुरस्कारोऽनुचित एवेति भावः। उक्तखण्डनोत्तरं जायमानां जिज्ञासां शमयितुमाह—एवमपीति। अन्यलक्षणबहिर्भावे इत्यर्थः। उक्तपद्ये इति। त्वदालेख्ये इति पद्य इत्यर्थः। विच्छित्तिः चमत्कृतिः। अतिरिक्त इति। अपह्नुतेरन्यः रूपकाख्यः अलङ्कार इत्यर्थः। अन्यथेति। विच्छत्तिविशेषाभावे इत्यर्थः। ननु प्रागुक्तस सम्मतापह्नुतिसामान्यलक्षणानाक्रान्तत्वात्कथं तत्त्वमत आह—लक्षणं त्विति। तदेति। तत्रापह्नुत्यङ्गीकरणे इत्यर्थः। प्रसक्तेति। प्राप्तेरयर्थः। प्राप्तत्वं च यथाकथंचित्—न तु प्रकृतत्वापेत्वेति भावः। 'अस्तु' 'तदा' इत्येताभ्यामस्य स्वानभिमतत्वं सूचितम्, अतः स्वसिद्धान्तरीत्योपसंहारमाह—तस्मादिति। सर्वमेवेदमिति। दीक्षितस्य मूलभूतं प्रकृतं मतम्, यथाकथंचित् तत्समर्थनं चेत्यर्थः। अन्यत् सुगमम्। अत्र 'अहृदयङ्गमम्' इति प्रतीकमुपादाय नागेशः विचारान्तरमुपस्थापितवान्। तदधस्तान्निर्दिश्यते—

"अत्रेदं चिन्त्यम्—दीक्षितैर्हि दण्डी त्वपह्नुतेः साधर्म्यमूलत्वनियममनादृत्य 'अपह्नुतिरपह्नुत्य-किञ्चिदन्यार्थसूचनम्' इति लक्षयित्वा उदाजहार—'न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्रं पत्रिणां यतः। चन्दनं चन्द्रिका गन्धो गन्धवाहश्च दक्षिणः।' इत्याद्युपक्रम्य 'त्वदालेख्ये' इत्याद्युक्तमिति। तदनुसारेणैव तत्रापह्नुतिध्वनिरुदाहृत इति न किञ्चिदहृदयङ्गमम्। प्रकाशविरोधोऽपि न। तत्रोपमेयपदस्य पदार्थोपलक्षणत्वात्। अन्यथा 'केसेसु बला मोडिअ' इत्यत्र 'स्वयं न प्रपलाय्य गतास्तद्वैरिणोऽपि तु ततः पराभवं संभाव्य तान् कन्दरा न त्यजन्तीत्यपह्नुतिर्व्यज्यते'—" इति प्रकाशग्रन्थासंगतिः स्यादिति बोध्यम्। अत्र 'त्वदालेख्ये' इत्याद्युदाहरणं दण्डिमतानुसारमिति नागेशमहाभागः समाधत्ते। किन्तु चित्रमीमांसायां 'साधर्म्यमूलात्वपह्नुतिरिति तेन व्याहृता' अत्रैव दण्डिमतानुवादः समाप्यते। 'त्वदालेख्ये' इत्युदाहरणं दत्त्वा 'इत्यादावपह्नुतिध्वनिरुदाहर्तव्यः' इति दीक्षितानां स्वमतमिदम्। अन्यथाऽलङ्कारान्तरेष्विवात्र ध्वनेरुदाहरणानुल्लेखात्प्रकरणपूर्तिरेव न सिद्ध्येत्। किञ्च दण्डिकृतापह्नुतिलक्षणमस्वीकृतवता दीक्षितमहोदयेन तन्मतानुसारमपह्नुतिध्वनिरुदाहृत इति न सम्भाव्यते। प्रकाशविरोधपरिहारोऽपि नागेशकृतो विचारणीय एव। यतः कारिकायां 'प्रकृत'—पदं विवरणे चोपमेयपदं स्पष्टमुल्लिखतः, उपमानोपमेयभावस्थल एव चापह्नुतिभेदानुदाहरतो मम्मटभट्टस्य दण्डितमतानुयायित्वं न कथमपि

सिद्धयति। उपमेयपदस्य पदार्थोपलक्षणत्वकथनमपि मूलाक्षरस्वारस्यप्रतिकूलमेव, प्रायो नागेशातिरिक्तटीकाकाराभिमतश्च। "–केसेसु बला मोडिय' इत्यत्रापह्नुतिर्व्यज्यते—" इत्युक्तिस्तु 'ये दण्ड्यादय ईदृशे स्थलेपह्नुतिमङ्गीकुर्वन्ति तेषां मतेऽपह्नुतिरपि व्यङ्ग्यत्वेनाङ्गीकर्तुम् 'शक्या' इत्याशयेनापि सङ्गता भवितुमर्हतीति तु बहवः।

उक्त दीक्षितमत का खण्डन किया जाता है—तदेतत् इत्यादि। ऊपर उद्धृत किया गया अप्पयदीक्षितजी का कथन आपातमनोहर है—ऊपर से सुन्दर प्रतीत होने पर भी भीतर से परम कुरूप है (दोषयुक्त) है। देखिये, प्रथमतः यहाँ कहा जा रहा है कि—"नायिका द्वारा चक्र तथा गरुड के लेखन से 'यह साधारण पुरुष नहीं, किन्तु विष्णु है' यह अपह्नुति ध्वनित होती है।" इसके सम्बन्ध में मेरा कथन है कि—अपह्नुति के दो भाग हैं—उपमेय का निषेध और उपमान का आरोप। उनमें से दूसरा भाग अर्थात् उपमानरोपभाग—जिसका आकार है 'यह विष्णु है'—चक्र तथा गरुड़ के लेखन से ध्वनित हो सकता है, क्योंकि चक्र और गरुड़ विष्णु से सम्बन्ध रखते हैं। पर 'यह साधारण पुरुष नहीं है' यह उपमेयनिषेध-भाग भी यहाँ ध्वनित होता है—यह नहीं कहा जा सकता। कारण, चक्र-गरुड़लेखन-रूप व्यञ्जक केवल आरोप-भाग को ध्वनित करने में समर्थ है, उक्त उपमेय-निषेध-भाग को ध्वनित करने का सामर्थ्य उस व्यञ्जक में है ही नहीं। और यहाँ उपमेयनिषेधभाग अनुभवसिद्ध भी नहीं है—सहृदयों को यहाँ उस अंश की प्रतीति होती भी नहीं, यदि वैसी प्रतीति होती रहती तब उसको ध्वनित कर सकने वाला उपाय (व्यञ्जक) खोजा भी जाता। खोजने पर भी उस भाग का व्यञ्जक शब्द अथवा अर्थ यहाँ उपलब्ध नहीं होता, यदि वह उपलब्ध होता तब अनुभव के विषय में कलह भी हो सकता—अर्थात् व्यञ्जक के उपलब्ध होने पर 'उस अंश की भी प्रतीति यहाँ होती है' इस तरह का मतभेद भी खड़ा किया जा सकता था। साधारण पुरुष का निषेध किये विना विष्णु के तादात्म्य का आरोप हो नहीं सकता, अतः वह अंश भी ध्वनित होता है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर रूपक का उच्छेद हो जायगा—उसके लिये संसार में कहीं स्थान ही नहीं रह जायगा। कारण, ऐसी स्थिति में 'मुख चन्द्र है' इत्यादिक में मुख का निषेध किये बिना मुख में चन्द्रत्व का आरोप कठिन है—यह भी सहज में कहा जा सकेगा। यदि वहाँ भी मुख-निषेध की प्रतीति स्वीकृत कर ली जाय तब अपह्नुति का विजय हुआ और वस्तुतः रूपक उच्छिन्न हो गया। अब यदि आप कहें कि—'मुख चन्द्र है' इस रूपक में मुखत्व के अधिकरण में ही चन्द्र-ताद्रूप्य का आरोप होता है—अर्थात् मुख को समझते हुए चन्द्र समझा जाता है, अतः वहाँ मुख के निषेध की अपेक्षा नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि, प्रकृत में भी पूर्वोक्त साधारणपुरुषत्व के अधिकरण में विष्णु-तादात्म्य का आरोप होता है, अर्थात् यहाँ भी साधारण पुरुष को पुरुष समझते हुए ही विष्णु समझते हैं, फलतः 'यह राजा विष्णु है' इस तरह का रूपक ही यहाँ हो सकता है, 'राजा नहीं, विष्णु है' इस तरह की अपह्नुति नहीं। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि—'यह विष्णु नहीं, किन्तु कामदेव है' इत्यादि। इस कथन में यद्यपि कुछ सत्यता है—अर्थात् इस अंश में यद्यपि चक्र तथा गरुड के चित्र को पोंछ डालने से 'यह विष्णु नहीं है' यह निषेधभाग और पुष्पमय धनुष तथा ध्वज-स्थित मगर के लेखन से 'यह कामदेव है' यह आरोपभाग—इस तरह दोनों भाग ध्वनित हो सकते हैं, तथापि यह अपह्नुति नहीं है, क्योंकि 'प्रकृतस्य—अर्थात् प्रस्तुत के निषेध द्वारा अन्य की कल्पना अपह्नुति कहलाती है।' यह आपका अपना लक्षण भी यहाँ नहीं

संघटित होता—दूसरों के लक्षण की तो बात ही क्या। कारण, यहाँ जिसका निषेध किया जा रहा है वे भगवान् विष्णु वर्णनीय नहीं हैं, किन्तु राजा वर्णनीय है, अतः विष्णु के अप्रस्तुत होने के कारण यहाँ प्रस्तुत का निषेध नहीं है। आप कहेंगे—जब पहले राजा में विष्णु का आरोप किया जा चुका है तब विष्णु प्रस्तुत क्यों नहीं ? पर यह कथन भी ठीक नहीं, अर्थात—केवल पहले आरोपित हो जाने से कोई पदार्थ—प्रकृत में विष्णु—प्रस्तुत नहीं कहा जा सकता। कारण, चित्रमीमांसा में आपने ही 'निषिध्य विषयञ्...' इत्यादि ग्रन्थ से निषिध्य पद में आए 'क्त्वा' प्रत्यय का फल कहते हुए 'प्रकृत' पद का अर्थ 'आरोप का विषय—अर्थात उपमेय' होता है—इस तरह स्पष्ट किया है। स्पष्ट अभिप्राय है कि चित्रमीमांसा में दीक्षितजी ने कहा—'विषय का निषेध करके (निषिध्य) साम्यमूलक अन्य का आरोप' इस तरह 'क्त्वा' प्रत्ययघटित लक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब जहाँ पहले आरोप करके अपह्नव किया जाता है वहाँ अव्याप्ति हो जायगी। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वे (दीक्षितजी) प्रकृत पद का अर्थ उपमेय मानते हैं। और काव्यप्रकाशकार मम्मट ने भी 'प्रकृतं यन्निषिध्य—' इस कारिका की व्याख्या करते हुए 'उपमेय को असत्य बनाकर—' इत्यादि कथन द्वारा 'प्रकृत' पद का अर्थ 'उपमेय' माना है। आप कहेंगे—प्राचीनों—दण्डी आदि—के मत से तो यह अपह्नुति अवश्य है, क्योंकि उनके लक्षण में उपमेय की बात नहीं है—अर्थात् उन्होंने 'अपह्नुतिरपह्नुत्य किंचिदन्यार्थसूचनम्—किसी वस्तु का निषेध करके अन्य वस्तु का सूचित करना अपह्नुति है' ऐसा ही लक्षण किया है, बस, उन्हीं के मत को मानकर मैंने भी यहाँ अपह्नुतिध्वनि लिखी है। तो यह भी 'डूबते को तिनके का सहारा' जैसा ही है। कारण, 'प्रकृतस्य निषेधेन—' इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण बनाते हुए आपने ही उस तरह की अपह्नुति का बहिष्कार कर दिया है। तात्पर्य यह कि जब आप दण्डी आदि के लक्षण को नहीं मानते तब उनके मतानुसार उदाहरण उपस्थित करना आपका कथमपि उचित नहीं कहा जा सकता। इतने पर भी यदि आप पूछें कि—उक्त पद्य में कौन अलंकार व्यङ्ग्य है ? तो इसका उत्तर यह है कि—यदि इसमें अपह्नुति के चमत्कार से विलक्षण चमत्कार आपको अनुभूत हो तब अन्य अलंकार—अर्थात् रूपक मानिए, अन्यथा अपह्नुति ही मानिए। पर तब आपको दण्डी आदि की तरह 'प्रसक्त यत्किंचित् (उपमेय अथवा तद्भिन्न) पदार्थ के निषेध के साथ किया जाने वाला अन्य पदार्थ का आरोप अपह्नुति है' ऐसा ही लक्षण बनाना चाहिए। सारांश यह सिद्ध हुआ कि इन सब गड़बड़ियों के कारण ये सब कथन सहृदयों के लिए हृदयङ्गम नहीं हैं—इन बातों से सहृदयों को सन्तोष नहीं हो सकता। यहाँ नागेश कहते हैं कि—पण्डितराज का यह कथन विचारणीय है। कारण, दीक्षितजी ने "दण्डी ने तो 'अपह्नुति के सादृश्यमूलक होने' के नियम का अनादर करके 'अपह्नुतिरपह्नुत्य किञ्चिदन्यार्थसूचनम्' यह लक्षण बताकर उदाहरण दिया है 'न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्रं पत्रिणां यतः। चन्दनं चन्द्रिका चन्द्रो गन्धवाहश्च दक्षिणः। (अर्थात् कामदेव पञ्चबाण नहीं हैं, क्योंकि उनके हजारों बाण हैं, चन्दन, चाँदनी, चन्द्रमा और मलयानिल आदि)'" इत्यादि आरम्भ करके 'त्वदालेख्ये—' यह पूर्वोक्त उदाहरण दिया है। अतः यह ध्वनि दण्डी आदि के अनुसार कथित होने के कारण अहृदयंगम नहीं है। प्रकाशविरोध भी नहीं होता, क्योंकि प्रकाश-ग्रन्थ में 'उपमेय' पद पदार्थमात्र का उपलक्षण है। अन्यथा—

'केसेसु बलामोड़िय तेण असमरम्मि जअसिरी गहिया।
जह कन्दराहिं विहुरा तस्स दढं कंठ अम्मि संठविआ॥'

अर्थात् उसने संग्राम में बलात्कार से जयलक्ष्मी को वैसे ग्रहण किया, जैसे कि गुफाओं ने उसके विधुर (स्त्रीरहित) वैरियों को अपने कण्ठ (अन्दर के हिस्से) में दृढ़तया स्थापित कर लिया)।' इस उदाहरण में वैरी अपने आप भाग कर नहीं गए, किन्तु गुफाएँ उससे पराजय की संभावना करके उन्हें नहीं छोड़तीं—यह अपह्नुति अभिव्यक्त होती है' यह प्रकाशकार का ग्रन्थ असंगत हो जायगा, क्योंकि यहाँ उपमेय का निषेध नहीं है। बहुत लोग नागेश की आलोचना करते हुए कहते हैं कि नागेश का कथन ठीक नहीं है। कारण, पहले जो उन्होंने यह समाधान दिया कि—दण्डी के मतानुसार 'स्वदालेख्ये—' यह अपह्नुतिध्वनि का उदाहरण दिया गया है, वह संगत नहीं जँचता, क्योंकि चित्रमीमांसा में दण्डी के मत का अनुवाद पहले समाप्त हो जाता है तब 'स्वदालेख्ये—' यह उदाहरण दिया जाता है और उसके आगे 'इत्यादि स्थलों पर अपह्नुतिध्वनि का उदाहरण देना चाहिए' ऐसा लिखा जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि यह दीक्षितजी का अपना मत है और यह बात जँचती भी है क्योंकि जब दण्डी के लक्षण को दीक्षितजी ने नहीं माना तब उनके मत से उदाहरण कैसे वे दे सकते हैं? और यदि यह उदाहरण दूसरे के मत से दिया गया होता तब अपने मत से दूसरा उदाहरण अवश्य देते, जैसे सभी अलंकारों में देते हैं। दूसरा समाधान जो उन्होंने दिया है प्रकाश-विरोध-परिहार वाला, वह भी सर्वथा मानने योग्य नहीं दीख पड़ता, क्योंकि जब मम्मटभट्ट ने मूल कारिका में 'प्रकृत' पद लिखा और उसकी व्याख्या में उसका अर्थ स्पष्टतः 'उपमेय' किया तथा सभी उदाहरण भी उपमानोपमेयभावस्थल में ही दिखलाए, तब उस 'उपमेय' पद को पदार्थमात्र का उपलक्षण कहकर मम्मट को दण्डिमतानुयायी बनाना उचित नहीं, रही बात 'केसेसु—' इस पद्य में अपह्नुतिध्वनि लिखने की। सो उसका आशय इस तरह वर्णित हो सकता है कि—उक्त पद्य में 'उत्प्रेक्षाध्वनि और काव्यलिङ्गध्वनि है' और जिन—दण्डी आदि—के मत से ऐसे स्थलों पर अपह्नुति हो सकती है उनके मत से अपह्नुतिध्वनि भी समझिए।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामपह्नुत्यलङ्कारप्रकरणं समाप्तम्।

अपह्नुतिनिरूपणानन्तरमुत्प्रेक्षाप्रकरणं प्रारब्धव्यतया प्रतिजानीते—

अथोत्प्रेक्षाप्रकरणम्—

उत्प्रेक्षाप्रकरणमारब्धं वेदितव्यमिति भावः।

अपह्नुतिनिरूपण के बाद अब उत्प्रेक्षानिरूपण-प्रारम्भ करने की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि। उत्प्रेक्षाप्रकरण अब आरब्ध समझना चाहिए।

तत्रादौ तल्लक्षणमाह—

तद्भिन्नत्वेन तदभाववत्त्वेन वा प्रमितस्य पदार्थस्य रमणीयतद्वृत्ति-तत्समानाधिकरणान्यतरतद्धर्मसम्बन्धनिमित्तकं तत्त्वेन तद्वत्त्वेन वा सम्भावनमुत्प्रेक्षा।

प्रमितस्येति। यथार्थज्ञानविषयीकृतस्येत्यर्थः। विनिगमनाविरहादन्योन्याभावात्यन्ताभावघटितलक्षणद्वयस्य युगपदुक्तिरियम्। तथा च 'तद्भिन्नत्वेन प्रमितस्य पदार्थस्य रमणीयतद्वृत्तितद्धर्मसम्बन्धनिमित्तकं तत्त्वेन सम्भावनमुत्प्रेक्षा' इत्येकम्, 'तदभाववत्त्वेन प्रमितस्य पदार्थस्य रमणीयतत्समानाधिकरणतद्धर्मसम्बन्धनिमित्तकं तद्वत्त्वेन सम्भावनमुत्प्रेक्षा' इति च

द्वितीयं लक्षणं फलितम् । अत्र लक्षणद्वये त्रयस्तच्छब्दाः प्रयुक्ताः, तत्र प्रथमेन तच्छब्देन विषयी, द्वितीयेन तेन विषयः, तृतीयेन च तेन पुनर्विषयी धर्तव्यः । सम्भावनं ज्ञानविशेषः । अयोग्यत्वाभावानुसन्धानमिति यावत् । अयमत्र स्पष्टोऽर्थः—चन्द्रादिभिन्नत्वेव ज्ञानस्य मुखादेः मुखवृत्तिचमत्कारकाह्लादकत्वाद्यात्मकचन्द्रधर्मसम्बन्धप्रयुक्तम् चन्द्रत्वेन सम्भावनमुत्प्रेक्षा । इदञ्च सम्भावनं तादात्म्य(अभेद)सम्बन्धेन अतो धर्म्युत्प्रेक्षा । एवं 'निधिं लावण्यानाम्—' इत्यादौ (अग्रे उदाहृते पद्ये) मोहाभाववत्त्वेन ज्ञातस्य ब्रह्मणः मोहसमानाधिकरणरमणीयाविचार्यकारित्वात्मकधर्मसम्बन्धप्रयुक्तम् मोहवत्त्वेन सम्भावनमुत्प्रेक्षा । इदञ्च सम्भावनं तादात्म्येतरेण–समवायसम्बन्धेन अतो धर्मोत्प्रेक्षा । इति ।

उत्प्रेक्षा-निरूपणप्रकरण में सर्वप्रथम उत्प्रेक्षा का लक्षण किया जाता है—तद्भिन्नत्वेन इत्यादि । जिस पदार्थ का भेद जिस पदार्थ में यथार्थतया ज्ञात हो उस पदार्थ की, उस पदार्थ के रूप में दोनों पदार्थों में रहनेवाले किसी सुन्दर धर्म को मूल मानकर, की जानेवाली सम्भावना, अथवा—जिस धर्म का अभाव जिस पदार्थ में यथार्थतया ज्ञात हो उस पदार्थ में उस धर्म से युक्त होने की ऐसी सम्भावना, जो उस धर्म के साथ रहनेवाले किसी सुन्दर धर्म को निमित्त मानकर की गई हो, 'उत्प्रेक्षा' कहलाती है । अभिप्राय यह है कि—अभाव दो प्रकार के होते हैं, एक अन्योन्याभाव और दूसरा अत्यन्ताभाव । (यद्यपि अभाव के दो अन्य प्रकार भी होते हैं, पर प्रकृत में उनका कोई उपयोग नहीं, अतः उनकी चर्चा नहीं की जाती) अन्योन्याभाव उस अभाव को कहा जाता है जो तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक हो—अर्थात् जिसके-द्वारा 'घट पट नहीं' इत्यादि रीति से दो धर्मियों की परस्पर अभिन्नता वारित हो—जिसका व्यवहार 'भेद' शब्द से किया जाता हो, और अत्यन्ताभाव उस अभाव को कहा जाता है जो नित्य हो—अर्थात् जो जहाँ कदापि नहीं रहे वहाँ उसका अभाव—जैसे वायु में रूप का अभाव । अब प्रकृत में कहना यह है कि—इन दोनों अभावों में से किसी एक का निवेश उत्प्रेक्षालक्षण में अवश्य करना है, क्योंकि आखिर 'अन्य में अन्य की सम्भावना' को ही सभी आलङ्कारिक उत्प्रेक्षा मानते हैं, पर इन दोनों अभावों में से किसी एक का निवेश करने में कोई खास युक्ति नहीं है, अतः पण्डितराज ने दोनों अभावों का वैकल्पिक रूप में निवेश किया है । फलतः प्रथम लक्षण अन्योन्याभाव-घटित और दूसरा लक्षण अत्यन्ताभावघटित बनाया गया है । प्रथम लक्षण का लक्ष्य 'मुख में चन्द्र की सम्भावना' है, क्योंकि यह सम्भावना चन्द्र से भिन्नरूप में यथार्थतया ज्ञात मुख में चन्द्रवृत्ति-आह्लादकता का सम्बन्ध रहने के कारण की जाती है । यह सम्भावना 'तादात्म्य' सम्बन्ध से की जाती है, अतः 'धर्मी की उत्प्रेक्षा' कहलाती है । द्वितीय लक्षण का लक्ष्य 'ब्रह्म में मोह की सम्भावना' है, क्योंकि यह सम्भावना उस ब्रह्म में उस मोह की की जाती है जिसमें जिसका अभाव सदा यथार्थतया ज्ञात है और इस सम्भावना में निमित्त होता है 'मोह' के साथ सदा रहने वाला 'अविचार्यकारित्व–विना विचारे कार्य करना' धर्म का ब्रह्म में सम्बन्ध । यह सम्भावना 'समवाय'सम्बन्ध से की जाती है, अतः 'धर्मोत्प्रेक्षा' कहलाती है ।

लक्षणघटकपदकृत्यान्याह—

'लोकोत्तरप्रभाव ! त्वां मन्ये नारायणं परम्' इत्यत्र तादृशप्रभावस्य नारायणत्वव्याप्यतासम्भावनादशायां सामग्र्यभावेनानुमित्यनुदयाज्जायमानायां नारा-

यणेनानेन प्रायशो भवितव्यमिति सम्भावनायामतिप्रसङ्गवारणाय तद्भिन्नत्वेन प्रमितस्येति सम्भावनायामाहार्यतां गमयति ।

एतेन—

'रामं स्निग्धतरश्यामं विलोक्य वनमण्डले ।
प्रायो धाराधरोऽयं स्यादिति नृत्यन्ति केकिनः ।।'

इत्यत्र सम्भावनायाम्, 'धाराधरधिया धीरं नृत्यन्ति स्म शिखावलाः' इत्यत्र भ्रान्तौ च नातिप्रसङ्गः ।

'वदनकमलेन बाले स्मितसुषमालेशमावहसि यदा ।
जगदिह तदैव जाने दशार्धबाणेन विजितमिति ।।'

अत्र जगज्जयसम्भावनायामतिप्रसङ्गवारणाय रमणीयतद्धर्मनिमित्तकमिति । स्मितस्य सम्भावनोत्थापकत्वेऽपि जगद्विजितरूपविषयविषयिसाधारणत्वाभावान्न दोषः ।

एतेन—

'प्रायः पतेद् द्यौः शकलीभवेद् ग्लौः सहाचलैरम्बुधिभिः स्खलेद् गौः ।
नूनं ज्वलिष्यन्ति दिशः समस्ता यद् द्रौपदी रोदिति हा हतेति ।।'

अत्रापि रोदनकारणीभूतकेशग्रहणादिजन्यपापनिमित्तोत्थापितायां स्वर्गपतनसम्भावनायां नातिप्रसङ्गः । प्रायः स्थाणुनाऽनेन भवितव्यम्, नूनं पुरुषेणानेन भाव्यम्, दूरस्थोऽयं देवदत्त इवाभाति, इत्यादौ निश्चलत्वचञ्चलत्वादिसाधारणधर्मनिमित्तायां सम्भावनायामतिप्रसङ्गः स्यात्, अतो रमणीयत्वं धर्मगतमुपात्तम् । रूपकवित्तावतिप्रसङ्गवारणाय सम्भावनमिति ।

कमपि राजानं प्रति कस्यचिदुक्तिः—लोकोत्तरेति । हे लोकोत्तरप्रभाव ! राजन् ! त्वां परम् उत्कृष्टम्, नारायणं, मन्ये, इति तदर्थः । सम्भावनादशायामिति । एतेन नारायणसम्भावनायां कारणमुक्तम् । नन्वेवं नारायणत्वस्य निश्चयात्मिकानुमितिरेव, न सम्भावनेति चेन्नेत्याह—सामग्र्यभावेनेति । निश्चयरूपव्याप्तिज्ञानादिरूपानुमितिसामग्र्यभावेनेत्यर्थः । अनुमित्यनुदयादिति । नारायणत्वानुमित्यनुत्पत्तेरित्यर्थः । ननु कथमेतासां सम्भावनानां तेन वारणमत आह—सम्भावनेति । इदं चेत्यादिः । सम्भावनायां लक्षणघटकीभूतायाम् । लक्षणे 'तद्भिन्नत्वेन प्रमितस्य' इत्युक्त्या 'तत्त्वेन सम्भावनस्य लक्षणोक्तस्य बाधकालिकेच्छाजन्यत्वरूपाहार्यत्वं प्रतीयते । तेन 'लोकोत्तरप्रभाव—' इत्यत्र 'लोकोत्तरप्रभावो नारायणत्वव्याप्यः प्रायः' इति सम्भावनाजन्यायाम् 'प्रायः नारायणेनानेन भवितव्यम्' इत्याकारिकायां सम्भावनायाम् नातिव्याप्तिः, इच्छाजन्यत्वविरहेणानाहार्यत्वात् । नारायणत्वस्य निश्चयात्मिकाऽनुमितिस्तु नात्र सम्भवदुक्तिका, लोकोत्तरप्रभावे नारायणत्वव्याप्यतानिश्चयदशायामेव तत्प्रसक्तेः । अत्र तु तत्र तस्याः सम्भावनैव, न निश्चय इति भावः । अत्र 'सम्भावनाया आहार्यत्वस्वीकारेण—असामान्ये राजनि अलौकिकप्रभाववशाद् या अनाहार्या (सत्या) नारायणत्वसम्भावना [नारायणत्वं काममसत्यम् परं तत्त्वसम्भावना

तु सत्यैव] तस्यामुत्प्रेक्षात्वं न प्रसक्तम् ।' इति 'सरला' जलोपरि प्लवमाना नौकेव तलगतं रत्नं वस्तुतत्त्वं नैव स्पृशतीति सुधीभिराकलनीयम् । आहार्यत्वनिवेशस्य फलान्तरमाह—एतेनेति । कवेरुक्तिः—राममिति । केकिनो मयूराः, वनमण्डले, स्निग्धतरश्यामम् अतिचिक्कणं श्यामलवर्णम् च, रामम्, विलोक्य, अयं, प्रायः, धाराधरः मेघः, स्यात्, इति, सम्भावनया, नृत्यन्तीति तदर्थः । अत्रैव पद्ये उत्तरार्धं परिवर्त्य पठति—'धाराधरधिया—' इति । तादृशं राममालोक्य—धाराधरधिया मेघभ्रान्त्या, शिखावलाः मयूराः, नृत्यन्ति स्म नृत्यं कृतवन्तः इति परिवर्तितपाठेऽर्थः । प्रथमपाठे रामे जायमानायां मेघसम्भावनायाम्, परिवर्तितपाठे च रामे जायमानायाम् मेघभ्रान्तौ नातिव्याप्तिः, तयोः (मेघसम्भावनामेघभ्रान्त्योः) बाधाकालिकतया अनाहार्यत्वात् । ननु कथमनाहार्यत्वनिश्चय इति चेत् ? नृत्यरूपकार्यस्योत्पत्तेर्दर्शनात् इति बोध्यम् । आहार्यज्ञानात्तु न कार्योत्पत्तिरिति भावः । 'तद्धर्मनिमित्तकम्' इत्यस्य व्यावर्त्यमाह—'वदन—' इति । हे बाले ! त्वं, यदा, वदनकमलेन मुखपद्मद्वारा, स्मितसुषमालेशम् ईषद्धास्यशोभालवम्, आवहसि धत्से, तदैव तस्मिन्नेव क्षणे, अहं, जाने वेद्मि, यत् इह अस्मिन् स्थाने, दशार्धबाणेन पञ्चबाणेन (कामेन) जगत्, विजितम् इति तदर्थः । उपपादयति—अत्रेति । जगज्जयेति । जगत्कर्मकस्य जयस्य सम्भावनायामित्यर्थः । तद्धर्मेति । तद्धर्मसम्बन्धेत्यर्थः । ननु स्मितरूपधर्मनिमित्तकत्वमस्त्येवात आह—स्मितेति । जगदिति । जगद्विजितरूपौ यौ विषयविषयिणौ तन्निष्ठत्वाभावादित्यर्थः । 'वदनकमलेन—' इत्यत्र नायिकामुखगतस्मितस्य कामदेवकर्तृकजगज्जये सहकारितया तन्मूलकतादृशजगज्जयसम्भावनायां न प्रकृतोत्प्रेक्षालक्षणातिप्रसक्तिः, 'रमणीयतद्धर्मसम्बन्धनिमित्तकम्' इत्यनेन व्यावृत्तेः । स्मितं तु न जगदात्मकविषयधर्मः, न वा तद्धर्मस्य विजितत्वात्मकविषयिणि सम्बन्ध इति भावः । तस्यैव विशेषणस्य व्यावर्त्यान्तरमाह—एतेनेति । प्रायः इति । यत् यस्मात्, द्रौपदी पाण्डवपत्नी, 'हा हता' इत्युक्त्वा, रोदिति, तस्मात्, प्रायः, द्यौः स्वर्गः, पतेत् भूतलमागच्छेत्, ग्लौः चन्द्रः, शकलीभवेत् खण्डशः स्यात्, अम्बुधिभिः समुद्रैः, अचलैः पर्वतैः, च सह, गौः पृथिवी स्खलेत् विचलेत्, समस्ताः सर्वाः, दिशश्च, नूनम् निश्चितम्, ज्वलिष्यन्ति ज्वालामयाः स्युरित्यर्थः । उपपादयति—अत्रापीति । रोदनेति । रोदनकारणीभूतं यत् केशग्रहणादि तज्जन्यं यत्पापम् तद्रूपेण निमित्तेन, उत्थापितायामिति विवक्षितोऽर्थः । नातिप्रसङ्ग इति । पापस्य 'द्यौः पतेत्' इत्यादिविषयविषयिसाधारणत्वविरहादिति भावः । धर्मे रमणीयत्वविशेषणस्य फलमाह—प्रायः स्थाणुना इत्यादि । स्थाणुना वृक्षेण । यथाक्रमं धर्मानाह—निश्चलेति । आदिना विलक्षणाकारत्वपरिग्रहः । रमणीयत्वमिति । तत्त्वं च कविप्रतिभानिर्वर्तितत्वमिति भावः । निश्चलत्वादिसाधारणधर्मसम्बन्धनिमित्तिकासु 'प्रायः स्थाणुनाऽनेन भवितव्यम्—' इत्यादि सम्भावनासु नातिव्याप्तिः, तेषां धर्माणां लौकिकत्वेन कविप्रतिभानिर्वर्तितत्वाभावेन रमणीयत्वविरहादिति भावः । 'ज्ञानम्' इत्यपहाय 'सम्भावनम्' इत्युक्तेः फलमाह—रूपकेति । निश्चयात्मके रूपकज्ञाने प्रकृतलक्षणं मातिप्रसाङ्क्षीदिति लक्षणे सम्भावनोक्तिः । ज्ञानोक्तौ तु तत्रातिप्रसङ्गो दुर्वार एवेति भावः ।

अब लक्षण का विवेचन किया जाता है—लोकोत्तर इत्यादि । 'हे लोकोत्तर प्रभाव

वाले राजन्! मैं आपको उत्कृष्ट नारायण (विष्णु) मानता हूँ।' इस स्थल पर जब लोकोत्तर प्रभाव में नारायणत्व-व्याप्यता की सम्भावना—अर्थात् प्रायः जहाँ-जहाँ लोकोत्तर प्रभाव है वहाँ-वहाँ नारायणत्व है इस तरह की सम्भावना—रहती है तब उस लोकोत्तर प्रभाव को हेतु बनाकर नारायणत्व की अनुमिति नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुमिति की सामग्री नहीं है अर्थात् लोकोत्तर प्रभाव में नारायणत्व-व्याप्यता की सम्भावना है, निश्चय नहीं, और अनुमिति का कारण व्याप्ति-निश्चय माना जाता है, अतः उक्त व्याप्यता-सम्भावना से 'प्रायः यह नारायण होगा' ऐसी सम्भावना उत्पन्न होगी। इस द्वितीय सम्भावना में अतिव्याप्ति न हो इसलिये लक्षण में 'जिस पदार्थ का भेद जिस पदार्थ में यथार्थतया ज्ञात हो' यह अंश कहा जाता है। आप कहेंगे—इस अंश के कहने से उक्त सम्भावना में अतिव्याप्ति का वारण कैसे होगा? तो मैं कहूँगा कि इस अंश से प्रकृत सम्भावना का आहार्य होना—बाधित रहने पर भी इच्छा से उत्पन्न होना—ज्ञात होता है अर्थात् तद्भिन्न रूप में निश्चित पदार्थ को पुनः तद्रूप समझना आहार्य ही हो सकता है और उक्त सम्भावना आहार्य—अर्थात् बाधकालिक इच्छाजन्य—नहीं है, अपितु प्रथमोत्पन्न व्याप्यता सम्भावनाजन्य है, अतः उसका वारण उक्त अंश से होता है। इसी अंश से 'रामम्-अर्थात् अत्यन्त चिकने तथा श्याम वर्णवाले राम को वन में देखकर 'प्रायः यह मेघ होगा' इस सम्भावना से मयूर नाच रहे हैं।' इस सम्भावना (अर्थात् राम में मेघ की सम्भावना) में, एवं इसी पद्य का उत्तरार्ध 'धाराधर-धिया इत्यादि अर्थात् मेघ की बुद्धि (भ्रान्ति) से मयूर मन्द-मन्द नाचते रहते थे।' यों बदल दें तो इस भ्रान्ति (अर्थात् राम में मेघ की भ्रान्ति) में अतिव्याप्ति वारित हुई अर्थात् यह सम्भावना अथवा भ्रान्ति आहार्य (बाधकालिक ज्ञानरूप) नहीं है। यदि आहार्य होती तब उससे नाचने की प्रवृत्ति मयूरों में नहीं बन सकती थी, क्योंकि बाधितार्थ-विषयक इच्छाजन्य ज्ञान से प्रवृत्ति नहीं होती। 'वदनकमलेन—अर्थात् हे बाले! जब तू मुखकमल द्वारा मन्दहास की शोभा का एक लेश धारण करती है, मैं उसी क्षण जान लेता हूँ कि इस जगह, जगत् को कामदेव ने जीत लिया-यहाँ आनेवाला कामवशीभूत हुए विना रह नहीं सकता।' इस पद्य में जो जगत् के जय की सम्भावना वर्णित है उसमें अतिव्याप्ति को वारित करने के लिये लक्षण में 'उन दोनों पदार्थों में रहनेवाले किसी सुन्दर धर्म को निमित्त मानकर' यह अंश जोड़ा गया है। तात्पर्य यह कि उक्त सम्भावना किसी ऐसे धर्म को निमित्त मानकर नहीं की गई है, अतः इस अंश से उसका वारण हो जाता है। यद्यपि उक्त सम्भावना का निमित्त स्मित(मन्दहास)को माना जा सकता है, पर वह मन्दहासरूप धर्म साधारण नहीं है—विषय-'जगत' और 'जीत लिया'-विषयी में से एक में भी वह नहीं रह जाता है। इसी से—'प्रायः पतेद् द्यौः—अर्थात् सम्भव है स्वर्ग गिर जाय, चन्द्र टूट जाय, पर्वतों और समुद्रों सहित पृथ्वी विचलित हो जाय और यह तो अत्यधिक सम्भव है कि सारी दिशाएँ जल उठेंगी, क्योंकि द्रौपदी 'हाय! मरी' कहकर रो रही है।' यहाँ भी रोदन के कारणरूप 'केश पकड़ने' आदि से उत्पन्न पाप को निमित्त मानकर उठाई गई 'स्वर्ग के गिरने' आदि की सम्भावना में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि पापरूप निमित्त उभय साधारणधर्म नहीं है-अर्थात्-स्वर्गरूपविषय और पतनरूप विषयी इन दोनों में से एक में भी वह (पाप) रहनेवाला नहीं होता। प्रायः इसे ठूँठ होना चाहिये' 'निश्चित ही यह पुरुष हो सकता है' और 'दूर खड़ा यह देवदत्त सा ज्ञात होता है', इत्यादि में क्रमशः निश्चलता, चञ्चलता और एक विशिष्ट प्रकार के आकाररूप

समानधर्म को निमित्त मानकर की जाने वाली सम्भावनाओं में लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है, अतः निमित्तभूत धर्म में 'सुन्दर' अर्थात् कवि-प्रतिभा-निर्मित' विशेषण दिया गया है। उक्त धर्म ऐसे नहीं हैं, अतः तन्मूलक उक्त सम्भावनाओं को उत्प्रेक्षा नहीं कहा जा सकता। रूपक के ज्ञान में अतिव्याप्ति न हो इसलिये लक्षण में 'सम्भावना' कही गई है। रूपक का ज्ञान सम्भावनारूप नहीं, किन्तु निश्चयरूप होता है।

नन्वेवमपि तदभाववत्त्वेनेत्याद्यधिकमत आह—

अत्र च तादात्म्येन संसर्गेण धर्म्युत्प्रेक्षायाः, संसर्गान्तरेण धर्मोत्प्रेक्षायाश्च सङ्ग्रहायैकोक्त्या लक्षणद्वयं विवक्षितम्।

अत्र चेति। लक्षणवाक्य इत्यर्थः। धर्म्युत्प्रेक्षा धर्मोत्प्रेक्षा-भेदेनोत्प्रेक्षा द्विविधा। तत्र धर्म्यन्तरे धर्म्यन्तरोत्प्रेक्षणे प्रथमा धर्मिणि धर्मोत्प्रेक्षणे च द्वितीया भवति। धर्म्युत्प्रेक्षायां तादात्म्यं सम्बन्धः, धर्मोत्प्रेक्षायाश्च तदितरः सामानाधिकरण्यादिः (समवायादिः)। अनयोरुभयोरुत्प्रेक्षयोः संग्रहाय लक्षणद्वयं पूर्वोक्तलक्षणवाक्ये वक्तुरभिप्रेतमिति भावः।

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह 'जिस पदार्थ का भेद—' इत्यादि प्रथम लक्षण के विषय में ही, अतः 'जिस धर्म का अभाव—' इत्यादि द्वितीय लक्षण व्यर्थ सा प्रतीत होता है इस सन्देह की निवृत्ति के लिये कहा जाता है—अत्र च इत्यादि। अभिप्राय यह है कि उत्प्रेक्षा दो प्रकार की है—एक धर्म्युत्प्रेक्षा, जिसमें एक धर्मी की दूसरे धर्मी के रूप में उत्प्रेक्षा की जाती है, और दूसरी धर्मोत्प्रेक्षा, जिसमें धर्म की धर्मी में उत्प्रेक्षा की जाती है। धर्म्युत्प्रेक्षा तादात्म्य (अभेद) सम्बन्ध द्वारा होती है और धर्मोत्प्रेक्षा अन्य सम्बन्ध (समवाय आदि) द्वारा। इन दोनों उत्प्रेक्षाओं का संग्रह करने के लिये मूल में एक उक्ति द्वारा दो लक्षणों का कथन अभीष्ट है। टीका में तो दोनों लक्षण पृथक्-पृथक् लिखे गये हैं।

उत्प्रेक्षां विभजते—

सा चोत्प्रेक्षा द्विविधा—वाच्या, प्रतीयमाना च। इव, नूनम्, मन्ये, जाने, अवैमि, ऊहे, तर्कयामि, शङ्के, उत्प्रेक्षे, इत्यादिभिः क्यङाचारक्विबादिभिः प्रतिपादकैः सहिता यत्रोत्प्रेक्षासामग्री, तत्र वाच्योत्प्रेक्षा। यत्र च प्रतिपादकशब्दरहितं तत्सामग्रीमात्रम्, तत्र प्रतीयमाना। यत्र तत्सामग्रीरहितं प्रतिपादकमात्रम् तत्र सम्भावनमात्रमेव, नोत्प्रेक्षा। सापि प्रत्येकं त्रिविधा—स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा चेति। तत्र जातिगुणक्रियाद्रव्यरूपाणां तदभावरूपाणां च पदार्थानां तादात्म्येनेतरेण वा सम्बन्धेन जातिगुणक्रियाद्रव्यात्मकैर्यस्तैः समुच्चितैरुपात्तैरनुपात्तैर्निष्पन्नैर्निष्पाद्यैर्वा निमित्तभूतैर्धर्मैर्यथासम्भवं जातिगुणक्रियाद्रव्यात्मकेषु विषयेषूत्प्रेक्षणं स्वरूपोत्प्रेक्षा। तत्राभेदेन संसर्गेण धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षा-संसर्गान्तरेण धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षेति चोच्यते। उक्तविधेषु पदार्थेषु प्रागुक्तप्रकाराणां पदार्थानां तथाविधैरेव निमित्तैर्यथासम्भवं हेतुत्वेन फलत्वेन च सम्भावनं हेतूत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा चोच्यते। एताश्च क्वचिन्निष्पन्नशरीराः क्वचिन्निष्पाद्यशरीराश्चेत्येवमाद्यनल्पविकल्पाः सम्पद्यन्ते। तथापि दिङ्मात्रमुपदर्श्यते।

प्रतीयमानेति । अर्थसामर्थ्यावसेयेत्यर्थः । न तु व्यङ्ग्येति भावः । एतच्चाग्रे मूल एव स्फुटीभविष्यति । उत्प्रेक्षासामग्रीति । सा च रमणीयतद्धर्मसम्बन्धादिरूपा । प्रतिपादकशब्देति । इवादीत्यर्थः । नोत्प्रेक्षेति । अलङ्कारत्वन्नेत्यर्थः । पुनरन्यथा विभजते—साऽपीति । एवं च द्वादश भेदाः सम्पन्ना इति भावः । स्वरूपोत्प्रेक्षादीनां स्वरूपपरिचयायाह—तत्रेति । तासां तिसृणां मध्य इत्यर्थः । द्रव्येति । संज्ञाशब्दाभिप्रायमिदम् । एवमग्रेऽपि । व्यस्तैरिति । पृथग्भूतैरित्यर्थः । समुच्चितैरिति । मिलितैरित्यर्थः । उपात्तैः शब्दबोधितैः । अनुपात्तैः शब्दाबोधितैः । अर्थसामर्थ्यलब्धैरिति यावत् । निष्पन्नैः स्वतः सिद्धैः । निष्पाद्यैः कल्पनया साध्यमानैः । विषयेष्विति । प्रकृतेष्वित्यर्थः । जात्यादीन् निमित्तीकृत्य जात्यादिषु विषयेषु जात्यादिरूपाणाम् विषयिणां सम्भावनं स्वरूपोत्प्रेक्षेति सारांशः । उक्तमेव विशदयति—तत्रेति । तासां स्वरूपोत्प्रेक्षाणां मध्य इत्यर्थः । हेतूत्प्रेक्षाफलोत्प्रेक्षे आह—उक्तेति । जात्यादिष्वित्यर्थः । एवमग्रेऽपि । जात्यादिषु पदार्थेषु जात्यादिभिर्निमित्तैर्जात्यादेः पदार्थस्य हेतुत्वेन फलत्वेन च सम्भावनम्—अर्थात् जात्यादिरूपः पदार्थो जात्यादिरूपं पदार्थं प्रति हेतुः फलं वा यत्र सम्भाव्यते तत्र—हेतुफलोत्प्रेक्षे भवत इति भावः । पुनरपरथा विभजते—एताश्चेति । पूर्वोक्ता उत्प्रेक्षा इत्यर्थः । निष्पन्नेति । स्वतःसम्भविपदार्थगता इति भावः । निष्पाद्येति । कविकल्पितपदार्थगता इति भावः । अनल्पेति । बह्वित्यर्थः । तथापीति । तेषां सर्वेषां प्रभेदानामुपदर्शनस्याशक्यत्वेऽपीत्यर्थः ।

उत्प्रेक्षा के भेद किए जाते हैं—सा च इत्यादि । पूर्वोक्त उत्प्रेक्षा दो प्रकार की है—वाच्या और प्रतीयमाना (प्रतीयमाना का अर्थ व्यङ्ग्या नहीं है, किन्तु अर्थतः अवगत होनेवाली, यह समझ रहना चाहिए)। जहाँ संस्कृत में इव आदि मूलोक्त उत्प्रेक्षा-बोधक शब्दों एवम् हिन्दी में मानो आदि तद्‌बोधक शब्दों से युक्त उत्प्रेक्षा की सामग्री (सुन्दर विषयि-गत धर्म-सम्बन्ध आदि) हो वहाँ वाच्योत्प्रेक्षा कहलाती है। और जहाँ बोधक शब्द न हों, किन्तु केवल सामग्री हो वहाँ प्रतीयमानोत्प्रेक्षा कहलाती है। जहाँ सामग्री न हो और उत्प्रेक्षा-बोधक शब्द हों, वहाँ केवल 'सम्भावना' मानी जाती है उत्प्रेक्षा नहीं—अर्थात् वहाँ सम्भावना को अलङ्काररूप नहीं माना जाता। ये उत्प्रेक्षाएँ प्रत्येक तीन-तीन प्रकार की होती हैं—'स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। फलतः उत्प्रेक्षा के बारह भेद इस तरह से सम्पन्न होते हैं। जैसे—वाच्यधर्मिकस्वरूपोत्प्रेक्षा, प्रतीयमानधर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षा, वाच्यधर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा, प्रतीयमानधर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा, वाच्यधर्मिहेतूत्प्रेक्षा, प्रतीयमानधर्मिहेतूत्प्रेक्षा, वाच्यधर्महेतूत्प्रेक्षा, प्रतीयमानधर्महेतूत्प्रेक्षा, वाच्यधर्मिफलोत्प्रेक्षा, प्रतियमानधर्मिफलोत्प्रेक्षा, वाच्यधर्मफलोत्प्रेक्षा और प्रतीयमानधर्मफलोत्प्रेक्षा। संसार के सभी पदार्थ जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य (संज्ञाशब्द-स्थल में) रूप तथा इन चारों के अभावरूप हैं। इन पदार्थों की, अभेदसम्बन्ध द्वारा अथवा अन्य किसी सम्बन्ध द्वारा, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यरूप—पृथक्-पृथक् अथवा मिलित, शब्दद्वारा वर्णित अथवा अवर्णित और सिद्ध अथवा साध्य—धर्मों को निमित्त मानकर, यथासम्भव, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यरूप विषयों (प्रकृत पदार्थों) में, उत्प्रेक्षा करना स्वरूपोत्प्रेक्षा कहलाती है। उक्त तरह के पदार्थों की, उक्त तरह के पदार्थों में, उक्त तरह के निमित्तों द्वारा, यथासम्भव, हेतुरूप से अथवा फलरूप से सम्भावना की जाय तो क्रमशः हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा कहलाती है। इन उत्प्रेक्षाओं का शरीर (स्वरूप) कहीं सिद्ध होता है (अर्थात् सर्वांश में स्वतःसम्भवी पदार्थों को लेकर बना रहता है) और कहीं साध्य (अर्थात् अंश विशेष में अथवा सर्वांश में कविकल्पित पदार्थों

को लेकर बना रहता है)। इस तरह ऐसे अत्यधिक विकल्प बन सकते हैं, तथापि यहाँ उनका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है।

उदाहरणप्रदर्शनप्रसङ्गे प्रथमं जातिस्वरूपोत्प्रेक्षोदाहरणप्रदर्शनायाह—

आख्यायिकायां जात्यवच्छिन्नस्वरूपोत्प्रेक्षा यथा—

जात्यवच्छिन्नेति। जातिविशिष्टस्य धर्मिणो धर्म्यन्तरे तादात्म्येनोत्प्रेक्षेत्यर्थः।

जात्यवच्छिन्न पदार्थ के स्वरूप की उत्प्रेक्षा (आख्यायिका में), जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'तनयमैनाकगवेषणलम्बीकृतजलधिजठरप्रविष्टहिमगिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी' इति।

यमुनावर्णम्—इयं, यमुना, तस्या भगवत्या ऐश्वर्यविशेषशालिन्याः, भागीरथ्याः गङ्गायाः, सखी, विद्यते, या, तनयस्य, मैनाकस्य तदाख्यपर्वतविशेषस्य, गवेषणाय अन्वेषणाय, लम्बीकृतः दीर्घीकृतः, तथा जलधेः समुद्रस्य, जठरे उदरे, प्रविष्टश्च यो हिमगिरेर्हिमालयस्य, भुजो बाहुः, स इवाचरतीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—तनय इत्यादि। यमुना का वर्णन है। यह यमुना उस ऐश्वर्यशालिनी गङ्गा की सखी है, जो अपने पुत्र मैनाक (एक पर्वत) को ढूँढ़ने के लिये लम्बी की हुई और समुद्र के उदर में घुसी हुई, हिमालय पर्वत की भुजा सा आचरण करती है।

उपपादयति—

अत्र भागीरथ्यां द्रव्ये जातौ वा हिमगिरिसम्बन्धी भुजत्वजात्यवच्छिन्नस्तादात्म्येनोत्प्रेक्ष्यते। तत्र च भागीरथीगतानां श्वैत्यशैत्यलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वानां धर्माणाम् निमित्ततासिद्धये विषयिहिमगिरिभुजगत्वमवश्यं सम्पादनीयम्। तेषां च मध्येऽनुपात्तयोः श्वैत्यशैत्ययोर्हिमगिरिसम्बन्धित्वादेव भुजगतत्वं सम्पन्नम्। इतरयोरपि सम्पादनाय तनयमैनाकगवेषणं फलमुत्प्रेक्षितम्, तत्साधनताज्ञानस्य लम्बत्वजलधिजठरप्रवेशानुकूलयत्नजनकत्वात्। एवं च विषयिगततादृशगवेषणफलकलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वाभ्यां विषयगतयोः साहजिकलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वयोरभेदाध्यवसानातिशयोक्त्या साधारण्यसम्पत्तौ निमित्तता। न चात्र फलस्याप्युत्प्रेक्षेति वक्तुं शक्यम्। उत्प्रेक्ष्यमाणफलनिष्पादितनिमित्तोत्थापितायां स्वरूपोत्प्रेक्षायामेव विधेयत्वाच्चमत्कृतेर्विश्रमात्, उत्प्रेक्षाप्रतिपादकस्य प्रत्ययस्य फलेनानन्वयाच्च, तयैवात्र व्यपदेशो युक्तः। अनिगीर्णविषया चेयमुपात्तानुपात्तगुणक्रियात्मकनिमित्ता निष्पाद्यविशिष्टशरीरा जात्युत्प्रेक्षा, हिमगिरिभुजस्य कविनैव निष्पादितत्वात्।

द्रव्ये जातौ वेति संज्ञाशब्दवाच्यायां जातिशब्दवाच्यायां वेत्यर्थः। तत्र चेति। तस्मिन्नुत्प्रेक्षण इत्यर्थः। अस्य च 'निमित्ततासिद्धये' इत्यत्रान्वयः। तेषां चेति। उक्तधर्माणामित्यर्थः। इतरयोरपीति। लंबत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वयोरित्यर्थः। तत्साधनतेति। गवेषणसाधनतेत्यर्थः। यत्नेति। अन्यथा गवेषणासम्भवादिति भावः। विषयिगतेति।

विषयिहिमगिरिभुजगताभ्यामित्यर्थः । तादृशेति । तनयमैनाकेत्यर्थः । विषयेति । भागीरथी त्यर्थः । साहजिकेति । स्वाभाविकेत्यर्थः । अभेदाध्यवसानेति । विषयनिगरणपूर्वकाभेदारोपेत्यर्थः । तन्मूलकयातिशयोक्त्येति समुदितार्थः । सम्पत्ताविति । सिद्धावित्यर्थः । शङ्कते—न चेति । समाधत्ते—उत्प्रेक्ष्यमाणेति । फलेति । गवेषणेत्यर्थः । निमित्तेति । साधारणीकृतलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वेत्यर्थः । विधेयत्वादिति । विधेयत्वेन प्राधान्यादित्यर्थः । चमत्कृतिविश्रमे विनिगमनाविरहादाह—उत्प्रेक्षाप्रतिपादकस्येति । प्रत्ययस्य क्यङः । तदर्थस्येति भावः । फलेनेति । गवेषणेनेत्यर्थः । उपसंहरति—तयैवेति । एवं चेत्यादिः । स्वरूपोत्प्रेक्षयैवेत्यर्थः । अत्र भेदानुपपादयति—अनिगीर्णेति । भागीरथ्या उपादानादिति भावः । उपात्तेति । इदं च यथासम्भवं बोध्यम् । न तु यथासंख्यम् । तथात्वे गुणयोरेवोपात्ततासिद्धिः, गुणौ च श्वैत्यशैत्यात्मकावनुपात्ताविति ग्रन्थासङ्गतिः स्यात् । निष्पाद्यत्वे हेतुमाह—हिमेति । एवं चैकदेशस्य सिद्धत्वेऽपि विशिष्टस्य निष्पाद्यत्वं स्पष्टमेवेति भावः । अयमत्र विशदोऽर्थः—'तनयमैनाक—' इतिगद्यवाक्ये गङ्गायां हिमालयबाहुरभेदेनोत्प्रेक्ष्यते । बाहु(भुज)पदञ्च बाहुत्वजातिविशिष्टवाचकमिति जातिस्वरूपोत्प्रेक्षेयम् । भागीरथीपदञ्च यदि संज्ञाशब्दरूपम् तदाऽत्र द्रव्ये जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा, यदि पुनस्तत्पदम् कल्पभेदाभिप्रायेण भागीरथीत्वजातिविशिष्टवाचकम् स्वीक्रियते तदा जातौ जातिस्वरूपोत्प्रेक्षेति त्वन्यत् । अस्याञ्चोत्प्रेक्षायां श्वैत्यशैत्यलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वात्मकाश्चत्वारः साधारण धर्मा निमित्ततामुपयान्ति । कथमेषां साधारणतेति चेत् ? इत्थम्—भागीरथ्यां विषयभूतायां ते धर्माः स्वतःसिद्धा एव । विषयिभूते हिमालयभुजेऽपि अनुक्ते श्वैत्यशैत्ये भुजस्य हिमालयीयतया सिद्धप्राये । लम्बत्वसमुद्रोदरप्रविष्टत्वे यद्यपि भुजविशेषणतयैव शब्दबोधिते तथापि गङ्गायामिव भुजेन तयोः सिद्धत्वम् , अतस्तयोर्भुजगतत्वसिद्धये प्रयासोऽपेक्षितः, स च प्रयासः तनयमैनाकगवेषणरूपफलोत्प्रेक्षात्मकः कविनाऽत्र कृतः । ननु कथं तेन प्रयासेन तयोर्भुजगतत्वसिद्धिरिति चेत् ? लम्बीकृते समुद्रोदरप्रविष्टे च भुजे गवेषणसाधनताज्ञानवता हिमालयेन (भुजे लम्बत्वं समुद्रोदरप्रविष्टत्वञ्च येन स्यात् तादृशः) यत्नोऽवश्यं कृतोऽभूदित्यनुमितया भुजे तयोः सिद्धिरिति बोध्यम् । एवमपि यद्यपि विषयिभुजगते ते यत्नपूर्वके गवेषणफलके च, विषयगङ्गागते पुनस्ते स्वाभाविके इति मिथो भिन्न एवेति न तयोः साधारणता, तथापि तयोरभेदाध्यवसानमूलकातिशयोक्तेरङ्गीकारेणैक्यात्साधारणता सम्पद्यते । एवञ्च साधारणीभूतान् तान् चतुरो धर्मान् निमित्तीकृत्योक्तोत्प्रेक्षा क्रियते । यद्यप्यत्र गवेषणात्मकफलस्याप्युत्प्रेक्षणमिति सत्यम् , तथापि नात्र तद्व्यवहारः, व्यवहारस्य प्रधानानुरोधित्वात् । प्राधान्यञ्चात्र चमत्कृतिविश्रमधामभूताया विधेयाया उत्प्रेक्ष्यमाणफलनिष्पादितनिमित्तोत्थापितायाः स्वरूपोत्प्रेक्षाया एव । किञ्चात्रोत्प्रेक्षा वाच्या, वाचकश्च 'भुजायमान–' पदगतः क्यङ्प्रत्ययः, तदर्थस्य च भुजपदार्थेनैवान्वयः, न फलीभूतेन गवेषणेनेति कथं फलोत्प्रेक्षाव्यवहारः स्यात् ? अत्र च भागीरथीरूपो विषय उपात्त एव, न निगीर्णः, एवम् निमित्तभूतेषु प्रागुक्तेषु धर्मेषु, लम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वरूपौ क्रियात्मकौ धर्मावुक्तौ, श्वैत्यशैत्यरूपौ च गुणात्मकौ धर्मौ अनुक्तौ इति अनिगीर्णविषया उपात्तानुपात्तोभयविधधर्मनिमित्ता चेयं

जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा निष्पाद्या। ननु निष्पाद्यत्वं कुतः, विषयरूपाया गङ्गाया निष्पन्नत्वादिति चेन्न, विषयिणो हिमगिरिभुजस्य कविनैव निष्पादिततया विशिष्टस्य निष्पाद्यत्वाक्षतेः। इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'तनयमैनाक—' इस गद्यवाक्य में यदि भागीरथी-पद को एकव्यक्तिवाचक (अर्थात् संज्ञाशब्द) माना जाय तो गङ्गारूप द्रव्य में, और यदि कल्प-भेद से अनेक-व्यक्तिवाचक (अर्थात् जाति-शब्द) माना जाय तो जाति में हिमालय से सम्बन्ध रखनेवाले 'भुजत्व' जाति से अवच्छिन्न (विशिष्ट) पदार्थ (अर्थात् 'भुज') की, अभेदसम्बन्ध द्वारा, उत्प्रेक्षा की जाती है। इस उत्प्रेक्षा में, श्वेतता, शीतलता, लम्बता और समुद्रोदरप्रविष्टता ये चार धर्म साधारण (गङ्गा तथा भुज दोनों में वृत्ति) होकर निमित्त होते हैं। अब ये चारों धर्म साधारण कैसे होते हैं यह समझिए—गङ्गा में ये चारों धर्म स्वतः रहते ही हैं, भुज में भी हिमालय के सम्बन्धी होने से वाक्य में अनुक्त दो धर्म (श्वेतता तथा शीतलता) सिद्ध हो जाते हैं। अब बचे लंबता तथा समुद्रोदर-प्रविष्टता ये शब्दोक्त दो धर्म। ये दोनों यद्यपि भुज के ही विशेषण बनाए गए हैं वाक्य में, तथापि वस्तुतः ये गङ्गा के ही धर्म हैं, भुज के नहीं, अतः इन्हें भुजगत सिद्ध करने के लिये उपाय अपेक्षित है, वही उपाय 'तनयमैनाक-गवेषणात्मक-फल' की उत्प्रेक्षा के रूप में कविद्वारा किया गया है—अर्थात् 'पुत्र मैनाक को ढूँढने के लिये' इस रूप में की गई उत्प्रेक्षा से उक्त दोनों धर्मों की भुजवृत्तिता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जब हिमालय को लंबे बनाए गए और समुद्र के उदर में घुसे हुए भुज में उक्त गवेषण-साधनता का ज्ञान हुआ होगा—अर्थात् जब हिमालय ने यह समझा होगा कि लंबीकृत तथा समुद्रोदरप्रविष्ट भुज द्वारा ही पुत्र मैनाक को समुद्र में खोजा जा सकता है तब उन्होंने (हिमालय ने) अवश्य ही भुज को लंबा और समुद्रोदरप्रविष्ट बनाने के उपयुक्त यत्न किया होगा यह अनुमान करना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि 'तत्साधनता का ज्ञान तत्साधनतोपयोगी पदार्थ के उत्पादक यत्न का जनक होता है' यह एक नियम-सिद्ध बात है। यद्यपि इतना—सब कुछ—करने पर भी उक्त दोनों धर्म वस्तुतः साधारण हुए नहीं, क्योंकि भुज में रहनेवाले लम्बत्व और समुद्रोदरप्रविष्टत्व उक्तरीति से यत्नपूर्वक तथा गवेषणरूप फल वाले हैं और गङ्गा में रहने वाले वे दोनों धर्म स्वाभाविक तथा उक्त फल से शून्य हैं, फलतः ये केवल एक-एक में रहनेवाले भिन्न ही धर्म हैं—इनमें से कोई भी धर्म द्विक दोनों में रहनेवाला नहीं, तथापि विषयी (भुज) गत उक्त दोनों धर्मों के साथ विषय (गङ्गा) गत उक्त दोनों धर्मों का अभेदाध्यवसान मान लिया जाता है—अर्थात् एक तरह की अतिशयोक्ति मान ली जाती है जिससे वस्तुतः भिन्न होने पर भी विषयि-गत तथा विषयगत वे धर्म एक समझ लिये जाते हैं, अतः ये दोनों धर्म भी साधारण हो जाते हैं। श्वेतता तथा शीतलतारूप धर्म साधारण हो ही चुके हैं। इस तरह ये चारो धर्म उक्त उत्प्रेक्षा में निमित्त होते हैं। यदि कोई कहे कि यहाँ स्वरूपोत्प्रेक्षा क्यों कही जा रही है? यहाँ फल (गवेषण) की भी तो उत्प्रेक्षा है, अतः फलोत्प्रेक्षा ही क्यों नहीं व्यवहृत होती? तो इसका समाधान यह है कि—एक तो, जिस फलोत्प्रेक्षा की बात आप कर रहे हैं उसके द्वारा सिद्ध किए गए निमित्त (लम्बत्व तथा समुद्रोदरप्रविष्टत्व) से उठाई गई 'स्वरूपोत्प्रेक्षा' ही यहाँ विधेय है—प्रधान है, अतः चमत्कार का विश्राम वहीं जाकर होता है, फलोत्प्रेक्षा में नहीं। दूसरे, उत्प्रेक्षाबोधक प्रत्यय - 'भुजाय-मान' पदान्तर्गतक्यङ्—का फल के साथ अन्वय नहीं है, किन्तु भुज के साथ है। ऐसी स्थिति में स्वरूपोत्प्रेक्षा का व्यवहार होना ही समुचित है। यह जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा, विषयवाचक गङ्गापद के पृथक् विद्यमान रहने के कारण, अनिगीर्णविषया, और लम्बत्व

तथा समुद्रोदरप्रविष्टत्व इन दो क्रियात्मक धर्मों के उपात्त (उक्त) रहने के कारण, उपात्तनिमित्ता, एवम् श्वेतता तथा शीतलता इन दो गुणात्मक धर्मों के अनुपात्त रहने के कारण, अनुपात्तनिमित्ता भी, और कवि-कल्पित हिमालयभुजरूपविषयी से युक्त होने के कारण, निष्पाद्या है। आप कहेंगे-उक्त विषयी के निष्पाद्य होने पर भी गङ्गारूप विषय तो स्वतोनिष्पन्न ही है, ऐसी दशा में उत्प्रेक्षा को निष्पाद्य कैसे कहते हैं ? तो इसका उत्तर है कि विषयी तथा विषय दोनों मिलकर ही तो उत्प्रेक्षारूप होते हैं, फिर उन दोनों में से एक का भी निष्पाद्य होने पर विशिष्ट को निष्पाद्य कहा ही जा सकता है।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

तादात्म्येन गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा यथा—

अभेदसम्बन्ध से गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा जसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अम्भोजिनीबान्धवनन्दनायां कूजद्बकानां समजो विरेजे।
रूपान्तराक्रान्तगृहः समन्तात् पुञ्जीभवञ्शुक्ल इवाश्रयार्थी ॥'

कविर्यमुनां वर्णयति—अम्भोजिनीबान्धवस्य सूर्यस्य, नन्दनायां तनयायां यमुनायामिति यावत्, कूजतां शब्दायमानानां, बकानाम्, समजः सङ्घः, रूपान्तरेण श्यामत्वेन, आक्रान्तं बलाद् व्याप्तम्, गृहम्, यस्य तादृशः, अतः, समन्तात् सर्वतः, पुञ्जीभवन् एकत्र समुपतिष्ठन्, आश्रयार्थी स्थितिस्थानाभिलाषी, शुक्लः शुक्लगुणः, इव, विरेजे शुशुभे इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अम्भोजिनी इत्यादि। अम्भोजिनीबान्धव (सूर्य) की नन्दना (कन्या यमुना) में कूजते हुए बगुलों का झुंड ऐसा शोभित हुआ, मानो, दूसरे रूप (कालापन) से जिसका गृह आक्रान्त हो गया है वह अतएव सब तरफ से इकट्ठा हो रहा आश्रय की इच्छावाला शुक्लगुण (श्वेतवर्ण) हो।

उपपादयति—

अत्रैकाधिकरण्यापन्ने कूजनविशिष्टे बकत्वजात्यवच्छिन्ने विषये पुञ्जीभवनविशिष्टः शुक्लगुणस्तादात्म्येनोत्प्रेक्ष्यते। तत्र बकगतानां कूजननैर्मल्यपुञ्जीभवनानां शुक्लगुणगतत्वमन्तरेण बकशुक्लयोरभेदस्य दुरुपपादत्वात्तत्सिद्धये तेषां विषयिगतत्वं साध्यम्। तत्र नैर्मल्यस्यानुपात्तस्य यथाकथञ्चिदुत्प्रेक्ष्यमाणे विषयिणि सिद्धत्वात् कूजनपुञ्जीभवनयोर्निष्पादनाय रूपान्तराक्रान्तगृहत्वमाश्रयार्थित्वं च हेतुत्वेनोत्प्रेक्षितम्। इहापि प्राग्वत् साहजिकयोः कल्पिताभ्यामभेदाध्यवसानात् साधारण्यम्। एवमन्यत्राप्यूह्यम्। पूर्वं हि यथा फलस्योत्प्रेक्षणेऽपि न फलोत्प्रेक्षा तथेहापि हेतोरिति।

अत्रेति। 'अम्भोजिनी—' इति पद्ये इत्यर्थः। ऐकाधिकरण्यापन्न इति। समुदायापन्न इत्यर्थः। तत्रेति। तयोर्विषयिणोर्मध्य इत्यर्थः। अन्तरेणेति। विनेत्यर्थः। तत्सिद्धये शुक्लगुणगतत्वसिद्धये। तेषामुक्तधर्माणाम्। विषयीति। शुक्लगुणेत्यर्थः। तत्र तेषां धर्माणां मध्ये। नैर्मल्यस्य गुणात्मकस्य धर्मात्मकस्य वा द्रव्यवृत्तिता, न शुक्लादिगुणवृत्तितेत्यत आह—यथाकथंचिदिति। गुणगतदोषविशेषाभाववत्त्वस्य नैर्मल्यपदेन विवक्षणादिति भावः। नन्वेवं कूजनपुञ्जीभवनयोर्विषयिणि सिद्धत्वेऽपि विषयगताभ्यां ताभ्यां

भिन्नत्वेन कथं साधारण्यमित्यत आह—इहापीति। इदमुपलक्षणम्। नैर्मल्ययोरपि विषयविषयिगतयोर्भिन्नत्वेनाभेदारोपादेव साधारण्यं बोध्यम्। ननु रूपान्तराक्रान्तगृहत्वाश्रयार्थित्वयोर्हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणे हेतूत्प्रेक्षैवेयं कुतो नेत्यत आह—पूर्वं हीति। अयं भावः—बकत्वजातिविशिष्टबकरूपद्रव्ये विषये शुक्लगुणस्य विषयिणस्तादात्म्येनोत्प्रेक्षणात् 'अम्भोजिनी—' इत्यस्य गुणस्वरूपोत्प्रेक्षोदाहरणत्वं सम्पद्यते। अस्मिंश्चोत्प्रेक्षणे कूजननैर्मल्यपुञ्जीभवनात्मका धर्माः साधारणाः सन्तो निमित्तभावं भजन्ते। ननु कथमेषां साधारण्यमिति चेदित्थम्—बकवृत्तिता स्पष्टैवैषाम्। नैर्मल्यस्य पुनः कथञ्चित् शुक्लगुणवृत्तितापि सिद्धैव। कूजनपुञ्जीभवनयोः शुक्लगुणवृत्तिता रूपान्तराक्रान्तगृहत्वाश्रयार्थित्वयोर्हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणान्निष्पद्यते, अन्याक्रान्तगृहाणामाश्रयार्थिनाञ्च शब्दायमानत्वस्य सङ्घीभवनस्य च लोकप्रसिद्धत्वात्। न चैवमपि विषयगतेभ्यस्तेभ्यो विषयिगतास्ते भिन्ना एवं भवेयुरिति कथं साधारण्यमिति शङ्क्यम्, अभेदाध्यवसानेनैकत्वाङ्गीकारात्। हेतूत्प्रेक्षणे सत्यपि हेतूत्प्रेक्षाव्यपदेशस्तु न शक्यते विधातुम्, प्रागुक्त हेतूत्प्रेक्षाया निमित्तमात्रनिष्पादकतया गुणत्वेनाचमत्कारित्वात्। स्वरूपोत्प्रेक्षा तु प्रधाना चमत्कृतिभूमिरिति भवति तया व्यपदेश इति।

उपपादन किया जाता है—अत्रैकाधिकरण्यापन्न इत्यादि। 'अम्भोजिनी—' इस पद्य में 'एकत्र स्थित' और 'कूजन'-युक्त बकत्व जाति से अवच्छिन्न बगुलारूप विषय—अर्थात् जातिरूप पदार्थ—में इकट्ठे हो रहे शुक्लगुण की अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती है यहाँ बगुलों में रहनेवाले कूजन, निर्मलत्व और पुञ्जीभवन (इकट्ठे होना) इन तीन धर्मों की सिद्धि जब तक शुक्लगुण में भी न हो तब तक बगुलों और शुक्लगुण का अभेद सिद्ध होना कठिन है। अतः उन धर्मों की स्थिति विषयी (शुक्लगुण) में साधनीय है। उनमें से अनुपात्त धर्म (निर्मलत्व) की स्थिति किसी तरह विषयी (शुक्लगुण) में सिद्ध हो जाती है। ('किसी तरह' कहने का अभिप्राय यह है कि-वस्तुतः निर्मलता स्वयं गुणरूप है, अतः वह किसी द्रव्य में ही रह सकती है, पर यहाँ 'मल'-अर्थात् किसी तरह का दोष, उसका अभाव ही 'निर्मलता' से विवक्षित है जो गुण में भी रह सकता है)। अब अवशिष्ट रहे 'कूजन' और 'पुञ्जीभवन' ये दो धर्म। इन दोनों धर्मों की सिद्धि शुक्लगुण में करने के लिये 'दूसरे रङ्ग से आक्रान्त गृह वाले होने' की और 'आश्रय की इच्छा वाले होने' की हेतुरूप से उत्प्रेक्षा की गई है। तात्पर्य यह कि हेतुरूप से उक्त दोनों बातों की उत्प्रेक्षा करने से शुक्लगुण में भी 'कूजन' और पुञ्जीभवन' की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि जिनका घर दूसरों से आक्रान्त हो जाता है तथा जो दूसरों के यहाँ आश्रय चाहते हैं वे जोर-जोर से शब्द करते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं यह बात लोकप्रसिद्ध है। यहाँ भी पूर्वोक्त उदाहरण की तरह स्वाभाविक विषय बकगत उन धर्मों का कल्पित विषयि (शुक्ल) गत उन धर्मों के साथ अभेद मान लेने से इन धर्मों की साधारणता (दोनों में रहना) सिद्ध होती है। इसी तरह अन्यत्र भी तर्क कर लेना चाहिये। प्रथम उदाहरण में जैसे फल के उत्प्रेक्षित होने पर भी फलोत्प्रेक्षा नहीं व्यवहृत होती, वैसे यहाँ भी हेतु के उत्प्रेक्षित होने पर भी हेतूत्प्रेक्षा नहीं व्यपदिष्ट होती है। अभिप्राय यह है कि यहाँ की हेतूत्प्रेक्षा भी केवल स्वरूपोत्प्रेक्षा के निमित्त को सिद्ध करने के लिये की गई है, अतः अनुवाद्य है-गौण है, उसमें कोई चमत्कार नहीं अनुभूत होता, इसलिये उसका व्यवहार करना उचित नहीं और स्वरूपोत्प्रेक्षा तो प्रधान है-विधेय है, चमत्कारयुक्त है, अतः उसका व्यवहार करना समुचित है।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा यथा—

अभेदसम्बन्धेन क्रियास्वरूपं यत्रोत्प्रेक्ष्यते तादृशमुदाहरणं यथेति भावः ।

अभेदसम्बन्धमूलक क्रिया-स्वरूप की उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कलिन्दजानीरभरेऽर्धमग्ना बकाः प्रकामं कृतभूरिशब्दाः ।
ध्वान्तेन वैराद् विनिगीर्यमाणाः क्रोशन्ति मन्ये शशिनः किशोराः ॥'

यमुनावर्णनप्रसङ्गे कविः यमुनाजलेऽर्धमग्नान् बकान् वर्णयति—कलिन्दजाया यमुनायाः, नीरभरे जलसमूहे, अर्धमग्नाः त्रुडितकायार्धाः, तथा प्रकामं यथेच्छम् , कृतभूरिशब्दाः विहितबहलकोलाहलाः, बकाः, वैरात् द्वेषात् , ध्वान्तेन तमसा, विनिगीर्यमाणाः कवलीक्रियमाणाः शशिनः चन्द्रस्य, किशोराः शिशवः, सन्तः, क्रोशन्ति आक्रोशं कुर्वन्तीति मन्ये इत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—कलिन्द इत्यादि। यमुनावर्णन-प्रसङ्ग में कवि जल के भीतर शरीर के आधे हिस्से को डुबा कर तैरते हुए बकों का वर्णन करता है—यमुना के जल में आधे डूबे और यथेच्छ कोलाहल करते हुए बगुले ऐसे ज्ञात होते हैं, मानो, द्वेष के कारण, अन्धकार द्वारा निगले जाते चन्द्रमा के बच्चे चिल्ला रहे हों ।

शाब्दबोधप्रदर्शनपुरस्सरमुपपादयति—

अत्र प्रथमान्तविशेष्यकबोधवादिनामभेदसंसर्गेण कलिन्दजानीरार्धमग्नकृतभूरिशब्दोभयविशिष्टेषु बकेषु विषयेषु ध्वान्तकर्तृकवैरहेतुकनिगरणकर्माभिन्नोत्प्रेक्षितशशिकिशोरतादात्म्योत्प्रेक्षणपूर्वकं क्रोशनकर्तृत्वं धर्म उत्प्रेक्ष्यते । तत्र तादात्म्योत्प्रेक्षणे धर्म्युत्प्रेक्षायां साधारणो धर्मः, सम्बन्धान्तरेणोत्प्रेक्षणे धर्मोत्प्रेक्षायां तत्समानाधिकरणो धर्मश्च विषयगतो निमित्तमिति स्थिते प्रकृते क्रोशनकर्तृत्वरूपधर्मोत्प्रेक्षायां तत्समानाधिकरणनिगरणकर्मत्वरूपधर्मस्य विषयगतत्वसिद्ध्येऽनुवाद्यतया शशिकिशोरतादात्म्यमनुपात्तश्चैत्यनिमित्तकमुत्प्रेक्ष्यते। तत्र यथा विशिष्टोपमायामुपमानोपमेयविशेषणतद्विशेषणानामार्थमौपम्यम् , एवमत्रापि विषयबकविशेषणतद्विशेषणयोरर्धमज्जनयमुनाजलयोर्मूलोत्प्रेक्षाविषयिशशिकिशोरविशेषणतद्विशेषणाभ्यां निगरणध्वान्ताभ्यामभेद आर्थः, ततश्च ध्वान्तकर्तृकनिगरणे सिद्धे मुख्योत्प्रेक्षानिर्वाहः । क्रोशनशब्दयोरपि बिम्बप्रतिबिम्बभावेनाभेदः । तेन कलिन्दजानीरार्धमग्नकृतभूरिशब्दोभयाभिन्ना बका ध्वान्तनिगीर्यमाणशशिकिशोरोभयाभिन्नाः क्रोशनक्रियानुकूलव्यापारवन्त इवेति बोधाकारः। आख्याते भावप्राधान्ये त्वभेदेन क्रोशनक्रियोत्प्रेक्षा । तत्र शाब्दे वृत्ते बकविशेषणतया प्रतीयमानमपि शब्दनं विषयतयाऽवतिष्ठते, अध्यवसानवशात् । क्रोशनक्रियायां च तादृशबका विशेषणम् , तादृशबकेषु चाभेदेन तादृशशशिकिशोराः, न तु शशिकिशोरा एव साक्षात्क्रियायाम् । एवं च बकानामनन्वयापत्तेः विषयविषयिविशेषणानां प्राग्वदेव बिम्बप्रतिबिम्बभावेनाभेदप्रतिपत्तिः ।

अत्रेति। 'कलिन्दजा—' इत्यत्रेत्यर्थः। वादिनामिति। नैयायिकानामित्यर्थः। मते इति शेषः। अस्य 'धर्म उत्प्रेक्ष्यते' इत्यत्रान्वयः। विषयेषु इति। आरोपाधारेषु इत्यर्थः। उपमेयेष्विति यावत्। शानजर्थमाह—कर्मेति। तदभिन्नत्वेनोत्प्रेक्षितेत्यर्थः। अत्र 'अत्रोत्प्रेक्षितेत्यधिकम्। तयोरभेदस्य स्वारसिकत्वात्' इति नागेशः। वस्तुतस्तु 'शशिकिशोरा न वास्तविका अपि तु काल्पनिकाः' इति बोधनाय तदावश्यकमेवेति बोध्यम्। तत्रेति। तयोरुत्प्रेक्षयोर्मध्य इत्यर्थः। पूर्वामाह—तादात्म्येति। तादात्म्येनोत्प्रेक्षण इत्यर्थः। वस्तुतस्त्वसमस्त एव पाठो युक्तः। द्वितीयामाह—सम्बन्धेति। विषयेति। बकेत्यर्थः। तत्कृतचमत्काराभावादाह—अनुवाद्येति। उत्प्रेक्ष्यत इति। बकेष्विति शेषः। नन्वेवमपि साधारणधर्माभावात्कथं प्रधानोत्प्रेक्षानिर्वाहोऽत आह—तत्रेति। तस्मिन्प्रतीत्यर्थः। मूलोत्प्रेक्षेति। मूलोत्प्रेक्षाया विषयी यः शशिकिशोर इत्याद्यर्थः। क्रियोत्प्रेक्षोपपादकत्वात्तस्या मूलोत्प्रेक्षात्वम्। सिद्ध इति। बकानामित्यादिः। मुख्योत्प्रेक्षेति। क्रियोत्प्रेक्षेत्यर्थः। प्रकारान्तरेणापि साधारण्यं धर्मस्याह—क्रोशनेति। एवञ्च नैयायिकमते पर्यवसितबोधाकारमाह—तेनेति। किशोरोभयाभिन्ना इति। सन्त इति शेषः। अत्र "-'शशिकिशोरोभयानुकूलक्रोशेति' इति पाठधारणं कृत्वा 'निगीर्यमाणाभिन्नशशिकिशोराभिन्नाः क्रोशनक्रियानुकूल—' इति युक्तः पाठः।" इति नागेशः। वस्तुतस्तु न नागेशधृतपाठ उपलभ्यते, 'ध्वान्तनिगीर्यमाणशशिकिशोरोभयाभिन्नाः' इत्याकारकपाठस्यैवोपलब्धेः। उपलब्धपाठोऽपि 'निगीर्यमाणाभिन्नाः शशिकिशोराभिन्नाश्च' इति तात्पर्यानुसारं युक्त एव प्रतिभाति। अयं भावः—'कलिन्दजा—' इत्यत्र प्रथमं तमःकर्तृकद्वेषहेतुकनिगरणकर्माभिन्नकल्पितशशिशिशुतादात्म्यं बकेषु उत्प्रेक्ष्यते, ततः तादृशशशिशिशुतादात्म्यापन्नबकरूपे विषये क्रोशनकर्तृत्वात्मकधर्म उत्प्रेक्ष्यते। तत्र पूर्वा धर्म्युत्प्रेक्षा, तादात्म्यसम्बन्धमूलकत्वात्, द्वितीया च धर्मोत्प्रेक्षा समवायात्मकतादात्म्येतरसम्बन्धमूलकत्वात्। ननु धर्मोत्प्रेक्षा-निमित्ततयाऽङ्गीकृत उत्प्रेक्ष्यमाणधर्मसमानाधिकरणो विषयगतो धर्मः प्रकृते क इति चेत्? निगरणकर्मत्वमिति मन्तव्यम्। अथ कथं निगरणकर्मत्वस्य बकात्मकविषयगतत्वमिति चेत्? अनुक्तश्वेततानिमित्तकशशिशिशुतादात्म्यस्य बकेषूत्प्रेक्षणे प्राक्कृते बक-शशि-किशोराणामभेदेन शशिकिशोराणां ध्वान्तनिगरणकर्मत्वे बकेष्वपि तत्सिद्धेः। इयं तादात्म्योत्प्रेक्षा अनुवाद्या अचमत्कारिणीत्यन्यदेतत्। एवञ्च यथा 'कोमलातपशोणाभ्र—' इत्यादिविशिष्टोपमास्थले उपमानविशेषणोपमेयविशेषणयोरुपमानविशेषणविशेषणोपमेय-विशेषणविशेषणयोश्च शाब्दौपम्यविरहेऽपि आर्थमौपम्यं भवति तथाऽत्रापि बकविशेषण-शशिकिशोरविशेषणयोरर्धमज्जननिगरणयोरेवम् बकविशेषणविशेषण-शशिकिशोरविशेषण-विशेषणयोः यमुनाजलध्वान्तयोश्चार्थोऽभेदः सम्पद्यते। एतेन मुख्योत्प्रेक्षानिर्वाहक एकविधः साधारणो धर्म उक्तो भवति। अपरविधोऽपि स सम्भवति। यथा—विषयविशेषणस्य शब्दनस्य विषयिविशेषणस्य क्रोशनस्य च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नतयाऽभेदेन साधारण्यम्। इत्यञ्च 'यमुनाजलार्धमग्नाभिन्नास्तथा कृतभूरिशब्दाभिन्नाश्च बकाः ध्वान्तनिगीर्यमाणाभिन्नाः शशिकिशोराभिन्नाश्च सन्तः क्रोशनक्रियानुकूलव्यापारवन्त इव' इति बोधः पर्यवस्यति इति। वैयाकरणमतानुसार्युपपादनमाह—आख्याते इति। तिङन्ते इति तदर्थः।

भावेति । क्रियेत्यर्थः । 'भावप्रधानमाख्यातम्' इति नियममूलकं भावप्राधान्यमाख्याते बोध्यम् । नन्वभेदेन बकेषु क्रियोत्प्रेक्षा बाधिता अत आह—तत्रेति । उत्प्रेक्ष्यमाण-क्रोशनक्रियायामित्यर्थः । अस्य 'शब्दनं विषयतया अवतिष्ठते' इत्यत्रान्वयः, वृत्ते बोधे । अध्यवसानेति । अध्यवसानं च मञ्चाः क्रोशन्तीत्यादिवद्विषयिवाचकशब्देनेति बोध्यम् । तादृशेति । विशेषणद्वयविशिष्टेत्यर्थः । एवमग्रेऽपि । तादृशेति । एकविशेषणविशिष्टेत्यर्थः । क्रियायामिति । क्रोशनेत्यादिः । एवं चेति । एवं सतीति भावः । प्राग्वदिति । उक्तनैयायिकमतसिद्धव्याख्यान इवेति भावः । अयमाशयः—तिङन्ते क्रियाप्राधान्यवादिनां वैयाकरणानां मते प्रकृते शब्दनक्रियायां क्रोशनक्रियाया अभेदेनोत्प्रेक्षा भवति, अतो धर्म्युत्प्रेक्षैवेयं तन्मतेन । ननु शब्दनं नात्र पृथङ्निर्दिष्टम्, अपि तु विशेषणमध्यगततयेति कथं तस्य विषयत्वमिति चेत् ? सत्यम्, मञ्चाः क्रोशन्तीत्यत्र मञ्चेषु विषयिषु यथा मञ्चस्थानामभेदाध्यवसानम् तथा शब्दकर्तृषु बकेषु शब्दनस्याध्यवसानात् तस्य विषयत्वं बोध्यम् । अयं विषयविषयिभावः आर्थः । शाब्दे तु बोधे विशेषणविशिष्टा बकाः क्रोशनेऽनुयन्ति, बकेषु च सविशेषणाः शशिकिशोराः अभेदेन । शशिकिशोराणां साक्षात्क्रियान्वये बका अनन्विता एव भवेयुः । एवञ्च 'ध्वान्तकर्तृकवैरहेतुकनिगरणकर्माभिन्ना ये शशिकिशोरास्तदभिन्ना अथ च यमुनाजलार्धमग्नकृतभूरिशब्दाभिन्नाश्च ये बकास्तत्कर्तृका-क्रोशनक्रिया' इति बोधः । अस्मिन्नपि मते विषयविषयिविशेषणानां बिम्बप्रतिबिम्बभाव-मूलकोऽभेदः पूर्ववदेवावगन्तव्य इति ।

शाब्दबोधसहित उदाहरणतोपयोगी उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । जो लोग (नैयायिक) शाब्दबोध में प्रथमान्त पद के अर्थ को प्रधान बनाते हैं उनके मत से 'कलिन्दजा—' इस पद्य में अभेदसम्बन्ध द्वारा विशेषण बने हुए 'यमुना के जल में आधे डूबे' और 'कोलाहल करनेवाले' इन दो अर्थों से युक्त बकरूप विषयों (आधारों) में 'क्रोशनकर्तृत्व—अर्थात् चिल्लाना क्रिया के कर्ता होने' रूप धर्म की उत्प्रेक्षा होती है । पर इस उत्प्रेक्षा से पहले उन्हीं बकों में उन 'चन्द्रमा के बच्चों के तादात्म्य' की उत्प्रेक्षा होती है जो कल्पित हैं और अन्धकाररूप कर्ता से वैर के कारण की जानेवाली निगरण-(निगलना) क्रिया के कर्म हैं । सारांश यह कि इस पद्य में दो उत्प्रेक्षाएँ हैं—एक 'बकों में चन्द्रकिशोरों' की, दूसरी 'चन्द्रकिशोरों से अभिन्न बकों में क्रोशनकर्तृत्व' की । अब यह नियम है कि जहाँ अभेदसम्बन्ध द्वारा किसी पदार्थ में किसी पदार्थ की उत्प्रेक्षा होती हो वहाँ उस उत्प्रेक्षा को धर्म्युत्प्रेक्षा कहते हैं, जैसे उक्त दोनों उत्प्रेक्षाओं में प्रथम उत्प्रेक्षा, और ऐसी उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है विषय तथा विषयी दोनों में रहनेवाला साधारणधर्म, और जहाँ अभेद के अतिरिक्त समवाय आदि किसी अन्य सम्बन्ध द्वारा किसी पदार्थ में किसी पदार्थ की उत्प्रेक्षा होती हो वहाँ उस उत्प्रेक्षा को धर्मोत्प्रेक्षा कहते हैं, जैसे—उक्त उत्प्रेक्षाओं में द्वितीय उत्प्रेक्षा, और ऐसी उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है उत्प्रेक्षित होनेवाले धर्म के साथ रहनेवाला वैसा धर्म जो विषय में भी रहता हो । ऐसी स्थिति में, प्रकृत पद्य में क्रोशनकर्तृत्वरूप धर्म की समवायसम्बन्ध-मूलक उत्प्रेक्षा में निमित्त बनाना पड़ेगा उस क्रोशनकर्तृत्व के साथ शशिकिशोरों में रहनेवाले निगरणकर्मत्व-अर्थात् निगलना क्रिया का कर्म-होने को । पर यह धर्म तब तक निमित्त हो नहीं सकता जब तक विषय (बकों) में भी उसकी स्थिति सिद्ध नहीं हो जाय । अतः अनुवाद्य (गौण) रूप में बकों में चन्द्रमा के बच्चों की तादात्म्यसम्बन्ध द्वारा उत्प्रेक्षा की जाती है । इस द्वितीय धर्म्युत्प्रेक्षा का निमित्तभूत धर्म है अनुक्त 'श्वेतता'

अर्थात् श्वेत होने के कारण बकों को चन्द्रमा के बच्चों से अभिन्न मान लिया गया है। अब जैसे विशिष्टोपमा में उपमान-उपमेय के विशेषणों तथा उन विशेषणों के विशेषणों का शब्दतः न होने पर भी अर्थतः परस्पर सादृश्य मान लिया जाता है, उसी तरह यहाँ भी बकरूप विषय के विशेषण 'आधे डूबने' और उसके विशेषण 'यमुना-जल' का, मूलभूत-अर्थात् प्रधानोत्प्रेक्षा की सम्पादिका उत्प्रेक्षा के विषयी 'चन्द्रमा के बच्चों' के विशेषण 'निगरण' और उसके विशेषण 'अन्धकार' के साथ अर्थतः अभेद माना जाता है। तात्पर्य यह कि 'आधे डूबने' को 'निगरण' से और 'यमुनाजल' को 'अन्धकार' से अभिन्न मान लिया जाता है। इस तरह बकों का अन्धकार द्वारा निगरण जब सिद्ध हो जाता है-अर्थात् चन्द्रमा के बच्चों का अन्धकार द्वारा निगरण जब सिद्ध है तब उनसे अभिन्न बकों का भी वह सिद्ध हो जाता है—तब मुख्य उत्प्रेक्षा-अर्थात् बकरूप विषय में क्रोशनकर्तृत्व की उत्प्रेक्षा का निर्वाह हो जाता है। यहाँ क्रोशन (चिल्लाने) और शब्दन (कोलाहल करने) का भी बिम्बप्रतिबिम्बभाव के कारण अभेद है, फलतः ये दोनों पदार्थ भी एक होकर साधारणधर्म के कर्तव्य पूर्ण कर सकते हैं–यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है। उक्त रीति के अनुसार नैयायिकों के मत में प्रकृत पद्य का "यमुना जल में आधे डूबे और अत्यधिक शब्द करते इन दोनों से अभिन्न बगुले, अन्धकार से निगले जा रहे और चन्द्रमा के बच्चे—इन दोनों से अभिन्न होकर 'क्रोशन' रूप क्रिया के अनुकूल चेष्टा से युक्त हैं।" यह शाब्दबोध होता है। यह तो हुई शाब्दबोध में प्रथमान्त पद के अर्थ को मुख्य विशेष्य माननेवाले नैयायिकों की बात। अब जो लोग 'तिङन्त' पदयुक्त वाक्यार्थ के बोध में क्रिया को प्रधान मानते हैं उन वैयाकरणों के मत की बात सुनिये। उनके विचार से यहाँ अभेदसम्बन्ध से 'क्रोशन' (चिल्लाने)-क्रिया की उत्प्रेक्षा होती है। इस उत्प्रेक्षा में विषय बगुले नहीं हो सकते, क्योंकि द्रव्य में क्रिया का अभेद बाधित है, अतः शब्दन (कोलाहल करने) को ही आक्रोशनक्रियोत्प्रेक्षा का विषय समझना चाहिए। यद्यपि शब्दन पृथक् निर्दिष्ट नहीं है, उसकी प्रतीति शाब्दबोध में बक के विशेषणरूप में होती है, अतः वह विषय नहीं हो सकता, तथापि अध्यवसान के बल से वह (शब्दन) विषय होता है-अर्थात् जिस तरह 'मञ्चाः क्रोशन्ति' में मञ्चस्थ जनों का मञ्चरूप विषयी के साथ अभेदाध्यवसान होता है उसी तरह यहाँ भी शब्द करनेवाले बकों में ही शब्दन का अध्यवसान (आरोप) करके उक्त उत्प्रेक्षा की सिद्धि की जाती है। फलतः यह उत्प्रेक्षा आर्थ (अर्थतः ज्ञात होनेवाली) है। शाब्दबोध में तो उक्त विशेषणों से युक्त बगुले 'क्रोशन' क्रिया में विशेषण बनते हैं और वैसे बगुलों में उक्त विशेषणयुक्त शशिकिशोर विशेषण होते हैं। इस शाब्दबोध में शशिकिशोर ही साक्षात् क्रिया में विशेषणरूप से अन्वित नहीं हो सकते, अपितु उक्त रीति से बगुले के विशेषण बनकर ही परम्परया अन्वित हो सकते हैं, क्योंकि यदि साक्षात् शशिकिशोर का ही अन्वय क्रिया के साथ कर दिया जाय तब बगुले अनन्वित ही रह जायेंगे। फलतः वैयाकरणों के मत से प्रकृत पद्य का शाब्दबोध "अन्धकार से निगले जा रहे शशिकिशोरों से अभिन्न तथा यमुना-जल में आधे डूबे और कोलाहल करते-इन दोनों से भी अभिन्न बगुले जिसके कर्ता हैं, वह 'क्रोशन'-" यह होता है। आर्थबोध के अनुसार यहाँ क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा मानी जाती है। विषय और विषयी के विशेषणों का, इस मत में भी, पूर्व मत के अनुसार ही बिम्बप्रतिबिम्बभाव माना जाता है।

क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षाया एवोदाहरणान्तरमुपदर्शयितुमाह—

तथा—

इसी तरह—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'राज्याभिषेकमाज्ञाय शम्बरासुरवैरिणः ।
सुधाभिर्जगतीमध्यं लिम्पतीव सुधाकरः ॥'

कविश्चन्द्रज्योत्स्नां वर्णयति—सुधाकरश्चन्द्रः, शम्बरासुरवैरिणः कामदेवस्य, राज्याभिषेकं राजत्वसूचकविधिविशेषम्, आज्ञाय विदित्वा, जगतीमध्यं धरातलान्तरालम्, सुधाभिः पीयूषैरथ च चूर्णैः, लिम्पति इवेत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—राज्याभिषेक इत्यादि। कवि चन्द्रिका का वर्णन करता है—चन्द्रमा, कामदेव का राज्याभिषेक समझकर, मानो, सुधा (अमृत-चूने) से पृथिवी के मध्यभाग को पोत रहा है।

उपपादयति—

अत्रापि चन्द्रे विषये तादृशलेपनकर्तृत्वरूपधर्मोत्प्रेक्षेत्येकं दर्शनम्। किरणव्यापने विषये चन्द्रकर्तृकसुधाकरणकलेपनस्य तादात्म्येनोत्प्रेक्षणमिति द्वितीयम्। तत्र प्रथमे मते धवलीकारकत्वरूपनिमित्तानुपादानादनुपात्तनिमित्ता, विषयस्योपादानादुपात्तविषया। द्वितीयेऽपि तस्यैव निमित्तस्यानुपादानादनुपात्तनिमित्ता, विषयस्य निगीर्णतयानुपात्तविषयेति विशेषः।

अत्रापीति। 'राज्याभिषेक' इति पद्येऽपीत्यर्थः। तादृशेति। सुधाकरणकजगन्मध्यकर्मकेत्यर्थः। चन्द्रकर्तृकेति। चन्द्राभिन्नकर्तृकेत्यर्थः। करणकेति। जगन्मध्यकर्मकेत्यपि बोध्यम्। विषयस्य चन्द्रस्य। तस्यैव धवलीकारकत्वस्यैव। विषयस्य किरणव्यापनस्य। निगीर्णेति। सुधाभिर्लिम्पतीत्यनेनेति भावः। 'राज्याभिषेक—' इति पद्येऽपि पूर्ववत् चन्द्रात्मके विषये तादृशलेपनकर्तृत्वमुत्प्रेक्ष्यत इति प्रथमान्तार्थविशेष्यकबोधवादिनो नैयायिकाः इति तन्मतेनात्र धर्मोत्प्रेक्षा। सा च धवलीकारकत्वरूपोत्प्रेक्ष्यमाणधर्मसमानाधिकरणधर्मात्मकनिमित्तस्यानुक्ततयाऽऽनुक्तनिमित्ता, चन्द्रात्मकविषयस्योक्ततयोक्तविषया। किरणव्यापनात्मके विषये तादृशलेपनस्याभेदेनोत्प्रेक्षेति च व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधवादिनो वैयाकरणाः इति तन्मतेनेयं धर्म्युत्प्रेक्षा। सा च धवलीकारकत्वरूपसाधारणधर्मात्मकनिमित्तानुपादानादनुपात्तनिमित्ता किरणव्यापनात्मकविषयानुल्लेखादनुपात्तविषया च। वैयाकरणानां मतमनुसृत्यैव क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षात्वमनयोः पद्ययोरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि। 'राज्याभिषेक—' इस पद्य में भी चन्द्र में लेपनकर्तृत्व की उत्प्रेक्षा है यह एक सिद्धान्त है नैयायिकों का। इस मत के अनुसार समवायसम्बन्धमूलक यह धर्मोत्प्रेक्षा हुई। यहाँ धवलीकारकत्व (श्वेत बनाना) रूप निमित्त (समानाधिकरण धर्म) उक्त नहीं है और चन्द्ररूप विषय उक्त है, अतः यह उत्प्रेक्षा अनुक्तनिमित्ता तथा उक्तविषया कहलायगी। किरणव्यापन(किरणों का फैलना)-रूप विषय में लेपनक्रिया की तादात्म्यसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा है यह दूसरा सिद्धान्त है वैयाकरणों का। इस मत के अनुसार तादात्म्यसंबन्धमूलक यह धर्म्युत्प्रेक्षा हुई। यहाँ धवलीकारकत्वरूप निमित्त (साधारणधर्म) उक्त नहीं है और किरणव्यापनरूप विषय भी सुधालेपन द्वारा निगीर्ण ही है—अनुक्त ही है, अतः यह उत्प्रेक्षा अनुक्तनिमित्ता तथा

अनुक्तविषया कहलायगी। यही दोनों मतों में अन्तर है। उक्त दोनों पद्य वैयाकरणों के मत के अनुसार ही क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा के उदाहरण होते हैं यह समझना चाहिए।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

तादात्म्येन द्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षा यथा—

अभेदसम्बन्ध द्वारा द्रव्यस्वरूप की उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कलिन्दशैलादियमाप्रयागं केनापि दीर्घा परिखा निखाता।
मन्ये तलस्पर्शविहीनमस्यामाकाशमानीलमिदं विभाति॥'

कविः यमुनां वर्णयति-कलिन्दशैलात् कलिन्दाख्यपर्वतात्, आरभ्य, आप्रयागं प्रयाग-पर्यन्तम्, केनापि अज्ञातनामधेयेन जनेन, इयम्, दीर्घा बहुदूरव्यापिनी, परिखा गर्तविशेषः, निखाता रचिता। अस्यां परिखायाम्, तलस्पर्शविहीनं अतलस्पर्शि, आनीलम् ईषन्नील-वर्णम्, इदं प्रत्यक्षदृश्यम्, आकाशं गर्तगतं गगनम्, विभाति शोभते इति मन्ये इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कलिन्द इत्यादि। कवि यमुना वर्णन-प्रसङ्ग में कहता है—कलिन्द पर्वत से लेकर प्रयागपर्यन्त, किसी ने, यह लम्बी खाई खोद डाली है। मानो, इसमें अगाध होने के कारण, नीचे हिस्से के स्पर्श से रहित यह यमुनाजल के रूप में गहरा नीला आकाश शोभित हो रहा है।

उपपादयति—

अत्र यमुनायां नीलत्वदीर्घत्वनिमित्तकमाकाशतादात्म्योत्प्रेक्षणम्। आकाशस्य स्वरूपात्मकत्वाद् द्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षेयम्। अत एवाकाशपदाच्छब्दाश्रयत्वाद्यनुपस्थितिदशायामप्याकाशधीः। नीलत्वरूपनिमित्तस्य विषयिणि सिद्ध्यर्थं तृतीयचरणोपादानम्। दीर्घत्वरूपनिमित्तसिद्ध्यर्थं च पूर्वार्धम्।

अत्रेति। 'कलिन्द—' इति श्लोक इत्यर्थः। ननु प्राग्वज्जात्युत्प्रेक्षेयं कुतो न, अत आह—आकाशेति। नन्वाकाशत्वं शब्दाश्रयत्वादिरूपमिति कुतः स्वरूपात्मकमत आह—अत एवेति। तस्य स्वरूपात्मकत्वादेवेत्यर्थः। आदिना शब्दसमवायिकारणत्वपरिग्रहः। विषयिणि आकाशे। तृतीयेति। जलस्पर्शेत्यादीत्यर्थः। अत्र 'तलस्पर्शे सति प्रतिबिम्बासम्भव इति भावः।' इति नागेशः। वस्तुतस्तु प्रतिबिम्बस्यात्र न कश्चन प्रसङ्गः। 'उपरितनमाकाशं गर्ते प्रतिबिम्बितं सत् विभाति' इति ग्रन्थाशयं प्रायो नागेशो वेत्ति। अहं तु मन्ये, नासौ ग्रन्थाशयः, अपि तु गर्तगते जलेऽतलस्पर्शिजलशून्यगर्तगतगगनसम्भावनात्र ग्रन्थकृतोऽभिप्रेता। तत्र यथोपरितने महाकाशे वस्तुतोऽवर्तमानमपि नैल्यम् अपारत्वादाकाशस्य प्रतिभाति तथा गर्तगते आकाशेऽपि तलस्पर्शराहित्यहेतुको नैल्यविभ्रमः। तलस्पर्शे तु गर्तस्य घटावच्छिन्न आकाश इव न तद्गतेऽप्याकाशे नैल्यं प्रतिभायात्। इति। सिद्ध्यर्थं चेति। आकाश एवेति शेषः। अत्रापि 'गर्तोपरितनरूपाकाशस्य तद्दीर्घत्वारोपादिति भावः।' इति नागेशोक्तिर्मदुक्तग्रन्थाशयाज्ञानमूलिकैव। उपरितने प्रसिद्धे महाकाशे नीलत्वं दीर्घत्वञ्च प्रसिद्धमिति तद्द्वयं कलिन्दपर्वतारब्धप्रयागावधिकखातगतजलरूपे विषयेऽपि वर्तमानं साधारणधर्मात्मकतया निमित्तीभवत् आकाशरूपद्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षां जनयति। ननु आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वं शब्दसमवायिकारणत्वं वेति नैयायिकाः, तथा च

नाकाशत्वमाकाशात्मकमिति कुतोऽत्र द्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षात्वम् इति चेन्न, नैयायिकमतस्य विचारासहत्वात्, तथाहि-यदि शब्दाश्रयत्वादिकमाकाशत्वं स्यात् तर्हि शब्दाश्रयत्वादि-रूपार्थस्मरणदशायामेवाकाशपदादाकाशबोधो भवेत्, न चैवं दृश्यते, दृश्यते तु तादृशार्थ-स्मरणाभावदशायामपि आकाशपदादाकाशबोधो भवतीति स्वरूपात्मकमेवाकाशत्वम्, अतो द्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षात्वं सुस्थम् इति। अन्यत् पदकृत्यप्रसङ्ग एव स्फुटीकृतम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'कलिन्द—' इस पद्य में 'नीलेपन' और 'लम्बेपन' को निमित्त बनाकर यमुना में आकाश के अभेद की उत्प्रेक्षा की गई है। तात्पर्य यह कि जैसे यह प्रसिद्ध महाकाश नीला और लम्बा है वैसे यमुना (खाते का जलभाग) भी नीली और लम्बी है, अतः 'नीलत्व' तथा 'दीर्घत्व' इन दो साधारणधर्मं के कारण, कवि, यमुनारूप विषय में आकाशरूप विषयी की, अभेदसम्बन्ध से सम्भावना करता है। आकाश एक है, अतः आकाशत्व आकाशरूप ही पदार्थ है, जाति-रूप नहीं, कारण अनेक में रहनेवाला धर्म ही जातिरूप हो सकता है, एक में रहनेवाला नहीं। फलतः आकाशस्वरूप आकाशत्व द्रव्यरूप होता है, अतः इस पद्य में 'द्रव्यो-त्प्रेक्षा' हुई। आप कहेंगे—नैयायिक लोग आकाशत्व को 'शब्दाश्रयत्व' अथवा 'शब्द-समवायिकारणत्व' रूप मानते हैं, ऐसी स्थिति में आकाशत्व आकाशस्वरूप हुआ नहीं, फिर कैसे यहाँ द्रव्योत्प्रेक्षा मानी जा सकती है? तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि नैयायिकों की उक्त मान्यता अनुभव-विरुद्ध है। कारण, यदि आकाशत्व शब्दाश्रयत्व आदिरूप होता तो 'शब्द का आश्रय है आकाश' इस अर्थ के स्मरण होने पर ही आकाश पद से अर्थबोध होता, पर ऐसा होता नहीं-होता तो यह है कि जो लोग 'शब्द का आश्रय आकाश है' ऐसा नहीं भी जानते रहते हैं उन्हें भी आकाश पद से आकाश का बोध होता है, अतः आकाशत्व आकाशरूप ही है, और कुछ नहीं, फलतः यहाँ द्रव्योत्प्रेक्षा सर्वथा उचित है। आकाश में 'नीलेपन' रूप निमित्तभूत धर्म को सिद्ध करने के लिये इस पद्य का तीसरा चरण ('नीचे के हिस्से स्पर्श से रहित' यह विशेषण) रचा गया है। तात्पर्य यह कि-जैसे यह महाकाश इसलिये नीला प्रतीत होता है कि उसका कहीं आर-पार नहीं है—निरवधि है-सर्वथा शून्य है-ऊपर कहीं कोई आवरक नहीं है, उसी तरह इस लम्बी खाई के अन्दर का आकाश भी निरवधि है-सर्वथा शून्य है, क्योंकि खाई की तलहटी टूट चुकी है, अतः इस आकाश में भी 'नीले-पन' की प्रतीति होती है। यहाँ नागेश अपनी टीका में लिखते हैं कि-'तलस्पर्शे सति प्रतिबिम्बासम्भवः-अर्थात् अतलस्पर्शी न होने पर ऊपर के आकाश की तद्गत नीलत्व की परछाईं नहीं हो सकती।' पर मेरे विचार से यह विवरण सङ्गत नहीं है। कारण, प्रतिबिम्ब का यहाँ कोई प्रसङ्ग ही नहीं आता। प्रायः नागेशमहोदय यहाँ खाई में प्रतिबिम्बित उपरितन महाकाश की सम्भावना जल में समझते हैं। पर वस्तुतः बात यह है नहीं, अपितु यह है कि-यदि कलिन्द पर्वत से प्रयाग पर्यन्त एक अतलस्पर्शिनी खाई खोद दी जाय और उसमें जल नहीं हो, तब उस खाई के अन्दर का आकाश लम्बा और नीचे की ओर निरवधि होने के कारण ऊपर के महाकाश के समान ही नीला दीख पड़ेगा, बस, उसी स्थिति की संभावना यहाँ नीले जल में की गई है। और इस पद्य के पूर्वार्ध की रचना आकाश में 'लम्बेपन'रूप निमित्तभूत धर्म की सिद्धि के लिये की गई है-अर्थात् इतनी लम्बी खाई का खोदना वर्णित हुआ है, क्योंकि खन्दक के अनुसार ही उसके अन्दर का आकाश होता है। यहाँ भी नागेशजी ने 'गर्तोपरितना-काशस्य तद्दीर्घत्वारोपात्' लिखकर उसी प्रतिबिम्बवाली भूल को दुहराया है।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

जात्यादीनामभावोत्प्रेक्षा यथा—

जातेर्गुणस्य च योऽभावः (अत्यन्ताभावो ध्वंसो वा) तस्याभेदेन सम्भावना यथेति भावः।

जाति आदि के अभावों की उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'बाहुजानां समस्तानामभाव इव मूर्तिमान्।
जयत्यतिबलो लोके जामदग्न्यः प्रतापवान् ॥'

समस्तानां सर्वेषाम्, बाहुजानां क्षत्रियाणाम्, मूर्तिमान् सविग्रहः, अभावः अत्यन्ताभावः, इव, प्रतापवान् पराक्रमविशेषविशिष्टः, अतिबलः परमबलशाली, जामदग्न्यः परशुरामः, लोके, जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—बाहुजानाम् इत्यादि। समस्त क्षत्रियों का, मानो मूर्तिमान् अभाव हो ऐसे परमप्रतापशाली अत्यधिक बलवाले परशुराम, संसार में, सर्वोत्कृष्ट हैं।

उपपादयति—

अत्र जात्यवच्छिन्नाभावो विरोधित्वनिमित्तेन तादात्म्येनोत्प्रेक्ष्यते।

जातीति। जातिः क्षत्रियत्वम्, तदवच्छिन्नानाम् अभाव इत्यर्थः। समग्रक्षत्रियाभाव इति यावत्। विरोधित्वेति। जात्यवच्छिन्नेत्यादि। जामदग्न्यः क्षत्रियत्वजातिमतां विरोधी। ततश्च विरोधित्वनिमित्तेन जामदग्न्ये द्रव्ये क्षत्रियत्वजातेरभावस्तादात्म्येन सम्भाव्यत इति जात्यभावधर्म्युत्प्रेक्षा सेयमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'बाहुजानाम्—' इस पद्य में क्षत्रियत्व जाति से अवच्छिन्न के अभाव (अत्यन्ताभाव) की, क्षत्रियत्व जाति के विरोधी होने को निमित्त मानकर, उत्प्रेक्षा की जाती है।

पाठभेदेन भेदान्तरतामापादिते प्रकृतपद्ये विशेषमुपपादयति—

विनाश इवेत्युक्तौ तु ध्वंसः। 'समस्तलोकदुःखानाम्' इति प्रथमचरणे कृते गुणाभावः।

यदि प्रकृतपद्यघटकाभावपदस्थाने 'विनाश'-पदं स्थापयित्वा पद्यं रचितमभविष्यत्तदा क्षत्रियत्वजात्यवच्छिन्नध्वंसोत्प्रेक्षा समपत्स्यत्। यदि तु समग्रप्रथमचरणस्थाने 'समस्तलोकदुःखानाम्' इत्यपठिष्यत, तदा गुणाभावोत्प्रेक्षाऽभविष्यत्, दुःखानां गुणत्वादिति भावः।

यदि इसी पद्य में 'अभाव इव' के स्थान पर 'विनाश इव' पाठ मान लिया जाय तब यही पद्य 'ध्वंसाभाव' की उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो जायगा। और यदि इसी पद्य का प्रथम चरण 'समस्तलोकदुःखानाम्—सब लोगों के दुःख के' इस प्रकार बना दिया जाय तो यही पद्य गुणाभाव की उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो जायगा, क्योंकि 'दुःख' गुण है।

क्रियाभावोत्प्रेक्षोदाहरणमाह—

'द्यौरञ्जनकालीभिर्जलदालीभिस्तथा वव्रे ।
जगदखिलमपि यथासीन्निर्लोचनवर्गसर्गमिव ॥'

द्यौः आकाशः, अञ्जनकालीभिः कज्जलवच्छ्यामाभिः, जलदालीभिः मेघपङ्क्तिभिः, तथा तेन प्रकारेण, वव्रे आच्छादिता, यथा, अखिलम् सकलम् , अपि, जगत् संसारः, निर्लोचनाः नेत्रशून्याः, ये जनाः, तेषां, वर्गः समूहः, तस्य, सर्गः सृष्टिः, इव, आसीत् अभूदित्यर्थः ।

क्रिया के अभाव की उत्प्रेक्षा का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—द्यौरित्यादि । आकाश, काजल-सी काली मेघ-पङ्क्तियों से ऐसे घिर गया, मानो सारा संसार नेत्रहीन जनों की सृष्टि हो गया । तात्पर्य यह कि घन-घटा के कारण सब लोग अंधे हो गए, कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ता था ।

उपपादयति—

अत्रापि चाक्षुषज्ञानशून्यत्वेन निमित्तेन पार्यन्तिकः क्रियाभावो धर्मः ।

निमित्तेनेति । अनुपात्तेनेति भावः । पार्यन्तिक इति । अत्र नागेशः 'यद्यपि सर्गमिति नपुंसकोक्त्या तर्कि जगदनन्तरमिवैतज्जगदिति पूर्वं बोधः, तथापि तादृशजगदन्तराप्रसिद्ध्या अभावोत्प्रेक्षाबाधापत्त्या चात्रैव धर्मिणि जगति लोचनवर्गस्य सर्गो दानं संसर्गः प्रसरणं वा यत्र दर्शने तदभावो निरा बोध्यते इति दर्शनक्रियाभावरूपो धर्म उत्प्रेक्ष्यते पश्चादित्यर्थः । तदाह क्रियाभावो धर्म इति ।' इति ।

उपपादन किया जाता है—'द्यौः–' इस पद्य में 'नेत्रद्वारक ज्ञान से सर्वथारहित होने' को निमित्त मानकर, अन्ततोगत्वा क्रिया (दर्शन) के अभावरूप धर्म की उत्प्रेक्षा की जा रही है । अभिप्राय यह है कि–'निर्लोचनवर्गसर्गमिव' का बोध पहले यद्यपि यह होता है कि–लोचनवर्ग का सर्ग (सृष्टि) निर्गत (दूर) हो गया है जिससे ऐसे जगत् के समान (अखिल जगत्), पर वस्तुतः ऐसा जगत् कहीं प्रसिद्ध नहीं है जिसमें आँखों की सृष्टि सर्वथा हो ही नहीं, अतः अन्त में उक्त समस्त पद का अर्थ 'लोचनवर्ग का सर्ग संसर्ग (संबन्ध) है जिसमें ऐसी जो दर्शनक्रिया वह निर्गत (दूर) हो गई है जिससे ऐसा सारा जगत्' इस तरह से करना पड़ता है, अतएव अन्त में जगत्रूप धर्मी में दर्शनक्रियाऽभावरूप धर्म की उत्प्रेक्षा सिद्ध होती है ।

अभावोत्प्रेक्षोदाहरणदानप्रसङ्गमुपसंहरन्नाह—

एवं द्रव्याभावोत्प्रेक्षाऽपि स्वयमूह्या ।

एवं पूर्वोक्तरीत्यैव । ऊह्या तर्कणीया ।

इसी तरह द्रव्याभाव की उत्प्रेक्षा का भी ऊह स्वयं कर लेना चाहिए ।

विशेषमाह—

मालारूपाऽप्येषा सम्भवति ।

एषा स्वरूपोत्प्रेक्षा ।

यह स्वरूपोत्प्रेक्षा मालारूप भी हो सकती है ।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'द्विनेत्र इव वासवः करयुगो विवस्वानिव
द्वितीय इव चन्द्रमाः श्रितवपुर्मनोभूरिव।
नराकृतिरिवाम्बुधिर्गुरुरिव क्षमामागतो
नुतो निखिलभूसुरैर्जयति कोऽपि भूमीपतिः ॥'

द्विनेत्रः नेत्रद्वयसहितः न तु सहस्रनेत्रः, वासवः इन्द्रः, इव, करयुगः द्विहस्तः द्विकिरणो वा, न तु सहस्ररश्मिः (करयुगपदे करयुगम् अस्त्यस्येत्यर्श आद्यच्, करयोर्युगं यस्येति व्यधिकरणबहुव्रीहिर्वा), विवस्वान् सूर्यः, इव, द्वितीयः अपरः, चन्द्रमाः, इव, श्रितवपुः धृतशरीरः, मनोभूः, कामः, इव, नराकृतिः मनुष्याकारः, अम्बुधिः समुद्रः, इव, क्ष्मां भुवम्, आगतः अवतीर्णः, गुरुः बृहस्पतिः, इव, निखिलैः सर्वैः, भूसुरैः ब्राह्मणैः, नुतः अभिनन्दितः, कोऽपि अनिर्वचनीयः भूमीपतिः राजा, जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—द्विनेत्र इत्यादि। मानो दो नयन वाला इन्द्र हो, मानो दो कर (हाथ अथवा किरण) वाला सूर्य हो, मानो दूसरा चन्द्रमा हो, मानो देहधारी कामदेव हो, मानो मनुष्य के समान आकारवाला समुद्र हो और मानो पृथिवी पर अवतीर्ण बृहस्पति हो ऐसा, सकल ब्राह्मणों से अभिनन्दित कोई–अनिर्वचनीय राजा सर्वोत्कृष्ट है।

शङ्कासमाधानपुरस्सरमुपपादयति—

अत्र राजगतानां द्विनेत्रत्वादीनां वासवादितादात्म्यविरोधिनां विरोधनिवर्तनाय विषयिषु वासवादिष्वारोपेण साधारणीकरणम्। न चात्रोपमा शक्यनिरूपणा, द्विनेत्रत्वादीनामुक्तेर्निष्प्रयोजनकत्वापत्तेः। न चोपमाया निष्पादकं तेषां साधारण्यम्, तदभावेऽपि परमैश्वर्यादिभिः प्रतीयमानैस्तस्या निष्पत्तेः। असुन्दरत्वादुपमानिष्पादकत्वेन कवेरनभिप्रेतत्वाच्च। नह्यत्र द्विनेत्रत्वादिभिर्धर्मैर्वासवादिसादृश्यं राज्ञः कवेरभिप्रायविषयः। एवं द्वितीयत्वादीनां चन्द्रादिष्वारोपोऽप्युपमायां सत्यामनर्थक एव स्यात्। अभेदप्रतिपत्तौ तु सहस्रनेत्रेण सहस्रकरेण विधिसृष्टावेकेन वपुर्विहीनेन जलाकारेण स्वर्गगतेन च तेन तेन कथमस्याभेदः स्यादिति प्रतिकूलधियमपसारयतां विषयिगतानां द्विनेत्रत्वाद्यारोपाणामस्त्येवोपयोगः। अत्रैवेवशब्दस्याभावे दृढारोपं रूपकम्। विषयिगतविशेषणानामभावे उपमा। उभयेषामेकतरस्याप्यभावे शुद्धरूपकमिति विवेकः।

ननूपमैवात्रास्तु इत्याशङ्कते—न चेति। समाधत्ते—द्विनेत्रत्वादीनामिति। पुनः शङ्कापक्षसमर्थनायोक्तमुत्तरमाक्षिपन्नाशङ्कते—न चेति। समाधत्ते—तदभावेऽपीति। तस्या उपमायाः। ननूपात्तधर्माभाव एव प्रतीयमानधर्मादरोऽत आह—असुन्दरेति। विच्छित्तिविशेषाजनकत्वादित्यर्थः। ननूत्प्रेक्षापत्तेऽपि तदुक्तिवैयर्थ्यमत आह—अभेदेति। करेण किरणेन। तेन तेनेति। वासवादिनेत्यर्थः। अस्य वर्णनीयस्य राज्ञः। उभयाभावस्यैकस्मिन्नपि सत्त्वादाह–एकतरस्येति। प्रत्येकस्येति भावः। 'द्विनेत्र—' इति पद्ये एकत्र राजरूपे विषये वासवादीनां बहूनां विषयिणां तादात्म्यस्य सम्भावनान्मालारूपा द्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षा। तत्र द्विनेत्रत्वादिविशिष्टे विषये सहस्रनेत्रत्वादिविशिष्टानां विषयिणां कथं

तादात्म्यम् , द्विनेत्रत्वादिसहस्रनेत्रत्वाद्योर्विरोधित्वादित्याशङ्कापनोदनाय विषयिषु द्विनेत्रत्वादिकमारोप्यते, येन विषयविषयिणोः साम्यं सङ्घटते। उपमाऽत्र नाङ्गीकर्तुं शक्या, विषयिषु द्विनेत्रत्वाद्यारोपस्य निरर्थकत्वापत्तेः। उपमासम्पादकसाधारण्यसम्पादनाय तदावश्यकत्वमपि न वक्तुं योग्यम् , प्रतीयमानपरमैश्वर्यादिकसाधारण्यमादायापि उपमायाः सिद्धेः सम्भवात्। किञ्चात्र द्विनेत्रत्वादिधर्ममूलकं राज्ञि वासवादिसादृश्यं कविविवक्षाविषयीभूतमपि नास्ति, तादृशसादृश्यस्य प्राणिमात्रप्रतियोगिकत्वेनाचमत्कारित्वात्। एवमत्रोपमास्वीकारे चन्द्रमसि द्वितीयत्वारोपोऽपि व्यर्थ एव भवेत् , सदृशस्य द्वितीयत्वध्रौव्यात्। उत्प्रेक्षास्वीकारे तु द्विनेत्रत्वाद्यारोपः सार्थकः, यत उत्प्रेक्षायामभेदप्रतिपत्तिर्भवति, द्विनेत्रत्वादिविशिष्टे राज्ञि वासवादेरभेदस्य प्रतिपत्तौ च वासवादेः सहस्रनेत्रत्वादिकानि बाधकानि भवन्ति, अतः वासवादौ द्विनेत्रत्वाद्यारोपो बाधकसहस्रनेत्रत्वादिबुद्धिनिरासक इति भावः। अस्मिन्नेव पद्ये यदि इवशब्दा न स्युस्तर्हि दृढारोपो रूपकालङ्कारः स्यात् , यदि च इवशब्दा यथावत् भवेयुः विषयिविशेषणानि द्विनेत्रत्वादिकानि न भवेयुस्तदोपमालङ्कारो भवेत् , यदि इवशब्दा विषयिविशेषणानि च न स्युस्तदा शुद्धरूपकालङ्कारो भवेदिति शिष्यबुद्धिवैशद्याय विवेकः कृत इति बोध्यम्।

शङ्का-समाधानसहित उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'द्विनेत्र—' इस पद्य में इन्द्र आदि का तादात्म्य राजा में कहना अभीष्ट है, पर यह तादात्म्य स्वभावतः बन नहीं सकता, क्योंकि राजा दो आँखोंवाला, दो करोंवाला, एक चन्द्र से भिन्न, शरीरधारी मनुष्याकार और पृथ्वीगत है और इन्द्र हैं सहस्राक्ष, सूर्य हैं सहस्ररश्मि, चन्द्र है एक, कामदेव है अशरीरी, समुद्र है जलाकार एवं बृहस्पति हैं स्वर्गवासी, अतः इस विरोध को हटाने के लिये राजारूप विषय में रहनेवाले द्विनेत्रत्व आदि का आरोप इन्द्र आदि में यथायथ कर दिया गया है जिससे वे धर्म साधारण होकर विषय-विषयी की समता को सिद्ध करते हैं। आप कहेंगे—यहाँ उपमा ही क्यों नहीं मान लेते ? हम कहेंगे—यहाँ उपमा का निरूपण नहीं हो सकता। कारण, उपमा मानने पर इन्द्र आदि में द्विनेत्रत्व आदि का आरोप करना व्यर्थ हो जायगा। आप कहेंगे—वह व्यर्थ क्यों होगा ? वह तो उपमा का साधक साधारणधर्मरूप ही है। तो यह ठीक नहीं। कारण, इन आरोपित धर्मों के विना भी अनुक्त, पर प्रतीयमान परम ऐश्वर्य आदि साधारणधर्म को लेकर उपमा सिद्ध हो सकती है। दूसरे, ये धर्म सुन्दर (चमत्कार-विशेषजनक) भी नहीं और कवि इन्हें उपमा के साधक मानता भी नहीं—अर्थात् यहाँ द्विनेत्रत्व आदि धर्म के कारण राजा में इन्द्र आदि की तुलना करना कवि को अभिप्रेत नहीं। ऐसा अभिप्राय कवि का हो भी कैसे सकता है ? कारण, द्विनेत्रत्व के कारण यदि इन्द्र से तुलना की जाय तब तो सबों की तुलना इन्द्र से हो जाय, क्योंकि सभी द्विनेत्र हैं। इसी तरह 'द्वितीयत्व' का चन्द्र में आरोप भी उपमा मानने पर व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि 'चन्द्र जैसा' इतना कहने पर भी उपमा बन सकती है, उसके लिये 'दूसरे चन्द्र जैसा' यह कहना आवश्यक नहीं है। हाँ, अभेद-ज्ञान में इन आरोपित विशेषणों का उपयोग सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अभेद-ज्ञान में हमें ये ज्ञान प्रतिबन्धक होते हैं कि-इन्द्र हजार आँखों वाला है, सूर्य सहस्रकर (हजार किरणवाला) है, चन्द्रमा विधाता की सृष्टि में एक है, कामदेव शरीररहित है, समुद्र जलरूप है एवं बृहस्पति स्वर्ग में रहता है, और राजा में ये बातें हैं नहीं, फिर उनके साथ इसका (राजा का) अभेद कैसे हो

सकता है ? इस प्रतिबन्ध को दूर करने में इन विशेषणों का उपयोग है। अतः यहाँ अभेदप्रधान उत्प्रेक्षा ही है और वह भी मालारूप, क्योंकि एक विषय (राजा) में अनेक विषयी (इन्द्र आदि) के तादात्म्य की सम्भावना की गई है। इसी पद्य में यदि 'इव' पद हटा दिया जाय तो यही पद्य दृढ़ारोपरूपक का, यदि इव शब्द रहे और विषयी (इन्द्रादिक) के विशेषण (द्विनेत्र आदि) हटा दिए जायँ, तो उपमा का और यदि 'इव' पद पूर्वोक्त विषयि-विशेषण दोनों हटा दिए जायँ, तो शुद्धरूपक का उदाहरण हो सकता है। यह विभाग शिष्य-बुद्धि-वशद्यार्थ दिखला दिया गया है।

उपसंहरति—

एवं स्वरूपोत्प्रेक्षादिगुपदर्शिता।

पूर्वोक्ता स्वरूपोत्प्रेक्षाया विविधभेदाया रीतिः प्रकाशिता, अनया रीत्या स्वरूपोत्प्रेक्षया अनुक्ता अपि ते ते विशेषाः स्वयमूहनीया इति भावः।

उपसंहार किया जाता है—एवं इत्यादि। इस तरह स्वरूपोत्प्रेक्षा का दिग्दर्शन कराया गया है। तात्पर्य यह है कि इस सम्बन्ध की अन्य बातें स्वयं समझ लीजिए।

अवान्तरभिन्नप्रकरणारम्भं सूचयति—

अथ हेतूत्प्रेक्षा।

जात्यादीनां पदार्थानां हेतुत्वेनोत्प्रेक्षाया निरूपणमारभ्यत इति भावः।

स्वरूपोत्प्रेक्षा-निरूपण के बाद अब जाति आदि पदार्थों की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा का निरूपण किया जाता है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

जातिहेतूत्प्रेक्षा यथेति भावः।

जातिहेतूत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'त्वत्प्रतापमहादीपशिखाविपुलकज्जलैः ।
नूनं नभस्तले नित्यं नीलिमा नूतनायते ॥'

राजानं प्रति कवेरुक्तिः—हे राजन् ! त्वत्प्रताप एव महादीपस्तस्य शिखायाः, विपुलैः प्रभूतैः, कज्जलैः, नभस्तले आकाशे, नीलिमा नीलता, नूनं निश्चितम्, नित्यं प्रतिदिनम्, नूतनायते नूतन इव भवतीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—त्वत्प्रताप इत्यादि। कवि राजा से कहता है—हे राजन् ! मानो, आपके प्रतापरूप महादीपक की शिखा (लौ) के विपुल काजलों से आकाश में 'नीलत्व' (कालापन) नित्य नया-सा होता रहता है।

उपपादयति—

अत्र नीलिमसामानाधिकरण्येनोत्प्रेक्षितस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणम्।

अत्रेति। 'त्वत्प्रताप' इत्यत्रेत्यर्थः। नीलिमसामानाधिकरण्येनेति। नैल्याधिकरणीभूताकाशगतत्वेनेत्यर्थः। उत्प्रेक्षितस्येति। कज्जलस्येति भावः। हेतुत्वेनेति। नूतनीभवन इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'त्वत्प्रताप—' इस पद्य में 'नीलता' की उत्प्रेक्षा जिस अधिकरण (आकाश) में की गई है उसी अधिकरण—अर्थात् आकाश-में ही उत्प्रेक्षित 'काजलों' की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा की गई है। तात्पर्य यह कि इस पद्य में दो उत्प्रेक्षाएँ हैं—एक 'नीलता' की, दूसरी काजलों' की। ये दोनों ही उत्प्रेक्षाएँ आकाश-रूप आधार में हुई हैं। इन दोनों उत्प्रेक्षाओं में 'नीलता' की उत्प्रेक्षा प्रधान है और 'काजलों' की उत्प्रेक्षा उसके हेतुरूप में की गई है। इसी अप्रधान उत्प्रेक्षा को लेकर यहाँ यह पद्य उदाहरण होता है। यह उदाहरण जाति-हेतूत्प्रेक्षा का है, क्योंकि 'कज्जल' जातिवाचक शब्द है।

पाठान्तरेऽस्यैव पद्यस्य हेतूत्प्रेक्षाप्रभेदान्तरोदाहरणता संभवतीत्याह—

कज्जल-लेपनैः' इति कृते इयमेव क्रियाहेतूत्प्रेक्षा।

'विपुलकज्जलैः' इत्यस्य स्थाने 'कज्जल-लेपनैः' इति पाठे विहिते लेपनस्य क्रियारूपतया क्रियाहेतूत्प्रेक्षोदाहरणतां प्रतिपद्यते पद्यमेतदिति भावः।

इसी पद्य में यदि 'विपुल-कज्जलैः' के स्थान में 'कज्जल-लेपनैः' पाठ कर दिया जाय तब यही पद्य क्रिया-हेतूत्प्रेक्षा का उदाहरण हो जायगा, क्योंकि 'लेपन' एक क्रिया है।

हेतूत्प्रेक्षाप्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

गुणहेतूत्प्रेक्षा यथा—

गुणहेतूत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'परस्परासङ्गसुखान्नतभ्रुवः पयोधरौ पीनतरौ बभूवतुः।
तयोरमृष्यन्नयमुन्नतिं परामवैमि मध्यस्तनिमानमञ्चति॥'

नतभ्रुवः नम्रीभूतभ्रूलतिकाया नायिकायाः, पयोधरौ स्तनौ, परस्परासङ्गसुखात् मिथोमिलानानन्दात् हेतोः, पीनतरौ अतिस्थूलौ, बभूवतुः संजातौ, तथा, तयोः स्तनयोः, पराम् उत्कृष्टाम्, उन्नतिम् उत्कर्षम्, अमृष्यन् असहमानः, अयं मध्यो नायिकाकटिप्रदेशः, तनिमानम् कृशताम्, अञ्चति प्राप्नोति, इति, अवैमि जानामीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—परस्पर इत्यादि। नतभ्रू नायिका के दोनों स्तन, परस्पर आसक्त होने (बढ़-बढ़ कर मिल जाने) के सुख से अत्यन्त पीन (पुष्ट) हो गए हैं और उन दोनों की इस परम उन्नति को न सहता हुआ मध्यभाग (कटि-प्रदेश) कृशता को प्राप्त कर रहा है ऐसा मैं जानता हूँ, मानता हूं।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे सुखस्य गुणस्य हेतुत्वं तावत् पञ्चम्यैव निर्दिष्टम्। अपरार्धे धर्मिविशेषणतया अनूद्यमानस्य गुणाभावस्य त्वार्थम्। यथा 'भोक्ता भुञ्जानो वा तृप्यति' इत्यादौ भोजनादेः।

अपरार्ध इति। उत्तरार्धः इत्यर्थः। आर्थत्वे हेतुगर्भं विशेषणमाह—धर्मीति। मध्येत्यर्थः। गुणाभावस्येति। मर्षणाभावस्येत्यर्थः। आर्थमिति। हेतुत्वमितिपूर्वोक्तस्यानुषङ्गोऽत्र बोध्यः। आर्थहेतुत्वप्रतीतिस्थलं दृष्टान्तविधयाऽऽह—यथा भोक्तेति। भोक्तेत्यत्र कालसामान्यप्रतीतेर्विशेषोदाहरणमाह—भुञ्जानो वेति। 'परस्परा—' इत्यत्र पयोधरगते

स्वाभाविके वयःकृते वा पीनतरत्वे परस्परासङ्गसुखस्य हेतुत्वमुत्प्रेक्षते। सुखं च गुणः, अतो गुणहेतूत्प्रेक्षोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सिद्ध्यति। मध्यगते वयःकृते तनुत्वे स्तनगतोन्नतिमर्षणाभावस्य हेतुत्वमुत्प्रेक्ष्यते इति गुणाभावहेतूत्प्रेक्षोदाहरणत्वमपि प्रकृतपद्यस्य। ननु मर्षणाभावो नात्र पृथग्हेतुतया निर्दिष्टोऽपि तु मध्यविशेषणतयेति कथं तस्य हेतुत्वेन प्रत्यय इति चेन्न, यथा 'भुञ्जानः तृप्यति' इत्यादौ शब्दतः कर्तृविशेषणतयोक्तस्यापि भोजनस्यार्थतस्तृप्तौ हेतुत्वं प्रतीयते तथैव प्रकृतेऽपि मर्षणाभावस्य तनुत्वे शाब्दहेतुत्वाप्रतीतावपि आर्थं हेतुत्वं प्रतीयत इत्याशयादिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र पूर्वार्धे इत्यादि। 'परस्पर—' इस पद्य में अवस्थाकृत स्तनों की पुष्टता के प्रति परस्परमिलनजन्यसुखरूप गुण की हेतुरूप से उत्प्रेक्षा की गई है। उक्त सुख का हेतु होना पञ्चमी विभक्ति (सुखात्=सुख से) द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है। इसी अंश को लेकर यहाँ यह पद्य उदाहृत हुआ है। उत्तरार्ध में मध्य की कृशता के प्रति मर्षणाभाव (स्तन की उन्नति को न सह सकने) की हेतुरूप से उत्प्रेक्षा हुई है। यद्यपि मर्षणाभाव यहाँ पृथक् हेतुरूप में निर्दिष्ट नहीं है, किन्तु मध्यरूप धर्मी (विशेष्य) के विशेषणरूप में। ऐसी स्थिति में उसका हेतु होना शब्दतः अवगत नहीं होता तथापि जैसे 'खानेवाला अथवा खाता हुआ मनुष्य तृप्त होता है' इत्यादि वाक्यों में खाने आदि (जो शब्दतः मनुष्य का विशेषण है) का तृप्ति आदि हेतु होना अर्थतः प्राप्त हो जाता है उसी तरह यहाँ भी मर्षणाभाव का कृशता के प्रति हेतु होना भी अर्थतः सिद्ध होता है। फलतः इस अंश में गुणाभाव-मर्षणाभाव- (मर्षण मन का धर्म है अतः उसको भी कतिपय दार्शनिक गुण मानते हैं)—हेतूत्प्रेक्षा है।

उत्प्रेक्षाप्रकरणे नैयायिकोक्तगुणानामेव गुणपदेन ग्रहणं न, अपि तु, दार्शनिकान्तराभिमतगुणानामपीति स्फुटयितुमुदाहरणान्तरमाह—

यथा वा—

'व्यागुञ्जन्मधुकरपुञ्जमञ्जुगीतामाकर्ण्य स्तुतिमुदयत्त्रपातिरेकात्।
आभूमीतलनतकन्धराणि मन्येऽरण्येऽस्मिन्नवनिरुहां कुटुम्बकानि॥'

अस्मिन्, अरण्ये वने, व्यागुञ्जताम्, मधुकराणाम्, पुञ्जैः, मञ्जु मधुरं यथा स्यात्तथा, गीताम्, स्तुतिं स्वप्रशंसाम्, आकर्ण्य श्रुत्वा, उदयन्त्या आविर्भवन्त्याः, त्रपाया लज्जायाः, अतिरेकात् आधिक्यात्, अवनिरुहां तरूणाम्, कुटुम्बकानि समूहाः, आभूमीतलं भूमितलमभिव्याप्य, नता नम्रीभूताः, कन्धराः शाखाः, येषाम्, तादृशानि सम्पन्नानि सन्तीति मन्ये इत्यर्थः। अत्रापि स्वाभाविके तरुशाखानम्रीभावे लज्जागुणस्य हेतुत्वमुत्प्रेक्षितमिति भावः।

उत्प्रेक्षाप्रकरण में गुणपद से नैयायिकों द्वारा परिभाषित गुण ही नहीं लिये जाते, अपितु अन्य दार्शनिकों के अभिमत गुण भी गृहीत होते हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिये दूसरा उदाहरण उपस्थित किया जाता है—यथा वा इत्यादि। इस वन में, गूँजते भ्रमरों के झुण्डों द्वारा मधुर-मधुर गाई गई अपनी स्तुति (प्रशंसा) सुनकर मानो उत्पन्न हुई लज्जा की अधिकता के कारण, वृक्षसमूह अपनी गरदनें पृथिवी-तल तक झुकाए हुए हैं। यहाँ 'लज्जा' (जो अन्य दार्शनिकों के मत से ही गुण है, नैयायिकों के मत से नहीं) के हेतु होने की उत्प्रेक्षा है।

हेतूत्प्रेक्षायाः प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

क्रियाहेतूत्प्रेक्षा यथा—

क्रिया हेतूत्प्रेक्षा, जैसे—

गद्यात्मकमुदाहरणमुपन्यस्यति—

'महागुरुकलिन्दमहीधरोदरविदारणाविर्भवन्महापातकावलिवेल्लनादिव श्यामलिता' इति ।

यमुनां वर्णयति कविः—(या यमुना) महागुरोः पितुः, कलिन्दमहीधरस्य कलिन्दाख्यस्य पर्वतस्य, उदरस्य मध्यभागस्येति यावत्, विदारणेन भेदनेन, आविर्भवतः उत्पद्यमानस्य महापातकस्य, आवलेः पङ्क्तेः, वेल्लनात् प्राप्तेः हेतोः, इव, श्यामलिता संजातश्यामगुणा इत्यर्थः । अत्र वेल्लनात्मिकायाः क्रियाया हेतुत्वमुत्प्रेक्ष्यत इति भावः ।

गद्यात्मक उदाहरण उपस्थित किया जाता है—महागुरु इत्यादि । यमुना का वर्णन है—(जो यमुना) महागुरु (जन्मदाता) 'कलिंद' पर्वत का उदर विदीर्ण करने से उत्पन्न होते हुए महापातकों की पङ्क्ति के प्राप्त हो जाने से, मानो, काली हो गई है । यहाँ 'वेल्लन' (प्राप्त हो जाने) रूप क्रिया का हेतु होना उत्प्रेक्षित हुआ है ।

हेतूत्प्रेक्षाया एवावशिष्टं भेदमुदाहर्तुमाह—

द्रव्यहेतूत्प्रेक्षा यथा—

द्रव्यहेतूत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'वराका यं राकारमण इति वल्गन्ति सहसा
सरः स्वच्छं मन्ये मिलदमृतमेतन्मखभुजाम् ।
अमुष्मिन्या कापि द्युतिरतिघना भाति मिषता-
मियं नीलच्छायादुपरि निरपायाद्गगनतः ॥'

कविः कथयति—वराकाः कृपणाः मूर्खा इति यावत्, सहसा हठात्, यं चन्द्रम्, राकारमणः पूर्णिमापतिः, इति, वल्गन्ति कथयन्ति । अहं मिलदमृतम् अमृतमयम्, मखभुजां देवानाम्, स्वच्छम्, सरः सरोवरम्, मन्ये । अमुष्मिन् तस्मिन्, मिषतां पश्यताम्, या कापि, अतिघना निबिडा, द्युतिः नीलकान्तिः, भाति, इयं द्युतिः, उपरि वर्तमानात्, नीलच्छायात् नीलकान्तेः, निरपायात् अविनश्वरात्, गगनतः आकाशाद्धेतोरित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—वराका इत्यादि । कवि की उक्ति है—पामर लोग जिसको राकारमण—पूर्णिमा-पति (चन्द्र) शब्द से कहते हैं, इसे, मैं, अमृतमय देवताओं का स्वच्छ सरोवर मानता हूँ । इसके अन्दर देखनेवालों को जो अत्यन्त गहरी अतएव काली चमक दिखाई पड़ती है, यह चमक उसके ऊपर वाले नीलकान्तियुक्त और प्रतिबन्धरहित आकाश के कारण है ।

उपपादयति—

अत्रामृतसरोरूपत्वेनोत्प्रेक्षिते चन्द्रमसि नीलत्वेनाध्यवसिते कलङ्के उपरिवर्तिनभोहेतुकत्वमुत्प्रेक्ष्यते । एतेन द्रव्यस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणं नास्तीति प्राचां प्रवादो निरस्तः ।

नीलत्वेनेति। द्युतिरित्यनेनेति भावः। 'वराका–' इति पद्ये चन्द्रोऽमृतसरोरूपतयोत्प्रेक्ष्यते, चन्द्रे च वर्तमानः कलङ्कः नीलत्वात्मकद्युतिपदार्थतयाऽध्यवसीयते, तथाऽध्यवसिते च तत्रोपरि वर्तमानाकाश हेतुकत्वमुत्प्रेक्ष्यत इति द्रव्यहेतूत्प्रेक्षोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सिद्ध्यति। एवञ्च द्रव्यस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा न सम्भवतीति प्राचीनालङ्कारिकाणां मतं परास्तमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'वराकाः—' इस पद्य में चन्द्रमा की उत्प्रेक्षा अमृतसरोवर के रूप में की गई है और इस रूप में उत्प्रेक्षित चन्द्र में द्युतिपद-बोध्य नीलतारूप से स्वीकृत 'कलङ्क' में अमृतसरोवर के ऊपरवाले आकाश के कारण होने की उत्प्रेक्षा की जा रही है जो प्रकृत में उदाहरण है। इस उदाहरण से प्राचीनों का यह प्रवाद (अफवाह) कि–द्रव्य की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा नहीं होती, उड़ जाता है।

अभावहेतूत्प्रेक्षामुदाहर्तुमाह—

एषामेवाभावानां हेतुत्वोत्प्रेक्षा यथा—

एषाम् = जात्यादीनामेव येऽभावास्तेषां हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा यथेति भावः।

जाति आदि के ही अभावों की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा, जैसे—

तत्र प्रथमं जात्यभावस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षाया उदाहरणमुपन्यस्यति—

'नितान्तरमणीयानि वस्तूनि करुणोज्झितः।
कालः संहरते नित्यमभावादिव चक्षुषः॥'

कालः, चक्षुषो नेत्रस्य (अत्रैकवचनेन 'यद्येकमपि चक्षुरभविष्यत्तदा नैवमकरिष्यदिति' सूच्यते) अभावात्, इव, करुणोज्झितः त्यक्तकरुणः (आहिताग्न्यादित्वान्निष्ठान्तस्य परनिपातः), सन्, नितान्तरमणीयानि अतिसुन्दराणि, वस्तूनि, संहरते नाशयतीत्यर्थः।

उनमें पहले जात्यभाव की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा का उदाहरण निर्दिष्ट किया जाता है—नितान्त इत्यादि। काल, अतिसुन्दर पदार्थों का, मानो नेत्र न होने के कारण, निर्दय होकर नित्य संहार करता रहता है—दो आँखों की तो बात क्या, यदि एक भी आँख काल को होती तो वह ऐसा निर्दय नहीं बन पाता और न ऐसा क्रूर कार्य ही उससे बन पड़ता।

उपपादयति—

अत्र कालस्य साहजिके संहारकत्वे चक्षुरभावस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा।

कालो यद्यपि स्वभावतः संहारकस्तथापि 'नितान्त—' इत्यत्र स्वाभाविके तस्य संहारकत्वे नेत्राभावहेतुकत्वमुत्प्रेक्ष्यते, नेत्रत्वं च जातिरिति जात्यवच्छिन्नाभावहेतुत्वोत्प्रेक्षोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सिद्ध्यतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'कालः—' इस पद्य में काल की वस्तुतः स्वाभाविक संहारकता के हेतुरूप में 'नेत्रों के अभाव' की उत्प्रेक्षा की गई है, अतः यह पद्य जात्यवच्छिन्न अभाव हेतूत्प्रेक्षा का उदाहरण संपन्न होता है। तात्पर्य यह कि नेत्रत्व जाति है और यहाँ तद्विशिष्ट के अभाव की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा हुई है।

गुणाभावहेतुत्वोत्प्रेक्षोदाहरणमुपन्यस्यति—

'निःसीमशोभा सौभाग्यं नताङ्ग्या नयनद्वयम्।
अन्योन्यालोकनानन्दविरहादिव चञ्चलम्॥'

निःसीमाया इयत्तारहितायाः शोभायाः, सौभाग्यं साम्राज्यरूपम् , नताङ्गयाः, नयनद्वयम् , अन्योन्यस्य परस्परस्य, आलोकनेन दर्शनेन, यः, आनन्दः, तस्य, विरहात् अभावात् , इव, चञ्चलम् , भवतीत्यर्थः ।

अब गुणाभाव को हेतुरूप में उत्प्रेक्षा का उदाहरण दिखलाया जाता है—निःसीम इत्यादि । सीमारहित शोभा के सौभाग्यस्वरूप, नताङ्गी नायिका के दोनों नेत्र, मानो, परस्परदर्शनजन्य आनन्द के अभाव से चञ्चल हो रहे हैं ।

उपपादयति—

अत्र गुणाभावस्य ।

'निःसीम—' इति पद्ये आनन्दरूपगुणाभावस्य नयननचाञ्चल्यहेतुत्वेनोत्प्रेक्षेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'निःसीम-' इस पद्य में आनन्दरूप गुण के अभाव की नेत्रगत चञ्चलता के हेतुरूप में उत्प्रेक्षा की गई है ।

क्रियाभावहेतुत्वोत्प्रेक्षोदाहरणमुपन्यस्यति—

'जनमोहकरं तवालि मन्ये चिकुराकारमिदं घनान्धकारम् ।
वदनेन्दुरुचामिहाप्रचारादिव तन्वङ्गि नितान्तकान्तिकान्तम् ॥'

सखी नायिकां प्रति ब्रूते—हे आलि ! सखि ! जनमोहकरं दर्शकजनमोहकम् , तव चिकुराकारं केशाकृतिधरम् , इदं घनान्धकारं निबिडं तमः, अहम् , मन्ये—अर्थात् केशसमूहो नायम् , किन्तु तमःपुञ्जम् । हे तन्वङ्गि कृशाङ्गि ! इह मस्तकोपरिभागे वदनेन्दुरुचां मुखचन्द्र-ज्योत्स्नाम् , अप्रचारात् प्रचरणाभावात् इव, नितान्तकान्त्या अतिशयितनीलप्रभया, कान्तं रमणीयम् । इदं घनान्धकारविशेषणम् इत्यर्थः ।

अब क्रियाभाव की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा का उदाहरण दिखलाया जाता है—जनमनोहरम् इत्यादि । सखी नायिका से कहती है—हे सखि ! लोगों को मोहित करनेवाले तेरे केशों के आकार में, मैं, इसको गहरा अन्धकार मानती हूँ—अर्थात् यह केश नहीं किन्तु अन्धकार है । हे कृशाङ्गि ! मानो, यहाँ मुखरूप चन्द्र की ज्योत्स्ना का प्रचार न होने के कारण यह अन्धकार अत्यधिक कान्ति (नीली प्रभा) से रमणीय हो रहा है ।

उपपादयति—

इह द्वितीयार्धे क्रियाभावस्य । प्रथमार्धे तु जात्यवच्छिन्नस्य जात्यवच्छिन्नाभावस्य वा स्वरूपोत्प्रेक्षैव ।

क्रियेति । प्रचारस्य क्रियात्वादिति भावः । तुरुक्तवैलक्षण्ये । एतेन प्रासङ्गिकत्वमस्य सूचितम् । अत एव व्युत्क्रमेणोक्तिः । अन्धकारोऽतिरिक्तः पदार्थ इति मीमांसकमतेनाह—जात्यवच्छिन्नेति । तेजोऽभाव एव स इति नैयायिकमतेनाह—जात्यवच्छिन्नाभावेति । 'जनमोहकरम्—' इति श्लोके प्रचारक्रियाभावस्य नितान्तकान्तिकान्तत्वे स्वभावसिद्धे हेतुत्वेनोत्प्रेक्षेति प्रकृतोदाहरणतासिद्धिः यद्यपि पूर्वार्धेऽप्येकोत्प्रेक्षाऽस्ति, तथापि न सा हेतूत्प्रेक्षा, किन्तु स्वरूपोत्प्रेक्षैव । तत्रापि मतभेदः । येऽन्धकारमतिरिक्तं पदार्थं मन्यन्ते तेषां मते चिकुरेऽन्धकारत्वजात्यवच्छिन्नस्य तादात्म्येनोत्प्रेक्षा । ये तु तेजोऽभावमेवान्धकारं स्वीकुर्वन्ति तेषां मते चिकुरे तेजस्त्वजात्यवच्छिन्नाभावस्य तादात्म्येनोत्प्रेक्षेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—इह इत्यादि। 'जनमोहकरम्—' इस पद्य के उत्तरार्ध में क्रिया के अभाव की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा की जाती है। तात्पर्य यह कि–केशाकार निबिड अन्धकार यद्यपि स्वभावतः 'नितान्तकान्तिकान्त'–सुन्दर है, तथापि यहाँ मुखरूप चन्द्र की कान्तियों के प्रचरण न होने के कारण उसको वैसा कहा गया है, अतः 'नितान्त-कान्तिकान्तत्व' के प्रति मुखचन्द्रकान्तिगत प्रचरणक्रिया के अभाव की हेतुरूप में सम्भावना स्पष्ट है। यद्यपि पूर्वार्ध में भी 'केश में अन्धकार की सम्भावना'रूपा एक उत्प्रेक्षा है, पर वह हेतूत्प्रेक्षा नहीं, किन्तु स्वरूपोत्प्रेक्षा है और स्वरूपोत्प्रेक्षा भी वहाँ मतभेद से भिन्न-भिन्न रूप की है—अर्थात् जो लोग (मीमांसक) अन्धकार को एक भावपदार्थ मानते हैं उनके मत से यहाँ जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा होती है। पर जो लोग (नैयायिक) अन्धकार को तेज का अभावमात्र मानते हैं, कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं, उनके मत से यहाँ जात्यभावस्वरूपोत्प्रेक्षा होती है।

द्रव्याभावहेतुत्वोत्प्रेक्षोदाहरणमुपन्यस्यति—

'न नगाः काननगा यद्रुदतीषु त्वदरिभूपसुदतीषु।
शकलीभवन्ति शतधा शङ्के श्रवणेन्द्रियाभावात्॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—(हे राजन्!) तव, अरिभूतानाम्, भूपानाम्, सुदतीषु सुन्दरदन्तयुक्तासु कामिनीषु, रुदतीषु रोदनं कुर्वतीषु सतीषु; काननगाः वनस्थिताः, नगाः वृक्षाः पर्वता वा, यत्, शतधा, न, शकलीभवन्ति विदीर्यन्ते, तत्, श्रवणेन्द्रियस्य श्रोत्रकुहरस्य, अभावाद्धेतोरिति, शङ्के मन्ये इत्यर्थः।

द्रव्याभाव की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा का उदाहरण दिखलाया जाता है—न नगा इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—(हे राजन्!) आपके शत्रुभूत राजाओं की सुन्दर दन्तावलीवाली कामिनियों के रोते रहने पर वन के वृक्षों अथवा पर्वतों के जो सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते, मानो, इसका कारण कर्णेन्द्रिय का अभाव है।

उपपादयति—

इह श्रोत्रत्वस्य जातिगुणक्रियाभ्योऽतिरिक्तस्य विवेके क्रियमाणे आकाशस्वरूपतया तदवच्छिन्नाभावस्य द्रव्याभावस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा। निमित्तं क्रियाभावः।

शष्कुल्यवच्छिन्ननभसः श्रोत्रत्वादाह—विवेक इति। भावस्येत्यस्य व्याख्या द्रव्याभावस्येति। निमित्तमिति। तस्य तत्त्वेनोत्प्रेक्षणे निमित्तमित्यर्थः। क्रियेति। शकलीभवनरूपेत्यर्थः। श्रोत्रत्वं न जातिरूपम्, न गुणरूपम्, न वा क्रियारूपम्, तेभ्यो भिन्नं चेदं विचारे क्रियमाणे आकाशरूपमेव पर्यवस्यति, आकाशश्च द्रव्यम्, तथा च तदवच्छिन्नभावो द्रव्याभाव एव सिद्धयति, अतः 'न नगाः–' इत्यत्र नगशकलीभवनाभावे तस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा द्रव्याभावहेतुत्वोत्प्रेक्षाया उदाहरणतामासादयति। अस्याश्चोत्प्रेक्षायां शकलीभवनाभावो निमित्तभूत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—इह इत्यादि। कर्णेन्द्रिय जाति, गुण और क्रियाओं से भिन्न वस्तु है। फलतः विवेचन करने पर वह आकाशरूप सिद्ध होती है, जो कि एक द्रव्य है। अतः आकाश का अभाव द्रव्याभाव हुआ, उस अभाव की 'न नगाः—' इस

पद्य में हेतुरूप से उत्प्रेक्षा की गई है। उत्प्रेक्षा का निमित्त है 'टुकड़े होने' रूप क्रिया का अभाव। सारांश यह कि इस तरह यह पद्य द्रव्याभावहेतूत्प्रेक्षा का उदाहरण ठीक है।

उपसंहरति—

एवं हेतूत्प्रेक्षादिक्।

एवम् उक्तप्रकारेण, हेतूत्प्रेक्षाया, दिक्, उपदर्शिता इति शेषः। अथवा एवम् = एवम्भूता, हेतूत्प्रेक्षाया, दिक् रीतिः, बोध्येति शेषः।

उपसंहार किया जाता है—एवम् इत्यादि। इस तरह हेतूत्प्रेक्षा की दिशा (रीति) दिखला दी गई।

अवान्तरमन्यत प्रकरणमारभते—

अथ फलोत्प्रेक्षा—

फलोत्प्रेक्षाविचारः प्रक्रान्तो वेदितव्य इति भावः।

अब फलोत्प्रेक्षा के संबन्ध में विचार किया जाता है।

तत्र प्रथमं जातिफलोत्प्रेक्षोदाहरणमुपन्यस्यति—

'दिवानिशं वारिणि कण्ठदघ्ने दिवाकराराधनमाचरन्ती।
वक्षोजतायै किमु पक्ष्मलाक्ष्यास्तपश्चरत्यम्बुजपङ्क्तिरेषा॥'

दिवानिशम् अहोरात्रम्, कण्ठदघ्ने कण्ठप्रमाणे, वारिणि जले, दिवाकरस्य सूर्यस्य आराधनम् उपासनम्, आचरन्ती कुर्वती, एषा, अम्बुजपङ्क्तिः कमलमाला, पक्ष्मलाक्ष्याः सघनपक्ष्मयुक्तनेत्राया नायिकायाः, वक्षोजतायै स्तनतायै स्तनत्वप्राप्तय इति यावत्, तपः, चरति, किमु इत्यर्थः।

जातिफलोत्प्रेक्षा का उदाहरण दिखलाया जाता है—दिवानिशम् इत्यादि। कवि की उक्ति है—दिन-रात गले भर पानी में सूर्य की आराधना करती हुई यह कमलों की पङ्क्ति, क्या सघनपक्ष्मयुक्त आँखोंवाली नायिका का स्तनत्व पाने के लिये तप कर रही है।

उपपादयति—

अत्र वक्षोजत्वमवयववृत्ति। जातिस्तलप्रत्ययार्थः। त्वतलोः प्रकृतिप्रवृत्तिनिमित्ते भावे विधानात्। स एव चात्र तपश्चरणक्रियायाः साहजिकजलावस्थानभिन्नतयाऽध्यवसितायाः फलत्वेनोत्प्रेक्ष्यते।

अवयवेति स्तनेत्यर्थः। स एवेति। जातिरूपतलप्रत्ययार्थ एवेत्यर्थः। वक्षोजत्वं स्तनरूपनायिकाङ्गवृत्तिपदार्थः, स च जातिरूपः, जातिगुणक्रियाद्रव्यरूपेषु प्रवृत्तिनिमित्तेषु अन्येषां बाधितत्वेन जातिरूप एव वक्षोजपदप्रवृत्तिनिमित्तात्मके भावे वक्षोजपदात्तलप्रत्ययस्यात्र विधानात्। सा जातिरेव चात्र तस्याः तपश्चरणक्रियायाः फलतयोत्प्रेक्ष्यते या तपश्चरणक्रियाऽत्र स्वाभाविकजलावस्थानेऽध्यारोप्य वर्णिता। एवञ्च जातिफलोत्प्रेक्षोदाहरणता प्रकृतपद्यस्य समुचितैवेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'दिवानिशम्—' इस पद्य में वर्णित 'वक्षोजता' (स्तनत्व) एक अङ्ग (स्तन) में रहनेवाला पदार्थ है। और वह जातिरूप ही हो सकता है, क्योंकि 'तल्' प्रत्यय का अर्थ यहाँ जाति ही है। कारण, 'त्व' और 'ता' प्रत्यय जिस शब्द से विहित होते हैं, उनका उस शब्द के प्रवृत्तिनिमित्तरूप भाव में

विधान होता है। तात्पर्य यह कि—जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य इस तरह कुल चार प्रकार के प्रवृत्ति-निमित्त होते हैं, उनमें से 'स्तन' का प्रवृत्ति-निमित्त जातिरूप ही है, अतः यहाँ 'ता' प्रत्यय का अर्थ जाति हुआ। उसी जातिरूप अर्थ की यहाँ कमलों के स्वाभाविक धर्म—जल में रहने से—अभिन्नरूप मानी हुई 'तपश्चरण'-क्रिया के फलरूप में उत्प्रेक्षा की जा रही है। अतः यह पद्य जातिफलोत्प्रेक्षा का उदाहरण होता है।

आशंक्य समाधत्ते—

न चात्र प्राप्तिक्रियामन्तरेण जातेः शुद्धाया अफलत्वात् क्रियाया एव फलत्वमिति वाच्यम्। प्राप्तेः संसर्गतया तद्द्वारैव जात्यादेः फलत्वोपपत्तेः। अन्यथा फलत्वबोधकचतुर्थ्या अनुपपत्तेः। अत एव—'ब्राह्मण्याय तपस्तेपे विश्वामित्रः सुदारुणम्' इत्यादयः प्रयोगाः।

अफलत्वादिति। नित्याया जातेरुत्पत्तिघटितं फलत्वं न संभवतीति भावः। क्रियाया इति। प्राप्तिरूपाया इत्यर्थः। संसर्गतयेति। तथा च लक्षणा नेति भावः। अन्यथेति। यथाकथञ्चित्फलत्वानङ्गीकारे इत्यर्थः। उक्तार्थं द्रढयति—अत एवेति। क्रियाद्वारकफलत्वस्य जातेरपि संभवादेवेत्यर्थः। ब्राह्मण्यायेति। बालरामायणगतं पद्यांशमेतत्। विश्वामित्रः जन्मना क्षत्रियो राजा, ब्राह्मण्याय ब्राह्मणत्वलाभाय, सुदारुणं, तपः, तेपे इत्यर्थः। केवला वक्षोजत्वजातिः तपश्चरणक्रियायाः फलं न भवितुमर्हति, अपि तु वक्षोजत्वप्राप्तिरिति मूले 'वक्षोजतायै' इत्यत्र वक्षोजतापदस्य स्वकर्मकप्राप्तिक्रियायां लक्षणायाः स्वीकर्तव्यतया क्रियाफलोत्प्रेक्षात्वमेव, न जातिफलोत्प्रेक्षात्वमिति शङ्का न कर्तव्या, अपदार्थभूतामपि संसर्गविधया भासमानां प्राप्तिक्रियां द्वारीकृत्य नित्याया वक्षोजत्वजातेरपि फलत्वं संभवतीत्याशयात्, तथा च न लक्षणाया अत्रावश्यकतेति सारांशः। अत एव वक्षोजतापदात् विहिता फलत्वार्थिका चतुर्थी उपपद्यते। एवंविधः प्रयोगः प्रागपि कृतः सुधीभिः यथा 'ब्राह्मण्याय—' इति। इति भावः।

एक आशङ्का करके उसका समाधान किया जाता है—न चात्र इत्यादि। आप कहेंगे- यहाँ 'प्राप्ति' क्रिया के विना केवल 'स्तनत्व'जाति फल नहीं हो सकती, क्योंकि 'जाति' नित्य पदार्थ है और 'फलत्व' है उत्पत्तिघटित पदार्थ-अर्थात् जन्य वस्तु ही फलरूप हो सकती है, नित्य वस्तु नहीं, अतः तपश्चरणक्रिया का फल यहाँ 'प्राप्तिक्रिया' को मानना उचित है, न कि 'जाति' को। तो इसका समाधान यह है कि-'प्राप्ति'क्रिया यहाँ सम्बन्धरूप से भासित होती है, उसके द्वारा नित्य पदार्थ (जाति) भी फलरूप हो सकता है। फलतः इस पद्य में 'वक्षोजता' पद की 'वक्षोजताप्राप्ति' में लक्षणा नहीं करनी पड़ी। पूर्वपक्ष में तो वह करनी ही पड़ती। 'वक्षोजता' को फल मानने पर ही 'वक्षोजता' पद से फलत्वार्थक चतुर्थी विभक्ति का विधान सङ्गत होता है। अन्यथा वह असङ्गत ही होता। इस तरह का प्रयोग कुछ नया नहीं है—प्राचीनों ने भी इस तरह का प्रयोग किया है। देखिए-बालरामायणकार ने लिखा है—'ब्राह्मण्याय-अर्थात् विश्वामित्रजी ने—जो जन्मना क्षत्रिय थे—ब्राह्मणत्व के लिये अतिदारुण तप किया'। यहाँ का 'ब्राह्मण्याय' प्रयोग इसी तरह का है।

फलोत्प्रेक्षायाः प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

गुणफलोत्प्रेक्षा यथा—

गुण की फलरूप में उत्प्रेचा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'वियोगवह्निकुण्डेऽस्मिन् हृदये ते वियोगिनि ।
प्रियसङ्गसुखायैव मुक्ताहारस्तपस्यति ॥'

हे वियोगिनि विरहिणि ! वियोगरूपस्य वह्नेः, कुण्डे खाते, अस्मिन् , ते, हृदये, मुक्ताहारः मौक्तिकं दाम, मुक्तः आहारो येन स इति श्लिष्टोऽर्थः, प्रियसङ्ग एव सुखं तस्मै, इव, तपस्यति तपः करोतीत्यर्थः। अत्र सुखरूपगुणस्य फलत्वेनोत्प्रेक्षणं स्पष्टमेव ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—वियोग इति । हे विरहिणि ! इस विरहाग्नि के कुण्डरूप तेरे हृदय में मोतियों का हार (मुक्त कर दिया है आहार को जिसने ऐसा —अनशनरूपव्रती—उपवास करनेवाला) मानो, प्रियतमसङ्गरूप सुख के लिये तपस्या कर रहा है । यहाँ 'सुख'रूप गुण की फलरूप में उत्प्रेचा स्पष्ट ही है ।

फलोत्प्रेक्षाया एव प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

क्रियाफलोत्प्रेक्षा यथा—

क्रिया की फलरूप में उत्प्रेचा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'हालाहलकालानलकाकोदरसङ्गतिं करोति विधुः ।
अभ्यसितुमिव तदीयां विद्यामद्यापि हरशिरसि ॥'

विधुश्चन्द्रः, अद्यापि, हरशिरसि महाकालमस्तके, तदीयां तत्सम्बन्धिनीम् , विद्यां मारणकलारूपाम् , अभ्यसितुम् , इव, हालाहलस्य विषस्य, कालानलस्य प्रलयाग्नेः, काकोदरस्य सर्पस्य, च, सङ्गतिं संसर्गम् , करोतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—हालाहल इत्यादि । आज दिन भी चन्द्रमा, महादेवजी के मस्तक पर विष, प्रलयाग्नि और सर्पों की सङ्गति, मानो उनकी विद्या (मार डालने की कला) का अभ्यास करने के लिये कर रहा है ।

उपपादयति—

अत्र विरहिवाक्येऽभ्यसनक्रियायास्तुमुना फलत्वं लभ्यते ।

'हालाहल—' इति विरहिजनोक्तं वाक्यम्, तत्र 'तुमुन्'प्रत्ययप्रकृत्यर्थभूतायाः 'अभ्यसितुम्' इति पदबोध्यायाः अभ्यसनक्रियायाः 'तुमन्'प्रत्ययेन हालाहलादिसङ्गतिफलत्वं लभ्यते। तथा चाभ्यसनक्रियायाः फलत्वेनोत्प्रेक्षा सिद्धेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'हालाहल—' इस विरही के वाक्य में 'अभ्यास करने'रूप क्रिया का फलरूप होना 'तुमुन्'(के लिये)प्रत्यय द्वारा प्रतीत होता है । अतः यह पद्य क्रियाफलोत्प्रेचा का उदाहरण होता है ।

उपसंहरति—

एवं लक्ष्यानुसारेण यथासम्भवमन्यदप्युदाहार्यम् ।

पूर्वोक्तरीतिमनुसृत्य यथासम्भवं तादृशानि उदाहरणान्तराण्यपि दातुं शक्यन्ते यादृशानामुदाहरणानां लक्ष्याणि समुपलब्धानि स्युः। उक्ता यावन्त उत्प्रेक्षायाः प्रभेदास्ता-

वन्त एव सम्भवन्तीति न कश्चन नियमः, अपि तु लक्ष्योपलब्धौ प्रभेदान्तराण्यपि सम्भवन्तीति सारांशः।

उपसंहार किया जाता है—एवं इत्यादि। इसी तरह लक्ष्य के अनुसार यथासम्भव अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। तात्पर्य यह कि जितने प्रभेद उत्प्रेक्षा के दिखलाये गये हैं उतने ही हो सकते हैं यह कोई नियम नहीं है। यदि लक्ष्य प्राप्त करा दिये जाँय तब और-और भेद भी इसी तरह माने जा सकते हैं।

स्वमतसिद्धं विशेषमाह—

इह जात्यादयो हि भेदाः प्राचामनुरोधादुदाहृताः। वस्तुतस्तु नैषां चमत्कारे वैलक्षण्यमस्तीत्यनुदाहार्यतैव। चमत्कारवैलक्षण्यं पुनर्हेतुफलस्वरूपात्मकानां त्रयाणां प्रकाराणामेवेति।

प्राचामिति। अलङ्कारसर्वस्वकारादीनामित्यर्थः। एवेत्यस्य बोध्यमिति शेषः।

ग्रन्थकार अपने मत की विशिष्ट बातें कहते हैं—इह इत्यादि। यहाँ (उत्प्रेक्षाप्रकरण में) जाति आदि भेदों के उदाहरण अलङ्कारसर्वस्वकार आदि प्राचीन विद्वानों के अनुरोध से लिखे गए हैं। वस्तुतः इन भेदों के चमत्कार में कोई विलक्षणता नहीं है—अर्थात् जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा की अपेक्षा गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा में कोई खास तरह का चमत्कार नहीं उपलब्ध होता, अपितु स्वरूप की उत्प्रेक्षाप्रयुक्त एक ही तरह का चमत्कार प्राप्त होता है, अतः इन भेदों का पृथक् पृथक् उदाहरण देना आवश्यक नहीं है। फलतः यह समझना चाहिए कि—चमत्कार की विलक्षणता केवल हेतु, फल और स्वरूप—इन तीन भेदों में ही है। तात्पर्य यह कि वस्तुतः उत्प्रेक्षा के हेतूत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा और स्वरूपोत्प्रेक्षा, ये ही तीन भेद होने चाहिएँ, अन्य भेद अनुचित हैं।

अपरं विशेषमाह—

प्रागुदाहृतेष्वेव पद्येषु वाचकानामिवादीनां त्यागे प्रतीयमाना, अर्थसामर्थ्यावसेयत्वात्। न तु व्यङ्ग्येति भ्रमितव्यम्, तस्याः प्रकृते प्रसङ्गाभावात्।

अर्थसामर्थ्येति। अर्थात्मकसामग्रीज्ञेयत्वादित्यर्थः।

दूसरा विशेष बतलाया जाता है—प्राक् इत्यादि। पूर्व में जो पद्य उदाहृत हुए हैं उन्हीं में से यदि 'इव' आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्द हटा दिए जाँय तो प्रतीयमाना (गम्या) उत्प्रेक्षाएँ हो सकती हैं, क्योंकि वैसी स्थिति में केवल अर्थ के बल पर, अंततः, उत्प्रेक्षा माननी पड़ती है। किन्तु साथ ही इतना और ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ प्रतीयमाना अथवा गम्या का अर्थ व्यङ्ग्य नहीं है, ऐसा उचित नहीं। कारण, प्रकृत में व्यङ्ग्योत्प्रेक्षा का कोई प्रसङ्ग नहीं—यहाँ तो सामग्री के प्रबल होने के कारण अर्थतः प्राप्त उत्प्रेक्षा का वर्णन है।

धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षामुदाहृत्य धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षामुदाहर्तुमाह—

धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा यथा—

धर्मस्वरूप की उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'निधिं लावण्यानां तव खलु मुखं निर्मितवतो
महामोहं मन्ये सरसिरुहसूनोरुपचितम्।

उपेक्ष्य त्वां यस्माद्विधुमयमकस्मादिह कृती
कलाहीनं दीनं विकल इव राजानमतनोत् ॥'

लावण्यानां सौन्दर्याणाम् , निधिं आकरम् , तव, मुखम् , निर्मितवतः रचितवतः, सरसिरुहसूनोः ब्रह्मणः, खलु निश्चयेन, उपचितं समृद्धं, महामोहम् अज्ञानान्धकारम् , मन्ये, यस्मात् , कृती कुशलः, अयं ब्रह्मा, विकलः व्यग्रः, इव इह संसारे, त्वाम् , उपेक्ष्य, कलाहीनं निष्कलम् , अथ च, दीनं दैन्यपरीतम् , उत्साहरहितमिति यावत् , विधुं चन्द्रम् , राजानम् सर्वश्रेष्ठं (चन्द्रस्य 'राजा' इति संज्ञा कल्पनामूलभूतेति स्मरणीयम्), अतनोत् अकरोत् इत्यर्थः । विकलो विधिः 'त्वन्मुखं राजपदयोग्यम् , चन्द्रो वा तत्पदयोग्यः' इति विवेक्तुं नाशकदिति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—निधिम् इत्यादि । विधाता जब सौन्दर्यों के निधिरूप तेरे मुख को बना चुके तब उनमें महान् मोह (जड़ता) उमड़ आया ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा इसलिये मानना पड़ता है कि इसने (ब्रह्मा ने) कुशल होते हुए भी, तुम्हारी उपेक्षा करके, कलाओं से हीन और दीन चन्द्रमा को, घबराए की तरह, राजा बना दिया—उन में इतना सोचने की शक्ति ही नहीं रह गई कि राजा बनाने योग्य तेरा मुख है अथवा चन्द्रमा । (संस्कृत भाषा में चन्द्रमा का एक नाम 'राजा' भी है, उसीके आधार पर यह कल्पना खड़ी की गई है ।)

उपपादयति—

पूर्वार्धोत्प्रेक्षितमोहरूपधर्मसिद्धये द्वितीयार्धेऽविचार्यकारित्वं तत्सामानाधिकरण्येनोपात्तम् ।

पूर्वार्धोत्प्रेक्षितेति । ब्रह्मरूपधर्मिणीति भावः । उपात्तमिति । अकस्मादित्यनेनेति भावः । वस्तुतो निर्मोहे ब्रह्मणि मोहस्य समवायसम्बन्धेन सम्भावनमिति 'निधिं लावण्यानाम्—' इत्यत्र धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा । अस्यां च धर्मोत्प्रेक्षायाम् उत्प्रेक्ष्यमाणमोहाधिकरणब्रह्मवृत्ति (समानाधिकरणम्) अविचार्यकारित्वम् निमित्तम् । तच्चोत्तरार्धेन—तत्रापि विशेषतः 'अकस्मात्'पदेन—उक्तमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—पूर्वार्ध इत्यादि । 'निधिम्—' इस पद्य के पूर्वार्ध में 'ब्रह्मा'-रूप धर्मी में 'मोह'रूप धर्म की समवायसम्बन्ध से सम्भावना की गई है, अतः यह धर्मोत्प्रेक्षा है । ब्रह्मा में मोहरूप धर्म की सिद्धि के लिये, उत्तरार्ध में, उस मोह के साथ रहनेवाले धर्म के रूप में 'अविचार्यकारित्व' (विना विचारे करने) का वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह कि—धर्मोत्प्रेक्षा का निमित्त होता है 'समानाधिकरण धर्म' यह पहले कहा जा चुका है तदनुसार यहाँ उक्त मोहरूप धर्म की उत्प्रेक्षा में 'अविचार्यकारित्व' धर्म निमित्त है, क्योंकि यह धर्म मोह का समानाधिकरण है—अर्थात् मोह जिस ब्रह्मारूप आधार में है उसी में 'अविचार्यकारित्व' भी रहता है । यह निमित्तभूत धर्म यहाँ उत्तरार्ध में 'अकस्मात्' पद से उपात्त है ।

निमितांशे प्रागनुक्तं विशेषमुपदर्शयति—

अस्यां च स्वरूपस्य विषयित्वे निमित्तभूतो धर्म उपमायामिव बिम्बप्रतिबिम्बभावादिभिर्भिन्न उपात्तोऽनुपात्तश्च । हेतुफलयोर्विषयित्वे तु यं प्रति हेतुफले निरूपिते स धर्मः कल्प्यमानोऽपि विषयगतसाहजिकधर्माभिन्नतयाऽध्यवसी-

यमानो निमित्तं सम्पद्यते। स चोपात्त एव भवति। अन्यथा कं प्रति हेतुफलयोरन्वयः स्यादिति सङ्क्षेपः।

अस्यां चेति। उत्प्रेक्षात्वावच्छिन्नायामित्यर्थः। स्वरूपस्येति। धर्मिस्वरूपस्य धर्मस्वरूपस्य चेत्यर्थः। भावादिभिरिति। आदिना अनुगामित्वादिपरिग्रहः। एवं च चतुर्विध इति भावः। तदाह—भिन्न इति। कल्प्यमानोऽपीति। अपिः स्वाभाविकसमुच्चायकः। अयमाशयः—यथा 'त्वत्प्रतापमहादीप—' इत्यत्र हेतूत्प्रेक्षायाम्—नभस्तलगतं यं नीलिमधर्मं प्रतिप्रतापरूपदीपकज्जलं हेतुर्निरूपितः स नीलिमधर्मः कज्जलजन्यत्वेन कल्प्यमानोऽपि नभस्तलगतस्वाभाविकनीलिमाभिन्नतया अध्यवसीयते। स एव च नीलिमा कज्जलस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणं प्रति निमित्तं भवति। स च नीलिमा सर्वदोपात्त एव भवति। अन्यथा (तस्यानुपात्तत्वे) कं प्रति हेतोरन्वयः स्यात्, अर्थात् नीलिम्नः शब्दानुपात्तत्वे कज्जलरूपहेतोरन्वयः कुत्र स्यात्? एवं फलोत्प्रेक्षायामपि यस्यास्तपश्चरणक्रियायाः फलत्वेन वक्षोजता (तत्प्राप्तिः) उत्प्रेक्ष्यते स तपश्चरणरूपो धर्मः स्वभावसिद्धजलावस्थानाभिन्नतयाऽध्यवसीयते। स एव चोत्प्रेक्ष्यमाणां वक्षोजतां प्रति निमित्तं भवति। इदं निमित्तं (तपश्चरणम्) यद्यनुपात्तं स्यात् तर्हि वक्षोजताप्राप्तिरूपस्य फलस्यान्वयः कुत्र स्यात्? इति।

निमित्तभूतधर्म के विषय में कुछ नवीन विचार किया जाता है—अस्यां च इत्यादि। उत्प्रेक्षा में जब स्वरूप विषयी होता है तब-अर्थात् स्वरूपोत्प्रेक्षास्थल में-निमित्तरूप में आनेवाला धर्म, उपमा की तरह, बिम्बप्रतिबिम्बभाव आदि उपाधियों से युक्त होकर अनेक प्रकार का होता है। और अनेकप्रकारापन्न धर्म भी कहीं उपात्त और कहीं अनुपात्त रहता है। किन्तु जहाँ हेतु तथा फल विषयी होते हैं वहाँ-अर्थात् हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा के स्थलों में—तो जिस धर्म के प्रति हेतु और फल का निरूपण किया जाता है वही धर्म कल्पित होने पर भी (स्वाभाविक भी हो सकता है), उत्प्रेक्षा के विषयभूत पदार्थ में रहनेवाले स्वाभाविक धर्म से अभिन्नरूप में अध्यवसित होकर उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है। अतः वह धर्म उपात्त ही होता है, अनुपात्त कभी नहीं। अन्यथा हेतु और फल का अन्वय होगा किसके साथ? उदाहरण के आधार पर इस प्रसङ्ग को स्पष्ट कर देना अच्छा होगा, अतः निम्नलिखित कुछ पङ्क्तियों पर ध्यान दीजिए—'त्वत्प्रताप—' इत्यादि पूर्वोक्त हेतूत्प्रेक्षा में आकाशगत जिस 'नीलेपन' धर्म के प्रति प्रताप-दीप-कज्जल की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा हुई है वही 'नीलापन' धर्म आकाशगत स्वाभाविक 'नीलेपन' से अभिन्नरूप में अध्यवसित होकर उक्त हेतूत्प्रेक्षा का निमित्त होता है। ऐसी स्थिति में वह 'नीलापन' सदा उक्त रहेगा ही। यदि वह उक्त न रहे तब कज्जलरूप हेतु का अन्वय ही कैसे और कहाँ होगा? इसी तरह 'दिवानिशम्—' इस पूर्वोक्त फलोत्प्रेक्षा में जिस तपश्चरणक्रिया के फलरूप में 'स्तनत्वप्राप्ति' की उत्प्रेक्षा होती है वह तपश्चरणक्रियारूप धर्म ही स्वाभाविककमलसम्बद्ध जलावासरूप धर्म से अभिन्नरूप में अध्यवसित होकर उक्त फलोत्प्रेक्षा का निमित्त होता है। ऐसी स्थिति में यदि वह 'तपश्चरण' उक्त नहीं रहे तो 'स्तनत्वप्राप्ति'रूप फल का अन्वय कैसे होगा? सारांश यह निकला कि-स्वरूपोत्प्रेक्षा के निमित्त उक्त और अनुक्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पर हेतूत्प्रेक्षा तथा फलोत्प्रेक्षा के निमित्त सदा उक्त ही रहते हैं, अनुक्त नहीं।

शाब्दबोधप्रकारज्ञानाय प्राचीनार्वाचीनभेदेन मतद्वयसत्तां सामान्यतः सूचयित्वा प्रथमं प्राचीनमतमुपदर्शयति—

अत्र च प्राचामर्वाचां चानेकधा दर्शनं व्यवस्थितम्। तत्र प्राचामित्थम्—

सर्वत्राभेदेनैव विषयिणो विषये उत्प्रेक्षणम्, न सम्बन्धान्तरेण। तथाहि धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षायाम् 'मुखं चन्द्रं मन्ये' इत्यादौ तावद्विषयिणश्चन्द्रस्याभेदो विषये मुखे स्फुट एव, नामार्थयोर्भेदेन साक्षादन्वयस्याव्युत्पत्तेः। उपात्तविषया चेयम्। एवम् 'अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे' इत्यत्र नैषधपद्ये (७।६४) धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षायामपि मुनिसम्बन्धिनि धर्मान्तरे विषये दमयन्तीविषयकमोहस्य विषयिणोऽभेदेनैवोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षायाश्च साध्यवसानत्वाद्विषयस्यानुपादानं सङ्गच्छते। निमित्तधर्मश्च तत्तदङ्गासक्तवृत्तित्वम्। एवम् 'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः' इत्यादौ कस्यापि पद्ये न प्रथमान्तार्थे कर्तरि लेपनकर्तृत्वादेरुत्प्रेक्षणम्, तस्याख्यातार्थविशेषणत्वेनैकदेशत्वात्। नापि लेपनादिकर्तुरभेदेन, तस्य क्रियाविशेषणत्वेनाप्राधान्यात्। किन्तु तमःकर्तृकमङ्गकर्मकं लेपनमुत्प्रेक्ष्यते, तमःकर्तृकमङ्गकर्मकं वर्षणं च। उत्प्रेक्ष्यमाणाभ्यां च ताभ्यां विषयस्य तमःकर्तृकव्यापनस्य निगीर्णत्वादनुपादानम्। अत एव एवमादावियमनुपात्तविषयोच्यते। निमित्तधर्मश्च श्यामीकारकत्वादिरनुपात्त एव। अत एव 'सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्' इति लक्षणं विधायोक्तम् 'व्यापनादि लेपनादिरूपतया सम्भावितम्' इति मम्मटभट्टैः। एवम्—

> 'उन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशाया-
> मिन्दोरिन्दीवरदलदृशा तस्य सौन्दर्यदर्पः।
> नीतः शान्तिं प्रसभमनया वक्त्रकान्त्येति हर्षा-
> ल्लग्ना मन्ये ललिततनु ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः॥'

इत्यादौ प्राचीनपद्ये हेतूत्प्रेक्षायामपि न हर्षरूपं हेतुमात्रमुत्प्रेक्ष्यते लक्ष्मीरूपे विषये, किन्तु तद्धेतुकं कार्यं लगनादिरूपं विषयि तादात्म्येन साहजिकलगनादौ विषये। कार्यस्य निमित्ततावादिनामपि विषयगततत्समानजातीयेनाभेदाध्यवसानस्यावश्यवाच्यत्वात्। अन्यथा हेतुरूपविषयिधर्मसमानाधिकरणधर्मस्य कार्यरूपस्य विषयावृत्तित्वेनोत्प्रेक्षैव न स्यात्।

एवम्—

> 'चोलस्य यद्भीतिपलायितस्य भालत्वचं कण्टकिनो वनान्ताः।
> अद्यापि किं वानुभविष्यतीति व्यपाटयन् द्रष्टुमिवाक्षराणि॥'

इत्यादिपरपद्ये फलोत्प्रेक्षायां कण्टकिषु वनान्तेषु विषयेषु न केवलं भालत्वग्विपाटननिमित्तं ललाटाक्षरदर्शनं फलमुत्प्रेक्ष्यते। किन्तु तत्फलकं भालत्वग्विपाटनादिरूपं विषयि कण्टकजविपाटनादौ विषये तादात्म्येनेति सर्वत्राभेदेनैव विषये विषयिण उत्प्रेक्षणमिति दर्शनम्।

अत्र चेति। उत्प्रेक्षाविषय इत्यर्थः। अर्वाचाम् आधुनिकानाम्। दर्शनं मतम्। तत्र तयोर्मध्ये। तावत् आदौ। इयमिति। 'मुखं चन्द्रं मन्ये' इत्यादिधर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षा इत्यर्थः। धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षास्थल आह—एवमिति। अस्यामिति। 'अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे भृगुर्महान् यत्कुचशैलशीली। नानारदाह्लादि मुखं श्रितोरुर्व्यासो महाभारतसर्गयोग्यः।'

इति सम्पूर्णं पद्यम् । दमयन्तीवर्णनप्रसङ्गे नलोक्तिः—यत् यस्मात्, महान् पूज्यः, भृगुः एकः ऋषिः ('विशालः विशिष्टाकारः पर्वतभागः' इति वस्तुतोऽर्थः), कुचशैलशीली दमयन्तीस्तनपर्वतसेवकः, मुखं दमयन्तीवदनम्, नानारदाह्लादि अनारदाह्लादि = नारदस्यानाह्लादकम्, न, अवश्यं नारदाह्लादकमिति यावत् (नानाविधैः रदैः = दन्तैः आह्लादि इति वस्तुतोऽर्थः), तथा, महाभारतस्य तदाख्यनिबन्धस्य यः सर्गः सृष्टिः तद्योग्यः (महाभाः महाकान्तिः, अथ च रतस्य संभोगस्य, सर्गे सृष्टौ योग्य उचित इति वस्तुतोऽर्थः) व्यासः मुनिः (विस्तार इति वस्तुतोऽर्थः), श्रितोरुः दमयन्त्या ऊरुयुगलं श्रितः, तस्मात्, अस्यां दमयन्त्यां विषये, मुनीनां भृग्वादीनाम्, अपि, मोहं मुग्धताम्, ऊहे तर्कयामि इति तद्व्याख्या धर्मान्तरे दर्शनादौ । वृत्तित्वमिति । चित्तवृत्तित्वमित्यर्थः । धर्मोत्प्रेक्षाया एव स्थलान्तरं आह—एवमिति । लिम्पतीवेति । अन्धकारोऽङ्गानि लिम्पति इव, आकाशः कज्जलं वर्षति इवेत्यर्थः । कस्यापीति । मृच्छकटिकप्रणेतुः शूद्रकस्येत्यर्थः । पद्य इति । 'असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता' इत्युत्तरार्धयुक्ते मृच्छकटिकचतुर्थाङ्कगत इति भावः । वैयाकरणरीत्या आह—तस्येति । प्रथमान्तकर्तुरित्यर्थः । अभेदेनेति । प्रथमान्तार्थे उत्प्रेक्षणमित्यस्यानुषङ्गः । तस्येति । लेपनादिकर्तुरित्यर्थः । वर्षणं चेति । अस्य उत्प्रेक्ष्यत इति शेषः । ननु कुत्र सा अत आह—उत्प्रेक्ष्यमाणाभ्यां चेति । अत एवेति । निगीर्णत्वादनुपादानादेवेत्यर्थः । एवमादाविति । इत्याद्युदाहरण इत्यर्थः । अत्रार्थे प्रकाशकारस्य सम्मतिमाह—एत एव 'संभावन'मिति । अयं भावः—विषयविषयिणौ धर्मिस्वरूपौ धर्मस्वरूपौ वा भवताम् उत्प्रेक्षा सर्वत्राभेदेनैव, न समवायादिना सम्बन्धान्तरेण । तत्र विषयविषयिणोः धर्मिरूपत्वे—अर्थात् धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षोदाहरणतया प्रसिद्धे 'मुखं चन्द्रं मन्ये' इत्यादौ नामार्थयोरभेदातिरिक्तः संबन्धोऽव्युत्पन्नः' इति सिद्धान्तानुरोधेन मुखात्मके विषये चन्द्रात्मनो विषयिणोऽभेदेनोत्प्रेक्षणं सर्वसम्मतमेव । ईदृशोत्प्रेक्षणस्थले विषयस्य शब्दतो ग्रहणं नियतम्, अत 'उपात्तविषया' इत्यनेनैतादृश्युत्प्रेक्षैव परामृश्यते । यत्र पुनः 'अस्यां मुनीनाम्' 'लिम्पतीव-' इत्यादौ अभेदातिरिक्तेन सम्बन्धेन धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षां बहवो व्यवहरन्ति—अर्थात् प्रथमस्थले समवायेन मुनिरूपे धर्मिणि मोहरूपस्य धर्मस्य द्वितीयस्थले च तम आदौ धर्मिणि लेपनकर्तृत्वादेस्तेनैव सम्बन्धेनोत्प्रेक्षेति प्रतिपादयन्ति तत्रापि वस्तुतो मुनिसम्बन्धिनि दमयन्तीकर्मके दर्शनात्मके धर्मे दमयन्तीविषयकमोहात्मकस्य धर्मस्याभेदेनैवोत्प्रेक्षा, एवं तमःकर्तृके अङ्गकर्मके तथा तमःकर्तृके नभःकर्मके च व्यापने तमःकर्तृकाङ्गकर्मकलेपनस्य तथा नभः कर्तृकाञ्जनकर्मकवर्षणस्य चाभेदेनैवोत्प्रेक्षा । नन्वेवं दर्शनव्यापनादीनां भवदभिमतविषयाणामुपादानमावश्यकम्, न च तदस्तीति कथमेतदिति चेन्न, विषयिणा विषयस्य निगीर्णत्वं नाम साध्यवसानत्वम्, तदात्मकत्वादेवंविधायां धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षायां विषयोपादानस्यानावश्यकत्वात् । निमित्तधर्मश्च तत्तदङ्गासक्तमनोवृत्तित्वं प्रथमस्थले उक्तम्, द्वितीयस्थले च श्यामीकारकत्वादिरनुक्तः । विषयस्तु सर्वत्रैवंविधोत्प्रेक्षास्थले नियमतोऽनुक्त एव भवतीति 'अनुपात्तविषया' इत्यनेनेदृश्येवोत्प्रेक्षा बोध्यते । 'व्यापनादि लेपनादिरूपतया सम्भावितम्' इति मम्मटभट्टोक्तिरपि उक्तार्थे साक्षितां कुरुते । युक्तियुक्तोऽपि पक्षोऽयमेव, यतः 'लिम्पति-' इत्यत्र प्रथमान्तपदार्थे

कर्तृकारके तमसि लेपनकर्तृत्वस्योत्प्रेक्षणं सम्भवदुक्तिकमेव नास्ति, तिङर्थाश्रयविशेषणीभूतप्रथमान्तपदार्थे लेपनादेरन्वयस्य 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति, न पदार्थैकदेशेन' इति न्यायविरुद्धत्वात्। लेपनकर्तुस्तिङर्थस्याभेदेन प्रथमान्तार्थे उत्प्रेक्षेत्यपि न वक्तुं योग्यम्, तिङर्थस्य धात्वर्थक्रियाविशेषणत्वेनाप्रधानस्य विधेयत्वासम्भवात्। 'तस्याम्—' इत्यत्र निमित्तधर्मः प्रागुक्तो गुणरूपः, 'लिम्पतीव—' इत्यत्र च स प्रागुक्तः क्रियारूप इत्यन्यत्। इति। हेतूत्प्रेक्षास्थल आह—एवमिति। 'उन्मेषम्—' इति। नायको नायिकां ब्रूते—जातिवैरी कमलत्वजातिविशिष्टद्वेषी, यः चन्द्रः, निशायां रात्रौ, मम कमलत्वजातिविशिष्टस्य, उन्मेषं विकासं, न, सहते मर्षयति, तस्य, इन्दोः, सौन्दर्यदर्पः सुन्दरतागर्वः, अनया, इन्दीवरदलदृशा नीलकमलपत्राढ्या, वक्त्रकान्त्या मुखसौन्दर्येण, प्रसभं बलात्, शान्तिं नाशम्, नीतः प्रापितः, इति, हर्षात्, पद्मलक्ष्मीः कमलशोभा, हे ललिततनु सुन्दरगात्रि! ते, पादयोः, लग्ना संसक्ता, इति, अहं मन्ये इत्यर्थः। हेतूत्प्रेक्षायामपीति। तत्त्वेनाभिमतायामपीत्यर्थः। इदं च तादात्म्यं परमतेऽप्यावश्यकमित्याह—कार्यस्येति। समानजातीयेन साहजिकलगनेन। तदेव व्यतिरेकमुखेनोपपादयति—अन्यथेति। हेतुरूपेति। हर्षात्मकेत्यादिः। इदमाकूतम्—'उन्मेषम्—' इत्यत्र लक्ष्मीरूपे विषये हर्षात्मकस्य हेतोरुत्प्रेक्षा न, किन्तु हर्षहेतुकस्य पादाधिकरणकस्य पद्मलक्ष्मीकर्तृकस्य लगनस्य विषयिणः पादाधिकरणके पद्मलक्ष्मीकर्तृके स्वाभाविके लगने विषयेऽभेदेनोत्प्रेक्षा। नन्वस्मिन्पक्षे द्वयोर्लगनयोरभेदाध्यवसानं कर्तव्यं भवतीति गौरवमिति चेन्न, परमतेऽप्यस्य गौरवस्य तादवस्थ्येनावदूषणत्वात्। तथाहि-येऽत्र हर्षरूपं हेतुमात्रमुत्प्रेक्षन्ते तेऽपि तादृशोत्प्रेक्षणे निमित्तं हर्षकार्यभूतं पद्मलक्ष्मीकर्तृकं पादलगनमेव मन्यन्ते, तच्च पादलगनं तावन्निमित्तं न भवितुमर्हति यावत् तस्य स्वाभाविकपद्मलक्ष्मीकर्तृकेन पादलगनेन सहाभेदो नाध्यवसितः स्यात्, यत उत्प्रेक्ष्यमाणधर्मसमानाधिकरणो धर्मो विषयगतो निमित्तरूपो भवति, प्रकृते च उत्प्रेक्ष्यमाणो धर्मः परमते हर्षरूपस्तत्समानाधिकरणश्च धर्मस्तद्धेतुकपद्मलक्ष्मीकर्तृकपादलगनरूपः, स च न पद्मलक्ष्मीरूपविषयगतः, स्वाभाविकस्यैव पादलगनस्य वस्तुतस्तद्गतत्वात्, इत्थञ्चोत्प्रेक्षैव न भवेत्। द्वयोर्लगनयोरभेदाध्यवसाने तु भवितुमर्हति। इति फलोत्प्रेक्षास्थल आह—एवमिति। 'चोलस्य—' इति। राज्ञो नृसिंहस्य वर्णनम्—कण्टकिनः कण्टकाकीर्णाः, वनान्ताः वनप्रदेशाः, अद्यापि पूर्वं यदनुभूतवान् तदनुभूतवानेव, इतोऽग्रे, किम् अनुभविष्यति, इत्येतद्बोधकानि अक्षराणि विधिलिखितवर्णावलीः, द्रष्टुम् ज्ञातुम्, पठितुमिति यावत्, यस्य नृसिंहदेवस्य, भीत्या भयेन, पलायितस्य प्रपलाय्य वनं श्रितस्य, चोलस्य चोलनरेशस्य, भालत्वचं मस्तकचर्म, व्यपाटयन् उत्पाटितवन्त इत्यर्थः। फलोत्प्रेक्षायां तत्त्वेनाभिप्रेतायाम्। 'चोलस्य—' इत्यत्र कण्टकाकीर्णवनप्रदेशात्मके विषये भालत्वगुत्पाटनहेतुकललाटाक्षरदर्शनरूपफलस्योत्प्रेक्षा न, अपि तु कण्टकाकीर्णवनप्रदेशकर्तृकनिष्फलत्वग्विपाटनात्मके विषये ललाटाक्षरदर्शनफलकभालत्वग्विपाटनरूपस्य विषयिणोऽभेदेनोत्प्रेक्षेति भावः। उपसंहरति—इति सर्वत्रेति। इत्थञ्च सर्वत्राभेदसम्बन्धेनैव विषये विषयिण उत्प्रेक्षेति प्राचां मतं व्यवस्थितम्।

शाब्दबोधप्रकार का ज्ञान कराने के लिये प्राचीन-नवीन भेद से दो मतों की सामा-

न्यतः सूचना देकर पहले प्राचीन मत का उल्लेख करते हैं—अत्र च इत्यादि। उत्प्रेक्षा के विषय में प्राचीनों और आधुनिकों का अनेकप्रकारक मत व्यवस्थित है। उनमें से प्राचीनों का मत इस प्रकार का है—विषयी की विषय में सर्वत्र अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है, अन्य (समवाय आदि) किसी सम्बन्ध से नहीं। अभिप्राय यह कि-विषयी तथा विषय ये दोनों अथवा इन दोनों में से कोई एक धर्मीरूप हो अथवा धर्म-रूप हो, इससे उत्प्रेक्षा के सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं होता—सर्वत्र एक में दूसरे की सम्भावना अभेदसम्बन्ध से ही की जाती है। देखिए—'मुख मानो चन्द्रमा है' इत्यादि धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षास्थल में तो विषयी चन्द्र का विषय मुख में अभेद स्पष्ट ही है—अर्थात् ऐसे स्थलों में अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है यह बात सर्वसम्मत है, क्योंकि दो नामार्थों का भेदसंबन्ध द्वारा साक्षात् अन्वय व्युत्पत्ति के विरुद्ध है। और यह उत्प्रेक्षा उपात्त-(उक्त) विषया है, क्योंकि विषय मुख शब्दतः वर्णित है। कहने का तात्पर्य यह कि—धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षा सर्वत्र उपात्तविषया ही होती है। कारण, इस तरह की उत्प्रेक्षा में विषय का शब्दतः वर्णित रहना निश्चित है। इसी तरह "अस्यां मुनिनाम्—(सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में उद्धृत है) दमयन्तीवर्णनप्रसङ्ग में नल की उक्ति है—दमयन्ती के विषय में मुनियों को भी मोह हो गया है ऐसा मेरा तर्क है, क्योंकि महान् (पूजनीय, वस्तुतः बहुत बड़ा) 'भृगु' (एक ऋषि, वस्तुतः बिना किनारे का ढलाव) इसके स्तन-रूप पर्वत का सेवन कर रहा है, मुख 'नानारदाह्लादि' (नारद को सन्तुष्ट न करे ऐसा नहीं, किन्तु अवश्य सन्तुष्ट करने वाला, वस्तुतः अनेक दाँतों के कारण आह्लादजनक) है और 'महाभारतसर्गयोग्य' (महाभारत निबन्ध बनाने की योग्यता रखनेवाला, वस्तुतः 'महाभाः'=महाकान्तियुक्त और 'रतसर्गयोग्य'=रति की सृष्टि के योग्य) 'व्यास' (कृष्णद्वैपायन, वस्तुतः–विस्तार) ने इसकी जाँघों का आश्रयण कर लिया है।" इस नैषधीय पद्य में जो धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा है वहाँ भी मुनियों से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी धर्म ('दर्शन' आदि) रूप विषय में दमयन्तीविषयक मोहरूप विषयी-की अभेदसंबन्ध से ही उत्प्रेक्षा है। तात्पर्य यह कि यहाँ भी मुनिरूप विषय में मोह-रूप विषयी की समवायसंबन्ध से उत्प्रेक्षा नहीं है। आप कहेंगे-दर्शन आदि धर्म ही यदि यहाँ विषयरूप है तब यहाँ उसका वर्णन क्यों नहीं? फलतः जिसकी पद्य में चर्चा ही नहीं वह विषयरूप माना कैसे जा सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि-यह उत्प्रेक्षा साध्यवसाना है-यहाँ विषयीद्वारा विषय निगल लिया गया है, अतः उसका ग्रहण न करना सङ्गत है—अर्थात् ऐसा करने में किसी प्रकार की असङ्गति नहीं। तात्पर्य यह कि ऐसी जगहों में विषयिबोधक पद द्वारा ही विषय का बोध किया जाता है, जैसे अतिशयोक्तिस्थल में उपमानबोधक पद से ही उपमेय का भी बोध कर लिया जाता है। इस उत्प्रेक्षा का निमित्तभूत धर्म है 'दमयन्ती के उन-उन अङ्गों में मुनिमनोवृत्ति का आसक्त हो जाना' जो यहाँ अपने ढङ्ग से उक्त ही है। इसी तरह 'लिम्पति—(सम्पूर्ण पद्य मूल तथा संस्कृत टीका में उद्धृत है) अन्धकार मानो, अङ्गों को पोत रहा है, आकाश, मानो, काजल बरसा रहा है।' इत्यादिक किसी कवि (मृच्छकटिकनिर्माता शूद्रक) के पद्य में प्रथमान्त पदार्थ 'कर्ता' (अन्धकार और आकाश) में 'पोतना' तथा 'बरसाना'रूप क्रियाओं के 'कर्तृत्व-अर्थात् उन क्रियाओं' की उत्प्रेक्षा नहीं है। कारण, वह कर्ता (प्रथमान्त पदार्थ) आख्यात (तिङ्=लिम्पति आदि में 'ति' आदि प्रत्यय) के अर्थ (आश्रय) का विशेषण है, अतः वाक्यार्थ का प्रधान अंश नहीं, किन्तु एकदेश है। फलतः वहाँ उत्प्रेक्षा करके 'लेपनकर्तृत्व' का अन्वय करने में एकदेशान्वय हो

जायगा जो कि 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति, न तु पदार्थैकदेशेन-अर्थात् पदार्थ पदार्थ के साथ ही अन्वित होता है, पदार्थ के एकदेश के साथ नहीं' इस सिद्धान्त से विरुद्ध होता है। और न यहाँ 'लेपनादि कर्ता' (पोतने आदि के कर्ता) की अभेदसंबन्ध द्वारा प्रथमान्त पदार्थ अन्धकार आदि में उत्प्रेक्षा ही मानी जा सकती है, क्योंकि 'कर्ता' क्रिया का विशेषण होने के कारण अप्रधान है (यहाँ यह बात याद रखनी चाहिये कि वैयाकरणों के मत से सम्पूर्ण वाक्यार्थ में क्रिया ही प्रधान होती है और अन्य सब शब्दों के अर्थ उसके विशेषण होते हैं।) तात्पर्य यह कि अप्रधान पदार्थ विधेय नहीं हो सकता और उत्प्रेक्ष्यमाण पदार्थ विधेय ही होता है। किन्तु यहाँ, 'अन्धकार' जिसका कर्ता है और 'अङ्ग' जिसका कर्म है उस 'लेपन' (पोतने) रूप क्रिया की, तथा आकाश जिसका कर्ता है और काजल जिसका कर्म है उस 'वर्षण'रूप क्रिया की उत्प्रेक्षा की जा रही है। उन दोनों उत्प्रेक्षित किए जानेवालों-अर्थात् 'लेपन' और 'वर्षण' द्वारा, जिसका अन्धकार कर्ता है उस व्यापन (व्याप्त होना) रूप क्रिया को जो इस उत्प्रेक्षा का विषय है, निगीर्ण (उदरस्थ) कर लिया गया है, अतः उसका (विषयरूप व्यापन क्रिया का) उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। तात्पर्य यह कि-यहाँ अन्धकारकर्तृक व्यापनरूप विषय में अन्धकारकर्तृक लेपन आदि विषयी की अभेदसम्बन्ध से संभावना की जाती है पर साध्यवासना होने के कारण इस उत्प्रेक्षा में विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। अतएव ऐसे-ऐसे स्थलों में यह उत्प्रेक्षा अनुपात्तविषया कहलाती है। इस उत्प्रेक्षा का निमित्तभूत धर्म है 'श्यामीकारकत्व—काले कर डालना' आदि जो अनुपात्त है। सारांश यह कि-प्राचीनों के मत से धर्मोत्प्रेक्षा भी अभेदसम्बन्ध से ही होती है और उसके विषय सर्वदा अनुक्त ही रहते हैं। निमित्त कदाचित् उक्त और कदाचित् अनुक्त भी होते हैं। निमित्तभूत धर्म प्रायः दो तरह के होते हैं—गुणरूप और क्रियारूप, उनमें से गुणरूप निमित्तधर्मवाली धर्मोत्प्रेक्षा का उदाहरण है उपर्युक्त नैषध का पद्य और क्रियारूप निमित्तधर्मवाली धर्मोत्प्रेक्षा का उदाहरण है 'लिम्पतीव—' यह पद्य। अतएव मम्मटभट्ट ने—'सम्भावनमथोत्प्रेक्षा—अर्थात् प्रस्तुत विषय की उसके सदृश के साथ सम्भावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं।' यह लक्षण बनाकर 'लिम्पतीव—' इस उदाहरण के प्रसङ्ग में कहा है कि-व्यापनादि—अर्थात् यहाँ व्याप्त होने आदि की सम्भावना 'पोतने' आदि के रूप में की गई है। अभिप्राय है कि—मम्मटभट्ट ने भी 'सर्वत्र अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है' इस तथ्य का समर्थन किया है। इसी तरह—"उन्मेषं यो मम—अर्थात् 'जो जातिवैरी रात्रि में मेरे विकास को सहन नहीं करता उस चन्द्रमा का सुन्दरताभिमान, इस कमलपत्राक्षी ने अपनी मुख-कान्ति द्वारा बलात्, शान्त कर दिया।' मानो, इस हर्ष के कारण, हे सुन्दराङ्गि! कमल की शोभा तेरे पैरों में चिपट पड़ी है।" इत्यादिक प्राचीनों के पद्य—जिसको लोग हेतूत्प्रेक्षा का उदाहरण कहते हैं—में भी 'शोभा'रूप विषय में केवल 'हर्ष'रूप हेतु की उत्प्रेक्षा नहीं की जा रही है किंतु 'हर्ष' जिसका हेतु है उस 'चिपटने' आदि विषयी की, अभेदसम्बन्ध से स्वाभाविक चिपटने' आदि विषय में, उत्प्रेक्षा की जा रही है। तात्पर्य यह कि—पद्म की शोभा पैरों में स्वभावतः चिपटी ही हुई है, न कि हर्ष के कारण, उस स्वाभाविक चिपटने में 'हर्ष' के कारण चिपटने (जो कल्पित है) की उत्प्रेक्षा की जा रही है। जो लोग हर्ष के कार्य कल्पित 'चिपटने' को उत्प्रेक्षा का निमित्त मानते हैं उन्हें भी विषय—शोभा—में रहनेवाले, उक्त कल्पित 'चिपटने' के सजातीय स्वाभाविक 'चिपटने' के साथ उस कल्पित चिपटने का आरोपित अभेद अवश्य कहना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं कहेंगे तब उक्त

हर्ष-कार्य-कल्पित 'चिपटना' निमित्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि विषयी-हर्ष-के अधिकरण में रहने वाला कल्पित 'चिपटना' विषय-शोभा-में है ही नहीं-उसमें तो स्वाभाविक 'चिपटना' ही है और जब उक्त धर्म निमित्त नहीं हो सकेगा तब यह उत्प्रेक्षा ही नहीं हो सकेगी। हाँ, उन दोनों धर्मों (कल्पित = हर्षहेतुक चिपटना तथा वास्तविक = स्वाभाविक चिपटना) में अभेद मान लेने पर सब बातें बन सकती हैं। तात्पर्य यह कि ऐसे स्थलों में सम्बन्धान्तर द्वारा हेतु-मात्र की उत्प्रेक्षा का निमित्त नियमतः उस हेतु के कार्य को ही मानते हैं और वह कार्य रहता है नियमतः कल्पित। ऐसी स्थिति में उसको निमित्त बनाने के लिये—अर्थात् उस विषयिसमानाधिकरण कार्यभूत धर्म को विषयगत सिद्ध करने के लिये (याद रहे कि-सम्बन्धान्तरद्वारक धर्मोत्प्रेक्षा में वे लोग उत्प्रेक्ष्यमाणधर्मसमानाधिकरणविषयगत धर्म को निमित्त मानते हैं) यह आवश्यक है कि विषयिसमानाधिकरण उस कल्पित कार्यरूप धर्म का विषयगततत्सजातीयस्वाभाविक धर्म के साथ आरोपित अभेद माना जाय। सारांश यह कि इस तरह का अभेद दोनों मतों में समानरूप से मानना ही पड़ता है अन्तर केवल यह होता है कि एक मत में उस अभेद के दोनों सम्बन्धी उत्प्रेक्षा के विषय-विषयी होते हैं और दूसरे मत में अभेद के दोनों सम्बन्धी एक होकर उत्प्रेक्षा के निमित्त बनते हैं। ऐसी दशा में उचित तो यही प्रतीत होता है कि अभेद के उन सम्बन्धियों को उत्प्रेक्षा के विषय-विषयी ही मान लें। इसी तरह-"चोलस्य—अर्थात् जिस (वर्णनीय नृसिंहदेव) के डर से भगे हुए चोलनरेश के ललाट की चमड़ी, कँटीले वन प्रदेशों ने, मानो, अब भी 'न जाने यह क्या अनुभव करेगा' इस रहस्य के बोधक विधाता के अक्षर को देखने के लिये, उधेड़ डाली।" इस परकीय पद्य-जिसको फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण मानते हैं-में, कँटीले वन-प्रदेशरूप विषय में ललाट की चमड़ी को उधेड़ने से होने वाले ललाटगत विधि-वर्णावली-दर्शनरूप फल की केवल उत्प्रेक्षा नहीं है, किन्तु वह ललाटगत विधि-वर्णावली-दर्शन जिसका फल है उस ललाटत्वचोत्पाटनरूप विषयी की कण्टक से होने वाले, निष्फल अतः स्वाभाविक ललाटत्वचोत्पाटनरूप विषय में अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती है। सारांश यह निकला की विषय में विषयी की उत्प्रेक्षा सर्वत्र (धर्मोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा तथा फलोत्प्रेक्षा में) अभेद सम्बन्ध से ही होती है—यही है प्राचीनों का मत।

प्राचीनमतमालोचयितुं प्रक्रममाणस्तदुक्तयुक्तीर्निरस्यति—

तत्र विचार्यते—न सर्वत्राभेदेनैवोत्प्रेक्षणमिति नियमे किञ्चिदस्ति प्रमाणम्, लक्ष्येषु भेदेनाप्युत्प्रेक्षणस्य दर्शनात्—'अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे' इत्यादौ। न च मुनिसम्बन्धिनि धर्मविशेषे मोहस्याभेदेनोत्प्रेक्षणमिति वाच्यम्। भेदेनोत्प्रेक्षणे बाधकाभावेनेदृशकल्पनाया निरर्थकत्वात्। नह्यभेदेनैवोत्प्रेक्षणमिति वेदेन बोधितम्, यदर्थमयमाग्रहः स्यात्, लक्षणनिर्माणस्य पुरुषाधीनत्वात्। 'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि' इत्यत्रापि लेपनादिकर्तृत्वं तमआदिषु विषयेषूत्प्रेक्ष्यत इत्येव युक्तम्। अनुकूलव्यापारात्मकस्य कर्तृत्वस्यैवाख्यातार्थत्वात्। तस्य च प्रथमान्ते विशेष्ये आश्रयतासंसर्गेणान्वयान्न दोषः। 'भावप्रधानमाख्यातम्' इत्यस्य 'भावो व्यापारस्तदर्थकमाख्यातं तिङ्' इत्यर्थकरणान्न विरोधः। 'सत्त्वप्रधानानि नामानि' इत्युत्तरवाक्यस्थप्रधानशब्दस्याभिधेयपरत्वात्। फलमात्रार्थस्यापि धातोराख्यातार्थव्यापारव्यधिकरणत्वसमानाधिकरणत्वाभ्यामर्थगताभ्यां सकर्मकाकर्मकत्वव्यवहारः। नामार्थयोर्भेदेनान्वयाभावाच्च भावकृदर्थ-

व्यापारस्य न नामार्थेऽन्वयः। अत एव च 'कर्तरि कृत्' इत्यनेन विशिष्टशक्तिबोधकेन न घञादिषु भावग्रहणस्य विशेषणशक्तिबोधकस्य गतार्थत्वम्, शब्दानुवृत्तिपक्षस्वीकाराच्च 'कर्तरि कृत्' इत्यत्र धर्मिपरस्यापि कर्तृग्रहणस्य 'लः कर्मणि—' इत्यत्र धर्मपरतायामपि न दोषः। यद्वा आस्तां फलव्यापारौ, धातोः, आश्रयश्च तिङोऽर्थः। परं तु देवदत्तः पचमान इत्यादाविव देवदत्तः पचतीत्यादिष्वपि प्रथमान्तार्थ एव तिङर्थस्याभेदेन विशेषणत्वं युक्तम्, न तु भेदेन धात्वर्थभावनायाम्। सर्वजनसिद्धस्योद्देश्यविधेयभावस्य भङ्गापत्तेः। सत्यां हि गतौ 'प्रत्ययार्थे प्रकृत्यर्थो विशेषणम्' इत्यस्योत्सर्गस्याप्यनुग्रह एव न्याय्यः। 'भावप्रधानमाख्यातम्' इत्यस्य 'भावनार्थको धातुः' इत्यर्थकरणान्न विरोधः। न च वैयाकरणमतविरोधो दूषणमिति वाच्यम्, स्वतन्त्रत्वेनालङ्कारिकतन्त्रस्य तद्विरोधस्यादूषणत्वात्। प्रपञ्चयिष्यते चैतदधिकमुपरिष्टादिति प्रकृतमनुसरामः। एवं च 'लिम्पतीव—' इत्यादौ भेदेनाभेदेन वा तिङर्थस्यैव प्रथमान्तार्थ एवोत्प्रेक्षणम्। न तु धात्वर्थस्य स्वनिगीर्णे व्यापनादौ, सर्वजनसिद्धाया इवार्थस्य विधेयताया अनुपपत्तेः। तमःकर्तृकं लेपनमिवेत्यस्मादपि उद्देश्यविधेयभावशून्यवाक्यादुत्प्रेक्षाप्रतीत्यापत्तेश्च। यदि च विषयिसम्बन्धिना लेपनादिना विषयसम्बन्धिनो व्यापनादेर्निमित्ततासम्पत्तये स्वताद्रूप्यसम्पादनेन निगीर्णत्वादनुपात्तविषयत्वमध्यवसानमूलत्वं चोच्यते तदा रूपकेऽप्यनुपात्तविषयत्वमुच्यतामध्यसानमूलत्वं च। 'लोकान् हन्ति खलो विषम्' इत्यादौ खलसम्बन्धिनो दुःखदानादेर्विषसम्बन्धिहननात्मनाऽध्यवसानात्। तस्मान्निमित्तांशेऽतिशयोक्तिरेव। एवम् 'उन्मेषं यो मम न सहते' इत्यत्र लक्ष्मीरूपे विषये लगनहेतुत्वेन हर्ष उत्प्रेक्ष्यते। तत्र साहजिकसम्बन्धे तादात्म्येनाध्यवसितं लगनमेव निमित्तम्। तथा—

'सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुर्व्याम्।
अदृश्यत त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्॥'

अत्रापि मौनहेतुत्वेन नूपुरे विश्लेषदुःखमुत्प्रेक्ष्यते। तत्र निश्चलत्वनिमित्तकनिःशब्दत्वाध्यवसितं मौनं निमित्तम्, विश्लेषदुःखसमानाधिकरणत्वे सति नूपुरवृत्तित्वात्। न तु निश्चलत्वनिमित्तके निःशब्दत्वे विषये विश्लेषदुःखहेतुकमौनमभेदेन उत्प्रेक्षायामिवशब्दान्वितस्योत्प्रेक्ष्यताया उत्सर्गसिद्धत्वात्। विषयस्य निगीर्णतया विषयिणो विधेयत्वानुपपत्तेश्च। निमित्तान्तरगवेषणापत्तेश्च। यद्यप्येककालप्रभवत्वादिरस्ति साधारणो धर्मो निमित्तम्। तथापि तस्याचमत्कारित्वादुपमायामिवोत्प्रेक्षायामप्यप्रयोजकत्वात्। एवं फलोत्प्रेक्षायामपि बोध्यम्। एतेन 'यद्वा हेतुफलधर्मस्वरूपोत्प्रेक्षोदाहरणेष्वपि तादात्म्येनैवोत्प्रेक्षा' इति प्राचां मतमनुसरता द्रविडपुङ्गवेन यदुक्तं तदपि परास्तम्।

दर्शनादिति। स्वरसतया प्रतीतेरिति भावः। प्रागुक्तं तदीयं प्रकारं खण्डयति न चेति। ननु लक्षणानुरोधेन तथोच्यतेऽत आह—लक्षणेति। सर्वत्राभेदसम्बन्धेनैव विषये

विषयिण उत्प्रेक्षेति नियमाङ्गीकारे प्रमाणाभावः । ननु भेदेनोत्प्रेक्षणस्य लक्ष्याप्राप्तिरेव प्रमाणमिति चेन्न, अस्याम्—' इति प्रागुक्तनैषधीयपद्यात्मकस्य लक्ष्यस्य प्राप्तेः । न च तत्रापि अभेदेनोत्प्रेक्षणप्रकारः प्रदर्शित इति वाच्यम्, भेदेनोत्प्रेक्षायाः स्वारसिकायाः स्वीकारे बाधकाभावात् तादृशकष्टसृष्टप्रकाराङ्गीकारस्य वैयर्थ्यात् । यदि अभेदेनैवोत्प्रेक्षा भवतीति वेदेन बोधितं भवेत्, तदा तादृशक्लिष्टप्रकाराङ्गीकारस्यौचित्यं सिद्ध्येत्, तत्तु नास्तीति कथं तदङ्गीकारौचित्यम् ? लक्षणमुत्प्रेक्षाया अभेदसम्बन्धघटितमेवोपलभ्यत इति तदनुरोधेन तथाङ्गीकार इत्यपि न युक्तम्, लक्षणनिर्माणस्य पुरुषाधीनतया भेदसम्बन्धघटितलक्षणनिर्माणस्यापि कर्तुं शक्यत्वादिति विशदीकरणम् । नन्वेवमपि लिम्पतीत्यादौ नान्यथा निर्वाह इति प्राचीनोक्तं मान्यमत आह—लिम्पतीवेति । फलमात्रस्य धात्वर्थत्वादाह—अनुकूलव्यापारेति । यत इत्यादिः । एवेन धर्मिव्यवच्छेदः । आख्यतेति । तिङित्यर्थः । प्रथमान्ते इति । प्रथमान्तार्थे इति भावः । नन्वेवं यास्कविरोधोऽत आह—भावेति । ननु प्रधानपदस्यार्थपरत्वमदृष्टमत आह—सत्त्वेति । ननु धातोर्व्यापारावाचकत्वे सकर्मकत्वाकर्मकत्वव्यवहारोच्छेदापत्तिरत आह—फलेति । व्यापारस्योभयत्रान्वयः । अन्वय इति । आश्रयतासम्बन्धेनेति भावः । ननु 'कर्तरि कृत्' इत्यतः कर्तरीति 'लः कर्मणि—' इत्यत्रानुवर्तते । तत्र तस्यानुकूलव्यापारार्थकत्वे कृद्विधायकेऽपि तथैव स्यात् । 'पाचको देवदत्त' इत्यादौ सामानाधिकरण्यव्यवहारस्तु लक्षणयेत्याशंकापनोदनायाह—अत एवेति । वक्ष्यमाणयुक्तेरेवेत्यर्थः । नन्वेवं लकारविधायकेऽपि तदर्थकत्वापत्तिरत आह—शब्दानुवृत्तिपक्षेति । अयमाशयः—'लिम्पतीव—' इत्यत्र समवायसम्बन्धेन लेपनादिव्यापारात्मकस्य लेपनादिकर्तृत्वस्यैव तम आदिषूत्प्रेक्षा । ननु प्रथमान्तार्थस्य तम आदेः कर्तुराख्यातार्थविशेषणत्वेनैकदेशत्वमुक्तमिति चेन्न, धातोः फलमात्रमर्थः कर्तृत्वम् (अनुकूलो व्यापारः) तिङर्थः, एवञ्च तिङर्थस्य व्यापारस्याश्रयतासम्बन्धेन प्रथमान्तार्थे कर्तरि अन्वय इति न प्रथमान्तार्थस्य कर्तुर्विशेषणत्वमित्याशयात् । न चैवंरीत्या तिङ्घटितवाक्यजन्यबोधे प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्ये स्वीकृते 'भावप्रधानमाख्यातम्' इति यास्कसिद्धान्तविरोध इति शङ्क्यम्, 'सत्त्वप्रधानानि नामानि' इत्युत्तरवाक्ये प्रधानपदस्याभिधेयपरत्ववत् उक्तपूर्ववाक्येऽपि प्रधानपदस्य तथार्थकत्वम्, आख्यातपदस्य तिङ्परत्वञ्चाङ्गीकृत्य 'भावार्थकस्तिङ्' इति व्याख्यानेनाविरोधात् । 'तिङर्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वम् सकर्मकत्वम्, तिङर्थव्यापारसमानाधिकरणफलवाचकत्वमकर्मकत्वम्' इत्येवं परिष्करणेन सकर्मकत्वाकर्मकत्वव्यवहारोच्छेदापत्तिरपि न भवितुमर्हति । ननु व्यापारात्मकस्य कर्तृत्वस्य प्रथमान्तार्थे तमसि विशेष्ये आश्रयतासम्बन्धेनान्वयमङ्गीकृत्य 'लेपानुकूलव्यापाराश्रयः तमः' इति बोधो यथा प्रागुपपादितस्तथाऽधुना कृदर्थस्यापि भावस्य (व्यापारस्य) आश्रयतासम्बन्धेन प्रथमान्तार्थेऽन्वयमङ्गीकृत्य 'तमो लिम्पति' इत्यर्थे 'तमोलेपः' इत्युच्यतामिति चेन्न, 'नामार्थयोरभेदातिरिक्तः सम्बन्धोऽव्युत्पन्नः इति सिद्धान्ते जाग्रति घञर्थस्य तमसि आश्रयतयाऽन्वयासम्भवात् । न च व्यापारूपार्थे तिङो विधानाय 'कर्तरि कृत्' इत्यतोऽनुवृत्तस्य 'कर्तरि' इत्यस्य 'लः कर्मणि—' इत्यस्य 'कर्तृत्वे' इत्यर्थः करणीयस्तथा च 'कर्तरि कृत्' इत्यत्रापि तस्य पदस्य तादृश एवार्थ आस्थेयः स्यात्,

औचित्यात्, तथा च ण्वुल्तृजादीनां कृत्प्रत्ययानामपि व्यापारार्थकत्वापत्तिरिति वाच्यम्, 'शब्दानुवृत्तिः' 'अर्थानुवृत्तिः' इत्युभयोः प्रतिष्ठितयोः पक्षयोः प्रथमपक्षस्यैवात्राङ्गीकारेण 'लः कर्मणि—' इत्यत्र कर्तृत्वार्थकतया स्वीकरिष्यमाणस्यापि 'कर्तरि' इत्यस्य 'कर्तरि कृत्' इत्यत्र व्यापाराश्रयार्थकत्वाङ्गीकारे क्षतिविरहात्। अत एव 'भावे' इति घञादिविधायकसूत्रस्थं पदं सार्थकं भवति। यदि तु 'कर्तरि कृत्' इत्यत्रापि कर्तृत्वार्थकं कर्तरीतिपदं स्यात् तदा तेनैव सूत्रेण अन्यैः कृत्प्रत्ययैः सह घञादेरपि भावार्थे विधाने सिद्धे तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव भवेत् इति। शब्दानुवृत्तिपक्षेऽनुवृत्तस्य शब्दस्य पुनस्तत्रार्थबोधे करणीये आकांक्षाज्ञानादिरर्थबोधसामग्री पुनः संपादनीया ततश्च तत्र पक्षे गौरवम्, अर्थानुवृत्तिपक्षे तु न तद्गौरवमित्यतः पक्षान्तरमाह—यद्वेति। तिङर्थस्य कर्तुः। अभेदेनेति। सामान्यविशेषयोरभेदान्वयादिति भावः। भङ्गापत्तेरिति। एकपदोपस्थाप्ययोस्तत्त्वे तु एकप्रसरताभङ्गापत्तेरिति भावः। युक्त्यन्तरमाह—सत्यां हीति। प्रागुवदत्रापि मते निरुक्तविरोधं प्रकारान्तरेण परिहरति—भावेति। पूर्वमाख्यातपदेन तिङ् गृहीतः, इदानीं धातुरिति विशेषः। ननु वैयाकरणमतरीत्या प्राक्तथोक्तमिति तद्विरोधोऽत आह—न चेति। उपसंहरति प्रपञ्चयिष्यते चेति। उपरिष्टादिति। एतेन। 'पण्डितराजोऽस्मिन्निबन्धे स्वतन्त्रालंकारिकतन्त्रसिद्धान्तप्रतिपादकं स्वतन्त्रं प्रकरणं रिरचयिषुरासीत्' इति प्रतीयते, परन्तु पाठकजनदुरदृष्टवशादुपलब्धेऽस्मिन्निबन्धे तत्प्रकरणं नायातम्। अर्थाधिकारानुरोधेन 'कर्तरि कृत्' 'लः कर्मणि च—' इत्युभयत्र 'कर्तरि' इति पदम् व्यापाराश्रयबोधकमेव, तथा च फलव्यापारौ धातोराश्रयश्च तिङोऽर्थ इत्येव फलितम्, एवञ्च 'लेपनादिकर्तृत्वं तमआदिषूत्प्रेक्ष्यते' इति प्रागुक्तं न सम्भवतीति चेत्? सत्यम्, किन्त्वेवमपि तिङर्थस्य कर्तुरभेदेन प्रथमान्तार्थे तमआदावुत्प्रेक्षा, 'देवदत्तः पचमानः' इत्यादाविव 'देवदत्तः पचति' इत्यादावपि तिङर्थस्याभेदेन प्रथमान्तार्थ एव विशेषणत्वस्यौचित्यात्, सामान्यविशेषयोरभेदान्वये बाधकाभावात्। तिङर्थस्याश्रयस्य वृत्तितात्मकभेदसम्बन्धेन धात्वर्थव्यापारेऽन्वय इति प्राचीनानां पन्थास्तु न शोभनः, 'देवदत्तः पचति', 'तमो लिम्पति' इत्यादौ प्रथमान्तार्थस्योद्देश्यत्वं तिङर्थस्य च विधेयत्वं यत्सर्वैः स्वारसिकं प्रतीयते तस्य भङ्गापत्तेः। 'प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्' इति व्युत्पत्तिगम्यपालनजन्यपापप्रणोदकप्रायश्चित्तप्रसङ्गापत्तेश्च। मन्मते तु धात्वर्थस्य तिङर्थं प्रति विशेषणत्वसिद्ध्या न तदापत्तिः। ननु 'भावप्रधानम्—' इति यास्कवचनविरोधः पुनरस्मिन् कल्पे समापततीति चेन्न, आख्यातपदस्य धातुपरत्वं स्वीकृत्य 'भावनार्थको धातुः' इति विवरणे विरोधाभावात्। प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक एव वाक्यार्थबोधो, न तु व्यापारमुख्यविशेष्यक इति सारांशः। आलङ्कारिकतन्त्रस्य स्वतन्त्रतया वैयाकरणमतविरोधो न दोषायेति भावः। पूर्वोक्तं प्रकृतानुसरणं विदधदाह—एवं चेति पूर्वमतेनाह—भेदेनेति। द्वितीयमतेनाह—अभेदेनेति। प्रथमान्तार्थे तमसि लेपनकर्तृत्वस्य आश्रयतासंसर्गेण आश्रयतानियामकसमवायसंसर्गेण वा भेदात्मकेन सम्भावनम् (उत्प्रेक्षणम्) इति प्रथममतसिद्धा रीतिः, प्रथमान्तार्थे तमसि लेपनकर्तुरभेदेन (तमोलेपनकर्तृ इव) इत्याकारकम् उत्प्रेक्षणम् इति द्वितीयमतसिद्धा रीतिरिति भावः। क्रमेणैव मतद्वयव्यवच्छेद्यमाह—न त्विति। तमःकर्तृकव्यापने निगीर्णे विषये

तमःकर्तृकलेपनस्य निगरणकर्तुर्विषयिणोऽभेदेनोत्प्रेक्षणमिति प्राचीनोक्तं नेति भावः। तत्र हेतुमाह—सर्वजनसिद्धाया इवार्थस्य विधेयताया इति। विषयनिष्ठोद्देश्यता-निरूपितम् इवार्थसम्भावनाविषयिणो लेपनादेः प्रतीयमानं यद् विधेयत्वं तस्य भङ्गापत्तेरित्यर्थः। विषयस्य तव मते विषयिवाचकेन निगीर्णत्वादिति भावः। ननु निगीर्णमेव विषयमादाय तदभङ्गोऽत आह—तम इति। विषयनिगरणस्थलेऽपि उद्देश्यविधेयभावस्वीकारे 'तमःकर्तृकं लेपनमिव' इति वाक्यादपि उद्देश्यविधेयभावप्रतीत्यात्मकोत्प्रेक्षाप्रतीत्यापत्तिरिति भावः। अनुवादपुरस्सरं दोषान्तरमाह—यदि चेति। विषयीति। विषयिणा तमःसम्बन्धिनेत्यर्थः। विषयेति। विषयस्य तमःसम्बन्धिन इत्यर्थः। इवेति। लेपनेत्यर्थः। रूपकेऽपीति। अनुक्तनिमित्तके रूपके इत्यर्थः। भवद्रीत्या तत्रापि निमित्तरूपविषयस्यानुपादानं अध्यवसानञ्चास्तीति भावः। तदेवाह—'लोकान्—' इति। उपसंहरति तस्मादिति। ये तमसि लेपनकर्तृत्वस्योत्प्रेक्षां मन्यन्ते, ते तमःकर्तृकव्यापनं तादृशोत्प्रेक्षाया निमित्तमङ्गीकुर्वन्ति। तच्च निमित्तं तदा स्याद्यदि उत्प्रेक्ष्यमाणलेपनकर्तृत्वसमानाधिकरणं सद् विषयवृत्ति भवेत्। परन्तु तमःकर्तृकव्यापनस्य तत्त्वं स्वतो न सम्भवति, लेपनकर्तृत्वस्य वस्तुतोऽधिकरणे लेपनकारके चेतने तस्यावृत्तितया प्रोक्तसामानाधिकरण्यविरहात्। लेपन-व्यापनयोर्मियोऽभेदे आरोप्यमाणे तत्सम्भवति, अतो विषयितया स्वीकृतेन लेपनेन विषयतया स्वीकृतस्य व्यापनस्य निगरणमावश्यकम्, अन्यथाऽभेदो न स्यात्, अभेदाभावे च निमित्तता तस्य न भवेत्, निमित्ताभावे उत्प्रेक्षापि न सिद्ध्येदित्यकामेन कामेन वा तैरपि लेपने व्यापनाध्यवसानं स्वीकार्यमेव। एवं स्थितौ यदि वयं (प्राचीनाः) उत्प्रेक्षाया विषयविषयिणोरेवाध्यवसानं स्वीकुर्महे तर्हि को नोपराधः ? इति शङ्काया इदं समाधानं—यदस्मदीयनिमित्ततासम्पादनयुक्तिमादाय भवन्तो न निजं दोषं मार्जयितुं प्रभवन्ति यतो वयं केवलं निमित्ततासम्पादनाय (उत्प्रेक्ष्यमाणधर्मसमानाधिकरणीभूतधर्मस्य विषयवृत्तितासम्पत्तये) लेपनेन व्यापनस्य निगीर्णत्वं मन्यामहे। भवन्तस्तु एतदध्यवसानमादायोत्प्रेक्षामेवानुपात्तविषयामध्यवसानमूलां चाचक्षते। यदि भवन्तो निमित्तस्यानुपात्तत्वेनाध्यवसानमूलकत्वेन च विषयस्यानुपात्तत्वमलङ्कारस्याध्यवसानमूलकत्वञ्चाभिप्रयन्ति तदा रूपकस्यापि अनुपात्तविषयत्वमध्यवसानमूलकत्वञ्च भवद्भिरङ्गीकरणीयं स्यात्, यतो 'लोकान् घ्नन्ति खलो विषम्' (खलरूपं विषं लोकान् मारयतीत्यर्थः) इत्यादौ निमित्तस्य खलगतदुःखदातृत्वस्य अनुपादानं विषगतहन्तृत्वात्मनाध्यवसानञ्चास्ति। न केवलमस्मिन्नेव रूपके एष दोषः; अपि तु 'मुखचन्द्रः' इत्यादिप्रसिद्धरूपकेऽपि, तत्रापि निमित्तस्य मुखगताह्लादकत्वस्यानुपादानात्, चन्द्रगताह्लादकत्वात्मनाऽध्यवसानाच्च। अतो निमित्तभागस्यानुपात्तत्वमध्यवसानमूलत्वञ्चादायोत्प्रेक्षायास्तत्त्वं नाङ्गीकर्तुं योग्यम्, यस्य रूपकादेस्तत्त्वं भवतामपि नाभिमतं तत्रापि भवद्रीत्या तत्प्रसङ्गात्। अतो निमित्तांशेऽतिशयोक्तिरेवालङ्कारो मन्तव्यः, तेन च निमित्तसम्पत्तौ मदुक्तरीत्योत्प्रेक्षा स्वीकार्या इति विशदोऽर्थः। हेतूत्प्रेक्षायामाह—एवमिति। तत्र तस्यामुत्प्रेक्षायाम्। सम्बन्धे शोभासम्बन्धे। लगनमेवेति। हर्षहेतुकं लगनमित्यर्थः। 'उन्मेषं य—' इत्यत्रापि पद्मलक्ष्मीरूपे विषये लगनहेतुतया हर्षस्योत्प्रेक्षा, तत्रोत्प्रेक्षायां हर्षहेतुकपादलगनं निमित्तम्, तच्च पूर्ववत्तावन्न निमित्तं भवितुमर्हति यावत्स्वाभाविके शोभालगनेऽध्यवसितं न स्यात्,

अतस्तदंशे पूर्ववदतिशयोक्तिरिति भावः। हेतूत्प्रेक्षाया एवोदाहरणान्तरमाह—तथेति। 'सैषा—' इति। लङ्कातः अयोध्यामागच्छन् रामभद्रः सीतां प्रत्याचष्टे—त्वाम्, विचिन्वता गवेषयता, मया, उर्व्यां पृथिव्याम्, भ्रष्टं पतितम्, त्वच्चरणारविन्दस्य त्वदीयपादकमलस्य, विश्लेषेण वियोगेन, यद्दुःखम्, तस्माद्धेतोरिव, बद्धमौनं स्वीकृतमूकत्वम्, एकम्, नूपुरं चरणाभरणविशेषः, यत्र, अदृश्यत दृष्टम्, सा, एषा, स्थली अकृत्रिमा भूमिरस्तीत्यर्थः। उपपादयति—अत्रापीति। मौनं द्विविधं निश्चलत्वहेतुकं दुःखहेतुकञ्च, तयोरभेदमाह—तत्रेति। निःशब्दत्वाध्यवसितमिति। निःशब्दत्वे तादात्म्येनाध्यवसितमित्यर्थः। तस्योभयनिष्ठत्वमाह—विश्लेषेति। 'सैषा स्थली—' इत्यत्रापि प्राग्वन्नूपुरे मौनकारणतया वियोगजन्यदुःखस्य समवायसम्बन्धेनोत्प्रेक्षा, तत्र चोत्प्रेक्षायां निश्चलत्वनिमित्तकमौनत्वे तादात्म्येनाध्यवसिततया विश्लेषदुःखसमानाधिकरणत्वविशिष्टनूपुरवृत्तित्ववद्दुःखनिमित्तकमौनं निमित्तं भवति। एवं च निमित्तांशेऽपि पूर्ववदतिशयोक्तिरिति भावः। ननु निश्चलत्वनिमित्तकनिःशब्दत्वात्मके विषये विश्लेषदुःखहेतुकमौनस्याभेदेनोत्प्रेक्षा कुतो नेति चेन्न, उत्प्रेक्षायां इवशब्दार्थान्वितस्योत्प्रेक्ष्यताया उत्सर्गसिद्धाया भङ्गापत्तेः। 'दुःखादिव' इत्युक्तौ इवशब्दार्थान्वितो दुःखपदार्थ एवेति तस्यैवोत्प्रेक्ष्यता समुचिता, परन्तु तथाङ्गीकारे सा न स्यादिति तात्पर्यम्। न च आकाङ्क्षादिना दुःखहेतुकमौनपदार्थ एवेवार्थान्वयोऽस्त्विति वक्तव्यम्, तथा सति पूर्वोक्तदोषाभावेऽप्यपरदोषापत्तेः। तथाहि उत्प्रेक्षास्थले नियमतः उद्देश्यविधेयभावो भवत्येव, तत्र विषय उद्देश्यम्, विषयी च विधेयो भवति। एवञ्चानयोरुद्देश्यविधेयभावाय पूर्वपश्चाद्भावेन निर्देश आवश्यकः, एकतरस्यापि अनिर्देशे व्युत्क्रमेण वा निर्देशे तत्त्वासम्भवात्। तव मते तु विषयभूतं निश्चलत्वहेतुकं मौनं निगीर्णं (अनिर्दिष्टम्) अतो निर्दिष्टस्यापि विषयिभूतस्य दुःखहेतुकमौनस्य विधेयत्वं न भवेत्। ननु निगीर्णमेव विषयमादाय कथञ्चित् उद्देश्यविधेयभावः स्यादिति चेत्? भवतु नाम, तथापि तादृशोत्प्रेक्षणं न युक्तम्, निमित्तानुपलब्धेः। न चैककालप्रभवत्वं निश्चलत्वहेतुकमौनदुःखहेतुकमौनयोः साधारणो धर्म इति तदेव निमित्तमिति वाच्यम्, अचमत्कारिणस्तस्य धर्मस्योपमायामिवोत्प्रेक्षायामप्यप्रयोजकत्वात्। फलोत्प्रेक्षास्थलेऽपि 'चोलस्य—' इत्यादौ अभेदातिरिक्तेन सम्बन्धेन फलस्यैवोत्प्रेक्षा, नाभेदेन फलसाधकविपाटनादेरित्यपि बोध्यम्। एतेन सर्वत्राभेदेनैवोत्प्रेक्षेति प्राचीनमतं वैकल्पिकरूपेण समर्थयन् अप्पयदीक्षितोऽपि निरस्त इति भावः।

अब उक्त प्राचीन मत पर विचार किया जाता है—तत्र इत्यादि। विचार यह है कि—सर्वत्र अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है यह जो प्राचीनों ने नियम-सा मान रक्खा है उसमें कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि लक्ष्यों-उदाहरणों-में भेदसम्बन्ध से भी उत्प्रेक्षा देखी जाती है, जैसे—'अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे—' इत्यादि में 'मोह' आदि की मुनि आदि में उत्प्रेक्षा समवायसम्बन्ध से। आप कहेंगे—प्राचीनों के मत में पहले ही कहा जा चुका है कि—वहाँ मुनियों से सम्बन्ध रखने वाले 'दर्शन' आदि में मोह की, अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा है, न कि 'मुनियों' में 'मोह' की। तो इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि—जब भेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा करने में कोई बाधक नहीं है तब ऐसी कल्पना व्यर्थ है। 'अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है' ऐसा कोई वेदबोधित नियम तो है

नहीं कि जिसके लिये ऐसा आग्रह किया जाय। आप कहेंगे–वेदबोधित नियम वैसा भले ही न हो, पर लक्षण तो अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा का बोध करता है—अर्थात् लक्षण ऐसा ही उत्प्रेक्षा का उपलब्ध होता है जिसमें अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा सिद्ध की गई है, फिर भेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा किस लक्षण के आधार पर मानी जायगी, तो इसका समाधान यह है कि–लक्षण कोई परायत्त वस्तु थोड़े ही है, वह तो पुरुषों के अधीन की ही चीज ठहरी–भेदसम्बन्ध से होने वाली उत्प्रेक्षा का भी लक्षण बनाया जा सकता है (जैसा ग्रन्थकार ने बनाया भी है)। यह तो हुई आपके प्रथम उदाहरण की बात। अब दूसरे उदाहरण 'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि' को लीजिए। यहाँ भी अन्धकार आदि विषयों में 'लेपनकर्तृत्व' आदि की ही 'आश्रयता' किंवा 'समवाय'सम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती है– यही मानना उचित है। आप कहेंगे—ऐसा नहीं हो सकता यह बात युक्तिपूर्वक प्राचीनमत में सिद्ध की जा चुकी है—अर्थात् अन्धकार आदि प्रथमान्त पदार्थ तिङर्थ-आश्रय-का विशेषण है-अप्रधान है, अतः उसमें 'कर्तृत्व' (व्यापार) की उत्प्रेक्षा नहीं हो सकती और उस तिङर्थ आश्रय की ही अभेदसंबन्ध से अन्धकार आदि में उत्प्रेक्षा मानें यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह आश्रय धात्वर्थ–व्यापार–का विशेषण है इत्यादि बातें प्राचीन मत में कही जा चुकी हैं। तो इसका उत्तर यह है कि—प्राचीनों ने जो तिङ का अर्थ आश्रय माना है वह गलत है, वस्तुतः अनुकूल व्यापाररूप कर्तृत्व ही तिङ् का अर्थ है और उसका अन्वय प्रथमान्त पदार्थ—जो वाक्यार्थबोध में सब से विशेष्य होता है—में आश्रयतासंबन्ध से होता है, अतः कोई दोष नहीं। तात्पर्य यह कि प्रथमान्तार्थ—अन्धकार आदि—सब से प्रधान ही है उसमें तिङर्थ 'कर्तृत्व-व्यापार' की उत्प्रेक्षा मानने में कोई अड़चन नहीं। आप कहेंगे—ऐसा मानने पर 'भावप्रधान-माख्यातम्' इस निरुक्त के वाक्य से विरोध होगा, क्योंकि उसका अर्थ है—'आख्यात अर्थात् तिङन्त में भाव अर्थात् व्यापार प्रधान होता है' और आप के हिसाब से प्रधान हो जाता है प्रथमान्त पदार्थ। तो इस विरोध के परिहारार्थ उक्त निरुक्त के वाक्य का अर्थ इस तरह कर लेना चाहिए कि आख्यात अर्थात् तिङ् (तिङन्त नहीं) प्रत्यय का प्रधान—अर्थात् 'वाच्य–'भाव' (अर्थात् व्यापार) होता है। इस अर्थ के अनुसार कोई विरोध नहीं। आप कहेंगे—'प्रधान' शब्द का अर्थ आपने 'वाच्य' किस आधार पर कर लिया ? तो इसके उत्तर में मेरा कहना यह है कि–जिस आधार पर उक्त 'निरुक्त-वाक्य' के अग्रिम वाक्य 'सत्त्वप्रधानानि नामानि = प्रातिपदिक के वाच्य सत्त्व (द्रव्य) होते हैं' में प्रधान पद का अर्थ वाच्य किया जाता है। तात्पर्य यह है कि इस द्वितीय वाक्य में प्रधान पद का अर्थ 'मुख्य' हो नहीं सकता, क्योंकि अनेक अर्थों के होने पर ही किसी एक अर्थ की मुख्यता कही जा सकती है और प्रातिपदिक का 'द्रव्य' से अन्य कोई अर्थ होता ही नहीं, अतः वहाँ प्रधान पद का अर्थ 'वाच्य' मानना ही पड़ता है, फिर यदि उस वाक्य के पूर्व वाक्य ('भावप्रधान—' में) प्रधान शब्द का 'वाच्य' अर्थ किया जाय तो यह कोई निराधार बात नहीं हुई। आप कहेंगे—यदि धातु का अर्थ केवल फल किया जाय, व्यापार नहीं, तब सकर्मक तथा अकर्मक धातुओं का विभाग कैसे किया जायगा ? तात्पर्य यह कि जब धातु के फल और व्यापार दोनों अर्थ माने जाते थे तब 'फल जिसमें रहता हो उससे भिन्न में रहनेवाले व्यापार का वाचक धातु सकर्मक और फल जिसमें रहता हो उसी में रहनेवाले व्यापार का वाचक धातु अकर्मक' इस तरह से विभाग होता था अब तो वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके हिसाब से किसी भी धातु का अर्थ व्यापार होता ही नहीं, किन्तु तिङ् प्रत्यय का अर्थ व्यापार होता है तो इसका समाधान यह कि—सकर्मक-अकर्मक धातुओं के विभाग के लिये 'फल और

व्यापार एक अंश के ही अर्थ हों' यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक है उन दोनों (फल तथा व्यापार) का एक में रहने और न रहने का, अतः उन दोनों को भिन्न-भिन्न अंश (धातु और तिङ्प्रत्यय) का अर्थ मानने पर भी उक्त विभाग हो जायगा। तात्पर्य यह कि—अब 'तिङ् प्रत्ययार्थ-व्यापार के अधिकरण से अन्य अधिकरण में रहनेवाले फल का वाचक धातु सकर्मक और तिङ्प्रत्ययार्थ व्यापार के अधिकरण में रहनेवाले फल का वाचक धातु अकर्मक' इस प्रकार से कहा जायगा। इस बात को स्पष्ट रूप में समझने के लिये यह समझिए कि—सकर्मक धातुओं के स्थल में 'फल' (कर्ता के व्यापार से सिद्ध होनेवाली वस्तु) कर्म में रहता है और व्यापार (फल को सिद्ध करनेवाली क्रिया) कर्ता में रहता है, जैसे—'सोहन चावल पकाता है' यहाँ 'पकाने (फूँकने) आदि' का फल (विक्लित्ति–चावल का फैलना) कर्म (चावल) में रहता है और 'पकाना (फूँकना) आदि क्रिया' कर्ता (सोहन) में रहती है और अकर्मक धातुओं के स्थल में वे दोनों (फल तथा व्यापार) कर्ता में ही रहते हैं, जैसे—'मोहन नहाता है' यहाँ 'व्यापार = गोता लगाना आदि' मोहन में रहती है और उस व्यापार का 'फल = सफाई आदि' भी उसी में रहता है। आप कहेंगे—यदि आपके कथनानुसार तिङ्प्रत्यय का अर्थ व्यापार और उसका 'आश्रयता' सम्बन्ध से 'प्रथमान्त पदार्थ' में अन्वय माना जाय तो 'भाव-अर्थात् व्यापार' अर्थ में जो कृत्-प्रत्यय–घञ् आदि होते हैं उनका भी अर्थ 'व्यापार' होता है, अतः उस व्यापार का भी 'आश्रयता' सम्बन्ध से अन्वय क्यों न हो जाय? अभिप्राय यह कि—'देवदत्तः पचति' की तरह उसी अर्थ में 'देवदत्तः पाकः' प्रयोग होने में क्या बाधा रही? तो इसका उत्तर यह है कि—'कृत्प्रयान्त शब्द प्रातिपदिक होते हैं—उनकी 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इस पाणिनि-सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और दो प्रातिपदिकार्थों का भेद-संबन्ध (अभेद से अतिरिक्त अन्य किसी संबन्ध) द्वारा अन्वय हो नहीं सकता यह नियम है, अतः कृत्प्रत्ययार्थ भाव (व्यापार) का प्रथमान्तार्थ के साथ 'आश्रयता' संबन्ध से अन्वय नहीं होता। अब शङ्का रही यह कि—'लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः' इस सूत्र से 'कर्ता' अर्थ में तिङ्प्रत्यय का विधान होता है और इस सूत्र में 'कर्तरि' पद 'कर्तरि कृत्' सूत्र से अनुवृत्त होता है। अब यदि 'लः कर्मणि—' में 'कर्तृ' शब्द का अर्थ 'कर्तृत्व' (व्यापार) किया जाय तो फिर 'कर्तरि कृत्' सूत्र में भी 'कर्तृ' शब्द का अर्थ वही करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही शब्द के दो सूत्रों में दो अर्थ तो किए नहीं जा सकते और तब कृत् प्रत्यय (ण्वुल् तृच् आदि) भी 'कर्ता' अर्थ में न होकर 'व्यापार' अर्थ में होने लगेंगे और वस्तुतः ऐसा होता नहीं अतः आपकी सारी भूमिका ही विनष्ट हो रही है। तो इसका उत्तर यह है कि-'कर्तरि कृत्' सूत्र में 'कर्तृ' शब्द का अर्थ 'कर्ता' (व्यापार का आश्रय) ही है, अतएव तो 'घञ्' आदि प्रत्ययों का 'व्यापार' अर्थ समझाने के लिए 'भावे' सूत्र बनाना व्यर्थ नहीं होता, यदि 'कर्तरि कृत्' सूत्र में 'कर्तृ' शब्द का अर्थ केवल व्यापार माना जाय तब तो उस सामान्य सूत्र के बल से ही अन्य कृत्प्रत्ययों के साथ-साथ 'घञ् आदि' प्रत्ययों का भी विधान भाव = व्यापार अर्थ में हो ही जाता, फिर 'भावे' सूत्र की सृष्टि ही निरर्थक हो जायगी। फलतः 'भावे' सूत्र की सार्थकता के लिये 'कर्तरि कृत्' सूत्र में 'कर्तरि' शब्द का अर्थ व्यापाराश्रय (कर्ता) माना जायगा, पर 'लः कर्मणि—' इस सूत्र में 'कर्तरि' पद का अर्थ 'कर्तृत्व = व्यापार' मानने में भी कोई उस तरह की अनुपपत्ति नहीं होती, अतः वहाँ वही अर्थ माना जायगा। बस, मेरी भूमिका ठीक रह गई। आप कहेंगे—एक ही शब्द का अर्थ दो सूत्रों में दो तरह का कैसे किया जा सकता है–अर्थात् एक ही 'कर्तरि' पद का अर्थ जो आपने 'कर्तरि कृत्' में कर्ता और 'लः कर्मणि च' में व्यापार कर लिया है यह तो उचित नहीं, तो इसका

उत्तर यह है कि व्याकरणशास्त्र में अनुवृत्ति के विषय में दो पक्ष माने गये हैं—एक शब्दानुवृत्तिपक्ष और दूसरा अर्थानुवृत्तिपक्ष, उनमें से द्वितीय पक्ष का आश्रयण करने पर आपकी कही हुई अनुपपत्ति हो सकती है-अर्थात् अर्थानुवृत्तिपक्ष के अनुसार एक शब्द के दो अर्थ नहीं हो सकते यह बात सही है, पर प्रथम पक्ष में उक्त दोष नहीं आता-अर्थात् उस पक्ष के अनुसार अन्यार्थक शब्द का भी अन्यत्र अनुवृत होने पर दूसरा अर्थ किया जा सकता है। फलतः 'कर्तरि कृत्' में धर्मी—व्यापाराश्रय—परक 'कर्तरि' पद को 'लः कर्मणि-' इस सूत्र में धर्म-व्यापार-परक मानने में कोई बाधा नहीं। यदि आप कहें कि-शब्दानुवृत्तिपक्ष में बड़ा गौरव है-अर्थात् शब्द को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पुनः उस शब्द से अर्थबोध करने में अर्थबोध के कारणों—आकांक्षा, ज्ञान आदि को दुबारा जुटाना पड़ता है और अर्थानुवृत्तिपक्ष में यह गौरव नहीं है, क्योंकि अर्थ को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं पुनः अर्थबोध आदि का कोई बखेड़ा ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में अर्थानुवृत्ति ही की जायगी-अर्थात् 'कर्तरि कृत्' में 'कर्तरि' पद का जो अर्थ है व्यापाराश्रय, वही 'लः कर्मणि च-' में भी अनुवृत्ति होने पर होगा, होगा क्या, वह अर्थ उठकर जायगा शब्द नहीं, और जब 'लः कर्मणि-' से व्यापाराश्रय अर्थ में तिङ् का विधान होगा तब आपकी कही हुई सभी बातें समाप्त हो जायँगी, तो मैं कहूँगा कि—रहे आपकी ही बात—अर्थात् आपके कथनानुसार ही मैं भी मान लेता हूँ कि फल तथा व्यापार दोनों ही धातु के अर्थ हैं और तिङ् प्रत्यय का अर्थ आश्रय ही है, पर उस तिङर्थ का अन्वय अभेदसंबन्ध से प्रथमान्त पदार्थ में ही होगा—अर्थात् 'पचमानो देवदत्तः—पकाता हुआ देवदत्त' यहाँ जैसे 'शानच्' प्रत्ययार्थ आश्रय का अभेदेन देवदत्त में अन्वय होता है उसी तरह 'देवदत्तः पचति=देवदत्त पकाता है' यहाँ भी तिङर्थ आश्रय अभेदसंबन्ध से देवदत्त का ही विशेषण हो यही उचित है। (सामान्यविशेषयोरभेदान्वयः=सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ का अभेदान्वय होता है, जैसे 'नीला घड़ा' यहाँ नील है सामान्य और घड़ा है विशेष, उसी तरह तिङर्थ आश्रय है सामान्य और प्रथमान्त पदार्थ देवदत्त आदि हैं विशेष, अतः उन दोनों में अभेदान्वय हो सकता है।) वैयाकरणों के अनुसार आपने जो तिङर्थ आश्रय का भेदसंबन्ध (वृत्तित्व) से धात्वर्थ (व्यापार) में विशेषण होना लिखा है वह कथमपि उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो, सब लोगों को जो ऐसे वाक्यों में प्रथमान्त पदार्थ कर्ता की उद्देश्यता और तिङर्थ की विधेयता प्रतीत होती है उसका भङ्ग होता है-अर्थात् आपके हिसाब से तिङर्थ उद्देश्य और धात्वर्थ (व्यापार) विधेय हो जाता है जो अनुभवविरुद्ध है। दूसरे 'प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्—अर्थात् प्रकृति और प्रत्यय साथ-साथ अर्थ को कहते हैं पर उनमें प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है' इस व्युत्पत्ति से जो यह फलित होता है कि—'प्रकृति का अर्थ प्रत्यय के अर्थ का विशेषण होता है' वह यद्यपि एक उत्सर्ग (सामान्य नियम) है, तथापि गति रहने पर उसका पालन करना ही उचित है और वैयाकरणानुयायी प्राचीनों के मत में इसका पालन नहीं होता, क्योंकि वे प्रत्यय तिङ् के अर्थ (आश्रय) को ही प्रकृति (धातु) के अर्थ व्यापार का विशेषण बनाते हैं। अब रहा 'भावप्रधान—' इस पूर्वोक्त निरुक्तवाक्य से विरोध। उसका भी समाधान 'आख्यात' पद का अर्थ धातु कर लेने से हो जाता है। तात्पर्य यह कि-पूर्व मत में 'आख्यात' पद का अर्थ तिङ् किया गया था और अब उसका अर्थ 'धातु' करेंगे तदनुसार अब उस वाक्य का अर्थ होगा 'आख्यात—अर्थात् धातु का वाच्य भाव व्यापार है' इस अर्थ में कहीं कोई दोष नहीं। आप कहेंगे—ऐसा

मानने से वैयाकरणों के मत का विरोध होगा—यह भी तो एक दोष ही है। तो मैं कहता हूँ—यह कोई दोष नहीं। आलङ्कारिकों का अपना एक स्वतन्त्र सिद्धान्त है, वे वैयाकरणों के मत का अनुसरण करते चलें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को हम आगे और विस्तृत करेंगे, अतः अब प्रस्तुत विषय का अनुसरण करते हैं। (यहाँ यह समझना चाहिये कि प्रायः पण्डितराज आलङ्कारिकों के स्वतन्त्र सिद्धान्त के प्रसङ्ग पर एक स्वतन्त्र प्रकरण लिखना चाहते थे पर दुर्योगवश ग्रन्थ अपूर्ण रह गया और उपलब्ध भाग में वह प्रकरण नहीं आ सका।) इस तरह यह सिद्ध हुआ कि-'लिम्पतीव—' इत्यादि तिङन्तपदयुक्त वाक्यगत उत्प्रेक्षा में भेदसम्बन्ध से अथवा अभेदसम्बन्ध से तिङ्प्रत्यय के अर्थ की ही उत्प्रेक्षा प्रथमान्तपदार्थ में होती है। 'भेदसम्बन्ध से अथवा अभेदसम्बन्ध से' इस कथन का अभिप्राय यह है कि यदि 'तिङ्प्रत्यय का अर्थ व्यापार है' यह प्रथम पक्ष माना जाय तब उस तिङर्थ की प्रथमान्तार्थ में भेदसम्बन्ध (आश्रयता किंवा आश्रयतानियामक समवाय) से उत्प्रेक्षा और यदि 'यद्वा' वाला 'तिङ् का अर्थ आश्रय है' यह द्वितीय पक्ष माना जाय तब उस तिङर्थ की प्रथमान्तार्थ में अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा। सारांश यह कि धात्वर्थ–लिप्धातु के अर्थ लेपनात्मक व्यापार की उस लेपन द्वारा निगीर्ण व्यापनात्मक व्यापार में उत्प्रेक्षा है इस बात को सिद्ध करनेवाला आपका (प्राचीनों का) पक्ष ठीक नहीं है। कारण, एक तो, 'इव' के अर्थ (संभावना) की (वस्तुतः संभावना के विषयी लेपन आदि क्रिया की) विधेयता, जो कि सर्वजनवेद्य है, उस पक्ष में नहीं बन पाती, क्योंकि–उद्देश-विधेय-भाव के लिये उद्देश्य और विधेय का भिन्न-भिन्न पदों से प्रतिपादित होना अनिवार्य है। दूसरे, यदि आपके कथनानुसार लेपन में अध्यवसित व्यापन को विषय मानकर उसमें लेपनरूप विषयी की उत्प्रेक्षा मानी जाय तब 'अन्धकार जिसका कर्ता हो तादृश लेपनं जैसा' इस वाक्य से—जिसमें उद्देश्यबोधक कोई पद नहीं—उत्प्रेक्षा की प्रतीति होने लगेगी, क्योंकि वैसा अध्यवसान तो यहाँ भी माना जा सकता है। अब यदि प्राचीनों के मत का समर्थन करनेवाले यह कहें कि जो लोग 'भेद-संबन्ध से अन्धकार आदि में लेपनकर्तृत्व की उत्प्रेक्षा' मानते हैं वे भी उस तरह की उत्प्रेक्षा का निमित्त 'अन्धकारकर्तृक व्यापन' को ही मानते हैं और तादृश 'व्यापन' तब तक निमित्त हो नहीं सकता जब तक अन्धकारसम्बन्धी लेपन को विषयी मानकर उसमें अन्धकारसम्बन्धी व्यापन को विषय मान कर उसका ताद्रूप्यारोप न कर दें–अर्थात् लेपन से व्यापन को निगीर्ण नहीं मान लें, क्योंकि ऐसी (भेदसम्बन्धमूलक) उत्प्रेक्षाओं में वह धर्म निमित्त होता है जो उत्प्रेक्षित होने वाले धर्म के साथ रह कर विषय में भी रहे और उक्त 'अन्धकारकर्तृक व्यापन' स्वतः (जब तक 'अन्धकारकर्तृक' लेपन के साथ उसका आरोपित अभेद नहीं मान लिया जाता तब तक) ऐसा है नहीं। कारण 'लेपनकर्तृत्व' वस्तुतः रहता है पोतने वाले किसी मनुष्य में, न कि अन्धकार में, अतः 'व्यापन' लेपन के साथ रहने वाला ही नहीं होता। हाँ, जब 'लेपन' तथा 'व्यापन' में अभेद मान लिया जायगा–'लेपन' शब्द से ही 'व्यापन' की सूचना समझ ली जायगी तब 'व्यापन' उक्त उत्प्रेक्षा का निमित्त होगा। फलतः निमित्त बनाने के लिये आप को भी (नवीनों को भी) लेपन में व्यापन का अध्यवसान मानना पड़ता ही है। ऐसी स्थिति में यदि हम (प्राचीनों) ने उन परस्पराध्यवसान वाले लेपन-व्यापन को निमित्त न मानकर उत्प्रेक्षा का विषयी-विषय ही मान लिया तो क्या अनुचित किया? तात्पर्य यह कि-आप लेपन और व्यापन को अध्यवसान का विषयी तथा विषय मानकर उनको उत्प्रेक्षा का निमित्त बनाते हैं और हम उन्हीं

लेपन तथा व्यापन को उत्प्रेक्षा का भी विषयी और विषय भी मान लेते हैं, कोई गौरव-लाघव तो दोनों के मतों में होता नहीं, तो इसके उत्तर में नवीनों का कथन है कि-प्राचीन हमारी दी हुई निमित्तता-साधक युक्ति को लेकर, अपने पक्ष को निर्दुष्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हम केवल निमित्त बनाने के लिये (अर्थात् धर्म के साधारणीकरण के लिये) 'लेपन' से 'व्यापन' को निगीर्ण मानते हैं, उसके चलते 'उत्प्रेक्षा' में किसी तरह की नवीनता नहीं मानते, पर आप तो इस निगरण के कारण उत्प्रेक्षा को अनुपात्तविषया और अध्यवसानमूला कह रहे हैं यदि आप के विचार से निमित्त के अनुपात्त और अध्यवसानमूलक होने मात्र से विषय का अनुपात्त होना और अलङ्कार का अध्यवसानमूलक होना माना जाय तो रूपक को भी अनुपात्तविषय तथा अध्यवसानमूलक मानिए। कारण, 'लोकान् हन्ति खलो विषम्-अर्थात् खलरूप विष लोगों मारता है' इत्यादि रूपक में भी 'खल का दुःख देना' रूप निमित्त अनुपात्त है और 'विषकर्तृक हनन'रूप से उस निमित्त का अध्यवसान भी है। यही नहीं, किन्तु 'मुखचन्द्र' आदि प्रसिद्ध रूपकों में भी वैसी ही स्थिति है—अर्थात् 'आह्लादकत्व'-रूप निमित्त अनुपात्त है और निमित्तरूप से अभिमत मुखगत 'आह्लादकत्व' चन्द्रगत 'आह्लादकत्व' रूप से अध्यवसित है, अन्यथा साधारणता के अभाव में वह निमित्त ही नहीं हो सकता। अतः उन प्रसिद्ध रूपकों को भी अनुपात्तविषय तथा अध्यवसान-मूलक मानना पड़ेगा, जो आपको भी इष्ट नहीं, किसी का अभिमत नहीं। अतः यह मानना चाहिए कि 'लिम्पतीव—' इत्यादि में निमित्त अंश में अध्यवसान हुआ है अतः उस अंश में अतिशयोक्ति अलंकार है और उस अतिशयोक्ति द्वारा निमित्त तैयार होने पर तन्निमित्तक अन्धकार में लेपनकर्तृत्व की भेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती है। यह तो हुई धर्मोत्प्रेक्षा की बात। अब हेतूत्प्रेक्षा को लीजिए। 'उन्मेषं यो मम न सहते—' इस हेतूत्प्रेक्षोदाहरण में भी 'पद्मलक्ष्मी (कमलशोभा)' ही उत्प्रेक्षा का विषय है और उसमें 'चिपटने के हेतु' रूप से 'हर्ष'रूप विषयी की उत्प्रेक्षा होती है। इस उत्प्रेक्षा में निमित्त है 'पैरों के साथ शोभा के स्वाभाविक संबन्ध (चिपटने)' से अध्यवसित 'हर्ष के कारण चिपटना'। हेतूत्प्रेक्षा का एक और प्रसिद्ध उदाहरण देखिए—'सैषा स्थली—' लंका से लौटते हुए रामचन्द्रजी सीता से कह रहे हैं—यह वही अकृत्रिम भूमि है, जहाँ तुझे ढूँढ़ते हुए मैंने, पृथिवी पर गिरा हुआ तेरा एक नूपुर देखा था, जो मानो तेरे चरण-कमल के वियोग के दुःख से मौन साधे हुए था—एकदम चुप हो रहा था। यहाँ भी मौन के हेतुरूप से नूपर में वियोग-जन्य दुःख की उत्प्रेक्षा की जा रही है। तात्पर्य यह कि—यहाँ उत्प्रेक्षा का विषय है 'नूपुर' और विषयी है 'वियोगजन्य दुःख'। इस उत्प्रेक्षा में निमित्त है 'निश्चलता के कारण शब्दरहित होने' में तादात्म्येन अध्यवसित 'मौन'। अभिप्राय यह कि 'दुःखहेतुक मौन'—जो यहाँ उक्त है—वही निमित्त है, पर निमित्त बनाने के लिए उसका निश्चलताहेतुक मौन में तादात्म्यारोप किया गया है। कारण, इस तरह एकरूप माना हुआ मौन ही वियोगजन्य दुःख के साथ रहते हुए नूपुर में रहनेवाला होता है। इस तरह यह उत्प्रेक्षा भी भेदसंबन्ध से ही होती है। प्राचीनों ने जो यहाँ निश्चलता के कारण होनेवाले शब्दराहित्यरूप विषय में वियोगजन्य दुःख के कारण होनेवाले 'मौन' की अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा सिद्ध की है वह कथमपि उचित नहीं, क्योंकि एक तो, उत्प्रेक्षा में 'इव' शब्द का अन्वय जिसके साथ हो उसी की उत्प्रेक्षा होती है यह एक नियमसिद्ध बात है और यहाँ 'इव' शब्द का अन्वय 'दुःख' के साथ ही है। दूसरे, जब विषय (आपके हिसाब से निश्चलता के कारण होने-वाली निःशब्दता) को निगीर्ण मानते हैं तब विषयी (आपके हिसाब से वियोगजन्य

दुःख के कारण होनेवाला मौन) विधेय नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होना अनुभव-विरुद्ध है। तीसरे, ऐसी स्थिति में अन्य किसी निमित्त को ढूँढ़ना पड़ेगा। यद्यपि यहाँ एक धर्म ऐसा है जो प्राचीनमतसिद्ध उत्प्रेक्षा के विषय तथा विषयी दोनों में रहनेवाला है और वह है 'एक काल में उत्पन्न होना' (यह धर्म निश्चलताहेतुक मौन और वियोग-दुःखहेतुक मौन दोनों में है—अर्थात् वे दोनों ही 'मौन' एक काल में उत्पन्न हुए हैं) अतः इसी धर्म को उक्त अभेदेन उत्प्रेक्षा का निमित्त मान लिया जाय ऐसा कहा जा सकता है, तथापि ऐसा कहना संगत नहीं होगा, क्योंकि जैसे उपमास्थल में उसी साधारणधर्म को उपमाप्रयोजक (साधक) माना जाता है जो चमत्कारी हो उसी तरह उत्प्रेक्षास्थल में भी उसी साधारणधर्म को उत्प्रेक्षा-साधक माना जाना चाहिए जो चमत्कारी हो और उक्त साधारणधर्म चमत्कारी है नहीं, अतः वह उत्प्रेक्षा का निमित्त नहीं हो सकता। इसी तरह फलोत्प्रेक्षा में भी समझिए-अर्थात् वहाँ भेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है, अभेदसंबन्ध से नहीं। इस आलोचना से, द्रविडश्रेष्ठ (अप्पयदीक्षित) ने जो प्राचीनों के मत का अनुसरण करते हुए 'अथवा हेतूत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और धर्मोत्प्रेक्षा के उदाहरणों में भी अभेदसंबन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है' यह कहा है, वह भी परास्त हो जाता है।

पूर्वसूचितमर्वाचां मतमुत्थापयति—

अलङ्कारसर्वस्वकृता तावदुत्प्रेक्षाया लक्षणमित्थं निगदितम्—'विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तिर्विषयिणोऽध्यवसायः। स च द्विविधः—सिद्धः, साध्यश्च। तत्र साध्यत्वप्रतिपत्तौ व्यापारप्राधान्ये उत्प्रेक्षा इति।' अस्यार्थः-सिद्धत्वं निगीर्णविषयत्वम्। साध्यत्वं च निगीर्यमाणविषयत्वम्। यत्र हि सिद्धत्वं तत्राध्यवसितप्राधान्यम्—यथाऽतिशयोक्त्यादौ। यत्र साध्यत्वं तत्र व्यापारस्याध्यवसानक्रियायाः प्राधान्ये उत्प्रेक्षा इति। एवमभेदगर्भमुत्प्रेक्षालक्षणं विधाय—"-'सैषा स्थली यत्र' इत्यत्र नूपुरगतस्य मौनित्वस्य हेतुत्वेन दुःखं गुण उत्प्रेक्ष्यते। तत्र मौनित्वमेव नूपुरगतनिःशब्दत्वाभेदेनाध्यवसितं निमित्तम्।" इत्युक्तम्। एवं 'यत्र धर्म एव धर्मिगतत्वे' इत्यादिना धर्मोत्प्रेक्षाप्रसङ्गे "-'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि' इत्यत्र लेपनक्रियाकर्तृत्वोत्प्रेक्षणे व्यापनादि निमित्तम्।" इत्युक्तम्।

तत्रेति। तयोर्मध्य इत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। व्यापारप्राधान्ये इति। अध्यवसानक्रियाप्रधानतायामित्यर्थः। सर्वस्वकारोक्तस्यार्थं ग्रन्थकार आह—अस्यार्थ इति। निगीर्णविषयत्वमिति। निगीर्णो विषयो यत्र तद्भाव इत्यर्थः। निगीर्यमाणविषयत्वमिति। निगीर्यमाणो, न तु निगीर्णः, विषयो यत्र तद्भाव इत्यर्थः। अध्यवसितप्राधान्यमिति। विषयिणः प्राधान्यमित्यर्थः। अभेदगर्भमिति। द्वयोरनयोरलङ्कारयोर्भेदेऽपि अध्यवसानम् उभयत्र परिगृहीतम्। अध्यवसानपदार्थगर्भे चाभेदप्रतिपत्तिरनुप्रविष्टा, 'विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तिर्विषयिणोऽध्यवसायः' इति प्रागुक्तत्वात्, अत एवोत्प्रेक्षालक्षणमभेदगर्भमिति भावः। नूपुरगतस्य मौनित्वस्य हेतुत्वेनेति। नूपुरवृत्तिमौनहेतुत्वेनेत्यर्थः। तत्र दुःखगुणोत्प्रेक्षायाम्। मौनित्वमेवेति। दुःखहेतुकमौनित्वमित्यर्थः। निःशब्दत्वेति। निश्चलत्वहेतुकनिःशब्दत्वेत्यर्थः। लेपनक्रियेति। अन्धकारादावित्यादिः। व्यापनादीति। अन्धकारकर्तृकव्यापनादीत्यर्थः। अन्यत् स्पष्टम्।

अब आधुनिकों का मत उपस्थित किया जाता है—अलङ्कारसर्वस्वकृता इत्यादि। अलङ्कारसर्वस्वकार ने, प्रथमतः, उत्प्रेक्षा का लक्षण इस प्रकार बनाया है—'विषयी द्वारा विषय का निगरण हो जाने (अन्तःप्रविष्ट कर लेने) के कारण जो विषयी का विषय के साथ अभेद (अभिन्नता=एकरूपता) ज्ञात होता है उसीको अध्यवसाय (एक प्रकार का विषयी का विषय में आरोप) कहा जाता है। वह अध्यवसाय (अध्यवसान) दो प्रकार का है—एक सिद्ध और दूसरा साध्य। उन दोनों में से जहाँ अध्यवसान की साध्यता प्रतीत होती हो—वह सिद्ध नहीं हुआ हो, किन्तु सिद्ध हो रहा प्रतीत होता हो—और व्यापार (अध्यवसान क्रिया) की प्रधानता हो वहाँ उत्प्रेक्षा होती है।' इसका अर्थ यह हुआ कि—विषय के निगरण हो चुकने (विषयी-द्वारा विषय के कुक्षिस्थ कर चुकने) का नाम अध्यवसान का सिद्ध हो जाना है—अर्थात् जहाँ विषयवाचक शब्द पृथक् उक्त न हो वहाँ अध्यवसान 'सिद्ध हुआ' समझा जाता है। और विषय के निगरण होते रहने का नाम अध्यवसान का 'साध्य होना' है—अर्थात् जहाँ, विषयवाचक शब्द पृथक् उक्त तो हो पर उस (विषय) की स्थिति सुदृढ़ न हो, किन्तु विषयी में विलीन होती-सी हो वहाँ अध्यवसान 'साध्य' समझा जाता है। इन दोनों में से जहाँ अध्यवसान 'सिद्ध' रहता है वहाँ अध्यवसित—अर्थात् विषय को कुक्षिस्थ कर चुके विषयी—की प्रधानता होती है, जैसे-'अतिशयोक्ति' आदि में। और जहाँ अध्यवसान सिद्ध नहीं, साध्य हो—अर्थात् सिद्ध हो ही रहा हो वहाँ विषय को कुक्षिस्थ करने की क्रिया की प्रधानता होती है—अर्थात् वहाँ विषयवाचक पद के पृथक् उक्त रहने पर भी विषय विषयी में प्रविष्ट होता दिखाई पड़ता है, ऐसी जगह उत्प्रेक्षा होती है। इस तरह, जिसके अन्दर अभेद आया हुआ है (अध्यवसान पदार्थ के पेट में अभेद का निवेश है और अध्यवसान पदार्थ उत्प्रेक्षा के लक्षण में प्रविष्ट है) ऐसा उत्प्रेक्षा का लक्षण बनाकर—अर्थात् उत्प्रेक्षा केवल अभेदसम्बन्ध से ही होती है, यह मानकर, पीछे से, कहा है कि—'सैषा स्थली यत्र—' इस पूर्वोक्त पद्य में, नूपुर में रहने वाले मौन (निःशब्दत्व) के कारण-रूप में दुःखरूप गुण की उत्प्रेक्षा की जाती है। इस उत्प्रेक्षा में निमित्त है वह 'मौनीपन' जिसमें निश्चलता के कारण नूपुर में रहनेवाली निःशब्दता के अभेद का अध्यवसान है। इसी तरह 'जहाँ धर्म ही धर्मी में रहने वाले के रूप में—' इत्यादि से आरम्भ करके 'धर्मोत्प्रेक्षा' के प्रसङ्ग में कहा है कि—'लिम्पतीव—' इस पद्य में लेपनक्रिया के कर्तृत्व की उत्प्रेक्षा है और उसमें 'व्यापन-व्याप्त होना' आदि निमित्त है।

उक्तमलङ्कारसर्वस्वकारमतमालोचयति—

तदेतत्सर्वं परस्परविरुद्धम्। नहि दुःखगुणोत्प्रेक्षायामभेदगर्भोऽध्यवसायोऽस्ति। मौनांशे सन्नप्यध्यवसायः सिद्धत्वादतिशयोक्तेरेव विषयो भवितुमर्हति, नोत्प्रेक्षायाः। त्वन्मते मौनस्य निमित्तत्वेनानुत्प्रेक्ष्यत्वाच्च। एवं 'लिम्पतीव' इत्यत्र लेपनाध्यवसायोऽपि। तस्यापि व्यापनरूपतया स्थितस्य त्वया कर्तृत्वोत्प्रेक्षानिमित्तत्वेनोक्तत्वाच्च। 'व्यापनादौ तूत्प्रेक्षाविषये निमित्तमन्यदन्वेष्यं स्यात्' इति त्वयैव बाधकोपन्यासात्। निमित्तांशाध्यवसानं तूपमादावपि स्थितम्। किञ्च, 'नूनं मुखं चन्द्रः' इत्यादौ कुत्राध्यवसायः, विषयस्य जागरूकत्वात्। न च सिद्धेऽध्यवसाये विषयस्य जठरवर्तित्वम्, साध्ये तु निगीर्यमाणत्वात्पृथगुपलब्धिरिति वाच्यम्, साध्याध्यवसाये मानाभावात्। अन्यथा रूपकादेरप्यध्यवसायगर्भत्वापत्तेः। किञ्च, अध्यवसानं लक्षणाभेदः। न चात्र

विधेयांशे लक्षणास्ति। अभेदादिसंसर्गैराहार्यबोधस्यैव स्वीकारात्। तस्मा-त्प्राचीनानामाधुनिकानां चोक्तयो न क्षोदक्षमाः।

तदेतदिति। पूर्वोक्तमलङ्कारसर्वस्वकारमतमित्यर्थः। परस्परविरुद्धत्वमेव स्फुटयति—नहीत्यादिना। 'सैषा स्थली—' इत्यत्रत्यं सर्वस्वकारकृतं विचारं परीक्ष्य सम्प्रति 'लिम्पतीव—' इत्यत्रत्यं तद्विचारं परीक्षते—एवम् इत्यादि। लेपनाध्यवसायोऽपीति। अत्र सिद्धत्वा-दित्याद्यर्हतीत्यन्तानुषङ्गः। प्राग्वदाह—तस्यापीति। ननु मया तथोक्तमपि नेदं खण्डित-मित्युपलक्षणत्वेनोह्यमत आह—व्यापनादाविति। इदमन्यत्रापि दृष्टमित्याह—निमित्तां-शेति। परस्परविरोधमुपपाद्य तदुक्तायामुत्प्रेक्षायामध्यवसानस्थितिमेव निरस्यति—किञ्चेति। अन्यथेति। पृथग्विषयवाचकपदोपलब्धावपि अध्यवसानस्वीकारे इत्यर्थः। पुनस्तामेव युक्त्यन्तरेण खण्डयति—किञ्चेति। लक्षणाभेद इति। सारोपा साध्यवसाना चेति भेद-करणादिति भावः। अत्र उत्प्रेक्षायाम्। उपसंहरति—तस्मादिति। क्षोदक्षमा इति। विचारसहा इति भावः। सर्वस्वकृता स्वकीयोत्प्रेक्षालक्षणेऽभेदगर्भोऽध्यवसायो निवेशितः, उदाहरणत्वेन च 'सैषा स्थली—' इति पद्यमुक्त्वा 'नूपुरे दुःखगुणोत्प्रेक्षाऽत्र' इति व्याख्या-तम्। तच्च परस्परविरोधि वचः, सैषा स्थलीत्यत्रस्योत्प्रेक्षाविषयविषयिणोर्नूपुरदुःखगुणयो-रभेदगर्भाध्यवसायाभावात्। यद्यपि मौनांशेऽभेदगर्भोऽध्यवसायो वर्तते, 'मौनित्वमेव नूपुरगतनिःशब्दत्वाभेदेनाध्यवसितं निमित्तम्' इति स्वीकारात्, तथापि निमित्तांशे सः, नोत्प्रेक्ष्यांशे, निमित्तांशगताध्यवसायमादाय च न तदुक्तलक्षणसङ्गतिः। किञ्च निमित्तांशे वर्तमानोऽप्यध्यवसायः तदुक्तपरिभाषानुसारं सिद्ध एव न साध्य इति सोऽतिशयोक्ते-र्विषयः स्यात्, नोत्प्रेक्षायाः, साध्याध्यवसायस्यैवोत्प्रेक्षाकुक्षौ तेन प्रवेशितत्वात्। एवं 'लिम्पतीव—' इत्यस्योत्प्रेक्षोदाहरणत्वमपि तदुक्तं स्वोक्तिविरुद्धम्, तत्रापि विषयविष-यिणोस्तमोलेपनकर्तृत्वयोरभेदाध्यवसायविरहात्। निमित्तभूतव्यापने सन्नपि लेपनाध्यव-सायः पूर्ववत् सिद्धत्वादतिशयोक्तेर्विषयो, नोत्प्रेक्षायाः, तत्र निमित्ततां स्वीकुर्वता तेनोत्प्रे-क्ष्यता स्वीकृतापि नेति किं तत्राध्यवसायेन स्थितेनापि फलम्? तत्र निमित्ततां स्वीकुर्व-ताऽपि मयोत्प्रेक्ष्यता न खण्डिता, एवञ्च तदंश एवोत्प्रेक्ष्यताऽपि ममाभिमतेति तु वक्तुम-शक्यम्, 'व्यापनादौ उत्प्रेक्षाविषयतया स्वीक्रियमाणे निमित्तान्तरं गवेषणीयं स्यात्' इति वदता त्वया तदंशे उत्प्रेक्ष्यताया बाधकस्य स्वयमुपन्यासात्। निमित्तांशगताध्यवसान-मादायालङ्कारस्याध्यवसानमूलकत्वाङ्गीकारे उपमादेरपि तदङ्गीकरणीयं स्यात्, तत्रापि निमित्तांशेऽध्यवसानस्य सत्त्वात्, 'मुखं चन्द्र इवाह्लादयति' इत्यादौ चन्द्रगतस्य मुख-गतस्य चाह्लादकत्वस्य मिथो भिन्नत्वेपि अभेदाध्यवसायोत्तरमेव निमित्तत्वसम्भवात्। ननु धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षास्थलेऽभेदगर्भाध्यवसायः स्पष्ट इति चेन्न, 'नूनं मुखं चन्द्रः' इत्यादौ विषयस्य मुखादेरुल्लेखेऽध्यवसायगन्धस्यापि स्वीकर्तुमशक्यत्वात्। सिद्धेऽध्यवसाये विष-यिजठरनिलीनतया विषयस्योल्लेखाभावेऽपि साध्येऽध्यवसाये निगीर्यमाणतादशापन्नस्य विषयस्य पृथगुल्लेखो नासङ्गत इत्यपि न, साध्याध्यवसानसत्त्वे प्रमाणविरहात्। विषयस्य पृथगुपलब्धावपि साध्याध्यवसायस्वीकारे रूपकाद्यलङ्कारस्यापि अध्यवसानगर्भतापत्तेः। किञ्चाध्यवसानं लक्षणाप्रभेदान्नातिरिच्यते लक्षणा च 'मुखं चन्द्रो नूनम्' इत्यादौ चन्द्र-

रूपविषेयांशे नाङ्गीकर्तुं योग्या 'न विधौ परः शब्दार्थः' इत्यभियुक्तोक्त्या विधेयांशे तस्या असम्भवात्। कथं तर्हि तत्रान्वयबोध इति चेत्? अभेदादिसम्बन्धैराहार्यबोध इति बोध्यम्। इत्थञ्च प्राचामर्वाचां च कथनानि विचारनिकषपरीक्षायामसङ्गतान्येव सम्पद्यन्त इति भावः।

अर्वाचीनों के मत पर विचार किया जाता है—तदेतत् इत्यादि। अर्वाचीनों (अलङ्कारसर्वस्वकारादिकों) की उक्त सभी बातें परस्परविरुद्ध हैं। कारण, उन्होंने अभेदगर्भ उत्प्रेक्षालक्षण बनाया है-अर्थात् अभेदसंबन्ध से सर्वत्र उत्प्रेक्षा मानी है और उदाहरण दिया है-'सैषा स्थली—' यह पद्य और कहा है कि 'यहाँ दुःखगुण की उत्प्रेक्षा नूपुर में होती है।' यह उदाहरण लक्षण के हिसाब से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि दुःखगुण की उत्प्रेक्षा में जिसके गर्भ में अभेद हो ऐसा अध्यवसान नहीं है। 'हाँ, 'मौन' अंश में अध्यवसान अवश्य है, क्योंकि 'निश्चलता के कारण होनेवाले' शब्दराहित्य को 'मौनित्व-मौनीपन' का अन्तःप्रविष्ट समझकर अभेद मान लिया गया है, परन्तु वह अध्यवसान सिद्धरूप है, अतः अतिशयोक्ति का विषय हो सकता है, उत्प्रेक्षा का नहीं, क्योंकि उत्प्रेक्षा का विषय साध्य अध्यवसान होता है। और आपके मत में 'मौन' को उत्प्रेक्षा का निमित्त माना गया है, अतः आपके मत में उसकी उत्प्रेक्षा मानी भी नहीं जा सकती। इसी तरह 'लिम्पतीव—' इस पद्य में जो आपने अन्धकार में लेपनकर्तृत्वरूप धर्म की उत्प्रेक्षा कही है वह भी अभेदगर्भ अध्यवसायघटित लक्षण से विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ भी अभेदगर्भ अध्यवसान नहीं है। लेपन में व्यापन का अध्यवसान यदि है भी तो वह सिद्धरूप होने के कारण एक तो पूर्ववत् अतिशयोक्ति का लक्ष्य होगा, उत्प्रेक्षा का नहीं, दूसरे आपने उसे यहाँ की उक्त उत्प्रेक्षा का निमित्त माना है, फिर उस अंश में अध्यवसान के रहने ही से क्या? आप उस अंश की उत्प्रेक्षा मान नहीं सकते। आप कहेंगे—"'लिम्पतीव—' में लेपनक्रियाकर्तृत्व की उत्प्रेक्षा का निमित्त व्यापन आदि होता है" इतना ही तो मैंने कहा है और उसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि 'कर्तृत्व की उत्प्रेक्षा मानने पर उक्त व्यापनादि निमित्त हो सकता है' इससे यह तो सिद्ध होता नहीं कि मैं व्यापन में लेपन की उत्प्रेक्षा नहीं मानता, अतः यदि कहा जाय कि मैं वैसा ही मानता हूँ, तो इसका उत्तर यह है कि-आप वैसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि-व्यापन को यदि उत्प्रेक्षा का विषय फलतः लेपन को विषयी माना जाय तब किसी अन्य निमित्त की खोज करनी पड़ेगी। तात्पर्य यह कि जब आप 'व्यापन में लेपन की उत्प्रेक्षा है' इस पक्ष की बाधिका युक्ति स्वयं दे चुके हैं तब आप उसी पक्ष को कैसे मान सकते हैं। निमित्तभागगत अध्यवसान को लेकर अलङ्कार में अध्यवसानमूलकत्व व्यवहार तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि उपमादि अलङ्कार-स्थल में भी निमित्तभागगत अध्यवसान रहता है और फिर भी उन अलङ्कारों को दूसरों के साथ आप भी अध्यवसानमूलक नहीं मानते। अन्य उत्प्रेक्षाओं को छोड़िये। धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षा में प्रायः आपको सबसे अधिक अध्यवसान का गन्ध आता है, अतः आइये, उसी पर विचार कर लिया जाय। 'नूनं मुखं चन्द्रः = मुख मानो चन्द्र है' इस उत्प्रेक्षा में भी अध्यवसान कहाँ है? क्योंकि यहाँ विषय (मुख) जीता जागता उपस्थित है—वह जब तक विषयी द्वारा निगीर्ण न हो तब तक अध्यवसान कैसे माना जा सकता है? आप कहेंगे—जहाँ अध्यवसान सिद्धरूप रहता है वहाँ विषय विषयी द्वारा निगीर्ण हो गया रहता है-अर्थात् विषयी से पृथक् विषय उपलब्ध नहीं होता, पर साध्य अध्यवसान में तो विषयी से पृथक् विषय की उपलब्धि होती ही है, फिर

आप विषय से पृथक् विषय की उपलब्धि होने से अध्यवसान का अस्वीकार क्यों करते हैं तो इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि साध्य अध्यवसान को ही मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि इस तरह से विषयी से पृथक् विषय की उपलब्धि होने पर भी साध्य अध्यवसान माना जाय तब रूपक आदि अलङ्कार भी अध्यवसानगर्भ माने जाने लगेंगे। उत्प्रेक्षा में अध्यवसान नहीं रहता इस बात को पुष्ट करनेवाली एक तीसरी युक्ति यह भी है कि 'अध्यवसान' लक्षणा का एक प्रभेद है, क्योंकि 'सारोपा', 'साध्यवसाना' ये सब लक्षणा के ही प्रभेद कहे गये हैं। अब सोचिए कि उत्प्रेक्ष्य विधेय अंश में लक्षणा यहाँ है ? कहना पड़ेगा कि 'नहीं', क्योंकि 'विधेयांश में लक्षणा नहीं होती' ऐसा सिद्धान्त है। आप कहेंगे—लक्षणा के विना 'मुख मानो चन्द्र है' इत्यादि स्थल में शाब्दबोध हो कैसे सकता है तो इसका उत्तर यह है कि-अभेद आदि संबन्धों से आहार्य (बाधित होने पर भी इच्छाजन्य) बोध ही वहाँ माना जाता है जो लक्षणा के बिना भी हो ही सकता है। इस तरह उपसंहार में कहना यह है कि-प्राचीनों तथा आधुनिकों दोनों ही की उक्तियाँ आलोचना की कसौटी पर कसने से खरी नहीं उतरती हैं।

प्राचीनानामाधुनिकानाञ्च मतान्युपपाद्य सामान्यतः समालोच्य च सम्प्रति तद्विषये स्वसम्मतं निष्कर्षमाह—

एवं प्राप्ते ब्रूमः—तत्र तावद्धर्म्युत्प्रेक्षानिष्कर्षः प्राचीनमतपरीक्षावसरे कृत एव। हेतूत्प्रेक्षायां पञ्चम्यर्थो हेतुः, अभेदश्च प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः संसर्ग इति पक्षे विश्लेषदुःखाभिन्नहेतुः पञ्चम्यन्तार्थः। तस्य च प्रयोज्यतासंसर्गेणोत्प्रेक्षणमिवादिना बोध्यते। प्रयोज्यत्वं पञ्चम्यर्थ इति दर्शने निरूपितत्वं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः संसर्गः। आश्रयतासंसर्गेणोत्प्रेक्षणम्। उभयथापि पञ्चम्यर्थ एवोत्प्रेक्ष्यः, तेनैवेवाद्यार्थान्वयात्। उत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसंबन्धेनोत्प्रेक्ष्यसमानाधिकरणश्च धर्मोऽतिशयोक्त्या मौनाभिन्नत्वेनाध्यवसितनिश्चलत्वादिर्निमित्तम्। बद्धमौनं च विषयः। मौनद्वारकं च बद्धमौनस्य प्रयोज्यत्वं संभाव्यते। एवं प्रयोज्यधर्मके धर्मिणि सर्वत्रापि धर्मद्वारक एव पञ्चम्यर्थान्वयः। यत्र तु धर्म एव किञ्चिद्धर्माभिन्नत्वेनाध्यवसितः साक्षाद्विषयस्तत्र विषयतावच्छेदकधर्मो निमित्तम्। यथा तत्रैव 'विश्लेषदुःखादिव मौनमस्य' इति निर्माणे मौनत्वम्। एवं तृतीयार्थेऽपि बोध्यम्।

एवं प्राप्ते इति। प्राचीनाधुनिकोक्तीनां क्षोदक्षमत्वाभावे प्राप्ते इत्यर्थः। 'ब्रूमः' इति क्रियायाः वक्ष्यमाणपदार्थसमूहः कर्म, अस्मदर्थभूता ग्रन्थकाराश्च कर्तृभूताः। तत्र उत्प्रेक्षानिष्कर्षमध्ये तावत् आदौ। परीक्षेति। विचारेत्यर्थः। कृत एवेति। धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षास्थलेऽभेदसंबन्धेनैवोत्प्रेक्षा भवतीति सर्वमतसिद्धः सिद्धान्त इति भावः। इदमुपलक्षणम्। गुणक्रियाभेदेन द्विविधयोर्धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षयोर्मध्ये गुणात्मकधर्मोत्प्रेक्षोदाहरणे 'अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे' इत्यादौ भेदसंबन्धेनैवोत्प्रेक्षेत्यपि निष्कर्षस्तत्र कृत एव। अवशिष्टायां क्रियारूपधर्मोत्प्रेक्षायां यद्यपि महान् मतभेदस्तथापि तद्विषयेऽपि महता संरम्भेण 'लिम्पतीव' इत्यादौ प्रथमान्तार्थे विषये प्रकृतक्रियाकर्तृत्वस्य 'आश्रयता'-संबन्धेन, तिङर्थस्य कर्तुरभेदसंबन्धेन वोत्प्रेक्षेति द्विविधौ निष्कर्षौ कृतावेव। अवशिष्टाया

हेतूत्प्रेक्षाया निष्कर्षं कुर्वन्नाह—हेतूत्प्रेक्षायामित्यादि । उभयथापीति । हेतोः पञ्चम्यार्थत्वे प्रयोज्यत्वस्य तत्त्वे वेत्यर्थः। पञ्चम्यर्थ एवेति । पञ्चमीप्रकृत्यर्थ एव व्यवच्छेद्यः । तत्र हेतुमाह—तेनैवेति । उत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसंबन्धेनेति । येन संबन्धेनोत्प्रेक्षा क्रियते स संबन्ध उत्प्रेक्षतावच्छेदकः (प्रयोज्यता आश्रयता वा) तेनेत्यर्थः । उत्प्रेक्ष्यसमानाधिकरण इति । उक्तसंबन्धेनोत्प्रेक्षस्य पदार्थस्य यदधिकरणं तत्र वर्तमान इत्यर्थः। निश्चलत्वादिरिति। निश्चलत्वनिमित्तकनिःशब्दत्वादिरिति भावः । बद्धमौनं चेति । मौनविशिष्टं नूपुरमित्यर्थः । विषय इति । उत्प्रेक्षाया इति यावत् । ननु दुःखप्रयोज्यता वस्तुतो मौने, न बद्धमौने इति कथं तादृशप्रयोज्यताया आश्रयतासंबन्धेन तत्र विषये संभावनमित्यत आह—मौनद्वारकं चेति । इयमुक्तिर्द्वितीयपक्षाभिप्रायेण । प्रथमपक्षे प्रयोज्यतासंबन्धेन दुःखाभिन्नहेतोर्बद्धमौने संभावनमपि मौनद्वारकं बोध्यम् । फलितमाह—एवमिति । प्रयोज्यधर्मके इति । दुःखादियत्किञ्चिद्धेतुप्रयोज्यो धर्मो यस्य तादृशे इत्यर्थः । अयमत्र विशदोऽर्थः—'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' इत्यत्र "दुःखपदोत्तरपञ्चमीविभक्तेरर्थो 'हेतुः' प्रकृत्यर्थविभक्त्यर्थयोश्च संबन्धोऽभेद" इति पक्षे विश्लेषदुःखाभिन्नहेतुरूपस्य पञ्चम्यन्तपदार्थस्य विषयिणः 'बद्धमौने' (मौनविशिष्टे नूपुरे) विषये प्रयोज्यतासंबन्धेनोत्प्रेक्षा । अस्यां चोत्प्रेक्षायाम् , प्रयोज्यतात्मकेनोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकेन संबन्धेन दुःखाभिन्नहेतुरूपस्योत्प्रेक्ष्यस्याधिकरणे मौनविशिष्टनूपुरे (मौनद्वारकं प्रयोज्यतासंबन्धावच्छिन्नं तदधिकरणत्वं नूपुरे बोध्यम्) विद्यमानोऽतिशयोक्तिरूपेण मौनाभेदाध्यवसानेन विशिष्टो निश्चलत्वहेतुकनिःशब्दत्वात्मको धर्मो निमित्तं भवति । 'दुःखपदोत्तरपञ्चमीविभक्तेः प्रयोज्यत्वमर्थः निरूपितत्वं च प्रकृत्यर्थविभक्त्यर्थयोः संबन्ध' इति पक्षे तु विश्लेषदुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वरूपस्य पञ्चम्यन्तपदार्थस्य विषयिणः मौनविशिष्टनूपुरात्मके विषये आश्रयतासंबन्धेनोत्प्रेक्षा । अस्यामप्युत्प्रेक्षायां पूर्वोक्तरीत्या पूर्वोक्तमेव निमित्तं भवति । अत्रोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकः संबन्धः आश्रयतेति विशेषः। तेन संबन्धेनोत्प्रेक्ष्यस्य निरुक्तप्रयोज्यत्वस्याधिकरणता बद्धमौने (नूपुरे) पूर्ववदेव मौनद्वारिका बोद्धव्या । पक्षद्वयेऽपि तेन तेन उत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तस्य तस्य उत्प्रेक्ष्यस्य स्थितिर्वस्तुतो मौनरूपधर्मांश एवेति तेन तेन सम्बन्धेन तस्य तस्योत्प्रेक्ष्यस्य सम्भावनमपि यद्यपि तत्रैवोचितं, न मौनविशिष्टे धर्मिणि, तथापि धर्मद्वारकं धर्मिणि तत्सम्भावनमपि नानुचितम् । एवञ्च मौनरूपधर्मद्वारैव दुःखपदोत्तरपञ्चमीविभक्त्यर्थस्य मौनरूपधर्मविशिष्टे नूपुरे धर्मिणि अन्वयो भवति । एतादृशे स्थले सर्वत्रैषैव गतिः । एतेन पक्षद्वयेऽपि पञ्चम्यर्थस्योत्प्रेक्ष्यता सिद्धा भवति, न प्रकृत्यर्थस्य। युक्तं चैतत् , पञ्चम्यर्थे न सहैव इवाद्यर्थान्वयात् । इत्थञ्च 'बद्धमौनम् (नूपुरम्) प्रयोज्यतासम्बन्धेन त्वच्चरणारविन्दवियोगजन्यदुःखाभिन्नहेतुप्रकारिकायाः सम्भावनायाः विषयः' इति प्रथमपक्षे, 'बद्धमौनम् (नूपुरम्) आश्रयतासम्बन्धेन त्वच्चरणारविन्दवियोगजन्यदुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वप्रकारिकायाः सम्भावनाया विषयः' इति च द्वितीयपक्षे बोधः पर्यवस्यतीति । धर्मिणो विषयत्वे उत्प्रेक्षणप्रकारमुक्त्वा धर्मस्य विषयत्वे तत्प्रकारमाख्यातुमाह—यत्र तु इति । अयं भावः—'विश्लेषदुःखादिव मौनमस्य' इत्यत्र मौनात्मके विषये, प्रयोज्यतासम्बन्धेन विश्लेषदुःखाभिन्नहेतुरूपस्य विषयिणः, आश्रयतासम्बन्धेन विश्लेषदुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वरूपस्य विषयिणो वा उत्प्रेक्षा ।

अस्यां चोत्प्रेक्षायां प्रयोज्यत्वात्मकेनोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसम्बन्धेन दुःखाभिन्नहेतुरूपोत्प्रेक्ष्यस्य, आश्रयतात्मकेनोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसम्बन्धेन दुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वरूपोत्प्रेक्ष्यस्य वा अधिकरणे मौने वर्तमानं मौनत्वं निमित्तं भवति। अत्र सम्भावनेऽधिकरणत्वे वा न पूर्ववत् कस्यचिद्द्वारता समाश्रयणीया भवति, प्रयोज्यतासम्बन्धेन दुःखाभिन्नहेतोः आश्रयतासंबन्धेन दुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वस्य वा मौने स्वत एव सत्त्वात्। इति पञ्चम्यन्तवाक्यगतहेतूत्प्रेक्षास्थलीयामेनां रीतिमन्यत्राप्यतिदिशति— एवमिति। तृतीयार्थेऽपीति। हेताविति शेषः। विश्लेषदुःखेनेव बद्धमौनम्–(मौनमस्य इति वा) इति वाक्ये हेत्वर्थकतृतीयासत्त्वेऽपि पूर्वोक्तरीत्यैवोत्प्रेक्षणादिकं ज्ञातव्यमिति भावः।

पहले प्राचीनों तथा आधुनिकों के भिन्न-भिन्न मतों का उपपादन किया गया, फिर उन मतों की सामान्यतः आलोचना की गई, अब अपने मत के अनुसार निष्कर्ष लिखा जाता है—एवं प्राप्ते ब्रूमः इत्यादि। जब प्राचीनों तथा आधुनिकों—दोनों की उक्तियाँ विचार करने पर टिकने योग्य नहीं हुईं, तब हम कहते हैं—उक्त उत्प्रेक्षा-प्रभेदों में से 'धर्म्युत्प्रेक्षा' का निष्कर्ष तो प्राचीनों के मत पर विचार करते समय कर ही दिया गया है—अर्थात् 'मुख मानो चन्द्र है' इत्यादिक में अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है—इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है। [इसी तरह धर्मोत्प्रेक्षा के दो प्रकार के उदाहरणों में से गुणरूप धर्म की उत्प्रेक्षा के उदाहरण 'अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे' आदि में भेद-सम्बन्ध (समवाय आदि सम्बन्ध) से उत्प्रेक्षा होने का सिद्धान्त भी स्थिर किया जा चुका है। क्रियारूप धर्मोत्प्रेक्षा के उदाहरण 'लिम्पतीव—' आदि में विविध मतभेदों के रहने पर भी विशद शास्त्रार्थप्रक्रिया से यह सिद्ध किया जा चुका है कि वहाँ प्रथमान्त पदार्थ अन्धकार आदि में प्रकृत लेपन आदि क्रिया के 'कर्तृत्व' की 'आश्रयता'सम्बन्ध से, अथवा 'कर्ता' (तिङर्थ) की 'अभेद'सम्बन्ध से, उत्प्रेक्षा मानना समुचित है।] हेतूत्प्रेक्षा में पञ्चमी विभक्ति का अर्थ 'हेतु' होता है और प्रकृति (जिस शब्द से पञ्चमी की गई हो उस) के तथा प्रत्यय (पञ्चमी विभक्ति) के अर्थ का सम्बन्ध होता है 'अभेद'। यह एक पक्ष है। इस पक्ष में 'वियोगदुःखात्—वियोग-दुःख से' इस पञ्चम्यन्त पद का अर्थ होता है 'वियोगदुःख से अभिन्न हेतु'। इस अर्थ की 'प्रयोज्यता'सम्बन्ध से उत्प्रेक्षा 'इव' आदि उत्प्रेक्षावाचक पदों से बोधित होती है। 'प्रयोज्यता' पञ्चमी विभक्ति का अर्थ है यह दूसरा पक्ष है। इस पक्ष के हिसाब से प्रकृति तथा विभक्ति के अर्थ का सम्बन्ध होता है 'निरूपितत्व' और उत्प्रेक्षा होती है 'आश्रयता'संबन्ध से। दोनों पक्षों में पञ्चमी के अर्थ की ही उत्प्रेक्षा होती है, प्रकृति के अर्थ की नहीं, क्योंकि 'इव' आदि के अर्थ का अन्वय उसी से होता है। उस उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है वह निश्चलताहेतुक निःशब्दत्व आदि धर्म जो उत्प्रेक्षतावच्छेदकसंबन्ध—अर्थात् जिस संबन्ध से उत्प्रेक्षा होती है उस = प्रयोज्यता अथवा आश्रयतासंबन्ध—से उत्प्रेक्ष्य—अर्थात् दुःखाभिन्न हेतु में अथवा दुःखनिरूपित प्रयोज्यता—के अधिकरण—मौनयुक्त नूपुर (यहाँ मौनयुक्त नूपुर 'मौन' द्वारा अधिकरण कहलाता है, स्वतः नहीं अर्थात् वस्तुतः अधिकरण 'मौन' है, पर उसके द्वारा मौनयुक्त नूपुर भी अधिकरण कहलाता है यह समझना चाहिए) में रहता है और जिसमें 'मौन' के अभेद का अतिशयोक्तिद्वारा अध्यवसान हुआ है। और इस उत्प्रेक्षा का विषय है 'मौनयुक्त' पदार्थ—अर्थात् नूपुर। तात्पर्य यह हुआ कि 'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' में एक पक्ष के हिसाब से 'मौनयुक्त' नूपुररूप विषय में 'प्रयोज्यता'सम्बन्ध से 'विश्लेषदुःखाभिन्नहेतु'रूप विषयी की और दूसरे पक्ष के हिसाब से उक्त विषय में ही 'आश्रयता'सम्बन्ध से

'विश्लेषदुःखनिरूपित प्रयोज्यत्व'रूप विषयी की उत्प्रेक्षा होती है। यदि कोई कहे कि—यह रीति तो ठीक नहीं है, क्योंकि विश्लेषदुःखरूप हेतु से प्रयोज्य (साध्य) वस्तुतः मौन (शब्दरहित होना) है, मौनयुक्त पदार्थ नहीं, अतः प्रयोज्यतासम्बन्ध से उक्त दुःखाभिन्न हेतु की उत्प्रेक्षा (संभावना) मौन में की जा सकती है, मौनयुक्त में नहीं, इसी तरह विश्लेषदुःखनिरूपित प्रयोज्यता का वस्तुतः आश्रय मौन ही है, मौनयुक्त नहीं, अतः आश्रयतासम्बन्ध से उक्त प्रयोज्यता की भी उत्प्रेक्षा मौन में ही हो सकती है, तो 'मैं कहूँगा कि कथन आपका ठीक है, पर मौनरूप धर्म द्वारा मौनयुक्त धर्मी भी दुःखप्रयोज्य अथवा दुःखनिरूपित प्रयोज्यता का आश्रय होता है, अतः प्रयोज्यता-सम्बन्ध से दुःखरूप हेतु की अथवा आश्रयतासम्बन्ध से दुःखनिरूपित प्रयोज्यता की मौनयुक्त में उत्प्रेक्षा की जा सकती है। सारांश यह कि—किसी पदार्थ से प्रयोज्य (साध्य) धर्मवाले धर्मी में पञ्चम्यर्थ का अन्वय धर्म द्वारा ही सर्वत्र होता है। अर्थात् जब 'चौराद् भीतः-चोर से डरा हुआ' इस तरह का वाक्य बोला जाता है तब 'चौर से' इस अंश का अन्वय 'भीत' के साथ होता है, पर उस अंश का अन्वय साक्षात् तो 'भीत' के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि उक्त वाक्य का अर्थ वस्तुतः 'चौर से जो भय उससे युक्त' यह होता है—चौर, भय का कारण है, भययुक्त का नहीं, फिर अगत्या भय-द्वारा उक्त अंश का अन्वय 'भीत' के साथ किया जाता है। उसी तरह यहाँ भी 'दुःख के कारण मौनयुक्त' इस वाक्य में 'दुःख के कारण' इस अंश का अन्वय 'मौनयुक्त' में मौन-द्वारा ही करना पड़ेगा। इस तरह 'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' इस वाक्य का शाब्दबोध—'मौनयुक्त पदार्थ—अर्थात् नूपुर, प्रयोज्यतासम्बन्ध से वियोगजन्य दुःख से अभिन्न हेतु की सम्भावना (तादृशहेतुप्रकारक सम्भावना) का, विषय (विशेष्य) है' यह होता है प्रथम पक्ष के अनुसार और द्वितीय पक्ष के अनुसार—उक्त वाक्य का शाब्दबोध 'मौनयुक्त पदार्थ, आश्रयतासम्बन्ध से वियोगजन्यदुःख-निरूपित प्रयोज्यता की सम्भावना का, विषय है' यह होता है। अन्वय आदि करने में उक्त 'द्रविड-प्राणायाम', वहीं करना पड़ता है जहाँ हेतूत्प्रेक्षा का विषय धर्मीरूप (जैसे पूर्वोक्त 'मौनयुक्त') होता है। जहाँ धर्म ही किसी अन्य धर्म के अभेदाध्यवसान से युक्त होकर हेतूत्प्रेक्षा का विषय होता है वहाँ उक्त 'द्रविड-प्राणायाम' नहीं करना पड़ता। जैसे-उक्त वाक्य के स्थान पर 'विश्लेषदुःखादिव मौनमस्य—अर्थात् वियोगजन्य दुःख के कारण, मानो, इसका मौन (निःशब्दता) है' इस तरह से वाक्य-निर्माण कर देने पर, 'मौन' रूप विषय में, पक्षभेद से, 'वियोग-दुःखाभिन्न हेतु' की प्रयोज्यतासम्बन्ध से अथवा 'वियोग-दुःखनिरूपित प्रयोज्यता' की आश्रयतासम्बन्ध से उत्प्रेक्षा मानी जायगी और इस मान्यता के अनुसार, यहाँ, उक्त 'द्रविड-प्राणायाम' का अवसर नहीं आता, क्योंकि मौन, दुःख प्रयोज्य है ही-अर्थात् दुःख-साध्यता 'मौन' में साक्षात् ही है, अतः 'प्रयोज्यता' संबन्ध से साक्षात् ही दुःख का अन्वय मौन में होगा, किसी के द्वारा अन्वय करने का बखेड़ा यहाँ नहीं, इसी तरह दुःख प्रयोज्यता का साक्षात् ही आश्रय जब मौन है तब आश्रयतासंबन्ध से दुःख-प्रयोज्यता का अन्वय मौन में करने के लिये भी किसी को द्वार बनाना आवश्यक नहीं होता, फलतः प्रयोज्यता अथवा आश्रयतासंबन्ध से मौन-रूप विषय में भिन्न-भिन्न मत से भिन्न-भिन्न उक्त पञ्चम्यर्थ की संभावना (उत्प्रेक्षा) करने में भी किसी को द्वार (जैसे पूर्व वाक्य में बनाना पड़ता है) नहीं बनाना पड़ता। यहाँ मौन जो विषय होता है, वह अध्यवसान द्वारा निःशब्दत्व से अभिन्न होकर ही, यह बिना कहे भी समझा जा सकता है। इस तरह की उत्प्रेक्षा में निमित्त होता है विषयतावच्छेदक (विषय में रहनेवाला) धर्म। जैसे—यहाँ उत्प्रेक्षा-विषय 'मौन' में

रहनेवाला 'मौनत्व' धर्म निमित्त है। यह ध्यान रहे कि यह 'मौनत्व' धर्म इसलिये उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है क्योंकि वह, 'उत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसम्बन्धेन उत्प्रेक्ष्य-समानाधिकरण' है—अर्थात् प्रयोज्यतासंबंध से दुःख के अथवा आश्रयतासंबन्ध से दुःखनिरूपित प्रयोज्यता के अधिकरण—'मौन' में रहता है। ये ही सब बातें वहाँ भी समझनी चाहिए जहाँ हेतूत्प्रेक्षा में पञ्चमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति आई हो। सारांश यह कि तृतीयाविभक्तिबोध्य हेतु की उत्प्रेक्षा के विषय में भी उक्त प्रकार की प्रक्रिया का ही अवलम्बन करना पड़ता है।

फलोत्प्रेक्षास्थलीयं निष्कर्षमाह—

फलोत्प्रेक्षायां तुमुन्नादेरर्थः फलम्। प्रागुक्तप्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोरभेदः संसर्गः। तच्च साधनतासंसर्गेणान्वेतीति तेनैव संसर्गेणोत्प्रेक्ष्यते, यत्र चोत्प्रेक्ष्यते तदंशे विशेषणतया भासमानो धर्मो निमित्तम्। स च धर्मिणि विषये अभिन्नत्वेनाध्यवसितो धर्मः, तथाभूते च धर्मे विषये तद्विशेषणीभूतोऽन्य इति विवेकः।

तुमुन्नादेरिति। आदिपदेन चतुर्थीविभक्तिः परामृश्यते। प्रागुक्तदिति। पूर्वोक्तप्रथमपक्षवदित्यर्थः। तच्चेति। फलं चेत्यर्थः। तथाभूते चेति। किञ्चिद्धर्माभिन्नत्वेनाध्यवसिते चेत्यर्थः। तद्विशेषणीभूत इति। विषयतावच्छेदकधर्म इत्यर्थः। विवेको विभागः। 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिवाक्षराणि' इत्यत्र फलोत्प्रेक्षा समुदाहृता। तत्र दृश्धातूत्तरवर्तिनस्तुमुन्प्रत्ययस्यार्थः फलम्, तस्मिंश्च तुमुन्प्रत्ययार्थे प्रकृत्यर्थस्य दर्शनस्याभेदेनान्वयः। तथा च 'दर्शनाभिन्नं फलम्' इति 'द्रष्टुम्' पदस्यार्थः। अस्यार्थस्य च 'साधनता(प्रयोजकता)'सम्बन्धेन वनान्तपदार्थेऽन्वयो भवितुमर्हति अस्तस्तेनैव सम्बन्धेन तत्रैव तस्य (फलस्य) उत्प्रेक्षापि भवति। यद्यपि ललाटाक्षरदर्शनरूपफलप्रयोजकता साक्षाल्ललाटत्वग्विपाटन एव, न वनान्तेषु, तथा च प्रयोजकतासम्बन्धेन तत्रैव फलान्वयो युक्तस्तथापि ललाटत्वग्विपाटनस्य गुणीभूततया न तत्रान्वयः सम्भवति, एकदेशान्वयस्यास्वीकारात्, अतोऽगत्या ललाटत्वग्विपाटनद्वारा वनान्तेषु फलान्वयः प्रयोजकतासम्बन्धेन विधेय एव। एतच्च ग्रन्थकृता प्राक् स्फुटीकृतम्, अग्रेऽपि स्फुटीकरिष्यतेऽनुपदम्। अस्यां चोत्प्रेक्षायामुत्प्रेक्षाविषयीभूतवनान्तविशेषणतया भासमानः (वनान्तगतश्च) स्वाभाविकललाटत्वग्विपाटनरूपो धर्मो ललाटक्षरदर्शनफलकललाटत्वग्विपाटनाभिन्नत्वेनाध्यवसितो निमित्तम् भवति। इत्थञ्चोक्तवाक्यस्य शाब्दबोधः—"ललाटत्वग्विपाटनानुकूलव्यापाराश्रया वनान्ताः, प्रयोजकतासम्बन्धेन ललाटाक्षरदर्शनाभिन्नफलप्रकारिकायाः सम्भावनाया विषयाः' इत्याकारः पर्यवस्यति। यदि धर्मिरूपो वनान्तपदार्थः उत्प्रेक्षाया विषयो न भवेत्, अपि तु ललाटाक्षरदर्शनफलकत्वग्विपाटनाभिन्नत्वेनाध्यवसितं स्वाभाविकं ललाटत्वग्विपाटनमेव धर्मरूपं भवेत्प्रेक्षाविषयः—अर्थात् यदि 'वनान्तैर्ललाटत्वचो विपाटनं अक्षराणि द्रष्टुमिव' इतीदृशं वाक्यं स्यात् तदा प्रयोजकतासम्बन्धेन तादृशे धर्मात्मके विषय एव अक्षरदर्शनरूपफलमुत्प्रेक्ष्येत, निमित्तं च तदा विषयविशेषणीभूतः—अर्थात् विषयतावच्छेदको ललाटत्वग्विपाटनत्वात्मको धर्म एव स्यादिति भावः।

अब फलोत्प्रेक्षाविषयक निष्कर्ष दिखलाया जाता है—फलोत्प्रेक्षायाम् इत्यादि। फलोत्प्रेक्षा में 'तुमुन्' प्रत्यय (के लिये) आदि का अर्थ 'फल' होता है। और हेतूत्प्रेक्षा

के प्रथम पक्ष की तरह प्रकृति (जिस धातु से 'तुमुन्' आदि प्रत्यय किए गए हों) तथा प्रत्यय ('तुमन्' आदि) के अर्थ (फल) का 'अभेद'संबन्ध होता है। और उस फल (प्रकृत्यर्थ से अभिन्न प्रत्ययार्थ) का अन्वय ऐसी जगहों में 'प्रयोजकता'संबन्ध ('साधनता'संबन्ध) से ललाटत्वग्विपाटन आदि रूप धर्म द्वारा वनान्त आदि धर्मी में होता है, अतः ऐसी जगहों में 'फल' की उत्प्रेक्षा भी उसी सम्बन्ध से होती है। तात्पर्य यह कि फलोत्प्रेक्षा सदा सर्वत्र 'साधनता'(प्रयोजकता)संबन्ध से ही होती है, पर कहीं धर्मी में और कहीं धर्म में। जिस अंश में फल की उत्प्रेक्षा होती है उस विषयांश में विशेषणरूप से भासित होने वाला धर्म उस फलोत्प्रेक्षा का निमित्त होता है। वह धर्म भी जहाँ कोई धर्मी उत्प्रेक्षा का विषय रहता है वहाँ विषयी में रहने वाले धर्म से अध्यवसान द्वारा अभिन्न होकर निमित्त होता है और जहाँ अध्यवसान द्वारा किसी धर्म से अभिन्न होकर कोई धर्म ही उत्प्रेक्षा का विषय होता है वहाँ विषय का विशेषणीभूत— अर्थात् विषयता का अवच्छेदकीभूत—कोई दूसरा ही धर्म निमित्तरूप होता है। सारांश यह कि—'विपाटयन् द्रष्टुमिवाक्षराणि' यह जो फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण पहले लिखा जा चुका है वहाँ 'वनान्त' (वनप्रदेश)—जो धर्मीरूप है--विषय है उसमें 'प्रयोजकता'-(साधनता)संबन्ध से ललाटाक्षरदर्शनाभिन्न फल की उत्प्रेक्षा होती है। यद्यपि उक्त फल का साक्षात् प्रयोजक वनान्त नहीं, 'ललाटत्वग्विपाटन' है, अतः उस फल का अन्वय तथा उत्प्रेक्षा उस संबन्ध (प्रयोजकतासंबन्ध) से उसी में होना उचित है तथापि वह (ललाटत्वग्विपाटन) एकदेश है—गौण है। अतः उसमें फल का अन्वय किंवा उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकते इसीलिये यहाँ (ऐसे सभी स्थलों पर) धर्म (उक्त विपाटन) द्वारा धर्मी (वनान्त) में ही फल का अन्वय तथा उत्प्रेक्षा माननी पड़ती है यह रहस्य पहले भी ग्रन्थकार सूचित कर चुके हैं और अनुपद आगे भी सूचित करायेंगे। यहाँ की इस उत्प्रेक्षा में निमित्त होता है विषय (वनान्त) में रहने वाला स्वाभाविक ललाटत्वग्विपाटन, (यह वनान्त में विशेषणरूप से भासित भी होता है) पर उक्त विपाटनरूप धर्म निमित्त तब होता है, जब उसमें ललाटाक्षरदर्शनरूप फल साधक कल्पित ललाटत्वग्विपाटन के अभेद का अध्यवसान मान लिया जाता है। इस तरह, उक्त वाक्य का शाब्दबोध 'ललाटत्वग्विपाटनानुकूल व्यापार वाले वनप्रदेश प्रयोजकतासंबन्ध से की जानेवाली ललाटाक्षरदर्शनरूप फल की संभावना के विषय हैं' यह होता है। यदि अध्यवसान द्वारा ललाटाक्षरदर्शनफलक ललाटत्वग्विपाटन से अभिन्न माना गया स्वाभाविक (कण्टकी होने के कारण स्वतः वनप्रदेश द्वारा होने वाला) ललाटत्वग्विपाटन को ही उत्प्रेक्षा का विषय बना दिया जाय-अर्थात् 'वनान्तैर्ललाटत्वचो विपाटनम् अक्षराणि द्रष्टुमिव (वनान्तों द्वारा ललाट की त्वचा का उधेड़ना मानो, ललाट के अक्षरों को देखने के लिये हो रहा है)' इस तरह का वाक्य मानकर यदि ललाटत्वग्विपाटनरूप विषय में ही ललाटाक्षरदर्शनरूप फल की उत्प्रेक्षा प्रयोजकतासंबन्ध से की जाय तब विषयतावच्छेदक (उक्त ललाटत्वग्विपाटनरूप विषय में रहनेवाला धर्म तादृश विपाटनत्व उत्प्रेक्षा का निमित्त होगा। ऐसे स्थलों में परम्परया अन्वय किंवा उत्प्रेक्षा करने का बखेड़ा नहीं होता यह ध्यान में रखना चाहिये।

इदानीं हेतुफलोत्प्रेक्षासाधारणं स्पष्टीकरणं कुरुते—

एवं च यत्र समासप्रत्ययगुणीभूते विषये हेतुफलान्वयो न साक्षात् सम्भवति तत्र प्रधान एव विषये तादृशविशेषणद्वारकप्रयोज्यत्वप्रयोजकत्वाभ्यां ससंसर्गाभ्यां हेतुफलयोरुत्प्रेक्षा बोध्या।

समासेति। समासप्रत्ययाभ्यां गुणीभूते इत्यर्थः। अत्र 'अयं भावः—समासादेः कारणात् अन्यपदस्य प्रत्ययस्य वाऽर्थो यत्र प्रधानं स्यात्' इति 'सरलायाः' सरलीकरणं कीदृशमिति विज्ञैर्विवेचनीयम्। अयं भावः—'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' इत्यत्र वस्तुतः उत्प्रेक्षाया विषयः मौनपदार्थः, परन्तु स बहुव्रीहिसमासान्तर्गततया गुणीभूतः। (अत्रैव 'बद्धमौनम्' इत्यस्य स्थाने 'मौनवत् , मौनी' इति वा कृते प्रत्ययप्रयुक्तगौणत्वं बोध्यम्।) एवं स्थितौ दुःखस्य प्रयोज्यतासम्बन्धेन तत्र (मौनपदार्थे) अन्वयः साक्षात् न सम्भवति, 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति, न पदार्थैकदेशेन' इति नियमात् , अत्रोऽत्र 'बद्धमौनम्' (मौनयुक्तं नूपुरम्) एवोत्प्रेक्षाया विषयो मन्तव्यः, तत्रैव च मौनद्वारा प्रयोज्यत्वसम्बन्धेन दुखःखस्योत्प्रेक्षा बोध्या। एवं 'व्यपाठयन् द्रष्टुमिवाक्षराणि' इत्यत्र वस्तुत उत्प्रेक्षाया विषयः ललाटत्वग्विपाटनपदार्थः परन्तु स सुप्तिङ्प्रत्ययार्थाभ्यां गुणीकृतः (अत्रैव 'अक्षराणि द्रष्टुमिव विपाटितभालत्वचो वनान्ताः' इत्येवंकरणे समासप्रयुक्तं गौणत्वं बोध्यम्) एवं स्थितौ अक्षरदर्शनरूपस्य फलस्य प्रयोजकतासम्बन्धेन तत्र साक्षादन्वयो न सम्भवति उक्तयुक्तेः, अतः वनान्तपदार्थस्यैवोत्प्रेक्षाविषयत्वमास्थेयम् , तत्रैव च प्रयोजकतासम्बन्धेन ललाटत्वग्विपाटनद्वारा दर्शनरूपफलस्योत्प्रेक्षा मन्तव्या। दिग्दर्शनमात्रमेतत्। सर्वत्रैवंविधस्थितावेवंविधैव सरणिराश्रयणीया। इति।

अब सामान्यतः हेतूत्प्रेक्षा तथा फलोत्प्रेक्षा दोनों के विषय में एक स्पष्टीकरण किया जाता है—एवं च इत्यादि। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि—जहाँ वास्तविक उत्प्रेक्षा विषय समास तथा प्रत्ययद्वारा गौण हो गया हो, अतः हेतु तथा फल का उसके साथ साक्षात् अन्वय न हो सकता हो (ईदृश अन्वय के न हो सकने में 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति, न पदार्थैकदेशेन— अर्थात् किसी पद का अर्थ किसी पद के पूरे अर्थ के साथ ही अन्वित होता है, किसी पद के पूरे अर्थ के एक भाग से नहीं' इस नियम को कारण समझना चाहिए) वहाँ प्रधान पदार्थ ही उत्प्रेक्षा का विषय माना जाना चाहिये। और वस्तुतः विषय की योग्यता रखनेवाले विशेषण को द्वार मानकर 'प्रयोज्यता' और 'प्रयोजकता' संबन्धों से क्रमशः हेतु की तथा फल की उत्प्रेक्षा समझनी चाहिए। तात्पर्य यह कि-जैसे 'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' इस हेतूत्प्रेक्षा की जगह, उत्प्रेक्षा का वास्तविक विषय होने योग्य 'मौन' पदार्थ के बहुव्रीहि समासान्तर्गत हो जाने के कारण गौण हो जाने से 'बद्धमौन'(मौनयुक्त)रूप प्रधान पदार्थ को ही विषय माना जाता है और उसी में मौनद्वारा दुःख की उत्प्रेक्षा 'प्रयोज्यता'सम्बन्ध से मानी जाती है, उसी तरह 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिवाक्षराणि' इस फलोत्प्रेक्षा की जगह में भी उत्प्रेक्षा का वास्तविक विषय होने योग्य 'भालत्वग्विपाटन' पदार्थ के सुप्तिङ् प्रत्ययों के कारण गौण हो जाने से प्रधान पदार्थ (वनप्रदेश) को ही विषय माना जाता है और उसी में उक्त वास्तविक विषय होने योग्य पदार्थ द्वारा प्रयोजकतासंबन्ध से ललाटाक्षरदर्शनरूप फल की उत्प्रेक्षा मानी जाती है। उक्त हेतूत्प्रेक्षा-स्थल में 'बद्धमौनम्' की जगह 'मौनवत्' अथवा 'मौनी' पद के रहने पर प्रत्ययप्रयुक्त गौणता होगी, इसी तरह उक्त फलोत्प्रेक्षा-स्थल में 'अक्षराणि द्रष्टुमिव विपाटितभालत्वचो वनान्ताः' ऐसे वाक्य के रहने पर समासप्रयुक्त गौणता होगी यह समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्वत्र ऐसी रीति से ही काम लेना चाहिये।

आशङ्क्य समाधत्ते—

यद्यपि विशेषणेऽपि यथाकथंचिद्धेतुफलयोरन्वयाद्विशेषणस्यापि विषयत्वमु-

चितम् । तथापि विषयविषयिणोरुद्देश्यविधेयभावप्रत्ययस्यानुरोधादियं सरणि-राश्रिता । यदि च तस्य नास्त्येवानुरोधस्तदा प्राचां दर्शनमेव रमणीयं स्यात् ।

यथाकथंचिद्धेतुफलयोरिति । 'शिखी ध्वस्तः', 'स्वर्गी ध्वस्तः', 'नीलरूपवान् जातः' इत्यादाविवेति भावः । तस्येति । तयोरुद्देश्यविधेयभावप्रत्यययोरित्यर्थः । हेतुफलोत्प्रेक्षास्थले हेतुफलयोरन्वयः पदार्थैकदेशतया गुणीभूतेषु धर्मेषु न सम्भवतीति धर्मद्वारा धर्मिणि प्रधानेऽन्वयः करणीय इति यदुक्तं तदकिंचित्करम्, 'शिखी ध्वस्तः' इत्यादाविव एकदेशान्वयस्यापि सम्भवेन परम्परया धर्मिण्यन्वयस्यायुक्तत्वात् । तथा च 'विश्लेषदुःखादिव—' 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिव—' इत्यादौ मौनव्यपाटनादीनां धर्माणामेवोत्प्रेक्षाविषयत्वमुचितम् इति शङ्कादलाशयः, उत्प्रेक्षास्थले विषयः (यस्मिन्नुत्प्रेक्षा भवति स पदार्थः) उद्देश्यो भवति विषयी (उत्प्रेक्ष्यः पदार्थः) विधेयो भवतीत्यनुभवसिद्धं वस्तु । अस्य चानुभवस्य रक्षा उक्तस्थलेषु तदैव भवति यदा धर्मद्वारकमन्वयमङ्गीकृत्य प्रधानस्य धर्मिण उत्प्रेक्षा-विषयत्वमङ्गीक्रियते, धर्मस्योत्प्रेक्षाविषयत्वे स्वीकृते तदनुभवरक्षा नैव भवेत्, यतः प्रधान-स्यैव पदार्थस्य उद्देश्यताविधेयता वा भवतीति नियमः, धर्मस्तु तत्र न प्रधानः इति प्रागुप-पादितम्—अर्थात् 'विश्लेषदुःखात्—' 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिव—' इत्यादौ मौनव्यपाटना-दीनां धर्माणामुत्प्रेक्षाविषयत्वे स्वीक्रियमाणे तेषामुद्देश्यत्वासम्भवेनोद्देश्यत्वसापेक्षस्य विधे-यत्वस्यापि हेतुफलयोर्दुःखदर्शनयोरसम्भवेनोत्प्रेक्षास्थले विषयविषयिणोरुद्देश्यविधेयभाव-स्यानुभवसिद्धस्य भङ्गापत्तिरिति तदनुरोधेन धर्मद्वारकान्वयाङ्गीकारेण प्रधानीभूतधर्मिविषय-त्वाङ्गीकारमार्गः स्वीक्रियत इति च समाधानदलाशयो बोध्यः । यदि उत्प्रेक्षास्थले विषय विषयिणोरुद्देश्यविधेयभावप्रतीतेरनुरोधो न विधीयेत तदा प्रागुपदर्शितेषु हेतुफलोत्प्रेक्षास्थ-लेषु प्राचीनोक्तरीत्या निश्चलत्वनिमित्तकनिःशब्दत्वादौ विषयेऽभेदेन विश्लेषदुःखहेतुक-मौनादेः, कण्टकजविपाटनादौ विषयेऽक्षरदर्शनफलकभालत्वग्विपाटनादेश्चाभेदेनोत्प्रेक्षैव किं न स्वीक्रियेत, यतस्तत्पक्षेऽपि अनुभवसिद्धोद्देश्यविधेयभावभङ्ग एव प्रधानो दोषः, स चेदानीमपि स्वीक्रियत एवेति प्रोक्तसमाधानोपोद्बलकयुक्तिपरायाः 'यदि च…रमणीयं स्यात्' इति पङ्क्तेरभिप्रायः ।

एक आशङ्का और उसका समाधान किया जाता है—यद्यपि इत्यादि । यद्यपि विशेषण में भी, किसी न किसी तरह, हेतु तथा फल का अन्वय हो जाने से विशेषण का विषय होना उचित है—अर्थात् 'विश्लेषदुःखात्—' तथा 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिव—' इत्यादि स्थानों में, धर्मों (मौन तथा विपाटन) में हेतु तथा फल (दुःख एवं दर्शन) का अन्वय गौण होने के कारण नहीं हो सकता, अतः धर्मद्वारा धर्मियों (मौनयुक्त तथा वनप्रदेशों) में उनके अन्वय किए जाते हैं यह जो कहा गया है सो अकिञ्चित्कर है, क्योंकि कहीं-कहीं (जैसे 'शिखी ध्वस्त हुआ' आदि में) एकदेशान्वय भी देखा जाता है तदनुसार यहाँ भी उक्त धर्मों में ही हेतु तथा फल का अन्वय किया जा सकता है और जब वैसा अन्वय किया जा सकता है तब उन धर्मों को ही विषय मानकर उनमें ही हेतु-फल की उत्प्रेक्षा भी की जा सकती है, तथापि उत्प्रेक्षा में जो विषय की उद्देश्यता और विषयी की विधेयता सर्वानुभवसिद्ध है, उसके अनुरोध से इस मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है—अर्थात् उत्प्रेक्षास्थल में उत्प्रेक्षा का विषय (जिसमें उत्प्रेक्षा होनी है वह पदार्थ) उद्देश्य और उत्प्रेक्षा का विषयी (उत्प्रेक्ष्य पदार्थ) विधेय होता है ऐसा

अनुभव सभी को होता है और यह भी निश्चित है कि—किसी की उद्देश्यता सिद्ध होने पर ही किसी की विधेयता भी सिद्ध होती है—ये दोनों परस्पर सापेक्षभाव हैं, ऐसी स्थिति में यदि उक्तस्थलों में मौन तथा विपाटनरूप गौण धर्मों को उत्प्रेक्षा का विषय बनाया जायगा तब वे उद्देश्य नहीं हो सकते, क्योंकि उद्देश्य किंवा विधेय प्रधान पदार्थ ही होता है और जब वे उद्देश्य नहीं हो सकेंगे, तब हेतुफल (दुःखदर्शन)-रूप उत्प्रेक्ष्य विधेय भी नहीं हो सकेंगे, फलतः अनुभवसिद्ध वस्तु का अपलाप होने लगेगा, अतः धर्म द्वारा प्रधान धर्मी (मौनयुक्त तथा वनप्रदेश) को उत्प्रेक्षा का विषय माना जाता है, जिससे उद्देश्यविधेयभावानुऽभव की रक्षा होती है। यदि उद्देश्यविधेयभाव का अनुरोध न किया जाय तब तो प्राचीनों का मत ही ठीक था—अर्थात् उक्त भाव का अनुरोध नहीं करने पर प्राचीनों के हिसाब से हेतुफलोत्प्रेक्षाओं में भी अभेदसंबन्ध से ही उत्प्रेक्षा मानना उचित था—निश्चलताहेतुक निःशब्दता में दुःखहेतुक मौन की और कण्टकजन्य विपाटन में अक्षरदर्शनरूप फलवाले भालत्वग्विपाटन की उत्प्रेक्षा अभेदसंबन्ध से मानना युक्त था, क्योंकि उद्देश्यविधेयभाव का भङ्ग ही उस मत में प्रधान दोष होता था, वह अब भी हो ही रहा है और आप उस दोष को दोष-कोटि में गिनना नहीं चाहते।

प्राचीनमते न केवलमुद्देश्यविधेयभावभङ्गापत्तिरेव दोषः, अपि तु दोषान्तरमपीत्याह—

किञ्च प्राचां मते हेतुफलोत्प्रेक्षास्थले तद्धेतुकतत्फलकयोः कार्यकारणयोरेव निगीर्णे विषये उत्प्रेक्षणात् स्वरूपोत्प्रेक्षायामेव पर्यवसानम्, न हेतुफलयोः। एवं च विभागश्चिरन्तनानामुच्छिन्नः स्यात्। अथ स्वरूपतादात्म्याविशेषेऽपि हेतुफलाविशेषणकशुद्धस्वरूपोत्प्रेक्षाया हेतुफलविशेषणकस्वरूपोत्प्रेक्षायामस्ति हेतुफलकृत एव भेद इति चेत् 'तनयमैनाकगवेषणलम्बीकृतजलधिजठरप्रविष्टहिमगिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी' इति प्रागुदाहृतायां स्वरूपोत्प्रेक्षायां तनयमैनाकगवेषणरूपस्य फलस्योत्प्रेक्ष्यविशेषणकोटिप्रविष्टत्वात्फलोत्प्रेक्षात्वापत्तेः, उत्प्रेक्ष्ये साक्षाद्विशेषणताया अप्रयोजकत्वात्। इत्यलं स्वगोत्रकलहेन।

हेतुफलोत्प्रेक्षास्थले इति। हेतूत्प्रेक्षास्थले फलोत्प्रेक्षास्थले चेत्यर्थः। तद्धेतुकतत्फलकयोः कार्यकारणयोरिति। तद्धेतुकस्य कार्यस्य, तत्फलकस्य कारणस्य चेत्यर्थः। न हेतुफलयोरिति। उत्प्रेक्षायां पर्यवसानमिति पूर्वतनानुषङ्गः। तावता किं स्यादित्याह—एवं चेति। स्वरूपतादात्म्याविशेषे इति। यत्किञ्चित्पदार्थस्वरूपस्य तादात्म्येन (अभेदेन) उत्प्रेक्षा इत्यंशस्य तुल्यत्वे इत्यर्थः। हेतुफलाविशेषणकेति। हेतुश्च फलश्च ते न विशेषणे ययोस्तादृशे अत एव शुद्धे ये पदार्थस्वरूपे तयोरुत्प्रेक्षाया इत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। ननु तत्कोटिप्रविष्टत्वेऽपि तस्य न तत्र साक्षाद्विशेषणत्वमत आह—उत्प्रेक्ष्ये इति। अभेदसम्बन्धेनैव सर्वत्रोत्प्रेक्षां समर्थयतां प्राचां मते प्रागुक्ता दोषास्तु सन्त्येव। अपरोऽप्ययं दोषस्तन्मते यत् स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा चेति चिरन्तनाचार्यकृतो विभाग उच्छिन्नो भवेत्, यतस्ते 'लग्ना मन्ये लघिततनु ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः' 'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' इत्यादिहेतूत्प्रेक्षोदाहरणे 'स्वाभाविके शोभाकर्तृके पादलगने हर्षहेतुकपादलगनस्य, निश्चलत्वहेतुकनिःशब्दत्वे दुःखहेतुकमौनस्याभेदेनैवोत्प्रेक्षामङ्गीकुर्वन्ति, एवं

'द्रष्टुमिवाक्षराणि' इत्यादिफलोत्प्रेक्षोदाहरणेऽपि कण्टकजन्यभालत्वग्विपाटनेऽक्षरदर्शन-फलकभालत्वग्विपाटनस्याभेदेनैवोत्प्रेक्षां मन्यन्ते, तथा चासामुत्प्रेक्षाणां स्वरूपोत्प्रेक्षास्वेव पर्यवसानं जातम्। ननु यत्रोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदककुक्षौ हेतुफले भासमाने भवतस्ते हेतुफलोत्प्रेक्षे, यथा 'विश्लेषदुःखात्—' 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिव—' इत्यादौ, यत्र पुनरुत्प्रेक्ष्यतावच्छेदककुक्षौ हेतुफले न भासमाने तत्र स्वरूपोत्प्रेक्षा यथा 'मुखं चन्द्रं मन्ये' इत्यादावित्येवं रीत्या चिरन्तनकृतो विभाग उपपद्यत एवेति न कश्चिद्दोष इति चेन्न, एवं-रीत्या विभागे समुपपाद्यमाने 'तनयमैनाकगवेषण—' इति प्रागुदाहृतस्वरूपोत्प्रेक्षाया अपि फलोत्प्रेक्षात्वापत्तेः, तत्रापि भुजगतोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदककोटौ तनयमैनाकगवेषणात्मकस्य फलस्य प्रविष्टत्वात्। हेतुफलयोः साक्षादुत्प्रेक्ष्यविशेषणतैव हेतुफलोत्प्रेक्षाव्यवहारनियामिका 'तनयमैनाक—' इत्यत्र तु प्रोक्तस्य फलस्य न साक्षादुत्प्रेक्ष्यभुजविशेषणतेति न दोष इति न शक्यं वदितुम्, तथा कल्पनायामनुकूलतर्कविरहादिति भावः।

प्राचीनों के मत में पूर्वोक्त दोष तो हैं ही, अन्य दोष भी हैं यही अब दिखलाया जाता है—किञ्च प्राचाम् इत्यादि। प्राचीनों के मत से हेतूत्प्रेक्षास्थल में हेतु की उत्प्रेक्षा तो होती नहीं, अपितु तद्धेतुक कार्य की अनुक्त विषय में अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा होती है, जैसे 'विश्लेषदुःखादिव—' में उनके मत से अनुक्त निश्चलत्वहेतुक निःशब्दस्वरूप विषय में वियोगजन्य दुःखहेतुक मौन की उत्प्रेक्षा अभेदसंबन्ध से होती है, एवं उनके मत से फलोत्प्रेक्षास्थल में भी फल की उत्प्रेक्षा नहीं होती, अपितु तत्फलक कारण की अनुक्त विषय में अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा होती है, जैसे 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिवाक्षराणि—' में उनके हिसाब से अनुक्त कण्टकजन्य भालत्वग्विपाटनरूप विषय में ललाटाक्षरदर्शन-फलक भालत्वग्विपाटन की अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा मानी जाती है। ऐसी स्थिति में ये उत्प्रेक्षायें भी स्वरूपोत्प्रेक्षा के रूप में ही परिणत हो जाती हैं—अर्थात् एक धर्म की दूसरे धर्म में जब अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा हुई तब वह स्वरूप की उत्प्रेक्षा के अतिरिक्त क्या कहला सकती है? आप कदाचित् कहें कि क्षति क्या है? मान लीजिए सब को स्वरूपोत्प्रेक्षा ही। तो मैं कहूँगा—चिरन्तनों का किया हुआ विभाग समाप्त हो जायगा—अर्थात् पहले जो चिरन्तन आचार्य 'स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा ये तीन भेद उत्प्रेक्षा के कहते थे वह कथन मिथ्या हो जायगा—अब स्वरूपोत्प्रेक्षानामक एक ही भेद उत्प्रेक्षा का रह जायगा। यदि आप कहें कि—तीनों उत्प्रेक्षाओं में 'स्वरूपतादात्म्य' समानरूप से होता है अवश्य—अर्थात् तीनों उत्प्रेक्षाओं में एक पदार्थस्वरूप की ही अभेदेन दूसरे पदार्थस्वरूप में सम्भावना की जाती है इतनी समानता है, पर इस समानता के रहने पर भी कुछ भेदक है जिससे उक्त विभाग बन सकता है और वह भेदक है हेतु तथा फल का उत्प्रेक्ष्यविशेषणकोटि में आना एवं न आना—अर्थात् जहाँ उत्प्रेक्ष्य के विशेषणरूप से हेतुभूत पदार्थ आता हो वह हेतूत्प्रेक्षा, जहाँ फल उत्प्रेक्ष्यविशेषण हो वह फलोत्प्रेक्षा और जहाँ इन दोनों में से एक भी उत्प्रेक्ष्य का विशेषण न हो वह स्वरूपोत्प्रेक्षा, इस तरह विभाग किया जा सकता है। तो इसके उत्तर में कहना यह है कि यदि इस तरह से विभाग किया जाय तब 'तनयमैनाक—' यह गद्य जो स्वरूपोत्प्रेक्षा के उदाहरण में लिखा गया है वह भी फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण कहलाने लगेगा, क्योंकि वहाँ भी उत्प्रेक्ष्य भुज (भुजायमान पद पर ध्यान दीजिए) के विशेषणभाग में पुत्र-मैनाक का अन्वेषणरूप फल आया है। आप कहेंगे—वहाँ फल यद्यपि विशेषण है, तथापि उत्प्रेक्ष्य का साक्षात् विशेषण नहीं किन्तु परम्परया है, अतः

वह गद्य फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण नहीं कहला सकता। तो मैं कहता हूँ कि—फल उत्प्रेक्ष्य का साक्षात् विशेषण हो तभी फलोत्प्रेक्षा कही जायगी इस तरह की कल्पना करने में कोई अनुकूल तर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर अप्रधानता समान है। फलतः प्राचीनों का मत इस गड़बड़ी के कारण भी ठीक नहीं है। पर अब छोड़िए इस झगड़े को। कारण अपने ही गोत्रवालों (साहित्यिकों) से कलह करना व्यर्थ है।

अथेदानीमुत्प्रेक्षाणां साङ्कर्ये कयोत्प्रेक्षया व्यपदेश इति वक्तुं प्रयतते—

उत्प्रेक्ष्यमाणेष्वपि यस्य विषयिण उत्प्रेक्षा विधेयतया भासते तदीयोत्प्रेक्षयैव व्यपदेशः, प्राधान्यात्। तेन 'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' इत्यत्र नूपुरगतत्वेन दुःखस्योत्प्रेक्षणेऽपि न तदुत्प्रेक्षया व्यपदेशो न्याय्यः, तस्या अङ्गत्वेनानुवाद्यत्वात्। किन्तु पञ्चम्यर्थोत्प्रेक्षया, तस्या एव इवशब्दवेद्यत्वेन विधेयत्वात्। तथा 'चोलस्य' इति पद्येऽपि वनान्तगतत्वेन न ललाटाक्षरदर्शनोत्प्रेक्षयाऽपि, अपि तु तुमुन्नर्थोत्प्रेक्षया। एवं 'तनयमैनाक—' इत्यादिगद्ये न फलोत्प्रेक्षया व्यपदेशः। नापि 'कलिन्दजानीरभरेऽर्धमग्ना' इत्यत्र शशिकिशोरतादात्म्योत्प्रेक्षया, तदुत्थापितया ध्वान्तकर्तृकवैरहेतुकनिगरणकर्मतादात्म्योत्प्रेक्षया वा, प्रागुक्तादेव हेतोरिति दिक्।

पञ्चम्यर्थोत्प्रेक्षयेति। व्यपदेश इत्यस्यानुषङ्गः। एवमग्रेऽपि। प्रागुक्तादेवेति। अङ्गत्वेनानुवाद्यत्वादित्यस्मादेवेत्यर्थः। 'विश्लेष—' इत्यत्र पञ्चम्यर्थस्य हेतोः, 'चोलस्य—' इत्यत्र 'तुमन्'प्रत्ययार्थस्य फलस्य, 'तनयमैनाक—' इत्यत्र भुजत्वजात्यवच्छिन्नस्य, 'कलिन्दजा—' इत्यत्र क्रोशनक्रियायाश्च क्रमश उत्प्रेक्षासु इवादिपदवेद्यत्वेन वाच्यासु क्रमशो दुःखस्य, दर्शनस्य, तनयमैनाकगवेषणात्मकस्य फलस्य, शशिकिशोरतादात्म्यस्य ध्वान्तकर्तृकनिगरणकर्मतादात्म्यस्य चोत्प्रेक्षाणां नियमतो व्यञ्जनया प्रतीयमानत्वेऽपि न व्यङ्ग्याभिस्तत्तदुत्प्रेक्षाभिस्तत्र तत्र व्यवहारः, तासां व्यङ्ग्योत्प्रेक्षाणामङ्गत्वेनानुवाद्यत्वात्, अपि तु पूर्वोक्ततत्तद्वाच्योत्प्रेक्षाभिरेव तत्र तत्र व्यवहारः, तासामुत्प्रेक्षाणामेव इवादिपदवेद्यानां विधेयत्वेन प्राधान्यात्। एवञ्चानेकविधोत्प्रेक्षासाङ्कर्ये यस्य विषयिण उत्प्रेक्षा विधेयतया भासते, प्राधान्यात्तदीयोत्प्रेक्षयैव व्यवहार इत्यनुगमः फलितो भवति। अनयैव दिशा सर्वत्रोत्प्रेक्षाव्यवहरणीयेति भावः।

अब जहाँ अनेक उत्प्रेक्षाओं का सांकर्य हो वहाँ किस उत्प्रेक्षा का व्यवहार करना चाहिये इस बात का निर्णय किया जाता है—उत्प्रेक्ष्यमाणेष्वपि इत्यादि। जहाँ अनेक उत्प्रेक्षाएँ हों वहाँ भी जिस विषयी की उत्प्रेक्षा विधेयरूप से भासित होती हो उसकी उत्प्रेक्षा का ही व्यवहार करना उचित है, क्योंकि प्रधानता उसी उत्प्रेक्षा की होती है। इस अनुगम के अनुसार 'विश्लेष-' इस जगह नूपुररूप विषय में दुःखरूप गुण की उत्प्रेक्षा के व्यङ्ग्य होने पर भी, उस उत्प्रेक्षा का व्यवहार उचित नहीं होता—अर्थात् गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा यहाँ नहीं कही जाती है। कारण, यह उत्प्रेक्षा अङ्ग होने के कारण अनुवाद्य है, विधेय नहीं। किंतु पञ्चमी के अर्थ (हेतु) की उत्प्रेक्षा (हेतूत्प्रेक्षा) का व्यवहार ही उचित है, क्योंकि 'इव' शब्द से उसी का बोध होने के कारण विधेय वही है। इसी तरह 'चोलस्य यद्भीतिपलायितस्य—' इस पद्य में भी 'वनप्रदेश'रूप विषय में 'ललाटाक्षरदर्शन' की उत्प्रेक्षा व्यङ्ग्य अवश्य होती है, पर व्यवहार उसका नहीं होता—अर्थात् 'क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा' यहाँ

मानी नहीं जाती, क्योंकि वह उत्प्रेक्षा भी अङ्गभूत है—अनुवाद्य है। किंतु 'तुमुन्' प्रत्यय के अर्थ (फल) की उत्प्रेक्षा का ही व्यवहार होता है। कारण, 'इव' पद बोध्य होने के कारण वही विधेय है—प्रधान है। इसी तरह 'तनयमैनाक—' इस गद्य में भी यद्यपि पुत्र-मैनाकान्वेषणरूप फल की उत्प्रेक्षा व्यञ्जनावृत्तिद्वारा प्रतीत होती है, पर व्यवहार उसका नहीं होता—अर्थात् 'फलोत्प्रेक्षा' का उदाहरण वह गद्य नहीं कहा जाता। किंतु 'भुजत्वजात्यवच्छिन्नोत्प्रेक्षा' का ही व्यवहार होता है—अर्थात् जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा का उदाहरण ही उस गद्य को कहा जाता है। कारण वही है जो उक्तस्थलों पर था। इसी तरह 'कलिन्दजानीर—' इस पद्य में भी यद्यपि 'बक'रूप विषय में 'चन्द्रकिशोर' की अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा व्यङ्ग्य होती है, और उसी उत्प्रेक्षा के बल से 'चन्द्रकिशोर'रूप विषय में अन्धकारकर्तृक वैरहेतुक निगरणकर्म' की अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा भी व्यङ्ग्य होती है, तथापि इन दोनों में से किसी भी उत्प्रेक्षा का व्यवहार नहीं किया जाता। किन्तु 'बक'रूप विषय में होनेवाली 'क्रोशन'-क्रियोत्प्रेक्षा का ही व्यवहार होता है। कारण यहाँ भी पूर्ववत् समझना चाहिए।

उत्प्रेक्षानिमित्तभूतधर्मसम्बन्धिविशेषमाह—

द्विविधो हि तावद्धर्मोऽपि—स्वत एव साधारणः साधारणीकरणोपायेनासाधारणोऽपि साधारणीकृतश्च। स चोपायः क्वचिद्रूपकम्, क्वचिच्छ्लेषः, क्वचिदपह्नुतिः, क्वचिद्बिम्बप्रतिबिम्बभावः, क्वचिदुपचारः, क्वचिदभेदाध्यवसायरूपोऽतिशयः।

द्विविधोः हीति। हि यतः स्वत एवेत्यादिद्वैविध्यं प्राप्तोऽतस्तावद्धर्मोऽपि द्विविध इत्यर्थः। स चोपाय इति स साधारणीकरणोपाय इत्यर्थः। अन्यन्निगदव्याख्यातमेव।

उत्प्रेक्षा के निमित्तभूत धर्म के संबन्ध में कुछ विशिष्ट बातें बताई जाती हैं—द्विविधो हि इत्यादि। उत्प्रेक्षा का निमित्तभूत धर्म भी दो प्रकार का है—एक स्वतः साधारण (विषय-विषयी दोनों में रहनेवाला, जिसे 'अनुगामी' कहते हैं), दूसरा साधारण बनाने के उपाय द्वारा असाधारण होने पर भी साधारण बना लिया गया। उनमें से स्वतः साधारण के विषय में तो कुछ कहना नहीं है। रहा साधारण बनाने का उपाय, सो वह कहीं रूपक, कहीं श्लेष, कहीं अपह्नुति, कहीं बिम्बप्रतिबिम्बभाव, कहीं उपचार और कहीं अभेद का अध्यवसान (एक धर्म के प्रतिपादक शब्द में अन्य धर्म को प्रविष्ट समझ लेना) रूप 'अतिशय' होता है।

उपायेन साधारणीकृतानां धर्माणामुदाहरणेषु निर्देष्टव्येषु प्रथमं रूपकोपायसाधारणीकृतं धर्ममुदाहरति—

यथा—

'नयनेन्दिन्दिरानन्दमन्दिरं मिलदिन्दिरम्।
इदमिन्दीवरं मन्ये सुन्दराङ्गि तवाननम्॥'

अयि सुन्दराङ्गि! नयनान्येव, इन्दिन्दिराः भ्रमराः, तेषाम्, आनन्दस्य, मन्दिरं स्थानम्, तथा मिलन्ती संयुज्यमाना, इन्दिरा लक्ष्मीः (शोभा), यस्मिन्, तादृशम्, इदम्, तव, आननं मुखम्, इन्दीवरं कमलम्, मन्ये, इत्यर्थः।

उक्त उपायों द्वारा साधारणीकृत धर्मों के उदाहरण दिखलाने के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम रूपकात्मक उपाय द्वारा साधारणीकृत धर्म का उदाहरण दिखलाया जाता है, यथा-नयने

इत्यादि। जैसे—हे सुन्दराङ्गि! नयनरूप भ्रमरों का आनन्दस्थान तथा शोभासंयुक्त यह तेरा मुख, मानो कमल है।

उपपादयति—

अत्र प्रथमार्धगतः प्रथमो धर्मो रूपकेण विषयविषयिसाधारणीकृतः। द्वितीयश्च विलक्षणशोभयोरभेदाध्यवसायेन।

प्रथम इति। नयनेन्दिन्दिरानन्दमन्दिरत्वरूप इत्यर्थः। द्वितीय इति। मिलदिन्दिरत्वरूप इत्यर्थः। अध्यवसायेनेति। विषयेत्याद्यनुषज्यते। 'नयने—' इति श्लोके आनन्दरूपे विषयेऽभेदेन इन्दीवररूपस्य विषयिण उत्प्रेक्षा। तस्याञ्चोत्प्रेक्षायां 'नयनेन्दिन्दिरानन्दमन्दिरत्वम्' मिलदिन्दिरत्वम्' चेत्येतौ धर्मौ निमित्तभूतौ। निमित्तता च तयोः प्रथमस्य रूपकेण द्वितीयस्याभेदाध्यवसायेन साधारणीकरणद्वारा। कथमिति चेत्? इत्थम्—नयनानन्दमन्दिरत्वम् आनन एव इन्दिन्दिरानन्दमन्दिरत्वञ्चेन्दीवर एव। नयनेन्दिन्दिरयो रूपके कृते नयनेन्दिन्दिरानन्दमन्दिरत्वं तयोः साधारणं सम्पद्यते। एवम् आननस्येन्दिराभिन्नाऽऽनन एव इन्दीवरस्येन्दिराभिन्ना इन्दीवर एव। तयोरभेदाध्यवसाये तु मिलदिन्दिरत्वं तयोः साधारणं भवतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। अभिप्राय यह है कि-'नयने···' इस पद्य में मुखरूप विषय में कमलरूप विषयी की अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा की जाती है और उस उत्प्रेक्षा में 'नयनभ्रमरानन्दस्थानत्व' और 'शोभायुक्तत्व' ये दो धर्म निमित्त होते हैं, पर ये धर्म स्वतः निमित्त हो नहीं सकते, क्योंकि स्वतः विषय-विषयी दोनों में रहनेवाले नहीं हैं—अर्थात् 'नयनानन्दस्थानत्व' मुख में है तथा 'भ्रमरानन्दस्थानत्व' कमल में है—उभयानन्दस्थानत्व किसी एक में नहीं है। इसी तरह मुख की शोभा तथा कमल की शोभा भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। अतः मुख की शोभा से युक्त मुख और कमल की शोभा से युक्त कमल ही हो सकता है-किसी एक शोभा से युक्त दोनों नहीं होते, इसलिये नयन और भ्रमर में अभेदारोपरूप रूपक मानकर और मुख-शोभा तथा कमल-शोभा में अभेदाध्यवसान (अतिशयोक्ति) मानकर उक्त दोनों धर्मों को विषय-विषयी दोनों में रहनेवाला (साधारण) बना लिया जाता है और साधारण बन जाने पर उक्त दोनों धर्म उक्त उत्प्रेक्षा के निमित्त होते हैं।

सोदहरणमुक्तप्रकारातिरिक्तमेकं निमित्तधर्मप्रकारं प्रकटयति—

केवलशब्दात्मकोऽप्ययं सम्भवति।

'अङ्कितान्यक्षसङ्घातैः सरोगाणि सदैव हि।
शङ्के पङ्केरुहाणीति शरीराणि शरीरिणाम्॥'

अयं निमित्तभूतो धर्मः उत्प्रेक्षायां शब्दात्मकोऽपि उपमादाविव भवितुमर्हति। यथा—'हि यतः, अक्षसङ्घातैः इन्द्रियसमूहैः (अन्यत्र कमलबीजैः), अङ्कितानि चिह्नितानि, सदैव, सरोगाणि रोगसहितानि (अन्यत्र सरोवरगतानि च), शरीरिणां प्राणिनाम्, शरीराणि, सन्ति, अतस्तानि, पङ्केरुहाणि कमलानि, इति शङ्के' इत्यर्थके 'अङ्किता—' इति श्लोके 'अक्षसङ्घाताङ्कित'शब्दः 'सरोग'शब्दश्च। अयं भावः—अर्थतः अक्षसङ्घाताङ्कितत्वं 'इन्द्रियसङ्घाताङ्कितत्व'रूपम्, 'बीजसङ्घाताङ्कितत्व'रूपञ्च, एवं सरोगत्वं अर्थतः 'रोगसहितत्व'रूपं 'सरोवरगतत्व'रूपञ्च। तत्र प्रथमं-प्रथमं शरीरेषु द्वितीयं द्वितीयञ्च

कमलेषु इति न कोऽप्यर्थात्मको धर्मः शरीर-कमल-साधारणः। शब्दात्मकौ तु तौ द्वावपि धर्मौ 'प्रतिपाद्यता'सम्बन्धेन तदुभयसाधारणौ सन्तौ शरीरात्मके विषये पङ्केरुहात्मकस्य विषयिण उत्प्रेक्षां प्रयोजयत इति।

उदाहरणसहित निमित्त-धर्म का एक अपर प्रकार दिखलाया जाता है—केवल इत्यादि। यह निमित्तभूत धर्म उपमा आदि की तरह उत्प्रेक्षा में भी केवल शब्दात्मक हो सकता है। जैसे—'अङ्किता'—अर्थात् मैं शङ्का करता हूँ कि-शरीरधारियों के शरीर कमल हैं। कारण, ये 'अक्षसङ्घातों' (इन्द्रियसमूहों, अन्यत्र कमलगट्टों के समूहों) से चिह्नित हैं और 'सरोग' (रोगसहित अन्यत्र सरोवरगत) हैं। इस पद्य में 'अक्षसङ्घाताङ्कित' और 'सरोग' ये दो शब्दरूप धर्म हैं। अभिप्राय है कि-प्रकृत पद्य में शरीरों में कमलों की उत्प्रेक्षा 'अभेद'सम्बन्ध से की जाती है और उसमें निमित्त होते हैं उक्त दोनों धर्म। पर वे धर्म अर्थतः निमित्त नहीं हो सकते, क्योंकि उक्त दोनों धर्मों में से प्रथम धर्म अर्थतः 'इन्द्रियसमूहाङ्कितत्व' तथा 'बीजसमूहाङ्कितत्व'रूप सिद्ध होता है जिनमें प्रथम रूप केवल शरीर में तथा द्वितीयरूप केवल कमल में रहनेवाला है। इसी तरह द्वितीय (सरोगत्व) धर्म अर्थतः 'रोगसहितत्व' तथा 'सरोवरगतत्व'रूप सिद्ध होता है जिनमें पहला केवल शरीर में तथा दूसरा केवल कमल में रहनेवाला है। अतः केवल शब्दतः वे दोनों धर्म निमित्त होते हैं-अर्थात् 'अक्षसङ्घाताङ्कित' तथा 'सरोग' ये दोनों शब्द ही 'प्रतिपाद्यता'संबन्ध से शरीर-कमल दोनों में रहनेवाले धर्मरूप होकर उक्त उत्प्रेक्षा के निमित्त होते हैं।

शब्दात्मके निमित्तधर्मे यो विशेषस्तमाह—

अयमुपात्त एव भवति।

उत्प्रेक्षायाः शब्दत्मको निमित्तधर्म उक्त एव, नानुक्तोऽसम्भवादिति भावः।

उत्प्रेक्षा का यह शब्दात्मक निमित्त धर्म उक्त ही होता है, अनुक्त नहीं।

प्रसङ्गाच्छब्दात्मकेतरेषु धर्मेषु ततो वैलक्षण्यं दर्शयति—

अर्थमयोऽनुपात्तश्चापि भवति। यथा 'द्विनेत्र इव वासवः' इत्यादौ जगदीश्वरत्वादिः। न चात्र द्विनेत्रत्वादिरूप उपात्त एव साधारणो धर्मः। साधारण्यार्थमेव तस्य विषयिण्यारोपादिति वाच्यम्। तस्यारोपेण साधारणत्वे कृतेऽपि असुन्दरत्वेनोत्प्रेक्षोत्थापकत्वविरहात्। साधारणीकरणं तु प्रतिबन्धकनिरासार्थमित्युक्तमेव।

अर्थमय इति। प्रागुक्तोऽर्थमय इत्यर्थः। शब्दातिरिक्ता ये स्वतः साधारणा उपायेन साधारणीकृताश्च धर्माः प्रागुपपादितास्तेऽनुपात्ता अपि भवन्ति, उपात्तास्तु भवन्त्येवेति भावः। उदाहरणप्रदर्शनेनानुपात्तत्वं द्रढयति—यथेति। 'द्विनेत्र इव-' इति पद्यं प्रागुल्लिखितं व्याख्यातञ्च। तत्र राजरूपे विषये क्रियमाणायां वासवायुत्प्रेक्षायां जगदीश्वरत्वादिर्निमित्तभूतो धर्मः स चानुपात्त इति भावः। शङ्कते—न चात्रेति। द्विनेत्रत्वादिर्यद्यपि तत्र विषयभूतराजवृत्तिरेव वस्तुतो, न विषयि-वासवादिवृत्तिस्तथा च न साधारणस्तथापि विषयिणि वासवादौ समारोपेण स साधारणीकृतो निमित्तीभवितुं योग्यः, स च युज्यत एवेति कथं तत्रानुपात्तस्य जगदीश्वरत्वादेर्निमित्ततेति भावः। समाधत्ते—तस्यारोपेणेति आरोपेण साधारणीकृतोऽपि द्विनेत्रत्वादिरचमत्कारितयोत्प्रेक्षोत्थापको न भवितुमर्हतीति

अनुपात्तस्यैव जगदीश्वरत्वादेश्चमत्कारिणो निमित्ततेति भावः । नन्वेवं द्विनेत्रत्वादेः साधारणीकरणं व्यर्थमत आह—साधारणीकरणं त्विति । द्विनेत्रत्वादिधर्मवति विषये (राज्ञि) विषयिणः (वासवादेः) उत्प्रेक्षायां विषयिवृत्तिः सहस्रनेत्रत्वादिधर्मः प्रतिबन्धक इति तदपाकरणाय विषयिणि द्विनेत्रत्वादेरारोप इति न तस्य साधारणीकरणं व्यर्थमिति भावः । "'इव' शब्दस्तत्र सम्भावनार्थक एव, न सादृश्यार्थकः" इत्यस्यार्थस्य स्फुटत्वायापि द्विनेत्रत्वादेः साधारणीकरणस्य सार्थकतेत्यपि बोध्यम् ।

प्रसङ्गवश. शब्दात्मक धर्म—जो केवल उपात्त ही होता है—से अर्थात्मक धर्म में विलक्षणता बतलाई जाती है—अर्थमय इत्यादि । अर्थात्मक उत्प्रेक्षा-निमित्तभूत धर्म जो स्वतः साधारण अथवा उपाय द्वारा साधारणीकृत पूर्व में बताए गए हैं वे अनुपात्त भी हो सकते हैं (उपात्त तो होते ही हैं)। जैसे—'द्विनेत्र इव वासवः—' इस पूर्वोल्लिखित मालोत्प्रेक्षा में निमित्त होने वाला 'जगदीश्वरत्व (जगत्पति होना)' आदि अनुपात्त है। आप कहेंगे—वहाँ अनुपात्त (जगदीश्वरत्व आदि) धर्म को निमित्त मानने की आवश्यकता ही क्या है ? उपात्त 'द्विनेत्रत्व' आदि धर्म ही निमित्त हो सकता है, निमित्त बनाने के लिये ही तो 'आरोप'रूप उपाय द्वारा द्विनेत्रत्व आदि का साधारणीकरण किया गया है—अर्थात् 'द्विनेत्रत्व' आदि, विषय (राजा) में ही रहनेवाला था, विषयी (इन्द्र आदि) में रहने वाला नहीं, अतः विषयी में आरोप करके 'द्विनेत्रत्व' आदि को साधारण बनाया गया है और जब वह साधारण बन गया तब वह निमित्त भी हो ही सकता है फिर अन्य किसी धर्म को निमित्त मानना व्यर्थ है । पर यह कथन आपका ठीक नहीं । कारण, द्विनेत्रत्व आदि धर्म साधारण हो जाने पर भी उत्प्रेक्षा का निमित्त नहीं हो सकता - उत्प्रेक्षा का उत्थापक नहीं हो सकता क्योंकि वह सुन्दर (चमत्कारी) नहीं है और उत्प्रेक्षा का निमित्त (उत्थापक) वही धर्म होता है जो सुन्दर हो । आप कहेंगे—यदि ऐसी बात थी तब द्विनेत्रत्व आदि को उपाय (आरोप) द्वारा साधारण बनाया ही किसलिये गया ? तो इसका उत्तर यह है कि—वह (द्विनेत्रत्व आदि का साधारणीकरण) तो 'सहस्रनेत्रत्व (सहस्र आँख वाला होने)' आदि उत्प्रेक्षाप्रतिबन्धक धर्म को हटाने के लिये किया गया है यह पहले कहा ही जा चुका है । यदि द्विनेत्रत्व आदि का साधारणीकरण नहीं किया जाता—अर्थात यदि 'द्विनेत्र इव वासवः' ऐसा न कहकर केवल (वासव इव) इतना ही कहा जाता तब 'इव' शब्द सादृश्यबोधक ही सिद्ध होता संभावनाबोधक नहीं, और उसका साधारणीकरण कर देने पर-अर्थात् वैसा कहने पर, वह संभावनाबोधक सिद्ध होता है। फलतः 'इव' शब्द संभावना-बोधक है इस तथ्य का बोध करना भी उक्त साधारणीकरण का एक प्रयोजन है यह भी समझना चाहिये ।

श्लेषरूपेणोपायेन साधारणीकृतं धर्ममुदाहरति—

'दृष्टिः सम्भृतमङ्गला बुधमयी देव त्वदीया सभा
काठ्यस्याश्रयभूतमास्यमरुणाधारोऽधरः सुन्दरः ।
क्रोधस्तेशनिभूरनल्पधिषण स्वान्तं तु सोमास्पदं
राजान्नूनमनूनविक्रम भवान् सर्वग्रहालम्बनम् ॥'

कविः राजानं स्तौति—हे देव ! त्वदीया, दृष्टिः, सम्भृतमङ्गला परिपूर्णशुभा (अन्यत्र परिपूर्णमङ्गलग्रहा), त्वदीया, सभा, बुधमयी पण्डितमयी (अन्यत्र बुधग्रह-

युक्ता), त्वदीयम् आस्यं मुखम् , काव्यस्य कवितायाः (अन्यत्र शुक्रग्रहस्य), आश्रयभूतं स्थानभुतम् , त्वदीयः सुन्दरः, अधरः अरुणाधारः रक्तिम्नः आश्रयः (अन्यत्र सूर्यग्रहस्य आधारः) ते, क्रोधः, अशनिः वज्ररूपः (अन्यत्र शनिग्रहरूपः), ते, स्वान्तं हृदयम् , तु पुनः, सोमास्पदम् उमया सहितः सोमः शिवः तस्य अस्पदम् अथवा 'चन्द्रमा मनसो जातः' इति श्रुतेर्जनकतासम्बन्धेन चन्द्रविशिष्टम् (अन्यत्र चन्द्रग्रहयुक्तम्), अस्ति, अतः, हे अनल्पधिषण महामते ! अनूनविक्रम महापराक्रम ! राजन् ! भवान् , नूनम् , सर्वग्रहालम्बनं सर्वेषां ग्रहाणाम् अवलम्बभूतो, वियत इत्यर्थः ।

श्लेष द्वारा साधारण किए गए निमित्त धर्म का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—दृष्टिः इत्यादि । कवि राजा की स्तुति करता है—हे देव ! आपकी दृष्टि 'मङ्गल' (शुभ + मङ्गलग्रह) से परिपूर्ण है, आपकी सभा 'बुधमयी' (विविध विद्वानोंवाली + बुधग्रहरूप) है, आपका मुख 'काव्य' (कविता + शुक्रग्रह) का आश्रय है, आपका सुन्दर अधर 'अरुण' (ललाई + सूर्यग्रह) का आधार है, आपका क्रोध '(ऽ)शनि' ('अशनि = वज्र + शनिग्रह) का स्थान है, और आपका हृदय 'सोम' (उमासहित = शिव + चन्द्रग्रह) का निवासस्थान है। अतः हे महामते ! तथा महाविक्रम ! राजन् ! आप निश्चित ही, सब ग्रहों के आलम्बन हैं—एक भी ग्रह ऐसा नहीं जो आपसे संबन्ध नहीं रखता हो।

उपपादयति—

अत्रोत्प्रेक्ष्यमाणस्य सर्वग्रहालम्बनस्य धर्मेषु तत्तद्ग्रहाश्रिताङ्गकत्वेषु विशेषणीभूतैस्तत्तद्ग्रहैर्विषयस्य राज्ञो धर्मेषु कल्याणाश्रयत्वादिषु विशेषणानां कल्याणादीनां श्लेषेण तादात्म्यसम्पादनद्वारा तादृशधर्माणां साधारणतासम्पत्तिः ।

उत्प्रेक्ष्यमाणस्येति । विषयिण इति शेषः । कल्याणाश्रयत्वादिष्विति । कल्याणाश्रिताङ्गकत्वादिष्वित्यर्थः । 'दृष्टिः—' इति श्लोके राजरूपे विषयेऽभेदसंबन्धे सर्वग्रहालम्बनात्मकस्य विषयिण उत्प्रेक्षा । तत्र च तत्तद्ग्रहाश्रिताङ्गकत्वरूपो धर्मो निमित्तम् । ननु कथमस्य धर्मस्य प्रोक्तविषय-विषयिसाधारण्यम् ? साधारण्यविरहे च कथं तस्य धर्मस्य निमित्ततेति चेत् ? तत्तद्ग्रहाश्रिताङ्गकत्वानि विषयिणः सर्वग्रहालम्बनस्य धर्माः [यथा दृष्टेः संभृतमङ्गल(मङ्गल)त्वम् , सभाया बुध(बुधग्रह)मयत्वमित्यादीनि] । एषु धर्मेषु विशेषणीभूतानां तत्तद्ग्रहाणां (मङ्गल बुध-काव्यादीनाम्) राज्ञो धर्मेषु कल्याणाश्रिताङ्गकत्वादिषु विशेषणीभूतैः कल्याणादिभिः सह श्लेषेण (एकेन पदेन अनेकार्थोपस्थापनरूपेण) तादात्म्यं (अभेदः) सम्पाद्यते । अत एव तत्तद्ग्रहाश्रिताङ्गकत्वस्य विषय-विषयिसाधारणधर्मत्वम् , साधारणधर्मत्वे च प्रोक्तोत्प्रेक्षा-निमित्तत्वम् इति बोध्यम् । अयमाशयः—मङ्गलबुधादिग्रहाणां यद्यपि वस्तुतो राज्ञो धर्मेषु न प्रवेशस्तथापि शुभाद्यर्थको मङ्गलादिशब्दः श्लिष्टतया भौमग्रहाद्यभिन्नार्थको जातः । एवंप्रकारेण विशेषणानामभेदे सति तादृशविशेषणघटितधर्माणाम् (सम्भृतमङ्गलत्वबुधमयत्वादीनाम्) अपि अभेदेन साधारणधर्मतासम्पत्तिर्निष्प्रत्यूहेति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'दृष्टिः सम्भृतमङ्गला—' इस पद्य में 'सब ग्रहों के आलम्बन' की 'अभेद' सम्बन्ध से राजा में उत्प्रेक्षा की जाती है । उस 'आलम्बन' के धर्म हैं 'उन-उन ग्रहों से आश्रित अङ्गों वाला होना' क्योंकि जिसके अङ्गों में ग्रह आश्रित हों वही तो 'ग्रहों' का आलम्बन कहा जा सकता है । वे धर्म "दृष्टि 'मङ्गल'

से परिपूर्ण है" इत्यादि अनेक रूपों में आये हैं, उनके विशेषणरूप में आए हुए वे वे (अर्थात् मङ्गल आदि) ग्रह, उत्प्रेक्षा के विषय 'राजा' के धर्म 'शुभ से परिपूर्ण होने' आदि के विशेषण बने हुए 'शुभ' आदि अर्थों के साथ, श्लेष द्वारा अभिन्न बना दिए गए हैं। तात्पर्य यह कि-यद्यपि 'मङ्गल' आदि ग्रह का राजा के धर्म में किसी तरह प्रवेश नहीं हो सकता, तथापि मङ्गल आदि शब्द के दूसरे अर्थ 'शुभ' आदि का प्रवेश उसके धर्म में हो सकता है। अतः 'मङ्गल' आदि शब्द में उन-उन दो-दो अर्थों के श्लेष होने के कारण वे अर्थ अभिन्न बना दिए गए हैं। और उस अभिन्नता के कारण वैसे (पूर्वोक्त) धर्मों की साधारणता सिद्ध हो जाती है। और इस तरह से साधारण बने वे धर्म उक्त उत्प्रेक्षा के निमित्त होते हैं।

श्लेषेण साधारणीकृतस्यैव धर्मस्योदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'विभाति यस्यां ललितालकायां मनोहरा वैश्रवणस्य लक्ष्मीः।
कपोलपालिं तव तन्वि मन्ये नरेन्द्रकन्ये दिशमुत्तराख्याम् ॥'

नायको नायिकां वक्ति—हे तन्वि कृशाङ्गि ! नरेन्द्रकन्ये राजपुत्रि ! ललितालकायाम् ललिताः = सुन्दराः, अलकाः केशा यस्यां तथाभूतायाम्, (अन्यत्र ललिता अलका = तन्नामिका पुरी यस्यां तथाभूतायाम्) यस्याम्, कपोलपाल्याम् (अन्यत्र उत्तराख्यदिशि) मनोहरा = रमणीया, वैश्रवणस्य वै = निश्चयेन, कर्णस्य, (अन्यत्र वैश्रवणस्य = कुवेरस्य) लक्ष्मीः शोभा, विभाति भासते, तव, कपोलपालिम्, ताम्, उत्तराख्याम्, उत्तराभिधाम्, दिशम्, मन्ये, अहम् इति शेषः। इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—विभाति इत्यादि। नायक नायिका से कहता है—हे कृशाङ्गि राजपुत्रि ! 'ललितालका' (सुन्दर अलकों = केशोंवाली, अन्यत्र सुन्दर अलकापुरीवाली) जिसमें 'वैश्रवण' (निश्चितरूपेण कानों, अन्यत्र कुबेर) की मनोहर शोभा भासित होती है। ऐसी तेरी कपोलभित्ति को मैं, 'उत्तर'नामवाली दिशा मानता हूँ।

उपपादयति—

इहापि विषयविषयिधर्मविशेषणयोरलकालकयोः श्रवणवैश्रवणयोश्च श्लेषेणाभेदे धर्मस्य साधारण्यम्।

धर्मस्येति। ललितालकत्वस्य वैश्रवणशोभाभानस्थानत्वस्य चेत्यर्थः। 'विभाति—' इति पद्ये। विषयस्य कपोलपाल्याः धर्मः ललितालकत्वं (सुन्दरकेशत्वम्) श्रवणलक्ष्मीभानस्थानत्वञ्च तत्र अलकाः श्रवणञ्च विशेषणे एवं विषयिणः उत्तराख्यदिशः धर्मः ललितालकत्वं (सुन्दरालकापुरीकत्वम्) वैश्रवणलक्ष्मीभानस्थानत्वञ्च तत्र अलकापुरी वैश्रवणश्च विशेषणे, तयोस्तयोश्च विशेषणयोः श्लेषेणाभेदः सम्पद्यते। सम्पन्नाभेदेन च तेन तेन विशेषणेन विशिष्टं प्रागुक्तं धर्मद्वयं साधारणीभूतं कपोलपालीरूपे विषये उत्तराख्यदिगात्मकस्य विषयिणोऽभेदेनोत्प्रेक्षामुत्थापयतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—इहापि इत्यादि। 'विभाति—' इस पद्य में भी विषय (कपोलभित्ति) का धर्म है 'सुन्दर अलकों=केशोंवाली होना' तथा 'श्रवण=कर्ण की मनोहर शोभा के भान का स्थान होना' इसी तरह विषयी (उत्तर दिशा) का धर्म है 'सुन्दर अलकापुरीवाली होना' तथा 'वैश्रवण=कुबेर की मनोहर शोभा के भान का स्थान होना'। इन धर्मों के विशेषणरूप में 'अलक' तथा 'अलका' और 'श्रवण' तथा 'वैश्रवण' आए हैं। श्लेष द्वारा ये विशेषणीभूत अर्थ (अलक-अलका तथा श्रवण-वैश्रवण) अभिन्न हो जाते हैं और इनके अभिन्न हो जाने पर इनसे घटित (युक्त) धर्म ('ललितालकत्व' तथा 'वैश्रवणलक्ष्मीभानस्थानत्व') साधारण हो जाते हैं और साधारण हो जाने पर ये धर्म यहाँ कपोलपालीरूप विषय में उत्तरदिशारूप विषयी की अभेद संबन्ध से उत्प्रेक्षा में निमित्त होते हैं।

पुनः श्लेषेण साधारणीकृतस्यैव धर्मस्योदाहरणान्तरं प्रदर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'नासत्ययोगो वचनेषु कीर्तौ तथार्जुनः कर्मणि चापि धर्मः।
चित्ते जगत्प्राणभवो यदास्ते वशंवदास्ते किमु पाण्डुपुत्राः॥'

कवेः राजानं प्रत्युक्तिः—हे राजन्! ते, वचनेषु, यत्, नासत्ययोगः (असत्यस्य योगो न, अन्यत्र अश्विनीकुमारयोः = नकुलसहदेवयोः संयोगः), कीर्तौ यशसि, अर्जुनः (श्वेतता, अन्यत्रार्जुनः), कर्मणि, धर्मः (पुण्यम्, अन्यत्र युधिष्ठिरः), अपि च, चित्ते जगत्प्राणभवः, (जगतां प्राणभूतो भवः = परमेश्वरः, अन्यत्र भीमः = वायुपुत्रः), आस्ते, तत् किं पाण्डुपुत्राः, ते वशंवदा अधीनाः ? इत्यर्थः। (अत्र 'जगत्प्राणभव'पदस्य 'हनूमान्' अपि अर्थो नागेशमहाभागैर्व्याख्यातः, परन्तु स मूलकारस्वारस्यविरुद्धः मूलकारेणोपपादनग्रन्थे परमेश्वरस्य तदर्थतया स्पष्टमुल्लेखात्।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—नासत्य इत्यादि। राजा के प्रति कवि की उक्ति है—हे राजन्! आपके वचनों में जो 'नासत्ययोग' (असत्य-योग नहीं, अन्यत्र अश्विनीकुमारों=नकुल-सहदेव का संयोग) है, कीर्ति में 'अर्जुन' (श्वेतता, अन्यत्र अर्जुन) है, कर्म में 'धर्म' (पुण्य, अन्यत्र युधिष्ठिर) है, और चित्त में 'जगत्प्राणभव' (जगत् के प्राणभूत भव=परमेश्वर, अन्यत्र जगत्प्राण=वायु का भव=पुत्र—भीम) है, सो क्या पाण्डव लोग आप के वशवर्ती हैं? (यहाँ 'जगत्प्राणभव' पद का अर्थ नागेश ने 'हनूमान्' भी किया है, पर वह अर्थ मूलकार के स्वारस्य से विरुद्ध है, क्योंकि आगे उन्होंने उस पद का अर्थ 'परमेश्वर' स्पष्ट ही लिखा है।)

उपपादयति—

अत्र पाण्डुपुत्रेषु विषयेषु राजवशंवदतादात्म्योत्प्रेक्षायां राजाश्रितत्वरूपो विषयिधर्मः श्लेषेण विषयाणां तदाश्रितानां चासत्याभावशुक्लगुणपुण्यपरमेश्वराणामभेदसम्पादनद्वारा विषयसाधारणीकृतः।

राजवशंवदेति । वर्णनीयराजवशंवदा ये राजानस्त एव विषयिणस्तत्तादात्म्येत्यर्थः । विषयाणां पाण्डुपुत्राणाम् । तदाश्रितानां चेति । राजाश्रितानां चेत्यर्थः । विषयेति । पाण्डुपुत्रेत्यर्थः । 'नासत्य—' इत्यत्र पाण्डुपुत्रात्मकेषु विषयेषु वर्णनीयनृपवशंवदराजविशेषात्मकानां विषयिणामभेदेनोत्प्रेक्षा भवति । तत्र च 'राजाश्रितत्व'रूपो धर्मः निमित्तम् । ननु कथमयं धर्मो निमित्तं राजवशंवदरूपविषयिमात्रवर्तिनस्तस्य पाण्डुपुत्रात्मकविषयसाधारण्यविरहात् , इति चेन्न, श्लिष्टैः नासत्ययोगादिपदैः उपस्थाप्यमानानां पाण्डवासत्याभावादीनां श्लेषश्च क्वचित् सभङ्गः क्वचिदभङ्ग इत्यन्यत् । इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'नासत्य—' इस पद्य में 'पाण्डव' विषय हैं जिनमें वर्णनीय राजा के वशवर्ती अन्य राजारूप विषयी की अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा की जाती है और इस उत्प्रेक्षा का निमित्त है 'राजाश्रितत्व' (राजा का आश्रित होना) रूप धर्म। आप कहेंगे—कैसे यह धर्म उत्प्रेक्षा का निमित्त है ?—अर्थात् यह धर्म निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल विषयी (राजवशंवद) का धर्म है, विषय (पाण्डवों) का नहीं, ऐसी दशा में वह साधारण हुआ ही नहीं और साधारण धर्म ही निमित्त हो सकता है यह बात बार-बार लिखी जा चुकी है। इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि—हाँ, आपकी बात ठीक है—'राजाश्रितत्व' धर्म स्वतः साधारण नहीं है, पर श्लेषरूप उपाय द्वारा उसको साधारण बना लिया गया है—अर्थात् यहाँ वस्तुतः जो राजाश्रित हैं वे असत्याभाव, शुक्लगुण, पुण्य और परमेश्वर जिस-जिस पद ('नासत्य' आदि) से उपस्थित होते हैं उसी पद से श्लेषद्वारा एक-एक पाण्डव भी। फलतः श्लेष की महिमा से वे एकपदोपस्थाप्य अर्थ परस्पर अभिन्न हो जाते हैं और उनके अभिन्न हो जाने पर जैसे असत्याभाव आदि राजाश्रित होते हैं वैसे असत्याभाव आदि से अभिन्न समझे गए पाण्डव भी राजाश्रित समझे जाते हैं, अतः अन्ततः 'राजाश्रितत्व', विषय (पाण्डवों) का भी धर्म हो जाता है फिर उसकी साधारणता में बाधा क्या ? उपायभूत श्लेष किसी अंश में 'सभङ्ग' और किसी अंश में 'अभङ्ग' है वह एक भिन्न बात है, उससे प्रकृत में कोई हानि या लाभ नहीं।

अपह्नुतिरूपेणोपायेन साधारणीकृतं धर्ममुदाहरति—

'स्तनान्तर्गतमाणिक्यवपुर्बहिरुपागतम् ।
मनोऽनुरागि ते तन्वि मन्ये वल्लभमीक्षते ॥'

सखी नायिकामाह—हे तन्वि कृशाङ्गि ! स्तनान्तर्गतमाणिक्यवपुः सत् बहिरुपागतं स्तनमध्यगतमाणिक्यस्वरूपेण बहिरागतम् , अनुरागि अनुरागयुक्तम् , ते, मनः, वल्लभं प्रियतमम् , ईक्षते पश्यतीत्यहं मन्ये इत्यर्थः ।

अपह्नुतिरूप उपाय द्वारा साधारण बनाए गए धर्म का उदाहरण दिया जाता है—स्तनान्तर्गत इत्यादि । सखी नायिका से कहती है—हे कृशाङ्गि ! स्तनों के मध्यवर्ती माणिक्य के रूप में बाहर आया हुआ तेरा अनुरागी मन, मानो, प्रियतम को देख रहा है ।

उपपादयति—

अत्र वल्लभेक्षणस्य मनस्युत्प्रेक्षायां तन्निमित्तमन्तःप्रदेशाद्बहिरागमनमपे-

द्यम्। तच्च बहिःप्रदेशसम्बन्धरूपं माणिक्यमात्रवृत्ति मनसो न सम्भवतीति माणिक्यापह्नुत्या मनोगतं क्रियते।

'स्तनान्तर्गत—' इति श्लोके प्रियतमकर्मकदर्शनक्रियायाः समवायसम्बन्धेन मनोरूपे विषये उत्प्रेक्षा क्रियते, तत्रान्तःप्रदेशाद् बहिरागमनं निमित्तं समपेक्षितम्। परन्तु तदवधिकबहिरागमनस्य निमित्तता तदैव सम्भवति यदोत्प्रेक्ष्यमाणदर्शनसमानाधिकरणता स्यात्, सा च नास्ति बहिःप्रदेशसंयोगरूपस्य बहिरागमनस्य माणिक्यवृत्तित्वेऽपि मनोवृत्तित्वविरहात्, अतः 'माणिक्यवपुः' इत्यत्र 'वपुः'पदेन माणिक्यापह्नवेन बहिरागमनस्य मनोवृत्तित्वं सम्पाद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'स्तनान्तर्गत—' इस पद्य में प्रियतम के दर्शन'-रूप क्रियात्मक धर्म की मनरूप विषय में समवायसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा की जाती है। इस उत्प्रेक्षा का निमित्त 'मन का अन्दर से बाहर आना' अपेक्षित है, क्योंकि बाहर आए बिना 'देखना' नहीं बन सकता। 'बाहर आने' का अर्थ है बाहर के देश (देह के किसी भाग) से सम्बन्ध (संयोग), जो केवल 'माणिक्य' में रह सकता है, मन (अमूर्त पदार्थ) में उसका सम्भव नहीं, अतः माणिक्य की 'अपह्नुति' द्वारा (अर्थात् माणिक्य को 'वपुः' पद की उक्ति से छिपा कर) उस धर्म को 'मन में रहने वाला' बनाया गया है।

बिम्बप्रतिबिम्बभावात्मकेनोपायेन साधारणीकृतं धर्ममुदाहर्तुं प्रागुक्तं पद्यं स्मारयति—

बिम्बप्रतिबिम्बभावस्तु 'कलिन्दजानीरभरेऽर्धमग्ना' इत्यत्रैव निरूपितः।

'कलिन्दजा—' इत्यत्र बकरूपे विषये क्रियमाणायाः क्रोशनकर्तृत्वोत्प्रेक्षाया निमित्तं बिम्बप्रतिबिम्बभावेन साधारणीकृतः (क्रोशनाभेदमापादितः) शब्दनात्मको धर्मो भवतीति प्रागुपदर्शितमेवेति भावः।

बिम्बप्रतिबिम्बभावात्मक उपाय द्वारा धर्म का साधारणीकरण तो 'कलिन्दजा—' इस पूर्वोक्त उदाहरण में लिखा ही जा चुका है। तात्पर्य यह कि उक्त पद्य में 'क्रोशन' की उत्प्रेक्षा 'बक'रूप विषय में की जाती है और उस उत्प्रेक्षा का एक निमित्त होता है बिम्बप्रतिबिम्बभावद्वारा क्रोशन से अभिन्न बनाया गया बकवृत्ती स्वाभाविक 'शब्दन' आदि।

उपचारात्मकेनोपायेन साधारणीकृतं धर्ममुदाहरति—

'माधुर्यपरमसीमा सारस्वतजलधिमथनसम्भूता।
पिबतामनल्पसुखदा वसुधायां ननु सुधा कविता॥'

माधुर्यस्य, परमसीमा परमावधिः (यदधिकं माधुर्यं क्वचिदपि नास्तीति यावत्) सारस्वतस्य सरस्वतीसम्बन्धिनः साहित्यशास्त्रस्य तद्रूपस्येति यावत्, जलधेः समुद्रस्य, मथनेन आलोडनेन मननेनेति यावत्, सम्भूता उत्पन्ना, पिबताम् आस्वादयताम्, अनल्पसुखदा प्रभूतसुखदायिका, कविता, काव्यम्, वसुधायाम्, ननु निश्चयेन, सुधा पीयूषम् अस्तीत्यर्थः।

उपचाररूप उपाय द्वारा साधारण बनाए गए धर्म का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—माधुर्य इत्यादि। मधुरता की परमावधि (जिससे अधिक मधुरता कहीं न

हो ऐसी), सरस्वतीसंबन्धी (साहित्यरूप) समुद्र को मथन करने से उत्पन्न हुई और पीने वालों को अत्यधिक सुखदायक कविता, मानो पृथिवी पर अमृत है।

उपपादयति—

अत्र कवितायां माधुर्यपानयोर्मुख्ययोरसम्भवादास्वादश्रवणयोरमुख्ययोरुपचारेण मुखाभ्यां साधारणीकरणम्। लक्षणया शक्याभेदेन लक्ष्यबोधनात्।

उपचारेणेति। लक्षणयेत्यर्थः। मुख्याभ्यामिति। सहाभेदसम्पादनद्वारा तयोर्धर्मयोरिति शेषः। 'माधुर्य—' इति श्लोके कवितारूपे विषये सुधारूपस्य विषयिणोऽभेदेनोत्प्रेक्षा विधीयते, तत्र माधुर्यं पानञ्च निमित्तम्। निमित्तता च तयोः स्वतो न सम्भवति, कवितात्मकविषयेऽविद्यमानत्वात्, अतो माधुर्यपानयोः क्रमशः आस्वादश्रवणयोर्लक्षणया माधुर्यास्वादयोः पानश्रवणयोश्चाभेदः सम्पाद्यते, सम्पन्ने चाभेदे आस्वादश्रवणवन्माधुर्यपानयोरपि प्रोक्तविषयवृत्तितया साधारण्येन निमित्ततेति भावः। ननूपचारेऽमुख्यस्यैव प्रतीत्या मुख्याप्रतीत्या दोषस्तदवस्थ एवेति आह—लक्षणयेति। लक्षणाद्वारा माधुर्याभिन्नतया आस्वादस्य, पानाभिन्नतया च श्रवणस्य, बोध इति न दोष इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'माधुर्य—' इस पद्य में अमृत की अभेदसम्बन्ध से कवितारूप विषय में उत्प्रेक्षा की जाती है। उस उत्प्रेक्षा में निमित्त होते हैं 'माधुर्य' और 'पान'रूप धर्म। पर ये दोनों धर्म स्वतः निमित्त होने योग्य हैं नहीं, क्योंकि मुख्यरूप में ये दोनों धर्म केवल अमृत में ही रह सकते हैं, कविता में नहीं, अतः लक्षणा द्वारा ये दोनों धर्म आस्वाद तथा श्रवण से अभिन्न बना लिये जाते हैं और उन दोनों से अभिन्न हो जाने पर आस्वाद तथा श्रवण की तरह माधुर्य और पान भी कविता में रहने वाले हो जाते हैं। इस तरह साधारणीकृत माधुर्यपान उक्त उत्प्रेक्षा के निमित्त होते हैं। तात्पर्य यह कि—यहाँ के माधुर्य तथा पान पद क्रमशः आस्वाद तथा श्रवण रूप अर्थ में लाक्षणिक हैं। आप कहेंगे—लक्षणा मानने पर तो उन दोनों पदों से लक्ष्य अर्थ (आस्वाद तथा श्रवण) का ही बोध होगा और उस स्थिति में पुनः उनका निमित्त होना असम्भव ही रहेगा, क्योंकि तब माधुर्यपदार्थ आस्वाद और पानपदार्थ श्रवण कविता में ही रहने वाले होंगे, अमृत में रहने वाले नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि लक्षणा से वाच्यार्थ के अभिन्नरूप में ही लक्ष्यार्थ का बोध होता है।

अभेदाध्यवसायरूपेणातिशयेन साधारणीकृतस्य धर्मस्योदाहरणभूतं पूर्वोल्लिखितं पद्यं स्मारयित्वोपपादयति—

अभेदाध्यवसायमात्रं यथा प्रागुदाहृतायां हेतूत्प्रेक्षायाम्। 'व्यागुञ्जन्मधुकरपुञ्जमञ्जुगीताम्' इत्यत्र शाखानीचत्व-कन्धरानमनयोरभेदाध्यवसाय एव त्रपाहेतूत्प्रेक्षानिमित्ततयोपात्तस्य कन्धरानमनस्य नीचशाखनतकन्धरोभयसाधारण्ये बीजम्।

अध्यवसायमात्रमिति। मात्रपदेन पौनरुक्त्यं परिहृतम्। पूर्वं रूपकमिश्रोऽभेदाध्यवसाय उक्त इति भावः। नीचशाखनतकंधरोभयेति। नीचा शाखा यस्य स नीचशाखो वृक्षः, नता कंधरा यस्य स नतकंधरो मनुष्यः तदुभयेत्यर्थः। 'व्यागुञ्जन्—' इत्यत्रावनिरुह-

कुटुम्बकेषु विषयेषु त्रपारूपस्य हेतोराश्रतासम्बन्धेनोत्प्रेक्षा क्रियते। तत्रोपात्तं कंधरानमनं निमित्तम्। ननु वृक्षात्मकविषयावृत्तेस्तस्य साधारण्यविरहेण कथं निमित्तत्वमिति चेत्? शाखानीचत्वं वृक्षधर्मः, कंधरानमनं च मनुष्यधर्मः, तयोरभेदाध्यवसायरूपातिशयोक्तिः, अतिशयोक्त्या चानया शाखानीचत्वाभिन्नस्य कंधरानमनस्य वृक्षवृत्तित्वेन साधारण्यान्निमित्ततेति भावः।

अभेदाध्यवसानरूप अतिशयद्वारा साधारण बनाए गए धर्म का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—अभेदाध्यवसाय इत्यादि। यद्यपि 'नयनेन्दिन्दिर—' इस पद्य में 'अभेदाध्यवसायरूप अतिशय उदाहृत हो चुका है पर वहाँ वह रूपक से निश्रित था, अब केवल अभेदाध्यवसान का उदाहरण दिया जाता है, अतः पुनरुक्ति का प्रसङ्ग नहीं आता यही रहस्य मूल में 'मात्र' पद से सूचित किया गया है। 'व्यागुञ्जन्—' इत्यादि पूर्वोदाहृत हेतूत्प्रेक्षा में शुद्ध अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति द्वारा धर्म का साधारणीकरण हुआ है। तात्पर्य यह कि—उक्त पद्य में वृक्षरूप विषय में 'लज्जा'रूप हेतु की उत्प्रेक्षा की जाती है और उस उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है पद्य में उपात्त 'कंधरानमन'। यद्यपि कंधरानमन प्राणिधर्म है, अचेतन वृक्ष में वह नहीं रह सकता, तथापि 'कन्धरानमन' से यहाँ 'शाखानमन' निगीर्ण है-अर्थात् कन्धरानमन तथा शाखानमन (शाखा की नीचता) इन दोनों में अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति है। फलतः ये दोनों धर्म अभिन्न (एक) समझ लिये जाते हैं, फिर जैसे शाखानमन वृक्ष में रहता है वैसे कन्धरानमन भी रहेगा अतः कन्धरानमन साधारणधर्मरूप होकर उक्त उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है।

पर्यवसितार्थमाह—

एवं सर्वत्र हेतुफलयोरुत्प्रेक्षणे यस्य हेतुः फलं वोत्प्रेक्ष्यते सोऽनेन प्रकारेण साधारणीकृतो निमित्तमित्यसकृदावेदितम्।

अक्षरार्थः स्पष्ट एव। 'विश्लेष—' इत्यत्र मौनस्य हेतुत्वेन विश्लेषदुःखमुत्प्रेक्ष्यते, अत एव तन्मौनं अध्यवसानात्मकातिशयद्वारा निःशब्दत्वाभिन्नं सत् यथा निमित्तं भवति, यथा वा 'व्यपाटयन्—' इत्यत्र विपाटनस्य फलत्वेन दर्शनमुत्प्रेक्ष्यते, अत एव तद्विपाटनं अध्यवसानात्मकातिशयद्वारा स्वाभाविकवनान्तकर्तृकविपाटनाभिन्नं सन्निमित्तं भवति, तथा सर्वत्र हेतुफलोत्प्रेक्षास्थले कार्यकारणयोर्निमित्तता बोध्येति भावः।

पर्यवसित अर्थ दिखलाया जाता है—एवम् इत्यादि। इस तरह, यह पर्यवसित हुआ कि—हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा के स्थलों में जिस (कार्य) का हेतु (कारण) और जिस (कारण) का फल (कार्य) उत्प्रेक्षित होता है वह (हेतूत्प्रेक्षास्थल में कार्य और फलोत्प्रेक्षास्थल में कारण) उक्त प्रकार से (अर्थात् अभेदाध्यवसानरूप अतिशय द्वारा साधारणीकृत होकर) निमित्त होता है। यह बात पहले भी अनेक बार लिखी जा चुकी है।

निमित्तधर्मे विशेषमाह—

एवं क्वचिदुपात्तो धर्मो विषयविषयिसाधारण्याभावादसुन्दरत्वाद्वा स्वयमुत्प्रेक्षणं साक्षादुत्थापयितुमसमर्थोऽपि तदुत्थापनक्षमधर्मान्तरोत्थापनेनानुकूल्यविधानादुपयुज्यते।

साधारण्यसत्त्वेऽप्याह—असुन्दरेति । उपयुज्यत इति । एवं च तदानर्थक्यं नेति भावः । कुत्रचिदुक्तो धर्म एतादृशो भवति यो विषयविषयिणोः साधारणो न, कुत्रचिच्च विषयविषयिसाधारणोऽपि चमत्कारजनको नेति तौ स्वयमुत्प्रेक्षानिमित्तौ न भवितुं शक्नुतो यद्यपि, तथापि तादृशयोस्तयोर्धर्मयोरानर्थक्यं नाशङ्कनीयम्, यतस्तादृशयोरपि धर्मयोरुत्प्रेक्षानिमित्तत्वयोग्यधर्मान्तरोत्थापनद्वारा सार्थक्यं भवतीति भावः ।

निमित्त धर्म के विषय में एक विशेष बतलाया जाता है—एवम्र इत्यादि । कहीं धर्म उक्त होने पर भी, या तो विषय और विषयी दोनों में साधारण न होने के कारण, या सुन्दर न होने के कारण, स्वयं उत्प्रेक्षा को उठाने में यद्यपि असमर्थ होता है—अर्थात् स्वयं निमित्त नहीं हो सकता, तथापि उत्प्रेक्षा के उठाने में समर्थ किसी अन्य धर्म के उत्थान में अनुकूलता करने के कारण उत्प्रेक्षा में उपयोगी हो जाता है ।

तत्राद्योदाहरणं सोपपादनमाह—

यथा 'द्यौरञ्जनकालीभिः—' इति प्रागुदाहृते पद्ये दिवो जलदालीसमावृतत्वरूपो धर्म उपात्तो जगतो निर्लोचनवर्गसर्गत्वोत्प्रेक्षायां वैयधिकरण्यादप्रयोजकोऽपि स्वप्रयोज्यनिबिडान्धकारप्रयुक्तचाक्षुषज्ञानशून्यत्वस्य तथाविधोत्प्रेक्षानिमित्तस्योत्थापनेन ।

त्वेति । जलदालीसमावृतत्वेत्यर्थः । तथाविधोत्प्रेक्षेति । जगतो निर्लोचनवर्गसर्गत्वोत्प्रेक्षेत्यर्थः । 'द्यौरञ्जन—' इत्यत्र जगद्रूपे विषये निर्लोचनवर्गसर्गत्वस्योत्प्रेक्षा क्रियते, तत्र चोपात्त 'आकाशस्य मेघमालमासावृतत्वरूपो' धर्मो न स्वयं निमित्तं भवितुमर्हति, तस्य जगदवृत्तित्वेनोत्प्रेक्ष्यमाणनिर्लोचनवर्गसर्गत्वसामानाधिकरण्याभावात्, अतस्तस्य सार्थक्यं तस्यामुत्प्रेक्षायां स्वप्रयोज्यघनान्धकारप्रयुक्तचाक्षुषज्ञानशून्यत्वरूपस्य प्रोक्तोत्प्रेक्ष्यमाणधर्मसमानाधिकरणस्य अत एव प्रोक्तोत्प्रेक्षानिमित्ततायोग्यस्योत्थापनेन भवतीति भावः ।

स्वयं निमित्त नहीं होने योग्य उक्त दो प्रकार के धर्मों में से प्रथम का (विषय-विषयी में जो साधारण नहीं होता उसका) उदाहरण उपपादनसहित दिखलाया जाता है—यथा इत्यादि । 'द्यौरञ्जनकालीभिः—' यह जो पद्य पहले उदाहरणरूप में लिखा जा चुका है उसमें 'जगत के नेत्रहीनों के समूह की सृष्टि से युक्त होने' की उत्प्रेक्षा की जाती है, उस उत्प्रेक्षा में पद्योक्त 'आकाश' का 'मेघमाला से आवृत होना' रूप धर्म स्वयं यद्यपि निमित्त होने योग्य नहीं है, क्योंकि वह धर्म उत्प्रेक्षित होनेवाले उक्त धर्म का समानाधिकरण नहीं है—अर्थात् जगत् रूप विषय में रहनेवाला नहीं है, तथापि उसके उपादान की यहाँ सार्थकता है, क्योंकि वही 'आकाशगतमेघमालासमावृतत्व', उत्प्रेक्षमाण 'निर्लोचनवर्गसर्गत्व' के समानाधिकरण होने के कारण निमित्त होने योग्य 'सघन अन्धकारप्रयुक्त नेत्र से होनेवाले सब प्रकार के ज्ञान से रहित होना' रूप धर्म को उपस्थित करता है । तात्पर्य यह कि जगत् रूप विषय में की जानेवाली 'निर्लोचनवर्गसर्गत्व'-की उत्प्रेक्षा में जगत्गत 'सघन अन्धकारप्रयुक्त चाक्षुषज्ञानसामान्यशून्यत्व'रूप धर्म निमित्त होता है पर वह निमित्त धर्म उक्त नहीं है, उसकी उपस्थिति उक्त 'आकाशगत मेघमालासमावृतत्व' से होती है—अर्थात् 'आकाश मेघ-माला से आवृत है' ऐसा कहने पर आपसे आप घना अन्धकार और उस घने अन्धकार के कारण संसार का नेत्रद्वारक

सभी ज्ञानों से वञ्चित होना सिद्ध हो जाता है, इस तरह से उक्त धर्म का प्रकृत उत्प्रेक्षा में उपयोग, साक्षात् न सही, पर परम्परया अवश्य होता है।

विषयगतं विशेषं स्फोरयति—

विषयोऽप्युपात्तो निरूपित एव। क्वचिदयमपह्नुतोऽपि भवति।

निमित्त-धर्मवत् उत्प्रेक्षाया विषयोऽपि शब्दोपात्तः पूर्वोदाहरणेषु ('तनयमैनाक—' इत्यत्रोत्प्रेक्ष्यस्य विषयिणो हिमगिरिभुजस्य भागीरथीरूपो विषयः, 'अम्भोजिनीबान्धव-' इत्यत्र शुक्लगुणस्य विषयिणः बकसमजरूपो विषयः, एवमादिः) निरूपित एव। अयं विषयः क्वचिदपह्नुतोऽपि भवतीति भावः।

विषयगत विशेष का स्पष्टीकरण किया जाता है—विषयोऽपि इत्यादि। निमित्तभूत धर्म के समान उत्प्रेक्षा का उपात्त विषय भी निरूपित हो चुका है—अर्थात् 'तनय-मैनाक—' इस पद्य में 'भागीरथी'रूप, 'अम्भोजिनीबान्धव—' इस पद्य में 'बकसमाज'-रूप इसी तरह अन्यत्र अन्यरूप, उपात्त विषय दिखलाया जा चुका है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि विषय सर्वत्र उपात्त ही होता है। कहीं-कहीं वह अपह्नुत (छिपा हुआ) भी होता है।

अपह्नुतं विषयमुदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'जगदन्तरममृतमयैरंशुभिरापूरयन्नयं नितराम्।
उदयति वदनव्याजात् किमु राजा हरिणशावनयनायाः॥'

इति रसगङ्गाधर उत्प्रेक्षाप्रकरणम्।

अमृतमयैः सुधामयैः, अंशुभिः किरणैः, जगदन्तरं जगन्मध्यम्, नितराम् अत्यन्तम्, आपूरयन्, हरिणशावनयनायाः मृगाक्ष्याः, वदनव्याजात् मुखच्छलात्, अयं दृश्यमानः, राजा चन्द्रः, उदयति उदेति किमु ? इत्यर्थः। अत्र मुखरूपो विषयोऽपह्नुतः तद-पह्नवश्चात्र—राजतादात्म्यसम्भावनादार्ढ्यायेति बोध्यम्।

चकास्ति लघुकायोऽपि कोविदामोदवर्धनः।
मिथिलास्वर्णदीशोभिसरोजश्रियमाश्रितः॥ १॥

'नवानी' नामको ग्रामो गुणग्रामाभिमण्डितः ।
मण्डले दरभङ्गाख्ये विख्यातबुधजन्मभूः ॥ २ ॥ (युग्मकम्)

तस्मिन्मातृपुरे, पित्र्यं पुरं 'शतलखा'भिधम् ।
विहाय विद्यामध्यैष्ट विशिष्टां योऽतिमिष्टवाक् ॥ ३ ॥

समाप्याध्ययनं यश्च संग्रामपुरवर्तिनि ।
विद्यालये विप्रपुत्रान् पञ्चवर्षाण्यपाठयत् ॥ ४ ॥

मुजफ्फरपुरे राजमहाविद्यालये तु यः ।
साहित्यविषयस्यास्ते प्रधानाध्यापकोऽधुना ॥ ५ ॥

रहस्यमतिसंक्षिप्तं रसगङ्गाधरस्य यः ।
प्रागुदात्तवचोभङ्ग्या प्राकाशयदुदारधीः ॥ ६ ॥

रसगङ्गाधरस्यैव प्रथमाननभागगाम् ।
हिन्दीव्याख्यां ततो यश्च विशदामुदपादयत् ॥ ७ ॥

'मदनमोहन'-नामबुधीरिमामरचयद्रुचिरां स च 'चन्द्रिकाम्' ।
बुधजनो यदि तां विनिभालयेत् , श्रम इहैष तदा सफलो भवेत् ॥ ८ ॥

यदि मनागपि सज्जनमानसे मृदुलतानलिनीनिलयेऽतुले ।
रुचिमुदञ्चयिता मम 'चन्द्रिका' किमधिकैरपि दुर्जनदूषणैः ॥ ९ ॥

जगन्नाथकृतस्येयं रसगङ्गाधरस्य या ।
चन्द्रिकाख्या महाभिख्या व्याख्या संख्यावतां मुदे ॥ १० ॥
प्रारब्धाऽब्धि-धरा-व्योम-नेत्र-संख्यासमन्विते (२०१४) ।
वैक्रमेऽब्दे गता पूर्तिं कृष्णोत्पत्तितिथौ तु सा ॥ ११ ॥ (युग्मकम्)

इति मैथिलब्राह्मणवंशावतंसेन विहारप्रान्तीयमुजफ्फरपुरस्थराजकीयधर्मसमाज-
संस्कृतमहाविद्यालये साहित्यप्रधानाध्यापकपदमलङ्कुर्वता श्रीमदन-
मोहनझा-शर्मणा कृतायां रसगङ्गाधर-चन्द्रिकायां
द्वितीयाननादिरुत्प्रेक्षान्तो भागः समाप्तः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—जगदन्तर इत्यादि । अमृतमय अपनी किरणों से जगत् के मध्यभाग को अत्यन्त पूर्ण करता हुआ, यह क्या, मृगाक्षी के मुख के मिष से चन्द्र उदित हो रहा है? यह मुखरूप विषय में अभेदसम्बन्ध से चन्द्रमा की

उत्प्रेक्षा की जाती है। पर मुखरूप विषय यहाँ 'व्याज' पद कहकर छिपा लिया गया है। और इस छिपाने का फल है 'मुख में चन्द्रमा के अभेद की संभावना का दृढ हो जाना' अर्थात् इस तरह कहने से उत्प्रेक्षा और भी दृढ हो जाती है।

इति दरभङ्गामण्डलान्तर्गत 'नवानी'ग्रामनिवासी, मैथिलब्राह्मणवंशावतंस, व्याकरण-न्याय-साहित्याचार्य, मुजफ्फरपुरस्थ राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयीय साहित्य-प्रधानाध्यापक श्री मदनमोहन झा रचित रसगङ्गाधर
(द्वितीय आननगत उत्प्रेक्षानिरूपणान्त भाग) की
'चन्द्रिका' हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई।

समाप्तश्चाऽयं द्वितीयाननस्योत्प्रेक्षान्तो भागः

टीकाकर्तुः परिचयः

मान्ये मिथिलादेशे सविशेषे सद्गुणैरखिलैः ।
सीतासम्भवभूमौ सुरमुनिलोभास्पदे पूते ॥ १ ॥
'कोईलख'पदविदितो ग्रामो गुणि-गणाश्रयो जयति ।
यत्रैकस्मिन् मञ्चे नृत्यन्तौ वाङ्-रमे दृष्टे ॥ २ ॥ (युग्मकम्)
तत्रासीदतिधीरो 'विद्यानाथो' विदां श्रेष्ठः ।
मैथिलभूसुरभूपाभूतो भवसेवया पूतः ॥ ३ ॥
तत्तनयो 'मणि' नामा मणिरिव किरणोज्ज्वलो जातः ।
'सीमा' नाम्नि ग्रामे स्ववासमसौ कल्पयामास ॥ ४ ॥
तत्रासौ शुभशीलो निजविशुद्धबुद्धिबलमूलम् ।
धेनु-धरा-धान्य-धनं सघनयशःशोभितं लेभे ॥ ५ ॥
कम्रौ कूपतडागौ लसतस्तत्र खानितौ तेन ।
अद्यापि तस्य कीर्तिं कथयन्तौ लोलकल्लोलैः ॥ ६ ॥
भ्राता तस्य कनीयानतुलबलः कोऽपि मल्लोऽभूत् ।
तडागेऽद्य यदानीतपृथुलशिला शोभते घृष्टा ॥ ७ ॥
मणिरुपलेभे ललितं 'ललितलाल'नामकं तनयम् ।
विनयविभूषितहृदयं सदयं सकलशक्तियोगेऽपि ॥ ८ ॥
तस्य द्वौ समभूताम् पुत्रौ जनलोचनानन्दौ ।
'सिंहेश्वर'-'कपिलेश्वर'नामानौ परिणते वयसि ॥ ९ ॥
अथ दैवाद्दरभङ्गा राजकर्मचारिभिः प्रबलैः ।
समुपद्रुतं स्वकीयं ग्रामं तौ तूर्णमत्यजताम् ॥ १० ॥
नेदीयस्यतिरम्ये श्वशुरपुरे 'शतलखा'संज्ञे ।
बत, 'सिंहेश्वरशर्मा' कृतवसतिर्जीवनं निन्ये ॥ ११ ॥
'कपिलेश्वर'स्तदानीं बालो 'नरहा' पुरे मातुः ।
विहिताश्रयोऽधुनावधि जीवति बहुभिः सुतैः साकम् ॥ १२ ॥
पुत्रास्त्रयो विनीताः 'सिंहेश्वर' शर्मणो जाताः ।
त्यक्त्वा यानतिबाल्ये पिता पुरन्दरपुरीं प्रास्थात् ॥ १३ ॥
पूज्यो 'युगलकिशोरो' मम तु पिता मध्यमस्तेषाम् ।
कृतकृत्योऽसौ सम्प्रति जीवति देवार्चने लीनः ॥ १४ ॥

अहमागत्य 'नवानी' वसतौ मातुः कृतावासः ।
निजजीवनं निनीषे 'चक्रमचिन्त्यं हि दैवस्य' ॥ १५ ॥
'व्रजमोहनोग्रमोहननामानौ भ्रातरौ धीरौ ।
विद्या-विनय-समेतौ प्राणसमौ मे प्रियौ भवतः ॥ १६ ॥
'कामेश्वरी' प्रिया मे सत्कुल-शीलान्विता पत्नी ।
कुटिलां जीवनयात्रां सरलामेवाधुना कुरुते ॥ १७ ॥
'आनन्दः' खलु प्रथमो 'धीरेन्द्र'श्च द्वितीयो मे ।
पुत्रो विनयसमेतो विलसति विद्यार्जने लीनः ॥ १८ ॥
कन्ये द्वे कमनीये 'गङ्गा-सरिता'-भिधे गेहम् ।
मुखरयतो मधुकलपैर्बाल्योचितवचनविन्यासैः ॥ १९ ॥
श्रीमान् 'यदुपतिमिश्रो' गुरुस्तमिस्राकुले नयने ।
प्रोन्मीलयन् मदीये बहुविधबोधाञ्जनैः पूर्वम् ॥ २० ॥
बुधगणवन्दितचरणः शरणागतवत्सलो जयति ।
श्रीमा'नीश्वरनाथो' यो मयि शुभवैदुषीं व्यतनोत् ॥ २१ ॥
व्याकृतिकलाप्रवीणं सालङ्कृतिकाव्यमर्मज्ञम् ।
तत्पादाम्बुजसेवा मामकरोदल्पकालेन ॥ २२ ॥
प्रातःस्मृतिविषयोऽसौ 'श्रीजगदीशो'ऽतिशिवभक्तः ।
निपुणं नव्यन्याये कृत्वा मामुन्नतं चक्रे ॥ २३ ॥
श्रेष्ठः 'षष्ठीनाथः' श्रोत्रियवंशावतंसो मे ।
वेदान्तज्ञानगुरुः काश्यां परलोकपथिकोऽभूत् ॥ २४ ॥

मम परिचयमेनं स्पष्टसंक्षिप्तरूपं
गुणमयमगुणं वा नूतनं कौतुकेन ।
रुचिररसविचारग्रन्थपाठप्रसङ्गे
परकृतिषु प्रतीताः साधवो भावयन्तु ॥ २५ ॥

द्वितीयाननोत्प्रेक्षान्तभागस्योदाहृतश्लोकानुक्रमणिका

श्लोकाः	पृष्ठा०
अकरुणहृदयप्रियतम	६४०
अगाधं परितः पूर्ण	४८१
अङ्कायमानमलिके	२७६
अङ्कितान्यक्षसं	१८६
अङ्कितान्यक्षसंघातैः	७६४
अतिमात्रबलेषु	४४६
अत्युच्चाः परितः	४६२
अत्रानुगोदं मृगया	४६७
अथ पक्त्रिमतामुपे	५८६
अद्य या मम गोविन्द	४२८
अद्वितीयं रुचात्मानं	३०७
अधरं बिम्बमाज्ञाय	६५४
अधिरोप्य हरस्य	६०४
अनन्तरत्नप्रभवस्य	४५२
अनल्पजाम्बूनद	६८७
अनल्पतापाः कृत	६७४
अपारे संसारे विषम	५७७
अपि तुरगसमीपा	४६२
अबलानां श्रियं हृत्वा	३४
अभिरामतासदन	३९३
अमितगुणोऽपि	४४४
अमृतद्रवमाधुरी	२७८
अम्बरत्यम्बरं	४२१
अम्बा शेतेऽत्र वृद्धा	६२५
अम्भोजिनीबान्धव	७०६
अयं सज्जनकार्पास	५३६
अर्थिनो दातुमेवेति	६६३
अर्थिभिश्छिद्यमानो	४५१
अलिर्भृंगो वा	६३४
अविचिन्त्यशक्ति	५५४
अविरतं परकार्यं	५६०
अविरतचिन्तो लोके	३९१
अविरतपरोपकरण	२७५
अविरलविगल	३३२
अविरलविगल	५६८
अस्याः सर्गविधौ	६१५
अहं लतायाः सदृशी	३९६
अहितापकरणभेषजं	५१७
अहीनचन्द्रा लसता	५७९
आगतः पतिः	३७३
आज्ञा सुमेषो रुचि	६२१
आत्मनोऽस्य तपो	५३८
आनन्दनेन लोकाना	२४१
आनन्दमृगदावाग्निः	५३४
आलिङ्गितो जलधि	२८५
आलोक्य सुन्दरि	६५८
आह्लादिनी नयनयो	३१६
इत एव निजालयं	४६०
इदं लताभिः स्तबका	४७४
इदमप्रतिमं पश्य	४७६
इदमुदधेरुदरं वा	६३३
इन्दुना परसौन्दर्यं	६००
इयति प्रपञ्चविषये	४१६
उदितं मण्डलमि	११७
उन्मेषं यो मम	७३२
उपकारमस्य साधो	४७७
उपकारमेव कुरुते	४४६
उपरि करवाल	६६९
उल्लासः फुल्लपङ्के	५६३
ऋतुराजं भ्रमरहितं	४८२
एकीभवत्प्रलय	४५७
एतावति प्रपञ्चे सुन्दर	३७६
एतावति प्रपञ्चेऽस्मिन्	४२२
एतावति महीपाल	३७६
कंदर्पद्विपकर्णकम्बु	४९१
कनकद्रवकान्ति	६४३
कपाले मार्जारः पय	६५९
कमलति वदनं	३१९
कमलावासकासारः	५१८
करतलनिर्गलद	७५
कलाधरस्येव कला	२४५
कलिन्दजानीर	७०८

श्लोकाः	पृष्ठा०
कलिन्दगिरिनन्दिनी	७०८
कलिन्दशैलादियमा	७१३
कलेव सूर्यादमला	३१७
कस्तूरिकातिलक	५६८
कस्मै हन्त फलाय	११९
कांचित्काञ्चनगौरा	६२२
कातराः परदुःखेषु	६६६
कान्त्या चन्द्रं विदुः	६५९
कारुण्यकुसुमाकाशः	५३५
काव्यं सुधा रसज्ञानां	५२१
कुङ्कुमद्रवलिप्ताङ्ग	५४०
कुचकलशेष्वबला	२५४
कुलिशमिव कठिन	३९१
कृतक्षुद्राघौघानथ	४१६
कृतं त्वयोन्नतं कृत्य	१३०
कृपया सुधया सिञ्च	५५४
कृष्णपक्षाधिकरुचिः	९२
कैशोरे वयसि क्रमेण	५५२
कोपेऽपि वदनं तन्वि	२४७
कोमलातपशोणाभ्र	२१८
कौमुदीव भवती	३८९
क्वचिदपि कार्ये मृदुलं	४८१
खलः कापटयदोषेण	२९५
गगनाद्गलितो गभस्ति	६३६
गगने चन्द्रिकायन्ते	६६८
गङ्गा हृद्या यथा	४१९
गन्धेन सिन्धुर	४२३
गाम्भीर्येणातिमात्रेण	४०८
गाहितमखिलं विपिनं	२५३
गीष्पतिरप्याङ्गिरसो	१४२
गुञ्जन्ति मञ्जु परितो	१०१
गुरुजनभयमद्विलो	२२४
ग्रीष्मचण्डकरमण्डल	२३८
चपला जलदाच्च्युता	६१०
चराचरोभयाकार	४६७
चलद्भृङ्गमिवाम्भोज	२८५
चाञ्चल्ययोगि न	३६
चिराद्विषहसे तापं	५९८
चोलस्य यद्भीतिपला	७३२
जगदन्तरममृत	७७५
जडानन्धान्पङ्गून्प्रकृ	५५७
जनमोहकरं तवालि	७२४
ज्योत्स्नाभिमञ्जहसिता	३१९
ढुंढुंणन्तो हि मरीह	२४४
ढुण्ढुलन्तो मरीहसि	४३६
तदवधि कुशली	११८
तद्वल्गुना युगपदु	४०२
तं दृष्टवान् प्रथम	६११
तया तिलोत्तमीयन्त्या	२४७
तरणितनया किं	६०९
तारानायकशेखराय	५८०
तिमिरं हरन्ति	५७०
तीरे तरुण्या वदनं	६१९
तुषारास्तापसव्राते	६६७
त्वत्पादनखरत्ना	४९१
त्वत्पादनखरत्ना	४९१
त्वत्प्रतापमहादीप	७१९
त्वदालेख्ये कौतूहल	६९०
दयिते रदनत्विषां	६८९
दरानमत्कन्धर	४६१.
दर्पणे च परिभोग	६२२
दशाननेन दृप्तेन	२८६
दाले कृतागसि भव	५८५
दिवानिशं वारिणि	७२६
दिव्यानामपि	४६२
दीनव्राते दयार्द्रा	६६५
दृष्टिः संभृतमङ्गला	७६६
देवाः के पूर्वदेवाः	५१९
दोर्दण्डद्वयकुण्डली	४५५
द्यौरञ्जनकालीभिः	७१६
द्राक्षेव मधुरं वाक्यं	३६९
द्विनेत्र इव वासवः	७१७
द्विर्भावः पुष्पकेतो	५८०
धर्मस्यात्मा भाग	५१५
नखकिरणपरम्परा	४१२
नगरान्तर्महीन्द्रस्य	३२२

श्लोकाः	पृष्ठा०
नगेभ्यो यान्तीनां	४३२
नदन्तिं मददन्तिनः	११४
न नगाः काननगाः	७२५
न मनागपि राहु	११३
नयनेन्दिदिरानन्द	७६३
नरसिंह धरानाथ	५९४
नरैर्वरगतिप्रदे'	६५६
नवाङ्गनेवाङ्गणेपि	३८४
नासत्ययोगो वचं	७६९
निःश्रीसशोभा सौभाग्यं	७२३
निखिलजगन्मह	२४२
निखिले निगम	३९०
नितान्तरमणीयानि	७२३
निधिं लेावण्यानां	७२९
निरपायं सुधापायं	२५२
निरुपादानसंभा	९३
निर्भिद्य चमारुहाणा	११६
नीलाञ्चलेन संवृत्त	३८०
नीवीं नियम्य शिथि	३०५
नृणां यं सेवमानानां	२६९
नृत्यत्खड्गाजिराजि	६५४
नेत्राभिरामं रामाया	६३०
पञ्चशाखः प्रभो	५६२
परस्परासङ्गसुखा	७२०
पान्थ मन्दमते किं वा	६०२
पूर्णमसुरैः रसातल	४४२
पृष्टाः खलु परपुष्टाः	४३१
प्रफुल्लकह्लारनिभा	३६८
प्राचीसंध्या समुद्य	५१९
प्राणापहरणेनासि	२४०
प्राणेशविरहक्लान्तः	५६२
प्राप्तश्रीरेष कस्मा	५७१
बधान द्रागेव द्रढिम	१३१
बहुजानां समस्ता	७१५
बुद्धिरब्धिर्महीपाल	५७४
बुद्धिर्दीपकला लोके	५१४
भवग्रीष्मप्रौढातप	५१०
भानुरग्निर्यमो वायं	६६२
भासयति व्योमगता	६७६
भुजभ्रमितपट्टिशो	४५६
भुजो भगवतो भाति	२२२
भुवनत्रितयेऽ पिमानवैः	४३५
भूधरा इव मत्तेभा	३२९
भूमीनाथ शहाब	४३४
मकरप्रतिमैर्महा	३२१
मनुष्य इति मूढेन	६८८
मयि त्वदुपमाविधौ	४४०
मरकतमणिमेदिनी	६०९
मलयानिलमनली	२४९
महर्षेर्व्यासपुत्रस्य	५७८
महीभृतां खलु गणे	३२३
माधुर्यपरमसीमा	७७२
मीनवती नयनाभ्यां	५५५
मुनिः श्रवदयं भाति	३६८
मृगतां हरयन्मध्ये	३२६
मृद्वीका रसिता सिता	१०६
यच्चोराणामस्य च	२६२
यथा तवाननं चन्द्र	३०१
यथा लतायाः स्तबका	२९७
यद्भक्तानां सुखमयः	२७०
यद्यनुष्णो भवेद्वह्निः	१९४
यमः प्रतिमहीभृतां	६७०
यशः सौरभ्यलशुनः	५६४
यस्य तुलामधिरोहसि	२४३
रजोभिः स्यन्दनो	४०५
रणाङ्गणे रावण	३७३
रमणीयस्तबकयुता	३९०
रम्यहासा रसोल्लासा	१२७
रराज राजराजस्य	३७२
राजा दुर्योधनो	३२७
राजा युधिष्ठिरो	३२५
राजेव संम्भृतं कोषं	३७७
राज्ञो मत्प्रतिकूलान्मे	९४

श्लोकाः	पृष्ठा०	श्लोकाः	पृष्ठा०
राज्याभिषेकमाज्ञाय	७१२	शिशिरेण यथा सरो	२७९
रामं स्निग्धतरश्यामं	६९८	शोणाधरांशुसंभिन्ना	२५५
रामं स्निग्धतरश्यामं	६५३	श्यामं सितं च सुदृ	६७९
रामायमाणः श्रीरामः	४२०	श्यामलेनाङ्कितं माले	२९२
रूपजला चलनयना	५११	संकेतकालमनसं	६२५
रूपयौवनलावण्य	२७३	सङ्ग्रामाङ्गणसंमुखा	६८३
रूपवत्यपि च क्रूरा	२९५	सदसद्विवेकरसिकै	४४१
लङ्कापुरादतितरां	४२०	सदृशी तव तन्वि	३८८
लोहितपीतैः कुसुमैः	४१२	सन्त्येवास्मिञ्जगति	४७३
वदनकमलेन वाले	६९८	सपल्लवा किं नु	६३२
वदने विनिवेशिता	६७१	समृद्धं सौभाग्यं	५५८
वनितेति वदन्त्येतां	६५८	संपश्यतां तामति	६३१
वराका यं राका	७२२	सरसि प्लववद्भाति	३६९
वागिव मधुरा	३२९	सरोजतामथ सतां	३२८
वामाकल्पितवामाङ्गो	३७०	सर्प इव शान्तमूर्तिः	३०२
वारिधिराकाशसमो	३९२	सविता विधवति	४०४
विज्ञत्वं विदुषां गणे	५६७	साम्राज्यलक्ष्मीरिय	६१८
विद्धा मर्मणि वाग्बाणै	५९०	साहंकारसुरासुरा	१२२
विद्वत्सु विमलज्ञाना	६६७	सिन्दूरारुणवपुषो	२९३
विद्वद्दैन्यतमस्त्रिमूर्ति	६३५	सिन्दूरैः परिपूरितं	६१२
विभाति यस्यां ललिता	७६८	सुधासमुद्रं तव	४०९
विमलतरमतिगभीरं	३३३	सुधेव वाणी वसु	२४८
वियोगवह्निकुण्डे	७२८	सुविमलमौक्तिकतारे	५०७
विलसत्यानन तस्या	२१७	सैषा स्थली यत्र	७३८
विष्णुवक्षःस्थित	३७१	सौमित्रे ननु सेव्यतां	४६२
व्यागुञ्जन्मधुकर	७२१	स्तनान्तर्गतमाणि	७७०
व्योमाङ्गणे सरसि	५०८	स्तनाभोगे पतन्भाति	२१५
शतकोटिकठिनचित्तः	२९०	स्मयमानाननाम्	६७५
शरदिन्दुरिवाह्लाद	२८३	स्मितं नैतत्किंतु	६७८
शान्तिमिच्छसि चेद्दा	५८९	हरिचरणकमल	२४१
शिञ्जानैर्मञ्जरीति	६४६	हरिचरणनखर	६६२
		हालाहलकालानलः	७२८

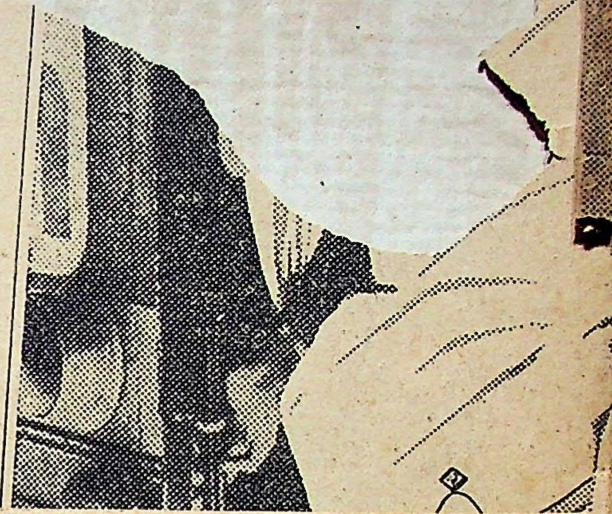

...ापक सदस्य

...सम्पादक श्री

...र्ता

फिलिप स्प्राट को ब्रि...
की देख रेख के लिए भे...
उन्हे घोर कम्युनिस्ट विर...
के रूप में सम्मा... हैं।
'विक्रम' के सम्पा... श्री
प्रस्तुत है—

..., असल चेहरा; इरादे...

उत्तर : आज यहां उसके दो प्रमुख केंद्र हैं—बंगाल और केरल। उनको वहां से हटाना सरल नहीं। बंगाल की भौगोलिक स्थिति भी देश की दृष्टि से विशेषमहत्व की है। वह पाकिस्तान की सीमा पर है। नेपाल और तिब्बत से बंगाल को साम्यवादी प्रशिक्षित ... की मदद मिलती ही

वाम पंथियों में भी उग्रवादी हैं। ज्योति बसु नक्सलियों का खंडन करते हुए श्री चारू मजूमदार, कानु सान्याल आदि की रक्षा कर रहेहैं। इन दलों के बीच का मतभेद प्रजा समाजवादी दल और संसोपा के मतभेद के बराबर है।

कम्युनिस्ट

उत्तर : ...
नहीं है। ...
घोषित कर...
के अनुसार...
में पद प्राप्त...
में हुआ। ...

संभवहै...
जी डांगे ...
लें। अब ...

शिक्षामंत्री श्री एम॰
पर बहस के दौ
डाला और
दृष्टि

कर
रहे हैं

प्रश्न : श्री रणदिवे ने घोषित किया है कि केरल और बंगाल में दल की सरकारों का उद्देश्य भीतर से संविधान को नष्ट कर देना है और गोपालन और नंबूद्रीपाद ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

...ऊनिस्ट पार्टी के ... आरम्भ में श्री डांगे पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर, 'अगर रिहा कर दिया जाय तो सरकार का गुप्तचर बनकर काम करने का' वादा किया था। क्या यह सच है ?

उत्तर : यह घटना १९२४ की है। जब मुझे बताया गया इस पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन बाद श्री मीरजकर ने बंबई के कार्यालय से एक फाइल मंगवायी। कारकून ने गलती से दूसरा ही लाकर दे दी। उसमें यह पत्र था। आश्चर्य तो हुआ। ब्रिटिश साम्यवादी नेता श्री ब्राड्ले भी वहीं थे। उन्होंने भी देखा। पर बात को छिपाकर रखने का निश्चय हुआ। नलिनि गुप्त ने भी कई पत्रों पर हस्ताक्षर किये थे। पर वे इतने बुरे न थे। गुप्त ने इस विचार को मुजफ्फर अहमद से भी कहा था और अहमद डांगे को संदेह दृष्टि से देखा करते थे। और कहते ...गे कुछ भी करने को तैयार ...र्टी में स्थान के लिये जो स्पर्धा ...है उसी कारण से यह कथा ...र्ण है। राष्ट्र की दृष्टि ...ती हैं। घटना

...रोध का
...लावट
...—१२
...तचर

...और ईसाई हैं। धर्म ...क परिधि में प्रवेश लेने ...है।

...कार के लिये कुछ कहना ...तों जातियों को बतला ...कि जहां तक कि सरकारी ...माम का सम्बन्ध है। ...मुसलमान नहीं हैं ...रतीय हैं। जब हम ...कर लेंगे तभी ...होगा।

...समता की ...मैं।

...वारपत्र में रूस ...न कार्य की ताजी ...१९१७ में स्टालिन ...न गया। १९३४ ...ाम्यवादी पार्टी ...की हत्या भी ...३६ में और भी ...त्या हुई। इन ...ा में एक भयंकर ...री कल्पना और ...के बीच की ...ी जागृति पैदा ...कि मैं ...से ...की ...तीय ...त्व में अनुभव ...यों को निष्ठा ...हैं। वे पाकिस्तान ...और आदर का ...यह एक ऐसी चीज ...अल्पसंख्यकों को ...और प्रभावी ...र देना च...

देखिए...
सर्वोत्तम सफ़...

...लोग
...जम कर